फ़तावा आलमगीरी

औरंगज़ेब आलमगीर द्वारा प्रायोजित,
शेख़ निज़ाम बुरहानपुरी और शाह
अब्दुल रहीम द्वारा संपादित

१७वीं शताब्दी

हिंदी अनुवाद

खंड - 3

सम्पादक

संजय दीक्षित, विनय कृष्ण चतुर्वेदी 'तुफ़ैल'

फ़ेहरिस्त	सूची

	कर औलाद जन्ने से मुक्त होने के बारे में
किताबुल ईमान	किताबुल ईमान यानी विश्वास-आस्था के लेख
बाब 1	अध्याय 1
यमीन की तफ़सीरे शरअी, उसके रूक्न व शर्त व हुक्म के बयान में	क़सम/शपथ की शरअी व्याख्या और उसके आधार, व अनिवार्यता तथा आदेश एंव शब्दावली के बारे में
बाब 2	अध्याय 2
उन सूरतों के बारे में जो क़सम होती हैं और जो नहीं होतीं हैं	उन दशाओं के बारे में वह जो क़समें होती हैं और वह जो क़समें नहीं होतीं हैं
फ़स्ल	भाग
कफ़्फ़ारे के बयान में	कफ़्फ़ारे/क़सम तोड़ने के दंड के बारे में
बाब 3	अध्याय 3
दख़ूल व सकनी पर क़सम खाने के बयान में	दुख़ूल/प्रवेश एंव रहने योग्य जगह आदि पर क़सम खाने के बारे में
बाब 4	अध्याय 4
निकलने और आने और सवार होने वग़ैरा की क़सम खाने के बयान में	निकलने और आने तथा सवार होने आदि की क़सम खाने के बारे में
बाब 5	अध्याय 5
खाने और पीने वग़ैरा की क़सम खाने के बयान में	खाने और पीने आदि की क़सम खाने बारे में
बाब 6	अध्याय 6
कलाम पर क़सम खाने के बयान में	बात-चीत/चर्चा करने पर क़सम खाने के बारे में
बाब 7	पाठ 7
तलाक़ व इताक़ की क़िस्म के बयान में	तलाक़ और आज़ादी के प्रकार के बारे में
बाब 8	अध्याय 8
खरीद व फ़रोख़्त व निकाह वग़ैरा में क़सम खाने के बयान में	क्रय-विक्रय एंव निकाह आदि में क़सम खाने के बारे में
बाब 9	अध्याय 9
हज व नमाज़ व रोज़े में क़सम खाने के बयान में	हज, नमाज़ और रोज़े में क़सम खाने के बारे में

किताबुल लुक़तह	किताबुल लुक़तह (यानी वह माल जो ज़मीन पर पड़ा हुआ मिल जाए और उसके मालिक का पता न हो)
किताबुल इबाक़	किताबुल इबाक (यानी बालिग़ गुलाम या लोन्डी का मालिक के पास से भाग जाना)
किताबुल मफ़क़ूद (फ़क़द = खोना, मफ़क़ूद = खोया हुआ)	गुम शुदह या खोए हुओं के लेख : वह व्यक्ति (यानी खोया हुआ अज्ञात/ ग़ायब हो जाना या दुश्मनों द्वारा पकड़े जाना जिसकी जगह मालूम ना हो) जो घर से चला जाए जिसके जीने-मरने की का कोई समाचार न हो।

किताबुल इताक़

इस में सात अबवाब हैं

बाबः 1

इताक़ की तफ़सीर शरअई और इस के रूक्न व हुक्म व अनवाअ व शर्त व सबब व अल्फ़ाज़ के बयान में और मिल्क वग़ैरह के सबब से इतक़ वाक़े होने के बयान में

इतक़ की तफ़सीर शरअईः

इतक़ ऐसी क़ुव्वते हुक्मिया है कि जिस मौक़े पर वाक़े होती है इस में लियाक़त मालिक होने की और अहलियत विलायात व शहादात की पैदा कर देती है कज़ा फ़ी मुहीतुल सुरख़ी। हत्ता कि वह इस इतक़ की वजह से ग़ैरों पर तसर्रूफ़ करने और ग़ैरों का तसर्रूफ़ अपनी ज़ात से करने पर क़ादिर हो जाता है यह तबय्यीन में लिखा है।

ईताक़ का रूक्न व हुक्मः

ईताक़ का रूक्न हर ऐसा लफ़्ज़ है जो इतक़ पर फ़िल जुमला दलालत करे या इस के क़ायम मुक़ाम हो यह बदाऐ में लिखा है और इताक़ का हुक्म यह है कि रक़ीक़ की गर्दन से दुनिया में मालिक की मिल्कियत और रक़्क़ियत ज़ायल हो जाती है और अगर मालिक ने इस को ख़ालिस अल्लाह तआला के वास्ते आज़ाद किया हो तो आख़िरत में बड़ा सवाब पाता है। यह मुहीत में है।

मुक्ति के लेख

(यानी ग़ुलाम या बान्दी को आज़ाद करना)

इस किताब में सात अध्याय हैं

अध्याय 1

मुक्ति की शरअी व्याख्या और उसका आधार व आदेश एंव विभन्न प्रकार व शर्तें/अनिवार्यताएं, कारण तथा शब्दावली के बयान में और स्वामित्व आदि के कारण से मुक्ति स्थापित होने से ग़ुलाम या बान्दी को आज़ाद हो जाने के संबंध में।

इतक़/मुक्ति/आज़ादी की शरअी व्याख्या :

इतक़/मुक्ति ऐसी आदेशित शक्ति है कि जिस समय यह स्थापित/लागू होती है तो मुक्त होने वाले को मालिक होने की योग्यता, आज़ादी और अभिभावकता के गुण पैदा कर देती है। यह मुहीतुल सुरख़ी में है। यहाँ तक कि वह इस मुक्ति पाने के कारण से दूसरों पर अधिकार करने और अपने उपर से दूसरों का अधिकार हटाने पर अधिकृत हो जाता है। यह तबिय्यीन में लिखा है।

ईताक़ (स्वतंत्र करने) का आधार एंव आदेश

ईताक़ (मुक्ति/ग़ुलाम या बान्दी को आज़ाद करने) का आधार हर ऐसा शब्द है जो मुक्ति यानी सामान्य तौर पर वह शब्द मुक्ति का तर्क दे या उसका पर्यायवाची हो, यह बदाए में लिखा है। और मुक्ति का आदेश यह है कि ग़ुलाम की गर्दन से दुनिया में मालिक का स्वामित्व और ग़ुलामी समाप्त हो जाती है। और अगर मालिक ने उसको केवल अल्लाह तआला के वास्ते आज़ाद किया हो तो परलोक में बड़ा पुरस्कार पाता है। यह मुहीत में है।

ईताक़ की अक़साम

ईताक़ की चार क़िस्में हैं :(1) वाजिब (2) मुस्तहब। (3) मुबाह। (4) हराम। बस वाजिब वह ईताक़ है जो कफ़्फ़ारा-ए-क़त्ल व ज़िहार क़सम व अफ़तार में होता है मगर फ़र्क़ यह है कि क़त्ल व ज़िहार व अफ़तार (उम्दन रोज़ा तोड़ना) की सूरत में अगर बुरदह आज़ाद करने की क़ुदरत हो तो इस पर यही वाजिब होगा और क़सम की सूरत में बावजूद क़ुदरत के तखय्युर के साथ वाजिब है यानी चाहे बुरदह आज़ाद करे या दूसरे तौर पर कफ़्फ़ारा अदा करे और मुस्तहब वह ईताक़ है जो बदूं इस पर वाजिब होने के इस ने अल्लाह तआला के वास्ते आज़ाद किया है और मुबाह वह ईताक़ है जो इस ने बदूं नियत के आज़ाद किया हो और हराम वह ईताक़ है जो इस ने शैतान की राह पर आज़ाद किया हो कज़ा फ़ी बहरूर्राइक। बस अगर किसी ने शैतान या बुत के वास्ते अपना ग़ुलाम आज़ाद किया तो वह आज़ाद हो जायेगा मगर यह शख़्स काफ़िर कहलायेगा यह सिराजुल वहाज में है।

ज़िहार = बिना सोचे समझे या बिना इरादा किए पाप का प्रायश्चित, जैसे अपनी बीवी/पत्नि को माँ कह देना ज़िहारो इफ़तार - जैसे बिना इरादा रोज़ा/उपवास तोड़ देना
कफ़्फ़ारा = पाप का प्रायश्चित - कफ़्फ़ारा ए क़त्ल = प्रतिहिंसा = ख़ून का बदला = किसास

ईताक़ की शराइत :

ईताक़ की शर्त यह है कि आज़ाद करने वाला ख़ुद आज़ाद, बालिग़, आक़िल, मालिक हो जो अपनी मिल्क से इस का मालिक है यह नहाया में है। बस नाबालिग़ और मजनून आज़ाद करने की लियाक़त नहीं रखते हैं, और इसी वजह से अगर इन दोनों ने ऐसी हालत की तरफ़ इतक़ की इज़ाफ़त की मसलन यूं कहा मैंने इस को नाबालिग़ी की हालत में आज़ाद किया है या जुनून की हालत में आज़ाद किया है हालांकि इस का जुनून मअहूद

स्वतंत्र करने के प्रकार

ईताक़ (मुक्ति/ग़ुलाम या बान्दी को आज़ाद करने) के चार प्रकार हैं। ईताक़ (1) **वाजिब**/ऐसा अनिवार्य कार्य जो न करें तो पाप हो (2) **मुसतहब**/वह जो नबी मुहम्मद स0 को पसन्द था (3) **मुबाह**/हलाल या जाईज़ होना (4) हराम/धर्मशास्त्र के अनुसार निषिद्ध/वर्जित/नाजाइज़। बस वाजिब वह मुक्त (स्वतन्त्र करने) का प्रकार है जो क़त्ल का कफ़्फ़ारा/प्रतिहिंसा व ज़िहार व अफ़तार/बिना इरादा रोज़ा तोड़ने में होता है मगर अन्तर यह है कि क़त्ल/हत्या व ज़िहार/जैसे बिना इरादा क़सम खा कर बीवी को माँ कह देना एंव अफ़तार (यूं ही रोज़ा तोड़ने) की सूरत में अगर ग़ुलाम आज़ाद करने की हैसियत हो तो उस पर यही वाजिब होगा, और क़सम की सूरत में बावजूद हैसियत के अविलंब वाजिब है यानी चाहे ग़ुलाम/बान्दी आज़ाद करे या दूसरे तौर पर कफ़्फ़ारा अदा करे, और **मुसतहब** वह मुक्त करना है उस पर बिना वाजिब/ज़रूरी न होने के बावजूद उस ने अल्लाह के वास्ते स्वतन्त्र किया है, और **मुबाह** /जाईज़ वह मुक्त करना है बिना नियत/यानी बिना किसी बदले के अपनी ख़ुशी से आज़ाद किया हो, और हराम वह मुक्त करना है जो उसने शैतान के रास्ते पर आज़ाद किया हो। यह बहरूर्राईक़ में है। बस अगर किसी ने शैतान के या किसी के बुत के वास्ते अपना ग़ुलाम आज़ाद किया तो वह ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा, मगर वह व्यक्ति काफ़िर कहलाएगा। यह सिराजुल वहाज में है।

मुक्ति की शर्तें/अनिवार्यताएं

मुक्ति की शर्त/अनिवार्यता यह है कि आज़ाद करने वाला स्वंय स्वतन्त्र, व्यस्क, सूझबूझ वाला, मालिक/स्वामी हो जो अपने स्वामित्व से उसका मालिक हो। यह निहाया में है। बस अव्यस्क और बिना सूझबूझ वाला या पागल आज़ाद करने की योग्यता नहीं रखते और इसी कारण अगर उन दोनों ने ऐसी हालत की ओर मुक्ति संबंध जताया , मिसाल के तौर पर यूं कहा कि मैंने इस को नाबालिग़ी की हालत में आज़ाद किया है या पागलपन की

है तो ग़ुलाम आज़ाद न होगा इसी तरह अगर नाबालिग़ी या जुनून की हालत में कहा कि जिस वक़्त मैं बालिग़ हूँ या मुझे इफ़ाक़ा हो तो यह ग़ुलाम आज़ाद है तो इतक़ मुनअक़िद न होगा यह तबिय्यीन में है।

असल यह है कि अगर ईताक़ को ऐसी हालत की जानिब मज़ाफ़ किया जिस का वाक़े हो जाना मालूम है हालांकि वह ऐसी हालत में आज़ाद करने की लियाक़त नहीं रखता था तो इस के क़ौल की तसदीक़ होगी और अगर इस ने कहा कि मैंने अपने जुनून की हालत में इस ग़ुलाम को आज़ाद किया है हालांकि इस का जुनून मालूम नहीं हुआ तो इस के कथन की तसदीक़ नहीं होगी। यह बदाऐ में है और जो शख़्स कभी मजनून हो जाता है और कभी इस को इफ़ाक़ा हो जाता है तो वह इफ़ाक़ा की हालत में आक़िल क़रार दिया जायेगा और जुनून की हालत में मजनून यह बहरूर्राइक़ में है, और जो शख़्स बा किराह आज़ाद करने पर मजबूर किया गया और इसने आज़ाद किया या नशे की मस्त ने आज़ाद किया तो आज़ाद हो जायेगा। यह बदाऐ में है। और इतक़ की शर्तों में से यह है कि आज़ाद करने वाला मअतूह ना हो और मदहोश ना हो और इस को बरसाम की बीमारी न हो और न ऐसा शख़्स हो जिस पर बदूं नशे के बेहोशी तारी हुई हो और सोया हुआ न हो चुनांचे इन लोगों में से किसी का आज़ाद करना सही नहीं है और अगर किसी व्यक्ति ने कहा मैंने अपने ग़ुलाम को सोने की हालत में आज़ाद किया है तो कथन इसी का स्वीकार होगा और अगर कहा कि मैंने अपनी पैदाइश से पहले या ग़ुलाम की पैदाइश से पहले ग़ुलाम को आज़ाद किया है तो वह आज़ाद न होगा और आज़ाद करने वाले का बुतूअ ख़ुद आज़ाद करना हमारे निकट आज़ाद होने की शर्त नहीं है और नीज़ इस का क़सद करने वाला होना भी बिल इजमाअ शर्त नहीं है हत्ता कि अगर इस ने हज़ल व दिल्लगी से बदूं क़सद आज़ाद किया तो सही होना और

हालत में स्वतंत्र किया है हालांकि उसका पागलपन स्वीकारणीय है तो ग़ुलाम मुक्त न होगा अगर इसी तरह नाबालिग़ी या पागलपन की हालत में कहा कि जिस समय मैं बालिग़ हो जाऊँ या मेरा पागलपन ठीक हो तो यह ग़ुलाम आज़ाद है तो यह आज़ाद होना आयोजित न होगा। यह तबिय्यीन में है।

असल यह है कि स्वतन्त्र करने को ऐसी हालत की ओर सम्बंधित किया जिसका स्थापित हो जाना मालूम है जबकि वह ऐसी हालत में आज़ाद करने की योग्यता नहीं रखता तो उसके कथन का सत्यापन होगा और उसने कहा कि मैंने अपने पागलपन की हालत में इस ग़ुलाम को स्वतन्त्र किया है जबकि उसका पागलपन मालूम नहीं हुआ तो उसके क़ौल का सत्यापन नहीं होगा। यह बदाए में है ! और जो व्यक्ति कभी पागल हो जाता है कभी ठीक हो जाता है तो उसके ठीक होने के समय में वह अक़्ल वाला माना जाएगा और पागलपन की हालत में पागल, यह बहरूर्राईक़ में है। जो व्यक्ति अनिच्छा के साथ आज़ाद करने पर मजबूर किया गया और उसने आज़ाद किया हो या मस्त नशे में आज़ाद किया तो आज़ाद हो जाएगा, यह बदाए में है। और स्वतन्त्र करने की शर्तों/अनिवार्यताओं में से यह है कि स्वतन्त्र करने वाला पागल न हो और मदहोश न हो और उसे बरसाम का रोग (यानी छाती की सूजन/फेफ़ड़ों में पानी भरना) हो और न ऐसा व्यक्ति हो जिस पर नशे की बेहोशी हो रखी हो और सोया हुआ न हो सो इन लोगों में से किसी का आज़ाद करना सही नहीं है और अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि मैंने अपने ग़ुलाम को नींद की हालत में आज़ाद किया है तो कथन उसी का स्वीकार होगा और अगर कहा कि मैंने अपनी पैदाईश से पहले या ग़ुलाम की पैदाइश से पहले ग़ुलाम को आज़ाद किया है तो वह मुक्त न होगा और मुक्त करने वाले का स्वेच्छा से स्वंय मुक्त करना हमारे निकट मुक्त होने की शर्त नहीं है साथ ही मुक्त करने का इरादा करने वाला होना भी सभी विद्वानों के अनुसार शर्त/अनिवार्यता नहीं है यहाँ तक कि अगर

इसी तरह उम्दन होना भी शर्त नहीं है हत्ता कि भूले से आज़ाद करने वाले का ईताक़ सही होगा और इसी तरह ईताक़ में शर्ते ख़्यार न होना भी शर्त नहीं है ख़्वाह ईताक़ बऐवज़ या बग़ैर ऐवज़ हो, बशर्ते यह कि ख़्यार मालिक के वास्ते हो हत्ता कि इतक़ वाक़े होगा और शर्त बातिल होगी और अगर ख़्यार ग़ुलाम के वास्ते हो तो इसके ख़्यार शर्त से खाली होना ईताक़ सही होने की शर्त है हत्ता कि अगर ग़ुलाम ने ऐसी हालत में अक़द रदद कर दिया तो फ़सख हो जायेगा और इसी तरह आज़ाद करने वाले का मुसलमान होना भी शर्त नहीं है पस काफ़िर की तरफ़ से आज़ाद करना सही है लेकिन अगर मुरतद ने आज़ाद किया हो तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक फ़िलहाल नाफ़िज़ न होगा बल्कि मौक़ूफ़ रहेगा और अगर मुरतदह औरत ने आज़ाद किया तो बिल इत्तफ़ाक़ नाफ़िज़ होगा और इसी तरह आज़ाद करने वाले का तन्दरूस्त होना शर्त न होगा बल्कि मौक़ूफ़ रहेगा और अगर मुरतदह औरत ने आज़ाद किया तो बिल इत्तफ़ाक़ नाफ़िज़ होना और इसी तरह आज़ाद करने वाले का तन्दरूस्त होना शर्त नहीं है पस अगर ऐसे मरीज़ ने आज़ाद किया जो इसी मर्ज़ में मर गया तो इतक़ सही है लेकिन मरीज़ का आज़ाद करना इस के एक तिहाई तरका से ऐतबार किया जायेगा और इसी तरह ज़बान से कलाम करना भी शर्त नहीं है पस अगर ईताक़ इस तरह तहरीर कर दिया जो मुसबत है या इस तरह इशारा किया जिससे ईताक़ समझा जाता है तो यह आज़ाद हो जायेगा यह बदाऐ में है।

अगर ग़ुलाम ने अपने मालिक से कहा कि मैं आज़ाद हूं हालांकि मौला बीमार पड़ा है पस मौला ने अपना सर हिलाया यानी हाँ कहा तो ग़ुलाम आज़ाद न होगा। यह सिराज उल वहाज में है। एक शख़्स के क़ब्जे में इस का एक ग़ुलाम है इस शख़्स से किसी ने कहा कि तूने अपना यह ग़ुलाम आज़ाद क्या है? पस इस ने अपने सर से इशारा किया कि हां तो यह ग़ुलाम आज़ाद न होगा इस वास्ते कि यह शख़्स ज़बान से कहने पर क़ादिर है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और यह शर्त नहीं है कि उसने हज़ल/मज़ाक़ व दिल्लगी से इरादा किया हो तो सही होगा और इसी तरह ज़रूरी होना भी शर्त नहीं है यहाँ तक कि भूले से आज़ाद करने वाले का आज़ाद करना सही होगा इसी तरह मुक्त करने में शर्ते ख़्यार / व्यापारिक अधिकार की अनिवार्यता होना भी अनिवार्य नहीं है भले ही आज़ाद करना किसी बदले या बग़ैर बदले के हो बशर्त इच्छा ईश्वर के वास्ते हो। यहाँ तक कि मुक्ति स्थापित होगी और अनिवार्यता रदद होगी और अगर इच्छा ग़ुलाम के वास्ते हो तो उसकी इच्छा बिना शर्त होना मुक्ति के सही होने की शर्त है यहाँ तक कि ग़ुलाम ने अनुबंध रदद कर दिया तो रदद हो जाएगा इसी तरह आज़ाद करने वाले का मुसलमान होना भी शर्त नहीं है बस काफ़िर की ओर से आज़ाद करना सही है लेकिन मुरतद धर्मभ्रष्ट ने आज़ाद किया हो तो इमामे आज़म रह० के निकट फ़िलहाल लागू न होगा, रोक रहेगी और अगर मुरतदह/धर्मभ्रष्ट औरत ने आज़ाद किया तो सहमति से लागू होगा इसी तरह आज़ाद करने वाले का स्वस्थ होना शर्त नहीं है बस अगर ऐसे रोगी ने आज़ाद किया जो उसी रोग में मर गया तो आज़ाद होना सही है लेकिन रोगी का आज़ाद करना रोगी के एक तिहाई संपत्ति के बराबर माना जाएगा इसी तरह ज़बान से कहना भी शर्त नहीं है बस अगर ईताक़/आज़ाद करना इस तरह लिख दिया जो सकारात्मक हो या इस तरह इशारा किया जिससे आज़ाद होना समझा जाता है, तो यह आज़ाद हो जाएगा। यह बदाए में लिखा है।

अगर ग़ुलाम ने अपने मौला/मालिक से कहा कि मैं आज़ाद हूँ हालांकि मौला बीमार पड़ा है और मालिक ने सर हिलाया यानी हाँ कहा तो ग़ुलाम आज़ाद न होगा यह सिराजुल वहाज में है। एक व्यक्ति के क़ब्जे में उसका ग़ुलाम है उस व्यक्ति से किसी ने कहा कि तूने अपना यह ग़ुलाम आज़ाद किया है बस उसने सर से इशारा किया कि हाँ तो यह ग़ुलाम आज़ाद न होगा इस लिए कि यह ज़बान से बोलने में समर्थ है। यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और यह शर्त नहीं है कि आज़ाद करने वाला

आज़ाद करने वाला यह जानता हो कि यह मेरा ममलूक है चुनांचे अगर ग़ासिब ने मालिक से कहा कि यह ग़ुलाम आज़ाद कर दे पस इस ने आज़ाद कर दिया हालांकि वह यह नहीं जानता है कि मेरा यह ग़ुलाम था तो ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा और मालिक इस गासिब से कुछ नहीं ले सकता। इसी तरह बाऐ ने मुश्तरी से कहा कि तू यह ग़ुलाम आज़ाद कर दे और बैअ की तरफ़ इशारा किया पस मुशतरी ने इस को आज़ाद कर दिया और यह न जाना कि मेरा ग़ुलाम है तो इसका आज़ाद करना सही होगा और यह अम्र मुश्तरी के क़ब्ज़ा करने में शुमार होगा और मुश्तरी के ज़िम्मे समन लाज़िम होगा यह कश्फ़ कबीर में है कज़ा फ़िल बहर उल राइक़।

ईताक़ की शर्तों में से एक नियत है:

शैख़ अबूबकर रह० ने फ़रमाया कि अगर किसी शख़्स ने दूसरे से कहा कि तू कह कुल उबैदी अहरार (मेरे सब ग़ुलाम आज़ाद हैं) पस इस ने यह अल्फ़ाज़ कहे हालांकि वह अरबी नहीं समझता है तो इस के सब ग़ुलाम आज़ाद हो जायेंगे और मेरे नज़दीक यह है कि इस के ग़ुलाम आज़ाद न होंगे। अगर इस से कहा कि तू कह अन्ता हरीस (तू आज़ाद है) इस ने कहा हालांकि वह यह नहीं जानता है कि इन अल्फ़ाज़ से आज़ाद हो जाता है तो वो महकमा क़ज़ा में आज़ाद हो जायेगा लेकिन फ़ीमा बईनहु व बईनल्लाहु तआला आज़ाद न होगा यह नया बैअ में है। और ईताक़ की शर्तों में से एक नियत है मगर यह ईताक़ की दो क़िस्मों यानी सरीह व किनाया में से केवल किनाया में शर्त है। यह बदाऐ में है। और इतक़ का सबब जो इसका साबित करने वाला है वो कभी नसब का दअवा होता है और भी नसबी नातेदार में नफ़्स मिल्कियत होती है और कभी यह होता है कि किसी आदमी के सामने एक शख़्स की हुर्रियत का इक़रार किया तो यह इतक़ का सबब हो सकता है चुनांचे इस शख़्स ग़ुलाम को अगर कभी इस शख़्स ने ख़रीदा या किसी तौर से इस का मालिक हुआ तो आज़ाद हो

यह जानता हो कि यह मेरा ख़रीदा हुआ ग़ुलाम है अगर किसी ग़ासिब/हक़ मारने वाले ने मालिक से कहा कि यह ग़ुलाम आज़ाद करदे और उसने आज़ाद कर दिया हालांकि वह यह नहीं जानता था कि यह मेरा ग़ुलाम था तो ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा और मालिक उस हक़ मारने वाले से कुछ वसूल नहीं कर सकता। इसी तरह एक विक्रेता ने क्रेता से कहा कि तू यह ग़ुलाम आज़ाद करदे और बिक्री की ओर इशारा किया बस क्रेता ने उसे मुक्त कर दिया और यह न जाना कि यह मेरा ग़ुलाम है तो उसका आज़ाद करना सही होगा यह कार्य क्रेता के क़ब्ज़ा करने में माना जाएगा और क्रेता के ज़िम्मे क़ीमत ज़रूरी होगी यह कश्फ़ कबीर में है यह बहरूर्राईक़ में है!

स्वतन्त्र करने की शर्तों/अनिवार्यताओं में से एक इरादा/संकल्प/उद्देश्य है।

शैख़ अबूबकर रह० ने फ़रमाया कि अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे से कहा कि तू कह "कुल उबेदी अहरार" (मेरे सब ग़ुलाम आज़ाद हैं) बस उसने यह शब्द कहे हाँलांकि वह अरबी नहीं समझता तो उसके सब ग़ुलाम आज़ाद हो जाएंगे और मेरे निकट यह है कि उसके ग़ुलाम आज़ाद न होंगे। अगर उससे कहा कि तू कह 'अन्ता हरीस' (तू आज़ाद है) उसने कहा हाँलांकि वह यह नहीं जानता कि इन शब्दों से आज़ाद हो जाता है तो वह महकमा ए क़ज़ा/न्याय विभाग में आज़ाद हो जाएगा लेकिन अल्लाह सर्वशक्तिमान के निकट मुक्त न होगा यह नया बैअ में है और आज़ाद करने की शर्तों में से एक नियत है। मगर यह ईताक़ की शर्तों में से एक नियत संकल्प है मगर यह आज़ाद करने के दो प्रकार यानी सरीह व किनाया (सीधे एंव इशारों में कहना या गोल मोल बात करना) में से केवल इशारों में कहना में शर्त है। यह बदाए में है और आज़ाद होने का कारण जो उसका साबित करने वाला है, वह कभी नस्ल/ खानदानी होने का दावा होता है और कभी खानदानी नातेदार में जीवित ही मालिक होता है और कभी यह होता है कि किसी व्यक्ति के सामने एक व्यक्ति की आज़ादी को

जायेगा और कभी दारूल हरब में दाखिल होना सबब होता है। चुनांचे अगर हरबी ने एक मुसलमान ग़ुलाम खरीदा और इस को दारूल हरब में ले गया और यह हाल मालूम न हुआ तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक यह ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा और इसी तरह अगर इस का क़ब्ज़ा ग़ुलाम से ज़ायल हो गया ब ईंन तौर कि ग़ुलाम अपने हरबी मालिक के पास से दारूल इस्लाम में भाग आया तो वो आज़ाद होगा यह फ़तहुल क़दीर में है।

शर्ते ख़्यार = यानी व्यापारिक मामला/सौदा तय हो जाने के बाद व्यापारी और ख़रीदार का सौदा बाक़ी रखने या समाप्त करने का अधिकार

इतक़ के अल्फ़ाज़ तीन अक़साम के होते हैं :

अगर हरबी का ग़ुलाम मुसलमान हो गया मगर दारूल इस्लाम में निकल ना आया तो वो आज़ाद न होगा अगर इस का मालिक भी मुसलमान हो गया हो फिर अहले इस्लाम ने इस मुल्क को फ़तह कर लिया तो इस का ग़ुलाम इसी का ग़ुलाम रहेगा और अगर हरबी का ग़ुलाम मुसलमान हो गया फिर इस के मौला ने दारूल हरब में इस को किसी मुसलमान के हाथ फ़रोख़्त किया तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक मुश्तरी के क़ब्ज़े से पहले वो ग़ुलाम आज़ाद होगा और इसी तरह अगर किसी ज़िम्मी के हाथ फ़रोख़्त किया तो भी यही हुक्म है और अगर हरबी दारूल हरब को लौट गया और दारूल इस्लाम में अपनी उम्मे वलद छोड़ गया या ऐसा ग़ुलाम मुदब्बर छोड़ा जिसको इसने दारूल इस्लाम में मुदब्बर किया तो इन दोनों के आज़ाद हो जाने का हुक्म दिया जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और इतक़ के अल्फ़ाज़ तीन इक़साम के होते हैं एक सरीह दोम जो सरीह के साथ मुलहिक़ हैं सौम किनाया फिर जानना चाहिए कि सरीह मिस्ल हुरियत व इतक़ वाला, वग़ैरह अल्फ़ाज़ के हैं और जो उन से मुशतक़ हों वो भी सरीह हैं और ऐसे अल्फ़ाज़ से जो इतक़ हो इस में नियत की हाजत नहीं है। पस अगर ऐसे अल्फ़ाज़ से अपने ममलूक का वसफ़ किया या

स्वीकार किया तो यह मुक्ति का कारण हो सकता है इसलिए उस व्यक्ति (ग़ुलाम) को अगर कभी इस व्यक्ति ने ख़रीदा था या किसी तरह उसका मालिक हुआ तो आज़ाद हो जाएगा, और कभी दारुल हरब (वह देश जहाँ मुस्लिम शासन न हो और मुसलमानों को अपने धर्मानुसार कार्य करने की अनुमति नहीं होती) में प्रवेश करना कारण होता है। अगर एक हरबी (दारुल हरब के निवासी) ने एक मुसलमान ग़ुलाम ख़रीदा और उसको दारुल हरब यानी ग़ैरमुस्लिम राज्य में ले गया और यह हाल मालूम न हुआ तो इमामे आज़म रह० के निकट यह ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा, और इसी तरह अगर उसका क़ब्ज़ा ग़ुलाम पर न रहे इस तरह से कि ग़ुलाम अपने हरबी मालिक के पास दारुल इस्लाम यानी इस्लामी शासित देश में भाग आया तो वह मुक्त होगा। यह फ़तह उल क़दीर में है।

मुक्त करने के शब्द तीन प्रकार के होते हैं।

अगर ग़ैर मुस्लिम का ग़ुलाम मुसलमान हो गया मगर इस्लामी गणराज्य में निकल ना आया तो वह मुक्त न होगा, अगर उसका मालिक भी मुसलमान हो गया फ़िर इस्लामी लोगों ने उस मुल्क को भी फ़तह कर लिया तो उसका ग़ुलाम उसी का ग़ुलाम रहेगा। और अगर हरबी/ग़ैर मुस्लिम का ग़ुलाम मुसलमान हो गया फिर उसके मालिक ने दारुल हरब में उस ग़ुलाम को किसी मुसलमान के हाथ बेच दिया तो इमामे आज़म रह० के निकट ग्राहक के कब्ज़े से पहले वह ग़ुलाम आज़ाद होगा, और इसी तरह अगर किसी ज़िम्मी (वह ग़ैर मुस्लिम जो इस्लामी राज्य में जज़िया/टैक्स देकर रहते हैं) के हाथ बेच दिया तो भी यही आदेश है। और अगर हरबी दारुल हरब को लौट गया और दारुल इस्लाम में अपनी उम्मे वलद (यानी वह बांदी या कनीज़ जिससे उसकी औलाद पैदा हुई हो) छोड़ गया हो या ऐसा मरणोप्रांत मुक्त ग़ुलाम छोड़ा जिस को उसने इस्लामी शासित देश में मरणोप्रांत मुक्त बनाया है तो उनके आज़ाद हो जाने का आदेश दिया जाएगा। यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। और स्वतन्त्र होने के शब्द तीन प्रकार के होते हैं एक स्पष्ट रूप से दूसरे स्पष्टता के साथ संबंधित हैं तीसरे सांकेतिक यानी इशारा या गोल मोल बात कहकर बताना फिर जानना चाहिए स्पष्ट रूप

खबर दी या पुकारा मसलन अपने ग़ुलाम या बान्दी से कहा कि तू हुर्र है या मौअतिक़ है या मोहरर है या अतीक़ या ऐ मौला या कहा कि यह मेरा मौला है तो सब सूरतों में आज़ाद हो जायेगा और अगर इस ने इन अल्फ़ाज़ में दअवा किया कि मेरी मुराद इतक़ न थी तो महकमा क़ज़ा में इस के कथन की तसदीक़ न होगी यह हादी क़ुदसी में है।

सआयत=कौशिश यानी वह कार्य जो ग़ुलाम अपनी मुक्ति के लिए करे
मीअसर= आर्थिकरूप से पिछड़ा **मूसिर**= समृद्धि शाली
मकातब वह ग़ुलाम जो अपनी क़ीमत स्वंय देकर अपने आप को मुक्त कराए

अगर इस ने दावा किया कि मेरी यह मुराद है कि यह शख़्स पहले हुर्र था पस अगर यह ग़ुलाम जिहाद में क़ैद हो कर आया तो अज़ रूऐ दयानत इस के क़ौल की तसदीक़ होगी मगर महकमा क़ज़ा में तसदीक़ न होगी और अगर इस ग़ुलाम की पैदाइश नहीं की हो तो किसी तरह तसदीक़ न होगी और अगर ग़ुलाम से कहा कि तू इस काम से हुर्र है या कहा कि तू आज के दिन इस काम से हुर्र है तो क़ज़ा आज़ाद हो जायेगा। यह मुहीत सुरख़ी में है। और अगर किसी शख़्स ने ग़ुलाम से कहा कि अन्तल हुर्रउलबत्तह यानी तू अल्बत्ताह आज़ाद है। लेकिन यह शख़्स हुनूज़ का लफ़्ज़ न कहने पाया था कि ग़ुलाम मज़्कूर मर गया तो वो ग़ुलाम मरेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। एक शख़्स ने गवाह कर लिये कि मेरे ग़ुलाम का नाम हुर्र है फिर इस को ऐ हुर्र कह कर पुकारा तो आज़ाद न होगा। यह फ़तावा कुबरा में है। और अगर इस लफ़्ज़ से इस की मुराद इन्शा ए इतक़ हो तो आज़ाद हो जायेगा। यह इख़्तियार शरह मुख़्तार में है। ओर अगर इस को फ़ारसी में पुकारा कि ऐ आज़ाद तो आज़ाद हो जायेगा और अगर आज़ाद इस का नाम रखा फिर आज़ाद कह कर पुकारा तो आज़ाद ना होगा लेकिन अगर अरबी में या हुर्र कह कर पुकारा तो आज़ाद हो जायेगा, यह फ़तावा कुबरा में है। एक शख़्स ने अपना

से आज़ाद जैसा व ग़ुलाम की संपत्ति आदि शब्दों के हैं और जो इन शब्दों से मिलते जुलते हों वह भी स्पष्ट हैं और ऐसे शब्दों से जो मुक्त हो उसमें नियत इरादे या संकल्प की ज़रूरत नहीं है बस अगर ऐसे शब्दों से अपने स्वमित्व का वर्णन किया या सूचना दी या पुकारा, मिसाल के तौर पर अपने ग़ुलाम या बांदी से कहा तू आज़ाद है या स्वतन्त्र या मुक्त है या कहा कि मेरी ओर से मुक्त है या ये कहा मैंने तुझे मुक्त किया है या यूँ कहा कि ऐ आज़ाद या ऐ स्वतंत्र या ऐ मौला मालिक या कहा कि ये मेरा स्वामी है तो इन सभी स्थितियों में आज़ाद हो जाएगा और अगर उसने इन शब्दों में दावा किया कि इन शब्दों से मेरा उद्देश्य आज़ाद करना नहीं था तो न्याय विभाग में इस कथन की जाँच ना होगी। यह हादी कुदसी में है।

अगर उसने दावा किया कि मेरा यह तात्पर्य है कि पहले यह व्यक्ति आज़ाद था बस अगर यह ग़ुलाम जिहाद में बंदी बन कर आया है तो धर्म के नियमानुसार इसके कथन की जाँच होगी मगर न्याय विभाग में इसकी जाँच न होगी। अगर उस ग़ुलाम का जन्म यही का हो तो किसी तरह की जाँच ना होगी, और अगर ग़ुलाम से कहा कि इस काम से ग़ुलाम है या कहा कि तू आज के दिन इस काम से आज़ाद है तो कानूनन आज़ाद हो जाएगा। यह मुहीत उल सुरखी में है। अगर किसी व्यक्ति ने ग़ुलाम से कहा अन्ता हुर्रुलबत्ताह यानी तू अलबत्ता आज़ाद है लेकिन यह व्यक्ति अभी यह कहने न पाया था कि वह ग़ुलाम मर गया तो वह ग़ुलाम मरेगा। यह फ़तावा कुबरा में है। और अगर इस शब्द से उसका तात्पर्य आज़ादी चाहना हो तो आज़ाद हो जाएगा यह अधिकार शरह मुख़तार में है। और अगर इस को फ़ारसी में पुकारा कि ऐ आज़ाद, तो आज़ाद हो जाएगा और अगर आज़ाद उसका नाम रखा और फिर उसे आज़ाद कहकर पुकारा तो आज़ाद ना होगा। लेकिन अगर अरबी में या हुर्र कह कर पुकारा तो आज़ाद हो जाएगा। यह फ़तावा कुबरा में है। एक व्यक्ति ने अपना ग़ुलाम किसी शहर को भेजा और उससे कहा कि जब कोई सामने पड़े और पूछगछ करे तो कहना कि मैं आज़ाद हूँ, फिर एक

ग़ुलाम किसी शहर को भेजा और इस से कहा कि जब कोई आदमी तेरे सामने पड़े और तेरा क़सद करे तो कहना कि मैं हुर्र हूं फिर एक शख़्स इस से मोअतरिज़ हुआ और ग़ुलाम ने कहा कि मैं हुर्र हूँ पस अगर मौला ने भेजने के वक़्त इससे कहा हो कि मैंने तेरा नाम हुर्र रखा है और कोई तेरा क़सद करे तो उससे कहना कि मैं हुर्र हूं तो ग़ुलाम मज़्कूर आज़ाद न होगा और अगर मौला ने इससे यह न कहा कि मैंने तेरा नाम हुर्र रखा है बल्कि यही कहा कि जब कोई तेरी तरफ़ क़सद करे तो तू कहना कि मैं हुर्र हूं फिर ग़ुलाम ने अपनी तरफ़ क़सद करने वाले से कहा कि मैं हुर्र हूं तो क़ज़ाअन आज़ाद हो जायेगा और जब तक ग़ुलाम ने यह नहीं कहा है कि मैं आज़ाद हूं तब तक आज़ाद न होगा जैसे कि अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि तू कह कि मैं आज़ाद हूं तो जब तक यह न कहे कि मैं आज़ाद हूं तब तक आज़ाद न होगा और अगर किसी शख़्स से कहा कि तू मेरे ग़ुलाम से कह कि तू आज़ाद शुदह है या कहा कि वो आज़ाद है तो फ़िलहाल आज़ाद हो जायेगा और अगर एक शख़्स को हुक्म किया कि मेरे ग़ुलाम से कह कि तू आज़ाद है तो आज़ाद न होगा जब तक कि यह मामूर इससे इस तरह न कहे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर एक आदमी से कहा कि ऐ सालिम तू आज़ाद है फिर यह आदमी इस का दूसरा ग़ुलाम निकला ....?

अगर अपने ग़ुलाम सालिम नाम को पुकारा कि ऐ सालिम पस मरज़ूक़ ने जवाब दिया कि जी पस मौला ने कहा कि तू आज़ाद है हालांकि इस की नियत न थी तो आज़ाद हो जायेगा जिस ने जवाब दिया है और अगर मौला ने इस सूरत में कहा कि मैंने सालिम की नियत की थी तो हुक्म क़ज़अन में दोनों आज़ाद हो जायेंगे मगर फ़ीमा बईनहु व बईनल्लाहु तआला खासतन वही आज़ाद होगा जिस की नियत की थी और अगर एक आदमी से कहा कि ऐ सालिम तू आज़ाद है फिर यह आदमी इस का दूसरा ग़ुलाम निकला या किसी ग़ैर का ग़ुलाम निकला

व्यक्ति उससे पूछगछ करने लगा, तो ग़ुलाम ने कहा कि मैं आज़ाद हूँ , बस अगर मालिक ने भेजने के समय उससे कहा हो कि मैने तेरा नाम आज़ाद रखा है और अगर कोई तेरी पूछगछ करे तो उससे कहना कि मैं आज़ाद हूँ फिर ग़ुलाम ने पूछगछ करने वाले से कहा कि मैं आज़ाद हूँ तो क़ानूनन आज़ाद हो जायेगा और जब तक ग़ुलाम ने यह नहीं कहा कि मैं आज़ाद हूँ तब तक आज़ाद न होगा, जैसे कि अगर मालिक ने अपने ग़ुलाम से कहा कि तू कह कि मैं आज़ाद हूँ तो जब तक ग़ुलाम ने यह नहीं कहा कि मैं आज़ाद हूँ तब तक आज़ाद न होगा, और अगर किसी व्यक्ति से कहा कि तू मेरे ग़ुलाम से कह कि तू आज़ाद शुदा है या कहा कि वह आज़ाद है तो फिलहाल आज़ाद हो जायगा, अगर एक व्यक्ति को आदेश किया कि मेरे ग़ुलाम से कह कि तू आज़ाद है तो आज़ाद ना होगा, जब तक कि यह नियुक्त व्यक्ति उससे उसी तरह न कहे। यह फ़तावा क़ाजी ख़ान में है।

मुदब्बर = वह ग़ुलाम जिसे कह दिया जाए कि तुम मालिक के मरने के बाद मुक्त हो / मरणोपरांत मुक्त हो

अगर एक व्यक्ति से कहा कि ऐ सालिम तू आज़ाद है, फिर यह आदमी उसका दूसरा ग़ुलाम निकला.......?

अगर अपने ग़ुलाम सालिम/स्वस्थ को पुकारा कि ऐ सालिम (नाम के बजाए पहलवान आदि कह कर बुलाना) बस मरज़ूक़ (रोटी पर पलने वाले) ने उत्तर दिया कि जी बस मालिक ने कहा कि तू आज़ाद है हाँलांकि उसकी नियत न थी तो वह आज़ाद हो जायगा जिसने जवाब दिया है, और अगर मालिक ने इस स्थिति मे कहा कि मैंने सालिम की नियत की थी तो न्याय आदेश से दोनो आज़ाद हो जायेंगे मगर फ़ीमा बईनहु व बईनल्लाहु तआला अल्लाह सर्वशक्तिमान के वास्ते विशेषकर वही आज़ाद होगा जिसकी नियत की थी, और अगर एक

तो सालिम आज़ाद होगा यह बदाऐ में है। एक मर्द ने दूसरे शख़्स (1) से कहा कि क्या यह आज़ाद नहीं है और अपने ग़ुलाम की तरफ़ इशारा किया तो क़ज़ाअन वो आज़ाद हो जायेगा यह ज़हीरिया में है। फ़तावा अबुल्लैस रह० में है कि अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि ''अन्ता हुर्रह व अन्ता'' (ज़मीर मौन्निस मुख़ातिबा की है और हुर्रतह सीग़ा मौन्निस है) या बान्दी से कहा कि अन्ता हुर्र (अन्ता ज़मीर मज़कूर ख़िताब और हुर सीग़ा मुज़क्कर) तो ग़ुलाम मज़कूर या बान्दी मज़कूरा आज़ाद हो जायेगी यह मुहीत व फ़तावा कुबरा में है और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि उल इताक़ अलैक यानी तुझ पर इताक़ वारिद हुआ है तो वो आज़ाद हो जायेगा। यह फ़तावा कुबरा में है और अगर कहा कि तेरा आज़ाद करना मुझ पर वाजिब है तो आज़ाद न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर ग़ुलाम से कहा कि तेरा आज़ाद करना वाजिब है तो आज़ाद न होगा यह फ़तावा कुबरा में है। और अगर कहा कि अन्ता इतक़ यानी तो इतक़ है तो आज़ाद हो जायेगा अगरचे नियत न की हो यह मुहीतुल सुरखी में है।

ज़मीर = सर्वनाम, वह कथन है जो व्यक्ति या चीज़ के नाम की जगह प्रियोग किया जाए। मुज़क्कर = पुलिंग - मोअन्नस = स्त्रीलिंग/महिला से मतलब है कि इस वाक्य के इस शब्द से स्त्रीलिंग/महिला की ओर संकेत है। बुरदाह = ग़ुलाम हुर्रतह = आज़ाद

अगर ग़ुलाम से कहा कि अन्ता हुर्र पहलला यानी तू आज़ाद है या नहीं है तो बिल इजामअ आज़ाद न होगा। यह सिराजुल वहाज में है और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि ''अन्ता ईतक़ मिन फ़ुलाँ'' और फ़ुलाँ के लफ़्ज़ से अपना दूसरा ग़ुलाम मुराद लिया और इस कलाम से इस की मुराद यह है कि तू फ़ुलां मज़कूर से पहले से मेरी मिल्क में है यानी ऐतक़ से पुराने के मअनी मुराद लिये तो हुक्म क़ज़ा में इस के क़ौल की तस्दीक़ न होगी बल्कि ग़ुलाम मज़कूर आज़ाद हो जायेगा लेकिन ''फ़ीमा बैयनहू व बैयनल्लाहु तआला'' अगर इस की यही मुराद

(1)क्यायह आज़ाद नहीं है यानी यह बनज़र मुहावरा और नियत का हाल ख़ुदा तआला जानता है।

आदमी से कहा कि ऐ सालिम तू आज़ाद है फिर यह उसका दूसरा ग़ुलाम निकला या किसी दूसरे का ग़ुलाम निकला तो सालिम आज़ाद होगा। यह बदाए में है ! एक मर्द ने दूसरे व्यक्ति(1) से कहा कि क्या यह आज़ाद नही है और अपने ग़ुलाम की ओर इशारा किया तो न्यायिक तौर पर वह आज़ाद हो जाएगा। यह ज़हारिया में है ! फ़तावा अबुल्लेस रह० में है कि अगर अपने ग़ुलाम से कहा अनता हुर्रतह व अनताः(सर्वनाम स्त्री संबोधन का है और हुर्रह स्त्रीलिंग विशेषण है। ज़मीर = सर्वनाम, वह कथन है जो व्यक्ति या चीज़ के नाम की जगह प्रयोग किया जाए। मुज़क्कर = पुल्लिंग न्यायिक - मोअन्नस = स्त्रीलिंग सीग़ा मोअन्नस से मतलब है कि इस वाक्य के इस शब्द से स्त्रीलिंग/महिला की ओर बात हो रही है) या बांदी से कहा कि अनता हुर्रतह (अनता/तू सर्वनाम पुरूष संबोधन है और हुर सीग़ा मुज़क्कर यानी वाक्य में महिलाओं व पुरूषों दानों की ओर संकेत है) तो वर्णिनत ग़ुलाम या बांदी आज़ाद हो जायगें। यह मुहीत व फ़तावा कुबरा में है और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि अल ईताक़ अलइका यानी तुझ पर आज़ादी लागू हुई तो वह आज़ाद हो जायगा। यह फ़तावा कुबरा में है ! और कहा कि तेरा आज़ाद करना मुझ पर वाजिब है तो आज़ाद ना होगा, यह फ़तावा कुबरा में है ! और अगर कहा कि अनता इतक़ यानी तू आज़ाद है तो आज़ाद हो जायगा भले ही नियत/इरादा ना किया हो। यह मुहीतुल सुरखी में है !

अगर ग़ुलाम से कहा कि अनता हुर्र व ला यानी तू आज़ाद है या नहीं है तो सभी की सहमति से राय है कि आज़ाद नहीं होगा। यह सिराजुल वहाज में है। और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि ''ऐ फ़ुलाँ तुम मुक्त हो और फ़ुलाँ के शब्द से मतलब अपना दूसरा ग़ुलाम लिया और इन बातों से उसका मतलब यह है कि तू फ़ुलाँ वर्णिनत से पहले मेरी मिलकियत में है यानी मुक्ती से पुराने होने का अर्थ मुराद लिया तो न्यायिक आदेश में इस कथन की जाँच न होगी बल्कि वर्णिनत ग़ुलाम आज़ाद होजायगा लेकिन अल्लाह सर्वशक्तिमान के वास्ते अगर उसका यही

(1) जैसा कि मुहावरे में बोलते हैं क्या यह आज़ाद नहीं है यानी है। और नियत का हाल अल्लाह जानता है!

थी तो सच्चा होगा और अगर कहा कि "अन्ता इअतक़ मिन हाज़ा फ़ी मिल्की औ क़ाला फिल सिन" लेने तो मेरी मिल्क में बा निस्बत इस ग़ुलाम के पुराना है या सिन में इस से पुराना है तो किसी तरह आज़ाद न होगा और इसी तरह अगर कहा कि तू अतीक़ुल सिन है (पुरानी उम्र में है) तो भी यही हुक्म है यह मुहीत में है और अगर कहा कि अन्ता हुर्र (तू हुर्र है) यानी हुस्न में यक्ता है तो क़ज़ाअन इस के क़ौल की तसदीक़ न होगी और अगर कहा कि अन्ता अतीक़ (तू आज़ाद है) और दअवा किया कि मेरी मुराद यह थी कि मेरी मिल्क में पुराना है तो क़ज़ाअन तसदीक़ न होगी और अगर एक शख़्स ने ग़ुलाम से कहा कि तुझे(1)अल्लाह तआला ने आज़ाद किया तो वो आज़ाद हो जायेगा अगरचे इस ने आज़ादी की नियत न की हो और यही मुख़्तार में है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। और अगर कहा तू हुर्रूल सिन है या हुर्रूल हुस्न है या जमाल व हुस्न में हुर्रूल वजह (चेहरा) है तो वो आज़ाद न होगा और अगर कहा कि तू अपने अखलाक़ में हर्रूल नफ्स है तो आज़ाद न होगा यह मुहीतुल सुरखी में है।

अजनास में मज़कूर है कि अगर ग़ुलाम से कहा कि ऐ हुर्रूल नफ्स तो क़ज़ाअन आज़ाद हो जायेगा यह ग़ायतुल बयान में है मुन्तक़ी में है कि एक शख़्स का ग़ुलाम है जिस पर क़िसास लाज़िम आने की वजह से मौला को इस का ख़ून हलाल हो गया है पस मौला ने इस से कहा कि मैंने तुझे आज़ाद किया फिर दअवा किया कि मेरी मुराद यह थी कि मैंने तुझे ख़ून के मवाख़ज़ा से आज़ाद किया तो हुक्म क़ज़ा में यह कलाम रिक्क़ियत से आज़ाद करने पर महमूल होगा (यानी आज़ाद हो जायेगा) और बावजूद इस के इस पर अफ़्व करना भी लाज़िम होगा क्योंकि इस ने इक़रार किया है इस लिए कि यह इस की नियत थी और अगर यह न कहा हो कि मैंने क़त्ल से आज़ाद करने की नियत की थी तो उफ़्व करना इस पर लाज़िम न होगा और अगर कहा कि मैंने ख़ून के

(1) क़ालल मुतरजम क़ौला ईतक़कुल्लाहु तआला जब दुआ के मौक़े पर हो तो इन्शा इतक नहीं है और इख़तलाफ से इसी तरफ इशारा है।

मतलब था तो सच्चा होगा और अगर कहा कि "लेने को तू मेरी मिल्कियत में उस ग़ुलाम की तुलना में पुराना है उम्र अथवा सूझबूझ में," तो किसी तरह आज़ाद न होगा। और इसी तरह कहा कि तू वर्णिन में पुराना है तो भी यही हुक्म है यह मुहीत में है। और अगर कहा कि अनता हूर्र/तू आज़ाद है यानी हुस्न सुन्दरता में बे मिसाल है तो न्यायिक जाँच न होगी और अगर एक व्यक्ति ने ग़ुलाम से कहा कि तुझे(1)अल्लाह तआला ने आज़ाद किया तो वह आज़ाद हो जायगा भले ही उसने आज़ाद करने की नियत की हो या ना की हो। यही मुख़्तार में है और फ़तावा क़ाज़ी खान में है। और कहा तू हुरुल सिन है यानी सुन्दरता में हुर्रुल वजह/चहरे से सुन्दर है तो वह आज़ाद ना होगा और अगर कहा कि तू अपने अख़लाक़ /सदव्यहार में अच्छा हुर्रुल नफ्स है तो आज़ाद न होगा। यह मुहीतुल सुरखी में है !

अजनास में वर्णित है कि अगर ग़ुलाम से कहा कि ऐ हुरुल नफ्स (ऐ आज़ाद अस्तित्व) तो क़ानूनन आज़ाद हो जायगा। यह ग़ायतुल में है। मुन्तक़ा में है कि एक व्यक्ति का ग़ुलाम है जिस पर क़िसास (प्रतिहिंसा/ख़ून का बदला) जरूरी देने के कारण मालिक को उसका ख़ून हलाल हो गया है बस मालिक ने उससे कहा मैंने तुझे आज़ाद किया फिर दावा किया कि मेरा मतलब यह था कि मैंने तुझे ख़ून के बदले से आज़ाद किया यानी ख़ून माफ़ किया तो न्यायिक आदेश में यह कलामे रिक्क़ियत /कृपा वाणी/तरस खाकर आज़ाद करना माना जायगा (यानी आज़ाद हो जायगा) और बावजूद इसके इसका क्षमा करना भी उस पर जरूरी होगा क्योंकि उसने स्वीकार क्या है इसलिए कि यह उसकी नियत थी और अगर यह ना कहा हो कि मैंने क़त्ल से आज़ाद करने की नियत की

(1) अनुवादक के कथनानुसार कथन ईतक़कुल्लाह तआला जब दुआ के मौक़े पर हो तो आज़ादी चाहना नहीं है लेकिन मतभेदों से उसी ओर संकेत है।

क़िसास से इस को खालिसतन लिवजहिल्लाह तआला आज़ाद किया है तो जो इस ने कहा है इसी पर महमूल किया जायेगा यह मुहीत में है एक शख़्स ने अपने ग़ुलाम से कहा कि तेरा नसब हुर्र है या कहा कि तेरी असल हुर्र है पस अगर यह मालूम हो कि वो कसबी (जिहाद का गिरफ़तार शुदह) है तो आज़ाद न होगा और अगर यह मालूम (१) न हो कि वो गिरफ़तार शुदह है तो आज़ाद हो जायेगा और अगर कहा कि तेरे माँ व बाप आज़ाद हैं तो आज़ाद न होगा इस वास्ते कि अहतमाल है कि वो दोनों इस की पैदाइश के बाद आज़ाद किये गये हों। एक शख़्स का एक ग़ुलाम है और उस ग़ुलाम का एक बेटा है पस मौला ने कहा कि तेरा बेटा आज़ाद है तो बेटा आज़ाद है और बाप आज़ाद न होगा और अगर कहा कि तेरा बेटा आज़ाद का बेटा है तो बाप आज़ाद होगा और बेटा आज़ाद न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अरबियत से "मख़सूस" मसाइल का बयानः

क़ालुल मुतरज्जिम अब ऐसे मसाइल का बयान होता है जो एक गोना अरबियत से मुताल्लिक़ हैं पस इन को असल ज़बान अरबी के साथ मलहूज़ रखना चाहिए क़ाल और अगर इतक़ को ऐसे जुज़्व बदन की तरफ़ मज़ाफ़ किया जिस से तमाम बदन से तअबीर की जाती है मसलन कहा कि तेरा सर या तेरी गर्दन या तेरी ज़बान आज़ाद है तो आज़ाद हो जायेगा और अगर ऐसे जुज़्व व बदन की तरफ़ मज़ाफ़ किया जिस से तमाम बदन से तअबीर नहीं की जाती है तो आज़ाद न होगा यह मुहीत सरखसी में है क़ालल मुतरजम फ़ुर्ज अरब की ज़बान में वो जिस्म कि जिस को शर्मगाह ख़्वाह मर्द का हो या औरत का हो और ज़कर खास मर्द का आला -ए-तनासुल और क़ब्ल खास औरत का जिस्म अगला पस अब सुनना चाहिए कि किताब में फ़रमाया कि अगर बान्दी या ग़ुलाम से कहा कि तेरी फ़ुर्ज आज़ाद है तो वो आज़ाद हो

(१) अक़्ल ज़ाहिर लिवजही यह है कि कुफ़्फ़ार दारूल हरब में सब रक़ीक़ हैं अगरचे ममलूक मक़बूज न हों बक़ज़ा क़ालू फ़ाफ़हम।

थी तो क्षमा करना उस पर ज़रूरी न होगा और अगर कहा कि मैंने ख़ून के बदले से उसको विशेष कर अल्लाह के कारण आज़ाद किया है तो जो उसने कहा वही माना जायगा। यह मुहीत में है! एक व्यक्ति ने अपने ग़ुलाम से कहा कि तेरा वंश/कुल आज़ादी है या कहा तेरी असल आज़ादी है बस अगर यह मालूम हो कि वह कसबी (जहाद में बंदी किया हुआ) है तो आज़ाद न होगा अगर मालूम(२) ना हो कि बंदी है तो आज़ाद हो जायेगा और अगर कहा कि तेरे माता पिता आज़ाद हैं तो आज़ाद न होगा इस लिए कि संभावना है कि वह दोनों उसके जन्म के बाद आज़ाद किये गए हों। एक व्यक्ति का एक ग़ुलाम है और उस ग़ुलाम का एक बेटा है बस मालिक ने कहा कि तेरा बेटा आज़ाद है तो बेटा आज़ाद है तो बाप आज़ाद ना होगा और कहा कि तेरा बेटा आज़ाद का बेटा है तो बाप आज़ाद होगा और बेटा आज़ाद ना होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है !

अरबीयत से " विशेष " समस्यायों का वर्णन

अनुवादक के कथनानुसार अब ऐसी समस्यायों का वर्णन होता है जो एक कहावत अरबीयत से संबधित हैं बस उन को असल भाषा अरबी के साथ सम्बंधित रखना चाहिए, कथन और मुक्ति को जैसे शरीर के भाग की ओर इशारा किया या इसके अलावा जिससे पूरे शरीर की व्याख्या की जाती है मिसाल के तौर पर कहा तेरा सर या तेरी गर्दन या तेरी ज़ुबान मुक्त है तो मुक्त हो जायगा। और अगर ऐसे भाग की ओर इशारा किया जिस से पूरे शरीर की व्याख्या नहीं की जाती हो तो मुक्त ना होगा। यह मुहीतुल सुरखी में है। अनुवादक के कथन अनुसार फ़ुरूज/योनि अरबी भाषा में शरीर का वह भाग जिसको गुप्त अंग मर्द का हो या औरत का हो विशेषकर वर्णित मर्द का लिंग और विशेष से पहले औरत का अगला

(२) स्पष्ट कारण यह है कि कफ़्फ़ार दारुल हरब (वह देश जहाँ मुस्लिम शासन न हो और मुसलमानो को अपने धर्मानुसार कार्य करने की अनुमति नहीं होती) में सब ग़ुलाम है भले ही वह किसी की मिलकियत में या क़बज़े में न हों इस प्रकार कह दिया 'समझो'

जायेगा बखिलाफ़ लफ्ज़ ज़कर के और यह ज़ाहिर उल रिवाया का हुक्म है और अगर बान्दी से कहा कि तेरी फ़ुर्ज जिमाअ से आज़ाद है तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि क़ज़ाअन आज़ाद हो जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और दुबुर (1) (यानी जमाअ किये जाने से) या अस्ब की तरफ़ अगर मज़ाफ़ किया तो असह यह है कि आज़ाद हो जायेगा कज़ा फ़िल नहर उल फ़ाइक़ और बाज़ ने फ़रमाया यह आज़ाद न होगा और यही असह है और अगर कहा कि तेरी इतक़ (गर्दन) आज़ाद है तो बाज़ ने फ़रमाया कि जैसे रक़बा से आज़ाद होता है इसी तरह इतक़ कहने से भी आज़ाद होगा और बाज़ ने फ़रमाया कि इतक़ अगरचे बदन बमअनी गर्दन है लेकिन आज़ाद न होगा इस वास्ते कि रक़बा बोल कर तमाम बदन की तअबीर करना मुस्तअमल है और इतक़ से तमाम बदन की तअबीर का इस्तेमाल नहीं है जैसे दुबुर का ऐसा इस्तेमाल नहीं है यह मुहीत सुरखी में है और अगर कहा कि तेरा सर आज़ाद है या तेरा मुंह आज़ाद है या तेरा बदन आज़ाद का बदन है तो वो आज़ाद न होगा इसी तरह अगर कहा कि तेरो सर मिस्ल आज़ाद के सर के है या तेरा मुंह मिस्ल आज़ाद के मुंह के है या तेरा बदन मिस्ल आज़ाद के बदन के है तो आज़ाद न होगा और अगर यूं कहा कि तेरा सर आज़ाद है या तेरा चेहरा आज़ाद चेहरा है या तेरा बदन आज़ाद बदन है तो आज़ाद हो जायेगा इसी तरह अगर कहा कि तेरी फुरूज आज़ाद फुर्ज है तो बान्दी आज़ाद हो जायेगी कज़ा फ़िल सिराजुल वहाज क़ुलतु और अगर ग़ुलाम से कहा तो वो भी आज़ाद होगा फ़ताम्मुल फ़िया और अगर कहा कि तू मिस्ल आज़ाद के है तो बदूने नियत के आज़ाद न होगा यह मज्मा व काफ़ी में है और अगर कहा कि अहले बल्ख के ग़ुलाम आज़ाद हैं या कहा कि अहले बग़दाद के ग़ुलाम आज़ाद हैं मगर इस ने अपने ग़ुलामों की नियत न की हालांकि वो भी बग़दाद का रहने वाला है या कहा

(1) क़ाल दुबुर पाखाना का मक़ाम और असत मक़अद चूतड़ों कोन सब और, कभी फ़क़त चूतड मुराद होते हैं और कभी कौन फ़क़त।

शरीर बस अब सुनना चाहिए किताब में कहा कि अगर बांदी या ग़ुलाम से कहा, कि तेरी फ़ुरूज/योनि आज़ाद है तो वह आज़ाद हो जायगा वर्णित शब्द के विपरीत यह ज़ाहिरुल रिवाया का आदेश है, और अगर बांदी से कहा कि तेरी योनि संभोग करने से आज़ाद है तो इमाम अबु युसुफ़ से कहावत है कि क़ानूनन आज़ाद हो जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और दुबुर/गांड (1)(यानी संभोग किये जाने से) या चूतड़ों की ओर इशारा किया तो सहीह यानी सच यह है कि आज़ाद हो जायेगा। कज़ा फ़ी नहरुल फ़ाइक़ (साफ़ नदी की तरह) और कुछ ने कहा है कि यह आज़ाद न होगा और यही सहीह/ परंपरा है। और अगर कहा तेरी इतक़ (गर्दन) आज़ाद है तो कुछ ने कहा कि जैसे रूक़बा (गर्दन आज़ाद) कहने से मुक्त होता है उसी तरह इतक़/आज़ाद कहने से भी मुक्त होगा। और कुछ ने फ़रमाया कि इतक़/आज़ादी अगरचे शरीर अर्थात गर्दन है लेकिन आज़ाद न होगा इस वास्ते कि रूक़बा बोलकर पूरे शरीर का वर्णन करना उपयोगी है और इतक़ से पूरे शरीर की व्यख्या का प्रयोग नहीं है जैसे दुबुर/गांड का ऐसा प्रयोग नहीं है। यह मुहीतुल सुरख़ी में है। और कहा कि तेरा सर आज़ाद है या तेरा मुँह आज़ाद का मुँह है या तेरा शरीर आज़ाद का शरीर है तो आज़ाद ना होगा, इसी तरह अगर कहा कि तेरा सर आज़ाद के सर के जैसा आज़ाद है या तेरा मुँह आज़ाद के मुँह जैसा आज़ाद है या तेरा शरीर आज़ाद के शरीर जैसा आज़ाद है तो आज़ाद ना होगा, और अगर यूँ कहा कि तेरा सर आज़ाद है या तेरा चहरा आज़ाद चहरा है या तेरा शरीर आज़ाद शरीर है तो आज़ाद हो जायेगा। इसी तरह कहा कि तेरी फ़ुरूज/योनि आज़ाद योनि है तो बांदी आज़ाद हो जायेगी। यह बात सिराजुल वहाज में है क़ुलतू/मेरी राय में अगर ग़ुलाम से कहा तो वह भी आज़ाद होगा, फ़तामल फ़ीह/तो इस ग़ौर करो और अगर कहा कि तू आज़ाद के जैसा है तो क्योंकि नियत नहीं है इसलिए

(1) कहावत दुबुर गांड यानी टट्टी करने वाली जगह और अस्त चूतड़ व गांड औ कभी केवल चूतड़ मतलब होता है और कभी योनि/चूत या गांड केवल।

कि अहले बग़दाद का हर ग़ुलाम आज़ाद है या कहा कि हर गुलाम (1) जो ज़मीन पर है या हर ग़ुलाम जो दुनिया में है आज़ाद है तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि इस के ग़ुलाम आज़ाद न होंगे और इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि आज़ाद हो जाएंगे मगर फ़तवा इमाम अबू यूसुफ़ रह० के क़ौल पर है और अगर ऐसी सूरत में यूं कहा कि हर ग़ुलाम जो इस को चह में है आज़ाद है हालांकि इस का ग़ुलाम भी इस कूचे में है या कहा कि हर ग़ुलाम जो जामअ मस्जिद में है तो इस में भी ऐसा ही इख़्तलाफ़ है और अगर कहा कि हर ग़ुलाम जो इस दार में है आज़ाद है हालांकि इस के ग़ुलाम भी इस दार में हैं तो बिल इत्तफ़ाक़ इस के ग़ुलाम आज़ाद हो जाएंगे और कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद सब आज़ाद हैं तो बिल इत्तफ़ाक़ इस के ग़ुलाम आज़ाद न होंगे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि तू नहीं है मगर आज़ाद तो वो आज़ाद हो जायेगा यह हिदाया में है और अगर एक आज़ाद औरत से कहा कि तू ऐसी ही आज़ाद है और ऐसे किसी लफ़्ज़ से अपनी बान्दी की तरफ़ इशारा किया और मुराद लिया तो इस की बान्दी आज़ाद हो जायेगी और अगर इस ने फिर दअवा किया कि मेरी मुराद इताक़ न थी तो क़ज़ाअन इस के क़ौल की तसदीक़ न होगी और अगर अपनी बान्दी से कहा कि तू आज़ाद है जैसे यह औरत हालांकि यह औरत किसी दूसरे शख़्स की बान्दी है तो इस की बान्दी आज़ाद हो जायेगी। यह जामअ उल जवामअ से तातारख़ानिया में नक़ल है और अगर अपनी बान्दी से कहा तू ऐसी है जैसी यह औरत हालांकि यह औरत एक आज़ाद औरत है तो इस की बान्दी आज़ाद न होगी इल्ला जब कि इस इतक़ की नियत की हो और इसी तरह अगर किसी आज़ाद औरत से कहा कि तू ऐसी है जैसी यह औरत और यह औरत

....

(1)अक़वाल यह इख़तलाफ उसूल में मअरूफ़ है इसी वास्ते मैंने कुल का तर्जुमा सब नहीं किया ताकि इख़तलाफ़े उसूल जारी रहे फ़ाफहम

आज़ाद ना होगा यह मजमआ व काफ़ी में है। और अगर कहा कि बल्ख़ वालों के गुलाम आज़ाद हैं या कहा कि बग़दाद वालों का हर गुलाम आज़ाद हैं या कहा कि हर ग़ुलाम जो ज़मीन पर है या हर ग़ुलाम जो(1)ज़मीन पर है हर ग़ुलाम जो संसार में है आज़ाद है तो इमाम अबू यूसुफ़ ने फ़रमाया कि उसके ग़ुलाम आज़ाद ना होंगे, और इमाम मुहम्मद ने कहा कि आज़ाद हो जायेंगे, मगर फ़तवा इमाम अबू यूसुफ़ के कथन पर है, और अगर ऐसी सूरत में यूं कहा कि हर ग़ुलाम जो इस कूचे में है आज़ाद हैं हालांकि उसका ग़ुलाम भी उस कूचे में है या कहा कि हर ग़ुलाम जो जामा मस्जिद में है तो इसमें भी ऐसा ही मतभेद है और अगर कहा कि हर ग़ुलाम जो इस क्षेत्र में हैं आज़ाद है हालोंकि उसके ग़ुलाम भी इसी क्षेत्र में हैं तो सर्व सम्मति से उसके ग़ुलाम आज़ाद हो जायेंगे, और अगर कहा कि हज़रत आदम अ० की सब औलाद आज़ाद हैं तो सर्वसम्मित है कि उसके ग़ुलाम आज़ाद ना होंगे, यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है।

अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि तू नहीं है मगर आज़ाद, तो वह आज़ाद हो जाएगा यह हिदाया में है और अगर एक आज़ाद औरत से कहा कि तू ऐसी ही आज़ाद है और ऐसे किसी शब्द से अपनी बांदी की ओर इशारा किया और मतलब लिया तो उसकी बांदी आज़ाद हो जायगी, और अगर उसने फिर दावा किया कि मेरा मतलब आज़ाद न थी तो उसके कथन की न्यायिक जाँच ना होगी, और अगर अपनी बांदी से कहा तू आज़ाद है जैसे यह औरत हालांकि यह औरत किसी दूसरे व्यक्ति की बांदी है तो उसकी बांदी आज़ाद हो जायेगी, यह जामेअ अलजवामेअ से तातार खानिया में नक़ल है, और अगर अपनी बांदी से कहा तू ऐसी है जैसी यह औरत, हालांकि यह औरत एक आज़ाद औरत है तो उसकी बांदी आज़ाद ना होगी नहीं जबकि इस की आज़ादी की नियत की हो और इसी तरह किसी आज़ाद औरत से कहा कि तू ऐसी है जैसी यह औरत, और यह औरत उसकी बांदी

....

(1) कथनों में यह नियमों में मतभेद प्रसिद्ध है इसी कारण मैंने कुल/ संपूर्ण का अनुवाद सब नहीं किया ताकि मतभेदी नियम जारी रहे।

इस की बान्दी है तो इस की बान्दी आज़ाद न हो जायेगी इल्ला यह इस सूरत में कि इस के इतक़ की नियत की हो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि अगर एक शख़्स ने अपने ममलूक के सिले हुए कपडे को कहा कि यह आज़ाद की सिलाई है या ममलूक के चौपाए को कहा कि यह आज़ाद का चौपाया है या ममलूक की चाल को कहा कि यह आज़ाद की चाल है या ममलूक की बातों को कहा कि यह आज़ाद की बातें हैं तो बदें नियत के आज़ाद न होगा यह मुहीत सुरखी में है। क़ालल मुतरजम हमारी ज़बान में क़ौलहू यह आज़ाद का चौपाया है आज़ाद होना अज़हर ही फ़ाफ़हम एक शख़्स ने कहा कि आज़ाद है पस इस से पूछा गया कि तेरी क्या मुराद थी इस ने कहा कि मेरा ग़ुलाम तो इस का ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

मुलहिक बसरीह अल्फ़ाज़ का बयानः

मालिक ने कहा कि मैंने तेरा नफ़्स तेरे वास्ते हिबा किया या तेरा नफ़्स तुझे हिबा किया या तेरे नफ़स को तेरे हाथ फ़रोख़्त किया तो ममलूक इस कलाम से आज़ाद हो जायेगा ख़्वाह ग़ुलाम स्वीकार करे या न करे ख़्वाह मौला ने नियत की हो या न की हो यह हावी क़ुदसी में है और इसी तरह अगर कहा कि मैंने तेरी गर्दन तेरे वास्ते हिबा कर दी पस ग़ुलाम ने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं तो आज़ाद हो जायेगा कज़ाफ़ी अल मुहीत और यही असह है। यह अबुल कलाम की शरह नक़ाया में है और अगर ग़ुलाम से कहा कि मैंने तेरा नफ़्स तेरे हाथ इतने को बेचा तो यह ग़ुलाम के स्वीकार (1) पर मौक़ूफ़ होगा यह फ़तहुल क़दीर में है और अगर कहा कि मैंने तेरा नफ़्स तुझे सदक़ा दे दिया तो आज़ाद हो जायेगा ख़्वाह इतक़ की नियत हो या न हो ख़्वाह ग़ुलाम ने क़बूल किया या न किया हो और अगर कहा कि मैंने तेरा इतक़ तुझे हिबा किया और दअवा किया कि मेरी मुराद इतक़ से ऐराज़ थी तो इमाम आज़म रह० से दो रिवायतें हैं चुनांचे एक रिवायत में यह है कि वो आज़ाद न होगा

(1) क़ालल मुतरजम पस अगर ग़ुलाम ने क़बूल किया तो फ़िलहाल आज़ाद हो जायेगा और मुआवज़ा इस पर कर्ज़ा होगा।

है तो उसकी बांदी आज़ाद ना हो जायेगी, नहीं इस सूरत में कि उसके आज़ादी की नियत की हो, यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में हैं। इमाम अबू यूसुफ़ ने फ़रमाया कि अगर एक व्यक्ति ने अपने ग़ुलाम के सिले हुए कपड़े को कहा कि यह आज़ाद की सिलाई है या ग़ुलाम के चौपाए को कि यह आज़ाद का चौपाया है या ग़ुलाम की चाल को कहा कि यह आज़ाद की चाल है या ग़ुलाम की बातों को कहा यह आज़ाद की बातें हैं तो नियत की वजह से आज़ाद ना होगा। यह मुहीतुल सुरखी में है। अनुवादक के अनुसार हमारी भाषा में कथन यह आज़ाद का चौपाया है, आज़ाद होना मेरी समझ में यह है एक व्यक्ति ने कहा आज़ाद है बस उससे पूछा कहा गया कि तेरा क्या मतलब था उसने कहा कि मेरा ग़ुलाम, तो उसका ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा। यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है !

स्पष्ट रूप से सलंग्न शब्दों के बारे में :

मालिक ने कहा कि मैंने तेरा नफ़्स/अस्तित्व तुझे तोहफ़ा किया या तेरे अस्तित्व को तेरे हाथ बेचा/क्रय किया, तो ग़ुलाम इन शब्दों के कहने से आज़ाद हो जाएगा भले ही ग़ुलाम उसे स्वीकार करे या ना करे भले मालिक ने इरादा/नियत की हो या ना की हो। यह हावी क़ुदसी में है। और इसी तरह अगर कहा कि मैंने तेरी गर्दन तेरे वास्ते तुझे उपहार में दी बस ग़ुलाम ने कहा मैं नहीं चाहता हूँ, तो वह आज़ाद हो जाएगा यह मुहीतुल सुरखी में है और यही असहा यानी सहीह है। यह अबुल मुकारम की शरह/व्याख्या नक़ाया में है, और अगर ग़ुलाम से कहा कि मैंने तेरी सांसें/अस्तित्व तेरे हाथ इतने को बेचा तो यह ग़ुलाम के स्वीकार करने पर (1) आधारित होगा, यह फ़तह उल क़दीर में है। और अगर कहा कि मैंने तेरा अस्तित्व तुझे सदक़ा/दान दे दिया तो आज़ाद हो जाएगा भले ही उसकी आज़ादी की नियत की हो या ना की हो चाहे ग़ुलाम ने स्वीकार किया हो या ना किया हो और अगर कहा कि मैंने तेरी ग़ुलामी तुझे तोहफ़े में दी

(1)अनुवादक के कथनानुसार बस अगर ग़ुलाम ने स्वीकार किया तो फिलहाल आज़ाद हो जायेगा मुआवज़ा/प्रतिकार उस पर ऋण होगा।

और अगर कहा कि तू मौला फ़लां का है (यानी अपना नाम न लिया) या कहा कि फ़लां अतीक़ हैं तो क़ज़ाअन आज़ाद हो जायेगा और अगर कहा कि तुझे फ़लां ने आज़ाद किया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि वो आज़ाद न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

किनायाते इतक़ का बयान :

मसलन ग़ुलाम से कहा कि "ला मिलक ली अलैयका" यानी मेरी तुझ पर मिल्क नहीं है क़ालल मुतरज्जिम हमारी ज़बान में आज़ाद होना अज़हर है और किनाया न होगा बखिलाफ़ ज़बान अरब के, कि क़ाबू में चलता है तो भी ऐसा कहते हैं या कहा कि "ला सबीला ली अलैयका" मेरे वास्ते तुझ पर कोई राह नहीं है या कहा कि "क़द ख़ुरिजत अन मुल्की" तू मेरे मुल्क से बाहर हो गया या ख़ुलियत सबीलका मैंने तेरी राह खाली कर दी (यानी ख़ुद मुखतार कर दिया) पस अगर इस से हुरियत की नियत की तो आज़ाद हो जायेगा और अगर यह नियत न की तो आज़ाद न होगा। यह हावी क़ुदसी में है और अगर ग़ुलाम से कहा कि मेरे वास्ते तुझ पर कोई राह नहीं है सिवाऐ विलाअ (1) के तो क़ज़ाअन आज़ाद हो जायेगा और अगर इस ने दअवा किया कि मेरी मुराद इतक़ न थी तो तसदीक़ न होगी और अगर कहा कि मेरे वास्ते तुझ पर कोई राह नहीं है सिवाऐ राह मवालात के तो क़ज़ाअन इस के क़ौल की तसदीक़ होगी यह बदाऐ में है। एक शख़्स ने अपने ग़ुलाम से कहा कि मेरा रक़ तुझ पर नहीं है पस अगर इतक़ की नियत की तो आज़ाद हो जायेगा वरना नहीं यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। एक शख़्स ने अपने ग़ुलाम से कहा कि तू अल्लाह तआला के वास्ते है तो इमाम रह० के क़ौल के मुवाफ़िक़

(1) इस वास्ते कि यह इतक के इस्तेमाल में हक़ीक़त हो गया है यही उर्फ मअरूफ है।

और दावा किया कि मेरा मतलब तेरी ग़ुलामी से आपत्ति था तो इमाम आज़म रह० से दो परंपरायें/रिवायतें हैं उनमें से एक रिवायत/परंपरा यह है कि वह आज़ाद न होगा, और अगर कहा कि तू फ़लाँ के अधीन है (अपना नाम ना लिया) या कहा कि फ़लाँ का पुराना है तो क़ानूनन आज़ाद हो जायेगा। और अगर कहा कि तुझे फ़लाँ ने आज़ाद किया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि वह आज़ाद न होगा, यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है।

किनायात/इशारे इतक़/मुक्ति के बारे में :
(ग़ुलाम की मुक्ति के इशारों के बारे में)

जैसे कि ग़ुलाम से कहा ला मिलकी ली अल अलैइका यानी मेरा तुझ पर स्वमित्व नहीं है अनुवादक के कथन में हमारी भाषा में आज़ाद होना स्पष्ट है और इशारा ना होगा, अरबों की भाषा के विपरीत कि नियंत्रण में चलता है तो भी ऐसा कहते हैं ला सबील ली अलैइका मेरे पास तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है या कहा कि क़द ख़ुरिजत अन मुलकि/तू मेरे मिलकियत से बाहर हो गया या ख़ुलियत सबीलका/मैंने तेरा रास्ता ख़ाली करदिया (यानी तुझे स्वाधीनता प्रदान की) बस अगर उससे मुक्ति की नियत की तो मुक्त हो जायेगा और अगर नियत ना की तो मुक्त ना होगा। यह हावी क़ुदसी में है। और अगर ग़ुलाम से कहा मेरे वास्ते तुझ पर कोई राह नहीं सिवाए वला(1) के तो क़ानून आज़ाद हो जायेगा और अगर उसने दावा किया कि मेरा मतलब आज़ादी ना था तो पुष्टि नहीं होगी, और कहा कि मेरे वास्ते तुझ पर कोई राह नहीं है सिवाए राहे मुवालात/आपसी दोस्ती के, तो उसके कथन की पुष्टि होगी यह बदाए में है। एक व्यक्ति ने अपने ग़ुलाम से कहा कि मेरा रक्क़ुन/ग़ुलाम बनाना तुझ पर नहीं है बस अगर मुक्ति की नियत की तो आज़ाद हो जाएगा वरना नहीं, यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। एक व्यक्ति ने अपने ग़ुलाम से कहा कि तू अल्लाह तआला के वास्ते है तो इमाम रह० के कथन के अनुसार आज़ाद ना होगा अगरचे मुक्ति का इरादा किया हो, यही अधिकार है

(1) इस वास्ते कियह मुक्ति के प्रयोग में हक़ीक़त हो गया है यही ज़माने में मारूफ़/प्रसिद्ध रिवाज है।

आज़ाद न होगा अगरचे इतक़ की नियत की हो और यही मुख़्तार है यह जवाहिर अखलाती में है और अगर कहा कि मैंने तुझ को खालिस अल्लाह तआला के वास्ते कर दिया तो इमाम आज़म रह० से मरवी है कि वो आज़ाद न होगा अगरचे इस ने इतक़ की नियत की और साहबीन रह० से मरवी है कि वो आज़ाद न होगा यह फ़तहुल क़दीर में है।

एक शख़्स ने अपने मर्ज़ में अपने ग़ुलाम से कहा कि तू लिवजहिल्लाह तआला है तो यह बातिल है और अगर कहा कि मैंने तुझ को लिवजहिल्लाह तआला कर दिया ख़्वाह सेहत में कहा या मर्ज़ में या वसियत में और कहा कि मैंने इतक़ की नियत नहीं की या कुछ बयान न किया यहाँ तक कि मर गया तो यह ग़ुलाम फ़रोख़्त किया जायेगा और अगर इतक़ की नियत की हो तो आज़ाद होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर कहा कि तू अल्लाह तआला का ग़ुलाम है तो बिला खिलाफ़ वो आज़ाद न होगा यह ग़यासिया में है और अगर अपने ग़ुलाम या बान्दी से कहा कि मैं तेरा ग़ुलाम हूं पस अगर आज़ादी की नियत की तो आज़ाद हो जायेगा यह वजीज़ करदरी में है।

इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि अगर अपनी बान्दी से कहा मैं तुझे तलाक़ देता हूं और मुराद इतक़ थी तो वो आज़ाद हो जायेगी और अगर कहा कि मैंने तुझे तलाक़ दी है और मुराद इतक़ है तो हमारे नज़दीक आज़ाद न होगी। यह बदाऐ में है और अगर बान्दी से कहा कि तेरी फ़ुरूज मुझ पर हराम है और इतक़ की नियत की तो आज़ाद न होगी और अगर अपने ग़ुलाम से बतौर हिजाअ यूं कहा कि तू हुर्र है पस अगर इतक़ की नियत हो तो आज़ाद होगा वरना नहीं। और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि "ला सुल्तान ली अलैयक" यानी मुझे तुझ पर ग़लबा हासिल नहीं है या कहा कि जहां चाहे चला जाया कहा कि जिधर जी चाहे तवज्जो कर तो वो आज़ाद न होगा अगरचे नियत की हो और अगर अपनी बान्दी सें कहा कि तू तालिक़ा है या तू बाईना है या तू मुझ पर बाईना होगई या मैंने तुझे हराम किया या तो खालिया है या बरिया है या कहा कि तू ग्रहण कर पस

यह जवाहरूल अख़लाती में है। और अगर कहा कि मैंने तुझ को केवल अल्लाह के वास्ते कर दिया तो इमाम आज़म से वर्णित है कि वह आज़ाद ना होगा अगरचे उसने मुक्ति की नियत की और दूसरे सज्जनों से वर्णित है कि वह आज़ाद होगा। यह फ़तहुल क़दीर में है !

एक व्यक्ति ने अपने बीमार होने के समय में अपने ग़ुलाम से कहा कि तू अल्लाह के लिए है तो यह झूठ है और अगर कहा कि मैंने तुझको अल्लाह के लिए आज़ाद कर दिया भले ही स्वथ्य रहते कहा हो या बीमारी में या वसीयत में और अगर मुक्ति की नियत नहीं की या कुछ नहीं किया यहाँ तक कि मर गया तो यह ग़ुलाम बेचा जाएगा और अगर मुक्ति की नियत की हो तो आज़ाद होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। और अगर कहा कि तू अल्लाह का ग़ुलाम है तो बिना अपवाद के वह आज़ाद ना होगा यह ग़यासिया में है। और अगर अपने ग़ुलाम या बांदी से कहा कि मैं तेरा ग़ुलाम हूँ बस अगर आज़ादी की नियत की तो आज़ाद हो जाएगा। यह वजीज़ करदरी में है !

इमाम अबू यूसुफ़ से परंपरागत है कि अगर अपनी बांदी से कहा मैं तुझे तलाक़ देता हूँ और मतलब मुक्ति था तो वह मुक्त हो जाएगी और अगर कहा कि मैंने तुझे तलाक़ दी है और मतलब मुक्ति है तो हमारे निकट आज़ाद ना होगी। यह बदाए में है और अगर बांदी से कहा कि तेरी फ़ुरूज/योनि मुझ पर हराम है और मुक्ति की नियत की तो मुक्त ना होगी और अगर अपने ग़ुलाम से यूंही कहा कि तू आज़ाद है बस अगर मुक्ति की नियत हो तो आज़ाद होगा वरना नहीं और अपने ग़ुलाम से कहा कि ला सुलतान ली अलैइका यानी मुझे तुझ पर कुछ अधिकार प्राप्त नहीं है या कहा कि तू जहाँ चाहे चला जा या कहा जिधर जी चाहे ध्यान कर तो वह आज़ाद ना होगा अगर चे नियत की हो, और अगर अपनी बांदी से कहा तू तलाक़ शुदा है या बाईना (ऐसी तलाक़ जिसके बाद साथ ना रह सकें) है या मुझसे बाइना हो गई या मैंने तुझे हराम किया या तू ख़लिया/विवाह-

बान्दी ने कहा मैंने ग्रहण किया या कहा कि तू निकल या इसतबरा कर पस इस ने ऐसा ही किया तो हमारे नज़दीक आज़ाद न होगी अगरचे मालिक ने इतक़ की नियत की हो और इसी तरह अगर कहा कि तू मेरी बान्दी नहीं है या कहा कि मेरा तुझ पर कोई हक़ नहीं है तो आज़ाद न होगी अगरचे इतक़ की नियत की हो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और तलाक़ का लफ़्ज़ ख़्वाह सरीह लफ़्ज़ हो या बकिनाया हो बान्दी आज़ाद न होगी अगरचे इतक़ की नियत करे या मुहीतुल सुरख़ी में है और अगर ग़ुलाम से कहा कि तेरा काम तेरे हाथ में है या कहा कि तू इख़्तयार कर तो नियत (मौला की) पर मरक़ूफ़ है और "कज़ा फ़िल नुस्खतुल हाज़िरा" अगर ग़ुलाम से कहा कि तेरा अम्र आज़ादी तेरे हाथ में है या कहा कि मैंने तेरा इतक़ तेरे हाथ में कर दिया या कहा कि तू इतक़ को ऐतबार कर या कहा कि मैंने इतक़ के मुक़दमे में तुझे इख़्तयार दिया या तेरे इतक़ में तुझे मुख़्तार किया तो इस सब में नियत की कुछ हाजत नहीं है इस वास्ते कि यह सरीह है लेकिन यह ज़रूर है कि ग़ुलाम इतक़ इख़्तयार करे मगर यह इख़्तयार मौला की तरफ़ से इसी मज्लिस तक के वास्ते होगा कि अगर ग़ुलाम ने इसी मज्लिस में इतक़ इख़्तयार किया तो आज़ाद होगा वरना नहीं यह बदाऐ में है।

एक मर्द के पास एक बान्दी इस की मिल्क में है पस इस की बीवी ने इस बान्दी के मआमले में शौहर को कुछ मलामत की पस शौहर ने बीवी से कहा कि इस के काम का इख़्तयार तेरे हाथ में है पस बीवी ने इस को आज़ाद कर दिया पस अगर शौहर ने इस कलाम से इस के इतक़ के काम में नियत की हो तो बान्दी मज़कूरा आज़ाद हो जायेगी वरना नहीं इस वास्ते यह इख़्तयार मआमला बैअ के वास्ते होगा यानी बैअ कर दे लेकिन अगर इस तरह कहा कि इस बान्दी के हक़ में जो तू करे वो जाइज़ है तो यह आज़ाद करने वग़ैरह सब के वास्ते होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर अपनी बान्दी से कहा कि तू अपने नफ़्स को आज़ाद कर दे पस बान्दी ने कहा कि मैंने अपने नफ़्स को इख़्तियार किया

विच्छिन्ना यानी मैंने तलाक़ दी या बरिय्या/ईश्वरीय रचना है या कहा कि तू ग्रहण कर बस बांदी ने कहा मैंने ग्रहण किया या कहा तू निकल या इसतबरा/इलाज कर बस उसने ऐसा ही किया तो हमारे निकट आज़ाद ना होगी अगरचे मालिक ने मुक्ति की नियत की हो, और इसी तरह कहा कि तू मेरी बांदी नहीं है या कहा कि मेरा तुझ पर कोई अधिकार नहीं है तो आज़ाद ना होगी अगरचे मुक्ति की नियत की हो। यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है! और तलाक़ का शब्द भले सीधे शब्द हों या इशारे में हों बांदी आज़ाद न होगी अगरचे मुक्ति की नियत करे। यह मुहीतुल सुरख़ी में है! और अगर ग़ुलाम से कहा कि तेरा काम तेरे हाथ में है या कहा कि तू ग्रहण कर, तो (मालिक की) नियत पर निर्भर है यह नुसख़तुल हाज़िरा में है। और अगर ग़ुलाम से कहा तेरा आज़ादी पाना तेरे हाथ में है या कहा मैंने तेरी मुक्त होना तेरे हाथ में कर दिया या कहा कि तू मुक्ति का विश्वास कर या कहा मैंने मुक्ति के मुक़दमे अधिकार तुझे दिया या तेरी मुक्ति में तुझे अधिकृत किया तो, इस सब में नियत की कोई ज़रूरत नहीं इस वास्ते कि यह सीधी बात है लेकिन यह ज़रूर है कि ग़ुलाम मुक्ति स्वीकार करे मगर यह अधिकार मालिक की ओर से उसी बैठक तक के वास्ते होना, कि अगर ग़ुलाम ने उसी बैठक में मुक्ति स्वीकार करली तो आज़ाद होगा, वरना नहीं। यह बदाऐ में है !

एक मर्द के पास एक बांदी उसके स्वामित्व में है बस उसकी बीवी ने उस बांदी के मामले में पति को भला-बुरा कहा बस पति ने बीवी से कहा कि उसके काम का अधिकार तेरे हाथ में है बस बीवी ने उस को आज़ाद कर दिया, बस अगर पति ने इस बात में उसकी मुक्ति के कार्य की नियत की हो तो वर्णित बांदी आज़ाद हो जायेगी वरना नहीं इस वास्ते कि यह बेचने के अधिकार का मामला है, यानी बेच दे, लेकिन अगर इस तरह से कहा कि उस बांदी के हित में जो तू करे वह जाइज़ है तो यह आज़ाद करने आदि सब के वास्ते होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और अगर अपनी बांदी से कहा कि तू अपने आस्तित्व को आज़ाद कर दे। बस बांदी ने कहा कि मैंने अपने आस्तित्व को ग्रहण किया तो यह

तो यह बातिल है यह मबसूत में है और अगर ग़ुलाम से कहा कि अपने नफ़्स के मआमले में जो तू चाहे वो कर पस अगर ग़ुलाम ने मज्लिस से उठने से पहले अपने नफ़्स को आज़ाद कर दिया तो आज़ाद हो जायेगा और अगर अपने अस्तित्व को आज़ाद करने से पहले उठ खड़ा हुआ तो बाद मज्लिस से खड़े हो जाने के अपने नफ़्स को आज़ाद नहीं कर सकता है और इस को इख़्तयार होगा कि ऐसी सूरत में जिस को चाहे अपने नफ़्स को हिबा कर दे या फ़रोख़्त कर दे या सदक़ा में देदे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। एक शख़्स ने अपने ग़ुलाम से कहा कि तू ग़ैर ममलूक है तू इस की तरफ़ से यह इतक़ न होगा लेकिन इस को यह इख़्तयार न होगा कि इस के मुल्क का दअ़वा करे और अगर वो ग़ुलाम मर गया तो बवजह विला के इस का वारिस भी नहीं हो सकता है और अगर इस के बाद ग़ुलाम मज़कूर ने कहा कि मैं इस का ममलूक हूं और इस ने ग़ुलाम के क़ौल की तसदीक़ की तो ग़ुलाम इस का ममलूक होगा यह इब्राहीम ने इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत की है यह मुहीत में है और अगर एक शख़्स ने अपने ग़ुलाम से कहा कि यह मेरा बेटा है या बान्दी से कहा कि यह मेरी बेटी है पस अगर ममलूक मज़कूर इस के फ़रज़न्द होने की सलाहियत रखता हो यानी सुन इस का ऐसा हो कि इस मुदई का बेटा या बेटी हो सके और वो मजहूल उल नसब भी हो कि यह मालूम न हो कि यह किस का नुत्फ़ा है तो खान्दान साबित हो जायेगा और ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा ख़्वाह ग़ुलाम अजमी जलीब हो यानी ग़ैर मुल्क से लाया गया हो या वहीं की पैदाइश हो और अगर ममलूक मज़कूर इस के फ़रज़न्द होने की सलाहियत रखता हो लेकिन इस का नसब मअ़रूफ़ हो तो आपसी सहमति ममलूक मज़कूर आज़ाद हो जायेगा मगर निस्बत साबित न होगा इसी तरह अगर ममलूक मज़कूर इस के फ़रज़न्द होने की सलाहियत न रखता हो तो भी नसब साबित न होगा मगर इमाम आज़म रह० के क़ौल के मुवाफ़िक़ ममलूक आज़ाद हो जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और यही सहीह है यह ज़ाद में है।

अमान्य है यह मबसूत में है। और अगर ग़ुलाम से कहा कि अपने अस्तित्व के मामले में जो तू चाहे वो कर बस अगर ग़ुलाम ने उस बैठक से उठने से पहले अपने अस्तित्व को आज़ाद कर दिया तो आज़ाद हो जायेगा। और अगर अपने अस्तित्व को आज़ाद करने से पहले उठ खड़ा हुआ तो बैठक के बाद से खड़े हो जाने पर अपने अस्तित्व को आज़ाद नहीं कर सकता। और इसको अधिकार होगा कि ऐसी सूरत में जिसको चाहे अपने अस्तित्व को तौहफ़े में दे दे या बेच दे या सदके में दे दे ये फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। एक व्यक्ति ने अपने ग़ुलाम से कहा कि तू ख़रीदा हुआ नहीं है, आज़ाद है तो इसकी ओर से यह मुक्त ना होगा। लेकिन उसको यह अधिकार ना होगा कि उसकी मिल्कियत का दावा करे। और अगर वो ग़ुलाम मर गया तो विला/अभिभवक के कारण उसका वारिस भी नहीं हो सकता। और अगर उसके बाद वर्णित ग़ुलाम ने कहा कि मैं इसका ज़र ख़रीद हूँ। और उस ने ग़ुलाम के कथन की पुष्टि की तो ग़ुलाम उसका ज़रखरीद होगा यह इब्राहिम ने इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत की है यह मुहीत में है। और अगर एक व्यक्ति ने अपने ग़ुलाम से कहा कि ये मेरा बेटा है या बांदी से कहा कि यह मेरी बेटी है बस अगर वर्णित ग़ुलाम उसके बेटे होने की योग्यता रखता हो या सूझ-बूझ उसका ऐसा हो कि उस मुददई का बेटा या बेटी हो सके। और वह मजहूल उल नसब/अज्ञात कुल भी हो कि ये मालूम ना हो कि यह किसका पुत्र है तो वंश साबित हो जायेगा और ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा। भले ही ग़ुलाम अजमी जलीब हो यानि दूसरे देश से लाया गया हो या वहीं की पैदाइश हो और अगर वर्णित ज़रखरीद उसके बेटे होने की योग्यता रखता हो लेकिन उसका कुल ज्ञात हो तो आम सहमति है वर्णित ज़रखरीद आजाद हो जायेगा। मगर ख़ानदान/कुल साबित न होगा। इसी तरह अगर वर्णित ग़ुलाम उसके बेटे होने की योग्यता ना रखता हो तो भी कुल साबित न होगा। मगर इमामे आजम रह० के कथनानुसार ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और यही सहीह है। यह ज़ाद में है।

अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि यह मेरा बाप है हालांकि इतनी बडी उम्र का आदमी ऐसे शख़्स की औलाद में नहीं हो सकता है तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा :

अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि यह मेरा बाप है या अपनी बान्दी से कहा यह मेरी माँ है और ममलूक ने तसदीक़ की तो नसब साबित होगा वरना नहीं और हमारे बाज़ मशाइख़ ने फ़रमाया कि फ़रज़न्दी के दअवा में भी बदून तसदीक़ ममलूक के नसब साबित न होगा और सही यह है कि ममलूक की तसदीक़ शर्त नहीं है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि यह मेरा (1) बाप है हालांकि इतनी बड़ी उम्र का आदमी ऐसे शख़्स की औलाद में नहीं हो सकता है (मसलन बराबर उम्र है या मालिक बनिस्बत ग़ुलाम ज़्यादा सन रखता है) तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा और साहबीन रह० के नज़दीक न होगा यह जो हरह नेरह में है और अगर तुफ़ल सग़ीर से कहा कि यह मेरा दादा है तो बाज़ ने फ़रमाया कि इस में भी ऐसा ही इख़तलाफ़ है और बाज़ ने फ़रमाया कि बिलइजमाअ आज़ाद ना होगा। यह हिदाय में है। और अगर ग़ुलाम से कहा कि यह मेरा चचा है तो बाज़ रिवायात में मज़कूर है कि आज़ाद हो जायेगा और सही यह है कि आज़ाद न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। और इताबिया में लिखा है कि अगर ग़ुलाम से कहा कि यह मेरा चचा है या मामूं है तो आज़ाद हो जायेगा और यही मुख़तार है इन्तहा। और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि यह मेरी बेटी है या बान्दी से कहा कि यह मेरा बेटा है तो वो आज़ाद न होगा और हमारे बाज़ मशाइख़ ने फ़रमाया कि इस मसले में भी इख़तलाफ़ है और बाज़ ने फ़रमाया कि नहीं बल्कि यह मसला इत्तफ़ाक़ी है कि

(1) क़ालल मुतरजम यहाँ और इस के मिसाल में बाप या बेटे के दअवा करने से मुराद यह थी कि दअवा करे नयूं कि मिस्ल रिवाज के बड़े को बाप या छोडे को बेटा कह देते हैं और वाज़ह रहे कि मालिक के दअवा करने में यह क़ैद नहीं लगाई कि मालिक अज्ञात कुल हो व हाज़ा अलज़ाहिर फ़लयतदब्बिर।

अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि ये मेरा बाप है हालांकि इतनी बड़ी उम्र का आदमी ऐसे व्यक्ति की औलाद में नहीं हो सकता है। तो इमामे आज़म रह० के निकट ग़ुलाम मुक्त हो जायेगा।

अगर ग़ुलाम से कहा कि यह मेरा बाप है या अपनी बांदी से कहा कि यह मेरी माँ है और ज़र ख़रीद ग़ुलाम ने पुष्टि की तो नसब/ख़ानदान साबित होगा वरना नहीं और हमारे कुछ विद्वानों ने कहा है कि बेटा बेटी के दावे में भी स्वंय की पुष्टि से ग़ुलाम का ख़ानदान साबित न होगा और सहीह यह है कि ग़ुलाम की पुष्टि शर्त नहीं है। यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि यह मेरा(1) बाप है हालांकि इतनी बड़ी उम्र का आदमी ऐसे व्यक्ति की औलाद में नहीं हो सकता (उदाहरणतः उम्र बराबर है या मालिक ग़ुलाम के मुकाबले में ज़्यादा सूझ-बूझ रखता है) तो इमाम आज़म रह० के निकट ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा और दूसरे विद्वानों के निकट आज़ाद ना होगा यह ज़ोहराह नीराह में है। अगर छोटे लड़के से कहा कि यह मेरा दादा है तो कुछ ने कहा है कि इसमें भी ऐसा ही मतभेद है, और कुछ ने कहा कि सर्वसम्मति है आज़ाद न होगा यह हिदाया में है। और अगर ग़ुलाम से कहा कि यह मेरा चाचा है तो कुछ परम्पराओं में वर्णित है कि आज़ाद हो जायेगा। और सही यह है कि आज़ाद न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और इताबिया में लिखा है कि अगर ग़ुलाम से कहा यह मेरा चाचा है या मामू है तो आज़ाद हो जायेगा, यही अधिकृत है इंतहा, और अगर ग़ुलाम से कहा कि यह मेरी बेटी है या बांदी से कहा कि यह मेरा बेटा है तो आज़ाद न होगा। और हमारे कुछ विद्वानों ने कहा कि इस मामले में भी मतभेद हैं और कुछ ने कहा कि नहीं बल्कि यह मसला आकस्मिक है कि आज़ाद न होगा और यही स्पष्ट

(1) अनुवादक के कथनानुसार यहाँ और उसके उदाहरण में बाप या बेटे के दावा करने से मतलब यह था कि दावा करे ना यूं कि उदाहरण रिवाज है कि बड़े को बाप व छोटे को बेटा कह देते है और स्पष्ट रहे कि मिल्कियत का दावा करने में यह बंदिश नहीं लगाई कि मालिक मजहूल नसब/अज्ञात कुल का हो, वह किसी कुल का हो देखें ध्यान करें)

आज़ाद न होगा और यही अज़हर है यह मुहीत में है।

अगर कहा कि यह मेरा भाई है या मेरी बहन है तो ज़ाहिरूल रिवाया में आज़ाद न होगा और यही रिवायत असल है लेकिन अगर नियत हो तो आज़ाद हो जायेगा यह ग़ाया सरूजी में है। और अगर कहा कि यह मेरा पिदरी भाई है या मादरी भाई है तो आज़ाद हो जायेगा यह मुहीत में है। और अगर ग़ैर के ग़ुलाम से कहा कि यह ज़िना से मेरा बेटा है फिर इस को खरीदा तो आज़ाद हो जायेगा लेकिन नसब साबित न होगा। यह सिराज उल वहाज में है। और अगर अपनी बान्दी से कहा कि यह औरत मेरी खाला या फूफी ज़िना से है तो आज़ाद हो जायेगी और इसी तरह अगर कहा कि यह मेरा बेटा या भाई या बहन ज़िना से है तो भी आज़ाद हो जायेगा यह मुहीत सरखसी में है। और अगर कहा कि ऐ बेटे या ऐ भाई तू आज़ाद न होगा और यही सही है कज़ा फिल काफ़ी। और यही ज़ाहिर है लेकिन तोहफ़ा में मज़कूर है कि अगर नियत की हो तो आज़ाद हो जायेगा यह ग़ाया सरूजी में है और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि ऐ मेरे बेटे या बान्दी से कहा कि ऐ मेरी बेटी तो आज़ाद न हो जायेगी अगरचे इतक़ की नियत हो जैसे अगर कहा कि ऐ बेटे या ऐ बेटी तो आज़ाद नहीं होती है यानी फ़क़त ऐ बेटा या ऐ बेटी बदून अपनी तरफ़ इज़ाफ़त करने के कहा तो नहीं आज़ाद होती है अगरचे नियत इतक़ की हो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। नवादिर बिन रूस्तम में इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है कि अगर ग़ुलाम से कहा कि ऐ मेरे बाप या ऐ मेरे दादा या ऐ मेरे चचा या ऐ मेरे मामूं या बान्दी से कहा कि ऐ मेरी फूफी या ऐ मेरी खाला या ऐ मेरी बहन तो इन सब सूरतों में आज़ाद न होगी और तोहफ़ा अल फ़िक़हा में इस क़द्र इबारत ज़ायद की है कि लेकिन अगर नियत की हो तो आज़ाद होगा यह नहर उल फ़ाइक़ में है।

शैख़ुल अबुल क़ासिम सफ़ार से मन्क़ूल है कि इन से दरयाफ़्त किया गया कि एक शख़्स की बान्दी चिराग़ लाकर इस के सामने खड़ी हुई पस मौला ने इस से कहा

है यह मुहीत में है।

अगर कहा कि यह मेरा भाई है या मेरी बहन है तो स्पष्ट परंपरा में यानी केवल कह देने से आज़ाद न होगा और यही असल रिवायत/परंपरा है लेकिन अगर इरादा हो तो आज़ाद हो जायेगा। यह ग़ायातुल सिरोजी में है। और अगर कहा कि यह मेरा पैतृक भाई है या माँ जाया भाई है तो मुक्त हो जायेगा यह मुहीत में है। और अगर दूसरे के ग़ुलाम से कहा कि यह बलात्कार के कारण से मेरा बेटा है फिर उसको ख़रीदा तो मुक्त हो जायेगा लेकिन नसब/कुल साबित न होगा। यह सिराजुल वहाज में है। और अगर अपनी बांदी से कहा कि यह औरत मेरी मौसी या फूफी बलात्कार के कारण से है तो आज़ाद हो जायेगी। और इसी तरह अगर कहा कि यह मेरा बेटा या भाई या बहन बलात्कार से है तो भी आज़ाद हो जायेगा। यह मुहीतुल सुर्खी में है। और अगर कहा कि ऐ बेटे या ऐ भाई तो आज़ाद न होगा और यही सही है यह अलकाफ़ी में है। और यही स्पष्ट है लेकिन तौहफ़े में वर्णित है कि अगर नियत इरादा की हो तो आज़ाद हो जायेगा। यह ग़ायत सरोजी में है और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि ऐ मेरे बेटे या बांदी से कहा ऐ मेरी बेटी तो आज़ाद न होगी। अगरचे मुक्ति की नियत की हो जैसे अगर कहा कि ऐ बेटे या ऐ बेटी तो आज़ाद नहीं होती है यानि केवल ऐ बेटा या ऐ बेटी स्वंय अपनी ओर से जिज्ञासा करने को कहा तो आज़ाद नहीं होती है अगरचे मुक्ति की नियत या इरादा से कहा हो। यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। नवादर बिन रूस्तम में इमाम मौहम्मद रह० से परम्परागत है कि अगर ग़ुलाम से कहा ऐ मेरे बाप या ऐ मेरे दादा या ऐ मेरे चाचा या ऐ मेरे मामू या बांदी से कहा कि ऐ मेरी फूफी या ऐ मेरी मौसी या ऐ मेरी बहन इन सब सूरतों में आज़ाद न होगा। और तौहफ़तुल फुक़हा में इतना ही ज़्यादा लिखा है कि, लेकिन अगर नियत/इरादा किया हो तो आज़ाद होगा। यह नेहरूल फ़ाईक़ में है।

शेख़ अबुल क़ासिम सफ़्फ़ार से वर्णित है कि उनसे पूछा कि एक व्यक्ति की बांदी दीपक लाकर उसके सामने ख़ड़ी हुई बस मालिक ने उससे कहा कि ऐ परी

कि ऐ परी चेहरा मैं चिराग़ ले कर क्या करूं कि तेरा चेहरा ख़ुद चिराग़ से ज़्यादा रौशन है तो ऐसी कि मैं तेरा ग़ुलाम हूं तो शैख़ रहमतुल्लाह ने फ़रमाया कि यह सब महरबानी के कलिमात क़रार दे जाएंगे और बान्दी आज़ाद न होगी और यह इस सूरत में है कि मौला ने इतक़ की नियत की हो और अगर नियत की तो इमाम मुहम्मद रह० से इस में दो रिवायतें हैं यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि ऐ सरदार या ऐ मेरे सरदार या अपनी बान्दी स कहा कि ऐ सरदार या ऐ मेरी सरदार पस अगर इन सूरतों में इतक़ की नियत की हो तो बिला खिलाफ़ इतक़ साबित हो जायेगा और अगर इतक़ की नियत न की हो तो इस में मशाइख़ ने इख़तलाफ़ किया है और फ़क़ीहा अबुल्लैस के नज़दीक मुख़्तार यह है कि आज़ाद न होगा यह ज़ख़ीरा में है। और अगर ग़ुलाम से कहा कि ऐ आज़ाद मर्द या बान्दी से कहा कि ऐ आज़ाद औरत या बान्दी से कहा ऐ मेरी कदबानो या ऐ कदबानो पस अगर इतक़ की नियत की तो आज़ाद होगा और इस में कुछ इख़तलाफ़ नहीं और अगर इतक़ की नियत न हो तो इस में मशाइख़ ने इख़तलाफ़ किया है और फ़क़ीहा अबूबकर रह० से मन्क़ूल है कि वो आज़ाद न होगा अगरचे इतक़ की नियत की हो यह मुहीत में है।

एक व्यक्ति ने अपने तीन ग़ुलामों से कहा कि तुम लोग आज़ाद हो सिवाए फ़लां व फ़लां व फ़लां के तो यह सब ग़ुलाम आज़ाद हो जाऐंगे :

अगर अपनी बान्दी से कहा कि ऐ मौला ज़ादह तो वो आज़ाद न होगी यह फ़तावा कुबरा में है। एक शख़्स ने अपने ग़ुलाम से कहा ऐ नीम आज़ाद (यानी आधा आज़ाद) तो यह क़ौल बमन्ज़िला इस कलाम के है कि ग़ुलाम से कहा कि तेरा आधा हिस्सा आज़ाद है। एक शख़्स ने अपने ग़ुलाम से कहा कि जब तक तू ग़ुलाम था तब तक मैं तेरे अज़ाब में गिरफ़तार था अब कि तू नहीं है तब भी तेरे अज़ाब में गिरफ़तार हूं तो मशाइख़ ने

चेहरा/सुन्दर मुख वाली मैं दीपक लेकर क्या करूं कि तेरा मुखड़ा तो ख़ुद दीपक से ज़्यादा रोशन है तू ऐसी है कि मैं तेरा गुलाम हूँ तो शेख़ रह० ने कहा कि यह सब मेहरबानी के कथन क़रार दिये जायेगें। और बांदी आज़ाद न होगी। और यह इस सूरत में है कि मालिक ने मुक्ति देने का इरादा ना किया हो और अगर इरादा किया तो इमाम मौहम्मद रह० से दो रिवायतें हैं यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और अगर अपने गुलाम से कहा कि ऐ सरदार या ऐ मेरे सरदार या अपनी बांदी से कहा ऐ सरकार ऐ मेरी सरदार बस अगर उन सूरतो में मुक्ति देने का इरादा किया हो तो बिना किसी कारण के मुक्त साबित हो जायेगा और अगर मुक्ति का इरादा ना किया हो तो इसमें विद्वानों ने मतभेद किया है और फ़क़ीह अबुललैस के निकट मान्यता है कि आज़ाद न होगा यह ज़ख़ीरे में है। और अगर गुलाम से कहा कि ऐ आज़ाद मर्द या बांदी से कहा कि ऐ आज़ाद औरत या बांदी से कहा कि ऐ मेरी किद बानो/श्रीमति या ऐ किदबानो बस अगर मुक्ति का इरादा किया तो मुक्त होगी। और उसमें कोई मतभेद नहीं। और अगर मुक्ति की नियत ना हो तो इसमें विद्वानो ने मतभेद किया है और फ़क़ीह अबुललैस का मानना है कि आज़ाद न होगा, चाहे मुक्त करने का इरादा किया हो यह मुहीत में है।

एक व्यक्ति ने अपने तीन गुलामों से कहा कि तुम लोग आज़ाद हो, सिवाए फलाँ, फलाँ व फलाँ के, तो यह सब गुलाम आज़ाद हो जायेगें।

अगर बांदी से कहा कि ऐ मालिक की बेटी तो वो आज़ाद न होगी। यह फ़तावा कुबरा में है एक व्यक्ति ने अपने गुलाम से कहा कि ऐ आधे आज़ाद तो यह कथन उस कथन के जैसा है कि गुलाम से कहा कि तेरा आधा भाग आज़ाद है एक व्यक्ति ने अपने ग़ुलाम से कहा कि जब तक तू गुलाम था तब तक मैं तेरे अज़ाब में गिरफ्तार था। अब जबकि तू नहीं है तब भी तेरे अज़ाब में गिरफ्तार हूँ तो विद्वानों ने कहा है कि यह कहना

फ़रमाया कि यह कलाम इस की तरफ़ से ग़ुलाम के इतक़ का इक़रार है पस क़ज़ाअन ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा। एक शख़्स ने अपने ग़ुलाम से कहा तू मुझ से ज़्यादा आज़ाद है पस अगर इतक़ की नियत की हो तो आज़ाद हो जायेगा वरना नहीं एक ग़ुलाम ने अपने मौला से कहा कि मेरी आज़ादी पैदा करें मौला ने कहा कि तेरी आज़ादी मैंने पैदा की और नियत इतक़ न की तो आज़ाद न होगा कुलतू (क़ालल मुतरज्जिम सक़ूत फिल असल) क़ज़ाअन आज़ाद होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर ग़ुलाम से कहा कि ऐ मेरे मालिक तू बिला नियत आज़ाद न होगा यह काफ़ी में है। एक शख़्स का एक ग़ुलाम है पस इस ने कहा कि मैंने अपना ग़ुलाम आज़ाद कर दिया तो आज़ाद हो जायेगा यह मुहीत सुरखी में है। अगर ज़ैद ने उम्रो से कहा कि मैं तेरे बाप का मौला हूं कि तेरे बाप ने मेरे बाप व मां को आज़ाद किया है तो ज़ैद मज़कूर उम्रो का ग़ुलाम न होगा और इसी तरह अगर ज़ैद ने कहा कि मैं तेरे बाप का मौला हूं और यह न कहा कि मुझे तेरे बाप ने आज़ाद किया है तो भी यही हुक्म है और ज़ैद हुर्र होगा अगर ज़ैद ने कहा कि मैं तेरे बाप का मौला हूं और मुझे तेरे बाप ने आज़ाद किया है पस अगर उम्रो ने बाप के आज़ाद करने से इन्कार किया तो ज़ैद इस का ममलूक होगा लेकिन अगर ज़ैद गवाह लाऐ कि उम्रो के बाप ने इस को आज़ाद किया है तो ज़ैद के गवाह मक़बूल होंगे और वो आज़ाद होगा। अगर किसी शख़्स ने अपने ग़ुलाम को आज़ाद किया और ग़ुलाम के पास माल है तो यह माल मौला का होगा सिवाए इतने कपड़े के जो ग़ुलाम की सतर पोशी करे और यह भी मौला के इख़्तयार में है कि कपड़ों में से जो कपड़ा चाहे देदे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। एक शख़्स ने अपने तीन ग़ुलामों से कहा कि तुम लोग आज़ाद हो सो ऐ फ़लां व फ़लां व फ़लां के तो यह सब ग़ुलाम आज़ाद हो जाऐंगे यह फ़तावा कुबरा में है।

क़ालल मुतरज्जिम इस वजह से कि मुस्तसना मिन्हु

उसकी ओर से ग़ुलाम की मुक्ति का स्वीकार करना है बस क़ानूनन ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा एक व्यक्ति ने अपने ग़ुलाम से कहा कि तू मुझसे ज़्यादा आज़ाद है बस अगर मुक्त करने की नियत की हो तो आज़ाद हो जायेगा वरना नहीं। एक ग़ुलाम ने अपने मालिक से कहा कि मेरी आज़ादी पैदा करे मालिक ने कहा कि तेरी आज़ादी मैंने पैदा की और मुक्ति का इरादा न किया तो आज़ाद न होगा। कुलतू/मेरी राय में (अनुवादक के कथनानुसार सही यही है कि) कानूनन आज़ाद हो जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और अगर ग़ुलाम से कहा कि ऐ मेरे मालिक तो बिना इरादा के आज़ाद न होगा यह अलकाफ़ी में है। एक व्यक्ति का एक ग़ुलाम है बस उसने कहा कि मैंने अपना ग़ुलाम आज़ाद कर दिया है तो आज़ाद हो जायेगा। यह मुहीतुल सुर्ख़ी में है अगर ज़ैद ने उमरो से कहा कि मैं तेरे बाप का मालिक हूँ कि तेरे बाप ने मेरे बाप व माँ को आज़ाद किया है तो वर्णित ज़ैद उमरो का ग़ुलाम न होगा। और इसी तरह अगर ज़ैद ने कहा कि मैं तेरे बाप का आज़ाद किया हुआ ग़ुलाम हूँ और यह न कहा कि मुझे तेरे बाप ने आज़ाद किया है तो भी यहीं आदेश है, और ज़ैद आज़ाद होगा। और अगर ज़ैद ने कहा कि मैं तेरे बाप का आज़ाद किया हुआ ग़ुलाम हूँ और मुझे तेरे बाप ने आज़ाद किया है बस अगर उमरो ने बाप के आज़ाद करने से इंकार किया तो ज़ैद उसकी मिलकियत/ग़ुलाम होगा। लेकिन अगर ज़ैद गवाह लाये कि उमरो के बाप ने उसको आज़ाद किया है तो ज़ैद के गवाह स्वीकारणीय होंगे, और वह आज़ाद होगा। अगर किसी व्यक्ति ने अपने ग़ुलाम को आज़ाद किया और ग़ुलाम के पास माल है तो यह माल मालिक का होगा। तो सिवाय उतने कपड़े के जो ग़ुलाम का बदन ढांके और यह भी मालिक के अधिकार में है कि कपड़ों में से जो कपडा चाहे दे दें यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है एक व्यक्ति ने अपने तीन ग़ुलामों से कहा कि तुम लोग आज़ाद हो सिवाय (इन्ही तीन ग़ुलामों को अलग किया) फलाँ व फलाँ व फलाँ के तो यह सब ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगें। ये फ़तावा कुबरा में है।

अनुवादक के कथनानुसार इस वजह से कि मुस्तसना

के साथ हुक्म हुरियत मुताल्लिक़ हुआ पस इस्तसना कार आमद न होगा व क़ील उल इस्तसना बातिल फ़तदब्बुर। एक शख़्स के पांच ग़ुलाम हैं पस इस ने कहा कि दस मेरे ममलूकों में से आज़ाद हैं इल्ला एक तो सब आज़ाद होंगे और अगर कहा कि मेरे ममलूक दसों आज़ाद हैं इल्ला वाहिद तो चार आज़ाद होंगे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में हैं और अगर मर्द आज़ाद करना चाहे तो चाहिए कि ग़ुलाम आज़ाद करे और औरत को चाहिए कि बान्दी आज़ाद करे यह मुस्तहब है ताकि मुक़ाबला ए आज़ा ठीक मुस्तहिक़ हों यह ज़हीरिया में है। क़ालल मुतरजम हदीस शरीफ़ में यह मज़मून है कि जो शख़्स बन्दा आज़ाद करता है अल्लाह तआला इस के हर उज़्व को बमुक़ाबला आज़ाऐ बन्दा के आतिश दोज़ख से आज़ाद फ़रमाता है पस इस्तहबाब मसला मज़कूर पर बिनाऐ हदीस मौसूफ़ है फ़ा फ़हम और यह मुस्तहब्ब है कि जब आदमी सात बरस किसी बन्दा से खिदमत ले ले तो इस को आज़ाद करदे या किसी दूसरे के हाथ फ़रोख़्त करदे कि शायद वो आज़ाद कर दे यह तातार खानिया में हुज्जत से मन्क़ूल है और मुस्तहब्ब है कि आज़ाद करने वाला बन्दा को एक इताक़ नामा लिख कर इस पर सिक़ा लोगों की गवाही करादे ताकि ग़ुलाम के हक़ में मज़बूती रहे और बाहम इख़तलाफ़ और इन्कार(1) से हिफ़ाज़त हो यह मुहीत सुरखी में है।

मिल्क = मिल्कियत/स्वामित्व शरआी आदेशों के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ में निपटान का जाइज़ अधिकार प्राप्त होना

(1) क़ालल मुतरज्जिम यह लफ़्ज़ शामिल तर है ख़्वाह इन्कार अज़ जानिब आज़ाद कुनिन्दा हो या इस के वारिस की तरफ़ से हो

मिन्हु (वह व्यक्ति या चीज़ जिसमें से अलग किया गया हो) के साथ आज़ादी का आदेश सम्बन्धित हुआ बस अलग करना/छांटना कारामद न होगा। (किसी सोच विचार से व्यापक नियम में से किसी की मुक्ति छंटाई अमान्य है विचारनीय,) एक व्यक्ति के पांच ग़ुलाम है बस उसने कहा कि दस मेरे ज़रख़रीदों में से आज़ाद है सिवाय इसके एक तो सब आज़ाद होंगे। और अगर कहा कि मेरे दसों ग़ुलाम आज़ाद है सिवाय एक, तो चार आज़ाद होगें यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और अगर मर्द आज़ाद करना चाहे तो चाहिये कि ग़ुलाम आज़ाद करे, और औरत को चाहिये कि बांदी आज़ाद करें। यह मुसतहब/पंसदीदा है ताकि प्रतिस्पर्धी अंग ठीक योग्य हो। यह ज़हीरीया में है अनुवादक के कथनानुसार हदीस शरीफ़ में यह विषय है कि जो व्यक्ति बन्दा आजाद करता है ईश्वर उसके हर अंग को बंदे के अंगो के बदले दोज़ख की आग से आज़ाद करता है बस इस्तेहबाब/सिफ़ारिशी वर्णित मसलें पर वर्णित हदीस की नीव है समझ अनुसार। और यह मुसतहब/पंसदीदा है कि जब आदमी सात साल किसी बन्दे से सेवा लेले तो उसको आज़ाद कर दे। या किसी दूसरे के हाथ बेच दे कि शायद वह आज़ाद कर दे यह तातार ख़ानियि में हुज्जत/तर्क से मनकुल/कहा हुआ है और मुसतहब/पंसदीदा है कि आज़ाद करने वाला बन्दे को एक मुक्ति पत्र लिखकर उस पर सच्चें लोगो की गवाही करा दे ताकि ग़ुलाम के हित में मजबूती रहे और किसी प्रकार का मतभेद और इंकार(1)से सुरक्षा हो सके। यह मुहीतुल सुर्ख़ी में है।

ज़ी रहम महरम ऐसा क़रीबी रिश्तेदार जो विरासत में भगीदार नहीं होता यह बेटीयों व पोतीयों की औलाद हैं। एंव सौतेले भाईयों की औलाद और बहनों की औलाद फूपियों और उनकी औलाद मामा, मौसियों और उनकी संतान,

(1) अनुवादक के कथनानुसार यह शब्द सम्मिलित है भले ही इंकार मुक्तिदाता की ओर से हो या उसके वारिस की ओर से हो)

फ़सलः (1)

मिल्क वग़ैरह की वजह से आज़ाद होने के बयान में

जो शख़्स अपने ज़ी महरम का मालिक हो। (वाज़ह रहे कि मिल्क से मुराद हक़ीक़ी मौअस्सर इतक़ है) वो इस की तरफ़ से फ़ौरन आज़ाद हो जायेगा ख़्वाह यह मालिक सग़ीर या कबीर हो (ख़्वाह मुज़क्कर हो या मौअन्नस) आक़िल हो या मजनून हो यह ग़ायतुल बयान में है और ज़ी रहम से हर ऐसा क़राबत दार मुराद है जिस से निकाह हमैशा के वास्ते हराम हो पस रहम इबारत है क़राबत से और महरम इबारत है हुरमत मुनाकहत से पस अगर महरम बिला रहम का मालिक हुआ तो वो आज़ाद न होगा मसलन अपने पिसर की ज़ौजा या बाप की ज़ोजा या चचा की बेटी का जो इस की रज़ाई बहन है मालिक हुआ तो कोई आज़ाद न होजायेगी इसी तरह अगर रहम हो मगर महरम न हो तो भी यही हुक्म है मसलन मामूं या चचा की औलाद का मालिक हुआ तो वो आज़ाद न होगी यह काफ़ी में है और अगर कोई ऐसे आदमी का मालिक हुआ जो बसबब रज़ाअत या संभोग के उस पर दाइमी हराम है तो वो आज़ाद न होगा और अगर बीवी व मर्द में से कोई दूसरी का मालिक हुआ तो इस की तरफ़ से आज़ाद न हो जायेगा यह मबसूत में है। और मालिक ख़्वाह मुसलमान हो या काफ़िर हो दारूल इस्लाम में इस हुक्म के वास्ते कुछ फ़र्क़ न होगा और इसी तरह जिस ज़ी रहम महरम का मालिक हुआ है चाहे वो मुसलमान हो या काफ़िर हो कुछ फ़र्क़ नहीं है। यह ग़ायतुल बयान में है और चूंकि यह हुक्म दारूल इस्लाम में है लिहाज़ा अगर दारूल हरब में कोई हरबी अपने ज़ी रहम महरम का मालिक हुआ तो वो इस की तरफ़ से आज़ाद नहीं हो जायेगा। यह जोहरह नेयरह में है और अगर कोई हरबी अपने ज़ी रहम महरम का मालिक हो कर अमान ले कर दारूल इस्लाम में आया तो ममलूक मज़कूर इस की तरफ़ से आज़ाद हो जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और अगर ममलूक ने

(1) वाज़ेह हो कि मिल्क से मुराद हक़ीकी मुअस्सर मुक्ति है (हरबी=दारूल हरब ग़ैर मुस्लिम राज्य का नागरिक)

भाग -1

मिल्कियत/स्वामित्व आदि के कारण से आज़ाद होने के बारे में।

जो व्यक्ति अपने ज़ीरहम मेहरम (1)का मालिक हो वह इसकी ओर से तुरन्त आज़ाद हो जायेगा भले ये मालिक छोटा हो या बड़ा हो, भले ही मर्द हो या औरत सूझ बूझ वाला हो या पागल हो ये ग़ायातुल में है और ज़ीरहम मेहरम से हर ऐसा निकटतम मतलब है जिससे निकाह हमेशा के वास्ते हराम हो बस रहम इबारत/वर्णन है निकटता से और मेहरम इबारत/वर्णन है हुरमत मनाकिहत से यानी जिसके साथ संभोग वर्जित हो, बस अगर मेहरम बिला रहम का मालिक हो तो वो आज़ाद न होगा। मसलन अपने लड़के की बीवी या बाप की बीवी या चाचा की बेटी का जो उसकी दूधजाई बहन है मालिक हुआ तो कोई आज़ाद ना हो जायेगी। इसी तरह अगर रहम हो मगर मेहरम ना हो तो भी यही आदेश है उदाहरण मामा या चाचा की औलाद का मालिक हुआ तो वो आज़ाद न होगी यह अलकाफ़ी में है। और अगर कोई ऐसे आदमी का मालिक हुआ जो दूधजाया होने के कारण या मुसाहिरत/संभोग के लिए उस पर हमेशा के लिये हराम है। तो आज़ाद न होगी। और अगर बीवी व मर्द में से कोई दूसरी का मालिक हुआ तो उसकी तरफ़ से आज़ाद न होगा। यह मबसूत में है और मालिक चाहे मुसलमान हो या काफ़िर हो दारूल इस्लाम (इस्लाम शासित राज्य) में इस आदेश के लिए कुछ फ़र्क़ न होगा और इसी तरह जिस ज़ी रहम मेहरम का मालिक हुआ है चाहे वह मुसलमान हो या काफ़िर हो कुछ फ़र्क़ नहीं है। यह ग़ायतुल बयान में है। और चूंकि यह हुक्म दारूल इस्लाम में है लिहाजा अगर दारूल हरब में कोई हरबी अपने रिश्ते दार का मालिक होकर श्रण लेकर दारूल इस्लाम में आया तो वर्णित गुलाम उसकी ओर से आज़ाद हो जायेगा। यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और अगर

(1)स्पष्ट हो कि मिल्कियत/स्वामित्वता से मतलब हक़ीक़त में प्रभाव शाली मुक्ति है) (हरबी=दारूल हरब ग़ैर मुस्लिम राज्य का नागरिक)

अपनी औलाद को खरीदा (इस वास्ते कि वो दर वाक़े मालिक न हो) तो वो आज़ाद नहीं हो जायेगा यह जोहरह नीरह में है।

अगर ग़ुलाम माज़ून ने ऐसा ममलूक खरीदा जो इस के मालिक का ज़ी रहम महरम है और इस पर इस क़द्र क़र्ज़ नहीं है जो बिल्कुल मुहीत हो तो मौला की तरफ़ से आज़ाद हो जायेगा और अगर क़र्ज़ मुहीत हो तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक आज़ाद न होगा और अगर मकातब ने अपने मौला का बेटा खरीदा तो बिल इत्तफ़ाक़ आज़ाद न हो जायेगा यह तातार खानिया में हुज्जा से मन्क़ूल है और अगर मकातब ने ऐसे लोगों को खरीदा जिन की फ़रोख़्त का मिजाज़ नहीं है जैसे वालिदैन व औलाद वग़ैरह फिर मौला ने इन को आज़ाद कर दिया तो वो आज़ाद हो जाऐंगे यह मुज़मरात में है और जो शख़्स ग़ुलाम खरीदने के वास्ते वकील किया गया है अगर इस ने मुवक्किल का ज़ी रहम महरम खरीदा तो वो (इस वजह से कि बैअ बहक़ वकील नाफ़िज़ होगी) आज़ाद न हो जायेगा यह सिराजिया में है और एक शख़्स ने अपने पिसर के वास्ते अपने मर्ज़ उल मौत में हज़ार दिरहम का इक़रार किया और इस शख़्स का सिवाऐ इस के कोई वारिस नहीं है और कुछ माल भी न छोड़ा सिवाऐ एक ममलूक के कि वो इस पिसर का मां की तरफ़ से भाई है और इस ममलूक की क़ीमत इसी क़द्र है जिस क़द्र क़र्ज़ का मय्यत ने अपने पिसर के वास्ते इक़रार किया है तो मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि ममलूक आज़ाद हो जायेगा इस वास्ते कि मर्ज़ में जो इक़रार हो वो गोया वसियत है पस जब पिसर मज़कूर इस का मालिक हुआ तो वो इस की तरफ़ से आज़ाद हो जायेगा और अगर इक़रार मज़कूर हालते सेहत में वाक़े हुआ हो तो ममलूक मज़कूर आज़ाद न हो जायेगा इस वास्ते कि वारिस मज़कूर इस का मालिक नहीं हुआ बदीन वजह कि क़र्ज़ा ए मज़कूर की मय्यत के तरके को मुहीत है और इस बयान से यह फ़ायदा साबित हुआ कि जब तरके में वारिस का क़र्ज़ा हो तो वो वारिस के तरका के मालिक होने से मानअ होता है यह ज़हीरिया में है और अगर ऐसी बान्दी खरीदी जो इस के बाप के नुत्फ़ा से पेट से है हालांकि वो बान्दी इस

ग़ुलाम ने अपनी औलाद को ख़रीदा (इस लिए कि वह वास्तव में मालिक न हो) तो वो आज़ाद नहीं होगा। यह ज़ोहरह नीरह में है।

अगर अधिकार प्राप्त ग़ुलाम ने ऐसा ग़ुलाम ख़रीदा जो उसके मालिक का क़रीबी रिश्तेदार है और उस पर इस क़दर कर्ज़ा नहीं है जो बिल्कुल क़र्ज़ो में घिरा हुआ हो तो मालिक की तरफ़ से आज़ाद हो जायेगा। और अगर कर्ज़ों में घिरा हुआ तो इमामे आजम रह० के निकट आज़ाद न होगा और अगर मकातब/तैय शुदा रक़म कमा कर अपनी मुक्ति पाने वाले ग़ुलाम ने अपने मालिक का बेटा ख़रीदा तो सर्वसहमति है आज़ाद न होगा। यह तातार ख़ानिया में है हुज्जत/तर्क से मनक़ूल/उद्घृत है। और अगर मकातब ने ऐसे लोगों को ख़रीदा जिनकी बिक्री का अधिकार नहीं है जैसे माँ बाप व औलाद आदि फिर मालिक ने उनको आज़ाद कर दिया तो वो आज़ाद हो जायेगें। ये मुज़मिरात में है। और जो व्यक्ति ग़ुलाम ख़रीदने के वास्ते वकील/कार्यवाहक किया गया है अगर उसने मुवक्किल/जिसका वह नियुक्त कार्यवाहक है का ज़ीरहम मेहरम/क़रीबी रिश्तेदार ख़रीदा तो वह उस कारण से कि बिक्री वकील के हित में लागू होगी। आज़ाद ना होगा। यह सिराजिया में है। और एक व्यक्ति ने अपने लड़के के वास्ते अपने मृत्यु रोग में हज़ार दिरहम का स्वीकार किया और उस व्यक्ति का सिवाय उसके कोई वारिस नही है। और कुछ माल भी ना छोड़ा सिवाय एक ग़ुलाम के, कि वह उस लड़के का माँ की तरफ़ से भाई है और उस ग़ुलाम की क़ीमत इतनी है जितनी मरने वाले ने क़र्ज़ा अपने लड़के के वास्ते स्वीकार किया है तो इमाम मुहम्मद रह० ने कहा है कि ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा इस वास्ते कि रोग में जो स्वीकार हो वह कहने को वसीयत है बस जब वर्णित लड़का उसका मालिक हुआ तो उसकी ओर से आज़ाद हो जायेगा और अगर वर्णित स्वीकृति स्वस्थ हालत में की गई हो तो वर्णित ग़ुलाम आज़ाद न होगा। इस वास्ते कि वर्णित वारिस उसका मालिक नहीं हुआ इस कारण कि वर्णित कर्ज़ेदार की मृतक के तर्के/छोड़े हुए माल का भाग है और इस बयान से यह फ़ायदा साबित हुआ कि जब तर्के

के बाप के सिवाऐ किसी ग़ैर की मिल्क है तो खरीद जाइज़ होगी और जो इस के पेट में है वो आज़ाद होगा और बान्दी आज़ाद न होगी और जब तक वज़अ हमल न हो तब तक इस को फ़रोख्त नहीं कर सकता है कि इस की बैअ जाइज़ न होगी और बाद वज़अ हमल न हो तब तक इस को फ़रोख्त नहीं कर सकता है कि इस की बैअ जाइज़ न होगी और बाद वज़अ हमल के इस को फ़रोख्त कर सकता है यह बदाऐ में है।

अगर बच्चा जन्ने के वक़्त अपनी बांदी से कहा कि तू हुर्रह है:

अगर हामला बान्दी को आज़ाद किया तो इस का हमल भी आज़ाद हो जायेगा और अगर फ़क़त हमल को आज़ाद किया तो बदूने बान्दी के फ़क़त हमल आज़ाद होगा अगर किसी क़द्र माल पर हमल को आज़ाद किया तो हमल आज़ाद होगा और माल वाजिब न होगा और इतक़ के समय हमल मौजूद होना इसी तरह दरयाफ्त हो सकता है कि इतक़ के समय से छः महीने से कम में बच्चा पैदा हो यह हिदाया में है। और अगर इतक़ के समय से छः महीने या .ज्यादा में बच्चे को जन्म दिया तो आज़ाद न होगा इल्ला इस सूरत में कि हमल में जोड़िया दो बच्चे हों कि पहला बच्चा छः महीने से कम में पैदा हुआ फिर दूसरा छः महीने या .ज्यादा में पैदा हुआ या यह बान्दी तलाक़ या वफ़ात की इद्दत में हो पस समय फ़िराक़ से दो बरस से कम में बच्चा जन्म दिया पस अगरचे वक़्त ऐताक़ से छः महीने से .ज्यादे में जनी हो बहरहाल इस सूरत में हमल आज़ाद होगा यह फ़तहुल क़दीर में है। बान्दी का बच्चा जो इस के मौला से हो आज़ाद है और जो इस के शौहर से पैदा हो वो इस के मौला का ममलूक है बखिलाफ़ मफ़रूर के बच्चे के कि इस को फ़रेब दिया गया हो इस का यह हुक्म नहीं है कि माँ का ताबअ होगा जैसे कि ममलूकियत व मरक़ूक़ियत (1) व तदबीर व अमूमियत उल वल्द व

(1) मरक़ूक़ियत महज़ रक़ीक़ गुलाम होना तदबीर मुदब्बर करना उमूमियत यानी उम्मे वल्द होना।

में वारिस का क़ब्ज़ा हो, तो वारिस को तर्के के मालिक होने से रोकता है। ये ज़हीरीया में है। और अगर ऐसी बांदी ख़रीदी जो उसके बाप के वीर्य के कारण पेट से है हालाँकि वो बांदी उसके बाप के सिवाय किसी दूसरे की मिल्कियत है तो ख़रीद जाइज़ होगी। और जो उसके पेट में है वह आज़ाद होगा, और बांदी आज़ाद न होगी। और जब तक गर्भ से बच्चा पैदा ना हो तब तक उसको बेच नहीं सकता तो इसको बेचना जाइज़ न होगा। और गर्भ से बच्चा पैदा होने के बाद इसको बेच सकता है। यह बदाऐ में है।

अगर बच्चे को जन्म देने के समय अपनी बान्दी से कहा कि तू आज़ाद है।

अगर गर्भवती बांदी को आज़ाद किया तो उसका गर्भ भी आज़ाद हो जायेगा और अगर केवल गर्भ को आज़ाद किया तो स्वंय बांदी के केवल गर्भ ही आज़ाद होगा। अगर किसी क़दर माल पर गर्भ को आज़ाद किया तो गर्भ ही आज़ाद होगा और माल वाजिब न होगा। और मुक्ति के समय गर्भ मौजूद होगा इसी तरह मालूम हो सकता है कि मुक्ति के समय से छः महीने से कम में बच्चा पैदा हो। यह हिदाया में है। और अगर मुक्ति के समय से छः महीने या .ज्यादा में बच्चा जन्मा तो आज़ाद न होगा सिवाय इस सूरत में कि गर्भ में जोड़ा या दो बच्चे हों कि पहला बच्चा छः महीने से कम में पैदा हुआ हो और दूसरा बच्चा छः महीने या .ज्यादा में पैदा हुआ हो या यह बांदी तलाक़ या मृत्यु की इददत (वह समय जिसमें स्त्री पुनर्विवाह नही कर सकती) में हो बस अलग होने के समय से दो वर्ष से कम में बच्चा को जन्म दिया बस अगरचे मुक्ति के समय से छः महीने से .ज्यादा में जन्मा हो बहरहाल इस सूरत में गर्भ आज़ाद होगा। यह फ़तेहउल क़दीर में है बांदी का बच्चा जो उसके मालिक से हो आज़ाद है और जो उसके पति से पैदा हो वो उसके मालिक का गुलाम है। इसके विपरीत भगोड़े/भागे हुये के बच्चे के, कि उसको धोखा दिया गया हो उसका यह आदेश नहीं है कि घमंड में हो और आज़ाद औरत का बच्चा हर हाल में आज़ाद होता है इस वास्ते कि औरत का पल्ला भारी है बस आज़ादी की ख़ूबी में औरत

किताबत में यह वसफ़ बच्चे को माँ का मिलता[२] है यह हिदाया में है और अगर बच्चे जनने के समय अपनी बान्दी से कहा कि तू हुर्रह है और हालत यह है कि थोड़ा बच्चा बाहर निकल चुका है पस अगर आधे से कम निकला हो तो बच्चा भी आज़ाद होगा और अगर .ज्यादा हो तो आज़ाद न होगा और हिशाम रह० और मुअल्ला रह० ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की है कि अगर एक व्यक्ति ने अपनी हामला बान्दी से दरहाल यह कि इस का बच्चा कुछ निकल चुका है कहा कि तू आज़ाद है तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि अगर सिवाऐ सर के आधा बदन खारिज हुआ है तो वो ममलूक होगा और अगर सर की जानिब से आधा बदन खारिज हुआ है तो वो आज़ाद होगा और इस के मअनी यह हैं कि मअ सर के आधा खारिज हुआ है तो आज़ाद यह मुहीत में है। मुन्तक़ी में है कि अगर बान्दी से कहा कि बडा बच्चा जो तेरे पेट में है वो आज़ाद है पस इस के जोड़िया दो बच्चे पैदा हुए तो जो पहले निकला वो बडा है वही आज़ाद होगा और अगर अपनी बान्दी से कहा कि अलक़ा या मज़गा (ख़ून का लोथडा) जो तेरे पेट में है आज़ाद है तो जो इस के पेट में है वो आज़ाद होगा यह मुही सरखी में है।

एक शख़्स ने ग़ैर की बान्दी को आज़ाद किया फिर मौला ने बाद बान्दी के बच्चा पैदा होने के इतक़ की इजाज़त दी तो बच्चा आज़ाद न होगा और अगर अपनी बान्दी से कहा कि मेरा हर ममलूक सिवाऐ तेरे आज़ाद है तो बान्दी का हमल आज़ाद न होगा एक शख़्स ने अपनी हामला बान्दी से हालते सेहत में कहा कि तू या जो तेरे पेट में है आज़ाद है पस दूसरे दिन बान्दी मज़कूरह के एक मुर्दा बच्चा पैदा हुआ जिस की खल्क़त ज़ाहिर हो गई थी तो बक़यास क़ौल इमाम आज़म रह० के बान्दी आज़ाद होगी और अगर ख़ुद बच्चा पैदा न हुआ बल्कि किसी आदमी ने दूसरे दिन इस के पेट में सदमा पहुंचाया जिस से मुर्दा जनीन पेट से गिर गया जिस की खल्क़त ज़ाहिर हो गई थी तो मौला को इख़्तयार होगा पस अगर

(1) अगर माँ ममलूक उल ग़ैर है तो बच्चा ममलूक व मरक़ूक़ होगा और मुदब्बरह है तो मुदब्बर अला हाज़ा

का आज्ञाकारी होगा जैसे कि ज़र ख़रीद व मरक़ुक़ियत(1)व तदबीर/मरणोप्रांत मुक्ति व अमूमियतुल वलद/माँ होना एंव किताबत/तैय रक़म देकर मुक्ति पाने में ये ख़ूबी बच्चे को माँ की मिलती(2) है। यह हिदाया में है। और अगर बच्चा जनने के समय अपनी बांदी से कहा कि तू आज़ाद है और हालत यह है कि थोड़ा बच्चा बाहर निकल चुका है बस अगर आधे से कम निकला हो तो बच्चा भी आज़ाद होगा और अगर .ज्यादा हो तो आजाद न होगा। हश्शाम रह० और मौअल्ला रह० ने इमाम युसुफ रह० से रिवायत की है अगर एक व्यक्ति ने अपनी गर्भवती बांदी से जबकि उसका बच्चा कुछ निकल चुका है कहा कि तू आज़ाद है तो इमाम युसुफ रह० ने कहा कि अगर सिवाय सिर के आधा शरीर बाहर हुआ है तो वह ग़ुलाम होगा। और अगर सिर की ओर से आधा शरीर बाहर हुआ है तो वह आज़ाद होगा और उसका अर्थ यह है कि सर के समेत आधा बाहर हुआ है तो आज़ाद है। ये मुहीत में है, मुस्क्क़ा में है कि अगर बांदी से कहा कि अगर बड़ा बच्चा जो तेरे पेट में है वह आज़ाद है बस उसके जोड़ा या दो बच्चा पैदा हुये तो जो पहले निकला वह बड़ा है वही आज़ाद होगा और अगर अपनी बांदी से कहा कि ख़ून का लौथड़ा जो तेरे पेट में है आज़ाद है तो जो उस के पेट में है वह आज़ाद होगा ये मुहीतुल सुर्ख़ी में है।

एक व्यक्ति ने दूसरे की बांदी को आज़ाद किया फिर मालिक ने बांदी के ब्च्चा पैदा होन के बाद मुक्ति की आज्ञा दी तो बच्चा मुक्त ना होगा, और अगर अपनी बांदी से कहा मेरा हर ग़ुलाम सिवाए तेरे आज़ाद है तो बांदी का गर्भ आज़ाद ना होगा। एक व्यक्ति ने अपनी गर्भवती बांदी से स्वस्थ हालत में कहा कि तू या जो तेरे पेट में है आज़ाद है बस दूसरे दिन वर्णित बांदी को एक मुरदा बच्चा पैदा हुआ जिसकी रचना प्रकट हो गई थी तो इमामे आज़म रह० के अनुमानित कथनानुसार बांदी मुक्त

(1) मरक़ुक़ियत मात्र दास ग़ुलाम होना यानी जो अपनी ग़ुलामी भूल जाए और परिवार के सदस्य की तरह हो, तदबीर व मुदब्बर करना=यानी यह सुविधा देना कि ग़ुलाम मालिक की मृत्यु के बाद आज़ाद है, अमुमियत यानी उम्मे वलद होना/अपने मालिक के बच्चे की माँ होना। (2) अगर माँ दूसरे की ग़ुलाम है तो बच्चा ख़रीदा हुआ ग़ुलाम होगा और मुदब्बरा/मालिक के मरणोपरांत मुक्त होगी तो मरणोपरांत मुक्ति के नियमानुसार)

इस ने मां को आज़ाद किया तो इस के आज़ाद होने से बच्चा भी[1] आज़ाद होगा और अगर बान्दी मज़कूरह हामला न हो तो ख़ुद आज़ाद हो जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। और अगर अपनी हामिला बान्दी से कहा कि तू या जो तेरे पेट में है आज़ाद है फिर क़ब्ल इस के कि मौला बयान करे यानी किसी को मुअय्यन करे कि दोनों में से कौन आज़ाद है मर गया फिर किसी आदमी ने बान्दी के पेट में सदमा पहुंचाया कि जिस से जनीन मुर्दा जिस की ख़ल्क़त ज़ाहिर हो गई थी गिर गया तो फ़रमाया कि मुजरिम पर इस जनीन के वास्ते ग़ुर्रा आज़ाद का जुर्माना वाजिब होगा और निस्फ़ बांदी आज़ाद होगी और निस्फ़ के वास्ते सआयत करेगी और जनीन पर कुछ सआयत न होगी यह मुहीत सुरखी में है। अगर हरबी ने अपने ग़ुलाम हरबी को दारूल हरब में आज़ाद किया तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक इस का ईताक़ नाफ़िज़ न होगा और इस में साहिबीन रह० का इख़्तिलाफ़ है और अगर हरबी ने अपने मुसलमान ग़ुलाम को दारूल हरब में आज़ाद किया तो बिल इत्तफ़ाक़ ईताक़ नाफ़िज़ होगा और इस की विलाअ उस हरबी को लेगी और अगर हरबी मर गया या क़त्ल किया गया या मुसलमान के हाथ में क़ैद हो गया तो इस का मकातब आज़ाद न होगा और बदल किताबत इस के वारिसों को मिलेगा जब कि ख़ुद मर गया है एक शख़्स हिन्दुस्तान में गया यानी दारूल हरब में गया फिर दारूल इस्लाम में आया और इस के साथ एक हिन्दू आया जो कहता था कि मैं इस का ग़ुलाम हूं फिर यह हिन्दू मुसलमान हो गया तो मशाइख ने फ़रमाया कि अगर हिन्दू मज़कूर दारूल हरब से मुसलमान के साथ बदून इकराह व ज़बरदस्ती के दारूल इस्लाम में चला अया है तो वो आज़ाद होगा और इस का यह क़ौल कि मैं इस का ग़ुलाम हूं बातिल होगा और अगर मुसलमान इस को ज़बरदस्ती बाकराह निकाल लाया है तो वो मुसलमान का ग़ुलाम होगा। यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। हरबी ने

(1) क़ालल मुतरज्जिम फ़ायदा यह है कि मौला के बयान पर पहले भी मौक़ूफ़ था अब भी मौक़ूफ़ है और दर सूरत बच्चा जनीन मुस्तबीन उल ख़ल्क़ा के आज़ादी पर अजनबी मुजरिम को जुर्म का जुर्माना किस हिसाब से पड़ेगा या ममलूक के हिसाब से फ़ाफ़हम।)

होगी। और अगर स्वयं बच्चा पैदा ना हुआ बल्कि किसी आदमी ने दूसरे दिन पेट में चोट दी जिससे मृत भ्रूण पेट से गिर गया जिससे रचना प्रकट हो गई थी तो मालिक को आधिकार होगा बस अगर उस ने माँ को आज़ाद किया तो उसके आज़ाद होने से बच्चा भी(1) आज़ाद होगा और अगर वर्णित बांदी गर्भवती न हो तो स्वंय आज़ाद हो जायेगी। यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर गर्भवती बांदी से कहा कि तू या जो तेरे पेट में है आज़ाद है फिर इससे पहले की मालिक बयान करे यानी किसी को नियुक्त करे कि दोनो में से कौन आज़ाद है मर गया फिर किसी आदमी ने बांदी के पेट में चोट पहुंचायी कि जिससे भ्रूण मृत जिसकी रचना प्रकट हो गयी थी गिर गया तो कहा है कि मुजरिम पर उस भ्रूण के वास्ते गुर्रा आज़ाद का जुर्माना अनिवार्य होगा। और आधी बांदी आज़ाद होगी और आधी के वास्ते साआयत यानी कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगी और भ्रूण पर कुछ कमा कर क़ीमत देने की कोशिश न होगी। यह मुहीतुल सुर्खी में है अगर हरबी ने अपने गुलाम हरबी को दारूल हरब में आजाद किया तो इमामे आज़म रह० के निकट उसकी मुक्ति लागू न होगी और इसमें विद्वानो का मतभेद है और अगर हरबी ने अपने मुसलमान गुलाम को दारूल हरब में आजाद किया तो सर्व सहमति से मुक्ति लागू होगी और उसकी बिला विरासत उस हरबी को मिलेगी और अगर हरबी मर गया या क़त्ल किया गया या मुसलमान के हाथो क़ैद हो गया तो उसका कार्यकारी आज़ाद न होगा और उस का अधिकारिक विनिमय उसके वारिसों को मिलेगा जबकि ख़ुद मर गया है एक व्यक्ति हिन्दूस्तान में गया यानी दारूल हरब में गया फिर वह दारूल इस्लाम में आया और उसके साथ एक हिन्दू आया जो कहता है कि मैं इसका गुलाम हूँ फिर यह हिन्दू मुसलमान हो गया तो विद्वानों ने कहा है कि अगर वर्णित हिन्दू दारूल हरब से मुसलमान के साथ जबरदस्ती से दारूल इस्लाम में चला आया है तो वह मुक्त होगा और

(1) अनुवादक के कथनानुसार फ़ायदा यह है कि मालिक के बयान पर पहले भी निर्भर था अब भी निर्भर है और इस सूरत में बच्चा भ्रूण स्पष्ट रचना की आज़ादी पर अजनबी मुजरिम को जुर्म का जुर्माना किस हिसाब से पड़ेगा गुलाम के हिसाब से, समझअनुसार ।

अगर अपना मुसलमान ग़ुलाम बैअ के वास्ते पेश किया तो वो आज़ाद होगा अगरचे इस को फ़रोख्त न किया हो और हमारे बाज़े मशाइख ने फ़रमाया कि यही सही है यह शरह मजमअ में लिखा है।

मकातब = वह गुलाम जो अपनी क़ीमत स्वंय देकर अपने आप को मुक्त कराए

बाब : 2

मोअतक़ उल बअज़ के बयान में

यानी जिस का कुछ हिस्सा आज़ाद किया गया है और अगर अपने ग़ुलाम में से कुछ आज़ाद किया ख़्वाह यह हिस्सा मुअय्यन हो यानी मालूम हो मसलन चौथाई वग़ैरह या ऐसा न हो जैसे ग़ुलाम से कहा कि तुझ में से कुछ या बाज़ वग़ैरह या तेरा कोई जुज़्व या पारह आज़ाद है गो फ़र्क़ दोनों सूरतों में यह है कि ग़ैर मालूम की सूरत में मौला को बयान करने का हुक्म दिया जायेगा कि किस क़द्र मुराद है बहरहाल इमाम आज़म रह० के नज़दीक थोड़ा आज़ाद करने से सब आज़ाद न होगा और साहबीन रह० ने फ़रमाया कि सब आज़ाद हो जायेगा फिर इमाम के नज़दीक ऐसा ग़ुलाम अपनी बाक़ी क़ीमत के वास्ते अपने मौला को देने के लिए सआयत करेगा यह नहर उल फ़ाइक़ में है और मुज़मिरात में लिखा हुआ है कि इमाम आज़म रह० का क़ौल सही है इन्तहा। और अगर कहा कि तेरा एक सहम आज़ाद है तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक छटा हिस्सा आज़ाद होगा इस तरह अगर सहम की जगह शई का लफ़्ज़ कहा तो भी यही हुक्म है यह इताबिया में है और मअतक़ उल बाज़ मिस्ल मकातब के होता है कि जब तक वो मुआवज़ा जो इस पर अदा करना चाहिए है अदा न करे तब तक इस की आज़ाद मौक़ूफ़ रहती है लेकिन जो कुछ कमाऐ इस का वही मुस्तहिक़ होता है और मौला का इस पर क़ब्ज़ा नहीं रहता है और न खिदमत लेने का इस्तहक़ाक़ है और रक़ियत कामिल रहती है कज़ाफ़ी अलनहर उल फ़ाइक़। और ख़ुद वारिस नहीं हो सकता है और न इस का कोई

उसका यह कथन कि मैं इसका ग़ुलाम हूँ अमान्य/झूंठ होगा और अगर मुसलमान इसको ज़ोर जबरदस्ती से निकाल लाया है तो वह मुसलमान का ग़ुलाम होगा यह फ़तावा क़ाजी ख़ान में है हरबी ने अगर अपना मुसलमान ग़ुलाम बेचने के लिए पेश किया तो वह आज़ाद हो जायेगा। भले ही उसको बेचा ना हो। और हमारे कुछ विद्वानों ने कहा कि यही सही है कि यह शराह मजमअ में लिखा है।

अध्याय - 2

ग़ुलाम को कुछ स्वतंत्रता देने के बारे में

यानी जिस को कुछ स्वतंत्रता दी गई है और अगर अपने ग़ुलाम को कुछ आज़ादी दी भले ही यह आज़ादी निर्धारित हो यानी बताई गई हो उदहारणतः चौथाई आदि या ऐसा ना हो जैसे ग़ुलाम से कहा कि तुझे कुछ कुछ आदि या तेरा कोई अंग या भाग आज़ाद है कहने को दोनों सूरतों में यह अन्तर है कि अज्ञात की सूरत में मालिक को बयान करने का आदेश दिया जायेगा कि कितना भाग मुराद है बहरहाल इमामे आज़म रह० के निकट थोड़ा आज़ाद करने से सब आज़ाद न होगा और विद्वानों ने कहा है कि सब आज़ाद हो जायेगा फिर इमाम रह० ऐसा ग़ुलाम अपनी बाक़ी कीमत के लिए अपने मालिक को देने के लिये कोशिश/कमा कर क़ीमत देने की करेगा यह नेहरूल फ़ायक़ में है। और मुज़मिरात में लिखा है कि इमामे आज़म रह० का कथन सही है इन्तहा और अगर कहा कि तेरा एक भाग आज़ाद है तो इमामे आज़म रह० के निकट छठा भाग आज़ाद होगा इसी तरह अगर सहम/ भाग की जगह चीज़ वस्तु का शब्द कहा तो भी यही आदेश है यह इताबिया में है। और ग़ुलाम को कुछ मुक्ति देना मकातब (यह ग़ुलाम जो अपनी क़ीमत स्वंय देकर अपने आप को मुक्त कराए) के जैसे होता है कि जब तक वह बदले में तय रक़म जो उसे देनी चाहिये है दे नहीं देता तब तक उसकी मुक्ति रूकी रहती है लेकिन इस बीच जो कुछ कमाये उसका वही हक़दार होता है और मालिक का उस पर क़ब्ज़ा नहीं रहता और ना सेवा लेने का हक़दार है और रक्क़ीयत/ग़ुलामी पूर्ण रहती है यह

वारिस हो सकता है और इस की गवाही भी जाइज़ नहीं है और औरतों से .ज्यादा के साथ निकाह करके इन को जमा नहीं कर सकता है यह तातार खानिया में है और बदून इजाज़त मौला के निकाह नहीं कर सकता और न कुछ हिबा या सदक़ा दे सकता है इल्ला बहुत बहुत खफ़ीफ़ चीज़ और किसी की तरफ़ से किफ़ालत नहीं कर सकता है और किसी को क़र्ज़ नहीं दे सकता है मगर इस में और मकातब में इतना फ़र्क़ है कि अगर मअतक़ उल बाज़ अपने मुआवज़ा अदा करने से आजिज़ हुआ तो वो रक़ीक़ नहीं किया जायेगा यह ग़ायतुल बयान में है। इल्ला जिस क़द्र आज़ाद होने को बाक़ी है इस को कोशिशकरके अदा करे आज़ाद होना चाहिए या मौला बाक़ी भी आज़ाद कर दे और जब कुल मुल्क ज़ायल हो जायेगी तब वो सब आज़ाद हो जायेगा यह काफ़ी में है।

तंगदस्ती और ख़ुशहाली में हुक्म की नोइयत बदल जाती है :

अगर एक ग़ुलाम दो शरीकों में मुशतरक हो और एक ने अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया तो वो आज़ाद हो जायेगा पस अगर शरीक ख़ुशहाल हो तो दसरे शरीक को जिस ने नहीं आज़ाद किया है इख़्तयार है कि चाहे ख़ुद भी आज़ाद कर दे और चाहे शरीक से अपने हिस्सा का तावान ले और चाहे ग़ुलाम मज़कूर से अपने हिस्से की सआयत करादे यह हिदाया में है। आर जब दो शरीकों में से एक ने अपना हिस्सा ग़ुलाम आज़ाद कर दिया तो दूसरे शरीक को यह अधिकार न होना कि अपने हिस्से का ग़ुलाम बेंच दे या हिबा करे या महर क़रार दे इस वास्ते कि यह ग़ुलाम बमन्ज़िला मकातब के है यह मबसूत इमाम सुरखी में है और तोहफ़ा में लिखा है कि दूसरे शरीक को जिस ने आज़ाद नहीं किया है पांच तरह का इख़्तियार होगा जब कि आज़ाद करने वाला शरीक (1)

(1) क़ालल मुतरज्जिम और अगर शरीक आज़ाद कुनिन्दा तंगदस्त हो तो दो तरह का इख़्तियार है चाहे ख़ुद भी आज़ाद करले और चाहे ग़ुलाम से सआयत करादे।

नेहरूल फ़ायक़ में है। और ख़ुद वारिस नहीं हो सकता। और ना उसका कोई वारिस हो सकता है और उसकी गवाही भी जाइज़ नहीं है और दो औरतों से .ज्यादा के साथ निकाह करके उनको एक साथ नहीं रख सकता। यह तातार ख़ानिया में है और मालिक की इजाज़त के बिना निकाह नहीं कर सकता और ना कुछ तौहफ़ा या दान दे सकता है सिवाय बहुत छोटी चीज़ के और ना किसी का पालन पोषण कर सकता है और ना किसी को कर्ज़ दे सकता है मगर इसमें और मकातब (यानी उस गुलाम में जो अपनी क़ीमत स्वंय देकर मुक्ति प्राप्त करे) में इतना अन्तर है कि अगर अपने कुछ भाग की आज़ादी की क़ीमत देने से अक्षम हुआ तो वो रक़ीक़/ग़ुलाम नहीं किया जायेगा। यह ग़ायातुल बयान में है। सिवाय जितना आज़ाद होने को बाक़ी है उसकी कौशिश/कमा करके अदा करे कि आज़ाद होना चाहिये, या मालिक बाक़ी को भी आज़ाद कर दे और जब कुल मिल्कियत समाप्त हो जायेगी तब वह पूर्ण रूप से आज़ाद हो जायेगा। यह अलकाफ़ी में है।

निर्धनता और समृद्धि में आदेश की रूपरेखा बदल जाती है।

अगर एक ग़ुलाम दो साझेदारों में साझा हो और एक ने अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया तो वह आज़ाद हो जायेगा बस अगर एक साझी समृद्धिशाली हो तो दूसरे साझी को जिसने आज़ाद नहीं किया है उसको अधिकार है कि चाहे ख़ुद भी आज़ाद कर दे चाहे साझी से अपना हिस्से की क्षतिपूर्ति ले ले, और चाहे वर्णित ग़ुलाम से अपने हिस्सा कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करावे (यानी वह कार्य कराए जिस कमाई से ग़ुलाम अपनी मुक्ति के लिए क़ीमत दे सके)। यह हिदाया में है। और जब दो साझेदारों में से एक ने अपना हिस्सा ग़ुलाम में आज़ाद कर दिया तो दूसरे साझेदार को यह अधिकार न होगा कि अपने ग़ुलाम के हिस्से को बेचे या तौहफ़ा दे या मेहर क़रार दे इस वास्ते कि यह ग़ुलाम क्रमश अपनी मुक्ति के लिए तैय क़ीमत देने को तैयार है। यह मबसूत इमाम सुर्ख़ी में है। और तौहफ़े में लिखा है कि दूसरे साझेदार को जिसने आज़ाद नहीं किया है पांच तरह के अधिकार

ख़ुशहाल हो पस चाहे अपना हिस्सा आज़ाद करदे और चाहे मकातब करदे और चाहे उस से सआयत करादे और चाहे आज़ाद कुनिन्दा शरीक से तावान ले और चाहे अपना हिस्सा मुदब्बर करदे लेकिन अगर मुदब्बर कर दिया तो इस का हिस्सा मुदब्बर हो जायेगा मगर ग़ुलाम पर फ़िल हाल इस के वास्ते सआयत वाजिब होगी पस आज़ाद हो जायेगा और यह इख़्तयार नहीं है कि इस को मुदब्बर करके यह क़ैद लगा दे कि इस के मरने के बाद आज़ाद हो जायेगा कज़ा फ़िल ग़ायतुल सरोजी, और अगर शरीक आज़ाद कुनिन्दा तंगदस्त हो तो भी यही हुक्म है मगर यह इख़्तयार न होगा कि शरीक से तावान ले यह खज़ानतुल मुफ़तीन में है और जिस शरीक ने आज़ाद नहीं किया है इस के इख़्तयार करने की यह सूरत है कि मसलन शरीक से कहे कि मैंने यह इख़्तयार किया कि तुझ से तावान लूं या यूं कहे कि मुझे मेरा हक़ देदे बिल जुमला ज़बान से जिस तरह मशअर हो इख़्तयार करे और अगर फ़क़त दिल से कोई अम्र इख़्तयार किया तो यह कुछ चीज़ नहीं है यह निहाया में है और अगर शरीक ने अपना हिस्सा भी आज़ाद कर दिया या मकातब या मुदब्बर कर दिया या ग़ुलाम से अपने हिस्से की सआयत कराली तो ग़ुलाम की विलाअ इन दोनों में साझा होगी और अगर इस ने आज़ाद कुनिन्दा शरीक से तावान ले लिया तो ग़ुलाम की विलाअ फ़क़त उसी शरीक की होगी जिस ने आज़ाद किया है यह मुहीतुल सुर्ख़ी में है और सआयत लेने वाला आज़ाद कुनिन्दा से जो ग़ुलाम ने अदा किया है बिल इज्माअ वापिस नहीं ले सकता है यह ज़ोहर नीराह में है। और जब आज़ाद करने वाले ने शरीक को तावान दे दिया तो इस को इख़्तयार है चाहे बाक़ी ग़ुलाम को आज़ाद करे या मुदब्बर करे या मकातब करे या इस से सआयत करादे यह बदाऐ में है।

वाजिब = जिस का करना अनिवार्य हो, यानी वह कार्य अगर जो ना किया जाए तो पाप होगा

सआयत = वह कार्य/कमाई जो ग़ुलाम अपनी मुक्ति के लिए करे

तावान = क्षतिपूर्ति , फ़िरौती

होंगे। जबकि आज़ाद करने वाला साझेदार(1) समृद्धि शाली हो बस चाहे अपना हिस्सा आज़ाद कर दे और चाहे ग़ुलाम अपनी मुक्ति की क़ीमत चुका दे और चाहे उससे मुक्ति की क़ीमत चुकाने को कमाने की कोशिश करा दे यानी ग़ुलाम कमा कर उसका हिस्सा देगा, और चाहे आज़ाद करने वाले साझेदार से क्षतिपूर्ति ले और चाहे अपना हिस्सा मुदब्बर/मरणोप्रांत मुक्त कर दे लकिन अगर मुदब्बर/मरणोप्रांत मुक्त कर दिया तो उसका हिस्सा उसके तावान मुक्त हो जायेगा लेकिन फिलहाल ग़ुलाम पर उसके वास्ते कमा कर आज़ाद होगे की कोशिश अनिवार्य होगी, बस वह मुक्त हो जायेगा। और यह अधिकार नहीं है कि उसको मुदब्बर/ मुक्ति देकर के यह शर्त लगा दे कि उसके मरने के बाद आज़ाद हो जायेगा। यह ग़ायातुल सरोजी में है। और अगर आज़ाद करने वाला आर्थिक रूप से तंगी से ग्रस्त हो तो भी यही आदेश है मगर यह अधिकार न होगा कि साझेदार से क्षतिपूर्ति ले यह ख़ज़ानातुल मुफ़तैन में है और जिस साझेदार ने मुक्त नहीं किया उसको यह अधिकार नहीं है कि उसी हाल पर छोड़ दे और कुछ ना करे यह बदाया में है। और जिस साझेदार ने आज़ाद नहीं किया उसके अपनाने की यह सूरत है कि मसलन साझेदार से कहे कि मैंने यह विकल्प चुना है कि तुझसे क्षतिपूर्ति लूं या यूँ कहे कि मुझे मेरा हक़ देदे जबान से कहे जिस तरह मशअर/जाहिरी भाव हो कहे और अगर केवल दिल से कोई कार्य ग्रहण किया तो यह कोई चीज़ नहीं है। यह निहाया में है। और अगर साझेदार ने अपना हिस्सा भी आज़ाद कर दिया या मकातब/तैय क़ीमत देकर मुक्ती या मरणोपरांत मुक्त कर दिया या ग़ुलाम ने अपने हिस्से की क़ीमत कमा कर देने की कोशिश करा ली तो ग़ुलाम की विरासत इन दोनों में साझा होगी। और अगर उसने आज़ाद करने वाले साझेदार से क्षतिपूर्ति ले ली तो ग़ुलाम की विरासत केवल उसी साझेदार की होगी जिसने आज़ाद किया है यह मुहीतुल सुर्ख़ी में है और कोशिश लेने वाला आज़ाद करने वाले से जो ग़ुलाम ने अदा की है सर्व सम्मति से वापिस नहीं ले

(1) अनुवादक के कथनानुसार और अगर साझेदार आज़ाद करने वाला निर्धनता में हो तो दो तरह का अधिकार है चाहे खुद भी आज़ाद कर ले और चाहे गुलाम से कोशिश करावे।

इस्तहकाक = योग्यता और प्रतिमा या नागरिकता के हक़ आदि की बुनयाद पर किसी बात का हक़दार होना

अगर शरीक ने आज़ाद करने वाले को तावान से बरी कर दिया तो इस को इख़्तयार होगा चाहे ग़ुलाम की जानिब रूजूअ करे और इस की विलाअ इसी आज़ाद कुनिन्दा के वास्ते होगी और जो शरीक कि साकित रहा है इस का ग़ुलाम से सआयत कराने का इस्तहक़ाक़ बातिल हो गया यह इताबिया में है और अगर शरीक ने जिस ने आज़ाद नहीं किया है आज़ाद करने वाले के हाथ अपना हिस्सा फ़रोख़्त किया या बऐवज़ हिबा किया तो क़यासन तज़मीन (ज़िमान ले लेने के तौर पर जो अज़ क़यास है।) के जाइज़ होगा मगर इस्तहसानन नहीं जाइज़ यह निहाया में है। और जब साकित ने शरीक आज़ाद कुनिन्दा से तावान लेना इख़्तयार किया दरहाल यह कि शरीक मज़कूर ख़ुशहाल है फिर चाहा कि इस से रूजूअ करके ग़ुलाम से सआयत करादे तो जब तक शरीक मज़कूर ने तावान देना क़बूल नहीं किया है या क़ाज़ी हाकिम ने इस का हुक्म नहीं दिया है तब तक रूजूअ कर सकता है और यह इब्ने समाआ ने इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत की है और असल में मज़कूर है कि जब शरीक साकित ने तावान लेना इख़्तयार किया तो फिर इस को सआयत कराने को इख़्तयार करना जाइज़ न होगा और इस में कुछ तफ़सील नहीं फ़रमाई और अगर ग़ुलाम से सआयत कराना इख़्तयार किया तो फिर इस को यह इख़्तयार न होगा कि शरीक तवांगर से तावान लेना इख़्तयार करे ख़्वाह ग़ुलाम इस सआयत पर राज़ी हुआ हो या न हुआ हो और यह हुक्म सब रिवायतों के मुवाफ़िक़ है कज़ा फ़िल मुहीत। लेकिन अगर ग़ुलाम मर जाये तो हुक्म इख़्तयार बदल सकता है यह इताबिया में है और वाज़ह रहे कि इख़्तयार करना ख़्वाह सुल्तान के रूबरू हो या किसी दूसरे के रूबरू हो बहरहाल यक्साँ है यह मबसूत शम्सुल अइम्मा सुरखी में है फिर अगर आज़ाद सकता यह ज़ोहरा नीराह में है और जब आज़ाद करने वाले ने साझेदार को क्षतिपूर्ति दे दी तो उसको अधिकार है कि बाक़ी ग़ुलाम को आज़ाद करे या मरणोपरांत मुक्त करे या ग़ुलाम से उसकी मुक्ति की क़ीमत तैय कर चुकाने की सुविधा दे या उस से कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करावे। यह बदायें मे है।

अगर साझेदार ने आज़ाद करने वाले को क्षतिपूर्ति से बरी कर दिया तो उसको अधिकार होगा कि ग़ुलाम की ओर रूजूअ करे और उसकी विरासत उसी आज़ाद करने वाले के लिये होगी। और जो साझेदार कि निष्क्रिय रहा है उसका ग़ुलाम से कमा कर क़ीमत देने की कोशिश कराने का हक़ अमान्य हो गया। यह इताबिया में है और अगर साझेदार ने जिसने आज़ाद नहीं किया है आज़ाद करने वाले के हाथ अपना हिस्सा बेचा या तौहफ़ा किया तो जैसे कि ज़मानत लेना जाइज़ होगा (यानी ज़मानत लेने के तौर पर अनुमानित औचित्य है,)। मगर प्रशंसा रूपी नहीं होगी यह जाइज़ीया निहाया में है, और जब निष्क्रिय साझेदार आज़ाद करने वाले से क्षतिपूर्ति लेना स्वीकार किया हालांकि वर्णित साझेदार धनी है फिर चाहा कि उससे मिलकर ग़ुलाम से कोशिश करावे तो जब तक वर्णित साझेदार ने क्षतिपूर्ति देना स्वीकार नहीं किया है या न्यायाधीश हाकिम ने इसका आदेश नहीं दिया तब तक रूजूअ कर सकता है और यह इबने समाअ ने इमाम मुहम्द रह० से रिवायत किया है और असल में वर्णित है कि जब निष्क्रिय साझेदार ने क्षतिपूर्ति लेना स्वीकार किया तो फिर उसको कोशिश कराने का अधिकार जाइज़ न होगा और इसमें विवरण विस्तार से नहीं बताया और अगर ग़ुलाम से कोशिश कराना ग्रहण किया तो फिर उसको यह अधिकार न होगा कि आर्थिक तंग साझेदार से क्षतिपूर्ति प्राप्त करे, भले ही ग़ुलाम उस कोशिश पर राज़ी हुआ हो या न हुआ हो और यह आदेश सब रिवायतों के अनुसार है। यह मुहीत में है। लेकिन अगर ग़ुलाम मर जाये तो अधिकार का आदेश बदल सकता है यह इताबिया में है। और स्पष्ट रहे कि ग्रहण करना भले सुल्तान के सामने हो या किसी दूसरे के सामने हो बहरहाल बराबर है यह मबसूत शमसुल अईम्मा सुर्ख़ी में

कुनिन्दा ने गुलाम से वो माल जो इस पर तावान लाज़िम आया था वापिस लिया फिर साकित को इस पर हवाला कर दिया और वकील किया कि इस से सआयत या बाक़ज़ा हक़ वसूल करे तो यह जाइज़ है और पूरी विलाअ मोअतक़ यानी आज़ाद कुनिन्दा की होगी और अगर इस ने कुछ इख़्तयार न किया यहाँ तक कि इस को मजरूह कर दिया तो गुलाम के वास्ते इस पर अर्श वाजिब होगा और इस का जिनायत कर देना इस की तरफ़ से सआयत का इख़्तयार करना न होगा और इसी तरह अगर इस से कुछ माल ग़ज़ब कर लिया जिस से गुलाम की आधी क़ीमत अदा हो सकती है या गुलाम ने इस को क़र्ज़ दिया या इस के हाथ बैअ की तो यह माल गुलाम का इस पर होगा यह मबसूत शम्सुल अइम्मा सुरखी में है और यसार यानी आसूदह हाल होने में इस अमर का ऐतबार है कि शरीक के हिस्से की मिक़्दार क़ीमत का मालिक हो या इमाम मुहम्मद रह० का क़ौल है और यही सहीह है यह जवाहिर अखलाती में है। और उयून में मज़कूर है कि मुखतार यह है कि आसूदह हाल वो है जो वक़्त इतक़ के ऐसी चीज़ का मालिक हो जो आज़ाद शुदह की आधी क़ीमत के मुसावी हो सिवाऐ (सिवाऐ ज़रूरियात के फ़ाज़िल बक़द्र आधी क़ीमत हो।) मन्ज़िल व खादिम व मुताअ बैत व तन के कपड़ों के। यह काफ़ी में है।

मीअसर=आर्थिकरूप से पिछड़ा, निर्धन

मोसिर= समृद्धि शाली

ज़मानत व सआयत के वास्ते गुलाम की वो क़ीमत मोअतबर होगी जो बरोज़ ईताक़ थी :

अगर ज़ैद व उमरो दो आदमियों के दरमियान दो गुलाम साझा हों कि एक की क़ीमत हज़ार दिरहम और दूसरे की क़ीमत दो हज़ार दिरहम हों फिर एक शरीक ने मसलन ज़ैद ने दोनों में से अपना हिस्सा आज़ाद किया और ज़ैद के पास हज़ार दिरहम हैं तो वो मीअसर यानी

है फिर अगर आज़ाद करने वाले ने गुलाम से वो माल जो उस पर क्षतिपूर्ति में अनिवार्य हुआ था वापिस लिया फिर निष्क्रिय साझेदार को उस पर हवाले कर दिया और वकील किया कि इससे कोशिश यानी कमा कर क़ीमत दे या क़ानूनन हक़ वसूल करे तो यह जाइज़ है और गुलाम की पूरी विरासत यानी आज़ाद करने वाले की होगी। और अगर उसने कुछ ग्रहण नहीं किया यहाँ तक कि उसके विरुद्ध झूठी गवाही दी तो गुलाम के वास्ते उस पर अर्श/त्याग वाजिब होगा और उसका अपराध कर देना उसकी ओर से क़ीमत देकर मुक्त होने की कोशिश को नहीं अपनाना होगा और इसी तरह अगर उससे कुछ माल हड़प लिया जिससे गुलाम की आधी क़ीमत अदा हो सकती है या गुलाम ने उसको कर्ज़ दिया या उसके हाथ बेचा तो यह माल गुलाम का उस पर होगा। यह मबसूत शमसुल अईम्मा सुर्खी में है, और यसार यानी समृद्ध शाली होने में इस कार्य का भरोसा है कि साझेदार के हिस्से की मात्रा यानी कितनी क़ीमत का मालिक हो यह इमाम मुहम्मद रह० का कथन है और यही सही है यह जवाहरूल इखलाती में है और अयून में वर्णित है, कि अधिकारिक है कि सुखी समृद्ध शाली वह है जो मुक्ति के समय ऐसी चीज़ का मालिक हो जो आज़ाद शुदा की आधी क़ीमत के बराबर हो सिवाय घर व सेवादार और ज़रूरीयात के माल से और बदन के कपड़ो के। यह अलकाफ़ी में है।

सआयत= कौशिश, यानी वह कार्य/कमाई जो गुलाम अपनी मुक्ति के लिए करे

ज़मानत व मुक्ति के लिए कमा कर देने की कोशिश, गुलाम की वह क़ीमत वैध होगी जो मुक्ति के दिन थी।

अगर ज़ैद व उमरो दो आदमियों के बीच दो गुलाम साझेदारी में हों और एक की क़ीमत हज़ार दिरहम और दूसरे की क़ीमत दो हज़ार दिरहम हो फिर एक साझेदार ने उदहारण के तौर पर ज़ैद ने दोनों में से अपना हिस्सा अदा किया और ज़ैद के पास हज़ार दिरहम है तो वह

तंगदस्त क़रार दिया जायेगा यह इब्ने रूस्तम ने इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत किया है और अगर इस के पास हज़ार से कम हों तो इन दोनों में से जिस की क़ीमत कम थी इस का ज़ामिन होगा और अगर ज़ैद उम्रो के दरमियान एक ग़ुलाम हज़ार दिरहम क़ीमत का साझा है और ज़ैद व खालिद के दरमियान एक ग़ुलाम पांच सौ दिरहम क़ीमत का साझा है फिर ज़ैद ने दोनों में से अपना हिस्सा आज़ाद करा दिया और ज़ैद के पास पांच सौ दिरहम हैं तो वो मीअसर क़रार दिया जायेगा और अगर ज़ैद के पास पांच सौ दिरहम से कम हों तो वो पांच सौ दिरहम वाले ग़ुलाम के शरीक के हक़ में क़रार दिया जायेगा यह ज़हीरिया में है और ज़मानत व सआयत के वास्ते ग़ुलाम की वो क़ीमत मोअतबर होगी जो बरोज़े ऐताक़ थी चुनांचे अगर दिन ऐताक़ की क़ीमत मालूम हो फिर इस की क़ीमत बढ़ गई या घट गई या बान्दी थी कि इस के बच्चा पैदा हुआ तो इन उमूर की तरफ़ इल्तफ़ात न किया जायेगा यह बदाऐ में है। और अगर वो बरोज़ ऐताक़ सही हो फिर वो अंधा हो गया तो इस की निस्फ़ क़ीमत सही की वाजिब होगी और बरोज़ इतक़ इस की आंख में सपैदी हो फिर इस की आंख की सपैदी खुल गई और आंख रौशन हो गई तो इस की आधी क़ीमत आमा होने की हालत की वाजिब होगी यह फ़तहुल क़दीर में है इसी तरह आज़ाद कुनिन्दा का यसार व असार भी उसी दिन का मोअतबर है जिस दिन इस ने आज़ाद किया है हत्ता कि अगर मौस्सर होने की हालत में आज़ाद किया फिर वो मीअसर हो गया तो तावान (शरीक साकित का तावान लेने का हक़ बातिल न होगा) देने का हक़ बातिल न होगा और अगर इस ने ऐसार की हालत में आज़ाद किया फिर वो मौस्सर हो गया तो शरीक साकित को तावान लेने का हक़ साबित न होगा और अगर दिन इतक़ के ग़ुलाम की क़ीमत में दोनों ने इख़तलाफ़ किया पस अगर ग़ुलाम क़ायम हो तो फ़िलहाल इस की क़ीमत अन्दाज़ा की जायेगी और अगर तलफ़ हो चुका है तो आज़ाद कुनिन्दा का क़ौल क़बूल होगा और अगर दोनों ने इत्तफ़ाक़ किया कि एताक़ इस इख़तलाफ़ पर साबिक़ है तो आज़ाद कुनिन्दा का क़ौल क़बूल होगा।

आर्थिकरूप से पिछड़ा क़रार दिया जायेगा यह इबने रूस्तम ने इमाम मुहम्द रह० से रिवायत किया है और अगर उसके पास हज़ार से कम दिरहम हैं तो इन दोनों में से जिसकी क़ीमत कम थी उसका गारंटर होगा और अगर ज़ैद व उमरो के बीच एक ग़ुलाम हज़ार दिरहम क़ीमत का साझे में है और ज़ैद व ख़ालिद के बीच एक ग़ुलाम पांच सौ दिरहम क़ीमत का साझे में है फिर ज़ैद ने दोनों में से अपना हिस्सा आज़ाद करा दिया और ज़ैद के पास पांच सौ दिरहम हैं तो वह आर्थिक पिछड़ा माना जायेगा और अगर ज़ैद के पास पांच सौ दिरहम से कम हो तो वह पांच सौ दिरहम वाले ग़ुलाम के साझेदारी के हित में आर्थिक पिछड़ा क़रार दिया जायेगा यह ज़हीरीया में है। और गारंटर व कोशिश के वास्ते ग़ुलाम की वह क़ीमत वैध होगी जो मुक्ति के दिन थी चुनांचे अगर मुक्ति के दिन की क़ीमत मालूम हो फिर उसकी क़ीमत घट गयी या बढ़ गयी या बांदी थी कि उसके बच्चा पैदा हुआ तो उन कार्यों की तरफ़ देखा ना जायेगा। यह बदाये में है। और अगर वो मुक्ति के दिन सही हो फिर वो अन्धा हो गया हो तो उसकी आधी क़ीमत सही की अनिवार्य होगी और अगर मुक्ति के दिन उसकी आँख में सफ़ेदी हो फिर उसकी आँख की सफ़ेदी बढ़ गयी हो और आँख रोशन हो गयी तो उसकी आधी क़ीमत अंधा होने की हालत की वाजिब होगी। यह फ़तहुल क़दीर में है। इसी तरह आज़ाद करने वाले का यसारो आसार यानी आर्थिक तंगी व समृद्ध शाली भी उसी दिन का वैध होगा जिस दिन उसने आज़ाद किया यहाँ तक कि अगर मूसिर/समृद्ध शाली होने की हालत में आज़ाद किया फ़िर वह मूसिर हो गया तो क्षतिपूर्ति देने का हक़ कोशिश न होगा। और अगर उसने ऐसार/दीवालियापन की हालत में आज़ाद किया फिर वो समृद्ध शाली हो गया तो निष्क्रिय साझेदार को क्षतिपूर्ति लेने का हक़ साबित ना होगा, और अगर मुक्ति के दिन ग़ुलाम की क़ीमत में दोनों ने मतभेद किया बस अगर ग़ुलाम क़ायम हो तो फ़िलहाल उसकी क़ीमत अनुमान की जायेगी और अगर समाप्त हो चुका है तो आज़ाद करने वाले का कथन स्वीकार न होगा। और अगर दोनों ने सहमति से जतायी कि मुक्ति इस मतभेद पर है तो मुक्त

ख़्वाह ग़ुलाम क़ायम हो या तलफ़ हो गया हो और अगर दोनों ने वक़्त व क़ीमत में इख़तलाफ़ किया चुनांचे आज़ाद कुनिन्दा ने कहा कि मैंने इस को फ़लां रोज़ आज़ाद किया और इस की क़ीमत यह थी और शरीक साकित ने कहा कि तूने इस को फ़िल हाल आज़ाद किया है और इस की क़ीमत दो सौ दिरहम है तो फ़िलहाल आज़ाद किये जाने का हुक्म दिया जायेगा और इसी तरह अगर शरीक साकित और ख़ुद ग़ुलाम ने क़ीमत ग़ुलाम में इख़तलाफ़ किया तो भी इसी तफ़सील से हुक्म है यह मुहीत सुरख़ी में है और अगर शरीक साकित व शरीक आज़ाद कुनिन्दा के वारिसों में ग़ुलाम की क़ीमत में इख़तलाफ़ वाक़े हुआ तो वैसा ही हुक्म होगा जैसा ख़ुद शरीक साकित व आज़ाद कुनिन्दा के दरमियान क़ीमत ग़ुलाम में इख़तलाफ़ करने की सूरत में मज़कूर हुआ है यह मुहीत में है और अगर दोनों ने यसार व असार में इख़तलाफ़ किया तो नज़र करें कि अगर दोनों का इख़तलाफ़ दरहाल ऐताक़ हो तो क़ौल आज़ाद कुनिन्दा का और गवाह दूसरे के मक़बूल होंगे यह बदाऐ में है।

इतक़ मुक़द्दम हो जाने के बाद दोनों ने यसार व असार में इख़तलाफ़ किया तो?

अगर इतक़ मुक़द्दम हो जाने के बाद दोनों ने यसार व असार में इख़तलाफ़ किया पस अगर ऐसी मुद्दत गुज़री हो कि जिस में यसार व असार बदला जा सकता है तो आज़ाद कुनिन्दा का क़ौल क़बूल होगा और अगर ऐसी मुद्दत हो कि बदल नहीं सकता है तो फ़िल हाल का ऐतबार किया जायेगा पस अगर आज़ाद कुनिन्दा का फ़िल हाल यसार होना मालूम हुआ तो इख़तलाफ़ के कुछ मअनी नहीं हैं और अगर न मालूम हुआ तो आज़ाद कुनिन्दा का क़ौल क़बूल होगा यह मुहीतुल सुरख़ी में है मअतक़ उल बअज़(1)अगर मकातब किया गया पस अगर इस को दिरहमों या दीनारों पर मकातब किया पस अगर मकातबत बक़द्रे इस की क़ीमत के हो तो जाइज़ है और

(1) दो शरीकों में से एक ने जिस का बाज़ हिस्सा आज़ाद किया है और बाक़ी शरीक ने अपना हिस्सा मकातब किया।

करने वाले का कथन स्वीकार न होगा और ग़ुलाम स्थापित हो या बर्बाद हो गया हो अगर दोनों ने क़ीमत के समय में मतभेद किया इसलिये आज़ाद करने वाले ने कहा कि मैने उसको उस दिन आज़ाद किया और उसकी क़ीमत यह थी और साझेदार ने कहा कि तूने उसको फिलहाल आज़ाद किया है और उसकी क़ीमत दो सौ दिरहम है तो फिल हाल आज़ाद किये जाने का आदेश दिया जायेगा इसी तरह अगर निष्क्रिय साझेदार ने और ख़ुद ग़ुलाम ने ग़ुलाम की क़ीमत में मतभेद किया तो भी इसी विवरण से आदेश है, ये मुहीतुल सुर्ख़ी में है और अगर निष्क्रिय साझी आज़ाद करने वाले के वारिसो में ग़ुलाम की क़ीमत में मतभेद स्थापित हो तो वैसा ही आदेश है जैसा ख़ुद साझेदार व मुक्त करने वाले के बीच ग़ुलाम की क़ीमत में मतभेद करने की सूरत में वर्णित हुआ है यह मुहीत में है और अगर दोनों ने यसार/समृद्ध शाली व असार/आर्थिक पिछड़े में मतभेद किया तो ग़ौर करे कि अगर दोनों का मतभेद मुक्ति के समय हो तो आज़ाद करने वाले के कथन का और गवाह दूसरे के स्वीकार होगें यह बदाऐ में है।

मुक्ति प्रस्तुत हो जाने के बाद दोनों ने समृद्ध शाली व आर्थिक रूप से पिछड़ा होने में मतभेद किया तो ?

अगर मुक्ति प्रस्तुत हो जाने के बाद दोनों ने समृद्ध शाली व आर्थिक पिछड़ा होने में मतभेद किया बस अगर ऐसा समय गुज़रा हो कि जिसमे ख़ुशहाली व आर्थिक पिछड़ा पन बदला जा सकता है तो आज़ाद करने वाले का कथन स्वीकार होगा और अगर ऐसा समय हो कि बदला नहीं जा सकता तो उस समय का भरोसा किया जायेगा बस अगर आज़ाद करने वाले का उस समय समृद्ध शाली होना मालूम हुआ तो मतभेद का कोई मतलब नहीं है और अगर ना मालूम हुआ तो आज़ाद करने वाले का कथन निष्क्रिय होगा यह मुहीतुल सुर्ख़ी में है। कुछ मुक्ति की क़ीमत(1)ग़ुलाम से अगर क़ीमत देकर मुक्ति तैय की गयी बस अगर उसको दिरहमों या दिनारों

(1) दो साझेदारों में से एक ने जिस का कुछ हिस्सा आज़ाद किया है और बाक़ी को साझी ने अपना हिस्सा ग़ुलाम से कीमत लेकर मुक्ति दी

अगर इस की क़ीमत से कम पर मकातब किया तो भी जाइज़ है और अगर इस की क़ीमत से .ज्यादा पर मकातब किया पस अगर .ज्यादती इसी क़द्र हो कि लोग अपने अन्दाज़ में इस क़द्र खसारा उठा लेते हैं तो भी जाइज़ है और अगर इस क़द्र .ज्यादती हो कि ऐसे मआमला में लोगों के अन्दाज़ से बढ़ गई है तो इस में से .ज्यादती तरह दे दी जायेगी और अगर किताबत उरूज़ (असबाब) पर हो तो क़लील व कसीर सब तरह जाइज़ है और अगर हैवान पर हो तो भी जाइज़ यह बदाऐ में है। अगर ग़ुलाम को उरूज़ पर मकातब किया और वो अदाऐ किताबत से आजिज़ हो गया तो जिन उरूज़ के अदा करने का इस ने इल्तज़ाम किया था वो इस के ज़िम्मे से साक़ित हो जायेंगे और वो अपनी आधी क़ीमत के वास्ते सआयत करने पर मजबूर किया जायेगा जैसा कि क़ब्ल किताबत के था और इस शरीक साकित को यह इख़्तयार हासिल न होगा कि शरीक आज़ाद कुनिन्दा से कुछ ज़िमान ले सके यह मबसूत में है। और अगर ग़ुलाम आज़ाद करने वाले का शरीक, तिफ़ल या मजनून हो जिस का बाप या दादा या वसी मौजूद है तो इसके वली या वसी को इख़्तयार होगा चाहे आज़ाद कुनिन्दा से इस के हिस्से का तावान ले और चाहे ग़ुलाम से सआयत कराना इख़्तयार करे और चाहे इस को मकातिब करे मगर इस को यह हक़ न होगा कि ग़ुलाम मज़कूर को आज़ाद करे और इसी तरह अगर शरीक मकातब हो या ऐसा माज़ून उल तिजारत हो कि इस पर कर्ज़ा हो तो इन में से हर एक को भी तज़मीन व सआयत व मकातब करने का इख़्तयार होगा और यह इख़्तयार न होगा कि अपना हिस्सा आज़ाद करदे और अगर ग़ुलाम माज़ून पर क़र्ज़ा न हो तो इख़्तयार इस के मौला को हासिल होगा पस अगर शरीक साकित ने ग़ुलाम से सआयत करानी इख़्तयार की तो दर सूरत यह कि शरीक तिफ़ल या मजनून हो तो विलाअ इन्हीं दोनों को हासिल होगी और दर सूरत यह कि मकातब या माज़ून हो तो विला इस के मौला को मिलेगी यह बदाऐ में है, और अगर तिफ़ल का बाप न हो और न बाप का वसी हो मगर इन का वसी हो और यह ग़ुलाम ऐसा है कि सग़ीर मज़कूर ने इस को मां की

पर मुक्ति की क़ीमत तैय की बस अगर जितना कि उसकी क़ीमत हो उतने पर तैय किया तो जायेज़ है और अगर उसकी क़ीमत से कम पर तैय किया तो भी जायेज़ है और अगर उसकी क़ीमत से ज़्यादा क़ीमत पर मुक्ति की क़ीमत तैय की बस अगर .ज्यादती इसी क़दर हो कि लोग अपने अंदाज़ में इसी क़दर घाटा उठा लेते है तो भी जायेज़ है और अगर बढ़ोतरी इस क़दर हो कि ऐसे मामले में लोगो के अनुमान से बढ़ गयी है तो उसमें बढ़ोतरी को घटा दिया जायेगा और अगर क़ीमत तैय करना कारणों पर हो तो कम व .ज्यादा सब तरह जायेज़ है, और अगर हैवान पर हो तो भी जायेज़ है यह बदाया में है, अगर ग़ुलाम को कारणों पर क़ीमत देकर मुक्त करना तैय किया और वह उन कारणों को करने से बेबस/लाचार/अक्षम हो गया तो जिन कारणों के अदा करने का उसने स्वीकार किया था वह उसके ज़िम्मे से हट जायेगें। और वह अपनी आधी क़ीमत के देने के वास्ते कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करने पर मजबूर किया जायेगा जैसा कि मुक्ति की क़ीमत तैय करने से पहले था और इस निष्क्रिय साझेदार को यह अधिकार प्राप्त न होगा कि आज़ाद करने वाले साझेदार से कुछ गारंटी ले सके। यह मबसूत में है, और अगर ग़ुलाम मुक्त करने वाले का साझेदार, बच्चा या पागल हो जिसका बाप या दादा या वसीयत कर्ता मौजूद हो तो उसके उत्तराधिकारी या जिसके नाम वसीयत हो को अधिकार होगा चाहे आज़ाद करने वाले से उसके हिस्से की क्षतिपूर्ति ले लें और चाहे ग़ुलाम से मुक्ति के लिए क़ीमत चुकाने की कोशिश कराये और चाहे इसको क़ीमत लेकर मुक्त करें, मगर इसको यह अधिकार न होगा कि वर्णित ग़ुलाम को आज़ाद करें या कमवा कर क़ीमत चुकाने का प्रयास कराऐं और इसी तरह अगर साझेदार क़ीमत देकर मुक्ति प्राप्त करने वाला हो या ऐसा व्यापार में अधिकार प्राप्त हो कि उस पर कर्ज़ा हो तो उनमें से हर एक को भी ज़मानत व कमा कर क़ीमत देने का प्रयासकर्ता एंव क़ीमत देकर मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी होगा और यह अधिकार न होगा कि अपना हिस्सा मुक्त करदे और अगर अधिकारिक ग़ुलाम पर कर्ज़ा ना हो तो अधिकार उसके मालिक को

मीरास में पाया है तो इमाम मुहम्मद रह० ने यह सूरत किताब में ज़िक्र नहीं फ़रमाई है और हाकिम अबू मुहम्मद रह० से मन्क़ूल है कि उन्होंने फ़रमाया कि मैंने अपने उस्ताद फ़क़ीहा अबूबकर बलखी रह० से यह मसला दरयाफ़्त किया तो उन्होंने फ़रमाया कि अगर इस की मां का वसी हो और कोई इस का वसी न हो तो इस वसी को अधिकार होगा कि आज़ाद कुनिन्दा से तावान ले और चाहे ग़ुलाम से सआयत करादे अगरचे सआयत कराना किताबत के मअनी में है मगर वसी मादिर को यह अधिकार नहीं है कि इस को मकातब करे यह मुहीत में है।

अगर सग़ीर व मजनून का कोई वली व वसी न हो पस अग्र वहां कोई हाकिम शरई हो तो हाकिम ऐसे शख़्स को मुक़र्रर करेगा जो इन के वास्ते इन उमूर तज़मीन व इस्तसआ व मकातबत (तज़मीन तावान लेना इस्तसआ कमाई कराना मकातबत नोश लिख देना) में से जो बेहतर है इख़्तयार करे और अगर वहां कोई हाकिम न हो तो अमर मौक़ूफ़ रहेगा यहाँ तक कि तुफ़ल बालिग़ हो और मजनून को इफ़ाक़ा हासिल हो फिर दोनों ख़ुद ही पांचों इख़्तयारात में से जो चाहेंगे इख़्तयार करेंगे यह बदाऐ में है और अगर शरीक साकित के कोई अम्र इख़्तयार करने से पहले ग़ुलाम मर गया और शरीक आज़ाद कुनिन्दा ख़ुशहाल है पस शरीक साकित ने इस से ज़िमान लेना इख़्तयार किया तो इमाम आज़म रह० से मशहूर रिवायत के मुवाफ़िक़ इस को यह इख़्तयार हासिल है और शैख़ुल इस्लाम ने अपनी शरह में ज़िक्र फ़रमाया कि अगर ग़ुलाम मर गया और बाद आज़ाद होने के जो इस ने कमाई की वो छोड़ी तो शरीक साकित को बिला खिलाफ़ यह

प्राप्त होगा बस अगर निष्क्रिय साझेदार ने ग़ुलाम से करानी ग्रहण की तो इस सूरत में साझेदार बच्चा या पागल हो तो विरासत इन्हीं दोनों को प्राप्त होगी। और इस सूरत में यह कि मुक्ति की क़ीमत तैय करके या अधिकार प्राप्त हो तो विरासत उसके मालिक को मिलेगी यह बदाया में है, और अगर बच्चे का बाप ना हो और ना बाप का उत्तराधिकारी हो मगर उनका उत्तराधिकारी हो और यह ग़ुलाम ऐसा है कि वर्णित छोटे ने उसको माँ की विरासत में पाया है तो इमाम अहमद रह० ने यह सूरत किताब में नहीं लिखी है। और हाकिम अबू मौहम्मद रह० से उद्धृत है कि उन्होंने कहा कि मैने अपने उस्ताद फ़क़ी अबू बकर बलख़ी रह० से यह मसला पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर उसकी माँ का उत्तराधिकारी हो और कोई उस का वसी/उत्तराधिकारी ना हो तो उस उत्तराधिकारी को अधिकार होगा कि आज़ाद करने वाले से क्षतिपूर्ति ले और चाहे ग़ुलाम से क़ीमत देकर मुक्त होने की कोशिश करावें अगरचे कोशिश कराना तैय के अर्थात है मगर माँ के वसी/उत्तराधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि उससे मुक्ति क़ीमत तैय करे। यह मुहीत में है ।

अगर छोटे व पागल का कोई उत्तराधिकारी ना हो अगर वहाँ कोई हाकिम शरई हो तो शासक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उनके वास्ते उनसे जुड़े कार्यों की गारंटी व मांग समायोजित अनुबंध (गारंटेड क्षतिपूर्ति लेना समायोजित कमाई कराना और ग़ुलाम का क़ीमत देकर मुक्ति प्राप्त करने का अनुबंध पत्र लिख देना) में से जो उचित है ग्रहण करे अगर वहाँ कोई शासक न हो तो कार्य रूका रहेगा यहाँ तक कि बच्चा बालिग़ हो और पागल को स्वास्थ प्राप्त हो फिर ये दोनों ख़ुद ही पांचों अधिकार में से जो चाहेगें ग्रहण करेगें। यह बदाया में है। और अगर निष्क्रिय साझी के कोई कार्य ग्रहण करने से पहले ग़ुलाम मर गया और साझी आज़ाद करने वाला ख़ुशहाल है बस निष्क्रिय साझी ने उससे ज़मानत लेना प्राप्त किया तो इमाम आज़म रह० की मशहूर परंपरा के अनुसार उसको यह अधिकार प्राप्त है और शेख़ुल इस्लाम में अपनी शरह में वर्णन किया है कि अगर ग़ुलाम मर गया और अगर आज़ाद होने के बाद जो उसने कमाई की

इख़्तयार है कि शरीक आज़ाद कुनिन्दा से तावान ले लेकिन ग़ुलाम की कमाई में से सआयत ले सकता है या नहीं इस में मशाइख का इख़्तलाफ़ है और आमा मशाइख रह० के नज़दीक इस को यह इख़्तयार नहीं है और इसी तरफ़ इमाम मुहम्मद रह० ने असल में इशारा फ़रमाया है और यह इस वक्त है कि शरीक साकित के कोई अम्र इख़्तयार करने से पहले ग़ुलाम मर गया और शरीक आज़ाद कुनिन्दा मूसिर है और अगर शरीक आज़ाद कुनिन्दा मीअसर हो और बाक़ी मसला बहाला हो तो अगर ग़ुलाम के बाद आज़ाद होने की कमाई मौजूद हो तो बिला खिलाफ़ शरीक साकित को इस में से सआयत ले लेने का अधिकार होगा और अगर ऐसा कुछ माल न हो जिस को ग़ुलाम मज़कूर ने बाद आज़ादी के कमाया है तो माल सआयत ग़ुलाम की गर्दन पर कर्ज़ बाक़ी रहेगा (क़ालल मुतरज्जिम ज़ाहिरन यह अहकाम दुनिया में सही हैं आखिरत में वो मक़रूज़ न रहेगा फ़ताम्मुल फ़िहया) यहाँ तक कि ग़ुलाम का कुछ माल ज़ाहिर हो या या कोई शख़्स अहसान करके ग़ुलाम पर जो कर्ज़ है अदा करदे या ख़ुद साकित इस को बरी कर दे यह मुहीत में है।

अगर शरीके साकित मर गया तो उसके वारिसों को इख़्तयार होगा कि चाहें ईताक़ इख़्तयार करें, तज़मीन या सआयतः

अगर शरीक आज़ाद कुनिन्दा ने तावान दिया तो जिस क़द्र इस ने तावान दिया है वो ग़ुलाम के तरका में से ले लेगा अगर इस का कुछ तरका हो और अगर न हो तो वो ग़ुलाम पर क़र्ज़ा होगा यह बदाऐ में है और अगर ग़ुलाम ने ऐसा माल छोडा जिस में से कुछ इस ने क़ब्ल आज़ादी के कमाया और कुछ बाद आज़ाद के पस जो इस ने क़ब्ल आज़ाद होने के कमाया है वो दोनों मौलाओं के दरमियान निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम होगा और जो उस ने बाद आज़ाद होने के कमाया है वो ग़ुलाम का तरका होगा वो साकित ले लेगा या अगर आज़ाद कुनिन्दा ने तावान

वह छोड़ी तो निष्क्रिय साझेदार को बिना किसी मतभेद के यह अधिकार है कि साझेदार आज़ाद करने वाले से ले। लेकिन ग़ुलाम की कमाई में से कोशिश (कार्य से की हुई कमाई जो मुक्त होने के लिए कमाए) ले सकता है या नहीं इसमें विद्वानों का मतभेद है, और आम विद्वानों के निकट इसको यह अधिकार नहीं है और इसी ओर इमाम मुहम्मद रह० ने असल में इशारा किया है और यह उस समय है कि निष्क्रिय साझी कोई कार्य ग्रहण करने से पहले ग़ुलाम मर गया और आज़ाद करने वाला साझेदार खुशहाल है और अगर आज़ाद करने वाले साझी आर्थिक पिछड़ा हो और बाक़ी मसला इसी तरह हो तो अगर ग़ुलाम के आज़ाद होने के बाद की कमाई मौजूद हो तो बिना मतभेद निष्क्रिय साझी को इसमें से कोशिश/कमाई लेने का अधिकार होगा। और अगर ऐसा कुछ माल ना हो जिस को वर्णित ग़ुलाम ने आज़ादी के बाद कमाया है तो कोशिशका माल ग़ुलाम की गर्दन पर क़र्जा बाक़ी रहेगा। (अनुवादक के कथनानुसार देखने को यह आदेश संसार में ठीक हैं, परलोक में वह क़र्ज़दार ना रहेगा। जैसा समझा) यहां तक कि ग़ुलाम का कुछ माल उपस्थित हो या कोई व्यक्ति एहसान करके जो ग़ुलाम पर क़र्जा है अदा कर दें। या ख़ुद निष्क्रिय साझी उसको बरी कर दें। यह मुहीत में है।

अगर निष्क्रिय साझेदार मर गया तो उसके वारिसों को अधिकार होगा कि चाहें ग़ुलाम को अधिग्रहण करें, गारंटी लें या प्रयासरतः

अगर साझी आज़ाद करने वाले ने क्षतिपूर्ति दी तो जिस क़द्र इस ने क्षतिपूर्ति दी है वो ग़ुलाम के छोड़े हुए माल में से ले लेगा अगर इस का कुछ छोड़ा हुआ माल हो और अगर न हो तो वो ग़ुलाम पर क़र्ज़ा होगा यह बदाऐ में है, और अगर ग़ुलाम ने ऐसा माल छोड़ा जिस में से कुछ इस ने मुक्ति से पहले कमाया और कुछ मुक्ति बाद के बस जो इस ने मुक्ति से पहले कमाया है वो दोनों मालिकों के बीच आधा आधा बंटेगा और जो उस ने बाद आज़ाद होने के कमाया है वह ग़ुलाम का छोड़ा हुआ माल होगा वो निष्क्रिय साझी ले लेगा या अगर

दे दिया हो तो आज़ाद कुनिन्दा ले लेगा और बाद हक़ भरे लेने के अगर कुछ बाक़ी रहा तो वो आज़ाद कुनिन्दा को मीरास मिलेगा और अगर दोनों शरीकों ने इस में इख़्तलाफ़ किया चुनांचे एक ने कहा कि यह वो माल है जो इस ने क़ब्ल इतक़ के कमाया है और यह सब हमारे दरमियान में साझा है और दूसरे ने कहा कि बाद इतक़ के कमाया है तो वो बमन्ज़िला बाद इतक़ के कमाये हुए के क़रार दिया जायेगा और जो शख़्स दोनों में से तारीख साबिक़ (यानी इतक़ से तारीख साबिक़ बयान करे) का मुदआ होगा इस का क़ौल क़बूल न होगा इल्ला कज़बत यह मबसूत में है और अगर शरीक साकित मर गया तो इस के वारिसों को इख़्तयार होगा कि चाहें ऐताक़ इख़्तयार करें या तज़मीन या सआयत यह मुहीत सुरखी में है पस अगर वारिसों ने आज़ाद कुनिन्दा से ज़िमान ले ली तो पूरी वला आज़ाद कुनिन्दा को मिलेगी और अगर वारिसों ने अपना हिस्सा आज़ाद कर देना या गुलाम से सआयत कराना इख़्तयार किया तो इन के हिस्से की मीरास मय्यत के वारिसों में से मुज़क्करों को मिलेगी ना मौन्निसों को और अगर बाज़ों ने सआयत को इख़्तयार किया और बाज़ों ने ज़िमान लिया तो हर एक को इन में से वही मिलेगा जो इस ने इख़्तयार किया है और हसन ने इमाम आज़म रह० से रिवायत की है कि वारिसों को ऐसे तफ़र्रूक़ का इख़्तयार नहीं है हां यह हो सकता है कि चाहें ज़िमान लेने पर इत्तफ़ाक़ करें या सआयत कराने पर इत्तफ़ाक़ करें और यही असह है यह मबसूत में है और अगर आज़ाद कुनिन्दा मर गया पस अगर इस ने अपनी सेहत में आज़ाद किया हो तो बिला खिलाफ़ इस के तरका में से गुलाम की आधा क़ीमत ले ली जायेगी और अगर हालते मर्ज़ (यानी मर्ज़ उल मौत) में आज़ाद किया हो तो वो ज़ामिन न होगा ताकि इस के तरका से कुछ लिया जाये और यह इमाम आज़म रह० का क़ौल है यह बदाऐ में है।

आज़ाद करने वाले ने क्षतिपूर्ति दे दी हो तो आज़ाद करने वाला ले लेगा और जितना हक़ है लेने के बाद अगर कुछ बाक़ी रहा तो वह आज़ाद करने वाले को निष्क्रिय विरासत में मिलेगा और अगर दोनों साझेदारों ने इस में मतभेद किया चुनांचे एक ने कहा कि यह वह माल है जो इस ने मुक्ति से पहले कमाया है और यह सब हमारे बीच में साझा है और दूसरे ने कहा कि मुक्ति के बाद कमाया है तो वह क्रमश मुक्ति के बाद कमाया हुआ घोषित दिया जायेगा और जो व्यक्ति दोनों में से पिछली दिनांक (यानी मुक्ति से पिछली दिनांक बयान करे) का प्रतिवादी होगा इस का कथन क़बूल न होगा बस झूठ ना बोला हो। यह मबसूत में है। और अगर निष्क्रिय साझेदार मर गया तो इस के वारिसों को अधिकार होगा कि चाहें गुलाम को ग्रहण करें या ज़मानत/गारंटी या मुक्ति के लिए कार्य से कमा कर क़ीमत देने की कोशिश पर तैय करें, यह मुहीतुल सुरखी में है बस अगर वारिसों ने आज़ाद करने वाले से गारंटी ले ली तो पूरी विरासत आज़ाद करने वाले को मिलेगी और अगर वारिसों ने अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया या गुलाम से मुक्ति के लिए कार्य से कमा कर क़ीमत देने की कोशिश कराना अपनाया तो इन के हिस्से की विरासत मरने वाले के वारिसों में से मर्दों को मिलेगी ना महिलाओं को और अगर कुछ ने गुलाम के कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करने को स्वीकार किया और कुछ ने गारंटी को लिया तो हर एक को इन में से वही मिलेगा जो उस ने स्वीकार किया है, और हसन ने इमाम आज़म रह० से रिवायत किया है कि वारिसों को ऐसे विभाजन का अधिकार नहीं है हाँ यह हो सकता है कि चाहें ज़मानत लेने पर सहमति करें या कमा कर क़ीमत देने की कोशिश कराने पर सहमत हों और यही सही है यह मबसूत में है। और अगर आज़ाद करने वाला/मुक्तिदाता मर गया पस अगर इस ने स्वस्थ रहते हुऐ आज़ाद किया हो तो बिना किसी विरोधाभास के तरके/छोड़े हुए माल में से गुलाम की आधी क़ीमत ले ली जायेगी और अगर मृत्यु रोग की हालत में आज़ाद किया हो तो वह गारंटर न होगा ताकि इस के तरके से कुछ लिया जाये, और यह इमाम आज़म

गुलाम मज़कूर अअपने मौला के वास्ते (जिस ने आज़ाद नहीं किया है) इमाम आज़म रह० के नज़दीक सआयत करेगा यह मुहीत में है और अगर एक ग़ुलाम दो आदमियों में मुश्तरक हो जिन में से एक ने अपना हिस्सा ग़ुलाम में आज़ाद किया फिर शरीक साकित ने चाहा कि अपने हिस्से में से आधा की ज़िमान आज़ाद कुनिन्दा से ले और आधा के वास्ते ग़ुलाम से सआयत करादे तो आया यह इख़्तयार इस को है या नहीं तो फ़क़ीह अबुल्लैस रह० ने फ़रमाया कि इस मसले की कोई रिवायत नहीं है और कहने वाला यह कह सकता है कि इस को यह इख़्तयार है और कोई कहने वाला यह भी कह सकता है कि इस को यह इख़्तयार नहीं है ऐसा ही ज़्यादात की किताब उल ग़सब में ज़िक्र फ़रमाया है यह ज़हीरिया में है मन्तक़ी में इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि एक ग़ुलाम दो आदमियों में साझा है इस को एक ने आज़ाद किया हालांकि वो मीअसर है यहाँ तक कि ग़ुलाम पर सआयत वाजिब हुई फिर इस ने सआयत करने से इन्कार किया तो वो ग़ुलाम मअतक़ बमन्ज़िला ऐसे आज़ाद के है जिस पर क़र्ज़ा हो यहाँ तक कि क़र्ज को अदा करे और इस के हक़ में हुक्म यह दिया जायेगा अगर वो समझ दार है और अपने हाथ से काम कर सकता है या इस का कोई काम मअरूफ़ है जैसे नजारी वग़ैरह तो वो किसी को उजरत पर दिया जायेगा और इस की उजरत ले कर उजरत से इस का कर्ज़ा दिया जायेगा और नीज़ मन्तक़ी में मज़कूर है कि एक ग़ुलामे सग़ीर दो आदमियों में साझा है इस को एक शरीक ने आज़ाद किया दरहाल यह कि वो मअसर है पस दूसरे ने इस को उजरत पर देना चाहा बस अगर ग़ुलाम समझदार हो और वो इस पर राज़ी हुआ तो यह मवाजरह ग़ुलाम पर जारी होगा और यह उजरत इस शरीक को मिलेगी जिस ने आज़ाद नहीं किया है और यह इस के हक़ में महसूब होगी यह ज़खीरा में है और अगर दो शरीकों में से एक ने अपना हिस्सा अपने शरीक की इजाज़त से आज़ाद किया तो इस पर तावान वाजिब न होगा हां ज़ाहिर उल रिवाया के मुवाफ़िक़ इस को ग़ुलाम से सआयत कराने का

रह० का कथन है यह बदाऐ में है।

वर्णित ग़ुलाम अपने मालिक के वास्ते (जिस ने मुक्त नहीं किया है) इमामे आज़म रह० के निकट कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा, यह मुहीत में है। और अगर एक ग़ुलाम दो आदमियों में साझा हो जिन में से एक साझी ने अपना हिस्सा ग़ुलाम में से आज़ाद किया फिर निष्क्रिय साझेदार ने चाहा कि अपने हिस्से में से आधे की गारंटी आज़ाद करने वाले से ले और आधे के वास्ते ग़ुलाम से कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करावे तो क्या यह अधिकार इस को है या नहीं, तो इस विषय में फ़क़ीह/ विधिवेत्ता अबुल्लैस रह० ने फ़रमाया कि इस मसले की कोई रिवायत नहीं है और कहने वाला यह कह सकता है कि इस को यह अधिकार है और कोई कहने वाला यह भी कह सकता है कि इस को यह अधिकार नहीं है ऐसा ही .ज्यादात की किताब उल ग़सब में वर्णन है यह ज़हीरिया में है। मन्तक़ी में इमाम अबू यूसुफ़ रह० से कथित है कि एक ग़ुलाम दो आदमियों में साझा है इस को एक ने आज़ाद किया हालांकि वह निर्धन है यहां तक कि ग़ुलाम पर अपनी मुक्ति के लिए कार्य कर कमाने की कोशिश वाजिब हुई फिर इस ने मुक्ति के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करने से इन्कार किया तो वह मुक्त ग़ुलाम क्रमश ऐसे आज़ाद के है जिस पर क़र्ज़ा हो यहाँ तक कि क़र्ज़ा को अदा करे और इस के हक़ में हुक्म यह दिया जायेगा अगर वह समझदार है और अपने हाथ से काम कर सकता है या इस का कोई काम प्रसिद्ध है जैसे बढ़ई गीरी आदि तो वह किसी के यहाँ भाड़े/ मज़दूरी पर भेजा जायेगा या इस की मज़दूरी ले कर उस मज़दूरी से इस का क़र्ज़ा दिया जायेगा और मन्तक़ी में भी वर्णित है कि एक छोटा ग़ुलाम दो व्यक्तियों में साझा है और इसको एक साझेदार ने मुक्त किया इस हालत में कि वह निर्धन है बस दूसरे ने इससे मज़दूरी करानी चाही, बस अगर ग़ुलाम समझदार हो और वह इस पर राज़ी हुआ तो यह मज़दूरी करना ग़ुलाम पर लागू होगा और यह उजरत/कमाई इस साझी को मिलेगी जिस ने आज़ाद नहीं किया है, और यह इस के हक़ में गिना जाएगा यह ज़खीरा में है। और अगर दो साझे दारों में से एक ने

इख़्तयार हासिल होगा यह बहरूर्राइक़ में है आधा के मज़ारब ने अगर हज़ार दिरहम से जो रास उल माल है ग़ुलाम ख़रीदे जिस में से हर एक की क़ीमत हज़ार दिरहम है पस इन दोनों को रब उल माल ने आज़ाद कर दिया तो दोनों आज़ाद हो जाएंगे और मज़ारिब के हिस्से का ज़ामिन होगा ख़्वाह मूसिर हो या मीअसर हो यह काफ़ी में है।

सआयत = कौशिश यानी वह कार्य जो ग़ुलाम अपनी मुक्ति के लिए करे
मीअसर= आर्थिकरूप से पिछड़ा मूसिर= समृद्धि शाली
मकातब वह ग़ुलाम जो अपनी मुक्ति के लिए स्वंय की क़मित देकर अपने आप को मुक्त कराए

अगर एक ग़ुलाम एक कसीर जमाअत के दरमियान मुशतरक हो कि इन में से एक ने अपना हिस्से का ग़ुलाम आज़ाद किया?

इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि दो ग़ुलाम दो शख़्सों में साझा हैं और एक ने कहा कि इन में से एक ग़ुलाम आज़ाद है हालांकि कहने वाला शरीक फ़क़ीर है फिर वो ग़नी हो गया फिर उस ने इतक़ के वास्ते एक को मुअय्यन (कलाम इतक़ का ऐतबार न किया बल्कि वक्त तअय्युन के तवंगर हो जाना मोअतबर रखा) कर दिया तो बाद इतक़ के इस की निस्फ़ क़ीमत का ज़ामिन होगा और इसी तरह अगर वो किसी को इतक़ के वास्ते मुअय्यन करने से पहले मर गया हालांकि वो मौत से पहले ग़नी हो गया था तो दोनों में से हर एक की क़ीमत की चौथाई का ज़ामिन होगा (जो इस के तरके से वसूल होगा) और इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि क़ीमत वो मोअतबर होगी जो इस के कलाम इतक़ कहने के रोज़ थी। कज़ा फ़ी फिल ईज़ाह, और अगर एक ग़ुलाम एक जमाअत के दरमियान साझा हो कि इन में से एक ने अपना हिस्से का ग़ुलाम आज़ाद किया और बाक़ी शरीकों में से बाज़ ने अपने हिस्से की सआयत करानी इख़्तयार की और बाज़ ने आज़ाद करना इख़्तयार किया और बाज़ ने आज़ाद कुनिन्दा से ज़िमान लेनी पसन्द की तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक हर एक को वो मिलेगा जो इस

अपना हिस्सा अपने साझेदार की इजाज़त से मुक्त किया तो इस पर क्षतिपूर्ति वाजिब न होगी हाँ ज़ाहिर उल रिवाया की सहमति से इसको ग़ुलाम से उसकी मुक्ति के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश कराने का अधिकार प्राप्त होगा यह बहरूर्राइक़ में है। आधे के साझेदार ने अगर हज़ार दिरहम से जो व्यपार की पूंजी है से ग़ुलाम ख़रीदे जिस में से हर एक की क़ीमत हज़ार दिरहम है बस इन दोनों को माल लगाने वाले ने आज़ाद कर दिया तो दोनों आज़ाद हो जाएंगे और मज़ारिब/माल लगाने वाले के हिस्से का ज़मानतदार/गारंटर होगा ख़्वाह समृद्धि शाली हो या आर्थिक रुप से पिछड़ा हो। यह काफ़ी में है।

अगर एक ग़ुलाम बहुसंख्यक के बीच संयुक्त रूप से साझा हो कि इन में से एक ने अपना हिस्से का ग़ुलाम आज़ाद किया ?

इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि दो ग़ुलाम दो लोगों में साझा हैं और एक ने कहा कि इन में से एक ग़ुलाम आज़ाद है हालांकि कहने वाला साझेदार फ़क़ीर है फिर वह धनी हो गया फिर इस ने मुक्ति के वास्ते एक को निश्चित कर दिया (मुक्त के कथन का भरोसा न किया बल्कि निर्धारित समय के सशक्त हो जाने को महत्वपूर्ण माना) तो मुक्ति के बाद इस की आधी क़ीमत का गारंटर होगा और इसी तरह अगर वह किसी को मुक्ति के वास्ते निश्चित करने से पहले मर गया हालांकि वह मौत से पहले धनी हो गया था तो दोनों में से हर एक की क़ीमत की चौथाई का गारंटर होगा (जो इसकी विरासत से वसूल होगा) और इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि क़ीमत वह विश्वसनीय होगी जो इस के मुक्ति के कथन कहने के रोज़ थी। कज़ा फ़ी फिल ईज़ाह, और अगर एक ग़ुलाम एक बहुसंख्यक के बीच साझा हो कि इन में से एक ने अपना हिस्से का ग़ुलाम आज़ाद किया और बाक़ी साझेदारों में से कुछ ने अपने हिस्से के बदले में कमवाने की कोशिश कराना अपनाया और कुछ ने आज़ाद करना चयन किया और कुछ ने आज़ाद करने वालों से गारंटी लेनी पसन्द की तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक हर

ने अपने हिस्से की बाबत इख़्तयार किया है यह मुहीत में है और इमाम अबू हनीफ़ा ने फ़रमाया कि एक ग़ुलाम तीन आदमियों में साझा है कि एक ने अपना हिस्सा आज़ाद किया फिर इस के बाद दूसरे ने अपना हिस्सा आज़ाद किया तो तीसरे को यह इख़्तयार होगा कि चाहे पहले आज़ाद कुनिन्दा से अपने हिस्से की ज़मानत ले अगर वो मूसिर हो या चाहे आज़ाद करदे या मुदब्बर या मकातब करदे या सआयत करादे और यह इख़्तयार न होगा कि दूसरे आज़ाद कुनिन्दा से तावान ले अगरचे वो मूसिर हो पस अगर इस ने पहला आज़ाद कुनिन्दा से तावान लेना इख़्तयार किया तो अव्वल को इख़्तयार होगा चाहे आज़ाद करदे या मुदब्बर या मकातब करे और चाहे सआयत करादे और यह इख़्तयार इस को हासिल न होगा कि दूसरे आज़ाद कुनिन्दा से तावान ले यह बदाऐ में है और अगर एक शरीक ने आज़ाद किया और साथ ही दूसरे ने इस को मकातब और तीसरे ने इसी वक़्त मुदब्बर किया तो इन में से किसी शरीक को दसरे से रूजूअ का इख़्तयार न होगा और अगर एक ने पहले इस को मुदब्बर किया फिर दूसरे ने इस को आज़ाद किया फिर तीसरे ने इस को मकातब किया तो मुदब्बर करने वाले को आज़ाद कुनिन्दा से अपने हिस्से की क़ीमत लेने के लिये रूजूअ करने का इख़्तयार हासिल होगा और मकातब करने वाला किसी से रूजूअ नहीं कर सकता है और अगर पहले ने मुदब्बर दूसरे ने मकातब और फिर तीसरे ने आज़ाद किया तो मुदब्बर करने वाले व आज़ाद करने वाले का हुक्म वही है जो मज़कूर हुआ है और रहा मकातब करने वाला पस अगर ग़ुलाम मज़कूर अदाऐ किताबत से आजिज़ हो जाये तो आज़ाद कुनिन्दा से अपने हिस्से की क़ीमत ले लेना और अगर पहले ने मकातब किया फिर दूसरे ने इस को मुदब्बर किया और फिर तीसरे ने आज़ाद किया पस अगर ग़ुलाम अदाऐ किताबत से आजिज़ न हुआ तो मकातब कुनिन्दा की तरफ़ से आज़ाद हो जायेगा और इस पर कुछ ज़मान वाजिब न होगी और अगर आजिज़ हुआ तो मुदब्बर करने वाले से तिहाई क़ीमत लेगा न आज़ाद कुनिन्दा से लेगा यह मुहीतुल सुरखी में है और अगर एक ग़ुलाम तीन आदमियों में साझा हो पस इस को

एक को वह मिलेगा जो इस ने अपने हिस्से के अनुसार चयन किया है, यह मुहीत में है। और इमाम अबू हनीफ़ा ने फ़रमाया कि एक ग़ुलाम तीन आदमियों में साझा है कि एक ने अपना हिस्सा आज़ाद किया फिर इस के बाद दूसरे ने अपना हिस्सा आज़ाद किया तो तीसरे को यह अधिकार होगा कि चाहे पहले मुक्त करने वाले से अपने हिस्से की गारंटी ले अगर वह समृद्धि शाली हो या चाहे आज़ाद करदे या मरणोपरांत मुक्त करे या मुक्ति के लिए ग़ुलाम से क़ीमत तैय करले या मुक्ति के लिए कार्य/कमाने की कोशिश करावे, और यह अधिकार न होगा कि दूसरे आज़ाद करने वाले से क्षतिपूर्ति ले चाहे वह समृद्धि शाली हो बस अगर इस ने पहले आज़ाद करने वाले से क्षतिपूर्ति लेना स्वीकार किया तो प्रथम को अधिकार होगा चाहे आज़ाद करदे या मरणोपरांत मुक्त करे या मुक्त करने के लिए ग़ुलाम से क़ीमत तैय करे और चाहे उससे मुक्ति के लिए कार्य/कमाने की कोशिश करावे और यह अधिकार इस को प्राप्त न होगा कि दूसरे मुक्त करने वाले से क्षतिपूर्ति ले यह बदाऐ में है, और अगर एक साझेदार ने आज़ाद किया और साथ ही दूसरे ने इस को मुक्त करने के लिए ग़ुलाम से मुक्ति की क़ीमत तैय की और तीसरे ने इसी समय मरणोपरांत मुक्त किया तो इन में से किसी साझेदार को दूसरे से रूजूअ/अपनी बात से पलटने का अधिकार न होगा और अगर एक ने पहले इस को मरणोपरांत मुक्त किया यानी कहा कि मेरे मरने के बाद तू आज़ाद है फिर दूसरे ने इस को आज़ाद किया फिर तीसरे ने इस को मकातब किया यानी ग़ुलाम से अनुबंध/क़ीमत तैय कर लिया तो मरणोपरांत मुक्त करने वाले को आज़ाद करने वाले से अपने हिस्से की क़ीमत लेने के लिये कहने का अधिकार प्राप्त होगा और ग़ुलाम से उसकी मुक्ति की क़ीमत लेकर मुक्ति तैय करने वाला किसी से रूजूअ नहीं कर सकता है और अगर पहले ने मरणोपरांत मुक्त किया दूसरे ने क़ीमत लेकर मुक्त किया और फिर तीसरे ने आज़ाद किया तो मरणोपरांत मुक्त करने वाले व आज़ाद करने वाले का हुक्म वही है जो उल्लेख हुआ है और रहा ग़ुलाम से अनुबंध/क़ीमत देकर मुक्ति तैय करने वाला बस अगर वर्णित ग़ुलाम मुक्ति के

एक ने मुदब्बर किया फिर दूसरे ने इस को आज़ाद किया और यह दोनों मूसिर हैं तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक मुदब्बर कुनिन्दा की तदबीर इसे के हिस्से ही तक रहेगी और दूसरे का आज़ाद करना सही है फिर साकित को इख़्तयार होगा कि मुदब्बर कुनिन्दा से तिहाई क़ीमत ग़ुलाम की ज़मानत ले और आज़ाद कुनिन्दा से तावान नहीं ले सकता है और अगर चाहे तो ग़ुलाम से इस की तिहाई क़ीमत के वास्ते सआयत करादे और अगर चाहे तो इस को आज़ाद करदे। जब मुदब्बर कुनिन्दा ने तावान दे दिया तो इस को इख़्तयार होगा कि ग़ुलाम से यह माल तावन ले ले पस ग़ुलाम मज़कूर इस क़द्र माल के लिए इस के वास्ते सआयत करेगा यह मबसूत शम्सुल अइम्मा सुरख़ी में है और अगर मुदब्बर कुनिन्दा मीअसर हो तो तीसरे साकित को ग़ुलाम से सआयत कराने का इख़्तयार होगा न तावान लेने का। फिर जब साकित ने मुदब्बर कुनिन्दा से तावान लेना इख़्तयार किया और ले लिया तो ग़ुलाम की दो तिहाई वलाअ मुदब्बर कुनिन्दा की होगी और एक तिहाई आज़ाद कुनिन्दा की होगी और अगर इस ने ग़ुलाम से सआयत करानी इख़्तयार की तो इस की वलाअ इन तीनों में तीन तिहाई होगी। यह ग़ायत उल बयान में है।

तावान = क्षतिपूर्ति , फ़िरौती
इस्तहक़्क़ाक=योग्यता,प्रतिभा या नागरिकता के हक़ आदि की बुनयाद पर किसी बात का हक़दार होना।
इस्तहसानन = उपकार, भलाई ,पसंद करना
औद = लौटना, वापसी, पलटना

सआयत = वे कार्य/कोशिश जो गुलाम अपनी रिहाई/ मुक्ति के लिए करे

मुदब्बर= वह गुलाम जिसे कह दिया जाए कि तुम मालिक के मरणोपरांत यानी मरने के बाद मुक्त हो

लिए क़ीमत देने में अक्षम हो जाये तो आज़ाद करने वाले से अपने हिस्से की क़ीमत ले लेगा, और अगर पहले ने मकातब किया फिर दूसरे ने इस को मरणोपरांत मुक्त किया और फिर तीसरे ने आज़ाद किया बस अगर ग़ुलाम किताबत/ क़ीमत देने में अक्षम न हुआ तो मकातब करने वाले यानी ग़ुलाम से अनुबंध/क़ीमत तैय करने वाले की तरफ़ से आज़ाद हो जायेगा और इस पर कुछ गारंटी वाजिब न होगी और अगर अक्षम हुआ तो मरणोपरांत मुक्त करने वाले से तिहाई क़ीमत लेगा न कि आज़ाद करने वाले से लेगा यह मुहीतुल सुरख़ी में है और अगर एक ग़ुलाम तीन आदमियों में साझा हो बस इस को एक ने मुदब्बर/ मरणोपरांत मुक्त किया फिर दूसरे ने इस को आज़ाद किया और यह दोनों समृद्धि शाली हैं तो इमाम आज़म रह० के निकट मरणोपरांत मुक्त करने का उपाय इसी के हिस्से ही तक रहेगा और दूसरे का आज़ाद करना सही है फिर निष्क्रिय साझी को अधिकार होगा कि मरणोपरांत मुक्त करने वाले से तिहाई क़ीमत ग़ुलाम की गारंटी ले और मुक्त करने वाले से क्षतिपूर्ति नहीं ले सकता है और अगर चाहे तो ग़ुलाम से इस की तिहाई क़ीमत के वास्ते कार्य/कमाई की कोशिश करावे और अगर चाहे तो इस को आज़ाद करदे। जब मरणोपरांत मुक्त करने वाले ने क्षतिपूर्ति दे दी तो इस को अधिकार होगा कि ग़ुलाम से यह माल क्षतिपूर्ति में लेले बस वर्णित ग़ुलाम उतने ही माल के लिए इस के वास्ते कार्य/कमाने की कोशिश करेगा। यह मबसूत शम्सुल अइम्मा सुरख़ी में है और अगर मरणोपरांत मुक्त करने वाला आर्थिक रूप से पिछड़ा हो तो तीसरे निष्क्रिय साझी को ग़ुलाम से उसकी मुक्ति के लिए कार्य/कमाने की कोशिश कराने का अधिकार न होगा न क्षतिपूर्ति लेने का। फिर जब निष्क्रिय साझी ने मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त करने वाले से क्षतिपूर्ति लेना अधिग्रहण किया और ले लिया तो ग़ुलाम की दो तिहाई विरासत मरणोपरांत मुक्त करने वाले की होगी और एक तिहाई आज़ाद करने वाले की होगी और अगर इस ने ग़ुलाम उसकी मुक्ति के लिए कार्य/कमाने की कोशिश कराना अपनाया तो उस की विरासत इन तीनों में तीन तिहाई होगी। यह ग़ायतुल बयान में है।

मुदब्बर कुनिन्दा के इख़्तयार का बयानः

मुदब्बर कुनिन्दा को भी इख़्तयार है कि जिस ने आज़ाद किया है उस से ग़ुलाम की तिहाई क़ीमत ले बईं सिफ़त कि ऐसे ग़ुलाम की दर सूरत यह कि मुदब्बर हो क्या क़ीमत है जो हो उस की तिहाई क़ीमत ले और यह इख़्तयार नहीं है कि जिस क़दर इस ने साकित को इस के हिस्से की क़ीमत तावान दी है वो आज़ाद कुनिन्दा से तावान ले और इस ग़ुलाम की विलाअ मुदब्बर कुनिन्दा और आज़ाद कुनिन्दा के दरमियान तीन तिहाई इस तरह होगी कि दो तिहाई मुदब्बर कुनिन्दा की और एक तिहाई आज़ाद कुनिन्दा की होगी यह मबसूत शम्सुल अइम्मा सरखासी में है और मुदब्बर कुनिन्दा को इख़्तयार है चाहे अपने हिस्से को जिस को मुदब्बर किया है आज़ाद कर दे और चाहे ग़ुलाम से सआयत करादे और अगर इस ने अपने इख़्तयार से यह अम्र इख़्तयार किया कि आज़ाद कुनिन्दा से तावान ले तो आज़ाद कुनिन्दा को यह इख़्तयार हासिल होगा कि वो ग़ुलाम से इस हिस्से की बाबत सआयत करादे यह बदाऐ में है। अगर आज़ाद कुनिन्दा मीअसर हो तो कुनिन्दा को तज़मीन का इख़्तयार ना होगा हां ग़ुलाम से सआयत कराने का इख़्तयार होगा यह ग़ायत उल बयान में है और अगर साकित ने मुदब्बर कुनिन्दा से अपने हिस्से का तावान लिया फिर तीसरे शरीक ने इस को आज़ाद कर दिया तो मुदब्बर कुनिन्दा को इख़्तयार होगा कि आज़ाद कुनिन्दा से ग़ुलाम की दो तिहाई क़ीमत तावान ले जिस में से एक तिहाई क़ीमत ग़ुलाम की मुदब्बर होने के साथ जो क़ीमत हो इस में से होगी और एक तिहाई केवल ग़ुलाम होने के साथ जो क़ीमत है इस में से होगी यह निहाया में तमरताशी से मन्क़ूल है और वाज़ह रहे कि केवल ग़ुलाम की जो क़ीमत हो इस की तिहाई ग़ुलाम मुदब्बर की क़ीमत होती है और बाज़ ने फ़रमाया कि महज़ ग़ुलाम की आधा क़ीमत होती है और इसी तरफ़ सदर उल शहीद रह० ने मेल किया है और इसी पर फ़तवा है यह काफ़ी में है और अगर एक ग़ुलाम तीन रहत (रहत जमाअत कम अज़ दह और यहाँ नफ़र मुराद है) में साझा हो फिर एक रहत ने अपना

मरणोपरांत मुक्त करने वाले के अधिकार के बारे में :

मरणोपरांत मुक्त करने वाले को भी अधिकार है कि जिस ने आज़ाद किया है उस से ग़ुलाम की तिहाई क़ीमत ले, उसकी ऐसी विशेषता कि, ऐसे ग़ुलाम की इस सूरत में कि वह मालिक के मरणोपरांत मुक्त हो जायेगा क्या क़ीमत हो सकती है जो हो उस की तिहाई क़ीमत ले और यह अधिकार नहीं है कि जिस क़दर उस ने निष्क्रिय साझी को इस के हिस्से की क़ीमत क्षतिपूर्ति में दी है वह आज़ाद करने वाले से क्षतिपूर्ति ले और इस ग़ुलाम की विरासत मरणोपरांत मुक्त करने वाले और आज़ाद करने वाले के बीच तीन तिहाई इस तरह होगी कि दो तिहाई मरणोपरांत मुक्त करने वाले की और एक तिहाई आज़ाद करने वाले की होगी यह मबसूत शम्सुल अइम्मा सुरखी में है और मरणोपरांत मुक्त करने वाले को अधिकार है चाहे अपने हिस्से को जिस को मरणोपरांत मुक्त किया है आज़ाद कर दे और चाहे ग़ुलाम से सआयत/मुक्ति के लिए कार्य/कमाने की कोशिश करावे और अगर इस ने अपने अधिकार से यह कार्य अपनाया कि मुक्त करने वाले से क्षतिपूर्ति ली तो मुक्त कर्ता को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह ग़ुलाम से इस हिस्से के लिए यानी उसकी मुक्ति के लिए कार्य कर क़ीमत देने की कोशिश करावे यह बदाऐ में है। अगर आज़ाद कुनिन्दा आर्थिक पिछड़ा हो तो मरणोपरांत मुक्त करने वाले को गारंटी लेने का अधिकार ना होगा हाँ ग़ुलाम से उस की मुक्ति के लिए कार्य/कोशिश कराने का अधिकार होगा यह ग़ायतुल बयान में है और अगर निष्क्रिय साझेदार ने मरणोपरांत मुक्त करने वाले से अपने हिस्से का क्षतिपूर्ति ली फिर तीसरे साझी ने इस को आज़ाद कर दिया तो मरणोपरांत मुक्त करने वाले को अधिकार होगा कि आज़ाद करने वाले से ग़ुलाम की दो तिहाई क़ीमत क्षतिपूर्ति ले जिस में से एक तिहाई क़ीमत ग़ुलाम की मरणोपरांत मुक्त होने के साथ जो क़ीमत हो इस में से होगी और एक तिहाई केवल ग़ुलाम होने के साथ जो क़ीमत है इस में से होगी यह निहाया में तमरताशी से कथित है और स्पष्ट रहे कि केवल ग़ुलाम की जो क़ीमत हो इस की तिहाई मरणोपरांत

हिस्सा आज़ाद किया है और दूसरे ने मुदब्बर किया और तीसरे ने मकातब किया ऊपर यह मालूम नहीं होता कि पहले कौन है तो हम कहते हैं कि बिना पर क़ौल इमाम आज़म रह० के आज़ाद कुनिन्दा का आज़ाद करना नाफ़िज़ होगा और किसी पर इस की ज़मान नहीं हो सकती है और मुदब्बर कुनिन्दा का मुदब्बर करना भी अपना हिस्से में नाफ़िज़ होगा और इस को इख़्तयार हासिल होगा चाहे ग़ुलाम से तिहाई क़ीमत ग़ुलाम मुदब्बर के वास्ते सआयत करादे या इस्तहसानन आज़ाद कुनिन्दा से शशम हिस्सा क़ीमत (यानी ग़ुलाम मुदब्बर की क़ीमत का शशम हिस्सा) ग़ुलाम तावान ले और शशम हिस्सा क़ीमत के वास्ते ग़ुलाम से सआयत करादे और रहा मकातब करने वाला पस अगर ग़ुलाम अपनी किताबत पर रहा और माल किताबत इस ने अदा किया तो ख़ैर और इस की वलाअ उन सब में तीन तिहाई मुशतरिक होगी और अगर ग़ुलाम अदाये किताबत से आजिज़ हो गया तो मकातब कुनिन्दा को इख़्तयार होगा कि आज़ाद कुनिन्दा व मुदब्बर कुनिन्दा हर दो फ़रीक़ से अपने हिस्से की बाबत निस्फ़ निस्फ़ क़ीमत ले लेगा बशर्तेकि दोनों मूसिर हों और यह दोनों जो कुछ तावान दें वो ग़ुलाम से वापिस ले सकते हैं और इस ग़ुलाम की वला उन्हीं दोनों में निस्फ़ निस्फ़ मुश्तरक होगी यह मबसूत में है।

मीअसर = आर्थिकरूप से पिछड़ा
मोसिर = समृद्धि शाली
मकातब = वह ग़ुलाम जो अपनी क़ीमत स्वंय देकर अपने आप को मुक्त कराए
रूजुअ = अपनी पहली बात पर लौटना, वापसी, Turn towards, incline

मुक्त होने वाले ग़ुलाम की क़ीमत होती है और कुछ ने कहा कि महज़ ग़ुलाम की आधी क़ीमत होती है और इसी ओर सदर उल शहीद रह० ने संकेत किया है और इसी पर फ़तवा है यह काफ़ी में है और अगर एक ग़ुलाम तीन लोगों (अच्छे लोगों का समूह दस से कम और यहां लोग मुराद हैं) में साझा हो फिर एक व्यक्ति ने अपना हिस्सा आज़ाद किया है और दूसरे ने मरणोपरांत मुक्त किया और तीसरे ने ग़ुलाम से उसकी मुक्ति की क़ीमत लेना तैय कर लिया ऊपर यह मालूम नहीं होता कि पहले कौन है तो हम कहते हैं कि इमाम आज़म रह० के कथन की बुनियाद पर आज़ाद करने वाले का आज़ाद करना लागू होगा और किसी पर इस की गारंटी नहीं हो सकती है और मरणोपरांत मुक्त करने वाले का मरणोपरांत मुक्त करना भी अपना हिस्से में लागू होगा और इस को अधिकार प्राप्त होगा चाहे ग़ुलाम से तिहाई क़ीमत ग़ुलाम मरणोपरांत मुक्त करने वाले के वास्ते ग़ुलाम से उसकी मुक्ति के लिए कार्य/कमाने की कोशिश करावे या उपकार स्वरुप मुक्त करने वाले से छटा हिस्सा क़ीमत का (यानी ग़ुलाम मरणोपरांत मुक्त होने वाले की क़ीमत का छटा हिस्सा) ग़ुलाम क्षतिपूर्ति ले और छटा हिस्से की क़ीमत के वास्ते ग़ुलाम से उसकी मुक्ति के लिए कार्य/कमाने कोशिश करावे और रहा क़ीमत लेकर मुक्त करने वाला बस अगर ग़ुलाम अपनी मुक्ति के लिए क़ीमत देने को त्यार रहा और मुक्ति के लिए क़ीमत इस ने दी तो ख़ैर और इस की विरासत उन सब में तीन तिहाई साझा होगी और अगर ग़ुलाम मुक्ति की क़ीमत देने में अक्षम हो गया तो क़ीमत लेकर मुक्त करने को अधिकार होगा कि मुक्त करने वाले एंव मरणोपरांत मुक्त करने वाले दोनों साझेदारों से अपने हिस्से के लिए आधी आधी क़ीमत ले लेगा बशर्तेकि दोनों समृद्धि शाली हों और यह दोनों जो कुछ क्षतिपूर्ति दें वह ग़ुलाम से वापिस ले सकते हैं और इस ग़ुलाम की विरासत उन्हीं दोनों में आधी आधी साझा होगी यह मबसूत में है।

इमाम आज़म रह० के नज़दीक इतक़ व तदबीर का हुक्मः

मकातब कुनिन्दा दर सूरत इजज़े ग़ुलाम चाहे तो अपना हिस्सा भी आज़ाद करदे और चाहे ग़ुलाम से सआयत करादे यह नया बैअ में है और अगर ग़ुलाम पांच रहत नफ़र में मुशतरिक हो पस एक ने अपना हिस्सा आज़ाद किया और दूसरे ने इस को तदबीर किया और तीसरे ने अपना हिस्सा मकातब किया और चहारूम ने अपना हिस्सा फ़रोख़्त किया और सिमन वसूल कर लिया और पांचवें ने अपने हिस्से पर किसी औरत से निकाह किया और यह मालूम नहीं होता है कि पहले कौन है तो हम कहते हैं कि बक़ौल इमाम आज़म रह० के इतक़ व तदबीर का हुक्म वही है जो हम ने पहली सूरत में बयान किया है फ़क़त फ़र्क़ यह है कि तज़मीन या सआयत कराना अव्वल सूरत में तिहाई की बाबत होगा और यहाँ पांचवें हिस्से में होगा और रही बैअ पस अगर बाहम इत्तफ़ाक़ किया कि यह बैअ बाद इतक़े तदबीर के वाक़े हुई या बाऐ ने कहा कि क़ब्ल इतक़ के थी और ग़ुलाम इस के क़ब्ज़े में है और मुशतरी ने कहा कि बाद इतक़ के वाक़े हुई तो बैअ बातिल होगी और अगर दोनों ने इत्तफ़ाक़ किया कि क़ब्ल इतक़ व तदबीर के वाक़े हुई है तो मुशतरी को इख़्तयार होगा चाहे बैअ तोड़ दे और चाहे अक़्द बैअ को पूरा करदे और अपना हिस्सा ख़्वाह आज़ाद करदे या इस से सआयत कराले पस इस की वला इस मुशतरी की होगी और चाहे आज़ाद कुनिन्दा मुदब्बर कुनिन्दा से अपने हिस्से की क़ीमत तावान ले बशर्तेकि दोनों मूसिर हों फिर दोनों इस माल तावान को ग़ुलाम से वापिस लेंगे और रही औरत पस अगर दोनों ने बाहम इत्तफ़ाक़ किया कि तज़्वीज बाद इतक़ व तदबीर के वाक़े हुआ है तो निकाह सही होगा और औरत के वास्ते इस के शौहर पर ग़ुलाम के पांचवें हिस्से की क़ीमत वाजिब होगी और अगर दोनों ने इस अम्र पर इत्तफ़ाक़ किया कि तज़वुज क़ब्ल इतक़ व तदबीर के वाक़े हुआ है तो औरत को इख़्तयार होगा चाहे मुसम्मा यानी ग़ुलाम मज़कूरा का हिस्सा तर्क करके शौहर

इमाम आज़म रह० के निकट मुक्ति व तदबीर का आदेश :

(तदबीर = मरणोपरांत मुक्त करना)

मकातब यानी ग़ुलाम से उसकी मुक्ति की क़ीमत तैय करके लेने के बाद मुक्त होने वाले ग़ुलाम की अक्षमता की हालत में चाहे तो अपना हिस्सा भी आज़ाद करदे और चाहे ग़ुलाम से मुक्ति के लिए कार्य/कमाई की कोशिश करावे, यह नया बैअ में है और अगर ग़ुलाम पांच अंतरिम व्यक्तियों में साझा हो बस एक ने अपना हिस्सा आज़ाद किया और दूसरे ने इस को बाद में मुक्त करने को किया और तीसरे ने अपना हिस्सा मकातब यानी ग़ुलाम से उसकी मुक्ति की क़ीमत तैय करली और चौथे ने अपना हिस्सा बेच दिया और क़ीमत वसूल करली और पांचवें ने अपने हिस्से पर किसी औरत से निकाह किया और यह मालूम नहीं होता है कि पहले कौन है तो हम कहते हैं कि इमाम आज़म रह० के कथनानुसार मुक्ति व बाद में मुक्त करने का आदेश वही है जो हम ने पहली सूरत में बयान किया है केवल फ़र्क़ यह है कि गारंटी या ग़ुलाम से उसकी मुक्ति के लिए कार्य/कमाने की कोशिश कराना प्रथम सूरत में तिहाई के लिए होगा और यहाँ पांचवें हिस्से में होगा और रहा विक्रय बस अगर आपसी सहमति हुई कि यह विक्रय मालिक के मरणोपरांत मुक्ति के बाद, स्थापित हुई या विक्रय करने वाले ने कहा कि मुक्ति के पहले की थी और ग़ुलाम इस के क़ब्ज़े में है और क्रेता ने कहा कि मुक्ति के बाद स्थापित हुई तो विक्रय शून्य होगी और अगर दोनों ने सहमति जताई कि मुक्ति के पहले एंव मालिक के मरणोपरांत मुक्त होने के बाद स्थापित हुई है तो क्रेता को अधिकार होगा चाहे सौदा तोड़ दे और चाहे नियमित विक्रय को पूरा करदे और अपना हिस्सा ख़्वाह आज़ाद करदे या इस ग़ुलाम से उसकी मुक्ति के लिए कार्य/कमाने की कोशिश कराले बस इस की विरासत इस क्रेता की होगी और चाहे आज़ाद करने वाला मरणोपरांत मुक्त करने वाले से अपने हिस्से की क़ीमत क्षतिपूर्ति में ले बशर्त यह कि दोनों मूसिर/समृद्धि शाली हों फिर दोनों इस माल क्षतिपूर्ति को ग़ुलाम से वापिस लेंगे और रही

से इस के पांचवें हिस्से की क़ीमत तावान ले और चाहे इजाज़त दे कर अपना हिस्सा आज़ाद करदे या ग़ुलाम से इस के पांचवें हिस्से की क़ीमत के वास्ते सआयत करादे और पांचवें हिस्सा ग़ुलाम की वलाअ औरत की होगी और चाहे तो आज़ाद कुनिन्दा व मुदब्बर कुनिन्दा दोनों से पांचवें हिस्सा ग़ुलाम की क़ीमत निस्फ़ा निस्फ़ तावान ले फिर अगर कुछ ज़्यादती हो तो औरत मज़कूरा दोबारह ज़ियादत के सच्ची समझी जायेगी बख़िलाफ़ मुशतरी के और रहा हिस्सा मकातब कुनिन्दा तो इस की वही हालत है जो हम ने ज़िक्र कर दी है कि अगर ग़ुलाम ने बदल किताबत इस को अदा कर दिया तो इस की जानिब से आज़ाद हो जायेगा और अगर आजिज़ रहा तो इस को इख़्तयार होगा कि आज़ाद कुनिन्दा व मुदब्बर कुनिन्दा से अपने हिस्से की क़ीमत निस्फ़ा निस्फ़ तावान ले बशर्तेकि दोनों मूसिर हों और अगर ग़ुलाम में कोई छटा हिस्सा का शरीक ऐसा हो कि जिस ने अपने हिस्सा सग़ीर फ़रज़न्द को हिबा कर दिया और यह मालूम नहीं होता कि इस ने क़ब्ल इतक़ के ऐसा किया या बाद इतक़ के तो इस में इस फ़रज़न्द के बाप का क़ौल क़बूल होगा पस अगर इस ने कहा कि बाद इतक़ के हिबा वाक़े हुआ तो बातिल है और अगर इस ने कहा कि क़ब्ल इतक़ के वाक़े हुआ तो हिबा जाइज़ है फिर इस तिफ़्ले सग़ीर का बाप अपने फ़रज़न्द के क़ायम मक़ाम इस हिस्से में क़रार दिया जायेगा कि वो तसर्रुफ़ कर सकता है जैसे फ़रज़न्द अपने बालिग़ होने पर तसर्रुफ़ करता चुनांचे बाप को ज़िमान लेने या ग़ुलाम से सआयत कराने का इख़्तयार होगा लेकिन यह इख़्तयार न होगा कि हिस्सा मज़कूर आज़ाद कर दे पस अगर आज़ाद कुनिन्दा व मुदब्बर कुनिन्दा दोनों मूसिर हों तो पिदर मज़कूर हर एक से शशम हिस्सा की क़ीमत निस्फ़ ले लेगा और चाहे तो ग़ुलाम से शशम हिस्सा क़ीमत के वास्ते अपने फ़रज़न्द के लिये सआयत कराले यह मबसूत शम्स उल अइम्मा सुरख़ी में है।

ज़ी रहम महरम =ऐसा क़रीबी रिश्तेदार जो विरासत में भगीदार नहीं होता यह बेटीयों व पोतीयों की औलाद हैं। एंव सौतेले भाईयों और बहनों की औलाद फूपियाँ और उनकी औलाद मामा, मौसियाँ और उनकी संतान,

औरत बस अगर दोनों ने अपसी सहमति जताई कि शादी मुक्ति के बाद एंव मालिक के मरणोपरांत मुक्त होने के स्थापित हुई है तो निकाह सही होगा और औरत के वास्ते इस के शौहर पर ग़ुलाम के पांचवें हिस्से की क़ीमत वाजिब होगी और अगर दोनों ने इस काम पर सहमति जताई कि शादी मुक्ति से पहले एंव मालिक के मरणोपरांत मुक्त होने बाद स्थापित हुई है तो औरत को अधिकार होगा चाहे मुसम्मा यानी वर्णित ग़ुलाम का हिस्सा छोड़ करके पति से इस के पांचवें हिस्से की क़ीमत की क्षतिपूर्ति ले और चाहे इजाज़त दे कर अपना हिस्सा आज़ाद करदे या ग़ुलाम से उस के पांचवें हिस्से की क़ीमत के वास्ते (मुक्ति के लिए कार्य/कमाने की) कोशिश करावे और पांचवें हिस्सा ग़ुलाम की विरासत में औरत का होगा और चाहे तो आज़ाद करने वाले एंव मरणोपरांत मुक्त करने वाले, दोनों से पांचवें हिस्सा ग़ुलाम की क़ीमत आधा आधा क्षतिपूर्ति में ले फिर अगर कुछ ज़्यादती हो तो वर्णित औरत ख़रीदार के विपरीत दोबारा अधिक सच्ची समझी जायेगी और रहा हिस्सा क़ीमत ले कर मुक्त करने वाले का तो उस की वही हालत है जो हम ने वर्णन कर दी है कि अगर ग़ुलाम ने मुक्ति के लिए तैय क़ीमत देदी तो उस की जानिब से आज़ाद हो जायेगा और अगर अक्षम रहा तो उस को अधिकार होगा कि आज़ाद करने वाले व मरणोपरांत मुक्त करने वाले से अपने हिस्से की आधी आधी क़ीमत क्षतिपूर्ति ले बशर्तेकि दोनों समृद्धि शाली हों और अगर ग़ुलाम में कोई छटा हिस्से का साझी ऐसा हो कि जिस ने अपने हिस्सा छोटे पुत्र को तोहफ़ा दे दिया और यह मालूम नहीं होता कि इस ने मुक्ति से पहले ऐसा किया या मुक्ति के बाद तो इस में इस पुत्र के बाप का कथन स्वीकार होगा बस अगर इस ने कहा कि मुक्ति के बाद तोहफ़ा स्थापित हुआ तो झूंठ होगा, और अगर इस ने कहा कि मुक्ति से पहले स्थापित हुआ तो तोहफ़ा जायेज़ है फिर इस छोटे पुत्र का बाप अपने पुत्र के उत्तराधिकारी इस हिस्से में क़रार दिया जायेगा कि वह प्रयोग कर सकता है जैसे पुत्र अपने बड़े बालिग़ होने पर प्रयोग कर्ता चुनांचे बाप को गारंटी लेने या ग़ुलाम से मुक्ति के लिए कार्य/कमाने की

मकातब = मुक्ति की क़ीमत तैय करना, जिस गुलाम को इस के मालिक ने सुविधा दी हो कि वह तैय रक़म देकर आज़ाद हो जाए
मुदब्बर= वह गुलाम जिसे कह दिया जाए कि तुम मालिक के मरने के बाद/मरणोपरांत मुक्त हो
तदबीर = मरणोपरांत मुक्त करना
सआयत = वे कार्य/कोशिश जो गुलाम अपनी रिहाई/मुक्ति के लिए करे

हिशाम ने इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत की है कि अगर ममलूक तीन आदमियों में मुशतरिक हो कि इन में से एक का निस्फ़ और दूसरे का तिहाई और तीसरे का शशम हिस्सा है पस निस्फ़ व तिहाई के शरीकों ने अपना अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया तो शशम हिस्सा वाले के हिस्से के निस्फ़ निस्फ़ दोनों ज़ामिन होंगे और निस्फ़ हिस्सा वाले की निस्फ़ विला बसबब अपने हिस्से के और छटे हिस्से की निस्फ़ बसबब तावान देने के होगी और तिहाई वाले की तिहाई वलाअ बसबब इस के हिस्से के और शशम हिस्सा की निस्फ़ वला बसबब तावान देने के होगी यह मुहीत सरखासी में है और अगर कोई शख़्स अपने फ़रज़न्द का मअ (1) दूसरे मर्द के बवजह खरीद या सदक़ा या वसियत या मीरास के मालिक हुआ तो बाप का हिस्सा आज़ाद हो जायेगा ख़्वाह दूसरा शरीक यह जानता हो कि वो मेरे शरीक का बेटा है या न जानता हो और बाप अपने शरीक के हिस्से का ज़ामिन भी न होगा यह ऐनी शरह कन्ज़ में है ख़्वाह बाप मूसिर हो या मीअसर हो यह तातारखानिया में नया बैअ से मन्क़ूल है और बाप के शरीक को इख़्तयार होगा चाहे अपना हिस्सा आज़ाद करे या गुलाम से अपने हिस्सा की बाबत सआयत करादे और इस के सिवाऐ इस को कुछ इख़्तयार नहीं है और यह इमाम आज़म रह० के नज़दीक है और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि सिवाऐ सूरत मीरास के और वजूह मुल्क में बाप शरीक के हिस्से की क़ीमत का ज़ामिन होगा बशर्तेकि मूसिर हो और अगर मीअसर होगा तो इब्ने मज़कूर शरीक मज़कूर के हिस्से के वास्ते

(1) ज़ैद का मालिक ज़ैद का बाप और उमरो एक मर्द हुआ यानी बाप व उमरो दोनों मालिक हुए।

कोशिश कराने का अधिकार होगा लेकिन यह अधिकार न होगा कि वर्णित हिस्सा आज़ाद कर दे बस अगर आज़ाद करने वाला एंव मरणोपरांत मुक्त करने वाला दोनों समृद्धि शाली हों तो वर्णित पिता हर एक से छटा हिस्से की क़ीमत आधी ले लेगा और चाहे तो गुलाम से छटे हिस्से की क़ीमत के वास्ते अपने पुत्र के लिये छटे हिस्से की मुक्ति के लिए कार्य/कमाने की कोशिश कराले यह मबसूत शम्स उल अइम्मा सुरखी में है।

हिशाम ने इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत की है कि अगर गुलाम तीन आदमियों में साझा हो कि इन में से एक का आधा और दूसरे का तिहाई और तीसरे का छटा हिस्सा है बस आधे व तिहाई के साझीयों ने अपना अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया तो छटे हिस्से वाले के हिस्से के आधे आधे दोनों गारंटर होंगे और आधा हिस्से वाले की आधी विरासत अपने हिस्से के कारण और छटे हिस्से की आधी क्षतिपूर्ति देने के कारण होगी और तिहाई वाले की तिहाई वरासत इस के हिस्से के कारण और छटे हिस्सा की आधी विरासत क्षतिपूर्ति देने के कारण होगी यह मुहीतुल सुरखी में है और अगर कोई व्यक्ति अपने पुत्र का सब कुछ (1) दूसरे मर्द के कारण खरीद या सदक़ा या वसियत या मीरास के मालिक हुआ तो बाप का हिस्सा आज़ाद हो जायेगा ख़्वाह दूसरा साझी यह जानता हो कि यह मेरे साझी का बेटा है या न जानता हो और बाप अपने साझी के हिस्से का गारंटर भी न होगा यह ऐनी शरह कन्ज़ में है। भले ही बाप समृद्धि शाली हो या आर्थिक पिछड़ा हो यह तातार खानिया में नया बैअ से कथित है और बाप के साझी को अधिकार होगा चाहे अपना हिस्सा आज़ाद करे या गुलाम से अपने हिस्सा की बाबत मुक्ति के लिए कार्य/ कमाने की कोशिश कराए और इस के सिवाऐ इस को कुछ अधिकार नहीं है और यह इमाम आज़म रह० के निकट है और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि सिवाऐ विरासत की सूरत के और स्वामित्व के कारण में बाप साझी के हिस्से की क़ीमत का गारंटर होगा बशर्ते कि समृद्धि शाली हो और

(1) ज़ैद का मालिक ज़ैद का बाप और उमरो एक ही व्यक्ति हुआ यानी बाप व उमरो दोनों मालिक हुए।

सआयत करेगा यह ऐनी शरह कन्ज़ में है और इस अम्र पर इजमाअ है कि अगर बाप और अजनबी दोनों ने मीरास में पाया हो तो बाप ज़ामिन न होगा और यही हुक्म हर ऐसे क़रीब में है जो बसबब क़राबत रहम के ख़ुद आज़ाद हो जाता है यह फ़तहुल क़दीर में है और अगर इब्तदा में अजनबी ने निस्फ़ पसर को खरीदा फिर इस के (यानी पिसर के 12) बाप ने निस्फ़ बाक़ी को खरीदा और बाप मूसिर है तो अजनबी को इख़्तयार हासिल होगा चाहे बाप से तावान ले और चाहे पिसर से इस की निस्फ़ क़ीमत के वास्ते सआयत करादे और यह इमाम आज़म रह० के नज़दीक है कज़ा फ़िल हिदाया और चाहे अपना हिस्सा आज़ाद करदे यह ग़ायतुल बयान में है और अगर किसी शख़्स ने अपना निस्फ़ गुलाम फ़रोख़्त किया या हिबा किया और यह फ़रोख़्त व हिबा इस गुलाम का किसी ज़ी रहम महरम के साथ है तो जिस शख़्स की तरफ़ से है ग़ुलाम ख़ुद बख़ुद बसबब ज़ी रहम क़राबत होने के आज़ाद हो गया है वो अपने शरीक के वास्ते कुछ ज़ामिन न होगा ख़्वाह शरीक को यह अम्र मालूम हो या न हो, हां गुलाम इस शरीक के हिस्से के वास्ते सआयत करे गा यह इमाम आज़म रह० का क़ौल है यह मुहीतुल सुरखी में है।

मीअसर= आर्थिकरूप से पिछड़ा - मूसिर= समृद्धि शाली

सआयत = कोशिश, वह कार्य जो गुलाम अपनी मुक्ति के लिए करे

शरीक मूसिर हों या मीअसर या एक मूसिर और दूसरा मीअसर है तो हुक्मः

हमारे असहाब ने इज्माअ किया है कि अगर दो शरीकों में से एक ने अपना हिस्सा ग़ुलाम किसी क़रीबी ज़ी रहम के हाथ फ़रोख़्त किया तो शरीक दीगर को यह इख़्तयार होगा कि इस मुशतरी से अपने हिस्से की बाबत तावान ले बशर्तेकि वो मूसिर हो और इस को बाऐ से तावान लेने का इख़्तयार न होगा यह ग़ाया सरवजी में है और ग़ुलाम मज़कूर सआयत करेगा अगर वो मीअसर (मिशरी) हो इस पर इजमाअ है यह नया बैअ में है। दो भाइयों ने अपने बाप की मीरास में एक ग़ुलाम पाया फिर

अगर निर्धन होगा तो वर्णित पुत्र वर्णित साझी के हिस्से के वास्ते मुक्ति के लिए कार्य/कमाने की कोशिश करेगा यह ऐनी शरह कन्ज़ में है और इस मामले पर सर्वसहमति है कि अगर बाप और अजनबी दोनों ने विरासत में पाया हो तो बाप गारंटर न होगा और यही हुक्म हर ऐसे निकट में है जो निकटता की दया के कारण के ख़ुद आज़ाद हो जाता है यह फ़तहुल क़दीर में है और अगर शुरूआत में अजनबी ने आधा लड़का खरीदा फिर इस के (यानी लड़के के) बाप ने बाक़ी आधे को खरीदा और बाप समृद्धि शाली है तो अजनबी को अधिकार प्राप्त होगा चाहे बाप से क्षतिपूर्ति ले और चाहे लड़के से इस की आधी क़ीमत के वास्ते मुक्ति के लिए कार्य/कमाई की कोशिश कराए और यह इमाम आज़म रह० निकट है यह हिदाया में है, और चाहे अपना हिस्सा आज़ाद करदे यह ग़ायतुल बयान में है और अगर किसी व्यक्ति ने अपना आधा ग़ुलाम बेच दिया या तोहफ़ा दिया और या विक्रय व तोहफ़ा देने वाला इस ग़ुलाम का क़रीबी रिश्तेदार है तो जिस व्यक्ति की ओर से है गुलाम ख़ुद बख़ुद निकटतम रिश्ते के कारण होने के आज़ाद हो गया है वह अपने साझी के वास्ते कुछ गारंटर न होगा ख़्वाह साझी को यह मामला मालूम हो या न हो, हाँ गुलाम इस साझी के हिस्से के वास्ते मुक्ति के लिए कार्य/कमाने की कोशिश करेगा यह इमाम आज़म रह० का कथन है यह मुहीतुल सुरखी में है।

साझी समृद्धि शाली हों या निर्धन या एक समृद्धि शाली और दूसरा आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो आदेश :

हमारे असहाब ने सहमति जताई है कि अगर दो साझीयों में से एक ने अपने ग़ुलाम का हिस्सा किसी क़रीबी रिश्तेदार के हाथ बेच दिया तो दूसरे साझी को यह अधिकार होगा कि इस क्रेता से अपने हिस्से के लिए क्षतिपूर्ति ले बशर्ते कि वह समृद्धि शाली हो और इस को विक्रेता से क्षतिपूर्ति लेने का अधिकार न होगा यह ग़ाया सरोजी में है और वर्णित दिन गुलाम मुक्ति के लिए कार्य/कमाने की कोशिश करेगा अगर वह आर्थिक पिछड़ा

एक ने इन दोनों में से कहा कि यह मेरा भाई अज़ जानिब पदर है और दूसरे ने इन्कार किया तो इक़रार कुनिन्दा दूसरे के वास्ते कुछ ज़ामिन न होगा हां ग़ुलाम मज़्कूर इस के हिस्से के वास्ते सआयत करेगा और अगर इस ने कहा कि यह मेरा भाई अज़ जानिब मादिर है हालांकि इस का कोई भाई मारूफ़ अज़ जानिब मादिर नहीं है तो दूसरे के हिस्से का ज़ामिन न होगा यह मुहीत सुरखी में है और अगर एक बान्दी जो ज़ैद और दूसरे के दरमियान मुशतरिक है। ज़ैद ने आज़ाद कर दी फिर वो बच्चा जनी तो शरीक को इख़्तयार होगा कि ज़ैद से अपने हिस्से की वो क़ीमत ले जो आज़ाद करने के रोज़ थी और बच्चे की क़ीमत में से कुछ तावान नहीं ले सकता है यह मबसूत में है और अगर दो शरीक बान्दी में से एक ने बान्दी के पेट में जो है आज़ाद किया फिर जो वो जोड़िया या दो बच्चे जने मगर दोनों मुर्दे तो इस पर ज़िमान वाजिब न होगी और अगर ज़िन्दा तवाम (दो जुड़वां बच्चे) जनी तो ज़ामिन होगा यह बहरूर्राइक़ में है और अगर दो शरीक बान्दी में से एक ने बान्दी को आज़ाद किया हालांकि वो हामिला थी फिर दूसरे ने जो इस के पेट में है वो आज़ाद कर दिया फिर चाहा कि अपने शरीक से जिस ने बान्दी को आज़ाद किया है बान्दी की निस्फ़ क़ीमत तावान ले तो इस को यह इख़्तयार न होगा और जो फ़ेअल उस ने किया है वो उस की तरफ़ से इख़्तयारे सआयत हो जायेगा और अगर दोनों ने जो बान्दी के पेट में है आज़ाद किया फिर दोनों में से एक ने बान्दी को आज़ाद किया और वो मूसिर है तो दूसरे शरीक को इख़्तयार होगा कि शरीक आज़ाद कुनिन्दा से बान्दी की निस्फ़ क़ीमत तावान ले अगर चाहे और हमल बनी आदम में नुक़सान शुमार किया जाता है पस जिस ने बान्दी को आज़ाद किया है वो हामिला बान्दी की निस्फ़ क़ीमत तावान देगा यह मबसूत में है और अगर ग़ुलाम के दो शरीकों में से एक ने ग़ुलाम की आज़ादी को दूसरे रोज़ फ़लां के किसी फ़ेअल पर मुअल्लक़ किया मसलन यूं कहा कि अगर कल के रोज़ गुज़र गया और यह मालूम न हुआ कि ज़ैद दार में गया था या नहीं गया था तो निस्फ़ ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा

(मिशरी यानी औसतन न अमीर ना ग़रीब) हो इस पर सहमति है यह नया बैअ में है। दो भाइयों ने अपने बाप की विरासत में एक ग़ुलाम पाया फिर एक ने इन दोनों में से कहा कि यह मेरा भाई मेरे पिता की ओर से है और दूसरे ने नकारा तो स्वीकार करने वाला दूसरे के लिए कुछ गारंटर न होगा हाँ वर्णित ग़ुलाम इस के हिस्से के लिए कोशिश करेगा और अगर इस ने कहा कि यह मेरा भाई मेरे माता की ओर से है हालांकि इस का कोई प्रसिद्ध भाई माता की ओर से नहीं है तो दूसरे के हिस्से का गारंटर न होगा यह मुहीतुल सुरखी में है और अगर एक बान्दी जो ज़ैद और दूसरे के बीच साझा है। ज़ैद ने मुक्त कर दी फिर वह बच्चा जनी तो साझी को अधिकार होगा कि ज़ैद से अपने हिस्से की वह क़ीमत ले जो मुक्त करने के दिन थी और बच्चे की क़ीमत में से कुछ क्षतिपूर्ति नहीं ले सकता है यह मबसूत में है, और अगर दो साझी बान्दी में से एक ने बान्दी के पेट में जो है आज़ाद किया फिर जो वह जुड़वां या दो बच्चे जने मगर दोनों मुर्दे तो इस पर गारंटर वाजिब न होगा और अगर तवाम/जुड़वां (दो जुड़वां बच्चे) जनी तो गारंटर होगा यह बहरूर्राइक़ में है और अगर दो साझी बान्दी में से एक ने बान्दी को आज़ाद किया हालांकि वह गर्भवती थी फिर दूसरे ने जो इस के पेट में है वह आज़ाद कर दिया फिर चाहा कि अपने साझी से जिस ने बान्दी को आज़ाद किया है बान्दी की आधी क़ीमत क्षतिपूर्ति ले तो उस को यह अधिकार न होगा और जो कर्म उस ने किया है वह उस की ओर से मुक्ति के लिए कार्य/कमाने की कोशिश कराने का अधिकार स्वरूप हो जायेगा और अगर दोनों ने जो बान्दी के पेट में है मुक्त किया फिर दोनों में से एक ने बान्दी को आज़ाद किया और वह समृद्ध शाली है तो दूसरे साझी को अधिकार होगा कि मुक्त करने वाले साझी से बान्दी की आधी क़ीमत क्षतिपूर्ति ले अगर चाहे और गर्भ मानव जाति में नुक़सान गिना जाता है बस जिस ने बान्दी को आज़ाद किया है वह गर्भवति बान्दी की आधी क़ीमत क्षतिपूर्ति देगा यह मबसूत में है, और अगर ग़ुलाम के दो साझियों में से एक ने ग़ुलाम की आज़ादी को दूसरे दिन फ़लां साझियों के किसी कर्म पर बर्ख़ास्त किया

और अपनी निस्फ़ क़ीमत के वास्ते इन दोनों शरीकों के लिए सआयत करेगा जिस को दोनों निस्फ़ा निस्फ़ तक़सीम कर लेंगे और इमाम आज़म रह० के नज़दीक है ख़्वाह दोनों मूसिर हों या मीअसर हों या एक मूसिर और दूसरा मीअसर है और यही इमाम अबू यूसुफ़ रह० के नज़दीक है बशर्तेकि दोनों मीअसर हों यह ऐनी शरह कन्ज़ में है। दो ग़ुलाम दो शख़्सों के दरमियान मुशतरिक हैं मसलन ज़ैद व बकर के दरमियान दो ग़ुलाम मुशतरिक हैं पस ज़ैद ने एक ग़ुलाम से कहा कि तू आज़ाद है अगर फ़लां इस दार में आज के रोज़ दाखिल न हुआ और बकर ने दूसरे ग़ुलाम से कहा कि अगर फ़लां इस दार में आज के रोज़ दाखिल हुआ तो तू आज़ाद है फिर वो दिन गुज़र गया और दोनों ने इत्तफ़ाक़ किया कि हम को नहीं मालूम कि फ़लां मज़कूर दाखिल हुआ था या नहीं तो इन दोनों ग़ुलामों में से हर एक का चौथाई हिस्सा आज़ाद हो जायेगा और हर एक अपनी तीन चौथाई क़ीमत के वास्ते सआयत करेगा जो दोनों मौलाओं के दरमियान निस्फ़ा निस्फ़ मुशतरिक होगी और इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि इमाम अबू हनीफ़ा रह० के क़यास क़ौल पर यह है कि दोनों में से हर एक अपनी पूरी क़ीमत के वास्ते सआयत करे जो दोनों मौलाओं में निस्फ़ा निस्फ़ होगी यह बदाऐ में है।

अगर दो शरीकों में से एक ने ग़ुलाम से कहा कि अगर तू इस दार में अमरोज़ दाखिल हुआ तो तू आज़ाद है और दूसरे शरीक ने कहा कि अगर तू इस दार में इमरोज़ दाखिल न हुआ तो तू आज़ाद है फिर यह दिन गुज़र गया और यह मालूम न हुआ कि वो दाखिल हुआ तो इस का निस्फ़ आज़ाद हो जायेगा और निस्फ़ के वास्ते सआयत करेगा जो दोनों के दरमियान निस्फ़ा निस्फ़ मुशतरिक होगी। यह इमाम आज़म रह० के नज़दीक है ख़्वाह दोनों शरीक मूसिर (ख़ुशहाल) या मीअसर (तंगदस्त) हों यह मुहीत सुरखी में है और अगर ग़ुलाम दो शरीकों में मुशतरिक है कि एक ने इस के इतक़ की क़सम खाई

उदहारण स्वरूप यूं कहा कि अगर कल का दिन गुज़र गया और यह मालूम न हुआ कि ज़ैद घर में गया था या नहीं, गया था तो आधा ग़ुलाम मुक्त हो जायेगा और अपनी आधी क़ीमत के वास्ते इन दोनों साझियों के लिए कार्य/कमाने की कोशिश करेगा जिस को दोनों आधा आधा बांट लेंगे और इमाम आज़म रह० के निकट है ख़्वाह दोनों समृद्ध शाली हों या निर्धन हों या एक समृद्ध शाली और दूसरा आर्थिक पिछड़ा है और यही इमाम अबू यूसुफ़ रह० के निकट है बशर्ते कि दोनों आर्थिक पिछड़े हों यह ऐनी शरह कन्ज़ में है दो ग़ुलाम दो व्यक्तियों के बीच साझा है मसलन ज़ैद व बक़र के बीच दो ग़ुलाम साझा हैं बस ज़ैद ने एक ग़ुलाम से कहा कि तू आज़ाद है अगर फ़लां इस घर में आज के रोज़ दाखिल न हुआ और बकर ने दूसरे ग़ुलाम से कहा कि अगर फ़लां इस घर में आज के रोज़ दाखिल हुआ तो तू आज़ाद है फिर वह दिन गुज़र गया और दोनों ने सहमत हुए कि हम को नहीं मालूम कि फ़लां वर्णित दाखिल हुआ था या नहीं तो इन दोनों ग़ुलामों में से हर एक का चौथाई हिस्सा मुक्त हो जायेगा और हर एक अपनी तीन चौथाई क़ीमत देने के वास्ते कोशिश करेगा जो दोनों मालिकों के बीच आधा आधा साझा होगा और इमाम मुहम्मद रह० ने कहा कि इमाम अबू हनीफ़ा रह० के अनुमानित कथन पर यह है कि दोनों में से हर एक अपनी पूरी क़ीमत के वास्ते कार्य/कमाई की कोशिश करें जो दोनों मालिकों में आधा आधा होगा यह बदाऐ में है।

अगर दो साझियों में से एक ने ग़ुलाम से कहा कि अगर तू इस घर में आज के दिन दाखिल हुआ तो तू आज़ाद है और दूसरे साझी ने कहा कि अगर तू इस घर में आज के दिन दाखिल न हुआ तो तू आज़ाद है फिर यह दिन गुज़र गया और यह मालूम न हुआ कि वह दाखिल हुआ तो उस का आधा मुक्त हो जायेगा और आधी मुक्ति के वास्ते कार्य/कमाई की कोशिश करेगा जो दोनों के बीच आधी आधी साझा होगी। यह इमाम आज़म रह० के नज़दीक है ख़्वाह दोनों साझी ख़ुशहाल या आर्थिक पिछड़े हों यह मुहीतुल सुरखी में है। और अगर ग़ुलाम दो साझियों में साझा है कि एक ने इस के मुक्ति

कि वो दार में दाखिल हुआ और दूसरे ने इस के इतक़ की क़सम खाई कि वो नहीं दाखिल हुआ तो निस्फ़ ग़ुलाम आज़ाद हो गया और अपनी निस्फ़ क़ीमत के वास्ते सआयत करेगा जो दोनों में मुशतरिक होगी ख़्वाह वो दोनों मूसिर हों या मीअसर हों यह इमाम आज़म रह० का क़ौल है यह ईज़ाह में लिखा है। एक ग़ुलाम दो शख़्सों में मुशतरिक है कि ऐ ने दूसरे से कहा कि अगर मैंने तुझे कल के रोज़ गुज़िश्ता को तेरा हिस्सा खरीदा हो तो यह ग़ुलाम आज़ाद है और दूसरे ने कहा कि अगर मैंने गुज़िश्ता कल के रोज़ अपना हिस्सा तेरे हाथ फ़रोख़्त नहीं किया है तो यह आज़ाद है तो ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा इस वास्ते कि इन दोनों में से हर एक पे गुमान करता है कि दूसरा पापी है पस मुद्दई बैअ से कहा जायेगा कि तू अपने गवाह क़ायम कर पस अगर इस ने गवाह क़ायम किये तो बैअ होने और सिमन की डिग्री कर दी जायेगी और मुशतरी की तरफ़ से ग़ुलाम बग़ैर सआयत आज़ाद हो जायेगा और अगर इस के पास गवाह न हों और इस ने मुशतरी से क़सम लेनी चाही तो इस को यह इख़्तियार होगा पस अगर मुशतरी ने क़सम खाने से नकूल किया तो भी यही हुक्म है और अगर इस ने क़सम खाली तो ग़ुलाम मज़कूर ममलूक रक़ीक़ न छोड जायेगा मगर इमाम आज़म रह० के नज़दीक बाद इस के मुन्कर के वास्ते अपनी निस्फ़ क़ीमत के लिये सई करेगा ख़्वाह दोनों मूसिर हों या मीअसर हों या मुदआ बैअ मूसिर हो या मीअसर हो और साहिबीन रह० के नज़दीक अगर दोनों मीअसर हों या मुदई बैअ मीअसर हो तो ऐसा ही हुक्म है और अगर दोनों मूसिर हों या मुदई बैअ मूसिर हो तो ग़ुलाम सआयत न करेगा चुनांचे रिवायत अबू हफ़स में मज़कूर है कि मुदई बैअ के वास्ते ग़ुलाम सआयत न करेगा ख़्वाह दोनों मूसिर हों या मीअसर हों या एक मूसिर हो और दूसरा मअसर हो और यह बिल इजमाअ है और यही सही है फिर जब मुनकिर खरीद ने क़सम खाली तो इस को इख़्तयार होगा कि बाऐ से क़सम ले अगर वो मूसिर है पस अगर बाऐ ने क़सम से इनकार किया तो इस के ज़िम्मे मौजब नकूल (यानी तावान) लाज़िम होगा और अगर वो क़सम खा गया तो सआयत

की क़सम खाई कि वह घर में प्रवेश हुआ और दूसरे ने इस की मुक्ति की क़सम खाई कि वह नहीं प्रवेश हुआ तो आधा ग़ुलाम आज़ाद हो गया और अपनी आधी मुक्ति की क़ीमत के लिए कमाई की कोशिश करेगा जो दोनों में साझा होगी चाहे वह दोनों समृद्ध शाली हों या आर्थिक पिछड़े हों यह इमाम आज़म रह० का कथन है यह ईज़ाह में लिखा है। एक ग़ुलाम दो व्यक्तियों में साझा है कि एक ने दूसरे से कहा कि अगर मैंने तुझे गुज़रे कल के दिन को तेरा हिस्सा खरीदा हो तो यह ग़ुलाम आज़ाद है और दूसरे ने कहा कि अगर मैंने गुज़रे कल के दिन अपना हिस्सा तेरे हाथ बेचा नहीं है तो यह आज़ाद है तो ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा इस वास्ते कि इन दोनों में से हर एक पे गुमान करता है कि दूसरा विकृत यानी ख़राब है बस बिक्री करने वाले से कहा जायेगा कि तू अपने गवाह स्थापित कर बस अगर इस ने गवाह स्थापित किये तो बिक्री होने और क़ीमत की डिग्री कर दी जायेगी और क्रेता की तरफ़ से ग़ुलाम बग़ैर कोशिश यानी मुक्ति के लिए बिना कोई कार्य किए मुक्त हो जायेगा और अगर इस के पास गवाह न हों और इस ने क्रेता से क़सम लेनी चाही तो इस को यह अधिकार होगा बस अगर क्रेता ने क़सम खाना अस्वीकार किया तो भी यही हुक्म है और अगर इस ने क़सम खाली तो वर्णित ग़ुलाम चाहे ज़रख़रीद हो चाहे विशेष ग़ुलाम हो न छोड़ा जायेगा मगर इमाम आज़म रह० के नज़दीक बाद इस के नकारने वाले के वास्ते अपनी आधी क़ीमत के लिए कोशिश करेगा ख़्वाह दोनों समृद्धि शाली हों या आर्थिक पिछड़े हों, या विक्रय करने का दावेदार समृद्धि शाली हो या आर्थिक पिछड़ा हो और साहिबीन रह० के निकट अगर दोनों आर्थिक पिछड़े हों या विक्रय करने का दावेदार आर्थिक पिछड़ा हो तो ऐसा ही हुक्म है और अगर दोनों समृद्धि शाली हों या विक्रय करने का दावेदार समृद्धि शाली हो तो ग़ुलाम अपनी मुक्ति के कार्य/कमाने की कोशिश न करेगा चुनांचे यह रिवायत अबू हफ़स में वर्णित है कि विक्रय करने का दावेदार के वास्ते ग़ुलाम कोशिश न करेगा चाहे दोनों समृद्धि शाली हों या आर्थिक पिछड़े हों या एक समृद्धि शाली हो और दूसरा निर्धन हो और यह

का हुक्म वही होगा जो हम ने बयान कर दिया है और क़ाज़ी को बदूं दरख़्वास्त मुनकिर खरीद के बाऐ से कसम लेने का इख़्तयार न होगा और अगर बाऐ ने कहा कि अगर मैं अपना हिस्सा इस ग़ुलाम में से तेरे हाथ फ़रोख़्त कर चुका हूं तो यह आज़ाद है और मुशतरी ने कहा कि अगर तू इस में से अपना हिस्सा मेरे हाथ नहीं फ़रोख़्त कर चुका है तो यह आज़ाद है तो मुदई खरीद को हुक्म दिया जायेगा कि अपने गवाह क़ायम करे कि अगर तू इस में से अपना हिस्सा मेरे हाथ नहीं फ़रोख़्त कर चुका है तो यह आज़ाद है तो मुदई खरीद को हुक्म दिया जायेगा कि अपने गवाह क़ायम करे पस अगर इस ने गवाह क़ायम किये तो ग़ुलाम रक़ीक़ क़रार दिया जायेगा और अगर इस के पास गवाह न हों तो फ़क़ीहा अबू इसहाक़ से रिवायत है कि वो क़सम खाने पर मजबूर न किया जायेगा लेकिन अगर क़सम खाले तो बैअ न किया जायेगा और अगर मुदआ अलैहि ने क़सम खाली तो बैअ साबित न होगी पस ग़ुलाम मज़कूर इमाम आज़म रह० के नज़दीक अपनी पूरी क़ीमत के वास्ते सआयत करेगा जो दोनों में मुशतरिक होगी ख़्वाह दोनों मूसिर हों या मीअसर हों और साहिबीन रह० के नज़दीक अगर दोनों मीअसर हों तो दोनों के वास्ते सआयत करेगा और अगर दोनों मूसिर हों या मुदई खरीद मूसिर हो तो मुदई खरीद के वास्ते अपनी निस्फ़ क़ीमत के लिए सआयत करेगा और अगर दोनों शरीकों में से एक ने कहा कि मैंने तेरा हिस्सा खरीदा है अगर मैंने न खरीदा हो तो यह आज़ाद है और दूसरे ने कहा कि मैंने अपना हिस्सा फ़रोख़्त नहीं किया बल्कि मैंने तेरा हिस्सा तुझ से खरीदा है अगर मैंने इस को फ़रोख़्त किया हो तो यह आज़ाद है तो दोनों को क़ाज़ी हुक्म देगा कि अपने अपने गवाह लाऐं पस अगर दोनों ने गवाह क़ायम किये तो ज़ाहिर हुआ कि दोनों में से हर एक अपनी क़सम में सच्चा है और ग़ुलाम मज़कूर दोनों के दरमियान मुशतरिक रक़ीक़ बाक़ी रहेगा और अगर फ़क़त एक ने गवाह क़ायम किये तो पूरा ग़ुलाम इस का रक़ीक़ होगा और अगर दोनों में से किसी एक ने गवाह क़ायम न किये तो क़ाज़ी दोनों (में से किसी से) से क़सम न लेगा लेकिन अगर क़सम ली तो जाइज़ है पस सर्वसम्मित है और यही सही है फिर जब मुनकिर खरीद ने क़सम खाली तो इस को अधिकार होगा कि विक्रेता से क़सम ले अगर वह समृद्धि शाली है बस अगर विक्रेता ने क़सम से इनकार किया तो इस के ज़िम्मे नकारने का दंड (यानी क्षतिपूर्ति) लाज़िम होगा और अगर वह क़सम खा गया तो मुक्ति के लिए कमा कर कीमत देने की कोशिश का हुक्म वही होगा जो हम ने उल्लेख कर दिया है और क़ाज़ी/न्यायधीश को बजाए विक्रेय नकारने वाले की प्रार्थना के विक्रेता से कसम लेने का अधिकार न होगा और अगर विक्रेता ने कहा कि अगर मैं अपना हिस्सा इस ग़ुलाम में से तेरे हाथ क्रय कर चुका हूं तो यह आज़ाद है और क्रेता ने कहा कि अगर तू इस में से अपना हिस्सा मेरे हाथ नहीं विक्रय कर चुका है तो यह आज़ाद है तो विक्रय का दावा करने वाले को हुक्म दिया जायेगा कि अपने गवाह स्थापित करे कि अगर तू इस में से अपना हिस्सा मेरे हाथ नहीं विक्रय कर चुका है तो यह आज़ाद है तो क्रय का दावा करने वाले को हुक्म दिया जायेगा कि अपने गवाह स्थापित करे पस अगर इस ने गवाह स्थापित किये तो ग़ुलाम ज़र ख़रीद क़रार दिया जायेगा और अगर इस के पास गवाह न हों तो फ़क़ीह (क़ानून के विद्वान) अबू इसहाक़ से रिवायत/परंपरागत है कि वह क़सम खाने पर मजबूर न किया जायेगा लेकिन अगर क़सम खाले तो विक्रय न किया जायेगा और अगर प्रतिवादी ने क़सम खाली तो विक्रय साबित न होगी बस वर्णित ग़ुलाम इमाम आज़म रह० के नज़दीक अपनी पूरी क़ीमत के वास्ते कोशिश करेगा जो दोनों में साझा होगी ख़्वाह दोनों समृद्धि शाली हों या आर्थिक पिछड़े हों और साहिबीन रह० के नज़दीक अगर दोनों आर्थिक पिछड़े हों तो दोनों के वास्ते कोशिश करेगा और अगर दोनों समृद्धि शाली हों या खरीदने का दावा करने वाला समृद्धि शाली हो तो खरीदने का दावा करने वाला के वास्ते अपनी आधी क़ीमत के लिए कोशिश करेगा और अगर दोनों साझियों में से एक ने कहा कि मैंने तेरा हिस्सा खरीदा है अगर मैंने न खरीदा हो तो यह आज़ाद है और दूसरे न कहा कि मैंने अपना हिस्सा विक्रय नहीं किया बल्कि मैंने तेरा हिस्सा तुझ से क्रय किया है अगर मैंने इस को

अगर दोनों ने क़सम से नकूल किया तो ग़ुलाम मज़कूर दोनों के दरमियान मुशतरक रक़ीक़ रह जायेगा जैसा कि दोनों के गवाह क़ायम करने की सूरत में हुआ था और दोनों में से जो नकूल करेगा इस के ज़िम्मे दूसरे का दअवा साबित होगा पस जो क़सम खा गया है ग़ुलाम इस की मिल्क होने का हुक्म दिया जायेगा और अगर दोनों ने क़सम खाली तो ग़ुलाम मज़कूर सआयत से खारिज होकर आज़ाद हो जायेगा यह मबसूत जामअ कबीर हसीरी में है।

उम्मे वलद =उस ग़ुलाम औरत/बांदी को कहते है जो अपने मालिक के बच्चे की माँ हो और इस्से पैदा होने वाला बच्चा आज़ाद माना जाएगा, उसकी माँ की ग़ुलामी उस पर प्रभाव शाली नहीं होगी। **मुबाह/हलाल** या जाईज़ होना

दो शरीकों में से एक ने दूसरे से कहा कि अगर तूने इस ग़ुलाम को मारा तो वो आज़ाद है:

जामअ कबीर में लिखा है कि दो शरीकों में से अगर एक ने दूसरे से कहा कि अगर तूने इस ग़ुलाम को मारा जो मेरे तेरे दरमियान मुशतरिक है तो वो आज़ाद है फिर उस को मारा हत्ता कि इस का हिस्सा (क़सम खाने वाले का हिस्सा) आज़ाद हो गया तो मारने वाले के हिस्से का क़सम खाने वाला ज़ामिन होगा बशर्ते कि मूसिर हो यह ग़ायतुल बयान में है। दो शरीकों में से एक ने दूसरे से कहा कि अगर तूने इस ग़ुलाम को मारा तो वो आज़ाद है और दूसरे ने कहा कि अगर मैंने इस को आज न मारा तो वो आज़ाद है फिर उस ने ग़ुलाम को मारा तो पहला क़सम खाने वाला मारने वाले के हिस्से का ज़ामिन होगा यह तमरताशी में है। और अगर किसी ने कहा कि हर ममलूक जिस का मैं आइन्दा मालिक हूं तो वो आज़ाद है फिर वो दूसरे के साथ मुशतरिक किसी

विक्रेय किया हो तो यह आज़ाद है तो दोनों को न्यायधीश आदेश देगा कि अपने अपने गवाह लाऐं बस अगर दोनों ने गवाह स्थापित किये तो स्पष्ट हुआ कि दोनों में से हर एक अपनी क़सम में सच्चा है और वर्णित ग़ुलाम दोनों के बीच साझा ग़ुलाम बाक़ी रहेगा और अगर केवल एक ने गवाह स्थापित किये तो पूरा ग़ुलाम इस का ज़रखरीद होगा और अगर दोनों में से किसी एक ने गवाह स्थापित न किये तो क़ाज़ी दोनों (में से किसी से) से क़सम न लेगा लेकिन अगर क़सम ली तो वैध है बस अगर दोनों ने क़सम खाने से इनकार किया तो वर्णित ग़ुलाम दोनों के बीच साझा ज़रखरीद ग़ुलाम बना रहेगा जैसा कि दोनों के गवाह स्थापित करने की सूरत में हुआ था और दोनों में से जो नकारेगा उस के ज़िम्मे दूसरे का दअवा साबित होगा बस जो क़सम खा गया है ग़ुलाम इस की मिल्कियत होने का हुक्म दिया जायेगा और अगर दोनों ने क़सम खाली तो वर्णित ग़ुलाम कमा कर मुक्ति की क़ीमत देने की कोशिश से बाहर होकर आज़ाद हो जायेगा यह मबसूत जामअ कबीर हसीरी में है।

दो साझेदारों में से एक ने दूसरे से कहा कि अगर तूने इस ग़ुलाम को मारा तो वह आज़ाद है:

जामअ कबीर में लिखा है कि दो साझेदारों में से अगर एक ने दूसरे से कहा कि अगर तूने इस ग़ुलाम को मारा जो मेरे तेरे बीच साझा है तो वह आज़ाद है, फिर उस को मारा यहाँ तक कि इस का हिस्सा (क़सम खाने वाले का हिस्सा) आज़ाद हो गया तो मारने वाले के हिस्से का क़सम खाने वाला गारंटर होगा बशर्तेकि समृद्धि शाली हो यह ग़ायतुल बयान में है। दो साझियों में से एक ने दूसरे से कहा कि अगर तूने इस ग़ुलाम को मारा तो वह आज़ाद है और दूसरे ने कहा कि अगर मैंने इस को आज न मारा तो वह आज़ाद है फिर उस ने ग़ुलाम को मारा तो पहला क़सम खाने वाला मारने वाले के हिस्से का गारंटर होगा यह तमरताशी में है। और अगर किसी ने कहा कि हर ग़ुलाम जिस का मैं भविष्य में मालिक हूं तो वह आज़ाद है फिर वह दूसरे के साथ साझेदारी में किसी

ममलूक का मालिक हुआ तो आज़ाद (ममलूक) न होगा फिर अगर उसने अपने शरीक का हिस्सा भी खरीद लिया तो अब आज़ाद हो जायेगा और अगर इस ने अपना हिस्सा पहले किसी के हाथ फ़रोख़्त कर दिया फिर शरीक का हिस्सा ख़ुद खरीदा तो आज़ाद न होगा और अगर किसी ममलूक मुअय्यन से कहा कि जब मैं तेरा मालिक हूं तो तू आज़ाद है फिर इस का निस्फ़ खरीदा फिर फ़रोख़्त किया फिर बाक़ी निस्फ़ खरीदा तो आज़ाद हो जायेगा यह मबसूत में है इब्ने समाआ ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की है कि एक ग़ुलाम दो शख़्सों में मुशतरिक है पस एक ने कहा कि मेरे शरीक ने इस को साल भर हुआ कि आज़ाद कर दिया है और ख़ुद मैंने इस को आज के रोज़ आज़ाद किया है और इस के शरीक ने कहा कि मैंने इस को आज़ाद नहीं किया हां आज तूने इस को आज़ाद किया है पस तू मुझे मेरे हिस्सा निस्फ़ की ज़मान दे तो जिस ने ज़अम किया कि शरीक ने साल भर से आज़ाद किया है इस पर ज़िमान वाजिब न होगी और इसी तरह अगर कहा कि मैंने इस को कल के रोज़ गुज़िश्ता में आज़ाद किया है और मेरे शरीक ने साल भर से इस को आज़ाद किया है तो भी यही हुक्म है और अगर इस ने अपने आज़ाद करने का इक़रार न किया लेकिन गवाह क़ायम किये कि इस ने कल के रोज़ गुज़िश्ता में आज़ाद किया है तो वो अपने शरीक के वास्ते ज़ामिन होगा यह बदाऐ में है और अगर इस ने कहा कि मेरे शरीक ने इस ग़ुलाम को एक महीना से आज़ाद किया है और मैंने दो दिन से तो वो ज़ामिन न होगा इस वास्ते कि इसने अपने ऊपर ज़िमान का इक़रार नहीं किया है यह ज़हीरिया में है।

एक बांदी दो शख़्सों (मर्दों में) में मुशतरिक है कि एक ने कहा कि यह मेरे शरीक की उम्मे वल्द है और इस के शरीक ने उस से इन्कार किया तो वो एक रोज़ तक मौक़ूफ़ रहेगी यानी खिदमत न करेगी और एक रोज़ मुन्किर के वास्ते खिदमत करेगी और मुन्किर के वास्ते इस पर सआयत करनी वाजिब न होगी और जो शरीक मुक़र्रर हुआ है इस के वास्ते बान्दी मज़कूर पर कोई राह नहीं है यह काफ़ी में है और इस की निस्फ विला और

ज़रखरीद का मालिक हुआ तो आज़ाद(ख़रीदा हुआ ग़ुलाम) न होगा, फिर अगर उसने अपने साझी का हिस्सा भी खरीद लिया तो अब आज़ाद हो जायेगा और अगर इस ने अपना हिस्सा पहले किसी के हाथ बेच दिया फिर साझी का हिस्सा ख़ुद खरीदा तो आज़ाद न होगा और अगर किसी विशेष ग़ुलाम से कहा कि जब मैं तेरा स्वामी हूँ तो तू आज़ाद है फिर उस का आधा खरीदा फिर बेच दिया फिर बाक़ी आधा खरीदा तो आज़ाद हो जायेगा यह मबसूत में है। इब्ने समाआ ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की है कि एक ग़ुलाम दो व्यक्तियों में साझा है बस एक ने कहा कि मेरे साझी ने इस को साल भर हुआ कि आज़ाद कर दिया है और ख़ुद मैंने इस को आज के दिन मुक्त किया है और इस के साझी ने कहा कि मैंने इस को आज़ाद नहीं किया हाँ आज तूने इस को आज़ाद किया है बस तू मुझे मेरे आधे हिस्से की गारंटी दे, तो जिस ने दावा किया कि साझी ने साल भर से आज़ाद किया हुआ है उस पर गारंटी अनिवार्य न होगी और इसी तरह अगर कहा कि मैंने इस को गुज़रे हुए कल के दिन में आज़ाद किया है और मेरे साझी ने साल भर से इस को आज़ाद किया है तो भी यही हुक्म है और अगर इस ने अपने आज़ाद करने का स्वीकार न किया लेकिन गवाह स्थापित किये कि इस ने गुज़रे हुए कल के दिन में आज़ाद किया है तो वह अपने साझी के वास्ते गारंटर होगा यह बदाऐ में है। और अगर इस ने कहा कि मेरे साझी ने इस ग़ुलाम को एक महीना से आज़ाद किया है और मैंने दो दिन से, तो वह गारंटर न होगा इस वास्ते कि इसने अपने ऊपर गारंटी का इक़रार नहीं किया है यह ज़हीरिया में है।

एक बांदी दो व्यक्तियों (मर्दों में) में साझा है कि एक ने कहा कि यह मेरे साझी के बच्चे की माँ है और उस के साझी ने उस से इन्कार किया तो वह एक दिन तक रूकी रहेगी यानी सेवा न करेगी और एक दिन नकारने वाले के वास्ते सेवा करेगी और नकारने वाले के वास्ते इस पर मुक्ति के लिए कमाने की कोशिश कराना अनिवार्य न होगा और जो साझी नियुक्त हुआ है उसके वास्ते वर्णित बांदी पर कोई बंधन नहीं है यह काफ़ी में

निस्फ़ कमाई मुन्किर के वास्ते होगी और बाक़ी निस्फ़ मौक़ूफ़ रहेगी और इस का नुफ़क़ा ख़ुद इस की कमाई से होगा और अगर कमाई न हो तो निस्फ़ नुफ़क़ा मुन्किर पर होगा और वो मुक़िर के वास्ते ज़ामिन न होगा और अगर मुन्किर मर गया तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक बवजह इक़रार मुक़र के वो आज़ाद हो जायेगी और मुन्किर के हिस्से के लिए इस के वारिसों के वास्ते सआयत करेगी और अगर दोनों शरीकों में से हर एक ने इक़रार किया कि यह दूसरे शरीक की उम्मे वलद है और दूसरे ने इस से इन्कार किया तो यह बान्दी मौक़ूफ़ रहेगी और किसी शरीक के वास्ते दूसरे शरीक पर कोई राह न होगी और नीज़ बान्दी पर भी कोई राह (यानी तावान) न होगी फिर अगर कोई एक मर गया तो वो आज़ाद हो जायेगी और इस की विला मौक़ूफ़ रहेगी यह तमरताशी में है। अगर एक शरीक ने कहा कि आज़ाद किया मैंने इस ग़ुलाम को और तूने या इस के बरअक्स किया (यानी तूने और मैंने) या कहा कि हम दोनों ने इस ग़ुलाम को आज़ाद किया पस अगर दूसरे शरीक ने इस की तसदीक़ की तो वो दोनों की तरफ़ से आज़ाद होगा और अगर झुठलाना की तो वो अव्वल की तरफ़ से आज़ाद होगा यह तातारखानिया में है और अगर दो शरीकों में से एक ने दूसरे पर इताक़ (आज़ाद करना) की शहादत दी मसलन ग़ुलाम दो शरीकों में मुशतरिक था पस एक ने दूसरे पर शहादत दी तो इस का इक़रार अपनी ज़ात पर जाइज़ होगा दूसरे पर जायज न होगा और शहादत देने वाले का हिस्सा आज़ाद न होगा और वो अपने शरीक के वास्ते ज़ामिन न होगा और ग़ुलाम अपनी क़ीमत के वास्ते सई करेगा जो दोनों शरीकों के दरमियान मुशतरिक होगी ख़्वाह दोनों ख़ुशहाल हों या दोनों तंगदस्त हों यह इमाम आज़म रह० का क़ौल है फिर अगर इस के बाद दोनों में से हर एक ने ग़ुलाम की सआयत कराने से पहले अपना हिस्सा आज़ाद किया तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक जाइज़ है इस वास्ते कि नसीबे मुन्किर अपनी मिल्क पर है और ऐसा ही शहादत देने वाले का भी हिस्सा इमाम आज़म रह० के नज़दीक इस की मिल्क में है इस वास्ते कि ऐताक़ इस के नज़दीक मुतजज़ी होता है पस जब

है,और उस की आधी विरासत और आधी कमाई नकारने वाले के वास्ते होगी और बाक़ी आधी रूकी रहेगी और इस का खना-ख़र्चा ख़ुद इस की कमाई से होगा और अगर कमाई न हो तो आधा खना-ख़र्चा नकारने वाले पर होगा और वह मुक़िर/हामी भरने वाले के वास्ते गारंटर न होगा और अगर नकारने वाला मर गया तो इमाम आज़म रह० के निकट इस हामी भरने वाले के स्वीकार करने के कारण वह आज़ाद हो जायेगी और नकारने वाले के हिस्से के लिए इस के वारिसों के वास्ते कमा कर क़ीमत देने कोशिश करेगी और अगर दोनों साझियों में से हर एक ने स्वीकार किया कि यह दूसरे साझी के बच्चे की माँ है और दूसरे ने इस से इन्कार किया तो इस बान्दी पर रोक रहेगी और किसी साझी के वास्ते दूसरे साझी पर कोई बंधन न होगा और बान्दी पर भी कोई बंधन (यानी क्षतिपूर्ति) न होगा फिर अगर कोई एक मर गया तो वह आज़ाद हो जायेगी और इस की विरासत पर रोक रहेगी यह तमरताशी में है। अगर एक साझी ने कहा कि मैंने आज़ाद किया इस ग़ुलाम को और तूने, या इस के विपरीत किया (यानी तूने और मैंने) या कहा कि हम दोनों ने इस ग़ुलाम को आज़ाद किया बस अगर दूसरे साझी ने इस की पुष्टि की तो वह दोनों की तरफ़ से आज़ाद होगा और अगर झुटलाया तो वह पहले की ओर से आज़ाद होगा यह तातार ख़ानिया में है और अगर दो साझदारों में से एक ने दूसरे पर आज़ाद (मुक्त करने) की गवाही दी मसलन ग़ुलाम दो साझेदारों में साझा था बस एक ने दूसरे पर गवाही दी तो इस का स्वीकार अपने व्यक्तित्व पर जाइज़ होगा दूसरे पर जाइज़ न होगा और गवाही देने वाले का हिस्सा आज़ाद न होगा और वह अपने साझी के वास्ते गारंटर न होगा और ग़ुलाम अपनी क़ीमत के वास्ते कमा कर क़ीमत देने कोशिश करेगा जो दोनों साझेदारों के बीच साझा होगा भले ही दोनों ख़ुशहाल हों या दोनों आर्थिक रूप से पिछड़े हों यह इमाम आज़म रह० का कथन है फिर अगर इस के बाद दोनों में से हर एक ने ग़ुलाम से कार्य कराकर क़ीमत देने कोशिश कराने से पहले अपना हिस्सा आज़ाद किया तो इमाम आज़म रह० के निकट जाइज़ है इस वास्ते कि अस्वीकृत करने

दोनों ने इस को आज़ाद किया तो दोनों का आज़ाद करना जाइज़ हो गया और इस की विला इन दोनों में मुशतरिक होगी। इसी तरह अगर ग़ुलाम ने सआयत करके अपनी क़ीमत अदा कर दी तो भी विला दोनों में मुशतरिक होगी यह बदाऐ में है।

सआयत=कोशिश यानी वह कार्य/कमाई जो ग़ुलाम अपनी मुक्ति के लिए करे

अगर दो शरीकों में से एक ने किसी दूसरे गवाह के साथ अपने शरीक पर गवाही दी कि इस ने सआयत वसूल पाई है तो इमाम आज़म रह० के अनुसार इस की गवाही जाइज़ न होगी:

जब दोनों के वास्ते सआयत वाजिब हुई अगर दोनों में से एक ने दूसरे पर शहादत दी कि इस ने ग़ुलाम से सआयत पूरी भरपाई है तो इस की गवाही क़बूल न होगी और इसी तरह अगर एक ने अपना हिस्सा सआयत वसूल पाने के बाद दूसरे पर गवाही दी कि इस ने अपना हिस्सा सआयत वसूल पाया है तो शहादत क़बूल न होगी यह मुहीत में है। और अगर दो शरीकों में से एक ने किसी दूसरे गवाह के साथ अपने शरीक पर गवाही दी कि इस ने सआयत वसूल पाई है तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक इस की गवाही जाइज़ न होगी और इसी तरह अगर ग़ुलाम के वास्ते शरीक पर ग़सब माल या जराहत बदन या किसी और ऐसी चीज़ की जिस की वजह से इस पर माल वाजिब हो गवाही दी तो इस की गवाही रद कर दी जायेगी यह मबसूत में है और अगर दोनों में से हर एक ने दूसरे पर शहादत दी और दूसरे ने इन्कार किया तो हर एक से दूसरे के दअवा पर क़सम ली जायेगी और जब दोनों ने क़सम खाली तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक ग़ुलाम मज़कूर हर एक के वास्ते अपनी निस्फ़ क़ीमत के लिए सआयत करेगा और इमाम आज़म रह० के नज़दीक हालत तंगदस्ती व ख़ुशहाली में कोई फ़र्क़ न होगा कज़ा फिल बदाऐ और यही सही है कज़ा

वाले का भाग का अपने जगह है और ऐसा ही गवाही देने वाले का भी हिस्सा इमाम आज़म रह० के नज़दीक इस की स्वामित्वता में है इस वास्ते कि इताक़ इस के नज़दीक खंडित होता है बस जब दोनों ने इस को आज़ाद किया तो दोनों का आज़ाद करना जाइज़ हो गया और इस की विरासत इन दोनों में साझा होगी। इसी तरह अगर ग़ुलाम ने अपनी मुक्ति लिए कार्य कर क़ीमत देने कोशिश कर दी तो भी विरासत दोनों में साझा होगी यह बदाऐ में है।

अगर दो साझेदारों में से एक ने किसी दूसरे गवाह के साथ अपने साझी पर गवाही दी कि इस ने कोशिश वसूल पाई है तो इमाम आज़म रह० के अनुसार इस की गवाही जाइज़ न होगी:

जब दोनों के लिए कार्य कर क़ीमत देने की कोशिश अनिवार्य हुई अगर दोनों में से एक ने दूसरे पर गवाही दी कि इस ने ग़ुलाम से कार्य कराकर क़ीमत देने की कोशिश पूरी कराई है तो इस की गवाही स्वीकार न होगी और इसी तरह अगर एक ने अपने हिस्से की कोशिश/कमाई वसूल पाने के बाद दूसरे पर गवाही दी कि इस ने अपना हिस्सा कोशिश/कमाई वसूल पाई है तो गवाही क़बूल न होगी यह मुहीत में है। और अगर दो साझियों में से एक ने किसी दूसरे गवाह के साथ अपने साझी पर गवाही दी कि इस ने कोशिश/कमाई वसूल पाई है तो इमामे आज़म रह० के निकट इस की गवाही जायेज़ न होगी और इसी तरह अगर ग़ुलाम के वास्ते साझी पर छीना हुआ माल या शरीर को ज़ख़्मी करके या कुछ और ऐसी चीज़ की, जिस के कारण से इस पर माल वाजिब हो गवाही दी तो इस की गवाही रदद् कर दी जायेगी यह मबसूत में है, और अगर दोनों में से हर एक ने दूसरे पर गवाही दी और दूसरे ने नकारा तो हर एक से दूसरे के दअवा पर क़सम ली जायेगी और जब दोनों ने क़सम खाली तो इमाम आज़म रह० के निकट वर्णित ग़ुलाम हर एक के लिए अपनी आधी क़ीमत देकर अपनी मुक्ति के लिए कार्य/कोशिश करेगा और इमाम आज़म

फिल मुज़मरात और इस की विला इन दोनों के वास्ते होगी यह हिदाया में है और अगर दोनों ने ऐतराफ़ किया कि हम ने इस को एक साथ आज़ाद किया है या आगे पीछे आज़ाद किया है तो वाजिब है कि दोनों में से कोई दूसरे के वास्ते ज़ामिन न हो बशर्तेकि दोनों मूसिर हों और ग़ुलाम भी सआयत न करेगा और अगर दोनों में से एक ने ऐतराफ़ किया और दूसरे ने इन्कार किया तो वाजिब है कि मुन्किर से क़सम ली जाये यह फ़तह उल क़दीर में है और अगर एक ग़ुलाम तीन नफ़र के दरमियान मुशतरिक हो जिन में से दो नफ़र ने तीसरे पर यह गवाही दी कि इस ने अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया है और इस तीसरे ने जिस पर गवाही दी गई है इन्कार किया तो ग़ुलाम मज़कूर इन तीनों के वास्ते सआयत करेगा जो बाहम इन में तीन तिहाई (जब कि सब मुसावी शरीक हों) मुशतरिक होगी और अगर किसी ने ग़ुलाम की सआयत में से कुछ वसूल किया तो बाक़ी दो को इख़्तयार होगा कि इस में से अपना दो तिहाई हिस्सा इस से वापिस करें जो बाहम निस्फ़ा निस्फ़ तक़सीम कर लेंगे यह मुहीत में है और अगर शरीक तीन हों पस हर दो ने तीसरे पर गवाही दी कि इस ने अपना हिस्सा आज़ाद किया है तो गवाही ना मक़बूल होगी यह फ़तह उल क़दीर में है। अगर तीन शरीकों में से एक ने बाक़ी दोनों में से एक पर गवाही दी कि इस ने अपना हिस्सा आज़ाद किया है और शरीक दीगर ने शाहिद अव्वल पर गवाही दी कि इस ने अपना हिस्सा आज़ाद किया है तो क़ाज़ी दोनों में से किसी पर आज़ाद करने का हुक्म न देगा यह मुहीत में है।

मुदब्बर = मरणोपरांत मुक्ति वह ग़ुलाम जिसे कह दिया जाए कि तुम मालिक के मरने के बाद मुक्त हो।
तदबीर का शरई अर्थ यह है कि मालिक अपने ग़ुलाम की आज़ादी को अपनी मृत्यु के साथ संबद्धित करदे।
उक़्र = वह रक़म आदि जो बीवी के सिवा ग़ैर औरत के साथ संभोग करने से अनिवार्य हो।

रह० के निकट आर्थिक पिछड़े पन व ख़ुशहाली की हालत में कोई फ़र्क़ न होगा यह बदाऐ में है, और यही सही है संज्ञा के रूप में, और इस की विरासत इन दोनों के वास्ते होगी यह हिदाया में है और अगर दोनों ने स्वीकार किया कि हम ने इस को एक साथ आज़ाद किया है या आगे पीछे आज़ाद किया है तो वाजिब है कि दोनों में से कोई दूसरे के वास्ते गारंटर न हो बशर्ते कि दोनों समृद्धि शाली हों और ग़ुलाम भी कोशिश/मुक्त होने के लिए कमाई न करेगा और अगर दोनों में से एक ने स्वीकार किया और दूसरे ने नकारा तो वाजिब है कि नकारने वाले से क़सम ली जाये यह फ़तह उल क़दीर में है, और अगर एक ग़ुलाम तीन लोगों के बीच साझा हो जिन में से दो लोगों ने तीसरे पर यह गवाही दी कि इस ने अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया है और इस तीसरे ने जिस पर गवाही दी गई है नकारा तो वर्णित ग़ुलाम इन तीनों के वास्ते कोशिश/मुक्त होने के लिए कमाई करेगा जो इन में तीन तिहाई बराबर (जब कि सब बराबर साझी हों) साझा होगी और अगर किसी ने ग़ुलाम की मुक्ति के लिए कमाने की कोशिश में से कुछ वसूल किया तो बाक़ी दो को अधिकार होगा कि इस में से अपना दो तिहाई हिस्सा इस से वापिस करें जो एक साथ आधा आधा बांट कर लेंगे यह मुहीत में है, और अगर साझी तीन हों बस हर दो ने तीसरे पर गवाही दी कि इस ने अपना हिस्सा मुक्त किया है तो गवाही अस्वीकार होगी यह फ़तह उल क़दीर में है। अगर तीन साझियों में से एक ने बाक़ी दोनों में से एक पर गवाही दी कि इस ने अपना हिस्सा आज़ाद किया है और दूसरे साझी ने पहले गावाह पर गवाही दी कि इस ने अपना हिस्सा आज़ाद किया है तो क़ाज़ी/न्यायाधीश दोनों में से किसी को मुक्त करने का आदेश न देगा यह मुहीत में है।

मुबहम = अस्पष्ट
तहर्री = सुन्दर चयन व प्रमुख/प्रबल राय/अनुमान
इख़्तयार =अधिकार स्वरूप,-अपनाना/धारण/ग्रहण करना
ज़ामिन = ज़मानत, गारंटी

अगर शरीकों में से दो शरीकों ने तीसरे पर गवाही दीः

अगर (तीन शरीकों में से) दो शरीकों ने तीसरे पर यह गवाही दी कि इस ने अपना हिस्सा सआयते ग़ुलाम से वसूल पाया है तो दोनों की गवाही जाइज़ न होगी और इसी तरह अगर यह गवाही दी कि इस ने सब माल हम दोनों से वकील हो कर ग़ुलाम से वसूल किया है तो दोनों की गवाही उस पर जाइज़ न होगी लेकिन ग़ुलाम इन दोनों के हिस्से सआयत से बरी हो जायेगा और जिस शरीक पर गवाही दी है वो अपना हिस्सा ग़ुलाम से वसूल करेगा और इस में बाक़ी दोनों शरीक जिन्होंने गवाही दी थी बटाई की शिरकत नहीं कर सकते हैं यह मबसूत में है। ज़ैद व उम्रो के दरमियान एक बान्दी मुशतरिक है फिर दो गवाहों ने इन दोनों में से खास एक पर ज़ैद या उमरो पर यह गवाही दी कि इस ने बान्दी को आज़ाद किया है और बान्दी ने इस की तकज़ीब की मगर बान्दी ने दूसरे शरीक पर दअवा किया कि इस ने आज़ाद किया है मगर इस ने इन्कार किया और क़ाज़ी के सामने क़सम खा गया कि मैंने इस को आज़ाद नहीं किया है तो बान्दी मज़कूरह गवाहान मज़कूर की गवाही से आज़ाद हो जायेगी अगरचे बान्दी की तरफ़ से दअवा नहीं पाया गया यह ज़ख़ीरा में है और अगर ज़ैद व उम्रो के दरमियान बान्दी मुशतरिक हो फिर इन दोनों में से एक के दो बेटों ने दूसरे शरीक पर गवाही दी कि इस ने इस बान्दी को आज़ाद किया है तो दोनों की गवाही बातिल होगी और अगर दोनों ने अपने बाप पर गवाही दी कि इस ने आज़ाद किया है तो गवाही जाइज़ होगी पस अगर इन गवाहों का बाप मूसिर यानी ख़ुशहाल हो फिर बान्दी मज़कूरह मर गई और इस ने कुछ माल छोड़ा और हाल यह है कि बाद इतक़ के इस के एक बच्चा भी हुआ है फिर शरीक ने चाहा कि इस बच्चे से सआयत करादे तो इस को यह इख़्तयार नहीं है जैसे इस बच्चे की माँ की ज़िन्दगी में था कि इस को इस बच्चे से सआयत कराने की कोई राह न थी ऐसे ही बाद मौत इस की माँ के भी यही रहेगा दर सूरत यह कि इस की माँ ने माल छोड़ा है

अगर साझेदारों में से दो साझेदारों ने तीसरे पर गवाही दीः

अगर (तीन साझेदारों में से) दो साझेदारों ने तीसरे पर यह गवाही दी कि इस ने अपना हिस्सा ग़ुलाम की कोशिश (ग़ुलाम की वह कमाई जो उसने अपनी मुक्ति के लिए की) से प्राप्त किया है तो दोनों की गवाही वैध न होगी और इसी तरह अगर यह गवाही दी कि इस ने सब माल हम दोनों का प्रतिनिधि हो कर ग़ुलाम से प्राप्त किया है तो दोनों की गवाही उस पर वैध न होगी लेकिन ग़ुलाम इन दोनों के हिस्से की क़ीमत देकर मुक्ति के लिए कमाने की कोशिश से बरी हो जायेगा और जिस साझी पर गवाही दी है वह अपना हिस्सा ग़ुलाम से वसूल करेगा और इस में बाक़ी दोनों साझी जिन्होंने गवाही दी थी बटाई की साझेदारी नहीं कर सकते हैं यह मबसूत में है। ज़ैद व उम्रो के बीच एक बान्दी साझा है फिर दो गवाहों ने इन दोनों में से विशेषकर एक पर ज़ैद या उमरो पर यह गवाही दी कि इस ने बान्दी को आज़ाद किया है और बान्दी ने इस को झुटलाया मगर बान्दी ने दूसरे साझी पर दअवा किया कि इस ने आज़ाद किया है मगर इस ने नकारा और न्यायाधीश के सामने क़सम खा गया कि मैंने इस को आज़ाद नहीं किया है तो वर्णित बान्दी वर्णित गवाहों की गवाही से आज़ाद हो जायेगी चाहे बान्दी की तरफ़ से दअवा नहीं पाया गया यह ज़ख़ीरा में है और अगर ज़ैद व उम्रो के दरमियान बान्दी साझा हो फिर इन दोनों में से एक के दो बेटों ने दूसरे साझी पर गवाही दी कि इस ने इस बान्दी को आज़ाद किया है तो दोनों की गवाही झूटी होगी और अगर दोनों ने अपने बाप पर गवाही दी कि उस ने आज़ाद किया है तो गवाही वैध होगी बस अगर इन गवाहों का बाप समृद्धि शाली यानी ख़ुशहाल हो फिर वर्णित बान्दी मर गई और इस ने कुछ माल छोड़ा और हाल यह है कि मुक्ति के बाद इस के एक बच्चा भी हुआ है फिर साझी ने चाहा कि इस बच्चे से कोशिश/मुक्ति की क़ीमत देने के लिए कमाई करावे तो उस को यह अधिकार नहीं है जैसे इस बच्चे की माँ के जीवन में था कि इस को इस बच्चे से कार्य/

लेकिन इस को यह इख़्तयार होगा कि अपने शरीक मूसिर से तावान ले जैसे कि बान्दी की ज़िन्दगी में यह इख़्तयार था फिर शरीक ज़ामिन जो कुछ तावान देगा वो इस बान्दी के तरके में से ले लेगा जैसे इस की ज़िन्दगी की सूरत में भी वापिस ले सकता था फिर जो कुछ माल इस के तरके में से बाक़ी रहेगा वो इस के पिसर की मीरास होगा और अगर बान्दी मज़कूरह ने कुछ माल न छोड़ा हो तो शरीक ज़ामिन माल तावान को इस के पिसर से ले लेगा और अगर बान्दी मज़कूरह मरी न हो और शरीक ने यह इख़्तयार किया कि बान्दी मज़कूरह से सआयत करादे तो इस सआयत में यह बान्दी बमन्ज़िला मकातबा के होगी यह मबसूत में है।

मुदब्बर= वह गुलाम जिसे कह दिया जाए कि तुम मालिक के मरणोपरांत मुक्त हो

अगर गवाहों ने शरीक (ख़्वाह तन्हा हो) पर यूं गवाही दी कि इस ने यूं इक़रार किया है कि बाऐ इस ग़ुलाम को मुदब्बर कर चुका है:

अगर ग़ुलाम दो मर्दों में मुशतरिक हो फिर दो गवाहों ने इन में से एक मुअय्यन शरीक पर गवाही दी कि इस ने इक़रार किया है कि मैंने इस ग़ुलाम को आज़ाद किया और यह शरीक मूसिर है तो क़ाज़ी इस ग़ुलाम के आज़ाद होने का हुक्म देगा और इस के शरीक को यह इख़्तयार होगा कि अपने हिस्से की बाबत इस से तावान ले यह मुहीत में है। मगर शरीक ज़ामिन इस माल तावान को ग़ुलाम से वापिस लेगा और ग़ुलाम की पूरी विला इसी की होगी अगरचे वो अपना हिस्सा आज़ाद करने से मुन्किर हुआ हो यह मबसूत में है और अगर गवाहों ने शरीक मुअय्यन पर यूं गवाही दी हो कि इस ने यह इक़रार किया है कि यह ग़ुलाम हुर्रुल असल (असली आज़ाद) है तो क़ाज़ी इस की आज़ादी का हुक्म देगा

मुक्ति के लिए कमाई की कोशिश कराने का कोई रास्ता न था ऐसे ही इस की माँ की मृत्यु के बाद भी यही रहेगा इस हालत में कि इस की माँ ने माल छोड़ा है लेकिन उस को यह अधिकार होगा कि अपने समृद्धि शाली साझी से ले जैसे कि बान्दी की ज़िन्दगी में यह अधिकार था फिर साझी गारंटर जो कुछ क्षतिपूर्ति देगा वह इस बान्दी के तरके/ छोड़े हुए माल में से ले लेगा जैसे उस की ज़िन्दगी की सूरत में भी वापिस ले सकता था फिर जो कुछ माल उस के छोड़े हुए माले में से बाक़ी रहेगा वह इस के लड़के की विरासत होगा और अगर वर्णित बान्दी ने कुछ माल न छोड़ा हो तो साझी ज़मानती क्षतिपूर्ति के माल को इस के लड़के से ले लेगा और अगर वर्णित बान्दी मरी न हो और साझी ने यह अधिग्रहण किया कि वर्णित बान्दी से मुक्ति की क़ीमत देने के लिए कोशिश करावे तो इस कोशिश में यह बान्दी क्रमश मकातबा यानी अपनी मुक्ति के लिए क़ीमत स्वंय को देनी होगी यह मबसूत में है।

अगर गवाहों ने साझी (भले ही अकेला हो) पर यूं गवाही दी कि इस ने यूं स्वीकार किया है कि विक्रेता इस ग़ुलाम को अपने मरणोपरांत मुक्त कर चुका है:

अगर ग़ुलाम दो मर्दों में साझा हो फिर दो गवाहों ने इन में से एक विशेष साझी पर गवाही दी कि इस ने स्वीकार किया है कि मैंने इस ग़ुलाम को आज़ाद किया और यह साझी समृद्धि शाली है तो क़ाज़ी/न्यायाधीश उस ग़ुलाम के आज़ाद होने का आदेश देगा और इस के साझी को यह अधिकार होगा कि अपने हिस्से के बारे में उस से क्षतिपूर्ति ले यह मुहीत में है। मगर गारंटर साझी इस क्षतिपूर्ति को ग़ुलाम से वापिस लेगा और ग़ुलाम की पूरी विरासत इसी की होगी अगरचे उसने अपना हिस्सा आज़ाद करने से नकारा हो यह मबसूत में है और अगर गवाहों ने निश्चित साझी पर यूं गवाही दी हो कि इस ने यह स्वीकार किया है कि यह ग़ुलाम असली आज़ाद है तो न्यायाधीश इस की आज़ादी का आदेश देगा मगर

मगर मुक़र्रर मज़्कूर की विला इस आज़ाद शुदह पर साबित न होगी और शरीक दीगर को इस मुक़र से तावान लेने का इख़्तयार हासिल न होगा और अगर गवाहों ने यह गवाही दी कि इस ने यह इक़रार किया है कि जिस ने इस को फ़रोख़्त किया था इसने क़ब्ल फ़रोख़्त के इस को आज़ाद किया था तो यह गुलाम इस मशहूर अलैहि शरीक के माल से आज़ाद हो जायेगा यह मुहीत में है। इस की विला मौक़ूफ़ रहेगी इस वास्ते कि दोनों में से हर एक को इस की अपनी ज़ात से दूर करता है इस लिए कि बाऐ कहता है कि मैंने इस को आज़ाद नहीं किया था बल्कि मुशतरी के इक़रार से आज़ाद हुआ है पस इस की विला मुशतरी की होगी और मुशतरी कहता है कि बाऐ ने इस को आज़ाद किया पस विला इस की होगी लिहाज़ा इस की विला तवक़्क़ुफ़ में रहेगी यहाँ तक कि दोनों में से कोई दूसरे की तसदीक़ की तरफ़ रूजूअ करे पस विला इसी की हो जायेगी और अगर गवाहों ने शरीक (ख़्वाह शरीक हो या तन्हा हो यह जवाब बहरहाल जारी है) पर यूं गवाही दी कि इस ने यूं इक़रार किया है कि बाऐ इस गुलाम को मुदब्बर कर चुका है या बान्दी थी कि उस की निस्बत यूं इक़रार किया है कि बाऐ इस को क़ब्ल बैअ के उम्मे वल्द बना चुका है तो ख़्वाह गुलाम हो या बान्दी हो इस की मिल्क से ख़ारिज हो जायेगा ओर वो बाऐ से अपना सिमन वापिस नहीं ले सकता है और इन दोनों ममलूकों में से कोई आज़ाद न होगा यहाँ तक कि बाऐ मर जाये फिर जब बाऐ मर गया तो दोनों (यानी बान्दी मर्द गुलाम) आज़ाद हो जाऐंगे बशर्तेकि मुदब्बर इस के तिहाई माल से बरआमद होता हो और अगर इन दोनों पर किसी ने जिनायत की तो ऐसी है जैसे ममलूक पर जिनायत की यह इस वक़्त तक है कि जब तक बाऐ ज़िन्दा रहे और इमाम आज़म रह० के नज़दीक इन दोनों की जिनायत मौक़ूफ़ रहेगी यह मबसूत में है।

अगर दोनों शरीकों में से एक ने इक़रार (नाफ़िज़ का) किया कि मेरे इतक़ शरीक ने इतक़ (गुलाम) का नाफ़िज़ इक़रार किया है तो इस पर हराम होगा कि फिर गुलाम से खिदमात गुलामी ले यह मुहीत सुरखसी में है।

नियुक्त वर्णित की विरासत इस आज़ाद शुदा पर लागू न होगी और दूसरे साझी को इस स्वीकार करने वाले से क्षतिपूर्ति लेने का अधिकार प्राप्त न होगा और अगर गवाहों ने यह गवाही दी कि इस ने यह स्वीकार किया है कि जिस ने इस को बेचा था इसने बेचने से पहले इस को आज़ाद किया था तो यह गुलाम इस मामले के विशेष साझी के माल से आज़ाद हो जायेगा यह मुहीत में है। इस की विरासत रूकी रहेगी इस वास्ते कि दोनों में से हर एक को इस की अपनी ज़ात से दूर करता है इस लिए कि विक्रेता कहता है कि मैंने इस को आज़ाद नहीं किया था बल्कि क्रेता के समर्थन से आज़ाद हुआ है बस इस की विरासत क्रेता की होगी और ग्राहक कहता है कि विक्रेता ने इस को आज़ाद किया बस विरासत इस की होगी लिहाज़ा इस की विरासत बंटने से रूकी रहेगी यहां तक कि दोनों में से कोई दूसरे की पुष्टि करे बस विरासत इसी की हो जायेगी और अगर गवाहों ने साझी (ख़्वाह साझी हो या तन्हा हो यह जवाब बहरहाल जारी है) पर यूं गवाही दी कि इस ने यूं स्वीकार किया है कि विक्रेता इस गुलाम को अपने मरणोपरांत मुक्त कर चुका है या बान्दी थी कि उस के लिए यूं स्वीकार किया है कि विक्रेता इस को विक्रय से पहले के गर्भवती कर चुका है तो ख़्वाह गुलाम हो या बान्दी हो उसके स्वमित्व से बाहर हो जायेगा और वह विक्रेता से अपनी क़ीमत वापिस नहीं ले सकता है और इन दोनों ज़रख़रीदों में से कोई आज़ाद न होगा यहाँ तक कि विक्रेता मर जाये, फिर जब विक्रेता मर गया तो दोनों (यानी बान्दी, मर्द गुलाम) आज़ाद हो जाऐंगे बशर्ते कि मरणोपरांत मुक्त गुलाम इस के तिहाई माल से वसूल होता हो और अगर इन दोनों पर किसी ने अत्याचार किया तो ऐसा है जैसे गुलाम पर ज़ियादती/अत्याचार किया, यह उस समय तक है कि जब तक विक्रेता ज़िन्दा रहे और इमाम आज़म रह० के निकट इन दोनों पर की ज़ियादती स्थिर रहेगी यह मबसूत में है।

अगर दोनों साझियों में से एक ने (लागू आदेश का) समर्थन किया कि मेरे साझा गुलाम ने गुलामी के लागू आदेश का समर्थन किया है तो इस पर हराम होगा कि फिर गुलाम से गुलामी वाली सेवा ले यह मुहीतुल सुरख़ी

अगर ग़ुलाम तीन आदमियों में मुशतरिक हो जिन में से एक ग़ायब हो गया फिर दो हाज़िरों ने उस ग़ायब पर गवाही दी कि इस ने इस ग़ुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया है तो इन दोनों हाज़िरों और ग़ुलामों के दरमियान रोक कर दी जायेगी फिर जब ग़ायब मज़कूर आजायेगा तो ग़ुलाम से कहा जायेगा कि अपने गवाहों का इआदा करे फिर जब इस ने अपने गवाह बमुक़ाबला-ए-ग़ायब मज़कूर के इस पर क़ायम किये तो ग़ायब के हिस्से के आज़ाद होने का हुक्म दिया जायेगा यह मुहीत में और अगर दो गवाहों ने दो शरीकों में से एक शरीक पर यह गवाही दी कि इस के शरीक ग़ायब ने इस ग़ुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद किया है तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक ऐसी गवाही क़बूल न होगी कज़ा फ़िल ज़हीरिया लेकिन ग़ुलाम और इस शरीक के दरमियान रोक कर दी जायेगी ताकि इस से खिदमात ग़ुलामी न ले सके यहाँ तक कि शरीक ग़ायब हाज़िर आये और यह इस्तहसान है फिर जब ग़ायब मज़कूर हाज़िर होगा तो इस पर गवाही का इआदा करना ज़रूरी है ताकि हुक्म आज़ादी साबित हो और अगर दोनों शरीक ग़ायब हों फिर दोनों में से एक मुअय्यन शरीक पर गवाह क़ायम हुए कि इस ने अपना हिस्सा इस ग़ुलाम में से आज़ाद किया है तो बदून इस के कि कोई ख़ुसूमत अज़ क़बील क़ज़फ़ (यानी ग़ुलाम पर किसी ने क़ज़फ़ का दअवा किया) व जिनायत वग़ैरह किसी वजह से हो ऐसी गवाही मक़बूल न होगी और अगर इस क़बील से कोई ख़ुसूमत पाई गई तो ऐसी गवाही मक़बूल होगी जबकि गवाहों ने यह गवाही दी कि इस के हर दो मौलाओं ने इस को आज़ाद कर दिया है या दोनों में से एक ने इस को आज़ाद किया और दूसरे ने इस से अपना हिस्सा सआयत वसूल कर लिया है यह मबसूत में है और अगर एक ग़ुलाम तीन शरीकों में मुशतरिक हुआ कि इन में से एक ने दअवा किया कि मैंने अपना हिस्सा हज़ार दिरहम पर आज़ाद किया है और ग़ुलाम ने कहा कि इस ने मुफ़्त आज़ाद किया है और बाक़ी दो शरीकों ने गवाही दी कि इस ने हज़ार दिरहम पर आज़ाद किया है तो इन की गवाही जाइज़ होगी और इसी अगर हर दो शरीक के बापों या बेटों ने ऐसी गवाही में है। अगर ग़ुलाम तीन व्यक्तियों में साझा हो जिन में से एक ग़ायब हो गया फिर दो उपस्थित लोगों ने उस अनुपस्थित पर गवाही दी कि इस ने इस ग़ुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया है तो इन दोनों उपस्थितों और ग़ुलामों के बीच रोक कर दी जायेगी फिर जब वर्णित अनुपस्थित आजायेगा तो ग़ुलाम से कहा जायेगा कि अपने गवाहों का फिर से बुलाऐ फिर जब इस ने अपने गवाह वर्णित अनुपस्थित के सामने पेश किये तो अनुपस्थित साझी के हिस्से के आज़ाद होने का हुक्म दिया जायेगा यह मुहीत में है और अगर दो गवाहों ने दो साझियों में से एक साझी पर यह गवाही दी कि उस के अउपस्थि साझेदार ने इस ग़ुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद किया है तो इमाम आज़म रह० के निकट ऐसी गवाही क़बूल न होगी यह ज़हीरिया में है लेकिन ग़ुलाम और इस साझेदार के बीच रोक कर दी जायेगी ताकि इस से ग़ुलामी वाली सेवा न ले सके यहां तक कि ग़ायब साझेदार हाज़िर आये और यह अच्छा गुमान है फिर जब वर्णित अनुपस्थित उपस्थित होगा तो उस पर गवाही का दोबारा कराना ज़रूरी है ताकि आज़ादी का आदेश साबित हो और अगर दोनों साझेदार ग़ायब हों फिर दोनों में से एक निश्चित साझेदार पर गवाह स्थापित हुए कि उस ने अपना हिस्सा इस ग़ुलाम में से आज़ाद किया है तो बजाए इस के कि पीछे से कोई बलात्कार के झूठे आरोप का क़ानूनी दावा (यानी ग़ुलाम पर किसी ने बलात्कार के झूठे आरोप का दअवा किया) व अत्याचार आदि किसी वजह से हो ऐसी गवाही स्वीकार्य न होगी और अगर इस समूह से कोई क़ानूनी दावा पाया गया तो ऐसी गवाही स्वीकारणीय होगी जबकि गवाहों ने यह गवाही दी कि इस के दोनो मालिकों ने इस को आज़ाद कर दिया है या दोनों में से एक ने इस को आज़ाद किया और दूसरे ने इस से अपना हिस्सा कोशिश करा कर वसूल कर लिया है यह मबसूत में है और अगर एक ग़ुलाम तीन साझेदारों में साझा हुआ कि इन में से एक ने दअवा किया कि मैंने अपना हिस्सा हज़ार दिरहम पर आज़ाद किया है और ग़ुलाम ने कहा कि इस ने मुफ़्त आज़ाद किया है और बाक़ी दो साझेदारों ने गवाही दी कि इस ने हज़ार दिरहम

दी तो भी जाइज़ है। अगर इन शरीकों में से बाज़ ने ग़ुलाम मुशतरिक को आज़ाद किया और इस ग़ुलाम के क़ब्ज़े में बहुत माल है जिस को इस ने ख़ुद कमाया है मगर यह मालूम नहीं होता कि इस ने कब (यानी क़ब्ल इतक़ के या बाद इतक़ के) कमाया है (क़ाल ज़ाहिर आँके क़सम से क़ौल क़बूल होगा वल्लाहु आलम) और इस माल की बाबत शरीकों और ग़ुलाम में झगड़ा हुआ चुनांचे शरीकों ने कहा कि इस ने यह माल क़ब्ल इतक़ के कमाया है और ग़ुलाम ने कहा कि मैंने बाद इतक़ के कमाया है तो क़ौल ग़ुलाम का क़बूल होगा यह मुहीत में है।

ख़ुसुमत = वह दावे जो नियमानुसार हों, मुकदमा जो न्याय को दायर हो– क़ज़फ़ = बलात्कार का झूठा आरोप, तोहमत जिनायत = ज़ियादती, जुर्म करना, क़ानून विरोधी कार्य, पाप क़बील = एक से ज़्यादा लोगों का समूह,कुटुम्ब, पीछे आना

बाब: 3

दो ग़ुलामों में से एक के इतक़ के बयान में

क़ालल मुतरजम यानी इस तरह कि इन दोनों में से एक आज़ाद है बदून तअय्युन के फ़ाफ़हम जब मजहूल की तरफ़ इतक़ मज़ाफ़ किया जाये तो सही है और मौला के वास्ते अखयार तअय्युन हासिल होगा जिस को चाहे मुअय्यन करे ख़्वाह इस ने यूं कहा हो कि तुम दोनों में का एक आज़ाद है या यूं कहा हो कि आज़ाद या वो आज़ाद है या इस ने नाम लिया हो कि सालिम आज़ाद है या ग़ानिम ये ईज़ाह में है और अगर यूं कहा कि यह आज़ाद है वरना वो तो यह कहना मिस्ल इस क़ौल के है कि तुम दोनों में से एक आज़ाद है यह खज़ानतुल मुफ़्तीन में है और अगर दोनों ग़ुलामों ने हाकिम के पास नालिश की तो मौला को हाकिम मज़कूर बयान करने पर मजबूर करेगा यह मुहीतुल सुरखी में है और अगर दोनों ने हाकिम के पास मुखासमा न किया और मौला ने दोनों में से एक का इतक़ बतौर तअय्युन इख़्तयार कर लिया तो इख़्तयार करते ही इस पर इतक़ वाक़े होगा और क़ब्ल इस तरह इख़्तयार करने के जब तक ख़्यार मौला बाक़ी रहेगा तब तक वो मिस्ल (यानी अहकाम में) दो ग़ुलामों के होंगे और यह बिना बर असल इमाम आज़म रह० व

पर आज़ाद किया है तो उन की गवाही वैध होगी और इसी अगर हर दो साझेदार के बापों या बेटों ने ऐसी गवाही दी तो भी वैध है। अगर इन साझेदारों में से कुछ ने ग़ुलाम साझा को आज़ाद किया और इस ग़ुलाम के क़ब्ज़ा में बहुत माल है जिस को इस ने ख़ुद कमाया है मगर यह मालूम नहीं होता कि इस ने कब (यानी मुक्ति के पहले या मुक्ति के बाद) कमाया है (कथन वहाँ देखा जायगा क़सम लेने से कथन स्वीकारणीय होगा बाक़ी ईश्वर जाने) और इस माल के लिए साझेदारों और ग़ुलाम में झगड़ा हुआ चुनांचे साझेदारों ने कहा कि इस ने यह माल मुक्ति से पहले कमाया है और ग़ुलाम ने कहा कि मैंने मुक्त होने के बाद कमाया है तो कथन ग़ुलाम का स्वीकार्य होगा यह मुहीत में है।

अध्याय: 3

दो ग़ुलामों में से एक की मुक्ति के बारे में

अनुवादक के कथनानुसार यानी इस तरह कि इन दोनों में से एक आज़ाद है बजाए निर्धारित के, समझे, जब अनजान की ओर मुक्ति सम्बंधित की जाये तो सही है और मालिक के लिए निर्धारित सुरक्षाधिकार प्राप्त होगा जिस को चाहे नियुक्त करे ख़्वाह इस ने यूं कहा हो कि तुम दोनों में का एक आज़ाद है या यूं कहा हो कि आज़ाद या वह आज़ाद है या इस ने नाम लिया हो कि सालिम आज़ाद है या ग़ानिम यह ईज़ाह में है और अगर यूं कहा कि यह आज़ाद है वरना वह तो यह कहना उस कथन जैसा है कि तुम दोनों में से एक आज़ाद है यह खज़ानतुल मुफ़्तीन में है, और अगर दोनों ग़ुलामों ने शासक के पास हाज़री दी तो मालिक को वर्णित शासक बयान करने पर मजबूर करेगा यह मुहीतुल सुरखी में है और अगर दोनों ने शासक के पास गुहार/मुक़दमा न किया और मालिक ने दोनों में से एक की मुक्ति बतौर निश्चित करना तैय कर लिया तो निश्चित करते ही इस पर मुक्ति लागू होगी और इस तरह निश्चित करने के पहले जब तक ख़्यार मालिक/एक या दोनों को मुक्त करने या ना करने का विचार बाक़ी रहेगा तब तक वे

इमाम अबू यूसुफ़ रह० के है यह सिराजुल वहाज में है और क़ब्ल इख़्तयार करने के मौला को रवा है कि इन दोनों से खिदमत ले और नीज़ रवा है कि दोनों को किराया पर दे या इन से कमाई कराये और किराया व कमाई मौला की होगी और अगर क़ब्ल इख़्तयार मौला के इन दोनों पर जिनायत की गई पस अगर जिनायत अज़ जानिब मौला हो पस अगर क़त्ल नफ़्स से कम हो मसलन इस ने ग़ुलामों के हाथ को क़तअ किया तो मौला पर कुछ वाजिब न होगा ख़्वाह दोनों का हाथ एक साथ काटा हो या आगे पीछे और अगर जिनायत क़त्ल नफ़्स हो बस अगर मौला ने आगे पीछे दोनों को क़त्ल किया तो पहला ग़ुलाम होगा यानी इस ने ग़ुलाम को क़त्ल किया और दूसरा आज़ाद होगे के वास्ते मुतअयन हो गया फिर जब इस को क़त्ल किया तो आज़ाद को क़त्ल किया पस मौला पर देत वाजिब होगी जो वारिसान ग़ुलाम को मिलेगा और मौला को इस में से कुछ न मिलेगा और अगर दोनों को एक साथ एक ज़र्ब वाहिद से क़त्ल किया तो मौला पर वाजिब होगा कि इन में से हर एक के वारिसों को इस की निस्फ़ देत देदे और अगर जिनायत अज़ जानिब अजनबी हो पस अगर क़त्ल नफ़्स से कम हो मसलन किसी अजनबी ने हर एक ग़ुलाम का हाथ काट डाला तो इस अजनबी पर ग़ुलाम के हाथ का अरश वाजिब होगा यानी दोनों में से हर एक की निस्फ़ क़ीमत और यह अरश इन के मौला का होगा ख़्वाह अजनबी मज़कूर ने आगे पीछे क़तअ किया हो या एक साथ काटा हो और अगर जिनायत क़त्ल नफ़्स हो तो क़ातिल या एक होगा या दो होंगे पस अगर क़ातिल एक हो तो अगर इस ने मअन दोनों को क़त्ल किया तो क़ातिल पर दोनों में से हर एक की निस्फ़ क़ीमत वाजिब होगी और यह मौला की होगी और नीज़ क़ातिल पर हर एक की निस्फ़ देत वाजिब होगी और यह दोनों के वारिसों की होगी और अगर क़ातिल ने दोनों को आगे पीछे क़त्ल किया तो क़ातिल पर अव्वल मक़तूल की क़ीमत इस के मौला के वास्ते वाजिब होगी और दूसरे मक़तूल की देत इस के वारिसों के वास्ते वाजिब होगी। और अगर क़ातिल दो हों और हर एक ने एक एक को क़त्ल किया पस

(यानी आदेशों में) दो ग़ुलामों के जैसे होंगे और यह इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० की असल पर आधारित है, यह सिराजुल वहाज में है और मालिक के फ़ैसला करने से पहले अधिकार है कि इन दोनों से सेवा ले और यह भी अधिकार है कि दोनों को किराये पर दे या इन से कमाई कराये और किराया व कमाई मालिक की होगी और अगर फ़ैसले से पहले मालिक ने इन दोनों पर ख़िलाफ़े क़ानून अत्याचार हुआ बस अगर ख़िलाफ़े क़ानून अत्याचार मालिक की ओर से हो बस अगर अत्याचार जान से मारने से कम हो मसलन इस ने ग़ुलामों के हाथ को काट दिया तो मालिक पर कुछ वाजिब न होगा भले ही दोनों का हाथ एक साथ काटा हो या पहले या बाद में और अगर अत्याचार में जान से मारा हो बस अगर मालिक ने आगे पीछे दोनों को क़त्ल किया तो पहला ग़ुलाम होगा यानी इस ने ग़ुलाम को क़त्ल किया और दूसरा आज़ाद होगे के वास्ते निश्चित हो गया फिर जब इस को क़त्ल किया तो आज़ाद को क़त्ल किया बस मालिक पर देत (वह माल जो किसी इन्सानी जान के बदले दिया जाए, यह सौ ऊंट या एक हज़ार दीनार या दस हज़ार दिरहम या उनके बराबर की करनसी है) अनिवार्य होगा जो ग़ुलाम के वारिसान को मिलेगा और मालिक को इस में से कुछ न मिलेगा और अगर दोनों को एक साथ एक चोट से ही क़त्ल किया तो मालिक पर ज़रूरी होगा कि इन में से हर एक के वारिसों को इस की आधा आधा देत/माल देदे और अगर ज़ियादती/ चोट अजनबी की ओर से हो बस अगर जान से न मारा हो मसलन किसी अजनबी ने हर एक ग़ुलाम का हाथ काट डाला तो इस अजनबी पर ग़ुलाम के हाथ काटने के बदले में रक़म देना अनिवार्य होगा यानी दोनों में से हर एक की आधी क़ीमत और यह अरश/बदले की रक़म इन के मालिक की होगी भले ही वर्णित अजनबी ने पहले या बाद में काटा हो या एक साथ काटा हो और अगर अत्याचार जान से मारना हो तो क़ातिल या तो एक होगा या दो होंगे बस अगर क़ातिल एक हो तो अगर उस ने सच में दोनों को क़त्ल किया तो क़ातिल पर दोनों में से हर एक की आधी क़ीमत अनिवार्य होगी और यह

अगर हर एक का क़त्ल करना एक साथ वाक़े हुआ तो हर एक क़ातिल पर क़ीमत कामिल वाजिब जिस में से निस्फ़ वारिसान मक़तूलाने को और निस्फ़ मौलाऐ मक़तूलान की होगी और अगर क़ातिलों का क़त्ल करना आगे पीछे वाक़े हुआ तो क़ातिल अव्वल पर अपने मक़तूल की क़ीमत कामिल इस के मौला के लिए वाजिब होगी और क़ातिल दोम पर अपने मक़तूल की देत इस के वारिसों के वास्ते वाजिब होगी यह बदाऐ में है।

देत = वह माल जो किसी इन्सानी जान के बदले दिया जाए यह सौ ऊंट या एक हज़ार दीनार या दस हज़ार दिरहम या उनके बराबर की करनसी है
अरश = वह रक़म आदि जो मक़तूल/जिसकी हत्या हुई हो के वरिसों को या मृतक/हताहत होने वाले बदले में दी जाए
वती = औरत से संभोग/सेक्स करना
उक़्र = वह रक़म आदि जो ग़ैर औरत के साथ संभोग करने से अनिवार्य हो

अगर मौला के इख़्तयार करने से पहले दोनों बान्दियों से शुबह में वती की गई तो दोनों बान्दियों का उक़्र वाजिब होगाः

अगर इस ने अपनी दो बान्दियों से कहा कि तुम दोनों में से एक हुर्रा है फिर दोनों में से हर एक के एक बच्चा पैदा हुआ या दोनों में से एक के एक बच्चा पैदा हुआ तो जिस बान्दी का इतक़ मौला इख़्तियार करेगा इस का बच्चा आज़ाद होगा और अगर दोनां बान्दियों एक साथ मर गईं या दोनों एक साथ क़त्ल की गईं तो मौला को इख़्तयार होगा कि इन बच्चों में से जिस के हक़ में चाहे इतक़ इख़्तयार करके वाक़े करे मगर जिस बच्चे को इतक़ के वास्ते मुतअय्यन करेगा इस को अपनी मादिर मक़तूल के जुर्म क़त्ल के मुआवज़ा में से कुछ अरस न मिलेगा यह ज़हीरिया में है और अगर दोनों बान्दियों की ज़िन्दगी में एक का बच्चा मर गया तो इस पर इल्तफ़ात न किया जायेगा बखिलाफ़ इस के अगर दोनों बान्दियों

मालिक की होगी और हत्यारे पर भी हर एक की आधी देत (वह माल जो किसी मानव की जान के बदले दिया जाए,) अनिवार्य होगी और यह दोनों के वारिसों की होगी और अगर हत्यारे ने दोनों के एक के बाद दूसरे को क़त्ल किया तो हत्यारे पर पहले मृतक/जिस की हत्या हुई है उसकी क़ीमत उस के मालिक के वास्ते अनिवार्य होगी और दूसरे मृतक की देत (वह माल जो किसी मानव की जान के बदले दिया जाए,) इस के वारिसों के वास्ते अनिवार्य होगी। और अगर हत्यारे दो हों और दोनों ने एक एक को क़त्ल किया बस अगर हर एक का क़त्ल करना एक साथ स्थापित हुआ तो हर एक क़ातिल पर पूरी क़ीमत वाजिब जिस में से आधी जिनकी हत्या हुई उनके वारिसान की और आधी जिनकी हत्या हुई उनके मालिक की होगी और अगर हत्यारों का हत्या करना आगे पीछे हुआ तो पहले क़ातिल पर जिसे उसने क़त्ल किया उसकी पूरी क़ीमत उस के मालिक के वास्ते वाजिब होगी और दूसरे क़ातिल पर जिसे उसने क़त्ल किया देत /जान के बदले माल इस के वारिसों के वास्ते अनिवार्य होगा, यह बदाऐ में है।

अगर मालिक के स्वत्व करने से पहले दोनों बान्दियों से शक में संभोग किया गया तो दोनों बान्दियों का उक़्र वाजिब होगाः

अगर इस ने अपनी दो बान्दियों से कहा कि तुम दोनों में से एक स्वतंत्र है फिर दोनों में से हर एक को एक बच्चा पैदा हुआ या दोनों में से एक के एक बच्चा पैदा हुआ तो जिस बान्दी की मुक्ति मालिक ने निश्चत की उस का बच्चा आज़ाद होगा और अगर दोनों बान्दियाँ एक साथ मर गईं या दोनों एक साथ क़त्ल की गईं तो मालिक को अधिकार होगा कि इन बच्चों में से जिस के हक़ में चाहे मुक्ति का निश्चय करके मुक्त करे मगर जिस बच्चे को मुक्ति के लिए निश्चित करेगा उस को उसकी माँ मक़तूल/जिसकी हत्या हुई है के क़त्ल के जुर्म का मुआवज़ा में से कुछ अरस/विरासत में न मिलेगा यह ज़हीरिया में है, और अगर दोनों बान्दियों की जीवन में एक का बच्चा मर गया तो उस पर कृपा दया न की

की मौत के बाद किसी का बच्चा मर गया तो इल्तफ़ात होगा यह मुहीत में है और अगर मौला के इख़्तियार करने से पहले दोनों बान्दियों से शुबह में की वती गई तो दोनों बान्दियों का अक़्र (1) वाजिब होगा और यह दोनों अक़्र मौला को मिलेंगे यह बदाऐ में है और अगर मौला के इख़्तयार करने से पहले इन में से एक बान्दी ने कोई जिनायत की फिर मौला ने जिनायत का हाल मालूम करने के बाद इसी बान्दी पर इतक़ वाक़े करना इख़्तयार किया तो मौला इस जिनायत का इख़्तयार (2) करने वाला होगा और अगर क़ब्ल बयान के मौला मर गया तो हर एक बान्दी में से इस का निस्फ़ आज़ाद हो जायेगा और हर एक अपनी निस्फ़ क़ीमत के लिए मौला के वारिसों के वास्ते सआयत करेगी और जिस बान्दी ने जिनायत की है मौला पर अपने माल से इस की क़ीमत वाजिब होगी जैसे कि अगर इस ने जिनायत का हाल मालूम होने से पहले इसी को आज़ाद कर दिया जिस ने जिनायत की है तो यही हुक्म है यह मबसूत में है और अगर दोनों को इस ने एक ही सफ़क़ा में बैअ कर दिया तो यह बैअ दोनों की बातिल होगी यह ईज़ाह में है और अगर दोनों को एक ही सफ़क़ा में बैअ कर दिया और दोनों को मुशतरी के सुपुर्द कर दिया या फिर दोनों को मुशतरी ने आज़ाद किया तो बाऐ बयान पर मजबूर किया जायेगा कि किस को इस ने मुराद लिया है फिर जब बाऐ ने दोनों में से किसी एक में इतक़ को मुअय्यन किया तो मुल्क फ़ासिद दूसरे के हक़ में मुतअयन होगी और दूसरा मुशतरी की तरफ़ से बक़ीमत आज़ाद होगा और अगर बाऐ मज़कूर क़ब्ल बयान करने के मर गया तो इस के वारिसों से कहा जायेगा कि तुम लोग (3) बयान करो जब उन्होंने किसी एक को इतक़ के वास्ते मुतअयन किया तो दूसरा मुशतरी की तरफ़ से बक़ीमत आज़ाद हो जायेगा और दोनों ग़ुलामों में इतक़ शाये न होगा यह मुहीत में है।

(1) ख़्वाह वती कुनिन्दा एक हो या हर एक के साथ अलाहिदा हो
(2) मौला की मौत के बाद वारिसों से तअय्युन कराई जायेगी और यह न होगा कि एक इतक़ दोनों में फैल जाये कि जिस से हर एक का सिन्फ आज़ाद हो जाये और मुशतरी का इतक़ व ख़रीद सही न हो। गैइरू ज़ालिका मिनल मुफ़ासिद।
(3) उस का जुर्माना अपने ज़िम्मे लिया।

जायेगी इस के विपरीत अगर दोनों बान्दियों की मौत के बाद किसी का बच्चा मर गया तो कृपा दया होगी यह मुहीत में है और अगर मालिक के अधिग्रहण से पहले दोनों बान्दियों से संदेह में संभोग किया गया तो दोनों बान्दियों का उक्र(1)अनिवार्य यानी संभोग के बदले में पैसा आदि देना होगा और यह दोनों उक्र/बदले की रक़म मालिक को मिलगी यह बदाऐ में है, और अगर मालिक के अधिग्रहण करने से पहले इन में से एक बान्दी ने कोई अत्याचार किया फ़िर मालिक ने अत्याचार का हाल मालूम करने के बाद इसी बान्दी मुक्त करना निश्चित किया तो मालिक इस नियम विरोधी कार्य/जुर्म(2) करने वाला होगा और अगर बयान क पहले मालिक मर गया तो हर एक बान्दी में से उसका आधा आज़ाद हो जायेगा और हर एक अपनी आधी क़ीमत के लिए मालिक के वारिसों के लिए क़ीमत देने के लिए कार्य/कोशिश करेगी और जिस बान्दी ने ज़ियादती की है, मालिक पर अपने माल से इस की क़ीमत अनिवार्य होगी जैसे कि अगर उस ने अत्याचार का हाल मालूम होने से पहले इसी को मुक्त कर दिया जिस ने ज़ियादती की है तो यही हुक्म है यह मबसूत में है और अगर दोनों को इस ने एक ही बार में विक्रय कर दिया तो यह विक्रय दोनों की अमान्य होगी यह ईज़ाह में है और अगर दोनों को एक ही बार में विक्रय कर दिया और दोनों को क्रेता के सुपुर्द कर दिया या फिर दोनों को क्रेता ने मुक्त किया तो विक्रेता बयान पर मजबूर किया जायेगा कि किस को उस ने मुराद लिया है फिर जब विक्रता ने दोनों में से किसी एक में मुक्ति को निश्चित किया तो मिल्कियत समाप्त दूसरे के पक्ष में निश्चित होगी और दूसरे क्रेता की ओर से क़ीमत से मुक्त होगा और अगर वर्णित विक्रेता बयान करने के पहले मर गया तो इस के वारिसों से कहा जायेगा कि तुम लोग(3) बयान करो जब उन्होंने किसी एक को मुक्ति

(1) चाहे सेक्स करने वाला एक हो या हर एक के साथ अलग
(2) मालिक के मरणोप्रांत वारिसों से नियुक्ति कराई जायेगी और यह न होगा कि एक मुक्ति दोनों में फैल जाये कि जिस से हर एक का लिंग मुक्त हो जाये और क्रेता का मुक्त व ख़रीद सही न हो। सिवाए झगड़े फ़िसाद के यह एक बुराई होगी।
(3) उस का जुर्माना अपने ज़िम्मे लिया।

अगर मुशतरी ने आज़ाद न किया यहाँ तक कि बाऐ मर गया तो इतक़ दोनों में मुन्क़सिम होगा और दोनों में से निस्फ़ निस्फ़ आज़ाद हो जायेगा और अगर मालिक ने क़ब्ल इख़्तयार करने के कि कौन दोनों में से आज़ाद होने के वास्ते मुतअयन हुआ है इस ने दोनों को हिबा किया या सदक़ा दे दिया या दोनों पर किसी औरत से निकाह किया तो मजबूर किया जायेगा कि किसी एक में इतक़ इख़्तयार करे पस दूसरे का हिबा व सदक़ा व महर क़रार देना जाइज़ होगा और अगर मौलामालिक किसी एक में इतक़ मुअय्यन करने से पहले मर गया तो दोनों का हिबा व सदक़ा बातिल हो जायेगा और महर मुक़र्रर करना भी बातिल होगा यह बदाऐ में है और अगर दोनों को अहले हरब यानी काफ़िर जो मुसलमानों से लड़ाई करते हैं गिरफ़तार कर लिये गये तो मौला को इख़्तयार होगा कि दोनों में से किसी एक में इतक़ को मुअय्यन करे पस दूसरा अहल हरब की मिल्क (बज़ाहिर) होगा और अगर मौला ने किसी एक में इतक़ मुअय्यन न किया यहाँ तक कि ख़ुद मर गया तो अहले हरब की मिल्कियत दोनों में से बातिल होगी इस वास्ते कि हुरियत दोनों में शाये हो गई है और अगर दोनों को किसी ने हरबी से खरीद किया तो मौला को इख़्तयार होगा कि दोनों में से जिस में चाहे इतक़ को मुअय्यन करे पस दूसरे को मुशतरी मज़कूर इस के हिस्सा सिमन के एवज़ ले लेगा।

देत = वह माल जो किसी इन्सानी जान के बदले दिया जाए यह सौ ऊंट या एक हज़ार दीनार या दस हज़ार दिरहम या उनके बराबर की करनसी है
अरश = वह रक़म आदि जो मक़तूल/जिसकी हत्या हुई हो के वरिसों को या हताहत होने वाले बदले में दी जाए
वती = औरत से संभोग सेक्स करना
उक़्र = वह रक़म आदि जो बीवी के सिवा ग़ैर औरत के साथ संभोग करने से अनिवार्य हो

के वास्ते निश्चित किया तो दूसरे क्रेता की ओर से क़ीमत से आज़ाद हो जायेगा और दोनों ग़ुलामों में मुक्ति विभाजन योग्य न होगी यह मुहीत में है।

अगर क्रेता ने आज़ाद न किया यहाँ तक कि विक्रेता मर गया तो मुक्ति दोनों में विभाजित होगी और दोनों में से आधा आधा आज़ाद हो जायेगा और अगर मालिक ने अधिग्रहण करने के पहले कि कौन दोनों में से आज़ाद होने के लिए निश्चित हुआ है उस ने दोनों को तोहफे में दिया या सदक़ा दे दिया या दोनों पर किसी औरत से निकाह किया तो मजबूर किया जायेगा कि किसी एक में मुक्ति निश्चित करे बस दूसरे के तोहफ़े व सदक़ा व महर क़रार देना वैध होगा और अगर मालिक किसी एक में मुक्ति निश्चित करने से पहले मर गया तो दोनों का तोहफ़े में देना व सदक़ा अमान्य हो जायेगा और महर निश्चित करना भी अमान्य होगा यह बदाऐ में है और अगर दोनों को अहले हरब यानी काफ़िर जो मुसलमानों से लड़ाई करते हैं गिरफ़तार कर लिये गये तो मालिक को अधिकार होगा कि दोनों में से किसी एक में मुक्ति को निश्चित करे बस दूसरा अहले हरब/ग़ैर मुस्लिम की मिल्कियत (दिखावे) की होगी और अगर मालिक ने किसी एक में मुक्ति निश्चित न की यहाँ तक कि ख़ुद मर गया तो अहले हरब/ग़ैर मुस्लिम की मिल्कियत दोनों निश्चितों में से अमान्य होगी इस वास्ते कि अज़ादी दोनों में विभाजित हो गई है और अगर दोनों को किसी ने हरबी /ग़ैर मुस्लिम से खरीद लिया तो मालिक को अधिकार होगा कि दोनों में से जिस में चाहे मुक्ति को निश्चित करे बस दूसरे को वर्णित क्रेता उस के हिस्से की क़ीमत के बदले ले लेगा।

ख़ुसुमत = वह दावे जो नियमानुसार हों, मुकदमा जो न्याय को दायर हो-- क़ज़फ़ = बलात्कार का झूठा आरोप, तोहमत जिनायत = ज़ियादती, जुर्म करना, क़ानून विरोधी कार्य, पाप क़बील = एक से ज़्यादा लोगों का समूह,कुटुम्ब, पीछे आना

अगर अपनी दो बान्दियों से कहा कि तुम दोनों में से एक हुर्रह हो फिर इस ने इन दोनों में से एक से वती की और वो हामिला न हुई तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक दूसरी आज़ाद न हो जायेगी:

अगर अहले हरब से किसी ने एक को खरीद किया और मौला ने इसी को इतक़ इख़्तयार किया तो आज़ाद हो जायेगा और खरीद बातिल हो जायेगी और अगर मौला ने इस को जिस को खरीद किया है सिमन के औज़ खरीद लिया तो दूसरा आज़ाद हो जायेगा और अगर अहले हरब ने एक को क़ैद किया तो आज़ाद न होगा यह ज़हीरिया में है और अगर मौला ने एक को काफ़िर से खरीद किया तो दूसरा आज़ाद होगा यह खज़ानतुल मुफ़्तीन में है। एक शख़्स ने अपनी सेहत में दो ममलूक से कहा कि तुम दोनों में से एक आज़ाद है फिर वो मर्ज़ उल मौत में गिरफ़्तार हुआ फिर इस ने इतक़ को इन में से एक की तरफ़ राजअ किया से तो यही ग़ुलाम मौला के तमाम माल से आज़ाद हो जायेगा अगरचे इस की क़ीमत तिहाई माल मौला से ज़ायद हो यह शरह तहावी में है। बयान तीन तरह का होता है। नस व दलालत व ज़रूरत। नस की मिसाल यह है कि मौला ने एक मुअय्यन से कहा कि मैंने तुझे मुराद लिया या नियत की या इरादा किया था इस लफ़्ज़ से जो मैंने ज़िक्र किया था या मैंने इख़्तयार किया या कहा कि तू हुर्र है इस लफ़्ज़ से जो मैंने कहा था या इस लफ़्ज़ से जो मैंने ज़िक्र किया था या इस ऐताक़ से या मैंने इतक़ साबिक़ से तुझे आज़ाद किया है और मिस्ल इस के और अल्फ़ाज़ जो इस मअनी में हों और अगर यूं कहा कि तू हुर्र है या मैंने तुझे आज़ाद किया और यह न कहा कि लफ़्ज़ मज़कूर या बअतक़ साबिक़ पस अगर इस से इतक़ जदीद मुराद लिया है तो दोनों आज़ाद हो जाऐंगे यह ग़ुलाम बसबब मेरे क़ौल (तुम में से एक हुर्र है) के लाज़िम आया है तो क़ज़ाअन भी इस की तसदीक़ होगी और इस का क़ौल कि मैंने तुझे आज़ाद किया इस पर महमूल होगा कि इस ने इतक़ इख़्तियार किया यानी गोया यूं कहा कि मैंने तेरा

अगर अपनी दो बान्दियों से कहा कि तुम दोनों में से एक स्वतंत्र है फिर इस ने इन दोनों में से एक से संभोग किया और वह गर्भवती न हुई तो इमाम आज़म रह० के निकट दूसरी आज़ाद न होगी :

अगर अहले हरब/ग़ैर मुस्लिम देश के नागरिकों से किसी ने एक को खरीदा और मालिक ने इसी को मुक्त किया तो आज़ाद हो जायेगा और खरीद अमान्य हो जायेगी और अगर मालिक ने इस को जिसे खरीदा है क़ीमत के बदले खरीद लिया तो दूसरा आज़ाद हो जायेगा और अहले हरब/ग़ैर मुस्लिम देश के व्यक्ति ने एक को क़ैद किया तो आज़ाद न होगा यह ज़हीरिया में है, और अगर मालिक ने एक को काफ़िर से खरीद लिया तो दूसरा आज़ाद होगा यह खज़ानतुल मुफ़्तीन में है। एक व्यक्ति ने अपनी स्वस्थ हालत में दो ख़रीदे हुए ग़ुलामों से कहा कि तुम दोनों में से एक आज़ाद है फिर वह मृत्यु रोग में ग्रस्त हुआ फिर उस ने मुक्त को इन में से एक को वापसी लिया तो यही ग़ुलाम मालिक के तमाम माल से आज़ाद हो जायेगा चाहे इस की क़ीमत मालिक के तिहाई माल से ज़ियादा हो यह शरह तहावी में है। बयान तीन तरह का होता है। नस यानी आज्ञा/स्पष्ट सबूत व तर्क एंव आवश्यक्ता, आज्ञा/स्पष्ट सबूत की मिसाल यह है कि मालिक ने एक निश्चित से कहा कि मेरा मतलब तुझसे था या नियत की या इरादा किया था इस शब्द से जो मैंने वर्णन किया था या मैंने अधिग्रहण किया या कहा कि तू स्वतंत्र है इस शब्द से जो मैंने कहा था या इस शब्द से जो मैंने वर्णन किया था या इस आज़ादी से या मैंने पहली मुक्ति से तुझे आज़ाद किया है और मिसाल इस के और शब्द जो इस अर्थ में हों और अगर यूं कहा कि तू मुक्त है या मैंने तुझे आज़ाद किया और यह न कहा कि वर्णित शब्द या पहली आज़ादी बस अगर इस से नयी मुक्ति मुराद लिया है तो दोनों आज़ाद हो जाऐंगे यह ग़ुलाम मेरे कथन के कारण (तुम में से एक मुक्त है) के अनिवार्य हुआ है तो नियमानुसार भी इस की पुष्टि होगी और उस का कथन कि मैंने तुझे आज़ाद किया इस

इतक़ इख़्तियार किया और दलालत की सूरत यह है कि मौला दोनों में से एक को अपनी मिल्क से निकाल दे बसबब बैअ के या बई तौर कि दोनों में से एक को रहन कर दे येा एक को इजारा देदे या मकातब कर दे या मुदब्बर कर दे या बान्दी हो और इस को उम्मे वल्द बनादे यह बदाऐ में है। और अगर दोनों में से एक को फ़रोख़्त किया बतौर क़तई या अपने वास्ते ख़्यार की शर्त कर के फ़रोख़्त किया या मुशतरी के वास्ते ख़्यार की शर्त करके फ़रोख़्त किया या बतौर बैअ फ़ासिद फ़रोख़्त किया ख़्वाह इस पर नहीं किया या सुपुर्द कर दिया या चुकाया या एक के देने की वसियत कर दी या एक पर निकाह कर दिया या एक (1) आज़ादी पर क़सम खाई तो यह सब दूसरे के हक़ में इतक़ का इख़्तयार करना है बतौरे दलालत यह मुहीत में है और अगर अपनी दो बान्दियों से कहा कि तुम दोनों में से एक हुर्रह है फिर इस ने इन दोनों में से एक से वती की और वो हामिला न हुई तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक दूसरी आज़ाद(2) न हो जायेगी और अगर वो हामिला हो गई तो दूसरी बिल इत्तफ़ाक़ आज़ाद हो जायेगी यह फ़तहुल क़दीर में है। इन दोनों से इस को वती करना इमाम अलैहिर्रहमा के मज़हब के मुवाफ़िक़ हलाल है मगर इस का फ़तवा न दिया जायेगा (अहतियातन) यह हिदाया में है।

अगर किसी ने अपनी दो बान्दियों से कहा कि तुम दोनों में से एक आज़ाद है फिर इस ने एक से ख़िदमत ली तो यह बिल इत्तिफ़ाक़ सब (3) के नज़दीक इख़्तयार नहीं है यह ज़हीरिया में है और बयान बज़रूरत की यह सूरत है कि मसलन क़ब्ल इख़्तयार करने के दोनों में से एक मर गया तो बा ज़रूरत दूसरा आज़ाद हो जायेगा और इसी तरह अगर दोनों में से एक क़त्ल किया गया ख़्वाह इस को मौला ने क़त्ल किया या किसी दूसरे

(1) मसलन कहा जाये कि अगर में शराब पियूं तो मेरा यह गुलाम आज़ाद है।(2) मुतअय्यन न होगी। (3) जिस से ख़िदमत ली उस के सिवा दूसरी का इतक़ मतअय्यन हो जायेगा।

पर आधारित होगा कि इस ने मुक्ति ग्रहण की यानी यूं कहा कि मैंने तेरी मुक्ति ग्रहण की और तर्क की सूरत यह है कि मालिक दोनों में से एक को अपनी मिल्कियत से निकाल दे विक्रय के कारण या इस तरह कि दोनों में से एक को गिरवी कर दे या एक को पटटे पे देदे या मकातब/मुक्ति की क़ीमत तैय करले या मरणोपरांत मुक्त कर दे या बान्दी हो और इस को उम्मे वल्द/गर्भवती बनादे यह बदाऐ में है। और अगर दोनों में से एक को विक्रय किया निश्चित रूप से या अपने लिए व्यापारिक अधिकार बेचे या ना बेचे तीन दिन समय के भीतर विक्रय किया या क्रेता के वास्ते ख़्यार की शर्त/व्यापारिक अधिकार बेचे या ना बेचे इसमें तीन दिन समय होता है विक्रेय किया या विक्रेय अमान्य की, भले ही इस पर हवाले नहीं किया या सुपुर्द/हवाले कर दिया या चुकाया या एक के देने की वसियत कर दी या एक पर निकाह कर दिया या एक की(1) आज़ादी पर क़सम खाई तो यह सब दूसरे के पक्ष में मुक्ति का अधिग्रहण करना है बतौरे तर्क यह मुहीत में है और अगर अपनी दो बान्दियों से कहा कि तुम दोनों में से एक आज़ाद है फिर इस ने इन दोनों में से एक से संभोग किया और वह गर्भवती न हुई तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक दूसरी आज़ाद (2) न होगी और अगर वह गर्भवती हो गई तो दूसरी सर्वसम्मित से आज़ाद हो जायेगी यह फ़तहुल क़दीर में है। इन दोनों से इस का संभोग करना इमाम अलैहिर्रहमा के धर्म के अनुसार हलाल/जायज़ है मगर इस का फ़तवा न दिया जायेगा (अहतियातन) यह हिदाया में है।

अगर किसी ने अपनी दो बान्दियों से कहा कि तुम दोनों में से एक आज़ाद है फिर इस ने एक से सेवा ली तो यह कार्य सर्वसम्मित सब(3) के निकट निश्चित नहीं है यह ज़हीरिया में है और बयान आवश्यकता के कारण यह सूरत है कि मसलन अधिग्रहण करने से पहले दोनों में से एक मर गया तो आवश्यकता के कारण दूसरा आज़ाद हो जायेगा और इसी तरह अगर दोनों में से एक क़त्ल किया गया ख़्वाह इस को मालिक ने क़त्ल किया या

(1) मसलन कहा जाये कि अगर में शराब पियूं तो मेरा यह गुलाम आज़ाद है। (2) निश्चित न होगी। (3) जिस से ख़िदमत ली उस के सिवा दूसरी की मुक्ति निश्चित हो जायेगी।

ने इस को क़त्ल किया यही हुक्म है फ़र्क़ इस क़द्र है अगर मौला ने क़त्ल किया हो तो इस पर कुछ वाजिब न होगा और अगर अजनबी ने क़त्ल किया तो इस पर ग़ुलाम मक़तूल की क़ीमत मौला के वास्ते वाजिब होगी और अगर ऐसी सूरत में मौला ने मक़तूल का इतक़ इख़्तयार किया तो ज़िन्दा से इतक़ मुरतफ़अ न होगा बल्कि वो ज़रूर आज़ाद होगा लेकिन मक़तूल की क़ीमत इस सूरत में मक़तूल के वारिसों को मिलेगी और अगर दोनों में से एक का हाथ काटा गया तो दूसरा आज़ाद न होगा ख़्वाह मौला ने इस का हाथ काटा हो या किसी अजनबी ने क़तअ किया हो और अगर अजनबी न इन में से एक का हाथ काट डाला फिर मौला ने इतक़ को बयान किया पस अगर जिस पर जिनायत वाक़े हुई है उस के सिवाऐ दूसरे के हक़ में इतक़ इख़्तयार किया तो बिला शुब्हा अरश जिनायत मौला को मिलेगा और अगर इस ने इस ग़ुलाम का इतक़ इख़्तयार किया जिस पर जिनायत वाक़े हुई हो तो क़ुदूरी रह० ने अपनी शरह में ज़िक किया इस सूरत में भी अरश जिनायत मौला का होगा और जिस पर जिनायत वाक़े हुई हो इस को कुछ अरश न मिलेगा और क़ाज़ी ने शरह मुखतसर उल तहावी में ज़िक्र किया है कि अरश (1) इस ग़ुलाम का होगा जिस पर जिनायत वाक़े हुई है और ऐसा ही क़ाज़ी ने दर सूरत यह कि मौला ने ख़ुद हाथ काटा और इतक़ इसी ग़ुलाम का जिस पर जिनायत वाक़े हुई इख़्तयार किया है बयान फ़रमाया कि आज़ाद आदमियों के हाथ काटने का अरश जिस क़द्र होता है वो वाजिब होगा और वो सब ग़ुलाम को मिलेगा (2) और अगर ग़ैर मुजन्ना अलैहि यानी दूसरे ग़ुलाम का इतक़ इख़्तयार किया तो मौला पर कुछ वाजिब न होगा यह बदाऐ में है। इब्ने समाआ ने इमाम अहमद रह० से रिवायत की कि अगर दो ग़ुलामों की निस्बत मौला ने कहा कि इन दोनों में से एक मेरा बेटा है या दो बान्दियों की निस्बत कहा कि इन दोनों में से एक मेरी उम्मे वल्द है फिर दोनों में से एक आदमी मर गया तो जो बाक़ी है वो हुरियत या इस्तीलाद के

....

(1) जिस का इतक़ मौला ने इख़्तयार किया है।

(2)तितिम्मा क़ौला क़ाज़ी अलैहिर्रहमा।

किसी दूसरे ने इस को क़त्ल किया यही आदेश है फ़र्क़ इतना है अगर मालिक ने क़त्ल किया हो तो इस पर कुछ अनिवार्य न होगा और अगर अजनबी ने क़त्ल किया तो इस पर ग़ुलाम मृतक की क़ीमत मालिक के वास्ते अनिवार्य होगी और अगर ऐसी स्थिति में मालिक ने मक़तूल की मुक्ति मान ली तो ज़िन्दा से मुक्ति बराबर न होगी बल्कि वह ज़रूर आज़ाद होगा लेकिन मक़तूल की क़ीमत इस स्थिति में मृतक के वारिसों को मिलेगी और अगर दोनों में से एक का हाथ काटा गया तो दूसरा आज़ाद न होगा चाहे मालिक ने इस का हाथ काटा हो या किसी अजनबी ने काट दिया हो और अगर अजनबी ने इन में से एक का हाथ काट डाला फिर मालिक ने मुक्ति को बयान किया बस अगर जिस पर जियादती हुई है उस के सिवाऐ दूसरे के पक्ष में मुक्ति स्वीकार की तो बिना सन्देह ज़ियादती के बदले राशि मालिक को मिलेगी और अगर इस ने इस ग़ुलाम की मुक्ति स्वीकार की तो जिस पर ज़ियादती स्पष्ट हुई हो तो क़ुदूरी रह० ने अपनी व्याख्या में वर्णन किया कि इस स्थिति में भी ज़ियादती के बदले राशि मालिक की होगी और जिस पर जियादती स्पष्ट हुई हो इस को कुछ अरश/बदले की रक़म न मिलेगी और क़ाज़ी ख़ान ने शरह मुखतसर उल तहावी में ज़िकर किया है कि अरश(1)(बदले की रक़म=वह रक़म आदि जो मक़तूल/जिसकी हत्या हुई हो के वरिसों को या हताहत होने वाले को बदले में दी जाए) उस ग़ुलाम का होगा जिस पर अत्याचार स्पष्ट हुआ है और ऐसा ही न्यायाधीश ने इस स्थिति में यह कि मालिक ने ख़ुद हाथ काटा और मुक्ति इसी ग़ुलाम की जिस पर अत्याचार स्पष्ट हुआ स्वीकार की है, बयान फ़रमाया कि आज़ाद आदमियों के हाथ काटने के बदले जितनी राशि होती है वह अनिवार्य होगी और वह सब ग़ुलाम को मिलेगा(2)और अगर ग़ैर मुजन्ना अलैहि यानी दूसरे ग़ुलाम की मुक्ति स्वीकार की तो मालिक पर कुछ अनिवार्य न होगा यह बदाऐ में है। इबने समाआ ने इमाम अहमद रह० से वर्णन किया है कि अगर दो ग़ुलामों की लिए मालिक ने

....

(1) जिस की मुक्ति मालिक ने स्वीकार की है।

(2) तितिम्मा में कथन क़ाज़ी ख़ान अलैहिर्रहमा का है।

वास्ते मुतअयन नहीं हो जायेगा। यह ईज़ाह में है।

अगर किसी शख़्स के तीन ग़ुलाम हों पस इस ने कहा कि आज़ाद है और या तो अव्वल आज़ाद हो जायेगाः

अगर मौला ने कहा कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है हालांकि एक ग़ुलाम के सिवाए इस का कोई ग़ुलाम नहीं है तो वो आज़ाद हो जायेगा फिर अगर मौला ने कहा कि मेरा एक और ग़ुलाम है और मैंने इसी को मुराद लिया था तो क़ज़ाअन इस के क़ौल की तसदीक़ न होगी इल्ला इस सूरत में कि वो गवाह क़ायम करे कि मेरा दूसरा ग़ुलाम भी है और मा बईनहु व बैनल्लाह तआला अज़्ज़ा वजल्ला इस की तसदीक़ होगी यह बदाऐ में है और अगर मौला ने कहा कि मेरे ग़ुलाम में का एक आज़ाद है या मेरे ग़ुलामों में का एक आज़ाद है हालांकि एक ग़ुलाम के सिवाऐ इस का कोई ग़ुलाम नहीं है तो यही ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा यह मबसूत में है और अगर मौला ने अपने दो ग़ुलामों से कहा कि तुम में से एक आज़ाद है पस इस से कहा गया कि तूने इन में से किस को मुराद लिया है पस इस ने कहा कि मैंने इस ग़ुलाम को मुराद नहीं लिया है तो दूसरा ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा फिर अगर इस के बाद इस ने इस दूसरे की निस्बत भी कहा कि मैंने इस को मुराद नहीं लिया था तो पहला भी आज़ाद हो जायेगा और अव्वल दोनों की निस्बत इस को बयान करने का हुक्म दिया जायेगा कि इन में से किसी की निस्बत इतक़ इख़्तियार करे और अगर यूं कहा कि यह आज़ाद है और यह या यह तो अव्वल आज़ाद हो जायेगा और पिछले दोनों की निस्बत इस को बयान करने का हुक्म दिया जायेगा और अगर एक ग़ुलाम एक आज़ाद के साथ मुख़ल्लत(1) हो गया मसलन एक शख़्स

कहा कि इन दोनों में से एक मेरा बेटा है या दो बान्दियों की लिए कहा कि इन दोनों में से एक मेरे बच्चे की माँ है फिर दोनों में से एक आदमी मर गया तो जो बाक़ी है वह मुक्ति या क़ाबू में रखने यानी मालिक बनने के लिए निश्चित नहीं हो जायेगा। यह ईज़ाह में है।

अगर किसी व्यक्ति के तीन ग़ुलाम हों बस इस ने कहा कि आज़ाद है और या तो पहला आज़ाद हो जायेगाः

अगर मालिक ने कहा कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है हालांकि एक ग़ुलाम के सिवाए, उस का कोई ग़ुलाम नहीं है तो वह आज़ाद हो जायेगा फिर अगर मालिक ने कहा कि मेरा एक और ग़ुलाम है और मेरा मतलब वही था तो नियमानुसार इस के कथन की पुष्टि न होगी इस सूरत में नहीं कि वह गवाह पेश करे कि मेरा दूसरा ग़ुलाम भी है और मा बईनहु व बईनल्लाहु तआला इज़्ज़ो व जल्ल/ उसके और परमेश्वर सर्वशक्तिमान को उपस्थित दृष्टिशाली मान कर इस की पुष्टि होगी यह बदाऐ में है और अगर मालिक ने कहा कि मेरे ग़ुलाम में का एक आज़ाद है या मेरे ग़ुलामों में का एक आज़ाद है हालांकि एक ग़ुलाम के सिवाऐ इस का कोई ग़ुलाम नहीं है तो यही ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा यह मबसूत में है और अगर मालिक ने अपने दो ग़ुलामों से कहा कि तुम में से एक आज़ाद है बस उस से कहा गया कि तूने इन में से किस को नियुक्त किया है बस उस ने कहा कि मैंने इस ग़ुलाम को नियुक्त नहीं किया है तो दूसरा ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा फिर अगर इस के बाद इस न इस दूसरे के लिए भी कहा कि मैंने इस को नियुक्त नहीं किया था तो पहला भी आज़ाद हो जायेगा और पहले दोनों की लिए इस को बयान करने का हुक्म दिया जायेगा कि इन में से किसी की लिए मुक्ति निश्चित करे और अगर यूं कहा कि यह आज़ाद है और यह या यह तो पहला आज़ाद हो जायेगा और पिछले दोनों की लिए इस को बयान करने का आदेश दिया जायेगा और अगर एक ग़ुलाम एक आज़ाद

का एक ग़ुलाम था कि वो एक आज़ाद के साथ मुख़्तलत हो गया फिर दोनों में से हर एक कहता है कि मैं आज़ाद हूं और मौला कहता है कि तुम में से एक मेरा ग़ुलाम है ता इन दोनों में से हर एक को इख़्तियार होगा कि उस से अल्लाह तआला की क़सम ले ता वक़्ती के यह मालूम न हो कि यह आज़ाद है पस अगर मौला ने एक की निस्बत क़सम खाली और दूसरे की निस्बत क़सम से इन्कार किया तो जिस की निस्बत क़सम से इन्कार किया वो आज़ाद होगा न दूसरा और अगर इस इन दोनों की निस्बत क़सम से इन्कार किया तो दोनों हुर्र हैं और अगर दोनों की निस्बत क़सम खाली तो अम्र मुख़तलिफ़ हो गया पस क़ाज़ी बाएहतियात हुक्म करेगा कि दोनों में से हर एक का निस्फ़ मुफ़्त आज़ाद करेगा और निस्फ़ बऔज़ निस्फ़ क़ीमत के आज़ाद करेगा (हुक्म देगा) और इसी तरह अगर तीन ग़ुलाम हों तो इन तीनों में से हर एक में से तिहाई आज़ाद होगा और हर एक अपनी दो तिहाई क़ीमत के वास्ते सआयत करेगा और इसी तरह अगर दस हों तो इन में भी यही ऐतबार होगा यह बदाऐ में है और अगर अपने ग़ुलाम के साथ ऐसी चीज़ जमा की जिस पर इतक़ ही वाक़े नहीं होता है जैसे चौपाया व दीवार वग़ैरह और कहा कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है या यह चीज़ या कहा कि इन दोनों में से एक आज़ाद है तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक इस का ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा यह मुहीत में है।

ख़्वाह इस ने नियत की हो या न की हो यह बदाऐ में है और अगर अपने ग़ुलाम और ग़ैर के ग़ुलाम दोनों से कहा कि तुम में से एक आज़ाद है तो बिल इजमाअ इस का ग़ुलाम आज़ाद न हो जायेगा इल्ला इस सूरत में कि इस की नियत में अपने ग़ुलाम का इतक़ हो और इसी तरह अगर बान्दी ज़िन्दा व बान्दी मुर्दा में जमा करके यूं कहा कि तू आज़ाद है या यह या यूं कहा कि

(1) क़ौला मुख़तलत हो गया इस की बहुत सी सूरतें हो सकती हैं मसलन ज़ैद ने अंधेरी रात में दो ग़ुलामों को कोठरी में बन्द करके फिर देर के बाद एक का हाथ पकड़ के इस को आज़ाद कर दिया और बाद छोड़ कर चला गया फिर सुबह को हरएक मुदई हुआ कि मेरा हाथ पकडा था।

के साथ मुखतलत/मिश्रित(1) हो गया मसलन एक व्यक्ति का एक ग़ुलाम था कि वह एक आज़ाद के साथ मिश्रित/मिक्स हो गया फिर दोनों में से हर एक कहता है कि मैं आज़ाद हूं और मालिक कहता है कि तुम में से एक मेरा ग़ुलाम है तो इन दोनों में से हर एक को अधिकार होगा कि उस से अल्लाह तआला की क़सम ले जब तक यह मालूम न हो कि यह आज़ाद है बस अगर मालिक ने एक के लिए क़सम खाली और दूसरे की लिए क़सम से इन्कार किया तो जिस की लिए क़सम से इन्कार किया वह आज़ाद होगा न कि दूसरा और अगर इस इन दोनों की लिए क़सम से इन्कार किया तो दोनों आज़ाद हैं और अगर दोनों की लिए क़सम खाली तो मामला भिन्न हो गया बस न्यायाधीश सावधानी से हुक्म देगा कि दोनों में से हर एक को आधा मुफ़्त आज़ाद करेगा और आधा, आधी क़ीमत के बदले आज़ाद करने का हुक्म देगा और इसी तरह अगर तीन ग़ुलाम हों तो इन तीनों में से हर एक में से तिहाई आज़ाद होगा और हर एक अपनी दो तिहाई क़ीमत के वास्ते कमाई/कोशिश करेगा और इसी तरह अगर दस हों तो इन में भी यही गणना होगी यह बदाऐ में है और अगर अपने ग़ुलाम के साथ ऐसी चीज़ जमा की जिस पर मुक्ति ही स्पष्ट नहीं होती है जैसे चौपाया व दीवार आदि और कहा कि मेरा ग़ुलाम मुक्त है या यह चीज़ या कहा कि इन दोनों में से एक मुक्त है तो इमाम आज़म रह० के निकट इस का ग़ुलाम मुक्त हो जायेगा यह मुहीत में है।

चाहे इस ने नियत की हो या न की हो यह बदाऐ में है और अगर अपने ग़ुलाम और ग़ैर के ग़ुलाम दोनों से कहा कि तुम में से एक आज़ाद है तो सर्व-सम्मित से उस का ग़ुलाम आज़ाद न हो जायेगा सिवा इस सूरत में कि इस की नियत में अपने ग़ुलाम की मुक्ति हो और इसी तरह अगर ज़िन्दा बान्दी व मृत बान्दी में एकत्र करके यूं कहा कि तू आज़ाद है या यह या यूं कहा कि

(1) कथन मुख़तलत/मिश्रित हो गया इस की बहुत सी सूरतें हो सकती हैं मसलन ज़ैद ने अंधेरी रात में दो ग़ुलामों को कोठरी में बन्द करके फिर कुछ देर के बाद एक का हाथ पकड़ के उस को आज़ाद कर दिया और छोड़ने के बाद चला गया फिर सुबह को हर एक दावेदार हुआ कि मेरा हाथ पकड़ा था।

तुम दोनों में से एक आज़ाद है तो इस की बान्दी आज़ाद न होगी और अगर अपने ग़ुलाम व आज़ाद के दरमियान जमा करके यूं कहा कि तुम दोनों में से एक आज़ाद है तो इस का ग़ुलाम आज़ाद न हो जायेगा इल्ला इस सूरत में कि नियत हो यह सिराज वहाज में है। फ़तावा अहले समरक़न्द में लिखा है कि अगर कहा कि मेरे ममलूकों में से एक बान्दी और एक ग़ुलाम आज़ाद है और इस ने बयान न किया (कि किस को मुराद लिया है) यहाँ तक कि मर गया और इस के दो ग़ुलाम और एक बान्दी है तो बान्दी आज़ाद हो जायेगी और हर दो ग़ुलाम में से हर एक का निस्फ़ हिस्सा आज़ाद हो जायेगा और हर एक अपने बाक़ी निस्फ़ के वास्ते सआयत करेगा और अगर इस के तीन ग़ुलाम और एक बान्दी हो तो बान्दी आज़ाद हो जायेगी और ग़ुलामों में हर एक में से एक तिहाई आज़ाद होगा और हर एक अपनी दो तिहाई क़ीमत के वास्ते सआयत करेगा और अगर इस के तीन ग़ुलाम और तीन बान्दियां हों तो हर एक अपनी दो तिहाई क़ीमत के वास्ते सआयत करेगा और अगर इस के तीन ग़ुलाम और तीन बान्दियां हों तो हर एक बान्दी और हर एक ग़ुलाम में से इस का तिहाई हिस्सा आज़ाद हो जायेगा और हर एक अपने बाक़ी के वास्ते सआयत करेगा और अगर इस के तीन ग़ुलाम और दो बान्दियां हों तो हर बान्दी में से निस्फ़ आज़ाद होगी और बाक़ी निस्फ़ के वास्ते हर एक सआयत करेगी और हर ग़ुलाम में से एक तिहाई आज़ाद हो जायेगा और बाक़ी दो तिहाई के वास्ते हर एक सआयत करेगा और इसी क़यास पर इस जिन्स के मसाइल को भी इस्तखराज करना चाहिए यह मुहीत में है और अगर इस ने अपने दो ग़ुलामों से कहा कि तुम में से एक आज़ाद है हालांकि इस की नियत में कोई मुअय्यन नहीं है। फिर क़ब्ल बयान के मर गया तो हर एक में से निस्फ़ आज़ाद हो जायेगा और हर एक अपनी निस्फ़ क़ीमत के वास्ते सआयत करेगा यह बदाऐ में है और मौला का वारिस बयान के हक में क़ायम मक़ाम मौला का न होगा यह मुहीत सुरखी में है। एक मर्द के तीन ग़ुलाम हैं इन में से दो ग़ुलाम इस के रूबरू गये पस इस ने कहा कि तुम में से एक आज़ाद है फिर इन दोनों

तुम दोनों में से एक आज़ाद है तो इस की बान्दी आज़ाद न होगी और अगर अपने ग़ुलाम व आज़ाद के बीच मिला करके यूं कहा कि तुम दोनों में से एक आज़ाद है तो इस का ग़ुलाम आज़ाद न होगा सिवा इस स्थिति में कि इरादा हो, यह सिराजुल वहाज में है। फ़तावा अहले समरक़न्द में लिखा है कि अगर कहा कि मेरे ग़ुलामों में से एक बान्दी और एक ग़ुलाम आज़ाद है और इस ने बयान न किया (कि किस को कहा है) यहाँ तक कि मर गया और इस के दो ग़ुलाम और एक बान्दी है तो बान्दी आज़ाद हो जायेगी और दोनों ग़ुलामों में से हर एक का आधा हिस्सा आज़ाद हो जायेगा और दोनों अपनी बाक़ी आधी के क़ीमत के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेंगे और अगर इस के तीन ग़ुलाम और एक बान्दी हो तो बान्दी आज़ाद हो जायेगी और ग़ुलामों में तीनों में से एक तिहाई आज़ाद होगा और हर एक अपनी दो तिहाई क़ीमत के लिए मुक्ति के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेंगे और अगर इस के तीन ग़ुलाम और तीन बान्दियाँ हों तो हर एक अपनी दो तिहाई क़ीमत के लिए कोशिश/कमाई करेगा और अगर इस के तीन ग़ुलाम और तीन बान्दियाँ हों तो हर एक बान्दी और हर एक ग़ुलाम में से इस का तिहाई हिस्सा आज़ाद हो जायेगा और हर एक अपने बाक़ी के लिए कोशिश करेगा और अगर इस के तीन ग़ुलाम और दो बान्दियां हों तो हर बान्दी में से आधी आज़ाद होगी और बाक़ी आधी के वास्ते हर एक कोशिश/मुक्ति के लिए कमाई करेगा और हर ग़ुलाम में से एक तिहाई आज़ाद हो जायेगा और बाक़ी दो तिहाई के वास्ते हर एक कोशिश/मुक्ति की क़ीमत देने के लिए कमाई करेगा और इसी समानता पर इस तरह के मामलों का भी इस्तखराज/निष्कर्षण/निचोड़ निकालना चाहिए यह मुहीत में है और अगर उस ने अपने दो ग़ुलामों से कहा कि तुम में से एक आज़ाद है हालांकि इस का इरादे में कोई निश्चित नहीं है। फिर बयान के पहले मर गया तो हर एक में से आधा आज़ाद हो जायेगा और हर एक अपनी आधी क़ीमत के लिए कमा कर देने की कोशिश करेगा यह बदाऐ में है, और मालिक का वारिस बयान के पक्ष में मालिक का स्थानापन्न न होगा यह मुहीतुल सुरखी

में से एक बाहर निकल आया और तीसरा ग़ुलाम दाखिल हुआ पस इस ने कहा कि तुम दोनों में से एक आज़ाद है तो जब तक मौला ज़िन्दा है इस को बयान करने का हुक्म दिया जायेगा पस अगर बयान किया और कहा कि मैंने कलाम अव्वल से इस का इतक़ मुराद लिया था जो बाहर निकल आया था तो कलाम अव्वल से वो ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा जो अन्दर रह गया था तो वही आज़ाद हो जायगा और दूसरा कलाम बातिल हो जायेगा और अगर उसने कहा के मैंने कलामे अव्वल से उसका इतक़ मुराद लिया था जो बाहर निकल आया था फिर मौला को हुक्म दिया जायेगा कि दूसरे कलाम की मुराद बयान करे और यह इस वक्त है कि इस ने पहले कलाम की मुराद बयान करने से शुरू किया हो और अगर दूसरे कलाम की मुराद बयान करनी शुरू की और कहा कि मैंने दूसरे कलाम से इस ग़ुलाम का इतक मुराद लिया था जो अन्दर रह गया था तो कलाम अव्वल से दो ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा जो बाहर निकल आया था और ईजाब अव्वल बातिल न होगा और अगर इस ने कहा कि मैंने दूसरे कलाम से वो ग़ुलाम मुराद लिया है जो अन्दर दाखिल हुआ है तो जो दाखिल हुआ है वो आज़ाद हो जायेगा और कलाम अव्वल के बयान के वास्ते हुक्म दिया जायेगा और अगर मौला ने कुछ बयान न किया और इन में से एक मर गया तो मौत भी बयान है पस अगर निकल आने वाला मरा हो तो जो अन्दर रह गया है वो बईजाब अव्वल आज़ाद हो जायेगा और दूसरा ईजाब बातिल हो जायेगा और अगर वो ग़ुलाम मर गया जो अन्दर रह गया है तो बाहर निकलने वाला बईजाब अव्वल आज़ाद हो जायेगा और दाखिल होने वाला बईजाब दोम आज़ाद हो जायेगा और अगर वो ग़ुलाम मर गया जो पीछे दाखिल हुआ है तो ईजाब अव्वल के हक़ में वो मुखतार किया जायेगा पस अगर इसने बाहर निकलने वाले को मुराद लिया तो जो अन्दर रह गया है वो बईजाब दोम आज़ाद हो जायेगा और अगर वो मुराद लिया जो अन्दर रह गया तो ईजाब दोम बातिल हो जायेगा और अगर इन में से कोई नहीं मरा बल्कि मौला क़ब्ल बयान के मर गया तो इतक़ उन सब में बऐतबार

में है। एक मर्द के तीन ग़ुलाम हैं इन में से दो ग़ुलाम इस के सामने गये बस इस ने कहा कि तुम में से एक आज़ाद है फिर इन दोनों में से एक बाहर निकल आया और तीसरा ग़ुलाम दाखिल हुआ बस उस ने कहा कि तुम दोनों में से एक आज़ाद है तो जब तक मालिक ज़िन्दा है उस को वर्णन करने का आदेश दिया जायेगा बस अगर बयान किया और कहा कि मैंने पहली बात से इस की मुक्ति चयन की थी जो अन्दर रह गया था तो वही आज़ाद हो जायगा और दूसरा बात अमान्य हो जायेगी और अगर उसने कहा के मैंने पहली बात से उसकी मुक्ति मतलब ली थी जो बाहर निकल आया था तो पहली बात से वह ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा जो बाहर निकल आया था फिर मालिक को हुक्म दिया जायेगा कि दूसरी बात का मतलब बयान करे, और यह उस समय है कि उसने पहली बात का मतलब बयान करने से आरंभ किया हो और अगर दूसरे कलाम का मतलब बयान करना आरंभ किया और कहा कि मैंने दूसरी बात से इस ग़ुलाम की मुक्ति तात्पर्य ली थी जो अन्दर रह गया था तो पहली बात से वह ग़ुलाम मुक्त हो जायेगा जो बाहर निकल आया था और वह पहला सकारात्मक कथन अमान्य न होगा, और अगर इस ने कहा कि मैंने दूसरी बात से वह ग़ुलाम तात्पर्य है जो अन्दर प्रवेश हुआ है तो जो प्रवेश हुआ है वह आज़ाद हो जायेगा और पहले कथन के बयान के लिए आदेश दिया जायेगा, और अगर मालिक ने कुछ बयान न किया और उन में से एक मर गया तो मृत्यु भी बयान है बस अगर निकल आने वाला मरा हो तो जो अन्दर रह गया है वह पहला मान कर आज़ाद हो जायेगा और दूसरा स्वीकार अमान्य हो जायेगा और अगर वह ग़ुलाम मर गया जो अन्दर रह गया है तो बाहर निकलने वाला पहला स्वीकार मान कर मुक्त हो जायेगा और प्रवेश होने वाला स्वीकार दूसरा आज़ाद हो जायेगा और अगर वह ग़ुलाम मर गया जो पीछे दाखिल हुआ है तो पहला स्वीकार के पक्ष में वह अधिकृत किया जाए गा बस अगर इसने बाहर निकलने वाले को चयन किया तो जो अन्दर रह गया है वह स्वीकार्य दूसरा आज़ाद हो जायेगा और अगर वह मतलब लिया जो

अहवाल के शाये हो जायेगा।

हर एक शख़्स के तीन ग़ुलाम सालिम ग़ानिम व मुबारक हैं पस इस ने अपनी सेहत में कहा कि सालिम हुर्र है या सालिम व ग़ानिम दोनों हुर्र हैं या सालिम व ग़ानिम व मुबारक सब आज़ाद हैं :

बाहर निकलने वाले से निस्फ़ और जो अन्दर दाखिल हुआ है इस में से निस्फ़ और जो मौजूद रहा है इस में से तीन चौथाई आज़ाद हो जायेगा और अगर मौला से यह फ़अल इस के मर्ज़ में सादिर हुआ पस अगर मौला की मिल्क में माल इस क़द्र हो कि इस की तिहाई से क़द्र आज़ाद शुदह बदआमद हो यानी एक रक़बा कामिल और तीन चौथाई हिस्सा रक़बा बर बिनाये क़ौल इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० या इस की तिहाई से बरआमद न हो लेकिन इस के वारिसों ने इजाज़त दे दी तो हुक्म यही है जो हम ने बयान किया है और अगर मौला का कुछ माल सिवाऐ इन ग़ुलामों के न हो और वारिसों ने इजाज़त भी न दी तो बक़द्रे तिहाई के इन सब में बतरीक़ मज़कूरह बाला तक़सीम कर दिया जायेगा और इस की तौज़ीह यूं है कि बाहर निकलने वाले का हक़ बक़द्र निस्फ़ के और दाखिल होने वाले का हक़ भी इसी क़द्र और जो अन्दर रह गया है इस का हक़ बक़द्र तीन चौथाई के है पस ऐसा अदद चाहिए कि इस का निस्फ़ दरबअ बरआमद हो और यह कम से कम चार है पस हक़ खारिज शवनदह व सहम और हक़ साबित शून्दह तीन सहम और हक़ दाखिल शुदह दो सहम पस जुम्ला सहाम इतक़ सात तक पहुंचे पस मौला के तिहाई माल के सात हिस्से किये जाऐंगे और जब तिहाई माल के सात हिस्से हुए तो दो तिहाई माल के चौदह हिस्से हुए और यही सहाम सआयत हैं और पूरे माल के इक्कीस हिस्से हुए और यह मफ़रूज़ है कि इस का माल यही

अन्दर रह गया तो दूसरा स्वीकार अमान्य हो जायेगा और अगर इन में से कोई नहीं मरा बल्कि मालिक बयान के पहले मर गया तो मुक्ति उन सब में स्थिति अनुसार विचार करके विभाजित हो जायेगी।

हर एक व्यक्ति के तीन ग़ुलाम सालिम ग़ानिम व मुबारक हैं बस इस ने अपनी स्वस्थ हालत में कहा कि सालिम मुक्त है या सालिम व ग़ानिम दोनों मुक्त हैं या सालिम व ग़ानिम व मुबारक सब आज़ाद हैं

बाहर निकलने वाले से आधी और जो अन्दर प्रवेश हुआ है इस में से आधा और जो मौजूद रहा है इस में से तीन चौथाई आज़ाद हो जायेगा और अगर मालिक से यह काम इस के रोग में निर्णित हुआ बस अगर मालिक की मिल्कियत में माल इतना हो कि उस की तिहाई के बराबर आज़ाद जैसा प्राप्त हो यानी इमामे आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० कथन पर आधारित एक पूरा क्षेत्र और तीन चौथाई हिस्सा क्षेत्र या उस की तिहाई से प्राप्त न हो लेकिन उस के वारिसों ने आज्ञा दे दी तो यही आदेश है जो हम ने बयान किया है और अगर मालिक का कुछ माल सिवाऐ इन ग़ुलामों के न हो और वारिसों ने आज्ञा भी न दी तो तिहाई के जितना इन सब में वर्णित तरीक़े से उपरोक्त वर्णनानुसार विभाजन कर दिया जायेगा और इस की व्याख्या यूं है कि बाहर निकलने वाले का अधिकार आधे के जितना और दाखिल होने वाले का हक़ भी उसी के जितना और जो अन्दर रह गया है उस का हक़ तीन चौथाई के जितना है बस ऐसी संख्या चाहिए कि इस का आधा चौथाई प्राप्त हो और यह कम से कम चार है बस निकाले गए अधिकार व सहम/वह भाग या अंश जो विभाजन में किसी को मिले और सिद्ध किया हुआ अधिकार तीन हिस्से और अधिकार के भीतर दो भाग बस तमाम मुक्ति के हिस्से सात तक पहुंचे बस मालिक के तिहाई माल के सात हिस्से किये जाऐंगे और जब तिहाई माल के सात हिस्से हुए तो दो तिहाई माल के चौदह हिस्से हुए और यही हिस्से कोशिश/

तीन ग़ुलाम हैं पस हर ग़ुलाम के साथ हिस्से हुए पस जो ग़ुलाम बाहर निकल आया था इस के सात हिस्सों में से दो हिस्से आज़ाद होंगे और अपने पांच सहाम के वास्ते सआयत करेगा और नीज़ दाखिल शूदह भी दो सहाम के आज़ाद होने के बाद अपने पांच सहाम के वास्ते सआयत करेगा और जो ग़ुलाम अन्दर ही रहा था इस में से तीन हिस्से आज़ाद हो कर चार हिस्सों के वास्ते सआयत करेगा पस सहाम वसाया (1) का मज्मूआ सात हुआ और सहाम सआयत का मज्मूआ चौदह हुआ पस तिहाई दो तिहाई ज़ाहिर हुआ कि ठीक है यह काफ़ी में है। एक शख़्स के तीन ग़ुलाम सालिम ग़ानिम व मुबारक हैं पस इस ने अपनी सेहत में कहा कि सालिम हुर्र है या सालिम व ग़ानिम दोनों हुर्र हैं या सालिम व ग़ानिम व मुबारक सब आज़ाद हैं पस अगर इस ने अपने बयान में खाली सालिम पर इतक़ वाक़े किया तो सालिम तन्हा आज़ाद हो जायेगा और अगर इस ने ग़ानिम पर इतक़ वाक़े किया तो सालिम भी इस के साथ आज़ाद होगा और अगर मुबारक पर इतक़ वाक़े किया तो यह सब आज़ाद हो जाऐंगे। और इसी तरह अगर इस ने कहा हो कि और निस्फ़ ग़ानिम और तिहाई मुबारक आज़ाद (2)है इस वास्ते कि असाबत के वास्ते (हासिल करना पा लेना) एक ही हालत है और महरूम होने के वास्ते कई अहवाल हैं और अगर उस न मर्ज़ में ऐसा कहा पस अगर उस का कुछ माल सिवाऐ उन के हुए हत्ता कि एक रक़बा कामिल और पांच छटे हिस्से एक रक़बा के इस के तिहाई माल से बरआमद हों तो हुक्म ऐसा ही है।

वारिस = उत्तराधिकारी

अगर उस का कुछ माल सिवाऐ इन के न हो और वारिसों ने इजाज़त दे दी तो भी ऐसा ही हुक्म है और अगर वारिसों ने इजाज़त न दी तो यह ग़ुलाम इस के

(1)क़ाल सहाम वसाया इस वजह से कि मरीज़ का आज़ाद करना बातिल होता है इल्ला बक़द्रएक तिहाई जो बतौर वसियत दिया जाता है लिहाज़ाऐसा फ़रमाया।
(2) तो भीयही हुक्म है इस वास्ते।

मुक्ति के लिए कमाने के हैं और पूरे माल के इक्कीस हिस्से हुए और यह मक़रूज़/ऋणी हैं कि इस का माल यही तीन ग़ुलाम हैं बस हर ग़ुलाम के साथ हिस्से हुए बस जो ग़ुलाम बाहर निकल आया था इस के सात हिस्सों में से दो हिस्से आज़ाद होंगे और अपने पांच हिस्सों के वास्ते कमा कर देने कोशिश करेगा और बाहर निला हुआ भी दो भाग के आज़ाद होने के बाद अपने पांच हिस्सों के वास्ते कमा कर देने कोशिश करेगा और जो ग़ुलाम अन्दर ही रहा था इस में से तीन हिस्से आज़ाद हो कर चार भाग के वास्ते कमा कर देने कोशिश करेगा बस वसियत के हिस्से (1) का टोटल सात हुआ और कमा कर क़ीमत देने की कोशिश के हिस्सों का टोटल चौदह हुआ बस तिहाई दो तिहाई स्पष्ट हुआ कि ठीक है, यह अलकाफ़ी में है। एक शख़्स के तीन ग़ुलाम सालिम ग़ानिम व मुबारक हैं बस उस ने अपनी स्वस्थ हालत में कहा कि सालिम आज़ाद है या सालिम व ग़ानिम दोनों आज़ाद हैं या सालिम व ग़ानिम व मुबारक सब आज़ाद हैं बस अगर इस ने अपने बयान में केवल सालिम पर मुक्ति स्पष्ट की तो सालिम अकेला मुक्त हो जायेगा और अगर इसने ग़ानिम पर मुक्ति स्पष्ट की तो सालिम भी इस के साथ मुक्त होगा और अगर मुबारक पर मुक्ति स्पष्ट की तो यह सब आज़ाद हो जाऐंगे। और इसी तरह अगर इस ने कहा हो कि और आधा ग़ानिम और तिहाई मुबारक मुक्त(2)हैं इस सही निर्णय पर पहुंचने के लिए (प्राप्त करना, पा लेना) एक ही हालत है और वंचित होने के लिए कई हालात हैं और अगर उस ने रोग में ऐसा कहा बस अगर उस का कुछ माल सिवाऐ उन के हुए यहाँ तक कि एक पूरा क्षेत्र और पांच छटे हिस्से एक क्षेत्र के उस के तिहाई माल से वसूल हों तो आदेश ऐसा ही है।

अगर उस का कुछ माल सिवाऐ इन के न हो और वारिसों ने आज्ञा दे दी तो भी ऐसा ही आदेश है और अगर वारिसों ने आज्ञा न दी तो यह ग़ुलाम इस के

(1)कथन वसीयत का हिस्सा इस वजह से कि रोगी का आज़ाद करना अमान्य होता है सिवाए जितना कि एक तिहाई हो जो बतौर वसियत दिया जाता है लिहाज़ा ऐसा फ़रमाया।
(2) तो भी यही आदेश है इस वास्ते।

तिहाई माल में बक़द्रे अपने अपने हुक़ूक़ के शरीक किये जाऐंगे और इस का तरीक़ा यह है कि मय्यत के तिहाई माल के छः हिस्से किये जाऐं क्योंकि हम को निस्फ़ व तिहाई की हाजत है। पस सालिम छः का और ग़ानिम इस के निस्फ़ यानी तीन(3) का और मुबारक इस के तिहाई यानी दो(2) का शरीक किया जायेगा जिस का मजमूआ ग्यारह(11) है पस तिहाई माल के ग्यारह हिस्से किये जाऐंगे और बाक़ी दो तिहाई माल के इस के दो चन्द बाईस हिस्से होंगे पस तमाम माल के तेंतीस(33) हिस्से हुए और कुल माल तीन(3) ग़ुलाम हैं पस हर ग़ुलाम के ग्यारह(11) हिस्से हुए पस सालिम में से छे(6) हिस्सा आज़ाद होंगे और पांच (5) हिस्से के वास्ते सआयत करेगा और ग़ानिम में से तीन (3) हिस्से आज़ाद होंगे और आठ हिस्सों के वास्ते सआयत करेगा और मुबारक में से दो (2) हिस्से आज़ाद होंगे और (9) हिस्सों के वास्ते सआयत करेगा पस सहाम वसाया का मज्मूआ (11) हुआ और सहाम सआयत का मजमूआ इस का दो चन्द (22) पस तिहाई व दो तिहाई ठीक बरआमद हुई और अगर इस ने कहा कि सालिम आज़ाद है या ग़ानिम व सालिम दोनों आज़ाद हैं या मुबारक व सालिम आज़ाद हैं तो इस को इख़्तयार होगा और इस से कहा जायेगा कि इतक़ इन तीनों में से जिस पर चाहे वाक़े करे तो उस ने जिस पर इतक़ वाक़े किया इस ईजाब में जो शामिल (1) होगा वो आज़ाद हो जायेगा और अगर वो क़ब्ल बयान मर गया तो पूरा सालिम आज़ाद होगा और बाक़ी दोनों में से हर एक में से एक तिहाई आज़ाद होगा और अगर इस ने मर्ज़ में ऐसा कहा और हाल यह है कि इस का माल इस क़द्र है कि एक रक़बा और दो तिहाई रक़बा इस के तिहाई माल से बरआमद होता है या नहीं निकलता है मगर वारिसों ने इस इतक़ की इजाज़त दे दी तो भी यही हुक्म है और अगर वारिसों ने इजाज़त न दी तो कुल माल की तिहाई में यह सब ग़ुलाम बक़द्र अपने अपने हुक़ूक़ के मुशतरिक होंगे पस सालिम का हक़ पूरे रक़बा का हुआ और ग़ानिम व मुबारक हर एक का हक़

(1) मसलन इस ने मुबारक की आज़ादी इख़्तियार की तो मुबारक के साथ सालिम भी आज़ाद होगा।

तिहाई माल में उतने ही अपने अपने हुक़ूक़/भाग के साझेदार किये जाऐंगे और उस का तरीक़ा यह है कि मरने वाले के तिहाई माल के छः हिस्से किये जाऐं क्यों कि हम को आधा व तिहाई की ज़रूरत है। बस सालिम छः का और ग़ानिम इस के आधा यानी तीन(3) का और मुबारक इस के तिहाई यानी दो(2) का साझेदार किया जायेगा जिस का कुल योग ग्यारह(11) है बस तिहाई माल के ग्यारह हिस्से किये जाऐंगे और बाक़ी दो तिहाई माल के इस के दो गुने बाईस(22) हिस्से होंगे बस तमाम माल के तेंतीस(33) हिस्से हुए और कुल माल तीन(3) ग़ुलाम हैं बस हर ग़ुलाम के ग्यारह(11) हिस्से हुए बस सालिम में से छे(6) हिस्से आज़ाद होंगे और पांच (5) हिस्से के वास्ते क़ीमत देने के लिए कमाने की कोशिश करेगा और ग़ानिम में से तीन (3) हिस्से आज़ाद होंगे और बाक़ी आठ हिस्सों के वास्ते कमा कर देने की कोशिश करेगा और मुबारक में से दो (2) हिस्से आज़ाद होंगे और नौ(9) हिस्सों के वास्ते कमा कर देने की कोशिश करेगा बस वसीयत के हिस्सों का कुल योग ग्यारह (11) हुआ और मुक्ति के लिए कार्य/कमाने की कोशिश का योग इस का दो गुना (22) बस तिहाई व दो तिहाई की ठीक से प्राप्ती हुई और अगर उस ने कहा कि सालिम आज़ाद है या ग़ानिम व सालिम दोनों आज़ाद हैं या मुबारक व सालिम आज़ाद हैं तो उस को अधिकार होगा और उस से कहा जायेगा कि मुक्ति इन तीनों में से जिस पर चाहे स्पष्ट करे तो इस ने जिस पर मुक्ति स्पष्ट की उस स्वीकार में जो शामिल(1) होगा वह आज़ाद हो जायेगा और अगर वह बयान करने से पहले मर गया तो पूरा सालिम आज़ाद होगा और बाक़ी दोनों में से हर एक में से एक तिहाई आज़ाद होगा और अगर इस ने रोग में ऐसा कहा और हाल यह है कि इस का माल इस क़द्र है कि एक क्षेत्र और दो तिहाई क्षेत्र इस के तिहाई माल से निकलता है या नहीं निकलता है मगर वारिसों ने इस मुक्ति की आज्ञा दे दी तो भी यही हुक्म है और अगर वारिसों ने आज्ञा न दी तो कुल माल की तिहाई में यह सब ग़ुलाम बराबर

(1) उदहारणतः इस ने मुबारक की आज़ादी निश्चित की तो मुबारक के साथ सालिम भी आज़ाद होगा।

तिहाई रक़बा का है और कम से कम ऐसा अदद जिस की तिहाई बरआमद हो तीन ३ है पस हक़ सालिम (३) हुआ और बाक़ी हर एक का हक़ एक एक हुआ पस मजमूआ सहामे इतक़ (5) हुआ पस यह तिहाई माल के हिस्से हुए पस पूरे माल के (15) हिस्से हुए पस हर रक़बा के (5) हिस्से हुए अज आंजुमला सालिम में से (३) आज़ाद और दो के वास्ते सआयत करेगा और गानिम व मुबारक हर एक में से एक हिस्सा आज़ाद और चार हिस्सों के वास्ते सआयत करेगा पस सहाम इतक़ का मजमूआ (5) हुआ और सहाम सआयत का मजमूआ (10) हुआ यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है और अगर कहा कि सालिम आज़ाद है या ग़ानिम व सालिम या मुबारक व सालिम तो या के बाद हर जगह खबर मुक़द्दर होगी और यह सब ईजाबात मुखतलिफ़ा होंगे और ईजाबात मुखतलिफ़ा में कलिमा या मौजिब तख़य्युर होता है पस सालिम हर हाल में आज़ाद हो जायेगा और मुबारक व ग़ानिम में से हर एक एक हाल में आज़ाद और दो हाल में ग़ैर आज़ाद होंगे पस सालिम और बाक़ी दोनों में से एक तिहाई हिस्से आज़ाद होंगे ओर बाज़ ने कहा कि सालिम सानियत मुब्तदा व आखिरूल मअतूफ़ अलैहि है पस वो इस से आज़ाद न होगा और बाक़ी दोनों बतअय्युन लेकिन क़ब्ल अतफ़ के जवाज़ इतक मानअ इतक़ है और अगर यूं कहा कि सालिम आज़ाद है या सालिम व ग़ानिम या सालिम व मुबारक तो सब आज़ाद हो जाऐंगे इस वास्ते कि या लग़ू हो गया बसबब इत्तहाद इस्म व खबर के लेकिन वो मिस्ल सकूत के है कि मानअ अतफ़ नहीं है और बाज़े मिस्ल ने फ़रमाया कि जो हुक्म यहाँ मज़कूर है वो साहबीन रह० का क़ौल है और इमाम आज़म रह० के नज़दीक ग़ानिम व मुबारक आज़ाद न होंगे लेकिन अव्वल असह है (यानी बिल इज्माअ सब का क़ौल है) और अगर इस ने सालिम व ग़ानिम से कहा कि तुम में से एक आज़ाद है या सालिम, तो सालिम में से तीन चौथाई आज़ाद होगा और ग़ानिम से एक चौथाई और अगर कहा कि सालिम आज़ाद है या ग़ानिम या सालिम तो हर एक में से निस्फ़ निस्फ़ आज़ाद होगा इस वास्ते कि सौम ऐन अव्वल है पस इस का

अपने अपने अधिकारों के साझा होंगे बस सालिम का हक़ पूरे क्षेत्र का हुआ और ग़ानिम व मुबारक हर एक का हक़ तिहाई क्षेत्र का है और कम से कम ऐसी संख्या जिस की तिहाई वसूल हो तीन ३ है बस सालिम का हक़ तीन ३ हुआ और बाक़ी हर एक का हक़ एक एक हुआ बस आज़ाद के हिस्से का योग 5 हुआ बस यह तिहाई माल के हिस्से हुए बस पूरे माल के 15 हिस्से हुए बस हर क्षेत्र के 5 हिस्से हुए उनमें तमाम में सालिम में से कुल तीन ३ आज़ाद और दो के वास्ते कमा कर देने की कोशिश करेगा और ग़ानिम व मुबारक हर एक में से एक हिस्सा आज़ाद और चार हिस्सों के वास्ते कमा कर देने की कोशिश करेगा बस मुक्ति के हिस्सों का योग पांच 5 हुआ और कमा कर देने की कोशिश के हिस्सों का योग दस (10) हुआ यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है, और अगर कहा कि सालिम आज़ाद है या ग़ानिम व सालिम या मुबारक व सालिम तो इसके बाद हर जगह सूचना /परंपरा मुक़द्दर/पूर्वनियति होगी और यह सब स्वीकार्य भिन्न होंगे और भिन्नता स्वीकारने में कथन या कारण का सही चयन होता है बस सालिम हर हाल में मुक्त हो जायेगा और मुबारक व ग़ानिम में से हर एक एक स्थिति में आज़ाद और दूसरी स्थिति में दूसरे आज़ाद होंगे बस सालिम और बाक़ी दोनों में से एक तिहाई हिस्से आज़ाद होंगे और कुछ ने कहा कि सालिम फिर से दूसरा एंव अंतिम सहानुभूति प्राप्त है बस वह इस से आज़ाद न होगा और बाक़ी दोनों नियुक्ति के कारण लेकिन सहानुभूति के पहले मुक्ति का कारण मुक्ति की रूकावट है और अगर यूं कहा कि सालिम मुक्त है या सालिम व ग़ानिम या सालिम व मुबारक तो सब मुक्त हो जाऐंगे इस लिए कि यह झूठ हो गया नाम व सूचना एकत्र होगे के कारण से लेकिन वह शांती के समान है कि सहानुभूति में रूकावट नहीं है और कुछ ने मिलता-जुलता कहा है कि जो हुक्म यहाँ वर्णित है वह साहबीन रह० का कथन है और इमाम आज़म रह० के निकट ग़ानिम व मुबारक आज़ाद न होंगे लेकिन प्रथम सहीह है (यानी सर्वसम्मित से सब का कथन है) और अगर इस ने सालिम व ग़ानिम से कहा कि तुम में से एक मुक्त है या सालिम, तो

ज़िक्र लग़्व हुआ यह शरह तलखीस जामअ कबीर में है।

अगर इस के दो ग़ुलाम हों पस इस ने कहा कि सालिम आज़ाद है या सालिम व ग़ानिम आज़ाद हैं फिर बदून बयान के मर गया तो पूरा सालिम व निस्फ़ ग़ानिम आज़ाद हो जायेगा :

एक शख़्स के चार ग़ुलाम हैं सालिम, ग़ानिम, फ़ुरक़द, मुबारक, इन सब की क़ीमत बराबर है पस इस ने अपनी सेहत में कहा कि सालिम व ग़ानिम आज़ाद हैं या ग़ानिम व फ़ुरक़द आज़ाद हैं या फ़ुरक़द व मुबारक आज़ाद हैं तो तीनों ईजाबात सही हैं पस मौला को इख़्तयार दिया जायेगा। चुनांचे जिस ईजाब को इस ने इख़्तयार किया इस ईजाब में जितने शामिल हैं सब आज़ाद होंगे और बाक़ी बातिल हुए और अगर मौला क़ब्ल बयान के मर गया तो सालिम में से एक तिहाई हिस्सा आज़ाद होगा और दो तिहाई के वास्ते सआयत करेगा और यही हाल मुबारक का है और रहा ग़ानिम पस वो दो हाल में आज़ाद होगा इस वास्ते कि वो दो ईजाबों अव्वल व दोम में दाखिल है पस इस में से दो तिहाई हिस्सा आज़ाद होंगे और एक तिहाई के वास्ते सआयत करेगा और यही हाल फ़ुरक़द है इस वास्ते कि वो ईजाब दोम व सोम दोनों में दाखिल है और अहवाल असाबत (1) बिना बर रिवायत इस किताब के अहवाल मुतफ़र्रिक़ा क़रार दिये जाते हैं पस असाबत ईजाबे दोम अलाहिदा है और असाबत ईजाब सौम अलाहिदा मोअतबर है। अगर यह कौल मर्ज़ में इस ने कहा और यह ग़ुलाम इस के तिहाई माल से बरआमद होते हैं या बरआमद नहीं होते हैं कि वारिसों ने इजाज़त दे दी तो हुक्म ऐसा ही है और अगर बरआमद न हुए और वारिसों ने इजाज़त भी न दी तो

(1) असाबत पहुंचाना यहाँ मुराद यह है कि हर एक ईजाब से जिस क़द्र जिस ग़ुलाम को पहुंचा।

सालिम में से तीन चौथाई मुक्त होगा और ग़ानिम में से एक चौथाई और अगर कहा कि सालिम आज़ाद है या ग़ानिम या सालिम तो हर एक में से आधा आधा आज़ाद होगा इस लिए कि तीसरा एकदम पहला है बस इस का वर्णन झूठ हुआ यह शरह तलखीस जामअ कबीर में है।

अगर इस के दो ग़ुलाम हों बस इस ने कहा कि सालिम आज़ाद है या सालिम व ग़ानिम आज़ाद हैं फिर यह कहकर के मर गया तो पूरा सालिम व आधा ग़ानिम आज़ाद हो जायेगा :

एक व्यक्ति के चार ग़ुलाम हैं सालिम, ग़ानिम, फ़ुरक़द, और मुबारक, इन सब की क़ीमत समान है बस इस ने अपनी स्वस्थ हालत में कहा कि सालिम व ग़ानिम आज़ाद हैं या ग़ानिम व फ़ुरक़द आज़ाद हैं या फ़ुरक़द व मुबारक आज़ाद हैं तो तीनों स्वीकार सही हैं बस मालिक को अधिकार दिया जायेगा। चुनांचे जिस स्वीकार को उस ने स्वीकारा उस स्वीकार में जितने शामिल हैं सब मुक्त होंगे और बाक़ी अमान्य हुए और अगर मालिक वर्णन के पहले मर गया तो सालिम में से एक तिहाई हिस्सा मुक्त होगा और दो तिहाई के लिए कमा कर क़ीमत देने कोशिश करेगा और यही हाल मुबारक का है और रहा ग़ानिम बस वह दो वर्तमान में आज़ाद होगा इस वास्ते कि वह दो स्वीकारों प्रथम व द्वत्यि में सम्मिलित है बस इस में से दो तिहाई हिस्से आज़ाद होंगे और एक तिहाई के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा और यही हाल फ़ुरक़द का है इस वास्ते कि वह द्वित्य व तृत्यि स्वीकार दोनों में सम्मिलित है और सही निर्णय के हाल(1)रिवायत पर आधारित है इस लिखने के हालात भिन्न घोषित दिये जाते हैं बस द्वितीय सही निर्णय लेने का स्वीकार अलग है और तृतीय सही निर्णय लेने का स्वीकार अलग विश्वसनीय है। अगर यह कथन रोग में इस ने कहे और यह ग़ुलाम इस के तिहाई माल से वसूल होते हैं या वसूल नहीं होते हैं कि वारिसों ने आज्ञा दे दी तो हुक्म ऐसा ही

(1) असाबत/सही निर्णय पहुंचाना यहाँ मुराद यह है कि हर एक स्वीकार से जितना जिस ग़ुलाम को पहुंचा।

तिहाई माल इन सब पर बक़द्र इन के इस्तहक़ाक़ के तक़सीम होगा पस सालिम व मुबारक में से हर एक का हक़ एक सहम है और ग़ानिम व फ़ुरक़द में से हर एक का हक दो सहम है और अगर एक शख़्स ने अपने तीन ग़ुलामों को जिन की क़ीमत बराबर है कहा कि सालिम आज़ाद है या ग़ानिम आज़ाद है या ग़ानिम व मुबारक आज़ाद हैं तो वो मुख़तार होगा जिस ईजाब को इस ने इख़्तयार किया जो ग़ुलाम इस ईजाब में शामिल है वो आज़ाद होगा और अगर वो बयान से पहले मर गया तो सालिम में से एक तिहाई और मुबारक में से एक तिहाई और ग़ानिम में से दो तिहाई आज़ाद होगी। अगर इस मय्यत का कुछ माल सिवाए इन ग़ुलामों के न हो और वारिसों ने इजाज़त न दी तो इस का तिहाई माल इन सब ग़ुलामों पर बक़द्र इन के हुक़ूक़ तक़सीम होगा और अगर इस ने दो ग़ुलामों को कहा कि सालिम आज़ाद है या मुबारक आज़ाद है या दोनों आज़ाद हैं और क़ब्ल बयान के मर गया तो हर एक में से तीन चौथाई आज़ाद हो जायेगा और अगर सिवाए इन के इस का कुछ माल न हो तो मय्यत का तिहाई माल इन दोनों में निस्फ़ निस्फ़ होगा यानी हर एक में से तिहाई हिस्सा आज़ाद होगा और अगर इस ने तीन ग़ुलामों से कहा कि सालिम आज़ाद है या ग़ानिम आज़ाद है या मुबारक व ग़ानिम व सालिम आज़ाद हैं तो इस को इख़्तयार होगा जस ईजाब को इस ने इख़्तयार किया जिस ग़ुलाम को यह ईजाब शामिल है वो आज़ाद होगा और वो क़ब्ल बयान के मर गया तो मुबारक से एक तिहाई हिस्सा आज़ाद हो जायेगा और सालिम व ग़ानिम हर एक में से दो तिहाई हिस्सा आज़ाद होगा और अगर इस का कुछ माल सिवाए इन के न हो और वारिसों ने इजाज़त न दी तो तिहाई माल इन सब में बक़द्र इन के हुक़ूक़ के तकसीम होगा और अगर इस का कुछ माल सिवाए इन के न हो और वारिसों ने इजाज़त न दी तो तिहाई माल इन सब में बक़द्र इन के हुक़ूक़ के तक़सीम होगा यह शरह ज़ियादात इताबी में है और अगर इस के दो ग़ुलाम हों पस इस ने कहा कि सालिम आज़ाद है या सालिम व ग़ानिम आज़ाद हैं फिर बदून बयान के मर गया तो पूरा सालिम व निस्फ़ ग़ानिम है और अगर वसूल न हुए और वारिसों ने आज्ञा भी न दी तो तिहाई माल इन सब पर इन के विशेषाधिकार के जितना विभाजित होगा बस सालिम व मुबारक में से हर एक का हक़ एक भाग है और ग़ानिम व फ़ुरक़द में से हर एक का हक़ दो भाग है और अगर एक व्यक्ति ने अपने तीन ग़ुलामों को जिन की क़ीमत बराबर है कहा कि सालिम आज़ाद है या ग़ानिम आज़ाद है या ग़ानिम व मुबारक आज़ाद हैं तो वह अधिकृत होगा जिस स्वीकार को इस ने अपनाया यानी जो ग़ुलाम इस स्वीकार में सम्मिलित है वह आज़ाद होगा और अगर वह बयान से पहले मर गया तो सालिम में से एक तिहाई और मुबारक में से एक तिहाई और ग़ानिम में से दो तिहाई आज़ाद होगी। अगर इस मरने वाले का कुछ माल सिवाए इन ग़ुलामों के न हो और वारिसों ने इजाज़त न दी तो इस का तिहाई माल इन सब ग़ुलामों पर इन के हक़ के अनुसार विभजित होगा और अगर इस ने दो ग़ुलामों को कहा कि सालिम आज़ाद है या मुबारक आज़ाद है या दोनों आज़ाद हैं और बयान के पहले मर गया तो हर एक में से तीन चौथाई आज़ाद हो जायेगा और अगर सिवाए उन के इस का कुछ माल न हो तो मरने वाले का तिहाई माल इन दोनों में आधा आधा होगा यानी हर एक में से तिहाई हिस्सा आज़ाद होगा और अगर इस ने तीन ग़ुलामों से कहा कि सालिम मुक्त है या ग़ानिम आज़ाद है या मुबारक व ग़ानिम व सालिम आज़ाद हैं तो उस को अधिकार होगा जिस स्वीकार को उसने स्वीकारा यानी जो ग़ुलाम इस स्वीकार में सम्मिलित है वह आज़ाद होगा और वह बयान के पहले मर गया तो मुबारक में से एक तिहाई हिस्सा मुक्त हो जायेगा और सालिम व ग़ानिम हर एक में से दो तिहाई हिस्सा आज़ाद होगा और अगर उस का कुछ माल सिवाए इन के न हो और वारिसों ने आज्ञा न दी तो तिहाई माल इन सब में इन के अधिकारों के जितना विभाजित होगा और अगर इस का कुछ माल सिवाए इन के न हो और वारिसों ने आज्ञा न दी तो तिहाई माल इन सब में उनके अधिकारों के जितना विभाजित होगा यह शरह ज़ियादात इताबी में है, और अगर इस के दो ग़ुलाम हों बस इस ने कहा कि

आज़ाद हो जायेगा अगर यह क़ौल उस ने मर्ज़ में कहा और इन दोनों के सिवाए इस का कुछ माल नहीं है तो इस के तिहाई माल में दोनों बक़द्र अपने अपने हुक़ूक़ के शरीक किये जाऐंगे पस सालिम का हक़ पूरे रक़बा का है और हक़ ग़ानिम इस के निस्फ़ में है पस हक़ सालिम दो सहाम हुए और हक़ ग़ानिम एक सहम है पस कुल तीन सहाम हुए और यही तिहाई माल है पस कुल माल के नौ हिस्से हुए कि हर रक़बा के मुक़ाबले में साढ़े चार हिस्से हुए पस सालिम में से दो हिस्से आज़ाद हुए और ढ़ाई हिस्सों के वास्ते वो सआयत करेगा और ग़ानिम में से एक सहम आज़ाद होगा और वो साढ़े तीन सहाम के वास्ते सआयत करेगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है।

अगर सालिम व ग़ानिम को जमा किया और कहा कि मैंने इख़्तयार किया कि तुम में से एक गुलाम रहे फिर गुलाम व मुबारक को जमा करके कहा कि मैंने इख़्तयार किया कि तुम में से एक ग़ुलाम रहे फिर मर गया तो इस का इख़्तयार अव्वल बातिल हो गयाः

अगर उस ने तीन ग़ुलामों से कहा कि तू आज़ाद है या तुम दोनों (यानी दोम, सोम) में से एक आज़ाद है या तुम सब (इन तीनों ग़लामों को) में से एक आज़ाद है और बयान से पहले मर गया तो अव्वल से चार नवें हिस्से आज़ाद होंगे और बाक़ी दोनों में से हर एक से ढ़ाई नवें हिस्से आज़ाद होंगे और कहा कि तू आज़ाद है और इसी एक और दूसरे से कहा कि या तुम दोनों में से एक आज़ाद है और फिर सब से कहा कि तुम सब में से एक आज़ाद है तो अव्वल में से साढ़े पांच नवें हिस्से आज़ाद होंगे और ढ़ाई नवें हिस्से दूसरे में से आज़ाद होंगे और तीसरे में से एक नवां हिस्सा आज़ाद होगा और अगर कहा कि तू आज़ाद है या तू आज़ाद है एक दूसरे

सालिम आज़ाद है या सालिम व ग़ानिम मुक्त हैं फिर बिना बयान के मर गया तो पूरा सालिम व आधा ग़ानिम मुक्त हो जायेगा अगर यह कथन उस ने रोग में कहा और इन दोनों के सिवाए इस का कुछ माल नहीं है तो इस के तिहाई माल में दोनों अपने अपने अधिकारों के जितना साझा किये जाऐंगे बस सालिम का अधिकार पूरे क्षेत्र का है और ग़ानिम का अधिकार उस के आधा है बस सालिम का अधिकार दो हिस्से हुआ और ग़ानिम का हक़ एक हिस्सा है बस कुल तीन हिस्से हुए और यही तिहाई माल है बस कुल माल के नौ हिस्से हुए कि हर क्षेत्र के मुक़ाबले में साढ़े चार हिस्से हुए बस सालिम में से दो हिस्से मुक्त हुए और ढ़ाई हिस्सों के लिए वह कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा और ग़ानिम में से एक हिस्सा आज़ाद होगा और वह साढ़े तीन हिस्से के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है।

अगर सालिम व ग़ानिम को जमा किया और कहा कि मैंने अधिकृत किया कि तुम में से एक ग़ुलाम रहे फिर ग़ुलाम व मुबारक को जमा करके कहा कि मैंने अधिकृत किया कि तुम में से एक ग़ुलाम रहे फिर मर गया तो इस का पहला अधिकृत करना अमान्य हो गयाः

अगर उस ने तीन ग़ुलामों से कहा कि तू आज़ाद है या तुम दोनों (यानी द्वितीय, तृतीय) में से एक आज़ाद है या तुम सब (इन तीनों ग़लामों) में से एक आज़ाद है और बयान से पहले मर गया तो पहले से चार नौवें हिस्से आज़ाद होंगे और बाक़ी दोनों में से हर एक से ढ़ाई नौवें हिस्से आज़ाद होंगे और कहा कि तू आज़ाद है और इसी एक और दूसरे से कहा कि या तुम दोनों में से एक मुक्त है और फिर सब से कहा कि तुम सब में से एक आज़ाद है तो पहले में से साढ़े पांच नौवें हिस्से आज़ाद होंगे और ढ़ाई नवें हिस्से दूसरे में से आज़ाद होंगे और तीसरे में से एक नवां हिस्सा आज़ाद होगा और

ग़ुलाम से कहा या तुम सब में से एक आज़ाद है तो अव्वल दोम में से हर एक में से चार नवें हिस्से और तीसरे में से एक नवां हिस्सा आज़ाद होगा यह काफ़ी में है और अगर कहा कि ऐ सालिम तू आज़ाद है या ऐ ग़ानिम तू आज़ाद है या ऐ मुबारक तू आज़ाद है तो वो मुख़तार होगा और अगर इस ने ग़ानिम व सालिम को जमा करके कहा कि तुम में से एक है तो दोनों में से एक दरमियान से निकल गया और इतक़ दरमियान मुबारक और दरमियान इन दोनों में से एक के दायर रहा कि इन में से जिस के हक़ में चाहे बयान करे और अगर क़ब्ल बयान के मर गया तो निस्फ़ मुबारक में से आज़ाद होगा और बाक़ी निस्फ़ दरमियान सालिम व ग़ानिम के मुशतरिक होगा कि हर एक में से चहारूम आज़ाद होगा क्योंकि दोनों मुसावी हैं और जामअ में मज़कूर है कि इस का यह कहना कि तुम दोनों में से एक ग़ुलाम है लग़ू है और अगर इस ने यह न कहा कि तुम में से एक ग़ुलाम है बल्कि यूं कहा कि तुम दोनों में से एक मुदब्बर है तो इन दोनों में से एक मुदब्बर हो जायेगा और क़तई इतक़ इन दोनों में से एक और मुबारक के दरमियान दायर रहेगा पस अगर वो क़ब्ल बयान के मर गया तो निस्फ़ मुबारक आज़ाद हो जायेगा और अपने निस्फ़ के वास्ते सआयत करेगा और सालिम व ग़ानिम हर एक में से चौथाई आज़ाद हो जायेगा बईजाब क़तअ और हर एक में से निस्फ़ मुदब्बर हो जायेगा और इस का ऐतबार मय्यत के तिहाई माल से होगा और अगर मौला से मय्यत का कुछ और माल हो कि तिहाई से बरआमद हों तो हर एक में से तीन चौथाई आज़ाद होगा कि जिस में से एक चौथाई बसबब क़तई के और निस्फ़ बसबब तदबीर के और एक चहारूम के वास्ते हर एक सआयत करेगा और अगर इस का कुछ माल न हो तो एक तिहाई माल इन दोनों में निस्फ़ा निस्फ़ होगा और चूंकि माल मय्यत वक्त मौत के दो रक़बा हैं पस इस में से तिहाई माल दो तिहाई रक़बा हुआ जो इन दोनों में मुशतरिक हुआ पस हर एक के वास्ते एक तिहाई रक़बा होगा पस हिसाब में ज़रूरत ऐसे अदद की है कि इस की तिहाइ व चौथाई निकलती हो और कमतर ऐसा अदद (12) है पस हम ने

अगर कहा कि तू आज़ाद है या तू आज़ाद है एक दूसरे ग़ुलाम से कहा या तुम सब में से एक आज़ाद है तो प्रथम द्वितीय में से हर एक में से चार नवें हिस्से और तीसरे में से एक नौवां हिस्सा आज़ाद होगा यह काफ़ी में है और अगर कहा कि ऐ सालिम तू आज़ाद है या ऐ ग़ानिम तू आज़ाद है या ऐ मुबारक तू आज़ाद है तो उसे अधिकार होगा और अगर उस ने ग़ानिम व सालिम को जमा करके कहा कि तुम में से एक है तो दोनों में से एक बीच से निकल गया और मुक्ति मुबारक के बीच और इन दोनों में से एक के बीच सक्रिय रही कि इन में से जिस के पक्ष में चाहे बयान करे और अगर बयान के पहले मर गया तो आधा मुबारक में से आज़ाद होगा और बाक़ी आधा सालिम व ग़ानिम के बीच साझा होगा कि हर एक में से चौथाई आज़ाद होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं और जामअ में वर्णित है कि इस का यह कहना कि तुम दोनों में से एक ग़ुलाम है झूठा है और अगर इस ने यह न कहा कि तुम में से एक ग़ुलाम है बल्कि यूं कहा कि तुम दोनों में से एक मरणोपरांत मुक्त हैं तो इन दोनों में से एक मरणोपरांत मुक्त हो जायेगा और निश्चित रूप से मुक्ति इन दोनों में से एक और मुबारक के बीच सक्रिय रहेगी बस अगर वह बयान के पहले मर गया तो आधा मुबारक आज़ाद हो जायेगा और अपने आधे के वास्ते कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा और सालिम व ग़ानिम हर एक में से चौथाई आज़ाद हो जायेंगे निश्चित रूप से स्वीकार के कारण हर एक में से आधा मालिक के मरणोपरांत मुक्त हो जायेगा और इस की समानता मरने वाले के तिहाई माल से होगी और अगर मालिक से मरने वाले का कुछ और माल हो कि तिहाई से प्राप्त हुआ हो तो हर एक में से तीन चौथाई आज़ाद होगा कि जिस में से एक चौथाई निश्चित कारण के और आधा मरणोपरांत मुक्त होने कारण के और एक चौथाई के लिए हर एक कमा कर मुक्ति की क़ीमत देने की कोशिश करेगा और अगर उस का कुछ माल न हो तो एक तिहाई माल इन दोनों में आधा आधा होगा और चूंकि माल मरने वाले की मृत्यु के समय दो ग़ुलाम हैं बस इस में से तिहाई माल दो तिहाई ग़ुलाम हुआ जो इन

हर ग़ुलाम के बारह हिस्से किये जिस में मुबारक में से निस्फ़ यानी छः हिस्से आज़ाद हुए बसबब ईजाब क़तई इतक़ के और वो अपने छः हिस्सों यानी निस्फ़ के वास्ते सआयत करेगा और सालिम व ग़ानिम हर एक में से एक चहारूम बसबब ईजाब क़तई के आज़ाद हुआ यानी तीन तीन सहाम और एक तिहाई बसबब मुदब्बर होने के और वो चार सहाम हुए और हर एक अपने पांच सहाम के वास्ते सआयत करेगा पस सहाम वसाया आठ हुए और सहाम सआयत (16) हुए पस तखरीज मुस्तक़ीम हुई और अगर इस ने सालिम व ग़ानिम को जमा किया और कहा कि मैंने इख़्तयार किया कि तुम में से एक ग़ुलाम रहे फिर ग़ुलाम व मुबारक को जमा करके कहा कि मैंने इख़्तयार किया कि तुम में से एक ग़ुलाम रहे फिर मर गया तो इस का इख़्तयार अव्वल बातिल हो गया तो आज़ाद करना दरमियान सालिम व दोनों में से एक के दायर होगा तो सालिम के हिस्से में निस्फ़ इतक़ आया और बाक़ी निस्फ़ बाक़ी दोनों में निस्फ़ा निस्फ़ होगा यह शरह ज़ियादात इताबी में है।

मकातब = तय करना, जिस ग़ुलाम को इस के मालिक ने सुविधा दी हो कि वह तय राशि देकर मुक्त हो जाए
तदबीर = मरणोपरांत मुक्त होना
सआयत = वे कार्य/कोशिश जो ग़ुलाम अपनी रिहाई/मुक्ति के लिए करे
मुदब्बर = वह ग़ुलाम जिसे कह दिया जाए कि तुम मालिक के मरने के बाद / मरणोपरांत मुक्त हो

दोनों में साझा हुआ बस हर एक के वास्ते एक तिहाई ग़ुलाम होगा बस हिसाब में ज़रूरत ऐसी संख्या की है कि इस की तिहाई व चौथाई निकलती हो और न्यूनतम ऐसी संख्या बारह(12) है बस हम ने हर ग़ुलाम के बारह हिस्से किये जिस में मुबारक में से आधा यानी छः हिस्से आज़ाद हुए निश्चित रूप से मुक्ति स्वीकारने के कारण और वह अपने छः हिस्सों यानी आधे के वास्ते कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा और सालिम व ग़ानिम हर एक में से एक चौथाई निश्चित रूप से स्वीकार के कारण आज़ाद हुआ यानी तीन तीन हिस्से और एक तिहाई मरणोपरांत मुक्त होने के कारण और वह चार हिस्से हुए और हर एक अपने पांच हिस्से के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा बस वसीयत के आठ हिस्से हुए और कमा कर क़ीमत देने की कोशिश के सौलह(16) हुए बस प्रत्यक्ष का निर्वहन हुआ और अगर इस ने सालिम व ग़ानिम को जमा किया और कहा कि मैंने अधिग्रहण किया कि तुम में से एक ग़ुलाम रहे फिर ग़ानिम व मुबारक को जमा करके कहा कि मैंने अधिग्रहण किया कि तुम में से एक ग़ुलाम रहे फिर मर गया तो इस का पहला अधिकार अमान्य हो गया तो आज़ाद करना सालिम व ग़ानिम दोनों में से एक के बीच दायर/सक्रिय होगा तो सालिम के हिस्से में आधी मुक्ति आई और बाक़ी आधी, बाक़ी दोनों में आधी आधी होगी यह शरह ज़ियादात इताबी में है।

अगर उस ने सालिम व ग़ानिम से कहा कि तुम दोनों में से एक आज़ाद है या सालिम आज़ाद है तो उस से कहा जायेगा कि किसी पर वाक़े करना इख़्तयार करे :

अगर उस ने चार ग़ुलामों से कहा कि तुम में से एक आज़ाद है फिर इस ने सालिम व ग़ानिम से कहा कि तुम में से एक ग़ुलाम है फ़िर ग़ानिम व फ़ुरक़द से कहा कि तुम में से एक ग़ुलाम है फिर फ़ुरक़द व मुबारक से कहा कि तुम में से एक ग़ुलाम है फिर क़ब्ल बयान के मर गया तो अख़ीर का इख़्तयार करना पहले इख़्तयारात का नासिख है और फ़ुरक़द व मुबारक दोनों में से एक इस दरमियान से ख़ारिज हो गया और इतक़ दरमियान सालिम व ग़ानिम व बाक़ी दोनों में से एक के दायरे हुआ पस तिहाई सालिम और तिहाई ग़ानिम और छटा हिस्सा फ़ुरक़द व छटा मुबारक का आज़ाद हुआ और हर ग़ुलाम के छः हिस्से हुए और अगर अपनी सेहत में अपनी बीवी और अपने ग़ुलाम से कहा कि तू तालिक़ा है या वो आज़ाद है और यह औरत ग़ैर मदख़ूला और वो बिला बयान के मर गया तो ग़ुलाम में निस्फ़ आज़ाद हो गया और अपने निस्फ़ के वास्ते सआयत करेगा और औरत को पूरा महर और मीरास मिलेगी और यह इमाम आज़म रह० के अनुसार है कि काफ़ी में है। और अगर इस ने सालिम व ग़ानिम से कहा कि तुम दोनों में से एक आज़ाद है या सालिम आज़ाद है तो उस से कहा जायेगा कि किसी पर वाक़े करना इख़्तयार कर पस अगर इस ने ईजाब अव्वल को इख़्तयार किया तो दोबारा इस को बयान करने का हुक्म दिया जायेगा पस अगर क़ब्ल बयान के मर गया तो सालिम में से तीन चौथाई हिस्सा आज़ाद हो जायेगा और ग़ानिम से एक चौथाई हिस्सा आज़ाद होगा और अगर क़ब्ल बयान के मर गया और इस का कुछ माल सिवाए इन ग़ुलामों के नहीं है तो इन में से हर एक अपने अपने हक़ के हिसाब से इस के तिहाई माल में शरीक किये जाऐंगे और इन में से एक का हक़ तीन चौथाई का है और दूसरे का एक चौथाई का पस हम ने हर चौथाई का एक सहम मुक़र्रर किया

अगर उस ने सालिम व ग़ानिम से कहा कि तुम दोनों में से एक आज़ाद है या सालिम आज़ाद है तो उस से कहा जायेगा कि किसी पर स्थापित करना अपनाए :

अगर उस ने चार ग़ुलामों से कहा कि तुम में से एक आज़ाद है फिर इस ने सालिम व ग़ानिम से कहा कि तुम में से एक ग़ुलाम है फिर ग़ानिम व फ़ुरक़द से कहा कि तुम में से एक ग़ुलाम है फिर फ़ुरक़द व मुबारक से कहा कि तुम में से एक ग़ुलाम है फिर बयान के पहले मर गया तो अंतिम का अधिग्रहण करना पहले अधिकारों का निरस्त है और फ़ुरक़द व मुबारक दोनों में से एक इस बीच से बाहर हो गया और मुक्ति सालिम व ग़ानिम व बाक़ी दोनों बीच में से एक के दायर/सक्रिय हुई बस तिहाई सालिम और तिहाई ग़ानिम और छटा हिस्सा फ़ुरक़द व छटा मुबारक का आज़ाद हुआ और हर ग़ुलाम के छः हिस्से हुए और अगर अपनी स्वस्थ हालत में अपनी बीवी और अपने ग़ुलाम से कहा कि तू तलाक शुदा है या वह आज़ाद है और यह औरत जिस्से अभी संभोग नहीं हुआ है और वह बिना बयान के मर गया तो ग़ुलाम में आधा आज़ाद हो गया और अपने आधी मुक्ति के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा और औरत को पूरा महर और विरासत मिलेगी और यह इमाम आज़म रह० के अनुसार है कि काफ़ी में है। और अगर इस ने सालिम व ग़ानिम से कहा कि तुम दोनों में से एक आज़ाद है या सालिम आज़ाद है तो उस से कहा जायेगा कि किसी पर स्थापित करना अधिग्रहण कर बस अगर इस ने पहले स्वीकार को अधिग्रहण किया तो दोबारा इस को बयान करने का हुक्म दिया जायेगा बस अगर बयान के पहले मर गया तो सालिम में से तीन चौथाई हिस्सा आज़ाद हो जायेगा और ग़ानिम से एक चौथाई हिस्सा आज़ाद होगा और अगर बयान के पहले मर गया और इस का कुछ माल सिवाए इन ग़ुलामों के नहीं है तो इन में से हर एक अपने अपने हक़ के हिसाब से इस के तिहाई माल में साझेदार किये जाऐंगे और इन में से एक का हक़ तीन चौथाई का है और दूसरे का एक

पस एक के हक़ के तीन(3) सहाम और दूसरे के हक़ का एक सहम हुआ पस जुमला चार(4) सहाम हुए और यह तिहाई माल है पस कुल माल के बारह सहाम हुए पस हर रक़बा के छः 6 सहाम हुए पस सालिम में से तीन (3) आज़ाद होंगे और तीन सहाम के वास्ते सआयत करेगा और ग़ानिम में से एक सहम आज़ाद होगा और पांच सहाम के वास्ते सआयत करेगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है।

एक मर्द ने कहा कि मैंने अपना ग़ुलाम क़दीम उल सोहबत आज़ाद किया तो इस में मशाइख़ ने तकल्लुम किया है :

अगर मौला ने सीग़ा-ए-इताक़ को दो ग़ुलामों में से एक मुअय्यन की तरफ़ मज़ाफ़ किया फिर भूल गया तो इस में कुछ इख़्तलाफ़ नहीं है कि इन दोनों में से एक क़ब्ल बयान के आज़ाद है और इस के मुताल्लिक़ अहकाम दो तरह के हैं एक तरह के वो जो हयात मौला में है मुताल्लिक़ हैं और दोम वो कि इस की मौत के बाद मुताल्लिक़ हैं पस हम अव्वल का बयान करते हैं कि अगर एक मर्द ने अपनी दो बान्दियों में से एक मुअय्यन को आज़ाद कर दिया फिर इस को भूल गया या दस बान्दियों में से एक मुअय्यन को आज़ाद करके इस को भूल गया तो मौला को मना कर दिया जायेगा कि इन में से किसी से वती न करे और न इन में से किसी से खिदमत ले और तहर्री दिल व गुमान ग़ालिब से एक को निकाल कर बाक़ी किसी से वती करना हलाल नहीं है और इस का हीला यह है कि इन(1) सब से अक़्द निकाह बांध ले तो इन में से जो आज़ाद है वो बसबब अक़्द निकाह के इस पर हलाल हो जायेगी और जो ममलूका हैं वो ममलूका होने की वजह से हलाल रहेंगी और अगर किसी ने मुबहम तौर पर दो ग़ुलामों से एक को आज़ाद किया और यह दोनों ग़ुलाम मौला को क़ाज़ी के पास ले गये और इस से बयान की दरख़्वास्त की और

(1) ताकि सब की वती हलाल हो जाये।

चौथाई का बस हम ने हर चौथाई का एक हिस्सा नियुक्त किया बस एक के हक़ के तीन (3) हिस्से और दूसरे के हक़ का एक हिस्सा हुआ बस सभी चार (4) हिस्से हुए और यह तिहाई माल है बस कुल माल के बारह(12) हिस्से हुए बस हर ग़ुलाम के छः 6 भाग हुए बस सालिम में से तीन (3) आज़ाद होंगे और तीन हिस्से के वास्ते कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा और ग़ानिम में से एक भाग आज़ाद होगा और पांच भाग के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है।

एक मर्द ने कहा कि मैंने अपना ग़ुलाम पुराना साथी आज़ाद किया तो इस में विद्वानों ने वार्ता की है :

अगर मालिक ने मुक्ति को दो ग़ुलामों में से एक नियुक्त की ओर सम्बंधित किया फिर भूल गया तो इस में कुछ मतभेद नहीं है कि इन दोनों में से एक बयान के पहले आज़ाद है और इस के सम्बंधित आदेश दो तरह के है एक तरह के वह जो मालिक के जीवन से सम्बंधित हैं और दूसरे वे कि इस की मौत के बाद सम्बंधित हैं बस हम पहले का बयान करते हैं कि अगर एक मर्द ने अपनी दो बान्दियों में से एक निश्चित को आज़ाद कर दिया फिर इस को भूल गया या दस बान्दियों में से एक निश्चित को आज़ाद करके इस को भूल गया तो मालिक को मना कर दिया जायेगा कि इन में से किसी से संभोग न करे और न इन में से किसी से सेवा ले और दिल सुन्दर चयन व प्रमुख अनुमान से एक को निकाल कर बाक़ी किसी से संभोग करना हलाल नहीं है और इस का हीला/बहाना यह है कि इन (1) सब से संबंध निकाह बांध ले तो इन में से जो आज़ाद है वह संबंध निकाह के कारण उस पर हलाल हो जायेगी और जो ममलूका/ज़र खरीद ग़ुलाम हैं वे ज़र खरीद ग़ुलाम होने की वजह से हलाल रहेंगी और अगर किसी ने अस्पष्ट तौर पर दो ग़ुलामों मे से एक को मुक्त किया और यह दोनों ग़ुलाम मालिक को न्यायाधीश के पास ले गये और इस से बयान

(1) ताकि सब का संभोग हलाल हो जाये।

क़ाज़ी इस को हुक्म देगा कि बयान करे और अगर इस ने बयान से इन्कार किया तो क़ाज़ी इस को बयान करने के वास्ते क़ैद करेगा ऐसा ही शैख करखी ने ज़िक्र फ़रमाया है। अगर इन दोनों में से हर एक ने दअवा किया कि मैं ही आज़ाद हूं हालांकि इस के पास गवाह नहीं हैं और मौला ने इस से इन्कार किया और दोनों ने इस की क़सम तलब की तो क़ाज़ी इन दोनों में से हर एक के वास्ते मौला से क़सम लेगा कि बिल्लाज इज्ज़ो वजल्ल मैंने इस को आज़ाद नहीं किया है फिर अगर मौला ने इन दोनों की क़सम से इन्कार किया तो दोनों आज़ाद हो जाऐंगे और अगर दोनों के वास्ते क़सम खा गया तो मौला को बयान करने का हुक्म दिया जायेगा और क़ाज़ी ने शरह मुख़तसर उल तहावी में ज़िक्र किया है कि जब बाद आज़ाद करने के जहालत पैदा हो गई हो और मौला को याद न आये तो मौला बयान करने पर मजबूर न किया जायेगा फिर वाज़ह हो कि ऐसी हालत में बयान दो तरह का होता है नसे या दलालत या ज़रूरत पस नस की यह सूरत है कि मौला इन दोनों में से एक मुअय्यन से कह दे कि यही है जिस को मैंने आज़ाद किया था और भूल गया था और दलालत व ज़रूरत की सूरत यह है कि फ़अल या क़ौल इस से ऐसा सादिर हो कि जो बयान पर दलालत करे मसलन दोनों में से एक के साथ कोई ऐसा तसर्रुफ़ करे कि बदून मिल्क के इस की सेहत नहीं हो सकती जैसे बैअ व हुबा व सदक़ा व वसियत व ऐताक़ व इजारा व रहन व किताबत व तदबीर व इस्तीलाद जबकि दोनों बान्दियां हों और अगर दस बान्दियों में से एक आज़ाद हो फिर मौला ने इन में से एक से वती की तो जिस से वती की है यह तो रक़्क़ियत के वास्ते मुतअयन हो जायेगी और यह भी बदलालत या ज़रूरत मुतअयन हो जायेगा कि आज़ाद शुदह इन बाक़ियों में है पस बयान सरीह या दलालत से मुतअयन हो सकती है और इसी तरह अगर इस ने दूसरी व तीसरी से वती शुरू की यहाँ तक कि नो तक नोबत पहुंची तो जो बाक़ी रही है यानी दसवीं वो इतक़ के वास्ते मुतअयन हो जायेगी और हुस्न यह है कि इन में से किसी से वती न करे और अगर वती की तो हुक्म वही

की प्रार्थना की और न्यायाधीश इस को हुक्म देगा कि बयान करे और अगर इस ने बयान से इन्कार किया तो न्यायाधीश इस को बयान करने के कारण क़ैद करेगा ऐसा ही शैख करखी ने वर्णन किया है। अगर इन दोनों में से हर एक ने दावा किया कि मैं ही आज़ाद हूं हालां कि इस के पास गवाह नहीं हैं और मालिक ने इस से इन्कार किया और दोनों ने इस की क़सम मांगी तो न्यायाधीश इन दोनों में से हर एक के लिए मालिक से क़सम लेगा कि बिल्लाह इज्ज़ो जल्ल/ अल्लाह इज्ज़तों का रखवाला साक्षी है मैंने इस को आज़ाद नहीं किया है फिर अगर मालिक ने इन दोनों के लिए क़सम खाने से इन्कार किया तो दोनों आज़ाद हो जाऐंगे और अगर दोनों के वास्ते क़सम खा गया तो मालिक को बयान करने का हुक्म दिया जायेगा और क़ाज़ी ने शरह मुखतसर उल तहावी में वर्णन किया है कि जब आज़ाद करने के बाद अज्ञानता पैदा हो गई हो और मालिक को याद न आये तो मालिक बयान करने पर मजबूर न किया जायेगा फिर स्पष्ट हो कि ऐसी हालत में बयान दो तरह का होता है नस/स्पष्ट सबूत या तर्क या ज़रूरत बस नस/आज्ञा / स्पष्ट सबूत की यह सूरत है कि मालिक इन दोनों में से एक निश्चित से कह दे कि यही है जिस को मैंने आज़ाद किया था और भूल गया था और दलालत/तर्क व आवश्यकता की सूरत यह है कि कर्म या कथन उस से ऐसा लागू हो कि जो बयान पर दलालत/तर्क करे मसलन दोनों में से एक के साथ कोई ऐसा काम करे कि बजाए मिल्कियत के, उस का स्वास्थ नहीं हो सकता जैसे विक्रय व तोहफ़े में दे व दान व वसियत व मुक्ति व किराये पर दे व गिरवी रखे व तय क़ीमत लेकर मुक्त करे व मरणोपरांत मुक्त करे व इस्तीलाद यानी ऐसी मुक्ति जो बांदी के गर्भ से बच्चा जन्ने कारण हो जबकि दोनों बान्दियाँ हों और अगर दस बान्दियों में से एक आज़ाद हो फिर मालिक ने इन में से एक से संभोग किया तो जिस से संभोग किया है यह तो मुक्ति के लिए निश्चित हो जायेगी और यह भी तर्क के साथ या ज़रूरत निश्चित हो जायेगा कि मुक्ति प्राप्त इन बाक़ियों में है बस ठीक वर्णन या तर्क से निश्चित हो सकती है और इसी तरह

होगा जो हम ने ज़िक्र कर दिया है और अगर क़ब्ल बयान के इन में से कोई एक मर गई तो अहसन यह है कि क़ब्ल बयान के इन बाक़ियों से वती न करे और क़ब्ल बयान के वती की तो जाइज़ है और अगर दो हों फिर एक मर गई तो जो बाक़ी रही है वो इतक़ के वास्ते मुतअयन न हो जायेगी हां इस का इतक़ बयान पर मौक़ूफ़ रहेगा ख़्वाह बयान सरीह हो या बदलालत और अगर मौला ने कहा कि मेरी ममलूक है और इन दोनों में से एक की तरफ़ इशारा किया तो दूसरी बान्दी बदलालत या बज़रूरत इतक़ के वास्ते मुतअयन हो जायेगी और अगर दस ग़ुलाम हों इन सब को एक सफ़्क़ा में फ़रोख़्त किया तो सब की बैअ फ़सख हो जायेगी और अगर तन्हा फ़रोख़्त किया तो नौ तक की बैअ जाइज़ होती जायेगी और दसवां वास्ते इतक़ के मुतअयन होगा। दस आदमियों में से हर एक की एक बान्दी है पस इन में से एक ने एक बान्दी अपनी आज़ाद कर दी और बतौर मुअय्यन वो मालूम नहीं होती है तो इन में से हर एक को इख़्तयार है कि अपनी अपनी बान्दी से वती करे और मालिकों के मानिन्द इस में तसर्रुफ़ करे और अगर यह सब बान्दियां इन में से एक की मिल्क में आ गई तो ऐसा होगा कि गोया यह सब इसी की मिल्क में थीं जिन में से इस ने एक को आज़ाद किया फिर इस को भूल गया और दोम आंकि मौला क़ब्ल बयान के मर गया तो दोनों में से हर एक में से इस का निस्फ़ हिस्सा आज़ाद हो जायेगा और अपने निस्फ़ के वास्ते सआयत करेगा यानी अपनी निस्फ़ क़ीमत के वास्ते मौलाए मय्यत के वारिसों के लिए सआयत करेगा यह बदाऐ में है। एक मर्द ने कहा कि मैंने अपना ग़ुलाम क़दीम उल सोहबत आज़ाद किया तो इस में मशाइख़ ने तकल्लुम किया है और मुख़तार यह है कि क़दीम उल सोहबत वो है जिस की सोहबत को एक साल गुज़र गया हो यह तजीनस व मज़ीद में है। अगर बान्दी से कहा कि तू आज़ाद है या तेरा हमल। फिर विलादतुल सोहबत के बाद मौला मर गया तो बच्चा आज़ाद होगा और बान्दी मज़कूरह में से निस्फ़ हिस्सा आज़ाद होगा यह ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन में है।

अगर इस ने दूसरी व तीसरी से संभोग शुरू किया यहाँ तक कि नौ 9 तक नोबत पहुंची तो जो बाक़ी रही है यानी दसवीं वह मुक्ति के वास्ते निश्चित हो जायेगी और अच्छा यह है कि उन में से किसी से संभोग न करे और अगर संभोग किया तो हुक्म वही होगा जो हम ने वर्णन कर दिया है और अगर बयान के पहले उन में से कोई एक मर गई तो अच्छा यह है कि बयान के पहले इन बाक़ियों से संभोग न करे और बयान के पहले संभोग किया तो वैध है और अगर दो हों फ़िर एक मर गई तो जो बाक़ी रही है वह मुक्ति के वास्ते निश्चित न हो जायेगी हां इस का मुक्ति बयान पर रोक रहेगी चाहे बयान ठीक हो या तर्क से और अगर मालिक ने कहा कि मेरी ममलूक ज़र ख़रीद है और इन दोनों में से एक की तरफ़ इशारा किया तो दूसरी बान्दी तर्क से या ज़रूरत से मुक्ति के वास्ते निश्चित हो जायेगी और अगर दस ग़ुलाम हों इन सब को एक साथ में विक्रय किया तो सब का विक्रेय अमान्य हो जायेगा और अगर अकेला विक्रय किया तो नो तक की विक्रय होती जायेगी और दसवां मुक्ति के लिए निश्चित होगा। दस आदमियों में से हर एक की एक बान्दी है बस इन में से एक ने एक बान्दी अपनी आज़ाद कर दी और बतौर निश्चित वह मालूम नहीं है तो इन में से हर एक को अधिकार है कि अपनी अपनी बान्दी से संभोग करे और मालिकों के जैसे इस में प्रयोग करे और अगर यह सब बान्दियां इन में से एक की मिल्कियत में आ गईं तो ऐसा होगा कि गोया यह सब इसी की मिल्कियत में थीं जिन में से इस ने एक को आज़ाद किया फिर इस को भूल गया और दूसरे वह कि मालिक बयान के पहले मर गया तो दोनों में से हर एक में से इस का आधा हिस्सा आज़ाद हो जायेगा और अपनी आधी मुक्ति के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा यानी अपनी आधी क़ीमत के लिए मरने वाले मालिक के वारिसों के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा यह बदाऐ में है। एक मर्द ने कहा कि मैंने अपना ग़ुलाम पुराना सेवक आज़ाद किया तो इस में बुद्धिजीवियों ने वार्ता की है और चयनित यह है कि पुराना साथी वह है जिस के साथ को एक साल गुज़र

मशाइख़ = बुद्धिजीवी

अगर अपनी बान्दी से कहा कि अव्वल बच्चा जो तू जनेगी अगर लड़का हो तो तू आज़ाद है पस वो बान्दी एक लड़का और एक लड़की जनी और यह मालूम नहीं होता है कि अव्वल कौन जनी है बावजूद यह कि बान्दी और इस का मौला दोनों इन दोनों बच्चों की विलादत पर इत्तफ़ाक़ करते हैं तो निस्फ़ बान्दी और निस्फ़ लड़की आज़ाद होगी और लड़का ग़ुलाम रहेगा और अगर बान्दी ने दअवा किया कि अव्वल लड़का ही पैदा हुआ है और यह लड़की सग़ीरा है पस मौला ने इस से इन्कार किया और कहा कि नहीं बल्कि लड़की अव्वल हुई है तो क़सम से मौला का क़ौल क़बूल होगा और मौला से इस के इल्म पर क़सम ली जायेगी पस अगर मौला क़सम खा गया तो इन में से कोई आज़ाद न होगा लेकिन अगर बान्दी इस के बाद गवाह क़ायम करे कि वो पहले लड़का ही जनी है तो हुक्म आज़ादी दिया जायेगा और अगर मौला ने क़सम खाने से नकूल किया तो बान्दी और लड़की दोनों आज़ाद हो जाऐंगी और और अगर दोनों ने इत्तफ़ाक़ किया कि अव्वल लड़का ही हुआ है तो बान्दी व लड़की आज़ाद होंगी और लड़का रक़ीक़ रहेगा और अगर दोनों ने इत्तफ़ाक़ किया कि अव्वल लड़की पैदा हुई है तो कोई आज़ाद न होगी और अगर बान्दी ने दअवा किया कि अव्वल ग़ुलाम ही पैदा हुआ और लड़की ने बावजूद यह कि वो कबीरा हो गई है कुछ दअवा न किया न तो मौला से क़सम ली जायेगी पस अगर इस ने क़सम खा ली तो कुछ साबित न होगा और अगर इस ने नकूल किया तो बान्दी आज़ाद हो जायेगी न दुख़्तर और अगर लड़की ने दअवा किया दरहाल यह कि वो कबीरा है कि अव्वल लड़का पैदा हुआ है और बान्दी ने दअवा न किया हो तो ऐसी सूरत में लड़की ही आज़ाद होगी न कि उस की माँ यह अलकाफ़ी में है।

अगर बान्दी से कहा कि पहला बच्चा जिस को तू

गया हो यह तजीनस व मज़ीद में है। अगर बान्दी से कहा कि तू मुक्त है या तेरा गर्भ, फिर विलादतुल सोहबत /संभोग से पैदा होने वाले बच्चे के बाद मालिक मर गया तो बच्चा मुक्त होगा और वर्णित बान्दी में से आधा हिस्सा मुक्त होगा यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है।

अगर अपनी बान्दी से कहा कि पहला बच्चा जो तू जन्म देगी अगर लड़का हुआ तो तू आज़ाद है बस वह बान्दी एक लड़का और एक लड़की जन्मी और यह मालूम नहीं होता है कि पहले कौनसा जन्मी है बावजूद यह कि बान्दी और उस का मालिक दोनों इन दोनों बच्चों के जन्म पर सहमत हैं तो आधी बान्दी और आधी लड़की आज़ाद होगी और लड़का ग़ुलाम रहेगा और अगर बान्दी ने दअवा किया कि पहला लड़का ही पैदा हुआ है और यह लड़की छोटी है बस मालिक ने इस से इन्कार किया और कहा कि नहीं बल्कि लड़की पहले हुई है तो क़सम से मालिक का कथन स्वीकार होगा और मालिक से इसकी जानकारी पर क़सम ली जायेगी बस अगर मालिक क़सम खा गया तो इन में से कोई मुक्त न होगा लेकिन अगर बान्दी इस के बाद गवाह स्थापित करे कि वह पहले लड़का ही जन्मी है तो आज़ादी का आदेश दिया जायेगा और अगर मालिक ने क़सम खाने से पीछे हट गया तो बान्दी और लड़की दोनों आज़ाद हो जाऐंगी और अगर दोनों ने सहमत हुए कि पहला लड़का ही हुआ है तो बान्दी व लड़की आज़ाद होंगी और लड़का ग़ुलाम रहेगा और अगर दोनों ने सहमति जताई कि पहले लड़की पैदा हुई है तो कोई आज़ाद न होगी और अगर बान्दी ने दावा किया कि पहला लड़का ही पैदा हुआ और लड़की ने बावजूद यह कि वह बड़ी हो गई है कुछ दअवा न किया न तो मालिक से क़सम ली जायेगी बस अगर उस ने क़सम खाली तो कुछ साबित न होगा और अगर उस ने नकारा तो बान्दी आज़ाद होगी न लड़की और अगर लड़की ने दअवा किया इस हाल में कि वह बड़ी है कि पहला लड़का पैदा हुआ है और बान्दी ने दावा न किया हो तो ऐसी सूरत में लड़की ही आज़ाद होगी न की उसकी माँ यह अल-काफ़ी में है।

अगर बान्दी से कहा कि पहला बच्चा जिस को तू

जनेगी और वो लड़का होगा तो वो आज़ाद है और अगर लड़की हो तो तू आज़ाद है पस वो दो लड़के और दो लडकियां जनी पस अगर यह मालूम हो जाये कि पहला बच्चा लड़का हुआ है तो वो आज़ाद होगा और बाक़ी सब ममलूक रहेंगे और अगर यह मालूम हो कि अव्वल वो लड़की जनी है तो यह लड़की रक़ीक़ा रहेगी और बाक़ी सब के सब आज़ाद हो जाएंगे। अगर यह मालूम न हुआ कि इन में से अव्वल कौन पैदा हुआ है तो बान्दी में से निस्फ़ हिस्सा आज़ाद होगा और दोनों लडकों में से हर एक का तीन चौथाई हिस्सा आज़ाद हो जायेगा और एक चौथाई (क़ीमत) के वास्ते सआयत करेगा और दोनों लडकियों में से हर एक का चौथाई हिस्सा आज़ाद होगा और हर एक अपनी चौथाई क़ीमत के वास्ते सआयत करेगी और अगर बान्दी व मौला ने इत्तफ़ाक़ किया कि यह लड़का पहला हुआ है तो यही आज़ाद होगा जिस पर दोनों ने इत्तफ़ाक़ किया है और बाक़ी सब रक़ीक़ रहेंगे और अगर दोनों ने किसी पिसर के हक़ में इख़्तलाफ़ किया तो क़सम से मौला का क़ौल क़बूल होगा मगर मौला से इस के इल्म पर भी क़सम ली जायेगी कि वल्लाह मैं जानता हूं कि बान्दी इस को पहले जनी है और अगर बान्दी से कहा कि अगर तेरा हमल लड़का हुआ तो तू हुर्रह है अगर लड़की हुई तो वो हुर्रह है फिर इस का हमल एक लड़का और एक लड़की निकली तो कोई आज़ाद न होगा और इसी तरह अगर इस ने कहा कि जो कुछ तेरे पेट में है अगर वो इला आखिरत तो भी यही हुक्म होगा और अगर उस ने यूं कहा कि अगर तेरे पेट में लड़का हो तो तू हुर्रह है और अगर लड़की हो तो वो हुर्रह है तो सूरत मज़कूरह में लड़की व लड़का आज़ाद हो जायेगा और अगर बान्दी से कहा कि अगर अव्वल बच्चा कि तू इस को जनेगी लड़का हो तो तू आज़ादा है और अगर लड़की हो तो वो आज़ादह है फिर इन दोनों को जनी पस अगर मालूम है जो कि अव्वल वो लड़का जनी है तो बान्दी मअ लड़की के आज़ाद हो जायेगी और लड़का रक़ीक़ होगा और अगर यह मालूम हो जाये कि पहले वो लड़की जनी तो यह लड़की आज़ाद हो जायेगी और बान्दी मअ लड़का दोनों रक़ीक़ रहेंगे और अगर कुछ

जनेगी और वह लड़का होगा तो वह आज़ाद है और अगर लड़की हो तो तू आज़ाद है बस वह पहला दो लड़के और दो लड़कियां जन्मी बस अगर यह मालूम हो जाये कि पहला बच्चा लड़का हुआ है तो वह आज़ाद होगा और बाक़ी सब पराधीन रहेंगे और अगर यह मालूम हो कि पहला वह लड़की जनी है तो यह लड़की रक़ीक़ा/ ग़ुलाम रहेगी और बाक़ी सब के सब आज़ाद हो जाऐंगे। अगर यह मालूम न हुआ कि इन में से पहला कौन पैदा हुआ है तो बान्दी में से आधा हिस्सा आज़ाद होगा और दोनों लड़कों में से हर एक का तीन चौथाई हिस्सा मुक्त हो जायेगा और एक चौथाई (क़ीमत) के लिए कोशिश करेगा और दोनों लड़कियों में से हर एक का चौथाई हिस्सा मुक्त होगा और हर एक अपनी चौथाई क़ीमत के लिए कोशिश करेगी और अगर बान्दी व मालिक ने सहमत हुए कि यह लड़का पहला हुआ है तो यही मुक्त होगा जिस पर दोनों ने सहमति जताई है और बाक़ी सब रक़ीक़/ग़ुलाम रहेंगे और अगर दोनों ने किसी लड़के के पक्ष में मतभेद किया तो क़सम से मालिक का कथन स्वीकार होगा मगर मालिक से इस के ज्ञान पर भी क़सम ली जायेगी कि वल्लाह मैं जानता हूं कि बान्दी इस को पहले जन्मी है और अगर बान्दी से कहा कि अगर तेरा गर्भ लड़का हुआ तो तू आज़ाद है अगर लड़की हुई तो वह आज़ाद है फिर उस का गर्भ एक लड़का और एक निकली तो कोई आज़ाद न होगा और इसी तरह अगर इस ने कहा कि जो कुछ तेरे पेट में है अगर वह अंतिम ही क्यों ना हो तो भी यही हुक्म होगा और अगर इस ने यूं कहा कि अगर तेरे पेट में लड़का हो तो तू आज़ाद है और अगर लड़की हो तो वह आज़ाद है तो वर्णित हालत में लड़की व लड़का आज़ाद हो जायेगा और अगर बान्दी से कहा कि अगर पहला बच्चा कि तू उस को जन्मेगी लड़का हुआ तो तू आज़ादा है और अगर लड़की हो तो वह आज़ाद है फिर इन दोनों को जन्मी बस अगर मालूम है जो कि पहला वह लड़का जनी है तो बान्दी लड़की के समेत आज़ाद हो जायेगी और लड़का ग़ुलाम होगा और अगर यह मालूम हो जाये कि पहले वह लड़की जन्मी तो यह लड़की आज़ाद हो जायेगी और बान्दी लड़के समेत

मालूम न हो मगर बान्दी व मौला ने किसी पर इत्तफ़ाक़ किया तो इसी के मुवाफ़िक़ हुक्म होगा और अगर दोनों ने कहा कि हम नहीं जानते हैं तो लड़का रक़ीक़ रहेगा और लड़की आज़ाद होगी और निस्फ़ बान्दी आज़ादह होगी यह मबसूत में है।

अगर बान्दी ने ग़ुलाम पहले पैदा होने का दअवा किया तो क़सम से मौला का क़ौल क़बूल होगा यह तमरताशी में है। अगर किसी ने अपनी बान्दी से कहा कि अगर तू जनी एक लड़का फिर एक लड़की तो तू आज़ाद है और अगर तू जनी एक लड़की फिर एक लड़का तो लड़का आज़ाद है। फिर एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई पस अगर पहले लड़का जनी तो बान्दी आज़ाद हो जायेगी और लड़का व लड़की दोनों रक़ीक़ होंगे और अगर पहले लड़की जनी तो लड़का आज़ाद हो जायेगा और बान्दी व लड़की दोनों रक़ीक़ रहेंगी और अगर यह मालूम न हो कि इन में से कौन पहले पैदा हुआ है और दोनों ने इत्तफ़ाक़ किया कि हम इस को नहीं जानते हैं तो लड़की रक़ीक़ा होगी और लड़का व बान्दी हर एक में से निस्फ़ हिस्सा आज़ाद हो जायेगा और बाक़ी निस्फ़ क़ीमत के वास्ते हर एक सआयत करेगा और अगर दोनों ने इख़तलाफ़ किया तो मौला से इस के इल्म पर क़सम के साथ मौला का क़ौल क़बूल होगा और यह इस वक़्त है कि वो लड़का व लड़की एक एक जनी हो और अगर वो दो लड़के और दो लड़कियां जनी और बाक़ी मसला बहाला हो पस अगर पहले दो लड़के जनी फिर दो लड़कियां तो बान्दी आज़ाद हो जायेगी और इस की आज़ादी से दूसरी लड़की भी आज़ाद होगी और दोनों लड़के और पहली लड़की सब रक़ीक़ बाक़ी रहेंगे और अगर दो पहले एक लड़का जनी फिर दो लडकियां फिर एक लड़का तो बान्दी और दूसरी लड़की दोनों आज़ाद हो जाऐंगी और दूसरा लड़का अपनी मां के आज़ाद होने से आज़ाद होगा और अगर एक लड़का पहले जनी फिर लड़की जनी फिर एक लड़का जनी फिर एक लड़की जनी तो बान्दी और दूसरा लड़का और दूसरी लड़की बसबब आज़ादी अपनी मां के आज़ाद हो जाऐंगे

दोनों ग़ुलाम रहेंगे और अगर कुछ मालूम न हो मगर बान्दी व मालिक ने किसी कार्य पर सहमति जताई तो इसी के अनुसार आदेश होगा और अगर दोनों ने कहा कि हम नहीं जानते हैं तो लड़का रक़ीक़/ग़ुलाम रहेगा और लड़की आज़ाद होगी और आधी बान्दी आज़ाद होगी यह मबसूत में है।

अगर बान्दी ने ग़ुलाम पहले पैदा होने का दअवा किया तो क़सम से मालिक का कथन स्वीकार होगा यह तमरताशी में है। अगर किसी ने अपनी बान्दी से कहा कि अगर तू जन्मी एक लड़का फिर एक लड़की तो तू आज़ाद है और अगर तू जन्मी एक लड़की फिर एक लड़का तो लड़का आज़ाद है। फिर एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई बस अगर पहले लड़का जन्मी तो बान्दी आज़ाद हो जायेगी और लड़का व लड़की दोनों रक़ीक़/ ग़ुलाम होंगे और अगर पहले लड़की जन्मी तो लड़का आज़ाद हो जायेगा और बान्दी व लड़की दोनों रक़ीक़/ ग़ुलाम रहेंगे और अगर यह मालूम न हो कि इन में से कौन पहले पैदा हुआ है और दोनों ने सहमति जताई कि हम इस को नहीं जानते हैं तो लड़की रक़ीक़ा/ग़ुलाम होगी और लड़का व बान्दी हर एक में से आधा हिस्सा आज़ाद हो जायेगा और बाक़ी आधा क़ीमत देने के वास्ते हर एक कोशिश करेगा और अगर दोनों ने मतभेद किया तो मालिक से इस के ज्ञान पर क़सम के साथ मालिक का कथन स्वीकार होगा और यह उस समय है कि वह लड़का व लड़की एक एक जन्मी हो और अगर वह दो लड़का और दो लड़कियां जन्मी और बाक़ी मसला जैसे वर्णन किया गया है बस अगर पहले दो लड़के जन्मी फिर दो लड़कियां तो बान्दी आज़ाद हो जायेगी और उस की आज़ादी से दूसरी लड़की भी मुक्त होगी और दोनों लड़के और पहली लड़की सब ग़ुलाम बाक़ी रहेंगे और अगर वह पहले एक लड़का जनी फिर दो लड़कियां फिर एक लड़का तो बान्दी और दूसरी लड़की दोनों आज़ाद हो जाऐंगी और दूसरा लड़का अपनी माँ के आज़ाद होने से आज़ाद होगा और अगर एक लड़का पहले जन्मी फिर लड़की जन्मी फिर एक लड़का जन्मी फिर एक लड़की जन्मी तो बान्दी और दूसरा लड़का और दूसरी लड़की आज़ादी के कारण

और पहला लड़का और पहली लड़की रक़ीक़ रह जाऐंगे और अगर वो पहले दो लडकियां जनी फिर दो लड़के जनी तो पहले लड़का फ़क़त आज़ाद होगा और बाक़ी सब रक़ीक़ रहेंगे और इसी तरह अगर वो पहले एक लड़की जनी फिर दो लड़के फिर एक लड़की तो भी फ़क़त पहला लड़का आज़ाद होगा और इसी तरह अगर वो पहले एक लड़की जनी फिर एक लड़का फिर एक लड़की फिर एक लड़का तो फ़क़त पहला लड़का आज़ाद होगा और अगर तक़दीम व ताख़ीर कुछ मालूम न हो पस अगर सब ने इत्तफ़ाक़ किया कि यह मालूम नहीं कि अव्वल कौन पैदा हुआ है तो हर वाहिद औलाद में से चौथाई हिस्सा आज़ाद होगा और बान्दी यानी इन की मां से निस्फ़ हिस्सा आज़ाद होगा और बाक़ी निस्फ़ क़ीमत के वास्ते सआयत करेगी और अगर सब ने इख़तलाफ़ किया तो मौला से इस के इल्म पर क़सम ले कर इसी का क़ौल क़बूल किया जायेगा यह बदाऐ में है।

मसला मज़कूर में हमारे असहाब में से बाज़ ने जवाब किताब की तसीह में तकल्लुफ़ किया :

अगर बान्दी से कहा कि अव्वल बच्चे कि जिस को तू जनेगी वो आज़ाद है पस वो पहले एक मुर्दा बच्चा जनी फिर एक ज़िन्दा जनी तो ज़िन्दा आज़ाद होगा और अगर बावजूद इस के यूं कहा कि तू आज़ाद है तो वो मुर्दा बच्चे के साथ आज़ाद होगी यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है और अगर एक शख़्स ने अपनी दो बान्दियों से कहा कि जो तुम दोनों में से एक के पेट में है आज़ाद है तो इस को इख़्तयार होगा कि दोनों में से जिस पर चाहे इतक़ वाक़े करे पस अगर किसी मर्द ने इन दोनों में से एक के पेट में ऐसा मारा कि वो मुर्दा बच्चा वक़्त तकल्लुम इतक़ से छः महीने से कम में डाल गई तो वो रक़ीक़ होगा और दूसरा वास्ते इतक़ के मुतअयन होगा और अगर हर एक बान्दी के पेट में एक एक मर्द ने ऐसा मारा कि वक़्त तकल्लुम इतक़ से छः महीने से कम में हर एक मुर्दा बच्चा डाल गई तो हर एक के बच्चे के

अपनी माँ के आज़ाद हो जाऐंगे और पहला लड़का और पहली लड़की ग़ुलाम रह जाऐंगे और अगर वह पहले दो लड़कियां जन्मी फिर दो लड़के जन्मी तो पहले लड़का केवल आज़ाद होगा और बाक़ी सब ग़ुलाम रहेंगे और इसी तरह अगर वह पहले एक लड़की जन्मी फिर दो लड़के फिर एक लड़की तो भी केवल पहला लड़का आज़ाद होगा और इसी तरह अगर वह पहले एक लड़की जन्मी फिर एक लड़का फिर एक लड़की फिर एक लड़का तो केवल पहला लड़का आज़ाद होगा और अगर वरीयता व विलंब कुछ मालूम न हो बस अगर सब ने सहमति जताई कि यह मालूम नहीं कि पहले कौन पैदा हुआ है तो हर एकल औलाद में से चौथाई हिस्सा आज़ाद होगा और बान्दी यानी इन की माँ से आधा हिस्सा आज़ाद होगा और बाक़ी आधा क़ीमत के लिए कमा कर देने की कोशिश करेगी और अगर सब ने मतभेद किया तो मालिक से उस की जानकारी पर क़सम ले कर उसी का कथन स्वीकार किया जायेगा यह बदाऐ में है।

वर्णित मामले में हमारे बुद्धिजीवी साथियों में से कुछ ने लेख के उत्तर/सुधार में आडंबर/दिखावा किया

अगर बान्दी से कहा कि पहला बच्चे कि जिस को तू जन्म देगी वह आज़ाद है बस वह पहले एक मुर्दा बच्चा जन्मी फिर एक ज़िन्दा जन्मी तो ज़िन्दा आज़ाद होगा और अगर बावजूद इस के यूं कहा कि तू आज़ाद है तो वह मुर्दा बच्चे के साथ आज़ाद होगी यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है और अगर एक व्यक्ति ने अपनी दो बान्दियों से कहा कि जो तुम दोनों में से एक के पेट में है आज़ाद है तो इस को अधिकार होगा कि दोनों में से जिस पर चाहे मुक्ति स्थापित करे बस अगर किसी मर्द ने इन दोनों में से एक के पेट में ऐसा मारा कि वह मुर्दा बच्चा मुक्ति की वार्ता के समय से छः महीने से कम में जन्मी तो वह रक़ीक़/ग़ुलाम होगा और दूसरा मुक्ति के निश्चित होगा और अगर हर एक बान्दी के पेट में एक एक मर्द ने ऐसा मारा कि मुक्ति की वार्ता के समय से छः महीने से कम में हर एक मुर्दा बच्चा जन्मी तो हर

वास्ते इस जिनायत कुनिन्दा पर वो वाजिब होगा जो बान्दी के जनीन के वास्ते वाजिब होता है यह मुहीत में है। अगर इस ने तीन बान्दियों से कहा कि जो कुछ इस (अव्वल)बान्दी के पेट में मौजूद है वो हुर्र है और जो कुछ इस (दूसरी) बान्दी के पेट में है या जो कुछ इस (तीसरी) बान्दी के पेट में है तो जो कुछ पहली बान्दी के पेट में है वो आज़ाद होगा और दोनों बाक़ियों के हक़ में मौला को इख़्तयार होगा कि जिस एक पर चाहे इतक़ वाक़े करे यह ज़हीरिया में है और अगर किसी ने कहा कि अगर मेरी बान्दी के पेट में जो है वो लड़का है तो इस तिफ़्ल को आज़ाद करो और अगर लड़की हो तो इस को आज़ाद करो फिर वो मर गया फिर वो बान्दी एक लड़का व एक लड़की दोनों जनी तो वसी पर वाजिब है कि इन दोनों को आज़ाद करे मगर इस के तिहाई (1) माल से आज़ाद करे और अगर अपनी बान्दी से कहा कि अगर अव्वल बच्चा जो तू जनेगी वो लड़का हो तो तू आज़ाद है और अगर लड़की फिर लड़का हो तो वो दोनों आज़ाद हैं फिर वो एक लड़का और दो लड़कियां जनी और यह मालूम नहीं होता है कि इन में से अव्वल कौन है तो बान्दी और इस के पिसर हर एक का निस्फ़ हिस्सा आज़ाद होगा और दोनों लड़कियों में से हर एक से चौथाई हिस्सा आज़ाद होगा और बाक़ी तीन चौथाई क़ीमत के वास्ते हर एक सआयत करेगी और शैख़ अबू इसमा ने फ़रमाया कि यह ग़लत है और सही यह है कि दोनों लड़कियों में से हर एक का तीन चौथाई हिस्सा आज़ाद होगा और हर एक अपनी एक चौथाई क़ीमत के वास्ते सआयत करेगी क़ालल मुतरजम बाज़ नुस्ख़ों में यह इबारत भी ज़ायद मौजूद है कि हमारे असहाब में से बाज़ ने जवाब किताब की तसीह में तकल्लुफ़ किया और कहा कि दोनों लड़कियों में से एक मक़सूद बइतक़ है एक हालत में पस बावजूद इस अम्र के जानिब तबीअत इन दोनों में ऐतबार न की जायेगी और जब कि तबीअत का ऐतबार साक़ित हुआ तो दोनों में एक लड़की फ़िल हाल दूने हाल आज़ाद होगी पस इस में से निस्फ़ हिस्सा

(1) तिहाई, इसलिए कि मय्यत की वसीयत उसके अदाए क़र्ज़े के बाद तिहाई नाफ़िज होती इल्ला आन्के ज़ाइद के लिए वुरसा इजाज़त दें जिन की इजाज़त मोतबर हो।

एक के बच्चे के वास्ते इस अत्याचारी पर वह अनिवार्य होगा जो बान्दी के भ्रूण के वास्ते अनिवार्य होता है यह मुहीत में है। अगर इस ने तीन बान्दियों से कहा कि जो कुछ उस(प्रथम) बान्दी के पेट में मौजूद है वह मुक्त है और जो कुछ इस (द्वितीय) बान्दी के पेट में है या जो कुछ इस (तीसरी) बान्दी के पेट में है तो जो कुछ पहली बान्दी के पेट में है वह आज़ाद होगा और दोनों बाक़ियों के हित में मालिक को अधिकार होगा कि जिस एक पर चाहे मुक्ति स्थापित करे यह ज़हीरिया में है और अगर किसी ने कहा कि अगर मेरी बान्दी के पेट में जो है वह लड़का है तो उस बच्चे को मुक्त करो और अगर लड़की हो तो उस को मुक्त करो फिर वह मर गया फिर वह बान्दी एक लड़का और एक लड़की दोनों जन्मी तो उत्तराधिकारी पर अनिवार्य है कि इन दोनों को मुक्त करे मगर इस के तिहाई (1) माल से आज़ाद करे और अगर अपनी बान्दी से कहा कि अगर पहला बच्चा जो तू जन्मेगी वह लड़का हो तो तू आज़ाद है और अगर लड़की फिर लड़का हुआ तो वह दोनों आज़ाद हैं फिर वह एक लड़का और दो लड़कियां जन्मी और यह मालूम नहीं होता है कि इन में से पहला कौन है तो बान्दी और उस के लड़के हर एक का आधा हिस्सा आज़ाद होगा और दोनों लड़कियों में से हर एक से चौथाई हिस्सा आज़ाद होगा और बाक़ी तीन चौथाई क़ीमत के वास्ते हर एक अपने हिस्से की क़ीमत देने की कोशिश करेगी और शैख़ अबू उसामा ने फ़रमाया कि यह ग़लत है और सही यह है कि दोनों लड़कियों में से हर एक का तीन चौथाई हिस्सा आज़ाद होगा और हर एक अपनी एक चौथाई क़ीमत के वास्ते कोशिश करेगी अनुवादक के कथनानुसार कुछ प्रतियों में यह लेख भी अतिरिक्त मौजूद है कि हमारे साथियों में से कुछ ने लेख के उत्तर के उत्तर में आडंबर/दिखावा किया और कहा कि दोनों लड़कियों में से एक मुक्ति के लिए उद्देश्ति है एक हालत में बस बावजूद इस कार्य की ओर स्वभाव इन दोनों में सोच-विचार ना किया जायेगा और जब कि स्वभाव से सोच-विचार

(1) तिहाई, इसलिए कि मृत के वारिस उसके क़र्ज़े के देने बाद तिहाई लागू होती है ना यह कि ज़ियादा के लिए वारिस आज्ञा दें जिन की आज्ञा विश्वसनिय हो।

आज़ाद होगा लिहाज़ा यही निस्फ़ हिस्सा इन दोनों में मुशतरिक रहा पस हर एक में से चौथाई हिस्सा आज़ाद हुआ। मगर इस सूरत में यह मसला मसाइल मुतक़द्दिमा से तखरीज में मुख़ालिफ़ होगा पस असह वही है जो शैख अबू उसमा ने फ़रमाया है यह मबसूत में है।

अगर दो गवाहों ने गवाही दी कि इस ने अपने ग़ुलाम सालिम को आज़ाद किया है और सालिम को वो पहचानते हैं और इस मशहूद अलैहि का एक ही ग़ुलाम सालिम नाम है तो वो आज़ाद हो जायेगा :

अगर दो मर्दों ने एक शख़्स पर गवाही दी कि इस ने अपने दो ग़ुलामों में से एक को आज़ाद किया है (यानी हिस्सा) तो इमामे आज़म रह० के नज़दीक ऐसी गवाही बातिल है और अगर दोनों ने इस पर गवाही दी कि इस ने अपनी दो बान्दियों में से एक आज़ाद की है तो इमामे आज़म रह० के नज़दीक मक़बूल नहीं है अगरचे इस में दअवा शर्त नहीं है और यह सब इस वक़्त है कि दोनों गवाहों ने गवाही दी हो कि इस ने अपनी सेहत में अपने दो ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम को आज़ाद किया है। अगर दोनों ने गवाही दी कि इस ने अपने मर्ज़ुल मौत में या दो ग़ुलामों में से एक आज़ाद किया है या अपनी सेहत या मर्ज़ में दो में से एक को मुदब्बर किया है और यह गवाही इस शख़्स की हालत मर्ज़ में या बाद वफ़ात के अदा की है तो इस्तहसानन मक़बूल होगी और अगर दोनों ने इस के मरने के बाद गवाही दी कि इस ने अपनी सेहत में कहा था कि दोनों में से एक आज़ाद है तो बाज़ ने कहा कि गवाही क़बूल न होगी और बाज़ ने कहा कि क़बूल होगी कज़ा फिल हिदाया और असह यह है कि गवाही क़बूल होगी यह काफ़ी में है। और अगर दोनों ने गवाही दी कि इस ने इन दोनों में से एक मुअय्यन को आज़ाद किया था मगर हम इस को भूल गये हैं तो दोनों की गवाही मक़बूल न होगी। यह तमरताशी में है और अगर दो गवाहों ने गवाही दी कि इस ने अपने

निष्क्रिय हुआ तो दोनों में एक लड़की फ़िल हाल बिना सोच-विचार आज़ाद होगी, बस इस में से आधा हिस्सा आज़ाद होगा लिहाज़ा यही आधा हिस्सा इन दोनों में साझा रहा बस हर एक में से चौथाई हिस्सा आज़ाद हुआ। मगर इस स्थिति में यह मामला उत्पन्न समस्या से मुक्ति में भिन्न होगा बस सहीह वही है जो शैख अबू उसामा ने कहा है यह मबसूत में है।

अगर दो गवाहों ने गवाही दी कि इस ने अपने ग़ुलाम सालिम को आज़ाद किया है और सालिम को वह पहचानते हैं और इस उपस्थित का एक ही ग़ुलाम सालिम नाम है तो वह मुक्त हो जायेगा :

अगर दो मर्दों ने एक शख़्स पर गवाही दी कि इस ने अपने दो ग़ुलामों में से एक को आज़ाद किया है (यानी हिस्सा) तो इमामे आज़म रह० के नज़दीक ऐसी गवाही अमान्य है और अगर दोनों ने इस पर गवाही दी कि इस ने अपनी दो बान्दियों में से एक आज़ाद की है तो इमामे आज़म रह० के निकट स्वीकार्य नहीं है चाहे इस में दावा शर्त नहीं है और यह सब उस समय है कि दोनों गवाहों ने गवाही दी हो कि उस ने अपनी स्वस्थ हालत में अपने दो ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम को आज़ाद किया है। अगर दोनों ने गवाही दी कि इस ने अपने मृत्यु रोग में या दो ग़ुलामों में से एक आज़ाद किया है या अपने स्वास्थ्य या रोग में दो में से एक को मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त किया है और यह गवाही उस व्यक्ति की हालत रोग में या मृत्यु के बाद अदा की है तो उपकार के तौर पर स्वीकार होगी और अगर दोनों ने इस के मरने के बाद गवाही दी कि इस ने अपनी स्वस्थ हालत में कहा था कि दोनों में से एक आज़ाद है तो कुछ ने कहा कि गवाही स्वीकार न होगी और कुछ ने कहा कि स्वीकार होगी यह हिदाया में है और सहीह यह है कि गवाही स्वीकार होगी यह काफ़ी में है। और अगर दोनों ने गवाही दी कि इस ने इन दोनों में से एक निश्चित को आज़ाद किया था मगर हम इस को भूल गये हैं तो दोनों की गवाही स्वीकार न होगी। यह तमरताशी

ग़ुलाम सालिम को आज़ाद किया है और सालिम को वो पहचानते हैं और इस मशहूद अलैहि का एक ही ग़ुलाम सालिम नाम का है तो वो आज़ाद हो जायेगा और अगर इस के दो ग़ुलाम सालिम नाम के हों और मौला इस इतक़ से मुन्किर है तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक इन दोनों में से कोई आज़ाद न होगा यह फ़तहुल क़दीर में है और अगर दो गवाहों ने एक ग़ुलाम के इतक़ की गवाही दी और इन की वाही पर इस के आज़ाद होने का हुक्म हो गया फिर दोनों ने अपनी इस गवाही से रूजूअ किया पस दोनों ने इस की क़ीमत इस के मौला को तावान दी फिर इन दोनों की गवाही के बाद और दो गवाहों ने गवाही दी कि इस के मौला ने इस को आज़ाद किया था तो बिल इत्तफ़ाक़ हर दो गवाहान साबिक़ से तवान साक़ित न होगा और अगर पिछले दोनों गवाहों ने सरीह कहा कि पहले दोनों गवाहों की गवाही से पहले ग़ुलाम के मौला ने इस को आज़ाद किया था तो भी इमाम आज़म रह० के नज़दीक मक़बूल होगी और जो कुछ पहले गवाहों ने तावान दिया है इस को वापिस न ले सकेंगे यह काफ़ी में है।

एक शख़्स के चार ग़ुलाम हैं दो गोरे हैं और दो काले हैं पस मौला ने कहा कि यह दोनों गोरे आज़ाद हैं या यह दोनों काले या इतक़ की इज़ाफ़ते वक़्त की जानिब कर के कहा :

जामअ में है कि अगर एक मर्द ने अपने दो ग़ुलामों से कहा कि जब कल का रोज़ आ जाये तो तुम में से एक आज़ाद है फिर दोनों में से एक आज ही के रोज़ मर गया या मौला ने उस को आज़ाद कर दिया या फ़रोख़्त कर दिया या किसी को हिबा बक़ब्ज़ा करा दिया फिर कल का रोज़ हुआ तो दूसरा ग़ुलाम आज़ाद होगा और अगर मौला ने कल का रोज़ आने से पहले कहा कि मैंने इख़्तयार किया कि जब कल का रोज़ आये तो ख़ास इस ग़ुलाम पर इतक़ वाक़े हो तो यह बातिल है और नीज़ जामअ में मज़कूर है कि अगर किसी ने अपने दो

में है और अगर दो गवाहों ने गवाही दी कि इस ने अपने ग़ुलाम सालिक को आज़ाद किया है और सालिम को वह पहचानते हैं और इस दृश्यमान का एक ही ग़ुलाम सालिक नाम का है तो वह आज़ाद हो जायेगा और अगर इस के दो ग़ुलाम सालिक नाम के हों और मालिक इस मुक्ति से इनकार करता है तो इमामे आज़म रह० के निकट इन दोनों में से कोई आज़ाद न होगा यह फ़तहुल क़दीर में है और अगर दो गवाहों ने एक ग़ुलाम की मुक्ति की गवाही दी और उन की गवाही पर उसके मुक्त होने का हुक्म हो गया फिर दोनों ने अपनी इस गवाही से पलट गए बस दोनों ने उस की क़ीमत इस के मालिक को क्षतिपूर्ति दी फिर उन दोनों की गवाही के बाद और दो गवाहों ने गवाही दी कि उस के मालिक ने उस को आज़ाद किया था तो सर्वसहमति से दोनों पिछले गवाहों से क्षतिपूर्ति निष्क्रिय न होगी और अगर पिछले दोनों गवाहों ने सीधे कहा कि पहले दोनों गवाहों की गवाही से पहले ग़ुलाम के मालिक ने उस को आज़ाद किया था तो भी इमामे आज़म रह० के निकट स्वीकार होगी और जो कुछ पहले गवाहों ने क्षतिपूर्ति दिया है इस को वापिस न ले सकेंगे यह अल-काफ़ी में है।

एक व्यक्ति के चार ग़ुलाम हैं दो गौरे हैं और दो काले हैं बस मालिक ने कहा कि यह दोनों गौरे आज़ाद हैं या यह दोनों काले या मुक्ति के अतिरिक्त समय की ओर कर के कहा :

जामअ में है कि अगर एक मर्द ने अपने दो ग़ुलामों से कहा कि जब कल का दिन आ जाये तो तुम में से एक आज़ाद है फिर दोनों में से एक आज ही के दिन मर गया या मालिक ने उस को आज़ाद कर दिया या बेच दिया या किसी को उपहार स्वरूप क़ब्ज़ा करा दिया फिर कल का दिन हुआ तो दूसरा ग़ुलाम आज़ाद होगा और अगर मालिक ने कल का दिन आने से पहले कहा कि मैंने अधिकृत किया कि जब कल का दिन आये तो विशेषकर इस ग़ुलाम पर मुक्ति स्थापित हो तो यह अमान्य है और जामअ में भी वर्णित है कि अगर किसी

ग़ुलामों से कहा कि जब कल का रोज़ आये तो तुम में से एक आज़ाद है फिर इन में से एक को फ़रोख़्त कर दिया फिर कल का रोज़ आने से पहले इस को खरीद लिया फिर कल का दिन हुआ तो इन में से एक आज़ाद हो गया मगर बयान का इख़्तयार मौला को होगा और अगर इस ने एक को फ़रोख़्त करके फिर कल का रोज़ होने से पहले खरीद लिया फिर दूसरे को फ़रोख़्त कर दिया मगर इस को खरीदा नहीं था यहाँ तक कि कल का रोज़ आ गया तो जो ग़ुलाम कल का रोज़ होने पर इस की मिल्क में है वो आज़ाद हो जायेगा और बैअ करने से इस की क़सम बातिल न होगी और अगर एक में से निस्फ़ फ़रोख़्त कर दिया फिर कल का रोज़ हुआ तो जो ग़ुलाम पूरा उस की मिल्क में है वो आज़ाद हो जायेगा और अगर इस ने दोनों में निस्फ़ निस्फ़ फ़रोख़्त कर दिया फिर कल का रोज़ हुआ तो दोनों में से एक आज़ाद हो गया मगर बयान का इख़्तयार मौला (1) को है यह मुहीत में है एक शख़्स के चार ग़ुलाम हैं दो गोरे हैं और दो काले हैं पस मौला ने कहा कि यह दोनों गोरे आज़ाद हैं या यह दोनों काले या इतक़ की इज़ाफ़ते वक़्त की जानिब करके कहा कि यह दोनों गोरे आज़ाद हैं या यह दोनों काले जब कल का रोज़ आये फिर कल का रोज़ होने से पहले दोनों गोरे ग़ुलामों में से एक मर गया या मौला ने इस को फ़रोख़्त कर दिया फिर कल का रोज़ हुआ तो दोनों काले ग़ुलाम आज़ाद हो जाऐंगे और मौला को कोई इख़्तयार हासिल न होगा। अगर गोरों में से एक और कालों में से एक मर गया तो कल का रोज़ आने पर मौला को इख़्तयार हासिल होगा और अगर दोनों गोरे मर गये तो दोनों काले आज़ाद हो जाऐंगे यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है।

(1) जिस के हक़ में बयान करेगा इस का बैअ करना बातिल हो जायेगा।

ने अपने दो ग़ुलामों से कहा कि जब कल का दिन आये तो तुम में से एक आज़ाद है फिर उन में से एक को बेच दिया फिर कल का दिन आने से पहले इस को खरीद लिया फिर कल का दिन हुआ तो इन में से एक आज़ाद होगया मगर कहने का अधिकार मालिक को होगा और अगर इस ने एक को बेच करके फिर कल का दिन होने से पहले खरीद लिया फिर दूसरे को बेच दिया मगर उस को खरीदा नहीं था यहाँ तक कि कल का दिन आ गया तो जो ग़ुलाम कल का दिन होने पर इसके अधीन है वह आज़ाद हो जायेगा और विक्रय करने से इस की क़सम अमान्य न होगी और अगर एक में से आधा बेच दिया फिर कल का दिन हुआ तो जो ग़ुलाम पूरा उसके अधीन है तो वह आज़ाद हो जायेगा और अगर इस ने दोनों में आधा आधा बेच दिया फिर कल का दिन हुआ तो दोनों में से एक आज़ाद हो गया मगर बयान का अधिकार मालिक (1) को है यह मुहीत में है एक व्यक्ति के चार ग़ुलाम हैं दो गौरे हैं और दो काले हैं बस मालिक ने कहा कि यह दोनों गोरे आज़ाद हैं या यह दोनों काले या मुक्ति के अतिरिक्त समय की ओर करके कहा कि यह दोनों गौरे आज़ाद हैं या यह दोनों काले जब कल का दिन आये फिर कल का दिन होने से पहले दोनों गोरे ग़ुलामों में से एक मर गया या मालिक ने इस को बेच दिया फिर कल कल दिन हुआ तो दोनों काले ग़ुलाम आज़ाद हो जाऐंगे और मालिक को कोई अधिकार प्राप्त न होगा। अगर गोरों में से एक और कालों में से एक मर गया तो कल का दिन आने पर मालिक को अधिकार प्राप्त होगा और अगर दोनों गोरे मर गये तो दोनों काले आज़ाद हो जाऐंगे यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है।

(1) जिस के हित में बयान करेगा इस का विक्रय करना अमान्य हो जायेगा।

एक ने दो गुलाम और एक आज़ाद इन तीनों के मजमूआ को कहा कि तुम में से दो आज़ाद हैं तो दो के लफ्ज़ में से एक बजानिब आज़ाद राजअ किया जायेगा :

अगर यूं कहा कि "हाज़ा हुर्र "(1) हाज़ा तो दोनों गुलाम आज़ाद हो जाऐंगे और अगर कहा कि "हाज़ा हाज़ा हुर्र" तो दूसरा गुलाम आज़ाद हो जायेगा और अगर कहा कि "औव हाज़ा हुर्र इन दखलतुद्दार" तो पहला फ़िल हाल आज़ाद हो जायेगा और दूसरा वक्त शर्त पाई जाने के आज़ाद होगा यह ज़हीरिया में है और अगर कहा कि तुम दोनों में से एक आज़ाद है जब कि कल का रोज़ हो तुम दोनों में से एक आज़ाद है। फिर कल का रोज़ हुआ तो दोनों आज़ाद हो जाऐंगे और अगर दोनों में से एक मर गया या मौला ने इस को फ़रोख्त कर दिया तो बाक़ी आज़ाद हो जायेगा और इसी तरह अगर दोनों में से एक में से कोई हिस्सा फ़रोख्त कर दिया तो भी यही हुक्म है यह खज़ानतुल मुफ़्तीन में है एक ने दो गुलाम और एक आज़ाद इन तीनों के मजमूआ को कहा कि तुम में से दो आज़ाद हैं तो दो के लफ्ज़ में से एक बजानिब आज़ाद राजअ किया जायेगा और एक बजानिब गुलाम पस दोनों गुलामों में से फ़क़त एक आज़ाद होगा गोया उस ने यूं कहा कि दोनों गुलामों में से एक आज़ाद है पस उस को हुक्म दिया जायेगा कि बयान करे कि इन दोनों में से कौन मुराद है पस अगर मौला क़ब्ल बयान के मर गया तो दोनों में से हर एक का निस्फ़ हिस्सा आज़ाद हो जायेगा यह शरह तहावा में है।

(1) हाज़ा हुर्र यानी यह आज़ाद है यह ऐसी इबारत में दोनों इशारा अलाहिदा मुस्तक़िल मोअतबर हुए तो ज़रूर है कि अखीर की खबर यह कि आज़ाद है बखिलाफ़ हाज़ा हाज़ा हुर्र के कि अव्वल मुहमल है और दोम आज़ाद होगा और क़ौला अन दखल अलख ने यह शर्त सिर्फ़ अखीर वाले से मुलहिक़ है।

एक ने दो गुलाम और एक आज़ाद इन तीनों के मिलाकर के कहा कि तुम में से दो आज़ाद हैं तो दो के शब्द में से एक आज़ाद माना जायेगा :

अगर यूं कहा कि "यह आज़ाद है "(1) तो दोनों गुलाम आज़ाद हो जाऐंगे और अगर कहा कि "यह यह आज़ाद हैं" तो दूसरा गुलाम आज़ाद हो जायेगा और अगर कहा कि "यह आज़ाद है जो अभी घर में प्रवेश हुआ" तो पहला फ़िल हाल आज़ाद हो जायेगा और दूसरा शर्त पा जाने के समय आज़ाद होगा यह ज़हीरिया में है और अगर कहा कि तुम दोनों में से एक आज़ाद है जब कि कल के दिन हो तुम दोनों में से एक आज़ाद है। फिर कल का दिन हुआ तो दोनों आज़ाद हो जाऐंगे और अगर दोनों में से एक मर गया या मालिक ने इस को बेच दिया तो बाक़ी आज़ाद हो जायेंगे और इसी तरह अगर दोनों में से एक में से कोई हिस्सा बेच दिया तो भी यही हुक्म है यह खज़ानतुल मुफ़्तीन में है एक ने दो गुलाम और एक आज़ाद इन तीनों को मिलाकर कहा कि तुम में से दो आज़ाद हैं तो दो के शब्द में से एक आज़ाद की ओर संकेत माना जायेगा और एक गुलाम की ओर बस दोनों गुलामों में से केवल एक आज़ाद होगा गोया उस ने यूं कहा कि दोनों गुलामों में से एक आज़ाद है बस उस को हुक्म दिया जायेगा कि बयान करे कि इन दोनों में से कौन मुराद है बस अगर मालिक बयान के पहले मर गया तो दोनों में से हर एक का आधा हिस्सा आज़ाद हो जायेगा यह शरह तहावा में है।

(1) हाज़ा हुर्र यानी यह आज़ाद है यह ऐसे लेख में दोनों संकेत अलग स्थायी सार्थक हुए तो ज़रूर हैं कि अंतिम की यह सूचना कि आज़ाद है इसके विपरीत यह यह आज़ाद है कि प्रथम निरर्थक है और द्वितीय आज़ाद होगा और कहनायह भी आदि ने यह शर्त केवल अंतिम वाले से सलंग्न है।

बाबः 4
इतक़ के साथ क़सम खाने के बयान में

एक शख़्स ने कहा कि जब मैं इस दार में दाखिल हूं तो हर ममलूक मेरा जिस रोज़ ऐसा हुआ वो आज़ाद है हालांकि इस रोज़ इस का कोई ममलूक नहीं है पस इस ने एक ममलूक खरीद लिया फिर वो दाखिल हुआ तो आज़ाद हो जायेगा। अगर क़सम खाने के रोज़ इस की मिल्क में कोई ग़ुलाम हो और वो बराबर इस की मिल्क में बाक़ी रहा यहाँ तक कि वो दार मज़कूर में दाखिल हुआ तो आज़ाद हो जायेगा ख़्वाह रात में दाखिल हुआ हो या दिन में और अगर इस ने जिस रोज़ ऐसा हुआ का लफ़्ज़ न कहा हो तो जिस ग़ुलाम का वो बाद क़सम के मालिक हुआ है आज़ाद न होगा यह काफ़ी में है और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि अगर मैं इस दार में दाखिल न हुआ यहाँ तक कि इस को दोबारा खरीद लिया फिर दार में दाखिल हुआ तो वो आज़ाद हो जायेगा इस वास्ते कि ज़वाल मिल्क की वजह से क़सम मखल नहीं होती है यह बदाऐ में है। खालिद बिन सबीह ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की है कि अगर एक मर्द ने कहा कि हर बार जबकि मैं इस दार में दाखिल हुआ तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है। हालांकि इस के चन्द ग़ुलाम हैं पस वो शख़्स इस दार में चार मर्तबा दाखिल हुआ तो इस पर हर बार के दाखिल होने के लिए एक ग़ुलाम आज़ाद करना वाजिब हुआ कि यह इतक़ जिस ग़ुलाम पर चाहे वाक़े करे एक बाद दूसरे के चार आज़ाद करे यह मुहीत में है और अगर अपनी बान्दी से कहा कि अगर तू इस दार में दाखिल हुई तो तू आज़ादह है फिर इस को आज़ाद कर दिया फिर वो मुरतिद हो कर दारूल हरब में चली गई फिर वहां से क़ैद करके लाई गई और यही शख़्स इस का मालिक हुआ फिर यह बान्दी इस दार में दाखिल हुई तो हमारे नज़दीक वो आज़ाद न होगी यह नया बैअ में है। अपने ग़ुलाम से कहा कि अगर तू इस दार में आज के रोज़ दाखिल हुआ तो तू आज़ाद है फिर दिन गुज़र जाने के बाद इस ग़ुलाम ने दावा किया कि मैं इस दार में दाखिल हुआ तो पस मौला ने इन्कार किया तो क़ौल मौला का क़बूल होगा और अगर ग़ुलाम से कहा

अध्याय : 4
मुक्ति के साथ क़सम खाने के बारे में

एक व्यक्ति ने कहा कि जब मैं इस घर में प्रवेश हूं तो हर मेरा ख़रीदा हुआ ग़ुलाम जिस दिन ऐसा हुआ वह आज़ाद है हालांकि इस दिन इस का कोई ख़रीदा हुआ ग़ुलाम नहीं है बस उस ने एक ग़ुलाम खरीद लिया फिर वह घर में दाखिल हुआ तो आज़ाद हो जायेगा। अगर क़सम खाने के दिन इस के अधीन में कोई ग़ुलाम हो और वह लगातार इस के अधीन हो यहाँ तक कि वह वर्णित घर में प्रवेश हुआ तो आज़ाद हो जायेगा चाहे रात में दाखिल हुआ हो या दिन में और अगर इस ने जिस दिन ऐसा हुआ के शब्द न कहा हो तो जिस ग़ुलाम का वह क़सम के बाद मालिक हुआ है आज़ाद न होगा यह काफ़ी में है और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि अगर मैं इस घर में प्रवेश न हुआ यहाँ तक कि इस को दोबारा खरीद लिया फिर दार में प्रवेश हुआ तो वह आज़ाद हो जायेगा इस लिऐ कि अधीनता के पतन के कारण से क़सम बाधक नहीं होती है यह बदाऐ में है। खालिद बिन सबीह ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से परंपरागत है कि अगर एक मर्द ने कहा कि हर बार जबकि मैं इस घर में प्रवेश हुआ तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है। हालांकि इस के कुछ ग़ुलाम हैं बस वह व्यक्ति इस घर में चार बार प्रवेश हुआ तो इस पर हर बार के प्रवेश होने के लिए एक ग़ुलाम आज़ाद करना अनिवार्य हुआ कि यह मुक्ति चाहे जिस ग़ुलाम पर स्थापित करे एक बाद दूसरे के चार आज़ाद करे यह मुहीत में है और अगर अपनी बान्दी से कहा कि अगर तू इस घर में प्रवेश हुई तो तू आज़ाद है फिर इस को आज़ाद कर दिया फिर वह मुरतद/धर्मभ्रष्ट हो कर दारूल हरब (वह देश जहाँ मुस्लिम शासन न हो और मुसलमानों को अपने धर्मानुसार कार्य करने की अनुमति नहीं होती) में चली गई फिर वहां से क़ैद करके लाई गई और यही व्यक्ति इस का मालिक हुआ फिर यह बान्दी इस घर में प्रवेश हुई तो हमारे निकट वह आज़ाद न होगी यह नया बैअ में है। अपने ग़ुलाम से कहा कि अगर तू इस घर में आज के दिन प्रवेश हुआ तो तू आज़ाद है फिर दिन गुज़र जाने के बाद इस ग़ुलाम ने

कि इस दार में दाखिल हो तो तू आज़ाद है तो यह बमन्ज़िला-ए-इस कलाम के है कि जब तू इस दार में दाखिल हो तो तू आज़ाद है यह सिराजिया में है।

इमाम मुहम्मद रह० ने असल में फ़रमाया कि अगर मौला ने कहा कि अव्वल ग़ुलाम जो मेरे पास आये वो आज़ाद है पस अव्वल इस के पास एक ग़ुलाम मुर्दा दाखिल किया गया फिर ज़िन्दा तो ज़िन्दा आज़ाद होगाः

अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि अगर तू इन दोनों घरों में दाखिल हुआ तो तू आज़ाद है फिर इन घरों में दाखिल होने से पहले इस को फ़रोख़्त कर दिया फिर वो इन घरों में से एक में दाखिल हुआ फिर इस को खरीद किया फिर वो दूसरे घर में भी दाखिल हुआ तो हमारे नज़दीक आज़ाद हो जायेगा और अगने अपने ग़ुलाम से कहा कि अगर तू इस दार में दाखिल हुआ तो तू आज़ाद है अगर तूने फ़लां से कलाम किया। तो दार में दाखिल होने के वक्त भी ऐतबार क़याम मिल्क का होगा। यह बदाऐ में है। इमाम मुहम्मद रह० ने असल में फ़रमाया कि अगर मौला ने कहा कि अव्वल ग़ुलाम जो मेरे पास आये वो आज़ाद है पस अव्वल इस के पास एक ग़ुलाम मुर्दा दाखिल किया गया फिर ज़िन्दा तो ज़िन्दा आज़ाद होगा और इस में कोई इख़तलाफ़ ज़िक्र नहीं किया फ़रमाया पस बाज़ मशाइख ने कहा कि यह इमाम आज़म रह० का क़ौल है और बाज़ों ने कहा कि यह सब का क़ौल है और यही सही है। यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है और अगर दो ग़ुलाम एक साथ इस के पास दाखिल किये गये तो इन में से कोई आज़ाद न होगा फिर अगर इन के बाद कोई ग़ुलाम तन्हा इस के पास दाखिल किया गया तो वो आज़ाद न होगा। यह मबसूत में है और अगर अपने ग़ुलाम सालिम से कहा कि तू आज़ाद है अगर तू इस दार में दाखिल हुआ नहीं बल्कि ग़ानिम यानी अपने दूसरे ग़ुलाम का नाम लिया तो दूसरा

दावा किया कि मैं इस घर में प्रवेश हुआ तो बस मालिक ने नकारा तो कथन मालिक का स्वीकार होगा और अगर ग़ुलाम से कहा कि इस घर में प्रवेश हो तो तू आज़ाद है तो यह क्रमश इस कथन के है कि जब तू इस घर में प्रवेश हो तो तू आज़ाद है यह सिराजिया में है।

इमाम मुहम्मद रह० ने असल में कहा कि अगर मालिक ने कहा कि पहला ग़ुलाम जो मेरे पास आए वह आज़ाद है बस पहला इस के पास एक ग़ुलाम मृत प्रवेश किया गया फिर जीवित, तो जीवित आज़ाद होगाः

अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि अगर तू इन दोनों घरों में प्रवेश हुआ तो तू आज़ाद है फिर इन घरों में प्रवेश होने से पहले इस को बेच दिया फिर वह इन घरों में से एक में प्रवेश हुआ फिर इस को खरीद लिया फिर वह दूसरे घर में भी प्रवेश हुआ तो हमारे निकट आज़ाद हो जायेगा और अगने अपने ग़ुलाम से कहा कि अगर तू इस घर में प्रवेश हुआ तो तू आज़ाद है अगर तूने फ़लां से वार्ता की, तो घर में प्रवेश होने के समय भी स्वामित्व के स्थापना का विश्वास होगा। यह बदाऐ में है। इमाम मुहम्मद रह० ने असल में फ़रमाया कि अगर मालिक ने कहा कि पहला ग़ुलाम जो मेरे पास आये वह आज़ाद है बस पहला इस के पास एक मृत ग़ुलाम प्रवेश किया गया फिर जीवित, तो जीवित आज़ाद होगा और इस में कोई मतभेद वर्णित नहीं किया, बस फ़रमाया कुछ विद्वानों ने कहा कि यह इमामे आज़म रह० का कथन है और कुछ ने कहा कि यह सब का कथन है और यही सही है। यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है, और अगर दो ग़ुलाम एक साथ इस के पास प्रवेश किये गये तो इन में से कोई आज़ाद न होगा फिर अगर इन के बाद कोई ग़ुलाम अकेला उस के पास प्रवेश किया गया तो वह आज़ाद न होगा। यह मबसूत में है और अगर अपने ग़ुलाम सालिम से कहा कि तू आज़ाद है अगर तू इस घर में प्रवेश हुआ नही बल्कि ग़ानिम यानी अपने दूसरे ग़ुलाम का नाम लिया तो दूसरा बजाए घर में प्रवेश के आज़ाद न होगा

बदून दख़ूल दार के आज़ाद न होगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है और अगर कहा कि हर औरत मेरी कि जो इस दार में दाखिल हो तो वो तालिक़ा है और मेरे ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस की दो औरतें दाखिल हुईं तो दोनों तालिक़ा हो जाऐंगी और ग़ुलाम एक ही आज़ाद होगा और इस को इख़्तयार होगा कि जिस ग़ुलाम को चाहे मुअय्यन करे और अगर इस ने कहा कि हर बार कि दाखिल हुई मेरी कोई औरत इस दार में तो वो तालिक़ा है और एक ग़ुलाम मेरे ग़ुलामों में से आज़ाद है पस दो औरतें दाखिल हुई या एक ही औरत दो मर्तबा दाखिल हुई तो दोनों औरतें तालिक़ा हो जाऐंगी और दो ग़ुलाम आज़ाद होंगे एक शख़्स की बान्दियां हैं और इन के औलाद है और इस के ग़ुलाम भी हैं पस इस ने कहा कि हर बान्दी मेरी जो इस दार में दाखिल हो तो वो आज़ाद है और इस का बेटा और एक ग़ुलाम मेरे ग़ुलामों में से आज़ाद है। पस सब बान्दियां दाखिल हुइ तो सब आज़ाद हो जाऐंगी आर इन की औलाद भी आज़ाद होगी और एक ग़ुलाम आज़ाद होगा मगर वाज़ह रहे कि हर बान्दी का फ़क़त एक बेटा आज़ाद होगा और अगर यह ग़ुलाम इन बान्दियों के शौहर हों पस इस ने कहा कि हर बान्दी मेरी जो इस दार में दाखिल हो तो वो आज़ाद है और इस का शौहर इस का बच्चा फिर सब बान्दिया दाखिल हुई तो सब आज़ाद हो जाऐंगी और इन के शौहर और इन की औलाद भी आज़ाद होगी और अगर कहा कि हर बार कि मेरी कोई बान्दी इस दार में दाखिल हुई तो यह और इस का शौहर और इस का बच्चा और एक ग़ुलाम मेरे ग़ुलामों से आज़ाद है फिर सब बान्दियां दाखिल हुईं तो सब आज़ाद होंगी और इन के शौहर व औलाद भी आज़ाद होगी और हर बान्दी के मुक़ाबला में एक एक ग़ुलाम आज़ाद होगा और शरह करखी में लिखा है कि अगर मौला ने कहा कि हर बार कि दाखिल हुआ मैं इस दार में और मैंने फ़लां से कलाम किया या फ़लां के साथ कलाम किया तो मेरे ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम आज़ाद है फिर वो कई बार दार में दाखिल हुआ और फ़लां से इस ने एक ही बार कलाम किया तो फ़क़त एक ही ग़ुलाम

यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है और अगर कहा कि हर औरत मेरी कि जो इस घर में प्रवेश हो तो वह तलाक़ शुदा है यानी उसे तलाक़ है, और मेरे ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम आज़ाद है फिर उस की दो औरतें प्रवेश हुईं तो दोनों तलाक़ प्राप्त हो जाएंगी यानी उन्हें तलाक़ होगई और ग़ुलाम एक ही आज़ाद होगा और उस को अधिकार होगा कि जिस ग़ुलाम को चाहे निश्चित करे और अगर उस ने कहा कि मेरी कोई औरत इस घर में हर बार प्रवेश हुई तो वह तलाक़ प्राप्त है, और एक ग़ुलाम मेरे ग़ुलामों में से आज़ाद है बस दो औरतें प्रवेश हुई या एक ही औरत दो बार प्रवेश हुईं तो दोनों औरतें तलाक़ हो जाऐंगी और दो ग़ुलाम आज़ाद होंगे एक व्यक्ति की बान्दियां हैं और उन के औलाद है और इस के ग़ुलाम भी हैं बस इस ने कहा कि हर बान्दी मेरी जो इस घर में प्रवेश हो तो वह आज़ाद है और उस का बेटा और एक ग़ुलाम मेरे ग़ुलामों में से आज़ाद है। बस सब बान्दियां प्रवेश हुई तो सब आज़ाद हो जाऐंगी और उन की औलाद भी आज़ाद होगी और एक ग़ुलाम आज़ाद होगा मगर स्पष्ट रहे कि हर बान्दी का केवल एक बेटा आज़ाद होगा और अगर यह ग़ुलाम इन बान्दियों के पति हों बस उस ने कहा कि हर बान्दी मेरी जो इस घर में प्रवेश हो तो वह आज़ाद है और उस का पति उस का बच्चा फिर सब बान्दियाँ प्रवेश हुई तो सब आज़ाद हो जाऐंगी और उन के शौहर और उन की औलाद भी आज़ाद होंगी और अगर कहा कि हर बार कि मेरी कोई बान्दी इस घर में प्रवेश हुई तो यह और इस का पति और इस का बच्चा और एक ग़ुलाम मेरे ग़ुलामों से आज़ाद है फिर सब बान्दियां प्रवेश हुईं तो सब आज़ाद होंगी और उन के पति व औलाद भी आज़ाद होगी और हर बान्दी के मुक़ाबला में एक एक ग़ुलाम आज़ाद होगा और शरह करखी में लिखा है कि अगर मालिक ने कहा कि हर बार कि प्रवेश हुआ मैं इस घर में और मैंने फ़लां से कलाम किया या फ़लां के साथ कलाम किया तो मेरे ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम आज़ाद है फिर वह कई बार घर में प्रवेश हुआ और फ़लां से इस ने एक ही बार कलाम किया तो केवल एक ही ग़ुलाम आज़ाद होगा यह

आज़ाद होगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है।

एक मर्द की दो बान्दियां हैं पस उस ने कहा कि अगर तुम में से काई इस दार में दाखिल हुई तो यह आज़ाद है :

अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि तू आज़ाद है अगर तू इस दार में दाखिल हो या उस दार में तू जिस दार में दाखिल होगा आज़ाद हो जायेगा और अगर कहा कि इस दार में दाखिल हुआ और इस दार में तो जब तक दोनों में दाखिल न हुआ आज़ाद न होगा और अगर कहा कि तू आज के रोज़ आज़ाद है अगर तू इस दार में दाखिल हुआ तो जब तक आज इस दार में दाखिल न हो आज़ाद न होगा। यह हादी क़ुदसी में है और अगर कहा कि हर ममलूक कि इस को मैंने खरीद किया जब मैं इस दार में दाखिल हो गया तो वो आज़ाद है तो यह क़सम उन्हीं ग़ुलामों के हक़ में होगी जिस को बाद में दार मज़कूर में दाखिल होने के खरीद करे यह ईज़ाह में है एक ग़ुलाम ने कहा कि अगर मैं इस दार में दाखिल हुआ तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है या अगर मैंने फ़लां से कलाम किया तो मेरी बीवी तालिक़ा है पस अगर वो पहले दार में दाखिल हुआ तो इस का ग़ुलाम आज़ाद होगा और फ़लां सें कलाम करने का इन्तज़ार न किया जायेगा और अगर पहले फ़लां से कलाम किया तो बीवी तालिक़ा हो जाएगी और दार में दाखिल होने का इन्तज़ार न किया जायेगा पस जब इन दोनों शर्तों में से कोई पाई गई और इस का हुक्म मुतरत्तब हो गया तो दूसरी बातिल होगी और अगर दोनों शर्तें एक साथ पाई गईं तो दोनों जज़ाओं में से एक नाज़िल होगी मगर तअय्युन का इख़्तयार इस को हासिल होगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है। एक मर्द की दो बान्दियां हैं पस इस ने कहा कि अगर तुम मेंसे कोई इस दार में दाखिल हुई तो वो आज़ाद है फिर इस ने एक को फ़रोख़्त कर दिया फिर वो दार में दाखिल हुई फिर जो इस के पास बाक़ी है वो दाखिल हुई तो यह आज़ाद न होगी और अगर मुबीअ़ के दाखिल होने से पहले जो इस के पास है वो दाखिल हुई तो यह आज़ाद

शरह जामअ कबीर हसीरी में है।

एक मर्द की दो बान्दियाँ हैं बस उस ने कहा कि अगर तुम में से कोई इस घर में प्रवेश हुई तो यह आज़ाद है :

अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि तू आज़ाद है अगर तू इस घर में प्रवेश हो या उस घर में तो जिस घर में प्रवेश होगा आज़ाद हो जायेगा और अगर कहा कि इस घर में प्रवेश हुआ और उस घर में तू ,जब तक दोनों में प्रवेश न हुआ आज़ाद न होगा, और अगर कहा कि तू आज के दिन आज़ाद है अगर तू इस घर में प्रवेश हुआ तो जब तक आज इस घर में प्रवेश न हो आज़ाद न होगा। यह हादी क़ुदसी में है, और अगर कहा कि हर ज़रखरीद/ग़ुलाम कि उस को मैंने खरीदा, जब मैं इस घर में प्रवेश हो गया तो वह आज़ाद है तो यह क़सम उन्हीं ग़ुलामों के हक़ में होगी जिस को वर्णित घर में प्रवेश होने के बाद में खरीदे यह ईज़ाह में है एक ग़ुलाम ने कहा कि अगर मैं इस घर में प्रवेश हुआ तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है या अगर मैंने फ़लां से कलाम किया तो मेरी बीवी को तलाक़ है बस अगर वह पहले घर में प्रवेश हुआ तो उस का ग़ुलाम मुक्त होगा और फ़लां से वार्ता करने का इन्तज़ार न किया जायेगा और अगर पहले फ़लां से वार्ता की तो बीवी को तलाक़ हो जायेगी और घर में प्रवेश होने का इन्तज़ार न किया जायेगा बस जब इन दोनों शर्तों में से कोई पाई गई और इस का हुक्म क्रमागत हो गया तो दूसरी अमान्य होगी और अगर दोनों शर्तें एक साथ पाई गईं तो दोनों बदलों में से एक निश्चित होगी मगर नियुक्ति का अधिकार इस को प्राप्त होगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है। एक मर्द की दो बान्दियां हैं बस इस ने कहा कि अगर तुम में से कोई इस घर में प्रवेश हुई तो वह आज़ाद है फिर इस ने एक को बेच दिया फिर वह घर में प्रवेश हुई फिर जो उस के पास बाक़ी है वह प्रवेश हुई तो यह आज़ाद न होगी और अगर विक्रय की हुई के प्रवेश होने से पहले जो इस के पास है वह प्रवेश हुई तो यह आज़ाद हो जायेगी यह

हो जायेगी यह ज़हीरिया में है।

अगर एक मर्द ने कहाः इन दखलतु अददारान कलिमतु फ़लाना वइज़ा कलिमतु व मती कलिमतु अव इज़ा क़दमा फ़लां फ़अबदी हुर्र तो क्या हुक्म है?

एक मर्द ने कहा कि अगर मैं दार में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी तालिक़ा है और मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैंने फ़लां से कलाम किया तो यह दो क़समें क़रार दी जाऐंगी पस जिस क़सम की शर्त पाई जायेगी इस की जज़ा नाज़िल होगी और अगर इस ने इस के आखिर में इन्शाअल्लाह तआला कह दिया तो यह इस्तसना इन दोनों क़समों (1)की तरफ़ राजअ होगा और इसी तरह अगर फ़लां की मशियत (2)पर मुअल्लक़ किया तो भी फ़लां की मशियत इन दोनों क़स्मों की तरफ़ राजअ होगी पस अगर फ़लां ने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं तो दोनों क़स्में बातिल हो जाऐंगी और इसी तरह अगर इन दोनों में से एक को इस ने न चाहा तो भी दोनों बातिल हो जाऐंगी। अगर फ़लां ने मज्लिस में चाहा तो दोनों क़िस्में सही हो जाऐंगी फिर इस के बाद देखा जायेगा कि अगर इस ने फ़लां से कलाम किया तो ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा और अगर दार मज़कूर में दाखिल हुआ तो बीवी तालिक़ा हो जायेगी एक मर्द ने कहा कि अगर मैं इस दार में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी तालिक़ा है और मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो बदून दख़ूल दार के कुछ जज़ा वाक़े न होगी और अगर दार में दाखिल हुआ तो दोनों जज़ाऐं वाक़े होंगी और इसी तरह अगर इस ने जज़ा को मुक़द्दम किया बईं तौर कि मेरी बीवी तालिक़ा है और मुझ पर मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैं दार में दाखिल हुआ या शर्त को वसत में बयान कि बईं तौर कि मेरी बीवी तालिक़ा है अगर मैं दार में दाखिल हुआ और मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो भी यही हुक्म है और अगर कहा कि अगर मैं दार में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी तालिक़ा है और मुझ पर पैदल

(1) यानी दोनों बातिल होंगी।
(2) यानी अगर फ़लां चाहे।

ज़हीरिया में है।

अगर एक मर्द ने कहाः यदि मैं इन घरों में प्रवेश करूँ मैं फ़लां से बात करूँ और अगर बोले और मैं फ़लां से बात करूँ और अगर वह फ़लां आगे आता है तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है, तो क्या हुक्म है ?

एक मर्द ने कहा कि अगर मैं घर में प्रवेश हुआ तो मेरी बीवी को तलाक़ है और मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैंने फ़लां से बात की तो, यह दो क़समें मानी जाऐंगी बस जिस क़सम की शर्त पाई जायेगी इस का बदला अवतरित होगा और अगर इस ने इस के आखिर में इन्शाअल्लाह तआला कह दिया तो यह अपवाद इन दोनों क़समों (1)की ओर पलटना होगा और इसी तरह अगर फ़लां की मर्ज़ी (2) पर छोड़ा तो भी फ़लां की मर्ज़ी इन दोनों क़समों की ओर पलटना होगी बस अगर फ़लां ने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं तो दोनों क़स्में अमान्य हो जाऐंगी और इसी तरह मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त अगर इन दोनों में से एक को इस ने न चाहा तो भी दोनों अमान्य हो जाऐंगी। अगर फ़लां ने बैठक में चाहा तो दोनों क़िस्में सही हो जाऐंगी फिर इस के बाद देखा जायेगा कि अगर इस ने फ़लां से कलाम किया तो ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा और अगर वर्णित घर में प्रवेश हुआ तो बीवी को तलाक़ हो जायेगी एक मर्द ने कहा कि अगर मैं इस घर में प्रवेश हुआ तो मेरी बीवी को तलाक़ है और मेरा ग़ुलाम मुक्त है तो बजाए घर में प्रवेश के कुछ बदला स्थापित न होगा और अगर घर में प्रवेश हुआ तो दोनों बदले स्थापित होंगें और इसी तरह अगर इस ने बदले को प्रथम रखा इस तरह मेरी बीवी को तलाक़ है और मुझ पर मेरा ग़ुलाम मुक्त है अगर मैं घर में प्रवेश हुआ या शर्त को बीच में बयान कि इस तरह मेरी बीवी को तलाक़ है अगर मैं घर में प्रवेश हुआ और मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो भी यही हुक्म है और अगर कहा कि अगर मैं घर में प्रवेश हुआ तो मेरी बीवी को तलाक़ है और

(1) यानी दोनों अमान्य होंगी।
(2) यानी अगर फ़लां चाहे।

हज करना वाजिब है और मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैंने फ़लां से कलाम किया और इस शख़्स की कुछ नियत नहीं की है तो पैदल हज करना और बीवी पर तलाक़ मुअल्लक़ बदख़ूल दार होगी और ग़ुलाम का इतक़ मुअल्लक़ बकलाम फ़लां होगा ओर अगर कहा कि मेरी बीवी तालिक़ा है अगर मैं दार में दाखिल हुआ और मेरा ग़ुलाम आज़ाद है इन्शाअल्लाह तो यह एक ही क़सम होगी और इस्तसना मज़कूर पूरी क़सम से मुताल्लिक़ होगा और इसी तरह अगर कहा कि इन्शाअल्लाह तआला फ़लां (3) यानी अगर फलां ने चाहा तो भी यही हुक्म है एक मर्द ने कहा कि (4) इन दखलतु अददारान कलिमतु फ़लाना व इज़ा कलिमतु व मती कलिमतु अव इज़ा क़दमा फ़लां फ़अबदी हुर्र,(5) और इस शख़्स की कुछ नियत नहीं है तो क़िस्म यूं होगी कि बाद फ़लां से कलाम करने या बाद फ़लां के आजाने के दार मज़कूर में दाखिल हो चुनांचे अगर पहले दाखिल होकर फिर फ़लां से कलाम किया तो ग़ुलाम आज़ाद न होगा और अगर कलाम करके फिर दाखिल हुआ तो आज़ाद हो जायेगा और अगर जज़ा को दोनों शर्तों पर मुक़द्दम किया यानी कहा कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैं दार में दाखिल हुआ। अगर मैंने फ़लां से कलाम किया तो शर्त है कि बाद कलाम के दार मज़कूर में दाखिल होगा पाया जाये यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है।

अगर कहा मेरा हर ममलूक मुज़क्कर आज़ाद है, इसकी एक बान्दी हामला है फिर इसके नरीना बच्चा पैदा हुआ तो आज़ाद न होगाः

अगर इस ने अपने इस क़ौल से कि अगर मैं इस दार में दाखिल हुआ अगर मैंने फ़लां से कलाम किया तो तू आज़ाद है यह नियत की कि दख़ूल दार मुक़द्दम हो और वही शर्त इनअक़ाद हो और कलाम बफ़लां मौख़्खर हो तो इस की नियत सही होगी और इसी तरह तक़दीम जज़ा की सूरत में अगर इस ने ऐसी नियत की यानी

(3) जिस वक़्त आया फ़लां।
(4)अगर मैं दार में दाखिल हुआ अगर मैंने फ़लां से कलाम किया।
(5) तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है।

मुझ पर पैदल हज करना अनिवार्य है और मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैंने फ़लां से वार्ता की और इस व्यक्ति की कुछ इरादा नहीं की है तो पैदल हज करना और बीवी पर तलाक़ घर में प्रवेश के साथ लंबित होगी और ग़ुलाम की मुक्ति लंबित फ़लां की बात के साथ होगा ओर अगर कहा कि मेरी बीवी को तलाक़ अगर मैं घर में प्रवेश हुआ और मेरा ग़ुलाम मुक्त है इन्शाअल्लाह तो यह एक ही क़सम होगी और सिवा वर्णित पूरी क़सम से संबधित होगा और इसी तरह अगर कहा कि इन्शाअल्लाह तआला फ़लां (3) यानी अगर फलां ने चाहा तो भी यही हुक्म है एक मर्द ने कहा कि (4) यदि मैं इन घरों में प्रवेश करूँ मैं फ़लां से बात करूँ और अगर बोले और मैं फ़लां से बात करूँ और अगर वह फ़लां आगे आता है तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है, (5) और इस व्यक्ति की कुछ इरादानहीं है तो क़सम यूं होगी कि फ़लां से बात करने के बाद या फ़लां के बाद आजाने के वर्णित घर में प्रवेश हो चुनांचे अगर पहले प्रवेश होकर फिर फ़लां से बात की तो ग़ुलाम आज़ाद न होगा और अगर बात करके फिर प्रवेश हुआ तो आज़ाद हो जायेगा और अगर बदले को दोनों शर्तों पर प्रथम किया यानी कहा कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मै घर में प्रवेश हुआ। अगर मैंने फ़लां से बात की तो शर्त है कि बात के बाद वर्णित घर में प्रवेश होगा पाया जाये, यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है।

अगर कहा मेरा हर ग़ुलाम पुरूष आज़ाद है, इसकी एक बान्दी गर्भवती है फिर इसके लड़का पैदा हुआ तो आज़ाद न होगाः

अगर इस ने अपने इस कथन से कि अगर मैं इस घर में प्रवेश हुआ अगर मैंने फ़लां से बात की तो तू आज़ाद है यह इरादाकी, कि घर में प्रवेश प्रथम हो और वही शर्त आयोजित हो और फ़लां से बात विलंबित हो तो इस की इरादासही होगी और इसी तरह प्राथमिक बदले की स्थिति में अगर इस ने ऐसा इरादा किया यानी

(3) जिस समय फ़लां आया ।
(4) अगर मैं घर में प्रवेश हुआ अगर मैंने फ़लां से बात की।
(5) तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है।

कलाम मुताख़िर हो तो इस की नियत सही होगी लेकिन अगर नियत में इस के हक़ में कोई नफ़ा हो या बईं तौर पर कि मसलन इस नियत से इस के हक़ में तख़फ़ीफ़ हो तो बसबब तोहमत के क़ज़ाअन इस की नियत रद कर दी जायेगी (6) और अगर इस ने दो घरों के वास्ते कहा कि मैं इस दार में दाखिल हुआ अगर मैं इस दार दीगर में दाखिल हुआ तो तू आज़ाद है तो पापी होने की शर्त दूसरे दार में दाखिल होगा होगी पस अगर दो पहले दार में अव्वलन दाखिल हुआ तो पापी न होगा और अगर दूसरे दार में दाखिल होने के बाद दाखिल हुआ तो पापी होगा और अगर इस ने एक ही दार के हक़ में कहा कि अगर मैं इस दार में दाखिल हुआ तो तू आज़ाद है फिर इस में एक बार दाखिल हुआ तो हानिस हो जायेगा ख़्वाह जज़ा मुक़द्दम हो या मौख़्खर हो यह शरह तलखीस जामअ कबीर में है। और अगर इस ने जज़ा को वसत में बयान किया बईं तौर कि अगर मैं इस दार में दाखिल हुआ तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैंने फ़लां से कलाम किया या कहा कि अगर मैंने फ़लां से कलाम किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर फ़लां शख़्स आया तो क़सम का इनअक़ाद इस अम्र पर होगा कि फ़अल अव्वल वाक़े हो फिर फ़अल सानी पाया जाये यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है। अगर कहा कि मेरा हर ममलूक मुज़क्कर आज़ाद है और इस की एक बान्दी हामला है फिर इस के नरीना बच्चा पैदा हुआ तो आज़ाद न होगा अगरचे वक़्त क़सम से छः महीने से कम में जनी हो यह शरह जामअ सग़ीर क़ाज़ी खान में है।

एक मर्द ने कहा कि हर मेरा ममलूक कि जिस का मैं मालिक हूं आइन्दा ज़माने में वो आज़ाद है इल्ला इन ममलूकों का औसत। फिर इस ने कोई ग़ुलाम खरीदा तो इसी वक़्त आज़ाद हो जायेगा फिर अगर इस ने दूसरा खरीदा तो आज़ाद न होगा (1) फिर उस ने न खरीदा यहाँ तक कि मर गया तो वो आज़ाद हो जायेगा फिर अगर तीसरा खरीदा तो इन दोनों में से कोई आज़ाद न होगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है फिर अगर वो

(6) यानी तसदीक़ न होगी।

(1)न होगा क्योंकि शायद यह औसत हो फिर मौत के बाद मालूम हुआ कि औसत न था।

बात देरी से हो तो इस का इरादा सही होगा लेकिन अगर इरादा में इस के हित में कोई लाभ हो या इस तरह पर कि मिसाल के तौर पर इस इरादा से इस के हक़ में कमी हो तो आरोप के कारण नियायिक तौर पर इस की इरादा रद्द कर दिया जायेगा (6) और अगर इस ने दो घरों के लिए कहा कि मैं इस घर में प्रवेश हुआ अगर मैं इस दूसरे घर में प्रवेश हुआ तो तू आज़ाद है तो क़सम तोड़ने की शर्त दूसरे घर में प्रवेश होगा होगी बस अगर वह पहले घर में पहले प्रवेश हुआ तो क़सम तोड़ना न होगा और अगर दूसरे घर में प्रवेश होने के बाद प्रवेश हुआ तो क़सम तोड़ना होगा और अगर इस ने एक ही घर के हक़ में कहा कि अगर मैं इस घर में प्रवेश हुआ तो तू आज़ाद है फिर इस में एक बार प्रवेश हुआ तो क़सम तोड़ना हो जायेगा चाहे बदला प्रथम हो या अंतिम हो यह शरह तलखीस जामअ कबीर में है। और अगर इस ने बदले के बीच में बयान किया इस तरह कि अगर मैं इस घर में प्रवेश हुआ तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैंने फ़लां से बात की या कहा कि अगर मैंने फ़लां से बात की तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर फ़लां व्यक्ति आया तो क़सम का आयोजन इस अम्र पर होगा कि पहली क्रिया स्थापित हो फिर दूसरी क्रिया पाई जाये यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है। अगर कहा कि मेरा हर मर्द ग़ुलाम आज़ाद है और इस की एक बान्दी गर्भवती है फिर इस के लड़का पैदा हुआ तो आज़ाद न होगा चाहे क़सम खाते समय से छः महीने से कम में जनम दिया हो यह शरह जामअ सग़ीर क़ाज़ी खान में है।

एक मर्द ने कहा कि हर मेरा ख़रीदा हुआ ग़ुलाम कि जिस का मैं मालिक हूं भविष्य में वह आज़ाद है सिवा इन ग़ुलामों का औसत के फिर उस ने कोई ग़ुलाम खरीदा तो उसी समय आज़ाद हो जायेगा फिर अगर इसने दूसरा खरीदा तो मुक्त न होगा (1) फिर उसने न खरीदा यहाँ तक कि मर गया तो वह मुक्त हो जायेगा फिर अगर तीसरा खरीदा तो इन दोनों में से कोई मुक्त न होगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है, फिर अगर वह

(6) यानी पुष्टि न होगी।

(1) न होगा क्योंकि शायद यह औसत हो फिर मौत के बाद मालूम हुआ कि औसत न था।

चौथे ग़ुलाम का मालिक होगा तो दूसरा ग़ुलाम आज़ाद होगा इसी तरह जब आठवें ग़ुलाम का मालिक होगा तो चौथा आज़ाद हो जायेगा और अला हाज़ा उल क़ियास कज़ा फ़ी शरह तलखीस उल जामअ उल कबीर व हासिल आंका जब वो अदद ग़ुलाम जुफ़्त खरीदेगा तो जो ग़ुलाम निस्फ़ अव्वल में वाक़े होगा वो फ़िल हाल आज़ाद हो जायेगा इस वास्ते कि इस का औसत होगा मक़सूद नहीं हैं और जो ग़ुलाम निस्फ़ सानी में वाक़े होगा इस का हुक्म मौक़ूफ़ रहेगा हत्ता कि अगर इस ने छः ग़ुलाम खरीदे एक बाद दूसरे के तो अव्वल के तीन ग़ुलाम आज़ाद हो जाऐंगे और बाक़ियों का हुक्म मौक़ूफ़ रहेगा फिर अगर इस ने चौथा खरीदा तो चौथा आज़ाद न होगा इस वास्ते कि जो इस से मुताख़िर है वो मिस्ल मुक़द्दम के है पस मुस्तसना होगा और अगर वो मर गया हालांकि छः ग़ुलाम का मालिक हुआ था तो सब आज़ाद हो जाएंगे और अगर ताक़ अदद का मालिक हुआ तो सिवाऐ दरमियान के सब आज़ाद हो जाऐंगे और यह ज़िक्र नहीं फ़रमाया कि वक्त खरीद से आज़ाद होंगे या वक्त मौत के कुछ पहले से और फ़क़ीहा अबू जअफ़र ने शैख अबूबकर बिन अबू सईद से ज़िक्र किया कि बर क़यास क़ौल इमाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मुहम्मद रह० के मौत से बिला फ़सल पहले से आज़ाद होंगे और इमाम आज़म रह० के क़ौल पर वक्त खरीद से आज़ाद होंगे और बाज़ ने फ़रमाया कि असह यह है कि बिल इत्तफ़ाक़ इतक़ इन्हीं ग़ुलामों पर मक़सूद रहेगा इस वास्ते कि इस्तसना से खारिज होने की शर्त यह थी कि सिफ़त वसतिय्यत मुसफ़्फ़ा हुए और यह फिर दो ग़ुलामों का एक बारगी मालिक हुआ तो सब आज़ाद हो जाऐंगे और अगर कहा कि हर ग़ुलाम जिस को मैं खरीदूं वो आज़ाद है इल्ला इन में का अव्वल फिर इस ने एक ग़ुलाम खरीदा तो वो आज़ाद न होगा और इस के मा सिवाए सब आज़ाद हो जाऐंगे चाहे जिस तरह इन को खरीदे और अगर अव्वलन दो खरीदे तो दोनों आज़ाद हो जाऐंगे और अगर इस नेयूं कहा हो कि इल्ला इन में का आखिर फिर इस ने एक ग़ुलाम खरीदा तो आज़ाद हो जायेगा और अगर दूसरा खरीदा तो आज़ाद न होगा फिर अगर तीसरा

चौथे ग़ुलाम का मालिक होगा तो दूसरा ग़ुलाम आज़ाद होगा इसी तरह जब आठवें ग़ुलाम का मालिक होगा तो चौथा आज़ाद हो जायेगा और उस विचारानुसार जैसा कि शरह तलखीस उल जामअ उल कबीर में है व प्राप्ति यह कि जब वह ग़ुलाम जोड़े में खरीदेगा तो जो ग़ुलाम पहले में आधा स्थापित होगा वह फ़िल हाल मुक्त हो जायेगा इस लिए कि इसका औसत होना उद्देशित नहीं हैं और जो ग़ुलाम आधा दूसरे में स्थापित होगा उस आदेश पर रोक रहेगी यहां तक कि अगर इस ने छः ग़ुलाम खरीदे एक बाद दूसरे, तो पहले के तीन ग़ुलाम आज़ाद हो जाऐंगे और बाक़ियों के हुक्म पर रोक रहेगी फिर अगर उस ने चौथा खरीदा तो चौथा आज़ाद न होगा इस लिए कि जो उस से बाद है वह उदाहरणीय पहले के है बस यह और बात होगी और अगर वह मर गया हालांकि छः ग़ुलाम का मालिक हुआ था तो सब मुक्त हो जाएंगे और अगर विषम संख्या का मालिक हुआ तो सिवाऐ बीच के सब मुक्त हो जाऐंगे और यह वर्णन नहीं फ़रमाया कि खरीद के समय से आज़ाद होंगे या मृत्यू के समय से कुछ पहले से और फ़क़ीह अबू जअफ़र ने शैख अबूबकर बिन अबू सईद से उल्लेख किया कि इमाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मुहम्मद रह० के अनुमानित कथनानुसार, मृत्यु से पहले से बिना अलगाव आज़ाद होंगे और इमाम आज़म रह० के कथन पर खरीद के समय से आज़ाद होंगे और बाज़ ने फ़रमाया कि सहीह यह है कि सर्वसहमति से मुक्ति इन्हीं ग़ुलामों पर उद्देशित रहेगी इस लिए कि अपवाद से बाहर होने की शर्त यह थी कि ऐसी विशेषता जिसकी औसतन तीन औरतें मृत हुई हों और यह फिर दो ग़ुलामों का एक बार में ही मालिक हुआ तो सब आज़ाद हो जाऐंगे और अगर कहा कि हर ग़ुलाम जिस को मैं खरीदूं वह आज़ाद है सिवाए इन में का पहला, फिर इस ने एक ग़ुलाम खरीदा तो वह आज़ाद न होगा और इस पहले के सिवाए, सब आज़ाद हो जाऐंगे चाहे जिस तरह इन को खरीदे और अगर पहले दो खरीदे तो दोनों आज़ाद हो जाऐंगे और अगर इस ने यूं कहा हो कि सिवाए इन में का आखिर फिर इस ने एक ग़ुलाम खरीदा तो आज़ाद हो जायेगा और अगर दूसरा खरीदा तो मुक्त

खरीदा तो दूसरा आज़ाद हो जायेगा अला हाज़ा उल क़ियास और अगर एक ग़ुलाम खरीदा फिर दो ग़ुलाम खरीदे तो सब आज़ाद हो जाऐंगे यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है।

अगर कहा कि हर ममलूक जिस का मैं मालिक हूं तो वो आज़ाद है और इस का एक ममलूक मौजूद है फिर इस ने एक ममलूक खरीदा तो आज़ाद वही होगा जो इस की मिल्क में था और बाद में क़सम के खरीदा है वो आज़ाद न होगा लेकिन अगर इस ने इस की भी नियत की हो तो यह भी आज़ाद हो जायेगा और अगर इसने दावा किया कि जो मेरी मिल्क में था इस के इतक़ की मैंने नियत नहीं की थी तो इस के क़ौल की तसदीक़ न होगी यह शरह जामअ सग़ीर क़ाज़ी खान में है। और अगर कहा कि हर ममलूक जिस का मैं इस साअत मालिक हूं वो आज़ाद है तो यह क़िस्म उन्हीं ममलूक के हक़ में होगी जो पहले से इस की मिल्क में मौजूद हैं और जिर का वो इस साअत बतौर जदीद मालिक होगा वो आज़ाद न होंगे अगर इसने लफ़्ज़ साअत से वो मअनी मुराद लिये जो मुनजिम मुराद लेते हैं तो साअत तक जो ममलूक इस के मिल्क में आऐं इन को भी आज़ादों में दाखिल कर सकता है और यह नहीं हो सकता है कि जो साबिक़ (1) से इस की मिल्क में हैं उन से इतक़ को फ़ैर दे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर कहा कि हर ममलूक कि मैं इस का सर माह मालिक हूं वो आज़ाद है तो इस के जिस ममलूक पर सर माह आ जाये और वो चांद रात और इस दिन में इस का मालिक हो तो इमाम मुहम्मद रह० के नज़दीक वो आज़ाद हो जायेगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि यह क़सम इस जदीद ममलूक के हक़ में होगी जिस का वो चांद रात और उस के दिन में मालिक हो जाये यह मुहीत में है और अगर कहा कि हर ममलूक जिस का मैं कल के रोज़ मालिक हूं वो आज़ाद है और कुछ नियत नहीं की तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि जो उस की मिल्क में फ़िल हाल हैं और जिन का

(1) हासिल जवाब यूं है कि इस ने दावा किया कि मेरी यह मुराद थी कि नजूमी साअत के अन्दर जो मेरी मिल्क में आ जाये पस वो आज़ाद है।

न होगा फिर अगर तीसरा खरीदा तो दूसरा आज़ाद हो जायेगा एक अनुमान के अनुसार अगर एक ग़ुलाम खरीदा फिर दो ग़ुलाम खरीदे तो सब आज़ाद हो जाऐंगे यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है।

अगर कहा कि हर ख़रीद हुआ ग़ुलाम जिस का मैं मालिक हूं तो वह आज़ाद है और इस का एक ख़रीद हुआ ग़ुलाम मौजूद है फिर इस ने एक ग़ुलाम खरीदा तो आज़ाद वही होगा जो इस का ख़रीद हुआ था और क़सम के बाद में खरीदा है वह आज़ाद न होगा लेकिन अगर उस ने इस का भी इरादा किया हो तो यह भी मुक्त हो जायेगा और अगर इसने दावा किया कि जो मेरे अधीन था इस की मुक्ति का मैंने इरादा नहीं किया था तो इस के कथन की पुष्टि न होगी यह शरह जामअ सग़ीर क़ाज़ी खान में है। और अगर कहा कि हर ग़ुलाम जिस का मैं इस घड़ी मालिक हूं वह आज़ाद है तो यह क़सम उन्हीं ग़ुलामों के हित में होगी जो पहले से इस की अधीनता में मौजूद हैं और जिसका वह इस घड़ी बतौर नया मालिक होगा वह आज़ाद न होंगे अगर उसने शब्द घड़ी से वह अर्थ मुराद लिये जो ज्योतिषी मुराद लेते हैं तो उस घड़ी तक जो ग़ुलाम उस की अधीनता में आऐं उन को भी आज़ादों में प्रवेश करा सकता है और यह नहीं हो सकता है कि जो पहले (1)से इस की अधीनता में हैं उन से मुक्ति को पलट दे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर कहा कि हर ग़ुलाम कि मैं इस का सरे माह/चाँद चढ़े तक मालिक हूं वह आज़ाद है तो उस के जिस ग़ुलाम पर चाँद चढ़े तक आ जाये और वह चांद रात और इस दिन में उस का मालिक हों तो इमाम मुहम्मद रह० के निकट वह आज़ाद हो जायेगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि यह क़सम इस नये ग़ुलाम के हित में होगी जिस का वह चांद रात और उस के दिन में मालिक हो जाये यह मुहीत में है और अगर कहा कि हर ग़ुलाम जिस का मैं कल के दिन मालिक हूं वह आज़ाद है और कुछ इरादा नहीं किया तो इमाम मुहम्मद रह० ने कहा कि जो उस की अधीनता में अब तक हैं और जिन

(1) हासिल जवाब यूं है कि इस ने दावा किया कि मेरा यह मतलब था कि ज्योतिषी घड़ी के अन्दर जो मेरी अधीनता में आ जाये बस वह आज़ाद है।

कल तक मालिक हो और जिन का कल मालिक हो सब आज़ाद हो जाऐंगे और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि फ़क़त वही आज़ाद होंगे जिन का वो बसबब जदीद कल के रोज़ मालिक हो जाये और अगर कहा कि हर ममलूक जिस का मैं जुमा के रोज़ मालिक हूं वो आज़ाद है तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० के नज़दीक वही आज़ाद होंगे जो इस की मिल्क में फ़िल हाल मौजूद हैं कि वो जुमा के रोज़ आज़ाद हो जाऐंगे और अगर कहा कि हर ममलूक कि मैं इस का मालिक हूं पस वो आज़ाद है जबकि कल के रोज़ आए तो यह क़सम बिल इजमाअ इन्हीं ममलूकों पर वाक़े होगी जो फिल हाल इस की मिल्क में हैं और अगर कहा कि हर ममलूक कि मैं इस का मालिक हूं ता तीस 30 साल पस वो आज़ाद है तो इस में वो शामिल होंगे जिस का वक्त क़सम से तीस 30 साल तक जदीद मालिक हो जाये और वो शामिल न होंगे जिन का वो पहले से वक्त क़सम से मालिक हो। अला हाज़ा अगर कहा कि एक साल तक या हमैशा तक या मौत तक तो भी यही हुक्म है कि वक्त क़सम से आइन्दा इस मुद्दत तक जिन का मालिक हो वो आज़ाद होंगे। न वो जिन का अव्वल से वक्त क़सम के मालिक था और अगर इस ने कहा कि साल तक कहने से मेरी मुराद यह थी कि जो मेरी मिल्क में एक साल तक बाक़ी रहे तो क़ज़ाअन इस के क़ौल की तसदीक़ न होगी मगर फ़ीमा बैयनहू व बइनल्लाहु तआला इस के क़ौल की तसदीक़ होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर इस ने कहा कि हर ममलूक कि मैं इस का मालिक हूं वो बाद कल के रोज़ के आज़ाद है या कहा कि मेरा ममलूक बाद कल के रोज़ के आज़ाद है और इस का एक ममलूक है फिर दूसरा इस की मिल्क में आया फिर कल के रोज़ बाद का वक्त आया तो वही आज़ाद होगा जो वक्त क़सम के इस की मिल्क में था न वो जिस का वो बाद क़सम के मालिक हुआ है यह काफ़ी में है और अगर कहा कि हर ममलूक कि जिस का मैं मालिक हूं या कहा कि मेरा ममलूक पस वो बाद मेरी मौत के आज़ाद है और इस का एक ममलूक है फिर उस

का कल तक मालिक हो और जिन का कल मालिक बनूं वह सब मुक्त हो जाऐंगे और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने कहा कि केवल वही मुक्त होंगे जिन का वह नये होगे के कारण कल के दिन मालिक हो जाये और अगर कहा कि हर गुलाम जिस का मैं जुमा के दिन मालिक हूं वह आज़ाद है तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० के निकट वही आज़ाद होंगे जो उस की अधीनता में अब तक मौजूद हैं कि वह जुमा के दिन आज़ाद हो जाऐंगे और अगर कहा कि हर गुलाम कि मैं उस का मालिक हूं बस वह आज़ाद है जबकि कल के दिन आए तो यह क़सम सर्वसम्मति इन्हीं गुलामों पर स्थापित होगी जो अब तक उस की मिल्कियत में हैं और अगर कहा कि हर गुलाम कि मैं इस का मालिक हूं तीस 30 साल तक बस वह आज़ाद है तो उस में वह सम्मिलित होंगे जिस का क़सम खाने के समय से तीस 30 साल तक नये मालिक हो जाये और वह सम्मिलित न होंगे जिन का वह क़सम खाने के समय से पहले से मालिक हो। इस पर अगर कहा कि एक साल तक या हमेशा तक या मौत तक तो भी यही हुक्म है कि क़सम खाने के समय से भविष्य में उस समय तक जिन का मालिक हो वह आज़ाद होंगे। न कि वह जिन का पहले से क़सम खाने के समय से मालिक था और अगर इस ने कहा कि साल तक कहने से मेरी मतलब यह था कि जो मेरी अधीनता में एक साल तक बाक़ी रहे तो न्यायीक तौर पर इस के कथन की पुष्टि न होगी मगर अल्लाह सर्वशक्तिमान के लिए इस के कथन की पुष्टि होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर इस ने कहा कि हर गुलाम कि मैं उस का मालिक हूं वह कल के दिन के बाद आज़ाद है या कहा कि मेरा गुलाम कल के दिन के बाद आज़ाद है और इस का एक गुलाम है फिर दूसरा इस की अधीनता में आया फिर कल के दिन के बाद का समय आया तो वही आज़ाद होगा जो क़सम के समय उस की अधीनता में था न कि वह जिस की वह क़सम खाने के बाद मालिक हुआ है यह काफ़ी में है, और अगर कहा कि हर गुलाम कि जिस का मैं मालिक हूं या कहा कि मेरा गुलाम बस वह मेरी मृत्यू के बाद आज़ाद है और उस का एक

ने एक ग़ुलाम खरीदा तो जो वक्त क़सम के उस की मिल्क था वो मुदब्बर हो गया और दूसरा जो बाद क़सम के इस की मिल्क में आया है वो मुदब्बर न होगा और अगर वो मर गया तो दोनों इस के तिहाई माल से आज़ाद हो जाऐंगे यह हिदाया में है और यह हुक्म इस वक्त है कि इस की कुछ नियत न हो और अगर इस ने नियत शमूल तममाम की तो यह क़सम सब को शामिल होगी क्योंकि इस ने ऐसी नियत बयान की जिस से इस के नफ़्स पर सख्ती बढती है पस उस के क़ौल की तसदीक़ होगी यह तबिय्यीन में है और अगर कहा कि हर ग़ुलाम जिस को मैं खरीदूं तो वो आज़ाद है ता साल भर इस ने एक ग़ुलाम खरीदा तो वो आज़ाद न होगा यहाँ तक कि वक्त खरीदा से इस पर एक साल गुज़र जाये यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और गर अपने ग़ुलाम से कहा कि तू आज़ाद है आज या कुल तो आज़ाद न होगा जब तक कल का रोज़ न आए इल्ला उस सूरत में कि इस के मौला ने आज या कल कहने से आज के रोज़ आज़ाद होने की नियत की हो पस आज ही आज़ाद हो जायेगा और अगर कहा कि तू आज़ाद है आज कल तू आज ही आज़ाद हो जायेगा और अगर कहा कि तू आज़ाद है कल आज तो कल के रोज़ आज़ाद होगा यह तातार खानिया में है और अगर कहा कि तसबह ग़दा हुर्रा कल के रोज़ तो आज़ाद हो जायेगा अगरचे इस ने पानी न पिया इसी (2) तरह अगर कहा कि खड़ा होगा या बैठेगा आज़ाद तो भी फ़िल हाल आज़ाद हो जायेगा और अगर कहा कि तू आज़ाद है गुज़िश्ता कल के रोज़ हालांकि वो इस ममलूक का आज ही मालिक हुआ है तो आज़ाद हो जायेगा और इसी तरह गर कहा कि तू आज़ाद है क़ब्ल अज़ आंकि मैंने तुझे खरीद किया तो आज़ाद हो जायेगा और अगर कहा कि हर बार कि जब कोई दिन गुज़रे तो तुम दोनों में से एक आज़ाद है फिर वो दिन गुज़र गये तो दोनों आज़ाद हो जाऐंगे। यह इताबिया में है।

(2)अज़ अलख क्यों इस मुहावरह से इस की हालत मक़सूद होती है यानी तेरी यह हालत आज़ाद होगी।

ग़ुलाम है फिर उस ने एक ग़ुलाम खरीदा तो जो क़सम खाने के समय इस की अधीनता में था वह मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त हो गया और दूसरा जो क़सम के बाद इस की अधीनता में आया है वह मरणोपरांत मुक्त न होगा और अगर वह मर गया तो दोनों इस के तिहाई माल से आज़ाद हो जाऐंगे यह हिदाया में है और यह हुक्म उस समय है कि उस का कुछ इरादा न हो और अगर उस ने सब इरादे समाप्त किये तो यह क़सम सब को सम्मिलित होगी क्योंकि उस ने ऐसा इरादा बयान किया जिस से उस के अस्तित्व पर सख्ती बढ़ती है बस इस के कथन की पुष्टि होगी यह तबिय्यीन में है, और अगर कहा कि हर ग़ुलाम जिस को मैं खरीदूं तो वह आज़ाद है साल भर तक, इस ने एक ग़ुलाम खरीदा तो वह आज़ाद न होगा यहाँ तक कि खरीदने के समय से उस पर एक साल गुज़र जाये यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और गर अपने ग़ुलाम से कहा कि तू आज़ाद है आज या कल तो आज़ाद न होगा जब तक कल का दिन न आए सिवा उस स्थिति के कि उस के मालिक ने आज या कल कहने से आज के दिन आज़ाद होने का इरादा किया हो बस आज ही आज़ाद हो जायेगा और अगर कहा कि तू आज़ाद है आज या कल तो आज ही आज़ाद हो जायेगा और अगर कहा कि तू आज़ाद है कल या आज तो कल के दिन आज़ाद होगा यह तातार खानिया में है और अगर कहा कि कल के दिन तो आज़ाद हो जायेगा अगर इस ने पानी न पिया इसी (2) तरह अगर कहा कि खड़ा होगा या बैठेगा, 'आज़ाद' तो भी फ़िल हाल आज़ाद हो जायेगा और अगर कहा कि तू आज़ाद है बीते कल के दिन हालांकि वह इस ग़ुलाम का आज ही मालिक हुआ है तो आज़ाद हो जायेगा और इसी तरह अगर कहा कि तू आज़ाद है इससे पहले कि मैंने तुझे खरीद लिया तो आज़ाद हो जायेगा और अगर कहा कि हर बार कि जब कोई दिन गुज़रे तो तुम दोनों में से एक आज़ाद है फिर वह दिन बीत गये तो दोनों आज़ाद हो जाऐंगे। यह इताबिया में है।

(2) अलख से क्यों इस मुहावरह से इस की हालत उद्देशित होती है यानी तेरी यह हालत आज़ाद होगी।

अगर इस ने कहा कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर फ़लां इस दार में कल के रोज़ दाखिल न हुआ हो और मेरी बीवी तालिक़ा है अगर वो दाखिल हुआ हो और मालूम नहीं होता है कि वो आया दाखिल हुआ था या नहीं तो इतक़ व तलाक़ दोनों वाक़े होंगी इस वास्ते कि इस ने अव्वल क़सम में दुख़ूल दार का इक़रार किया और इस को कसम से मौक्कद किया पस इस की तरफ़ से तलाक़ का इक़रार होगा और दूसरी क़सम में दुख़ूल से इन्कार किया और इस को क़सम से मौक्कद किया पस इस की तरफ़ से इक़रार यक़ीन होगा यह शरह तलखीस जामअ कबीर में है और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि तू आज़ाद है एक महीना पहले मौत फ़लां व फ़लां से फिर इन दोनों में से एक शख़्स इस गुफ़्तुगू से एक महीना पर मर गया तो ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा यह मुहीत में है एक ने अपने ग़ुलाम से कहा कि तू आज़ाद है क़ब्ल फ़ितर व अज़हा के एक महीना तो अव्वल रमज़ान में आज़ाद होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। जामअ में मज़कूर है कि अगर ग़ुलाम माज़ून या मकातब ने कहा कि हर ममलूक जिस का मैं मालिक हूं आइन्दा ज़माने में तो वो आज़ाद है फिर वो ख़ुद आज़ाद होने के बाद एक ममलूक का मालिक हुआ तो आज़ाद न होगा इमाम आज़म रह० के अनुसार है और साहिबीन रह० के अनुसार आज़ाद हो जायेगा और ऐसा ही इख़्तलाफ़ है अगर कहा कि हर ममलूक जिस को मैं खरीद करूं तो वो आज़ाद है फिर बाद अपने आज़ाद होने के खरीद किया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार वो आज़ाद न होगा और साहिबीन रह० के अनुसार आज़ाद हो जायेगा और अगर इस ने यूं कहा कि जब मैं आज़ाद हो जाउं फिर जिस ममलूक का मैं मालिक हूं वो आज़ाद है या जब मैं आज़ाद हो जाउं फिर जिस ममलूक को मैं खरीद करूं वो आज़ाद है फिर बाद में आज़ाद होने के वो एक ममलूक का मालिक हुआ या बाद आज़ादी के खरीद किया तो बिल इजमाअ वो आज़ाद हो जायेगा यह मुहीत में है। अगर हरबी ने कहा कि हर ममलूक जिस का मैं आइन्दा ज़माने में मालिक हूं वो आज़ाद है फिर दारूल इस्लाम में आकर मुसलमान हो गया और एक ग़ुलाम

अगर इस ने कहा कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर फ़लां इस घर में कल के दिन प्रवेश न हुआ हो और मेरी बीवी को तलाक़ है अगर वह प्रवेश हुआ हो, और पता नहीं चलता है कि वह प्रवेश हुआ था या नहीं तो मुक्ति व तलाक़ दोनों स्थापित होंगी इस लिए कि इस ने पहले क़सम में घर में प्रवेश का स्वीकार किया और इस क़सम की पुष्टि की बस इस की ओर से तलाक़ का स्वीकार होगा और दूसरी क़सम में प्रवेश से इन्कार किया और इस क़सम की पुष्टि की बस इस की ओर से इक़रार विश्वसनीय होगा यह सारांशीय विवरण/तलख़ीस शरह जामअ कबीर में है और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि तू आज़ाद है एक महीना पहले फ़लां व फ़लां की मृत्यु से फिर इन दोनों में से एक व्यक्ति इस वार्ता से एक महीना पर मर गया तो ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा यह मुहीत में है, एक ने अपने ग़ुलाम से कहा कि तू आज़ाद है दोनों ईदों से एक महीना पहले, तो पहला रमज़ान में आज़ाद होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। जामअ में वर्णित है कि अगर अधिकारिक ग़ुलाम या मकातब/ अपनी मुक्ति की क़ीमत देकर मुक्ति पाने वाले ने कहा कि हर ग़ुलाम जिस का मैं मालिक हूं आगामी समय में, तो वह मुक्त है फिर वह ख़ुद मुक्त होने के बाद एक ग़ुलाम का मालिक हुआ तो आज़ाद न होगा इमाम आज़म रह०और साहिबीन रह० के अनुसार आज़ाद हो जायेगा और ऐसा ही मतभेद है अगर कहा कि हर ममलूक जिस को मैं ख़रीद लूं तो वह आज़ाद है फिर बाद अपने मुक्त होने के खरीद लिया तो इमामे आज़म रह० के अनुसार वह मुक्त न होगा और साहिबीन रह० के अनुसार मुक्त हो जायेगा और अगर इस ने यूं कहा कि जब मैं आज़ाद हो जाउं फिर जिस ग़ुलाम का मैं मालिक हूं वह आज़ाद है या जब मैं मुक्त हो जाउं फिर जिस ग़ुलाम को मैं खरीदूं वह आज़ाद है फिर बाद में मुक्त होने के वह एक ग़ुलाम का मालिक हुआ या बाद आज़ादी के खरीद लिया तो सर्वसहमति से वह मुक्त हो जायेगा यह मुहीत में है। अगर हरबी/ग़ैर मुस्लिम देश का व्यक्ति ने कहा कि हर ग़ुलाम जिस का मैं भविष्य में मालिक हूं वह मुक्त है फिर दारूल इस्लाम /मुस्लिम शासित देश में आकर मुसलमान हो गया और

खरीदा तो इमाम आज़म रह० के अनुसार आज़ाद न होगा अगर कहा कि अगर मैं मुसलमान हो जाउं तो हर ममलूक जिस का मैं मालिक हूं वो आज़ाद है फिर मुसलमान हुआ और इस ने एक ग़ुलाम खरीदा तो बिल इजमाअ आज़ाद हो जायेगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है और अगर एक शख़्स ने एक हुर्रा से कहा कि जब मैं तेरा मालिक हूं तो आज़ाद है फिर यह औरत मुरतिद होकर दारूल हरब में चली गई और वहां से जिहाद में क़ैद हो कर आई जिस को इस शख़्स ने खरीद किया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार आज़ाद न होगी और अगर कहा कि जब तो मुरतद होकर फिर क़ैद होकर दारूल हरब से आये और मैं तुझे खरीद करूं तो तू आज़ाद है फिर ऐसा ही वाक़े हुआ तो वो बिल इजमाअ आज़ाद हो जायेगी यह सिराज वहाज में है।

इमाम मौहम्मद रह० ने जामअ में फ़रमाया कि अगर किसी मर्द ने दूसरे से कहा कि मेरे ग़ुलामों में से तो जिस की आज़ादी चाहे इस को आज़ाद करदे फिर मुखातिब ने एक साथ सब की आज़ादी चाही तो सिवाए एक के सब आज़ाद हो जाएँगे :

अगर ग़ुलाम से कहा कि तू आज़ाद है अगर तू चाहे तो मजलिस ही में इस के चाहने से आज़ाद होगा और अगर कहा कि फ़लां चाहे तो फ़लां की मजलिस ही में चाहने से आज़ाद होगा अगर फ़लां मज़कूर इस मजलिस में मौजूद हो वरना फ़लां की मजलिस (1) इल्म में चाहने से आज़ाद होगा यह नया बैअ में है। अगर कहा कि तू आज़ाद है अगर फ़लां नेन चाहा पस अगर फ़लां ने अपनी मजलिस इल्म में कहा कि मैंने चाहा तो यह ग़ुलाम आज़ाद न होगा और अगर कहा कि मैं नहीं चाहता हूं तो आज़ाद हो जायेगा लेकिन मैं नहींचाहता हूं इस कहनेसे न आज़ाद होगा क्योंकि इस को इसी मजलिस में चाहने का इख़्तयार बाक़ी है बल्कि इस तरह

(1)जिस जलसे में फ़लां को खबर पहुंची इसी जलसे में बदून किसी और काम में मशग़ूल होने के अगर चाहे तो आज़ाद होगा।

एक ग़ुलाम ख़रीदा तो इमामे आज़म रह० के अनुसार मुक्त न होगा अगर कहा कि अगर मैं मुसलमान हो जाउं तो हर ग़ुलाम जिस का मैं मालिक हूं वह आज़ाद है फिर मुसलमान हुआ और उस ने एक ग़ुलाम खरीदा तो सर्वसम्मति आज़ाद हो जायेगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है और अगर एक व्यक्ति ने एक स्वतंत्र से कहा कि जब मैं तेरा मालिक हूं तू आज़ाद है फिर यह औरत धर्मभ्रष्ट होकर दारूल हरब/ग़ैर मुस्लिम शासित देश में चली गई और वहां से जिहाद में क़ैद हो कर आई जिस को उस व्यक्ति ने ख़रीद लिया तो इमामे आज़म रह० के अनुसार मुक्त न होगी और अगर कहा कि जब तो मुरतद/धर्मभ्रष्ट होकर फिर क़ैद होकर दारूल हरब से आये और मैं तुझे ख़रीदलूं तो तू आज़ाद है फिर ऐसा ही घटित हुआ तो वो सर्व सहमति से आज़ाद हो जायेगी यह सिराज वहाज में है।

इमाम मौहम्मद रह० ने जामअ में कहा कि अगर किसी मर्द ने दूसरे से कहा कि मेरे ग़ुलामों में से तू जिस की आज़ादी चाहे इस को आज़ाद करदे फिर सम्बोधक ने एक साथ सब की आज़ादी चाही तो सिवाए एक के सब आज़ाद हो जाएँगे :

अगर ग़ुलाम से कहा कि तू आज़ाद है अगर तू चाहे तो मजलिस ही में इस के चाहने से आज़ाद होगा और अगर कहा कि फ़लां चाहे तो फ़लां की बैठक ही में चाहने से आज़ाद होगा अगर फ़लां वर्णित इस बैठक में मौजूद हो वरना फ़लां ज्ञान की बैठक (1)में चाहने से आज़ाद होगा यह नया बैअ में है। अगर कहा कि तू आज़ाद है अगर फ़लां ने न चाहा बस अगर फ़लां ने अपनी ज्ञानी बैठक में कहा कि मैंने चाहा तो यह ग़ुलाम आज़ाद न होगा और अगर कहा कि मैं नहीं चाहता हूं तो आज़ाद हो जायेगा लेकिन मैं नहीं चाहता हूं इस कहने से न आज़ाद होगा क्योंकि उस को इसी बैठक में चाहने का अधिकार बाक़ी है बल्कि इस तरह पर न चाहे कि

(1)जिस सभा में फ़लां को सूचना पहुंची इसी सभा में बजाए किसी और काम में व्यस्त होने के अगर चाहे तो आज़ाद होगा।

पर न चाहे कि इस से ऐराज़ करके दूसरे काम में मशग़ूल होकर इस मजलिस को बातिल कर दे यह बदाऐ में है और अगर मौला ने कहा कि तू आज़ाद है अगर मैं चाहूं पस अगर इस ने आखिर उम्र तक न चहा तो आज़ाद न होगा और यह न चाहना इसी मजलिस तक मक़सूद न होगा और अगर कहा कि मैं न चाहूं तो (1) दो सूरतें हैं अगर इस ने कहा कि मैंने चाहा तो आज़ाद न होगा और अगर इस ने कहा कि मैं नहीं चाहता तो भी वाक़े न होगा इस वास्ते कि मौत तक इस को इस के चाहने का इख़्तयार है यह सिराज वहाज में है। फिर जब मर गया तो न चाहना मुतहक़्क़िक़ हो जायेगा तो इस की मौत से पहले बिला फ़सल आज़ाद होगा मगर तिहाई माल (2) से ऐतबार किया जायेगा यह बदाऐ में है और अगर अपनी बान्दियों में से एक से कहा कि तू आज़ाद है और फ़लाना अगर तू चाहे पस इस ने कहा कि मैंने अपनी आज़ादी चाही तो आज़ाद न होगी। इमामे मुहम्मद रह० ने जामअ में फ़रमाया कि अगर किसी मर्द ने दूसरे से कहा कि मेरे ग़ुलामों में से तो जिस की आज़ादी चाहे इस को आज़ाद करदे फिर मुख़ातिब ने एक साथ सब की आज़ादी चाही तो सिवाए एक के सब आज़ाद हो जाऐंगे यह इमाम आज़म रह० का क़ौल है और इस के निकाल लेने का इख़्तयार मौला को है और साहिबीन रह० के अनुसार सब आज़ाद हो जाऐंगे यह मसला ऐसा ही रिवायत अबू सुलैमान में मज़कूर है और रिवायत अबू हफ़्स में मज़कूर है कि फिर मामूर (3) ने इन सब को एक साथ आज़ाद कर दिया तो सिवाए एक के सब आज़ाद हो जाऐंगे। इमाम आज़म रह० के अनुसार यही रिवायत सही है इस वास्ते कि मामूर की मशियत पर ऐताक़ (4) मुअल्लक़ है न इतक़ (5)। अगर कहा कि मेरे ग़ुलामों में से जिस का इतक़ तो चाहे वो आज़ाद है पस इस ने इन सब का इतक़ एक बारगी चाहा तो भी मिस्ल मज़कूरह बिल इख़्तलाफ़ है कि इमाम आज़म रह० के अनुसार सिवाए एक के सब आज़ाद होंगे और साहिबीन

(1) तो भी मक़सूद बर मजलिस नहीं है। (2) अगर कुल ग़ुलाम इस के तिहाई माल से बर आमद हुआ तो आज़ाद हो गया वरना बक़द्रे कमी सआयत करेगा। (3) मुख़ातिब।
(4) आज़ाद करना। (5) न आज़ाद होना।

इस से आपत्ति करके दूसरे काम में व्यस्त होकर इस बैठक को अमान्य कर दे यह बदाऐ में है और अगर मालिक ने कहा कि तू आज़ाद है अगर मैं चाहूं बस अगर इस ने अंतिम आयु तक न चहा तो मुक्त न होगा और यह न चाहना इसी बैठक तक उद्देशित न होगा और अगर कहा कि मैं न चाहूं तो (1) दो परिस्थितियां हैं अगर इस ने कहा कि मैंने चाहा तो मुक्त न होगा और अगर इसने कहा कि मैं नहीं चाहता तो भी स्थापित न होगा इसलिए कि मृत्यु तक उस को इस के चाहने का अधिकार है यह सिराजुल वहाज में है। फिर जब मर गया तो न चाहना जांच-पड़ताल के लायक़ हो जायेगा तो इस की मृत्यु से पहले तुरंत आज़ाद होगा मगर तिहाई माल(2) के बराबर विचार किया जायेगा यह बदाऐ में है और अगर अपनी बान्दियों में से एक से कहा कि तू आज़ाद है और फ़लाना अगर तू चाहे, बस इस ने कहा कि मैंने अपनी आज़ादी चाही तो आज़ाद न होगी। इमाम मुहम्मद रह० ने जामअ में फ़रमाया कि अगर किसी मर्द ने दूसरे से कहा कि मेरे ग़ुलामों में से तू जिस की आज़ादी चाहे इस को आज़ाद करदे फिर सम्बोधित ने एक साथ सब की आज़ादी चाही तो सिवाए एक के सब आज़ाद हो जाऐंगे यह इमाम आज़म रह० का कथन है और उस के निकाल लेने का अधिकार मालिक को है और साहिबीन रह० के अनुसार सब आज़ाद हो जाऐंगे यह मसला ऐसा ही रिवायत अबू सुलैमान में वर्णित है और रिवायत अबू हफ़्स में वर्णित है कि फिर नियुक्त (3) ने इन सब को एक साथ आज़ाद कर दिया तो सिवाए एक के सब आज़ाद हो जाऐंगे। इमाम आज़म रह० के अनुसार यही रिवायत सही है इस लिए कि नियुक्त की इच्छा पर मुक्ति(4) निलंबित है न मुक्त (5)। अगर कहा कि मेरे ग़ुलामों में से जिस की मुक्ति तू चाहे वह आज़ाद है बस इस ने इन सब की मुक्ति एक बार में ही चाही तो भी सर्वसम्मति से वर्णित की तरह है कि इमामे आज़म रह० के अनुसार सिवाए एक के सब मुक्त होंगे और साहिबीन

(1)तो भी सभा में उद्देशित नहीं है।(2)अगर कुल ग़ुलाम इस के तिहाई माल से बर आमद हुआ तो आज़ाद हो गया वरना जितनी कमी होगी उतने के लिए कार्य कर कमाने की कोशिश करेगा।(3) सम्बोधक।(4) आज़ाद करना। (5) न आज़ाद होना।

रह० के अनुसार सब आज़ाद होंगे और अगर कहा कि मेरे ग़ुलामों में से जो अपना इतक़ चाहे इस को आज़ाद कर दे पस इस ने सब को एक बारगी आज़ाद कर दिया तो बिल इजमाअ आज़ाद हो जाऐंगे। अगर इस ने अपनी दो बान्दियों से कहा कि तुम दोनों आज़ाद हो अगर तुम चाहो फिर एक ने इन में से चाहा तो यह बातिल है और अगर इस ने कहा कि तुम में से जो इतक़ को चाहे दो आज़ाद है पस दोनों ने चाहा तो दोनों आज़ाद हो जाऐंगी और अगर एक ने चाहा तो वही आज़ाद हो जायेगी और अगर दोनों ने चाहा फिर मौला ने कहा कि मैंने तुम में से एक के चाहने को मुराद लिया है तो बराहे दयानत इस की तसदीक़ होगी क़ज़ाअन तसदीक़ न होगी यह मुहीत में है।

एक मर्द ने दूसरे से कहा कि मैंने अपने ग़ुलाम के इतक़ का इख़्तयार तुझे दिया तो फिर इस को मना नहीं कर सकता है। पस इस दूसरे को इस मजलिस तक इख़्तयार रहेगा और इसी तरह अगर कहा कि इन दो ग़ुलामों में से जिस को तू चाहे आज़ाद कर दे तो भी यही हुक्म है और इसी तरह अगर इताक़ बजुअल (1) हो। अगर किसी से अपनी सेहत या मर्ज़ में कहा कि जब मैं मरूं तो मेरा यह ग़ुलाम तो आज़ाद कर दे अगर चाहे या कहा कि जब मैं मरूं तो मेरे इस ग़ुलाम के इतक़ का इख़्तयार तेरे हाथ में है। या कहा कि मैंने इस ग़ुलाम के इतक़ का अपनी मौत के बाद इख़्तयार तेरे हाथ में दिया पस इस ने इस अम्र को इस से क़बूल न किया यहां तक कि इस मजलिस से उठ खड़ा हुआ तो इस शख़्स को इख़्तयार होगा कि इस के बाद मौला के तिहाई माल से इस को आज़ाद करदे और अगर कहा कि यह मेरा ग़ुलाम बाद मेरी मौत के आज़ाद है तो चाहे पस अगर इस की मौत के बाद इस ने चाहा तो ग़ुलाम आज़ाद होगा फिर अगर बाद मौत इला के मजलिस से यह शख़्स बदून कुछ कहने के खड़ा हो गया फिर इस के बाद कहा कि मैंने चाहा तो वसियत वाजिब हुई (1) और ग़ुलाम मज़कूर आज़ाद न होगा जब तक कि इस को वारिस लोग या वसी या क़ाज़ी आज़ाद न करे और मौला

(1) जुअल वो माल जो बमुक़ाबला फ़अल आज़ाद करने के ठहर गया। (2) यह तवकील है।

रह० के अनुसार सब आज़ाद होंगे और अगर कहा कि मेरे ग़ुलामों में से जो अपनी मुक्ति चाहे इस को आज़ाद कर दे बस इस ने सब को एक साथ मुक्त कर दिया तो सर्वसहमति से आज़ाद हो जाऐंगे। अगर इस ने अपनी दो बान्दियों से कहा कि तुम दोनों आज़ाद हो अगर तुम चाहो फिर एक ने इन में से चाहा तो यह अमान्य है और अगर उस ने कहा कि तुम में से जो मुक्ति को चाहे वह आज़ाद है बस दोनों ने चाहा तो दोनों आज़ाद हो जाऐंगी और अगर एक ने चाहा तो वही आज़ाद हो जायेगी और अगर दोनों ने चाहा फिर मालिक ने कहा कि मैंने तुम में से एक के चाहने को मुराद लिया है तो ईमानदारी से इस की जाँच होगी न्यायिक जाँच न होगी यह मुहीत में है।

एक मर्द ने दूसरे से कहा कि मैंने अपने ग़ुलाम की मुक्ति का अधिकार तुझे दिया तो फिर इस को मना नहीं कर सकता है, बस इस दूसरे को इस बैठक तक अधिकार रहेगा और इसी तरह अगर कहा कि इन दो ग़ुलामों में से जिस को तू चाहे आज़ाद कर दे तो भी यही हुक्म है और इसी तरह अगर मुक्ति मज़दूरी के बदले (1) हो। अगर किसी से अपने स्वास्थ्य या रोग में कहा कि जब मैं मृत हों तो मेरे यह ग़ुलाम तू आज़ाद कर दे, अगर चाहे, या कहा कि जब मैं मृत हूं तो मेरे इस ग़ुलाम की मुक्ति का अधिकार तेरे हाथ में हैं। या कहा कि मैंने इस ग़ुलाम की मुक्ति का अपनी मृत्यु के बाद अधिकार तेरे हाथ में दिया बस इस ने इस कार्य को इस से स्वीकार न किया यहां तक कि इस बैठक से उठ खड़ा हुआ तो इस व्यक्ति को अधिकार होगा कि इस के बाद मालिक के तिहाई माल से इस को आज़ाद करदे और अगर कहा कि यह मेरा ग़ुलाम बाद मेरी मौत के आज़ाद है तू चाहे बस अगर उस की मृत्यु के बाद उस ने चाहा तो ग़ुलाम आज़ाद होगा फिर अगर मालिक की मृत्यु के बाद सभा से यह व्यक्ति बजाए कुछ कहने के खड़ा हो गया फिर उस के बाद कहा कि मैंने चाहा तो वसियत अनिवार्य हुई (2)और वर्णित ग़ुलाम आज़ाद न होगा, जब तक कि इस को वारिस लोग या उत्तराधिकारी

(1) जुअल वह माल जो कार्य के बदले मुक्त करने को तय किया
(2) यह पावर ऑफ अटॉर्नी है।

मज़कूर ने अपनी हयात में जिस के चाहने पर रखा था इस को मना कर दिया तो मुमानिअत (2) जाइज़ होगी यह ज़खीरा में है और अगर कहा कि जब कल का रोज़ आये तो तू आज़ाद है अगर तो चाहे तो चाहने का इख़्तयार कल की फ़जर तुलूअ होने के बाद से होगा। यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। पस अगर इस ने फ़िल हाल चाहा तो आज़ाद न होगा जब तक कि कल के रोज़ न चाहे और अगर कहा कि अगर तू चाहे तो तू आज़ाद है कल के रोज़ तो इस को फ़िल हाल मशियत का इख़्तयार है पेस अगर इस ने फ़िलहाल चाहा तो कल के रोज़ आज़ाद हो जायेगा यह बदाऐ में है।

असल में मज़कूर है कि अगर अपने ग़ुलाम से कहा किः अन्ता हुर्र मती मा शीइता अवइज़ा मा शीइता व कुल्लमा शीइता (3)फिर ग़ुलाम ने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं फिर मालिक ने इस को फ़रोख़्त कर दिया फिर इस को खरीद किया फिर ग़ुलाम ने इतक़ चाहा तो आज़ाद न होगा और अगर कहा कि अन्ता हुर्र हईसा शीइता(4) फिर ग़ुलाम मजलिस से खड़ा हो गया तो इतक़ बातिल हो गया और अगर कहा कि अन्ता हुर्र कइफ़ा शीइता (5) तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक बदूं चाहने के आज़ाद हो जायेगा यह मुहीत में है।

(2) इस वजह से कि तवकील है।
(3)तू आज़ाद है जिस वक्त तू जचाहे जब तू हर बार कि तू चाहे। (4)तू आज़ाद है जहां तू चाहे।(5) तू आज़ाद है बहर कैफ़ कि तू चाहे।

या न्यायाधीश आज़ाद न करे और वर्णित मालिक ने अपने जीवन में जिस के चाहने पर रखा था उस को मना कर दिया तो मना करना(2) जाइज़ होगा यह ज़खीरा में है, और अगर कहा कि जब कल का दिन आये तो तू आज़ाद है अगर तू चाहे, तो चाहने का अधिकार कल के सूर्य उदय होने के बाद से होगा। यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। बस अगर इस ने फ़िल हाल चाहा तो आज़ाद न होगा जब तक कि कल के दिन न चाहे और अगर कहा कि अगर तू चाहे तो तू मुक्त है कल के दिन तो इस को फ़िल हाल इच्छा का अधिकार है बस अगर इस ने फ़िलहाल चाहा तो कल के दिन आज़ाद हो जायेगा यह बदाऐ में है।

असल में वर्णित है कि अगर अपने ग़ुलाम से कहा किः तू आज़ाद है तो जब चाहे या अगर कहा तू जब चाहे आज़ाद है(3) फिर ग़ुलाम ने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं फिर मालिक ने इस को बेच दिया फिर इस को ख़रीद लिया फिर ग़ुलाम ने मुक्ति चाही तो आज़ाद न होगा और अगर कहा कि तुम आज़ाद हो जब चाहो (4) फिर ग़ुलाम सभा से खड़ा हो गया तो मुक्ति अमान्य हो गई और अगर कहा कि तुम अपनी इच्छानुसार आज़ाद हो (5) तो इमामे आज़म रह० के निकट चाहने के कारण आज़ाद हो जायेगा यह मुहीत में है।

(2) इस वजह से कि पावर ऑफ अटॉर्नी है। (3) तू आज़ाद है जिस समय तू चाहे जब तू हर बार कि तू चाहे। (4) तू आज़ाद है जहां तू चाहे।(5) तू आज़ाद है अगर तू चाहे।

बाबः 5

इतक़ बजुअल के बयान में

(यानी इतक़ पर उजरत व एवज़ मुक़र्रर किया बमुक़ाबला-ए-फ़अल के, फ़ा फ़हम)

अगर अपने गुलाम से कहा कि तू आज़ाद है बऔज़ हज़ार दिरहम के पस ग़ुलाम ने कहा कि मैंने निस्फ़ में क़बूल किया यानी अपने नफ़्स की आज़ादी को निस्फ़ के औज़ क़बूल किया तो यह इमाम आज़म रह० के नज़दीक जाइज़ नहीं:

एक शख़्स ने अपना ग़ुलाम माल पर आज़ाद किया और इस ने क़बूल किया तो आज़ाद हो जायेगा मसलन कहा कि तू आज़ाद है हज़ार दिरहम पर या बहज़ार दिरहम या बरआंकि तू मुझे हज़ार दिरहम दे बरआंकि तू मुझे हज़ार दिरहम अदा कर या बरआंकि तू मुझे हज़ार दिरहम अता करदे या बरआंकि तुझ पर मेरे हज़ार दिरहम हैं या हज़ार दिरहम पर कि उन को तू मुझे अदा करे या कहा कि मैंने तेरा नफ़्स तेरे हाथ इतने पर फ़रोख़्त किया या मैंने तेरा नफ़्स तुझे हिबा किया बरआंकि तू मुझे इस क़द्र मुआवज़ा दे तो यह सब सही है और जो कुछ ग़ुलाम के ज़िम्मे शर्त किया है वो इस पर कर्ज़ा (1) रहेगा हत्ता कि ग़ुलाम की तरफ़ से मौला के लिए इस की किफ़ालत सही है और जैसे इस माल की किफ़ालत सही है वैसे ही यह भी रवा है कि मौला इस के एवज़ जो चाहे हाथों हाथ बदल ले मगर इस के उधार में ख़ैर (2) नहीं है और ग़ुलाम का क़बूल करना ज़रूरी है पस अगर वो मज्लिस ईजाब में हाज़िर हो तो इसी मज्लिस तक इसके क़बूल का ऐतबार है और अगर ग़ायब हो तो इस की

(1) क़ाइल मुतरजम मुराद यह है कि मिस्ल किताबत के नहीं है बल्कि ग़ुलाम बहरहाल आज़ाद है ख़्वाह यह मुआवज़ा अदा करे या न करे कभी रक़ीक़ नहीं गिना जा सकता है हां जो मुआवज़ा ठहरा हो वो ग़ुलाम पे क़र्ज़ा है।

(2) इतलाक़ लफ़्ज़ अदमख़ैर से असह यह है कि मकरूहे तहरीमी मुराद होता है और क़ब्ल लाग़ैर ज़ालिक मिन उल अक़वाल।

अध्याय : 5

मुक्ति के लिए मज़दूरी के बारे में

(यानी मुक्ति के लिए काम की तुलना में मज़दूरी व मुआवज़ा निश्चित किया, जो समझा)

अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि तू आज़ाद है हज़ार दिरहम के बदले बस ग़ुलाम ने कहा कि मैंने आधे में स्वीकार किया यानी अपने अस्तित्व की आज़ादी को आधे के बदले स्वीकार किया तो यह इमामे आज़म रह० के निकट वैध नहीं:

एक व्यक्ति ने अपना ग़ुलाम माल यानी तय क़ीमत पर आज़ाद किया और इस ने स्वीकार किया तो आज़ाद हो जायेगा मसलन कहा कि तू आज़ाद है हज़ार दिरहम पर या हज़ार दिरहम से या उस पर तू मुझे हज़ार दिरहम दे बल्कि तू मुझे हज़ार दिरहम देकर या तू मुझे हज़ार दिरहम देदे या फिर तुझ पर मेरे हज़ार दिरहम हैं या हज़ार दिरहम पर कि उन को तू मुझे देगा या कहा कि मैंने तेरा अस्तित्व तेरे हाथ इतने पर बेच दिया या मैंने तेरा नफ़्स/अस्तित्व तुझे तोहफ़ा दिया बल्कि तू मुझे इतना मुआवज़ा दे, तो यह सब सही है और जो कुछ ग़ुलाम के ज़िम्मे ज़रूरी किया है वह इस पर क़र्ज़ा/ऋण (1) रहेगा यहाँ तक कि ग़ुलाम की ओर से मालिक के लिए उस का भरण-पोषण सही है और जैसे उस माल की देख-रेख सही है वैसे ही यह भी सही है कि मालिक उस के बदले जो चाहे हाथों हाथ बदल ले मगर उसके उधार में भलाई (2) नहीं है और ग़ुलाम का स्वीकार करना ज़रूरी है बस अगर वह स्वीकारीय बैठक में हाज़िर हो तो उसी बैठक तक उसके सोच-विचार की मान्यता है और अगर ग़ैर

(1) अनुवादक के कथनासुसार मतलब यह है कि किताबत यानी क़ीमत देकर मुक्ति पाने के उदाहरण जैसा नहीं है बल्कि ग़ुलाम हर हाल में आज़ाद है ख़्वाह यह मुआवज़ा अदा करे या न करे कभी रक़ीक़/ग़ुलाम नहीं गिना जा सकता है हां जो मुआवज़ा तय हो वह ग़ुलाम पे क़र्ज़ा है।

(2) लागू शब्द अच्छा नहीं है से सहीह यह है कि मकरूहे तहरीमी /प्रतिबंधित या जिस पर आपत्ति हो मतलब होता है और किसी अन्य शब्द से पहले नहीं।

मजलिस इल्म (1) का ऐतबार है और यह भी ज़रूर है कि कल में गुलाम क़बूल करे चुनांचे अगर अपने गुलाम से कहा कि तू आज़ाद है बऔज़ हज़ार दिरहम के पस गुलाम ने कहा कि मैंने निस्फ़ में क़बूल किया यानी अपने नफ़्स की आज़ादी को निस्फ़ के औज़ क़बूल किया तो यह इमाम आज़म रह० के नज़दीक जाइज़ नहीं है बल्कि पूरा गुलाम बएवज़ पूरे माल के आज़ाद हो जायेगा यह बहरूर्राइक़ में है और इस की औलाद इस के मौला की होगी। यह बदाऐ में है और अगर हैवान या कपड़ा इन की जिन्स गुर्स व हमार वो हरदी व मर्दी वग़ैरह बयान करने के बाद इस को औज़ क़रार दिया हो तो गुलाम के ज़िम्मे इन में से औसत दरजा का इसी जिन्स का लाज़िम आयेगा और अगर गुलाम इस औसत की क़ीमत लाया तो बिना बर मशहूद के मौला इस के क़बूल करने पर मजबूर किया जायेगा और अगर जिन्स का बयान न किया गया हो मसलन गुलाम से कहा कि तुझ पर एक हैवान या कपड़ा या चौपाया है और गुलाम ने इस को क़बूल किया तो आज़ाद हो जायेगा मगर गुलाम पर अपनी क़ीमत पर वाजिब होगी और अगर गुलाम ने जो चीज़ क़रार पाई थी वो अदा कर दी यानी हैवान या कपड़ा वग़ैरह फिर वो इस्तहक़ाक़ में ले लिया गया पस अगर उक़्द में वो ग़ैरह मुअय्यन था यानी हैवान या कपड़ा न था बल्कि जिन्स बयान करके इसी जिन्स का औसत दरजा का दिया था तो गुलाम पर इस के मिस्ल देना लाज़िम होगा और अगर मुअय्यन ठहरा हो मसलन कहा कि मैं ने तुझ को इस गुलाम या इस कपडे पर आज़ाद किया या मैंने तुझे तेरे हाथ इस बान्दी पर फ़रोख़्त किया और गुलाम इस को क़बूल करके आज़ाद हो गया और औज़ को मौला के सुपुर्द किया फिर वो इस्तहक़ाक़ में ले लिया गया तो इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के नज़दीक गुलाम से इस की ज़ात की क़ीमत ले लेगा और अगर माल औज़ की जिन्स या मिक़्दार में इख़्तलाफ़ वाक़े हुआ कि मौला ने कहा कि मैंने तुझे गुलाम पर आज़ाद किया है और गुलाम मज़कूर ने कहा कि गुड़, गेंहू पर या हज़ार दिरहम पर आज़ाद किया या मौला ने कहा कि

(1)जिस मज्लिस में आगाह हो।

हाज़िर हो तो उस ज्ञानी बैठक का (1) का सोच-विचार है और यह भी ज़रूर है कि सब में गुलाम स्वीकार करे चुनांचे अगर अपने गुलाम से कहा कि तू आज़ाद है हज़ार दिरहम के बदले बस गुलाम ने कहा कि मैंने आधे में स्वीकार किया यानी अपने अस्तित्व की आज़ादी को आधे के यानी पाँच सौ दिरहम में स्वीकार किया तो यह इमामे आज़म रह० के निकट जायेज़ नहीं है बल्कि पूरा गुलाम पूरे माल के बदले मुक्त होगा यह बहरूर्राइक़ में है, और उस की औलाद उस के मालिक की होगी। यह बदाऐ में है और अगर हैवान या कपड़ा उन का लिंग बनावट व गधा घोड़ा वह नर व मादा आदि बयान करने के बाद इस को बदल क़रार दिया हो तो गुलाम के ज़िम्मे इन में से औसत श्रेणी का उसी लिंग का ज़रूरी होगा और अगर गुलाम इस औसत की क़ीमत लाया तो गावाह की बुनियाद पर मालिक को उसे स्वीकार करने पर मजबूर किया जायेगा और अगर लिंग का बयान न किया गया हो मसलन गुलाम से कहा कि तुझ पर एक हैवान या कपड़ा या चौपाया देना है और गुलाम ने इस को स्वीकार किया तो आज़ाद हो जायेगा मगर गुलाम पर अपनी क़ीमत अनिवार्य होगी और अगर गुलाम ने जो चीज़ तय की थी वह अदा कर दी यानी हैवान या कपड़ा वग़ैरह फिर वह विशेषाधिकार में ले लिया गया बस अगर शादी में वह अनिश्चित था यानी हैवान या कपड़ा न था बल्कि लिंग बयान करके उसी लिंग की औसत श्रेणी का दिया था तो गुलाम पर उस के जैसा देना ज़रूरी होगा और अगर निश्चित ठहरा हो जैसे कहा कि मैं ने तुझ को इस गुलाम या इस कपड़े पर आज़ाद किया या मैंने तुझे तेरे हाथ उस बान्दी को बेच दिया और गुलाम उस को स्वीकार करके आज़ाद हो गया और बदल को मालिक के हवाले किया फिर वह विशेषाधिकार में ले लिया गया तो इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के निकट गुलाम से उसके अस्तित्व की क़ीमत ले लेगा और अगर बदले के माल का लिंग या मात्रा में अंतर स्थापित हुआ कि मालिक ने कहा कि मैंने तुझे गुलाम पर आज़ाद किया है और वर्णित गुलाम ने कहा कि गुड़, गेंहू पर या

(1) जिस बैठक में अवगत हो।

हज़ार दिरहम पर और ग़ुलाम ने कहा कि सौ दिरहम पर तो क़सम से ग़ुलाम का क़ौल क़बूल होगा और इसी तरह अगर ग़ुलाम ने असल माल से इन्कार किया यानी सिरे से कुछ माल नहीं ठहरा है तो भी क़सम से क़ौल इस का और गवाह मौला के क़बूल होंगे यह फ़तहुल क़दीर में है।

अगर मौला ने कहा कि मैंने तुझे कल के रोज़ हज़ार दिरहम पर आज़ाद किया था मगर तूने क़बूल नहीं किया और ग़ुलाम ने कहा कि मैंने क़बूल किया था तो क़सम से मौला का क़ौल क़बूल होगा यह बदाऐ में है और अगर अपने मौला से कहा कि मुझे हज़ार दिरहम पर आज़ाद करदे पस मौला ने इस का निस्फ़ हिस्सा आज़ाद कर दिया तो निस्फ़ मुफ़्त में आज़ाद हो जायेगा और अगर कहा कि मुझे हज़ार दिरहम के औज़ आज़ाद कर दे पस मौला ने निस्फ़ आज़ाद किया तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक (2) निस्फ़ बऔज़ पांच सौ दिरहम के आज़ाद होगा। एक ग़ुलाम दो शख़्सों में मुशतरिक है इन में से एक ने कहा कि तू आज़ाद है बऔज़ हज़ार दिरहम और उस ने क़बूल किया तो इस का आधा (3) हिस्सा बऔज़ पांच सौ दिरहम के आज़ाद होगा लेकिन अगर दूसरे ने इजाज़त देदी तो हज़ार दिरहम दोनों में मुशतरिक होंगे। यह इमाम आज़म रह० का क़ौल है और अगर कहा कि मैंने अपना हिस्सा बऔज़ हज़ार दिरहम के आज़ाद किया और ग़ुलाम ने क़बूल किया तो ग़ुलाम पर हज़ार दिरहम आज़ाद कुनिन्दा के वास्ते लाज़िम आऐंगे और इस में इस का शरीक मुशतरक न होगा और अगर एक ने कहा कि जब तूने मुझे हज़ार दिरहम अदा कर दिये तो तू आज़ाद है फिर ग़ुलाम ने कमाई करके इस को हज़ार दिरहम अदा किये तो इस का हिस्सा आज़ाद हो गा और दूसरे को इस माल में शिरकत करने का इख़्तयार है इस वास्ते कि इस ने यह माल हालते रक़ियत में कमाया है पस अगर शरीक ने हिस्सा बांट लिया तो आज़ाद कुनिन्दा ग़ुलाम से वापिस नहीं ले सकता है इस वास्ते कि ग़ुलाम ने जो शर्त की

(2) साहिबीन रह० के अनुसार कल आज़ाद होगा।
(3) बशर्तेकि दोनों मसावी शरीक हों।

हज़ार दिरहम पर आज़ाद किया या मालिक ने कहा कि हज़ार दिरहम पर और ग़ुलाम ने कहा कि सौ दिरहम पर तो क़सम से ग़ुलाम का कथन स्वीकार होगा और इसी तरह अगर ग़ुलाम ने असल माल से इन्कार किया यानी सिरे से कोई माल नहीं तय किया, तो भी क़सम से कथन उस का और गवाह मालिक के स्वीकार होंगे यह फ़तहुल क़दीर में है।

अगर मालिक ने कहा कि मैंने तुझे कल के दिन हज़ार दिरहम पर आज़ाद किया था मगर तूने स्वीकार नहीं किया और ग़ुलाम ने कहा कि मैंने स्वीकार किया था तो क़सम से मालिक का कथन स्वीकार होगा यह बदाऐ में है और अगर अपने मालिक से कहा कि मुझे हज़ार दिरहम पर आज़ाद करदे बस मालिक ने उस का आधा हिस्सा आज़ाद कर दिया तो आधा मुफ़्त में मुक्त हो जायेगा और अगर कहा कि मुझे हज़ार दिरहम के बदले आज़ाद करदे बस मालिक ने आधा मुक्त किया तो इमामे आज़म रह० के निकट(2)आधा पांच सौ दिरहम के बदले आज़ाद होगा। एक ग़ुलाम दो लोगों में साझा है इन में से एक ने कहा कि तू आज़ाद है हज़ार दिरहम के बदले और उस ने स्वीकार किया तो उस का आधा(3) हिस्सा पांच सौ दिरहम के बदले आज़ाद होगा लेकिन अगर दूसरे ने इजाज़त देदी तो हज़ार दिरहम दोनों में साझा होंगे। यह इमामे आज़म रह० का कथन है और अगर कहा कि मैंने अपना हिस्सा हज़ार दिरहम के बदले आज़ाद किया और ग़ुलाम ने स्वीकार किया तो ग़ुलाम पर हज़ार दिरहम आज़ाद करने वाले के लिए अनिवार्य होंगे और इसमें इस का साझेदार साझा न होगा और अगर एक ने कहा कि जब तूने मुझे हज़ार दिरहम दे दिये तो तू आज़ाद है फिर ग़ुलाम ने कमाई करके इस को हज़ार दिरहम दे दिये तो इस का हिस्सा मुक्त होगा और दूसरे को उस माल में साझा करने का अधिकार है इस लिए कि उस ने यह माल ग़ुलामी की हालत में कमाया है बस अगर साझेदार ने हिस्सा बांट लिया तो आज़ाद हुए ग़ुलाम से वापिस नहीं ले सकता है इस लिए कि ग़ुलाम ने जो शर्त की थी

(2) साहिबीन रह० के अनुसार सबका आज़ाद होगा।
(3) बशर्तेकि दोनों बराबर के साझेदार हों।

थी इस को अदा कर दिया और अगर इस ने यूं कहा कि जब तू मुझे हज़ार दिरहम अदा कर दे तो मेरा हिस्सा आज़ाद है तो शरीक से जो दूसरे शरीक ने ले लिया है इस क़द्र ग़ुलाम से वापिस लेगा यह मुहीत सुरखी में है और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि तू हज़ार दिरहम पर आज़ाद है फिर क़ब्ल इस के कि ग़ुलाम क़बूल करे कहा कि तू सौ दीनार पर आज़ाद है पस ग़ुलाम ने कहा कि मैंने दोनों मालों के औज़ क़बूल किया तो आज़ाद हो जायेगा और दोनों माल इस पर लाज़िम आऐंगे और यह उस वक़्त है कि ग़ुलाम ने कहा हो कि मैंने दोनों मालों के औज़ क़बूल किया या आंकि इस ने फ़क़त यूं कहा कि मैंने क़बूल किया और अगर कहा कि मैंने दोनें में से एक माल दिरहम या दीनार को क़बूल किया तो आज़ाद न होगा यह शरह तहावा में है।

अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि अदा करदे मुझे हज़ार दिरहम तो तू आज़ाद है तो जब तक हज़ार दिरहम अदा न करे तब तक आज़ाद न होगाः

अगर ग़ुलाम से कहा कि तू आज़ाद है और मुझे हज़ार दिरहम अदा कर दे तो ग़ुलाम मुफ़्त आज़ाद हो जायेगा यह ज़हीरिया में है और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि अदा कर दे मुझे हज़ार दिरहम तो तू आज़ाद है तो जब तक हज़ार दिरहम अदा न करे तब तक आज़ाद न होगा और अगर कहा कि मुझे हज़ार दिरहम अदा कर दे पस तू आज़ाद है तो फ़िल हाल आज़ाद हो जायेगा। यह ज़ख़ीरा में है और अगर कहा कि मुझे हज़ार दिरहम अदा करदे तो आज़ाद है तो फ़िल हाल आज़ाद हो जायेगा ख़्वाह अदा किये या न किये हों यह बदाऐ में है और अगर कहा कि तू आज़ाद है और तुझ पर हज़ार दिरहम है तो फ़िल हाल आज़ाद हो जायेगा और हज़ार दिरहम इस पर वाजिब न होंगे ख़्वाह इस ने क़बूल किया या न किया। यह इमाम आज़म रह० के नज़दीक है और साहबीन रह० ने फ़रमाया कि अगर इस ने क़बूल किया

उस को पूर्ण कर दिया और अगर इस ने यूं कहा कि जब तू मुझे हज़ार दिरहम देदे तो मेरा हिस्सा आज़ाद है तो साझेदार से जो दूसरे साझी ने ले लिया है उतना ही ग़ुलाम से वापिस लेगा यह मुहीतुल सुरखी में है और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि तू हज़ार दिरहम पर आज़ाद है फिर इस के पहले कि ग़ुलाम स्वीकार करे, कहा कि तू सौ दीनार पर आज़ाद है बस ग़ुलाम ने कहा कि मैंने दोनों मालों के बदले स्वीकार किया तो आज़ाद हो जायेगा और दोनों माल इस पर ज़रूरी होंगे और यह उस समय है कि ग़ुलाम ने कहा हो कि मैंने दोनों मालों के बदले स्वीकार किया या जब कि इस ने केवल यूं कहा कि मैने स्वीकार किया और अगर कहा कि मैंने दोनों में से एक माल दिरहम या दीनार को स्वीकार किया तो आज़ाद न होगा यह शरह तहावा में है।

अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि मुझे हज़ार दिरहम देदे तो तू आज़ाद है तो जब तक हज़ार दिरहम न देदे तब तक आज़ाद न होगाः

अगर ग़ुलाम से कहा कि तू आज़ाद है और मुझे हज़ार दिरहम देदे तो ग़ुलाम मुफ़्त में आज़ाद हो जायेगा यह ज़हीरिया में है, और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि मुझे हज़ार दिरहम देदे तो तू आज़ाद है तो जब तक हज़ार दिरहम न देदे तब तक आज़ाद न होगा और अगर कहा कि मुझे हज़ार दिरहम देदे बस तू आज़ाद है तो फ़िल हाल आज़ाद हो जायेगा। यह ज़ख़ीरा में है और अगर कहा कि मुझे हज़ार दिरहम देदे तो आज़ाद है तो फ़िल हाल आज़ाद हो जायेगा चाहे दिये या न दिये हों यह बदाऐ में है, और अगर कहा कि तू आज़ाद है और तुझ पर हज़ार दिरहम हैं तो फ़िल हाल आज़ाद हो जायेगा और हज़ार दिरहम इस पर अनिवार्य न होंगे भले इस ने स्वीकार किया या न किया। यह इमामे आज़म रह० के निकट है और साहबीन रह० ने फ़रमाया कि अगर इस ने स्वीकार किया तो आज़ाद हो जायेगा और हज़ार दिरहम

तो आज़ाद हो जायेगा और हज़ार दिरहम लाज़िम आऐंगे और अगर न क़बूल किया तो आज़ाद न होगा यह नया बैअ में है और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि मेरी तरफ़ से एक ग़ुलाम आज़ाद करदे और तू आज़ाद है या मेरी तरफ़ से यह लफ़्ज़ न कहा या यूं कहा कि जब तूने मेरी तरफ़ से एक ग़ुलाम आज़ाद किया तो तू आज़ाद है तो सही है और ग़ुलाम का लफ़्ज़ राज़अ बऔसत होगा यानी औसत दर्जे का ग़ुलाम आज़ाद करदे और यह ग़ुलाम माज़ून उल तिजारत हो जायेगा फिर अगर इस न अदना दरजा या आला दरजा का ग़ुलाम आज़ाद किया तो नहीं जायज है। पस अगर इस ने औसत दरजा का ग़ुलाम आज़ाद किया तो दोनों बिला सआयत आज़ाद हो जाऐंगे बशर्ते कि इस ने हालत सेहत में कहा हो और अगर हालत मर्ज़ (यानी मर्ज़ुल मौत) में कहा हो और इन दोनों के सिवाऐ इस का कुछ माल न हो तो एक तिहाई इन दोनों के दरमियान मुवाफ़िक़ इन के सहाम के तक़सीम होगी पस अगर मामूर की क़ीमत साठ दीनार हों और दूसरे की क़ीमत चालीस दीनार हों तो मामूर का दो तिहाई हिस्सा बिला सआयत आज़ाद हो जायेगा इस वास्ते कि वो बऔज़ है पस वो वसियत न होगी और एक तिहाई बिला औज़ है पस माल मैयत तिहाई हिस्सा इस मामूर का और पूरा ग़ुलाम वसत है कि मजमूआ इस का साठ दीनार हुए वो इन दोनों में दोनों के हुक़ूक़ के मुवाफ़िक़ तक़सीम होगा जिस में से तिहाई मामूर का हिस्सा यानी छः दिरहम व दो तिहाई हिस्सा दिरहम हुआ पस इस क़द्र बिला सआयत आज़ाद हो जायेगा और बाक़ी तेरह दिरहम एक तिहाई हिस्सा दिरहम के वास्ते सआयत करेगा और ग़ुलाम औसत से तेरह 13 दिरहम व एक तिहाई हिस्सा दिरहम बिला सआयत आज़ाद होगा और बाक़ी छब्बीस 26 दो तिहाई हिस्सा दिरहम के वास्ते सआयत करेगा पस सहाम वसियत में हुए और सहाम सआयत चालीस हुए पस तिहाई व दो तिहाई ठीक बरआमद हुई। अगर ग़ुलाम वसत की क़ीमत मिस्ल सहाम मामूर के या ज़्यादा हो तो पूरा ग़ुलाम मामूर बिला सआयत आज़ाद हो जायेगा और बदल मज़कूर यानी ग़ुलाम वसत तिहाई से आज़ाद होगा और अगर अपने देने अनिवार्य होंगे और अगर न स्वीकार किया तो आज़ाद न होगा यह नया बैअ में है और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि मेरी ओर से एक ग़ुलाम मुक्त करदे और तू आज़ाद है या मेरी तरफ़ से यह शब्द न कहा या यूं कहा कि जब तूने मेरी तरफ़ से एक ग़ुलाम आज़ाद किया तो तू आज़ाद है तो सही है और ग़ुलाम का शब्द बात का औसत होगा यानी मध्य श्रेणी का ग़ुलाम आज़ाद करदे और यह ग़ुलाम व्यापार के लिए अधिकार प्राप्त हो जायेगा फिर अगर इसने निचली श्रेणी या उच्च श्रेणी का ग़ुलाम मुक्त किया तो जाइज़ नहीं है। बस अगर इस ने मध्यम श्रेणी का ग़ुलाम आज़ाद किया तो दोनों बिना मुक्ति के लिए कार्य/कमाने की कोशिश आज़ाद हो जाऐंगे बशर्ते कि इस ने स्वस्थ हालत में कहा हो और अगर रोग में (यानी मृत्यु रोग) में कहा हो और इन दोनों के सिवाऐ इस का कुछ माल न हो तो एक तिहाई इन दोनों के बीच सहमति से इन के हिस्से का विभाजन होगा बस अगर नियुक्त की क़ीमत साठ दीनार हो और दूसरे की क़ीमत चालीस दीनार हों तो नियुक्त का दो तिहाई हिस्सा बिना मुक्ति के लिए कार्य/कमाने की कोशिश के आज़ाद हो जायेगा इस लिए कि वह बदले में है बस वह वसियत न होगी और एक तिहाई बिना बदले के है बस मृतक के माल का तिहाई हिस्सा इस नियुक्त का और पूरा ग़ुलाम मध्य है कि इस का कुल योग साठ दीनार हुए वह इन दोनों में दोनों के हितों के जितना विभाजित होगा जिस में से तिहाई नियुक्त का हिस्सा यानी छः दिरहम व दो तिहाई हिस्सा दिरहम हुआ बस इतना ही मुक्ति के लिए बिना कार्य/कमाने की कोशिश के आज़ाद हो जायेगा और बाक़ी तेरह 13 दिरहम एक तिहाई हिस्सा दिरहम के लिए अपनी मुक्ति के लिए कार्य/कमाने की कोशिश करेगा और ग़ुलाम औसत से तेरह 13 दिरहम व एक तिहाई हिस्सा 13 दिरहम अपनी क़ीमत देने के लिए बिना कार्य/कमाने की कोशिश आज़ाद होगा और बाक़ी छब्बीस 26 दो तिहाई हिस्से दिरहम के लिए कार्य/कमाने की कोशिश करेगा बस वसियत के हिस्से में हुए और हिस्से, मुक्ति की क़ीमत देने के लिए कार्य/कमाने की कोशिश के चालीस हिस्से हुए बस तिहाई व दो तिहाई ठीक

ग़ुलाम से कहा कि मेरी तरफ़ से मेरी मौत के बाद एक ग़ुलाम आज़ाद करदे और तू आज़ाद है तो यह सूरत साबिक़ दोनों यक्सां हैं फ़र्क़ यह है कि अगर इस सूरत में दरमियानी दरजा का ग़ुलाम आज़ाद किया तो मामूर आज़ाद न होगा इल्ला बा इताक़ वारिस या वसी या क़ाज़ी और सूरत साबिक़ में जब मामूर ने औसत दरजा का ग़ुलाम आज़ाद कर दिया तो बदून किसी के आज़ाद के आज़ाद करने के ख़ुद आज़ाद हो जायेगा और अगर मौला की मौत के बाद वारिसों ने ग़ुलाम मामूर से कहा कि तू ग़ुलाम आज़ाद करो वरना हम तुझ को फ़रोख़्त करदेंगे तो इन को यह इख़्तयार हासिल न होगा लेकिन क़ाज़ी इस ग़ुलाम मामूर को तीन रोज़ या .ज्यादा की मोहलत मुवाफ़िक़ अपनी राये के देगा यह काफ़ी में है फिर जिस मुद्दत के क़ाज़ी ने इस को मोहलत दी है अगर इस मुद्दत में इस ने एक ग़ुलाम वसत आज़ाद किया तो क़ाज़ी मामूर को आज़ाद करेगा वरना इस को वारिसों को दे देगा और इस की बैअ की इस को इजाज़त दे देगा और अब्ताल वसियत का हुक्म दे देगा और अगर मौला ने अपने वारिसों से कहा हो कि जब मेरी मौत के बाद यह एक ग़ुलाम आज़ाद करदे तो इस को आज़ाद करो तो यह सूरत और जब कि यूं कहा कि जब तू मेरी मौत के बाद एक ग़ुलाम आज़ाद करदे तो तू आज़ाद है दोनों यक्सां हैं यह मुहीत में है।

बरआमद हुई। अगर ग़ुलाम मध्य की क़ीमत नियुक्त हिस्से की जितनी या .ज्यादा हो तो पूरा नियुक्त ग़ुलाम बिना कमा कर कीमत देने की कोशिश के आज़ाद हो जायेगा और वर्णित बदल यानी ग़ुलाम मध्य श्रेणी तिहाई माल से आज़ाद होगा और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि मेरी तरफ़ से मेरी मौत के बाद एक ग़ुलाम आज़ाद करदे और तू आज़ाद है तो यह पिछली परिस्थितियां दोनों बराबर हैं फ़र्क़ यह है कि अगर इस स्थिति में मध्य श्रेणी का ग़ुलाम आज़ाद किया तो नियुक्त आज़ाद न होगा सिवाए मुक्त के वारिस या जिसे वसियत की हो या न्यायाधीश और पिछली परिस्थितियों में जब नियुक्त ने मध्य श्रेणी का ग़ुलाम आज़ाद कर दिया तो बजाए किसी के आज़ाद के आज़ाद करने के ख़ुद आज़ाद हो जायेगा और अगर मालिक की मृत्यु के बाद वारिसों ने नियुक्त ग़ुलाम से कहा कि तू ग़ुलाम आज़ाद करो वरना हम तुझ को बेच देंगे तो इन को यह अधिकार प्राप्त न होगा लेकिन न्यायाधीश इस नियुक्त ग़ुलाम को तीन दिन या .ज्यादा की सही मोहलत अपनी राये से देगा यह काफ़ी में है, फिर जिस मुद्दत की न्यायाधीश ने इस को मोहलत दी है अगर इस मुद्दत में इस ने एक ग़ुलाम मध्य श्रेणी का आज़ाद किया तो न्यायाधीश नियुक्त को आज़ाद करेगा वरना इस को वारिसों को दे देगा और उस के विक्रय की इस को इजाज़त दे देगा और वसियत को रद्द करने का हुक्म दे देगा और अगर मालिक ने अपने वारिसों से कहा हो कि जब मेरी मौत के बाद यह एक ग़ुलाम आज़ाद करदे तो इस को आज़ाद करो तो यह स्थिति और जब कि यूं कहा कि जब तू मेरी मौत के बाद एक ग़ुलाम आज़ाद करदे तो तू आज़ाद है दोनों बराबर हैं यह मुहीत में है।

अगर ग़ुलाम ने अपने मौला से कहा कि फ़रोख़्त करदे मेरे हाथ मेरा नफ़्स और मौला ने कहा कि मैंने ऐसा किया तो ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा:

इब्ने समाआ रह० ने इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत की है कि अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि मैंने फ़रोख़्त किया तेरा नफ़्स तेरे हाथ और यह हज़ार दिरहम जो तेरे हाथ में हैं बऔज़ हज़ार दिरहम के तो फ़रमाया कि वो आज़ाद है और जो ग़ुलाम के हाथ में है वो मौला ले लेगा और इस पर कुछ और वाजिब न होगा और इसी तरह अगर इस के ग़ुलाम ने इस से कहा कि फ़रोख़्त करदे मेरे हाथ मेरा नफ़्स और यह हज़ार दिरहम बऔज़ सौ दिरहम के तो मौला पूरे हज़ार दिरहम ले लेगा और ग़ुलाम मुफ़्त आज़ाद हो जायेगा और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि फ़रोख़्त किया मैंने तेरा नफ़्स तेरे हाथ और यह सौ दीनार बऔज़ हज़ार दिरहम के और ग़ुलाम ने इस को क़बूल किया और ग़ुलाम की क़ीमत सौ दीनार के बराबर है तो हज़ार दिरहम में से पांच सौ दिरहम बमुक़ाबला ग़ुलाम के और पांच सौ बमुक़ाबला दीनारों के होंगे पस अगर क़ब्ल इफ़राक़ के ग़ुलाम ने हज़ार दिरहम दे दे तो यह दीनार ग़ुलाम के होंगे और ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा और अगर क़ब्ल अदा (यानी कि मौला के क़ब्ज़ा करने के) करने के दोनों जुदा हो गये तो हज़ार में से दीनारों का हिस्सा बातिल हो गया यानी बैअ सिर्फ़ बातिल हुई पस दीनार मौला के हुए और पांच सौ दिरहम जिस के औज़ ग़ुलाम आज़ाद हो गया वो ग़ुलाम पर क़र्ज़ा रहे। हिशाम ने इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत की है कि अगर ग़ुलाम ने अपने मौला से कहा कि फ़रोख़्त करदे मेरे हाथ मेरा नफ़्स और मौला ने कहा कि मैंने ऐसा किया तो ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा और अपनी पूरी क़ीमत के वास्ते सआयत करेगा। यह मुहीत सुरख़ी में है और अपने ग़ुलाम को आज़ाद किया बऔज़ ऐसे माल के कि इस को किसी अजनबी पर रखा और अजनबी ने इस को क़बूल किया तो माल इस के ज़िम्मे लाज़िम न होगा यह बसीत में है और अगर किसी मर्द ने दूसरे से कहा कि तू अपने

अगर ग़ुलाम ने अपने मालिक से कहा कि विक्रय करदे मेरे हाथ मेरा अस्तित्व और मालिक ने कहा कि मैंने ऐसा किया तो ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा:

इबने समाआ रह० ने इमाम मुहम्मद रह० से वर्णन किया है कि अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि मैंने तेरा अस्तित्व तेरे हाथ बेच दिया और यह हज़ार दिरहम जो तेरे हाथ में हैं, हज़ार दिरहम के बदले तो फ़रमाया कि वह आज़ाद है और जो ग़ुलाम के हाथ में है वह मालिक ले लेगा और इस पर कुछ और अनिवार्य न होगा और इसी तरह अगर इस के ग़ुलाम ने इस से कहा कि बेच दे मेरे हाथ मेरा अस्तित्व और यह हज़ार दिरहम बदले सौ दीनार के, तो मालिक पूरे हज़ार दिरहम ले लेगा और ग़ुलाम मुफ़्त आज़ाद हो जायेगा और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि विक्रय किया मैंने तेरा अस्तित्व तेरे हाथ और यह सौ दीनार बदले हज़ार दिरहम के और ग़ुलाम ने इस को स्वीकार किया और ग़ुलाम की क़ीमत सौ दीनार के बराबर है तो हज़ार दिरहम में से पांच सौ दिरहम ग़ुलाम के मुक़ाबले में और पांच सौ दीनारों के मुक़ाबले में होंगे बस अगर जुदाई के पहले ग़ुलाम ने हज़ार दिरहम दे दिए तो यह दीनार ग़ुलाम के होंगे और ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा और अगर देने से पहले (यानी कि मालिक के क़ब्ज़ा करने के) दोनों जुदा हो गये तो हज़ार में से दीनारों का हिस्सा अमान्य हो गया यानी केवल विक्रय अमान्य हुई बस दीनार मालिक के हुए और पांच सौ दिरहम जिस के बदले ग़ुलाम आज़ाद हो गया वह ग़ुलाम पर क़र्ज़ा रहे। हिशाम ने इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत की है कि अगर ग़ुलाम ने अपने मालिक से कहा कि विक्रय करदे मेरे हाथ मेरा अस्तित्व और मालिक ने कहा कि मैंने ऐसा किया तो ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा और अपनी पूरी क़ीमत के लिए कार्य कर कमाने की कोशिश करेगा। यह मुहीतुल सुरख़ी में है और अपने ग़ुलाम को आज़ाद किया ऐसे माल के बदले कि इस को किसी अजनबी पर रखा और अजनबी ने इस को स्वीकार किया तो माल उस के ज़िम्मे अनिवार्य न होगा यह मध्यम में है

ग़ुलाम को अपनी तरफ़ से बऔज़ ऐसे हज़ार दिरहम के आज़ाद करदे कि वो मुझ पर मैं पस इस ने आज़ाद कर दिया तो इस मर्द पर माल लाज़िम न आयेगा और अगर अदा कर दिया तो भी इस को वापिस कर लेने का इस्तहक़ाक़ होगा यह ज़ख़ीरा में है। किसी आदमी ने अपने ग़ुलाम को शराब (ख़ुमर) या सूद पर आज़ाद कर दिया तो क़बूल करने से आज़ाद हो जायेगा और मुसम्मा की क़ीमत लाज़िम होगी और अगर क़ब्ल वसूल ख़ुमर के दोनों में से कोई मुसलमान हो गया तो शैख़ेन के नज़दीक ग़ुलाम पर अपनी क़ीमत वाजिब होगी और इमाम मुहम्मद रह० के नज़दीक शराब की क़ीमत वाजिब होगी यह मुहीत सुरखी में है और अगर कहा कि जब तूने मुझे हज़ार दिरहम अदा किये तो तू आज़ाद है या हर गाह के तूने अदा किये तो यह सही है और इसी मज्लिस तक मक़सूद न होगा और अगर कहा कि अगर तूने मुझे हज़ार दिरहम अदा किये तो तू आज़ाद है तो यह मज्लिस ही तक मक़सूद है और इन सब सूरतों में ग़ुलाम माज़ून उल तिजारत हो जायेगा और जब इस ने माल अदा किया तो आज़ाद हो जायेगा फिर देखा जायेगा कि अगर इस ने यह माल क़ब्ल इस कलाम मौला के कमाया है तो ग़ुलाम आज़ाद हुआ और माल सब मौला का होगा और ग़ुलाम के ज़िम्मे दूसरे हज़ार दिरहम वाजिब होंगे और अगर ऐसा माल है कि इस ने बाद इस कलाम के कमाया है तो ग़ुलाम आज़ाद होगा और वक़्त आज़ाद होने तक जो कुछ कमाई है वो मौला की होगी और हज़ार दिरहम मुआवज़ा में से ग़ुलाम पर कुछ न होगा यह नया बैअ में है और क़ब्ल अदा करने के मौला को इस के फ़रोख़्त का इख़्तयार है और अगर इस ने बदल में से कुछ अदा करना चाहा तो मौला ने इस के क़बूल पर मजबूर किया जायेगा लेकिन ग़ुलाम आज़ाद न होगा जब तक कि कुल अदा न करे और अगर मौला ने इस को कल से या बाज़ से बरी किया तो बरी न होगा और आज़ाद न होगा यह सिराज उल वहाज में है।

ग़ुलाम ने अगर माल हाज़िर किया बानी तौर कि

और अगर किसी मर्द ने दूसरे से कहा कि तू अपने ग़ुलाम को अपनी ओर से मुझ पर इसे हज़ार दिरहम के बदले आज़ाद करदे, बस इस ने आज़ाद कर दिया तो इस मर्द पर माल लाज़िम न आयेगा और अगर दे दिया तो भी इस को वापिस कर लेने का नियमित अधिकार होगा यह ज़ख़ीरा में है। किसी आदमी ने अपने ग़ुलाम को शराब (नशे) या खाने लाने पर आज़ाद कर दिया तो स्वीकार करने से आज़ाद हो जायेगा और संबधित की क़ीमत अनिवार्य होगी और अगर नशा आदि वसूल करने से पहले, कि दोनों में से कोई मुसलमान हो गया तो शैख़ेन के निकट ग़ुलाम पर अपनी क़ीमत अनिवार्य होगी और इमाम मुहम्मद रह० के निकट शराब की क़ीमत अनिवार्य होगी यह मुहीतुल सुरखी में है और अगर कहा कि जब तूने मुझे हज़ार दिरहम अदा किये तो तू आज़ाद है या जिस समय कि तूने अदा किये, तो यह सही है और उसी बैठक तक उद्देशित न होगा, और अगर कहा कि अगर तूने मुझे हज़ार दिरहम दे दिये तो तू आज़ाद है तो यह बैठक ही तक उद्देशित है और इन सब सूरतों में ग़ुलाम व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो जायेगा और जब इस ने माल दे दिया तो आज़ाद हो जायेगा फिर देखा जायेगा कि अगर इस ने यह माल मालिक की इस वार्ता से पहले कमाया है तो ग़ुलाम आज़ाद हुआ और माल सब मालिक का होगा और ग़ुलाम के ज़िम्मे दूसरे हज़ार दिरहम अनिवार्य होंगे और अगर ऐसा माल है कि इस ने इस वार्ता के बाद कमाया है तो ग़ुलाम आज़ाद होगा और आज़ाद होने के समय तक जो कुछ कमाई है वह मालिक की होगी और हज़ार दिरहम बदले में से ग़ुलाम पर कुछ न होगा यह नया बैअ में है और मालिक को देने से पहले मालिक को इस के विक्रय का अधिकार है और अगर इस ने बदल में से कुछ देना चाहा तो मालिक को इसके स्वीकार पर मजबूर किया जायेगा लेकिन ग़ुलाम आज़ाद न होगा जब तक कि कुल अदा न करे और अगर मालिक इस को कुल से या कुछ से बरी किया तो बरी न होगा और आज़ाद न होगा यह सिराज उल वहाज में है।

ग़ुलाम ने अगर माल हाज़िर किया इस तरह कि

मौला और माल के दरमियान से रोक उठा दी कि मौला इस के क़ब्ज़े पर क़ादिर है तो हाकिम मौला को मजबूर करेगा और इस को बमन्ज़िला क़ाबिज़ के क़रार देगा और ग़ुलाम के आज़ाद होने का हुक्म दे देगा ख़्वाह मौला ने क़ब्ज़ा किया हो या न किया हो यह तबयन में है और अगर मौला ने अजनबी से कहा कि जब तू मुझे हज़ार दिरहम अदा करदे तो मेरा यह ग़ुलाम आज़ाद है फिर वो अजनबी हज़ार दिरहम लाया और मौला के सामने रखे तो मौला इस को क़बूल करने पर मजबूर किया जायेगा और ग़ुलाम आज़ाद न होगा और अगर मौला ने क़सम खाई हो कि हज़ार मज़कूर पर क़ब्ज़ा नहीं किया तो हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर मौला ने ग़ुलाम से कहा कि जब तू मुझे हज़ार दिरहम अदा करदे तो तू आज़ाद है फिर ग़ुलाम ने मौला से कहा कि तू बजाये इन के मुझ से सौ दीनार ले ले पस मौला ने ले लिये तो ग़ुलाम आज़ाद होगा इल्ला आंकि मौला ने इस की दरख़्वास्त मज़कूर के वक़्त कहा हो कि अगर तूने मुझे यह अदा किये तो तू आज़ाद है तो बसबब इस दूसरी क़सम के आज़ाद हो जायेगा जैसे कि अगर मौला ने कहा कि जब तू मुझे हज़ार दिरहम अदा करदे तो तू आज़ाद है फिर कहा कि अगर तू मुझे पांच सौ दिरहम अदा करदे तो तू आज़ाद है पस इस ने पांच सौ दिरहम अदा कर दिये तो बसबब दूसरी क़सम के आज़ाद होगा यह मुहीत में है और अगर मौला मर गया तो ग़ुलाम मज़कूर रक़ीक़ होगा कि ग़ुलाम मअ इस की कमाई के मौला की मीरास होगा इस वास्ते कि ग़ुलाम और जो कुछ इस ने कमाया है मौला की मिल्क है और इस कमाल में से ग़ुलाम की तरफ़ से अदा न किया जायेगा यह नहर उल फ़ाइक़ में है और अगर मौला ने कहा कि अगर तूने मुझे हज़ार दिरहम अदा कर दिये तो तू आज़ाद है फिर इस ग़ुलाम को फ़रोख़्त किया फिर मौला ने इस को खरीद लिया या बसबब ऐब या हयार रोइयत या खयार शर्त के मौला को वापिस दिया गया फिर ग़ुलाम मज़कूर हज़ार दिरहम लाया तो मौला इस के क़बूल करने पर मजबूर किया जायेगा और अगर इसने क़बूल कर लिये तो ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा यह शरह ज़ियादात इताबी में है।

मालिक और माल के बीच से रोक उठा दी कि मालिक उस के क़ब्ज़े पर समर्थ है तो शासक मालिक को मजबूर करेगा और इस को क्रमशः क़ाबिज़ के क़रार देगा और ग़ुलाम के आज़ाद होने का आदेश दे देगा चाहे मालिक ने क़ब्ज़ा किया हो या न किया हो यह तबिय्यीन में है और अगर मालिक ने अजनबी से कहा कि जब तू मुझे हज़ार दिरहम देदे तो मेरा यह ग़ुलाम आज़ाद है फिर वह अजनबी हज़ार दिरहम लाया और मालिक के सामने रखे तो मालिक इस को स्वीकार करने पर मजबूर किया जायेगा और ग़ुलाम आज़ाद न होगा और अगर मालिक ने क़सम खाई हो कि वर्णित हज़ार पर क़ब्ज़ा नहीं किया तो पापी/क़सम तोड़ने वाला न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है, और अगर मालिक ने ग़ुलाम से कहा कि जब तू मुझे हज़ार दिरहम देदे तो तू आज़ाद है फिर ग़ुलाम ने मालिक से कहा कि तू बजाये इन के मुझ से सौ दीनार ले ले बस मालिक ने ले लिये तो ग़ुलाम आज़ाद होगा सिवाए इसके मालिक ने इस की वर्णित प्रार्थना के समय कहा हो कि अगर तूने मुझे यह दे दिये तो तू आज़ाद है तो इस की दूसरी क़सम के कारण आज़ाद हो जायेगा जैसे कि अगर मालिक ने कहा कि जब तू मुझे हज़ार दिरहम अदा करदे तो तू आज़ाद है फिर कहा कि अगर तू मुझे पांच सौ दिरहम अदा करदे तो तू आज़ाद है बस इस ने पांच सौ दिरहम अदा कर दिये तो दूसरी क़सम के आज़ाद होगा यह मुहीत में है और अगर मालिक मर गया तो वर्णित ग़ुलाम ग़ुलाम होगा कि ग़ुलाम उस की कमाई के साथ मालिक की विरासत होगा इस लिए कि ग़ुलाम और जो कुछ इस ने कमाया है मालिक के अधीन है और इस के माल में से ग़ुलाम की तरफ़ से प्रदान न किया जायेगा यह नहर उल फ़ाइक़ में है और अगर मालिक ने कहा कि अगर तूने मुझे हज़ार दिरहम अदा कर दिये तो तू आज़ाद है फिर इस ग़ुलाम को बेच दिया फिर मालिक ने इस को खरीद लिया या दोष या कुछ पसंद न आने के कारण या लेने यान लेने के व्यापारिक अधिकार के चलते मालिक को वापिस दिया गया फिर वर्णित ग़ुलाम हज़ार दिरहम लाया तो मालिक इस के स्वीकार करने पर मजबूर किया जायेगा और अगर इस ने स्वीकार कर लिये

अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि जब तू मुझे हज़ार दिरहम अदा कर दे तो तू आज़ाद है पस ग़ुलाम ने किसी से हज़ार दिरहम क़र्ज़ ले कर मौला को दे दिये तो ग़ुलाम आज़ाद हो गया और क़र्ज़ ख़्वाह मज़कूर मौला से रूजूअ करके अपने हज़ार दिरहम वसूल कर लेगा यह ज़खीरा में है और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि जब तू मुझे फ़लां चीज़ असबाब में से दे दे तो तू आज़ाद है पस ग़ुलाम ने यह चीज़ दे दी तो आज़ाद हो जाएगा लेकिन जानना चाहिए कि अगर यह चीज़ ऐसी हो कि सूरत किताबत में बदल किताबत हो सकती है तो मौला इस के क़बूल करने पर मजबूर किया (हज़ार दिरहम के) जायेगा और अगर सूरत किताबत में बदल किताबत होने की सलाहियत न रखती हो तो मौला इस के क़बूल करने पर मजबूर न किया जायेगा लेकिन अगर इस ने क़बूल कर लिया तो ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा यह मबसूत में है और अगर ग़ुलाम से कहा कि तूने मुझे एक कपड़ा अदा कर दिया या कहा कि अगर तूने मुझे दिराहिम अदा कर दिये तो तू आज़ाद है पस ग़ुलाम ने एक कपड़ा ला कर दे दिया या तीन दिरहम या ज़्यादा ला कर दे दिये तो मौला इस के क़बूल करने पर मजबूर न किया जायेगा और बावजूद इस के अगर इस ने इस को क़बूल कर लिया तो शर्त पाई जाने की वजह से आज़ाद हो जायेगा यह काफ़ी में है और अगर कहा कि जब फ़लां आये पस तू मुझे हज़ार दिरहम अदा करदे तो तू आज़ाद है पस फ़लां आया इस ने हज़ार दिरहम अदा किये तो मौला इस के क़बूल करने पर मजबूर किया जायेगा फिर देखा जायेगा कि यह हज़ार दिरहम ऐसे हों कि ग़ुलाम ने फ़लां के आने से पहले कमाये हैं तो ग़ुलाम मज़कूर आज़ाद तो हो जायेगा मगर मौला इस से दूसरे हज़ार दिरहम ले लेगा यह शरह ज़ियादात इताबी में है और अगर ग़ुलाम से कहा कि जब तूने मुझे एक ग़ुलाम दे दिया तो तू आज़ाद है और यह न बतलाया कि किसी क़ीमत का ग़ुलाम या किस जिन्स का ग़ुलाम तो यह जाइज़ है और जब ग़ुलाम की तरफ़ से क़बूल पाया गया तो इस के ज़िम्मे एक ग़ुलाम साबित तो ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा यह शरह ज़ियादात इताबी में है।

अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि जब तू मुझे हज़ार दिरहम अदा कर दे तो तू आज़ाद है बस ग़ुलाम ने किसी से हज़ार दिरहम क़र्ज़ ले कर मालिक को दे दिये तो ग़ुलाम आज़ाद हो गया और क़र्ज़ भले ही वर्णित मालिक से मिल करके अपने हज़ार दिरहम वसूल कर लेगा यह ज़खीरा में है और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि जब तू मुझे फ़लां चीज़ सामान में से दे दे तो तू आज़ाद है बस ग़ुलाम ने यह चीज़ दे दी तो आज़ाद हो जायेगा लेकिन जानना चाहिए कि अगर यह चीज़ ऐसी हो कि मुक्ति की तय क़ीमत की स्थिति में क़ीमत के बदले हो सकती है तो मालिक इस के (हज़ार दिरहम के) स्वीकार करने पर मजबूर किया जायेगा और अगर मुक्ति की तय क़ीमत की स्थिति में क़ीमत के बदले होने की योग्यता न रखती हो तो मालिक इस के स्वीकार करने पर मजबूर न किया जाएगा लेकिन अगर इस ने स्वीकार कर लिया तो ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा यह मबसूत में है और अगर ग़ुलाम से कहा कि तूने मुझे एक कपड़ा दे दिया या कहा कि अगर तूने मुझे दिरहम दे दिये तो तू आज़ाद है बस ग़ुलाम ने एक कपड़ा ला कर दे दिया या तीन दिरहम या ज़्यादा ला कर दे दिये तो मालिक इस के स्वीकार करने पर मजबूर न किया जायेगा और बावजूद इस के अगर उस ने इस को स्वीकार कर लिया तो अनिवार्यता, पाई जाने के कारण से मुक्त हो जायेगा यह काफ़ी में है और अगर कहा कि जब फ़लां आये बस तू मुझे हज़ार दिरहम देदे तो तू मुक्त है बस फ़लां आया इस ने हज़ार दिरहम दे दिये तो मालिक को इस के स्वीकार करने पर मजबूर किया जायेगा फिर देखा जायेगा कि यह हज़ार दिरहम ऐसे हों कि ग़ुलाम ने फ़लां के आने से पहले कमाये हैं तो वर्णित ग़ुलाम मुक्त तो हो जायेगा मगर मालिक इस से दूसरे हज़ार दिरहम ले लेगा यह शरह ज़ियादात इताबी में है और अगर ग़ुलाम से कहा कि जब तूने मुझे एक ग़ुलाम दे दिया तो तू मुक्त है और यह न बताया कि किस क़ीमत का ग़ुलाम या किस लिंग का ग़ुलाम हो तो यह जाइज़ है और जब ग़ुलाम की ओर से स्वीकार पाया

होगा फिर अगर वो औसत दरजा का एक ग़ुलाम लाया तो मौला इस के क़बूल करने पर मजबूर किया जायेगा और इसी तरह अगर आला दरजे का लाया तो भी यही हुक्म है और अगर अदना दरजे का लाया तो मजबूर न किया जायेगा लेकिन अगर मौला ने क़बूल कर लिया तो ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा और अगर ग़ुलाम एक औसत दरजा के ग़ुलाम की क़ीमत लाया तो मौला इस के क़बूल पर मजबूर न किया जायेगा और अगर मौला ने इस को पसन्द करके क़बूल कर लिया तो ग़ुलाम आज़ाद न होगा और अगर कहा कि जब तूने मुझे एक औसत दरजे का ग़ुलाम दे दिया या कहा कि औसत दरजा का एक कर गेंहू दिया तो तू आज़ाद है फिर ग़ुलाम आला दरजे का ग़ुलाम या कर गेंहू लाया तो मौला इस के क़बूल करने पर मजबूर न किया जायेगा और अगर क़बूल किया तो ग़ुलाम आज़ाद न होगा यह मुहीत में है और अगर कहा कि अगर तूने मुझे सफ़ैद थैली में अदा किये तो आज़ाद है पस ग़ुलाम ने सिवाए सफ़ैद के दूसरे थैली में अदा किये तो आज़ाद न होगा यह मराजिया(1) में है।

अगर मौला ने कहा कि मैं तुझे इस चीज़ पर जो इस सन्दूक़ में है दिरहमों से आज़ाद किया और ग़ुलाम ने क़बूल किया तो ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगाः

अगर अपनी बान्दी से कहा कि जब तूने मुझे हज़ार दिरहम माहवारी सौ दिरहम के अदा कर दिये तो आज़ाद है और बान्दी ने क़बूल किया तो यह मकातबत नहीं है और जब तक इस ने अदा नहीं किये हैं तब तक मौला को इस के फ़रोख़्त कर देने का इख़्तयार है और अगर बान्दी ने एक महीना ख़ाली दिया कि कुछ और नहीं किया और फिर तो आज़ाद न होगी और यह अबू हफ़्स की रिवायत में मज़कूर है और यही सही है और इस की

(1) न होगा कज़ा फ़ी फ़सख और ज़ाहिर यह है कि इस औरत में आज़ाद होगा क्योंकि थैली की सियाही व सफ़ैदी में कुछ फ़र्क़ नहीं है। कुर = हल चलाने वाले की ख़ास उजरत जो किसी पैदावार की एक चौथाई होती है

गया तो इस के ज़िम्मे एक ग़ुलाम साबित होगा फिर अगर वह औसत श्रेणी का एक ग़ुलाम लाया तो मालिक इस के स्वीकार करने पर मजबूर किया जायेगा और इसी तरह अगर उच्च श्रेणी का लाया तो भी यही हुक्म है और अगर तुच्छ श्रेणी का लाया तो मजबूर न किया जायेगा लेकिन अगर मालिक ने स्वीकार कर लिया तो ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा, और अगर ग़ुलाम एक औसत श्रेणी के ग़ुलाम की क़ीमत का लाया तो मालिक इस के स्वीकार पर मजबूर न किया जायेगा और अगर मालिक ने इसको पसन्द करके स्वीकार कर लिया तो ग़ुलाम आज़ाद न होगा और अगर कहा कि जब तूने मुझे एक औसत दरजे का ग़ुलाम दे दिया या कहा कि औसत दरजे का एक कुर गेंहू दिया तो तू आज़ाद है फिर ग़ुलाम उच्च श्रेणी का ग़ुलाम या कर गेंहू लाया तो मालिक इस के स्वीकार करने पर मजबूर न किया जायेगा और अगर स्वीकार किया तो ग़ुलाम आज़ाद न होगा यह मुहीत में है और अगर कहा कि अगर तूने मुझे सफ़ैद थैली में दिये तो मुक्त है बस ग़ुलाम ने सिवाए सफ़ैद के दूसरे थैली में दिये तो आज़ाद न होगा यह मराजिया(1) में है।

अगर मालिक ने कहा कि मैं तुझे इस चीज़ के बदले जो इस सन्दूक़ में है दिरहमों से आज़ाद किया और ग़ुलाम ने स्वीकार किया तो ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगाः

अगर अपनी बान्दी से कहा कि जब तूने मुझे हज़ार दिरहम मासिक सौ दिरहम के दे तो तू आज़ाद है और बान्दी ने स्वीकार किया तो यह मकातबत/मुक्ति की क़ीमत देना नहीं है और जब तक इसने नहीं दिये हैं तब तक मालिक को इसके विक्रय करने का अधिकार है और अगर बान्दी ने एक महीना छोड़ दिया कि कुछ और नहीं किया और फिर तो आज़ाद न होगी और यह अबू हफ़्स की रिवायत में वर्णित है और यही सही है और इस की

(1) इस लिए रद्द न होगा और ज़ाहिर यह है कि इस औरत में आज़ाद होगा क्योंकि थैली की सियाही व सफ़ैदी में कुछ फ़र्क़ नहीं है। कुर = हल चलाने वाले की विशेष मज़दूरी जो पैदावार की एक चौथाई होती है

सेहत की दलील यह है कि अगर बान्दी से कहा कि जब तूने मुझे इस महीने में हज़ार दिरहम अदा कर दिये तो तू आज़ाद है फिर इस ने इस महीने में अदा न किये और दूसरे महीने में अदा किये तो आज़ाद न होगी यह बदाऐ में है और अगर मौला ने कहा कि मैं तुझे इस चीज़ पर जो इस सन्दूक़ में है दिरहमों से आज़ाद किया और ग़ुलाम ने क़बूल किया तो ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा और इस पर अपनी क़ीमत वाजिब होगी यह सिराजिया में है और अगर ग़ुलाम से कहा कि मेरी व मेरे पिसर की एक साल तक खिदमत कर दे तो तू आज़ाद है या कहा कि जब तूने मेरी और मेरे पिसर की एकसाल खिदमत कर दी तो तू आज़ाद है फिर मौला साल गुज़रने से पहले मर गया तो ग़ुलाम आज़ाद न होगा और इसी तरह अगर पिसर मर गया तो भी इस के मरने से शर्त इतक़ की जाती रही फिर इस के बाद वो आज़ाद न होगा वो मबसूत में है और अगर ग़ुलाम से कहा कि तू आज़ाद है इस शर्त पर कि तू चार बरस मेरी खिदमत कर दे पस ग़ुलाम ने क़बूल कर लिया तो आज़ाद हो गया मगर इस पर चार बरस इस की खिदमत करनी वाजिब होगी और अगर क़ब्ल खिदमत करन के पस ग़ुलाम ने क़बूल कर लिया तो आज़ाद हो गया। मगर इस पर चार बरस इस की खिदमत वाजिब होगी और क़ब्ल खिदमत के मौला मर गया तो खिदमत बातिल हो गई और इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के नज़दीक ग़ुलाम पर अपनी क़ीमत वाजिब होगी और अगर एक साल खिदमत के बाद मौला मरा तो शैखेन के नज़दीक ग़ुलाम पर इस की तीन चौथाई वाजिब होगी। और इसी तरह अगर ग़ुलाम मर गया और माल छोड़ा तो शैखेन के अनुसार इस में से ग़ुलाम की क़ीमत मौला को अदा की जायेगी यह सिराजुल वहाज में है। और अगर कहा कि तूने एक साल मेरी खिदमत कर दी तो तू आज़ाद है पस ग़ुलाम ने एक साल से कम खिदमत की या खिदमत के औज़ कोई माल दे दिया तो आज़ाद न होगा और अगर कहा कि अगर तूने मेरी व मेरी औलाद की साल भर की खिदमत कर दी तो तू आज़ाद है फिर साल में इस की औलाद में से बाज़ मर गया तो आज़ाद न होगा यह ग़ाया सिरोजी

सशक्त होने का तर्क यह है कि अगर बान्दी से कहा कि जब तूने मुझे इस महीने में हज़ार दिरहम अदा कर दिये तो तू आज़ाद है फिर इस ने इस महीने में अदा न किये और दूसरे महीने में अदा किये तो आज़ाद न होगी यह बदाऐ में है और अगर मालिक ने कहा कि मैं तुझे इस चीज़ के बदले जो इस सन्दूक़ में है दिरहमों से मुक्त किया और ग़ुलाम ने स्वीकार किया तो ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा और इस पर अपनी क़ीमत अनिवार्य होगी यह सिराजिया में है और अगर ग़ुलाम से कहा कि मेरी व मेरे लड़के की एक साल तक सेवा कर दे तो तू आज़ाद है या कहा कि जब तूने मेरी और मेरे लड़के की एक साल सेवा कर दी तो तू आज़ाद है फिर मालिक साल गुज़रने से पहले मर गया तो ग़ुलाम आज़ाद न होगा और इसी तरह अगर लड़का मर गया तो भी इस के मरने से मुक्ति की शर्त जाती रही फिर इस के बाद वह आज़ाद न होगा यह मबसूत में है और अगर ग़ुलाम से कहा कि तू आज़ाद है इस शर्त पर कि तू चार बरस मेरी सेवा कर दे बस ग़ुलाम ने स्वीकार कर लिया तो आज़ाद हो गया मगर इस पर चार बरस इस की सेवा करना अनिवार्य होगा और बस अगर पहले से सेवा करना ग़ुलाम ने स्वीकार कर लिया तो आज़ाद हो गया। मगर इस पर चार बरस इसकी सेवा अनिवार्य होगी और सेवा के पहले मालिक मर गया तो सेवा अमान्य हो गई और इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के निकट ग़ुलाम पर अपनी क़ीमत देना अनिवार्य होगा और अगर एक साल सेवा के बाद मालिक मरा तो शैखेन के निकट ग़ुलाम पर इस की तीन चौथाई अनिवार्य होगी। और इसी तरह अगर ग़ुलाम मर गया और माल छोड़ा तो शैखेन के अनुसार इस में से ग़ुलाम की क़ीमत मालिक को दी जायेगी यह सिराजुल वहाज में है। और अगर कहा कि तूने एक साल मेरी सेवा कर दी तो तू आज़ाद है बस ग़ुलाम ने एक साल से कम सेवा की या सेवा के बदले कोई माल दे दिया तो आज़ाद न होगा और अगर कहा कि अगर तूने मेरी व मेरी औलाद की साल भर की सेवा कर दी तो तू आज़ाद है फिर साल में इस की औलाद में से कुछ मर गया तो आज़ाद न होगा यह ग़ाया सिरोजी में

में है और अगर वसियत के वक्त अपनी बान्दी से कहा कि अगर तूने मेरे पिसर व दुख़्तर की उस वक्त तक खिदमत कर दी कि वो बे परवा हो जाऐं तो तू आज़ाद है पस अगर दोनों सग़ीर हों तो मुराद यह होगी कि उस वक्त तक खिदमत करदे कि वो दोनों और एक को पहुंच जाऐं और अगर कबीर हों तो इस पर महमूल होगा कि दुख़्तर की इस वक्त खिदमत करे कि इस का निकाह हो जाये और पिसर की इस वक्त तक कि इस को एक बान्दी का समन हासिल हो जाये और अगर दुख़्तर का निकाह हो गया और पिसर बाक़ी रहा तो दोनों की खिदमत करे और अगर दोनों में से एक मर गया ख़्वाह दोनों सग़ीर थे या कबीर थे तो वसियत बातिल हो गई यह मुहीत में है।

एक मर्द ने दूसरे से कहा कि अपनी बान्दी को आज़ाद करदे हज़ार दिरहम पर बदीं शर्त कि मुझे इस का निकाह कर दे पस मौला ने इस को आज़ाद कर दिया फिर बान्दी आज़ाद शुदह ने इस मर्द से निकाह करने से इन्कार किया तो इतक़ अज़ जानिब मौला वाक़े होगाः

और अगर अपनी बान्दी से कहा कि जब तूने मुझे हज़ार दिरहम अदा कर दिये तो तू आज़ाद है फिर इस के एक बच्चा पैदा हुआ फिर इस ने हज़ार दिरहम अदा किये तो इस का बच्चा इस के साथ आज़ाद न होगा और अगर इस ने हज़ार दिरहम माल मौला से अदा किये तो बसबब वजूद शर्त के आज़ाद हो जायेगी और मौला को इख़्तयार होगा कि इस के मिस्ल इस से ले ले और अगर मौला इस क़ौल के कहने के वक्त कि जब तू हज़ार दिरहम अदा करे तो तू आज़ाद है बीमार हो पस बान्दी ने कमाई करके माल मज़कूर अदा किया फिर मौला इसी मर्ज़ से मर गया तो क़यासन मौला के तिहाई माल से आज़ाद होगी और इस्तहसानन इस के पूरे माल से आज़ाद होगी और अगर मौला ने कहा कि हर गाह तू

है और अगर वसियत के समय अपनी बान्दी से कहा कि अगर तूने मेरे लड़के व लड़की की उस समय तक सेवा कर दी कि वह सूझ-बूझ वाले हो जाऐं तो तू आज़ाद है बस अगर दोनों छोटे हों तो मतलब यह होगा कि उस समय तक सेवा करदे कि वह दोनों समझदार हो जाएं और अगर बड़े हों तो इस पर अनुमान होगा कि लड़की की इस समय सेवा करे कि इस का निकाह हो जाये और लड़के की इस समय तक कि इस को एक बान्दी का मूल्य प्राप्त हो जाये और अगर लड़की का निकाह हो गया और लड़का बाक़ी रहा तो दोनों की सेवा करे और अगर दोनों में से एक मर गया चाहे दोनों छोटे थे या बड़े थे तो वसियत अमान्य हो गई यह मुहीत में है।

एक मर्द ने दूसरे से कहा कि अपनी बान्दी को आज़ाद करदे हज़ार दिरहम पर इस शर्त पर कि मुझ से इस का निकाह कर दे बस मालिक ने इस को आज़ाद कर दिया फिर स्वतंत्र बान्दी ने इस मर्द से निकाह करने से इन्कार किया तो मुक्ति मालिक की ओर से स्थापित होगीः

और अगर अपनी बान्दी से कहा कि जब तूने मुझे हज़ार दिरहम दे दिये तो तू आज़ाद है फिर इस के एक बच्चा पैदा हुआ फिर इस ने हज़ार दिरहम दे दिये तो इस का बच्चा इस के साथ आज़ाद न होगा और अगर इस ने हज़ार दिरहम मालिक को दे दिये तो शर्त होने के कारण आज़ाद हो जायेगी और मालिक को अधिकार होगा कि इस के जैसे इस से ले ले और अगर मालिक इस कथन के कहने के समय कि जब तू हज़ार दिरहम अदा करे तो तू आज़ाद है बीमार हो बस बान्दी ने कमाई करके वर्णित माल दे दिया फिर मालिक इसी मर्ज़ से मर गया तो अंदाज़े से मालिक के तिहाई माल से आज़ाद होगी और उपकार के तौर पर इस के पूरे माल से आज़ाद होगी और अगर मालिक ने कहा कि हर जगह तू मुझे हज़ार

मुझे हज़ार दिरहम अदा करदे तो तू आज़ाद है फिर क़ब्ल अदा करने के मौला मर गया तो यह क़ौल बातिल हो गया यह मबसूत में है। एक मर्द ने दूसरे से कहा कि अपनी बान्दी को आज़ाद करदे हज़ार दिरहम पर बदीं शर्त कि मुझसे इस का निकाह कर दे पस मौला ने इस को आज़ाद कर दिया फिर बान्दी आज़ाद शुदह ने इस मर्द से निकाह करने से इन्कार किया तो इतक़ अज़ जानिब मौला वाक़े होगा और मर्द मज़कूर पर कुछ वाजिब न होगा और अगर मर्द मज़कूर (जिससे कहा न था) ने यूं कहा कि अपनी बान्दी को मेरी तरफ़ से हज़ार दिरहम पर आज़ाद करदे और बाक़ी मसला बहाला है तो हज़ार दिरहम इस की क़ीमत और इस के महर मिस्ल पर तक़सीम होंगे पस जो कुछ इस की क़ीमत के पडते हैं पड़ें वो मर्द मज़कूर पर वाजिब होंगे और जिस क़द्र महर मिस्ल के पडते में पड़ें वो इस से साक़ित होंगे और अगर बान्दी मज़कूर ने इस के साथ निकाह कर लिया तो हज़ार में से जो कुछ इस की क़ीमत के पडते में पड़ें वो अव्वल सूरत में साक़ित होंगे और दूसरी सूरत में मौला के होंगे और जिस क़द्र महर मिस्ल के पडते में पड़ें वो दोनों सूरतों में बान्दी का महर होंगे यह काफ़ी में है।

अगर अपनी उम्मे वल्द को बदीं शर्त आज़ाद किया कि इस के साथ निकाह करले पस उम्मे वल्द ने क़बूल किया तो आज़ाद हो जायेगी फिर अगर मौला से अपना निकाह करने से इन्कार किया तो इस पर सआयत वाजिब न होगी और अगर बान्दी को इस शर्त पर आज़ाद किया कि इस के साथ निकाह करले फिर इस ने इस के साथ निकाह करने से इन्कार किया तो बान्दी पर अपनी क़ीमत के वास्ते सआयत वाजिब होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है एक औरत ने अपने ग़ुलाम से कहा कि मैंने तुझे हज़ार दिरहम पर आज़ाद किया बदीं शर्त कि दस दिरहम पर मुझे अपने निकाह में ले ले पस इस ने क़बूल किया फिर इस ने निकाह करने से इन्कार किया तो इस पर हज़ार दिरहम वाजिब होंगे और अगर इस की क़ीमत हज़ार से ज़्यादा हों तो पूरी क़ीमत के वास्ते सआयत करेगा और अगर औरत ने कहा कि मैंने तुझे आज़ाद किया बदीं शर्त को तो मुझे अपने निकाह में ले और

दिरहम दे दे तो तू आज़ाद है फिर देने के पहले मालिक मर गया तो यह कथन अमान्य हो गया यह मबसूत में है। एक मर्द ने दूसरे से कहा कि अपनी बान्दी को मुक्त करदे हज़ार दिरहम पर इस शर्त पर कि मुझसे उसका निकाह कर दे बस मालिक ने इस को आज़ाद कर दिया फिर स्वतन्त्र बान्दी ने इस मर्द से निकाह करने से इन्कार किया तो मुक्ति मालिक की ओर से स्थापित होगी और वर्णित मर्द पर कुछ ज़रूरी न होगा और अगर वर्णित मर्द (जिससे न कहा था) ने यूं कहा कि अपनी बान्दी को मेरी तरफ़ से हज़ार दिरहम पर आज़ाद करदे और बाक़ी मामला वैसा ही है तो हज़ार दिरहम इस की क़ीमत और इस के महर विभाजन के जैसे होंगे बस जो कुछ इस की क़ीमत के पड़ते हैं पड़ें वह वर्णित मर्द पर वाजिब होंगे और जितनी महर के जैसे होते हैं वह अस्वीकृत होंगे और अगर वर्णित बान्दी ने इस के साथ निकाह कर लिया तो हज़ार में से जो कुछ इस की क़ीमत है वह पहली स्थिति में अस्वीकृत होंगे और दूसरी स्थिति में मालिक के होंगे और जितनी महर होती है उतनी वह दोनों स्थितियों में बान्दी की महर होगी यह अल-काफ़ी में है।

अगर अपनी उम्मे वल्द (वह बांदी जो अपने मालिक के बच्चे की माँ हो) को इस शर्त पर आज़ाद किया कि इस के साथ निकाह करले बस उम्मे वल्द ने स्वीकार किया तो आज़ाद हो जायेगी फिर अगर मालिक से अपना निकाह करने से इन्कार किया तो इस पर मुक्ति के लिए कमा कर कीमत देने की कोशिश अनिवार्य न होगी और अगर बान्दी को इस शर्त पर आज़ाद किया कि इस के साथ निकाह करले फिर इस ने इस के साथ निकाह करने से इन्कार किया तो बान्दी पर अपनी क़ीमत देने के लिए कमाने की कोशिश अनिवार्य होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है एक औरत ने अपने ग़ुलाम से कहा कि मैंने तुझे हज़ार दिरहम पर आज़ाद किया इस शर्त पर कि दस दिरहम पर मुझे अपने निकाह में ले ले बस इस ने स्वीकार किया फिर इस ने निकाह करने से इन्कार किया तो इस पर हज़ार दिरहम अनिवार्य होंगे और अगर इस की क़ीमत हज़ार से ज़्यादा हों तो पूरी क़ीमत देने के

हज़ार दिरहम मेरा महर दे पस इस ने क़बूल किया फिर निकाह कर लेने से इन्कार किया तो आज़ाद हो जायेगा और इस पर अपनी क़ीमत के वास्ते सआयत वाजिब होगी और अगर औरत से सौ दिरहम पर निकाह कर लिया और वो राज़ी हो गई तो ग़ुलाम मज़कूर पर सआयत वाजिब न होगी और अगर ग़ुलाम ने इस से हज़ार दिरहम पर निकाह करने को कहा मगर औरत ने इन्कार किया तो भी ग़ुलाम पर सआयत लाज़िम न होगी यह मुहीत सुरखी में है और अगर अपने दो ग़ुलामों से कहा कि जब तुम दोनों हज़ार दिरहम अदा कर दो तो तुम आज़ाद हो। तो दोनों के अदा करने का ऐतबार है। अगर एक ने सब माल अपने पास से अदा किया बईं तौर कि कहा कि पांचसौ दिरहम मेरी तरफ़ से और पांच सौ दिरहम बतौर अहसान के अपने साथी की तरफ़ से देता हूं तो आज़ाद न होंगे लेकिन अगर इस ने कहा कि पांच सौ दिरहम मेरी तरफ़ से और पांच सौ दिरहम मेरे साथी ने भेजे हैं तो इस वक्त दोनों आज़ाद हो जाऐंगे। अगर किसी अजनबी ने हज़ार दिरहम अदा किये तो यह दोनों आज़ाद न होंगे इल्ला आंकि यूं कहे कि मैं इन दोनों की आज़ादी के वास्ते हज़ार दिरहम देता हूं या कहा कि बदीं शर्त कि वो दोनों आज़ाद हैं तो मौला के क़बूल कर लेने से वो दोनों आज़ाद हो जाऐंगे और इस अदा करने वाले को यह इख़्तयार होगा कि मौला से यह माल ले ले यह मुहीत में है।

उम्मे वलद =उस ग़ुलाम औरत/बांदी को कहते है जो अपने मालिक के बच्चे की माँ हो और इस्से पैदा होने वाला बच्चा आज़ाद माना जाएगा, उसकी माँ को ग़ुलामी उस पर प्रभाव शाली नहीं होगी।

अगर किसी ने अपने दो ग़ुलामों से कहा कि तुम में से एक बऔज़ हज़ार दिरहम के आज़ाद है तो जब तक दोनों इस मज्लिस में क़बूल न करें तब तक कोई आज़ाद न होगा पस अगर दोनों ने क़बूल न किया यहाँ तक कि खड़े हो गये तो ईजाब मज़कूर बातिल हो गया और अगर दोनों में से एक ने क़बूल किया और दूसरे ने क़बूल न किया तो आज़ाद न होगा और अगर दोनों ने क़बूल किया मगर इस तरह कि हर एक ने कहा कि

लिए कोशिश करेगा और अगर औरत ने कहा कि मैंने तुझे आज़ाद किया इस शर्त पर कि तू मुझे अपने निकाह में ले और हज़ार दिरहम मेरा महर दे बस इस ने स्वीकार किया फिर निकाह कर लेने से इन्कार किया तो आज़ाद हो जायेगा और इस पर अपनी क़ीमत देने के लिए कोशिश अनिवार्य होगी और अगर औरत से सौ दिरहम पर निकाह कर लिया और वह राज़ी हो गई तो वर्णित ग़ुलाम पर कमा कर क़ीमत देने की कोशिश अनिवार्य न होगी और अगर ग़ुलाम ने इस से हज़ार दिरहम पर निकाह करने को कहा मगर औरत ने इन्कार किया तो भी ग़ुलाम पर कमा कर क़ीमत देने की कोशिश लाज़िम न होगी यह मुहीतुल सुरखी में है और अगर अपने दो ग़ुलामों से कहा कि जब तुम दोनों हज़ार दिरहम दे दो तो तुम मुक्त हो तो दोनों को देना अनिवार्य है। अगर एक ने सब माल अपने पास से अदा किया इस तरह कहा कि पांच सौ दिरहम मेरी तरफ़ से और पांच सौ दिरहम बतौर उपकार के अपने साथी की तरफ़ से देता हूं तो आज़ाद न होंगे लेकिन अगर इस ने कहा कि पांच सौ दिरहम मेरी तरफ़ से और पांच सौ दिरहम मेरे साथी ने भेजे हैं तो उस समय दोनों आज़ाद हो जाऐंगे। अगर किसी अजनबी ने हज़ार दिरहम अदा किये तो यह दोनों आज़ाद न होंगे सिवाए यह कि यूं कहे कि मैं इन दोनों की आज़ादी के लिए हज़ार दिरहम देता हूं या कहा कि इस शर्त पर कि वह दोनों आज़ाद हैं तो मालिक के स्वीकार कर लेने से वह दोनों आज़ाद हो जाऐंगे और इस अदा करने वाले को यह अधिकार होगा कि मालिक से यह माल ले ले यह मुहीत में है।

अगर किसी ने अपने दो ग़ुलामों से कहा कि तुम में से एक हज़ार दिरहम के बदले आज़ाद है तो जब तक दोनों इस सभा में स्वीकार न करें तब तक कोई आज़ाद न होगा बस अगर दोनों ने स्वीकार न किया यहाँ तक कि खड़े हो गये तो वर्णित स्वीकार अमान्य हो गया और अगर दोनों में से एक ने स्वीकार किया और दूसरे ने स्वीकार न किया तो आज़ाद न होगा और अगर दोनों ने स्वीकार किया मगर इस तरह कि हर एक ने कहा कि

बऔज़ पांच सौ दिरहम के मैंने क़बूल किया तो दोनों में से कोई आज़ाद न होगा और अगर दोनों में से हर एक ने कहा मैंने बऔज़ हज़ार दिरहम के क़बूल किया या हज़ार दिरहम का लफ़्ज़ न कहा या एक ने कहा कि मैंने हज़ार दिरहम के औज़ क़बूल किया तो मौला से कहा जायेगा कि तू बयान कर पस जब इस ने इन दोनों में से एक का इतक़ बयान किया तो वो आज़ाद होगा और इस पर हज़ार दिरहम लाज़िम आऐंगे और अगर क़ब्ल बयान के मर गया तो यह रक़बा इन दोनों में बराबर तक़सीम होगा पस हर एक में से निस्फ़ आज़ाद होगा बऔज़ पांच सौ दिरहम के और बाक़ी निस्फ़ (अपनी निस्फ़ क़ीमत) के वास्ते हर एक सआयत करेगा यह शरह तहावी में है। एक मर्द ने अपने दो ग़ुलामों से कहा कि तुम में से एक बऔज़ हज़ार दिरहम के आज़ाद है पस दोनों ने कहा कि हम ने क़बूल किया फिर कहा कि तुम दोनों में से एक बऔज़ पांच सौ के आज़ाद है पस दोनों ने कहा कि हम ने क़बूल किया तो पहला ईजाब सही हुआ और दूसरा बातिल है और जब कलाम अव्वल सही हुआ तो जब तक मौला ज़िन्दा है बयान के वास्ते इस की तरफ़ रूजूअ किया जायेगा और जब वो क़ब्ल बयान के मर गया तो इतक़ इन दोनों में शाये हो गया और माल भी इतक़ की तबइयत में शाये हो जायेगा पस हर एक का निस्फ़ हिस्सा बऔज़ पांच सौ दिरहम के आज़ाद होगा और हर एक अपनी निस्फ़ क़ीमत के वास्ते सआयत करेगा और अगर कहा कि तुम दोनों में से एक बऔज़ हज़ार दिरहम के आज़ाद है पस हनुज़ां दोनों ने क़बूल न किया था कि इस ने कहा कि तुम दोनों में से एक बऔज़ सौ दीनार के आज़ाद है फिर दोनों ने क़बूल किया तो दोनों ईजाब सही होंगे और जब दोनों सही हुए और दोनों ने क़बूल किया तो इन का क़बूल इन दोनों कलामों की तरफ़ राजअ किया जायेगा और मौला को इख़्तयार दिया जायेगा चाहे दोनों पर बऔज़ हर दो माल (हज़ार दिरहम व सौ दीनार) के इतक़ वाक़े करे और चाहे दोनों में से एक बार बऔज़ दोनों मालों के इतक़ वाक़े करे और बयान मौला के और पर जिस को चाहे बयान करे और अगर क़ब्ल बयान के मर गया तो हर एक का तीन चौथाई हिस्सा

पांच सौ दिरहम के बदले मैंने स्वीकार किया तो दोनों में से कोई आज़ाद न होगा और अगर दोनों में से हर एक ने कहा मैंने हज़ार दिरहम के बदले स्वीकार किया या हज़ार दिरहम का शब्द न कहा या एक ने कहा कि मैंने हज़ार दिरहम के बदले स्वीकार किया तो मालिक से कहा जायेगा कि तू बयान कर बस जब इस ने इन दोनों में से एक की ग़ुलामी बयान की तो वह आज़ाद होगा और इस पर हज़ार दिरहम देने अनिवार्य होंगे और अगर बयान के पहले मर गया तो यह क्षेत्र इन दोनों में बराबर विभाजित होगा बस हर एक में से आधा आज़ाद होगा पांच सौ दिरहम के बदले और बाक़ी आधा (अपनी आधा क़ीमत) के लिए हर एक मज़दूरी यानी कमा कर देने की कोशिश करेगा यह शरह तहावी में है। एक मर्द ने अपने दो ग़ुलामों से कहा कि तुम में से एक हज़ार दिरहम के बदले आज़ाद है बस दोनों ने कहा कि हम ने स्वीकार किया फिर कहा कि तुम दोनों में से एक पांच सौ के बदले आज़ाद है बस दोनों ने कहा कि हम ने स्वीकार किया तो पहला स्वीकार सही हुआ और दूसरा अमान्य है और जब पहला कथन सही हुआ तो जब तक मालिक ज़िन्दा है बयान के लिए उसी से बात की की जायेगी और जब वह बयान के पहले मर गया तो ग़ुलामी इन दोनों में व्यक्त हो गई और माल भी ग़ुलाम के अधीन हो जायेगा बस हर एक का आधा हिस्सा पांच सौ दिरहम के बदले आज़ाद होगा और हर एक अपनी आधी क़ीमत के लिए कमा कर देने कोशिश करेगा और अगर कहा कि तुम दोनों में से एक हज़ार दिरहम क बदले आज़ाद है बस अभी तक दोनों ने स्वीकार न किया था कि इस ने कहा कि तुम दोनों में से एक सौ दीनार के बदले आज़ाद है फिर दोनों ने स्वीकार किया तो दोनों स्वीकार सही होंगे और जब दोनों सही हुए और दोनों ने स्वीकार किया तो इनका स्वीकार इन दोनों बातों की ओर ग़ौर किया जायेगा और मालिक को अधिकार दिया जायेगा चाहे दोनों पर हर दो माल (हज़ार दिरहम व सौ दीनार) के बदले मुक्ति स्थापित करे और चाहे दोनों में से एक बार दोनों मालों के बदले मुक्ति स्थापित करे और मालिक के दूसरे बयान पर जिस को चाहे कहे और अगर बयान के पहले मर

बऔज़ निस्फ़ दोनों मालों के आज़ाद होगा और हर एक अपनी चौथाई क़ीमत के वास्ते सआयत करेगा यह काफ़ी में है।

अगर अपने ग़ुलाम मुईन से कहा कि तो हज़ार दिरहम पर आज़ाद है फिर क़ब्ल इस के वो क़बूल करे इस को और एक दूसरे अपने ग़ुलाम को जमा करके कहा कि तुम में एक बऔज़ सौ दीनार के आज़ाद है पस दोनों ने कहा कि हम ने क़बूल किया तो मौला को इख़्तयार है चाहे हर दो कलाम को अव्वल ग़ुलाम मुअय्यन की तरफ़ राजअ करे और वो बऔज़ हर दो माल के आज़ाद होगा और चाहे हर दो ग़ुलाम में से एक ग़ुलाम को दूसरे ग़ुलाम की तरफ़ राजअ करे और मुअय्यन मज़कूर बऔज़ हज़ार दिरहम के और ग़ैर मुअय्यन बऔज़ सौ दीनार के आज़ाद होगा और अगर क़ब्ल बयान के मौला मर गया तो मुअय्यन मज़कूर पूरा आज़ाद होगा और ग़ैर मुअय्यन में से निस्फ़ हिस्सा बऔज़ पचास दीनार के आज़ाद होगा और यह हुक्म इस वक़्त है कि मुअय्यन व ग़ैर मुअय्यन की शनाख़्त हो और अगर मालूम न हो और हर एक ने दोनों में से दावा किया कि मैं ही अव्वल मुअयन हूं तो हर एक में से तीन चौथाई हिस्सा बऔज़ हर दो माल के निस्फ़ के आज़ाद होगा यानी हज़ार दिरहम का निस्फ़ सौ दीनार का निस्फ़ हर एक पर वाजिब होगा और हर एक अपनी चौथाई की क़ीमत के वास्ते सआयत करेगा और अगर अपने दो ग़ुलामों से कहा कि तुम में से एक बऔज़ हज़ार दिरहम के और दूसरा बऔज़ पांच सौ दिरहम के आज़ाद है पस अगर दोनों ने साथ कहा कि हम ने क़बूल किया या हर एक ने कहा कि मैंने दोनों में से हर एक के ज़िम्मे पांच सौ दिरहम लाज़िम आऐंगे और अगर दोनों में से एक ने ज़्यादा माल और दूसरे ने कम माल के औज़ क़बूल किया तो वही आज़ाद होगा जिस ने दोनों मालों में से ज़्यादा के औज़ क़बूल किया है पस इस पर पांच सौ दिरहम (मुतलक़न यानी बिला तअय्युन किसी मिक़्दार के क़बूल कर लिया) लाज़िम आऐंगे कज़ा फ़िल बदाऐ और अगर दोनों ने हर दो माल में से कम के औज़ क़बूल किया तो कोई आज़ाद न होगा यह शरह तहावी में है।

गया तो हर एक का तीन चौथाई हिस्सा आधा दोनों मालों के बदले आज़ाद होगा और हर एक अपनी चौथाई क़ीमत देने के लिए कोशिश करेगा यह काफ़ी में है।

अगर अपने ग़ुलाम मुईन से कहा कि तू हज़ार दिरहम पर आज़ाद है फिर इस के पहले वह स्वीकार करे इस को और एक दूसरे अपने ग़ुलाम को एकत्र करके कहा कि तुम में से एक सौ दीनार के बदले आज़ाद है बस दोनों ने कहा कि हमने स्वीकार किया तो मालिक को अधिकार है चाहे दोनों बातों को पहले निश्चित ग़ुलाम की ओर करे और वह दोनों माल के बदले आज़ाद होगें और चाहे दानों ग़ुलाम में से एक ग़ुलाम को दूसरे ग़ुलाम की तरफ़ लौटे और वर्णित निश्चित को हज़ार दिरहम के बदले और अनिश्चित सौ दीनार के बदले आज़ाद होगा और अगर बयान के पहले मालिक मर गया तो वर्णित निश्चित पूरा आज़ाद होगा और अनिश्चित में से आधा हिस्सा पचास दीनार के बदले आज़ाद होगा और यह हुक्म इस समय है कि निश्चित व अनिश्चित की पहचान हो और अगर मालूम न हो और हर एक ने दोनों में से दावा किया कि मैं ही पहला निश्चित हूं तो हर एक में से तीन चौथाई हिस्सा दोनों माल के आधा के बदले आज़ाद होगा यानी हज़ार दिरहम का आधा सौ दीनार का आधा हर एक पर अनिवार्य होगा और हर एक अपनी चौथाई की क़ीमत के लिए कमा कर देने की कोशिश करेगा और अगर अपने दो ग़ुलामों से कहा कि तुम में से एक हज़ार दिरहम के बदले और दूसरा पांच सौ दिरहम के बदले आज़ाद है बस अगर दोनों ने साथ कहा कि हम ने स्वीकार किया या हर एक ने कहा कि मैंने दोनों में से हर एक के ज़िम्मे पांच सौ दिरहम लाज़िम आऐंगे और अगर दोनों में से एक ने ज़्यादा माल और दूसरे ने कम माल के बदले स्वीकार किया तो वही आज़ाद होगा जिस ने दोनों मालों में से ज़्यादा के बदले स्वीकार किया है बस इस पर पांच सौ दिरहम (मुतलक़न यानी बिना किसी निश्चित मात्रा के स्वीकार कर लिया) अनिवार्य होंगे यह बदाऐ में है और अगर दोनों ने दोनों माल में से कम के बदले स्वीकार किया तो कोई आज़ाद न होगा यह शरह तहावी में है।

अगर दो ग़ुलामों से कहा कि तुम में से एक बऔज़ हज़ार दिरहम के और दूसरा बऔज़ दो हज़ार दिरहम के आज़ाद है पस एक ने कहा कि मैंने क़बूल किया यानी मुतलक़न कहा या यूं कहा कि मैंने दो हज़ार दिरहम के औज़ क़बूल किया तो वो आज़ाद हो जायेगा और अगर कहा कि बऔज़ हज़ार दिरहम के क़बूल किया तो आज़ाद न होगा और अगर हर दो माल अज़रवी जिन्स के मुख़्तलिफ़ हों मसलन कहा कि तुम में से एक बऔज़ हज़ार दिरहम के और दूसरा बऔज़ सौ दीनार के आज़ाद है पस एक ने क़बूल किया इस तरह कि मैंने बऔज़ हज़ार दिरहम के क़बूल किया तो आज़ाद न होगा और अगर इस ने मुतलक़ कहा कि मैंने क़बूल किया या कहा कि मैंने दोनों मालों के औज़ क़बूल किया तो आज़ाद हो जायेगा और ग़ुलाम को इख़्तियार होगा कि दोनों में से जिस को चाहे अपने ज़िम्मे लाज़िम करे यह शरह ज़ियादात इताबी में है और अगर कहा कि तुम में से एक बऔज़ हज़ार दिरहम के आज़ाद है और दूसरा मुफ़्त आज़ाद है पस दोनों ने एक साथ क़बूल किया तो दोनों मुफ़्त आज़ाद हो जाएँगे और अगर एक ने बऔज़ हज़ार दिरहम के क़बूल किया तो मौला से कहा जायेगा कि तूने जो इजाब बग़ैर बदल किया है इस को इन में से एक की तरफ़ राजअ कर पस अगर इस ने क़बूल करने वाले के सिवाए दूसरे की तरफ़ राजअ किया तो वो मुफ़्त आज़ाद हो गया और क़बूल कुनिन्दा बऔज़ हज़ार दिरहम के आज़ाद हुआ और अगर इस ने क़बूल करने वाले की तरफ़ राजअ किया तो वो मुफ़्त आज़ाद हो गया और दूसरा बऔज़ बदल हज़ार दिरहम के आज़ाद होगा बशर्तेकि वो इसी मज्लिस में क़बूल करे और इसी तरह अगर दोनों में से किसी ने क़बूल न किया यहाँ तक कि मौला ने जो ईजाब मुफ़्त है इन में से एक की तरफ़ राजअ किया तो वो मुफ़्त आज़ाद हो जायेगा और दूसरा मुआवज़ा से आज़ाद होगा बशर्तेकि इस ने मज्लिस में क़बूल किया हो वरना आज़ाद नहीं हो सकता है और अगर मौला क़ब्ल बयान के मर गया तो जिस ने क़बूल किया है वो सब आज़ाद हो जायेगा और इस पर पांच सौ दिरहम लाज़िम होंगे और दूसरे का निस्फ़ हिस्सा

अगर दो ग़ुलामों से कहा कि तुम में से एक बदले हज़ार दिरहम के और दूसरा दो हज़ार दिरहम के बदले आज़ाद है बस एक ने कहा कि मैंने स्वीकार किया यानी अत्यन्त कहा या यूं कहा कि मैंने दो हज़ार दिरहम के बदले स्वीकार किया तो वह आज़ाद हो जायेगा और अगर कहा कि हज़ार दिरहम के बदले स्वीकार किया तो आज़ाद न होगा और अगर दानों माल लिंग की दृष्टि से भिन्न हों जैसे कहा कि तुम में से एक हज़ार दिरहम के बदले और दूसरा सौ दीनार के बदले आज़ाद है बस एक ने स्वीकार किया इस तरह कि मैंने हज़ार दिरहम के बदले स्वीकार किया तो आज़ाद न होगा और अगर इस ने कहा अत्यन्त कि मैंने स्वीकार किया या कहा कि मैंने दोनों मालों के बदले स्वीकार किया तो आज़ाद हो जायेगा और ग़ुलाम को अधिकार होगा कि दोनों में से जिस को चाहे अपने ज़िम्मे अनिवार्य करे यह शरह ज़ियादात इताबी में है, और अगर कहा कि तुम में से एक हज़ार दिरहम के बदले आज़ाद है और दूसरा मुफ़्त आज़ाद है बस दोनों ने एक साथ स्वीकार किया तो दोनों मुफ़्त आज़ाद हो जाएँगे और अगर एक ने हज़ार दिरहम के बदले स्वीकार किया तो मालिक से कहा जायेगा कि तूने जो बग़ैर बदले के स्वीकार किया है इस को इन में से एक की तरफ़ लौट, बस अगर इस ने स्वीकार करने वाले के सिवाए दूसरे की तरफ़ लौटा तो वह मुफ़्त आज़ाद हो गया और स्वीकार करने वाला हज़ार दिरहम के बदले आज़ाद हुआ और अगर इस ने स्वीकार करने वाले की तरफ़ लौटा तो वह मुफ़्त आज़ाद हो गया और दूसरा हज़ार दिरहम के बदले आज़ाद होगा बशर्तेकि वह इसी सभा में स्वीकार करे और इसी तरह अगर दोनों में से किसी ने स्वीकार न किया यहाँ तक कि मालिक ने जो मुफ़्त स्वीकारा है इन में से एक की तरफ़ लौटा तो वह मुफ़्त आज़ाद हो जायेगा और दूसरा मुआवज़ा से आज़ाद होगा बशर्तेकि इस ने सभा में स्वीकार किया हो वरना आज़ाद नहीं हो सकता है और अगर मालिक बयान के पहले मर गया तो जिस ने स्वीकार किया है वह सब आज़ाद हो जायेंगे और इस पर पांच सौ दिरहम अनिवार्य होंगे और दूसरे का आधा हिस्सा आज़ाद होगा और

आज़ाद होगा और अपनी निस्फ़ क़ीमत के वास्ते सआयत करेगा यह बदाऐ में है।

अगर कहा कि तुम में से एक बऔज़ हज़ार दिरहम के आज़ाद है पस दोनों ने क़बूल किया फिर कहा कि तुम में से एक मुफ़्त आज़ाद है तो ईजाब अव्वल सही हुआ :

अगर दोनों से कहा कि तुम में से एक बऔज़ हज़ार दिरहम के आज़ाद है और दूसरा बऔज़ सौ दीनार के पस दोनों ने साथ ही क़बूल किया तो दोनों आज़ाद हो जाऐंगे और इन पर कुछ लाज़िम न होगा और अगर कहा कि तुम में से एक मुफ़्त आज़ाद है तुम में से एक बऔज सौ दीनार के आज़ाद है पस दोनों ने क़बूल किया तो दोनों में से एक मुफ़्त आज़ाद हो जायेगा और मौला को इख़्तयार होगा कि जिस को चाहे मुअय्यन करे और दूसरा ईजाब बातिल हो गया और इसी तरह अगर कहा कि तुम में से एक बऔज़ हज़ार दिरहम के आज़ाद है पस दोनों ने क़बूल किया फिर कहा कि तुम में से एक मुफ़्त आज़ाद है तो ईजाब अव्वल सही हुआ और मौला मुख़तार हगिा कि जिस को चाहे मुअय्यन करे और दूसरा ईजाब बातिल है और अगर कहा कि तुम में से एक बऔज़ हज़ार के आज़ाद है तुम में से एक मुफ़्त आज़ाद है पस दोनों ने क़बूल किया तो मुफ्त आज़ाद हो जाऐंगे और किसी पर कुछ वाजिब न होगा इस वास्ते कि जिस पर बदल वाजिब हो और मजहूल है यह काफ़ी में है और अपने दो ग़ुलामों से कहा कि ऐ मैमून तू आज़ाद है इसी मुबारक हज़ार दिरहम पर तो यह माल अख़ीर पर वाजिब होगा और अगर कहा कि ऐ मुबारक मैंने तुझे मकातब किया हज़ार दिरहम पर ऐ मैमून तू यह किताबत अव्वल पर होगी इस वास्ते कि दूसरे की निदा करने से पहले जुमला तमाम हो गया है। एक शख़्स के तीन ग़ुलाम हैं पस इस ने कहा कि तुम में से एक आज़ाद है सौ दिरहम पर और दूसरा दो सौ दिरहम पर और तीसरा तीन सौ दिरहम पर फिर इन सब ने सौ में क़बूल किया और मौला क़ब्ल बयान के मर गया और यह अम्र इस की

अपनी आधा क़ीमत के लिए कमा कर देने की कोशिश करेगा यह बदाऐ में है।

अगर कहा कि तुम में से एक हज़ार दिरहम के बदले आज़ाद है बस दोनों ने स्वीकार किया फिर कहा कि तुम में से एक मुफ़्त आज़ाद है तो पहला स्वीकार सही हुआ :

अगर दोनों से कहा कि तुम में से एक हज़ार दिरहम के बदले आज़ाद है और दूसरा सौ दीनार के बदले बस दोनों ने साथ ही स्वीकार किया तो दोनों आज़ाद हो जाऐंगे और इन पर कुछ अनिवार्यन होगा और अगर कहा कि तुम में से एक मुफ़्त आज़ाद है तुम में से एक सौ दीनार के बदले आज़ाद है बस दोनों ने स्वीकार किया तो दोनों में से एक मुफ़्त आज़ाद हो जायेगा, और मालिक को अधिकार होगा, कि जिस को चाहे निश्चित करे, और दूसरा स्वीकार अमान्य हो गया, और इसी तरह अगर कहा कि तुम में से एक हज़ार दिरहम के बदले आज़ाद है बस दोनों ने स्वीकार किया फिर कहा कि तुम में से एक मुफ़्त आज़ाद है तो पहला स्वीकार सही हुआ और मालिक को अधिकार होगा कि जिस को चाहे निशचित करे, और दूसरा स्वीकार अमान्य है और अगर कहा कि तुम में से एक हज़ार के बदले आज़ाद है तुम में से एक मुफ़्त आज़ाद है बस दोनों ने स्वीकार किया तो मुफ़्त आज़ाद हो जाऐंगे, और किसी पर कुछ अनिवार्य न होगा इस लिए कि जिस पर बदल अनिवार्य हो और है यह काफ़ी में है और अपने दो ग़ुलामों से कहा कि ऐ मैमून तू आज़ाद है ऐ मुबारक हज़ार दिरहम पर तू यह माल अंतिम पर अनिवार्य होगा और अगर कहा कि ऐ मुबारक मैंने तुझे मकातब यानी अपनी मुक्ति के लिए क़ीमत देने पर मुक्त किया हज़ार दिरहम पर ऐ मैमून तू तो यह किताबत यानी अपनी मुक्ति के लिए क़ीमत देना पहले पर अनिवार्य होगा इस लिए कि दूसरे की पुकारने से पहले जुमला तमाम हो गया है। एक व्यक्ति के तीन ग़ुलाम हैं बस इस ने कहा कि तुम में से एक आज़ाद है सौ दिरहम पर और दूसरा दो सौ दिरहम पर और तीसरा

सेहत में वाक़े हुआ था तो सब आज़ाद हो जायेंगे मगर हर एक अपनी दो तिहाई क़ीमत और सौ की तिहाई के वास्ते सआयत करेगा और अगर सब ने दो सौ में क़बूल किया तो हर एक अपनी दो तिहाई क़ीमत और दो सौ की तिहाई के वास्ते सआयत करेगा और अगर उन्होंने फ़क़त तीन सो में क़बूल किया तो हर एक तिहाई हिस्सा आज़ाद होगा और अपनी दो तिहाई क़ीमत और दो सौ की तिहाई के वास्ते सआयत करेगा और अगर उन्होंने फ़क़त तीन सौ में क़बूल किया तो हर एक तिहाई हिस्सा आज़ाद होगा और अपनी दो तिहाई क़ीमत और सौ दिरहम के वास्ते सआयत करेगा और अगर दो ग़ुलामों में से एक से कहा कि तू आज़ाद है हज़ार में से अपने (1) हिस्से पर कि जब हज़ार तुझ पर और दूसरे की क़ीमत पर तक़सीम किये जाऐं पस इस ने क़बूल किया तो आज़ाद होगा और शैख़ेन के नज़दीक इस पर इस की कीमत वाजिब होगी और इमाम मुहम्मद रह० के अनुसार हज़ार से ज़्यादा न मिलेगी। यह मुहीत सरखी में है। और अगर कहा कि तू आज़ाद है बाद मेरी मौत के हज़ार दिरहम के औज़ तो क़बूल करना। इस की मौत के बाद होगा और जब इस ने बाद मौत मौला के क़बूल किया तो आज़ाद न हो जायेगा जब तक वारिस या वसी आज़ाद न करे या वारिस के इन्कार पर क़ाज़ी आज़ाद करे और यही असह है और इस की विला मैयत (2) की होगी और अगर वारिस ने इस को कफ़्फ़ारा मैयत से आज़ाद किया तो कफ़्फ़ारा से आज़ाद न होगा। बल्कि मैयत की तरफ़ से आज़ाद होगा यह नहर उल फ़ाइक़ में है। फिर जानना चाहिए कि वसी का इस ग़ुलाम का आज़ाद करना तहक़ीक़न सही है यानी ख़ालिस बिला तालीक़ आज़ाद कर दे और तालीक़न नहीं सही है चुनांचे अगर यूं कहा कि जब तू इस दार में दाख़िल हो तो आज़ाद है तो वो आज़ाद न होगा और वारिस इस को तहक़ीक़न व तालीक़न दोनों तरह आज़ाद कर सकता है चुनांचे अगर कहा कि जब तू इस दार में दाख़िल हो तो

(1)यानी हज़ार इस पर और दूसरे की क़ीमत दोनों क़ीमतों पर तक़सीम किये जाऐं जो कुछ इस के पडते हैं वही इस का हिस्सा है।

(2)नीयह आज़ाद करना इसी मैयत की जानिब मन्सूब होगा।

तीन सौ दिरहम पर फिर इन सब ने सौ में स्वीकार किया और मालिक बयान के पहले मर गया और यह कार्य इस की स्वस्थ रहते स्थापित हुआ था तो सब आज़ाद हो जायेंगे मगर हर एक अपनी दो तिहाई क़ीमत और सौ की तिहाई के लिए मज़दूरी कमा कर देने की कोशिश करेगा और अगर सब ने दो सौ में स्वीकार किया तो हर एक अपनी दो तिहाई क़ीमत और दो सौ की तिहाई के लिए कमा कर देने की कोशिश करेगा और अगर उन्होंने केवल तीन सौ में स्वीकार किया तो हर एक तिहाई हिस्सा आज़ाद होगा और अपनी दो तिहाई क़ीमत और सौ दिरहम के लिए कोशिश करेगा और अगर दो ग़ुलामों में से एक से कहा कि तू आज़ाद है हज़ार में से अपने (1) हिस्से पर कि जब हज़ार तुझ पर और दूसरे की क़ीमत पर विभाजित किये जाऐं बस इस ने स्वीकार किया तो आज़ाद होगा और शैख़ेन के निकट इस पर इस की कीमत अनिवार्य होगी और इमाम मुहम्मद रह० के अनुसार हज़ार से ज़्यादा न मिलेगी। यह मुहीत सुरखी में है। और अगर कहा कि तू आज़ाद है बाद मेरी मौत के हज़ार दिरहम के बदले तो स्वीकार करना, उस की मौत के बाद होगा और जब इस ने मालिक की मौत के बाद स्वीकार किया तो आज़ाद न हो होगा जब तक वारिस या उत्तराधकारी आज़ाद न करे या वारिस के इन्कार पर न्यायाधीश आज़ाद करे और यही सही है और इस की विरासत संपत्ति (2) मालिक की होगी और अगर वारिस ने इस को मरने वाले मालिक के प्रायश्चित से आज़ाद किया तो प्रायश्चित से आज़ाद न होगा। बल्कि मरने वाले की तरफ़ से आज़ाद होगा यह नहरूल फ़ाइक़ में है। फिर जानना चाहिए कि उत्तराधकारी का इस ग़ुलाम का मुक्त करना विदित सही है यानी स्पष्ट तौर से बिना चूं चां के आज़ाद कर दे और लटकाना सही नहीं है इस लिए अगर यूं कहा कि जब तू इस घर में प्रवेश हो तो आज़ाद है तो वह आज़ाद न होगा और वारिस इस को विदित व किसी बहाने या दोनों तरह आज़ाद कर सकता है चुनांचे

(1)यानी हज़ार इस पर और दूसरे की क़ीमत दोनों क़ीमतों पर विभाजित किये जाऐं जो कुछ इस के हिस्से में पडते हैं वही इस का हिस्सा है।

(2) यानी यह आज़ाद करना इसी मरने वाले की ओर संबद्ध होगा।

आज़ाद है तो सही है और दार में दाखिल होने पर आज़ाद हो जायेगा यह ग़ायतुल बयान में है और अगर मौला ने कहा कि जब मैं मरा तो तू हज़ार पर आज़ाद है या कहा कि जब तूने बाद मेरी मौत के हज़ार दिरहम मुझे अदा किये तो तू आज़ाद है पस इस ने मौला की मौत के बाद हज़ार दिरहम इस के वारिस को दिये तो वो ऐताक़ का मुस्तहिक़ होगा यह तमरताशी में है और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि मेरी मौत के बाद एक हज मेरी तरफ़ से कर और तू आज़ाद है और इस के सिवाए इस का कुछ माल नहीं है तो मौला की तरफ़ से एक हज वसत अदा करे फ़िर वारिस इस को आज़ाद कर देंगे और वो अपनी दो तिहाई क़ीमत के वास्ते सआयत करेगा। और अगर बावजूद इस के मैयत ने किसी के वास्ते अपने तिहाई माल की वसियत की हो तो यह तिहाई इस मौसी लहू (वह शख़्स जिस के वास्ते वसियत की गई हो।) और ग़ुलाम के दरमियान चार हिस्से होगी जिस में से तीन हिस्सा ग़ुलाम को मिलेंगे और बाक़ी एक हिस्से की वास्ते मौसा लहू के लिए सआयत करेगा और कुल की दो तिहाई की वास्ते वारिसों के लिए सआयत करेगा यह मुहीत सरखी में है और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि मेरी मौत के बाद मेरे वसी लहू को एक हज की क़ीमत दे कि वो मेरी तरफ़ से इस से हज अदा करे और तू आज़ाद है तो दरमियानी दरजे के हज की क़ीमत रखी जायेगी यानी इस कलाम से मुराद यह होगी और जब इस ने दरमियानी दरजे की क़ीमत अदा कर दी तो इस का ऐताक़ वाजिब हुआ और इतक़ का नाफ़िज़ करना हज अदा होने तक मौक़ूफ़ न रहेगा और जब वो आज़ाद होगया तो देखा जायेगा कि अगर दरमियानी हज की क़ीमत इस की क़ीमत के बराबर ़ज़्यादा हो तो इस पर सआयत वाजिब न होगी। फिर वसी मज़कूर मैयत की तरफ़ से इस क़ीमत से तिहाई से हज करा देगा। जहां से हो सके और अगर बावजूद इस के इस ने किसी के वास्ते तिहाई माल की वसियत भी की हो तो दो तिहाई क़ीमत हज वारिसों की और तिहाई दरमियान मौसी लहू और हज के चार हिस्से होगी जिस में से तीन हिस्से हज के वास्ते और एक हिस्सा मौसी लहू को दिया जायेगा

अगर कहा कि जब तू इस घर में प्रवेश हो तो आज़ाद है तो सही है और घर में प्रवेश होने पर आज़ाद हो जायेगा, यह ग़ायतुल बयान में है और अगर मालिक ने कहा कि जब मैं मरा तो तू हज़ार पर आज़ाद है या कहा कि जब तूने मेरी मौत के बाद हज़ार दिरहम मुझे अदा किये तो तू आज़ाद है बस इस ने मालिक की मौत के बाद हज़ार दिरहम उस के वारिस को दिये तो वह आज़ादी का अधिकारी होगा यह तमरताशी में है। और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि मेरी मौत के बाद एक हज मेरी तरफ़ से कर तो तू आज़ाद है और इस के सिवाए इस का कुछ माल नहीं है तो मालिक की तरफ़ से एक मध्य श्रेणी हज करे फिर वारिस उस को आज़ाद कर देंगे और वह अपनी दो तिहाई क़ीमत के लिए कमा कर देने कोशिश करेगा। और अगर बावजूद इस के मरने वाले ने किसी के लिए अपने तिहाई माल की वसियत की हो तो यह तिहाई इस मौसी लहू (वह व्यक्ति जिस के लिए वसियत की गई हो।) और ग़ुलाम के बीच चार हिस्से होगी जिस में से तीन हिस्सा ग़ुलाम को मिलेंगे और बाक़ी एक हिस्से की लिए मौसी लहू के लिए कमा कर देने कोशिश करेगा और कुल के दो तिहाई के लिए वारिसों के लिए कमा कर देने की कोशिश करेगा यह मुहीत सुरखी में है और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि मेरी मौत के बाद मेरे वसी लहू/उत्तराधिकारी को एक हज की क़ीमत दे कि वह मेरी तरफ़ से इस से हज अदा कराए तो तू आज़ाद है, तो मध्य श्रेणी के हज की क़ीमत रखी जायेगी यानी इस कथन से तात्पर्य यह होगी और जब इस ने मध्य श्रेणी की क़ीमत अदा करदी तो इस की मुक्ति अनिवार्य हुई और आज़ादी का लागू करना हज करने तक रुका न रहेगा और जब वह आज़ाद हो गया तो देखा जायेगा कि अगर मध्य श्रेणी हज की क़ीमत इस की क़ीमत के बराबर या ़ज़्यादा हो तो इस पर कमा कर देने कोशिश अनिवार्य न होगी। फिर मरने वाले की ओर से वर्णित उत्तराधिकारी इस क़ीमत की तिहाई से हज करा देगा। जहां से हो सके और अगर बावजूद इस के इस ने किसी के लिए तिहाई माल की वसियत भी की हो तो दो तिहाई क़ीमत हज वारिसों की और तिहाई उत्तराधिकारी के बीच

और अगर हज की क़ीमत ग़ुलाम की दो तिहाई क़ीमत हो तो तिहाई ग़ुलाम ख़ुद ग़ुलाम के वास्ते वसियत भी हो गया पस यह तिहाई इस ग़ुलाम और मूसी लहू हज के दरमियान चार हिस्से होगी जिस में से एक हिस्सा ग़ुलाम को वसियत में मिलेगा कि जो आज़ाद हो जायेगा और एक हिस्सा मूसी लहू को मिलेगा और दो हिस्से हज के वास्ते होंगे जहां से पहुंच सके यानी ग़ुलाम मूसी लहू और हज के हिस्से के वास्ते सआयत करके अदा करेगा यह शरह ज़ियादात इताबी में है। और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि मेरे वसी को एक हज की क़ीमत दे फिर जब तूने दी और मेरी तरफ़ से हज अदा कर दिया गया तो तू आज़ाद है तो ऐसी सूरत में हज हो जाने तक इस की तनफ़ीज़ इतक़ मौक़ूफ़ रहेगी और अगर ग़ुलाम हज वसत की क़ीमत लाया तो वसी इस के क़बूल करने पर मजबूर नहीं किया जायेगा और जब इस ने अदा कर दी और हज हो गया तो इतक़ का नाफ़िज़ करना वाजिब हुआ और जब वो आज़ाद हो गया तो वारिसों के वास्ते अपनी दो तिहाई क़ीमत के लिए सआयत करेगा ख़्वाह हज की क़ीमत कम (हज की क़ीमत से मुराद यह है कि जिस क़द्र खर्च से हज वहां से मुमकिन है और इस को हज की क़ीमत मिजाज़ मअरूफ़ है और तनफ़ीज़ की मअनी नाफ़िज़ पूरा करना) हो या ज़्यादा हो और जो कुछ ग़ुलाम ने वसी को दिया है इस में से वारिस लोग कुछ नहीं ले सकते हैं और क़ब्ल हज के इस से सआयत नहीं करा सकते हैं और अगर बावजूद इस के मैयत ने किसी के वास्ते अपने तिहाई माल की वसियत की हो तो जो कुछ ग़ुलाम ने अदा किया है वसी इस से हज करा देगा फिर ग़ुलाम को आज़ाद कर देगा फिर ग़ुलाम अपनी दो तिहाई क़ीमत के वास्ते वारिसों के लिए और तिहाई को चौथाई क़ीमत के वास्ते मूसी लहू के लिए सआयत करेगा यह काफ़ी में है और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि बाद मेरी मौत के मेरी तरफ़ से एक हज कर और तू आज़ाद है फिर मौला शव्वाल में मर गया पस ग़ुलाम ने हज के वास्ते जाना चाहा तो वारिसों को इख़्तयार है कि इस साल इस को मना करें बल्कि आइन्दा साल तक ताख़ीर करे पस ग़ुलाम मज़कूर दो तिहाई खिदमत से इस का हक़ पूरा कर देगा

और हज के चार हिस्से होगी जिस में से तीन हिस्से हज के वास्ते, और एक हिस्सा उत्तराधिकारी को दिया जायेगा और अगर हज की क़ीमत ग़ुलाम की दो तिहाई क़ीमत हो तो तिहाई ग़ुलाम, स्वयं ग़ुलाम के लिए वसियत भी हो गया बस यह तिहाई उस ग़ुलाम और उत्तराधिकारी और हज के बीच चार हिस्से होगी जिस में से एक हिस्सा ग़ुलाम को वसियत में मिलेगा कि जो आज़ाद हो जायेगा और एक हिस्सा उत्तराधिकारी को मिलेगा और दो हिस्से हज के लिए होंगे जहां से पहुंच सके यानी ग़ुलाम उत्तराधिकारी और हज के हिस्से के लिए कमा कर देने की कोशिश करके देगा यह शरह ज़ियादात इताबी में है। और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि मेरे उत्तराधिकारी को एक हज की क़ीमत दे फिर जब तूने दी और मेरी तरफ़ से हज अदा कर दिया गया तो तू आज़ाद है तो ऐसी स्थिति में हज हो जाने तक इस की मुक्ति की उद्घोषणा रुकी रहेगी और अगर ग़ुलाम मध्य हज की क़ीमत लाया तो उत्तराधिकारी इस के स्वीकार करने पर मजबूर नहीं किया जायेगा और जब इस ने क़ीमत देदी और हज हो गया तो आज़ादी का लागू करना अनिवार्य हुआ और जब वह आज़ाद हो गया तो वारिसों के लिए अपनी दो तिहाई क़ीमत के लिए कमा कर देने की कोशिश करेगा चाहे हज की क़ीमत कम (हज की क़ीमत से मतलब यह है कि जितने खर्च से हज वहां से मुमकिन है और उसको हज की क़ीमत उसके अनुकूल है और उद्घोषणा का अर्थ पूरा लागू करना) रहेगा हो या ज़्यादा हो और जो कुछ ग़ुलाम ने उत्तराधिकारी को दिया है इस में से वारिस लोग कुछ नहीं ले सकते हैं और हज के पहले इस से क़ीमत देने के लिए कोशिश नहीं करा सकते हैं और अगर बावजूद इस के मरने वाले ने किसी के लिए अपने तिहाई माल की वसियत की हो तो जो कुछ ग़ुलाम ने दिया है उत्तराधिकारी इस से हज करा देगा फिर ग़ुलाम को आज़ाद कर देगा फिर ग़ुलाम अपनी दो तिहाई क़ीमत के लिए वारिसों के लिए और तिहाई को चौथाई क़ीमत के लिए उत्तराधिकारी के लिए कमा कर देने की कोशिश करेगा यह काफ़ी में है। और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि मेरी मौत के बाद मेरी तरफ़ से एक हज कर और तू

फिर अपनी एक तिहाई से हज अदा करेगा चुनांचे अगर मौला हज को जाने के वक्त चार महीना पहले मर गया और हज की आमद व रफ़्त की मुसाफ़त दो महीना है तो चार महीने वारिसों की खिदमत करेगा और दो महीने हज के वास्ते सर्फ़ करेगा ताकि तिहाई व दो तिहाई ठीक हो जाये और अगर मौला शव्वाल में मरा और वारिसों ने ग़ुलाम से कहा कि तू हज को जा वरना हम तुझ को फ़रोख़्त करते हैं पस वो न गया तो वसियत बदून इस की रज़ा मन्दी के बातिल न होगी और अगर मौला ने कहा कि तू इसी साल मेरी तरफ़ से हज कर दे और तू आज़ाद है फिर मौला शव्वाल में मर गया तो वारिसों को इख़्तयार है कि बसबब अपने दो तिहाई हक़ खिदमत के इस को इस साल जाने से मना करें फिर जब उन्होंने इस को रोका और वक्त गुज़र गया तो इस की वसियत बातिल हो गई बसबब शर्त इतक़ जाते रहने के यानी इसी साल हज करा देना और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि मेरी मौत के बाद पांचों बरस हज करदे और तू आज़ाद है तो वो बराबर वारिसों की खिदमत करता रहेगा यहाँ तक कि यह साल आये फिर जब यह साल आया तो जाकर हज करे और बाद फ़राग़ के इस का ऐताक़ वाजिब हुआ पस बाद आज़ादी के वो वारिसों के लिए अपनी दो तिहाई क़ीमत के वास्ते सआयत करेगा और अगर ग़ुलाम से कहा कि तुझे हज़ार दिरहम अदा करदे मैं इस से हज करूंगा पस तू आज़ाद है तो आज़ाद होना अदाऐ हज़ार दिरहम पर मौक़ूफ़ होना न अदाऐ हज पर बखिलाफ़ इस के अगर कहा कि जब तूने मुझे हज़ार दिरहम अदा किये जिस से मैंने हज कर लिया तो तू आज़ाद है तो जब तक हज न कर लेगा तब तक आज़ाद न होगा यह शरह ज़ियादात इताबी में है। फ़क़ीह जअफ़र रह० से दरयाफ़्त किया गया कि एक शख़्स ने अपने ग़ुलाम से कहा कि तू मेरी तरफ़ से एक रोज़ा रख और तू आज़ाद है या कहा कि मेरी तरफ़ से दो रकअत नमाज़ पढ़ और तू आज़ाद है तो फ़रमाया कि ग़ुलाम आज़ाद हो गया ख़्वाह इस ने रोज़ा रखा हो या न रखा हो नमाज़ पढ़ी हो या न पढ़ी हो यह ज़खीरा में है और अगर अपने वारिसों से कहा कि जब तुम को मेरे फ़लां

आज़ाद है फिर मालिक शव्वाल के महीने में मर गया बस ग़ुलाम ने हज के लिए जाना चाहा तो वारिसों को अधिकार है कि इस साल इस को मना करें और अगले साल तक विलंब करे बस वर्णित ग़ुलाम दो तिहाई सेवा से इस का हक़ पूरा कर देगा फिर अपनी एक तिहाई से हज अदा करेगा अगर मालिक हज को जाने के समय से चार महीना पहले मर गया और हज की आने-जाने का समय दो महीना है तो चार महीने वारिसों की सेवा करेगा और दो महीने हज के लिए उपयोग करेगा ताकि तिहाई व दो तिहाई ठीक हो जाये और अगर मालिक शव्वाल में मरा और वारिसों ने ग़ुलाम से कहा कि तू हज को जा वरना हम तुझ को बेचते हैं बस वह न गया तो वसियत बिना इस की रज़ा मन्दी के अमान्य न होगी और अगर मालिक ने कहा कि तू इसी साल मेरी तरफ़ से हज कर दे और तू आज़ाद है फिर मालिक शव्वाल में मर गया तो वारिसों को अधिकार है कि अपने दो तिहाई हक़, सेवा के कारण इस को इस साल जाने से मना करें फिर जब उन्होंने इस को रोका और समय गुज़र गया तो इस की वसियत अमान्य हो गई मुक्ति की शर्त के कारण जाते रहने के यानी इसी साल हज करा देना और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि मेरी मौत के बाद पांचों बरस हज करदे और तू आज़ाद है तो वह बराबर वारिसों की सेवा करता रहेगा यहाँ तक कि यह साल आये फिर जब यह साल आया तो जाकर हज करे और कार्य पूर्ण के बाद इस की मुक्ति अनिवार्य हुई बस आज़ादी के बाद वह वारिसों के लिए अपनी दो तिहाई क़ीमत के लिए कमा कर देने की कोशिश करेगा और अगर ग़ुलाम से कहा कि तुझे हज़ार दिरहम अदा करदे मैं इस से हज करूंगा बस तू आज़ाद है तो आज़ाद होना हज़ार दिरहम देने तक रुका रहेगा न कि हज करने तक पर इस के विपरीत अगर कहा कि जब तूने मुझे हज़ार दिरहम दिये जिस से मैंने हज कर लिया तो तू आज़ाद है तो जब तक हज न कर लेगा तब तक आज़ाद न होगा यह शरह ज़ियादात इताबी में है। फ़क़ीह जअफ़र रह० से पूछा गया कि एक व्यक्ति ने अपने ग़ुलाम से कहा कि तू मेरी तरफ़ से एक रोज़ा/व्रत रख और तू आज़ाद है या कहा कि मेरी तरफ़

ग़ुलाम ने मेरी मौत के बाद एक कुर गेंहू अदा कर दिये तो वो आज़ाद है या कहा कि तू इस को आज़ाद कर फिर ग़ुलाम मज़कूर रददी एक कर गेंहू लाया और वारिस ने क़बूल कर लिये तो आज़ाद (1) न होगा और अगर दरमियानी दरजे के लाया तो भी आज़ाद न होगा जब तक वारिस या वसी या क़ाज़ी आज़ाद न करे यह काफ़ी में है।

कुर = (खेती) हल चलाने वाले की विशेष मज़दूरी जो किसी पैदावार की एक चौथाई होती है।

बाबः 6
तदबीर के बयान में

क़ालल मुतरजम मुराद तदबीर से यह है कि ग़ुलाम की आज़ादी को अपनी मौत के बाद पर मुअल्लक़ करना यानी बाद मरने के आज़ाद है वलियरजउल लयाल मुक़दति तदबीर दो नूअ पर है मुतलक़ व मुक़यद तदबीर मुतलक़ यह है कि ग़ुलाम का इतक़ फ़क़त अपनी मौत पर मुअल्लक़ किया बदून इन्ज़माम किसी दूसरी चीज़ के कज़ा फ़िल यनाबीअ मसलन कहा कि तू मुदब्बर (मेरे पीछे आज़ाद शुदह है यानी मौत के बाद।) है और इस के वास्ते चन्द अल्फ़ाज़ हैं कि कभी बसरीह लफ़्ज़ होता है मसलन कहा कि तू मुदब्बर है या मैंने तुझे मुदब्बर किया और कभी बलफ़्ज़ तहरीर व ऐताक़ (मेरे पीछे आज़ाद शुदह है यानी मौत के बाद।) होता है जैसे कहा कि तू हुर्र ही बाद मेरी मौत के या मैंने तुझे महरर किया बाद अपनी मौत के या तो मअतक़ या इतक़ है बाद मेरी मौत के और कभी बलफ़्ज़ नहीं (2) होता है मसलन कहा

(1)क़ौला आज़ाद न होगायानी मुस्तहिक इतक़ न होगा और इस की वजह यह है कि कलाम का मरजअ वसत है और इस पर ऐतराज़ किया गया कि जब वसफ़ दरमियानी सरीह मज़कूर नहीं है तो हुक्म इस से मुताल्लिक़ न होगा और जवाब दिया गया कि इतलाक़ की तसरीह के साथ मिलाया गया जहां इसी तरफ़ मरजअ है और इस को ताम्मुल से देखना चाहिए क्योंकि असल तो इस के खिलाफ़ है।

(2)बतौर क़सम के अपने ऊपरएक अम्र लाज़िम कर लेना ख़्वाह बलफ़्ज़ क़सम हो या न हो।

से दो रकअत नमाज़ पढ़ और तू आज़ाद है तो फ़रमाया कि ग़ुलाम आज़ाद हो गया चाहे इस ने रोज़ा रखा हो या न रखा हो नमाज़ पढ़ी हो या न पढ़ी हो यह ज़खीरा में है और अगर अपने वारिसों से कहा कि जब तुम को मेरे फ़लां ग़ुलाम ने मेरी मौत के बाद एक कुर गेंहू दे दिये तो वह आज़ाद है या कहा कि तू इस को आज़ाद कर फिर वर्णित निकम्मा ग़ुलाम एक कुर गेंहू लाया और वारिस ने स्वीकार कर लिये तो आज़ाद (1) न होगा और अगर मध्यम श्रेणी का लाया तो भी आज़ाद न होगा जब तक वारिस या जिसके लिए वसीयत की गई हो या क़ाज़ी आज़ाद न करे यह काफ़ी में है।

अध्याय : 6
मरणोपरांत मुक्ति के बारे में

अनुवादक के कथनानुसार तदबीर से मतलब यह है कि ग़ुलाम की आज़ादी को अपनी मौत के बाद पर टाल दे यानी बाद मरने के आज़ाद है वलि रजउल ली अल मुक़ददति, तदबीर दो प्रकार पर है पूरी तरह व शर्तिया, पूरी तरह मरणोपरांत मुक्ति देना यह है कि ग़ुलाम को मुक्ति केवल अपनी मौत पर मुक्त किया बिना किसी दूसरी चीज़ के विलय के यह नया बेअ में है मसलन कहा कि तू मरणोपरांत मुक्त (मेरे पीछे स्वतंत्र है यानी मृत्यू के बाद।) है और इस के लिए कुछ शब्द हैं कि कभी बसरीह लफ़्ज़ होता है मसलन कहा कि तू मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त है या मैंने तुझे मरणोपरांत मुक्त किया और कभी शब्दों से लिखित व मुक्ति (मेरे पीछे स्वतंत्र है यानी मौत के बाद।) होता है जैसे कहा कि तू मुक्त हो मेरी मौत के बाद या मैंने तुझे लिखित किया अपनी मौत के बाद तू मुक्त है यानी मेरी मौत के बाद और कभी शब्द से नहीं (2) होता है मसलन कहा कि

(1)कथन आज़ाद न होगा यानी मुक्ति का पात्र न होगा और इस की वजह यह है कि वार्ता का मध्य निष्कर्ष है और इस पर आपत्ति की गई कि जब मध्य गुण स्पष्ट वर्णित नहीं है तो हुक्म इस से संबद्धित न होगा और जवाब दिया गया कि लागू करने को स्पष्टता के साथ मिलाया गया जहां इसी ओर निष्कर्ष है और इस को ग़ौर से देखना चाहिए क्योंकि असल तो इस के विपरीत है।

(2) क़सम के तौर पर अपने ऊपर एक काम अनिवार्य कर लेना चाहे शब्द से क़सम हो या न हो।

कि अगर मैं (3) मर गया तो तू आज़ाद है या कहा कि जब मैं मर गया या हर गाह कि मैं मर गया या कहा कि अगर मेरे वास्ते हादसा वाक़े हुआ या हरगाह मेरे वास्ते हादसा वाक़े हुआ तो तू आज़ाद है और इस तरह अगर इन अल्फ़ाज़ में बजाये मौत के लफ़्ज़ वफ़ात या हलाक किया तो भी यही हाल है और कभी ब लफ़्ज़ वसियत होती है और इस की यह सूरत है कि ग़ुलाम के वास्ते इस के नफ्स की वसियत करे या इस के रक़बा की या इस की इतक़ यानी गर्दन की या ऐसी वसियत की कि मिनजुमला इस के वो अपने रक़बा कुल का या बाज़ का मुस्तहिक़ हुआ मसलन कहा कि मैंने तेरे वास्ते वसियत की तेरे नफ्स की या तेरे रक़बा की या तेरी गर्दन की या और ऐसा लफ़्ज़ कहा कि जिस से तमाम बदन से तअबीर की जाती है और इस तरह अगर इस से कहा कि मैंने तेरे वास्ते अपने तिहाई माल (4) की वसियत की तो यह भी तदबीर है यह बदाए में है और अगर अपने ग़ुलाम के वास्ते अपने माल से एक सहम की वसियत की तो आज़ाद होगा और अगर एक जुज्व की वसियत की तो नहीं यह सिराज उल वहाज में है और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि तक़दीर है बाद मेरी मौत के तो फ़िल हाल से मुदब्बर हो जायेगा और इसी तरह अगर कहा कि मैंने तुझे आज़ाद किया पस तू बाद मेरी मौत के हुर्र है या मेरी मौत के पीछे हुर्र है या मेरी मौत में या मेरी मौत के साथ हुर्र है तो भी यही हुक्म है यह मुहीत सरखी में है और मुदब्बर मुतलक़ का हुक्म यह है कि जब तक मौला ज़िन्दा है इस का बैअ व हिबा नहीं जाइज़ है और न इस को महर क़रार दे कर निकाह जाइज़ है और न इस का सदक़ा देना और न रहन करना जाइज़ है और इस का आज़ाद कर देना या मकातब कर देना जाइज़ है। यह सिराज वहाज में है।

(3) ऐतराज़ हो कि हरज (अगर) तो शुकूक पर प्रवेश होता है और मौत यक़ीनी है जवाब हाँ वक्त ख़ास पर यक़ीन नहीं मिला वह इस के मुराद सिर्फ़ सूरत मसला है।

(4) वजह यह है कि मुस्तहिक़ माल आज़ादी के बाद होगा बर्दी हैसियत कि इस की मिल्क है बस अगर यही ग़ुलाम माली हो तो तिहाई का मुस्तहिक़ होकर आज़ाद होगा वरना अगर तिहाई से बर आमद हो तवक्कुल और ज़्यादा में बक़द्रे ज़ियादत माल पायेगा और आज़ाद भी न होगा।

अगर मैं (3) मर गया तो तू आज़ाद है या कहा कि जब मैं मर गया या जिस समय कि मैं मर गया या कहा कि अगर मेरे लिए घटना घटित हुई या जिस समय मेरे लिए घटना घटित हुई तो तू आज़ाद है और इस तरह अगर इन शब्दों में बजाये मौत के शब्द वफ़ात या हलाक का वर्णन किया तो भी यही हाल है और कभी वसियत शब्द से होती है और इस की यह स्थिति है कि ग़ुलाम के लिए इस के स्व वसियत करे या इस के रक़बा की या इस की मुक्ति यानी जान की या ऐसी वसियत की कि कुल मिला कर इस के वह अपनी कुल संपत्ति का या कुछ का हक़दार हुआ जैसे कि कहा कि मैंने तेरे लिए वसियत की तेरे जान की या तेरे संपत्ति की या तेरी अस्तित्व की या और ऐसा शब्द कहा कि जिस से पूरे शरीर से व्याख्या की जाती है और इस तरह अगर इस से कहा कि मैंने तेरे लिए अपने तिहाई माल (4) की वसियत की तो यह भी तदबीर/मरणोपरांत है यह बदाए में है और अगर अपने ग़ुलाम के लिए अपने माल से एक अंश की वसियत की तो आज़ाद होगा और अगर एक भाग की वसियत की तो नहीं, यह सिराज उल वहाज में है और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि तक़दीर है बाद मेरी मौत के, तो फ़िल हाल से मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त हो जायेगा और इसी तरह अगर कहा कि मैंने तुझे आज़ाद किया बस तू मेरी मौत के बाद मुक्त है या मेरी मौत के पीछे आज़ाद है या मेरी मौत में या मेरी मौत के साथ मुक्त है तो भी यही हुक्म है यह मुहीत सरखी में है और मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त होने का पूरी तरह हुक्म यह है कि जब तक मालिक ज़िन्दा है इस का विक्रय व उपहार जाइज़ नहीं है और न इस को महर क़रार दे कर निकाह जाइज़ है और न इस का सदक़ा देना और न गिरवी करना जाइज़ है और इस का आज़ाद कर देना या

(3) तर्क हो कि लम्बी बीमारी से (अगर) तो संदेह पर प्रवेश होता है और मौत निश्चित है जो अब यहाँ विशेष समय पर यक़ीन नहीं मिला वह इस तात्पर्य में केवल स्थिति मामला है।

(4) वजह यह है कि माल का पात्र आज़ादी के बाद होगा बजाए हैसियत के इस की मिल्कियत है बस अगर यही ग़ुलाम माली हो तो तिहाई का मुस्तहिक़ होकर आज़ाद होगा वरना अगर तिहाई से बर आमद हो तो कुल और ज़्यादा में बक़द्रे ज़ियादत माल पायेगा और आज़ाद भी न होगा।

अगर मुदब्बर मुतलक़ को फ़रोख़्त किया और क़ाज़ी ने जवाज़ बैअ का हुक्म दे दिया तो इस की क़ज़ा नाफ़िज़ हो जायेगी और यह हुक्म क़ज़ा-ए-मुदब्बर करने का फ़सख करना क़रार दिया जायेगा हत्ता कि अगर बाद बैअ के किसी वजह से वो कभी इस की मिल्क में आ गया। तो बाद में इस की मौत के आज़ाद न होगा यह ज़हीरिया में है और मौला को इस से खिदमत लेने और इस को मज़दूरी पर देने का इख़्तयार है और अगर बान्दी को मुदब्बरा मुतलक़ा किया तो इस से वती कर सकता है और इस का जिस मर्द से चाहे निकाह कर सकता है यह काफ़ी में है और ग़ुलाम की कमाइयां और मुदब्बरा का महर और रा अरश (वोह जुर्माना जो किसी के अज़्व के काटने के मुक़ाबले में लाज़िम होता है) सब मौला का होगा यह नया बैअ मैं है और जब मौला मर गया तो मुदब्बर इस के तिहाई माल से आज़ाद होगा हत्ता कि अगर मौला का कुछ माल सिवाऐ इस मुदब्बर के न हो तो अपनी दो तिहाई क़ीमत के वास्ते सआयत करेगा यह काफ़ी में है और अगर मौला पर इस क़द्र कर्ज़ा हो कि इस के तमाम माल को मअ रक़बा इस मुदब्बर के मुहीत हो तो क़र्ज़ ख़्वाहां मौला के वास्ते मुदब्बर मज़कूर अपनी तमाम क़ीमत के लिए सई करेगा यह ग़ायतुल बयान में है और मुदब्बर की विला इसी की होगी जिस ने इस को मुदब्बर किया है और इस से मुन्तक़िल न होगी अगरचे यह ग़ुलाम दूसरे की तरफ़ से आज़ाद हो गया हो और इस की सूरत यह कि मुदब्बरह बान्दी दो शरीकों में मुशतरिक है फिर इस के एक बच्चा पैदा हुआ और इस के नसब का एक शरीक ने दावा किया चुनांचे इस से इस बच्चे का नसब साबित हो गा और इस ने अपने शरीक को तावान दे दिया फिर यह उम्मे वल्द इस के शरीक की मौत के बाद आज़ाद हो गई तो इस की विला इन दोनों शरीकों की होगी और इसी तरह अगर एक ग़ुलाम मुदब्बर दो शरीकों में मुशतरिक था पस इस को एक ने आज़ाद कर दिया और वो मालदार है पस इस ने शरीक को तावान दिया तो इस की विला न बदलेगी

मकातब (तैय रक़म देकर मुक्त हो जाना) कर देना जाइज़ है। यह सिराज वहाज में है।

अगर पूरी तरह मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त को विक्रय किया और न्यायाधीश ने बिक्री करने का कारण का हुक्म दे दिया तो इस का आदेश लागू हो जायेगा और यह हुक्म क़ज़ा-ए-मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त करने का फ़रमान रदद करना क़रार दिया जायेगा हत्ता कि अगर बिक्री के बाद किसी कारण से वह कभी इस की अधीनता में आ गया तो इस की मौत के बाद में आज़ाद न होगा यह ज़हीरिया में है और मालिक को इस से सेवा लेने और इस को मज़दूरी पर देने का अधिकार है और अगर बान्दी को मरणोपरांत मुक्त किया तो इस से संभोग कर सकता है और इस का जिस मर्द से चाहे निकाह कर सकता है यह काफ़ी में है और ग़ुलाम की कमाइयाँ और मरणोपरांत मुक्त का महर और रा अरश (वह दंड राशि जो किसी शरीर के अंग काटने के मुक़ाबले में अनिवार्य होता है) सब मालिक का होगा यह गया बैअ मैं है और जब मालिक मर गया तो मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त इस के तिहाई माल से आज़ाद होगा यहां तक कि अगर मालिक का कुछ माल सिवाऐ इस मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त के न हो तो अपनी दो तिहाई क़ीमत के लिए कोशिश करेगा यह काफ़ी में है और अगर मालिक पर इस क़द्र क़र्ज़ा हो कि इस के तमाम माल को क्षेत्र सहित इस मरणोपरांत मुक्त को घेरे हो तो क़र्ज़ मांगने वाले मालिक के लिए वर्णित मरणोपरांत मुक्त अपनी तमाम क़ीमत के लिए कमा कर देने कोशिश करेगा यह ग़ायतुल बयान में है और मरणोपरांत मुक्त की विरासत इसी की होगी जिस ने इस को मरणोपरांत मुक्त किया है और इससे हस्तान्तरित न होगी अगरचे यह ग़ुलाम दूसरे की तरफ़ से आज़ाद हो गया हो और इस की स्थिति यह कि मरणोपरांत मुक्त बान्दी दो साझेदारों में साझा है फिर इस के एक बच्चा पैदा हुआ और इस के वंश का एक साझेदार ने दावा किया क्योंकि इस से इस बच्चे का वंश साबित होगा और इस ने अपने साझेदार को क्षतिपूर्ति दे दिया फिर यह उम्मे वल्द (वह बांदी जो अपने मालिक के बच्चे की माँ हो) इस के साझेदार की मौत के बाद आज़ाद हो गई तो इस

बल्कि दोनों की हो गई। यह ईज़ाह में है।

तदबीरे मुकय्यद = वह है कि मालिक अपने ग़ुलाम से यूं कहे, कि अगर मैं सफ़र में या इस रोग में मर गया या इस जैसे शब्द कहे जो नितांत न हों

तदबीर का शरई अर्थ यह है कि मालिक अपने ग़ुलाम की आज़ादी को अपनी मृत्यु के साथ संबद्धित करदे

तदबीरे मुक़य्यद का बयानः

तदबीर मुक़य्यद इस तरह है कि अपने ग़ुलाम का इतक़ अपनी मौत पर मुअल्लक़ करे मगर मौसूफ़ बसिफ़ते या मौत और किसी और शर्त पर मुअल्लक़ करे मसलन यूं कहा कि अगर मैं अपने इस मर्ज़ में मर जाऊं या अपने इस सफ़र में मर जाऊं तो तू आज़ाद है या मिस्ल इस के कोई सिफ़त बयान की जिस में अहतमाम है कि इस की मौत इस सिफ़त के साथ होगी या न होगी या बात के साथ कोई ऐसी शर्त ज़िक्र की सि के वाक़े होने और न होने का अहतमाल है तो ऐसी तदबीर से वो मुदब्बर मुक़य्यद होगा यह जामे में है। मुदब्बर मुक़य्यद का यह हुक्म है कि अगर वो इस सिफ़त या शर्त के साथ मरा तो मिस्ल मुतलक़ के आज़ाद हो जायेगा और मौला को अपनी ज़िन्दगी में इख़्तियार है कि ऐसे मुदब्बर मुक़य्यद के साथ तमाम तरह तसर्रुफ़ात बैअ व तमलीक वग़ैरह अमल में लाये यह सिराज वहाज में है जिस ने इमाम आज़म रह० से रिवायत की है कि अगर मौला ने कहा कि अगर मैं मर गया और दफ़न किया गया या ग़ुस्ल दिया गया या कफ़न दिया गया तो तू आज़ाद है तो यह मुदब्बर नहीं है और अगर वो मर गया दर हाल यह कि यह इस की मिल्क में था तो इस के हक़ में मुस्तहब्ब है कि तिहाई माल से आज़ाद किया जाये यह नया बैअ में है और मिनजुमला तदबीर मुक़य्यद के यह है कि अगर मैं एक साल खत्म होने पर मर गया या इस साल तक मर गया तो तो आज़ाद है यह हिदाया में है और अगर इतनी मुद्दत की क़ैद लगाई कि ऐसे शख़्स के इतनी मुद्दत तक जीने का अहतमाल नहीं है मसलन साठ बरस के मौला ने कहा कि अगर मैं सौ बरस के बाद मरा तो तू आज़ाद है तो हसन बिन ज़ियाद के की विरासत इन दोनों साझेदारों की होगी और इसी तरह अगर एक मरणोपरांत मुक्त ग़ुलाम दो साझेदारों में साझा था बस इस को एक ने आज़ाद कर दिया और वह मालदार है बस इस ने साझेदार को क्षतिपूर्ति दिया तो इस की विरासत न बदलेगी बल्कि दोनों की हो गई यह ईज़ाह में है।

नितांत मरणोपरांत मुक्ति के बारे में :

नितांत मरणोपरांत मुक्ति इस तरह है कि अपने ग़ुलाम की मुक्ति अपनी मौत पर छोड़ दे मगर सज्जन महोदय या मौत और किसी और शर्त पर संबद्धित करे जैसे कि यूं कहा कि अगर मैं अपने इस रोग में मर जाऊं या अपने इस सफ़र में मर जाऊं तो तू आज़ाद है या इस के जैसी कोई बात कही कि जिस में प्रबंध है कि इस की मौत इस गुण के साथ होगी या न होगी या बात के साथ कोई ऐसी शर्त वर्णन की जिस के घटित होने और न होने की शंका है तो ऐसी मरणोपरांत मुक्ति की वचन बद्धता से वह नितांत मरणोपरांत मुक्त होगा यह जामे में है। मुदब्बर मुक़य्यद/मरणोपरांत मुक्ति का वचन बद्ध को यह आदेश है कि अगर वह इस जैसी बात या शर्त के साथ मरा तो सामान्य तौर से आज़ाद हो जायेगा और मालिक को अपनी ज़िन्दगी में अधिकार है कि ऐसे जिसे मरणोपरांत मुक्ति के लिए कह दिया गया हो उसके साथ तमाम तरह बिक्री की कुल ख़र्चा व मालिक बनाना आदि को कार्य में लाये यह सिराज वहाज में है जिस ने इमाम आज़म रह० से रिवायत की है कि अगर मालिक ने कहा कि अगर मैं मर गया और दफ़न किया गया या स्नान दिया गया या कफ़न दिया गया तो तू आज़ाद है तो यह मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त नहीं है और अगर वह मर गया इस हाल में यह कि यह इस की मिल्कियत में था तो इस के हक़ में मुस्तहब्ब/पसंदीदा है कि तिहाई माल से आज़ाद किया जाये यह गया बैअ में है और कुल मिला कर तदबीरे मुक़य्यद यह है कि अगर मैं एक साल खत्म होने पर मर गया या इस साल तक मर गया तो तू आज़ाद है यह हिदाया में है और अगर इतने समय की क़ैद लगाई कि ऐसे व्यक्ति के इतनी समय तक जीने की

नज़दीक यह मुदब्बर मुतलक़ है और यही मुख़्तार है यह तबिय्यीन में है और अगर ग़ुलाम से कहा कि तू आज़ाद है जिस दिन में मरूं और इस ने ही दिन ही दिन में मरने की नियत नहीं की तो मुदब्बर मुतलक़ होगा और अगर यह नियत की कि दिन में मरूं न रात में मुदब्बर मुक़य्यद होगा यह ज़हीरिया में है और अगर कहा कि तू आज़ाद है क़ब्लन मेरी मौत के एक महीना भर महीना गुज़रा पस वो मर गया तो बिल इजमा आज़ाद हो जायेगा लेकिन शैख़ अबूबकर इसकाफ़ के नज़दीक तिहाई से आज़ाद होगा और फ़क़ीहा अबुल क़ासिम ने कहा कि तमाम माल से आज़ाद होगा और यही इमाम आज़म रह० का क़ौल है और फ़क़ीहा अबुल्लैस रह० ने फ़रमाया कि यही ग़यासिया में है और अगर महीना गुज़रने से पहले मर गया तो आज़ाद न होगा यह शरह तहावी में है और अगर कहा कि तू आज़ाद है मेरी मौत के एक रोज़ बाद तो यह मुदब्बर न होगा और मौला को इस के फ़रोख़्त करने का इख़्तयार है और अगर मौला ऐसी हालत में मरा कि यह ग़ुलाम इस की मिल्क में था तो एक रोज़ के बाद इस के तिहाई माल से गुज़रा होगा और बदून वारिस के आज़ाद करने के आज़ाद न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है।

इस्तहसानन वारिसों को इस के आज़ाद कर देने का हुक्म किया जायेगा। यह तहज़ीब में है और अगर कहा कि तू मेरी मौत और फ़लां की मौत के बाद आज़ाद है या कहा कि बाद मौत फ़लां मेरी मौत के तू आज़ाद है तो यह फ़िलहाल मुदब्बर मुतलक़ न होगा पस अगर फ़लां पहले मर गया और हुनूज़ वो ग़ुलाम इस मौला की मिल्क में है तो अब मुतलक़ मुदब्बर हो जायेगा और अगर मौला क़ब्ल मौत फ़लां के मर गया तो वो मुदब्बर न होगा और वारिसों को इस के फ़रोख़्त करने का इख़्तयार होगा यह मुहीत में है और अगर कहा कि انت حر الساق بعد موتى तो बाद (1) मौत के आज़ाद होगा। यह ज़हीरिया में है और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि किसी को बाद

शंका नहीं है मसलन साठ बरस के मालिक ने कहा कि अगर मैं सौ बरस के बाद मरा तो तू आज़ाद है तो हसन बिन ज़ियाद के निकट यह सामान्य तौर पर मरणोपरांत मुक्त है और यही मुख़्तार है यह तबिय्यीन में है और अगर ग़ुलाम से कहा कि तू मुक्त है जिस दिन में मरूं और इसने ही दिन ही दिन में मरने का इरादा नहीं किया तो सामान्य तौर पर मरणोपरांत मुक्त होगा और अगर यह इरादा किया कि दिन में मरूं न रात में वचन बद्ध मरणोपरांत मुक्त होगा यह ज़हीरिया में है और अगर कहा कि तू आज़ाद है मेरी मौत के पहले एक महीना भर महीना गुज़रा बस वह मर गया तो सर्वसम्मति से आज़ाद हो जायेगा लेकिन शैख़ अबू-बकर इसकाफ़ के निकट तिहाई से आज़ाद होगा और फ़क़ीहा अबुल क़ासिम ने कहा कि तमाम माल से आज़ाद होगा और यही इमाम आज़म रह० का कथन है और फ़क़ीहा अबुल्लैस रह० ने कहा कि यही ग़यासिया में है और अगर महीना गुज़रने से पहले मर गया तो आज़ाद न होगा यह शरह तहावी में है और अगर कहा कि तू आज़ाद है मेरी मौत के एक दिन बाद तो यह मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त न होगा और मालिक को इस के बिक्री करने का अधिकार है और अगर मालिक ऐसी हालत में मरा कि यह ग़ुलाम इस की अधीनता में था तो एक दिन के बाद इस के तिहाई माल से होगा और सिवाय वारिस के आज़ाद करने के आज़ाद न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है।

उपकार के तौर पर वारिसों को इस के आज़ाद कर देने का आदेश किया जायेगा। यह तहज़ीब में है और अगर कहा कि तू मेरी मौत और फ़लां की मौत के बाद आज़ाद है या कहा कि फ़लां की मृत्यु के और मेरी मौत बाद के तू आज़ाद है तो यह फ़िलहाल मुदब्बर मुतलक / नितांत मरणोपरांत मुक्त न होगा बस अगर फ़लां पहले मर गया और अभी वह ग़ुलाम इस मालिक की मिल्कियत में है तो अब मुतलक़ मुदब्बर/नितांत मरणोपरांत मुक्त हो जायेगा और अगर मालिक फ़लां की मृत्यु के पहले मर गया तो वह मरणोपरांत मुक्त न होगा और वारिसों को इस के बिक्री करने का अधिकार होगा यह मुहीत में है और अगर कहा कि तू स्वतंत्र है मौत आजाने के बाद

मेरी मौत के तुझ पर कोई राह न होगी तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि वो मुदब्बर हो जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है।

हसन रह० ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की है कि अगर कहा कि तू फ़लां की तरफ़ से मुदब्बर है तो वो इस मौला की तरफ़ से मुदब्बर होगा। यह मुहीत सुरख़ी में है और अगर कहा कि मैंने तेरे रक़बा की तेरे वास्ते वसियत कर दी पस ग़ुलाम ने कहा कि मैं नहीं क़बूल करता हूं तो वो मुदब्बर हो गया और इस का रद कर देना कुछ नहीं (२) यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है। एक शख़्स ने अपने दो दो ग़ुलामों से कहा कि तुम में से एक बाद मेरी मौत के आज़ाद है और इस के वास्ते सौ दिरहम की वसियत है फिर वो मर गया तो दोनों आज़ाद हो जाऐंगे और सौ दिरहम की वसियत दोनों के वास्ते निसफ़ा निस्फ़ होगी और अगर कहा कि तुम दोनों में से हर एक के वास्ते सौ दिरहम की वसियत मज़कूरह में सौ दिरहम की वसियत बातिल होगी इस वास्ते कि दोनों में से एक ग़ुलाम है पस इस के हक़ में वसियत (1) सही न होगी। यह ज़हीरिया में है और अगर कहा कि अगर मैं तेरा मालिक हुआ तू मुदब्बर है फिर इस के हिस्से का मालिक हुआ तो मुदब्बर न हो जायेगा यह इताबिया में है।

(1) एतराज़ किया गया कि हर एक के वास्ते सौ दिरहम की वसियत मुक़्तज़ा है कि दोनों आज़ाद हों फिर एक की आज़ादी बवजह मुदब्बर होने के और दूसरे की आज़ादी बमुक़तज़ाऐ वसियत के क्यों नहीं ठहराई जवाब यह कि इतक़ जान बतौर इक़्त ज़ाऐ के मुक़द्दर होता है वो बज़रूरत है और यहाँ कुछ ज़रूरत नहीं अलावा इस के इस में ज़ाती ख़सारा है फ़ताम्मुल फ़िया।

(२) तू आज़ाद है इस दम बाद मौत मेरी के।

(३) इस वास्ते कि हक़ीक़त वसियत में है।

तो मौत के बाद (1) आज़ाद होगा। यह ज़हीरिया में है और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि किसी को मेरी मौत के बाद तुझ पर कोई अधिकार न होगा तो विद्वानों ने कहा कि वह मरणप्रांत मुक्त हो जाएगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है।

हसन रह० ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की है कि अगर कहा कि तू फ़लां की तरफ़ से मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त है तो वह इस मालिक की तरफ़ से मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त होगा। यह मुहीत सरखी में है और अगर कहा कि मैंने तेरे ग़ुलाम की तेरे लिए वसियत कर दी बस ग़ुलाम ने कहा कि मैं स्वीकार नहीं करता हूं तो वह मरणोपरांत मुक्त हो गया और इस का रद कर देना कुछ नहीं (2) यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है। एक व्यक्ति ने अपने दो दो ग़ुलामों से कहा कि तुम में से एक मेरी मौत के बाद आज़ाद है और इस के लिए सौ दिरहम की वसियत है फिर वह मर गया तो दोनों आज़ाद हो जाऐंगे और सौ दिरहम की वसियत दोनों के लिए आधा आधा होगी और अगर कहा कि तुम दोनों में से हर एक के लिए सौ दिरहम की वसियत, वर्णित में सौ दिरहम की वसियत अमान्य होगी इस लिए कि दोनों में से एक ग़ुलाम है बस इस के पक्ष में वसियत (३) सही न होगी। यह ज़हीरिया में है और अगर कहा कि अगर मैं तेरा मालिक हुआ तू मरणोपरांत मुक्त है फिर इस के हिस्से का मालिक हुआ तो मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त न होगा यह इताबिया में है।

(1) तर्क दिया गया कि हर एक के लिए सौ दिरहम की वसियत इच्छित है कि दोनों आज़ाद हों फिर एक की आज़ादी मरणोपरांत मुक्ति होने के,और दूसरे की आज़ादी वसियत की इच्छा से क्यों नहीं ठहराई जो अब यह कि जान की मुक्ति बतौर इच्छा के मुक़द्दर होती है वो ज़रूरतानुसार है और यहाँ कुछ ज़रूरत नहीं अलावा इस के इस में निजी हानि है सोच-विचार यही है।

(2) तू आज़ाद है इस दम बाद मौत मेरी के।

(३) इस वास्ते कि हक़ीक़त वसियत में है।

एक शख़्स ने गुलाम से कहा कि तू आज़ाद है मेरी मौत के बाद अगर तूने शराब न पी फिर मौला की मौत के बाद छः महीने तक इस ने शराब न पी फिर शराब पी ली और हुनूज़ आज़ाद नहीं हुआ था तो इतक़ बातिल हो गया :

अगर किसी बान्दी से कहा कि अगर मैंने तुझे खरीदा तो तू मेरी मौत के बाद आज़ाद है या कहा कि अगर मैंने तुझे खरीदा फिर मैं मर गया तो तू आज़ाद है फिर इस को खरीदा तो वो मुदब्बरह हो जायेगी। फिर अगर इस को आज़ाद कर दिया फिर वो मुरतद हो कर दारूल हरब में चली गई फिर जिहाद में क़ैद हो कर आई और इस शख़्स ने इस को खरीदा तो अब मुदब्बरह न होगी चुनांचे अगर मौला मर गया तो आज़ाद न हो जायेगी यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है। और अगर किसी बान्दी से कहा कि अगर मैं तेरा मालिक हुआ तो तू मेरी मौत के बाद आज़ाद है फिर इस के बच्चा पैदा हुआ फिर इस शख़्स ने इस को खरीदा तो बान्दी मुदब्बरह हो जायेगी न इस का बच्चा और अगर मौला ने कहा कि तू क़ब्ल मुदब्बर होने के बच्चा जनी है और बान्दी ने कहा कि नहीं बल्कि इस के बाद तो मौला का क़ौल इस के इल्म पर क़सम ले कर मक़बूल होगा और गवाह बान्दी के क़बूल होंगे और अगर दो बान्दियों से कहा कि मैं तुम दोनों का मालिक हुआ तो तुम मेरी मौत के महीने भर बाद आज़ाद हो फिर एक का मालिक हुआ और वो इस के पास बच्चा जनी फिर दूसरी का मालिक हुआ तो इस की मौत के बाद दोनों आज़ाद हो जाऐंगी और पहली बान्दी का बच्चा रक़ीक़ रहेगा यह मुहीत सुरखी में है और अगर गुलाम से कहा कि तू बाद मेरी फ़लां से कलाम करने के और बाद मेरी मौत के आजाद है पस इस ने फ़लां से कलाम कर लिया तो मुदब्बर हो जायेगा और इस तरह अगर कहा कि जब तूने फ़लां से कलाम किया तो तू मेरी मौत के बाद आज़ाद है पस इस ने फ़लां से कलाम किया तो मुदब्बर हो जायेगा यह बदाऐ में है। एक शख़्स ने गुलाम से कहा कि तू आज़ाद है

एक व्यक्ति ने गुलाम से कहा कि तू आज़ाद है मेरी मौत के बाद अगर तूने शराब न पी फिर मालिक की मौत के बाद छः महीने तक इस ने शराब न पी फिर शराब पी ली और अभी मुक्त नहीं हुआ था तो मुक्ति अमान्य हो गयी :

अगर किसी बान्दी से कहा कि अगर मैंने तुझे खरीदा तो तू मेरी मौत के बाद आज़ाद है या कहा कि अगर मैंने तुझे खरीदा फिर मैं मर गया तो तू आज़ाद है फिर इस को खरीदा तो वह मरणोपरांत मुक्त हो जायेगी। फिर अगर इस को आज़ाद कर दिया फिर वह मुरतद/धर्म भ्रष्ट हो कर ग़ैर-इस्लामी शासित देश में चली गई फिर जिहाद में क़ैद हो कर आई और इस व्यक्ति ने इस को खरीदा तो अब मरणोपरांत मुक्त न होगी अगर मालिक मर गया तो आज़ाद न होगी यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है। और अगर किसी बान्दी से कहा कि अगर मैं तेरा मालिक हुआ तो तू मेरी मौत के बाद आज़ाद है फिर इस के बच्चा पैदा हुआ फिर इस व्यक्ति ने इस को खरीदा तो बान्दी मरणोपरांत मुक्त हो जायेगी न की इस का बच्चा और अगर मालिक ने कहा कि तू मरणोपरांत मुक्त होने के पहले बच्चा जनी है और बान्दी ने कहा कि नहीं बल्कि इस के बाद तो मालिक का कथन इस के संज्ञान पर क़सम ले कर स्वीकार होगा और गवाह बान्दी के स्वीकार होंगे और अगर दो बान्दियों से कहा कि मैं तुम दोनों का मालिक हुआ तो तुम मेरी मौत के महीने भर बाद आज़ाद हो फिर एक का मालिक हुआ और वह इस के बाद बच्चा जनमी फिर दूसरी का मालिक हुआ तो इस की मौत के बाद दोनों आज़ाद हो जाऐंगी और पहली बान्दी का बच्चा गुलाम रहेगा यह मुहीत सुरखी में है और अगर गुलाम से कहा कि तू मेरे फ़लां से बात करने के बाद और मेरी मौत के बाद आज़ाद है बस इस ने फ़लां से बात कर ली तो मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त हो जायेगा और इस तरह अगर कहा कि जब तूने फ़लां से बात की तो तू मेरी मौत के बाद आज़ाद है बस इस ने फ़लां से बात की तो मरणोपरांत मुक्त हो जायेगा यह बदाऐ में

मेरी मौत के बाद अगर तूने शराब न पी फिर मौला की मौत के बाद छः महीने तक इस ने शराब न पी फिर शराब पी ली और हुनूज़ आज़ाद नहीं हुआ था तो इतक़ बातिल हो गया और अगर मौला की मौत के बाद शराब पीने से पहले क़ाज़ी के यहाँ मुराफ़आ किया गया और क़ाज़ी ने इस के आज़ाद होने का हुक्म नाफ़िज़ कर दिया फिर इस ने शराब पी तो फिर वो रक़ीक़ नही किया जाएगा यह ज़हीरिया में है।

इमाम मुहम्मद रह० ने असल में फ़रमाया कि अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि तू आज़ाद है बाद मेरी मौत के अगर तूने इस दम चाहा पस ग़ुलाम ने इसी दम चाहा तो मौला की मौत के बाद वो तिहाई से आज़ाद होगा और अगर मर्द मज़कूर ने यह मुराद ली है कि इस दम यानी मौत के बाद तो ग़ुलाम को चाहने का इख़्तयार न होगा यहाँ तक कि मौला मर जाये फिर जब मौला मरा और इस के मरने के वक्त ग़ुलाम ने चाहा तो बदून मुदब्बर होने के वो तिहाई माल से आज़ाद होगा यह नया बैअ में है। और शैख़ अबूबकर राज़ी ने फ़रमाया कि सही यह है कि वो बदून वारिस के या वसी के आज़ाद करने से आज़ाद न होगा और हाकिम रह० ने भी अपने मुख़तसर में इसी पर जज़म किया है यह नहर उल फ़ाइक़ में है। फिर बिना बर ज़ाहिर जवाब के मौला की मौत के बाद ग़ुलाम का चाहना इसी मज्लिस में मोअतबर होगा। यह आया सरूजी में है।

अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि तू आज़ाद है अगर तूने चाहा बाद मेरी मौत के फिर मौला मर गया और जिस मज्लिस में ग़ुलाम को मौला की मौत का इल्म हुआ है इस से उठ खड़ा हुआ या दूसरा काम शुरू कर दिया तो इस से कोई बात जो ग़ुलाम के इख़्तयार में दी गई है बातिल न होगी यानी हुनूज़ इस को चाहने का इख़्तयार रहेगा बातिल न होगा। यह बदाऐ में है।

अगर किसी दूसरे से कहा कि मेरे ग़ुलाम को मुदब्बर करदे पस मामूर ने इस को आज़ाद कर दिया तो नहीं सही है और अगर किसी ने एक तुफ़ल से कहा कि तेरा जी चाहे मेरे ग़ुलाम को मुदब्बर कर दे पस इस ने

है। एक व्यक्ति ने ग़ुलाम से कहा कि तू आज़ाद है मेरी मौत के बाद अगर तूने शराब न पी फिर मालिक की मौत के बाद छः महीने तक इस ने शराब न पी फिर शराब पी ली और अभी आज़ाद नही हुआ था तो मुक्ति अमान्य हो गई और अगर मालिक की मौत के बाद शराब पीने से पहले न्यायाधीश के यहाँ अपील की और न्यायाधीश ने इसके मुक्त होने का आदेश लागू कर दिया फिर इस ने शराब पी तो फिर वह ग़ुलाम नहीं बनाया जाएगा यह ज़हीरिया में है।

इमाम मुहम्मद रह० ने असल में फ़रमाया कि अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि तू मेरी मौत के बाद मुक्त है अगर तूने इस दम चाहा बस ग़ुलाम ने इसी दम चाहा तो मालिक की मौत के बाद वह तिहाई से आज़ाद होगा और अगर वर्णित मर्द ने यह तात्पर्य लिया है कि इस दम यानी मौत के बाद तो ग़ुलाम को चाहने का अधिकार न होगा यहाँ तक कि मालिक मर जाये फिर जब मालिक मरा और इस के मरने के समय ग़ुलाम ने चाहा तो सिवा मरणोपरांत मुक्त होने के वह तिहाई माल से मुक्त होगा यह नया बैअ में है। और शैख़ अबू-बकर राज़ी ने कहा कि सही यह है कि वह सिवा उत्तराधिकारी या जिसे वसीयत की हो के मुक्त करने से आज़ाद न होगा और हाकिम रह० ने भी अपनी मुख़तसर में इसी पर ठहराव किया है यह नहरूल फ़ाईक़ में है। फिर बिना स्पष्ट जवाब के मालिक की मौत के बाद ग़ुलाम का चाहना इसी सभा में विश्वसनीय होगा। यह ग़ाया सरूजी में है।

अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि तू आज़ाद है अगर तूने चाहा मेरी मौत के बाद, फिर मालिक मर गया और जिस सभा में ग़ुलाम को मालिक की मौत का ज्ञान हुआ है इस से उठ खड़ा हुआ या दूसरा काम शुरू कर दिया तो इस से कोई बात जो ग़ुलाम के अधिकार में दी गई है अमान्य न होगी यानी अभी तक इस को चाहने का अधिकार रहेगा, अमान्य न होगा। यह बदाऐ में है।

अगर किसी दूसरे से कहा कि मेरे ग़ुलाम को मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त करदे बस नियुक्त ने इस को मुक्त कर दिया तो सही नहीं है और अगर किसी ने एक बच्चे से कहा कि तेरा जी चाहे मेरे ग़ुलाम को मुदब्बर/

मुदब्बर कर दिया तो जाइज़ है ख़्वाह तुफ़्ल समझ दार हो या न हो यानी जानता हो कि मुदब्बर करने से ऐसा हुक्म हो जाता है या नहीं। यह मुहीत में है और अगर दो शख़्सों से कहा कि तुम मेरा गुलाम मुदब्बर कर दो पस एक ने इस को मुदब्बर कर दिया तो जाइज़ है और अगर कहा कि मेरे ग़ुलाम के मुदब्बर करने का काम तुम दोनों के हवाला है पस एक ने इस को मुदब्बर किया तो नहीं जाइज़ है यह फ़तह उल क़दीर में है। एक मर्द ने कहा कि तुम आज़ाद करो बाद मेरी मौत के मेरे ग़ुलाम को इन्शाअल्लाह तआला तो इस्तसना सही नहीं है और अगर कहा कि वो बाद मेरी मौत के आज़ाद है इन्शाअल्लाह तआला तो इस्तहसानन इस्तसना सही है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और ज़ियादात में मज़कूर है कि अगर किसी ने अपने ग़ुलाम को हज़ार दिरहम पर मुदब्बर किया और इस ने क़बूल किया तो वो मुदब्बर हो जायेगा और इस पर कुछ वाजिब न होगा यह मुहीत सुरखी में है। एक ग़ुलाम दो शख़्सों में मुशतरिक है कि इन में से एक ने इस को मुदब्बर किया और दूसरा साकित रहा तो बिना बर क़ौल इमाम आज़म रह० के फ़क़त तदब्बुर कुनिन्दा का हिस्सा मुदब्बर होगा और शरीक साकित को अपने हिस्से की बाबत पांच तरह का खयार होगा बशर्तेकि मुदब्बर कुनिन्दा मालदार हो और वो इख़्तयारात यह हैं कि चाहिए अपना हिस्सा वो मुदब्बर कर दे पस वो मुदब्बर दोनों में मुशतरिक होगा पस अगर दोनों में से एक मर गया तो इस का हिस्सा इस के तिहाई माल से आज़ाद हो जायेगा और ग़ुलाम मज़कूर दूसरे के वास्ते अपनी निस्फ़ क़ीमत के लिए सआयत करेगा लेकिन अगर दूसरा भी क़ब्ल वसूल सआयत के मर गया तो सआयत बातिल हो जायेगी और चाहे आज़ाद कर दे पस अगर इस ने आज़ाद कर दिया तो इतक़ सही होगा और मुदब्बर कुनिन्दा को इख़्तयार होगा कि आज़ाद कुनिन्दा से अपने हिस्से की क़ीमत ग़ुलाम मुदब्बर के हिसाब से ले ले और इस की विला दोनों में मुशतरिक होगी और आज़ाद कुनिन्दह को इख़्तयार होगा कि जो इस ने तावान दिया है वो ग़ुलाम से लेले और ख़्वाह मुदब्बर कुनिन्दा आज़ाद कर दे और ख़्वाह ग़ुलाम से सआयत कराले और चाहे शरीक

मरणोपरांत मुक्त कर दे बस इस ने मरणोपरांत मुक्त कर दिया तो जाइज़ है चाहे बच्चा समझ दार हो या न हो यानी जानता हो कि मरणोपरांत मुक्त करने से ऐसा आदेश हो जाता है या नहीं। यह मुहीत में है और अगर दो व्यक्तियों से कहा कि तुम मेरा ग़ुलाम मरणोपरांत मुक्त कर दो बस एक ने इस को मरणोपरांत मुक्त कर दिया तो जाइज़ है, और अगर कहा कि मेरे ग़ुलाम के मरणोपरांत मुक्त करने का काम तुम दोनों के हवाला है बस एक ने इस को मरणोपरांत मुक्त किया तो नहीं जाइज़ है यह फ़तह उल क़दीर में है। एक मर्द ने कहा कि तुम आज़ाद करो बाद मेरी मौत के मेरे ग़ुलाम को इन्शा अल्लाह तआला तो अपवाद सही नहीं है और अगर कहा कि वह मेरी मौत के बाद आज़ाद है इन्शा अल्लाह तआला तो उपकार के तौर पर अपवाद सही है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और ज़ियादात में वर्णित है कि अगर किसी ने अपने ग़ुलाम को हज़ार दिरहम पर मरणोपरांत मुक्त किया और इस ने स्वीकार किया तो वह मरणोपरांत मुक्त हो जायेगा और इस पर कुछ ज़रूरी न होगा यह मुहीत सुरखी में है। एक ग़ुलाम दो व्यक्तियों में साझा है कि इन में से एक ने इस को मरणोपरांत मुक्त किया और दूसरा निष्क्रिय रहा तो इमाम आज़म रह० के कथनानुसार केवल मरणोपरांत मुक्त का हिस्सा मरणोपरांत मुक्त होगा और निष्क्रिय साझेदार को अपने हिस्से की बाबत पांच तरह का खयार (दो चाज़ो या बातों में से एक का चयन करने का अधिकार) होगा बशर्ते कि मरणोपरांत मुक्त करने वाला मालदार हो और वह अधिकार यह हैं कि चाहिए अपना हिस्सा वह मरणोपरांत मुक्त कर दे बस वह मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त दोनों में साझा होगा बस अगर दोनों में से एक मर गया तो इस का हिस्सा इस के तिहाई माल से आज़ाद हो जायेगा और वर्णित ग़ुलाम दूसरे के लिए अपनी आधी क़ीमत के लिए कमा कर देने कोशिश करेगा लेकिन अगर दूसरा भी कमा कर क़ीमत देने कोशिश वसूलने से पहले मर गया तो कमा कर क़ीमत देने की कोशिश अमान्य हो जायेगी, और चाहे आज़ाद कर दे बस अगर इसने मुक्त कर दिया तो मुक्ति सही होगी और मरणोपरांत मुक्त करने वाले को

साकित ग़ुलाम से सआयत करादे पस जब वो सआयत करके निस्फ़ क़ीमत अदा कर देगा तो आज़ाद हो जायेगा फिर मुदब्बर कुनिन्दा को इख़्तयार होगा कि ग़ुलाम से सआयत करादे पस जब इस की सआयत भी अदा कर दी तो पूरा आज़ाद होगा और अगर मुदब्बर कुनिन्दा माल सआयत लेने से पहले मर गया तो सआयत बातिल हो गई और इस का हिस्सा ग़ुलाम इन के तिहाई माल से आज़ाद हो जायेगा और चाहे इस कोयूं ही छोड़ दे फिर जब वो मर गया तो इस का हिस्सा मीरास होगा कि इस के वारिसों को मिलेगा पस इस के वारिसों को इस हिस्से की बाबत इतक़ व सआयत वग़ैरह का ख़्यार हासिल होगा और अगर मुदब्बर कुनिन्दा मर गया तो इस का निस्फ़ हिस्सा इस के तिहाई माल से आज़ाद हो जायेगा। शरीक (1) साकित को इख़्तयार होगा कि ग़ुलाम से अपने हिस्से की निस्फ़ क़ीमत ग़ुलाम की सआयत करादे और जब वो अदा करके पूरा आज़ाद हो गया तो इस की वला इन दोनों में शरीक होगी और चाहे शरीक साकित दूसरे मुदब्बर कुनिन्दा को इख़्तयार होगा कि जो कुछ इस ने तावान दिया है वो ग़ुलाम मज़कूर से ले ले और अगर इस ने ना लिया यहाँ तक कि मर गया तो इस का निस्फ़ इसके तिहाई माल से आज़ाद हा जायेगा और वारिसों के वास्ते ग़ुलाम मज़कूर अपनी निस्फ़ क़ीमत कामिल बमुक़ाबला हिस्सा दीगर के सआयत करेगा और अगर मुदब्बर कुनिन्दा तंगदस्त हो तो शरीक साकित को इस मुदब्बर कुनिन्दा से अपने हिस्से का तावान लेने का इख़्तयार न होगा और बाक़ी चार तरह का ख़्याल हासिल रहेगा यानी चाहे अपना हिस्सा आज़ाद कर दे चाहे मुदब्बर करे चाहे ग़ुलाम से सआयत करादे चाहे यूं ही छोड़ दे यह तातार खानिया में है। एक ग़ुलाम दो शरीकों में मुशतरिक है दोनों ने साथ ही इसको मुदब्बर कर दिया चुनांचे हर एक ने कहा कि मैंने तुझ को मुदब्बर किया या तुझ में से मेरा हिस्सा मुदब्बर है या जब मैं मरूं तो तू आज़ाद है या जब मैं मरूं तो तू मेरी मौत के बाद

(1) वाज़ह हो कि शरीके साकित का माले सआयत महज़ ग़ुलाम की आधा क़ीमत होगी और एक मुदब्बर कुनिन्दा की आधा क़ीमत बहिसाब ग़ुलाम मुदब्बर की क़ीमत के होगी बस दोनों में फ़र्क़ होगा।

अधिकार होगा कि आज़ाद करने वाले से अपने हिस्से की क़ीमत मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त ग़ुलाम के हिसाब से ले ले और इस की विरासत/संपत्ति दोनों में साझा होगी और आज़ाद करने वालों को अधिकार होगा कि जो इस ने क्षतिपूर्ति दी है वह ग़ुलाम से लेले और चाहे मरणोपरांत मुक्त करने वाला आज़ाद कर दे और चाहे ग़ुलाम से कमा कर क़ीमत देने की कोशिश कराले और चाहे निष्क्रिय साझेदार ग़ुलाम से कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करादे बस जब वह कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करके आधी क़ीमत अदा कर देगा तो आज़ाद हो जायेगा फिर मरणोपरांत मुक्त करने वाले को अधिकार होगा कि ग़ुलाम से कोशिश करादे बस जब इस की कमा कर क़ीमत देने की कोशिश भी अदा कर दी तो पूरा आज़ाद होगा और अगर मरणोपरांत मुक्त करने वाला कोशिश का माल लेने से पहले मर गया तो कोशिश अमान्य हो गई और इस का हिस्सा ग़ुलाम इन के तिहाई माल से आज़ाद हो जायेगा और चाहे इस को यूं ही छोड़ दे फिर जब वह मर गया तो इस का हिस्सा विरासत होगी कि इस के वारिसों को मिलेगी बस इस के वारिसों को इस हिस्से के लिए मुक्ति व कमा कर दने की कोशिश आदि का ख़्यार/दो चाज़ो या बातों में से एक का चयन करने का अधिकार प्राप्त होगा और अगर मरणोपरांत मुक्त करने वाला मर गया तो इस का आधा हिस्सा इस के तिहाई माल से आज़ाद हो जायेगा। निष्क्रिय साझेदार (1) को अधिकार होगा कि ग़ुलाम से अपने हिस्से की आधा क़ीमत के लिए कमा कर देने की कोशिश करादे और जब वह अदा करके पूरा आज़ाद हो गया तो इस की विरासत इन दोनों में साझा होगी और चाहे निष्क्रिय साझेदार दूसरे मरणोपरांत मुक्त करने वाले को अधिकार होगा कि जो कुछ इस ने क्षतिपूर्ति दी है वह वर्णित ग़ुलाम से ले ले और अगर इस ने ना लिया यहाँ तक कि मर गया तो इस का आधा इस के तिहाई माल से आज़ाद हो जायेगा और वारिसों के लिए वर्णित

(1)स्पष्ट हो निष्क्रिय साझी को कमा कर क़ीमत देने की कोशिश का माल केवल ग़ुलाम की आधी क़ीमत होगी, और एक मरणोपरांत मुक्त करने वाले को आधी क़ीमत के हिसाब से मरणोपरांत मुक्त ग़ुलाम की क़ीमत के होगी बस दोनों में फ़र्क़ होगा।

आज़ाद है या कहा कि मेरी मौत के बाद आज़ाद है और दोनों के कलाम एक साथ ही ज़ुबान से निकले तो यह ग़ुलाम दोनों का मुदब्बर होगया। यह शरह तहावी में है।

ख़्यार = दो चाज़ो या बातों में से एक का चयन करने का हक़, अधिकार
ख़्यार मिल्क = एक या दोनों को मुक्त करने या ना करने का विचार बाक़ी रहेगा
ख़्यारे ऐब = व्यापार या सौदे में कोई ऐसा दोष हो जो व्यपारियों के निकट क़ीमत की कमी का कारण हो और क्रेता को इस कारण से बिक्री करने वाले को इस कारण से सौदे के वापस करने या रखने का अधिकार हो।
ख़्यारे शर्त = अनुबंध करने वाले या उन में से एक अनुबंध के बारे में सेच-विचार करने की शर्त लगाए जिस का समय इमामे आज़म रह० के कथनानुसार तीन दिन है
ख़्यारे रोय्यत = ग्राहक सौदा देखे बग़ैर खरीदे तो सौदा देखने के समय उस को सौदा रखने या ना रखने का अधिकार हो।

एक मुदब्बरह बान्दी दो शख़्सों में मुशतरिक है इस के एक बच्चा पैदा हुआ और दोनों में से किसी ने इस बच्चे का दावा न किया तो वो भी मिस्ल अपनी मां के दोनों के मुदब्बर होगा :

फिर जब एक मर गया तो इस का हिस्सा इस के तिहाई से आज़ाद होगा और दूसरे को इख़्तयार हासिल हुआ चाहे अपना हिस्सा आज़ाद करदे चाहे मकातब करदे और चाहे सआयत करादे और यह इख़्तयार नहीं है कि इस को इसी हाल पर छोड़ दे और अगर दूसरा भी क़ब्ल वसूले सआयत (1) के मर गया तो सआयत बातिल हो गई और इस का हिस्सा भी आज़ाद हो गया बशर्तेकि इस के तिहाई माल से बर-आमद होता हो और अगर दोनों ने कहा कि जब हम दोनों मरें तो तू आज़ाद है या तो तू आज़ाद है या तो हम दोनों की मौत के बाद आज़ाद है

(2)क़ौला वसूल सआयत यह मिजाज़ मुतआरिफ़ है मआनी यह कि जवां कमा कर देना इस के ज़िम्मे ठहरा है उस के वसूल हो जाने से पहले।

ग़ुलाम अपनी आधी क़ीमत पूरी दूसरे हिस्से की तुलना में कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा और अगर मरणोपरांत मुक्त करने वाला निर्धन हो तो निष्क्रिय साझी को इस मरणोपरांत मुक्त करने वाले से अपने हिस्से की क्षतिपूर्ति लेने का अधिकार न होगा और बाक़ी चार तरह का ख़्यार/दो चाज़ों या बातों में से एक का चयन करने का अधिकार प्राप्त रहेगा यानी चाहे अपना हिस्सा आज़ाद कर दे चाहे मरणोपरांत मुक्त करे चाहे ग़ुलाम से कोशिश करादे चाहे यूं ही छोड़ दे यह तातार खानिया में है। एक ग़ुलाम दो साझेदारों में साझा है दोनों ने साथ ही इस को मरणोपरांत मुक्त कर दिया जब कि हर एक ने कहा कि मैंने तुझ को मरणोपरांत मुक्त किया या तुझ में से मेरा हिस्सा मरणोपरांत मुक्त है या जब मैं मरूं तो तू आज़ाद है या जब मैं मरूं तो तू मेरी मौत के बाद मुक्त है या कहा कि मेरी मौत के बाद मुक्त है और दोनों के कथन एक साथ ही ज़ुबान से निकले तो यह ग़ुलाम दोनों का मरणोपरांत मुक्त हो गया। यह शरह तहावी में है।

एक मरणोपरांत मुक्त बान्दी दो लोगों में साझा है इस के एक बच्चा पैदा हुआ और दोनों में से किसी ने इस बच्चे का दावा न किया तो वह भी अपनी माँ के जैसे दोनों के मरणोपरांत मुक्त होगा :

फिर जब एक मर गया तो इस का हिस्सा इस के तिहाई से आज़ाद होगा और दूसरे को अधिकार प्राप्त है चाहे अपना हिस्सा आज़ाद करदे चाहे क़ीमत लेकर मुक्त करदे और चाहे कार्य से कमा कर देने की कोशिश करादे और यह अधिकार नहीं है कि इस को इसी हाल पर छोड़ दे और अगर दूसरा भी उसकी कोशिश से कमाई हुई क़ीमत को वसूलने से पहले (1) मर गया तो वह कोशिश अमान्य हो गई और इस का हिस्सा भी आज़ाद हो गया बशर्ते कि इस के तिहाई माल से प्राप्त होता हो और अगर दोनों ने कहा कि जब हम दोनों मरें तो तू मुक्त है

(2) कथन क़ीमत देने की कोशिश का वसूलना यह अधिकृत है अर्थ यह कि कमा कर देना इस के ज़िम्मे ठहरा है उस के वसूल हो जाने से पहले।

और दोनों के कलाम साथ ही ज़बान से निकले तो वो मुदब्बर न होगा इल्ला आँकि दोनों में से एक पहले मर जाये तो जो ज़िन्दा रहा है इस का हिस्सा मुदब्बर हो जायेगा और जो मर गया उस का हिस्सा इस के वारिसों की मीरास होगा तो जो ज़िन्दा रहा है उस का हिस्सा मुदब्बर हो जायेगा और जो मर गया उस का हिस्सा इस के वारिसों की मीरास होगा पस वारिसों को इख़्तयारात हासिल होंगे चाहें अपना हिस्सा आज़ाद करदें और चाहें मुदब्बर, और चाहें मकातब करें और चाहें सआयत करादें और चाहें शरीक मुदब्बर कुनिन्दा से तावान लें अगर वो मालदार हो और जब दूसरा भी मरेगा तो इस का हिस्सा इस के तिहाई माल से आज़ाद हो जायेगा। एक मुदब्बरह बान्दी दो शख़्सों में मुशतरिक है इस के एक बच्चा पैदा हुआ और दोनों में से किसी ने इस बच्चे का दावा न किया तो वो भी मिस्ल अपनी मां के दोनों के मुदब्बर होगा और अगर दोनों में से किसी ने इस का दावा किया तो इस्तहसानन इस से इस का नसब साबित हो जायेगा और निस्फ़ बान्दी इस की उम्मे वल्द हो जायेगी और बाक़ी निस्फ़ अपने हाल पर दूसरे शरीक की मुदब्बरह रहेगी और मुदआ इस का निस्फ़ उक़्र दूसरे शरीक को तावान देगा और बच्चे की मुदब्बर होने के हिसाब से क़ीमत देगा और बान्दी की निस्फ़ क़ीमत न देगा फिर अगर मुदआ पहले मर गया तो इस का निस्फ़ हिस्सा मुफ़्त आज़ाद हो गया और शरीक के वास्ते वो कुछ ज़ामिन (2) न होगा और बान्दी मज़कूरह इस शरीक के निस्फ़ हिस्से के लिए अपनी निस्फ़ क़ीमत की सआयत करेगी मगर बेहिसाब मुदब्बरह होने के और इस हुक्म में इत्तफ़ाक़ है फिर अगर वसूल सआयत से पहले दूसरा भी मर गया तो सआयत बातिल हुई और बान्दी पूरी आज़ाद हो जायेगी बशर्तेकि इस के माल की तिहाई से इस का हिस्सा निस्फ़ बरआमद होता हो यह इमाम आज़म रह० का क़यास है और अगर शरीक ग़ैर मुदआ (1) पहले मरा तो इस के तिहाई माल से इस का हिस्सा आज़ाद होगा और इमाम आज़म रह० के क़ौल में शरीक मुदआ के वास्ते सआयत न करेगी कज़ा फ़िल बदाऐ। और अगर

(1) जिस ने बच्चे के नसब का दावा नहीं किया है।

या तो तू आज़ाद है या तो हम दोनों की मौत के बाद आज़ाद है और दोनों के कथन साथ ही ज़ुबान से निकले तो वह मरणोपरांत मुक्त न होगा सिवाए यह कि दोनों में से एक पहले मर जाये तो जो ज़िन्दा रहा है इस का हिस्सा मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त हो जायेगा और जो मर गया उस का हिस्सा इस के वारिसों की मीरास होगा तो जो ज़िन्दा रहा है उस का हिस्सा मरणोपरांत मुक्त हो जायेगा और जो मर गया उस का हिस्सा इस के वारिसों की विरासत होगा बस वारिसों को अधिकार प्राप्त होंगे चाहे अपना हिस्सा आज़ाद करदें और चाहे मरणोपरांत मुक्त और चाहें तय क़ीमत लेकर मुक्त करें और चाहे कार्य से कमा कर देने की कोशिश करादें और चाहें साझेदार मरणोपरांत मुक्त करने वाले से क्षतिपूर्ति लें अगर वह मालदार हो और जब दूसरा भी मरेगा तो इस का हिस्सा इस के तिहाई माल से आज़ाद हो जायेगा। एक मरणोपरांत मुक्त बान्दी दो व्यक्तियों में साझा है इस के एक बच्चा पैदा हुआ और दोनों में से किसी ने इस बच्चे का दावा न किया तो वह भी जैसे अपनी माँ के दोनों का मरणोपरांत मुक्त होगा और अगर दोनों में से किसी ने इस का दावा किया तो उपकार के तौर पर इस से इस का वंश साबित हो जायेगा और आधा बान्दी इस की उम्मे वल्द/अपने मालिक के बच्चे की माँ हो जायेगी और बाक़ी आधा अपने हाल पर दूसरे साझेदार की मरणोपरांत मुक्त रहेगी और दावा करने वाला इस का आधा उक्र (वह रक़म आदि जो बीवी के सिवा ग़ैर औरत के साथ संभोग करने से अनिवार्य हो) दूसरे साझेदार को क्षतिपूर्ति देगा और बच्चे को मरणोपरांत मुक्त होने के हिसाब से क़ीमत देगा और बान्दी की आधी क़ीमत न देगा फिर अगर दावा करने वाला पहले मर गया तो इस का आधा हिस्सा मुफ़्त आज़ाद हो गया और साझेदार के लिए वह कुछ ज़मानती न होगा और वर्णित बान्दी इस साझेदार के आधे हिस्से के लिए अपनी मुक्ति की आधी क़ीमत के लिए कमा कर देने की कोशिश करेगी मगर बे हिसाब मरणोपरांत मुक्त होने के और इस आदेश में सहमति है फिर अगर कमा कर देने की कोशिश वसूलने से पहले दूसरा भी मर गया तो कमा कर देने की कोशिश अमान्य हुई और बान्दी

दोनों में से कोई नहीं मरा यहाँ तक कि इस के दूसरा बच्चा पैदा हुआ और इस के नसब का दावा दूसरे शरीक ने किया तो इस्तहसानन साबित होगा और वो बच्चे की क़ीमत अपने शरीक को तावान न देगा यह क़ौल इमाम आज़म रह० का है इस वजह से कि यह शरीक की उम्मे वल्द का बच्चा है और इमाम आज़म रह० के नज़दीक उम्मे वल्द के बच्चे की कुछ क़ीमत नहीं होती है मगर बान्दी के निस्फ़ अक़र का ज़ामिन होगा और अगर शरीक अव्वल है तूने इस बच्चे के नसब का भी दावा किया तो इस की निस्फ़ क़ीमत का बे हिसाब मुदब्बर होने के ज़ामिन होगा और इस पर दूसरी वती की बाबत निस्फ़ अक़र दीगर वाजिब होगा यह मुहीत सुरखी में है। एक मुदब्बरह दो शख़्सों में मुशतरिक है इस के बच्चे पैदा हुआ और दोनों ने इस के नसब का साथ है दावा किया तो दोनों से इस का नसब साबित होगा और यह बान्दी दोनों की उम्मे वल्द हो जायेगी और मुदब्बर होगा बातिल हो जायेगा यह बदाऐ में है। एक मर्द ने अपना वसियत नामा पाया है इस से वारिसों ने इन्कार किया तो ग़ुलाम मज़कूर ममलूक रहेगा इस वास्ते कि वारिसों ने इस के आज़ाद करने से इन्कार किया और अगर ग़ुलाम ने दावा किया कि यह वारिस लोग जानते हैं तो वारिसों से इन के इल्म पर क़सम ले कर उन्हीं का क़ौल क़बूल किया जायेगा यह फ़तावा कुबरा में है।

उक़्र = वह रक़म आदि जो बीवी के सिवा ग़ैर औरत के साथ संभोग करने से अनिवार्य हो
वती = औरत से संभोग सेक्स करना

अगर किसी ने जो इस की बान्दी के पेट में है मुदब्बर किया तो जाइज़ है पस अगर इस के बाद वो छः महीने से कम में बच्चा जनी तो बच्चा मुदब्बर होगा और अगर इस से ज़्यादा में जनी तो मुदब्बर न होगा यह ज़हीरिया में है।

पूरी आज़ाद हो जायेगी बशर्ते कि इस के माल की तिहाई से इस का हिस्सा आधा बरआमद होता हो यह इमाम आज़म रह० का अनुमान है और अगर साझेदार ग़ैर दावेदार (1) पहले मरा तो इस के तिहाई माल से इस का हिस्सा आज़ाद होगा और इमाम आज़म रह० के कथन में साझी दावेदार के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश न करेगी यह बदाऐ में है। और अगर दोनों में से कोई नहीं मरा यहाँ तक कि इस के दूसरा बच्चा पैदा हुआ और इस के वंश का दावा दूसरे साझेदार ने किया तो उपकार साबित होगा और वह बच्चे की क़ीमत अपने साझी को क्षतिपूर्ति न देगा यह कथन इमाम आज़म रह० का है इस वजह से कि यह साझेदार की उम्मे वल्द का बच्चा है और इमाम आज़म रह० के निकट उम्मे वल्द के बच्चे की कुछ क़ीमत नहीं होती है मगर बान्दी के आधे उक़्र का गारंटर होगा और अगर साझेदार पहला है तो व्यवहार से इस बच्चे के वंश का भी दआवा किया तो इस की आधी क़ीमत का बे हिसाब मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त होने के ज़मानती होगा और इस पर दूसरे संभोग की लिए आधा उक़्र अनिवार्य होगा यह मुहीत सुरखी में है। एक मरणोपरांत मुक्त दो व्यक्तियों में साझा है इस के बच्चे पैदा हुआ और दोनों ने उस के वंश का है दावा किया तो दोनों से उस का वंश साबित होगा और यह बान्दी दोनों की उम्मे वल्द हो जायेगी और मरणोपरांत मुक्त होना अमान्य हो जायेगा यह बदाऐ में है एक मर्द ने अपने वसियत नामा पाया गया है इस से वारिसों ने इन्कार किया तो वर्णित ग़ुलाम, ग़ुलाम रहेगा इस लिए कि वारिसों ने इस के आज़ाद करने से इन्कार किया और अगर ग़ुलाम ने दावा किया कि यह वारिस लोग जानते हैं तो वारिसों से इन के ज्ञान पर क़सम ले कर उन्हीं का कथन स्वीकार किया जायेगा यह फ़तावा कुबरा में है।

अगर किसी ने जो इस की बान्दी के पेट में है मरणोपरांत मुक्त किया तो जाइज़ है बस अगर इस के बाद वह छः महीने से कम में बच्चा जनी तो बच्चा मरणोपरांत मुक्त होना और अगर इस से ज़्यादा में जनी तो मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त न होगा यह ज़हीरिया में है।

(1)जिस ने बच्चे के नसब का दावा नहीं किया है।

अगर वो जो इस की बान्दी के पेट में है मुदब्बर किया तो जब तक वज़अ हमल न हो इस को फ़रोख़्त (यानी ऐसे तसर्रुफ़ात नहीं कर सकता है।) न करेगा और हिबा न करेगा और महर क़रार नहीं देगा। यह मुहीत सुरखी में है। अगर ऐसी बान्दी दो बच्चे जनी एक छः से कम में और दूसरा छः महीने से एक (२) रोज़ ज़ायद में तो यह दोनों मुदब्बर होंगी। नया बैअ में है।

सआयत = वे कार्य/कमाने कर क़ीमत देने की कोशिश जो ग़ुलाम या बांदी अपनी रिहाई/मुक्ति के लिए करे

अगर माँ ने बदले किताबत अदा न किया यहाँ तक कि मौला मर गया तो बच्चा बसबब मुदब्बर होने के आज़ाद हो जायेगा और इस की माँ अपने हाल पर मकातबा रहेगी :

अगर किसी ने जो इस की बान्दी के पेट में है मुदब्बर किया फिर इस बान्दी को मकातब कर दिया तो जाइज़ है पस अगर इस के बाद छः महीने से कम में बच्चा जनी तो वो मुदब्बर होगा कि मौला की तरफ़ से बिल क़सद मुदब्बर किया हुआ है और अपनी माँ की तरफ़ से बिल क़ैअ वो भी दाख़िल किताबत होगा पस अगर इस की माँ ने बदल किताबत मौला को अदा कर दिया तो दोनों बहुक्मे किताबत आज़ाद हो जाऐंगे और अगर माँ ने बदल किताबत अदा न किया यहाँ तक कि मौला मर गया तो बच्चा बसबब मुदब्बर होने के आज़ाद हो जायेगा और इस की माँ अपने हाल पर मकातबा रहेगी और अगर मौला नहीं मरा बल्कि इस की माँ मर गई तो बच्चा अपनी माँ की क़िस्तों (३) पर माल सआयत अदा करता रहेगा और अगर इस के बाद मौला मर गया और यह बच्चा इस के

(२)इस में एक यौम की क़ैद इत्तफ़ाक़ी है और मुराद यह है कि मुद्दते हमल छे माह कमतर से भी कम में जनी जिस से मालूम हो गया कियह दोनों बच्चाएक ही हमल से तवाम हैं और वो छे माह से कम है अगरचे एक ही रोज़ की कमी हो।

(३)क़िस्तों पर यानी जिस मीआद से इस की माँ की बतन ठहरी थीं।

अगर वह जो इस की बान्दी के पेट में है मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त किया तो जब तक बच्चा पैदा न हो इस को न बेचेगा (यानी ऐसे खर्च नहीं कर सकता है।) और न उपहार में देगा और महर क़रार नहीं देगा। यह मुहीत सुरखी में है। अगर ऐसी बान्दी दो बच्चे जनी एक छः से कम में और दूसरा छः महीने से एक(२)दिन ज़्यादा है तो यह दोनों मरणोपरांत मुक्त होंगे। यह नया बैअ में है।

मकातब/किताबत = तय क़ीमत देकर मुक्ति प्राप्त करना, जिस ग़ुलाम को इस के मालिक ने सुविधा दी हो कि वह तैय रक़म देकर आज़ाद हो जाए।

अगर माँ ने मुक्ति की तैय क़ीमत न दी यहाँ तक कि मालिक मर गया तो बच्चा मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त होने के कारण आज़ाद हो जायेगा और इस की माँ वैसे ही मकातबा/तैय क़ीमत देकर मुक्ति पाने वाली रहेगी :

अगर किसी ने जो इस की बान्दी के पेट में है मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त किया फिर इस बान्दी को मुक्ति के लिए क़ीमत देकर मुक्त होने का कह दिया तो जाइज़ है बस अगर इस के बाद छः महीने से कम में बच्चा जनी तो वह मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त होगा कि मालिक की तरफ़ से निश्चित ही मरणोपरांत मुक्त किया हुआ है और अपनी माँ की तरफ़ से ऐलानया वह भी किताबत होगा बस अगर उस की माँ ने किताबत के बदल मालिक को तय क़ीमत दे दी तो दोनों किताबत के नियमानुसार मुक्त हो जाऐंगे और अगर माँ ने किताबत का बदल यानी मुक्ति के लिए तय क़ीमत न दी यहाँ तक कि मालिक मर गया तो बच्चा मरणोपरांत मुक्त होने के कारण आज़ाद हो जायेगा और इस की माँ वैसे ही मकातबा रहेगी और अगर मालिक नहीं मरा बल्कि इस की माँ मर गई तो बच्चा अपनी माँ की क़िस्तों (३) पर

(२)इस में एक दिन की संयोग से क़ैद है और तात्पर्य यह है कि गर्भावस्था छे माह कम से भी कम में जन्मी जिस से मालूम हो गया कियह दोनों बच्चे एक ही गर्भ से जुड़वां हैं और वह छे माह से कम है चाहे एक ही दिन की कमी हो।

(३)क़िस्तों पर यानी जिस समय से इस की माँ के गर्भ ठहरा था।

तिहाई माल से बरआमद न होता हो तो जिस क़द्र इस के तिहाई माल से निकलता हो इस क़द्र बवजह मुदब्बर होने आज़ाद हो जायेगा और अपने बाक़ी रक़बा के वास्ते इस पर सआयत लाज़िम होगी। बजहत मुदब्बर होने के फिर इस के बाद इस को इख़्तयार दिया जायेगा चाहे किताबत को इख़्तयार करे और इस को पूरा करे और चाहे मुदब्बर होने की जहत से सआयत को पूरा करे अगरचे बदल किताबत .ज्यादा हो और यह इमाम आज़म रह० का क़ौल है और अगर एक बान्दी दो शख़्सों में मुशतरिक हो और जो इस के पेट में है इस को एक ने मुदब्बर किया तो जाइज़ है पस अगर इस के बाद छः महीने से कम में वो बच्चा जनी तो इस मुदब्बर कुनिन्दा का हिस्सा मुदब्बर होगा यह इमाम आज़म रह० के नज़दीक है यानी मुदब्बर कुनिन्दा ही का फ़क़त हिस्सा मुदब्बर हुआ इमाम आज़म रह० का क़ौल है और शरीक साकित को अपने हिस्से की बाबत पांच इख़्तयारात हासिल होंगे बशर्तेकि मुदब्बर कुनिन्दा मालदार (4) हो और अगर छः महीने या .ज्यादा (5) में बच्चा हुआ तो इस का हिस्सा मुदब्बर न होगा। एक बान्दी दो शख़्सों में मुशतरिक है एक ने कहा कि जो तेरे पेट में है वो मेरी मौत के बाद आज़ाद है और दूसरे ने बान्दी से कहा कि तू मेरी मौत के बाद आज़ाद है फिर इस गुफ़्तुगू के बाद छः महीने से कम में बच्चा जनी तो पूरा बच्चा इन दोनों में मुशतरिक मुदब्बर हो जायेगा और इस की बाबत दोनों में से कोई दूसरे के लिए ज़ामिन नहीं हो सकता है और रही बान्दी तो जिस ने बान्दी को मुदब्बर नहीं किया है उस को इमाम आज़म रह० के नज़दीक बान्दी की बाबत पांच क़िस्म के इख़्तयारात हासिल होंगे बशर्तेकि मुदब्बर कुनिन्दा मालदार हो और अगर इस गुफ़्तुगू से छः महीने से .ज्यादा में जनी तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक जिस ने बान्दी को मुदब्बर किया है उस का निस्फ़ हिस्सा बान्दी मुदब्बर हो गया और इस की तबइयत में निस्फ़ बच्चा भी मुदब्बर हो

(4) वरना चार तरह के इख़्तयारात हासिल होंगे चुनांचे साबिक़ में गुज़रे।
(5) क़ाल फ़िल अक़बल दान जारत लअक्सरत मिनशतहु अशहर इलख़ा इस इबारत में समझने वाले केऐतमाद पर सहूलत फ़रमाई क्यों .ज्यादा होना ज़रूरी इन्हसार नहीं है बल्कि अगर कम न हो बल्कि पूरे छे माह हों तो भी यही हुक्म है।

माल कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करता रहेगा और अगर इस के बाद मालिक मर गया और यह बच्चा इस के तिहाई माल से प्राप्त न होता हो तो जितना इस के तिहाई माल से निकलता हो इतना मरणोपरांत मुक्त होने कारण मुक्त हो जायेगा और अपने बाक़ी ग़ुलाम के लिए इस पर कमा कर देने की कोशिश अनिवार्य होगी। मरणोपरांत मुक्त होने के कारण फिर इस के बाद इस को अधिकार दिया जायेगा चाहे क़ीमत देकर मुक्ति को प्राप्त करे और और चाहे मरणोपरांत मुक्त होने के कारण से कमा कर क़ीमत देने की कोशिश को पूरा करे चाहे मुक्ति की क़ीमत .ज्यादा हो, यह इमामे आज़म रह० का कथन है और अगर एक बान्दी दो व्यक्तियों में साझा हो और जो इस के पेट में है इस को एक ने मरणोपरांत मुक्त किया तो जाइज़ है बस अगर इस के बाद छः महीने से कम में वह बच्चा जनी तो इस मरणोपरांत मुक्त करने वाले का हिस्सा मरणोपरांत मुक्त होगा यह इमाम आज़म रह० के निकट है यानी मरणोपरांत मुक्त करने वाला का ही केवल हिस्सा मरणोपरांत मुक्त हुआ इमाम आज़म रह० का कथन है और निष्क्रिय साझेदार को अपने हिस्से के विषय में पांच अधिकार प्राप्त होंगे बशर्तेकि मरणोपरांत मुक्त करने वाला मालदार(4) हो और अगर छः महीने या .ज्यादा (5) में बच्चा हुआ तो इस का हिस्सा मरणोपरांत मुक्त न होगा। एक बान्दी दो व्यक्तियों में साझा है एक ने कहा कि जो तेरे पेट में है वह मेरी मौत के बाद आज़ाद है और दूसरे ने बान्दी से कहा कि तू मेरी मौत के बाद आज़ाद है फिर इस वार्ता के बाद छः महीने से कम में बच्चा जन्मी तो पूरा बच्चा इन दोनों में साझा मरणोपरांत मुक्त हो जायेगा और इस के विषय में दोनों में से कोई दूसरे के लिए गारंटर नहीं हो सकता है और रही बान्दी तो जिस ने बान्दी को मरणोपरांत मुक्त नहीं किया है उस को इमामे आज़म रह० के निकट बान्दी की विषय में पांच प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे बशर्ते कि

(4) वरना चार तरह के अधिकार प्राप्त होंगे इसलिए पूर्व में गुज़रे।
(5) क़ाल फ़िल अक़बल दान जारत लअक्सरत मिनशतहु अशहर इलख इस विषय में समझने वाले के भरोसे पर सुविधा दी क्यों कि .ज्यादा निर्भता होना ज़रूरी नहीं है बल्कि अगर कम न हो बल्कि पूरे छे माह हों तो भी यही आदेश है।

गया और दूसरे शरीक को इख़्तयारात हासिल हुए फिर अगर दूसरे शरीक साकित ने इस के बाद मुदब्बर कुनिन्दा से अपने हिस्से बान्दी का तावान लेना इख़्तयार किया तो मुदब्बर कुनिन्दा पर बच्चे की तरफ़ से कुछ तावान देना लाज़िम न होगा और अगर दूसरे शरीक साकित ने बान्दी से अपने हिस्से की बाबत सआयत लेनी चाही तो फिर वो बच्चा से सआयत नहीं करा सकता है अगरचे निस्फ़ बच्चा भी मुदब्बर हो गया है और वजह यह है कि बच्चा तबअन मुदब्बर हो गया है पस जैसे तदबीर में ताबअ हुआ है वैसे ही सआयत में भी अपनी माँ के ताबअ होगा यानी माँ की सआयत दही इस की सआयत होगी यह मुहीत में है और अगर एक बान्दी हामिला दो शरीकों में मुशतरिक हो पस एक ने जो इस के पेट में है मुदब्बर किया और दूसरे ने बान्दी को आज़ाद कर दिया तो मुदब्बर कुनिन्दा को आज़ाद कुनिन्दा से बान्दी की निस्फ़ क़ीमत तावान लेने का इख़्तयार है मगर मुदब्बर कुनिन्दा को हमल की बाबत तावान लेने का इख़्तयार नहीं है। यह नया बैअ में है।

ज़ी रहम महरम = ऐसा क़रीबी रिश्तेदार जो विरासत में भगीदार नहीं होता यह बेटीयों व पोतीयों की औलाद हैं।

नाबालिग आदमी का अपने ग़ुलाम को मुदब्बर करना नहीं सही है ख़्वाह फिलहाल मुदब्बर करदे ख़्वाह मुअल्लक़ बा बलूग ख़ुद चुनांचे अगर नाबालिग ने कहा कि जब मैं बालिग हूं तो तू मेरी मौत के बाद आज़ाद है तो नहीं सही है और इसी तरह मजनून व मअनूह ग़ालिब कि इन की तदबीर भी नहीं सही है और जो शख़्स नशे में हो उस का मुदब्बर करना सही है और इसी तरह जो शख़्स मजबूर किया गया और इस ने मुदब्बर किया तो सही है और मकातब ने अगर अपनी कमाई के ममलूक

मरणोपरांत मुक्त करने वाला मालदार हो और अगर इस वार्ता से छः महीने से ज़्यादा में जन्मी तो इमामे आज़म रह० के निकट जिस ने बांदी को मरणोपरांत मुक्त किया है उस का आधा हिस्सा बांदी में मरणोपरांत मुक्त हो गया और इसकी पैरवी में आधा बच्चा भी मरणोपरांत मुक्त हो गया और दूसरे साझेदार को अधिकार प्राप्त हुए फिर अगर दूसरे निष्क्रिय साझेदार ने इस के बाद मरणोपरांत मुक्त करने वाले से बांदी में अपने हिस्से की क्षतिपूर्ति ली तो मरणोपरांत मुक्त करने वाले पर बच्चे की ओर से कुछ क्षतिपूर्ति देना अनिवार्यन होगा और अगर दूसरे निष्क्रिय साझेदार ने बांदी से अपने हिस्से के विषय में कार्य करा कर क़ीमत लेनी चाही तो फिर वह बच्चे से क़ीमत के लिए कार्य कर राशी देने की कोशिश नहीं करा सकता है चाहे आधा बच्चा भी मरणोपरांत मुक्त हो गया है और वजह यह है कि बच्चा स्वभावतः मरणोपरांत मुक्त हो गया है बस जैसे मरणोपरांत मुक्ति में अनुयायी हुआ है वैसे ही कमा कर कीमत देने की कोशिश में भी अपनी माँ का अनुपालन करेगा यानी माँ की क़ीमत देने के लिए कार्य/कोशिश करने में इस को भी कमाने की कोशिश करनी होगी यह मुहीत में है और अगर एक बांदी गर्भवती दो साझेदारों में साझा हो बस एक ने जो इस के पेट में है मरणोपरांत मुक्त किया और दूसरे ने बान्दी को आज़ाद कर दिया तो मरणोपरांत मुक्त करने वाले को आज़ाद करने वाले से बांदी की आधी क़ीमत क्षतिपूर्ति लेने का अधिकार है मगर मरणोपरांत मुक्त करने वाले को गर्भ के विषय में क्षतिपूर्ति लेने का अधिकार नहीं है। यह नया बैअ में है।

नाबालिग आदमी का अपने ग़ुलाम को मरणोपरांत मुक्त करना सही नहीं है चाहे अभी मरणोपरांत मुक्त करदे चाहे अधर में परिपक्वता के साथ अगर नाबालिग ने कहा कि जब मैं बालिग हूं तो तू मेरी मौत के बाद मुक्त है तो सही नहीं है और इसी तरह आंशिक पगाल व दीवाने के द्वारा मरणोपरांत मुक्त करना भी सही नहीं है और जो व्यक्ति नशे में हो उसका मरणोपरांत मुक्त करना सही है और इसी तरह जो व्यक्ति मजबूर किया गया और इस ने मरणोपरांत मुक्त किया तो सही है और क़ीमत

को मुदब्बर किया तो नहीं सही है और इस तरह ग़ुलाम माज़ून उल तिजारत ने अगर मुदब्बर किया तो नहीं सही है यह मुहीत में है। अगर किसी ने अपने ग़ुलाम को मुदब्बर किया फिर इस की अक़्ल जाती रही तो तदबीर अपने हाल पर सही रहेगी बख़िलाफ़ इस के अगर ग़ुलाम के रक़बा की किसी के वास्ते वसियत कर दी फिर मजनूं हो गया फिर मर गया तो वसियत बातिल होगी यह ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन में है।

ज़ी रहम महरम ने अपने ग़ुलाम को मुदब्बर किया फिर ग़ुलाम, मुसलमान हो गया तो ब सआयत आज़ाद हो जायेगा और अगर सआयत से फ़ारिग होने से पहले मौला मर गया तो वो आज़ाद हो जायेगा और सआयत बातिल होगी और अगर मौला ने इस से इस की क़ीमत से ज़्यादा माल पर बदून हुक्म क़ाज़ी सुलह कर ली और ग़ुलाम आजिज़ आया तो बक़द्रे ज़्यादती के सुलह लोट जायेगी और बक़द्र अपनी क़ीमत के सआयत करेगा। हरबी हमारे मुल्क में अमान ले कर दाख़िल हुआ पस इस ने ग़ुलाम को मुदब्बर किया फिर हरबी दारूल हरब से क़ैद करके लाया गया तो मुदब्बर मज़कूर आज़ाद किया जायेगा और अगर दारूल हरब में मुदब्बर किया और हमारे यहाँ अमान ले कर दाख़िल हुआ फिर ग़ुलाम यहाँ मुसलमान हो गया तो हरबी मज़कूर इस के बैअ करने पर मजबूर किया जायेगा ग़ुलाम मुदब्बर मुरतद होकर दारूल हरब में चला गया फिर काफ़िरान हरबी इस को क़ैद कर ले गये फिर मुसलमानों ने इस को पकडा और ले आये और वो मुसलमान हो गया तो वो अपने मौलाऐ साबिक़ कर दिया जायेगा और मुदब्बर होगा यह मुहीत सुरखी में है। एक ने अपने ग़ुलाम से कहा कि तू आज़ाद है या मुदब्बर है तो उस को हुक्म दिया जायेगा कि बयान करे पस अगर उस ने कहा कि मैंने आज़ाद होने मुराद लिया है तो ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा और अगर कहा कि मुदब्बर होना मुराद लिया है तो मुदब्बर हो जायेगा और अगर क़ब्ल बयान के मर गया और सेहत में इस ने यह क़ौल कहा था तो निस्फ़ ग़ुलाम इस के तमाम माल से

देकर मुक्ति पाने वाले ने अगर अपनी कमाई के ग़ुलाम को मरणोपरांत मुक्त किया तो सही नहीं है और इस तरह व्यापार की आज्ञा प्राप्त ग़ुलाम ने अगर मरणोपरांत मुक्त किया तो सही नहीं है यह मुहीत में है। अगर किसी ने अपने ग़ुलाम को मरणोपरांत मुक्त किया फिर इस की बुद्धि जाती रही तो मरणोपरांत मुक्त अपने हाल पर सही रहेगी इस के विपरीत अगर ग़ुलाम के ग़ुलामी की किसी के लिए वसियत कर दी फिर पागल हो गया फिर मर गया तो वसियत अमान्य होगी यह ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन में है।

ज़ी रहम महरम ने अपने ग़ुलाम को मरणोपरांत मुक्त किया फिर ग़ुलाम, मुसलमान हो गया तो कोशिश से कमा कर क़ीमत देने से आज़ाद हो जायेगा और अगर कमा कर क़ीमत देन की कोशिश से निवृत होने से पहले मालिक मर गया तो वह आज़ाद हो जायेगा और कमा कर क़ीमत देन की कोशिश अमान्य होगी और अगर मालिक ने इस से इस की क़ीमत से ज़्यादा माल पर सिवा न्यायाधीश के आदेश से संधि कर ली और हताश ग़ुलाम आया तो जितनी ज़्यादती के कारण संधि लोट जायेगी और अपनी जितनी क़ीमत के कमा कर देने की कोशिश करेगा। हरबी/ग़ैर-मुस्लिम देश के नागरिक हमारे देश में सरंक्षण ले कर प्रवेश हुआ बस इस ने ग़ुलाम को मरणोपरांत मुक्त किया फिर हरबी दारूल हरब/ग़ैर-मुस्लिम शासित देश से क़ैद करके लाया गया तो वर्णित मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त आज़ाद किया जायेगा और अगर दारूल हरब/ग़ैर-मुस्लिम शासित देश में मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त किया और हमारे यहाँ सरंक्षण ले कर प्रवेश हुआ फिर ग़ुलाम यहाँ मुसलमान हो गया तो वर्णित हरबी/ग़ैर-मुस्लिम देश का नागरिक इस को बेचने करने पर मजबूर किया जायेगा। मरणोपरांत मुक्त ग़ुलाम मुरतद/धर्मभ्रष्ट होकर दारूल हरब में चला गया फिर अधर्मी हरबी इस को क़ैद कर ले गये फिर मुसलमानों ने इस को पकड़ा और ले आये और वह मुसलमान हो गया तो वह अपने पुराने मालिक के हवाले कर दिया जायेगा और मरणोपरांत मुक्त होगा यह मुहीत सुरखी में है। एक ने अपने ग़ुलाम से कहा कि तू मुक्त है या मरणोपरांत मुक्त है तो उस को

मुफ़्त आज़ाद हो जायेगा और निस्फ़ बवजह मुदब्बर होने के आज़ाद होगा अगर इस के मत्रुकाई माल से बरआमद हो और अगर इस के सिवाऐ इस का कुछ और माल न हो तो निस्फ़ मुफ़्त आज़ाद होगा और बाक़ी निस्फ़ की दो तिहाई के वास्ते सआयत करेगा यानी कुल की एक तिहाई के वास्ते सआयत करेगा और अगर दो ग़ुलाम हों और इस ने कहा कि तुम दोनों में से एक आज़ाद या मुदब्बर है और क़ब्ल बयान के मर गया और इन दोनों के सिवाए इस का कुछ माल नहीं है और यह क़ौल हालत सेहत में कहा है तो हर एक ग़ुलाम का चहारुम हिस्सा मुफ़्त तमाम माल से आज़ाद होगा और एक चहारुम बवजह तदबीर के तिहाई माल से आज़ाद होना और हर एक अपनी निस्फ़ क़ीमत के वास्ते हर हाल में सआयत करेगा और अगर इस ने दोनों से कहा कि तुम दोनों आज़ाद हो या मुदब्बर हो और बाक़ी सूरत वही हुई जो मज़कूर हुई है तो हर एक का निस्फ़ हिस्सा बवजह इतक़ क़तई के और निस्फ़ बवजह तदबीर के आज़ाद होगा और यह सब इस वक़्त है कि क़ौल मज़कूर इस ने सेहत में कहा हो और अगर मर्ज़ में कहा तो फ़क़त तिहाई माल से इस का ऐतबार किया जायेगा यह शरह तहावी में है।

सआयत=कोशिश यानी वह कार्य जो ग़ुलाम अपनी मुक्ति के लिए करे
सहम= वह भाग जो विभाजन में किसी को मिले
दारूल हरब = वह देश जहाँ इस्लामी शासन न हो और मुसलमानों को अपने धर्मानुसार कार्य करने की अनुमति नहीं होती

अगर अपनी सेहत में अपने ग़ुलाम और एक मुदब्बर से कहा कि तुम में से एक मुदब्बर और दूसरा आज़ाद है और इन दोनों के सिवाए इस का कुछ माल नहीं है और क़ब्ल बयान के मर गया तो जो महज ग़ुलाम है वो कुल माल से और मुदब्बर तिहाई माल से आज़ाद होंगे और अगर इस के बर अक्स यूं कहा कि तुम में से एक आज़ाद और दूसरा मुदब्बर है तो भी इमाम आज़म

आदेश दिया जायेगा कि बयान करे बस अगर उस ने कहा कि मैंने आज़ाद होगा तात्पर्य लिया है तो ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा और अगर कहा कि मरणोपरांत मुक्त होना मतलब लिया है तो मालिक के मरणोपरांत मुक्त हो जायेगा और अगर क़ब्ल बयान के मर गया और स्वस्थ हालत में इस ने यह कहा था तो आधा ग़ुलाम इस के तमाम माल से मुफ़्त आज़ाद हो जायेगा और आधा मरणोपरांत मुक्त होने के कारण आज़ाद होगा अगर इस के छोड़े हुए माल से बरआमद हो और अगर इस के सिवाऐ इस का कुछ और माल न हो तो आधा मुफ़्त आज़ाद होगा और बाक़ी आधे की दो तिहाई के लिए कोशिश करेगा यानी कुल की एक तिहाई के लिए कोशिश करेगा और अगर दो ग़ुलाम हों और इस ने कहा कि तुम दोनों में से एक आज़ाद या मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त है और बयान के पहले मर गया और इन दोनों के सिवाए इस का कुछ माल नहीं है और यह कथन स्वस्थ हालत में कहा है तो हर एक ग़ुलाम का चौथा हिस्सा मुफ़्त तमाम माल से आज़ाद होना और एक चौथाई मरणोपरांत मुक्त होने के कारण तिहाई माल से आज़ाद होगा और हर एक भाग अपनी आधी क़ीमत के लिए हर हाल में कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा और अगर इस ने दोनों से कहा कि तुम दोनों आज़ाद हो या मरणोपरांत मुक्त हो और बाक़ी स्थिति वही हुई जो वर्णित हुई है तो हर एक का आधा हिस्सा पूर्ण मुक्ति के कारण से और आधा मरणोपरांत मुक्त होने के कारण आज़ाद होगा और यह सब उस समय है कि वर्णित कथन इस ने स्वस्थ हालत में कहा हो और अगर रोग में कहा तो केवल तिहाई माल से इस को माना जायेगा यह शरह तहावी में है।

अगर अपनी स्वस्थ हालत में अपने ग़ुलाम और एक मरणोपरांत मुक्त से कहा कि तुम में से एक मुदब्बर /मरणोपरांत मुक्त और दूसरा आज़ाद है और इन दोनों के सिवाए इस का कुछ माल नहीं है और बयान के पहले मर गया तो जो केवल ग़ुलाम है वह कुल माल से और मरणोपरांत मुक्त तिहाई माल से आज़ाद होंगे और अगर इस के विपरीत यूं कहा कि तुम में से एक आज़ाद और

रह० के नज़दीक यही हुक्म है इस वास्ते कि यह ख़बर दुनिया है मुक़द्दम व मौख़र बयान में होना यक्सां है और इमाम मुहम्मद रह० के नज़दीक हर एक का निस्फ़ हिस्सा कुल माल से और बाक़ी निस्फ़ हिस्सा बवजह तदबीर के तिहाई माल से आज़ाद होगा और अगर कहा कि तुम में से एक आज़ाद है और दीगर तो मुदब्बर है यानी यूं कहा कि वल आख़िरूल मुदब्बर तवक़्क़ुन والآخر المدبر توقن (1)आज़ाद होगा और मुदब्बर बहाल ख़ुद मुदब्बर रहेगा और यह बिलइत्तफ़ाक़ है यह काफ़ी में है।

अगर यूं कहा कि तुम में से एक आज़ाद है और बाक़ी दोनों में से एक मुदब्बर है तो निस्फ़ इतक़ क़तई का मुस्तहक़ क़न (ग़ुलाम महज़) होगा :

अगर अपने दो मुदब्बर ग़ुलामौं सें कहा कि तुम में से एक आज़ाद है फिर इन दोनों मुदब्बरों में से एक बाहर निकल गया और एक मौजूद रहा और इस का एक तीसरा ग़ुलाम आया पस इस ने इस मुदब्बर मौजूद और इस ग़ुलाम से कहा कि तुम दोनों में से एक मुदब्बर है तो जो मुदब्बर बाहर निकल गया है वो इसी वक़्त से आज़ाद हो गया जिस वक़्त इस ने यह कहा था कि तुम में से एक आज़ाद है और जो इस के पास रह गया था वो वैसा ही मुदब्बर रहा जो ग़ुलाम दाख़िल हुआ था वो ग़ुलाम रहा इस में से कुछ आज़ाद न होगा और अगर अपनी सेहत में अपने दो मुदब्बरों और एक क़न से कहा कि तुम में से एक मुदब्बर है और दोनों बाक़ी में से एक आज़ाद है और क़ब्ल बयान के मर गया तो क़न में से निस्फ़ बतौर इतक़ क़तई आज़ाद होगा और बाक़ी निस्फ़ के वास्ते सआयत करेगा और निस्फ़ इतक़ दोनों मुदब्बर में शरीक होना पस हर मुदब्बर में से चहारूम हिस्सा बसबब इतक़ क़तई के कुल माल से आज़ाद होगा और

(1) क़न यानी ग़ुलाम महज़ और मुदब्बर जिस के वास्ते बाद मौत के या किसी वक़्त पर आज़ादी का कथन कहा हो।

दूसरा मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त है तो भी इमाम आज़म रह० के निकट यही आदेश है इस लिए कि यह आम सूचना है पहले व आख़िरी बयान में होना बराबर है और इमाम मुहम्मद रह० के निकट हर एक का आधा हिस्सा कुल माल से और बाक़ी आधा हिस्सा मरणोपरांत मुक्त होने के कारण के तिहाई माल से आज़ाद होगा और अगर कहा कि तुम में से एक आज़ाद है और दूसरा मरणोपरांत मुक्त है यानी यूं कहा कि वल आख़िरूल मुदब्बर तवक़्क़ुन (1)आज़ाद होना और मुदब्बर /मरणोपरांत मुक्त बहाल ख़ुद मरणोपरांत मुक्त रहेगा और यह सर्वसम्मति है यह काफ़ी में है।

अगर यूं कहा कि तुम में से एक आज़ाद है और बाक़ी दोनों में से एक मरणोपरांत मुक्त है तो आधी मुक्ति नितांत का हक़ रखने वाला (केवल ग़ुलाम) होगा :

अगर अपने दो मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त ग़ुलामों सें कहा कि तुम में से एक आज़ाद है फिर इन दोनों मरणोपरांत मुक्त ग़ुलामों में से एक बाहर निकल गया और एक मौजूद रहा और इस का एक तीसरा ग़ुलाम आया बस इस ने इस मरणोपरांत मुक्त और मौजूद और इस ग़ुलाम से कहा कि तुम दोनों में से एक मुदब्बर/ मरणोपरांत मुक्त है तो जो मरणोपरांत मुक्त बाहर निकल गया है वह इसी समय से आज़ाद हो गया जिस समय इस ने यह कहा था कि तुम में से एक आज़ाद है और जो इस के पास रह गया था वह वैसा ही मरणोपरांत मुक्त रहा जो ग़ुलाम प्रवेश हुआ था वह ग़ुलाम रहा इस में से कुछ आज़ाद न होगा और अगर अपनी स्वस्थ हालत में अपने दो मरणोपरांत मुक्त ग़ुलामों और एक केवल ग़ुलाम से कहा कि तुम में से एक मरणोपरांत मुक्त है और दोनों बाक़ी में से एक आज़ाद है और बयान के पहले मर गया तो केवल ग़ुलाम में से आधा पूर्ण मुक्त के तौर पर आज़ाद होगा और बाक़ी आधे के लिए कमा कर

(1) क़न यानी केवल ग़ुलाम और मरणोपरांत मुक्त जिस के लिए मौत के बाद या किसी समय पर आज़ादी का कथन कहा हो।

तीन चौथाई बवजह तदबीर के तिहाई माल से आज़ाद होगा और इस तरह अगर बरअक्स यूं कहा कि तुम में से एक आज़ाद है और बाक़ी दोनों में से एक मुदब्बर है तो निस्फ़ इतक़ क़तई का मुस्तहिक़ क़न होगा और निस्फ़ इतक़ दोनों मुदब्बरों के दरमियान हर एक के वास्ते चहारूम चहारूम होगा और यह ज़ियादात की रिवायत है और इमाम क़ाज़ी खान ने फ़रमाया कि जो ज़ियादात में मज़कूर जैस वही सही है यह शरह तलखीस जामअ कबीर में है।

तदबीर का शरई अर्थ यह है कि मालिक अपने ग़ुलाम की आज़ादी को अपनी मृत्यु के साथ संबंधित करदे।

अगर तीनों से कहा कि तुम में से एक मुदब्बर है और दोनों बाक़ी आज़ाद हैं तो क़न कुल आज़ाद हो जायेगा और हर दो मुदब्बर में से निस्फ़ बइतक़ क़तई आज़ाद होगा और अगर इतक़ को मुक़द्दम करके यूं कहा कि तुम में से एक आज़ाद और दोनों बाक़ी मुदब्बर हैं तो हर एक का तिहाई इस ऐताक़ से आज़ाद होगा और अगर इस ने एक मुदब्बर और दो क़न से कहा कि तुम में से एक मुदब्बर है और दोनों बाक़ी आज़ाद हैं। तो दोनों क़न माल से आज़ाद होंगे और पहला जुमला खबरिया क़रार दिया जायेगा। अगर अगर कहा कि तुम में एक आज़ाद है और बाक़ी दोनों मुदब्बर हैं तो हर एक की तिहाई बसबब ऐताक़ के आज़ाद हो जायेगी और हर एक की दो तिहाई बसबब तदबीर के तिहाई माल से आज़ाद होगी और इसी तरह अगर सब महज़ ग़ुलाम हों और इसने कहा कि तुम में से एक आज़ाद है और दोनों बाक़ी मुदबीर हैं तो भी हर एक का तिहाई हिस्सा कुल माल से बसबब ऐताक़ के आज़ाद हो जायेगा और बाक़ी दो तिहाई हिस्सा तिहाई माल से बसबब तदबीर के आज़ाद होगा और अगर बरअक्स यूं कहा कि तुम में से एक मुदब्बर है और बाक़ी दोनों आज़ाद हैं तो हर एक की दो तिहाई कुल माल से आज़ाद होगी और बाक़ी तिहाई माल से बसबब माल से बसबब तदबीर के आज़ाद

(1) तुम में से एक मुदब्बर और जुमला ए इनशाईय्या क़रार दिया जायेगा।

देने की कोशिश करेगा और आधी मुक्ति दोनो मरणोपरांत मुक्तों में साझा होगी बस हर मरणोपरांत मुक्त में से चौथा हिस्सा नितांत मुक्ति के कारण के कुल माल से मुक्त होगा और तीन चौथाई मरणोपरांत मुक्ति के कारण तिहाई माल से आज़ाद होगा और इस तरह अगर इसके विपरीत यूं कहा कि तुम में से एक आज़ाद है और बाक़ी दोनों में से एक मरणोपरांत मुक्त है तो आधा नितांत मुक्त का हक़दार केवल ग़ुलाम होगा और आधी मुक्ति दोनों मरणोपरांत मुक्तों के बीच हर एक के लिए चौथाई चौथाई होगी और यह ज़ियादात की परंपरा है और इमाम क़ाज़ी खान ने फ़रमाया कि जो ज़ियादात में वर्णित हैं वही सही है यह शरह तलखीस जामअ कबीर में है।

अगर तीनों से कहा कि तुम में से एक मरणोपरांत मुक्त है और दोनों बाक़ी आज़ाद हैं तो केवल ग़ुलाम पूर्ण आज़ाद हो जायेगा और वह दो मरणोपरांत मुक्त में से आधी नितांत मुक्ति आज़ाद होगा और अगर मुक्ति को पहले करके यूं कहा कि तुम में से एक आज़ाद और दोनों बाक़ी मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त हैं तो हर एक का तिहाई इस मुक्ति से आज़ाद होगा और अगर इस ने एक मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त और दो केवल ग़ुलामों से कहा कि तुम में से एक मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त है और दोनों बाक़ी आज़ाद हैं। तो दोनों केवल ग़ुलाम माल से आज़ाद होंगे और पहला कथन सूचक(1) क़रार दिया जायेगा। अगर कहा कि तुम में एक आज़ाद है और बाक़ी दोनों मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त हैं तो हर एक की तिहाई मुक्ति के कारण आज़ाद हो जायेगा और हर एक की दो तिहाई मरणोपरांत मुक्ति के कारण तिहाई माल से आज़ाद होगा और इसी तरह अगर सब केवल ग़ुलाम हों और इसने कहा कि तुम में से एक आज़ाद है और दोनों बाक़ी मरणोपरांत मुक्त हैं तो भी हर एक का तिहाई हिस्सा कुल माल से मुक्ति के कारण आज़ाद हो जायेगा और बाक़ी दो तिहाई हिस्सा तिहाई माल से मरणोपरांत मुक्त होने के कारण आज़ाद होगा और अगर इसके उलट यूं कहा कि तुम में से एक मरणोपरांत मुक्त है और बाक़ी

(1) तुम में से एक मरणोपरांत मुक्त और बयान के सिवा क़रार दिया जायेगा।

होगी यह काफ़ी में है।

अगर इस ने तीन गुलामों से जिन में से एक मुदब्बर है कहा कि तुम में से दो आज़ाद हैं या दो मुदब्बर हैं और क़ब्ल बयान के मर गया और यह क़ौल इसने हालते सहत में कहा है तो हर एक में से एक तिहाई हिस्सा बसबब ईजाब क़तई के आज़ाद होगा और मुदब्बर में से दो तिहाई हिस्सा जैसा मुदब्बर रक़बा बरआमद हो तो मुदब्बर मअरूफ़ पूरा आज़ाद हो जायेगा और हर दो गुलाम में से हर एक के तीन छटे हिस्से और निस्फ़ छटा हिस्सा आज़ाद होगा यानी एक तिहाई बसब इतक़ क़तई के और एक चहारूम बसबब मुदब्बर होने के क़ालल मुतरजम यानी बारह हिस्से और निस्फ़ छटा हिस्सा आज़ाद होगा यानी एक तिहाई बसबब इतक़ क़तई के और एक चहारूम बसबब मुदब्बर होने के क़ालल मुतरजम यानी बारह हिस्सों में से सात हिस्से आज़ाद होंगे और अगर इस का कुछ और माल न हो तो इस का तिहाई माल इन गुलामों पर बेहिसाब इन के सहाम के तक़सीम होगा और मुदब्बर मअरूफ़ का हक़ दो तिहाई है और हर दो गुलाम का हक़ निस्फ़ है और कम से कम ऐसा अदद जिस का निस्फ़ व साबित निकलता हैं (6) है और मुदब्बर मअरूफ़ का हक़ (4) और हर दो गुलाम का हक़ (3) है पस सहाम वसियत का मुबलिग सात हुआ यह तिहाई माल रखा गया पस कुल माल के (21) सहाम हुए पस हर गुलाम की दो तिहाई (7) हुए इस वास्ते कि इतक़ क़तई की मनहाई के बाद हर गुलाम में दो तिहाई रही है और जब दो तिहाई सात हुई तो कुल गुलाम के साढे दस हुए पस कसर वाक़े हुई लिहाज़ा हमने दो चन्द कर दिया तो हर गुलाम में के (21) सहाम हुए। अब हम कहते हैं कि मुदब्बर मअरूफ़ में से बसबब इतक़ क़तई के एक तिहाई यानी सात सहाम आज़ाद हुए और बसबब तदबीर के बाद दो चन्द करेंगे इस में (8) सहाम आज़ाद हुए पस वो (6) सहाम के वास्ते सआयत करेगा यानी (15) सहाम मजमूआ आज़ाद हुए और बाक़ी (21) में से (6) रहे जिन के वास्ते सआयत करेगा और हर एक

दोनों आज़ाद हैं तो हर एक की दो तिहाई कुल माल से मुक्त होगी और बाक़ी तिहाई माल के कारण माल से मरणोपरांत मुक्ति के कारण मुक्त होगी यह काफ़ी में है।

अगर इस ने तीन गुलामों से जिन में से एक मरणोपरांत मुक्त है कहा कि तुम में से दो मुक्त हैं या दो मरणोपरांत मुक्त हैं और बयान के पहले मर गया और यह कथन इसने स्वस्थ हालत में कहा है तो हर एक में से एक तिहाई हिस्सा निरे स्वीकार के कारण आज़ाद होगा, और मरणोपरांत मुक्त है वैसा ही रहेगा और हर दोनों गुलामों में से चौथाई हिस्सा मरणोपरांत मुक्त हो जाएगा बस अगर उसका कुछ माल हो जिस की तिहाई में से एक ग़ुलाम और ग़ुलाम छटा हिस्से में प्राप्त हो तो मुदब्बर मअरूफ़/मरणोपरांत मुक्त पूरा आज़ाद हो जायेगा और दोनों ग़ुलामों में से हर एक के तीन छटे हिस्से और आधा छटा हिस्सा आज़ाद होगा यानी एक तिहाई नितांत मुक्ति के कारण और एक चौथाई मरणोपरांत मुक्त होने के कारण, अनुवादक के कथनानुसार यानी बारह हिस्से और आधा छटा हिस्सा आज़ाद होगा यानी एक तिहाई नितांत मुक्ति के कारण और एक चौथाई मरणोपरांत मुक्त होगे के कारण, अनुवादक के कथनानुसार यानी बारह हिस्सों में से सात हिस्से मुक्त होंगे और अगर इस का कुछ और माल न हो तो इस का तिहाई माल इन गुलामों पर बे हिसाब इन के हिस्से के विभाजित होंगे और मुदब्बर मअरूफ़/मरणोपरांत मुक्त का हक़ दो तिहाई है और दोनों ग़ुलामों का हक़ आधा है और कम से कम ऐसी संख्या जिस का आधा व पूरा निकलता है (6) है और मुदब्बर मअरूफ़/मरणोपरांत मुक्त का हक़ (4) और दोनों गुलामों का हक़ (3) है बस वसियत के हिस्से का योग सात हुआ यह तिहाई माल रखा गया बस कुल माल के (21) भाग हुए बस हर ग़ुलाम की दो तिहाई (7) हुए इस लिए कि नितांत मुक्ति की जोड़ घटा के बाद हर ग़ुलाम में दो तिहाई रही है और जब दो तिहाई सात हुई तो कुल ग़ुलाम के साढ़े दस हुए बस दोष स्थापित हुआ लिहाज़ा हमने दो गुना कर दिया तो हर ग़ुलाम में के (21) हिस्से हुए। अब हम कहते हैं कि मुदब्बर मअरूफ़/मरणोपरांत मुक्त में से नितांत मुक्ति के कारण

ग़ुलाम में से बसबब इतक़ क़तई के तिहाई यानी सात सहाम आज़ाद हुए और बसबब तदबीर के बाद निस्फ़ के हर एक से (3) सहाम आज़ाद हुए पस जुमला (10) सहाम निकाल कर बाक़ी (11) सहाम के वास्ते हर एक सआयत करेगा। पस जुमला सहाम वसियत (14) हुए और सहाम सआयत (28) हुए पस तख़्रीज ठीक हुई और अगर मौला क़ब्ल बयान के मर गया फिर ग़ुलामों में से एक मर गया तो देखा जाये कि अगर मुदब्बर मअरूफ़ मर गया तो वो अपनी वसियत का आठवां हिस्सा पूरा ले लेने वाला हो गया और छः हिस्से जो इस पर सआयत के थे वो तलफ़ हो गये और यह डूब जाना वारिसों की हक़ तलफ़ी और जो मौसी लहू हैं इन की हक़ तलफ़ी मुशतरिक हुई और यह इस तरह होगा कि बाक़ी इन सहामों पर तक़सीम हो जो डूब जाने से पहले थे चुनांचे हम कहते हैं कि वारिसों का हक़ (28) सहाम था और हर दो ग़ुलाम बाक़ी का हक़ (6) सहाम कि जुमला (34) सहाम हुए पस हर दो ग़ुलाम बाक़ी में से हर एक की दो तिहाई (17) हुए जिस में से हर एक में से बसबब तदबीर के (3) सहाम आज़ाद हुए और बाक़ी (14) सहाम के वास्ते सआयत करेगा और मुदब्बर मअरूफ़ अपना हक़ पूरा ले चुका हैं यानी सहाम वसियत के (8) सहाम पस जुमला सहाम वसियत (14) हुए और सहाम सआयत (28) हुए और तिहाई दो तिहाई ठीक हो गई पस तखरीज मुस्तक़ीम हैं और मुदब्बर मअरूफ़ नहीं मरा बल्कि हर दो ग़ुलाम में से कोई मर गया तो वो अपनी वसियत के (3) सहाम पूरे ले गया और जो इस पर सआयत थी वो डूब गई और यह नुक़सान वारिसों दोनों बाक़ियों पर मुशतरिक होगा चुनांचे बाक़ी हक़ दार वारिसान (28) और हक़ मुदब्बर मअरूफ़ (8) और हक़ ग़ुलाम बाक़ी (3) पर तक़सीम होगा पस जुमला सहाम (29) हुए पस दो सलासा हर एक ग़ुलाम बाक़ी और मुदब्बर व क़न साढे उन्नीस हुए अज़ जुमला मुदब्बर के (8) सहाम निकल गये और बाक़ी साढे ग्यारह सहाम के वास्ते सआयत करेगा और ग़ुलाम जीवित के (3) सहाम निकल गये और बाक़ी साढे सौला सहाम के लिए सआयत करेगा और ग़ुलाम मय्यत अपने (3) सहाम

एक तिहाई यानी सात हिस्से आज़ाद हुए और मरणोपरांत मुक्ति के कारण दो गुना करेंगे इस में (8) हिस्से आज़ाद हुए बस वह (6) हिस्सों के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा यानी (15) हिस्से कुल आज़ाद हुए और बाक़ी (21) में से (6) रहे जिन के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा और हर एक ग़ुलाम में से अन्ततः मुक्ति के कारण तिहाई यानी सात हिस्से आज़ाद हुए और मरणोपरांत मुक्ति के कारण आधा के बाद हर एक से (3) हिस्से आज़ाद हुए बस तमाम (10) हिस्से निकाल कर बाक़ी (11) हिस्से के लिए हर एक कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा। बस सम्पूर्ण वसियत के हिस्से (14) हुए और कमा कर क़ीमत देने की कोशिश के हिस्से (28) हुए बस घटाना ठीक हुआ और अगर मालिक बयान के पहले मर गया फिर ग़ुलामों में से एक मर गया तो देखा जाये कि अगर मुदब्बर मअरूफ़/मरणोपरांत मुक्त मर गया तो वह अपनी वसियत का आठवां हिस्सा पूरा ले लेने वाला हो गया और छः हिस्से जो इस पर कमा कर क़ीमत देने की कोशिश के थे वह नष्ट हो गये और यह डूब जाना वारिसों का हक़ मारना और जो उत्तराधिकारी हैं उन का हक़ मारना साझा हुआ और यह इस तरह होगा कि बाक़ी इन हिस्सों पर विभाजित हो, जो डूब जाने से पहले थे चुनांचे हम कहते हैं कि वारिसों का हक़ (28) कमा कर क़ीमत देने की कोशिश था और हर दो ग़ुलाम बाक़ी का हक़ (6) हिस्से कि कुल (34) हिस्से हुए बस हर दो ग़ुलाम बाक़ी में से हर एक की दो तिहाई (17) हुए जिस में से हर एक में से मरणोपरांत मुक्ति के कारण (3) हिस्से आज़ाद हुए और बाक़ी (14) हिस्से के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा और मरणोपरांत मुक्त मअरूफ़ अपना हक़ पूरा ले चुका है यानी हिस्से वसियत के (8) हिस्से बस सारे हिस्से वसियत (14) हुए और हिस्से कमा कर क़ीमत देने की कोशिश के (28) हुए और तिहाई दो तिहाई ठीक हो गई बस निष्कर्ष स्पष्ट हैं और मुदब्बर मअरूफ़/मरणोपरांत मुक्त नही मरा बल्कि दोनो ग़ुलामों में से कोई मर गया तो वह अपनी वसियत के (3) हिस्से पूरे ले गया और जो इस पर कमा कर क़ीमत देने की कोशिश थी वह डूब गई

वसियत ले गया है लिहाज़ा मुबल्लिग सहाम वसियत (14) हुए और मुबल्ग़ि सआयत (28) हुए पस तखरीज मुस्तक़ीम हुई और अगर हर दो ग़ुलाम मर गये और मुदब्बर रहेगा दोनों अपने सहाम वसियत पूरे (2) सहाम ले गये और दोनों पर जो सहाम सआयत थे डूब गये पस यह हक़ तलफ़ी कुल पर हो गई पस बाक़ी सहाम वारिसान (28) और हक़ मुदब्बर (8) पर तक़सीम होंगे पस जुमला सहाम (26) हुए पस दो सुल्स रक़बा मुदब्बर (32) रहे अज़ अंजुमला (8) सहाम वसियत मुदब्बर आज़ाद हुए और बाक़ी (38) सहाम के वास्ते सआयत करेगा और चूंकि हर दो ग़ुलाम मुर्दा अपना हिस्से ले चुके हैं यानी (6) सहाम लिहाज़ा जुमला सहाम वसियत (14) हुए और सहाम सआयत (28) हैं पस तिहाई दो तिहाई ठीक निकली व तखरीज मुस्तक़ीमहुई और अगर मौला न मरा बल्कि ग़ुलामों में से एक मर गया फिर इस के बाद मौला मरा तो हम कहते हैं कि अगर मुदब्बर क़ब्ल मौत मौला के मर गया तो इतक़ क़तई में इस की मज़ाहमत बातिल हुई और इतक़ क़तई हर दो बाक़ी में रहेगा और जब मौला मर गया तो वो इन दोनों में शाये हो गया कि जिस से निस्फ़ हर एक का बईजाब क़तई आज़ाद हो गया और हर एक का चौथाई हिस्सा बसबब तदबीर के मुदब्बर हो गया पस अगर मौला का कुछ माल ज़ायद हो कि इस की तिहाई से निस्फ़ रक़बा बरआमद होता हो तो हर एक में से तीन चौथाई हिस्सा आज़ाद हो जायेगा अज़ अंजुमला निस्फ़ बसबब इतक़ क़तई के और चहारुम बसबब तदबीर के और हर एक अपनी चौथाई क़ीमत के वास्ते सआयत करेगा और अगर इस का कुछ और माल न हो तो एक तिहाई इन दोनों में निस्फ़ा निस्फ़ तक़सीम होगी और इस का माल वक्त मौत के रक़बा वाहिदह है पस तिहाई माल तिहाई रक़बा होगा जो दोनों में निस्फ़ा निस्फ़ होगा चुनांचे हर एक में से दो तिहाई हिस्सा आज़ाद होगा जिस में (क्योंकि एक आज़ाद कर दिया है) से निस्फ़ रक़बा बसबब इतक़ क़तई के और छटा हिस्सा बसबब मुदब्बर होने के और हर एक अपनी क़ीमत के वास्ते सआयत करेगा और अगर मुदब्बर नहीं मरा बल्कि हर दो ग़ुलाम में से एक मर गया फिर मौला मर गया तो और यह नुक़सान दोनों के वारिसों बाक़ियों पर साझा होगा चुनांचे बाक़ी हक़ दार वारिसों (28) और मुदब्बर मअरूफ़/मरणोपरांत मुक्त के हित (8) और ग़ुलाम का बाक़ी हितों (3) पर विभाजित होगा बस सम्पूर्ण हिस्से (29) हुए बस दो तिहाई हर एक ग़ुलाम बाक़ी और मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त व क़न साढ़े उन्नीस हुए सब में से मरणोपरांत मुक्त के (8) हिस्से निकल गये और बाक़ी साढ़े गयारह हिस्से के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा और ग़ुलाम ज़िन्दा के (3) हिस्से निकल गये और बाक़ी साढ़े सोलह हिस्से के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा और मृत ग़ुलाम अपने (3) हिस्से वसियत ले गया है इस लिए कुल वसियत के हिस्से (14) हुए और मात्र कमा कर क़ीमत देने की कोशिश (28) हुए बस घटाना स्थापित हुआ और अगर हर दो ग़ुलाम मर गये और मरणोपरांत मुक्त रहेगा दोनों अपने हिस्से वसियत पूरे (2) हिस्से ले गये और दोनों पर जो हिस्से कमा कर क़ीमत देने की कोशिश थे डूब गये बस यह अधिकार हानि कुल पर हो गई बस बाक़ी वारिसों के हिस्से (28) और मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त का हक़ (8) पर विभजित होंगे बस समपूर्ण हिस्से मरणोपरांत बस दो तिहाई ग़ुलाम मरणोपरांत मुक्त (32) रहे समपूर्णतः (8) हिस्से वसियत मरणोपरांत मुक्त आज़ाद हुए और बाक़ी (38) हिस्से के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा और चूंकि दोनों मृत ग़ुलाम अपना हिस्से ले चुके हैं यानी (6) हिस्से लिहाज़ा सब वसियत के हिस्से (14) हुए और कमा कर क़ीमत देने की कोशिश के हिस्से (28) हैं बस तिहाई दो तिहाई ठीक निकली एवं निकालना स्थापित हुआ और अगर मालिक न मरा बल्कि ग़ुलामों में से एक मर गया फिर इस के बाद मालिक मरा तो हम कहते हैं कि अगर मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त मालिक की मृत्यु के पहले मर गया तो नितांत मुक्ति में इस की विरोध अमान्य हुआ और नितांत मुक्ति दोनों में बाक़ी रहेगी और जब मालिक मर गया तो वह इन दोनों में विभाजित हो गया कि जिस से आधा हर एक का नितांत स्वीकार से आज़ाद हो गया और हर एक का चौथाई हिस्सा मरणोपरांत मुक्त होने के कारण से मरणोपरांत

ग़ुलाम मैयत की मज़ाहमत दूर हो गई और इतक़ क़तई इस ग़ुलाम बाक़ी और मुदब्बर मअरूफ़ के दरमियान रहा कि हर एक का निस्फ़ हिस्सा बसबब इतक़ क़तई के आज़ाद हो जायेगा और हर एक का निस्फ़ बाक़ी मुदब्बर हुआ चुनांचे अगर मौला का माल कुछ ज़ायद हो कि इस में से तिहाई एक रक़्बा होता हो तो दोनों आज़ाद हो जायेंगे और अगर न हो तो तिहाई हक़ मैयत इन दोनों में निस्फ़ा निस्फ़ तक़सीम होगी चुनांचे हर एक में से दो तिहाई हिस्सा आज़ाद होगा और एक तिहाई के वास्ते सआयत करेगा जैसा कि ऊपर बयान हुआ है।

तदबीरे मुकय्यद = वह है कि मालिक अपने ग़ुलाम से यूं कहे, कि अगर मैं सफ़र में या इस रोग में मर गया या इस जैसे शब्द कहे जो नितांत न हों
तदबीर का शरई अर्थ यह है कि मालिक अपने ग़ुलाम की आज़ादी को अपनी मृत्यु के साथ संबद्धित करदे

ख़ुसुमत =वह दावे जो नियमानुसार हों, मुकदमा जो न्याय को दायर हो-- कज़फ़=बलात्कार का झूठा आरोप, तोहमत
जिनायत =ज़ियादती, जुर्म करना, क़ानून विरोधी कार्य, पाप
क़बील =एक से ज़्यादा लोगों का समूह,कुटुम्ब, पीछे आना

मुक्त हो गया बस अगर मालिक का कुछ माल ज़्यादा हो कि इस की तिहाई से आधा रक़्बा बरआमद होता हो तो हर एक में से तीन चौथाई हिस्सा आज़ाद हो जायेगा उन सब से आधा नितांत मुक्ति के कारण और चौथाई मरणोपरांत मुक्त होने के कारण से और हर एक अपनी चौथाई क़ीमत के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेंगे और अगर इस का कुछ और माल न हो तो एक तिहाई इन दोनों में आधाा आधा विभजित होगा आर इस का माल मौत के समय अकेला ग़ुलाम है बस तिहाई माल तिहाई ग़ुलाम होगा जो दोनों में आधा आधा होगा चुनांचे हर एक में से दो तिहाई हिस्सा आज़ाद होगा जिस में (क्योंकि एक आज़ाद कर दिया है) से आधा रक़्बा मरणोपरांत मुक्त होने के कारण से और छटा हिस्सा मरणोपरांत मुक्त होने के कारण और हर एक अपनी क़ीमत के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा और अगर मरणोपरांत मुक्त नहीं मरा बल्कि हर दो ग़ुलाम में से एक मर गया फिर मालिक मर गया तो ग़ुलाम मृतक का विरोध दूर हो गया और इस ग़ुलाम की बाक़ी नितांत मुक्ति और मरणोपरांत मुक्त के बीच रहा कि हर एक का आधा हिस्सा नितांत मुक्ति के कारण मुक्त हो जायेगा और हर एक का बाक़ी आधा मरणोपरांत मुक्त हुआ चुनांचे अगर मालिक का माल कुछ ज़्यादा हो कि इस में से तिहाई एक ग़ुलाम होता हो तो दोनों आज़ाद हो जायेंगे और अगर न हो तो तिहाई हक़ मृतक इन दोनों में आधाा आधा विभाजित होगा चुनांचे हर एक में से दो तिहाई हिस्सा आज़ाद होगा और एक तिहाई के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा जैसा कि ऊपर बयान हुआ है।

मुन्दरजा ज़ेल सूरत में सहाम की तक़सीम

अगर मौला ने कहा कि तुम में से दो आज़ाद हैं या मुदब्बर हैं और यह इस ने मर्ज़ में कहा तो इस का कलाम इन दोनों के हक़ में तिहाई से मोअतबर होगा पस तिहाई इन सब पर बक़द्रे इन के सहाम के तक़सीम होगी पस मुदब्बर मअरूफ़ का हक़ तमाम रक़बा का है जिस के (6) सहाम मफ़रूज़ा हैं और हक़ हर दो ग़ुलाम बहुक्मे तदबीर के निस्फ़ यानी (3) में और बहुक्मे इतक़ क़तई दो तिहाई यानी (4) में है पस सहाम वसियत हर दो ग़ुलाम सात हुए और सहाम वसियत मुदब्बर (6) हुए जिन का मजमूआ कुल (13) सहाम वसियत हुए और यह तिहाई माल हुआ पस कुल माल के (39) सहाम हुए पस हर ग़ुलाम के (13) सहाम हुए जिन में से मुदब्बर में से (6) सहाम आज़ाद हुए और (7) सहाम के वास्ते सआयत करेगा और हर दो ग़ुलाम में से सात सहाम यानी हर एक से साढ़े तीन सहाम आज़ाद हुए तो हर एक साढ़े नो सहाम के लिए सआयत करेगा पस जुमला सहाम वसियत (13) और सहाम सआयत (26) हुए पस तखरीज तिहाई व दो तिहाई मुस्तक़ीम है। और अगर मुदब्बर मौत मौला के मर गया तो इस पर सआयत बातिल हो गई और खसारह कुल पर हुआ है और इस की सूरत यह होगी कि बाक़ी हर दो ग़ुलाम की मिक़्दार सहात (7) पर और मिक़्दार सहाम वारिसों (26) पर तक़सीम होगी पस जुमला (33) हुए कि हर ग़ुलाम के जुमला साढ़े सौला हुए पस हर एक में से साढ़े तीन आज़ाद और बाक़ी (13) के वास्ते सआयत करेगा और मुदब्बर मैयत अपने सहाम वसियत ले चुका है लिहाज़ा जुमला सहाम वसियत (13) और सहाम सआयत (26) हुए पस तखरीज मुस्तक़ीम है और हर दो ग़ुलाम में से एक मर गया तो इस पर की सआयत डूब गई और डूबना सब पर रहा बई तौर कि बाक़ी तौर कि बाक़ी मिक़्दार हक़ सजाम वारिसां (26) पर और मिक़्दार हक़ सहाम ग़ुलाम बाक़ी साढ़े तीन और मिक़्दार हक़ सहाम मुदब्बर (6) पर तक़सीम हो पस जुमला साढ़े पैंतीस सहाम हुए पस हर एक के मुक़ाबले में (17) सहाम और तीन चौथाई हिस्सा सहाम हुए जिस में से मुदब्बर से (6) सहाम आज़ाद हुए और बाक़ी ग्यारह

निम्नलिखित स्थिति में हिस्से का विभाजन

अगर मालिक ने कहा कि तुम में से दो आज़ाद हैं या मरणोपरांत मुक्त हैं और यह इस ने मर्ज़ में कहा तो इस का कथन इन दोनों के हक़ में तिहाई से विश्वसनीय होगा बस तिहाई इन सब पर इन के हिस्से के जितना विभाजित होगा, बस मुदब्बर मअरूफ/सुप्रसिद्ध मरणोपरांत मुक्त का हक़ समस्त ग़ुलाम का है जिस के (6) हिस्से काल्पनिक हैं और हक़ दोनों ग़ुलामों में मरणोपरांत मुक्त के आदेश अनुसार आधा यानी (3) में और नितांत मुक्ति के आदेश से दो तिहाई यानी (4) में है बस हिस्से वसियत दोनों ग़ुलामों में सात हुए और मरणोपरांत मुक्त में वसियत के हिस्से (6) हुए जिन का कुल योग (13) हिस्से वसियत में हुए और यह तिहाई माल हुआ बस कुल माल के (39) हिस्से हुए बस हर ग़ुलाम के (13) हिस्से हुए जिन में से मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त में से (6) हिस्से आज़ाद हुए और (7) हिस्से के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा और हर दो ग़ुलाम में से सात हिस्से यानी हर एक से साढ़े तीन हिस्से आज़ाद हुए तो हर एक साढ़े नो हिस्से के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा बस समस्त वसियत के हिस्से (13) और कमा कर क़ीमत देने की कोशिश के हिस्से (26) हुए बस निष्कर्ष तिहाई व दो तिहाई स्पष्ट है। और अगर मरणोपरांत मुक्त मालिक की मृत्यू मर गया तो इस पर कमा कर क़ीमत देने की कोशिश अमान्य हो गई और कुल पर हानि हुई है और इस की स्थिति यह होगी कि बाक़ी दोनों ग़ुलामों की हिस्सों की मात्रा (7) पर और वारिसों के हिस्सों की संख्या (26) पर विभजित होगी बस समस्त (33) हिस्से हुए कि हर ग़ुलाम के समस्त साढ़े सौला हिस्से हुए बस हर एक में से साढ़े तीन आज़ाद और बाक़ी (13) के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा और मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त मृतक अपने हिस्से वसियत ले चुका है इस लिए वसियत के समस्त (13) हिस्से और हिस्से कमा कर क़ीमत देने की कोशिश के (26) हुए बस निकालना आसान है और दोनों ग़ुलामों में से एक मर गया तो इस पर की कमा कर क़ीमत देने की कोशिश डूब गई और डूबना सब पर रहा, इस तरह

सहाम और तीन चौथाई सहम के वास्ते सआयत करेगा और ग़ुलाम में से साढ़े तीन सहाम आज़ाद हुए और बाक़ी (14) सहाम व चौथाई सहम के वास्ते सआयत करेगा और चूंकि ग़ुलाम मुर्दा अपना हक़ वसियत ले चुका है लिहाज़ा मुबल्लिग़ सहाम वसियत (13) हुआ और मुबल्लिग सआयत (26) हुए पस तखरीज मुस्तक़ीम (मुस्तक़ीम हुई यानी ठीक उतरी क्योंकि इम्तिहान से दरयाफ़्त कर लिया गया मज़ाहमत यानी खाली इस को मिलने में मज़ाहम होगा) हुई और अगर दोनों ग़ुलाम मर गये और मुदब्बर रहे गया तो सआयत जो दोनों पर थी डूब गई पस बाक़ी हक़ सहाम वारिसान (26) पर और सहाम मुदब्बर छः पर तक़सीम हो गई कि जिस के जुमला (32) सहाम हुए जिस में से मुदब्बर के (6) सहाम आज़ाद होंगे और बाक़ी (26) सहाम के वास्ते सआयत करेगा और चूंकि हर दो ग़ुलाम मैयत अपने सहाम वसियत पा चुके हैं लिहाज़ा मुबल्लिग सहाम वसियत (13) और मुबल्लिग़ सहाम सआयत (26) हुए पस तखरीज मुस्तक़ीम हुई और अगर मुदब्बर मअ एक ग़ुलाम के मर गया तो इन पर जो कुछ सआयत थी वो डूब गई तो बाक़ी हक़ वारिसान (26) और हक़ ग़ुलाम बाक़ी साढ़े तीन मजमूआ $29^1/_2$ पर तक़सीम होगी अज़ अंजुमला साढ़े तीन सहाम ग़ुलाम में से आज़ाद होंगे और बाक़ी (26) के वास्ते सआयत करेगा और चूंकि मुदब्बर और ग़ुलाम मैयत ने अपना अपना हिस्सा ले लिया है यानी साढ़े नो सहाम पस जुमला सहाम वसियत (13) हुए और सहाम सआयत (26) में पस तखरीज मुस्तक़ीम हुई और अगर मुदब्बर क़ब्ल मौत मौला के मर गया तो इतक़ क़तई में इस की मज़ाहमत जाती रही और एक रक़बा कामिल और निस्फ़ रक़बा बाक़ी दोनों ग़ुलामों में रहा पस अगर मौला का इस क़द्र माल हो कि इस की तिहाई से डेढ़ रक़बा बरआमद होता हो तो हर ग़ुलाम में से तीन चौथाई बवजह इतक़ क़तई के आज़ाद हो जायेगा और अपनी चौथाई के वास्ते हर एक सआयत करेगा और अगर इस का कुछ और माल न हो तो इस का तिहाई माल यानी दो तिहाई रक़बा इन दोनों में मुशतरिक होगा पस हर एक में से तिहाई रक़बा आज़ाद हो जायेगा और

कि बाक़ी वारिसान के हिस्सों की तरह हक़ के हिस्सों की मात्रा (26) पर और बाक़ी साढ़े तीन ग़ुलामों के हक़ के हिस्सों की मात्रा और मरणोपरांत मुक्त के हक़ की मात्रा के हिस्से (6) पर विभाजित हों बस कुल साढ़े पैंतीस हिस्से हुए बस हर एक की तुलना में (17) हिस्से और तीन चौथाई हिस्सा मुक्त हुआ जिस में से मरणोपरांत मुक्त से छे (6) हिस्से आज़ाद हुए और बाक़ी ग्यारह 11 हिस्से और तीन चौथाई हिस्से के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा और ग़ुलाम में से साढ़े तीन हिस्से आज़ाद हुए और बाक़ी (14) हिस्से व चौथाई हिस्से के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा और चूंकि मृत ग़ुलाम अपना वसियत का हक़ ले चुका है इस लिए कुल तेरह(13) हिस्से वसियत के हुए और कुल कमा कर क़ीमत देने की कोशिश के (26) हिस्से हुए बस निष्कर्ष स्पष्ट हुआ (स्पष्ट हुआ यानी ठीक उतरा क्योंकि परख कर जांच लिया गया आपत्ति यानी खाली इस को मिलने में बाधा होगी) और अगर दोनों ग़ुलाम मर गये और मरणोपरांत मुक्त रह गया तो कमा कर क़ीमत देने की कोशिश जो दोनों पर थी डूब गई बस बाक़ी वारिसों के हक़ के हिस्से (26) पर और मरणोपरांत मुक्त छः हिस्से पर विभाजित हो गई कि जिस के कुल (32) हिस्से हुए जिस में से मरणोपरांत मुक्त के (6) हिस्से आज़ाद होंगे और बाक़ी (26) हिस्से के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा और क्यूंकि दोनों मृत ग़ुलाम अपने हिस्से वसियत पा चुके हैं लिहाज़ा वसियत के कुल हिस्से (13) और कमा कर क़ीमत देने की कोशिश के हिस्से (26) हुए बस योग निकाना आसान हुआ और अगर मरणोपरांत मुक्त एक ग़ुलाम के साथ मर गया तो इन पर जो कुछ कमा कर क़ीमत देने की कोशिश थी वह डूब गई तो बाक़ी वारिसान का हक़ (26) और बाक़ी ग़ुलाम का हक़ साढ़े तीन कुल $29^1/_2$ पर विभाजित होगा उन सब से साढ़े तीन हिस्से ग़ुलाम में से आज़ाद होंगे और बाक़ी (26) के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा और चूंकि मरणोपरांत मुक्त और मृत ग़ुलाम ने अपना अपना हिस्सा ले लिया है यानी साढ़े नो हिस्से बस कुल वसियत के(13) हिस्से हुए और कमा कर क़ीमत देने की

अपनी दो तिहाई क़ीमत के वास्ते सआयत करेगा और अगर मौला से पहले एक ग़ुलाम मर गया तो इस की मज़ाहमत इतक़ क़तई में से बातिल हो गई और ईजाब क़तई दरमियान ग़ुलाम और मुदब्बर के रहा हर एक के वास्ते निस्फ़ रक़्बा पहुंचा और निस्फ़ ग़ुलाम बाक़ी भी मुदब्बर हो गया पस अगर मौला का इस क़द्र माल हो कि इस की तिहाई से यह दोनों बक़द्रे ममलूकियत बरआमद हुए हों तो दोनों मुफ़्त बिला सआयत आज़ाद हो जायेंगे और अगर इस का कुछ और माल न हो तो इस का तिहाई माल यानी दो तिहाई रक़्बा इन दोनों को मुशतरिक पहुंचेगा जिस तरह कि हमने बयान किया है और अगर इस ने अपनी सेहत में कहा कि तुम सब आज़ाद हो या मुदब्बर हो और क़ब्ल बयान के मर गया तो इस का यह क़ौल कि तुम सब आज़ाद हो इन सब के हक़ में सही है और इस का यह क़ौल कि या तुम सब मुदब्बर हो इस के मुदब्बर मअरूफ़ के हक़ में लगू हुआ और हर दो ग़ुलाम के हक़ में सही है गोया इसने कहा कि यह दोनों ग़ुलाम मुदब्बर में पस नसब ईजाब क़तई के डेढ रक़्बा आज़ाद हुआ जो इन सब में मुशतरिक होगा कि हर एक में से निस्फ़ रक़्बा आज़ाद होगा और नसब ईजाब सानी के एक रक़्बा मुदब्बर हुआ जो हर दो ग़ुलाम में मुशतरिक होगा कि हर एक में से निस्फ़ मुदब्बर हो जायेगा और अगर मुदब्बर मअरूफ़ का निस्फ़ मुदब्बर रहा और अगर मौला का और माल हो कि जिस की तिहाई से निस्फ़ रक़्बा एक रक़्बा कामिल बरआमद होता हो तो सब आज़ाद हो जायेंगे और अगर कुछ और माल न हो तो इस का तिहाई माल तक़सीम किया जायेगा और वक्त मौत के इस का तिहाई माल डेढ रक़्बा है पस इस की तिहाई निस्फ़ रक़्बा हुआ जो इन सब में मसावी तक़सीम होगा पस हर एक के हिस्से में छटा हिस्सा रक़्बा का पहुंचा पस जुमला दो तिहाई रक़्बा हर एक में से आज़ाद होगा इस तरह कि निस्फ़ बईजाब क़तई और छटा हिस्सा बसबब तदबीर के आज़ाद होगा और बाक़ी एक तिहाई के वास्ते हर एक सआयत करेगा और अगर ईजाब मज़कूर हालत मर्ज़ में वाक़े हुआ हो तो तिहाई माल से सब इसी तरह आज़ाद होंगे (फ़ैज़े ईताक़)

कोशिश के (26) हिस्से में बस योग निकालना आसान और अगर मरणोपरांत मुक्त मालिक की मौत के पहले मर गया तो नितांत मुक्ति में इस की रोक-टोक जाती रही और एक पूरा ग़ुलाम और आधा ग़ुलाम बाक़ी दोनों ग़ुलामों में रहा बस अगर मालिक का इतना माल हो कि इस की तिहाई से डेढ़ ग़ुलाम प्राप्त होता हो तो हर ग़ुलाम में से तीन चौथाई नितांत मुक्ति के कारण आज़ाद हो जायेगा और अपनी चौथाई के लिए हर एक कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा और अगर इस का कुछ और माल न हो तो इस का तिहाई मूल यानी दो तिहाई रक़्बा इन दोनों में साझा होगा बस हर एक में से तिहाई रक़्बा आज़ाद हो जायेगा और अपनी दो तिहाई क़ीमत के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा और अगर मालिक से पहले एक ग़ुलाम मर गया तो इस का विरोध नितांत मुक्ति में से अमान्य हो गई और नितांत स्वीकार के बीच ग़ुलाम और मरणोपरांत मुक्त के रहा हर एक के लिए आधा ग़ुलाम पहुंचा और आधा ग़ुलाम का बाक़ी भी मरणोपरांत मुक्त हो गया बस अगर मालिक का इतना माल हो कि इसकी तिहाई से यह दोनों ग़ुलाम जैसे प्राप्त हुए हों तो दोनों मुफ़्त बिना कमा कर क़ीमत देने की कोशिश के आज़ाद हो जाएंगे और अगर इस का कुछ और माल न हो तो इस का तिहाई माल यानी दो तिहाई रक़्बा इन दोनों को साझा पहुंचेगा जिस तरह कि हमने बयान किया है और अगर इस ने अपनी स्वास्थ में कहा कि तुम सब आज़ाद हो या मरणोपरांत मुक्त हो और बयान के पहले मर गया तो इस का यह कथन कि तुम सब आज़ाद हो इन सब के हक़ में सही है और इस का यह कथन कि या तुम सब मरणोपरांत मुक्त हो इस के मुदब्बर मअरूफ़/मरणोपरांत मुक्त के पक्ष में झूठ हुआ और दोनों ग़ुलामों के पक्ष में सही है जैसे इसने कहा कि यह दोनों मरणोपरांत मुक्त ग़ुलामों में बस वंश के नितांत स्वीकार के डेढ़ ग़ुलाम औलाद का हुआ जो इन सब में साझा होगा कि हर एक में से आधा ग़ुलाम आज़ाद होगा और वंश का दूसरा स्वीकार के एक ग़ुलाम मरणोपरांत मुक्त का हुआ जो दोनों ग़ुलामों में साझा होगा कि हर एक में से आधा मरणोपरांत मुक्त हो जायेगा और अगर

जैसे हमने बयान कर दिया है और इसी तरह अगर कहा कि तुम से हर एक आज़ाद है या तुम सब मुदब्बर हो तो यह बमन्ज़िला इस क़ौल के है कि तुम सब आज़ाद हो या तुम सब मुदब्बर हो और इसी तरह अगर कहा कि तुम सब आज़ाद हो या यह, व यह, व यह, यह सब मुदब्बर हैं तो भी यही हुक्म है कि यह बमन्ज़िला इस क़ौल के है कि या तुम सब मुदब्बर हो। और अगर इन में से कोई मुदब्बर न हो और इस ने कहा कि तुम सब आज़ाद हो या यह व यह व यह मुदब्बर हैं तो ईजाब सही हैं पस हर दो कलाम में से हर एक के मुक़तज़ा का निस्फ़ साबित होगा चुनांचे हर एक में से निस्फ़ बईजाब क़तई आज़ाद हो जायेगा और बाक़ी निस्फ़ हर एक का मुदब्बर भी होगा और तदबीर का ऐतबार तिहाई में से होगा और अगर ईजाब बहालत मर्ज़ वाक़े हुआ तो सब तिहाई माल से आज़ाद होंगे जिस क़द्र आज़ाद हो सकें जैसे हमने बयान कहा है और अगर इन में से एक मुदब्बर हो और इसने कहा कि तुम सब आज़ाद हो या तुम में से एक मुदब्बर है तो यह सब कलाम बातिल है इस वास्ते कि क़ौला तुम में से एक मुदब्बर है लगू ही और रहा ईजाब अव्वल वो ईजाब ने हाल दो दिन हाल है पस शक के साथ ईजाब न होगा और अगर कहा कि हर एक तुम में से आज़ाद है या मुदब्बर है तो हर दो कलाम हक़ मुदब्बर में बातिल हैं और हर दो ग़ुलाम के हक़ में सही (1) हैं इस वास्ते कि इस ने हर फ़र्द के हक़ में अलाहिदा ईजाब किया है गोया इस ने हर एक के वास्ते कहा कि तू आज़ाद है या मुदब्बर है पस मुदब्बर के हक़ में बातिल होगा और हर एक ग़ुलाम के हक़ में सही होगा पस हर कलाम के मुक़तज़ा का निस्फ़ साबित होगा पस हर एक ग़ुलाम में से निस्फ़ बईजाब क़तई साबित होगा और निस्फ़ हर एक का मुदब्बर हो जायेगा और तदबीर का ऐतबार तिहाई से होगा और अगर क़ौल मज़कूर मर्ज़ में सादिर हुआ तो तिहाई से सब आज़ाद होंगे और इसी तरह हिसाब लगाया जायेगा जिस तरह हमने बयान किा है और अगर इस ने यूं कहा कि तुम

(1) तिहाई में से जो कुछ जिस के पड़ते हैं पड़े इस क़द्र आज़ाद होगा और बाक़ी के वास्ते सआयत करेगा।

सुप्रसिद्ध मरणोपरांत मुक्त का आधा मरणोपरांत मुक्त रहा और अगर मालिक का और माल हो कि जिस की तिहाई से आधा ग़ुलाम एक ग़ुलाम पूरा प्राप्त होता हो तो सब आज़ाद हो जायेंगे और अगर कुछ और माल न हो तो इसका तिहाई माल विभाजित किया जायेगा और मृत्यु के समय इसका तिहाई माल डेढ़ ग़ुलाम है बस इसकी तिहाई आधा ग़ुलाम हुआ जो इन सब में बराबर विभाजित होगा बस हर एक के हिस्से में छटा हिस्सा ग़ुलाम का पहुंचा बस कुल दो तिहाई ग़ुलाम हर एक में से आज़ाद होगा इस तरह कि आधा नितांत स्वीकार और छटा हिस्सा मरणोपरांत मुक्त होने के कारण आज़ाद होगा और बाक़ी एक तिहाई के लिए हर एक कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा और अगर वर्णित स्वीकार रोग की हालत में घटित हुआ हो तो तिहाई माल से सब इसी तरह आज़ाद होंगे (क्यों कि एक आज़ाद कर दिया है) जैसे हमने बयान कर दिया है और इसी तरह अगर कहा कि तुम से हर एक आज़ाद है या तुम सब मरणोपरांत मुक्त हो तो यह क्रमश इस कथन के है कि तुम सब आज़ाद हो, या तुम सब मरणोपरांत मुक्त हो और इसी तरह अगर कहा कि तुम सब आज़ाद हो या यह, व यह, व यह, यह सब मरणोपरांत मुक्त हैं तो भी यही आदेश है कि यह क्रमश इस कथन के है कि तुम सब आज़ाद हो या तुम सब मरणोपरांत मुक्त हो। और अगर इन में से कोई मरणोपरांत मुक्त न हो और इस ने कहा कि तुम सब आज़ाद हो या यह व यह व यह मरणोपरांत मुक्त हैं स्वीकार सही हैं बस दोनों बातों में से हर एक के लाभ का आधा साबित होगा चुनांचे हर एक में से आधा नितांत स्वीकार आज़ाद हो जायेगा और बाक़ी आधा हर एक का मरणोपरांत मुक्त भी होगा और मरणोपरांत मुक्त का लिखित हिस्सा तिहाई में से होगा और अगर स्वीकार रोग की हालत में स्थापित हुआ तो सब तिहाई माल से आज़ाद होंगे जिस क़द्र आज़ाद हो सकें जैसे हमने बयान में कहा है और अगर इन में से एक मरणोपरांत मुक्त हो और इसने कहा कि तुम सब आज़ाद हो या तुम में से एक मरणोपरांत मुक्त है तो यह सब बात अमान्य है इस लिए कि कहने को तुम में से एक मरणोपरांत मुक्त है

सब आज़ाद हो या यह मुदब्बर है और मुदब्बर इसी को कहा जो मारूफ़ मुदब्बर है या यह है या यह है और क़ब्ल बयान के मर गया तो सब मुदब्बर हो जाऐंगे और इस वास्ते कि हर दो ईजाब में से इल्तज़ाम है और दलालत से यह बात साबित हुई कि इस ने तदबीर को इख़्तयार किया है और दलालत इस तरह है कि इस ने सानी व सालिस को अव्वल तदबीर पर इतफ़ किया है पस इख़्तयार साबित हुआ इस वास्ते कि अरफ़ तक़ज़ा मुशारकत है दरमियान मअ़तूफ़ अलैहि के ऐसे वसफ़ में जो ान हुआ है और सिफ़त तदबीर में मशारकत साबित न होगी इल्ला ऐसी सूरत में कि मातूफ़ अलैहि के ऐसे वसफ़ में जो बयान हुआ है और सिफ़त तदबीर में मशारकत साबित न होगी इल्ला ऐसी सूरत में कि मातूफ़ अलैहि में ईजाब में इस का तदबीर का इख़्तयार करना ऐतबार किया जाये और अगर इन ग़ुलामों में कोई मुदब्बर न हो पस इसने कहा कि तुम सब आज़ाद हो या यह मुदब्बर है या यह है सब मुदब्बर हो जाऐंगे और अगर कहा कि तुम सब आज़ाद हो या यह मुदब्बर है और यह तो ईजाब अव्वल बातिल हो गया और जिस ग़ुलाम को तदबीर शामिल है और दूसरा जो इस पर इतफ़ है दोनों मुदब्बर हो जायेंगे और तीसरा क़न बाक़ी रहेगा और वजह यह है जो हम ने बयान कर दी है और अगर इस ने कहा कि तुम सब आज़ाद हो और यह दोनों मुदब्बर में हालांकि इन में कोई ग़ुलाम पहला मुदब्बर न था तो दोनों ईजाब साबित होंगे पस ईजाब अव्वल से डेढ रक़बा आज़ाद होगा जो इन सब में मुशतरिक होगा और दूसरे ईजाब से एक रक़बा का मुदब्बर होगा साबित होगा मगर ख़ास उन्हीं दोनों के हक़ में जिन की तरफ़ तदबीर की निस्बत की है और इस तदबीर का ऐतबार तिहाई माल से होगा यह शरह ज़ियादात इताबी में है और अगर अपने तीन ग़ुलामों से कहा कि तुम आज़ाद हो या यह और यह दोनों मुदब्बर हैं तो हर ईजाब (1) की तिहाई (2) साबित होगी और यह अइम्मा मशाइख़ का क़ौल है

(1) मुक़तज़ाऐ हर ईजाब में से तिहाई साबित होगी।
(2) तिहाई में से जो कुछ जिस के पड़ते हैं पड़े इस क़द्र आज़ाद होगा और बाक़ी के वास्ते सआयत करेगा।

झूठ है और रहा पहला स्वीकार वह स्वीकार ने वर्तमान दो दिन शेष है बस शक के साथ स्वीकार न होगा और अगर कहा कि हर एक तुम में से मुक्त है या मरणोपरांत मुक्त है तो दोनों बातें मरणोपरांत मुक्त के हक़ में अमान्य हैं और दोनों ग़ुलामों के पक्ष में सही (1) हैं इस लिए कि इस ने हर एक बंदे के पक्ष में अलग स्वीकार किया है गोया इस ने हर एक के लिए कहा कि तू आज़ाद है या मरणोपरांत मुक्त है बस मरणोपरांत मुक्त के पक्ष में अमान्य होगा और हर एक ग़ुलाम के पक्ष में सही होगा बस हर बात के अनुरोध का आधा साबित होगा बस हर एक ग़ुलाम में से आधा नितांत स्वीकार साबित होगा और आधा हर एक का मरणोपरांत मुक्त हो जायेगा और मरणोपरांत मुक्त का विश्वास तिहाई से होगा और अगर वर्णित कथन रोग में कहा हुआ हो तो तिहाई से सब आज़ाद होंगे और इसी तरह हिसाब लगाया जायेगा जिस तरह हमने बयान किया है और अगर इसने यूं कहा कि तुम सब आज़ाद हो या यह मरणोपरांत मुक्त हो और मरणोपरांत मुक्त इसी को कहा जो सुप्रसिद्ध मरणोपरांत मुक्त है या यह है या यह है और कहने के पहले मर गया तो सब मरणोपरांत मुक्त हो जाऐंगे और इस लिए कि दोनों स्वीकार में से ज़रूरी है और तर्क से यह बात साबित हुई कि इस ने मरणोपरांत मुक्त को स्वीकार किया है और तर्क इस तरह है कि इस ने दूसरे व तीसरे को पहले मरणोपरांत मुक्त कर दिया है बस स्वीकार साबित हुआ इस लिए कि कृपा ज़रूरत मंद में साझा है मरणोपरांत मुक्त के बीच ऐसे गुणों में जो कहा हुआ है और मरणोपरांत मुक्त के गुणों में साझा साबित न होगें सिवाए ऐसी स्थिति में कि मरणोपरांत मुक्त के ऐसे गुणों में से जो बयान हुआ है और मरणोपरांत मुक्त के गुणों में साझा साबित न होगी सिवा ऐसी स्थिति में कि मरणोपरांत मुक्त के स्वीकार में इसका मरणोपरांत मुक्त का स्वीकार करना माना जाये और अगर इन ग़ुलामों में से कोई मरणोपरांत मुक्त न हो बस इसने कहा कि तुम सब आज़ाद हो या यह मरणोपरांत मुक्त है या

(1) तिहाई में से जो कुछ जिस का जितना है उतना आज़ाद होगा और बाक़ी के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा।

पस कलाम अव्वल से एक रक़बा का इतक़ साबित होगा जो इन सब में मुशतरिक होगा और दूसरे कलाम से तिहाई इतक़ साबित होगा जो फ़क़त इसी के वास्ते होगा जिस की तरफ़ इशारह किया है पस इस के वास्ते दो तिहाई रक़बा का इतक़ साबित होगा और तीसरे कलाम से दो तिहाई रक़बा की तदबीर उन्हीं दोनों के वास्ते जिन की तरफ़ इशारह किया है साबित होगी पस इन में से हर एक का तिहाई हिस्सा मुदब्बर भी हो जायेगा यह काफ़ी में है। पस अगर इस का कुछ और माल हो कि जिस की तिहाई से दो तिहाई रक़बा निकलता हो तो हर एक में से दो तिहाई आज़ाद हो जायेगी और अपनी एक तिहाई क़ीमत के वास्ते सआयत करेगा और अगर कुछ और माल न हो तो वक्त मौत के जिस क़द्र माल इस का था इस की एक तिहाई दोनों के दरमियान निस्फ़ा निस्फ़ होगी और मौत के वक्त इस का माल एक रक़बा कामिल और एक रक़बा की दो तिहाई था पस इस की तिहाई यानी पांच नवीं। (बजाये सातवें, नवें) हिस्से इन दोनों में तक़सीम होंगे कि हर एक को दो सातवें हिस्से और निस्फ़ सातवां हिस्सा पहुंचेगा और हर एक अपने तीन सातवें हिस्से और निस्फ़ सातवें हिस्से के वास्ते सआयत करेगा और मुफ़रद अपने तिहाई के वास्ते सआयत करेगा पस मजमूआ सहाम वसियत पांच हुए और जुमला सहाम सआयत दस हुए कि तिहाई व दो तिहाई ठीक रहे पस तखरीज मुस्तक़ीम है शरह ज़ियादात इताबी में है।

अरश = वह रक़म आदि जो मक़्तूल/जिसकी हत्या हुई हो के वरिसों को या हताहत होने वाले बदले में दी जाए
सहम= वह भाग जो विभाजन में किसी को मिले
दारूल हरब(वह देश जहाँ मुस्लिम शासन न हो और मुसलमानों को अपने धर्मानुसार कार्य करने की अनुमति नहीं होती)

देत = वह माल जो किसी इन्सानी जान के बदले दिया जाए यह सौ ऊंट या एक हज़ार दीनार या दस हज़ार दिरहम या उनके बराबर की करनसी है
अरश =वह रक़म आदि जो मक़्तूल/जिसकी हत्या हुई हो के वरिसों को या हताहत होने वाले को बदले में दी जाए
वती = औरत से संभोग सेक्स करना
उक़्र = वह रक़म आदि जो बीवी के सिवा ग़ैर औरत के साथ संभोग करने से अनिवार्य हो

यह है सब मरणोपरांत मुक्त हो जाऐंगे और अगर कहा कि तुम सब आज़ाद हो या यह मरणोपरांत मुक्त है और यह तो पहला स्वीकार अमान्य हो गया और जिस ग़ुलाम की मरणोपरांत मुक्ति साझा है और दूसरा जो इस पर जुड़ा है दोनों मरणोपरांत मुक्त हो जायेंगे और तीसरा केवल ग़ुलाम बाक़ी रहेगा और कारण यह है जो हम ने बयान कर दिया है, और अगर इस ने कहा कि तुम सब आज़ाद हो और यह दोनों मरणोपरांत मुक्ति में हालांकि इन में कोई पहला ग़ुलाम मरणोपरांत मुक्त न था तो दोनों स्वीकार साबित होंगे बस पहले स्वीकार से डेढ़ ग़ुलाम आज़ाद होगा जो इन सब में साझा होगा और दूसरे स्वीकार से एक ग़ुलाम का मरणोपरांत मुक्त होगा साबित होगा मगर विशेष उन्हीं दोनों के पक्ष में जिन की ओर मरणोपरांत मुक्ति का संबंध है और इस मरणोपरांत मुक्ति का विश्वास तिहाई माल से होगा यह शरह ज़ियादात इताबी में है और अगर अपने तीन ग़ुलामों से कहा कि तुम आज़ाद हो या यह और यह दोनों मरणोपरांत मुक्त हैं तो हर स्वीकार (1) की तिहाई (2) साबित होगी और यह बुद्धिजीवियों का कथन है बस बात का पहले से एक ग़ुलाम की मुक्ति साबित होगी जो इन सब में साझा होगा और दूसरी बात से तिहाई मुक्ति साबित होगी जो केवल इसी के लिए होगी जिस की तरफ़ संकेत किया है बस इस के लिए दो तिहाई ग़ुलाम मुक्त का साबित होगा और तीसरी बात से दो तिहाई ग़ुलाम की मरणोपरांत मुक्ति उन्हीं दोनों के लिए जिन की तरफ़ संकेत किया है साबित होगी बस इन में से हर एक का तिहाई हिस्सा मरणोपरांत मुक्त भी हो जायेगा यह काफ़ी में है। बस अगर इस का कुछ और माल हो कि जिस की तिहाई से दो तिहाई ग़ुलाम निकलता हो तो हर एक में से दो तिहाई आज़ाद हो जायेगा और अपनी एक तिहाई क़ीमत के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा और अगर कुछ और माल न हो तो समय मौत के जिस क़द्र माल इस का था इस की एक तिहाई दोनों के बीच आधा आधा होगा और मौत के समय इस का माल

(1) आवश्यकता हर स्वीकार में से तिहाई साबित होगी।
(2) तिहाई में से जो कुछ जिस के पड़ते हैं पड़े इस क़द्र आज़ाद होगा और बाक़ी के वास्ते सआयत करेगा।

इस्तीलाअ = का अर्थ यह है कि बान्दी या बीवी बच्चा की मांग करना और इस्तीलाद का शरई अर्थ यह है कि मालिक का अपनी बांदी से संभोग करके बच्चे की मांग करना।
इस्तीलाद उन नामों में से है जिन के द्वारा अर्थ आम से विशेष की ओर हस्तांतरित हो जाता है।

बाब: 7

इस्तीलाअ के बयान में

इस्तीलाअ यह है कि बान्दी अपने मौला ममलूका तामा अपने मौला से बच्चा जनी ख़्वाह मिल्क वक़्ते उलूक़े तहक़ीक़ी हो या तक़दीरी 'हाकज़ा क़ील वल्लाहु तआला आलम बिस्सवाब'। जब बान्दी अपने मौला से बच्चा जनी तो वो इस की उम्मे वल्द हो गई। ख़्वाह बच्चा ज़िन्दह जनी या मुर्दा साक़ित हो गया ऐसा कि जिस की पूरी ख़ल्क़त ज़ाहिर हो गई थी या कुछ ख़ल्क़त जबकि इक़रार किया कि यह मेरा नुत्फ़ा है तो बान्दी के उम्मे वल्द हो जाने के वास्ते यह बच्चा बमन्ज़िला ज़िन्दह कामिल उल ख़ल्क़त जनने के है और अगर ऐसा पेट साक़ित हुआ कि इस की ख़ल्क़त में से कुछ ज़ाहिर नहीं हुआ है मसलन लोथड़ा या थक्का ख़ून का या टुकड़ा साक़ित हुआ और मौला ने दावा किया कि यह मेरे नुत्फ़ा से है तो इस से बान्दी इस की उम्मे वल्द न होगी यह सिराज वहाज में है। उम्मे वल्द की बैअ जाइज़ नहीं है और इस तरह हर ऐसा तसर्रुफ़ रवा नहीं है जिस से हक़ जो बसबब इस्तीलाद के बान्दी के वास्ते साबित हुआ है बातिल होता है जैसे हिबा व सदक़ा व वसियत व रहन कोई जाइज़ नहीं है और जो तसर्रुफ़ कि मौजब बुतलान हक़ मज़कूर न हो वो जाइज़ है जैसे इजारह पर देना और खिदमत लेना और कोई कमाई कराना और किराया पर चलाना

एक पूरा ग़ुलाम और एक ग़ुलाम की दो तिहाई था बस इस की तिहाई यानी पांच नवीं। (बजाये सातवें, नवें) हिस्से इन दोनों में विभजित होंगे कि हर एक को दो सातवें हिस्से और आधा सातवां हिस्सा पहुंचेगा और हर एक अपने तीन सातवें हिस्से और आधा सातवें हिस्से के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा और एक अपने तिहाई के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा बस कु ल वसियत के हिस्से पांच हुए और सब हिस्से कमा कर क़ीमत देने की कोशिश के दस हुए कि तिहाई व दो तिहाई ठीक रहे बस हस्से निकालना आसान है शरह ज़ियादात इताबी में है।

अध्याय : 7

इस्तीलाअ के बारे में

इस्तीलाअ यह है कि बान्दी अपने मालिक की पूर्ण ज़रखरीद ग़ुलाम अपने मालिक का बच्चा जनी चाहे मिल्कियत गर्भाशय में भ्रूण बन्ने का समय जांच-पड़ताल हो या क़िस्मत से 'हाकज़ा क़ील वल्लाहु तआला आलम बिस्सवाब' जैसा कहा गया है सर्वशक्तिमान परमेशवर जानता है कि क्या सही है। जब बान्दी अपने मालिक के संभोग से बच्चा जनी तो वह इस की उम्मे वल्द हो गई। चाहे बच्चा ज़िन्दा जनी या मृत गर्भपात हो गया ऐसा कि जिस की पूरी रचना प्रकट हो गई थी या कुछ रचना जबकि स्वीकार किया कि यह मेरी संतान है तो बान्दी के उम्मे वल्द हो जाने के लिए यह बच्चा क्रमश पूर्ण रचना ज़िन्दा जनने के जैसा है और अगर ऐसा पेट में गर्भपात हुआ कि इस की संतान में से कुछ प्रकट नहीं हुआ है जैसे कि लोथड़ा या थका ख़ून का लोथड़ा या टुकड़ा गर्भपात हुआ और मालिक ने दावा किया कि यह मेरे वीर्य से है तो इस से बान्दी इस की उम्मे वल्द न होगी यह सिराजुल वहाज में है। उम्मे वल्द की बिक्री जाइज़ नहीं है और इस तरह हर ऐसा खर्चा वैध नहीं है जिस से इस्तीलाद /मालिक का बच्चा जन्ने के कारण बान्दी के लिए जो हक़ साबित हुआ है अमान्य होता जैसे हिबा/तोहफ़ा व सदक़ा/दान व वसियत व गिरवी कोई

और ख़ुद इस से वती करना या इस्तमताअ (इस्तमताअ इससे तमतअ हासिल करना) करना रवा है और उजरत व कमाई व किराया मौला का होगा और अगर किसी ने इस से शुब्हा से वती की तो इस का उक़्र मौला का होगा और अगर मौला ने किसी से इस का निकाह कर दिया तो महर मौला का होगा यह बदाऐ में है और अगर एक क़ाज़ी ने उम्मे वल्द की बैअ के जवाज़ का हुक्म दे दिया तो क़ज़ाअन नाफ़िज़ न होगी बल्कि दूसरे क़ाज़ी पर मौक़ूफ़ रहेगी अगर दूसरे क़ाज़ी ने इस की क़ज़ा को बहाल रखा तो नाफ़िज़ होगी और अगर बातिल कर दिया तो बातिल हो गई यह ज़खीरह में है और मौला को इख़्तयार है कि किसी से इस का निकाह कर दे मगर जब इस से एक हैज़ से इस्तबराअ न करा ले तब तक निकाह कर देना नहीं चाहिए यह बदाऐ में है और अगर बदून इस्तबराअ के इस का निकाह कर दिया फिर वो छः महीने से कम में बच्चा जनी तो यह बच्चा मौला का होगा और निकाह फ़ासिद है और अगर छः महीने से ज़्यादा में जनी तो बच्चा का नसब शौहर से साबित हुआ और अगर मौला ने इस के नसब का दावा किया तो नसब शौहर ही से साबित रहेगा अगर मौला के दावा की वजह से वो आज़ाद हो गया यह मबसूत में है और अगर मौला ने इस का निकाह कर दिया और निकाह से इस के बच्चा हुआ तो बच्चा भी अपनी मां के हुक्म में होगा कि मौला को इस की बैअ व हिबा व रहन वग़ैरह जाइज़ नहीं है और वो किसी के वास्ते सआयत न करेगा और मौला के मरने पर इस के कुल माल से आज़ाद हो जायेगा हां मौला को इस से खिदमत लेना और इस का इजारह पर देना वग़ैरह जाइज़ है लेकिन अगर बच्चा लड़की हो तो मौला को इस से इस्तमताअ जाइज़ नहीं है और यह मसला इजमाई है और अगर निकाह फ़ासिद वाक़े हुआ हो तो हक़ अहकाम में यह निकाह फ़ासिद उल महक़ बा निकाह सही किया जायेगा। फ़तह उल क़दीर में है। अपनी बान्दी का निकाह अपने ग़ुलाम से कर दिया फिर इस के बच्चा पैदा हुआ फिर मौला ने इस के नसब का दावा किया तो नसब साबित न होगा बल्कि नसब ग़ुलाम ही साबित होगा लेकिन मौला के इक़रार की

जाइज़ नहीं है और जो प्रयोग कि सही खंडन के कारण वर्णित न हो वह जाइज़ है जैसे ठेके पर देना और सेवा लेना और कोई कमाई कराना और किराए पर चलाना और ख़ुद इस से संभोग करना या लाभ प्राप्ति (उससे संगत प्राप्त करना) करना जाइज़ है और मज़दूरी व कमाई व किराया मालिक का होगा और अगर किसी ने इस से शंका से संभोग किया तो इस का उक़्र/वह रक़म आदि जो बीवी के सिवा ग़ैर औरत के साथ संभोग करने से अनिवार्य हो मालिक का होगा और अगर मालिक ने किसी से इस का निकाह कर दिया तो महर मालिक का होगा यह बदाऐ में है और अगर एक न्यायाधीश ने उम्मे वल्द की बिक्री को धर्म के अनुसार वैध होने का आदेश दे दिया तो क़ानून लागू न होगा बल्कि दूसरे न्यायाधीशों पर रोक रहेगी अगर दूसरे न्यायाधीश ने इसके आदेश को बहाल रखा तो लागू होगा और अगर अमान्य कर दिया तो अमान्य हो गया यह ज़खीरह में है और मालिक को अधिकार है कि किसी से इस का निकाह कर दे मगर जब इस से एक हैज़ से इस्तबराअ/पवित्रता न करा ले तब तक निकाह नहीं करना चाहिए यह बदाऐ में है और अगर सिवा पवित्रता के इस का निकाह कर दिया फिर वह छः महीने से कम में बच्चा जनी तो यह बच्चा मालिक का होगा और निकाह अमान्य है और अगर छः महीने से ज़्यादा में जनी तो बच्चा का वंश पति से साबित हुआ और अगर मालिक ने इस के वंश का दावा किया तो वंश पति ही से साबित रहेगा अगर मालिक के दावा की वजह से वह आज़ाद हो गया यह मबसूत में है और अगर मालिक ने इस का निकाह कर दिया और निकाह से इस के बच्चा हुआ तो बच्चा भी अपनी मां के आदेश में होगा कि मालिक को इस की बिक्री व तोहफ़ा व गिरवी आदि रखना जाइज़ नहीं है और वह किसी के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश न करेगा और मालिक के मरने पर इस के कुल माल से आज़ाद हो जायेगा हां मालिक को इस से सेवा लेना और इस का ठेके पर देना आदि जाइज़ है लेकिन अगर बच्चा लड़की हो तो मालिक को इस से लाभ प्राप्ति जाइज़ नहीं है और यह समस्या सर्वसहमती से है और अगर निकाह अमान्य

वजह से यह बच्चा आज़ाद होगा और बान्दी इस की उम्मे वल्द हो जायेगी और जब उम्मे वल्द का मौला मरा तो वो आज़ाद हो जायेगी ख़्वाह मौला ने इस को किसी मर्द से ब्याह दिया हो या न ब्याहया हो और नीज़ इस का इतक़ तमाम माल से मोअतबर होगा पस आज़ाद हो जायेगी ख़्वाह तिहाई माल से बरआमद होती हो या न होती हो और इस पर सआयत मौला के वारिस या मौला के क़र्ज़ ख़्वाह किसी के वास्ते किसी तरह वाजिब न होगी यह ग़ायतुल बयान में है और यह अहकाम उम्मे वल्द के वास्ते बहरहाल साबित होंगे ख़्वाह मौला वास्तव में मर गया या हुक्मन मर गया बईं तौर कि मुरतिद हुआ और दारूल हरब में चला गया इसी तरह अगर हरबी अमान लेकर दारूल इस्लाम में आया और यहां कोई बान्दी खरीदी और इस को उम्मे वल्द बनाया (क़ौलहू उम्मे वल्द बनाया यानी उस से वती की जिस से उस के बच्चा हो।) फिर दारूल हरब को चला गया फिर जिहाद में क़ैद हुआ तो यह बान्दी आज़ाद हो जायेगी। यह बदाये में है।

उक़र = वह रक़म आदि जो बीवी के सिवा ग़ैर औरत के साथ संभोग करने से अनिवार्य हो।
वती = औरत से संभोग सेक्स करना।
इस्तबराअ/पवित्रता

उम्मे वल्द का इतक़े बतकरार मिल्के तसकर होगा जैसे इतक़े महारिम :

जब उम्मे वल्द मौला के मरने से आज़ाद हुई तो इस वक़्त जो कुछ माल इस के पास है वो मौला का होगा इल्ला आंकि मौला ने इस के वास्ते इस माल की वसियत कर दी हो यह बहरूर राइक़ में क़ाज़ी खान से मंक़ूल है और उम्मे वल्द का इतक़ बतकरार मिल्क तसकर होगा जैसे इतक़ महारिम और इस की तफ़सील यह है कि अगर उम्मे वल्द को इस के मौला ने आज़ाद कर दिया फिर वो मुरतिद हो कर दारूल हरब में चली

स्थापित हुआ हो तो आदेश के पक्ष में यह निकाह अमान्य निकाह के अधिकार से सही किया जायेगा। यह फ़तह उल क़दीर में है। अपनी बान्दी का निकाह अपने गुलाम से कर दिया फिर इस के बच्चा पैदा हुआ फिर मालिक ने इस के वंश का दावा किया तो वंश साबित न होगा बल्कि वंश गुलाम ही से साबित होगा लेकिन मालिक के स्वीकार की वजह से यह बच्चा आज़ाद होगा और बान्दी इस की उम्मे वल्द हो जायेगी और जब उम्मे वल्द का मालिक मरा तो वह आज़ाद हो जायेगी चाहे मालिक ने इस को किसी मर्द से ब्याह दिया हो या न ब्याहा हो और इस का मुक्ति भी तमाम माल से विश्वसनिय होगी बस आज़ाद हो जायेगी चाहे तिहाई माल से प्राप्त होती हो या न होती हो और इस पर कमा कर क़ीमत देने की कोशिश मालिक के वारिस या मालिक के क़र्ज़ चाहे किसी के लिए किसी तरह अनिवार्य न होगी यह ग़ायतुल बयान में है और यह आदेश उम्मे वल्द के लिए हर हाल में साबित होंगे चाहे मालिक सच मर गया या आदेशानुसार मर गया इस तरह कि धर्मभ्रष्ट हुआ और दारूल हरब/ग़ैर-मुस्लिम शासित देश में चला गया इसी तरह अगर हरबी अमान/ग़ैर-मुस्लिम देश के नागरिक शरण लेकर दारूल इस्लाम में आया और यहां कोई बान्दी खरीदी और उस को उम्मे वल्द बनाया (कथन उम्मे वल्द बनाया यानी उस से संभोग किया जिस से उस के बच्चा हो।) फिर दारूल हरब/ग़ैर-मुस्लिम शासित देश को चला गया फिर जिहाद में क़ैद हुआ तो यह बान्दी आज़ाद हो जायेगी। यह बदाये में है।

बच्चे की माँ की मुक्ति पुनरावृत्ति अधीनता की चोरी होगी जैसे अवैध मुक्ति :

जब उम्मे वल्द यानी अपने मालिक के बच्चे की माँ मालिक के मरने से आज़ाद हुई तो उस समय जो कुछ माल इस के पास है वह मालिक का होगा सिवा वह कि मालिक ने इस के लिए उस माल की वसियत कर दी हो यह बहरूर राइक़ में क़ाज़ी खान से वर्णित है और उम्मे वल्द की मुक्ति पुनरावृत्त अधीनता की चोरी होगी जैसे अवैध मुक्ति और उस का विवरण यह है कि अगर उम्मे वल्द को इस के मालिक ने आज़ाद कर दिया फिर वह

गई फिर क़ैद होकर आई और मौला ने इस को खरीदा तो फिर उम्मे वल्द होगी यानी इस का उम्मे वल्द होना औद करेगा और इस तरह अगर ज़ी रहम महरम का किसी तौर से मालिक हो और वो इस की तरफ़ से आज़ाद हो गया फिर वो मुरतिद हो कर दारूल हरब में चला गया फिर इस ने खरीदा तो आज़ाद हो जायेगा और इसी तरह दोबारह सह बारह जितनी दफ़ा वाक़े हुए यही हुक्म और यही हुक्म उम्मे वल्द में है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर नसरानी की उम्मे वल्द मुसलमान हो गई तो इस के मौला पर इस्लाम पैश किया जायेगा पस अगर उसने इन्कार किया तो क़ाज़ी इस बान्दी को इस की विलायत से निकाल देगा बईं तौर कि इस की क़ीमत अन्दाज़ा करके इस बान्दी पर इक़सात मुक़र्रर कर देगा और यह मकातबा हो जायेगी मगर फ़र्क़ इस क़द्र है कि यह औरत दोबारह रक़ीक़ न की जायेगी अगरचे अपने आप को आजिज़ कर दे और अगर इस्लाम पैश करने के वक्त नसरानी मज़कूर मुसलमान हो गया हो तो औरत अपने हाल पर इस की उम्मे वल्द रहेगी। बखिलाफ़ इस के कि अगर इस वक्त के बाद मुसलमान हो गया तो ऐसा न होगा और अगर इस का मौलाऐ नसरानी मर गया तो आज़ाद हो जायेगी और इस के ज़िम्मे से सआयत साक़ित हो जायेगी यह फ़तहुल क़दीर में है और अगर क़ाज़ी ने इस पर क़ीमत देने का हुक्म दिया हो फिर वो मर गई और इस का एक बच्चा है जिस को वो हालत सआयत में जनी है तो कुछ इस पर वाजिब है वो इस का बच्चा सआयत करके अदा करेगा यह मुहीत सुरखी में है और अगर ग़ैद की बान्दी के उम्रो से एक बच्चा पैदा हुआ बनिकाह या बवती शुब्हा फिर उम्रो इस बान्दी का मालिक हुआ तो बच्चा का उम्रो से नसब साबित होगा और यह बान्दी इस की उम्मे वल्द हो जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

उम्मे वलद =उस ग़ुलाम औरत/बांदी को कहते हैं जो अपने मालिक के बच्चे की माँ हो और इससे पैदा होने वाला बच्चा आज़ाद माना जाएगा, उसकी माँ की ग़ुलामी उस पर प्रभाव शाली नहीं होगी।
इस्तीलाद=यानी ऐसी मुक्ति जो बांदी के गर्भ से बच्चा जन्ने के कारण हो

धर्मभ्रष्ट हो कर ग़ैर-मुस्लिम शसित देश में चली गई फिर क़ैद होकर आई और मालिक ने इस को खरीदा तो फिर उम्मे वल्द होगी यानी इस का उम्मे वल्द होना वापसी करेगा और इस तरह अगर ज़ी रहम महरम/ करीबी रिश्तेदार का किसी कारण से मालिक हो और वह इस की तरफ़ से आज़ाद हो गया फिर वह धर्मभ्रष्ट हो कर दारूल हरब/ग़ैर-मुस्लिम शसित देश में चला गया फिर इस ने खरीदा तो आज़ाद हो जायेगा और इसी तरह दूसरी बार, तीसरी बार जितनी बार हो यही आदेश है और यही आदेश उम्मे वल्द में है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर ईसाई की उम्मे वल्द मुसलमान हो गई तो इस के मालिक पर इस्लाम प्रस्तुत किया जायेगा बस अगर उसने इन्कार किया तो न्यायाधीश इस बान्दी को इस की अधीनता से निकाल देगा इस तरह कि इस की क़ीमत अन्दाज़ा करके इस बान्दी पर किस्तें निर्धारित कर देगा और यह अपनी क़ीमत स्वंय देकर मुक्ति पाने वाली हो जायेगी मगर फ़र्क़ इतना है कि यह औरत दोबारा ग़ुलाम न की जायेगी चाहे अपने आप को मजबूरी में हो और अगर इस्लाम प्रस्तुत करने के समय वर्णित नसरानी मुसलमान हो गया हो तो औरत अपने हाल पर इस की उम्मे वल्द रहेगी। इस के विपरीत कि अगर उस समय के बाद मुसलमान हुआ तो ऐसा न होना और अगर इस का ईसाइ मालिक मर गया तो आज़ाद हो जायेगी और इस के ज़िम्मे से कमा कर क़ीमत देने की कोशिश न होगी यह फ़तहुल क़दीर में है और अगर न्यायाधीश ने इस पर क़ीमत देने का आदेश दिया हो फिर वह मर गई और इस का एक बच्चा है जिस को वह कमा कर क़ीमत देने की कोशिश के समय में जन्मी है तो कुछ इस पर अनिवार्य है वह इस का बच्चा कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करके देगा यह मुहीत सुरखी में है और अगर ग़ैद की बान्दी के उम्रो से एक बच्चा पैदा हुआ निकाह करके या संदेह है संभोग से फिर उम्रो इस बान्दी का मालिक हुआ तो बच्चे का उम्रो से वंश साबित होगा और यह बान्दी इस की उम्मे वल्द हो जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर हामिला बान्दी की निस्बत मौला ने इक़रार किया कि इस का हमल मुझ से है तो वो इस की उम्मे वल्द हो जायेगी :

वाज़ह रहे कि हमारे नज़दीक इस की उम्मे वल्द इस वक़्त से होगी जब से इस का मालिक हुआ है न इस वक़्त से कि जब से बच्चे का नुत्फ़ा क़रार पाया है यह नहर उल फ़ाइक़ में है और अगर ज़िना से किसी बान्दी से इस्तीला किया फिर इस का मालिक हो गया तो इस्तहसानन इस की उम्मे वल्द न हो जायेगी और यह हमारे उलमाऐ सुलासा का क़ौल है। यह ज़ख़ीरा में है मगर बच्चा आज़ाद हो जायेगा और इस की मां के फ़रोख़्त का इस को इख़्तयार है यह इख़्तयार शरह मुख़्तार में है और अगर ग़ैद ने कहा कि मैंने इस बान्दी से निकाह किया और यह मुझ से बच्चा जनी है और यह बात सिर्फ़ इस के क़ौल से मालूम होती है और मौला जिस की वो बान्दी है इस से इन्कार करता है तो यह बात साबित न होगी फिर जब ग़ैद इस बान्दी का मालिक हो जायेगा तो बान्दी इस की उम्मे वल्द हो जायेगी और यह हमारे उलमाऐ सुलासा का क़ौल है और अगर अपनी सेहत में इक़रार किया कि मेरी इस बान्दी की मुझ से औलाद हुई है तो हमारे उलमाऐ सुलासा के नज़दीक इस की उम्मे वल्द हो जायेगी और तमाम माल से आज़ाद होगी ख़्वाह इस के हाथ बच्चा मौजूद हो या न हो यह ज़ख़ीरह में है और अगर अपने मर्ज़ में अपनी बान्दी से कहा कि तू मुझ से जनी है पस अगर इस वक़्त इस को हमल हो या इस के साथ बच्चा मौजूद हो तो यह बान्दी इस के कुल माल से आज़ाद होगी वरना तिहाई माल से आज़ाद होगी यह मुहीत सुरखी में है। अगर हामिला बान्दी की निस्बत मौला ने इक़रार किया कि इस का हमल मुझ से है तो वो इस की उम्मे वल्द हो जायेगी इसी तरह अगर कहा कि अगर यह हामिला हो तो इस का हमल मुझ से है फिर इस के बच्चा पैदा हुआ या वो पेट में डाल गई जिस की पूरी ख़ल्क़त या बाज़ ख़ल्क़त ज़ाहिर हो गई थी और मौला ने इस का इक़रार किया तो बान्दी इस की उम्मे वल्द हो जायेगी बशर्ते कि छः महीने

अगर गर्भवती बान्दी से सम्बन्ध मालिक ने स्वीकार किया कि इस का गर्भ मुझ से है तो वह इस की उम्मे वल्द हो जायेगी :

स्पष्ट रहे कि हमारे निकट इस की उम्मे वल्द उस समय से होगी जब से इस का मालिक हुआ है न इस समय से कि जब से बच्चे का गर्भ ठहरा है यह नहर उल फ़ाइक़ में है और अगर बलात्कार द्वारा किसी बान्दी को कब्ज़ा लिया फिर इस का मालिक हो गया तो भलाई के तौर पर उस की उम्मे वल्द न होगी और यह हमारे तीन तीन उलमा का कथन है। यह ज़ख़ीरा में है मगर बच्चा आज़ाद हो जायेगा और इस की माँ के बेचने का उस को अधिकार है यह अधिकार शरह मुख़्तार में है और अगर ग़ैद ने कहा कि मैंने इस बान्दी से निकाह किया और यह मुझ से बच्चा जन्मी है और यह बात केवल इस के कथन से मालूम होती है और मालिक जिस की वह बान्दी है इस से इन्कार करता है तो यह बात साबित न होगी फिर जब ग़ैद इस बान्दी का मालिक हो जायेगा तो बान्दी इस की उम्मे वल्द हो जायेगी और यह हमारे तीन तीन विद्वानों का कथन है और अगर अपनी स्वस्थ हालत में स्वीकार किया कि मेरी इस बान्दी की मुझ से औलाद हुई है तो हमारे तीन तीन विद्वानों के निकट इस की उम्मे वल्द हो जायेगी और तमाम माल से आज़ाद होगी चाहे इस के हाथ में बच्चा मौजूद हो या न हो यह ज़ख़ीरा में है और अगर अपने बीमारी में अपनी बान्दी से कहा कि तू मुझ से जन्मी है बस अगर इस समय इस को गर्भ हो या इस के साथ बच्चा मौजूद हो तो यह बान्दी इस के कुल माल में से आज़ाद होगी वरना तिहाई माल से, आज़ाद होगी यह मुहीतुल सुरखी में है। अगर गर्भवती बान्दी से सम्बन्ध मालिक ने स्वीकार किया कि इस का गर्भ मुझ से है तो वह इस के बच्चे की माँ हो जायेगी इसी तरह अगर कहा कि अगर यह गर्भवती हो तो इस का गर्भ मुझ से है फिर इस के बच्चा पैदा हुआ या वह पेट में डाल गई जिस की पूरी रचना या कुछ रचना प्रकट हो गई थी और मालिक ने इस को स्वीकार किया तो बान्दी इस की उम्मे वल्द हो जायेगी बशर्ते कि छः महीने

से कम में पैदा हुआ हो और अगर मौला ने विलादत से इन्कार किया फिर विलादत पर एक क़ाबिला ने गवाही दी तो जाइज़ है और मौला से बच्चे का नसब साबित होगा और बान्दी इस की उम्मे वल्द हो जायेगी यह ज़हीरिया में है और अगर बान्दी छः महीने या ज़्यादह में जनी तो बच्चा मौला को लाज़िम न होगा और न बान्दी इस की उम्मे वल्द हो जायेगी यह बदाऐ में है और अगर कहा कि इस बान्दी का हमल मुझ से है या कहा कि जो इस के पेट में है बच्चा वो मेरा है फिर इस के बाद दावा किया कि यह रियाह थी बच्चा न था पस बान्दी ने इस की तसदीक़ की या तकज़ीब की तो इस की उम्मे वल्द हो जायेगी और अगर कहा कि जो इस के पेट में है वो मेरा है और हमल व वल्द का नाम न लिया फिर कहा कि इस के पेट में रियाह थी पस बान्दी ने इस की तस्दीक की तो इस की उम्मे वल्द न हो जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। और अगर बान्दी ने तकज़ीब की और कहा कि नहीं बल्कि बच्चा था और वो साक़ित हो गया और इस की ख़ल्क़त ज़ाहिर हो गई थी तो क़ौल बान्दी का क़बूल होगा और मौला की उम्मे वल्द होगी। यह मुहीत सुरखी में है।

एक मर्द ने इक़रार किया कि मेरी यह बान्दी मुझ से हामिला है फिर दो बरस से ज़्यादा में इस के बच्चा पैदा हुआ और एक औरत ने विलादत पर गवाही दी और बान्दी ने दावा किया कि यह बच्चा वही हमल है और मौला ने वही हमल होने से इन्कार किया तो बान्दी इस की उम्मे वल्द होगी और बच्चे का नसब इस से साबित न होगा और अगर मौला ने इक़रार किया कि यह वही हमल है और यह मेरा है हालांकि इक़रार से दो बरस बाद जनी है तो यह बच्चा मौला की औलाद से होगा और मौला का यह क़ौल कि यह वही हमल है तऊद बातिल (1) क़रार दिया जायेगा और अगर एक मर्द पर दो गवाहों में से एक ने गवाही दी कि इस ने अपनी इस बान्दी की निस्बत कहा कि यह मुझ से जनी है और दूसरे ने गवाही दी कि इस ने इस बान्दी की निस्बत कहा कि

(1)यानी मदार सबूत नसल यह क़ौल होगा कि यह मेरा न आंकि यह वही हमल से है बस ख़ुलासा आंकि उम्मे वल्द होना इक़रार जदीद से है न इक़रार क़दीम से।

से कम में पैदा हुआ हो और अगर मालिक ने जन्म से इन्कार किया फिर जन्म पर एक क़ाबिल औरत ने गवाही दी तो जाइज़ है और मालिक से बच्चे का वंश साबित होगा और बान्दी उस के बच्चे की माँ हो जायेगी यह ज़हीरिया में है और अगर बान्दी छः महीने या ज़्यादा में जन्मी तो बच्चा मालिक को अनिवार्यन होगा और न बान्दी इस की उम्मे वल्द हो जायेगी यह बदाऐ में है और अगर कहा कि इस बान्दी का गर्भ मुझ से है या कहा कि जो इस के पेट में है बच्चा वह मेरा है फिर इस के बाद दावा किया कि यह पाखंड था बच्चा न था बस बान्दी ने इस की पुष्टि की या झुठलाया तो इस की उम्मे वल्द हो जायेगी और अगर कहा कि जो इस के पेट में है वह मेरा है और गर्भ व पिता का नाम न लिया फिर कहा कि इस के पेट में गैस थी बस बान्दी ने इस की पुष्टि की तो इस की उम्मे वल्द न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। और अगर बान्दी ने झुठलाया और कहा कि नहीं बल्कि बच्चा था और वह गिर गया और इस की रचना प्रकट हो गई थी तो बान्दी का कथन स्वीकार होगा और मालिक के बच्चे की माँ होगी। यह मुहीत सुरखी में है।

एक मर्द ने इक़रार किया कि मेरी यह बान्दी मुझ से गर्भवती है फिर दो वर्ष से ज़्यादा में इस के बच्चा पैदा हुआ और एक औरत ने जन्म पर गवाही दी और बान्दी ने दावा किया कि यह बच्चा वही गर्भ है और मालिक ने वही गर्भ होने से इन्कार किया तो बान्दी इस के बच्चे की माँ होगी और बच्चे का वंश इस से साबित न होगा और अगर मालिक ने स्वीकार किया कि यह वही गर्भ है और यह मेरा है हालांकि स्वीकार से दो वर्ष बाद जन्मी है तो यह बच्चा मालिक की औलाद में से होगा और मालिक का यह कथन कि यह वही गर्भ है अभ्यस्त होगा अमान्य (1) क़रार दिया जायेगा और अगर एक मर्द पर दो गवाहों में से एक ने गवाही दी कि इस ने अपनी इस बान्दी की लिए कहा कि यह मुझ से जन्मी है और दूसरे ने गवाही दी कि इस ने उस बान्दी की लिए कहा

(1)यानी वंश के सबूत का आधार यह कथन होगा कि यह मेरा नहीं जब कि यह वही गर्भ से है बस निष्कर्ष यह कि बच्चे की माँ होना नवीन स्वीकार से है न पुराने स्वीकार से।

वो मुझ से हामिला है तो वो इस की उम्मे वल्द होगी कि अल्बत्ता दोनों ने इस पर इत्तफ़ाक़ किया है और इसी तरह अगर एक ने कहा कि इस ने इक़रार किया है कि यह मुझ से पिसर जनी और दूसरे ने कहा कि इस ने इक़रार किया है कि यह मुझ से दुख़्तरी जनी है तो भी यही हुक्म है क्योंकि दोनों गवाहों की गवाही में इस अम्र पर इत्तफ़ाक़ है कि यह बान्दी इस की उम्मे वल्द है यह मुहीत में है। एक मर्द ने अपनी बान्दी से कहा कि अगर तेरे पेट में लड़को हो तो वो मेरे नुत्फ़ा से है और अगर लड़की हो तो मुझ से नहीं है तो बच्चा का नसब इस से बहरहाल साबित होगा ख़्वाह लड़की जनी या लड़का और अगर कहा कि अगर तेरे पेट में बच्चा हो तो मुझ से है तो दो साल (1) फिर वो छः महीने से कम में जनी तो बच्चे का नसब इस (2) से साबित होगा और अगर छः महीने से ज़्यादा में जनी तो नसब इस से साबित न होगा और वक़्त मुक़र्रर करना बातिल है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर एक बान्दी खरीदी जिस के तीन औलाद हैं फिर इन में से एक के नसब का दावा किया पस अगर यह सब एक ही (3) बतन से पैदा हुए हों तो सब इस से साबित होगा और मुख़्तलिफ़ बतनों से पैदा हुए हों तो फ़क़त इसी का नसब इस से साबित होगा जिस का दावा किया है और बाक़ी दोनों रक़ीक़ रहेंगे कि चाहे इन को फ़रोख़्त कर दे और अगर इस की मिल्क में यह औलाद पैदा हुई हो मसलन एक शख़्स की बान्दी तीन औलाद मुख़्तलिफ़ बतनों से जनी पस अगर मौला ने सब से छोटे के नसब का दावा किया तो इसी का नसब मौला से साबित होगा और बाक़ी दोनों रक़ीक़ हैं चाहे इन को फ़रोख़्त करदे और यह बिल इत्तफ़ाक़ है और अगर इस ने सब से बडे के नसब का दावा किया तो इस का नसब मौला से साबित होगा और बाक़ी दोनों अपनी मां के ताबअ बमन्ज़िला अपनी मां के होंगे कि इन को फ़रोख़्त नहीं कर सकता है मगर मौला से इन्कार नसब साबित न

(1) यानी मुद्दत कसीर ज़ायद दो बरस से।
(2)अगर मौला ने दावा किया तो इस के इक़रार पर आज़ाद हो जायेगा मगर वंश साबित न होगा।
(3) एक ही दफ़ा के हमल से पैदा हुए हों।

कि वह मुझ से गर्भवती है तो वह इस के बच्चे की माँ होगी कि अल्बत्ता दोनों ने इस पर सहमती जताई है और इसी तरह अगर एक ने कहा कि इस ने स्वीकार किया है कि यह मुझ से लड़का जन्मी और दूसरे ने कहा कि इस ने स्वीकार किया है कि यह मुझ से लड़की जन्मी है तो भी यही आदेश है क्योंकि दोनों गवाहों की गवाही में इस बात पर सहमति है कि यह बान्दी इस के बच्चे की माँ है यह मुहीत में है। एक मर्द ने अपनी बान्दी से कहा कि अगर तेरे पेट में लड़का हो तो वह मेरे वीर्य से है और अगर लड़की हो तो मुझ से नहीं है तो बच्चे का वंश इस से हर हाल में सिद्ध होगा चाहे लड़की जन्मी या लड़का और अगर कहा कि अगर तेरे पेट में बच्चा हो तो मुझ से है तो दो साल (1) फिर वह छः महीने से कम में जन्मी तो बच्चे का वंश इस (2) से साबित होगा और अगर छः महीने से ज़्यादा में जन्मी तो वंश इस से सिद्ध न होगा और समय निश्चित करना अमान्य है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर एक बान्दी खरीदी जिस के तीन औलाद हैं फिर इन में से एक के वंश का दावा किया बस अगर यह सब एक ही (3) पेट से पैदा हुए हों तो सब इस से सिद्ध होगा और विभिन्न शरीरों से पैदा हुए हों तो केवल इसी का वंश इस से साबित होगा जिस का दावा किया है और बाक़ी दोनों गुलाम रहेंगे कि चाहे इन को बेच दे और अगर इस की अधीनता में यह औलाद पैदा हुई हो मसलन एक व्यक्ति की बान्दी तीन औलाद विभिन्न शरीरों से जनी बस अगर मालिक ने सब से छोटे के वंश का दावा किया तो उसी का वंश मालिक से साबित होगा और बाक़ी दोनों रक़ीक़ हैं चाहे इन को बेचदे और यह सर्व-सहमति है और अगर इस ने सब से बड़े के वंश का दावा किया तो इस का वंश मालिक से साबित होगा और बाक़ी दोनों अपनी माँ के अधीन क्रमश अपनी माँ के होंगे कि इन को बेच नहीं सकता है मगर मालिक से इन्कार वंश साबित न होगा। यह मबसूत में है एक मर्द

(1) यानी ज़्यादा समय दो वर्ष से ज़्यादा।
(2)अगर मालिक ने दावा किया तो इस के स्वीकार पर आज़ाद हो जायेगी मगर वंश साबित न होगा।
(3) एक ही दफ़ा के गर्भ से पैदा हुए हों।

होगा। यह मबसूत में है एक मर्द की एक बान्दी है कि इस से वती करता है और हर बार अज़ल (1) कर लेता है फिर यह बान्दी कहीं ग़ायब हुई यानी एक ज़माने तक इस के हुज़ूर से ग़ायब रही फिर लोट आई और वक्त ग़ायब होने से छः हीने पर बच्चा जनी है तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि अगर ऐसे शख़्स की तरफ़ गई थी जो इस से मुतिम था और मौला का ग़ालिब गुमान यह है कि इस बान्दी ने मजबूर किया है तो मौला को इस के बच्चे की नफ़ी कर देने की गुंजाइश है कि यह मेरा नहीं है और अगर इस का फ़ुजूर ज़ाहिर न हो और मौला की ग़ालिब राये यह है कि अफ़ीफ़ा है तो मौला को इस के बच्चे का नफ़ी करना न चाहिए और चाहिए कि गवाह कर दे कि यह मेरी उम्मे वल्द है ताकि ऐसा न हो कि इस की मौत के बाद इस का बच्चा रक़ीक़ बनाया जाये यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर किसी बान्दी ने किसी मर्द को धोका दिया और कहा कि मैं हुर्रह हूं पस इस ने निकाह किया और उस से औलाद हुई फिर बान्दी के मौला ने अपना इस्तहक़ाक़ साबित किया तो मौला के वास्ते अमन बान्दी के मिलने और औलाद की क़ीमत मिलने और वती कुनिन्दह से उक़्र मिलने का हुक्म दिया जायेगा :

अगर अपनी बान्दी से वती करता है और अज़ल नहीं करता है और इस को महफ़ूज़ (2) कर लिया है फिर इस के बच्चा पैदा हुआ तो दयानत की राह से 'फ़ीमा बैनहू व बैनल्लाहि तआला' मौला को रवा नहीं है कि इस बच्चे को फ़रोख़्त करे और इस पर वाजिब है कि ऐतराफ़ करे कि यह मेरा है और अगर इस से अज़ल करता हो और इस को महफ़ूज़ न किया हो तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक मौला को रवा है कि इस के बच्चे की नफ़ी करे यह सिराज वहाज में है और अगर

(1) वक्त इन्ज़ाल के निकाल कर बाहर इन्ज़ाल करता है।
(2) कि किसी दूसरे का हाथ इस पर नहीं पहुंच सकता।

की एक बान्दी है कि इस से संभोग करता है और हर बार बर्थ कन्ट्रोल (1) कर लेता है फिर यह बान्दी कहीं ग़ायब हुई यानी एक ज़माने तक इस के पास से ग़ायब रही फिर लोट आई और ग़ायब होने के समय से छः हीने पर बच्चा जनी है तो विद्वानों ने कहा कि अगर ऐसे व्यक्ति की तरफ़ गई थी जो इस से बच्चा जन्म के निकट था और मालिक की प्रबल राय यह है कि इस बान्दी ने ज़बर दस्ती की है तो मालिक को इस के बच्चे के इंकार कर देने की गुंजाइश है कि यह मेरा नहीं है और अगर इस के कुकर्म प्रकट न हो और मालिक की प्रबल राये यह है कि पवित्र है तो मालिक को इस के बच्चे से इंकार नहीं करना चाहिए और चाहिए कि गवाह कर दे कि यह मेरे बच्चे की माँ है ताकि ऐसा न हो कि इस की मौत के बाद इस का बच्चा ग़ुलाम बनाया जाये यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर किसी बान्दी ने किसी मर्द को धोका दिया और कहा कि मैं आज़ाद हूं बस इस ने निकाह किया और उस से औलाद हुई फिर बान्दी के मालिक ने अपनी पात्रता साबित की तो, मालिक के लिए सुरक्षा, बान्दी के मिलने और औलाद की क़ीमत मिलने और संभोग करने वाले से बदले में रक़म मिलने का आदेश दिया जायेगा :

अगर अपनी बान्दी से संभोग करता है और अज़ल (संभोग के समय वीर्य योनि के बाहर निकालना) नहीं करता है और इस को सुरक्षित (2) कर लिया है फिर इस के बच्चा पैदा हुआ तो सत्य की राह से ' उसके और अल्लाह सर्वशक्तिमान के बीच' मालिक को जाइज़ नहीं है कि इस बच्चे को विक्रय करे और इस पर अनिवार्य है कि स्वीकार करे कि यह मेरा है और अगर इस से जन्म नियंत्रण करता हो और इस को सुरक्षित न किया हो तो इमाम आज़म रह० के निकट मालिक को जाइज़ है कि

(1) वीर्यपात के समय निकाल कर बाहर वीर्य झाड़ता है।
(2) कि किसी दूसरे का हाथ इस पर नहीं पहुंच सकता।

किसी की उम्मे वल्द इस पर हमैशा के वास्ते हराम हो गई बईं तौर कि मौला के पिसर ने इस उम्मे वल्द से वती कर ली या बाप ने वती करली या मौला ने इस की दुख़्तर या मां से वती कर ली फिर छः महीने से .ज़्यादा के बाद इस के बच्चा पैदा हुआ तो बाद तहरीम के जो बच्चा इस का हुआ है बदूने मौला के दावा के इस का नसब मौला से साबित न होगा और अगर मौला ने दावा किया तो नसब साबित हो जायेगा इस वास्ते कि हराम हो जाने से मुल्क ज़ायल नहीं होती है यह बदाऐ में है और अगर किसी बान्दी ने किसी मर्द को धोका दिया और कहा कि मैं हुर्रह हूं पस इस ने निकाह किया और इस से औलाद हुई फिर बान्दी के मौला ने अपना इस्तहक़ाक़ साबित किया तो मौला के वास्ते अमन बान्दी के मिलने और औलाद की क़ीमत मिलने और वती कुनिन्दह से अक़र मिलने का हुक्म दिया जायेगा फिर जब वो आज़ाद हो जायेगी तो औलाद का बाप इस से औलाद की क़ीमत वापिस लेगा और अगर औलाद के बाप ने निस्फ़ बान्दी इस के मौला से खरीदी तो इस की उम्मे वल्द हो जायेगी और इस की निस्फ़ क़ीमत इस के मोला को तावान भी देदेगा। यह मबसूत में है।

ज़ैद ने बकर की उम्मे वल्द को उज़्रो से खरीदा और ज़ैद को इस का इल्म नहीं है फिर ज़ैद से इस के एक बच्चा पैदा हुआ फिर बकर ने इस का दावा किया और इस के वास्ते हुक्म हो गया तो ज़ैद बकर के वास्ते बच्चे की क़ीमत बसबब धोके के वाजिब होगी यह ज़हीरिया में है और अगर अपने ऐसे गुलाम की निस्बत कहा कि यह मेरा (1) लड़का है कि ऐसी उम्र का बेटा ऐसे शख़्स के नहीं हो सकता है तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक इस की तरफ़ से आज़ाद हो गया और आया इस की मां इस की उम्मे वल्द होगी या नहीं तो असह यह है कि इक़रार इस की मां के उम्मे वल्द होने का इक़रार है यह सिराज वहाज में है। अगर अपने बाप के

(1) मसलन पचास बरस का गुलाम है और मालिक पचपन बरस का है या चालीस बरस का है।

इस के बच्चे को नकारे यह सिराजुल वहाज में है और अगर किसी मालिक के बच्चे की माँ इस पर हमेशा के लिए निषिद्ध हो गई इस तरह कि मालिक के लड़के ने इस बच्चे की माँ से संभोग कर लिया या बाप ने संभोग कर लिया या मालिक ने इस की लड़की या माँ से संभोग कर लिया फिर छः महीने से .ज़्यादा के बाद इस के बच्चा पैदा हुआ तो बहिष्कार करने के बाद जो बच्चा उस को हुआ है सिवा मालिक के दावे के इस का वंश मालिक से साबित न होगा और अगर मालिक ने दावा किया तो वंश साबित हो जायेगा इस लिए कि निषिद्ध हो जाने से अधीनता नष्ट नहीं होती है यह बदाऐ में है और अगर किसी बान्दी ने किसी मर्द को धोका दिया और कहा कि मैं आज़ाद हूं बस इस ने निकाह किया और इस से संतान हुई फिर बान्दी के मालिक ने अपनी प्रतिभा साबित की तो मालिक के लिए अमन बान्दी के मिलने और संतान की क़ीमत मिलने और संभोग करने वाले से संभोग के बदले की रक़म देने का आदेश दिया जायेगा फिर जब वह आज़ाद हो जायेगी तो औलाद का बाप इस से औलाद की क़ीमत वापिस लेगा और अगर औलाद के बाप ने आधी बान्दी इस के मालिक से खरीदी तो इस के बच्चे की माँ हो जायेगी और इस की आधी क़ीमत इस के मालिक को क्षतिपूर्ति भी दे देगा। यह मबसूत में है।

ज़ैद ने बकर की बच्चे की माँ को उज़्रो से खरीदा और ज़ैद को इस का ज्ञान नहीं है फिर ज़ैद से इस के एक बच्चा पैदा हुआ फिर बकर ने इस का दावा किया और इस के लिए आदेश हो गया तो ज़ैद पर बकर के लिए बच्चे की क़ीमत धोके के कारण अनिवार्य होगी यह ज़हीरिया में है, और अगर अपने ऐसे गुलाम के लिए कहा कि यह मेरा (1) लड़का है कि ऐसी उम्र का बेटा ऐसे व्यक्ति के नहीं हो सकता है तो इमाम आज़म रह० के निकट इस की ओर से आज़ाद हो गया और आया इस की माँ इस के बच्चे की माँ होगी या नहीं तो असह यह है कि इक़रार इस की माँ के बच्चे की माँ होने का स्वीकार है यह सिराजुल वहाज में है। अगर अपने बाप

(1) मसलन पचास बरस का गुलाम है और मालिक पचपन बरस का है या चालीस बरस का है।

तसर्रुफ़ वती में आई हुई बान्दी से इस्तीला किया तो बच्चे का नसब इस से साबित होगा यह क़ीना में है।

अगर बाप ने अपने बेटे की बान्दी से वती की और इस के बच्चे पैदा हुआ और बाप ने इस का दावा किया तो बाप से इस उस का नसब साबित होगा और यह बान्दी उस की उम्मे वल्द हो जायेगी ख़्वाह बेटे ने इस की तसदीक़ की हो या तकज़ीब की हो ख़्वाह बाप ने शुब्हा किया हो या न किया हो यह सिराज वहाज में है और बाप पर इस बान्दी की क़ीमत वाजिब होगी मगर अक़र और बच्चे की क़ीमत नहीं वाजिब होगी यह काफ़ी में है और इस इस्तीलाद के सही होने की शर्त यह है कि बान्दी वक़्त उलूक़ से ता वक़्त दावा नसब पिसर की मिल्क में हो और बाप इस वक़्त से अहलियत दावा भी रखता हो। चुनांचे अगर बेटे ने बान्दी को फ़रोख़्त कर दिया फिर खरीदा या इस को वापिस दी गई और वक़्त बैअ से छः महीने से कम में जनी पस बाप ने दावा किया तो सही न होगा और इस सूरत में कि बेटा इस के दावा की तसदीक़ करे जैसे कोई अजनबी दावा करे और बेटा तसदीक़ करे तो भी यही हुक्म है और तीसरा अगर बाप काफ़िर हो फिर मुसलमान हो गया या ग़ुलाम हो फिर आज़ाद हो गया या मजनून हो फिर इस को इफ़ाक़ा हो गया फिर वक़्त इस्लाम या इतक़ या इफ़ाक़ा से छः महीने से कम में ता वक़्त दावा वो जनी पस इस ने दावा किया तो सही नहीं है क्योंकि बाप को अहलियत दावा हासिल न थी लेकिन अगर बेटा तसदीक़ करे तो नसब साबित होगा यह फ़तह उल क़दीर में है। पस अगर बेटे ने तसदीक़ कर ली तो बच्चा का नसब इस के बाप से साबित होगा मगर बाप इस बान्दी का मालिक न होगा और यह बच्चा इस के पिसर यानी बान्दी के मौला की तरफ़ से आज़ाद हो जायेगा इस वास्ते कि इस के ज़अम के मुवाफ़िक़ वो अपने भाई का मालिक हुआ यह तबयुन में है और अगर मअतूह ने अपने इफ़ाक़ा के वक़्त दावा किया हालांकि वो वक़्त इफ़ाक़ा (1) से छः महीने से कम में जनी है तो क़यासन नहीं सही है इस वास्ते कि उलूक़

(1) जिस वक़्त इफ़ाक़ा हुआ इस वक़्त सेशुमार किया गया तो छः महीने से कम हुए थे औरयह मतलब नहीं है कि बराबर इस को इफ़ाक़ा रहा फिर छः महीने से कम गुज़रे थे कि बच्चा हुआ।

के उपभोग संभोग में आई हुई बान्दी से बच्चा पैदा किया तो बच्चे का वंश इस से साबित होगा यह क़ीना में है।

अगर बाप ने अपने बेटे की बान्दी से संभोग किया और इस के बच्चे पैदा हुआ और बाप ने इस का दावा किया तो बाप से उस का वंश साबित होगा और यह बान्दी उस की बच्चे की माँ हो जायेगी चाहे बेटे ने इस की पुष्टि की हो या झुटलाया हो चाहे बाप ने संदेह किया हो या न किया हो यह सिराजुल वहाज में है और बाप पर इस बान्दी की क़ीमत अनिवार्य होगी मगर उक्र (वह रक़म आदि जो बीवी के सिवा ग़ैर औरत के साथ संभोग करने से अनिवार्य होती है) और बच्चे की क़ीमत अनिवार्य नहीं होगी यह अल-काफ़ी में है और इस इस्तीलाद यानी ऐसी मुक्ति जो बांदी के गर्भ से बच्चा जन्ने के कारण हो के सही होने की शर्त यह है कि बान्दी गर्भशिय में भ्रूण बन्ने के समय से लड़के के वंश के दावे के समय तक अधीनता में हो और बाप इस समय से योगयता का दावा भी रखता हो। चुनांचे अगर बेटे ने बान्दी को बेच दिया फिर खरीदा या इस को वापिस दी गई और बेचने के समय से छः महीने से कम में जन्मी बस बाप ने दावा किया तो सही न होगा और इस स्थिति में कि बेटा इस के दावा की पुष्टि करे जैसे कोई अजनबी दावा करे और बेटा पुष्टि करे तो भी यही आदेश है और तीसरा अगर बाप काफ़िर हो फिर मुसलमान हो गया या ग़ुलाम हो फिर आज़ाद हो गया या पागल हो फिर सही हो गया हो फिर इस्लाम लाने के समय या मुक्ति या सही होने के समय से छः महीने से कम में दावा के समय तक वह जन्मी बस इस ने दावा किया तो सही नहीं है क्योंकि बाप को योग्यता का दावा प्राप्त न थी लेकिन अगर बेटा पुष्टि करे तो वंश साबित होगा यह फ़तह उल क़दीर में है। बस अगर बेटे ने पुष्टि कर ली तो बच्चा का वंश इस के बाप से सिद्ध होगा मगर बाप इस बान्दी का मालिक न होगा और यह बच्चा इस के लड़के यानी बान्दी के मालिक की ओर से आज़ाद हो जायेगा इस लिए कि इस के विचार के अनुसार वह अपने भाई का मालिक हुआ यह तबय्यीन में है और अगर पागल ने अपने रोगमुक्त होने के समय दावा किया हालांकि वह

के वक्त वो अहलियत नहीं रखता था और इस्तहसानन सही है इस वास्ते कि अता मुबतिले हक़ व विलायत नहीं है बल्कि अजिज़ अज़ (1) अमल है यह फ़तहुल क़दीर में है।

अगर पिसर ने अपनी बान्दी अपने बाप के निकाह में दे दी और इस से बच्चा पैदा हुआ तो बान्दी इस की उम्मे वल्द न हो जायेगी और बाप पर इस बच्चे की क़ीमत कुछ न होगी हां इस पर महर वाजिब होगा और बच्चा आज़ाद होगा यह इख़्तयार शरह मुख़्तार में है और अगर बान्दी मज़कूरह पिसर की मुदब्बर या उम्मे वल्द हो कि क़ीमत से बाप की मिल्क में मुन्तक़िल न हो सकती हो तो बाप का दावा करना बातिल होगा यह किफ़ाया में है और दादा ने अगर सगे पोते की बान्दी से वती की फिर इस के बच्चे के नसब का दावा किया तो नसब साबित न होगा अगर बाप मौजूद हुआ इस वास्ते कि बाप के होते हुए दादा की विलायत मुन्क़तअ है फिर जब बाप मर गया और इस के बाद दादा ने दावा किया तो इस से नसब साबित होगा और इसी तरह अगर बाप मौजूद हो मगर ऐसा हो कि इस की विलायत कुछ नहीं है जैसे गुलाम या काफ़िर व मजनून वग़ैरह हो तो विलायत दादा की साबित है पस इस का दावा नसब सही होगा और अगर बाप की विलायत उद किया मसलन दादा के दावा से पहले वो मुसलमान हो गया या आज़ाद कर दिया गया या इफ़ाक़ा हो गया तो फिर दादा का दावा क़बूल न होगा और अगर बाप मुरतिद हुआ तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक इस का दावा नसब गुलाम से मौक़ूफ़ रहेगा पस अगर बाप मुसलमान हो गया तो दादा का दावा सही न हो और अगर हालत रोत पर मरा या दारूल हरब में चला गया और इस के दारूल हरब में जा मिलने का हुक्म दे दिया गया तो दादा का दावा सही हो जायेगा और अगर मौला ने बान्दी को फ़रोख़्त किया और वो हामिला है फिर उक्र दोबारह खरीद लेने से इस की मिल्क में वापिस आई या इफ़ाक़ा रहा फिर

(1) कि मुआफ़िक़ विलायत के कार बन्द नहीं हो सकता।

रोग-मुक्त होने समय (1) से छः महीने से कम में जन्मी है तो अनुमानित सही नहीं है इस लिए कि गर्भाशय में भ्रूण बन्ने के समय वह योग्यता नहीं रखता था और उपकार के तौर पर सही है, इस लिए कि पागलपन में अधिकार व स्वामित्व नहीं है बल्कि कार्य से असमर्थता (2) है यह फ़तहुल क़दीर में है।

अगर लड़के ने अपनी बान्दी अपने बाप के निकाह में दे दी और इस से बच्चा पैदा हुआ तो बान्दी इस की उम्मे वल्द न हो जायेगी और बाप पर इस बच्चे की क़ीमत कुछ न होगी हां इस पर महर अनिवार्य होगा और बच्चा आज़ाद होगा यह अधिकार शरह मुख़्तार में है और अगर बान्दी वर्णितह लड़के को मरणोपरांत मुक्त या उम्मे वल्द हो कि क़ीमत से बाप की अधीनता में हस्तांतरित न हो सकती हो तो बाप का दावा करना अमान्य होगा यह किफ़ाया में है और दादा ने अगर सगे पोते की बान्दी से संभोग की फिर इस के बच्चे के वंश का दावा किया तो वंश साबित न होगा अगर बाप मौजूद हुआ इस लिए कि बाप के होते हुए दादा की विरासत खंडित है फिर जब बाप मर गया और इस के बाद दादा ने दावा किया तो इस से वंश सिद्ध होगा और इसी तरह अगर बाप मौजूद हो मगर ऐसा हो कि इस की विरासत कुछ नहीं है जैसे गुलाम या काफ़िर व पागल आदि हो तो दादा की विरासत सिद्ध है बस इस का वंश का दावा सही होगा और अगर बाप की विरासत की ओर पलटा मसलन दादा के दावा से पहले वह मुसलमान हो गया या आज़ाद कर दिया गया या रोग-मुक्त हो गया तो फिर दादा का दावा स्वीकार न होगा और अगर बाप धर्मभ्रष्ट हुआ तो इमाम आज़म रह० के निकट इस का दावा वंश गुलाम से स्थगित रहेगा बस अगर बाप मुसलमान हो गया तो दादा का दावा सही न हुआ और अगर हालत रोग पर मरा या दारूल हरब में चला गया और इस के दारूल हरब में जा मिलने का आदेश दे दिया गया तो दादा का दावा सही हो जायेगा और अगर मालिक ने बान्दी को बेच दिया

(1) जिस समय सही हुआ इस समय से माना गया तो छः महीने से कम हुए थे और यह मतलब नहीं है कि बराबर यह सही रहा फिर छः महीने से कम गुज़रे थे कि बच्चा हुआ।
(2) कि उत्तराधिकारी के समान बाध्य नहीं हो सकता।

छः महीने से कम गुज़रे थे कि बच्चा हुआ। बसबब ऐब या ख़्यार शर्त या फ़साद बैअ के इस को वापिस दी गई और वक्त बैअ से छः महीने से कम में बच्चा जनी तो दादा का या बाप का दावा सही न होगा इल्ला आंकि बेटा या पोता तसदीक़ करे तो इस से नसब साबित हो जायेगा और बान्दी बक़ीमत इस की उम्मे वल्द होगी मगर बच्चा मुफ़्त आज़ाद होगा यह खातिया उल बयान में है। और अगर अपनी बीवी या बाप दादा की बान्दी से वती की और वो बच्चा जनी और बच्चा के नसब का दावा किया तो नसब साबित न होगा मगर इस के ज़िम्मे से हद ज़िना बशुब्हा साक़ित की जायेगी और अगर इस ने दावा किया कि मेरे वास्ते इस के मौला ने हलाल कर दी तो नसब साबित न होगा इल्ला आंकि हलाल कर देने के दअवे में मौला तसदीक़ करे और इस अम्र की तसदीक़ करे कि बच्चा इसी का है पस अगर दोनों बातों की तसदीक़ की तो नसब साबित होगा वरना नहीं और अगर मौला ने तकज़ीब की फिर कभी किसी वक्त इस बान्दी का मालिक हुआ तो नसब साबित हो जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है।

अगर मौला ने अपने मकातब की बान्दी से वती की और इस से बच्चा पैदा हुआ और इस का दावा किया पस अगर मकातब ने तसदीक़ की तो नसब मौला से मौला से साबित होगा और मौला पर इस बान्दी का अक़र और इस बच्चे की क़ीमत वाजिब होगी और बान्दी इस की उम्मे वल्द न हो जायेगी और अगर मकातब ने तकज़ीब की तो नसब साबित न होगा यह हिदाया में है और यह बच्चा जिसने नसब का मौला ने दावा किया है और बसबब इन्कार मकातब के मौला से इस का नसब साबित नहीं हुआ है अगर कभी मौला इस बच्चे का मालिक हुआ तो मिल्क के वक्त मौला से इस का नसब साबित होगा और मबसूत में मज़कूर है कि दर सूरत तसदीक़ मकातब के अगर मौला इस बान्दी का कभी मालिक हुआ तो यह इस की उम्मे वल्द हो जायेगी यह निहाया में है और अगर किसी मर्द ने अपनी बान्दी को और वह गर्भवती है फिर दोबारा ख़रीद लेने से उस की अधीनता में वापस आई या ऐब के कारण या ख़्यार शर्त (अनुबंध करने वाले या उन में से एक अनुबंध के बारे में सेच-विचार करने की शर्त लगाए) या सौदे में त्रुटि के कारण इस को वापिस दी गई और बिक्री से छः महीने से कम में बच्चा जन्मी तो दादा का या बाप का दावा सही न होगा सिवा यह कि बेटा या पोता पुष्टि करे तो इस से वंश साबित हो जायेगा और बान्दी कीमत से इस के बच्चे की माँ होगी मगर बच्चा मुफ़्त आज़ाद होगा यह खातिया उल बयान में है। और अगर अपनी बीवी या बाप, दादा की बान्दी से संभोग किया और वह बच्चा जन्मी और बच्चा के वंश का दावा किया तो वंश साबित न होगा मगर इस के ज़िम्मे से ज़िना की सज़ा संदेह के कारण रोक दी जायेगी और अगर इस ने दावा किया कि मेरे लिए इस के मालिक ने हलाल कर दी तो वंश साबित न होगा सिवा यह कि जाइज़ कर देने के दअवे में मालिक पुष्टि करे और इस कार्य की पुष्टि करे कि बच्चा इसी का है बस अगर दोनों बातों की पुष्टि की तो वंश साबित होगा वरना नहीं और अगर मालिक ने झुठलाया फिर कभी किसी समय इस बान्दी का मालिक हुआ तो वंश साबित हो जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है।

अगर मालिक ने अपने मकातब यानी तैय रक़म देकर आज़ाद होने वाली बान्दी से संभोग किया और इस से बच्चा पैदा हुआ और इस का दावा किया बस अगर मकातब/तैय रक़म देकर आज़ाद होने वाली ने पुष्टि की तो वंश मालिक से सिद्ध होगा और मालिक पर इस बान्दी का अक्र (वह रक़म आदि जो बीवी के सिवा ग़ैर औरत के साथ संभोग करने से अनिवार्य हो) और इस बच्चे की क़ीमत लागू होगी और बान्दी इसके बच्चे की माँ न होगी और अगर मकातब/तैय रक़म देकर मुक्त होने वाली ने झुठलाया तो वंश साबित न होगा यह हिदाया में है और यह बच्चा जिसे वंश के मालिक ने दावा किया है और इन्कार के कारण मकातब/तैय रक़म देकर मुक्त होने वाली के मालिक से इस का वंश साबित नहीं हुआ है अगर कभी मालिक इस बच्चे का मालिक हुआ तो अधीनता के समय मालिक से इस का वंश साबित होगा और मबसूत

मकातब किया और इस के बच्चा पैदा हुआ (1) जिस का नसब मअरूफ़ नहीं है पस मौला ने इस क नसब का दावा किया तो मौला से इस का नसब साबित होगा ख़्वाह मकातबा इस की तसदीक़ करे या तकज़ीब और ख़्वाह वक्त किताबत से छः महीने पर जनी हो या कम में या ज़्यादह में बहरहाल नसब मौला से साबित होगा जबकि वो दावा करे और बच्चा आज़ाद होगा और मौला पर इस की बाबत कुछ ज़िमान भी वाजिब न होगी फिर अगर मकातबा मज़कूरह वक्त किताबत से छः महीने से ज़्यादा पर जनी हो तो मौला पर इस का उक्र वाजिब होगा फिर मकातबा को इख़्तयार है चाहे अपनी किताबत पर रहे और चाहे आजिज़ बन कर उम्मे वल्द हो जाये यह बदाऐ में है। और माज़ून में मज़कूर है कि ग़ुलाम माज़ून ने अगर एक बान्दी खरीदी और इसके बच्चे हो पस माज़ून ने इस के नसब का दावा किया तो नसब इस से साबित होगा और अगर महजूर हो तो साबित न होगा इल्ला इस सूरत में कि शुब्हा (1) का दावा करे। यह इताबिया में है।

देत = वह माल जो किसी इन्सानी जान के बदले दिया जाए यह सौ ऊंट या एक हज़ार दीनार या दस हज़ार दिरहम या उनके बराबर की करनसी है
अरश = वह रक़म आदि जो मक़तूल/जिसकी हत्या हुई हो के वरिसों को या हताहत होने वाले को बदले में दी जाए
वती = औरत से संभोग सेक्स करना
उक्र = वह रक़म आदि जो बीवी के सिवा ग़ैर औरत के साथ संभोग करने से अनिवार्य हो

(1) यह मकातिबा किसी मर्द के निकाह में नही है।
(2) वती शुबह में वाक़े हुई।

में वर्णित है कि पुष्टि की स्थिति में मकातब/तैय रक़म देकर मुक्त होने वाली के अगर मालिक इस बान्दी का कभी मालिक हुआ तो यह इस की बच्चे की माँ हो जायेगी यह निहाया में है और अगर किसी मर्द ने अपनी बान्दी को मकातब (तैय रक़म देकर मुक्त होने वाली) किया और इस के बच्चा पैदा हुआ (1) जिस का वंश प्रसिद्ध नहीं है बस मालिक ने इस के वंश का दावा किया तो मालिक से इस का वंश साबित होगा चाहे मकातबा/तैय रक़म देकर मुक्त होने वाली इस की पुष्टि करे या झुठलाया और चाहे किताबत/मुक्ति पाने के समय से छः महीने पर जन्मी हो या कम में या ज़्यादा में हर हाल में वंश मालिक से साबित होगा जबकि वह दावा करे और बच्चा आज़ाद होगा और मालिक पर इस की बाबत कुछ ज़मानत भी अनिवार्य न होगी फिर अगर वर्णित मकातबा/तैय रक़म देकर मुक्त होने वाली मुक्ति पाने के समय से छः महीने से ज़्यादा पर जन्मी हो तो मालिक पर इस का उक्र अनिवार्य होगा फिर मकातबा/तैय रक़म देकर मुक्त होने वाली को अधिकार है चाहे अपनी किताबत/तैय रक़म देकर मुक्ति लेने पर रहे और चाहे अक्षम हो कर बच्चे की माँ हो जाये यह बदाऐ में है। और माज़ून में वर्णित है कि आज्ञा प्राप्त ग़ुलाम ने अगर एक बान्दी खरीदी और इसके बच्चा हो बस आज्ञा प्राप्त ने इस के वंश का दावा किया तो वंश इस से साबित होगा और अगर महजूर/जिस व्यवहारिक कथन का लागू होगा मना हो तो साबित न होगा सिवा इस स्थिति में कि संदेह (1) का दावा करे। यह इताबिया में है।

(1) यह तैय रक़म देकर मुक्त होने वाली किसी मर्द के निकाह में नही है।
(2) संभोग संदेह में घटित हुआ।

अगर एक बान्दी दो मर्दों में मुशतरिक हो पस दोनों की मिल्क में वो हामिला हुई फिर इसके बच्चा पैदा हुआ और एक ने इसका दावा किया तो इस से नसब साबित होगा और पूरी बान्दी इसकी उम्मे वल्द हो जायेगी :

अगर ऐसी बान्दी खरीदी जो इस से एक बच्चा जनी है मअ इस बच्चे के और मअ बान्दी की एक दुख़्तर के जो किसी दूसरे मर्द से पैदा हुई है खरीदी तो बान्दी इस की उम्मे वल्द हो जायेगी और इस को इस बान्दी के फ़रोख़्त का इख़्तयार न रहेगा हां इस की दुख़्तर को जो दूसरे मर्द से हुई थी फ़रोख़्त कर सकता है और अगर इस उम्मे वल्द को किसी दूसरे के निकाह में दे दिया और इस से एक बच्चा जनी तो इस को इस बच्चे के फ़रोख़्त का भी इख़्तयार नहीं है और अगर इस ने इन सब को आज़ाद कर दिया और फिर बाद इन के मुरतिद हो जाने और मुक़यद करके लाये जाने के इन को खरीद किया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० के नज़दीक जैसे थीं वैसे ही उद करेंगी कि बान्दी और इस की दूसरी दुख़्तर अख़ीरह के फ़रोख़्त का मुख़्तार न होगा और पहली दुख़्तर को फ़रोख़्त कर सकता है और इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि बान्दी को नहीं फ़रोख़्त कर सकता है और हर दो दुख़्तर को फ़रोख़्त कर सकता है यह ज़हीरिया में है और अगर एक बान्दी दो मर्दों में मुशतरिक हो पस दोनों की मिल्क में वो हामिला हुई फिर इस के बच्चे पैदा हुआ और एक ने इस का दावा किया तो इस से नसब साबित होगा और पूरी बान्दी इस की उम्मे वल्द हो जायेगी यानी निस्फ़ क़ीमत शरीक को तावान दे देगा ख़्वाह यह मुदई तंग हाल हो या मालदार हो और निस्फ़ उक़र का भी ज़ामिन होगा और क़ीमत वल्द में कुछ ज़ामिन न होगा और अगर दोनों ने साथ ही इस का दावा किया तो वो दोनों का वल्द क़रार दिया जायेगा और बान्दी दोनों की उम्मे वल्द होगी एक रोज़ एक की खिदमत करेगी और दूसरे रोज़ दूसरे की और कोई शरीक दूसरे के वास्ते इस बान्दी की क़ीमत में से कुछ ज़ामिन

अगर एक बान्दी दो मर्दों में साझा हो बस दोनों की अधीनता में वह गर्भवती हुई फिर उसके बच्चा पैदा हुआ और एक ने इस का दावा किया तो इस से वंश साबित होगा और पूरी बान्दी उसके बच्चे की माँ हो जाएगी :

अगर ऐसी बान्दी खरीदी जो इस से एक बच्चा जन्मी है इस बच्चे के सहित और बान्दी के सहित एक लड़की के जो किसी दूसरे मर्द से पैदा हुई है खरीदी तो बान्दी उस के बच्चे की माँ हो जायेगी और इस को इस बान्दी के बेचने का अधिकार न रहेगा हां इस की लड़की को जो दूसरे मर्द से हुई थी बेच सकता है और अगर इस बच्चे की माँ को किसी दूसरे के निकाह में दे दिया और इस से एक बच्चा जन्मी तो इस को इस बच्चे के बेचने का भी अधिकार नहीं है और अगर इस ने इन सब को आज़ाद कर दिया और फिर बाद इन के धर्मभ्रष्ट हो जाने और क़ैद करके लाये जाने के इन को खरीद लिया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० के निकट जैसे थीं वैसे ही वापस करेंगी कि बान्दी और इस की दूसरी अंतिम लड़की के बेचने का अधिकार न होगा और पहली लड़की को बेच सकता है और इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि बान्दी को नहीं बेच सकता है और दोनों लड़कियों को बेच सकता है यह ज़हीरिया में है और अगर एक बान्दी दो मर्दों में साझा हो बस दोनों की अधीनता में वह गर्भवती हुई फिर इस के बच्चे पैदा हुआ और एक ने इस का दावा किया तो इस से वंश साबित होगा और पूरी बान्दी इस के बच्चे की माँ हो जायेगी यानी आधी क़ीमत साझी को क्षतिपूर्ति दे देगा चाहे यह दावेदार निर्धन हो या मालदार हो और आधे उक़्र/राशी का भी गारंटर होगा और बच्चे की क़ीमत में कुछ गारंटर न होगा और अगर दोनों ने साथ ही इस का दावा किया तो वह दोनों का बच्चा क़रार दिया जायेगा और बान्दी दोनों के बच्चे की माँ होगी एक दिन एक की सेवा करेगी और दूसरे दिन दूसरे की और कोई साझी दूसरे के लिए इस बान्दी की क़ीमत में से कुछ ज़मानत न होगी हां हर एक दूसरे के

न होगा हां हर एक दूसरे के वास्ते निस्फ़ उक्र का ज़ामिन होगा तो वो क़िसास (अव्वलन बदला हो जायगा ना वोह देगा न वोह) हो जायेगा यह बदाऐ में है और यह बच्चा इन दोनों में से हर एक पिसर की कामिल मीरास पायेगा मगर यह दोनों इस से एक बाप की कामिल मीरास पाऐंगे यह हिदाया में है और अगर इस बान्दी को एक ने आज़ाद कर दिया या मर गया तो बिल इत्तफ़ाक़ कुल बान्दी आज़ाद हो जायेगी और इस पर सआयत भी लाज़िम न आयेगी और आज़ाद कुनिन्दह पर इमाम आज़म रह० के नज़दीक ज़िमान भी लाज़िम न होगी। यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

एक बान्दी दो शख़्सों में मुशतरिक है जिस में से एक का नवां हिस्सा है और दूसरे का दसवां हिस्सा है फिर वो एक बच्चा जनी और दोनों ने साथ ही इस का दावा किया तो वो दोनों का पिसर होगा और हर एक का पूरा पिसर होगा फिर अगर वो मर गया तो दोनों इस के वारिस होंगे इस तरह कि हर एक को निस्फ़ मीरास पदर मिलेगी और अगर इस ने कोई जिनायत की तो दोनों की रो गार बिरादरी इस के जुर्म के जुर्माना को निस्फ़ निस्फ़ अदा करेगी और अगर बान्दी ने जिनायत की तो दसवें हिस्से के मालिक पर और बाक़ी वाले पर बाक़ी जुर्माना वाजिब होगा और इसी तरह इस बान्दी की विला भी इसी हिसाब से दोनों की होगी यह ज़हीरिया में है। अगर एक बान्दी तीन या चार या पांच में मुशतरिक हो और इस के बच्चे का इन सब ने साथ ही दावा किया तो इस का नसब इन सब से साबित होगा और बान्दी इन सब की उम्मे वल्द हो जायेगी। यह इमाम आज़म रह० का क़ौल है अगरचे इन सब के हिस्से मुख्तलिफ़ हों मसलन एक का छटा हिस्सा और दूसरे का चौथाई और तीसरे का तिहाई और बाक़ी चौथे का हो बहरहाल इस के बच्चे का नसब इन सब से बराबर साबित होगा यानी हर एक का पूरा बेटा होगा और बान्दी में से हर एक के हिस्से के क़द्र बान्दी इस की उम्मे वल्द होगी और मुतअद्दी बहिस्सा-ए-शरीक न होगी हत्ता कि इस की खिदमत व कमाई व हासिलात इन सब में बक़द्र इन के हिसस के हर एक को मिलेगी यह बदाऐ में है एक बान्दी दो मर्दों

लिए आधा उक्र का गारंटर होगा तो वह बदला हो जायेगा (ना वह देगा न यह) यह बदाऐ में है और यह बच्चा इन दोनों में से हर एक लड़के की पूर्ण विरासत पायेगा मगर यह दोनों इस से एक बाप की पूर्ण विरासत पाऐंगे यह हिदाया में है और अगर इस बान्दी को एक ने आज़ाद कर दिया या मर गया तो सर्वसहमति से पूरी बान्दी आज़ाद हो जायेगी और इस पर कमा कर क़ीमत देने की कोशिश भी अनिवार्य न आयेगी और आज़ाद करने वाले पर इमाम आज़म रह० के निकट ज़मानत भी अनिवार्य न होगी। यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

एक बान्दी दो व्यक्तियों में साझा है जिस में से एक का नवां हिस्सा है और दूसरे का दसवां हिस्सा है फिर वह एक बच्चा जन्मी और दोनों ने साथ ही इस का दावा किया तो वह दोनों का लड़का होगा और हर एक का पूरा लड़का होगा फिर अगर वह मर गया तो दोनों इसके वारिस होंगे इस तरह कि हर एक को आधी सम्पत्ति पिता की मिलेगी और अगर इसने कोई ज़ियादती की तो दोनों की सामाजिक बिरादरी इस के जुर्म के जुर्माना को आधा आधा अदा करेगी और अगर बान्दी ने ज़ियादती की तो दसवें हिस्से के मालिक पर और बाक़ी वालों पर बाक़ी जुर्माना अनिवार्य होगा और इसी तरह इस बान्दी की विरासत भी इसी हिसाब से दोनों की होगी यह ज़हीरिया में है। अगर एक बान्दी तीन या चार या पांच में साझा हो और इस के बच्चे का इन सब ने साथ ही दावा किया तो इस का वंश इन सब से साबित होगा और बान्दी इन सब के बच्चे की माँ हो जायेगी। यह इमाम आज़म रह० का कथन है चाहे इन सब के हिस्से विभिन्न हों मसलन एक का छटा हिस्सा और दूसरे का चौथाई और तीसरे का तिहाई और बाक़ी चौथे का हो हरहाल में इस के बच्चे का वंश इन सब से बराबर साबित होगा यानी हर एक का पूरा बेटा होगा और बान्दी में से हर एक के हिस्से के जितनी बान्दी इस के बच्चे की माँ होगी और साझियों के अनेक हिस्सों में सम्मिलित न होगी यहां तक कि इस की सेवा व कमाई व प्राप्तियाँ इन सब में उतने हिस्से के हर एक को

में मुशतरिक है इस के दो बच्चे एक ही पेट से हुए(जौड़ा पैदा हुए आगे पीछे यानी जुड़वां) पस दोनों में से एक ने बड़े का यानी जो पहले पैदा हुआ है दावा किया और दूसरे ने छोटे का दावा किया तो दोनों बडे के मुदआ होंगे और अगर दोनों दो बतन से पैदा हुए (यानी जुड़वां न हुए) तो बडा इस के मुदआ का होगा और बान्दी इसी की उम्मे वल्द हो जायेगी। और इस का मुदआ बान्दी की निस्फ़ क़ीमत और निस्फ़ उक्र शरीक को तावान देगा और बच्चे की क़ीमत में कुछ तावान न देगा। इस वास्ते कि इस का उलूक़ आज़ादी के साथ हुआ है और दो छोटे बच्चे का नसब इस के मुदआ से इस्तहसानन साबित होगा मगर वो बच्चे की तमाम क़ीमत का शरीक अव्वल के वास्ते ज़ामिन होगा यह इताबिया में है। और अगर एक बान्दी दो मर्दों में शरीक हो पस एक ने कहा कि जो तेरे पेट में है अगर लडका हो तो वो मुझ से है और अगर लड़की हो तो मुझ से नहीं है और दूसरे ने कहा कि जो तेरे पेट में है अगर लड़की हो तो वो मेरा नुतफ़ा है और अगर लड़का हो तो वो मुझ से नहीं है। तो इस मसले में दो सूरतों में और आंकि यह दोनों कलाम इन दोनों के साथ ही सादिर हुए और इस सूरत में इस बतन से जो पैदा हुआ वो इन दोनों का होगा ख़्वाह लड़की हो या लड़का हो और अगर किसी से इन दोनों से पहले कलाम सादिर हुआ तो जो पैदा हुआ और वो इसी का होगा ख़्वाह लड़की हो या लड़का हो बशर्तेकि इन दोनों कलामों से छः महीने से कम में पैदा हुआ और अगर कलाम अव्वल से छः महीने पर और कलाम सानी से छः महीने से कम में पैदा हुआ तो वो दूसरे का होगा ख़्वाह लड़की हो या लड़का हो और अगर दोनों कलामों से छः महीने पर पैदा हुआ तो इस का नसब इन दोनों में से किसी से साबित न होगा इल्ला आंकि दावा अज़ सर नौ पाया जाये यह मुहीत में है।

अगर दो शरीकों की ममलूका मुशतरिक बान्दी दोनों के मालिक होने के वक़्त से छः महीने पर बच्चा जनी पस एक शरीक ने बान्दी का दावा किया कि यह मेरी दुख़्तर है और दूसरे शरीक ने इस बच्चे के नसब का दावा किया और हाल यह है कि हर एक ने जिस के

मिलेगी यह बदाऐ में है। एक बान्दी दो मर्दों में साझा है इस के दो बच्चे एक ही पेट से हुए (यानी जुड़वां आगे पीछे पैदा हुए) बस दोनों में से एक ने बड़े का यानी जो पहले पैदा हुआ है दावा किया और दूसरे ने छोटे का दावा किया तो दोनों बड़े के दावेदार होंगे और अगर दोनों दो बतन से पैदा हुए (यानी जुड़वां न हुए) तो बड़ा इस के तात्पर्य का होगा और बान्दी इसी के बच्चे की माँ हो जायेगी। और इस की सम्परित बान्दी की आधी क़ीमत और आधा उक्र साझी को क्षतिपूर्ति देगा और बच्चे की क़ीमत में कुछ क्षतिपूर्ति न देगा। इस लिए कि इस का गर्भाशय में भ्रूण की बनावट आज़ादी के साथ हुई है और दो छोटे बच्चे का वंश इस के माल से उपकार से साबित होगा मगर वह बच्चे की तमाम क़ीमत का पहले साझी के लिए गारंटर होगा यह इताबिया में है। और अगर एक बान्दी दो मर्दों में साझी हो बस एक ने कहा कि जो तेरे पेट में है अगर लड़का हो तो वह मुझ से है और अगर लड़की हो तो मुझ से नहीं है और दूसरे ने कहा कि जो तेरे पेट में है अगर लड़की हो तो वह मेरा वीर्य है और अगर लड़का हो तो वह मुझ से नहीं है। तो इस मसले में दो स्थितियों में और वह कि यह दोनों कथन इन दोनों के साथ ही लागू हुए और इस स्थिति में इस बतन से जो पैदा हुआ वह इन दोनों का होगा चाहे लड़की हो या लड़का हो और अगर किसी से इन दोनों से पहले कथन आदेश हुआ तो जो पैदा हुआ और वह इसी का होगा चाहे लड़की हो या लड़का हो बशर्तेकि इन दोनों कथनों से छः महीने से कम में पैदा हुआ और अगर कथन पहले से छः महीने पर और दूसरे कथन से छः महीने से कम में पैदा हुआ तो वह दूसरे का होगा चाहे लड़की हो या लड़का हो और अगर दोनों कथनों से छः महीने पर पैदा हुआ तो इस का वंश इन दोनों में से किसी से साबित न होगा सिवा वह कि दावा नए सिरे से पाया जाये यह मुहीत में है।

अगर दो साझीयों की ख़रीदी हुई साझा बान्दी दोनों के मालिक होने के समय से छः महीने पर बच्चा जनी बस एक साझी ने बान्दी का दावा किया कि यह मेरी लड़की है और दूसरे साझी ने इस बच्चे के वंश का दावा

नसब का दावा किया है ऐसा बच्चा इस के पैदा हो सकता है और दोनों कलाम साथ ही खारिज हुए तो बच्चे की दअवत ली होगी इस वास्ते कि वो बान्दी की दअवत के लिए असबक़ है अज़ राहे तक़दीर बदीं वजह कि बच्चे के नसब की दअवत इस्तीलाअ दी है और बान्दी के नसब का दावा दअवत तहरीर है और दअवत इस्तीलाद मुसतनद है और दावा तहरीर मुक़्तसर बक़द्र ज़रूरत होता है पस बच्चे के नसब का दावा मुस्तनद होगा पस इस के मुदआ पर बान्दी की निस्फ़ क़ीमत और निस्फ़ उक्र दूसरे के वास्तमे वाजिब होगा और यह न होगा कि चूंकि मुदआ नसब कनीज़ ने इस की तहरीर का दावा किया है कि यह मेरी दुख़्तर है लिहाज़ा बच्चे का मुदआ तावान से बरी हो जाये और अगर बान्दी दोनों की ममलूका होने के वक्त से छः महीने से कम में बच्चा जनी तो हर एक शरीक का दावा सही होगा क्योंकि किसी के दावा का कोई मर हज नहीं है इस वास्ते कि दोनों की दअवत इस सूरत में दावा (1) तहरीर है पस किसी को दूसरे पर सबक़त न हागी पस बच्चे का नसब इस के मुदआ से और बान्दी का नसब इस के मुदआ से साबित होगा फिर मुदआ वल्द अपने शरीक को बाबत वल्द के कुछ तावान न देगा और इस पर इत्तफ़ाक़ है और बान्दी के मुदआ पर बान्दी की बाबत भी इमाम आज़म रह० के नज़दीक कुछ तावान न होगा इस वास्ते कि वो इस दावा में ऐसा हुआ कि गोया इस ने शरीक की उम्म वल्द को आज़ाद कर दिया और उम्मे वल्द की रक़ियत इमाम आज़म रह० के नज़दीक कुछ मतक़्म नहीं हुई हे यानी क़ीमत वारिद होने में दाखिल नहीं है और मुदआ वल्द पर कुछ उक्र वाजिब न होगा और अगर बान्दी दोनों की मिल्क में आने के वक्त से छः महीने पर एक लड़की जनी फिर यह लड़की अपने वक्त पर एक लड़की जनी फिर दोनों में से हर एक ने एक एक लड़की का दावा किया तो हर दो दावा सही होंगे और दुख़्तर अव्वल के मुदआ पर बान्दी

(1)दावा तहरीर यह है कि बान्दी पर इस के बच्चे के वंश का दावा किया हालांकि इसे उलूक़ इस की मिल्क में न था और दावा इस्तीला आकि जिस के वल्द होने का मुदआ इस का उलूक़ मुमकिन है कि इस की मिल्क में हुआ हो वल कलाम उल मुफ़स्सल ने बाब ने अल वंश फ़िल मुजाहिद उल सालिस इनशीइयत क़ारजअ . मनाक।

किया और हाल यह है कि हर एक ने जिस के वंश का दावा किया है ऐसा बच्चा इस के पैदा हो सकता है और दोनों कथनों के साथ ही अलग हुए तो बच्चा का आह्वान लिया होगा इस लिए कि वह बान्दी की आह्वान के लिए सब से पहले है तक़दीर से सिवा इस कारण कि बच्चे के वंश का आह्वान यानी ऐसी मुक्ति जो बांदी के गर्भ से बच्चा जन्ने के कारण हो, दी है और बान्दी के वंश का दावा एक लिखित आह्वान है और ऐसी मुक्ति जो बांदी के गर्भ से बच्चा जन्ने के कारण हो का आह्वान प्रमाणित है और लिखित दावा संक्षिप्त ज़रूरत अनुसार होता है बस बच्चे के वंश का दावा प्रमाणित होगा बस इस के माल पर बान्दी की आधी क़ीमत और आधा उक्र दूसरे के लिए अनिवार्य होगा और यह न होगा कि चूंकि कनीज़ के वंश के दावे ने इस का लिखित दावा किया है कि यह मेरी लड़की है लिहाज़ा बच्चे का दावेदार क्षतिपूर्ति से बरी हो जाये और अगर बान्दी दोनों की ज़रखरीद होने के समय से छः महीने से कम में बच्चा जन्मी तो हर एक साझी का दावा सही होगा क्योंकि किसी के दावा का कोई संकोच नहीं है इस लिए कि दोनों की आह्वान इस स्थिति में लिखित दावा (1) है बस किसी को दूसरे पर बढ़त न होगी बस बच्चे का वंश इस के माल से और बान्दी का वंश इस के माल से सिद्ध होगा फिर संपदा अपने साझी के लड़के के आह्वान कुछ क्षतिपूर्ति न देगा और इस पर सहमति है और बान्दी के माल पर बान्दी के विषय में भी इमाम आज़म रह० के निकट कुछ क्षतिपूर्ति न होगी इस लिए कि वह इस दावा में ऐसा हुआ कि गोया इस ने साझी के बच्चे की माँ को आज़ाद कर दिया और बच्चे की माँ की गुलामी इमाम आज़म रह० के निकट कुछ करना नहीं हुआ है यानी क़ीमत लागू होने में प्रवेशित नहीं है और संपदा पर कुछ उज़्र अनिवार्य न होगा और अगर बान्दी दोनों की अधीनता में आने के समय से छः महीने पर एक लड़की

(1)लिखित दावा यह है कि बान्दी पर इस के बच्चे के वंश का दावा किया हालांकि इसे गर्भाशय में भ्रूण बन्ने के समय से इस की मिल्कियत में न था और बच्चा जन कर मुक्ति का दावा यह कि जिस के लड़का होने का मुदई इस का गर्भाशय में भ्रूण बन्ना मुमकिन है कि इस की मिल्कियत में हुआ हो पूर्ण बातों ने वंश के तीसरे व्यवहारिक अध्याय की कोशिश में यह चीज़ें सम्मिलित हैं।

की निस्फ़ क़ीमत अपने शरीक के वास्ते वाजिब होगी लेकिन अगर यह बान्दी क़ब्ल ऐसे दावा के वाक़े होने के क़त्ल की गई तो ऐसी सूरत में अव्वल दुख़्तर का मुदआ अपने शरीक के वास्ते असल बान्दी यानी दुख़्तर अव्वल (1) की मां की कुछ क़ीमत का ज़ामिन न होगा और नीज़ इस पर दुख़्तर अव्वल की कुछ क़ीमत जिस के नसब का दावा करता है वाजिब न होगी यह इमाम आज़म रह० का क़ौल है और दूसरी दुख़्तर के मुदआ पर अव्वल (2) के वास्ते तमाम उक़्र वाजिब होगा। और अगर हर दो की ममलूका होने से छः महीने से कम में लड़की जनी फिर यह लड़की अपने वक़्त पर एक लड़की जनी और बाक़ी मसला बहाला है तो मोअतबर दूसरी है दुख़्तर के नसब का दावा होगा और पहली दुख़्तर का दावा नसब सही न होगा इस वास्ते कि दुख़्तर दोम का दावा नसब मुदआ इस्तीलाद है पस बसबब अस्तफ़लू के मुक़द्दम है और दावा दुख़्तर अव्वल दावा तहरीर है इस वास्ते कि इस का उलूक़ इन दोनों की मिल्क में न था और दूसरी दुख़्तर का मुदआ अपने शरीक के वास्ते दुख़्तर अव्वल की निस्फ़ क़ीमत और निस्फ़ उक़्र का ज़ामिन होगा और दुख़्तर अव्वल के मुदआ पर अपने शरीक के वास्ते इस की मां की बाबत कुछ तावान वाजिब न होगा जैसा कि पहली सूरत मज़कूरह बाला में वाजिब हुआ था यह शरह तलख़ीस जामअ कबीर में है।

देत = वह माल जो किसी इन्सानी जान के बदले दिया जाए यह सौ ऊंट या एक हज़ार दीनार या दस हज़ार दिरहम या उनके बराबर की करनसी है
अरश =वह रक़म आदि जो मक़तूल/जिसकी हत्या हुई हो के वरिसों को या हताहत होने वाले को बदले में दी जाए
वती = औरत से संभोग सेक्स करना
उक़्र = वह रक़म आदि जो बीवी के सिवा ग़ैर औरत के साथ संभोग करने से अनिवार्य हो

(1) दुखतर अव्वल की मां और दूसरी दुखतर की नानी।
(2) क़ौलहू दुखतर अव्वल के वास्ते और न कहा कि इस के मुदआ के लिए इस लिए कि वह दुखतर आज़ाद है।

जन्मी फिर यह लड़की अपने समय पर एक लड़की जन्मी फिर दोनों में से हर एक ने एक एक लड़की का दावा किया तो सब दअवे सही होंगे और लड़की पहले के माल पर बान्दी की आधी क़ीमत अपने साझी के लिए अनिवार्य होगी लेकिन अगर यह बान्दी ऐसे दावा के स्थापित होने के पहले क़त्ल की गई तो ऐसी स्थिति में पहली लड़की का मुदआ अपने साझी के लिए वास्तकि बान्दी यानी पहली लड़की (1) की माँ की कुछ क़ीमत का गारंटर न होगा और इस पर भी पहली लड़की की कुछ क़ीमत जिस के वंश का दावा करता है अनिवार्य न होगी यह इमाम आज़म रह० का कथन है और दूसरी लड़की के मुदअे पर पहला (2) के लिए संपूर्ण उक़्र अनिवार्य होगा। और अगर हर दो की ममलूका होने से छः महीने से कम में लड़की जनी फिर यह लड़की अपने समय पर एक लड़की जन्मी और बाक़ी मामला वैसा ही है तो दूसरी विश्वसनीय है लड़की के वंश का दावा होगा और पहली लड़की के वंश का दावा सही न होगा इस लिए कि दूसरी लड़की के वंश का दावा मुक्ति की दावेदारी है बस नीच/तुच्छ होने के कारण पहले है और लड़की का दावा पहला लिखित दावा है इस लिए कि इस का गर्भाशय में भ्रूण इन दोनों की अधीनता में न था और दूसरी लड़की का तात्पर्य अपने साझी के लिए पहली लड़की की आधी क़ीमत और आधे उक़्र का गारंटर होगा और पहली लड़की के दावे पर अपने साझी के लिए इस की माँ की बारे में कुछ क्षतिपूर्ति अनिवार्य न होगी जैसा कि पहली उपरोक्त वर्णित स्थिति में अनिवार्य हुई थी यह शरह तलखीस जामअ कबीर में है।

ख़ुसूमत =वह दावे जो नियमानुसार हों, मुकदमा जो न्याय को दायर हो – क़ज़फ़ =बलात्कार का झूठा आरोप, तोहमत
जिनायत =ज़ियादती, जुर्म करना, क़ानून विरोधी कार्य, पाप
क़बील =एक से ज़्यादा लोगों का समूह, कुटुम्ब, पीछे आना
उलूक़ = गर्भाशय में भ्रूण बन्ने का समय, नुतफ़ा ठहरना

(1) पहली लड़की की माँ और दूसरी लड़की की नानी।
(2) कहने को पहली लड़की के लिए और न कहा कि इस के माल के लिए इस लिए कि वह लड़की आज़ाद है।

एक बान्दी दो मर्दों में मुशतरिक है इस के एक ही बतन से दो बच्चे पैदा हुए एक ज़िन्दह और दूसरा मुर्दा :

ज़ैद व उम्रो के दरमियान एक बान्दी मुशतरिक है पस खालिद से इस के बच्चा पैदा हुआ और खालिद ने कहा कि तुम दोनों ने मेरे साथ इस का निकाह कर दिया था पस हर दो शरीक में से एक ने मसलन ज़ैद ने इस की तसदीक़ की और उम्रू ने कहा कि नहीं बल्कि हम ने इस को तेरे हाथ फ़रोख़्त किया था तो निस्फ़ बान्दी उम्मे वल्द मौक़ूफ़ा रहेगी और वो किसी की खिदमत न करेगी और बाक़ी निस्फ़ इस की रक़ीक़ होगी जो तज़वीज का मुक़र है यानी ज़ैद की मगर खालिद को इस बान्दी से वती हलाल न होगी इस वास्ते कि ज़ैद व खालिद ने बाहम निस्फ़ बान्दी की बाबत निकाह में इत्तफ़ाक़ किया है और इस क़द्र मुफ़ीदे हिल्लत नहीं है और निस्फ़ बच्चा हिस्सा मुक़िर बैअ यानी उमरो का निस्फ़ हिस्सा दार आज़ाद होगा और बाक़ी निस्फ़ के वास्ते सआयत करेगा और जो मुक़िर निकाह है इस को खालिद से तावान लेने का इख़्तयार न होगा और न वो मुक़िर बैअ से तावान ल सकता है और खालिद पर इस का उक़्र कामिल वाजिब होगा जो ज़ैद व उमर दोनों में मुशतरिक होगा पस मक़र बैअ यानी उमरू इस में से निस्फ़ उक़्र बतरीक़ सिमन ले लेगा और उक़्र निकाह यानी ज़ैद बाक़ी निस्फ़ को बतरीक़ मोहर ले लेगा और मुक़िर बैअ से कहा जायेगा कि तो इस को इसी जिहत से ले (1) ले जिस का तो मुदआ है और अगर खालिद मर गया तो बान्दी मुक़िर निकाह ऐसी ज़ैद के वास्ते अपनी निस्फ़ क़ीमत के लिए सआयत करेगी और अगर ज़ैद व उमरू दोनों ने कहा कि हम ने तेरे हाथ इस को फ़रोख़्त किया है तो खालिद इन दोनों के वास्ते इस की क़ीमत का ज़ामिन न होगा हां इस के उक़्र का दोनों के लिये ज़ामिन है और अगर बान्दी मजहूला हो कि इस का मौला न मालूम(2) होता हो पस खालिद ने कहा कि तुम दोनों ने इस को मेरे निकाह में दिया है और इन दोनों ने कहा कि हम ने तेरे हाथ इस को फ़रोख़्त किया है तो बान्दी इस की उम्मे

......3......

(1) बतौर सिमन बाऐ से। (2) अगर बान्दी मजहूला हो।

एक बान्दी दो मर्दों में साझा है इस के एक ही बतन/कोख से दो बच्चे पैदा हुए एक जीवित और दूसरा मृत :

ज़ैद व उम्रो के बीच एक बान्दी साझा है बस खालिद से इस के बच्चा पैदा हुआ और खालिद ने कहा कि तुम दोनों ने मेरे साथ इस का निकाह कर दिया था बस दोनों साझीयों में से एक ने मसलन ज़ैद ने इस की पुष्टि की और उम्रो ने कहा कि नहीं बल्कि हम ने इस को तेरे हाथ बेच दिया था तो आधी बान्दी बच्चे की माँ पर रोक रहेगी और वह किसी की सेवा न करेगी और बाक़ी आधी इस की ग़ुलाम होगी जो विवाह की संविदा है यानी ज़ैद की मगर खालिद को इस बान्दी से संभोग वैध न होगा इस लिए कि ज़ैद व खालिद ने आपस में आधी बान्दी की बारे में निकाह पर सहमति की है और इतनी लाभप्रद धर्मानुसार जाएज़ नहीं है और बच्चे का आधा हिस्सा बिक्री को स्वीकारीय यानी उमरो का आधा हिस्सा आज़ाद होगा और बाक़ी आधा के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा और जो निकाह का स्वीकारीय है इस को खालिद से क्षतिपूर्ति लेने का अधिकार न होगा और न वह बिक्री के स्वीकारीय से क्षतिपूर्ति ले सकता है और खालिद पर इस का पूर्ण उक़्र अनिवार्य होगा जो ज़ैद व उमरो दोनों में साझा होगा बस बिक्री के स्वीकारीय यानी उमरो इस में से आधा उक़्र क़ीमत के जैसे ले लेगा और उक़्र निकाह यानी ज़ैद बाक़ी आधा को महर के तरीक़े से ले लेगा और बिक्री को स्वीकार करने वाले से कहा जायेगा कि तो इस को इसी उपाय से ले (1) ले जिस का तू दावेदार है और अगर खालिद मर गया तो बान्दी निकाह के स्वीकारीय से ऐसे ज़ैद के लिए अपनी मुक्ति की आधा क़ीमत के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगी और अगर ज़ैद व उम्रो दोनों ने कहा कि हम ने तेरे हाथ इस को बेच दिया है तो खालिद इन दोनों के लिए इस की क़ीमत का गारंटर न होगा हां इस के उक़्र का दोनों के लिये गारंटर है और अगर बान्दी अज्ञात हो कि इस का मालिक न मालूम (2) होता हो बस खालिद ने कहा कि तुम दोनों ने

......3......

(1) बतौर क़ीमत विक्रता से। (2) अगर बान्दी अज्ञात हो।

वल्द होगी और बच्चा आज़ाद होगा और ख़ालिद पर इस की क़ीमत वाजिब होगी और बच्चा की क़ीमत का ज़ामिन न होगा और आया उक़्र का ज़ामिन होगा या नहीं सो किताब में इस को ज़िक्र नहीं फ़रमाया और मशाइख़ ने इस में इख़्तलाफ़ किया है बाज़ ने कहा कि ज़ामिन होगा और बाज़ ने कहा कि नहीं ज़ामिन होगा और ख़ालिद ने हिबा का दावा किया और ज़ैद व उमरू ने बैअ़ का दावा किया और बान्दी महबूला है या ज़ैद व उमरू ने कहा कि तूने इस को ग़सब कर लिया है पस ख़ालिद ने कहा कि तुम दोनों सच्चे हो तो बान्दी इस की उम्मे वल्द होगी और इस पर बान्दी व बच्चा दोनों की क़ीमत वाजिब होगी और अगर बान्दी ने इन सब के क़ौल की तसदीक़ की तो इस के क़ौल की इस के हक़ में तसदीक़ की जायेगी चुनांचे वो रद करके ज़ैद व उमरू की रक़ीक़ कर दी जायेगी और अगर ख़ालिद ने खरीद का दावा किया और जो बान्दी का मौला है इस ने निकाह कर देने का दावा किया तो नसब साबित होगा मगर बच्चा आज़ाद न होगा और यह हुक्म इस वक़्त है कि यह मालूम हो कि बान्दी इसी मक़र की है और अगर यह मालूम (1) न हो तो बच्चा आज़ाद भी होगा यह मुहीत सुरख़ी में है। एक बान्दी दो मर्दों में मुशतरिक है इस के एक ही बतन से दो बच्चे पैदा हुए एक ज़िन्दह और दूसरा मुर्दा पस दोनों में से एक ने मुर्दा के नसब का दावा किया और ज़िन्दह की नफ़ी की तो ज़िनदह और दूसरा मुर्दा पस दोनों में से एक ने मुर्दे के नसब का दावा किया और ज़िनदा की नफ़ी की तो ज़िन्दह भी इस के साथ लाज़िम होगा और बाद इस के नफ़ी नहीं कर सकता है और इसी तरह अगर हर एक ने मुर्दे के नसब का दावा किया या हर एक ने हर दो बच्चे का दावा किया तो दोनों का नसब इन दोनों से साबित होगा यह मबसूत में है। अगर बान्दी ज़ैद व इस के पिसर व इस के पदर इन सब के दरमियान मुशतरिक हो फिर इस के बच्चे पैदा हुआ और इन सब ने इस के गसब का दावा किया तो ज़ैद का बाप औला है यानी इसी से नसब साबित रखा जायेगा यह ज़हीरिया में है।

(1) अगरचे ज़ैद व उमरो मसलन मुदई हों कि यह हमारी है।

इस को मेरे निकाह में दिया है और इन दोनों ने कहा कि हम ने तेरे हाथ इस को बेच दिया है तो बान्दी इस के बच्चे की माँ होगी और बच्चा आज़ाद होगा और ख़ालिद पर इस की क़ीमत अनिवार्य होगी और बच्चे की क़ीमत का गारंटर न होगा और किया उक़्र का गारंटर होगा या नहीं सो किताब में इस को ज़िक्र नहीं फ़रमाया और विद्वानों ने इस में मतभेद किया है कुछ ने कहा कि गारंटर होगा और कुछ ने कहा कि गारंटर नहीं होगा और ख़ालिद ने हिबा का दावा किया और ज़ैद व उमरो ने बिक्री का दावा किया और बान्दी परमप्रिय है या ज़ैद व उमरो ने कहा कि तूने इस को छीन लिया है बस ख़ालिद ने कहा कि तुम दोनों सच्चे हो तो बान्दी इस के बच्चे की माँ होगी और इस पर बान्दी व बच्चा दोनों की क़ीमत अनिवार्य होगी और अगर बान्दी ने इन सब के कथन की पुष्टि की तो इस के कथन की इस के हक़ में पुष्टि की जायेगी चुनांचे वह रद करके ज़ैद व उमरो की ग़ुलाम कर दी जायेगी और अगर ख़ालिद ने खरीदने का दावा किया और जो बान्दी का मालिक है इस ने निकाह कर देने का दावा किया तो वंश साबित होगा मगर बच्चा आज़ाद न होगा और यह आदेश इस समय है कि यह मालूम हो कि बान्दी इसी प्रतिज्ञाकर्ता की है और अगर यह मालूम (1) न हो तो बच्चा आज़ाद भी होगा यह मुहीतुल सुरख़ी में है। एक बान्दी दो मर्दों में साझा है इस के एक ही बतन/कोख से दो बच्चे पैदा हुए एक जीवित और दूसरा मृत बस दोनों में से एक ने मृत के वंश का दावा किया और जीवित से इंकार किया तो जीवित और दूसरा मृत बस दोनों में से एक ने मुर्दा के वंश का दावा किया और जीवित से इंकार किया तो जीवित भी इस के साथ अनिवार्य होगा और बाद इस के इंकार नहीं कर सकता है और इसी तरह अगर हर एक ने मृत के वंश का दावा किया या हर एक ने दोनों बच्चों का दावा किया तो दोनों का वंश इन दोनों से सिद्ध होगा यह मबसूत में है। अगर बान्दी ज़ैद व इस के लड़के व इस के पिता इन सब के बीच साझा हो फिर इस के बच्चे पैदा हुआ और इन सब ने इस के वंश का दावा किया

(1) अगरचे ज़ैद व उमरो मसलन दावेदार हों कि यह हमारी है।

अगर बान्दी ग्रैद और इस के पिसर के दरमियान मुशतरिक हो और इस के बच्चे का इन दोनों ने दावा किया तो इस्तहसानन ग्रैद औला है और ग्रैद इस की निस्फ़ क़ीमत का ज़ामिन होगा और रहा निस्फ़ उक्र सो ग्रैद इस के निस्फ़ उक्र का अपने पिसर के वास्ते और पिसर इस के निस्फ़ उक्र का ग्रैद के वास्ते ज़ामिन होगा पस बाहम किसास करेंगे यह सिराज वहाज में है और अगर दो शरीकों में से एक मुसलमान हो और दूसरा अज़मी हो पस मुशतरिका बान्दी के बच्चे का दोनों ने साथ ही दावा किया तो मुसलमान औला है और यह इस वक्त है कि ज़िम्मी दावा ए नसब से कुछ पहले मुसलमान न हो गया हो और अगर ज़िम्मी मुसलमान हो गया फिर बान्दी के बच्चा हुआ फिर दोनों ने इस के नसब का दावा किया तो दोनों से इस का नसब साबित होगा इस वास्ते कि हालत में दोनों यक्सां हैं और अगर दावा नसब दरमियान मुरतिद व ज़मी के हो तो बच्चा मुरतिद होगा और हर एक दोनों में से दूसरे के लिये निस्फ़ उक्र बान्दी का ज़ामिन होगा यह ग़ायतुल बयान में है। और अगर ऐसा झगडा दरमियान किताबी और महूसी के हो तो किताबी औला है और अगर गुलाम व मकातब के दरमियान हो तो मकातब औला है और अगर गुलाम मुसलमान और आज़ाद काफिर के दरमियान हो तो काफ़िर आज़ाद औला है और अगर दोनों में से किसी का दावा नसब मुक़द्दम हुआ हो तो जिस ने पहले दावा किया है वही औला होगा चाहे कोई हो यह सिराजुल वहाज में है।

सआयत= कौशिश यानी वह कार्य जो गुलाम अपनी मुक्ति के लिए करे
मीअसर= आर्थिकरूप से पिछड़ा मूसिर= समृद्धि शाली
मकातब वह गुलाम जो अपनी मुक्ति के लिए स्वंय की क़ीमत देकर अपने आप को मुक्त कराए

तो ग्रैद का बड़ा बाप है यानी इसी से वंश साबित रखा जायेगा यह ज़हीरिया में है।

अगर बान्दी ग्रैद और इस के लड़के के बीच साझा हो और इस के बच्चे का इन दोनों ने दावा किया तो उपकार के तौर पर ग्रैद बड़ा है और ग्रैद इस की आधी क़ीमत का गारंटर होगा और रहा आधा बच्चे कीमँ सो ग्रैद इस के आधा उक्र का अपने लड़के के लिए और इस लड़क के आधा उक्र का ग्रैद के लिए गारंटर होगा बस एक दूसरे के बदल करेंगे यह सिराजुल वहाज में है और अगर दो साझीयों में से एक मुसलमान हो और दूसरा ज़िम्मी/ग़ैर-मुस्लिम नागरिक हो बस साझा बान्दी के बच्चे का दोनों ने साथ ही दावा किया तो मुसलमान पहले है और यह इस समय है कि ज़िम्मी वंश के दावा से कुछ पहले मुसलमान न हो गया हो और अगर ज़िम्मी मुसलमान हो गया फिर बान्दी के बच्चा हुआ फिर दोनों ने इस के वंश का दावा किया तो दोनों से इस का वंश सिद्ध होगा इस लिए कि हालत में दोनों बराबर हैं और अगर वंश के दावे बीच धर्मभ्रष्ट व ज़िम्मी के हो तो बच्चा धर्मभ्रष्ट होगा और हर एक दोनों में से दूसरे के लिये आधा उक्र बान्दी का गारंटर होगा यह ग़ायतुल बयान में है। और अगर ऐसा झगड़ा जो किताबी/यहूदी या ईसाई और मजूसी/अग्नि पूजक के बीच हो तो किताबी/यहूदी या ईसाई पहले है और अगर गुलाम व मकातब/क़ीमत देकर मुक्ति पाने वाले के बीच हो तो मकातब/क़ीमत देकर मुक्ति पाने वाला पहले है और अगर गुलाम मुसलमान और आज़ाद काफ़िर के बीच हो तो काफ़िर आज़ाद पहले है और अगर दोनों में से किसी वंश का दावा पहला हुआ हो तो जिस ने पहले दावा किया है वही बड़ा होगा चाहे कोई हो यह सिराजुल वहाज में है।

उम्मे वलद =उस गुलाम औरत/बांदी को कहते है जो अपने मालिक के बच्चे की माँ हो और इससे पैदा होने वाला बच्चा आज़ाद माना जाएगा, उसकी माँ की गुलामी उस पर प्रभाव शाली नहीं होगी।
इस्तीलाद=यानी ऐसी मुक्ति जो बांदी के गर्भ से बच्चा जन्ने के कारण हो।
इस्तीला= किसी पर विजय पाना कब्ज़ा करना या प्रभावी होना

अगर ज़ैद से कोई बान्दी बच्चा जनी फिर ज़ैद ने और उमरू ने मिल कर उस को खरीद किया तो वो ज़ैद की उम्मे वल्द हो जायेगी :

इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत है कि दो मर्दों ने एक की ज़ौजा खरीदी यानी ज़ैद व उमरो दोनों ने ज़ैद की ज़ोजा को जो खालिद की बान्दी है खालिद से खरीद (1) लिया फिर एक महीना के बाद इस के बच्चा पैदा हो तो शौहर से इस का नसब साबित होगा और वो बच्चा की कुछ क़ीमत का ज़ामिन न होगा। और अगर दो भाइयों ने एक हामिला बान्दी खरीदी पस इस के बच्चे पैदा हुआ फिर एक ने इस का दावा नसब किया तो इस पर बच्चा की निस्फ़ क़ीमत का तावान लाज़िम होगी और (2) यह बच्चा बसबब क़राबत के अपने चचा की तरफ़ से आज़ाद न हो जायेगा इस वास्ते कि दावा नसब मुक़द्दम हो चुका है पस हुक्म मज़ाफ़ बजानिब दावा होगा न बजानिब क़राबत कज़ा फ़ी ज़हीरिया। अगर ज़ैद से कोई बान्दी बच्चा जनी फिर ज़ैद ने और उमरो ने मिल कर इस को खरीद किया तो वो ज़ैद की उम्मे वल्द हो जायेगी और ज़ैद इस की निस्फ़ क़ीमत का उमरो के वास्ते ज़ामिन होगा ख़्वाह ख़ुशहाल हो या तंगदस्त हो। इस तरह अगर ज़ैद व उमरो दोनों ने इस को मीरास में पाया तो भी यही हुक्म है और अगर बान्दी के साथ इस का बच्चा भी मीरास में पाया जो ज़ैद का पिसर है और दूसरा शरीक उमरो इस बच्चे का ज़ी रहम महरम होता है तो यह बच्चा इन दोनों से आज़ाद हो जायेगा और अगर शरीक उमरो इस का ज़ी रहम महरम न हो बल्कि अजनबी हो तो हिस्सा ज़ैद इस वल्द में से आज़ाद हो जायेगा और हिस्सा उमरो के वास्ते सआयत करेगा और

(1) यह बच्चा यानी यह तो दूसरे भाई का भतीजा हुआ फिर क्योंकर आज़ाद न हुआ बल्कि आधा क़ीमत लाज़िम आई तो जवाब दिया कि क़राबत से पहले एक भाई ने इस का दावा किया और आधी क़ीमत इस पर लाज़िम हुई तब वह बवजह दावा के इस का बेटा हुआ तब भाई का भतीजा हुआ बस अब आज़ाद होगा व लेकिन बे फ़ायदा है क्योंकि आधा क़ीमत दे चुका और क़राबत साबिक़ा ज़ाहिर नहीं है ताकि दावा से पहले आज़ाद हो फ़ा फ़हम।
(2) बस निकाह टूट गया।

अगर ज़ैद से कोई बान्दी बच्चा जन्मी फिर ज़ैद ने और उमरो ने मिल कर उस को खरीद लिया तो वह ज़ैद के बच्चे की माँ हो जायेगी :

इमाम मुहम्मद रह० से परंपरा है कि दो मर्दों ने एक की स्त्री खरीदी यानी ज़ैद व उमरो दोनों ने ज़ैद की स्त्री को जो खालिद की बान्दी है खालिद से खरीदी (1) लिया फिर एक महीना के बाद इस के बच्चा पैदा हो तो पति से इस का वंश साबित होगा और वह बच्चे की कुछ क़ीमत का गारंटर न होगा। और अगर दो भाइयों ने एक गर्भवती बान्दी खरीदी बस इस के बच्चे पैदा हुआ फिर एक ने इस के वंश का दावा किया तो इस पर बच्चा की आधी क़ीमत की क्षतिपूर्ति अनिवार्य होगी और (2) यह बच्चा निकटता के कारण के अपने चचा की ओर से आज़ाद न होगा इस लिए कि वंश का दावा पहले हो चुका है बस मिला हुआ आदेश दावा की ओर होगा न की निकटता की ओर यह ज़हीरिया में है। अगर ज़ैद से कोई बान्दी बच्चा जन्मी फिर ज़ैद ने और उमरो ने मिल कर इस को खरीद लिया तो वह ज़ैद की बच्चे की माँ हो जायेगी और ज़ैद इस की आधी क़ीमत का उमरो के लिए गारंटर होगा चाहे ख़ुशहाल हो या निर्धन हो। इस तरह अगर ज़ैद व उमरो दोनों ने इस को विरासत में पाया तो भी यही आदेश है और अगर बान्दी के साथ इस का बच्चा भी विरासत में पाया जो ज़ैद का लड़का है और दूसरा साझी उमरो इस बच्चे का ज़ी रहम महरम होता है तो यह बच्चा इन दोनों से आज़ाद हो जायेगा और अगर साझी उमरो इस का ज़ी रहम महरम/निकटतम रिश्तेदार न हो बल्कि अजनबी हो तो ज़ैद का हिस्सा इस लड़के की वल्दियत में से आज़ाद हो जायेगा और उमरो के

(1) यह बच्चा यानी यह तो दूसरे भाई का भतीजा हुआ फिर क्योंकर आज़ाद न हुआ बल्कि आधा क़ीमत अनिवार्य हुई तो जवाब दिया कि संबंध से पहले एक भाई ने इस का दावा किया और आधी क़ीमत इस पर अनिवार्य हुई तब वह दावा के कारण इस का बेटा हुआ तब भाई का भतीजा हुआ बस अब आज़ाद होगा व लेकिन बे फ़ायदा है क्योंकि आधी कीमत दे चुका और पूर्व संबंध ज़ाहिर नहीं है ताकि दावा से पहले आज़ाद हो । जैसा समझा।
(2) बस निकाह टूट गया।

इसी तरह अगर दोनों ने इस बच्चे को खरीदा या वो इन को हिबा किया गया तो भी इमाम आज़म रह० के नज़दीक यही हुक्म है ख़्वाह शरीक अजनबी को खरीद से पहले यह बात मालूम हो कि मेरा शरीक इस का बाप है या न मालूम हो ज़ैद उमरो की मुशतरिका बान्दी खालिद से बच्चा जनी पस खालिद ने ज़ैद से इस का हिस्सा बान्दी व बच्चा खरीद लिया हालांकि ज़ैद मालदार है तो ज़ैद अपने शरीक उमरो के हिस्से बान्दी का ज़ामिन होगा और उमरो को बच्चे की बाबत अपने हिस्से में इख़्तयार है चाहे ज़ैद से तावान ले और चाहे इस से सआयत करादे और चाहे आज़ाद करदे बर बिनाऐ क़ौल इमाम आज़म रह० है यह मबसूत में लिखा है।

एक बान्दी दो मर्दों में मुशतरिक है दोनों ने अपनी सेहत में कहा कि यह बान्दी हम में से एक की उम्मे वल्द है फिर दोनों में से एक मर गया तो ज़िन्दह को हुक्म दिया जायेगा कि तू बयान कर और मुर्दा के वारिसों को यह हुक्म न दिया जायेगा पस अगर इस ने कहा कि यह मेरी उम्मे वल्द है तो वो इसी की उम्मे वल्द कर दी जायेगी और इस की निस्फ़ क़ीमत का ज़ामिन होगा और कुछ उक्र का ज़ामिन न होगा इस वास्ते कि बाद मुल्क के इस के साथ वती का इस ने इक़रार नहीं किया है पस अहतमाल है कि शायद क़ब्ल मुल्क के बज़रिये निकाह के इस से औलाद हुई हो और अगर इस ने कहा कि यह मैयत की उम्मे वल्द है तो आज़ाद हो जायेगी ख़्वाह वारिसाने मैयत इस के क़ौल की तसदीक़ करें या न करें और इस पर ज़िन्दह के वास्ते सआयत लाज़िम न होगी और न वारिसाने मैयत के वास्ते सआयत करेगी। और अगर यह कलाम दोनों से हालत मर्ज़ में सादिर हुआ और वारिसाने मैयत ने कहा कि हमारे मौरिस ने तुझ को मुराद लिया था तो इस की समाअत न होगी और अगर मैयत के वारिसों ने कहा कि हमारे मौरिस ने अपने आप को मुराद लिया था मगर हम इस की तसदीक़ नहीं करते हैं तो शरीक ज़िन्दह के वास्ते इस बान्दी की निस्फ़ क़ीमत तरका मैयत में वाजिब होगी और बान्दी इस के

हिस्से के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगा और इसी तरह अगर दोनों ने इस बच्चे को खरीदा या वह इन को तोहफ़ा दिया गया तो भी इमाम आज़म रह० के निकट यही आदेश है चाहे साझी अजनबी को खरीदने से पहले यह बात मालूम हो कि मेरा साझी इस का बाप है या न मालूम हो ज़ैद उमरो की साझा बान्दी खालिद से बच्चा जन्मी बस खालिद ने ज़ैद से इस का हिस्से की बान्दी व बच्चा खरीद लिया हालाकि ज़ैद मालदार है तो ज़ैद अपने साझी उमरो के हिस्से की बान्दी का गारंटर होगा और उमरो को बच्चे के बारे में अपने हिस्से के लिए अधिकार है चाहे ज़ैद से क्षतिपूर्ति ले और चाहे इस से कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करादे और चाहे आज़ाद करदे इमाम आज़म रह० के कथन के अनुसार है यह मबसूत में लिखा है।

एक बान्दी दो मर्दों में साझा है दोनों ने अपनी स्वस्थ हालत में कहा कि यह बान्दी हम में से एक के बच्चे की माँ है फिर दोनों में से एक मर गया तो जीवित को आदेश दिया जायेगा कि तू बयान कर और मृतक के वारिसों को यह आदेश न दिया जायेगा बस अगर इस ने कहा कि यह मेरी बच्चे की माँ है तो वह उसी के बच्चे की माँ कर दी जायेगी और वह इस की आधी क़ीमत का गारंटर होगा और कुछ उक्र का गारंटर न होगा इस लिए कि अधीनता के बाद इस के साथ संभोग को इस ने स्वीकार नहीं किया है बस संदेह है कि शायद मिलकियत से पहले निकाह द्वारा इस से औलाद हुई हो और अगर इस ने कहा कि यह मृतक की बच्चे की माँ है तो आज़ाद हो जायेगी चाहे मृतक के वारिसान इस के कथन की पुष्टि करें या न करें और इस पर जीवित के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश अनिवार्य न होगी और न मृतक के वारिसान के लिए मक्ति के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करेगी। और अगर यह कथन दोनों से रोग की हालत में लागू हुआ और मृतक के वारिसान ने कहा कि हमारे विरासत करने वाले ने तुझ को तात्पर्य लिया था तो इस की सुनवाई न होगी और अगर मृतक के वारिसों ने कहा कि हमारे वसियत करने वाले ने अपने आप को तात्पर्य लिया था मगर हम इस

तिहाई (1) माल से आज़ाद हो जायेगी यह काफ़ी में है।

अगर दो शरीकों की मिल्क में बान्दी मुशतरिका बच्चा जनी और हर एक ने इक़रार किया कि हम में से एक का यह बच्चा है यानी एक का नुतफ़ा है फिर दोनों में से एक मर गया तो बच्चा आज़ाद होगा और बयान करना ज़िन्दह शरीक पर है पस अगर उसने कहा कि यह मेरा बच्चा है तो इस से नसब साबित होगा और बान्दी इस की उम्मे वल्द हो जायेगी और बान्दी की निस्फ़ क़ीमत व निस्फ़ उक्र का शरीक के वास्ते ज़ामिन होगा और इस में सेहत व मर्ज़ यक्सां है पस अगर इस ने सेहत में कहा कि यह मेरे शरीक का वल्द है तो इस बच्चे का नसब इन दोनों में से किसी से साबित न होगा और बच्चा मुफ्त आज़ाद हो जायेगा और इसी तरह बान्दी भी मुफ्त आज़ाद हो जायेगी और अगर यह क़ौल इन दोनों की तरफ़ से शरीक मैयत के मर्ज़ में वाक़े हुआ हो पस वारिसों की उम्मे वल्द है तो बान्दी व बच्चा दोनों आज़ाद हो जाएँगे और ज़िमान व सआयत कुछ न होगी और अगर वारिसों ने कहा कि हमारे मौरिस ने इक़रार किया कि यह मेरा वल्द है मगर हम इस की तसदीक़ नहीं करते हैं तो बान्दी और बच्चा दोनों आज़ाद हो जायेंगे और वारिसों पर वाजिब होगा कि मैयत के तरका से बान्दी की निस्फ़ क़ीमत व निस्फ़ उक्र शरीक ज़िन्दह को तावान दें और बान्दी मज़कूरह पर जो उम्मे वल्द मैयत होकर आज़ाद हो गई है किसी के वास्ते सआयत वाजिब न होगी और बच्चा का नसब शरीक मैयत से इस्तहसानन साबित होगा यह मुहीत सुरखी में लिखा है। वल्लाहु तआला आलम बिस्सवाब।

(1)तिहाई यानी मैयत का तरका देखा जायेगा और अगर इस क़द्र हो कि बान्दी इस की तिहाई हो सकती है तो कुल बग़ैर कमा कर क़ीमत देने की कोशिश आज़ाद हुई और अगर कुल न निकली तो बक़द्रे तिहाई के मिनहा करके बाक़ी वारिसों को कमाई करके अदा करे लेकिन वह आज़ाद होगी।

की पुष्टि नहीं करते हैं तो जीवित साझी के लिए इस बान्दी की आधी क़ीमत मरने वाले के छोड़े हुए माल में से अनिवार्य होगी और बान्दी इस के तिहाई (1) माल से आज़ाद हो जायेगी यह अल-काफ़ी में है।

अगर दो साझियों की अधीनता में साझा बान्दी बच्चा जन्मी और हर एक ने इक़रार किया कि हम में से एक का यह बच्चा है यानी एक का अंश है फिर दोनों में से एक मर गया तो बच्चा आज़ाद होगा और बयान करना जीवित साझी पर है बस अगर उसने कहा कि यह मेरा बच्चा है तो इस से वंश साबित होगा और बान्दी इस की बच्चे की माँ हो जायेगी और बान्दी की आधी क़ीमत व आधा उक्र का साझी के लिए गारंटर होगा और इस में सेहत व रोग बराबर है बस अगर इस ने स्वास्थ में कहा कि यह मेरे साझी का लड़का है तो इस बच्चे का वंश इन दोनों में से किसी से सिद्ध न होगा और बच्चा मुफ्त आज़ाद हो जायेगा और इसी तरह बान्दी भी मुफ्त आज़ाद हो जायेगी और अगर यह कथन इन दोनों की तरफ़ से साझी मरने वाले के रोग की हालत में स्थापित हुआ हो बस वारिसों की बच्चे की माँ है तो बान्दी व बच्चा दोनों आज़ाद हो जाएँगे और गारंटी व कमा कर क़ीमत देने की कोशिश कुछ न होगी और अगर वारिसों ने कहा कि हमारे वसीयत करने वाले ने स्वीकार किया कि यह मेरा लड़का है मगर हम इस की पुष्टि नहीं करते हैं तो बान्दी और बच्चा दोनों आज़ाद हो जाएंगे और वारिसों पर अनिवार्य होगा कि मरने वाले के छोड़े हुए माल से बान्दी की आधी क़ीमत व आधा उक्र जीवित साझी को क्षतिपूर्ति दें और बान्दी वर्णित पर जो मरने वाले की बच्चे की माँ होकर आज़ाद हो गई है किसी के लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश अनिवार्य न होगी और बच्चा का वंश मरने वाले साझी से उपकार के तौर पर सिद्ध होगा यह मुहीतुल सुरखी में लिखा है। सर्वशक्तिमान ईशवर अच्छा बदला देने वाला है।

(1) तिहाई यानी मरने वाले का छोड़ा हुआ माल देखा जायेगा और अगर इतना हो कि बान्दी इस की तिहाई क़ीमत हो सकती है तो पूरी बिना कमा कर क़ीमत देने की कोशिश से आज़ाद हुई और अगर पूरी न निकली तो तिहाई के जितना घटा करके बाक़ी वारिसों को कमाई करके अदा करे लेकिन वह आज़ाद होगी।

किताबुल ईमान

इसमें बारह अबवाब हैं

बाब: 1

यमीन की तफ़सीर शरई व इस के रूक्न व शर्त व हुक्म के बयान में

क़ालल मुतरजम और बाज़ नुस्ख़ों में यह भी मज़्कूर है कि ज़ालिमों के क़सम दिलाने और मुस्तहलफ़ (1) की नियत के सिवाऐ हालिफ़ के क़सम खा जाने के बयान में। क़ालल मुतरजम यमीन क़सम ईमान जमा यमीन।हलफ़ क़सम। हालिफ़ क़सम खाने वाला मुस्तहलफ़ क़सम लेने वाला। तहलीफ़ क़सम दिलाना महलूफ़ जिस को क़सम दिलाई है तालीलक़ क़सम यह कि अग्रर ऐसा हो तो आज़ाद है और तख्खीर यह कि वल्लाह मैं तुझे मारूंगा कि वो किसी अम्र पर मुअल्लक़ नहीं है और जज़ा जो क़सम पर क़रार दी है दर सूरत यह कि झूटी हो जाये हनस क़सम में झूटा हो जाना मसलन कहा कि वल्लाह मैं गोश्त नहीं खाउंगा फिर खाया तो हानिस हो गया। पर क़सम को पूरा करना मसलन मिसाल मज़्कूर में गोश्त ता मौत न खाया तो बार हुआ 'फ़हिफ़्ज़ुल जुमला वल तरजअ इला तर्जुमतुल किताब' शरअ में यमीन ऐसे अक़्द से इबारत है कि इस के हाथ हालिफ़ का अज़्म किसी फ़अल के करने या न करने पर क़वी हो जाये। यह किफ़ाया में है।

इस की दो क़िस्में हैं एक क़सम अल्लाह तआला या इस की सिफ़ात के साथ दोम क़सम बग़ैर अल्लाह तआला व बग़ैर सिफ़ात अल्लाह तआला और वो इस तौर पर है कि जज़ा को किसी शर्त पर मुअल्लक़ करे यह काफ़ी में हैं।

(1) यानी क़सम लेने वाले ने जिस ज़ाहिरी अम्र पर क़सम दिलाई है क़सम खाने वाला इला यमीन इस के सिवाऐ कुछ और नियत करके क़सम खा गया।

किताबुल ईमान

इसमें बारह अध्याय हैं

अध्याय 1

क़सम/सौगंध/शपथ की शरई व्यख्या व इस के आधार एंव अनिवार्यतार्एं व आदेशों के बारे में

अनुवादक के कथनानुसार और कुछ प्रतियों में यह भी वर्णित है कि ज़ालिमों के सौगंध दिलाने और शपथ लेने वाले (1) के इरादा के सिवाऐ शपथ लेने वाले के सौगंध लेने के बयान में। अनुवादक के कथनानुसार यमीम क़सम ईमान जमा यमीन। हलफ़ क़सम। शपथकर्ता क़सम खाने वाला मुस्तहलफ़ क़सम लेने वाला। तहलीफ़ क़सम दिलाना महलूफ़ जिस को क़सम दिलाई है तालीलक़ क़सम यह कि अगर ऐसा हो तो आज़ाद है और सोच यह कि वल्लाह मैं तुझे मारूंगा कि वह किसी कार्य पर बीच में रूका हुआ नहीं है और बदला जो क़सम पर क़रार दिया है इस स्थिति में यह कि झूठी हो जाये हनस क़सम में झूठा हो जाना मसलन कहा कि वल्लाह मैं गोश्त नहीं खाउंगा फिर खाया तो शपथ तोड़ने वाला हो गया। पर क़सम को पूरा करना मिसाल वर्णित मिसाल में गोश्त मृत्यु तक न खाया तो एक बाधा हुई 'फ़हिफ़्ज़ उल जुमला वल तरजअ इला तर्जुमातुल किताब' शरअ में यमीन ऐसी वाक्य रचना है कि इस के हाथ क़सम खाने वाला का संकल्प किसी कार्य के करने या न करने पर सशक्त हो जाये। यह किफ़ाया में है।

इस के दो प्रकार हैं एक अल्लाह तआला की क़सम या उस के गुणों के साथ दूसरी क़सम बग़ैर अल्लाह तआला व बग़ैर अल्लाह तआला के गुणों और वह इस तौर पर है कि बदले को किसी शर्त पर रोके यह काफ़ी में हैं।

(1) यानी क़सम लेने वाले ने जिस दिखते कार्य पर क़सम दिलाई है क़सम खाने वाले ने जब तक इस के सिवाऐ कुछ और नियत करके क़सम खा गया।

फिर वाज़ह हो कि जो क़सम बग़ैर अल्लाह तआला हो इस में दो क़समें हैं एक यह कि अपने बाप व दादा वग़ैरह या अम्बिया अलैहिमुस्सलाम या मलाइका अलैहिमु -स्सलाम या नमाज़ और रोज़ा या दीगर शराये इस्लाम या कअबा व हरम व ज़मज़म वग़ैरह ऐसी चीज़ों के साथ हो तो उन में से किसी की क़सम खाना जाइज़ नहीं है। दम आंकि शर्त व जज़ा के तौर पर हो और यह क़सम मुनक़सिम बद व नूअ है एक यमीन बक़ुर्ब दोम यमीन बग़ैर क़ुर्ब पस यमीन बक़ुर्ब (1) इस तरह है कि मसलन कहा कि अगर मैं ऐसा करूं तो मुझ पर रोज़ा या नमाज़ वाजिब है या हज या उमरह या हदा या इतक़ रूक़बा या सदक़ा या मिस्ल इस के वाजिब है और यमीन बग़ैर क़ुर्ब इस तरह है कि मसलन कहा कि अगर ऐसा करूं तो मेरी बीवी पर तलाक़ या मेरा ग़ुलाम आज़ाद है या बदाऐ में है।

शर्ते सालह से मुराद :

क़सम बिअल्लाह तआला का रूक्न यह है कि अल्लाह तआला का नाम पाक ज़िक्र करे और क़सम के बग़ैर अल्लाह तआला का रूक्न यह है कि शर्त सालह व जज़ाये सालह बयान करे यह काफ़ी में है और शर्त सालह से यह मुराद है कि बिल फ़अल मअदूम हो मगर इस के वजूद का अहतमाल व खतर हो और जज़ाये सालह से यह मुराद है कि शर्त पाई जाने पर इस का पाया जाना यक़ीनी हो या बगुमाने ग़ालिब पाई जाये और इस की सूरत यह है कि जज़ा मज़ाफ़ मिल्क हो या बसबब मिल्क हो और यह शर्त है कि जज़ा ऐसी चीज़ हो कि इस के साथ क़सम खाई जाती हो हत्ता कि अगर ऐसी न होगी तो यह क़सम न होगी चुनांचे अगर कहा कि अगर मैं ऐसा करूं तो ज़ैद मेरा वकील है या मेरा ग़ुलाम माज़ून उल तिजारत है तो वकालत या इज़न तिजारत को जज़ा क़रार दे कर क़सम खाने से क़सम न होगी ऐसा ही इमाम ज़्वाहिर ज़ादह ने ज़िक्र फ़रमाया है यह शरह तलखीस जामअ कबीर में है।

(1) जज़ा ऐसी चीज़ मुक़र्रर करे जिस से क़ुर्बते इलाही हासिल होती है बनज़रे सवाब फ़अल मिन मीस उल असल।

फिर स्पष्ट हो कि जो क़सम बग़ैर अल्लाह तआला के हो इस में दो क़समें हैं एक यह कि अपने बाप व दादा आदि या नबियों अलैहिमुस्सलाम या मलाइका/फ़रिश्तों अलैहिमुस्सलाम या नमाज़ और रोज़ा या दूसरे इस्लामी धर्मशास्त्रों या कअबा व हरम व ज़मज़म आदि ऐसी चीज़ों के साथ हो तो उन में से किसी की क़सम खाना जाइज़ नहीं है। दम यह कि शर्त व पुरस्कार के तौर पर हो और यह क़सम बुराई व अच्छाई को विभाजित करती है एक सौगंध दूसरी सौगंध के समीप होने बग़ैर निकटता के बस सौगंध निकटतम (1) इस तरह है कि मसलन कहा कि अगर मैं ऐसा करूं तो मुझ पर रोज़ा या नमाज़ अनिवार्य है या हज या उमरह या कैद या जीवन भर की गुलामी या सदक़ा या इस के जैसा अनिवार्य है और सौगंध बिना समीपता इस तरह है कि मसलन कहा कि अगर ऐसा करूं तो मेरी बीवी पर तलाक़ या मेरा ग़ुलाम आज़ाद है या बदाऐ में है।

सदाचारी शर्ते से मतलब :

क़सम बिल्लाह तआला का आधार यह है कि अल्लाह तआला कक पवित्र नाम का वर्णन करे और क़सम के बग़ैर अल्लाह तआला का आधार यह है कि सदाचारी शर्त व शुद्धचरित बदला बयान करे यह काफ़ी में है और सदा चारी शर्त से यह मतलब है कि कर्म से लुप्त हो मगर इसके वजूद का संदेह व खतरा हो और शुद्धचरित बदले से यह मतलब है कि ज़रूरी होने पर इस का पाया जाना निश्चित हो या प्रबल विचार में पाई जाये और इस की स्थिति यह है कि सम्बंधित बदला अधीनता हो या उस के कारण हो और यह शर्त है कि बदला ऐसी चीज़ हो कि इस के साथ क़सम खाई जाती हो यहां तक कि अगर ऐसी न होगी तो यह क़सम न होगी चुनांचे अगर कहा कि अगर मैं ऐसा करूं तो ज़ैद मेरा वकील है या मेरा व्यापार के लिए आज्ञा प्राप्त ग़ुलाम है तो वकालत या व्यापार के लिए आज्ञा प्राप्त को बदला क़रार देकर क़सम खाने से क़सम न होगी ऐसा ही इमाम ज़्वाहिर ज़ादे ने वर्णित किया है यह शरह तलखीस जामअ कबीर में है।

(1) जज़ा ऐसी चीज़ नियुक्त करे जिस से ईश्वरकी निकटता प्राप्त होती है पुन का दृष्टि से कार्य करना यह असल मे है।

क़सम बिअल्लाह तआला के शराइत बहुत हैं अज अंजुमला क़सम खाने वाला आक़िल (1) व बालिग़ हो पस मजनूं की क़सम नहीं सही है और तिफ़्ल की क़सम भी नहीं सही है अगरचे आक़िल हो। अज़ अंजुमला यह कि मुसलमान हो पस काफ़िर की क़सम नहीं सही है चुनांचे अगर काफ़िर ने क़सम खाई फिर वो मुसलमान हो गया और हानिस हुआ तो हमारे नज़दीक इस पर प्रायश्चित वाजिब न होगा यह बदाऐ में है।

जिस बात पर क़सम खाई है इस की शराइत में से यह है कि वक़्त क़सम के इस का वजूद मुतसव्वुर हो सकता है :

मुरतिद होने से क़सम बातिल हो जाती है फिर अगर इस के बाद वो मुसलमान हुआ तो क़सम का हुक्म इस को लाज़िम न होगा यह इख़्तयार शरह मुख़्तार में है और आज़ाद होना शर्त नहीं है पस ममलूक की क़सम है मगर हानिस होने से इस पर फ़िलहाल प्रायश्चित बमाल लाज़िम न होगा इस वास्ते इस की कुछ मिल्क नहीं है हां इस पर रोज़ दिन से कफ़्फ़ारा वाजिब होगा मगर मौला को इख़्तयार है कि इस को रोज़ा रखने से मना करे और इसी तरह हर ऐसे रोज़े से मना कर सकता है जिस के सबब वजूब का मुबाशिर ग़ुलाम हो जैसे नज़र के रोज़े और अगर मौला ने इस ग़ुलाम को क़ब्ल इस के कि वो रोज़े से कफ़्फ़ारा अदा करे आज़ाद कर दिया तो इस पर माल से कफ़्फ़ारा देना वाजिब होगा और नीज़ हमारे नज़दीक बतूअ (2) ख़ुद होगा क़सम के वास्ते शर्त नहीं है पस जिस पर क़सम खाने के वास्ते इकराह व ज़बरदस्ती की गई हो इस की क़सम सही है और इसी तरह जद व अमद भी हमारे नज़दीक शर्त नहीं है पस जिस ने हज़ल से क़सम खाई या ख़ता से इस की क़सम सही हो जायेगी और जिस बात पर क़सम खाई है इस की शराइत में से यह है कि वक़्त क़सम के इस का

(1) क़ालल मुतरजम जहां फ़िक़्हा में आक़िलशर्त है वहांयह मुराद है कि वह इस अक़्द के हुक्म को जानता हो और मअनी आमयानी फ़क़त दानाई व समझ नहीं मुराद है।

(2) बतूअ ख़ुद बग़ैर ज़बरदस्ती के जद जो क़सदन हो हज़ल जो ठठोल हो मुस्तहील उल वजूदयानी जिस का पाया जाना हक़ीक़तन मुहाल हो। मुतसव्विर उल वजूद जिस का तसव्वुर मुमकिन हो अगरचे आदत की राह से न पाया जाये।

क़सम बिअल्लाह तआला की शर्तें बहुत हैं कुल मिला कर क़सम खाने वाला बुद्धिमान (1) व बालिग़ हो बस पागल की क़सम सही नहीं है और बच्चे की क़सम भी सही नहीं है चाहे बुद्धिमान हो। कुल मिला कर यह कि मुसलमान हो बस काफ़िर की क़सम सही नहीं है चुनांचे अगर काफ़िर ने क़सम खाई फिर वह मुसलमान हो गया और पापी हुआ तो हमारे निकट इस पर प्रायश्चित अनिवार्य न होगा यह बदाऐ में है।

जिस बात पर क़सम खाई है इस की शर्तों में से यह है कि क़सम के समय इस का वजूद काल्पनिक हो सकता है :

धर्मभ्रष्ट होने से क़सम अमान्य हो जाती है फिर अगर इस के बाद वह मुसलमान हुआ तो क़सम का आदेश इस को अनिवार्य न होगा यह अधिकार शरह मुख़्तार में है और मुक्त होगा शर्त नहीं है बस ग़ुलाम की क़सम है मगर पापी होने से इस पर फ़िलहाल प्रायश्चित माल से अनिवार्य न होगा इस लिए इस की कोई स्वमित्वता नहीं है हां इस पर प्रतिदिन दिन से प्रायश्चित अनिवार्य होगा मगर मालिक को अधिकार है कि इस को रोज़ा रखने से मना करे और इसी तरह हर ऐसे रोज़े से मना कर सकता है जिस के कारण प्रबंधक ग़ुलाम हो जैसे मन्नत के रोज़े और अगर मालिक ने इस ग़ुलाम को पहले इस के कि वह रोज़े से प्रायश्चित करे आज़ाद कर दिया तो इस पर माल से प्रायश्चित देना अनिवार्य होगा और नीज़ हमारे निकट बतूअ (2) ख़ुद होगा क़सम के लिए शर्त नहीं है बस जिस पर क़सम खाने के लिए बाध्यता व ज़बरदस्ती की गई हो इस की क़सम सही है और इसी तरह पितामह व पूर्वज भी हमारे निकट शर्त नहीं है बस जिस ने मज़ाक़ से क़सम खाई या ग़लती से इस की क़सम सही हो जायेगी और जिस बात पर क़सम खाई है इस की शर्तों में से यह है कि समय क़सम के

(1)अनुवादक के कथनानुसार जहां फ़िक़्हा में बुद्धिमान शर्त है वहां यह मतलब है कि वह इस बंधन के हुक्म को जानता हो और सार्वजनिक अर्थ यानी केवल सूझ-भूझ मतलब नहीं है।

(2)बतूअ ख़ुद बग़ैर ज़बरदस्ती के पितामह जो जान-भूझ कर हो मज़ाक़ जो ठठोल हो असंभव अस्तित्व यानी जिस का पाया जाना हक़ीक़तन मुश्किल हो। काल्पनिक अस्तित्व जिस की कल्पना मुमकिन हो अगरचे आदत की कारण से न पाया जाये।

वजूद मुतसव्विर हो सकता हो और यह इनअक़ाद क़सम की शर्त है पस जो वास्तव में मुसतहील उल वजूद हो इस पर क़सम मुनअक़िद न होगी और अगर मुतसव्विर उल वजूद होने के बाद ऐसी हालत हो गई कि वो मुस्तहील उल वजूद हो गया तो क़सम बाक़ी न रहेगी और यह इमाम आज़म व इमाम मुहम्मद का क़ौल है और जो अम्र कि वास्तव में मुस्तहील उल वजूद नहीं है मगर आदत की राह से मुस्तहील उल वजूद है मगर हक़ीक़त में मुस्तहील उल वजूद नहीं है इस पर क़सम मुनअक़िद हो जायेगी और नफ़्स रूक्न में यह शर्त है कि इस्तसना से खाली हो मसलन ऐसे अल्फ़ाज़ न हों कि इन्शाअल्लाह तआला और इल्ला इनशाअल्लाह तआला और माशा अल्लाह तआला और इल्ला आंकि मुझे इस के सिवाऐ और अम्र ज़ाहिर हो कि क़रीब बमसलहत हो और इल्ला आंकि मेरी राये में इस के सिवाऐ दूसरा अम्र आये या इस के सिवाऐ दूसरा अम्र मुझे पसन्द या यूं कहा कि अगर मुझे अल्लाह तआला मदद दे या अल्लाह तआला मुझ पर आसान करे या कहीा कि बमऊनत इलाही या तैसीर इलाही या मसील इस के चुनांचे अगर इन में से कोई लफ़्ज़ इस ने क़सम से मिला कर कहा तो क़सम मुनअक़िद न होगी और अगर जुदा करके कहा तो क़सम मुनअक़िद होगी और क़सम बग़ैर अल्लाह की सूरत में यानी जुमला शर्तिया की सूरत में क़सम खाने वाले में जो शर्त जवाज़ तलाक़ व इताक़ की है वही सब इन दोनों के साथ क़सम मुनअक़िद होने की शर्त है और जो नहीं है वो नहीं है और महलूफ़ अलैहि यानी जिस पर क़सम खाई है इस में यह शर्त है कि ऐसा अम्र हो कि ज़माना आइन्दा में हो पस जो अम्र मौजूद है इस की इस पर क़सम न होगी बल्कि तबखीर होगी चुनांचे अगर अपनी बीवी से कहा कि तू तालिक़ा है अगर आसमान हमारे ऊपर हो तो तलाक़ में इलहाल वाक़े हो जायेगी और जिस की तलाक़ बा इताक़ की क़सम खाई है इसमें यह शर्त है कि मिल्क क़ायत होना इज़ाफ़त बजानिब मिल्क या बसबब मिल्क हो और नफ़्स रूक्न में वही शर्त है जो अल्लाह तआला के साथ क़सम खाने में मज़कूर हुई है और अगर यह लफ़्ज़ भी ज़्यादा किया अगर अल्लाह

इस का वजूद कल्पना हो सकता हो और यह व्यवस्था क़सम की शर्त है बस जो वास्तव में असंभव अस्तित्व हो इस पर क़सम लागू न होगी और अगर काल्पनिक अस्तित्व होने के बाद ऐसी हालत हो गई कि वह असंभव अस्तित्व हो गया तो क़सम बाक़ी न रहेगी और यह इमाम आज़म व इमाम मुहम्मद का कथन है और जो कार्य हक़ीक़त में असंभव अस्तित्व नहीं है मगर आदत की राह से असंभव अस्तित्व है मगर हक़ीक़त में असंभव अस्तित्व नहीं है इस पर क़सम लागू हो जायेगी और यथार्थ आधार में यह शर्त है कि उपवाद से खाली हो मसलन ऐसे शब्द न हों कि इन्शाअल्लाह तआला और सिवा इनशाअल्लाह तआला और माशा अल्लाह तआला और सिवा यह कि मुझे इस के सिवाऐ और कार्य दिखता हो कि उचित नीती के समीप हो और सिवा यह कि मेरी राये में इस के सिवाऐ दूसरा कार्य आये या इस के सिवाऐ दूसरा कार्य मुझे पसन्द है या यूं कहा कि अगर मुझे अल्लाह तआला मदद दे या अल्लाह तआला मुझ पर आसान करे या कहे कि ईश्वर की सहायता या ईश्वर आसान करे या इस के जैसा आसान यहां तक कि अगर इन में से कोई शब्द इस ने क़सम से मिला कर कहा तो क़सम लागू न होगी और अगर जुदा करके कहा तो क़सम लागू होगी और क़सम बग़ैर अल्लाह की स्थिति में यानी शर्तिया जुमले की स्थिति में क़सम खाने वाले में जो शर्त तलाक़ का कारण व मुक्ति का है वही सब इन दोनों के साथ क़सम लागू होने की शर्त है और जो नहीं है वह नहीं है और क़सम खाने वाले यानी जिस पर क़सम खाई है इस में यह शर्त है कि ऐसा कार्य हो कि भविष्य में हो बस जो कार्य मौजूद है इस की इस पर क़सम न होगी बल्कि वाष्पीकरण होगा चुनांचे अगर अपनी बीवी से कहा कि तू तलाक़ शुदा है अगर आसमान हमारे ऊपर हो तो तलाक़ में अविलंब घटित हो जायेगी और जिसकी तलाक़ मुक्ति की क़सम से खाई है इस में यह शर्त है कि अधीनता स्थापित होना अधीनता की ओर बढ़ावा या अधीनता के कारण हो और अस्तित्व के आधार में वही शर्त है जो अल्लाह तआला के साथ क़सम खाने में वर्णित हुई है और अगर यह शब्द भी ज़्यादा किया अगर

तआला मेरी मदद फ़रमाये या बमऊनत इलाही पस अगर इस लफ़्ज़ से इस्तसना की नियत हो तो 'फ़ीमा बैनहू व बैनिल्लाहु तआला' इस्तसना कुनिन्दह होगा मगर क़ज़ा इस के यानी तअलीक़ न होगी बल्कि तबखीर हो जायेगी यह बदाऐ में है।

अल्लाह तआला के साथ जो क़सम होती है वो तीन नोअ की है ग़मूस व लग़ूद व मुनअक़िदह पस यमीन ग़मूस ऐसी क़सम है कि किसी चीज़ की असबात या नफ़ी बज़माना हाल या माज़ी या माज़ी पर अमदन दरोग़ के साथ हुए और ऐसी क़सम खाने वाला आदमी सख्त गुनहगार होता है इस को चाहिए कि तौबा व असतग़फ़ार करे और इस पर कफ़्फ़ारा नहीं होता है और क़सम लग़ू यह है कि किसी चीज़ पर ज़माना माज़ी या हलाल में क़सम खाये और दर हाल यह कि इस का गुमान हो कि बात यूं ही है जैसे कहता है हालांकि अम्र इस के बर खिलाफ़ हो मसलन कहे कि वल्लाह मैंने ऐसा किया है हालांकि इस ने ऐसा किया है मगर इस का गुमान यूं ही है मैंने नहीं किया है या दूर से एक शख़्स को देख कर गुमान किया कि वो ज़ैद ही है पस कहा कि वल्लाह वो ज़ैद है हालांकि वो उमरो था किसी और को देख कर कहा वल्लाह वो कव्वा है दरहाल यह कि उस के गुमान में वो कव्वा है लेकिन दरो वाक़े वो चील थी तो ऐसी क़सम में उम्मीद है कि कसम खाने वाला माख़ूज़ न हो और क़सम ज़माने माज़ी में अगर बदूं क़सद हो तो हमारे नज़दीक दुनिया व आखिरत में इस का कुछ हुक्म नहीं है यानी लग़ू है और क़सम मुनअक़िदह यह है कि ज़माना मुस्तक़बिल में किसी फ़अल के करने या न करने क़सम खाये और इस का हुक्म यह है कि अगर हानिस हुआ तो इस पर कफ़्फ़ारा लाज़िम होगा यह काफ़ी में है। फिर क़सम मुनअक़िदह बाऐतबार वजूब हिफ़्ज़ के चार तरह की होती है यानी वाजिब है हिफ़ाज़त करे और टूटने न पाये या तोड देना मुस्तहब या वाजिब हो पस इन में से एक क़सम यह है कि इस में पूरा करना वाजिब है और इस की यह सूरत है जब क़सम मुनअक़िद ऐसे फ़अल के करने पर हो जो ताअते इलाही है कि इस के साथ मामूर है या ऐसे फअल के न करने पर जो मअसियत है कि

अल्लाह तआला मेरी मदद फ़रमाये या इलाही आसानी कर बस अगर इस शब्द से अपवाद का इरादा हो तो 'उसके और अल्लाह सर्वशक्तिमान के बीच' अपवाद करने वाला होगा मगर नियम इस के यानी सहारा न होगा बल्कि वाष्प हो जायेगा यह बदाऐ में है।

अल्लाह तआला के साथ जो क़सम होती है वह तीन प्रकार की है ग़मूस/वह झूठी क़सम जो किसी का हक़ मारने के लिए खाई जाए व लग़ूद/झूठी व उपस्थित बस झूठी क़सम यानी ऐसी क़सम है कि किसी चीज़ को सिद्ध करना या नकारना वर्तमान में या भूतकाल में या भूतकाल पर निश्चयपूर्वक झूठ के साथ हो और ऐसी क़सम खाने वाला आदमी बड़ा पापी होता है इस को चाहिए कि ईश्वर से क्षमा याचना करे और इस पर प्रायश्चित नहीं होता है और झूठी क़सम यह है कि किसी चीज़ पर भूत काल या जाइज़ में क़सम खाये और वर्तमान यह कि इस का अनुमान हो कि बात यूं ही है जैसे कहता है जब कि इस कार्य के खिलाफ़ हो मसलन कहे कि वल्लाह मैंने ऐसा किया है जब कि इस ने ऐसा किया है मगर इस का गुमान यूं ही है मैंने नहीं किया है या दूर से एक को देख कर गुमान किया कि वह ज़ैद ही है बस कहा कि वल्लाह वह ज़ैद है हालांकि वह उमरो था किसी और को देख कर कहा वल्लाह वह कव्वा है वर्तमान यह कि उस के गुमान में वह कव्वा है लेकिन असल में वह चील थी तो ऐसी क़सम में उम्मीद है कि क़सम खाने वाला सम्बंधित न हो और क़सम भूत काल में अगर विचार के सिवा हो तो हमारे निकट दुनिया व आखिरत में इस का कुछ आदेश नहीं है यानी झूठ है और प्राय क़सम यह है कि भविष्य में किसी कार्य के करने या न करने को क़सम खाये और इस का आदेश यह है कि अगर पापी हुआ तो इस पर प्रायश्चित अनिवार्य होगा यह काफ़ी में है। फिर बाध्यता को ध्यान में रखते हुए खाई गई क़सम चार तरह की होती है यानी अनिवार्य है सुरक्षा करे और टूटने न पाये या तोड़ देना प्रिय या अनिवार्य हो बस इन में से एक क़सम यह है कि इसमें पूरा करना अनिवार्य है और इस की यह स्थिति है जब ऐसे कार्य के करने पर क़सम खा ली हो जो ईश्वर का आज्ञा पालन है कि इस के

तआला मेरी मदद फ़रमाये या बमऊनत इलाही पस अगर इस लफ़्ज़ से इस्तसना की नियत हो तो 'फ़ीमा बैनहू व बैनिल्लाहु तआला' इस्तसना कुनिन्दह होगा मगर क़ज़ा इस के यानी तअलीक़ न होगी बल्कि तबखीर हो जायेगी यह बदाऐ में है।

अल्लाह तआला के साथ जो क़सम होती है वो तीन नोअ की है ग़मूस व लग़ूद व मुनअक़िदह पस यमीन ग़मूस ऐसी क़सम है कि किसी चीज़ की असबात या नफ़ी बज़माना हाल या माज़ी या माज़ी पर अमदन दरोग़ के साथ हुए और ऐसी क़सम खाने वाला आदमी सख्त गुनहगार होता है इस को चाहिए कि तौबा व असतग़फ़ार करे और इस पर कफ़्फ़ारा नहीं होता है और क़सम लग़ू यह है कि किसी चीज़ पर ज़माना माज़ी या हलाल में क़सम खाये और दर हाल यह कि इस का गुमान हो कि बात यूं ही है जैसे कहता है हालांकि अम्र इस के बर खिलाफ़ हो मसलन कहे कि वल्लाह मैंने ऐसा किया है हालांकि इस ने ऐसा किया है मगर इस का गुमान यूं ही है मैंने नहीं किया है या दूर से एक शख़्स को देख कर गुमान किया कि वो ज़ैद ही है पस कहा कि वल्लाह वो ज़ैद है हालांकि वो ज़मरो था किसी और को देख कर कहा वल्लाह वो कव्वा है दरहाल यह कि उस के गुमान में वो कव्वा है लेकिन दरो वाक़े वो चील थी तो ऐसी क़सम में उम्मीद है कि कसम खाने वाला माख़ूज़ न हो और क़सम ज़माने माज़ी में अगर बदूं क़सद हो तो हमारे नज़दीक दुनिया व आखिरत में इस का कुछ हुक्म नहीं है यानी लग़ू है और क़सम मुनअक़िदह यह है कि ज़माना मुस्तक़बिल में किसी फ़अल के करने या न करने क़सम खाये और इस का हुक्म यह है कि अगर हानिस हुआ तो इस पर कफ़्फ़ारा लाज़िम होगा यह काफ़ी में है। फिर क़सम मुनअक़िदह बाऐतबार वजूब हिफ़्ज़ के चार तरह की होती है यानी वाजिब है हिफ़ाज़त करे और टूटने न पाये या तोड देना मुस्तहब या वाजिब हो पस इन में से एक क़सम यह है कि इस में पूरा करना वाजिब है और इस की यह सूरत है जब क़सम मुनअक़िद ऐसे फ़अल के करने पर हो जो ताअते इलाही है कि इस के साथ मामूर है या ऐसे फअल के न करने पर जो मअसियत है कि

अल्लाह तआला मेरी मदद फ़रमाये या इलाही आसानी कर बस अगर इस शब्द से अपवाद का इरादा हो तो 'उसके और अल्लाह सर्वशक्तिमान के बीच' अपवाद करने वाला होगा मगर नियम इस के यानी सहारा न होगा बल्कि वाष्प हो जायेगा यह बदाऐ में है।

अल्लाह तआला के साथ जो क़सम होती है वह तीन प्रकार की है ग़मूस/वह झूठी क़सम जो किसी का हक़्क़ मारने के लिए खाई जाए व लग़ूद/झूठी व उपस्थित बस झूठी क़सम यानी ऐसी क़सम है कि किसी चीज़ को सिद्ध करना या नकारना वर्तमान में या भूतकाल में या भूतकाल पर निश्चयपूर्वक झूठ के साथ हो और ऐसी क़सम खाने वाला आदमी बड़ा पापी होता है इस को चाहिए कि ईश्वर से क्षमा याचना करे और इस पर प्रायश्चित नहीं होता है और झूठी क़सम यह है कि किसी चीज़ पर भूत काल या जाइज़ में क़सम खाये और वर्तमान यह कि इस का अनुमान हो कि बात यूं ही है जैसे कहता है जब कि इस कार्य के खिलाफ़ हो मसलन कहे कि वल्लाह मैंने ऐसा किया है जब कि इस ने ऐसा किया है मगर इस का गुमान यूं ही है मैंने नहीं किया है या दूर से एक को देख कर गुमान किया कि वह ज़ैद ही है बस कहा कि वल्लाह वह ज़ैद है हालांकि वह ज़मरो था किसी और को देख कर कहा वल्लाह वह कव्वा है वर्तमान यह कि उस के गुमान में वह कव्वा है लेकिन असल में वह चील थी तो ऐसी क़सम में उम्मीद है कि क़सम खाने वाला सम्बंधित न हो और क़सम भूत काल में अगर विचार के सिवा हो तो हमारे निकट दुनिया व आखिरत में इस का कुछ आदेश नहीं है यानी झूठ है और प्राय क़सम यह है कि भविष्य में किसी कार्य के करने या न करने को क़सम खाये और इस का आदेश यह है कि अगर पापी हुआ तो इस पर प्रायश्चित अनिवार्य होगा यह काफ़ी में है। फिर बाध्यता को ध्यान में रखते हुए खाई गई क़सम चार तरह की होती है यानी अनिवार्य है सुरक्षा करे और टूटने न पाये या तोड़ देना प्रिय या अनिवार्य हो बस इन में से एक क़सम यह है कि इसमें पूरा करना अनिवार्य है और इस की यह स्थिति है जब ऐसे कार्य के करने पर क़सम खा ली हो जो ईश्वर का आज्ञा पालन है कि इस के

जिस के न करने पर मामूर है तो हिफ़ाज़त क़सम वाजिब है कि यह अम्र इस पर क़ब्ल क़सम के फ़र्ज़ था और क़सम खाई यानी ताअत न करेगा और मअसियत करेगा तो इस को तोड दे और कफ़्फ़ारा अदा करे और तीसरी क़सम यह कि इस की हिफ़ाज़त करने और न करने दोनों में मुख़्तार है मगर क़सम का तोड देना हिफ़ाज़त करने से अच्छा है तो इस में तोड देना मुस्तहब है और चहारूम आंकि इस में पूरा करना या तोड देना मुसावी है पस दोनों बातों में मुख़्तार होगा और ऐसी क़सम की हिफ़ाज़त औला है यह मबसूत शम्सुल अइम्मा सुरखी में है।

वही क़सम बतलाक़ व इताक़ और इस के मानिन्द चीज़ों के साथ सो इन में से जो क़सम ऐसे अम्र पर हो कि मुस्तक़बिल में इस का वजूद हुए या न हुए तो वो मिस्ल क़सम मुनअक़िदह के है और जो अम्र मुताल्लिक़ ज़माने माज़ी पर है पस इस में लग़ू या ग़मूस तो मुतहक़्क़िक़ न होगा लेकिन जब इस के बरख़िलाफ़ होना मालूम हो या कुछ मालूम न हो तो जज़ा मसलन तलाक़ वाक़े होगी और इसी तरह अगर नज़र के साथ क़सम खाई तो भी यही हुक्म है इस वास्ते कि यह तहक़ीक़ व तबख़ीर है यह ईज़ाह में है चुनांचे अगर कहा कि अगर यह ज़ैद न हो तो मुझ पर हज वाजिब है और वो ज़ैद न निकला हालांकि इस को वक्त कलाम के ज़ैद होने में शक न था तो इस पर हज वाजिब होगा यह ख़ुलासा में है और जिस अम्र पर क़सम खाई थी इस को अमदन क्या या निसयान से क्या या हाकराह किया तो यह सब यक्सां हैं और वो हानिस हो जायेगा और इसी तरह अगर इस पर बेहोशी तारी हुई या मजनून हुआ फिर इस ने किया तो भी हानिस हो जायेगा। यह सिराज वहाज में है और जो शख़्स सोता है ख़्वाब में इस की क़सम सही नहीं है और यह इख़्तयार शरह मुख़्तार में है और अल्लाह तआला की क़सम खाना मकरूह तो नहीं है लेकिन ज़्यादा क़सम खाने से कम खाना बेहतर है और क़सम बग़ैर (1)

(1) कौला क़सम बग़ैर अल्लाह तआला और मुराद इस से ख़ास क़सम ज़ाइज़ है जिस को ऊपर बयान किया है, यानी क़सम बशर्त व जज़ाए तलाक़ो इताक़ वग़ैरा वरना सिवाए अल्लाहतआला के और उसके नाम की क़सम को मुतलक़न नाजायज़ फ़रमाया है फ़ाफहम

साथ नियुक्त है या ऐसे कार्य के न करने पर जो पाप है कि जिस के न करने पर नियुक्त है तो क़सम की रक्षा अनिवार्य है कि यह कार्य इसपर क़सम के पहले फ़र्ज़ था और क़सम खाई यानी आज्ञा पालन न करेगा और पाप करेगा तो इस को तोड़ दे और प्रायश्चित अदा करे और तीसरी क़सम यह कि इसकी रक्षा करने और न करने दोनों में अधिकृत है मगर क़सम का तोड़ देना रक्षा करने से अच्छा है तो इस में तोड़ देना पसंदीदा है और चौथा यह कि इस में पूरा करना या तोड़ देना बराबर है बस दोनों बातों में अधिकृत होगा और ऐसी क़सम की रक्षा पहले है यह मबसूत शम्सुल अइम्मा सुरखी में है।

वही क़सम तलाक़ से व मुक्ति और इस के जैसी चीज़ों के साथ सो इन में से जो क़सम ऐसे कार्य पर हो कि भविष्य में इस का वजूद हो या न हो तो वह मिसाल क़सम खाने के है और जो कार्य भूतकाल से संबधित है बस इस में झूठ या सच तो शोधकर्ता न होगा लेकिन जब इस के विपरीत होना मालूम हो या कुछ मालूम न हो तो बदला मसलन रदद् स्थापित होगी और इसी तरह अगर मन्नत के साथ क़सम खाई तो भी यही आदेश है इस लिए कि यह जांच-पड़ताल व वाष्पीकरण है यह ईज़ाह में है अगर कहा कि अगर यह ज़ैद न हो तो मुझ पर हज अनिवार्य है और वह ज़ैद न निकला हालांकि इस को कहते समय ज़ैद होने में शक न था तो इस पर हज अनिवार्य होगा यह संक्षिप्त में है और जिस कार्य पर क़सम खाई थी इस को जान-बूझ कर क्या या भूलने के रोग से क्या या पीड़ा से किया तो यह सब बराबर हैं और वह पापी हो जायेगा और इसी तरह अगर इस पर बे होश तारी हुआ या पागल हुआ फिर इस ने किया तो भी पापी हो जायेगा। यह सिराजुल वहाज में है और जो व्यक्ति सोता है स्वप्न में इस की क़सम सही नहीं है और यह अधिकार शरह मुख़्तार में है और अल्लाह तआला की क़सम खाना नाजायज़ तो नहीं है लेकिन ज़्यादा क़सम खाने से कम खाना बेहतर है और क़सम बग़ैर (1)

(1)कथन क़सम बिना ईश्वरऔर मतलब इस से विषेश क़सम ज़ायज़ है जिस को ऊपर बयान किया है, यानी क़सम शर्त से व बदला रद्दो मुक्ति आदि वरना सिवाए अल्लाहत आला के और उसके नाम की क़सम को बिलकुल नाजायज़ फ़रमाया है, जो समझा

अल्लाह तआला बाज़ के नज़दीक मकरूह है और आम्मा उलमा के नज़दीक मकरूह नहीं है इस वास्ते कि इस से वसीक़ा बओद हासिल नहीं होता है ख़ुसूसन हमारे ज़माने में यह काफ़ी में है।

बाबः 2

इन सूरतों के बयान में जो क़सम होती हैं और जो नहीं होती

क़सम होती है बनाम अल्लाह तआला के दूसरे नामाऐ पाक में से किसी नाम के साथ जैसे रहमान व रहीम और अल्लाह तआला के सब नाम पाक इस अम्र में बराबर हैं ख़्वाह लोगों में इस नाम से क़सम का रिवाज हो या न हो और यही हमारे असहाब का ज़ाहिर मज़हब है और यही सही है या अल्लाह तआला की सिफ़तों में से किसी सिफ़त से जिस के साथ क़सम खाने का लोगों में रिवाज हो जैसे 'ग़ुर्रतुल्लाह व जलाल अल्लाह व किब्रिया अल्लाह' और यह मशाइख़ मा विराअ उल नहर का मुख़्तार है कज़ा फ़िल काफ़ी और असह यह है कि ज़िक्र सिफ़ात में ऐतबार रिवाज का है यह शरह निक़ाया हर जन्दी में है। अगर कहा कि क़सम मेरे रब की या कहा कि क़सम रब्बुल अर्श की या क़सम रब्बुल आलमीन की तो हालिफ़ हो जायेगा यह बदाऐ में है और अगर कहा कि क़सम हक़ की मैं ऐसा न करूंगा तो बिला ख़िलाफ़ यह क़सम है और अगर कहा कि बिल हक़ अल्लाह मैं ऐसा न करूंगा तो क़सम होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर कहाः وقوة الله وارادته ومشية ومجته وكلامه तो हालिफ़ होगा :

अगर कहा कि वहक़ अल्लाह ला अफ़अल कज़ा तू इमाम आज़म रह० व इमाम मुहम्मद रह० के नज़दीक क़सम न होगी क़ालल मुतरजम अगर हमारी ज़बान में इस का तर्जुमा यूं कहा कि क़सम हक़ अल्लाह तआला की मैं ऐसा न करूंगा तो क़सम होगी वल्लाहु तआला आलम

अल्लाह तआला कुछ के निकट नाजायेज़ है और प्रसिद्ध विद्वानों के निकट जाइज़ नहीं है इस लिए कि इस से पिछली सनद हासिल नहीं होती है विशेष कर हमारे ज़माने में यह काफ़ी में है।

अध्याय 2

इन स्थितियों के बारे में जो क़समें होती हैं और जो नहीं होती हैं

क़सम होती है बनाम अल्लाह तआला के दूसरे पवित्र नामों में से किसी नाम के साथ जैसे रहमान व रहीम और अल्लाह तआला के सब पाक नाम इस कार्य में बराबर हैं चाहे लोगों में इस नाम से क़सम का रिवाज हो या न हो और यही हमारे असहाब का दिखता धर्म है और यही सही है या अल्लाह तआला के गुणों में से किसी गुण से जिस के साथ क़सम खाने का लोगों में प्रचलन हो जैसे 'अल्लाह का आभार व अल्लाह की शान व अल्लाह की बड़ाई' और यह विद्वान मावरा उल नहर यानी सुघद क्षत्रप का अधिकारी है यह काफ़ी में है और यही सही है कि गुणों के वर्णन में विश्वास रीत का है यह शरह निक़ाया हर जन्दी में है। अगर कहा कि क़सम मेरे रब की या कहा कि क़सम रब्बुल अर्श की या क़सम रब्बुल आलमीन की तो शपथ कर्ता हो जायेगा यह बदाऐ में है और अगर कहा कि क़सम हक़ की मैं ऐसा न करूंगा तो बिला विरोध यह क़सम है और अगर कहा कि हक़ से अल्लाह मैं ऐसा न करूंगा तो क़सम होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर कहा : और अल्लाह की शक्ति अल्लाह का इरादा व मर्ज़ी और उसके वचन कहे तो शपथकर्ता होगा :

अगर कहा कि अल्लाह की क़सम मैंने यह काम नहीं किया तो इमाम आज़म रह० व इमाम मुहम्मद रह० के निकट क़सम न होगी क़ालल मुतरजम अगर हमारी ज़बान में इस के अनुवाद में यूं कहा कि क़सम हक़ अल्लाह तआला की मैं ऐसा न करूंगा तो क़सम होगी

और इमाम यूसुफ़ रह० से दो रिवायतों में से एक रिवायत मुवाफ़िक़ क़ौल तरफ़ैन के है और यही सही है और अगर कहा कि वहुर्रतुल्लाह तो शम्सुल अइम्मा हलवाई ने कहा कि यह बमन्ज़िला व हक़ अल्लाह के है यह ख़ुलासा में है क़ालल मुतरजम व हक़ अल्लाह में दादा क़सम जारह है लिहाज़ा अगर इस का तर्जुमा बसरीह लफ़्ज़ क़सम हो तो हो जायेगी फ़ज़रानुल अल्फ़ाज़ अल्बाब अक्सर हा तअलीक़ बिल अरबिया और अगर कहा कि व अज़मत उल्लाहु तआला या कहा 'व कलिमतहु व क़ुदरतहू' तो यह क़सम होगी ख़्वाह नियत क़सम हो या न हो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है ओर अगर कहा व जबरूत अल्लाह तो यह क़सम है यह सिराज वहाज में है और अगर कहा कि 'वक़ुव्वतुल्लाह वइरादतहु व मशिय्यतहू व मुजतहू व कलामहू'(1) तो हालिफ़ होगा। यह बदाऐ में है और अगर कहा कि व अमानतहुल्लाह तो क़सम होगी और तहावी ने ज़िक्र किया कि यह क़सम न होगी और यह इमाम अबू यूसुफ़ रह० से भी एक रिवायत है और अगर कहा कि वअहद अल्लाह या ज़ात अल्लाह तो क़सम होगी और अगर कहा कि गवाही देता हूं कि ऐसा न हो करूंगा या कहा कि गवाही देता हूं साथ अल्लाह के ऐसा न करूंगा या कहा कि क़सम खाता हूं या कहा कि क़सम अल्लाह की खाता हूं या कहा कि हलफ़ करता हूं या हलफ़ अल्लाह तआला की करता हूं या अज़्म करता हूं या साथ अल्लाह के अज़्म करता हूं या कहा कि मुझ पर अहद है या मुझ पर अहद अल्लाह है कि ऐसा न करूंगा या कहा कि मुझ पर ज़िम्मतुल्लाह है कि ऐसा न करूंगा तो यह क़सम होगी और अगर कहा कि मुझ पर यमीन है या मुझ पर यमीन अल्लाह है या कहा कि तअमर (बिल उम क़सम) अल्लाह या कहा कि मुझ पर नज़र अल्लाह है कि ऐसा न करूंगा तो यह क़सम होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

(1) अलग अलग हर एक से बलफ़्ज़ दादे क़सम खाई चनानचे कहा व इरादतुल्लाह व ग़यरहु ज़ालिक।

वल्लाहु तआला आलम और इमाम यूसुफ रह० से दो परंपराओं में से एक परंपरा पर सहमति कथन उभय पक्ष के है यानी इमाम अबु हनीफ़ा और इमाम मौहम्मद जब एक समस्या पर सहमत हों और यही सही है और अगर कहा कि और अल्लाह आज़ाद है तो शम्सुल अइम्मा हलवाई ने कहा कि यह क्रमश व अल्लाह सत्य है के है यह ख़ुलासा में है अनुवादक के कथनानुसार व अल्लाह सत्य है ये प्रशंसिक क़सम खाना है इस लिए अगर इस का सही स्पष्ट शब्द क़सम हो तो हो जायेगी इस विषय में शब्दावली ज़्यादातर अरबी के सहारे से है और अगर कहा कि सर्वशक्तिमान की श्रेष्टता है या कहा 'व कहने वाला और शक्तिशाली है' तो यह क़सम होगी चाहे क़सम का इरादा किया हो या न किया हो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर कहा और अल्लाह पराक्रमी है तो यह क़सम है यह सिराजुल वहाज में है और अगर कहा कि 'और अल्लाह की शक्ति अल्लाह का इरादा व मर्ज़ी और उसके वचन कहे'(1) तो शपथकर्ता होगा। यह बदाऐ में है और अगर कहा कि और अल्लाह की अमानत है तो क़सम होगी और तहावी ने वर्णन किया कि यह क़सम न होगी और यह इमाम अबू यूसुफ़ से भी वर्णित है और अगर कहा कि और अल्लाह का वादा या अल्लाह की ज़ात तो क़सम होगी और अगर कहा कि गवाही देता हूं कि ऐसा न हो करूंगा या कहा कि गवाही देता हूं साथ अल्लाह के ऐसा न करूंगा या कहा कि क़सम खाता हूं या कहा कि क़सम अल्लाह की खाता हूं या कहा कि शपथ करता हूं या अल्लाह तआला की कसम खाता हूं या संकल्प करता हूं या साथ अल्लाह के संकल्प करता हूं या कहा कि मुझ पर सौगंध है या मुझ पर अल्लाह की सौगंध है कि ऐसा न करूंगा या कहा कि मुझ पर अल्लाह को जवाब-दही है कि ऐसा न करूंगा तो यह क़सम होगी और अगर कहा कि मुझ पर सौगंध है या मुझ पर अल्लाह की सौगंध है या कहा कि अल्लाह की दी ज़िन्दगी की क़सम या कहा कि मुझ पर अल्लाह का इनाम है कि ऐसा न करूंगा तो यह क़सम होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

(1) अलग अलग हर एक से प्रशंसनीय शब्दों में क़सम खाई और कहा अल्लाह का इरादा व मर्ज़ी उसके अलावा कुछ और है।

अगर कहा कि बिस्मिल्लाह में ऐसा न करूंगा तो क़ौले मुख़्तार में यह क़सम न होगी इल्ला इस सूरत में कि इस ने क़सम की नियत की हो यह फ़तावा ग़यासिया में है।

अगर कहा कि बिस्मिल्लाह तो क़सम होगी यह ख़ुलासा में है और अगर कहा कि दायम अल्लाह में ऐसा न करूंगा तो क़सम होगी और इस तरह व ऐमन अल्लाह वयम अल्लाह तआला कसरे हमज़ह 'वमिन अल्लाह वमिन ब मीम क़ाइदह व बहर शैय हरकात व ऐराबात सुलुस यही हुक्म रखते हैं। यह ज़हीरिया में है।

अगर कहा कि 'व मीसाक़ुल्लाह' तो क़सम होगी यह काफ़ी में है और इस तरह अगर कहा कि मुझ पर यमन अल्लाह है या कहा कि मुझ पर मीसाक़ अल्लाह है तो भी क़सम होगी यह ईज़ाह में है और अगर कहा कि अलतालिब व अलग़ालिब ला अफ़अल कज़ा तो यह क़सम है मगर यह रिवाज अहले बग़दाद का है यह मुहीत में है और अगर अरबी ज़बान में कहा कि बिल्लाह ला अफ़अल कज़ा यानी लफ़्ज़ अल्लाह के आख़िरी हाये होज़ को साकिन किया या नसब दिया तो क़सम होगी हालांकि ऐराब बकिसरह बवजह जर के चाहिए था और अगर कहा कि अल्लाह अफ़अलन कज़ा और हाये होज़ को साकिन किया या नसब दिया तो यमीन न होगी क्योंकि हरफ़ क़सम कोई नहीं है लेकिन अगर ऐराब जरी दिये तो क़सम होगी इस वास्ते कि किसरह मुक़तज़ा है कि साबिक़ में कोई हरफ़ जार है और वो हरफ़ क़सम है और अगर कहा कि बलहू ला अफ़अल कज़ा तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि क़सम न होगी इस वास्ते कि इस ने नाम ख़ुदा ज़िक्र नहीं किया है लेकिन अगर इस को किसरह का ऐराब दिया और क़सम का क़सद किया तो क़सम होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर कहा कि अल्लाह अल्लाह तो क़सम है यह इताबिया में है।

अगर कहा कि बिस्मिल्लाह में ऐसा न करूंगा तो, अधिकारिक कथन में यह क़सम न होगी सिवा इस स्थिति में कि इसने क़सम का इरादा किया हो यह फ़तावा ग़यासिया में है।

अगर कहा कि बिस्मिल्लाह तो क़सम होगी यह ख़ुलासा में है और अगर कहा कि सर्वशक्तिमान ईशवर मैं ऐसा न करूंगा तो क़सम होगी और इस तरह 'और सुरक्षा प्रदान करने वाला अल्लाह और निगहबान अल्लाह' और सुरक्षा प्रदान करने वाला है हमज़ह का ज़ेर ज़बर मीम के साथ' क़ाइदह व हर तीनो चीज़ यानी ज़ेर ज़बर पेश लिपी में स्वर चिन्ह यही आदेश रखते हैं। यह ज़हीरिया में है।

अगर कहा कि 'और अल्लाह के नियम' तो क़सम होगी यह काफ़ी में है और इस तरह अगर कहा कि मुझ पर अल्लाह की क़सम है या कहा कि मुझ पर अल्लाह का अनुबंध है तो भी क़सम होगी यह ईज़ाह में है और अगर कहा कि मेरी यह सर्वपरि इच्छा है यह कार्य न करूं तो यह क़सम है मगर यह अहले बग़दाद का प्रचलन है यह मुहीत में है और अगर अरबी ज़बान में कहा कि अल्लाह यह कार्य न करूं यानी अल्लाह के शब्द के आख़िरी हाये होज़ को साकिन किया या वंश दिया तो क़सम होगी हालांकि ऐराब/मात्राऐं बकसरह/ज़ेर के समूह के कारण चाहिए था और अगर कहा कि अल्लाह यह कार्य करूं और हाये होज़ को साकिन किया या वंश दिया तो क़सम न होगी क्योंकि अक्षर क़सम कोई नहीं है लेकिन अगर मात्राऐं साफ़ दिये तो क़सम होगी इस लिए कि ज़ेर की मात्रा मौक़े के अनुसार है कि पूर्व में कोई अक्षर साफ़ है और वह अक्षर क़सम है और अगर कहा कि बलहू यह नहीं करूं तो विद्वानों ने कहा कि क़सम न होगी इस लिए कि इस ने नाम ख़ुदा ज़िक्र नहीं किया है लेकिन अगर इस को ज़ेर की मात्रा दी और क़सम का इरादा किया तो क़सम होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर कहा कि अल्लाह अल्लाह तो क़सम है यह इताबिया में है।

अगर बराअत की क़सम खाई यानी कहा कि मैं कअबा से बरी हूं अगर मैं ऐसा करूं तो क़सम होगीः

अगर कहा कि अल्लाह तो क़सम होगी और इजनास में लिखा है कि अगर कहा कि 'वल्लाहु अन दखल अल दार' यानी वल्लाह अगर मैं दार में दाखिल हुआ तो क़सम होगी यह मुहीत में है और अगर कहा कि मैं मजूस से बदतर हूं अगर ऐसा गिरूं तो यह क़सम है और इसी तरह अगर कहा कि मैं शरीक यहूद या शरीक कफ़्फ़ार हों अगर ऐसा करूं तो भी क़सम होगी यह ख़ुलासा में है। इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है कि अगर कहा कि मैंने ईलाअ क्या या मैंने अज़्म किया कि ऐसा न करूंगा तो यह क़सम है यह ईज़ाह में है तजरीद में है कि इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर शर्तिया ऐसी बात कही जिस के साथ क़सम नहीं खाई जाती है मसलन कहा कि अगर मैं खड़ा हुआ या मैं बैठा तो तू तालिक़ा है तू क़सम होगी यह ख़ुलासा में है। जिस ने सिवाऐ ख़ुदाऐ तआला के दूसरे की क़सम खाई वो हालिफ़ न होगा चुनांचे अगर नबी अलैहिस्सलाम या कअबा की क़सम खाई तो क़सम खाने वाला न होगा यह हिदाया में है लेकिन अगर इस ने बराअत की क़सम खाई यानी कहा कि मैं कअबा से बरी हूं अगर मैं ऐसा करूं तो क़सम होगी यह इख़्तयार शरह मुख़्तार में है। इमाम मुहम्मद रह० ने असल में फ़रमाया कि अगर कहा कि वल क़ुरआन बवाव क़सम तो क़सम न होगी इस को इमाम मुहम्मद रह० ने मुतल्लक़न ज़िक्र किया है और इस के मअनी यह है कि क़ुरआन की क़सम खाना मुताअरिफ़ नहीं है पस ऐसा हो गया के व इल्मुल्लाह और बाज़ मशाईख़ ने फ़रमाया है के यह उन के ज़माने का उर्फ़ है और हमारे ज़माने में यह क़सम होगी और हम इसी को लेते हैं और ऐसा ही हुक्म करते हैं और यही ऐतक़ाद करते हैं और इसी पर हमारा ऐतमाद है और मुहम्मद बिन मक़ातिल राज़ी (1) ने फ़रमाया के अगर क़ुरान की

(1) राज़ी श्हर रे के रहने वाले मुहम्मद बिन मुक़ातिल हन्फ़ी हैं इन में मुहद्दिसीन कलाम करते हैं और मुहम्मद बिन मुक़ातिल अबुलहसन जो बुखारी के उस्ताद हैं वोह सुक़्क़ा हैं।

अगर विरक्ति होने की क़सम खाई यानी कहा कि मैं कअबा से विरक्त हूं अगर मैं ऐसा करूं तो क़सम होगीः

अगर कहा कि अल्लाह तो क़सम होगी और इजनास में लिखा है कि अगर कहा कि 'वल्लाह अन दखल अल दार' यानी वल्लाह अगर मैं घर में प्रवेश हुआ तो, क़सम होगी यह मुहीत में है और अगर कहा कि मैं मजूस/अग्नि पूजक से बदतर हूं अगर ऐसा गिरूं तो यह क़सम है और इसी तरह अगर कहा कि मैं यहूदीयों का साझी या काफ़िरों का साझी हों अगर ऐसा करूं तो भी क़सम होगी यह ख़ुलासा में है। इमाम मुहम्मद रह० से परंपरा है कि अगर कहा कि मैंने शपथ ली या मैंने संकल्प लिया कि ऐसा न करूंगा तो यह क़सम है यह ईज़ाह में है तजरीद में है कि इमाम मुहम्मद रह० ने कहा कि अगर शर्तिया ऐसी बात कही जिस के साथ क़सम नहीं खाई जाती है मसलन कहा कि अगर मैं खड़ा हुआ या मैं बैठा तो तू तलाक़शुदा है तो क़सम होगी यह ख़ुलासा में है। जिस ने सिवाऐ ख़ुदाऐ तआला के दूसरे की क़सम खाई वह शपथ कर्ता न होगा चुनांचे अगर नबी अलैहिस्सलाम या कअबा की क़सम खाई तो क़सम खाने वाला न होगा यह हिदाया में है लेकिन अगर इस ने विरक्त होने की क़सम खाई यानी कहा कि मैं कअबा से विरिक्त हूं अगर मैं ऐसा करूं तो क़सम होगी यह अधिकार शरह मुख़्तार में है। इमाम मुहम्मद रह० ने असल में कहा है कि अगर कहा कि और क़ुरआन की क़सम तो क़सम न होगी इस को इमाम मुहम्मद रह० ने संबंधित वर्णन किया है और इस के अर्थ यह हैं कि क़ुरआन की क़सम खाना परिचित नहीं है बस ऐसा हो गया कि और अल्लाह जाने और कुछ विद्वानों ने कहा है कि यह उन के ज़माने का आम रिवाज है और हमारे जमाने में यह क़सम होगी और हम इसी को मानते हैं और ऐसा ही आदेश करते हैं और यही आस्था रखते हैं और इसी पर हमारा भरोसा है और मुहम्मद बिन मक़ातिल राज़ी (1) ने कहा कि अगर क़ुरान

(1) राज़ी श्हर रे के रहने वाले मुहम्मद बिन मक़ातिल हन्फ़ी हैं इन पर मुहद्दिसीन लिखते हैं और मुहम्मद बिन मुक़ातिल अबुलहसन जो बुखारी के उस्ताद हैं वोह सच्चे हैं।

क़सम खाई तो क़सम होगी और इसी की हमारे जमूर मशाईख़ ने लिया है यह मुज़मिरात में है।और अगर यूं कहा के मैं बरी अज़ नबी या क़ुरआन हूं तो यह क़सम होगी यह काफ़ी में है शेख़ अबदुल करीम बिन मुहम्मद रह० दरयाफ्त क्या गया कि एक ने कहा के शफ़ाअत से बरी हूं अगर ऐसा करूं तो फ़रमाया के यह क़सम होगी और उसके सिवाए दूसरों ने कहा के यह क़सम ना होगी और यही सही है यह ज़हीरया में है और अगर कहा के मैंने ऐसा किया तो मैं बरी हूं क़ुरआन या क़िब्ला या नमाज़ या रोज़ा रमज़ान से तो यह सब क़सम होंगी और यही मुख़तार है।

ऐसे ही तोरेत व इंजील व ज़बूर से बरेत में भी यही हुक्म है और ऐसा है हर अम्र शरई जिस की समाअत कुफ़्र हो यही हुक्म है यह ख़ुलासा में है और अगर कहा कि मैं सुहुफ़ से बरी हूं तो यह क़सम न होगी और अगर कहा कि मैं बरी हूं इस चीज़ से जो सोहफ़ में है तो क़सम होगी यह काफ़ी में है और अगर किताब फ़िक़्हा या दफ़्तरे हिसाब जिस में बिस्मिल्ला हिर्रहमान निर्रहीम लिखी है उठाई और कहा कि मैं बरी इस से जो इस में है अगर मैं ऐसा करूं पस यही फ़अल किया तू इस पर कफ्फ़ारा लाज़िम होगा जैसे कि बिस्मिल्लाह हिर्रहमा निर्रहीम से बरी हूं की क़सम खाने और हानिस होने की सूरत में हुक्म है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर कहा कि मैं बरी हूं मुग़ल्लिज़ा से या जो मुग़ल्लिज़ा में है तो क़सम नहीं है इल्ला उस सूरत में कि मालूम हो जाये कि इस में बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम लिखी है और उस से बराअत की नियत की तो क़सम हो जायेगी यह ख़ुलासा में है और अगर कहा कि मैं बरी हूं, मौमिनीन से तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि क़सम हो जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर कहा कि मैं इन तीस दिनों यानी रमज़ान से बरी हूं अगर ऐसा करूं पस अगर फ़रज़ियत इस रमज़ान से बराअत की नियत की है तो क़सम होगी जैसे कि मैं बरी हूं ईमान से अगर ऐसा करूं और अगर उस के अज्र व सवाब से बरायत की क़सम न होगी इस वास्ते कि यह अम्र ग़ैब है और अगर उस की कुछ नियत न हो तो बवजह शक के

की क़सम खाई तो क़सम होगी और इसी की हमारे सभी विद्वानों ने लिया है यह मुज़मिरात में है। और अगर यूं कहा के मैं नबी से विरक्त या क़ुरआन से विरक्त हूं तो यह क़सम होगी यह काफ़ी में है शेख़ अबदुल करीम बिन मुहम्मद रह० पूछा गया कि एक ने कहा कि सिफ़ारिश से विरक्त हूं अगर ऐसा करूं तो कहा कि यह क़सम होगी और इसके सिवाए दूसरों ने कहा कि यह क़सम ना होगी और यही सही है यह ज़हीरया में है और अगर कहा कि मैंने ऐसा किया तो मैं विरक्त हूं क़ुरआन या क़िब्ला/केन्द्र या नमाज़ या रोज़ा रमज़ान से तो यह सब क़सम होंगी और यही मुख़तार है।

ऐसे ही तोरेत व इंजील व ज़बूर से विरक्त होने में भी यही आदेश है और ऐसा है हर धार्मिक कार्य जिस की सुनवाई कुफ़्र हो यही आदेश है यह ख़ुलासा में है और अगर कहा कि मैं पृष्टों से विरक्त हूं तो यह क़सम न होगी और अगर कहा कि मैं विरक्त हूं इस चीज़ से जो पृष्टों में है तो क़सम होगी यह काफ़ी में है और अगर किताबुल फ़िक़्हा या हिसाब की कापी में बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम लिखी है उठाई और कहा कि मैं विरक्त हूं इस से जो इस में है अगर मैं ऐसा करूं बस यही कार्य किया तो इस पर प्रायश्चित अनिवार्य होगा जैसे कि बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम से विरक्त हूं की क़सम खाने और पापी होने की स्थिति में आदेश है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर कहा कि मैं विरक्त हूं गंदी बातों से या जो गंदी बातों में है तो क़सम नहीं है सिवाए उस स्थिति में कि मालूम हो जाये कि इस में बिस्मिल्ला हिर्रहमान निर्रहीम लिखी है और उस से विरक्त होने का इरादा किया तो क़सम हो जायेगी यह ख़ुलासा में है और अगर कहा कि मैं विरक्त हूं मुस्लिमों से, तो विद्वानों ने फ़रमाया कि क़सम हो जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर कहा कि मैं इन तीस दिनों यानी रमज़ान से विरक्त हूं अगर ऐसा करूं बस अगर अनिवार्य अवस्था इस रमज़ान से विरक्त होने का संकल्प किया है तो क़सम होगी जैसे कि मैं विरक्त हूं ईमान से अगर ऐसा करूं और अगर उस के प्रतिफल से विरक्त होने की क़सम न होगी इस लिए कि यह गुप्त कार्य है

हुक्मन क़सम न होगी मगर अहतियातन कफ़्फ़ारा दे दे (1) और अगर कहा कि अगर मैं ऐसा करूं तो मैं बरी हूं इस हज से जो मैंने किया है तो यह क़सम न होगी बखिलाफ़ इस के अगर कहा कि अगर मैं ऐसा करू तो मैं बरी हूं उस क़ुरआन से जिस को मैंने पढ़ा है तो यह क़सम होगी और अगर कहा कि मैं बरी हूं हज से और नमाज़ से तो क़सम होगी यह मुहीत में है और अगर कहा कि मैं बरी हूं अपने रोज़ा व नमाज़ से या जो मैंने नमाज़ पढ़ी है और जो रोज़े रखे हैं तो क़सम न होगी यह इताबिया में है और अगर कहा कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं यहूद या नसरानी मजूसी या इस्लाम से बेज़ार या काफ़िर या ग़ैरूल्लाह का परस्तिश करने वाला या बंदगाने सलीब से या मिस्ल इस के जिस का ऐतक़ाद कुफ़र है हों तो इस्तहसानन यह क़सम होगी यह बदाऐ में है।

अगर उस क़सम खाने वाले के नज़दीक यह बात हो कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो काफ़िर हो जाऊंगा फिर उस ने शर्त मज़कूर को क्या तो काफ़िर हो जायेगा :

चुनांचे अगर इस ने यह फ़अल किया तो इस पर प्रायश्चित लाज़िम होगा और आया वो काफ़िर हो जायेगा या नहीं तो इस में मशाइख ने इख़्तलाफ़ किया है और शम्सुल अइम्मा सुरख़ी ने फ़रमाया कि फ़तवा के वास्ते मुख़्तार यह है कि अगर इस क़सम खाने वाले के नज़दीक यह बात हो कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो काफ़िर हो जाऊंगा फिर उस ने शर्त मज़कूर को किया तो काफ़िर हो जायेगा इस वजह से कि वो कुफ़्र पर राज़ी हो और उस का कफ़्फ़ारा (अगर हानिस हो जाए) यह होगा कि कहे लाइलाह इल्लल्लाहु मौहम्मदुर्रसूलुल्लाह स०अ० व० और अगर इस के नज़दीक यह बात हो कि वो ऐसा करने से

(1) मुतरज्जिम कहता है के यह एतराज़ का जवाब है तक़रीर यह है के साबिक़ में बयान हुआ के इस पर कफ़्फ़ारा लाज़िम आएगा और कफ़्फ़ारा मुसलमान पर लाज़िम आता है तो फिर यह इख़्तिलाफ़ कियों है कि वह काफ़िर हुआ या ना हुआ जवाब यह है के यहाँ कफ़्फ़ारे से मुराद जो उसके गुनाह के वास्ते मुक़र्र है ख़ास वोह जो बाद क़सम के देना पड़ता है पस यह कफ़्फ़ारा ए कुफ़्र है।

और अगर उस का कुछ इरादा न हो तो शक के कारण आदेशार्थ क़सम न होगी मगर सर्तकता से प्रायश्चित करले (1) और अगर कहा कि अगर मैं ऐसा करूं तो मैं विरक्त हूं इस हज से जो मैंने किया है तो यह क़सम न होगी इसके विपरीत अगर कहा कि अगर मैं ऐसा करूं तो मैं विरक्त हूं उस क़ुरआन से जिस को मैंने पढ़ा है तो यह क़सम होगी और अगर कहा कि मैं विरक्त हूं हज से और नमाज़ से तो क़सम होगी यह मुहीत में है और अगर कहा कि मैं बरी हूं अपने रोज़ा व नमाज़ से या जो मैंने नमाज़ पढ़ी है और जो रोज़े रखे हैं तो क़सम न होगी यह इताबिया में है और अगर कहा कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं यहूदी या ईसाई या अग्नि पूजक या इस्लाम से विरक्त या काफ़िर या अल्लाह के अतिरिक्त अन्य की पूजा करने वाला या ईसाईयों से या इस के जैसा जिस की आस्था कुफ़्र है हों तो उपकार के तौर पर यह क़सम होगी यह बदाऐ में है।

अगर उस क़सम खाने वाले के निकट यह बात हो कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो काफ़िर हो जाऊंगा फिर उस ने वर्णित शर्त को किया तो काफ़िर हो जायेगा :

चुनांचे अगर उस ने यह कार्य किया तो इस पर प्रायश्चित अनिवार्य होगा और वह काफ़िर हो जाएगा या नहीं तो इस में विद्वानों ने मतभेद किया है और शम्सुल अइम्मा सुरख़ी ने फ़रमाया कि फ़तवा के लिए अधिकार यह है कि अगर इस क़सम खाने वाले के निकट यह बात हो कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो काफ़िर हो जाउंगा फिर उस ने शर्त वर्णित को किया तो काफ़िर हो जायेगा इस कारण से कि वह कुफ़्र पर राज़ी हो और उस का प्रायश्चित (अगर पापी होजाए) यह होगा कि कहे लाइलाहा इल्लल्लाहु मौहम्मदुर्रसूलुल्लाह स०अ०व० और अगर इस के निकट यह बात हो कि वह ऐसा करने से

(1) अनुवादक कहता है के यह आपत्ति का जवाब है वक्तव्य यह है के पूर्व में बयान हुआ के इस पर प्रायश्चित अनिवार्य होगा और प्रायश्चित मुसलमान पर अनिवार्य होता है तो फिर यह मतभेद क्यों है कि वह काफ़िर हुआ या ना हुआ जवाब यह है के यहाँ प्रायश्चित से मतलब जो उसके गुनाह के लिऐ नियुक्त है विशेष वह जो क़सम के बाद देना पड़ता है बस यह कुफ़्र का प्रायश्चित है।

काफ़िर न हो जायेगा तो काफ़िर (बस क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करेगा) न होगा और यह उस वक़्त है कि जब उस ने इन अल्फ़ाज़ से ऐसे अम्र पर क़सम खाई जो ज़माने आइन्दा में होगा और अगर ऐसे अम्र पर जो ज़माना-ए-माज़ी में हुआ है क़सम खाई मसलन कहा कि वो यहूदी या नसरानी या मजूसी है अगर उस ने कल गुज़रे हुए में ऐसा किया हालांकि वो जानता है कि मैं ऐसा कर चुका हूं तो बिला शक हमारे नज़दीक उस पर कफ़्फ़ारा लाज़िम न होगा इस वास्ते मुख़्तार यह है कि अगर इस के नज़दीक यह बात है कि यह क़सम है इस के हानिस होने से काफ़िर न होगा तो काफ़िर न होगा और अगर उस के नज़दीक यह बात हो कि इस तरह क़सम खाने से काफ़िर हो जायेगा तो बसबब कुफ़्र पर राज़ी होने के काफ़िर हो जायेगा और अगर कहा कि अल्लाह तआला जानता है कि मैंने ऐसा किया हालांकि ख़ुद जानता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है या कहा कि अल्लाह तआला जानता है कि मैंने ऐसा नहीं किया ख़ुद जानता है कि मैंने ऐसा किया है तो इस में मशाइख़ ने इख़्तलाफ़ किया है आइमा मशाइख़ ने नज़दीक काफ़िर हो जायेगा यह ज़ख़ीरह में है और अगर कहा कि 'बज़क़हू अल्लाह ला अफ़अल कज़ा' (ब हाए क़सम) तो यह क़सम न होगी और अगर कहा कि 'वअलम अल्लाह ला अफ़अल कज़ा' तो हमारे नज़दीक क़सम न होगी और अगर कहा 'वरहमतुल्लाह ला अफ़अल कज़ा' तो इमाम आज़म रह० और इमाम मुहम्मद रह० के नज़दीक क़सम न होगी और अगर कहा कि व अज़ाब अल्लाह व ग़ज़ब अल्लाह या कहा व रज़ा अल्लाह सवाब अल्लाह या कहा व इबादतुल्लाह तो क़सम न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

जाहिलाना तौर पर खलत मलत खाई क़सम का बयानः

और अगर कहा कि اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ तो यह क़सम न होगी यह ख़ुलासा में है और अगर कहा कि दिवजहुल्लाह तो बरक़ौल इमाम आज़म व इमाम मुहम्मद रह० के क़सम न होगी शैख़ अबू शुजाअ ने इमाम आज़म रह० से एक हिकायत नक़ल की इस में यह भी

काफ़िर न हो जाएेगा तो काफ़िर (बस क़सम का प्रायश्चित देगा) न होगा और यह उस समय है कि जब उस ने इन शब्दों से ऐसे कार्य पर क़सम खाई जो भविष्य काल में होगा और अगर ऐसे कार्य पर जो भूत-काल में हुआ है क़सम खाई मसलन कहा कि वह यहूदी या ईसाई या अग्नि पूजक है अगर उस ने गुज़रे हुए कल में ऐसा किया हालांकि यह जानता है कि मैं ऐसा कर चुका हूं तो बिना शक हमारे निकट उस पर प्रायश्चित अनिवार्य न होगा इस लिए अधिकार यह है कि अगर उस के निकट यह बात है कि यह क़सम है इस के पापी होने से काफ़िर न होगा तो काफ़िर न होगा और अगर उस के निकट यह बात हो कि इस तरह क़सम खाने से काफ़िर हो जायेगा तो कुफ़्र पर राज़ी होने के काफ़िर हो जायेगा और अगर कहा कि अल्लाह तआला जानता है कि मैंने ऐसा किया हालांकि ख़ुद जानता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है या कहा कि अल्लाह तआला जानता है कि मैंने ऐसा नहीं किया ख़ुद जानता है कि मैंने ऐसा किया है तो इस में विद्वानों ने मतभेद किया है विद्वान इमामों के निकट काफ़िर हो जायेगा यह ज़ख़ीरह में है। और अगर कहा कि 'अल्लाह की धिक्कार है कुछ भी गलत ना करो' (ब हाए क़सम) तो यह क़सम न होगी और अगर कहा कि 'वअलम अल्लाह ला अफ़अल कज़ा' तो हमारे निकट क़सम न होगी और अगर कहा 'और अल्लाह की रहमत हो कुछ भी गलत ना करो' तो इमाम आज़म रह० और इमाम मुहम्मद रह० के निकट क़सम न होगी और अगर कहा कि और अल्लाह का अज़ाब व ग़ज़ब या कहा व अल्लाह की प्रसन्नता अल्लाह का इनाम या कहा व अल्लाह की बन्दगी तो क़सम न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

जाहिलाना तौर पर उलटी-सीधी खाई क़सम के बारे में :

और अगर कहा कि मैं गवाही देता हूं नहीं है अल्लाह के सिवा कोई इलाह तो यह क़सम न होगी यह ख़ुलासा में है और अगर कहा कि अल्लाह का अस्तित्व है तो इमाम आज़म व इमाम मुहम्मद रह० कथनानुसार के क़सम न होगी शैख़ अबू शुजाअ ने इमाम आज़म रह० से

मज़कूर है कि उन जाहिलों की क़सम है कि जो अल्लाह तआला के वास्ते जवारह ज़िक्र करते हैं और यह इस अम्र की दलील है कि इमामे आज़म रह० ने इस को क़सम नहीं क़रार दिया यह मबसूत में है और अगर किसी क़ाइल ने कहा कि इस पर अल्लाह तआला की लअनत है अगर ऐसा करे या कहा कि इस पर अज़ाब अल्लाह है या इस पर अहलतुल्लाह है अगर ऐसा करे तो यह क़सम न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर कहा कि ऐसा करूं तो मुझ पर ग़ज़ब अल्लाह या सख़्त अल्लाह (ग़ज़ब) है तो हालिफ़ न होगा यह हिदाया में है और अगर कहा कि व सुल्तान अल्लाह ला अफ़अल कज़ा (ग़लबा) तो इस सूरत मसले में सही जवाब यह है कि अगर उस ने सुल्तान से क़ुदरत मुराद ली है तो यह क़सम है जैसे क़ौलहू व क़ुदरत अल्लाह कज़ा फ़िल मबसूत और अगर कहा कि व दीन अल्लाह तो क़सम न होगी वो इसी तरह क़ौलहू व ताअतुल्लाह व शरीअतुल्लाह भी क़सम नहीं है व नीज़ अगर अर्शुल्लाह व हुदूद उस के क़सम खाई तो हालिफ़ न होगा और इसी तरह अगर कहा कि व बैतुल्लाह (क़सम बैतुल्लाह की) या बहिजर असवद या बमशअर हराम या बसफ़ा या बमर्वा या बमिम्बर या बरोज़ा या ब सलात या बसियाम या हिज ता इन सब सूरतों में हालिफ़ न होगा और इसी तरह अगर कहा वहम्दुलिल्लाह व इबादतुल्लाह तो क़सम नहीं है और इसी तरह अगर आसमानों या ज़मीन या क़मर या सितारों या सूरज की क़सम खाई तो हालिफ़(1)न होगा यह सिराज वहाज में है और और अगर बहक़ उल रसूल बहक़ उल क़ुरआन या बहक़ उल ईमान या ब हक़्क़ुल मसाजिद या ब हक़्क़ुल या ब हक़्क़ुल सलात (नमाज़) क़सम खाई तो क़सम न होगी या फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर कहा कि बहक़ मुहम्मद अलैहिस्सलाम तो क़सम न होगी लेकिन हक़ आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही बड़ा है ख़ुलासा में है और अगर कहा कि अगर ऐसा करूं अल्लाह मुझे अज़ाब दोज़ख में गिरफ़तार करे या जन्नत से महरूम करे तो यह क़सम न

(1) अहकामे क़सम साबित होंगे अगरचे बग़ैर अल्लाह क़सम खाने से गुनाहगार होगा।

एक हिकायत/कथा वर्णन की इस में यह भी वर्णित है कि उन जाहिलों की क़सम है कि जो अल्लाह तआला के लिए जवारह वर्णन करते है और यह इस कार्य का तर्क है कि इमामे आज़म रह० ने इस को क़सम नहीं क़रार दिया यह मबसूत में है और अगर किसी आश्वस्त ने कहा कि इस पर अल्लाह तआला की धिक्कार है अगर ऐसा करे या कहा कि इस पर अल्लाह का अज़ाब/पाप दंड है या इस पर अल्लाह का साथ है अगर ऐसा करे तो यह क़सम न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर कहा कि ऐसा करूं तो मुझ पर अल्लाह का ग़ज़ब या अल्लाह की सख़्ती (प्रकोप) है तो शपथ कर्ता न होगा यह हिदाया में है और अगर कहा कि व अल्लाह बादशाह है तो ऐसा मत करो (प्रभुत्व) तो इस स्थिति में सही जवाब यह है कि अगर उस ने सुल्तान से प्रभुत्व तात्पर्य लिया है तो यह क़सम है जैसे कहा कि और अल्लाह की प्रभुत्व यह विस्तारित है और अगर कहा कि व दीन अल्लाह तो क़सम न होगी वह इसी तरह कहा और ताअतुल्लाह व शरीअतुल्लाह भी क़सम नहीं है और अगर आसमान वाला व सज़ा देने वाला उस की क़सम खाई तो पापी न होगा और इसी तरह अगर कहा कि बैतुल्लाह (क़सम बैतुल्लाह की) या हिजर असवद की क़सम या बलि देने की जगह की क़सम या सफ़ा या मुर्वा या जहाँ नबी खड़े होकर भाषण देते थे या उनके मज़ार की या नमाज़ या व्रत या हज तो इन सब सूरतों में पापी न होगा और इसी तरह अगर कहा अल्लाह की प्रशंसा व अल्लाह की उपासना तो क़सम नहीं है और इसी तरह अगर आसमानों या ज़मीन या चाँद या सितारों या सूरज की क़सम खाई तो (1)पापी न होगा यह सिराज वहाज में है और और अगर रसूल के बारे में, क़ुरआन के बारे में या ईमान के बारे में या मसजिदों के बारे में या हक़ में या सलात (नमाज़) के बारे में क़सम खाई तो क़सम न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर कहा कि मुहम्मद के बारे में, सलामती हो उन पर तो क़सम न होगी लेकिन आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का

(1) क़सम के आदेश सिद्ध होंगे चाहे बिना अल्लाह की क़सम खाने से पापी होगा।

होगी यह मबसूत में है और अगर कहा कि लाइलाह इल्लल्लाह अल्बत्ता मैं ऐसा करूंगा (ज़रूर करूंगा) तो यह क़सम नहीं है इल्ला आंकि उस ने क़सम की नियत की हो और इसी तरह सुब्हानअल्लाह वल्लाहु अकबर ज़रूर में ऐसा करूंगा तो भी यही हुक्म है यह सिराज वहाज में है और अगर कहा कि मैंने अल्लाह तआला की नाफ़रमानी की अगर ऐसा किया (यानी करूं) या जो इस ने मुझ पर फ़र्ज़ किया है उस में अल्लाह तआला की नाफ़रमानी की अगर ऐसा किया तो यह क़सम नहीं है यह ईज़ाह में है और अगर कहा कि ऐसा करूं तो मैं ज़ानी या चोर या शराब ख़्वार या सूद ख़्वार हों तो यह क़सम नहीं है यह काफ़ी में है और इब्ने सलाम रह० से रिवायत है कि अगर किसी ने कहा कि अगर मैं ऐसा करूं तो अपनी बीवी की तलाक़ की क़सम (ज़रूर करूंगा) खाउं फिर अपनी बीवी से कहा कि तू तालिक़ा है अगर तू चाहे तो उस का ग़ुलाम आज़ाद न होगा और यह जो उस ने अपनी बीवी से कहा यानी तू तालिक़ा है क़सम नहीं है और इसी तरह अगर कहा कि जब तुझे कोई हैज़ आजाये तो भी उस का ग़ुलाम आज़ाद न होगा यह मबसूत में है और अगर कहा कि अगर मैं ऐसा करूं तो कोई परवरदिगार आसमान में नहीं है(1) तो यह क़सम है और काफ़िर न होगा यह इताबिया में है और अगर किसी ने कहा कि अगर मैं ऐसा करूं तो जो अल्लाह तआला ने फ़रमाया है वो कज़्ज़ाब है तो यह क़सम होगी और अगर कहा कि अल्लाह तआला कज़्ज़ाब (नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक) है अगर मैं ऐसा करूं तो भी क़सम होगी और अगर उस ने कहा कि अगर मैं ऐसा करूं तो मुझ पर नसरानियत की गवाही दो तो क़सम होगी और इसी तरह अगर कहा कि जो मैंने रोज़ा नमाज़ किया वो हक़ न था अगर मैं ऐसा करूं तो यह क़सम होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

(1) मैं कहता हूं कि अहले उल ज़वाहिर के क़ौल पर भी काफ़िर होने का हुक्म होना चाहिए।

अधिकार बहुत ही बड़ा है ख़ुलासा में है और अगर कहा कि अगर ऐसा करूं अल्लाह मुझे नर्क का दंड दे करे या जन्नत से वंचित करे तो यह क़सम न होगी यह मबसूत में है और अगर कहा कि लाइलाह इल्लल्लाह अल्बत्ता मैं ऐसा करूंगा (ज़रूर करूंगा) तो यह क़सम नहीं है सिवाए यह कि उसने क़सम का इरादा किया हो और इसी तरह सुब्हान अल्लाह वल्लाहु अकबर मैं ऐसा ज़रूर करूंगा तो भी यही आदेश है यह सिराजुल वहाज में है और अगर कहा कि मैंने अल्लाह की अवज्ञा की अगर ऐसा (यानी करूं) किया या जो इस ने मुझ पर अनिवार्य किया है उस में अल्लाह तआला की अवज्ञा की अगर ऐसा किया तो यह क़सम नहीं है यह ईज़ाह में है और अगर कहा कि ऐसा करूं तो मैं दुष्कर्मी या चोर या शराब पीने या ब्याज खाता हो तो यह क़सम नहीं है यह काफ़ी में है और इब्ने सलाम रह० से रिवायत है कि अगर किसी ने कहा कि अगर मैं ऐसा करूं तो अपनी बीवी की तलाक़ की क़सम खाऊं (ज़रूर करूंगा) फिर अपनी बीवी से कहा कि तू तलाक़ शुदा है अगर तू चाहे तो उस का ग़ुलाम आज़ाद न होगा और यह जो उस ने अपनी बीवी से कहा यानी तू तलाक़ शुदा है क़सम नहीं है और इसी तरह अगर कहा कि जब तुझे कोई माहवारी आजाये तो भी उस का ग़ुलाम आज़ाद न होगा यह मबसूत में है और अगर कहा कि अगर मैं ऐसा करूं तो कोई ईश्वर आसमान में नहीं है(1) तो यह क़सम है और काफ़िर न होगा यह इताबिया में है और अगर किसी ने कहा कि अगर मैं ऐसा करूं तो जो अल्लाह तआला ने फ़रमाया है वह झूठा है तो यह क़सम होगी और अगर कहा कि अल्लाह झूठ है (अल्लाह अपने संरक्षण में रखे) अगर मैं ऐसा करूं तो भी क़सम होगी और अगर उस ने कहा कि अगर मैं ऐसा करूं तो मुझ पर ईसाईयत की गवाही दो तो क़सम होगी और इसी तरह अगर कहा कि जो मैंने रोज़ा नमाज़ किया वह उचित न था अगर मैं ऐसा करूं तो यह क़सम होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

(1) मैं कहता हूं कि अल ज़वाहिर वालों के कथन पर भी काफ़िर होने का आदेश होना चाहिए।

(7) बल्कि तफ़वीज+ तलाक+ है।(10) नी तू तालिक़ा है।(11) नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक।नमाज

माकूलात में इस्तीआब तआम का ऐतबार नहीं है बल्कि फ़क़त क़द्रे मोअताद का ऐतबार है:

और अगर कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार मैं तेरा बन्दा हूं तुझे गवाह करता हूं और तेरे मलाइका को गवाह करता हूं कि ऐसा न करूंगा फिर उस ने यही फ़अल किया तो उस पर कफ़्फ़ारा नहीं है मगर अल्लाह तआला से इस्तग़फ़ार व तौबा करे यह ख़ुलासा में है एक दूसरे से कहा कि वल्लाह मैं तेरी ज़ियाफ़त में आउंगा फिर एक तीसरे ने इस हालिफ़ से कह कि और मेरी ज़ियाफ़त में भी न आयेगा उस ने कहा कि हां तो उस के हक़ में भी हां कहने से हालिफ़ हो जायेगा चुनांचे अगर अव्वल या दोम की ज़ियाफ़त में गया तो हानिस हो जायेगा और बक़ाली में है कि अगर तआम या उस के मिस्ल अपने ऊपर हराम कर लिया तो यह क़सम उसी क़द्र पर होगी जिस को आदत के मुवाफ़िक़ खाने की चीज़ों में खाता है और पहनने की चीज़ों में पहनता है इल्ला आंकि उस की नियत में इस मज़मून के सिवाऐ कुछ और (1) हो और फ़रमाया कि इसी तरह और अश्या के तसर्रुफ़ात में भी इसी तरह ऐतबार है और फ़रमाया कि तआम का (2) इस्तीआब खाने के साथ मोअतबर नहीं है और अगर कहा कि मुझे हलाल नहीं है कि ऐसा करूं (3) पस अगर अपने ऊपर उस के हराम कर लेने की नियत की तो यह क़सम होगी और अगर कहा कि यह कपड़ा मुझ पर हराम है अगर में इस को पहना और उतारा इनहें तो क़सम में हानिस हुआ एक औरत ने अपने शौहर से कहा तू मुझ पर हराम है या कहा कि मैंने तुझे अपने ऊपर हराम किया तो यह क़सम है चुनांचे अगर औरत मज़कूरह जमाअ में उस की मातअत करेगी तो उस पर कफ़्फ़ारा लाज़िम होगा और नीज़ अगर मर्द ने बाकराह उस से जिमाअ कर लिया तो औरत पर कफ़्फ़ारा लाज़िम होगा

(1) पस अगर उसने तमाम तुआम व लिबास मुराद लिया है तो क़ज़ाअन व दयानतन उसकी तसदीक़ होगी और अगर खास मुराद लिया है तो फ़क़त दयानतन तसदीक़ होगी ना क़ज़ाअन फ़ा फ़हम
(2) माकूलात में इस्तीआबे तुआम का एतबार नहीं है बल्कि फ़क़त क़दरे मोअताद का एतबार है।
(3) हालांकि ऐसा करना उस पर मुबाह या उसके माफ़ूक़ है।

खाद्य-पदार्थों में भोजन का आत्मसात विश्वसनीय नहीं है बल्कि केवल पूरी खुराक जितनी विश्वसनीय है :

और अगर कहा कि ऐ मेरे ईश्वर मैं तेरा बन्दा हूं तुझे गवाह करता हूं और तेरे फ़रिश्तों को गवाह करता हूं कि ऐसा न करूंगा फिर उस ने यही कार्य किया तो उस पर प्रायश्चित नहीं है मगर अल्लाह तआला से ईश्वर से क्षमायाचना करे यह ख़ुलासा में है एक दूसरे से कहा कि वल्लाह मैं तेरी प्रतिभोज में आउंगा फिर एक तीसरे ने इस शपथ कर्ता से कहा कि और मेरी मेहमानदारी में भी न आयेगा उसने कहा कि हां तो उस के पक्ष में भी हों कहने से शपथकर्ता हो जायेगा इसलिए अगर पहला या दूसरे की मेहमानदारी में गया तो पापी हो जायेगा और बक़ाली में है कि अगर भोजन या उस के जैसा अपने ऊपर निषिद्ध कर लिया तो यह क़सम उतनी होगी जिस को आदत के अनुकूल खाने की चीज़ों में खाता है और पहनने की चीज़ों में पहनता है सिवाए यह कि उस के इरादा में इस विषय के सिवाऐ कुछ और (1) हो और कहा कि इसी तरह और चीज़ों के खर्चे में भी इसी तरह विश्वास है और फ़रमाया कि खाद्य-पदार्थ का(2)आत्मसात खाने के साथ विश्वसनीय नहीं है और अगर कहा कि मुझे वैध नहीं है कि ऐसा करूं (3) बस अगर अपने ऊपर उस के निषिद्ध कर लेने की इरादा किया तो यह क़सम होगी और अगर कहा कि यह कपड़ा मुझ पर निषिद्ध है अगर में इस को पहना और उतारा इनहें तो क़सम में पापी हुआ एक औरत ने अपने पति से कहा तू मुझ पर निषिद्ध है या कहा कि मैंने तुझे अपने ऊपर निषिद्ध किया तो यह क़सम है इस लिए अगर वर्णित औरत संभोग में उसकी आज्ञाकारिता करेगी तो उस पर प्रायश्चित अनिवार्य होगा और अगर मर्द ने भी बिना इच्छा उस से संभोग कर लिया तो औरत पर प्रायश्चित

(1) बस अगर उसने पूर्ण भोज व वस्त्र तात्पर्य लिया है तो न्यायिक व ईमानदारी से उसकी पुष्टि होगी और अगर विशेष तात्पर्य लिया है तो केवल ईमानदारी से उसकी पुष्टि होगी ना न्यायिक जो समझा
(2) खाद्य-पदार्थों में भोजन का उन्मूलन विश्वस्नीय नहीं है बल्कि केवल पूरी खुराक जितने का विश्वस्नीय है।
(3) हालांकि ऐसा करना उसे प्रिय या उसको श्रेष्ट है।

और अगर किसी मर्द ने कहा कि वो मुर्दार खाता है अगर ऐसा करे तो यह क़सम न होगी और इसी तरह अगर कहा कि वो मुर्दार को हलाल जानता है या शराब या सुवर को हलाल जानता है अगर उस ने ऐसा किया तो भी क़सम न होगी हालांकि मालूम होता है कि यह क़सम हो जायेगी क्योंकि इस्तहलाल हराम कुफ्र है लेकिन दर वाक़े में नहीं है और हासिल यह है कि जो शैय हराम बहुरमत अब्दी है कि उस की हुरमत किसी हाल में साक़ित नहीं होती है जैसे कुफ्र वग़ैरह तो उन का इस्तहलाल मुअल्लिक़ बशर्ते क़सम हो जायेगा और जो शैय इस तरह हराम है कि किसी हाल में उस की हुरमत भी साक़ित हो जाती है जैसे मुर्दार व शराब वग़ैरह तो इन का इस्तहलाल मुअल्लक़ बशर्ते क़सम न होगा यह मुहीत में है।

और अगर कहा कि हर हलाल मुझ पर हराम है तो यह क़सम खाने और पीने की चीज़ों पर क़रार दी जायेगी इल्ला आंकि उस ने इस के सिवाऐ नियत की हो और क़यास यह चाहता है कि वो फ़ारिग़ होते ही हानिस हो जाये और यह क़सम औरत को शामिल न होगी इल्ला आंकि उस ने नियत की हो पस अगर उस ने औरत की भी नियत की हो तो उस से ईला हो जायेगा और क़सम से खाना पीना ख़ारिज न होगा और यह सब ज़ाहिर उल रिवायत के मुवाफ़िक़ जवाब है और फ़तवा इसी अम्र पर है कि ऐसी क़सम से तलाक़ बिला नियत वाक़े हो जायेगी क्योंकि ग़ालिब इस्तेमाल उस का इरादा (1) तलाक़ में हो गया है और इसी तरह अगर उस ने फ़ारिसी में कहा कि हलाल बरूऐ हराम या हलाल ख़ुदाया हलाल अल्लाह या हलाल उल मुस्लिमीन बरूऐ हराम तो भी यही हुक्म है और अगर उस ने कहा कि मैंने तलाक़ की नियत नहीं की थी तो क़ज़ाअन उस की तसदीक़ न होगी और अगर फ़ारसी में कहा कि हर चह बदस्त रास्त गीरम बरमन हराम यानी जो (2) दाहिने हाथ से लूं वो मुझ पर हराम है तो बाज़ ने कहा कि बिला नियत तलाक़ क़रार दिया जायेगा और यही मशाइख़ समरक़न्द ने इख़्तयार किया है

(1) इसमें इशारा है के यह हुक्म क़ज़ाअन होगी
(2) हमारे उर्फ़ में तलाक़ नहीं है।

अनिवार्य होगा और अगर किसी मर्द ने कहा कि वह मृत खाता है अगर ऐसा करे तो यह क़सम न होगी और इसी तरह अगर कहा कि वह मृत को वैध जानता है या शराब या सुवर को जाइज़ समझता है अगर उस ने ऐसा किया तो भी क़सम न होगी हालांकि मालूम होता है कि यह क़सम हो जायेगी क्योंकि अवैध को वैध समझना कुफ्र है लेकिन सच में नहीं है और प्राप्त यह है कि जो चीज़ सदैव के लिए अवैध है कि उस की निषेधता किसी हाल में रद्द नहीं होती है जैसे कुफ्र आदि तो उन का वैध समझना अधर में लटका हुआ बशर्ते क़सम हो जायेगा और जो चीज़ इस तरह अवैध है कि किसी हाल में उस की निषेधता भी रद्द हो जाती है जैसे मृत व शराब आदि तो इन का वैध समझना अधर में लटका हुआ मानना बशर्ते क़सम न होगा यह मुहीत में है।

और अगर कहा कि हर वैध मुझ पर अवैध है तो यह क़सम खाने और पीने की चीज़ों पर क़रार दी जायेगी सिवा यह कि उसने इस के सिवाऐ इरादा किया हो और अनुमान यह कहता है कि वह निश्चिन्त होते ही पापी हो जाये और यह क़सम औरत पर लागू न होगी सिवा उस के कि उस ने इरादा किया हो बस अगर उस ने औरत की भी इरादा किया हो तो उस से जाइज़ हो जायेगा और क़सम से खाना पीना रद्द न होगा और यह सब ज़ाहिर उल रिवायत के अनुसार जवाब है और फ़तवा इसी कार्य पर है कि ऐसी क़सम से तलाक़ बिना इरादा हो जायेगी क्योंकि उस का प्रबल इरादे का प्रयोग (1) तलाक़ में हो गया है और इसी तरह अगर उस ने फ़ारसी में कहा कि वैध पर अवैध या वैध ख़ुदा या वैध अल्लाह या वैध मुस्लिमों पर अवैध तो भी यही आदेश है और अगर उस ने कहा कि मैंने तलाक़ का इरादा नहीं किया था तो न्यायिक तौर पर उस की पुष्टि न होगी और अगर फ़ारसी में कहा कि हर चीज़ जो सही है मुझ पर निषेध/हराम यानी जो (2) दाहिने हाथ से लूं वह मुझ पर निषिद्ध है तो बाज़ ने कहा कि बिना इरादा तलाक़ क़रार दिया जायेगा और यही समरक़न्द के विद्वानों ने अपनाया

(1) इसमें इशारा है के यह आदेश न्यायिक होगा
(2) हमारे रीत में तलाक़ नहीं है।

और बाज़ मशाइख ने फ़रमाया कि मुझे अब तक लोगों में उस का रिवाज ज़ाहिर नहीं हुआ है पस सही यह है कि जवाब में तफ़सील की जाये कि अगर उस ने तलाक़ की नियत की हो तलाक़ होगी और बदून दलालत के अहतियात यह है कि आदमी इस में तवक्कुफ़ करे और खिलाफ़ (1) मुतक़द्दिमीन के न करे और अगर कहा कि हर चह बदस्त चप गीरम बरमन यानी जो बाऐं हाथ में लूं मुझ पर हराम है तो यह तलाक़ न होगी इल्ला नियत के साथ और अगर कहा हर चह बदस्त गीरम बरमन हराम तो बाज़ ने फ़रमाया कि बदूं नियत के तलाक़ न होगी और बाज़ ने कहा कि बिला नियत तलाक़ होगी नियत शर्त नहीं है और अगर कहा कि हलाल ख़ुदा मुझ पर हराम है हालांकि उस की दो बीवियां हैं तो अज़हर क़ौल के मुवाफ़िक़ इन में से एक तलाक़ वाक़े होगी और तअय्युन करने का इख़्तयार उस को होगा जिस को चाहे निश्चित कर यह काफ़ी में है।

और अगर कहा कि वल्लाह कलाम न करूंगा फ़लां से आज और कल और परसों तो यह एक ही क़सम है :

शैख अबूबकर रह० से दरयाफ़्त किया गया कि एक ने कहा कि यह शराब मुझ पर हराम है फिर उस को पी लिया फ़रमाया कि इस में इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के दरमियान इख़्तलाफ़ है चुनांचे एक इमाम ने फ़रमाया है कि हानिस होगा और दूसरे ने फ़रमाया कि हानिस न होगा और फ़तवा के वास्ते मुख़्तार यह है कि अगर इस ने इस की हुरमत का इरादा किया है होगा और उस पर कफ़्फ़ारा लाज़िम आयेगा और उस की कुछ नियत न हो या उस ने शराब के हराम होने की खबर बयान करने की नियत की हो तो कफ़्फ़ारा लाज़िम न होगा और इसी को सदर शहीद रह० ने इख़्तयार फ़रमाया है यह ज़हीरिया में है यह अल्लाह तआला के साथ क़सम खानी मोहतमल तअलीक़ है जैसे कहा कि जब कल का रोज़ आये तो वल्लाह मैं इस दार में दाखिल न होगा और मोहतमिल ताक़ीत भी है जैसे कि क़सम बग़ैर अल्लाह है जैसे कहा कि वल्लाह मैं इस दार में

(1) जिस के नज़दीक तलाक़ है।

है और कुछ विद्वानों ने कहा कि मुझे अब तक लोगों में उस का रिवाज दिखा नहीं है बस सही यह है कि जवाब में विवरण दिया जाये कि अगर उस ने तलाक़ का इरादा किया हो तो तलाक़ होगी और बजाए तर्क के सतर्कता यह है कि आदमी इस में विलंब करे और पुराने लोगों के(1) विपरीत न करे और अगर कहा कि हर चह बदस्त चप गीरम बरमन यानी जो चीज़ बाऐं हाथ में लूं मुझ पर निषिद्ध है तो यह तलाक़ न होगी सिवाए इरादा के साथ और अगर कहा हर चह बदस्त गीरम बरमन निषिद्ध तो कुछ ने कहा कि सिवाए इरादे के तलाक़ न होगी और कुछ ने कहा कि बिना इरादा तलाक़ होगी इरादा शर्त नहीं है और अगर कहा कि हलाल ख़ुदा मुझ पर निषिद्ध है हालांकि उस की दो बीवियाँ हैं तो अधिक स्पष्ट कथन के अनुसार इन में से एक तलाक़ स्पष्ट होगी और निश्चित करने का अधिकार उस को होगा जिस को चाहे निश्चित करे यह काफ़ी में है।

और अगर कहा कि वल्लाह फ़लां से बात न करूंगा आज और कल और परसों तो यह एक ही क़सम है :

शैख अबू बकर रह० से पूछा गया कि एक ने कहा कि यह शराब मुझ पर अवैध है फिर उस को पी लिया कहा कि इस में इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के बीच मतभेद है इस लिए एक इमाम ने फ़रमाया है कि पापी होगा और दूसरे ने कहा कि पापी न होगा और फ़तवा के लिए अधिकार यह है कि अगर इस ने इस के सम्मान का इरादा किया है तो पापी होगा और उस पर प्रायश्चित अनिवार्य होगा और उस की कुछ इरादा न हो या उस ने शराब के अवैध होने की खबर बयान करने का इरादा किया हो तो प्रायश्चित अनिवार्य न होगा और इसी को सदर शहीद रह० ने अपनाया है यह ज़हीरिया में है यह अल्लाह तआला के साथ क़सम खानी संभावित निलंबन है जैसे कहा कि जब कल का दिन आये तो वल्लाह मैं इस घर में प्रवेश न होगा और संभावित समय भी है जैसे कि क़सम अल्लाह के बग़ैर है जैसे कहा कि वल्लाह मैं इस घर में प्रवेश न हूंगा एक

(1) जिस के निकट तलाक़ है।

दाखिल न हूंगा एक साल तक पस साल भर गुज़रने पर क़सम की भी इन्तहा हो जायेगी। एक ने दूसरे से कहा कि वल्लाह मैं तुझ से कलाम न करूंगा एक रोज़ और एक रोज़ तो मिस्ल इस के है कि कहा कि वल्लाह तुझ से दो रोज़ कलाम न करूंगा यानी दो रोज़ गुज़रने पर क़सम मुन्तहा हो जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और उन दोनों में बीच की रात (1) भी दाखिल होगी यह मुहीत मुें है और अगर कहा कि वल्लाह तुझ से कलाम न करूंगा एक रोज़ और दो रोज़ तो मिस्ल उस के कहा कि वल्लाह तुझ से तीन रोज़ तक कलाम न करूंगा और अगर कहा कि वल्लाह मैं फ़लां से कलाम न करूंगा आज और न कल ओर न परसों तो इस को रात में इस से कलाम करना जाइज़ है इस वास्ते कि यह तीन क़समें हैं और अगर कहा कि वल्लाह कलाम न करूंगा फ़लां से आज और कल और परसों तो यह एक ही क़सम है गोया उस ने कहा कि उस से तीन रोज़ तक कलाम न करूंगा पस बीच की रातें क़सम में दाखिल होंगी यह मबसूत में है।

और अगर किसी ने कहा कि वल्लाह वर्रहमान मैं ऐसा न करूंगा तो यह क़समें हैं चुनांचे अगर ऐसा फ़अल करने से वो हानिस हुआ तो इस पर दो कफ्फ़ारे लाज़िम होंगे यह ज़ाहिर उल रिवायत का हुक्म है और इस जिन्स के मसाइल में असल यह है कि अल्लाह तआला की क़सम खाने वाले ने अगर दो नाम ज़िक्र किये और दोनों पर बुनियाद क़सम रखी पस अगर दूसरा नाम सिफ़त इस्मे अव्वल हो और दोनों के दरमियान हरफ़े इल्लत ज़िक्र न किया हो तो बाइत्तफ़ाक़ जुमला रिवायात पर एक ही क़सम होगी जैसे अल्लाह अर्रहमान मैं ऐसा न करूंगा और अगर दूसरा इस्म पहले इस्म की लुगत होने की सलाहियत रखता हो मगर उस ने बीच में हर्फ़े अतफ़ बयान कर दिया है तो ज़ाहिर उल रिवायत के मुवाफ़िक़ दो क़समें हो जाऐंगी जैसे कहा कि वल्लाह वर्रहमान ऐसा न करूंगा कज़ा फ़िल मुहीत और अगर मशाइख इसी ज़ाहिर उल रिवायत (2) पर हैं यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और

(1) यानी अगर रात में किया तो हानिस हो जायेगा।
(2) यानी यही मुख़तार हो इन के नज़दीक।

साल तक बस साल भर गुज़रने पर क़सम की भी इन्तहा हो जायेगी। एक ने दूसरे से कहा कि वल्लाह मैं तुझ से बात न करूंगा एक दिन और एक दिन तो उस के जैसे है कि कहा कि वल्लाह तुझ से दो दिन बात न करूंगा यानी दो दिन गुज़रने पर क़सम समाप्त हो जायेगी यह फ़तावा क़ाजी खान में है और उन दोनों में बीच की रात (1) भी प्रवेश होगी यह मुहीत में है और अगर कहा कि वल्लाह तुझ से बात न करूंगा एक दिन और दो दिन तो उस के जैसे कहा कि वल्लाह तुझ से तीन दिन तक बात न करूंगा और अगर कहा कि वल्लाह मैं फ़लां से बात न करूंगा आज और न कल और न परसों तो इस को रात में इस से बात करना जाइज़ है इस लिए कि यह तीन क़समें हैं और अगर कहा कि वल्लाह बात न करूंगा फ़लां से आज और कल और परसों तो यह एक ही क़सम है गोया उस ने कहा कि उस से तीन दिन तक बात न करूंगा बस बीच की रातें क़सम में सम्मिलित होंगी यह मबसूत में है।

और अगर किसी ने कहा कि और अल्लाह दयावान मैं ऐसा न करूंगा तो यह क़समें हैं इस लिए अगर ऐसा कार्य करने से वह पापी हुआ तो इस पर दो प्रायश्चित अनिवार्य होंगे यह ज़ाहिर उल रिवायत का आदेश है और इस लिंग के मामलों में असल यह है कि अल्लाह तआला की क़सम खाने वाले ने अगर दो नाम वर्णन किये और दोनों नीवों पर क़सम रखी बस अगर दूसरा नाम संज्ञा विशेषण पहला हो और दोनों के बीच स्वर का वर्णन न किया हो तो सहमति से समस्त परंपराओं पर एक ही क़सम होगी जैसे अल्लाह दयावान मैं ऐसा न करूंगा और अगर दूसरा नाम पहले नाम का अर्थ होने की योग्यता रखता हो मगर उस ने बीच में मिलाने वाला शब्द बयान कर दिया है तो स्पष्ट रिवायत के अनुसार दो क़समें हो जाऐंगी जैसे कहा कि वल्लाह दयावान मैं ऐसा न करूंगा यह मुहीत में है और अगर विद्वानों इसी स्पष्ट परंपराओं (2) पर हैं यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर दूसरा

(1) यानी अगर रात में किया तो पापी हो जायेगा।
(2) यानी इन के निकट यही अधिकार है ।

अगर दूसरा इस्म पहले नाम की लुग़त होने की सलाहियत न रखता हो पस अगर दोनों के दरमियान हर्फ़े अतफ़ बयान किया जैसे वल्लाह वल्लाह मैं ऐसा न करूंगा तो ज़ाहिर उल रिवायत के मुवाफ़िक़ दो क़समें होंगी और यही सही है और अगर दोनों के दरमियान हरफ़ अतफ़ बयान किया जैसे वल्लाह वल्लाह मैं ऐसा न करूंगा तो ज़ाहिर उल रिवायत के मुवाफ़िक़ दो क़समें होंगी और यही सही है और अगर दोनों के बीच में हरफ़ अतफ़ बयान न किया तो बिल इत्तफ़ाक़ जुमला रिवायत यह एक ही क़सम होगी ऐसा ही शैख़ुल इस्लाम ने ज़िक्र किया है यह मुहीत में है और अगर उस ने उस से दो क़समें की नियत की हो तो दो क़सम होंगी पास उस का क़ौल अल्लाह बखिदमत हर्फ़ क़सम इब्तदाई होगी और ऐसी क़सम सही है यह बदाऐ में है और अगर कहा कि वल्लाह वर्रहमान ऐसा न करूंगा फिर किया इस पर बिल इत्तफ़ाक़ सब के नज़दीक दो कफ्फ़ारे लाज़िम आऐंगे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। और अगर किसी ने एक अम्र पर क़सम खाई कि इस को कभी न करूंगा फिर उस ने इसी अम्र पर इसी मज्लिस में क़सम खाई कि इस को कभी न करूंगा फिर किया तो उस पर दो कफ़्फ़ारे दो क़समों के वाजिब होंगे और यह हुक्म इस वक्त है कि उस ने दूसरी क़सम की नियत की हो या तग़लीज़ की नियत की हो या कुछ नियत न की हो और अगर दूसरे कला से वही पहली क़सम की नियत की हो तो उस पर एक ही कफ्फ़ारा वाजिब होगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने इमाम अबू हनीफ़ा रह० से रिवायत की है कि यह हुक्म इस वक्त है कि उस ने हज या उमरह या नमाज़ या रोज़ा या सदक़ा की क़सम खाई हो और अगर उस ने अल्लाह तआला की क़सम खाई हो तो उस की नियत कुछ सही न होगी और इस पर दो कफ्फ़ारा लाज़िम होंगे और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि यह अहसन (1) उस का है जो हम ने इमाम रह० से सुना है और अगर उस ने एक क़सम बहज और दूसरी बनाम अल्लाह खाई होगे पर इस पर एक हज व एक प्रायश्चित लाज़िम होगा यह मबसूत में है।

(1) ज़ाहिरन कुछ और भी इस मसले में सुना होगा वल्लाहु आलम।

नाम पहले नाम का अर्थ होने की योग्यता न रखता हो बस अगर संयोजक शब्द वर्णन किया जैसे वल्लाह वल्लाह मैं ऐसा न करूंगा तो स्पष्ट परंपरा के अनुसार दो क़समें होंगी और यही सही है और अगर दोनों के बीच मिलाने वाला शब्द बयान किया और अगर संयोजक शब्द वर्णन न किया तो सर्वसहमति से सब परंपराऐं यह एक ही क़सम होंगी ऐसा ही शैख़ुल इस्लाम ने वर्णन किया है यह मुहीत में है और अगर उसने उस से दो क़समों का इरादा किया हो तो दो क़सम होंगी बस उस का कथन अल्लाह का अनुसरण क़सम शब्द से शुरूआत होगी और ऐसी क़सम सही है यह बदाऐ में है और अगर कहा कि अल्लाह दयावान ऐसा न करूंगा फिर किया इस पर सर्वसम्मति है सब के निकट दो प्रायश्चित अनिवार्य आऐंगे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। और अगर किसी ने एक कार्य पर क़सम खाई कि इस को कभी न करूंगा फिर उस ने इसी कार्य पर इसी सभा में क़सम खाई कि इस को कभी न करूंगा फिर किया तो उस पर दो प्रायश्चित दो क़समों के अनिवार्य होंगे और यह आदेश इस समय है कि उस ने दूसरी क़सम का इरादा किया हो या सख़्ती का इरादा किया हो या कुछ इरादा न की हो और अगर दूसरी बात से वही पहली क़सम का इरादा किया हो तो उस पर एक ही प्रायश्चित अनिवार्य होगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने इमाम अबू हनीफ़ा रह० से रिवायत की है कि यह आदेश इस समय है कि उस ने हज या उमरह या नमाज़ या रोज़ा या सदक़े/दान की क़सम खाई हो और अगर उस ने अल्लाह तआला की क़सम खाई हो तो उस का इरादा कुछ सही न होगा और इस पर दो प्रायश्चित लाज़िम होंगे और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने कहा है कि यह अति-उत्तम (1) उस का है जो हम ने इमाम रह० से सुना है और अगर उस ने एक क़सम छोड़ी और दूसरी अल्लाह के नाम से खाई तो पापी होने पर, इस पर एक हज व एक प्रायश्चित अनिवार्य होगा यह मबसूत में है।

(1) स्पष्ट कुछ और भी इस मसले में सुना होगा अल्लाह जाने।

अगर कहा कि मैं यहूदी हूं अगर ऐसा करूं और मैं नसरानी हूं अगर ऐसा करूं तो यह दो क़समें हैं :

तवाज़ुल में है कि एक शख़्स ने दूसरे से कहा कि वल्लाह मैं तुझ से एक रोज़ कलाम न करूंगा वल्लाह मैं तुझ से एक महीना कलाम न करूंगा वल्लाह मैं तुझ से एक साल कलाम न करूंगा फिर बाद साअत के उस से कलाम किया तो उस पर तीन क़समों की जज़ा लाज़िम होगी और अगर एक रोज़ के बाद कलाम किया तो उस पर दो क़समों का कफ़्फ़ारा लाज़िम होगा और अगर एक महीना के बाद कलाम किया तो उस पर एक ही क़सम होगा और अगर एक साल के बाद कलाम किया तो इस पर कुछ न होगी यह ख़ुलासा में है और अगर कहा कि मैं अल्लाह तआला से बेज़ार हूं अगर मैं ने कल ऐसा किया है हालांकि उस ने ऐसा किया था और जानता था तो इस में मशाइख़ ने इख़्तलाफ़ किया है और मुख़्तार बराऐ फ़त्वा यह है कि अगर उस के ज़अम में हो कि यह कुफ़्र है तो काफ़िर होगा और अगर कहा कि मैंने कल ऐसा किया हो तो मैं क़ुरआन से बरी हूं हालांकि ऐसा कर चुका और जानता है तो जवाब मुख़्तार इस में भी वही है जो अल्लाह तआला से बेज़ारी की सूरत में मज़्कूर हुआ है यह मुहीत में है और अगर कहा कि ऐसा करूं तो अल्लाह व उस के रसूल से बरी हूं फिर हानिस हुआ तो यह एक ही क़सम है कि उस पर एक ही कफ़्फ़ारा लाज़िम होगा और अगर कहा कि अगर ऐसा करूं तो अल्लाह तआला से बरी हूं और रसूलुल्लाह से बरी हूं तो यह दो क़समें कि हानिस होने पर उस पर दो कफ़्फ़ारा लाज़िम आऐंगे और कहा अगर ऐसा करूं तो अल्लाह तआला से बरी हूं और रसूलुल्लाह से बरी हूं और अल्लाह व रसूल मुझ से बरी हूं फिर हानिस हुआ तो उस पर चार क़सम के कफ़्फ़ारे लाज़िम आऐंगे और इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत है कि अगर कहा कि मैं यहूदी हूं अगर ऐसा करूं और मैं नसरानी हूं अगर ऐसा करूं तो यह दो क़समें हैं (1) और अगर कहा कि मैं यहूदी हूं नसरानी हूं

(1) दानों क़समें अलेहिदा होंगी।

अगर कहा कि मैं यहूदी हूं अगर ऐसा करूं और मैं ईसाई हूं अगर ऐसा करूं तो यह दो क़समें हैं :

तवाज़ुल में है कि एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा कि वल्लाह मैं तुझ से एक दिन बात न करूंगा वल्लाह मैं तुझ से एक महीना बात न करूंगा वल्लाह मैं तुझ से एक साल बात न करूंगा फिर कुछ क्षणों के बाद उस से बात की तो उस पर तीन क़समों का बदला अनिवार्य होगा बदला अगर एक दिन के बाद बात किया तो उस पर दो क़समों का प्रायश्चित अनिवार्य होगा और अगर एक महीना के बाद बात की तो उस पर एक ही क़सम होगा और अगर एक साल के बाद बात की तो इस पर कुछ न होगी यह ख़ुलासा में है और अगर कहा कि मैं अल्लाह तआला से विरक्त हूं अगर मैंने कल ऐसा किया है हालांकि उस ने ऐसा किया था और जानता था तो इस में विद्वानों ने मतभेद किया है और फ़तवे के लिए अधिकार यह है कि अगर उस की धारणा में हो कि यह कुफ्र है तो काफ़िर होगा और अगर कहा कि मैंने कल ऐसा किया हो तो मैं क़ुरआन से विरक्त हूं हालांकि ऐसा कर चुका और जानता है तो अधिकृत जवाब इस में भी वही है जो अल्लाह तआला से विरक्ति की स्थिति में वर्णित हुआ है यह मुहीत में है और अगर कहा कि ऐसा करूं तो अल्लाह व उस के रसूल से विरक्त हूं फिर पापी हुआ तो यह एक ही क़सम है कि उस पर एक ही प्रायश्चित अनिवार्य होगा और अगर कहा कि अगर ऐसा करूं तो अल्लाह तआला से विरक्त हूं और रसूलुल्लाह से बरी हूं तो यह दो क़समें हैं कि पापी होने पर उस पर दो कफ़्फ़ारे अनिवार्य होंगे और कहा अगर ऐसा करूं तो अल्लाह तआला से विरक्त हूं और रसूलुल्लाह से बरी हूं और अल्लाह व रसूल मुझ से विरक्त हैं फिर पापी हुआ तो उस पर चार क़समों के प्रायश्चित अनिवार्य आऐंगे और इमाम मुहम्मद रह० से वर्णित है कि अगर कहा कि मैं यहूदी हूं अगर ऐसा करूं और मैं ईसाई हूं अगर ऐसा करूं तो यह दो क़समें हैं (1) और अगर कहा कि मैं

(1) दानों क़समें अलग होंगी।

अगर ऐसा करूं तो यह एक ही क़सम है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। और अगर कहा कि ऐसा करूं तो मैं चारों (1) किताबों से बेज़ार हूं तो यह एक ही क़सम है और इसी तरह अगर कहा कि अगर ऐसा करूं तो मैं क़ुरआन व इंजील और तोरेत व ज़बूर से बरी हूं होने पर एक ही कफ्फ़ारा लाज़िम आयेगा इस लिये कि यह एक ही क़सम है और अगर कहा कि ऐसा करूं तो मैं क़ुरआन से बेज़ार हूं और मैं इंजील से बेज़ार हूं और मैं तोरेत से बेज़ार हूं और मैं ज़बूर से बेज़ार हूं तो यह चार क़समें हैं कि अगर हानिस होगा तो इस पर चार कफ्फ़ारे लाज़िम आऐंगे यह मुहीत में है और अगर कहा कि मैं बरी हूं उस चीज़ से जो सहीफ़ों में उतरी तो यह एक ही क़सम है और इसी तरह अगर कहा कि मैं बरी हूं उस आयत से जो मसहफ़ में है तो भी एक ही क़सम है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

शम्स उल इस्लाम से दरयाफ़त किया गया कि अगर किसी ने कहा कि वल्लाह अगर ईन कारकुनम यानी वल्लाह अगर यह काम करूं तो ऐसा तो शैख ने फ़रमाया कि मेरे उस्ताद ने यह इख़्तियार किया था कि यह क़सम न होगी फिर रूजूअ किया और फ़रमाया कि क़सम होगी यह ख़ुलासा में है एक ने कहा कि सो गन्दुम ख़ुरम कि ऐं कार कुनम यानी क़सम खाउं या खाता हूं कि यह काम न करूंगा तो बाज़ ने फ़रमाया कि क़सम होगी और बाज़ ने कहा कि न होगी और अगर कहा कि सो गन्दुम ख़ूरम कि ऐं कार कुनम यानी क़सम खाता हूं कि यह काम न करूंगा तो क़सम होगी इस वास्ते कि ऐसा कलाम तहक़ीक़ के वास्ते ज़िक्र किया जाता है न वादे के तौर पर जैसे कहा जाता है गवाही मी दहम यानी गवाही देता हूं और अगर कहा सो गन्दुम ख़ुरम अब तलाक़ कि ऐं कार कुनम तो क़सम न होगी इस वास्ते कि यह वादा व तखवीफ़ है और अगर कहा कि सोगन्द कौरी (2) तो क़सम होगी बमन्ज़िला सोगन्द मी ख़ूरम के यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और अगर कहा कि मेरा सोगन्द

(1) क़ुरआन मजीद व इन्जील व ज़ुबूर व तोरेत

(2) यह उर्फ़ उस मुल्क व ज़माने का है वरना हमारे नज़दीक मोहमल है बेशतर अज़ अव्वल

यहूदी हूं ईसाई हूं अगर ऐसा करूं तो यह एक ही क़सम है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। और अगर कहा कि ऐसा करूं तो मैं चारों (1) किताबों से विरक्त हूं तो यह एक ही क़सम है और इसी तरह अगर कहा कि अगर ऐसा करूं तो मैं क़ुरआन व इंजील और तोरेत व ज़बूर से विरक्त हूं तो पापी होने पर एक ही प्रायश्चित अनिवार्य आयेगा इस लिये कि यह एक ही क़सम है और अगर कहा कि ऐसा करूं तो मैं क़ुरआन से विरक्त हूं और मैं इंजील से विरक्त हूं और मैं तोरेत से विरक्त हूं और मैं ज़बूर से विरक्त हूं तो यह चार क़समें हैं कि अगर पापी होगा तो इस पर चार प्रायश्चित अनिवार्य आऐंगे यह मुहीत में है और अगर कहा कि मैं विरक्त हूं उस चीज़ से जो सहीफ़ों/पृष्ठों में उतरी तो यह एक ही क़सम है और इसी तरह अगर कहा कि मैं विरक्त हूं उस आयत से जो पृष्ठों में है तो भी एक ही क़सम है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

शम्स उल इस्लाम से पूछा गया कि अगर किसी ने कहा कि वल्लाह अगर यह कार्य करूं यानी वल्लाह अगर यह काम करूं तो ऐसा तो शैख ने फ़रमाया कि मेरे उस्ताद ने यह अपनाया था कि यह क़सम न होगी फिर रूजूअ किया और कहा कि क़सम होगी यह ख़ुलासा में है एक ने कहा कि सो गन्दुम ख़ुरम कि ऐं कार कुनम यानी क़सम खाउं या खाता हूं कि यह काम न करूंगा तो बाज़ ने फ़रमाया कि क़सम होगी और बाज़ ने कहा कि न होगी और अगर कहा कि सो गन्दुम ख़ूरम कि ईन कार न कुनम यानी क़सम खाता हूं कि यह काम न करूंगा तो क़सम होगी इस लिए कि ऐसी बात जांच के लिए वर्णन किया जाता है न कि वादे के तौर पर जैसे कहा जाता है गवाही मी दहम यानी गवाही देता हूं और अगर कहा सो गन्दुम ख़ुरम अबतलाक़ कि ईन कार कुनम तो क़सम न होगी इस लिए कि यह वादा व त्रासना है और अगर कहा कि यह साफ़ क़सम है (2) तो क़सम होगी क्रमश मैं क़सम खता हूँ के यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और अगर कहा कि नशा छोड़ने की क़सम कि शराब नहीं

(1) क़ुरआन मजीद व इन्जील व ज़ुबूर व तोरेत

(2) यह रीती उस देश व ज़माने की है वरना हमारे निकट अधिकांश पहले से व्यर्थ है

बतलाक़ मस्त कि शराब नखूरम यानी मुझे क़सम बतलाक़ है कि शराब न पियूंगा फिर शराब पी तो उस की बीवी तालिक़ा हो जायेगी और अगर कहा कि मैंने क़सम नहीं खाई थी बल्कि यह जो मैंने कह दिया था कि मुझ पर क़सम बतलाक़ है इस वास्ते कह दिया था कि लोग मुझे तअरूज़ न करें तो क़ज़ाअन उस के क़ौल की तसदीक़ न की जायेगी यह काफ़ी में है।

अगर कहा : मसहफ़ ख़ुदा बदस्ते मन सोख़तह अगर ईन कार कुनम ?

और अगर उसने कहा कि सोगन्द ख़ुरदह अम यानी मैंने क़सम खाई है तो क़सम (1) होगी और अगर झूठा है तो उस पर कुछ नहीं है यह मुहीत में है और अगर उसने कहा कि बर मन सोगन्द अस्त के ईन कार न कुनम बस अगर इसी जैसा कहा तो यह ख़बर देता है बस उस की क़सम खाने का इक़रार क़रार दिया जाएगा और अगर उस से कुछ ज़्यादा कहा कि यूं कहा मुझ पर क़सम (2) ब तलाक़ है उस पर तलाक़ लाज़िम आएगी और अगर उसने दावा किया कि मैं ने यह बात झूठ कही थी के हम जलीस तअर्रूज़ न करें या मिस्ल उस के कोई ग़रज़ बयान तो क़ज़ाअन उसकी तसदीक़ न होगी और अगर कहा कि बिल्लाहुल अज़ीम यानी बुज़ुर्ग तर अल्लाह अज़ीम से नहीं है कि मैं यह काम न करूंगा तो क़सम होगी जैसे या अल्लाहुल अज़ीम उल आज़म कहने में होता है और ऐसी ज़्यादात वास्ते ताकीद के होती है बस फासिल (2) क़रार ना दी जायगी यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और फ़तावे में लिखा है कि अगर किसी ने कहा कि सोगन्द मी ख़ुरम बतलाक़ तो ततलीक़ा नहीं है इस वास्ते कि लोगों में क़सम बतलाक़ का इस तरह रिवाज नहीं है और तजरीद में लिखा है कि अगर किसी ने कहा कि मिरा सोगन्द ख़ाना अस्त यानी मुझे घर की क़सम है तो उसकी बीवी तालिक़ा हो जायगी और यह शर्त नहीं है कि ख़ाने से उसने बीवी की नियत की हो और यही असहा है क़ालल मुतरज्जिम हमारे उर्फ़ में क़सम न होगी

(1) कफ़्फ़ारा दर सूरत जन्नत
(2)अगर तलाक़ की क़सम है मसलन फिर साबित हुआ तो उसके इक़रार पर उस की बीवी तालिक़ा होगी और असल हाल ख़ुदा जाने
(३) ताकि कई क़समें हो जाऐं या क़सम ही ना हो।

पियूंगा यानी मुझे क़सम है कि शराब न पियूंगा फिर शराब पी तो उस की बीवी तलाक़शुदा हो जायेगी और अगर कहा कि मैंने क़सम नहीं खाई थी बल्कि यह जो मैंने कह दिया था कि मुझ पर त्याग की क़सम है इस लिए कह दिया था कि लोग मुझे रोक-टोक न करें तो न्यायिक रूप से उस के कथन की पुष्टि न की जायेगी यह काफ़ी में है।

अगर कहा : मेरे हाथ ख़ुदा की किताब जल जाती, अगर मैं यह कार्य करता ?

और अगर उसने कहा कि सोगन्द ख़ुरदह अम यानी मैंने क़सम खाई है तो क़सम (1) होगी और अगर झूठा है तो उस पर कुछ नहीं है यह मुहीत में है और अगर उसने कहा कि बर मैं कसम खाता हूं के यह काम न करूंगा अगर इसी जैसा कहा तो यह ख़बर देता है बस उस की क़सम खाने को स्वीकार क़रार दिया जाएगा और अगर उस से कुछ ज़्यादा कहा कि यूं कहा मुझ पर क़सम (2) तलाक़ के साथ है उस पर तलाक़ अनिवार्य होगी और अगर उसने दावा किया कि मैं ने यह बात झूठ कही थी के साथी पूछ-गछ न करें या उस के जैसा कोई उद्देश्य बयान किया तो न्यायिक तौर पर उसकी पुष्टि न होगी और अगर कहा कि बिल्लाहुल अज़ीम यानी बुज़ुर्ग तर अल्लाह अज़ीम से नहीं है कि मैं यह काम न करूंगा तो क़सम होगी जैसे या अल्लाहुल अज़ीम उल आज़म कहने में होता है और ऐसा अधिकतर पुष्टिकरण के लिए होता हैं बस दूरी (३) क़रार ना दी जायगी यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और फ़तावे में लिखा है कि अगर किसी ने कहा कि तलाक़ के साथ क़सम खाता हूं तो तलाक़ नहीं है इस लिए कि लोगों में क़सम तलाक़ के साथ का इस तरह रीत नहीं है और तजरीद में लिखा है कि अगर किसी ने कहा कि मिरा सोगन्द ख़ाने अस्त यानी मुझे घर की क़सम है तो उसकी बीवी तलाक़शुदा हो जायगी और यह शर्त नहीं है कि घर से उसने बीवी का इरादा किया हो और यही सही है अनुवादक के कथनानुसार हमारी

(1) जन्नत की स्थिति में प्रायश्चित
(2) अगर तलाक़ की क़सम है मसलन फिर सिद्ध हुआ तो उसके स्वीकार पर उसकी बीवी को तलाक़ होगी और असल हाल ख़ुदा जाने (३) ताकि कई क़समें हो जाऐं या क़सम ही ना हो।

औ यही असहा है और फ़तावा में लिखा है कि अगर कहा कि बिल्लाह कि बुज़ुर्ग तर उस से कोई नाम नहीं है बुज़ुर्ग तर उस से क़सम नहीं है या जो बुज़ुर्ग तरीन नाम है कि ऐसा करूंगा या ना करूंगा तो यह क़सम है और क़ौला बुज़ुर्ग तरीन फ़ासिल क़रार न दिया जायगा और मजमूअल नवाज़िल में लिखा है कि शैख़ुल इसलाम से दरयाफ़्त किया गया कि अगर किसी ने इस सूरत में दावा कि मैं ने करने या न करने की क़सम नहीं खाई बल्कि मेरी मुराद यह थी कि बिल्लाह यह सब क़समो से बड़ी क़सम या मेरे नज़दीक इस से बढ़ कर क़सम नहीं है तो फ़रमाया कि उस की तसदीक़ न की जायगी इस वास्ते कि उस ने फ़अल का करना या न करना उस से मिला दिया है और यह जो उसने दावा किया है कि कलाम मज़कूरे अव्वल पर मक़सूद है यह ख़िलाफ़ ज़ाहिर है कज़ा फ़ी अल ख़ुलासा और अगर कहा कि मसहफ़े ख़ुदा बदस्ते मन सोख़ता अगर ईन कार कुनम यानी मसहफ़ ख़ुदा मेरे हाथ में सोख़ता अगर यह काम करूं तो क़सम न होगी और अगर कहा कि हो उम्मीदी बख़ुदा दारम ना उम्मीदम अगर ईन कार कुनम तो यह क़सम होगी क़ालल मुतरज्जिम ज़रूर है कि यूं हो कि हर उम्मीदे (1)कि बख़ुदा दारम इला आख़िरह वरना हमारे उर्फ़ में क़सम ना होगी वल्लाहु आलम और कहा कि मुसलमानी ना करदह अम ख़ुदा रा अगर ईन कार कुनम यानी ख़ुदा मैंने ख़ुदा के वास्ते अपने काम में मुसलमानी नहीं की अगर यह काम करूं फिर क्या तो फ़क़ीह अबुललेस रह० ने फ़रमाया कि अगर उस ने उस से मुराद ली है कि उस ने इबादात की हैं वह हक़ नहीं थीं तो यह क़सम होगी वरना नहीं और अगर कहा कि हर चह मुसलमानी करदह अम ब काफ़िरान (2)दादम अगर ईन कार कुनम फिर क्या तो काफ़िर न होगा और उस पर कफ़्फ़ारा लाज़िम न होगा और अगर कहा कि वल्लाह कि बफ़लां (3) सुखन न गोयम ये यक रोज़ ना दो (4) रोज़ तो यह एक ही

(1) ख़ुदा से रखता हूं ना उम्मीद हूं अगर यह काम करूं
(2) मैंने काफ़िरों को दी।
(3) वल्लाह कि फ़लां से बात न करूंगा न एक रोज़ ना दो रोज़।
(4)क़ालल मुतरज्जिम और अगरयूं कहा कि बफ़ुलां सुखन न गौयम यक रोज़ दो रोज़ तो दो क़समें होंगी।

रीत में क़सम न होगी औ यही सही है फ़तावा में लिखा है कि अगर कहा कि अल्लाह सर्वशक्तिमान है उस से कोई नाम नहीं है बहुत बड़ा, उस से क़सम नहीं है या जो बहुत बड़ा नाम है कि ऐसा करूंगा या ना करूंगा तो यह क़सम है और कहना बहुत बड़ा दूर क़रार न दिया जायगा और मजमूअल नवाज़िल में लिखा है कि शैख़ुल इसलाम से पूछा गया कि अगर किसी ने इस स्थिति में दावा कि मैंने करने या न करने की क़सम नहीं खाई बल्कि मेरा मतलब यह था कि बिल्लाह यह सब क़समो से बड़ी क़सम या मेरे निकट इस से बढ़ कर क़सम नहीं है तो कहा कि उसकी पुष्टि न की जायगी इस लिए कि उस ने काम का करना या न करना उस से मिला दिया है और यह जो उस ने दावा किया है कि पहली वर्णित बात पर उद्देशित है यह दिखावे के विपरीत है यह अल ख़ुलासा में है और अगर कहा कि ख़ुदा की किताब मेरे हाथ में जले अगर यह काम करूं यानी ख़ुदा की किताब मेरे हाथ में जले अगर यह काम करूं तो क़सम न होगी और अगर कहा कि ख़ुदा से उम्मीद सखता हूं ना उम्मीद नहीं अगर यह काम करूं तो यह क़सम होगी क़ालल मुतरज्जिम ज़रूर है कि यूं हो कि हर उम्मीद (1)कि ख़ुदा से चाहता हूं सिवा आख़िरत के वर्ना हमारी रीत में क़सम न होगी अल्लाह ज़्यादा जानता है और कहा के मुसलमानी ना करदह अम ख़ुदा रा अगर ईन कार कुनम यानी ख़ुदा मैंने ख़ुदा के लिए अपने काम में मुसलमानी नहीं की अगर यह काम करूं फिर क्या तो फ़क़ीह अबुललेस रह० ने फ़रमाया कि अगर उस ने उस से तात्पर्य ली है कि उस ने पूजा की हैं वह उचित नहीं थीं तो यह क़सम होगी वर्ना नहीं और अगर कहा कि मैंने मुसलमान होते हुए जो किया है काफ़िरों(2)को दिया है अगर यह काम किया फिर क्या तो काफ़िर न होगा और उस पर प्रायश्चित अनिवार्य न होगा और अगर कहा कि वल्लाह कि फ़लां (3) से बात नहीं करूं एक रोज़ ना दो(4) रोज़

(1) ख़ुदा से रखता हूं ना उम्मीद हूं अगर यह काम करूं
(2) मैंने काफ़िरों को दी।
(3) वल्लाह कि फ़लां से बात न करूंगा न एक दिन ना दो दिन।
(4)अनुवादक के कथनानुसार और अगर यूं कहा कि फ़ुलां से बात न करूंगा न एक दिन ना दो दिन तो दो क़समें होंगी।

क़सम है कि दो रोज़ गुज़रने पर मुन्तहा हो जायगी यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है।

अगर कहा कि हराम अस्त बातो सुख़न गुफ़तम यानी तुझ से बात करनी हराम है तो क़सम होगी यह ज़हीरिया में है क़ालल मुतरज्जिम हमारे उर्फ़ में जब है कि उस ने इन्शा की नियत की हो और अगर नहीं तो नहीं फ़ा फ़हम वल्लाह आलम और क़ाज़ी अली बिन हुसैन सफ़दी रह० से दरयाफ़त किया या कि पिदर (2) फ़तम कि चुनेन न कुनम और कुछ नियत नहीं की है तो फ़रमाया कि क़सम होगी यह ख़ुलासा में है और किसी ने कहा कि पज़ीर फ़तम ख़ुदा ऐ रा कि फ़लां कार न कुनम तो यह क़सम होगी जैसे कहा कि मैंने नज़र कर ली है कि ऐसा न करूंगा और अगर कहा कि ख़ुदाऐ राव पैग़म्बर रा पज़र फ़तम कि फ़लां कार न कुनम तो यह क़सम न होगी इस वास्ते कि क़ौलहू पैग़म्बर रापज़र फ़तम यह क़सम नहीं है तो जब ज़िक अल्लाह तआला और शर्त के दरमियान ऐसी चीज़ मुतखलल हो गई जो क़सम नहीं है तो फ़ासिल हो गई पस क़सम न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है शैख़ नजमुद्दीन से दरयाफ़त किया गया कि ऐक शख़्स ने कहा कि अगर फ़लां काम करूं तो आतिश परस्त से बदतर हूं तो फ़रमाया कि यह क़सम है कि हानिस होने पर इस का कफ़्फ़ारा वाजिब होगा और अगर कहा कि तीन सौ साठ (३60) आयात क़ुरआन से बेज़ार है अगर यह काम करे तो यह एक ही क़सम है और अगर यूं कहा कि अगर मन ईं कार कुनम मरा मग़ ख़्वानीत (३) व जहूद ख़्वानीत व संगसार कुनीत फिर क्या तो उस के ज़िम्मे कुछ लाज़िम नहीं है और अगर कहा कि हर चह मग़ान मुगी करदह अन्दो जहूदी करदह अन्दूर गर्दन मन कि ईं कार न करदह अम यानी जो कुछ आतिश परस्तों ने आतिश परस्ती की है और यहूदियों ने यहूदगी की है वो मेरी गर्दन पर कि मैंने यह

(2) मैंने अपने ऊपर लिया है किऐसा न करूंगा बसयह लफ़्ज़ बमअनी नज़र करने के मुस्तअम्मल है।

(३) बजाय ख़्वायंद के ख़्वानीत कहा बस अगर ख़्वायंद होता यह तर्जुमा है कि अगर यह काम करूं तो मुझे मजूसी कहा इला आखिरह क़ालल मुतरज्जिम हमारे उर्फ़ में अगर इस ने ख़्वानीद कहा हो या कहा कि मुझे मजूसी कहो अगर यह काम करूं तो भी ज़ाहिरन क़सम न होगी वल्लाहु आलम।

तो यह एक ही क़सम है कि दो रोज़ गुज़रने पर अंततः हो जायगी यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है।

अगर कहा कि हराम अस्त बा तो सुख़न गुफ़तम यानी तुझ से बात करनी निषिद्ध है तो क़सम होगी यह ज़हीरिया में है अनुवादक के कथनानुसार हमारी सामान्य रीत में जब है कि उस ने जानबूझ कर इरादा किया हो और अगर नहीं तो नहीं जो समझा बाक़ी अल्लाह जाने और क़ाज़ी अली बिन हुसैन सफ़दी रह० से पूछा गया या कि मेरे पिता(2)ने ऐसा करने से मना किया था और कुछ इरादा नहीं किया है तो फ़रमाया कि क़सम होगी यह ख़ुलासा में है और किसी ने कहा कि मैंने ख़ुदा को स्वीकार किया फ़लां कार न कुनम तो यह क़सम होगी जैसे कहा कि मैंने मन्नत कर ली है कि ऐसा न करूंगा और अगर कहा कि ख़ुदा व पैग़म्बर को स्वीकार किया फ़लां काम न करूंगा तो यह क़सम न होगी इस लिए कि यह कहना पैग़म्बर को स्वीकार किया यह क़सम नहीं है तो जब ज़िक्र अल्लाह तआला और शर्त के बीच ऐसी चीज़ बाधित हो गई जो क़सम नहीं है तो दूरी हो गई बस क़सम न होगी यह फ़तावा न्यायाधीश खान में है शैख़ नजमुद्दीन से पूछा गया कि ऐक व्यक्ति ने कहा कि अगर फ़लां काम करूं तो अग्नि पूजक से बदतर हूं तो फ़रमाया कि यह क़सम है कि पापी होने पर इस का प्रायश्चित अनिवार्य होगा और अगर कहा कि तीन सौ साठ(३60)क़ुरआनी आयतों से विरक्त हूं अगर यह काम करे तो यह एक ही क़सम है और अगर यूं कहा कि अगर मैं यह काम करूं तुमने मुझ को जादूगर कहा (३) व प्रयास किये व पत्थर मारा फिर क्या तू उस के ज़िम्मे कुछ अनिवार्य नहीं है और अगर कहा कि हर चह मग़ान मुगी करदह अन्द व जहूदी करदह अन्द व गर्दन मन कि ईन कार न करदह अम यानी जो कुछ अग्नि पूजकों ने अग्निपूजा की है और यहूदियों ने यहूदगी की है वह मेरी

(2) मैंने अपने ऊपर लिया है कि ऐसा न करूंगा बस यह शब्द अपर्ण करने के अर्थ में उपयोग है।

(३) बजाय ख़्वायंद के ख़्वानीद कहा बस अगर ख़्वानीद होता यह तर्जुमा है कि अगर यह काम करूं तो मुझे अग्नि पूजक कहा सिवा अन्ततः अनुवादक के कथनानुसार हमारी रीत में अगर इस ने ख़्वानीद कहा हो या कहा कि मुझे अग्नि पूजक कहो अगर यह काम करूं तो भी देखने में क़सम न होगी अल्लाह जाने।

काम नहीं किया है हालांकि उस ने यह काम किया है तो उस पर कुछ लाज़िम नहीं है और अगर कहा कि मैं यह काम करूं तो काफ़िर मुझ पर शर्फ़ रखता है तो क़सम न होगी यह ज़हीरिया में है।

औरत ने कहा कि मैं तुझ से तालिक़ा हूं अगर तू शतरंज खेला करे पस शौहर ने कहा कि अगर मैं शतरंज खेला करूं पस औरत ने कहा कि फिर यह क्या? पस शौहर ने कहा वही जो तू कहती है?

अगर कहा कि हज़ार आतिश परस्त व बुत परस्त से बदतर हूं अगर ऐसा करूं तो यह क़सम (चाहे हज़ार कहे या ऐक) है यह मुहीत में है और एक औरत ने अपने शौहर से कहा कि तू शतरंज खेलना छोड दे उस ने कहा कि अच्छा पस औरत ने कहा कि मैं तुझ से तालिक़ा हूं अगर तू शतरंज खेला करे पस शौहर ने कहा कि अगर मैं शतरंज खेला करूं पस औरत ने कहा कि फिर यह क्या पस शौहर ने कहा वही जो तू कहती है फिर इस के बाद इस ने शतरंज खेली तो तलाक़ वाक़े न होगी यह ख़ुलासा में है। शैख नजमुद्दीन उमर नसग़ी से दरयाफ़्त किया गया कि एक शख़्स ने कहा कि हर चह बदस्त रास्त गिरफ़तम बरमन हराम के फ़लां कार न कुनम यानी जो मैंने दाहिने हाथ से लिया मुझ पर हराम है कि फ़लां कार न करूं फिर यह काम किया तो फ़रमाया कि हानिस होगा इस वास्ते कि अगर उर्फ तलाक़ है तो इस क़ौल में है कि हर चह बदस्त रास्त गीरम और इस में नहीं है कि हर चह बदस्त रास्त गिरफ़तम यह ज़हीरिया में है क़ालल मुतरजम ऊपर बयान कर दिया गया कि हमारे यहां बिल्कुल यह उर्फ है वक़द मिना अल असल इला हाज़ा फ़ा फ़हम और अगर कहा कि पज़र फ़तम या ख़ुदा कि अज़ खरीदह तो कि ब्यारी नख़ूरम यानी मैंने ख़ुदा से नज़र कर ली है कि तेरी खरीदी हुई चीज़ से कि तू लाऐ न खाउंगा तो बाज़ ने फ़रमाया है कि अगर नियत करेगा तो क़सम होगी और असह यह है कि बदून नियत के क़सम है यह ज़खीरह में है।

गर्दन पर है कि मैंने यह काम नहीं किया है हालांकि उस ने यह काम किया है तो उस पर कुछ अनिवार्य नहीं है और अगर कहा कि मैं यह काम करूं तो काफ़िर मुझ पर महरबान है तो क़सम न होगी यह ज़हीरिया में है।

औरत ने कहा कि मैं तुझ से तलाक़शुदा हूं अगर तू शतरंज खेला करे बस पति ने कहा कि अगर मैं शतरंज खेला करूं बस औरत ने कहा कि फिर यह क्या? बस पति ने कहा वही जो तू कहती है?

अगर कहा कि हज़ार अग्नि पूजकों व मूर्ति पूजकों से .ज्यादा बुरा हूं अगर ऐसा करूं तो यह क़सम (चाहे हज़ार कहे या एक) है यह मुहीत में है और एक औरत ने अपने पति से कहा कि तू शतरंज खेलना छोड़ दे उस ने कहा कि अच्छा बस औरत ने कहा कि मैं तुझ से तलाक़शुदा हूं अगर तू शतरंज खेला करे बस पति ने कहा कि अगर मैं शतरंज खेला करूं बस औरत ने कहा कि फिर यह क्या, बस पति ने कहा वही जो तू कहती है फिर इस के बाद इस ने शतरंज खेली तो तलाक़ स्थापित न होगी यह ख़ुलासा में है। शैख नजमुद्दीन उमर नसग़ी से पूछा गया कि एक व्यक्ति ने कहा कि हरचह बदस्त रास्त गिरफ़तम बरमन हराम कि फ़लां कार न कुनम यानी जो मैंने दाहिने हाथ से लिया मुझ पर निषिद्ध है कि फ़लां काम न करूं फिर यह काम किया तो फ़रमाया कि पापी होगा इसलिए कि अगर तलाक़ का समय है तो इस कथन में है कि अगर सीधे हाथ में हो और इस में नहीं है कि अगर सीधे हाथ में पकडूं यह ज़हीरिया में है अनुवादक के कथनानुसार ऊपर बयान कर दिया गया कि हमारे यहाँ बिल्कुल यह रीत है यह असल में है जो समझा, और अगर कहा कि पज़र फ़तम या ख़ुदा कि अज़ खरीदह तो कि ब्यारी नख़ूरम यानी मैंने ख़ुदा से मन्नत कर ली है कि तेरी खरीदी हुई चीज़ से कि तू लाऐ न खाउंगा तो कुछ ने फ़रमाया है कि अगर इरादा करेगा तो क़सम होगी और सही यह है कि बजाए इरादा के क़सम है यह ज़खीरह में है।

फ़सल :

ज़ालिमों के क़सम दिलाने में और हालिफ़ की ग़ैर नियत मुस्तहलफ़ पर क़सम खाने के बयान में

फ़तावा अहले समरक़न्द में मज़कूर है कि सुल्तान ने एक शख़्स को पकड़ा पस उस से क़सम दिलाई कि बायज़्द यानी क़सम ऐज़द (क़सम ख़ुदा की) की पस उस शख़्स ने मिस्ल इस के कहा यानी उस ने भी कह लिया कि क़सम बा यज़्द फिर सुल्तान ने कहा कि रोज़ आदीना बयाई यानी बरोज़ जुमआ तू आये पस उस शख़्स ने मिस्ल इस के कह लिया (यानी बरोज़ जुमआ तू आय) फिर वो जुमा के रोज़ न आया तो इस पर कुछ लाज़िम न आयेगा क्योंकि जब उस ने कहा कि बायज़्द और सुकूत किया और यह न कहा कि बायज़्द कि अगर ऐसा न करूं तो यह हो तो क़सम मुनअक़िद न हुई और इब्राहीम नखई रह० से मंक़ूल है कि उन्होंने फ़रमाया कि शख़्स मज़लूम की क़सम उस की नियत पर होती है और अगर ज़ालिम हो तो क़सम दिलाने वाले की नियत पर होती है और इसी को हमारे असहाब ने लिया है मिसाल अव्वल (पहली सूरत) आंकि एक शख़्स (हालिफ़ मज़्लूम) एक चीज़ मुअय्यन की बैअ पर जो उस के हाथ में है मजबूर किया गया पस उस ने क़सम खाई कि मैंने यह चीज़ फ़लां को दे दी और मुराद यह ली कि इस से मुबालअत की है ताकि मजबूर करने वाले के ख़्याल में आये कि जो उस के हाथ में है वो दूसरे की मिल्क में है ताकि फिर उस को इस के बैअ करने पर मजबूर न करे तो क़सम इस की नियत पर होगी और जो उस ने क़सम खाई है यह यमीन ग़मूस न होगी न वास्तव में और न मअनन और मिसाल दोम (दूसरी सूरत) आंकि ज़ैद के मक़बूज़ा माल मुअय्यन पर उम्रो ने दावा किया कि यह चीज़ मैंने तुझ से सौ दिरहम की खरीदी है और ज़ैद ने उस के फ़रोख़्त से इन्कार किया और उम्रो ने उस से क़सम ली कि तू क़सम खा कि वल्लाह मुझ पर यह चीज़ उम्रो को सुपुर्द करना वाजिब नहीं है पस ज़ैद इसी तरह

भाग :

अत्याचारियों के क़सम दिलाने में और शपथकर्ता की बिना इरादा शपथकर्ता पर क़सम खाने के बारे में

फ़तावा अहले समरक़न्द में वर्णित है कि सुल्तान ने एक व्यक्ति को पकड़ा बस उस से क़सम दिलाई कि ईश्वर से यानी क़सम ख़ुदा की की बस उस व्यक्ति ने इस के जैसे कहा यानी उस ने भी कह लिया कि ईश्वर की क़सम फिर सुल्तान ने कहा कि दिन आदीना बयाई यानी जुमे के दिन तू आये बस उस व्यक्ति ने इस जैसे के कह लिया (यानी जुमे के दिन तू आये) फिर वह जुमा के दिन न आया तो इस पर कुछ अनिवार्य न होगा क्योंकि जब उस ने कहा कि ईश्वर की क़सम और मौन किया और यह न कहा कि ईश्वर की क़सम कि अगर ऐसा न करूं तो यह हो तो क़सम होने वाली न हुई और इब्राहीम नखई रह० से उल्लिखित है कि उन्होंने कहा कि पीड़ित व्यक्ति की क़सम उसके इरादे पर होती है और अगर अत्याचारी हो तो क़सम दिलाने वाले की इरादा पर होती है और इसी को हमारे साथियों ने लिया है पहली मिसाल (पहली स्थिति) यह कि एक व्यक्ति (पीड़ित शपथ कर्ता) ने एक चीज़ विक्रय पर निश्चित की जो उस के हाथ में है मजबूर किया गया बस उस ने क़सम खाई कि मैंने यह चीज़ फ़लां को दे दी और तात्पर्य यह लिया कि इस से मुबालअत की (अगर चीज़ नहीं दी) है ताकि मजबूर करने वाले के ख़्याल में आये कि जो उस के हाथ में है वह दूसरे की अधीनता में है ताकि फिर उस को इस के विक्रय करने पर मजबूर न करे तो क़सम इस की इरादा पर होगी और जो उस ने क़सम खाई है यह झूठी क़सम न होगी न वास्तव में और न अर्थ में और दूसरी मिसाल यह कि ज़ैद के अधीन निश्चित माल पर उम्रो ने दावा किया कि यह चीज़ मैंने तुझ से सौ दिरहम की खरीदी है और ज़ैद ने उस के विक्रय से इन्कार किया और उम्रो ने उस से क़सम ली कि तू क़सम खा कि वल्लाह मुझ पर यह चीज़ उम्रो को सुपुर्द करना अनिवार्य

क़सम खा गया और सुपुर्द करने से यह नियत की कि बतौरे हिबा या सदक़ा सुपुर्द करना वाजिब नहीं है ओर यह नियत न की कि बतौरे बैअ सुपुर्द करना वाजिब नहीं है तू अगरचे वो अपनी नियत की क़सम (1) में सच्चा रहा और हक़ीक़त में यह यमीन ग़मूस न हुई इस लिये कि उस ने अपनी लफ़्ज़ से वो बात मुराद ली जो उस की लफ़्ज़ के मोहतमलात में से है लेकिन मअनी ब यमीन ग़मूस है इस वास्ते कि उस ने इस क़सम से मर्द मुसलमान का हक़ काट दिया पस उस की नियत मोअतबर न होगी और शैख़ इमाम ज़ाहिद मअरूफ़ बख़्वाहिर ज़ादह ने फ़रमाया कि यह जो हम ने ज़िक्र किया है यह अल्लाह तआला की क़सम में है अगर उस ने तलाक़ या इताक़ की क़सम की और क़सम खाने वाला ज़ालिम या मज़लूम है पस उस ने खिलाफ़ ज़ाहिर नियत की मसलन क़ैद से तलाक़ यानी रिहाई की या फ़लां काम से इताक़ यानी छुटकारे या आज़ादी की नियत की या दरोग़ खबर देने की तलाक़ या इताक़ के बारे में नियत की तो फ़ीमा बैयनहू व बईनल्लाहु तआला सच्चा होगा हत्ता कि फ़ीमा बैनहू व बैन अल्लाह तआला तलाक़ व इताक़ वाक़े न होगा लेकिन दर सूरत यह कि वो मज़लूम होगा तो उस पर यमीन ग़मूस का गुनाह भी न होगा और दर सूरत यह कि ज़ालिम होगा तो इस पर ऐसी क़सम से वो गुनाह होगा जो यमीन ग़मूस में होता है अगरचे हक़ीक़त में जो उस ने नियत की है इस में सच्चा है इमाम क़ुदूरी ने अपनी किताब में फ़रमाया कि यह जो इब्राहीम नखई रह० से मंक़ूल है कि अगर हालिफ़ ज़ालिम हो तो क़सम मुस्तहलफ़ की नियत पर होती है यह अम्र वाक़े शुदह क़ाज़ी के हक़ में सही है इस वास्ते कि वाजिब ब यमीन काफ़िर या सुम्म है व हरगाह वो ज़ालिम है तो वो अपनी क़सम में गुनाह गार हुआ अगरचे उस ने अपने लफ़्ज़ के मोहतमिलात में से एक मअनी मुराद लिये हैं बदीन वजह कि उस ने इस क़सम से ग़ैर पर ज़ुल्म करने का मक़सूद हासिल किया है और यह बात अम्र मुस्तक़बिल की क़सम में हासिल नहीं

(1)जो अम्र वाक़े हो चुका अगर मज़लूम ने इस में इस नियत से क़सम खाई तो हो सकता है और जो आइन्दा होगा इस में ऐसी नियत बेकार है।

नहीं है बस ग़ैद इसी तरह क़सम खा गया और सौंपने का यह इरादा किया कि उपहार या दान के रूप में सौंपना अनिवार्य नहीं है और यह इरादा न किया कि विक्रय के लिए सौंपना अनिवार्य नहीं है तो चाहे वह अपने इरादे की क़सम (1)में सच्चा रहा और वास्तव में यह केवल क़सम न हुई इसलिए कि उस ने अपने शब्द से वह बात तात्पर्य ली जो उस के शब्द के संदिग्धों में से है लेकिन अर्थ झूठी क़सम से है इसलिए कि उस ने इस क़सम से मुसलमान मर्द का अधिकार नष्ट किया बस उस का इरादा विश्वसनीय न होगा और शैख़ इमाम ज़ाहिद मअरूफ़ बख़्वाहिर ज़ादे ने फ़रमाया कि यह जो हमने वर्णन किया है यह अल्लाह तआला की क़सम में है अगर उस ने तलाक़ या मुक्ति की क़सम खाई और क़सम खाने वाला अत्याचारी या पीड़ित है बस उस ने स्पष्ट इरादा के विपरीत किया उदहारणतः क़ैद से तलाक़ यानी रिहाई की या फ़लां काम से मुक्ति यानी छुटकारे या आज़ादी का इरादा किया या झूठी खबर देने की तलाक़ या मुक्ति के बारे में इरादा किया तो फ़ीमा बैयनहू व बइनलाहु तआला सच्चा होगा यहां तक कि अल्लाह सर्वशक्तिमान के लिए तलाक़ व मुक्ति स्थपित न होगी लेकिन इस स्थिति में यह कि वह पीड़ित होगा तो उस पर झूठी क़सम का पाप भी न होगा और वास्तविक स्थिति यह कि अत्याचारी होगा तो इस पर ऐसी क़सम से वह गुनाह होगा जो झूठी क़सम में होता है चाहे वास्तव में जो उस ने इरादा किया है इस में सच्चा है। इमाम क़ुदूरी ने अपनी किताब में कहा कि यह जो इब्राहीम नखई रह० से उल्लिखित है कि अगर शपथकर्ता ज़ालिम हो तो शपथ शपथकर्ता के इरादे पर होती है यह उपस्थित न्यायाधीश के पक्ष में सही है इसलिए कि काफ़िर की क़सम अनिवार्य या पुनः है व हर जगह वह ज़ालिम है तो वह अपनी क़सम में पापी हुआ चाहे उस ने अपने संदिग्ध शब्द के एक अर्थ में से मतलब लिये हैं बजाए उसने इस क़सम के कारण से ग़ैर पर ज़ुल्म करने का उद्देश्य प्राप्त किया है और यह बात भविष्य में कार्य की क़सम में उद्देशित नहीं है बस इसमें

(1)जो कार्य स्थपित हो चुका अगर पीड़ित ने इस में इस नियत से कसम खाई तो हो सकता है और जो आइन्दा होगा इस में ऐसी नियत बेकार है।

है पस इस में बहरहाल हालिफ़ की नियत मोअतबर होगी यह मुहीत में है।

फ़तावा में लिखा है कि एक शख़्स दूसरे शख़्स की तरफ़ गुज़रा पस उस ने उस की ताज़ीम के वास्ते उठना चाहा पस उस ने कहा कि वल्लाह कि नखीज़ी यानी वल्लाह आप न उठियेगा मगर वो उठ खड़ा हुआ तो गुज़रने वाले पर कुछ लाज़िम न होगा। नवादिर बिन समाआ में इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि एक ने दूसरे से कहा कि तू कल फ़लां के घर गया था उस ने कहा कि हां पस पूछने वाले ने कहा कि वल्लाह तू गया था फिर उस ने कहा कि हां तो यह क़सम है वो क़सम खाने वाला हो गया इसी तरह अगर न जाने का ज़िक्र किया हो फिर कहा कि वल्लाह तू नहीं गया था उस ने कहा कि हां तो भी यही हुक्म है और बशर रह० ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की है कि ज़ैद ने उम्रो से कहा कि अगर तूने खालिद से कलाम किया तो तेरा ग़ुलाम आज़ाद है पस उम्रो ने कहा इल्ला तेरी इजाज़त से तो यह मुजीब (यानी क़सम होगी) क़रार दिया जायेगा चुनांचे अगर बग़ैर इजाज़त ज़ैद के खालिद से कलाम करेगा हो जायेगा यह ख़ुलासा में है। एक मर्द ने दूसरे से कहा कि वल्लाह तू ऐसा वैसा ज़रूर करे और मुखातिब से क़सम लेने की नियत न की और न अपने ऊपर क़सम क़रार देने की तो दोनों में से किसी पर कुछ लाज़िम न होगा दर सूरत यह कि मुखातिब ने ऐसा व ऐसा न किया और अगर कहने वाले ने अपनी क़सम की नियत की हो तो हालिफ़ हो जायेगा और इसी तरह अगर कहा बिल्लाह तो ज़रूर ऐसा वैसा करे और अगर कहा कि वल्लाह तो ज़रूर ऐसा वैसा करेगा और मुखातिब से क़सम लेने की नियत की तो यह इस्तहलाफ़ है और दोनों में किसी पर कुछ लाज़िम न होगा वरना अगर कुछ नियत न होगी तो ख़ुद हालिफ़ हो जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है एक ने दूसरे से कहा कि मसलन ज़ैद ने उम्रो से कहा कि वल्लाह तू ज़रूर ऐसा करेगा (गदी की धप बाज़ी) या कहा कि वल्लाह तू ज़रूर ऐसा करेगा पस उम्रो ने कहा कि हां पस अगर ज़ैद ने क़सम की नियत की और उम्रो ने भी क़सम की नियत की तो दोनों में से हर

हर हाल में शपथकर्ता का इरादा विश्वसनीय होगा यह मुहीत में है।

फ़तावा में लिखा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरफ़ गुज़रा बस उस ने उस के सम्मान के लिए उठना चाहा बस उसने कहा कि वल्लाह कि सम्मान से यानी वल्लाह आप न उठियेगा मगर वह उठ खड़ा हुआ तो गुज़रने वाले पर कुछ अनिवार्य न होगा। नवादिर बिन समाआ में इमाम अबू यूसुफ़ रह० से वर्णित है कि एक ने दूसरे से कहा कि तू कल फ़लां के घर गया था उस ने कहा कि हां बस पूछने वाले ने कहा कि वल्लाह तू गया था फिर उस ने कहा कि हां तो यह क़सम है वह क़सम खाने वाला हो गया इसी तरह अगर न जाने का वर्णन किया हो फिर कहा कि वल्लाह तू नहीं गया था उस ने कहा कि हां तो भी यही आदेश है और बशर रह० ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से वर्णन किया है कि ज़ैद ने उम्रो से कहा कि अगर तूने खालिद से बात की तो तेरा ग़ुलाम आज़ाद है बस उम्रो ने कहा सिवा तेरी आज्ञा से तो यह स्वीकार करने वाला (यानी क़सम होगी) क़रार दिया जायेगा इसलिए अगर बग़ैर आज्ञा ज़ैद के खालिद से बात करेगा तो पापी हो जायेगा यह ख़ुलासा में है। एक मर्द ने दूसरे से कहा कि वल्लाह तू ऐसा वैसा ज़रूर करे और संबोधित से क़सम लेने का इरादा न किया और न अपने ऊपर क़सम क़रार देने की तो दोनों में से किसी पर कुछ अनिवार्य न होगा वास्तविक स्थिति यह कि सम्बोधित ने ऐसा व ऐसा न किया और अगर कहने वाले ने अपनी क़सम का इरादा किया हो तो शपथकर्ता हो जायेगा और इसी तरह अगर कहा बिल्लाह तो ज़रूर ऐसा वैसा करे और अगर कहा कि वल्लाह तो ज़रूर ऐसा वैसा करेगा और सम्बोधित से क़सम लेने का इरादा किया तो यह शपथ लेना है और दोनों में किसी पर कुछ अनिवार्य न होगा वरना अगर कुछ इरादा न होगा तो ख़ुद शपथ कर्ता हो जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है एक ने दूसरे से कहा कि उदहारणतः ज़ैद ने उम्रो से कहा कि वल्लाह तू ज़रूर ऐसा करेगा या कहा कि वल्लाह तू ज़रूर ऐसा करेगा बस उम्रो ने कहा कि हां बस अगर ज़ैद ने क़सम का इरादा किया और उम्रो ने भी क़सम का इरादा किया

एक हालिफ़ हो जायेगा और अगर ज़ैद ने क़सम लेने की और उम्रो ने हलफ़ की नियत की तो हालिफ़ होगा और अगर दोनों में से किसी ने कुछ नियत न की तो दर सूरत यह कि अल्लाह तो ज़रूर ऐसा करेगा कहा है उम्रो हालिफ़ होगा और दर सूरत यह कि वल्लाह बवाव क़सम कहा है ख़ुद ज़ैद हालिफ़ होगा और अगर ज़ैद ने क़सम लेने की नियत की और उम्रो ने यह नियत की कि इस पर क़सम नहीं है और हां कहना बईं मअनी है कि ऐसा ऐसा करने का वादा किया बदून क़सम के तो अपनी अपनी नियत पर होगा और दोनों में से किसी पर क़सम न होगी यह ख़ुलासा दो जीज़ करदरी व मुहीत सुरखी में है। और अगर ज़ैद ने उम्रो से कहा कि मैंने क़सम रखी कि तू ज़रूर ऐसा करेगा या कहा कि मैंने अल्लाह की क़सम रखी है या कहा कि मैंने शाहिद किया अल्लाह को या कहा कि हलफ़ रखी मैंने अल्लाह की कि तू ज़रूर ऐसा करेगा ख़्वाह इन सब सूरतों में यह कहा कि तुझ पर या न कहा तो इन सब सूरतों में क़सम खाने वाला ज़ैद होगा और उम्रो पर क़सम न होगी और अगर दोनों ने नियत की हो तो जवाब देने वाला भी हालिफ़ होगा यानी उम्रो इल्ला आँकि ज़ैद ने अपने क़ौल से फ़क़त इस्तफ़हाम की नियत की यानी कहा तू यह क़सम खाता है पस अगर ज़ैद की यह नियत हो तो ज़ैद पर क़सम न होगी। ज़ैद ने उम्रो से कहा कि तुझ पर अल्लाह का अहद है अगर तू ऐसा करे पस उम्रो ने कहा कि हां तो ज़ैद पर कुछ न होगा अगरचे उसने क़सम की नियत की हो और यह क़ौल ज़ैद का उम्रो से क़सम लेने पर हो। एक मर्द ने अपनी बीवी से कहा कि तूने ऐसा वैसा किया है उस ने कहा कि मैंने नहीं किया है पस मर्द ने कहा कि अगर तूने कहा हो तो तू तालिक़ा है पस औरत ने कहा कि अगर मैंने किया हो तो मैं तालिक़ा हूं तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि अगर मर्द के इस क़ौल से अगर तूने किया है तो तू तालिक़ा है औरत की क़सम की नियत की हो यानी यह मुराद हो कि भला किया अगर तूने ऐसा किया हो तो तू तालिक़ा, तो औरत पर तलाक़ वाक़े न होगी। चन्द फ़ासिक़ लोग बाहम जमा हुए कि बाज़ इन में से बाज़ के साथ सफ़ःअ (1) करते थे पस एक ने इन में से

तो दोनों में से हर एक शपथकर्ता हो जायेगा और अगर ज़ैद ने क़सम लेने की और उम्रो ने शपथ का इरादा किया तो शपथकर्ता होगा और अगर दोनों में से किसी ने कुछ इरादा न किया तो वास्तविक स्थिति यह कि अल्लाह तो ज़रूर ऐसा करेगा, कहा है उम्रो शपथकर्ता होगा और इस स्थिति में यह कि वल्लाह क़सम कहा है स्वयं ज़ैद शपथकर्ता होगा और अगर ज़ैद ने क़सम लेने का इरादा किया और उम्रो ने यह इरादा किया कि इस पर क़सम नहीं है और हां कहना यह अर्थ है कि ऐसा ऐसा करने का वादा किया बजाए क़सम के तो अपने अपने इरादे पर होगा और दोनों में से किसी पर क़सम न होगी यह ख़ुलासा और वजीज़ करदरी व मुहीत सुरखी में है। और अगर ज़ैद ने उम्रो से कहा कि मैंने क़सम रखी कि तू ज़रूर ऐसा करेगा या कहा कि मैंने अल्लाह की क़सम रखी है या कहा कि मैंने गवाह किया अल्लाह को या कहा कि शपथ रखी मैंने अल्लाह की कि तू ज़रूर ऐसा करेगा चाहे इन सब स्थितियों में यह कहा कि तुझ पर या न कहा तो इन सब स्थितियों में क़सम खाने वाला ज़ैद होगा और उम्रो पर क़सम न होगी और अगर दोनों ने इरादा किया हो तो जवाब देने वाला भी शपथकर्ता होगा यानी उम्रो सिवा यह कि ज़ैद ने अपने कथन से केवल सवाल का इरादा किया यानी कहा तू यह क़सम खाता है बस अगर ज़ैद का यह इरादा हो तो ज़ैद पर क़सम न होगी। ज़ैद ने उम्रो से कहा कि तुझ पर अल्लाह का वादा है अगर तू ऐसा करे बस उम्रो ने कहा कि हां तो ज़ैद पर कुछ न होगा चाहे उसने क़सम का इरादा किया हो और यह ज़ैद का कथन उम्रो से क़सम लेने पर हो। एक मर्द ने अपनी बीवी से कहा कि तूने ऐसा वैसा किया है उसने कहा कि मैंने नहीं किया है बस मर्द ने कहा कि अगर तूने कहा हो तो तू तलाक़शुदा है बस औरत ने कहा कि अगर मैंने किया हो तो मैं तलाक़शुदा हूं तो विद्वानों ने कहा कि अगर मर्द के इस कथन से अगर तूने किया है तो तू तलाक़शुदा है औरत की क़सम का इरादा किया हो यानी यह मतलब हो कि भला किया अगर तूने ऐसा किया हो तो तू तलाक़शुदा है, तो औरत पर तलाक़ स्थापित न होगी। कुछ दुराचारी लोग एक साथ जमा हुए कि कुछ इन में से कुछ के साथ दुराचार

कहा कि अब फिर जो कोई किसी से सफ़अ करे तो उस की बीवी को तीन तलाक़ हैं पस एक ने इनमें से फ़ारसी में कहा कि बालह यानी भला फिर इसके बाद इन में से एक ने दूसरे को सफ़अ किया और उस ने भी इस को सफअ किया तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि जिस ने बालह कहा है उस की बीवी तालिक़ा न होगी इस वास्ते कि यह कलाम फ़ासिद है क़सम नहीं है। एक मर्द ने कहा कि मुझ पर प्यादह हज वाजिब है और मेरा हर ममलूक आज़ाद है और मेरी हर औरत तालिक़ा है अगर मैं इस दार में दाखिल हूं पस दूसरे ने कहा कि मुझ पर मिस्ल इसके है जो तूने अपने ऊपर क़रार दिया है अगर मैं इस दार में दाखिल हूं फिर दूसरा इस दार में दाखिल हुआ तो इस पर पा प्यादह हज वाजिब होगा और तलाक़ व इताक़ कुछ वाक़े न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

एक शख़्स अपने अमीर के साथ सफ़र को निकला पस अमीर ने इस से क़सम लेली कि बदून मेरी इजाज़त के वापिस न हो फिर उस का कपड़ा या थैली गिर गई जिस के लेने के वास्ते वो वापिस हुआ तो हानिस न होगा :

एक शख़्स को सरहंगाने सुल्तान ने क़सम दिलाई कि कल कोई काम न करे जब तक फ़लां न आ जाये फिर इस क़सम खाने वाले ने दूसरे रोज़ अपने मोज़े पहने फिर एक मैयत के पास गया और फ़लां के आने से पहले उस का सर उस की जगह से हटा दिया तो शैख़ मुहम्मद बिन सलमा ने फ़रमाया कि मुझे उम्मीद है कि वो हानिस न होगा पस उस की क़सम इस काम से सिवाऐ पर होगी। एक शख़्स अपने अमीर के साथ सफ़र को निकला पस अमीर ने इस से क़सम ले ली कि बदून मेरी इजाज़त के वापिस न हो फिर उस का कपड़ा या थैली गिर गई जिस के लेने के वास्ते वो वापिस हुआ तो हानिस न होगा इस वास्ते कि ऐसी वापसी पर उस की क़सम नहीं वाक़े हुई थी एक मर्द चुग़ल ख़ौर है कि सुल्तान से लगाई

(1) अगर उस ने ऐसा वेसा ना किया तो हानिस होगा।

(1) करते थे बस एक ने इन में से कहा कि अब फिर जो कोई किसी से दुराचार करे तो उस की बीवी को तीन तलाक़ हैं बस एक ने इन में से फ़ारसी में कहा कि बाले यानी भला फिर इसके बाद इन में से एक ने दूसरे को थप्पड़ मारा और उसने भी इसको थप्पड़ मारा तो विद्वानों ने कहा कि जिस ने बालह कहा है उसकी बीवी को तलाक़ न होगी इसलिए कि यह बात दोषपूर्ण है क़सम नहीं है। एक मर्द ने कहा कि मुझ पर पैदल हज अनिवार्य है और मेरा हर अधीन आज़ाद है और मेरी हर औरत को तलाक़ है अगर मैं इस घर में प्रवेश करूं बस दूसरे ने कहा कि मुझ पर इसके जैसे ही है जो तूने अपने ऊपर निश्चित किया है अगर मैं इस घर में प्रवेश हूं फिर दूसरा इस घर में प्रवेश हुआ तो इस पर पैदल हज अनिवार्य होगा और तलाक़ व मुक्ति कुछ स्थापित न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

एक व्यक्ति अपने अमीर के साथ सफ़र को निकला बस अमीर ने इस से क़सम ले ली कि बजाए मेरी आज्ञा के वापिस न हो फिर उस का कपड़ा या थैली गिर गई जिस के लेने के लिए वह वापिस हुआ तो पापी न होगा :

एक व्यक्ति को सरहंगान के राजा ने क़सम दिलाई कि कल कोई काम न करे जब तक फ़लां न आ जाये फिर इस क़सम खाने वाले ने दूसरे दिन अपने मोज़े पहने फिर एक मृतशय्या के पास गया और फ़लां के आने से पहले उस का सर उस की जगह से हटा दिया तो शैख़ मुहम्मद बिन सलमा ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वह पापी न होगा बस उस की क़सम इस काम से सिवाऐ पर होगी। एक व्यक्ति अपने अमीर के साथ सफ़र को निकला बस अमीर ने इस से क़सम ले ली कि बजाए मेरी आज्ञा के वापिस न हो फिर उस का कपड़ा या थैली गिर गई जिस के लेने के लिए वह वापिस हुआ तो पापी न होगा इस लिए कि ऐसी वापसी पर उस की क़सम नहीं स्थापित हुई थी एक मर्द चुग़ल ख़ौर है कि सुल्तान

(1) अगर उस ने ऐसा वेसा ना किया तो पापी होगा।

बुझाई करके लोगों को ज़रूर पहुंचाता है कि सुल्तान से चुग़लियां खाता है और नाहक़ जिनायात (तावान व डांड) इन से ली जाती है पस इस ने क़सम खाई कि अगर मैंने दस दिरहम से ज़्यादा की बाबत किसी की लगाई बुझाई की तो मेरी बीवी तालिक़ा न होगी यह ज़हीरिया में है सुल्तान ने एक मर्द से कहा कि तेरे पास फ़लां अमीर का माल है उस ने इन्कार किया पस सुल्तान ने उस से उस की बीवी की तलाक़ की क़सम ली कि तेरे पास (1) फ़लां अमीर का माल नहीं है पस उस ने क़सम खाई हालांकि इस मर्द हालिफ़ के पास बहुत सा माल था जिस को अमीर मज़कूर की बीवी ने उस के पास भेजा था और जो इस माल को लाया था उस ने यही कहा था कि यह फ़लां अमीर की बीवी का माल है और हालत यह थी कि इस औरत का भी इस क़द्र माल (यानी मुतमव्विल थी) हो सकता है या था। फिर औरत मज़कूरह ने इक़रार किया कि यह माल उस के शौहर का है तो उस से हालिफ़ की बीवी तालिक़ा न होगी तावक़्त यह कि हालिफ़ उस की तसदीक़ न करे या बाद दावा सहीहा के क़ाज़ी ब गवाही गवाहान आदिल इस का हुक्म न देदे तब अल्बत्ता हालिफ़ मज़कूर हानिस (2) हो जायेगा एक शख़्स बीस 20 बकरियां एक शहर से दूसरे शहर को फ़रोख़्त के वास्ते ले गया और सब बकरियां दूसरे शहर के अन्दर दाखिल कर दें लेकिन इन में से दस बकरियां अपनी दुकान पर ज़ाहिर कीं पस खतीरह के सरदार ने उस से क़सम ली कि वो फ़क़त दस बकरियां लाया है और शहर के बाहर कुछ नहीं छोड आया है पस उस ने क़सम खाली और नियत यह की कि फ़क़त दस ही बकरियां लाया हूं यानी बाज़ार में फ़क़त दस ही लाया हूं और बाहर कुछ नहीं छोड आया है यानी बाज़ार से बाहर तो मशाइख़ ने फ़रमाया है कि यह शख़्स हानिस न होगा इस वास्ते कि उस ने ऐसी बात मुराद ली है जो उस के लफ़्ज़ से निकलती है मगर क़ज़ाअन उस के क़ौल की तसदीक़ न होगी। एक शख़्स मर गया और उस ने एक वारिस और किसी पर अपना कर्ज़ा छोड़ा पस वारिस ने

(1)अगर तेरे पास फ़लां अमीर का माल हो तो तेरी बीवी तालिक़ा है। (2) झूठी क़सम खाने का गुनाहगार होगा।

से लगाई बुझाई करके लोगों को ज़रूर पहुंचाता है कि राजा से चुग़लियां खाता है और अकारण अत्याचार (फिरौती व दण्ड) इनसे ली जाती है बस इसने क़सम खाई कि अगर मैंने दस दिरहम से ज़्यादा के लिए किसी की लगाई बुझाई की तो मेरी बीवी तलाक़शुदा न होगी यह ज़हीरिया में है। राजा ने एक मर्द से कहा कि तेरे पास फ़लां अमीर का माल है उस ने इन्कार किया बस राजा ने उस से उस की बीवी की तलाक़ की क़सम ली कि तेरे पास (1) फ़लां अमीर का माल नहीं है बस उस ने क़सम खाई हालांकि इस शपथकर्ता मर्द के पास बहुत सा माल था जिस को अमीर वर्णित की बीवी ने उस के पास भेजा था और जो इस माल को लाया था उस ने यही कहा था कि यह फ़लां अमीर की बीवी का माल है और हालत यह थी कि इस औरत का भी इतना माल (यानी मालदार थी) हो सकता है या था। फिर वर्णित औरत ने स्वीकार किया कि यह माल उस के पति का है तो उस से शपथकर्ता की बीवी को तलाक़ न होगी उस वक़्त तक कि शपथकर्ता उस की पुष्टि न करे या सही दावा के बाद कि न्यायाधीश न्यायप्रिय गवाहों की गवाही के साथ इसका आदेश न देदे तब वर्णित शपथकर्ता पापी (2) हो जायेगा। एक व्यक्ति बीस 20 बकरियां एक शहर से दूसरे शहर को विक्रय के लिए ले गया और सब बकरियां दूसरे शहर के अन्दर प्रवेश कर दें लेकिन इन में से दस बकरियां अपनी दुकान पर प्रकट कीं बस खतीरह के सरदार ने उस से क़सम ली कि वह केवल दस बकरियां लाया है और शहर के बाहर कुछ नहीं छोड़ आया है बस उस ने क़सम खाली और इरादा यह किया कि केवल दस ही बकरियां लाया हूं यानी बाज़ार में केवल दस ही लाया हूं और बाहर कुछ नहीं छोड़ आया है यानी बाज़ार से बाहर तो विद्वानों ने कहा है कि यह व्यक्ति पापी न होगा इसलिए कि उसने ऐसी बात तात्पर्य ली है जो उसके शब्द से निकलती है मगर न्यायिक तौर पर उस के कथन की पुष्टि न होगी। एक व्यक्ति मर गया और उस ने एक वारिस और किसी पर अपना क़र्ज़ छोड़ा बस वारिस ने

(1)अगर तेरे पास फ़लां अमीर का माल हो तो तेरी बीवी तलाक़ शुदा है। (2) झूठी क़सम खाने का गुनाहगार होगा।

क़र्ज़दार से क़र्ज़ की बाबत मुख़ासमा किया पस क़र्ज़दार ने क़सम खाई कि मुदआ का मुझ पर कुछ नहीं है तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि अगर क़र्ज़दार को मौत मौरिस की ख़बर न थी तो उम्मीद है कि वो हानिस न होगा और अगर उस को मौत मौरिस से आगाही थी तो सही यह है कि वो हानिस हो जायेगा। एक ने दूसरे से कहा कि तूने मेरे कितने फल (1) खाये हैं उस ने कहा कि मैंने पांच (पांच भी दस में दाखिल हैं) फल खाये हैं और क़सम खा गया हालांकि उस ने दस फल खाये थे तो झूटा व हानिस न होगा और अगर क़सम बतलाक़ व इताक़ होगी तो तलाक़ व इताक़ वाक़े न होगा। इसी तरह अगर किसी से कहा गया कि तूने यह ग़ुलाम कितने में ख़रीदा है उस ने कहा कि सौ दिरहम में हालांकि उस ने दो सौ दिरहम में ख़रीदा है तो झूटा न होगा और अगर उस पर तलाक़ व इताक़ के साथ क़सम खाई हो तो कुछ जज़ा लाज़िम न होगी और यह नज़ीर इस की है जो जामअ में फ़रमाया है कि अगर किसी ने क़सम खाई कि इस कपडे को दस दिरहम में न ख़रीदूंगा फिर उस को बारह दिरहम को ख़रीदा तो क़सम में हानिस हो जायेगा। एक मर्द भाग कर दूसरे के मकान में छुपा पस मालिक मकान ने क़सम खाली कि मैं नहीं जानता हूं कि वो कहां है और मुराद यह ली कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे मकान में वो किस जगह है तो हानिस न होगा। एक ने सुल्तान के क़सम दिलाने से क़सम खाई कि मुझे यह बात नहीं मालूम है फिर उस को याद आई कि उस को मालूम थी लेकिन वक़्ते क़सम के उस को फ़रामोश थी तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि उम्मीद है कि वो हानिस न होगा इस लिए कि वक़्त क़सम के वो नहीं जानता था। एक ने अपनी बीवी की तलाक़ की क़सम खाई कि इस रात में मेरे घर में शौरबा है तो क़सम में हानिस न होगा और अगर शौरबा ज़्यादा था मगर वो ख़राब हो गया था ऐसा कि उस को कोई नहीं खा सकता था तो भी हानिस न होगा इस वास्ते कि क़सम में ऐसा शौरबा मुराद नहीं हो सकता है और अगर ऐसा बिगड़ा था कि बाज़ इस

(1) अहतमाल हो के असल में समर यानी छुआरे हों वल मुरादे वाहिद।

क़र्ज़दार से क़र्ज़ के बारे में विवाद किया बस क़र्ज़दार ने क़सम खाई कि दावेदार का मुझ पर कुछ नहीं है तो विद्वानों ने कहा कि अगर क़र्ज़दार को उत्तराधिकारी की मृत्यु की सूचना न थी तो उम्मीद है कि वह पापी न होगा और अगर उस को उत्तराधिकारी की मृत्यु की सूचना थी तो सही यह है कि वह पापी हो जायेगा। एक ने दूसरे से कहा कि तूने मेरे कितने फल (1) खाये हैं उस ने कहा कि मैंने पांच (पांच भी दस में प्रवेश हैं) फल खाये हैं और क़सम खा गया हालांकि उस ने दस फल खाये थे तो झूठा व पापी न होगा और अगर क़सम तलाक़ से मुक्ति होगी तो तलाक़ व मुक्ति स्थापित न होगी। इसी तरह अगर किसी से कहा गया कि तूने यह ग़ुलाम कितने में ख़रीदा है उस ने कहा कि सौ दिरहम में हालांकि उस ने दो सौ दिरहम में ख़रीदा है तो झूठा न होगा और अगर उस पर तलाक़ व मुक्ति के साथ क़सम खाई हो तो कुछ बदला अनिवार्य न होगा और यह नज़ीर/दृष्टांत उस की है जो जामअ में कहा है कि अगर किसी ने क़सम खाई कि इस कपड़े को दस दिरहम में न ख़रीदूंगा फिर उस को बारह दिरहम का ख़रीदा तो क़सम में पापी हो जायेगा। एक मर्द भागकर दूसरे के मकान में छुपा बस मालिक मकान ने क़सम खाली कि मैं नहीं जानता हूं कि वह कहां है और तात्पर्य यह लिया कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे मकान में वह किस जगह है तो पापी न होगा। एक ने राजा के क़सम दिलाने से क़सम खाई कि मुझे यह बात नहीं मालूम है फिर उस को याद आई कि उस को मालूम थी लेकिन क़सम खाने के समय उस को याद नहीं था तो विद्वानों ने कहा कि उम्मीद है कि वह पापी न होगा इसलिए कि क़सम के समय वह नहीं जानता था। एक ने अपनी बीवी की तलाक़ की क़सम खाई कि इस रात में मेरे घर में शौरबा/करी है तो क़सम में पापी न होगा और अगर शौरबा/करी ज़्यादा थी मगर वह ख़राब हो गई थी ऐसा कि उस को कोई नहीं खा सकता था तो भी पापी न होगा इसलिए कि क़सम में ऐसा शौरबा तात्पर्य नहीं हो सकता है और अगर ऐसा बिगड़ा था कि कोई इस को खा नहीं सकते थे और कुछ

(1) शंका हो के असल में फल यानी छुआरे हों एक ही मतलब है।

को नहीं खा सकते थे और बाज़ (फ़क़ीर मौहताज वग़ैरह) खा सकते थे तो वो अपनी क़सम में हानिस हो जायेगा और एक शख़्स ने अपनी बीवी की ज़मीन में रूई बोई फिर क़सम खाई कि अगर इस ज़मीन की पैदावार मेरे घर में दाखिल हो तो हलाल मुझ पर हराम है फिर उस की औरत यह रूई अपने सर पर रख कर धुनिये को देने के वास्ते ले चली और राह में अपने सर पर रखे हुए अपने शौहर के घर में दाखिल हुई फिर निकल कर धुनिये के यहां ले गई तो मर्द मज़कूर अपनी क़सम में हानिस हो जायेगा। यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

एक शख़्स को सुल्तान ने तलब किया ताकि उस को तोहमत में गिरफ़्तार करे फिर एक शख़्स को पकड़ कर उस से कहा कि तू उस के क़र्ज़दारों या उक़्रबाओं को बतलाता कि उस के क़र्ज़दारों से या उक़्रबाओं से माल लेले पस उस ने जानने से इन्कार किया पस उस से क़सम ली कि तू उस के क़र्ज़दारों या उक़्रबाओं को नहीं जानता है हालांकि अगर वो बतला दे तो इस में मुसलमानों पर ज़रर कसीर है पस अगर जानता है तो उस के क़सम खा लेने की गुंजाइश नहीं है लेकिन हीला यह है कि इस मर्द का नाम बयान के जिस को सुल्तान ने तलब किया है मगर इस नाम का दूसरा आदमी इरादह करके क़सम खाले और ऐसी क़सम व हीला खिस्साफ़ रह० के नज़दीक सही है अगरचे ज़ाहिर उल रिवायात के मुवाफ़िक़ नहीं सही है पस अगर हालिफ़ मज़कूर मज़लूम होगा तो इमाम खिसाफ़ रह० के क़ौल पर फ़तवा दिया जायेगा। तलाक़ उल फ़तावा में मज़कूर है कि ज़ैद ने उम्रो पर माल का दावा किया और उम्रो ने इन्कार किया पस क़ाज़ी ने उम्रो से क़सम ली कि तुझ पर इस का इस क़द्र ऐसा माल नहीं है पस उम्रो ने अपनी आस्तीन के अन्दर से उंगली से एक दूसरे शख़्स की तरफ़ इशारह करके क़सम खाली कि इस का मुझ पर कुछ नहीं है तो दयानतन उस की तसदीक़ होगी न क़ज़ाअन (यह यमीन ग़मूस में है कि सख़्त गुनहगार होगा) यह ख़ुलासा में है।

(फ़क़ीर धनहीन आदि) खा सकते थे तो वह अपनी क़सम में पापी हो जायेगा और एक व्यक्ति ने अपनी बीवी की ज़मीन में रूई बोई फिर क़सम खाई कि अगर इस ज़मीन की पैदावार मेरे घर में प्रवेश हो तो वैध मुझ पर अवैध है फिर उस की औरत यह रूई अपने सर पर रख कर धुनिये को देने के लिए ले चली और राह में अपने सर पर रखे हुए अपने पति के घर में प्रवेश हुई फिर निकल कर धुनिये के यहां ले गई तो वर्णित मर्द अपनी क़सम में पापी हो जायेगा। यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

एक व्यक्ति को राजा ने बुलाया ताकि उस को आरोप में गिरफ्तार करे फिर एक व्यक्ति को पकड़ कर उस से कहा कि तू उसके क़र्ज़दारों/ऋणी या परिजनों को बताता है कि उसके क़र्ज़दारों से या परिजनों से माल लेले बस उसने जानने से इन्कार किया बस उस से कक़्सम ली कि तू उस के क़र्ज़दारों या परिजनों को नहीं जानता है हालांकि अगर वह बतला दे तो इससे मुसलमानों को ज़्यादा क्षति है बस अगर जानता है तो उस के क़सम खा लेने की गुंजाइश नहीं है लेकिन बहाना यह है कि इस मर्द का नाम बयान करे जिसको राजा ने तलब किया है मगर इस नाम का दूसरा आदमी इरादा करके क़सम खाले और ऐसी क़सम व बहाना खिस्साफ़ रह० के निकट सही है चाहे ज़ाहिर उल रिवायात के अनुसार सही नहीं है बस अगर वर्णित शपथकर्ता पीड़ित होगा तो इमाम खिसाफ रह० के कथन पर फ़तवा दिया जायेगा। तलाक़ उल फ़तावा में वर्णित है कि ज़ैद ने उम्रो पर माल का दावा किया और उम्रो ने इन्कार किया बस न्यायाधीश ने उम्रो से क़सम ली कि तुझ पर इस का इतना ऐसा माल नहीं है बस उम्रो ने अपनी आस्तीन के अन्दर से उंगली से एक दूसरे व्यक्ति की तरफ़ इशारा करके क़सम खाली कि इसका मुझ पर कुछ नहीं है तो सत्य-निष्ठा से उस की पुष्टि होगी न की न्यायिक (यह झूठी क़सम में है कि कठोर पापी होगा) यह ख़ुलासा में है।

फ़सलः

कफ्फ़ारे के बयान में

हानिस होने पर क़सम का कफ्फ़ारह वाजिब होता है और कफ्फ़ारह तीन चीज़ों में से एक यह है कि अगर क़ुदरत रखता हो तो एक बुर्दा आज़ाद कर दे और जो बुर्दा कफ्फ़ारह ज़िहार में जाइज़ है वो यहां भी रवा है या दस मिस्कीनों को लिबास देदे कि हर एक को एक कपड़ा या ज़्यादा दे और अदना लिबास इस क़द्र है कि जिस में नमाज़ जाइज़ हो जाती है (1) या दस मिस्कीनों को खाना दे और कफ्फ़ारह क़सम में खाना देना वैसा ही है जैसे कफ्फ़ारह ज़िहार में दिया जाता है या फ़तावा तहावी क़ुदसी में है।

इमाम अबू हनीफ़ा रह० से रिवायत है कि अदना लिबास इस क़द्र है कि उस के अक्सर बदन को छुपाये हत्ता कि खाली एक पायजामा दे देना काफ़ी नहीं है और यही क़ौल सही है यह हिदाया में है और अगर इन तीन चीज़ों में से किसी के देने की उस को क़ुदरत न हुई तो पे दर पे तीन रोज़ रोज़ा रखे और यह तंगदस्त का कफ्फ़ारह है और अदना और औला कफ्फ़ारह यसार है और इस कफ्फ़ारह के वास्ते ख़ुशहाली इसी क़द्र मोअतबर है कि उस की किफ़ायत से इस क़द्र बचता हो कि जिस से कफ्फ़ारह क़सम अदा कर दे और यह हुक्म इस वक़्त है कि जो मनसूस अलैहि है वो उस की मिल्क में न हो और अगर ऐन मन्सूस अलैहि उस की मिल्क में हो यानी उस की मिल्क में कोई ग़ुलाम है या दस मिस्कीनों का लिबास या खाना मौजूद हो तो उस को रोज़े से कफ्फ़ारह देना काफ़ी न होगा ख़्वाह इस पर क़र्ज़ा हो या न हो और अगर उस की मिल्क में ऐन मन्सूस अलैहि मौजूद न हो तो उस वक़्त तंगी व ख़ुशहाली का ऐतबार होगा यह सिराज वहाज में है फिर वाज़ह हो कि तंगी व ख़ुशहाली का ऐतबार हमारे नज़दीक इस वक़्त होगा जब कफ्फ़ारह देने का क़सद (2) करता है। चुनांचे अगर क़सम से हानिस होने के वक़्त वो ख़ुशहाल था फिर जब कफ्फ़ारह

(1) जिस के पास कपड़े हैं उस की नमाज़ जिस क़द्र जाइज़+ हो जाती है उस क़द्र ज़रूरी है

(2)जिस वक़्त इस ने कफ्फ़ारा देना चाहा उस वक़्त देखा जायेगा कि क्या हाल है न इस वक़्त जब हानिस हुआ है।

भागः

प्रायश्चित का वर्णन

पापी होने पर क़सम का प्रायश्चित अनिवार्य होता है और प्रायश्चित तीन चीज़ों में से एक यह है कि अगर सामर्थ्य रखता हो तो एक बांदी आज़ाद कर दे और जो बांदी प्रायश्चित ज़िहार पाप में जाइज़ है वह यहां भी जाइज़ है या दस निर्धनों को वस्त्र देदे कि हर एक को एक कपड़ा या ज़्यादा दे और तुच्छ वस्त्र इस जैसा है कि जिस में नमाज़ जाइज़ हो जाती है (1) या दस निर्धनों को खाना दे और क़सम के प्रायश्चित में खाना देना वैसा ही है जैसे ज़िहार के प्रायश्चित में दिया जाता है या फ़तावा तहावी क़ुदसी में है।

इमाम अबू हनीफ़ा रह० से वर्णित है कि तुच्छ वस्त्र इस जैसे है कि उस के अक्सर बदन को छुपाये यहां तक कि खाली एक पायजामा दे देना काफ़ी नहीं है और यही कथन सही है यह हिदाया में है और अगर इन तीन चीज़ों में से किसी के देने की उसको शक्ति न हुई तो लगातार तीन दिन रोज़ा रखे और यह निर्धन का प्रायश्चित है और तुच्छ और श्रेष्ठ प्रायश्चित अमीरी है और इस प्रायश्चित के लिए ख़ुशहाली उतनी विश्वसनीय है कि उस की अल्पव्ययता से इतना बचता हो कि जिस से क़सम का प्रायश्चित कर दे और यह आदेश इस समय है कि जो प्रमाणित है वह उस की अधीनता में न हो और अगर बिल्कुल प्रमाणित उसकी अधीनता में हो यानी उसकी अधीनता में कोई ग़ुलाम है या दस निर्धनों के वस्त्र या खाना मौजूद हो तो उस को रोज़े से प्रायश्चित करना काफ़ी न होगा चाहे इस पर क़र्ज़ हो या न हो और अगर उस की अधीनता में बिल्कुल प्रमाण मौजूद न हो तो उस समय तंगी व ख़ुशहाली का विश्वास होगा यह सिराजुल वहाज में है फिर स्पष्ट हो कि तंगी व ख़ुशहाली का विश्वास हमारे निकट इस समय होगा जब प्रायश्चित देने का निश्चय (2) करता है। चुनांचे अगर क़सम से पापी होने के समय वह ख़ुशहाल था फिर जब प्रायश्चित

(1) जिस के पास कपड़े हैं उस की नमाज़ जितनी जाइज़ हो जाती है उतनी ज़रूरी है

(2)जिस समय इस ने प्रायश्चित करना चाहा उस समय देखा जायेगा कि क्या हाल है न कि इस समय जब पापी हुआ है।

देने का क़सद किया इस वक़्त तंगदस्त हो गया तो हमारे नज़दीक रोज़े उस के हक़ में काफ़ी होंगे और अगर इस के बरअक्स हो तो काफ़ी न होंगे यह फ़तहुल क़दीर में है और यह जो फ़रमाया है कि .ख़ुशहाली से यहां यह मुराद है कि उस के कफ़ाफ़ से कुछ ज़ायद बचता हो तो कफ़ाफ़ की मिक्दार यह है कि रहने के मकान से और सतर औरत के क़द्र कपड़े से और रोज़ीना खाने से फ़ाज़िल रहता हो तो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर इस का माल ग़ायब हो या लोगों पर उस का क़र्ज़ा हो और सर दस्त हो इस क़द्र नहीं पाता है कि उस से बुर्दा आज़ाद करे या मिस्कीनों को लिबास दे या खाना दे तो उस को रोज़े रखने काफ़ी होंगे ऐसा ही इमाम मुहम्मद रह० ने ज़िक्र फ़रमाया है और मशाइख ने फ़रमाया कि लोगों पर क़र्ज़ा होने की सूरत में भी रोज़े से जवाज़ का हुक्म जो इमाम मुहम्मद रह० ने दिया है उस की तावील यह है कि उस का क़र्ज़ा तंगदस्त लोगों पर हो जो अदा करने पर क़ादिर हैं और अगर इस का क़र्ज़ा माल दारों पर हो कि इस के अदा करने पर क़ादिर हैं कि अगर उन से तक़ाज़ा करके वसूल करे तो कफ्फ़ारह यसार अदा करने पर क़ादिर हो जाये तो उस को रोज़े काफ़ी न होंगे ऐसा ही इमाम मुहम्मद रह० से इब्ने समाआ ने रिवायत की है और ऐसा ही मशाइख ने औरत के हक़ में कहा है कि जब इस पर कफ्फ़ारह लाज़िम आया और उस के हाथ में कुछ माल नहीं है हालांकि उस का महर इस के शौहर पर है कि अगर तक़ाज़ा करे तो वो अदा करदे तो औरत को रोज़े से कफ्फ़ारह देना रवा न होगा और अगर एक शख़्स के पास माल हो हालांकि इस पर लोगों का क़र्ज़ा भी उसी क़द्र है कि जितना माल है या इस से भी .ज़्यादा है तो इस को यह क़र्ज़ा इस माल से अदा करने के बाद रोज़े से कफ्फ़ारह रवा है ऐसा ही इमाम मुहम्मद रह० ने असल में ज़िक्र किया है और यह ज़ाहिर है और क़ब्ल क़ज़ाये क़र्ज़ा (अदाये क़र्ज़ा) मज़कूर के आया उस को रोज़े से कफ्फ़ारह देना रवा है या नहीं सो इस में मशाइख ने इख़्तलाफ़ किया है कज़ा फ़िल मुहीत और असह यह है कि रोज़े से कफ्फ़ारह देना इस सूरत में भी रवा है यह मबसूत में है।

करने का निश्चय किया इस समय निर्धन हो गया तो हमारे निकट रोज़े उस के पक्ष में पर्याप्त होंगे और अगर इस के विपरीत हो तो पर्याप्त न होंगे यह फ़तहुल क़दीर में है और यह जो कहा है कि .ख़ुशहाली से यहां यह तात्पर्य है कि उस के अनुमान से कुछ .ज़्यादा बचता हो तो अनुमान की मात्रा यह है कि रहने के मकान से और औरत के गुप्तांग ढ़कने जितने कपड़े से और रोज़ाना खाने से अतिरिक्त रहता हो तो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर इस का माल ग़ायब हो या लोगों पर उस का क़र्ज़ हो और तत्काल इतना नहीं हो पाता है कि उस से गुलाम या बांदी आज़ाद करे या निर्धनों को वस्त्र दे या खाना दे तो उसको रोज़े रखने पर्याप्त होंगे ऐसा ही इमाम मुहम्मद रह० ने वर्णन किया है और विद्वानों ने कहा कि लोगों पर क़र्ज़ होगे की स्थिति में भी रोज़े के औचित्य का आदेश जो इमाम मुहम्मद रह० ने दिया है उस का स्पष्टीकरण यह है कि उस का क़र्ज़ निर्धन लोगों पर हो जो देने के क़ाबिल हैं और अगर इसका क़र्ज़ मालदारों पर हो कि इसके देने में समर्थ है कि अगर उनसे तक़ाज़ा करके वसूल करे तो अमीरी का प्रायश्चित करने के क़ाबिल हो जाये तो उस को रोज़े पर्याप्त न होंगे ऐसा ही इमाम मुहम्मद रह० से इब्ने समाआ ने वर्णन किया है और ऐसा ही विद्वानों ने औरत के पक्ष में कहा है कि जब इस पर प्रायश्चित अनिवार्य हुआ और उसके हाथ में कुछ माल नहीं है हालांकि उस का महर इस के पति पर है कि अगर तक़ाज़ा करे तो वह देदे तो औरत को रोज़े से प्रायश्चित करना जाइज़ न होगा और अगर एक व्यक्ति के पास माल हो हालांकि इस पर लोगों का क़र्ज़ भी उतना है कि जितना माल है या इस से भी .ज़्यादा है तो इस को यह क़र्ज़ इस माल से अदा करने के बाद रोज़े से प्रायश्चित जाइज़ है ऐसा ही इमाम मुहम्मद रह० ने असल में वर्णन किया है और यह स्पष्ट है और वर्णित क़र्ज़ देने से पहले (क़र्ज़ देने) के, कि उस को रोज़े से प्रायश्चित करना जाइज़ है या नहीं तो इसमें विद्वानों ने मतभेद किया है यह मुहीत में है और सही यह है कि रोज़े से प्रायश्चित करना इस स्थिति में भी जाइज़ है यह मबसूत में है।

कपड़े में क़ाबिज़ का हाल मोअतबर है कि अगर वो क़ाबिज़ के वास्ते सालह हो तो जाइज़ है वरना नहीं :

अगर हर मिस्कीन को निस्फ़ कपड़ा दिया या एक कपड़ा दस मिस्कीनों को दिया बनियत कफ़्फ़ारह क़सम तो लिबास से कफ़्फ़ारह अदा न होगा और जब लिबास से कफ़्फ़ारह अदा न हो पस अगर उस की क़ीमत इस क़द्र हो कि जिस से दस मिस्कीनों का खाना दिया जाता है तो क्या खाने से ऐतबार करके कफ़्फ़ारह अदा हो जायेगा या नहीं तो शैख उल इस्लाम ख़्वाहिर ज़ादह ने ज़िक्र फ़रमाया है कि हमारे असहाब से ज़ाहिर उल रिवायत के मुवाफ़िक़ काफ़ी हो जायेगा (1) ख़्वाह उस ने नियत की हो कि यह कपड़ा तआम के बदले (2) में है या यह नियत न की हो ज़हीरिया में है और टोपी और मोज़ह लिबास से कफ़्फ़ारह देने में काफ़ी नहीं है और खाने से काफ़ी और कपड़े में क़ाबिज़ का हाल मोअतबर है कि अगर वो क़ाबिज़ के वास्ते सालह हो तो जाइज़ है वरना नहीं और हमारे बाज़े मशाइख ने फ़रमाया कि औसत दरजे के लोगों के सिवाऐ हो तो जाइज़ है और शम्सुल अइम्मा सुरखी में फ़रमाया कि यह क़ौल अशबह बिल सवाब है यह ख़ुलासा में है और अगर हर मिस्कीन को एक अमामा दे दिया पस अगर इस क़द्र कपड़ा है कि वो एक क़मीस या चादर तक पहुंचता है तो लिबास से कफ़्फ़ारह अदा हो जायेगा वरना लिबास से कफ़्फ़ारह अदा नहीं होगा मगर तआम से कफ़्फ़ारह अदा हो जायेगा बशर्तेकि उस की क़ीमत इतनी हो कि तआम से कफ़्फ़ारह कि मिस्ल हो (3) यह मबसूत में है। और अगर दस मिस्कीनों को एक कपड़ा भारी क़ीमत का सब में मुशतरिक ऐसा दिया कि इन की औसत लिबास वाजबी की क़ीमत के मिस्ल या ज़्यादा इस में से हर एक के हिस्से में पहुंचता है तो यह कपड़ा इन के कफ़्फ़ारह लिबास से काफ़ी न होगा इस वास्ते कि लिबास मन्सूस

(1)क़ालल मुतरज्जिम यहां अब यह बयान है कि कपड़ा किस दर्जे का हो।
(2) अगर कुछ मिक्दार तआम को पहुंचे।
(3) क़ीमत तआम के बराबर हो।

कपड़े में क़ाबिज़ का हाल विश्वसनीय है कि अगर वह क़ाबिज़ के लिए सदाचारी हो तो जाइज़ है वर्ना नहीं :

अगर हर निर्धन को आधा कपड़ा दिया या एक कपड़ा दस निर्धनों को दिया क़सम के प्रायश्चित के इरादे से तो वस्त्रों के देने से प्रायश्चित न होगा और जब वस्त्र देने से प्रायश्चित न हो बस अगर उसकी क़ीमत इतनी हो कि जिससे दस निर्धनों को खाना दिया जा सकता है तो क्या खाने से भरोसा करके प्रायश्चित हो जायेगा या नहीं तो शैख उल इस्लाम ख़्वाहिर ज़ादह ने वर्णन किया है कि हमारे असहाब से स्पष्ट परंपरा के अनुसार काफ़ी हो जायेगा (1) चाहे उस ने इरादा किया हो कि यह कपड़ा खाने के बदले (2) में है या यह इरादा न किया हो, यह ज़हीरिया में है और टोपी और जुराब वस्त्र से प्रायश्चित देने में काफ़ी नहीं है और खाने से काफ़ी है और कपड़े में क़ाबिज़ का हाल विश्वसनीय है कि अगर वह क़ाबिज़ के लिए सदाचारी हो तो जाइज़ है वर्ना नहीं और हमारे कुछ विद्वानों ने कहा कि सामान्य श्रेणी के लोगों के सिवाए हो तो जाइज़ है और शम्सुल अइम्मा सुरखी में कहा कि यह कथन असबह बिल सवाब है यह ख़ुलासा में है और अगर हर निर्धन को एक अमामा/कुर्ता दे दिया बस अगर इतना कपड़ा है कि वह एक क़मीज़ या चादर तक पहुंचता है तो वस्त्र से प्रायश्चित हो जायेगा वर्ना वस्त्र से प्रायश्चित नहीं होगा मगर खाने से प्रायश्चित हो जायेगा बशर्ते कि उसकी क़ीमत इतनी हो कि खाने से प्रायश्चित के जैसा हो (3) यह मबसूत में है और अगर दस निर्धनों को एक कपड़ा भारी क़ीमत का सब में साझा ऐसा दिया कि इनकी औसत उचित वस्त्र की क़ीमत के जैसा या ज़्यादा इसमें से हर एक के हिस्से में पहुंचता है तो यह कपड़ा इनके प्रायश्चित वस्त्र से काफ़ी न होगा इसलिए कि वस्त्र प्रमाणित है बस वह अपने अस्तित्व का बदल न होगा हाँ ग़ैर का बदल हो

(1)अनुवादक के कथनानुसार यहाँ अब यह बयान है कि कपड़ा किस दर्जे का हो।
(2) अगर कुछ खाने की मात्रा को पहुंचे।
(3) खाने की क़ीमत के बराबर हो।

अलैहि है पस वो अपने नफ़्स का बदल न होगा हां ग़ैर का बदल हो सकता है चुनांचे अगर इस कपड़े में से हर एक के हिस्से में तआम की क़ीमत के मिस्ल क़ीमत का हिस्सा पहुंचता हो तो तआम से कफ़्फ़ारह अदा हो जायेगा और जैसे इस के बरअक्स कि अगर हर मिस्कीन को चहारूम साअ गेंहू दिये जो एक साअ छुहारे के बराबर हैं तो तआम से कफ़्फ़ारह अदा न होगा हां अगर इस चहारूम साअ गेंहू की क़ीमत इन के लिबास की क़ीमत के मिस्ल हो तो लिबास से कफ़्फ़ारह अदा हो जायेगा यह बदाऐ में है जिस पर कफ़्फ़ारह क़सम वाजिब है अगर उस ने एक पुराना कपड़ा मिस्कीन को दिया तो मशाइख ने फ़रमाया कि क़ीमत के औज़ जाइज़ नहीं है व लेकिन यह देखा जायेगा कि अगर ऐसा हो कि इस से नये कपड़े की निस्फ़ मुद्दत तक इन्तफ़ाअ हासिल किया जाये तो नहीं जाइज़ है और जदीद कपड़े से छः महीना इन्तफ़ाअ हो सकता है और उस से चार महीने यानी निस्फ़ से ज़ायद मुद्दत तक तो जाइज़ है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर एक ही मिस्कीन को दस कपड़े एक ही दफ़ा दे दिये तो उस के कफ़्फ़ारह की तरफ़ से काफ़ी न होंगे जैसे तआम में होता है और अगर उस को हर रोज़ करके एक एक कपड़ा दिया यहां तक कि दस कपड़े दस रोज़ में पूरे कर दिये तो कफ़्फ़ारह अदा हो गया जैसे तआम में है और अगर मिस्कीनों को ग़ुलाम या चौपाया जिस की क़ीमत दस मिस्कीनों के कपड़े के बराबर है दिया तो बाऐतबार क़ीमत के उस का कफ़्फ़ारह लिबास से अदा हो गया जैसे दिरहम देने में होता है और अगर ग़ुलाम या चौपाया की क़ीमत दस मिस्कीनों के लिबास के बराबर न पहुंची मगर दस मिस्कीनों के तआम के बराबर पहुंची तो कफ़्फ़ारह तआम से अदा हो गया और अगर किसी मर्द ने गवाह क़ायम किये कि यह कपड़ा मेरा है या यह चौपाया मेरा है पस बाद सुबूत व हुक्म क़ाज़ी के इस को ले लिया तो उस पर वाजिब होगा कि अज़ सरे नो कफ़्फ़ारह-ए-क़सम अदा करे और अगर ज़ैद की तरफ़ से उम्रो ने ज़ैद के हुक्म से दस मिस्कीनों को लिबास दे दिया तो ज़ैद से कफ़्फ़ारह अदा हो गया अगरचे उम्रो ने

सकता है और अगर इस कपड़े में से हर एक के हिस्से में खाने की क़ीमत के जैसी क़ीमत का हिस्सा पहुंचता हो तो खाने से प्रायश्चित हो जायेगा और जैसे इस के विपरीत किया अगर हर निर्धन को चार साअ(1) गेंहू दिये जो एक साअ छुहारे के बराबर हैं तो खाने से प्रायश्चित न होगा हां अगर इस चार साअ गेंहू की क़ीमत इन के वस्त्रों की क़ीमत के जैसी हो तो वस्त्रों से प्रायश्चित हो जायेगा यह बदाऐ में है जिस पर क़सम का प्रायश्चित अनिवार्य है अगर उसने एक पुराना कपड़ा निर्धन को दिया तो विद्वानों ने कहा कि क़ीमत के बदले जाइज़ नहीं है लेकिन यह देखा जायेगा कि अगर ऐसा हो कि इससे नये कपड़े का आधी अवधि तक लाभ प्राप्त किया जाये तो नहीं जाइज़ है और नवीन कपड़े से छः महीना लाभ हो सकता है और उस से चार महीने यानी आधा से ज़्यादा अवधि तक तो जाइज़ है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर एक ही निर्धन को दस कपड़े एक ही बार दे दिये तो उस के प्रायश्चित की तरफ़ से काफ़ी न होंगे जैसे खाने में होता है और अगर उस को हर दिन करके एक एक कपड़ा दिया यहां तक कि दस कपड़े दस दिन में पूरे कर दिये तो प्रायश्चित अदा हो गया जैसे खाने में है और अगर निर्धनों को ग़ुलाम या चौपाया जिस की क़ीमत दस निर्धनों के कपड़े के बराबर है दिया तो विश्वसनीय क़ीमत के उस का प्रायश्चित कपड़े से अदा हो गया जैसे दिरहम देने में होता है और अगर ग़ुलाम या चौपाया की क़ीमत दस निर्धनों के कपड़े के बराबर न पहुंची मगर दस निर्धनों के खाने के बराबर पहुंची तो प्रायश्चित खाने से अदा हो गया और अगर किसी मर्द ने गवाह क़ायम किये कि यह कपड़ा मेरा है या यह चौपाया मेरा है बस बाद सुबूत व आदेश न्यायाधीश के इस को ले लिया तो उस पर अनिवार्य होगा कि नये सिरे से क़सम का प्रायश्चित अदा करे और अगर ज़ैद की तरफ़ से उम्रो ने ज़ैद के आदेश से दस निर्धनों को लिबास दे दिया तो ज़ैद से प्रायश्चित अदा हो गया चाहे उम्रो ने

(1) साअ = जौ या गेहूं तोलने का मापक, गैहूं मापने का मापक 2 सेर 24 छटांक और 4 तोले होता है।

ग़ैद से उस का सिमन न पाया हो और अगर उम्रो ने बदून हुक्म ग़ैद के हुक्म से दस मिस्कीनों को लिबास दे दिया तो ग़ैद से कफ़्फ़ारह अदा हो गया अगरचे उम्रो ने ग़ैद से उस का सिमन न पाया हो और अगर उम्रो ने बदून हुक्म ग़ैद के और बदून रज़ाये ग़ैद के ऐसा किया तो ग़ैद की तरफ़ से जाइज़ न होगा और अगर किसी ने अपनी क़सम के कफ़्फ़ारात में से मैयतों के कफ़नों में या मस्जिद की इमारत में या मैयत के अदाये क़र्ज़ा में या इतक़ रक़बा में दिया तो जाइज़ नहीं है और अगर इस में से किसी इब्ने सबील को जिस का तोशा मुसाफ़िरत में नहीं रहा है दे दिया तो जाइज़ है और अगर एक शख़्स ने जिस पर दो क़समों का कफ़्फ़ारह है वाजिब है दो दो कपड़े दस मिस्कीनों को दोनों क़समों की तरफ़ से दिये तो इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के क़ौल में इस की एक ही क़सम की तरफ़ से अदा होंगे और अगर किसी ने एक मिस्कीन को अपने कफ़्फ़ारह क़सम में लिबास दिया था फिर यह मिस्कीन मर गया पस उस का विरसा उस को मिला और उस ने वही कपड़ा मीरास में पाया या मिस्कीन की ज़िन्दगी में उस से खरीद लिया या मिस्कीन ने उस को हुबा कर दिया तो उस का कफ़्फ़ारह मज़कूर फ़ासिद न होगा यह मबसूत में है।

अगर किसी ने कफ़्फ़ारह-ए-क़सम में खाना देना इख़्तयार किया तो वो दो (2) नोअ पर है एक तआम तमलीक और दोम तआम इबाहत पस तआम तमलीक इस तरह है कि दस मिस्कीनों में से हर एक को निस्फ़ साअ गेंहू या आटा या सत्तू दे या एक साअ जौ दे जैसे सदक़ा फ़ितर में मज़कूर है और अगर इस सूरत में उस ने दस मिस्कीनों में हर एक को चहारूम चहारूम साअ दिया पस अगर दोबारह उन्हें को चहारूम चहारूम साअ दे दिया तो जाइज़ हो गया और अगर दोबारह इन को न दिया तो अज़ सरे नू तआम दे और इसी तरह अगर किसी ने वसियत कर दी कि मेरे कफ़्फ़ारह-ए-क़सम में मेरी तरफ़ से दस मिस्कीनों को तआम दिया जाये पस वसी ने दस मसाकीन को सुबह का खाना खिलाया फिर यह मसाकीन मर गये क़ब्ल इस के कि इन को शाम का

ग़ैद से उस की क़ीमत न पाई हो और अगर उम्रो ने बजाए ग़ैद के आदेश से दस निर्धनों को वस्त्र दे दिए तो ग़ैद से प्रायश्चित अदा हो गया चाहे उम्रो ने ग़ैद से उस की क़ीमत न पाई हो और अगर उम्रो ने बिना ग़ैद के आदेश और बिना ग़ैद की राज़ी के ऐसा किया तो ग़ैद की तरफ़ से जाइज़ न होगा और अगर किसी ने अपनी क़सम के प्रायश्चित में से मृतकों के कफ़नों में या मस्जिद की इमारत में या मृतकों के क़र्ज़ चुकाने में या मुक्त ग़ुलाम में दिया तो जाइज़ नहीं है और अगर इसमें से किसी मांगने वाले को जिस का सफ़र में साथ रहने वाला सामान नहीं रहा है दे दिया तो जाइज़ है और अगर एक व्यक्ति ने जिसपर दो क़समों का प्रायश्चित अनिवार्य है दो दो कपड़े दस निर्धनों को दोनों क़समों की ओर से दिये तो इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के कथन में इसकी एक ही क़सम की ओर से अदा होंगे और अगर किसी ने एक निर्धन को अपने प्रायश्चित की क़सम में वस्त्र दिया था फिर यह निर्धन मर गया बस उस की विरासत उस को मिली और उस ने वही कपड़ा विरासत में पाया या निर्धन की ज़िन्दगी में उस से खरीद लिया या निर्धन ने उसको तोहफ़े में दिया तो उसका वर्णित प्रायश्चित दूषित न होगा यह मबसूत में है।

अगर किसी ने क़सम के प्रायश्चित में खाना देना अपनाया तो वह दो (2) प्रकार पर है एक खाने का मालिक करना और दूसरे खाने का औचित्य धर्मानुसार सिद्ध करना बस खाने का मालिक करना इस तरह है कि दस निर्धनों में से हर एक को आधा साअ गेंहू या आटा या सत्तू दे या एक साअ जौ दे जैसे सदक़ा फ़ितर में वर्णित है और अगर इस स्थिति में उस ने दस निर्धनों में हर एक को चार चार साअ दिया बस अगर दोबारा उन्हीं को चार साअ दे दिया तो जाइज़ हो गया और अगर दोबारा इनको न दिया तो नए सिरे से खाना दे और इसी तरह अगर किसी ने वसियत कर दी कि मेरी क़सम के प्रायश्चित में मेरी तरफ़ से दस निर्धनों को खाना दिया जाये बस उत्तराधिकारी ने दस मिस्कीनों/निर्धनों को सुबह का खाना खिलाया फिर इनको शाम का खाना खिलाने से पहले यह निर्धन मर गये तो इस पर अनिवार्य होगा कि

खाना खिलाये तो इस पर लाज़िम आयेगा कि अज़ सरे नो खाना दे मगर वसी ज़ामिन न होगा और एक शख़्स ने एक ही मिस्कीन को अपने कफ़्फ़ारह-ए-क़सम में पांच साअ़ गेंहू दे दिये तो कफ़्फ़ारह अदा न होगा इल्ला आंकि एक ही मिस्कीन को दस रोज़ में पस तअ़दाद अयाम मक़ाम तअ़दाद मसाकीन क़ायम होगी और अगर एक मिस्कीन को गेंहू दिये यानी निस्फ़ साअ़ और दूसरे को जो दिये यानी निस्फ़ साअ़ और दूसरे को जो दिये यानी एक साअ़ तो ज़ाहिर उल रिवायत के मुवाफ़िक़ जाइज़ है।

अगर किसी ने कफ़्फ़ारह-ए-तआम बतौर इबाहत इख़्तयार किया तो अहनाफ़ के नज़दीक रवा है:

और अगर किसी ने पांच मिस्कीनों को तआम दिया और पांच को लिबास दिया पस अगर उस ने बतौर तमलीक (1) दिया तो कफ़्फ़ारह अदा होगा और तआम व लिबास दोनों में से जो बैश क़ीमत होगा वो दूसरे कम क़ीमत का बदल क़रार पायेगा चाहे कोई हो और अगर उस ने तआम न बतौर इबाहत दिया है पस अगर तआम कम क़ीमत होगा बनिस्बत लिबास के तो कफ़्फ़ारह अदा हो जायेगा और अगर यह तआम बेश क़ीमत होगा तो जाइज़ न होगा इस वास्ते कि लिबास में तमलीक है और तआम बतौर इबाहत दिया है बतौर तमलीक और इबाहत में तमलीक नहीं है पस जब कि तआम कम क़ीमत होगा तो लिबास को तआम का बदल क़रार देना जाइज़ होगा और अगर उस के बरअक्स होगा तो नहीं हो सकेगा और अगर किसी ने कफ़्फ़ारह तआम बतौर इबाहत इख़्तयार किया तो हमारे नज़दीक रवा है और तआम इबाहत इस तरह है कि दो वक़्त सुबह व शाम या दो दिन सुबह को या दो दिन शाम को या शाम व सहरी को पेट भर के खिलाये यानी कह दे कि यह पेट भर के खालो और मुस्तहब यह है कि सुबह व शाम दोनों वक़्त रोटी के साथ सालन हो यानी जो चीज़ रोटी के साथ खाई जाये (रूखी न हो) और इस सूरत में इन का पेट भर जाना

(1)वाज़ह रहे कि तआत तमलीक यह है कि इन की मिल्क में कर दिया कि चाहो जो करो और तआम इबाहत यह है कि पेट भर के खालो।

नए सिरे से खाना दे मगर उत्तराधिकारी गारंटर न होगा और एक व्यक्ति ने एक ही निर्धन को अपने क़सम के प्रायश्चित में पांच साअ़ गेंहू दे दिये तो प्रायश्चित अदा न होगा सिवा यह कि एक ही निर्धन को दस दिन में बस दिनों की गिन्ती स्थान निर्धनों की गिन्ती स्थापित होगी और अगर एक निर्धन को गेंहू दिये यानी आधा साअ़ और दूसरे को जो दिये यानी आधा साअ़ और दूसरे को जो दिये यानी एक साअ़ तो स्पष्ट परंपरा के अनुसार जाइज़ है।

अगर किसी ने खाने का प्रायश्चित बतौर धर्म अनुसार अपनाया तो हनफ़ीयों के निकट जाइज़ है:

और अगर किसी ने पांच निर्धनों को खाना दिया और पांच को लिबास दिया बस अगर उस ने बतौर मालिक होने (1) दिया तो प्रायश्चित अदा होगा और तआम व लिबास दोनों में से जो बहुत क़ीमती होगा वह दूसरे कम क़ीमत का बदल क़रार पायेगा चाहे कोई हो और अगर उस ने खाना न बतौर धर्मानुसार दिया है बस अगर खाना कम क़ीमत होगा लिबास के तुलना में तो प्रायश्चित अदा हो जायेगा और अगर यह खाना बहुत क़ीमती होगा तो जाइज़ न होगा इस लिए कि लिबास में मालिक होना है और खाना बतौर धर्मानुसार कार्य में दिया है बतौर मालिक बन्ने और जाइज़ होने में मालिक होना नहीं है बस जब कि खाना कम क़ीमत का होगा तो लिबास को खाने का बदल क़रार देना जाइज़ होगा और अगर उस के विपरीत होगा तो नहीं हो सकेगा और अगर किसी ने प्रायश्चित का खाना बतौर धर्मानुसार कार्य के अपनाया है तो हमारे निकट जाइज़ है और धर्मानुसार कार्य में विहित भोजन इस तरह है कि दो समय सुबह व शाम या दो दिन सुबह को या दो दिन शाम को या शाम व सहरी को पेट भर के खिलाये यानी कह दे कि यह पेट भर के खालो और पसंदीदा यह है कि सुबह व शाम दोनों समय रोटी के साथ सालन हो यानी जो चीज़ रोटी

(1)स्पष्ट रहे कि भोजन का मालिक बनाना यह है कि इन की मिल्कियत में कर दिया कि चाहो जो करो और धर्मानुसार भोजन यह है कि पेट भर केखालो।

मोअ़तबर है मिक़्दार तआ़म मोअ़तबर नहीं है (क़सम अव्वल के बख़िलाफ़) चुनांचे अगर तीन रोटियां दस मिस्कीनों के सामने रखें और उन्होंने खाया कि सैर हो गये तू जाइज़ है यह इमाम हनीफ़ा रह० से रिवायत किया गया है और अगर दस मिस्कीनों में से एक का पेट फिरी हुआ हो (पहले से) तो इस में इख़्तलाफ़ है बाज़ ने कहा कि अगर पेट भरने से भी उस के तआ़म में से इस क़द्र जितना औरों ने खाया है खा लिया तो जाइज़ हो गया और बाज़ों ने कहा कि नहीं जाइज़ है इस वास्ते कि दस मिस्कीनों का सैर कर देना वाजिब था और यह नहीं पाया गया और अगर दस मिस्कीनों को सुबह व शाम सैर होकर खिला दिया मगर इस मं एक दूध छुड़ाया हुआ बच्चा है तो जाइज़ न हुआ और इस पर वाजिब है कि बजाये इस के एक दूसरे मिस्कीन को खिला दे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

और अगर दस मिस्कीनों को रूखा बग़ैर सालन के खाना दिया पस अगर रोटी गेंहू की दी तो जाइज़ है और अगर दूसरी चीज़ हो तो सालन ज़रूरी है और अगर इन को रोटी व खजूर या सत्तू दिया खजूर या काली सत्तू खिलाये तो कफ़्फ़ारह अदा हो गा बशर्तेकि यही इस के अहल व अयाल का खाना हो और अगर उस ने एक मिस्कीन को दस रोज़ तक सुबह व शाम खिलाया तो कफ़्फ़ारह अदा हो गया अगरचे उस ने हर रोज़ के खाने में एक ही रोटी खाई हो और अगर उस ने सुबह को दस मिस्कीनों को खाना दिया फिर शाम को दूसरे दस मिस्कीनों को इन इन के सिवा खाना खिलाया तो जाइज़ नहीं है और इसी तरह अगर उस ने दस रोज़ तक सुबह को एक मिस्कीन को और शाम को दूसरे मिस्कीन को खिलाया तो भी जाइज़ है और अगर उस ने हिस्सा एक मिस्कीन को दो मिस्कीनों पर बांट दिया तो भी जाइज़ नहीं है और अगर सुबह को एक मिस्कीन को खाना खिलाया और शाम के खाने के उस को दाम दिये पैसे या दिरहम तो काफ़ी है और इसी तरह अगर दस मिस्कीनों की सूरत में उस ने ऐसा ही किया कि इन को सुबह का खाना खिला दिया और इन के शाम के खाने के इन को

के साथ खाई जाये (रूखी न हो) और इस स्थिति में इन का पेट भर जाना विश्वसनीय है भोजन की मात्रा विश्वसनीय नहीं है (क़सम पहले के विपरीत) चुनांचे अगर तीन रोटियां दस निर्धनों के सामने रखें और उन्होंने खाया कि आनन्दित हो गये तो जाइज़ है यह इमाम हनीफ़ा रह० से रिवायत किया गया है और अगर दस निर्धनों में से एक का पेट फिरी हुआ हो (पहले से) तो इस में मतभेद है कुछ ने कहा कि अगर पेट भरने से भी उस के खाने में से इस क़द्र जितना औरों ने खाया है खा लिया तो जाइज़ हो गया और कुछ ने कहा कि नहीं जाइज़ है इस लिए कि दस निर्धनों का खान-पान कर देना अनिवार्य था और यह नहीं पाया गया और अगर दस निर्धनों को सुबह व शाम पेट भर भोजन खिला दिया मगर इस में एक दूध छुड़ाया हुआ बच्चा है तो जाइज़ न हुआ और इस पर अनिवार्य है कि बजाये इस के एक दूसरे निर्धन को खिला दे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

और अगर दस निर्धनों को रूखा बग़ैर सालन के खाना दिया बस अगर रोटी गेंहू की दी तो जाइज़ है और अगर दूसरी चीज़ हो तो सालन ज़रूरी है और अगर इन को रोटी व खजूर या सत्तू दिया खजूर या काली सत्तू खिलाये तो प्रायश्चित अदा हो गा बशर्ते कि यही इस के परिवार का खाना हो और अगर उस ने एक निर्धन को दस दिन तक सुबह व शाम खिलाया तो प्रायश्चित अदा हो गया चाहे उस ने हर दिन के खाने में एक ही रोटी खाई हो और अगर उस ने सुबह को दस निर्धनों को खाना दिया फिर शाम को दूसरे दस निर्धनों को इन इन के सिवा खाना खिलाया तो जाइज़ नहीं है और इसी तरह अगर उस ने दस दिन तक सुबह को एक निर्धन को और शाम को दूसरे निर्धन को खिलाया तो भी जाइज़ है और अगर उस ने हिस्सा एक निर्धन को दो निर्धनों पर बांट दिया तो भी जाइज़ नहीं है और अगर सुबह को एक निर्धन को खाना खिलाया और शाम के खाने के उस को दाम दिये पैसे या दिरहम तो काफ़ी है और इसी तरह अगर दस निर्धनों की स्थिति में उस ने ऐसा ही किया कि इन को सुबह का खाना खिला दिया और इन के शाम के खाने के इन को पैसे या दिरहम दे दिये तो जाइज़ है

पैसे या दिरहम दे दिये तो जाइज़ है और अगर दस मिस्कीनों को उस ने एक वक्त खाना खिलाया और फिर उन्हें को चहारूम चहारूम साअ गेंहू दे दिये तो कफ्फ़ारह अदा हो गया और हिशाम ने बरिवायत इमाम मुहम्मद रह० फ़रमाया कि अगर एक मिस्कीन को बीस रोज़ तक सुबह को खाना खिलाया और रमज़ान में बीस 20 रात इस को खाना खिला दिया तो कफ़्फ़ारह अदा हो गया और अगर किसी ने कफ़्फ़ारह क़सम में रोज़े रखे हालांकि इस की मिल्क में ग़ुलाम या तआम था जिस को वो भूल गया था फिर बाद रोज़े पूरे होने के इस को याद आया तो बिल इजमाअ इस के कफ्फ़ारह के वास्ते यह रोज़े काफ़ी न होंगे यह सिराज वहाज में है और अगर किसी ने पांच मिस्कीनों को खाना दिया फिर वो फ़क़ीर हो गया तो उस पर वाजिब होगा कि अगर रोज़े से कफ़्फ़ारह अदा करना चाहे तो अज़ सरे नू रोज़े से कफ्फ़ारह अदा करे यह मबसूत में है।

और अगर किसी ने दस मिस्कीनों में से हर एक को चहारूम चहारूम साअ गेंहू अपने कफ्फ़ारह-ए-क़सम में दिये फिर यह लोग ग़नी हो गये फिर फ़क़ीर हो गये फिर इस ने इन को चहारूम चहारूम साअ दिया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि यह कफ्फ़ारह जाइज़ न हुआ जैसे मकातब को चहारूम साअ दिया फिर वो आजिज़ होकर रफ़ीक़ कर दिया गया फिर दोबारह मकातब किया गया फिर उस ने उस को चहारूम साअ दिया तो यह कफ़्फ़ारह अदा होने के वास्ते नहीं काफ़ी है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर किसी शख़्स ने अपनी क़समों के कफ्फ़ारात में दस मिस्कीनों में से हर एक को हज़ार हज़ार मन गेंहू एक बारगी दे दिये तो इमाम अबू हनीफ़ा व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के नज़दीक यह एक ही क़सम के कफ्फ़ारह से जाइज़ होंगे यानी एक ही कफ़्फ़ारह अदा होगा यह ख़ुलासा में है जिस पर कफ्फ़ारह क़सम है अगर उस ने पांच साअ गेंहू दस मिस्कीनों के सामने रखे पस उन्होंने छीना झपटी करके लूट लिया तो फ़क़त एक ही मिस्कीन (तो मिस्कीनों का देना उस पर बाक़ी रहा) की तरफ़ से काफ़ी होगा यह ज़हीरिया में है और जिन लोगों को ज़कात देनी जाइज़

और अगर दस मिस्कीनों/निर्धनों को उस ने एक समय खाना खिलाया और फिर उन्हें को चार चार साअ गेंहू दे दिये तो प्रायश्चित अदा हो गया और हिशाम ने इमाम मुहम्मद रह० की परंपरा से कहा कि अगर एक निर्धन को बीस दिन तक सुबह को खाना खिलाया और रमज़ान में बीस 20 रात इस को खाना खिला दिया तो प्रायश्चित अदा हो गया और अगर किसी ने क़सम का प्रायश्चित में व्रत रखे हालांकि इस की अधीनता में ग़ुलाम या भोजन था जिस को वह भूल गया था फिर बाद व्रत पूरे होने के इस को याद आया तो सर्वसम्मति से इस के प्रायश्चित के लिए यह रोज़े काफ़ी न होंगे यह सिराजुल वहाज में है और अगर किसी ने पांच निर्धनों को खाना दिया फिर वह फ़क़ीर हो गया तो उस पर अनिवार्य होगा कि अगर रोज़े से प्रायश्चित अदा करना चाहे तो नए सिरे से रोज़े से प्रायश्चित अदा करे यह मबसूत में है।

और अगर किसी ने दस निर्धनों में से हर एक को चार चार साअ गेंहू अपने क़सम का प्रायश्चित में दिये फिर यह लोग धनी हो गये फिर फ़क़ीर हो गये फिर इस ने इन को चार चार साअ दिया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि यह प्रायश्चित जाइज़ न हुआ जैसे क़ीमत देकर मुक्ति पाने वालों को चार साअ दिया फिर वह परेशान होकर ग़ुलाम कर दिया गया फिर दोबारह क़ीमत देकर मुक्ति पाने वाला किया गया फिर उस ने उस को चार साअ दिया तो यह प्रायश्चित अदा होगे के लिए काफ़ी नहीं है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर किसी व्यक्ति ने अपनी क़समों के कफ़्फ़ारों में दस निर्धनों में से हर एक को हज़ार हज़ार मन गेंहू एक बार ही दे दिये तो इमाम अबू हनीफ़ा व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के निकट यह एक ही क़सम के प्रायश्चित से जाइज़ होंगे यानी एक ही प्रायश्चित अदा होगा यह ख़ुलासा में है जिस पर प्रायश्चित क़सम है अगर उस ने पांच साअ गेंहू दस निर्धनों के सामने रखे बस उन्होंने छीना झपटी करके लूट लिया तो केवल एक ही निर्धन (तो निर्धनों का देना उस पर बाक़ी रहा) की ओर से काफ़ी होगा यह ज़हीरिया में है और जिन लोगों को ज़कात देनी वैध नहीं है इन

नहीं है इन को कफ़्फ़ारह देना भी जाइज़ नहीं है जैसे वालिदैन व औलाद वग़ैरह मगर कफ़्फ़ारह ज़िम्मी फ़क़ीरों को देना जाइज़ है बखिलाफ़ ज़कात के और यह इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम मुहम्मद रह० के नज़दीक है और हरबी फ़क़ीरों को देना बिल इजमाअ नहीं है यह सिराज वहाज में है।

अगर ममलूक ने बइजाज़त वली माल से कफ़्फ़ारह अदा कर दिया तो जाइज़ न हुआ :

रोज़ा कफ़्फ़ारह अय्यामे तशरीक़ में रवा नहीं है यह मबसूत में है अगर तंगदस्त ने रोज़ा से कफ़्फ़ारह देना चाहा पस दो रोज़े रख कर तीसरे रोज़ बीमार हुआ कि इस को अफ़तार करना पड़ा तो अज़ सरे नू रोज़े रखे इसी तरह अगर औरत तीन अय्याम के अन्दर हायज़ हो गई तो अज़ सरे नू अदा करे यह ज़हीरिया में है अगर मुतफ़र्रिक़ क़समों के कफ़्फ़ारात लाज़िम आएं पस उस ने कफ़्फ़ारों की गिनती पर बुर्दे आज़ाद किये कि हर क़सम के मुक़ाबले कोई रक़बा निश्चित नहीं किया या हर रक़बा को इन सब की तरफ़ से कफ़्फ़ारे की नियत से आज़ाद किया तो इस्तहसानन कफ़्फ़ारात अदा हो जाऐंगे और इसी तरह अगर एक कफ़्फ़ारह की तरफ़ से बुर्दा आज़ाद किया और दूसरे से खाना दिया और तीसरे से कपड़ा दिया तो जाइज़ है इस वास्ते कि इन अनवाअ में से हर नौअ से कफ़्फ़ारह मुतल्लक़न अदा हो जाता है पस इन सब में हुक्म यक्सां होगा और ममलूक जब तक आज़ाद न हुआ इस का कफ़्फ़ारह रोज़े से है और अगर इस के मौला ने इस की तरफ़ से खाना दिया या बुर्दा आज़ाद किया या कपड़ा दिया तो काफ़ी नहीं है यह मबसूत में है (सज़ावार होगा) और अगर ममलूक ने बइजाज़त वली माल से कफ़्फ़ारह अदा कर दिया तो जाइज़ न हुआ यह सिराजिया में है और इस हुक्म में मकातब व मुदब्बर दाम वल्द मिस्ल तन के हैं और जो सआयत करता हो वो भी इमाम आज़म रह० के नज़दीक इसी हुक्म में शामिल है इस वास्ते कि वो मिस्ल मकातब के (नज़दीक) है। अगर

को प्रायश्चित देना भी वैध नहीं है जैसे वालिदैन व औलाद आदि मगर ज़िम्मी/टैक्स देकर राज्य में रहने वाले नागरिक प्रायश्चित फ़क़ीरों को देना वैध है ज़कात के विपरीत और यह इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम मुहम्मद रह० के निकट है और हरबी/ग़ैर-मुस्लिम देश के नागरिक फ़क़ीरों को देना सर्वसम्मति से नहीं है यह सिराजुल वहाज में है।

अगर पराधीन ग़ुलाम ने वारिस की आज्ञा से माल में से प्रायश्चित दे दिया तो वैध न हुआ :

रोज़ा/व्रत प्रायश्चित तशरीक़ के दिनों (ज़िलहिज की 11, 12,13 तारीख) में वैध नहीं है यह मबसूत में है अगर निर्धन ने रोज़ा से प्रायश्चित देना चाहा बस दो रोज़े रख कर तीसरे दिन बीमार हुआ कि इस को व्रत खोलना पड़ा तो नए सिरे से रोज़े रखे इसी तरह अगर औरत तीन दिन के अन्दर हैज़ हो गई तो नए सिरे से अदा करे यह ज़हीरिया में है अगर विभिन्न क़समों के प्रायश्चित अनिवार्य आऐं बस उस ने कफ़्फ़ारों की गिनती पर ग़ुलाम मुक्त किये कि हर क़सम के मुक़ाबले कोई निश्चित नहीं किया या हर ग़ुलाम को इन सब की तरफ़ से प्रायश्चित की इरादा से आज़ाद किया तो उपकार के तौर पर प्रायश्चित अदा हो जाऐंगे और इसी तरह अगर एक प्रायश्चित की तरफ़ से ग़ुलाम आज़ाद किया और दूसरे से खाना दिया और तीसरे से कपड़ा दिया तो वैध है इस लिए कि इन प्रकार में से हर प्रकार से प्रायश्चित पूरी तरह अदा हो जाता है बस इन सब में आदेश बरबर होगा और ममलूक जब तक आज़ाद न हुआ इस का प्रायश्चित रोज़े से है और अगर इस के मालिक ने इस की ओर से खाना दिया या ग़ुलाम आज़ाद किया या कपड़ा दिया तो काफ़ी नहीं है यह मबसूत में है (सज़ावार होगा) और अगर ग़ुलाम ने उत्तराधिकारी की आज्ञा से माल में से प्रायश्चित अदा कर दिया तो वैध न हुआ यह सिराजिया में है और इस आदेश में मकातब/क़ीमत दे कर मुक्ति पाने वाला व मरणोपरांत मुक्त व बच्चे की माँ शरीर के जैसे हैं और जो कमा कर क़ीमत देने की

किसी (आज़ाद) ने कफ़्फ़ारे में दो रोज़े रखे फिर तीसरे रोज़ इस को इस क़द्र मिले गया कि तआम या लिबास से कफ़्फ़ारह अदा कर सकता है तो रोज़ा जाइज़ न होगा और इस पर तआम या लिबास से कफ़्फ़ारह देना वाजिब हो जायेगा और अगर तंगदस्त ने दो रोज़ रोज़े रख कर तीसरे रोज़ इस क़द्र पा लिया कि रक़बा आज़ाद कर सकता है तो इस पर माल से कफ़्फ़ारह देना लाज़िम होगा और इस रोज़ का रोज़ा बेहतर है कि तमाम करे और अगर इस ने तोड थिा तो इस पर क़ज़ा लाज़िम न होगी और यह मबसूत शम्सुल अइम्मा सुरखी में है।

औरत अगर तंगदस्त हो और इसने रोज़ा से कफ़्फ़ारह देने का क़सद किया तो इस के शौहर को इख़्तयार है कि इस को रोज़े से मना करे यह जोहरह तेहरह में है और अगर ग़ुलाम ने कफ़्फ़ारह क़सम के रोज़े रखे फिर क़ब्ल इस से फ़ारिग़ होने के आज़ाद कर दिया गया और इस ने माल पाया तो रोज़े इस के काफ़ी न होंगे और अगर फ़क़ीर ने छः रोज़े दो क़समों के कफ़्फ़ारे में रखे तो इस को काफ़ी हैं अगरचे इस ने तीन दिन की हर एक के वास्ते नियत न की हो और अगर इस के पास एक कफ़्फ़ारह का खाना हो पस इस ने एक कफ़्फ़ारह से रोज़े रख लिये फिर दूसरे कफ़्फ़ारह में यह खाना दिया तो जाइज़ न होगा और बाद कफ़्फ़ारह तआम देने के इस को दोबारह दूसरे कफ़्फ़ारह के रोज़े रखने लाज़िम आऐंगे और किसी का दूसरे की तरफ़ से रोज़ा रखना ख़्वाह ज़िन्दा हो या मुर्दा कफ़्फ़ारह में हो या ग़ैर कफ़्फ़ारे में जाइज़ नहीं है यह मबसूत शम्सुल अइम्मा सुरखी में है। अगर किसी पर कफ़्फ़ारह कसम वाजिब हो और इस ने इस क़द्र न पाया कि बुर्दा आज़ाद करे या दस मिस्कीनों को खाना या कपड़ा दे दे और वो ऐसा बूढ़ा है कि रोज़ा नहीं रख सकता और न इस से इस की कुछ उम्मीद है पस लोगों ने चाहा कि इस की तरफ़ से रोज़ा के औज़ एक मिस्कीन को खाना दे दें या वो मर गया और वसियत कर गया कि मेरे तरफ़ से इस तरह अदा कर दिया जाये

कोशिश करता हो वह भी इमामे आज़म रह० के निकट इसी आदेश में शामिल है इस लिए कि वह मकातब/क़ीमत दे कर मुक्ति पाने वाले के जैसा (निकट) है। अगर किसी (आज़ाद) ने प्रायश्चित में दो रोज़े रखे फिर तीसरे दिन इस को इतना मिले गया कि भोजन या वस्त्रों से प्रायश्चित अदा कर सकता है तो रोज़ा वैध न होगा और इस पर भोजन या वस्त्रों से प्रायश्चित देना अनिवार्य हो जायेगा और अगर निर्धन ने दो दिन रोज़े रख कर तीसरे दिन इतना पा लिया कि ग़ुलाम/गर्दन आज़ाद कर सकता है तो इस पर माल से प्रायश्चित देना अनिवार्य होगा और इस दिन का रोज़ा बेहतर है कि समाप्त करे और अगर इस ने तोड़ दिया तो इस पर क़र्ज़ा अनिवार्य न होगी और यह मबसूत शम्सुल अइम्मा सुरखी में है।

औरत अगर निर्धन हो और इसने रोज़े से प्रायश्चित देने का इरादा किया तो इस के पति को अपनाया है कि इस को रोज़े से मना करे यह जोहरह तेहरह में है और अगर ग़ुलाम ने क़सम के प्रायश्चित के रोज़े रखे फिर इस से निश्चिन्त होगे के पहले आज़ाद कर दिया गया और इस ने माल पाया तो इस के रोज़े काफ़ी न होंगे और अगर फ़क़ीर ने छः रोज़े दो क़समों के प्रायश्चित में रखे तो इस को काफ़ी हैं चाहे इस ने तीन दिन की हर एक के लिए इरादा न किया हो और अगर इस के पास एक प्रायश्चित का खाना हो बस इस ने एक प्रायश्चित से रोज़े रख लिये फिर दूसरे प्रायश्चित में यह खाना दिया तो वैध न होगा और प्रायश्चित का भोजन देने के बाद इस को दोबारा दूसरे प्रायश्चित के रोज़े रखने अनिवार्य आऐंगे और किसी का दूसरे की ओर से रोज़ा रखना चाहे ज़िन्दा हो या मुर्दा प्रायश्चित में हो या ग़ैर प्रायश्चित में वैध नहीं है यह मबसूत शम्सुल अइम्मा सुरखी में है। अगर किसी पर क़सम का प्रायश्चित अनिवार्य हो और इस ने इतना न पाया कि ग़ुलाम मुक्त करे या दस निर्धनों को खाना या कपड़ा दे दे और वह ऐसा बूढ़ा है कि व्रत/ रोज़ा नहीं रख सकता और न इस से इस की कुछ उम्मीद है बस लोगों ने चाहा कि इस की ओर से रोजे के बदले एक निर्धन को खाना दे दें या वह मर

तो जाइज़ नहीं है कि इस की तरफ़ से खाना देदें या वो मर गया और वसियत कर गया कि मेरे तरफ़ से इस तरह अदा कर दिया जाये तो जाइज़ नहीं है कि इस की तरफ़ से खाना दे दें (1) और न इस को काफ़ी होगा इल्ला आंकि वो ख़ुद दस मिस्कीनों को खाना देदे या इस की तरफ़ से दिया जाये बशर्ते वसियत और अगर इस ने वसियत न की और लोगों ने ख़ुद चाहा कि इस की तरफ़ से दे दिं तो दस मिस्कीनों के खाने या कपड़े से कम काफ़ी न होगा और यह रवा नहीं है कि यह लोग इस की तरफ़ से बुर्दा आज़ाद करें यह सिराज वहाज में है और एक मर्द ने एक बुर्दा अपने कफ़्फ़ारह क़सम में आज़ाद कर दिया और नियत फ़क़त अपने दिल में की और ज़बान से कुछ न कहा आज़ाद कर देने को, तो काफ़ी है यह मबसूत में है और एक शख़्स ने क़सम खाई कि ऐसा न करूंगा फिर भूल गया कि मैंने अल्लाह तआला की क़सम खाई थी या तलाक़ की या रोज़े की तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि इस पर कुछ नहीं है यहां तक कि इस को याद आये (2) यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और शैख़ मौहमद बिन शुजाअ से दरयाफ़्त किया गया कि एक शख़्स ने क़सम खाई बतलाक़ और यह इस को याद है मगर वो कहता है कि मुझे यह मालूम नहीं कि मैं इस वक़्त बालिग़ था जब क़सम खाई थी ज़ैद ने उम्रो की बीवी को ज़िना की तोहमत दी पस उमरो ने कहा कि वो बसा तलाक़ तालिक़ा है अगर आज के रोज़ इस का ज़िना ज़ाहिर न हुआ फिर दिन गुज़र गया और इस का ज़िना ज़ाहिर न हुआ तो तलाक़ वाक़े होगी और ज़ाहिर होने की यही सूरत है कि चार मर्द गवाही दें या वो औरत ख़ुद इक़रार करे एक मर्द अपनी बीवी का कपड़ा लेकर रंगरेज़ के पास गया ताकि वो रंग कर दे पस इस की बीवी ने कहा कि तू इस वास्ते ले गया कि इस को फ़रोख़्त करदे पस शौहर को ग़ुस्सा आया और कहा कि अगर मैंने इस को रंगा है तो तू तालिक़ा है फिर रंगरेज़ ने इस के बाद इस को रंगा तो वो हानिस न

(1) यानी हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन।

(2) बस अगर याद आया कि अल्लाह की क़सम या तलाक़ की थी तो इस का मौजिब वाजिब होगा और अगर रोज़े की थी तो बदूं नज़र के कुछ नहीं है।

गया और वसियत कर गया कि मेरी ओर से इस तरह अदा कर दिया जाये तो जाइज़ नहीं है कि इस की ओर से खाना दे दें या वह मर गया और वसियत कर गया कि मेरे ओर से इस तरह अदा कर दिया जाये तो वैध नहीं है कि इस की ओर से खाना दे दें (1) और न इस को काफ़ी होगा सिवा यह कि वह ख़ुद दस निर्धनों को खाना देदे या इस की ओर से दिया जाये बशर्ते वसियत और अगर इस ने वसियत न की और लोगों ने ख़ुद चाहा कि इस की ओर से दे दें तो दस निर्धनों के खाने या कपड़े से कम काफ़ी न होगा और यह वैध नहीं है कि यह लोग इस की ओर से ग़ुलाम मुक्त करे यह सिराजुल वहाज में है और एक मर्द ने एक ग़ुलाम अपने क़सम के प्रायश्चित में आज़ाद कर दिया और इरादा केवल अपने दिल में की और ज़ुबान से कुछ न कहा आज़ाद कर देने को, तो काफ़ी है यह मबसूत में है और एक व्यक्ति ने क़सम खाई कि ऐसा न करूंगा फिर भूल गया कि मैंने अल्लाह तआला की क़सम खाई थी या तलाक़ की या रोज़े की तो विद्वानों ने फ़रमाया कि इस पर कुछ नहीं है यहां तक कि इस को याद आये (2) यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और शैख़ मौहमद बिन शुजाअ से पूछा गया कि एक व्यक्ति ने क़सम खाई तलाक़ से और यह इस को याद है मगर वह कहता है कि मुझे यह मालूम नहीं कि मैं इस समय बालिग़ था जब क़सम खाई थी ज़ैद ने उम्रो की बीवी को ज़िना का आरोप लगाया बस उम्रो ने कहा कि वह बसा तलाक़ तालिक़ा है अगर आज के दिन इस का दुष्कर्म स्पष्ट न हुआ फिर दिन गुज़र गया और इस का दुष्कर्म स्पष्ट न हुआ तो तलाक़ स्थपित होगी और स्पष्ट होने की यही स्थिति है कि चार मर्द गवाही दें या वह औरत ख़ुद स्वीकार करे एक मर्द अपनी बीवी का कपड़ा लेकर रंगरेज़ के पास गया ताकि वह रंग कर दे बस इस की बीवी ने कहा कि तू इस लिए ले गया कि इस को बेच दे बस पति को ग़ुस्सा आया और कहा कि अगर मैंने इस को रंगा है तो तू तलाक़ शुदा है फिर

(1) यानी हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन।

(2) बस अगर याद आया कि अल्लाह की क़सम या तलाक़ की थी तो इस का कारण अनिवार्य होगा और अगर रोज़े की थी तो सिवा भेंट के कुछ नहीं है।

होगा यह ज़हीरिया में है और अगर एक शख़्स पर कफ्फ़ारा-ए-क़सम है और वो इस हालत में मर गया या क़त्ल किया गया तो कफ्फ़ारह मज़कूर साक़ित न होगा और कफ्फ़ार-ए-ज़िहार का भी यही हुक्म है ऐसा ही फ़िक़ीह अबूबकर बलखी से मंक़ूल है और फ़क़ीहा अबुल्लैस ने कहा कि कफ्फ़ार-ए-ज़िहार साक़ित हो जायेगा बखिलाफ़ कफ्फ़ार-ए-यमीन के कि साक़ित न होगा यह मुहीत में है।

अगर हानिस होने से पहले कफ्फ़ारह अदा कर दिया तो काफ़ी न होगा अगर इस को मिस्कीन से वापिस ले सकता है इस वास्ते कि यह सदक़ा हुआ है और यह हिदाया में है और इस के मुतस्सिलात में मसाइले नज़्र हैं और जिस किसी ने नज़्रे मुतलक़ (1) की इस पर इस का वफ़ा करना वाजिब है कज़ा फ़िल हिदाया और अगर किसी ने कहा कि अगर मैं ऐसा करूं तो मुझ पर हज या उमरह या नमाज़ या रोज़ा या सदक़ा वग़ैरह कोई अम्र ताअत वाजिब है फिर वो फ़अल क्या तो यह चीज़ जो अपने ऊपर वाजिब करली है अदा करनी वाजिब होगी और इस सूरत में हमारे नज़दीक मुवाफ़िक़ ज़ाहिरूल रिवायत के इस पर कफ्फ़ारह क़सम नहीं वाजिब होगा और इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है कि जिस ने नज़र ऐसी शर्त पर मुअल्लक़ की जिस का होगा जानता है जैसे कहा कि अगर अल्लाह तआला मेरे मरीज़ को शिफ़ा देदे या मेरे ग़ायब को वापिस भेज दे तो पन्द्रह फ़क़ीर को खाना खिलाउं तो ऐसी सूरत में कफ्फ़ारह दे कर इस से खारिज नहीं हो सकता है कज़ा फ़िल मबसूत बल्कि बअय्युना ख़ुद बयान किया है इस पर वाजिब होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर नज़र ऐसी शर्त पर मुअल्लक़ की जिस का होना नहीं जानता है जैसे दार में दाखिल होगा वग़ैरह तो ऐसी सूरत में इस को इख़्तयार होगा कि चाहे कफ्फ़ारह क़सम दे या जो बअयनिही इल्तज़ाम किया है वो देदे और मरवी है कि इमाम आज़म रह० ने भी इसी क़ौल की तरफ़ रूजूअ किया है कि इस को इसी तरह का इख़्तयार हासिल होगा और शैख

(1) नज़र मुतलक़ जिस के साथ किसी दिन व महीना व जगह वग़ैरह की क़ैद न लगाई जाये।

रंगरेज़ ने इस के बाद इस को रंगा तो वह पापी न होगा यह ज़हीरिया में है और अगर एक व्यक्ति पर क़सम का प्रायश्चित है और वह इस हालत में मर गया या क़त्ल किया गया तो वर्णित प्रायश्चित रदद न होगा और ज़िहार के प्रायश्चित का भी यही आदेश है ऐसा ही फ़क़ीह अबू बकर बलखी से कथित है और फ़कीह अबुल्लैस ने कहा कि ज़िहार का प्रायश्चित रदद हो जायेगा क़सम के प्रायश्चित के विपरीत अमान्य न होगा यह मुहीत में है।

अगर पापी होने से पहले प्रायश्चित दे दिया तो काफ़ी न होगा अगर इस को दरिद्र से वापिस ले सकता है इस लिए कि यह सदक़ा हुआ है और यह हिदाया में है और इस के समीप में भेंट के मसाईल हैं और जिस किसी ने सादा मन्नत मानी (1) इस पर इस का साथ देना अनिवार्य है यह हिदाया में है और अगर किसी ने कहा कि अगर मैं ऐसा करूं तो मुझ पर हज या उमरह या नमाज़ या रोज़ा या सदक़ा आदि कोई कार्य अनुपालन अनिवार्य है फिर वह काम क्या तो यह चीज़ जो अपने ऊपर अनिवार्य कर लिया है उसका अदा करना अनिवार्य होगी और इस स्थिति में हमारे निकट ज़ाहिरूल रिवायत के अनुसार इस पर क़सम का प्रायश्चित अनिवार्य नहीं होगा और इमाम मुहम्मद रह० से परंपरागत है कि जिस ने भेंट ऐसी शर्त पर रोकी जिस का होगा जानता है जैसे कहा कि अगर अल्लाह तआला मेरे मरीज़ को शिफ़ा दे दे या मेरे ग़ायब को वापिस भेज दे तो पन्द्रह फ़क़ीर को खाना खिलाउं तो ऐसी स्थिति में प्रायश्चित दे कर इस से बाहर नहीं हो सकता है यह मबसूत में है बल्कि वैसा ही ख़ुद बयान किया है इस पर अनिवार्य होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर भेंट ऐसी शर्त पर अधर में लटकी कि जिस का होना नहीं जानता है जैसे घर में प्रवेश होगा आदि तो ऐसी स्थिति में इस को अधिकार होगा कि चाहे क़सम का प्रायश्चित दे या जो वैसा ही अपने उपर अनिवार्य किया है वह दे दे और परंपरा है कि इमामे आज़म रह० ने भी इसी कथन की ओर सम्बंध किया है कि इस को इसी तरह का अधिकार प्राप्त होगा

(1) समान्य मन्नत जिस के साथ किसी दिन व महीना व जगह आदि की क़ैद न लगाई जाये।

इस्माईल ज़ाहिद इसी पर फ़तवा देते थे और शैख मौल्लिफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते है कि मेरे नज़दीक भी यही मुख्तार है कि कज़ा फ़िल मबसूत और यह तफ़सील ही सही है और यह हिदाया में है और अगर कहा कि अल्लाह के वास्ते मुझ पर नमाज़ वाजिब है तो इसपर दो रकअत वाजिब होंगी और इसी तरह अगर कहा कि अल्लाह के वास्ते मुझ पर वाजिब है कि मैं नमाज़ पढ़ूं या कहा निस्फ़ रकअत तो भी यही हुक्म है कि दो रकअत वाजिब होंगी और अगर कहा कि तीन रकअत तो चार रकअत वाजिब होंगी यह फ़तावा तहावी क़ुदसी में है।

अगर किसी ने किसी खास जगह रोज़ा रखने या नमाज़ पढ़ने की नज़र की तो हमारे असहाब ने इख़्तलाफ़ किया हैः

अगर नमाज़ बग़ैर वुज़ू के नज़र की तो इस पर कुछ वाजिब नहीं है और अगर नज़र की कि नमाज़ बग़ैर क़िराअत के या नंगे पढ़ेगा तो इस पर नमाज़ वाजिब होगी और अगर नज़र की फ़रीज़ा ज़ोहर आठ रकअतें पढ़ूं या कहा कि अगर ख़ुदा तआला मुझे दो सौ दिरहम अता फ़रमाये तो दस दिरहम ज़कात मुझ पर वाजिब है तो इस पर फ़क़त चार रकअतें जत्रेहर की और फ़क़त पांच दिरहम ज़कात के वाजिब होंगे यह मुहीत सुरखी में है और अगर किसी ने किसी खास जगह रोज़ा रखने या नमाज़ पढ़ने की नज़र की तो हमारे असहाब ने इख़्तलाफ़ किया है और इमाम आज़म रह० व इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि इस को इख़्तयार है कि जहां चाहे नमाज़ पढ़ दे या रोज़ा रख ले यह सिराज उल वहाज में है और अगर वक्त की ख़ुसूसियत की चुनांचे कल के रोज़ नमाज़ पढ़ने की नज़र की फिर इस ने आज ही पढ़ दी तो इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के नज़दीक अदा हो गई और अगर नज़र की कि कल के रोज़ अहम सदक़ा करेगा और आज के रोज़ ही इन को सदक़ा कर दिया तो बिल इत्तफ़ाक़ काफ़ी है यह हावी क़ुदसी में है। एक ने अपने ऊपर इस क़द्र से ज़ायद नज़र में वाजिब कर लिये जितने इस की मिल्क में हैं तो

और शैख इस्माईल ज़ाहिद इसी पर फ़तवा देते थे और शैख मौल्लिफ़ रज़िअल्लाहु अन्हु फ़रमाते है कि मेरे निकट भी यही मुख़्तार है कि यह मबसूत में है और यह विवरण ही सही है और यह हिदाया में है और अगर कहा कि अल्लाह के लिए मुझ पर नमाज़ अनिवार्य है तो इस पर दो रकअत अनिवार्य होंगी और इसी तरह अगर कहा कि अल्लाह के लिए मुझ पर अनिवार्य है कि मैं नमाज़ पढ़ूं या कहा कि आधी रकअत तो भी यही आदेश है कि दो रकअत अनिवार्य होंगी और अगर कहा कि तीन रकअत तो चार रकअत अनिवार्य होंगी यह फ़तावा तहावी क़ुदसी में है।

अगर किसी ने किसी विशेष जगह रोज़ा रखने या नमाज़ पढ़ने की मन्नत मानी तो हमारे विद्वान साथियों ने मतभेद किया हैः

अगर नमाज़ बिना वुज़ू के अपर्ण की तो इस पर कुछ अनिवार्य नहीं है और अगर मन्नत मानी कि नमाज़ बिना क़िराअत के या नंगे पढ़ेगा तो इस पर नमाज़ अनिवार्य होगी और अगर मन्नत मानी ज़ोहर के फ़र्ज़ में आठ रकअतें पढ़ूं या कहा कि अगर ख़ुदा तआला मुझे दो सौ दिरहम अता फ़रमाये तो दस दिरहम ज़कात मुझ पर अनिवार्य है तो इस पर केवल चार रकअतें ज़ोहर की और केवल पांच दिरहम ज़कात के अनिवार्य होंगे यह मुहीतुल सुरखी में है और अगर किसी ने किसी विशेष स्थान रोज़ा रखने या नमाज़ पढ़ने की मन्नत मानी तो हमारे विद्वान साथियों ने मतभेद किया है और इमाम आज़म रह० व इमाम मुहम्मद रह० ने कहा कि इस को अधिकार है कि जहां चाहे नमाज़ पढ़ दे या रोज़ा रख ले यह सिराजुल वहाज में है और अगर समय की विशेषता की चुनांचे कल के दिन नमाज़ पढ़ने की मन्नत मानी फिर इस ने आज ही पढ़ दी तो इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के निकट अदा हो गई और अगर मन्नत मानी कि कल के दिन विशेष दान करेगा और आज के दिन ही इन को सदक़ा कर दिया तो सर्वसम्मति से काफ़ी है यह हावी क़ुदसी में है। एक ने अपने ऊपर इतने से ज़्यादा मन्नत में अनिवार्य कर लिया जितने इस

बक़ौल मुख़्तार इस क़द्र वाजिब होंगे जो इस की मिल्क में हैं चुनांचे किसी ने कहा कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझ पर हज़ार दिरहम सदक़ा करने वाजिब हैं हालांकि इस की मिल्क में फ़क़त सौ दिरहम हैं तो सौ दिरहम सदक़ा करने वाजिब होंगे यह वजीज़ करदरी में है और अगर इस के पास माल व असबाब सौ दिरहम का हो तो फ़रोख़्त करके इन को सदक़ा करदे और फ़क़त दस दिरहम का हो तो दस दिरहम सदक़ा करदे और अगर इस के पास कुछ न हो तो इस पर कुछ नहीं है यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और अगर कहा कि अल्लाह के वास्ते मुझ पर वाजिब है कि यह बकरी हदा (1) भेजूं हालांकि यह बकरी दूसरे की मिल्क है तो नज़र सही नहीं है। इस पर कुछ लाज़िम न होगा हां अगर इस ने क़सम की नियत की हो तो क़सम मुनअक़िद हो जायेगी और दर सूरत हानिस होने के इस पर कफ़्फ़ारा-ए-क़सम लाज़िम आयेगा और अगर कहा कि वल्लाह ज़रूर यह बकरी हदया भेजूंगा तो ज़रूर क़सम हो जायेगी यह मुहीत में है।

इसी तरह अगर अरबी में कहा 'ला हदैयन हाज़ा उल शात' यानी बिला क़सम दिनों ताकीद बयान किया तो क़सम मुनअक़िद हो जायेगी यह वजीज़ करदरी में है और अगर ऐसी चीज़ की नज़र की जो मअसियत है तो नहीं सही है और अगर इस को कहा तो इस पर कफ़्फ़ारह लाज़िम आयेगा और अगर अपने फ़रज़न्द के ज़िबह की नज़र की तो इस पर बकरी ज़िबह करनी इस्तहसानन लाज़िम होगी। अगर फ़रज़न्द क़त्लकरने की नज़र की तो सही नहीं है और अगर ग़ुलाम ज़िबह करने की नज़र की तो इमाम मुहम्मद रह० के नज़दीक नज़र सही है और शैख़ेन रह० के नज़दीक नहीं सही है और अगर वालिद या वालिदह के ज़िबह की नज़र की तो इस में इमाम अबू हनीफ़ा रह० से दो रिवायतें हैं जिन में से सही यह है कि ऐसी नज़र नहीं सही है यह मुहीत सुरख़ी में है और अगर अपने पोते के ज़िबह की नज़र की तो इमाम आज़म रह० से दो रिवायतें हैं जिन में से एक

(1) हदा/तोहफ़ा वोह जानवर है जो क़ुरबानी के वास्ते मक्का भेजा जाता है।

की अधीनता में हैं तो मुख़्तार के कथनानुसार इतना अनिवार्य होंगे जो इस की अधीनता में हैं चुनांचे किसी ने कहा कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझ पर हज़ार दिरहम दान करने अनिवार्य हैं हालांकि इसकी अधीनता में केवल सौ दिरहम हैं तो सौ दिरहम दान करने अनिवार्य होंगे यह वजीज़ करदरी में है और अगर इस के पास माल व असबाब सौ दिरहम का हो तो बेच करके इन को दान करदे और केवल दस दिरहम का हो तो दस दिरहम दान करदे और अगर इस के पास कुछ न हो तो इस पर कुछ नहीं है यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और अगर कहा कि अल्लाह के लिए मुझ पर अनिवार्य है कि यह बकरी तोहफ़ा (1) भेजूं हालांकि यह बकरी दूसरे की अधीनता है तो मन्नत सही नहीं है। इस पर कुछ अनिवार्य न होगा हाँ अगर इस ने क़सम की इरादा की हो तो क़सम आयोजित हो जायेगी और दर स्थिति पापी होने के इस पर क़सम का प्रायश्चित अनिवार्य होगा और अगर कहा कि वल्लाह ज़रूर यह बकरी तोहफ़ा भेजूंगा तो ज़रूर क़सम हो जायेगी यह मुहीत में है।

इसी तरह अगर अरबी में कहा 'ला हदयन हाज़ा उल शात' यानी बहुत दिन बिना क़सम चेतावनी दी तो क़सम अनिवार्य हो जायेगी यह वजीज़ करदरी में है और अगर ऐसी चीज़ की मन्नत की जो पाप है तो सही नहीं है और अगर इसको कहा तो इस पर प्रायश्चित अनिवार्य होगा और अगर अपने पुत्र के बली देने की मन्नत मानी तो इस पर बकरी को बली देना उपकार के तौर पर अनिवार्य होगा। अगर पुत्र क़त्ल करने की मन्नत मानी तो सही नहीं है और अगर ग़ुलाम को बली देने की मन्नत मानी तो इमाम मुहम्मद रह० के निकट मन्नत सही है और शैख़ेन रह० के निकट सही नहीं है और अगर पिता या माता को बली की मन्नत की तो इस में इमाम अबू हनीफ़ा रह० से दो रिवायतें हैं जिन में से सही यह है कि ऐसी मन्नत सही नहीं है यह मुहीत सुरख़ी में है और अगर अपने पोते के बली की मन्नत मानी तो इमामे आज़म रह० से दो रिवायतें हैं जिन में से

(1) हदा/तोहफ़ा वह जानवर है जो क़ुरबानी के वास्ते मक्का भेजा जाता है।

रिवायत में मज़कूर है कि इस पर कुछ लाज़िम न होगा और यही अज़हर है और अगर नज़र के साथ क़सम खाई पस अगर हज या उमरह वग़ैरह की नियत की तो जो इस ने नियत की है इस पर वाजिब होगा और अगर इस की कुछ नियत न हो तो इस पर कफ़्फ़ारा-ए-क़सम वाजिब होगा और अगर नज़र के साथ किसी मअसियत पर क़सम खाई ता इस पर कफ़्फ़ारा-ए-क़सम वाजिब होगा और अगर नज़र के साथ क़सम खाई और इस की नियत में रोज़े हैं और किसी अदद की नियत नहीं की तो हानिस होने पर इस पर तीन (1) रोज़ के रोज़े वाजिब होंगे और इसी तरह अगर सदक़ा की नियत की और अदद की नियत नहीं की तो इस पर दस मिस्कीनों का खाना हर मिस्कीन के वास्ते निस्फ़ साअ गेंहू वाजिब होंगे यह मबसूत में है और एक शख़्स ने कहा कि हज़ार दिरहम अज़ माल मिन बदरवेयशां दादेह और इस के आगे कहना चाहता था कि अगर ऐसा करूं मगर किसी ने इस का मुंह बन्द कर लिया तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि अहतियातन सदक़ा करदे और अगर इस सूरत में तलाक़ या इताक़ की नज़र व क़सम हो तो वाक़े न होगी एक शख़्स ने कहा कि अगर मैं किफ़ालत माली या जानी कयं तो अल्लाह तआला के वास्ते मुझ पर एक पैसा सदक़ा करना वाजिब है फिर इस ने माल या जान की किफ़ालत की तो इस पर एक पैसा सदक़ा देना वाजिब होगा एक ने कहा कि मेरा माल फ़ुक़राऐ मक्का पर सदक़ा है अगर ऐसा करूं फिर हानिस हुआ और इस ने फ़ुकराऐ बलख़ या किसी और शहर के फ़क़ीरों पर सदक़ा कर दिया तो जाइज़ है और नज़्र से निकल गया और एक ने कहा कि अगर मैंने इस ग़म से जिस में हूं निजात पाई तो मुझ पर वाजिब है कि दस दिरहम निकाल कर रोटी सदक़ा करूं पस इस ने दस दिरहम की रोटियां सदक़ा कर दीं या इन का सिमन दस दिरहम सदक़ा कर दिये बहर तौर जाइज़ है एक ने कहा कि मैंने अपनी दुख़्तर का निकाह कर दिया तो हज़ार दिरहम मेरे माल से

(1) क़ालल मुतरज्जिमः इस सम है कि बइबारत अरबी सयाम इस की नियत में हों और अगर बलफ़्ज़े उर्दू रोज़े हों तो ज़ाहिरयह है कि इस पर दो रोज़े अनिवार्य होंगे वल्लाहु तआला आलम बिल सवाब।

एक रिवायत में वर्णित है कि इस पर कुछ अनिवार्य न होगा और यही स्पष्ट है और अगर मन्नत के साथ क़सम खाई बस अगर हज या उमरा आदि का इरादा किया तो जो इस ने इरादा किया है इस पर अनिवार्य होगा और अगर इस की कुछ इरादा न हो तो इस पर क़सम का प्रायश्चित अनिवार्य होगा और अगर मन्नत के साथ किसी पाप पर क़सम खाई तो इस पर क़सम का प्रायश्चित अनिवार्य होगा और अगर मन्नत के साथ क़सम खाई और इस के इरादा में रोज़े हैं और किसी संख्या का इरादा नहीं किया तो पापी होने पर इस पर तीन (1) दिन के रोज़े अनिवार्य होंगे और इसी तरह अगर दान का इरादा किया और संख्या की इरादा नहीं की तो इस पर दस निर्धनों का खाना हर निर्धन के लिए आधा साअ गेंहू अनिवार्य होगा यह मबसूत में है और एक व्यक्ति ने कहा कि हज़ार दिरहम माल में से दरवेशों को देदे और इस के आगे कहना चाहता था कि अगर ऐसा करूं मगर किसी ने इस का मुंह बन्द कर लिया तो विद्वानों ने कहा कि सुदृढ़ता से दान करदे और अगर इस स्थिति में तलाक़ या मुक्ति की मन्नत व क़सम हो तो स्थपित न होगी एक व्यक्ति ने कहा कि अगर मैं माली या जानी भरण-पोशण करूं तो अल्लाह तआला के लिए मुझ पर एक पैसा दान करना अनिवार्य है फिर इस ने माल या जान की भरण-पोशण की तो इस पर एक पैसा दान देना अनिवार्य होगा एक ने कहा कि मेरा माल मक्का के फ़क़ीरों पर दान है अगर ऐसा करूं, फिर पापी हुआ और इस ने बलख के फ़क़ीरों या किसी और शहर के फ़क़ीरों पर दान कर दिया तो वैध है और मन्नत से निकल गया और एक ने कहा कि अगर मैंने इस ग़म से जिस में हूं मुक्ति पाई तो मुझ पर अनिवार्य है कि दस दिरहम निकाल कर रोटी दान करूं बस इस ने दस दिरहम की रोटियां दान कर दीं या इन की क़ीमत दस दिरहम दान कर दिये हर तरह से जाइज़ है एक ने कहा कि मैंने अपनी लड़की का निकाह कर दिया तो हज़ार दिरहम मेरे माल से दान में हर निर्धन

(1) अनुवादक के कथनानुसार इस समय है कि अरबी लेख सयाम इस की नियत में हों और अगर उर्दू शब्द रोज़े हों तो स्पष्ट यह है कि इस पर दो रोज़े अनिवार्य होंगे अल्लाह ज़्यादा अच्छा बदला देने वाला है। साअ=गैहूं मापक जो 2 सेर 24 छटांक 4 तोल होता है

सदक़ा में हर मिस्कीन को एक दिरहम अपनी बेटी का निकाह कर दिया और हज़ार दिरहम एक बारगी एक मिस्कीन को दे दिये तो जाइज़ है एक ने कहा कि अगर मैं अपने इस मर्ज़ से अच्छा हो गया तो एक बकरी ज़िबह करूंगा फिर अच्छा हो गया तो इस पर कुछ लाज़िम न होगा इल्ला आँकि इस तौर से कहे कि अगर मैं इस मर्ज़ से अच्छा हो गया तो मुझ पर अल्लाह के वास्ते एक बकरी ज़िबह करनी वाजिब है तो ज़िबह करनी वाजिब होगी एक ने कहा कि अगर मैंने अपने रास उल माल से तिजारत की और वो हज़ार दिरहम हैं फिर अल्लाह तआला ने मुझे इस में नफ़ा दिया तो मैं अल्लाह तआला के वास्ते हज करने के लिये जाउंगा फिर इस ने तिजारत की ओर इस को कुछ बहुत नहीं बढ़ा तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि इस नज़र से इस पर कुछ लाज़िम न होगा और एक ने कहा कि अगर मैंने ऐसा किया तो अल्लाह के वास्ते मुझ पर वाजिब है कि अपने क़राबत दारों की ज़ियाफ़त करूं फिर हानिस हुआ तो इस पर कुछ वाजिब न होगा और अगर यूं कहा कि अल्लाह तआला के वास्ते मुझ पर कज़ा व कज़ा खाना देना वाजिब है तो इस पर यह लाज़िम आजायेगा एक ने कहा कि मेरा माल मसाकीन को हिबा है तो यह नहीं सही इल्ला आँकि सदक़ा की नियत करे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर कहा कि अल्लाह तआला ने मुझे बीवी मुवाफ़िक़ नसीब की तो मुझ पर हर जुमेरात का रोज़ा अल्लाह तआला के वास्ते वाजिब है तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि मुवाफ़िक़ बीवी वो है कि जो इस को नुफ़क़ा दे इस नुफ़क़ा पर राज़ी हो और जो तमतअ इस से चाहे इस में इस को दरेग न हो यह वजीज़ करवरी में है एक शख़्स ने नज़र की कि एक दीनार को ग़नी लोगों पर सदक़ा करे तो सही न होनी चाहिए और बाज़ ने फ़रमाया कि अगर इब्नुस्सबील (2) की नियत हो तो सही है जवाहिर ख़लाती में है एक ने नज़र की कि अल्लाह के वास्ते मुझ पर मिस्कीनों का खाना है तो जितने मिस्कीन और जिस क़द्र खाना इस की नियत हो इसी क़द्र वाजिब होगा और अगर कुछ नियत न हो तो दस मिस्कीनों का

को, एक दिरहम से अपनी बेटी का निकाह कर दिया और हज़ार दिरहम एक बारगी एक निर्धन को दे दिये तो जाइज़ है एक ने कहा कि अगर मैं अपने इस रोग से अच्छा हो गया तो एक बकरी ज़िबह/बली करूंगा फिर अच्छा हो गया तो इस पर कुछ अनिवार्य न होगा इल्ला आँकि इस तौर से कहे कि अगर मैं इस मर्ज़ से अच्छा हो गया तो मुझ पर अल्लाह के लिए एक बकरी ज़िबह करनी अनिवार्य है तो ज़िबह करनी अनिवार्य होगी एक ने कहा कि अगर मैंने अपने रास उल माल से तिजारत की और वह हज़ार दिरहम हैं फिर अल्लाह ने मुझे इस में नफ़ा दिया तो मैं अल्लाह के लिए हज करने के लिये जाउंगा फिर इस ने व्यपार किया ओर इस को कुछ बहुत नहीं बढ़ा तो विद्वानों ने फ़रमाया कि इस मन्नत से इस पर कुछ अनिवार्य न होगा और एक ने कहा कि अगर मैंने ऐसा किया तो अल्लाह के लिए मुझ पर अनिवार्य है कि अपने स्वजनों की दावत करूं फिर पापी हुआ तो इस पर कुछ अनिवार्य न होगा और अगर यूं कहा कि अल्लाह के लिए मुझ पर कज़ा व कज़ा खाना देना अनिवार्य है तो इस पर यह अनिवार्य होजायेगा एक ने कहा कि मेरा माल निर्धनों को तोहफ़ा है तो यह ' सही नहीं सिवा यह कि दान की इरादा करे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर कहा कि अल्लाह तआला ने मुझे अनुकूल बीवी मिली तो मुझ पर हर जुमेरात का रोज़ा अल्लाह तआला के लिए अनिवार्य है तो विद्वानों ने फ़रमाया कि अनुकूल बीवी वह है कि जो इस को गुज़ारा भत्ता दे इस गुज़ारा भत्ता पर राज़ी हो और जो लाभ इस से चाहे इस में इस को संकोच न हो यह वजीज़ करदरी में है एक व्यक्ति ने मन्नत की कि एक दीनार को समृद्ध लोगों पर दान करे तो सही न होनी चाहिए और कुछ ने कहा कि अगर इब्नुस्सबील (2) की इरादा हो तो सही है जवाहिर ख़लाती में है एक ने मन्नत की कि अल्लाह के लिए मुझ पर निर्धनों का खाना है तो जितने निर्धन और जिस क़द्र खाना इस की इरादा हो इसी क़द्र अनिवार्य होगा और अगर कुछ इरादा न हो तो दस निर्धनों का हर निर्धन के

हर मिस्कीन के वास्ते निस्फ़ साअ गेंहू वाजिब होंगे यह मबसूत में है और अगर कहा कि अल्लाह के वास्ते मुझ पर मिस्कीन का खाना है तो इस्तहसानन पर निस्फ़ साअ गेंहू या एक साअ छुवारे या जो वाजिब होगा और अगर कहा कि अल्लाह के वास्ते मुझ पर दस मिस्कीनों का खाना और मिक़्दार तआम बयान न की फिर इस ने पांच मिस्कीनों को खिला दिया यह नहीं जाइज़ है और अगर कहा कि अल्लाह के वास्ते मुझ पर इस मिस्कीन को यह तआम देना वाजिब है फिर दूसरे मिस्कीन को यह तआम दिया तो नज़र अदा हो गई और अगर कहा कि अल्लाह के वास्ते मुझ पर इस मिस्कीन को कुछ चीज़ खिलाना वाजिब है यानी चीज़ निश्चित न की तो ज़रूर है कि इसी मिस्कीन को खिलाये और अगर कहा कि अल्लाह के वास्ते मुझ पर दस मिस्कीनों का तआम वाजिब है हालांकि इस की नियत यह नहीं है कि यह तअदाद दस फ़क़ीरों को खिलाउं बल्कि यह नियत है कि एक को इस क़द्र दूं कि जो दस को काफ़ी होता है तो एक को देना काफ़ी है और अगर कहा कि अल्लाह के वास्ते कुछ खाना देना दस को तो वाजिब है तो जाइज़ होगा जब तक कि दस को न खिलादे यह सब मुन्तक़ी में मज़कूर है मुहीत में है।

अगर कहा कि अल्लाह के वास्ते मुझ पर एक नुस्खा आज़ाद करना है पस एक अंधा जाबिर आज़ाद किया तो नहीं जाइज़ :

एक ने हज़ार मिस्कीन पर सदक़ा करने की नज़र की फिर इसने जो मिक़्दार हज़ार को देनी अपने ऊपर वाजिब कर ली थी वो एक ही को देदे तो ओहदह से निकल जायेगा (काफ़ी हो गया) यह तातार खानिया में हुज्जा से मंक़ूल है और अगर दिरहम निश्चित सदक़ा देने की नज़र की फिर दूसरा दिरहम नज़र में सदक़ा दिया तो अदा हो गई यह फ़तहुल क़दीर में है और अगर कहा कि अल्लाह के वास्ते मुझ पर वाजिब है कि मैं इस के रक़बा

(2) यानी ग़नी जिस का खर्चा व तौशा बाद में होगा कि फ़िल हाल वह मुफ़लिस है।

लिए आधा साअ गेंहू अनिवार्य होंगे यह मबसूत में है और अगर कहा कि अल्लाह के लिए मुझ पर निर्धन का खाना है तो इस्तहसानन पर आधा साअ गेंहू या एक साअ छुवारे या जो अनिवार्य होगा और अगर कहा कि अल्लाह के लिए मुझ पर दस निर्धनों का खाना और मिक़्दार तआम बयान न की फिर इस ने पांच निर्धनों को खिला दिया यह नहीं जाइज़ है और अगर कहा कि अल्लाह के लिए मुझ पर इस निर्धन को यह तआम देना अनिवार्य है फिर दूसरे निर्धन को यह तआम दिया तो मन्नत अदा हो गई और अगर कहा कि अल्लाह के लिए मुझ पर इस निर्धन को कुछ चीज़ खिलाना अनिवार्य है यानी चीज़ निश्चित न की तो ज़रूर है कि इसी निर्धन को खिलाये और अगर कहा कि अल्लाह के लिए मुझ पर दस निर्धनों का भोजन अनिवार्य है हालांकि इस का इरादा यह नहीं है कि यह संख्या दस फ़क़ीरों को खिलाउं बल्कि यह इरादा है कि एक को इस क़द्र दूं कि जो दस को काफ़ी होता है तो एक को देना काफ़ी है और अगर कहा कि अल्लाह के लिए कुछ खाना देना दस को तो अनिवार्य है तो जाइज़ होगा जब तक कि दस को न खिलादे यह सब मुन्तक़ी में वर्णित है मुहीत में है।

अगर कहा कि अल्लाह के लिए मुझ पर एक सूत्र मुक्त करना है बस एक अंधा जाबिर आज़ाद किया तो जाइज़ नहीं :

एक ने हज़ार निर्धनों पर दान करने की मन्नत की फिर इसने जो मात्रा हज़ार को देनी अपने ऊपर अनिवार्य कर ली थी वह एक ही को दे दे तो सौगंध से निकल जायेगा (काफ़ी हो गया) यह तातार खानिया में हुज्जा से परंपरागत है और अगर निश्चित दिरहम दान देने की मन्नत की फिर दूसरा दिरहम मन्नत में दान दिया तो अदा हो गई यह फ़तहुल क़दीर में है और अगर कहा कि अल्लाह के लिए मुझ पर अनिवार्य है कि मैं इस के

(2) यानी समृद्ध जिस का खर्चा व सफ़र का खान-पान बाद में होगा कि फ़िल हाल वह निर्धन है।

को आज़ाद करूं और वो इस की मिल्क में है तो इस पर वाजिब है कि नज़र इसी तरह वफ़ा करे और अगर वफ़ा न की तो गुनहगार होगा मगर क़ाज़ी को यह इख़्तयार नहीं है कि इस पर जबर करे यह ख़ुलासा में है मुन्तक़ी में है कि अगर कहा कि अल्लाह के वास्ते मुझ पर एक नुस्खा आज़ाद करना है पस एक अंधा जाबिर आज़ाद किया तो नहीं जाइज़ है और अगर कहा वल्लाह मैं एक नुस्मा आज़ाद करूंगा पस अंधा आज़ाद किया तो क़सम पूरी हो गई यह मुहीत में है और अगर कहा कि अल्लाह के वास्ते मुझ पर वाजिब है एक जनवर ज़िबह (ऊंट नर या मादा) करूं और इस का गोश्त सदक़ा कर दूं पस बजाये इस के सात बकरियां ज़िबह कर दें तो जाइज़ है यह ख़ुलासा में है शैख़ अब्दुल अज़ीज़ बिन अहमद हलवाई से दरयाफ़्त किया गया कि एक शख़्स ने कहा कि अगर मैंने एक रकअत नमाज़ पढ़ी मुझ पर अल्लाह के वास्ते वाजिब हुआ कि एक दिरहम सदक़ा करूं और अगर मैंने दो रकअत नमाज़ पढ़ी तो अल्लाह के वास्ते मुझ पर वाजिब है कि दो दिरहम सदक़ा करूं और अगर मैंने तीन रकअत नमाज़ पढ़ी तो अल्लाह के वास्ते मुझ पर तीन दिरहम सदक़ा करना वाजिब है और अगर चार रकअतें पढ़ी तो अल्लाह के वास्ते मुझ पर चार दिरहम सदक़ा करने वाजिब हैं फिर इसने चार रकअतें पढ़ी तो फ़रमाया कि इसपर(1)दस दिरहम सदक़ा करने वाजिब हैं।

और ईसा बिन अबान अपने नवादिर में और इब्ने समाआ ने वसाया में इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत ज़िक्र की है कि एक ने अपने ग़ुलाम मुईन के आज़ाद करने की नज़र की और उस को फ़रोख़्त किया पस अगर उस के खरीद लेने पर क़ादिर हो तो उसपर वाजिब होगा कि इस को खरीद करके आज़ाद कर दे और अगर उस के खरीदने पर क़ादिर न हो और उससे इस मुईन का आज़ाद करना मुमकिन न हो तो इसपर कुछ नहीं वाजिब

(1) क़ालल मुतरज्जिम इस की यह वजह है कि चार रकअत में एक रकअत और दो रकअत और तीन रकअत भी प्रवेश हैं तो सब का मजमूआ दस दिरहम हु, लेकिनयह महज़ क़यास है और उर्फ़ शाये यह था कि फ़क़त चार दिरहम लाज़िम आऐं क्योंकि उर्फ़ में यही मतलब होता है कि अगर फ़क़त एक रकअत हो तो एक दिरहम व अला हाज़ा तो यहां चार रकअत के सिवाऐ कुछ वाजिब न होगा वल्लाहु तआला आलम।

ग़ुलाम को आज़ाद करूं और वह इस की अधीनता में है तो इस पर अनिवार्य है कि मन्नत इसी तरह वफ़ा करे और अगर वफ़ा न की तो गुनहगार होगा मगर क़ाज़ी को यह अधिकार नहीं है कि इस पर ज़ुल्म करे यह ख़ुलासा में है मुन्तक़ी में है कि अगर कहा कि अल्लाह के लिए मुझ पर एक सूत्र आज़ाद करना है बस एक अंधा क्रूर आज़ाद किया तो जाइज़ नहीं है और अगर कहा वल्लाह मैं एक ग़ुलाम आज़ाद करूंगा बस अंधा मुक्त किया तो क़सम पूरी हो गई यह मुहीत में है और अगर कहा कि अल्लाह के लिए मुझ पर अनिवार्य है एक जानवर (ऊंट नर या मादा) बली करूं और इस का गोश्त/मीट दान कर दूं बस बजाये इस के सात बकरियां बली कर दें तो वैध है यह ख़ुलासा में है शैख़ अब्दुल अज़ीज़ बिन अहमद हलवाई से पूछा किया गया कि एक व्यक्ति ने कहा कि अगर मैंने एक रकअत नमाज़ पढ़ी मुझ पर अल्लाह के लिए अनिवार्य हुआ कि एक दिरहम दान करूं और अगर मैंने दो रकअत नमाज़ पढ़ी तो अल्लाह के लिए मुझ पर अनिवार्य है कि दो दिरहम दान करूं और अगर मैंने तीन रकअत नमाज़ पढ़ी तो अल्लाह के लिए मुझ पर तीन दिरहम दान करना अनिवार्य है और अगर चार रकअतें पढ़ी तो अल्लाह के लिए मुझ पर चार दिरहम दान करने अनिवार्य हैं फिर इस ने चार रकअतें पढ़ी तो फ़रमाया कि इस पर (1) दस दिरहम दान करने अनिवार्य हैं।

और ईसा बिन अबान अपने नवादिर में और इब्ने समाआ ने वसाया में इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत ज़िक्र किया है कि एक ने अपने ग़ुलाम मुईन के मुक्त करने की मन्नत मानी और उस को बेच दिया बस अगर उस के खरीद लेने पर सामर्थ हो तो उस पर अनिवार्य होगा कि इस को खरीद करके मुक्त कर दे और अगर उसके खरीदने पर सामर्थ न हो और उस से इस मुईन का मुक्त करना मुमकिन न हो तो इसपर कुछ अनिवार्य

(1) अनुवादक के कथनानुसार इस की वजह यह है कि चार रकअत में एक रकअत और दो रकअत और तीन रकअत भी प्रवेश हैं तो सब का जोड़ दस दिरहम हुआ लेकिन यह केवल अनुमान है और पहचान यह थी कि केवल चार दिरहम अनिवार्य आऐं क्योंकि आम रिवाज में यही मतलब होता है कि अगर केवल एक रकअत हो तो एक दिरहम व अला हाज़ा तो यहां चार रकअत के सिवाऐ कुछ अनिवार्य न होगा बाक़ी इश्वर जाने।

है मगर अल्लाह तआला से इस्तग़फ़ार करे और और अगर इसकी क़ीमत या सिमन सदक़ा कर दिया तो काफ़ी न हुआ और इमाम मुहम्मद रह० ने जामअ में फ़रमाा कि अगर किसी ने अरबी ज़बान में कहा कि ان كان مافى يدى دراهم الا ثلثة فجميع مافى يدى صدقه فى المساكين यानी जो कुछ मेरे हाथ में है अगर दिराहिम हों इल्ला तीन तो सब जो कुछ मेरे हाथ में है वो मिस्कीनों को सदक़ा है लेने सिवाऐ तीन के अगर दिराहिम रहीं तो सब सदक़ा हैं फिर देखा गया तो इस के हाथ में कुल पांच दिरहम या चार दिरहम हैं तो उस पर कुछ सदक़ा करना लाज़िम (2) न आयेगा और अगर छः दिरहम या ज़्यादा हों तो उस पर सब का सदक़ा करना लाज़िम होगा और अगर कहा कि ان كان فى يدى من الدراهم الا ثلثة فجميع مافى يدى صدقة فى المساكين यानी अगर मेरे हाथ में दिरहमों से हों इल्ला तीन तो अब जो कुछ मेरे हाथ में है मिस्कीनों पर सदक़ा है फिर उस के हाथ में पांच या चार दिरहम निकले तो इस पर सब का सदक़ा करना लाज़िम होगा और अगर कहा कि ان كان ما فى يدى من الدراهم الا ثلثة فجميع مافى يدى فى المساكين यानी जो कुछ मेरे हाथ में अगर दिरहमों से वाला तीन वो सब मिस्कीनों पर सदक़ा हैं फिर उस के हाथ में पांच या चार निकले तो इस पर कुछ सदक़ा करना वाजिब (3) नहीं है और अगर कहा कि अगर मेरे हाथ में अक्सर तीन दिरहम से हों तो यह मिस्कीनों को सदक़ा हैं पस उस के हाथ में पांच या चार दिराहिम निकले तो सब सदक़ा करने वाजिब होंगे यह मुहीत में है और अगर कहा कि हर दाना कि तुख़्म रेज़ी की मैंने या दरिया में फेंक दिया वो सदक़ा है पस जो बोया है अगर बोने के रोज़ वो इस की मिल्क था तो नज़र सही होगी और उस के मिस्ल दाना या उस की क़ीमत सदक़ा करदेगा बख़िलाफ़ इस के अगर कहा कि हर कपड़ा जब कि मैंने जलाया वो सदक़ा है तो ऐसा हुक्म न होगा इस वास्ते कि जलाने से

(2) क़ालल मुतरज्जिम अगर उर्दू ज़बान में कहा हो या फ़ारसी में तो पांच होने की सूरत में भी इस पर कुल सदक़ा करना वाजिब होगा और चार में नहीं। (3) अगर उर्दू यया फ़ारसी में कहा हो तो सब सदक़ा करने वाजिब होंगे बशर्ते कि इस के हाथ में पांच दिरहम हों।

नहीं है मगर अल्लाह तआला से क्षमा मांगे और और अगर इस की क़ीमत या बदला दान कर दिया तो काफ़ी न हुआ और इमाम मुहम्मद रह० ने जामअ में फ़रमाया कि अगर किसी ने अरबी ज़बान में कहा कि ان كان مافى يدى دراهم الا ثلثة فجميع مافى يدى صدقه فى المساكين यानी जो कुछ मेरे हाथ में है अगर दिरहम हों सिवा तीन तो सब जो कुछ मेरे हाथ में है वह निर्धनों को दान है लेने सिवाऐ तीन के अगर दिरहम रहीं तो सब दान हैं फिर देखा गया तो इस के हाथ में कुल पांच दिरहम या चार दिरहम हैं तो उस पर कुछ दान करना अनिवार्य (2) न आयेगा और अगर छः दिरहम या ज़्यादा हों तो उस पर सब का दान करना अनिवार्य होगा और अगर कहा कि ان كان فى يدى من الدراهم الا ثلثة فجميع مافى يدى صدقة فى المساكين यानी अगर मेरे हाथ में दिरहमों से हों इल्ला तीन तो अब जो कुछ मेरे हाथ में है निर्धनों पर दान है फिर उस के हाथ में पांच या चार दिरहम निकले तो इस पर सब का दान करना अनिवार्य होगा और अगर कहा कि ان كان ما فى يدى من الدراهم الا ثلثة فجميع مافى يدى فى المساكين यानी जो कुछ मेरे हाथ में अगर दिरहमों से वाला तीन वह सब निर्धनों पर दान हैं फिर उस के हाथ में पांच या चार निकले तो इस पर कुछ दान करना अनिवार्य (3) नहीं है और अगर कहा कि अगर मेरे हाथ में अक्सर तीन दिरहम से हों तो यह निर्धनों को दान हैं बस उस के हाथ में पांच या चार दिराहिम निकले तो सब दान करने अनिवार्य होंगे यह मुहीत में है और अगर कहा कि मैंने हर दाने की बीज बोया या दरिया में फेंक दिया वह दाना है बस जो बोया है अगर बोने के दिन वह इस की अधीनता था तो मन्नत सही होगी और उस के जैसा दाना या उस की क़ीमत दान करदेगा विपरीत इस के अगर कहा कि हर कपड़ा जब कि मैंने जलाया वह दान है तो ऐसा आदेश न होगा इस लिए कि जलाने से वह बाक़ी नहीं रहा है और अगर

(2) अनुवादक के कथनानुसार अगर उर्दू ज़बान में कहा हो या फ़ारसी में तो पांच होने की सूरत में भी इस पर कुल दान करना अनिवार्य होगा और चार में नहीं। (3) अगर उर्दू या फ़ारसी में कहा हो तो सब दान करने अनिवार्य होंगे बशर्तेकि इस के हाथ में पांच दिरहम हों।

वो बाक़ी नहीं रहा है और अगर मैंने यह ग़ुलाम अपना उजरत पर दिया तो उस की उजरत सदक़ा है फिर उस की उजरत ख़ुद खाली तो इस के मिस्ल सदक़ा करदे और इस में हीला यह है कि इस ग़ुलाम को फ़रोख़्त करदे फिर बहुक्मे मुशतरी इस को उजरत पर देदे पस क़सम मुनहल हो जायेगी फिर इस को खरीद ले फिर अपने आप उजरत पर दे तो इस पर कुछ लाज़िम न होगा और इसी तरह अगर कहा कि अगर मैंने तेरे घर में यह कपड़ा पहना या कहा कि जब तक तेरे पास हों यह कपड़ा पहनाया यह ज़ेवर पहना तो यह हदया है तो इस में हीला यह है कि इस को हुबा करदे फिर पहने पस क़सम मुनहल हो जायेगी (यानी उतर जायेगी।) फिर अपने हिबा से रूजूअ करले यह इताबिया में है।

इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि अगर एक शख़्स ने कहा कि अगर मैंने अपना यह ग़ुलाम फ़रोख़्त किया तो इस की क़ीमत मिस्कीनों पर सदक़ा है फिर इस को फ़रोख़्त किया और मुशतरी ने ग़ुलाम में कोई ऐब पाकर बाऐ को वापिस कर दिया और यह अम्र क़ब्ल बाहमी क़ब्ज़ा के वाक़े हुआ तो बाऐ पर इस का सदक़ा करना वाजिब नहीं है और अगर दोनों ने बाहम क़ब्ज़ा कर लिया हो फिर मुशतरी ने ग़ुलाम को बसबब ऐब के वापिस कर दिया और सिमन दिरहम या दीनार हैं तो बाऐ पर इस के मिस्ल सदक़ा करने वाजिब होंगे और अगर सिमन कोई असबाब हो पस अगर मुशतरी ने बहुक्मे क़ाज़ी वापिस किया हो तो बाऐ पर कुछ सदक़ा वाजिब न होगा और अगर बग़ैर हुक्म क़ाज़ी वापिस किया हो तो इस की क़ीमत सदक़ा करेगा और अगर मुशतरी ने ग़ुलाम पर क़ब्ज़ा कर लिया मगर सिमन इस को नहींदिया यहां तक कि ग़ुलाम मज़कूर बसबब के बहुक्मे क़ाज़ी वापिस किया तो बाऐ पर कुछ सदक़ा करना वाजिब नहीं है ख़्वाह सिमन दिरहम व दीनार उरूज़ किसी जिन्स से हो और अगर रद कर देना बग़ैर हुक्म क़ाज़ी वाक़े हुआ है तो इस के मिस्ल सदक़ा करदे और अगर बाऐ ने सिमनपर क़ब्ज़ा कर लिया और सिमन असबाब है और मुशतरी को ग़ुलाम नहीं सुपुर्द किया यहां तक कि ग़ुलाम इस के पास हलाक हो गया तो सिमन

मैंने यह ग़ुलाम अपना मज़दूरी पर दिया तो उस की मज़दूरी दान है फिर उस की उजरत ख़ुद खाली तो इस के जैसा दान करदे और इस में कपट यह है कि इस ग़ुलाम को बेच दे फिर ग्राहक के आदेश इस को मज़दूरी पर देदे बस क़सम मुनहल हो जायेगी फिर इस को खरीद ले फिर अपने आप मज़दूरी पर दे तो इस पर कुछ अनिवार्य न होगा और इसी तरह अगर कहा कि अगर मैंने तेरे घर में यह कपड़ा पहना या कहा कि जब तक तेरे पास हों यह कपड़ा पहनाया यह ज़ेवर पहना तो यह तोहफ़ा है तो इस में कपट यह है कि इस को तोहफ़ा देदे फिर पहने बस क़सम मुनहिल हो जायेगी (मिश्रित यानी उतर जायेगी।) फिर अपने तोहफ़े से रूजूअ करले यह इताबिया में है।

इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि अगर एक व्यक्ति ने कहा कि अगर मैंने अपना यह ग़ुलाम बेच दिया तो इस की क़ीमत निर्धनों पर दान है फिर इस को बेच दिया और ग्राहक ने ग़ुलाम में कोई दोष पाकर विक्रता को वापिस कर दिया और यह कार्य एक साथ क़ब्ज़े के पहले स्थपित हुआ तो विक्रता पर इस का दान करना अनिवार्य नहीं है और अगर दोनों ने एक साथ क़ब्ज़ा कर लिया हो फिर ग्राहक ने ग़ुलाम को दोष के कारण वापिस कर दिया और क़ीमत दिरहम या दीनार हैं तो विक्रता पर इस के जितना दान करना अनिवार्य होंगे और अगर क़ीमत कोई सामान हो बस अगर ग्राहक ने न्यायाधीश के आदेश से वापिस किया हो तो विक्रता पर कुछ दान अनिवार्य न होगा और अगर बग़ैर आदेश न्यायाधीश वापिस किया हो तो इस की क़ीमत दान करेगा और अगर ग्राहक ने ग़ुलाम पर क़ब्ज़ा कर लिया मगर क़ीमत इस को नहीं दिया यहां तक कि वर्णित ग़ुलाम न्यायाधीश के आदेश के कारण से वापिस किया तो विक्रता पर कुछ दान करना अनिवार्य नहीं है चाहे क़ीमत दिरहम व दीनार सामान किसी लिंग से हो और अगर रद कर देना बिना न्यायाधीश के आदेश के स्थपित हुआ है तो इस के जितना दान करदे और अगर विक्रता ने क़ीमत पर क़ब्ज़ा कर लिया और सामान की क़ीमत है और ग्राहक को ग़ुलाम सुपुर्द नहीं किया यहां तक कि

मुशतरी को वापिस करदे और कुछ सदक़ा करना इस पर वाजिब नहीं है और अगर सिमन इस सूरत में दिरहम व दीनार हों तो इस के मिस्ल सदक़ा करदे और अगर ग़ुलाम मज़कूर क़ब्ल क़ब्ज़ा के या बाद क़ब्ज़ा के इस्तहक़ाक़ में ले लिया गया यानी किसी ने अपना इस्तहक़ाक़ साबित करके ले लिया तो बअय्यना सिमन को वापिस करदे ख़्वाह किसी जिन्स से हो और इस पर वाजिब नहीं है कि कुछ सदक़ा करे। अगर ग़ुलाम मुईन कफ्फ़ारह से आज़ाद करने की नज़र की फिर कफ्फ़ारह खाना दे कर अदा कर दिया तो नज़र बातिल हो गई और इसी तरह अगर नज़र की कि यह बद न (ऊंट न होगा) बऔज़ जज़ाये सैद (यानी हालते अहराम में कोई शिकार किया) के जो इस पर वाजिब है हदा भेजूंगा फिर रोज़े रख लिये या खाना दे दिया तो नज़र बातिल हो गई और इसी तरह अगर नज़र की कि यह कपड़े कफ्फ़ारह में दूंगा फिर खाना दे यिा तो नज़र बातिल हो गई और अगर अनाज कफ्फ़ारह में दिया मगर अनाज (सूरत हाये मज़कूरह में) इस की क़ीमत को नहीं पहुंचता है तो बक़द्र ज़ियादती की सदक़ा करदे यह मुहीत में है।

अगर कहा कि अगर मैंने इन दिरहमों के औज़ तेरे हाथ कुछ फ़रोख़्त किया इस कुर (एक कुर गेंहू) के औज़ कुछ फ़रोख़्त किया तो यह दोनों सदक़ा हैं फिर इन के औज़ कुछ फ़रोख़्त किया तो कुर को सदक़ा करदे जबकि क़ब्ज़ा करे और दिरहमों का सदक़ा करना इस पर वाजिब नहीं है इस वास्ते कि इन दिरहमों का सबब मिल्क बैअ नहीं है इल्ला इस सूरत में कि यह दिरहम बाऐ के हाथ में हों कि बलफ़्ज़े बैअ इन का मालिक हो गया तो इन का सदक़ा करना भी वाजिब होगा और अगर कहा कि अगर मैंने इन दिरहमों के ओज़ कुछ खरीद लिया या मैंने तुझे यह दिरहम हिबा किये तो सदक़ा हैं फिर इन दिरहमों के औज़ कुछ खरीदा या हिबा किये दरहाल यह कि इस के हाथ में थे तो इस पर इन का सदक़ा करना वाजिब होगा और अगर सुपुर्द कर दिये हों तो इन के मिस्ल सदक़ा करना वाजिब होगा इस वास्ते कि वक़्त हानिस होने के इस के क़ब्ज़ा मिल्क में थे हत्ता कि अगर वक़्त

ग़ुलाम इस के पास मृत हो गया तो क़ीमत ग्राहक को वापिस करदे और कुछ दान करना इसपर अनिवार्य नहीं है और अगर क़ीमत इस स्थिति में दिरहम व दीनार हों तो इसके मिस्ल दान करदे और अगर ग़ुलाम वर्णित क़ब्ज़े के पहले या क़ब्ज़ा के बाद विशेषाधिकार में ले लिया गया यानी किसी ने अपना विशेषाधिकार सिद्ध करके ले लिया तो बिलकुल वैसी ही क़ीमत को वापिस करदे चाहे किसी लिंग से हो, और इस पर अनिवार्य नहीं है कि कुछ दान करे। अगर ग़ुलाम मुईन प्रायश्चित से आज़ाद करने की मन्नत मानी फिर प्रायश्चित का खाना दे कर अदा कर दिया तो मन्नत अमान्य हो गई और इसी तरह अगर मन्नत की कि यह बदना/बली का ऊंट (ऊंट न होगा) बदले में शिकार किया हुआ जानवर (यानी हालते अहराम में कोई शिकार किया) जो इस पर अनिवार्य है तौफ़ा भेजूंगा फिर रोज़े रख लिये या खाना दे दिया तो मन्नत अमान्य हो गई और इसी तरह अगर मन्नत की कि यह कपड़े प्रायश्चित में दूंगा फिर खाना दे यिा तो मन्नत अमान्य हो गई और अगर अनाज प्रायश्चित में दिया मगर अनाज (वर्णित स्थिति में) इसकी क़ीमत को नहीं पहुंचता है तो अत्यधिक दान करदे यह मुहीत में है।

अगर कहा कि अगर मैंने इन दिरहमों के बदले तेरे हाथ कुछ बेच दिया इस कुर (एक कुर गेंहू यानी खेत में हल वाले की विशेष मज़दूरी जो पैदावार की एक चौथाई होती है) के बदले कुछ बेच दिया तो यह दोनों दान हैं फिर इन के बदल कुछ बेच दिया तो कुर/मज़दूरी को दान करदे जबकि क़ब्ज़ा करे और दिरहमों का दान करना इस पर अनिवार्य नहीं है इस लिए कि इन दिरहमों का मिल्कियत के कारण विक्रय नहीं है सिवा इस स्थिति में कि यह दिरहम बाऐ के हाथ में हों कि शब्द विक्रय से इन का मालिक हो गया तो इन का दान करना भी अनिवार्य होगा और अगर कहा कि अगर मैंने इन दिरहमों के बदले कुछ खरीद लिया या मैंने तुझे यह दिरहम तौहफ़ा किये तो दान हैं फिर इन दिरहमों के बदले कुछ खरीदा या तोहफ़ा किये इस स्थिति में यह कि इसके हाथ में थे तो इस पर इन का दान करना अनिवार्य होगा और अगर सौंप दिये हों तो इन के जितना दान करना

खरीद के बाऐ के हाथ में हों या वक्त हिबा के मोहूब के हाथ में हों तो इस पर कुछ लाज़िम न होगा यह इताबिया में है और अगर किसी ने कहा कि अगर मैंने यह गुलाम बऔज़ उस कुर के और बऔज़ इन हज़ार दिरहम के खरीद किया तो यह दोनों मसाकीन पर सदक़ा हैं फिर इन दोनों के औज़ गुलाम खरीदा तो इस पर हज़ार दिरहम का सदक़ा करना वाजिब होगा और कुर का सदक़ा वाजिब न होगा और मुन्तक़ी में लिखा है कि अगर किसी ने चाहा कि एक गुलाम किसी शख़्स से हज़ार दिरहम को खरीदे पस हज़ार दिरहम मालिक गुलाम को देदे फिर इस तरह क़सम खाई कि अगर मैंने यह गुलाम इन हज़ार दिरहमों के औज़ खरीदा और उन्हें हज़ार दिरहम दिये हुए की तरफ़ इशारह किया तो यह हज़ार दिरहम मिस्कीनों पर सदक़ा हैं और मालिक गुलाम ने कहा कि अगर मैंने यह गुलाम इन दिरहमों के औज़ फ़रोख़्त किया तो यह दिरहम मिस्कीनों पर सदक़ा हैं और इस ने भी उन्हें दिरहमों की तरफ़ इशारह किया फिर मालिक गुलाम ने उन्हीं दिरहमों के औज़ गुलाम मज़कूर को फ़रोख़्त किया तो बाऐ पर वाजिब है कि इन दिरहमों को सदक़ा करे न मुशतरी पर यह मुहीत में है।

बाबः 3

दुख़ूल व सकनी वग़ैरह पर क़सम खाने के बयान में

असल यह है कि क़समों में जो अल्फ़ाज़ मुस्तअम्मल हों हमारे नज़दीक इन का मदार उर्फ़ पर है यह काफ़ी में है। अगर किसी ने क़सम खाई कि बैत में दाखिल न हूंगा क़ालल मुतरजम बैत वो है जहां शब बाशी की आदत हो फिर वो शख़्स मस्जिद या बैआ या कनीसा या आतिश खाना में कअबा या हमाम या दहलीज़ या क़ुल्ला दरवाज़े में दाखिल हुआ तो हानिस न होगा और बाज़ ने फ़रमाया कि दहलीज़ में जो हुक्म मज़कूर हुआ वो ऐसी दहलीज़ के हक़ में है जो दरवाज़ा से खारिज हुआ और अगर दाखिल दरवाज़ा हो और वहां शब बाशी हो सकती

अनिवार्य होगा इस लिए कि पापी होने के समय इस की अधीनता के क़ब्ज़े में थे यहां तक कि अगर खरीद के समय विक्रेता के हाथ में हों या तोहफ़ा के समय मोहूब के हाथ में हों तो इस पर कुछ अनिवार्य न होगा यह इताबिया में है और अगर किसी ने कहा कि अगर मैंने यह उस गुलाम के कुर/मज़दूरी के बदले और इन हज़ार दिरहम के बदले खरीद लिया तो यह दोनों, र्धिनों पर दान हैं फिर इन दोनों के बदले गुलाम खरीदा तो इस पर हज़ार दिरहम का दान करना अनिवार्य होगा और कुर/मज़दूरी का दान अनिवार्य न होगा और मुन्तक़ी में लिखा है कि अगर किसी ने चाहा कि एक गुलाम किसी व्यक्ति से हज़ार दिरहम के खरीदे बस हज़ार दिरहम मालिक गुलाम को देदे फिर इस तरह क़सम खाई कि अगर मैंने यह गुलाम इन हज़ार दिरहमों के बदले खरीदा और उन्हें हज़ार दिरहम दिये हुए की ओर इशारा किया तो यह हज़ार दिरहम निर्धनों पर दान हैं और मालिक गुलाम ने कहा कि अगर मैंने यह गुलाम इन दिरहमों के बदले बेच दिया तो यह दिरहम निर्धनों पर दान हैं और इस ने भी उन्हें दिरहमों की ओर इशारा किया फिर मालिक गुलाम ने उन्हीं दिरहमों के बदले वर्णित गुलाम को बेच दिया तो विक्रेता पर अनिवार्य है कि इन दिरहमों को दान करे न ग्राहक पर यह मुहीत में है।

अध्याय 3

प्रवेश व पुशतेनी/विरासत आदि पर क़सम खाने का वर्णन में

असल यह है कि क़समों में जो शब्द प्रयोग हों हमारे इन का आम रिवाज पर निर्भर है यह काफ़ी में है। अगर किसी ने क़सम खाई कि घर में प्रवेश न हूंगा अनुवादक के कथनानुसार घर वह है जहां रात गुज़ारने की आदत हो फिर वह व्यक्ति मस्जिद या मन्दिर या गिरजा या पारसी पूजा स्थल/अग्नि शाला में कअबा या स्नान ग्रह या डेयुढ़ी या गोल दरवाज़े में प्रवेश हुआ तो पापी न होगा और कुछ ने कहा कि दहलीज़ में जो वर्णित आदेश हुआ वह ऐसी दहलीज़ के हक़ में है जो दरवाज़ा से खारिज हुआ और अगर प्रवेश दरवाज़ा हो

हो तो हानिस हो जायेगा और सही वही है जो किताब में मुतल्लक़न मज़कूर है इस वास्ते कि दहलीज़ में सोने की आदत नहीं है अगरचे मुमकिन हो ख़्वाह वो खारिज दर हो या दाखिल हो यह बदाऐ में है। अगर सुफ़्फ़ा में दाखिल हुआ तो हानिस हो जायेगा और बाज़ ने कहा कि यह इस वक्त है कि निस्फ़ चहार दीवारी का हो जैसे अमामून रहमहुमुल्लाह के वक्त में सुफ़्फ़ा होते थे और बाज़ ने कहा कि यह जवाब अलल इत्तलाक़ है और यही सही है यह हिदाया में है और अगर क़सम खाई कि इस मस्जिद में दाखिल न होगा फिर वो मस्जिद मुनहदिम हो गई और वहां घर बनाया गया फिर घर तोड़ा कर मस्जिद बनाई गई फिर वो दाखिल हुआ तो हानिस न होगा बखिलाफ़ इस के अगर क़सम खाई कि इस मस्जिद में दाखिल न होगा फिर बाद इस के मुनहदिम हो जाने या बाद वहां दूसरे मस्जिद बनाई जाने के दाखिल हुआ तो हानिस हो जायेगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है।

एक ने क़सम खाई कि इस मस्जिद में दाखिल न होंगा फिर इस में पड़ौस के घर से एक टुकड़ा बढ़ाया गया पस वो इस बढ़ाई हुई ज़मीन में दाखिल हो तो हानिस न होगा :

अगर क़सम खाई कि पड़ौसी के घर में इस दार में दाखिल न होगा फिर इस दार में और बढ़ाया गया यानी दूसरे दार की ज़मीन बढ़ाई गई और वो बढ़ती हुई ज़मीन में दाखिल हुआ तो हानिस हो जायेगा और बाज़ ने फ़रमाया कि नहीं हानिस न होगा और अगर इस ने कहा कि पड़ौसी के घर में दाखिल न होगा तो ऐसी सूरत में बिल इज्माअ हानिस हो जायेगा और अगर क़सम खाई कि मस्जिद में दाखिल न होगा फिर इस मस्जिद में और बढ़ाई गई और बढ़ाई हुई में दाखिल हुआ तो हानिस हो जायेगा यह इताबिया में है। एक नें क़सम खाई कि इस मस्जिद में दाखिल न हूंगा फिर इस में पड़ौस के घर से एक टुकड़ा बढ़ाया गया पस वो इस बढ़ाई हुई ज़मीन में दाखिल हो तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां क़ौम की मस्जिद में दाखिल न हूंगा फिर ऐसी सूरत

और वहां रात गुज़ारी हो सकती हो तो पापी हो जायेगा और वही सही है जो किताब में अत्यन्त वर्णित है इस लिए कि दरवाज़े में सोने की आदत नहीं है चाहे मुमकिन हो चाहे वह दरवाज़े से निकासी हो या प्रवेश हो यह बदाऐ में है। अगर छज्जे में प्रवेश हुआ तो पापी हो जायेगा और कुछ ने कहा कि यह उस समय है कि आधा चार दीवारी का हो जैसे अमामून रहमहुमुल्लाह के समय में छज्जे होते थे और कुछ ने कहा कि यह जवाब नितांत है और यही सही है यह हिदाया में है और अगर क़सम खाई कि इस मस्जिद में प्रवेश न होगा फिर वह मस्जिद टूट गई और वहां घर बनाया गया फिर घर तोड़ कर मस्जिद बनाई गई फिर वह प्रवेश हुआ तो पापी न होगा इस के विपरीत अगर क़सम खाई कि इस मस्जिद में प्रवेश न होगा फिर बाद इस के टूट जाने या वहां दूसरी मस्जिद बनाई जाने के बाद प्रवेश हुआ तो पापी हो जायेगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है।

एक ने क़सम खाई कि इस मस्जिद में प्रवेश न होंगा फिर इस में पड़ौस के घर से एक टुकड़ा बढ़ाया गया बस वह इस बढ़ाई हुई ज़मीन में प्रवेश हो तो पापी न होगा :

अगर क़सम खाई कि पड़ौसी के घर में इस घर में प्रवेश न होंगा फिर इस घर में और बढ़ाया गया यानी दूसरे घर की ज़मीन बढ़ाई गई और वह बढ़ती हुई ज़मीन में प्रवेश हुआ तो पापी हो जायेगा और कुछ ने कहा कि पापी न होगा और अगर इस ने कहा कि पड़ौसी के घर में प्रवेश न होगा तो ऐसी स्थिति में सर्वसम्मति है पापी हो जायेगा और अगर क़सम खाई कि मस्जिद में प्रवेश न होगा फिर इस मस्जिद में और विस्तार हुआ और विस्तार की गई में प्रवेश हुआ तो पापी हो जायेगा यह इताबिया में है। एक नें क़सम खाई कि इस मस्जिद में प्रवेश न हूंगा फिर इस में पड़ौस के घर से एक टुकड़ा बढ़ाया गया बस वह इस बढ़ाई हुई ज़मीन में प्रवेश हुआ तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां क़ौम की मस्जिद में प्रवेश न हूंगा फिर ऐसी वर्णित स्थिति में विस्तारित

मज़कूरह में बढ़ाए हुए टुकड़े में दाखिल हुआ तो हानिस हो जायेगा और इसी तरह अगर कहा कि दार में दाखिल न हूंगा फिर इस में ज़मीन बढ़ाई गई और वोह उस बढ़ी ज़मीन में दाखिल हुआ तो हानिस ना होगा और अगर कहा कि दारे फलां में दाखिल न हूंगा फिर इस में ज़मीन बढ़ाई गई और वोह उस बढ़ी ज़मीन में दाखिल हुआ तो हानिस हो जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान व ज़हीरया में है एक नें क़सम खाई कि इस मस्जिद में दाखिल न हूंगा फिर इस की छत पर ख़ड़ा हुआ तो मुख़्तार यह है कि इस पर ख़ड़े होने से हानिस ना होगा बशर्त यह कि क़सम खाने वाला अजमी (1)हो और इसी पर फ़तवा है यह जवाहर इख़लाती में है और अगर क़सम खाई कि दार में दाखिल न हूंगा फिर उसके मुनहदिम और मैदान हो जाने के बाद दाखिल हुआ तो हानिस हो जायेगा अगर वोह मस्जिद या बुस्तान या हमाम गरदाना गया या बैत कर दिया गया फिर दाखिल हुआ तो हानिस न होगा और इसी तरह बाद हमाम वग़ैरा के मुनहदिम हो जाने के दाखिल हुआ तो भी यही हुक्म है यह हिदाया में है।

अगर क़सम खाई कि दार में दाखिल न हूंगा फिर एक मुनहदिम शुदह दार में दाखिल हुआ तो हानिस न होगा और अगर दार का मस्जिद या हमाम या बुस्तान बनाया गया फिर इस में दाखिल हुआ तो भी हानिस न होगा और अगर दार सग़ीर था कि इस को बैत किया या रास्ता इस का शारअ़ आम की तरफ़ निकाल दिया या किसी दूसरे दार की तरफ़ निकाल दिया या बाद बुस्तान करने के इस को दार दीगर बनाया या वो बहर या नहर हो गया फिर दाखिल हुआ तो भी हानिस न होगा और यह मुहीत सुरखी में है और अगर क़सम खाई कि इस बैत में दाखिल न हूंगा या बैत में दाखिल न हुंगा फिर एक बैत या बैत मुअय्यन के मुनहदिम हो जाने के बाद जब कि इस में कोई इमारत न थी दाखिल हुआ तो हानिस न होगा और अगर दूसरा बैत कर दिया गया फिर वो दाखिल हुआ तो बैत मुअय्यन में दाखिल न होने की

(1) ज़ाहिरन मुराद यह है कियह वाक़िया अजम में सिवाए अरब के वाक़े हुआ हो और नीज़ यह शख़्स अरबी न हो इस लिए कि उर्फ़े अजम में छत को मस्जिद नहीं कहते हैं बस मुराद उर्फ़ से उर्फ़े हालिफ़ है न उर्फ़ मक़ाम है तक़रीर उल किताब फ़ताम्मल।

टुकड़े में प्रवेश हुआ तो पापी होगा और इसी तरह अगर कहा कि घर में दाखिल न हूंगा फिर इस में ज़मीन बढ़ाई गई और वह उस बढ़ी हुई ज़मीन में प्रवेश हुआ तो पापी ना होगा और अगर कहा कि फलां घर में प्रवेश न हूंगा फिर इस में ज़मीन बढ़ाई गई और वह उस बढ़ी ज़मीन में प्रवेश हुआ तो पापी हो जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान व ज़हीरया में है एक नें क़सम खाई कि इस मस्जिद में प्रवेश न हूंगा फिर इस की छत पर ख़ड़ा हुआ तो अधिकार यह है कि इस पर ख़ड़े होने से पापी ना होगा बशर्त यह कि क़सम खाने वाला अजमी(1) हो और इसी पर फ़तवा है यह जवाहर इख़लाती में है और अगर क़सम खाई कि घर में प्रवेश न हूंगा फिर उसके टूटने और मैदान हो जाने के बाद प्रवेश हुआ तो पापी होगा अगर वह मस्जिद या बगीचा या स्नान ग्रह माना गया या घर बना दिया गया फिर प्रवेश हुआ तो पापी न होगा और इसी तरह स्नान ग्रह के टूटने आदि के बाद प्रवेश हुआ तो भी यही आदेश है यह हिदाया में है।

अगर क़सम खाई कि घर में प्रवेश न हूंगा फिर एक टूटा हुए घर में प्रवेश हुआ तो पापी न होगा और अगर घर का मस्जिद या स्नान ग्रह या बगीचा बनाया गया फिर इस में प्रवेश हुआ तो भी पापी न होगा और अगर घर छोटा था कि इस को मकान किया या रास्ता इस का आम सड़क की ओर निकाल दिया या किसी दूसरे घर की ओर निकाल दिया या बगीचा करने के बाद इस को दूसरा घर बनाया या वह जलाशय या नहर हो गया फिर प्रवेश हुआ तो भी पापी न होगा और यह मुहीतुल सुरखी में है और अगर क़सम खाई कि इस मकान में प्रवेश न हूंगा या घर में प्रवेश न हुंगा फिर एक घर या निश्चित घर टूट जाने के बाद जब कि इस में कोई इमारत न थी प्रवेश हुआ तो पापी न होगा और अगर दूसरा घर बना दिया गया फिर वह प्रवेश हुआ तो निश्चित घर में प्रवेश न होने की क़सम की स्थिति में

(1) स्पष्टताः मतलब यह है कि यह घटना अजम में सिवाए अरब के घटित हुआ हो और यह व्यक्ति भी अरबी न हो इस लिए कि अजम की रीत में छत को मस्जिद नहीं कहते हैं बस परिभाषित मतलब से क़सम लेने वाला उल्लेखित है न उर्फ मक़ाम है लिखे में ध्यान करें।

क़सम की सूरत में हानिस न होगा और ग़ैर मुअय्यन की सूरत में हानिस हो जायेगा और अगर छत गिर गई और दीवारें क़ायम हैं फिर दाखिल हुआ तो मुअय्यन की सूरत में हानिस होगा और ग़ैर मुअय्यन की सूरत में हानिस न (2) होगा यह बदाऐ में है। एक शख़्स ने क़सम खाई कि इस दार में दाखिल न होगा फिर सवार हो कर या पा पियादा वो इस में दाखिल हुआ या इस ने किसी को हुक्म दिया कि वो लाद कर इस को इस दार में ले गया तो हानिस हो जायेगा यह ज़हीरिया में है और अगर वो जानवर जिस पर सवार था बिदक गया आर इस के रोके से न रूका हत्ता कि इस दार में दाखिल हो गया तो हानिस न होगा और यह मुहीत में है और अगर बदून इस के हुक्म के कोई इस को लाद कर अन्दर ले गया तो हानिस न होगा ख़्वाह इस को इस दार के दरवाज़े से ले गया हो या और तरफ़ सें यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि इस दार में दाखिल न होगा फिर इस की दीवारों में से किसी दीवार पर खड़ा हुआ तो अपनी क़सम में हानिस हो जायेगा और इसी तरह अगर इसकी छत पर खड़ा हुआ हुआ तो भी यही हुक्म है और बाज़े मशाइख ने फ़रमाया कि यह हुक्म इमामों रहमहुमुल्लाह के उर्फ़ के मुवाफ़िक़ है और हमारे उर्फ़ में छत पर चढ़ने या दीवार पर चढ़ने को दख़ूल दार नहीं कहते हैं पस हानिस न होगा कि मगर वही सही है जो किताब में मज़कूर (यानी अव्वल क़ौल) हुआ है यह शरह जामअ सग़ीर क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि इस दार में दाखिल न होगा फिर इसकी छत पर से उतरा या ऐसे दरख़्त पर चढ़ा कि इस की शाखें इस दार में हैं पस ऐसी शाख पर खड़ा हुआ कि वहां से गिरे तो इस दार में गिरे तो हानिस हो जायेगा और इसी तरह अगर इसकी दीवार पर खड़ा हुआ तो भी यही हुक्म है शैख अबू बकर मुहम्मद बिन अल फ़ज़ल ने फ़रमाया कि अगर यह दीवार इस दार और पड़ौसी के मकान में मुशतरिक हो तो हानिस न होगा और यह हुक्म उस वक़्त है कि क़सम अरबी ज़ुबान में हो और अगर फ़ारसी या उर्दू में क़सम खाई फिर ऐसे

(2)क्योंकि बैत चहार दीवारी मअ छत दो दरवाज़े को बैत कहते हैं और मुअय्यन जगह की क़सम न थी।

पापी न होगा और अनिश्चित पर की स्थिति में पापी हो जायेगा और अगर छत गिर गई और दीवारें मौजूद हैं फिर प्रवेश हुआ तो निश्चित होने की स्थिति में पापी होगा और अनिश्चित की स्थिति में पापी न (2) होगा यह बदाऐ में है। एक व्यक्ति ने क़सम खाई कि इस घर में प्रवेश न होगा फिर सवार हो कर या पैरों से पैदल वह इस में प्रवेश हुआ या इस ने किसी को आदेश दिया कि वह लाद कर इस को इस घर में ले गया तो पापी हो जायेगा यह ज़हीरिया में है और अगर वह जानवर जिस पर सवार था बिदक गया आर इस के रोके से न रूका यहां तक कि इस घर में प्रवेश हो गया तो पापी न होगा और यह मुहीत में है और अगर बजाए इस के आदेश के कोई इस को लाद कर अन्दर ले गया तो पापी न होगा चाहे इस को इस घर के दरवाज़े से ले गया हो या और तरफ़ से यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि इस घर में प्रवेश न होगा फिर इस की दीवारों में से किसी दीवार पर खड़ा हुआ तो अपनी क़सम में पापी हो जायेगा और इसी तरह अगर इस की छत पर खड़ा हुआ हुआ तो भी यही आदेश है और बुछ विद्वानों ने कहा कि यह आदेश इमामों रहमहुमुल्लाह के समय के अनुसार है और हमारे समय में छत पर चढ़ने या दीवार पर चढ़ने को घर में प्रवेश नहीं कहते हैं बस पापी न होगा कि मगर वही सही है जो किताब में वर्णित हुआ (यानी पहला कथन) है यह शरह जामअ सग़ीर क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि इस घर में प्रवेश न होगा फिर इस की छत पर से उतरा या ऐसे वृक्ष पर चढ़ा कि इस की शाखें इस घर में हैं बस ऐसी शाख पर खड़ा हुआ कि वहां से गिरे तो इस घर में गिरे तो पापी हो जायेगा और इसी तरह अगर इस की दीवार पर खड़ा हुआ तो भी यही आदेश है शैख अबूबकर मुहम्मद बिन अल फ़ज़ल ने कहा कि अगर यह दीवार इस घर और पड़ौसी के मकान में साझा हो तो पापी न होगा और यह आदेश उस समय है कि क़सम अरबी ज़ुबान में हो और अगर फ़ारसी या उर्दू में क़सम खाई फिर ऐसे पेड़ पर चढ़ा कि इस की शाखें

(2) क्योंकि घर चार दीवारी छत सहित दो दरवाज़े को घर कहते हैं और निश्चित जगह की क़सम न थी।

दरख़्त पर चढ़ा कि इस की शाखें इस दार में या इस की दीवार पर खड़ा हुआ या छत पर चढ़ा तो अपनी क़सम में हानिस न होगा और यही मुख़्तार है इस वास्ते कि अजम में इस को दुख़ूल नहीं शुमार करते हैं यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है।

बाला ख़ाना का रास्ता अगर अपने नीचे के मकान से न हो बल्कि उस का रास्ता दूसरे दार में से हो तो यह बाला ख़ाना बऐतबार रास्ता के दूसरे दार में से शुमार होगा जिस में से उस का रास्ता है। यह मुहीत में है। क़ालल मुतरजम यह इन का उर्फ़ है और हमारी ज़बान में वो जिस दार में से वास्तव में है इस में शुमार होगा। फ़ाफ़हम वल्लाहु आलम। और अगर ताक़ दरवाज़ा में पायख़ाना सर राहे या ज़िला-ए-सरे राह में गया हालांकि पायख़ाना व छत का रास्ता इसी दार से है तो हानिस हो जायेगा और अगर ताक़ दरवाज़े के नीचे दरवाज़ा की चौखट पर खड़ा हुआ पस अगर चौखट ऐसी हो कि अगर दरवाज़ा बन्द कर लिया जाये तो बाहर रह जाये तो हानिस न होगा और अगर दरवाज़ा बन्द करने से अन्दर दाखिल रहे तो हानिस हो जायेगा और अगर अपने दोनों पांव में से एक अन्दर दाखिल किया तो हानिस न होगा और बाज़ ने फ़रमाया कि यह इस वक़्त है कि दार का दाखिल व ख़ारिज बराबर सतह हो और अगर दाखिल की तरफ़ नीचा हो और इस ने अपना एक पांव अन्दर दाखिल किया तो हानिस हो जायेगा इस वास्ते कि ऐसी सूरत में अक्सर ज़ुजव व इस का अन्दर दाखिल शुदह हो जायेगा और शैख़ इमाम शम्स उल अइम्मा सुरख़ी ने फ़रमाया कि सही यह है कि वो हानिस नहीं होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और यह हुक्म इस वक़्त है वो खड़े खड़े दाखिल हो और अगर वो लेट कर दाखिल हुआ ख़्वाह चित या पट या करवट और ढ़ंग कर कुछ अन्दर दाखिल हुआ पस अगर इस का अक्सर बदन दार में दाखिल हो गया हो तो वो दाखिल होने वाला हो गया अगरचे इस की पिण्डलियां बाहर हों ऐसा ही इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है और अगर अपना सर दाखिल कर दिया और दोनों पांव दाखिल न किये तो हानिस न होगा और इसी तरह अगर ख़ाली हाथ बढ़ा कर कोई

इस घर में या इस की दीवार पर खड़ा हुआ या छत पर चढ़ा तो अपनी क़सम में पापी न होगा और यही मुख़्तार है इस लिए कि अजम में इस को प्रवेश नहीं मानते हैं यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है।

बाला ख़ाना का रास्ता अगर अपने नीचे के मकान से न हो बल्कि उस का रास्ता दूसरे घर में से हो तो यह बाला ख़ाना विश्वसनीय रास्ता के दूसरे घर में से माना जायेगा जिस में से उस का रास्ता है। यह मुहीत में है। अनुवादक के कथनानुसार यह उन की आम रीत है और हमारी ज़ुबान में वह वास्तव में जिस घर से है इस में माना जाऐगा समझो, ईश्वरजाने और अगर एक दरवाज़े में शौचाल्य रास्ते पर या रस्ते के साईड में गया हालांकि शौचाल्य व छत का रास्ता इसी द्वार से है तो पापी हो जायेगा और अगर एक दरवाज़े के नीचे दरवाज़ा की चौखट पर खड़ा हुआ बस अगर चौखट ऐसी हो कि अगर दरवाज़ा बन्द कर लिया जाये तो बाहर रह जाये तो पापी न होगा और अगर दरवाज़ा बन्द करने से अन्दर प्रवेश रहे तो पापी हो जायेगा और अगर अपने दोनों पांव में से एक अन्दर प्रवेश किया तो पापी न होगा और कुछ ने कहा है कि यह उस समय है कि घर का प्रवेश व निकास समतल हो और अगर प्रवेश की तरफ़ नीचा हो और इस ने अपना एक पांव अन्दर प्रवेश किया तो पापी हो जायेगा इस लिए कि ऐसी स्थिति में इस का ज़्यादा तर भाग अन्दर प्रवेशित हो जायेगा और शैख़ इमाम शम्स उल अइम्मा सुरख़ी ने फ़रमाया कि सही यह है कि वह पापी नहीं होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और यह आदेश इस समय है वह खड़े खड़े प्रवेश हो और अगर वह लेट कर प्रवेश हुआ चाहे चित या पट या करवट और ढ़ंग से कुछ अन्दर प्रवेश हुआ बस अगर इस का ज़्यादा तर शरीर घर में प्रवेश हो गया हो तो वह प्रवेश होने वाला हो गया चाहे इस की पिण्डलियां बाहर हों ऐसा ही इमाम मुहम्मद रह० से परंपरागत है और अगर अपना सर प्रवेश कर दिया और दोनों पांव प्रवेश न किये तो पापी न होगा और इसी तरह अगर ख़ाली हाथ बढ़ा कर कोई चीज़ लेली तो भी यही आदेश है। यह मुहीत में है।

चीज़ लेली तो भी यही हुक्म है। यह मुहीत में है।

अगर अपना सर और एक क़दम दाखिल किया तो हानिस हो जायेगा और अगर इस दार के दरवाज़े की तरफ़ दौडता हुआ चला आया और ठोकर खा कर फिसल कर इस दार में दाखिल हो गया तो इस में इख़्तलाफ़ है और सही यह है कि वो हानिस न होगा और अगर हुआ कि झकोरे ने इस को फैंका कि वो इस दार में जा पडा तो इस में भी इख़्तलाफ़ है और सही यह है कि वो हानिस न होगा बशर्तेकि रूक न सका हो और अगर किसी आदमी ने इस को ज़बरदस्ती मकान मज़कूर में दाखिल कर दिया पस वो इस में से निकल आया फिर ख़ुद अपनी ख़ुशी से इस में दाखिल हुआ तो इस में भी इख़्तलाफ़ है और सही यह है कि वो हानिस हो जायेगा यह ज़हीरिया में है और अगर क़सम खाई कि मैं इस दार में दाखिल न हूंगा इल्ला राह गुज़र (यानी इस से गुज़र ने जाने के तौर पर) के तौर पर तो इब्ने समाआ ने कहा कि इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि अगर वो इस में दाखिल हो और हालांकि इस का इरादा यह नहीं है कि वहां बैठे फिर बाद इस तरह दाखिल होने के इस की राये में ऐसा अम्र ज़ाहिर हुआ कि वहां बैठना चाहिए पस बैठ गया तो हानिस न होगा और अगर इस दार में किसी मरीज़ की अयादत के वास्ते दाखिल हुआ और हालत ऐसी है कि इस अयादत में इस को बैठना चाहिए है तो हानिस हो जायेगा (अगर बैठ गया) और अगर इस इरादे से दाखिल हुआ कि बैठूंगा नहीं फिर इस की राये में यह मसलहत ज़ाहिर हुई है कि बैठे पस बैठ गया तो हानिस न होगा और असल में मज़कूर है कि अगर क़सम खाई कि इस दार में दाखिल न होगा इल्ला बतौर यह गुज़र के फिर इस में बैठने की नियत से या इस में किसी मरीज़ की इयादत की नियत से या इस में खाना खाने की नियत से दाखिल हुआ और वक्त क़सम खाने के इस की कुछ नियत न थी तो हानिस हो जायेगा लेकिन अगर इस में राह रवी के तौर पर दाखिल होने के इस की राये में किसी तौर से बैठना मसलहत मालूम हुआ तो बैठने से हानिस न होगा इस वास्ते कि राह रोदह है कि वहां से गुज़र जाने की नियत से दाखिल हो पस बनियत मज़कूरह

अगर अपना सर और एक क़दम प्रवेश किया तो पापी हो जायेगा और अगर इस घर के दरवाज़े की तरफ़ दौड़ता हुआ चला आया और ठोकर खा कर फिसल कर इस घर में प्रवेश हो गया तो इस में मतभेद है और सही यह है कि वह पापी न होगा और अगर हुआ कि झकोरे ने इस को फैंका कि वह इस घर में जा पड़ा तो इस में भी मतभेद है और सही यह है कि वह पापी न होगा बशर्ते कि रूक न सका हो और अगर किसी आदमी ने इस को ज़बरदस्ती वर्णित मकान में प्रवेश कर दिया बस वह इस में से निकल आया फिर ख़ुद अपनी ख़ुशी से इस में प्रवेश हुआ तो इस में भी मतभेद है और सही यह है कि वह पापी हो जायेगा यह ज़हीरिया में है और अगर क़सम खाई कि मैं इस घर में प्रवेश न हूंगा सिवा राह गुज़र (यानी इस से गुज़रने, जाने के तौर पर) के तौर पर तो इब्ने समाआ ने कहा कि इमाम अबू यूसुफ़ रह० से परंपरागत है कि अगर वह इस में प्रवेश हो और हालांकि इस का इरादा यह नहीं है कि वहां बैठे फिर बाद इस तरह प्रवेश होने के इस की राये में ऐसा कार्य ज़ाहिर हुआ कि वहां बैठना चाहिए बस बैठ गया तो पापी न होगा और अगर इस घर में किसी रोगी का हाल जान्ने के लिए प्रवेश हुआ और हालत ऐसी है कि इस को रोगी का हाल जान्ने के लिए बैठना चाहिए है तो पापी हो जायेगा (अगर बैठ गया) और अगर इस इरादे से प्रवेश हुआ कि बैठूंगा नहीं फिर इस की राये में यह सही लगा कि बैठे बस बैठ गया तो पापी न होगा और असल में वर्णित है कि अगर क़सम खाई कि इस घर में प्रवेश न होंगा सिवा यह कि गुज़रने के तौर पर फिर इस में बैठने की इरादा से या इस में किसी रोगी का हाल जान्ने के इरादे से या इस में खाना खाने के इरादे से प्रवेश हुआ और क़सम खाने के समय इस का कुछ इरादा न था तो पापी हो जायेगा लेकिन अगर इस में चलने फिरने के तौर पर प्रवेश होने के इस की राये में किसी तौर से बैठना उचित मालूम हुआ तो बैठने से पापी न होगा इस लिए कि चलना-फिरना है कि वहां से गुज़र जाने के इरादे से प्रवेश हो बस वर्णित प्रवेश होने के इरादे से पापी न होगा हां बिना इस इरादे के अगर प्रवेश हो तो पापी हो जायेगा

दाखिल होने से हानिस न होगा हां बग़ैर इस नियत के अगर दाखिल हो तो हानिस हो जायेगा फिर फ़रमाया कि अगर वक्त क़सम खाने के दाखिल होने से इस की नियत यह हो कि इस में निर होगा यानी सुकूनत व नुज़ूल न करूंगा तो ऐसी सूरत में इस को इन सब उमूर मज़कूरह बाला की गुंजाइश है और हानिस न होगा यह बदाऐ में है।

अगर किसी मर्द ने कहा कि अगर मैं इस दार में दाखिल हूं इल्ला आंकि मैं भूल जाऊं तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है पस भूले से इस दार में दाखिल हुआ फिर याद के साथ इस में दाखिल हुआ तो हानिस न होगा :

अगर क़सम खाई कि इस दार के दरवाज़े से दाखिल न हूंगा पस ग़ैर दरवाज़े से इस में दाखिल हुआ तो हानिस न होगा और अगर दूसरा दरवाज़ा फोड इस में से दाखिल हुआ तो हानिस हो जायेगा और अगर क़सम में इसी दरवाज़ा की तअय्युन कर दी हो तो दूसरे दरवाज़े से दाखिल होने से हानिस न होगा और यह ज़ाहिर है और अगर लफ़्ज़ में इस की तअय्युन न की हो लेकिन दिल में नियत यही हो तो क़ज़ाअन इस के क़ौल की तसदीक़ न होगी यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि मैं इस दार में या दार फ़लां में दाखिल न हूंगा फिर इस दार के नीचे सर दाब खोदा और इस में दाखिल हुआ या नीचे कारेज़ है जिस में दाखिल हुआ तो हानिस न होगा और अगर कारेज़ में से कोई जगह दार में खुली हुई हो पस अगर ज़्यादा खुली हो यानी इस क़द्र हो कि अहले दार इस का रेज़ से इस क़द्र कुशादगी से इन्तफ़ाअ हासिल करते हों यानी पानी लेते हों तो जब इस मक़ाम पर पहुंचेगा तो हानिस हो जायेगा और अगर कम हो खफ़ीफ़ कि अहले दार को इस से कुछ इन्तफ़ाअ हासिल न होता हो यह फ़क़त कारेज़ की रौशनी के वास्ते हो तो हानिस न होगा यह ख़ुलासा में है। अगर किसी मर्द ने कहा कि अगर मैं इस दार में दाखिल हूं इल्ला आंकि मैं भूल जाउं तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है पस भूले से इस दार में दाखिल हुआ फिर याद के साथ इस में दाखिल हुआ तो हानिस

फिर फ़रमाया कि अगर समय क़सम खाने के प्रवेश होने से इस की इरादा यह हो कि इस में अलग होगा यानी निवास व प्रवेश न करूंगा तो ऐसी स्थिति में इस को इन सब उक्त वर्णित कार्य की गुंजाइश है और पापी न होगा यह बदाऐ में है।

अगर किसी मर्द ने कहा कि अगर मैं इस घर में प्रवेश हूं सिवा यह कि मैं भूल जाऊं तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है बस भूले से इस घर में प्रवेश हुआ फिर याद के साथ इस में प्रवेश हुआ तो पापी न होगा :

अगर क़सम खाई कि इस घर के दरवाज़े से प्रवेश न हूंगा बस ग़ैर दरवाज़े से इस में प्रवेश हुआ तो पापी न होगा और अगर दूसरा दरवाज़ा फोड़ इस में से प्रवेश हुआ तो पापी हो जायेगा और अगर क़सम में इसी दरवाज़ा को निश्चित कर दिया हो तो दूसरे दरवाज़े से प्रवेश होने से पापी न होगा और यह स्पष्ट है और अगर शब्द में इस को नियुक्त न किया हो लेकिन दिल में इरादा यही हो तो न्यायीक तौर पर इस के कथन की पुष्टि न होगी यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि मैं इस घर में या फ़लां घर में प्रवेश न हूंगा फिर इस घर के नीचे तह ख़ाना खोदा और इस में प्रवेश हुआ या नीचे पटी हुई नाली है जिस में प्रवेश हुआ तो पापी न होगा और अगर पटी हुई नाली में से कोई जगह घर में खुली हुई हो बस अगर ज़्यादा खुली हो यानी इतनी हो घर वाले इस के बहाव से इतनी विस्तृत भाव से लाभ प्राप्त करते हों यानी पानी लेते हों तो जब इस मक़ाम पर पहुंचेगा तो पापी हो जायेगा और अगर कम हो थोड़ा कि घर वालों को इस से कुछ लाभ प्राप्त न होता हो यह केवल पटी नली रौशनी के लिए हो तो पापी न होगा यह ख़ुलासा में है। अगर किसी मर्द ने कहा कि अगर मैं इस घर में प्रवेश हूं सिवा यह कि मैं भूल जाउं तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है बस भूले से इस घर में प्रवेश हुआ फिर याद के साथ इस में प्रवेश हुआ तो पापी न होगा और अगर

न होगा और अगर कहा कि मैं इस दार में दाखिल हूं इल्ला भूले से तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो याद के साथ दाखिल होने पर हानिस हो जायेगा यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि इस दार में दाखिल न हूंगा हालांकि वो इस में मौजूद है फिर कई रोज़ इस में रहा तो इस्तहसानन हानिस न होगा यहां तक कि इस में से निकल कर फिर दाखिल हो। यह काफ़ी में है।

इब्ने समाआ ने इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत की है कि एक शख़्स ने कहा कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैं इस दार में कोई बार दाखिल हूं इल्ला आंकि मुझे फ़लां हुक्म करे पस फ़लां ने इस को एक बार हुक्म कर दिया पस अगर वो इस बार के हुक्म से दाखिल हुआ तो हानिस न होगा और नीज़ बाद इस के अगर बिला हुक्म भी दाखिल हुआ तो हानिस न होगा और इस की क़सम साक़ित हो गई और अगर कहा कि मैं इस दार में कोई बार दाखिल हुआ इल्ला बहुक्मे फ़लां तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर फ़लां ने इस को एक बार दाखिलहोने का हुक्म दे दिया फिर दूसरे बार बग़ैर हुक्म फ़लां दाखिल हुआ तो हानिस हो जायेगा और इस सूरत में फिर फ़लां ने इस को एक बार दाखिल होने का हुक्म दे दिया फिर वो दूसरे बार बग़ैर हुक्म फ़ला दाखिल हुआ तो हानिस हो जायेगा और इस सूरत में हर बार इजाज़त ज़रूरी है यह बदाऐ में है और शरह करखी में मज़कूर है कि इब्ने समाआ ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की है कि अगर किसी ने दूसरे से कहा कि वल्लाह तेरे इस दार में आज कोई दाखिल न होगा तो यह क़सम सिवाऐ मालिक मकान के औरों पर होगी चुनांचे अगर मालिक मकान ख़ुद दाखिल हुआ तो क़सम खाने वाला हानिस न होगा और अगर सिवाऐ इस के दूसरा गया तो हानिस हो जायेगा और अगर ख़ुद क़सम खाने वाला गया तो भी हानिस हो जायेगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है और अगर क़सम खाई कि इस दार को अपने क़दमों से तेय न करूंगा फिर सवार हो कर इस में गया तो हानिस हो जायेगा और अगर क़सम खाई कि इस दार में अपना क़दम न रखूंगा फिर इस मे सवार होकर दाखिल हुआ तो हानिस हो जायेगा और अगर इस ने यह

कहा कि मैं इस घर में प्रवेश हूं सिवा भूले से तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो याद के साथ प्रवेश होने पर पापी हो जायेगा यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि इस घर में प्रवेश न हूंगा हालांकि वह इस में मौजूद है फिर कई दिन इस में रहा तो इस्तहसानन पापी न होगा यहां तक कि इस में से निकल कर फिर प्रवेश हो। यह काफ़ी में है।

इब्ने समाआ ने इमाम मुहम्मद रह० से वर्णन किया है कि एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैं इस घर में कोई बार प्रवेश हूं सिवा यह कि मुझे फ़लां आदेश दे बस फ़लां ने इस को एक बार आदेश कर दिया बस अगर वह इस बार के आदेश से प्रवेश हुआ तो पापी न होगा और बाद भी इस के अगर बिना आदेश भी प्रवेश हुआ तो पापी न होगा और इस की क़सम रदद हो गई और अगर कहा कि मैं इस घर में कोई बार प्रवेश हुआ सिवा फ़लां के आदेश के तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर फ़लां ने इस को एक बार प्रवेश होने का आदेश दे दिया फिर दूसरे बार बग़ैर फ़लां के आदेश के प्रवेश हुआ तो पापी हो जायेगा और इस स्थिति में फिर फ़लां ने इस को एक बार प्रवेश होने का आदेश दे दिया फिर वह दूसरे बार बग़ैर आदेश फ़ला प्रवेश हुआ तो पापी हो जायेगा और इस स्थिति में हर बार आज्ञा ज़रूरी है यह बदाऐ में है और शरह करखी में वर्णित है कि इब्ने समाआ ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की है कि अगर किसी ने दूसरे से कहा कि वल्लाह तेरे इस घर में आज कोई प्रवेश न होगा तो यह क़सम सिवाऐ मालिक मकान के औरों पर होगी चुनांचे अगर मालिक मकान ख़ुद प्रवेश हुआ तो क़सम खाने वाला पापी न होगा और अगर सिवाऐ इस के दूसरा गया तो पापी हो जायेगा और अगर ख़ुद क़सम खाने वाला गया तो भी पापी हो जायेगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है और अगर क़सम खाई कि इस घर को अपने क़दमों से तय न करूंगा फिर सवार हो कर इस में गया तो पापी हो जायेगा और अगर क़सम खाई कि इस घर में अपना क़दम न रखूंगा फिर इस मे सवार होकर प्रवेश हुआ तो पापी हो जायेगा और अगर इस ने यह इरादा

नियत की कि हक़ीक़त में क़दम न रखूंगा यानी पैदल तो इस की नियत पर होगा और इसी तरह अगर इस में जूता पहन कर या बग़ैर जूता पहने तो भी यही हुक्म है और यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि अगर अमीं दार फ़लां में क़दम रखूं तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है पस इस ने अपने एक पांव को इस में दाखिल किया तो ज़ाहिर उल रिवायत के मुवाफ़िक़ हानिस न होगा। यह मुहीत में है। क़ालल मुतरजम हमारे उर्फ़ में हानिस होना चाहिए वल्लाहु आलम आंकि रिवायत किताब में यूं हो कि अगर मैं अपने दोनों क़दम इस में रखूं ऐ आखिरह तो ऐसा न होना फ़्न-फ़हम। एक शख़्स ने क़सम खाई कि महल्ला फ़लां में दाखिल न हूंगा फिर वो ऐसे दार में दाखिल हुआ कि इस केदो दरवाज़े हैं जिस में से एक इस महल्ले में और दूसरा दूसरे महल्ले में है तो अपनी क़सम में हानिस होगा एक शख़्स ने क़सम खाई कि बल्ख में न जाउंगा तो यह क़सम खास शहर पर क़रार दी जायेगी न इस के गांव पर और अगर क़सम खाई कि मदीना (मदीना शहर व क़सबा) बल्ख में दाखिल न हूंगा तो क़सम शहर बल्ख और इस के रबज़ (चरागाह) पर होगी ईस वास्ते कि रबज़ भी मदीना में शुमार होता है और अगर क़सम खाने वाले ने खासतुल शहर की नियत की हो तो इस की नियत पर रखा जायेगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां गांव में न जाउंगा फिर इस गांव की ज़मीन में गया तो हानिस न होगा और क़सम मज़कूर इस गांव की आबादी पर क़रार दी जायेगी और इसी तरह अगर क़सम खाई कि फ़लां बलद में न जाउंगा तो यह क़सम खास इस की आबादी पर क़रार दी जायेगी इस वास्ते कि बलद इसी क़द्र का नाम है जो रबज़ के अन्दर है और अगर क़सम खाई कि बग़दाद में दाखिल न हूंगा तो इस के हर दो जानिब में से जिस जानिब से दाखिल होगा हानिस हो जायेगा और अगर क़सम खाई कि मदीनतुल सलाम में दाखिल न होंगा तो हानिस न होगा जबतक कि नाहिया कूफ़ा से दाखिल न हुआ इस वास्ते कि नाम बग़दाद शामिल है हर दो जानिब को और मदीनतुल सलाम ऐसा नहीं है और अगर क़सम खाई कि रे में दाखिल न हूंग तो शम्सुल अइम्मा सुरखी ने शरह

की कि वास्तव में क़दम न रखूंगा यानी पैदल हो तो इस के इरादे पर होगा और इसी तरह अगर इस में जूता पहन कर या बग़ैर जूता पहने तो भी यही आदेश है और यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि अगर अमीं घर फ़लां में क़दम रखूं तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है बस इस ने अपने एक पांव को इस में प्रवेश किया तो ज़ाहिर उल रिवायत के मुवाफ़िक़ पापी न होगा यह मुहीत में है। अनुवादक के कथनानुसार हमारी रीत में पापी होना चाहिए अल्लाह जाने यह कि परंपरा किताब में यूं हो कि अगर मैं अपने दोनों क़दम इस में रखूं ऐ अंत तो ऐसा न होगा समझो। एक व्यक्ति ने क़सम खाई कि फ़लां महल्ले में प्रवेश न हूंगा फिर वह ऐसे घर में प्रवेश हुआ कि इस के दो दरवाज़े हैं जिस में से एक इस महल्ले में और दूसरा दूसरे महल्ले में है तो अपनी क़सम में पापी होगा एक व्यक्ति ने क़सम खाई कि बल्ख में न जाउंगा तो यह क़सम खास शहर पर क़रार दी जायेगी न इस के गांव पर और अगर क़सम खाई कि मदीना (मदीना शहर व क़सबा) बल्ख में प्रवेश न हूंगा तो क़सम शहर बल्ख और इस के रबज़ (चरागाह) पर होगी इसी लिए कि रबज़ भी मदीना में माना जाता है और अगर क़सम खाने वाले ने विशेष शहर का इरादा की हो तो इस के इरादा पर रखा जायेगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां गांव में न जाउंगा फिर इस गांव की ज़मीन में गया तो पापी न होगा और वर्णित क़सम इस गांव की आबादी पर क़रार दी जायेगी और इसी तरह अगर क़सम खाई कि फ़लां ज़मीन में न जाउंगा तो यह विशेष क़सम इस की आबादी पर क़रार दी जायेगी इस लिए कि उतनी ज़मीन का नाम है जो बाउंडरी के अन्दर है और अगर क़सम खाई कि बग़दाद में प्रवेश न हूंगा तो इस के हर ओर में से जिस ओर से प्रवेश होगा पापी हो जायेगा और अगर क़सम खाई कि मदीनतुल सलाम में प्रवेश न होंगा तो पापी न होगा जब तक कि नाहिया कूफ़ा से प्रवेश न हुआ इस लिए कि नाम बग़दाद शामिल है हर तरफ़ को और मदीनतुल सलाम ऐसा नहीं है और अगर क़सम खाई कि रे में प्रवेश न हूंगा तो शम्सुल अइम्मा सुरखी ने शरह इजारात में वर्णन किया है कि रे बिना बर ज़ाहिरूल

इजारात में ज़िक्र किया है कि रे बिना बर ज़ाहिरूल रिवायात के शहर व इस के नवाह सब को शामिल है इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि समर क़न्द व ओज़जन्द खास मदीने का नाम है (यानी शहर मअ रबज़) और सग़द व फ़रग़ाना व फ़ारस यह शहरों मअ (1) नवाह के देहात सब को शामिल हैं। और अगर किसी ने क़सम खाई कि फ़रात में दाखिल न हूंगा पस कश्ती में सवार हो कर फ़रात से गुज़रा या फ़रात के पुल से गुज़रा तो हानिस न होगा जब तक कि खास पानी के अन्दर दाखिल न हो। यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर क़सम खाई कि बसरह में दाखिल न होगा फिर इस के किसी गांव में गया तो हानिस हो जायेगा और अगर किसी ने क़सम खाई कि बग़दाद में दाखिल न होगा फिर कश्ती में सवार हो कर बगदाद से गुज़रा तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि हानिस हो जायेगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने कहा कि हानिस न होगा और इसी पर फ़तवा है यह मुहीत सुरखी में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां परगना या फ़लां देय में दाखिल न होगा तो इस की ज़मीन में जाने से हानिस होगा और बाज़ों ने कहा कि अगर लफ़्ज़ को रह कहा यानी कोरह में दाखिल न होगा तो कोरह भी खाली आबादी का नाम है पस इस की ज़मीन में दाखिल होने से हानिस न होगा और यही अज़हर है और मशाइख ने इख़्तलाफ़ किया है कि बुखारा आया आबादी का नाम है या शामिल नवाह है और फ़तवा इस पर है कि वो फ़क़त आबादी का नाम है और शाम सोदह एक विलायत का नाम है और ऐसे ही ख़ुरासान और ऐसा ही अरीना चुनांचे अगर इन में से किसी में दाखिल न होने की क़सम खाई तो इन में से किसी के गांव (ज़मीन में अगर आबादी ना हो) में दाखिल होने से हानिस हो जायेगा और इसी तरह तुर्किस्तान भी विलायत का नाम है और यह मुहीत में है। अगर क़सम खाई कि इस कूचे में दाखिल न होगा फिर इस कूचे के किसी दार में छतों की राह से दाखिल हो गया और कूचे में क़दम न रखा तो फ़क़ीह अबूबकर

(1) मअ नवाह अल-ग़रज़ अगर वोह मक़ाम उमूमन नवाह को भी शामिल हो तो क़सम सब पर होगी वरना फ़क़त शहर पर होगी।

रिवायात के शहर व इस के नवाह सब को शामिल है इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि समरक़न्द व ओज़जन्द मदीने का विशेष नाम है (यानी शहर चारदीवारी के) और सग़द व फ़रग़ाना व फ़ारस यह शहरों(1)व समीपवर्ती देहात सहित सब सम्मिलित हैं। और अगर किसी ने क़सम खाई कि फ़रात में प्रवेश न हूंगा बस कश्ती में सवार हो कर फ़रात से गुज़रा या फ़रात के पुल से गुज़रा तो पापी न होगा जब तक कि विशेष जल के अन्दर प्रवेश न हो। यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर क़सम खाई कि बसरह में प्रवेश न होगा फिर इस के किसी गांव में गया तो पापी हो जायेगा और अगर किसी ने क़सम खाई कि बग़दाद में प्रवेश न होगा फिर कश्ती में सवार हो कर बगदाद से गुज़रा तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि पापी हो जायेगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने कहा कि पापी न होगा और इसी पर फ़तवा है यह मुहीतुल सुरखी में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां परगना या फ़लां देय में प्रवेश न होगा तो इस की ज़मीन में जाने से पापी होगा और कुछ ने कहा कि अगर शब्द कोरह कहा यानी कोरह में प्रवेश न होगा तो कोरह भी खाली आबादी का नाम है बस इस की ज़मीन में प्रवेश होने से पापी न होगा और यही अज़हर है और विद्वानों ने मतभेद किया है कि बुखारा आया आबादी का नाम है या शामिल नवाह है और फ़तवा इस पर है कि वह केवल आबादी का नाम है और शाम सोदह एक विलायत का नाम है और ऐसे ही ख़ुरासान और ऐसा ही अरीना चुनांचे अगर इन में से किसी में प्रवेश न होने की क़सम खाई तो इन में से किसी के गांव (ज़मीन में अगर आबादी ना हो) में प्रवेश होने से पापी हो जायेगा और इसी तरह तुर्किस्तान भी विलायत का नाम है और यह मुहीत में है। अगर क़सम खाई कि इस कूचे में प्रवेश न होगा फिर इस कूचे के किसी घर में छतों की रास्ते से प्रवेश हो गया और कूचे में क़दम न रखा तो फ़क़ीह अबूबकर इस्काफ़ ने फ़रमाया कि यह पापी न होने से

(1) समीपवर्ती क्षेत्र सहित मतलब अगर वह स्थान आम तौर पर निकटवर्ती क्षेत्र को भी शामिल हो तो क़सम सब पर होगी वरना केवल शहर पर होगी।

इस्काफ़ ने फ़रमाया कि यह हानिस न होने से अक़रब है और फ़क़ीह अबुल्लैस रह० ने फ़रमाया कि यह हानिस हो जाने से क़रीब तर है और वल वजीह में कहा कि इसी पर फ़तवा है और ज़हीरिया में लिखा है कि सही यह है कि वो हानिस न होगा जब कि वो कूचे में नहीं निकला है यह तातारखानिया में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां के कूचे में न जाउंगा फिर वो इस कूचे की मस्जिद में दाखिल हो गया बदूं इस के कि इस कूचे में दाखिल हो तो हानिस न होगा और यही मुख़्तार है यह ख़ुलासा में है।

अगर क़सम खाई कि फ़लां दार ममलूका में दाखिल न हूंगा फिर ऐसे घर में दाखिल हुआ जिस को इस ने दूसरे को किराया पर दे दिया है तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि वो हानिस हो जायेगा :

अगर क़सम खाई कि फ़लां के दार में दाखिल न होगा और कुछ नियत नहीं की है फिर ऐसे दार में दाखिल हुआ जिस में फ़लां मज़कूर किराया पर या आरियतन रहता है तो नातफ़ी ने ज़िक्र किया है कि वो हानिस हो जायेगा और अगर फ़लां मज़कूर के ममलूका दार में दाखिल हुआ हालांकि फ़लां इस में नहीं रहता है तो भी हानिस हो जायेगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां के बैत में दाखिल न होगा फिर ऐसे बैत में दाखिल हुआ कि जिस में फ़लां मज़कूर किराया पर आरियत रहता है तो हानिस हो जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां के दार ममलूका में दाखिल न होंगा फिर ऐसे घर में दाखिल हुआ जिस को इस ने दूसरे को किराया पर दे दिया है तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि वो हानिस हो जायेगा और अगर क़सम से कहा कि फ़लां की दुकान में न जाउंगा फिर इस की ऐसी दुकान में दाखिल हुआ है इस के दाखिल होने से हानिस न होगा और अगर फ़लां मज़कूर दुकान में रहने से मअरूफ़ न हो तो हानिस हो जायेगा इस वास्ते कि हम जानते हैं कि ऐसी सूरत में हालिफ़ ने फ़लां की दुकान कहने से सुकूनत मुराद नहीं ली है बल्कि

निकट है और फ़क़ीह अबुल्लैस रह० ने फ़रमाया कि यह पापी हो जाने से अति निकट है और वल वाजिहा में कहा कि इसी पर फ़तवा है और ज़हीरिया में लिखा है कि सही यह है कि वह पापी न होगा जब कि वह कूचे में नहीं निकला है यह तातार खानिया में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां के कूचे में न जाउंगा फिर वह इस कूचे की मस्जिद में प्रवेश हो गया बजाए इस के कि इस कूचे में प्रवेश हो तो पापी न होगा और यही मुख़्तार है यह ख़ुलासा में है।

अगर क़सम खाई कि फ़लां ग़ुलाम के घर में प्रवेश न हूंगा फिर ऐसे घर में प्रवेश हुआ जिस को इस ने दूसरे को किराया पर दे दिया है तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि वह पापी हो जायेगा :

अगर क़सम खाई कि फ़लां के घर में प्रवेश न होगा और कुछ इरादा नहीं किया है फिर ऐसे घर में प्रवेश हुआ जिस में फ़लां वर्णित किराये पर या अस्थाई रहता है तो नातफ़ी ने वर्णन किया है कि वह पापी हो जायेगा और अगर फ़लां वर्णित के ग़ुलाम के घर में प्रवेश हुआ हालांकि फ़लां इस में नहीं रहता है तो भी पापी हो जायेगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां के घर में प्रवेश न होगा फिर ऐसे घर में प्रवेश हुआ कि जिस में फ़लां वर्णित किराया पर अस्थाई रहता है तो पापी हो जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां ग़ुलाम के घर में प्रवेश न होंगा फिर ऐसे घर में प्रवेश हुआ जिस को इस ने दूसरे को किराया पर दे दिया है तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि वह पापी हो जायेगा और अगर क़सम से कहा कि फ़लां की दुकान में न जाउंगा फिर इस की ऐसी दुकान में प्रवेश हुआ है इस के प्रवेश होने से पापी न होगा और अगर फ़लां वर्णन दुकान में रहने से सुप्रसिद्ध न हो तो पापी हो जायेगा इस लिए कि हम जानते हैं कि ऐसी स्थिति में शपथकर्ता ने फ़लां की दुकान कहने से सुकूनत तात्पर्य नहीं ली है बल्कि अधीनता तात्पर्य ली है और अगर क़सम खाई कि

मिल्कियत मुराद ली है और अगर क़सम खाई कि मैं फ़लां के दार में न जाउंगा फिर ऐसे घर में गया जो फ़लां के और दूसरे के दरमियान मुशतरिक है पस अगर फ़लां मज़कूर इस में रहता हो तो हानिस हो जायेगा और अगर न रहता हो तो हानिस न होगा यह बदाऐ में है। अगर क़सम खाई कि बैत फ़लां में दाखिल न होंगा और इस की कुछ नियत नहीं है फिर इस के दार के सहन में गया तो हानिस न होगा जब तक कि बैत में दाखिल न हो और मशाइख ने फ़रमाा कि यह उर्फ़ हज़रात अइम्मा रहमहमुल्लाह के दयार का है और हमारे उर्फ़ में दार व बैत एक ही है पस जब सहन दार में दाखिल होगा तो हानिस हो जायेगा और इसपर फ़तवा है। क़ालल मुतरजम अगर बैत की तफ़सीर मुवाफ़िक़ इस की तारीफ़ के हमारी ज़बान में कोठरी हो और दार घर हो तो हमारा उर्फ़ भी मुवाफ़िक़ उर्फ़ अइम्मा रहमहुमुल्लाह तआला होगा। 'वल्हम्दु लिल्लाहि अला ज़ालिक व हाज़ा हुवल उक़रब इन्दी। वल्लाहु आलम।

एक शख़्स ने क़सम खाई कि ऐसे दार में न जाउंगा जिस को फ़लां खरीद ले फिर फ़लां ने एक दार खरीदा और हालिफ़ के हाथ उस को फ़रोख़्त कर दिया फिर हालिफ़ इस में गया तो हानिस न होगाः

एक शख़्स एक मन्ज़िल के किसी बैत में बैठा है इस वास्ते कि इस के माविरा को दार व मन्ज़िल के नाम से बोलते हैं क़ालल मुतरजम هذا اذا لیم یکن فی المنزل بیت آخر والّا فلا یتنهض هذا الاستدلال فافهم (1) और यह हुक्म इस वक्त है कि क़सम बज़ुबान अरबी हो और अगर क़सम बज़ुबान फ़ारसी हो तो क़सम इस मन्ज़िल और इस दार पर वाक़े होगी क़ालल मुतरजम और हमारे उर्फ़ में बिना बर तफ़सीर मज़कूरह बाला हुक्म मुवाफ़िक़ ज़बान अरबी है वल्लाहु आलम और अगर इस ने कहा कि मैंने यही बैत जिस में बैठा था मुराद लिया था यानी

(1) इस्तदलाल मेरे नज़दीक यह है कि जब इस ने कहा कि यह मकान तो इशारा है अगर सिवाए इस मकान के जहां बैठा है दूसरा बतरफ़ राजअ हो तो तरजीह से मरजह बल्कि मरजूअ है पस मुरादयही जगह है क्यों कि ही अम्र सही है।

मैं फ़लां के घर में न जाउंगा फिर ऐसे घर में गया जो फ़लां के और दूसरे के बीच साझा है बस अगर फ़लां वर्णित इस में रहता हो तो पापी हो जायेगा और अगर न रहता हो तो पापी न होगा यह बदाऐ में है। अगर क़सम खाई कि फ़लां के मकान में प्रवेश न होंगा और इस की कुछ इरादा नहीं है फिर इस के घर के सहन में गया तो पापी न होगा जब तक कि मकान में प्रवेश न हो और विद्वानों ने कहा कि यह रीत अइम्मा हज़रात रहमहमुल्लाह के क्षेत्र का है और हमारे ज़माने में घर व मकान एक ही है बस जब घर के सहन में प्रवेश होगा तो पापी हो जायेगा और इस पर फ़तवा है। अनुवादक के कथनानुसार अगर मकान की व्याख्या सर्वसम्मित से उस की परिभाषा के अनुकूल हमारी भाषा में कोठरी हो और घर घर हो तो हमारे समय में भी अइम्मा रहमहुमुल्लाह तआला के अनुकूल होगा। सब प्रशंसाऐं उस अल्लाह के लिए जो हर समय शह-रग से भी निकट है।

एक व्यक्ति ने क़सम खाई कि ऐसे घर में न जाउंगा जिस को फ़लां खरीद ले फिर फ़लां ने एक घर खरीदा और शपथकर्ता के हाथ उस को फ़रोख़्त कर दिया फिर शपथकर्ता इस में गया तो पापी न होगाः

एक व्यक्ति एक माले के किसी घर में बैठा है इस लिए कि इस के परे को घर व मन्ज़िल के नाम से बोलते हैं अनुवादक के कथनानुसार(1)और यह आदेश उस समय है कि क़सम अरबी भाषा हो और अगर क़सम फ़ारसी भाषा में हो तो क़सम इस मन्ज़िल और इस घर पर स्थपित होगी अनुवादक के कथनानुसार और हमारे समय में व्याख्या के आधार पर उपरोक्त वर्णित आदेश अरबी भाषा के अनुकूल है अल्लाह जाने और अगर इस ने कहा कि मैंने यही घर जिस में बैठा था तात्पर्य लिया था यानी फ़ारसी भाषा में क़सम खा कर यह दावा किया तो

(1) इस्तदलाल मेरे निकट यह है कि जब इस ने कहा कि यह मकान तो इशारा है अगर सिवाए इस मकान के जहां बैठा है दूसरा प्रत्यागामी हो तो वरीयता से प्रभावी बल्कि पलटना है पस तात्पर्य यही जगह है क्यों कि यही आदेश सही है।

फ़ारसी ज़बान में क़सम खा कर यह दावा किया तो दयानतन इस की तसदीक़ की जायेगी न क़ज़ाअन इस वास्ते कि फ़ारसी में लफ़्ज़ खाना नाम कल का है और बैत के वास्ते इस्मे खास होता है जैसे ताबखाना व काशाना व ज़मस्तानी वग़ैरह और क़ालल मुतरज्जिम(1) وفيه نظر فان تابخانه وغيره ذلك مما من شانه البيوته ينبغى ان يكون بيتا لا بخصوص اسمه بل بالمعنى الذى ذكر ناوان كان لكل من ذلك اسم خاص ايضا وذالك لا يوجب عدم صدق العام عليه فليتامل और यह सब इस वक्त है कि इस ने किसी बैत मुअय्यन की तरफ़ इशारह किया और अगर किसी बैत मुअय्यन की तरफ़ इशारह किया हो तो ऐतबार इस के इशारह का होगा और एक शख़्स ने क़सम खाई कि ऐसे दार में न जाउंगा जिस को फ़लां खरीद ले फिर फ़लां ने एक दार खरीदा और हालिफ़ के हाथ इस को फ़रोख़्त कर दिया फिर हालिफ़ इस में गया तो हानिस न होगा और अगर फ़लां ने दार खरीद कर के हालिफ़ को हिबा कर दिया फिर हालिफ़ इस में गया तो हानिस हो जायेगा इस वास्ते कि खरीद अव्वल का हुक्म दूसरी खरीद से मुरतफ़अ हो गया और हुबा से मुरतफ़अ न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

क़ालल मुतरजम ينبغى ان لا يحنث فانهما فى معنى البيع وفيه مسامحة فافهم और क़सम खाई कि दार फ़लां में दाखिल न हूंगा और फ़लां का एक दार ऐसा है कि इस में रहा करता है और दूसरा दार किराये पर चलता है तो किराया वाले घर में दाखिल होने से हानिस न होगा बशर्तेकि कोई दलील ऐसी इस मक़ाम पर न हो कि इस की क़सम के आम मअनी दोनों को शामिल होने पर दलालत करती हो यह मुहीत सुरखी में है और अगर यूं कहा कि वल्लाह मैं इस दार में दाखिल न हूंगा फिर फ़लां मज़कूर ने यह दार किसी के हाथ फ़रोख़्त कर दिया फिर हालिफ़ इस में दाखिल हुआ तो इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के नज़दीक हानिस न होगा

(1)हामिल नज़र आंकि लफ़्ज़ खाना जबकि अअम है पस यही घर मुराद लेना क़ज़ाअन भी मुमकिन है वजह ताम्मुल यह है कि बदर यहां उर्फ़ पर है यह बहस लुग़त पर पस उर्फ़ मुराद लिया जाये।

दयानतन इस की पुष्टि की जायेगी न क़ज़ाअन इस लिए कि फ़ारसी में लफ़्ज़ खाना नाम कल का है और बैत के लिए इस्मे खास होता है जैसे ताबखाना व काशाना व ज़मस्तानी वग़ैरह और अनुवादक के कथनानुसार(1) وفيه نظر فان تابخانه وغيره ذلك مما من شانه البيوته ينبغى ان يكون بيتا لا بخصوص اسمه بل بالمعنى الذى ذكر ناوان كان لكل من ذلك اسم خاص ايضاً وذالك لا يوجب عدم صدق العام عليه فليتامل और यह सब इस समय है कि इस ने किसी निश्चित घर की तरफ़ इशारा न किया और अगर किसी निश्चित घर की तरफ़ इशारा किया हो तो भरोसा इस के इशारे का होगा और एक व्यक्ति ने क़सम खाई कि ऐसे घर में न जाउंगा जिस को फ़लां खरीद ले फिर फ़लां ने एक घर खरीदा और शपथकर्ता के हाथ इस को बेच दिया फिर शपथकर्ता इस में गया तो पापी न होगा और अगर फ़लां ने घर खरीद कर के शपथकर्ता को तोहफ़ा दे दिया फिर शपथकर्ता इस में गया तो पापी हो जायेगा इस लिए कि पहले खरीदने का आदेश दूसरी खरीद से ऊँचा हो गया और तोहफ़ा से ऊँचा न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अनुवादक के कथनानुसार ينبغى ان لا يحنث فانهما فى معنى البيع وفيه مسامحة فافهم और क़सम खाई कि घर फ़लां में प्रवेश न हूंगा और फ़लां का एक घर ऐसा है कि इस में रहा करता है और दूसरा घर किराये पर चलता है तो किराया वाले घर में प्रवेश होने से पापी न होगा बशर्ते कि कोई तर्क ऐसे इस स्थान पर न हो कि इस की क़सम के आम अर्थों में दोनों को शामिल होने पर तर्क करता हो यह मुहीत सुरखी में है और अगर यूं कहा कि वल्लाह मैं इस घर में प्रवेश न हूंगा फिर फ़लां वर्णित ने यह घर किसी के हाथ बेच दिया फिर शपथकर्ता इस में प्रवेश हुआ तो इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के निकट पापी न होगा यह ख़ुलासा में है और एक औरत ने क़सम खाई कि इस

(1)मन्नत धारण कर्ता यह कि घर जबकि सामान्य है बस यही घर तात्पर्य लेना न्यायिक तौर भी मुमकिन है संकोच का कारण यह है कि घर के बाहर यहां समय पर है यह बहस बोली पर बस समय तात्पर्य लिया जाये।

यह ख़ुलासा में है और एक औरत ने क़सम खाई कि इस का शौहर इसके दार में दाखिल न होगा पस इसने अपने दार को फ़रोख़्त कर दिया फिर इस का शौहर इस दार में आया पस अगर इस ने यह नियत की थी कि ऐसे दार में दाखिल न होगा जिस में वो रहती हो तो बैअ करने से क़सम बातिल न होगी और अगर इस की कुछ नियत न हो तो क़सम इस के दार ममलूका पर वारिद होगी फिर जब इस ने बैअ कर दिया तो क़सम बाक़ी न रहेगी यह इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ का क़ौल है। अगर क़सम खाई कि ज़ैद के दार में दाखिल न हूंगा फिर ज़ैद ने अपना निस्फ़ दार फ़रोख़्त किया मगर ज़ैद इस में रहता है पस हालिफ़ दाखिल हुआ तो हानिस हो जायेगा और अगर इस मकान को बदल दिया हो तो शैख़ेन रह० के नज़दीक दाखिल होने से हानिस न होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि फ़लां के दार में दाखिल न हूंगा फिर फ़लां ने अपना दार फ़रोख़्त कर दिया और ख़ुद इस मकान को छोड़ कर दूसरे मकान में चला गया फिर हालिफ़ मकान मज़कूर में दाखिल हुआ तो हानिस न होगा और यह शैख़ेन रह० का क़ौल है और इसी तरह अगर क़सम खाई कि अपनी बीवी ` घर में दाखिल न हूंगा पस औरत ने अपना घर किसी के हाथ फ़रोख़्त कर दिया फिर हालिफ़ न इस को मुशतरी से किराये पर ले लिया पस अगर क़सम खा लेना औरत की तरफ़ से किसी बात पर हो तो हानिस न होगा और अगर क़सम बसबब कराहत इसी दार के हो तो हानिस हो जायेगा एक शख़्स ने फ़ारसी में क़सम खाई कि दो(2) दार फ़लां दाखिल नशवद व ला चीज़ी शिगुफ़त बोर फिर अहले दार पर क़त्ल या हदम या आग लगने या मौत वग़ैरह की कोई बला नाज़िल हुई पस हालिफ़ दाखिल हुआ तो हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर क़सम खाई कि दार ज़ैद में दाखिल न होगा पस ज़ैद ने उमरो से एक दार मुस्तआर लिया बदीं ग़र्ज़ कि इस में तआम वलीमा करदे फिर हालिफ़ इस में दाखिल हुआ तो हानिस न होगा लेकिन अगर उम्रो इस

(2) फ़लां के घर में न जाउंगा अगर यह कि कोई अजीब बात पेश आये।

का शौहर इस के घर में प्रवेश न होगा बस इस ने अपने घर को बेच दिया फिर इस का पति इस घर में आया बस अगर इस ने यह इरादा की थी कि ऐसे घर में प्रवेश न होगा जिस में वह रहती हो तो विक्रय करने से क़सम अमान्य न होगी और अगर इस की कुछ इरादा न हो तो क़सम इस के ग़ुलाम के घर पर उतरेगी फिर जब इस ने विक्रय कर दिया तो क़सम बाक़ी न रहेगी यह इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ का कथन है। अगर क़सम खाई कि ज़ैद के घर में प्रवेश न हूंगा फिर ज़ैद ने अपना आधा घर बेच दिया मगर ज़ैद इस में रहता है बस शपथकर्ता प्रवेश हुआ तो पापी हो जायेगा और अगर इस मकान को बदल दिया हो तो शैख़ेन रह० के निकट प्रवेश होने से पापी न होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि फ़लां के घर में प्रवेश न हूंगा फिर फ़लां ने अपना घर बेच दिया और ख़ुद इस मकान को छोड़ कर दूसरे मकान में चला गया फिर शपथकर्ता वर्णित मकान में प्रवेश हुआ तो पापी न होगा और यह शैख़ेन रह० का कथन है और इसी तरह अगर क़सम खाई कि अपनी बीवी के घर में प्रवेश न हूंगा बस औरत ने अपना घर किसी के हाथ बेच दिया फिर शपथकर्ता न इस को ग्राहक से किराये पर ले लिया बस अगर क़सम खा लेना औरत की तरफ़ से किसी बात पर हो तो पापी न होगा और अगर क़सम घृणा के कारण इसी घर की हो तो पापी हो जायेगा एक व्यक्ति ने फ़ारसी में क़सम खाई कि फ़लां दो (2) घर में प्रवेश न करूंगा न ही कोई हैरत होगी फिर घर वालों पर क़त्ल या तोड़-फोड़ या आग लगने या मौत वग़ैरह की कोई बला आई बस शपथकर्ता प्रवेश हुआ तो पापी न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर क़सम खाई कि घर ज़ैद में दाखिल न होगा बस ज़ैद ने उमरो से एक घर उधार लिया इस लिए कि इस में वलीमा के खाना खिलादे फिर शपथकर्ता इस में प्रवेश हुआ तो पापी न होगा लेकिन अगर उम्रो इस घर

(2) फ़लां के घर में न जाउंगा अगर यह कि कोई अजीब बात पेश आये।

दार को खाली करके दूसरे मकान में चला गया और ग़ैद के सुपुर्द कर दिया कि वो अपना असबाब इस में ले आया तो फिर हालिफ़ के दाखिल होने से हानिस हो जायेगा और यह मुहीत में है। इब्ने रूस्तम कहते हैं कि इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर किसी शख़्स ने एक शख़्स मुअय्यन के मशहूर दार में दाखिल न होने की क़सम खाई मसलन क़सम खाई कि उमरो (1) बिन हरीस के दार में दाखिल न होगा और किसी दार में जो ऐसा ही अपने मालिक के नाम से मशहूर है जैसे दार हसन बिन अल सबाह वग़ैर ग़ालिक फिर उमरो बिन हरीस ने या हसन बिन अल सबाह वग़ैरह ने इस दार को जो इस के नाम से मन्सूब मअरूफ़ है फ़रोख़्त कर दिया फिर हालिफ़ इस दार में दाखिल हुआ तो हानिस हो जायेगा क़ालल मुतरजम तोज़ीह आंकि अगर किसी ने क़सम खाई कि फ़क़ीर मुहम्मद खान के इहाता में या कन्वा के महल में दाखिल न हूंगा फिर फ़क़ीर मुहम्मद खान ने अपना इहाता फ़रोख़्त कर दिया या कुंवा ने यह महल बेच डाला फिर इस में क़सम खाने वाला दाखिल हुआ तो भी हानिस हो जायेगा इस वास्ते कि ऐसे मवाज़अ में फ़क़ीर मुहम्मद खान व कुंवा वग़ैरह का ज़िक्र फ़क़त शनाख़्त के वास्ते है और मन्ज़ूर वो जगह है कि वहां दाखिल न होगा पस जब वहां दाखिल होगा ख़्वाह वो फ़क़ीर मुहम्मद खान या कुंवा के क़ब्ज़ा व मुल्क में हो या न हो बहरहाल हानिस हो जायेगा फ़ा फ़हम और अगर इन दारों में से किसी ऐसे दार पर क़सम खाई जो किसी निसबत से मअरूफ़ नहीं है यानी फ़क़ीर मुहम्मद खान का इहाता करके मअरूफ़ नहीं है अगरचे वो मकान जिस के अन्दर दाखिल न होने की क़सम खाई है वो फ़क़ीर मुहम्मद खान के मलिक हो फिर फ़क़ीर मुहम्मद खान की मिल्क से निकल जाने के बाद इस में दाखिल हुआ तो हानिस न होगा यह बदाऐ में है।

(1) उमरो बिन हरीस व हुस्न बिन सबाह के नाम से दो मकान वहां मशहूर हैं।

को खाली करके दूसरे मकान में चला गया और ग़ैद के सौंप दिया कि वह अपना सामान इस में ले आया तो फिर शपथकर्ता के प्रवेश होने से पापी हो जायेगा और यह मुहीत में है। इब्ने रूस्तम कहते हैं कि इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर किसी व्यक्ति ने एक निश्चित व्यक्ति के मशहूर घर में प्रवेश न होने की क़सम खाई मसलन क़सम खाई कि उमरो बिन हरीस (1)के घर में प्रवेश न होगा और किसी घर में जो ऐसा ही अपने मालिक के नाम से मशहूर है जैसे हसन बिन अल सबाह के घर व या काई और फिर उमरो बिन हरीस ने या हसन बिन अल सबाह आदि ने इस घर को जो इस के नाम से प्रसिद्ध व सम्बंधित है बेच दिया फिर शपथकर्ता इस घर में प्रवेश हुआ तो पापी हो जायेगा अनुवादक के कथनानुसार विवरण यह कि अगर किसी ने क़सम खाई कि फ़क़ीर मुहम्मद खान के प्रांगण में या कन्वा के महल में प्रवेश न हूंगा फिर फ़क़ीर मुहम्मद खान ने अपना प्रांगण बेच दिया या कन्वा ने यह महल बेच डाला फिर इस में क़सम खाने वाला प्रवेश हुआ तो भी पापी हो जायेगा इस लिए कि ऐसे समय में फ़क़ीर मुहम्मद खान व कन्वा वग़ैरह का वर्णन केवल पहचान के लिए है और मन्ज़ूर वह जगह है कि वहां प्रवेश न होगा बस जब वहां प्रवेश होगा चाहे वह फ़क़ीर मुहम्मद खान या कन्वा के क़ब्ज़े व मिल्कियत में हो या न हो हर हाल में पापी हो जायेगा जो समझा और अगर इन घरों में से किसी ऐसे घर पर क़सम खाई जो किसी संबंध से प्रसिद्ध नहीं है यानी फ़क़ीर मुहम्मद खान का प्रांगण करके प्रसिद्ध नहीं है चाहे वह मकान जिस के अन्दर प्रवेश न होने की क़सम खाई है वह फ़क़ीर मुहम्मद खान के मलिक हो फिर फ़क़ीर मुहम्मद खान की मिल्कियत से निकल जाने के बाद इस में प्रवेश हुआ तो पापी न होगा यह बदाऐ में है।

(1) उमरो बिन हरीस व हुस्न बिन सबाह के नाम से दो मकान वहां मशहूर हैं।

एक ने क़सम खाई कि हमाम में सर्द होने के वास्ते दाखिल न होंगा फिर हमाम में इस ग़र्ज़ से नहीं बल्कि हमामी वग़ैरह को सलाम करने के वास्ते दाखिल हुआ फिर वहां से इस ने सर भी धो लिया तो हानिस न होगा :

अगर एक शख़्स ने क़सम खाई कि मैं दार में फ़लां में दाखिल न हूंगा और फ़लां मज़कूर अपने बाप के साथ एक किराये के मकान में रहता है जिस को इस के बाप ने किराये पर लिया है तो हालिफ़ इसी मकान में दाखिल न होने से हानिस हो जायेगा क़ियासन बरीं कि अगर क़सम खाई कि फ़लां के दार में दाखिल न होगा फिर इस फ़लां मज़कूर की बीवी के घर में जिस में यह फ़लां मज़कूर भी रहता है दाखिल हुआ पस अगर इस शख़्स का कोई और दार सिवाए इस दार के ऐसा न हो कि जो इस की तरफ़ मन्सूब हो यानी रहने व मिल्क वग़ैरह की इज़ाफ़त से मन्सूब हो तो हानिस हो जायेगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि फ़ला न औरत के दार में दाखिल न हूंगा फिर ऐसे दार में दाखिल हुआ कि वो इस औरत के शौहर का है और यह औरत भी इस में रहती है पस अगर इस औरत का और कोई मकान न होतो हानिस होगा अगर दूसरा मकान हो तो हानिस न होगा और यह ख़ुलासा में है। नवादिर में इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि अगर क़सम खाई कि दार फ़लां में दाखिल न होंगा फिर इस फ़लां के दार की एक दुकान में जिस का दरवाज़ा शारअ आम पर है दाखिल हुआ हालांकि इस दुकान का कोई दरवाज़ा इस दार में नहीं है तो अपनी क़सम में हानिस होगा एक ने क़सम खाई कि हमाम में सर धोने के वास्ते दाखिल न होंगा फिर हमाम में इस ग़र्ज़ से नहीं बल्कि हमामी वग़ैरह को सलाम करने के वास्ते दाखिल हुआ फिर वहां इस ने सर भी धो लिया तो हानिस न होगा ओर और बाज़े मशाइख से रिवायत है कि अगर किसी ने क़सम खाई कि हमाम में दाखिल न होगा फिर बैतुल सुलख (1) में दाखिल हुआ

(1)जहां कपड़े उतारते हैं।

एक ने क़सम खाई कि स्नान ग्रह में ठंडा होने के लिए प्रवेश न होंगा फिर स्नान ग्रह में इस कारण से नहीं बल्कि स्नान करने वाले आदि को सलाम करने के लिए प्रवेश हुआ फिर वहां से इस ने सर भी धो लिया तो पापी न होगा :

अगर एक व्यक्ति ने क़सम खाई कि मैं घर में फ़लां में प्रवेश न हूंगा और फ़लां वर्णित अपने बाप के साथ एक किराये के मकान में रहता है जिस को इस के बाप ने किराये पर लिया है तो शपथकर्ता इसी मकान में प्रवेश न होने से पापी हो जायेगा इस पर अनुमान यह कि अगर क़सम खाई कि फ़लां के घर में प्रवेश न होगा फिर इस फ़लां वर्णित की बीवी के घर में जिस में यह फ़लां वर्णित भी रहता है प्रवेश हुआ बस अगर इस व्यक्ति का कोई और घर सिवाए इस घर के ऐसा न हो कि जो इस की ओर सम्बंधित हो यानी रहने व मिल्कियत आदि सम्बंधित हो तो पापी हो जायेगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि फ़ला न औरत के घर में प्रवेश न हूंगा फिर ऐसे घर में प्रवेश हुआ कि वह इस औरत के शौहर का है और यह औरत भी इस में रहती है बस अगर इस औरत का और कोई मकान न होतो पापी होगा अगर दूसरा मकान हो तो पापी न होगा और यह ख़ुलासा में है। नवादिर में इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि अगर क़सम खाई कि घर फ़लां में प्रवेश न होंगा फिर इस फ़लां के घर की एक दुकान में जिस का दरवाज़ा शारअ आम पर है प्रवेश हुआ हालांकि इस दुकान का कोई दरवाज़ा इस घर में नहीं है तो अपनी क़सम में पापी होगा एक ने क़सम खाई कि हमाम में सर धोने के लिए प्रवेश न होंगा फिर हमाम में इस ग़र्ज़ से नहीं बल्कि स्नान ग्रह के कर्मचारी आदि को सलाम करने के लिए प्रवेश हुआ फिर वहां इस ने सर भी धो लिया तो पापी न होगा ओर और कुछ विद्वानों से वर्णन है कि अगर किसी ने क़सम खाई कि हमाम में प्रवेश न होगा फिर बैतुल सुलख (1) में प्रवेश हुआ तो क़सम में पापी

(1)जहां कपड़े उतारते हैं।

तो क़सम में हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और एक मर्द का एक दार (इहाता) है इस में बुस्तान है पस ज़ैद ने क़सम खाई कि मैं इस दार में दाखिल न होंगा फिर इस दार के बुस्तान में दाखिल हुआ और उस बुस्तान का दरवाज़ा इसी दार के घरों की तरफ़ है और कोई दरवाज़ा नहीं है और एक ही चहार दीवारी इस दार व बुस्तान को मुहीत है तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि बुस्तान में दाखिल होने से ज़ैद हानिस न होगा ख़्वाब बुस्तान इस दार से बडा हो या छोटा हो और अगर यह बुस्तान वसत दार में वाक़े हो और इस के गिर्दा गिर्द इस दार के बुयूत हों तो बुस्तान में दाखिल होने से हानिस हो जायेगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से इस मसले में दो रिवायतें हैं एक रिवायत में वही हुक्म है जो इमाम मुहम्मद रह० का क़ौल है और दूसरी रिवायत में है कि बुस्तान में दाखिल होने से हानिस हो जायेगा अगरचे बुस्तान वसत दार में वाक़े न हो यह ज़हीरिया में है।

अगर किसी ने कहा कि अगर मंने फ़लां को अपने बैत में दाखिल किया तो मेरी बीवी तालिक़ा है तो यह इस पर होगी कि फ़लां मज़कूर इस की इजाज़त से दाखिल हो और अगर क़सम खाई कि अगर मैं ने फ़लां को छोड दिया कि मेरे बैत में दाखिल हो तो मेरी बीवी तालिक़ा है तो यह क़सम इस के इल्म पर होगी यानी हर गाह जाना और मना न किया तो इस ने छोड दिया कि दाखिल हो जाये पस हानिस हो जायेगा और अगर कहा कि अगर फ़लां मेरे नियत में दाखिल हुआ तो फलां मज़कूर के दाखिल होने पर क़सम होगी चाहे हालिफ़ इस को इजाज़त दे या ना दे या जाने या न जाने यानी अगर वह किसी हाल में दाख़िल हुआ तो यह क़सम खाने वाला हानिस हो जाएगा यह मुहीतुल सुरखी में है और अगर कहा कि अगर मेरे(1) इस दार में कोई दाख़िल हुआ तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है और यह दार इसी का है या दूसरे का है फिर ख़ुद इस में दाखिल हुआ तो हानिस न होगा और अगर यूं कहा कि अगर इस दार में कोई दाखिल हुआ तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो अपने दाखिल होने से

(1) इस लिए कि ख़ुद उर्फ़न मुस्तसना है।

न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और एक मर्द का एक घर (प्रांगण) है इस में बग़ीचा है बस ज़ैद ने क़सम खाई कि मैं इस घर में प्रवेश न होंगा फिर इस घर के बग़ीचा में प्रवेश हुआ और उस बग़ीचा का दरवाज़ा इसी घर के घरों की ओर है और कोई दरवाज़ा नहीं है और एक ही चार दीवारी इस घर व बग़ीचा को घेरे हुए है तो इमाम मुहम्मद रह० ने कहा कि बग़ीचा में प्रवेश होने से ज़ैद पापी न होगा स्वप्न बग़ीचा इस घर से बड़ा हो या छोटा हो और अगर यह बग़ीचा बीच घर में स्थपित हो और इस के चारों ओर इस घर के बहुत से घर हों तो बग़ीचा में प्रवेश होने से पापी हो जायेगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से इस मसले में दो रिवायतें हैं एक रिवायत में वही आदेश है जो इमाम मुहम्मद रह० का कथन है और दूसरी रिवायत में है कि बग़ीचा में प्रवेश होने से पापी हो जायेगा चाहे बग़ीचा बीच घर में स्थपित न हो यह ज़हीरिया में है।

अगर किसी ने कहा कि अगर मंने फ़लां को अपने बैत में प्रवेश किया तो मेरी बीवी को तलाक़ है तो यह इस पर होगी कि फ़लां वर्णित इस की आज्ञा से प्रवेश हो और अगर क़सम खाई कि अगर मैं ने फ़लां को छोड़ दिया कि मेरे घर में प्रवेश हो तो मेरी बीवी को तलाक़ है तो यह क़सम इस के ज्ञान पर होगी यानी हर जगह जाना और मना न किया तो इस ने छोड़ दिया कि प्रवेश हो जाये बस पापी हो जायेगा और अगर कहा कि अगर फ़लां मेरे विचार में प्रवेश हुआ तो मेरी बीवी को तलाक़ है तो फलां वर्णित के प्रवेश होने पर क़सम होगी चाहे शपथ कर्ता इस को आज्ञा दे या ना दे या जाने या न जाने यानी अगर वह किसी हाल में प्रवेश हुआ तो यह क़सम खाने वाला हानिस हो जाएगा यह मुहीतुल सुरखी में है और अगर कहा कि अगर मेरे (1) इस घर में कोई प्रवेश हुआ तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है और यह घर इसी का है या दूसरे का है फिर ख़ुद इस में प्रवेश हुआ तो पापी न होगा और अगर यूं कहा कि अगर इस घर में कोई प्रवेश हुआ तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो अपने

(1) इस वास्ते कि ख़ुद ज़माने से अलग है।

भी हानिस हो जायेगा ख़्वाह दार मज़कूर इसी का हो या दूसरे का हो और अगर किसी ने कहा कि बक़सम में फ़लां को अपने दार में दाखिल होने से मना करूंगा पस अगर इस को एक मर्तबा भी मना कर दिया तो क़सम में सच्चा होगया फिर अगर दूसरी दफ़ा इस को जाते देखा और न मना किया तो इस पर कुछ नहीं है यह बहर उल राइक़ में है और एक शख़्स ने क़सम खाई कि मैं इस दार में दाखिल न होंगा फिर मालिक दार ने इस दार के पहलू में एक बैत खरीदा और बैत का दरवाज़ा इस दार में फोड़ दिया और इस बैत का रास्ता इसी दार से कर दिया और वो दरवाज़ा जो पहले इस बैत का था बन्द कर दिया फिर क़सम खाने वाला इस बैत में बदून दार के अन्दर दाखिल होने के दाखिल हुआ तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि हानिस हो जायेगा इस वास्ते कि बैत मज़कूर भी दार में से हो गया और ज़ैद ने खालिद बिन अब्दुल्लाह से कहा कि अगर खालिद बिन अब्दुल्लाह इस दार में दाखिल हुआ तो खालिद बिन अब्दुल्लाह की बीवी तालिक़ा है पस खालिद बिन अब्दुल्लाह ने कहा कि तुम लोग मुझ पर इस अम्र के गवाह रहो फिर खालिद बिन अब्दुल्लाह इस दार में दाखिल हुआ तो इस पर अपनी बीवी की तलाक़ लाज़िम होगी और एक शख़्स ने कहा कि मैं इस दार में और इस हुजरह में दाखिल न होंगा फिर दार से बाहर निकला फिर दार में दाखिल हुआ और हुजरह में दाखिल न हुआ तो जब तक हुजरह में दाखिल न हो तब तक हानिस न होगा और यह क़सम इन दोनों में दाखिल न होने पर वाक़े होगी और यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर कसम खाई कि ज़ैद के दार में दाखिल न होंगा और यह दोनों शख़्स सफ़र में हैं तो फ़रमाया कि यह क़सम छोलदारी व खैमा व क़ुबा पर और हर मन्ज़िल पर जिस में उतरना वाक़े हो वाक़े (2) होगी। लेकिन अगर इस ने इन तीनों चीज़ों में से कोई खास चीज़ मुराद ली तो दयानत की राह से इस की तसदीक़ होगी मगर क़ज़ाअन न होगी यह मुहीत सुरखी में है और क़ालल

(2)चुनाचें जिस मन्ज़िल में ज़ैद उतरा है अगर इस में दाखिल हुआ तो हानिस होगा व कज़ा फ़िल खैमा वग़ैरहा।

प्रवेश होने से भी पापी हो जायेगा चाहे घर वर्णित इसी का हो या दूसरे का हो और अगर किसी ने कहा कि क़सम से में फ़लां को अपने घर में प्रवेश होने से मना करूंगा बस अगर इस को एक मर्तबा भी मना कर दिया तो क़सम में सच्चा हो गया फिर अगर दूसरी दफ़ा इस को जाते देखा और न मना किया तो इस पर कुछ नहीं है यह बहर्रुराइक़ में है और एक व्यक्ति ने क़सम खाई कि मैं इस घर में प्रवेश न होंगा फिर मालिक घर ने इस घर के पहलू में एक घर खरीदा और घर का दरवाज़ा इस घर में फोड़ दिया और इस घर का रास्ता इसी घर से कर दिया और वह दरवाज़ा जो पहले इस घर का था बन्द कर दिया फिर क़सम खाने वाला इस घर में बदून घर के अन्दर प्रवेश होने के प्रवेश हुआ तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि पापी हो जायेगा इस लिए कि घर वर्णित भी घर में से हो गया और ज़ैद ने खालिद बिन अब्दुल्लाह से कहा कि अगर खालिद बिन अब्दुल्लाह इस घर में प्रवेश हुआ तो खालिद बिन अब्दुल्लाह की बीवी तालिक़ा है बस खालिद बिन अब्दुल्लाह ने कहा कि तुम लोग मुझ पर इस कार्य के गवाह रहो फिर खालिद बिन अब्दुल्लाह इस घर में दाखिल हुआ तो इस पर अपनी बीवी की तलाक़ अनिवार्य होगी और एक व्यक्ति ने कहा कि मैं इस घर में और इस हुजरह में प्रवेश न होंगा फिर घर से बाहर निकला फिर घर में प्रवेश हुआ और हुजरह में प्रवेश न हुआ तो जब तक हुजरह में प्रवेश न हो तब तक पापी न होगा और यह क़सम इन दोनों में प्रवेश न होने पर स्थपित होगी और यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर कसम खाई कि ज़ैद के घर में प्रवेश न होंगा और यह दोनों व्यक्ति सफ़र में हैं तो फ़रमाया कि यह क़सम छोलदारी व खैमा व गुंबद पर और हर मन्ज़िल पर जिस में उतरना स्थपित हो घटित (2) होगी। लेकिन अगर इस ने इन तीनों चीज़ों में से कोई खास चीज़ तात्पर्य ली तो ईमानदारी से इस की पुष्टि होगी मगर न्यायिक तौर पर न होगी यह मुहीत सुरखी में है और अनुवादक के कथनानुसार हमारे समय के अनुकूल ज़ैद की

(2)चुनाचें जिस मन्ज़िल में ज़ैद उतरा है अगर इस में प्रवेश हुआ तो पापी होगा व यह खैमा आदि में है।

मुतरजम हमारे उर्फ़ के मुवाफ़िक़ ग़ैद के हज़र के घर पर क़सम वाक़े होगी और इल्ला आकि यह लोग सहराई हों 'फ़ाफ़हम वल्लाहु आलम' और अगर क़सम खाई कि इस फ़सतात (बड़ा ख़ैमा) में दाखिल न होंगा हालांकि यह फ़सतात एक मक़ाम पर गड़ा हुआ है फिर वहां से उखाड़ कर दूसरे मक़ाम पर गाड़ा गया फिर इस में दाखिल हुआ तो हानिस हो जायेगा और यही हुक्म जो मैं क़ुबा की सूरत में है। इसी तरह अगर लकड़ी की सीढ़ी या मिम्बर हो तो इस में भी यही हुक्म है इस वास्ते कि इन चीज़ों के एक जगह से दूसरी जगह मुन्तक़िल करने से इन के नाम में तग़य्युर व ज़वाल नहीं आता है। यह बदाऐ में है और क़ाल ख़ुबा बदूं का ख़ैमा बालों का होता है फ़ा हिफ़ज़हू और अगर क़सम खाई कि इस ख़ुबा में दाखिल न होंगा तो ऐतबार इस की चूं बूं व नमदे दोनों का है और बाज़ ने फ़रमाया कि ऐतबार फ़क़त चूं बूं का है और बाज़ ने फ़रमाया कि ऐतबार (1) फ़क़त नमदे का है पस बिना बर क़ौल सानी के अगर नमदा बदल दिया गया और चूंबीं वही बाक़ी हैं फिर इसमें दाखिल हुआ तो हानिस हो जायेगा और इस के बरअक्स किया गया तो हानिस न होगा और बिना बर तीसरे क़ौल के अगर नमदा बदल दिया गया और चूंबीं वही हैं तो इस में दाखिल होने से हानिस न होगा और अगर इस के बरअक्स किया गया तो हानिस हो जायेगा और असह वही क़ौल अव्वल है। यह मुहीत में हैं।

अगर क़सम खाई कि फ़लां के पास बैत में न जाउंगा फिर एक बैत में दाखिल हुआ जिस में फ़लां मज़कूर मौजूद था मगर इस ने दाखिल होने में इस के पास जाने की नियत नहीं की थी तो हानिस न होगा। दो शख़्सों में से हर एक ने क़सम खाई कि मैं इस दूसरे के पास न जाउंगा फिर दोनों साथ ही एक मन्ज़िल में दाखिल हुए तो दोनों हानिस न होंगे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर क़सम खाई कि फ़लां के पास न जाउंगा तो शैख़ुल इस्लाम ने शरह में ज़िक्र फ़रमाया है कि फ़लां के पास जाने से उर्फ़ में दर सूरत मुतलक़ यह लफ़्ज़ होने के यह मुराद होती है कि फ़लां के पास इस

(1)बरअकस यानी चौबें बदली गईं और नमदा बाक़ी है।

उपस्थिति के घर पर क़सम स्थपित होगी और सिवा आकि यह लोग जंगली हों 'जो समझो अल्लाह जाने' और अगर क़सम खाई कि इस मंडप (बड़ा ख़ैमा) में प्रवेश न होंगा हालांकि यह मंडप एक स्थान पर गड़ा हुआ है फिर वहां से उखाड़ कर दूसरे स्थान पर गाड़ा गया फिर इस में प्रवेश हुआ तो पापी हो जायेगा और यही आदेश जो मैं गुंबद की स्थिति में है। इसी तरह अगर लकड़ी की सीढ़ी या मिम्बर हो तो इस में भी यही आदेश है इस लिए कि इन चीज़ों के एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित करने से इन के नाम में परिवर्तन व पतन नहीं आता है। यह बदाऐ में है और कहना गुंबद के सिवाए ख़ैमे का बालों का होता है याद रखें और अगर क़सम खाई कि इस ख़ुबा में प्रवेश न होंगा तो भरोसा इस की कीलों और गर्म कपड़ों दोनों का है और कुछ ने कहा कि भरोसा केवल कीलों का है और कुछ ने कहा कि भरोसा(1) केवल गर्म कपड़े का है बस सूसरे कथन के आधार पर अगर गर्म कपड़ा बदल दिया गया और कीलें वही बाक़ी हैं फिर इसमें प्रवेश हुआ तो पापी हो जायेगा और इस के विपरीत किया गया तो पापी न होगा और तीसरे कथन के आधार पर अगर गर्म कपड़ा बदल दिया गया और कीलें वही हैं तो इस में प्रवेश होने से पापी न होगा और अगर इस के विपरीत किया गया तो पापी हो जायेगा और वही पहला सही कथन है। यह मुहीत में है।

अगर क़सम खाई कि फ़लां के पास घर में न जाउंगा फिर एक घर में प्रवेश हुआ जिस में फ़लां वर्णित मौजूद था मगर इस ने प्रवेश होने में इस के पास जाने की इरादा नहीं की थी तो पापी न होगा। दो शख़्सों में से हर एक ने क़सम खाई कि मैं इस दूसरे के पास न जाउंगा फिर दोनों साथ ही एक मन्ज़िल में प्रवेश हुए तो दोनों पापी न होंने यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर क़सम खाई कि फ़लां के पास न जाउंगा तो शैख़ुल इस्लाम ने शरह में ज़िक्र फ़रमाया है कि फ़लां के पास जाने से उर्फ़ में दर स्थिति मुतलक़ यह लफ़्ज़ होने के यह तात्पर्य होती हैं कि फ़लां के पास इस की ज़ियारत व ताज़ीम के लिए ऐसे मकान में जहां वह अपने मुलाक़ाती

(1)इसके विरीत कीले बदली गईं और गर्म कपड़ा बाक़ी है।

की ज़ियारत व ताज़ीम के वास्ते ऐसे मकान में जहां वो अपने मुलाक़ाती व ज़ियारत कुनिन्दह लोगों के वास्ते बैठा करता है न जाउंगा और इमाम क़ुदूरी ने भी अपनी किताब में इसी तरफ़ इशारह फ़रमाया है क्योंकि इमाम क़ुदूरी ने ज़िक्र फ़रमाया कि अगर वो इस के पास किसी मस्जिद या छत या दहलीज़ में गया तो हानिस न होगा और इसी तरह अगर फ़ुसतात या ख़ैमा में इस के पास गया तो भी हानिस न होगा लेकिन अगर वो बदवी हो तो इस के नशिस्त की जगह यही ख़ुबा ख़ैमा होगी पस हानिस हो जायेगा। अगर बनियत ज़ियारत गया और हासिल यह है कि इस में आदत का ऐतबार है और हमारे उर्फ़ में अगर वो मस्जिद में इस के पास गया तो हानिस हो जायेगा हां अगर वो मस्जिद में दाखिल हुआ और इस के पास जाने की नियत नहीं की या यह नहीं जानता है कि वो इस में है तो हानिस न होगा और क़ुदूरी में लिखा है कि अगर एक क़ौम के पास गया जिन में फ़लां मज़कूर भी है मगर इस ने इस के पास जाने का क़सद नहीं किया तो 'फ़ीमा बैनहू व बैनुल्लाह तआला' हानिस न होगा मगर कज़ाअन(2)इस की तसदीक़ न की जायेगी और नीज़ क़ुदूरी में फ़रमाया कि फ़लां के पास जाने की यह मअनी हैं कि जाते वक्त इस के पास जाने का क़सद हो ख़्वाह वो अपने बैत में हो या किसी दूसरे के बैत में हो। अगर क़सम खाई कि फ़लां के पास इस दार में दाखिल न होंगा फिर वो दार में दाखिल हुआ और फ़लां इस दार के किसी बैत में है तो हानिस न होगा और अगर सहन दार में होगा तो हानिस हो जायेगा इस वास्ते कि वो फ़लां के पास दाखिल होने वाला जभी होगा कि जब इस को मुशाहिदा करे व क़ालल मुतरज्जिम हमारे उर्फ़ में हानिस होना चाहिए वल्लाहु आलम आर इसी तरह अगर क़सम खाई कि फ़लां के पास इस गांव में दाखिल न होंगा तो गांव में दाखिल न होने से हानिस न होगा इल्ला आँकि गांव मज़कूर में इस के पास इस के

(2) मसलन इसने यह भी क़सम खाई हो के अगर मैं इस क़सम में झूठा हो जाऊँ तो मेरी बीवी तालिक़ा है फिर बाद इस वक़िए के औरत ने दावा किया कि मैं तालिक़ा हो गई हूं तो क़ाज़ी इस मामले में अगर अपने हानिस होने से इन्कार किया तो तसदीक़ न करेगा।

व ज़ियारत कुनिन्दह लोगों के लिए बैठा करता है न जाउंगा और इमाम क़ुदूरी ने भी अपनी किताब में इसी ओर इशारा किया है या है क्योंकि इमाम क़ुदूरी ने वर्णन किया कि अगर वह इस के पास किसी मस्जिद या छत या दहलीज़ में गया तो पापी न होगा और इसी तरह अगर मंडप या ख़ैमा में इस के पास गया तो भी पापी न होगा लेकिन अगर वह बदवी हो तो इस के बैठने की जगह यही आनंददायक ख़ैमा होगी बस पापी हो जायेगा। अगर ज़ियारत की नियत से गया और हासिल यह है कि इस में आदत का विश्वास है और हमारे समय में अगर वह मस्जिद में इस के पास गया तो पापी हो जायेगा हां अगर वह मस्जिद में प्रवेश हुआ और इस के पास जाने की इरादा नहीं की या यह नहीं जानता है कि वह इस में है तो पापी न होगा और क़ुदूरी में लिखा है कि अगर एक क़ौम के पास गया जिन में फ़लां वर्णित भी है मगर इस ने इस के पास जाने का क़सद नहीं किया तो अल्लाह सर्वशक्तिमान के वास्ते पापी न होगा मगर न्यायिक तौर पर (2) इस की पुष्टि न की जायेगी और क़ुदूरी ने भी में फ़रमाया कि फ़लां के पास जाने का यह अर्थ है कि जाते समय इस के पास जाने का इरादा हो चाहे वह अपने घर में हो या किसी दूसरे के घर में हो। अगर क़सम खाई कि फ़लां के पास इस घर में प्रवेश न होंउगा फिर वह घर में प्रवेश हुआ और फ़लां इस घर के किसी घर में है तो पापी न होगा और अगर सहन घर में होगा तो पापी हो जायेगा इस लिए कि वह फ़लां के पास प्रवेश होने वाला जभी होगा कि जब इस को आंकलन करे अनुवादक के कथनानुसार हमारे उर्फ़ में पापी होगा चाहिए वल्लाहु आलम आर इसी तरह अगर क़सम खाई कि फ़लां के पास इस गांव में प्रवेश न होंना तो गांव में प्रवेश न होने से पापी न होगा सिवा आँकि गांव वर्णित में इस के पास इस के घर में प्रवेश हो जाये यह मुहीत में है। एक व्यक्ति ने क़सम खाई कि फ़लां के पास प्रवेश

(2) उदहारणतः इसने यह भी क़सम खाई हो के अगर मैं इस क़सम में झूठा हो जाऊँ तो मेरी बीवी को तलाक़ है फिर इस घटना के बाद औरत ने दावा किया कि मैं तलाक़शुदा हो गई हूं तो क़ाज़ी इस मामले में अगर अपने पापी होने से इन्कार किया तो पुष्टि न करेगा।

घर में दाखिल हो जाये यह मुहीत में है। एक शख़्स ने क़सम खाई कि फ़लां के पास दाखिल न होंगा पस इस की मौत के पीछे इस के पास गया तो हानिस न होगा यह सिराजिया में है।

अगर यूं कहा कि तू मुझ पर क़सम है अगर मैं तुझ से क़ुर्बत करूं फिर दार मज़कूर में दाखिल हुआ तो दो ईला से मौला हो जायेगा :

अगर कहा कि हर बार कि दाखिल हुआ मैं इन दोनों दारों में से किसी एक दार में तो वल्लाह मैं तुझे नहीं मारूंगा और फिर दोनों में दाखिल हुआ फिर औरत को मारा तो एक मर्तबा हानिस होगा और अगर अजज़ा में यूं कहा कि तू मुझ पर क़सम है अगर मैं ने तुझ मारा फिर दोनों में दाखिल हुआ या एक में दाखिल हुआ फिर औरत को मारा तो हर बार के दाखिले का कफ़्फ़ारह क़सम इस पर वाजिब होगा। एक मर्द ने अपनी बीवी से कहा कि हर बार कि मैं इस दार में दाखिल हुआ तो वल्लाह मैं तुझ से क़ुर्बत न करूंगा फिर दार मज़कूर में दाखिल हुआ तो ईला करने वाला हो जायेगा पस अगर बाद दाखिल होने के औरत से जिमाअ किया तो हानिस हो जायेगा और क़सम बातिल हो जायेगी चुनांचे अगर दूसरी बार दाखिल हुआ तो ईला कुनिन्दह न होगा कि दूसरी बार जिमाअ करने से इस पर दूसरा कफ़्फ़ारह लाज़िम न आयेगा और अगर दूसरी बार दाखिल होने के बाद चार महीने बदूं जिमाअ के गुज़र गये तो औरत इस से बाइना न होगी और अगर पहलनी बार वुज़ू दाखिल होने के बाद औरत से जिमाअ न किया यहां तक के दूसरी बार दाखिल हुआ तो वो ईला कुनिन्दह रहेगा पस जब अव्वल बार के दाखिले से चार महीने बदूं जिमाअ किये गुज़र जाऐंगे तो औरत मज़कूर बाइना हो जायेगी और फिर जब दूसरी बार के दाखिले से चार महीने पूरे होंगे तो बाद को बाइना बतलाक़ दीगर हो जायेगी बशर्तेकि वो पहली तलाक़ बाइना की इद्दत में हो और अगर यूं कहा कि तू मुझ पर क़सम है अगर मैं तुझ से क़ुर्बत करूं फिर दार मज़कूर में दोबारह दाखिल हुआ तो

न होंगा बस इस की मौत के पीछे इस के पास गया तो पापी न होगा यह सिराजिया में है।

अगर यूं कहा कि तू मुझ पर क़सम है अगर मैं तुझ से निकटता करूं फिर वर्णित घर में प्रवेश हुआ तो दो शपथ से मालिक हो जायेगा :

अगर कहा कि हर बार कि प्रवेश हुआ मैं इन दोनों दारों में से किसी एक घर में तो वल्लाह मैं तुझे नहीं मारूंगा और फिर दोनों में प्रवेश हुआ फिर औरत को मारा तो एक मर्तबा पापी होगा और अगर अजज़ा में यूं कहा कि तू मुझ पर क़सम है अगर मैं ने तुझ मारा फिर दोनों में प्रवेश हुआ या एक में प्रवेश हुआ फिर औरत को मारा तो हर बार के दाखिले का प्रायश्चित क़सम इस पर अनिवार्य होगा। एक मर्द ने अपनी बीवी से कहा कि हर बार कि मैं इस घर में प्रवेश हुआ तो वल्लाह मैं तुझ से क़ुर्बत न करूंगा फिर घर वर्णित में प्रवेश हुआ तो ईला करने वाला हो जायेगा बस अगर बाद प्रवेश होने के औरत से जिमाअ किया तो पापी हो जायेगा और क़सम अमान्य हो जायेगी चुनांचे अगर दूसरी बार प्रवेश हुआ तो ईला कुनिन्दह न होगा कि दूसरी बार जिमाअ करने से इस पर दूसरा प्रायश्चित अनिवार्य न आयेगा और अगर दूसरी बार प्रवेश होने के बाद चार महीने बदूं जिमाअ के गुज़र गये तो औरत इस से बाइना न होगी और अगर पहलनी बार वुज़ू प्रवेश होने के बाद औरत से जिमाअ न किया यहां तक के दूसरी बार प्रवेश हुआ तो वह ईला कुनिन्दह रहेगा बस जब पहला बार के दाखिले से चार महीने बदूं जिमाअ किये गुज़र जाऐंगे तो औरत वर्णित बाइना हो जायेगी और फिर जब दूसरी बार के दाखिले से चार महीने पूरे होंगे तो बाद को बाइना बतलाक़ दीगर हो जायेगी बशर्तेकि वह पहली तलाक़ बाइना की इद्दत में हो और अगर यूं कहा कि तू मुझ पर क़सम है अगर मैं तुझ से क़ुर्बत करूं फिर घर वर्णित में दोबारह प्रवेश हुआ तो दो ईला से मालिक हो जायेगा और अगर बाद हर

दो ईला से मौला हो जायेगा और अगर बाद हर दाखिले के इस से जिमाअ कर लिया हो तो इस पर दो कफ़्फ़ारे लाज़िम आयें और अगर जिमाअ न किया वैसे ही छोड़ दी तो पहले दाखिले से चार महीने गुज़रनें पर बयक तलाक़ बाइन हो जायेगी और जब दूसरे दाखिले से चार महीने पूरे गुज़र जाऐंगे और हुनूज़ वो पहली तलाक़ की इद्दत में है तो दूसरी तलाक़ बाइना भी इस पर वाक़े होगी और अगर कहा कि हर बार कि मैं इस दार में दाखिल हुआ तो तू तालिक़ा सुल्स है अगर मैं तुझ से क़ुर्बत की। फिर दार मज़कूर में दोबारह दाखिल हुआ तो क़सम सच्ची होने के हक़ में हर बार के दाखिले में वो मौला होगा चुनांचे अगर मुद्दत के अन्दर इस से क़ुर्बत की तो वो बसा तलाक़ तालिक़ा हो जायेगी और अगर क़ुर्बत न की तो चार महीने गुजरने पर वो बयक तलाक़ बाइना होगी और जब दूसरे दाखिले से भी चार गुज़र गये तो दूसरी तलाक़ से तालिक़ा होगी लेकिन तीन से ज़्यादा इस पर लाज़िम नहीं होंगी और इसी तरह अगर कहा कि हर बार कि मैं इस दार में दाखिल हुआ तो वास्ते अल्लाह के मुझ पर इस ग़ुलाम का आज़ाद करना है अगर मैंने तुझ से क़ुर्बत की या कहा कि तू यह ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैंने तुझ से क़ुर्बत की फिर दो बार दाखिल हुआ तो हर बार के दाखिले पर वो ईला कुनिन्द होगा पस अगर औरत से क़ुर्बत कर ली तो एक क़सम में हानिस (1) हो जायेगा इसी तरह अगर अपनी बीवी से कहा कि तू तालिक़ा सुल्स है अगर मैंने तुझ से क़ुर्बत की फिर औरत से बाद एक रोज़ के कहा कि तू तालिक़ा सुल्स है अगर मैं ने तुझ से क़ुर्बत की तो क़सम सच्ची होने के हक़ में यह दों ईला हैं और अगर क़ुर्बत की तो एक क़सम में हानिस होगा पस तीन तलाक़ वाक़े होंगी और अगर कहा कि हर बार में इस दार में दाखिल हुआ पस अगर मैंने तुझ से क़ुर्बत की तो मुझ पर एक हज लाज़िम है या कहा कि तू मुझ पर क़सम नज़र है फिर इस दार में दो बार दाखिल हुआ और हर दाखिले के बाद औरत

(1)क़सम सच्ची होने के वास्ते तो यह चाहिए कि हर बार मैं वो मौला सूर करे और क़सम टूटने ना दे कि इसी तौर से क़सम में सच्चा रहेगा लेकिन अगर हानिस हुआ तो कफ़्फ़ारा एक ही क़सम का लाज़िम होगा।

दाखिले के इस से जिमाअ कर लिया हो तो इस पर दो प्रायश्चित अनिवार्य आयें और अगर जिमाअ न किया वैसे ही छोड़ दी तो पहले दाखिले से चार महीने गुज़रनें पर एकदम तलाक़ हो जायेगी और जब दूसरे दाखिले से चार महीने पूरे गुज़र जाऐंगे और अभी वह पहली तलाक़ की इद्दत में है तो दूसरी तलाक़ भी इस पर स्थपित होगी और अगर कहा कि हर बार कि मैं इस घर में प्रवेश हुआ तो तझे तीसरी तलाक़ है अगर मैं तुझ से सहवास किया। फिर वर्णित घर में दोबारा प्रवेश हुआ तो क़सम सच्ची होने के पक्ष में हर बार के दाखिले में वह मालिक होगा चुनांचे अगर मुद्दत के अन्दर इस से संभोग किया तो वह बसा तलाक़ तलाक़शुदा हो जायेगी और अगर सहवास न किया तो चार महीने गुजरने पर वह एकदम तलाक़ होगी और जब दूसरे प्रवेश से भी चार गुज़र गये तो दूसरी तलाक़ से तलाक़शुदा होगी लेकिन तीन से ज़्यादा इस पर अनिवार्य नहीं होंगी और इसी तरह अगर कहा कि हर बार कि मैं इस घर में प्रवेश हुआ तो लिए अल्लाह के मुझ पर इस ग़ुलाम का आज़ाद करना है अगर मैंने तुझ से सहवास किया या कहा कि तू यह ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैंने तुझ से सहवास किया फिर दो बार प्रवेश हुआ तो हर बार के दाखिले पर वह शपथ कर्ता होगा बस अगर औरत से संभोग कर लिया तो एक क़सम में पापी (1) हो जायेगा इसी तरह अगर अपनी बीवी से कहा कि तुझे तीन तलाक़ है अगर मैंने तुझ से सहवास किया फिर औरत से बाद एक दिन के कहा कि तुझे तीन तलाक़ है अगर मैं ने तुझ से सहवास किया तो क़सम सच्ची होने के हक़ में यह दों ईला हैं और अगर सहवास किया तो एक क़सम में पापी होगा बस तीन तलाक़ स्थपित होंगी और अगर कहा कि हर बार मैं इस घर में प्रवेश हुआ बस अगर मैंने तुझ से सहवास किया तो मुझ पर एक हज अनिवार्य है या कहा कि तू मुझ पर मन्नत की क़सम है फिर इस घर में दो बार प्रवेश हुआ और हर प्रवेश के बाद औरत से क़ुर्बत की तो इस पर

(1)क़सम सच्ची होने के लिए तो यह चाहिए कि हर बार मैं वह मालिक आवाज करे और क़सम टूटने ना दे कि इसी तरह से क़सम में सच्चा रहेगा लेकिन अगर पापी हुआ तो प्रायश्चित एक ही क़सम का अनिवार्य होगा।

से क़ुर्बत की तो इस पर दो हज या जज़ा दो क़सम वाजिब होगी और इसी तरह अगर लुज़ूम हज के पीछे शर्त (1) क़ुर्बत बयान की हो तो भी यही हुक्म है और अगर कहा कि हर बार में इस दार में दाखिल हुआ पस मैंने तुझ से क़ुर्बत की तो मुझ पर एक हज वाजिब है फिर दार में दाखिल हुआ फिर औरत से क़ुर्बत की तो इस पर हज लाज़िम होंगे और अगर दार में दाखिल हुआ या औरत से क़ुर्बत की एक बार तो इस के ज़िम्मे लाज़िम नहीं है इल्ला एक ईला और अगर कहा कि हर बार दाखिल हुआ में इस दार में तो वल्लाह मैंने तुझ से क़ुर्बत न की तो यह कहना या यह कहना कि मैं तुझ से क़ुर्बत न करूंगा दोनों बराबर हैं कि एक ही बार हानिस होगा क़ालल मुतरजम यह ज़बान अरबी में मुस्तक़ीम है कि كلما دخلت هزه الدار لم اقربك والله और हमारी ज़बान में इस सूरत में ताम्मुल है वल्लाहु आलम और अगर कहा कि वल्लाह मैं तुझ से क़ुर्बत न करूंगा हर बार कि मैं दाखिल हुआ इस दार में तो यह क़ौली और कौला हर बार कि मैं दाखिल हुआ इस दार में तो वल्लाह मैं तुझ से क़ुर्बत न करूंगा दोनों यक्सां हैं और अगर कहा कि अगर मैंने तुझ से क़ुर्बत की तो तू तालिक़ा है हर बार कि मैं दाखिल हुआ इस दार में तो वो ईला करने वाला न हो जायेगा और अगर औरत से क़ुर्बत करने के बाद दार में मज़कूर में दाखिल हुआ तो बयक तलाक़ तालिक़ा हो जायेगी यह शरह जामअ कबीर में है।

अगर दो नफ़ियों के दरमियान कलिमा या दाखिल किया मसलन कहा कि वल्लाह मैं इस दार में न दाखिल होंगा या इस दार दीगर में न दाखिल होंगा फिर इन दोनों में से किसी एक में दाखिल हुआ तो हानिस हो जायेगा और अगर दोनों में से किसी में दाखिल न हुआ यहां तक कि मर गया तो हानिस न होगा। और अगर कलिमा या दरमियान दो इसबातों के दाखिल किया मसलन कहा कि वल्लाह मैं इस दार में दाखिल होंगा या इस दार दीगर में दाखिल होंगा फिर वो इन में से एक मैं दाखिल हुआ तो क़सम में सच्चा हो गया और अगर दोनों में से किसी में

....

(2) शर्त मौखर करने से कुछ फ़र्क़ न होगा।

दो हज या बदला दो क़सम अनिवार्य होगी और इसी तरह अगर हज की अनिवार्यता के पीछे निकटता/सहवास की शर्त(1)वर्णन की हो तो भी यही आदेश है और अगर कहा कि हर बार में इस घर में प्रवेश हुआ बस मैंने तुझ से निकटता की तो मुझ पर एक हज अनिवार्य है फिर घर में प्रवेश हुआ फिर औरत से संभोग किया तो इसपर हज अनिवार्य होंगे और अगर घर में प्रवेश हुआ या औरत से एक बार संभोग किया तो इसके ज़िम्मे अनिवार्य नहीं है सिवा एक क़सम के और अगर कहा कि हर बार प्रवेश हुआ में इस घर में तो वल्लाह मैंने तुझ से संभोग न किया तो यह कहना या यह कहना कि मैं तुझसे संभोग न करूंगा दोनों बराबर हैं कि एक ही बार पापी होगा अनुवादक के कथनानुसार यह अरबी भाषा में सीधा है कि हर बार प्रवेश हुआ में इस घर में तो वल्लाह मैंने तुझसे संभोग किया और हमारी भाषा में इस स्थिति में संकोच है अल्लाह जाने और अगर कहा कि अल्लाह मैं तुझसे निकटता न करूंगा हर बार कि मैं प्रवेश हुआ इस घर में तो यह कथन और कहा हर बार कि मैं प्रवेश हुआ इस घर में तो वल्लाह मैं तुझसे निकटता न करूंगा दोनों बराबर हैं और अगर कहा कि अगर मैंने तुझ से निकटता की तो तुझे तलाक़ है हर बार कि मैं प्रवेश हुआ इस घर में तो वह शपथ करने वाला न हो जायेगा और अगर औरत से निकटता करने के बाद वर्णित घर में प्रवेश हुआ तो एकदम तलाक़शुदा हो जायेगी यह शरह जामअ कबीर में है।

अगर दो नफ़ियों के बीच कलिमा या प्रवेश किया मसलन कहा कि वल्लाह मैं इस घर में न प्रवेश होंगा या इस घर दीगर में न प्रवेश होंगा फिर इन दोनों में से किसी एक में प्रवेश हुआ तो पापी हो जायेगा और अगर दोनों में से किसी में प्रवेश न हुआ यहां तक कि मर गया तो पापी न होगा। और अगर कलिमा या बीच दो इसबातों के प्रवेश किया मसलन कहा कि वल्लाह मैं इस घर में प्रवेश होंगा या इस घर दीगर में प्रवेश होंगा फिर वह इन में से एक मैं प्रवेश हुआ तो क़सम में सच्चा हो गया और अगर दोनों में से किसी में प्रवेश न हुआ यहां

....

(2) शर्त लगाने से कुछ फ़र्क़ न होगा।

दाखिल न हुआ यहां तक कि मर गया तो हानिस हो गया और अगर कलिमा या दरमियान नफ़ी और इसबात के दाखिल किया मसलन कहा कि वल्लाह मैं इस दार में दाखिल न होगा या इस दार दीगर मूँ आज ज़रूर दाखिल होंगा पस अगर दूसरे दार में दाखिल हो गया तो क़सम में सच्चा हो गया और क़सम नफ़ी साक़ित हो गई और दार अव्वल में दाखिल हुआ तो क़सम नफ़ी में हानिस हो गया और यमीन इसबात साक़ित हो गई और ऐसे मसाइल में एक दफ़ा इसके हानिस होने से क़सम मुनहल हो जाती है चुनांचे अगर दोबारह जिस शर्त से हानिस हो गया है इस को बजा लाया तो मुकर्र हानिस न होगा और इसी तरह जिस क़सम में इस्बात से इब्तदा की हो यही हुक्म है मसलन कहा कि वल्लाह मैं इस दार में आज ज़रूर दाखिल होंगा या इस दार दीगर में कभी दाखिल न होगा लेकिन बात इतनी है कि क़सम इसबात में अगर आज है इस दार में दाखिल हो गया तो क़सम में सच्चा होगा और क़सम नफ़ी में दूसरे दार में दाखिल होने पर हानिस होगा यह शरह तलखीस जामअ कबीर में है।

अगर कहा कि वल्लाह मैं इस दार में दाखिल न होंगा या इस दार दीगर में दाखिल होंगा पस अगर दूसरे दार में दाखिल होने से पहले दार अव्वल में दाखिल हुआ तो हानिस हो जायेगा और अगर पहले दार दीगर में दाखिल हुआ तो क़सम साक़ित हो गई और अगर इस ने तखयुर (1) की नियत की हो तो असल में मज़कूर है कि क़सम इस की नियत पर होगी पस क़सम का इन्अक़ाद इन दोनों में से एक पर होगा यानी या तो अव्वल पर न दाखिल होने के साथ या दूसरे पर दाखिल होने के साथ और यही हिस्सा मशाइख का क़ौल है और यही मज़हब शैख अबू अब्दुल्लाह जअफ़रानी का है और यही असह है और अगर कहा कि वल्लाह मैं इस दार में दाखिल न होगा या दो दार हाये दीगर में से एक में दाखिल होगा और इस की कुछ नियत नहीं है पस अगर पहले वो दार हाये दीगर में से किसी में दाखिल हुआ तो अपनी क़सम में सच्चा हो गया और क़सम साक़ित हो गई और अगर दोनों दार हाये दीगर में से किसी में दाखिल हो गई।

(1) इन दोनों में से किसी एक में बतौर इख़्तयार के।

तक कि मर गया तो पापी हो गया और अगर कथन या बीच नफ़ी और इसबात के प्रवेश किया मसलन कहा कि वल्लाह मैं इस घर में प्रवेश न होगा या इस घर दीगर मूँ आज ज़रूर प्रवेश होंगा बस अगर दूसरे घर में प्रवेश हो गया तो क़सम में सच्चा हो गया और नकारात्मक क़सम रद्द हो गई और पहले घर में प्रवेश हुआ तो नकारात्मक क़सम में पापी हो गया और सकारात्मक क़सम रद्द हो गई और ऐसे मामले में एक दफ़ा इस के पापी होने से क़सम मिश्रित हो जाती है चुनांचे अगर दोबारा जिस शर्त से पापी हो गया है इस को मान लिया तो दोबारा पापी न होगा और इसी तरह जिस सकारात्मक क़सम में से शुरूआत की हो यही आदेश है मसलन कहा कि वल्लाह मैं इस घर में आज ज़रूर प्रवेश होंउगा या इस दुसरे घर में कभी प्रवेश न होगा लेकिन बात इतनी है कि सकारात्मक क़सम में अगर आज है इस घर में प्रवेश हो गया तो क़सम में सच्चा होगा और क़सम नफ़ी में दूसरे घर में प्रवेश होने पर पापी होगा यह शरह तलखीस जामअ कबीर में है।

अगर कहा कि वल्लाह मैं इस घर में प्रवेश न होंगा या इस दूसरे घर में प्रवेश होंगा बस अगर दूसरे घर में प्रवेश होने से पहले घर पहला में दाखिल हुआ तो पापी हो जायेगा और अगर पहले दूसरे घर में प्रवेश हुआ तो क़सम रद्द हो गई और अगर इस ने चयन में वरीयता (1) का इरादा की हो तो असल में वर्णित है कि क़सम इस की इरादा पर होगी बस क़सम का आयोजन इन दोनों में से एक पर होगा यानी या तो पहला पर न प्रवेश होने के साथ या दूसरे पर प्रवेश होने के साथ और यही हिस्सा विद्वानों का कथन है और यही धर्म शैख अबू अब्दुल्लाह जअफ़रानी का है और यही सही है और अगर कहा कि वल्लाह मैं इस घर में प्रवेश न होगा या दूसरे दो घरों में से एक में प्रवेश होगा और इसकी कुछ इरादा नहीं है बस अगर पहले वह दूसरे घर में से किसी में प्रवेश हुआ तो अपनी क़सम में सच्चा हो गया और क़सम रद्द हो गई और अगर दोनों घर हाये दूसरे में से किसी में प्रवेश हो गई।

(1) इन दोनों में से किसी एक में बतौर अधिकार के।

अगर कहा कि वल्लाह इस दार का दाखिल होना आज तक करूंगा या कल के रोज़ इस दार दीगर में दाखिल होंना। फिर आज के रोज़ इस ने इस दार का दाखिल होना तरक किया तो अपनी क़सम में सच्चा हो गया और क़सम साक़ित हो गई और अगर क़सम खाई कि मैं इस दार में दाखिल न होगा पस अगर मैं इस दार में दाखिल न हुआ तो मैं इस दार दीगर में अफ़ज़ल होंगा यह इस्तसना बातिल (2) है यह इताबिया में है।

एक ने क़सम खाई कि मैं इस दार में दाखिल न होंगा मादाम यह कि ज़ैद इस में है फिर ज़ैद इस में मअ़ अपने अहल व अयाल के निकल गया फिर ज़ैद ने दोबारह इसी मकान में ऊद किया फिर हालिफ़ इस में दाखिल हो तो हानिस न होगा और इसी तरह अगर कहा कि मादाम यह कि मेरे तन पर यह कपड़ा है या जब तक मुझ पर यह कपड़ा है तो भी यही हुक्म है और अगर यूं कहा कि वल्लाह मैं इस दार में दाखिल न होंगा दर हाल यह कि तो इस में साकिन हो या दर हाल यह कि मेरे तीन पर यह कपड़ा हो फिर मुखातिब इस में से निकल गया यानी उठ गया फिर ऊउद करके आ गया या हालिफ़ ने यह कपड़ा उतार दिया फिर पहन लिया फिर दाखिल हुआ तो हानिस हो जायेगा। यह मुहीत सुरखी में है।

क़सम खाई कि इस दार में सुकूनत न रखूंगा फिर ख़ुद निकल गया और अपने अहले व मुताअ को इस में छोड़ दिया :

अगर क़सम खाई कि मैं इस दार में सुकूनत न करूंगा पस अगर इस में साकिन न हुआ तो इस के सुकूनत करने के यह मअनी हैं कि ख़ुद इस में रहे और असास उल बैत और असबाब ज़रूरत इस में लाकर रखे पस जब ऐसा करेगा तो इस वक्त हानिस हो जायेगा यह बदाऐ में है। एक शख़्स ने क़सम खाई कि इस दार में सुकून न रखूंगा फिर ख़ुद निकल गया और अपने अहल व मताअ को इस में छोड़ दिया पस अगर क़सम खाने वाला किसी दूसरे के अयाल में हो मिस्ल पिसर बालिग

(2) क़सम बिला इस्तसना वाक़े हो जायेगी।

अगर कहा कि वल्लाह इस घर का प्रवेश होना आज तक करूंगा या कल के दिन इस दूसरे घर में प्रवेश होंना। फिर आज के दिन इसने इस घर का प्रवेश होना छोड़ दिया तो अपनी क़सम में सच्चा हो गया और क़सम रद्द हो गई और अगर क़सम खाई कि मैं इस घर में प्रवेश न होगा बस अगर मैं इस घर में प्रवेश न हुआ तो मैं इस दूसरे घर में श्रेष्ट होंगा यह अपवाद अमान्य (2) है यह इताबिया में है।

एक ने क़सम खाई कि मैं इस घर में प्रवेश न होंगा मादाम यह कि ज़ैद इसमें है फिर ज़ैद इसमें अपने घर वालों के साथ निकल गया फिर ज़ैद ने दोबारह इसी मकान में ऊद किया फिर शपथकर्ता इस में प्रवेश हो तो पापी न होगा और इसी तरह अगर कहा कि मादाम यह कि मेरे तन पर यह कपड़ा है या जब तक मुझ पर यह कपड़ा है तो भी यही आदेश है और अगर यूं कहा कि वल्लाह मैं इस घर में प्रवेश न होंगा दर हाल यह कि तो इस में साकिन हो या दर हाल यह कि मेरे तीन पर यह कपड़ा हो फिर मुखातिब इस में से निकल गया यानी उठ गया फिर ऊउद करके आ गया या शपथकर्ता ने यह कपड़ा उतार दिया फिर पहन लिया फिर प्रवेश हुआ तो पापी हो जायेगा। यह मुहीत सुरखी में है।

क़सम खाई कि इस घर में निवास न रखूंगा फिर ख़ुद निकल गया और अपने परिवार व माल को इस में छोड़ दिया :

अगर क़सम खाई कि मैं इस घर में निवास न करूंगा बस अगर इस में निवास न हुआ तो इस के निवास करने का यह अर्थ है कि ख़ुद इस में रहे और घर का माल और सामान ज़रूरत इस में लाकर रखे बस जब ऐसा करेगा तो इस समय पापी हो जायेगा यह बदाऐ में है। एक व्यक्ति ने क़सम खाई कि इस घर में निवास न रखूंगा फिर ख़ुद निकल गया और अपने परिवार व माल को इस में छोड़ दिया बस अगर क़सम खाने वाला किसी दूसरे के परिवार में हो बालिग लड़के के जैसे कि

(2) क़सम बिला अपवाद स्थपिते हो जायेगी।

के कि बाप के अयाल में हुए या बीवी के कि खाविन्द के साथ हुए तो हालिफ़ हानिस न होगा और अगर हालिफ़ किसी के अयाल में न हो तो अपनी क़सम में सच्चा न होगा इल्ला आँकि इसी वक्त से मुन्तक़िल करने में मशग़ूल हो जाये इस वास्ते कि बराबर इस तरह से रहना सुकूनत होगी फिर इमाम आज़म रह० के नज़दीक क़सम सच्ची होने की शर्त यह है अपने अहल व अयाल और सब मताअ़ को उठाले जाये हत्ता कि अगर इस में एक खूंटी या झाड़ू रहेगी तो हानिस होगा और न बाबर क़ौल इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अगर अपने अहल व अयाल और अक्सर असबाब को ले गया तो क़सम में सच्चा हो गया और इसी क़ौल पर फ़तवे है और इमाम मुहम्मद रह० के क़ौल पर अगर अहल व अयाल को और इस क़द्र असबाब को कि खाना दारी इस से हो सकती है ले गया तो क़सम में सच्चा हो गया यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

मशाइख़ ने फ़रमाया है कि यह अहसन है और लोगों ने हक़ में इस में ज़्यादह आसानी है और इसी पर फ़तवा है यह नहर उल फ़ाइक़ में है और इसमें इत्तफ़ाक़ है कि क़सम में सच्चे होने के वास्ते अहल व अयाल व खादिमों का उठाले जाना शर्त है और अगर सब को कूचा या मस्जिद में मुन्तक़िल करके ले गया और दार मज़कूर को सुपुर्द न किया तो इस में इख़्तलाफ़ है और सही यह है कि वो हानिस होगा जब तक कि दूसरा मसकन न करे और अगर दार दूसरे को बईं तौर सुपुर्द कर दिया कि अपना दार हमलूका था इस को किसी दूसरे को किराया पर दे दिया या इस में किराया या इआरत पर रहता था पस खाली करके इस के मालिक को सुपुर्द कर दिया और अपने वास्ते मसकन नहीं कर लिया तो हानिस न होगा। एक मर्द ने क़सम खाई कि मैं दार में न रहूंगा पस इस ने अपने अहल व मताअ़ को उठाले जाना चाहा पस इस की बीवी ने इस में से निकलने से इन्कार किया तो मर्द पर वाजिब है कि इस के निकालने में कोशिशकरे फिर अगर वही ग़ालिब आई और मर्द आजिज़ हो गया और निकल कर दूसरे दार में जा रहा तो अपनी क़सम में हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

बाप के परिवार में हुए या बीवी के कि पति के साथ हुए तो शपथकर्ता पापी न होगा और अगर शपथकर्ता किसी के अयाल में न हो तो अपनी क़सम में सच्चा न होगा सिवा आँकि इसी समय से हस्तान्तरित करने में व्यस्त हो जाये इस लिए कि बराबर इस तरह से रहना सुकूनत होगी फिर इमाम आज़म रह० के निकट क़सम सच्ची होने की शर्त यह है अपने परिवार और सब माल को उठाले जाये यहां तक कि अगर इस में एक खूंटी या झाड़ू रहेगी तो पापी होगा और न इमाम अबू यूसुफ़ रह० के कथनानुसार अगर अपने परिवार और अक्सर माल को ले गया तो क़सम में सच्चा हो गया और इसी कथन पर फ़तवे है और इमाम मुहम्मद रह० के कथन पर अगर परिवार को और इतना माल को कि खाना दारी इस से हो सकती है ले गया तो क़सम में सच्चा हो गया यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

विद्वानों ने कहा है कि यह अति-उत्तम है और लोगों के पक्ष में इसमें ज़्यादह आसानी है और इसी पर फ़तवा है यह नहर उल फ़ाइक़ में है और इसमें सहमति है कि क़सम में सच्चे होने के लिए परिवार व सेवादारों का उठा ले जाना शर्त है और अगर सब को कूचा या मस्जिद में हस्तान्तरित करके ले गया और वर्णित घर को न सौंपा तो इस में मतभेद है और सही यह है कि वह पापी होगा जब तक कि दूसरा निवास न करे और अगर घर दूसरे को इस तरह सौंप दिया कि अपना घर हमलूका था इस को किसी दूसरे को किराया पर दे दिया या इस में किराया पर रहता था बस खाली करके इस के मालिक को सुपुर्द कर दिया और अपने लिए निवास नहीं कर लिया तो पापी न होगा। एक मर्द ने क़सम खाई कि मैं घर में न रहूंगा बस इस ने अपने परिवार व माल को उठाले जाना चाहा बस इस की बीवी ने इस में से निकलने से इन्कार किया तो मर्द पर अनिवार्य है कि इस के निकालने में कोशिश करे फिर अगर वही ग़ालिब आई और मर्द अक्षम हो गया और निकल कर दूसरे घर में जा रहा तो अपनी क़सम में पापी न होगा यह फ़ताचा क़ाज़ी खान में है।

एक मर्द ने क़सम खाई कि मैं इस दार में न रहूंगा पस जब निकलना चाहा तो दरवाज़ा इस तरह बन्द पाया कि इस से खुल नहीं सकता है या बेडियां डाल कर निकलने से रोका गया तो बाज़े मशाइख़ ने फ़रमाया कि सूरत अव्वल में हानिस होगा और दूसरी में नहीं और सही यह है कि दोनों सूरतों में हानिस न होगा यह ग़यासिया में है।

अगर दीवार गिरा कर निकलने पर क़ादिर हो तो इस पर यह नहीं वाजिब है हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर किसी ने कहा कि अगर मैं इस रात इस शहर में रहूं तो ऐसा है यानी तलाक़ व इताक़ की क़सम खाई फिर इस को बुखार आ कर ऐसा हाल हो गया कि ख़ुद नहीं निकल सकता है यहां तक कि सुबह हो गई तो हानिस हो जायेगा इस वास्ते कि यह मुमकिन था कि वो किसी को इजारह पर मुक़र्ररह कर लेता जो इस को शहर से बाहर कर देता और जो शख़्स मुक़यद है इस के साथ यह हुक्म नहीं है इस वास्ते कि जिस ने इस को क़ैद किया है वो इस को निकल जाने के लिये रोकेगा हत्ता कि अगर इस को नर व कुत्ता हो तो मुक़यद भी मिस्ल मरीज़ के होगा और यही सही है यह मुहीत में है। एक मर्द ने अपनी बीवी से कहा कि अगर तू इसी दार में साकिन रही तो तू तालिक़ा है और हाल यह है कि मकान की चार दीवारी है और दरवाज़ा बन्द मक़फ़ल है तो यह औरत मअज़ूर है यहां तक कि दरवाज़ा खोला जाये और औरत पर यह वाजिब नहीं है कि वो दीवार फांद जाये और फ़क़ीह ने फ़रमाया कि हम इसी को लेते हैं यह ग़यासिया में है न और अगर इस ने घर में अपना असबाब छोड कर दूसरे घर की तलाश में गया तो सही क़ौल के मुवाफ़िक़ हानिस (क़सम तोड़ने वाला) न होगा इस वास्ते कि दूसरे घर की तलाश भी उठ जाने के कामों से एक काम है और जब तक तलाश करे तब तक की मुद्दत बहुक्मे शर्फ़ इस में से मुस्तसना होगी बशर्तेकि तलाश की मुद्दत में इफ़रात न करदे यह शरह जमअ उल बहरीन में है।

एक मर्द ने क़सम खाई कि मैं इस घर में न रहूंगा बस जब निकलना चाहा तो दरवाज़ा इस तरह बन्द पाया कि इस से खुल नहीं सकता है या बेड़ियां डाल कर निकलने से रोका गया तो कुछ विद्वानों ने कहा कि पहली स्थिति में पापी होगा और दूसरी में नहीं और सही यह है कि दोनों सूरतों में पापी न होगा यह ग़यासिया में है।

अगर दीवार गिरा कर निकलने पर सामर्थ हो तो इस पर यह अनिवार्य नहीं है पापी न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर किसी ने कहा कि अगर मैं इस रात इस शहर में रहूं तो ऐसा है यानी तलाक़ व इताक़ की क़सम खाई फिर इस को बुखार आ कर ऐसा हाल हो गया कि ख़ुद नहीं निकल सकता है यहां तक कि सुबह हो गई तो पापी हो जायेगा इस लिए कि यह मुमकिन था कि वह किसी को वेतन पर नियुक्त कर लेता जो इस को शहर से बाहर कर देता और जो व्यक्ति शपथ से कैद है इस के साथ यह आदेश नहीं है इस लिए कि जिस ने इस को क़ैद किया है वह इस को निकल जाने के लिये रोकेगा हत्ता कि अगर इस को नर व कुत्ता हो तो कैदी भी मरीज़ के जैसे होगा और यही सही है यह मुहीत में है। एक मर्द ने अपनी बीवी से कहा कि अगर तू इसी घर में निवासी रही तो तू तलाक़शुदा है और हाल यह है कि मकान की चार दीवारी है और दरवाज़ा बन्द ताला है तो यह औरत अपंग है यहां तक कि दरवाज़ा खोला जाये और औरत पर यह अनिवार्य नहीं है कि वह दीवार फांद जाये और फ़क़ीह ने कहा कि हम इसी को लेते हैं यह ग़यासिया में है न और अगर इस ने घर में अपना असबाब छोड़ कर दूसरे घर की तलाश में गया तो सही कथन के अनुकूल पापी (क़सम तोड़ने वाला)न होगा इस लिए कि दूसरे घर की तलाश भी उठ जाने के कामों से एक काम है और जब तक तलाश करे तब तक की मुद्दत सआदर आदेश इस में से छूट होगी बशर्ते कि तलाश की मुद्दत में बाहुल्य न करदे यह शरह जमअ उल बहरीन में है।

....

अगर फ़ारसी क़सम खाई कि 'वल्लाहु सन बदीन खाना अन्दर बनाशिम' फिर ख़ुद इस क़सद से निकल गया कि ऊद न करेगा तो अपनी क़सम में हानिस न होगा :

एक शख़्स ने क़सम खाई कि इस दार में न रहूंगा फिर ख़ुद निकल कर दूसरे घर की तलाश में गया ताकि इस में अहल व अयाल व असबाब को मुन्तक़िल करके ले जाये फिर दूसरा मकान इन को चन्द रोज़ तक न मिला और इस को यह मुमकिन है कि अपना असबाब इस में से निकाल कर बाहर रखे तो हानिस न होगा इसी तरह अगर कोई लादने का जानवर तलाश करने में मशग़ूल हुआ कि इस पर लाद करले जाये या आधी रात में ऐसी क़सम खाई कि सुबह होने तक इस को उठ जाना मुमकिन नहीं है या असबाब बहुत है और ख़ुद निकल गया और आप ही असबाब मुन्तक़िल करता है हालांकि यह मुमकिन है कि वो किराया पर मुन्तक़िल कराले मगर ऐसा नहीं करता है तो इन सब सूरतों में वो हानिस न होगा। और यह इस वक़्त है कि वो ख़ुद असबाब को इस तरह मुन्तक़िल करता हो जैसे लोग मुन्तक़िल कर लिया करते हैं और अगर वो ऐसे मुन्तक़िल न करता हो जैसे लोग मुन्तक़िल कर लेते हैं तो हानिस न होगा और मशाइख़ ने फ़रमाया कि यह हुक्म इस वक़्त कि अरबी ज़बान में क़सम खाई हो और अगर फ़ारसी में क़सम खाई कि 'वल्लाहु सन बदीन खाना अन्दर बनाशिम' फिर ख़ुद इस क़सद से निकल गया कि ऊद न करेगा तो अपनी क़सम में हानिस न होगा और अगर इस क़सद से निकल गया कि ऊद करेगा तो हानिस हो जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अपनी बीवी से कहा कि अगर तू इस दार में साकिन रही तो तू तालिक़ा है और यह क़सम आधी रात को खाई तो औरत मअज़ूर होगी आर अगर इस ने इस तरह की क़सम अपने हक़ में खाई हो तो वो मअज़ूर न होगा इस वास्ते कि वो रात में नहीं डरता है हत्ता कि इस के हक़ में भी ख़ौफ़ चारों (1) वग़ैरह की तरफ़ से

(1) सुलतान की तरफ़ से मुमानिअत हो।

अगर फ़ारसी क़सम खाई कि 'अल्लाह मुझे इस घर में बरकत दे' फिर ख़ुद इस इरादे से निकल गया कि वापस न करेगा तो अपनी क़सम में पापी न होगा :

एक व्यक्ति ने क़सम खाई कि इस घर में न रहूंगा फिर ख़ुद निकल कर दूसरे घर की तलाश में गया ताकि इस में परिवार व सामान को हस्तान्तरित करके ले जाये फिर दूसरा मकान इन को चन्द दिनों तक न मिला और इस को यह मुमकिन है कि अपना माल इस में से निकाल कर बाहर रखे तो पापी न होगा इसी तरह अगर कोई लादने का जानवर तलाश करने में व्यस्त हुआ कि इस पर लाद कर ले जाये या आधी रात में ऐसी क़सम खाई कि सुबह होने तक इस को उठ जाना मुमकिन नहीं है या सामान बहुत है और ख़ुद निकल गया और आप ही सामान हस्तान्तरित करता है हालांकि यह मुमकिन है कि वह किराया पर हस्तान्तरित कराले मगर ऐसा नहीं करता है तो इन सब स्थितियों में वह पापी न होगा। और यह इस समय है कि वह ख़ुद असबाब को इस तरह मुन्तक़िल करता हो जैसे लोग मुन्तक़िल कर लिया करते हैं और अगर वह ऐसे मुन्तक़िल न करता हो जैसे लोग मुन्तक़िल कर लेते हैं तो पापी न होगा और विद्वानों ने फ़रमाया कि यह आदेश इस समय कि अरबी ज़बान में क़सम खाई हो और अगर फ़ारसी में क़सम खाई कि 'वल्लाहु सन बदीन खाना अन्दर बनाशिम' फिर ख़ुद इस क़सद से निकल गया कि ऊद न करेगा तो अपनी क़सम में पापी न होगा और अगर इस क़सद से निकल गया कि ऊद करेगा तो पापी हो जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अपनी बीवी से कहा कि अगर तू इस घर में निवासी रही तो तुझे तलाक़ है और यह क़सम आधी रात को खाई तो औरत अक्षम होगी आर अगर इस ने इस तरह की क़सम अपने पक्ष में खाई हो तो वह अक्षम न होगा इस लिए कि वह रात में नहीं डरता है हत्ता कि इस के पक्ष में भी भय चोरों (1)आदि की ओर से सिद्ध हो तो

(1) सुलतान की ओर से मनाही हो।

साबित हो तो वो भी मअज़ूर होगा यह ज़खीरह में है और अगर कसम खाई कि इस दार में साकिन न होगा हालांकि इस में रहता है फिर इस पर मताअ मज़कूर मुन्तक़िल कर लिया जाना गिरां (बसबब कसरत वग़ैरा के) मालूम हुआ तो इस का हीला यह है कि मुताअ मज़कूर ऐसे शख़्स के हाथ फ़रोख़्त करदे जिस पर इस को ऐतमाद हुए और ख़ुद निकल कर दूसरे मकान में चला जाये ुरि जब इस को आसानी मालूम हुआ इस वक़्त इस से ख़रीदे यह फ़तावा सिराजिया में है।

अगर किसी गांव की निस्बत इस तरह की क़सम खाई कि इस में न रहूंगा तो वो बमन्ज़िला शहर के हैः

अगर एक शख़्स दूसरे शख़्स के साथ एक दार में रहता हो फिर इन में से एक ने क़सम खाई कि इस दूसरे के साथ न रहूंगा पस अगर इस ने मुन्तक़िल करना शुरू कर दिया हालांकि फ़िल हाल मुमकिन भी है तो ख़ैर वरना हानिस हो जायेगा और अगर हालिफ़ ने अपना असबाब इस दूसरे को हुबा कर दिया या इस के पस वदीअत रखा या आरियत दिया फिर मकान की तलाश में निकला और चन्द रोज़ तक कोई मकान न मिला व लेकिन इस दार में जिस में दूसरा रहता है न आया तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर इस ने अपना असबाब दूसरे को हुबा किया और इस ने क़ब्ज़ा कर लिया है या इस को वदीअत दिया या आरियत दिया और इसी वक़्त बाहर निकल गया बईं इरादह कि फिर ऊद न करेगा तो इस के साथ रहने वाला शुमार न होगा यह सिराज वहाज में है। एक ने क़सम खाई कि इस शहर में न रहूंगा फिर ख़ुद चला गया और अपने अहल व असबाब को इस में छोड़ गया तो हानिस न होगा और अगर किसी गांव की निस्बत इस तरह की क़सम खाई कि इस में न रहूंगा तो वो बमन्ज़िला शहर के है और यही सही है और कूचा व महल्ला इस हुक्म में बमन्ज़िला दार के है और अगर क़सम खाई कि 'अन्दरीं दियह बनाशिम' फिर अपने अहल व अयाल व असबाब ले कर वहां से निकल गया फिर वापिस हो (चाहे दरमियान से

वह भी अक्षम होगा यह ज़खीरह में है और अगर कसम खाई कि इस घर में साकिन न होगा हालांकि इस में रहता है फिर इस पर मताअ वर्णित मुन्तक़िल कर लिया जाना गिरां (ज्यादा आदि के कारण) मालूम हुआ तो इस का हीला यह है कि वर्णित माल ऐसे व्यक्ति के हाथ बेच दे जिस पर इसको भरोसा हो और ख़ुद निकल कर दूसरे मकान में चला जाये फिर जब इस को आसानी मालूम हो उस समय इस से खरीदे यह फ़तावा सिराजिया में है।

अगर किसी गांव की तुलना इस तरह की क़सम खाई कि इस में न रहूंगा तो वह क्रमश शहर के हैः

अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ एक घर में रहता हो फिर इन में से एक ने क़सम खाई कि इस दूसरे के साथ न रहूंगा बस अगर इस ने हस्तान्तरण करना शुरू कर दिया हालांकि फ़िल हाल मुमकिन भी है तो ख़ैर वरना पापी हो जायेगा और अगर शपथकर्ता ने अपना सामान इस दूसरे को हिबा कर दिया या इस के बस धरोहर रखा या अस्थायित्व पर दिया फिर मकान की तलाश में निकला और चन्द दिन तक कोई मकान न मिला व लेकिन इस घर में जिस में दूसरा रहता है न आया तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर इस ने अपना सामान दूसरे को तोहफ़ा किया और इस ने क़ब्ज़ा कर लिया है या इस को अस्थायित्व या अमानत दिया और इसी समय बाहर निकल गया इस का इरादा किया फिर नहीं पलटेगा तो इसके साथ रहने वाला शुमार न होगा यह सिराज वहाज में है। एक ने क़सम खाई कि इस शहर में न रहूंगा फिर ख़ुद चला गया और अपने अहल व असबाब को इस में छोड़ गया तो पापी न होगा और अगर किसी गांव की निस्बत इस तरह की क़सम खाई कि इस में न रहूंगा तो वह क्रमश शहर के है और यही सही है और कूचा व महल्ला इस आदेश में क्रमश घर के है और अगर क़सम खाई कि 'मैं यह घर बनाऊंगा' फिर अपने परिवार व सामान ले कर वहां से निकल गया फिर वापिस हो (चाहे मध्य से वापस हुआ

वापस हुआ या कहीं सुकुनत करके फिर वापस आया हो) और इस में सुकूनत इख़्तियार की तो हानिस हो जायेगा। और इस तरह जो फ़अ़ल मुमतिद (२) होता है इस में एक वक़्त में सच्चा होने से क़सम बातिल नहीं हो जाती है यह खज़ानतुल मुफ़तीन में है।

मशाइख़ ने फ़रमाया कि यह हुक्म इस वक़्त है कि शख़्स मज़कूर बग़र्ज़ रहने व सुकूनत करने के वापिस आया हो और अगर किसी के देखने को आया या अपने असबाब को मुन्तक़िल करने के वास्ते आया और चन्द रोज़ रहा और इस की नियत यहां सुकूनत करने की नहीं है तो अपनी क़सम में हानिस न होगा और अगर रहने के वास्ते आया हो तो एक दम का रहना हानिस होने के वास्ते काफ़ी है दोम शर्त नहीं है यह मुहीत में है।

अगर कहा कि अगर मैं यक्सां या इमसाल इस दिये में रहूं तो मेरी बीवी तालिक़ा है प एक रोज़ बक़िया साल से कम रहा या यूं क़सम खाई कि इस दार में महीना भर नहीं रहूंगा फिर एक साअ़त रहा तो हानिस न होगा जब तक कि महीना भर न रहे यह खज़ानतुल मुफ़तीन में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ साकिन न होंगा फिर हालिफ़ अपने सफ़र में फ़लां के घर उतरा और एक या दो रोज़ तक रहा तो हानिस न होगा और फ़लां के साथ साकिन न होगा जब तक कि इस के साथ कम से कम पन्द्रह (३) रोज़ तक न रहे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

एक शख़्स ने क़सम खाई कि कूफ़ा में न होंगा पस मुसाफ़िरत में वहां गुज़रा और वहां चौदह रोज़ रहने की नियत की तो हानिस न होगा और अगर पन्द्रह रोज़ की नियत की तो हानिस हो जायेगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ सुकूनत न करूंगा फिर फ़लां मज़कूर इस हालिफ़ के दार में ग़सब की राह से दाख़िल हो और रहने लगा पस हालिफ़ इस के साथ रहा तो हानिस हो जायेगा ख़्वाह हालिफ़ को यह बात मालूम हुई हो या नहीं अगर ग़ासिब के उतरते ही हालिफ़ अपने उठ जाने का बन्दो बस्त किया और मुन्तक़िल करना शुरू किया तो हानिस न होगा यह खज़ानतुल मुफ़तीन में है। और अगर हालिफ़ ने सफ़र किया फिर फ़लां मज़कूर इस हालिफ़ के

या कहीं निवास करके फिर वापस आया हो)और इस में सुकूनत इख़्तियार की तो पापी हो जायेगा। और इस तरह जो फ़अ़ल मुमतिद (२) होता है इस में एक समय में सच्चा होने से क़सम अमान्य नहीं हो जाती है यह खज़ानतुल मुफ़तीन में है।

विद्वानों ने फ़रमाया कि यह आदेश इस समय है कि व्यक्ति वर्णित बग़र्ज़ रहने व सुकूनत करने के वापिस आया हो और अगर किसी के देखने को आया या अपने असबाब को मुन्तक़िल करने के लिए आया और चन्द दिन रहा और इस की इरादा यहां सुकूनत करने की नहीं है तो अपनी क़सम में पापी न होगा और अगर रहने के लिए आया हो तो एक दम का रहना पापी होने के लिए काफ़ी है दोम शर्त नहीं है यह मुहीत में है।

अगर कहा कि अगर मैं यक्सां या इमसाल इस दिये में रहूं तो मेरी बीवी तालिक़ा है प एक दिन बक़िया साल से कम रहा या यूं क़सम खाई कि इस घर में महीना भर नहीं रहूंगा फिर एक साअ़त रहा तो पापी न होगा जब तक कि महीना भर न रहे यह खज़ानतुल मुफ़तीन में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ साकिन न होंगा फिर शपथकर्ता अपने सफ़र में फ़लां के घर उतरा और एक या दो दिन तक रहा तो पापी न होगा और फ़लां के साथ साकिन न होगा जब तक कि इस के साथ कम से कम पन्द्रह (३) दिन तक न रहे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

एक व्यक्ति ने क़सम खाई कि कूफ़ा में न होंगा बस मुसाफ़िरत में वहां गुज़रा और वहां चौदह दिन रहने की इरादा की तो पापी न होगा और अगर पन्द्रह दिन की इरादा की तो पापी हो जायेगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ सुकूनत न करूंगा फिर फ़लां वर्णित इस शपथकर्ता के घर में ग़सब की राह से प्रवेश हो और रहने लगा बस शपथकर्ता इस के साथ रहा तो पापी हो जायेगा चाहे शपथकर्ता को यह बात मालूम हुई हो या नहीं अगर ग़ासिब के उतरते ही शपथकर्ता अपने उठ जाने का बन्दो बस्त किया और मुन्तक़िल करना शुरू किया तो पापी न होगा यह खज़ानतुल मुफ़तीन में है। और अगर शपथकर्ता ने सफ़र किया फिर फ़लां वर्णित

अहल व अयाल के साथ साकिन रहा तो इमाम अबू हनीफ़ा रह० ने फ़रमाया कि हालिफ़ हानिस हो जायेगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि नहीं हानिस होगा और इसी पर फ़तवा है और मुन्तक़ी में लिखा है कि अगर महलूफ़ अलैहि यानी जिस के साथ न रहने पर क़सम खाई है तीन रोज़ या ज़्यादा की राह पर सफ़र कर गया फिर क़सम खाने वाला इस के अहल के साथ इस में रहा तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० के क़ौल पर हानिस न होगा और अगर इस से कम दूरी पर गया हो तो हानिस होगा यह ज़हीरिया में है।

अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ कूफ़ा में साकिन न होंगा तो यह क़सम कूफ़ा के दार वाहिद में साथ रहने पर वाक़े होगी चुनांचे अगर हालिफ़ एक घर में रहे और महलूफ़ अलैहि दूसरे घर में रहे तो हानिस न होगा लेकिन अगर इस ने यह नियत की हो कि मैं और महलूफ़ अलैहि कूफ़ा में न रहूंगा यानी एक घर में हो या दो घरों में तो इस सूरत में इस की नियत पर क़सम होगी और इसी तरह अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ इस गांव में न रहूंगा तो यह क़सम एक घर में इस के साथ रहने पर वाक़े होगी और इसी तरह अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ ख़ुरासां में न रहूंगा तो भी यही हुक्म है और इसी तरह अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ दुनिया में न रहूंगा तो भी एक घर में इस के साथ रहने पर क़सम वाक़े होगी और अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ न रहूंगा फिर कशती हैं इसके साथ रहना हुआ कि हर एक के साथ इसके अहले व मताअ है और इस को अपनी मन्ज़िल बनाया तो अपनी क़सम में हानिस न होगा और यह मल्लाहों के हक़ में मसाकनत है और यही हुक्म जंगली लोगों का है कि जब वो एक है खैमा में मुजतमअ हो कर रहें तो हानिस होगा और अगर खैमा मुतफ़र्रिक़ हों तो हानिस न होगा अगरचे बाहम नज़दीक हों यह ज़खीरह में है। और अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ न रहूंगा फिर इसके साथ किसी दार के या बैत

(2) मुमतिद से मुरादयह है कि वो वक़्त दूर तक दराज हो सकता है।

(3)अक़वाल ज़ाहिरन अगर नियत की हो कि पन्द्रह रोज तक रहूंगा तो भी एक दो रोज में भी हानिस हो जायेगा।

इस शपथकर्ता के अहल व अयाल के साथ साकिन रहा तो इमाम अबू हनीफ़ा रह० ने फ़रमाया कि शपथकर्ता पापी हो जायेगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि नहीं पापी होगा और इसी पर फ़तवा है और मुन्तक़ी में लिखा है कि अगर महलूफ़ अलैहि यानी जिस के साथ न रहने पर क़सम खाई है तीन दिन या ज़्यादा की राह पर सफ़र कर गया फिर क़सम खाने वाला इस के अहल के साथ इस में रहा तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० के कथन पर पापी न होगा और अगर इस से कम दूरी पर गया हो तो पापी होगा यह ज़हीरिया में है।

अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ कूफ़ा में साकिन न होंगा तो यह क़सम कूफ़ा के घर वाहिद में साथ रहने पर स्थपित होगी चुनांचे अगर शपथकर्ता एक घर में रहे और महलूफ़ अलैहि दूसरे घर में रहे तो पापी न होगा लेकिन अगर इस ने यह इरादा की हो कि मैं और महलूफ़ अलैहि कूफ़ा में न रहूंगा यानी एक घर में हो या दो घरों में तो इस स्थिति में इस की इरादा पर क़सम होगी और इसी तरह अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ इस गांव में न रहूंगा तो यह क़सम एक घर में इस के साथ रहने पर स्थपित होगी और इसी तरह अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ ख़ुरासां में न रहूंगा तो भी यही आदेश है और इसी तरह अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ दुनिया में न रहूंगा तो भी एक घर में इस के साथ रहने पर क़सम स्थपित होगी और अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ न रहूंगा फिर कशती ें इस के साथ रहना हुआ कि हर एक के साथ इस के अहले व मताअ है और इस को अपनी मन्ज़िल बनाया तो अपनी क़सम में पापी न होगा और यह मल्लाहों के हक़ में मसाकनत है और यही आदेश जंगली लोगों का है कि जब वह एक है खैमा में एकत्र हो कर रहें तो पापी होगा और अगर खैमा भिन्न हों तो पापी न होगा चाहे बाहम निकट हों यह ज़खीरह में है। और अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ न रहूंगा फिर इस के साथ किसी घर के या घर

(2) मुमतिद से तात्पर्य यह है कि वह समय दूर तक विशाल हो सकता है।

(3)कथन स्पष्टता अगर इरादा किया हो कि पन्द्रह दिन तक रहूंगा तो भी एक दो दिन में भी पापी हो जायेगा।

(मैदान हो जाने के बाद) के ग़रफ़ा के दरमियान में साकिन रहा तो हानिस हो जायेगा यह बदाऐ में है।

अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ सुकूनत न करूंगा और कुछ नियत नहीं कि फिर इहाता में दोनों इस तरह रहे कि हर एक अलाहिदा अलाहिदा क़सर में रहा तो हानिस होगा और साथ रहना जब मुतहक्क़िक़ होगा कि दोनों एक ही बैत में रहें या दोनों एक ही दार के अलाहिदा अलाहिदा बैत में रहें और अगर अहल व अयाल हों तो अहल व अयाल व माल व असबाब इस में रखें और जब एक दार में अलाहिदा अलाहिदा क़सर हैं तो हर क़सर अलाहिदा मसकन है लिहाज़ा हानिस न होगा और अगर इस ने अपनी क़सम में यह नियत की हो कि इस तरह अलाहिदा अलाहिदा क़सरमें भी न रहूंगा तो हानिस हो जायेगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि यह हुक्म इस वक्त है कि इहाता बहुत बड़ा हो जैसे कूफ़ा में दार वलीद है या बुखारा में दार नूह है कि यह बमन्ज़िला एक महल्ले के है और अगर दार ऐसा न हो तो बदून नियत मज़कूर के भी हानिस हो जायेगा और ख़्वाह इस दार में बुयूत हों या क़सर हों और अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ सुकूनत न करूंगा फिर एक ही बैत या एक ही क़सर में इस के साथ बदून अहल व मताअ के साकिन रहा तो हमारे नज़दीक हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ एक दार में न रहूंगा और दार मुअय्यन का नाम लिया फिर दोनों ने इस को बांट लिया और बीच में दीवार खड़ी कर दी और हर एक ने अपना दरवाज़ा अलाहिदा फोड़ लिया फिर क़सम खाने वाला एक हिस्से में रहा और दूसरा दूसरे हिस्से में रहा तो क़सम खाने वाला हानिस हो जायेगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ साकिन न होंगा और किसी दार मुअय्यन का नाम नहीं लिया और न नियत की फिर इसी तरह एक दार के दो हिस्से करके इन के दरमियान दीवार कर दी गई फिर क़सम खाने वाला एक टुकड़े में और दूसरा दूसरे टुकड़े में रहा तो हानिस न होगा। यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। एक शख़्स ने क़सई खाई कि फ़लां के साथ साकिन न होंगा और कोई दार मुअय्यन नहीं बयां किया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने

(मैदान हो जाने के बाद) के खिड़की के बीच में साकिन रहा तो पापी हो जायेगा यह बदाऐ में है।

अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ निवास न करूंगा और कुछ इरादा नहीं कि फिर प्रांगण में दोनों इस तरह रहे कि हर एक अलग अलग घर में रहा तो होगा पापी होगा और साथ रहना जब प्रमाणित होगा कि दोनों एक ही घर में रहें या दोनों एक ही घर के अलग अलग घर में रहें और अगर परिवार वाले हों तो परिवार व माल व सामान इस में रखें और जब एक घर में अलग अलग घर हैं तो हर घर अलग निवास है लिहाज़ा पापी न होगा और अगर इस ने अपनी क़सम में यह इरादा की हो कि इस तरह अलग अलग घर में भी न रहूंगा तो पापी हो जायेगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से वर्णन है कि यह आदेश इस समय है कि इहाता बहुत बड़ा हो जैसे कूफ़ा में वलीद का घर है या बुखारा में नूह का घर है कि यह क्रमश एक महल्ले के है और अगर घर ऐसा न हो तो बजाए वर्णित इरादे के भी पापी हो जायेगा और चाहे इस घर में कमरे हों या घर हों और अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ निवास न करूंगा फिर एक ही घर या एक ही क़सर में इस के साथ इसका परिवार व माल के निवासी रहा तो हमारे निकट पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ एक घर में न रहूंगा और घर मुईन का नाम लिया फिर दोनों ने इस को बांट लिया और बीच में दीवार खड़ी कर दी और हर एक ने अपना दरवाज़ा अलग फोड़ लिया फिर क़सम खाने वाला एक हिस्से में रहा और दूसरा दूसरे हिस्से में रहा तो क़सम खाने वाला पापी हो जायेगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ निवासी न होंउगा और किसी निश्चित घर का नाम नहीं लिया और न इरादा किया फिर इसी तरह एक घर के दो हिस्से करके इन के बीच दीवार कर दी गई फिर क़सम खाने वाला एक टुकड़े में और दूसरा दूसरे टुकड़े में रहा तो पापी न होगा। यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। एक व्यक्ति ने क़सई खाई कि फ़लां के साथ साकिन न होंगा और कोई घर निश्चित नहीं बयां किया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने कहा कि अगर इस के साथ बाज़ार की दुकान में रहा जिस में दोनों कोई सिनअत का

फ़रमाया कि अगर इस के साथ बाज़ार की दुकान में रहा जिस में दोनों कोई सिनअत का काम करते हैं या तिजारत करते हैं तो हानिस न होगा और यह क़सम उन्हीं मकानों पर वाक़े होगी कि जिस को उन्होंने घर बनाया है कि इस में अहले व अयाल के साथ रहते हैं लेकिन अगर इस ने इस तरह दुकान में रहने की नियत भी की हो या बाहम क़ब्ल इस क़सम के दोनों में ऐसी गुफ़्तुगू हो जो इस पर दलालत करे तो इस सूरत में हानिस होगा कि क़सम इस के कलाम साबिक़ व मअनी पर होगी और अगर इस ने दुकान को अपना घर बना लिया चुनांचे कहा जाता है कि फ़लां शख़्स बाज़ार में रहता है पस अगर क़सम मज़कूर के साथ की, अम्र इस पर दलालत करता हुआ कि इस ने क़सम से यह मुराद ली है कि बाज़ार में फ़लां के साथ रहना तरक करेगा तो क़सम इसी पर महमूल होगी और अगर ऐसा क़रीना न हो मगर इस ने कहा कि मैंने बाज़ार की मसाकनत की नियत की थी तो इस का क़ौल क़बूल होगा और इस ने अपने नफ़्स पर सख़्ती की है यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां दार में इस के साथ साकिन न होगा फिर वो मुनहदिम किया गया और वहां दूसरा दार बनायागया फिर इस में साकिन हुआ तो हानिस होगा और यह बख़िलाफ़ इस के हे कि बैत मुअय्यन में इस के साथ न रहने की क़सम खाई फिर वो मुनहदिम करके मैदान छोड दिया गया फिर इसी मक़ाम पर दूसरा बैत बनाया गया फिर इस में इस के साथ रहा तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि दार में यानी मुअय्यन में इस के साथ न रहूंगा फिर वो बुस्तान कर दिया गया तो इस में साथ रहने से हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि दार ग़ैद में या किसी दार ग़ैद में न रहूंगा और कोई दार मुअय्यन बयान नहीं किया और न नियत की फिर ग़ैद के ऐसे दार में रहा जिस को इस ने बाद क़सम के फ़रोख़्त कर दिया है तो इस में रहनेसे हानिस न होगा और अगर ग़ैद के ऐसे दार में रहा जो वक़्त क़सम से वक़्त सुकूनत तक इस की मिल्क है तो बिल इत्तफ़ाक़ हानिस हो जायेगा और अगर ऐसे दार में रहा जिस को ग़ैद ने बाद इस की क़सम के खरीद किया है तो इमाम

काम करते हैं या व्यापार करते हैं तो पापी न होगा और यह क़सम उन्हीं मकानों पर स्थपित होगी कि जिस को उन्होंने घर बनाया है कि इस में परिवार के साथ रहते हैं लेकिन अगर इस ने इस तरह दुकान में रहने की इरादा भी की हो या आपस में इस क़सम के पहले दोनों में ऐसी गुफ़्तुगू हो जो इस पर तर्क करे तो इस स्थिति में पापी होगा कि क़सम इस के पिछली बात व अर्थ पर होगी और अगर इस ने दुकान को अपना घर बना लिया चुनांचे कहा जाता है कि फ़लां व्यक्ति बाज़ार में रहता है बस अगर क़सम वर्णित के साथ की, कार्य इस पर तर्क करता हुआ कि इस ने क़सम से यह तात्पर्य लिया है कि बाज़ार में फ़लां के साथ रहना छोड़ देगा तो क़सम इसी पर निर्धारित होगी और अगर ऐसा क़रीना न हो मगर इस ने कहा कि मैंने बाज़ार के निवास का इरादा किया थी तो इस का कथन स्वीकार होगा और इस ने अपने ऊपर सख़्ती की है यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां घर में इस के साथ साकिन न होगा फिर वह तोड़ दिया गया और वहां दूसरा घर बनाया गया फिर इस में वास हुआ तो पापी होगा और यह इस के विपरीत है कि निश्चित घर में इस के साथ न रहने की क़सम खाई फिर वह तोड़ करके मैदान छोड़ दिया गया फिर इसी मक़ाम पर दूसरा घर बनाया गया फिर इस में इस के साथ रहा तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि घर में यानी निश्चित में इस के साथ न रहूंगा फिर उसे बगीचा कर दिया गया तो इस में साथ रहने से पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि घर ग़ैद में या किसी घर ग़ैद में न रहूंगा और कोई घर निश्चित बयान नहीं किया और न इरादा की फिर ग़ैद के ऐसे घर में रहा जिस को इस ने क़सम के बाद बेच दिया है तो इस में रहने से पापी न होगा और अगर ग़ैद के ऐसे घर में रहा जो समय क़सम से समय सुकूनत तक इस की मिल्क है तो सर्वसहमति से पापी हो जायेगा और अगर ऐसे घर में रहा जिस को ग़ैद ने बाद इस की क़सम के खरीद किया है तो इमाम आज़म रह० व इमाम मुहम्मद रह० के निकट पापी होगा और अगर क़सम खाई कि ग़ैद के किसी घर में निवास न करूंगा फिर ऐसे घर में रहा जो ग़ैद के

आज़म रह० व इमाम मुहम्मद रह० के नज़दीक हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि ज़ैद के किसी दारीं साकिन न होंगा फिर ऐसे दार में रहा जो ज़ैद के और दूसरे के दरमियान मुशतरिक है तो हानिस न होगा ख़्वाह दूसरे का इस में हिस्सा कम हा हो ज़्यादा या हो यह मबसूत में है। और अगर क़सम खाई कि ज़ैद के इस दार में साकिन न होंगा फिर ज़ैद ने इस को फ़रोख़्त कर दिया फिर हालिफ़ इस में रहा तो इस में दो सूरतों हैं अगर इस ने इस दार में बिल ख़ुसूस रहने की नियत की हो तो हानिस होगा और अगर यह नियत की हो कि ज़ैद की मिल्कियत में जब तक है न रहूंगा तो हानिस न होगा और अगर इस की कुछ नियत न हो तो इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि हानिस न होगा यह ज़ख़ीरा में है।

अगर किसी ने क़सम खाई कि बैत में न रहूंगा और इस की कुछ नियत है फिर वो बालों की बैत या फ़सतात या खैमा में रहा तो हानिस न होगाः

अगर किसी ने क़सम खाइ कि ऐसे दार में न रहूंगा जिस को फ़लां खरीदे फिर फ़लां ने किसी दूसरे के वास्ते एक दार खरीदा जिस में यह हालिफ़ साकिन हुआ तो हानिस होगा और अगर इस ने दावा किया कि मेरी यह नियत थी कि फ़लां अपने वास्ते खरीदे पस अगर क़सम अल्लाह तआला की हो तो इस की तसदीक़ की जायेगी और अगर क़सम बतलाक़ या इताक़ हो तो क़ज़ाअन इस की तसदीक़ न होगी यह मुहीत में है। और अगर किसी ने क़सम खाई कि बैत में न रहूंगा और इस की कुछ नियत है फिर वो बालों की बैत या फ़सतात या खैमा में रहा तो हानिस न होगा बशर्तेकि आबादी के रहने वालों में से हो और अगर बदवी है तो हानिस होगा यह मबसूत में है और अगर क़सम खाई कि इल्ला यलबैत मअ फ़लां या लाय बैत फ़ी मकान कज़ा यानी फ़लां के साथ रात न गुज़ारूंगा तो रात भर इस के साथ रहने पर क़सम होगी पस अगर आधी रात से ज़्यादा इस के साथ यकजा रहा तो हानिस हुआ और अगर इस से कम रहा

और दूसरे के बीच साझा है तो पापी न होगा चाहे दूसरे का इसमें हिस्सा कम हो या ज़्यादा हो यह मबसूत में है। और अगर क़सम खाई कि ज़ैद के इस घर में न रहुंगा फिर ज़ैद ने इसको बेच दिया फिर शपथकर्ता इसमें रहा तो इसमें दो स्थितियां हैं अगर इसने इस घर में विशेषकर रहने का इरादा किया हो तो पापी होगा और अगर यह इरादा किया हो कि ज़ैद की अधीनता में जब तक है न रहूंगा तो पापी न होगा और अगर इसकी कुछ इरादा न हो तो इमामे आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने कहा कि पापी न होगा यह ज़खीरा में है।

अगर किसी ने क़सम खाई कि घर में न रहूंगा और इस का कुछ इरादा है फिर वह छप्पर के घर या मंडप या खैमा में रहा तो पापी न होगाः

अगर किसी ने क़सम खाई कि ऐसे घर में न रहूंगा जिस को फ़लां खरीदे फिर फ़लां ने किसी दूसरे के लिए एक घर खरीदा जिस में यह शपथकर्ता निवासी हुआ तो पापी होगा और अगर इस ने दावा किया कि मेरी यह इरादा था कि फ़लां अपने लिए खरीदे बस अगर क़सम अल्लाह तआला की खाई हो तो इस की पुष्टि की जायेगी और अगर क़सम तलाक़ की या मुक्ति की हो तो इस की पुष्टि न्यायिक न होगी यह मुहीत में है। और अगर किसी ने क़सम खाई कि घर में न रहूंगा और इस की कुछ इरादा है फिर वह बालों की घर या फ़सतात या खैमा में रहा तो पापी न होगा बशर्तेकि आबादी के रहने वालों में से हो और अगर बदवी है तो पापी होगा यह मबसूत में है और अगर क़सम खाई कि सिवा यलघर मअ फ़लां या लाय घर फ़ी मकान कज़ा यानी फ़लां के साथ रात न गुज़ारूंगा तो रात भर इस के साथ रहने पर क़सम होगी बस अगर आधी रात से ज़्यादा इस के साथ यकजा रहा तो पापी हुआ और अगर इस से कम रहा तो

तो हानिस न होगा .ख़्वाह वो सोया हो या न सोया हो यह बदाऐ में है।

अगर क़सम खाई कि इस मन्ज़िल में रात न गुज़ारूंगा फिर .ख़ुद इस में से निकल कर बाहर सोया और अपने अहल व अयाल व असबाब को वहीं छोड़ा तो हानिस न होगा और ऐसी क़सम इस की ज़ात पर होगी अहल व असबाब पर न होगी और अगर क़सम खाई कि यह रात इस बैत की छत पर न गुज़ारूंगा और इस छत पर एक ग़रफ़ा है कि इस की ज़मीन और छत एक है तो वहां रात गुज़ारने से हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि किस छत पर रात न गुज़ारूंगा फिर इस ग़रफ़ा की ज़मीन पर सोया तो हानिस न होगा और अगर कहा कि वल्लाह मैं मन्ज़िल फ़लां में कल के रोज़ फ़लां की मन्ज़िल में न हूंगा (1) तो वो कल की किसी साअत होने पर होगी और यह ज़हीरिया में है।

अगर क़सम खाई कि لا یأوی مع فلاں اولا یأوی فی مکان او دار او بیت यानी अवादत न करूंगा फ़लां के साथ या फ़लां मकान या वार या बैत में तो इदारत यह है कि ठहर रहे किसी मक़ाम में फ़लां के साथ .ख़्वाह थोडी देर या बहुत देर .ख़्वाह रात में या दिन में और यह इमाम अबू यूसुफ़ रह० का दूसरा क़ौल है और यही इमाम मुहम्मद का क़ौल है लेकिन अगर इस ने इस से .ज़्यादा एक दो रोज़ की नियत की हो तो इस की नियत पर होगी और इब्ने रूस्तम ने इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत की कि अगर किसी ने कहा कि 'लाया वैनी व इय्याका बैत अबदा' यानी कोई बैत कभी मुझे और तुझे साथ जगह (2) न देगा तो इमाम अबू यूसुफ़ र0 के दूसरे क़ौल और मेरे क़ाल में यह क़सम तरक़ा उल ऐन पर वाक़े होगी इल्ला आंकि इस ने इस से .ज़्यादा एक दो रोज़ की नियत की हो तो इस की नियत पर होगी और इब्ने समाआ ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की है कि अगर ज़ैद ने कहा कि उमरो को जगह न दूंगा उमरो मज़कूर को ज़ैद के अयाल में इस के मकान में मौजूद है

(1) मन्ज़िल में न हूउंगा वहां मेरा मौजूद होना न पाया जाएगा
(2) साथ जगह ना देगा यानी मैं और तू दोनो किसी मकान में यकजा ना होंगे।

पापी न होगा चाहे वह सोया हो या न सोया हो यह बदाऐ में है।

अगर क़सम खाई कि इस मन्ज़िल में रात न गुज़ारूंगा फिर .ख़ुद इस में से निकल कर बाहर सोया और अपने अहल व अयाल व असबाब को वहीं छोड़ा तो पापी न होगा और ऐसी क़सम इस की ज़ात पर होगी अहल व असबाब पर न होगी और अगर क़सम खाई कि यह रात इस घर की छत पर न गुज़ारूंगा और इस छत पर एक ग़रफ़ा है कि इस की ज़मीन और छत एक है तो वहां रात गुज़ारने से पापी होगा और अगर क़सम खाई कि किस छत पर रात न गुज़ारूंगा फिर इस ग़रफ़ा की ज़मीन पर सोया तो पापी न होगा और अगर कहा कि वल्लाह मैं मन्ज़िल फ़लां में कल के दिन फ़लां की मन्ज़िल में न हूंगा (1) तो वह कल की किसी साअत होने पर होगी और यह ज़हीरिया में है।

अगर क़सम खाई कि لا یأوی مع فلاں اولا یأوی فی مکان او دار او بیت यानी अवादत न करूंगा फ़लां के साथ या फ़लां मकान या वार या घर में तो इदारत यह है कि ठहर रहे किसी मक़ाम में फ़लां के साथ चाहे थोडी देर या बहुत देर चाहे रात में या दिन में और यह इमाम अबू यूसुफ़ रह० का दूसरा कथन है और यही इमाम मुहम्मद का कथन है लेकिन अगर इस ने इस से .ज़्यादा एक दो दिन की इरादा की हो तो इस की इरादा पर होगी और इब्ने रूस्तम ने इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत की कि अगर किसी ने कहा कि 'लाया वैनी व इय्याका घर अबदा' यानी कोई घर कभी मुझे और तुझे साथ जगह (2) न देगा तो इमाम अबू यूसुफ़ र0 के दूसरे कथन और मेरे क़ाल में यह क़सम तरक़ा उल ऐन पर स्थापित होगी सिवा आंकि इस ने इस से .ज़्यादा एक दो दिन की इरादा की हो तो इस की इरादा पर होगी और इब्ने समाआ ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की है कि अगर ज़ैद ने कहा कि उमरू को जगह न दूंगा उमरू वर्णित को ज़ैद के अयाल में इस के मकान में मौजूद है

(1) मन्ज़िल में न हूउंगा वहां मेरा उपस्थित होना न पाया जाएगा
(2) साथ जगह ना देगा यानी मैं और तू दोनो किसी मकान में एकसाथ ना होंगे।

तो ग़ैद हानिस होगा इल्ला आंकि ग़ैद की नियत उमरो को डराने की हो कि जिन हरकतों में गिरफ़तार है इन को छोड दे तो ऐसा नहीं है। और अगर उमरो इस के अयाल में न हो और इस के मकान में न हो तो यह ग़ैद की नियत पर है अगर यह नियत की हो कि उमरो को अपने अयाल यानी परवरिश में न रखेगा तो क़सम इस की नियत पर होगी। और अगर नियत की कि इस को अपने घर में दाखिल न करेगा फिर अगर उमरो बदूं इस की इजाज़त के दाखिल हुआ और ग़ैद इस को देख कर चुप हो रहा तो हानिस न होगा यह बदाऐ में है।

एक मर्द सफ़र को निकाला और इस के साथ दूसरा है और इस का इरादा ऐसे मक़ाम पर जाने का है कि इस को बयान कर दिया है पस क़सम खाई कि इस शख़्स से सिवाए इस सफ़र के साथ न रखूंगा फिर जब थोडी राह क़तअ की तो दोनों की राये में दूसरे मक़ाम को जाना मसलहत मालूम हुआ पस दोनों दूसरे मक़ाम की तरफ़ लोट पडे जो सिवाए इस मक़ाम के है जिस का पहले नाम लिया था तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि यह इसी पहले सफ़र में है पस हानिस न होगा। एक शख़्स ने क़सम खाई कि मैं आज पैदल न चलूंगा इल्ला एक मील फिर अपने घर से निकल कर एक मील तक पैदल जाकर अपने मकान को पैदल वापिस आया तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अपने क़सम में (1) हानिस होगा इस वास्ते कि वो दो मील पैदल चला है। ग़ैद ने कहा कि वल्लाह उमरो की मसाहबत न करूंगा पस अगर ग़ैद एक क़तार में चलता हो आर उमरो दूसरी क़तार में तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि इस का मसाहिब ना होगा और अगर दोनों एक ही क़तार में हूं तो वो मसाहिब होगा अगरचे एक इस क़तार के अव्वल में हो और दूसरा आखिर में है और इसी तरह अगर दोनों एक कशती में हों इस तरह कि एक एक दरजे में और दूसरा दूसरे दरजे में हो और हर एक का खाना अलग अलग हो तो भी यही हुक्म है इस वास्ते कि इन का आना जाना एक ही रास्ता से होगा और अगर कहा कि वल्लाह मैं फ़लां की मुराफ़क़त न

(1)क़ालल मुतरज्जिम नियत का होना ज़रूर है वल्लाहु आलम

तो ग़ैद पापी होगा सिवा आंकि ग़ैद की इरादा उमरू को डराने की हो कि जिन हरकतों में गिरफ़तार है इन को छोड दे तो ऐसा नहीं है। और अगर उमरू इस के अयाल में न हो और इस के मकान में न हो तो यह ग़ैद की इरादा पर है अगर यह इरादा की हो कि उमरू को अपने अयाल यानी परवरिश में न रखेगा तो क़सम इस की इरादा पर होगी। और अगर इरादा की कि इस को अपने घर में प्रवेश न करेगा फिर अगर उमरू बदूं इस की इजाज़त के प्रवेश हुआ और ग़ैद इस को देख कर चुप हो रहा तो पापी न होगा यह बदाऐ में है।

एक मर्द सफ़र को निकाला और इस के साथ दूसरा है और इस का इरादा ऐसे मक़ाम पर जाने का है कि इस को बयान कर दिया है बस क़सम खाई कि इस व्यक्ति से सिवाए इस सफ़र के साथ न रखूंगा फिर जब थोडी राह क़तअ की तो दोनों की राये में दूसरे मक़ाम को जाना मसलहत मालूम हुआ बस दोनों दूसरे मक़ाम की तरफ़ लोट पडे जो सिवाए इस मक़ाम के है जिस का पहले नाम लिया था तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि यह इसी पहले सफ़र में है बस पापी न होगा। एक व्यक्ति ने क़सम खाई कि मैं आज पैदल न चलूंगा सिवा एक मील फिर अपने घर से निकल कर एक मील तक पैदल जाकर अपने मकान को पैदल वापिस आया तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अपने क़सम में (1) पापी होगा इस लिए कि वह दो मील पैदल चला है। ग़ैद ने कहा कि वल्लाह उमरू की मसाहबत न करूंगा बस अगर ग़ैद एक क़तार में चलता हो आर उमरू दूसरी क़तार में तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि इस का मसाहिब ना होगा और अगर दोनों एक ही क़तार में हूं तो वह मसाहिब होगा चाहे एक इस क़तार के पहला में हो और दूसरा आखिर में है और इसी तरह अगर दोनों एक कशती में हों इस तरह कि एक एक दरजा में और दूसरा दूसरे दरजा में हो और हर एक का खाना अलग अलग हो तो भी यही आदेश है इस लिए कि इन का आना जाना एक ही रास्ता से होगा और

(1))अनुवादक के कथनानुसार में नियत का विवरण होना ज़रूर है अल्लाह जाने।

करूंगा तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि अगर दोनों का तआम एक ही हो एक मकान में हालांकि दो दोनों एक जमाअत के साथ में चलते हैं तो इन दोनों में मुराफ़क़त साबित होगी और अगर दोनों एक काती में हों और दोनों का तआम यकजा न हो कि एक दस्तरख्वान पर न खाते हों तो मुराफ़क़त साबित न होगी और इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ मुराफ़क़त न करूंगा फिर दोनों सफ़र में निकले पस अगर दोनों एक महमल में हों या दोनों का करब (1) एक हो या क़तार एक हो तो मुराफ़क़त साबित होगी और अगर करब मुख़्तलिफ़ हो तो मुराफ़िक़ न होगा अगरचे दोनों की सर वाहिदह हा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

बाबः 4

निकलने और आने व सवार होने वग़ैरह की क़सम खाने के बयान में

अगर किसी ने क़सम खाई कि मस्जिद या दार या बैत वग़ैरह से न निकलूंगा फिर किसी को हुक्म किया कि इस को लाद कर बाहर ले गया तो हानिस हो जायेगा जैसे जानवर पर सवार हुआ जो इस को लेकर बाहर गया तो हानिस होगा यह फ़तह उल क़दीर में है। एक ने क़सम खाई कि बाहर न निकलूंगा फिर कोई ज़बरदस्ती इस को लाद कर बाहर ले गया तो हानिस न होगा और ऐसा ही दाखिल न होने की क़सम में भी यही हुक्म है यह तमरताशी में है।

जब ज़बरदस्ती कोई लाद कर निकाल ले गया पस आया क़सम मनहल हो जायेगी कि इस के बाद ख़ुद निकले तो हानिस न हो तो इस में इख़्तलाफ़ है और सही यह है कि क़सम मनहल न होगी चुनांचे अगर इस के बाद ख़ुद निकला तो हानिस होगा और अगर किसी ने बग़ैर हालिफ़ के हुक्म के इस को लाद कर निकाला हालांकि हालिफ़ इस के मना करने पर क़ादिर है मगर इस ने मना न किया बल्कि अपने दिल से इस पर राज़ी है तो इस में इख़्तलाफ़ है और सही यह है कि हानिस न

(1) कर्ब यानि एक ही बन्दिश के ऊँटो में से दोनो ऊँट हों

अगर कहा कि वल्लाह मैं फ़लां की मुराकेवल न करूंगा तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि अगर दोनों का तआम एक ही हो एक मकान में हालांकि दो दोनों एक जमाअत के साथ में चलते हैं तो इन दोनों में मुराकेवल सिद्ध होगी और अगर दोनों एक काती में हों और दोनों का तआम यकजा न हो कि एक दस्तरख्वान पर न खाते हों तो मुराकेवल सिद्ध न होगी और इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ मुराकेवल न करूंगा फिर दोनों सफ़र में निकले बस अगर दोनों एक महमल में हों या दोनों का करब (1) एक हो या क़तार एक हो तो मुराकेवल सिद्ध होगी और अगर करब मुख़्तलिफ़ हो तो मुराफ़िक़ न होगा चाहे दोनों की सर वाहिदह हा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अध्याय 4

निकलने और आने व सवार होने आदि की क़सम खाने का वर्णन

अगर किसी ने क़सम खाई कि मस्जिद या घर या घर वग़ैरह से न निकलूंगा फिर किसी को आदेश किया कि इस को लाद कर बाहर ले गया तो पापी हो जायेगा जैसे जानवर पर सवार हुआ जो इस को लेकर बाहर गया तो पापी होगा यह फ़तह उल क़दीर में है। एक ने क़सम खाई कि बाहर न निकलूंगा फिर कोई ज़बरदस्ती इस को लाद कर बाहर ले गया तो पापी न होगा और ऐसा ही प्रवेश न होने की क़सम में भी यही आदेश है यह तमरताशी में है।

जब ज़बरदस्ती कोई लाद कर निकाल ले गया बस आया क़सम मनहल हो जायेगी कि इस के बाद ख़ुद निकले तो पापी न हो तो इस में मतभेद है और सही यह है कि क़सम मनहल न होगी चुनांचे अगर इस के बाद ख़ुद निकला तो पापी होगा और अगर किसी ने बग़ैर शपथकर्ता के आदेश के इस को लाद कर निकाला हालांकि शपथकर्ता इस के मना करने पर क़ादिर है मगर इस ने मना न किया बल्कि अपने दिल से इस पर राज़ी है तो इस में मतभेद है और सही यह है कि पापी न

(1) काठी यानि एक ही साईज़ के ऊँटो में से दोनो ऊँट हों

होगा यह शरह जामअ सग़ीर क़ाज़ी खान में है और अगर किसी पर इकराह (1) व जबर किया गया कि अपने पैरों बाहर निकले या अन्दर दाखिल हो पस इस ने ऐसा किया तो हानिस होगा यह तमरताशी में है और अगर क़सम खाई कि बाहर न निकलूंगा तो जब तक कूचा में न निकले हानिस न होगा यह ख़ुलासा में है और एक ने क़सम खाई कि अपने दार से न निकलूंगा फिर अपने दरवाज़ा दार से निकला फिर वापिस हो गया तो हानिस हो जायेगा और अगर दार की किसी मन्ज़िल में बैठ कर क़सम खाई फिर इस मन्ज़िल से निकल किरदार से बाहर निकलने से पहले वापिस हो गया तो हानिस न होगा यह फ़तावा खान में है और अगर क़सम खाई कि अपने दार से बाहर न निकलूंगा इल्ला जनाज़ा की तरफ़ फिर जनाज़ा के इरादे से निकला और वहां कोई और ज़रूरत भी पूरी करता आया तो हानिस न होगा यह काफ़ी में है।

अगर क़सम खाई कि रे से कूफ़ा की जानिब न निकलूं फिर रे से मक्का का क़सद करके निकला और इस का रास्ता कूफ़ा होकर है तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि रे से निकलने के वक्त अगर इस ने नियत की कि कूफ़ा होकर जाउंगा तो हानिस होगा और अगर नियत की कि कूफ़ा में न गुज़रूंगा फिर निकलने के बाद इस की राये में आया और चल कर (2) ऐसी जगह आया कि वो नमाज़ क़सर करता है फिर कूफ़ा में से गुज़रा तो हानिस न होगा। और अगर वक्त क़सम के इस की नियत यह हो कि खास कूफ़ा के क़सद से कूफ़ा को न जाउंगा फिर इस ने हज का क़सद किया और रे से निकल कर नियत की कि कूफ़ा होकर जाऊं तो 'फ़ीमा बैनहू व बैनल्लाहि तआला' हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि दार से न निकलूंगा इल्ला बजानिब मस्जिद फिर मस्जिद के इरादे से निकला फिर वहां से ग़ैर मस्जिद की तरफ़ भी इस की राये हुई और गया तो हानिस न होगा यह मुहीत में है।

इमाम क़ुदूरी ने फ़रमाया कि दार मसकूना से निकलने

(1)ज़बरदस्ती की गई।
(2) चल कर यानी यह राये इस की ऐसे मक़ाम से हुई जहां नमाज+ का क़सर होता हैयानी अपनेशहर से बाहर हो गया।

होगा यह शरह जामअ सग़ीर क़ाज़ी खान में है और अगर किसी पर इकराह (1) व अत्याचार किया गया कि अपने पैरों बाहर निकले या अन्दर प्रवेश हो बस इस ने ऐसा किया तो पापी होगा यह तमरताशी में है और अगर क़सम खाई कि बाहर न निकलूंगा तो जब तक कूचा में न निकले पापी न होगा यह ख़ुलासा में है और एक ने क़सम खाई कि अपने घर से न निकलूंगा फिर अपने दरवाज़ा घर से निकला फिर वापिस हो गया तो पापी हो जायेगा और अगर घर की किसी मन्ज़िल में बैठ कर क़सम खाई फिर इस मन्ज़िल से निकल किरदार से बाहर निकलने से पहले वापिस हो गया तो पापी न होगा यह फ़तावा खान में है और अगर क़सम खाई कि अपने घर से बाहर न निकलूंगा सिवा जनाज़ा की तरफ़ फिर जनाज़ा के इरादे से निकला और वहां कोई और ज़रूरत भी पूरी करता आया तो पापी न होगा यह काफ़ी में है।

अगर क़सम खाई कि रे से कूफ़ा की जानिब न निकलूं फिर रे से मक्का का क़सद करके निकला और इस का रास्ता कूफ़ा होकर है तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि रे से निकलने के समय अगर इस ने इरादा की कि कूफ़ा होकर जाउंगा तो पापी होगा और अगर इरादा की कि कूफ़ा में न गुज़रूंगा फिर निकलने के बाद इस की राये में आया और चल कर (2) ऐसी जगह आया कि वह नमाज़ क़सर करता है फिर कूफ़ा में से गुज़रा तो पापी न होगा। और अगर समय क़सम के इस की इरादा यह हो कि खास कूफ़ा के क़सद से कूफ़ा को न जाउंगा फिर इस ने हज का क़सद किया और रे से निकल कर इरादा की कि कूफ़ा होकर जाऊं तो 'फ़ीमा बैनहू व बैनल्लाहि तआला' पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि घर से न निकलूंगा सिवा बजानिब मस्जिद फिर मस्जिद के इरादे से निकला फिर वहां से ग़ैर मस्जिद की तरफ़ भी इस की राये हुई और गया तो पापी न होगा यह मुहीत में है।

इमाम क़ुदूरी ने कहा कि घर निवास से निकलने के

(1) ज़बरदस्ती की गई।
(2) चल कर यानी यह राये इस की ऐसे स्थान से हुई जहां नमाज़ का क़सर होता है यानी अपने शहर से बाहर हो गया।

के यह मअनी हैं कि ख़ुद मअ अपने मताअ व अयाल के निकले और शहर व गांव से निकलने में यह ऐतबार है कि ख़ुद अपने तन से खासत निकल जाये और मुन्तक़ी में ज़्यादा किया कि अगर अपने बदन से निकल गया तो क़सम में सच्चा हो गया ख़्वाह सफ़र का क़सद किया हो या न किया हो यह ज़खीरा में है। और अगर कहा कि वल्लाह मैं न निकलूंगा हालांकि वो दार के किसी बैत में बैठा है फिर वहां से निकल कर सहन दार में आया तो हानिस न होगा इल्ला आंकि वहां न निकलना भी इस की नियत हुआ और अगर इस ने नियत की हो कि निकल कर मक्का को न जाउंगा या शहर से न निकलूंगा तो क़ज़ाअन व दयानत किसी तरह इसकी तसदीक़ न होगी। यह बहरूर्राइक़ में है।

अगर क़सम खाई कि अपनी बैत से न निकलूंगा यानी जिस बैत में मौजूद है फिर सहन दार में निकला तो हानिस हो जायेगा। और हमारे मुताखिरीन मशाइख ने फ़रमाया कि यह इन के उर्फ़ के मुवाफ़िक़ और हमारे उर्फ़ में सहन दार भी बैत है पस जब तक कूचा में न निकले हानिस न होगा और इसी पर फ़तवा है। और अगर क़सम खाई कि इस दार से न निकलूंगा फिर अपना एक पानों इस दार से निकाला तो अपनी क़सम में हानिस न होगा ऐसा ही इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया है और हमारे बाज़ मशाइख ने फ़रमाया कि अगर दार मज़कूर का बाहर नीचा हो तो अपनी क़सम में हानिस होगा और बाज़ों ने कहा कि इस का सहारा निकले हुए पानों पर हो तो हानिस होगा अगरचे दार का बाहर नीचा न हो लेकिन हमारे असहाब से ज़ाहिर उल रिवायत के मुवाफ़िक़ किसी हाल में हानिस न होगा और इसी को शम्सुल अइम्मा सुरखी व हलवाई ने इख़्तयार किया है और यह इस वक़्त है कि खड़े खड़े क़दमों के बल निकला हो और अगर बैठ कर इस ने अपने दोनों क़दम बाहर निकाले और इस का बदन अन्दर है तो अपनी क़सम में हानिस न होगा फिर अगर खड़ा हो गया तो हानिस हो जायेगा और अगर चित या पट या करवट लेना हो फिर ढंका यहां तक कि इस का बाज़ बदन बाहर हो गया पस अगर ज़्यादा बदन बाहर हो गया तो

यह अर्थ हैं कि ख़ुद अपने माल व परिवार के निकले और शहर व गांव से निकलने में यह विश्वास है कि ख़ुद अपने तन से विशेषकर निकल जाये और मुन्तक़ी में ज़्यादा किया कि अगर अपने बदन से निकल गया तो क़सम में सच्चा हो गया चाहे सफ़र का क़सद किया हो या न किया हो यह ज़खीरा में है। और अगर कहा कि वल्लाह मैं न निकलूंगा हालांकि वह घर के किसी घर में बैठा है फिर वहां से निकल कर सहन घर में आया तो पापी न होगा सिवा यह कि वहां न निकलना भी इस की इरादा हुआ और अगर इस ने इरादा की हो कि निकल कर मक्का को न जाउंगा या शहर से न निकलूंगा तो न्यायिक व इमानदारी से किसी तरह इसकी पुष्टि न होगी। यह बहरूर्राइक़ में है।

अगर क़सम खाई कि अपनी घर से न निकलूंगा यानी जिस घर में मौजूद है फिर सहन घर में निकला तो पापी हो जायेगा। और हमारे मुताखिरीन विद्वानों ने फ़रमाया कि यह इन के उर्फ़ के मुवाफ़िक़ और हमारे उर्फ़ में सहन घर भी घर है बस जब तक कूचा में न निकले पापी न होगा और इसी पर फ़तवा है। और अगर क़सम खाई कि इस घर से न निकलूंगा फिर अपना एक पानों इस घर से निकाला तो अपनी क़सम में पापी न होगा ऐसा ही इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया है और हमारे कुछ विद्वानों ने कहा कि अगर घर वर्णित का बाहर नीचा हो तो अपनी क़सम में पापी होगा और कुछ ने कहा कि इस का सहारा निकले हुए पानों पर हो तो पापी होगा चाहे घर का बाहर नीचा न हो लेकिन हमारे असहाब से ज़ाहिर उल रिवायत के अनुकूल किसी हाल में पापी न होगा और इसी को शम्सुल अइम्मा सुरखी व हलवाई ने अपनाया है और यह इस समय है कि खड़े खड़े क़दमों के बल निकला हो और अगर बैठ कर इस ने अपने दोनों क़दम बाहर निकाले और इस का बदन अन्दर है तो अपनी क़सम में पापी न होगा फिर अगर खड़ा हो गया तो पापी हो जायेगा और अगर चित या पट या करवट लेना हो फिर ढंका यहां तक कि इस का कुछ बदन बाहर हो गया बस अगर ज़्यादा बदन बाहर हो गया तो पापी हो जायेगा चाहे इस की यादें अन्दर ही हों और

हानिस हो जायेगा अगरचे इस की शाख़ीन अन्दर ही हों और अगर क़सम खाई कि इस दार से ख़ारिज न होंगा और इस दार में एक बडा दरख़्त है जिस की शाखें दार से बाहर हैं फिर इस दरख़्त पर चढ़ कर इन शाख़ों पर आया यहां तक कि दार से बाहर बीच रास्ते पर हो गया कि अगर गिरे तो रास्ते में गिरे तो हानिस न होगा ख़्वाह क़सम खाने वाला बिलादे अरब का हो या बिलादे (1) अजम का हो यह मुहीत में है।

अगर क़सम खाई कि मेरी बीवी इस दार से न निकलेगी फिर वो औरत दार के दरवाज़ा से या दीवार के ऊपर से या कोई सुराख करके निकली बहरहाल हानिस हो गया और क़सम खाई कि इस दार के दरवाज़े से बाहर न होगा तो किसी दरवाज़े से निकले ख़्वाह दरवाज़ा क़दीम से या नया दरवाज़ा बना कर बहरहाल हानिस होगा और अगर दीवार के ऊपर से या सुराख करके निकले तो हानिस न होगा ऐसा ही बाज़ मशाइख ने शरह ईमान उल असल में ज़िक्र किया है और हील में ज़िक्र फ़रमाया कि अगर क़सम खाई कि इस दार के दरवाज़े से न निकलूंगा फिर छत पर चढ़ कर किसी पडौसी के यहां उतर कर निकला या इस दार का कोई दूसरा दरवाज़ा निकाल कर इस से निकला तो हानिस न होगा और शैख़ अबू नसर व बोसी ने फ़रमाया कि सही यह है कि हानिस हो जायेगा इस वास्ते कि सब इसी दार के दरवाज़े हैं और अगर क़सम खाई कि इस दार से इस दरवाज़े से न निकलूंगा फिर दूसरे दरवाज़े से सिवाए दरवाज़ा मुअय्यन मज़कूर के निकला तो ईमान उल असल में मज़कूर है कि हानिस न होगा क़ालल मुतरजम ज़ाहिरन मसला में तसहीफ़ हुई है और सही (2) यूं है कि क़सम खाई कि इस दार के इस दरवाज़े से न निकलूंगा फ़ाफ़हम। फ़तावा अहले समरकन्दी में लिखा है कि एक ने क़सम खाई कि इस दार के दरवाज़े से न निकलूंगा

(1) क़ालल मुतरज्जिम इसी किताब के बाब साबिक में इख़्तलाफ़ अरबी व अजमी होने की रिवायत मज़कूर हुई और यहां नईम फ़रमाई वल्लाहु तआला आलम।

(2) क़ौलहू सही अक़्वाल असल मसला केयह मअनी हैं और दरजे यह कि दरवाज़ा की ख़ुसूसियत लग़ू है तो निकलना मोअतबर है जबकि किसी दरवाज़े से हो।

अगर क़सम खाई कि इस घर से ख़ारिज न होंगा और इस घर में एक बडा दरख़्त है जिस की शाख़ें घर से बाहर हैं फिर इस दरख़्त पर चढ़ कर इन शाख़ों पर आया यहां तक कि घर से बाहर बीच रास्ते पर हो गया कि अगर गिरे तो रास्ते में गिरे तो पापी न होगा चाहे क़सम खाने वाला अरब का वासी हो या (1) अजम का हो यह मुहीत में है।

अगर क़सम खाई कि मेरी बीवी इस घर से न निकलेगी फिर वह औरत घर के दरवाज़ा से या दीवार के ऊपर से या कोई सुराख करके निकली बहरहाल पापी हो गया और क़सम खाई कि इस घर के दरवाज़े से बाहर न होगा तो किसी दरवाज़े से निकले चाहे दरवाज़ा क़दीम से या गया दरवाज़ा बना कर बहरहाल पापी होगा और अगर दीवार के ऊपर से या सुराख करके निकले तो पापी न होगा ऐसा ही कुछ विद्वानों ने शरह ईमान उल असल में वर्णन किया है और हील में वर्णन फ़रमाया कि अगर क़सम खाई कि इस घर के दरवाज़े से न निकलूंगा फिर छत पर चढ़ कर किसी पडौसी के यहां उतर कर निकला या इस घर का कोई दूसरा दरवाज़ा निकाल कर इस से निकला तो पापी न होगा और शैख़ अबू नसर व बोसी ने फ़रमाया कि सही यह है कि पापी हो जायेगा इस लिए कि सब इसी घर के दरवाज़े हैं और अगर क़सम खाई कि इस घर से इस दरवाज़े से न निकलूंगा फिर दूसरे दरवाज़े से सिवाए दरवाज़ा निश्चित वर्णित के निकला तो ईमान उल असल में वर्णित है कि पापी न होगा अनुवादक के कथनानुसार ज़ाहिरन मसला में तसहीफ़ हुई है और सही (2) यूं है कि क़सम खाई कि इस घर के इस दरवाज़े से न निकलूंगा फ़ाफ़हम। फ़तावा अहले समरकन्दी में लिखा है कि एक ने क़सम खाई कि इस घर के दरवाज़े से न निकलूंगा और इस की इरादा लकडी का दर है फिर यह दरवाज़ा गिर गया फिर इस मक़ाम से

(1)अनुवादक के कथनानुसार इसी किताब के पूर्व अध्याय में मतभेद अरबी व अजमी होने की परंपरा वर्णित हुई और यहां दिव्योपहार कहा है अल्लाह जाने।

(2) कहना सही कथन असल मामला का यह अर्थ हैं और श्रेणी ह कि दरवाज़ा की ख़ुसूसियत झूठ है तो निकलना विश्वसनीय है जबकि किसी दरवाज़े से हो।

और इस की नियत लकड़ी का दर है फिर यह दरवाज़ा गिर गया फिर इस मक़ाम से वो शख़्स निकला तो हानिस न होगा और अगर लकड़ी का दरवाज़ा मुराद न था तो हानिस होगा यह ज़खीरा में है।

अगर अपनी बीवी के हक़ में क़सम खाई कि न खारिज होगी मन्ज़िल से इल्ला बराऐ ज़ियारत फिर एक बार वो औरत इसी वास्ते निकली फिर दूसरी बार और काम के वास्ते निकली तो हानिस हो गया और अगर यह नियत की हो कि इस मर्तबा न निकलेगी इल्ला बराऐ ज़ियारत फिर वो ज़ियारत के वास्ते निकली फिर दूसरी बार वर काम के वास्ते निकली तो हानिस न होगा और अगर औरत पर क़सम खाई कि फ़लां के साथ मन्ज़िल से न निकलेगी पस वो औरत किसी दूसरे के साथ निकली या तन्हा निकली फिर फ़लां मज़कूर जाकर इस के साथ हो गया तो हानिस न होगा और अगर औरत पर क़सम खाई कि वो इस दार से खारिज न होगी फिर वो इस दार के बाला खाना में या कोठे पर के पायखाने में जिस का रास्ता तरीक़ आज़म की तरफ़ है गई तो यह दार से निकलना न हुआ यह मबसूत में है।

अगर किसी ने क़सम खाई कि मक्का में दाखिल होंगा फिर दाखिल न हुआ यहां तक कि मर गया तो आखिर जुज़ व अजज़ाये हयात में हानिस होगा :

अगर क़सम खाई कि मक्का की जानिब खारिज न होगा या मक्का की तरफ़ न जाउंगा फिर मक्का जाने के इरादे से निकला फिर वापिस हो आया तो हानिस हो जायेगा और हानिस होने के वास्ते शर्त यह है कि अपने शहर की आबादी से मक्का को जाने की नियत से खारिज हो जाये और अगर आबादी से तजावुज़ करने से पहले लोट आया तो हानिस न होगा अगरचे वो इसी नियत पर हो यह काफ़ी में है और अगर क़सम खाई कि मक्का की जानिब पैदल न निकलूंगा फिर अपने शहर की आबादी से पैदल निकल गया फिर सवार हो लिया तो हानिस होगा और अगर सवार हो कर आबादी से निकला फिर पैदल हो लिया तो हानिस न होगा यह ख़ुलासा में है

वह व्यक्ति निकला तो पापी न होगा और अगर लकड़ी का दरवाज़ा तात्पर्य न था तो पापी होगा यह ज़खीरा में है।

अगर अपनी बीवी के हक़ में क़सम खाई कि न खारिज होगी मन्ज़िल से सिवा बराऐ ज़ियारत फिर एक बार वह औरत इसी लिए निकली फिर दूसरी बार और काम के लिए निकली तो पापी हो गया और अगर यह इरादा की हो कि इस मर्तबा न निकलेगी सिवा बराऐ ज़ियारत फिर वह ज़ियारत के लिए निकली फिर दूसरी बार वर काम के लिए निकली तो पापी न होगा और अगर औरत पर क़सम खाई कि फ़लां के साथ मन्ज़िल से न निकलेगी बस वह औरत किसी दूसरे के साथ निकली या तन्हा निकली फिर फ़लां वर्णित जाकर इस के साथ हो गया तो पापी न होगा और अगर औरत पर क़सम खाई कि वह इस घर से खारिज न होगी फिर वह इस घर के बाला खाना में या कोठे पर के पायखाने में जिस का रास्ता तरीक़ आज़म की तरफ़ है गई तो यह घर से निकलना न हुआ यह मबसूत में है।

अगर किसी ने क़सम खाई कि मक्का में प्रवेश होंगा फिर प्रवेश न हुआ यहां तक कि मर गया तो आखिरी अंश व जीवन शैली में पापी होगा :

अगर क़सम खाई कि मक्का की जानिब खारिज न होगा या मक्का की तरफ़ न जाउंगा फिर मक्का जाने के इरादे से निकला फिर वापिस हो आया तो पापी हो जायेगा और पापी होने के लिए शर्त यह है कि अपने शहर की आबादी से मक्का को जाने की इरादा से खारिज हो जाये और अगर आबादी से तजावुज़ करने से पहले लोट आया तो पापी न होगा चाहे वह इसी इरादा पर हो यह काफ़ी में है और अगर क़सम खाई कि मक्का की जानिब पैदल न निकलूंगा फिर अपने शहर की आबादी से पैदल निकल गया फिर सवार हो लिया तो पापी होगा और अगर सवार हो कर आबादी से निकला फिर पैदल हो लिया तो पापी न होगा यह ख़ुलासा में है

और अगर किसी ने क़सम खाई कि मक्का में दाखिल होंगा फिर दाखिल न हुआ यहां तक कि मर गया तो आखिर जुज़ व अजज़ाये हयात में हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि इस के पास कल के रोज़ आउंगा अगर इस्तताअत हुई फिर इस को मर्ज़ या सुल्तान वग़ैरह कोई मानअ व आरिज़ पैश न आया तो हानिस (३) होगा यह काफ़ी में है।

अगर क़सम खाई कि बग़दाद में पैदल न आयेगा फिर सवार हो कर बग़दाद तक आया फिर पैदल होकर बग़दाद में दाखिल हुआ तो हानिस होगा यह

ख़ुलासा में है और मुन्तक़ी में लिखा है कि अगर किसी ने क़सम खाई कि मेरी बीवी फ़लां की शादी निकाह में न आयेगी फिर इस की औरत क़ब्ल शादी निकाह के गई और वहीं रहे यहां तक कि शादी निकाह हो गई तो हानिस न होगा और अगर किसी ने क़सम खाई कि फ़लां के पास न आउंगा तो यह क़सम इस पर है कि इस के मकान या दुकान पर न आये ख़्वाह इस से मुलाक़ात हो या न हो और अगर इस की मस्जिद में आया तो हानिस न होगा और मुन्तक़ी में लिखा है कि एक ने दूसरे का साथ लाज़िम पकड़ा यानी अपने हक़ की तलब के वास्ते हर वक्त इस के साथ रहने लगा पस जिस का साथ पकड़ा है इस ने क़सम खाई कि कल इस के पास आउंगा फिर जहां इस का साथ पकड़ा था वहां आया तो क़सम में सच्चा न होगा यहां तक कि इस के मकान पर आये और अगर इस के मकान पर इस का साथ पकड़ा है और क़सम खाई कि कल इस के पास ज़रूर आयेगा फिर तालिब इस मकान से दूसरी जगह उठ गया फिर क़सम खाने वाला इसी मकान पर आया जहां इस का साथ पकड़ा था और इस को न पाया तो क़सम में सच्चा न होगा यहां तक कि जिस मकान में उठ गया है वहां जाये और अगर क़सम खाई कि अगर मैं तेरे पास फ़लां मक़ाम पर कल के रोज़ न आउं तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर वहीं आया मगर इस को न पाया तो

(३)क़ालल मुतरजम इल्ला आकि इस की मुराद इस्तताअत वास्तव में हो जिस के साथ वजूद फ़अल होता है तो हानिस न होगा कमा फ़ी उल तलाक़।

और अगर किसी ने क़सम खाई कि मक्का में प्रवेश होंगा फिर प्रवेश न हुआ यहां तक कि मर गया तो आखिर जुज़ व अजज़ाये हयात में पापी होगा और अगर क़सम खाई कि इस के पास कल के दिन आउंगा अगर इस्तताअत हुई फिर इस को मर्ज़ या सुल्तान वग़ैरह कोई मानअ व आरिज़ पैश न आया तो पापी (३) होगा यह काफ़ी में है।

अगर क़सम खाई कि बग़दाद में पैदल न आयेगा फिर सवार हो कर बग़दाद तक आया फिर पैदल होकर बग़दाद में प्रवेश हुआ तो पापी होगा यह

ख़ुलासा में है और मुन्तक़ी में लिखा है कि अगर किसी ने क़सम खाई कि मेरी बीवी फ़लां की शादी निकाह में न आयेगी फिर इस की औरत क़ब्ल शादी निकाह के गई और वहीं रहे यहां तक कि शादी निकाह हो गई तो पापी न होगा और अगर किसी ने क़सम खाई कि फ़लां के पास न आउंगा तो यह क़सम इस पर है कि इस के मकान या दुकान पर न आये चाहे इस से मुलाक़ात हो या न हो और अगर इस की मस्जिद में आया तो पापी न होगा और मुन्तक़ी में लिखा है कि एक ने दूसरे का साथ अनिवार्य पकड़ा यानी अपने हक़ की तलब के लिए हर समय इस के साथ रहने लगा बस जिस का साथ पकड़ा है इस ने क़सम खाई कि कल इस के पास आउंगा फिर जहां इस का साथ पकड़ा था वहां आया तो क़सम में सच्चा न होगा यहां तक कि इस के मकान पर आये और अगर इस के मकान पर इस का साथ पकड़ा है और क़सम खाई कि कल इस के पास ज़रूर आयेगा फिर तालिब इस मकान से दूसरी जगह उठ गया फिर क़सम खाने वाला इसी मकान पर आया जहां इस का साथ पकड़ा था और इस को न पाया तो क़सम में सच्चा न होगा यहां तक कि जिस मकान में उठ गया है वहां जाये और अगर क़सम खाई कि अगर मैं तेरे पास फ़लां मक़ाम पर कल के दिन न आउं तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर वहीं आया मगर इस को न पाया तो

(३)अनुवादक के कथनानुसार सिवायह कि इस की तात्पर्य सामर्थ वास्तव में हो जिस के साथ कार्य का वजूद होता है तो पापी न होगा तलाक़ के रूप में ।

क़सम में सच्चा रहा बखिलाफ़ इस के अगर यूं कहा कि अगर मैं तुझ से फ़लां मक़ाम पर कल के रोज़ न आउं तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर वहीं आया मगर इस को न पाया तो क़सम में सच्चा रहा बखिलाफ़ इस के अगर यूं कहा कि अगर मैं तुझ से फ़लां मक़ाम पर कल न मिलूं तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर हालिफ़ इस मक़ाम पर आया और इस को न पाया तो हानिस हो जायेगा और नीज़ मुन्तक़ी में मज़कूर है कि अगर क़सम खाई कि फ़लां की इयादत करूंगा या फ़लां की ज़ियारत करूंगा पस इस के दरवाज़े पर गया मगर इस को अन्दर आने की इजाज़त न दी गई पस बदूं इस की मुलाक़ात के वापिस गया तो हानिस न होगा और अगर इस के दरवाज़े पर आया मगर इजाज़त न मांगी तो फ़रमाया कि हानिस हो जायेगा जब तक कि वो तरीक़ा बजा न लाये जो इयादत करने वाला या ज़ियारत करने वाला करता है यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां की ज़ियारत इस की ज़िन्दगी और मरे पर न करूंगा फिर इस के जनाज़ा की मशायअ़त की तो हानिस हो जायेगा और अगर इस की क़ब्र पर आया तो हानिस न होगा इल्ला आंकि इस ने यह भी नियत की हो तो हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि रात तक यहां से न जाउंगा यहां तक कि इस से मुलाक़ात करूं फिर वो रो पोश हो गया यहां तक कि रात हो गई फिर हालिफ़ ने इस के दरवाज़े पर रात गुज़री तो हानिस न होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि अगर मैं इस को फ़लां की तरफ़ न उठा लिया जाउं तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर उठा ले गया मगर इस को न पाया तो हानिस न होगा यह ग़यासिया में है।

अगर क़सम खाई कि किसी दाबा पर सवार न होंगा फिर घोड़े या गधे या खच्चर पर सवार हुआ तो हानिस हो जायेगा और अगर ऊंट पर सवार हुआ हानिस न होगा और यह इस्तहसान है और अगर इस ने इस की भी नियत की हो यानी ऊंट पर भी सवार न होगा तो यह क़सम इस की नियत पर होगी यानी हानिस होगा और अगर इस ने किसी नोअ खास की नियत की हो मसलन घोडा या गधा वग़ैरह तो दयानतन इस की

क़सम में सच्चा रहा बखिलाफ़ इस के अगर यूं कहा कि अगर मैं तुझ से फ़लां मक़ाम पर कल के दिन न आउं तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर वहीं आया मगर इस को न पाया तो क़सम में सच्चा रहा बखिलाफ़ इस के अगर यूं कहा कि अगर मैं तुझ से फ़लां मक़ाम पर कल न मिलूं तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर शपथकर्ता इस मक़ाम पर आया और इस को न पाया तो पापी हो जायेगा और नीज़ मुन्तक़ी में वर्णित है कि अगर क़सम खाई कि फ़लां की इयादत करूंगा या फ़लां की ज़ियारत करूंगा बस इस के दरवाज़े पर गया मगर इस को अन्दर आने की इजाज़त न दी गई बस बदूं इस की मुलाक़ात के वापिस गया तो पापी न होगा और अगर इस के दरवाज़े पर आया मगर इजाज़त न मांगी तो फ़रमाया कि पापी हो जायेगा जब तक कि वह तरीक़ा बजा न लाये जो इयादत करने वाला या ज़ियारत करने वाला करता है यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां की ज़ियारत इस की ज़िन्दगी और मरे पर न करूंगा फिर इस के जनाज़ा की मशायअ़त की तो पापी हो जायेगा और अगर इस की क़ब्र पर आया तो पापी न होगा सिवा आंकि इस ने यह भी इरादा की हो तो पापी होगा और अगर क़सम खाई कि रात तक यहां से न जाउंगा यहां तक कि इस से मुलाक़ात करूं फिर वह रो पोश हो गया यहां तक कि रात हो गई फिर शपथकर्ता ने इस के दरवाज़े पर रात गुज़री तो पापी न होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि अगर मैं इस को फ़लां की तरफ़ न उठा लिया जाउं तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर उठा ले गया मगर इस को न पाया तो पापी न होगा यह ग़यासिया में है।

अगर क़सम खाई कि किसी दाबा पर सवार न होंगा फिर घोड़े या गधे या खच्चर पर सवार हुआ तो पापी हो जायेगा और अगर ऊंट पर सवार हुआ पापी न होगा और यह इस्तहसान है और अगर इस ने इस की भी इरादा की हो यानी ऊंट पर भी सवार न होगा तो यह क़सम इस की इरादा पर होगी यानी पापी होगा और अगर इस ने किसी नोअ खास की इरादा की हो मसलन घोडा या गधा वग़ैरह तो दयानतन इस की पुष्टि होगी और क़ज़ा पुष्टि न होगी इस लिए कि इस ने आम

तसदीक़ होगी और क़ज़ा तसदीक़ न होगी इस वास्ते कि इस ने आम लफ़्ज़ से खास की नियत की है। और अगर क़सम खाई कि सवार न होगा तो इस की क़सम इन जानवरों पर होगी जिन पर लोग सवार होते हैं जैसे घोड़ा, खच्चर वग़ैरह और अगर बाद क़सम के वो किसी आदमी की पीठ पर सवार हुआ तो हानिस न होगा और फ़तावा अबुल्लैस में लिखा है कि अगर किसी ने क़सम खाई कि सवार न होगा और घोड़े या गधे की नियत की कि इस पर सवार न होगा तो दयानत की राह से फ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहि तआला भी इस की तसदीक़ न होगी यह मुहीत में है।

अगर क़सम खाई कि फ़रस पर सवार न होंगा फिर बरज़ोन पर सवार हुआ तो हानिस न होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि परज़ोन पर सवार न होगा फिर फ़रस पर सवार हुआ तो हानिस न होगा इस वास्ते कि फ़रस अरबी घोड़े को कहते हैं और रबज़दूं हजमी घोड़े का नाम है क़ालल मुतरजम मशाइख ने फ़रमाया कि यह हुक्मइस वक़्त है अरबी ज़बान में इस ने क़सम खाई हो और अगर फ़ारसी में क़सम खाई कि बज़ासब न नशींद या उर्दू में क़सम खाई कि घोड़े पर सवार न होगा तो किसी घोड़े पर सवार हुआ बहरहाल हानिस होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर अरबी ज़बान में

क़सम खाई कि खील पर सवार न होगा तो फ़रस या बरज़ों किसी पर सवार हो हानिस होगा यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि दाबा पर सवार न होगा फिर ज़बरदस्ती किसी दाबा पर लाद दिया गया तो हानिस न होगा यह ग़ायतुल उल बयान में है और अगर क़सम खाई कि दाबा पर सवार न होगा फिर घोड़े व खच्चर वग़ैरह पर ज़ैंपोश डाल कर सवार हुआ या नंगी पीठ पर सवार हुआ बहरहाल हानिस हो जायेगा यह मुहीत में है।

अगर क़सम खाई कि मुरक्कब पर सवार न होगा फिर कश्ती में सवर हुआ तो फ़तावा में बरिवायत हिशाम मज़कूर है कि हानिस होगा और हसन रहमतुल्लाहि अलैहि ने मुजरद में फ़रमाया कि नहीं हानिस होगा और इसी पर

(1) साथ साथ जाना और रोपोशयानी मुंह छुपा गया दाबा हक़ीक़त में जो जानर ज़मीन पर चले फिरघोड़े के वास्ते खास उर्फ़ हो इसी पर मसला का मदार है कमा फ़ी उल तादीह।

लफ़्ज़ से खास की इरादा की है। और अगर क़सम खाई कि सवार न होगा तो इस की क़सम इन जानवरों पर होगी जिन पर लोग सवार होते हैं जैसे घोड़ा, खच्चर वग़ैरह और अगर बाद क़सम के वह किसी आदमी की पीठ पर सवार हुआ तो पापी न होगा और फ़तावा अबुल्लैस में लिखा है कि अगर किसी ने क़सम खाई कि सवार न होगा और घोड़े या गधे की इरादा की कि इस पर सवार न होगा तो दयानत की राह से अल्लाह सर्वशक्तिमान के वास्ते भी इस की पुष्टि न होगी यह मुहीत में है।

अगर क़सम खाई कि फ़रस पर सवार न होंगा फिर बरज़ोन पर सवार हुआ तो पापी न होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि परज़ोन पर सवार न होगा फिर फ़रस पर सवार हुआ तो पापी न होगा इस लिए कि फ़रस अरबी घोड़े को कहते हैं और रबज़दूं हजमी घोड़े का नाम है अनुवादक के कथनानुसार विद्वानों ने फ़रमाया कि यह हुक्मइस समय है अरबी ज़बान में इस ने क़सम खाई हो और अगर फ़ारसी में क़सम खाई कि बज़ासब न नशींद या उर्दू में क़सम खाई कि घोड़े पर सवार न होगा तो किसी घोड़े पर सवार हुआ बहरहाल पापी होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर अरबी ज़बान में

क़सम खाई कि खील पर सवार न होगा तो फ़रस या बरज़ों किसी पर सवार हो पापी होगा यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि दाबा पर सवार न होगा फिर ज़बरदस्ती किसी दाबा पर लाद दिया गया तो पापी न होगा यह ग़ायतुल उल बयान में है और अगर क़सम खाई कि दाबा पर सवार न होगा फिर घोड़े व खच्चर वग़ैरह पर ज़ैंपोश डाल कर सवार हुआ या नंगी पीठ पर सवार हुआ बहरहाल पापी हो जायेगा यह मुहीत में है।

अगर क़सम खाई कि मुरक्कब पर सवार न होगा फिर कश्ती में सवर हुआ तो फ़तावा में बरिवायत हिशाम वर्णित है कि पापी होगा और हसन रहमतुल्लाहि अलैहि ने मुजरद में फ़रमाया कि नहीं पापी होगा और इसी पर

(1) साथ साथ जाना और रोपोश यानी मुंह छुपा कर गया दाबा वास्तव में जो जानवर ज़मीन पर चले फिर घोड़े के लिए खास समय हो इसी पर मामले का आधार है गुप्त रूप से।

फ़तवा है यह इताबिया में है और लफ्ज़ सतूर का ऊंट को शामिल नहीं है इल्ला ऐसे मक़ाम पर जहां ऊंट पर भी सवार होते हैं यह वजीज़ कर दी में है।

अगर क़सम खाई कि दाबा फ़लां पर सवार न होगा फिर इस के ग़ुलाम माज़ून के दाबा पर सवार हुआ ख़्वाह वो ग़ुलाम मक़रूज़ है तो हानिस न होगा :

अगर क़सम खाई कि इस ज़ीं पर सवार न होगा फिर इस में कुछ कमी या ज़्यादती करके इस पर सवार हुआ तो हानिस हो जायेगा और अगर ख़ुबा ज़ीं को बदल दिया हो तो हानिस न होगा कि ज़ीं में मोअतबर वही ख़ुबा है यह ख़ुलासा में है और अगर क़सम खाई कि आज ज़रूर इस दाबा पर सवार होगा फिर इस को मज़बूत बांधा और जकड़ा मगर इस के सवार होने पर क़ादिर न हुआ तो आज का दिन गुज़र जाने पर हानिस हो जायेगा यही फ़तावा क़ाज़ी खान में है एक ने क़सम खाई कि इस दाबा पर सवार न होगा हालांकि इस पर सवार है पस बराबर इस पर सवार रहा तो हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां के इस दाबा पर सवार न होगा पस फ़लां ने अपना यह दाबा फ़रोख़्त कर दिया फिर हालिफ़ इस पर सवार हुआ तो हानिस न होगा (1) और अगर क़समखाई कि दाबा फ़लां पर सवार न होगा फिर ऐसे दाबा पर सवार हुआ जो फ़लां वग़ैर के दरमियान मुशतरिक है तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि वदाब फ़लां पर सवार न होगा फिर इस के दवाब में से तीन जानवरों पर सवार हुआ तो हानिस होगा यह सिराजिया में है अगर क़सम खाई कि दाबा फ़लां पर सवार न होगा फिर इस के ग़ुलाम माज़ूं के दाबा पर सवार हुआ ख़्वाह वो ग़ुलाम मक़रूज़ है या ग़ैर मक़रूज़ तो हानिस न होगा यह इमाम आज़म रह० का क़ौल है मगर फ़र्क़ दोनों सूरतों में इतना है कि अगर ग़ुलाम मज़कूर पर इस क़द्र कर्ज़ा हुआ कि इस क तमाम रक़बा को मुहीत (2) हो ता इस के जानवर पर सवार

(1)मुतरज्जिम के नज़दीक इस में भी मिस्ल मसला दार के तफ़सील होने लायक है। (2) इस की पूरी क़ीमत के बक़द्र हो।

फ़तवा है यह इताबिया में है और लफ़्ज़ सतूर का ऊंट को शामिल नहीं है सिवा ऐसे मक़ाम पर जहां ऊंट पर भी सवार होते हैं यह वजीज़ कर दी में है।

अगर क़सम खाई कि फ़लां घोड़े पर सवार न होउंगा फिर इस के आज्ञा प्राप्त ग़ुलाम के घोड़े पर सवार हुआ चाहे वह ग़ुलाम कर्ज़दार है तो पापी न होगा :

अगर क़सम खाई कि इस ज़ीं पर सवार न होगा फिर इस में कुछ कमी या ज़्यादती करके इस पर सवार हुआ तो पापी हो जायेगा और अगर ख़ुबा ज़ीं को बदल दिया हो तो पापी न होगा कि ज़ीं में मोअतबर वही ख़ुबा है यह ख़ुलासा में है और अगर क़सम खाई कि आज ज़रूर इस दाबा पर सवार होगा फिर इस को मज़बूत बांधा और जकड़ा मगर इस के सवार होने पर क़ादिर न हुआ तो आज का दिन गुज़र जाने पर पापी हो जायेगा यही फ़तावा क़ाज़ी खान में है एक ने क़सम खाई कि इस दाबा पर सवार न होगा हालांकि इस पर सवार है बस बराबर इस पर सवार रहा तो पापी होगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां के इस दाबा पर सवार न होगा बस फ़लां ने अपना यह दाबा फ़रोख़्त कर दिया फिर शपथकर्ता इस पर सवार हुआ तो पापी न होगा (1) और अगर क़समखाई कि दाबा फ़लां पर सवार न होगा फिर ऐसे दाबा पर सवार हुआ जो फ़लां वग़ैर के बीच साझा है तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि वदाब फ़लां पर सवार न होगा फिर इस के दवाब में से तीन जानवरों पर सवार हुआ तो पापी होगा यह सिराजिया में है अगर क़सम खाई कि दाबा फ़लां पर सवार न होगा फिर इस के ग़ुलाम माज़ूं के दाबा पर सवार हुआ चाहे वह ग़ुलाम मक़रूज़ है या ग़ैर मक़रूज़ तो पापी न होगा यह इमाम आज़म रह० का कथन है मगर फ़र्क़ दोनों स्थितियों में इतना है कि अगर ग़ुलाम वर्णित पर इस क़द्र क़रज़ा हुआ कि इस क तमाम ग़ुलाम को मुहीत (2) हो ता इस के जानवर पर सवार होने से पापी न होगा। चाहे

(1) अनुवादक के निकट इस में भी उदाहरणतः मामले दार का विवरण होने लायक है। (2) इस की पूरी क़ीमत के जितना हो।

होने से हानिस न होगा। अगरचे इस की नियत हो कि फ़लां के ग़ुलाम के जानवर पर भी सवार न होगा और अगरग ग़ुलाम मज़कूर पर इस क़द्र कर्ज़ा न हो कि इस की गर्दन को भी मुतग़र्क़ हो या बिल्कुल कर्ज़ा न हो तो जब तक नियत न की हो हानिस न होगा यानी नियत करने की सूरत में हानिस होगा यह हिदाया में है।

अगर क़सम खाई कि ताबग़दाद कशती पर सवार न होगा फिर चन्द फ़रसख यानी चन्द कोस कश्ती पर सवार होकर रवाना हुआ फिर उतर पडा तो हानिस न होगा यह हावी में है। मजमूअ उल सवाज़िल में है कि ऐ ने कहा कि हर बार कि मैं किसी दाबा पर सवार हूं तो अल्लाह के वास्ते मुझ पर वाजिब है कि इस को सदक़ा कर दूं फिर एक दाबा पर सवार हो तो इस पर लाज़िम आया कि इस को सदक़ा करे फिर अगर सदक़ा करके इस को खरीद लिया फिर इसपर सवार हुआ तो फिर इस का सदक़ा कर देना लाज़िम आया इसी तरह तीसरा चौथी बार जितनी बार ऐसा करे इसपर यही लाज़िम आयेगा यह ख़ुलासा में है और अगर कहा कि मैं फ़लां फ़रबा में गया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस गांव की ज़मीन में गया तो हानिस न होगा यह इताबिया में है।

एक ने दूसरे से कहा कि बैठ कि चाश्त का खाना मेरे यहां खाले पस इस ने कहा कि अगर मैंने चाश्त का खाना खाया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर वहां से अपने घर आकर चाश्त का खाना खाया तो हानिस न होगा बखिलाफ़ इस के अगर कहा कि अगर मैंने आज चाश्त का खाना खाया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो ऐसी सूरत मज़कूरह में हानिस होगा यह हिदाया में है। अगर क़सम खाई कि ज़मीन पर न चलूंगा फिर ज़मीन पर जूता या मोज़ह पहन कर चला तो हानिस होगा और अगर बिछोने पर चला तो हानिस न होगा और अगर उजाड पर जूता पहन कर या नंगे पांव चला तो हानिस होगा यह ख़ुलासा में है।

इस की इरादा हो कि फ़लां के ग़ुलाम के जानवर पर भी सवार न होगा और अगरग ग़ुलाम वर्णित पर इस क़द्र क़रज़ा न हो कि इस की गर्दन को भी मुतग़र्क़ हो या बिल्कुल क़रज़ा न हो तो जब तक इरादा न की हो पापी न होगा यानी इरादा करने की स्थिति में पापी होगा यह हिदाया में है।

अगर क़सम खाई कि ताबग़दाद कशती पर सवार न होगा फिर चन्द फ़रसख यानी चन्द कोस कश्ती पर सवार होकर रवाना हुआ फिर उतर पडा तो पापी न होगा यह हावी में है। मजमूअ उल सवाज़िल में है कि ऐ ने कहा कि हर बार कि मैं किसी दाबा पर सवार हूं तो अल्लाह के लिए मुझ पर अनिवार्य है कि इस को दान कर दूं फिर एक दाबा पर सवार हो तो इस पर अनिवार्य आया कि इस को दान करे फिर अगर दान करके इस को खरीद लिया फिर इस पर सवार हुआ तो फिर इस का दान कर देना अनिवार्य आया इसी तरह तीसरा चौथी बार जितनी बार ऐसा करे इस पर यही अनिवार्य आयेगा यह ख़ुलासा में है और अगर कहा कि मैं फ़लां फ़रबा में गया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस गांव की ज़मीन में गया तो पापी न होगा यह इताबिया में है।

एक ने दूसरे से कहा कि बैठ कि चाश्त का खाना मेरे यहां खाले बस इस ने कहा कि अगर मैंने चाश्त का खाना खाया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर वहां से अपने घर आकर चाश्त का खाना खाया तो पापी न होगा बखिलाफ़ इस के अगर कहा कि अगर मैंने आज चाश्त का खाना खाया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो ऐसी स्थिति वर्णितह में पापी होगा यह हिदाया में है। अगर क़सम खाई कि ज़मीन पर न चलूंगा फिर ज़मीन पर जूता या मोज़ह पहन कर चला तो पापी होगा और अगर बिछोने पर चला तो पापी न होगा और अगर उजाड पर जूता पहन कर या नंगे पांव चला तो पापी होगा यह ख़ुलासा में है।

बाबः 5

खाने पीने वग़ैरह पर क़सम खाने के बयान में

खाने के यह मअनी हैं कि जो चीज़ जाने का अहतमाल रखती है। अपने मुंह से अपने पेट में पहुंचाना ख़्वाह इसको शिकस्ता कर लिया हो या न किया हो ख़्वाह चबाया हो या न चबाया हो। जैसे रोटी व गोश्त व फ़वा कि वग़ैरह और पीने से यह मुराद है कि जो चीज़ चबाने की मोहतमिल नहीं है साइल चीज़ों से इस को अपने पेट में पहुंचाना जैसे पानी व नबीज़ व दूध व दही व शहद(1)व सत्तू मुत्थे हुए वग़ैरह ज़ालिक पस अगर यह बात पाई जाये तो पीना मुतहक़्क़िक़ होगा और वो हानिस होगा वरना नहीं इल्ला आंकि इस को भी उर्फ़ व आदत में पीना बोलते हों तो यूं भी हानिस हो जायेगा यह बदाऐ में है और ज़ौक़ (2) किसी शैय का अपने मुंह से पहचानना बदूं इस ऐन शैय के अपनी हलक़ में दाखिल करने के यह काफ़ी में है। अगर क़सम खाई कि यह अख़रोट या यह अण्डा न खाउंगा फिर इसको निगल गया तो हानिस होगा यह सिराज वहाज में है। अगर किसी ऐसी चीज़ के न खाने की क़सम खाई जिस में चबाना नहीं हो सकता है फिर इस को दूसरी चीज़ के साथ खाया पस अगर दूसरी चीज़ ऐसी है कि इस तरह खाई जाती है तो क़सम में हानिस हो जायेगा मसलन क़सम खाई कि यह दूध न खाउंगा या यह शहद न खाउंगा फिर इस को रोटी या छुवारे के साथ खाया तो हानिस हो गया और अगर दूध को यूं ही और शहद में पानी डाल कर पी गया तो हानिस न होगा यह मुहीत में है।

एक शख़्स ने क़सम खाई कि यह दूध न पियूंगा पस इस को पी गया तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि इस को न पियूंगा फिर इस की खीर बनाई या इस में रोटी मिला कर खाई तो हानिस न होगा

(1)शहद के साथ घोला हुआ कहा ज़ाहिरन इस वजह है कि वहां शहद बस्ता होता है बसबब सर्दी और हमारेयहां अक्सर साइल है हां कभी कभी जाडे में बस्ता हो जाता है लिहाज़ा ग़ैर मोहताज है।

(2)ज़ोक+ हमारी ज़बान में चखना बोलते हैं लेकिन कभी चखन में कुछखा भी लेते हैं।

अध्याय 5

खाने पीने आदि पर क़सम खाने के वर्णन में

खाने के यह मअनी हैं कि जो चीज़ जाने का अहतमाल रखती है। अपने मुंह से अपने पेट में पहुंचाना चाहे इस को शिकस्ता कर लिया हो या न किया हो चाहे चबाया हो या न चबाया हो। जैसे रोटी व गोश्त व फ़वा कि वग़ैरह और पीने से यह तात्पर्य है कि जो चीज़ चबाने की मोहतमिल नहीं है साइल चीज़ों से इस को अपने पेट में पहुंचाना जैसे पानी व नबीज़ व दूध व दही व शहद (1) व सत्तू मुत्थे हुए वग़ैरह ज़ालिक बस अगर यह बात पाई जाये तो पीना मुतहक़्क़िक़ होगा और वह पापी होगा वरना नहीं सिवा आंकि इस को भी उर्फ़ व आदत में पीना बोलते हों तो यूं भी पापी हो जायेगा यह बदाऐ में है और ज़ौक़ (2) किसी शैय का अपने मुंह से पहचानना बदूं इस ऐन शैय के अपनी हलक़ में प्रवेश करने के यह काफ़ी में है। अगर क़सम खाई कि यह अख़रोट या यह अण्डा न खाउंगा फिर इस को निगल गया तो पापी होगा यह सिराज वहाज में है। अगर किसी ऐसी चीज़ के न खाने की क़सम खाई जिस में चबाना नहीं हो सकता है फिर इस को दूसरी चीज़ के साथ खाया बस अगर दूसरी चीज़ ऐसी है कि इस तरह खाई जाती है तो क़सम में पापी हो जायेगा मसलन क़सम खाई कि यह दूध न खाउंगा या यह शहद न खाउंगा फिर इस को रोटी या छुवारे के साथ खाया तो पापी हो गया और अगर दूध को यूं ही और शहद में पानी डाल कर पी गया तो पापी न होगा यह मुहीत में है।

एक व्यक्ति ने क़सम खाई कि यह दूध न पियूंगा बस इस को पी गया तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि इस को न पियूंगा फिर इस की खीर बनाई या इस में रोटी मिला कर खाई तो पापी न होगा और यह

(1)शहद के साथ घोला हुआ कहा इस स्पष्ट कारण है कि वहां शहद होता है सर्दी के कारण और हमारे यहां अक्सर साइल है हां कभी कभी जाडे में जमा हो जाता है लिहाज़ा पाबंद नहीं है।

(2)ज़ोक हमारी भाषा में चखना बोलते हैं लेकिन कभी चखने में कुछ खा भी लेते हैं।

(1)

और यह हुक्म सत्तुओं वग़ैरह में है कि जो खाये जा सकते हैं और पिये भी जा सकते हैं और मशाइख ने फ़रमाया कि यह हुक्म इस वक्त है कि क़सम बज़बान अरबी हो और अगर फ़ारसी में हो फिर इस को खाया या पिया बहरहाल हानिस होगा और इसीपर फ़तवा है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि यह रोटी न खाउंगा फिर इस को ख़ुश्क करके कूट डाला और पानी डाल कर इसको पी लिा तो हानिस होगा और इस को भिगोया हुआ खा लिया तो हानिस होगा यह ख़ुलासा में है। क़ाइल मुतरजम हमारे उर्फ में खाने पीने में वही ऐतबार है जो अरब का है बखिलाफ़ ज़बान फ़ारसी के चुनांचे शराब उल खमर अरबी है और उर्दू शराब पीना बखिलाफ़ फ़ारसी के कि शराब ख़ूरदन बोलते हैं लिहाज़ा मुतरजम ने अहकाम में तफ़रीक़ व तन्बीह का क़सद नहीं किया है। फ़ाफ़हम वल्लाहु तआला आलम। और अगर क़सम खाई कि दूध न खाउंगा फिर दूध की खीर पका कर खाई ता शैख अबूबकर बलखी ने फ़रमाया कि हानिस न होगा अगरचे इस में पानी न डाला और अगरचे दूध का जुर्म इस में दिखलाई देता हो यह हावा में है।

अगर क़सम खाई कि मसका न खाउंगा फिर ऐसे सत्तू खाये जो मसका में लथ किये गये थे और क़सम खाने वाले की कुछ नियत नहीं है तो इमाम मुहम्मद रह० ने असल में फ़रमाया कि अगर अजज़ाये मसका ज़ाहिर होते हों और इन का मज़ह आता हो तो हानिस होगा और ज़ाहिर न होते हों और मज़ा न आता हो तो हानिस न होगा। यह बदाऐ में है। एक शख़्स ने क़सम खाई कि रब (1) न खाउंगा फिर ऐसा असीदह (2) बनाया हुआ खाया जिस में रब मिलाया गया तो मशाइख ने फ़रमाया कि अपनी क़सम में हानिस न होगा। इल्ला आंकि असीदह पर रब बअयुनह क़ायम हो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि ज़अफ़रान न खाउंगा फिर अलसी कअक खाई जिस पर ज़अफ़रान लगाई गई है यानी मिस्ल तिल वग़ैरह के चिपटाई गई है तो हानिस होगा यह फ़तहुल क़दीर में है और अगर

(1) रब आब खाशा चीज़। (2) असीदह खाने की कसम उदाहरणतः मलीदह आदि।

आदेश सत्तुओं आदि में है कि जो खाये जा सकते हैं और पिये भी जा सकते हैं और विद्वानों ने फ़रमाया कि यह आदेश इस समय है कि क़सम बज़बान अरबी हो और अगर फ़ारसी में हो फिर इस को खाया या पिया बहरहाल पापी होगा और इसी पर फ़तवा है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि यह रोटी न खाउंगा फिर इस को ख़ुश्क करके कूट डाला और पानी डाल कर इस को पी लिा तो पापी होगा और इस को भिगोया हुआ खा लिया तो पापी होगा यह ख़ुलासा में है। अनुवादक के कथनानुसार हमारे उर्फ में खाने पीने में वही ऐतबार है जो अरब का है बखिलाफ़ ज़बान फ़ारसी के चुनांचे शराब उल खमर अरबी है और उर्दू शराब पीना बखिलाफ़ फ़ारसी के कि शराब ख़ूरदन बोलते हैं लिहाज़ा मुतरजम ने अहकाम में तफ़रीक़ व तन्बीह का क़सद नहीं किया है। समझो बाक़ी अल्लाह जाने। और अगर क़सम खाई कि दूध न खाउंगा फिर दूध की खीर पका कर खाई ता शैख अबूबकर बलखी ने फ़रमाया कि पापी न होगा चाहे इस में पानी न डाला और चाहे दूध का जुर्म इस में दिखलाई देता हो यह हावा में है।

अगर क़सम खाई कि मसका न खाउंगा फिर ऐसे सत्तू खाये जो मसका में लथ किये गये थे और क़सम खाने वाले की कुछ इरादा नहीं है तो इमाम मुहम्मद रह० ने असल में फ़रमाया कि अगर अजज़ाये मसका ज़ाहिर होते हों और इन का मज़ह आता हो तो पापी होगा और ज़ाहिर न होते हों और मज़ा न आता हो तो पापी न होगा। यह बदाऐ में है। एक व्यक्ति ने क़सम खाई कि रब (1) न खाउंगा फिर ऐसा असीदह (2) बनाया हुआ खाया जिस में रब मिलाया गया तो विद्वानों ने फ़रमाया कि अपनी क़सम में पापी न होगा। सिवा आंकि असीदह पर रब बअयुनह क़ायम हो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि ज़अफ़रान न खाउंगा फिर अलसी कअक खाई जिस पर ज़अफ़रान लगाई गई है यानी मिस्ल तिल वग़ैरह के चिपटाई गई है तो पापी होगा यह फ़तहुल क़दीर में है और अगर क़सम खाई कि

(1) रब पानी में मिश्रित चीज़। (2) असीदह खाने की कसम उदाहरणतः मलीदह आदि।

क़सम खाई कि शक्कर न खाउंगा (३) फिर शक्कर मुंह में ली और चूसा यहां तक कि पिघल गई फिर इस को निगल गया तो हानिस न हो यह ख़ुलासा में है।

क़ालल मुतरजम अगर सकर बसीं मुहमिला से मुराद शक्कर बशीं मअजमा है तो हमारे उर्फ में हानिस होगा लेकिन ज़ाहिर इस कर बसीं महमिला बस्ता बनींद है जो अरब में मअरूफ़ है वल्लाहु आलम और अगर क़सम खाई कि सिरका न खाउंगा फिर सकबाजा (1) खाया तो हानिस न होगा। इस वास्ते कि इस को सिरका नहीं कहते हैं यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर ऐसी चीज़ पर मअक़ूद की जो बअयुना (2) खाती जाती है तो इस चीज़ बअयुना खाने की तरफ़ राजअ होगी और अगर ऐसी चीज़ पर मअक़ूद की जो बअयुना नहीं खाती जाती है या ऐसी चीज़ है कि बअयुना खाई जा सकती है लेकिन अज़ राह आदत वो इस तरह नहीं खाई जाती है तो जो चीज़ इस से बनाई जाये या ले जाये इस की तरफ़ क़सम राजअ होगी यह वजीज़ करदरी में लिखा है और मुतरजम कहता है कि इस की तौज़ीह अमसला ज़ैल से ज़हीन नशीन होगी चुनांचे फ़रमाया कि अगर किसी ने क़सम खाई कि इस दरख़्त ख़ुरमा से या इस दरख़्त अंगूर से न खाउंगा फिर इस के गदर छुवारे या तर पुख़्ता या ख़ुश्क या इस का जमार या शगूफ़ा या कीरियां या व बास जो इस के फल से हासिल हुआ या अंगूर या शीरह अंगूर खाये तो हानिस हो जायेगा लेकिन शर्त यह है कि वो अपनी हालत से किसी की सिनअत जदीद से मुतग़युर न किया गया हो और ऐसा हो मसलन नबीज़ या नातिफ़ (4) या सिरका या पकाट हुए व बस को खाया तो हानिस न होगा यह काफ़ी में है और अगर इस ने ऐन दरख़्त ख़ुरमा में से कुछ खाया यानी छाल देते वग़ैरह तो हानिस न होगा और यही सही है यह नहर उल फ़ाइक़ में लिखा है।

(३) ज़ाहिरन वो नबीज़ ख़ुरमा है जिस को बस्ता कर लेते हैं या मअरब शक्कर बशीन मोअजमा हो वल्लाहु आलम।
(4) ख़ुरमा व मसका मिला कर मलीदा बनाते हैं।

शक्कर न खाउंगा (३) फिर शक्कर मुंह में ली और चूसा यहां तक कि पिघल गई फिर इस को निगल गया तो पापी न हो यह ख़ुलासा में है।

अनुवादक के कथनानुसार अगर सकर बसीं मुहमिला से तात्पर्य शक्कर बशीं मअजमा है तो हमारे उर्फ में पापी होगा लेकिन ज़ाहिर इस कर बसीं महमिला बस्ता बनींद है जो अरब में मअरूफ़ है वल्लाहु आलम और अगर क़सम खाई कि सिरका न खाउंगा फिर सकबाजा (1) खाया तो पापी न होगा। इस लिए कि इस को सिरका नहीं कहते हैं यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर ऐसी चीज़ पर मअक़ूद की जो बअयुना (2) खाती जाती है तो इस चीज़ बअयुना खाने की तरफ़ राजअ होगी और अगर ऐसी चीज़ पर मअक़ूद की जो बअयुना नहीं खाती जाती है या ऐसी चीज़ है कि बअयुना खाई जा सकती है लेकिन अज़ राह आदत वह इस तरह नहीं खाई जाती है तो जो चीज़ इस से बनाई जाये या ले जाये इस की तरफ़ क़सम राजअ होगी यह वजीज़ करदरी में लिखा है और मुतरजम कहता है कि इस की तौज़ीह अमसला ज़ैल से ज़हीन नशीन होगी चुनांचे फ़रमाया कि अगर किसी ने क़सम खाई कि इस दरख़्त ख़ुरमा से या इस दरख़्त अंगूर से न खाउंगा फिर इस के गदर छुवारे या तर पुख़्ता या ख़ुश्क या इस का जमार या शगूफ़ा या कीरियां या व बास जो इस के फल से हासिल हुआ या अंगूर या शीरह अंगूर खाये तो पापी हो जायेगा लेकिन शर्त यह है कि वह अपनी हालत से किसी की सिनअत जदीद से मुतग़युर न किया गया हो और ऐसा हो मसलन नबीज़ या नातिफ़ (4) या सिरका या पकाट हुए व बस को खाया तो पापी न होगा यह काफ़ी में है और अगर इस ने ऐन दरख़्त ख़ुरमा में से कुछ खाया यानी छाल देते वग़ैरह तो पापी न होगा और यही सही है यह नहर उल फ़ाइक़ में लिखा है।

(३) ज़ाहिरन वह नबीज़ ख़ुरमा है जिस को जमा कर लेते हैं या नाम बिगाड़ कर शक्कर का शीन जैसे बिन्दी वाले अक्षर जीम चे आदि हो अल्लाह जाने।
(4) ख़ुरमा व मसका मिला कर मलीदा बनाते हैं।

अगर क़सम खाई कि यह हदजा न खाउंगा फिर इसी को पूरा खरबूज़ह वजाने के बाद बतीख हो जाने के बाद खाया तो इस में इख़्तलाफ़ है और सही यह है कि हानिस न होगा :

अगर क़सम खाई कि मैं इस हाण्डी से कुछ न खाउंगा तो यह क़सम इस चीज़ पर होगी जो इस में पकाई जाये यह मुहीत में है अगर क़सम खाई कि मैं इस हाण्डी से कुछ न खाउंगा हालांकि क़सम से पहले इस ने प्याले में इस हाण्डी से भर कर निकाल लिया है फिर जो प्याला में था वो खाया तो हानिस न होगा यह ख़ुलासा में है क़ालल मुतरजम अहूत यह है कि न खाये वल्लाहु आलम। एक ने क़सम खाई कि खरबूज़ह न खाउंगा फिर इस की कच्ची छोटी बत्तियां खाऐं तो मशाइख ने फ़रमाया कि हानिस न होगा और उन्हीं मशाइख में से शैख मुहम्मद बिन अल फ़ज़्ल हैं और यह हुक्म इस वक़्त है कि यह बत्तियां ऐसी हों कि खरबूज़ह न खिलाती हों क़ालल मुतरजम हमारी ज़बान में हानिस होगा वल्लाहु आलम हां अरबी ज़बान में बतीख खरबूज़ह और हदजा बत्तियां हैं पस उम्मीद है कि हानिस न हो और अगर क़सम खाई कि यह हदजा न खाउंगा फिर इसी को पूरा खरबूज़ह हो जाने के बाद बतीख हो जाने के बाद खाया तो इस में इख़्तलाफ़ है ओर सही यह है कि हानिस न होगा (5) और अगर क़सम खाई कि मैं इस बतखा यानी फ़ालीज़ खरबूजह से न खाउंगा फिर इस फ़ालीज़ की बत्तियां या खरबूज़ह खाया तो हानिस होगा जैसे क़सम खाई कि इस दरख़्त से न खाउंगा फिर जो चीज़ इस की पैदावार से (1) हासिल हुई और इसने खाई तो हानिस हो जाता है। यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि इस दरख़्त से न खाउंगा और यह दरख़्त बेसमर है जैसे सरू वग़ैरह तो क़सम इस के सिमन की तरफ़

(5) क़ालल मुतरजम ज़ाहिर यह था कि वो हानिस हो जाये क्योंकि यहां इशारह मोअतबर था व नाम चुनांचे इस असल पर बहुत से मसाइल मुबनी हैं लेकिन क़सम में जो नाम लिया है वही मोअतबर है और इस को याद रखना चाहिए।
(1)इस में सिरका बहुत पड़ता है।

अगर क़सम खाई कि यह फल न खाउंगा फिर इसी को पूरा खरबूज़ह और जाने के बाद खीरा ककड़ी आदि खाया तो इस में मतभेद है और सही यह है कि पापी न होगा :

अगर क़सम खाई कि मैं इस हाण्डी से कुछ न खाउंगा तो यह क़सम इस चीज़ पर होगी जो इस में पकाई जाये यह मुहीत में है अगर क़सम खाई कि मैं इस हाण्डी से कुछ न खाउंगा हालांकि क़सम से पहले इस ने प्याले में इस हाण्डी से भर कर निकाल लिया है फिर जो प्याला में था वह खाया तो पापी न होगा यह ख़ुलासा में है अनुवादक के कथनानुसार अहूत यह है कि न खाये वल्लाहु आलम। एक ने क़सम खाई कि खरबूज़ह न खाउंगा फिर इस की कच्ची छोटी बत्तियां खाऐं तो विद्वानों ने फ़रमाया कि पापी न होगा और उन्हीं विद्वानों में से शैख मुहम्मद बिन अल फ़ज़्ल हैं और यह आदेश इस समय है कि यह बत्तियां ऐसी हों कि खरबूज़ह न खिलाती हों अनुवादक के कथनानुसार हमारी ज़बान में पापी होगा वल्लाहु आलम हां अरबी ज़बान में बतीख खरबूज़ह और हदजा बत्तियां हैं बस उम्मीद है कि पापी न हो और अगर क़सम खाई कि यह हदजा न खाउंगा फिर इसी को पूरा खरबूज़ह हो जाने के बाद बतीख हो जाने के बाद खाया तो इस में मतभेद है और सही यह है कि पापी न होगा (5) और अगर क़सम खाई कि मैं इस बतखा यानी फ़ालीज़ खरबूजह से न खाउंगा फिर इस फ़ालीज़ की बत्तियां या खरबूज़ह खाया तो पापी होगा जैसे क़सम खाई कि इस दरख़्त से न खाउंगा फिर जो चीज़ इस की पैदावार से (1) हासिल हुई और इसने खाई तो पापी हो जाता है। यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि इस दरख़्त से न खाउंगा और यह बे फल वृक्ष है जैसे सरू आदि तो क़सम इस के क़ीमत

(5) अनुवादक के कथनानुसार ज़ाहिर यह था कि वह पापी हो जाये क्योंकि यहां इशारह विश्वसनीय था व नाम चुनांचे इस असल पर बहुत से मामले आधारित हैं लेकिन क़सम में जो नाम लिया है वही विश्वसनीय है और इस को याद रखना चाहिए।
(1)इस में सिरका बहुत पड़ता है।

मित

ले

(2) अगरचे और किसी तरह बना कर भी इस को खाते रहें चुनांचे इस असल पर बहुत से मसाइल मुबनी हैं लेकिन क़सम में जो नाम लिया है वही मोअतबर है और इस को याद रखना चाहिए।(1) इस में सिरका बहुत पड़ता है।
(2)चाहे और किसी तरह बना कर भी इस कोखाते रहें।

राजअ होगी यानी इस के फ़रोख्त से जो दाम आहें इन में से न खाउंगा यह तबिय्यीन में है।

अगर क़सम खाई कि इस दरख़्त से न खाउंगा फिर इस की शाख ले कर दूसरे दरख़्त में पैवन्द लगाई जैसे क़लम लगाते हैं फिर यह शाख फली और इस के फल इस ने खाये तो इस में मशाइख ने इख़्तलाफ़ किया है बाज़ ने फ़रमाया कि हानिस न होगा और बाज़ ने फ़रमाया कि हानिस होगा और यह मसला सैर कबीर में मज़कूर है। क़ालल मुतरजम 'अलअवल असह वल सानी अहूत' और अगर क़सम खाई कि इस दरख़्त से न खाउंगा फिर इसमें दूसरे दरख़्त की शाख लगाई यानी पैवन्द की जैसे क़लम लगाते हैं मसलन सैब के दरख़्त की क़सम खाई और इस में अमरूद की शाख पैवन्द की तो देखा जायेगा कि अगर इस ने क़सम में इस दरख़्त का नाम इस के फल के नाम से लिया और साथ ही इस की तरफ़ इशारह किया है मसलन कहा कि मैं इस दरख़्त सैब से न खाउंगा तो अमरूद की शाख का अमरूद खाने से हानिस न होगा और अगर फ़क़त इशारह व नाम दरख़्त पर इक्तसाद किया यानी फल का नाम न लिया मसलन कहा कि मैं इस दरख़्त से न खाउंगा और बाक़ी मसला बहाला है तो हानिस होगा और बर क़ियास मसला साबिक़ा इस में भी इख़्तलाफ़ मशाइख होगा चाहिए यह ज़हीरिया में है और अगर क़सम खाई कि शगूफ़ा ख़ुरमा न खाउंगा फिर वो कीरियां हो गया या यह कीरियां न खाउंगा फिर वो रतब यानी पुख़्ता तर ख़ुरमा हो गये या यह रतब न खाउंगा फिर वो तमर यानी ख़ुश्क छुवारे हो गये या यह अनब न खाउंगा यानी तर व ताज़ा पुख़्ता अंगूर न खाउंगा फिर वो ज़बीब यानी ख़ुश्क हो गये या दूध्या की निस्बत कहा कि यह दूध न पियूंगा फिर वो वही या मस्का या मक्खन या अक़त या मसल हो गया फिर इस को खाया तो हानिस न होगा यह तमरमाशी में है और अगर क़सम खाई कि इस हमल का गोश्त न खाउंगा फिर वो कैश हो गया इस को खाया तो हानिस होगा। जोहरह नेहरह में है।

एक शख़्स ने क़सम खाई कि यह दूध न पियूंगा फिर इस को जबन बना कर खाया तो हानिस न होगा

की तरफ़ राजअ होगी यानी इस के फ़रोख़्त से जो दाम आहें इन में से न खाउंगा यह तबयुन में है।

अगर क़सम खाई कि इस दरख़्त से न खाउंगा फिर इस की शाख ले कर दूसरे दरख़्त में पैवन्द लगाई जैसे क़लम लगाते हैं फिर यह शाख फली और इस के फल इस ने खाये तो इस में विद्वानों ने मतभेद किया है कुछ ने फ़रमाया कि पापी न होगा और कुछ ने फ़रमाया कि पापी होगा और यह मसला सैर कबीर में वर्णित है। अनुवादक के कथनानुसार 'अलअवल असह वल सानी अहूत' और अगर क़सम खाई कि इस दरख़्त से न खाउंगा फिर इसमें दूसरे दरख़्त की शाख लगाई यानी पैवन्द की जैसे क़लम लगाते हैं मसलन सैब के दरख़्त की क़सम खाई और इस में अमरूद की शाख पैवन्द की तो देखा जायेगा कि अगर इस ने क़सम में इस दरख़्त का नाम इस के फल के नाम से लिया और साथ ही इस की तरफ़ इशारह किया है मसलन कहा कि मैं इस दरख़्त सैब से न खाउंगा तो अमरूद की शाख का अमरूद खाने से पापी न होगा और अगर केवल इशारह व नाम दरख़्त पर इक्तसाद किया यानी फल का नाम न लिया मसलन कहा कि मैं इस दरख़्त से न खाउंगा और बाक़ी मसला बहाला हैं तो पापी होगा और बर क़ियास मसला साबिक़ा इस में भी मतभेद विद्वानों होगा चाहिए यह ज़हीरिया में है और अगर क़सम खाई कि शगूफ़ा ख़ुरमा न खाउंगा फिर वह कीरियां हो गया या यह कीरियां न खाउंगा फिर वह रतब यानी पुख़्ता तर ख़ुरमा हो गये या यह रतब न खाउंगा फिर वह तमर यानी ख़ुश्क छुवारे हो गये या यह अनब न खाउंगा यानी तर व ताज़ा पुख़्ता अंगूर न खाउंगा फिर वह ज़बीब यानी ख़ुश्क हो गये या दूध्या की निस्बत कहा कि यह दूध न पियूंगा फिर वह वही या मस्का या मक्खन या अक़त या मसल हो गया फिर इस को खाया तो पापी न होगा यह तमरमाशी में है और अगर क़सम खाई कि इस हमल का गोश्त न खाउंगा फिर वह कैश हो गया इस को खाया तो पापी होगा। जोहरह नेहरह में हैं।

एक व्यक्ति ने क़सम खाई कि यह दूध न पियूंगा फिर इस को जबन बना कर खाया तो पापी न होगा और

और इस सूरत में कि इस की नियत यह हो कि जो इस से बनाया जाये वो भी न खाउंगा तो हानिस होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और इस जिन्स के मसाइल में असल यह है कि अगर इस ने किसी चीज़ निश्चित मौसूफ़ बसिफ़त पर क़सम मअक़ूद की पस अगर यह सिफ़त ऐसी हो कि क़सम की जानिब दाई हो तो क़सम इस सिफ़त के बाक़ी रहने के साथ मुक़द्दर (1) की जायेगी वरना नहीं यह शरह जामअ सग़ीर क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि इस दरख़्त के शगूफ़ा से न खाउंगा फिर लोज़िया मुश्मश हो जाने के बाद इस को खाया तो हानिस न होगा यह मुहीत सुरखी में है और अगर क़सम खाई कि जोज़ न खाउंगा फिर इस में से तर या ख़ुश्क खाया तो हानिस न होगा और यही हुक्म बादाम पिस्ता व इंजीर वग़ैरह में है और अगर क़सम खाई कि खबीस (३) न खाउंगा फिर ख़ुश्क या तर खबीस खाया तो हानिस होगा यह मबसूत में है और अगर क़सम खाई कि न खाउंगा रतब और न बिसर या न खाउंगा रतब या बसर मज़नब (4) खाया जिस में अक्सर तो बसर होता है और कुछ रतब हो जाता है यानी गदर हो जाता है मगर कच्चा ज़्यादा होता है तो बिल इत्तफ़ाक़ अपनी क़सम में हानिस होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि रतब न खाउंगा फिर रतब मज़नब खाया जिस में अक्सर रतब होता है और कुछ बसर भी रहता है यानी गजर होता है जिस में पक्का ज़्यादा होता है तो भी बिल इत्तफ़ाक़ हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि बसर न खाउंगा फिर ऐसा रतब खाया जिस में कुछ ज़रा सा बसर है यानी कच्चा है तो इमाम आज़म रह० व इमाम मुहम्मद रह० के

(1)अक़्त पियूसी+]ुश्क कर लेते हैं मुसल पु]ता करे तरकीब से मानिन्द नबीज+ के बनाते हैं और जबन पनीर है।
(2)इसी सफ़हा पर क़सम मुअल्लक+ है।
(३) एक क़िस्म का बालीदह बनाते हैं जो अरब में मअरूफ़ है।
(4) मज़नब वो कि ज़म की तरफ़ से पक चला है।
(1) फल व मूली व कैरी वग़ैरह।
(२) अगरचे और किसी तरह बना कर भी इस को खाते रहें।

इस स्थिति में कि इस की इरादा यह हो कि जो इस से बनाया जाये वह भी न खाउंगा तो पापी होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और इस जिन्स के मसाइल में असल यह है कि अगर इस ने किसी चीज़ निश्चित मौसूफ़ बसिफ़त पर क़सम मअक़ूद की बस अगर यह सिफ़त ऐसी हो कि क़सम की जानिब दाई हो तो क़सम इस सिफ़त के बाक़ी रहने के साथ मुक़द्दर (1) की जायेगी वरना नहीं यह शरह जामअ सग़ीर क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि इस दरख़्त के शगूफ़ा से न खाउंगा फिर लोज़िया मुश्मश हो जाने के बाद इस को खाया तो पापी न होगा यह मुहीत सुरखी में है और अगर क़सम खाई कि जोज़ न खाउंगा फिर इस में से तर या ख़ुश्क खाया तो पापी न होगा और यही आदेश बादाम पिस्ता व इंजीर वग़ैरह में है और अगर क़सम खाई कि खबीस (३) न खाउंगा फिर ख़ुश्क या तर खबीस खाया तो पापी होगा यह मबसूत में है और अगर क़सम खाई कि न खाउंगा रतब और न बिसर या न खाउंगा रतब या बसर मज़नब (4) खाया जिस में अक्सर तो बसर होता है और कुछ रतब हो जाता है यानी गदर हो जाता है मगर कच्चा ज़्यादा होता है तो बिल इत्तफ़ाक़ अपनी क़सम में पापी होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि रतब न खाउंगा फिर रतब मज़नब खाया जिस में अक्सर रतब होता है और कुछ बसर भी रहता है यानी गजर होता है जिस में पक्का ज़्यादा होता है तो भी बिल इत्तफ़ाक़ पापी होगा और अगर क़सम खाई कि बसर न खाउंगा फिर ऐसा रतब खाया जिस में कुछ ज़रा सा बसर है यानी कच्चा है तो इमाम आज़म रह० व इमाम मुहम्मद रह० के

(1)अक़्त पियूसी+]ुश्क कर लेते हैं मुसल पु]ता करे तरकीब से मानिन्द नबीज+ के बनाते हैं और जबन पनीर है।
(2)इसी सफ़हा पर क़सम मुअल्लक+ है।
(३) एक क़िस्म का बालीदह बनाते हैं जो अरब में मअरूफ़ है।
(4) मज़नब वह कि ज़म की तरफ़ से पक चला है।
(1) फल व मूली व कैरी वग़ैरह।
(२) चाहे और किसी तरह बना कर भी इस को खाते रहें।

नज़दीक हानिस होगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० के नज़दीक हानिस न होगा और अगर क़सम खाइ कि रतब न खाउंगा फिर बसर खाया जिस में कुछ ज़रा सा रतब हो गया है तो इमाम आज़म रह० व इमाम मुहम्मद रह० के नज़दीक हानिस हो जायेगा और हासिल यह है कि जिस पर क़सम खाई है अगर वो ग़ालिब हो तो बिल इत्तफ़ाक़ तीनों इमामों के नज़दीक हानिस हो जायेगा और अगर ग़ैर माक़ूद अलैहि ग़ालिब हो तो इमाम आज़म रह० व इमाम मुहम्मद रह० के नज़दीक हानिस होगा यह शरह जामअ सग़ीर क़ाज़ी खान में है।

अगर बसर मज़नब या रतब मज़नब खाया और इस तरह खाया कि इस के टुकडे अलाहिदा अलाहिदा कर डाले यानी खाम टुकडा अलग कर दिया और पुख़्ता अलग कर दिया िर इस के सब टुकडे एक एक करके खा लिये तो बिल इत्तफ़ाक़ हानिस हो जायेगा यह तातार खानिया में है और अगर क़सम खाई कि असल न खाउंगा यानी शहद साफ़ किया हुआ जिस में मोम का मेल न हो फिर इस ने शहद खाया यानी मोम मिला हुआ तो हानिस हो जायेगा और अगर क़सम खाई कि शहद न खाउंगा यानी मोम मिला हुआ बदूं साफ़ किया हुआ फिर इस ने असल खाया तो हानिस न होगा यह मुहीत में है और क़सम खाई कि बक़ल न खाउंगा तो यह सब सब्ज़ियों पर जो साग सब्ज़ व ताज़ा होते हैं वाक़े होगी और अगर इन में से कोई ख़ुश्क किया हुआ खाया तो हानिस न होगा और अगर प्याज़ खाया तो हानिस (2) न होगा इल्ला आंकि इस ने इस की नियत भी की हो यह तातारखानिया में है हतजा सं मंक़ूल है और शैख़ुल इस्लाम अबूबकर मुहम्मद बिन अल फ़ज़ल से दरयाफ़्त किया गया कि एक शख़्स ने क़सम खाई कि मैं अनब यानी अंगूर न खाउंगा पस इस ने हसर खाया तो शैख ने फ़रमाया कि हानिस होगा और अगर क़सम् खाई कि हसर न खाउंगा फिर अनब खाया तो हानिस न होगा और हसर बमअनी हज़रम है कज़ा फ़िल ज़हीरिया और अगर क़सम खाई कि इस बकरी से न खाउंगा (1) तो यह क़सम इस के गोश्त की तरफ़ राजअ होगी न इस की इस चीज़ की तरफ़ जो इस से हासिल (2) हो और यही हुक्म हर माकूल (3) में है

निकट पापी होगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० के निकट पापी न होगा और अगर क़सम खाइ कि रतब न खाउंगा फिर बसर खाया जिस में कुछ ज़रा सा रतब हो गया है तो इमाम आज़म रह० व इमाम मुहम्मद रह० के निकट पापी हो जायेगा और हासिल यह है कि जिस पर क़सम खाई है अगर वह ग़ालिब हो तो बिल इत्तफ़ाक़ तीनों इमामों के निकट पापी हो जायेगा और अगर ग़ैर माक़ूद अलैहि ग़ालिब हो तो इमाम आज़म रह० व इमाम मुहम्मद रह० के निकट पापी होगा यह शरह जामअ सग़ीर क़ाज़ी खान में है।

अगर बसर मज़नब या रतब मज़नब खाया और इस तरह खाया कि इस के टुकडे अलाहिदा अलाहिदा कर डाले यानी खाम टुकडा अलग कर दिया और पुख़्ता अलग कर दिया िर इस के सब टुकडे एक एक करके खा लिये तो बिल इत्तफ़ाक़ पापी हो जायेगा यह तातार खानिया में है और अगर क़सम खाई कि असल न खाउंगा यानी शहद साफ़ किया हुआ जिस में मोम का मेल न हो फिर इस ने शहद खाया यानी मोम मिला हुआ तो पापी हो जायेगा और अगर क़सम खाई कि शहद न खाउंगा यानी मोम मिला हुआ बदूं साफ़ किया हुआ फिर इस ने असल खाया तो पापी न होगा यह मुहीत में है और क़सम खाई कि बक़ल न खाउंगा तो यह सब सब्ज़ियों पर जो साग सब्ज़ व ताज़ा होते हैं स्थपित होगी और अगर इन में से कोई ख़ुश्क किया हुआ खाया तो पापी न होगा और अगर प्याज़ खाया तो पापी (2) न होगा सिवा आंकि इस ने इस की इरादा भी की हो यह तातारखानिया में है हतजा सं मंक़ूल है और शैख़ुल इस्लाम अबूबकर मुहम्मद बिन अल फ़ज़ल से दरयाफ़्त किया गया कि एक व्यक्ति ने क़सम खाई कि मैं अनब यानी अंगूर न खाउंगा बस इस ने हसर खाया तो शैख ने फ़रमाया कि पापी होगा और अगर क़सम् खाई कि हसर न खाउंगा फिर अनब खाया तो पापी न होगा और हसर बमअनी हज़रम है कज़ा फ़िल ज़हीरिया और अगर क़सम खाई कि इस बकरी से न खाउंगा (1) तो यह क़सम इस के गोश्त की तरफ़ राजअ होगी न इस की इस चीज़ की तरफ़ जो इस से हासिल (2) हो और यही आदेश हर माकूल (3) में है

यह ख़ुलासा में है और अगर कहा कि जो इस बकरी से बरआमद हो या इस के नज़ल से न खाउंगा तो इस के दूध व मखीस व मक्खन खाने से हानिस होगा न घी व शीराज़ (३) से यह इताबिया में है।

इसी तरह अगर कहा कि इस गाये के नज़ल (४) से न खाउंगा फिर इस का मखीस खाया जिस को फ़ारसी में दोग़ ज़दह कहते हैं तो हानिस होगा इस वास्ते कि यह भी इस का नज़ल है और अगर वो शोरबा खाया जो इस के मखीस से बनाया गया है जिस को फ़ारसी में दोग़ आबा कहते हैं तो हानिस न होगा इस वास्ते कि वो दूसरी चीज़ हो गई यह ख़ुलासा में है और अगर क़सम खाई कि वहीं न खाउंगा तो वहन उल कराअ के खाने से हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि इस दरख़्त अंगूर के खटे व मीठे न खाउंगा फिर इस के गदर व पुख़्ता अंगूर जैसे खाये हों हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि इस मसलूख़ से न खाउंगा फिर इस मसलूख़ यानी खाल खींचे होने का दुम्बा यानी चिकनई गलाई गई यहां तक कि तेल हो गई यानी गल कर चरबी मिस्ल तेल के हो गई और इस को खाया तो हानिस न होगा यह ख़ुलासा में है और अगर क़सम खाई कि इस समसम यानी तेल से न खाउंगा फिर इस का तेल खाया तो हानिस न होगा क़ालल मुतरजम हमारे उर्फ़ में हानिस होगा चाहिए यह ज़बान अरबी की क़सम पर है कि 'ला याकुल मिन हाज़ा उल समसम' कि इस के तेल के वास्ते अलाहिदा नाम है और अगर क़सम खाई कि इस मुर्ग़ी से न खाउंगा फिर इस के अण्डे या चूज़े खाये तो हानिस न होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि इस अण्डे से न खाउंगा फिर इस का बच्चा खाया तो हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

(1)मक़ऊद अलैहि जिस पर क़समखाई है।

(2)प्याज]+ााने से हानिस न होगा क्योंकि वो बक़ौल में नहीं।

(३)ाीराज+ जमाया हुआ और मखीस भी इसी तरह मीठा बनाते हैं।

(4)ग़ालिब इस्तेमाल लफ्ज+ नज़ल का फल दार दर]तों के साथ है जैसे बोलते हैं कि जो इस्म इस दर]त से उतरें।

(1)और अगर कहा कियह बकरी नखाउंगा तो ज़ाहिर है कि इस के गोश्त की तरफ+ राजअ+ है।

(2)दूध वग़ैरह।

(३)माकूल उल हम जिस का गोश्तखाया जाता हो।

यह ख़ुलासा में है और अगर कहा कि जो इस बकरी से बरआमद हो या इस के नज़ल से न खाउंगा तो इस के दूध व मखीस व मक्खन खाने से पापी होगा न घी व शीराज़ (३) से यह इताबिया में है।

इसी तरह अगर कहा कि इस गाये के नज़ल (३) से न खाउंगा फिर इस का मखीस खाया जिस को फ़ारसी में दोग़ ज़दह कहते हैं तो पापी होगा इस लिए कि यह भी इस का नज़ल है और अगर वह शोरबा खाया जो इस के मखीस से बनाया गया है जिस को फ़ारसी में दोग़ आबा कहते हैं तो पापी न होगा इस लिए कि वह दूसरी चीज़ हो गई यह ख़ुलासा में है और अगर क़सम खाई कि वहीं न खाउंगा तो वहन उल कराअ के खाने से पापी होगा और अगर क़सम खाई कि इस दरख़्त अंगूर के खटे व मीठे न खाउंगा फिर इस के गदर व पुख़्ता अंगूर जैसे खाये हों पापी होगा और अगर क़सम खाई कि इस मसलूख़ से न खाउंगा फिर इस मसलूख़ यानी खाल खींचे होने का दुम्बा यानी चिकनई गलाई गई यहां तक कि तेल हो गई यानी गल कर चरबी मिस्ल तेल के हो गई और इस को खाया तो पापी न होगा यह ख़ुलासा में है और अगर क़सम खाई कि इस समसम यानी तेल से न खाउंगा फिर इस का तेल खाया तो पापी न होगा अनुवादक के कथनानुसार हमारे उर्फ़ में पापी होना चाहिए यह ज़बान अरबी की क़सम पर है कि 'ला याकुल मिन हाज़ा उल समसम' कि इस के तेल के लिए अलाहिदा नाम है और अगर क़सम खाई कि इस मुर्ग़ी से न खाउंगा फिर इस के अण्डे या चूज़े खाये तो पापी न होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि इस अण्डे से न खाउंगा फिर इस का बच्चा खाया तो पापी न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

(1)मक़ऊद अलैहि जिस पर क़समखाई है।

(2)प्याज]+ााने से पापी न होगा क्योंकि वह बक़ौल में नहीं।

(३)ाीराज+ जमाया हुआ और मखीस भी इसी तरह मीठा बनाते हैं।

(4)ग़ालिब इस्तेमाल लफ्ज+ नज़ल का फलघर दर]तों के साथ है जैसे बोलते हैं कि जो इस्म इस दर]त से उतरें।

(1)और अगर कहा कियह बकरी नखाउंगा तो ज़ाहिर है कि इस के गोश्त की तरफ+ राजअ+ है।

(2)दूध वग़ैरह।

(३)माकूल उल हम जिस का गोश्तखाया जाता हो।

अगर गोश्त न खाने की क़सम खाई तो गोश्त के ज़ुमरे में कौनसी चीज़ें शुमार होंगी?

अगर क़सम खाई कि लहम न खाउंगा यानी गोश्त तो जिस हैवान का गोश्त खायेगा हानिस हो जायेगा सिवाऐ मछनली के और गोश्त ख़्वाह पका हुआ खाये या भूना हुआ या ख़ुश्क किया हुआ और ख़्वाह हलाल हो यसा हराम हो जै मरे हुए जानवर का गोश्त या ऐसे जानवर का जिस पर अमदन बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तरक करके छुरी फैर दी है या मजूसी ने इस को ज़िबह किया या महरम का शिकार किया हुआ है आम्र मछली की भी नियत की हो तो हानिस होगा यह इख़्तयार शरह मुख़्तार में है और मशाइख़ ने फ़रमाया कि अगर ऐसी क़सम खने वाला मसलन ख़्वार ज़ूमीन हो और इस ने मछली खाई तो हानिस होगा इस वास्ते कि वो लोग इस को भी लहम बोलते हैं यह मुहीत सुरखी में है और अगर इस ने सुवर या आदमी काप गोश्त खाया तो भी हानिस होगा और सही यह है कि सुवर व आदमी के गोश्त खाने से हानिस न होगा इस वास्ते कि इस का खाना मुतआरिफ़ में है और क़समों का मदार रिवाज पर है अैर शैख़ इताबी ने ज़िक्र किया है कि वो हानिस न होगा और इसी पर फ़तवा है यह किफ़ाया में है और कच्चा गोश्त खाने से हानिस न होगा और यही शैख़ अबूबकर इस काफ़ क़ौल है और यही अज़्हर है और इसी पर फ़तवा है यह जीज़ करवरी में है और अगर हशू यानी ओझ व जिगर व तिली खाई तो हानिस हो जायेगा और यह हुक्म बर नबाऐ उर्फ़ अहले कूफ़ा है क्योंकि यह चीज़ें इन के रिवाज में गोश्त के साथ फ़रोख़्त होती थीं और मिस्ल इस्तेमाल गोश्त के मुतअम्मिल होती थीं और हमारे उर्फ़ में इन के खाने से हानिस न होगा यह मुहीत है और इसी पर फ़तवा है यह जवाहिर अख़्लाती में है क़ालल मुतरजम हमारे रिवाज में मिस्ल अहले कूफ़ा के हुक्म होगा और यह अज़्हर है वल्लाहु तआला आलम।

अगर इस ने सिर्री या पाये खाये तो हानि होगा और चरबी व दुम्बा यानी चकती के खाने से हानिस न होगा इल्ला आंकि इस ने गोश्त की क़सम में इन की भी

अगर मीट न खाने की क़सम खाई तो मीट के खाने में कौन सी चीज़ें गिन्ती होंगी?

अगर क़सम खाई कि लहम न खाउंगा यानी गोश्त तो जिस हैवान का गोश्त खायेगा पापी हो जायेगा सिवाऐ मछनली के और गोश्त चाहे पका हुआ खाये या भूना हुआ या ख़ुश्क किया हुआ और चाहे हलाल हो यसा निषिद्ध हो जै मरे हुए जानवर का गोश्त या ऐसे जानवर का जिस पर अमदन बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तरक करके छुरी फैर दी है या मजूसी ने इस को ज़िबह किया या महरम का शिकार किया हुआ है आम्र मछली की भी इरादा की हो तो पापी होगा यह अधिकार शरह मुख़्तार में है और विद्वानों ने फ़रमाया कि अगर ऐसी क़सम खने वाला मसलन ख़्वार ज़ूमीन हो और इस ने मछली खाई तो पापी होगा इस लिए कि वह लोग इस को भी लहम बोलते हैं यह मुहीत सुरखी में है और अगर इस ने सुवर या आदमी काप गोश्त खाया तो भी पापी होगा और सही यह है कि सुवर व आदमी के गोश्त खाने से पापी न होगा इस लिए कि इस का खाना मुतआरिफ़ में है और क़समों का मदार रिवाज पर है अैर शैख़ इताबी ने ज़िक्र किया है कि वह पापी न होगा और इसी पर फ़तवा है यह किफ़ाया में है और कच्चा गोश्त खाने से पापी न होगा और यही शैख़ अबूबकर इस काफ़ कथन है और यही अज़्हर है और इसी पर फ़तवा है यह जीज़ करवरी में है और अगर हशू यानी ओझ व जिगर व तिली खाई तो पापी हो जायेगा और यह आदेश बर नबाऐ उर्फ़ अहले कूफ़ा है क्योंकि यह चीज़ें इन के रिवाज में गोश्त के साथ फ़रोख़्त होती थीं और मिस्ल इस्तेमाल गोश्त के मुतअम्मिल होती थीं और हमारे उर्फ़ में इन के खाने से पापी न होगा यह मुहीत है और इसी पर फ़तवा है यह जवाहिर अख़्लाती में है अनुवादक के कथनानुसार हमारे रिवाज में मिस्ल अहले कूफ़ा के आदेश होगा और यह अज़्हर है वल्लाहु तआला आलम।

अगर इस ने सिर्री या पाये खाये तो हानि होगा और चरबी व दुम्बा यानी चकती के खाने से पापी न होगा सिवा आंकि इस ने गोश्त की क़सम में इन की भी

नियत की हो बख़िलाफ़ पीठ की चरबी के कि इस के खाने में बिला नियत हानिस होगा यह फ़तहुल क़दीर में है और अगर वो हुमरह जो चकती के बीच में होता है खाया तो हानि होगा यह ख़ुला में है और अगर क़सम खाई कि लहम शात न खाउंगा फिर इस ने लहम (1) खाया तो हानिस होगा और फ़िक़ीह अबुल्लैस रह० ने फ़रमाया कि हानिस न होगा ख़्वाह क़सम खाने वाला शहरी हो यसा देहाती हो इसी पर फ़तवा है यह फ़तहुल क़दीर में है क़िल्लत बिना बर इख़्तलाफ़ इत्तलाक़ शाह व ग़ज़्न व मग़र व ज़ान बउमूम व ख़ुसूस चुनांचे मुक़दमा में मज़कूर है मलतर अजहा। इमाम मुहम्मद रह० ने जामअ में ज़िक्र फ़रमाया कि अगर किसी ने क़सम खाई कि मुर्गी का गोश्त न खाउंगा जिस को दजाजा कहते हैं फिर इस ने देक का गोश्त खाया यानी मुर्ग का तो अपनी क़्रम में हानिस न होगा और दरअसल इस जिन्‍ के माइल में यह है कि जब क़्रम किी जिन की तरफ़ मज़ाफ़ की गई तो इस क़सम में इस जिन्‍ के नर व मादा दोनों दाखिल होंगे और अगर क़्रमस की इज़ाफ़त खास नर के नाम की तरफ़ हो तो इस के तहत में मादा दाखिल न होगी औरड़ी तरह अगर इज़ाफ़त खास मादा के नाम की तरफ़ हो तो नर दाखिल न होगे और अरबी ज़बान के मुवाफ़िक़ अलामत तार होने से लामहाला मादा का नाम खासत होगे की शनाख़्त नहीं हो कती है यानी अगर नाम के आखिर में हरफ़ ताज़ा मौजूद हो तो इस से यह शनाख़्त नहीं हो सकती है मि लामहाला मादा की ख़ुसूसियत है इस वास्ते कि यह हरफ़ मुशतरिक है कि कभी नर के साथ भी बोलते हैं बग़र्ज़ अफ़राद के यानी हर्फ़ ता कभी तानीस के वास्ते आता है और कभी अफ़राद के वास्ते पस इस में ऐतबार फ़क़त वज़अ का है कि यह लफ़्ज़ किसी के वास्ते मौज़ूअ है और यह बात बज़रियसा नक़्ल के मालूम की जायेगी पस अगर क़सम खाई कि वजाजा का गोश्त न खाउंगा फिर इस ने दयक का गोश्त खाया तो हानिस न होगा और इस तरह अगर क़सम खाई कि दयक का गोश्त न खाउंगा तो दजाजा के गोश्त खाने से हानिस न होगा और फ़रमाया कि अगर किसी ने क़सम खाई कि जमल का

इरादा की हो बख़िलाफ़ पीठ की चरबी के कि इस के खाने में बिला इरादा पापी होगा यह फ़तहुल क़दीर में है और अगर वह हुमरह जो चकती के बीच में होता है खाया तो हानि होगा यह ख़ुला में है और अगर क़सम खाई कि लहम शात न खाउंगा फिर इस ने लहम (1) खाया तो पापी होगा और फ़िक़ीह अबुल्लैस रह० ने फ़रमाया कि पापी न होगा चाहे क़सम खाने वाला शहरी हो यसा देहाती हो इसी पर फ़तवा है यह फ़तहुल क़दीर में है क़िल्लत बिना बर मतभेद इत्तलाक़ शाह व ग़ज़्न व मग़र व ज़ान बउमूम व ख़ुसूस चुनांचे मुक़दमा में वर्णित है मलतर अजहा। इमाम मुहम्मद रह० ने जामअ में वर्णनफ़रमाया कि अगर किसी ने क़सम खाई कि मुर्गी का गोश्त न खाउंगा जिस को दजाजा कहते हैं फिर इस ने देक का गोश्त खाया यानी मुर्ग का तो अपनी क़्रम में पापी न होगा और दरअसल इस जिन्‍ के माइल में यह है कि जब क़्रम किी जिन की तरफ़ मज़ाफ़ की गई तो इस क़सम में इस जिन्‍ के नर व मादा दोनों प्रवेश होंगे और अगर क़्रमस की इज़ाफ़त खास नर के नाम की तरफ़ हो तो इस के तहत में मादा प्रवेश न होगी औरड़ी तरह अगर इज़ाफ़त खास मादा के नाम की तरफ़ हो तो नर प्रवेश न होगे और अरबी ज़बान के मुवाफ़िक़ अलामत तार होने से लामहाला मादा का नाम खासत होने की शनाख़्त नहीं हो कती है यानी अगर नाम के आखिर में हरफ़ ताज़ा मौजूद हो तो इस से यह शनाख़्त नहीं हो सकती है मि लामहाला मादा की ख़ुसूसियत है इस लिए कि यह हरफ़ साझा है कि कभी नर के साथ भी बोलते हैं बग़र्ज़ अफ़राद के यानी हर्फ़ ता कभी तानीस के लिए आता है और कभी अफ़राद के लिए बस इस में ऐतबार केवल वज़अ का है कि यह लफ़्ज़ किसी के लिए मौज़ूअ है और यह बात बज़रियसा नक़्ल के मालूम की जायेगी बस अगर क़सम खाई कि वजाजा का गोश्त न खाउंगा फिर इस ने दयक का गोश्त खाया तो पापी न होगा और इस तरह अगर क़सम खाई कि दयक का गोश्त न खाउंगा तो दजाजा के गोश्त खाने से पापी न होगा और फ़रमाया कि अगर किसी ने क़सम खाई कि जमल का

(1)ग़ज़मादह बज़।

(1)ग़ज़मादह बज़।
(2)ग़ात बकरी और ग़ज+ भेडी और तीसरी क़सम दुम्बा होता है पस इन सब में फ़र्क़ मअ+रूफ+ है अगरचे हक़ीक़त इएक ही जिन्स से हैं और क़सम का मदार उर्फ़+ से होता है।

गोश्त न खाउंगा या क़सम खाई कि बग़ैर का गोश्त न खाउंगा या लहम उबल न खाउंगा या लहम जुज़ वरना खाउंगा तो क़सम में नर व मादा दोनों दाखिल होंगी और इसी तरह इस क़सम में बख़्ती व अरबी दोनों दाखिल (1) होंगे और अगर क़सम में तखसीस की कि बख़्ती का गोश्त न खाउंगा पस अरबी ऊंट का गोश्त खाया या अरबी क गोश्त न खाउंगा फिर बख़्ती का गोश्त खाया तो क़सम में हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि नाक़ा का गोश्त न खाउंगा यानी ऊंटनी का फिर नर ऊंट का गोश्त खाया ख़्वाह बख़्ती का गोश्त खाया तो क़सम में हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि नाक़ा का गोश्त न खाउंगा यानी ऊंटनी का फिर नर ऊंट का गोश्त खाया ख़्वाह बख़्ती हो या अरबी हो तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि लहम बक़र न खाउंगा फिर गाये का गोश्त खाया यसा बेल का गोश्त खाया तो हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि लहम बक़रह न खाउंगा फिर बेल का गोश्त खाया तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि लहम बक़र न खाउंगा फिर भैंस का खाया तो अपनी क़सम में हानिस न होगा ऐसा है इमाम मुहम्मद रह० ने जामअ में ज़िक्र फ़रमाया है और हावी मज़कूर है कि वो हानिस होगा बखिलाफ़ इस के अगर क़सम खाई कि लहम जामोश न खाउंगा फिर लहम बक़र खाया मतो हानिस न होगा इस वास्ते कि जामोश इस्म नोअ है और सही वही है जो जामअ में मज़कूर है यह मुहीत में है और मौल्लिफ़ ने फ़रमाया कि दोनों सूरतों में हानिस न होना चाहिए क्योंकि लोग इन दोनों में फ़र्क़ करते हैं यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है वक़ालल मुतरजम हमारे उर्फ़ में अगर क़सम खाई कि गाये क गोश्त न खाउंगा तो गाये या बेल सब के गोश्त खाने से हानिस होना इल्ला आंकि इस की नियत तखसीस की हो तो दयानतन तसदीक़ होगी न क़ज़ाअन हाज़ा अली (2) खिलाफ़ उल अरबियत और इस्मे जिन्स में इत्तफ़ाक़ है वल्लाहु तआला आलम।

(2)ग़ात बकरी और ग़ज+ भेडी और तीसरी क़सम दुम्बा होता है बस इन सब में फ़र्क़ मअ+रूफ+ है चाहे हक़ीक़त इएक ही जिन्स से हैं और क़सम का मदार उर्फ़+ से होता है।

गोश्त न खाउंगा या क़सम खाई कि बग़ैर का गोश्त न खाउंगा या लहम उबल न खाउंगा या लहम जुज़ वरना खाउंगा तो क़सम में नर व मादा दोनों प्रवेश होंगी और इसी तरह इस क़सम में बख़्ती व अरबी दोनों प्रवेश (1) होंगे और अगर क़सम में तखसीस की कि बख़्ती का गोश्त न खाउंगा बस अरबी ऊंट का गोश्त खाया या अरबी क गोश्त न खाउंगा फिर बख़्ती का गोश्त खाया तो क़सम में पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि नाक़ा का गोश्त न खाउंगा यानी ऊंटनी का फिर नर ऊंट का गोश्त खाया चाहे बख़्ती का गोश्त खाया तो क़सम में पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि नाक़ा का गोश्त न खाउंगा यानी ऊंटनी का फिर नर ऊंट का गोश्त खाया चाहे बख़्ती हो या अरबी हो तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि लहम बक़र न खाउंगा फिर गाये का गोश्त खाया यसा बेल का गोश्त खाया तो पापी होगा और अगर क़सम खाई कि लहम बक़रह न खाउंगा फिर बेल का गोश्त खाया तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि लहम बक़र न खाउंगा फिर भैंस का खाया तो अपनी क़सम में पापी न होगा ऐसा है इमाम मुहम्मद रह० ने जामअ में वर्णनफ़रमाया है और हावी वर्णित है कि वह पापी होगा बखिलाफ़ इस के अगर क़सम खाई कि लहम जामोश न खाउंगा फिर लहम बक़र खाया मतो पापी न होगा इस लिए कि जामोश इस्म नोअ है और सही वही है जो जामअ में वर्णित है यह मुहीत में है और मौल्लिफ़ ने फ़रमाया कि दोनों स्थितियों में पापी न होना चाहिए क्योंकि लोग इन दोनों में फ़र्क़ करते हैं यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है वक़ालल मुतरजम हमारे उर्फ़ में अगर क़सम खाई कि गाये क गोश्त न खाउंगा तो गाये या बेल सब के गोश्त खाने से पापी होगा सिवा आंकि इस की इरादा तखसीस की हो तो दयानतन पुष्टि होगी न न्यायिक हाज़ा अली (2) खिलाफ़ उल अरबियत और इस्मे जिन्स में इत्तफ़ाक़ है वल्लाहु तआला आलम।

हानिस न होगा और अगर यह रोज़ गुज़रने से पहले यह तआम नैस्त हो गया तो दिन गुज़रीने वे पहले बिल इजमाअ वो हानिस न होगा हत्ता कि कफ़्फ़ारह इस के ज़िम्मे लाज़िम न हो जायेगा और नीज़ अगर दिन गुज़रने से पहले इस ने कफ़्फ़ारह लाज़िम न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि तआम न खाउंगा हालांकि इस ने किसी खास तआम की नियत की है या क़सम खाई कि गोश्त न खाउंगा और नियत किसी खास गोश्त यानी मुअय्यन की है फिर इस के सिवाए दूसरा खाया तो हानिस न होगा यह मबसूत में है क़ालल मुतरजम 'मनीफ़ी इन ला सदक़ फ़िल क़ज़ा वल्लाहु आलम' और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि एक ने क़सम खाई कि तआम न खाउंगा फिर इस पर इतने फ़ाक़ा गुज़रे कि मुरदार इ को हाल हो गया और वो मुरदार खाने पर मुज़तर (२) हुआ पस इ ने मुरदार खाया तो हानि न होगा और शैख करखी ने फ़रमाया कि मेरे नज़दीक यह क़ौल इमाम मुहम्मद का है और इब्ने रूस्तम ने इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत की है कि वो हानिस होगा यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि तआम न खाउंगा फिर खफ़ीफ़ कोई चीज़ तआम में से खाई तो भी हानिस तो भी हानिस होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि पानी न पियूंगा तो भी हनीफ़ पानी पीने से हानिस होगा और अगर इस ने कुल पानी यसा कुल तआम की नियत की हो तो ऐसी ूरत में हानिस न होगा यह मबसूत में है असल यह है कि हर चीज़ कि इस को आदमी एक बैठक में खा सकता है या एक बार पीने में पी सकता है तो इस चीज़ पर क़म इस के कल पर होगी और इस में से थोड़े के खाने से हानि न होगा कि इस के कल से बाज़ रहूंगा और यह हासिल है और हर चीज़ कि इस को आदमी एक बैठक में नहीं खा सकता है या एक दफ़ा पीने में नहीं पी सकता है तो इस में से थोड़े के खाने पीने से भी हानि होगा इस वास्ते कि मक़सूद यह है कि क़सम से मक़सूद यह होगा कि इस चीज़ ही से बाज़ रहूंगा यह मक़सूद न होगा कि इस के कुल से बाज़ रहूंगा इस वास्ते कि यह ख़ुद मुमकिन नहीं है पस जो फ़ेअल ग़ालिबन मुमतनअ हो वो क़सम से

पापी न होगा और अगर यह दिन गुज़रने से पहले यह तआम नैस्त हो गया तो दिन गुज़रीने वे पहले बिल इजमाअ वह पापी न होगा हत्ता कि प्रायश्चित इस के ज़िम्मे अनिवार्य न हो जायेगा और नीज़ अगर दिन गुज़रने से पहले इस ने प्रायश्चित अनिवार्य न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि तआम न खाउंगा हालांकि इस ने किसी खास तआम की इरादा की है या क़सम खाई कि गोश्त न खाउंगा और इरादा किसी खास गोश्त यानी निश्चित की है फिर इस के सिवाए दूसरा खाया तो पापी न होगा यह मबसूत में है अनुवादक के कथनानुसार 'मनीफ़ी इन ला सदक़ फ़िल क़ज़ा वल्लाहु आलम' और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि एक ने क़सम खाई कि तआम न खाउंगा फिर इस पर इतने फ़ाक़ा गुज़रे कि मुरदार इ को हाल हो गया और वह मुरदार खाने पर मुज़तर (२) हुआ बस इ ने मुरदार खाया तो हानि न होगा और शैख करखी ने फ़रमाया कि मेरे निकट यह कथन इमाम मुहम्मद का है और इब्ने रूस्तम ने इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत की है कि वह पापी होगा यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि तआम न खाउंगा फिर खफ़ीफ़ कोई चीज़ तआम में से खाई तो भी पापी तो भी पापी होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि पानी न पियूंगा तो भी हनीफ़ पानी पीने से पापी होगा और अगर इस ने कुल पानी यसा कुल तआम की इरादा की हो तो ऐसी ूरत में पापी न होगा यह मबसूत में है असल यह है कि हर चीज़ कि इस को आदमी एक बैठक में खा सकता है या एक बार पीने में पी सकता है तो इस चीज़ पर क़म इस के कल पर होगी और इस में से थोड़े के खाने से हानि न होगा कि इस के कल से कुछ रहूंगा और यह हासिल है और हर चीज़ कि इस को आदमी एक बैठक में नहीं खा सकता है या एक दफ़ा पीने में नहीं पी सकता है तो इस में से थोड़े के खाने पीने से भी हानि होगा इस लिए कि मक़सूद यह है कि क़सम से मक़सूद यह होगा कि इस चीज़ ही से कुछ रहूंगा यह मक़सूद न होगा कि इस के कुल से कुछ रहूंगा इस लिए कि यह ख़ुद मुमकिन नहीं है बस जो फ़अल ग़ालिबन मुमतनअ हो वह क़सम से मक़सूद नहीं

मक़सूद नहीं होता है और अगर क़सम खाई (1) कि इस बाग़ का फल न खाउंगा या इन दरख़्तों के फल न खाउंगा या इन दोनों रोटियों में से न खाउंगा या इन दोनों बकरियों के दूध में से न पियूंगा या इस बकरी से न खाउंगा फिर इस में से थोड़ा खाया तो हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि इस मटके का घी न खाउंगा फिर इस में से कुछ खाया तो हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि है अण्डा न खाउंगा तो हानिस न होगा जब तक कि पूरा अण्डा न खाये और इसी तरह अगर क़सम खाई कि तआम न खाउंगा पस अगर इस ब को एक दफ़ा में खा सकता है तो जब तक सब न खाये हानिस न होगा और अगर सब को इस तरह नहीं खा सकता है तो इस में से थोड़ा खाने से भी हानिस होगा और एक रिवायत में क़ाइदा यूं मरवी है कि अगर यह चीज़ ऐसी हो कि इस को अपनी तमाम उम्र में खा जा सकता है तो जब तक कुल न खाये हानिस न होगा मगर रिवायत अव्वल असह है और वही हमारे मशाइख़ के नज़दीक मुख़्तार में है और इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है कि अगर क़सम खाई कि इस ऊंट का गोश्त न खाउंगा तो यह क़मस इस के थोड़े पर भी होगी इस वास्ते कि एक दफ़ा में इस बस को वो नहीं खा सकता है यह मुहीत सुरख़ी में है।

(1)चाहि, कि क़ाज़ी इस के क़ौल की तसदीक+ न करे फ़ाफ़हम।
(2)बेइ]तयार इस केखाने पर मजबूर हुआ और इस के वास्ते तीन दिन कुछशर्त नहीं है बल्कि इएक अन्दाज़ा है हत्ता कि अगर दो दिन मेंयह नोबत पहुंचे तो वो मुज़तर है।

अगर क़सम खाई कि यह कुल अनार न खाउंगा फिर इस के दो एक दाना छोड़ कर बाक़ी सब खा गया तो यह छोड़ना कुछ नहीं है इस्तहसानन व हानिस हो जायेगा और अगर इस से ज़्यादा छोड़े तो देखा जायेगा कि अगर इतने दाने छोड़े कि उर्फ़ व आदत के मुवाफ़िक़ खाने वाला इतने छोड़ दिया करता है और कहा जाता है कि इस ने अनार मज़कूर खा लिया तो भी हानिस होगा और अगर इतने छोड़े है कि उर्फ़ व रिवाज में खाने वाला इतने दाना छोड़ता नहीं है बल्कि यह कहा जाता है कि इसने सब नहीं खाया है थोड़ा छोड़ दिया तो वो हानिस न होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि जो न

होता है और अगर क़सम खाई (1) कि इस बाग़ का फल न खाउंगा या इन दरख़्तों के फल न खाउंगा या इन दोनों रोटियों में से न खाउंगा या इन दोनों बकरियों के दूध में से न पियूंगा या इस बकरी से न खाउंगा फिर इस में से थोड़ा खाया तो पापी होगा और अगर क़सम खाई कि इस मटके का घी न खाउंगा फिर इस में से कुछ खाया तो पापी होगा और अगर क़सम खाई कि है अण्डा न खाउंगा तो पापी न होगा जब तक कि पूरा अण्डा न खाये और इसी तरह अगर क़सम खाई कि तआम न खाउंगा बस अगर इस ब को एक दफ़ा में खा सकता है तो जब तक सब न खाये पापी न होगा और अगर सब को इस तरह नहीं खा सकता है तो इस में से थोड़ा खाने से भी पापी होगा और एक रिवायत में क़ाइदा यूं मरवी है कि अगर यह चीज़ ऐसी हो कि इस को अपनी तमाम उम्र में खा जा सकता है तो जब तक कुल न खाये पापी न होगा मगर रिवायत पहला असह है और वही हमारे विद्वानों के निकट मुख़्तार में है और इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है कि अगर क़सम खाई कि इस ऊंट का गोश्त न खाउंगा तो यह क़मस इस के थोड़े पर भी होगी इस लिए कि एक दफ़ा में इस बस को वह नहीं खा सकता है यह मुहीत सुरख़ी में है।

(1)चाहि, कि क़ाज़ी इस के कथन की पुष्टि न करे फ़ाफ़हम।
(2)बेइ]तयार इस केखाने पर मजबूर हुआ और इस के लि, तीन दिन कुछशर्त नहीं है बल्कि इएक अन्दाज़ा है हत्ता कि अगर दो दिन मेंयह नोबत पहुंचे तो वह मुज़तर है।

अगर क़सम खाई कि यह कुल अनार न खाउंगा फिर इस के दो एक दाना छोड़ कर बाक़ी सब खा गया तो यह छोड़ना कुछ नहीं है इस्तहसानन व पापी हो जायेगा और अगर इस से ज़्यादा छोड़े तो देखा जायेगा कि अगर इतने दाने छोड़े कि उर्फ़ व आदत के मुवाफ़िक़ खाने वाला इतने छोड़ दिया करता है और कहा जाता है कि इस ने अनार वर्णित खा लिया तो भी पापी होगा और अगर इतने छोड़े हैं कि उर्फ़ व रिवाज में खाने वाला इतने दाना छोड़ता नहीं है बल्कि यह कहा जाता है कि इसने सब नहीं खाया है थोड़ा छोड़ दिया तो वह पापी न होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि जो न खाउंगा

खाउंगा यानी पाव डेढ़ पाव के क़रीब थे फिर सब खा गया सिवाए दो एक दानों के कि इन को छोड़ दिया जैसे

अगर अपनी औरतों से कहा कि तुम में से जिस ने इस तआम में खा लिया वो तालिक़ा है

अगर इस ने अपनी दो औरतों (1) से कहा कि अगर तुम ने इन दो रोटियों को खा लिया तो मेरा ग़ुलाम है फिर हर एक ने एक एक रोटी खाली तो इस का ग़ुलाम आज़ाद हो गया और इसी तरह अगर एक ने थोड़ी सी छोड़ कर दोनों रोटियां खालीं फिर बची हुई दूसरी ने खाली तो भी ग़ुलाम आज़ाद हो गया यह मुहीत सुरखी में है। असल में मज़कूर है कि अगर अपनी औरतों से कहा कि तुम में से जिस ने इस तआम में से खा लिया वो तालिक़ा है फिर सभों ने इस में से खाया तो सब मुतल्लक़ात हो गईं और अगर यूं कहा कि तुम में से जिस ने यह तआम खा लिया वो तालिक़ा तो देखा जायेगा कि अगर यह तआम इस क़द्र ज़ायद है कि एक औरत इस को तन्हा नहीं खा सकती (2) है तो सूरत मज़कूरह में सब मुतल्लक़ात हो जायेंगी और अगर तआम क़लील था कि एक औरत इस को खा सकती थी तो सूरत मज़कूरह में जब कि सभों ने इस को खाया कोई तालिक़ा न होगी यह मुहीत में है और अगर किसी ने बतूअ (3) ख़ुद दिया या बाकरा किसी चीज़ के न खाने पर क़सम खाई और इस का नाम ले लिया है यानी बयान कर दी है फिर इस पर इकराह किया गया कि इस को खाये पस बमजबूरी इस ने खाई तो हानिस हो गया इसी तरह अगर हालत बेहोशी या जुनून में इस को खाया तो भी हानिस हो गया और अगर ज़बरदस्ती इस के हलक़ में ठूंस दी गई या इस के हलक़ में टपका कर पिलाई गई हालांकि इसके न पीने की क़सम खा चुका था तो हानिस न होगा लेकिन इस के बाद अगर इस ने बतूअ ख़ुद पी ली तो हानिस होगा यह मबसूत में है क़सम खाई कि नमक न खाउंगा फिर इस ने तआम खा लिया पस अगर यह तआम नमकीन (2) न था तो हानिस न होगा और यही मुख़्तार है और अगर नमकीन

यानी पाव डेढ़ पाव के क़रीब थे फिर सब खा गया सिवाए दो एक दानों के कि इन को छोड़ दिया जैसे

अगर अपनी औरतों से कहा कि तुम में से जिस ने इस खाने में से खा लिया उसे तलाक़ है

अगर इस ने अपनी दो औरतों (1) से कहा कि अगर तुम ने इन दो रोटियों को खा लिया तो मेरा ग़ुलाम है फिर हर एक ने एक एक रोटी खाली तो इस का ग़ुलाम आज़ाद हो गया और इसी तरह अगर एक ने थोड़ी सी छोड़ कर दोनों रोटियां खालीं फिर बची हुई दूसरी ने खाली तो भी ग़ुलाम आज़ाद हो गया यह मुहीत सुरखी में है। असल में वर्णित है कि अगर अपनी औरतों से कहा कि तुम में से जिस ने इस तआम में से खा लिया वह तालिक़ा है फिर सभों ने इस में से खाया तो सब मुतल्लक़ात हो गईं और अगर यूं कहा कि तुम में से जिस ने यह तआम खा लिया वह तालिक़ा तो देखा जायेगा कि अगर यह तआम इस क़द्र ज़ायद है कि एक औरत इस को तन्हा नहीं खा सकती (2) है तो स्थिति वर्णितह में सब मुतल्लक़ात हो जायेंगी और अगर तआम क़लील था कि एक औरत इस को खा सकती थी तो स्थिति वर्णितह में जब कि सभों ने इस को खाया कोई तालिक़ा न होगी यह मुहीत में है और अगर किसी ने बतूअ (3) ख़ुद दिया या बाकरा किसी चीज़ के न खाने पर क़सम खाई और इस का नाम ले लिया है यानी बयान कर दी है फिर इस पर इकराह किया गया कि इस को खाये बस बमजबूरी इस ने खाई तो पापी हो गया इसी तरह अगर हालत बेहोशी या जुनून में इस को खाया तो भी पापी हो गया और अगर ज़बरदस्ती इस के हलक़ में ठूंस दी गई या इस के हलक़ में टपका कर पिलाई गई हालांकि इसके न पीने की क़सम खा चुका था तो पापी न होगा लेकिन इस के बाद अगर इस ने बतूअ ख़ुद पी ली तो पापी होगा यह मबसूत में है क़सम खाई कि नमक न खाउंगा फिर इस ने तआम खा लिया बस अगर यह तआम नमकीन (2) न था तो पापी न होगा और यही मुख़्तार है और अगर नमकीन था तो पापी होगा जैसे

था तो हानिस होगा जैसे क़सम खाई कि मिर्च

(1)ज़ाहिरनयह हुक्म है दर सूरतयह कि इस की ग़ीयत इन्फ़रादी की हो।

(2)अगरचे इस में नमक डाला गया हो।

(1)बीवियों की क़ैद तक़सीम के वास्ते है।

(2)सभों ने इस में से थोडा थोडाखाया।

(3)अपनी+]ुशी व इ]तयार से और बाकरहयानी ज़बरदस्ती मजबूर होकर।

न खाउंगा फिर मिर्च पड़ा हुआ तआम खाया पस अगर मिर्च का ज़ायक़ा इस (1) में है तो हानिस होगा वरना नहीं और फ़क़ीह अबुल्लैस रह० ने फ़रमायसा कि जब तक खाली नमक को रोटी वग़ैरह किसी चीज़ के साथ न खाये तब तक हानिस न होगा और इसी पर फ़तवा है क़ालल मुतरजम यह निहायत आसानी बहक़ अवाम है लेकिन निहायत अफ़सोस है कि हमारे उर्फ़ के खिलाफ़ है। 'फ़लयतामुल फ़ीह'।

अगर इस की क़सम में कोई ऐसा अम्र हो जो दलालत करे कि इस ने नमक दार तआम मुराद लिया है तो इस की क़सम इसी पर वाक़े होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। शैख़ुल इस्लाम ज़ायद रह० से दरयाफ़्त किया गया कि एक शख़्स ने क़सम खाई कि गोश्त न खाउंगा और दूसरे ने क़सम खाई कि प्याज़ न खाउंगा और तीसरे ने कहा कि मिर्च न खाउंगा फिर महशू बनाया गया जिस में यह सब क़सम चीज़ें डाली गईं और इस को इन सब क़सम खाने वालों ने खाया तो फ़रमाया कि सिवाए मिर्च के क़सम खाने वाले कि कोई हानिस नहोगा इस वास्ते कि मिर्च इसी तरह खाई जाती है पस इस की क़सम इस तरफ़ राजअ होगी और अगर क़सम खाई कि अपनी बीवी के खाने से न खाउंगा फिर यह औरत इस के पा अपनी मिल्क का खाना लाई और इस से कहा कि दार बख़ु द यानी रख खा पस शौहर ने इस को ले लिया और इस में से खा तो हानिस न होगा इस वास्ते कि यह ख़ुद शौहर की मिल्क हो गया और अगर औरत मज़कूरह ने दार बख़ुद न कहा कि हो और बाक़ी मसला बहाला हो तो हानिस होगा ग़ैद की फ़ालीज़ है इस ने उमर को इस के बचाने के वास्ते मुक़र्रर किया और उमर को मुबाह कर दिया कि इस में से जो चाहे खाये पस उमर ने क़सम खाई कि अगर अपने फ़ालीज़ में से कुछ

क़सम खाई कि मिर्च

(1)ज़ाहिरनयह आदेश है दर स्थितियह कि इस की ग़ीयत इन्फ़रादी की हो।

(2)चाहे इस में नमक डाला गया हो।

(1)बीवियों की क़ैद तक़सीम के लि, है।

(2)सभों ने इस में से थोडा थोडाखाया।

(3)अपनी+]ुशी व अधिकार से और बाकरहयानी ज़बरदस्ती मजबूर होकर।

न खाउंगा फिर मिर्च पड़ा हुआ तआम खाया बस अगर मिर्च का ज़ायक़ा इस (1) में है तो पापी होगा वरना नहीं और फ़क़ीह अबुल्लैस रह० ने फ़रमायसा कि जब तक खाली नमक को रोटी वग़ैरह किसी चीज़ के साथ न खाये तब तक पापी न होगा और इसी पर फ़तवा है अनुवादक के कथनानुसार यह निहायत आसानी बहक़ अवाम है लेकिन निहायत अफ़सोस है कि हमारे उर्फ़ के खिलाफ़ है। 'फ़लयतामुल फ़ीह'।

अगर इस की क़सम में कोई ऐसा कार्य हो जो दलालत करे कि इस ने नमक घर तआम तात्पर्य लिया है तो इस की क़सम इसी पर स्थपित होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। शैख़ुल इस्लाम ज़ायद रह० से दरयाफ़्त किया गया कि एक व्यक्ति ने क़सम खाई कि गोश्त न खाउंगा और दूसरे ने क़सम खाई कि प्याज़ न खाउंगा और तीसरे ने कहा कि मिर्च न खाउंगा फिर महशू बनाया गया जिस में यह सब क़सम चीज़ें डाली गईं और इस को इन सब क़सम खाने वालों ने खाया तो फ़रमाया कि सिवाए मिर्च के क़सम खाने वाले कि कोई पापी नहोगा इस लिए कि मिर्च इसी तरह खाई जाती है बस इस की क़सम इस तरफ़ राजअ होगी और अगर क़सम खाई कि अपनी बीवी के खाने से न खाउंगा फिर यह औरत इस के पा अपनी मिल्क का खाना लाई और इस से कहा कि घर बख़ु द यानी रख खा बस शौहर ने इस को ले लिया और इस में से खा तो पापी न होगा इस लिए कि यह ख़ुद शौहर की मिल्क हो गया और अगर औरत वर्णितह ने घर बख़ुद न कहा कि हो और बाक़ी मसला बहाला हो तो पापी होगा ग़ैद की फ़ालीज़ है इस ने उमर को इस के बचाने के लिए मुक़र्रर किया और उमर को मुबाह कर दिया कि इस में से जो चाहे खाये बस उमर ने क़सम खाई कि अगर अपने फ़ालीज़ में से कुछ खाउं

खाउं तो मेरी बीवी को तलाक़ है हालांकि ख़ुद उमर की कोई फ़ालीज़ नहीं है न बतौर मिल्क न इजारह पर न मुस्तआर फिर इस ने इस फ़ालीज़ में से जो इस के बचाने के वास्ते मुक़र्रर किया गयसा है खाया तो इस की बीवी तालिक़ा हुई इल्ला जब कि यह फ़ालीज़ उर्फ़ में इस की तरफ़ मज़ाफ़ हो यसानी इसकी फ़ालीज़ कहलाई जाये और बदूं इस के वो हानिस न होगा यह ज़हीरिया में है।

अगर क़सम खाई कि तमर यानी छुहारा न खाउंगा तो छुहारे की क़समों में से जिस क़सम में है खायेगा हानिस हो जायेगा और अगर हैस खाया तो भी हानिस हो जायेगा इस वास्ते कि हैस इन छुहारों को कहते हैं कि दूध में डाल दे जाऐं ताकि जब फूल जाऐं तो खाये जाऐं और इसी तरह अगर छुहारों का असीदह खाया तो भी हानिस होगा यह ज़खीरह में है और अगर क़सम खाई कि यह छुवारा न खाउंगा फिर यह छुहारा और छुहारों में रल मिल गया फिर वो शख़्स यह सब छुहारे खा गया तो हानिस हो गया यह मबसूत में है और क़सम खाई कि मैं तमर न खाउंगा और इस की कुछ नियत नहीं है फिर इस ने क़सब (३) खाया तो हानिस न होगा और इस (4) तरह अगर पिसर जो आग से पकाये गये हैं या रतब खाये तो हानिस न होगा इस वास्ते कि उर्फ़ में इन को तमर नहीं कहते हैं इल्ला आंकि क़सम के वक्त इ की नियत में यह भी हों तो हानिस होगा यह बदाऐ में है। एक ने क़सम खाई कि इस आटे से न खाउंगा फिर इस की रोटी या खबीस बनाया गसया वो खाया या खबज़ उल क़ताइफ़ (5)खाऐं तो हानिस होगा यह जवाहिर अख़्लाती में है और अगर हालिफ़ मज़कूर ने बअयु यह आटा फांक दिया गूधा हुअइा खा लिया तो यह किताब में मज़कूर नहीं है और सही यह है कि इस सूरत में वो हानिस न होगा यह शरह जामअ सग़ीर क़ाज़ी खान में है और अगर इसने क़सम के वक्त बअयुना इस आटे के खाने की नियत की हो यानी बअयुना यह आटा जैसा आटा है न खाउंगा तो इस की रोटियां खाने से हानिस न होगा यह काफ़ी में है और अगर क़सम खाई कि इस गेंहू से न खाउंगा और इस की नियत यह है कि बअयुना इस के दाना खाउंगा तो इस की नियत सही (6)है चुनांचे

तो मेरी बीवी को तलाक़ है हालाकि ख़ुद उमर की कोई फ़ालीज़ नहीं है न बतौर मिल्क न इजारह पर न मुस्तआर फिर इस ने इस फ़ालीज़ में से जो इस के बचाने के लिए मुक़र्रर किया गयसा है खाया तो इस की बीवी तालिक़ा हुई सिवा जब कि यह फ़ालीज़ उर्फ़ में इस की तरफ़ मज़ाफ़ हो यसानी इसकी फ़ालीज़ कहलाई जाये और बदूं इस के वह पापी न होगा यह ज़हीरिया में है।

अगर क़सम खाई कि तमर यानी छुहारा न खाउंगा तो छुहारे की क़समों में से जिस क़सम में है खायेगा पापी हो जायेगा और अगर हैस खाया तो भी पापी हो जायेगा इस लिए कि हैस इन छुहारों को कहते हैं कि दूध में डाल दे जाऐं ताकि जब फूल जाऐं तो खाये जाऐं और इसी तरह अगर छुहारों का असीदह खाया तो भी पापी होगा यह ज़खीरह में है और अगर क़सम खाई कि यह छुवारा न खाउंगा फिर यह छुहारा और छुहारों में रल मिल गया फिर वह शख़्स यह सब छुहारे खा गया तो पापी हो गया यह मबसूत में है और क़सम खाई कि मैं तमर न खाउंगा और इस की कुछ इरादा नहीं है फिर इस ने क़सब (३) खाया तो पापी न होगा और इस (4) तरह अगर पिसर जो आग से पकाये गये हैं या रतब खाये तो पापी न होगा इस लिए कि उर्फ़ में इन को तमर नहीं कहते हैं सिवा आंकि क़सम के समय इ की इरादा में यह भी हों तो पापी होगा यह बदाऐ में है। एक ने क़सम खाई कि इस आटे से न खाउंगा फिर इस की रोटी या खबीस बनाया गसया वह खाया या खबज़ उल क़ताइफ़ (5) खाऐं तो पापी होगा यह जवाहिर अख़्लाती में है और अगर शपथकर्ता वर्णित ने बअयु यह आटा फांक दिया गूधा हुअइा खा लिया तो यह किताब में वर्णित नहीं है और सही यह है कि इस स्थिति में वह पापी न होगा यह शरह जामअ सगीर क़ाज़ी खान में है और अगर इस ने क़सम के समय बअयुना इस आटे के खाने की इरादा की हो यानी बअयुना यह आटा जैसा आटा है न खाउंगा तो इस की रोटियां खाने से पापी न होगा यह काफ़ी में है और अगर क़सम खाई कि इस गेंहू से न खाउंगा और इस की इरादा यह है कि बअयुना इस के दाना खाउंगा तो इस की इरादा सही (6) है चुनांचे अगर

(1)दर वाक़े है अगरचे इस को न मालनूम हो।
(2) वजह ताम्मुलयह है कि क़ौल बिर बनाऐ उर्फ नहीं है बल्कि बदलील उसूल है पस उर्फ+ कुछ मुज़िर नहीं होता है ता वक्तयह कि दलालत कलाम से नमकदार तआम मुराद होना मालूम न हो फ़ा फ़हम वल्लाहु तआला आलम।
(3) क़सब सूखे छुहारे कि तरी इन में न हो बल्कि मुंह में टुकडे टुकडे हो करखाये जाऐं जिन को हमारेयहां छुहारे बोलते हैं और तर कोखजूर कहते हैं।
(4)इशारह है किखाली पिसर से बदरजा औला हानिस न होगा।
(5)]ाबज़ुल क़ताइफ+ नान नोज़ीना।
(6)इशारह है कि क़ज़ाअन भी इस की तसदीक+ होगी।

अगर इस की रोटियां खाई हैं तो हानिस न होगा और अगर यह नियत हो कि जो इस से तैयार की जायेगी इस से न खाउंगा तो भी इस की नियत सही है कि अगर इस ने बअयुना यह दाने खाये तो हानिस न होगा और अगर इस की कुछ नियत न हो यानी यह अल्फ़ाज़ क़सम बतौर मज़कूर इस की ज़बान से निकले और इस की कुछ नियत नहीं है फिर इस ने इन गेंहू की रोटी खाई तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक हानिस न होगा और साहिबीन रह० के नज़दीक हानिस होगा और अगर बअयुना यह दाने खाये तो इमाम आज़म रह० (1) के नज़दीक हानिस होगा यह ज़खीरा में है और अगर इन के सत्तू खाये तो इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के नज़दीक हानिस न होगा और इमाम मुहम्मद रह० के क़ौल से भी यही ज़ाहिर है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर ऐसी जगह कोई हो कि वहां के लोग जो की रोटी पकाते हैं यानी इन में मुतआरिफ़ व रायज नहीं है तो वहां जो की रोटी खाने से हानिस न होगा :

अगर क़सम खाई कि इन गेंहू से न खाउंगा फिर इन को बोया और इन की पैदावार में खाया तो हानिस न होगा यह जोहरह नहरह में है और अगर क़सम खाई कि रोटी न खाउंगा और इस की कुछ नियत नहीं है तो यह क़सम जो गेंहू की रोटी पर होगी और कुल इस अनाजल पर होगी जिस से इस शहर के लोग बतौर मुतआरिफ़ रोटी पकाते हैं हत्ता कि अगर ऐसी जगह कोई हो कि वहां के लोग जो की रोटी नहीं पकाते हैं यानी

(1)दर स्थपित है चाहे इस को न मालनूम हो।
(2)कारण ताम्मुलयह है कि कथन बिर बनाऐ उर्फ नहीं है बल्कि बदलील उसूल है बस उर्फ+ कुछ मुज़िर नहीं होता है ता समह कि दलालत बात से नमकदार तआम तात्पर्य होना मालूम न हो फ़ा फ़हम वल्लाहु तआला आलम।
(3) क़सब सूखे छुहारे कि तरी इन में न हो बल्कि मुंह में टुकडे टुकडे हो करखाये जाऐं जिन को हमारेयहां छुहारे बोलते हैं और तर कोखजूर कहते हैं।
(4)इशारह है किखाली पिसर से बदरजा औला पापी न होगा।
(5)]ाबज़ुल क़ताइफ+ नान नोज़ीना।
(6)इशारह है कि न्यायिक भी इस की पुष्टि होगी।

इस की रोटियां खाई हैं तो पापी न होगा और अगर यह इरादा हो कि जो इस से तैयार की जायेगी इस से न खाउंगा तो भी इस की इरादा सही है कि अगर इस ने बअयुना यह दाने खाये तो पापी न होगा और अगर इस की कुछ इरादा न हो यानी यह अल्फ़ाज़ क़सम बतौर वर्णित इस की ज़बान से निकले और इस की कुछ इरादा नहीं है फिर इस ने इन गेंहू की रोटी खाई तो इमाम आज़म रह० के निकट पापी न होगा और साहिबीन रह० के निकट पापी होगा और अगर बअयुना यह दाने खाये तो इमाम आज़म रह० (1) के निकट पापी होगा यह ज़खीरा में है और अगर इन के सत्तू खाये तो इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के निकट पापी न होगा और इमाम मुहम्मद रह० के कथन से भी यही ज़ाहिर है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर ऐसी जगह कोई हो कि वहां के लोग जौ की रोटी पकाते हैं यानी इन में जाने पहचाने व प्रचलित नहीं है तो वहां जौ की रोटी खाने से पापी न होगा :

अगर क़सम खाई कि इन गेंहू से न खाउंगा फिर इन को बोया और इन की पैदावार में खाया तो पापी न होगा यह जोहरह नहरह में है और अगर क़सम खाई कि रोटी न खाउंगा और इस की कुछ इरादा नहीं है तो यह क़सम जो गेंहू की रोटी पर होगी और कुल इस अनाजल पर होगी जिस से इस शहर के लोग बतौर मुतआरिफ़ रोटी पकाते हैं हत्ता कि अगर ऐसी जगह कोई हो कि वहां के लोग जो की रोटी नहीं पकाते हैं यानी इन में

इन में मुतआरिफ़ व रायज नहीं है तो वहां जो की रोटी खाने से हानिस न होगा और अगर जवार की रोटी पकाई पस अगर हालिफ़ ऐसे शहर वालों में से हो जिस में जवार की रोटी मुतआरिफ़ है तो इस की क़सम इस रोटी की तरफ़ भी राजअ होगी वरना नहीं यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि रोटी न खाउंगा फिर कलेजा खाया या जो ज़नीज (2) खाया तो शैख मुहम्मद बिन सल्लमहू ने फ़रमाया कि तीनों सूरतों में हानिस न होगा और मुख़्तार वो है जो फ़क़ीह अबुल्लैस रह० ने फ़रमाया कि जो ज़नीज यानी लोज़ीना की सूरत में हानिस न होगा इस वास्ते कि इस को मुतल्लक़न खबर नहीं कहते हैं और ऐसा हो गया जैसे फ़ारसी में नान व ज़र व आलूद कहा करते हैं और कलेचा व मयस्सर यानी मैदा पड़ी टकियों की सूरत में इस वास्ते कि कलेचा तो मुतलक़ रोटी है और मयस्सर रोटी के साथ कुछ और ज़्यादह क्या है यह फ़तावा कुबरा में है।

अगर खैज़ उल क़ताइफ़ खाई तो हानिस न होगा इल्ला आंकि इस की नियत की हो यह हिदाया में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां औरत की रोटी न खाउं तो यानी इस की पकाई हुई तो खाबज़ह यानी रोटी पकाने वाली वो औरत होगी जिस ने तनव्वुर में पकाई है वो न जिस ने आटा गूंधा और रोटी को लगाने के लायक़ कर दिया पस अगर इस के हाथ की रोटी लगाई हुई खाई तो हानिस होगा वरना नहीं यह ज़हीरिया में है अगर किसी ने क़सम खाई कि खैज़ न खाउंगा फिर इस ने सुरीद खाया तो अपनी क़सम में हानिस न होगा और इसी तरह अगर लाकशा खाया तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि शोरबा ना खाउंगा पर इस ने सबूस (1) आब या लीता खाया तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि यह खैज़ न खाउंगा फिर चूर चूर कर डाली जाने के बाद इस को खाया तो हानिस (4) न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर असीदह या तहतमाज खाया तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि खबज़ न खाउंगा फिर संबूसा खाया तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि हानिस होगा चाहिए यह ख़ुलासा में है शैख खजन्दी रह० से दरयाफ़्त किया गया कि एक ने क़सम

मुतआरिफ़ व रायज नहीं है तो वहां जो की रोटी खाने से पापी न होगा और अगर जवार की रोटी पकाई बस अगर शपथकर्ता ऐसे शहर वालों में से हो जिस में जवार की रोटी मुतआरिफ़ है तो इस की क़सम इस रोटी की तरफ़ भी राजअ होगी वरना नहीं यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि रोटी न खाउंगा फिर कलेजा खाया या जो ज़नीज (2) खाया तो शैख मुहम्मद बिन सल्लमहू ने फ़रमाया कि तीनों स्थितियों में पापी न होगा और मुख़्तार वह है जो फ़क़ीह अबुल्लैस रह० ने फ़रमाया कि जो ज़नीज यानी लोज़ीना की स्थिति में पापी न होगा इस लिए कि इस को मुतल्लक़न खबर नहीं कहते हैं और ऐसा हो गया जैसे फ़ारसी में नान व ज़र व आलूद कहा करते हैं और कलेचा व मयस्सर यानी मैदा पड़ी टकियों की स्थिति में इस लिए कि कलेचा तो मुतलक़ रोटी है और मयस्सर रोटी के साथ कुछ और ज़्यादह क्या है यह फ़तावा कुबरा में है।

अगर खैज़ उल क़ताइफ़ खाई तो पापी न होगा सिवा आंकि इस की इरादा की हो यह हिदाया में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां औरत की रोटी न खाउं तो यानी इस की पकाई हुई तो खाबज़ह यानी रोटी पकाने वाली वह औरत होगी जिस ने तनव्वुर में पकाई है वह न जिस ने आटा गूंधा और रोटी को लगाने के लायक़ कर दिया बस अगर इस के हाथ की रोटी लगाई हुई खाई तो पापी होगा वरना नहीं यह ज़हीरिया में है अगर किसी ने क़सम खाई कि खैज़ न खाउंगा फिर इस ने सुरीद खाया तो अपनी क़सम में पापी न होगा और इसी तरह अगर लाकशा खाया तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि शोरबा ना खाउंगा पर इस ने सबूस (1) आब या लीता खाया तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि यह खैज़ न खाउंगा फिर चूर चूर कर डाली जाने के बाद इस को खाया तो पापी (4) न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर असीदह या तहतमाज खाया तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि खबज़ न खाउंगा फिर संबूसा खाया तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि पापी होना चाहिए यह ख़ुलासा में है शैख खजन्दी रह० से दरयाफ़्त किया गया कि एक ने क़सम

खाई कि रोटी व ख़ुरमा न खाउंगा फिर इस ने इन में से एक चीज़ खाई तो फ़रमाया कि जब तक दोनों न खाये हानिस न होगा यह यतीमिया

(1)साहिबीन रह नज़दीक हानिस न होगा व बना, खिलाफ+ बरेंका हक़ीक़त लुग़वी बक़द्र इमकान राजह है और साहबीन रह के नज़दीक मुराद अरबी मा]]द है।

(2)जोज़ींज लोज़ीनायानी मैवह पड़ी टिकियां वग़ैरह।

(3)कलेचा वखबज+ उल क़ताइफ+ व तहतमाज व असीदह वग़ैरह अक़साम रोटियों के हैं जैसये लैक्सा व लीता वग़ैरह अक़सामशरबत मन्क़ूअ+ हैं।

(4)फअल उल सही अज+ हैस वल्लाहु आलम।

(1)ग़ेरबे में भीगी हुई रोटी।

में है और क़सम खाई कि भूना हुआ न खाउंगा तो यह क़सम खास्सतन गोश्त पर वाक़े होगी और बैंगन व गाजर वग़ैरह भूनी हुई पर वाक़े न होगी इल्ला आंकि इस की नियत आम हो कि जो भूनी जाती है मिस्ल अण्डे वग़ैरह तो इस की नियत पर निकल दर आमद होगा और नियत सही होगी यह काफ़ी में है और अगर किसी ने क़सम खाई कि सर न खाउंगा पस अगर इस ने नियत कर ली कि मछली व बकरी वग़ैरह किसी का सर हो न खाउंगा तो जिस का सर खाउंगा हानिस हो जायेगा और अगर इस की कुछ नियत न हो तो फ़क़त बकरी व गाये की सुर्री पर वाक़े होगी यह इमाम आज़म रह० का क़ौल है और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि इस ज़माने में फ़क़त बकरी की सुर्री पर वाक़े होगी कज़ा फ़िल बदाऐ और यह इख़्तलाफ़ बाऐतबार असर व ज़माने के है इस वास्ते कि इमाम आज़म रह० के वक़्त में उर्फ दोनों की सुर्री पर था और साहिबीन के ज़माने में फ़क़त बकरी की सुर्री पर था और हमारे ज़माने में बहसबे आदत फ़तवा दिया जायेगा कज़ा फ़िल हिदाया क़ालल मुतरजम हमारे ज़माने में भी यही हुक्म है और उक़्राब बक़ौल साहबीन है वल्लाहु आलम और दूसरी क़सम में जबकि बदूं नियत हो तो टेडी व मछली व गिरगिरयों का सर बिल इजमाअ दाखिल नहीं हैं और इसी तरह ऊंट की सिर्री भी बिल इजमाअ नहीं दाखिल है और अगर क़सम खाई कि अण्डा न खाउंगा तो यह परिन्दों के अण्डे पर वाक़े हुई ख़्वाह बत्तख का हो या मुर्गी का या कोई और परिन्दह का और मछली के अण्डे खाने से हानिस न होगा इल्ला

खाई कि रोटी व ख़ुरमा न खाउंगा फिर इस ने इन में से एक चीज़ खाई तो फ़रमाया कि जब तक दोनों न खाये पापी न होगा यह यतीमिया

(1) साहिबीन रह निकट पापी न होगा व बना, खिलाफ+ बरेंका हक़ीक़त लुग़वी बक़द्र इमकान राजह है और साहबीन रह के निकट तात्पर्य अरबी मा]]द है।

(2)जोज़ींज लोज़ीनायानी मैवह पड़ी टिकियां वग़ैरह।

(3)कलेचा वखबज+ उल क़ताइफ+ व तहतमाज व असीदह वग़ैरह अक़साम रोटियों के हैं जैसये लैक्सा व लीता वग़ैरह अक़सामशरबत मन्क़ूअ+ हैं।

(4)फअल उल सही अज+ हैस वल्लाहु आलम।

(1)ग़ेरबे में भीगी हुई रोटी।

में है और क़सम खाई कि भूना हुआ न खाउंगा तो यह क़सम खास्सतन गोश्त पर स्थपित होगी और बैंगन व गाजर वग़ैरह भूनी हुई पर स्थपित न होगी सिवा आंकि इस की इरादा आम हो कि जो भूनी जाती है मिस्ल अण्डे वग़ैरह तो इस की इरादा पर निकल दर आमद होगा और इरादा सही होगी यह काफ़ी में है और अगर किसी ने क़सम खाई कि सर न खाउंगा बस अगर इस ने इरादा कर ली कि मछली व बकरी वग़ैरह किसी का सर हो न खाउंगा तो जिस का सर खाउंगा पापी हो जायेगा और अगर इस की कुछ इरादा न हो तो केवल बकरी व गाये की सुर्री पर स्थपित होगी यह इमाम आज़म रह० का कथन है और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि इस ज़माने में केवल बकरी की सुर्री पर स्थपित होगी कज़ा फ़िल बदाऐ और यह मतभेद बाऐतबार असर व ज़माने के है इस लिए कि इमाम आज़म रह० के समय में उर्फ दोनों की सुर्री पर था और साहिबीन के ज़माने में केवल बकरी की सुर्री पर था और हमारे ज़माने में बहसबे आदत फ़तवा दिया जायेगा कज़ा फ़िल हिदाया अनुवादक के कथनानुसार हमारे ज़माने में भी यही आदेश है और उक़्राब बक़ौल साहबीन है वल्लाहु आलम और दूसरी क़सम में जबकि बदूं इरादा हो तो टेडी व मछली व गिरगिरयों का सर बिल इजमाअ प्रवेश नहीं हैं और इसी तरह ऊंट की सिर्री भी बिल इजमाअ नहीं प्रवेश है और अगर क़सम खाई कि अण्डा न खाउंगा तो यह परिन्दों के अण्डे पर स्थपित हुई चाहे बत्तख का हो या मुर्गी का या कोई और परिन्दह का और मछली के अण्डे खाने से पापी

आंकि इस ने नियत करली हो यह सिराज वहाज में है।

अगर क़सम खाई कि तबीख न खाउंगा पस अगर इस ने तमाम मतबूआत की नियत की हो तो इस की नियत पर क़सम वाक़े होगी और अगर कुछ नियत न की हो। तो इस्तहसानन मतबूख गोश्त पर वाक़े होगी क़ालल मुतरजम यह हमारे रिवाज में मुस्तक़ीम नहीं हो सकता है वल्लाहु आलम। मशाइख ने फ़रमाया कि यह जब है कि गोश्त पानी में पकाया गयसा हो और अगर ख़ुश्क क़लिया हो तो इस की तबीख नहीं कहते हैं और अगर गोश्त पानी में पुख्ता किया गयसा प इस ने शोरबा रोटी के साथ खाया और गोश्त न खाया तो भी हानिस होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि फ़लाना औरत का तबीख न खाउंगा यानी इस के हाथ का पकाया हुआ पस इस औरत ने इस के वास्ते हाण्डी गर्म करदी मगर गोश्त किसी दूसरी औरत ने पकाया तो इस के खाने से हानिस न होगा और अगर फ़ारसी में कहा कि अगर अज़देग गर्म करदह तो बख़ूरम पस चुनीन व चनान अस्त पस अगर औरत ने देग गर्म की मगर पकाया किसी दूसरी औरत ने तो इस के खाने से हानिस न हपोगा इस वास्ते कि क़ौला देग गर्म करदह तो से ़र्उ के मुवाफ़िक़ पुख्ता तो मुराद होता है यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि हलवा न खाउंगा तो इस में असल यह है कि फ़िक़हा के नज़दीक हलवा हर ऐसी शपरीं चीज़ है जिस की जिन्स से तुर्श न हो और जिस की जिन्स से तुर्श भी हो वो हलवा नहीं है पस इस का मरजअ उर्फ़ पर है पस खबीस व शहद साफ़ व सकर व नातिफ़ व रब व तमर व इस के मानिन्द चीज़ों के खाने से हानिस होगा और नीज़ मअल्ला ने इमाम मुहम्मद रह० से इंजीर तर व ख़ुश्क के खाने से हानिस होगा भी रिवायत किया है इस वास्ते कि इंजीर की जिन्स में तुर्श नहीं होता है पस इस में खालिस मअनी हलावत मुतहक़्क़िक़ हुए और अगर इस ने अंगूर शीरीं या खरबूज़ा शीरीं या अनार शीरीं या बआलू शीरीं खाया तो हानिस न होगा इस लिए कि इस की जिन्स से बाज़ शीरीं नहीं होता है पस इस में खालिस मअनी हलावत मुतहक़्क़िक़ न हुए और ऐसे है किशमिश भी हनला नहीं है कि इस की न होगा सिवा आंकि इस ने इरादा करली हो यह सिराज वहाज में है।

अगर क़सम खाई कि तबीख न खाउंगा बस अगर इस ने तमाम मतबूआत की इरादा की हो तो इस की इरादा पर क़सम स्थपित होगी और अगर कुछ इरादा न की हो। तो इस्तहसानन मतबूख गोश्त पर स्थपित होगी अनुवादक के कथनानुसार यह हमारे रिवाज में मुस्तक़ीम नहीं हो सकता है वल्लाहु आलम। विद्वानों ने फ़रमाया कि यह जब है कि गोश्त पानी में पकाया गयसा हो और अगर ख़ुश्क क़लिया हो तो इस की तबीख नहीं कहते हैं और अगर गोश्त पानी में पुख्ता किया गयसा प इस ने शोरबा रोटी के साथ खाया और गोश्त न खाया तो भी पापी होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि फ़लाना औरत का तबीख न खाउंगा यानी इस के हाथ का पकाया हुआ बस इस औरत ने इस के लिए हाण्डी गर्म करदी मगर गोश्त किसी दूसरी औरत ने पकाया तो इस के खाने से पापी न होगा और अगर फ़ारसी में कहा कि अगर अज़देग गर्म करदह तो बख़ूरम बस चुनीन व चनान अस्त बस अगर औरत ने देग गर्म की मगर पकाया किसी दूसरी औरत ने तो इस के खाने से पापी न हपोगा इस लिए कि क़ौला देग गर्म करदह तो से ़र्उ के मुवाफ़िक़ पुख्ता तो तात्पर्य होता है यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि हलवा न खाउंगा तो इस में असल यह है कि फ़िक़हा के निकट हलवा हर ऐसी शपरीं चीज़ है जिस की जिन्स से तुर्श न हो और जिस की जिन्स से तुर्श भी हो वह हलवा नहीं है बस इस का मरजअ उर्फ़ पर है बस खबीस व शहद साफ़ व सकर व नातिफ़ व रब व तमर व इस के मानिन्द चीज़ों के खाने से पापी होगा और नीज़ मअल्ला ने इमाम मुहम्मद रह० से इंजीर तर व ख़ुश्क के खाने से पापी होगा भी रिवायत किया है इस लिए कि इंजीर की जिन्स में तुर्श नहीं होता है बस इस में खालिस मअनी हलावत मुतहक़्क़िक़ हुए और अगर इस ने अंगूर शीरीं या खरबूज़ा शीरीं या अनार शीरीं या बआलू शीरीं खाया तो पापी न होगा इस लिए कि इस की जिन्स से कुछ शीरीं नहीं होता है बस इस में खालिस मअनी हलावत मुतहक़्क़िक़ न हुए और ऐसे है

जिन्स में तुर्श भी होती है और इसी तरह अगर क़सम खाई कि हलावत न खाउंगा तो इस का हुक्म मिस्ल हलवा के है और अगर क़सम खाई कि दाना न खाउंगा यानी न चबाउंगा तो तिल वग़ैरह जो दाना चबाउंगा और खाउंगा हानिस होगा यानी जिस को लोग आदत के मुवाफ़िक़ चबाते हों और रिवाज हो पस इस के चबाने से हानिस होगा और अगर इस ने अपनी क़सम में कोई दाना मुअय्यन की नियत की हो तो इस के चबाने से हानिस होगा और दूसरे के चबाने से हानिस न होगा और अगर मोती (ख़्वाब चबा कर या वैसे ही) निगल गया तो हानिस न होगा यह बदाऐ में है फ़तावा में लिखा है।

अगर ऐसे बाग़े अंगूर से खाया जिस को इस ने मआमला पर दे दिया है यानी बटाई पर हालांकि वो क़सम खा चुका है मैं हराम न खाउंगा तो हानिस न होगा :

एक मर्द ने क़सम खाई कि हराम न खाउंगा फिर ग़सब किये हुए दिरहम से तआम खरीद कर खाया तो हानिस न होगा और वो गुनहगार हुआ और अगर ग़सब किया हुआ गोश्त या रोटी खाई तो हानिस होगा और अगर रोटी या गोश्त बऊज़ ग़ैत के फ़रोख़्त किया फिर इस को खाया तो हानिस न होगा और अगर कुत्ते या बन्दर या चील का गोश्त खाया तो असद बिन उमरो ने कहा कि हानिस न होगा और शैख़ नसीर ने कहा कि हानिस होगा और हम इसी को इख़्तयार करते हैं और हसन ने फ़रमाया कि सब हराम है और फ़क़ीहु अबुल्लैस रह० ने फ़रमाया कि जिस में उलमा का इख़्तलाफ़ हो वो हराम मुतलक़ न होगी फिर साहब किताब ने फ़रमाया कि क़ौल फ़क़ीह अबुल्लैस रह० बहुत अच्छा है और अगर इस ने मुज़तर हो कर हराम या मुरदार खाया तो इस में मशाइख़ ने इख़्तलाफ़ किया है और मुख़्तार यह है कि वो हानिस होगा इस वास्ते कि हुरमत बाक़ी है लेकिन इतना है कि गुनहगारी दूर (1) करदी जाती है और फ़वाइद शम्सुल अइम्मा हलवाई में मज़कूर है कि अगर ऐसे बाग़ अंगूर खाया जिस को इस ने मआमला परदे दिया है

किशमिश भी हनला नहीं है कि इस की जिन्स में तुर्श भी होती है और इसी तरह अगर क़सम खाई कि हलावत न खाउंगा तो इस का आदेश मिस्ल हलवा के है और अगर क़सम खाई कि दाना न खाउंगा यानी न चबाउंगा तो तिल वग़ैरह जो दाना चबाउंगा और खाउंगा पापी होगा यानी जिस को लोग आदत के मुवाफ़िक़ चबाते हों और रिवाज हो बस इस के चबाने से पापी होगा और अगर इस ने अपनी क़सम में कोई दाना निश्चित की इरादा की हो तो इस के चबाने से पापी होगा और दूसरे के चबाने से पापी न होगा और अगर मोती (ख़्वाब चबा कर या वैसे ही) निगल गया तो पापी न होगा यह बदाऐ में है फ़तावा में लिखा है।

अगर ऐसे अंगूर के बाग़ से खाया जिस को इस ने मामला पर दे दिया है यानी बटाई पर हालांकि वह क़सम खा चुका है मैं निषिद्ध न खाउंगा तो पापी न होगा :

एक मर्द ने क़सम खाई कि निषिद्ध न खाउंगा फिर ग़सब किये हुए दिरहम से तआम खरीद कर खाया तो पापी न होगा और वह गुनहगार हुआ और अगर ग़सब किया हुआ गोश्त या रोटी खाई तो पापी होगा और अगर रोटी या गोश्त बऊज़ ग़ैत के फ़रोख़्त किया फिर इस को खाया तो पापी न होगा और अगर कुत्ते या बन्दर या चील का गोश्त खाया तो असद बिन उमरू ने कहा कि पापी न होगा और शैख़ नसीर ने कहा कि पापी होगा और हम इसी को इख़्तयार करते हैं और हसन ने फ़रमाया कि सब निषिद्ध है और फ़क़ीहु अबुल्लैस रह० ने फ़रमाया कि जिस में उलमा का मतभेद हो वह निषिद्ध मुतलक़ न होगी फिर साहब किताब ने फ़रमाया कि कथन फ़क़ीह अबुल्लैस रह० बहुत अच्छा है और अगर इस ने मुज़तर हो कर निषिद्ध या मुरदार खाया तो इस में विद्वानों ने मतभेद किया है और मुख़्तार यह है कि वह पापी होगा इस लिए कि हुरमत बाक़ी है लेकिन इतना है कि गुनहगारी दूर (1) करदी जाती है और फ़वाइद शम्सुल अइम्मा हलवाई में वर्णित है कि अगर ऐसे बाग़ अंगूर खाया जिस को इस ने मआमला परदे दिया है यानी

यानी बटाई पर हालांकि वो क़सम खा चुका हैक कि मैं हराम न खाउंगा तो हानिस न होगा यह ख़ुलासा में है और गेंहू (1) ग़सब करके इन को पकायापस इस के मालिक को इस के मिस्ल गेंहू दे दिया क़ब्ल इस के कि ग़सब किये हुए गेंहू को खाये तो अपनी क़सम में हानिस न होगा और अगर तावान अदा करने से पहले खाया हालांकि हुनूज़ इस पर क़ाज़ी ने तावान का हुक्म नहीं दिया है तो हानिस होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर क़सम खाई कि यह अंगूर न खाउंगा या यह अनार न खाउंगा फिर इस का रस चूसना और फूंक फैंकना शुरू किया तो हानिस न होगा इस वास्ते कि यह इस का खाना नहीं बल्कि चूसना है और अगर अंगूर या अनार का पानी निचोड़ा और`इस को नहीं पिसया बल्कि इस का पोस्त व गूदा वग़ैरह खा लिया तो क़सम में हानिस हो जायेगा और अगर इस को चबा कर सब निगल गया तो पोस्त व गोदे वग़ैरह के निगल जाने से हानिस होगा इस के अर्क़ के निगलने से हानिस न होगा क़ालल मुतरजम हमारे उर्फ़ में हर तरह हानिस होगा बल्कि पोस्त वग़ैरह में ताम्मुल है वल्लाहु तआला आलम और उयूं में लिखा है कि अगर क़सम खाई कि यह अंगूर न खाउंगा फिर इसको चबा कर इस का पोस्त वग़ैरह फैंक दिया और इस का अर्क़ पी गया तो हानिस न होगा और अगर इस का छिलका फैंक दिया और अर्क़ व बीज निगल गया तो हानिस होगा और सदर शहीद रह० ने वाक़िआत में इस की तालील यूं फ़रमाई है कि बदीन वजह कि अंगूर तीन चीज़ों काम है पस अव्वल सूरत में इस ने अक़ल को खाया पस इस पर अंगूर खा जाने वाले का इत्तलाक़ न होगा और दूसरी सूरत में इस ने अक्सर खाया और अक्सर के वास्ते हुक्म कुल है यह मुहीत में है और क़सम खाई कि फ़ाका न खाउंगा फिर इस ने अंगूर या अनार या ख़ुरमाऐ तर खाया तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक हानिस न होगा और साहबीन रह० के नज़दीक हानिस होगा यह हिदाया में है और फ़क़ीह अबुल्लैस रह० ने फ़रमाया है कि हम फ़तवा के वास्ते साहबीन के क़ौल को लेते हैं इस वास्ते कि इन का क़ौल अज़हर है फिर यह इख़्तलाफ़ ऐसी सूरत में है कि इस ने

बटाई पर हालांकि वह क़सम खा चुका हैक कि मैं निषिद्ध न खाउंगा तो पापी न होगा यह ख़ुलासा में है और गेंहू (1) ग़सब करके इन को पकायापस इस के मालिक को इस के मिस्ल गेंहू दे दिया क़ब्ल इस के कि ग़सब किये हुए गेंहू को खाये तो अपनी क़सम में पापी न होगा और अगर क्षतिपूर्ति अदा करने से पहले खाया हालांकि हुनूज़ इस पर क़ाज़ी ने क्षतिपूर्ति का आदेश नहीं दिया है तो पापी होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर क़सम खाई कि यह अंगूर न खाउंगा या यह अनार न खाउंगा फिर इस का रस चूसना और फूंक फैंकना शुरू किया तो पापी न होगा इस लिए कि यह इस का खाना नहीं बल्कि चूसना है और अगर अंगूर या अनार का पानी निचोड़ा और`इस को नहीं पिसया बल्कि इस का पोस्त व गूदा वग़ैरह खा लिया तो क़सम में पापी हो जायेगा और अगर इस को चबा कर सब निगल गया तो पोस्त व गोदे वग़ैरह के निगल जाने से पापी होगा इस के अर्क़ के निगलने से पापी न होगा अनुवादक के कथनानुसार हमारे उर्फ़ में हर तरह पापी होगा बल्कि पोस्त वग़ैरह में ताम्मुल है वल्लाहु तआला आलम और उयूं में लिखा है कि अगर क़सम खाई कि यह अंगूर न खाउंगा फिर इसको चबा कर इस का पोस्त वग़ैरह फैंक दिया और इस का अर्क़ पी गया तो पापी न होगा और अगर इस का छिलका फैंक दिया और अर्क़ व बीज निगल गया तो पापी होगा और सदर शहीद रह० ने वाक़िआत में इस की तालील यूं फ़रमाई है कि इस कारण कि अंगूर तीन चीज़ों काम है बस पहला स्थिति में इस ने अक़ल को खाया बस इस पर अंगूर खा जाने वाले का इत्तलाक़ न होगा और दूसरी स्थिति में इस ने अक्सर खाया और अक्सर के लिए आदेश कुल है यह मुहीत में है और क़सम खाई कि फ़ाका न खाउंगा फिर इस ने अंगूर या अनार या ख़ुरमाऐ तर खाया तो इमाम आज़म रह० के निकट पापी न होगा और साहबीन रह० के निकट पापी होगा यह हिदाया में है और फ़क़ीह अबुल्लैस रह० ने फ़रमाया है कि हम फ़तवा के लिए साहबीन के कथन को लेते हैं इस लिए कि इन का कथन अज़हर है फिर यह मतभेद ऐसी स्थिति में है कि इस ने कुछ इरादा

कुछ नियत न की हो और अगर इन चीज़ों की भीनियत की हो तो बिल इत्तफ़ाक़ हानिस होगा यह शरह नक़ाया अबुल मकारिम में है।

इंजीर व मशमश व सेब व अख़्रोट व पिस्ता व आलू बुखरा व इताब व अमरूद व यही यह बिल इजमाअ फ़वपाका हैं ख़्वाह तरो ताज़ा हों या ख़ुश्क हों ख़्वाह खाम हों या पुख़्ता हों और खीरा व ककड़ी व गाजर बिल इजमाअ फ़वाका में से नहीं हैं और शहतूत फ़वाका में से है और इमाम क़ुदूरी ने खरबूज़ा को फ़वाका में से शुमार किया है और शम्सुल अइम्मा हलवाई ने नहीं शुमार किया क़ालल मुतरजम हमारे यहां के खरबूज़ा को शायद इमाम क़ुदूरी भी शुमार न करेगा और इमाम ने फ़रमाया कि मल और बाक़ला फ़लों में से नहीं हैं और हासिल यह है कि जो उर्फ में फ़ाका शुमार होता हुआ इतफ़कहा खाया जाता हो वो फ़ाका है और जो ऐसा न हो वो नहीं है यह जीज़ करवरी में है और बादाम व अख़्रोट फ़वाका (1) में से है कि असल में इन को ख़ुश्क फ़वाका में शुमार किया है और मशाइख़ ने फ़रमाया कि यह इन के उर्फ के मुवाफ़िक़ है और हमारे उर्फ में इस को फ़वाका या बसा में शुमार नहीं करते हैं और इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि बसर सकर व बसर अहमर फ़ाका है यह मुहीत सुरखी में है और ज़बीब यानी कशमकश और छुहारे जैसे हमारे यहां मिलते हैं और ख़ुश्क दाना अनार फ़ाका नहीं है कज़ा फ़ी फ़तावा क़ाज़ी खान। यह बिल इजमाअ है यह बदाऐ में है और इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत है कि अगर क़सम खाई कि मैं अमसाल किसी फ़ाका से न खाउंगा पस अगर इन दिनों फ़वाका ताज़ा व तर हों तो क़सम उन्हें पर वाक़े होगी पस ख़ुश्क के खाने से हानिस न होगा और अगर इन दोनों तर व ताज़ा न हों तो ख़ुश्क पर वाक़े होगी (1) और यह इस्तहसान है और इसी को शैख अबूबकर मुहम्मद बिन अल फ़ज़ल ने लिया है फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर किसी ने क़सम खाई कि लाया तदम यानी अदाम से न खाउंगा क़ालल मुतरजम रूखी रोटी का मक़ाबिल यानी जिस से रूखी रोटी न कहलाये फ़ा फ़हम तो जो चीज़ रोटी के साथ इस तरह खाई जाये कि रोटी

न की हो और अगर इन चीज़ों की भीनियत की हो तो बिल इत्तफ़ाक़ पापी होगा यह शरह नक़ाया अबुल मकारिम में है।

इंजीर व मशमश व सेब व अख़्रोट व पिस्ता व आलू बुखरा व इताब व अमरूद व यही यह बिल इजमाअ फ़वपाका हैं चाहे तरो ताज़ा हों या ख़ुश्क हों चाहे खाम हों या पुख़्ता हों और खीरा व ककड़ी व गाजर बिल इजमाअ फ़वाका में से नहीं हैं और शहतूत फ़वाका में से है और इमाम क़ुदूरी ने खरबूज़ा को फ़वाका में से शुमार किया है और शम्सुल अइम्मा हलवाई ने नहीं शुमार किया अनुवादक के कथनानुसार हमारे यहां के खरबूज़ा को शायद इमाम क़ुदूरी भी शुमार न करेगा और इमाम ने फ़रमाया कि मल और बाक़ला फ़लों में से नहीं हैं और हासिल यह है कि जो उर्फ में फ़ाका शुमार होता हुआ इतफ़कहा खाया जाता हो वह फ़ाका है और जो ऐसा न हो वह नहीं है यह जीज़ करवरी में है और बादाम व अख़्रोट फ़वाका (1) में से है कि असल में इन को ख़ुश्क फ़वाका में शुमार किया है और विद्वानों ने फ़रमाया कि यह इन के उर्फ के मुवाफ़िक़ है और हमारे उर्फ में इस को फ़वाका या बसा में शुमार नहीं करते हैं और इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि बसर सकर व बसर अहमर फ़ाका है यह मुहीत सुरखी में है और ज़बीब यानी कशमकश और छुहारे जैसे हमारे यहां मिलते हैं और ख़ुश्क दाना अनार फ़ाका नहीं हैं कज़ा फ़ी फ़तावा क़ाज़ी खान। यह बिल इजमाअ है यह बदाऐ में है और इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत है कि अगर क़सम खाई कि मैं अमसाल किसी फ़ाका से न खाउंगा बस अगर इन दिनों फ़वाका ताज़ा व तर हों तो क़सम उन्हें पर स्थपित होगी बस ख़ुश्क के खाने से पापी न होगा और अगर इन दोनों तर व ताज़ा न हों तो ख़ुश्क पर स्थपित होगी (1) और यह इस्तहसान है और इसी को शैख अबूबकर मुहम्मद बिन अल फ़ज़ल ने लिया है फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर किसी ने क़सम खाई कि लाया तदम यानी अदाम से न खाउंगा अनुवादक के कथनानुसार रूखी रोटी का मक़ाबिल यानी जिस से रूखी रोटी न कहलाये फ़ा फ़हम तो जो चीज़ रोटी के साथ इस तरह खाई जाये कि

इस के साथ सबग़ (2) की जाये वो अदाम है जैसे किसरका व ज़ेत व असल व दूध व मक्खन व घी व शोर बा व नमक वग़ैरह और जो रोटी को सीग़ न करे इन चीज़ों से जिन का जुर्म मिस्ल रोटी के जुर्म के है और वो ऐसी है कि अकेली खाई जा सकती है तो वो अदाम नहीं है जैसे गोश्त व अण्डा व छुहारा व किशमिश वग़ैरह और यह तफ़सील इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के नज़दीक है और इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि जो चीज़ रोटी के साथ ग़ालिबन खाई जाती हो वो अदाम है और यही इमाम अबू यूसुफ़ रह० से भी मरवी है कज़ा फ़ी फ़तह उल क़दीर और इमाम मुहम्मद रह० के क़ौल को फ़क़ीह अबुल्लैस रह० ने लिया है और इख़्तयार में फ़रमाया कि यही मुख़्तार है बअमल उर्फ़ और मुहीत में लिखा है कि यही अज़हरा है और क़लान्सी ने अपनी तहज़ीब में फ़रमाया कि इसी पर फ़तवा है यह नहर उल फ़ाइक़ में है और हासिल यह है कि जिस से रोटी ज़ैग़ की जाती है जैसे सिरका वग़ैरह जो हम ने ज़िक्र की हैं वो बिल इजमाअ अदाम है और जो ग़ालिबन अकेली खाई जाती हैं जैसे खरबूज़ा व अंगूर व छुहारा व किशमिश वग़ैरह तो यह बिल इजमाअ अदाम नहीं हैं बिना पर क़ौल सही के अंगूर व ख़रबूज़ों में और है बक़ौलात सो वो बिल इत्तफ़ाक़ अदाम नहीं यह फ़तहुल क़दीर में है।

अगर क़सम खाई कि ज़ैद की कमाई से न खाउंगा फिर ज़ैद ने इस को कोई चीज़ हिबा कर दी या हालिफ़ ने इस से खरीद ली हालांकि यह चीज़ इस की कमाई की है फिर हालिफ़ ने इस को खाया तो हानिस न होगाः

यह इख़्तलाफ़ ऐसी सूरत में है कि इस की कुछ नियत न हो और अगर इस ने नियत की हो तो बिल इजमाअ इस की नियत पर क़सम होगी यह तबयुन में है और फ़ाका बिल इजमाअ अदाम नहीं है यह सिराज वहाज में है और अगर क़सम खाई कि ज़ैद की कमाई से न खाउंगा फिर ज़ैद को मीरास में कुछ मिला और इस को हालिफ़ ने खाया तो हानिस न होगा और अगर ज़ैद

रोटी इस के साथ सबग़ (2) की जाये वह अदाम है जैसे किसरका व ज़ेत व असल व दूध व मक्खन व घी व शोर बा व नमक वग़ैरह और जो रोटी को सीग़ न करे इन चीज़ों से जिन का जुर्म मिस्ल रोटी के जुर्म के है और वह ऐसी है कि अकेली खाई जा सकती है तो वह अदाम नहीं है जैसे गोश्त व अण्डा व छुहारा व किशमिश वग़ैरह और यह तफ़सील इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के निकट है और इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि जो चीज़ रोटी के साथ ग़ालिबन खाई जाती हो वह अदाम है और यही इमाम अबू यूसुफ़ रह० से भी मरवी है कज़ा फ़ी फ़तह उल क़दीर और इमाम मुहम्मद रह० के कथन को फ़क़ीह अबुल्लैस रह० ने लिया है और इख़्तयार में फ़रमाया कि यही मुख़्तार है बअमल उर्फ़ और मुहीत में लिखा है कि यही अज़हरा है और क़लान्सी ने अपनी तहज़ीब में फ़रमाया कि इसी पर फ़तवा है यह नहर उल फ़ाइक़ में है और हासिल यह है कि जिस से रोटी ज़ैग़ की जाती है जैसे सिरका वग़ैरह जो हम ने वर्णनकी हैं वह बिल इजमाअ अदाम हैं और जो ग़ालिबन अकेली खाई जाती हैं जैसे खरबूज़ा व अंगूर व छुहारा व किशमिश वग़ैरह तो यह बिल इजमाअ अदाम नहीं हैं बिना पर कथन सही के अंगूर व ख़रबूज़ों में और है बक़ौलात सो वह बिल इत्तफ़ाक़ अदाम नहीं यह फ़तहुल क़दीर में है।

अगर क़सम खाई कि ज़ैद की कमाई से न खाउंगा फिर ज़ैद ने इस को कोई चीज़ तोहफ़ा कर दी या शपथकर्ता ने इस से खरीद ली हालांकि यह चीज़ इस की कमाई की है फिर शपथकर्ता ने इस को खाया तो पापी न होगाः

यह मतभेद ऐसी स्थिति में है कि इस की कुछ इरादा न हो और अगर इस ने इरादा की हो तो बिल इजमाअ इस की इरादा पर क़सम होगी यह तबयुन में है और फ़ाका बिल इजमाअ अदाम नहीं है यह सिराज वहाज में है और अगर क़सम खाई कि ज़ैद की कमाई से

ने कोई चीज़ खरीदी या इस को हुबा की गई या इस को सदक़ा दी गई और इ ने क़बूल कर लिया फिर हालिफ़ ने इस को खाया तो हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि ज़ैद की कमाई से न खाउंगा फिर ज़ैद ने इस को कोई चीज़ हुबा कर दी या हालिफ़ ने इस से ख़रीद ली हालांकि यह चीज़ इस की कमाई की है फिर हालिफ़ ने इस को खाया तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि ज़ैद की कमाई से न खाउंगा फिर ज़ैद ने बहुत कुछ कमाया और मर गया और उमर इस का वारिस हो ऐस हालिफ़ ने उमर के यहां इस मीरास में से कुछ खाया तो हानिस होगा और इसी तरह अगर हालिफ़ ख़ुद इस का वारिस हो पस इस में से कुछ खाया तो हानिस होगा बखिलाफ़ इसके

(1)इशारह है कियह इस सूरत में है कि इस की कुछ नियत न हो।
(2)किताब इमाम मुहम्मद रह०।
(3)डबोई जाये।

अगर किसी दूसरे के पास सिवाए मीरास के बतौर खरीद या वसियत के यह माल मुन्तक़िल हो गया फिर वहां से हालिफ़ ने खाया तो हानिस न होगा यह ज़खीरा में है और अगर क़सम खाई कि ज़ैद की मरास से कुछ न खाउंगा पस ज़ैद मर गया और इस की मीरास से इस ने खाया तो हानिस होगा और अगर ज़ैद की मीरास उमर को मिली और उमर मर गया और इस की मरास खालिद को मिली फिर इस में से हालिफ़ ने खाया तो हानिस न होगा यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि ज़ैद की कमाई से न खाउंगा फिर उमर ने मरते वक्त ज़ैद के वास्ते किसी चीज़ की वसियत की और फिर इस चीज़ में से हालिफ़ ने खाया तो तो हानिस (1) होगा और अगर ज़ैद ने हालिफ़ को तआम हुबा किया और हालिफ़ ने बाद क़ब्ज़ा करने के इस में से खाया तो हानिस न होगा और इसी तरह अगर ज़ैद ने हालिफ़ के वास्ते वसियत कर दिया हो तो बाद क़बूल के इस में से खाने से हानिस न होगा और वाज़ह रहे कि माल महर औरत की कमाई में दाखिलहै और इसी तरह जुराहतों (1) का अरश मजरूह की कमाई में दाखिल है यह ख़ुलासा में है।

एक शख़्स के पास दिरहम हैं पस इस ने क़सम खाई कि इन को न खाउंगा फिर इन दिरहमों के औज़

न खाउंगा फिर ज़ैद को मीरास में कुछ मिला और इस को शपथकर्ता ने खाया तो पापी न होगा और अगर ज़ैद ने कोई चीज़ खरीदी या इस को हुबा की गई या इस को दान दी गई और इ ने स्वीकार कर लिया फिर शपथकर्ता ने इस को खाया तो पापी होगा और अगर क़सम खाई कि ज़ैद की कमाई से न खाउंगा फिर ज़ैद ने इस को कोई चीज़ हुबा कर दी या शपथकर्ता ने इस से खरीद ली हालांकि यह चीज़ इस की कमाई की है फिर शपथकर्ता ने इस को खाया तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि ज़ैद की कमाई से न खाउंगा फिर ज़ैद ने बहुत कुछ कमाया और मर गया और उमर इस का वारिस हो ऐस शपथकर्ता ने उमर के यहां इस मीरास में से कुछ खाया तो पापी होगा और इसी तरह अगर शपथकर्ता ख़ुद इस का वारिस हो बस इस में से कुछ खाया तो पापी होगा बखिलाफ़ इसके

(1)इशारह है कियह इस स्थिति में है कि इस की कुछ इरादा न हो।
(2)किताब इमाम मुहम्मद रह0।
(3)डबोई जाये।

अगर किसी दूसरे के पास सिवाए मीरास के बतौर खरीद या वसियत के यह माल मुन्तक़िल हो गया फिर वहां से शपथकर्ता ने खाया तो पापी न होगा यह ज़खीरा में है और अगर क़सम खाई कि ज़ैद की मरास से कुछ न खाउंगा बस ज़ैद मर गया और इस की मीरास से इस ने खाया तो पापी होगा और अगर ज़ैद की मीरास उमर को मिली और उमर मर गया और इस की मरास खालिद को मिली फिर इस में से शपथकर्ता ने खाया तो पापी न होगा यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि ज़ैद की कमाई से न खाउंगा फिर उमर ने मरते समय ज़ैद के लिए किसी चीज़ की वसियत की और फिर इस चीज़ में से शपथकर्ता ने खाया तो तो पापी (1) होगा और अगर ज़ैद ने शपथकर्ता को तआम हुबा किया और शपथकर्ता ने बाद क़ब्ज़ा करने के इस में से खाया तो पापी न होगा और इसी तरह अगर ज़ैद ने शपथकर्ता के लिए वसियत कर दिया हो तो बाद स्वीकार के इस में से खाने से पापी न होगा और वाज़ह रहे कि माल महर औरत की कमाई में दाखिलहै और इसी तरह जुराहतों (1) का अरश

दीनार या पैसे बदल किये फिर इस के बाद इन दीनारों या पैसों से कोई चीज़ खरीद कर खाई तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि यह दिरम या दीनार न खाउंगा फिर इन के औज़ कोई असबाब खरीदा फिर असबाब के औज़ तआम खरीदा और इस को खाया तो हानिस न होगा और इसी तरह अगर इन दिरहमों या दीनारों के औज़ (2) जो खरीदे फिर जो के औज़ तआम वग़ैरह खाने की चीज़ खरीद करके इस को खाया तो हानिस होगा और अगर ऐसी चीज़ पर क़सम खाई जो खाई जाती है यह कि इस को न खाउंगा फिर इसके औज़ खाने की चीज़ खरीद कर इस को खाया (2) तो हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां को अपने वालिद की मीरास से तआम न खिलाउंगा फिर अपने वालिद की मीरास में तआम पाया और वो फ़लां को खिलाया या दिरहम पाये और इन के औज़ तआम खरीद करके खिलाया तो हानिस होगा और अगर तआम मीरास के औज़ दूसरा तआम बदल करके इस में से इस को खिलाया तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि अपने वालिद की मीरास से कुछ न खाउंगा फिर इस का बाप मर गया और यह इस के माल का वारिस हुआ पस इस माल के औज़ तआम खरीदा व इस को खाया तो क़यासन हानिस न होगा और इस्तहसानन हानिस होगा इस वास्ते कि बहसबे आदत मीरास खाने की यही सूरतें हैं और अगर माल मीरास के औज़ कोई चीज़ खरीद कर इस चीज़ के औज़ तआम खरीद कर के खाया तो हानिस न होगा।

अगर क़सम खाई कि फ़लां के खेतों से न खाउंगा फिर इस की पैदावार में से जो काशकार के पास है या फ़लां के मुशतरी के पास है खरीद कर खाया तो हानिस होगा और अगर फ़लां से किसी शख़्स ने खरीद किया और इस को बोया फिर इस की पैदावार में से हालिफ़ ने खाया तो हानिस न होगा यह वजीज़ करदरी में है और अगर क़सम खाई कि मिल्क फ़लां से या जिस का फ़लां मजरूह की कमाई में प्रवेश है यह ख़ुलासा में है।

एक व्यक्ति के पास दिरहम हैं बस इस ने क़सम खाई कि इन को न खाउंगा फिर इन दिरहमों के औज़ दीनार या पैसे बदल किये फिर इस के बाद इन दीनारों या पैसों से कोई चीज़ खरीद कर खाई तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि पापी होगा और अगर क़सम खाई कि यह दिरम या दीनार न खाउंगा फिर इन के औज़ कोई असबाब खरीदा फिर असबाब के औज़ तआम खरीदा और इस को खाया तो पापी न होगा और इसी तरह अगर इन दिरहमों या दीनारों के औज़ (2) जो खरीदे फिर जो के औज़ तआम वग़ैरह खाने की चीज़ खरीद करके इस को खाया तो पापी होगा और अगर ऐसी चीज़ पर क़सम खाई जो खाई जाती है यह कि इस को न खाउंगा फिर इसके औज़ खाने की चीज़ खरीद कर इस को खाया (2) तो पापी न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां को अपने वालिद की मीरास से तआम न खिलाउंगा फिर अपने वालिद की मीरास में तआम पाया और वह फ़लां को खिलाया या दिरहम पाये और इन के औज़ तआम खरीद करके खिलाया तो पापी होगा और अगर तआम मीरास के औज़ दूसरा तआम बदल करके इस में से इस को खिलाया तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि अपने वालिद की मीरास से कुछ न खाउंगा फिर इस का बाप मर गया और यह इस के माल का वारिस हुआ बस इस माल के औज़ तआम खरीदा व इस को खाया तो क़यासन पापी न होगा और इस्तहसानन पापी होगा इस लिए कि बहसबे आदत मीरास खाने की यही सूरतें हैं और अगर माल मीरास के औज़ कोई चीज़ खरीद कर इस चीज़ के औज़ तआम खरीद कर के खाया तो पापी न होगा।

अगर क़सम खाई कि फ़लां के खेतों से न खाउंगा फिर इस की पैदावार में से जो काशकार के पास है या फ़लां के ग्राहक के पास है खरीद कर खाया तो पापी होगा और अगर फ़लां से किसी व्यक्ति ने खरीद किया और इस को बोया फिर इस की पैदावार में से शपथकर्ता ने खाया तो पापी न होगा यह वजीज़ करदरी में है और

मालिक हुआ है कुछ न खाउंगा फिर फ़लां की मिल्क से कोई चीज़ निकल कर दूसरे की मिल्क में दाखिल (3) हो गई और इस को हालिफ़ ने खाया तो हानिस न होगा यह खैत में है और अगर क़सम खाई कि जो फ़लां ने खरीदा या जो फ़लां खरीदे इस में से न खाउंगा फिर फ़लां ने अपने वास्ते या ग़ैर के वास्ते कोई चीज़ खरीदी और इस में से हालिफ़ ने खाया तो हानिस होगा और अगर फ़लां ने खरीदी हुई को जिस के वास्ते खरीदी थी इस के हुक्म (4) से किसी दूसरे के हाथ

(1)ज़ाहिरनऐसा मालूम होता है कि इस मक़ाम पर कातिब असल से ग़लती हो गई और सहीयह है कि वो हानिस न होगा।
(2)ह सब इस सूरत में है कि इस की कुछ नियत न हो वल्लाहु आलम।
(3)+]वाह हुबाया वसियतया सदक़ाया ख+रीद व फ़रो]त अपने असबाब मिल्क और अपनी बैअ+ बिलX+]ार कि इस में फ़लां कोख+यार हो तो इस सूरत में अय्यामख+यार मेंखाने में इमाम व साहिबीन का इ]तलाफ+ जारी होगा और वो किताब उल बुयूअ+ में मज़कूर है फ़तदीर।
(4)अगर अपने वास्तेखरीदी है तो कुछ इजाज़त की ज+रूरत नहीं।
(1)उमर ने ज़ैद को मजरूह किया और इस का अरश देना पड़ा तो यह उर्श ज़ैद की कमाई मेंशामिल है।
(2)+]वाह जो होंया और कोई अनाज।

फ़रोख्त कर दी और फिर इस में से हालिफ़ ने खाया तो हानिस न होगा यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि ऐसा गोश्त न खाउंगा कि इस को फ़लां ने खरीदा फिर फ़लां ने एक बकरी का बच्चा हलवां खरीद किया और इस को ज़िबह किया फिर इस में से हालिफ़ ने खाया तो हानिस न होगा यह मुहीत में है और अगर किसी ने क़सम खाई कि इस फ़लां का यह तआम न खाउंगा फिर फ़लां ने यह तआम फ़रोख्त कर दिया फिर हालिफ़ ने इस को खाया तो हानिस न होगा और यह शैखेन रह० के नज़दीक है और इमाम मुहम्मद रह० के नज़दीक हानिस होगा यह शरह ज़ियादात इताबी में है और अगर क़सम खाई कि मैं ऐसे तआम से न खाउंगा जिस को फ़लां तैयार करे या ऐसी रोटी न खाउंगा जिस को फ़लां पकाये पस फ़लां ने इस को तैयार करके फ़रोख्त कर दिया फिर हालिफ़ ने मुशतरी के पास इस को खाया तो हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि

अगर क़सम खाई कि मिल्क फ़लां से या जिस का फ़लां मालिक हुआ है कुछ न खाउंगा फिर फ़लां की मिल्क से कोई चीज़ निकल कर दूसरे की मिल्क में प्रवेश (3) हो गई और इस को शपथकर्ता ने खाया तो पापी न होगा यह खैत में है और अगर क़सम खाई कि जो फ़लां ने खरीदा या जो फ़लां खरीदे इस में से न खाउंगा फिर फ़लां ने अपने लिए या ग़ैर के लिए कोई चीज़ खरीदी और इस में से शपथकर्ता ने खाया तो पापी होगा और अगर फ़लां ने खरीदी हुई को जिस के लिए खरीदी थी इस के आदेश (4) से किसी दूसरे के हाथ

(1)ज़ाहिरनऐसा मालूम होता है कि इस मक़ाम पर कातिब असल से ग़लती हो गई और सहीयह है कि वह पापी न होगा।
(2)ह सब इस स्थिति में है कि इस की कुछ इरादा न हो वल्लाहु आलम।
(3)चाहे हुबाया वसियतया दानयाख+रीद व फ़रो]त अपने असबाब मिल्क और अपनी विक्र बिलX+]ार कि इस में फ़लां कोख+यार हो तो इस स्थिति में अयामख+यार मेंखाने में इमाम व साहिबीन का मतभेद जारी होगा और वह किताब उल बुयूअ+ में वर्णित है फ़तदीर।
(4)अगर अपने लि],रीदी है तो कुछ इजाज़त की ज+रूरत नहीं।
(1)उमर ने ज़ैद को मजरूह किया और इस का अरश देना पड़ा तो यह उर्श ज़ैद की कमाई मेंशामिल है।
(2)चाहे जो होंया और कोई अनाज।

फ़रोख्त कर दी और फिर इस में से शपथकर्ता ने खाया तो पापी न होगा यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि ऐसा गोश्त न खाउंगा कि इस को फ़लां ने खरीदा फिर फ़लां ने एक बकरी का बच्चा हलवां खरीद किया और इस को ज़िबह किया फिर इस में से शपथकर्ता ने खाया तो पापी न होगा यह मुहीत में है और अगर किसी ने क़सम खाई कि इस फ़लां का यह तआम न खाउंगा फिर फ़लां ने यह तआम फ़रोख्त कर दिया फिर शपथकर्ता ने इस को खाया तो पापी न होगा और यह शैखेन रह० के निकट है और इमाम मुहम्मद रह० के निकट पापी होगा यह शरह ज़ियादात इताबी में है और अगर क़सम खाई कि मैं ऐसे तआम से न खाउंगा जिस को फ़लां तैयार करे या ऐसी रोटी न खाउंगा जिस को फ़लां पकाये बस फ़लां ने इस को तैयार करके फ़रोख्त कर दिया फिर शपथकर्ता ने ग्राहक के पास इस

फ़लां के तआम से न खाउंगा और यह फ़लां तआम फ़रोश है पस हालिफ़ ने इससे खरीदा करके खाया तो हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि तेरा यह तआम न खाउंगा फिर फ़लां ने इस को यह तआम हदया दे दिया तो बक़ियास क़ौल इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां की ज़मीन की पैदावार से न खाउंगा फिर इस पैदावार के सिमन से खाया तो हानिस होगा और अगर इस ने नफ़्स पैदावार की नियत की हो तो फ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहि तआला यानी दयानतन तसदीक़ होगी और क़ज़ाअन तसदीक़ न होगी कज़ा फ़िल ज़खीरा वक़ाल मुतरजम बतौर अरबियत यानी ज़बान अरब सही है कि बजाये पैदावार के ग़ल्ला का लफ़्ज़ कहा और हमारे ‎उर्फ़ में अज़ बसका पैदावार ख़ुद इस के अनाज वग़ैरह पर इतलाक़ होता है न इस पैदावार के दामों पर लिहाज़ा हुक्म बरअक्स होगा वल्लाहु तआला आलम और अगर क़सम खाई कि तआम फ़लां से न खाउंगा और इस की कुछ नियत नहीं है फिर हालिफ़ ने इस तआम से खरीदा फ़लां ने किसी को तआम हुबा किया और इस से हालिफ़ ने खरीद लिया तो इस के खाने से हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी में है असल में मज़कूर है कि अगर क़सम खाई कि ऐसा तआम न खाउंगा कि इस को फ़लां खरीदे फिर ऐसा तआम खाया कि इस को हालिफ़ के वास्ते फ़लां और एक शख़्स दूसरे ने खरीद दिया है तो हानिस होगा इल्ला आँकि इस ने यह नियत की हो कि वो न खाउंगा जिस को फ़लां अकेला खरीदे यह ख़ुलासा में है और अगर क़म खाई कि तआम फ़लां से न खाउंगा फिर ऐसा तआम खाया जो फ़लां दूसरे के दरमियान मुशतरिक है तो हानिस होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि फ़लां की रोटी न खाउंगा फिर इस के और दूसरे के दरमियान मुशतरिक रोटी खाई तो भी हानिस होगा बखिलाफ़ इस के अगर क़सम खाई कि फ़लां की रग़ीफ़ न खाउंगा फिर इस के और दूसरे के दरमियान मुशतरिक रग़ीफ़ खाई तो रग़ीफ़ खाई तो हानिस न होगा इस वास्ते कि रग़ीफ़ का टुकड़ा रग़ीफ़ नहीं कहलाता है और रोटी का टुकड़ा रोटी कहलाता है और अगर क़सम खाई कि

को खाया तो पापी होगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां के तआम से न खाउंगा और यह फ़लां तआम फ़रोश है बस शपथकर्ता ने इससे खरीदा करके खाया तो पापी होगा और अगर क़सम खाई कि तेरा यह तआम न खाउंगा फिर फ़लां ने इस को यह तआम हदया दे दिया तो बक़ियास कथन इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां की ज़मीन की पैदावार से न खाउंगा फिर इस पैदावार के क़ीमत से खाया तो पापी होगा और अगर इस ने नफ़्स पैदावार की इरादा की हो तो फ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहि तआला यानी दयानतन पुष्टि होगी और न्यायिक पुष्टि न होगी कज़ा फ़िल ज़खीरा वक़ाल मुतरजम बतौर अरबियत यानी ज़बान अरब सही है कि बजाये पैदावार के ग़ल्ला का लफ़्ज़ कहा और हमारे उर्फ़ में अज़ बसका पैदावार ख़ुद इस के अनाज वग़ैरह पर इतलाक़ होता है न इस पैदावार के दामों पर लिहाज़ा आदेश बरअक्स होगा वल्लाहु तआला आलम और अगर क़सम खाई कि तआम फ़लां से न खाउंगा और इस की कुछ इरादा नहीं है फिर शपथकर्ता ने इस तआम से खरीदा फ़लां ने किसी को तआम हुबा किया और इस से शपथकर्ता ने खरीद लिया तो इस के खाने से पापी न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी में है असल में वर्णित है कि अगर क़सम खाई कि ऐसा तआम न खाउंगा कि इस को फ़लां खरीदे फिर ऐसा तआम खाया कि इस को शपथकर्ता के लिए फ़लां और एक व्यक्ति दूसरे ने खरीद दिया है तो पापी होगा सिवा आँकि इस ने यह इरादा की हो कि वह न खाउंगा जिस को फ़लां अकेला खरीदे यह ख़ुलासा में है और अगर क़म खाई कि तआम फ़लां से न खाउंगा फिर ऐसा तआम खाया जो फ़लां दूसरे के बीच साझा है तो पापी होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि फ़लां की रोटी न खाउंगा फिर इस के और दूसरे के बीच साझा रोटी खाई तो भी पापी होगा बखिलाफ़ इस के अगर क़सम खाई कि फ़लां की रग़ीफ़ न खाउंगा फिर इस के और दूसरे के बीच साझा रग़ीफ़ खाई तो रग़ीफ़ खाई तो पापी न होगा इस लिए कि रग़ीफ़ का टुकड़ा रग़ीफ़ नहीं कहलाता है और रोटी का टुकड़ा रोटी

अपने बेटे के माल से न खाउंगा फिर सिरका ऐसे टेके से जो इस के और इहस के बेटे के दरमियान मुशतरिक है खाया तो हानिस होगा इस वास्ते कि इस ने बेटे का माल खाया यह मुहीत में है।

अगर क़सम खाई कि तआम फ़लां न खाउंगा तो यह फ़लां के तआम मौजूदह पर और जो आइन्दा इस की मिल्क में आये दोनों पर वाक़े होगीः

अगर क़सम खाई कि तआम फ़लां न खाउंगा फिर ऐसे तआम से खाया जो इस के और फ़लां के दरमियान मुशतरिक है तो हानिस न होगा यह ज़हीरिया में है। क़ालल मुतरजम अगर सीर भर तआम मुसावी मुशतरिक है मसलन और इस ने तीन पाव खा लियसा तो ज़ाहिर है कि ज़रूर फ़लां का तआम खासा लिहाज़ा तावील मसला मज़कूर मलहूज़ रहे कि इस तरह वुक़ूअ नहीं हुआ है फ़ाफ़हम। एक शख़्स ने क़सम खाई कि अपने वालिद की चीज़ों में से कोई चीज़ न खाउंगा फिर अपने वालिद के बैत से एक किरच रोटी की तनावुल की जो ज़मीन पर फैंकी हुई थी तो शैख अबूबकर मुहम्मद बिन अल फ़ज़ल ने फ़रमाया कि हानिस नहीं हुआ और शैख अबू अली नसफ़ी रह० ने फ़रमाया कि हानिस हो गया और फ़क़ीह अबूबकमर बलखी रह० ने फ़रमाया कि अगर यह टुकड़ा ऐसा था कि इस को किसी फ़क़ीर को सदक़ा में दे सकते हैं यानी अज़ राह आदत ऐसा टुकडा दिया जाता है तो हानिस हो और न नहीं यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। क़ाल इल्ला हूत क़ौल उल नसफ़ी रह० और अगर क़सम खाई कि तआम फ़लां न खाउंगा तो यह फ़लां के तआम मौजूदह पर और जो आइन्दा इस की मिल्क में आये दोनों पर वाक़े होगी यह सिराजिया में है और अगर क़सम खाई कि मैं अनार में से जो फ़लां खरीदे न खाउंगा फिर फ़लां और एक दूसरे ने खरीद किया और इस में से इ ने खाया तो हानिस होगा और अगर यूं कहा कि एक अनार से जिस को फ़लां खरीदे न खाउंगा तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि फ़ला न औरत के सोत के सिमन से न खाउंगा फिर फ़लाना का काता

कहलाता है और अगर क़सम खाई कि अपने बेटे के माल से न खाउंगा फिर सिरका ऐसे टेके से जो इस के और इहस के बेटे के बीच साझा है खाया तो पापी होगा इस लिए कि इस ने बेटे का माल खाया यह मुहीत में है।

अगर क़सम खाई कि फ़लां का खाना न खाउंगा तो यह कसम फ़लां के मौजूदा खाने पर और जो आइन्दा इस की मिल्कियत में आये दोनों पर स्थपित होगीः

अगर क़सम खाई कि तआम फ़लां न खाउंगा फिर ऐसे तआम से खाया जो इस के और फ़लां के बीच साझा है तो पापी न होगा यह ज़हीरिया में है। अनुवादक के कथनानुसार अगर सीर भर तआम मुसावी साझा है मसलन और इस ने तीन पाव खा लियसा तो ज़ाहिर है कि ज़रूर फ़लां का तआम खासा लिहाज़ा तावील मसला वर्णित मलहूज़ रहे कि इस तरह वुक़ूअ नहीं हुआ है फ़ाफ़हम। एक व्यक्ति ने क़सम खाई कि अपने वालिद की चीज़ों में से कोई चीज़ न खाउंगा फिर अपने वालिद के घर से एक किरच रोटी की तनावुल की जो ज़मीन पर फैंकी हुई थी तो शैख अबूबकर मुहम्मद बिन अल फ़ज़ल ने फ़रमाया कि पापी नहीं हुआ और शैख अबू अली नसफ़ी रह० ने फ़रमाया कि पापी हो गया और फ़क़ीह अबूबकमर बलखी रह० ने फ़रमाया कि अगर यह टुकड़ा ऐसा था कि इस को किसी फ़क़ीर को दान में दे सकते हैं यानी अज़ राह आदत ऐसा टुकडा दिया जाता है तो पापी हो और न नहीं यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। क़ाल सिवा हूत कथन उल नसफ़ी रह० और अगर क़सम खाई कि तआम फ़लां न खाउंगा तो यह फ़लां के तआम मौजूदह पर और जो आइन्दा इस की मिल्क में आये दोनों पर स्थपित होगी यह सिराजिया में है और अगर क़सम खाई कि मैं अनार में से जो फ़लां खरीदे न खाउंगा फिर फ़लां और एक दूसरे ने खरीद किया और इस में से इ ने खाया तो पापी होगा और अगर यूं कहा कि एक अनार से जिस को फ़लां खरीदे न खाउंगा तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि फ़ला न औरत के सोत के क़ीमत से न खाउंगा फिर फ़लाना का काता

सूत खरीद लिया या फ़लाना ने इस को हुबा कर दिया फिर इस को फ़रोख़्त करके इस के सिमन से खाया तो हानिस न होगा और अगर फ़लाना ने ख़ुद फ़रोख़्त कियसा और इस का सिमन इस हालिफ़ को हुबा किया फिर इ ने इ में से खाया तो हानिस होगा और अगर फ़लाना ने यह सिमन अपने बेटे या किसी अजनबी को हुबा कियसा फिर इ ने हालिफ़ को दियसा और इ ने कोई चीज़ खरीद कर खाई तो हानिस न होगा यह मुहीत सुरखी में है और अगर क़सम खाई कि तबीख फ़लां से न खाउंगा फिर फ़लां और दूसरे ने मिल कर पकाया और हालिफ़ ने इस को खाया तो हानिस होगा इस वास्ते कि इस का हर जुज़व तबीख कहलायेगा इसी तरह अगर कहा कि ख़ैर फ़लां यानी फ़लां की रोटी से पस फ़लां और एक दूसरे ने रोटी पकाई तो भी यही हुक्म है और अगर हाण्डी से जिस को फ़लां पकाये फिर दोनों की पकाई हाण्डी से खाया तो हानिस न होगा इस वाते कि हर जुज़व हाण्डी का हाण्डी नहीं कहलाता है यह इख़्तयार शरह मुख़्तार में है। फ़ारसी में क़सम खाइई कि अज़ चीज़ फ़लां नखूरम पस इस की अमद (1) का पानी तनावुल कियसा तो हानिस न होगा इस वास्ते कि ओहाम लोगों के इस तरफ़ नहीं पहुंचते हैं आया तो नहीं देखता है कि अगर इस के खरबूज़ा का छिलका या रेज़ा नान इस के दरवाज़ा पर पाया और खा लिया तो हानिस नहीं होगा है यह फ़तावा कुबरा में है।

अगर क़सम खाई कि ऐसी कोई चीज़ न खाउंगा जिस को फ़लां उठा लाये और मुराद यह है कि आवारा-ए-फ़लां यानी फ़लां की लाई हुई न खाउंगा फिर ऐसी बर्फ़ से खाया जिस को फ़लां उठा लासया है तो मशाइख ने फ़रमाया कि हानिस होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि अपने दामाद के माल से कुछ न खाउंगा फिर इस को खमीर दियसपा गया जो इस के दामाद के खमीर में से है पस इस ने दूसरे खमीर में मिला कर इस को पकवाया और खाया तो हानिस न होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि इस का पानी न पियूंगा या इस का नमक न खाउंगा फिर इस का पानी या नमक ले कर इस को खमीर में मिला दिया

सूत खरीद लिया या फ़लाना ने इस को हुबा कर दिया फिर इस को फ़रोख़्त करके इस के क़ीमत से खाया तो पापी न होगा और अगर फ़लाना ने ख़ुद फ़रोख़्त कियसा और इस का क़ीमत इस शपथकर्ता को हुबा किया फिर इ ने इ में से खाया तो पापी होगा और अगर फ़लाना ने यह क़ीमत अपने बेटे या किसी अजनबी को हुबा कियसा फिर इ ने शपथकर्ता को दियसा और इ ने कोई चीज़ खरीद कर खाई तो पापी न होगा यह मुहीत सुरखी में है और अगर क़सम खाई कि तबीख फ़लां से न खाउंगा फिर फ़लां और दूसरे ने मिल कर पकाया और शपथकर्ता ने इस को खाया तो पापी होगा इस लिए कि इस का हर जुज़व तबीख कहलायेगा इसी तरह अगर कहा कि ख़ैर फ़लां यानी फ़लां की रोटी से बस फ़लां और एक दूसरे ने रोटी पकाई तो भी यही आदेश है और अगर हाण्डी से जिस को फ़लां पकाये फिर दोनों की पकाई हाण्डी से खाया तो पापी न होगा इस वाते कि हर जुज़व हाण्डी का हाण्डी नहीं कहलाता है यह अधिकार शरह मुख़्तार में है। फ़ारसी में क़सम खाइई कि अज़ चीज़ फ़लां नखूरम बस इस की अमद (1) का पानी तनावुल कियसा तो पापी न होगा इस लिए कि ओहाम लोगों के इस तरफ़ नहीं पहुंचते हैं आया तो नहीं देखता है कि अगर इस के खरबूज़ा का छिलका या रेज़ा नान इस के दरवाज़ा पर पाया और खा लिया तो पापी नहीं होगा है यह फ़तावा कुबरा में है।

अगर क़सम खाई कि ऐसी कोई चीज़ न खाउंगा जिस को फ़लां उठा लाये और तात्पर्य यह है कि आवारा-ए-फ़लां यानी फ़लां की लाई हुई न खाउंगा फिर ऐसी बर्फ़ से खाया जिस को फ़लां उठा लासया है तो विद्वानों ने फ़रमाया कि पापी होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि अपने दामाद के माल से कुछ न खाउंगा फिर इस को खमीर दियसपा गया जो इस के दामाद के खमीर में से है बस इस ने दूसरे खमीर में मिला कर इस को पकवाया और खाया तो पापी न होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि इस का पानी न पियूंगा या इस का नमक न खाउंगा फिर इस का पानी या नमक ले कर इस को खमीर में मिला दिया और

और खाया तो हानिस न होगा यह ख़ुलासा में है क़सम खाई कि अपने दामाद की रोटी से न खाउंगा फिर इस का दामाद सफ़र को चला गया और अपनी बीवी के वास्ते नफ़क़ा छोड गया जिस में से इस ने खाया पस अगर दामाद इस औरत के वास्ते नफ़क़ा अलग कर गया हो तो हानिस न होगा और अगर अलग न कर गया हो बल्कि यह कह गयसा हो कि मेरे तआम में से बक़द्र किफ़ायत तो खा पस हालिफ़ ने भी खाया तो हानिस होगा यह वजीज़ करवरी में है और अगर क़सम खाई कि अपने बाप के माल से न खाउंगा फिर बाप मर गया और हालिफ़ वारिस हो और इस ने खाया तो हानिस न होगा (२) और यही सही है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम में यह लफ़्ज़ भी कहा हो कि बाप के माल से बाद इस के मरने के न खाउंगा तो इस सूरत में हानिस होगा यह वजीज़ करदरी में लिखा है।

अगर किसी औरत ने क़सम खाई कि अपने पिसर के अतअमा से न खाउंगी हालांकि क़सम से पहले इस का बेटा इस को चन्द क़सम के अतअमा भेज चुका है पस इस को इस ने खाया तो हानिस न होगी और बाज़ ने फ़रमाया कि यह हुक्म इस वक्त है कि औरत ने कुछ नियत न की हो और अगर इस ने क़सम में इस तआम की भी नियत की हो तो हानिस होगी और इज़ाफ़त बऐतबार मिजाज़ सही होगी यानी जो पहले पिसर का था यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ खाना न खाउंगा पस फ़लां ने एक बर्तन से और हालिफ़ ने दूसरे बर्तन से खाना खाया तो हानिस न होगा

(1)जमद बर्फ़खाना वग़ैरह जहां पानी व दीगर सियाल चीज़ों जमाई जाती हैं।

(२)क्योंकि अब बाद वफ़ात इस के बाप के वो माल जबकि बेटे के हिस्से में आया तो यह इस का मालिक हुआ और बाप की मिल्कियत न रही पस इस केखाने से हानिस न होगा।

जब तक कि दोनों एक ही बर्तन से न खाऐं यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम कि माल फ़लां से खाउंगा फिर दोनों ने रूपया डाल (1) कर कोई चीज़ खरीदी और दोनों ने खाई तो क़सम में हानिस न होगा इ वास्ते कि उर्फ़ में यह अपना माल खाना कहलाता है ऐसा है फ़तावा अबुल्लैस रह० में मज़कूर है यह काफ़ी में है

खाया तो पापी न होगा यह ख़ुलासा में है क़सम खाई कि अपने दामाद की रोटी से न खाउंगा फिर इस का दामाद सफ़र को चला गया और अपनी बीवी के लिए नफ़क़ा छोड गया जिस में से इस ने खाया बस अगर दामाद इस औरत के लिए नफ़क़ा अलग कर गया हो तो पापी न होगा और अगर अलग न कर गया हो बल्कि यह कह गयसा हो कि मेरे तआम में से बक़द्र किफ़ायत तो खा बस शपथकर्ता ने भी खाया तो पापी होगा यह वजीज़ करवरी में है और अगर क़सम खाई कि अपने बाप के माल से न खाउंगा फिर बाप मर गया और शपथकर्ता वारिस हो और इस ने खाया तो पापी न होगा (२) और यही सही है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम में यह लफ़्ज़ भी कहा हो कि बाप के माल से बाद इस के मरने के न खाउंगा तो इस स्थिति में पापी होगा यह वजीज़ करदरी में लिखा है।

अगर किसी औरत ने क़सम खाई कि अपने पिसर के अतअमा से न खाउंगी हालांकि क़सम से पहले इस का बेटा इस को चन्द क़सम के अतअमा भेज चुका है बस इस को इस ने खाया तो पापी न होगी और कुछ ने फ़रमाया कि यह आदेश इस समय है कि औरत ने कुछ इरादा न की हो और अगर इस ने क़सम में इस तआम की भी इरादा की हो तो पापी होगी और इज़ाफ़त बऐतबार मिजाज़ सही होगी यानी जो पहले पिसर का था यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ खाना न खाउंगा बस फ़लां ने एक बर्तन से और शपथकर्ता ने दूसरे बर्तन से खाना खाया तो पापी न होगा

(1)जमद बर्फ़खाना वग़ैरह जहां पानी व दीगर सियाल चीज़ों जमाई जाती हैं।

(२)क्योंकि अब बाद वफ़ात इस के बाप के वह माल जबकि बेटे के हिस्से में आया तो यह इस का मालिक हुआ और बाप की अधीनता न रही बस इस केखाने से पापी न होगा।

जब तक कि दोनों एक ही बर्तन से न खाऐं यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम कि माल फ़लां से खाउंगा फिर दोनों ने रूपया डाल (1) कर कोई चीज़ खरीदी और दोनों ने खाई तो क़सम में पापी न होगा इ लिए कि उर्फ़ में यह अपना माल खाना कहलाता है ऐसा है फ़तावा अबुल्लैस रह० में वर्णित है यह काफ़ी में है

और अगर क़सम खाई कि फ़लां की चीज़ से न खाउंगा फिर फ़लां की मिर्च इस की बीवी ने अपनी हाण्डी में डाली जिस को हालिफ़ ने खायसा तो शैख अबूबकर मुहम्मद बिन अफ़ज़ल रह० ने फ़रमाया कि हानिस होगा इल्ला आँकि फ़लां व हालिफ़ के दरमियसान कोई सबब क़सम ऐसा हो कि जो इस अम्र पर दलालत करे कि ऐसी मिर्च वग़ैरह मुराद नहीं है अगर क़सम खाई कि फ़लां के बाग़ अंगूर से इस साल कोई चीज़ न खाउंगा तो मशाइख ने फ़रमाया कि इस की क़सम बारह (12) महीना पर वाक़े होगी और हमारे मौलाना ने फ़रमाया कि चाहे यूं है कि इस साल के जिस क़द्र इमाम बाक़ी रहे हैं उन्हें पर वाक़े हो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है एक ने कहा कि वल्लाह जो फ़लां लायेगा इस को न खाउंगा यानी ऐसी खाने की चीज़ जैसे गोश्त व तआम वग़ैरह फिर हालिफ़ ने इस फ़लां को गोश्त दिया कि इस को पुकाये पस इस ने पकाना शुरू किया और इस में गाये कीओझ का एक टुकडा डाल दिया जो हाण्डी के जोश में निकल गया फिर हालिफ़ ने हाण्डी का शोरबा खाया तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि मेरी दानिस्त में वो हानिस न होगा जबकि इस ने इस में ऐसा गोश्त डाल दिया जो तन्हा पका कर इस से शोरबा लेने के लायक़ नहीं है बसबब इस के कि क़लील है और अगर इस क़द्र हो कि तन्हा पका कर इस से शोरबा लिया जा सकता है तो इस सूरत में हानिस होगा हालांकि इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया है कि अगर किसी ने क़सम खाई कि जो फ़लां लायेगा मैं इस को न खाउंगा फिर फ़लां मज़कूर गोश्त लाया और इस को भूना और बाद तैयार होने के इस के नीचे हालिफ़ के चावल रखे चुनांचे इस की तही चावलों में आई जिन को हालिफ़ ने खाया तो हानिस होगा औरइसी तरह अगर फ़लां मज़कूर चने लाया और इन को पकाया पस हालिफ़ ने इस का शोरबा खाया और इस में चने का मज़ा आता है तो हानिस होगा और इसी तरह अगर ताज़ा छुहारे जिन को रतब कहते हैं लाया जिस में से रब बहा और इस को हालिफ़ ने खाया ज़ैतून लाया और वो पीला गया जिस का तेल हालिफ़ ने खाया तो हानिस होगा यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई

और अगर क़सम खाई कि फ़लां की चीज़ से न खाउंगा फिर फ़लां की मिर्च इस की बीवी ने अपनी हाण्डी में डाली जिस को शपथकर्ता ने खायसा तो शैख अबूबकर मुहम्मद बिन अफ़ज़ल रह० ने फ़रमाया कि पापी होगा सिवा यह कि फ़लां व क़सम खाने वाले के बीच क़सम का कोई कारण ऐसा हो कि जो इस कार्य पर तर्क करे कि ऐसी मिर्च वग़ैरह तात्पर्य नहीं है अगर क़सम खाई कि फ़लां के बाग़ अंगूर से इस साल कोई चीज़ न खाउंगा तो विद्वानों ने फ़रमाया कि इस की क़सम बारह (12) महीना पर स्थपित होगी और हमारे मालिकना ने फ़रमाया कि चाहे यूं है कि इस साल के जिस क़द्र इमाम बाक़ी रहे हैं उन्हें पर स्थपित हो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है एक ने कहा कि वल्लाह जो फ़लां लायेगा इस को न खाउंगा यानी ऐसी खाने की चीज़ जैसे गोश्त व तआम वग़ैरह फिर शपथकर्ता ने इस फ़लां को गोश्त दिया कि इस को पुकाये बस इस ने पकाना शुरू किया और इस में गाये कीओझ का एक टुकडा डाल दिया जो हाण्डी के जोश में निकल गया फिर शपथकर्ता ने हाण्डी का शोरबा खाया तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि मेरी दानिस्त में वह पापी न होगा जबकि इस ने इस में ऐसा गोश्त डाल दिया जो तन्हा पका कर इस से शोरबा लेने के लायक़ नहीं है बसबब इस के कि क़लील है और अगर इस क़द्र हो कि तन्हा पका कर इस से शोरबा लिया जा सकता है तो इस स्थिति में पापी होगा हालांकि इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया है कि अगर किसी ने क़सम खाई कि जो फ़लां लायेगा मैं इस को न खाउंगा फिर फ़लां वर्णित गोश्त लाया और इस को भूना और बाद तैयार होने के इस के नीचे शपथकर्ता के चावल रखे चुनांचे इस की तही चावलों में आई जिन को शपथकर्ता ने खाया तो पापी होगा औरइसी तरह अगर फ़लां वर्णित चने लाया और इन को पकाया बस शपथकर्ता ने इस का शोरबा खाया और इस में चने का मज़ा आता है तो पापी होगा और इसी तरह अगर ताज़ा छुहारे जिन को रतब कहते हैं लाया जिस में से रब बहा और इस को शपथकर्ता ने खाया ज़ैतून लाया और वह पीला गया जिस का तेल शपथकर्ता ने खाया तो पापी होगा यह बदाऐ में है और

कि फ़लां के तआम से कोई तआम न खाउंगा फिर इस का सिरका या रोग़न ज़ैतून या नमक खाया इन में से कोई चीज़ ले कर अपने खाने के साथ खाई तो हानिस होगा और इस का पानी यसा नबीज़ ले कर इस के साथ अपनी रोटी खाई तो हानिस न होगा यह जोहरह नेज़ा में है और अगर क़सम खाई कि यह गेंहू न खाउंगा फिर इन को दूसरे अनाज के साथ मिला कर खाया यसा क़सम खाई कि यह जो न खाउंगा फिर इन को दूसरे अनाज में मिला कर खाया पस अगर पिसों से खाया यानी फंकी मार कर खाया सया पस अगर गेंहू या जो ग़ालिब हों तो हानिस होगा और अगर दूसरे अनाज को ग़लबा हो तो हानिस न होगा और गर मुसावी हों तो क़यास यह है कि हानिस होगा और इस्तहसानन हानिस न होगा और अगर एक दाना करके खाया है तो बहरहाल हानिस होगा यह ज़खीरा में है और अगर क़सम खाई कि तआम न खाउंगा यसा कहा कि न पियूंगा इल्ला बइजाज़त फ़लां फिर फ़लां ने इस को इजाज़त (1) दी तो यह इजाज़त एक लुक़मा और एक घूंट पर होगी यह मुहीतज में है और अगर क़सम खाई कि कोई तआम न खाउंगा और न पियूंगा फिर खाने पीने की कोई चीज़ रखी और इस को हलक़ में दाखिल न होने दिया तो हानिस न होगा और अगर अपनी क़सम की फ़अल पर मुनअक़िद की फिर इस से घट कर किया तो हानिस न होगा और अगर इस से बढ़ कर कियसा तो हानिस होगा यह मबसूत में है सावर अगर क़सम खाई कि खाना (2) पीना कुछ न चखूंगा फिर इस को अपने मुंह में दाखिल किया तो हानिस होगा फिर अगर इस ने दावा किया कि मेरी मुराद न चखने से यह थी कि न खाउंगा यसा न पियूंगा तो दयानतन 'फ़ीमा बैनहू व बैन अल्लाह तआला' इस की तसदीक़ होगी और क़ज़ाअन तसदीक़ न होगी यह बदाऐ में है।

(1),क मर्तबा इजाज़त में अगरएक लुक़मायाएकघूंट से ज+यादाखाया तो हानिस हो जायेगा।
(2)]ााने पीने की चीज़।
(1)पत्ती डाल कर।

अगर कहा कि न चखूंगा खाना और न पीना फिर एक चखा तो हानिस होगा और इसी तरह अगर कहा कि न खाउंगा और न पीना और इसी तरह अगर हरफ़ या

अगर क़सम खाई कि फ़लां के तआम से कोई तआम न खाउंगा फिर इस का सिरका या रोग़न ज़ैतून या नमक खाया इन में से कोई चीज़ ले कर अपने खाने के साथ खाई तो पापी होगा और इस का पानी यसा नबीज़ ले कर इस के साथ अपनी रोटी खाई तो पापी न होगा यह जोहरह नेज़ा में है और अगर क़सम खाई कि यह गेंहू न खाउंगा फिर इन को दूसरे अनाज के साथ मिला कर खाया यसा क़सम खाई कि यह जो न खाउंगा फिर इन को दूसरे अनाज में मिला कर खाया बस अगर पिसों से खाया यानी फंकी मार कर खाया सया बस अगर गेंहू या जो ग़ालिब हों तो पापी होगा और अगर दूसरे अनाज को ग़लबा हो तो पापी न होगा और गर मुसावी हों तो क़यास यह है कि पापी होगा और इस्तहसानन पापी न होगा और अगर एक दाना करके खाया है तो बहरहाल पापी होगा यह ज़खीरा में है और अगर क़सम खाई कि तआम न खाउंगा यसा कहा कि न पियूंगा सिवा बइजाज़त फ़लां फिर फ़लां ने इस को इजाज़त (1) दी तो यह इजाज़त एक लुक़मा और एक घूंट पर होगी यह मुहीतज में है और अगर क़सम खाई कि कोई तआम न खाउंगा और न पियूंगा फिर खाने पीने की कोई चीज़ रखी और इस को हलक़ में प्रवेश न होने दिया तो पापी न होगा और अगर अपनी क़सम की फ़अल पर मुनअक़िद की फिर इस से घट कर किया तो पापी न होगा और अगर इस से बढ़ कर कियसा तो पापी होगा यह मबसूत में है सावर अगर क़सम खाई कि खाना (2) पीना कुछ न चखूंगा फिर इस को अपने मुंह में प्रवेश किया तो पापी होगा फिर अगर इस ने दावा किया कि मेरी तात्पर्य न चखने से यह थी कि न खाउंगा यसा न पियूंगा तो दयानतन 'फ़ीमा बैनहू व बैन अल्लाह तआला' इस की पुष्टि होगी और न्यायिक पुष्टि न होगी यह बदाऐ में है।

(1),क मर्तबा इजाज़त में अगरएक लुक़मायाएकघूंट से ज+यादाखाया तो पापी हो जायेगा।
(2)]ााने पीने की चीज़।
(1)पत्ती डाल कर।

अगर कहा कि न चखूंगा खाना और न पीना फिर एक चखा तो पापी होगा और इसी तरह अगर कहा कि

दोनों के बीच में लाया तो भी यही हुक्म है यह मबसूत में है और अगर कहा कि वल्लाह तआम व शराब न चखूंगा फिर इस ने एक को चखा तो हानिस न होगा और शैखद्ध अबुल क़ासिम उल सफ़ार रह० ने फ़रमाया कि हानिस होगा और शैख अबूबकर मुहम्मद बिन अल फ़ज़ल रह० ने फ़रमाया कि इस की नियत पर है और अगर इस ने कुछ नियत न की होगी तो एक के चखने से हानिस न होगा और इसी पर फ़तवा है। किसी ने क़सम खाई कि खमीर न चखूंगा फिर ऐसी रोटी खाई जिस का खमीर शराब से किया गया है तो शदाद रअ ने फ़रमाया कि अपनी क़सम में हानिस न होगा जैसे क़सम खाई कि ज़ीत न चखूंगा फिर रोटी खाई जिस का आटा ज़ीत में गूंधा गया है तो हानिस नहीं होता है और अगर क़सम खाई कि फ़लां के घर में तआम न चखूंगा और न शराब यानी पीने की चीज़ फर इसके घर में कोई चीज़ चखी और इस को अपने मुंह में दाखिल किया मगर इस के पेट में नहीं पहुंची तो हानिस होगा और यह क़सम फ़क़त चखने पर होगी और अगर इस से किसी ने कहा कि मेरे पास आज के रोज़ खाना खा पस इस ने क़सम खाई कि तेरे धर न चखूंगा तआम व न शराब तो यह क़सम खाने पर होगी न चखने पर यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि पानी न चखूंगा पस इस ने नमाज़ के वास्मते कुल्ली की तो हानिस न होगा यह ख़ुलासा में है और अगर क़सम खाई कि यह खमीर न चखूंगा फिर वो शराब सिरका हो गई पस इस को पिया तो हानिस न होगा और अगर यह भी नियत हो कि जो इस से होगा वो भी न चखूंगा तो हानिस होगा यह जोहरह नहरह में है और अगर क़सम खाई कि तग़दी न करूंगा तो ग़दार वो खाना है जो तुलूअ फ़जर से वक्त ज़ोहर तक हुआ और इशा (1) वो खाना है कि नमाज़ ज़ोहर से आधी रात हो यह हिदाया में है पस अगर क़सम खाई कि आज तग़दी न करूंगा फिर निस्फ़ नहार के बाद खाया तो हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और शैख खजन्दी रह० ने फ़रमाया कि यह इमाम का उर्फ़ था और हमारे उर्फ़ में इशा का वक्त बाद नमाज़ असर के है। फिर वाज़ह रहे कि ग़दा

न खाउंगा और न पीना और इसी तरह अगर हरफ़ या दोनों के बीच में लाया तो भी यही आदेश है यह मबसूत में है और अगर कहा कि वल्लाह तआम व शराब न चखूंगा फिर इस ने एक को चखा तो पापी न होगा और शैखद्ध अबुल क़ासिम उल सफ़ार रह० ने फ़रमाया कि पापी होगा और शैख अबूबकर मुहम्मद बिन अल फ़ज़ल रह० ने फ़रमाया कि इस की इरादा पर है और अगर इस ने कुछ इरादा न की होगी तो एक के चखने से पापी न होगा और इसी पर फ़तवा है। किसी ने क़सम खाई कि खमीर न चखूंगा फिर ऐसी रोटी खाई जिस का खमीर शराब से किया गया है तो शदाद रअ ने फ़रमाया कि अपनी क़सम में पापी न होगा जैसे क़सम खाई कि ज़ीत न चखूंगा फिर रोटी खाई जिस का आटा ज़ीत में गूंधा गया है तो पापी नहीं होता है और अगर क़सम खाई कि फ़लां के घर में तआम न चखूंगा और न शराब यानी पीने की चीज़ फर इसके घर में कोई चीज़ चखी और इस को अपने मुंह में प्रवेश किया मगर इस के पेट में नहीं पहुंची तो पापी होगा और यह क़सम केवल चखने पर होगी और अगर इस से किसी ने कहा कि मेरे पास आज के दिन खाना खा बस इस ने क़सम खाई कि तेरे धर न चखूंगा तआम व न शराब तो यह क़सम खाने पर होगी न चखने पर यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि पानी न चखूंगा बस इस ने नमाज़ के वास्मते कुल्ली की तो पापी न होगा यह ख़ुलासा में है और अगर क़सम खाई कि यह खमीर न चखूंगा फिर वह शराब सिरका हो गई बस इस को पिया तो पापी न होगा और अगर यह भी इरादा हो कि जो इस से होगा वह भी न चखूंगा तो पापी होगा यह जोहरह नहरह में है और अगर क़सम खाई कि तग़दी न करूंगा तो ग़दार वह खाना है जो तुलूअ फ़जर से समय ज़ोहर तक हुआ और इशा (1) वह खाना है कि नमाज़ ज़ोहर से आधी रात हो यह हिदाया में है बस अगर क़सम खाई कि आज तग़दी न करूंगा फिर आधा नहार के बाद खाया तो पापी न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और शैख खजन्दी रह० ने फ़रमाया कि यह इमाम का उर्फ़ था और हमारे उर्फ़ में इशा का समय बाद नमाज़ असर के है। फिर

व इशा इबारत ऐसे खाने से है जिस से आदत के मुवाफ़िक़ (1) पेट भर के खाना लोगों की ग़ालिब (2) आदात का मक़सूद होता है पस क़सम खाने वाले के शहर में जो ग़दा हो इ पर क़सम मुनअक़िद होगी पस अगर वो चीज़ ग़दा होगी तो इस के खाने से हानिस होगा वरना नहीं और इसी वास्ते मशाइख़ ने कहा है कि अगर शहर के लोगों ने ग़दा तर्क करने पर क़सम खाई पस उन्होंने दूध पी लिया तो चूंकि ग़ालिब आदतलोगों की इस से तग़दी नहीं है इस वजह से हानिस न हूंगा और अगर बदवी (2) ने ऐसी क़सम खाई और फिर दूध पी लिया तो चूंकि ग़ालिबन इन का एक वक्त अव्वल का खाना यही है लिहाज़ा हानिस होगा और शैख अबुल हन ने फ़रमाया कि अगर क़सम खाई कि तग़दी न करूंगा फिर सिवाए रोटी के छुहारा व चावल वफ़ाका वग़ैरह कोई चीज़ खाइई यहां तक कि सैर हो गया तो हानिस न होगा और यह ग़दा खाना न होगा और इसी तरह अगर गोश्त बग़ैर रोटी के खाया मतो भी यही हुक्म है और ग़दा हर शहर की वो है जो इन में मुतआरिफ़ हो क़ालल मुतरजम हमारे यहां दयार में ऐसा उर्फ़ ज़ाहिर नहीं है लिहाज़ा क़सम अपने असली मअनी पर होगी पस शैख अबुल हसन का क़ौल उक्रब है सिवाए चावल व दीगर अनाज व गोश्त के कि इन से हमारे उर्फ़ ग़ैर ज़ाहिर की वजह से उक्रब इलल हनस होगा वल्लाह तआला आलम और नीज़ सैर हो जाने में ताम्मुल है प औला यह है कि अहतियात लमहूज़ रखे फ़ाफ़हम। क़ाल और ग़दा में शर्त यह है कि आधी सैरी से ज़ायद हो हत्ता कि अगर अपनी बान्दी से कहा कि अगर तूने आज की रात यअश न की यानी इशा का खाना न खाया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है पस इस ने एक लुक़्मा या दो लुक़्मा खा लिये तो यह इशा नहीं हुई और हालिफ़ अपनी क़सम में सच्चा न होगा यहां तक कि बान्दी मज़कूरह अपनी निस्फ़ सैरी से ज़्यादा खा लिया यह सिराज वहाज में है। रमज़ान में क़सम खाई कि आज की रात इशा न खाउंगा फिर दोपहर रात जाने के बाद खाया तो हानिस होगा यह वजीज़ करदरी में है और अगर क़सम खाई कि सहरी न खाउंगा तो निस्फ़ रात से फ़जर तक खाने से हानिस न

वाज़ह रहे कि ग़दा व इशा इबारत ऐसे खाने से है जिस से आदत के मुवाफ़िक़ (1) पेट भर के खाना लोगों की ग़ालिब (2) आदात का मक़सूद होता है बस क़सम खाने वाले के शहर में जो ग़दा हो इ पर क़सम मुनअक़िद होगी बस अगर वह चीज़ ग़दा होगी तो इस के खाने से पापी होगा वरना नहीं और इसी लिए विद्वानों ने कहा है कि अगर शहर के लोगों ने ग़दा तर्क करने पर क़सम खाई बस उन्होंने दूध पी लिया तो चूंकि ग़ालिब आदतलोगों की इस से तग़दी नहीं है इस कारण से पापी न हूंगा और अगर बदवी (2) ने ऐसी क़सम खाई और फिर दूध पी लिया तो चूंकि ग़ालिबन इन का एक समय पहला का खाना यही है लिहाज़ा पापी होगा और शैख अबुल हन ने फ़रमाया कि अगर क़सम खाई कि तग़दी न करूंगा फिर सिवाए रोटी के छुहारा व चावल वफ़ाका वग़ैरह कोई चीज़ खाइई यहां तक कि सैर हो गया तो पापी न होगा और यह ग़दा खाना न होगा और इसी तरह अगर गोश्त बग़ैर रोटी के खाया मतो भी यही आदेश है और ग़दा हर शहर की वह है जो इन में मुतआरिफ़ हो अनुवादक के कथनानुसार हमारे यहां दयार में ऐसा उर्फ़ ज़ाहिर नहीं है लिहाज़ा क़सम अपने असली मअनी पर होगी बस शैख अबुल हसन का कथन उक्रब है सिवाए चावल व दीगर अनाज व गोश्त के कि इन से हमारे ज़माने में अस्पष्ट कारण से उक्रब इलल हनस होगा वल्लाह तआला आलम और नीज़ सैर हो जाने में ताम्मुल है प औला यह है कि अहतियात लमहूज़ रखे फ़ाफ़हम। क़ाल और ग़दा में शर्त यह है कि आधी सैरी से ज़ायद हो हत्ता कि अगर अपनी बान्दी से कहा कि अगर तूने आज की रात यअश न की यानी इशा का खाना न खाया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है बस इस ने एक लुक़्मा या दो लुक़्मा खा लिये तो यह इशा नहीं हुई और शपथकर्ता अपनी क़सम में सच्चा न होगा यहां तक कि बान्दी वर्णितह अपनी आधा सैरी से ज़्यादा खा लिया यह सिराज वहाज में है। रमज़ान में क़सम खाई कि आज की रात इशा न खाउंगा फिर दोपहर रात जाने के बाद खाया तो पापी होगा यह वजीज़ करदरी में है और अगर क़सम खाई कि सहरी न खाउंगा तो आधा रात से फ़जर तक

होगा यह शरह मजमअ उल बहरीन में है।

(1)जिसे हमारे उर्फ में नहारी व नाश्ता बोलते हैं।

(2)क्यों बद्दू लोगों को अक्सरयही मयस्सर आता है लिहाज़ायह हुक्म म]सूस अरब के बद्दुओं से होगा।

(1)]ााना जो आदत के मुवाफ़िक+ हो।(2)इन की ग़ालिब आदत में यहीखाना है।

मसाअ इत्तलाक़ अरब में दो हैं एक बाद ज़वाल से और दूसरी बाद ग़ुरूब शम्स से पस इन दोनों में से क़सम में जिस की नियत करे सही होगी और अला हाज़ा अगर बाद ज़वाल के क़सम खाई कि यह काम न करूंगा यहां तक कि मसाअन करूं और इस की कुछ नियत नहीं है तो यह सूरज डूबने की शाम पर होगी इस वास्ते कि मअनी अव्वल पर हमल करना मुमकिन नहीं है पस दूसरी मसार यानी दूसरे मअनी शाम पर महमूल होगी यानी मा बअद ग़ुरूब यह फ़तहुल क़दीर में है और मुअल्ला ने इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत की है कि अगर क़सम खाई कि लिया तीना ज़हूत यानी वक्त ज़हूत के इस के पास आउंगा तो ज़हूत बाद तुलूअ आफ़ताब के जुर्म से कि नमाज़ पढ़नी जाइज़ हो जाती है ता निस्फ़ उल नहार है यह मुहीत सुरखी में है और इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर क़सम खाई कि ला यसबह ई सुबह को न आउंगा तो तसबह मेरे नज़दीक ज़ुहा (1) अकबर और इतफ़ाअ आफ़ताब के दरमियान है और जब ज़ुहा अकबर हो गई तो तसबह का वक्त जाता रहा यह बदाऐ में है।

कहा कि अगर मैंने तग़दी दो रग़ीफ़ों से कर ली तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर आज सुबह को एक रग़ीफ़ खाई और कल सुबह को दूसरी रग़ीफ़ खाई तो क़यासन हानिस होगा :

अगर यूं कहा कि 'लियग़दीनहुल यौमा बअल्फ़' यानी इस को आज ग़दा हज़ार दिरहम की खिलाउंगा या अगर मैं आज़ाद करूं ऐसे ग़ुलाम को कि इस को हज़ार को खरीदूं या आज तो रूई हज़ार की न काते तो ऐसा ऐसा पस इस ने कोई एक दिरहम की चीज़ हज़ार दिरहम को खरीदी औरवो इस को ग़दा में खिलाई या इसी तरह

खाने से पापी न होगा यह शरह मजमअ उल बहरीन में है।

(1)जिसे हमारे उर्फ में नहारी व नाश्ता बोलते हैं।

(2)क्यों बद्दू लोगों को अक्सरयही मयस्सर आता है लिहाज़ायह आदेश म]सूस अरब के बद्दुओं से होगा।

(1)]ााना जो आदत के मुवाफ़िक+ हो।(2)इन की ग़ालिब आदत में यहीखाना है।

मसाअ इत्तलाक़ अरब में दो हैं एक बाद ज़वाल से और दूसरी बाद ग़ुरूब शम्स से बस इन दोनों में से क़सम में जिस की इरादा करे सही होगी और अला हाज़ा अगर बाद ज़वाल के क़सम खाई कि यह काम न करूंगा यहां तक कि मसाअन करूं और इस की कुछ इरादा नहीं है तो यह सूरज डूबने की शाम पर होगी इस लिए कि मअनी पहला पर हमल करना मुमकिन नहीं है बस दूसरी मसार यानी दूसरे मअनी शाम पर महमूल होगी यानी मा बअद ग़ुरूब यह फ़तहुल क़दीर में है और मुअल्ला ने इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत की है कि अगर क़सम खाई कि लिया तीना ज़हूत यानी समय ज़हूत के इस के पास आउंगा तो ज़हूत बाद तुलूअ आफ़ताब के जुर्म से कि नमाज़ पढ़नी जाइज़ हो जाती है ता आधा उल नहार है यह मुहीत सुरखी में है और इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर क़सम खाई कि ला यसबह ई सुबह को न आउंगा तो तसबह मेरे निकट ज़ुहा (1) अकबर और इतफ़ाअ आफ़ताब के बीच है और जब ज़ुहा अकबर हो गई तो तसबह का समय जाता रहा यह बदाऐ में है।

कहा कि अगर मैंने खना दो रोटियों से खा लिया तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर आज सुबह को एक रोटी खाई और कल सुबह को दूसरी रोटी खाई तो अनुमनित पापी होगा :

अगर यूं कहा कि 'लियग़दीनहुल यौमा बअल्फ़' यानी इस को आज ग़दा हज़ार दिरहम की खिलाउंगा या अगर मैं आज़ाद करूं ऐसे ग़ुलाम को कि इस को हज़ार को खरीदूं या आज तो रूई हज़ार की न काते तो ऐसा ऐसा बस इस ने कोई एक दिरहम की चीज़ हज़ार दिरहम को खरीदी औरवह इस को ग़दा में खिलाई या इसी तरह गुलाम को खरीद कर आज़ाद किया यसा इस तरह रूई

ग़ुलाम को खरीद कर आज़ाद किया यसा इस तरह रूई खरीदी जिस को औरत ने कात दिया तो अपनी क़सम में सच्चा हो गया यसह वजीज़ करदरी में है और अगर कहा कि अगर मैंने तग़दी दो रग़ीफ़ों से करली तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर आज सुबह को एक रग़ीफ़ खाई और कल सुबह को दूसरी रग़ीफ़ खाई तो क़यासन हानिस होगा क्योंकि लफ़्ज़ मुतलक़ है ख़्वाह आज एक रोज़ में या दो रोज़ में जैसे तअय्युन की सूरत में है और अगर कहा कि अगर मैंने इन दो रग़ीफ़ों से तग़दी करली तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है पस एक से इस ने आज तग़दी की और दूसरी से दूसरे रोज़ तग़दी की तो हानिस होगा पस ऐसा है यहां है और इस्तहसान हानिस न होगा और अगर इस ने इस सूरत में मुतफ़र्रिक़ तग़दी करने की नियत की हो तो इस की नियत पर होगी और अगर इस ने यूं कहा कि अगर मैंने दो रग़ीफ़ खालीं या मैंने यह दो रग़ीफ़ें खालीं तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इन दोनों को एक बारगी या मुतफ़र्रिक़ खा लिया तो क़ियासन व इस्तहसानन हानिस हो गया यह मुहीत में है और अगर क़सम ग़दा पर मक़्सूद की और इस में से रोटी को इस्तसना कर लिया तो जो चीज़ कि रोटी की तबइयत में खाई जाती है वो भी रोटी की इस्तसना के साथ मुस्तसना होगी चुनांचे अगर कहा कि तग़दी न करूंगा सिवाए रोटी के तो रोटी के साथ सालन व सिरका व ज़ैतून वग़ैरह जो बिल मक़्सूद नहीं खाये जाये हैं मुस्तसना होंगे और रोटी के साथ इन के खाने से हानिस न होगा और जो चीज़ बमक़्सूद खाई जाती है और आदत के मुवाफ़िक़ तबअन नहीं खाई जाई जैसे खबीस (2) व चावल वग़ैरह इन से हानिस होगा और वो मुस्तसना न होगी और अगर ऐसी चीज़ हो कि इस में बमक़्सूद दिखाने की भी आदत हो यानी खाना इन का ख़ुद होता है और रोटी के साथ इस की तबइयत में भी खाने की आदत होती है जैसे गोश्त व मछली व दूध वग़ैरह तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि रोटी के इस्तसना करने में इस की तबइयत में यह भी मुस्तसना होंगी और इन के खाने से हानिस न होगा और इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि मुस्तसना न होंगी और हानिस होगा।

खरीदी जिस को औरत ने कात दिया तो अपनी क़सम में सच्चा हो गया यसह वजीज़ करदरी में है और अगर कहा कि अगर मैंने तग़दी दो रग़ीफ़ों से करली तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर आज सुबह को एक रग़ीफ़ खाई और कल सुबह को दूसरी रग़ीफ़ खाई तो क़यासन पापी होगा क्योंकि लफ़्ज़ मुतलक़ है चाहे आज एक दिन में या दो दिन में जैसे तअय्युन की स्थिति में है और अगर कहा कि अगर मैंने इन दो रग़ीफ़ों से तग़दी करली तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है बस एक से इस ने आज तग़दी की और दूसरी से दूसरे दिन तग़दी की तो पापी होगा बस ऐसा है यहां है और इस्तहसान पापी न होगा और अगर इस ने इस स्थिति में मुतफ़र्रिक़ तग़दी करने की इरादा की हो तो इस की इरादा पर होगी और अगर इस ने यूं कहा कि अगर मैंने दो रग़ीफ़ खालीं या मैंने यह दो रग़ीफ़ें खालीं तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इन दोनों को एक बारगी या मुतफ़र्रिक खा लिया तो क़ियासन व इस्तहसानन पापी हो गया यह मुहीत में है और अगर क़सम ग़दा पर मक़्सूद की और इस में से रोटी को इस्तसना कर लिया तो जो चीज़ कि रोटी की तबइयत में खाई जाती है वह भी रोटी की इस्तसना के साथ मुस्तसना होगी चुनांचे अगर कहा कि तग़दी न करूंगा सिवाए रोटी के तो रोटी के साथ सालन व सिरका व ज़ैतून वग़ैरह जो बिल मक़्सूद नहीं खाये जाये हैं मुस्तसना होंगे और रोटी के साथ इन के खाने से पापी न होगा और जो चीज़ बमक़्सूद खाई जाती है और आदत के मुवाफ़िक़ तबअन नहीं खाई जाई जैसे खबीस (2) व चावल वग़ैरह इन से पापी होगा और वह मुस्तसना न होगी और अगर ऐसी चीज़ हो कि इस में बमक़्सूद दिखाने की भी आदत हो यानी खाना इन का ख़ुद होता है और रोटी के साथ इस की तबइयत में भी खाने की आदत होती है जैसे गोश्त व मछली व दूध वग़ैरह तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि रोटी के इस्तसना करने में इस की तबइयत में यह भी मुस्तसना होंगी और इन के खाने से पापी न होगा और इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि मुस्तसना न होंगी और पापी होगा।

(1)क़ौलहू लायसह तबशदीद मोहदह असल में सुबह कीशराबखोरी में मुस्तअम्मल है औरयहां भी मोहतमिल है अगरचे क़सम बदनी मअनी मअकसियत पर हो औरशायद कि नहारीखानेया पीने पर हो फ़ाफ़हम।
(2)]ाबीस नामखाने का है जो चन्द चीज़ों से मिला कर पकाया जाता है।
(3)चाश्त गाहयानी डेज+ पहरों चे के।

पस जब अम्र मालूम हो गया तो हम कहते हैं कि इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर किसी शख़्स ने कहा कि अगर मैंने खाया आज के रोज़ इल्ला रगीफ़ तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस ने रगीफ़ खाई और फिर इस के बाद फ़ाका या छुहारा या खब्बीस या चावल खाये तो हानिस होगा हां अगर इस ने दावा कियसा कि मैंने रोटी से इस्तसना का क़सद किया था यानी रोटी में अगर सिवाए रगीफ़ के खाउं तो ऐसा है तो इस सूरत में इस के क़ौल की दयानतन तसदीक़ होगी मगर क़ज़ाअन तसदीक़ न होगी और फिर वाज़ह रहे कि अगर मसनला मज़कूरह में बाद रगीफ़ के खाने के फ़वाका या छुहारे हों या रगीफ़ के साथ ही खाये हों बहरहाल हानिस होगा और इस तरह अगर कहा कि अगर मैंने तग़दी की इल्ला बरगीफ़ तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर रगीफ़ से तग़दी की फिर फ़वाका या छुहारे खाये तो हानिस होगा और इसी तरह खबीस खाया तो भी हानिस होगा और हमारे मशाइख़ ने फ़रमाया कि तग़दी की सूरत में इन चीज़ों के खाने से जब ही हानिस होगा कि बग़ैर बरगीफ़ के खाने के इस ने यह चीज़ें खाई हों और अगर रगीफ़ से तग़दी करने के बाद जब कि तग़दी बरगीफ़ हो चुकी और तग़दी मुन्क़तअ हो गई और फिर इन को तन्हा खाया तो हानिस न होगा इस वास्ते कि इन के साथ तग़दी करने वाला नहीं कहलायेगा और तग़दी के तौर पर इन के खाने का रिवाज नहीं है और अगर इस सूरत में भी इस ने ख़ास्सतन यानी रोटी से इस्तसना की नियत की हो तो दयानतन तसदीक़ की जायेगी न क़ज़ाअन यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है। और अगर क़सम से पहले कोई ऐसा कलाम वाक़े हुआ कि इस से इस अम्र पर इस्तदलाल किया जाये कि इस ने रोटी से इस्तसना मुराद लियसा है मसलन कहा गया हो कि तू आज दो रगीफ़ खायेगा पस इस ने कहा कि अगर मैं आज के रोज़ खाउं

(1)क़ौलहू लायसह तबशदीद मोहदह असल में सुबह कीशराबखोरी में मुस्तअम्मल है और यहां भी मोहतमिल है चाहे क़सम बदनी मअनी मअकसियत पर हो औरशायद कि नहारीखानेया पीने पर हो फ़ाफ़हम।
(2)]ाबीस नामखाने का है जो चन्द चीज़ों से मिला कर पकाया जाता है।
(3)चाश्त गाहयानी डेज+ पहरों चे के।

बस जब कार्य मालूम हो गया तो हम कहते हैं कि इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि अगर मैंने खाया आज के दिन सिवा रगीफ़ तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस ने रगीफ़ खाई और फिर इस के बाद फ़ाका या छुहारा या खब्बीस या चावल खाये तो पापी होगा हां अगर इस ने दावा कियसा कि मैंने रोटी से इस्तसना का क़सद किया था यानी रोटी में अगर सिवाए रगीफ़ के खाउं तो ऐसा है तो इस स्थिति में इस के कथन की दयानतन पुष्टि होगी मगर न्यायिक पुष्टि न होगी और फिर वाज़ह रहे कि अगर मसनला वर्णितह में बाद रगीफ़ के खाने के फ़वाका या छुहारे हों या रगीफ़ के साथ ही खाये हों बहरहाल पापी होगा और इस तरह अगर कहा कि अगर मैंने तग़दी की सिवा बरगीफ़ तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर रगीफ़ से तग़दी की फिर फ़वाका या छुहारे खाये तो पापी होगा और इसी तरह खबीस खाया तो भी पापी होगा और हमारे विद्वानों ने फ़रमाया कि तग़दी की स्थिति में इन चीज़ों के खाने से जब ही पापी होगा कि बग़ैर बरगीफ़ के खाने के इस ने यह चीज़ें खाई हों और अगर रगीफ़ से तग़दी करने के बाद जब कि तग़दी बरगीफ़ हो चुकी और तग़दी मुन्क़तअ हो गई और फिर इन को तन्हा खाया तो पापी न होगा इस लिए कि इन के साथ तग़दी करने वाला नहीं कहलायेगा और तग़दी के तौर पर इन के खाने का रिवाज नहीं है और अगर इस स्थिति में भी इस ने ख़ास्सतन यानी रोटी से इस्तसना की इरादा की हो तो दयानतन पुष्टि की जायेगी न न्यायिक यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है। और अगर क़सम से पहले कोई ऐसा बात स्थपित हुआ कि इस से इस कार्य पर इस्तदलाल किया जाये कि इस ने रोटी से इस्तसना तात्पर्य लियसा है मसलन कहा गया हो कि तू आज दो रगीफ़ खायेगा बस इस ने कहा कि अगर मैं आज के दिन खाउं सिवा एक

इल्ला एक रग़ीफ़ तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो इस सूरत में इस की क़सम खास्सतन रग़ीफ़ पर होगी चुनांचे अगर इस ने रग़ीफ़ खाने के बाद ही छुहारे वग़ैरह खाये तो हानिस न होगा और इस की क़सम रग़ीफ़ों के साथ मुक़य्यद होगी और अगर कहा कि अगर मैं आज के रोज़ एक रग़ीफ़ से ज़्यादा खाउंतो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो यह क़सम रग़ीफ़ों के साथ मुक़य्यद होगी और अगर कहा कि अगर मैं आज के रोज़ एक रग़ीफ़ से ज़्यादा खाउं तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो यह क़सम खास्सतन रोटी पर होगी चुनांचे अगर बाद एक रग़ीफ़ के इसने छुहारे व फ़वाका खाये तो हानिस होगा और तक़दीर कलाम इस सूरत में यह होगी कि अगर मैं आज के रोज़ जिन्स रग़ीफ़ से एक रग़ीफ़ से ज़्यादा खाउं तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है पस चूंकि इस तरह कहने में इस की क़सम खास रोटियों के साथ मुख़्तसि होती है इसी तरह सूरत मज़कूरह में भी रग़ीफ़ों के साथ मख़्सूस होगी और जो हम ने इल्ला रग़ीफ़ कहने की सूरत में बयान कियसा है वही ग़ैर रग़ीफ़ सिवाए रग़ीफ़ कहने की सूरत में भी है यह मुहीत में मज़कूर है एक मर्द ने कहा कि अगर मैंने कपड़ा पहनाया मैंने खाया या मैंने पिया तो मेरी बीवी तालिक़ा है और फिर दावा किया कि मैंने अपनी क़सम में खास्सतन फ़लां तआम मुराद लिया था और फ़लां तआम मुराद नहीं लिया था तो क़ज़ाअन व दयानतन किसी तरह इस के क़ौल की तसदीक़ न होगी और यही सही और यही ज़ाहिर उल रिवाया में है और अगर कहा कि अब बस्त तोबा अवाकलत तआमन यानी अगर पहना मैंने कपड़ा खाया मैंने खाना तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर दावा किसा कि मैंने फ़लां कपड़ा या फ़लां कपड़ा या फ़लां खाना खास्सतन मुराद लिया था तो दयानतन इस की तसदीक़ होगी मगर क़ज़ाअन तसदीक़ न होगी यह शरह जामअ सग़ीर क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि दार फ़लां से न पियूंगा फिर इस में से कोई चीज़ खाई तो सदर शहीद रह० ने अपने वाक़िआत में फ़रमाया कि मुख़्तार मेरे नज़दीक यह है कि वो हानिस न होगा इल्ला आंकि तमाम माकूलात व मशरूबात की नियत की हो कज़ा फ़िल मुहीत क़ालल मुतरजम हमारे उर्फ़ के

रग़ीफ़ तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो इस स्थिति में इस की क़सम खास्सतन रग़ीफ़ पर होगी चुनांचे अगर इस ने रग़ीफ़ खाने के बाद ही छुहारे वग़ैरह खाये तो पापी न होगा और इस की क़सम रग़ीफ़ों के साथ मुक़य्यद होगी और अगर कहा कि अगर मैं आज के दिन एक रग़ीफ़ से ज़्यादा खाउंतो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो यह क़सम रग़ीफ़ों के साथ मुक़य्यद होगी और अगर कहा कि अगर मैं आज के दिन एक रग़ीफ़ से ज़्यादा खाउं तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो यह क़सम खास्सतन रोटी पर होगी चुनांचे अगर बाद एक रग़ीफ़ के इसने छुहारे व फ़वाका खाये तो पापी होगा और तक़दीर बात इस स्थिति में यह होगी कि अगर मैं आज के दिन जिन्स रग़ीफ़ से एक रग़ीफ़ से ज़्यादा खाउं तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है बस चूंकि इस तरह कहने में इस की क़सम खास रोटियों के साथ मुख़्तसि होती है इसी तरह स्थिति वर्णितह में भी रग़ीफ़ों के साथ मख़्सूस होगी और जो हम ने सिवा रग़ीफ़ कहने की स्थिति में बयान कियसा है वही ग़ैर रग़ीफ़ सिवाए रग़ीफ़ कहने की स्थिति में भी है यह मुहीत में वर्णित है एक मर्द ने कहा कि अगर मैंने कपड़ा पहनाया मैंने खाया या मैंने पिया तो मेरी बीवी तालिक़ा है और फिर दावा किया कि मैंने अपनी क़सम में खास्सतन फ़लां तआम तात्पर्य लिया था और फ़लां तआम तात्पर्य नहीं लिया था तो न्यायिक व दयानतन किसी तरह इस के कथन की पुष्टि न होगी और यही सही और यही ज़ाहिर उल रिवाया में है और अगर कहा कि अब बस्त तोबा अवाकलत तआमन यानी अगर पहना मैंने कपड़ा खाया मैंने खाना तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर दावा किसा कि मैंने फ़लां कपड़ा या फ़लां कपड़ा या फ़लां खाना खास्सतन तात्पर्य लिया था तो दयानतन इस की पुष्टि होगी मगर न्यायिक पुष्टि न होगी यह शरह जामअ सग़ीर क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि घर फ़लां से न पियूंगा फिर इस में से कोई चीज़ खाई तो सदर शहीद रह० ने अपने वाक़िआत में फ़रमाया कि मुख़्तार मेरे निकट यह है कि वह पापी न होगा सिवा आंकि तमाम माकूलात व मशरूबात की इरादा की हो कज़ा फ़िल मुहीत अनुवादक के कथनानुसार हमारे उर्फ़ के मुवाफ़िक़

मुवाफ़िक़ बिल क़तअ वो हानिस न होगा और अगर इस ने तमाम माकूलात की नियत की हो तो खिलाफ़ मुहावरह है जो लाज़िम आये इस की नियत का फल होगा इस वास्ते कि खाना पीना हमारे इतलाक़ में जुदा जुदा हैं वल्लाह तआला आलम फ़ारसी में कहा कि 'अज़ खाना फ़लां सब चीज़ मन्दखूरम' यानी फ़लां के घर से कुछ न खाउंगा तो यह खाने व पीने दोनों को शामिल है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और यह नोअ इस्तेमाल है वैसा ही हमारा उर्फ़ है वल्लाहु आलम।

अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ मशरूब न पियूंगा फिर दोनों नें एक है मजलिस में एक है मशरूगब से पियसा तो हानिस होगा अगरचे दोनों के पीने के बर्तन मुख़्तलिफ़ हों और इसी तरह अगर एक मजलिस हो और दोनों के मशरूब मुख़्तलिफ़ हों तो भी हानिस होगा और अगर इस ने मशरूब वाहिद यसा ज़र्फ़ वाहिद में साथ न पीने की नियत की हो तो क़ज़ाअन इस के क़ौल की तसदीक़ होगी यह बदाऐ में है एक ने क़सम खाई कि फ़लां की ज़ियाफ़त में एक बार से ज़्यादा न पियूंगा पस इस ने एक बार इस के मकान में पिया और दूसरी बार इस के पिस्तान में पिया तो मशाइख ने फ़रमाया कि अगर ज़ियाफ़त एक ही हो तो हानि होगा और एक ने क़सम खाई कि पानी न पियूंगा फिर इस ने आब क़लिया पिया तो हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और एक ने क़सम खाई कि फ़लां की गाये का दूध न पियूंगा फिर इस के गाये मर गई और इस की एक बछिया है जो बडी हुई फिरइस का दूध इस ने पिया तो हानिस न होगा। (1) यह ख़ुलासा में है एक ने क़सम खाई कि ला यशरब उल माअ यानी पानी न पियूंगा और इस कीक ुछ नियत नहीं है तो चाहिए किसी क़द्र पिये हानिस होगा और इस ने अलमाअ से कुल माअ यानी तमाम (1) पानी मुराद लिया हो तो कभी हानिस न होगा और नियत सही है यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि 'लायशरब शराबन' यानी कोई पीने की चीज़ न पियूंगा और इस की नियत नहीं है तो पानी वग़ैरह कोई पीने की चीज़ है हानिस होगा ऐसा ही ईमान लासल में मज़कूर है और हील असल में मज़कूर है कि अगर क़सम

बिल क़तअ वह पापी न होगा और अगर इस ने तमाम माकूलात की इरादा की हो तो खिलाफ़ मुहावरह है जो अनिवार्य आये इस की इरादा का फल होगा इस लिए कि खाना पीना हमारे इतलाक़ में जुदा जुदा हैं वल्लाह तआला आलम फ़ारसी में कहा कि 'अज़ खाना फ़लां सब चीज़ मन्दखूरम' यानी फ़लां के घर से कुछ न खाउंगा तो यह खाने व पीने दोनों को शामिल है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और यह नोअ इस्तेमाल है वैसा ही हमारा उर्फ़ है वल्लाहु आलम।

अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ मशरूब न पियूंगा फिर दोनों नें एक है मजलिस में एक है मशरूगब से पियसा तो पापी होगा चाहे दोनों के पीने के बर्तन मुख़्तलिफ़ हों और इसी तरह अगर एक मजलिस हो और दोनों के मशरूब मुख़्तलिफ़ हों तो भी पापी होगा और अगर इस ने मशरूब वाहिद यसा ज़र्फ़ वाहिद में साथ न पीने की इरादा की हो तो न्यायिक इस के कथन की पुष्टि होगी यह बदाऐ में है एक ने क़सम खाई कि फ़लां की ज़ियाफ़त में एक बार से ज़्यादा न पियूंगा बस इस ने एक बार इस के मकान में पिया और दूसरी बार इस के पिस्तान में पिया तो विद्वानों ने फ़रमाया कि अगर ज़ियाफ़त एक ही हो तो हानि होगा और एक ने क़सम खाई कि पानी न पियूंगा फिर इस ने आब क़लिया पिया तो पापी न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और एक ने क़सम खाई कि फ़लां की गाये का दूध न पियूंगा फिर इस के गाये मर गई और इस की एक बछिया है जो बडी हुई फिरइस का दूध इस ने पिया तो पापी न होगा। (1) यह ख़ुलासा में है एक ने क़सम खाई कि ला यशरब उल माअ यानी पानी न पियूंगा और इस कीक ुछ इरादा नहीं है तो चाहिए किसी क़द्र पिये पापी होगा और इस ने अलमाअ से कुल माअ यानी तमाम (1) पानी तात्पर्य लिया हो तो कभी पापी न होगा और इरादा सही है यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि 'लायशरब शराबन' यानी कोई पीने की चीज़ न पियूंगा और इस की इरादा नहीं है तो पानी वग़ैरह कोई पीने की चीज़ है पापी होगा ऐसा ही ईमान लासल में वर्णित है और हील असल में वर्णित है कि अगर क़सम खाई कि अलशराब यानी

खाई कि अलशराब यानी शराब न पियूंगा और इस की कुछ नियत नहीं है तो यह क़सम ख़ुमर पर वाक़े होगी यह ज़खीरह में है और इमाम सुरखी ने फ़रमाया कि यह ज़बान अरबी में क़सम खाने की सूरत में है और अगर फ़ारसी में क़सम खाई तो बहरहाल (2) ख़मर पर वाक़े होगी मौल्लिफ़ रह० ने फ़रमाया कि फ़तवा के वास्ते मुख़्तार वो है जो मील उल असल में फ़रमाया है यह ख़ुलासा में है और अगर क़सम खाई कि आज न पियूंगा तो जो चीज़ पीने हानिस होगा हत्ता कि सिरका और घी पीने से भी हानिस होगा यह वजीज़ करदरी में है और अगर क़सम खाई कि दूध न पियूंगा फिर दूध में पानी डाल कर इस को पिया तो असल इस मसले और इस के जिन्स के मसाइल में यह है कि जब हालिफ़ ने अपनी क़सम किसी सियाल चीज़ पर मक़सूद कीऔर फिर इस चीज़ में दूसरी जिन की सियाल चीज़ ग़लत करदी पस अगर वो सियाल चीज़ जिस पर क़सम खाई है ग़ालिब होगा तो हानिस होगा और अगर दूसरी जिन्स की सियाल चीज़ ग़ालिब हो तो हानिस न होगा और अगर दोनों बराबर हों तो क़यासन हानिस होगा मगर इस्तहसानन यह है कि हानिस न होगा और ग़ालिब होगा और ग़ालिब होने के मअनी इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने यूं बयान किये हैं कि जिस पर क़सम खाई कि अगर इस का रंग ज़ाहिर होता हो और इस का मज़ह पाया जाता हो तो वो ग़ालिब है और इमाम मुहम्मद रह० से फ़रमाया कि ग़लबा में "حيث الاجزاء هى قال المترجم هذا هو الاظهر ليكون الحكم الى الاكثر اميل خروج المخوط الى اكثر احكم فليتامل" और यह इस वक्त है कि जिस पर क़सम खाई थी इस को ग़ैर जिन्स में मिला दिया और अगर इसी जिन्स में मिलाया मसलन दूध को दूसरे दूध में मिला दिया (2) तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० के नज़दीक यह औलाद यक्सां हैं यानी ऐतबार ग़ालिब का होगा पस बराहे रंग व मज़ह के यहां ऐतबार मुमकिन नहीं है इस वास्ते बलिहाज़ मिक़दार के ग़लबा ऐतबार कियसा जायेगा और इमाम मुहम्मद रह० के नज़दीक ऐसी सूरत में हर हाल में हानिस होगा और मशाइख़ ने फ़रमाया कि यह इख़्तलाफ़ इन चीज़ों में है जो मुख़्तलत व मुमतरज हो

शराब न पियूंगा और इस की कुछ इरादा नहीं है तो यह क़सम ख़ुमर पर स्थपित होगी यह ज़खीरह में है और इमाम सुरखी ने फ़रमाया कि यह ज़बान अरबी में क़सम खाने की स्थिति में है और अगर फ़ारसी में क़सम खाई तो बहरहाल (2) ख़मर पर स्थपित होगी मौल्लिफ़ रह० ने फ़रमाया कि फ़तवा के लिए मुख़्तार वह है जो मील उल असल में फ़रमाया है यह ख़ुलासा में है और अगर क़सम खाई कि आज न पियूंगा तो जो चीज़ पीने पापी होगा हत्ता कि सिरका और घी पीने से भी पापी होगा यह वजीज़ करदरी में है और अगर क़सम खाई कि दूध न पियूंगा फिर दूध में पानी डाल कर इस को पिया तो असल इस मसले और इस के जिन्स के मसाइल में यह है कि जब शपथकर्ता ने अपनी क़सम किसी सियाल चीज़ पर मक़सूद कीऔर फिर इस चीज़ में दूसरी जिन की सियाल चीज़ ग़लत करदी बस अगर वह सियाल चीज़ जिस पर क़सम खाई है ग़ालिब होगा तो पापी होगा और अगर दूसरी जिन्स की सियाल चीज़ ग़ालिब हो तो पापी न होगा और अगर दोनों बराबर हों तो क़यासन पापी होगा मगर इस्तहसानन यह है कि पापी न होगा और ग़ालिब होगा और ग़ालिब होने के मअनी इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने यूं बयान किये हैं कि जिस पर क़सम खाई कि अगर इस का रंग ज़ाहिर होता हो और इस का मज़ह पाया जाता हो तो वह ग़ालिब है और इमाम मुहम्मद रह० से फ़रमाया कि ग़लबा में "حيث الاجزاء هى قال المترجم هذا هو الاظهر ليكون الحكم الى الاكثر اميل خروج المخوط الى اكثر احكم فليتامل" और यह इस समय है कि जिस पर क़सम खाई थी इस को ग़ैर जिन्स में मिला दिया और अगर इसी जिन्स में मिलाया मसलन दूध को दूसरे दूध में मिला दिया (2) तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० के निकट यह औलाद यक्सां हैं यानी ऐतबार ग़ालिब का होगा बस बराहे रंग व मज़ह के यहां ऐतबार मुमकिन नहीं है इस लिए बलिहाज़ मिक़दार के ग़लबा ऐतबार कियसा जायेगा और इमाम मुहम्मद रह० के निकट ऐसी स्थिति में हर हाल में पापी होगा और विद्वानों ने फ़रमाया कि यह मतभेद इन चीज़ों में है जो मुख़्तलत व मुमतरज हो जाती हैं और जो चीज़ें मुख़्तलत

जाती हैं और जो चीज़ें मुख़्तलत व मुमतज़ज नहीं होती हैं जैसे तेल कि दूध में मिलाया जाये मसलन और तेल न पीने की क़सम हो तो बिल इत्तफ़ाक़ हानिस होगा और क़ुदूरी में लिखा है कि अगर किसी क़द्र आब ज़मज़म पर क़सम खाई कि इस में से कुछ न पियूंगा फिर इस को दूवसरे पानी में डाल दिया यहां तक कि वो मग़लूब हो गया फिर इस में से पिया तो इमाम मुहम्मद रह० के नज़दीक हानिस होगा और अगर इस को कुंवे या हौज़ में डाल दिया फिर इस का पानी पिया तो हानिस न होगा यह ज़हीरिया में है और अगर क़सम खाई कि इस आब शीरीं में से न पियूंगा फिर इस को खारी पानी में डाल दिया कि खारी इ पर ग़ालिब हो गया फिर इस को पिया तो हानिस न होगा और इसी तरह अगर खारी पर क़सम खाई और इस को शीरीं में मिला दिया तो भी सूरत मज़कूरह में यानी शीरीं ग़ालिब हो जाने में यही हुक्म है कि हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है एक ने क़सम खाईई कि खमीर न पियूंगा फिरइस को ग़ैर जिन्स में मिर्च कर दिया जैसे कमबनी व अख़्वा में मिला दिया और फिर इस में से पिया तो ग़ालिब का ऐबार किया जायेगा यह ख़ुलासा में है।

(1)क्योंकि वो दोनों जुदा जुदा है अगरचे वास्तव में इसी का बच्चा है।
(2)नी क़मखाई कि इस दूध को न पियूंगा फ़ाफ़हम।
(1)कि वो ताक़त से बाहर है।
(2)दोनों सूरतों में।

अगर फ़ारसी में क़सम खाई कि 'मैय नख़ूरम व बदस्त नगीरम' फिर इस को अपने हाथ में ले कर एक जगह से दूसरी जगह ले गयाः

अगर क़सम खाई कि नबीज़ न पियूंगा तो मुख़्तार यह है कि क़सम आब अंगूर मसकर पर वाक़े होगी ख़्वाह वो ख़ाम हे या मतबूख़ हो यह ज़ख़ीरह करदरी में है और अगर क़सम खाई कि सैकी नख़ूरम तो ही यह है कि सैकी का लफ़्ज़ फ़क़त आब अंगूर मसकर पर वाक़े होता है ख़्वाह खाम हो या मतबूख़ हो या यह मुहीत में है खानिया में लिखा है कि इसी पर फ़तवा है यह तातार

व मुमतज़ज नहीं होती हैं जैसे तेल कि दूध में मिलाया जाये मसलन और तेल न पीने की क़सम हो तो बिल इत्तफ़ाक़ पापी होगा और क़ुदूरी में लिखा है कि अगर किसी क़द्र आब ज़मज़म पर क़सम खाई कि इस में से कुछ न पियूंगा फिर इस को दूवसरे पानी में डाल दिया यहां तक कि वह मग़लूब हो गया फिर इस में से पिया तो इमाम मुहम्मद रह० के निकट पापी होगा और अगर इस को कुंवे या हौज़ में डाल दिया फिर इस का पानी पिया तो पापी न होगा यह ज़हीरिया में है और अगर क़सम खाई कि इस आब शीरीं में से न पियूंगा फिर इस को खारी पानी में डाल दिया कि खारी इ पर ग़ालिब हो गया फिर इस को पिया तो पापी न होगा और इसी तरह अगर खारी पर क़सम खाई और इस को शीरीं में मिला दिया तो भी स्थिति वर्णितह में यानी शीरीं ग़ालिब हो जाने में यही आदेश है कि पापी न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है एक ने क़सम खाईई कि खमीर न पियूंगा फिरइस को ग़ैर जिन्स में मिर्च कर दिया जैसे कमबनी व अख़्वा में मिला दिया और फिर इस में से पिया तो ग़ालिब का ऐबार किया जायेगा यह ख़ुलासा में है।

(1)क्योंकि वह दोनों जुदा जुदा है चाहे वास्तव में इसी का बच्चा है।
(2)नी क़मखाई कि इस दूध को न पियूंगा फ़ाफ़हम।
(1)कि वह ताक़त से बाहर है।
(2)दोनों स्थितियों में।

अगर फ़ारसी में क़सम खाई कि 'शराब न पियूंगा व न हाथ में पकडूंगा' फिर इस को अपने हाथ में ले कर एक जगह से दूसरी जगह ले गयाः

अगर क़सम खाई कि नबीज़ न पियूंगा तो मुख़्तार यह है कि क़सम आब अंगूर मसकर पर स्थपित होगी चाहे वह ख़ाम हे या मतबूख़ हो यह ज़ख़ीरह करदरी में है और अगर क़सम खाई कि सैकी नख़ूरम तो ही यह है कि सैकी का लफ़्ज़ केवल आब अंगूर मसकर पर स्थपित होता है चाहे खाम हो या मतबूख़ हो या यह मुहीत में है खानिया में लिखा है कि इसी पर फ़तवा है यह तातार

ख़ानिया में है और अगर फ़ारसी में खाई कि 'मैय नख़ूरम व बदस्त नगीरम' फिर इस को अपनधे हाथ में ले कर एक जगह से दूसरी जगह ले गया पस अगर क़सम के वक़्त अपने कलाम से यह नियत न की थी कि नहीं पियूंगा यानी क़सम से मुराद यही था कि इस को न पियूंगा तो सही यह है कि हानिस होगा यह वजीज़ करदरी में है और इस्म .ख़ुमर जिस की फ़ारसी है सही यह है कि चयह फ़क.ात आब अंगूर ख़ाम पर वाक़े होता है और अगर फ़ारसी में ेकहा कि मसकरह (1) नख़ूरम यानी क़सम खाई तो बाज़ ने फ़रमाया है कि जो मबूब से बनाई जाती है इ पर इस की क़सम न वाक़ें होगी और सही यह है कि इ में उर्फ़ का ऐतबार है कि अगर उर्फ़ में इन चीज़ों से बनाई हुई शराब को मसकरह कहते हैं तो हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि ऐसी शराब न पियूंगा कि इस से सकर होता है फिर शराब मसकर को दूसरी शराब .ग़ैर मसकर में मिला कर पी लिया तो फ़तावा अहले समरक़न्द में मज़कूर है कि अगर यह ऐसी हो कि इस में से बहुत पीने से नशा हो जाये तो हानिस होगा और अगर अपनी क़सम ऐसी चीज़ के पीने पर अक़्द की जो पी नहीं जाती है और जो चीज़ इस से निकलती है वो पी जाती है तो इस की क़सम जो इस से निकलती है इस के पीने पर वाक़े होगी इस की मिसाल यह है कि मुन्तक़ा में मज़कूर है कि अगर क़सम खाई कि इस तमर यानी छुहारे से न पियूंगा फिर इस की नबीज़ पी तो अपनी क़सम में हानिस होगा और इस जिन्स के मसाइल की तख़रीज में है यही असल है यह मुहीत में लिखा है एक ने अपनी बीवी की तलाक़ की क़सम इस अम्र पर खाई कि मसकर न पियूंगा फिर कोई चीज़ मसकर इस के हलक़ में डाली गई जो इस के पेट में चली गई तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि अगर बदूं इस के फ़अल के अन्दर चली गई तो हानिस न होगा हां अगर इस के बाद इस ने .ख़ुद पी ली तो हानिस होगा और अगर इस के मुंह में डाली गई पस इस ने रोक रखी फिर इस को पी गया तो हानिस हो गया यह फ़तावा क़ाज़ी खद्धान में है एक ने क़सम खाई कि फ़लां के प्याले से न पियूंगा फिर हालिफ़ ने इस के प्यसाले से

ख़ानिया में है और अगर फ़ारसी में खाई कि 'मैय नख़ूरम व बदस्त नगीरम' फिर इस को अपनधे हाथ में ले कर एक जगह से दूसरी जगह ले गया बस अगर क़सम के समय अपने बात से यह इरादा न की थी कि नहीं पियूंगा यानी क़सम से तात्पर्य यही था कि इस को न पियूंगा तो सही यह है कि पापी होगा यह वजीज़ करदरी में है और इस्म .ख़ुमर जिस की फ़ारसी है सही यह है कि चयह फ़क.ात आब अंगूर ख़ाम पर स्थपित होता है और अगर फ़ारसी में ेकहा कि मसकरह (1) नख़ूरम यानी क़सम खाई तो कुछ ने फ़रमाया है कि जो मबूब से बनाई जाती है इ पर इस की क़सम न वाक़ें होगी और सही यह है कि इ में उर्फ़ का ऐतबार है कि अगर उर्फ़ में इन चीज़ों से बनाई हुई शराब को मसकरह कहते हैं तो पापी होगा और अगर क़सम खाई कि ऐसी शराब न पियूंगा कि इस से सकर होता है फिर शराब मसकर को दूसरी शराब .ग़ैर मसकर में मिला कर पी लिया तो फ़तावा अहले समरक़न्द में वर्णित है कि अगर यह ऐसी हो कि इस में से बहुत पीने से नशा हो जाये तो पापी होगा और अगर अपनी क़सम ऐसी चीज़ के पीने पर अक़्द की जो पी नहीं जाती है और जो चीज़ इस से निकलती है वह पी जाती है तो इस की क़सम जो इस से निकलती है इस के पीने पर स्थपित होगी इस की मिसाल यह है कि मुन्तक़ा में वर्णित है कि अगर क़सम खाई कि इस तमर यानी छुहारे से न पियूंगा फिर इस की नबीज़ पी तो अपनी क़सम में पापी होगा और इस जिन्स के मसाइल की तख़रीज में है यही असल है यह मुहीत में लिखा है एक ने अपनी बीवी की तलाक़ की क़सम इस कार्य पर खाई कि मसकर न पियूंगा फिर कोई चीज़ मसकर इस के हलक़ में डाली गई जो इस के पेट में चली गई तो विद्वानों ने फ़रमाया कि अगर बदूं इस के फ़अल के अन्दर चली गई तो पापी न होगा हां अगर इस के बाद इस ने .ख़ुद पी ली तो पापी होगा और अगर इस के मुंह में डाली गई बस इस ने रोक रखी फिर इस को पी गया तो पापी हो गया यह फ़तावा क़ाज़ी खद्धान में है एक ने क़सम खाई कि फ़लां के प्याले से न पियूंगा फिर शपथकर्ता ने इस के प्यसाले से अपने हाथ पर पानी नाकर अपने हाथ से पी लिया तो

अपने हाथ पर पानी नाकर अपने हाथ से पी लिया तो हानिस न होगा यह ज़खीरह में है एक ने क़सम खाई कि फ़लां के पानी से न पियूंगा और हालिफ़ इस फ़लां की दुकान की में बैठता है फिर हालिफ़ नेएक कूज़ा खरीद कर रात को फ़लां मज़कूर की दुकान में रख दिया फिर फ़लां के अजीर ने इस कूज़ह में नहर से पानी भर कर रात में दुकान में रख दिया फिर जब सुबह को हालिफ़ इस दुकान में आया तो पानी का कूज़ा मांग कर इस में से पी लिया पस अगर हालिफ़ ने यह कूतज़ा इसी हीला के वास्ते खरीदा होता कि हानिस न हो तो मुझे उम्मीद है कि वो हानिस न होगा इस वास्ते कि अजीर मज़कूर इस सूरत में हालिफ़ का आमिल हो जायेगा पस वो अपना पानी पीने वाला हुआ यह .ख़ुलासा में है एक ने क़सम खाई कि इ क़रया में खमर न पियूंगा फिर इस क़रयसा कि बाग़हाये अंगूर या खेतों में शराब पी तो मशाइख ने फ़रमाया कि अगर गांव की आबादी में या इन बाग़हाये अंगूर में जो आबादी से मिले हुए हैं शराब पी तो हानिस होगा वरना नहीं यह ज़हीरिया में है अगर कहा कि अगर मैंने शराब पी या जुवा खेला तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो इन दोनों में से एक काम करने से हानिस हो जायेगा और क़सम मुस्तसना (1) हो जायेगी और अगर कहा कि वल्लाह अगर शराब बख़ूरम व क़िमार बकनम तो इन में से एक फ़अल करने से हानिस होगा और अगर कहा कि ''गा सुर्ख न बैयनम शराब नख़ूरम' तो यह क़सम राजअ होगी गुल सुर्ख के बहार पर यानी गोया यूं कहा कि जब तक गुलाब न फूलेंगा मैं शराब न पियूंगा बशर्तेकि इस ने वास्तव में गुल सुर्ख देखना मुराद न लिया हो और अगर क़सम खाई कि इन दोनों बकरियों से न पियूंगा फिर एक का दूध पिया तो हानिस होगा यह सिराजिया में है।

एक ने अपनी बीवी की तलाक़ की क़सम खाई इस पर कि बादाम कि बुखारा में हों शराब न पियूंगा फिर क़सर मजूस (1) की तरफ़ चला गयसा फिर वहां से वापिस आया और शराब पी तो शैख अबूबकर मुहम्मद बिन अफ़ज़ल ने फ़रमाया कि अगर इस ने बादाम या बुखारा में लहूं इस क़ौल से बुखारा की सुकूनत मुराद ली और हाल यह कि वो क़सम के वक्त बुखारा का साकिन

पापी न होगा यह ज़खीरह में है एक ने क़सम खाई कि फ़लां के पानी से न पियूंगा और शपथकर्ता इस फ़लां की दुकान की में बैठता है फिर शपथकर्ता नेएक कूज़ा खरीद कर रात को फ़लां वर्णित की दुकान में रख दिया फिर फ़लां के अजीर ने इस कूज़ह में नहर से पानी भर कर रात में दुकान में रख दिया फिर जब सुबह को शपथकर्ता इस दुकान में आया तो पानी का कूज़ा मांग कर इस में से पी लिया बस अगर शपथकर्ता ने यह कूतज़ा इसी हीला के लिए खरीदा होता कि पापी न हो तो मुझे उम्मीद है कि वह पापी न होगा इस लिए कि अजीर वर्णित इस स्थिति में शपथकर्ता का आमिल हो जायेगा बस वह अपना पानी पीने वाला हुआ यह .ख़ुलासा में है एक ने क़सम खाई कि इ क़रया में खमर न पियूंगा फिर इस क़रयसा कि बाग़हाये अंगूर या खेतों में शराब पी तो विद्वानों ने फ़रमाया कि अगर गांव की आबादी में या इन बाग़हाये अंगूर में जो आबादी से मिले हुए हैं शराब पी तो पापी होगा वरना नहीं यह ज़हीरिया में है अगर कहा कि अगर मैंने शराब पी या जुवा खेला तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो इन दोनों में से एक काम करने से पापी हो जायेगा और क़सम मुस्तसना (1) हो जायेगी और अगर कहा कि वल्लाह अगर शराब बख़ूरम व क़िमार बकनम तो इन में से एक फ़अल करने से पापी होगा और अगर कहा कि ''गा सुर्ख न बैयनम शराब नख़ूरम' तो यह क़सम राजअ होगी गुल सुर्ख के बहार पर यानी गोया यूं कहा कि जब तक गुलाब न फूलेंगा मैं शराब न पियूंगा बशर्तेकि इस ने वास्तव में गुल सुर्ख देखना तात्पर्य न लिया हो और अगर क़सम खाई कि इन दोनों बकरियों से न पियूंगा फिर एक का दूध पिया तो पापी होगा यह सिराजिया में है।

एक ने अपनी बीवी की तलाक़ की क़सम खाई इस पर कि बादाम कि बुखारा में हों शराब न पियूंगा फिर क़सर मजूस (1) की तरफ़ चला गयसा फिर वहां से वापिस आया और शराब पी तो शैख अबूबकर मुहम्मद बिन अफ़ज़ल ने फ़रमाया कि अगर इस ने बादाम या बुखारा में लहूं इस कथन से बुखारा की सुकूनत तात्पर्य ली और हाल यह कि वह क़सम के समय बुखारा का

था तो हानिस होगा और अगर क़ौल मज़कूर से इस ने अपने बदन का बुख़ारा में होना मुराद लिया फिर क़सर उल मजूस में जाकर वापिस आकर शराब पी तो क़सम बाक़ी न रहेगी और अगर इस की कुछ नियवत न हो फिर वहां जाकर वापिस आया तो काफ़ी है हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है एक ने कहा कि अगर मैंने शराब पी तो मेरी औरत मुतलक़ा हो जायेगी और मेरा ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा फिर इस ने शराब पी तो इस की बीवी तालिक़ा और ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा और अगर इस ने दावा किया कि मैंने इस से तलाक़ व इताक़ की नियत नहीं की थी बल्कि मेरी ग़र्ज़ यह थी कि मेरे असहाब मेरा पीछा छोड दें तो तसदीक़ न होगी एक ने क़सम खाई कि तीन महीना मसकर न पियूंगा पस इस की जोरू ने कहा कि चार महीना पस शौहर ने कहा कि चार माह गीर तो बाज़ ने फ़रमाया कि मुद्दत चार महीना हो जायेगी और बाज़ ने कहा कि चार महीना न होगी और यह बर बनाऐ आँकि अगर हालिफ़ ने बाद सकूत के अपनी क़सम पर ऐसी बात को इतफ़ किया जिस से इस के नफ़्स पर सख़्ती ज़्यादा हुई जाती है तो वो इमाम अबू यूसुफ़ रह० के नज़दीक इस की क़सम में लाहक़ (2) हो जायेगी और अगर बाद सकूत के ऐसी बात अतफ़ की जिस से इस के नफ़्स पर आसानी होती है तो इस की क़सम में मुलहक़ न होगी फिर मशाइख़ ने इख़्तलाफ़ किया है कि सूरत मज़कूरह में इस के नफ़्स पर सख़्ती होती है या आसानी पस बाज़ ने कहा कि सख़्ती है इस जहत से कि तलाक़ चौथे महीने के पीने पर वाक़े होगी और यही असह है यह मुहीत में है व ज़ख़ीरह में है।

अगर किसी ने क़सम खाई कि फ़ुरात से कभी न पियूंगा फिर इस चुल्लुओं में भर कर पिया या बर्तन में ले कर पिया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार हानिस न होगा :

इमाम मुहम्मद रह० ने जामअ कबीर में फ़रमाया कि अगर किसी ने क़सम खाई कि फ़ुरात से कभी न पियूंगा फिर इस से चुल्लुओं में भर कर पिया या बर्तन में

साकिन था तो पापी होगा और अगर कथन वर्णित से इस ने अपने बदन का बुख़ारा में होना तात्पर्य लिया फिर क़सर उल मजूस में जाकर वापिस आकर शराब पी तो क़सम बाक़ी न रहेगी और अगर इस की कुछ नियवत न हो फिर वहां जाकर वापिस आया तो काफ़ी है पापी न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है एक ने कहा कि अगर मैंने शराब पी तो मेरी औरत मुतलक़ा हो जायेगी और मेरा ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा फिर इस ने शराब पी तो इस की बीवी तालिक़ा और ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा और अगर इस ने दावा किया कि मैंने इस से तलाक़ व इताक़ की इरादा नहीं की थी बल्कि मेरी ग़र्ज़ यह थी कि मेरे असहाब मेरा पीछा छोड दें तो पुष्टि न होगी एक ने क़सम खाई कि तीन महीना मसकर न पियूंगा बस इस की जोरू ने कहा कि चार महीना बस शौहर ने कहा कि चार माह गीर तो कुछ ने फ़रमाया कि मुद्दत चार महीना हो जायेगी और कुछ ने कहा कि चार महीना न होगी और यह बर बनाऐ आँकि अगर शपथकर्ता ने बाद सकूत के अपनी क़सम पर ऐसी बात को इतफ़ किया जिस से इस के नफ़्स पर सख़्ती ज़्यादा हुई जाती है तो वह इमाम अबू यूसुफ़ रह० के निकट इस की क़सम में लाहक़ (2) हो जायेगी और अगर बाद सकूत के ऐसी बात अतफ़ की जिस से इस के नफ़्स पर आसानी होती है तो इस की क़सम में मुलहक़ न होगी फिर विद्वानों ने मतभेद किया है कि स्थिति वर्णितह में इस के नफ़्स पर सख़्ती होती है या आसानी बस कुछ ने कहा कि सख़्ती है इस जहत से कि तलाक़ चौथे महीने के पीने पर स्थपित होगी और यही असह है यह मुहीत में है व ज़ख़ीरह में है।

अगर किसी ने क़सम खाई कि फ़ुरात से कभी न पियूंगा फिर इस से चुल्लुओं में भर कर पिया या बर्तन में ले कर पिया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार पापी न होगा :

इमाम मुहम्मद रह० ने जामअ कबीर में फ़रमाया कि अगर किसी ने क़सम खाई कि फ़ुरात से कभी न पियूंगा फिर इस से चुल्लुओं में भर कर पिया या बर्तन में

ले कर पिया तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक हानिस न होगा जब तक कि मुंह लगा कर न पिये और साहिबीन रह० के नज़दीक हानिस होगा क़ालल मुतरजम इमाम के नज़दीक हक़ीक़त जो हो सकती हो अव्वले ही यानी फ़रात में से मुंह से पी सकता है और साहिबीन के नज़दीक किया हुक्म है पस यह मसला किताब में मज़कूर नहीं है और मशाइख रह० ने इस में इख़्तलाफ़ किया है बाज़ ने कहा कि नहीं हानिस होगा और बाज़ ने कहा कि हानिस होगा और

(1)क़सर उल मजूस क़रीब बुखारा केएक गांव है मुत्तसिल बुखारा कि इस में ताम्मुल है कि वो बुखारा में दाखिल हैयाखारिज तो इस मसले से साबित हुआ किखारिज है।

(2)मुतरजम कहता है कि इस में दो सूरतें हैं अव्वलयह कि नफ़्स उल अम्र मेंऐसा है दोमयह कि हक+ कज़ा मेंखास्सतनयह हुक्म है। अव्वल बनज़र मसला मज़कूरह अज़हर है और दाम उक़्रब बफ़िक़हा है औरयही सही है इस वास्ते कि नफ़्स क़सम को तंगी व आसानी में कुछ दखल नहीं है बल्कि मदार नियत पर फ़ताम्मुल।

(1)क़सम होगी।

यह इस वक़्त है कि इस की कुछ नियत न हो और अगर इस ने यह नियत की हो कि मुंह लगा कर न पियूंगा तो साहिबीन रह० के अनुसार इस की नियत क़ज़ाअन व दयानतन सही होगी और अगर इस ने चुल्लुओं व बर्तन से पीने की नियत की तो इमाम आज़म रह० के अनुसार दयानतन इस की तसदीक़ होगी मगर क़ज़ाअन तसदीक़ न होगी और यह सब उस समय है कि उसने फ़रात से चुल्लू से या मुंह लगा कर पिया हो और अगर इस ने किसी दूसरी नहर से जो फ़रात से पानी लेती है चुल्लू से या मुंह लगा कर पिया तो अपनी क़सम में सब के अनुसार बिल इत्तफ़ाक़ मुवाफ़िक़ ज़ाहिर उल रिवायत के हानिस न होगा यह ज़खीरह में है और अगर क़सम खाई कि आब फ़रात से न पियूंगा फिर इस ने किसी नहर से जो फ़रात से पानी लेती है चुल्लू से या मुंह लगा कर पिया या ख़ुद फ़रात से चुल्लू से या मुंह लगा कर पिया तो बिल इत्तफ़ाक़ सब इमामों के अनुसार हानिस होगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है और अगर क़सम खाई कि यह दजला से पानी न पियूंगा और इस की कुछ नियत नहीं है फिर बर्तन में ले कर पानी पिया तो हानिस न होगा यहां तक कि मुंह लगा कर पिये

ले कर पिया तो इमाम आज़म रह० के निकट पापी न होगा जब तक कि मुंह लगा कर न पिये और साहिबीन रह० के निकट पापी होगा अनुवादक के कथनानुसार इमाम के निकट हक़ीक़त जो हो सकती हो पहलो ही यानी फ़रात में से मुंह से पी सकता है और साहिबीन के निकट किया आदेश है बस यह मसला किताब में वर्णित नहीं है और विद्वानों रह० ने इस में मतभेद किया है कुछ ने कहा कि नहीं पापी होगा और कुछ ने कहा कि पापी होगा और

(1)क़सर उल मजूस क़रीब बुखारा केएक गांव है मुत्तसिल बुखारा कि इस में ताम्मुल है कि वह बुखारा में प्रवेश हैयाखारिज तो इस मसले से सि(हुआ किखारिज है।

(2)अनुवादक कहता है कि इस में दो सूरतें हैं पहलायह कि नफ़्स उल कार्य मेंऐसा है दोमयह कि हक+ कज़ा मेंखास्सतनयह आदेश है। पहला बमन्नत मसला वर्णितह अज़हर है और दाम उक़्रब बफ़िक़हा है औरयही सही है इस लि, कि नफ़्स क़सम को तंगी व आसानी में कुछ दखल नहीं है बल्कि मदार इरादा पर फ़ताम्मुल।

(1)क़सम होगी।

यह इस समय है कि इस की कुछ इरादा न हो और अगर इस ने यह इरादा की हो कि मुंह लगा कर न पियूंगा तो साहिबीन रह० के अनुसार इस की इरादा न्यायिक व दयानतन सही होगी और अगर इस ने चुल्लुओं व बर्तन से पीने की इरादा की तो इमाम आज़म रह० के अनुसार दयानतन इस की पुष्टि होगी मगर न्यायिक पुष्टि न होगी और यह सब उस समय है कि उसने फ़रात से चुल्लू से या मुंह लगा कर पिया हो और अगर इस ने किसी दूसरी नहर से जो फ़रात से पानी लेती है चुल्लू से या मुंह लगा कर पिया तो अपनी क़सम में सब के अनुसार बिल इत्तफ़ाक़ मुवाफ़िक़ ज़ाहिर उल रिवायत के पापी न होगा यह ज़खीरह में है और अगर क़सम खाई कि आब फ़रात से न पियूंगा फिर इस ने किसी नहर से जो फ़रात से पानी लेती है चुल्लू से या मुंह लगा कर पिया या ख़ुद फ़रात से चुल्लू से या मुंह लगा कर पिया तो बिल इत्तफ़ाक़ सब इमामों के अनुसार पापी होगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है और अगर क़सम खाई कि यह दजला से पानी न पियूंगा और इस की कुछ इरादा नहीं है फिर बर्तन में ले कर पानी पिया तो पापी न होगा यहां तक कि मुंह लगा कर पिये

और अगर क़सम खाई कि बारिश के पानी से न पियूंगा फिर दजला में बारिश का पानी जारी हुआ तो इस के पीने से हानिस न होगा और अगर इस ने किसी वादी से जिस में आब बारों रवां है हालांकि इस में और पानी न था पिया या किसी मैदान में आब बारां जमा हुआ इस में से पिया तो हानिस हो गया यह सिराज वहाज में है और अगर किसी नहर से पानी न पीने की क़समू खाई कि यह नहर दजला की तरफ़ जा रही है यानी इस में मिलती है फिर दजला में से पानी ले कर पिया तो हानिस (1) न होगा यह बहर उल राइक़ में है और अगर क़सम खाई कि आब फ़रात न पियूंगा बतरकीब सिफ़त मौसूफ़ या आब फ़रात में से न पियूंगा यानी बतरकीब सिफ़त मौसूफ़ फिर इस ने दजला वग़ैरह में से शीरीं पानी ले कर पिया तो हानिस होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर अपने ग़ुलामों से कहा कि जिस तुम से इस नहर का पानी पिया वो आज़ाद है फिर सब ने पिया तो सब आज़ाद हो जायेंगे और अगर कहा कि जो तुम में से इस कूज़ह का पानी पी जाये वो आज़ाद है और कूज़ह में इस क़द्र पानी था कि इस को इन में से एक दफ़ा या दो दफ़ा में पी सकता है फिर सभों ने इस को पिया तो कोई आज़ाद न होगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है।

अगर कहा कि अगर मैंने आज के रोज़ जो इस कूज़ह में पानी है या जो इस दूसरे कूज़ह में पानी है न पिया तो मेरी बीवी तालिक़ा है फिर दोनों में से एक का पानी बहा दिया गया तो इस की क़सम दूसरे पर बाक़ी रहेगी :

अगर क़सम खाई कि इस कूज़ह से न पियूंगा फिर इस में जो पानी था इस ने दूसरे कूज़ह में कर दिया और इस से पिया तो बिल इजमाअ हानिस न होगा और अगर कहा हो कि इस कूज़ह के पानी से न पियूंगा कफिर दूसरे कूज़ह में डाल कर पिया तो बिल इजमाअ हानिस होगा और इस तरह अगर कहा कि इस (1) मटके से या इस मटके के पानी (2) से फिर दूसरे कूज़ह में उंडेल लिया

और अगर क़सम खाई कि बारिश के पानी से न पियूंगा फिर दजला में बारिश का पानी जारी हुआ तो इस के पीने से पापी न होगा और अगर इस ने किसी वादी से जिस में आब बारों रवां है हालांकि इस में और पानी न था पिया या किसी मैदान में आब बारां जमा हुआ इस में से पिया तो पापी हो गया यह सिराज वहाज में है और अगर किसी नहर से पानी न पीने की क़समू खाई कि यह नहर दजला की तरफ़ जा रही है यानी इस में मिलती है फिर दजला में से पानी ले कर पिया तो पापी (1) न होगा यह बहर उल राइक़ में है और अगर क़सम खाई कि आब फ़रात न पियूंगा बतरकीब सिफ़त मौसूफ़ या आब फ़रात में से न पियूंगा यानी बतरकीब सिफ़त मौसूफ़ फिर इस ने दजला वग़ैरह में से शीरीं पानी ले कर पिया तो पापी होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर अपने ग़ुलामों से कहा कि जिस तुम से इस नहर का पानी पिया वह आज़ाद है फिर सब ने पिया तो सब आज़ाद हो जायेंगे और अगर कहा कि जो तुम में से इस कूज़ह का पानी पी जाये वह आज़ाद है और कूज़ह में इस क़द्र पानी था कि इस को इन में से एक दफ़ा या दो दफ़ा में पी सकता है फिर सभों ने इस को पिया तो कोई आज़ाद न होगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है।

अगर कहा कि अगर मैंने आज के दिन जो इस पियाले में पानी है या जो इस दूसरे पियाले में पानी है न पिया तो मेरी बीवी को तलाक़ है फिर दोनों में से एक का पानी बहा दिया गया तो इस की क़सम दूसरे पर बाक़ी रहेगी :

अगर क़सम खाई कि इस कूज़ह से न पियूंगा फिर इस में जो पानी था इस ने दूसरे कूज़ह में कर दिया और इस से पिया तो बिल इजमाअ पापी न होगा और अगर कहा हो कि इस कूज़ह के पानी से न पियूंगा कफिर दूसरे कूज़ह में डाल कर पिया तो बिल इजमाअ पापी होगा और इस तरह अगर कहा कि इस (1) मटके से या इस मटके के पानी (2) से फिर दूसरे कूज़ह में उंडेल लिया

तो यूं हुक्म है और अगर कहा कि इस मटके के पानी से पियूंगा फिर किसी बर्तन में ले कर पिया तो बिल इजमाअ हानिस होगा यह फ़तहुल क़दीर में है और अगर क़सम खाई कि इस बर्तन से न पियूंगा तो यह बअयुना पीने पर है यह इख़्तयसार शरह मुख़्तार में है। अगर किसी ने कहा कि मैंने आज के रोज़ यह पानी जो इस कूज़ह में है न पी लिया तो मेरी बीवी तालिक़ा है हालांकि इस कूज़ह में कुछ पानी नहीं है तो हानिस होगा और अगर इस में पानी हो मगर रात होने से पहले वो बहा दिया गसया हो तो हानिस न होगा और यह इमाम आज़म रह० व इमाम मुहम्मद रह० के अनुसार है ख़्वाह समय क़सम के इस को मालूम हुआ कि इस में पानी है या न मालूम हुआ और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि इन सब में हानिस होगा जबकि यह दिन गुज़र जाये और अगर क़सम बिल्लाह तआला हो तो भी ऐसा ही इख़्तलाफ़ है कज़ा फ़ल फ़तहुल क़दीर और वक़्त में कोई ख़ुसूसियत अग्रोज़ की नहीं है ख़्वाह एक रोज़ निश्चित बयान करे या एक महीना निश्चित यह बहर उल राइक़ में है।

(1)अगर इस सूरत में आब नहर कहा हो तो इस में इ]तलाफ+ है वाज़हयह है कि हानिस होगा अगर पानी मुमयज+ हो वरना नहीं।
(2)पस दूसरे मटके में करके पीने से हानिस न होगा।
(3)फिर दूसरे मटके में कर लेने से हानिस होगा।

और अगर क़सम मुतलक़ हो यसानी बिला बयां वक़्त तो अव्वल (1) सूरत में इमाम आज़म रह० व इमाम मुहम्मद रह० के अनुसार हानिस न होगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार फ़िलहाल हानिस हो जायेगा और दूसरी सूरत में बिल इत्तफ़ाक़ सब के नज़दीक हानिस हो जायेगा यह हिदाया में है और अगर कहा कि अगर मैंने आज के रोज़ जो इस कूज़ह में पानी है या जो इस दूसरे कूज़ह में पानी है न पिया तो मेरी बीवी तालिक़ा है फिर दोनों में से एक का पानी बहा दिया गया तो इस की क़सम दूसरे पर बाक़ी रहेगी और यह तीनों इमामों के अनुसार है और जब सब के अनुसार दूसरे पर क़सम बाक़ी रही पस अगर उस ने रात से पहले इस का पानी पी लिया तो बिल इत्तफ़ाक़ क़सम में सच्चा हो गया और अगर न पिया तो बिल इत्तफ़ाक़ हानिस हो

तो यूं आदेश है और अगर कहा कि इस मटके के पानी से पियूंगा फिर किसी बर्तन में ले कर पिया तो बिल इजमाअ पापी होगा यह फ़तहुल क़दीर में है और अगर क़सम खाई कि इस बर्तन से न पियूंगा तो यह बअयुना पीने पर है यह अधिकार शरह मुख़्तार में है। अगर किसी ने कहा कि मैंने आज के दिन यह पानी जो इस कूज़ह में है न पी लिया तो मेरी बीवी तालिक़ा है हालांकि इस कूज़ह में कुछ पानी नहीं है तो पापी होगा और अगर इस में पानी हो मगर रात होने से पहले वह बहा दिया गसया हो तो पापी न होगा और यह इमाम आज़म रह० व इमाम मुहम्मद रह० के अनुसार है चाहे समय क़सम के इस को मालूम हुआ कि इस में पानी है या न मालूम हुआ और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि इन सब में पापी होगा जबकि यह दिन गुज़र जाये और अगर क़सम बिल्लाह तआला हो तो भी ऐसा ही मतभेद है कज़ा फ़ल फ़तहुल क़दीर और समय में कोई ख़ुसूसियत कायीज़ की नहीं है चाहे एक दिन निश्चित बयान करे या एक महीना निश्चित यह बहर उल राइक़ में है।

(1)अगर इस स्थिति में आब नहर कहा हो तो इस में मतभेद है वाज़हयह है कि पापी होगा अगर पानी मुमयज+ हो वरना नहीं।
(2)बस दूसरे मटके में करके पीने से पापी न होगा।
(3)फिर दूसरे मटके में कर लेने से पापी होगा।

और अगर क़सम मुतलक़ हो यसानी बिला बयां समय तो पहला (1) स्थिति में इमाम आज़म रह० व इमाम मुहम्मद रह० के अनुसार पापी न होगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार फ़िलहाल पापी हो जायेगा और दूसरी स्थिति में बिल इत्तफ़ाक़ सब के निकट पापी हो जायेगा यह हिदाया में है और अगर कहा कि अगर मैंने आज के दिन जो इस कूज़ह में पानी है या जो इस दूसरे कूज़ह में पानी है न पिया तो मेरी बीवी तालिक़ा है फिर दोनों में से एक का पानी बहा दिया गया तो इस की क़सम दूसरे पर बाक़ी रहेगी और यह तीनों इमामों के अनुसार है और जब सब के अनुसार दूसरे पर क़सम बाक़ी रही बस अगर उस ने रात से पहले इस का पानी पी लिया तो बिल इत्तफ़ाक़ क़सम में सच्चा हो गया और अगर न पिया तो बिल इत्तफ़ाक़ पापी हो गया और अगर

गया और अगर इन दोनों में से एक कूज़ह में पानी न हो तो इमाम आज़म रह० के अनुसार इस की क़सम फ़क़त इस कूज़ह के हक़ में होगी जिस में पानी है और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि इस की क़सम दोनों पर है यानी दोनों मुं से एक के पानी पी लेने पर है फिर अगर इस ने पानी वाले कूज़ह का पानी पी लिया तो क़सम में बिल इत्तफ़ाक़ सच्चा रहा और अगर न पिया तो बिल इत्तफ़ाक़ हानिस होगया यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है और ग़ाया में है कि अगर इस ने क़सम खाई कि इस मटके से पानी न पियूंगा पस अगर वो भरा हुआ लबरेज़ तो इमाम आज़म रह० के अनुसार मुंह लगा कर इस से पानी पी लेने पर वाक़े होगी और बस और इमाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मुहम्मद रह० के अनुसार मुंह लगा कर पीने या बर्तन वग़ैरह से निकाल कर पीने दोनों तौर (1) पर क़सम वाक़े होगी और अगर वो भरा हुआ न हो तो चुल्लू वग़ैरह से निकाल कर पीने पर बिल इत्तफ़ाक़ वाक़े होगी और अगर क़सम खाई कि इस कुंवे से न पियूंगा या इस कुंवे के पानी से न पियूंगा तो यह बिल इत्तफ़ाक़ निकाल कर पानी पीने पर है चुनांचे अगर इस में से पानी निकाल कर पिया तो हानिस होगा कज़ा फ़िल सिराज उल वहाज और अगर इस सूरत में इस ने तकल्लुफ़ करके कुवें में उतर कर मुंह लगा कर पानी पिया तो मटके के अन्दर मुंह डाल कर पानी पिया तो सही यह है कि वो हानिस न होगा और قال المترجم: توضیح المقام من حیث الاصل ان الحقیقة متی امکن اولی عندہ وعندھما المجاز ثم اذا اتی بالحقیقة فیما تعین المجاز فیه عندھما ھل یحنث قال بعض المشائخ نعم وبعضھم لا على التفصیل والتفصیل عند ھؤلاء ان الحقیقة اذا کانت بحیث تکلف فیھا لم یحنث واذا اتی من غیر تکلف حنث ومعنی التکلف ان یکون بحالته لا یتبادر الیھا الفھم علی العموم الا بخصوص النیة والتعمق والتحریر بان ھذا لا یخص بھما بل عند الامام ایضا کذلك فمعنی کلامه مھما امکن ان یمکن من غیر تکلف فتامل فیه۔ एक ने क़सम खाई कि वस्ता दजला से पियूंगा फिर इस ने ऐसी जगह से पानी पिया जो ठीक धार नहीं है मसलन किनारह से तिहाई या चौथाई है हालांकि धार बीचों बीच में है तो अपनी क़सम

इन दोनों में से एक कूज़ह में पानी न हो तो इमाम आज़म रह० के अनुसार इस की क़सम केवल इस कूज़ह के हक़ में होगी जिस में पानी है और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि इस की क़सम दोनों पर है यानी दोनों मुं से एक के पानी पी लेने पर है फिर अगर इस ने पानी वाले कूज़ह का पानी पी लिया तो क़सम में बिल इत्तफ़ाक़ सच्चा रहा और अगर न पिया तो बिल इत्तफ़ाक़ पापी होगया यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है और ग़ाया में है कि अगर इस ने क़सम खाई कि इस मटके से पानी न पियूंगा बस अगर वह भरा हुआ लबरेज़ तो इमाम आज़म रह० के अनुसार मुंह लगा कर इस से पानी पी लेने पर स्थपित होगी और बस और इमाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मुहम्मद रह० के अनुसार मुंह लगा कर पीने या बर्तन वग़ैरह से निकाल कर पीने दोनों तौर (1) पर क़सम स्थपित होगी और अगर वह भरा हुआ न हो तो चुल्लू वग़ैरह से निकाल कर पीने पर बिल इत्तफ़ाक़ स्थपित होगी और अगर क़सम खाई कि इस कुंवे से न पियूंगा या इस कुंवे के पानी से न पियूंगा तो यह बिल इत्तफ़ाक़ निकाल कर पानी पीने पर है चुनांचे अगर इस में से पानी निकाल कर पिया तो पापी होगा कज़ा फ़िल सिराज उल वहाज और अगर इस स्थिति में इस ने तकल्लुफ़ करके कुवें में उतर कर मुंह लगा कर पानी पिया तो मटके के अन्दर मुंह डाल कर पानी पिया तो सही यह है कि वह पापी न होगा और قال المترجم: توضیح المقام من حیث الاصل ان الحقیقة متی امکن اولی عندہ وعندھما المجاز ثم اذا اتی بالحقیقة فیما تعین المجاز فیه عندھما ھل یحنث قال بعض المشائخ نعم وبعضھم لا على التفصیل والتفصیل عند ھؤلاء ان الحقیقة اذا کانت بحیث تکلف فیھا لم یحنث واذا اتی من غیر تکلف حنث ومعنی التکلف ان یکون بحالته لا یتبادر الیھا الفھم علی العموم الا بخصوص النیة والتعمق والتحریر بان ھذا لا یخص بھما بل عند الامام ایضا کذلك فمعنی کلامه مھما امکن ان یمکن من غیر تکلف فتامل فیه۔ एक ने क़सम खाई कि वस्ता दजला से पियूंगा फिर इस ने ऐसी जगह से पानी पिया जो ठीक धार नहीं है मसलन किनारह से तिहाई या चौथाई है हालांकि धार बीचों बीच में है तो अपनी क़सम

में सच्चा हो गया और दरयाफ्त किया गया कि एक ने क़सम खाई कि न पियूंगा खमर व न सुल्स व न फ़लां न फ़लां यानी शराबों के नाम लिये फिर इन में से एक पी तो फ़रमाया कि हानिस हुआ यह तातार खानिया में है और अगर कहा कि इस पानी से न पियूंगा फिर वो पानी जम गया जिस में से इस ने खाया तो हानिस न होगा और अगर फिर पिघल गया कि इस ने इस को पिया तो हानिस होगा यह ख़ुलासा में है।

एक ने क़सम खाई कि बिला अज़ान फ़लां के न पियूंगा पस फ़लां ने अपने हाथ से इस के हाथ में दे दिया और इस को ज़बान से इजाज़त न दी और वो पी गया तो चाहिए कि हानिस हो जाये इस वास्ते कि इस ने इजाज़त नहीं दी है। एक ने कहा कि अगर मैं तुझे आज की रात फ़लां के घर न ले जाउं और तुझे शराब न पिलाउं तो मेरी बीवी तालिक़ा है पस इस को फ़लां के घर ले गया मगर इस को शरब न पिलाई तो हानिस हुआ और शैख उल इस्लाम नजमुद्दीन से दरयाफ्त किया गसया कि एक ने कहा कि मैं इस खरीफ़ में इस बाग़ के अंगूरों

(1) क़ालल मुतरजम यह सरीह है कि साहबीन के अनुसार भी हक़ीक़त का ऐतबार है क्योंकि इ]तलाफ+ सिफ+ मिजाज+ मुतअम्मल बहक़ीक़त होता है और फ़रात से पीने के मसले में मिजाज+ दरहक़ीक़त जमा होने से इ]तलाफ+ मशाइख+ है और साहब उल ग़ाया की नक़ल है या इस्तखराज है वो भी बाज+ मशाइख+ के क़ौल पर है फ़ाफ़हम।

(1)बिल्कुल इस में पानी ही न था।

की शराब बनाउंगा और अपने यारों के साथ पियूंगा और इस को अपने घर नहीं ले जाउंगा और अगर वो मेरे घर पहुंचाई गई तो मेरी बीवी तालिक़ा है पस इस ने सब अंगूरों की बाग़ में शराब बनाई जिस में से थोडी अपने यारों के साथ वहीं पी और बाक़ी बदूं इस की इजाज़त के इस के घर उठा लाई गई यानी कोई और उठा लाया तो फ़रमाया कि अगर इस की मुराद यह थी कि सब आप अपने घर न ले जाउंगा तो थोडी ली जाने से ख़्वाह ख़ुद उठा लाये या कोइर्द दूसरा पहुंचाये बदूं इस के हुक्म के वो हानिस न होगा और अगर इस की मुराद (1) यह थी कि सब वहीं पियूंगा अपने घर उठा लाने के वास्ते कुछ निचौडूंगा तो हानिस होगा और अगर इस की

में सच्चा हो गया और दरयाफ़्त किया गया कि एक ने क़सम खाई कि न पियूंगा खमर व न सुल्स व न फ़लां न फ़लां यानी शराबों के नाम लिये फिर इन में से एक पी तो फ़रमाया कि पापी हुआ यह तातार खानिया में है और अगर कहा कि इस पानी से न पियूंगा फिर वह पानी जम गया जिस में से इस ने खाया तो पापी न होगा और अगर फिर पिघल गया कि इस ने इस को पिया तो पापी होगा यह ख़ुलासा में है।

एक ने क़सम खाई कि बिला अज़ान फ़लां के न पियूंगा बस फ़लां ने अपने हाथ से इस के हाथ में दे दिया और इस को ज़बान से इजाज़त न दी और वह पी गया तो चाहिए कि पापी हो जाये इस लिए कि इस ने इजाज़त नहीं दी है। एक ने कहा कि अगर मैं तुझे आज की रात फ़लां के घर न ले जाउं और तुझे शराब न पिलाउं तो मेरी बीवी तालिक़ा है बस इस को फ़लां के घर ले गया मगर इस को शरब न पिलाई तो पापी हुआ और शैख उल इस्लाम नजमुद्दीन से दरयाफ़्त किया गसया कि एक ने कहा कि मैं इस खरीफ़ में इस बाग़ के अंगूरों

(1)अनुवादक के कथनानुसारयह सरीह है कि साहबीन के अनुसार भी हक़ीक़त का ऐतबार है क्योंकि मतभेद सिफ+ मिजाज+ मुतअम्मल बहक़ीक़त होता है और फ़रात से पीने के मसले में मिजाज+ दरहक़ीक़त जमा होने से मतभेद विद्वानों है और साहब उल ग़ाया की नक़ल है या इस्तखराज है वह भी कुछ विद्वानों के कथन पर है फ़ाफ़हम।

(1)बिल्कुल इस में पानी ही न था।

की शराब बनाउंगा और अपने यारों के साथ पियूंगा और इस को अपने घर नहीं ले जाउंगा और अगर वह मेरे घर पहुंचाई गई तो मेरी बीवी तालिक़ा है बस इस ने सब अंगूरों की बाग़ में शराब बनाई जिस में से थोडी अपने यारों के साथ वहीं पी और बाक़ी बदूं इस की इजाज़त के इस के घर उठा लाई गई यानी कोई और उठा लाया तो फ़रमाया कि अगर इस की तात्पर्य यह थी कि सब आप अपने घर न ले जाउंगा तो थोडी ली जाने से चाहे ख़ुद उठा लाये या कोइर्द दूसरा पहुंचाये बदूं इस के आदेश के वह पापी न होगा और अगर इस की तात्पर्य (1) यह थी कि सब वहीं पियूंगा अपने घर उठा लाने के लिए कुछ निचौडूंगा तो पापी होगा और अगर

कुछ नियत न हो तो भी हानिस होगा और एक शख्स पर शराब ख़ोरी का इताब किया गया पस इस ने क़सम खाई कि जो इस अंगूर के दरख्तों से निकलती है वो न पियूंगा तो यह क़सम शराब पीने पर होगी बदीं वजह कि लोगों के मआनी (2) कलाम पर ऐतबार किया जायेगा यह ज़हीरिया में है।

अगर किसी ने अपनी क़सम किसी मशरूब बअयुना के पीने पर क़रार दी और हानल यह है कि वो इस मशरूब को एक दफ़ा में पी सकता है तो इस में से थोडी सी पीने से हानिस न होगा :

अगर किसी ने क़सम खाई कि असीर (3) न पियूंगा फिर दाना अंगूर या खौशा अंगूर4 अपने हलक़ में निचौड दिया तो हानिस न होगा और अगर अपनी हथैनली वग़ैरह पर निचौड़ कर पी गया तो हानिस होगा और अगर इस ने यूं कहा हो कि असीर मेरे हलक़ में न दाखिल होगा तो दोनों सूरतों में हानिस होगा क़ाल मौलाना रहमतुल्लाह यह इमामों का उर्फ़ है और हमारे उर्फ़ के मुवाफ़िक़ वो बहरहाल हानिस न होगा इस वास्ते कि आबे अंगूर अव्वल निचौडद्ध में असीर नहीं कहलाता है क़ालल मुतरजम हमारी ज़बान के मुवाफ़िक़ बहरहाल हानिस होगा ख़्वाह हलक़ में निचौड़े या बर्तन में निचौड कर पिये 'वहाज़ा इन्दी वल्लाहु तआला आलम' या एक शख्स की बीवी के हाथ में क़दह पानी का भरा हुआ है इस ने अपनी बीवी से कहा कि अगर तूने यह पानी पी लिया तूने इस को रख लिया बहा दिया या किसी को दे दिया तो तू तालिक़ा है तो मशाइख ने फ़रमाया कि इस में कोई कपड़ा या रोटी डाल दे कि वो पानी को चूस जाये हमारे मौलाना ने फ़रमाया कि यह इस वक्त है कि इस ने यह भी कहा हो तूने यह पानी या इस में से कुछ पी लिया इला आखिरह और अगर इस ने इस में से कुछ को न कहा हो पस औरत ने थोडा पी लिया और कुछ फैंक दिया तो वो हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर किसी ने अपनी क़सवम किसी मशरूब बअयुना के पीने पर क़रार दी और हाल यह है कि वो

इस की कुछ इरादा न हो तो भी पापी होगा और एक व्यक्ति पर शराब ख़ोरी का इताब किया गया बस इस ने क़सम खाई कि जो इस अंगूर के दरख्तों से निकलती है वह न पियूंगा तो यह क़सम शराब पीने पर होगी इस कारण कि लोगों के मआनी (2) बात पर ऐतबार किया जायेगा यह ज़हीरिया में है।

अगर किसी ने अपनी क़सम किसी वैसे ही शरबत के पीने पर शपथ ली और हानल यह है कि वह इस शरबत को एक दफ़ा में पी सकता है तो इस में से थोड़ी सी पीने से पापी न होगा :

अगर किसी ने क़सम खाई कि असीर (3) न पियूंगा फिर दाना अंगूर या खौशा अंगूर3 अपने हलक़ में निचौड दिया तो पापी न होगा और अगर अपनी हथैनली वग़ैरह पर निचौड़ कर पी गया तो पापी होगा और अगर इस ने यूं कहा हो कि असीर मेरे हलक़ में न प्रवेश होगा तो दोनों स्थितियों में पापी होगा क़ाल मालिकना रहमतुल्लाह यह इमामों का उर्फ़ है और हमारे उर्फ़ के मुवाफ़िक़ वह बहरहाल पापी न होगा इस लिए कि आबे अंगूर पहला निचौडद्ध में असीर नहीं कहलाता है अनुवादक के कथनानुसार हमारी ज़बान के मुवाफ़िक़ बहरहाल पापी होगा चाहे हलक़ में निचौड़े या बर्तन में निचौड़ कर पिये 'वहाज़ा इन्दी वल्लाहु तआला आलम' या एक व्यक्ति की बीवी के हाथ में क़दह पानी का भरा हुआ है इस ने अपनी बीवी से कहा कि अगर तूने यह पानी पी लिया तूने इस को रख लिया बहा दिया या किसी को दे दिया तो तू तालिक़ा है तो विद्वानों ने फ़रमाया कि इस में कोई कपड़ा या रोटी डाल दे कि वह पानी को चूस जाये हमारे मालिकना ने फ़रमाया कि यह इस समय है कि इस ने यह भी कहा हो तूने यह पानी या इस में से कुछ पी लिया इला आखिरह और अगर इस ने इस में से कुछ को न कहा हो बस औरत ने थोडा पी लिया और कुछ फैंक दिया तो वह पापी न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर किसी ने अपनी क़सवम किसी मशरूब बअयुना के पीने पर क़रार दी और हाल यह है कि वह

इस मशरूब को एक दफ़ा में पी सकता है तो इस में से थोड़ी सी पीने से हानिस न होगा और अगर एक दफ़ा में इस को नहीं पी सकता है तो इस में से थोड़ी पीने पर क़सम वाक़े होगी यह मुहीत में है।

अगर क़सम खाई कि दवा न पियूंगा फिर इस ने दूध या शहद पिया तो हानिस न होगा यह सिराजिया में है और मुन्तक़ी में फ़रमाया कि हासिल कलाम यह है कि इस में लोगों के उर्फ़ और नाम रखने को देखा जायेगा पस हर ऐसी चीज़ कि जिस को लोग देख कर कहते हों कि यह दवा है इस पर इस की क़सम वाक़े होगी और जिस का लोग दवा नाम रखते हों इस पर वाक़े न होगी अगरचे हालिफ़ ने इस से दवा की हो यह मबसूत में है और एक ने अल्लाह तआला की क़सम खाई कि ज़रूर मैं आसमान को छुउंगा या ज़रूर मैं हवा में उडूंगा या ज़रूर में इस पत्थर को सोना कर दूंगा तो क़सम से फ़ारिग होते ही हानिस (4) हो जायेगा और वो गंगार भी होगा इस वास्ते कि इस ने ऐसे फ़अल की क़सम खाई कि ग़ालिबन इस को नहीं कर सकता है पस इस ने क़सम की तबक हुरमत की जान बूझ कर पस गुनहगार हुआ यह तमरताशी में है और अगर ऐसी कसम में वक्त बयसान किया हो मसलन कहा कि कल के रोज़ आमान पर चढ़ जाउंगा तो जब तक यह वक्त गुज़र न जाये तब तक हानिस न होगा हत्ता कि अगर इस से पहले मर गया तो इस पर कफ्फ़ारहह नहीं हुआ इस वास्ते कि हुनूज़ह वो हानिस नहीं हुआ है यह फ़तहुल क़दीर में है।

(1)हासिलयह है कि लुगत जब मुस्तअम्मल हो तो बिल इत्तफ़ाक+ इसी पर मदार है और अगर वो महजूर हो तो बिल इत्तफ़ाक+ मिजाज+ मुमआरिफ+ है और अगर हक़ीक़त भी मतरूक न हो और मिजाज+ मुतआरिफ+ हो तो इमाम के नज़दीक अव्वल और साहिबीन के अनुसार दोम मोअतबर है।

(2)लोगों के मुहावरा मेंयही मअनी मुराद होते हैं।

(3)असीर निचोड़ा हुआ और वो मआरिफ+ तरीक़े से चाहिए।

(4)जब जानता था कियह ग़ैर मुमकिन है तो इस ने क़सम की अहानत दूसरा गुनाह है।

इस मशरूब को एक दफ़ा में पी सकता है तो इस में से थोड़ी सी पीने से पापी न होगा और अगर एक दफ़ा में इस को नहीं पी सकता है तो इस में से थोड़ी पीने पर क़सम स्थपित होगी यह मुहीत में है।

अगर क़सम खाई कि दवा न पियूंगा फिर इस ने दूध या शहद पिया तो पापी न होगा यह सिराजिया में है और मुन्तक़ी में फ़रमाया कि हासिल बात यह है कि इस में लोगों के उर्फ़ और नाम रखने को देखा जायेगा बस हर ऐसी चीज़ कि जिस को लोग देख कर कहते हों कि यह दवा है इस पर इस की क़सम स्थपित होगी और जिस का लोग दवा नाम रखते हों इस पर स्थपित न होगी चाहे शपथकर्ता ने इस से दवा की हो यह मबसूत में है और एक ने अल्लाह तआला की क़सम खाई कि ज़रूर में आसमान को छुउंगा या ज़रूर मैं हवा में उडूंगा या ज़रूर में इस पत्थर को सोना कर दूंगा तो क़सम से फ़ारिग होते ही पापी (4) हो जायेगा और वह गंगार भी होगा इस लिए कि इस ने ऐसे फ़अल की क़सम खाई कि ग़ालिबन इस को नहीं कर सकता है बस इस ने क़सम की तबक हुरमत की जान बूझ कर बस गुनहगार हुआ यह तमरताशी में है और अगर ऐसी कसम में समय बयसान किया हो मसलन कहा कि कल के दिन आमान पर चढ़ जाउंगा तो जब तक यह समय गुज़र न जाये तब तक पापी न होगा हत्ता कि अगर इस से पहले मर गया तो इस पर कफ्फ़ारहह नहीं हुआ इस लिए कि हुनूज़ह वह पापी नहीं हुआ है यह फ़तहुल क़दीर में है।

(1)हासिलयह है कि लुगत जब मुस्तअम्मल हो तो बिल इत्तफ़ाक+ इसी पर मदार है और अगर वह महजूर हो तो बिल इत्तफ़ाक+ मिजाज+ मुमआरिफ+ है और अगर हक़ीक़त भी मतरूक न हो और मिजाज+ मुतआरिफ+ हो तो इमाम के निकट पहला और साहिबीन के अनुसार दोम मोअतबर है।

(2)लोगों के मुहावरा मेंयही मअनी तात्पर्य होते हैं।

(3)असीर निचोड़ा हुआ और वह मआरिफ+ तरीक़े से चाहिए।

(4)जब जानता था कियह ग़ैर मुमकिन है तो इस ने क़सम की अहानत दूसरा गुनाह है।

बाबः 6

कलाम पर क़सम खाने के बयान में

अगर किसी ने कहा कि फ़लां से कलाम न करूंगा तो इस के इस कलाम क़सम के बाद से कलाम करने पर होगी जो कि इस के इस कलाम क़सम से जुदा हो चुनांचे अगर किसी ने दूसरे से कहा कि अगर मैंने तुझ से कलाम किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है पस तू मेरे पास से चला जा या कहा पस ओ फ़लां ने मेरे पास से चला जा लेकिन यह अपने कलाम क़सम से मिला कर कहा तो हानिस (1) न होगा यह इताबिया में है और अगर अपनी बीवी से कहा कि अगर मैंने तुझ से कलाम किया तो तालिक़ा है पस तू चली जा या तू यहां से उठ जा तो तू चली जा या तू यहां से उठ जा कहने से हानिस न होगा इस वास्ते कि यह इस की क़सम से मुतस्सिल है इस वास्ते कि इस ने जो क़सम खाई है कि इस से कलाम न करूंगा या अगर तुझ से कलाम करूं तो यह इस कलाम पर वाक़े होगी जो क़सम से मक़सूद है और वो ऐसा कलाम है जो कलाम अव्वल के बाद अज़ सरे नू जदीद हो ओर इस का यह कहना कि पस यहां से चली जा या यहां से उठ जा यह अगरचे वास्तव में कलाम है लेकिन क़सम से मक़सूद नहीं है पस वो इस से हानिस न होगा और इसी तरह अगर इस ने यह कहा कि और तू यहां से चली जा या और तू यहां से उठ जा तो भी हानिस न होगा और अगर इस ने इस कलाम से कलाम जदीद अज़ सरे नू मुराद लिया तो इस के कौल की तसदीक़ जायेगी और अगर इस ने अपने इस क़ौल से कि चली जा तलाक़ मुराद ली तो चेली जा से एक तलाक़ वाक़े होगी और एक तलाक़ दीगर बसबब कलाम करने के क़सम की वजह से वाक़े होगी इस वास्ते कि जब इस ने इस कलाम से तलाक़ की नियत की तो यह कलाम मुब्तदार हो गया यानी अज़ सरे नू यस वो हानिस होगा यह बदाऐ में है और अगर फ़लां मज़कूर से बाद क़सम के कहा कि तू चला जा तो हानिस हो गया यानी बावजूद यकि क़सम से मिला कर कहा है मगर चूंकि बिला हरफ़ इत्तसाल कहा

अध्याय 6

बात पर क़सम खाने के वर्णन में

अगर किसी ने कहा कि फ़लां से बात न करूंगा तो इस के इस बात क़सम के बाद से बात करने पर होगी जो कि इस के इस बात क़सम से जुदा हो चुनांचे अगर किसी ने दूसरे से कहा कि अगर मैंने तुझ से बात किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है बस तू मेरे पास से चला जा या कहा बस ओ फ़लां ने मेरे पास से चला जा लेकिन यह अपने बात क़सम से मिला कर कहा तो पापी (1) न होगा यह इताबिया में है और अगर अपनी बीवी से कहा कि अगर मैंने तुझ से बात किया तो तालिक़ा है बस तू चली जा या तू यहां से उठ जा तो तू चली जा या तू यहां से उठ जा कहने से पापी न होगा इस लिए कि यह इस की क़सम से मुतस्सिल है इस लिए कि इस ने जो क़सम खाई है कि इस से बात न करूंगा या अगर तुझ से बात करूं तो यह इस बात पर स्थपित होगी जो क़सम से मक़सूद है और वह ऐसा बात है जो बात पहला के बाद अज़ सरे नू जदीद हो ओर इस का यह कहना कि बस यहां से चली जा या यहां से उठ जा यह चाहे वास्तव में बात है लेकिन क़सम से मक़सूद नहीं है बस वह इस से पापी न होगा और इसी तरह अगर इस ने यह कहा कि और तू यहां से चली जा या और तू यहां से उठ जा तो भी पापी न होगा और अगर इस ने इस बात से बात जदीद अज़ सरे नू तात्पर्य लिया तो इस के कौल की पुष्टि जायेगी और अगर इस ने अपने इस कथन से कि चली जा तलाक़ तात्पर्य ली तो चेली जा से एक तलाक़ स्थपित होगी और एक तलाक़ दीगर बसबब बात करने के क़सम की कारण से स्थपित होगी इस लिए कि जब इस ने इस बात से तलाक़ की इरादा की तो यह बात मुब्तदार हो गया यानी अज़ सरे नू यस वह पापी होगा यह बदाऐ में है और अगर फ़लां वर्णित से बाद क़सम के कहा कि तू चला जा तो पापी हो गया यानी बावजूद यकि क़सम से मिला कर कहा है मगर चूंकि बिला हरफ़ इत्तसाल कहा है बस बात मफ़सूल हो गया

है पस कलाम मफ़्सूल हो गया और अगर बाद क़सम के कहा कि और तू तालिक़ा है तो वो हानिस हो गया और अगर लिख दिया या ऐलची भेज दिया या इशारह कर दिया तो हानिस न होगा और इसी तरह अगर इस ने नमाज़ से सलाम फैरा और फ़लां मज़कूर इस के दाऐं या बाऐं बैठा है तो भी हानिस न होगा यह इताबिया में है।

अगर क़सम खाई कि फ़लां से कलाम न करूंगा इल्ला इस की इजाज़मत से फिर फ़लां ने इजाज़त दे दी मगर इस को मालूम न हुआ यहां तक कि इस ने फ़लां से कलाम किया तो हानिस हो गया यह काफ़ी में है और अगर8 क़सम खाई (1) कि कलाम न करूंगा और इस की कुछ नियत नहीं है फिर इस ने नमाज़ पढी और इस में क़िराअत की या तसबीह या तहलील की यानी 'सुबहान अल्लाह या लाइलाह इल्लल्लाह' कहा तो इस्तहसानन हानिस न होगा और अगर इस ने नमाज़ से बाहर क़िराअत की या तसबीह या यह लैल की तो हमारे उलमा के अनुसार हानिस हो गया यह मुहीत में है। फ़क़ीह अबुल्लैस रह० ने फ़रमाया कि अगर फ़ारसी में क़सम खाई यानी कलाम न करने की तो खारिज नमाज़ में भी क़िराअत व तसबीह व तहलील से हानिस न होगा इस वास्ते कि वो क़ारी या मसज खिलायेगा न मुतकल्लिम और इसी पर फ़तवा है कज़ा फ़िल काफ़ी क़ालल मुतरजम हमारी ज़बान में भी यही हुक्म है वल्लाहु आलम और अगर क़सम खाई कि कलाम न करूंगा फिर नमाज़ में तकबीर कही या दुआ की तो हानिस न होगा और अगर नमाज़ से बाहर तकबीर कही या दुआ की तो हानिस हो गया बशर्तेकि क़सम अरबी ज़बान में हो और अगर फ़ारसी में हो तोक इस से नमाज़ में या ग़ैर नमाज़ में किसी हाल में हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां से कलाम न करूंगा फिर हालिफ़ ने नमाज़ में फ़लां मज़कूर की इक्तदा की फिर फ़लां मज़कूर नमाज़ में भूल गया पस हालिफ़ ने इस के जताने के वास्ते सुबहान अल्लाह कहा तो हानिस न होगा यह मुहीत में है और अगर हालिफ़ ने चन्द लोगों की इमामत की जिन में महलूफ़ अलैहि यानी जिस से कलाम न करने के क़सम खाई है शामिल है पस इस ने

और अगर बाद क़सम के कहा कि और तू तालिक़ा है तो वह पापी हो गया और अगर लिख दिया या ऐलची भेज दिया या इशारह कर दिया तो पापी न होगा और इसी तरह अगर इस ने नमाज़ से सलाम फैरा और फ़लां वर्णित इस के दाऐं या बाऐं बैठा है तो भी पापी न होगा यह इताबिया में है।

अगर क़सम खाई कि फ़लां से बात न करूंगा सिवा इस की इजाज़मत से फिर फ़लां ने इजाज़त दे दी मगर इस को मालूम न हुआ यहां तक कि इस ने फ़लां से बात किया तो पापी हो गया यह काफ़ी में है और अगर8 क़सम खाई (1) कि बात न करूंगा और इस की कुछ इरादा नहीं है फिर इस ने नमाज़ पढी और इस में क़िराअत की या तसबीह या तहलील की यानी 'सुबहान अल्लाह या लाइलाह इल्लल्लाह' कहा तो इस्तहसानन पापी न होगा और अगर इस ने नमाज़ से बाहर क़िराअत की या तसबीह या यह लैल की तो हमारे उलमा के अनुसार पापी हो गया यह मुहीत में है। फ़क़ीह अबुल्लैस रह० ने फ़रमाया कि अगर फ़ारसी में क़सम खाई यानी बात न करने की तो खारिज नमाज़ में भी क़िराअत व तसबीह व तहलील से पापी न होगा इस लिए कि वह क़ारी या मसज खिलायेगा न मुतकल्लिम और इसी पर फ़तवा है कज़ा फ़िल काफ़ी अनुवादक के कथनानुसार हमारी ज़बान में भी यही आदेश है वल्लाहु आलम और अगर क़सम खाई कि बात न करूंगा फिर नमाज़ में तकबीर कही या दुआ की तो पापी न होगा और अगर नमाज़ से बाहर तकबीर कही या दुआ की तो पापी हो गया बशर्तेकि क़सम अरबी ज़बान में हो और अगर फ़ारसी में हो तोक इस से नमाज़ में या ग़ैर नमाज़ में किसी हाल में पापी न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां से बात न करूंगा फिर शपथकर्ता ने नमाज़ में फ़लां वर्णित की इक्तदा की फिर फ़लां वर्णित नमाज़ में भूल गया बस शपथकर्ता ने इस के जताने के लिए सुबहान अल्लाह कहा तो पापी न होगा यह मुहीत में है और अगर शपथकर्ता ने चन्द लोगों की इमामत की जिन में महलूफ़ अलैहि यानी जिस से बात न करने के क़सम खाई है शामिल है बस इस ने नमाज़ खत्म होने

नमाज़ खत्म होने पर इस्लाम फैरा तो पहले सलाम से हानिस न होगा और न दूसरे सलाम से और यही मुख़्तार है और यह इस वक़्त है कि हालिफ़ इमाम हो और अगर हालिफ़ मुक़्तदी हो तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि बिना बर क़ौल इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के हानिस न होगा और महलूफ़ अलैहि इमाम हो और हालिफ़ मुक़्तदी हो पस इस ने इमाम को लुक़्मा दिया तो अपनी क़सम में हानिस न होगा और अगर नमाज़ से बाहर इस को क़ुरआन पढ़ाया तो इमामों के उर्फ़ के मुवाफ़िक़ हानिस होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है।

अगर क़सम खाई कि फ़लां से कलाम न करूंगा फिर हालिफ़ ने इस को दूर से पुकारा :

अगर क़सम खाई कि फ़लां से कलाम न करूंगा पस इस को कोई किताब पढ़ कर सुनाई पस फ़लां ने इस को लिखा तो फ़रमाया कि अगर इस को लिखवाने का क़सद किया तो मुझे ख़ौफ़ है कि वो हानिस होगा यह हावी में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां से कलाम न करूंगा फिर हालिफ़ ने इस को दूर से पुकारा पस अगर इतनी दूर हो कि वो नहीं सुनता है तो हानिस न होगा और अगर दूरी इस क़द्र हो कि वो इस की आवाज़ सुनता है तो हानिस होगा और इसी तरह अगर महलूफ़ अलैहि सातेता हो फिर हालिफ़ ने इस को पुकारा पस अगर इस को जगा दिया तो हानिस हुआ और अगर न जगाया तो शैख़ शम्सुल अइम्मा सुरख़ी ने ज़िक्र किया कि सही यह है कि वो हानिस न होगा यह शरह जामअ सग़ीर क़ाज़ी ख़ान में है और इसी पर हमारे मशाइदख़ हैं और यही मुख़्तार है यह नहर उल फ़ाइक़ में है और अगर हालिफ़ ऐसी जमाअत पर गुज़रा जिस में महलूफ़ अलैहि भी है पस इस ने इस जमाअत पर सलाम कहा तो हानिस हो गया अगरचे महलूफ़ अलैहि ने न सुना हो यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। और अगर इस ने सिवाए महलूफ़ अलैहि के बाक़ियों को मुराद लिया हो तो फ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहि तआला हानिस न होगा मगर

पर इस्लाम फैरा तो पहले सलाम से पापी न होगा और न दूसरे सलाम से और यही मुख़्तार है और यह इस समय है कि शपथकर्ता इमाम हो और अगर शपथकर्ता मुक़्तदी हो तो विद्वानों ने फ़रमाया कि बिना बर कथन इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के पापी न होगा और महलूफ़ अलैहि इमाम हो और शपथकर्ता मुक़्तदी हो बस इस ने इमाम को लुक़्मा दिया तो अपनी क़सम में पापी न होगा और अगर नमाज़ से बाहर इस को क़ुरआन पढ़ाया तो इमामों के उर्फ़ के मुवाफ़िक़ पापी होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है।

अगर क़सम खाई कि फ़लां से बात न करूंगा फिर शपथकर्ता ने इस को दूर से पुकारा :

अगर क़सम खाई कि फ़लां से बात न करूंगा बस इस को कोई किताब पढ़ कर सुनाई बस फ़लां ने इस को लिखा तो फ़रमाया कि अगर इस को लिखवाने का क़सद किया तो मुझे ख़ौफ़ है कि वह पापी होगा यह हावी में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां से बात न करूंगा फिर शपथकर्ता ने इस को दूर से पुकारा बस अगर इतनी दूर हो कि वह नहीं सुनता है तो पापी न होगा और अगर दूरी इस क़द्र हो कि वह इस की आवाज़ सुनता है तो पापी होगा और इसी तरह अगर महलूफ़ अलैहि सातेता हो फिर शपथकर्ता ने इस को पुकारा बस अगर इस को जगा दिया तो पापी हुआ और अगर न जगाया तो शैख़ शम्सुल अइम्मा सुरख़ी ने वर्णनकिया कि सही यह है कि वह पापी न होगा यह शरह जामअ सग़ीर क़ाज़ी ख़ान में है और इसी पर हमारे मशाइदख़ हैं और यही मुख़्तार है यह नहर उल फ़ाइक़ में है और अगर शपथकर्ता ऐसी जमाअत पर गुज़रा जिस में महलूफ़ अलैहि भी है बस इस ने इस जमाअत पर सलाम कहा तो पापी हो गया चाहे महलूफ़ अलैहि ने न सुना हो यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। और अगर इस ने सिवाए महलूफ़ अलैहि के बाक़ियों को तात्पर्य लिया हो तो फ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहि तआला पापी न होगा मगर न्यायिक पुष्टि न की जायेगी यह बदाऐ में है और अगर एक क़ौम पर

क़ुरआन तसदीक़ न की जायेगी यह बदाऐ में है और अगर एक क़ौम पर जिस में महलूफ़ अलैहि भी है सलाम किया तो हानिस न होगा अगरचे जानता न हो कि फ़लां इन में है और अगर इस ने इस्तसना कर लिया यानी कहा कि अस्सलामु अलैयकुमुल आला फ़लां तो हानिस न होगा और अगर कहा कि ला आला वाहिद और इस से फ़लां मज़कूर की नियत की तो इस की तसदीक़ की जायेगी यह इताबिया में है क़सम खाई कि फ़लां से कलाम न करूंगा फिर फ़लां ने दरवाज़ा बजाया पस हालिफ़ ने कहा कि कौन है या कहा कि कौन है या कहा कि वो कौन है तो बाज़ ने कहा कि हानिस न होगा इल्ला आंकि यूं कहे कि तू कौन है और यही मुख़्तारहै है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां से कलाम न करूंगा फिर महलूफ़ अलैहि ने इस को पुकारा पस इस ने जवाब दिया कि लब्बैक यानी हाज़िर हूं या कहा कि लब्बी (1) यानी मैं हाज़िर हूं तो क़सम में हानिस होगा यह मुहीत में है। तजरीज़ मुं लिखा है कि अगर महलूफ़ अलैहि के दरवाज़ा खटकाने के बाद इस ने कहा कि मन हाज़ा यानी कौन है यह आदमी तो हानिस होगा और अगर इस से कहा कि तू थक गया है या सुस्त हो गया है पस इस ने कहा ख़ूब अस्त यानी अच्छा है या कहा कि हां (1) या कहा कि अरे तू हानिस होगा यह ख़ुलासा में है फ़तावा में लिखा है कि क़सम खाई कि फ़लां से कलाम न करूंगा फिर फ़लां ने किसी दूसरे को पुकारा पस हालिफ़ ने कहा कि मैं हाज़िर हूं तो हानिस होगा और इसी तरह अगर फ़ारसी में कहा कि यही तो भी यही हुक्म है यह इताबिया में है।

मजमूअ अल नवाज़िल में लिखा है कि अगर क़सम खाई कि कलाम न करूंगा फिर इस की बीवी आई और वो खाना खाता था पस बीवी से कहा कि हायअनी तू भी खा तो हानिस हो गया यह मुहीत में है। क़सम खाई कि अपनी बीवी से कलाम न करूंगा फिर घर के अन्दर गया और इस में सिवाए बीवी

(1)ह फ़ारसी उर्फ अवाम है बजाये लब्बैक के बदूं काफ बोलते हैं।
(2)तसदीक क़ौलयह अरबी ज़बान में बवजह अफ़िलाम के मुतहमल है और उर्दू ज़बान में हानिस होना चाहि, बल्कियही सही है और इसी पर फ़तवा देना चाहिएऔर नियत की तसदीक न होगी।

जिस में महलूफ़ अलैहि भी है सलाम किया तो पापी न होगा चाहे जानता न हो कि फ़लां इन में है और अगर इस ने इस्तसना कर लिया यानी कहा कि अस्सलामु अलैयकुमुल आला फ़लां तो पापी न होगा और अगर कहा कि ला आला वाहिद और इस से फ़लां वर्णित की इरादा की तो इस की पुष्टि की जायेगी यह इताबिया में है क़सम खाई कि फ़लां से बात न करूंगा फिर फ़लां ने दरवाज़ा बजाया बस शपथकर्ता ने कहा कि कौन है या कहा कि कौन है या कहा कि वह कौन है तो कुछ ने कहा कि पापी न होगा सिवा आंकि यूं कहे कि तू कौन है और यही मुख़्तारहै है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां से बात न करूंगा फिर महलूफ़ अलैहि ने इस को पुकारा बस इस ने जवाब दिया कि लब्बैक यानी हाज़िर हूं या कहा कि लब्बी (1) यानी मैं हाज़िर हूं तो क़सम में पापी होगा यह मुहीत में है। तजरीज़ मुं लिखा है कि अगर महलूफ़ अलैहि के दरवाज़ा खटकाने के बाद इस ने कहा कि मन हाज़ा यानी कौन है यह आदमी तो पापी होगा और अगर इस से कहा कि तू थक गया है या सुस्त हो गया है बस इस ने कहा ख़ूब अस्त यानी अच्छा है या कहा कि हां (1) या कहा कि अरे तू पापी होगा यह ख़ुलासा में है फ़तावा में लिखा है कि क़सम खाई कि फ़लां से बात न करूंगा फिर फ़लां ने किसी दूसरे को पुकारा बस शपथकर्ता ने कहा कि मैं हाज़िर हूं तो पापी होगा और इसी तरह अगर फ़ारसी में कहा कि यही तो भी यही आदेश है यह इताबिया में है।

मजमूअ अल नवाज़िल में लिखा है कि अगर क़सम खाई कि बात न करूंगा फिर इस की बीवी आई और वह खाना खाता था बस बीवी से कहा कि हायअनी तू भी खा तो पापी हो गया यह मुहीत में है। क़सम खाई कि अपनी बीवी से बात न करूंगा फिर घर के अन्दर गया और इस में सिवाए बीवी

(1)ह फ़ारसी उर्फ अवाम है बजाये लब्बैक के बदूं काफ बोलते हैं।
(2)पुष्टि कथनयह अरबी ज़बान में बवजह अलिफ लाम के मुतहमल है और उर्दू ज़बान में पापी होना चाहि, बल्कियही सही है और इसी पर फ़तवा देना चाहि, और इरादा की पुष्टि न होगी।

के कोई न था पस कहा कि यह चीज़ किस ने रखी या यह चीज़ कहां है तो हानिस होगा और अगर इस दार में सिवाए इस औरत के कोई दूसरा भी हो तो हानिस न होगा और अगर यूं कहा कि मुझे नहीं मालूम होता कि यह किस ने किया है तो हानिस न होगा अगरचे घर में सिवाऐ औरत के कोई न हो यह ख़ुलासा में है अगर किसी ने क़सम खाई कि फ़लां से कलाम न करूंगा फिर इस से ऐसी इबारत में बात की कि फ़लां इस को न समझा तो भी हानिस होगा यह मुहीत में है और क़सम खाई कि फ़लां से कलाम न करूंगा फिर इस से ऐसी इबारत में बात की कि फ़लां इस को न समझा तो भी हानिस होगा यह मुहीत में है और क़सम खाई कि फ़लां से कलाम न करूंगा फिर फ़लां मज़कूर ने किसी को गाली दी और हालिफ़ ने इस को मकन कह कर मना करना चाहा फिर नक है कहने पाया था कि इस को क़सम याद आगई कि खामौश हो गया तो हानिस न होगा इस वास्ते कि इस क़द्र ग़ैर मफ़हूम है पस कलाम न होगा और फ़लां मज़कूर ने हालिफ़ के बाप को गाली दी पस हालिफ़ ने कहा कि नहीं बल्कि तू ही है तो हानिस हो गया यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और मशाइख ने फ़रमाया कि जिस ने क़सम खाई है कि फ़लां से कलाम न करूंगा इस ने किसी दूसरे से कलाम किया और ग़र्ज़ यह है कि फ़लां मज़कूर को सुना दे तो हानिस न होगा यह खज़ानतुल मुफ़तीन में है। एक ने क़सम खाई कि फ़लां से कलाम न करूंगा फिर दीवार से कलाम किया और कहा कि ई दीवार ऐसा व ऐसा है तो हानिस न होगा अगरचे ग़र्ज़ इस की यह हो कि फ़लां सुन ले और इसी पर फ़तवा है यह फ़तावा सुग़रा में है।

के कोई न था बस कहा कि यह चीज़ किस ने रखी या यह चीज़ कहां है तो पापी होगा और अगर इस घर में सिवाए इस औरत के कोई दूसरा भी हो तो पापी न होगा और अगर यूं कहा कि मुझे नहीं मालूम होता कि यह किस ने किया है तो पापी न होगा चाहे घर में सिवाऐ औरत के कोई न हो यह ख़ुलासा में है अगर किसी ने क़सम खाई कि फ़लां से बात न करूंगा फिर इस से ऐसी इबारत में बात की कि फ़लां इस को न समझा तो भी पापी होगा यह मुहीत में है और क़सम खाई कि फ़लां से बात न करूंगा फिर इस से ऐसी इबारत में बात की कि फ़लां इस को न समझा तो भी पापी होगा यह मुहीत में है और क़सम खाई कि फ़लां से बात न करूंगा फिर फ़लां वर्णित ने किसी को गाली दी और शपथकर्ता ने इस को मकन कह कर मना करना चाहा फिर नक है कहने पाया था कि इस को क़सम याद आगई कि खामौश हो गया तो पापी न होगा इस लिए कि इस क़द्र ग़ैर मफ़हूम है बस बात न होगा और फ़लां वर्णित ने शपथकर्ता के बाप को गाली दी बस शपथकर्ता ने कहा कि नहीं बल्कि तू ही है तो पापी हो गया यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और विद्वानों ने फ़रमाया कि जिस ने क़सम खाई है कि फ़लां से बात न करूंगा इस ने किसी दूसरे से बात किया और ग़र्ज़ यह है कि फ़लां वर्णित को सुना दे तो पापी न होगा यह खज़ानतुल मुफ़तीन में है। एक ने क़सम खाई कि फ़लां से बात न करूंगा फिर दीवार से बात किया और कहा कि ई दीवार ऐसा व ऐसा है तो पापी न होगा चाहे ग़र्ज़ इस की यह हो कि फ़लां सुन ले और इसी पर फ़तवा है यह फ़तावा सुग़रा में है।

अगर क़सम खाई कि फ़लां के इस गुलाम से कलाम न करूंगा फिर फ़लां ने अपना गुलाम फ़रोख़्त कर दिया फिर हालिफ़ ने इस से कलाम किया तो इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार हानिस न होगा :

इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि एक ने कहा कि امرأته طالق ان تزوجت النساء اور اشتریت العبید اوکلمت الرجال اوالناس मेरी जोरू व तालिक़ा है अगर मैंने औरतों से निकाह किया सया ग़ुलामों को खरीद किया या मर्दों से कलाम किया या लोगों से कलाम किया फिर एक औरत से निकाह किया या एक मर्द से कलाम किया या एक ग़ुलाम खरीदा तो हानिस होगा और अगर कहा कि मिस्कीनों या फ़क़ीरों से कलाम न करूंगा फिर इन में से एक से कलाम किया तो हानिस होगा और इस ने तमाम मर्दों या तमाम औरतों की नियत की हो तो इस की तसदीक़ की जायेगी और कभी हानिस न होगा और अगर कहा कि ان تزوجت نساء او اشتریت عبید اوکلمت رجالا فکذا अगर मैंने औरतों को निकाह में लिया या ग़ुलामों को खरीदा या मर्दों से कलाम किया तो चुनेन व चुनान है पस तब तक तीन ग़ुलाम न खरीदे या तीन औरतों से निकाह न करे या तीन मर्दों से कलाम न करे तब तक हानिस न होगा और अगर इस ने जिन्स मुराद ली यानी जिन्स औरत से निकाह न करूंगा तो एक औरत से निकाह करने और एक ग़ुलाम खरीदने से हानिस होगा यह ख़शरह जामअ कबीर हसीरी में है और तीन से ज़्यादा की नियत की हो तो हो सकता है और अगर दो की नियत की तो नहीं सही है यह शरह तलखीस जामअ कबीर में है और अगर क़सम खाई कि बनी आदम अलैहिस्सलाम से कलाम न करूंगा फिर किसी एक आदमी से कलाम किया तो हानिस होगा और अगर इस ने इस से कुल आदमियों की नियत की हो तो कभी हानिस न होगा और दयानतन व क़ज़ाअन इस की तसदीक़ होगी यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां के इस

अगर क़सम खाई कि फ़लां के इस गुलाम से बात न करूंगा फिर फ़लां ने अपना गुलाम बेच दिया फिर शपथकर्ता ने इस से बात किया तो इमामे आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार पापी न होगा :

इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि एक ने कहा कि امرأته طالق ان تزوجت النساء اور اشتریت العبید اوکلمت الرجال اوالناس मेरी जोरू व तालिक़ा है अगर मैंने औरतों से निकाह किया सया ग़ुलामों को खरीद किया या मर्दों से बात किया या लोगों से बात किया फिर एक औरत से निकाह किया या एक मर्द से बात किया या एक ग़ुलाम खरीदा तो पापी होगा और अगर कहा कि निर्धनों या फ़क़ीरों से बात न करूंगा फिर इन में से एक से बात किया तो पापी होगा और इस ने तमाम मर्दों या तमाम औरतों की इरादा की हो तो इस की पुष्टि की जायेगी और कभी पापी न होगा और अगर कहा कि ان تزوجت نساء او اشتریت عبید اوکلمت رجالا فکذا अगर मैंने औरतों को निकाह में लिया या ग़ुलामों को खरीदा या मर्दों से बात किया तो चुनेन व चुनान है बस तब तक तीन ग़ुलाम न खरीदे या तीन औरतों से निकाह न करे या तीन मर्दों से बात न करे तब तक पापी न होगा और अगर इस ने जिन्स तात्पर्य ली यानी जिन्स औरत से निकाह न करूंगा तो एक औरत से निकाह करने और एक गुलाम खरीदने से पापी होगा यह ख़शरह जामअ कबीर हसीरी में है और तीन से ज़्यादा की इरादा की हो तो हो सकता है और अगर दो की इरादा की तो नहीं सही है यह शरह तलखीस जामअ कबीर में है और अगर क़सम खाई कि बनी आदम अलैहिस्सलाम से बात न करूंगा फिर किसी एक आदमी से बात किया तो पापी होगा और अगर इस ने इस से कुल आदमियों की इरादा की हो तो कभी पापी न होगा और दयानतन व न्यायिक इस की पुष्टि होगी यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां के इस ग़ुलाम से बात न करूंगा फिर फ़लां ने अपना गुलाम

ग़ुलाम से कलाम न करूंगा फिर फ़लां ने अपना ग़ुलाम फ़रोख़्त कर दिया फिर हालिफ़ ने इस से कलाम किया तो इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार हानिस न होगा यह शरह जामअ सग़ीर क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां के ग़ुलाम से कलाम न करूंगा पस अगर कोई ग़ुलाम मुअय्यन मुराद लिया है तो यह कलाम और क़ौलहू फ़लां के इस ग़ुलाम से दोनों यक्सां हैं और अगर इस की कुछ नियत न हो पस अगर फ़लां के ऐसे ग़ुलाम किया जो वक्त क़सम के मौजूद था और वक्त हानिस होने के भी मौजूद है तो बिल इजमाअ हानिस होगा और अगर ऐसे ग़ुलाम से कलाम किया कि वो वक्त क़सम के मौजूद था और वक्त कलाम करने के इस का ग़ुलाम न था तो बिल इत्तफ़ाक़ हानिस न होगा और अगर वक्त क़सम के इस का ग़ुलाम न था और वक्त कलाम करने के इस का ग़ुलाम था तो इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम मुहम्मद रह० के अनुसार हानिस होगा यह शरह तहावी में है।

शैख अबूबकर रह० ने फ़रमाया कि एक ने क़सम खाई कि फ़लां के ग़ुलाम से कलाम न करूंगा फिर इस की मज़ारबत के ग़ुलाम से जिन में इस का नफ़ा (1) शरीक है या नहीं कलाम किया तो बिल इजमाअ हानिस न होगा यह हावी में है। एक ने क़सम खाई कि फ़लां के दोस्त या फ़लां की ज़ोजा या फ़लां के बेटे या मिस्ल इन के से जिन की इज़ाफ़त फ़लां की तरफ़ बहुक्म मिल्क नहीं है कलाम न करूंगा फिर फ़लां मज़कूर ने बाद इस क़सम के निकाह कियसा या बाद क़सम के इस का बेटा पैदा हुआ फिर हालिफ़ ने इस से कलाम किया तो हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और जामअ सग़ीर में मज़कूर है कि एक ने क़सम खाई कि फ़लां की बीवी से कलाम न करूंगा हालांकि फ़लां की कोई बीवी नहीं है फिर इस ने एक निकाह किया और इस औरत से हालिफ़ ने कलाम किया तो इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार हानिस होगा और इमाम मुहम्मद रह० इस के खिलाफ़ फ़रमाते हैं कि हानिस न होगा और हुज्जत में लिखा है कि फ़तवा शैखेन के क़ौल पर है यह तातारखानिया में है और अगर हालिफ़ ने ऐसी औरत से

फ़रोख़्त कर दिया फिर शपथकर्ता ने इस से बात किया तो इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार पापी न होगा यह शरह जामअ सग़ीर क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां के ग़ुलाम से बात न करूंगा बस अगर कोई ग़ुलाम निश्चित तात्पर्य लिया है तो यह बात और क़ौलहू फ़लां के इस ग़ुलाम से दोनों यक्सां हैं और अगर इस की कुछ इरादा न हो बस अगर फ़लां के ऐसे ग़ुलाम किया जो समय क़सम के मौजूद था और समय पापी होने के भी मौजूद है तो बिल इजमाअ पापी होगा और अगर ऐसे ग़ुलाम से बात किया कि वह समय क़सम के मौजूद था और समय बात करने के इस का ग़ुलाम न था तो बिल इत्तफ़ाक़ पापी न होगा और अगर समय क़सम के इस का ग़ुलाम न था और समय बात करने के इस का ग़ुलाम था तो इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम मुहम्मद रह० के अनुसार पापी होगा यह शरह तहावी में है।

शैख अबूबकर रह० ने फ़रमाया कि एक ने क़सम खाई कि फ़लां के ग़ुलाम से बात न करूंगा फिर इस की मज़ारबत के ग़ुलाम से जिन में इस का नफ़ा (1) साझी है या नहीं बात किया तो बिल इजमाअ पापी न होगा यह हावी में है। एक ने क़सम खाई कि फ़लां के दोस्त या फ़लां की ज़ोजा या फ़लां के बेटे या मिस्ल इन के से जिन की इज़ाफ़त फ़लां की तरफ़ बहुक्म मिल्क नहीं है बात न करूंगा फिर फ़लां वर्णित ने बाद इस क़सम के निकाह कियसा या बाद क़सम के इस का बेटा पैदा हुआ फिर शपथकर्ता ने इस से बात किया तो पापी न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और जामअ सग़ीर में वर्णित है कि एक ने क़सम खाई कि फ़लां की बीवी से बात न करूंगा हालांकि फ़लां की कोई बीवी नहीं है फिर इस ने एक निकाह किया और इस औरत से शपथकर्ता ने बात किया तो इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार पापी होगा और इमाम मुहम्मद रह० इस के खिलाफ़ फ़रमाते हैं कि पापी न होगा और हुज्जत में लिखा है कि फ़तवा शैखेन के कथन पर है यह तातारखानिया में है और अगर शपथकर्ता ने ऐसी औरत

कलाम किया जिस को फ़लां मज़्कूर ने बाद इस की क़सम के बाऐं कर दिया यसा ऐसे शख़्स से जिस से फ़लां मज़्कूर ने बाद इस की क़सम के दुश्मनी करली है तो इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार हानिस न होगा और अगर हालिफ़ ने अपनी क़सम में यूं कहा हो कि फ़लां की ज़ोजा यह औरत या फ़लां का दोस्त यह शख़्स फिर हालिफ़ ने ज़ोजियत या दोस्ती दूर हो जाने के बाद इस से कलाम किया तो बाला तफ़ाक़स होनिस होगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां के ग़ुलामों से कलाम न करूंगा तो मुवाफ़िक़ ज़ाहिर उल रिवायत के यह क़सम कम से कम ओने मर्तबा जमा पर होगी यानी अरबी ज़बान की क़सम में तीन पर और फ़ारसी व उर्दू में दो पर होगी पस अरबी ज़बान की क़सम में अगर असकते में ग़ुलामों से मिनजुमला दस ग़ुलामों के कलाम किया तो हानिस होगा और अगर दो से कलाम किया तो हानिस न होगा कि जमा का होना ज़रूर है जैसे फ़ारसी व उर्दू में कम से कम दो होगा ज़रूर है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है 'बज़ियादत मिन मुतरजम'।

अगर क़सम खाई कि इस चादर वाले से कलाम न करूंगा फिर इस से इस वक़्त कलाम किया कि वो इस चादर को फ़रोख़्त कर चुका है तो बिल इजमाअ हानिस होगा :

अगर इस ने फ़लां के कुल ग़ुलाम मुराद लिये हों तो इस की तसदीक़ की जायेगी और यही सही है यह इताबिया में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां की ज़ोजात से कलाम न करूंगा या फ़लां के असदाक़ से कलाम न करूंगा तो जब तक सब से कलाम न करे हानिस न होगा यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां के भाइयों से कलाम न करूंगा हालांकि इस का एक ही भाई है पस अगर वो जानता था तो इस एक से कलाम करने से हानिस होगा और नहीं जानता था तो नहीं हानिस होगा यह फ़तावा कुबरा में है और अगर क़सम खाई कि इस चादर वाले से कलाम न करूंगा फिर इस से इस वक़्त कलाम किया कि वो इस चादर को

से बात किया जिस को फ़लां वर्णित ने बाद इस की क़सम के बाऐं कर दिया यसा ऐसे व्यक्ति से जिस से फ़लां वर्णित ने बाद इस की क़सम के दुश्मनी करली है तो इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार पापी न होगा और अगर शपथकर्ता ने अपनी क़सम में यूं कहा हो कि फ़लां की ज़ोजा यह औरत या फ़लां का दोस्त यह व्यक्ति फिर शपथकर्ता ने ज़ोजियत या दोस्ती दूर हो जाने के बाद इस से बात किया तो बाला तफ़ाक़स होनिस होगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां के ग़ुलामों से बात न करूंगा तो मुवाफ़िक़ ज़ाहिर उल रिवायत के यह क़सम कम से कम ओने मर्तबा जमा पर होगी यानी अरबी ज़बान की क़सम में तीन पर और फ़ारसी व उर्दू में दो पर होगी बस अरबी ज़बान की क़सम में अगर असकते में ग़ुलामों से मिनजुमला दस ग़ुलामों के बात किया तो पापी होगा और अगर दो से बात किया तो पापी न होगा कि जमा का होना ज़रूर है जैसे फ़ारसी व उर्दू में कम से कम दो होगा ज़रूर है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है 'बज़ियादत मिन मुतरजम'।

अगर क़सम खाई कि इस चादर वाले से बात न करूंगा फिर इस से इस समय बात किया कि वह इस चादर को फ़रोख़्त कर चुका है तो बिल इजमाअ पापी होगा :

अगर इस ने फ़लां के कुल ग़ुलाम तात्पर्य लिये हों तो इस की पुष्टि की जायेगी और यही सही है यह इताबिया में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां की ज़ोजात से बात न करूंगा या फ़लां के असदाक़ से बात न करूंगा तो जब तक सब से बात न करे पापी न होगा यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां के भाइयों से बात न करूंगा हालांकि इस का एक ही भाई है बस अगर वह जानता था तो इस एक से बात करने से पापी होगा और नहीं जानता था तो नहीं पापी होगा यह फ़तावा कुबरा में है और अगर क़सम खाई कि इस चादर वाले से बात न करूंगा फिर इस से इस समय बात किया कि वह इस चादर को फ़रोख्त कर चुका है तो

फ़रोख़्त कर चुका है तो बिल इजमाअ हानिस होगा और अगर चादर मज़कूर खरीदने वाले से कलाम किया तो हानिस न होगा यह शरह जामअ सग़ीर क़ाज़ी खान में है और क़सम खाई कि अगर मैंने फ़लां से कलाम किया तो मुझ पर क़समों से इस क़द्र हैं कि जिस क़द्र फ़लां चाहिए पस इस से कलाम किया और फ़लां ने चाहा कि इस पर तीन क़समें हों या कम या ज़्यादा तो इस पर इस तरहनहीं लाज़िम आयेगी यानी वही एक कफ़्फ़ारह शरई जो शरअ से वाजिब हुआ लाज़िम आयेगा यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि 'लायहूम हूम' फ़लां यानी नगर वो से नगरोहम यानी इस के आस पास भी न जाउंगा तो यह बमन्ज़िला इस क़ौल के है कि फ़लां से कलाम न करूंगा यह ख़ुलासा में है और इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत है कि एक ने क़सम खाई कि अगर मैंने फ़लां से कलाम किया तो वो आज़ाद है या यह फिर फ़लां से कलाम किया तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया है कि मुतवल्ली को इख़्तयार है दोनों में से जिस पर चाहे इताक़ वाक़े करे और अगर कहा कि अगर मैंने फ़लां से

(1)फ़लां मज़कूर किसी का मज़ारिब है पसयह गुलाम माल मज़ारबत का है पस अगर इस गुलाम में नफ़ा भीशरीक हैयानी मसला हज़ार दिरहम रास उल माल था और किसी चीज+ कोखरीद कर इस के फ़रो]त करने में डे+हज़ार हुआ फिर इस डे+हज़ार सेखरीदा हुआ यह गुलाम हैयाऐसा नहीं है शिरकत नफ़ा में अहतमाल था कियह इस का गुलाम है।

कलाम किया तो हर ग़ुलाम जिस का मैं मालिक हूं या हर बान्दी जिस का मैं मालिक हूं आज़ाद है फिर फ़लां से कलाम किया तो फ़रमाया कि यह दोनों के इतक़ पर वाक़े होगी चुनांचे हर ग़ुलाम कि इस का मालिक हुए और हर बान्दी कि इस का मालिक हुए आज़ाद होगा और अगर कहा कि अगर मैंने फ़लां से कलाम किया तो मुझ पर हज है या उमरह तो इस को दोनों में से इख़्तयार हो जो चाहे अदा करे यह मुहीत में है।

एक ने क़सम खाई कि अपनी सास से कलाम न करूंगा फिर वो अपनी बीवी के पास इस के मैयके गया और इस से झगडे की बातें बाहम वाक़े हो हैं पस इस की सास ने इस से कहा कि तुझे क्या हुआ है तो ऐसा ऐसा नहीं करता है पस इस ने कहा कि इस को खाना

बिल इजमाअ पापी होगा और अगर चादर वर्णित खरीदने वाले से बात किया तो पापी न होगा यह शरह जामअ सग़ीर क़ाज़ी खान में है और क़सम खाई कि अगर मैंने फ़लां से बात किया तो मुझ पर क़समों से इस क़द्र हैं कि जिस क़द्र फ़लां चाहिए बस इस से बात किया और फ़लां ने चाहा कि इस पर तीन क़समें हों या कम या ज़्यादा तो इस पर इस तरहनहीं अनिवार्य आयेगी यानी वही एक प्रायश्चित शरई जो शरअ से अनिवार्य हुआ अनिवार्य आयेगा यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि 'लायहूम हूम' फ़लां यानी नगर वह से नगरोहम यानी इस के आस पास भी न जाउंगा तो यह बमन्ज़िला इस कथन के है कि फ़लां से बात न करूंगा यह ख़ुलासा में है और इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत है कि एक ने क़सम खाई कि अगर मैंने फ़लां से बात किया तो वह आज़ाद है या यह फिर फ़लां से बात किया तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया है कि मुतवल्ली को अधिकार है दोनों में से जिस पर चाहे इताक़ स्थपित करे और अगर कहा कि अगर मैंने फ़लां से

(1)फ़लां वर्णित किसी का मज़ारिब है बसयह गुलाम माल मज़ारबत का है बस अगर इस गुलाम में नफ़ा भी साझी हैयानी मसला हज़ार दिरहम रास उल माल था और किसी चीज+ कोखरीद कर इस के फ़रो]त करने में डे+हज़ार हुआ फिर इस डे+हज़ार सेखरीदा हुआ यह गुलाम हैयाऐसा नहीं है शिरकत नफ़ा में अहतमाल था कियह इस का गुलाम है।

बात किया तो हर ग़ुलाम जिस का मैं मालिक हूं या हर बान्दी जिस का मैं मालिक हूं आज़ाद है फिर फ़लां से बात किया तो फ़रमाया कि यह दोनों के इतक़ पर स्थपित होगी चुनांचे हर ग़ुलाम कि इस का मालिक हुए और हर बान्दी कि इस का मालिक हुए आज़ाद होगा और अगर कहा कि अगर मैंने फ़लां से बात किया तो मुझ पर हज है या उमरह तो इस को दोनों में से अधिकार हो जो चाहे अदा करे यह मुहीत में है।

एक ने क़सम खाई कि अपनी सास से बात न करूंगा फिर वह अपनी बीवी के पास इस के मैयके गया और इस से झगडे की बातें बाहम स्थपित हो हैं बस इस की सास ने इस से कहा कि तुझे क्या हुआ है तो ऐसा ऐसा नहीं करता है बस इस ने कहा कि इस को खाना

देता हूं इस के वास्ते कपड़ा लाता हूं फिर दावा किया कि मैंने सास को जवाब देने की नियत नहीं की थी बल्कि जोरू को मुराद लिया था तो फ़रमाया कि इस क़ौल की तसदीक़ होगी और सही(1)यह है कि क़ज़ाअन इस की तसदीक़ न की जायेगी यह ज़हीरिया में है और अगर क़सम खाई कि अगर मैंने अपने बाप से कलाम किया तो सब जो कुछ मेरी मिल्क में है सदक़ा है तो इस का हीला यह है कि अपनी सब अमलाक किसी मोअतमिद के हाथ बऔज़ कपड़े में लिपटी हुई चीज़ के फ़रोख़्त करदे फिर अपने बाप से कलाम करे कि इस पर कुछ लाज़िम न आयेगा फिर बैअ को बहुक्मे खयार व नियत के रद करदे यानी कपड़े में लिपटी हुई चीज़ जो सिमन है देख कर नापसन्द करके बैअ रद करदे यह ख़ुलासा में है बशर रह० ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की है कि एक ने दूसरे से कहा कि अगर तूने फ़लां से कलाम किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर दूसरे ने कहा कि इल्ला तेरी इजाज़त से तो इसी तौर से हानिस होगा कि बदूं इसकी इजाज़त के फ़लां से कलाम करे यह तातार खानिया में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां से कलाम न करूंगा फिर फ़लां मज़कूर गोश्त बेचता हुआ निकला पस हालिफ़ ने इसको पुकारा कि ई गोश्त वाले तो हानिस हो गया और अगर फ़लां मज़कूर ने छींका पस हालिफ़ ने कहा कि यरहमुकल्लाह यानी अल्लाह तआला तुझ पर रहम करे तो हानिस होगा यह ख़ुलासा में है और अगर हालिफ़ बाज़ार में गुज़रा पस कहा कि पोश्त और फ़लां मज़कूर वहां है तो हानिस न होगा यह वजीज़ करदरी में है और अगर कहा कि हर बार कि कलाम किया मैंने इन दोनों मर्दों में से किसी एक से तो मेरी बीवियों में से एक बीवी तालिक़ा है फिर दोनों से एक ही कलाम किया तो दो तलाक़ वाक़े होंगी कि इनको चाहे दो औरतों पर डाले या एक ही पर डाले यह काफ़ी में है एक ने अपनी बीवी से कहा कि अगर मैंने तेरी तलाक़ के साथ कलाम किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर बीवी से कहा कि अगर तू चाहे तो तू तालिक़ा है पस बीवी ने कहा कि मैं नहीं चाहती हूं तो बाज़ ने फ़रमाया है कि इसका ग़ुलाम आज़ाद होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान

देता हूं इस के लिए कपड़ा लाता हूं फिर दावा किया कि मैंने सास को जवाब देने की इरादा नहीं की थी बल्कि जोरू को तात्पर्य लिया था तो फ़रमाया कि इस कथन की पुष्टि होगी और सही (1) यह है कि न्यायिक इस की पुष्टि न की जायेगी यह ज़हीरिया में है और अगर क़सम खाई कि अगर मैंने अपने बाप से बात किया तो सब जो कुछ मेरी मिल्क में है दान है तो इस का हीला यह है कि अपनी सब अमलाक किसी मोअतमिद के हाथ बऔज़ कपड़े में लिपटी हुई चीज़ के फ़रोख़्त करदे फिर अपने बाप से बात करे कि इस पर कुछ अनिवार्य न आयेगा फिर विक्रय को बहुक्मे खयार व इरादा के रद करदे यानी कपड़े में लिपटी हुई चीज़ जो क़ीमत है देख कर नापसन्द करके विक्रय रद करदे यह ख़ुलासा में है बशर रह० ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की है कि एक ने दूसरे से कहा कि अगर तूने फ़लां से बात किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर दूसरे ने कहा कि सिवा तेरी इजाज़त से तो इसी तौर से पापी होगा कि बदूं इस की इजाज़त के फ़लां से बात करे यह तातारखानिया में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां से बात न करूंगा फिर फ़लां वर्णित गोश्त बेचता हुआ निकला बस शपथकर्ता ने इस को पुकारा कि ई गोश्त वाले तो पापी हो गया और अगर फ़लां वर्णित ने छींका बस शपथकर्ता ने कहा कि यरहमुकल्लाह यानी अल्लाह तआला तुझ पर रहम करे तो पापी होगा यह ख़ुलासा में है और अगर शपथकर्ता बाज़ार में गुज़रा बस कहा कि पोश्त और फ़लां वर्णित वहां है तो पापी न होगा यह वजीज़ करदरी में है और अगर कहा कि हर बार कि बात किया मैंने इन दोनों मर्दों में से किसी एक से तो मेरी बीवियों में से एक बीवी तालिक़ा है फिर दोनों से एक ही बात किया तो दो तलाक़ स्थपित होंगी कि इन को चाहे दो औरतों पर डाले या एक ही पर डाले यह काफ़ी में है एक ने अपनी बीवी से कहा कि अगर मैंने तेरी तलाक़ के साथ बात किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर बीवी से कहा कि अगर तू चाहे तो तू तालिक़ा है बस बीवी ने कहा कि मैं नहीं चाहती हूं तो कुछ ने फ़रमाया है कि इस का ग़ुलाम आज़ाद होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

में है।

तसनिया (दो) ज़िक्र करके वाहिद (एक) मुराद लेना :

इसी तरह अगर कहा कि अगर मैंने 'तकल्लुम बशिर्क' किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर कहा कि 'इन्नश्शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम' तो भी यही हुक्म है क़ालल मुतरजम मुतबादिर हमारे उर्फ में इस से यह है कि बात ऐसी कहे जो शिर्क है या कलाम ऐसा करे जो तलाक़ है 'वफ़ीमा दारद मअ बादहू फ़ल सानी उल अबद मिनल अव्वल' और हसन रह० ने फ़रमाया कि इन सब में नियत इस की दुरूस्त (2) है पस जो इस की नियत होगी इस के मुवाफ़िक़ हुक्म होगा और अगर इस ने कहा कि मेरी कुछ नियत न थी तो मेरेनज़दीक वो हानिस नहीं होगा और फ़क़ीह अबुल्लैस रह० ने फ़रमाया कि क़ौल अव्वल अहब है और बपाज़ ने क़ौल हसन रह० को इख़्तयार किया है यह तातार खानिया में है वक़ालल मुतरजम क़ौल हसन रह० नबज़र उर्फ़ हमारे नज़दीक माख़ूज़ है वल्लाहु तआला आलम शैख असद बिन उमरो से दरयाफ़्त किया गया कि एक ने अपनी बीवी से कहा कि अगर मैंने तेरे क़ज़फ़ का कलाम किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस औरत से कहा कि तो ज़ानिया है इन्शाअल्लाह तआला तू हानिस होगा यह ख़ुलासा में है और अगर निकाह करके क़ब्ल वती के अपनी बीवी से तीन मर्तबा कहा कि अगर मैंने तुझ से कलाम किया तो तू तालिक़ा है तो दूसरी बार यह कलाम क़सम कहने पर पहली क़सम में हानिस हुआ और दूसरी क़सम इमाम के अनुसार मुनअक़िद होगी और तीसरी बार इस तरह क़सम खाने से दूसरी क़सम मुनअक़िदा बिला जज़ा मुनहल होगी और तीसरी मुनअक़िद न होगी और अगर इस ने तीसरी क़सम न खाई यहां तक कि इस औरत से दोबारह निकाह किया फिर इस से कलाम किया तो दूसरी क़सम कीवजह से हमारे नज़दीक तालिक़ा हो जायेगी यह

(1)महल उल निज़ाअ+ हो क़ौलहू इसको और अगर बजाये इसको कि तु को कहता तो कुछझगडा न था।

(2)इन सूरतों में अगर इस ने दावा किया कि मेरीयह नियत थी तो इस की नियत सही है इस के क़ौल की तसदीक़+ की जायेगी।

तसनिया (दो) वर्णनकरके वाहिद (एक) तात्पर्य लेना :

इसी तरह अगर कहा कि अगर मैंने 'तकल्लुम बशिर्क' किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर कहा कि 'इन्नश्शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम' तो भी यही आदेश है अनुवादक के कथनानुसार मुतबादिर हमारे उर्फ़ में इस से यह है कि बात ऐसी कहे जो शिर्क है या बात ऐसा करे जो तलाक़ है 'वफ़ीमा दारद मअ बादहू फ़ल सानी उल अबद मिनल पहला' और हसन रह० ने फ़रमाया कि इन सब में इरादा इस की दुरूस्त (2) है बस जो इस की इरादा होगी इस के मुवाफ़िक़ आदेश होगा और अगर इस ने कहा कि मेरी कुछ इरादा न थी तो मेरेनिकट वह पापी नहीं होगा और फ़क़ीह अबुल्लैस रह० ने फ़रमाया कि कथन पहला अहब है और बपाज़ ने कथन हसन रह० को इख़्तयार किया है वह तातार खानिया में है वक़ालल मुतरजम कथन हसन रह० नबज़र उर्फ़ हमारे निकट माख़ूज़ है वल्लाहु तआला आलम शैख असद बिन उमरू से दरयाफ़्त किया गया कि एक ने अपनी बीवी से कहा कि अगर मैंने तेरे क़ज़फ़ का बात किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस औरत से कहा कि तो ज़ानिया है इन्शाअल्लाह तआला तू पापी होगा यह ख़ुलासा में है और अगर निकाह करके क़ब्ल संभोग के अपनी बीवी से तीन मर्तबा कहा कि अगर मैंने तुझ से बात किया तो तू तालिक़ा है तो दूसरी बार यह बात क़सम कहने पर पहली क़सम में पापी हुआ और दूसरी क़सम इमाम के अनुसार मुनअक़िद होगी और तीसरी बार इस तरह क़सम खाने से दूसरी क़सम मुनअक़िदा बिला बदला मुनहल होगी और तीसरी मुनअक़िद न होगी और अगर इस ने तीसरी क़सम न खाई यहां तक कि इस औरत से दोबारह निकाह किया फिर इस से बात किया तो दूसरी क़सम कीवजह से हमारे निकट तालिक़ा हो जायेगी यह काफ़ी में है अपनी बीवी से कहा कि अगर तूने फ़लां व

(1)महल उल निज़ाअ+ हो क़ौलहू इसको और अगर बजाये इसको कि तु को कहता तो कुछझगडा न था।

(2)इन स्थितियों में अगर इस ने दावा किया कि मेरीयह इरादा थी तो इस की इरादा सही है इस के कथन की पुष्टि की जायेगी।

काफ़ी में है अपनी बीवी से कहा कि अगर तूने फ़लां व फ़लां से कलाम किया तो तू तालिक़ा है पस इस औरत ने एक से कलाम किया न दूसरे से पस अगर इस की नियत यह हो कि जब तक दोनों से कलाम न करे हानिस न हो तो इस की नियत पर होगी कि वो हानिस न होगा या कुछ नियत न की हो तो भी हानिस न होगा और अगर नियत हो कि एक से भी कलाम करे तो हानिस होगा और अगर किसी मक़ाम में ऐसे कलाम में यह उर्फ़ हो कि इन्फ़राद मक़सूद होता है यानी एक किसी से कलाम न करे इजतमाअ नहीं मक़सूद होता है कि हानिस जब हो जब दोनों से कलाम करे तो इस मक़ाम के उर्फ़ के मुवाफ़िक़ हालिफ़ की यही नियत क़रार दी जायेगी और क़सम खाई कि फ़लां व फ़लां से कलाम न करूंगा पस अगर इदस की कुछ नियत न हो या यह नियत हो कि हानिस न हुए इल्ला दोनों से कलाम करने से हानिस न होगा और अगर यह नियत हो कि एक से कलाम करने से हानिस हो तो इस की नियत पर हुक्म होगा और शैख़ अबुल क़ासिम सफ़ार ने फ़रमाया कि अगर कुछ नियत न हो तो भी एक से कलाम करने से हानिस होगा लेकिन मुख़्तार यह है कि नहीं हानिस होगा यह फ़तावा कुबरा में है क़ालल मुतरजम शैख़ अबुल क़ासिम रह० के दयार में उर्फ़ (1) होगा कि एक से कलाम न करना मक़सूद होता होगा जैसे हमारे उर्फ़ में है लिहाज़ा यह हुक्म नबज़र उर्फ़ सही और वहां के उर्फ़ के मुवाफ़िक़ मुख़्तार होगा जैसे हमारे यहां है वल्लाहु आलम और अगर कहा कि इन दोनों आदमियों से कलाम न करूंगा या फ़ारसी में कहा कि 'बई दो तन सुख़्न न गवीम' तो इन में से एक से कलाम करने से हानिस न होगा और अगर इस ने एक से कलाम न करने की भी नियत की हो तो इस की नियत सही न होगी यह मशाइख़ का क़ौल है और मौल्लिफ़ रह० ने फ़रमाया कि नियत सही होनी चाहिए इस वास्ते कि तसनिया ज़िक्र करके एक मुराद लिया जाता है पस जबकि वो कहता है कि मेरी नियत ऐसी थी और हाल यह है कि इस से इस के नफ़्स पर सख़्ती होती है तो तसदीक़ की जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान व ख़ुलासा में है क़ालल मुतरजम

फ़लां से बात किया तो तू तालिक़ा है बस इस औरत ने एक से बात किया न दूसरे से बस अगर इस की इरादा यह हो कि जब तक दोनों से बात न करे पापी न हो तो इस की इरादा पर होगी कि वह पापी न होगा या कुछ इरादा न की हो तो भी पापी न होगा और अगर इरादा हो कि एक से भी बात करे तो पापी होगा और अगर किसी मक़ाम में ऐसे बात में यह उर्फ़ हो कि इन्फ़राद मक़सूद होता है यानी एक किसी से बात न करे इजतमाअ नहीं मक़सूद होता है कि पापी जब हो जब दोनों से बात करे तो इस मक़ाम के उर्फ़ के मुवाफ़िक़ शपथकर्ता की यही इरादा क़रार दी जायेगी और क़सम खाई कि फ़लां व फ़लां से बात न करूंगा बस अगर इदस की कुछ इरादा न हो या यह इरादा हो कि पापी न हुए सिवा दोनों से बात करने से पापी न होगा और अगर यह इरादा हो कि एक से बात करने से पापी हो तो इस की इरादा पर आदेश होगा और शैख़ अबुल क़ासिम सफ़ार ने फ़रमाया कि अगर कुछ इरादा न हो तो भी एक से बात करने से पापी होगा लेकिन मुख़्तार यह है कि नहीं पापी होगा यह फ़तावा कुबरा में है अनुवादक के कथनानुसार शैख़ अबुल क़ासिम रह० के दयार में उर्फ़ (1) होगा कि एक से बात न करना मक़सूद होता होगा जैसे हमारे उर्फ़ में है लिहाज़ा यह आदेश नबज़र उर्फ़ सही और वहां के उर्फ़ के मुवाफ़िक़ मुख़्तार होगा जैसे हमारे यहां है वल्लाहु आलम और अगर कहा कि इन दोनों आदमियों से बात न करूंगा या फ़ारसी में कहा कि 'बई दो तन सुख़्न न गवीम' तो इन में से एक से बात करने से पापी न होगा और अगर इस ने एक से बात न करने की भी इरादा की हो तो इस की इरादा सही न होगी यह विद्वानों का कथन है और मौल्लिफ़ रह० ने फ़रमाया कि इरादा सही होगी चाहिए इस लिए कि तसनिया वर्णनकरके एक तात्पर्य लिया जाता है बस जबकि वह कहता है कि मेरी इरादा ऐसी थी और हाल यह है कि इस से इस के नफ़्स पर सख़्ती होती है तो पुष्टि की जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान व ख़ुलासा में है अनुवादक के कथनानुसार 'यसह इन्दना मुतलक़न' अगर कहा कि इस क़ौम के लोगों से या अहले बग़दाद से बात करना मुझ पर निषिद्ध है फिर

'यसह इन्दना मुतलक़न' अगर कहा कि इस क़ौम के लोगों से या अहले बग़दाद से कलाम करना मुझ पर हराम है फिर इन में से एक आदमी से कलाम किया तो हानिस होगा और यह बरख़िलाफ़ इस के है कि जो हम ने बयान किया इस सूरत में कि इस ने कहा कि वल्लाह मैं इन दो आदमियों से कलाम न करूंगा या फ़ारसी में कहा कि वल्लाह बईं दो तन सुख़्न न गवीम बदीन वजह कि हम ने इस सूरत में बयान कियसा कि बिल इत्तफ़ाक़ एक से कलाम करने से हानिस न होगा और फ़तवा के वास्ते यही मुख़्तार है पस ऐसा ही इस मक़ाम पर है यह फ़तावा कुबरा में है क़ाल हमारे नज़दीक दोनों सूरतों में हानिस होगा। 'कमा क़द ज़िक्रना हुनाक ऐज़न नाफ़हम'।

अगर कहा कि कलाम फ़लां व फ़लां मुझ पर हराम है फिर दोनों में से एक से कलाम किया तो हानिस होगा और बाज़ ने कहा हानिस न होगा इल्ला इस ने हर एक से कलाम न करने की नियत की हो और यही मुख़्तार है यह जवाहिर अख़्लाती में है और अगर क़सम खाई कि 'लायकलम फ़लाना ओ फ़लाना' यानी फ़लां या फ़लां से कलाम न करूंगा फिर एक से कलाम किया तो हानिस होगा क़ालल मुतरजम हमारे उर्फ़ के मुवाफ़िक़ यह मफ़हूम मर्दूद है कि इस की मुराद यह होगी कि इन दोनों में से एक से कलाम न करूंगा पस जब किसी एक से कलाम कर लिया तो दूसरा कलाम न करने के वास्ते मुतअयन हो गया कि जब इस से कलाम करेंगा हानिस होगा वल्लाहु आलम और इसी तरह अगर कहा कि मैं कलाम न करूंगा फ़लाने से और न फ़लां से तो एक से कलाम करने से हानिस होगा यह ख़ुलासा में है क़ालल मुतरजम यह हमारे उर्फ़ के भी मुवाफ़िक़ है और अगर क़सम खाई कि वल्लाह

(1)उर्फ+ अक़वाल हमारे उर्फ+ में भीयह मक़सूद नहीं होता कि मजमूआ दोनों से कलाम न करूंगा बल्किएक से भी कलाम न करूंगा और क़ौलहू क़ालल मुतरजमयसह यानी हर हाल में नियत सही है।

कलाम न करूंगा फ़लाने या फ़लाने से तो पहले से कलाम करने से और बाक़ी दोनों से कलाम करने से हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि वल्लाह कलाम न करूंगा फ़लाने व फ़लाने या फ़लाने से तो पहले दोनों से इन में से एक आदमी से बात किया तो पापी होगा और यह बरख़िलाफ़ इस के है कि जो हम ने बयान किया इस स्थिति में कि इस ने कहा कि वल्लाह मैं इन दो आदमियों से बात न करूंगा या फ़ारसी में कहा कि वल्लाह बईं दो तन सुख़्न न गवीम इस कारण कि हम ने इस स्थिति में बयान कियसा कि बिल इत्तफ़ाक़ एक से बात करने से पापी न होगा और फ़तवा के लिए यही मुख़्तार है बस ऐसा ही इस मक़ाम पर है यह फ़तावा कुबरा में है क़ाल हमारे निकट दोनों स्थितियों में पापी होगा। 'कमा क़द ज़िक्रना हुनाक ऐज़न नाफ़हम'।

अगर कहा कि बात फ़लां व फ़लां मुझ पर निषिद्ध है फिर दोनों में से एक से बात किया तो पापी होगा और कुछ ने कहा पापी न होगा सिवा इस ने हर एक से बात न करने की इरादा की हो और यही मुख़्तार है यह जवाहिर अख़्लाती में है और अगर क़सम खाई कि 'लायकलम फ़लाना ओ फ़लाना' यानी फ़लां या फ़लां से बात न करूंगा फिर एक से बात किया तो पापी होगा अनुवादक के कथनानुसार हमारे उर्फ के मुवाफ़िक़ यह मफ़हूम मर्दूद है कि इस की तात्पर्य यह होगी कि इन दोनों में से एक से बात न करूंगा बस जब किसी एक से बात कर लिया तो दूसरा बात न करने के लिए मुतअयन हो गया कि जब इस से बात करेंगा पापी होगा वल्लाहु आलम और इसी तरह अगर कहा कि मैं बात न करूंगा फ़लाने से और न फ़लां से तो एक से बात करने से पापी होगा यह ख़ुलासा में है अनुवादक के कथनानुसार यह हमारे उर्फ़ के भी मुवाफ़िक़ है और अगर क़सम खाई कि वल्लाह

(1)उर्फ+ अक़वाल हमारे उर्फ+ में भीयह मक़सूद नहीं होता कि मजमूआ दोनों से बात न करूंगा बल्किएक से भी बात न करूंगा और क़ौलहू अनुवादक के कथनानुसारयसह यानी हर हाल में इरादा सही है।

बात न करूंगा फ़लाने या फ़लाने से तो पहले से बात करने से और बाक़ी दोनों से बात करने से पापी होगा और अगर क़सम खाई कि वल्लाह बात न करूंगा फ़लाने व फ़लाने या फ़लाने से तो पहले दोनों से या पिछले (2) एक से बात करने से पापी होगा और अगर अकेले पहला से या दूसरे से बात किया तो पापी (1) न

या पिछले (2) एक से कलाम करने से हानिस होगा और अगर अकेले अव्वल से या दूसरे से कलाम किया तो हानिस (1) न होगा यह काफ़ी में है और अगर क़सम खाई कि ان خرجت من ہذہ الدار حتی اکلم الذی ہو فیہا فامراتہ طاق यानी अगर मैंने इस शख़्स से जो दार में है कलाम न किया यहां तक कि मैं इस दार से निकल गया तो मेरी बीवी तालिक़ा है और इस दार में कोई आदमी नहीं है पस वो बाहर निकल गया तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर अपनी बान्दियों से कहा कि हर बार कि मैंने कलाम किया तुम में से किसी एक से तो तुम में से एक सिवाए (2) इस के आज़ाद है फिर इस ने सेहत में चार से कलाम किया और क़ब्ल बयान के मर गया तो सब आज़ाद होंगी यह काफ़ी में है क़ालल मुतरजम मेरे नज़दीक यह मुराद नहीं है कि अगर सब दस हों मसलन तो सब की सब मुफ्त आज़ाद हो जायेगी बल्कि मुराद यह है कि आज़ाद तो सब होंगी मगर सआयत लाज़िम आयेगी यानी जिस पर जिस क़द्र माल सआयत करके अदा करना वाजिब हो बाद मन्हाई इस क़द्र हिस्सा के जो आज़ाद हुआ है अदा करेगी फ़ाफ़हम। अपनी बीवी से कहा कि अगर तूने यह बात फ़लां से कही तो तू तालिक़ा है फिर औरत ने वो बात फ़लां मज़कूर से कही लेकिन ऐसी इबारत में कही कि फ़लां मज़कूर न समझाए तो औरत मज़कूरह तालिक़ा होगी जैसे किसी ने क़सम खाई कि फ़लां से कलाम न करूंगा फिर ऐसी इबारत में कलाम किया कि फ़लां इस को न समझा तो हानिस होता है पस ऐसा है यहां है यह मुहीत में है। हुज्जा में लिखा है कि क़सम खाई कि किसी चीज़ से कलाम न करूंगा फिर किसी जमाद से या ऐसे हैवान से जो नातिक़ नहीं है कलाम किया तो हानिस न होगा और अगर गूंगे या बहरे से कलाम किया तो हानिस होगा और अगर इतफ़ाल से कलाम किया पस अगर समझते हों तो हानिस हुआ और अगर न समझते हों तो हानिस न होगा यह तातारखानिया में है। शम्सुल इस्लाम और जन्दी से दरयाफ़्त किया गया कि एक ने क़सम खाई कि किसी से कलाम न करूंगा फिर एक काफ़िर इस के पास इस्लाम लाने के वास्ते

होगा यह काफ़ी में है और अगर क़सम खाई कि ان خرجت من ہذہ الدار حتی اکلم الذی ہو فیہا فامراتہ طاق यानी अगर मैंने इस व्यक्ति से जो घर में है बात न किया यहां तक कि मैं इस घर से निकल गया तो मेरी बीवी तालिक़ा है और इस घर में कोई आदमी नहीं है बस वह बाहर निकल गया तो इमाम आज़म रह० के निकट पापी न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर अपनी बान्दियों से कहा कि हर बार कि मैंने बात किया तुम में से किसी एक से तो तुम में से एक सिवाए (2) इस के आज़ाद है फिर इस ने सेहत में चार से बात किया और क़ब्ल बयान के मर गया तो सब आज़ाद होंगी यह काफ़ी में है अनुवादक के कथनानुसार मेरे निकट यह तात्पर्य नहीं है कि अगर सब दस हों मसलन तो सब की सब मुफ्त आज़ाद हो जायेगी बल्कि तात्पर्य यह है कि आज़ाद तो सब होंगी मगर कमा कर क़ीमत देने की कोशिश अनिवार्य आयेगी यानी जिस पर जिस क़द्र माल कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करके अदा करना अनिवार्य हो बाद मन्हाई इस क़द्र हिस्सा के जो आज़ाद हुआ है अदा करेगी फ़ाफ़हम। अपनी बीवी से कहा कि अगर तूने यह बात फ़लां से कही तो तू तालिक़ा है फिर औरत ने यह बात फ़लां वर्णित से कही लेकिन ऐसी इबारत में कही कि फ़लां वर्णित न समझाए तो औरत वर्णितह तालिक़ा होगी जैसे किसी ने क़सम खाई कि फ़लां से बात न करूंगा फिर ऐसी इबारत में बात किया कि फ़लां इस को न समझा तो पापी होता है बस ऐसा है यहां है यह मुहीत में है। हुज्जा में लिखा है कि क़सम खाई कि किसी चीज़ से बात न करूंगा फिर किसी जमाद से या ऐसे हैवान से जो नातिक़ नहीं है बात किया तो पापी न होगा और अगर गूंगे या बहरे से बात किया तो पापी होगा और अगर इतफ़ाल से बात किया बस अगर समझते हों तो पापी हुआ और अगर न समझते हों तो पापी न होगा यह तातारखानिया में है। शम्सुल इस्लाम और जन्दी से दरयाफ़्त किया गया कि एक ने क़सम खाई कि किसी से बात न करूंगा फिर एक काफ़िर इस के पास इस्लाम लाने के लिए आया तो शैख़ रहमतुल्लाहि ने फ़रमाया कि सिफ़त इस्लाम बयान करदे और वह सब बयान करदे

आया तो शैख़ रहमतुल्लाहि ने फ़रमाया कि सिफ़त इस्लाम बयान करदे और वो सब बयान करदे जिस से काफ़िर मुसलमान हो जाता है और इस से बात न करे पस हानिस न होगा यह मुहीत में है मुतरजम कहता है कि अगर ऐसी सूरत में यह देखे कि मेरे कलाम न करने से इस के इस्लाम में ताख़ीर होगी बदीन वजह कि इस की ख़ातिर को इन्क़बाज़ होता है तो लाज़िम है कि क़सम तोड़े और कफ़्फ़ारह अदा करे आर इस को ख़ुशी ख़ातिर से मुसलमान करे वल्लाहु तआला अहकम एक ने बअपनी बीवी को देखा कि किसी अजनबी मर्द से बातें करती है पस इस को ग़ुस्सा आया और औरत से कहा कि अगर तूने इस बाद किसी मर्द अजनबी से बात की तो तू तालिक़ा है फिर इस के बाद इस की औरत ने शौहर के शागिर्द पैशा से बात की जो इस औरत का ऐसा नाते दार नहीं है जिस से निकाह हराम हो या किसी ऐसे मर्द से जो इसी दार में रहता है जिस से शनासाई है मगर वो इस औरत का ज़ी महरम महरम नहीं है या औरत ने अपने किसी ज़वी उल अरहाम यानी नाते दार से बात की हालांकि वो भी ऐसा नहीं है कि इस से निकाह हराम हुए तो वो औरत तालिक़ा हो जायेगा यह ज़हीरिया में है।

(1)मुतरजम कहता है कि इससे तुझे ज़ाहिर हुआ कि जो+][ुलासा में मज़कूर है वही सही व मु]तार है।

(2)ा सूरत औला में दूसरे तीसरे से तन्हा कलाम किया तो हानिस न होगा।

(3)जिस से कलाम किया है

अगर क़सम खाई कि इस जवान से बात न करूंगा फिर इस के बूढ़े हो जाने के बाद इस से बात की तो हानिस होगा :

अगर क़सम खाई कि 'ला यकल्लमु रजुला' एक मर्द से बात न करूंगा फिर इस ने एक मर्द से बात की और कहा कि मैं ने इस के सिवाऐ दूसरे को मुराद लिया है तो हानिस न होगा बख़िलाफ़ इस के अगर कहा कि 'लायकल्लमु उल रजुल' यानी मर्द से बात न करूंगा तो जिन्स मर्द पर क़सम होगी या तअय्युन दुरूस्त होगा कि किसी मर्द से बात करने से हानिस होगा यह मुहीत (1) में है अगर क़सम खाई कि इस जवान से बात न करूंगा

जिस से काफ़िर मुसलमान हो जाता है और इस से बात न करे बस पापी न होगा यह मुहीत में है मुतरजम कहता है कि अगर ऐसी स्थिति में यह देखे कि मेरे बात न करने से इस के इस्लाम में ताख़ीर होगी इस कारण कि इस की ख़ातिर को इन्क़बाज़ होता है तो अनिवार्य है कि क़सम तोड़े और प्रायश्चित अदा करे आर इस को ख़ुशी ख़ातिर से मुसलमान करे वल्लाहु तआला अहकम एक ने बअपनी बीवी को देखा कि किसी अजनबी मर्द से बातें करती है बस इस को ग़ुस्सा आया और औरत से कहा कि अगर तूने इस बाद किसी मर्द अजनबी से बात की तो तू तालिक़ा है फिर इस के बाद इस की औरत ने शौहर के शागिर्द पैशा से बात की जो इस औरत का ऐसा नाते घर नहीं है जिस से निकाह निषिद्ध हो या किसी ऐसे मर्द से जो इसी घर में रहता है जिस से शनासाई है मगर वह इस औरत का ज़ी महरम महरम नहीं है या औरत ने अपने किसी ज़वी उल अरहाम यानी नाते घर से बात की हालांकि वह भी ऐसा नहीं है कि इस से निकाह निषिद्ध हुए तो वह औरत तालिक़ा हो जायेगा यह ज़हीरिया में है।

(1)मुतरजम कहता है कि इससे तुझे ज़ाहिर हुआ कि जो+][ुलासा में वर्णित है वही सही व मु]तार है।

(2)ा स्थिति औला में दूसरे तीसरे से तन्हा बात किया तो पापी न होगा।

(3)जिस से बात किया है

अगर क़सम खाई कि इस जवान से बात न करूंगा फिर इस के बूढ़े हो जाने के बाद इस से बात की तो पापी होगा :

अगर क़सम खाई कि 'ला यकल्लमु रजुला' एक मर्द से बात न करूंगा फिर इस ने एक मर्द से बात की और कहा कि मैं ने इस के सिवाऐ दूसरे को तात्पर्य लिया है तो पापी न होगा बख़िलाफ़ इस के अगर कहा कि 'लायकल्लमु उल रजुल' यानी मर्द से बात न करूंगा तो जिन्स मर्द पर क़सम होगी या तअय्युन दुरूस्त होगा कि किसी मर्द से बात करने से पापी होगा यह मुहीत (1) में है अगर क़सम खाई कि इस जवान से बात न करूंगा

फिर इस के बूढ़े हो जाने के बाद इस से बात की तो हानिस होगा यह हावी में है अगर क़सम खाई कि तफ़्ल से बात न करूंगा फिर किसी बूढ़े से बात की हानिस न होगा यह मुहीत में है। और अगर क़सम खाई कि मर्द से बात न करूंगा फिर तफ़्ल से बात की तो हानिस होगा यह ज़हीरिया में है और अगर क़सम खाई कि अगर मैंने औरत से बात की तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर लड़की (1) से बात की तो हानिस न होगा और अगर कहा कि अगर मैंने औरत से निकाह किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर लड़की से निकाह किया तो हानिस होगा इस वास्ते कि बचपन कलाम करने से बालिग़ है पस औरत के हक़ में जो क़सम माक़ूद हो इस में लड़की का मुराद लेना आदत की राह से न होगा और निकाह करना ऐसा नहीं है यह बहरूल राइक़ में है और अगर क़सम खाई कि कलाम न करूंगा मर्द से या तफ़्ल से या ग़ुलाम से या शाब से या कहल से यानी इन में से किसी से कलाम न करने की क़सम खाई तो हम कहते हैं कि शरअ में ग़ुलाम नाम ऐसी उम्र के मर्द का है जो बालिग़ न हुआ हो और फिर जब बालिग़ हुआ तो शाब हो गया और इस को फ़ती भी कहते हैं और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि शाब पन्द्रह बरस से तीस बरस तक है जब तक इस पर शमत ग़ालिब न हो और कहल तीस बरस से पचास बरस तक है और पचास बरस से ज़्यादा का शैख कहलाता है और पन्द्रह बरस से कम शाब नहीं है और तीस बरस से कम का कहल नहीं कहलाता है और पचास बरस से कम का शैख नहीं कहलाता है और इस के दरमियान में जो उम्र है इस में शमत मोअतबर है और क़ुदूरी में इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि शाब पन्द्रह बरस से पचास बरस तक है इल्ला आंकि शमत इस पर इस से पहले ग़ालिब हो जाये और कहल तीस बरस से आखिर उम्र तक है और शैख पचास बरस से ज़्यादा उम्र का होता है पस बिना बर इस रिवायत के पचास बरस से ज़्यादा उम्र वाले को इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने शैख भी क़रार दिया और कहल भी और वसाया उल नवाज़िल में इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि तीस बरस का कहल है और नीज़ इमाम अबू यूसुफ़

फिर इस के बूढ़े हो जाने के बाद इस से बात की तो पापी होगा यह हावी में है अगर क़सम खाई कि तफ़्ल से बात न करूंगा फिर किसी बूढ़े से बात की पापी न होगा यह मुहीत में है। और अगर क़सम खाई कि मर्द से बात न करूंगा फिर तफ़्ल से बात की तो पापी होगा यह ज़हीरिया में है और अगर क़सम खाई कि अगर मैंने औरत से बात की तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर लड़की (1) से बात की तो पापी न होगा और अगर कहा कि अगर मैंने औरत से निकाह किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर लड़की से निकाह किया तो पापी होगा इस लिए कि बचपन बात करने से बालिग़ है बस औरत के हक़ में जो क़सम माक़ूद हो इस में लड़की का तात्पर्य लेना आदत की राह से न होगा और निकाह करना ऐसा नहीं है यह बहरूल राइक़ में है और अगर क़सम खाई कि बात न करूंगा मर्द से या तफ़्ल से या ग़ुलाम से या शाब से या कहल से यानी इन में से किसी से बात न करने की क़सम खाई तो हम कहते हैं कि शरअ में ग़ुलाम नाम ऐसी उम्र के मर्द का है जो बालिग़ न हुआ हो और फिर जब बालिग़ हुआ तो शाब हो गया और इस को फ़ती भी कहते हैं और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि शाब पन्द्रह बरस से तीस बरस तक है जब तक इस पर शमत ग़ालिब न हो और कहल तीस बरस से पचास बरस तक है और पचास बरस से ज़्यादा का शैख कहलाता है और पन्द्रह बरस से कम शाब नहीं है और तीस बरस से कम का कहल नहीं कहलाता है और पचास बरस से कम का शैख नहीं कहलाता है और इस के बीच में जो उम्र है इस में शमत मोअतबर है और क़ुदूरी में इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि शाब पन्द्रह बरस से पचास बरस तक है सिवा आंकि शमत इस पर इस से पहले ग़ालिब हो जाये और कहल तीस बरस से आखिर उम्र तक है और शैख पचास बरस से ज़्यादा उम्र का होता है बस बिना बर इस रिवायत के पचास बरस से ज़्यादा उम्र वाले को इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने शैख भी क़रार दिया और कहल भी और वसाया उल नवाज़िल में इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि तीस बरस का कहल है और नीज़ इमाम अबू यूसुफ़ रह०

रह० से मरवी है कि जो तैंतीस बरस का या इस से .ज्यादा का हुए वो कहल है फिर जब पचास बरस का हो गया तो वो शैख है और नवादिर बिन समाआ में लिखा है कि कहल तीस बरस से चालीस बरस तक है और शैख वो है कि पचास से इस की उम्र .ज्यादा हो अगरचे इस के बाल सफ़ैद न हुए हों और अगर चालीस बरस से उम्र .ज्यादा हुई और इस के सफ़ैद बाल बहुत हो गये तो वो शैख है और अगर स्याह .ज्यादा हों तो शैख नहीं है और इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है कि ग़ुलाम वो है कि पन्द्रह बरस से उम्र में कम हो और शाब वक़्ती वो है कि पन्द्रह बरस या .ज्यादा का हुआ और जब चालीस बरस का हुआ तो इस वक्त से साठ बरस तक कहल है इल्ला आंकि बालों की सफ़ैदी इस पर ग़ालिब हो जाये तो वक्त ग़लबा से शैख होगा न होगा और क़ालल मुतरजम यही हमारे उर्फ़ के मुवाफ़िक़ है ولكن لا دخل له في الشرع في مثل ذلك فاتبعنا ما افتوا رحمهم الله تعالى۔

अगर कहा: ان كلمتك الان تكلمني او الى ان تكلمني او حتى تكلمني فكذا

अगर क़सम खाई कि त्यामी (1) बनी फ़लां या क़सम खाई कि अराइल (2) बनी फ़लां से या क़सम खाई कि सियब बनी फ़लां या क़सम खाई कि अयामी (3) बनी फ़लां से कलाम न करूंगा तो हम कहते हैं कि यतीम वो कहलाता है कि इस का बाप मर गया और हुनूज़ वो सग़ीर है कि बालिग़ नहीं हुआ है तो जब बालिग़

(1)मुहीत में है अक़्वैल हमारे उर्फ़+ में अगर कहा कि मर्दों से बात न करूंगा तो भी सब की नियत नहीं हो सकती है बल्कि जिन्स मुराद ली जायेगी यानी इस से बात न करूंगा तो एक से हानिस होगा।
(2)ईयतीमां फ़रज़नदान फ़लांयानी फ़लां की औलाद में जोयतीम हैं।
(1)जवान न थी।
(2)राण्ड व बेखाविन्द औरतें
(3)अयामी जमाएम मर्द ने ज़ोजा व औरत बेशौहर।

हो गया तोक हम इस को यतीम नहीं कहते हैं ऐसा है इमाम मुहम्मद रह० ने किताब में ज़िक्र फ़रमाया है और इमाम मुहम्मद का क़ौल लुग़ात में हुज्जत है और अराइल जमा अरमला है वो हर ऐसी औरत बालिग़ा

से मरवी है कि जो तैंतीस बरस का या इस से .ज्यादा का हुए वह कहल है फिर जब पचास बरस का हो गया तो वह शैख है और नवादिर बिन समाआ में लिखा है कि कहल तीस बरस से चालीस बरस तक है और शैख वह है कि पचास से इस की उम्र .ज्यादा हो चाहे इस के बाल सफ़ैद न हुए हों और अगर चालीस बरस से उम्र .ज्यादा हुई और इस के सफ़ैद बाल बहुत हो गये तो वह शैख है और अगर स्याह .ज्यादा हों तो शैख नहीं है और इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है कि ग़ुलाम वह है कि पन्द्रह बरस से उम्र में कम हो और शाब वक़्ती वह है कि पन्द्रह बरस या .ज्यादा का हुआ और जब चालीस बरस का हुआ तो इस समय से साठ बरस तक कहल है सिवा आंकि बालों की सफ़ैदी इस पर ग़ालिब हो जाये तो समय ग़लबा से शैख होगा न होगा और अनुवादक के कथनानुसार यही हमारे उर्फ़ के मुवाफ़िक़ है ولكن لا دخل له في الشرع في مثل ذلك فاتبعنا ما افتوا رحمهم الله تعالى۔

अगर कहा: ان كلمتك الان تكلمني او الى ان تكلمني او حتى تكلمني فكذا

अगर क़सम खाई कि त्यामी (1) बनी फ़लां या क़सम खाई कि अराइल (2) बनी फ़लां से या क़सम खाई कि सियब बनी फ़लां या क़सम खाई कि अयामी (3) बनी फ़लां से बात न करूंगा तो हम कहते हैं कि यतीम वह कहलाता है कि इस का बाप मर गया और हुनूज़ वह सग़ीर है कि बालिग़ नहीं हुआ है तो जब बालिग़

(1)मुहीत में है अक़्वैल हमारे उर्फ़+ में अगर कहा कि मर्दों से बात न करूंगा तो भी सब की इरादा नहीं हो सकती है बल्कि जिन्स तात्पर्य ली जायेगी यानी इस से बात न करूंगा तो एक से पापी होगा।
(2)ईयतीमां फ़रज़नदान फ़लांयानी फ़लां की औलाद में जोयतीम हैं।
(1)जवान न थी।
(2)राण्ड व बेखाविन्द औरतें
(3)अयामी जमाएम मर्द ने ज़ोजा व औरत बेशौहर।

हो गया तोक हम इस को यतीम नहीं कहते हैं ऐसा है इमाम मुहम्मद रह० ने किताब में वर्णन फ़रमाया है और इमाम मुहम्मद का कथन लुग़ात में हुज्जत है और अराइल जमा अरमला है वह हर ऐसी औरत बालिग़ा

फ़क़ीर मौहताजा है कि इस के शौहर ने जुदा (1) कर दिया हो ख़्वाह इस के साथ दुख़ूल किया हो या न किया पस यह नाम मख़्सूस औरत के साथ है और ई बालिग़ा पर बोला जाता है जिस को इस के शौहर ने जुदा कर दिया हो और इसी पर बोला जाता है जो फ़क़ीरा मौहताजा हो ऐसा ही इमाम मुहम्मद रह० ने किताब में ज़िक्र फ़रमाया है और इन का क़ौल लुग़ात में हुज्जत है और एम हर ऐसी औरत बोलते हैं जिस से जिमाअ किया गया हो ख़्वाह बनिकाह जाइज़ या फ़ासिद या बतौर ज़िना और हाल यह हो कि इस को इस के शौहर ने जुदा कर दिया हो ख़्वाह वो फ़क़ीरा हो या ग़निया हो या सग़ीरा हो या कबीरा हो ऐसा ही इमाम मुहम्मद रह० ने किताब में ज़िक्र किया है और सियत हर ऐसी औरत है कि इस से हलाल या हराम तौर पर जिमाअ कर लिया गया हो ख़्वाह इस का शौहर हो या न हो सग़ीरा हो या बालिग़ा हो या फ़क़ीरा हो या ऐसा ही इमाम मुहम्मद रह० ने ज़िक्र फ़रमाया है यह ज़ख़ीरा में लिखा है और अगर कहा कि ان کلمتك الاان تکلمنی اوالی ان تکلمنی اور حتی تلمنی فکذا یعنی यानी अगर मैंने तुझ से कलाम किया इल्ला आंकि तू मुझ से कलाम करे या ता आंकि तू मुझ से कलाम करे या यहां तक कि तू मुझ से कलाम करे तो चुनीन (2) व चुनां फिर दोनों ने एक दूसरे को साथ ही सलाम किया तो इमाम मुहम्मद रह० के क़ौल में हालिफ़ हानिस होगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० के क़ौल में हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर दोनों मक्का को जाने को निकले फिर एक ने क़सम खाई कि मैं इस से कलाम न करूंगा यहां तक कि मक्का से लोटूं फिर दोनों रास्ते से लोट आये फिर हालिफ़ ने इस ने कलाम किया तो हानिस होगा और यह क़सम मक्का में जाकर लोट आने पर होगी इल्ला आंकि दोनों में मुराफ़अत या कोई और बात हो यह इताबिया में है।

अगर एक ने दूसरे से कहा कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैंने तुझ से इब्तदा की कलाम में या तज़व्वुतज में फिर दोनों में मुलाक़ात हुई फिर दोनों ने एक दूसरे पर साथ ही सलाम किया या दोनों ने साथ ही निकाह किया तो हानिस न होगा यह काफ़ी में है और हालिफ़ से

फ़क़ीर मौहताजा है कि इस के शौहर ने जुदा (1) कर दिया हो चाहे इस के साथ दुख़ूल किया हो या न किया बस यह नाम मख़्सूस औरत के साथ है और ई बालिग़ा पर बोला जाता है जिस को इस के शौहर ने जुदा कर दिया हो और इसी पर बोला जाता है जो फ़क़ीरा मौहताजा हो ऐसा ही इमाम मुहम्मद रह० ने किताब में वर्णन फ़रमाया है और इन का कथन लुग़ात में हुज्जत है और एम हर ऐसी औरत बोलते हैं जिस से जिमाअ किया गया हो चाहे बनिकाह जाइज़ या फ़ासिद या बतौर ज़िना और हाल यह हो कि इस को इस के शौहर ने जुदा कर दिया हो चाहे वह फ़क़ीरा हो या ग़निया हो या सग़ीरा हो या कबीरा हो ऐसा ही इमाम मुहम्मद रह० ने किताब में वर्णन किया है और सियत हर ऐसी औरत है कि इस से हलाल या निषिद्ध तौर पर जिमाअ कर लिया गया हो चाहे इस का शौहर हो या न हो सग़ीरा हो या बालिग़ा हो या फ़क़ीरा हो या ऐसा ही इमाम मुहम्मद रह० ने वर्णन फ़रमाया है यह ज़ख़ीरा में लिखा है और अगर कहा कि ان کلمتك الاان تکلمنی اوالی ان تکلمنی اور حتی تلمنی فکذا यानी अगर मैंने तुझ से बात किया सिवा आंकि तू मुझ से बात करे या ता आंकि तू मुझ से बात करे या यहां तक कि तू मुझ से बात करे तो चुनीन (2) व चुनां फिर दोनों ने एक दूसरे को साथ ही सलाम किया तो इमाम मुहम्मद रह० के कथन में शपथकर्ता पापी होगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० के कथन में पापी न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर दोनों मक्का को जाने को निकले फिर एक ने क़सम खाई कि मैं इस से बात न करूंगा यहां तक कि मक्का से लोटूं फिर दोनों रास्ते से लोट आये फिर शपथकर्ता ने इस ने बात किया तो पापी होगा और यह क़सम मक्का में जाकर लोट आने पर होगी सिवा आंकि दोनों में मुराफ़अत या कोई और बात हो यह इताबिया में है।

अगर एक ने दूसरे से कहा कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैंने तुझ से इब्तदा की बात में या तज़व्वुतज में फिर दोनों में मुलाक़ात हुई फिर दोनों ने एक दूसरे पर साथ ही सलाम किया या दोनों ने साथ ही निकाह किया तो पापी न होगा यह काफ़ी में है और शपथकर्ता से बाद

बाद इस वाक़िऐ के क़सम साक़ित हो जायेगी हत्ता कि इस क़सम से अब कभी हानिस न होगा इस वास्ते कि इब्तदाऐ कलाम इस की तरफ़ से वाक़े होने से पास हो गई इस वास्ते कि जो कलाम इस के बाद हालिफ़ से पाया जायेगा वो ऐसा ही होगा कि बाद कलाम महलूफ़ अलैहि के है और अगर अपनी बीवी से कहा कि अगर मैंने तुझ से कलाम करने में पहल की तो तू तालिक़ा है और औरत ने कहा कि अगर मैंने तुझ से कलाम करने में पहल की तो मेरी बान्दी आज़ाद है फिर शौहर ने इस औरत से कलाम किया तो मर्द अपनी क़सम में हानिस (1) न होगा और बीवी भी अपनी क़सम में हानिस न होगी क्योंकि इस ने पहल नहीं की है और अगर दोनों ने साथ ही ऐसे ही क़सम खाई हो तो चाहिए कि दोनों में से हर एक दूसरे से साथ ही कलाम करे कि दोनों में से कोई हानिस न होगा और इसी तरह अगर किसी दूसरे से कहा कि अगर मैं तुझ से कलाक करूं क़ब्ल इस के तो मुझ से कलाम करे तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर दोनों से मुलाक़ात हुई पस हर एक ने दूसरे को एक साथ ही सलाम किया हालिफ़ अपनी क़सम में हानिस न होगा यह मुहीत में है।

अगर कहा कि कलाम न करूंगा किसी से कभी इल्ला दो मर्दों में के एक से कूफ़ी हो या बसरी होः

चन्द लोग एक मज्लिस में बैठे बातें करते थे फिर इन में से एक ने कहा कि जिस ने इस के बाद कलाम किया इस की बीवी तालिक़ा है फिर इसी कहने वाले ने कलाम किया तो इस की बीवी तालिक़ा होगी यह फ़तावा (2) क़ाज़ी ख़ान में है। ख़ज़ाना में लिखा है कि एक ने कहा कि जिस ने ग़ुलाम अब्दुल्लाह से कलाम किया इस की बीवी तालिक़ा है और अब्दुल्लाह ही क़सम खाने वाला है और इसी का ग़ुलाम यह ग़ुलाम है पस इस ने

(1)इस वास्ते कि बीवी क़समखाने में इस से पहले कलाम कर चुकी है।

(2) अगर कोई दूसरा कलाम करे तो इस की बीवी तालिक़ा न होगी।

(1)+]वाह मौतया तलाक़।

(2)मेरी बीवी तालिक़ा हैया ग़ुलाम आज़ाद है।

इस वाक़िऐ के क़सम साक़ित हो जायेगी हत्ता कि इस क़सम से अब कभी पापी न होगा इस लिए कि इब्तदाऐ बात इस की तरफ़ से स्थपित होने से पास हो गई इस लिए कि जो बात इस के बाद शपथकर्ता से पाया जायेगा वह ऐसा ही होगा कि बाद बात महलूफ़ अलैहि के है और अगर अपनी बीवी से कहा कि अगर मैंने तुझ से बात करने में पहल की तो तू तालिक़ा है और औरत ने कहा कि अगर मैंने तुझ से बात करने में पहल की तो मेरी बान्दी आज़ाद है फिर शौहर ने इस औरत से बात किया तो मर्द अपनी क़सम में पापी (1) न होगा और बीवी भी अपनी क़सम में पापी न होगी क्योंकि इस ने पहल नहीं की है और अगर दोनों ने साथ ही ऐसे ही क़सम खाई हो तो चाहिए कि दोनों में से हर एक दूसरे से साथ ही बात करे कि दोनों में से कोई पापी न होगा और इसी तरह अगर किसी दूसरे से कहा कि अगर मैं तुझ से कलाक करूं क़ब्ल इस के तो मुझ से बात करे तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर दोनों से मुलाक़ात हुई बस हर एक ने दूसरे को एक साथ ही सलाम किया शपथकर्ता अपनी क़सम में पापी न होगा यह मुहीत में है।

अगर कहा कि बात न करूंगा किसी से कभी सिवा दो मर्दों में के एक से कूफ़ी हो या बसरी होः

चन्द लोग एक मज्लिस में बैठे बातें करते थे फिर इन में से एक ने कहा कि जिस ने इस के बाद बात किया इस की बीवी तालिक़ा है फिर इसी कहने वाले ने बात किया तो इस की बीवी तालिक़ा होगी यह फ़तावा (2) क़ाज़ी ख़ान में है। ख़ज़ाना में लिखा है कि एक ने कहा कि जिस ने ग़ुलाम अब्दुल्लाह से बात किया इस की बीवी तालिक़ा है और अब्दुल्लाह ही क़सम खाने वाला है और इसी का ग़ुलाम यह ग़ुलाम है बस इस ने

(1)इस लि, कि बीवी क़समखाने में इस से पहले बात कर चुकी है।

(2)अगर कोई दूसरा बात करे तो इस की बीवी तालिक़ा न होगी।

(1)चाहे मौतया तलाक़।

(2)मेरी बीवी तालिक़ा हैया ग़ुलाम आज़ाद है।

ख़ुद अपने ग़ुलाम से कलाम किया तो हानिस हो गया यह ख़ुलासा में है एक ने कहा कि वल्लाह मैं फ़लां से कलाम न करूंगा असतग़फ़िरूल्लाह इन्शाअल्लाह तआला तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि इस्तसना सही है और हानिस न होगा और हुक्म अज़ राह (1) दयानत है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि एक ने कहा कि वल्लाह कलाम न करूंगा किसी से इल्ला फ़लां या फ़लां से तो इस को इख़्तयार है चाहे दोनों से कलाम करे या एक से यानी इन दोनों से कलाम करने में मुन्फ़रदन या मजमूअन हानिस न होगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है और अगर कहा कि किसी से कलाम न करूंगा इल्ला शख़्स बसरी या कोई से फिर इस ने बसरह के रहने वाले से या कूफ़ा के रहने वाले से कलाम किया या दोनों से कलाम किया तो हानिस न होगा और इसी तरह अगर कूफ़ा के तमाम आदमियों से या बसरह के तमाम आदमियों से या कूफ़ा व बसरह के तमाम आदमियों से कलाम किया तो भी हानिस न होगा और अगर कहा कि वल्लाह किसी आदमी से कलाम न करूंगा इल्ला इन दो आदमियों में से एक आदमी से तो इस सूरत में मुस्तसना इन दोनों में से एक आदमी है पस अगर इन में से एक से कलाम किया तो हासि न होगा और अगर दोनों से कलाम किया तो हानिस होगा और अगर कहा कि कलाम न करूंगा किसी से कभी इल्ला दो मर्दों में के एक से कूफ़ी हो या बसरी हो या कहा कि किसी से कलाम न करूंगा इल्ला इन दो में से एक से कूफ़ी हो या बसरी हो फिर इस ने एक कूफ़ी या बसरी से कलाम किया या दोनों से कलाम किया तो अपनी क़सम में हानिस होगा यह मुहीत में है क़ालल मुतरजम हमारी ज़बान के मुवाफ़िक़ इस में ताम्मुल है वल्लाहु आलम और अगर क़सम खाई कि वल्लाह किसी से कलाम न करूंगा इल्ला मर्द वाहिदा अज़ अहले कूफ़ा से फिर इस ने कूफ़ा के दो मर्दों से कलाम कियसा तो हानिस हो गया और अगर कहा कि इल्ला मर्द कूफ़ी से तो कूफ़ा के तमाम मर्दों से कलाम करने से हानिस न होगा यह शरह जामअ कबीरी हसीरी में है।

ज़ैद व उमर ने अपने दरमियसान मुशतरिक बान्दी

ख़ुद अपने ग़ुलाम से बात किया तो पापी हो गया यह ख़ुलासा में है एक ने कहा कि वल्लाह मैं फ़लां से बात न करूंगा असतग़फ़िरूल्लाह इन्शाअल्लाह तआला तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि इस्तसना सही है और पापी न होगा और आदेश अज़ राह (1) दयानत है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि एक ने कहा कि वल्लाह बात न करूंगा किसी से सिवा फ़लां या फ़लां से तो इस को अधिकार है चाहे दोनों से बात करे या एक से यानी इन दोनों से बात करने में मुन्फ़रदन या मजमूअन पापी न होगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है और अगर कहा कि किसी से बात न करूंगा सिवा व्यक्ति बसरी या कोई से फिर इस ने बसरह के रहने वाले से या कूफ़ा के रहने वाले से बात किया या दोनों से बात किया तो पापी न होगा और इसी तरह अगर कूफ़ा के तमाम आदमियों से या बसरह के तमाम आदमियों से या कूफ़ा व बसरह के तमाम आदमियों से बात किया तो भी पापी न होगा और अगर कहा कि वल्लाह किसी आदमी से बात न करूंगा सिवा इन दो आदमियों में से एक आदमी से तो इस स्थिति में मुस्तसना इन दोनों में से एक आदमी है बस अगर इन में से एक से बात किया तो हासि न होगा और अगर दोनों से बात किया तो पापी होगा और अगर कहा कि बात न करूंगा किसी से कभी सिवा दो मर्दों में के एक से कूफ़ी हो या बसरी हो या कहा कि किसी से बात न करूंगा सिवा इन दो में से एक से कूफ़ी हो या बसरी हो फिर इस ने एक कूफ़ी या बसरी से बात किया या दोनों से बात किया तो अपनी क़सम में पापी होगा यह मुहीत में है अनुवादक के कथनानुसार हमारी ज़बान के मुवाफ़िक़ इस में ताम्मुल है वल्लाहु आलम और अगर क़सम खाई कि वल्लाह किसी से बात न करूंगा सिवा मर्द वाहिदा अज़ अहले कूफ़ा से फिर इस ने कूफ़ा के दो मर्दों से बात कियसा तो पापी हो गया और अगर कहा कि सिवा मर्द कूफ़ी से तो कूफ़ा के तमाम मर्दों से बात करने से पापी न होगा यह शरह जामअ कबीरी हसीरी में है।

ज़ैद व उमर ने अपने दरमियसान साझा बान्दी के

के बच्चे के नसब का दावा किया और क़ाज़ी ने दोनों से इस के नसब का हुक्म दिया फिर खालिद ने कहा कि अगर मैंने ज़ैद के बच्चे से कलाम किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है और बकर ने कहा कि अगर मैंने उमरो के बच्चे से कलाम किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर दोनों ने इसी बच्चे मज़कूर से कलाम किया तो हानिस हो गये यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है शैख नजमुद्दीन से दरयाफ़्त किया गया कि ज़ैद ने कहा कि अगर मैंने उमर से कलाम किया तो मैं कफ़्फ़ारह का शरीक हों इन बातों में अल्लाह तआला पर बोहतान बांधते हों जो इस के लायक़ नहीं हैं फिरा इस ने उमर से कलाम किया तो क्या वाजिब होगा फ़रमाया कि इस पर कफ़्फ़ारह क़सम वाजिब होगा यह ज़हीरिया में है क़ालल मुतरजम मशाइख के नज़दीक ऐसी क़सम अरबी ज़बान में क़सम होती है और उर्दू फ़ारसी में वल्लाहु आलम किया हुक्म है जो 'अन्कान फ़लयकुन कज़ालिक फ़ाफ़हम'। ज़ैद ने क़सम खाई कि उमर से कलाम न करूंगा फिर उमर ने इस को ख़ुशखबरी दी तो इस ने कहा कि अलहम्दु लिल्लाह या बुरी खबर सुनाई तो इस ने कहा कि 'इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन' तो इस से हानिस (2) न होगा यह तातारखानिया में है और अगर बदखबर की सूरत में ज़ैद ने उमर से कहा कि अल्लाह तआला मुझे व तुझे दोनों को महफ़ूज़ रखे तो हानिस होगा यह ख़ुलासा में है और अगर ज़ेद ने उमर से कहा कि अगर मैं नतीजा से कलाम किया तो घर जाना मुझ पर हराम है और कलाम किया फिर दार (3) में दाखिल हुआ और बकर से कलाम किया तो इस पर एक कफ़्फ़ारह क़सम वाजिब होगा और अगर यूं कहा हो कि और कलाम बकर हराम है तो ऐसी सूरत में इस पर वो क़समों के दो कफ़्फ़ारे वाजिब होंगे यह तातार खानिया में है क़ालल मुतरजम "ان سالکتك ائت بیمین جزاوہ یمین او ائت بیمین حنثت لزمك یمین او ائت بیمین لو حنثت لا یلزمك الکفارۃ الا یمین فاجب بما ذکرنا من قوله" अगर ज़ैद ने उमर से कहा कि अगर मैंने तुझ से कलाम किया इदला आखिर फ़तदब्बुर।

(1)क़ज़ाअन तसदीक+ न होगी।

(2)क्योंकियहशुक्रे इलाही बासब्र है और से कलाम नहीं है।

(3)उमर से कलाम किया पस क़सम मुनअक़िद हुई पस दार में

बच्चे के वंश का दावा किया और क़ाज़ी ने दोनों से इस के वंश का आदेश दिया फिर खालिद ने कहा कि अगर मैंने ज़ैद के बच्चे से बात किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है और बकर ने कहा कि अगर मैंने उमरू के बच्चे से बात किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर दोनों ने इसी बच्चे वर्णित से बात किया तो पापी हो गये यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है शैख नजमुद्दीन से दरयाफ़्त किया गया कि ज़ैद ने कहा कि अगर मैंने उमर से बात किया तो मैं प्रायश्चित का साझी हों इन बातों में अल्लाह तआला पर बोहतान बांधते हों जो इस के लायक़ नहीं हैं फिरा इस ने उमर से बात किया तो क्या अनिवार्य होगा फ़रमाया कि इस पर प्रायश्चित क़सम अनिवार्य होगा यह ज़हीरिया में है अनुवादक के कथनानुसार विद्वानों के निकट ऐसी क़सम अरबी ज़बान में क़सम होती है और उर्दू फ़ारसी में वल्लाहु आलम किया आदेश है जो 'अन्कान फ़लयकुन कज़ालिक फ़ाफ़हम'। ज़ैद ने क़सम खाई कि उमर से बात न करूंगा फिर उमर ने इस को ख़ुशखबरी दी तो इस ने कहा कि अलहम्दु लिल्लाह या बुरी खबर सुनाई तो इस ने कहा कि 'इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन' तो इस से पापी (2) न होगा यह तातारखानिया में है और अगर बदखबर की स्थिति में ज़ैद ने उमर से कहा कि अल्लाह तआला मुझे व तुझे दोनों को महफ़ूज़ रखे तो पापी होगा यह ख़ुलासा में है और अगर ज़ेद ने उमर से कहा कि अगर मैं नतीजा से बात किया तो घर जाना मुझ पर निषिद्ध है और बात किया फिर घर (3) में प्रवेश हुआ और बकर से बात किया तो इस पर एक प्रायश्चित क़सम अनिवार्य होगा और अगर यूं कहा हो कि और बात बकर निषिद्ध है तो ऐसी स्थिति में इस पर वह क़समों के दो प्रायश्चित अनिवार्य होंगे यह तातार खानिया में है अनुवादक के कथनानुसार "ان سالکتك ائت بیمین جزاوہ یمین او ائت بیمین حنثت لزمك یمین او ائت بیمین لو حنثت لا یلزمك الکفارۃ الا یمین فاجب بما ذکرنا من قوله" अगर ज़ैद ने उमर से कहा कि अगर मैंने तुझ से बात किया इदला आखिर फ़तदब्बुर।

(1)न्यायिक पुष्टि न होगी।

(2)क्योंकियहशुक्रे इलाही बासब्र है और से बात नहीं है।

(3)उमर से बात किया बस क़सम मुनअक़िद हुई बसघर में प्रवेश

दाखिल हुआ इला आखिरह।

अगर अपनी बीवी से कहा कि अगर तूने फ़लाना औरत से कलाम किया तो तू तालिक़ा है फिर इस की बीवी ने एक रोज़ कपड़े धोये फिर इतने में फ़लाना मज़कूरह आई और इस से कहा कि तू थक गई है इस ने यह जान कर कि यह फ़लाना है या बेजाने जवाब दिया कि नहीं अच्छी हीं या कहा कि हां तो यह सब कलाम है पस वो तालिक़ा हो जायेगी यह ज़हीरिया में है कि असल यह कलाम (1) व हदीस यानी बात व खिताब यह जब ही होते हैं जब बिल मशाफ़ा हों यह इताबिया में है। अगर ज़ैद ने उमर से कहा कि अगर तूने मुझे खबर दी कि फ़लां आ गया है तो मेरी बीवी तालिक़ा है या मेरा ग़ुलाम आज़ाद है पस उमर ने इस को फ़लां के आ जाने की झूट खबर दी तो ज़ैद हानिस हो गया यानी इस की बीवी तालिक़ा हो गई और ग़ुलाम आज़ाद हो गया बखिलाफ़ इस के अगर कहा कि अगर तूने मुझे फ़लां की आमद की खबर दी तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है पस उमर ने इस की झूटी खबर दी तो इस का ग़ुलाम आज़ाद न होगा और अगर कहा कि अगर तूने मुझें खबर दी कि मेरी बीवी घर में है तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है पस उमर ने इस को झूटी खबर दी कि तेरी बीवी घर में है तो हानिस हुआ और इस का ग़ुलाम आज़ाद हो गया और अगर कहा कि अगर तूने मेरी बीवी के घर में होने की खबर दी तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है पस उमर ने इस को झूटी दी तो आज़ाद न होगा और अगर कहा कि अगर तूने मुझे बशारत दी कि फ़लां आया है या कहा कि अगर तूने मुझे फ़लां के आने की बशारत दी पस मुखातिब ने इस को झूटी इस की ख़ुशखबरी दी तो हालिफ़ अपनी क़सम में हानिस न होगा और अगर कहा कि अगर तूने मुझे आगाह किया कि फ़लां आया है या तूने मुझे फ़लां के आने की आगाही दी पस मुखातिब ने इस को झूट इस की आगाही दी तो हानिस न होगा और अगर हालिफ़ के आगाह हो जाने के बाद फ़लां ने इस को इस अम्र की सच्ची खबर दी या आगाह किया तो भी हानिस न होगा बखिलाफ़ इस के अगर इस ने यूं क़सम खाई हो कि अगर तूने मुझे खबर दी फिर इस ने हालिफ़ के

हुआ इला आखिरह।

अगर अपनी बीवी से कहा कि अगर तूने फ़लाना औरत से बात किया तो तू तालिक़ा है फिर इस की बीवी ने एक दिन कपड़े धोये फिर इतने में फ़लाना वर्णितह आई और इस से कहा कि तू थक गई है इस ने यह जान कर कि यह फ़लाना है या बेजाने जवाब दिया कि नहीं अच्छी हीं या कहा कि हां तो यह सब बात है बस वह तालिक़ा हो जायेगी यह ज़हीरिया में है कि असल यह बात (1) व हदीस यानी बात व खिताब यह जब ही होते है जब बिल मशाफ़ा हों यह इताबिया में है। अगर ज़ैद ने उमर से कहा कि अगर तूने मुझे खबर दी कि फ़लां आ गया है तो मेरी बीवी तालिक़ा है या मेरा ग़ुलाम आज़ाद है बस उमर ने इस को फ़लां के आ जाने की झूट खबर दी तो ज़ैद पापी हो गया यानी इस की बीवी तालिक़ा हो गई और ग़ुलाम आज़ाद हो गया बखिलाफ़ इस के अगर कहा कि अगर तूने मुझे फ़लां की आमद की खबर दी तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है बस उमर ने इस की झूटी खबर दी तो इस का ग़ुलाम आज़ाद न होगा और अगर कहा कि अगर तूने मुझें खबर दी कि मेरी बीवी घर में है तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है बस उमर ने इस को झूटी खबर दी कि तेरी बीवी घर में है तो पापी हुआ और इस का ग़ुलाम आज़ाद हो गया और अगर कहा कि अगर तूने मेरी बीवी के घर में होने की खबर दी तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है बस उमर ने इस को झूटी दी तो आज़ाद न होगा और अगर कहा कि अगर तूने मुझे बशारत दी कि फ़लां आया है या कहा कि अगर तूने मुझे फ़लां के आने की बशारत दी बस मुखातिब ने इस को झूटी इस की ख़ुशखबरी दी तो शपथकर्ता अपनी क़सम में पापी न होगा और अगर कहा कि अगर तूने मुझे आगाह किया कि फ़लां आया है या तूने मुझे फ़लां के आने की आगाही दी बस मुखातिब ने इस को झूट इस की आगाही दी तो पापी न होगा और अगर शपथकर्ता के आगाह हो जाने के बाद फ़लां ने इस को इस कार्य की सच्ची खबर दी या आगाह किया तो भी पापी न होगा बखिलाफ़ इस के अगर इस ने यूं क़सम खाई हो कि अगर तूने मुझे खबर दी फिर इस ने शपथकर्ता के आगाह होने के बाद इस को खबर दी तो

आगाह होने के बाद इस को खबर दी तो अपनी क़सम में हानिस हो जायेगा और अगर हालिफ़ ने इस सूरत में अपने इस क़ौल से कि तूने मुझे आगाही दी यह नियत की हो कि खबर दे दी तो बाद आगाह होने के मुखातिब के आगाह करने से भी हानिस हो जायेगा और चाहिए कि हालिफ़ की नियत दयानतन व क़ज़ाअन दोनों तरह सही हुए और अगर क़सम खाई कि अगर तूने मुझे लिखा कि फ़लां आया है तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है पस मुखातिब ने इस को दरोग़ ऐसा लिखा तो वो हानिस हो गया ख़्वाह इस का खत पहुंचा हो या न पहुंचा हो और अगर कहा कि अगर तूने मुझे फ़लां के आने को लिखा तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है पस इस ने झूट लिखा तो हानिस न होगा और अगर इस सूरत में मुखातिब ने इस को लिखा कि फ़लां आया है और हाल यह है कि वाक़ई फ़लां मज़कूर इस के लिखने से पहले आ गया था मगर मुखातिब को मालूम न था तो हालिफ़ हानिस हो जायेगा।

ज़ियादात में इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर ज़ैद ने क़सम खाई कि उमर का सर कभी इज़हार न करूंगा पस ज़ैदने उमर के एक खत की जो इस ने ज़ैद को लिखा था खबरदी या इस के किसी कलाम की खबर दी या किसी ने पूछा कि आया उमर का भेद यह है कि पस ज़ैद ने सर मिलाया यानी हां तो अपनी क़सम में हानिस हो गया और इसी तरह अगर क़सम खाई कि फ़लां के भेद का अफ़शा न करूंगा या फ़लां से अफ़शाज़ न करूंगा या क़सम खाई कि फ़लां के भेद से फ़लां को आगाह न करूंगा या फ़लां के होने की जगह से फ़लां को आगाह न करूंगा या क़सम खाई कि फ़लां का भेद ज़रूर पौशीदह करूंगा या ख़ुफ़िया रखूंगा या छुपा कर रखूंगा या फ़लां को इस पर राह न बतलाउंगा फिर इन में (2) से कोई बात की तो अपनी क़सम में हानिस होगा और अगर इस ने इन सब सूरतों में यह नियत की हो कि कलाम या तहरीमा या ऐलची से आगाह न करूंगा और इशारह की नियत न हो तो किताब में मज़कूर है कि अज़हीं यानी मुतदीन रखा जायेगा और इस से ज़्यादा कुछ नहीं मज़कूर है और इस में शक नहीं है कि 'फ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहि तआला' इस के क़ौल की तसदीक़

अपनी क़सम में पापी हो जायेगा और अगर शपथकर्ता ने इस स्थिति में अपने इस कथन से कि तूने मुझे आगाही दी यह इरादा की हो कि खबर दे दी तो बाद आगाह होने के मुखातिब के आगाह करने से भी पापी हो जायेगा और चाहिए कि शपथकर्ता की इरादा दयानतन व न्यायिक दोनों तरह सही हुए और अगर क़सम खाई कि अगर तूने मुझे लिखा कि फ़लां आया है तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है बस मुखातिब ने इस को दरोग़ ऐसा लिखा तो वह पापी हो गया चाहे इस का खत पहुंचा हो या न पहुंचा हो और अगर कहा कि अगर तूने मुझे फ़लां के आने को लिखा तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है बस इस ने झूट लिखा तो पापी न होगा और अगर इस स्थिति में मुखातिब ने इस को लिखा कि फ़लां आया है और हाल यह है कि वाक़ई फ़लां वर्णित इस के लिखने से पहले आ गया था मगर मुखातिब को मालूम न था तो शपथकर्ता पापी हो जायेगा।

ज़ियादात में इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर ज़ैद ने क़सम खाई कि उमर का सर कभी इज़हार न करूंगा बस ज़ैदने उमर के एक खत की जो इस ने ज़ैद को लिखा था खबरदी या इस के किसी बात की खबर दी या किसी ने पूछा कि आया उमर का भेद यह है कि बस ज़ैद ने सर मिलाया यानी हां तो अपनी क़सम में पापी हो गया और इसी तरह अगर क़सम खाई कि फ़लां के भेद का अफ़शा न करूंगा या फ़लां से अफ़शाज़ न करूंगा या क़सम खाई कि फ़लां के भेद से फ़लां को आगाह न करूंगा या फ़लां के होने की जगह से फ़लां को आगाह न करूंगा या क़सम खाई कि फ़लां का भेद ज़रूर पौशीदह करूंगा या ख़ुफ़िया रखूंगा या छुपा कर रखूंगा या फ़लां को इस पर राह न बतलाउंगा फिर इन में (2) से कोई बात की तो अपनी क़सम में पापी होगा और अगर इस ने इन सब स्थितियों में यह इरादा की हो कि बात या तहरीमा या ऐलची से आगाह न करूंगा और इशारह की इरादा न हो तो किताब में वर्णित है कि अज़हीं यानी मुतदीन रखा जायेगा और इस से ज़्यादा कुछ नहीं वर्णित है और इस में शक नहीं है कि 'फ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहि तआला' इस के कथन की पुष्टि होगी और हा

होगी और हा यह कि इस के क़ौल की क़ज़ाअन तसदीक़ होगी या नहीं सो आमा मशाइदख के नज़दीक क़ज़ाअन तसदीक़ न होगी और फिर वाज़ह हो कि अगर इस ने ऐसी चीज़ों की क़सम खाई फिर इस ने इस का हीला और इस से निकलने की राह तलाश की तो इस का हीला यह है कि इस यूं कहा जाये कि हम जगहों के नाम लेते हैं या भेदों को बयान करते हैं पस जो जगह या भेद फ़लां का न हो इस पर तू इन्कार करता जाना और जब हम जगह या भेदों को बयान करें तो खामोश हो जाना पस जब इस ने ऐसा किया और वो लोग फ़लां की जगह या भेद से वाक़िफ़ हो गये तो यह अपनी (1) क़सम में हानिस न होगा।

(1)मसलन कहा कि अगर ज़ैद से कलाम न करूंगा फिर इस की पीठ पीछे कहा कि ओ ज़ैद तू कलाम नहीं हैया ज़ैद से बात न करूंगा फिर ग़ीबत में कहा कि ज़ैद तुम अच्छे हो या खिताब न करूंगा फिर इसी तरह ग़ैब में खिताब वग़ैरह नहीं हुआ।
(2)जैसे ऊपर मज़कूर हुई।

अगर क़सम कि फ़लां औरत से अपनी खिदमत न चाहूंगा फिर इस को अपनी खिदमत के वास्ते इशारह किया तो इस से खिदमत चाही यानी हानिस हुआ इस वास्ते कि इशरह से खिदमत चाहता मुतआरिफ़ है ख़ुसूसन बादशाहों में और बड़े लोगों में पस वो हानिस हो गया ख़्वाह फ़लाना मज़कूरह ने इस की खिदमत कर दी हो या न हो और अगर क़सम खाई कि फ़लां को फ़लां के भेद से खबर न करूंगा या फ़लां को फ़लां के मौजूद होने की जगह से खबर न करूंगा फिर खता या ऐलची के ज़रिये से ऐसा किया तो हानिस हो गया अगर क़सम खाई कि फ़लां को ऐसी बशारत न दूंगा फिर खता या ऐलची के ज़रिये से ऐसा किया तो अपनी क़सम में हानिस हो गया और अगर इस से कहा गया कि आया यह बात ऐसी है फ़लां शख़्स फ़लां जगह है पस इस ने अपने सर से इशारह किया यानी हां तो यह फ़अल खबर देना या बशारत देना नहीं है पस अपनी क़सम में हानिस न होगा लेकिन अगर इस ने खबर देने या बशारत देने से अअम मुराद ली हो कि ख़्वाह सर के इश्शारह से हो या और तौर पर तो दयानतन व क़ज़ाअन इस की तसदीक़ की जायेगी और अगर ज़ैद ने क़सम खाई कि उमर के वास्ते

यह कि इस के कथन की न्यायिक पुष्टि होगी या नहीं सो आमा मशाइदख के निकट न्यायिक पुष्टि न होगी और फिर वाज़ह हो कि अगर इस ने ऐसी चीज़ों की क़सम खाई फिर इस ने इस का हीला और इस से निकलने की राह तलाश की तो इस का हीला यह है कि इस यूं कहा जाये कि हम जगहों के नाम लेते हैं या भेदों को बयान करते हैं बस जो जगह या भेद फ़लां का न हो इस पर तू इन्कार करता जाना और जब हम जगह या भेदों को बयान करें तो खामोश हो जाना बस जब इस ने ऐसा किया और वह लोग फ़लां की जगह या भेद से वाक़िफ़ हो गये तो यह अपनी (1) क़सम में पापी न होगा।

(1)मसलन कहा कि अगर ज़ैद से बात न करूंगा फिर इस की पीठ पीछे कहा कि ओ ज़ैद तू बात नहीं हैया ज़ैद से बात न करूंगा फिर ग़ीबत में कहा कि ज़ैद तुम अच्छे होया खिताब न करूंगा फिर इसी तरह ग़ैब में खिताब वग़ैरह नहीं हुआ।
(2)जैसे ऊपर वर्णित हुई।

अगर क़सम कि फ़लां औरत से अपनी सेवा न चाहूंगा फिर इस को अपनी सेवा के लिए इशारह किया तो इस से सेवा चाही यानी पापी हुआ इस लिए कि इशरह से सेवा चाहता मुतआरिफ़ है ख़ुसूसन बादशाहों में और बड़े लोगों में बस वह पापी हो गया चाहे फ़लाना वर्णितह ने इस की सेवा कर दी हो या न हो और अगर क़सम खाई कि फ़लां को फ़लां के भेद से खबर न करूंगा या फ़लां को फ़लां के मौजूद होने की जगह से खबर न करूंगा फिर खता या ऐलची के ज़रिये से ऐसा किया तो पापी हो गया अगर क़सम खाई कि फ़लां को ऐसी बशारत न दूंगा फिर खता या ऐलची के ज़रिये से ऐसा किया तो अपनी क़सम में पापी हो गया और अगर इस से कहा गया कि आया यह बात ऐसी है फ़लां व्यक्ति फ़लां जगह है बस इस ने अपने सर से इशारह किया यानी हां तो यह फ़अल खबर देना या बशारत देना नहीं है बस अपनी क़सम में पापी न होगा लेकिन अगर इस ने खबर देने या बशारत देने से अअम तात्पर्य ली हो कि चाहे सर के इश्शारह से हो या और तौर पर तो दयानतन व न्यायिक इस की पुष्टि की जायेगी और अगर ज़ैद ने क़सम खाई कि उमर के लिए माल का स्वीकार न

माल का इक़रार न करूंगा पस ज़ैद से कहा गया कि आया तुझ पर उमर का इस क़द्र है पस इस ने सर के इशारह से कहा कि हां तू अपनी क़सम में हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां के भेद की बात न करूंगा तो खत लिखने व ऐलची भेजने और सर से इशारह करने से हानिस न होगा और अगर इस से पूछा गया कि आया फ़लां का भेद चुनीन व चुनां है या फ़लां शख़्स फ़लां जगह है पस इस ने कहा कि हां तो क़सम में हानिस हो गया और मिस्ल बात न करना कहने के तहदीस (2) न करना या गुफ़्तुगू न करना भी है और अगर किसी ने ऐसी सब क़समें खाईं यानी मअ सब मज़्कूरह बाला क़समों के कलाम करने और ज़बान से न निकालने की फिर हालिफ़ गूंगा हो गया किवो ज़बान से कलाम करने पर क़ादिर नहीं है तो इस की क़सम इशारह व तहरीर पर हो जायेगी इल्ला एक बात में और वो यह है कि अगर क़सम खाई कि फ़लां के भेद की बात न करूंगा या फ़लां के भेद की तहदीस न करूंगा तो इस क़सम की सूरत में वो इशारह करने व तहरीर करने से हानिस न होगा अगरचे इस ने बाद गूंगे हो जाने के इशारह या तहरीर की हो और बाक़ी सब सूरतों में हानिस होगा।

मेरे गुलामों में से जिस किसी ने मुझे इस की बशारत दी वो आज़ाद है पस सब ने एक साथ इस को बशारत दी तो सब आज़ाद हो जायेंगेः

हर जिस सूरत में कि हम ने इशारह से हानिस हो जाने को बयान किया है अगर इस ने दावा किसया कि मैंने इशारह किया व लेकिन इस हाल में मेरे इस अम्र की नियत न थी जिस पर मैंने क़सम खाई है तो देखा जाये और अगर यह जवाब ऐसी बात का हो जो इस से दरयाफ़्त की गई है तो क़ज़ाअन इस की तसदीक़ न होगी और दयानतन तसदीक़ की जायेगी और अगर किसी ने कहा कि इल्ला अक़ौल बफ़ला कज़ा यानी फ़लां से ऐसा नहीं कहूंगा और नीज़ यह सीग़ा मुशतरिक है वास्ते हाल के यानी फ़लां से ऐसा नहीं कहता हूं और मुराद अव्वल करूंगा बस ज़ैद से कहा गया कि आया तुझ पर उमर का इस क़द्र है बस इस ने सर के इशारह से कहा कि हां तू अपनी क़सम में पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां के भेद की बात न करूंगा तो खत लिखने व ऐलची भेजने और सर से इशारह करने से पापी न होगा और अगर इस से पूछा गया कि आया फ़लां का भेद चुनीन व चुनां है या फ़लां व्यक्ति फ़लां जगह है बस इस ने कहा कि हां तो क़सम में पापी हो गया और मिस्ल बात न करना कहने के तहदीस (2) न करना या गुफ़्तुगू न करना भी है और अगर किसी ने ऐसी सब क़समें खाईं यानी मअ सब वर्णितह बाला क़समों के बात करने और ज़बान से न निकालने की फिर शपथकर्ता गूंगा हो गया किवह ज़बान से बात करने पर क़ादिर नहीं है तो इस की क़सम इशारह व तहरीर पर हो जायेगी सिवा एक बात में और वह यह है कि अगर क़सम खाई कि फ़लां के भेद की बात न करूंगा या फ़लां के भेद की तहदीस न करूंगा तो इस क़सम की स्थिति में वह इशारह करने व तहरीर करने से पापी न होगा चाहे इस ने बाद गूंगे हो जाने के इशारह या तहरीर की हो और बाक़ी सब स्थितियों में पापी होगा।

मेरे गुलामों में से जिस किसी ने मुझे इस की बशारत दी वह आज़ाद है बस सब ने एक साथ इस को बशारत दी तो सब आज़ाद हो जायेंगेः

हर जिस स्थिति में कि हम ने इशारह से पापी हो जाने को बयान किया है अगर इस ने दावा किसया कि मैंने इशारह किया व लेकिन इस हाल में मेरे इस कार्य की इरादा न थी जिस पर मैंने क़सम खाई है तो देखा जाये और अगर यह जवाब ऐसी बात का हो जो इस से दरयाफ़्त की गई है तो न्यायिक इस की पुष्टि न होगी और दयानतन पुष्टि की जायेगी और अगर किसी ने कहा कि सिवा अक़ौल बफ़ला कज़ा यानी फ़लां से ऐसा नहीं कहूंगा और नीज़ यह सीग़ा साझा है लिए हाल के यानी फ़लां से ऐसा नहीं कहता हूं और तात्पर्य पहला है सो यह मसला इमाम मुहम्मद रह० ने जामअ व ज़ियावात में

है सो यह मसला इमाम मुहम्मद रह० ने जामअ व ज़ियावात में ज़िक्र नहीं फ़रमाया और नवादिर में इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है कि यह भी मिस्ल खबर न दूंगा व बशारत न दूंगा कि है हत्ता कि तहरीर करने और ऐलची भेजने से हानिस होगा (३) और इशारह करने से हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि 'ला यदऊ फ़लाना' यानी फ़लां को न

(1)क़ालल मुतरजम अगर मुज़तर होऐसा करे वरनाऐसा अम्रखाली अज+ुब्हा नहीं है और मैं नहीं पसन्द करता हूं।

(2)मसलन कहा कि फ़लां से हदीस न करूंगाया गुफ़्तुगू करूंगा तो जैसे बात न करूंगा।

(3)अगर क़सम अरबी में हो तो इशारह से हानिस होना उक़्रब है अलल मुहावरत उल फ़सीहा।

बुलाउंगा फिर इस को खत या ऐलची के ज़रिये से बुलाया तो ज़ाहिर उल रिवाया में हानिस होगा और इमाम मुहम्मद रह० से नवादिर में मज़कूर है कि अगर लफ़्ज़ तबलीग़ कहा कि फ़लां को तबलीग़ न करूंगा तो यह बमन्ज़िला अजनार के है कि बज़रिया खत व ऐलची के हासिल हो सकती है पस खत व ऐलची से तबलीग़ करने से हानिस होगा और इस तरह लफ़्ज़ ज़िक्र ही बइबारत अरबी कि वो भी बज़रिया ऐलची व खत हासिल हो जाता है और अगर कहाः 'ई उबैदी बशरनी बकज़ा फ़हुव हुर' यानी मेरे ग़ुलामों में से जिस किसी ने मुझे इस की बशारत दी वो आज़ाद है पस सब ने एक साथ इस को बशारत दी तो सब आज़ाद हो जायेंगे और अगर एक बाद दूसरी के बशारत दी तो खास्सतन पहला ही आज़ाद होगा और अगर ग़ुलामों में से एक ने इस के पास ऐलची भेज दिया या पस अगर ऐलची ने जो बात बशारत मज़कूरह की बयान की है वो अपने भेजने वाले की तरफ़ से पैग़ाम दिया तो भेजने वाला ग़ुलाम आज़ाद हो गया और अगर ऐलची ने इस को ख़ुद खबर दी और भेजने वाले की तरफ़ इज़ाफ़त नप की तो वो आज़ाद नहोगा यह मुहीत में है और अगर किसी ने कहा कि अगर तूने मुझे खबर दी कि यह पत्थर सोना ही या मर्द औरत है तो ऐसा पस मुखातिब ने इस को ऐसी खबर दी तो हानिस हो गया क्योंकि शर्त पाई गई और कहा कि अगर कहा हो कि अगर तूने आगाह क्या या बशारत दी तो

वर्णन नहीं फ़रमाया और नवादिर में इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है कि यह भी मिस्ल खबर न दूंगा व बशारत न दूंगा कि है हत्ता कि तहरीर करने और ऐलची भेजने से पापी होगा (३) और इशारह करने से पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि 'ला यदऊ फ़लाना' यानी फ़लां को न

(1)अनुवादक के कथनानुसार अगर मुज़तर होऐसा करे वरनाऐसा कार्यखाली अज+ुब्हा नहीं है और मैं नहीं पसन्द करता हूं।

(2)मसलन कहा कि फ़लां से हदीस न करूंगाया गुफ़्तुगू करूंगा तो जैसे बात न करूंगा।

(3)अगर क़सम अरबी में हो तो इशारह से पापी होना उक़्रब है अलल मुहावरत उल फ़सीहा।

बुलाउंगा फिर इस को खत या ऐलची के ज़रिये से बुलाया तो ज़ाहिर उल रिवाया में पापी होगा और इमाम मुहम्मद रह० से नवादिर में वर्णित है कि अगर लफ़्ज़ तबलीग़ कहा कि फ़लां को तबलीग़ न करूंगा तो यह बमन्ज़िला अजनार के है कि बज़रिया खत व ऐलची के हासिल हो सकती है बस खत व ऐलची से तबलीग़ करने से पापी होगा और इस तरह लफ़्ज़ वर्णन ही बइबारत अरबी कि वह भी बज़रिया ऐलची व खत हासिल हो जाता है और अगर कहाः 'ई उबैदी बशरनी बकज़ा फ़हुव हुर' यानी मेरे ग़ुलामों में से जिस किसी ने मुझे इस की बशारत दी वह आज़ाद है बस सब ने एक साथ इस को बशारत दी तो सब आज़ाद हो जायेंगे और अगर एक बाद दूसरी के बशारत दी तो खास्सतन पहला ही आज़ाद होगा और अगर ग़ुलामों में से एक ने इस के पास ऐलची भेज दिया या बस अगर ऐलची ने जो बात बशारत वर्णितह की बयान की है वह अपने भेजने वाले की तरफ़ से पैग़ाम दिया तो भेजने वाला ग़ुलाम आज़ाद हो गया और अगर ऐलची ने इस को ख़ुद खबर दी और भेजने वाले की तरफ़ इज़ाफ़त नप की तो वह आज़ाद नहोगा यह मुहीत में है और अगर किसी ने कहा कि अगर तूने मुझे खबर दी कि यह पत्थर सोना ही या मर्द औरत है तो ऐसा बस मुखातिब ने इस को ऐसी खबर दी तो पापी हो गया क्योंकि शर्त पाई गई और कहा कि अगर कहा हो कि अगर तूने आगाह क्या या बशारत दी तो पापी न होगा यह तातार खानिया में है।

हानिस न होगा यह तातार खानिया में है।

अगर क़सम खाई कि फ़लां को ना लिखूंगा पस दूसरे को हुक्म किया कि इस ने लिखा तो हिशाम ने इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत की है कि इमाम मुहम्मद रह० कहते थे कि हारून उल रशीद ने मुझ से यह मसला पूछा पस मैंने जवाब दिया कि अगर यह क़सम खाने वाला सुल्तान हो यानी ऐसा हो कि वो ख़ुद मुवाफ़िक़ रिवाज नहीं लिखा करता है तो वो हानिस होगा यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि क़ुरआन से सूरत न पढ़ूंगा फिर इस ने निगाह से इस को अव्वल से आखिर तक देखा तो बिल इत्तफ़ाक़ हानिस न होगा यह फ़तावा कुबरा में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां का खत न पढ़ूंगा या फ़लां की किताब न पढ़ूंगा फिर इस की किताब को अव्वल से आखिर तक देखा और जो इस में है समझ लिया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० के क़ौल में हानिस न होगा क्योंकि पढ़ना नहीं पाया गया और इसी पर फ़तवा है क़ालल मुतरजम यह बज़ुबान अरबी ठीक है और हमारी ज़बान में ताम्मुल है बसबब उर्फ़ आम के इल्ला आंकि बिना पर असल इमाम आज़म रह० कलाम किया जाये वल्लाहु तआला आलम। अगर क़सम खाई कि किताब फ़लां को न पढ़ूंगा फिर किताब फ़लां से एक सतर पढ़ी तो हानिस हुआ और आधी सतर में हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि सूरत न पढ़ूंगा फिर इस सूरत में से एक हर्फ़ छोड़ दिया तो हानिस हो गया और अगर बड़ी आयत छोड़ दी तो हानिस न होगा यह बदाऐ में है। 'वफ़ीह नज़र वल्लाहु आलम'।

अगर क़सम खाई कि यह शअर न पढ़ूंगा पस इस ने निस्फ़ बैत पढ़ी तो हानिस न होगा अगरचे यह निस्फ़ बैत किसी दूसरे शअर की एक बैत हो और इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है कि फ़ारसी आदमी ने क़सम खाई कि सूतुल हमद बअरबिया न पढ़ूंगा फिर इस लहन से पढ़ी तो हानिस न होगा और अगर वो फ़सीह हो तो हानिस होगा और मुन्तक़ी में लिखा है कि अगर क़सम खाई कि किताब न पढ़ूंगा तो यह क़सम हर ऐसी तहरीर होगी जो सपेदी में बेसा ही ज़ाहिर हो या और तौर पर

अगर क़सम खाई कि फ़लां को ना लिखूंगा बस दूसरे को आदेश किया कि इस ने लिखा तो हिशाम ने इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत की है कि इमाम मुहम्मद रह० कहते थे कि हारून उल रशीद ने मुझ से यह मसला पूछा बस मैंने जवाब दिया कि अगर यह क़सम खाने वाला सुल्तान हो यानी ऐसा हो कि वह ख़ुद मुवाफ़िक़ रिवाज नहीं लिखा करता है तो वह पापी होगा यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि क़ुरआन से स्थिति न पढ़ूंगा फिर इस ने निगाह से इस को पहला से आखिर तक देखा तो बिल इत्तफ़ाक़ पापी न होगा यह फ़तावा कुबरा में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां का खत न पढ़ूंगा या फ़लां की किताब न पढ़ूंगा फिर इस की किताब को पहला से आखिर तक देखा और जो इस में है समझ लिया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० के कथन में पापी न होगा क्योंकि पढ़ना नहीं पाया गया और इसी पर फ़तवा है अनुवादक के कथनानुसार यह बज़ुबान अरबी ठीक है और हमारी ज़बान में ताम्मुल है बसबब उर्फ़ आम के सिवा आंकि बिना पर असल इमाम आज़म रह० बात किया जाये वल्लाहु तआला आलम। अगर क़सम खाई कि किताब फ़लां को न पढ़ूंगा फिर किताब फ़लां से एक सतर पढ़ी तो पापी हुआ और आधी सतर में पापी न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि स्थिति न पढ़ूंगा फिर इस स्थिति में से एक हर्फ़ छोड़ दिया तो पापी हो गया और अगर बड़ी आयत छोड़ दी तो पापी न होगा यह बदाऐ में है। 'वफ़ीह मन्नत वल्लाहु आलम'।

अगर क़सम खाई कि यह शअर न पढ़ूंगा बस इस ने आधा घर पढ़ी तो पापी न होगा चाहे यह आधा घर किसी दूसरे शअर की एक घर हो और इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है कि फ़ारसी आदमी ने क़सम खाई कि सूतुल हमद बअरबिया न पढ़ूंगा फिर इस लहन से पढ़ी तो पापी न होगा और अगर वह फ़सीह हो तो पापी होगा और मुन्तक़ी में लिखा है कि अगर क़सम खाई कि किताब न पढ़ूंगा तो यह क़सम हर ऐसी तहरीर होगी जो सपेदी में बेसा ही ज़ाहिर हो या और तौर पर हुआ और अगर इस ने काग़ज़ में तहरीर तात्पर्य ली जैसे लोगों में

हुआ और अगर इस ने काग़ज़ में तहरीर मुराद ली जैसे लोगों में होती है तो दयानतन इस की तसदीक़ होगी और क़ज़ाअन तसदीक़ (1) न होगी यह मुहीत में है और अगर किसी ने क़सम खाई कि आज के रोज़ क़ुरआन न पढूंगा पस इस ने नमाज़ वग़ैरह में पढा तो हानिस हुआ और इसी तरह अगर क़सम खाई कि रूकूअ न करूंगा या सजदा न करूंगा पस इस ने नमाज़ वग़ैरह में ऐसा किया तो हानिस हुआ और अगर इस ने 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' पढी अगर वो पढी जो सूरत नमल (2) में है तो हानिस हुआ और अगर वो नियत न की हो जो सूरत नमल में है या ग़ैर इस की नियत की तो हानिस न होगा इस वास्ते कि लोग 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' तबर्रूक के वास्ते पढा करते हैं न बतरीक़ क़िराअत के और इस का पढ़ना न बतरीक़ क़िराअत के जाइज़ है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर इस तौर से किसी ने क़सम खाई तो इस का हीला यह है कि

(1) क़ालल मुतरजम उर्दू ज़बान में क़ज़ाअन भी तसदीक+ होनी चाहिए।

(2)सूरत नमल में जुज+ व आयत है वक़ालल मुतरजम मुहक़्क़ीन के अनुसार बिस्मिल्लाह भीएक आयत है और बाज+ ने कहा कि खास्सतन सूरत फ़ातिहा से बिल जुमला क़ौल अव्वल पर क़ज़ाअन हानिस होगा और दोम पर वबा नियत आयत अव्वल पर हानिस होगा फ़ाहफ़ज़हू व इस्तक़ीम।

फ़राइज़ नमाज़ में जमाअत से पढ़े और अपनी क़सम में हानिस न होगा और अगर कोई रकअत इस से जाती रही कि जिस को इस ने तन्हा पढा तो हानिस होगा और अगर औरत ने ऐसी क़सम खाई तो वो अपने शौहर के पीछे नमाज़ पढ ले या और अपने किसी महरम के पीछे रहे यह मुहीत में है।

अगर इस ने क़सम खाई कि क़िराअत क़ुरआन न करूंगा फिर इस ने सूरत फ़ातिहा बतौर दुआ व सना के पढ़ी तो हानिस न होगा :

अगर सिवाए रमज़ान के वित्र अदा करने चाहे तो चाहिए कि जो वित्र पढना हो इस की इक़्तदा करे ताकि हानिस न हो यह (1) फ़तावा क़ाज़ी खान में है और

होती है तो दयानतन इस की पुष्टि होगी और न्यायिक पुष्टि (1) न होगी यह मुहीत में है और अगर किसी ने क़सम खाई कि आज के दिन क़ुरआन न पढूंगा बस इस ने नमाज़ वग़ैरह में पढा तो पापी हुआ और इसी तरह अगर क़सम खाई कि रूकूअ न करूंगा या सजदा न करूंगा बस इस ने नमाज़ वग़ैरह में ऐसा किया तो पापी हुआ और अगर इस ने 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' पढी अगर वह पढी जो स्थिति नमल (2) में है तो पापी हुआ और अगर वह इरादा न की हो जो स्थिति नमल में है या ग़ैर इस की इरादा की तो पापी न होगा इस लिए कि लोग 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' तबर्रूक के लिए पढा करते हैं न बतरीक़ क़िराअत के और इस का पढना न बतरीक़ क़िराअत के जाइज़ है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर इस तौर से किसी ने क़सम खाई तो इस का हीला यह है कि

(1)अनुवादक के कथनानुसार उर्दू ज़बान में न्यायिक भी पुष्टि होनी चाहिए।

(2) स्थिति नमल में जुज+ व आयत है वक़ालल मुतरजम मुहक़्क़ीन के अनुसार बिस्मिल्लाह भीएक आयत है और कुछ ने कहा किखास्सतन स्थिति फ़ातिहा से बिल जुमला कथन पहला पर न्यायिक पापी होगा और दोम पर वबा इरादा आयत पहला पर पापी होगा फ़ाहफ़ज़हू व इस्तक़ीम।

फ़राइज़ नमाज़ में जमाअत से पढे और अपनी क़सम में पापी न होगा और अगर कोई रकअत इस से जाती रही कि जिस को इस ने तन्हा पढा तो पापी होगा और अगर औरत ने ऐसी क़सम खाई तो वह अपने शौहर के पीछे नमाज़ पढ ले या और अपने किसी महरम के पीछे रहे यह मुहीत में है।

अगर इस ने क़सम खाई कि क़िराअत क़ुरआन न करूंगा फिर इस ने स्थिति फ़ातिहा बतौर दुआ व सना के पढ़ी तो पापी न होगा :

अगर सिवाए रमज़ान के वित्र अदा करने चाहे तो चाहिए कि जो वित्र पढना हो इस की इक़्तदा करे ताकि पापी न हो यह (1) फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर इस ने क़सम खाई कि क़िराअत क़ुरआन न करूंगा फिर इस ने स्थिति फ़ातिहा बतौर दुआ व सना के पढ़ी तो

अगर इस ने क़सम खाई कि क़िराअत क़ुरआन न करूंगा फिर इस ने सूरत फ़ातिहा बतौर दुआ व सना के पढ़ी तो हानिस न होगा यह ज़हीरिया में है और अगर इस ने क़सम खाई कि अगर मैंने हर सूरत क़ुरआन की पढ़ी तो मुझे एक दिरहम सदक़ा करना वाजिब है तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि यह पूरे क़ुरआन पर होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है अगर किसी ने कहा कि मुझ पर क़सम है अगर तू चाहे पस इस ने कहा कि मैंने चाही तो क़सम लाज़िम आयेगी और यह मिस्ल इस क़ौल के है कि मुझ पर क़सम है अगर मैंने फ़लां से कलाम किया यह मुहीत में है शैख नजमुद्दीन रह० से दरयाफ़्त किया गया कि एक शख़्स से इस की बीवी के नाते दारों ने इस की बीवी की तलाक़ की क़सम ली कि औरत पर (2) जुर्म न रखे और इस पर किसी चीज़ की तोहमत न रखे पस इस ने यह क़सम खाई फिर औरत से कहा कि ख़ुदा जानता है कि तूने क्या किया है पस आया इस से इस की बीवियों पर तलाक़ हो जायेगी फ़रमाया कि नहीं यह ज़हीरिया में है। एक ने अपनी बीवी से कहा किक अगर फ़लां के घर जाउं और इस से कलाम करूं तो तू तालिक़ा है फिर इस के घर नहीं गया मगर कहीं और इस से बातें कीं तो अपनी क़सम में हानिस न होगा और अगर कहा कि अगर फ़लां के घर न जाउंगा और इस से कलाम न करूं तो तू तालिक़ा है और बाक़ी सूरत मसला बतौर मज़कूरह-ए-बाला वाक़े हुई तो हानिस हो जायेगा और इस की बीवी तालिक़ां हो जायेगी ऐसा ही फ़तवा शम्सुल अइम्मा हलवाई और फ़तवा रूक्न उल इस्लाम अला सुग़दी मंक़ूल है यह मुहीत में है एक ने क़सम खाई कि अपने भाई को किसी काम का हुक्म न दूंगा और अगर इस को किसी काम का हुक्म दूं तो ऐसा फिर किसी आदमी के हाथ अपने भाई के पास कोई माल ऐन भेजा और इस से कहा कि तू मेरे भाई से कहना ताकि वो इस को फ़रोख़्त करदे तो देखा जायेगा कि अगर इस आदमी ने इस के भाई से जाकर तेरा भाई कहता है कि इसको फ़रोख़्त करदे या तुझे इस के फ़रोख़्त करने का हुक्म देता है तो हानिस हो जायेगा एक ने अपनी बीवी से कहा कि अगर आज तू न कहेगी कि फ़लां ने तुझे से

पापी न होगा यह ज़हीरिया में है और अगर इस ने क़सम खाई कि अगर मैंने हर स्थिति क़ुरआन की पढ़ी तो मुझे एक दिरहम दान करना अनिवार्य है तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि यह पूरे क़ुरआन पर होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है अगर किसी ने कहा कि मुझ पर क़सम है अगर तू चाहे बस इस ने कहा कि मैंने चाही तो क़सम अनिवार्य आयेगी और यह मिस्ल इस कथन के है कि मुझ पर क़सम है अगर मैंने फ़लां से बात किया यह मुहीत में है शैख नजमुद्दीन रह० से दरयाफ़्त किया गया कि एक व्यक्ति से इस की बीवी के नाते दारों ने इस की बीवी की तलाक़ की क़सम ली कि औरत पर (2) जुर्म न रखे और इस पर किसी चीज़ की तोहमत न रखे बस इस ने यह क़सम खाई फिर औरत से कहा कि ख़ुदा जानता है कि तूने क्या किया है बस आया इस से इस की बीवियों पर तलाक़ हो जायेगी फ़रमाया कि नहीं यह ज़हीरिया में है। एक ने अपनी बीवी से कहा किक अगर फ़लां के घर जाउं और इस से बात करूं तो तू तालिक़ा है फिर इस के घर नहीं गया मगर कहीं और इस से बातें कीं तो अपनी क़सम में पापी न होगा और अगर कहा कि अगर फ़लां के घर न जाउंगा और इस से बात न करूं तो तू तालिक़ा है और बाक़ी स्थिति मसला बतौर वर्णितह-ए-बाला स्थपित हुई तो पापी हो जायेगा और इस की बीवी तालिक़ां हो जायेगी ऐसा ही फ़तवा शम्सुल अइम्मा हलवाई और फ़तवा रूक्न उल इस्लाम अला सुग़दी मंक़ूल है यह मुहीत में है एक ने क़सम खाई कि अपने भाई को किसी काम का आदेश न दूंगा और अगर इस को किसी काम का आदेश दूं तो ऐसा फिर किसी आदमी के हाथ अपने भाई के पास कोई माल ऐन भेजा और इस से कहा कि तू मेरे भाई से कहना ताकि वह इस को फ़रोख़्त करदे तो देखा जायेगा कि अगर इस आदमी ने इस के भाई से जाकर तेरा भाई कहता है कि इसको फ़रोख़्त करदे या तुझे इस के फ़रोख़्त करने का आदेश देता है तो पापी हो जायेगा एक ने अपनी बीवी से कहा कि अगर आज तू न कहेगी कि फ़लां ने तुझे से क्या किया है तो तू तालिक़ा है बस औरत ने ऐसे तौर पर कहा कि सुनाई नहीं देता है या

क्या किया है तो तू तालिक़ा है पस औरत ने ऐसे तौर पर कहा कि सुनाई नहीं देता है या मर्द ने नहीं सुना तो औरत मज़्कूरह तालिक़ा न होगी और अगर यूं कहा हो कि अगर तूने आज के रोज़ मुझ से न कहा तो सूरत मज़्कूरह में तालिक़ा हो जायेगी यह ख़ुलासा में है।

ज़ैद ने उमर के सामने गुफ़्तुगू में अपनी बीवी की तलाक़ की क़सम खाई कि मैंने तेरा ऐब किसी से नहीं कहा है हालांकि अपनी बीवी से कह चुका है कि उमर शराब पीता था और इस को फ़रोख़्त करता था और ऐसे बेहूदा काम करता था कि इन का ज़िक्र फ़ुज़ूल है मगर अब इस ने तो बहकर के ख़ुदावन्दे तआला की तरफ़ रूजूअ कर ली है तोइस की बीवी तालिक़ा हो जायेगी यह ज़हीरिया में है क़ालल मुतरजम 'मसाइल अल ज़ैल यतअलक़ मुअज़्ज़मा बअसलूब उल अरबिया' एक ने क़सम खाई कि एक मीना कलाम न करूंगा तो क़सम तीस रोज़ दिन रात पर वाक़े होगी और अगर क़सम खाई कि 'लायकलम उल शहर' इस महीने फ़लां से कलाम न करूंगा तो जिस क़द्र यह महीना बाक़ी हो इस क़द्र पर वाक़े होगी यह सिराज वहाज में है। और अगर क़सम

(1)अगरखास किसी मीआद तकयह क़सम हो तोखैर इस हीला में मज़ायक़ा नहीं वरना क़सम तोड+ देनी हि, अला मा हकक+ फ़ी तफ़सीर उल मुतरजम।
(2)ा क़सम ली कि अगर मैं इस औरत पर जुर्मया तोहमत रखूं तो इस को तलाक+ है।

खाई कि 'ला यकलमहुल सुन्ना' इस साल फ़लां से कलाम न करूंगा तो बाक़ी साल पर वाक़े होगी यह बदाऐ में है क़सम खई कि एक महीना कलाम न करूंगा तो जब से क़सम खाई है इसी वक़्त से कलाम न करने पर क़सम वाक़े होगी और इसी तरह अगर क़सम खाई कि अगर मैं इस से एक महीना तर्क कलाम करूं तो मेरी बीवी तालिक़ा है तो महीना का शुमार इसी वक़्त से होगा कि जब से क़सम खाइर्द है यह काफ़ी में है और अगर क़सम खाई कि 'ला यकलम अशहर' महीनों कलाम न करूंगा तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक तीन महीना पर क़सम वाक़े यह शरह तहावी में है क़ालल मुतरजम हमारी ज़बान में चूंकि 'अक़ल जमा दोही लिहाज़ा अबक़यास' क़ौल इमाम रह० दो महीना पर वाक़) होगी

मर्द ने नहीं सुना तो औरत वर्णितह तालिक़ा न होगी और अगर यूं कहा हो कि अगर तूने आज के दिन मुझ से न कहा तो स्थिति वर्णितह में तालिक़ा हो जायेगी यह ख़ुलासा में है।

ज़ैद ने उमर के सामने गुफ़्तुगू में अपनी बीवी की तलाक़ की क़सम खाई कि मैंने तेरा ऐब किसी से नहीं कहा है हालांकि अपनी बीवी से कह चुका है कि उमर शराब पीता था और इस को फ़रोख़्त करता था और ऐसे बेहूदा काम करता था कि इन का वर्णन फ़ुज़ूल है मगर अब इस ने तो बहकर के ख़ुदावन्दे तआला की तरफ़ रूजूअ कर ली है तोइस की बीवी तालिक़ा हो जायेगी यह ज़हीरिया में है अनुवादक के कथनानुसार 'मसाइल अल ज़ैल यतअलक़ मुअज़्ज़मा बअसलूब उल अरबिया' एक ने क़सम खाई कि एक मीना बात न करूंगा तो क़सम तीस दिन दिन रात पर स्थपित होगी और अगर क़सम खाई कि 'लायकलम उल शहर' इस महीने फ़लां से बात न करूंगा तो जिस क़द्र यह महीना बाक़ी हो इस क़द्र पर स्थपित होगी यह सिराज वहाज में है। और अगर क़सम

(1)अगरखास किसी मीआद तकयह क़सम हो तोखैर इस हीला में मज़ायक़ा नहीं वरना क़सम तोड+ देनी हि, अला मा हकक+ फ़ी तफ़सीर उल मुतरजम।
(2)ा क़सम ली कि अगर मैं इस औरत पर जुर्मया तोहमत रखूं तो इस को तलाक+ है।

खाई कि 'ला यकलमहुल सुन्ना' इस साल फ़लां से बात न करूंगा तो बाक़ी साल पर स्थपित होगी यह बदाऐ में है क़सम खई कि एक महीना बात न करूंगा तो जब से क़सम खाई है इसी समय से बात न करने पर क़सम स्थपित होगी और इसी तरह अगर क़सम खाई कि अगर मैं इस से एक महीना तर्क बात करूं तो मेरी बीवी तालिक़ा है तो महीना का शुमार इसी समय से होगा कि जब से क़सम खाइर्द है यह काफ़ी में है और अगर क़सम खाई कि 'ला यकलम अशहर' महीनों बात न करूंगा तो इमाम आज़म रह० के निकट तीन महीना पर क़सम स्थपित यह शरह तहावी में है अनुवादक के कथनानुसार हमारी ज़बान में चूंकि 'अक़ल जमा दोही लिहाज़ा अबक़यास' कथन इमाम रह० दो महीना पर वाक़) होगी 'वहाकज़ा फ़िल हुयूअ कुल्लहा' और अगर क़सम खाई कि

'वहाकज़ा फ़िल हुयूअ कुल्लहा' और अगर क़सम खाई कि 'लायकलम उल शहूर' यानी फ़लां से कलाम न करूंगा ता शहूर तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक दस महीना पर वाक़े होगी और इसी तरह 'लायकलमहु उल जमअ वल नीन' चयानी जुमओं व सालों की सूरत में भी इमाम के नज़दीक दस जुमा व दस साल हैं कज़ा फ़िल दाया यानी ओज़ान जमा क़िल्लत बिल्लाम में यह हुक्म है और अगर बदूं अलिफ़ व लाम के यूं कहा कि 'ला अकलमहु सिनीन' तो बिल इत्तफ़ाक़ तीन साल पर वाक़े होगी यह बदाऐ में है और अगर किसी ने क़सम खाई कि 'लायकलमहु हैनन ओ ज़माना ओ लहीन अविज़्ज़मान' तो क़सम बनफ़ी खाने की सूरत में छः महीने पर वाक़े होगी और असबात की सूरत में भी यही हुक्म है मसलन कहा कि 'ला सेमन हैयना ओ ज़माना अविल हैन अविल ज़मान'।

अगर क़सम खाते वक़्त ज़माना की कोई मिक़्दार मुक़र्रर न की तो?

यह सब इस वक़्त है कि इस ने ज़माने की कोई मिक़्दार निश्चित की नियत न की हो और अगर इस ने किसी मिक़्दार निश्चित की नियत की हो तो इस के क़ौल की तसदीक़ की जायेगी और यही हुक्म इमाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मुहम्मद रह० के नज़दीक लफ़्ज़ व हर का है यानी अगर दहर को बततौर नकरह लाया तो इस की क़सम छः महीने पर वाक़े होगी बशर्तेकि इस ने किसी क़द्र मिक़्दार निश्चित ज़माने की नियत न की हो और अगर ज़माना निश्चित की नियत की हो तो बिल इत्तफ़ाक़ इस की नियत पर क़सम होगी और इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि मैं दोहरह को नहीं जानता हूं कि क्या है और वाज़ह हो कि यह इख़्तलाफ़ ऐसी सूरत में है कि इस ने लफ़्ज़ दहर को नकरह बयान कियसा हो यही सही है यह फ़तहुल क़दीर में है। (1) और अगर दहर को मअरूफ़ बिल्लाम (2) लाया तो बिल इजमाअ इस से अबद मुरीद होगा यानी हमैशा यह तबयुन में है और अगर क़सम खाई कि 'लायकलमहु इल्ला हानीन अवाल अज़मनतहु' तो इमाम आज़म रह०

'लायकलम उल शहूर' यानी फ़लां से बात न करूंगा ता शहूर तो इमाम आज़म रह० के निकट दस महीना पर स्थपित होगी और इसी तरह 'लायकलमहु उल जमअ वल नीन' चयानी जुमओं व सालों की स्थिति में भी इमाम ने निकट दस जुमा व दस साल हैं कज़ा फ़िल दाया यानी ओज़ान जमा क़िल्लत बिल्लाम में यह आदेश है और अगर बदूं अलिफ़ व लाम के यूं कहा कि 'ला अकलमहु सिनीन' तो बिल इत्तफ़ाक़ तीन साल पर स्थपित होगी यह बदाऐ में है और अगर किसी ने क़सम खाई कि 'लायकलमहु हैनन ओ ज़माना ओ लहीन अविज़्ज़मान' तो क़सम बनफ़ी खाने की स्थिति में छः महीने पर स्थपित होगी और असबात की स्थिति में भी यही आदेश है मसलन कहा कि 'ला सेमन हैयना ओ ज़माना अविल हैन अविल ज़मान'।

अगर क़सम खाते समय ज़माना की कोई मात्रा मुक़र्रर न की तो?

यह सब इस समय है कि इस ने ज़माने की कोई मिक़्दार निश्चित की इरादा न की हो और अगर इस ने किसी मिक़्दार निश्चित की इरादा की हो तो इस के कथन की पुष्टि की जायेगी और यही आदेश इमाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मुहम्मद रह० के निकट लफ़्ज़ व हर का है यानी अगर दहर को बततौर नकरह लाया तो इस की क़सम छः महीने पर स्थपित होगी बशर्तेकि इस ने किसी क़द्र मिक़्दार निश्चित ज़माने की इरादा न की हो और अगर ज़माना निश्चित की इरादा की हो तो बिल इत्तफ़ाक़ इस की इरादा पर क़सम होगी और इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि मैं दोहरह को नहीं जानता हूं कि क्या है और वाज़ह हो कि यह मतभेद ऐसी स्थिति में है कि इस ने लफ़्ज़ दहर को नकरह बयान कियसा हो यही सही है यह फ़तहुल क़दीर में है। (1) और अगर दहर को मअरूफ़ बिल्लाम (2) लाया तो बिल इजमाअ इस से अबद मुरीद होगा यानी हमैशा यह तबयुन में है और अगर क़सम खाई कि 'लायकलमहु सिवा हानीन अवाल अज़मनतहु' तो इमाम आज़म रह० के अनुसार दस बार छः महीने पर स्थपित होगी जिस के साठ महीने हुए

के अनुसार दस बार छः महीने पर वाक़े होगी जिस के साठ महीने हुए यह सिराज वहाज में है और अगर कहा कि 'ला यकलम दहूरा' तो बिना बर क़ौल इमाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मुहम्मद रह० के तीन बार छः महीने पर वाक़े होगी यह शरह तहावी में है।

अगर क़सम खाई कि 'लायकलमहु उल उमर' यानी उम्र भर इस से कलाम न करूंगा तो अदम नियत की सूरत में तमाम उम्र पर वाक़े होगी और अगर कहा कि 'लायकलमहु हक़बा' तो इसी बरस पर क़सम (2) वाक़े होगी यह सिराज वहाज में है असल में मज़कूर है कि अगर किसी ने क़सम खाई कि अव्वल माह कलाम न करूंगा तो महीना का अव्वल क़ब्ल निस्फ़ गुज़र जाने के है और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि अगर किसी ने कहा कि फ़लां से अव्वल माह के आखिर यौम में और आखिर माह के रोज़ अव्वल में कलाम न करूंगा तो यह पन्द्रहवीं व सोलहवीं को शामिल है यह ख़ुलासा में है इब्ने मक़ातिल से मरवी है कि एक ने क़सम खाई कि अपनी मां से तीन बरस कलाम न करूंगा यानी अगर कलाम करूं तो मेरी बीवी तालिक़ा है तो फ़रमाया कि इस को चाहिए कि मां के पापस किस को भेज कर दरख़्वास्त करे कि वो राज़ी हो जाये और इस को इजाज़त दें दे कि ख़ैर कलाम न करे कि यह शख़्स

(1)क़ालल मुतरजम इमाम अबू हनीफ़ा रह से मशहूर है कि मैं नहीं जानता कि दहर क्या है तो इस केयह मअनी नहीं कि इमाम रह को दहर के मअनी नहीं मालूम थे बल्कि क़सम में जब नकरह लाया जाये तो क्या मुराद है जैसे इस मसले में ग़ौर करे।
(2)क़िल्लत का न इत्तफ़ाक़।
(3)बअलिफ+ व लाम।

हिल्लत में हो जाये यह हावी में है फ़तावा नसफ़ी में लिखा है कि अगर फ़ारसी में कहा कि 'अगर फ़लां गवीम ख़ुदाऐ राबर मिन यक साला रोज़ा' तो इस से कलाम करने से कुछ नहीं लाज़िम आयेगा और अगर कहा कि यक्साल रोज़ा तो कलाम करने से एक साल के रोज़े इस पर लाज़िम आये गये यह ख़ुलासा में है। तजरीद में इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत है कि एक ने कहा कि 'लाअकलमल यौमा सुन्नतहु और शहरा' यानी इस रोज़ साल भर या महीना भर कलाम न करूंगा तो इस पर

यह सिराज वहाज में है और अगर कहा कि 'ला यकलम दहूरा' तो बिना बर कथन इमाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मुहम्मद रह० के तीन बार छः महीने पर स्थपित होगी यह शरह तहावी में है।

अगर क़सम खाई कि 'लायकलमहु उल उमर' यानी उम्र भर इस से बात न करूंगा तो अदम इरादा की स्थिति में तमाम उम्र पर स्थपित होगी और अगर कहा कि 'लायकलमहु हक़बा' तो इसी बरस पर क़सम (2) स्थपित होगी यह सिराज वहाज में है असल में वर्णित है कि अगर किसी ने क़सम खाई कि पहला माह बात न करूंगा तो महीना का पहला क़ब्ल आधा गुज़र जाने के है और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि अगर किसी ने कहा कि फ़लां से पहला माह के आखिर यौम में और आखिर माह के दिन पहला में बात न करूंगा तो यह पन्द्रहवीं व सोलहवीं को शामिल है यह ख़ुलासा में है इब्ने मक़ातिल से मरवी है कि एक ने क़सम खाई कि अपनी मां से तीन बरस बात न करूंगा यानी अगर बात करूं तो मेरी बीवी तालिक़ा है तो फ़रमाया कि इस को चाहिए कि मां के पापस किस को भेज कर दरख़्वास्त करे कि वह राज़ी हो जाये और इस को इजाज़त दें दे कि ख़ैर बात न करे कि यह व्यक्ति

(1)अनुवादक के कथनानुसार इमाम अबू हनीफ़ा रह से मशहूर है कि मैं नहीं जानता कि दहर क्या है तो इस केयह मअनी नहीं कि इमाम रह को दहर के मअनी नहीं मालूम थे बल्कि क़सम में जब नकरह लाया जाये तो क्या तात्पर्य है जैसे इस मसले में ग़ौर करे।
(2)क़िल्लत का न इत्तफ़ाक़।
(3)बअलिफ+ व लाम।

हिल्लत में हो जाये यह हावी में है फ़तावा नसफ़ी में लिखा है कि अगर फ़ारसी में कहा कि 'अगर फ़लां गवीम ख़ुदाऐ राबर मिन यक साला दिना' तो इस से बात करने से कुछ नहीं अनिवार्य आयेगा और अगर कहा कि यक्साल रोज़ा तो बात करने से एक साल के रोज़े इस पर अनिवार्य आये गये यह ख़ुलासा में है। तजरीद में इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत है कि एक ने कहा कि 'लाअकलमल यौमा सुन्नतहु और शहरा' यानी इस दिन साल भर या महीना भर बात न करूंगा तो इस पर अनिवार्य होगा कि साल या माह में जितनी दफ़ा यह दिन

वाजिब होगा कि साल या माह में जितनी दफ़ा यह दिन आये इस में कलाम तर्क करे यह तातार खानिया में है और अगर किसी ने क़सम खाई कि मैं फ़लां से अपने इस साल कलाम न करूंगा तो वक्त क़सम ताग़रा-ए-महरम कलाम न करने पर क़सम होगी और वक्त क़सम से एक साल कामिल पर न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और मजमूअ उल नवाज़िल में लिखा है कि एक ने अपनी बीवी से कहा कि 'अन कलिमतक इला सुन्नतहू फ़अन्ता तालिक़ अज़ही या उदुव्वत अल्लाह' यानी अगर मैंने तुझ से एक साल तक कलाम किया तो तू तालिक़ा है चली जा ई दुश्मन ख़ुदा की तो वो तालिक़ा हो जायेगी (1) यह मुहीत में है।

मुन्तक़ी में लिखा है कि अगर कहा कि 'वल्लाहु ला अकलमक शहर अबअद शहर' यानी तुझ से महीना भर बाद महीने के कलाम न करूंगा तो यह बमन्ज़िला इस क़ौल के है कि दो महीना कलाम न करूंगा और इस तरह अगर कहा कि सानल भर बाद साल के कलाम न करूंगा तो यह बमन्ज़िला इस की है कि कलाम करे यह ज़खीरह में है जामअ में है। अगर क़सम ाइ कि तुझ से इस रोज़ा कलाम न करूंगा जिस दिन में कि फ़लां आउंगा फिर इस रोज़ा के अव्वल में इस से कलाम किया और फ़लां मज़कूर इस रोज़ के आखिर में आया तो अपनी क़सम में हानिस हो गया और अगर फ़लां मज़कूर अव्वल रोज़ में आ गया फिर इस रोज़ के आखिर में हालिफ़ ने इस से कलाम किया तो आमा मशाइख के नज़दीक हानिस न होगा कज़ा फ़िल मुहीत और यही सही है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर कहा कि इस महीना में जो फ़लां के क़ुदूम से पहले है तुझ से कलाम न करूंगा फिर हालिफ़ ने इस से एक महीना के शुरू में कलाम किया और फ़लां मज़कूर इस महीने के आखिर में आया तो अपनी क़सम में हानिस हो गया और अगर कहा कि 'वल्लाहु ला अकलमक शहर अक़बल क़ुदूम' फ़लां यानी वल्लाहु क़ुदूम फ़लां से महीना क़ब्ल तुझ से कलाम न करूंगा फिर इस से कलाम किया जिस के पांच रोज़ बाद फ़लां मज़कूर आ गया तो अपनी क़सम में हानिस न होगा यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई

आये इस में बात तर्क करे यह तातार खानिया में है और अगर किसी ने क़सम खाई कि मैं फ़लां से अपने इस साल बात न करूंगा तो समय क़सम ताग़रा-ए-महरम बात न करने पर क़सम होगी और समय क़सम से एक साल कामिल पर न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और मजमूअ उल नवाज़िल में लिखा है कि एक ने अपनी बीवी से कहा कि 'अन कलिमतक इला सुन्नतहू फ़अन्ता तालिक़ अज़ही या उदुव्वत अल्लाह' यानी अगर मैंने तुझ से एक साल तक बात किया तो तू तालिक़ा है चली जा ई दुश्मन ख़ुदा की तो वह तालिक़ा हो जायेगी (1) यह मुहीत में है।

मुन्तक़ी में लिखा है कि अगर कहा कि 'वल्लाहु ला अकलमक शहर अबअद शहर' यानी तुझ से महीना भर बाद महीने के बात न करूंगा तो यह बमन्ज़िला इस कथन के है कि दो महीना बात न करूंगा और इस तरह अगर कहा कि सानल भर बाद साल के बात न करूंगा तो यह बमन्ज़िला इस की है कि बात करे यह ज़खीरह में है जामअ में है। अगर क़सम ाइ कि तुझ से इस रोज़ा बात न करूंगा जिस दिन में कि फ़लां आउंगा फिर इस रोज़ा के पहला में इस से बात किया और फ़लां वर्णित इस दिन के आखिर में आया तो अपनी क़सम में पापी हो गया और अगर फ़लां वर्णित पहला दिन में आ गया फिर इस दिन के आखिर में शपथकर्ता ने इस से बात किया तो आमा विद्वानों के निकट पापी न होगा कज़ा फ़िल मुहीत और यही सही है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर कहा कि इस महीना में जो फ़लां के क़ुदूम से पहले है तुझ से बात न करूंगा फिर शपथकर्ता ने इस से एक महीना के शुरू में बात किया और फ़लां वर्णित इस महीने के आखिर में आया तो अपनी क़सम में पापी हो गया और अगर कहा कि 'वल्लाहु ला अकलमक शहर अक़बल क़ुदूम' फ़लां यानी वल्लाहु क़ुदूम फ़लां से महीना क़ब्ल तुझ से बात न करूंगा फिर इस से बात किया जिस के पांच दिन बाद फ़लां वर्णित आ गया तो अपनी क़सम में पापी न होगा यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि वल्लाह तुझ से एक महीना बात न करूंगा सिवा एक दिन या सिवाऐ एक दिन के तो यह इस की इरादा पर है

कि वल्लाह तुझ से एक महीना कलाम न करूंगा इल्ला एक रोज़ या सिवाऐ एक रोज़ के तो यह इस की नियत पर है और अग इस की कुछ नियत न हो तो इस को इख़्तयार होगा कि जिस एक रोज़ को चाहे कलाम करने के वास्ते इख़्तयार करे इस वास्ते ककि इस ने एक रोज़ न कर मुस्तसना कियसा है और अगर इस ने यूं इस्तसना किया कि इल्ला नुक़सान एक रोज़ तो इस की क़सम (29) रोज़ पर वाक़े होगी इस वास्ते कि किसी शैई का नुक़सान नहीं होता है इल्ला इस के आखिर से यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है।

आखिर ईमान उल क़ुदूरी में है कि अगर क़सम खाई कि फ़लां व फ़लां से इस साल कलाम न करूंगा इल्ला एक रोज़ पस अगर इस ने इन दोनों से एक ही रोज़ कलाम किया तो हानिस न होगा और अगर एक से एक रोज़ और दूसरे से किसी दूसरे रोज़ कलाम किया तो हानिस हो और अगर इस ने एक ही रोज़ पहले एक से कलाम किया फिर दोनों से कलाम किया तो हानिस न होगा और अगर इस ने एक रोज़ मअरफ़ा इस्तसना किया यानी 'इल्ला अलयौमा' किया पस इस में इस ने एक से कलाम किया और दूसरे से दूसरे रोज़ कलाम कि तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि न कलाम करूंगा दोनों से एक महीना इल्ला एक रोज़ पस अगर इस ने किसी रोज़ निश्चित की नियत की हो तो इस नियत पर होगी और अगर इस की कुछ नियत न तो जिस रोज़ को चाहे इख़्तयार करले यह मुहीत में है और अगर कहा कि जिस रोज़ कि कलाम करूं मैं फ़लां से तो तू तालिक़ा है तो यह क़सम रात व दिन

(1)क़ौलहू हो जायेगी मुतरजम कहता है किशायद फ़क़ीह अबुल्लैस रह के उर्फ़+ पर हो और इस दयार में क़रीनाXXXहालियाऐसा हो हालांकि ज़ाहिर कलाम इस के खिलाफ़+ है क्योंकि अगर फ़िल हाल तलाक़+ देनी मंज़ूर होती तो इस परयहधमकी फ़ुज़ूल थी कि तू, से एक साल तक बात न करूंगा फ़ाफ़हम वल्लाहु तआला आलम।

दोनों पर वाक़े होगी हत्ता कि अगर रात में कलाम करेगा या दिन में तो हानिस होगा और अगर इस ने हास्सतन दिन की नियत की हो तो इस के क़ौल की क़ज़ाअन भी तसदीक़ होगी यह काफ़ी में है और अगर और अग इस की कुछ इरादा न हो तो इस को अधिकार होगा कि जिस एक दिन को चाहे बात करने के लिए इख़्तयार करे इस लिए ककि इस ने एक दिन न कर मुस्तसना कियसा है और अगर इस ने यूं इस्तसना किया कि सिवा नुक़सान एक दिन तो इस की क़सम (29) दिन पर स्थपित होगी इस लिए कि किसी शैई का नुक़सान नहीं होता है सिवा इस के आखिर से यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है।

आखिर ईमान उल क़ुदूरी में है कि अगर क़सम खाई कि फ़लां व फ़लां से इस साल बात न करूंगा सिवा एक दिन बस अगर इस ने इन दोनों से एक ही दिन बात किया तो पापी न होगा और अगर एक से एक दिन और दूसरे से किसी दूसरे दिन बात किया तो पापी हो और अगर इस ने एक ही दिन पहले एक से बात किया फिर दोनों से बात किया तो पापी न होगा और अगर इस ने एक दिन मअरफ़ा इस्तसना किया यानी 'सिवा अलयौमा' किया बस इस में इस ने एक से बात किया और दूसरे से दूसरे दिन बात कि तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि न बात करूंगा दोनों से एक महीना सिवा एक दिन बस अगर इस ने किसी दिन निश्चित की इरादा की हो तो इस इरादा पर होगी और अगर इस की कुछ इरादा न तो जिस दिन को चाहे इख़्तयार करले यह मुहीत में है और अगर कहा कि जिस दिन कि बात करूं मैं फ़लां से तो तू तालिक़ा है तो यह क़सम रात व दिन

(1)क़ौलहू हो जायेगी मुतरजम कहता है किशायद फ़क़ीह अबुल्लैस रह के उर्फ़+ पर हो और इस दयार में क़रीनाXXXहालियाऐसा हो हालांकि ज़ाहिर बात इस के खिलाफ़+ है क्योंकि अगर फ़िल हाल तलाक़+ देनी मंज़ूर होती तो इस परयहधमकी फ़ुज़ूल थी कि तू, से एक साल तक बात न करूंगा फ़ाफ़हम वल्लाहु तआला आलम।

दोनों पर स्थपित होगी हत्ता कि अगर रात में बात करेगा या दिन में तो पापी होगा और अगर इस ने हास्सतन दिन की इरादा की हो तो इस के कथन की न्यायिक भी पुष्टि होगी यह काफ़ी में है और अगर कहा कि जिस रात फ़लां से मैं बात करूं या जिस रात कि फ़लां आये तो तू तालिक़ा है बस इस ने दिन में फ़लां से बात कियसा या दिन को फ़लां आया तो इस की जोरू व

कहा कि जिस रात फ़लां से मैं कलाम करूं या जिस रात कि फ़लां आये तो तू तालिक़ा है पस इस ने दिन में फ़लां से कलाम कियसा या दिन को फ़लां आया तो इस की जोरू व तालिक़ा न होगी इस वास्ते रात लुगत में स्याही शब का नाम है और इस में कोई ऐसा उर्फ़ नहीं है कि लफ्ज़ को इस की मुक़तज़ाऐ लुग़वी से फैरे हत्ता कि अगर इस ने बजाये रात के रातों का लफ्ज़ ज़िक्र किया तो मुतलक़ वक्त पर यह कलाम महमूल होगा इस वास्ते कि इन के उर्फ़ में इस का इस्तेमाल मुतलक़ वक्त में है यह बदाऐ में है क़ालल मुतरजम यानी यूं कहा कि जिन रातों में कि ज़ैद आयेगा पस तू तालिक़ा ही व अक़वाल यह अरबी ज़बान की क़सम में मुस्तक़ीम है यानी 'क़ौलहू लयाली यक़दम' फ़लां और हमारी ज़बान में ताम्मुल है वल्लाहु आलम। (1)

अगर कहा कि अगर क्या मैंने फ़लां से कलाम तो तू तालिक़ा है इल्ला आंकि फ़लां आ जाये या हत्ता कि फ़लां आ जाये या इल्ला आंकि फ़लां इजाज़त दी फिर इस ने क़ब्ल फ़लां के आ जाने या इजाज़त देने के कलाम किया तो हानिस हो गया अगर बाद फ़लां के आ जाने या इजाज़त देने के कलाम किया तो हानिस न होगा और इसी तरह अगर कहा कि तू तालिक़ा ही अगर मैंने फ़लां से कलाम किया इल्ला आंकि फ़लां आ जाये तो भी यही हुक्म है और अगर फ़लां मर गया तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक यह क़सम साक़ित हो जायेगी यह काफ़ी में है और अगर किसी शख़्स से किसी रोज़ निश्चित में कलाम न करने पर क़सम खाई तो इस की क़सम खास्सतन इस रोज़ के दिन ही दिन पर वाक़े होगी इस के वसाथ रात दाखिल न होगी यह शरह तहावा में है और अगर क़सम खाई कि ला यकलमहु इल्ला बाम तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक दस रोज़ पर वाक़े होगी कज़ा फ़िल हिदाया क़ालल मुतरजम अगर हमारी ज़बान में कहा कि इस से रोज़ दिन कलाम न करूंगा तो इस रोज़ पर वाक़े होगी वल्लाहु आलम। अगर क़सम खाई कि 'ला यकलमहू अयामन' तो जामअ में मज़कूर ही कि तीन रोज़ पर क़सम वाक़े होगी और इस में इख़्तलाफ़ ज़िक्र नहीं फ़रमाया और यही सही ही और अगर क़सम खाई कि तालिक़ा न होगी इस लिए रात लुगत में स्याही शब का नाम है और इस में कोई ऐसा उर्फ़ नहीं है कि लफ्ज़ को इस की मुक़तज़ाऐ लुग़वी से फैरे हत्ता कि अगर इस ने बजाये रात के रातों का लफ्ज़ वर्णन किया तो मुतलक़ समय पर यह बात महमूल होगा इस लिए कि इन के उर्फ़ में इस का इस्तेमाल मुतलक़ समय में है यह बदाऐ में है अनुवादक के कथनानुसार यानी यूं कहा कि जिन रातों में कि ज़ैद आयेगा बस तू तालिक़ा ही व अक़वाल यह अरबी ज़बान की क़सम में मुस्तक़ीम है यानी 'क़ौलहू लयाली यक़दम' फ़लां और हमारी ज़बान में ताम्मुल है वल्लाहु आलम। (1)

अगर कहा कि अगर क्या मैंने फ़लां से बात तो तू तालिक़ा है सिवा आंकि फ़लां आ जाये या हत्ता कि फ़लां आ जाये या सिवा आंकि फ़लां इजाज़त दी फिर इस ने क़ब्ल फ़लां के आ जाने या इजाज़त देने के बात किया तो पापी हो गया अगर बाद फ़लां के आ जाने या इजाज़त देने के बात किया तो पापी न होगा और इसी तरह अगर कहा कि तू तालिक़ा ही अगर मैंने फ़लां से बात किया सिवा आंकि फ़लां आ जाये तो भी यही आदेश है और अगर फ़लां मर गया तो इमाम आज़म रह० के निकट यह क़सम साक़ित हो जायेगी यह काफ़ी में है और अगर किसी व्यक्ति से किसी दिन निश्चित में बात न करने पर क़सम खाई तो इस की क़सम खास्सतन इस दिन के दिन ही दिन पर स्थपित होगी इस के वसाथ रात प्रवेश न होगी यह शरह तहावा में है और अगर क़सम खाई कि ला यकलमहु सिवा बाम तो इमाम आज़म रह० के निकट दस दिन पर स्थपित होगी कज़ा फ़िल हिदाया अनुवादक के कथनानुसार अगर हमारी ज़बान में कहा कि इस से दिन दिन बात न करूंगा तो इस दिन पर स्थपित होगी वल्लाहु आलम। अगर क़सम खाई कि 'ला यकलमहू अयामन' तो जामअ में वर्णित ही कि तीन दिन पर क़सम स्थपित होगी और इस में मतभेद वर्णन नहीं फ़रमाया और यही सही ही और अगर क़सम खाई कि 'ला यकलमहु अयामन' या कसीरह यानी बहुत यानी बहुत दिनों इस से बात न करूंगा तो बर क़ियास कथन इमाम आज़म रह० दस दिन पर क़सम स्थपित होगी यह

'ला यकलम्हु अयामन' या कसीरह यानी बहुत यानी बहुत दिनों इस से कलाम न करूंगा तो बर क़ियास क़ौल इमाम आज़म रह० दस रोज़ पर क़सम वाक़े होगी यह बदाऐ में है।

अगर क़सम खाई कि तुझ से इस दिन दस रोज़ में कलाम न करूंगा और यह रोज़ सनीचर का है जिस दिन इस ने क़सम खाई है तो यह क़सम दस सनीचरों पर वाक़े होगी :

अगर कहा कि हर रोज़ कि मैं तुझ से कलाम करूं पस मुझ पर एक दिरहम सदक़ा वाजिब है पस इस से दो रोज़ कलाम कियसा तो दो मर्तबा हानिस हुआ और अगर कहा हो कि हर दो रोज़ कि मैं तुझ से कलाम करूं तो एक ही मर्तबा हानिस होगा यह तातार खानिया में है और अगर क़सम खाई कि 'ला एकलम फ़लाना अयामहु हाज़ा' (२) तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि तीन रोज़ पर वाक़े होगी और अगर क़सम खाई कि 'ला एकलम अयामहु' तो यह क़सम तमाम उम्र पर वाक़े होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि तुझ से इस दिन दस रोज़ में कलाम न करूंगा और यह रोज़ सनीचर का है जिस दिन इस ने क़सम खाई है तो यह क़सम दस सनीचरों पर वाक़े होगी इस वास्ते कि दस रोज़ में पस ही सनीचर आता है दस नहीं हो सकते है और इसी तरह कहा अगर कि मैं तुझ से बरोज़ सनीचर दो रोज़ कलाम न करूंगा तो यह क़सम दो सनीचरों पर वाक़े हो गया इस वास्ते कि सनीचर दो रोज़ नहीं होता है और दो रोज़ में दो सनीचर का दौरह भी नहीं हो सकता है पस मालूम हुआ कि मुराद यह है कि दो मर्तबा सनीचरों पर वाक़े हो गया इस वास्ते कि सनीचर दो रोज़ नहीं होता है और दो रोज़ में दो सनीचर का दोरा भी नहीं हो सकता है पस मालूम हुआ कि मुराद यह है कि दो मर्तबा सनीचरों में कलाम न करूंगा और इस तरह अगर कहा कि तुझ से बरोज़ सनीचर तीन रोज़ कलाम करूंगा तो यह क़सम तीन सनीचरों में कलाम करने पर वाक़े होगी जैसे कि हम ने बयान कर दिया है यह शरह बदाऐ में है।

अगर क़सम खाई कि तुझ से इस दिन दस दिन में बात न करूंगा और यह दिन सनीचर का है जिस दिन इस ने क़सम खाई है तो यह क़सम दस सनीचरों पर स्थपित होगी :

अगर कहा कि हर दिन कि मैं तुझ से बात करूं बस मुझ पर एक दिरहम दान अनिवार्य है बस इस से दो दिन बात कियसा तो दो मर्तबा पापी हुआ और अगर कहा हो कि हर दो दिन कि मैं तुझ से बात करूं तो एक ही मर्तबा पापी होगा यह तातार खानिया में है और अगर क़सम खाई कि 'ला एकलम फ़लाना अयामहु हाज़ा' (२) तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि तीन दिन पर स्थपित होगी और अगर क़सम खाई कि 'ला एकलम अयामहु' तो यह क़सम तमाम उम्र पर स्थपित होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि तुझ से इस दिन दस दिन में बात न करूंगा और यह दिन सनीचर का है जिस दिन इस ने क़सम खाई है तो यह क़सम दस सनीचरों पर स्थपित होगी इस लिए कि दस दिन में बस एक ही सनीचर आता है दस नहीं हो सकते है और इसी तरह कहा अगर कि मैं तुझ से बदिन सनीचर दो दिन बात न करूंगा तो यह क़सम दो सनीचरों पर स्थपित हो गया इस लिए कि सनीचर दो दिन नहीं होता है और दो दिन में दो सनीचर का दौरह भी नहीं हो सकता है बस मालूम हुआ कि तात्पर्य यह है कि दो मर्तबा सनीचरों पर स्थपित हो गया इस लिए कि सनीचर दो दिन नहीं होता है और दो दिन में दो सनीचर का दोरा भी नहीं हो सकता है बस मालूम हुआ कि तात्पर्य यह है कि दो मर्तबा सनीचरों में बात न करूंगा और इस तरह अगर कहा कि तुझ से बदिन सनीचर तीन दिन बात करूंगा तो यह क़सम तीन सनीचरों में बात करने पर स्थपित होगी जैसे कि हम ने बयान कर दिया है यह शरह जामअ

जामअ़

(1) ताम्मुल है हां अगर यह हो कि जिन दिनों ज़ैद आयेगा तो अल्बरत्ता यही हुक्म है क्योंकि रातों का मुहावरह हमारी ज़बान में नहीं है।

(2)वल्लाह फ़लां से इस के इन दिनों कलाम न करूंगा।

(3)वल्लाह इस के अय्याम में उस से कलाम न करूंगा।

कबीर हसीरी में है और अगर क़सम खाई कि न कलाम करूंगा इस से एक रोज़ साल भर या साल भर एक रोज़ पस अगर इस ने कोई रोज़ खास मुराद लिया है तो तमाम साल में इसी रोज़ कलाम न करने पर क़सम वाक़े होगी यानी जब यह रोज़ आये कलाम न करे और अगर कुछ नियत न हो तो हर जुमा में से एक रोज़ कलाम न करे हत्ता कि अगर पूरे कोई जुमा के हर रोज़ कलाम करेगा हानिस होगा यह इताबिया में है और अगर क़सम खाई कि 'ला अकलमक यौमा या ला अकलमक अनसबत यौमात' व इस को इख़्तयार है कि जो रोज़ चाहे क़रार दे या बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां से दस रोज़ तक कलाम न करूंगा तो दसवां रोज़ क़सम में दाखिल होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर यूं क़सम खाई कि तुझ से आज या कल कलाम न करूंगा फिर इस सवे आज या कल कलाम किया तो हानिस हुआ और अगर कहा कि इस से कलाम करना आज या कल तर्क करूंगा पस आज इस से कलाम तर्क किया तो क़सम में सच्चा हो जायेगा और क़सम साक़ित हो जायेगी कि कुल कलाम तर्क करना इस पर लाज़िम न होगा और यह इताबिया में है और अगर कहा कि वल्लाह न कलाम करूंगा इस से आज और न कल तो क़सम आज बाक़ी दिन और कल पर वाक़े होगी और जो रात इन दोनों के दरमियान है वो क़सम में दाखिल न होगी यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि न कलाम करूंगा इस से आज व कल व परसों तो यह एक ही कलाम है कि तीन रोज़ तक किसी वक्त इस से कलाम न करे ख़्वाह रात हो या दिन हो और अगर कहा कि आज के दिन में और कल के दिन में और परसों के दिन में तो हानिस न होगा यहां तक कि इस से हर रोज़ जिस को बयान किसया है कलाम करे और अगर इस से रात में कलाम किया तो हानिस न होगा यह वजीज़

(1) ताम्मुल है हां अगर यह हो कि जिन दिनों ज़ैद आयेगा तो अल्बरत्ता यही आदेश है क्योंकि रातों का मुहावरह हमारी ज़बान में नहीं है।

(2)वल्लाह फ़लां से इस के इन दिनों बात न करूंगा।

(3)वल्लाह इस के अयाम में उस से बात न करूंगा।

कबीर हसीरी में है और अगर क़सम खाई कि न बात करूंगा इस से एक दिन साल भर या साल भर एक दिन बस अगर इस ने कोई दिन खास तात्पर्य लिया है तो तमाम साल में इसी दिन बात न करने पर क़सम स्थपित होगी यानी जब यह दिन आये बात न करे और अगर कुछ इरादा न हो तो हर जुमा में से एक दिन बात न करे हत्ता कि अगर पूरे कोई जुमा के हर दिन बात करेगा पापी होगा यह इताबिया में है और अगर क़सम खाई कि 'ला अकलमक यौमा या ला अकलमक अनसबत यौमात' व इस को अधिकार है कि जो दिन चाहे क़रार दे या बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां से दस दिन तक बात न करूंगा तो दसवां दिन क़सम में प्रवेश होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर यूं क़सम खाई कि तुझ से आज या कल बात न करूंगा फिर इस सवे आज या कल बात किया तो पापी हुआ और अगर कहा कि इस से बात करना आज या कल तर्क करूंगा बस आज इस से बात तर्क किया तो क़सम में सच्चा हो जायेगा और क़सम साक़ित हो जायेगी कि कुल बात तर्क करना इस पर अनिवार्य न होगा और यह इताबिया में है और अगर कहा कि वल्लाह न बात करूंगा इस से आज और न कल तो क़सम आज बाक़ी दिन और कल पर स्थपित होगी और जो रात इन दोनों के बीच है वह क़सम में प्रवेश न होगी यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि न बात करूंगा इस से आज व कल व परसों तो यह एक ही बात है कि तीन दिन तक किसी समय इस से बात न करे चाहे रात हो या दिन हो और अगर कहा कि आज के दिन में और कल के दिन में और परसों के दिन में तो पापी न होगा यहां तक कि इस से हर दिन जिस को बयान किसया है बात करे और अगर इस से रात में बात किया तो पापी न होगा यह वजीज़ करदरी में है। एक ने कहा कि बात न करूंगा फ़लां से एक रोज़ या दो दिन के और इस की

करदरी में है। एक ने कहा कि कलाम न करूंगा फ़लां से एक रोज़ या दो रोज़ के और इस की कुछ नियत नहीं है तो इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है कि यह बमन्ज़िला इस क़ौल के है कि वल्लाह फ़लां से एक रोज़ कलाम न करूंगा यह मुहीत में है और अगर रात में कहा कि न कलाम करूंगा इस से एक रोज़ तो इस वक्त से ता गुरूब आफ़ताब होगी यह इताबिया में हे ओर बाद इस क़सम के क़ब्ल तुलूअ फ़ज्र के इस से कलाम किया तो सही यह है कि हानिस होगा यह मुहीत में हे और अगर दिन में कहा कि इस से एक कलाम न करूंगा तो क़सम के वक्त से तुलूअ फज्र तक होगी यह इताबिया में है और अगर थोड़ा दिन गुज़रे क़सम खाई कि फ़लां से एक रोज़ कलाम न करूंगा तो यह बाक़ी दिन और पूरी रात और दूसरे रोज़ इसी साअत तक जिस वक्त क़सम खाई है कलाम न करे और इसी तरह अगर रात में क़सम खाई कि इस से एक रात कलाम न करूंगा तो बाक़ी यह रात और दूसरा दिन और दूसरी रात की इसी साअत तक कलाम न करने पर क़सम वाक़े होगी पस जो इन बीच में आ गया है वो भी क़सम में दाखिल हो जायेगा यह बदाऐ में है और अगर कहा कि वल्लाह मैं तुझ से एक रोज़ और एक रोज़ कलाम न करूंगा तो यह क़सम और वल्लाह मैं तुझ से दो रोज़ कलाम न करूंगा दोनों यक्सां हैं पस जो रात इन दोनों के दरमियान है क़सम में दाखिल होगी और अगर क़सम खाई कि तुझ से एक रोज़ और दो रोज़ कलाम न करूंगा तो तीसरा रोज़ गुज़रने पर क़सम पूरी होगी और अगर क़सम खाई कि न कलाम करूंगा तुझ से एक रोज़ और दो रोज़ तो यह क़सम दो रोज़ पर होगी हत्ता कि अगर तीसरे रोज़ इस से कलाम किया तो हानिस न होगा।

अगर क़सम खाई واللہ لا کلم احد یومی या कहा कि واللہ لا خرجن احد یومی او احد لیومین واحد یامی

मुन्तक़ी में लिखा है कि अगर किसी ने आधी रात या दोपहर दिन को क़सम खाई कि वल्लाह तुझ से दो रात कलाम न करूंगा तो इस से परसों इसी वक्त तक

कुछ इरादा नहीं है तो इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है कि यह बमन्ज़िला इस कथन के है कि वल्लाह फ़लां से एक दिन बात न करूंगा यह मुहीत में है और अगर रात में कहा कि न बात करूंगा इस से एक दिन तो इस समय से ता गुरूब आफ़ताब होगी यह इताबिया में हे ओर बाद इस क़सम के क़ब्ल तुलूअ फ़ज्र के इस से बात किया तो सही यह है कि पापी होगा यह मुहीत में हे और अगर दिन में कहा कि इस से एक बात न करूंगा तो क़सम के समय से तुलूअ फज्र तक होगी यह इताबिया में है और अगर थोड़ा दिन गुज़रे क़सम खाई कि फ़लां से एक दिन बात न करूंगा तो यह बाक़ी दिन और पूरी रात और दूसरे दिन इसी साअत तक जिस समय क़सम खाई है बात न करे और इसी तरह अगर रात में क़सम खाई कि इस से एक रात बात न करूंगा तो बाक़ी यह रात और दूसरा दिन और दूसरी रात की इसी साअत तक बात न करने पर क़सम स्थपित होगी बस जो इन बीच में आ गया है वह भी क़सम में प्रवेश हो जायेगा यह बदाऐ में है और अगर कहा कि वल्लाह मैं तुझ से एक दिन और एक दिन बात न करूंगा तो यह क़सम और वल्लाह मैं तुझ से दो दिन बात न करूंगा दोनों यक्सां हैं बस जो रात इन दोनों के बीच है क़सम में प्रवेश होगी और अगर क़सम खाई कि तुझ से एक दिन और दो दिन बात न करूंगा तो तीसरा दिन गुज़रने पर क़सम पूरी होगी और अगर क़सम खाई कि न बात करूंगा तुझ से एक दिन और दो दिन तो यह क़सम दो दिन पर होगी हत्ता कि अगर तीसरे दिन इस से बात किया तो पापी न होगा।

अगर क़सम खाई واللہ لا کلم احد یومی या कहा कि واللہ لا خرجن احد یومی او احد لیومین واحد یامی

मुन्तक़ी में लिखा है कि अगर किसी ने आधी रात या दोपहर दिन को क़सम खाई कि वल्लाह तुझ से दो रात बात न करूंगा तो इस से परसों इसी समय तक बात तर्क करे और अगर किसी ने क़सम खाई कि फ़लां से तीस दिन बात न करूंगा और रात में क़सम खाई कि तू

कलाम तर्क करे और अगर किसी ने क़सम खाई कि फ़लां से तीस रोज़ कलाम न करूंगा और रात में क़सम खाई कि तू इस साअत से तीसवें रोज़ के आफ़ताब ग़ुरूब होने तक कलाम तर्क करे यह मुहीत में है और अगर दरमियान दिन के किसी वक़्त क़सम खाई कि वल्लाह आज मैं इस से कलाम न करूंगा तो इस दिन बाक़ी में ता ग़ुरूब कलाम न करे और अगर रात में क़सम खाई कि इस रोज़ इस से कलाम न करूंगा तो बाक़ी यह रात और दूसरे रोज़ ग़ुरूब आफ़ताब तक किसी वक़्त कलाम करने से हानिस होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है अगर दिन

(1) तु सेएक दिन कोई हो कलाम न करूंगाया कहा कि तु से हफ़ता मेंएक रोज+ कलाम न करूंगा।

में क़सम खाई कि इस रात कलाम न करूंगा और तू बाक़ी रोज़ इस क़सम में दाखिल न होगा इस की क़सम खास्सतन इस रात पर वाक़े होगी और अगर अव्वल रात में क़सम खाई कि आज के रोज़ इस से कलाम न करूंगा और इस की कुछ नियत नहीं है तो यह बातिल है और अगर आखिर रात में क़सम खाई कि तू अगले दिन पर वाक़े होगी यह मुन्तक़ा में मज़कूर है और अगर क़सम खाई कि والله لااكلم احد يومي या कहा कि والله لاخرجن احد يومي اواحد اليومين اواحد (1) यामी और यानी वल्लाह ज़रूर कलाम करूंगा फ़लां से अपने दो रोज़ के एक में या सफ़र को जाउंगा अपने दो रोज़ के एक में या दो रोज़ के एक में ा अय्याम के एक रोज़ में तो यह दस रोज़ से कम पर होगी ओर इस में दिन व रात दोनों दाखिल हैं हत्ता कि अगर दस रोज़ गुज़रने से पहले रात या दिन में कलाम किया या सफ़र को चला गया तो अपनी क़सम में सच्चा रहा और अगर कलाम न किया तो सुर को न गया यहां तक कि दस रोज़ गुज़र गये तो हानिस हो गया और अगर कहा कि अपने इन दोनों ू में से एक में तो यह क़सम इसी रोज़ ओर इस के तो यह क़सम इस रोज़ के बाद के दो दिनों पर वाक़े होगी ओर अगर कहा कि ग़ैर इस यौम के या सिवाए इस योम के तो यह क़सम इस रोज़ के बाद तीन रोज़ पर वाक़े होगी यह इताबिया में है।

इस साअत से तीसवें दिन के आफ़ताब ग़ुरूब होने तक बात तर्क करे यह मुहीत में है और अगर बीच दिन के किसी समय क़सम खाई कि वल्लाह आज मैं इस से बात न करूंगा तो इस दिन बाक़ी में ता ग़ुरूब बात न करे और अगर रात में क़सम खाई कि इस दिन इस से बात न करूंगा तो बाक़ी यह रात और दूसरे दिन ग़ुरूब आफ़ताब तक किसी समय बात करने से पापी होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है अगर दिन

(1)तु सेएक दिन कोई हो बात न करूंगाया कहा कि तु से हफ़ता मेंएक दिन बात न करूंगा।

में क़सम खाई कि इस रात बात न करूंगा और तू बाक़ी दिन इस क़सम में प्रवेश न होगा इस की क़सम खास्सतन इस रात पर स्थपित होगी और अगर पहला रात में क़सम खाई कि आज के दिन इस से बात न करूंगा और इस की कुछ इरादा नहीं है तो यह अमान्य है और अगर आखिर रात में क़सम खाई कि तू अगले दिन पर स्थपित होगी यह मुन्तक़ा में वर्णित है और अगर क़सम खाई कि والله لااكلم احد يومي या कहा कि والله لاخرجن احد يومي اواحد اليومين اواحد (1) यामी और यानी वल्लाह ज़रूर बात करूंगा फ़लां से अपने दो दिन के एक में या सफ़र को जाउंगा अपने दो दिन के एक में या दो दिन के एक में ा अयाम के एक दिन में तो यह दस दिन से कम पर होगी ओर इस में दिन व रात दोनों प्रवेश हैं हत्ता कि अगर दस दिन गुज़रने से पहले रात या दिन में बात किया या सफ़र को चला गया तो अपनी क़सम में सच्चा रहा और अगर बात न किया तो सुर को न गया यहां तक कि दस दिन गुज़र गये तो पापी हो गया और अगर कहा कि अपने इन दोनों ू में से एक में तो यह क़सम इसी दिन ओर इस के तो यह क़सम इस दिन के बाद के दो दिनों पर स्थपित होगी ओर अगर कहा कि ग़ैर इस यौम के या सिवाए इस योम के तो यह क़सम इस दिन के बाद तीन दिन पर स्थपित होगी यह इताबिया में है।

ऊयून में लिखा है कि अगर क़सम खाई कि फ़लां से बात न करूंगा दाम यह कि वह इस घर में है फिर अपने असबाब व असासा समेत इस घर से निकल गया फिर दोबारह इस घर में आकर रहा फिर हालांकि ने इस

उयून में लिखा है कि अगर क़सम खाई कि फ़लां से कलाम न करूंगा दाम यह कि वो इस दार में है फिर अपने असबाब व असासा समेत इस दार से निकल गया फिर दोबारह इस दार में आकर रहा फिर हालांकि ने इस से कलाम किया तो हानिस न होगा यह मुहीत में है। इसी तरह अगर यूं कहा कि कान फ़ीहा यानी जब तक कि है इस में यह ईज़ाह में है। और अगर कहा मैं तुझ से कलाम न करूंगा और मावाम यह कि बग़दार में हों फिर ख़ुद तन्हा बग़दाद से निकल गया तो क़सम बाक़ी न रहेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है क़ुदूरी में लिखा है कि अगर क़सम खाई कि वल्लाह कलाम न करूंगा इस शख़्स से जब तक इस पर यह कपड़ा हे या मादाम यह कि इस पर यह कपड़ा है या बराबर ता वक़्त यह कि इस पर यह कपड़ा है फिर मर्द मज़कूर ने इस को उतार कर फिर पहना और हालिफ़ ने इस से कलाम कियसा तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि इस से कलाम न करूंगा और हाल यह कि इस पर यह कपड़ा है फिर मर्द मज़कूर ने इस को उतार कर पहना और हालिफ़ ने इस से कलाम किया तो हानिस हो गया यह मुहीत में है और अगर अपनी बीवी से कहा कि वल्लाह मैं तुझ से कलाम न करूंगा दाम यह कि तेरे मां व बाप दोनों ज़िन्दह हैं फिर इन दोनों में से एक के मर जाने के बाद औरत से कलाम किया तो हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि ज़ैद ने उमर से जो खड़ा है कहा कि वल्ला मैं इस शख़्स से कलाम न करूंगा और इस की नियत यह है कि जब तक खड़ा हे लेकिन लफ़्ज़ में खड़े होने का ज़िक्र नहीं किया हे तो इस की नियत बातिल होगी और अगर क़सम खाई कि वल्लाह इस क़ायम से कलाम न करूंगा यानी मादाम यह कि क़ायम हे तो इस नियत की दयानतन तसदीक़ होगी यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि इस से हमैशा कलाम करूंगा तो यह क़सम इस पर होगी कि जब इस से मुलाक़ात हो तो इस के साथ कलाम करने से बाज़ न रहे और अगर क़सम खाई कि इस से हमैशा को कलाम न करूंगा पस अगर इस से कभी कलाम किया तो हानिस होगा और अगर दावा

से बात किया तो पापी न होगा यह मुहीत में है। इसी तरह अगर यूं कहा कि कान फ़ीहा यानी जब तक कि है इस में यह ईज़ाह में है। और अगर कहा मैं तुझ से बात न करूंगा और मावाम यह कि बग़दार में हों फिर ख़ुद तन्हा बग़दाद से निकल गया तो क़सम बाक़ी न रहेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है क़ुदूरी में लिखा है कि अगर क़सम खाई कि वल्लाह बात न करूंगा इस व्यक्ति से जब तक इस पर यह कपड़ा हे या मादाम यह कि इस पर यह कपड़ा है या बराबर ता समय यह कि इस पर यह कपड़ा है फिर मर्द वर्णित ने इस को उतार कर फिर पहना और शपथकर्ता ने इस से बात कियसा तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि इस से बात न करूंगा और हाल यह कि इस पर यह कपड़ा है फिर मर्द वर्णित ने इस को उतार कर पहना और शपथकर्ता ने इस से बात किया तो पापी हो गया यह मुहीत में है और अगर अपनी बीवी से कहा कि वल्लाह मैं तुझ से बात न करूंगा दाम यह कि तेरे मां व बाप दोनों जीवित हें फिर इन दोनों में से एक के मर जाने के बाद औरत से बात किया तो पापी न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि ज़ैद ने उमर से जो खड़ा है कहा कि वल्ला मैं इस व्यक्ति से बात न करूंगा और इस की इरादा यह है कि जब तक खड़ा हे लेकिन लफ़्ज़ में खड़े होने का वर्णन नहीं किया हे तो इस की इरादा अमान्य होगी और अगर क़सम खाई कि वल्लाह इस क़ायम से बात न करूंगा यानी मादाम यह कि क़ायम हे तो इस इरादा की दयानतन पुष्टि होगी यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि इस से हमैशा बात करूंगा तो यह क़सम इस पर होगी कि जब इस से मुलाक़ात हो तो इस के साथ बात करने से कुछ न रहे और अगर क़सम खाई कि इस से हमैशा को बात न करूंगा बस अगर इस से कभी बात किया तो पापी होगा और अगर दावा किया कि मेरी यह इरादा थी कि इस से लफ़्ज़ हमैशा (२) को न कहूंगा तो न्यायिक इस की पुष्टि न होगी यह ईज़ाह में है अनुवादक के कथनानुसार यह तलफ़्फ़ुज़ अरबियत ज़्यादा वाज़ह है यानी 'वल्लाहु ला यकलमहु उल अब्द फ़ाफ़हम।

किया कि मेरी यह नियत थी कि इस से लफ़्ज़ हमैशा (2) को न कहूंगा तो क़ज़ाअन इस की तसदीक़ न होगी यह ईज़ाह में है क़ालल मुतरजम यह तलफ़्फ़ुज़ अरबियत ज़्यादा वाज़ह है यानी 'वल्लाहु ला यकलमहु उल अब्द फ़ाफ़हम।

(1)क़ालल मुतरजम हमारा उर्फ़+ उन्हें दोएक रोज+ मेंएक और दो एक रोज+ में उन्हीं दोनोंएक रोज+ जाउंगा उम्मीद है कि इसी हुक्म में अलल तफ़सील दाखिल हो वल्लाहु आलम।
(2) इस से जब गुफ़तुगू करूंगा तो कभी इस गुफ़तुगू में इस से लफ्ज+ हमैशा ज़बान से न निकालूंगा।
(3)]ती काटी जाने तक।

फ़तावा अबुल्लैस रह० में मज़कूर है कि अगर किसी ने कहा कि वल्लाह ़ुलां से कलाम न करूंगा ता क़ुदूम हाजियां फिर हाजिनों में से एक आ गया तो इस की क़सम मुन्तहा गई और इसी तरह अगर कहा कि वल्लाह इस से कलाम न करूंगा ता दर व ज़राअत (1) फिरा इस के शहर वालों में से एक ने अपनी खेती काअ ली तो क़सम मुन्तहा हो गई ओर अगर क़सम खाई कि वल्लाह फ़लां से कलाम न करूंगा जब तक बर्फ़ न गिरे पस अगर इस ने वास्तव में बर्फ़ गिरने की नियत की है तो इस से कलाम न करे जब तक कि वास्तव में बर्फ़ ज़मीन पर न गिरे और शर्त यह है कि इस श्खहर में गिरे जहां हालिफ़ है न दूसरे शहर में हत्ता कि अगर हालिफ़ ऐसे शहर में है कि वहां वास्तव में बर्फ़ नहीं गिरती है तो यह क़सम हमैशा बाक़ी रहेगी और वास्तव में बर्फ़ ज़मीन पर गिरने की यह सूरत है कि इस के ज़ार ने बहार ने की ज़रूर तपिश आये और इस का ऐतबार नहीं है जो हवा में उडता है और जो ज़मीन पर गिरती है मगर ज़ाहिर नहीं होता है इल्ला किसी दीवार की चोटी या घास पर। अगर इस ने बर्फ़ गिरने का वक्त अपनी नियत में लिया हे तो जब तक बर्फ़ गिरने का महीना न आये तब तक कलाम न करूंगा और वो अव्वल (1) माह आज़र है और अगर इस की कुछ नियत न हो तो यह सूरत इस मसले में ज़िक्र नहीं फ़रमाई हां दूसरे मसले में ज़िक्र फ़रमाई है कि इस की क़सम ब्रु गिरने के वक्त पर होगी और अगर क़सम खाई कि 'ला यकल्लम फ़लाना इलल मौसम' यानी ता मौसम इस से कलाम न करूंगा तो

(1)अनुवादक के कथनानुसार हमारा उर्फ़+ उन्हें दोएक दिन मेंएक और दोएक दिन में उन्हीं दोनोंएक दिन जाउंगा उम्मीद है कि इसी आदेश में अलल तफ़सील प्रवेश हो वल्लाहु आलम।
(2) इस से जब गुफ़तुगू करूंगा तो कभी इस गुफ़तुगू में इस से लफ्ज+ हमैशा ज़बान से न निकालूंगा।
(3)]ती काटी जाने तक।

फ़तावा अबुल्लैस रह० में वर्णित है कि अगर किसी ने कहा कि वल्लाह ़ुलां से बात न करूंगा ता क़ुदूम हाजियां फिर हाजिनों में से एक आ गया तो इस की क़सम मुन्तहा गई और इसी तरह अगर कहा कि वल्लाह इस से बात न करूंगा ता दर व ज़राअत (1) फिरा इस के शहर वालों में से एक ने अपनी खेती काअ ली तो क़सम मुन्तहा हो गई ओर अगर क़सम खाई कि वल्लाह फ़लां से बात न करूंगा जब तक बर्फ़ न गिरे बस अगर इस ने वास्तव में बर्फ़ गिरने की इरादा की है तो इस से बात न करे जब तक कि वास्तव में बर्फ़ ज़मीन पर न गिरे और शर्त यह है कि इस श्खहर में गिरे जहां शपथकर्ता है न दूसरे शहर में हत्ता कि अगर शपथकर्ता ऐसे शहर में है कि वहां वास्तव में बर्फ़ नहीं गिरती है तो यह क़सम हमैशा बाक़ी रहेगी और वास्तव में बर्फ़ ज़मीन पर गिरने की यह स्थिति है कि इस के ज़ार ने बहार ने की ज़रूर तपिश आये और इस का ऐतबार नहीं है जो हवा में उडता है और जो ज़मीन पर गिरती है मगर ज़ाहिर नहीं होता है सिवा किसी दीवार की चोटी या घास पर। अगर इस ने बर्फ़ गिरने का समय अपनी इरादा में लिया हे तो जब तक बर्फ़ गिरने का महीना न आये तब तक बात न करूंगा और वह पहला (1) माह आज़र है और अगर इस की कुछ इरादा न हो तो यह स्थिति इस मसले में वर्णन नहीं फ़रमाई हां दूसरे मसले में वर्णन फ़रमाई है कि इस की क़सम ब्रु गिरने के समय पर होगी और अगर क़सम खाई कि 'ला यकल्लम फ़लाना इलल मौसम' यानी ता मौसम इस से बात न करूंगा तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि ज़िल हिज्जा की दसवीं तारीख दिन क़ुर्बानी के सुबह को इस से बात कर सकता है और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि बरोज़ अरफ़ा दोपहर ढ़ले से बात कर सकता है यह मुहीत में है।

इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि ज़िल हिज्जा की दसवीं तारीख रोज़ क़ुर्बानी के सुबह को इस से कलाम कर सकता है और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि बरोज़ अरफ़ा दोपहर ढ़ले से कलाम कर सकता है यह मुहीत में है।

ईमान उल वाक़िआत में मज़कूर है कि फ़लां से कलाम न करूंगा ता गर्मी या ता जाड़ा तो जार और गर्मी पहचानने में मशाइख ने कलाम किया है और मुख़्तार यह है कि अगर हालिफ़ ऐसे शहर में हो कि वहां के लोगों में गर्मी व जाड़े का हिसाब हे कि बराबर इस से पहचानते हैं और मअरूफ़ है तो क़सम इसी तरफ़ मुन्सरिफ़ होगी वरना अव्वल जाड़ा वो हे कि लोगों को हशो (2) व पोस्तीन पहने की हाजत हो और आखिर जाड़ा वो है कि लोग दिन से बे परवा हों और जाड़े व गर्मी के दरमियान फ़ाज़िल वो वक्त है कि लोगों पर जाड़ों के कपड़े बवजहू हो जाऐं और गर्मी के हलके कपड़ों खफ़ीफ़ हों पस मौसम रबीअ आखिर जाड़ों से अव्वल गर्मियों तक है और खरीफ़ आखिर गर्मियों से जाड़ों तक है वास्ते कि इन का पहचानना लोगों पर आसान हे और अगर इस ने फ़ारसी में नो रोज़ का लफ़्ज़ ज़िक्र किया तो वो मुसलमानों के नो रोज़ पर क़रार दे जायेगी और यह फ़तावा कुबरा में है और लैलतुल क़द्र की क़सम सत्ताइसवीं माह रमज़ान पर वाक़े होती है बशर्तेकि क़सम खाने वाला आमी हो यानी मज़ाहिब इमामों से वाक़िफ़ न हो और अगर इमामों के इख़्तलाफ़ से वाक़िफ़ हुआ कि इमाम मुहम्मद रह० के नज़दी मुतक़द्दिम व मुताखिर होती है और साहबीन रह० के नज़दीक नहीं तो ऐसा हुक्म नहीं है और इस इख़्तलाफ़ का समरह ऐसी सूरत में ज़ाहिर होता है कि एक दानिस्ता ने क़सम खाई कि फ़लां से कलाम न करूंगा यहां तक कि लैलतुल क़द्र गुज़र जाये और हाल यह है कि एक रोज़ रमज़ान का गुज़र गया है तो इस से कलाम न करे यहां तक कि दूसरे साल का पूरा (1) रमज़ान गुज़र जाये और साहबीन के नज़दीक जब दूसरे रमज़ान का एक रोज़ गुज़रे तो इस से कलाम कर सकता है और अगर इस ने रमज़ान से क़ब्ल क़सम खाई तो इसी रमज़ान के गुज़रने पर कलाम कर सकता है और

ईमान उल वाक़िआत में वर्णित है कि फ़लां से बात न करूंगा ता गर्मी या ता जाड़ा तो जार और गर्मी पहचानने में विद्वानों ने बात किया है और मुख़्तार यह है कि अगर शपथकर्ता ऐसे शहर में हो कि वहां के लोगों में गर्मी व जाड़े का हिसाब हे कि बराबर इस से पहचानते हैं और मअरूफ़ है तो क़सम इसी तरफ़ मुन्सरिफ़ होगी वरना पहला जाड़ा वह हे कि लोगों को हशो (2) व पोस्तीन पहने की हाजत हो और आखिर जाड़ा वह है कि लोग दिन से बे परवा हों और जाड़े व गर्मी के बीच फ़ाज़िल वह समय है कि लोगों पर जाड़ों के कपड़े बवजहू हो जाऐं और गर्मी के हलके कपड़ों खफ़ीफ़ हों बस मौसम रबीअ आखिर जाड़ों से पहला गर्मियों तक है और खरीफ़ आखिर गर्मियों से जाड़ों तक है लिए कि इन का पहचानना लोगों पर आसान हे और अगर इस ने फ़ारसी में नो दिन का लफ़्ज़ वर्णन किया तो वह मुसलमानों के नो दिन पर क़रार दे जायेगी और यह फ़तावा कुबरा में है और लैलतुल क़द्र की क़सम सत्ताइसवीं माह रमज़ान पर स्थपित होती है बशर्तेकि क़सम खाने वाला आमी हो यानी मज़ाहिब इमामों से वाक़िफ़ न हो और अगर इमामों के मतभेद से वाक़िफ़ हुआ कि इमाम मुहम्मद रह० के नज़दी मुतक़द्दिम व मुताखिर होती है और साहबीन रह० के निकट नहीं तो ऐसा आदेश नहीं है और इस मतभेद का समरह ऐसी स्थिति में ज़ाहिर होता है कि एक दानिस्ता ने क़सम खाई कि फ़लां से बात न करूंगा यहां तक कि लैलतुल क़द्र गुज़र जाये और हाल यह है कि एक दिन रमज़ान का गुज़र गया है तो इस से बात न करे यहां तक कि दूसरे साल का पूरा (1) रमज़ान गुज़र जाये और साहबीन के निकट जब दूसरे रमज़ान का एक दिन गुज़रे तो इस से बात कर सकता है और अगर इस ने रमज़ान से क़ब्ल क़सम खाई तो इसी रमज़ान के गुज़रने पर बात कर सकता है और फ़तवा इमाम आज़म रह० के कथन पर है यह वजीज़ करदरी में है।

फ़तवा इमाम आज़म रह० के क़ौल पर है यह वजीज़ करदरी में है।

अगर कहा कि वल्लाह मैं तुझ से जुमओं में कलाम न करूंगा तो इस को रवा है कि सिवाए रोज़ जुमआ के और दिनों में इस से कलाम करे :

अगर क़सम खाई कि अगर मैंने फ़लां से कलाम किसया तो हर ममलूक कि मैं इस का मालिक हों बरोज़े जुमआ या बरोज़े जुमेरात वो आज़ाद है तो

(1)हां से ज़ाहिर होता है कि लैलतुल क़द्र इमाम आज़म रह के नज़दीक अव्वल अ+शरह रमज़ान बल्कि अव्वल रमज़ान को भी मोहतमिल है और नीज+ वाज़ह होता है कि लैलतुल क़द्र हर साल होती है और इमाम तहावी रह ने इस को मुदल्लल बयान किया है। (2)बएतबार इन मुल्कों के और हमारेयहां नहीं गिरता है। (3)क़ौलहू हशू भराव का कपड़ा जैसे हमारेयहां रूई भरावा गला वग़ैरह।

यह क़सम हर ममलूक पर जिन का वो इन दोनों में मालिक हो वाक़े होगी और यह मुहीत में है और अगर कहा कि 'ला लकलमहू जुमआ' यानी इस से एक जुमा कलाम न करूंगा और इस की कुछ नियत नहीं है तो यह अय्याम (1) जुमा पर वाक़े होगी ओर अगर कहा कि दो जुमा तो जुमओं के अय्याम पर वाक़े होगी और अगर कहा कि तीन जुमा तो इस पर वाजिब है कि रोज़ क़सम से इक्कीस रोज़े पूरे करे और अगर इस ने फ़क़त रोज़ जुमा की नियत की हो तो क़ज़ाअन इस के क़ौल की तसदीक़ न की जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर कहा कि वल्लाह मैं तुझ जुमओं में कलाम न करूंगा तो इस को रवा है कि सिवाए रोज़ जुमा के और दिनों में इस से कलाम करे जैसे कि 'वल्लाह ला अकलमक इल्ला खमसतत अव्वला हावा वल असानीन' यानी वल्लाह तुझ से जुमेरातों या सनीचरों या इतवारों को कलाम न करूंगा तो यही हुक्म है और यह इस वक्त है कि इस की कुछ नियत न हो और अगर इस ने अय्याम जुमा मुराद लिये हों यान हफ़्ते (1) तो इस की नियत पर होगी यह मुहीत में है। जामअ में ज़िक्र किया है कि अगर कहा कि 'वल्लाह ला अकलमक उल जुमअत वल्लाह' में तुझ से बरोज़ जुमआ कलाम न करूंगा तो इस को इख़्तयार है

अगर कहा कि वल्लाह मैं तुझ से जुमओं में बात न करूंगा तो इस को रवा है कि सिवाए दिन जुमआ के और दिनों में इस से बात करे :

अगर क़सम खाई कि अगर मैंने फ़लां से बात किसया तो हर ममलूक कि मैं इस का मालिक हों बरोज़े जुमआ या बरोज़े जुमेरात वह आज़ाद है तो

(1)हां से ज़ाहिर होता है कि लैलतुल क़द्र इमाम आज़म रह के निकट पहला अ+शरह रमज़ान बल्कि पहला रमज़ान को भी मोहतमिल है और नीज+ वाज़ह होता है कि लैलतुल क़द्र हर साल होती है और इमाम तहावी रह ने इस को मुदल्लल बयान किया है। (2)बएतबार इन मुल्कों के और हमारेयहां नहीं गिरता है। (3)क़ौलहू हशू भराव का कपड़ा जैसे हमारेयहां रूई भरावा गला वग़ैरह।

यह क़सम हर ममलूक पर जिन का वह इन दोनों में मालिक हो स्थपित होगी और यह मुहीत में है और अगर कहा कि 'ला लकलमहू जुमआ' यानी इस से एक जुमा बात न करूंगा और इस की कुछ इरादा नहीं है तो यह अयाम (1) जुमा पर स्थपित होगी ओर अगर कहा कि दो जुमा तो जुमओं के अय्याम पर स्थपित होगी और अगर कहा कि तीन जुमा तो इस पर अनिवार्य है कि दिन क़सम से इक्कीस दिने पूरे करे और अगर इस ने केवल दिन जुमा की इरादा की हो तो न्यायिक इस के कथन की पुष्टि न की जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर कहा कि वल्लाह मैं तुझ जुमओं में बात न करूंगा तो इस को रवा है कि सिवाए दिन जुमा के और दिनों में इस से बात करे जैसे कि 'वल्लाह ला अकलमक सिवा खमसतत पहला हावा वल असानीन' यानी वल्लाह तुझ से जुमेरातों या सनीचरों या इतवारों को बात न करूंगा तो यही आदेश है और यह इस समय है कि इस की कुछ इरादा न हो और अगर इस ने अय्याम जुमा तात्पर्य लिये हों यान हफ़्ते (1) तो इस की इरादा पर होगी यह मुहीत में है। जामअ में वर्णन किया है कि अगर कहा कि 'वल्लाह ला अकलमक उल जुमअत वल्लाह' में तुझ से बरोज़ जुमआ बात न करूंगा तो इस

कि ग़ैर रोज़ जुमआ में इस से कलाम करे इस वास्ते कि अलजुमअत नाम एक रोज़ मख़्सूस का है पस ऐसा हो गया कि गोया इसने यूं कहा कि 'ला अकलमक यौम उल जुमअत' और इसी तरह अगर कहा कि जुमअन तो इस को ग़ैर जुमा में कलाम करने का इख़्तयार है पस जब कि इस ने यूं कहा कि 'वल्लाह ला अकलमक जमअन' तो यह तीन रोज़ जुमा (2) पर क़सम वाक़े होगी यह बदाऐ में है।

अगर क़सम खाइ कि 'ला यकलम फ़लान इला कज़ा' पस अगर लफ़्ज़ कज़ा से एक से दस तक साआत या अय्याम या महीने या सालों किसी की नियत की हो तो इस की नियत पर होगी और अगर कुछ नियत न की हो तो एक रोज़ पर क़रार दी जायेगी और कहा कि 'ला अकलमहु ई कज़ा कज़ा' पस लफ़्ज़ कज़ा से या महीनों वग़ैरह किसी वक़्त की नियत की हो तो यह इस की नियत वाली चीज़ के ग्यारह (3) पर वाक़े होगी और अगर कुछ नियत न की हो तो एक दिन व रात पर वाक़े होगी और अगर कहा कि 'ला यकलमहु इला कज़ा व कज़ा' पस अगर नियत हो तो नियत वाले वक़्त के इक्कीस पर वाक़े होगी और अगर नियत न हो तो एक दिन व रात पर वाक़े होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर इस ने नियत में ख़ुसूसियत की हो मसलन एक रोज़ या दो रोज़ की या किसी शहर या मकान की या इस के अश्बा की नियत की हो तो क़ज़ाअन इस के क़ौल की तसदीक़ न की जायेगी और नीज़ 'दयानतन फ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहि तआला' भी तसदीक़ न की जायेगी यह ज़ख़ीरह में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां से अबदन कलाम न करूंगा फिर उस के मर जाने के बाद उस से कलाम किया तो क़सम में हानिस न होगा यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि 'ला यकलमहू मलिया ओ तवीला' (2) पस अगर अगर किसी वक़्त (4) की नियत की हो तो इस की नियत पर होगी और अगर कुछ नियत न की हो तो एक महीना एक रोज़ पर वाक़े होगी यह फ़तावा क़ाज़ी में खान में है।

को अधिकार है कि ग़ैर दिन जुमआ में इस से बात करे इस लिए कि अलजुमअत नाम एक दिन मख़्सूस का है बस ऐसा हो गया कि गोया इसने यूं कहा कि 'ला अकलमक यौम उल जुमअत' और इसी तरह अगर कहा कि जुमअन तो इस को ग़ैर जुमा में बात करने का अधिकार है बस जब कि इस ने यूं कहा कि 'वल्लाह ला अकलमक जमअन' तो यह तीन दिन जुमा (2) पर क़सम स्थपित होगी यह बदाऐ में है।

अगर क़सम खाइ कि 'ला यकलम फ़लान इला कज़ा' बस अगर लफ़्ज़ कज़ा से एक से दस तक साआत या अय्याम या महीने या सालों किसी की इरादा की हो तो इस की इरादा पर होगी और अगर कुछ इरादा न की हो तो एक दिन पर क़रार दी जायेगी और कहा कि 'ला अकलमहु ई कज़ा कज़ा' बस लफ़्ज़ कज़ा से या महीनों वग़ैरह किसी समय की इरादा की हो तो यह इस की इरादा वाली चीज़ के ग्यारह (3) पर स्थपित होगी और अगर कुछ इरादा न की हो तो एक दिन व रात पर स्थपित होगी और अगर कहा कि 'ला यकलमहु इला कज़ा व कज़ा' बस अगर इरादा हो तो इरादा वाले समय के इक्कीस पर स्थपित होगी और अगर इरादा न हो तो एक दिन व रात पर स्थपित होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर इस ने इरादा में ख़ुसूसियत की हो मसलन एक दिन या दो दिन की या किसी शहर या मकान की या इस के अश्बा की इरादा की हो तो न्यायिक इस के कथन की पुष्टि न की जायेगी और नीज़ 'दयानतन फ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहि तआला' भी पुष्टि न की जायेगी यह ज़ख़ीरह में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां से अबदन बात न करूंगा फिर उस के मर जाने के बाद उस से बात किया तो क़सम में पापी न होगा यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि 'ला यकलमहू मलिया ओ तवीला' (2) बस अगर अगर किसी समय (4) की इरादा की हो तो इस की इरादा पर होगी और अगर कुछ इरादा न की हो तो एक महीना एक दिन पर स्थपित होगी यह फ़तावा क़ाज़ी में खान में है।

जिस से तूने मवालात की है उस से काम न करूंगा हालांकि इस के दो मौला अलवालात हैं :

अगर कहा कि 'ला अकलमक क़रीबन' तो एक महीना से एक दिन कम पर होगी यह इमाम आज़म रह० का क़ौल है और इस में इख़्तलाफ़ किसी दूसरे का ज़िक्र नहीं फ़रमाया और अगर उस ने इस सूरत में एक महीना से .ज्यादा की नियत की हो तो ईमान अल असल में इमाम आज़म रह० से रिवायत मज़कूर हे कि क़ज़ाअन इस की तसदीक़ होगी और अगर कहा कि 'ला अकलमहु ई बईद' तो इमाम आज़म रह० के क़ौल में यह एक महीना से .ज्यादा पर होगी और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से नवादिर (5) मुअल्ला में मज़कूर है कि अगर कहा कि सरीअन यानी 'यकलमहु' और 'यकलमहु सरीअन' तो यह एक दिन एक महीना पर होगी जबकि इस की

(1)जुमा के रात में जेसेएक हफ़्ता वग़ैरह बोलते हैं।
(2)जुमा का रोज+ तीन मर्तबाआये और कलाम न करे।
(3)दिन हो गया तो ग्यसारह दिन तक।
(4)देर तक भरपूर इस से बात न करूंगा।
(5)असल में है कि नवादिर में जो मुअल्ला की तरफ+ मंसूब हैयूं कहा किशायद यह इशारह है कि तहक़ीक+ नहीं हो सकता कि मन्सूर की तसनीफ+ है इसी वजह से नवादिर नाम हुआ।
(6)सरीअ+ नीज+ बज़ाहिर जल्दी मुराद है जैसे बईद बमअनी दूर।
(1)सात साथ रोज+ के।
(2)भरपूर देर तक।

कुछ नियत न हो और अगर नियत हो तो इस की नियत पर होगी और अगर कहा कि आजिलन तो महीना भर से कम पर होगी और अगर कहा कि आजिला तो एक महीना से या .ज्यादा पर होगी सयानी एक महीना से कम पर न होगी हां पूरा एक महीना हो जाये या इस से .ज्यादा गुज़र जाये फिर जिस तरह क़सम खाई है इस के खिलाफ़ कर सकता है और हानिस न होगा और अगर कहा कि बज़अत अशर यौमा (1) तो यह तेरह रोज़ पर होगी और जामअ उल जवामअ में मज़कूर है कि अगर इस ने इस सूरत में (19) रोज़ से .ज्यादा की नियत की हो तो इस की तसदीक़ की जायेगी यह तातार खानिया में है और अगर कहा कि 'ला अकलम मौलाक' यानी जिस

जिस से तूने मवालात की है उस से काम न करूंगा हालांकि इस के दो मालिक अलवालात हैं :

अगर कहा कि 'ला अकलमक क़रीबन' तो एक महीना से एक दिन कम पर होगी यह इमाम आज़म रह० का कथन है और इस में मतभेद किसी दूसरे का वर्णन नहीं फ़रमाया और अगर उस ने इस स्थिति में एक महीना से .ज्यादा की इरादा की हो तो ईमान अल असल में इमाम आज़म रह० से रिवायत वर्णित हे कि न्यायिक इस की पुष्टि होगी और अगर कहा कि 'ला अकलमहु ई बईद' तो इमाम आज़म रह० के कथन में यह एक महीना से .ज्यादा पर होगी और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से नवादिर (5) मुअल्ला में वर्णित है कि अगर कहा कि सरीअन यानी 'यकलमहु' और 'यकलमहु सरीअन' तो यह एक दिन एक महीना पर होगी जबकि इस की

(1)जुमा के रात में जेसेएक हफ़्ता वग़ैरह बोलते हैं।
(2)जुमा का दिन तीन मर्तबाआये और बात न करे।
(3)दिन हो गया तो ग्यसारह दिन तक।
(4)देर तक भरपूर इस से बात न करूंगा।
(5)असल में है कि नवादिर में जो मुअल्ला की तरफ+ मंसूब हैयूं कहा किशायद यह इशारह है कि तहक़ीक+ नहीं हो सकता कि मन्सूर की तसनीफ+ है इसी कारण से नवादिर नाम हुआ।
(6)सरीअ+ नीज+ बज़ाहिर जल्दी तात्पर्य है जैसे बईद बमअनी दूर।
(1)सात साथ दिन के।
(2)भरपूर देर तक।

कुछ इरादा न हो और अगर इरादा हो तो इस की इरादा पर होगी और अगर कहा कि आजिलन तो महीना भर से कम पर होगी और अगर कहा कि आजिला तो एक महीना से या .ज्यादा पर होगी सयानी एक महीना से कम पर न होगी हां पूरा एक महीना हो जाये या इस से .ज्यादा गुज़र जाये फिर जिस तरह क़सम खाई है इस के खिलाफ़ कर सकता है और पापी न होगा और अगर कहा कि बज़अत अशर यौमा (1) तो यह तेरह दिन पर होगी और जामअ उल जवामअ में वर्णित है कि अगर इस ने इस स्थिति में (19) दिन से .ज्यादा की इरादा की हो तो इस की पुष्टि की जायेगी यह तातार खानिया में है और अगर कहा कि 'ला अकलम मालिकक' यानी जिस

से तूने मवालात की है इस से काम न करूंगा हालांकि इस के दो मौला अल मवालात (1) हैं एक आला है और दूसरा असफ़ल है और इस की कुछ नियत नहीं है तो इन में से जिस से कलाम करूंगा हानिस होगा क़ालल मुतरजम इस की तौज़ीह किताब उल वला से मालूम करनी चाहिए फ़ाफ़हम। इसी तरह अगर कहा कि मैंने तेरे जद से कलाम न करूंगा और इस के जुदूद हैं एक बाप (दादा, परदादा) की तरफ़ से और दूसरा मां (नाना, परनाना) की तरफ़ से तो भी इस सूरत में यही हुक्म है यह मबसूत में है।

मुन्तक़ी में मज़कूर है कि अगर कहा कि तुझ से क़रीब साल भर के कलाम न करूंगा तो इस से छः महीने और एक रोज़ कलाम न करे यह ख़ुलासा में है और अगर एक ने दूसरे से कहा कि ओ फ़लाने तुझ से दस रोज़ कलाम न करूंगा वल्लाह तुझ से तो रोज़ कलाम न करूंगा वल्लाह तुझ से (18) रोज़ कलाम न करूंगा तो वो बार हानिस हुआ यानी दो क़समों में हानिस हो चुका और तीसरी क़सम इस पर रही पस अगर आठ रोज़ के अन्दर इस से कलाम कर लिया तो इस में भी हानिस हुआ और अगर कहा कि वल्लाह तुझ से आठ रोज़ कलाम न करूंगा वल्लाह तुझ से नो रोज़ कलाम न करूंगा वल्लाह तुझ से दस रोज़ कलाम न करूंगा तो दो क़समों में अभी दो मर्तबा हानिस हुआ और इस पर तीसरी क़सम रही पस अगर दस रोज़ के अन्दर इस से कलाम कर लिया तो इस में भी हानिस हो गया यह मबसूत में है। इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर एक ने कहा कि हर बार कि मैंने फ़लां से एक रोज़ कलाम ककिया पस अल्लाह तआला के वास्ते मुझ पर वाजिब है कि एक दिनरहम सदक़ा करूं हर बार कि मैंने फ़लां से दो रोज़ कलाम किया पस वास्ते अल्लाह के मुझ पर वाजिब है कि दो दिरहम सदक़ा करूं हर बार कि मैंने ़लां से तीन रोज़ कलाम किया तो वास्ते अल्लाह के मुझ पर वाजिब है कि तीन दिरहम सदक़ा करूं हर बार कि मैंने फ़लां से चार रोज़ कलाम किया तो अल्लाह के वास्ते मुझ पर वाजिब है कि चार दिरहम सदक़ा करूं हर बार कि मैंने फ़लां से पांच रोज़ कलाम किया तो अल्लाह के

से तूने मवालात की है इस से काम न करूंगा हालांकि इस के दो मालिक अल मवालात (1) हैं एक आला है और दूसरा असफ़ल है और इस की कुछ इरादा नहीं है तो इन में से जिस से बात करूंगा पापी होगा अनुवादक के कथनानुसार इस की तौज़ीह किताब उल वला से मालूम करनी चाहिए फ़ाफ़हम। इसी तरह अगर कहा कि मैंने तेरे जद से बात न करूंगा और इस के जुदूद हैं एक बाप (दादा, परदादा) की तरफ़ से और दूसरा मां (नाना, परनाना) की तरफ़ से तो भी इस स्थिति में यही आदेश है यह मबसूत में है।

मुन्तक़ी में वर्णित है कि अगर कहा कि तुझ से क़रीब साल भर के बात न करूंगा तो इस से छः महीने और एक दिन बात न करे यह ख़ुलासा में है और अगर एक ने दूसरे से कहा कि ओ फ़लाने तुझ से दस दिन बात न करूंगा वल्लाह तुझ से तो दिन बात न करूंगा वल्लाह तुझ से (18) दिन बात न करूंगा तो वह बार पापी हुआ यानी दो क़समों में पापी हो चुका और तीसरी क़सम इस पर रही बस अगर आठ दिन के अन्दर इस से बात कर लिया तो इस में भी पापी हुआ और अगर कहा कि वल्लाह तुझ से आठ दिन बात न करूंगा वल्लाह तुझ से नो दिन बात न करूंगा वल्लाह तुझ से दस दिन बात न करूंगा तो दो क़समों में अभी दो मर्तबा पापी हुआ और इस पर तीसरी क़सम रही बस अगर दस दिन के अन्दर इस से बात कर लिया तो इस में भी पापी हो गया यह मबसूत में है। इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर एक ने कहा कि हर बार कि मैंने फ़लां से एक दिन बात ककिया बस अल्लाह तआला के लिए मुझ पर अनिवार्य है कि एक दिनरहम दान करूं हर बार कि मैंने फ़लां से दो दिन बात किया बस लिए अल्लाह के मुझ पर अनिवार्य है कि दो दिरहम दान करूं हर बार कि मैंने ़लां से तीन दिन बात किया तो लिए अल्लाह के मुझ पर अनिवार्य है कि तीन दिरहम दान करूं हर बार कि मैंने फ़लां से चार दिन बात किया तो अल्लाह के लिए मुझ पर अनिवार्य है कि चार दिरहम दान करूं हर बार कि मैंने फ़लां से पांच दिन बात किया तो अल्लाह के लिए मुझ पर अनिवार्य है कि पांच दिरहम दान करूं फिर इस

वास्ते मुझ पर वाजिब है कि पांच दिरहम सदक़ा करूं फिर इस ने चौथे व पांचवें रोज़ कलाम किया तो इस पर तीस (30) दिरहम सदक़ा करने वाजिब हैं और अगर इस ने अव्वल रोज़ में या और किसी अय्याम में दो बार कलाम किया तो इस पर (30) दिरहम सदक़ा करने वाजिब होंगे और अगर कहा कि हर दिन में कि मैं इस में फ़लां से कलाम करूं तो वास्ते अल्लाह के मुझ पर वाजिब है कि एक दिरहम सदक़ा करूं हर दो दिन कि मैं इन में फ़लां से कलाम करूं तो अल्लाह के वास्ते मुझ पर वाजिब है कि दो दिरहम सदक़ा करूं इसी तरह पांच क़सम तक पहुंचाया फिर इस से चौथे व पांचवें रोज़ कलामकियसा तो इस पर बाईस (22) दिरहम वाजिब होंगे सो इस वास्ते कि इस ने पांच क़समें खाई हैं और पहली क़सम की जज़ा एक दिरहम सदक़ा मुक़र्रर की और दूसरी की दो दिरहम और हर क़सम के वास्ते मुद्दत क़रार दी है और फ़िक़हा ने हर मुद्दत का नाम दोर रखा है पस अव्वल क़सम की मुद्दत एक रोज़ है और इस का दोर व तजदुद हर रोज़ होता है और दूसरे की मुद्दत दो रोज़ है कि इसक का दोर व तजदुद हर दो रोज़ में होता है और तीसरी का दोर तीन रोज़ है और चौथी का दोर चार रोज़ है और पांचवीं का पांच रोज़ है ओर हर दोर में वो एक ही मर्तबा हानिस होगा क्योंकि इस ने बलफ़्ज़ हर क़सम क़रार दी है और यह लफ़्ज़ मौजिब तकरार नहीं है इस लिए कि तकरार क़ज़िया उमूम उल फ़अल है न क़ज़िया उमूम उल वक्त पस जो दिन कि बाद क़सम के पाया गया वो पूरी मुद्दत अव्वल क़सम की होगी और थोडी

(1)]ाासायह कि कोई मुतफ़र्द इस्लाम लाया और किसीखान्दानी से मवालात करली कियह तो मेरा मौला है तो वो आला हुआ औरयह असफ़ल हो।
(1)कुछ ऊपर दस दिन।

मुद्दत दीगर क़समों की होगी यानी पूरी मुद्दत दीगर क़समों की होगी पस जब कि इस ने चौथे रोज़ कलाम किया तो चौथा रोज़ पहली क़सम का चौथा दोर है और वो बअयुना दूसरी क़सम का ततिम्मा दोर सानी है और वो बअयुना तीसरी क़सम के दूसरे दोर का पहला रोज़ है और वो बअयुना चौथी क़सम का ततिम्मा दोर

ने चौथे व पांचवें दिन बात किया तो इस पर तीस (30) दिरहम दान करने अनिवार्य हैं और अगर इस ने पहला दिन में या और किसी अयाम में दो बार बात किया तो इस पर (30) दिरहम दान करने अनिवार्य होंगे और अगर कहा कि हर दिन में कि मैं इस में फ़लां से बात करूं तो लिए अल्लाह के मुझ पर अनिवार्य है कि एक दिरहम दान करूं हर दो दिन कि मैं इन में फ़लां से बात करूं तो अल्लाह के लिए मुझ पर अनिवार्य है कि दो दिरहम दान करूं इसी तरह पांच क़सम तक पहुंचाया फिर इस से चौथे व पांचवें दिन कलामकियसा तो इस पर बाईस (22) दिरहम अनिवार्य होंगे सो इस लिए कि इस ने पांच क़समें खाई हैं और पहली क़सम की बदला एक दिरहम दान मुक़र्रर की और दूसरी की दो दिरहम और हर क़सम के लिए मुद्दत क़रार दी है और फ़िक़हा ने हर मुद्दत का नाम दोर रखा है बस पहला क़सम की मुद्दत एक दिन है और इस का दोर व तजदुद हर दिन होता है और दूसरे की मुद्दत दो दिन है कि इसक का दोर व तजदुद हर दो दिन में होता है और तीसरी का दोर तीन दिन है और चौथी का दोर चार दिन है और पांचवीं का पांच दिन है ओर हर दोर में वह एक ही मर्तबा पापी होगा क्योंकि इस ने बलफ़्ज़ हर क़सम क़रार दी है और यह लफ़्ज़ मौजिब तकरार नहीं है इस लिए कि तकरार क़ज़िया उमूम उल फ़अल है न क़ज़िया उमूम उल समय बस जो दिन कि बाद क़सम के पाया गया वह पूरी मुद्दत पहला क़सम की होगी और थोडी

(1)]ाासायह कि कोई मुतफ़र्द इस्लाम लाया और किसीखान्दानी से मवालात करली कियह तो मेरा मालिक है तो वह आला हुआ और यह असफ़ल हो।
(1)कुछ ऊपर दस दिन।

मुद्दत दीगर क़समों की होगी यानी पूरी मुद्दत दीगर क़समों की होगी बस जब कि इस ने चौथे दिन बात किया तो चौथा दिन पहली क़सम का चौथा दोर है और वह बअयुना दूसरी क़सम का ततिम्मा दोर सानी है और वह बअयुना तीसरी क़सम के दूसरे दोर का पहला दिन है और वह बअयुना चौथी क़सम का ततिम्मा दोर

अव्वल है और वो बअयुना पांचवीं क़सम के दोर अव्वल का चौथा रोज़ है और इन दो (1) दिन में वो बिल्कुल हानिस नहीं हुआ है और एक ही शर्त कई क़समों (दोर के साथ तकल्लुम) के वास्ते शर्त होने की सलाहियत रखती है। पस वो सब क़समों में (क्योंकि सब का दोर मौजूद है) हानिस हुआ।

एक ही शर्त का कई अक़साम के वास्ते शर्त होना :

इस का ज़िम्मा बवजह क़सम अव्वल के एक दिरहम और बवजह दूसरी के दो दिरहम और बवजह तीसरी के तीन दिरहम और बवजह चौथी के चार दिरहम और बवजह पांचवीं के पांच दिरहम वाजिब हुए कि इन का मजमूआ पन्द्रह दिरहम हुए फिर जब पांचवें रोज़ इस से कलाम किया तो अव्वल व दोम व चाहरूम में हानिस हुआ और तीसरी व पांचवीं क़सम में हानिस न हुआ इस वास्ते कि पांचवां रोज़ पहली क़सम का पांचवां दोर है और इस (बल्कि चहारूम में हानिस हुआ है) दोर में वो हानिस नहीं हुआ है पस अब हानिस होगा और दूसरी क़सम के तीसरे दोर का अव्वल रोज़ है और इस में (बल्कि तितिम्मा दोर दोम में हानिस हुआ है) भी वो हानिस नहीं हो चुका और चौथी क़सम के दोर दोम का पहला रोज़ है और इस में (बल्कि तितिम्मा दोर अव्वल में हानिस हुआ है) भी वो हानिस नहीं हो चुका है पस हानिस होगा पस और सात दिरहम इस पर लाज़िम आऐंगे कि मजमूआ कुल बाईस (22) दिरहम हुए और तीसरी व पांचवीं क़सम में इस वजह से हानिस न होगा कि तीसरी क़सम के दूसरे दोर का दूसरा रोज़ (दूसरे दोर में वो पहले भी हानिस हो चुका है) है कि जिस में वो हानिस हो चुका है औरपांचवीं क़सम के अव्वल दोर का तितिम्मा है और पांचवीं के अव्वल ही दोर में वो पहले हानिस हो चुका है लिहाज़ा अब दोबारह हानिस न होगा पस हासिल यह है कि तजदुद दोर व अदम तजदुद दोर का कुछ असर कलाम करने में बार अव्वल यूं नहीं है हत्ता कि अगर इस ने बाद इन क़समों के फ़लां मज़कूर से कलाम किया चाहे जिस रोज़ अपनी उम्र में कलाम करे

पहला है और वह बअयुना पांचवीं क़सम के दोर पहला का चौथा दिन है और इन दो (1) दिन में वह बिल्कुल पापी नहीं हुआ है और एक ही शर्त कई क़समों (दोर के साथ तकल्लुम) के लिए शर्त होने की सलाहियत रखती है। बस वह सब क़समों में (क्योंकि सब का दोर मौजूद है) पापी हुआ।

एक ही शर्त का कई क़सामों के लिए शर्त होना :

इस का ज़िम्मा बवजह क़सम पहला के एक दिरहम और बवजह दूसरी के दो दिरहम और बवजह तीसरी के तीन दिरहम और बवजह चौथी के चार दिरहम और बवजह पांचवीं के पांच दिरहम अनिवार्य हुए कि इन का मजमूआ पन्द्रह दिरहम हुए फिर जब पांचवें दिन इस से बात किया तो पहला व दोम व चाहरूम में पापी हुआ और तीसरी व पांचवीं क़सम में पापी न हुआ इस लिए कि पांचवां दिन पहली क़सम का पांचवां दोर है और इस (बल्कि चहारूम में पापी हुआ है) दोर में वह पापी नहीं हुआ है बस अब पापी होगा और दूसरी क़सम के तीसरे दोर का पहला दिन है और इस में (बल्कि तितिम्मा दोर दोम में पापी हुआ है) भी वह पापी नहीं हो चुका और चौथी क़सम के दोर दोम का पहला दिन है और इस में (बल्कि तितिम्मा दोर पहला में पापी हुआ है) भी वह पापी नहीं हो चुका है बस पापी होगा बस और सात दिरहम इस पर अनिवार्य आऐंगे कि मजमूआ कुल बाईस (22) दिरहम हुए और तीसरी व पांचवीं क़सम में इस कारण से पापी न होगा कि तीसरी क़सम के दूसरे दोर का दूसरा दिन (दूसरे दोर में वह पहले भी पापी हो चुका है) है कि जिस में वह पापी हो चुका है औरपांचवीं क़सम के पहला दोर का तितिम्मा है और पांचवीं के पहला ही दोर में वह पहले पापी हो चुका है लिहाज़ा अब दोबारह पापी न होगा बस हासिल यह है कि तजदुद दोर व अदम तजदुद दोर का कुछ असर बात करने में बार पहला यूं नहीं है हत्ता कि अगर इस ने बाद इन क़समों के फ़लां वर्णित से बात किया चाहे जिस दिन अपनी उम्र में बात करे इस पर पन्द्रह दिरहम अनिवार्य आऐंगे हां इस का असर बात

इस पर पन्द्रह दिरहम लाज़िम आऐंगे हां इस का असर कलाम करने में दूसरी बार में है हत्ता कि अगर इस से रोज़ अव्वल व रोज़ दोम कलाम किया तो अव्वल रोज़ के औज़ इस पर पन्द्रह दिरहम लाज़िम आऐंगे और दूसरी बार के औज़ फ़क़त एक ही दिरहम लाज़िम आयेगा इस वास्ते कि इस सूरत में पहली क़सम के सिवाए किसी क़सम का दोर जदीद नहीं हुआ है और अगर इस से रोज़ अव्वल और रोज़ सालिस में कलाम किया और दूसरे रोज़ कलाम नहीं किया या दूसरे और तीसरे रोज़ इस से कलाम किया तो अव्वल के वास्ते इस पर पन्द्रह दिरहम लाज़िम आऐंगे और दूसरे बार के औज़ फ़क़त तीन ही दिरहम लाज़िम आऐंगे इस वास्ते कि तजदुद फ़क़त क़सम अव्वल व दोम का हुआ है और यह सब इस वक्त है कि फ़लां मज़कूर को मुखातिब न किया हो और अगर फ़लां मज़कूर को मुखातिब करके कहा कि हर बार कि मैंने तुझ से कलाम कियसा तो वास्ते अल्लाह के मुझ पर वाजिब है कि एक दिरहम सदक़ा करूं और हर बार कि मैंने तुझ से कलाम किया तो अल्लाह के वास्ते मुझ पर वाजिब है कि दो दिरहम सदक़ा करूं इसी तरह पांच क़समें खाईं तो इस पर बीस दिरहम वाजिब होंगे इस वास्ते कि अव्वल क़सम की जज़ा एक दिरहम है और इस की शर्त यह है कि फ़लां के साथ कलाम करे पस जब दूसरी क़सम से इस के साथ कलाम किया तो हानिस हो गया और इस की जज़ा का एक दिरहम लाज़िम आया और नीज़ क़सम भी वेसी ही बाक़ी रही इस वास्ते कि लफ़्ज़ हर बार के साथ है और दूसरी क़सम मुनअक़िद हुई फिर जब तीसरी क़सम में इस को मुखातिब किया तो शर्त यानी कलाम करना इस के साथ पाया गया पस क़सम अव्वल की जज़ा का एक दिरहम और दूसरी के अजज़ा के दो दिरहम और इस पर वाजिब हुए और नीज़ दोनों क़समें भी वैसी ही बाक़ी रहीं और तीसरी क़सम मुनअक़िद हुई फिर जब चौथी क़सम में इस को मुखातिब किया तो पहली दूसरी व तीसरी में हानिस हुआ पस अजज़ा अव्वल का एक दिरहम और अजज़ा दोम के दो दिरहम और अजज़ा सोम के तीन दिरहम इस पर वाजिब हुए और यह सब क़समें भी वैसी ही बाक़ी रहीं और

करने में दूसरी बार में है हत्ता कि अगर इस से दिन पहला व दिन दोम बात किया तो पहला दिन के औज़ इस पर पन्द्रह दिरहम अनिवार्य आऐंगे और दूसरी बार के औज़ केवल एक ही दिरहम अनिवार्य आयेगा इस लिए कि इस स्थिति में पहली क़सम के सिवाए किसी क़सम का दोर जदीद नहीं हुआ है और अगर इस से दिन पहला और दिन सालिस में बात किया और दूसरे दिन बात नहीं किया या दूसरे और तीसरे दिन इस से बात किया तो पहला के लिए इस पर पन्द्रह दिरहम अनिवार्य आऐंगे और दूसरे बार के औज़ केवल तीन ही दिरहम अनिवार्य आऐंगे इस लिए कि तजदुद केवल क़सम पहला व दोम का हुआ है और यह सब इस समय है कि फ़लां वर्णित को मुखातिब न किया हो और अगर फ़लां वर्णित को मुखातिब करके कहा कि हर बार कि मैंने तुझ से बात कियसा तो लिए अल्लाह के मुझ पर अनिवार्य है कि एक दिरहम दान करूं और हर बार कि मैंने तुझ से बात किया तो अल्लाह के लिए मुझ पर अनिवार्य है कि दो दिरहम दान करूं इसी तरह पांच क़समें खाईं तो इस पर बीस दिरहम अनिवार्य होंगे इस लिए कि पहला क़सम की बदला एक दिरहम है और इस की शर्त यह है कि फ़लां के साथ बात करे बस जब दूसरी क़सम से इस के साथ बात किया तो पापी हो गया और इस की बदला का एक दिरहम अनिवार्य आया और नीज़ क़सम भी वेसी ही बाक़ी रही इस लिए कि लफ़्ज़ हर बार के साथ है और दूसरी क़सम मुनअक़िद हुई फिर जब तीसरी क़सम में इस को मुखातिब किया तो शर्त यानी बात करना इस के साथ पाया गया बस क़सम पहला की बदला का एक दिरहम और दूसरी के अजज़ा के दो दिरहम और इस पर अनिवार्य हुए और नीज़ दोनों क़समें भी वैसी ही बाक़ी रहीं और तीसरी क़सम मुनअक़िद हुई फिर जब चौथी क़सम में इस को मुखातिब किया तो पहली दूसरी व तीसरी में पापी हुआ बस अजज़ा पहला का एक दिरहम और अजज़ा दोम के दो दिरहम और अजज़ा सोम के तीन दिरहम इस पर अनिवार्य हुए और यह सब क़समें भी वैसी ही बाक़ी रहीं और चौथी क़सम मुनअक़िद हुई फिर जब पांचवीं

चौथी क़सम मुनअक़िद हुई फिर जब पांचवीं

(1) पहले इस से कभी हानिस नहीं हो चुका ताकि अब दोबारह हानिस न हो बदीं वजह कि लफ्ज+ हर से तकरार लाज़िम नहीं है।

क़सम में इस को मुख़ातिब किया तो अगली सब क़समें मुख़ल हुईं पस अव्वल की जज़ा का एक दिरहम और जज़ा दोम के दो दिरहम और अजज़ा सौम के तीन दिरहम और अजज़ा चहारूम के चार दिरहम इस पर वाजिब हुए और क़समें भी वैसी ही हैं और पांचवीं क़सम मुनअक़िद हुई पस इन सब का मजमूआ बीस (20) दिरहम हुए और पांचवीं में हुनूज़ हानिस नहीं हुआ है क्योंकि शर्त यानी कलाम करना अभी नहीं पाया गया है हत्ता कि अगर बाद पांचवीं क़सम के भी इस ने कलाम किया तो इन सब में हानिस होगा पस मजमूआ (25) दिरहम इस पर वाजिब होंगे। अगर यूं कहा कि हर रोज़ कि मैंने तुझ से कलाम किया तो अल्लाह के वास्ते मुझ पर वाजिब है कि एक दिरहम सदक़ा करूं इसी तरह पांच क़समें खाईं फिर सुकूत किया तो इस पर दस दिरहम वाजिब होंगे फिर अगर दूसरे रोज़ इस से कलाम किया तो और छः 6 दिरहम वाजिब होंगे और अगर फ़क़त तीसरे रोज़ कलाम किया हो तो फ़क़त तीन दिरहम वाजिब होंगे और अगर लफ़्ज़ तीन दिरहम वाजिब होंगे और अगर फ़क़त चौथे रोज़ कलाम किया तो इस पर चार दिरहम वाजिब होंगे और अगर पांचवें रोज़ कलाम किया तो सात दिरहम इस पर वाजिब होंगे और अगर बाद क़समों के अव्वल रोज़ कलाम किया तो इस पर फ़क़त पांच (1) दिरहम बवजह पांचवीं क़सम के वाजिब होंगे यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है।

बाबः 7

तलाक़ व इताक़ की अक़साम के बयान में

अगर कहा कि अव्वल ग़ुलाम कि मैं इस को ख़रीदूं तो वो आज़ाद है तो अव्वल वो होगा जो अकेला तन्हा ख़रीदे कि इस से पहले कोई दूसरा न हो पस अगर इस ने बाद अपनी क़सम के एक ग़ुलाम ख़रीदा तो वो

(1)पहले इस से कभी पापी नहीं हो चुका ताकि अब दोबारह पापी न हो इस कारण कि लफ्ज+ हर से तकरार अनिवार्य नहीं है।

क़सम में इस को मुख़ातिब किया तो अगली सब क़समें मुख़ल हुईं बस पहला की बदला का एक दिरहम और बदला दोम के दो दिरहम और अजज़ा सौम के तीन दिरहम और अजज़ा चहारूम के चार दिरहम इस पर अनिवार्य हुए और क़समें भी वैसी ही हैं और पांचवीं क़सम मुनअक़िद हुई बस इन सब का मजमूआ बीस (20) दिरहम हुए और पांचवीं में हुनूज़ पापी नहीं हुआ है क्योंकि शर्त यानी बात करना अभी नहीं पाया गया है हत्ता कि अगर बाद पांचवीं क़सम के भी इस ने बात किया तो इन सब में पापी होगा बस मजमूआ (25) दिरहम इस पर अनिवार्य होंगे। अगर यूं कहा कि हर दिन कि मैंने तुझ से बात किया तो अल्लाह के लिए मुझ पर अनिवार्य है कि एक दिरहम दान करूं इसी तरह पांच क़समें खाईं फिर सुकूत किया तो इस पर दस दिरहम अनिवार्य होंगे फिर अगर दूसरे दिन इस से बात किया तो और छः 6 दिरहम अनिवार्य होंगे और अगर केवल तीसरे दिन बात किया हो तो केवल तीन दिरहम अनिवार्य होंगे और अगर लफ़्ज़ तीन दिरहम अनिवार्य होंगे और अगर केवल चौथे दिन बात किया तो इस पर चार दिरहम अनिवार्य होंगे और अगर पांचवें दिन बात किया तो सात दिरहम इस पर अनिवार्य होंगे और अगर बाद क़समों के पहला दिन बात किया तो इस पर केवल पांच (1) दिरहम बवजह पांचवीं क़सम के अनिवार्य होंगे यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है।

अध्याय 7

तलाक़ व इताक़ की अक़साम के बयान में

अगर कहा कि पहला ग़ुलाम कि मैं इस को ख़रीदूं तो वह आज़ाद है तो पहला वह होगा जो अकेला तन्हा ख़रीदे कि इस से पहले कोई दूसरा न हो बस अगर इस ने बाद अपनी क़सम के एक ग़ुलाम ख़रीदा तो वह आज़ाद होगा और अगर एक ग़ुलाम पूरा और आधा ग़ुलाम ख़रीदा तो पूरा ग़ुलाम आज़ाद होगा और अगर वो

आज़ाद होगा और अगर एक ग़ुलाम पूरा और निस्फ़ ग़ुलाम खरीदा तो पूरा ग़ुलाम आज़ाद होगा और अगर दो ग़ुलाम खरीदे तो कोई आज़ाद न होगा फिर इन के बाद भी हो कोई खरीदेगा वो भी आज़ादाना होगा और अगर कहा कि आखिर ग़ुलाम जिस को मैं खरीदूं वो आज़ाद है तो आखिर वो है जो अके हो कि दूसरे से बऐतबार ज़माना के पीछे हो और इस का सुबूत जब ही होगा कि जब हालिफ़ मर जाये पस अगर इस ने कई ग़ुलाम खरीदे फिर मर गया तो जिस को सब से अखीर में खरीदा है वो आज़ाद होगा फिर इस में इख़्तलाफ़ है कि यह अखीर का ग़ुलाम किस वक्त से आज़ाद क़रार दिया जायेगा सो इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि इसी वक्त से कि जब खरीदा है हता कि इस का आज़ाद होना इस के तरका के तमाम माल से ऐतबार होगा यानी (2) ज़रूर कल बिला सआयत आज़ाद हो जायेगा बशर्तेकि इस ने हालत सेहत में खरीदा हो और अगर कहा कि दरमियानी ग़ुलाम जिस को मैं खरीदूं वो आज़ाद है तो दरमियानी वो है जो ऐसा तन्हा हो कि इस के दोनों तरफ़ अदद मुावी हों और यह भी बदूं हालिफ़ के मरने के मालूम नहीं हो सकता है पस हम कहते हैं कि जब हालिफ़ मरा तो देखा जाये कि अगर इस ने ज़ुफ़त अदद के ग़ुलाम छोड़े तो इन में कोई दरमियानी न होना और अगर पांच या सात वग़ैरह ताक़ अदद छोड़े तो दोनों तरफ़ मुसावी अदद ज़ुफ़त के दरमियान जो एक तन्हा होगा वही औसत है और जो इन में से निस्फ़ अव्वल में आ गया वो दरमिनी होने से खारिज हो गया यह अलज़ाह में है।

क़ालल मुतरजम यानी बावजूद सात में चौथा दरमियानी है लेकिन अगर इस को मौला ने तन्हा न खरीदा हो बल्कि तीसरे के साथ खरीदा हो तो यह निस्फ़ अव्वल में चला गया पस दरमियानी न रहा पस हासिल यह रहा कि हालिफ़ के मरने पर ताक़ अदद के बावजूद तरतीब खरीद में भी जो दरमियानी पड़ता है वो तन्हा खरीदा गया हो

(1) क़ालल मुतरजमयह मुराद नहीं है कि फ़क़तयही पांच दिरहम कुल वाजिब होंगे बल्कियह मुराद है कि दोनों क़समों में तो दस दिरहम लाज़िम हु हैं इस के बाद फिर जब कलाम करे इस के मुवाफ़िक+ इस पर और वाजिब होंगे।

ग़ुलाम खरीदे तो कोई आज़ाद न होगा फिर इन के बाद भी हो कोई खरीदेगा वह भी आज़ादाना होगा और अगर कहा कि आखिर ग़ुलाम जिस को मैं खरीदूं वह आज़ाद है तो आखिर वह है जो अके हो कि दूसरे से बऐतबार ज़माना के पीछे हो और इस का सुबूत जब ही होगा कि जब शपथकर्ता मर जाये बस अगर इस ने कई ग़ुलाम खरीदे फिर मर गया तो जिस को सब से अखीर में खरीदा है वह आज़ाद होगा फिर इस में मतभेद है कि यह अखीर का ग़ुलाम किस समय से आज़ाद क़रार दिया जायेगा सो इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि इसी समय से कि जब खरीदा है हता कि इस का आज़ाद होगा इस के तरका के तमाम माल से ऐतबार होगा यानी (2) ज़रूर कल बिला कमा कर क़ीमत देने की कोशिश आज़ाद हो जायेगा बशर्तेकि इस ने हालत सेहत में खरीदा हो और अगर कहा कि बीची ग़ुलाम जिस को मैं खरीदूं वह आज़ाद है तो बीची वह है जो ऐसा तन्हा हो कि इस के दोनों तरफ़ अदद मुावी हों और यह भी बदूं शपथकर्ता के मरने के मालूम नहीं हो सकता है बस हम कहते हैं कि जब शपथकर्ता मरा तो देखा जाये कि अगर इस ने ज़ुफ़त अदद के ग़ुलाम छोड़े तो इन में कोई बीची न होगा और अगर पांच या सात वग़ैरह ताक़ अदद छोड़े तो दोनों तरफ़ मुसावी अदद ज़ुफ़त के बीच जो एक तन्हा होगा वही औसत है और जो इन में से आधा पहला में आ गया वह दरमिनी होने से खारिज हो गया यह अलज़ाह में है।

अनुवादक के कथनानुसार यानी बावजूद सात में चौथा बीची है लेकिन अगर इस को मालिक ने तन्हा न खरीदा हो बल्कि तीसरे के साथ खरीदा हो तो यह आधा पहला में चला गया बस बीची न रहा बस हासिल यह रहा कि शपथकर्ता के मरने पर ताक़ अदद के बावजूद तरतीब खरीद में भी जो बीची पड़ता है वह तन्हा खरीदा गया हो

(1)अनुवादक के कथनानुसारयह तात्पर्य नहीं है कि केवलयही पांच दिरहम कुल अनिवार्य होंगे बल्कियह तात्पर्य है कि दोनों क़समों में तो दस दिरहम अनिवार्य हु हैं इस के बाद फिर जब बात करे इस के मुवाफ़िक+ इस पर और अनिवार्य होंगे।

(2)क्योंकि जिस काऐतबार तिहाई से होता है वह कभी तिहाई से

(2)क्योंकि जिस काऐतबार तिहाई से होता है वो कभी तिहाई से बर आमद नहीं होता है लिहाज़ा बदूं सआयत आज़ाद नहीं होता है और जो कुल माल से मोअतबर है वो बमन्ज़िला अदम माल तरका के है।

فافهم فانه توضیح اجمال الایضاح بما لا مزید علیه ان
كنت غير منصرف عن باب لطف القريحه متجرداً للتدبر और

अगर कहा कि अव्वल ग़ुलाम कि मैं इस का मालिक हूं दर हाल यह कि वो मुन्फ़रद हो या कहा कि अव्वल ग़ुलाम कि मैं इस को खरीदूं दर हाल यह कि वो मुन्फ़रद हो तो वो आज़ाद है फिर वो दो ग़ुलाम का मालिक हुआ फिर अकेले एक ग़ुलाम का मालिक हुआ तो तीसरा आज़ाद होगा और अगर इस ने कहा कि अव्वल ग़ुलाम कि इस का मालिक हूं दर हाल यह कि वो अकेला हो तो तीसरा आज़ाद न होगा (1) इल्ला इस सूरत में कि इस ने अकेले से मुनफ़र्द दर मुल्क मुराद लिया हो यह काफ़ी में है। अगर कहा कि अव्वल ग़ुलाम कि इस को बऔज़ दीनारों के खरीदूं तो वो आज़ाद है पस इस ने एक ग़ुलाम बऔज़ दिरहमों के या किसी असबाब के खरीदा फिर एक ग़ुलाम बऔज़ दीनारों के खरीदा तो यह आज़ाद होगा और इसी तरह अगर कहा कि अव्वल ग़ुलाम कि इस को खरीदूं दर हाल यह कि हबशी हो तो वो आज़ाद है फिर इस ने चन्द ग़ुलाम गोरे रंग के खरीदे फिर एक हबशी खरीदा तो वो आज़ाद होगा यह बहर उल राइक़ में है।

ज़ैद ने क़सम खाई कि अगर इस दार में दाखिल हों तो मेरी बीवी तालिक़ा है और मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर क़सम खाई कि तलाक़ न दूंगा और आज़ाद न करूंगा फिर वो दार में दाखिल हुआ तो इस की बीवी तालिक़ा होगी और ग़ुलाम आज़ाद होगाः

अगर कहा कि हर ग़ुलाम जिस ने मुझे फ़लाना औरत के जने की बशारत दी वो आज़ाद है पस इस को आगे पीछे तीन ग़ुलामों ने इस के जनने की बशारत दी तो अव्वल आज़ाद होगा बखिलाफ़ इस के अगर सब ने साथ ही इस को यह ख़ुशखबरी सुनाई तो सब आज़ाद

बर आमद नहीं होता है लिहाज़ा बदूं कमा कर क़ीमत देने की कोशिश आज़ाद नहीं होता है और जो कुल माल से मोअतबर है वह बमन्ज़िला अदम माल तरका के है।

فافهم فانه توضیح اجمال الایضاح بما لا مزید علیه ان
كنت غير منصرف عن باب لطف القريحه متجرداً للتدبر और

अगर कहा कि पहला ग़ुलाम कि मैं इस का मालिक हूं दर हाल यह कि वह मुन्फ़रद हो या कहा कि पहला ग़ुलाम कि मैं इस को खरीदूं दर हाल यह कि वह मुन्फ़रद हो तो वह आज़ाद है फिर वह दो ग़ुलाम का मालिक हुआ फिर अकेले एक ग़ुलाम का मालिक हुआ तो तीसरा आज़ाद होगा और अगर इस ने कहा कि पहला ग़ुलाम कि इस का मालिक हूं दर हाल यह कि वह अकेला हो तो तीसरा आज़ाद न होगा (1) सिवा इस स्थिति में कि इस ने अकेले से मुनफ़र्द दर मुल्क तात्पर्य लिया हो यह काफ़ी में है। अगर कहा कि पहला ग़ुलाम कि इस को बऔज़ दीनारों के खरीदूं तो वह आज़ाद है बस इस ने एक ग़ुलाम बऔज़ दिरहमों के या किसी असबाब के खरीदा फिर एक ग़ुलाम बऔज़ दीनारों के खरीदा तो यह आज़ाद होगा और इसी तरह अगर कहा कि पहला ग़ुलाम कि इस को खरीदूं दर हाल यह कि हबशी हो तो वह आज़ाद है फिर इस ने चन्द ग़ुलाम गोरे रंग के खरीदे फिर एक हबशी खरीदा तो वह आज़ाद होगा यह बहर उल राइक़ में है।

ज़ैद ने क़सम खाई कि अगर इस घर में प्रवेश हों तो मेरी बीवी तालिक़ा है और मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर क़सम खाई कि तलाक़ न दूंगा और आज़ाद न करूंगा फिर वह घर में प्रवेश हुआ तो इस की बीवी तालिक़ा होगी और ग़ुलाम आज़ाद होगाः

अगर कहा कि हर ग़ुलाम जिस ने मुझे फ़लाना औरत के जने की बशारत दी वह आज़ाद है बस इस को आगे पीछे तीन ग़ुलामों ने इस के जनने की बशारत दी तो पहला आज़ाद होगा बखिलाफ़ इस के अगर सब ने साथ ही इस को यह ख़ुशखबरी सुनाई तो सब आज़ाद होंगे हाकिम शहीद रह० ने फ़रमाया कि अगर इस ने

होंगे हाकिम शहीद रह० ने फ़रमाया कि अगर इस ने कहा कि मैंने एक को मुराद लिया था तो क़ज़ाअन उस के क़ौल की तसदीक़ न की जायेगी और 'फ़ीमा बैयनल्लाहि तआला' इस को गुंजाइश है किइन में से एक जिस की चाहे आज़ाद होने के वास्ते इख़्तयार करे और बाक़ियों को अपनी मिल्क में रखे यह ग़ायत उल बयान में है। अगर ज़ैद ने क़सम खाई कि अगर इस दार में दाखिल हों तो मेरी बीवी तालिक़ा है और मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर क़सम खाई कि तलाक़ न दूंगा औनर आज़ाद न करूंगा फिर वो दार में दाखिल हुआ तो इस की बीवी तालिक़ा होगी और ग़ुलाम आज़ाद होगा और वो दूसरी क़सम में हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि तलाक़ न दूंगा और आज़ाद न करूंगा फिर क़सम खाई कि अगर दार में दाखिल हों तो मेरी बीवी तालिक़ा और ग़ुलाम आज़ाद है फिर वो दार मज़कूर में दाखिल हुआ तो दोनों क़समों में हानिस हुआ। अगर अपनी बीवी से कहा कि तू अपने नफ़्स को तलाक़ दे या ग़ुलाम से कहा कि तू अपने नफ़्स को आज़ाद कर दे या किसी आदमी को इस काम के वास्ते वकील किया फिर क़सम खाई कि तलाक़ न दूंगा या आज़ाद न करूंगा फिर बीवी व ग़ुलाम व वकील ने वो काम किया तो यह शख़्स हानिस हुआ और अगर कहा कि तू तालिक़ा है अगर तू चाहे या तू आज़ाद है अगर तू चाहे फिर क़सम खाई कि मैं आज़ाद न करूंगा या तलाक़ न दूंगा फिर इस की बीवी और इस के ग़ुलाम ने तलाक़ व इतक़ चाही तो यह हानिस न होगा यह काफ़ी में है।

एक ने क़सम खाई कि तज़व्वुज न करूंगा या तलाक़ न दूंगा या आज़ाद न करूंगा फिर इस काम के वास्ते किसी को वकील कर दियातो वकील के करने से यह हानिस होगा और अगर इस ने कहा कि मेरी मुराद यह थी कि अपनी ज़बान से ऐसा न करूंगा तो फ़क़त क़ज़ाअन इस की तसदीक़ न होगी। यह हिदाया में है। अगर कहा कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैं इस दार में दाखिल हुआ पस दूसरे से भी कहा कि मुझ पर इस के मिस्ल है अगर मैं इस दार में दाखिल हूं फिर दूसरा इस दार में दाखिल हुआ तो इस का ग़ुलाम आज़ाद न होगा

कहा कि मैंने एक को तात्पर्य लिया था तो न्यायिक उस के कथन की पुष्टि न की जायेगी और 'फ़ीमा बैयनल्लाहि तआला' इस को गुंजाइश है किइन में से एक जिस की चाहे आज़ाद होने के लिए अपनाए और बाक़ियों को अपनी मिल्क में रखे यह ग़ायत उल बयान में है। अगर ज़ैद ने क़सम खाई कि अगर इस घर में प्रवेश हों तो मेरी बीवी तालिक़ा है और मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर क़सम खाई कि तलाक़ न दूंगा औनर आज़ाद न करूंगा फिर वह घर में प्रवेश हुआ तो इस की बीवी तालिक़ा होगी और ग़ुलाम आज़ाद होगा और वह दूसरी क़सम में पापी होगा और अगर क़सम खाई कि तलाक़ न दूंगा और आज़ाद न करूंगा फिर क़सम खाई कि अगर घर में प्रवेश हों तो मेरी बीवी तालिक़ा और ग़ुलाम आज़ाद है फिर वह घर वर्णित में प्रवेश हुआ तो दोनों क़समों में पापी हुआ। अगर अपनी बीवी से कहा कि तू अपने नफ़्स को तलाक़ दे या ग़ुलाम से कहा कि तू अपने नफ़्स को आज़ाद कर दे या किसी आदमी को इस काम के लिए वकील किया फिर क़सम खाई कि तलाक़ न दूंगा या आज़ाद न करूंगा फिर बीवी व ग़ुलाम व वकील ने वह काम किया तो यह व्यक्ति पापी हुआ और अगर कहा कि तू तालिक़ा है अगर तू चाहे या तू आज़ाद है अगर तू चाहे फिर क़सम खाई कि मैं आज़ाद न करूंगा या तलाक़ न दूंगा फिर इस की बीवी और इस के ग़ुलाम ने तलाक़ व इतक़ चाही तो यह पापी न होगा यह काफ़ी में है।

एक ने क़सम खाई कि तज़व्वुज न करूंगा या तलाक़ न दूंगा या आज़ाद न करूंगा फिर इस काम के लिए किसी को वकील कर दियातो वकील के करने से यह पापी होगा और अगर इस ने कहा कि मेरी तात्पर्य यह थी कि अपनी ज़बान से ऐसा न करूंगा तो केवल न्यायिक इस की पुष्टि न होगी। यह हिदाया में है। अगर कहा कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैं इस घर में प्रवेश हुआ बस दूसरे से भी कहा कि मुझ पर इस के मिस्ल है अगर मैं इस घर में प्रवेश हूं फिर दूसरा इस घर में प्रवेश हुआ तो इस का ग़ुलाम आज़ाद न होगा और अगर पहला ने यूं कहा कि अल्लाह के लिए मुझ पर एक ग़ुलाम

और अगर अव्वल ने यूं कहा कि अल्लाह के वास्ते मुझ पर एक ग़ुलाम आज़ाद करना वाजिब है अगर मैं इस दार में दाखिल हों फिर दूसरे ने कहा कि पस मुझ पर इस के मिस्ल है अगर मैं इस में दाखिल हों तो यह क़सम अव्वल व दोम दोनों पर लाज़िम आयेगी यह ईज़ाह में है और अगर कहा कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर इस बैत में हो इल्ला एक मर्द फिर देखा तो बैत मज़कूर में एक मर्द और एक लड़का निकला या एक मर्द और एक औरत थी तो क़सम खाने वाला हानिस हो गया और अगर बैत मज़कूर में एक मर्द और एक जानवर चौपाया हो या असबाब हो तो हानिस न होगा। अगर कहा कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर बैत में हो इल्ला एक बकरी फिर

(1)क्योंकि वो इस की मिल्क वखरीद में नहीं है बल्कि दो और मौजूद हैं।

देखा इस में कोई और चौपाया यह निकला बकरी न थी तो हानिस हो गया और अगर कहा कि अगर बैत में हो इल्ला एक कपड़ा फिर इस में कोई आदमी या चौपाया या ज़रूफ़ निकले तो हानिस होगा यह काफ़ी में है। अगर कहा कि कुल ममलूक मेरे आज़ाद हैं तो इस की उम्म वालिदैन व मुदब्बर बान्दियां व ग़ुलाम व महज़ ग़ुलाम व बान्दियां सब आज़ाद हो जाऐंगी यानी बान्दियां व ग़ुलाम सब कोशामिल होगा लेकिन अगर इस ने खाली मज़कूरों की नियत की हो तो दयानतन इस की तसदीक़ होगी मगर क़ज़ाअन तसदीक़ न होगी और अगर खाली हबशियों की नियत की होती क़ज़ाअन व दयानतन किसी तरह तसदीक़ न होगी और अगर खाली मौन्निसों (1) की नियत की हो तो भी क़ज़ाअन व दयानतन किसी तरह तसदीक़ न होगी और अगर इस ने कहा कि मैंने मुदब्बरों की नियत नहीं की थी तो एक रिवायत में दयानतन तसदीक़ होगी न क़ज़ाअन और दूसरी रिवायत में किसी तरह तसदीक़ न होगी यह फ़तहुल क़दीर में है।

जिस ममलूक में से थोड़े हिस्सा का मालिक है वो हक़ीक़तन इस का ममलूक नहीं करता :

इस क़सम के तहत में इस के ऐसे ममलूक भी

आज़ाद करना अनिवार्य है अगर मैं इस घर में प्रवेश हों फिर दूसरे ने कहा कि बस मुझ पर इस के मिस्ल है अगर मैं इस में प्रवेश हों तो यह क़सम पहला व दोम दोनों पर अनिवार्य आयेगी यह ईज़ाह में है और अगर कहा कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर इस घर में हो सिवा एक मर्द फिर देखा तो घर वर्णित में एक मर्द और एक लड़का निकला या एक मर्द और एक औरत थी तो क़सम खाने वाला पापी हो गया और अगर घर वर्णित में एक मर्द और एक जानवर चौपाया हो या असबाब हो तो पापी न होगा। अगर कहा कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर घर में हो सिवा एक बकरी फिर

(1)क्योंकि वह इस की मिल्क वखरीद में नहीं है बल्कि दो और मौजूद हैं।

देखा इस में कोई और चौपाया यह निकला बकरी न थी तो पापी हो गया और अगर कहा कि अगर घर में हो सिवा एक कपड़ा फिर इस में कोई आदमी या चौपाया या ज़रूफ़ निकले तो पापी होगा यह काफ़ी में है। अगर कहा कि कुल ममलूक मेरे आज़ाद हैं तो इस की उम्म वालिदैन व मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त बान्दियां व ग़ुलाम व महज़ ग़ुलाम व बान्दियां सब आज़ाद हो जाऐंगी यानी बान्दियां व ग़ुलाम सब कोशामिल होगा लेकिन अगर इस ने खाली वर्णितों की इरादा की हो तो दयानतन इस की पुष्टि होगी मगर न्यायिक पुष्टि न होगी और अगर खाली हबशियों की इरादा की होती न्यायिक व दयानतन किसी तरह पुष्टि न होगी और अगर खाली मौन्निसों (1) की इरादा की हो तो भी न्यायिक व दयानतन किसी तरह पुष्टि न होगी और अगर इस ने कहा कि मैंने मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्तों की इरादा नहीं की थी तो एक रिवायत में दयानतन पुष्टि होगी न न्यायिक और दूसरी रिवायत में किसी तरह पुष्टि न होगी यह फ़तहुल क़दीर में है।

जिस ग़ुलामों में से थोड़े हिस्सा का मालिक है वह वास्तव में इस का ममलूक नहीं करता :

इस क़सम के तहत में इस के ऐसे ममलूक भी

दाखिल होंगे जो रहन हों या किसी के पास वदीअत हों या भाग गये हों या जिन को किसी ने ग़सब कर लिया हो ख़्वाह एक हो या कई हों ख़्वाह मुसलमान हों या काफ़िर हों लेकिन इस क़सम में मकातब दाखिल न होंगे इल्ला आँकि इन की नियत की हो पस अगर मकातबों की नियत की हो तो वो भी आज़ाद हो जाऐंगे और इसी तरह इस क़सम में वो ममलूक भी दाखिल न होगा जिस में से कुछ आज़ाद हुआ है और जिस ग़ुलाम को इस ने तिजारत की इजाज़त दी हो वो दाखिल होगा ख़्वाह इस पर क़र्ज़ा हो या न हो और रहे इस के ग़ुलाम मपाज़ून के ग़ुलाम दर सूरत यह कि इस के ग़ुलाम माज़ून पर कर्ज़ा न हो आया दाखिल होंगे या नहीं सिवा इमाम आज़म व इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि अगर इन की नियत हो तो दाखिल होंगे और आज़ाद हो जाऐंगे और जो ममलूक मुशतरिक हो यानी इस के और दूसरे के दरमियान मुशतरिक हो वो दाखिल न होगा ऐसा ही इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया है इस वास्ते कि जिस ममलूक में से थोड़े हिस्से का मालिक है वो हक़ीक़तन इस का ममलूक नहीं कहलाता है और अगर इस की भी नियत की हो तो इस्तहसानन आज़ाद होगा और रहा यह कि इस में हमल दाखिल होगा या नहीं पस अगर हमल की मां इस की मिल्क में हो तो दाखिल होगा और अपनी मां के आज़ाद होने के साथ वो भी आज़ाद हो जायेगा और अगर इस की मिल्क में खाली हमल हो इस की मां न हो मसलन किसी ने अपने मरते वक्त इस के वास्ते अपनी बान्दी के हमल की वसियत की हो तो ऐसा आज़ाद न होगा यह बदाऐ में है।

एक ने क़सम खाई कि अपने ग़ुलाम को मकातब न करूंगा फिर किसी अजनबी ने इस के ग़ुलाम को बदूं इस के हुक्म के मकातब कर दिया फिर इस ने मकातब करने को जाइज़ रखा और इजाज़त दे दी तो हानिस हो गया पस अगर मर्द मज़कूर ने बाद क़सम खाने के इस को मकातब किया हो तो हानिस हुआ और अगर क़ब्ल क़सम के मकातब किया था तो हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर क़सम खाई कि मैं किसी जारिया (वती) को अपने तसर्रूफ़ वती में लाया तो वो

प्रवेश होंगे जो रहन हों या किसी के पास वदीअत हों या भाग गये हों या जिन को किसी ने ग़सब कर लिया हो चाहे एक हो या कई हों चाहे मुसलमान हों या काफ़िर हों लेकिन इस क़सम में मकातब प्रवेश न होंगे सिवा आँकि इन की इरादा की हो बस अगर मकातबों की इरादा की हो तो वह भी आज़ाद हो जाऐंगे और इसी तरह इस क़सम में वह ममलूक भी दाखिल न होगा जिस में से कुछ आज़ाद हुआ है और जिस ग़ुलाम को इस ने तिजारत की इजाज़त दी हो वह प्रवेश होगा चाहे इस पर क़र्ज़ा हो या न हो और रहे इस के ग़ुलाम मपाज़ून के ग़ुलाम दर स्थिति यह कि इस के ग़ुलाम माज़ून पर क़रज़ा न हो आया प्रवेश होंगे या नहीं सिवा इमाम आज़म व इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि अगर इन की इरादा हो तो प्रवेश होंगे और आज़ाद हो जाऐंगे और जो ममलूक साझा हो यानी इस के और दूसरे के बीच साझा हो वह प्रवेश न होगा ऐसा ही इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया है इस लिए कि जिस ममलूक में से थोड़े हिस्से का मालिक है वह वास्तव में इस का ममलूक नहीं कहलाता है और अगर इस की भी इरादा की हो तो इस्तहसानन आज़ाद होगा और रहा यह कि इस में हमल प्रवेश होगा या नहीं बस अगर हमल की मां इस की मिल्क में हो तो प्रवेश होगा और अपनी मां के आज़ाद होगे के साथ वह भी आज़ाद हो जायेगा और अगर इस की मिल्क में खाली हमल हो इस की मां न हो मसलन किसी ने अपने मरते समय इस के लिए अपनी बान्दी के हमल की वसियत की हो तो ऐसा आज़ाद न होगा यह बदाऐ में है।

एक ने क़सम खाई कि अपने ग़ुलाम को मकातब न करूंगा फिर किसी अजनबी ने इस के ग़ुलाम को बदूं इस के आदेश के मकातब कर दिया फिर इस ने मकातब करने को जाइज़ रखा और इजाज़त दे दी तो पापी हो गया बस अगर मर्द वर्णित ने बाद क़सम खाने के इस को मकातब किया हो तो पापी हुआ और अगर क़ब्ल क़सम के मकातब किया था तो पापी न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर क़सम खाई कि मैं किसी जारिया (संभोग) को अपने तसर्रूफ़ संभोग में लाया तो वह

आज़ाद है फिर ऐसी बान्दी को अपने तसर्रूफ़ वती में लाया जो इस की मिल्क में मौजूद थी तो वो आज़ाद होगी और अगर किसी बान्दी को खरीद कर इस को इस तरह तसर्रूफ़ में लाया तो आज़ाद न होगी यह हिदाया में है। अगर कहा कि अगर मैं इस यानी किसी बान्दी को अपने तसर्रूफ़ (वती) में लायसा तो तू तालिक़ा है या मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर किसी बान्दी को जो इस की मिल्क में है या जिस को बाद क़सम के खरीदा है अपने तसर्रूफ़ वती में लाया तो औरत यानी इस की बीवी पर तलाक़ पड़ जायेगी और इस का ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा। अगर किसी (दूसरे शख़्स की) बान्दी से कहा कि अगर मैंने तुझे अपने तसर्रूफ़ वती में कर लिया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस को खरीद कर तसर्रूफ़ वती में कर लिया तो इस का वो ग़ुलाम आज़ाद होगा जो क़सम के वक़्त इस की मिल्क था और जिस को बाद क़सम के खरीदा है वो आज़ाद न होगा यह बहर उल राइक़ में है और अगर अपनी बान्दी से कहा कि जब तुझ को फ़लां ने फ़रोख़्त किया तो तू आज़ाद है फिर इस को फ़लां मज़कूर के हाथ फ़रोख़्त किया फिर फ़लां से खरीद किया तो आज़ाद न होगी इस वास्ते कि शर्त यह है कि फ़लां इस को फ़रोख़्त करे और फ़लां का इस को फ़रोख़्त कर देना इस की ज़वाल मिल्क का सबब है और हालिफ़ की मिल्क हासिल होना अपने खरीदने से है और न फ़लां की बैअ से और अगर कहा कि अगर तुझ को फ़लां ने मुझे हुबा किया तो तू आज़ाद है फिर फ़लां ने अपने क़बज़ा की हालत में इस को हुबा कर दी और इस ने क़बज़ा किया तो आज़ाद होगी इसी तरह अगर कहा कि जब फ़लां ने तुझ को मेरे हाथ फ़रोख़्त किया तो तू आज़ाद है तो इस सूरत में यही हुक्म है यह मबसूत में है।

एक ने अपनी बीवी से कहा कि अगर तूने अपने नफ़्स को तलाक़ न दी तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया इसी मज्लिस पर है:

ज़ैद ने उमर से कहा कि अगर मैंने तेरे पस बुलाने

आज़ाद है फिर ऐसी बान्दी को अपने तसर्रूफ़ संभोग में लाया जो इस की मिल्क में मौजूद थी तो वह आज़ाद होगी और अगर किसी बान्दी को खरीद कर इस को इस तरह तसर्रूफ़ में लाया तो आज़ाद न होगी यह हिदाया में है। अगर कहा कि अगर मैं इस यानी किसी बान्दी को अपने तसर्रूफ़ (संभोग) में लायसा तो तू तालिक़ा है या मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर किसी बान्दी को जो इस की मिल्क में है या जिस को बाद क़सम के खरीदा है अपने तसर्रूफ़ संभोग में लाया तो औरत यानी इस की बीवी पर तलाक़ पड़ जायेगी और इस का ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा। अगर किसी (दूसरे व्यक्ति की) बान्दी से कहा कि अगर मैंने तुझे अपने तसर्रूफ़ संभोग में कर लिया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस को खरीद कर तसर्रूफ़ संभोग में कर लिया तो इस का वह ग़ुलाम आज़ाद होगा जो क़सम के समय इस की मिल्क था और जिस को बाद क़सम के खरीदा है वह आज़ाद न होगा यह बहर उल राइक़ में है और अगर अपनी बान्दी से कहा कि जब तुझ को फ़लां ने फ़रोख़्त किया तो तू आज़ाद है फिर इस को फ़लां वर्णित के हाथ फ़रोख़्त किया फिर फ़लां से खरीद किया तो आज़ाद न होगी इस लिए कि शर्त यह है कि फ़लां इस को फ़रोख़्त करे और फ़लां का इस को बेच देना इस की मिल्कियत के पतन का कारण है और शपथकर्ता की मिल्क हासिल होना अपने खरीदने से है और न फ़लां की विक्रय से और अगर कहा कि अगर तुझ को फ़लां ने मुझे हुबा किया तो तू आज़ाद है फिर फ़लां ने अपने क़बज़ा की हालत में इस को हुबा कर दी और इस ने क़बज़ा किया तो आज़ाद होगी इसी तरह अगर कहा कि जब फ़लां ने तुझ को मेरे हाथ फ़रोख़्त किया तो तू आज़ाद है तो इस स्थिति में यही आदेश है यह मबसूत में है।

एक ने अपनी बीवी से कहा कि अगर तूने अपने नफ़्स को तलाक़ न दी तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने कहा इसी मज्लिस पर है:

ज़ैद ने उमर से कहा कि अगर मैंने तेरे बस बुलाने

को भेजा पस तू न आया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर ज़ैद ने उमर को आदमी भेज कर बुलाया और वो ख़ुद चला आया फिर दूसरे रोज़ आदमी भेज कर बुलाया और वो न आया तो ज़ैद का ग़ुलाम आज़ाद होगा और एक दफ़ा क़सम पूरी होने से यह क़सम बातिल न हो जायेगी बाक़ी रहेगी यहां तक कि वो एक बार हानिस हो जाये पस जब एक बार हानिस हो गया तो अब क़सम मज़कूर बातिल हो गई और इसी तरह अगर यूं कहा कि अगर तूने मुझे आदमी बुलाने को भेजा और मैं तेरे पास न आया तो भी यही हुक्म है और अगर यूं कहा कि अगर तू मेरे पास आया पस मैं तेरे पास न आया अगर तूने मेरी ज़ियारत की और मैं तेरी ज़ियारत को न आया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो यह क़सम एक दफ़ा हानिस हो जाने से बातिल न होगी बल्कि हमैशा के वास्ते बाक़ी रहेगी। एक ने अपनी बीवी से कहा कि अगर तूने अपने नफ़्स को तलाक़ न दी तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि यह इसी मज्लिस पर है और यह औरत को इख़्तियार देना है पस अगर8 औरत ने इसी मज्लिस में अपने आप को तलाक़ दी तो इस पर वाक़े होगी और इस का ग़ुलाम आज़ाद न होगा और अगर इस मज्लिस में इस ने तलाक़ न दी तो यह हानिस हो गया चाहे और मज्लिस में वो अपने आप को तलाक़ दे या न दे और दूसरी मज्लिस में अगर वो अपने आप को तलाक़ देगी तो तालिक़ा न होगी और किसी ने अगर दूसरे से कहा कि अगर तूने मेरा यह ग़ुलाम न फ़रोख़्त किया तो वो मेरा ग़ुलाम दीगर आज़ाद है तो यह इस को इजाज़त बैअ है और यह क़सम व इजाज़त हमैशा के वास्ते है यानी अगर इस मज्लिस में इस ने फ़रोख़्त न किया तो कहने वाला हानिस न होगा और अगर ज़ैद ने कहा कि अगर मैं कूफ़ा में दाखिल हुआ और मैंने निकाह नहीं किया है तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो यह क़सम इस तरह पर वाक़े होगी कि कूफ़ा में दाखिल होने से पहले निकाह करे और अगर यूं कहा हो कि पस मैंने निकाह न किया तो इस तरह पर वाक़े होगी कि दाखिल होने के वक्त निकाह करे यानी दाखिल होने पर निकाह करे और अगर कहा कि फिर मैंने निकाह न

को भेजा बस तू न आया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर ज़ैद ने उमर को आदमी भेज कर बुलाया और वह ख़ुद चला आया फिर दूसरे दिन आदमी भेज कर बुलाया और वह न आया तो ज़ैद का ग़ुलाम आज़ाद होगा और एक दफ़ा क़सम पूरी होने से यह क़सम अमान्य न होगी बाक़ी रहेगी यहां तक कि वह एक बार पापी हो जाये बस जब एक बार पापी हो गया तो अब वर्णित क़सम अमान्य हो गई और इसी तरह अगर यूं कहा कि अगर तूने मुझे आदमी बुलाने को भेजा और मैं तेरे पास न आया तो भी यही आदेश है और अगर यूं कहा कि अगर तू मेरे पास आया बस मैं तेरे पास न आया अगर तूने मेरी ज़ियारत की और मैं तेरी ज़ियारत को न आया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो यह क़सम एक दफ़ा पापी हो जाने से अमान्य न होगी बल्कि हमेशा के लिए बाक़ी रहेगी। एक ने अपनी बीवी से कहा कि अगर तूने अपने नफ़्स को तलाक़ न दी तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि यह इसी मज्लिस पर है और यह औरत को अधिकार देना है बस अगर8 औरत ने इसी मज्लिस में अपने आप को तलाक़ दी तो इस पर स्थपित होगी और इस का ग़ुलाम आज़ाद न होगा और अगर इस मज्लिस में इस ने तलाक़ न दी तो यह पापी हो गया चाहे और मज्लिस में वह अपने आप को तलाक़ दे या न दे और दूसरी मज्लिस में अगर वह अपने आप को तलाक़ देगी तो तालिक़ा न होगी और किसी ने अगर दूसरे से कहा कि अगर तूने मेरा यह ग़ुलाम न फ़रोख़्त किया तो वह मेरा ग़ुलाम दीगर आज़ाद है तो यह इस को इजाज़त विक्रय है और यह क़सम व इजाज़त हमैशा के लिए है यानी अगर इस मज्लिस में इस ने फ़रोख़्त न किया तो कहने वाला पापी न होगा और अगर ज़ैद ने कहा कि अगर मैं कूफ़ा में प्रवेश हुआ और मैंने निकाह नहीं किया है तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो यह क़सम इस तरह पर स्थपित होगी कि कूफ़ा में प्रवेश होने से पहले निकाह करे और अगर यूं कहा हो कि बस मैंने निकाह न किया तो इस तरह पर स्थपित होगी कि प्रवेश होने के समय निकाह करे यानी प्रवेश होने पर निकाह करे और अगर कहा कि फिर मैंने निकाह न किया तो

किया तो यह दाखिल होने के बाद हमैशा तक निकाह करने पर वाक़े होगी एक से कहा गया कि फ़लाना औरत से निकाह करे पस इस ने कहा कि अगर मैंने कभी निकाह किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस ने इस औरत के सिवाए दूसरी से निकाह किया तो हानिस होगा और एक ने कहा कि अगर मैंने तर्क किया यह कि आसमान को छू दूं तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो वो कभी हानिस न होगा और एक ने कहा कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैंने आसमान को न छुवा तो इसी वक्त हानिस होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

बाबः 8

खरीद व फ़रोख़्त व निकाह ग़ैरह में क़सम खाने के बयान में

अगर क़सम खाई कि न खरीदूंगा या न बैअ करूंगा या न इजारह दूंगा फिर इस ने किसी शख़्स को वकील किया जिस ने यह फ़अल किया तो हानिस न होगा इल्ला आंकि इस ने यह नियत की हो कि दूसरे को भी इस को करने का हुक्म (1) न दूंगा तो ऐसी नियत बयान करने की सूरत में इस के क़ौल की तसदीक़ की जायेगी क्योंकि इस नियत से इस ने अपने ऊपर सख़्ती ज़्यादा कर ली है या यह सूरत हो कि क़सम खाने वाला ऐसा शख़्स मुअज़्ज़िज़ हो कि वो ख़ुद यह काम न करता हो तो वकील करने व तफ़वीज़ करने से भी हानिस होगा और अगर ऐसा शख़्स हो कि ख़ुद कभी करता हो और कभी दूसरे के सुपुर्द करता हो तो देखा जायेगा कि अक्सर क्योंकर करता है बास इसी का ऐतबार होगा यह काफ़ी में है और अगर क़सम खाई कि न खरीदूंगा या बैअ न करूंगा तो खरीद (या बैअ) फ़ासिद में हानिस हो जायेगा अगरचे क़ब्ज़ा न हो ऐसी बैअ से भी जिस में बाऐ या मुशतरी के वास्ते खबार हो औरऐसी बैअ से भी जो बतरीक़ फ़ुज़ूली (1) के हो और ऐसी हुबा से भी जो बशर्त औज़ मगर यह बशर्त औज़ में वक्त दोनों के बाहमी क़ब्ज़ा के हानिस होगा और जो बैअ बातिल होती है इस से हानिस न होगा और मुदब्बर वाम वल्द व मकातब की खरीद व फ़रोख़्त करने से हानिस न होगा

यह प्रवेश होने के बाद हमैशा तक निकाह करने पर स्थपित होगी एक से कहा गया कि फ़लाना औरत से निकाह करे बस इस ने कहा कि अगर मैंने कभी निकाह किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस ने इस औरत के सिवाए दूसरी से निकाह किया तो पापी होगा और एक ने कहा कि अगर मैंने तर्क किया यह कि आसमान को छू दूं तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो वह कभी पापी न होगा और एक ने कहा कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैंने आसमान को न छुवा तो इसी समय पापी होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अध्याय 8

क्रय व विक्रय व निकाह ग़ैरह में क़सम खाने के बयान में

अगर क़सम खाई कि न खरीदूंगा या न विक्रय करूंगा या न इजारह दूंगा फिर इस ने किसी व्यक्ति को वकील किया जिस ने यह फ़अल किया तो पापी न होगा सिवा आंकि इस ने यह इरादा की हो कि दूसरे को भी इस को करने का आदेश (1) न दूंगा तो ऐसी इरादा बयान करने की स्थिति में इस के कथन की पुष्टि की जायेगी क्योंकि इस इरादा से इस ने अपने ऊपर सख़्ती ज़्यादा कर ली है या यह स्थिति हो कि क़सम खाने वाला ऐसा व्यक्ति मुअज़्ज़िज़ हो कि वह ख़ुद यह काम न करता हो तो वकील करने व तफ़वीज़ करने से भी पापी होगा और अगर ऐसा व्यक्ति हो कि ख़ुद कभी करता हो और कभी दूसरे के सुपुर्द करता हो तो देखा जायेगा कि अक्सर क्योंकर करता है बास इसी का ऐतबार होगा यह काफ़ी में है और अगर क़सम खाई कि न खरीदूंगा या विक्रय न करूंगा तो खरीद (या बैअ) फ़ासिद में पापी हो जायेगा चाहे क़ब्ज़ा न हो ऐसी विक्रय से भी जिस में बाऐ या ग्राहक के लिए खबार हो औरऐसी विक्रय से भी जो बतरीक़ फ़ुज़ूली (1) के हो और ऐसी हुबा से भी जो बशर्त औज़ मगर यह बशर्त औज़ में समय दोनों के बाहमी क़ब्ज़ा के पापी होगा और जो विक्रय अमान्य होती है इस से क़सम तोड़ने वला/पापी न होगा और मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त वाम वल्द व मकातब की खरीद

और बाद बैअ वाक़े होने के अगउ ऐसी क़सम के बाद इस ने बैअ का इक़ाला कर लिया तो भी हानिस न होगा लेकिन अगर इब्तदाऐ बैअ बलफ़्ज़ इक़ाला की तो हानिस होगा और अगर बाहमी रज़ामन्दी से बसबब ऐब के बैअ को वापिस किया या लिया तो भी हानिस न होगा और अगर इस ने बैअ करने का ईजाब किया तो बदून मुशतरी के क़बूल करने के हानिस न होगा। यह इताबिया में है और अगर क़सम खाई कि बैअ न करूंगा फिर किसी फ़ुज़ूली ने इस का माल फ़रोख़्त किया और इस ने इजाज़त दे दी तो हानिस न होगा इल्ला इस सूरत में कि यह शख़्स ऐसा हो कि ख़ुद बैअ नहीं किया करता है यह फ़तावा सुग़रा में है।

एक ने क़सम खाई कि अपना ग़ुलाम फ़रोख़्त करूंगा फिर वो इस के पास से चुरा लिया गया तो फ़रमाया कि हानिस न होगा :

अगर क़सम खाई कि खरीद न करूंगा फिर फ़ुज़ूली (२) से कोई चीज़ खरीदी या शरब ख़ुमर (३) खरीदी तो हासि होगा यह शरह तलखीस जामअ कबीर में है शैख अबूबकर रह० से दरयाफ्त किया गया कि एक ने क़सम खाई कि अपना ग़ुलाम फ़रोख़्त करूंगा फिर वो इस के पास से चुरा लिया गया तो फ़रमाया कि हानिस न होगा जब तक इस को ग़ुलाम मज़कूर के मरने का यक़ीन हासिल न हो जाये यह ख़ुलासा में है और इमाम मुहम्मद रह० ने जामअ सग़ीर में फ़रमाया कि अगर किसी नें कहा कि अगर मैंने यह ग़ुलाम फ़रोख़्त न किया तो ऐसा है फिर इस ने यह ग़ुलाम आज़ाद या मुदब्बर कर दिया तो अपनी क़सम में हानिस हो गया और अगर ऐसी गुफ़्तुगू बान्दी के हक़ में की और बाक़ी मसला बहा लहा है तो सही यह है कि वो हानिस हुआ यह तातार खानिया में है। अपनी बान्दी से कहा कि अगर मैंने तुझे फ़रोख़्त न किया तो तू आज़ाद है फिर इस से वती की कि इस के बच्चा पैदा हुआ तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक वो आज़ाद हो गई यह ख़ुलासा में है। एक ने क़सम खाई कि यह ग़ुलाम फ़रोख़्त न करूंगा और न इस

व फ़रोख़्त करने से पापी न होगा और बाद विक्रय स्थपित होने के अगउ ऐसी क़सम के बाद इस ने विक्रय का इक़ाला कर लिया तो भी पापी न होगा लेकिन अगर इब्तदाऐ विक्रय बलफ़्ज़ इक़ाला की तो पापी होगा और अगर बाहमी रज़ामन्दी से बसबब ऐब के विक्रय को वापिस किया या लिया तो भी पापी न होगा और अगर इस ने विक्रय करने का ईजाब किया तो बदून ग्राहक के स्वीकार करने के पापी न होगा। यह इताबिया में है और अगर क़सम खाई कि विक्रय न करूंगा फिर किसी फ़ुज़ूली ने इस का माल फ़रोख़्त किया और इस ने इजाज़त दे दी तो पापी न होगा सिवा इस स्थिति में कि यह व्यक्ति ऐसा हो कि ख़ुद विक्रय नहीं किया करता है यह फ़तावा सुग़रा में है।

एक ने क़सम खाई कि अपना ग़ुलाम बेचूंगा फिर वह इस के पास से चुरा लिया गया तो कहा कि पापी न होगा :

अगर क़सम खाई कि खरीद न करूंगा फिर फ़ुज़ूली (२) से कोई चीज़ खरीदी या शरब ख़ुमर (३) खरीदी तो हासि होगा यह शरह तलखीस जामअ कबीर में है शैख अबूबकर रह० से दरयाफ़्त किया गया कि एक ने क़सम खाई कि अपना ग़ुलाम फ़रोख़्त करूंगा फिर वह इस के पास से चुरा लिया गया तो फ़रमाया कि पापी न होगा जब तक इस को ग़ुलाम वर्णित के मरने का यक़ीन हासिल न हो जाये यह ख़ुलासा में है और इमाम मुहम्मद रह० ने जामअ सग़ीर में फ़रमाया कि अगर किसी नें कहा कि अगर मैंने यह ग़ुलाम फ़रोख़्त न किया तो ऐसा है फिर इस ने यह ग़ुलाम आज़ाद या मुदब्बर/मरणोपरांत मुक्त कर दिया तो अपनी क़सम में पापी हो गया और अगर ऐसी गुफ़्तुगू बान्दी के हक़ में की और बाक़ी मसला बहा लहा है तो सही यह है कि वह पापी हुआ यह तातार खानिया में है। अपनी बान्दी से कहा कि अगर मैंने तुझे फ़रोख़्त न किया तो तू आज़ाद है फिर इस से संभोग की कि इस के बच्चा पैदा हुआ तो इमाम आज़म रह० के निकट वह आज़ाद हो गई यह ख़ुलासा में है। एक ने क़सम खाई कि यह ग़ुलाम फ़रोख़्त न करूंगा

को हुबा करूंगा तो शैख नसीर रह० ने फ़रमाया कि अगर इस का निस्फ़ फ़रोख्त या हुबा किया तो हानिस न होगा और शैख राज़ी से दरयाफ्त किया कि एक ने क़सम खाई कि अपनी बान्दी ज़रूर फ़रोख़्त करूंगा और इस का कोई वक्त नहीं बयान किया फिर वो बान्दी इस से बच्चा जनी तो फ़रमाया कि इस्तहसानन मौला हानिस न होगा और शैख अबू नसर उल दबूसी से दरयाफ़्त कियसा गयसा कि एक ने अपनी बान्दी से कहा कि अगर मैंने तुझे एक महीना तक फ़रोख़्त न किया तो वो आज़ाद है फिर इस बान्दी को इस से (4) हमल ज़ाहिर हुआ तो फ़रमाया कि मौला को हलाल है कि इस बान्दी से बाद एक महीना के वती करले जबकि छः महिीने से कम में बच्चा पैदा हुआ और बिना बर क़ौल इमाम अबू यूसुफ़ रह० के मौला हानिस हो गया और इस को हलाल नहीं है कि बाद महीने के इस से वती करे और अगर छः महीने से ज़्यादा में बच्चा जनी तो बिल इजमाअ मौला को हलाल नहीं है कि बाद महीने के इस से वती करे यह हावी में है। ग़ैद ने क़सम खाई कि वल्लाह मैं उमर की उम्मे वल्द को ज़रूर फ़रोख़्त करूंगा या कहा कि वल्लाह मैं इस उमर को फ़रोख़्त करूंगा और हालांकि उमर आज़ाद है तो इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि यह क़सम बैअ फ़ासिद पर वाक़े होगी चुनांचे अगर इन दोनों को बतौर बैअ फ़ासिद के फ़रोख़्त (1) कर दिया तो अपनी क़सम में सच्चा हो गया यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

(1)नी दूसरे से भीयह काम न कराउंगा और अगर ज़ाहिर कलाम मुराद हो तो दूसरे को हुक्म देने से हानिस हो गया चाहे दूसरे नेयह फअल किया होया न किया हो।
(1)ह फ़ुज़ूली बिना है।
(2)तह असल मालिक से।
(3)अंगूरी अली क़ौल उल इमाम।
(4)मौला से।

अगर किसी ने कहा कि अगर मैंने अपना यह ममलूक ग़ैद के हाथ फ़रोख़्त किया तो वो आज़ाद है पस ग़ैद ने कहा कि मैंनेग इस की इजाज़त दे दी या मैं राज़ी हुआ फिर ग़ैद ने इस को खरीदा तो वो आज़ाद न होगा और अगर कहा कि अगर ग़ैद ने तुझ से यह ग़ुलाम खरीदा तो वो आज़ाद है फिर ग़ैद ने कहा कि हां फिर

और न इस को हुबा करूंगा तो शैख नसीर रह० ने फ़रमाया कि अगर इस का आधा फ़रोख़्त या हुबा किया तो पापी न होगा और शैख राज़ी से दरयाफ़्त किया कि एक ने क़सम खाई कि अपनी बान्दी ज़रूर फ़रोख़्त करूंगा और इस का कोई समय नहीं बयान किया फिर यह बान्दी इस से बच्चा जनी तो फ़रमाया कि इस्तहसानन मालिक पापी न होगा और शैख अबू नसर उल दबूसी से दरयाफ़्त कियसा गयसा कि एक ने अपनी बान्दी से कहा कि अगर मैंने तुझे एक महीना तक फ़रोख़्त न किया तो वह आज़ाद है फिर इस बान्दी को इस से (4) हमल ज़ाहिर हुआ तो फ़रमाया कि मालिक को हलाल है कि इस बान्दी से बाद एक महीना के संभोग करले जबकि छः महिीने से कम में बच्चा पैदा हुआ और बिना बर कथन इमाम अबू यूसुफ़ रह० के मालिक पापी हो गया और इस को हलाल नहीं है कि बाद महीने के इस से संभोग करे और अगर छः महीने से ज़्यादा में बच्चा जनी तो बिल इजमाअ मालिक को हलाल नहीं है कि बाद महीने के इस से संभोग करे यह हावी में है। ग़ैद ने क़सम खाई कि वल्लाह मैं उमर की बच्चे कीमाँ को ज़रूर फ़रोख़्त करूंगा या कहा कि वल्लाह मैं इस उमर को फ़रोख़्त करूंगा और हालांकि उमर आज़ाद है तो इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि यह क़सम विक्रय फ़ासिद पर स्थपित होगी चुनांचे अगर इन दोनों को बतौर विक्रय फ़ासिद के फ़रोख़्त (1) कर दिया तो अपनी क़सम में सच्चा हो गया यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

(1)नी दूसरे से भीयह काम न कराउंगा और अगर ज़ाहिर बात तात्पर्य हो तो दूसरे को आदेश देने से पापी हो गया चाहे दूसरे ने यह फअल किया होया न किया हो।
(1)ह फ़ुज़ूली बिना है।
(2)तह असल मालिक से।
(3)अंगूरी अली कथन उल इमाम।
(4)मालिक से।

अगर किसी ने कहा कि अगर मैंने अपना यह ममलूक ग़ैद के हाथ फ़रोख़्त किया तो वह आज़ाद है बस ग़ैद ने कहा कि मैंनेग इस की इजाज़त दे दी या मैं राज़ी हुआ फिर ग़ैद ने इस को खरीदा तो वह आज़ाद न होगा और अगर कहा कि अगर ग़ैद ने तुझ से यह ग़ुलाम खरीदा तो वह आज़ाद है फिर ग़ैद ने कहा कि हां फिर

इस को खरीद किया तो क़ैद की तरफ़ से वो ग़ुलाम आज़ाद हो गया यह ईज़ाह में है हिशाम ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की है कि एक ने कहा कि वल्लाह न फ़रोख़्त करूंगा मैं तेरे हाथ से कपड़ा बऔज़ दस दिरहम के यहां तक कि तू मुझे .ज्यादा दे फिर इस के हाथ नो दिरहम को फ़रोख़्त कर दिया तो क़यासन हानिस न होगा और इस्तहसानन हानिस होगा और हम क़ियास ही को लेते हैं और यह बदाऐ में है और क़ालल मुतरजम हमारे उर्फ़ के मुवाफ़िक़ इस्तहसान अज़हर है वल्लाह आलम और अगर क़सम खाई कि इस को दस दिरहम को फ़रोख़्त न करूंगा इल्ला बऔज़ इस से .ज्यादा के या बऔज़ .ज्यादा के फिर इस के हाथ ग्यारह दिरहम को फ़रोख़्त किया तो हानिस न होगा और अगर दस को फ़रोख़्त किया तोक हानिस हुआ और इसी तरह अगर नो दिरहम को फ़रोख़्त किया तो भी यही हुक्म है और अगर नो दिरहम और एक दीनार को फ़रोख़्त किया क़यासन हानिस होगा और इस्तहसानन हानिस न होगा और अगर मुशतरी ने भी क़सम खाई कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैं बऔज़ दस दिरहम के इस को खरीदूं हत्ता कि इस को कम करे पस अगर मुशतरी ने इस को दस दिरहम को खरीदा तो हानिस हुआ और अगर ग्यारह को खरीदा तो भी हानिस हुआ और अगर नो दिरहम को खरीदा तो हानिस न होगा और अगर नो दिरहम और एक दीनार को खरीदा तो हानिस न हुआ। पस बाज़ ने फ़रमाया है कि यह हुक्म बदलील क़ियास है और बहुक्मे इस्तहसान हानिस हुआ और अगर मुशतरी ने कहा कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैंने इस को खरीदा बऔज़ दस दिरहम के इल्ला बाक़ल या बानुक्स फिर इस को दस दिरहम या .ज्यादा को खरीदा तो हानिस होगा और अगर इस को नो दिरहम और एक दीनार को खरीदा या नो दिरहम और एक कपड़े के औज़ खरीदा तो क़ियासन हानिस न होगा और इस्तहसानन हानिस होगा और अगर बाऐ (क़सम खाई) ने कहा कहा कि कि मैं तेरे हाथ दस दिरहम को फ़रोख़्त न करूंगा यहां तक कि तू मुझे .ज्यादा कर दे फिर इस के हाथ नो दिरहम व एक दीनार को जिस की क़ीमत पांच दिरहम हैं फ़रोख़्त किया तो हानिस

इस को खरीद किया तो क़ैद की तरफ़ से वह ग़ुलाम आज़ाद हो गया यह ईज़ाह में है हिशाम ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की है कि एक ने कहा कि वल्लाह न फ़रोख़्त करूंगा मैं तेरे हाथ से कपड़ा बऔज़ दस दिरहम के यहां तक कि तू मुझे .ज्यादा दे फिर इस के हाथ नो दिरहम को फ़रोख़्त कर दिया तो क़यासन पापी न होगा और इस्तहसानन पापी होगा और हम क़ियास ही को लेते हैं और यह बदाऐ में है और अनुवादक के कथनानुसार हमारे उर्फ़ के मुवाफ़िक़ इस्तहसान अज़हर है वल्लाह आलम और अगर क़सम खाई कि इस को दस दिरहम को फ़रोख़्त न करूंगा सिवा बऔज़ इस से .ज्यादा के या बऔज़ .ज्यादा के फिर इस के हाथ ग्यारह दिरहम को फ़रोख़्त किया तो पापी न होगा और अगर दस को फ़रोख़्त किया तोक पापी हुआ और इसी तरह अगर नो दिरहम को फ़रोख़्त किया तो भी यही आदेश है और अगर नो दिरहम और एक दीनार को फ़रोख़्त किया क़यासन पापी होगा और इस्तहसानन पापी न होगा और अगर ग्राहक ने भी क़सम खाई कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैं बऔज़ दस दिरहम के इस को खरीदूं हत्ता कि इस को कम करे बस अगर ग्राहक ने इस को दस दिरहम को खरीदा तो पापी हुआ और अगर ग्यारह को खरीदा तो भी पापी हुआ और अगर नो दिरहम को खरीदा तो पापी न होगा और अगर नो दिरहम और एक दीनार को खरीदा तो पापी न हुआ। बस कुछ ने फ़रमाया है कि यह आदेश बदलील क़ियास है और बहुक्मे इस्तहसान पापी हुआ और अगर ग्राहक ने कहा कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैंने इस को खरीदा बऔज़ दस दिरहम के सिवा बाक़ल या बानुक्स फिर इस को दस दिरहम या .ज्यादा को खरीदा तो पापी होगा और अगर इस को नो दिरहम और एक दीनार को खरीदा या नो दिरहम और एक कपडे के औज़ खरीदा तो क़ियासन पापी न होगा और इस्तहसानन पापी होगा और अगर बाऐ (क़सम खाई) ने कहा कहा कि कि मैं तेरे हाथ दस दिरहम को फ़रोख़्त न करूंगा यहां तक कि तू मुझे .ज्यादा कर दे फिर इस के हाथ नो दिरहम व एक दीनार को जिस की क़ीमत पांच दिरहम हैं फ़रोख़्त किया तो पापी

(2) न होगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है। एक ने क़सम खाई कि अपना दार फ़रोख़्त न करूंगा फिर अपनी बीवी को इस के महर में दे दिया तो हानिस हो गया। शैख सदर उल शहीद रह० ने फ़रमाया कि यह इस वक्त है कि औरत से दिरहमों पर निकाह किया फिर इन दिरहमों के औज़ इस को यह दार दे दिया और अगर औरत से इसी दार पर निकाह किया तो हानिस न होगा यह ख़ुलासा में है।

एक ने क़सम खाई कि यह घोड़ा न बेचूंगा फिर किसी ने यह घोड़ा ले लिया और इस का बदल दे दिया और घोड़े का मालिक इस पर राज़ी हो गया तो हानिस न होगा और इसी पर फ़तवा (3) है यह जवाहिर अख़्लाती में है। एक ने दूसरे से कोई चीज़ बतौर तआती के ले ली (4) फिर क़सम खाई कि मैंने यह चीज़ नहीं खरीदी तो शैख इल्म उल हुदा मा तरीदी ने जवाब दिया कि वो हानिस होगा और इसी को शैख ज़हीर उद्दीन ने इख़्तयार किया है और इसी तरह अगर बतौर तआती फ़रोख़्त की फिर क़सम खाई कि मैंने इस को फ़रोख़्त नहीं किया है तो भी यही हुक्म है और यही इमाम अबू यूसुफ़ रह० से भी मरवी है और शैख फ़ज़ली ने फ़रमाया कि जो शख़्स जानता हो कि वो (5) तबआती थी तो इस को हलाल नहीं है कि बैअ पर गवाही दे बल्कि तआती होने पर गवाही दे यह वजीज़ करदरी में है असअसल जिस शख़्स ने अपनी क़सम को किसी महल में फअल पर मुनअक़िद किया और हर्फ़ लाम को जो बमअनी

(1)ह मुश्किल है क्योंकि आज़ाद की बैअ+ इमाम रह के अनुसार बिल्कुल बातिल है बाज+ अवाम उल नास ने ज़अम किया कि बैअ+ बतौर सही हो तो बिल्कुल सही हैयह कलाम महमल बातिल है हां अगर असल बैअ+ बातिल न हो बल्कि फ़ासिद हो और रिवायत सही हो जाये तोयही जवाब है।

(2)ाायदयह जवाब बतौर इस्तहसान है।

(3)क़ालल मुतरजमयह इस वक्त कि नियत न हो और अगर नियत हो तो भी हानिस होगा और इस में कुछ इ]तलाफ+ न होना चाहिए।

(4)बैअ+ तआती की मिसालयह कि दस दस आम्बा+ेरी है पैसा पैसा कोएक आया और पैसा दिया औरएक+ेरी ले गया तो बैअ+ बिल तआती हो गई।

(5)गोया बैअ+ तआती के इ]तलाफ+ का इशारह है।

वास्ते व मिल्क के अरबी में आता है ज़िक्र किया

(2) न होगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है। एक ने क़सम खाई कि अपना घर फ़रोख़्त न करूंगा फिर अपनी बीवी को इस के महर में दे दिया तो पापी हो गया। शैख सदर उल शहीद रह० ने फ़रमाया कि यह इस समय है कि औरत से दिरहमों पर निकाह किया फिर इन दिरहमों के औज़ इस को यह घर दे दिया और अगर औरत से इसी घर पर निकाह किया तो पापी न होगा यह ख़ुलासा में है।

एक ने क़सम खाई कि यह घोड़ा न बेचूंगा फिर किसी ने यह घोड़ा ले लिया और इस का बदल दे दिया और घोड़े का मालिक इस पर राज़ी हो गया तो पापी न होगा और इसी पर फ़तवा (3) है यह जवाहिर अख़्लाती में है। एक ने दूसरे से कोई चीज़ बतौर तआती के ले ली (4) फिर क़सम खाई कि मैंने यह चीज़ नहीं खरीदी तो शैख इल्म उल हुदा मा तरीदी ने जवाब दिया कि वह पापी होगा और इसी को शैख ज़हीर उद्दीन ने अपनाया है और इसी तरह अगर बतौर तआती फ़रोख़्त की फिर क़सम खाई कि मैंने इस को फ़रोख़्त नहीं किया है तो भी यही आदेश है और यही इमाम अबू यूसुफ़ रह० से भी मरवी है और शैख फ़ज़ली ने फ़रमाया कि जो व्यक्ति जानता हो कि वह (5) तबआती थी तो इस को हलाल नहीं है कि विक्रय पर गवाही दे बल्कि तआती होने पर गवाही दे यह वजीज़ करदरी में है असअसल जिस व्यक्ति ने अपनी क़सम को किसी महल में फअल पर मुनअक़िद किया और हर्फ़ लाम को जो बमअनी

(1)ह मुश्किल है क्योंकि आज़ाद की विक्र इमाम रह के अनुसार बिल्कुल अमान्यहै कुछ अवाम उल नास ने ज़अम किया कि विक्र बतौर सही हो तो बिल्कुल सही हैयह बात महमल अमान्‍ है हां अगर असल विक्र अमान्‍ न हो बल्कि फ़ासिद हो और रिवायत सही हो जाये तोयही जवाब है।

(2)ाायदयह जवाब बतौर इस्तहसान है।

(3) अनुवादक के कथनानुसारयह इस सम कि इरादा न हो और अगर इरादा हो तो भी पापी होगा और इस में कुछ मतभेद न होना चाहिए।

(4) विक्र तआती की मिसालयह कि दस दस आम्बा+ेरी है पैसा पैसा कोएक आया और पैसा दिया औरएक+ेरी ले गया तो विक्र बिल तआती हो गई।

(5)गोया विक्र तआती के मतभेद का इशारह है।

लिए व मिल्क के अरबी में आता है वर्णन किया

तो देखना चाहिए कि अगर इस ने लाम को महफ़िल अल फ़अल से मक़रों ज़िक्र किया तो इस की क़सम जिस पर खाई है इस के महलूफ़ अलैहि की मिल्क में होने की हालत में फ़अल सादिर करने पर होगी चुनांचे अगर हालिफ़ ने यह फ़अल मिल्क महलूफ़ अलैहि में किया तो हानिस होगा ख़्वाह इस के हुक्म से किया हो या बग़ैर इस के हुक्म के किया हो और ख़्वाह यह फ़अल ऐसा हो कि इस में वकालत जारी होती है या जारी न होती हो अगर लाम को मक़रों बा फ़अल ज़िक्र किया पस अगर फ़अल ऐसा हो कि इस में वकालत जारी होती है और इस के हुक़ूक़ में कि इस के ओहदा की वजह से जो वकील को लाहक़ हो इस के वास्ते मौक्कल की तरफ़ वकील रूजूअ कर सकता है जैसे बैअ वग़ैरह तो इस की क़सम वकालत व हुक्म पर होगी चुनांचे अगर यह फ़अल इस के महल में बहुक्मे महलूफ़ अलैहि किया तो हानिस होगा ख़्वाह महल उल फ़अल (1) महलूफ़ अलैहि की मिल्क हो या दूसरे की मिल्क हो और अगर ऐसा फअल हो कि इस में वकालत बिल्कुल जारी नहीं होती है जैसे खाना पीना वग़ैरह या इस में वकालत जारी तो होती है मगर इस में ऐसे हुक़ूक़ नहीं हैं कि इन के वास्ते वकील अपने मौक्कल की तरफ़ रूजूअ करे जैसे मारना वग़ैरह तो इस की क़सम जिस पर क़सूम खाई है मिल्क महलूफ़ अलैहि में अपने फअल के सादिर करने पर होगी चुनांचे अगर यह फअल महलूफ़ अलैहि की मिल्क में किया तो हानिस होगा ख़्वाह इस के हुक्म से क्या हो या बग़ैर इस के हुक्म के किया हो और अगर यह फअल ग़ैरह महलूफ़ अलैहि की मिल्क में किया तो हानिस न होगा अगरचे यह फ़अल महलूफ़ अलैहि के हुक्म से किया हो क़ालल मुतरजम तौज़ीह इस असल शरीफ़ की अपनी ज़बान में हम को मंज़ूर है पस हम कहते हैं कि अगर किसी ने किसी महल में मिस्ल कपड़े वग़ैरह के अपना फ़अल बैअ वग़ैरह करने पर क़सम खाई है और कपड़ा किसी दूसरे का है पस अगर ऐसा लफ़्ज़ जो मिल्क पर दाल है या वास्ते के मअनी में है। मसलन तेरा कपड़ा या फ़रोख़्त वास्ते तेरे वग़ैरह ज़ालिक महल फ़अल से मक़रों करके ज़िक्र किया और महल फ़अल मसलन। बैअ फ़अल का

तो देखना चाहिए कि अगर इस ने लाम को महफ़िल अल फ़अल से मक़रों वर्णन किया तो इस की क़सम जिस पर खाई है इस के महलूफ़ अलैहि की मिल्क में होने की हालत में फ़अल सादिर करने पर होगी चुनांचे अगर शपथकर्ता ने यह फ़अल मिल्क महलूफ़ अलैहि में किया तो पापी होगा चाहे इस के आदेश से किया हो या बग़ैर इस के आदेश के किया हो और चाहे यह फ़अल ऐसा हो कि इस में वकालत जारी होती है या जारी न होती हो अगर लाम को मक़रों बा फ़अल वर्णन किया बस अगर फ़अल ऐसा हो कि इस में वकालत जारी होती है और इस के हुक़ूक़ में कि इस के पद के कारण से जो वकील को लाहक़ हो इस के लिए मौक्कल की तरफ़ वकील रूजूअ कर सकता है जैसे विक्रय वग़ैरह तो इस की क़सम वकालत व आदेश पर होगी चुनांचे अगर यह फ़अल इस के महल में बहुक्मे महलूफ़ अलैहि किया तो पापी होगा चाहे महल उल फ़अल (1) महलूफ़ अलैहि की मिल्क हो या दूसरे की मिल्क हो और अगर ऐसा फअल हो कि इस में वकालत बिल्कुल जारी नहीं होती है जैसे खाना पीना वग़ैरह या इस में वकालत जारी तो होती है मगर इस में ऐसे हुक़ूक़ नहीं हैं कि इन के लिए वकील अपने मौक्कल की तरफ़ रूजूअ करे जैसे मारना वग़ैरह तो इस की क़सम जिस पर क़सूम खाई है मिल्क महलूफ़ अलैहि में अपने फअल के सादिर करने पर होगी चुनांचे अगर यह फअल महलूफ़ अलैहि की मिल्क में किया तो पापी होगा चाहे इस के आदेश से क्या हो या बग़ैर इस के आदेश के किया हो और अगर यह फअल ग़ैरह महलूफ़ अलैहि की मिल्क में किया तो पापी न होगा चाहे यह फ़अल महलूफ़ अलैहि के आदेश से किया हो अनुवादक के कथनानुसार तौज़ीह इस असल शरीफ़ की अपनी ज़बान में हम को मंज़ूर है बस हम कहते हैं कि अगर किसी ने किसी महल में मिस्ल कपड़े वग़ैरह के अपना फ़अल विक्रय वग़ैरह करने पर क़सम खाई है और कपड़ा किसी दूसरे का है बस अगर ऐसा लफ़्ज़ जो मिल्क पर दाल है या लिए के मअनी में है। मसलन तेरा कपड़ा या फ़रोख़्त लिए तेरे वग़ैरह ज़ालिक महल फ़अल से मक़रों करके वर्णन किया और महल फ़अल मसलन।

महल कपड़ा है पस यूं कहा कि मैंने फ़रोख़्त किया यह कपड़ा तेरा या तेरी मिल्क का या जो तेरी मिल्क है तो इस की क़सम कपड़े के फ़रोख़्त की इस हालत तक होगी कि यह कपडा इस मुख़ातिब की मिल्क में है अलल उमूम वाला तलक़ा चुनांचे ऊपर मज़कूर हुआ। अगर ऐसा लफ़्ज़ मौसूफ़ा बाला मक़रों बफ़अल ज़िक्र किया न लमजल फ़अल मसलन यूं कहा कि फ़रोख़्त किया मैंने तेरे वास्ते यह कपड़ा यानी यह फ़अलतेरे वास्ते किया तो इस में फ़अल को देखना चाहिए कि कैसा फ़अल है पस अगर फ़अल ऐसा हो कि इस में वकालत जारी होती है इला आखिरह और जब असल मज़कूर की तौज़ीह हो गई मतो हम फिर किताब की तरफ़ रूजूअ करते हैं। इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया अगर एक ने दूसरे से कहा कि अगर मैंने तेरे वास्ते फ़रोख़्त किया कोई कपड़ा तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है और इस की कुछ नियत नहीं है पस महलूफ़ अलैहि यानी मुख़ातिब ने अपना कपड़ा किसी को दिया ताकि इस को हालिफ़ करदे ताकि हालिफ़ इस को फ़रोख़्त करदे पस दरमियानी आदमी यह कपड़ा हालिफ़ के पास लाया और कहा कि यह कपड़ा वास्ते फ़लां के फ़रोख़्त करदे यानी महलूफ़ अलैहि के वास्ते फ़रोख़्त करदे या कहा कि यह कपड़ा फ़रोख़्त करदे और यह न कहा कि फ़लां के वास्ते लेकिन हालिफ़ जानता है कि यह महलूफ़ अलैहि का ऐलची है पस हालिफ़ ने इस को फ़रोख़्त किया तो अपनी क़सम में हानिस हुआ और अगर दरमियानी आदमी ने कहा कि यह कपड़ा मेरे वास्ते फ़रोख़्त करदे या कहा कि इस को फ़रोख़्त करदे और हालिफ़ को यह मालूम न हुआ कि महलूफ़ अलैहि का ऐलची है पस हालिफ़ ने इस को फ़रोख़्त किया तो हानिस न होगा और अगर हालिफ़ ने यूं क़सम खाई कि अगर मैंने तेरा कपड़ा फ़रोख़्त किया या जो तेरी मिल्क है फ़रोख़्त किया या फ़रोख़्त किया ऐसा कपड़ा जो तेरा है या तेरी मिल्क है और बाक़ी मसला बदस्तूर है तो हर हाल में हानिस होगा ख़्वाह दरमियानी ने इस से कहा हो कि फ़लां के वास्ते फ़रोख़्त करदे या कहा हो कि मेरे वास्ते फ़रोख़्त करदे या कहा हो कि इस को फ़रोख़्त करदे और इस से ज़्यादा कुछ न कहा हो हर सूरत में हानिस

विक्रय फ़अल का महल कपड़ा है बस यूं कहा कि मैंने फ़रोख़्त किया यह कपड़ा तेरा या तेरी मिल्क का या जो तेरी मिल्क है तो इस की क़सम कपडे के फ़रोख़्त की इस हालत तक होगी कि यह कपडा इस मुख़ातिब की मिल्क में है अलल उमूम वाला तलक़ा चुनांचे ऊपर वर्णित हुआ। अगर ऐसा लफ़्ज़ मौसूफ़ा बाला मक़रों बफ़अल वर्णन किया न लमजल फ़अल मसलन यूं कहा कि फ़रोख़्त किया मैंने तेरे लिए यह कपड़ा यानी यह फ़अलतेरे लिए किया तो इस में फ़अल को देखना चाहिए कि कैसा फ़अल है बस अगर फ़अल ऐसा हो कि इस में वकालत जारी होती है इला आखिरह और जब असल वर्णित की तौज़ीह हो गई मतो हम फिर किताब की तरफ़ रूजूअ करते हैं। इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया अगर एक ने दूसरे से कहा कि अगर मैंने तेरे लिए फ़रोख़्त किया कोई कपड़ा तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है और इस की कुछ इरादा नहीं है बस महलूफ़ अलैहि यानी मुख़ातिब ने अपना कपड़ा किसी को दिया ताकि इस को शपथकर्ता करदे ताकि शपथकर्ता इस को फ़रोख़्त करदे बस बीची आदमी यह कपड़ा शपथकर्ता के पास लाया और कहा कि यह कपड़ा लिए फ़लां के फ़रोख़्त करदे यानी महलूफ़ अलैहि के लिए फ़रोख़्त करदे या कहा कि यह कपड़ा फ़रोख़्त करदे और यह न कहा कि फ़लां के लिए लेकिन शपथकर्ता जानता है कि यह महलूफ़ अलैहि का ऐलची है बस शपथकर्ता ने इस को फ़रोख़्त किया तो अपनी क़सम में पापी हुआ और अगर बीची आदमी ने कहा कि यह कपड़ा मेरे लिए फ़रोख़्त करदे या कहा कि इस को फ़रोख़्त करदे और शपथकर्ता को यह मालूम न हुआ कि महलूफ़ अलैहि का ऐलची है बस शपथकर्ता ने इस को फ़रोख़्त किया तो पापी न होगा और अगर शपथकर्ता ने यूं क़सम खाई कि अगर मैंने तेरा कपड़ा फ़रोख़्त किया या जो तेरी मिल्क है फ़रोख़्त किया या फ़रोख़्त किया ऐसा कपड़ा जो तेरा है या तेरी मिल्क है और बाक़ी मसला बदस्तूर है तो हर हाल में पापी होगा चाहे बीची ने इस से कहा हो कि फ़लां के लिए फ़रोख़्त करदे या कहा हो कि मेरे लिए फ़रोख़्त करदे या कहा हो कि इस को फ़रोख़्त करदे और इस से ज़्यादा कुछ न कहा हो हर

होगा बशर्तेकि इस का फ़रोख़्त करना ऐसी हालत में वाक़े हुआ हो कि यह कपड़ा महलूफ़ अलैहि की मिल्क में हो और अगर हालिफ़ ने अव्वल सूरत में यह नियत की कि ऐसा कपड़ा फ़रोख़्त करूं जो महलूफ़ अलैहि की मिल्क है और दूसरी सूरत में इस तरह क़सम खा कर कि अगर मैंने फ़रोख़्त किया कपड़ा वास्ते तेरे यह नियत की कि महलूफ़ अलैहि के हुक्म से फ़रोख़्त

(1)जिस पर क़समखाई इसकी मिल्क में इस फ़अल का अमल हो और इस के हुक्म से किया हो।

किया तो 'फ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहि तआला' इस की क़सम नियत पर होगी लेकिन अव्वल सूरत में क़ाज़ी भी इस की नियत की तसदीक़ करेगा और दूसरी सूरत जब कि मुवाफ़िक़ हमारे ज़िक्र के बदूं तसरीह मिल्क के इस ने अपनी नियत ज़ाहिर की तो क़ाज़ी इस की तसदीक़ न करेगा और जिस सूरत में कि मिल्क की तसरीह करदी इस सूरत में किसी तौर पर तसदीक़ न की जायेगी 'कज़ा फ़िल ज़खीरा मअ ज़ियादत मिनल मुतरजम इसमहू अल्लाह तआला मुन्तक़ी' में इब्ने समाआ की रिवायत से इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है कि एक ने क़सम खाई कि न फ़रोख़्त करूंगा वास्ते फ़लां के कोई कपड़ा पस हालिफ़ ने महलूफ़ अलैहि का कोई कपड़ा फ़रोख़्त कर दिया पस महलूफ़ अलैहि ने इस बैअ की इजाज़त दे दी तो हालिफ़ हानिस होगया और अगर हालिफ़ ने इस को अपने वास्ते फ़रोख़्त किया तो हानिस न होगा यह शरह मामअ कबीर हसीरी में है।

अगर हत कर देने पर क़सम खाई (यानी तेय करने के बाद रक़म में से कुछ मनहा करना) :

अगर क़सम खाई कि मैं कोई चीज़ तेरे असबाब में से तेरे वास्ते फ़रोख़्त न करूंगा फिर एक तकिया फ़रोख़्त किया जिस में महलूफ़ अलैहि का सौफ़ भरा हुआ है तो हानिस न होगा यह इताबिया में है। ज़ैद ने ग़ुमर से एक ग़ुलाम चुकाया और बाऐ ने इस के दाम हज़ार दिरहम मांगे और मुशतरी ने पांच सौ कहे पस बाऐ ने कहा कि यह आज़ाद है अगर मैंने तुझ से हज़ार दिरहम से कुछ हत (1) किये फिर इस के बाद कहा कि मैंने तेरे हाथ

स्थिति में पापी होगा बशर्तेकि इस का फ़रोख़्त करना ऐसी हालत में स्थपित हुआ हो कि यह कपड़ा महलूफ़ अलैहि की मिल्क में हो और अगर शपथकर्ता ने पहला स्थिति में यह इरादा की कि ऐसा कपड़ा फ़रोख़्त करूं जो महलूफ़ अलैहि की मिल्क है और दूसरी स्थिति में इस तरह क़सम खा कर कि अगर मैंने फ़रोख़्त किया कपड़ा लिए तेरे यह इरादा की कि महलूफ़ अलैहि के आदेश से फ़रोख़्त

(1)जिस पर क़समखाई इसकी मिल्क में इस फ़अल का अमल हो और इस के आदेश से किया हो।

किया तो 'फ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहि तआला' इस की क़सम इरादा पर होगी लेकिन पहला स्थिति में क़ाज़ी भी इस की इरादा की पुष्टि करेगा और दूसरी स्थिति जब कि मुवाफ़िक़ हमारे वर्णन के बदूं तसरीह मिल्क के इस ने अपनी इरादा ज़ाहिर की तो क़ाज़ी इस की पुष्टि न करेगा और जिस स्थिति में कि मिल्क की तसरीह करदी इस स्थिति में किसी तौर पर पुष्टि न की जायेगी 'कज़ा फ़िल ज़खीरा मअ ज़ियादत मिनल मुतरजम इसमहू अल्लाह तआला मुन्तक़ी' में इब्ने समाआ की रिवायत से इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है कि एक ने क़सम खाई कि न फ़रोख़्त करूंगा लिए फ़लां के कोई कपड़ा बस शपथकर्ता ने महलूफ़ अलैहि का कोई कपड़ा फ़रोख़्त कर दिया बस महलूफ़ अलैहि ने इस विक्रय की इजाज़त दे दी तो शपथकर्ता पापी होगया और अगर शपथकर्ता ने इस को अपने लिए फ़रोख़्त किया तो पापी न होगा यह शरह मामअ कबीर हसीरी में है।

अगर हत कर देने पर क़सम खाई (यानी तेय करने के बाद रक़म में से कुछ मनहा करना) :

अगर क़सम खाई कि मैं कोई चीज़ तेरे असबाब में से तेरे लिए फ़रोख़्त न करूंगा फिर एक तकिया फ़रोख़्त किया जिस में महलूफ़ अलैहि का सौफ़ भरा हुआ है तो पापी न होगा यह इताबिया में है। ज़ैद ने ग़ुमर से एक ग़ुलाम चुकाया और बाऐ ने इस के दाम हज़ार दिरहम मांगे और ग्राहक ने पांच सौ कहे बस बाऐ ने कहा कि यह आज़ाद है अगर मैंने तुझ से हज़ार दिरहम से कुछ हत (1) किये फिर इस के बाद कहा कि मैंने तेरे हाथ

इस को पांच सौ दिरहम को फ़रोख़्त कियसा पस मुशतरी ने बैअ क़ुबूल करली या नहीं क़बूल की तो बाऐ हानिस हो गया और ग़ुलाम आज़ाद हो गया और अगर बाऐ ने चुकाने के वक़्त कहा हो कि अगर मैंने इस के सिमन से कुछ हत किया तो यह आज़ाद है और बाक़ी मसला बदस्तूर वाक़े हुआ तो ग़ुलाम (बाऐ हानिस न होगा) आज़ाद न होगा और इस के सिमन (पांच सौ दिरहम से मसलन) से इस के बाद कुछ हत भी कर दिया तो क़सम मुनहल हुई लेकिन ग़ुलाम आज़ाद न होगा इस वास्ते कि वो बाऐ की मिल्क से बाहर हो चुका है और अगर इस सूरत में बाऐ ने जज़ा क़सम अपनी बीवी की तलाक़ या किसी दूसरे ग़ुलाम की आज़ादी क़रार दी हो तो इस की बीवी पर तलाक़ पड जायेगी और दूसरा ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा और इसी तरह अगर इन सूरतों में थोडा सिमन मुशतरी को हुबा कर दिया ख़्वाह पूरा सिमन वसूल करने के बाद या इस से पहले तो भी अपनी क़सम में हानिस हो गया और अगर तमाम सिमन मुशतरी के ज़िम्मे से हत कर दिया या इस को तमाम सिमन हुबा कर दिया तो हानिस न होगा और अगर मुशतरी को बाज़ सिमन से बरी कर दिया पस अगर सिमन पर क़ब्ज़ा करने से पहले ऐसा किया तो अपनी क़सम में हानिस होगा इस वास्ते कि यह हत क़रार दिया जायेगा और अगर बाद क़ब्ज़ा-ए-सिमन के ऐसा किया तो अपनी क़सम में हानिस न होगा यह मुहीत में है।

इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि एक ने दूसरे से एक कपड़ा चुकाया और बाऐ ने बारह से कम को देने से इन्कार किया पस मुशतरी ने कहा कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैं इस को बारह कर खरीदूं फिर इस को तेरह को या बारह व एक दीनार को या बारह और एक कपड़े के औज़ खरीदा तो अपनी क़सम में हानिस होगा और अगर इस को ग्यारह और एक दीनार के औज़ या ग्यारह और एक कपड़े के औज़ या दस व एक दीनार के औज़ या नो और एक दीनार के औज़ फ़रोख़्त किया तो हानिस न होगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है। ज़ैद ने कोई चीज़ बऔज़ दिरहमों के फ़रोख़्त की फिर क़सम खाई कि इस का सिमन न लूंगा फिर इन दिरहमों के

इस को पांच सौ दिरहम को फ़रोख़्त कियसा बस ग्राहक ने विक्रय क़ुबूल करली या नहीं स्वीकार की तो बाऐ पापी हो गया और ग़ुलाम आज़ाद हो गया और अगर बाऐ ने चुकाने के समय कहा हो कि अगर मैंने इस के क़ीमत से कुछ हत किया तो यह आज़ाद है और बाक़ी मसला बदस्तूर स्थपित हुआ तो ग़ुलाम (बाऐ पापी न होगा) आज़ाद न होगा और इस के क़ीमत (पांच सौ दिरहम से मसलन) से इस के बाद कुछ हत भी कर दिया तो क़सम मुनहल हुई लेकिन ग़ुलाम आज़ाद न होगा इस लिए कि वह बाऐ की मिल्क से बाहर हो चुका है और अगर इस स्थिति में बाऐ ने बदला क़सम अपनी बीवी की तलाक़ या किसी दूसरे ग़ुलाम की आज़ादी क़रार दी हो तो इस की बीवी पर तलाक़ पड जायेगी और दूसरा ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा और इसी तरह अगर इन स्थितियों में थोडा क़ीमत ग्राहक को हुबा कर दिया चाहे पूरा क़ीमत वसूल करने के बाद या इस से पहले तो भी अपनी क़सम में पापी हो गया और अगर तमाम क़ीमत ग्राहक के ज़िम्मे से हत कर दिया या इस को तमाम क़ीमत हुबा कर दिया तो पापी न होगा और अगर ग्राहक को कुछ क़ीमत से बरी कर दिया बस अगर क़ीमत पर क़ब्ज़ा करने से पहले ऐसा किया तो अपनी क़सम में पापी होगा इस लिए कि यह हत क़रार दिया जायेगा और अगर बाद क़ब्ज़ा-ए-क़ीमत के ऐसा किया तो अपनी क़सम में पापी न होगा यह मुहीत में है।

इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि एक ने दूसरे से एक कपड़ा चुकाया और बाऐ ने बारह से कम को देने से इन्कार किया बस ग्राहक ने कहा कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैं इस को बारह कर खरीदूं फिर इस को तेरह को या बारह च एक दीनार को या बारह और एक कपडे के औज़ खरीदा तो अपनी क़सम में पापी होगा और अगर इस को ग्यारह और एक दीनार के औज़ या ग्यारह और एक कपडे के औज़ या दस व एक दीनार के औज़ या नो और एक दीनार के औज़ फ़रोख़्त किया तो पापी न होगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है। ज़ैद ने कोई चीज़ बऔज़ दिरहमों के फ़रोख़्त की फिर क़सम खाई कि इस का क़ीमत न लूंगा फिर इन दिरहमों के

औज़ गेंहू ले लिये तो हानिस हो गया यह वजीज़ करदरी में है। अगर क़सम खाई कि यह चीज़ किसी के हाथ फ़रोख़्त न करूंगा फिर इस को दो आदमियों के हाथ फ़रोख़्त किया तो हानिस हुआ यह इताबिया में है। क़सम खाई कि कपड़ा न खरीदूंगा और इस की कुछ नियत नहीं है फिर इस ने रेशमी चादर या तेलिसान या पोस्मतीन या क़बार खरीदी तो हासि हुआ अगर इस ने मसीह (1) या बिछोना या ओपी या नयाली खरीदी तो हानिस न होगा यह वजीज़ करदरी में है क़ालल मुतरजम हमारे उर्फ़ के मुवाफ़िक़ उम्मीद है कि कपड़े से जो मुबादिर होता है इसी पर महमूल **हो**

(1)हत बाद क़रार पाने के कम कर देना।
(2)मसीहशायदयह ज़बाक+ तातार में मु]तलत हो गया और मुराद कमली हो।

'वल्लाहु तआला आलम क़ाल फ़िल वजीज़' इसी तरह अगर कोई टुकडा खरीदा जो निस्फ़ कपड़े के बराबर नहीं है तो भी हानिस न होगा और अगर निस्फ़ कपड़े के बराबर .ज्यादा हो तो हानिस होगा और अगर इस क़द्र खरीदा जिस से नमाज़ जाइज़ हो जाती है तो हानिस होगा और अगर इस क़द्र खरीदा जिस से नमाज़ जाइज़ हो जाती है तो हानिस होगा इन्तहा क़िल्लत व हाज़ा ज़ाहिर एक ने क़सम खाई कि इस औरत के वास्ते सौब न खरीदूंगा फिर इस के वास्ते ओढ़नी (नुमा) खरीदी तो हानिस न होगा और यह जवाहिर अख़्लाती में है।

अगर क़सम खाई कि कतान न खरीदूंगा तो हमारे उर्फ़ में यह क़सम कितान के कपड़े पर वाक़े होगी और यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। ज़ैद ने क़सम खाई कि उमर से कुछ न खरीदूंगा फिरी इस से एक कपड़े की बैअ सलम ठहरा ली तो हानिस हुआ कज़ा फ़िल ज़हीरिया यह क़सम खाई कि अपनी बान्दी के लिय नया कपड़ा न खरीदूंगा तो उर्फ़ में नयसा वो कपड़ा है जो धुला हुआ न हो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि 'ला यशतरी तआमाह तआम' न खरीदूंगा फिर इस ने गेंहू खरीदे तो हमारे उलमा के क़ौल में हानिस होगा। यह हावी में है। क़ालल मुतरजम यह अमर इमामों का है और हमारे उर्फ़ के मुवाफ़िक़ तआम फ़िल हाल खाने क़ाबिल पर वाक़े होगा 'कमा सरहनाह फ़ी किताब उल बुयूअ'

औज़ गेंहू ले लिये तो पापी हो गया यह वजीज़ करदरी में है। अगर क़सम खाई कि यह चीज़ किसी के हाथ फ़रोख़्त न करूंगा फिर इस को दो आदमियों के हाथ फ़रोख़्त किया तो पापी हुआ यह इताबिया में है। क़सम खाई कि कपड़ा न खरीदूंगा और इस की कुछ इरादा नहीं है फिर इस ने रेशमी चादर या तेलिसान या पोस्मतीन या क़बार खरीदी तो हासि हुआ अगर इस ने मसीह (1) या बिछोना या ओपी या नयाली खरीदी तो पापी न होगा यह वजीज़ करदरी में है अनुवादक के कथनानुसार हमारे उर्फ़ के मुवाफ़िक़ उम्मीद है कि कपड़े से जो मुबादिर होता है इसी पर महमूल **हो**

(1)हत बाद क़रार पाने के कम कर देना।
(2)मसीहशायदयह ज़बाक+ तातार में मु]तलत हो गया और तात्पर्य कमली हो।

'वल्लाहु तआला आलम क़ाल फ़िल वजीज़' इसी तरह अगर कोई टुकडा खरीदा जो आधा कपडे के बराबर नहीं है तो भी पापी न होगा और अगर आधा कपडे के बराबर .ज्यादा हो तो पापी होगा और अगर इस क़द्र खरीदा जिस से नमाज़ जाइज़ हो जाती है तो पापी होगा और अगर इस क़द्र खरीदा जिस से नमाज़ जाइज़ हो जाती है तो पापी होगा इन्तहा क़िल्लत व हाज़ा ज़ाहिर एक ने क़सम खाई कि इस औरत के लिए सौब न खरीदूंगा फिर इस के लिए ओढ़नी (नुमा) खरीदी तो पापी न होगा और यह जवाहिर अख़्लाती में है।

अगर क़सम खाई कि कतान न खरीदूंगा तो हमारे उर्फ़ में यह क़सम कितान के कपडे पर स्थपित होगी और यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। ज़ैद ने क़सम खाई कि उमर से कुछ न खरीदूंगा फिरी इस से एक कपडे की विक्रय सलम ठहरा ली तो पापी हुआ कज़ा फ़िल ज़हीरिया यह क़सम खाई कि अपनी बान्दी के लिय नया कपड़ा न खरीदूंगा तो उर्फ़ में नयसा वह कपड़ा है जो धुला हुआ न हो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि 'ला यशतरी तआमाह तआम' न खरीदूंगा फिर इस ने गेंहू खरीदे तो हमारे उलमा के कथन में पापी होगा। यह हावी में है। अनुवादक के कथनानुसार यह अमर इमामों का है और हमारे उर्फ़ के मुवाफ़िक़ तआम फ़िल हाल खाने क़ाबिल पर स्थपित होगा 'कमा सरहनाह

और अगर क़सम खाई कि इन दिरहमों की रोटी न खरीदूंगा तो जब तक यह दिरहम पहले नानवाई को दे कर फिर इस से न कहे कि मुझे इन दिरहमों की रोटी दे दे तब तक हानिस न होगा चुनांचे अगर नानवाई को यह दिरहम देने से पहले रोटी खरीदने को इस तरह कहा तो हानिस न होगा और जामअ में फ़रमाया कि अगर इस ने अक़्द बैअ को उन्हीं दिरहमों की तरफ़ मज़ाफ़ किया तो हानिस होगा ख़्वाह यह दिरहम दिये हों या हुनूज़ न दिये हों यह वजीज़ करदरी में है और मुतरजम कहता है कि यही असह है वल्लाह तआला आलम और अगर क़सम खाई कि जो न खरीदूंगा फिर इस ने गेंहू खरीदे जिन में जो के दाना मौजूद हैं तो हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर क़सम खाई कि बक़ल (साग पात और साघ खेती जिस में बाली न आई हो) न खरीदूंगा फिर ऐसी ज़मीन खरीदी जिस में बक़ल मौजूद है और मुशतरी ने शर्त करली कि यह बक़ल मेरी होगी तो भी हानिस होगाः

अगर क़सम खाई कि लखोरी ईंट या लकडी या नरकल न खरीदूंगा फिर इस ने कोई पुख़्ता मकान खरीदा तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि ख़ुरमा के फल न खरीदूंगा फिर इस ने एक ज़मीन खरीदी जिस में ख़ुरमा के दरख़्त हैं पर फल मौजूद हैं और मुशतरी ने शर्त करली कि यह फल मेरे होंगे तो हानिस होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि बक़ल (1) खरीदूंगा फिर ऐसी ज़मीन खरीदी जिस में बक़ल मौजूद है और मुशतरी ने शर्त करली कि यह बक़ल मेरी होगी तो भी हानिस होगा इदस वास्ते कि इस सूरत में बक़ल बैअ में बिल मक़सूद दाखिल होगी न बिल तबअ। अगर क़सम खाई कि गोश्त न खरीदूंगा फिर ज़िन्दह बकरी खरीदी तो हानिस न होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि कडवा तेल न खरीदूंगा फिर सरसों खरीदी तो हानिस न होगा और अली हाज़ा अगर किसी ने क़सम खाई कि

फ़ी किताब उल बुयूअ' और अगर क़सम खाई कि इन दिरहमों की रोटी न खरीदूंगा तो जब तक यह दिरहम पहले नानवाई को दे कर फिर इस से न कहे कि मुझे इन दिरहमों की रोटी दे दे तब तक पापी न होगा चुनांचे अगर नानवाई को यह दिरहम देने से पहले रोटी खरीदने को इस तरह कहा तो पापी न होगा और जामअ में फ़रमाया कि अगर इस ने अक़्द विक्रय को उन्हीं दिरहमों की तरफ़ मज़ाफ़ किया तो पापी होगा चाहे यह दिरहम दिये हों या हुनूज़ न दिये हों यह वजीज़ करदरी में है और मुतरजम कहता है कि यही असह है वल्लाह तआला आलम और अगर क़सम खाई कि जो न खरीदूंगा फिर इस ने गेंहू खरीदे जिन में जो के दाना मौजूद हैं तो पापी न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर क़सम खाई कि बक़ल (साग पात और साघ खेती जिस में बाली न आई हो) न खरीदूंगा फिर ऐसी ज़मीन खरीदी जिस में बक़ल मौजूद है और ग्राहक ने शर्त करली कि यह बक़ल मेरी होगी तो भी पापी होगाः

अगर क़सम खाई कि लखोरी ईंट या लकडी या नरकल न खरीदूंगा फिर इस ने कोई पुख़्ता मकान खरीदा तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि ख़ुरमा के फल न खरीदूंगा फिर इस ने एक ज़मीन खरीदी जिस में ख़ुरमा के दरख़्त हैं पर फल मौजूद हैं और ग्राहक ने शर्त करली कि यह फल मेरे होंगे तो पापी होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि बक़ल (1) खरीदूंगा फिर ऐसी ज़मीन खरीदी जिस में बक़ल मौजूद है और ग्राहक ने शर्त करली कि यह बक़ल मेरी होगी तो भी पापी होगा इदस लिए कि इस स्थिति में बक़ल विक्रय में बिल मक़सूद प्रवेश होगी न बिल तबअ। अगर क़सम खाई कि गोश्त न खरीदूंगा फिर जीवित बकरी खरीदी तो पापी न होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि कडवा तेल न खरीदूंगा फिर सरसों खरीदी तो पापी न होगा और अली हाज़ा अगर किसी ने क़सम खाई कि नरकल न खरीदूंगा और न ख़ुरमा के पत्ते फिर एक बोरिया (ज़रगुल का) खरीदा या ख़ुरमा के पत्तों की ज़ंबील खरीदी तो विद्वानों

नरकल न खरीदूंगा और न ख़ुरमा के पत्ते फिर एक बोरिया (ज़रगुल का) खरीदा या ख़ुरमा के पत्तों की ज़ंबील खरीदी तो मशाइख ने फ़रमाया कि हानिस न होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि बकरी का बच्चा (ख़लों) न खरीदूंगा फिर गाभन बकरी खरीदी या क़सम खाई कि सग़ीर ममलूक न खरीदूंगा फिर हामिला बान्दी खरीदी तो हानिस न होगा यह बदाऐ में है। अगर क़सम खाई कि कोई दरख़्त न खरीदूंगा फिर एक ज़मीन खरीदी जिस में दरख़्त हैं तो हानिस न होगा और ज़हीरिया में है।

क़ालल मुतरजम इस जिन्स के मसाइल में असल यह है कि अगर किसी चीज़ के न खरीदने की क़सम खाईष तो इस में तीन सूरतें हैं कि अगर यह चीज़ दूसरी चीज़ के खरीदने में आई और ऐसी चीज़ है कि इस की तबइयत में बदों ज़िक्र व शर्त के दाखिल हो जाती है तो हानिस न होगा और अगर बदों शर्त के दाखिल नहीं होती है और शर्त करने से दाखिल हो सकती है पस शर्त की तो हानिस होगा और अगर मुस्तक़िल बाद ज़िक्र के बैअ में आती है तो भी हानिस होगा अगर खरीद किया हो फ़लयताम्मुल और अगर क़सम खाई कि दीवार न खरीदूंगा फिर एक दार खरीदा जिस की चार दीवारी क़ायम है तो इस्तहसानन हानिस होगा एक ने क़सम खाई कि दरख़्त ख़ुरमा न खरीदूंगा फिर एक बाग़ चार दीवारी का खरीदा जिस के अन्दर दरख़्ताने ख़ुरमा हैं तो हानिस हुआ और अगर क़सम खाई कि सौफ़ न खरीदूंगा फिर एक बकरी खरीदी जिस की पुश्त पर सौफ़ मौजूद है तो हानिस न होगा। इसी तरह अगर बकरी को बऔज़ सौफ़ तराशदह खरीदा तो भी यही हुक्म है यह ज़ाहिर उल रिवाया है कज़ा फ़ी फ़तावा क़ाज़ी खान और सौफ़ न खरीदने की क़सम में अगर खाल खरीदी जिस पर सौफ़ मौजूद है तो हानिस न होगा और इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है कि ऐसी खाल खरीदने से हानिस होगा यह इताबिया में है। अगर क़सम खाई कि दूध न खरीदूंगा फिर एक बकरी खरीदी जिस के थनों में दूध है तो हानिस न होगा और इसी तरह अगर बकरी को इस की जिन्स के दूध के औज़ खरीदा तो भी हानिस न होगा यह ज़ाहिर उल ने फ़रमाया कि पापी न होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि बकरी का बच्चा (ख़लों) न खरीदूंगा फिर गाभन बकरी खरीदी या क़सम खाई कि सग़ीर ममलूक न खरीदूंगा फिर हामिला बान्दी खरीदी तो पापी न होगा यह बदाऐ में है। अगर क़सम खाई कि कोई दरख़्त न खरीदूंगा फिर एक ज़मीन खरीदी जिस में दरख़्त हैं तो पापी न होगा और ज़हीरिया में है।

अनुवादक के कथनानुसार इस जिन्स के मसाइल में असल यह है कि अगर किसी चीज़ के न खरीदने की क़सम खाईष तो इस में तीन सूरतें हैं कि अगर यह चीज़ दूसरी चीज़ के खरीदने में आई और ऐसी चीज़ है कि इस की तबइयत में बदों वर्णन व शर्त के प्रवेश हो जाती है तो पापी न होगा और अगर बदों शर्त के प्रवेश नहीं होती है और शर्त करने से प्रवेश हो सकती है बस शर्त की तो पापी होगा और अगर मुस्तक़िल बाद वर्णन के विक्रय में आती है तो भी पापी होगा अगर खरीद किया हो फ़लयताम्मुल और अगर क़सम खाई कि दीवार न खरीदूंगा फिर एक घर खरीदा जिस की चार दीवारी क़ायम है तो इस्तहसानन पापी होगा एक ने क़सम खाई कि दरख़्त ख़ुरमा न खरीदूंगा फिर एक बाग़ चार दीवारी का खरीदा जिस के अन्दर दरख़्ताने ख़ुरमा है तो पापी हुआ और अगर क़सम खाई कि सौफ़ न खरीदूंगा फिर एक बकरी खरीदी जिस की पुश्त पर सौफ़ मौजूद है तो पापी न होगा। इसी तरह अगर बकरी को बऔज़ सौफ़ तराशदह खरीदा तो भी यही आदेश है यह ज़ाहिर उल रिवाया है कज़ा फ़ी फ़तावा क़ाज़ी खान और सौफ़ न खरीदने की क़सम में अगर खाल खरीदी जिस पर सौफ़ मौजूद है तो पापी न होगा और इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है कि ऐसी खाल खरीदने से पापी होगा यह इताबिया में है। अगर क़सम खाई कि दूध न खरीदूंगा फिर एक बकरी खरीदी जिस के थनों में दूध है तो पापी न होगा और इसी तरह अगर बकरी को इस की जिन्स के दूध के औज़ खरीदा तो भी पापी न होगा यह ज़ाहिर उल रिवाया के मुवाफ़िक़ है और यह स्थिति और बकरी को बऔज़ गोश्त के खरीदना इमाम अबू हनीफ़ा रह० और अबू यूसुफ़ रह० के निकट यक्सां हैं कि बहरहाल में

रियाया के मुवाफ़िक़ है और यह सूरत और बकरी को बऔज़ गोश्त के खरीदना इमाम अबू हनीफ़ा रह० और अबू यूसुफ़ रह० के नज़दीक यक्सां हैं कि बहरहाल में जाइज़ है और अगर दूध न खरीदने की क़सम खाई होगी तो इस सूरत में हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि चकती न खरीदूंगा फिर एक दुम्बा (पूरा) ज़िबह किया हुआ खरीद किया तो हानिस न होगा और यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर क़सम खाई कि सिर्री न खरीदूंगा तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक यह क़सम बकरी व दुम्बा व गाये की सिर्री पर वाक़े होगी और फ़तवा बऐतबारे रिवाज के होगा :

असल यह है कि जिस पर क़सम खाई है अगर वो दूसरी चीज़ की तबइयत में बैअ में दाखिल हो गई हो तो इस से हानिस न होगा और अगर मक़सूदन दाखिल हुई हो तो हानिस होगा यह ज़खीरह में है और क़ालल मुतरजम (1) انما عثرت علیه بعد ما ذکرت الاصل قبیل هذا فاذا هما یتوافقان فالحمد لله علی ذلک حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا وصلی الله تعالیٰ علی سیدنا الصادق الامین محمد وآله اجمعین अगर क़सम खाई कि गोश्त न खरीदूंगा फिर सिर्री खरीदी तो हानिस न होगा यह .ख़ुलासा में है और अगर क़सम खाई कि सिर्री न खरीदूंगा तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक यह क़सम बकरी व दुम्बा व गाये की सिर्री पर वाक़े होगी और साहबीन रह० के अनुसार फ़क़त बकरी व दुम्बा की सिर्री पर वाक़े होगी और यह इख़्तलाफ़ असर व ज़माना है यानी बऐतबार रिवाज के है वक़ालल मुतरजम हमारे उर्फ़ के मुवाफ़िक़ भी साहबीन रह० के क़ौल पर फ़तवा होना चाहिए है वल्लाह आलम और अगर क़सम खाई कि शहम न खरीदूंगा यानी चरबी फिर इस ने पेट की चरबी खरीदी तो हानिस होगा और पीठ की चरबी जिस में गोश्त का मेल होता है खरीदी तो यह मसला इमाम मुहम्मद रह० ने असल में नहीं ज़िक्र फ़रमाया है और शम्सुल अइम्मा सुरखी ने (शरह में) ज़िक्र किया है कि हानिस न होगा और यह मुहीत में है। एक ने कहा कि वल्लाह न खरीदूंगा इन दिरहमों के औज़

जाइज़ है और अगर दूध न खरीदने की क़सम खाई होगी तो इस स्थिति में पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि चकती न खरीदूंगा फिर एक दुम्बा (पूरा) ज़िबह किया हुआ खरीद किया तो पापी न होगा और यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर क़सम खाई कि सिर्री न खरीदूंगा तो इमाम आज़म रह० के निकट यह क़सम बकरी व दुम्बा व गाये की सिर्री पर स्थपित होगी और फ़तवा बऐतबारे रिवाज के होगा :

असल यह है कि जिस पर क़सम खाई है अगर वह दूसरी चीज़ की तबइयत में विक्रय में प्रवेश हो गई हो तो इस से पापी न होगा और अगर मक़सूदन प्रवेश हुई हो तो पापी होगा यह ज़खीरह में है और अनुवादक के कथनानुसार (1) انما عثرت علیه بعد ما ذکرت الاصل قبیل هذا فاذا هما یتوافقان فالحمد لله علی ذلک حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا وصلی الله تعالیٰ علی سیدنا الصادق الامین محمد وآله اجمعین अगर क़सम खाई कि गोश्त न खरीदूंगा फिर सिर्री खरीदी तो पापी न होगा यह .ख़ुलासा में है और अगर क़सम खाई कि सिर्री न खरीदूंगा तो इमाम आज़म रह० के निकट यह क़सम बकरी व दुम्बा व गाये की सिर्री पर स्थपित होगी और साहबीन रह० के अनुसार केवल बकरी व दुम्बा की सिर्री पर स्थपित होगी और यह मतभेद असर व ज़माना है यानी बऐतबार रिवाज के है वक़ालल मुतरजम हमारे उर्फ़ के मुवाफ़िक़ भी साहबीन रह० के कथन पर फ़तवा होगा चाहिए है वल्लाह आलम और अगर क़सम खाई कि शहम न खरीदूंगा यानी चरबी फिर इस ने पेट की चरबी खरीदी तो पापी होगा और पीठ की चरबी जिस में गोश्त का मेल होता है खरीदी तो यह मसला इमाम मुहम्मद रह० ने असल में नहीं वर्णन फ़रमाया है और शम्सुल अइम्मा सुरखी ने (शरह में) वर्णन किया है कि पापी न होगा और यह मुहीत में है। एक ने कहा कि वल्लाह न खरीदूंगा इन

इल्ला गोश्त फिर इस ने इन दिरहमों में से थोड़े के औज़ गोश्त खरीदा और बाक़ी के औज़ कोई और चीज़ सिवाए गोश्त के खरीदी तो हानिस न होगा जब तक कि इन सब के औज़ दूसरी चीज़ सिवाए गोश्त के न खरीदने और अगर क़सम खाई कि इन दिरहमों के औज़ सिवाए गोश्त के न खरीदूंगा फिर इस ने थोड़े दिरहमों के औज़ कोई और चीज़ सिवाए गोश्त के खरीदी तो क़यासन हानिस न होगा और इस्तहसानन हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि ओन या बाल न खरीदूंगा तो यह क़सम सादे ओन व बाल पर वाक़े होगी और इन चीज़ों पर वाक़े न होगी जो ओन व बाल से बनाई गई हों चुनांचे कमल और

(1) मुतरजम कहता है कियह तहक़ीक+ मेरी नज़र में इस वक़्त आई जब मैं ऊपर तौज़ीह मज़कूर अपनी तरफ+ से लिख चुका था फिर अलहम्दु लिल्लाह सुब्हानहू तआला कि दोनों मुवाफ़िक+ हैं।

बोलों की थैली ख़रीदने से हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि दहन (1) न खरीदूंगा तो ऐसे दहन पर वाक़े होगी जिस से तदहीन करने का लोगों में रिवाज व आदत है और जिस से तदहीन की आदत नहीं है जैसे रोग़न ज़ैतून व अलसी व अण्डे व पाये तो इन से हानिस न होगा और क़ालल मुतरजम अगर हमारी ज़बान में कहा कि तेल न खरीदूंगा तो सिवाए पाये के सब तेलों पेर वाक़े होगी और अगर यूं कहा कि लगाने का तेल न खरीदूंगा तो हुक्म मुवाफ़िक़ मज़कूरह किताब है वल्लाहु आलम और अगर इस ने ज़ैत मतबूख खरीदा और क़सम के वक़्त इस की कुछ नियत नहीं है तो हानिस होगा यह बदाऐ में है।

मुन्तक़ी में लिखा है कि अगर ज़ैद ने उमर से एक ग़ुलाम खरीदना चाहा और हज़ार दिरहम इस के दाम ठहराये पस ज़ैद ने हज़ार दिरहम उमर को दिये फिर क़सम खाई कि अगर मैंने इन हज़ार दिरहम के औज़ यह ग़ुलाम खरीदा तो यह हज़ार दिरहम मिस्कीनों पर सदक़ा हैं और उन्हें दिये हुए हज़ार दिरहम की तरफ़ इशारह किया और उमर ने कहा कि अगर मैंने यह ग़ुलाम इन हज़ार दिरहमों के औज़ फ़रोख़्त किया तो यह हज़ार दिरहम मिस्कीनों पर सदक़ा हैं और उन्हें दिये हुए हज़ार दिरहमों की तरफ़ बाऐ ने भी इशारह किया फिर उमर ने

दिरहमों के औज़ सिवा गोश्त फिर इस ने इन दिरहमों में से थोड़े के औज़ गोश्त खरीदा और बाक़ी के औज़ कोई और चीज़ सिवाए गोश्त के खरीदी तो पापी न होगा जब तक कि इन सब के औज़ दूसरी चीज़ सिवाए गोश्त के न खरीदने और अगर क़सम खाई कि इन दिरहमों के औज़ सिवाए गोश्त के न खरीदूंगा फिर इस ने थोड़े दिरहमों के औज़ कोई और चीज़ सिवाए गोश्त के खरीदी तो क़यासन पापी न होगा और इस्तहसानन पापी होगा और अगर क़सम खाई कि ओन या बाल न खरीदूंगा तो यह क़सम सादे ओन व बाल पर स्थपित होगी और इन चीज़ों पर स्थपित न होगी जो ओन व बाल से बनाई गई हों चुनांचे कमल और

(1) मुतरजम कहता है कियह तहक़ीक+ मेरी मन्नत में इस सम आई जब मैं ऊपर तौज़ीह वर्णित अपनी तरफ+ से लिख चुका था फिर अलहम्दु लिल्लाह सुब्हानहू तआला कि दोनों मुवाफ़िक+ हैं।

बोलों की थैली ख़रीदने से पापी न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि दहन (1) न खरीदूंगा तो ऐसे दहन पर स्थपित होगी जिस से तदहीन करने का लोगों में रिवाज व आदत है और जिस से तदहीन की आदत नहीं है जैसे रोग़न ज़ैतून व अलसी व अण्डे व पाये तो इन से पापी न होगा और अनुवादक के कथनानुसार अगर हमारी ज़बान में कहा कि तेल न खरीदूंगा तो सिवाए पाये के सब तेलों पेर स्थपित होगी और अगर यूं कहा कि लगाने का तेल न खरीदूंगा तो आदेश मुवाफ़िक़ वर्णितह किताब है वल्लाहु आलम और अगर इस ने ज़ैत मतबूख खरीदा और क़सम के समय इस की कुछ इरादा नहीं है तो पापी होगा यह बदाऐ में है।

मुन्तक़ी में लिखा है कि अगर ज़ैद ने उमर से एक ग़ुलाम खरीदना चाहा और हज़ार दिरहम इस के दाम ठहराये बस ज़ैद ने हज़ार दिरहम उमर को दिये फिर क़सम खाई कि अगर मैंने इन हज़ार दिरहम के औज़ यह ग़ुलाम खरीदा तो यह हज़ार दिरहम निर्धनों पर दान हैं और उन्हें दिये हुए हज़ार दिरहम की तरफ़ इशारह किया और उमर ने कहा कि अगर मैंने यह ग़ुलाम इन हज़ार दिरहमों के औज़ फ़रोख़्त किया तो यह हज़ार दिरहम निर्धनों पर दान हैं और उन्हें दिये हुए हज़ार दिरहमों की

उन्हीं दिरहमों के औज़ यह ग़ुलाम ज़ैद के हाथ फ़रोख़्त किया तो उमर पर लाज़िम आयेगा कि यह हज़ार दिरहम सदक़ा करे ज़ैद पर लाज़िम न आयेगा यह तातार ख़ानिया में है क़ालल मुतरजम और अगर जज़ा यह क़रार दी हो कि तू यह ग़ुलाम आज़ाद है तो मुशतरी की तरफ़ से ग़ुलाम आज़ाद होगा न बाऐ की तरफ़ से फ़लयतामुल और अगर कहा कि मैं किसी ग़ुलाम का मालिक हुआ तो वो आज़ाद है फिर निस्फ़ ग़ुलाम खरीदा और इस को फ़रोख़्त कर दिया फिर बाक़ी निस्फ़ खरीदा तो यह निस्फ़ इस की तरफ़ से आज़ाद न हो जायेगा और अगर यूं कहा कि अगर मैंने कोई ग़ुलाम खरीदा तो वो आज़ाद है और बाक़ी मसला बहाला है तो यह निस्फ़ आज़ाद हो जायेगा और यह ग़ैर निश्चित ग़ुलाम की सूरत में है और निश्चित ग़ुलाम की सूरत में यूं कहा कि अगर मैं इस ग़ुलाम का मालिक हुआ तो वो आज़ाद है तो इस का हुक्म मिस्ल इस सूरत के है कि अगर मैंने यह ग़ुलाम खरीदा तो आज़ाद है यानी यह निस्फ़ इस की तरफ़ से आज़ाद हो जायेगा और यही हुक्म दिरहमों की सूरत में है यानी अगर यूं कहा कि अगर मैं दो सो दिरहम का मालिक हुआ तो इस पर इन का सदक़ा कर देना वाजिब न होगा और अगर दिरहम निश्चित हों यानी इशारह करके कहा हो कि अगर इन दो सो दिरहम का मालिक हुआ तो मुझ पर इन का सदक़ा कर देना वाजिब न होगा और अगर दिरहम निश्चित हों यानी इशारह करके कहा हो कि अगर इन दो सो दिरहम का मालिक हुआ तो मुझ पर इन का सदक़ा करना वाजिब है तो इस तरह मालिक होने से इस पर सदक़ा करना वाजिब होगा और खरीद की सूरत में अगर इस ने यह दावा किया कि मेरी नियत यह थी कि अगर पूरे को मैंने खरीदा तो आज़ाद है तो क़ज़ाअन इस के क़ौल की तसदीक़ न की जायेगी और दयानतन तसदीक़ होगी। यह ख़ुलासा में है। ज़ैद ने उमर व बकर कसे कहा कि अगर तुम ने किसी ग़ुलाम को खरीदा या तुम किसी ग़ुलाम के मालिक हुए तो मेरे ग़ुलामों में से एक आज़ाद है फिर दोनों एक ग़ुलाम के मालिक हुए जो दोनों में मसावी मुशतरिक है या एक ने खरीद कर दूसरे के हाथ फ़रोख़्त कर दिया तो ज़ैद हानिस

तरफ़ बाऐ ने भी इशारह किया फिर उमर ने उन्हीं दिरहमों के औज़ यह ग़ुलाम ज़ैद के हाथ फ़रोख़्त किया तो उमर पर अनिवार्य आयेगा कि यह हज़ार दिरहम दान करे ज़ैद पर अनिवार्य न आयेगा यह तातार ख़ानिया में है अनुवादक के कथनानुसार और अगर बदला यह क़रार दी हो कि तू यह ग़ुलाम आज़ाद है तो ग्राहक की तरफ़ से ग़ुलाम आज़ाद होगा न बाऐ की तरफ़ से फ़लयतामुल और अगर कहा कि मैं किसी ग़ुलाम का मालिक हुआ तो वह आज़ाद है फिर आधा ग़ुलाम खरीदा और इस को फ़रोख़्त कर दिया फिर बाक़ी आधा खरीदा तो यह आधा इस की तरफ़ से आज़ाद न हो जायेगा और अगर यूं कहा कि अगर मैंने कोई ग़ुलाम खरीदा तो वह आज़ाद है और बाक़ी मसला बहाला है तो यह आधा आज़ाद हो जायेगा और यह ग़ैर निश्चित ग़ुलाम की स्थिति में है और निश्चित ग़ुलाम की स्थिति में यूं कहा कि अगर मैं इस ग़ुलाम का मालिक हुआ तो वह आज़ाद है तो इस का आदेश मिस्ल इस स्थिति के है कि अगर मैंने यह ग़ुलाम खरीदा तो आज़ाद है यानी यह आधा इस की तरफ़ से आज़ाद हो जायेगा और यही आदेश दिरहमों की स्थिति में है यानी अगर यूं कहा कि अगर मैं दो सो दिरहम का मालिक हुआ तो इस पर इन का दान कर देना अनिवार्य न होगा और अगर दिरहम निश्चित हों यानी इशारह करके कहा हो कि अगर इन दो सो दिरहम का मालिक हुआ तो मुझ पर इन का दान कर देना अनिवार्य न होगा और अगर दिरहम निश्चित हों यानी इशारह करके कहा हो कि अगर इन दो सो दिरहम का मालिक हुआ तो मुझ पर इन का दान करना अनिवार्य है तो इस तरह मालिक होने से इस पर दान करना अनिवार्य होगा और खरीद की स्थिति में अगर इस ने यह दावा किया कि मेरी इरादा यह थी कि अगर पूरे को मैंने खरीदा तो आज़ाद है तो न्यायिक इस के कथन की पुष्टि न की जायेगी और दयानतन पुष्टि होगी। यह ख़ुलासा में है। ज़ैद ने उमर व बकर कसे कहा कि अगर तुम ने किसी ग़ुलाम को खरीदा या तुम किसी ग़ुलाम के मालिक हुए तो मेरे ग़ुलामों में से एक आज़ाद है फिर दोनों एक ग़ुलाम के मालिक हुए जो दोनों में मसावी साझा है या

हुआ और अगर किसी ने कहा कि मैं नहीं मालिक हुआ इल्ला पचास व दस दिरहम का यानी ज़कात मुझ पर यूं नहीं है कि मैं दो सो दिरहम का मालिक नहीं रहा हूं हालांकि वो फ़क़त दस ही दिरहम का मालिक हुआ है तो हानिस (1) न होगा और अगर वो पचास दिरहम के साथ दस दीनार का या सोयम (2) का या और किसी तिजारती चीज़ का मालिक हुआ तो हानिस होगा और अगर पचास दिरहम के साथ ग़ैर तिजारती असबाब का या खिदमत के वास्ते ग़ुलामों का या रहने के दार वग़ैरह का मालिक हुआ तो हानिस न होगा इस वास्ते कि उर्फ़ के मुवाफ़िक़ इस की मुराद यह है कि वो किसी माल का मालिक नहीं हुआ है इल्ला पचास दिरहम का और मुतलक़ लफ़्ज़े माल राजअ बजानिब माल ज़कात होता है यह वजीज़ करदरी में है।

(1)वजह फ़र्क़यह है कि सनदी ग़ुलाम मारूफ+ है क्योंकियह मुल्क काफ़िर रहा और सराद से फ़तह हुआ बखिलाफ+ इस के +]ुरासानी ग़ुलाम मअ+रूफ+ नहीं है फ़ाफ़हम।

(2)इस वास्ते कि मक़सूद मुल्क पचास दिरहम नहीं है बल्कि नफ़ी मुल्क दोसौ दिरहम है और पचास दिरहम का बयान बनज़र अहतियात है फ़ाफ़हम।

(1)दोनों में से।

(2)ज़ुराई के चौपाये जानवर।

एक ने क़सम खाई कि सोना या चांदी न खरीदूंगा तो इस में सोने व चांदी के पतर और ढ़ली हुई चीज़ें बर्तन व ज़ैवर वग़ैरहव दिरहम व दीनार सब दाखिल हैं। यह इमाम अबू यूसुफ़ का क़ौल है और इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि इस में दिरहम व दीनार दाखिल न होंगे और अगर चांदी की अंगूठी खरीदी तो हानिस होगा और इसी तरह अगर तलवार जिस पर चांदी का हीला है खरीदी तो भी हानिस होगा और मुशबा सोने व चांदी के मा सिवाए इन दोनों के नहीं है जबकि सोना व चांदी तलवार या पेटी में हो तो इस को तलवार के साथ खरीदा है अगर इस का सिमन सोना व चांदी हो और अगर इस का गेंहू वग़ैरहहों तो हानिस न होगा और एक ने क़सम खाई कि लोहा ना खरीदूंगा तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० के क़ौल के मुवाफ़िक़ इस में लोहा और लोहे कि बनाई हुई चीज़ व हथियार सब दाखिल होंगे और इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि इस में वो

एक ने खरीद कर दूसरे के हाथ फ़रोख्त कर दिया तो ज़ैद पापी हुआ और अगर किसी ने कहा कि मैं नहीं मालिक हुआ सिवा पचास व दस दिरहम का यानी ज़कात मुझ पर यूं नहीं है कि मैं दो सो दिरहम का मालिक नहीं रहा हूं हालांकि वह केवल दस ही दिरहम का मालिक हुआ है तो पापी (1) न होगा और अगर वह पचास दिरहम के साथ दस दीनार का या सोयम (2) का या और किसी तिजारती चीज़ का मालिक हुआ तो पापी होगा और अगर पचास दिरहम के साथ ग़ैर तिजारती असबाब का या सेवा के लिए ग़ुलामों का या रहने के घर वग़ैरह का मालिक हुआ तो पापी न होगा इस लिए कि उर्फ़ के मुवाफ़िक़ इस की तात्पर्य यह है कि वह किसी माल का मालिक नहीं हुआ है सिवा पचास दिरहम का और मुतलक़ लफ़्ज़े माल राजअ बजानिब माल ज़कात होता है यह वजीज़ करदरी में है।

(1)कारण फ़र्क़यह है कि सनदी ग़ुलाम मारूफ+ है क्योंकियह मुल्क काफ़िर रहा और सराद से फ़तह हुआ बखिलाफ+ इस के +]ुरासानी ग़ुलाम मअ+रूफ+ नहीं है फ़ाफ़हम।

(2) इस लि, कि मक़सूद मुल्क पचास दिरहम नहीं है बल्कि नफ़ी मुल्क दोसौ दिरहम है और पचास दिरहम का बयान बमन्नत अहतियात है फ़ाफ़हम।

(1)दोनों में से।

(2)ज़ुराई के चौपाये जानवर।

एक ने क़सम खाई कि सोना या चांदी न खरीदूंगा तो इस में सोने व चांदी के पतर और ढ़ली हुई चीज़ें बर्तन व ज़ैवर वग़ैरहव दिरहम व दीनार सब प्रवेश है। यह इमाम अबू यूसुफ़ का कथन है और इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि इस में दिरहम व दीनार प्रवेश न होंगे और अगर चांदी की अंगूठी खरीदी तो पापी होगा और इसी तरह अगर तलवार जिस पर चांदी का हीला है खरीदी तो भी पापी होगा और मुशबा सोने व चांदी के मा सिवाए इन दोनों के नहीं है जबकि सोना व चांदी तलवार या पेटी में हो तो इस को तलवार के साथ खरीदा है अगर इस का क़ीमत सोना व चांदी हो और अगर इस का गेंहू वग़ैरहहों तो पापी न होगा और एक ने क़सम खाई कि लोहा ना खरीदूंगा तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० के कथन के मुवाफ़िक़ इस में लोहा और लोहे कि बनाई हुई चीज़ व हथियार सब प्रवेश होंगे और इमाम

चीज़ें दाखिल होंगी जिन का फ़रोख़्त करने वाला (1) हदाद कहलाता है और इस में हथियार दाखिल होंगे जैसे तलवार और छुरा और ख़ुद व ज़िरह वग़ैरह और नीज़ इस में सोई और सोजा भी दाखिल न होगा और मशाइख ने फ़रमाया कि हमारे दयार के उर्फ़ के मुवाफ़िक़ कीलें व क़फ़ल भी दाखिल न होंगे क़ालल मुतरजम हमारे उर्फ़ के मुवाफ़िक़ हानिस होगा वल्लाहु आलम। और पीतल (2) व कांसा बमन्ज़िला लोहे के है। अगर क़सम खाई कि पीतल या तांबा न खरीदूंगा तो इस में ख़ुद यह चीज़ और इस से बनाई हुई चीज़ें और पैसे इमाम अबू यूसुफ़ रह० के क़ौल के मुवाफ़िक़ दाखिल होंगे। इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि पैसे दाखिल न होंगे और अगर क़सम खाई कि लोहे के औज़ न खरीदूंगा फिर एक दरवाज़ा खरीदा बऔज़ इस क़द्र लोहे के जो मिक़्दार में इस लोहे से कम है जो दरवाज़ा में है तो नवादिर में मज़कूर है कि यह जाइज़ नहीं (पस सही न होगा) है और अगर बऔज़ इस क़द्र लोहे के खरीदा जो इस लोहे से जो दर ताज़ा में है तो बैअ जाइज़ होगी और वो अपनी क़सम में हानिस होगा। एक ने क़सम खाई कि नगीना न खरीदूंगा फिर एक अंगूठी खरीदी जिस का नगीना याक़ूत का है तो हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि आबगीना (कांच का सीसा) न खरीदूंगा फिर चांदी की अंगूठी खरीदी जिस का नगीना आबगीना का है पस अगर नगीना के दाम इस के हलक़ा के दाम से ज़ायद न हों तो हानिस न होगा और अगर ज़ायद हों तो हानिस होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

क़सम खाई कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैंने किसी औरत से निकाह किया हो हालांकि उस ने ऐसा किया है ख़्वाह बनिकाह जाइज़ या बनिकाह फ़साद तो हानिस होगा :

अगर क़सम खाई कि साखो का दरवाज़ा न खरीदूंगा फिर एक दार खरीदा यानी जिस में चार दीवारी मौजूद है और उस का दरवाज़ा साखो का है तो हानिस होगा यह ख़ुलासा में है फ़ज़्ल अगर क़सम खाई कि इस औरत को अपने निकाह में न लूंगा फिर बतौर फ़ासिद

मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि इस में वह चीज़ें प्रवेश होंगी जिन का फ़रोख़्त करने वाला (1) हदाद कहलाता है और इस में हथियार प्रवेश होंगे जैसे तलवार और छुरा और ख़ुद व ज़िरह वग़ैरह और नीज़ इस में सोई और सोजा भी प्रवेश न होगा और विद्वानों ने फ़रमाया कि हमारे दयार के उर्फ़ के मुवाफ़िक़ कीलें व क़फ़ल भी प्रवेश न होंगे अनुवादक के कथनानुसार हमारे उर्फ़ के मुवाफ़िक़ पापी होगा वल्लाहु आलम। और पीतल (2) व कांसा बमन्ज़िला लोहे के है। अगर क़सम खाई कि पीतल या तांबा न खरीदूंगा तो इस में ख़ुद यह चीज़ और इस से बनाई हुई चीज़ें और पैसे इमाम अबू यूसुफ़ रह० के कथन के मुवाफ़िक़ प्रवेश होंगे। इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि पैसे प्रवेश न होंगे और अगर क़सम खाई कि लोहे के औज़ न खरीदूंगा फिर एक दरवाज़ा खरीदा बऔज़ इस क़द्र लोहे के जो मिक़्दार में इस लोहे से कम है जो दरवाज़ा में है तो नवादिर में वर्णित है कि यह जाइज़ नहीं (पस सही न होगा) है और अगर बऔज़ इस क़द्र लोहे के खरीदा जो इस लोहे से जो दर ताज़ा में है तो विक्रय जाइज़ होगी और वह अपनी क़सम में पापी होगा। एक ने क़सम खाई कि नगीना न खरीदूंगा फिर एक अंगूठी खरीदी जिस का नगीना याक़ूत का है तो पापी होगा और अगर क़सम खाई कि आबगीना (कांच का सीसा) न खरीदूंगा फिर चांदी की अंगूठी खरीदी जिस का नगीना आबगीना का है बस अगर नगीना के दाम इस के हलक़ा के दाम से ज़ायद न हों तो पापी न होगा और अगर ज़ायद हों तो पापी होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

क़सम खाई कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैंने किसी औरत से निकाह किया हो हालांकि उस ने ऐसा किया है चाहे बनिकाह जाइज़ या बनिकाह फ़साद तो पापी होगा :

अगर क़सम खाई कि साखो का दरवाज़ा न खरीदूंगा फिर एक घर खरीदा यानी जिस में चार दीवारी मौजूद है और उस का दरवाज़ा साखो का है तो पापी होगा यह ख़ुलासा में है फ़ज़्ल अगर क़सम खाई कि इस

उस से निकाह किया और फ़साद निकाह ख़्वाह इस वजह से था कि बग़ैर गवाहों के था या औरत किसी दूसरे की तलाक़ या मौत की इद्दत में थी या मिस्ल इस के और कोई वजह थी तो हालिफ़ हानिस न होगा यह सिराज वहाज में है एक ने क़सम खाई कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर उस ने नियत की कि बनिकाह सही ज़माना माज़ी में किसी औरत से निकाह नहीं किया है तो क़ज़ाअन व दयानतन दोनों तरह उस के क़ौल की तसदीक़ होगी अगरचे इस सूरत में हालिफ़ के हक़ में तख़फ़ीफ़ है और अगर निकाह फ़ासद की ज़माना मुस्तक़बिल में नियत की हो तो क़ज़ाअन उस के क़ौल की तसदीक़ होगी अगरचे यह अम्र जो उस ने नियत किया है उस की इबारत का मदलूल मिजाज़ है लेकिन चूंकि उस के हक़ में तग़लीज़ है लिहाज़ा उस का क़ौल क़बूल होगा और निकाह जाइज़ से भी हानिस होगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है।

(1)जिन को लोहार फ़रो]त करता है।
(2)वही हुक्म जो लोहे का है।

अगर हालिफ़ का निकाह किसी फ़ुज़ूली ने कर दिया पस अगर क़सम से पहले फ़ुज़ूली का अक़्द क़रार पाया फिर हालिफ़ ने बाद क़सम के इजाज़त दे दी ख़्वाह बक़ौल इजाज़त दी या बफ़अल तो वोहानिस न होगा और अगर फ़ुज़ूली ने बाद इस की क़सम के अक़्द क़रार दिया तो हालिफ़ हानिस न होगा जब तक कि इजाज़त न दे और जब इजाज़त दे दी तो देखा जायेगा कि अगर उस ने बक़ौल इजाज़त दी मसलन कहा कि मैंने इस निकाह की इजाज़त दी तो वो हानिस हुआ और यही मुख़्तार है और अगर तअज्जुल इजाज़त दी मसलन महर भेज दिया या मिस्ल इस के कोई मर गया तो इब्ने समाआ ने इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत की है कि वो हानिस न होगा और अक्सर मशाइख़ इसी पर हैं और इसी पर फ़तवा है और अगर हालिफ़ का निकाह बाद क़सम के फ़ुज़ूली ने बतौर फ़ासिद कर दिया फिर हालिफ़ ने बक़ौल बिल फ़अल उस की इजाज़त दे दी तो हानिस न होगा और क़सम मुनहल न होगी हत्ता कि अगर इस के बाद बतौर जाइज़ निकाह किया तो अपनी क़सम में हानिस होगा और इसी तरह अगर हालिफ़ ने किसी को वकील किया

औरत को अपने निकाह में न लूंगा फिर बतौर फ़ासिद उस से निकाह किया और फ़साद निकाह चाहे इस कारण से था कि बग़ैर गवाहों के था या औरत किसी दूसरे की तलाक़ या मौत की इद्दत में थी या मिस्ल इस के और कोई कारण थी तो शपथकर्ता पापी न होगा यह सिराज वहाज में है एक ने क़सम खाई कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर उस ने इरादा की कि बनिकाह सही ज़माना माज़ी में किसी औरत से निकाह नहीं किया है तो न्यायिक व दयानतन दोनों तरह उस के कथन की पुष्टि होगी चाहे इस स्थिति में शपथकर्ता के हक़ में तख़फ़ीफ़ है और अगर निकाह फ़ासद की ज़माना मुस्तक़बिल में इरादा की हो तो न्यायिक उस के कथन की पुष्टि होगी चाहे यह कार्य जो उस ने इरादा किया है उस की इबारत का मदलूल मिजाज़ है लेकिन चूंकि उस के हक़ में तग़लीज़ है लिहाज़ा उस का कथन स्वीकार होगा और निकाह जाइज़ से भी पापी होगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है।

(1)जिन को लोहार फ़रो]त करता है।
(2)वही आदेश जो लोहे का है।

अगर शपथकर्ता का निकाह किसी फ़ुज़ूली ने कर दिया बस अगर क़सम से पहले फ़ुज़ूली का अक़्द क़रार पाया फिर शपथकर्ता ने बाद क़सम के इजाज़त दे दी चाहे बक़ौल इजाज़त दी या बफ़अल तो वहहानिस न होगा और अगर फ़ुज़ूली ने बाद इस की क़सम के अक़्द क़रार दिया तो शपथकर्ता पापी न होगा जब तक कि इजाज़त न दे और जब इजाज़त दे दी तो देखा जायेगा कि अगर उस ने बक़ौल इजाज़त दी मसलन कहा कि मैंने इस निकाह की इजाज़त दी तो वह पापी हुआ और यही मुख़्तार है और अगर तअज्जुल इजाज़त दी मसलन महर भेज दिया या मिस्ल इस के कोई मर गया तो इब्ने समाआ ने इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत की है कि वह पापी न होगा और अक्सर विद्वानों इसी पर हैं और इसी पर फ़तवा है और अगर शपथकर्ता का निकाह बाद क़सम के फ़ुज़ूली ने बतौर फ़ासिद कर दिया फिर शपथकर्ता ने बक़ौल बिल फ़अल उस की इजाज़त दे दी तो पापी न होगा और क़सम मुनहल न होगी हत्ता कि अगर इस के बाद बतौर जाइज़ निकाह किया तो अपनी क़सम में पापी

कि निकाह कराये पस वकील ने बतौर फ़ासिद किसी औरत से निकाह करा दिया तो मौक्किल हानिस न होगा और क़सम खाई कि किसी औरत से निकाह न करूंगा फिर हालिफ़ पर निकाह करने के वास्ते इकराह किया गया पस उस ने निकाह किया तो अपनी क़सम में हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

नवादिर हिशाम में इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है कि एक ने क़सम खाई कि अपनी बीवी पर तीन तलाक़ की इस शर्त पर कि इस दुख़्तर सग़ीरह का निकाह कर दे फिर हालिफ़ की मौजूदगी में किसी फ़ुज़ूली ने उस का निकाह कर दिया और हालिफ़ ख़ामौश है और शौहर ने क़बूल कर लिया फिर हालिफ़ ने यानी दुख़्तर के बाप ने इजाज़त दे दी तो हानिस न होगा और इसी तरह अगर अपनी बान्दी के निकाह की बाबत इस तरह क़सम खाई तो इस सूरत में यही हुक्म है और तजरीद में इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत है कि एक शख़्स ने एक औरत से बवास्ता फ़ुज़ूली के बदून इजाज़त औरत मज़्कूरह से निकाह किया फिर क़सम खाई कि इस औरत से निकाह न करूंगा फिर औरत मज़्कूरह राज़ी हुई यानी निकाह फ़ुज़ूली की इजाज़त दी तो वो हानिस न होगा और अगर औरत ने क़सम खाई कि अपने नफ़्स को किसी के निकाह में न दूंगी फिर किसी फ़ुज़ूली ने बदून इस की इजाज़त के या वकील ने उस की इजाज़त से इस को किसी मर्द के निकाह में दे दिया फिर उस ने इजाज़त दे दी (निकाह फ़ुज़ूली की) या बाकरह थी कि इस के वली ने उस का निकाह कर दिया पस यह ख़ामौश रही तो हानिस होगी और यह रिवायत मुतक़द्दिमा है यह ख़ुलासा में है।

अगर बाकरह औरत ने क़सम खाई कि किसी को इजाज़त न दूंगी कि वो मेरा निकाह करदे फिर एक शख़्स ने इस का निकाह कर दिया और उस को खबर पहुंची पस वो ख़ामौश रही तो इस की कोई रिवायत इमाम मुहम्मद रह० से नहीं है और हां मर्द के हक़ में रिवायत मौजूद है कि अगर किसी मर्द ने क़सम खाई कि अपने ग़ुलाम को तिजारत की इजाज़त न दूंगा फिर ग़ुलाम को खरीद व फ़रोख़्त करते देख कर सुकूत किया तो हानिस

होगा और इसी तरह अगर शपथकर्ता ने किसी को वकील किया कि निकाह कराये बस वकील ने बतौर फ़ासिद किसी औरत से निकाह करा दिया तो मौक्किल पापी न होगा और क़सम खाई कि किसी औरत से निकाह न करूंगा फिर शपथकर्ता पर निकाह करने के लिए इकराह किया गया बस उस ने निकाह किया तो अपनी क़सम में पापी न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

नवादिर हिशाम में इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है कि एक ने क़सम खाई कि अपनी बीवी पर तीन तलाक़ की इस शर्त पर कि इस दुख़्तर सग़ीरह का निकाह कर दे फिर शपथकर्ता की मौजूदगी में किसी फ़ुज़ूली ने उस का निकाह कर दिया और शपथकर्ता ख़ामौश है और शौहर ने स्वीकार कर लिया फिर शपथकर्ता ने यानी दुख़्तर के बाप ने इजाज़त दे दी तो पापी न होगा और इसी तरह अगर अपनी बान्दी के निकाह की बाबत इस तरह क़सम खाई तो इस स्थिति में यही आदेश है और तजरीद में इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत है कि एक व्यक्ति ने एक औरत से बवास्ता फ़ुज़ूली के बदून इजाज़त औरत वर्णितह से निकाह किया फिर क़सम खाई कि इस औरत से निकाह न करूंगा फिर औरत वर्णितह राज़ी हुई यानी निकाह फ़ुज़ूली की इजाज़त दी तो वह पापी न होगा और अगर औरत ने क़सम खाई कि अपने नफ़्स को किसी के निकाह में न दूंगी फिर किसी फ़ुज़ूली ने बदून इस की इजाज़त के या वकील ने उस की इजाज़त से इस को किसी मर्द के निकाह में दे दिया फिर उस ने इजाज़त दे दी (निकाह फ़ुज़ूली की) या बाकरह थी कि इस के वली ने उस का निकाह कर दिया बस यह ख़ामौश रही तो पापी होगी और यह रिवायत मुतक़द्दिमा है यह ख़ुलासा में है।

अगर बाकरह औरत ने क़सम खाई कि किसी को इजाज़त न दूंगी कि वह मेरा निकाह करदे फिर एक व्यक्ति ने इस का निकाह कर दिया और उस को खबर पहुंची बस वह ख़ामौश रही तो इस की कोई रिवायत इमाम मुहम्मद रह० से नहीं है और हां मर्द के हक़ में रिवायत मौजूद है कि अगर किसी मर्द ने क़सम खाई कि अपने ग़ुलाम को तिजारत की इजाज़त न दूंगा फिर ग़ुलाम

होगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से दोनों मसलों में रिवायत है कि वो हानिस (1) होगा यह मुहीत में है मजमअ उल तवाज़ुल में लिखा है कि अगर औरत ने क़सम खाई कि अपने तरवीज के बारे में इजाज़त न दूंगी हालांकि यह औरत बाकरह है फिर उस के बाप ने उस का निकाह कर दिया और यह खामौश रही तो निकाह पूरा हो गया और यह हानिस न होगी यह ख़ुलासा में है और अपनी रज़ाई बहन से या और किसी ऐसी औरत से जिस के साथ उस का निकाह कभी हलाल नहीं है और यह शख़्स उस को जानता है यूं कहा कि अगर मैंने तुझ से निकाह किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस औरत से

(1)क़ालल मुतरजमयानी अव्वल मसले में औरत हानिस होगी और दोम में मर्द हानिस होगा और मखफ़ी नहीं कि अव्वल में औरत का हानिस होना ज़ाहिर नहीं है क्योंकि इस ने इजाज़त नहीं दी जिस से नाकह ने इस का निकाह किया और इस का सुकूत जब ही रज़ामन्दी व इजाज़त होगा जब नाकह वली उक़्रब हो हालांकियह मसला में मज़कूर नहीं है बल्कि लोगों मेंसेएक ने निकाह किया और साहबीन रह में से अबूयूसुफ +रह के नज़दीक निकाह बग़ैर वली नहीं है और इमाम मुहम्मद रह ने इस को नहीं तसलीम किया।

निकाह किया तो हानिस हो गयसा यह जामअ कबीर में है और अगर क़सम खाई कि निकाह न करूंगा फिर मजनूं हो गया फिर उस के बाप ने उस का निकाह कर दिया तो हानिस न होगा और तजरीद में इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत है कि अगर क़सम खाई कि निकाह न करूंगा फिर मअतोह (1) हो गसया फिर उस के बाप ने उस का निकाह कर दिया तो हानिस हुआ यह ख़ुलासा में है।

एक दीनार से ज़्यादा पर निकाह न करूंगा फिर चांदी के औज़ निकाह किया जो अज़ राहे क़ीमत एक दीनार से ज़्यादा है मसलन सौ दिरहम नुक़रह पर निकाह किया तो हानिस न होगा :

एक ने क़सम खाई कि औरतों से निकाह न करूंगा एक औरत से निकाह किया तो हानिस होगा यह मुहीत सुरखी में है। क़ालल मुतरजम हमारे उर्फ़ में तो यह सूरत

को खरीद व फ़रोख़्त करते देख कर सुकूत किया तो पापी होगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से दोनों मसलों में रिवायत है कि वह पापी (1) होगा यह मुहीत में है मजमअ उल तवाज़ुल में लिखा है कि अगर औरत ने क़सम खाई कि अपने तरवीज के बारे में इजाज़त न दूंगी हालांकि यह औरत बाकरह है फिर उस के बाप ने उस का निकाह कर दिया और यह खामौश रही तो निकाह पूरा हो गया और यह पापी न होगी यह ख़ुलासा में है और अपनी रज़ाई बहन से या और किसी ऐसी औरत से जिस के साथ उस का निकाह कभी हलाल नहीं है और यह व्यक्ति उस को जानता है यूं कहा कि अगर मैंने तुझ से निकाह किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस औरत से

(1)अनुवादक के कथनानुसारयानी पहला मसले में औरत पापी होगी और दोम में मर्द पापी होगा और मखफ़ी नहीं कि पहला में औरत का पापी होना ज़ाहिर नहीं है क्योंकि इस ने इजाज़त नहीं दी जिस से नाकह ने इस का निकाह किया और इस का सुकूत जब ही रज़ामन्दी व इजाज़त होगा जब नाकह वली उक़्रब हो हालांकियह मसला में वर्णित नहीं है बल्कि लोगों मेंसेएक ने निकाह किया और साहबीन रह में से अबूयूसुफ+ रह के निकट निकाह बग़ैर वली नहीं है और इमाम मुहम्मद रह ने इस को नहीं तसलीम किया।

निकाह किया तो पापी हो गयसा यह जामअ कबीर में है और अगर क़सम खाई कि निकाह न करूंगा फिर मजनूं हो गया फिर उस के बाप ने उस का निकाह कर दिया तो पापी न होगा और तजरीद में इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत है कि अगर क़सम खाई कि निकाह न करूंगा फिर मअतोह (1) हो गसया फिर उस के बाप ने उस का निकाह कर दिया तो पापी हुआ यह ख़ुलासा में है।

एक दीनार से ज़्यादा पर निकाह न करूंगा फिर चांदी के औज़ निकाह किया जो अज़ राहे क़ीमत एक दीनार से ज़्यादा है मसलन सौ दिरहम नुक़रह पर निकाह किया तो पापी न होगा :

एक ने क़सम खाई कि औरतों से निकाह न करूंगा एक औरत से निकाह किया तो पापी होगा यह मुहीत सुरखी में है। अनुवादक के कथनानुसार हमारे उर्फ़ में तो

ऐसी ज़ाहिर है कि बज़ुबान अरबी 'क़ौलहू ला अजनरोज़ उल निसा' जमा है इस पर 'अलिफ़ लाम मोहतमिल असतग़राक़' है जैसे लफ्ज़ औरतों से इसतग़राक़ मुराद हो सकता है लिहाज़ा ज़िक्र कर दिया कि यहां जिन्स मुराद है फ़तामुल। एक ने क़सम खाई कि ऐसी औरत से निकाह न करूंगा जिस का शौहर था फिर यानी बीवी को तलाक़ बाइन दे दी पर उस से निकाह कर लिया तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अपनी क़सम में हानिस न होगा इस वास्ते कि उस की क़सम इस औरत के सिवाए और औरतों की तरफ़ मुन्सरफ़ होगी यह ज़हीरिया में है एक ने क़सम खाई कि निकाह न करूंगा इल्ला चार दिरहम पर फिर उस ने चार ही दिरहम पर एक औरत से निकाह किया फिर क़ाज़ी ने औरत का महर पूरे दस दिरहम कर दिये तो वो हानिस न होगा और इसी तरह अगर बाद अक़्द के ख़ुद उस का महर बढा दिया तो भी हानिस न होगा यह वजीज़ करदरी में है और अगर क़सम खाई कि एक दीनार से ज़्यादा पर निकाह न करूंगा फिर चांदी के औज़ निकाह किया जो अज़ राह क़ीमत एक दीनार से ज़्यादा है मसलन सौ दिरहम नक़रह पर निकाह किया तो हानिस न होगा यह ख़ुलासा में है।

अगर क़सम खाई कि फ़लां इलाक़े से कोई औरत अपने निकाह में न लूंगा फिर इस की दुख़्तर की दुख़्तर से निकाह किया तो हानिस होगा :

क़ालल मुतरजम ينبغى ان يكون الجواب على قول الا مام واما على قولهما ففى عرفنا نيسى ان بخث وعالله اعلم एक ने क़सम खाई बिन्त कि फ़लां से निकाह न करूंगा फिर फ़लां मज़कूर के एक दूसरी दुख़्तर पैदा हुई फिर इस से निकाह कर लिया तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां की दुख़्तरों में से किसी की दुख़्तर से निकाह न करूंगा या फ़लां की किसी दुख़्तर से निकाह न करूंगा तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक इस सूरत में हानिस होगा यह मुहीत सुरखी में है। फ़तावा में लिखा है कि ज़ैद ने कहा कि वल्लाह इस दार के रहने वालों में से

यह स्थिति ऐसी ज़ाहिर है कि बज़ुबान अरबी 'क़ौलहू ला अजनरोज़ उल निसा' जमा है इस पर 'अलिफ़ लाम मोहतमिल असतग़राक़' है जैसे लफ्ज़ औरतों से इसतग़राक़ तात्पर्य हो सकता है लिहाज़ा वर्णन कर दिया कि यहां जिन्स तात्पर्य है फ़तामुल। एक ने क़सम खाई कि ऐसी औरत से निकाह न करूंगा जिस का शौहर था फिर यानी बीवी को तलाक़ बाइन दे दी पर उस से निकाह कर लिया तो इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अपनी क़सम में पापी न होगा इस लिए कि उस की क़सम इस औरत के सिवाए और औरतों की तरफ़ मुन्सरफ़ होगी यह ज़हीरिया में है एक ने क़सम खाई कि निकाह न करूंगा सिवा चार दिरहम पर फिर उस ने चार ही दिरहम पर एक औरत से निकाह किया फिर क़ाज़ी ने औरत का महर पूरे दस दिरहम कर दिये तो वह पापी न होगा और इसी तरह अगर बाद अक़्द के ख़ुद उस का महर बढा दिया तो भी पापी न होगा यह वजीज़ करदरी में है और अगर क़सम खाई कि एक दीनार से ज़्यादा पर निकाह न करूंगा फिर चांदी के औज़ निकाह किया जो अज़ राह क़ीमत एक दीनार से ज़्यादा है मसलन सौ दिरहम नक़रह पर निकाह किया तो पापी न होगा यह ख़ुलासा में है।

अगर क़सम खाई कि फ़लां इलाक़े से कोई औरत अपने निकाह में न लूंगा फिर इस की दुख़्तर की दुख़्तर से निकाह किया तो पापी होगा :

अनुवादक के कथनानुसार ينبغى ان يكون الجواب على قول الامام واما على قولهما ففى عرفنا نيسى ان بخث وعالله اعلم एक ने क़सम खाई बिन्त कि फ़लां से निकाह न करूंगा फिर फ़लां वर्णित के एक दूसरी दुख़्तर पैदा हुई फिर इस से निकाह कर लिया तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां की दुख़्तरों में से किसी की दुख़्तर से निकाह न करूंगा या फ़लां की किसी दुख़्तर से निकाह न करूंगा तो इमाम आज़म रह० के निकट इस स्थिति में पापी होगा यह मुहीत सुरखी में है। फ़तावा में लिखा है कि ज़ैद ने कहा कि वल्लाह इस घर के रहने

किसी औरत से निकाह न करूंगा और उमर की दुख़्तरों में से निकाह न करूंगा हालांककि दार में कोई नहीं रहता फिर इस में कोई लोग आकर रहे या उमर की एक दुख़्तर पैदा हुई फिर दार मज़कूर की किसी व औरत से या उमर की इस दुख़्तर से निकाह किया तो हानिस न होगा लेकिन यह इमाम मुहम्मद रह० का क़ौल है और मुख़्तार यह है कि हानिस होगा और यह शैख़ेन का क़ौल है और अगर क़सम खाई कि अहले कूफ़ा में से किसी औरत से निकाह न करूंगा फिर एक कूफ़ी औरत से निकाह किया जो इस की क़सम के रोज़ पैदा नहीं हुई थी बल्कि बाद पैदा हुई है तो बिल इत्तफ़ाक़ हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि नज़ाद फ़लां से कोई औरत अपने निकाह में न लूंगा फिर इस की दुख़्तर की दुख़्तर से निकाह कियसा तो हानिस हुआ और अगर इस सूरत में यह लफ़्ज़ कहा हो कि अहले बैत फ़लां से यानी फ़लां के घर से तो नतसनी को निकाह में लाने से हानिस न होगा इल्ला आंकि इस के पिसर की दुख़्तर से निकाह करे यह ख़ुलासा में है।

(1) मअतूह मग़लूब उल अक़ल जिस के अफ़आल हिमाक़त व दीवानगी से मु]तलत हों।

क़ालल मुतरजम अगर इस मदार उर्फ़ पर हो तो हुक्म बऐतबार उर्फ़ के मुख़ालिफ़ होगा 'वल ज़ाहिर अन्नहू लैस कक फ़ाफ़हम' और अगर क़सम खाई कि ज़नान अहले कूफ़ा या बसरह से निकाह में न लाउंगा फिर ऐसी औरत से निकाह किया जो बसरह में पैदा हुई और उस ने कूफ़ा में नशो व नुमा पाई और वहीं तो तन इख़्तयार किया है तो इमाम आज़म रह० के क़ौल में हानिस होगा इस वास्ते कि ऐसा क़ौल मौलूद पर कहा जाता है यानी ऐसे मक़ाम पर कहते हैं कि जहां यह मुराद होती है कि फ़लां जगह की पैदाइश हो और यही मुख़्तार है इस वास्ते कि मोअतबर इस में पैदाइश है यह मुहीत सुरख़ी में है एक ने क़सम खाई कि 'ला जयज़वज अम्रअत बिल कूफ़त' यानी कूफ़ा में किसी औरत से निकाह न करूंगा फिर उस ने कूफ़ा में एक औरत से निकाह किया बदून इजाज़त इस औरत के यानी कूफ़ा में किसी फ़ुज़ूली ने उन के साथ इस औरत का निकाह कर दिया और यह

वालों में से किसी औरत से निकाह न करूंगा और उमर की दुख़्तरों में से निकाह न करूंगा हालांककि घर में कोई नहीं रहता फिर इस में कोई लोग आकर रहे या उमर की एक दुख़्तर पैदा हुई फिर घर वर्णित की किसी व औरत से या उमर की इस दुख़्तर से निकाह किया तो पापी न होगा लेकिन यह इमाम मुहम्मद रह० का कथन है और मुख़्तार यह है कि पापी होगा और यह शैख़ेन का कथन है और अगर क़सम खाई कि अहले कूफ़ा में से किसी औरत से निकाह न करूंगा फिर एक कूफ़ी औरत से निकाह किया जो इस की क़सम के दिन पैदा नहीं हुई थी बल्कि बाद पैदा हुई है तो बिल इत्तफ़ाक़ पापी होगा और अगर क़सम खाई कि नज़ाद फ़लां से कोई औरत अपने निकाह में न लूंगा फिर इस की दुख़्तर की दुख़्तर से निकाह कियसा तो पापी हुआ और अगर इस स्थिति में यह लफ़्ज़ कहा हो कि अहले घर फ़लां से यानी फ़लां के घर से तो नतसनी को निकाह में लाने से पापी न होगा सिवा आंकि इस के पिसर की दुख़्तर से निकाह करे यह ख़ुलासा में है।

(1) मअतूह मग़लूब उल अक़ल जिस के अफ़आल हिमाक़त व दीवानगी से मु]तलत हों।

अनुवादक के कथनानुसार अगर इस मदार उर्फ़ पर हो तो आदेश बऐतबार उर्फ़ के मुख़ालिफ़ होगा 'वल ज़ाहिर अन्नहू लैस कक फ़ाफ़हम' और अगर क़सम खाई कि ज़नान अहले कूफ़ा या बसरह से निकाह में न लाउंगा फिर ऐसी औरत से निकाह किया जो बसरह में पैदा हुई और उस ने कूफ़ा में नशो व नुमा पाई और वहीं तो तन अपनाया है तो इमाम आज़म रह० के कथन में पापी होगा इस लिए कि ऐसा कथन मौलूद पर कहा जाता है यानी ऐसे मक़ाम पर कहते हैं कि जहां यह तात्पर्य होती है कि फ़लां जगह की पैदाइश हो और यही मुख़्तार है इस लिए कि मोअतबर इस में पैदाइश है यह मुहीत सुरख़ी में है एक ने क़सम खाई कि 'ला जयज़वज अमरअत बिल कूफ़त' यानी कूफ़ा में किसी औरत से निकाह न करूंगा फिर उस ने कूफ़ा में एक औरत से निकाह किया बदून इजाज़त इस औरत के यानी कूफ़ा में किसी फ़ुज़ूली ने उन के साथ इस औरत का निकाह कर

औरत बसरह में है पस उस ने खबर पहुंचने पर बसरह में इस निकाह की इजाज़त दे दी तो यह शख़्स अपनी क़सम में हानिस हुआ अगरचे निकाह का पूरा होना इजाज़त पर है और इजाज़त बसरह में पाई गई है यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि रूऐ ज़मीन पर औरत से निकाह न करूंगा और उस ने एक खास औरत की नियत की है तो 'फ़ीमा वबैयनल्लाहि तआला' इस की तसदीक़ न होगी मकर क़ज़ाअन तसदीक़ न होगी और अगर उस ने कूफ़िया या बसरिया औरत की नियत की हो तो दयानतन या क़ज़ाअन किसी तरह इस की तसदीक़ न होगी और इसी तरह अगर काफ़ी या अंयधी की नियत का दावा किया तो भी यही हुक्म है कि बिल्कुल तसदीक़ न होगी और अगर उस ने अरबिया या हबशिया औरत की नियत का दावा किया तो दयानतन उस के क़ौल की तसदीक़ होगी यह ज़हीरिया में है।

एक ग़ुलाम ने क़सम खाई कि किसी औरत से निकाह न करूंगा फिर मौला ने किसी औरत से निकाह कर दिया और हाल यह कि ग़ुलाम उस से नाख़ुश था तो हानिस न होगा और अगर मौला ने ग़ुलाम पर इकराह किया कि ग़ुलाम ने बमजबूरी किसी औरत से निकाह कर लिया तो हानिस होगा और यह ज़ाहिर उल रिवाया है और यही सही है यह जवाहिर अख़्लाक़ी में है और अगर किसी ने क़सम खाई कि अपने ग़ुलाम का निकाह न करूंगा फिर इस के सिवा किसी और ने इस ग़ुलाम का निकाह कर दिया फिर मौला ने ज़बान से इजाज़त दे दी तो हानिस हो गया यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। एक ने क़सम खाई कि पौशीदा निकाह करूंगा पस अगर इस ने दो गवाहों को गवाह किया तो यह पौशीदा (1) है और अगर तीन गवाहों को गवाह किया तो यह अलानिया (1) हो गया और यह मुहीत सुरखी में है और अगर क़सम खाई कि यह मकान किराया पर न दूंगा हालांकि क़ब्ल क़सम के इस को किराया पर दे चुका है पस इस को इसी हाल पर छोड दि और हर माह इस का किराया वसूल करता रहा तो हानिस होगा और अगर इस ने मुस्ताजिर (2) से महीना का किराया मांगा और हुनूज़ वो इस में नहीं रहा है तो जब मुस्ताजिर इस को दे देगा तो

दिया और यह औरत बसरह में है बस उस ने खबर पहुंचने पर बसरह में इस निकाह की इजाज़त दे दी तो यह व्यक्ति अपनी क़सम में पापी हुआ चाहे निकाह का पूरा होना इजाज़त पर है और इजाज़त बसरह में पाई गई है यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि रूऐ ज़मीन पर औरत से निकाह न करूंगा और उस ने एक खास औरत की इरादा की है तो 'फ़ीमा वबैयनल्लाहि तआला' इस की पुष्टि न होगी मकर न्यायिक पुष्टि न होगी और अगर उस ने कूफ़िया या बसरिया औरत की इरादा की हो तो दयानतन या न्यायिक किसी तरह इस की पुष्टि न होगी और इसी तरह अगर काफ़ी या अंयधी की इरादा का दावा किया तो भी यही आदेश है कि बिल्कुल पुष्टि न होगी और अगर उस ने अरबिया या हबशिया औरत की इरादा का दावा किया तो दयानतन उस के कथन की पुष्टि होगी यह ज़हीरिया में है।

एक ग़ुलाम ने क़सम खाई कि किसी औरत से निकाह न करूंगा फिर मालिक ने किसी औरत से निकाह कर दिया और हाल यह कि ग़ुलाम उस से नाख़ुश था तो पापी न होगा और अगर मालिक ने ग़ुलाम पर इकराह किया कि ग़ुलाम ने बमजबूरी किसी औरत से निकाह कर लिया तो पापी होगा और यह ज़ाहिर उल रिवाया है और यही सही है यह जवाहिर अख़्लाक़ी में है और अगर किसी ने क़सम खाई कि अपने ग़ुलाम का निकाह न करूंगा फिर इस के सिवा किसी और ने इस ग़ुलाम का निकाह कर दिया फिर मालिक ने ज़बान से इजाज़त दे दी तो पापी हो गया यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। एक ने क़सम खाई कि पौशीदा निकाह करूंगा बस अगर इस ने दो गवाहों को गवाह किया तो यह पौशीदा (1) है और अगर तीन गवाहों को गवाह किया तो यह अलानिया (1) हो गया और यह मुहीत सुरखी में है और अगर क़सम खाई कि यह मकान किराया पर न दूंगा हालांकि क़ब्ल क़सम के इस को किराया पर दे चुका है बस इस को इसी हाल पर छोड दि और हर माह इस का किराया वसूल करता रहा तो पापी होगा और अगर इस ने मुस्ताजिर (2) से महीना का किराया मांगा और हुनूज़ वह इस में नहीं रहा है तो जब मुस्ताजिर इस को दे देगा तो

वो हानिस हो जायेगा और अगर वो किराया पर चलाने के वास्ते रखा गया हो पस इस को इसी हाल पर छोड़ दिया तो हानिस न होगा और शैख नजमुद्दीन से दरयाफ़्त कियसा गसया कि एक ने क़सम खाई कि 'ला तयजर मअ फ़लां' यानी फ़लां के साथ अतजार न करूंगा फिर फ़लां मज़कूर इस के पास अपना ग़ुलाम लाया और इस को इजारह पर मुक़र्रर किया ताकि ग़ुलाम मज़कूर को फ़लां पैशा सिख्लाये और इस ने क़बूल किया तो फ़रमाया कि हानिस न होगा यह ख़ुलासा में है।

ज़ैद ने क़सम खाई कि उमर से फ़लां हक़ से जिस का उमर इस पर दावा करता है सुलह न करूंगा फिर ज़ैद ने खालिद को वकील किया पस खालिद ने उमर से सुलह की तो इमाम मुहम्मद रह० के नज़दीक ज़ैद हानिस होगा इस वास्ते कि सुलह में कुछ ओहदा नहीं होता है और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से दो रिवायतें हैं और अमदन ख़्वून की सूलह में वकील की सुलह से मौक्किल हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां से ख़ुसूमत (२) न करूंगा फिर फ़लां

(1)क़ालल मुतरजम इमाम मालिक रह के मज़हब परयह क़सम ही दुरूस्त न होगी इस वास्ते किऐलानरूक्न निकाह हैया क़सम होगी मगर वो हानिस होगा इस वास्ते किऐलानशर्त निकाह है औरयही असह है वल्लाहु आलम।

(2)मुरादयह है कि अगर हुनूज+ इस में मुस्ताजिर रहा नहीं है पस इस ने माहवारी किराया जो ठहरा है मुस्ताजिर से हस्बे दस्तूर पैशगी मांगा कि इस में रहे तो इला आखिरह।

(1)हानिस होगा।

(2)नालिश मुक़द्दमा हक़।

के साथ ख़ुसूमत करने के वास्ते एक वकील मुक़र्रह किया तो हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। शम्सुल इस्लाम ओजन्दी से दरयाफ़्त किया कि ज़ैद ने नशा की हालत में कोई चीज़ उमर को हुबा कर दी और क़सम खाई कि अपनी हुबा से रूजूअ न करूंगा और न इस से वापिस लूंगा फिर उमर ने यह चीज़ खालिद को हुबा कर दी फिर ज़ैद ने खालिद से यह चीज़ ले ली तो शैख ने फ़रमाया कि ज़ैद हानिस न होगा यह मुहीत में है अगर क़सम खाई कि फ़लां को कुछ हुबा न करूंगा फिर इस को हुबा की और इस ने क़बूल न की मगर इस पर क़ब्ज़ा न किया तो हमारे नज़दीक क़सम खाने वाला

वह पापी हो जायेगा और अगर वह किराया पर चलाने के लिए रखा गया हो बस इस को इसी हाल पर छोड़ दिया तो पापी न होगा और शैख नजमुद्दीन से दरयाफ़्त कियसा गसया कि एक ने क़सम खाई कि 'ला तयजर मअ फ़लां' यानी फ़लां के साथ अतजार न करूंगा फिर फ़लां वर्णित इस के पास अपना ग़ुलाम लाया और इस को इजारह पर मुक़र्रर किया ताकि ग़ुलाम वर्णित को फ़लां पैशा सिख्लाये और इस ने स्वीकार किया तो फ़रमाया कि पापी न होगा यह ख़ुलासा में है।

ज़ैद ने क़सम खाई कि उमर से फ़लां हक़ से जिस का उमर इस पर दावा करता है सुलह न करूंगा फिर ज़ैद ने खालिद को वकील किया बस खालिद ने उमर से सुलह की तो इमाम मुहम्मद रह० के निकट ज़ैद पापी होगा इस लिए कि सुलह में कुछ ओहदा नहीं होता है और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से दो रिवायतें हैं और अमदन ख़्वून की सूलह में वकील की सुलह से मौक्किल पापी होगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां से ख़ुसूमत (२) न करूंगा फिर फ़लां

(1)अनुवादक के कथनानुसार इमाम मालिक रह के मज़हब परयह क़सम ही दुरूस्त न होगी इस लि, किऐलानरूक्न निकाह हैया क़सम होगी मगर वह पापी होगा इस लि, किऐलानशर्त निकाह है औरयही असह है वल्लाहु आलम।

(2)तात्पर्य यह है कि अगर हुनूज+ इस में मुस्ताजिर रहा नहीं है बस इस ने माहवारी किराया जो ठहरा है मुस्ताजिर से हस्बे दस्तूर पैशगी मांगा कि इस में रहे तो इला आखिरह।

(1)पापी होगा।

(2)नालिश मुक़द्दमा हक़।

के साथ ख़ुसूमत करने के लिए एक वकील मुक़र्रह किया तो पापी न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। शम्सुल इस्लाम ओजन्दी से दरयाफ़्त किया कि ज़ैद ने नशा की हालत में कोई चीज़ उमर को हुबा कर दी और क़सम खाई कि अपनी हुबा से रूजूअ न करूंगा और न इस से वापिस लूंगा फिर उमर ने यह चीज़ खालिद को हुबा कर दी फिर ज़ैद ने खालिद से यह चीज़ ले ली तो शैख ने फ़रमाया कि ज़ैद पापी न होगा यह मुहीत में है अगर क़सम खाई कि फ़लां को कुछ हुबा न करूंगा फिर इस को हुबा की और इस ने स्वीकार न की मगर इस पर क़ब्ज़ा न किया तो हमारे निकट क़सम खाने वाला

हानिस होगा और इसी तरह अगर हुबा ग़ैर मक़सूमा किया तो भी हमारे नज़दीक हानिस होगा और इसी तरह अगर उमरी दिया या नजला दिया या ऐलची के हाथ इस के पास भेज दिया या किसी दूसरे को हुक्म कियसा कि इस ने फ़लां मज़कूर को हुबा कर दिया तो भी हानिस होगा और हुबा न करने की क़सम मेंसदक़ा देने से हमारे नज़दीक हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि हुबा न करूंगा फिर आरियत दी तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि सदक़ा न दूंगा या क़र्ज़ न दूंगा फिर फ़लां मज़कूर को सदक़ा दिया या क़र्ज़ दिया मगर इस ने क़बूल न किया तो यह शख़्स अपनी क़सम में हानिस हो गया और अगर क़सम खाई कि क़र्ज़ न मांगूगा फिर क़र्ज मांगा मगर फ़लां ने इस को क़र्ज़ न दिया तो ऐसी क़सम में हानिस हुआ और अगर क़सम खाई कि फ़लां को अपना ग़ुलाम हुबा न दूंगा फिर इस ग़ुलाम को दूसरे ने बग़ैर इस की इजाज़त के हुबा कर दिया फिर इस ने इजाज़त दे दी तो हानिस हो गया जैसे ग़ैर को हुबा करने का वकील करने में हानिस होता है और अगर क़सम खाई कि फ़लां को हुबा न दूंगा फिर इस को औज़ पर हुबा दिया तो अपनी क़सम में हानिस होगा और एक ने क़सम खाई कि अपने ग़ुलाम को मकातब न करूंगा फिर किसी और ने इस के ग़ुलाम को बदून इस की इजाज़त के मकातब किया फिर इस ने इस की किताबत की इजाज़त देदी तो हानिस हुआ जैसे मकातब करने के लिए वकील करने में हानिस होता है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

फ़तावा में है अगर क़सम खाई कि फ़लां से कुछ मुस्तआर न लूंगा फिर फ़लां मज़कूर ने इस को अपने घोड़े पर अपनी रदीफ़ में सवार कर लिया तो हानिस न होगा यह मुहीत सरखसी में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ कुंदी करने में काम न करूंगा फिर फ़लां के इस काम में शरीक के साथ कंदी का काम किया तो हानिस हुआ और अगर फ़लां के ग़ुलाम माज़ों के साथ काम किया तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ इस शहर में शिरकत न करूंगा फिर दोनों इस शहर से निकले और बाहर दोनों ने शिरकत का

पापी होगा और इसी तरह अगर हुबा ग़ैर मक़सूमा किया तो भी हमारे निकट पापी होगा और इसी तरह अगर उमरी दिया या नजला दिया या ऐलची के हाथ इस के पास भेज दिया या किसी दूसरे को आदेश कियसा कि इस ने फ़लां वर्णित को हुबा कर दिया तो भी पापी होगा और हुबा न करने की क़सम में दान देने से हमारे निकट पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि हुबा न करूंगा फिर आरियत दी तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि दान न दूंगा या क़र्ज़ न दूंगा फिर फ़लां वर्णित को दान दिया या क़र्ज़ दिया मगर इस ने स्वीकार न किया तो यह व्यक्ति अपनी क़सम में पापी हो गया और अगर क़सम खाई कि क़र्ज़ न मांगूगा फिर क़र्ज मांगा मगर फ़लां ने इस को क़र्ज़ न दिया तो ऐसी क़सम में पापी हुआ और अगर क़सम खाई कि फ़लां को अपना ग़ुलाम हुबा न दूंगा फिर इस ग़ुलाम को दूसरे ने बग़ैर इस की इजाज़त के हुबा कर दिया फिर इस ने इजाज़त दे दी तो पापी हो गया जैसे ग़ैर को हुबा करने का वकील करने में पापी होता है और अगर क़सम खाई कि फ़लां को हुबा न दूंगा फिर इस को औज़ पर हुबा दिया तो अपनी क़सम में पापी होगा और एक ने क़सम खाई कि अपने ग़ुलाम को मकातब न करूंगा फिर किसी और ने इस के ग़ुलाम को बदून इस की इजाज़त के मकातब किया फिर इस ने इस की किताबत की इजाज़त देदी तो पापी हुआ जैसे मकातब करने के लिए वकील करने में पापी होता है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

फ़तावा में है अगर क़सम खाई कि फ़लां से कुछ मुस्तआर न लूंगा फिर फ़लां वर्णित ने इस को अपने घोड़े पर अपनी रदीफ़ में सवार कर लिया तो पापी न होगा यह मुहीत सरखसी में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ कुंदी करने में काम न करूंगा फिर फ़लां के इस काम में साझी के साथ कंदी का काम किया तो पापी हुआ और अगर फ़लां के ग़ुलाम माज़ों के साथ काम किया तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ इस शहर में शिरकत न करूंगा फिर दोनों इस शहर से निकले और बाहर दोनों ने शिरकत का मक़्द क़रार दिया फिर दोनों प्रवेश हुए और शिरकत में काम

मक़्द क़रार दिया फिर दोनों दाखिल हुए और शिरकत में काम किया पस अगर क़सम खाने वाले ने यह नियत की हो कि इस शहर के अन्दर शिरकत का अक़्द इस के साथ क़रार न दूंगा तो हानिस न होगा और अगर यह नियत हो कि फ़लां की शिरकत में काम न करूंगा तो हानिस होगा और अगर इन दोनों में से एक ने दूसरे को मज़ारबत का माल दिया कि इस से मज़ारबत करे तो यह और अव्वल दोनों यक्सां हैं यानी क़सम में इस की नियत जैसी होगी इसी तफ़सील से हुक्म होगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ मशारकत न करूंगा फिर इस को अपने पिसर सग़ीर के माल में शरीक किया तो हानिस न होगा और अगर ज़ैद ने क़सम खाई कि उमर मशारकत न करूंगा फिर ज़ैद ने खालिद को माल बज़ाअत दिया और हुक्म किया कि इस में अपनी राये से काम करे फिर खालिद ने इस माल में उमर को शरीक कर लिया तो ज़ैद हानिस होगा एक ने अपने भाई से कहा कि अगर मैंने तुझे शरीक किया तो हलाल अल्लाह तआला मुझ पर हराम है फिर दोनों की राये में आया कि बाहम शिरकत करें तो मशाइख ने फ़रमाया कि इस के वास्ते यह सूरत निकलती है कि अगर क़सम खाने वाले का कोई बेटा बालिग़ हो तो क़सम खाने वाला माल को अपने इस बेटे को मज़ारबत परदे और इस बेटे के वास्ते नफ़ा में से बहुत खफ़ीफ़ हिस्सा क़रार दे और अपने बेटे को इजाज़त दे दी कि इस तिजारत में अपनी राये से अमल करे फिर यह पिसर अपने चचा से मशारकत करले फिर जब इस ने ऐसा किया तो पिसर के वास्ते जिस क़द्र शर्त किया गया है वो होगा और जो कुछ बचेगा वो आधों आध इस के बाप चचा के दरमियान मुशतरिक होगा और वो हानिस न होगा और बजाये पिसर के कोई अजनबी हो तो थी यही हुक्म है कि ज़हीरिया में है।

अगर क़सई खाई कि फ़लां से हरवी कपड़ा न लूंगा फिर इस से एक हरवी थैली ली जिस में एक हरवी कपड़ा है जिस को इस ने थैली के अन्दर ठोंस दिया है और यह शख़्स इस से वाक़िफ़ न था तो क़ज़ाअन हानिस न होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि फ़लां से दिरहम न लूंगा फिर इस ने हालिफ़ को पैसे एक थैली में

किया बस अगर क़सम खाने वाले ने यह इरादा की हो कि इस शहर के अन्दर शिरकत का अक़्द इस के साथ क़रार न दूंगा तो पापी न होगा और अगर यह इरादा हो कि फ़लां की शिरकत में काम न करूंगा तो पापी होगा और अगर इन दोनों में से एक ने दूसरे को मज़ारबत का माल दिया कि इस से मज़ारबत करे तो यह और पहला दोनों यक्सां हैं यानी क़सम में इस की इरादा जैसी होगी इसी तफ़सील से आदेश होगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां के साथ मशारकत न करूंगा फिर इस को अपने पिसर सग़ीर के माल में साझी किया तो पापी न होगा और अगर ज़ैद ने क़सम खाई कि उमर मशारकत न करूंगा फिर ज़ैद ने खालिद को माल बज़ाअत दिया और आदेश किया कि इस में अपनी राये से काम करे फिर खालिद ने इस माल में उमर को साझी कर लिया तो ज़ैद पापी होगा एक ने अपने भाई से कहा कि अगर मैंने तुझे साझी किया तो हलाल अल्लाह तआला मुझ पर निषिद्ध है फिर दोनों की राये में आया कि बाहम शिरकत करें तो विद्वानों ने फ़रमाया कि इस के लिए यह स्थिति निकलती है कि अगर क़सम खाने वाले का कोई बेटा बालिग़ हो तो क़सम खाने वाला माल को अपने इस बेटे को मज़ारबत परदे और इस बेटे के लिए नफ़ा में से बहुत खफ़ीफ़ हिस्सा क़रार दे और अपने बेटे को इजाज़त दे दी कि इस तिजारत में अपनी राये से अमल करे फिर यह पिसर अपने चचा से मशारकत करले फिर जब इस ने ऐसा किया तो पिसर के लिए जिस क़द्र शर्त किया गया है वह होगा और जो कुछ बचेगा वह आधों आध इस के बाप चचा के बीच साझा होगा और वह पापी न होगा और बजाये पिसर के कोई अजनबी हो तो थी यही आदेश है कि ज़हीरिया में है।

अगर क़सई खाई कि फ़लां से हरवी कपड़ा न लूंगा फिर इस से एक हरवी थैली ली जिस में एक हरवी कपड़ा है जिस को इस ने थैली के अन्दर ठोंस दिया है और यह व्यक्ति इस से वाक़िफ़ न था तो न्यायिक पापी न होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि फ़लां से दिरहम न लूंगा फिर इस ने शपथकर्ता को पैसे एक थैली में भर कर दिये और इन के बीच एक दिरहम डाल दिया

भर कर दिये और इन के दरमियान एक दिरहम डाल दिया है पस हालिफ़ ने इन पैसों पर क़ब्ज़ा कर लिया हालांकि वो दिरहम होने को नहीं जानता था तो क़ज़ाअन हानिस होगा यह ख़ुलासा में है और अगर हालिफ़ ने इस से एक क़फ़ीज़ आटा लिया जिस में दिरहम भी है और यह आगाह न हुआ तो हानिस न होगा और इसी तरह अगर उस से कोई कपड़ा ले लिया जिस में दिरहम बंधे हुए हैं और उस को मालूम न हो तो भी हानिस न होगा और अगर उस ने यह क़सम खाई हो कि फ़लां से दिरहम बतौर हुबा न लूंगा तो इन सब सूरतों में हानिस न होगा ख़्वाह इस को मालूम हुआ हो कि इस में दिरहम है या न मालूम हुआ हो और अगर क़सम खाई हो कि फ़लां से दिरहम बतौर वदीअत के न लूंगा और इन सूरतों में जो हम ने बयान की हैं कोई दिरहम लिया तो यह बमन्ज़िला हुबा के है और इसी तरह अगर सदक़ा का लफ़्ज़ कहा हो तो भी यही हुक्म है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि कोई कफ़ालत करूंगा फिर उस ने आज़ाद या ग़ुलाम की कफ़ालत नफ़्स या कपड़े या चौपाये की कफ़ालत या दरक बैअ की कफ़ालत की तो वो हानिस होगा यह मबसूत सुरखी में है।

कफ़ालत बसिला अन कफ़ालत माली ही में मुस्तअम्मनल होता है:

अगर कहा कि किसी आदमी की तरफ़ से किसी चीज़ की किफ़ालत न करूंगा फिर किसी शख़्स के नफ़्स की किफ़ालत की यानी जब तू मांगेगा मैं ज़ामिन हूं कि मैं इस को हाज़िर करूंगा तो हानिस न होगा क़ाइल मुतरजम यह हुक्म ज़बान अरबी में इस तरह क़सम खाने में ज़ाहिर है यानी कहा कि 'ला यकफ़ल अन इन्सान शई' और वजह यह है कि कफ़ालत बसिला अन किफ़ालत माली ही में मुस्तअम्मल होता है चुनांचे ज़हीरिया में मज़कूर है और हमारी ज़बान में भी बएतबार मुतबादिर के उम्मीद है कि यही हुक्म (1) है और वल्लाह तआला आलम फ़लयतामुल फ़ीह। और अगर क़सम खाई कि फ़लां के वास्ते कफ़ालत न करूंगा फिर सिवाए फ़लां

है बस शपथकर्ता ने इन पैसों पर क़ब्ज़ा कर लिया हालांकि वह दिरहम होने को नहीं जानता था तो न्यायिक पापी होगा यह ख़ुलासा में है और अगर शपथकर्ता ने इस से एक क़फ़ीज़ आटा लिया जिस में दिरहम भी है और यह आगाह न हुआ तो पापी न होगा और इसी तरह अगर उस से कोई कपड़ा ले लिया जिस में दिरहम बंधे हुए हैं और उस को मालूम न हो तो भी पापी न होगा और अगर उस ने यह क़सम खाई हो कि फ़लां से दिरहम बतौर हुबा न लूंगा तो इन सब स्थितियों में पापी न होगा चाहे इस को मालूम हुआ हो कि इस में दिरहम है या न मालूम हुआ हो और अगर क़सम खाई हो कि फ़लां से दिरहम बतौर वदीअत के न लूंगा और इन स्थितियों में जो हम ने बयान की हैं कोई दिरहम लिया तो यह बमन्ज़िला हुबा के है और इसी तरह अगर दान का लफ़्ज़ कहा हो तो भी यही आदेश है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि कोई कफ़ालत करूंगा फिर उस ने आज़ाद या ग़ुलाम की कफ़ालत नफ़्स या कपडे या चौपाये की कफ़ालत या दरक विक्रय की कफ़ालत की तो वह पापी होगा यह मबसूत सुरखी में है।

कफ़ालत बसिला अन कफ़ालत माली ही में मुस्तअम्मनल होता है:

अगर कहा कि किसी आदमी की तरफ़ से किसी चीज़ की किफ़ालत न करूंगा फिर किसी व्यक्ति के नफ़्स की किफ़ालत की यानी जब तू मांगेगा मैं गारंटर हूं कि मैं इस को हाज़िर करूंगा तो पापी न होगा अनुवादक के कथनानुसार यह आदेश ज़बान अरबी में इस तरह क़सम खाने में ज़ाहिर है यानी कहा कि 'ला यकफ़ल अन इन्सान शई' और कारण यह है कि कफ़ालत बसिला अन किफ़ालत माली ही में मुस्तअम्मल होता है चुनांचे ज़हीरिया में वर्णित है और हमारी ज़बान में भी बएतबार मुतबादिर के उम्मीद है कि यही आदेश (1) है और वल्लाह तआला आलम फ़लयतामुल फ़ीह। और अगर क़सम खाई कि फ़लां के लिए कफ़ालत न करूंगा फिर सिवाए फ़लां के दूसरे के लिए कफ़ालत की और जिन

के दूसरे के वास्ते कफ़ालत की और जिन दिरहमों की ज़मानत की है वो असल में उसी फ़लां के हैं तो हानिस न होगा और इसी तरह अगर फ़लां मज़कूर के गुलाम के वास्ते कफ़ालत कर ली तो भी यही हुक्म है और अगर फ़लां के वास्ते कफ़ालत कर ली हालांकि यह दिराहिम असल में किसी और के हैं फ़लां के नहीं हैं तो हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां की तरफ़ से कफ़ालत न करूंगा फिर इस की तरफ़ से ज़मानत कर ली तो हानिस हुआ और अगर लफ़्ज़ कफ़ालत से यह नियत की हो कि कफ़ालत न करूंगा यानी मैं कफ़ील हूं यह न करूंगा लेकिन ज़मानत करूंगा तो 'फ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहि तआला' उस की तसदीक़ होगी इस वास्ते कि उस ने अपने मुंह से जो लफ़्ज़ निकाला है उस के हक़ीक़ी मअनी की नियत की है लेकिन उस ने ज़मानत व कफ़ालत में फ़र्क़ की नियत की है और यह खिलाफ़ ज़ाहिर है पस क़ज़ाअन उस के क़ौल की तसदीक़ न होगी और अगर क़सम खाई कि फ़लां की तरफ़ से कफ़ालत न करूंगा पस फ़लां ने इस हालिफ़ पर किसी को अपने माल की जो फ़लां का इस हालिफ़ पर आता है उतराई करदी यानी हवाला (1) कर दिया तो यह हानिस होगा बशर्तेकि मोहातल लहू का महील पर कुछ कर्ज़ा न हो और अगर मोहातल का महील पर कर्ज़ा हो तो हालिफ़ इस हवाला के क़बूल करने से कफ़ील हो जायेगा पस हानिस होगा और इसी तरह अगर उस के वास्ते कर्ज़ा मज़कूर का ज़ामिन हो गया तो भी यही हुक्म है और अगर मोहताल लहू का महील पर माल हो और महील का मोहताल अलैहि पर कुछ माल न हो (और यह ज़ाहिर है) तो हानिस होगा यह मबसूत में है।

अगर क़सम खाई कि फ़लां के वास्ते कुछ ज़ामिन न होगा फिर उस के वास्ते नफ़्स या माल की ज़मानत कर ली तो हानिस होगा और इसी तरह अगर फ़लां के वास्ते किफ़ालत कर ली या हवाला क़बूल ककर लिया तो भी यही हुक्म है और अगर फ़लां के हुक्म से उस के लिए चीज़ खरीदी तो यह ज़मानत

(1)क़ौलहू हुक्म हो क्योंकि नफ़्स की किफ़ालत को हमारी ज़बान में हाज़िर ज़ामनी कहते हैं।
(2)क़बूल करने से।

दिरहमों की ज़मानत की है वह असल में उसी फ़लां के हैं तो पापी न होगा और इसी तरह अगर फ़लां वर्णित के गुलाम के लिए कफ़ालत कर ली तो भी यही आदेश है और अगर फ़लां के लिए कफ़ालत कर ली हालांकि यह दिराहिम असल में किसी और के हैं फ़लां के नहीं हैं तो पापी होगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां की तरफ़ से कफ़ालत न करूंगा फिर इस की तरफ़ से ज़मानत कर ली तो पापी हुआ और अगर लफ़्ज़ कफ़ालत से यह इरादा की हो कि कफ़ालत न करूंगा यानी मैं कफ़ील हूं यह न करूंगा लेकिन ज़मानत करूंगा तो 'फ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहि तआला' उस की पुष्टि होगी इस लिए कि उस ने अपने मुंह से जो लफ़्ज़ निकाला है उस के हक़ीक़ी मअनी की इरादा की है लेकिन उस ने ज़मानत व कफ़ालत में फ़र्क़ की इरादा की है और यह खिलाफ़ ज़ाहिर है बस न्यायिक उस के कथन की पुष्टि न होगी और अगर क़सम खाई कि फ़लां की तरफ़ से कफ़ालत न करूंगा बस फ़लां ने इस शपथकर्ता पर किसी को अपने माल की जो फ़लां का इस शपथकर्ता पर आता है उतराई करदी यानी हवाला (1) कर दिया तो यह पापी होगा बशर्तेकि मोहातल लहू का महील पर कुछ क़रज़ा न हो और अगर मोहातल का महील पर क़रज़ा हो तो शपथकर्ता इस हवाला के स्वीकार करने से कफ़ील हो जायेगा बस पापी होगा और इसी तरह अगर उस के लिए क़रज़ा वर्णित का गारंटर हो गया तो भी यही आदेश है और अगर मोहताल लहू का महील पर माल हो और महील का मोहताल अलैहि पर कुछ माल न हो (और यह ज़ाहिर है) तो पापी होगा यह मबसूत में है।

अगर क़सम खाई कि मालिक के लिए कुछ गारंटर न होगा फिर उस के लिए नफ़्स या माल की ज़मानत कर ली तो पापी होगा और इसी तरह अगर फ़लाँ के लिए किफ़ालत कर ली या हवाला स्वीकार ककर लिया तो भी यही आदेश है और अगर फ़लाँ के आदेश से उस के लिए चीज़ खरीदी तो यह ज़मानत

(1)क़ौलहू आदेश हो क्योंकि नफ़्स की किफ़ालत को हमारी ज़बान में हाज़िर ज़ामनी कहते हैं।
(2)स्वीकार करने से।

के लिए ज़मानत न ली मगर दूसरे के लिए ज़मानत

के वास्ते ज़मानत न ली मगर दूसरे के वास्ते ज़मानत कर ली फिर दूसरा मर गया और फ़लां मज़कूर उस का वारिस हुआ तो क़सम खाने वाला हानिस न हो जायेगा और अगर क़सम खाई कि किसी के वास्ते किसी चीज़ का ज़ामिन न होगा फिर एक शख़्स के वास्ते एक दार के दरक का या एक ग़ुलाम के दरक का जिस को उस ने खरीदा है ज़ामिन हुआ तो हानिस होगा और अगर किसी ग़ायब के वास्ते ज़ामिन हुआ मगर उस की तरफ़ से किसी ने खिताब न किया यानी रज़ामन्दी उस की ज़मानत पर और क़बूल का किसी ने जवाब न दिया तो इमाम आज़म व इमाम मुहम्मद रह० के नज़दीक हानिस न हुआ और इस में इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने खिलाफ़ किया है और अगर इस ग़ायब की तरफ़ सें किसी ने खिताब किया और क़बूल किया तो बिल इत्तफ़ाक़ हानिस होगा और इसी तरह अगर ग़ुलाम महजूर ने क़सम खाई कि किसी की ज़मानत न करूंगा फिर बदून इजाज़त अपने मौला के ज़मानत की तो हानिस हुआ यह ज़हीरिया में है।

बाबः 9

हज व रोज़ा में क़सम खाने के बयान में

अगर क़सम खाई कि हज व नमाज़ न करूंगा तो यह क़सम हज सही पर होगी। न हज फ़ासिद पर और अगर क़सम खाई कि हज न करूंगा या अरबी में कहा कि 'लायहज हुज्जत' फिर उस ने हज का अहराम बांधा तो हानिस न होगा यहां तक कि वक़ूफ़ अरफ़ा अदा करे इस को इब्ने समाआ ने इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत किया है और बशर ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की है कि हानिस न होगा यहां तक कि तवाफ़ ज़ियारत में से ज़्यादा अदा करदे यानी सात फैरों में से तीन से ज़्यादा फिरे तब हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि उमरह न करूंगा 'या ला यअतमर उमरह' फिर अहराम उमरह बांधा तो हानिस न होगा यहां तक कि कम से कम तवाफ़ के चार फैरे फैरे इस को बशर ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत किया है यह मुहीत

कर ली फिर दूसरा मर गया और फ़लाँ वर्णित उस का वारिस हुआ तो क़सम खाने वाला पापी न हो जायेगा और अगर क़सम खाई कि किसी के लिए किसी चीज़ का गारंटर न होगा फिर एक व्यक्ति के लिए एक घर के दरक का या एक ग़ुलाम के दरक का जिस को उस ने खरीदा है गारंटर हुआ तो पापी होगा और अगर किसी ग़ायब के लिए गारंटर हुआ मगर उस की तरफ़ से किसी ने खिताब न किया यानी रज़ामन्दी उस की ज़मानत पर और स्वीकार का किसी ने जवाब न दिया तो इमाम आज़म व इमाम मुहम्मद रह० के निकट पापी न हुआ और इस में इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने खिलाफ़ किया है और अगर इस ग़ायब की तरफ़ सें किसी ने खिताब किया और स्वीकार किया तो बिल इत्तफ़ाक़ पापी होगा और इसी तरह अगर ग़ुलाम महजूर ने क़सम खाई कि किसी की ज़मानत न करूंगा फिर बदून इजाज़त अपने मालिक के ज़मानत की तो पापी हुआ यह ज़हीरिया में है।

अध्याय 9

हज व रोज़ा में क़सम खाने के वर्णन में

अगर क़सम खाई कि हज व नमाज़ न करूंगा तो यह क़सम हज सही पर होगी। न हज फ़ासिद पर और अगर क़सम खाई कि हज न करूंगा या अरबी में कहा कि 'लायहज हुज्जत' फिर उस ने हज का अहराम बांधा तो पापी न होगा यहां तक कि वक़ूफ़ अरफ़ा अदा करे इस को इब्ने समाआ ने इमाम मुहम्मद रह० से रिवायत किया है और बशर ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की है कि पापी न होगा यहां तक कि तवाफ़ ज़ियारत में से ज़्यादा अदा करदे यानी सात फैरों में से तीन से ज़्यादा फिरे तब पापी होगा और अगर क़सम खाई कि उमरह न करूंगा 'या ला यअतमर उमरह' फिर अहराम उमरह बांधा तो पापी न होगा यहां तक कि कम से कम तवाफ़ के चार फैरे फैरे इस को बशर ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत किया है यह मुहीत में है। मुन्तक़ी में इब्ने

में है। मुन्तक़ी में इब्ने समाआ रह० की रिवायत से इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है कि एक ने कहा कि वल्लाह हज न करूंगा यहां तक कि उमरह अदा करूं फिर उस ने उमरह व हज का अहराम बांधा और दोनों के अफ़आल पूरे अदा किये तो वो हानिस न होगा इस वास्ते कि उस ने हज से पहले उमरह अदा कर दिया पस क़सम में सच्चे होने की शर्त पाई गई यह मुहीत सुरखी में है। एक ने अपने ग़ुलाम से कहा कि अगर मैंने अमसाल हज न किया तो तू आज़ाद है फिर उस शख़्स ने कहा कि मैंने हज अदा किया और दो गवाहों ने गवाही दी कि उस ने अमसाल (1) कूफ़ा में क़ुर्बानी की है तो गवाही क़बूल न होगी और ग़ुलाम मज़कूर आज़ाद न होगा यह तबयुन में है।

अगर उस ने कहा कि मुझ पर वाजिब है पैदल जाना तरफ़ मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या तरफ़ मस्जिदे अक़सा के तो इस पर कुछ लाज़िम न आयेगा और अगर उस ने कहा कि मुझ पर वाजिब पैदा जाना तरफ़ बैतुल्लाह के हालांकि इस की नियत (1) में बैतुल मक़्दिस या कोई दूसरी मस्जिद है तो उस पर कुछ लाज़िम न आयेगा और अगर कहा कि मुझ पर अहराम वाजिब है अगर मैंने ऐसा फ़अ्ल किया फिर उस ने ऐसा फ़अ्ल किया कि वो हानिस हुआ तो इस पर हज या उमरह वाजिब होगा और8 इस पर अइम्मा का इत्तफ़ाक़ है और अगर कहा कि मैं अहराम बांधूगा या मैं महरम हूं या हदी भेजूंगा या पैदल बजानिब बैतुल्लाह जाउंगा अगर मैंने ऐसा किया तो इस में तीन सूरतें हैं। ईजाब व वादा व अदम नियत पस अगर इस की नियत यह हो कि ऐसा फ़अ्ल करने की सूरत में मुझ पर यह वाजिब है या कुछ नियत न हो तो इन दोनों सूरतों में जो इस ने कहा हो वो इस पर वाजिब होगा और अगर इस की नियत फ़क़त वादा है यानी अगर ऐसा करूं तो मैं वादा करता हूं कि अहराम बांधूंगा मसलन तो इस पर (2) कुछ लाज़िम न होगा यह

(1)बनफ्स क़सम वरना वादा वफ़ा करना लाज़िम।
(2)इस से लाज़िम आया अकि इस ने हज नहीं किया।
(3)लफ्ज+ बैतुल्लाह से।

फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई

समाआ रह० की रिवायत से इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है कि एक ने कहा कि वल्लाह हज न करूंगा यहां तक कि उमरह अदा करूं फिर उस ने उमरह व हज का अहराम बांधा और दोनों के अफ़आल पूरे अदा किये तो वह पापी न होगा इस लिए कि उस ने हज से पहले उमरह अदा कर दिया बस क़सम में सच्चे होने की शर्त पाई गई यह मुहीत सुरखी में है। एक ने अपने ग़ुलाम से कहा कि अगर मैंने अमसाल हज न किया तो तू आज़ाद है फिर उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने हज अदा किया और दो गवाहों ने गवाही दी कि उस ने अमसाल (1) कूफ़ा में क़ुर्बानी की है तो गवाही स्वीकार न होगी और ग़ुलाम वर्णित आज़ाद न होगा यह तबयुन में है।

अगर उस ने कहा कि मुझ पर अनिवार्य है पैदल जाना तरफ़ मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या तरफ़ मस्जिदे अक़सा के तो इस पर कुछ अनिवार्य न आयेगा और अगर उस ने कहा कि मुझ पर अनिवार्य पैदा जाना तरफ़ घरुल्लाह के हालांकि इस की इरादा (1) में घरुल मक़्दिस या कोई दूसरी मस्जिद है तो उस पर कुछ अनिवार्य न आयेगा और अगर कहा कि मुझ पर अहराम अनिवार्य है अगर मैंने ऐसा फ़अ्ल किया फिर उस ने ऐसा फ़अ्ल किया कि वह पापी हुआ तो इस पर हज या उमरह अनिवार्य होगा और8 इस पर अइम्मा का इत्तफ़ाक़ है और अगर कहा कि मैं अहराम बांधूगा या मैं महरम हूं या हदी भेजूंगा या पैदल बजानिब बैतुल्लाह जाउंगा अगर मैंने ऐसा किया तो इस में तीन सूरतें हैं। ईजाब व वादा व अदम इरादा बस अगर इस की इरादा यह हो कि ऐसा फ़अ्ल करने की स्थिति में मुझ पर यह अनिवार्य है या कुछ इरादा न हो तो इन दोनों स्थितियों में जो इस ने कहा हो वह इस पर अनिवार्य होगा और अगर इस की इरादा केवल वादा है यानी अगर ऐसा करूं तो मैं वादा करता हूं कि अहराम बांधूंगा मसलन तो इस पर (2) कुछ अनिवार्य न होगा यह

(1)बनफ्स क़सम वरना वादा वफ़ा करना अनिवार्य।
(2)इस से अनिवार्य आया अकि इस ने हज नहीं किया।
(3)लफ्ज+ बैतुल्लाह से।

फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि नमाज़ न पढ़ूंगा फिर नमाज़ फ़ासिद पढी मसलन बग़ैर

कि नमाज़ न पढ़ूंगा फिर नमाज़ फ़ासिद पढी मसलन बग़ैर तहारत के नमाज़ पढी तो इस्तहसानन हानिस न होगा और अगर8 उस ने यह नियत की हो कि नमाज़ फ़ासिद भी न पढ़ूंगा तो दयानतन व क़ज़ाअन दोनों तरह उस के क़ौल की तसदीक़ (1) होगी और अगर उस ने अपनी क़सम ज़माने माज़ी पर माक़ूद की बईं तौर कि कहा कि अगर मैंने नमाज़ पढी हो तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो यह नमाज़ फ़ासिद व जाइज़ दोनों पर होगी और अगर उस ने ज़माना माज़ी में खास्सतन सही नमाज़ की नियत की तो दयानतन क़ज़ाअन उस की नियत की तसदीक़ होगी यह ज़खीरा में है।

अगर क़सम खाई कि नमाज़ न पढ़ूंगा फिर खड़ा हुआ और क़िराअत की और रूकूअ किया तो यहां तक हानिस न होगा और अगर उस के साथ सजदा यि फिर क़तअ (1) की तो हानिस हो गया यह हिदाया में है फिर इमाम मुहम्मद रह० ने यह नहीं ज़िक्र फ़रमाया कि वो कब हानिस होगा और मशाइख ने इस में इख़्तलाफ़ किया है बाज़ ने फ़रमाया कि रकअत में सजदा से सर उठाने के बाद ही हानिस होगा यह तबयुन में है और अगर क़सम खाई कि कोई एक नमाज़ न पढ़ूंगा तो हानिस न होगा यहां तक कि दो रकअत पूरी पढे यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि मैं एक नमाज़ न पढ़ूंगा फिर दो रकअतें पढीं और बक़द्र तशहुद के बैठा पस अगर उस ने अपनी क़सम नफ़िल पर मअक़ूद की हो तो हानिस न होगा और अगर अपनी क़सम फ़र्ज़ पर मअक़ूद की और वो नमाज़ दो रकअत है तो भी यही हुक्म है और अगर यह फ़र्ज़ चार रकअत है तो अपनी क़सम में हानिस होगा और यही अज़हर व अशबा है और अगर क़सम खाई कि नमाज़ न पढ़ूंगा फिर खड़ा हुआ और रूकूअ और सजदा किया मगर क़िराअत न की तो बाज़ ने कहा है कि हानिस न होगा और बाज़ ने कहा ककि हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि ज़ोहर की नमाज़ न पढ़ूंगा तो हानिस न होगा यहां तक कि बाद चार रकअत के तशहुद पढे और इसी तरह अगर क़सम खाई कि फ़ज्र की नमाज़ न पढ़ूंगा तो हानिस न होगा यहां तक कि बाद दो रकअत के तशहुद पढे और इसी तरह

तहारत के नमाज़ पढी तो इस्तहसानन पापी न होगा और अगर8 उस ने यह इरादा की हो कि नमाज़ फ़ासिद भी न पढ़ूंगा तो दयानतन व न्यायिक दोनों तरह उस के कथन की पुष्टि (1) होगी और अगर उस ने अपनी क़सम ज़माने माज़ी पर माक़ूद की बईं तौर कि कहा कि अगर मैंने नमाज़ पढी हो तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो यह नमाज़ फ़ासिद व जाइज़ दोनों पर होगी और अगर उस ने भूत काल में खास्सतन सही नमाज़ की इरादा की तो इमानदारी से न्यायिक उस की इरादा की पुष्टि होगी यह ज़खीरा में है।

अगर क़सम खाई कि नमाज़ न पढ़ूंगा फिर खड़ा हुआ और क़िराअत की और रूकूअ किया तो यहां तक पापी न होगा और अगर उस के साथ सजदा यि फिर क़तअ (1) की तो पापी हो गया यह हिदाया में है फिर इमाम मुहम्मद रह० ने यह नहीं वर्णन फ़रमाया कि वह कब पापी होगा और विद्वानों ने इस में मतभेद किया है कुछ ने फ़रमाया कि रकअत में सजदा से सर उठाने के बाद ही पापी होगा यह तबयुन में है और अगर क़सम खाई कि कोई एक नमाज़ न पढ़ूंगा तो पापी न होगा यहां तक कि दो रकअत पूरी पढे यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि मैं एक नमाज़ न पढ़ूंगा फिर दो रकअतें पढीं और बक़द्र तशहुद के बैठा बस अगर उस ने अपनी क़सम नफ़िल पर मअक़ूद की हो तो पापी न होगा और अगर अपनी क़सम फ़र्ज़ पर मअक़ूद की और वह नमाज़ दो रकअत है तो भी यही आदेश है और अगर यह फ़र्ज़ चार रकअत है तो अपनी क़सम में पापी होगा और यही अज़हर व अशबा है और अगर क़सम खाई कि नमाज़ न पढ़ूंगा फिर खड़ा हुआ और रूकूअ और सजदा किया मगर क़िराअत न की तो कुछ ने कहा है कि पापी न होगा और कुछ ने कहा ककि पापी होगा और अगर क़सम खाई कि ज़ोहर की नमाज़ न पढ़ूंगा तो पापी न होगा यहां तक कि बाद चार रकअत के तशहुद पढे और इसी तरह अगर क़सम खाई कि फ़ज्र की नमाज़ न पढ़ूंगा तो पापी न होगा यहां तक कि बाद दो रकअत के तशहुद पढे और इसी तरह अगर क़सम खाई कि नमाज़ मग़रिब न पढ़ूंगा तो पापी न होगा यहां तक कि बाद

अगर क़सम खाई कि नमाज़ मग़रिब न पढ़ूंगा तो हानिस न होगा यहां तक कि बाद तीन रकअतों के तशहुद पढ़े यह मुहीत में है।

अगर कहा कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है कि अगर मैं ने ज़ोहर को इमाम के साथ पाया फिर इमाम को तशहुद में पाया और उस के पीछे नियत करके दाखिल हो गया तो हानिस हो गया और क़सम खाई कि जुमा को इमाम के साथ न पढ़ूंगा फिर उस ने एक रकअत इमाम के साथ पाई और वो पढ़ी फिर इमाम ने सलाम फैरा और उस ने अपनी दूसरी रकअत पढ कर तमाम की तो हानिस न होगा आर अगर उस ने इमाम के साथ शुरू तकबीर कही फिर सो गया या इस को हदस हो गया पस वो वुज़ू करने चला गया फिर वुज़ू करके आया और हाल यह है कि इमाम सलाम फैर चुका है पस उस ने जहां से नमाज़ छोडी थी इसी पर इमाम की तबइयत में बिना की तो हानिस होगा अगरचे अदाये नमाज़ में मक़ारनत नहीं पाई गई इस वास्ते कि लफ़्ज़ के साथ से यहां हक़ीक़तन क़ुरआन मुराद नहीं होता है बल्कि इस का इमाम का ताबअ व मुक़तदी होना मुराद होता है और अगर उस ने हक़ीक़तन क़ुरआन की नियत कि हो तो 'दयानतन फ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहि तआला' उस की तसदीक़ होगी और क़ज़ाअन भी तसदीक़ होगी यह बदाऐ में है और अगर उस ने इस सूरत में नियत की हो कि बदून मक़ारनत के बतौर मुताबअत के न पढ़ूंगा तो क़ज़ाअन भी तसदीक़ न होगी यह मुहीत में है। नवाज़िल में लिखा है कि अगर क़सम खाई कि सजदा न करूंगा या क़सम खाई कि रूकूअ न करूंगा फिर नमाज़ या ग़ैर नमाज़ में ऐसा किया तो हानिस होगा और फ़तावा आहो में लिखा है कि अगर क़सम खाई कि आज के रोज़ जमाअत से न पढ़ूंगा फिर इस ने एक के पीछे इक़्तदा की या एक का इमाम हुआ तो हानिस होगा अगरचे उस का मुक़तदी तफ़ल हो यह तातार खानिया में है।

एक ने क़सम खाई कि किसी की इमामत न करूंगा फिर उस ने तन्हा अपनी नमाज़ शुरू की और नियत की कि किसी की इमामत न करूंगा फिर चन्द लोग आये और उन्होंने उस के पीछे इक़्तदा की तो

तीन रकअतों के तशहुद पढे यह मुहीत में है।

अगर कहा कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है कि अगर मैं ने ज़ोहर को इमाम के साथ पाया फिर इमाम को तशहुद में पाया और उस के पीछे इरादा करके प्रवेश हो गया तो पापी हो गया और क़सम खाई कि जुमा को इमाम के साथ न पढ़ूंगा फिर उस ने एक रकअत इमाम के साथ पाई और वह पढ़ी फिर इमाम ने सलाम फैरा और उस ने अपनी दूसरी रकअत पढ कर तमाम की तो पापी न होगा आर अगर उस ने इमाम के साथ शुरू तकबीर कही फिर सो गया या इस को हदस हो गया बस वह वुज़ू करने चला गया फिर वुज़ू करके आया और हाल यह है कि इमाम सलाम फैर चुका है बस उस ने जहां से नमाज़ छोडी थी इसी पर इमाम की तबइयत में बिना की तो पापी होगा चाहे अदाये नमाज़ में मक़ारनत नहीं पाई गई इस लिए कि लफ़्ज़ के साथ से यहां वास्तव में क़ुरआन तात्पर्य नहीं होता है बल्कि इस का इमाम का ताबअ व मुक़तदी होगा तात्पर्य होता है और अगर उस ने वास्तव में में क़ुरआन की इरादा कि हो तो 'दयानतन फ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहि तआला' उस की पुष्टि होगी और न्यायिक भी पुष्टि होगी यह बदाऐ में है और अगर उस ने इस स्थिति में इरादा की हो कि बदून मक़ारनत के बतौर मुताबअत के न पढ़ूंगा तो न्यायिक भी पुष्टि न होगी यह मुहीत में है। नवाज़िल में लिखा है कि अगर क़सम खाई कि सजदा न करूंगा या क़सम खाई कि रूकूअ न करूंगा फिर नमाज़ या ग़ैर नमाज़ में ऐसा किया तो पापी होगा और फ़तावा आहो में लिखा है कि अगर क़सम खाई कि आज के दिन जमाअत से न पढ़ूंगा फिर इस ने एक के पीछे इक़्तदा की या एक का इमाम हुआ तो पापी होगा चाहे उस का मुक़तदी तफ़ल हो यह तातार खानिया में है।

एक ने क़सम खाई कि किसी की इमामत न करूंगा फिर उस ने तन्हा अपनी नमाज़ शुरू की और इरादा की कि किसी की इमामत न करूंगा फिर चन्द लोग आये और उन्होंने उस के पीछे इक़्तदा की तो न्यायिक पापी होगा न दयानतन जब कि वह (2) रूकूअ व सजदा करे और इसी तरह अगर

क़ज़ाअन हानिस होगा न दयानतन जब कि वो (2) रूकूअ व सजदा करे और इसी तरह अगर

(1)ााायद यह क़ैद इमाम रह के मज़हब पर हानिस होने के लि, मोअतबर है।
(2)इस से पहले हानिस न होगा।
(1)पस सूरत मज़कूरह में हानिस होगा।

हालिफ़ ने बरोज़ जुमा लोगों के साथ नमाज़ पढ़ी और नियत यह है कि ख़ुद जुमा पढ़ता हूं तो हालिफ़ का और इन लोगों का जुमा इस्तहसानन जाइज़ और हालिफ़ क़ज़ाअन हानिस होगा न दयानतजन और अगर उस ने जुमा के और नमाज़ में नमाज़ शुरू करने से पहले ऐसे गवाह कर लिये हों कि मैं तन्हा अपने वास्ते नमाज़ पढ़ता हूं और बाक़ी मसला बहाला है तो दयानतन व क़ज़ाअन दोनों तरह हानिस न होगा और अगर इस ने नमाज़ शुरू कर ली फिर उस को हदस हुआ पस उस ने एक शख़्स को आगे कर दिया तो हानिस हुआ यह ख़ुलासा में है और अगर नमाज़ जनाज़ा या सजदा तिलावत में लोगों की इमामत की तो हानिस न होगा इस वास्ते कि इस की क़सम मन्सरफ़ बजानिब मुतलक़ नमाज़ हुई और वो क़रीज़ा नाफ़िला है और जनाज़े की नमाज़ मुतलक़ नमाज़ में नहीं दाखिल है और अगर क़सम खाई कि फ़लां की इमामत न करूंगा यानी एक शख़्स निश्चित को कहा पस उस ने नमाज़ पढ़ी और लोगों की इमामत की नियत की पस फ़लां मज़कूर ने भी उस के पीछे नमाज़ पढ़ी तो हालिफ़ मज़कूर हानिस हो गया अगरचे इस को यह मालूम न हुआ हो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

क़सम खाई कि ज़रूर आज के रोज़ पांचों नमाज़ें बाजमाअत पढ़ूंगा और अपनी औरत से जिमाअ करूंगा बदिन में और गुस्ल न करूंगा :

क़सम खाई कि फ़लां के पीछे नमाज़ न पढ़ूंगा फिर उस के पहलू में खड़े हो कर नमाज़ पढ़ी तो हानिस होगा और अगर उस ने नियत की कि हक़ीक़तन पीछे खड़े हो कर न पढ़ूंगा तो क़ज़ाअन इस की तसदीक़ न होगी और अगर क़सम खाई कि वल्लाह तेरे साथ नमाज़ न पढ़ूंगा फिर दोनों ने एक इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ी तो हानिस

(1)ााायद यह क़ैद इमाम रह के मज़हब पर पापी होने के लि, मोअतबर है।
(2)इस से पहले पापी न होगा।
(1)बस स्थिति वर्णितह में पापी होगा।

शपथकर्ता ने बरोज़ जुमा लोगों के साथ नमाज़ पढ़ी और इरादा यह है कि ख़ुद जुमा पढ़ता हूं तो शपथकर्ता का और इन लोगों का जुमा इस्तहसानन जाइज़ और शपथकर्ता न्यायिक पापी होगा न दयानतजन और अगर उस ने जुमा के और नमाज़ में नमाज़ शुरू करने से पहले ऐसे गवाह कर लिये हों कि मैं तन्हा अपने लिए नमाज़ पढ़ता हूं और बाक़ी मसला बहाला है तो दयानतन व न्यायिक दोनों तरह पापी न होगा और अगर इस ने नमाज़ शुरू कर ली फिर उस को हदस हुआ बस उस ने एक व्यक्ति को आगे कर दिया तो पापी हुआ यह ख़ुलासा में है और अगर नमाज़ जनाज़ा या सजदा तिलावत में लोगों की इमामत की तो पापी न होगा इस लिए कि इस की क़सम मन्सरफ़ बजानिब मुतलक़ नमाज़ हुई और वह क़रीज़ा नाफ़िला है और जनाज़े की नमाज़ मुतलक़ नमाज़ में नहीं प्रवेश है और अगर क़सम खाई कि फ़लाँ की इमामत न करूंगा यानी एक व्यक्ति निश्चित को कहा बस उस ने नमाज़ पढ़ी और लोगों की इमामत की इरादा की बस फ़लाँ वर्णित ने भी उस के पीछे नमाज़ पढ़ी तो शपथकर्ता वर्णित पापी हो गया चाहे इस को यह मालूम न हुआ हो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

क़सम खाई कि ज़रूर आज के दिन पांचों नमाज़ें बाजमाअत पढ़ूंगा और अपनी औरत से जिमाअ करूंगा बदिन में और गुस्ल न करूंगा :

क़सम खाई कि फ़लाँ के पीछे नमाज़ न पढ़ूंगा फिर उस के पहलू में खड़े हो कर नमाज़ पढ़ी तो पापी होगा और अगर उस ने इरादा की कि वास्तव में मैं पीछे खड़े हो कर न पढ़ूंगा तो न्यायिक इस की पुष्टि न होगी और अगर क़सम खाई कि वल्लाह तेरे साथ नमाज़ न पढ़ूंगा फिर दोनों ने एक इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ी तो पापी हो

हो इल्ला आँकि उस ने यह नियत की हो कि तेर साथ इस तौर से कि हम दोनों के साथ तीसरा न हो तो ऐसी सूरत में हानिस न होगा यह वजीज़ करदरी में है। एक ने क़सम खाई कि ज़रूर आत के रोज़ पांचों नमाज़ें बाजमाअत पढ़ूंगा और अपनी औरत से जिमाअ करूंगा दिन में और ग़ुस्ल न करूंगा पस अगर उस ने यूं किया कि फ़ज्र व ज़ोहर व असर जमाअत से पढ कर अपनी औरत से जिमाअ किया फिर बाद ग़ुरूबे आफ़ताब के नहा कर मग़रिब व इशा को जमाअत से पढ लिया तो हासि न होगा इस वास्ते कि इस का ग़ुस्ल रात में वाक़े हुआ न दिन में यह फ़तावा कुबरा में है और मजमा उल नवाज़िल में मज़कूर है कि एक ने क़सम खाई कि मैं इस मस्जिद वालों के साथ नमाज़ न पढूंगा मादाम कि फ़लां ज़िन्दह है इस में नमाज़ पढता है फिर फ़लां मज़कूर बीमार हुआ कि तीन रोज़ तक इस में नमाज़ न पढी या तन्दरूस्त था और इस में तीन रोज़ तक नमाज़ न पढी पस अगर हालिफ़ ने इन लोगों के साथ नमाज़ पढी तो हानिस न होगा यह ख़ुलासा में है।

एक ने क़सम खाई कि इस मस्जिद में नमाज़ न पढूंगा फिर यह मस्जिद बनाई गई और हालिफ़ ने बढे हुए मक़ाम पर नमाज़ पढी तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि बनी फ़लां की मस्जिद में नमाज़ न पढूंगा फिर इस में जगह बढाई गई और उस ने बढी हुई जगह पर नमाज़ पढी तो हानिस होगा यह ज़ख़ीरह में है और अगर क़सम खाई कि मैंने किसी नमाज़ को उस के वक़्त से से ताख़ीर नहीं किया है हालांकि एक दफ़ा सो गया था यहां तक कि नमाज़ का वक़्त निकल गया फिर उस को क़ज़ा किया तो सही यह है कि अगर वक़्त आने से पहले सोया था और बाद वक़्त निकल जाने के जागा तो हानिस न होगा और अगर वक़्त आ जाने के बाद सोया था तो हानिस होगा यह वजीज़ करदरी में है और एक ने क़सम खाई कि न सोउंगा यहां तक कि इतनी रकअतें पढ लूं फिर बैठे बैठे सो गया तो हानिस न होगा यह सिराजिया में है। और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि अगर तेने नमाज़ पढी तो तू आज़ाद है पस ग़ुलाम ने कहा कि मैंने नमाज़ पढी और मौला ने इन्कार किया तो

सिवा आँकि उस ने यह इरादा की हो कि तेर साथ इस तौर से कि हम दोनों के साथ तीसरा न हो तो ऐसी स्थिति में पापी न होगा यह वजीज़ करदरी में है। एक ने क़सम खाई कि ज़रूर आत के दिन पांचों नमाज़ें बाजमाअत पढ़ूंगा और अपनी औरत से जिमाअ करूंगा दिन में और ग़ुस्ल न करूंगा बस अगर उस ने यूं किया कि फ़ज्र व ज़ोहर व असर जमाअत से पढ कर अपनी औरत से जिमाअ किया फिर बाद ग़ुरूबे आफ़ताब के नहा कर मग़रिब व इशा को जमाअत से पढ लिया तो हासि न होगा इस लिए कि इस का ग़ुस्ल रात में स्थपित हुआ न दिन में यह फ़तावा कुबरा में है और मजमा उल नवाज़िल में वर्णित है कि एक ने क़सम खाई कि मैं इस मस्जिद वालों के साथ नमाज़ न पढूंगा मादाम कि फ़लाँ जीवित है इस में नमाज़ पढता है फिर फ़लाँ वर्णित बीमार हुआ कि तीन दिन तक इस में नमाज़ न पढी या तन्दरूस्त था और इस में तीन दिन तक नमाज़ न पढी बस अगर शपथकर्ता ने इन लोगों के साथ नमाज़ पढी तो पापी न होगा यह ख़ुलासा में है।

एक ने क़सम खाई कि इस मस्जिद में नमाज़ न पढूंगा फिर यह मस्जिद बनाई गई और शपथकर्ता ने बढे हुए मक़ाम पर नमाज़ पढी तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि बनी फ़लाँ की मस्जिद में नमाज़ न पढूंगा फिर इस में जगह बढाई गई और उस ने बढी हुई जगह पर नमाज़ पढी तो पापी होगा यह ज़ख़ीरह में है और अगर क़सम खाई कि मैंने किसी नमाज़ को उस के समय से से ताख़ीर नहीं किया है हालांकि एक दफ़ा सो गया था यहां तक कि नमाज़ का समय निकल गया फिर उस को क़ज़ा किया तो सही यह है कि अगर समय आने से पहले सोया था और बाद समय निकल जाने के जागा तो पापी न होगा और अगर समय आ जाने के बाद सोया था तो पापी होगा यह वजीज़ करदरी में है और एक ने क़सम खाई कि न सोउंगा यहां तक कि इतनी रकअतें पढ लूं फिर बैठे बैठे सो गया तो पापी न होगा यह सिराजिया में है। और अगर अपने ग़ुलाम से कहा कि अगर तेने नमाज़ पढी तो तू आज़ाद है बस ग़ुलाम ने कहा कि मैंने नमाज़ पढी और मालिक ने इन्कार किया

वो आज़ाद हन होगा यह मुहीत सुरखी में है और एक ने क़सम खाई कि नकसीर से वज़ न करूंगा फिर नकसीर फूटी फिर इस ने पेशाब किया फिर वुज़ू किया या पेशाब किया फिर नकसीर फूटी फिर इस ने वुज़ू किया तो वुज़ू इन दोनों से होगा और वो अपनी क़सम में हानिस होगा यह मुहीत में है मुन्तक़ी में है।

कि कहा कि वल्लाह न ग़ुसल (1) करूंगा अपनी इस औरत से जिनाबत से फिर इस औरत से जिमाअ किया फिर दूसरी औरत से जिमाअ किया या इस के बरअक्स वाक़े हुआ तो क़सम में हानिस हुआ इस वास्ते कि इस की क़सम जिमाअ पर वाक़े हुई थी और अगर इस ने हक़ीक़तन ग़ुसल ही की नियत की हो तो भी इस सूरत में यही हुक्म है इस वास्ते कि ग़ुस्ल इस औरत से भी वाक़े हुआ यह फ़तावा कुबरा में है। औरत ने अगर क़सम खाई कि जिनाबत से ग़ुसल न करूंगा या हैज़ से ग़ुसल न करूंगी फिर उस के शौहर ने इस से जिमाअ किया और वो हायज़ा हुई फिर स ने ग़ुसल किया तो यह ग़ुसल दोनों से होगा और वो अपनी क़सम में हानिस होगी यह ज़हीरिया में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां को ग़ुसल पन दूंगा या फ़लां के सर को न धोउंगा फिर बाद मौत के उस को ग़ुस्ल दियसा तो हानिस होगा यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि हराम (2) से ग़ुसल न करूंगा तो न जिमाअ पर वाक़े होगी चुनांचे अगर उस ने अजनबिया औरत से बतौर हराम जिमाअ किया और ग़ुसल न किया या तो या तो हानिस होगा और अजनबिया औरत से मुआनक़ा किया कि उस को इन्ज़ाल हा गयसा पस उस ने ग़ुसल किया तो हानिस न होगा यह ख़ुलासा में है क़ालल मुतरजम यह उर्फ़ पर मुबनी है फ़ाफ़हम और अगर क़सम खाई कि अपनी औरत से क़ुरबत न करूंगा फिर चित लेट गया और औरत ने उस पर अपनी हाजत रवाई की तो हुदूद उल नवाज़िल में मज़कूर है कि वो हानिस होगा हत्ता कि अगर दोनों अजनबी हों तो दोनों पर हद ज़िना वाजिब होगी और इस पर फ़तवा है हां अगर वो सोता हो पस औरत ने ऐसा ऐसा किसया तो हानिस न होगा यह मुहीत सुरखी में है।

तो वह आज़ाद हन होगा यह मुहीत सुरखी में है और एक ने क़सम खाई कि नकसीर से वज़ न करूंगा फिर नकसीर फूटी फिर इस ने पेशाब किया फिर वुज़ू किया या पेशाब किया फिर नकसीर फूटी फिर इस ने वुज़ू किया तो वुज़ू इन दोनों से होगा और वह अपनी क़सम में पापी होगा यह मुहीत में है मुन्तक़ी में है।

कि कहा कि वल्लाह न ग़ुसल (1) करूंगा अपनी इस औरत से जिनाबत से फिर इस औरत से जिमाअ किया फिर दूसरी औरत से जिमाअ किया या इस के बरअक्स स्थपित हुआ तो क़सम में पापी हुआ इस लिए कि इस की क़सम जिमाअ पर स्थपित हुई थी और अगर इस ने वास्तव में ग़ुसल ही की इरादा की हो तो भी इस स्थिति में यही आदेश है इस लिए कि ग़ुस्ल इस औरत से भी स्थपित हुआ यह फ़तावा कुबरा में है। औरत ने अगर क़सम खाई कि जिनाबत से ग़ुसल न करूंगा या हैज़ से ग़ुसल न करूंगी फिर उस के शौहर ने इस से जिमाअ किया और वह हायज़ा हुई फिर स ने ग़ुसल किया तो यह ग़ुसल दोनों से होगा और वह अपनी क़सम में पापी होगी यह ज़हीरिया में है और अगर क़सम खाई कि फ़लाँ को ग़ुसल पन दूंगा या फ़लाँ के सर को न धोउंगा फिर बाद मौत के उस को ग़ुस्ल दियसा तो पापी होगा यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि निषिद्ध (2) से ग़ुसल न करूंगा तो न जिमाअ पर स्थपित होगी चुनांचे अगर उस ने अजनबिया औरत से बतौर निषिद्ध जिमाअ किया और ग़ुसल न किया या तो या तो पापी होगा और अजनबिया औरत से मुआनक़ा किया कि उस को इन्ज़ाल हा गयसा बस उस ने ग़ुसल किया तो पापी न होगा यह ख़ुलासा में है अनुवादक के कथनानुसार यह उर्फ़ पर मुबनी है फ़ाफ़हम और अगर क़सम खाई कि अपनी औरत से क़ुरबत न करूंगा फिर चित लेट गया और औरत ने उस पर अपनी हाजत रवाई की तो हुदूद उल नवाज़िल में वर्णित है कि वह पापी होगा हत्ता कि अगर दोनों अजनबी हों तो दोनों पर हद ज़िना अनिवार्य होगी और इस पर फ़तवा है हां अगर वह सोता हो बस औरत ने ऐसा ऐसा किसया तो पापी न होगा यह मुहीत सुरखी में है।

एक ने क़सम खाई कि फ़लां औरत से जिमाअ न करूंगा या इस का बोसा न लूंगा तो यह क़सम ज़िन्दगी भर पर वाक़े होगी न मौत के बाद यह सिराजिया में है और अरबी में कहा कि 'अन बाज़अतक ओ जामतक फ़अबदी हुर्' यानी अगर मैंने तुझ सें मबाज़अत की या मजामअत की तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो यह क़सम फ़ुर्ज में जिमाअ करने परे वाक़े होगी और अगर कहा कि 'न अततैयक' यानी अगर मैं तेरे पास आया तो यह जिमाअ पर वाक़े होगी बशर्तेकि इस की नियत हो पस अगर उस ने जिमाअ की नियत की तो सही है और अगर ज़ियारत कीनियत की तो सही है पस अगर उस ने ज़ियारत की नियत की हो फिर औरत से वती की तो हानिस (1) होगा बखिलाफ़ इस के अगर जिमाअ की नियत की हो फिर ज़ियारत की तो हानिस न होगा और बअगर कुछ नियत न हो तो हाकिम बिन नसीर बिन महरोया से मंक़ूल है कि उन्होंने फ़रमाया कि अगर औरत के पास उस के देखने को आया और इस से जिमाअ न किया तो हानिस न होगा और अगर बावजूद इस के जिमाअ भी किया तो हानिस होगा और अगर कहा कि 'अन असबतक' यानी मैं तुझ तक पहुंचा तो बदून नियत के यह क़सम जिमाअ पर वाक़े न होगी और अगर इस की नियत न हो तो उस का हुक्म उसी पर होगा जैसे हाकिम से मंक़ूल हुआ है यह शरह तलखीस जामअ कबीर में है।

अगर क़सम खाई कि मैं आज के रोज़ या एक रोज़ एक रोज़ा न रखूंगा फिर सुबह को रोज़ा दार उठा फिर इस को तोड़ डाला तो हानिस न होगा और अगर कहा कि 'ला नसोम' रोज़ा न रखूंगा फिर उस ने ऐसा किया तो हानिस होगा यह जामअ कबीर में है क़ालल मुतरजम हमारे उर्फ़ में मुतबादिर इस से यही है कि तमाम दिन साइम न रहूंगा पस उम्मीद है कि थोड़ी देर साइम रहने से हानिस हुआ वल्लाह आलम। इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि एक शख़्स ने कहा कि वास्ते अल्लाह के मुझ पर लाज़िम है कि मैं उस रोज़ रोज़ा रखूं जिस में कि फ़लां सफ़र से आये फिर फ़लां मज़कूर ऐसे रोज़ आया कि जिस दिन यह शख़्स कुछ खा चुका था

एक ने क़सम खाई कि फ़लाँ औरत से जिमाअ न करूंगा या इस का बोसा न लूंगा तो यह क़सम ज़िन्दगी भर पर स्थपित होगी न मौत के बाद यह सिराजिया में है और अरबी में कहा कि 'अन बाज़अतक ओ जामतक फ़अबदी हुर्' यानी अगर मैंने तुझ सें मबाज़अत की या मजामअत की तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो यह क़सम फ़ुर्ज में जिमाअ करने परे स्थपित होगी और अगर कहा कि 'न अततैयक' यानी अगर मैं तेरे पास आया तो यह जिमाअ पर स्थपित होगी बशर्तेकि इस की इरादा हो बस अगर उस ने जिमाअ की इरादा की तो सही है और अगर ज़ियारत कीनियत की तो सही है बस अगर उस ने ज़ियारत की इरादा की हो फिर औरत से संभोग की तो पापी (1) होगा बखिलाफ़ इस के अगर जिमाअ की इरादा की हो फिर ज़ियारत की तो पापी न होगा और बअगर कुछ इरादा न हो तो हाकिम बिन नसीर बिन महरोया से मंक़ूल है कि उन्होंने फ़रमाया कि अगर औरत के पास उस के देखने को आया और इस से जिमाअ न किया तो पापी न होगा और अगर बावजूद इस के जिमाअ भी किया तो पापी होगा और अगर कहा कि 'अन असबतक' यानी मैं तुझ तक पहुंचा तो बदून इरादा के यह क़सम जिमाअ पर स्थपित न होगी और अगर इस की इरादा न हो तो उस का आदेश उसी पर होगा जैसे हाकिम से मंक़ूल हुआ है यह शरह तलखीस जामअ कबीर में है।

अगर क़सम खाई कि मैं आज के दिन या एक दिन एक रोज़ा न रखूंगा फिर सुबह को रोज़ा घर उठा फिर इस को तोड़ डाला तो पापी न होगा और अगर कहा कि 'ला नसोम' रोज़ा न रखूंगा फिर उस ने ऐसा किया तो पापी होगा यह जामअ कबीर में है अनुवादक के कथनानुसार हमारे उर्फ़ में मुतबादिर इस से यही है कि तमाम दिन साइम न रहूंगा बस उम्मीद है कि थोड़ी देर साइम रहने से पापी हुआ वल्लाह आलम। इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि एक व्यक्ति ने कहा कि लिए अल्लाह के मुझ पर अनिवार्य है कि मैं उस दिन रोज़ा रखूं जिस में कि फ़लाँ सफ़र से आये फिर फ़लाँ वर्णित ऐसे दिन आया कि जिस दिन यह व्यक्ति कुछ खा चुका

या बाद ज़वाल के आया तो हालिफ़ पर कुछ वाजिब नहीं है और अगर यूं क़सम खाई कि अलबत्ता रोज़ा रहूंगा में जिस रोज़ कि फ़लां सफ़र से आउंगा फिर फ़लां इस के खाने और ज़वाल से पहले आया था पस अगर उस ने इस रोज़ रोज़ा रखा तो इस पर कफ्फ़ारह लाज़िम न आयेगा और अगर इस रोज़ साइम न रहा तो कफ्फ़ारह-ए-क़सम लाज़िम आयेगा और दर सूरत यह कि फ़लां ऐसे वक्त आया कि यह खा चुका था तो बहरहाल इस पर कफ्फ़ारह-ए-क़सम लाज़िम आ जायेगा यह शरह जामेअ कबीर हसीरी में है और अगर किसी रोज़ बाद खाने के या बाद ज़वाल शम्स के कहा कि वल्लाह मैं आज के रोज़ रोज़ा रखूंगा तो बाक़ी रोज़ खाने व पीने व जिमाअ करने से बाज़ रहने से क़सम में सच्चा हो जायेगा और इसी तरह अगर क़सम को रात की तरफ़ मज़ाफ़ किया और कहा कि वल्लाह इस रात रोज़ा रखूंगा तो इस रात महज़ इसी तौर से बाज़ रहने से क़सम में सच्चा हो जायेगा यह शरह तलखीस जामेअ कबीर में है।

अगर किसी ने क़सम खाईद कि 'ला सौमन हैयना' यानी वल्लाह ताहीन रोज़ा रखूंगा पस अगर उस ने हीन से किसी क़द्र मुद्दत मालूमा की नियत की हो तो क़सम इस की नियत पर वाक़े होगी और अगर इस की कुछ नियत न हो तो छः महीने पर वाक़े होगी और तक़दीर मसला यही होगा कि वल्लाह छः महीने रोजत्र रखूंगा इसी तरह अगर उस ने 'लियसौमन उल हीन' यानी मैं को बअलिफ़ व लाम ज़िक्र किया हो तो भी यही हुक्म है और इसी तरह अगर यूं कहा कि 'इन सिमत हीना फ़कज़ा' यानी अगर रोज़ा रखा मैंने ताहीन तो चुनीन व चुनान या 'अन सम्तल हैन बअलिफ़ व लाम' पस अगर कोई नियत की हो तो इस की नियत पर होगी वरना छः महीने पर वाक़े होगी पस जब तक छः महीने रोज़े रखेगा तब तक हानिस न होगा जैसे इस तरह कहने में होता है कि अगर मैं छः महीने रोज़े रखूं तो ऐसा है और वाज़ेअ रहे कि यह ज़रूरी नहीं है कि उन्हें छः महीने पर हो जो मुतस्सिल क़सम हैं बल्कि जब कभी छः महीने रोज़े रखेगा हानिस होगा और अगर कहा 'अन सम्त ज़माना अविल ज़मान' अगर कहा 'सिम्त ज़माना और अविल ज़मान'

था या बाद ज़वाल के आया तो शपथकर्ता पर कुछ अनिवार्य नहीं है और अगर यूं क़सम खाई कि अलबत्ता रोज़ा रहूंगा में जिस दिन कि फ़लाँ सफ़र से आउंगा फिर फ़लाँ इस के खाने और ज़वाल से पहले आया था बस अगर उस ने इस दिन रोज़ा रखा तो इस पर प्रायश्चित अनिवार्य न आयेगा और अगर इस दिन साइम न रहा तो कफ्फ़ारह-ए-क़सम अनिवार्य आयेगा और दर स्थिति यह कि फ़लाँ ऐसे समय आया कि यह खा चुका था तो बहरहाल इस पर कफ्फ़ारह-ए-क़सम अनिवार्य आ जायेगा यह शरह जामेअ कबीर हसीरी में है और अगर किसी दिन बाद खाने के या बाद ज़वाल शम्स के कहा कि वल्लाह मैं आज के दिन रोज़ा रखूंगा तो बाक़ी दिन खाने व पीने व जिमाअ करने से कुछ रहने से क़सम में सच्चा हो जायेगा और इसी तरह अगर क़सम को रात की तरफ़ मज़ाफ़ किया और कहा कि वल्लाह इस रात रोज़ा रखूंगा तो इस रात महज़ इसी तौर से कुछ रहने से क़सम में सच्चा हो जायेगा यह शरह तलखीस जामेअ कबीर में है।

अगर किसी ने क़सम खाईद कि 'ला सौमन हैयना' यानी वल्लाह ताहीन रोज़ा रखूंगा बस अगर उस ने हीन से किसी क़द्र मुद्दत मालूमा की इरादा की हो तो क़सम इस की इरादा पर स्थपित होगी और अगर इस की कुछ इरादा न हो तो छः महीने पर स्थपित होगी और तक़दीर मसला यही होगा कि वल्लाह छः महीने रोजत्र रखूंगा इसी तरह अगर उस ने 'लियसौमन उल हीन' यानी मैं को बअलिफ़ व लाम वर्णन किया हो तो भी यही आदेश है और इसी तरह अगर यूं कहा कि 'इन सिमत हीना फ़कज़ा' यानी अगर रोज़ा रखा मैंने ताहीन तो चुनीन व चुनान या 'अन सम्तल हैन बअलिफ़ व लाम' बस अगर कोई इरादा की हो तो इस की इरादा पर होगी वरना छः महीने पर स्थपित होगी बस जब तक छः महीने रोज़े रखेगा तब तक पापी न होगा जैसे इस तरह कहने में होता है कि अगर मैं छः महीने रोज़े रखूं तो ऐसा है और वाज़ेअ रहे कि यह ज़रूरी नहीं है कि उन्हें छः महीने पर हो जो मुतस्सिल क़सम हैं बल्कि जब कभी छः महीने रोज़े रखेगा पापी होगा और अगर कहा 'अन सम्त ज़माना अविल ज़मान' अगर कहा 'सिम्त ज़माना और अविल

अगर रोज़े रखे मैंने ता ज़माना पस अगर उस ने कुछ नियत की हो तो उस की नियत पर होगी और अगर नियत न हो तो हीन और ज़मान का एक ही हुक्म है ऐसा ही जामअ सग़ीर में मज़कूर है कि हीन व ज़मान का हुक्म यक्सां है और जामअ कबीर में लिखा है और अगर उस ने दो महीने या इस से .ज्यादा छः महीने तक नियत की तो क़सम इस की नियत पर होगी और जो जामअ कबीर में ज़िक्र फ़रमाया है वही सही है क्योंकि अहले लुग़त ने इजमाअ की है कि ज़माना दो महीने से छः महीने तक होता है और अगर उस की कुछ नियत न हो तो क़सम छः महीने पर वाक़े होगी और अगर कहा कि ज़मरन यानी ता उम्र तो यह मिस्ल हीन व ज़मान के है इस को क़ुदूरी ने ज़िक्र फ़रमाया है यह मुहीत में है।

अगर कहाः ان صمت الابدا وان صمت الدهر فكذا:

अगर कहा कि 'अन सिम्त शहर' यानी इस महीने रोज़ा रखे तो जब तक पूरा महीना रोज़ा न रखे तब तक हानिस न होगा यह मुहीत में है और अगर कहा कि मैंने एक महीना रोज़े रखे तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो क़सम एक महीना रोज़े पर होगी .ख़्वाह मुतफ़र्रिक़ रखे या पे दर पे और वही महीने मुतअयन न होगा जो क़सम से मुतस्सिल है पस अगर एक महीना रोज़े रखने से पहले मर गया तो हानिस हुआ और अगर कहा कि 'अन तरकत उल सौम शहरन' यानी अगर मैंने एक रोज़ा तर्क किया तो यह क़सम इस महीने की तरफ़ राजअ होगी जो उस की क़सम से मुतस्सिल है और अगर क़ब्ल इस महीने के गुज़रने के उस ने एक रोज़ या एक साअत रोज़ा रख लिया तो हानिस न होगा जब तक कि पूरा महीना रोज़ा तर्क न करे यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है और अगर कहा कि 'अन तरक्त सौम शहर बइज़ाफ़त' या इस ने यूं कहा कि 'अन सिम्त शहरन' यानी अगर तर्क किया मैंने रोज़ा एक माह का या रोज़ा रखा मैंने एक महीने ते यह क़सम इस के तमाम पर वाक़े होगी कि अपनी तमाम उम्र में एक महीने रोज़ा तर्क करे या महीने भर रोज़ा रखे या बहर उल राइक़ में लिखा

ज़मान' अगर रोज़े रखे मैंने ता ज़माना बस अगर उस ने कुछ इरादा की हो तो उस की इरादा पर होगी और अगर इरादा न हो तो हीन और ज़मान का एक ही आदेश है ऐसा ही जामअ सग़ीर में वर्णित है कि हीन व ज़मान का आदेश यक्सां है और जामअ कबीर में लिखा है और अगर उस ने दो महीने या इस से .ज्यादा छः महीने तक इरादा की तो क़सम इस की इरादा पर होगी और जो जामअ कबीर में वर्णन फ़रमाया है वही सही है क्योंकि अहले लुग़त ने इजमाअ की है कि ज़माना दो महीने से छः महीने तक होता है और अगर उस की कुछ इरादा न हो तो क़सम छः महीने पर स्थपित होगी और अगर कहा कि ज़मरन यानी ता उम्र तो यह मिस्ल हीन व ज़मान के है इस को क़ुदूरी ने वर्णन फ़रमाया है यह मुहीत में है।

अगर कहाः ان صمت الابدا وان صمت الدهر فكذا:

अगर कहा कि 'अन सिम्त शहर' यानी इस महीने रोज़ा रखे तो जब तक पूरा महीना रोज़ा न रखे तब तक पापी न होगा यह मुहीत में है और अगर कहा कि मैंने एक महीना रोज़े रखे तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो क़सम एक महीना रोज़े पर होगी चाहे मुतफ़र्रिक़ रखे या पे दर पे और वही महीने मुतअयन न होगा जो क़सम से मुतस्सिल है बस अगर एक महीना रोज़े रखने से पहले मर गया तो पापी हुआ और अगर कहा कि 'अन तरकत उल सौम शहरन' यानी अगर मैंने एक रोज़ा तर्क किया तो यह क़सम इस महीने की तरफ़ राजअ होगी जो उस की क़सम से मुतस्सिल है और अगर क़ब्ल इस महीने के गुज़रने के उस ने एक दिन या एक साअत रोज़ा रख लिया तो पापी न होगा जब तक कि पूरा महीना रोज़ा तर्क न करे यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है और अगर कहा कि 'अन तरकत सौम शहर बइज़ाफ़त' या इस ने यूं कहा कि 'अन सिम्त शहरन' यानी अगर तर्क किया मैंने रोज़ा एक माह का या रोज़ा रखा मैंने एक महीने ते यह क़सम इस के तमाम पर स्थपित होगी कि अपनी तमाम उम्र में एक महीने रोज़ा तर्क करे या महीने भर रोज़ा रखे या बहर उल राइक़ में लिखा है। एक ने अपने

है। एक ने अपने ग़ुलाम से कहा कि रोज़ा रख मेरी तरफ़ से एक रोज़ और तू आज़ाद है या नमाज़ पढ़ मेरी तरफ़ से दो रकअत और तू आज़ाद है तो जब तक इस की तरफ़ से हज न करे आज़ाद न होगा और दोनों में फ़र्क़ यह कि हज में नयाबत जारी होती है और नमाज़ व रोज़े में नयाबत नहीं जारी होती है यह ज़हीरिया में है।

अगर क़सम खाई कि फ़लां के पास अफ़तार न करूंगा तो हक़ीक़तन उस के पास अफ़तार करने पर वाक़े होगा :

अगर क़सम खाई कि रोज़े माहे रमज़ान के कूफ़ा में न रखूंगा तो उस की क़सम माह रमज़ान के पूरे रोज़े कूफ़ा में रखने पर वाक़े होगी चुनांचे अगर उसने एक रोज़ा कूफ़ा में रखा फिर वहां से बाहर चला गया या कूफ़ा में बीमार पड़ा रहा कोई रोज़ा न रखा तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि कूफ़ा में अफ़तार न करूंगा तो उस की क़सम कूफ़ा में बरोज़ फ़ितर उस के होने पर वाक़े होगी पस अगर बरोज़े फ़ितर में होगा तो हानिस होगा अगरचे उस ने कुछ खाया व पिया न हो यह शरह तलख़ीस जामअ कबीर में है और किताब में यह मज़कूर नहीं है कि अगर उस ने रात से यौम फ़ितर के रोज़े की नियत की हो और कुछ न खा पस आया हानिस होगा तो इस में मशाइख़ ने इख़्तलाफ़ किया है और सही यह है कि वो हानिस होगा इस वास्ते कि हर गाह वो मुराद अफ़तार से दख़ूल दर यौम उल फ़ितर था और वो पाया गया तो वाजिब है कि वो हानिस हो जाये यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां के पास अफ़तार न करूंगा तो हक़ीक़तन उस के पास अफ़तार करने पर वाक़े होगा चुनांचे अगर उस ने अपने घर अफ़तार कर लिया फिर फ़लां के पास इशा का खाना खाया तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि रमज़ान का चांद कूफ़ा में न देखूंगा तो उस की क़सम रोयते हिलाल के वक्त कूफ़ा में होने पर वाक़े होगी चुनांचे अगर इस वक्त कूफ़ा में हुआ तो हानिस होगा अगरचे उस ने अपनी आंख से चांद न देखा हो इल्ला आंकि वो मसला अफ़तार व रोयते हिलाल में

ग़ुलाम से कहा कि रोज़ा रख मेरी तरफ़ से एक दिन और तू आज़ाद है या नमाज़ पढ़ मेरी तरफ़ से दो रकअत और तू आज़ाद है तो जब तक इस की तरफ़ से हज न करे आज़ाद न होगा और दोनों में फ़र्क़ यह कि हज में नयाबत जारी होती है और नमाज़ व दिने में नयाबत नहीं जारी होती है यह ज़हीरिया में है।

अगर क़सम खाई कि फ़लाँ के पास अफ़तार न करूंगा तो वास्तव में उस के पास अफ़तार करने पर स्थपित होगा :

अगर क़सम खाई कि रोज़े माहे रमज़ान के कूफ़ा में न रखूंगा तो उस की क़सम माह रमज़ान के पूरे रोज़े कूफ़ा में रखने पर स्थपित होगी चुनांचे अगर उसने एक रोज़ा कूफ़ा में रखा फिर वहां से बाहर चला गया या कूफ़ा में बीमार पड़ा रहा कोई रोज़ा न रखा तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि कूफ़ा में अफ़तार न करूंगा तो उस की क़सम कूफ़ा में बरोज़ फ़ितर उस के होने पर स्थपित होगी बस अगर बरोज़े फ़ितर में होगा तो पापी होगा चाहे उस ने कुछ खाया व पिया न हो यह शरह तलख़ीस जामअ कबीर में है और किताब में यह वर्णित नहीं है कि अगर उस ने रात से यौम फ़ितर के रोज़े की इरादा की हो और कुछ न खा बस आया पापी होगा तो इस में विद्वानों ने मतभेद किया है और सही यह है कि वह पापी होगा इस लिए कि हर गाह वह तात्पर्य अफ़तार से दख़ूल दर यौम उल फ़ितर था और वह पाया गया तो अनिवार्य है कि वह पापी हो जाये यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है और अगर क़सम खाई कि फ़लाँ के पास अफ़तार न करूंगा तो वास्तव में उस के पास अफ़तार करने पर स्थपित होगा चुनांचे अगर उस ने अपने घर अफ़तार कर लिया फिर फ़लाँ के पास इशा का खाना खाया तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि रमज़ान का चांद कूफ़ा में न देखूंगा तो उस की क़सम रोयते हिलाल के समय कूफ़ा में होने पर स्थपित होगी चुनांचे अगर इस समय कूफ़ा में हुआ तो पापी होगा चाहे उस ने अपनी आंख से चांद न देखा हो सिवा आंकि वह मसला अफ़तार व रोयते हिलाल में अपने लफ़्ज़ को

अपने लफ्ज़ को मुतलक़ रखे बईं तौर कि अफ़तार न करूंगा या हिलाल रमज़ान न देखूंगा यानी बदून इज़ाफ़त के तो ऐसी सूरत में उस की क़सम हक़ीक़तन अफ़तार और हक़ीक़त चांद देखने पर वाक़े होगी और नीज़ अगर उस ने मुतलक़ लफ्ज़ न होने की सूरत में बावजूद इज़ाफ़त के अपनी नियत यह की हो कि कूफ़ा में किसी चीज़ से खाने व पीने की अफ़तार न करूंगा हक़ीक़तन या कूफ़ा में अपनी आंख से चांद न देखूंगा तो दोनों मसलों में इस की इस नियत की तसदीक़ होगी लेकिन फ़र्क़ यह है कि अगर चांद देखने के मसले में उस ने हक़ीक़तन आंख से चांद देखने की नियत की क़ज़ाअन व यानतन दोनों तरह से उस की नियत की तसदीक़ की जायेगी बखिलाफ़ फ़ितर के कि अगर उसने हक़ीक़तन अफ़तार की नियत की तो दयानतन उस की तसदीक़ की जायेगी मगर क़ाज़ी उस की तसदीक़ (फ़ी बैयनहू व बैनल्लाहि तआला) न करेगा यह शरह तलखीस जामअ कबीर में है।

अगर क़सम खाई कि किसी औरत से वती हराम न करूंगा फिर अपनी औरत के साथ हालत हैज़ में या ऐसी हालत में कि इस से ज़िहार किया था वती करली तो हानिस न होगा :

अगर वो चांद निकलने के वक्त कूफ़ा में था लेकिन उस को मालूम न था पस आया हानिस होगा या न होगा तो बाज़ ने कहा हां बाज़ ने कहा नहीं। अगर कहा कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैं ने इमसाल कूफ़ा में क़ुर्बानी की फिर दसवीं ज़िल हिज्जा को वो कूफ़ा में था मगर उस ने क़ुर्बानी नहीं की तो हानिस न होगा और अगर उस की यह नियत हो कि इस वक्त यानी बरोज़े क़ुर्बानी कूफ़ा में मौजूद हो तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो क़सम उस की नियत पर होगी यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है औरत ने अपने शौहर को लोण्डे बाज़ी की मलामत की पस शौहर ने क़सम खाई कि 'लायाती हरामा' यानी हराम न करूंगा तो बोसा लेने व छूने से अगरचे बशहवत वो हासि न होगा और फ़ुर्ज के सिवाए

मुतलक़ रखे बईं तौर कि अफ़तार न करूंगा या हिलाल रमज़ान न देखूंगा यानी बदून इज़ाफ़त के तो ऐसी स्थिति में उस की क़सम वास्तव में अफ़तार और हक़ीक़त चांद देखने पर स्थपित होगी और नीज़ अगर उस ने मुतलक़ लफ्ज़ न होने की स्थिति में बावजूद इज़ाफ़त के अपनी इरादा यह की हो कि कूफ़ा में किसी चीज़ से खाने व पीने की अफ़तार न करूंगा वास्तव में या कूफ़ा में अपनी आंख से चांद न देखूंगा तो दोनों मसलों में इस की इस इरादा की पुष्टि होगी लेकिन फ़र्क़ यह है कि अगर चांद देखने के मसले में उस ने वास्तव में आंख से चांद देखने की इरादा की न्यायिक व यानतन दोनों तरह से उस की इरादा की पुष्टि की जायेगी बखिलाफ़ फ़ितर के कि अगर उसने वास्तव में अफ़तार की इरादा की तो दयानतन उस की पुष्टि की जायेगी मगर क़ाज़ी उस की पुष्टि (फ़ी बैयनहू व बैनल्लाहि तआला) न करेगा यह शरह तलखीस जामअ कबीर में है।

अगर क़सम खाई कि किसी औरत से संभोग निषिद्ध न करूंगा फिर अपनी औरत के साथ हालत हैज़ में या ऐसी हालत में कि इस से ज़िहार किया था संभोग करली तो पापी न होगा :

अगर वह चांद निकलने के समय कूफ़ा में था लेकिन उस को मालूम न था बस आया पापी होगा या न होगा तो कुछ ने कहा हां कुछ ने कहा नहीं। अगर कहा कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैं ने इमसाल कूफ़ा में क़ुर्बानी की फिर दसवीं ज़िल हिज्जा को वह कूफ़ा में था मगर उस ने क़ुर्बानी नहीं की तो पापी न होगा और अगर उस की यह इरादा हो कि इस समय यानी बरोज़े क़ुर्बानी कूफ़ा में मौजूद हो तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो क़सम उस की इरादा पर होगी यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है औरत ने अपने शौहर को लोण्डे बाज़ी की मलामत की बस शौहर ने क़सम खाई कि 'लायाती हरामा' यानी निषिद्ध न करूंगा तो बोसा लेने व छूने से चाहे बशहवत वह हासि न होगा और फ़ुर्ज के सिवाए

दूसरी जगह जिमाअ करने से हानिस होगा और अगर लोण्डों याव औरत से लवातत की तो फ़तवा इस पर है कि वो हानिस होगा। एक ने क़सम खाई कि ज़िना न करूंगा फिर लवातत (1) की तो हानिस होगा यह वजीज़ करदरी में है। ईमानुल क़ुदूरी में लिखा है कि अगर क़सम खाई कि किसी औरत वे वती हराम न करूंगा फिर पनी औरत के साथ हालत हैज़ में या ऐसी हालत में कि इस से ज़िहार किया था वती करली तो हानिस न होगा इल्ला आंकि उस ने इस की नियत की हो और अगर औरत ने क़सम खाई कि वल्लाह कि हराम न करो सितम (2) और मुराद यह ली कि मैंने ज़िना को हराम नहीं किया है बल्कि ज़िना को हराम करने वाला वही अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल है कि उसी ने ज़िना को हराम कर दिया है हालांकि औरत मज़कूर ने ज़िना किया है तो वो हानिसा न होगी और अगर कोई मर्द ऐसी क़सम खाने वाला हो और उस ने अल्लाह तआला की ऐसी क़सम खाई तो इस में भी यही हुक्म है और अगर उस ने तलाक़ या इताक़ के साथ ऐसी क़सम खाई तो दयानतन उस की तसदीक़ होगी मगर क़सम खाई कि मुरतकिब हराम न होंगा तो यह क़सम ज़िना पर होगी और अगर क़सम खाने वाला ख़स्सी या मजबूब हो यह क़सम हराम बोसा या इस के मिस्ल पर होगी यह ज़हीरिया में है।

बाबः 10

कपड़े पहनने, पोशिश व ज़ैवर वग़ैरह की क़सम खाने के बयान में

अगर अपनी बीवी से कहा कि अगर मैंने तेरे काते सूत से पहना तो वो बदी है फिर औरत ने इस मर्द की ममलूका रूई से जो वक्त क़सम के इस की मिल्क थी सूत काता जिस का कपड़ा वग़ैरह उस ने पहना तो यह बिल इत्तफ़ाक़ हुदी होगा और अगर इस मर्द की मिल्क रूई या कितान न हो या हो मगर औरत ने उस से न काता बल्कि ऐसी रूई से काता जिस को मर्द मज़कूर ने

दूसरी जगह जिमाअ करने से पापी होगा और अगर लोण्डों याव औरत से लवातत की तो फ़तवा इस पर है कि वह पापी होगा। एक ने क़सम खाई कि ज़िना न करूंगा फिर लवातत (1) की तो पापी होगा यह वजीज़ करदरी में है। ईमानुल क़ुदूरी में लिखा है कि अगर क़सम खाई कि किसी औरत वे संभोग निषिद्ध न करूंगा फिर पनी औरत के साथ हालत हैज़ में या ऐसी हालत में कि इस से ज़िहार किया था संभोग करली तो पापी न होगा सिवा आंकि उस ने इस की इरादा की हो और अगर औरत ने क़सम खाई कि वल्लाह कि निषिद्ध न करो सितम (2) और तात्पर्य यह ली कि मैंने ज़िना को निषिद्ध नहीं किया है बल्कि ज़िना को निषिद्ध करने वाला वही अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल है कि उसी ने ज़िना को निषिद्ध कर दिया है हालांकि औरत वर्णित ने ज़िना किया है तो वह हानिसा न होगी और अगर कोई मर्द ऐसी क़सम खाने वाला हो और उस ने अल्लाह तआला की ऐसी क़सम खाई तो इस में भी यही आदेश है और अगर उस ने तलाक़ या इताक़ के साथ ऐसी क़सम खाई तो दयानतन उस की पुष्टि होगी मगर क़सम खाई कि मुरतकिब निषिद्ध न होंगा तो यह क़सम ज़िना पर होगी और अगर क़सम खाने वाला ख़स्सी या मजबूब हो यह क़सम निषिद्ध बोसा या इस के मिस्ल पर होगी यह ज़हीरिया में है।

अध्याय 10

कपड़े पहनने, पोशिश व ज़ैवर आदि की क़सम खाने के वर्णन में

अगर अपनी बीवी से कहा कि अगर मैंने तेरे काते सूत से पहना तो वह बदी है फिर औरत ने इस मर्द की ममलूका रूई से जो समय क़सम के इस की मिल्क थी सूत काता जिस का कपड़ा वग़ैरह उस ने पहना तो यह बिल इत्तफ़ाक़ हुदी होगा और अगर इस मर्द की मिल्क रूई या कितान न हो या हो मगर औरत ने उस से न काता बल्कि ऐसी रूई से काता जिस को मर्द वर्णित ने

बाद क़सम के खरीदा है तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक वो हुदी होगा यह फ़तहुल क़दीर में है और हुदी के मअनी यह है कि वो मक्का में सदक़ा कर दिया जाये यह हिदाया में है और अगर क़सम खाई कि ग़ज़ल फ़लां (काता सोगा) से न पहनूंगा और उस की कुछ नियत नहीं है फिर एक कपड़ा पहना जो फ़लां मज़कूर के काते सूत से बुना गया है तो अपनी क़सम में हानिस न होगा और अगर इस ने ऐन सूत की नियत की हो तो कपड़ा लेने से हानिस न होगा और दर सूरत यह कि कुछ नियत नहीं है अगर खाली सूत पहन लिया तो हानिस न होगा इल्ला आंकि उस ने नियत की हो यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि ग़ज़ल फ़लाना से कोई कपड़ा न पहनूंगा फिर ऐसा कपड़ा पहना जो फ़लाना मज़कूरह और दूसरी औरत के सूत से बुना गया है तो हानिस न होगा अगरचे दूसरी औरत का सूत इस में सवां हिस्सा हो ख़्वाह इन

(1)लोण्डे बाज़ी कीया औरत की दुबुर में वती की।
(2)वल्लाह कि मैं ने हराम नहीं किया।

दोनों का सूत मुख़्तलत हो या हर एक का सूत अलग अलग एक एक तरफ़ हो आर यह ऐसा है जैसे क़सम खाई कि फ़लां का कपड़ा न पहनूंगा फिर ऐसा कपड़ा पहना जो फ़लां मज़कूर व दूसरे के दरमियान मुशतरिक है तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां के बुने हुए से न पहनूंगा फिर ऐसा कपड़ा पहना जिस को फ़लां ने किसी दूसरे के साथ बुना है तो हानिस होगा और अगर कहा कि कपड़ा फ़लां की बुनाई का न पहनूंगा फिर ऐसा कपड़ा पहना जिस को फ़लां ने दूसरे के साथ बुना है पस अगर ऐसा कपड़ा हो कि इस को एक ही बुनता है मगर इस को दो ने बुना तो हानिस न होगा और अगर ऐसा है कि इसको दो ही बुनते हैं तो हासि होगा और अगर क़सम खाई कि ग़ज़ल फ़लाना से न पहनूंगा फिर फ़लाना के सूत का कपड़ा पहना और इस में दूसरी औरत का काता हुआ सूत मिला हुआ है तो हानिस होगा अगरचे फ़लाना का सवूत काता हुआ इस में मसलन एक ही तार हो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर क़सम खाई कि नसज फ़लां से कोई कपड़ा न पहनूंगा फिर उस के गुलामों की बनाई का कपड़ा

बाद क़सम के खरीदा है तो इमाम आज़म रह० के निकट वह हुदी होगा यह फ़तहुल क़दीर में है और हुदी के मअनी यह हैं कि वह मक्का में दान कर दिया जाये यह हिदाया में है और अगर क़सम खाई कि ग़ज़ल फ़लाँ (काता सोगा) से न पहनूंगा और उस की कुछ इरादा नहीं है फिर एक कपड़ा पहना जो फ़लाँ वर्णित के काते सूत से बुना गया है तो अपनी क़सम में पापी न होगा और अगर इस ने ऐन सूत की इरादा की हो तो कपड़ा लेने से पापी न होगा और दर स्थिति यह कि कुछ इरादा नहीं है अगर खाली सूत पहन लिया तो पापी न होगा सिवा आंकि उस ने इरादा की हो यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि ग़ज़ल फ़लाना से कोई कपड़ा न पहनूंगा फिर ऐसा कपड़ा पहना जो फ़लाना वर्णितह और दूसरी औरत के सूत से बुना गया है तो पापी न होगा चाहे दूसरी औरत का सूत इस में सवां हिस्सा हो चाहे इन

(1)लोण्डे बाज़ी कीया औरत की दुबुर में संभोग की।
(2)वल्लाह कि मैं ने निषि (नहीं किया।

दोनों का सूत मुख़्तलत हो या हर एक का सूत अलग अलग एक एक तरफ़ हो आर यह ऐसा है जैसे क़सम खाई कि फ़लाँ का कपड़ा न पहनूंगा फिर ऐसा कपड़ा पहना जो फ़लाँ वर्णित व दूसरे के बीच साझा है तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि फ़लाँ के बुने हुए से न पहनूंगा फिर ऐसा कपड़ा पहना जिस को फ़लाँ ने किसी दूसरे के साथ बुना है तो पापी होगा और अगर कहा कि कपड़ा फ़लाँ की बुनाई का न पहनूंगा फिर ऐसा कपड़ा पहना जिस को फ़लाँ ने दूसरे के साथ बुना है बस अगर ऐसा कपड़ा हो कि इस को एक ही बुनता है मगर इस को दो ने बुना तो पापी न होगा और अगर ऐसा है कि इसको दो ही बुनते हैं तो हासि होगा और अगर क़सम खाई कि ग़ज़ल फ़लाना से न पहनूंगा फिर फ़लाना के सूत का कपड़ा पहना और इस में दूसरी औरत का काता हुआ सूत मिला हुआ है तो पापी होगा चाहे फ़लाना का सवूत काता हुआ इस में मसलन एक ही तार हो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर क़सम खाई कि नसज फ़लाँ से कोई कपड़ा न पहनूंगा फिर उस के गुलामों की बनाई का कपड़ा

पहना पस अगर फ़लां मज़कूर अपने हाथ से बने का काम करता हो तो हानिस न होगा और अगर न करता हो तो हानिस (1) होगा यह ईज़ाह में है और अगर क़सम खाई कि कोई कपड़ा ग़ज़ल फ़लां से न पहनूंगा फिर एक कपड़ा जो फ़लां के सूत व रूई से बना हो जो वक्त क़सम के इस की मिल्क में थी पहना तो हानिस होगा और इसी तरह अगर इस वक्त इस की मिल्क में न थी जिस का कपड़ा पहना तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक हानिस होगा यह मुहीत और इसी तरह अगर ऐसा कपड़ा पहना जिस में फ़लाना के सूत का सिलका है तो भी हानिस न होगा और अगर उस के सूत का अज़ार बन्द हो तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० के क़ौल में हानिस होगा और इमाम मुहम्मद रह० के क़ौल में हानिस न होगा और इसी पर फ़तवा है और अगर तकमा याव घुण्डी उस के सूत से हो तो पहनने की क़सम में हानिस न होगा और अगर लेना (2) इस के सूत का हो तो हानिस न होगा और यही हुक्म ज़लक़ का भी बाज़ के नज़दीक है और नीज़ रक़आ का जिस को फ़ारसी में सियां तइन कहते हैं बाज़ के नज़दीक यही हुक्म है जबकि इस औरत के सूत से हो और इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है कि हानिस होगा और जब कि रक़आ में हानिस होगा तो लेना (1) वज़लक़ में भी हानिस होगा और यही हुक्म इस रक़आ का होगा जो जैब पर होता है और अगर उस ने एक पारह उस के सूत से बक़द्र दो बालिश्त के ले कर अपनी सतर औरत पर रखा तो हानिस न होगा और अगर इस औरत के सूत से बनी हुई टोपी या शबका जिस को फ़ारसी में कलोता कहते हैं पहनी तो हानिस होगा और यही हुक्म जो रब का है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर औरत ने क़सम खाई कि कपड़ा न पहनूं फिर उस ने खिमार या मुक़नआ पहना तो हानिस न हो :

अगर क़सम खाई कि ग़ज़ल फ़लाना से बुना हुआ कोई कपड़ा न न पहनूंगा फिर इस में से थोड़ा क़तअ किया फिर इस को पहना पस अगर यह इस क़द्र हो कि

पहना बस अगर फ़लाँ वर्णित अपने हाथ से बने का काम करता हो तो पापी न होगा और अगर न करता हो तो पापी (1) होगा यह ईज़ाह में है और अगर क़सम खाई कि कोई कपड़ा ग़ज़ल फ़लाँ से न पहनूंगा फिर एक कपड़ा जो फ़लाँ के सूत व रूई से बना हो जो समय क़सम के इस की मिल्क में थी पहना तो पापी होगा और इसी तरह अगर इस समय इस की मिल्क में न थी जिस का कपड़ा पहना तो इमाम आज़म रह० के निकट पापी होगा यह मुहीत और इसी तरह अगर ऐसा कपड़ा पहना जिस में फ़लाना के सूत का सिलका है तो भी पापी न होगा और अगर उस के सूत का अज़ार बन्द हो तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० के कथन में पापी होगा और इमाम मुहम्मद रह० के कथन में पापी न होगा और इसी पर फ़तवा है और अगर तकमा याव घुण्डी उस के सूत से हो तो पहनने की क़सम में पापी न होगा और अगर लेना (2) इस के सूत का हो तो पापी न होगा और यही आदेश ज़लक़ का भी कुछ के निकट है और नीज़ रक़आ का जिस को फ़ारसी में सियां तइन कहते हैं कुछ के निकट यही आदेश है जबकि इस औरत के सूत से हो और इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है कि पापी होगा और जब कि रक़आ में पापी होगा तो लेना (1) वज़लक़ में भी पापी होगा और यही आदेश इस रक़आ का होगा जो जैब पर होता है और अगर उस ने एक पारह उस के सूत से बक़द्र दो बालिश्त के ले कर अपनी सतर औरत पर रखा तो पापी न होगा और अगर इस औरत के सूत से बनी हुई टोपी या शबका जिस को फ़ारसी में कलोता कहते हैं पहनी तो पापी होगा और यही आदेश जो रब का है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर औरत ने क़सम खाई कि कपड़ा न पहनूं फिर उस ने खिमार या मुक़नआ पहना तो पापी न हो :

अगर क़सम खाई कि ग़ज़ल फ़लाना से बुना हुआ कोई कपड़ा न न पहनूंगा फिर इस में से थोड़ा क़तअ किया फिर इस को पहना बस अगर यह इस क़द्र हो कि

अज़ार या चादर के बराबर हो तो हानिस होगा वरना नहीं और उस को क़तअ करके सरावील बुना कर पहना तो हानिस होगा और इस तरह अगर औरत ने क़सम खाई कि कपड़ा न पहनूंगी फिर उस ने खिमार या मक़नआ पहना तो हानिस न होगी जब कि यह बक़द्र अज़ार के न पहुंचता हो और अगर इस क़द्र होता हो तो हानिस होगी अगरचे इस से सतर औरत न हो सकता हो और इसी तरह अगर हालिफ़ ने अमामा पहना तो हानिस न होगा इल्ला आंकि इस के बीच लपटे कि हो क़द्र अज़ार या रदा के हो जाये कि इस से क़मीस या सरावील क़तअ किया जा सकता है तो हानिस होगा यह ईज़ाह में है और अगर उस ने कपड़ा नहीं कहा था फिर औरत मज़कूरह के सूत से अमामा बांधा तो हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि फ़लाना औरत के सूत

(1) कहा मेरे नज़दीक हक+ह है कि अगर वो इस पैशा को न करता हो और हालिफ+ को भीयह हाल मालूम हो तब तो हानिस होगा वरना नहीं।

(2) लैयनतुल क़मीस+] ¾ुश्क जामा वज़ल्क+ उल क़मीस ज़ह पैराहन।

(1)ुण्डियां व गिरेबान का तकमा।

से न पहनूंगा फिर कपड़ा नाफ़ के नीचे तक पहुंचाया और हुनूज़ अपने दोनों हाथ आस्तीनों में दाखिल न किये और इस के पांव हुनूज़ इस के लिफ़ाफ़ा के नीचे हैं तो हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि पायजामा या मोज़े न पहनूंगा फिर अपनी एक टांग सरावील में दाखिल की या एक पांव मोज़े में दाखिल किया तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि यह कपड़ा न पहनूंगा फिर सोते में उस के ऊपर डाल दिया गया और सोते ही में उस के ऊपर से उतार लिया गया तो फ़क़ीह बलखी रह० ने फ़रमाया कि वो हानिस न होगा (1) और फ़क़ीह अबुल्लैस रह० ने फ़रमाया कि यह क़यास है और हम इसी को लेते हैं और अगर सोते में उस के ऊपर पड़ा रहा तो हानिस होगा और अगर नींद से होशियारी के बाद उस के ऊपर डाल दिया गया तो हानिस होगा ख़्वाह वो जानता हो या न जानता हो ऐसा ही शैख़ अबू नसर रह० ने फ़रमाया है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर बअयुना किसी कपड़े की न पहनने की

अज़ार या चादर के बराबर हो तो पापी होगा वरना नहीं और उस को क़तअ करके सरावील बुना कर पहना तो पापी होगा और इस तरह अगर औरत ने क़सम खाई कि कपड़ा न पहनूंगी फिर उस ने खिमार या मक़नआ पहना तो पापी न होगी जब कि यह बक़द्र अज़ार के न पहुंचता हो और अगर इस क़द्र होता हो तो पापी होगी चाहे इस से सतर औरत न हो सकता हो और इसी तरह अगर शपथकर्ता ने अमामा पहना तो पापी न होगा सिवा आंकि इस के बीच लपटे कि हो क़द्र अज़ार या रदा के हो जाये कि इस से क़मीस या सरावील क़तअ किया जा सकता है तो पापी होगा यह ईज़ाह में है और अगर उस ने कपड़ा नहीं कहा था फिर औरत वर्णितह के सूत से अमामा बांधा तो पापी होगा और अगर क़सम खाई कि फ़लाना औरत के सूत

(1)कहा मेरे निकट हक+ह है कि अगर वह इस पैशा को न करता हो औरशपथकर्ता को भीयह हाल मालूम हो तब तो पापी होगा वरना नहीं।

(2) लैयनतुल क़मीस+] ¾ुश्क जामा वज़ल्क+ उल क़मीस ज़ह पैराहन।

(1)ुण्डियां व गिरेबान का तकमा।

से न पहनूंगा फिर कपड़ा नाफ़ के नीचे तक पहुंचाया और हुनूज़ अपने दोनों हाथ आस्तीनों में प्रवेश न किये और इस के पांव हुनूज़ इस के लिफ़ाफ़ा के नीचे हैं तो पापी होगा और अगर क़सम खाई कि पायजामा या मोज़े न पहनूंगा फिर अपनी एक टांग सरावील में प्रवेश की या एक पांव मोज़े में प्रवेश किया तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि यह कपड़ा न पहनूंगा फिर सोते में उस के ऊपर डाल दिया गया और सोते ही में उस के ऊपर से उतार लिया गया तो फ़क़ीह बलखी रह० ने फ़रमाया कि वह पापी न होगा (1) और फ़क़ीह अबुल्लैस रह० ने फ़रमाया कि यह क़यास है और हम इसी को लेते हैं और अगर सोते में उस के ऊपर पड़ा रहा तो पापी होगा और अगर नींद से होशियारी के बाद उस के ऊपर डाल दिया गया तो पापी होगा चाहे वह जानता हो या न जानता हो ऐसा ही शैख़ अबू नसर रह० ने फ़रमाया है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर बअयुना किसी कपड़े की न पहनने की

क़सम खाई फिर इस में से निस्फ़ से ज़ायद पहना तो हानिस होगा :

अगर क़सम खाई कि ग़ज़ल फ़लाना से कोई कपड़ा न पहनूंगा फिर फ़लाना मज़कूरह और दूसरी औरत दोनों के सूत से एक कपड़ा बुना गया लेकिन दूसरी औरत का सूत इस थान के अव्वल में है या आखिर में है पस उसी मक़ाम से उस का सूत काट कर अलग कर दिया गया यानी कपड़ा अलग हो गया फिर उस ने बाक़ी कपड़ा जो खालिस फ़लाना के सूत का है पहना पस अगर वो इस क़द्र हो कि मिक़्दार ज़ार या चादर को पहुंचता हो तो हानिस होगा और अगर इस क़द्र न पहुंचता हो तो हानिस न होगा और अगर इस की सरावील क़तअ करके पहनी तो हानिस होगा और अगर इस क़द्र न पहुंचता हो तो हानिस न होगा और अगर इस की सरावील क़तअ करके पहनी तो हानिस होगा और अगर यही कपड़ा क़ब्ल इस के कि इस में से दूसरी औरत का कपड़ा क़तअ कर दिया जाये पहना तो हानिस न होगा यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि फ़लाना के ग़ज़ल का कपड़ा न पहनूंगा फिर इस औरत के ग़ज़ल से बनी हुई कमली ओढ़ी तो हानिस होगा अगरचे सौफ़ की है यह मुहीत सुरखी में है और अगर क़सम खाई कि कपड़ा न पहनूंगा तो उस की क़सम हर ऐसे कपड़े पर वाक़े होगी कि सतर औरत को छुपाता है और इस से नमाज़ जाइज़ होती है हत्ता कि अगर टाट या बिसात तनफ़सा ओढ़ लियसा तो हानिस न होगा और अगर कसा ख़ज़्या तेलसान ओढ़ी तो हानिस होगा इस वास्ते यह भी इन में से है कि पहनी जाती हैं और इसी तरह अगर पोस्तीन पहनी तो भी हानिस होगा और अगर टोपी ओढ़ी तो हानिस न होगा कज़ा फ़िल मुहीत और यही खाल न बोरिया व मोज़े व जो रब का है यह तातार खानिया में है और अगर बअयुना किसी कपड़े की न पहने की क़सम खाई फिर इस में से निस्फ़ से ज़ायद पहना तो हानिस हुआ यह मबसूत में है और अगर क़सम खाई कि सरावील न पहनूंगा फिर किसी दराज़ क़द आदमी का लिबास पहना जो इस पर सरावील हो गया और यह कपड़ा सरावील की

क़सम खाई फिर इस में से आधा से ज़ायद पहना तो पापी होगा :

अगर क़सम खाई कि ग़ज़ल फ़लाना से कोई कपड़ा न पहनूंगा फिर फ़लाना वर्णितह और दूसरी औरत दोनों के सूत से एक कपड़ा बुना गया लेकिन दूसरी औरत का सूत इस थान के पहला में है या आखिर में है बस उसी मक़ाम से उस का सूत काट कर अलग कर दिया गया यानी कपड़ा अलग हो गया फिर उस ने बाक़ी कपड़ा जो खालिस फ़लाना के सूत का है पहना बस अगर वह इस क़द्र हो कि मिक़्दार ज़ार या चादर को पहुंचता हो तो पापी होगा और अगर इस क़द्र न पहुंचता हो तो पापी न होगा और अगर इस की सरावील क़तअ करके पहनी तो पापी होगा और अगर इस क़द्र न पहुंचता हो तो पापी न होगा और अगर इस की सरावील क़तअ करके पहनी तो पापी होगा और अगर यही कपड़ा क़ब्ल इस के कि इस में से दूसरी औरत का कपड़ा क़तअ कर दिया जाये पहना तो पापी न होगा यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि फ़लाना के ग़ज़ल का कपड़ा न पहनूंगा फिर इस औरत के ग़ज़ल से बनी हुई कमली ओढ़ी तो पापी होगा चाहे सौफ़ की है यह मुहीत सुरखी में है और अगर क़सम खाई कि कपड़ा न पहनूंगा तो उस की क़सम हर ऐसे कपडे पर स्थपित होगी कि सतर औरत को छुपाता है और इस से नमाज़ जाइज़ होती है हत्ता कि अगर टाट या बिसात तनफ़सा ओढ़ लियसा तो पापी न होगा और अगर कसा ख़ज़्या तेलसान ओढ़ी तो पापी होगा इस लिए यह भी इन में से है कि पहनी जाती हैं और इसी तरह अगर पोस्तीन पहनी तो भी पापी होगा और अगर टोपी ओढ़ी तो पापी न होगा कज़ा फ़िल मुहीत और यही खाल न बोरिया व मोज़े व जो रब का है यह तातार खानिया में है और अगर बअयुना किसी कपड़े की न पहने की क़सम खाई फिर इस में से आधा से ज़ायद पहना तो पापी हुआ यह मबसूत में है और अगर क़सम खाई कि सरावील न पहनूंगा फिर किसी दराज़ क़द आदमी का लिबास पहना जो इस पर सरावील हो गया और यह कपड़ा सरावील की तराश पर है तो पापी होगा और

तराश पर है तो हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि सियाब न पहनूंगा फिर सरावील पुश्त क़द आदमी की पहनी जो इस पर सियाब हो गई तो हानिस न होगा यह मुहीत सुरखी में है और ख़ुलासा में लिखा है कि जो कपड़ा सतर औरत के लायक़ नहीं होता है वो सौब नहीं कहलाता है यह तातार खानिया में है और अगर क़सम खाई कि क़मीस न पहनूंगा फिर बे आस्तीनों की क़मीस पहनी और वक्त क़सम के इस की कुछ नियत नहीं है तो हानिस होगा यह मुहीत में है तलसक़त में लिखा है कि अगर क़सम खाई कि न पहनूंगा फिर ज़बरदस्ती वो पहनाया गया तो हानिस न होगा और अगर इस के उतारने पर क़ादिर हुआ मगर न उतारा तो हानिस होगा यह तातार खानिया में है।

अगर क़सम खाई कि क़मीस (2) न पहनूंगा तो क़सम इस तौर पर वाक़े होगी जैसे आदत के मुवाफ़िक़ पहनता है और गिरेबां से सर निकलने के बाद अक्सर का ऐतबार किया जायेगा यह इताबिया में है और अगर क़सम खाई कि न पहनूंगा सरावील या क़मीस या चादर फिर इस ने सरावील या क़मीस या चादर की लुंगी बांधी तो हानिस होगा और इसी तरह अगर इन में से किसी चीज़ का अमामा बांधा तो भी हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि यह क़मीस या यह

(1)क्योंकिऐतबार इ]तयारी सूरत में है जो+]ाद इस का फ़अल हो औरयहां दूसरे की जानिब से फ़अल पाया गया।

(2)जो क़मीस पहनने का तरीक़ा है न मसलन इस की लुंगी बांध लेना व क़ौलहू गिरेबान से आहयानी अगर गिरेबान में सर डाला पस अगर अक्सर हिस्सा क़मीस पहन लिया तो हानिस हुआ और अगर क़ब्ल इस के उतार दी तो हानिस न हुआ।

सरावील या यह चादर न पहनूंगा तो चाहे जिस तौर से पहने हानिस होगा अगरचे चादर की लुंगी बांधी या क़द्धमीस को चादर बनाया या ग़ुसल करने में क़मीस को सर से बांधा (1) और इसी तरह अगर क़सम खाई कि यह अमामा न पहनूंगा फिर इस को अपने कंधे पर डाला तो भी हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि दो क़मीस न पहनूंगा फिर एक क़मीस पहन कर उतार डाली फिर दूसरी पहनी तो हानिस न होगा यहां तक कि वो दोनों को साथ ही पहने और अगर कहा कि वल्लाह इन

अगर क़सम खाई कि सियाब न पहनूंगा फिर सरावील पुश्त क़द आदमी की पहनी जो इस पर सियाब हो गई तो पापी न होगा यह मुहीत सुरखी में है और ख़ुलासा में लिखा है कि जो कपड़ा सतर औरत के लायक़ नहीं होता है वह सौब नहीं कहलाता है यह तातार खानिया में है और अगर क़सम खाई कि क़मीस न पहनूंगा फिर बे आस्तीनों की क़मीस पहनी और समय क़सम के इस की कुछ इरादा नहीं है तो पापी होगा यह मुहीत में है तलसक़त में लिखा है कि अगर क़सम खाई कि न पहनूंगा फिर ज़बरदस्ती वह पहनाया गया तो पापी न होगा और अगर इस के उतारने पर क़ादिर हुआ मगर न उतारा तो पापी होगा यह तातार खानिया में है।

अगर क़सम खाई कि क़मीस (2) न पहनूंगा तो क़सम इस तौर पर स्थपित होगी जैसे आदत के मुवाफ़िक़ पहनता है और गिरेबां से सर निकलने के बाद अक्सर का ऐतबार किया जायेगा यह इताबिया में है और अगर क़सम खाई कि न पहनूंगा सरावील या क़मीस या चादर फिर इस ने सरावील या क़मीस या चादर की लुंगी बांधी तो पापी होगा और इसी तरह अगर इन में से किसी चीज़ का अमामा बांधा तो भी पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि यह क़मीस या यह

(1)क्योंकिऐतबार इ]तयारी स्थिति में है जो+]ाद इस का फ़अल हो औरयहां दूसरे की जानिब से फ़अल पाया गया।

(2)जो क़मीस पहनने का तरीक़ा है न मसलन इस की लुंगी बांध लेना व क़ौलहू गिरेबान से आहयानी अगर गिरेबान में सर डाला बस अगर अक्सर हिस्सा क़मीस पहन लिया तो पापी हुआ और अगर क़ब्ल इस के उतार दी तो पापी न हुआ।

सरावील या यह चादर न पहनूंगा तो चाहे जिस तौर से पहने पापी होगा चाहे चादर की लुंगी बांधी या क़द्धमीस को चादर बनाया या ग़ुसल करने में क़मीस को सर से बांधा (1) और इसी तरह अगर क़सम खाई कि यह अमामा न पहनूंगा फिर इस को अपने कंधे पर डाला तो भी पापी होगा और अगर क़सम खाई कि दो क़मीस न पहनूंगा फिर एक क़मीस पहन कर उतार डाली फिर दूसरी पहनी तो पापी न होगा यहां तक कि वह दोनों को साथ ही पहने और अगर कहा कि वल्लाह इन दोनों

दोनों क़मीसों को न पहनूंगा फिर एक को पहन कर उतार कर दूसरी पहनी तो हानिस होगा इस वास्ते किइस सूरत में क़सम इस के ऐन पर वाक़े हुई पस इस में ऐतबार इस्म का किया गया न मुवाफ़िक़ आदत के पहने का यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि फ़लाने को न पहनाउंगा फिर इस को कोई कपड़ा आरियत दिया या इस की मौत के बाद इस को कफ़न दिया तो हानिस न होगा इल्ला इस सूरत में कि पहनाने से इस ने सतर पोशी की नियत की हो न मालिक कर देने की क़सम खाई कि यह कपड़ा न पहनूंगा यहां तक कि मुझ को फ़लां इजाज़त दे फिर फ़लां मर गया तो क़सम साक़ित हो गई और अगर कहा कि इल्ला आंकि फ़लां मुझ को इजाज़त दे फिर फ़लां ने इस को एक मर्तबा इजाज़त दे दी तो यह क़सम मुन्तक़ी हो गई यह सिराजिया में है एक ने क़सम खाई कि अपनी बीवी के ग़ज़ल से न पहनूंगा फिर ऐसी क़बा पहनी जिस का अबरह इस की बीवी के ग़ज़ल का है और अस्तर दूसरी औरत के काते सूत का है तो हानिस हुआ यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां को कपड़ा न पहनाउंगा फिर फ़लां को दिरहम दिये और इस ने कपड़ा खरीद कर पहन लिया तो हानिस न होगा और अगर इस को पहनने का कपड़ा भेजा तो हानिस होगा और अगर यह नियत की हो कि अपने हाथ से न दूंगा तो हानिस न होगा यह मबसूत में है।

अगर क़सम खाई कि खज़्ना पहनूंगा फिर खालिस खज़ का कपड़ा पहना या ऐसे कपड़ा कि इस का तारा अब्रेशम या रूई का था और पौद खज़ का था तो हानिस होगा :

इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि एक ने क़सम खाई कि स्याह न पहनूंगा तो यह क़सम खालिस कपड़ों सियाब पर वाक़े होगी और अगर इस ने स्याह टोपी या मोज़े या जूते पहने या पोस्तीन स्याह पहनी तो हानिस न होगा यह मुहीत सुरखी में है और अगर कहा कि स्याह से कुछ न पहनूंगा तो टोपी स्याह मोज़े स्याह वग़ैरह स्याह पोस्तीन वग़ैरह से हानिस होगा यह खज़ानतुल मुफ़्तीन में है। अगर क़सम खाई कि हरीर न

क़मीसों को न पहनूंगा फिर एक को पहन कर उतार कर दूसरी पहनी तो पापी होगा इस लिए किइस स्थिति में क़सम इस के ऐन पर स्थपित हुई बस इस में ऐतबार इस्म का किया गया न मुवाफ़िक़ आदत के पहने का यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि फ़लाने को न पहनाउंगा फिर इस को कोई कपड़ा आरियत दिया या इस की मौत के बाद इस को कफ़न दिया तो पापी न होगा सिवा इस स्थिति में कि पहनाने से इस ने सतर पोशी की इरादा की हो न मालिक कर देने की क़सम खाई कि यह कपड़ा न पहनूंगा यहां तक कि मुझ को फ़लाँ इजाज़त दे फिर फ़लाँ मर गया तो क़सम साक़ित हो गई और अगर कहा कि सिवा आंकि फ़लाँ मुझ को इजाज़त दे फिर फ़लाँ ने इस को एक मर्तबा इजाज़त दे दी तो यह क़सम मुन्तक़ी हो गई यह सिराजिया में है एक ने क़सम खाई कि अपनी बीवी के ग़ज़ल से न पहनूंगा फिर ऐसी क़बा पहनी जिस का अबरह इस की बीवी के ग़ज़ल का है और अस्तर दूसरी औरत के काते सूत का है तो पापी हुआ यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि फ़लाँ को कपड़ा न पहनाउंगा फिर फ़लाँ को दिरहम दिये और इस ने कपड़ा खरीद कर पहन लिया तो पापी न होगा और अगर इस को पहनने का कपड़ा भेजा तो पापी होगा और अगर यह इरादा की हो कि अपने हाथ से न दूंगा तो पापी न होगा यह मबसूत में है।

अगर क़सम खाई कि खज़्ना पहनूंगा फिर खालिस खज़ का कपड़ा पहना या ऐसे कपड़ा कि इस का तारा अब्रेशम या रूई का था और पौद खज़ का था तो पापी होगा :

इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि एक ने क़सम खाई कि स्याह न पहनूंगा तो यह क़सम खालिस कपड़ों सियाब पर स्थपित होगी और अगर इस ने स्याह टोपी या मोज़े या जूते पहने या पोस्तीन स्याह पहनी तो पापी न होगा यह मुहीत सुरखी में है और अगर कहा कि स्याह से कुछ न पहनूंगा तो टोपी स्याह मोज़े स्याह वग़ैरह स्याह पोस्तीन वग़ैरह से पापी होगा यह खज़ानतुल मुफ़्तीन में है। अगर क़सम खाई कि हरीर न पहनूंगा

पहनूंगा फिर मज़मन पहना तो बाने का ऐतबार है न ताने का। अगर क़सम खाइ कि रूई न पहनूंगा तो रूई का कपड़ा पहनने से हानिस होगा और अगर क़बा पहनी जिस का बाना सूत रूई का नहीं है और अन्दर रूई भरी है तो हानिस होगा इल्ला आँकि इस की नियत हो कि कज़ा फ़िी ईज़ाह क़ालल मुतरजम हमारे नज़दीक पैन रूई पर वाक़े होगा और रूई की भरी हुई क़बा पहनने से हानिस होगा अज़हर ही वल्लाहु आलम और अगर क़सम खाई कि अब्रेशम न पहनूंगा फिर ऐसा कपड़ा पहना कि इस का बाना ख़ज़ है और ताना अब्रेशम है तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि कतान का कपड़ा न पहनूंगा फिर कतान व रूई का मिला हुआ कपड़ा पहना तो हानिस न होगा ख़्वाह कितान का ताना हो या बाना हो और अगर क़सम खाई कि अब्रेशम का कपड़ा न पहनूंगा फिर रूई और अब्रेशम का पहना पस अगर अब्रेशम या रूई का था और पोदखज़ का फ़लाना मज़कूर का काता हुआ था तो हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि तेलसान सौफ़ न पहनूंगा फिर ऐसी तेलसान ओढी जिस का लहमा यानी बाना सौफ़ का और ताना अब्रेशम या रूई का था और अपनी क़सम में हानिस न होगा और तेलसान (2) मुशाबा और कपड़ों के नहीं है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

(1)क्योंकि पहनना पाया गया।
(2)तेलसान चादर की क़सम।

मुन्तक़ी में बरिवायत हिशाम के इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है कि अगर क़सम खाई कि इस कपड़े की दो क़मीस क़तअ कराउंगा फिर इस की एक ही क़मीस क़तअ कराई और सिलाई फिर अधेड़ कर दोबारह सिलाई तो फ़रमाया कि हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि दो क़मीस सिलाउंगा तो इस सूरत में हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि इस से दो क़मीस क़तअ कराउंगा फिर एक ही क़तअ करा कर सिलाई फिर अधेड़ कर इस की दूसरी तराश की क़मीस कराई तो फ़रमाया कि हानिस न होगा यह मुहीत सुरखी में है और अगर एक क़मीस पर क़सम खाई कि इस से क़बा व सरावील क़तअ कराउंगा फिर इस से क़बा क़तअ कराई और इस को

फिर मज़मन पहना तो बाने का ऐतबार है न ताने का। अगर क़सम खाइ कि रूई न पहनूंगा तो रूई का कपड़ा पहनने से पापी होगा और अगर क़बा पहनी जिस का बाना सूत रूई का नहीं है और अन्दर रूई भरी है तो पापी होगा सिवा आँकि इस की इरादा हो कि कज़ा फ़िी ईज़ाह अनुवादक के कथनानुसार हमारे निकट पैन रूई पर स्थपित होगा और रूई की भरी हुई क़बा पहनने से पापी होगा अज़हर ही वल्लाहु आलम और अगर क़सम खाई कि अब्रेशम न पहनूंगा फिर ऐसा कपड़ा पहना कि इस का बाना ख़ज़ है और ताना अब्रेशम है तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि कतान का कपड़ा न पहनूंगा फिर कतान व रूई का मिला हुआ कपड़ा पहना तो पापी न होगा चाहे कितान का ताना हो या बाना हो और अगर क़सम खाई कि अब्रेशम का कपड़ा न पहनूंगा फिर रूई और अब्रेशम का पहना बस अगर अब्रेशम या रूई का था और पोदखज़ का फ़लाना वर्णित का काता हुआ था तो पापी होगा और अगर क़सम खाई कि तेलसान सौफ़ न पहनूंगा फिर ऐसी तेलसान ओढी जिस का लहमा यानी बाना सौफ़ का और ताना अब्रेशम या रूई का था और अपनी क़सम में पापी न होगा और तेलसान (2) मुशाबा और कपड़ों के नहीं है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

(1)क्योंकि पहनना पाया गया।
(2)तेलसान चादर की क़सम।

मुन्तक़ी में बरिवायत हिशाम के इमाम मुहम्मद रह० से मरवी है कि अगर क़सम खाई कि इस कपड़े की दो क़मीस क़तअ कराउंगा फिर इस की एक ही क़मीस क़तअ कराई और सिलाई फिर अधेड़ कर दोबारह सिलाई तो फ़रमाया कि पापी होगा और अगर क़सम खाई कि दो क़मीस सिलाउंगा तो इस स्थिति में पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि इस से दो क़मीस क़तअ कराउंगा फिर एक ही क़तअ करा कर सिलाई फिर अधेड़ कर इस की दूसरी तराश की क़मीस कराई तो फ़रमाया कि पापी न होगा यह मुहीत सुरखी में है और अगर एक क़मीस पर क़सम खाई कि इस से क़बा व सरावील क़तअ कराउंगा फिर इस से क़बा क़तअ कराई और इस को

पहनाया या न पहना फिर इस की क़बा की सरावील क़तअ कराई तो वो अपनी क़सम में इसी वक्त हानिस हो गया जब इस ने फ़क़त क़मीस ही क़तअ कराई थी और ज़ियादात में लिखा है कि क़सम खाई कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैंने इस कपड़े की क़बा सरावील न बनाई और इस की कुछ नियत नहीं है फिर इस सब की फ़क़त क़बा ही बना कर सिलाई फिर क़बा को नुक्स करके इस की सरावील सिलवाई तो हानिस न होगा इल्ला आंकि इस की मुराविा हो कि यह जैसा मौजूद है इस में से बाज़ की क़बा बाज़ की सरावील बनाउंगा तो हानिस होगा यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि इस क़मीस को न पहनूंगा फिर इस को अधेड़ कर दीबारह क़मीस सिलवा कर पहनी तो क़ुदूरी ने ज़िक्र किया कि हानिस होगा और ऐसा ही नवादिर में मज़कूर है और यही क़बा व जुबा का हुक्म है इस वास्ते कि सिलाई अधेड़ देने से क़बा व जुबा का नाम नहीं मिटता है बल्कि कहा तजाता है कि उधेड़ी हुई क़मीस है और इसी तरह अगर क़सम खाई कि इस कश्ती पर सवार न होंगा फिर वो तोड़ दी गई और तख़्ते अलग कर दिये गये गये फिर इन तख़्तों से कश्ती बनाई गई और इस में वो सवार हुआ तो नवादिर में मज़कूर है कि वो हानिस होगा और जामअ में मज़कूर है कि हानिस न होगा इस वास्ते कि वो बऐनी वही क़बा व क़मीस व कश्ती न हो जायेगी इल्ला नसी साख़्त से। और अगर क़सम खाई कि यह जुबा न पहनूंगा और इस में हशो (1) भरा हुआ है फिर इस ने यह हशो निकलवा कर इस में दूसरा हशो भराया और इस को पहना तो हानिस होगा और इसी तरह अगर जुबा असतर दार है पस इस ने अस्तर निकलवा डाला असतर लगाया फिर पहना तो हानिस होगा इस वास्ते कि हशो व अस्तर दूर करने और बदलने से जुबा का नाम न मिटेगा और अगर क़सम खाई कि इस बिछोने पर न सोउंगा फिर इस में जो भरा था वो निकाल डाला और फिर इस पर सोया तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि वो हानिस न होगा इस वस्ते कि जिस फ़राश पर सोया जाता है वो बदूं हशो के नहीं होता ही क़ालल मुतरजम। هذا فی عرفهم واما فی عرفنا یکون حانثًا

पहनाया या न पहना फिर इस की क़बा की सरावील क़तअ कराई तो वह अपनी क़सम में इसी समय पापी हो गया जब इस ने केवल क़मीस ही क़तअ कराई थी और ज़ियादात में लिखा है कि क़सम खाई कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैंने इस कपड़े की क़बा सरावील न बनाई और इस की कुछ इरादा नहीं है फिर इस सब की केवल क़बा ही बना कर सिलाई फिर क़बा को नुक्स करके इस की सरावील सिलवाई तो पापी न होगा सिवा आंकि इस की मुराविा हो कि यह जैसा मौजूद है इस में से कुछ की क़बा कुछ की सरावील बनाउंगा तो पापी होगा यह बदाऐ में है और अगर क़सम खाई कि इस क़मीस को न पहनूंगा फिर इस को अधेड़ कर दीबारह क़मीस सिलवा कर पहनी तो क़ुदूरी ने वर्णन किया कि पापी होगा और ऐसा ही नवादिर में वर्णित है और यही क़बा व जुबा का आदेश है इस लिए कि सिलाई अधेड़ देने से क़बा व जुबा का नाम नहीं मिटता है बल्कि कहा तजाता है कि उधेड़ी हुई क़मीस है और इसी तरह अगर क़सम खाई कि इस कश्ती पर सवार न होंगा फिर वह तोड़ दी गई और तख़्ते अलग कर दिये गये गये फिर इन तख़्तों से कश्ती बनाई गई और इस में वह सवार हुआ तो नवादिर में वर्णित है कि वह पापी होगा और जामअ में वर्णित है कि पापी न होगा इस लिए कि वह बऐनी वही क़बा व क़मीस व कश्ती न हो जायेगी सिवा नसी साख़्त से। और अगर क़सम खाई कि यह जुबा न पहनूंगा और इस में हशो (1) भरा हुआ है फिर इस ने यह हशो निकलवा कर इस में दूसरा हशो भराया और इस को पहना तो पापी होगा और इसी तरह अगर जुबा असतर घर है बस इस ने अस्तर निकलवा डाला असतर लगाया फिर पहना तो पापी होगा इस लिए कि हशो व अस्तर दूर करने और बदलने से जुबा का नाम न मिटेगा और अगर क़सम खाई कि इस बिछोने पर न सोउंगा फिर इस में जो भरा था वह निकाल डाला और फिर इस पर सोया तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि वह पापी न होगा इस वस्ते कि जिस फ़राश पर सोया जाता है वह बदूं हशो के नहीं होता ही क़ालल मुतरजम। هذا فی عرفهم واما فی عرفنا یکون حانثًا

अगर मुअय्यन शुफ़ा ख़ज़ पर क़सम खाई कि इस को न पहनूंगा फिर वो नोच दी गई और काटी गई और दूसरा शुफ़ा कर दी गई फिर इस को पहना तो हानिस न होगा :

अगर इस का भराउंगा कि ख़्वाह सौफ़ हो या रोटी वग़ैरह इस भराव पर सोया तो हानिस न होगा इस वास्ते कि खाली भराव को फ़रोश नहीं कहते हैं यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है एक औरत ने क़सम खाई कि यह मक़नआ न पहनूंगी फिर इस से ग़ाज़ियों का निशान बनाया गया फिर निशान से अलग करके इसी औरत को वापिस दिया गया फिर इस ने इस से मक़नआ बनाया तो वो हानिस होगी यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है जामअ में मज़कूर है कि अगर औरत ने क़सम खाई कि यह मुलहफ़ा न पहनूंगी फिर इस के दोनों जानिब सी दिये गये और दरअ कर दी गई और इस के गिरेबान और आस्तीन कर दी गई फिर इस को औरत ने पहना तो हानिस न होगी और अगर इस की दोनों जानिब जो मिला कर सी गई थी सियूं तोड़ दी गई और हर दो आस्तीन और गिरेबान इस से निकाल डाला गया फिर इस ने इस को पहना तो हानिस होगी इस वास्ते कि अहम मलहफ़ा किसी दूसरे सबब जदीद से नहीं बल्कि अव्वल ही से क़ायम बअयुन था फिर ऊद कर आया और यह बखिलाफ़ इस के ही कि मुलहफ़ा क़तअ करके इस की क़मीस सिलाई गई फिर सिलाई और तरकीब

(1)हशो भरत वग़ैरह जो बरह व अस्तर के दरमियान होता है।
(2)मुतरजम कहता है कियह अहले अरब की इस्तलाह केऐतबार से है लेकिन हमारे मिल्क की इस्तलाह में वो हानिस हो जायेगा।

वग़ैरह तोड़ दी गईं और टुकड़े इस तरह जोड़ दिये गये कि फिर वो मुलहफ़ा हो गई और इस को औरत ने पहना तो हानिस न होगी क़ुदूरी में है कि अगर मुअय्यन एक शक़ा ख़ज़ पर क़सम खाई कि इस को न पहनूंगा फिर वो नोच दी गई और काफ़ी गई और दूसरा शक़ा कर दी गई फिर इस को पहना तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि इस बिसात पर न बैठूंगा फिर इस की दोनों जानिब मिला कर सिलाई गई और खर्च बनाये गये फिर इस पर बैठा तो हानिस न होगा फिर अगर

अगर निश्चित शुफ़ा ख़ज़ पर क़सम खाई कि इस को न पहनूंगा फिर वह नोच दी गई और काटी गई और दूसरा शुफ़ा कर दी गई फिर इस को पहना तो पापी न होगा :

अगर इस का भराउंगा कि चाहे सौफ़ हो या रोटी वग़ैरह इस भराव पर सोया तो पापी न होगा इस लिए कि खाली भराव को फ़रोश नहीं कहते हैं यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है एक औरत ने क़सम खाई कि यह मक़नआ न पहनूंगी फिर इस से ग़ाज़ियों का निशान बनाया गया फिर निशान से अलग करके इसी औरत को वापिस दिया गया फिर इस ने इस से मक़नआ बनाया तो वह पापी होगी यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है जामअ में वर्णित है कि अगर औरत ने क़सम खाई कि यह मुलहफ़ा न पहनूंगी फिर इस के दोनों जानिब सी दिये गये और दरअ कर दी गई और इस के गिरेबान और आस्तीन कर दी गई फिर इस को औरत ने पहना तो पापी न होगी और अगर इस की दोनों जानिब जो मिला कर सी गई थी सियूं तोड़ दी गई और हर दो आस्तीन और गिरेबान इस से निकाल डाला गया फिर इस ने इस को पहना तो पापी होगा इस लिए कि मुख्य शपथ कर्ता किसी दूसरे कारण नए से नहीं बल्कि पहले ही से बिलकुल वैसे ही स्थापित था फिर लौट कर आया और यह इसके विपरीत ही कि मुलहफ़ा काट करके इस की क़मीस सिलाई गई फिर सिलाई और तरकीब

(1)हशो भरत वग़ैरह जो बरह व अस्तर के बीच होता है।
(2)मुतरजम कहता है कियह अहले अरब की इस्तलाह केऐतबार से है लेकिन हमारे मिल्क की इस्तलाह में वह पापी हो जायेगा।

वग़ैरह तोड़ दी गई और टुकड़े इस तरह जोड़ दिये गये कि फिर वह मुलहफ़ा हो गई और इस को औरत ने पहना तो पापी न होगी क़ुदूरी में है कि अगर निश्चित एक शक़ा ख़ज़ पर क़सम खाई कि इस को न पहनूंगा फिर वह नोच दी गई और काफ़ी गई और दूसरा शक़ा कर दी गई फिर इस को पहना तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि इस बिसात पर न बैठूंगा फिर इस की दोनों जानिब मिला कर सिलाई गई और खर्च बनाये गये फिर इस पर बैठा तो पापी न होगा फिर अगर सेवन

सेवन तोड़ कर बिसात कर दिया गया तो इस पर बैठने से हानिस होगा और अगर बीच से क़तअ करके दो खर्च कर दिये गये फिर इन को सेवन तोड़ कर जहां क़तअ किया गया और बिसात कर दिया गया और इस पर बैठात ो हानिस न होगा अगरचे इस्म बिसात इस पर बोला जाता है और इस नाम ने ऊद किया है और हमारे मशाइख ने फ़रमाया कि यह हुक्म इस वक़्त है कि हर दो खर्च ऐसे हों कि अगर दोनों अलग कर दिये जाऐं तो हर एक को तन्हा बिसात न कर सकते हों और अगर हर एक इन में से बिसात कहा जा सकता हो तो जब दोनों को उधेड़ कर एक को दूसरे में सी दिया और इस पर बैठा तो हानिस होगा यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि ज़मीन पर न बैठूंगा तो जब ही हानिस होगा कि खाली ज़मीन पर गबैठे कि इस के और ज़मीन के दरमियान कसिवाए इस के कपड़ों के कुछ न हो और अगर इस के और ज़मीन के दरमियान चटाई या बोरिया या कुर्सी या फ़र्श वग़ैरह होगा तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि इस चटाई या इस बिछोने या इस फ़र्श पर न बैठूंगा फिर इस के ऊपर इस के मिस्ल दूसरा बिछाया गया और इस पर बैठा तो हानिस न होगा। यह बदाऐ में है। और अगर क़सम खाई कि इस बिछोने पर न सोउंगा फिर इस के ऊपर इस के मिस्ल दूसरा बिछाया गया और इस पर सोया तो हानिस होगा यह बहर उल राइक़ में है और अगर क़सम खाई कि इस बिछोने पर न सोउंगा फिर इस पर चादर पलंग पोश बिछा दिया गया तो सोने से हानिस होगा और यह बिल इजमाअ है।

अगर किसी ने क़सम खाई कि ज़ैवर न पहनूंगा फिर सोने की अंगूठी पहनी तो हानिस होगा

अगर क़सम खाई कि इस तख़्त पर या इस दुकान पर न बैठूंगा या इस छत पर न सोउंगा फिर इस के ऊपर एक मुसल्ले या बिछोने या फ़र्श बिछा दिया गया फिर इस पर बैठा तो हानिस होगा और तख़्त पर दूसरा तख़्त बिछा दिया गयसा या दुकान पर दूसरी दुकान या छत पर दूसरी छत बना दी गई और इस पर बैठा तो

तोड़ कर बिसात कर दिया गया तो इस पर बैठने से पापी होगा और अगर बीच से क़तअ करके दो खर्च कर दिये गये फिर इन को सेवन तोड़ कर जहां क़तअ किया गया और बिसात कर दिया गया और इस पर बैठात ो पापी न होगा चाहे इस्म बिसात इस पर बोला जाता है और इस नाम ने ऊद किया है और हमारे विद्वानों ने फ़रमाया कि यह आदेश इस समय है कि हर दो खर्च ऐसे हों कि अगर दोनों अलग कर दिये जाऐं तो हर एक को तन्हा बिसात न कर सकते हों और अगर हर एक इन में से बिसात कहा जा सकता हो तो जब दोनों को उधेड़ कर एक को दूसरे में सी दिया और इस पर बैठा तो पापी होगा यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि ज़मीन पर न बैठूंगा तो जब ही पापी होगा कि खाली ज़मीन पर गबैठे कि इस के और ज़मीन के बीच कसिवाए इस के कपड़ों के कुछ न हो और अगर इस के और ज़मीन के बीच चटाई या बोरिया या कुर्सी या फ़र्श वग़ैरह होगा तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि इस चटाई या इस बिछोने या इस फ़र्श पर न बैठूंगा फिर इस के ऊपर इस के मिस्ल दूसरा बिछाया गया और इस पर बैठा तो पापी न होगा। यह बदाऐ में है। और अगर क़सम खाई कि इस बिछोने पर न सोउंगा फिर इस के ऊपर इस के मिस्ल दूसरा बिछाया गया और इस पर सोया तो पापी होगा यह बहर उल राइक़ में है और अगर क़सम खाई कि इस बिछोने पर न सोउंगा फिर इस पर चादर पलंग पोश बिछा दिया गया तो सोने से पापी होगा और यह बिल इजमाअ है।

अगर किसी ने क़सम खाई कि ज़ैवर न पहनूंगा फिर सोने की अंगूठी पहनी तो पापी होगा

अगर क़सम खाई कि इस तख़्त पर या इस दुकान पर न बैठूंगा या इस छत पर न सोउंगा फिर इस के ऊपर एक मुसल्ले या बिछोने या फ़र्श बिछा दिया गया फिर इस पर बैठा तो पापी होगा और तख़्त पर दूसरा तख़्त बिछा दिया गयसा या दुकान पर दूसरी दुकान या छत पर दूसरी छत बना दी गई और इस पर बैठा तो

हानिस न होगा यह बदाऐ में है और अगर किसी ने क़सम खाई कि ज़ेवर न पहनूंगा फिर सोने की अंगूठी पहनी तो हानिस होगा और अगर मौती की लड़ई ग़ैर मरसअ पहनी तो साहिबीन रह० के नज़दीक हानिस होगा और इमाम आज़म रह० के नज़दीक हानिस न होगा और अगर वो मरसअ हो तो बिल इत्तफ़ाक़ हानिस होगा और ज़बर जदूज़ मर्द की लड़की ग़ैर मरसअ में भी ऐसा ही इख़्तलाफ़ है और साहिबीन रह० का क़ौल हमारे उर्फ़ दियार से उक़्रब है पस साहिबीन रह० ही के क़ौल पर फ़तवा दिया जायेगा इस वास्ते कि बदूं मरसअ करने के इस ने ज़ेवर पहना हमारे दयार में आदत है और अगर फ़लख़ाल या वबलूज या कंगन पहने तो हानिस होगा ख़्वाह सोने की हों या चान्दी के यह काफ़ी में है और अगर औरत ने क़सम खाई कि ज़ेवर न पहनूंगी फिर चांदी की अंगूठी पहनी तो हानिस न होगी और यह ज़ाहिर उल रिवाया है और और मशाइख़ ने फ़रमाया कि यह हुक्म जब है कि अंगूठी मर्दों की अंगूठियों की साख़्त पर बनी हुई हो और अगर औरतों की अंगूठियों की साख़्त पर हो कि इस का नगीना हो तो हानिस होगी और यही असह है यह मुहीत में है।

एक ने क़सम खाई कि ज़ेवर न पहनूंगा फिर इस ने तलवार मोहली या मफ़ज़ज़ पटका बांधा तो हानिस न होगा :

बादशाहों का ताज ज़ेवर नहीं है और औरतों का ताज ज़ेवर है और कंगन और कंठा ज़ेवर है यह तमरताशी में है। औरत ने क़सम खाई कि मकअब न पहनूंगी फिर इस ने लालक पहना तो कहा गया है कि अगर लालक को उर्फ़ व आदत में मकअब बोलते हैं तो हानिस होगा इस के ज़िम्मे लाज़िम होगा वरना नहीं यह मुहीत में है आर एक ने क़सम खाई कि ज़ेवर न पहनूंगा फिर इस ने तलवार मोहली या मफ़ज़ज़ पटका बांधा तो हानिस न होगा (1) और यह क़सम औरतों के ज़ेवर पर होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर क़सम खाई कि दरअ न पहनूंगा और इस की कुछ नियत नहीं है

(1) क्यों कि यह चीज़ें इस सूरत में भी ज़ेवर की क़सम में नहीं दाख़िल हो सकतीं।

पापी न होगा यह बदाऐ में है और अगर किसी ने क़सम खाई कि ज़ेवर न पहनूंगा फिर सोने की अंगूठी पहनी तो पापी होगा और अगर मौती की लड़ई ग़ैर मरसअ पहनी तो साहिबीन रह० के निकट पापी होगा और इमाम आज़म रह० के निकट पापी न होगा और अगर वह मरसअ हो तो बिल इत्तफ़ाक़ पापी होगा और ज़बर जदूज़ मर्द की लड़की ग़ैर मरसअ में भी ऐसा ही मतभेद है और साहिबीन रह० का कथन हमारे उर्फ़ दियार से उक़्रब है बस साहिबीन रह० ही के कथन पर फ़तवा दिया जायेगा इस लिए कि बदूं मरसअ करने के इस ने ज़ेवर पहना हमारे दयार में आदत है और अगर फ़लख़ाल या वबलूज या कंगन पहने तो पापी होगा चाहे सोने की हों या चान्दी के यह काफ़ी में है और अगर औरत ने क़सम खाई कि ज़ेवर न पहनूंगी फिर चांदी की अंगूठी पहनी तो पापी न होगी और यह ज़ाहिर उल रिवाया है और और विद्वानों ने फ़रमाया कि यह आदेश जब है कि अंगूठी मर्दों की अंगूठियों की साख़्त पर बनी हुई हो और अगर औरतों की अंगूठियों की साख़्त पर हो कि इस का नगीना हो तो पापी होगी और यही असह है यह मुहीत में है।

एक ने क़सम खाई कि ज़ेवर न पहनूंगा फिर इस ने तलवार मोहली या मफ़ज़ज़ पटका बांधा तो पापी न होगा :

बादशाहों का ताज ज़ेवर नहीं है और औरतों का ताज ज़ेवर है और कंगन और कंठा ज़ेवर है यह तमरताशी में है। औरत ने क़सम खाई कि मकअब न पहनूंगी फिर इस ने लालक पहना तो कहा गया है कि अगर लालक को उर्फ़ व आदत में मकअब बोलते हैं तो पापी होगा इस के ज़िम्मे अनिवार्य होगा वरना नहीं यह मुहीत में है आर एक ने क़सम खाई कि ज़ेवर न पहनूंगा फिर इस ने तलवार मोहली या मफ़ज़ज़ पटका बांधा तो पापी न होगा (1) और यह क़सम औरतों के ज़ेवर पर होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर क़सम खाई कि दरअ न पहनूंगा और इस की कुछ इरादा नहीं है

(1)क्योंकियह चीज़ें इस स्थिति में भी ज़ेवर की क़सम में नहीं प्रवेश हो सकतीं।

फिर इस ने लोहे की दरअ या औरत की दरअ पहनी तो हानिस होगा और अगर इस ने इन दोनों में से एक की नियत की हो तो दूसरी से हानिस न होगा यह मुहीत सुरखी में है और अगर क़सम खाई कि हथियार न पहनूंगा फिर तलवार लटकाई या बाज़ू पर कमान या ढाल लटकाई तो हानिस न होगा और मशाइख़ ने फ़रमाया कि अगर फ़ारसी में क़सम खाई कि सलाह न पोशम तो इन चीज़ों से हानिस होगा पस अगर लोहे की ज़िरह पहनी तो हानिस होगा यह मुहीत सुरखी में है। लिबास में असल यह है कि सौब का लफ़्ज़ अज़ार से कम को शामिल नहीं है व सलाह का लफ़्ज़ ज़िरह व तलवार व कमान को शामिल है न छुरी और बे बने हुए लोहे को यह इताबिया में है वल्लाहु तआला आलम मुतरजम कहता है कि इस फ़सल में इस ज़बान उर्दू की रिआयत से बहुत बड़ा इख़्तलाफ़ होगा यह सब अरबी ज़बान के मुवाफ़िक़ क़सम खाने में हुक्म है जो ऊपर मज़कूर हुआ है हां अक्सर मक़ाम पर हमारी ज़बान के भी मुवाफ़िक़ होगा और इस का असल हुक्म इस ज़ईफ़ के जुज़्व व मफ़रद दर बाब क़सम से वाज़ह होगा। انشاء اللہ تعالیٰ ھو حسبی و نعم الوکیل وھنہ

बाबः 11

ज़र्ब व क़त्ल वग़ैरह की क़सम के बयान में

क़ालल मुतरजम ज़र्ब जान से मार डालने से कम जिस को मारना कहते हैं और क़त्ल मार डालना फ़ाहफ़ज़हू। अगर क़ेसम खाई कि फ़लां मर्द को न मारूंगा फिर इस के मर जाने के बाद इस को मारा तो हानिस न होगा (1) यह शरह तहावी में है। अगर क़सम खाई कि अपने ग़ुलाम को न मारूंगा फिर दूसरे को हुक्म किया कि इस ने इस ग़ुलाम को मारा तो हानिस होगा और अगर हालिफ़ ने कहा कि मेरी यह नियत थी कि ख़ुद अपनेहाथ से ऐसा न करूंगा तो क़ज़ाअन इस के क़ौल की तसदीक़ की जायेगी और हानिस न होगा और अगर किसी आज़ाद

फिर इस ने लोहे की दरअ या औरत की दरअ पहनी तो पापी होगा और अगर इस ने इन दोनों में से एक की इरादा की हो तो दूसरी से पापी न होगा यह मुहीत सुरखी में है और अगर क़सम खाई कि हथियार न पहनूंगा फिर तलवार लटकाई या बाज़ू पर कमान या ढाल लटकाई तो पापी न होगा और विद्वानों ने फ़रमाया कि अगर फ़ारसी में क़सम खाई कि सलाह न पोशम तो इन चीज़ों से पापी होगा बस अगर लोहे की ज़िरह पहनी तो पापी होगा यह मुहीत सुरखी में है। लिबास में असल यह है कि सौब का लफ़्ज़ अज़ार से कम को शामिल नहीं है व सलाह का लफ़्ज़ ज़िरह व तलवार व कमान को शामिल है न छुरी और बे बने हुए लोहे को यह इताबिया में है वल्लाहु तआला आलम मुतरजम कहता है कि इस फ़सल में इस ज़बान उर्दू की रिआयत से बहुत बड़ा मतभेद होगा यह सब अरबी ज़बान के मुवाफ़िक़ क़सम खाने में आदेश है जो ऊपर वर्णित हुआ है हां अक्सर मक़ाम पर हमारी ज़बान के भी मुवाफ़िक़ होगा और इस का असल आदेश इस ज़ईफ़ के जुज़्व व मफ़रद दर अध्याय क़सम से वाज़ह होगा। انشاء اللہ تعالیٰ ھو حسبی و نعم الوکیل وھنہ

अध्याय 11

ज़र्ब व क़त्ल आदि की क़सम के वर्णन में

अनुवादक के कथनानुसार ज़र्ब जान से मार डालने से कम जिस को मारना कहते हैं और क़त्ल मार डालना फ़ाहफ़ज़हू। अगर क़ेसम खाई कि फ़लाँ मर्द को न मारूंगा फिर इस के मर जाने के बाद इस को मारा तो पापी न होगा (1) यह शरह तहावी में है। अगर क़सम खाई कि अपने ग़ुलाम को न मारूंगा फिर दूसरे को आदेश किया कि इस ने इस ग़ुलाम को मारा तो पापी होगा और अगर शपथकर्ता ने कहा कि मेरी यह इरादा थी कि ख़ुद अपनेहाथ से ऐसा न करूंगा तो न्यायिक इस के कथन की पुष्टि की जायेगी और पापी न होगा और अगर किसी

के न मारने पर क़सम खाई फिर एक शख़्स दीगर को हुक्म किया जिस ने इस को मारा तो हानिस न होगा इल्ला आंकि क़सम खाने वाला सुल्तान या क़ाज़ी हो यानी जो ख़ुद अपने हाथ से नहीं मारा करता है यह ज़हीरिया में है। अगर क़सम खाई कि अपने फ़रज़न्द को न मारूंगा फिर दूसरे को हुक्म किया जिस ने इस को मारा तो बाप हानिस न होगा यह मुहीत में है और अगर ज़ैद ने क़सम खाई कि अपने ग़ुलाम को सो कोड़े मारूंगा और इस की कुछ नियत नहीं है फिर इस को सौ कोड़े हलके हलके मारे तो क़सम में सच्चा हो गया और मशाइख़ ने फ़रमाया कि यह हुक्म इस वक़्त है कि इस को ऐसी मार से मारा हो कि इस से कुछ अलग इस को हुआ हो और अगर ऐसी मार मारी कि इस को कुछ अलग न हुआ तो सच्चा न होगा और अगर दो शाखा कोड़े से पचास कोड़े इस को मारे और हर बार की मार में दोनों शाखें इस के बदन पर पड़ती थीं तो क़सम में सच्चा हो गया और अगर इन सब कोड़ों को यकजा जमा करके सब से एक चोट या चोटें इन के अर्ज़ से मार दीं तो क़सम में सच्चा न हो जायेगा और अगर इन के सिरों से मारा हो तो देखा जायेगा कि अगर इस ने मारने से पहले इन के ससिरे बराबर कर दिये हों कि चोट मारने से हर एक कोड़े का सिरा इस के बदन पर पहुंचता हो तो वो अपनी क़सम में सच्चा हो जायेगा और अगर बाज़ कोड़ा दूसरे के दरमियान घुस गया हो तो इसी क़द्र में सच्चा होगा जितने इस के बदन पर पहुंचे और एक दूसरे के अन्दर घुस रहे हैं इन की बाबत सच्चा न होगा और आम्मा मशाइख़ इसी पर हैं और इसी पर फ़तवा है यह ज़खीरा में है। एक ने अल्लाह तआला की क़सम खाई कि अपनी दुख़्तर सग़ीरा को बीस सौत मारूंगा तो यह करे कि इस सग़ीरा को बीस क़मचियां मार दे यह ज़हीरिया में है।

(1) क्योंकि ज़र्ब से जो तकलीफ़+ व दर्द होता है वो ज़िन्दगी के साथ होता है और असल ग़र्ज़ तकलीफ़+ पहुंचाना होती है वोयहां मफ़क़ूद है।

`क़सम खाई कि अपनी बीवी को न मारूंगा फिर इस के चुटकी काटी या दांत से काटा

आज़ाद के न मारने पर क़सम खाई फिर एक व्यक्ति दीगर को आदेश किया जिस ने इस को मारा तो पापी न होगा सिवा आंकि क़सम खाने वाला सुल्तान या क़ाज़ी हो यानी जो ख़ुद अपने हाथ से नहीं मारा करता है यह ज़हीरिया में है। अगर क़सम खाई कि अपने फ़रज़न्द को न मारूंगा फिर दूसरे को आदेश किया जिस ने इस को मारा तो बाप पापी न होगा यह मुहीत में है और अगर ज़ैद ने क़सम खाई कि अपने ग़ुलाम को सो कोड़े मारूंगा और इस की कुछ इरादा नहीं है फिर इस को सौ कोड़े हलके हलके मारे तो क़सम में सच्चा हो गया और विद्वानों ने फ़रमाया कि यह आदेश इस समय है कि इस को ऐसी मार से मारा हो कि इस से कुछ अलग इस को हुआ हो और अगर ऐसी मार मारी कि इस को कुछ अलम न हुआ तो सच्चा न होगा और अगर दो शाखा कोड़े से पचास कोड़े इस को मारे और हर बार की मार में दोनों शाखें इस के बदन पर पड़ती थीं तो क़सम में सच्चा हो गया और अगर इन सब कोड़ों को यकजा जमा करके सब से एक चोट या चोटें इन के अर्ज़ से मार दीं तो क़सम में सच्चा न हो जायेगा और अगर इन के सिरों से मारा हो तो देखा जायेगा कि अगर इस ने मारने से पहले इन के ससिरे बराबर कर दिये हों कि चोट मारने से हर एक कोड़े का सिरा इस के बदन पर पहुंचता हो तो वह अपनी क़सम में सच्चा हो जायेगा और अगर कुछ कोड़ा दूसरे के बीच घुस गया हो तो इसी क़द्र में सच्चा होगा जितने इस के बदन पर पहुंचे और एक दूसरे के अन्दर घुस रहे हैं इन की बाबत सच्चा न होगा और आम्मा विद्वानों इसी पर हैं और इसी पर फ़तवा है यह ज़खीरा में है। एक ने अल्लाह तआला की क़सम खाई कि अपनी दुख़्तर सग़ीरा को बीस सौत मारूंगा तो यह करे कि इस सग़ीरा को बीस क़मचियां मार दे यह ज़हीरिया में है।

(1) क्योंकि ज़र्ब से जो तकलीफ़+ व दर्द होता है वह ज़िन्दगी के साथ होता है और असल ग़र्ज़ तकलीफ़+ पहुंचाना होती है वहयहां मफ़क़ूद है।

`क़सम खाई कि अपनी बीवी को न मारूंगा फिर इस के चुटकी काटी या दांत से काटा

या गला घोंट दिया या बाल पकड़ कर खींचे कि जिस से कि इस को अज़ियत हुई तो अपनी क़सम में हानिस न होगा :

एक ने कहा वल्लाह अगर मैंने फ़लां को पकड़ा तो इस को सो कोड़े मारूंगा फिर इस को पकड़ा और एक कोड़ा या दो कोड़े मारे तो फ़रमाया कि फ़िल हाल हानिस न होगा यह क़सम हमैशा के वास्ते है कि अगर ता आखिर मौत सब सौ मारे तो हानिस होगा यह ज़खीरा में है एक ने क़सम खाई कि अपनी बीवी को न मारूंगा फिर इस के चुटकी काटी या दांत से काटा गला घोंट दिया या बाल पकड़ कर खींचे कि जिस से कि इस को अज़ियत हुई तो अपनी क़सम में हानिस होगा और मशाइख ने फ़रमाया कि यह इस वक्त है कि ऐसी हरकतें इस ने मुल्ला अबत में न की हां और अगर मलाइयत (1) में ऐसा किया तो हानिस न होगा और यही सही है और इसी तरह अगर इस के सर में अपने सर से टक्कर मारी कि इस के ख़ून निकल आया मगर मलाइयत में ऐसा किया तो हानिस न होगा और बाज़ ने फ़रमाया कि यह इस वक्त है कि क़सम अरबी ज़बान में हो और अगर फ़ारसी में हो तो इन सब सूरतों में हानिस न होगा और सही यह है कि अगर बतौर ग़ज़ब के ऐसा किया तो हानिस होगा और अगर इस के बाल उखाड़ लिये तो इस में इख़्तलाफ़ है और सही यह है कि अगर ग़ुस्सा में ऐसा किया तो हानिस होगा और अगर इस को दफ़ा किया यानी धक्का दिया बईं तौर कि इस के तन को कुछ तकलीफ़ न पहुंची तो हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर अरबी ने फ़ारसी में क़सम खाई कि अपनी औरत को न मारूंगा तो इस से पूछा जायेगा कि तूने इस से मुराद ली है पस अगर इस ने ज़र्ब मुराद ली हो गोया ज़र्ब की जगह ज़दन कह दिया है तो ऐसा ही है जैसे अरबी में क़सम खाने का हुक्म है और अगर वो मुराद ली जो फ़ारसी मुराद लेता है तो ऐसा है जैसे फ़ारसी में क़सम खाने का हुक्म है और अगर मालूम न हुआ तो इस वक्त जिस ज़बान में क़सम खाई है इस के मुवाफ़िक़ हुक्म दिया जायेगा और इस तरह अगर फ़ारसी

या गला घोंट दिया या बाल पकड़ कर खींचे कि जिस से कि इस को अज़ियत हुई तो अपनी क़सम में पापी न होगा :

एक ने कहा वल्लाह अगर मैंने फ़लॉं को पकड़ा तो इस को सो कोड़े मारूंगा फिर इस को पकड़ा और एक कोड़ा या दो कोड़े मारे तो फ़रमाया कि फ़िल हाल पापी न होगा यह क़सम हमैशा के लिए है कि अगर ता आखिर मौत सब सौ मारे तो पापी होगा यह ज़खीरा में है एक ने क़सम खाई कि अपनी बीवी को न मारूंगा फिर इस के चुटकी काटी या दांत से काटा गला घोंट दिया या बाल पकड़ कर खींचे कि जिस से कि इस को अज़ियत हुई तो अपनी क़सम में पापी होगा और विद्वानों ने फ़रमाया कि यह इस समय है कि ऐसी हरकतें इस ने मुल्ला अबत में न की हां और अगर मलाइयत (1) में ऐसा किया तो पापी न होगा और यही सही है और इसी तरह अगर इस के सर में अपने सर से टक्कर मारी कि इस के ख़ून निकल आया मगर मलाइयत में ऐसा किया तो पापी न होगा और कुछ ने फ़रमाया कि यह इस समय है कि क़सम अरबी ज़बान में हो और अगर फ़ारसी में हो तो इन सब स्थितियों में पापी न होगा और सही यह है कि अगर बतौर ग़ज़ब के ऐसा किया तो पापी होगा और अगर इस के बाल उखाड़ लिये तो इस में मतभेद है और सही यह है कि अगर ग़ुस्सा में ऐसा किया तो पापी होगा और अगर इस को दफ़ा किया यानी धक्का दिया बईं तौर कि इस के तन को कुछ तकलीफ़ न पहुंची तो पापी न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर अरबी ने फ़ारसी में क़सम खाई कि अपनी औरत को न मारूंगा तो इस से पूछा जायेगा कि तूने इस से तात्पर्य ली है बस अगर इस ने ज़र्ब तात्पर्य ली हो गोया ज़र्ब की जगह ज़दन कह दिया है तो ऐसा ही है जैसे अरबी में क़सम खाने का आदेश है और अगर वह तात्पर्य ली जो फ़ारसी तात्पर्य लेता है तो ऐसा है जैसे फ़ारसी में क़सम खाने का आदेश है और अगर मालूम न हुआ तो इस समय जिस ज़बान में क़सम खाई है इस के मुवाफ़िक़ आदेश दिया जायेगा और इस तरह अगर

ने अरबी में क़सम खाई तो भी इसी तफ़सील से हुक्म है यह ज़खीरह में है क़ालल मुतरजम उर्दू ज़बान का हुक्म मुवाफ़िक़ फ़ारसी के ही न अरबी के वल्लाहु तआला आलम और अगर औरत से कहा कि अगर मैंने तुझ से मारा तो तू तालिक़ा है फिर इस औरत की बान्दी को मारा जिस में इस के चोट लग गई तो मजमूअ उल नवाज़िल में मज़कूर है कि वो हानिस न हो गया और ऐसा ही शैख़ ज़हीर उद्दीन मरग़यानी फ़तवा दिया करते थे और बाज़ ने फ़रमाया कि वो हानिस न होगा और ऐसा ही बक़ाली ने अपने फ़तावा में ज़िक्र किया है और यही अज़हर व अशबा है।

अगर क़सम खाई कि अपनी बीवी को न मारूंगा फिर इस ने अपना कपड़ा झारा कि वो औरत की आंख में लगा जिस से इस के दर्द हुआ तो फ़तावा अबुल्लैस रह० में मज़कूर ही कि वो हानिस न होगा यह मुहीत में है और एक ने अपनी औरत से कहा कि ان الم اضربک حتیٰ الترکک لاحتیہ ولاتیہ فعبدیٔ حر हुई यानी औरत से कहा कि अगर मैं तुझे यहां मतक न मारूं कि तुझे डाल दूं न ज़िन्दा न मुर्दा तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि यह क़सम इस पर होगी कि इस को सख़्त दर्दनाक मारना मारे पस अगर ऐसा किया तो अपनी क़सम में सच्चा रहा। एक ने क़सम खाई कि अपने ग़ुलाम को कोड़ों से यहां तक मारूंगा कि मर जाये या क़त्ल हो जाये तो यह मारने का मुबालग़ा है यानी बहुत मारूंगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि यहपां तक इस को मारूंगा कि बेहोश हो जाये या मौत मारे यारद दे या दहाई दे तो जब तक यह उमूर हक़ीक़तन न पाये जाएँ तब तक क़सम में सच्चा न होगा यह मुहीत सुरखी में है और अगर क़सम खाई कि इस को तलवार से यहां तक मारूंगा कि मर जाये तो जब तक मर न जाये तब तक क़सम में सच्चा न होगा यह ख़ुलासा में है और क़ालल मुतरजम पस क़सम में झूटा हो जाये वरना सख़्त गुनहगार होगा इल्ला आँकि जिहाद में कुफ़्फ़ार को इस तरह मारने की क़सम खाई हो फ़ाफ़हम। अगर क़सम खाई कि वल्लाह मैं ज़रूर तुझे तलवार से मारूंगा और इस की कुछ नियत नहीं है फिर इस को

फ़ारसी ने अरबी में क़सम खाई तो भी इसी तफ़सील से आदेश है यह ज़खीरह में है अनुवादक के कथनानुसार उर्दू ज़बान का आदेश मुवाफ़िक़ फ़ारसी के ही न अरबी के वल्लाहु तआला आलम और अगर औरत से कहा कि अगर मैंने तुझ से मारा तो तू तालिक़ा है फिर इस औरत की बान्दी को मारा जिस में इस के चोट लग गई तो मजमूअ उल नवाज़िल में वर्णित है कि वह पापी न हो गया और ऐसा ही शैख़ ज़हीर उद्दीन मरग़यानी फ़तवा दिया करते थे और कुछ ने फ़रमाया कि वह पापी न होगा और ऐसा ही बक़ाली ने अपने फ़तावा में वर्णन किया है और यही अज़हर व अशबा है।

अगर क़सम खाई कि अपनी बीवी को न मारूंगा फिर इस ने अपना कपड़ा झारा कि वह औरत की आंख में लगा जिस से इस के दर्द हुआ तो फ़तावा अबुल्लैस रह० में वर्णित ही कि वह पापी न होगा यह मुहीत में है और एक ने अपनी औरत से कहा कि ان الم اضربک حتیٰ الترکک لاحتیہ ولاتیہ فعبدیٔ حر हुई यानी औरत से कहा कि अगर मैं तुझे यहां मतक न मारूं कि तुझे डाल दूं न ज़िनदा न मुर्दा तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि यह क़सम इस पर होगी कि इस को सख़्त दर्दनाक मारना मारे बस अगर ऐसा किया तो अपनी क़सम में सच्चा रहा। एक ने क़सम खाई कि अपने ग़ुलाम को कोड़ों से यहां तक मारूंगा कि मर जाये या क़त्ल हो जाये तो यह मारने का मुबालग़ा है यानी बहुत मारूंगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़सम खाई कि यहपां तक इस को मारूंगा कि बेहोश हो जाये या मौत मारे यारद दे या दहाई दे तो जब तक यह कार्य वास्तव में न पाये जाएँ तब तक क़सम में सच्चा न होगा यह मुहीत सुरखी में है और अगर क़सम खाई कि इस को तलवार से यहां तक मारूंगा कि मर जाये तो जब तक मर न जाये तब तक क़सम में सच्चा न होगा यह ख़ुलासा में है और अनुवादक के कथनानुसार बस क़सम में झूटा हो जाये वरना सख़्त गुनहगार होगा सिवा आँकि जिहाद में कुफ़्फ़ार को इस तरह मारने की क़सम खाई हो फ़ाफ़हम। अगर क़सम खाई कि वल्लाह मैं ज़रूर तुझे तलवार से मारूंगा और इस की कुछ इरादा नहीं है फिर

तलवार के अर्ज़ से मारा तो अपनी क़सम में सच्चा हो गया और अगर इस की नियत धार से मारने की हो तो धार से मारने पर क़सम होगी और इस को नियाम से मारा तो अपनी क़सम में सच्चा न हुआ आर अगर नियाम (1) तलवार इस की धार से कट गया हो कि धार निकल आई और इस को जिस के मारने की क़सम खाई है ज़ख्मी किया तो अपनी क़सम में सच्चा हो गया और अगर क़सम खाई कि फ़लां को तीर से न मारूंगा फिर इस को तीर के बेंट से मानरा तो हानिस न होगा यह ज़खीरा में है।

क़ालल मुतरजम यह मख़्सूस बज़ुबान अरबी है ولم اجدلى مسلكا الى توفيق الالسنة فى ذلك الّا ان يوفقنى الله عز وجل فانه تعالىٰ خير موافق ومعين एक ने दूसरे से कहा कि अगर मैंने फ़लां को खबर न दी इस की जो तूने किया है हत्ता कि तुझ को मारे तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस को खबर दी मगर इस ने न मारा तो यह अपनी क़सम में सच्चा हो गया और इसी तरह अगर कहा कि अगर कहा तेरे पास न आया हत्ता कि तू तआम चाश्त मुझे खिलाये या कहा कि अगर मैंने तुझे न मारा हत्ता कि तू मुझे मारे तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस के पास आया मगर इस ने तआम चाश्त न खिलाया इस को मारा मगर इस ने इस को न मारा तो यह हानिस न हुआ बल्कि क़सम में सच्चा रहा और अगर कहा कि मैंने इस के साथ साथ मुलाज़मत न की यहां तक कि वो मेरा कर्ज़ा अदा कर दे या अगर मैंने इस को न मारा हत्ता कि रात दाखिल हो जाये या हत्ता कि सुबह हो जाये या हत्ता कि ग़ैद दो गाना अदा करे या हत्ता कि मुझे मना करे या हत्ता कि मेरा हाथ थक जाये तो ऐसा तो ऐसी क़सम में सच्चे होने की शर्त यह है कि मुलाज़मत व मारना इस वक्त तक पाया जाये कि जब ग़ायतन का वजूद मुतहक़्क़िक़ हो और अगर ग़ायतन पाई जाने से पहले वो इस फ़अल से बाज़ रहा मसलन अदाये कर्ज़ा से पहले इस ने मुलाज़मत यानी साथ साथ रहना छोड दिया उमूर मज़कूरह के पाये जाने से पहले मारना छोड दिया तो हानिस होगा और वास्ते कि हत्ता इस मक़ाम पर ग़ायतन के वास्ते है क्योंकि मुलाज़मत अम्र मुमतद है और

इस को तलवार के अर्ज़ से मारा तो अपनी क़सम में सच्चा हो गया और अगर इस की इरादा धार से मारने की हो तो धार से मारने पर क़सम होगी और इस को नियाम से मारा तो अपनी क़सम में सच्चा न हुआ आर अगर नियाम (1) तलवार इस की धार से कट गया हो कि धार निकल आई और इस को जिस के मारने की क़सम खाई है ज़ख्मी किया तो अपनी क़सम में सच्चा हो गया और अगर क़सम खाई कि फ़लाँ को तीर से न मारूंगा फिर इस को तीर के बेंट से मानरा तो पापी न होगा यह ज़खीरा में है।

अनुवादक के कथनानुसार यह मख़्सूस बज़ुबान अरबी है ولم اجدلى مسلكا الى توفيق الالسنة فى ذلك الّا ان يوفقنى الله عز وجل فانه تعالىٰ خير موافق ومعين एक ने दूसरे से कहा कि अगर मैंने फ़लाँ को खबर न दी इस की जो तूने किया है हत्ता कि तुझ को मारे तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस को खबर दी मगर इस ने न मारा तो यह अपनी क़सम में सच्चा हो गया और इसी तरह अगर कहा कि अगर कहा तेरे पास न आया हत्ता कि तू तआम चाश्त मुझे खिलाये या कहा कि अगर मैंने तुझे न मारा हत्ता कि तू मुझे मारे तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस के पास आया मगर इस ने तआम चाश्त न खिलाया इस को मारा मगर इस ने इस को न मारा तो यह पापी न हुआ बल्कि क़सम में सच्चा रहा और अगर कहा कि मैंने इस के साथ साथ मुलाज़मत न की यहां तक कि वह मेरा क़रज़ा अदा कर दे या अगर मैंने इस को न मारा हत्ता कि रात प्रवेश हो जाये या हत्ता कि सुबह हो जाये या हत्ता कि ग़ैद दो गाना अदा करे या हत्ता कि मुझे मना करे या हत्ता कि मेरा हाथ थक जाये तो ऐसा तो ऐसी क़सम में सच्चे होने की शर्त यह है कि मुलाज़मत व मारना इस समय तक पाया जाये कि जब ग़ायतन का वजूद मुतहक़्क़िक़ हो और अगर ग़ायतन पाई जाने से पहले वह इस फ़अल से कुछ रहा मसलन अदाये क़रज़ा से पहले इस ने मुलाज़मत यानी साथ साथ रहना छोड दिया उमूर वर्णितह के पाये जाने से पहले मारना छोड दिया तो पापी होगा और लिए कि हत्ता इस मक़ाम पर ग़ायतन के लिए है क्योंकि मुलाज़मत कार्य मुमतद है

इसी तरह मार बतरीक़ तकरार (1) के मुतमद होती है और अगर इस जज़ा की नियत की हो तो दयानतन इस के क़ौल की तसदीक़ होगी मगर क़ज़ाअन तसदीक़ न होगी इस वास्ते कि इस ने मिजाज़ी मअनी मुराद लिये हैं और अगर दोनों फअल एक ही शख़्स की तरफ़ से हों या बईं तौर कि कहा कि अगर मैं न आया आज तेरे पास हत्ता कि तआम चाश्त तेरे पास खाउं या हत्ता कि तुझे मारूं या कहा अगर तू आज मेरे पास न आया हत्ता कि तू मेरे पास तआम चाश्त खाये तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो क़सम में सच्चे होने के वास्ते दोनों फ़अलों का पाया जाना शर्त है यानी हत्ता कि आतिफ़ा होगा हत्ता कि अगर इस के पास आया तआम चाश्त न खाया फिर इस के बाद बिला तराखी (1) तआम चाश्त खाया तो वो अपनी क़सम में सच्चा हो गया और अगर बिल्कुल तआम चाश्त न खाया तो वो हानिस हुआ इस वास्ते कि किसी ग़ायत पर हमल करना मुतअज़्ज़र है यह काफ़ी में है और अगर अपनी बीवी से कहा कि हर बार कि मैंने तुझे मारा तो तू तालिक़ा होगी और अगर इस के दोनों

(1)बिला तराखीयानी कुछ भी वक्फ़ा और देरी न की।
(1)मुकर्ररएक बाद दूसरे के।

हाथों से मारा तो दोबारह तालिक़ा होगी यह मुहीत सुरखी में है और अगर किसी ने अपने ग़ुलाम से कहा कि अगर मैं तुझ से मिलाती हुआ पस मैंने तुझे न मारा तो मेरी बीवी तालिक़ा है फिर ग़ुलाम को एक मील से देखा या छत पर देखा कि इस तक पहुंच (1) नहीं सकता है तो हानिस न होगा यह फ़तावा कुबरा में है। अगर मैंने फ़लां को देखा तो क़सम है कि इस को मारूंगा तो देखना नज़दीक व दूर दोनों पेर है और मारना जिस वक्त चाहे इल्ला आंकि इस ने यह मुराद ली हो कि बग़पोर देखने के मारूंगा। (1) यह मुहीत में है।

और इसी तरह मार बतरीक़ तकरार (1) के मुतमद होती है और अगर इस बदला की इरादा की हो तो दयानतन इस के कथन की पुष्टि होगी मगर न्यायिक पुष्टि न होगी इस लिए कि इस ने मिजाज़ी मअनी तात्पर्य लिये हैं और अगर दोनों फअल एक ही व्यक्ति की तरफ़ से हों या बईं तौर कि कहा कि अगर मैं न आया आज तेरे पास हत्ता कि तआम चाश्त तेरे पास खाउं या हत्ता कि तुझे मारूं या कहा अगर तू आज मेरे पास न आया हत्ता कि तू मेरे पास तआम चाश्त खाये तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो क़सम में सच्चे होने के लिए दोनों फ़अलों का पाया जाना शर्त है यानी हत्ता कि आतिफ़ा होगा हत्ता कि अगर इस के पास आया तआम चाश्त न खाया फिर इस के बाद बिला तराखी (1) तआम चाश्त खाया तो वह अपनी क़सम में सच्चा हो गया और अगर बिल्कुल तआम चाश्त न खाया तो वह पापी हुआ इस लिए कि किसी ग़ायत पर हमल करना मुतअज़्ज़र है यह काफ़ी में है और अगर अपनी बीवी से कहा कि हर बार कि मैंने तुझे मारा तो तू तालिक़ा होगी और अगर इस के दोनों

(1)बिला तराखीयानी कुछ भी वक्फ़ा और देरी न की।
(1)मुकर्ररएक बाद दूसरे के।

हाथों से मारा तो दोबारह तालिक़ा होगी यह मुहीत सुरखी में है और अगर किसी ने अपने ग़ुलाम से कहा कि अगर मैं तुझ से मिलाती हुआ बस मैंने तुझे न मारा तो मेरी बीवी तालिक़ा है फिर ग़ुलाम को एक मील से देखा या छत पर देखा कि इस तक पहुंच (1) नहीं सकता है तो पापी न होगा यह फ़तावा कुबरा में है। अगर मैंने फ़लाँ को देखा तो क़सम है कि इस को मारूंगा तो देखना निकट व दूर दोनों पेर है और मारना जिस समय चाहे सिवा आंकि इस ने यह तात्पर्य ली हो कि बग़पोर देखने के मारूंगा। (1) यह मुहीत में है।

ज़ैद ने क़सम खाई कि अगर मैंने अपना हाथ इसके सर पर रखा तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर ग़सब को हालत में इस के सर पर चीत मारी तो हानिस न होगाः

अगर कहा कि अगर मैंने तुझे देखा पस मैंने तुझे न मारा तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस को देा मगर ऐसी हालत में है कि बीमारी की वजह से उठने की ताक़त व मारने की क़ुव्वत नहीं रखता हो तो हानिस हुआ यह ज़हीरिया में है और अगर ज़ैद की बीवी ने एक बान्दी की बाबत इस से झगड़ा किया यानी तो इस से वती करता है पस ज़ैद ने क़सम खाई कि अगर मैंने अपना हाथ इसके सर पर रखा तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर ग़सब की हालत में इस के सर पर चीत मारी तो हानिस न होगा यह इताबिया में है और अगर क़सम खाई कि अपने ग़ुलाम को हर हक़ व बातिल पर मारूंगा और इस की कुछ नियत नहीं है तो इस के मअ़नी यह हैं कि जब वो इस से हक़ या बातिल की शिकायत करे तो इस को मारे और इस सूरत में वजूद शिकायत की हालत में मारना नहीं लिया जायेगा और अगर इस ने यह नियत की हो तो इस की नियत पर होगी और अगर इस ने शिकायत की पस इस को मारा फिर इस ने इसी बात में दोबारह इस से शिकायत की तो दोबारह इस पर वाजिब नहीं है कि इस को मारे यह मुहीत में है। एक ने क़सम खाई कि फ़लां को हज़ार बार मारूंगा तो यह क़सम बहुत बार मारने पर वाक़े होगी और अगर क़सम खाई कि फ़लां को हज़ार बार क़त्ल करूंगा तो यह क़सम शिद्दत क़त्ल पर होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर क़सम खाई कि फ़लां को मारूंगा या फ़लां से कलाम करूंगा हालांकि फ़लां मर चुका है पस अगर इस की मौत से आगाह न हुआ हो तो इमाम आज़म रह० व इमाम मुहम्मद रह० के नज़दीक हानिस न होगा और अगर इस की मौत से आगाह हुआ था तो इस की क़सम मुनअ़क़िद होगी और इसी वक़्त हानिस होगा और यह बिल इजमाअ़ है यह मुहीत में है और एक ने दूसरे से कहा कि अगर तूने मुझे मारा और मैंने तुझे नहीं मारा तो

ज़ैद ने क़सम खाई कि अगर मैंने अपना हाथ इसके सर पर रखा तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर ग़सब को हालत में इस के सर पर चीत मारी तो पापी न होगाः

अगर कहा कि अगर मैंने तुझे देखा बस मैंने तुझे न मारा तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस को देा मगर ऐसी हालत में है कि बीमारी की कारण से उठने की ताक़त व मारने की क़ुव्वत नहीं रखता हो तो पापी हुआ यह ज़हीरिया में है और अगर ज़ैद की बीवी ने एक बान्दी की बाबत इस से झगड़ा किया यानी तो इस से संभोग करता है बस ज़ैद ने क़सम खाई कि अगर मैंने अपना हाथ इसके सर पर रखा तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर ग़सब की हालत में इस के सर पर चीत मारी तो पापी न होगा यह इताबिया में है और अगर क़सम खाई कि अपने ग़ुलाम को हर सत्य व झूंठ पर मारूंगा और इस की कुछ इरादा नहीं है तो इस के मअ़नी यह हैं कि जब वह इस से सत्य या झूंठ की शिकायत करे तो इस को मारे और इस स्थिति में वजूद शिकायत की हालत में मारना नहीं लिया जायेगा और अगर इस ने यह इरादा की हो तो इस की इरादा पर होगी और अगर इस ने शिकायत की बस इस को मारा फिर इस ने इसी बात में दोबारा इस से शिकायत की तो दोबारा इस पर अनिवार्य नहीं है कि इस को मारे यह मुहीत में है। एक ने क़सम खाई कि फ़लाँ को हज़ार बार मारूंगा तो यह क़सम बहुत बार मारने पर स्थपित होगी और अगर क़सम खाई कि फ़लाँ को हज़ार बार क़त्ल करूंगा तो यह क़सम शिद्दत क़त्ल पर होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर क़सम खाई कि फ़लाँ को मारूंगा या फ़लाँ से बात करूंगा हालांकि फ़लाँ मर चुका है बस अगर इस की मौत से आगाह न हुआ हो तो इमाम आज़म रह० व इमाम मुहम्मद रह० के निकट पापी न होगा और अगर इस की मौत से आगाह हुआ था तो इस की क़सम मुनअ़क़िद होगी और इसी समय पापी होगा और यह बिल इजमाअ़ है यह मुहीत में है और एक ने दूसरे से कहा कि अगर तूने मुझे मारा और मैंने तुझे नहीं मारा तो

मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो क़सम इस पर होगी कि क़सम खाने वाला महलूफ़ (2) अलैहि से पहले मारे और अगर इस के बाद मारने की नियत की हो तो दूसरे के मारते ही इस को मारने पर क़सम होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। क़ालल मुतरजम हमारे नज़दीक दोम अज़हर है और अगर किसी ने दूसरे से कहा कि मेरे जिस ग़ुलाम को तूने मारा है फ़लां वो आज़ाद है फिर इस ने इन सब को मारा तो इन में से सिवाए एक के और कोई आज़ाद न होगा और अगर कहा कि मेरे जिस ग़ुलाम ने तुझे मारा है फ़लां तो वो आज़ाद होंगे यह मुहीत में है और अगर कहा कि जिस को कि मारा तूने मेरे ग़ुलामों में से पस वो आज़ाद है किफर इस ने सब को मारा तो साहिबीन रह० के नज़दीक सब आज़ाद हो जायेंगे और इमाम आज़म रह० के नज़दीक सिवाए एक के सब आज़ाद होंगे यह शरह तलखीस जामअ कबीर में है।

(1)तो सूरत मसला मज़कूरह बालायानी ग़ुलाम से कहा कि अगर मैंने तु को देखा[फिर ग़ुलाम को देखा जाये तो हानिस होगा।

(2)महलूफ+ अलैहि वोश]स जिस की निस्बत हालिफ+ ने क़सम खाई।

(1)पस इस को न मारा।

क़ालल मुतरजम यह क़सम बज़ुबान अरबी की सूरत में है कि من ضربته من عبیدی فهو حر हमारे नज़दीक यह और अव्वल यक्सां ही फ़ाफ़हम।

अगर कहा कि अगर मारा इस ग़ुलाम को किसी ने तो इस की बीवी तालिक़ा ही यानी कहने वाले की तो यह क़सम सब पर वाक़े होगी यानी अगर ख़ुद हालिफ़ ने मारा तो इस की बीवी तालिक़ा होगी और अगर किसी ने इस को मारा तो भी इस की बीवी (1) तालिक़ा होगी और अगर कहा कि अगर मेरे इस सर को किसी ने मारा तो मेरी बीवी तालिक़ा ही तो सिवाए इस के और किसी आदमी के मारने पर क़सम होगी ज़ैद ने उमर को मारने का क़सद किया पस ख़ालिद ने इस से कहा कि अगर तूने इस को मारा तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस के मारने से बाज़ रह फिर इस के बाद इस को मारा तो ख़ालिद हानिस न होगा और यह क़सम फ़िल फ़ौर मारने पर वाक़े होगी यह सिराजिया में है इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर ज़ैद ने अपने दो ग़ुलामों से कहा

मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो क़सम इस पर होगी कि क़सम खाने वाला महलूफ़ (2) अलैहि से पहले मारे और अगर इस के बाद मारने की इरादा की हो तो दूसरे के मारते ही इस को मारने पर क़सम होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अनुवादक के कथनानुसार हमारे निकट दोम अज़हर है और अगर किसी ने दूसरे से कहा कि मेरे जिस ग़ुलाम को तूने मारा है फ़लाँ वह आज़ाद है फिर इस ने इन सब को मारा तो इन में से सिवाए एक के और कोई आज़ाद न होगा और अगर कहा कि मेरे जिस ग़ुलाम ने तुझे मारा है फ़लाँ तो वह आज़ाद होंगे यह मुहीत में है और अगर कहा कि जिस को कि मारा तूने मेरे ग़ुलामों में से बस वह आज़ाद है किफ़र इस ने सब को मारा तो साहिबीन रह० के निकट सब आज़ाद हो जायेंगे और इमाम आज़म रह० के निकट सिवाए एक के सब आज़ाद होंगे यह शरह तलखीस जामअ कबीर में है।

(1)तो स्थिति मसला वर्णितह बालायानी ग़ुलाम से कहा कि अगर मैंने तु को देखा[फिर ग़ुलाम को देखा जाये तो पापी होगा।

(2)महलूफ+ अलैहि वह व्यक्ति जिस की निस्बतशपथकर्ता ने क़सम खाई।

(1)बस इस को न मारा।

अनुवादक के कथनानुसार यह क़सम बज़ुबान अरबी की स्थिति में है कि من ظربته من عبیدی فهو حر हमारे निकट यह और पहला यक्सां ही फ़ाफ़हम।

अगर कहा कि अगर मारा इस ग़ुलाम को किसी ने तो इस की बीवी तालिक़ा ही यानी कहने वाले की तो यह क़सम सब पर स्थपित होगी यानी अगर ख़ुद शपथकर्ता ने मारा तो इस की बीवी तालिक़ा होगी और अगर किसी ने इस को मारा तो भी इस की बीवी (1) तालिक़ा होगी और अगर कहा कि अगर मेरे इस सर को किसी ने मारा तो मेरी बीवी तालिक़ा ही तो सिवाए इस के और किसी आदमी के मारने पर क़सम होगी ज़ैद ने उमर को मारने का क़सद किया बस ख़ालिद ने इस से कहा कि अगर तूने इस को मारा तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस के मारने से कुछ रह फिर इस के बाद इस को मारा तो ख़ालिद पापी न होगा और यह क़सम फ़िल फ़ौर मारने पर स्थपित होगी यह सिराजिया में है इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर ज़ैद ने अपने दो

कि अगर मारा मैंने तुम दोनों को इल्ला एक रोज़ या इल्ला एक दिन में यसा इल्ला एक रोज़ कि इस में मैं तु को मारूंगा या इल्ला रोज़े या इल्ला बरोज़े तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो इस को इख़्तयार होगा कि इन को जिस रोज़ चाहे मारे ख़्वाह दोनों को इकट्ठा मारे या मुतफ़र्रिक़ फिर अगर इन में से एक को बरोज़े जुमेरात मारा और दूसरे को बरोज़े जुमा तो हानिस न होगा यहां तक कि बरोज़े जुमा आफ़ताब ग़ुरूब हो जाये इस वास्ते कि इस ने दोनों को बरोज़े इस्तसना मारा इस वास्ते कि रोज़े इस्तसना वो है कि इस दिन दोनों का मारना मुजतमअ हो गया और अगर आफ़ताब ग़ुरूब न हुआ यहां तक कि इस ने ग़ोद करके फिर अव्वल को मारा तो हानिस न होगा फिर अगर इस के बाद इन दोनों को एक रोज़ में मारा या दो रोज़ में मारा यसा इसी को मारा जिस को बरोज़े जुमा मारा है तो जिस वक़्त मारे इस वक़्त हानिस होगा इस वास्ते कि इस ने इन दोनों को रोज़े इस्तसना के सिवाए दूसरे रोज़ मारा क्योंकि इस ने अव्वल को बरोज़े जुमेरात आर दूसरे को बरोज़े सेनीचर मारा है पस दोनों की मार ग़ैर यौम उल इस्तसना में पपाई गई और अगर दोनों को एक ही रोज़ मारा तो इस वजह से कि मुस्तसना रोज़ वाहिद है कि इस में दोनों को मारे और इस ने दोनों को एक है रोज़ मारा पस मुस्तसना गुज़र गया पस अब जो इस के सिवाए अय्याम हैं वो ग़ैर मुस्तसना हैं और अगर इस के बाद ना मारा मगर इसी को जिस को बरोज़े जुमेरात मारा है तो हानिस न होगा इस वास्ते कि यह तकरार निस्फ़ शर्त की है और अगर कहा कि अगर मारा मैंने तुम दोनों को इल्ला दर रोज़ यह कि इस में तुम दोनों को मारूंगा या इल्ला रोज़ यह कि इस ूमें तुम दोनों को मारूंगा या 'इल्ला यौम इज़रबकमा फ़ीहि' पस जिस दिन दोनों का मारा जाना मुजतमअ हो वही दिन मुस्तसना है और वो हानिस न होगा और अगर दोनों को दो मुतफ़र्रिक़ दिनों में मारा तो वो हानिस होगा जब कि दूसरे रोज़ आफ़ताब ग़ुरूब हो जाये और अगर इस ने आफ़ताब ग़ुरूब होने से पहले अव्वल को फिर दूसरे को मारा तो हानिस न होगा इस वास्ते कि यही रोज़ मुस्तसना हो गया और अगर इसी को

ग़ुलामों से कहा कि अगर मारा मैंने तुम दोनों को सिवा एक दिन या सिवा एक दिन में यसा सिवा एक दिन कि इस में मैं तु को मारूंगा या सिवा रोज़े या सिवा बरोज़े तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो इस को अधिकार होगा कि इन को जिस दिन चाहे मारे चाहे दोनों को इकट्ठा मारे या मुतफ़र्रिक़ फिर अगर इन में से एक को बरोज़े जुमेरात मारा और दूसरे को तो पापी न होगा यहां तक कि जुमे के दिन आफ़ताब ग़ुरूब हो जाये इस लिए कि इस ने दोनों को बरोज़े इस्तसना मारा इस लिए कि रोज़े इस्तसना वह है कि इस दिन दोनों का मारना मुजतमअ हो गया और अगर आफ़ताब ग़ुरूब न हुआ यहां तक कि इस ने ग़ोद करके फिर पहला को मारा तो पापी न होगा फिर अगर इस के बाद इन दोनों को एक दिन में मारा या वो दिन में मारा यसा इसी को मारा जिस को जुमे के दिन मारा है तो जिस समय मारे इस समय पापी होगा इस लिए कि इस ने इन दोनों को रोज़े इस्तसना के सिवाए दूसरे दिन मारा क्योंकि इस ने पहला को बरोज़े जुमेरात आर दूसरे को बरोज़े सेनीचर मारा है बस दोनों की मार ग़ैर यौम उल इस्तसना में पपाई गई और अगर दोनों को एक ही दिन मारा तो इस कारण से कि मुस्तसना दिन वाहिद है कि इस में दोनों को मारे और इस ने दोनों को एक है दिन मारा बस मुस्तसना गुज़र गया बस अब जो इस के सिवाए अय्याम हैं वह ग़ैर मुस्तसना हैं और अगर इस के बाद ना मारा मगर इसी को जिस को बरोज़े जुमेरात मारा है तो पापी न होगा इस लिए कि यह तकरार आधा शर्त की है और अगर कहा कि अगर मारा मैंने तुम दोनों को सिवा दर दिन यह कि इस में तुम दोनों को मारूंगा या सिवा दिन यह कि इस ूमें तुम दोनों को मारूंगा या 'सिवा यौम इज़रबकमा फ़ीहि' बस जिस दिन दोनों का मारा जाना मुजतमअ हो वही दिन मुस्तसना है और वह पापी न होगा और अगर दोनों को दो मुतफ़र्रिक़ दिनों में मारा तो वह पापी होगा जब कि दूसरे दिन आफ़ताब ग़ुरूब हो जाये और अगर इस ने आफ़ताब ग़ुरूब होने से पहले पहला को फिर दूसरे को मारा तो पापी न होगा इस लिए कि यही दिन मुस्तसना हो गया और अगर इसी को मारा जिस को अखीर में मारा है तो

मारा जिस को अखीर में मारा है तो आफ़ताब ग़ुरूब होने पर हानिस होगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है और अगर कहा कि अगर मैंने फ़लां को क़त्ल न किया तो मेरी बीवी तालिक़ा ही हालांकि फ़लां मज़कूर मर चुका है और वो इस को जानता है तो इस की क़सम मुनअक़िद होगी क्योंकि यह मुतसव्विर है फिर फ़िल हाल हानिस होगा इस वास्ते कि आदत के मुवाफ़िक़ अजज़ मुतहक़्क़िक़ है जैसे मसला सऊद उल समा। अगर वो इस की मौत से आगाह न था तो इमाम आज़म रह० व इमाम मुहम्मद रह० के नज़दीक हानिस न होगा जैसे मसला मज़कूरह में है मगर फ़र्क़ इस क़द्र है कि मसला मज़कूरह में दोनों तरह एक ही हुक्म है चाहे जानता हो कि कूज़ह में पानी नहीं है या न जानता हो और यही सही है यह काफ़ी में है।

अगर दूसरे से कहा कि अगर मैंने तुझ को क़त्ल किया मस्जिद में या मैं ने तेरे सर को ज़ख़्मी किया मस्जिद में या मैंने तुझे मारा मैं तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस को क़त्ल किया या सर ज़ख़्मी किया या माराः

एक ने क़सम खाई कि फ़लां को कल क़त्ल करूंगा फिर वो आज ही मर गया तो हानिस न होगा यह तबयुन में है और अगर क़सम खाई कि अगर मैंने फ़लां को क़त्ल किया या इस को छुवा तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर किसी दूसरे की तरफ़ क़सद किया लेकिन हाथ खता कर गया कि फ़लां मज़कूर क़त्ल हो गया या इस को छू लिया तो हानिस हो गया यह मुहीत सुरखी में है। अगर दूसरे से कहा कि अगर मैंने तुझ को बरोज़े जुमा क़त्ल किया तो मरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर बाद क़सम के इस को बरोज़े पंजशम्बा इस तरह मारा कि बरोज़े जुमा वो मर गया तो यह अपनी क़सम में हानिस (1) हुआ और अगर इस को बरोज़े जुमा ऐसा मारा कि वो सनीचर के रोज़ मर गया तो हानिस न हुआ और अगर इस को मारेना क़ब्ल क़सम के वाक़े हुआ मसलन इस को चहार शम्बा के रोज़ मारा फिर पंजशम्बा के रोज़ क़सम खाई कि अगर मैंने तुझ को बरोज़े जुमा क़त्ल किया तो मेरा

आफ़ताब ग़ुरूब होने पर पापी होगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है और अगर कहा कि अगर मैंने फ़लाँ को क़त्ल न किया तो मेरी बीवी तालिक़ा ही हालांकि फ़लाँ वर्णित मर चुका है और वह इस को जानता है तो इस की क़सम मुनअक़िद होगी क्योंकि यह मुतसव्विर है फिर फ़िल हाल पापी होगा इस लिए कि आदत के मुवाफ़िक़ अजज़ मुतहक़्क़िक़ है जैसे मसला सऊद उल समा। अगर वह इस की मौत से आगाह न था तो इमाम आज़म रह० व इमाम मुहम्मद रह० के निकट पापी न होगा जैसे मसला वर्णितह में है मगर फ़र्क़ इस क़द्र है कि मसला वर्णितह में दोनों तरह एक ही आदेश है चाहे जानता हो कि कूज़ह में पानी नहीं है या न जानता हो और यही सही है यह काफ़ी में है।

अगर दूसरे से कहा कि अगर मैंने तुझ को क़त्ल किया मस्जिद में या मैं ने तेरे सर को ज़ख़्मी किया मस्जिद में या मैंने तुझे मारा मैं तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस को क़त्ल किया या सर ज़ख़्मी किया या माराः

एक ने क़सम खाई कि फ़लाँ को कल क़त्ल करूंगा फिर वह आज ही मर गया तो पापी न होगा यह तबयुन में है और अगर क़सम खाई कि अगर मैंने फ़लाँ को क़त्ल किया या इस को छुवा तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर किसी दूसरे की तरफ़ क़सद किया लेकिन हाथ खता कर गया कि फ़लाँ वर्णित क़त्ल हो गया या इस को छू लिया तो पापी हो गया यह मुहीत सुरखी में है। अगर दूसरे से कहा कि अगर मैंने तुझ को जुमे के दिन क़त्ल किया तो मरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर बाद क़सम के इस को बरोज़े पंजशम्बा इस तरह मारा कि जुमे के दिन वह मर गया तो यह अपनी क़सम में पापी (1) हुआ और अगर इस को जुमे के दिन ऐसा मारा कि वह सनीचर के दिन मर गया तो पापी न हुआ और अगर इस को मारेना क़ब्ल क़सम के स्थपित हुआ मसलन इस को चहार शम्बा के दिन मारा फिर पंजशम्बा के दिन क़सम खाई कि अगर मैंने तुझ को जुमे के दिन क़त्ल किया तो मेरा

ग़ुलाम आज़ाद है फिर वो बरोज़े जुमा मर गया तो अपनी क़सम में हानिस न होगा यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि क़त्ल न करूंगा फ़लां को कूफ़ा में फिर इस को सवाद कूफ़ा में मारा और वो कूफ़ा में मरा तो हानिस होगा और इस मं मौत की जगह व ज़माना का ऐतबार है मजरूह करने की जगह व ज़माना का ऐतबार नहीं है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है अगर दूसरे से कहा कि अगर मैंने तुझ को मस्जिद में शतम किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर हालिफ़ ने दर हाल यह कि ख़ुद मस्जिद में था और दूसरे महलूफ़ अलैहि मस्जिद से बाहर था इस को शतम किया तो हानिस होगा और अगर इस के बरअक्स हो तो हानिस न होगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है और अगर दूसरे से कहा कि अगर मैंने तुझ को क़त्ल किया मस्जिद में मैंने तेरे सर को ज़ख्मी किया मस्जिद में मैंने तुझे मारा मैं तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस को क़त्ल किया सर ज़ख्मी किया या मारा और हाल यह कि हालिफ़ ख़ुद मस्जिद के अन्दर है और महलूफ़ अलैहि मक़तूल व मशजूह व मज़रूब मस्जिद से बाहर है तो हानिस न होगा और अगर इस के बरअक्स वाक़े हुआ तो हानिस हुआ और अगर दूसरे से कहा कि अगर तूने इस ज़ख्म सर से मर गया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर वो इस ज़ख्म और दूसरी किसी इललत से मर गया तो हानिस हुआ यह मुहीत में है।

अगर क़सम खाई कि फ़लां को पत्थर न मारूंगा फिर इस ने किसी और को पत्थर मारा मगर वो इस से बच कर फ़लां मज़कूर के लगा तो वो हानिस न होगा और अगर इस ने फ़लां को फैंक मारा मगर वो फ़लां के नहीं लगा हानिस होगा इल्ला आंकि (1) इस ने लग जाने की नित की हो तो इताबिया में है और अगर दूसरे से कहा कि अगर मैंने तेरी तरफ़ पत्थर या तीर फैंका मस्जिद में तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो मस्जिद में होगा हालिफ़ के हक़ में मोअतबर होगा और अगर यूं कहा कि अगर मैंने फैंक मारा मस्जिद में तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो मस्जिद में होना महलूफ़ अलैहि का मोअतबर है यह ज़ख़ीरा में है अगर क़सम खाई कि अगर मैंने फैंक मारा मस्जिद में तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर कल के रोज़

ग़ुलाम आज़ाद है फिर वह जुमे के दिन मर गया तो अपनी क़सम में पापी न होगा यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि क़त्ल न करूंगा फ़लाँ को कूफ़ा में फिर इस को सवाद कूफ़ा में मारा और वह कूफ़ा में मरा तो पापी होगा और इस मं मौत की जगह व ज़माना का ऐतबार है मजरूह करने की जगह व ज़माना का ऐतबार नहीं है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है अगर दूसरे से कहा कि अगर मैंने तुझ को मस्जिद में शतम किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर शपथकर्ता ने दर हाल यह कि ख़ुद मस्जिद में था और दूसरे महलूफ़ अलैहि मस्जिद से बाहर था इस को शतम किया तो पापी होगा और अगर इस के बरअक्स हो तो पापी न होगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है और अगर दूसरे से कहा कि अगर मैंने तुझ को क़त्ल किया मस्जिद में मैंने तेरे सर को ज़ख्मी किया मस्जिद में मैंने तुझे मारा मैं तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस को क़त्ल किया सर ज़ख्मी किया या मारा और हाल यह कि शपथकर्ता ख़ुद मस्जिद के अन्दर है और महलूफ़ अलैहि मक़तूल व मशजूह व मज़रूब मस्जिद से बाहर है तो पापी न होगा और अगर इस के बरअक्स स्थपित हुआ तो पापी हुआ और अगर दूसरे से कहा कि अगर तूने इस ज़ख्म सर से मर गया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर वह इस ज़ख्म और दूसरी किसी इललत से मर गया तो पापी हुआ यह मुहीत में है।

अगर क़सम खाई कि फ़लाँ को पत्थर न मारूंगा फिर इस ने किसी और को पत्थर मारा मगर वह इस से बच कर फ़लाँ वर्णित के लगा तो वह पापी न होगा और अगर इस ने फ़लाँ को फैंक मारा मगर वह फ़लाँ के नहीं लगा पापी होगा सिवा आंकि (1) इस ने लग जाने की नित की हो तो इताबिया में है और अगर दूसरे से कहा कि अगर मैंने तेरी तरफ़ पत्थर या तीर फैंका मस्जिद में तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो मस्जिद में होना शपथकर्ता के हक़ में मोअतबर होगा और अगर यूं कहा कि अगर मैंने फैंक मारा मस्जिद में तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो मस्जिद में होना महलूफ़ अलैहि का मोअतबर है यह ज़ख़ीरा में है अगर क़सम खाई कि अगर मैंने फैंक मारा मस्जिद में तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर कल के दिन

इस को नंगा भूका क़ैद किया फिर किसी और ने आकरआ इस को खाना खिलाया तो **यह** **हानिस** **हो** **गया** **यह** फ़तावा कुबरा व ख़ुलासा में है और अगर क़सम खाई कि फ़लां की तअज़ीब न करूंगा फिर इस को ज़िन्दान में रखा तो हानिस न होगा इल्ला आंकि इस ने यह भी नियत की हो ऐसा ही फ़तावा में मज़कूर ही और इस की वजह यह है कि क़ैद खाना में रखना तअजीब क़ासिर है पस वो क़सम के तहत में दाखिल न होगी और नीज़ फ़तावा में मज़कूर ही कि अगर अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाया पस इस ने इन्कार किया और कहा कि तो मुझे अज़ाब देता है पस शौहर ने कहा कि अगर मैंने तुझे अज़ाब दिया तो तालिक़ा है फिर वो औरत बिस्तर पर आई और शौहर ने इस से जिमाअ किया पस अगर ऐसी हालत में जिमाअ किया कि औरत इस को गिरां रखती थी तो शौहर ने इस को अज़ाब दिया पस वो तालिक़ा हो गई और अगर औरत तालिक़ा बख़ुशी ख़ातिर थी तो तालिक़ा न होगी यह ज़खीरा में है। एक मर्द ने अपनी बीवी से कहा कि अगर मैंने तुझे ज़रर न दिया या कहा कि अगर मैंने तुझे रंज न दिया तो तू तालिक़ा सुल्स है फिर इस के पास से गई महीना ग़ायब रहा कि इस को कुछ नुफ़क़ा न दिया और इस के ऊपर दूसरी मैंने तुझे रंज न दिया तो तू तालिक़ा सुल्स है फिर इस के पास से गई महीना ग़ायब रहा कि इस को कुछ नफ़क़ा न दिया और इस के ऊपर दूसरी औरत से निकाह कर लिया पस औरत से इस के लोगों ने कहा कि तेरे शौहर ने ज़रर दिया तुझे रंज दिया पस औरत ने कहा कि मुझे

(1)क्योंकि वो उसी की ज़र्ब से जोएक रोज+ क़ब्ल वाक़े हुई है रोज+ मुअय्यनयानी जुमा को मरा है पेस गोया इसी रोज+ इस का मारना वाक़े हुआ।

(1)नीऐसा मारना कि पत्थर लग जाये।

ज़रूर नहीं दिया और तुझे रंज नहीं दिया तो क़ौल औरत का क़बूल होगा और शौहर हानिस न होगा और अगर शौहर ने कहा कि मैंने तुझे ज़रर न पहुंचाया या तुझे रंज न पहुंचाया तो तू तालिक़ा सुल्स है फिर ऐसा फ़अल बक़सद इस की ज़रर रसानी के किया तो हानिस हो गया यह मुहीत सुरखी में है।

अगर कहा कि अगर मरा सरज़ंश कुनी फ़कज़ा तो

इस को नंगा भूका क़ैद किया फिर किसी और ने आकरआ इस को खाना खिलाया तो यह पापी हो गया यह फ़तावा कुबरा व ख़ुलासा में है और अगर क़सम खाई कि फ़लाँ की तअज़ीब न करूंगा फिर इस को ज़िन्दान में रखा तो पापी न होगा सिवा आंकि इस ने यह भी इरादा की हो ऐसा ही फ़तावा में वर्णित ही और इस की कारण यह है कि क़ैद खाना में रखना तअजीब क़ासिर है बस वह क़सम के तहत में प्रवेश न होगी और नीज़ फ़तावा में वर्णित ही कि अगर अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाया बस इस ने इन्कार किया और कहा कि तो मुझे अज़ाब देता है बस शौहर ने कहा कि अगर मैंने तुझे अज़ाब दिया तो तालिक़ा है फिर वह औरत बिस्तर पर आई और शौहर ने इस से जिमाअ किया बस अगर ऐसी हालत में जिमाअ किया कि औरत इस कार्य को गिरां रखती थी तो शौहर ने इस को अज़ाब दिया बस वह तालिक़ा हो गई और अगर औरत तालिक़ा बख़ुशी ख़ातिर थी तो तालिक़ा न होगी यह ज़खीरा में है। एक मर्द ने अपनी बीवी से कहा कि अगर मैंने तुझे ज़रर न दिया या कहा कि अगर मैंने तुझे रंज न दिया तो तू तालिक़ा सुल्स है फिर इस के पास से गई महीना ग़ायब रहा कि इस को कुछ नफ़क़ा न दिया और इस के ऊपर दूसरी मैंने तुझे रंज न दिया तो तू तालिक़ा सुल्स है फिर इस के पास से गई महीना ग़ायब रहा कि इस को कुछ नफ़क़ा न दिया और इस के ऊपर दूसरी औरत से निकाह कर लिया बस औरत से इस के लोगों ने कहा कि तेरे शौहर ने ज़रर दिया तुझे रंज दिया बस औरत ने कहा कि मुझे

(1)क्योंकि वह उसी की ज़र्ब से जोएक दिन क़ब्ल स्थपित हुई है दिन निश्चितयानी जुमा को मरा है पेस गोया इसी दिन इस का मारना स्थपित हुआ।

(1)नीऐसा मारना कि पत्थर लग जाये।

ज़रूर नहीं दिया और तुझे रंज नहीं दिया तो कथन औरत का स्वीकार होगा और शौहर पापी न होगा और अगर शौहर ने कहा कि मैंने तुझे ज़रर न पहुंचाया या तुझे रंज न पहुंचाया तो तू तालिक़ा सुल्स है फिर ऐसा फ़अल बक़सद इस की ज़रर रसानी के किया तो पापी हो गया यह मुहीत सुरखी में है।

अगर कहा कि अगर मरा सरज़ंश कुनी फ़कज़ा तो

रूबरू मलामत करने से हानिस होगा और अगर कहा कि मरा बर सरज़नी तो मलामत की तरफ़ राजअ की जायेगी बशर्तेकि कोई क़रीना मोहतमिल हो वरना सर पर मारने पर महमूल होगी और क़सम खाई कि अपनी बीवी को ईज़ा न दूंगा फिर इस के कपड़े में नजासत भर गई पस औरत से कहा कि इस को धोदे पस इस ने इंकार किया पस इस से कहा कि ज़ोहरा दरान बशवी तो बाज़ ने कहा कि हानिस न होगा और क़ाज़ी ने फ़रमाया कि हानिस होगा और इसी पर फ़तवा दिया जाये यह वजीज़ करदरी में है और क़ुदूरी में इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि अगर अपनी बीवी से कहा कि तू तालिक़ा है या वल्लाह मैं आज खादिम को मारूंगा फिर खादिम को इसी रोज़ मारा तो अपनी क़सम में सच्चा रहा और तलाक़ वाक़े न होगी और अगर यह दिन गुज़र गया और इस ने इस रोज़ियों कहा कि मैंने क़सम को अपने ऊपर लाज़िम किसया और तलाक़ को बातिल किया तो तलाक़ बातिल न होगी और अगर खादिम क़ब्ल इस के कि इस को मारछे मर गया तो इस को इख़्तयार होगा चाहे तलाक़ दे और चाहे क़सम का कफ़्फ़ारह अदा करे और अगर क़सम खाने वाला ख़ुद मर गया तो हानिस होगा या तलाक़ एक चीज़ वाक़े होगी लेकिन चूंकि क़ब्ल बयान के मर गया है लिहाज़ा तलाक़ वाक़े न होगी और औरत को मीरास मिलेगी और दर सूरत कि खादिम मर गया है इस सूरत में फ़रमाया कि यह तखय्युर (1) अज़ राहे तदीन है और क़ाज़ी इस पर इस के वास्ते जबर न करेगा इस वास्ते कि जब वो कफ़्फ़ारह व तलाक़ के दरमियान मुखय्यर किसया गसया और एक इन में से दाखिल हुक्म नहीं है तो क़ाज़ी इस पर यह लाज़िम न करेगा हत्ता कि अगर बजाये कफ़्फ़ारह के किसी दूसरी औरत की तलाक़ हो तो क़ाज़ी इस पर जबर करेगा कि बयान करे इस वास्ते कि जो वो इख़्तयार करेगा वो ख़्वाह मख़्वाह तलाक़ वाक़े होगी और वो दाखिल हुक्म है यह मुहीत में है।

एक ने कहा कि अगर मैंने तुझे शशम किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस से कहा कि अल्लाह तुझ में बरकत न दे तो इस का ग़ुलाम आज़ाद न होगा और अगर कहा कि न तो और न तेरे अहले और न तेरा माल

रूबरू मलामत करने से पापी होगा और अगर कहा कि मरा बर सरज़नी तो मलामत की तरफ़ राजअ की जायेगी बशर्तेकि कोई क़रीना मोहतमिल हो वरना सर पर मारने पर महमूल होगी और क़सम खाई कि अपनी बीवी को ईज़ा न दूंगा फिर इस के कपड़े में नजासत भर गई बस औरत से कहा कि इस को धोदे बस इस ने इंकार किया बस इस से कहा कि ज़ोहरा दरान बशवी तो कुछ ने कहा कि पापी न होगा और क़ाज़ी ने फ़रमाया कि पापी होगा और इसी पर फ़तवा दिया जाये यह वजीज़ करदरी में है और क़ुदूरी में इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि अगर अपनी बीवी से कहा कि तू तालिक़ा है या वल्लाह मैं आज खादिम को मारूंगा फिर खादिम को इसी दिन मारा तो अपनी क़सम में सच्चा रहा और तलाक़ स्थपित न होगी और अगर यह दिन गुज़र गया और इस ने इस रोज़ियों कहा कि मैंने क़सम को अपने ऊपर अनिवार्य किसया और तलाक़ को अमान्य किया तो तलाक़ अमान्य न होगी और अगर खादिम क़ब्ल इस के कि इस को मारछे मर गया तो इस को अधिकार होगा चाहे तलाक़ दे और चाहे क़सम का प्रायश्चित अदा करे और अगर क़सम खाने वाला ख़ुद मर गया तो पापी होगा या तलाक़ एक चीज़ स्थपित होगी लेकिन चूंकि क़ब्ल बयान के मर गया है लिहाज़ा तलाक़ स्थपित न होगी और औरत को मीरास मिलेगी और दर स्थिति कि खादिम मर गया है इस स्थिति में फ़रमाया कि यह तखय्युर (1) अज़ राहे तदीन है और क़ाज़ी इस पर इस के लिए जबर न करेगा इस लिए कि जब वह प्रायश्चित व तलाक़ के बीच मुखय्यर किसया गसया और एक इन में से प्रवेश आदेश नहीं है तो क़ाज़ी इस पर यह अनिवार्य न करेगा हत्ता कि अगर बजाये प्रायश्चित के किसी दूसरी औरत की तलाक़ हो तो क़ाज़ी इस पर जबर करेगा कि बयान करे इस लिए कि जो वह अपनाएगा वह चाहे न चाहे तलाक़ स्थपित होगी और वह आदेश है यह मुहीत में है।

एक ने कहा कि अगर मैंने तुझे शशम किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस से कहा कि अल्लाह तुझ में बरकत न दे तो इस का ग़ुलाम आज़ाद न होगा और अगर कहा कि न तो और न तेरे अहले और न तेरा माल

तो इस का ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा इस वास्ते कि यह शशम है यह ज़हीरिया में है। एक ने क़सम खाई कि अपनी बीवी को किसी बात में मतम न करूंगा फिर इस से कहा कि ख़ुदा जाने तूने क्या किया है तो हानिस न होगा यह ख़ुलासा में है। एक ने क़सम खाई कि फ़लां को क़ज़फ़ (2) न करूंगा फिर इस से कहा कि और छिनाल के बच्चा तो अपनी क़सम में हानिस होगा और यही फ़तवा के वास्ते मुख़्तार है इस वास्ते कि हमारे दियार व ज़माना में इस को क़ज़फ़ शुमार करते है। अगर क़सम खाई कि न क़ज़फ़ करूंगा या न शशम करूंगा किसी को फिर मुर्दे को कज़फ़ किया या मुर्दा को शशम कियसा तो हानिस होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर ज़ैद ने क़सम खाई कि मैं उमर से बेहतर हों हालांकि ज़ैद चोर या शराब ख़्वार है और उमर लोगों के नज़दीक परहेज़गार व एल इल्म से है तो क़ज़ाअन वो हानिस होगा यह इताबिया में है। एक ने अपना माल अपने घर में दफ़न किया फिर इस को ढूंढा था तो अपना या पस क़सम खा गया कि मेरा माल जाता रहा फिर इस के बाद इस को पाया पस अगर इस माल को किसी आदमी ने न लिया हो कि दोबारह वहीं रख दिया तो हानिस होगा इल्ला आंकि इस ने अपने क़ौल से यह मुराद ली हो कि मैंने इस को तलाश किया और न पाया यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर किसी चीज़ का नाम बयान करके यूं क़सम खाई कि मैंने फ़लां चीज़ नहीं चुराई और न देखी है हालांकि इस से पहले इस चीज़ को देख चुका है तो मुख़्तार यह है कि अगर वो सच्चा (1) है तो हानिस न होगा यह फ़तावा कुबरा में है।

(1)इ]तयार देना।
(2)तोहमत ज़िना की लगाना।
(3)चुराई नहीं है।

काश्तकार या वकील (1) ने क़सम खाई कि न चुराउंगा और हाल यह है कि वो मालिक बाग़ अंगूर के और काश्तकार के दरमियान मुशतरिक अंगूरों व फ़वाका को अपने घर लाना है तो मशाइख ने फ़रमाया कि अगर काश्तकार या वकील जो कुछ लाता है वो खाने के वास्ते लाता है तो यह चोरी नहीं चोरी है और इस वास्ते काश्तकार व वकील के अगर किसी और ने कुछ बतौर

तो इस का ग़ुलाम आज़ाद हो जायेगा इस लिए कि यह शशम है यह ज़हीरिया में है। एक ने क़सम खाई कि अपनी बीवी को किसी बात में मतम न करूंगा फिर इस से कहा कि ख़ुदा जाने तूने क्या किया है तो पापी न होगा यह ख़ुलासा में है। एक ने क़सम खाई कि फ़लाँ को क़ज़फ़ (2) न करूंगा फिर इस से कहा कि और छिनाल के बच्चा तो अपनी क़सम में पापी होगा और यही फ़तवा के लिए मुख़्तार है इस लिए कि हमारे दियार व ज़माना में इस को क़ज़फ़ शुमार करते हैं। अगर क़सम खाई कि न क़ज़फ़ करूंगा या न शशम करूंगा किसी को फिर मुर्दे को कज़फ़ किया या मुर्दा को शशम कियसा तो पापी होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर ज़ैद ने क़सम खाई कि मैं उमर से बेहतर हों हालांकि ज़ैद चोर या शराब ख़्वार है और उमर लोगों के निकट परहेज़गार व एल इल्म से है तो न्यायिक वह पापी होगा यह इताबिया में है। एक ने अपना माल अपने घर में दफ़न किया फिर इस को ढूंढा था तो अपना या बस क़सम खा गया कि मेरा माल जाता रहा फिर इस के बाद इस को पाया बस अगर इस माल को किसी आदमी ने न लिया हो कि दोबारह वहीं रख दिया तो पापी होगा सिवा आंकि इस ने अपने कथन से यह तात्पर्य ली हो कि मैंने इस को तलाश किया और न पाया यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर किसी चीज़ का नाम बयान करके यूं क़सम खाई कि मैंने फ़लाँ चीज़ नहीं चुराई और न देखी है हालांकि इस से पहले इस चीज़ को देख चुका है तो मुख़्तार यह है कि अगर वह सच्चा (1) है तो पापी न होगा यह फ़तावा कुबरा में है।

(1)इ]तयार देना।
(2)तोहमत ज़िना की लगाना।
(3)चुराई नहीं है।

काश्तकार या वकील (1) ने क़सम खाई कि न चुराउंगा और हाल यह है कि वह मालिक बाग़ अंगूर के और काश्तकार के बीच साझा अंगूरों व फ़वाका को अपने घर लाना है तो विद्वानों ने फ़रमाया कि अगर काश्तकार या वकील जो कुछ लाता है वह खाने के लिए लाता है तो यह चोरी नहीं चोरी है और इस लिए काश्तकार व वकील के अगर किसी और ने कुछ बतौर ख़ुफ़िया ले

ख़ुफ़िया ले लिया तो यह चोरी नहीं है लेकिन जो हुबूब (अनाज) होते हैं अगर इन में से कुछ बदीं ग़र्ज़ लिया कि मैं इस को न तन्हा ले लूं न बग़र्ज़ हिफ़ाज़त के रखा तो यह चोरी है और इस वास्ते काश्तकार व वकील के अगर किसी और ने कुछ बतौर ख़ुफ़िया ले लिया तो यह चोरी है और अगर काश्तकार व वकील ने ऐसी चीज़ ले ली कि अगर मालिक इस को देखता तो इस को तावान न लेता बल्कि राज़ी होता तो भी यही हुक्म है कि सिरक़ा नहीं है हानिस न होगा और अगर ऐसा न हो तो हानिस होगा चाहिए है यह ज़हीरिया में है एक शख़्स का घोडा सिराए से ग़ायब हो गया पस इस ने कहा कि अगर यह घोडा मेरा ले गये हों तो वल्लाह मैं यहां नहीं रहूंगा तो मशाइख ने फ़रमाया कि क़सम खाने वाले से दरयाफ़्त कियसा जायेगा कि तेरी किया मुराद है पस अगर इस ने सिराए हुजरा या शहर मुें न रहने की नियत की हो तो क़सम इस की नियत पर होगी और अगर इस ने कुछ नियत न की हो तो इस के इस सिराए में ने रहने पर क़सम होगी और एक औरत का पिसर है कि वो किसी अजनबी के साथ रहता है पस इस औरत से इस के शौहर ने कहा कि अगर तेरा पिसर फ़लां नाम यहां आकर हमारे मील में न रहा तो हर गाह तो इस को कोई चीज़ मेरे माल से क़लील भी देगी तो तू तालिक़ा है फिर इस का बेटा आकर दोनों के साथ एक साल तक रहा फिर ग़ायब हो गया फिर औरत ने कहा कि मैंने अपने पिसर को तेरे माल से कुछ दिया और तू हानिस हो गया पस अगर शौहर ने इस के क़ौल की तकज़ीब की तो क़ौल शौहर का क़बूल होगा और अगर8 शौहर ने इस की तसदीक़ की पस अगर औरत ने इस पिसर के आकर इन के मील में रहने से पहले कोई चीज़ दी है यानी बाद क़सम शौहर के तू तालिक़ा हो जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

लिया तो यह चोरी नहीं है लेकिन जो हुबूब (अनाज) होते हैं अगर इन में से कुछ इस ग़र्ज़ लिया कि मैं इस को न तन्हा ले लूं न बग़र्ज़ हिफ़ाज़त के रखा तो यह चोरी है और इस लिए काश्तकार व वकील के अगर किसी और ने कुछ बतौर ख़ुफ़िया ले लिया तो यह चोरी है और अगर काश्तकार व वकील ने ऐसी चीज़ ले ली कि अगर मालिक इस को देखता तो इस को क्षतिपूर्ति न लेता बल्कि राज़ी होता तो भी यही आदेश है कि सिरक़ा नहीं है पापी न होगा और अगर ऐसा न हो तो पापी होगा चाहिए है यह ज़हीरिया में है एक व्यक्ति का घोड़ा सिराए से ग़ायब हो गया बस इस ने कहा कि अगर यह घोड़ा मेरा ले गये हों तो वल्लाह मैं यहां नहीं रहूंगा तो विद्वानों ने फ़रमाया कि क़सम खाने वाले से दरयाफ़्त कियसा जायेगा कि तेरी किया तात्पर्य है बस अगर इस ने सिराए हुजरा या शहर मुें न रहने की इरादा की हो तो क़सम इस की इरादा पर होगी और अगर इस ने कुछ इरादा न की हो तो इस के इस सिराए में ने रहने पर क़सम होगी और एक औरत का पिसर है कि वह किसी अजनबी के साथ रहता है बस इस औरत से इस के शौहर ने कहा कि अगर तेरा पिसर फ़लाँ नाम यहां आकर हमारे मील में न रहा तो हर गाह तो इस को कोई चीज़ मेरे माल से क़लील भी देगी तो तू तालिक़ा है फिर इस का बेटा आकर दोनों के साथ एक साल तक रहा फिर ग़ायब हो गया फिर औरत ने कहा कि मैंने अपने पिसर को तेरे माल से कुछ दिया और तू पापी हो गया बस अगर शौहर ने इस के कथन की झुठलाना की तो कथन शौहर का स्वीकार होगा और अगर8 शौहर ने इस की पुष्टि की बस अगर औरत ने इस पिसर के आकर इन के मील में रहने से पहले कोई चीज़ दी है यानी बाद क़सम शौहर के तू तालिक़ा हो जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

ज़ैद ने उमर का कपा चुरा लिया फिर ज़ैद ने उमर को दिरहम दिये फिर उमर इस का इन्कार कर गया और क़सम खाई तो फ़िक़ीह अबुल क़ासिम सफ़ार ने फ़रमाया कि अगर कपड़ा ज़ैद के हाथ से जाता रहा तो बेख़्शक उमर हानिस न होगा और अगर क़ायम हो तो मैं नहीं कहता हूं कि वो हानिस होगाः

ज़ैद न उमर पर दावा कियसा कि इस ने मेरा कपड़ा चुरा लिया है फिर उमर ने ज़ैद का कपड़ा ले कर कहा कि मेरी बीवी तालिक़ा है कि मैंने तेरा कपड़ा नहीं उठाया है तो बाज़ ने फ़रमाया कि अगर उमर ने इस काक पडा नहीं चुराया है तो इस की बीवी तालिक़ा न होगी और बाज़ ने कहा कि क़ज़ाअन इस की बीवी तालिक़ा न होगी और यह क़ौल ऐतबार ज़ाहिर सूरत के है और अव्वल अज़हर है। ज़ैद ने उमर का कपड़ा चुरा लिया फिर ज़ैद ने उमर को दिरहम (1) दिये फिर उमर इस का इन्कार (3) कर गया और क़सम खाई तो फ़क़ीह अबुल क़ासिम सफ़ार ने फ़रमाया कि अगर कपड़ा ज़ैद के हाथ से जाता रहा तो बेशक उमर हानिस न होगा और अगर क़ायम हो तो मैं नही कहता हूं कि वो हानिस होगा और मशाइख़ ने फ़रमाया कि अगर कपड़ा इस के पास मौजूद हो तो बेशक उमर हानिस होगा और अगर इस के हाथ से जाता रहा हो तो फ़क़ीह ने जो जवाब दिया है इस में एक नोअ का इश्काल है। ज़ैद ने क़सम खाई कि उमर ने मेरे कपड़े चुरा लिये हैं या कहा कि उमर ने मेरे कपड़े फाड डाले हैं हालांकि उमर ने फ़क़त एक कपड़ा इस का चुराया या एक ही कपड़ा फाडा है तो फ़रमाया कि वो हानिस न होगा और बाज़ ने फ़रमाया कि हानिस होगा और अव्वल अज़हर है यह मुहीत में है और एक शख़्स नशा में था इस को हौश आया पस इस ने अपने साथियों से कहा मेरी जेब में (45) दिरहम थे कि तुम ने मुझ से ले लिये हैं पस उन्होंने

(1)जिस के पास बाग+ बुटाई पर है वो काश्तकार और जोश्]स कि मालिक की तरफ+ से मु]तार किया गया है वो वकील है।
(2)ताकि इस का दावा से जो ज़ैद पर चोरी का रखता है इन्कार

ज़ैद ने उमर का कपा चुरा लिया फिर ज़ैद ने उमर को दिरहम दिये फिर उमर इस का इन्कार कर गया और क़सम खाई तो फ़िक़ीह अबुल क़ासिम सफ़ार ने फ़रमाया कि अगर कपड़ा ज़ैद के हाथ से जाता रहा तो बेशक उमर पापी न होगा और अगर क़ायम हो तो मैं नहीं कहता हूं कि वह पापी होगाः

ज़ैद न उमर पर दावा कियसा कि इस ने मेरा कपड़ा चुरा लिया है फिर उमर ने ज़ैद का कपड़ा ले कर कहा कि मेरी बीवी तालिक़ा है कि मैंने तेरा कपड़ा नहीं उठाया है तो कुछ ने फ़रमाया कि अगर उमर ने इस काक पड़ा नहीं चुराया है तो इस की बीवी तालिक़ा न होगी और कुछ ने कहा कि न्यायिक इस की बीवी तालिक़ा न होगी और यह कथन ऐतबार ज़ाहिर स्थिति के है और पहला अज़हर है। ज़ैद ने उमर का कपड़ा चुरा लिया फिर ज़ैद ने उमर को दिरहम (1) दिये फिर उमर इस का इन्कार (3) कर गया और क़सम खाई तो फ़क़ीह अबुल क़ासिम सफ़ार ने फ़रमाया कि अगर कपड़ा ज़ैद के हाथ से जाता रहा तो बेशक उमर पापी न होगा और अगर क़ायम हो तो मैं नहीं कहता हूं कि वह पापी होगा और विद्वानों ने फ़रमाया कि अगर कपड़ा इस के पास मौजूद हो तो बेशक उमर पापी होगा और अगर इस के हाथ से जाता रहा हो तो फ़क़ीह ने जो जवाब दिया है इस में एक नोअ का इश्काल है। ज़ैद ने क़सम खाई कि उमर ने मेरे कपडे चुरा लिये हैं या कहा कि उमर ने मेरे कपडे फाड डाले हैं हालांकि उमर ने केवल एक कपड़ा इस का चुराया या एक ही कपड़ा फाडा है तो फ़रमाया कि वह पापी न होगा और कुछ ने फ़रमाया कि पापी होगा और पहला अज़हर है यह मुहीत में है और एक व्यक्ति नशा में था इस को हौश आया बस इस ने अपने साथियों से कहा मेरी जेब में (45) दिरहम थे कि तुम ने मुझ से ले लिये हैं बस उन्होंने

(1) जिस के पास बाग+ बुटाई पर है वह काश्तकार और जो व्यक्ति कि मालिक की तरफ+ से मु]तार किया गया है वह वकील है।

कर जाये क्योंकि दिराहिम बजाये इस कपडे की क़ीमत के क़रार दे गोया कि इस ने फ़रो]त कर दिया।
(3)इस ने नहीं चुराया है।
(1)चुराई नहीं है।

इन्कार किया पस वो क़सम खा गया और कहा कि अगर आज मेरी जेब में चालीस व पांच दिरहम न रहे हों (40) ग़तरीफ़िया व पांच अदाली तो मेरी बीवी तालिक़ा है हालांकि इस रोज़ इस की जेब में चालीस अदाली और पांच ग़तरीफ़िया थे पस इस ने मुजमल तो ठीक कहे मगर तफ़सील में खता की तो मशाइख ने फ़रमाया है कि अगर इस ने तफ़सील को क़सम में मिला कर कहा तो हानिस होगा और अगर तफ़सील को जुदा करके कहा है तो हानिस न होगा और अगर इस की जेब में अदाली व ग़तारफ़ा हों कि अगर अदाली की क़ीमत ग़तारफ़ा में मिलाई जाये तो चालीस ग़तारफ़ा हों पस इस ने जमा करके कहा कि अगर मेरी जेब में चालीस ग़तरीफ़ी न रहे हों इतने ग़तरीफ़ी और इतने अदाली यानी जुमला तअदाद ठीक बयान की और तफ़सील में खता की तो मेरी बीवी तालिक़ा है तो मशाइख ने फ़रमाया कि अगर इस ने बअयुना (1) ग़तारफ़ा मुराद लिये तो हानिस होगा ख़्वाह तफ़सील ठीक बयान की हो या खता की हो ख़्वाह मिला कर बयान की हो या जुदा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर ज़ैद ने क़सम खाई कि उमर से कुछ ग़सब न करूंगा फिर ज़ैद रात में उमर के पास दाखिल हुआ और इस का माल चुरा लिया और महलूफ़ अलैहि यानी उमर को मालूम न हुआ या जंगल में उमर के पास आया और इस के सर के नीचे से इस की चादर निकाल ली और उमर को मालूम न हुआ या इस की आस्तीन के अन्दर से दिरहमों की थैली काट ली या रात में उमर के पास दाखिल हुआ और इस से मकाबरह किया और मारा और इस की मताअ निकाल लाया और ले गया तो वो ग़ासिब न होगा बल्कि चोर हो कि इस की वजह से इस का हाथ काटा (1) जायेगा यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है। अगर क़सम खाई कि उमर से चोरी न कर लूंगा फिर इस से मकाबरह करके रात में इस के मकान में घुस कर इस के माल से ले लिया तो हानिस हुआ ओर अगर क़सम खाई कि उमर ग़सब न कर लूंगा या इस से चोरी न करलूंगा

(2)ताकि इस का दावा से जो ज़ैद पर चोरी का रखता है इन्कार कर जाये क्योंकि दिराहिम बजाये इस कपडे की क़ीमत के क़रार दे गोया कि इस ने फ़रो]त कर दिया।
(3)इस ने नहीं चुराया है।
(1)चुराई नहीं है।

इन्कार किया बस वह क़सम खा गया और कहा कि अगर आज मेरी जेब में चालीस व पांच दिरहम न रहे हों (40) ग़तरीफ़िया व पांच अदाली तो मेरी बीवी तालिक़ा है हालांकि इस दिन इस की जेब में चालीस अदाली और पांच ग़तरीफ़िया थे बस इस ने मुजमल तो ठीक कहे मगर तफ़सील में खता की तो विद्वानों ने फ़रमाया है कि अगर इस ने तफ़सील को क़सम में मिला कर कहा तो पापी होगा और अगर तफ़सील को जुदा करके कहा है तो पापी न होगा और अगर इस की जेब में अदाली व ग़तारफ़ा हों कि अगर अदाली की क़ीमत ग़तारफ़ा में मिलाई जाये तो चालीस ग़तारफ़ा हों बस इस ने जमा करके कहा कि अगर मेरी जेब में चालीस ग़तरीफ़ी न रहे हों इतने ग़तरीफ़ी और इतने अदाली यानी जुमला तअदाद ठीक बयान की और तफ़सील में खता की तो मेरी बीवी तालिक़ा है तो विद्वानों ने फ़रमाया कि अगर इस ने बअयुना (1) ग़तारफ़ा तात्पर्य लिये तो पापी होगा चाहे तफ़सील ठीक बयान की हो या खता की हो चाहे मिला कर बयान की हो या जुदा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर ज़ैद ने क़सम खाई कि उमर से कुछ ग़सब न करूंगा फिर ज़ैद रात में उमर के पास प्रवेश हुआ और इस का माल चुरा लिया और महलूफ़ अलैहि यानी उमर को मालूम न हुआ या जंगल में उमर के पास आया और इस के सर के नीचे से इस की चादर निकाल ली और उमर को मालूम न हुआ या इस की आस्तीन के अन्दर से दिरहमों की थैली काट ली या रात में उमर के पास प्रवेश हुआ और इस से मकाबरह किया और मारा और इस की मताअ निकाल लाया और ले गया तो वह ग़ासिब न होगा बल्कि चोर हो कि इस की कारण से इस का हाथ काटा (1) जायेगा यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है। अगर क़सम खाई कि उमर से चोरी न कर लूंगा फिर इस से मकाबरह करके रात में इस के मकान में घुस कर इस

फिर राह में इस से रहज़नी करके ले लिया तो ग़सब की क़सम में हानिस होगा सिरक़ा की क़सम में हानिस न होगा यह मुहीत में है। एक ने दूसरे से कहा कि मैंने तेरे माल में ख़्यानत नहीं की है हालांकि इस की बीवी इस की इजाज़त या रज़ामन्दी से ख़्यानत कर चुकी है तो हानिस न होगा एक साई ने यानी बादशाहों के हुज़ूर में लोगों के माल लुटवाने क वास्ते सआयत करने वाले ने क़सम खाई कि अगर इस से आगे किसी का दस दिरहम से ज़्यादा ज़यान करूं तो मेरी बीवी तालिक़ा है फिर अपनी बीवी का इस से ज़्यादा ज़यान किया तो सही यह है कि इस की बीवी तालिक़ा न होगी यह वजीज़ करदरी में है।

बाबः 12

तक़ाज़ाये दिराहम में क़सम खाने के बयान में

अगर किसी ने क़सम खाई कि फ़लां से अपना हक़ ले लूंगा या फ़लां से अपना हक़ क़ब्ज़ कर लूंगा फिर ख़ुद ले लिया या इस के वकील ने ले लिया तो अपनी क़सम में सच्चा हो गयसा और अगर इस ने यह मुराद ली हो कि ख़ुद अपने आप ही ऐसा करूंगा तो क़ज़ाअन (2) व दयानतन इस की तसदीक़ होगी और इसी तरह अगर फ़लां मज़कूर के वकील से अपना हक़ ले लिया तो भी क़सम में सच्चा रहा और इसी तरह अगर ऐसे शख़्स से ले लिया जिस ने मदयूं के हुक्म से इस माल की कफ़ालत कर ली थी या ऐसे शख़्स से ले लिया जिस ने मदयूं के हवाला करने से उतराई क़बूल करली थी तो भी क़सम में सच्चा रहा (3) यह ज़खीरह में है और अगर किसी शख़्स स बग़ैर हुक्म मतलूब वसूल किया या बकिफ़ालत या हवाला बग़ैर हुक्म मतलूब था तो वा अपनी क़सम में हानिस

(1)हक़ीक़त में दिरहम ग़तरीफ़ी थे न इन की क़ीमत मजमूआ।

(2)क़समखाई कि फ़लां से अपना हक+ ले लूंगा और अगर फ़लां से अपना हक+ न ले लूं तो मेरी बीवी तालिक़ा है पस इस के वकील ने वसूल कर लिया फिर उस ने दावा किया कि मेरी बीवी तालिक़ा हो गई क्योंकि मेरी मुराद यह थी कि+]ुद ले लूं तो

के माल से ले लिया तो पापी हुआ ओर अगर क़सम खाई कि उमर ग़सब न कर लूंगा या इस से चोरी न करलूंगा फिर राह में इस से रहज़नी करके ले लिया तो ग़सब की क़सम में पापी होगा सिरक़ा की क़सम में पापी न होगा यह मुहीत में है। एक ने दूसरे से कहा कि मैंने तेरे माल में ख़्यानत नहीं की है हालांकि इस की बीवी इस की इजाज़त या रज़ामन्दी से ख़्यानत कर चुकी है तो पापी न होगा एक साई ने यानी बादशाहों के हुज़ूर में लोगों के माल लुटवाने क लिए कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करने वाले ने क़सम खाई कि अगर इस से आगे किसी का दस दिरहम से ज़्यादा ज़यान करूं तो मेरी बीवी तालिक़ा है फिर अपनी बीवी का इस से ज़्यादा ज़यान किया तो सही यह है कि इस की बीवी तालिक़ा न होगी यह वजीज़ करदरी में है।

अध्याय 12

दिरहमों के तक़ाज़े में क़सम खाने के वर्णन में

अगर किसी ने क़सम खाई कि फ़लाँ से अपना हक़ ले लूंगा या फ़लाँ से अपना हक़ क़ब्ज़ा कर लूंगा फिर ख़ुद ले लिया या इस के वकील ने ले लिया तो अपनी क़सम में सच्चा हो गयसा और अगर इस ने यह तात्पर्य ली हो कि ख़ुद अपने आप ही ऐसा करूंगा तो न्यायिक (2) व दयानतन इस की पुष्टि होगी और इसी तरह अगर फ़लाँ वर्णित के वकील से अपना हक़ ले लिया तो भी क़सम में सच्चा रहा और इसी तरह अगर ऐसे व्यक्ति से ले लिया जिस ने मदयूं के आदेश से इस माल की कफ़ालत कर ली थी या ऐसे व्यक्ति से ले लिया जिस ने मदयूं के हवाला करने से उतराई स्वीकार करली थी तो भी क़सम में सच्चा रहा (3) यह ज़खीरह में है और अगर किसी व्यक्ति स बग़ैर आदेश मतलूब वसूल किया या बकिफ़ालत या हवाला बग़ैर आदेश मतलूब था तो वा अपनी क़सम में पापी

(1)हक़ीक़त में दिरहम ग़तरीफ़ी थे न इन की क़ीमत मजमूआ।

(2)क़समखाई कि फ़लाँ से अपना हक+ ले लूंगा और अगर फ़लाँ से अपना हक+ न ले लूं तो मेरी बीवी तालिक़ा है बस इस के वकील ने वसूल कर लिया फिर उस ने दावा किया कि मेरी बीवी

क़ज़ाअन तसदीक+ होगी।
(3)क्योंकि उतराई से भीएक गोना हक+ का लेना साबित हुआ।
(1)बशर्तेकि मताअ+ मसरूक+ दस दिरहम कीया ज्+यादा हो।

होगा और मशाइख ने फ़रमाया कि अगर अपने कर्ज़ा के औज़ मतलूब से एक ग़ुलाम बतौर बैअ फ़ासिद के खरीद करके इस पर कर्ज़ा कर लिया पस अगर इस की क़ीमत इसी क़द्र हो जिस क़द्र हक़ है तो वो अपने कर्ज़ा का वसूल पाने वाला होगा और हानिस न होगा और अगर पूरा न हो तो हानिस होगा और अगर हालिफ़ ने अपने हक़ के मिस्ल इस का माल ग़सब कर लिया तो भी क़सम में सच्चा हो गया और इसी तरह अगर इस के वनानीर या मताअ उरूज़ (1) तलफ़ करे तो भी यही हुक्म है यह बदाऐ में है और अगर तालिब (1) ने क़सम खाई कि ज़रूर वसूल (2) कर लूंगा और कोई वक्त (3) नहीं मुक़र्रर कियसा फिर मतलूब को अपने हक़ से बुरी कर दिया या हुबा कर दिया तो अपनी क़सम में हानिस हो गया और अगर इस के वास्ते कोई वक्त मुक़र्रर कर दिया हो फिर क़ब्ल वक्त के मेतलूब का माल से बरी कर दिया तो क़सम साक़ित हो गई और हानिस (4) न होगा और यह इमाम आज़म रह० व इमाम मुहम्मद रह० का क़ौल है और अगर अपना कर्ज़ा वसूल कर लिया फिर इस को ज़्रैवरफ़ या नबहरा पाया तो इस से क़ब्ज़ा करना मुतहक़्क़िक़न हुआ और अपनी क़सम में सच्चा हो गया ख़्वाह लेने वाले ने अपनहे लेने की क़सम खाई हो या देने वाले ने देने की क़सम खाई हो और अगर यह दिराहिम सतूक़ा हों तो यह अपने हक़ का वसूल पाना न होगा और अगर बजाये अपने हक़ के कोई कपड़ा ले लिया फिर इस में ग़ैब पाकर इस को वापिस कर दिया या किसी ने इस पर अपना इस्तहक़ाक़ साबित करके ले लिया तो भी वो अपने वसूल कर लेने की क़सम में सच्चा हो चुका है यह ईज़ाह में है और अगर ज़्रैद ने क़सम खेाई कि जो मेरा उमर पर आता है इस को क़ब्ज़ न करूंगा फिर ज़्रैद ने खालिद को जिस का ज़्रैद पर कुछ नहीं आता है उमर पर हवाला कर दिया और खालिद ने उमर से वसूल किया तो ज़्रैद हानिस हो गया इस वास्ते कि खालिद इस का वकील उल क़ब्ज़ है और अगर हवाला क़ब्ल क़सम के हुआ हो फिर खालिद ने. मर से

तालिक़ा हो गई क्योंकि मेरी तात्पर्य यह थी कि+]ुद ले लूं तो न्यायिक पुष्टि होगी।
(3)क्योंकि उतराई से भीएक गोना हक+ का लेना सि(हुआ।
(1)बशर्तेकि मताअ+ मसरूक+ दस दिरहम कीया ज्+यादा हो।

होगा और विद्वानों ने फ़रमाया कि अगर अपने क़रज़ा के औज़ मतलूब से एक ग़ुलाम बतौर विक्रय फ़ासिद के खरीद करके इस पर क़रज़ा कर लिया बस अगर इस की क़ीमत इसी क़द्र हो जिस क़द्र हक़ है तो वह अपने क़रज़ा का वसूल पाने वाला होगा और पापी न होगा और अगर पूरा न हो तो पापी होगा और अगर शपथकर्ता ने अपने हक़ के मिस्ल इस का माल ग़सब कर लिया तो भी क़सम में सच्चा हो गया और इसी तरह अगर इस के वनानीर या मताअ उरूज़ (1) तलफ़ करे तो भी यही आदेश है यह बदाऐ में है और अगर तालिब (1) ने क़सम खाई कि ज़रूर वसूल (2) कर लूंगा और कोई समय (3) नहीं मुक़र्रर कियसा फिर मतलूब को अपने हक़ से बुरी कर दिया या हुबा कर दिया तो अपनी क़सम में पापी हो गया और अगर इस के लिए कोई समय मुक़र्रर कर दिया हो फिर क़ब्ल समय के मेतलूब का माल से बरी कर दिया तो क़सम साक़ित हो गई और पापी (4) न होगा और यह इमाम आज़म रह० व इमाम मुहम्मद रह० का कथन है और अगर अपना क़रज़ा वसूल कर लिया फिर इस को ज़्रैवरफ़ या नबहरा पाया तो इस से क़ब्ज़ा करना मुतहक़्क़िक़ हुआ और अपनी क़सम में सच्चा हो गया चाहे लेने वाले ने अपनहे लेने की क़सम खाई हो या देने वाले ने देने की क़सम खाई हो और अगर यह दिराहिम सतूक़ा हों तो यह अपने हक़ का वसूल पाना न होगा और अगर बजाये अपने हक़ के कोई कपड़ा ले लिया फिर इस में ग़ैब पाकर इस को वापिस कर दिया या किसी ने इस पर अपना इस्तहक़ाक़ सिद्ध करके ले लिया तो भी वह अपने वसूल कर लेने की क़सम में सच्चा हो चुका है यह ईज़ाह में है और अगर ज़्रैद ने क़सम खेाई कि जो मेरा उमर पर आता है इस को क़ब्ज़ न करूंगा फिर ज़्रैद ने खालिद को जिस का ज़्रैद पर कुछ नहीं आता है उमर पर हवाला कर दिया और खालिद ने उमर से वसूल किया तो ज़्रैद पापी हो गया इस लिए कि खालिद इस का वकील उल क़ब्ज़ है

बाद ज़ैद की क़सम के वसूल कर लिया तो ज़ैद हानिस न होगा और अला हाज़ा अगर किसी ने मदयूं से वसूल करने का वकील कर दिया फिर क़सम खाई कि मदयूं पर जो कुछ मेरा है वसूल न करूंगा फिर बाद क़सम के वकील ने वसूल किया तो हानिस न होगा और बाज़ ने फ़रमाया है कि चाहिए कि हानिस हो जाये यह मुहीत में है।

असल में फ़रमाया है कि अगर क़सम खाई कि अपने क़र्ज़ दार से जुदा न होगा यहां तक कि जो कुछ मेरा इस पर है इस से वसूल कर लूं फिर क़र्ज़ दार इस साथ से भाग गया हालांकि यह इस के साथ से जुदा नहीं हुआ था तो वो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई हो कि अपने क़र्ज़दार से जुदा न होंगा और बाक़ी मसला बहाला रहे तो हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि अपने क़र्ज़ दार से जुदा न होंगा यहां तक कि जो कुछ मेरा इस पर है इस से वसूल कर लूं फिर ऐसी जगह ऊंचे नीचे बैठा किक इस को देखता रहा ताकि इस के हाथ से गुम न हो जाये और इस की निगहबानी करता रहा तो इस से जुदा होने वाला न होगा अगर इन के दरमियान में कोई सतरह या मस्जिद का कोई उमूद हाइल हो गया तो भी इस से जुदा होने वाला न होगा और इसी तरह अगर दोनों में से एक मस्जिद के अन्दर बैठा और दूसरा मस्जिद से बाहर और दरवाज़ा मस्जिद का खुला हुआ है कि इस को देखता है तो इस से जुदा होने वाला न हुआ और अगर बीच में दीवार मस्जिद हाइल हुआ और एक अन्दर और दूसरा बाहर हो मतो जुदा होने वाला होगा और इसी तरह अगर दोनों के दरमियान दरवाज़ा बन्द हो और कुंजी हालिफ़ के हाथ में हुआ और हालिफ़ बाहर हो कि दरवाज़ा पर बैठा हो तो भी यही हुक्म है यह सब मुन्तक़ी से मंक़ूल है और हील में मज़कूर है कि अगर तालिब सो गया या मतलूब से ग़ाफ़िल हो गया या किसी ने इस को बातों में लगा लिया कि मतलूब गया तो अपनी क़सम में हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि अपने क़र्ज़ दार से जुदा न होगा यहां तक कि इस से अपना कुल हक़ वसूल कर लूं फिर इस से रहन या कफ़ील ले लिया और जुदा हो गया तो

और अगर हवाला क़ब्ल क़सम के हुआ हो फिर खालिद ने मर से बाद ज़ैद की क़सम के वसूल कर लिया तो ज़ैद पापी न होगा और अला हाज़ा अगर किसी ने मदयूं से वसूल करने का वकील कर दिया फिर क़सम खाई कि मदयूं पर जो कुछ मेरा है वसूल न करूंगा फिर बाद क़सम के वकील ने वसूल किया तो पापी न होगा और कुछ ने फ़रमाया है कि चाहिए कि पापी हो जाये यह मुहीत में है।

असल में फ़रमाया है कि अगर क़सम खाई कि अपने क़र्ज़दार से जुदा न होगा यहां तक कि जो कुछ मेरा इस पर है इस से वसूल कर लूं फिर क़र्ज़दार इस साथ से भाग गया हालांकि यह इस के साथ से जुदा नहीं हुआ था तो वह पापी न होगा और अगर क़सम खाई हो कि अपने क़र्ज़दार से जुदा न होंगा और बाक़ी मसला बहाला रहे तो पापी होगा और अगर क़सम खाई कि अपने क़र्ज़ घर से जुदा न होंगा यहां तक कि जो कुछ मेरा इस पर है इस से वसूल कर लूं फिर ऐसी जगह ऊंचे नीचे बैठा किक इस को देखता रहा ताकि इस के हाथ से गुम न हो जाये और इस की निगहबानी करता रहा तो इस से जुदा होने वाला न होगा अगर इन के बीच में कोई सतरह या मस्जिद का कोई उमूद हाइल हो गया तो भी इस से जुदा होने वाला न होगा और इसी तरह अगर दोनों में से एक मस्जिद के अन्दर बैठा और दूसरा मस्जिद से बाहर और दरवाज़ा मस्जिद का खुला हुआ है कि इस को देखता है तो इस से जुदा होने वाला न हुआ और अगर बीच में दीवार मस्जिद हाइल हुआ और एक अन्दर और दूसरा बाहर हो मतो जुदा होने वाला होगा और इसी तरह अगर दोनों के फ़लाँ दरवाज़ा बन्द हो और कुंजी शपथकर्ता के हाथ में हुआ और शपथकर्ता बाहर हो कि दरवाज़ा पर बैठा हो तो भी यही आदेश है यह सब मुन्तक़ी से मंक़ूल है और हील में वर्णित है कि अगर तालिब सो गया या मतलूब से ग़ाफ़िल हो गया या किसी ने इस को बातों में लगा लिया कि मतलूब गया तो अपनी क़सम में पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि अपने क़र्ज़ घर से जुदा न होगा यहां तक कि इस से अपना कुल हक़ वसूल कर लूं फिर

हानिस हुआ इल्ला आँकि रहन क़ब्ल जुदा होने के तलफ़ हो गया और इस की क़ीमत मिस्ल कर्ज़ा के या ज़्यादा तो ऐसी सूरत में हानिस न होगा यह ज़ख़ीरा में है।
(1)असबाब व सामान वग़ैरह जो नक़द के अलावा हो।
(2)क़र्ज़+]वाह वग़ैरह।
(3)अपना हक।
(4)कि फ़लां रोज+ा साल।
(5)जबयह वक्त आयेगा।

ज़ैद ने उमर से कहा कि वल्लाह तेरा माल तुझे न दूंगा यहां तक कि मुझ पर कोई क़ाज़ी हुक्म करे फिर एक वकील किया जिस ने उमर से ख़ुसूमत बहुज़ूर क़ाज़ी की:

एक अपने मदयूं के दरवाज़ा पर आया और क़सम खाई कि यहां से न जाउंगा यहां तक कि इस से अपना हक़ ले लूं फिर मदयूं ने आकर इस को इस मक़ाम से दूर कर दिया फिर अपना हक़ लेने से पहले ख़ुद चला गया तो बाज़ ने फ़रमाया कि हानिस होगा और बाज़ ने फ़रमाया कि अगर इस को दूर कर दिया बईं तौर कि वो अपने क़दम से नहीं चला और दूसरी जगह जा पड़ा फिर ख़ुद चला गया तो हानिस न होगा यह ज़हीरिया में है और अगर कर्ज़ दार ने क़सम खाई कि क़र्ज़ ख़्वाह को इस का हक़ दे दूंगा फिर दूसरे को अदा कर देने का हुक्म दिया (1) या क़र्ज़ ख़्वाह को उतराई करदी और इस ने वसूल कर लिया तो यह अपनी क़सम में सच्चा हो गया और अगर मदयूं की तरफ़ से किसी ने बराहे अहसान अदा कर दिया तो वो अपनी क़सम में सच्चा न होगा और अगर इस ने यह नियत की हो कि यह अम्र ख़ुद अपने हाथ से करूंगा तो दयानतन व क़ज़ाअन इस के क़ौल की तसदीक़ होगी और अगर मतलूब ने क़सम खाई हो कि इस को इस का हक़ न दूंगा फिर इन सूरतों में से किसी सूरत से इस को दिया तो हानिस हुआ और अगर इस ने यह नियत की हो कि अपने हाथों न दूंगा तो क़ज़ाअन इस की तसदीक़ न होगी यह ज़ख़ीरा में है। ज़ैद ने उमर से कहा कि वल्लाह तेरा माल तुझे न दूंगा यहां तक कि मुझ पर कोई क़ाज़ी हुक्म करे फिर एक वकील किया जिस ने उमर से ख़ुसूमत बहुज़ूर क़ाज़ी की

इस से रहन या कफ़ील ले लिया और जुदा हो गया तो पापी हुआ सिवा आंकि रहन क़ब्ल जुदा होने के तलफ़ हो गया और इस की क़ीमत मिस्ल क़रज़ा के या ज़्यादा तो ऐसी स्थिति में पापी न होगा यह ज़ख़ीरा में है।
(1)असबाब व सामान वग़ैरह जो नक़द के अलावा हो।
(2)क़र्ज़ चाहे वग़ैरह।
(3)अपना हक।
(4)कि फ़लाँ दिनया साल।
(5)जबयह सम आयेगा।

ज़ैद ने उमर से कहा कि वल्लाह तेरा माल तुझे न दूंगा यहां तक कि मुझ पर कोई क़ाज़ी आदेश करे फिर एक वकील किया जिस ने उमर से ख़ुसूमत बहुज़ूर क़ाज़ी की:

एक अपने मदयूं के दरवाज़ा पर आया और क़सम खाई कि यहां से न जाउंगा यहां तक कि इस से अपना हक़ ले लूं फिर मदयूं ने आकर इस को इस मक़ाम से दूर कर दिया फिर अपना हक़ लेने से पहले ख़ुद चला गया तो कुछ ने फ़रमाया कि पापी होगा और कुछ ने फ़रमाया कि अगर इस को दूर कर दिया बईं तौर कि वो अपने क़दम से नहीं चला और दूसरी जगह जा पड़ा फिर ख़ुद चला गया तो पापी न होगा यह ज़हीरिया में है और अगर कर्ज़ दार ने क़सम खाई कि क़र्ज़ चाहे को इस का हक़ दे दूंगा फिर दूसरे को अदा कर देने का आदेश दिया (1) या क़र्ज़ चाहे को उतराई करदी और इस ने वसूल कर लिया तो यह अपनी क़सम में सच्चा हो गया और अगर मदयूं की तरफ़ से किसी ने बराहे अहसान अदा कर दिया तो वो अपनी क़सम में सच्चा न होगा और अगर इस ने यह इरादा की हो कि यह कार्य ख़ुद अपने हाथ से करूंगा तो दयानतन व न्यायिक इस के कथन की पुष्टि होगी और अगर मतलूब ने क़सम खाई हो कि इस को इस का हक़ न दूंगा फिर इन स्थितियों में से किसी स्थिति से इस को दिया तो पापी हुआ और अगर इस ने यह इरादा की हो कि अपने हाथों न दूंगा तो न्यायिक इस की पुष्टि न होगी यह ज़ख़ीरा में है। ज़ैद ने उमर से कहा कि वल्लाह तेरा माल तुझे न दूंगा यहां तक कि मुझ पर कोई क़ाज़ी आदेश करे फिर एक वकील किया जिस ने उमर से ख़ुसूमत बहुज़ूर क़ाज़ी की और क़ाज़ी ने

और क़ाज़ी ने वकील पर अदाई का हुक्म दे दिया तो यह हुक्म ज़ैद पर होगा हत्ता कि बाद इस के अदा करने से हानिस न होगा और एक शख़्स ने अपने क़र्ज़ दार से कहा कि वल्लाह तुझ से जुदा न होंगा यहां तक कि तुझ से अपना हक़ वसूल कर लूंगा फिर इस ने अपने क़र्ज़ दार से बऔज़ इस क़रज़ा के क़ब्ल जुदा होने के एक ग़ुलाम खरीदा और इस पर क़ब्ज़ा न किया यहां तक कि इस से जुदा हो गया तो इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि जो आलिम इस को ऐसी सूरत में हानिस नहीं क़रार देता है कि जब क़ब्ल जुदा होने के इस को क़रज़ा हुबा किया औरमदयूं ने क़बूल किया फिर इस से जुदा हो गयसा है तो वो इस सूरत में भी इस को हानिस नहीं क़रार देगा और यही इमाम आज़म रह० का क़ौल है और जो इस को सूरत हुबा मज़कूरह में हानिस क़रार देता है इस के नज़दीक इस सूरत में भी हानिस होगा और यह इमाम अबू यूसुफ़ रह० का क़ौल है और जो इस वक़्त है कि मुबीअ पर क़ब्ज़ा करने से पहले इस से जुदा हो गया और अगर जुदा न हुआ यहां तक कि ग़ुलाम बाऐ के पास मर गया फिर इस से जुदा हो गया तो हानिस हो गया और अगर मदूं ने किसी दूसरे का ग़ुलाम इस के हाथ बऔज़ इस के क़रज़ा के फ़रोख़्त किया और इस ने ग़ुलाम पर क़ब्ज़ा कर लिया फिर जुदा हो गया फिर ग़ुलाम मज़कूर के मौला ने अपना इस्तहक़ाक़ साबित करके ले गया और बैअ की इजाज़त न दी तो हानिस न होगा और अगर मदयूं ने इस के हाथ अपना ग़ुलाम फ़रोख़्त कियसा बदीं शर्त कि बाऐ को इस बैअ में ख़्यार है।

अगर क़सम खाई कि ज़ैद के हक़ से वबार रखूंगा और इस की कुछ नियत नहीं है तो चाहिए कि जिस वक़्त क़सम खाई है इसी वक़्त इस को अदा कर देः

हालिफ़ ने मुबीअ पर क़ब्ज़ा कर लिया फिर जुदा हो गया तो हानिस हो गया और अगर क़रज़ा किसी औरत पर हो पस क़सम खाई कि इस से जुदा न होंगा यहां तक कि इस से अपना क़रज़ा भर पांव फिर हालिफ़

वकील पर अदाई का आदेश दे दिया तो यह आदेश ज़ैद पर होगा हत्ता कि बाद इस के अदा करने से पापी न होगा और एक व्यक्ति ने अपने क़र्ज़ दार से कहा कि वल्लाह तुझ से जुदा न होंगा यहां तक कि तुझ से अपना हक़ वसूल कर लूंगा फिर इस ने अपने क़र्ज़ दार से बऔज़ इस क़रज़ा के क़ब्ल जुदा होने के एक ग़ुलाम खरीदा और इस पर क़ब्ज़ा न किया यहां तक कि इस से जुदा हो गया तो इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि जो आलिम इस को ऐसी स्थिति में पापी नहीं क़रार देता है कि जब क़ब्ल जुदा होने के इस को क़रज़ा हुबा किया औरमदयूं ने क़बूल किया फिर इस से जुदा हो गयसा है तो वो इस स्थिति में भी इस को पापी नहीं क़रार देगा और यही इमाम आज़म रह० का कथन है और जो इस को स्थिति हुबा मज़कूरह में पापी क़रार देता है इस के निकट इस स्थिति में भी पापी होगा और यह इमाम अबू यूसुफ़ रह० का कथन है और जो इस समय है कि मुबीअ पर क़ब्ज़ा करने से पहले इस से जुदा हो गया और अगर जुदा न हुआ यहां तक कि ग़ुलाम बाऐ के पास मर गया फिर इस से जुदा हो गया तो पापी हो गया और अगर मदूं ने किसी दूसरे का ग़ुलाम इस के हाथ बऔज़ इस के क़रज़ा के फ़रोख़्त किया और इस ने ग़ुलाम पर क़ब्ज़ा कर लिया फिर जुदा हो गया फिर ग़ुलाम मज़कूर के मौला ने अपना इस्तहक़ाक़ सिद्ध करके ले गया और विक्रय की इजाज़त न दी तो पापी न होगा और अगर मदयूं ने इस के हाथ अपना ग़ुलाम फ़रोख़्त कियसा इस शर्त कि बाऐ को इस विक्रय में ख़्यार है।

अगर क़सम खाई कि ज़ैद के हक से वबार रखूंगा और इस की कुछ इरादा नहीं है तो चाहिए कि जिस समय क़सम खाई है इसी समय इस को अदा कर देः

शपथकर्ता ने मुबीअ पर क़ब्ज़ा कर लिया फिर जुदा हो गया तो पापी हो गया और अगर क़रज़ा किसी औरत पर हो पस क़सम खाई कि इस से जुदा न होंगा यहां तक कि इस से अपना क़रज़ा भर पांव फिर शपथकर्ता ने

ने इस औरत से इस क़रज़ा पर जो इस का औरत मज़कूरह पर आता है निकाह कर लिया तो अपना क़रज़ा भर पाया और अगर मदयूं ने जो क़रज़ा इस पर आता है इस के औज़ तालिब के हाथ ग़ुलाम या बान्दी फ़रोख़्त की फिर मुबीअ मज़कूर उम्मे वल्द या मकातिब या मुदब्बिर निकली या किसी दूसरे की उम्मे वल्द या मुदब्बिर निकली फिर तालिब ने इस पर क़ब्ज़ा करने के बाद मदयूं का साथ छोड़ा तो हालिफ़ यानी

(1) वकालत की सूरत में वकील का फ़अल मौक्किल की तरफ़+ मन्सूब होगा।

तालिब मज़कूर हानिस न होगा और अगर तालिब ने हज़ार दिरहम यानी सब जो कुछ क़रज़ा था मतलूब को हुबा कर दिये पेस मतलूब ने इस को क़बूल कर लिया या तालिब ने अपने किसी क़र्ज़ ख़्वाह को इस पर उतराई करादी कि जो कुछ इस पर है वो मेरे इस क़र्ज़ ख़्वाह को देदे या मतलूब ने तालिब को किसी और पर उतरा दिया और तालिब ने मतलूब अव्वल को बरी कर दिया फिर तालिब इस से जुदा हो गया तो इन सब सूरतों में हालिफ़ हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है अगर क़सम खाई कि ग़ैद के हक़ से न बार रखूंगा और इस की कुछ नियत नहीं है तो चाहिए कि जिस वक़्त क़सम खाई है इसी वक़्त इस को अदा करदे और यह मुराद है कि इस वक़्त से देने में मशग़ूल हो जाये हत्ता कि अगर क़सम से फ़ारिग़ होते है इस काम में मशग़ूल न हो तो हानिस हो जायेगा ख़्वाह तालिब ने इस से मांगा हो या न मांगा हो और अगर यह नियत की हो कि फ़लां के तलब करने के बाद या फ़लां मुद्दत तक न दबा रखूंगा तो इस की नियत के मुवाफ़िक़ होगा और अगर मतलूब ने तालिब से हिसाब करके जो कुछ इस का इस के पेास था सब अदा कर दिया और तालिब ने सब वसूल पाने का इक़रार किया फिर चन्द रोज़ बाद इस से मिला और कहा कि मेरा तेरे पास इतना इतना फ़लां जहत से और बाक़ी रहा है पस मतलूब को भी याद हुआ हालांकि हिसाब के वक़्त दोनों भूल गये थे पस अगर इसी दम अदा कर दिया तो हानिस न होगा यह ज़हीरिया में है और अगर क़सम खाई कि 'ला यहबस इज़ अहलल अजल' यानी जब वक़्त आ

इस औरत से इस क़रज़ा पर जो इस का औरत मज़कूरह पर आता है निकाह कर लिया तो अपना क़रज़ा भर पाया और अगर मदयूं ने जो क़रज़ा इस पर आता है इस के औज़ तालिब के हाथ ग़ुलाम या बान्दी फ़रोख़्त की फिर मुबीअ मज़कूर बच्चे कीमाँ या मकातिब या मुदब्बिर निकली या किसी दूसरे की बच्चे कीमाँ या मुदब्बिर निकली फिर तालिब ने इस पर क़ब्ज़ा करने के बाद मदयूं का साथ छोड़ा तो शपथकर्ता यानी

(1) वकालत की स्थिति में वकील का फ़अल मौक्किल की तरफ़+ मन्सूब होगा।

तालिब मज़कूर पापी न होगा और अगर तालिब ने हज़ार दिरहम यानी सब जो कुछ क़रज़ा था मतलूब को हुबा कर दिये पेस मतलूब ने इस को क़बूल कर लिया या तालिब ने अपने किसी क़र्ज़ चाहे को इस पर उतराई करादी कि जो कुछ इस पर है वो मेरे इस क़र्ज़ चाहे को देदे या मतलूब ने तालिब को किसी और पर उतरा दिया और तालिब ने मतलूब अव्वल को बरी कर दिया फिर तालिब इस से जुदा हो गया तो इन सब स्थितियों में शपथकर्ता पापी न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है अगर क़सम खाई कि ग़ैद के हक़ से न बार रखूंगा और इस की कुछ इरादा नहीं है तो चाहिए कि जिस समय क़सम खाई है इसी समय इस को अदा करदे और यह तात्पर्य है कि इस समय से देने में मशग़ूल हो जाये हत्ता कि अगर क़सम से फ़ारिग़ होते है इस काम में मशग़ूल न हो तो पापी हो जायेगा चाहे तालिब ने इस से मांगा हो या न मांगा हो और अगर यह इरादा की हो कि फ़लां के तलब करने के बाद या फ़लां मुद्दत तक न दबा रखूंगा तो इस की इरादा के मुवाफ़िक़ होगा और अगर मतलूब ने तालिब से हिसाब करके जो कुछ इस का इस के पेास था सब अदा कर दिया और तालिब ने सब वसूल पाने का स्वीकार किया फिर चन्द रोज़ बाद इस से मिला और कहा कि मेरा तेरे पास इतना इतना फ़लां जहत से और बाक़ी रहा है पस मतलूब को भी याद हुआ हालांकि हिसाब के समय दोनों भूल गये थे पस अगर इसी दम अदा कर दिया तो पापी न होगा यह ज़हीरिया में है और अगर क़सम खाई कि 'ला यहबस इज़ अहलल

जायेगा तो इस का कुछ रख न छोड़ूंगा तो मीआद आने पर ताखीर न करे और अगर इस ने अपनी उ़मर मुराद ली तो इस की नियत यह क़सम होगी यह इताबिया में है।

क़सम खाई कि इस को अव्वल माह मुें अदा कर दूंगा फिर चांद के पहले आधे (1) के अन्दर अदा कर दिया तो सच्चा रहा वरना हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि इस को सर माह अदा कर दूंगा या जब चांद निकलेगा तो वो चांद रात और इस के तमाम दिन में अदा कर दे पस हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि अल्बत इस का क़रज़ा अव्वल माह व आखिर माह में अदा करूंगा तो पन्द्रहवीं और सोलहवीं इन दोनों तारीखों में अदा करदे। (2) अगर क़सम खाई कि इस का हक़ वक्त सलात ज़हीरीं अदा करूंगा तो मोअतबर ज़ोहर का तमाम वक्त है और अगर क़सम खाई कि इस का हक़ जब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूंगा अदा कर दूंगा तो पूरा वक्त ज़ोहर लिया जायेगा। अगर क़सम खेाई कि इस का क़रज़ा हर माह अदा कर दूंगा फिर इस से पहले दे दिया या तालिब ने इस को बुरी कर दिया या तालिब मर गया तो इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के नज़दीक क़सम साक़ित हो गई और अगर मतलूब मर गया तो बिल इजमाअ हानिस न होगा और इसी तरह अगर कहा कि फ़लां को इस का माल अदा कर दूंगा हालांकि फ़लां इस से पहले मर गया है मगर इस को मालूम न था तो हानिस न होगा और अगर जानता हो तो हानिस होगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० के नज़दीक जानता हो या न जानता हो दोनों सूरतों में हानिस होगा यह मुहीत सुरखी में है और अगर क़सम खाई कि इस का क़रज़ा अदा करूंगा जब नमाज़ पैशीन पढ़ूं तो इस को ज़ोहर के आखिर वक्त तक अदा करने का इख़्तयार है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। और अगर कहा कि عند طلوع الشمس اوحين تطلع الشمس तो वक्त तुलूअ से ता तबीज़ (३) आफ़ताब अदा कर सकता है और अगर कहा कि वक्त 'अलज़होत तो तबयज़' आफ़ताब से ज़वाल आफ़ताब तक अदा कर दे यह मुहीत में है। क़र्ज़दार ने क़सम खाई कि शहर से न जाउंगा हत्ता कि तेरा क़र्ज़ा

अजल' यानी जब समय आ जायेगा तो इस का कुछ रख न छोड़ूंगा तो मीआद आने पर ताखीर न करे और अगर इस ने अपनी उ़मर तात्पर्य ली तो इस की इरादा यह क़सम होगी यह इताबिया में है।

क़सम खाई कि इस को अव्वल माह मुें अदा कर दूंगा फिर चांद के पहले आधे (1) के अन्दर अदा कर दिया तो सच्चा रहा वरना पापी होगा और अगर क़सम खाई कि इस को सर माह अदा कर दूंगा या जब चांद निकलेगा तो वो चांद रात और इस के तमाम दिन में अदा कर दे पस पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि अल्बत इस का क़रज़ा अव्वल माह व आखिर माह में अदा करूंगा तो पन्द्रहवीं और सोलहवीं इन दोनों तारीखों में अदा करदे। (2) अगर क़सम खाई कि इस का हक़ समय सलात ज़हीरीं अदा करूंगा तो मोअतबर ज़ोहर का तमाम समय है और अगर क़सम खाई कि इस का हक़ जब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूंगा अदा कर दूंगा तो पूरा समय ज़ोहर लिया जायेगा। अगर क़सम खेाई कि इस का क़रज़ा हर माह अदा कर दूंगा फिर इस से पहले दे दिया या तालिब ने इस को बुरी कर दिया या तालिब मर गया तो इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के निकट क़सम साक़ित हो गई और अगर मतलूब मर गया तो बिल इजमाअ पापी न होगा और इसी तरह अगर कहा कि फ़लां को इस का माल अदा कर दूंगा हालांकि फ़लां इस से पहले मर गया है मगर इस को मालूम न था तो पापी न होगा और अगर जानता हो तो पापी होगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० के निकट जानता हो या न जानता हो दोनों स्थितियों में पापी होगा यह मुहीत सुरखी में है और अगर क़सम खाई कि इस का क़रज़ा अदा करूंगा जब नमाज़ पैशीन पढ़ूं तो इस को ज़ोहर के आखिर समय तक अदा करने का अधिकार है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। और अगर कहा कि عند طلوع الشمس او حين تطلع الشمس तो समय तुलूअ से ता तबीज़ (३) आफ़ताब अदा कर सकता है और अगर कहा कि समय 'अलज़होत तो तबयज़' आफ़ताब से ज़वाल आफ़ताब तक अदा कर दे यह मुहीत में है। क़र्ज़दार ने क़सम खाई कि शहर से न जाउंगा हत्ता कि तेरा क़र्ज़ा

तुझे अदा करूं या तेरा माल तुझे दे दूं फिर क़ब्ल अदाऐ क़र्ज़ के चला गया तो हानिस होगा जैसे क़सम खाई कि इस का क़र्ज़ा (4) या माल अदा न करूंगा फिर इस में स अक़्ल दे दिया तो हानिस नहीं होता है यह वजीज़ करदरी में है।

अगर क़सम खाई कि वल्लाह जो कुछ तुझ पर है आज क़ब्ज़ न करूंगा फिर हालिफ़ ने मतलूब की बान्दी से इसी माल पर इस रोज़ निकाह किया और इस से दुख़ूल किया तो हानिस न होगा और इसी तरह अगर मतलूब के सर में ज़ख़्म शजा मौज़हाकर दिया जिस में क़सास वाजिब है और इस

(1)पहली तारीख+ से पन्द्रहवीं तारीख+ तक किसी तानरीख+ में अदा कर दिया।
(2)क्योंकि पन्द्रहवीं का अव्वल माह में और सौलहवीं का आखिर माह मेंशुमार होता है।
(3)गर्दा आफ़ताब साफ+ सफ़ैद हो जायेयानी जिस वक्तनमाज+ बिला कराहत जाइज+ होती है।
(4)इन्दल तलाक+ कल मुराद होता है।

से इसी माल पर सुलह कर ली तो यह क़िसास (1) हो जायेगा और वो हानिस न होगा यह मुहीत सुरखी में है। इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर अपने क़र्ज़दार से जिस पर सौर दिरहम आते हैं कहा कि अगर मैंने आज तुझ से यह क़र्ज़ा दिरहम व दिन दिरहम (1) करके लिया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस से पचास दिरहम ले लिये और बाक़ी न लिया यहां तक कि आफ़ताब ग़ुरूब हो गया तो हानिस न होगा जैसे पूरे सौ दिरहम एक बारगी लेने में हानिस न होगा रोज़े अव्वल अगर इस से पचीस दिरहम ले लिये और बाक़ी पचास आखिर रोज़ लिये तो हानिस होगा। अगर इस ने दिराहिम मक़बूज़ा में ज़यूफ़ (2) या नबहरा पाये हों तो हानिस होगा बहाला बाक़ी रहेगा दूर न होगा ख़्वाह इस ने वापिस करके बदल लिये हों या न वापिस किये और बदल लिये हों या वापिस किये और बदले में न लिये हों और इसी तरह अगर इन दिरहमों को मुस्तहक़्क़ा पाया यानी किसी और ने इन पर अपना इस्तहक़ाक़ साबित कियसा तो भी यही हुक्म है और अगर यह दिरहम सतूक़ा या रसास हों और इस ने इसी रोज़ वापिस करके बदल लिये तो बदल लेने के वक्त हानिस होगा और अगर इस ने बदल न

तुझे अदा करूं या तेरा माल तुझे दे दूं फिर क़ब्ल अदाऐ क़र्ज़ के चला गया तो पापी होगा जैसे क़सम खाई कि इस का क़र्ज़ा (4) या माल अदा न करूंगा फिर इस में स अक़्ल दे दिया तो पापी नहीं होता है यह वजीज़ करदरी में है।

अगर क़सम खाई कि वल्लाह जो कुछ तुझ पर है आज क़ब्ज़ न करूंगा फिर शपथकर्ता ने मतलूब की बान्दी से इसी माल पर इस रोज़ निकाह किया और इस से दुख़ूल किया तो पापी न होगा और इसी तरह अगर मतलूब के सर में ज़ख़्म शजा मौज़हाकर दिया जिस में क़सास अनिवार्य है और इस

(1)पहली तारीख+ से पन्द्रहवीं तारीख+ तक किसी तानरीख+ में अदा कर दिया।
(2)क्योंकि पन्द्रहवीं का अव्वल माह में और सौलहवीं का आखिर माह मेंशुमार होता है।
(3)गर्दा आफ़ताब साफ+ सफ़ैद हो जायेयानी जिस वक्तनमाज+ बिला कराहत जाइज+ होती है।
(4)इन्दल तलाक+ कल तात्पर्य होता है।

से इसी माल पर सुलह कर ली तो यह क़िसास (1) हो जायेगा और वो पापी न होगा यह मुहीत सुरखी में है। इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर अपने क़र्ज़दार से जिस पर सौर दिरहम आते हैं कहा कि अगर मैंने आज तुझ से यह क़र्ज़ा दिरहम व दिन दिरहम (1) करके लिया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस से पचास दिरहम ले लिये और बाक़ी न लिया यहां तक कि आफ़ताब ग़ुरूब हो गया तो पापी न होगा जैसे पूरे सौ दिरहम एक बारगी लेने में पापी न होगा रोज़े अव्वल अगर इस से पचीस दिरहम ले लिये और बाक़ी पचास आखिर रोज़ लिये तो पापी होगा। अगर इस ने दिराहिम मक़बूज़ा में ज़यूफ़ (2) या नबहरा पाये हों तो पापी होगा बहाला बाक़ी रहेगा दूर न होगा चाहे इस ने वापिस करके बदल लिये हों या न वापिस किये और बदल लिये हों या वापिस किये और बदले में न लिये हों और इसी तरह अगर इन दिरहमों को मुस्तहक़्क़ा पाया यानी किसी और ने इन पर अपना इस्तहक़ाक़ सिद्ध कियसा तो भी यही आदेश है और अगर यह दिरहम सतूक़ा या रसास हों और इस ने इसी रोज़ वापिस करके बदल लिये तो बदल लेने के समय पापी होगा और अगर इस ने बदल न लिये

लिये हों तो हानिस न होगा। अगर क़सम खाई कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैंने तुझ से आज के रोज़ इन सौ दिरहमों में से कोई दिरम लिया फिर इस रोज़ इस से पचास दिरहम लिये तो लेने के वक्त हानिस होगा और यह इस्तहसान है आर अगर इस ने इस रोज़ कुछ न लिया तो हानिस न होगा और अगर कोई वक्त क़सम में बयान न किया यानी क़सम को मुतलक़ रखा बईं तौर कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैंने 7 सौ दिरहम क़र्ज़ा में से तुझ से दिरहम व दिन (३) दिरहम करके लिया फिर इस से पचास दिरम वसूल कर लिये तो लेते ही हानिस होगा और अगर कहा कि अगर मैंने क़ब्ज़ा किया दिरहम व दिन दिरहम करके तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है पस क़र्ज़ दार ने इस के वास्ते पचास दिरहम वज़न कर दिये और इस को दिये फिर इसी मज्लिस में इस के वास्ते और पचास दिरहम वज़न करके दिये तो इस्तहसानन हानिस न होगा ता वक्त यह कि वज़न करने के काम में मशग़ूल है और अगर बाक़ी वज़न करने से पहले वो किसी और काम में मशग़ूल हो गया तो हानिस होगा और यही इस्तहसान हमारे उलमाऐ सुलासा रहमहुमुल्लाह तआला का क़ौल है और अगर कहा कि वल्लाह जो मेरा तुझ पर है न लूंगा इल्ला एक बार में या इल्ला एक दफ़ा में फिर इस के वास्ते एक एक दिरहम करके वज़न किया और हर एक दिरहम के वज़न से फ़ारिग हो कर इस को देता गया तो हानिस न होगा और अगर वो इस मज्लिस में सिवाए वज़न के आर काम में दरमियान में मशग़ूल हो गया तो हानिस होगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है।

अगर कहा कि अगर मैंने अपने इस माल पर जो मेरा फ़लां पर है कुछ कुछ करके क़ब्ज़ा किया तो वो मसाकीन पर सदक़ा है यानी तमाम वो माल जो फ़लां पर है फ़िर इस ने दस दिरहम में से नो दिरहम (२) पर क़ब्ज़ा करके इस को किसी को हुबा कर दिया फिर इस ने बाक़ी दिरहम पर क़ब्ज़ा किया तो बाक़ी दिरहम का सदक़ा कर देना इस पर वाजिब होगा और इसी तरह अगर कहा कि अगर मैं ने क़ब्ज़ न किया जो मेरा माल तुझ पर है तू भी इस वसूरत में यही हुक्म है और अगर

हों तो पापी न होगा। अगर क़सम खाई कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैंने तुझ से आज के रोज़ इन सौ दिरहमों में से कोई दिरम लिया फ़िर इस रोज़ इस से पचास दिरहम लिये तो लेने के समय पापी होगा और यह इस्तहसान है आर अगर इस ने इस रोज़ कुछ न लिया तो पापी न होगा और अगर कोई समय क़सम में बयान न किया यानी क़सम को मुतलक़ रखा बईं तौर कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैंने 7 सौ दिरहम क़र्ज़ा में से तुझ से दिरहम व दिन (३) दिरहम करके लिया फिर इस से पचास दिरम वसूल कर लिये तो लेते ही पापी होगा और अगर कहा कि अगर मैंने क़ब्ज़ा किया दिरहम व दिन दिरहम करके तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है पस क़र्ज़ दार ने इस के लिए पचास दिरहम वज़न कर दिये और इस को दिये फिर इसी मज्लिस में इस के लिए और पचास दिरहम वज़न करके दिये तो इस्तहसानन पापी न होगा ता समय यह कि वज़न करने के काम में मशग़ूल है और अगर बाक़ी वज़न करने से पहले वो किसी और काम में मशग़ूल हो गया तो पापी होगा और यही इस्तहसान हमारे उलमाऐ सुलासा रहमहुमुल्लाह तआला का कथन है और अगर कहा कि वल्लाह जो मेरा तुझ पर है न लूंगा सिवा एक बार में या सिवा एक दफ़ा में फिर इस के लिए एक एक दिरहम करके वज़न किया और हर एक दिरहम के वज़न से फ़ारिग हो कर इस को देता गया तो पापी न होगा और अगर वो इस मज्लिस में सिवाए वज़न के आर काम में दरमियान में मशग़ूल हो गया तो पापी होगा यह शरह जामअ कबीर हसीरी में है।

अगर कहा कि अगर मैंने अपने इस माल पर जो मेरा फ़लां पर है कुछ कुछ करके क़ब्ज़ा किया तो वो मसाकीन पर दान है यानी तमाम वो माल जो फ़लां पर है फिर इस ने दस दिरहम में से नो दिरहम (२) पर क़ब्ज़ा करके इस को किसी को हुबा कर दिया फिर इस ने बाक़ी दिरहम पर क़ब्ज़ा किया तो बाक़ी दिरहम का दान कर देना इस पर अनिवार्य होगा और इसी तरह अगर कहा कि अगर मैं ने क़ब्ज़ न किया जो मेरा माल तुझ पर है तू भी इस वसूरत में यही आदेश है और अगर यूं कहा कि अगर मैंने क़ब्ज़ न किये वो दिराहिम

यूं कहा कि अगर मैंने क़ब्ज़ न किये वो दिराहिम जो मेरे तुझ पर हैं तो वो मिस्कीनों पर सदक़ा में फिर इन के औज़ दिरहम या कोई असबाब पर क़ब्ज़ा किया यानी बतौर वसूल हक़ के तो हानिस न होगा और जो इस ने हुबा किया है इस के मिस्ल का ज़ामिन होगा पस माल ज़िमान को सदक़ा करेगा यह ज़हीरिया में है और अगर कहा कि अगर मैंने क़ब्ज़ न किये तुझ से दिराहिम बतरीक़ अदाऐ इस माल के जो मेरा तुझ पर है तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस से इन दिराहिम के औज़ असबाब या दीनार क़ब्ज़ किये तो अपनी क़सम में हानिस हुआ यह मुहीत में है और अगर कहा कि 'अन लम अन्ज़िन माली अलैयक फ़क़ज़ा' यानी अगर अपना माल जो तुझ पर है वज़न करके न लेलूं तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस ने कोई चीज़ अपनी जिन्स हक़ के खिलाफ़ क़ब्ज़ की ख़्वाह ऐसी चीज़ों में से है कि वज़न की जाती है या नहीं तो वो अपनी क़सम में सच्चा न होगा इस वास्ते कि जब इस ने

(1)क़ौलहू दिरहम दूं दिरहमयानी कुछ दिरहम लिये और कुछ इस वक्त न लियेयानी थोडा थोडा करके लिया वजहऐयर लिल तज़ा ज़ाहिर अली उल फ़तन।
(2)जिन को हमारे उर्फ+ मेंखोटे कहते हैं।
(3)थोडा थोडा करके।
(1)ज+]+म के बदले ज+]+म।
(2)नो दिरहम जो हुबा कर दिये थे।

फ़लां की क़ैद लगाई तो उमूम लफ़्ज़ का ऐतबार साक़ित हुआ पस 'राजअ बजानिब अखस उल ख़ुसूस' हुआ कि वो क़ब्ज़ ऐन हक़ है और इसी तरह अगर कहा कि अगर क़ब्ज़ न किया मैंने अपना माल जो तुझ पर है थैली में तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर मदयूं ने इस को बजाये दिरहम के दीनार या असबाब अदा किया तो हालिफ़ हानिस होगा क्योंकि जब उमूम लफ़्ज़ बातिल हुआ तो 'राजअ बजानिब क़ब्ज़ ऐनुल हक़' हुआ जैसा कि हम ने ज़िक्र कर दिया है और अगर इस ने वज़न से अपना भरपूर क़रज़ा वसूल कर लेना मुराद लिया हो तो 'फ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहि तआला' इस की तसदीक़ होगी मगर क़ज़ाअन तसदीक़ न होगी यह शरह जामअ सग़ीर क़ाज़ी खान में है और अगर कहा कि अगर मैंने तुझ से क़ब्ज़ न किये दराहिम बतरीक़ अदाये इस माल के जो मेरा तुझ

जो मेरे तुझ पर हैं तो वो निर्धनों पर दान में फिर इन के औज़ दिरहम या कोई असबाब पर क़ब्ज़ा किया यानी बतौर वसूल हक़ के तो पापी न होगा और जो इस ने हुबा किया है इस के मिस्ल का ज़ामिन होगा पस माल ज़िमान को दान करेगा यह ज़हीरिया में है और अगर कहा कि अगर मैंने क़ब्ज़ न किये तुझ से दिराहिम बतरीक़ अदाऐ इस माल के जो मेरा तुझ पर है तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस से इन दिराहिम के औज़ असबाब या दीनार क़ब्ज़ किये तो अपनी क़सम में पापी हुआ यह मुहीत में है और अगर कहा कि 'अन लम अन्ज़िन माली अलैयक फ़क़ज़ा' यानी अगर अपना माल जो तुझ पर है वज़न करके न लेलूं तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस ने कोई चीज़ अपनी जिन्स हक़ के खिलाफ़ क़ब्ज़ की चाहे ऐसी चीज़ों में से है कि वज़न की जाती है या नहीं तो वो अपनी क़सम में सच्चा न होगा इस लिए कि जब इस ने

(1)क़ौलहू दिरहम दूं दिरहमयानी कुछ दिरहम लिये और कुछ इस सम न लियेयानी थोडा थोडा करके लिया कारणऐयर लिल तज़ा ज़ाहिर अली उल फ़तन।
(2)जिन को हमारे उर्फ+ मेंखोटे कहते हैं।
(3)थोडा थोडा करके।
(1)ज+]+म के बदले ज+]+म।
(2)नो दिरहम जो हुबा कर दिये थे।

फ़लां की क़ैद लगाई तो उमूम लफ़्ज़ का ऐतबार साक़ित हुआ पस 'राजअ बजानिब अखस उल ख़ुसूस' हुआ कि वो क़ब्ज़ ऐन हक़ है और इसी तरह अगर कहा कि अगर क़ब्ज़ा न किया मैंने अपना माल जो तुझ पर है थैली में तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर मदयूं ने इस को बजाये दिरहम के दीनार या असबाब अदा किया तो शपथकर्ता पापी होगा क्योंकि जब उमूम लफ़्ज़ बातिल हुआ तो 'राजअ बजानिब क़ब्ज़ ऐनुल हक़' हुआ जैसा कि हम ने वर्णन कर दिया है और अगर इस ने वज़न से अपना भरपूर क़रज़ा वसूल कर लेना तात्पर्य लिया हो तो 'फ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहि तआला' इस की पुष्टि होगी मगर न्यायिक पुष्टि न होगी यह शरह जामअ सग़ीर क़ाज़ी खान में है और अगर कहा कि अगर मैंने तुझ से क़ब्ज़ न किये दराहिम बतरीक़ अदाये इस माल के जो मेरा तुझ पर है तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर मतलूब ने

पर है तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर मतलूब ने तालिब से एक दिरहम क़र्ज़ लिया और इस को क़रज़ा में अदा किया फिर दोबारह इस से क़र्ज़ लिया और अदा किया इस तरह बराबर एक ही दिरहम को क़र्ज़ ले कर अदा करता गया यहां तक कि इस के कुल दिरहम इसी एक दिरहम के क़र्ज़ा ले कर देने से पूरे अदा कर दिये तो तालिब हानिस हुआ और अगर इस ने तीन दिरहम क़र्ज़ ले कर वो तालिब को इस के क़र्ज़ साबिक़ में अदा किये फिर दोबारह सहबारह इसी तरअ उन्हीं तीन दिरहमों को क़र्ज़ ले कर अदा करता गया यहां तक कि इस का सब क़र्ज़ा साबिक़ अदा कर दिया तो तालिब अपनी क़सम में सच्चा (1) रहा। अगर क़सम खाई कि ज़ैद पर जो मेराम ाल है वज़न करके ले लूंगा फिर ज़ैद ने इस को बग़ैर वज़न किये हुए दे दिया और इस से ले लिया (1) तो हानिस हुआ और अगर वकील क़र्ज़ ख़्वाह ने वज़न करके लिया तो क़र्ज़ ख़्वाह सच्चा रहा और इसी तरह अगर क़र्ज़ दार ने क़सम खाई कि मुझ पर जो इस का है वज़न करके दे दूंगा फिर क़र्ज़दार के वकील ने वज़न करके दे दिया तो वो अपनी क़सम में सच्चा रहा और इसी तरह अगर तालिब व मतलूब दोनों ने इसी तरह क़सम खाई जैसे हम ने बयान किया है फिर हर एक ने इस काम के वास्ते जिस पर क़सम खाई है वकील किया तो वकील का फ़अल मिस्ल इन के ख़ुद फ़अल के होगा और इस तरह अगर हर एक ने क़ब्ल क़सम के वकील किया हो फिर हर एक के वकील ने बाद अपने मौक्किलों की क़सम के मुवाफ़िक़ क़सम के किया तो हर एक की क़सम पूरी हो गई इस वास्ते कि तूकील हर एक की तरफ़ फ़अल मुस्तदाम है पस बाद क़सम के इस की इस्तदामत हर एक से बमन्ज़िला इस के है कि बाद क़सम के अज़ सरे नू वकील किया यह सब आखिर जामअ में मज़कूरह है और हय मसला बाज़ के क़ौल का मवीद है और क़ौल बाज़ यह है कि अगर क़र्ज़ ख़्वाह ने किसी को वकील किया कि ज़ैद से मेरा क़र्ज़ा क़ब्ज़ करले फिर क़सम खाई कि इस क़र्ज़ा को क़ब्ज़ (2) न करूंगा फिरइस की क़सम के बाद वकील ने इस पर क़ब्ज़ा किया तो चाहिए कि हालिफ़ अपनी क़सम में हानिस हो जाये

तालिब से एक दिरहम क़र्ज़ लिया और इस को क़रज़ा में अदा किया फिर दोबारह इस से क़र्ज़ लिया और अदा किया इस तरह बराबर एक ही दिरहम को क़र्ज़ ले कर अदा करता गया यहां तक कि इस के कुल दिरहम इसी एक दिरहम के क़र्ज़ा ले कर देने से पूरे अदा कर दिये तो तालिब पापी हुआ और अगर इस ने तीन दिरहम क़र्ज़ ले कर वो तालिब को इस के क़र्ज़ साबिक़ में अदा किये फिर दोबारह सहबारह इसी तरअ उन्हीं तीन दिरहमों को क़र्ज़ ले कर अदा करता गया यहां तक कि इस का सब क़र्ज़ा साबिक़ अदा कर दिया तो तालिब अपनी क़सम में सच्चा (1) रहा। अगर क़सम खाई कि ज़ैद पर जो मेराम ाल है वज़न करके ले लूंगा फिर ज़ैद ने इस को बग़ैर वज़न किये हुए दे दिया और इस से ले लिया (1) तो पापी हुआ और अगर वकील क़र्ज़ चाहे ने वज़न करके लिया तो क़र्ज़ चाहे सच्चा रहा और इसी तरह अगर क़र्ज़ दार ने क़सम खाई कि मुझ पर जो इस का है वज़न करके दे दूंगा फिर क़र्ज़दार के वकील ने वज़न करके दे दिया तो वो अपनी क़सम में सच्चा रहा और इसी तरह अगर तालिब व मतलूब दोनों ने इसी तरह क़सम खाई जैसे हम ने बयान किया है फिर हर एक ने इस काम के लिए जिस पर क़सम खाई है वकील किया तो वकील का फ़अल मिस्ल इन के ख़ुद फ़अल के होगा और इस तरह अगर हर एक ने क़ब्ल क़सम के वकील किया हो फिर हर एक के वकील ने बाद अपने मौक्किलों की क़सम के मुवाफ़िक़ क़सम के किया तो हर एक की क़सम पूरी हो गई इस लिए कि तूकील हर एक की तरफ़ फ़अल मुस्तदाम है पस बाद क़सम के इस की इस्तदामत हर एक से बमन्ज़िला इस के है कि बाद क़सम के अज़ सरे नू वकील किया यह सब आखिर जामअ में मज़कूरह है और हय मसला कुछ के कथन का मवीद है और कथन कुछ यह है कि अगर क़र्ज़ चाहे ने किसी को वकील किया कि ज़ैद से मेरा क़र्ज़ा क़ब्ज़ करले फिर क़सम खाई कि इस क़र्ज़ा को क़ब्ज़ (2) न करूंगा फिरइस की क़सम के बाद वकील ने इस पर क़ब्ज़ा किया तो चाहिए कि शपथकर्ता अपनी क़सम में पापी हो जाये और कारण ताईद यह है कि तोवकील फ़अल मुस्तदाम है पस बाद

और वजह ताईद यह है कि तोवकील फ़अल मुस्तदाम है पस बाद क़सम के गोया जदीद तोकील बक़ब्ज़ा हुई और फ़अल वकील मिस्ल इस के फ़अल के है पस गोया इस ने क़ब्ज़ा किया और हानिस हुआ कज़ा फ़िल मुहीत व वजहुल ताईद में अलमुतरजम।

क़र्ज़दार ने अपने क़र्ज़ ख़्वाह से कहा कि मैंने तेरा माल कल के रोज़ अदा न किया तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर क़र्ज़ ख़्वाह ग़ायब हो गया तो मशाइख ने फ़रमाया कि इस का क़र्ज़ क़ाज़ी को दे दे पस अगर देदिया तो हानिस न होगा :

क़र्ज़दार ने अपने क़र्ज़ से कहा कि वल्लाह तेरा क़रज़ा पंजशम्बा तक अदा कर दूंगा फिर अदा न किया यहां तक कि रोज़ पंजशम्बा की फ़ज्र तुलूअ हो गई तो अपनी क़सम में हानिस हुआ इस वास्ते कि इस ने पंजशम्बा को ग़ायत क़रार दिया है और ग़ायब इस में दाखिल नहीं होती है जिस की ग़ायत क़रार दी गई है जबकि ग़ायत इख़्राज न हो और अगर कहा कि वल्लाह तेरा क़र्ज़ा पांच रोज़ तक अदा कर दूंगा तो जब तक (3) पांचवें रोज़ का

(1)इस की वजहयह है कि इस ने लफ्ज+ दिराहिम का इस्तेमाल किया जिस का इतलाक+ उर्फ+ अरब में कम अज+ कम तीन पर होता है पस सूरत अव्वल में चूंकिएक एक करके लिया इस वास्ते हानिस हुआ और सूरत दोम में नहीं।
(1)इस ने वज़न करके न लिया।
(2)इस पर क़ब्ज़ा न करूंगा।
(3)न अदा करने में।

आफ़ताब ग़ुरूब न हो जाये तब तक हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़र्ज़ ख़्वाह ने क़सम खाई कि अपने क़र्ज़दार से आज अपना क़र्ज़ा क़ब्ज़ा न करूंगा फिर तालिब ने क़र्ज़ दार मज़कूर से इसी रोज़ कोई चीज़ इस क़र्ज़े के औज़ खरीदी और इसी रोज़ मुबीअ पर क़ब्ज़ा किया तो हानिस होगा और अगर मुबीअ पर कल के रोज़ क़ब्ज़ा किया तो हानिस न होगा औरअगर बाद क़सम के इसी रोज़ कर्ज़दार से कोई चीज़ बतौर बैअ फ़ासिद के खरीदी और इस पर इसी रोज़

क़सम के गोया जदीद तोकील बक़ब्ज़ा हुई और फ़अल वकील मिस्ल इस के फ़अल के है पस गोया इस ने क़ब्ज़ा किया और पापी हुआ कज़ा फ़िल मुहीत व वजहुल ताईद में अलमुतरजम।

क़र्ज़दार ने अपने क़र्ज़ चाहे से कहा कि मैंने तेरा माल कल के दिन अदा न किया तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर क़र्ज़ चाहे ग़ायब हो गया तो विद्वानों ने कहा कि इस का क़र्ज़ क़ाज़ी को दे दे पस अगर देदिया तो पापी न होगा :

क़र्ज़दार ने अपने क़र्ज़ से कहा कि वल्लाह तेरा क़रज़ा पंजशम्बा तक अदा कर दूंगा फिर अदा न किया यहां तक कि रोज़ पंजशम्बा की फ़ज्र तुलूअ हो गई तो अपनी क़सम में पापी हुआ इस लिए कि इस ने पंजशम्बा को ग़ायत क़रार दिया है और ग़ायब इस में दाखिल नहीं होती है जिस की ग़ायत क़रार दी गई है जबकि ग़ायत इख़्राज न हो और अगर कहा कि वल्लाह तेरा क़र्ज़ा पांच रोज़ तक अदा कर दूंगा तो जब तक (3) पांचवें रोज़ का

(1)इस की कारणयह है कि इस ने लफ्ज+ दिराहिम का इस्तेमाल किया जिस का इतलाक+ उर्फ+ अरब में कम अज+ कम तीन पर होता है पस स्थिति अव्वल में चूंकिएकएक करके लिया इस लि, पापी हुआ और स्थिति दोम में नहीं।
(1)इस ने वज़न करके न लिया।
(2)इस पर क़ब्ज़ा न करूंगा।
(3)न अदा करने में।

आफ़ताब ग़ुरूब न हो जाये तब तक पापी न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़र्ज़ चाहे ने क़सम खाई कि अपने क़र्ज़दार से आज अपना क़र्ज़ा क़ब्ज़ा न करूंगा फिर तालिब ने क़र्ज़ दार मज़कूर से इसी रोज़ कोई चीज़ इस क़र्ज़े के औज़ खरीदी और इसी रोज़ मुबीअ पर क़ब्ज़ा किया तो पापी होगा और अगर मुबीअ पर कल के रोज़ क़ब्ज़ा किया तो पापी न होगा औरअगर बाद क़सम के इसी रोज़ कर्ज़दार से कोई चीज़ बतौर विक्रय फ़ासिद के खरीदी और इस पर इसी रोज़ क़ब्ज़ा कर लिया पस अगर इस की क़ीमत मिस्ल क़र्ज़ा या

क़ब्ज़ा कर लिया पस अगर इस की क़ीमत मिस्ल क़र्ज़ा या .ज्यादा हो तो हानिस न होगा और अगर इस रोज़ कर्ज़ दार की कोई चीज़ तलफ़ कर दी पस अगर तलफ़ की हुई चीज़ मिस्ली हो यानी इस का तावान इस के मिस्ल देना होता है न इस की क़ीमत तो हानिस न होगा और अगर क़ीमती हो पस अगर इस की क़ीमत मिस्ल क़र्ज़ा के या .ज्यादा हो तो हानिस होगा लेकिन यह शर्त है कि पहले ग़सब करके फिर तलफ़ की और अगर बदूं ग़सब किये हुए तलफ़ की हो मसलन जला दिया तो हानिस न होगा यह ज़हीरिया में है और क़र्ज़दार ने अपने क़र्ज़ ख़्वाह से कहा कि मैंने तेरा माल कल के रोज़ अदा न किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर क़र्ज़ ख़्वाह ग़ायब हो गया तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि इस का क़र्ज़ा क़ाज़ी को दे दे पस अगर दे दिया तो हानिस न होगा और क़र्ज़ा से भी बरी हो गया और यही मुख़्तार है और वो ऐसी जगह हो कि जहां क़ाज़ी नहीं है तो हानिस होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़र्ज़ ख़्वाह ग़ायब न हुआ बल्कि मौजूद है लेकिनवो माल क़र्ज़ा को क़बूल नहीं करता है पस अगर इस के सामने इस हैसियत से रख दिया कि अगर क़ब्ज़ा करना चाहे तो इस का हाथ इस माल तक पहुंच सकता है तो हानिस न होगा और क़र्ज़ा से भी बरी होगा और इसी तरह अगर ग़ासिब ने इसी तरह माल मग़ज़ूब वापिस करने की क़सम खाई आर जिस से ग़सब किया है वो इस को क़ब्ज़ नहीं करता है पस ग़ासिब ने इसी तरह किया तो बरी हो गया और हानिस न होगा यह ख़ुलासा में है और मुन्तक़ी में है कि इब्ने साआ ने फ़रमाया कि मैंने इमाम अबू यूसुफ़ रह० को फ़रमाते सुना कि एक शख़्स ने अपने क़र्ज़दार से कहा कि वल्लाह मैं तुझ से जुदा न हूंगा हत्ता कि तू मेरा हक़ देदे आज के रोज़ और इस की नियत यह है कि मैं तेरा साथ न छोडूंगा यहां तक कि तू मुझे मेरा हक़ देदे फिर वो दिन गुज़र गया और इस ने साथ न छोड़ा और क़र्ज़ दार ने क़र्ज़ा भी दिया तो हानिस न होगा और अगर यह दिन गुज़र जाने के बाद इस से जुदा हो गया तो हानिस होगा और इसी तरह अगर कहा कि तुझ से जुदा न होंगा यहां तक कि तुझे सुल्तान के पास पहुंचाउंगा

.ज्यादा हो तो पापी न होगा और अगर इस रोज़ कर्ज़ दार की कोई चीज़ तलफ़ कर दी पस अगर तलफ़ की हुई चीज़ मिस्ली हो यानी इस का तावान इस के मिस्ल देना होता है न इस की क़ीमत तो पापी न होगा और अगर क़ीमती हो पस अगर इस की क़ीमत मिस्ल क़र्ज़ा के या .ज्यादा हो तो पापी होगा लेकिन यह शर्त है कि पहले ग़सब करके फिर तलफ़ की और अगर बदूं ग़सब किये हुए तलफ़ की हो मसलन जला दिया तो पापी न होगा यह ज़हीरिया में है और क़र्ज़दार ने अपने क़र्ज़ चाहे से कहा कि मैंने तेरा माल कल के रोज़ अदा न किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर क़र्ज़ चाहे ग़ायब हो गया तो विद्वानों ने फ़रमाया कि इस का क़र्ज़ा क़ाज़ी को दे दे पस अगर दे दिया तो पापी न होगा और क़र्ज़ा से भी बरी हो गया और यही मुख़्तार है और वो ऐसी जगह हो कि जहां क़ाज़ी नहीं है तो पापी होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर क़र्ज़ चाहे ग़ायब न हुआ बल्कि मौजूद है लेकिनवो माल क़र्ज़ा को क़बूल नहीं करता है पस अगर इस के सामने इस हैसियत से रख दिया कि अगर क़ब्ज़ा करना चाहे तो इस का हाथ इस माल तक पहुंच सकता है तो पापी न होगा और क़र्ज़ा से भी बरी होगा और इसी तरह अगर ग़ासिब ने इसी तरह माल मग़ज़ूब वापिस करने की क़सम खाई आर जिस से ग़सब किया है वो इस को क़ब्ज़ नहीं करता है पस ग़ासिब ने इसी तरह किया तो बरी हो गया और पापी न होगा यह ख़ुलासा में है और मुन्तक़ी में है कि इब्ने साआ ने फ़रमाया कि मैंने इमाम अबू यूसुफ़ रह० को फ़रमाते सुना कि एक व्यक्ति ने अपने क़र्ज़दार से कहा कि वल्लाह मैं तुझ से जुदा न हूंगा हत्ता कि तू मेरा हक़ देदे आज के रोज़ और इस की इरादा यह है कि मैं तेरा साथ न छोडूंगा यहां तक कि तू मुझे मेरा हक़ देदे फिर वो दिन गुज़र गया और इस ने साथ न छोड़ा और क़र्ज़ दार ने क़र्ज़ा भी दिया तो पापी न होगा और अगर यह दिन गुज़र जाने के बाद इस से जुदा हो गया तो पापी होगा और इसी तरह अगर कहा कि तुझ से जुदा न होंगा यहां तक कि तुझे सुल्तान के पास पहुंचाउंगा आज के रोज़ या यहां तक कि तुझ को मुझ से सुल्तान छुड़ा दे फिर यह दिन गुज़र गया और

आज के रोज़ या यहां तक कि तुझ को मुझ से सुल्तान छुड़ा दे फिर यह दिन गुज़र गया और इस का साथ न छोड़ा और इस को सुल्तान के पास न ले गया और न सुल्तान ने इस को हालिफ़ से छोड़ा आया तो भी यही हुक्म है कि जब ही हानिस होगा कि इस का साथ बाद इस के तर्क करे ववरना हानिस नहीं हुआ और अगर इस ने दिन को मुक़द्दम किया बईं तौर कहा कि आज तुझे न छोड़ूंगा यहां तक कि तू मुझे मेरा हक़ देदे फिर दिन गुज़र गया और इस का साथ न छोड़ा और वरना इस ने क़र्ज़ा दिया तो हानिस न हुआ और अगर इस दिन के बाद इस का साथ छोड़ दिया तो हानिस न होगा यह मुहीत में है और अगर ज़ैद ने क़सम खाई कि उमर से तक़ाज़ा न करूंगा फिर उमर का हाथ पकड़ लिया और इस से तक़ाज़ा न किया तो हानिस न होगा यह ज़हीरिया में है।

अगर क़र्ज़ ख़्वाह ने क़सम खाई कि अगर न लिया मैंने तुझ से अपनाम ाल जो मेरा तुण पर आता है कल के रोज़ तो मेरी बीवी तालिक़ा है और क़र्ज़दार ने भी क़सम खाई कि कल के रोज़ इस को न दूंगा पस क़र्ज़ ख़्वाह ने इस से जबरन ले लिया तो वो दोनों हानिस न होंगे और अगर इस से यह मुमकिन न हुआ तो इस को क़ाज़ी के पास खींच ले जाये पस जब इस से मुखासमा किया तो अपनी क़सम में सच्चा हो गया और एक ने अपने क़र्ज़दार से क़सम ली कि वल्लाह तेरा हक़ फ़लां रोज़ ज़रूर अदा करूंगा और तेरे हाथ में हाथ दे दूंगा और बग़ैर तेरी इजाज़त के न जाउंगा फिर रोज़ मोऊद पर हालिफ़ आया और इसी रोज़ क़र्ज़ा सब अदा कर दिया और लेकिन इस ने हाथ नहीं पकड़ा और बदूं इस की इजाज़त के चला गया तो यह हालिफ़ क़र्ज़दार हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि अपना माल तुझ पर न छोड़ूंगा और इस को क़ाज़ी के पास ले गया पस क़ाज़ी ने इस को क़ैद किया या इस से क़सम ले ली तो हानिस अपनी क़सम में सच्चा हो गया यह ख़ुलासा में है और इसी तरह अगर इस को क़ाज़ी के पास न ले गया और रात होने तक इस को साथ से न छोड़ा तो भी सच्चा हो गया यह सुरखी में है। क़ालल मुतरजम 'इबारतुल

इस का साथ न छोड़ा और इस को सुल्तान के पास न ले गया और न सुल्तान ने इस को शपथकर्ता से छोड़ा आया तो भी यही आदेश है कि जब ही पापी होगा कि इस का साथ बाद इस के तर्क करे ववरना पापी नहीं हुआ और अगर इस ने दिन को मुक़द्दम किया बईं तौर कहा कि आज तुझे न छोड़ूंगा यहां तक कि तू मुझे मेरा हक़ देदे फिर दिन गुज़र गया और इस का साथ न छोड़ा और वरना इस ने क़र्ज़ा दिया तो पापी न हुआ और अगर इस दिन के बाद इस का साथ छोड़ दिया तो पापी न होगा यह मुहीत में है और अगर ज़ैद ने क़सम खाई कि उमर से तक़ाज़ा न करूंगा फिर उमर का हाथ पकड़ लिया और इस से तक़ाज़ा न किया तो पापी न होगा यह ज़हीरिया में है।

अगर क़र्ज़ चाहे ने क़सम खाई कि अगर न लिया मैंने तुझ से अपनाम ाल जो मेरा तुण पर आता है कल के रोज़ तो मेरी बीवी तालिक़ा है और क़र्ज़दार ने भी क़सम खाई कि कल के रोज़ इस को न दूंगा पस क़र्ज़ चाहे ने इस से जबरन ले लिया तो वो दोनों पापी न होंगे और अगर इस से यह मुमकिन न हुआ तो इस को क़ाज़ी के पास खींच ले जाये पस जब इस से मुखासमा किया तो अपनी क़सम में सच्चा हो गया और एक ने अपने क़र्ज़दार से क़सम ली कि वल्लाह तेरा हक़ फ़लां रोज़ ज़रूर अदा करूंगा और तेरे हाथ में हाथ दे दूंगा और बग़ैर तेरी इजाज़त के न जाउंगा फिर रोज़ मोऊद पर शपथकर्ता आया और इसी रोज़ क़र्ज़ा सब अदा कर दिया और लेकिन इस ने हाथ नहीं पकड़ा और बदूं इस की इजाज़त के चला गया तो यह शपथकर्ता क़र्ज़दार पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि अपना माल तुझ पर न छोड़ूंगा और इस को क़ाज़ी के पास ले गया पस क़ाज़ी ने इस को क़ैद किया या इस से क़सम ले ली तो पापी अपनी क़सम में सच्चा हो गया यह ख़ुलासा में है और इसी तरह अगर इस को क़ाज़ी के पास न ले गया और रात होने तक इस को साथ से न छोड़ा तो भी सच्चा हो गया यह सुरखी में है। अनुवादक के कथनानुसार 'इबारतुल मसअला हाकज़ा उल अदा माली अलैयक

मसअला हाकज़ा उल अदा माली अलैयक वहलफ़ अलैहि आह फ़तब्बर' और अगर अरबी में क़सम खाई (1) कि 'लियअतैयत मअ हिल्लल माल (2) ओ इन्द हिल्लहू औ हैयन बहील उल माल ओ हैस यहल' और इस की कुछ नियत नहीं है तो जिस वक्त माल देने का वक्त आये इसी साअत में दे दे और अगर इस साअत से ज़्यादा ताखीर हो गई तो हानिस होगा यह मबसूत में है क़ालल मुतरजम क़ौलहू देदे यानी देने में मशग़ूल हो जाये (1) फ़ाफ़हम।

एक ने अपनी बीवी के हक़ में क़सम खाई कि अगर मैं हर रोज़ इस को एक दिरहम न दूं तो इस को तलाक़ है :

अगर क़र्ज़दार ने क़सम खाई कि फ़लां रोज़ इस को क़र्ज़ अदा करूंगा फिर रोज़ मज़कूर से पहले अदा कर दिया या क़र्ज़ ख़्वाह ने इस को हुबा कर दिया या बरी कर दिया फिर वो दिन आया हालांकि इस पर क़र्ज़ा कुछ नहीं तो इमाम आज़म व इमाम मौहम्मद रह० के नज़दीक हानिस न होगा और अगर क़र्ज़ दार ने इस को मैयत के वारिस या वसी को अदा कर दिया तो क़सम में सच्चा रहा वरना हानिस होगा यह वजीज़ करदरी में है। एक ने अपनी बीवी (3) के हक़ में क़सम खाई कि अगर मैं हर रोज़ इस को एक दिरहम न दूं तो इस को तलाक़ है पस कभी इस को ग़ुरूब के वक्त देता है और कभी इशा के वक्त देता है तो फ़रमाया कि अगर दरमियान एक रात व दिन खाली न गुज़र जाये कि इस में दिरहम न दे तो अपनी क़सम में सच्चा (2) रहेगा यह बहरूल राइक़ में है।

ज़ैद ने क़सम खाई कि न ताखीर करूंगा उमर से अपने माल की जो ज़ैदका इस पर आता है फिर इस के तक़ाज़े से खामौश रहा यहां तक कि महीना गुज़र गया तो हानिस न होगा इस वास्ते कि इस ने ताखीर नहीं दी यह फ़तावा कुबरा में है फ़ताचा नसफ़ी में लिखा है कि अपने क़र्ज़ दार से क़सम ली कि मुझ से मुंह न छुपाये और इस का कोई वक्त मुक़र्रर नहीं किया (4) पस जब इस ने इस को तलब किया और इस को तलब करना

वहलफ़ अलैहि आह फ़तब्बर' और अगर अरबी में क़सम खाई (1) कि 'लियअतैयत मअ हिल्लल माल (2) ओ इन्द हिल्लहू औ हैयन बहील उल माल ओ हैस यहल' और इस की कुछ इरादा नहीं है तो जिस समय माल देने का समय आये इसी साअत में दे दे और अगर इस साअत से ज़्यादा ताखीर हो गई तो पापी होगा यह मबसूत में है अनुवादक के कथनानुसार क़ौलहू देदे यानी देने में मशग़ूल हो जाये (1) फ़ाफ़हम।

एक ने अपनी बीवी के हक़ में क़सम खाई कि अगर मैं हर दिन इस को एक दिरहम न दूं तो इस को तलाक़ है :

अगर क़र्ज़दार ने क़सम खाई कि फ़लां रोज़ इस को क़र्ज़ अदा करूंगा फिर रोज़ मज़कूर से पहले अदा कर दिया या क़र्ज़ चाहे ने इस को हुबा कर दिया या बरी कर दिया फिर वो दिन आया हालांकि इस पर क़र्ज़ा कुछ नहीं तो इमाम आज़म व इमाम मौहम्मद रह० के निकट पापी न होगा और अगर क़र्ज़ दार ने इस को मैयत के वारिस या वसी को अदा कर दिया तो क़सम में सच्चा रहा वरना पापी होगा यह वजीज़ करदरी में है। एक ने अपनी बीवी (3) के हक़ में क़सम खाई कि अगर मैं हर रोज़ इस को एक दिरहम न दूं तो इस को तलाक़ है पस कभी इस को ग़ुरूब के समय देता है और कभी इशा के समय देता है तो फ़रमाया कि अगर दरमियान एक रात व दिन खाली न गुज़र जाये कि इस में दिरहम न दे तो अपनी क़सम में सच्चा (2) रहेगा यह बहरूल राइक़ में है।

ज़ैद ने क़सम खाई कि न ताखीर करूंगा उमर से अपने माल की जो ज़ैदका इस पर आता है फिर इस के तक़ाज़े से खामौश रहा यहां तक कि महीना गुज़र गया तो पापी न होगा इस लिए कि इस ने ताखीर नहीं दी यह फ़ताचा कुबरा में है फ़तावा नसफ़ी में लिखा है कि अपने क़र्ज़ दार से क़सम ली कि मुझ से मुंह न छुपाये और इस का कोई समय मुक़र्रर नहीं किया (4) पस जब इस ने इस को तलब किया और इस को तलब करना

मालूम हुआ और ज़ाहिर न हुआ हानिस हो जायेगा और अगर वो पोशीदा बाज़ार में गया तो हानिस न होगा और अगर क़र्ज़ ख़्वाह ने तलब किया और इस को मालूम न हुआ तो हानिस न होगा और क़र्ज़ ख़्वाह दो आदमी हों और दोनों ने क़र्ज़दार से इस तरह क़सम ली फिर इस ने इन में से एक का क़र्ज़ा अदा कर दिया तो इस के हक़ में क़सम बाक़ी रहेगी यह ख़ुलासा में है और शैख ओज़जन्दी से दरयाफ़्त किया गसया कि क़र्ज़दार ने अपने क़र्ज़ ख़्वाह से कहा कि अगर मैंने तेरा क़र्ज़ बरोज़े ईद अदा न किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर ईद का रोज़ आया लेकिन इस शहर के क़ाज़ी ने किसी दलील से जो इस के पास है इस दिन को ईद नहीं क़रार दिया है और इस में नमाज़ ईद नहीं पढ़ी और दूसरे शहर के क़ाज़ी ने इस को ईद क़रार दिया है और इस में नमाज़ पढ़ी है तो फ़रमाया कि अगर किसी शहर के क़ाज़ी ने इस रोज़ के ईद का रोज़ होने का हुक्म दिया तो यह दूसरे शहर वालों के वास्ते भी लाज़िम होगा जब कि मुताला मुख़्तलिफ़ न हों जैसे रमज़ान का रोज़ा न होने में हुक्म है यह मुहीत में है।

अगर क़सम खाई कि हर माह इस को एक दिरहम दूंगा और इस की कुछ नियत नहीं है और इस ने अव्वल माह में क़सम खाई है तो महीना भी इस की क़सम में दाखिल होगा और चाहिए कि इस महीने निकल जाने से पहले इस को एक दिरहम दें दे और इस तरह अगर आखिर माह में क़सम खाई हो तो भी यही हुक्म है और इस तरह अगर यूं कहा हो कि महीने में तो भी यही हुक्म है और इस तरह अगर क़सम खाने वाले पर माल क़सत वार हो कि हर महीने के इन्सलाख पर इस पर एक क़िसत का अदा करना आता हो पस इस ने क़सम खाई कि इस को हर महीने में क़सत अदा करूंगा तो इसी (३) महीने में इस पर क़सत लाज़िम हो गई कि इस की मीआद आ चुकी है पस अगर इस ने इस महीने के आखिर होने तक अदा कर दी यानी इस महीने की क़सतको तो अपनी क़सम में सच्चा रहा यह मबसूत में है और एक ने क़सम खाई कि जो मुझ पर है ज़रूर इस के अदा करने में कौशिश बलीग कर दूंगा तो वो इस माल

मालूम हुआ और ज़ाहिर न हुआ पापी हो जायेगा और अगर वो पोशीदा बाज़ार में गया तो पापी न होगा और अगर क़र्ज़ चाहे ने तलब किया और इस को मालूम न हुआ तो पापी न होगा और क़र्ज़ चाहे दो आदमी हों और दोनों ने क़र्ज़दार से इस तरह क़सम ली फिर इस ने इन में से एक का क़र्ज़ा अदा कर दिया तो इस के हक़ में क़सम बाक़ी रहेगी यह ख़ुलासा में है और शैख ओज़जन्दी से दरयाफ़्त किया गसया कि क़र्ज़दार ने अपने क़र्ज़ चाहे से कहा कि अगर मैंने तेरा क़र्ज़ बरोज़े ईद अदा न किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर ईद का रोज़ आया लेकिन इस शहर के क़ाज़ी ने किसी दलील से जो इस के पास है इस दिन को ईद नहीं क़रार दिया है और इस में नमाज़ ईद नहीं पढ़ी और दूसरे शहर के क़ाज़ी ने इस को ईद क़रार दिया है और इस में नमाज़ पढ़ी है तो फ़रमाया कि अगर किसी शहर के क़ाज़ी ने इस रोज़ के ईद का रोज़ होने का आदेश दिया तो यह दूसरे शहर वालों के लिए भी अनिवार्य होगा जब कि मुताला मुख़्तलिफ़ न हों जैसे रमज़ान का रोज़ा न होने में आदेश है यह मुहीत में है।

अगर क़सम खाई कि हर माह इस को एक दिरहम दूंगा और इस की कुछ इरादा नहीं है और इस ने अव्वल माह में क़सम खाई है तो महीना भी इस की क़सम में दाखिल होगा और चाहिए कि इस महीने निकल जाने से पहले इस को एक दिरहम दें दे और इस तरह अगर आखिर माह में क़सम खाई हो तो भी यही आदेश है और इस तरह अगर यूं कहा हो कि महीने में तो भी यही आदेश है और इस तरह अगर क़सम खाने वाले पर माल क़सत वार हो कि हर महीने के इन्सलाख पर इस पर एक क़िसत का अदा करना आता हो पस इस ने क़सम खाई कि इस को हर महीने में क़सत अदा करूंगा तो इसी (३) महीने में इस पर क़सत अनिवार्य हो गई कि इस की मीआद आ चुकी है पस अगर इस ने इस महीने के आखिर होने तक अदा कर दी यानी इस महीने की क़सतको तो अपनी क़सम में सच्चा रहा यह मबसूत में है और एक ने क़सम खाई कि जो मुझ पर है ज़रूर इस के अदा करने में कौशिश बलीग कर दूंगा तो वो इस माल

को भी फ़रोख़्त करे जो दर सूरत क़ाज़ी के यहां तालिश होने के क़ाज़ी इस को इस की तरफ़ से फ़रोख़्त करता यह ज़हीरिया में है।

(1)पस अगर वो थैलीखोल कर अदा करने की ग़र्ज़ से गिनने व परखने व तोलने लगा औरखोटे वखरे के जुदा करने में किसी क़द्र देर भी हुई तो ताख़ीर में इस काशुमार न होगा।
(2)क्योंकि मुहावरा में इसी तरह बोल चाल जारी है पस इस सेयह नहीं समझा जायेगा कि इस ने दिन ही कोखास किया है।
(3) बाद क़सम गुजि+श्ता का जबझगडा होगा और आइन्दा से अज※:+ हलफ+ वाजिब है और नीज+ह महीना जिस में क़सम खाई है वाजिब उल अदा है।
(1)क़र्ज़दार नेया मतलूब ने।
(2)माल देने का वक्त आ जाये।
(3)नफ़क़ा की बाबत।
(4)ता अदाये क़र्ज़ बिना गबर उर्फ़।

मसाइल मुतफ़र्रिक़ा

एक ने इस तरह क़सम खाई कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैं मालिक हूं इलला सो दिरहम का हालांकि वो इस से कम का मालिब था तो हानिस न होगा और इसी तरह अगर वो फ़क़त सौ दिरहम ही का मालिक हो तो भी हानिस न होगा आर इस का ग़ुलाम आज़ाद न होगा और अगर वो सौ दिरहम से ज़्यादा का मालिक हो तो हानिस होगा और अगर इस की मिल्क में सौ दिरहम (1) न हूं मगर इस की मिल्क में दीनार हूं जो सौ दिरहम से ज़ायद हैं तो हानिस होगा और इसी तरह अगर इस के पास तिजारत के ग़ुलाम हों या असबाब तिजारत या ऐसे सवायम जिन में ज़कात वाजिब होती है तो हानिस होगा ख़्वाह पूरा निसाब हो या न हो और अगर इस की मिल्क में ग़ुलाम ख़िदमत हों या ऐसा माल जो जिन्स ज़कात से नहीं है मिस्ल दूर व इक़ार व असबाब व वास्ते तिजारत के नहीं है तो हानिस न होगा यह सिराज वहाज में है। एक शख़्स मर गया और इस ने वारिस छोड़ा और मैयत का एक शख़्स पर क़र्ज़ा है पस वारिस मज़कर इस क़र्ज़ दार के पास आया और इस से मुख़ासमा किया पस क़र्ज़दार ने क़सम खाई कि इस शख़्स (1) का मुझ पर कुछ नहीं है पस अगर वो इस के

को भी फ़रोख़्त करे जो दर स्थिति क़ाज़ी के यहां तालिश होने के क़ाज़ी इस को इस की तरफ़ से फ़रोख़्त करता यह ज़हीरिया में है।

(1)पस अगर वो थैलीखोल कर अदा करने की ग़र्ज़ से गिनने व परखने व तोलने लगा औरखोटे वखरे के जुदा करने में किसी क़द्र देर भी हुई तो ताख़ीर में इस काशुमार न होगा।
(2)क्योंकि मुहावरा में इसी तरह बोल चाल जारी है पस इस सेयह नहीं समझा जायेगा कि इस ने दिन ही कोखास किया है।
(3) बाद क़सम गुजि+श्ता का जबझगडा होगा और आइन्दा से अज※:+ हलफ+ अनिवार्य है और नीज+ह महीना जिस में क़सम खाई है अनिवार्य उल अदा है।
(1)क़र्ज़दार नेया मतलूब ने।
(2)माल देने का सम आ जाये।
(3)नफ़क़ा की बाबत।
(4)ता अदाये क़र्ज़ बिना गबर उर्फ़।

विभिन्न मामले

एक ने इस तरह क़सम खाई कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है अगर मैं मालिक हूं सिवा सो दिरहम का हालांकि वो इस से कम का मालिब था तो पापी न होगा और इसी तरह अगर वो फ़क़त सौ दिरहम ही का मालिक हो तो भी पापी न होगा आर इस का ग़ुलाम आज़ाद न होगा और अगर वो सौ दिरहम से ज़्यादा का मालिक हो तो पापी होगा और अगर इस की मिल्क में सौ दिरहम (1) न हूं मगर इस की मिल्क में दीनार हूं जो सौ दिरहम से ज़ायद हैं तो पापी होगा और इसी तरह अगर इस के पास तिजारत के ग़ुलाम हों या असबाब तिजारत या ऐसे सवायम जिन में ज़कात अनिवार्य होती है तो पापी होगा चाहे पूरा निसाब हो या न हो और अगर इस की मिल्क में ग़ुलाम सेवा हों या ऐसा माल जो जिन्स ज़कात से नहीं है मिस्ल दूर व इक़ार व असबाब व लिए तिजारत के नहीं है तो पापी न होगा यह सिराज वहाज में है। एक व्यक्ति मर गया और इस ने वारिस छोड़ा और मैयत का एक व्यक्ति पर क़र्ज़ा है पस वारिस मज़कर इस क़र्ज़ दार के पास आया और इस से मुख़ासमा किया पस क़र्ज़दार ने क़सम खाई कि इस व्यक्ति (1) का मुझ पर कुछ नहीं है पस अगर वो इस के मौरिस की मौत से

मौरिस की मौत से आगाह न था तो मुझे उम्मीद है कि हानिस न होगा और अगर आगाह था तो हानिस होगा और यही मुख़्तार है यह ख़ुलासा में है और असल में लिखा है कि अगर किसी ने क़सम खाई कि मेरे लिये कुछ माल नहीं है हालांकि इस का क़र्ज़ा किसी मुफ़लिस या तवांगीर है तो हानिस न होगा और इसी तरह अगर किसी ने इस का माल ग़सब कर लिया हो और इस को तलफ़ कर डाला और इस का इक़रार करता हो या वो माल मुअयना मौजूद हो मगर वो इन्कार करता हो तो भी यही हुक्म है और अगर माल मग़सूब बअयुना मौजूद हुआ और ग़ासिब इक़रार करता हो कि मैंने फ़लां से ग़सब कर लिया है तो इस में मशाइख़ ने इख़्तलाफ़ किया है और अगर किसी के पास इस की वदीअत हो और मस्तूरअ (2) मक़र हो तो हानिस होगा और अगर इस के पास क़लील या कसीर सोना या चांदी होगी तो हानिस होगा और इसी तरह अगर इस के पास माल तिजारत या माल सवायम हो तो भी यही हुक्म है और अगर इस के पपास असबाब व हैवान ग़ैर सालिमा हों तो इस्तहसानन हानिस (3) न होगा यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि ग़ैद से जिस हक़ का दावा करता है इस से सुलह न करूंगा फिर किसी को वकील किया जिस ने ग़ैद से इस की बाबत सुलह कर ली तो हानिस न होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि ग़ैद से ख़ुसूमत (2) न करूंगा फिर इस को इस के साथ ख़ुसूमत के वास्ते वकील किया तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि ग़ैद से मसालहा न करूंग्रा फिर इस से सुलह करने के वास्ते वकील किया कि इस ने सुलह कर ली तो क़ज़ाअन हानिस होगा इस वास्ते कि सुलह में ओहदा बज़िम्मा वकील इन में से यह मुहीत सुरखी में है।

अगर क़सम खाई कि यह हज़ार दिरहम खर्च नप करूंगा फिर इन से अपना क़र्ज़ा अदा किया तो हानिस न होगा इस वास्ते कि उर्फ़ में यह खर्च करना नहीं है और बाज़ ने कहा कि हानिस होगा और अगर इस तरह भी न देने की नियत की हो तो बिल इत्तफ़ाक़ हानिस होगा इस वास्ते कि इस ने अपने ऊपर सख़्तामी की नियत बयान की है लेकिन सिर्फ़ में इस की तसदीक़ न होगी यह

आगाह न था तो मुझे उम्मीद है कि पापी न होगा और अगर आगाह था तो पापी होगा और यही मुख़्तार है यह ख़ुलासा में है और असल में लिखा है कि अगर किसी ने क़सम खाई कि मेरे लिये कुछ माल नहीं है हालांकि इस का क़र्ज़ा किसी मुफ़लिस या तवांगीर है तो पापी न होगा और इसी तरह अगर किसी ने इस का माल ग़सब कर लिया हो और इस को तलफ़ कर डाला और इस का स्वीकार करता हो या वो माल मुअयना मौजूद हो मगर वो इन्कार करता हो तो भी यही आदेश है और अगर माल मग़सूब बअयुना मौजूद हुआ और ग़ासिब स्वीकार करता हो कि मैंने फ़लां से ग़सब कर लिया है तो इस में विद्वानों ने मतभेद किया है और अगर किसी के पास इस की वदीअत हो और मस्तूरअ (2) मक़र हो तो पापी होगा और अगर इस के पास क़लील या कसीर सोना या चांदी होगी तो पापी होगा और इसी तरह अगर इस के पास माल तिजारत या माल सवायम हो तो भी यही आदेश है और अगर इस के पपास असबाब व हैवान ग़ैर सालिमा हों तो इस्तहसानन पापी (3) न होगा यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि ग़ैद से जिस हक़ का दावा करता है इस से सुलह न करूंगा फिर किसी को वकील किया जिस ने ग़ैद से इस की बाबत सुलह कर ली तो पापी न होगा और इसी तरह अगर क़सम खाई कि ग़ैद से ख़ुसूमत (2) न करूंगा फिर इस को इस के साथ ख़ुसूमत के लिए वकील किया तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि ग़ैद से मसालहा न करूंग्रा फिर इस से सुलह करने के लिए वकील किया कि इस ने सुलह कर ली तो न्यायिक पापी होगा इस लिए कि सुलह में ओहदा बज़िम्मा वकील इन में से यह मुहीत सुरखी में है।

अगर क़सम खाई कि यह हज़ार दिरहम खर्च नप करूंगा फिर इन से अपना क़र्ज़ा अदा किया तो पापी न होगा इस लिए कि उर्फ़ में यह खर्च करना नहीं है और कुछ ने कहा कि पापी होगा और अगर इस तरह भी न देने की इरादा की हो तो बिल इत्तफ़ाक़ पापी होगा इस लिए कि इस ने अपने ऊपर सख़्तामी की इरादा बयान की है लेकिन सिर्फ़ में इस की पुष्टि न होगी यह वजीज़ करदरी में है। अगर क़सम खाई कि क़र्ज़ा अपने ज़िम्मे न

वजीज़ करदरी में है। अगर क़सम खाई कि क़र्ज़ा अपने ज़िम्मे न लूंगा फिर किसी औरत से निकाह किया तो बलिहाज़ दीन महर के हानिस न होगा और अगर बैअ सलम में दिरहम (3) लिये तो हानिस हुआ यह ख़ुलासा में है और अगर क़सम खाई कि ऐसा फ़अल न करूंगा तो इसको हमैशा के वास्ते तर्क (4) यह हिदाया में है। और अगर क़सम खाई कि ज़रूर ऐसा करूंगा तो एक बार

(1)ज़ाहिरनयूं सही है कि इस की मिल्क में दिरहमएक ही सौ हों मगर आह वल्लाहु आलम।
(2)जिस के पास वदीअत रखी गई है।
(3) क़ालल मुतरजम इतलाक+ माल दलालत कलाम कबिना बर उर्फ+ के जिन कोशामिल हो वो माल होंगे वरना नहीं।
(1)वारिस मज़कूर।
(2)नालिशया जवाबदही।
(3)ा दीनार वग़ैरह।
(4)वरना हानिस होगा।

करने से क़सम पूरी हो जायेगी ख़्वाह इस ने बाकराह इस को किया हो या ख़ुशी से ख़्वाह यसाद से या भूले से ख़्वाह ख़ुद अपने वास्ते या ग़ैर की तरफ़ से वकील हो कर और अगर इस ने इस फ़अल को न किया तो इस के हानिस होने का हुक्म न दिया जायेगा यहां तक कि इस की तरफ़ से इस फ़अल से पास हो जाये और इस की यह सूरत है कि वो बदूं इस फ़अल के करने के मर जाये पस इस पर वाजिब है कि कफ़्फ़ारह अदा करने की वसियत कर जाये या यह सूरत है कि महल ुअल फ़ौत हो जाये जैसे क़सम खाई कि ज़ैद को मारूंगा या यह कि गर्दा रोटी खाउंगा फिर ज़ैद इस के फ़अल से पहले मर गया या रोटी किसी ने खाई तो हानिस होगा और यह इस वक्त है कि क़सम मुतलक़ हो और अगर मुक़यद हो मसलन क़सम खाई कि इस रोटी को आज के रोज़ खा जाउंगा तो क़ब्ल वक्त गुज़रने के फ़ौत महल फ़अल से इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार क़सम साक़ित होगी और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने इस में खिलाफ़ किया है यह फ़तहुल क़दीर में है।

लूंगा फिर किसी औरत से निकाह किया तो बलिहाज़ दीन महर के पापी न होगा और अगर विक्रय सलम में दिरहम (3) लिये तो पापी हुआ यह ख़ुलासा में है और अगर क़सम खाई कि ऐसा फ़अल न करूंगा तो इसको हमैशा के लिए तर्क (4) यह हिदाया में है। और अगर क़सम खाई कि ज़रूर ऐसा करूंगा तो एक बार

(1)ज़ाहिरनयूं सही है कि इस की मिल्क में दिरहमएक ही सौ हों मगर आह वल्लाहु आलम।
(2)जिस के पास वदीअत रखी गई है।
(3)अनुवादक के कथनानुसार इतलाक+ माल दलालत बात कबिना बर उर्फ+ के जिन कोशामिल हो वो माल होंगे वरना नहीं।
(1)वारिस मज़कूर।
(2)नालिशया जवाबदही।
(3)ा दीनार वग़ैरह।
(4)वरना पापी होगा।

करने से क़सम पूरी हो जायेगी चाहे इस ने बाकराह इस को किया हो या ख़ुशी से चाहे यसाद से या भूले से चाहे ख़ुद अपने लिए या ग़ैर की तरफ़ से वकील हो कर और अगर इस ने इस फ़अल को न किया तो इस के पापी होने का आदेश न दिया जायेगा यहां तक कि इस की तरफ़ से इस फ़अल से पास हो जाये और इस की यह स्थिति है कि वो बदूं इस फ़अल के करने के मर जाये पस इस पर अनिवार्य है कि प्रायश्चित अदा करने की वसियत कर जाये या यह स्थिति है कि महल ुअल फ़ौत हो जाये जैसे क़सम खाई कि ज़ैद को मारूंगा या यह कि गर्दा रोटी खाउंगा फिर ज़ैद इस के फ़अल से पहले मर गया या रोटी किसी ने खाई तो पापी होगा और यह इस समय है कि क़सम मुतलक़ हो और अगर मुक़यद हो मसलन क़सम खाई कि इस रोटी को आज के रोज़ खा जाउंगा तो क़ब्ल समय गुज़रने के फ़ौत महल फ़अल से इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार क़सम साक़ित होगी और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने इस में खिलाफ़ किया है यह फ़तहुल क़दीर में है।

क़सम खाई कि फ़लां की खिदमत न करूंगा फिर उजरत पर इस की क़मीस सी दी तो हानिस न होगा :

एक ने क़सम खाई कि हराम न करूंगा तो निकाह फ़ासिद से हानिस न होगा और इस तरह चौपाया बहाइम के साथ वती करने से भी हानिस न होगा इल्ला आँकि कोई बात ऐसी हो कि वो इस अम्र पर दलालत करे यह भी मुराद थी जैसे मसलन खाने वाला गांव के जाहिल गंवारों में से हो जो बहाइम (1) व चौपायों के पीछे चलते हैं यह सिराजिया में है। एक ने क़सम खाई कि कुछ वसियत न करूंगा फिर इस ने मर्ज़ुल मौत में हुबा किया तो हानिस न होगा और इसी तरह अगर अपने मर्ज़ उल मौत में अपने बाप को खरीदा कि वो इस की तरफ़ से आज़ाद हो गया तो भी यही हुक्म है और अगर क़सम खाई कि आज इस को सौ दिरहम हुबा करूंगा फिर इस को ऐसे सौ दिरहम हुबा किये जो वाहिब के किसी दूसरे पर क़र्ज़ा में और इस को इन के वसूल कर लेने का वकील कर दिया तो अपनी क़सम में सच्चा हो गया और हुबा करने वाला क़ब्ल मौहूब किये जो वाहिब किं किसी दूसरे पर क़र्ज़ा में और इस को इन के वसूल कर लेने का वकील कर दिया तो अपनी क़सम में सच्चा हो गया और हुबा करने वाला क़ब्ल मौहूब लहू के क़ब्ज़ा करने के मर गया तो मौहूब लहू इस पर क़ब्ज़ा न कर सकेगा इस वास्ते कि वो वारिसों की मिल्क हो गई यह फ़तहुल क़दीर में है। एक ने क़सम खाई कि ज़ैद जिस अम्र का हुक्म करेगा और जिस से मना करेगा इस में इस की इताअत करूंगा फिर इस के बाद ज़ैद ने इस को इस की बीवी से जिमाअ करने से मना कियसा फिर इस ने अपनी बीवी से जिमाअ किया तो हानिस न होगा बशर्तेकि यहां कोई ऐसी बात न हो जो इस पर दलालत करे कि ऐसे अवामिर ओ नवाही भी मुराद थे। क़सम खाई कि फ़लां की खिदमत न करूंगा फिर उजरत पर इस की क़मीस सी दी तो हानिस न होगा और अगर बिला उजरत सी दी तो हानिस होने का खौफ़ है यह फ़तावा कुबरा मुं है और अगर कहा कि कुल माल जो मेरी मिल्क ही हद ही है पस

क़सम खाई कि फ़लां की सेवा न करूंगा फिर उजरत पर इस की क़मीस सी दी तो पापी न होगा :

एक ने क़सम खाई कि निषिद्ध न करूंगा तो निकाह फ़ासिद से पापी न होगा और इस तरह चौपाया बहाइम के साथ वती करने से भी पापी न होगा सिवा आँकि कोई बात ऐसी हो कि वो इस कार्य पर दलालत करे यह भी तात्पर्य थी जैसे मसलन खाने वाला गांव के जाहिल गंवारों में से हो जो बहाइम (1) व चौपायों के पीछे चलते हैं यह सिराजिया में है। एक ने क़सम खाई कि कुछ वसियत न करूंगा फिर इस ने मर्ज़ुल मौत में हुबा किया तो पापी न होगा और इसी तरह अगर अपने मर्ज़ उल मौत में अपने बाप को खरीदा कि वो इस की तरफ़ से आज़ाद हो गया तो भी यही आदेश है और अगर क़सम खाई कि आज इस को सौ दिरहम हुबा करूंगा फिर इस को ऐसे सौ दिरहम हुबा किये जो वाहिब के किसी दूसरे पर क़र्ज़ा में और इस को इन के वसूल कर लेने का वकील कर दिया तो अपनी क़सम में सच्चा हो गया और हुबा करने वाला क़ब्ल मौहूब किये जो वाहिब किं किसी दूसरे पर क़र्ज़ा में और इस को इन के वसूल कर लेने का वकील कर दिया तो अपनी क़सम में सच्चा हो गया और हुबा करने वाला क़ब्ल मौहूब लहू के क़ब्ज़ा करने के मर गया तो मौहूब लहू इस पर क़ब्ज़ा न कर सकेगा इस लिए कि वो वारिसों की मिल्क हो गई यह फ़तहुल क़दीर में है। एक ने क़सम खाई कि ज़ैद जिस कार्य का आदेश करेगा और जिस से मना करेगा इस में इस की इताअत करूंगा फिर इस के बाद ज़ैद ने इस को इस की बीवी से जिमाअ करने से मना कियसा फिर इस ने अपनी बीवी से जिमाअ किया तो पापी न होगा बशर्तेकि यहां कोई ऐसी बात न हो जो इस पर दलालत करे कि ऐसे अवामिर ओ नवाही भी तात्पर्य थे। क़सम खाई कि फ़लां की सेवा न करूंगा फिर उजरत पर इस की क़मीस सी दी तो पापी न होगा और अगर बिला उजरत सी दी तो पापी होने का खौफ़ है यह फ़तावा कुबरा मुं है और अगर कहा कि कुल माल जो मेरी मिल्क

दूसरे ने कहा कि और मुझ पर इस के मिस्ल है तो दूसरे पर लाज़िम होगा कि अपना तमाम माल ख़्वाह माल अव्वल से कम हो या ज़्यादा हो या बराबर हो हदी करदे लेकिन अगर इस की नियत हो कि अव्वल के माल के बराबर हदी है तो क़सम इसी क़द्र पर होगी क़ालल मुतरजम हदी से मुराद वो माल कि फ़ुक़राऐ मक्का मुअज़्ज़मा को सदक़ा दिया जाये।

अगर कहा कि कुल माल कि मैं इस का मालिक हूं साल भर तक पस वोक हदी है पस दूसरे ने कहा मिस्ल इस के तो दूसरे पर कुछ लाज़िम न होगा यह ईज़ाह में है। अगर एक ने क़सम खाई कि मैं इस आदमी को नहीं जानता हूं हालांकि वो इस को सूरत से पहचानता है मगर नाम से नहीं पहचानता है यानी नाम नहीं जानता है तो हानिस न होगा इसी तरह यह मसला असल में मज़कूर है और फ़रमाया कि लेकिन अगर इस ने सूरत से भी न पहचानने की नियत की हो तो हानिस होगा पस अगर इस ने ऐसी नियत की तो इस ने अपने ऊपर सख़्ती करली और लफ़्ज़ इस मुराद को मोहतमिल है और यह इस वक़्त है कि महलूफ़ अलैहि का कुछ नाम हो और अगर इस का कुछ नाम न हो मसलन एक शख़्स के यहां फ़रज़न्द पैदा हुआ और पड़ोसी ने देख कर क़सम खाई कि मैं इस फ़रज़न्द को नहीं पहचानता हूं हालांकि हुनूज़ इस का नाम नहीं रखा गया है तो वो हानिस होगा इस वास्ते कि वो इस को सूरत

(1)गाये भैंस ऊंट वग़ैरह चौपाया।

से पहचानता है और नाम इस का कोई खास नहीं है ताकि इस की शनाख़्त शर्त की जाये यह मुहीत व ज़हीरिया में है। अगर क़सम खाई कि यह फ़अल न करूंगा मादाम यह कि फ़लां इस शहर में है फिर फ़लां मज़कूर यहां से चला गया पस इस ने यह काम किया फिर वो लौट आया फिर इस ने दोबारह यह फ़अल किया तो हानिस न होगा यह फ़तहुल क़दीर में है। अगर क़सम खाई कि बरोज़े जुमा कोई अमल करूंगा कोई काम न बनाउंगा और इस शख़्स के पास कपड़ा था जिस की क़मीस तैयार करानी मंज़ूर थी पस इस को दरज़ी के पास ले गया और इस को अम्र किया कि इस की क़मीस सी

ही हद ही है पस दूसरे ने कहा कि और मुझ पर इस के मिस्ल है तो दूसरे पर अनिवार्य होगा कि अपना तमाम माल चाहे माल अव्वल से कम हो या ज़्यादा हो या बराबर हो हदी करदे लेकिन अगर इस की इरादा हो कि अव्वल के माल के बराबर हदी है तो क़सम इसी क़द्र पर होगी अनुवादक के कथनानुसार हदी से तात्पर्य वो माल कि फ़ुक़राऐ मक्का मुअज़्ज़मा को दान दिया जाये।

अगर कहा कि कुल माल कि मैं इस का मालिक हूं साल भर तक पस वोक हदी है पस दूसरे ने कहा मिस्ल इस के तो दूसरे पर कुछ अनिवार्य न होगा यह ईज़ाह में है। अगर एक ने क़सम खाई कि मैं इस आदमी को नहीं जानता हूं हालांकि वो इस को स्थिति से पहचानता है मगर नाम से नहीं पहचानता है यानी नाम नहीं जानता है तो पापी न होगा इसी तरह यह मसला असल में मज़कूर है और फ़रमाया कि लेकिन अगर इस ने स्थिति से भी न पहचानने की इरादा की हो तो पापी होगा पस अगर इस ने ऐसी इरादा की तो इस ने अपने ऊपर सख़्ती करली और लफ़्ज़ इस तात्पर्य को मोहतमिल है और यह इस समय है कि महलूफ़ अलैहि का कुछ नाम हो और अगर इस का कुछ नाम न हो मसलन एक व्यक्ति के यहां फ़रज़न्द पैदा हुआ और पड़ोसी ने देख कर क़सम खाई कि मैं इस फ़रज़न्द को नहीं पहचानता हूं हालांकि हुनूज़ इस का नाम नहीं रखा गया है तो वो पापी होगा इस लिए कि वो इस को स्थिति

(1)गाये भैंस ऊंट वग़ैरह चौपाया।

से पहचानता है और नाम इस का कोई खास नहीं है ताकि इस की शनाख़्त शर्त की जाये यह मुहीत व ज़हीरिया में है। अगर क़सम खाई कि यह फ़अल न करूंगा मादाम यह कि फ़लां इस शहर में है फिर फ़लां मज़कूर यहां से चला गया पस इस ने यह काम किया फिर वो लौट आया फिर इस ने दोबारह यह फ़अल किया तो पापी न होगा यह फ़तहुल क़दीर में है। अगर क़सम खाई कि बरोज़े जुमा कोई अमल करूंगा कोई काम न बनाउंगा और इस व्यक्ति के पास कपड़ा था जिस की क़मीस तैयार करानी मंज़ूर थी पस इस को दरज़ी के पास ले गया और इस को कार्य किया कि इस की क़मीस सी

दे तो हानिस न होगा यह फ़तावा कुबरा में है मजमूअ उल नवाज़िल में लिखा है कि ज़ैदने उमर के पास कोई चीज़ हदी भेजी पस उमर ने कहा कि अगर मैंने तुझे इस हदया के औज़ यह क़बाना दी तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर कुछ ज़माना गुज़रा फिर उमर ने इस को दस दिरहम दिये और इस से बाहम सुलह (यानी क़बा देने से) करली तो हानिस हो गया और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि जब तक क़बा बाक़ी है और वो ज़िन्दा है तब तक हानिस नहीं होगा चुनांचे अगर इस के बाद क़बा दें दी तो अपनी क़सम में सच्चा हो गया यह ख़ुलासा में है। अगर क़सम खाई कि इस क़लम से न लिखूंगा फिर इस को तोड़ डाला फिर दोबारह इस को दुरूस्त करके इस से लिखा न होगा और ऐसी तरह अगर क़सम खाई कि इस छुरी से न काटूंगा फिर इस को तोड़ कर दोबारह बनवा कर इस से तराशने का काम लिया तो हानिस न होगा यह हावी में है।

अगर कहा कि अगर मैंने तेरा घोड़ा तुझ से आरियत मांगा पस तूने मुझे न दिया तो मेरा गुलाम आज़ाद है तो इस सूरत में भी चाहिए कि देने से इन्कार करना इस के फ़अल लेने मांगने के साथ पाया तो हानिस हो जायेगाः

क़सम खाई कि फ़लाना औरत की सूरत न देखूंगा फिर नक़ाब के साथ इस की सूरत पर नज़र गई तो हानिस न होगा जब तक कि आधे से ज़्यादा चेहरा खुला न हो यह इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया है क़सम खाई कि फ़लां की सूरत न देखूंगा फिरइस की सूरत बारीक परदा या शीशा के नीचे से देखी जिस के पीछे से इस की सूरत ज़ाहिर होती थी तो हानिस हुआ बखिलाफ़ इस के अगर आईना पर नज़र डाली और इस में इस का चेहरा नज़र आया तो हानिस न होगा यह फ़तावा कुबरा में है और अगर क़सम खाई कि अगर मैंने फ़लां को देखा पस मैंने इस को न मारा तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर इस को बक़द्रे एक मील या ज़्यादा दूरीसे देखा तो इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि हानिस न होगा (1)

दे तो पापी न होगा यह फ़तावा कुबरा में है मजमूअ उल नवाज़िल में लिखा है कि ज़ैदने उमर के पास कोई चीज़ हदी भेजी पस उमर ने कहा कि अगर मैंने तुझे इस हदया के औज़ यह क़बाना दी तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर कुछ ज़माना गुज़रा फिर उमर ने इस को दस दिरहम दिये और इस से बाहम सुलह (यानी क़बा देने से) करली तो पापी हो गया और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि जब तक क़बा बाक़ी है और वो ज़िन्दा है तब तक पापी नहीं होगा चुनांचे अगर इस के बाद क़बा दें दी तो अपनी क़सम में सच्चा हो गया यह ख़ुलासा में है। अगर क़सम खाई कि इस क़लम से न लिखूंगा फिर इस को तोड़ डाला फिर दोबारह इस को दुरूस्त करके इस से लिखा न होगा और ऐसी तरह अगर क़सम खाई कि इस छुरी से न काटूंगा फिर इस को तोड़ कर दोबारह बनवा कर इस से तराशने का काम लिया तो पापी न होगा यह हावी में है।

अगर कहा कि अगर मैंने तेरा घोड़ा तुझ से उधार मांगा पस तूने मुझे न दिया तो मेरा गुलाम आज़ाद है तो इस स्थिति में भी चाहिए कि देने से इन्कार करना इस के फ़अल लेने मांगने के साथ पाया तो पापी हो जायेगाः

क़सम खाई कि फ़लाना औरत की स्थिति न देखूंगा फिर नक़ाब के साथ इस की स्थिति पर मन्नत गई तो पापी न होगा जब तक कि आधे से ज़्यादा चेहरा खुला न हो यह इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया है क़सम खाई कि फ़लां की स्थिति न देखूंगा फिरइस की स्थिति बारीक परदा या शीशा के नीचे से देखी जिस के पीछे से इस की स्थिति ज़ाहिर होती थी तो पापी हुआ बखिलाफ़ इस के अगर आईना पर मन्नत डाली और इस में इस का चेहरा मन्नत आया तो पापी न होगा यह फ़तावा कुबरा में है और अगर क़सम खाई कि अगर मैंने फ़लां को देखा पस मैंने इस को न मारा तो मेरा गुलाम आज़ाद है फिर इस को बक़द्रे एक मील या ज़्यादा दूरीसे देखा तो

इस वास्ते कि इस ने तुझ को नहीं देखा है। एक ने दूसरे से कहा कि अगर तुझ से मिलाती हुआ पस मैंने तुझ पर सलाम न किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो चाहिए कि मुलाक़ात होने की साअत में सलाम करे और अगर ऐसा न किया तो हानिस हो जायेगा और इसी तरह अगर कहा कि अगर मैंने तेरा घोड़ा (1) तुझ से आरियत मांगा पस तूने मुझे न दिया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो इस सूरत में भी चाहिए कि देने से इन्कार करना इस के फ़अल यानी मांगने के साथ पाया (2) जाये और अगर इस के सिवाए और नियत की हो तो क़ज़ाअन इस की तसदीक़ न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है मुन्तक़ी में लिखा है। अगर क़सम खाई कि फ़लां की जानिब न देखूंगा फिर इस के पांव या हाथ या सर की तरफ़ नज़र की तो इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर पांव या हाथ की तरफ़ देखा तो इस को न देखा तो इस का देखना यही है कि इस के मुंह या सर या बदन की तरफ़ नज़र डाले और अगर इस के सर (3) के ऊपर की तरफ़ नज़र डाली तो भी इस को न देखा और इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर इस को देखा और दर हाल यह कि इस को नहीं पहचानता है तो इस का देखना मुतहक्क़िक़ हुआ और अगर इस को सर से पांव तक मिस्ल कफ़न के कपड़े में लिपटा हुआ देखा और इस का सर व बदन अलग अलग नज़र होता है मगर कपड़ा ऐसा है कि इस

(1)लेकिन इस में ताम्मुल है क्योंकि रोइयत और मुलाक़ात में फ़र्क़ है पस जिस वक़्त इस ने अपने ग़ुलाम सेयूं कहा कि अगर मैंने तु को देखा फिर तु को न मारा तो तू आज़ाद हैया अपनी बीवी से इसी लफ़्ज+ के साथ तलाक+ मुअल्लक+ की फिरइस कोएक मील के फ़ासले से देखा तो हानिस होगा और अगरयूं कहा कि अगर मैं तु से मिलाती हूं अलख। तो हानिस न होगा।
(1)]च्चिर व ऊंट वग़ैरह सवारी के जानवर।
(2)तब हानिस होगा।
(3)चन्दया वग़ैरह।

की सब सूरत ज़ाहिर करता है यानी मसलन ऐसा बारीक कपड़ा है कि जिस के अन्दर से इस के सर या बदन की शक्ल वहियात खुलती है तो इस को देखना साबित हुआ और अगर इस कपड़े में से इस का बदन मालूम न होता हो तो इस को नहीं देखा और अगर इस की पीठ को देखा तो इस को देखा और अगर इस के

इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि पापी न होगा (1) इस लिए कि इस ने तुझ को नहीं देखा है। एक ने दूसरे से कहा कि अगर तुझ से मिलाती हुआ पस मैंने तुझ पर सलाम न किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो चाहिए कि मुलाक़ात होने की साअत में सलाम करे और अगर ऐसा न किया तो पापी हो जायेगा और इसी तरह अगर कहा कि अगर मैंने तेरा घोड़ा (1) तुझ से आरियत मांगा पस तूने मुझे न दिया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है तो इस स्थिति में भी चाहिए कि देने से इन्कार करना इस के फ़अल यानी मांगने के साथ पाया (2) जाये और अगर इस के सिवाए और इरादा की हो तो न्यायिक इस की पुष्टि न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है मुन्तक़ी में लिखा है। अगर क़सम खाई कि फ़लां की जानिब न देखूंगा फिर इस के पांव या हाथ या सर की तरफ़ मन्नत की तो इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर पांव या हाथ की तरफ़ देखा तो इस को न देखा तो इस का देखना यही है कि इस के मुंह या सर या बदन की तरफ़ मन्नत डाले और अगर इस के सर (3) के ऊपर की तरफ़ मन्नत डाली तो भी इस को न देखा और इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर इस को देखा और दर हाल यह कि इस को नहीं पहचानता है तो इस का देखना मुतहक्क़िक़ हुआ और अगर इस को सर से पांव तक मिस्ल कफ़न के कपड़े में लिपटा हुआ देखा और इस का सर व बदन अलग अलग मन्नत होता है मगर कपड़ा ऐसा है कि इस

(1)लेकिन इस में ताम्मुल है क्योंकि रोइयत और मुलाक़ात में फ़र्क़ है पस जिस सम इस ने अपने ग़ुलाम सेयूं कहा कि अगर मैंने तु को देखा फिर तु को न मारा तो तू आज़ाद हैया अपनी बीवी से इसी लफ़्ज+ के साथ तलाक+ मुअल्लक+ की फिरइस कोएक मील के फ़ासले से देखा तो पापी होगा और अगरयूं कहा कि अगर मैं तु से मिलाती हूं अलख। तो पापी न होगा।
(1)]च्चिर व ऊंट वग़ैरह सवारी के जानवर।
(2)तब पापी होगा।
(3)चन्दया वग़ैरह।

की सब स्थिति ज़ाहिर करता है यानी मसलन ऐसा बारीक कपड़ा है कि जिस के अन्दर से इस के सर या बदन की शक्ल वहियात खुलती है तो इस को देखना सिद्ध हुआ और अगर इस कपड़े में से इस का बदन

सीना व पेट को देखा तो इस को देखा और अगर इस के सीना व पेट में से अक्सर हिस्सा (1) देखा तो इस को देखा और अगर थोडा निस्फ़ से कम देखा तो इस को न देखा और किसी औरत की निस्बत क़सम खाई कि इस को न देखूंगा फिर औरत मज़कूरह को नक़ाब डाले होने की हालत में बैठे हुए या खडे हुए देखा तो इेस को देखा इल्ला आंकि इस की नियत यह हो कि इस के चेहरो को न देखूंगा तो 'दयानतन फ़ीमा बैयनहू व बैयनल्लाहि तआला' इस के क़ौल की तसदीक़ होगी मगर क़ज़ाअन तसदीक़ न होगी लेकिन अगर क़सम मज़कूर से पहले ऐसी गुफ़तुगू हो कि जो इस मुराद पर दलालत करे तो क़ज़ाअन भी होगी और अगर इस ने कहा कि अगर मैंने फ़लां को देखा तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस को मुर्दा या कफ़न पहनाया हुआ देखा हालांकि इस का मुंह ढ़ांक दिया गया तो इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि हानिस होगा क्योंकि देखना ज़िन्दगी व मिर्ग दोनों पर है यानी ख़्वाह ज़िन्दा देखा तो इस का देखना कहलायेगा ख़्वाह मुर्दा देखा तो भी ऐसा ही है कि बाद मौत के देख लेना ऐसा है जैसे ज़िन्दगी में देखना यह मुहीत में है।

अगर ज़ैदने कहा कि अगर मैंने उमर को हराम पर न देखा तो मेरीब ीवी तालिक़ा है फिर उमर को देखा कि वो अजनबिया औरत के साथ खल्वत में है तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि वो हानिस होगा :

ज़ैद ने उमर से कहा कि अगर मैंने खालिद को देखा पस तुझ को आगाह न किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर खालिद को उमर के साथ देखा तो इमाम आज़म व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार ज़ैद हानिस न होगा और इस का ग़ुलाम आज़ाद न होगा और अगर ज़ैदने कहा हो कि अगर मैं खालिद को देखूं पस इस को तेरे पास न लाउं तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है और बाक़ी मसला मिस्ल मज़कूरह बाला वाक़े हुआ तो भी इस का

मालूम न होता हो तो इस को नहीं देखा और अगर इस की पीठ को देखा तो इस को देखा और अगर इस के सीना व पेट को देखा तो इस को देखा और अगर इस के सीना व पेट में से अक्सर हिस्सा (1) देखा तो इस को देखा और अगर थोड़ा निस्फ़ से कम देखा तो इस को न देखा और किसी औरत की निस्बत क़सम खाई कि इस को न देखूंगा फिर औरत मज़कूरह को नक़ाब डाले होने की हालत में बैठे हुए या खड़े हुए देखा तो इेस को देखा सिवा आंकि इस की इरादा यह हो कि इस के चेहरो को न देखूंगा तो 'दयानतन फ़ीमा बैयनहू व बैयनल्लाहि तआला' इस के कथन की पुष्टि होगी मगर न्यायिक पुष्टि न होगी लेकिन अगर क़सम मज़कूर से पहले ऐसी गुफ़तुगू हो कि जो इस तात्पर्य पर दलालत करे तो न्यायिक भी होगी और अगर इस ने कहा कि अगर मैंने फ़लां को देखा तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर इस को मुर्दा या कफ़न पहनाया हुआ देखा हालांकि इस का मुंह ढ़ांक दिया गया तो इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि पापी होगा क्योंकि देखना ज़िन्दगी व मिर्ग दोनों पर है यानी चाहे ज़िन्दा देखा तो इस का देखना कहलायेगा चाहे मुर्दा देखा तो भी ऐसा ही है कि बाद मौत के देख लेना ऐसा है जैसे ज़िन्दगी में देखना यह मुहीत में है।

अगर ज़ैदने कहा कि अगर मैंने उमर को निषिद्ध पर न देखा तो मेरीब ीवी तालिक़ा है फिर उमर को देखा कि वो अजनबिया औरत के साथ खल्वत में है तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि वो पापी होगा :

ज़ैद ने उमर से कहा कि अगर मैंने खालिद को देखा पस तुझ को आगाह न किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर खालिद को उमर के साथ देखा तो इमाम आज़म व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार ज़ैद पापी न होगा और इस का ग़ुलाम आज़ाद न होगा और अगर ज़ैदने कहा हो कि अगर मैं खालिद को देखूं पस इस को तेरे पास न लाउं तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है और बाक़ी मसला मिस्ल मज़कूरह बाला स्थपित हुआ तो भी इस का

ग़ुलाम आज़ाद न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है हिशाम ने इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत की है अगर किसी ने कहा कि वल्लाह फ़लाने की मौत व ज़िन्दगी में हाज़िर न होगा तो इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि ज़िन्दगी में हाज़िर होना यह होगा कि इस के ग़म व शादी में हाज़िर न हो और मौत में हाज़िर होना यह है कि इस के मिर्ग व जनाज़े पर हाज़िर न हो। अगर ज़ैद ने कहा कि अगर मैंने उमर को हराम पर न देखा तो मेरी बीवी तालिक़ा है फिर उमर को देखा कि वो अजनबिया औरत के साथ खल्वत में है तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि वो हानिस होगा इस वास्ते कि यह हराम नहीं है मकरूह (1) है यह ज़हीरिया में है और एक ने फ़ारसी में कहा कि हज़ार दिरहम अज़ माल मन बदर व यशान दादा और वो तन्हा ही कहने पाया था कि किसी ने इस का मुंह बन्द कर लिया हालांकि वो चाहता था कि आगे यूं कहे कि अगर चुनीन कुनम तो मशाइख ने फ़रमाया है कि अहतियातन हज़ार दिरहम सदक़ा कर दे और अगर तलाक़ या इताक़ के साथ क़सम मुनअक़िद करने का क़सद था और ऐसा वाक़े हुआ तो तलाक़ व इताक़ कुछ वाक़े न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

फ़वाइद शम्सुल इस्लाम में है कि एक ने अपना कपड़ा धोबी को दिया फिर धोबी इन्कार कर गया फिर इस शख्स ने क़सम खाई कि अगर मैंने तुझे न दिया हो तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है हालांकि असल में इस शख्स ने इस के पिसर या शागिर्द पैशा को दिया था तो फ़रमाया कि अगर पिसर या शागिर्द व पैशा

(1)इस मसले में तावील की ज+रूरत है मसलन इस ने उम्र भर अम्र नाजायज+ में न देखा सिवा, अजनबी औरत से तखलिया के तो हानिस हुआया इबारत में सहू है और सही इस तरह है अगर ज़ैद ने कहा कि अगर मैंने उमर को हराम पर न देखा हो तो मेरी बीवी तालिक़ा है और हालयह है कि इस ने बयान किया कि वोयह है कि मैंने उमर को देखा था कि इस नेएक अजनबिया औरत के साथ तखलिया कियसा था और बस तू इमाम सानी ने फ़रमाया कि अपनी क़सम में वो सच्चा नहीं है बल्कि इस नेझूटी क़समखाई इस वास्ते कियह हराम नहीं बल्कि मकरूह है अक़ौलयह सही है लेकिन ताम्मुलयह कि अवाम+]]राम व मकरूह में फ़र्क़ नहीं करते हैं ग़ैर अर्ज़ी कियहां ज़ाहिर पर मबनी है फ़ाफ़हम।

(1)निस्फ+ से ज़ायद।

ग़ुलाम आज़ाद न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है हिशाम ने इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत की है अगर किसी ने कहा कि वल्लाह फ़लाने की मौत व ज़िन्दगी में हाज़िर न होगा तो इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि ज़िन्दगी में हाज़िर होना यह होगा कि इस के ग़म व शादी में हाज़िर न हो और मौत में हाज़िर होना यह है कि इस के मिर्ग व जनाज़े पर हाज़िर न हो। अगर ज़ैद ने कहा कि अगर मैंने उमर को निषिद्ध पर न देखा तो मेरी बीवी तालिक़ा है फिर उमर को देखा कि वो अजनबिया औरत के साथ खल्वत में है तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि वो पापी होगा इस लिए कि यह निषिद्ध नहीं है मकरूह (1) है यह ज़हीरिया में है और एक ने फ़ारसी में कहा कि हज़ार दिरहम अज़ माल मन बदर व यशान दादा और वो तन्हा ही कहने पाया था कि किसी ने इस का मुंह बन्द कर लिया हालांकि वो चाहता था कि आगे यूं कहे कि अगर चुनीन कुनम तो विद्वानों ने फ़रमाया है कि अहतियातन हज़ार दिरहम दान कर दे और अगर तलाक़ या इताक़ के साथ क़सम मुनअक़िद करने का क़सद था और ऐसा स्थपित हुआ तो तलाक़ व इताक़ कुछ स्थपित न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

फ़वाइद शम्सुल इस्लाम में है कि एक ने अपना कपड़ा धोबी को दिया फिर धोबी इन्कार कर गया फिर इस व्यक्ति ने क़सम खाई कि अगर मैंने तुझे न दिया हो तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है हालांकि असल में इस व्यक्ति ने इस के पिसर या शागिर्द पैशा को दिया था तो फ़रमाया कि अगर पिसर या शागिर्द व पैशा

(1)इस मसले में तावील की ज+रूरत है मसलन इस ने उम्र भर कार्य नाजायज+ में न देखा सिवा, अजनबी औरत से तखलिया के तो पापी हुआया इबारत में सहू है और सही इस तरह है अगर ज़ैद ने कहा कि अगर मैंने उमर को निषि (पर न देखा हो तो मेरी बीवी तालिक़ा है और हालयह है कि इस ने बयान किया कि वोयह है कि मैंने उमर को देखा था कि इस नेएक अजनबिया औरत के साथ तखलिया कियसा था और बस तू इमाम सानी ने फ़रमाया कि अपनी क़सम में वो सच्चा नहीं है बल्कि इस नेझूटी क़समखाई इस लि, कियह निषि (नहीं बल्कि मकरूह है अक़ौलयह सही है लेकिन ताम्मुलयह कि अवाम+]]राम व मकरूह में फ़र्क़ नहीं करते हैं ग़ैर अर्ज़ी कियहां ज़ाहिर पर मबनी है फ़ाफ़हम।

(1)निस्फ+ से ज़ायद।

मज़कूर इस के अयाल में से हो तो यह शख़्स हानिस न होगा इल्ला इसी सूरत में कि इस की यह नियत हो कि धोबी ही को दिया था यह ख़ुलासा में है। एक ने अरबी में अपनी बीवी की तलाक़ की क़सम इस अम्र पर खाई कि 'ला यदग फ़लाना यमर अली हाज़ा उल क़ंतरत' यानी न छोड़ूंगा फ़लां को कि इस पुल पर से गुज़रे फिर इस को फ़क़त ज़बान से मना किया (1) तो क़सम में सच्चा हो जायेगा। एक ने अपने पिसर से कहा कि अगर मैंने तुझे छोड़ दिया कि तू फ़लां के साथ काम करे तो मेरी बीवी तालिक़ा है पस अगर पिसर मज़कूर बालिग़ हो कि बक़ौल इस के रोकने के इस को क़ुदरत हासिल न हो पस इस को ज़बान से मना कर दिया तो क़सम में सच्चा हो गया और अगर पिसर सग़ीर हो तो क़सम में सच्चे होने के वास्ते शर्त है कि क़ौल व फ़अल दोनों से मना करे। एक ने अपने सहर की मक़बूज़ा ज़मीन का दावा किया और क़सम खाई कि अगर मैंने यह दावा छोड़ दिया यहां तक कि इस ज़मीन को ले लूं तो मेरी बीवी तालिक़ा है तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि अगर हर माह में इस से एक बार मुख़ासमा किया और पूरा महीना कभी ख़ुसूमत को तर्क न किया तो हानिस न देगा और अगर क़सम खाई कि वल्लाह न छोड़ दूंगा इस को कि इस क़ब्ज़ा से निकल जाये फिर वो निकल गया और हालिफ़ को न मालूम हुआ तो वो हानिस न होगा और अगर इस को निकलते देखा और छोड़ दिया मना किया तो हानिस होगा और अगर इस के साथ हो गया मगर इस पर क़ुदरत न पाई यहां तक कि वो चला गया तो हानिस न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर क़सम खाई कि अगर यह जुमला गेंहू हों तो मेरी बीवी तालिक़ा है फिर देखा तो वो गेंहू और छुहारे थे तो हानिस न होगा और यह साहिबीन रह० का क़ौल है और अगर कहा कि 'अन कानत हाज़ा उल जुमलत उल अख़सतहू' यानी अगर हो यह तमाम इल्ला गेंहू तो मेरी बीवी तालिक़ा है फिर वो गेंहू व छुहारे निकले तो वो हानिस हुआ और अगर वो सब गेंहू हों तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० के क़ौल में हानिस न होगा और इमाम

मज़कूर इस के अयाल में से हो तो यह व्यक्ति पापी न होगा सिवा इसी स्थिति में कि इस की यह इरादा हो कि धोबी ही को दिया था यह ख़ुलासा में है। एक ने अरबी में अपनी बीवी की तलाक़ की क़सम इस कार्य पर खाई कि 'ला यदग फ़लाना यमर अली हाज़ा उल क़ंतरत' यानी न छोड़ूंगा फ़लां को कि इस पुल पर से गुज़रे फिर इस को फ़क़त ज़बान से मना किया (1) तो क़सम में सच्चा हो जायेगा। एक ने अपने पिसर से कहा कि अगर मैंने तुझे छोड़ दिया कि तू फ़लां के साथ काम करे तो मेरी बीवी तालिक़ा है पस अगर पिसर मज़कूर बालिग़ हो कि बक़ौल इस के रोकने के इस को क़ुदरत हासिल न हो पस इस को ज़बान से मना कर दिया तो क़सम में सच्चा हो गया और अगर पिसर सग़ीर हो तो क़सम में सच्चे होने के लिए शर्त है कि कथन व फ़अल दोनों से मना करे। एक ने अपने सहर की मक़बूज़ा ज़मीन का दावा किया और क़सम खाई कि अगर मैंने यह दावा छोड़ दिया यहां तक कि इस ज़मीन को ले लूं तो मेरी बीवी तालिक़ा है तो विद्वानों ने फ़रमाया कि अगर हर माह में इस से एक बार मुख़ासमा किया और पूरा महीना कभी ख़ुसूमत को तर्क न किया तो पापी न देगा और अगर क़सम खाई कि वल्लाह न छोड़ दूंगा इस को कि इस क़ब्ज़ा से निकल जाये फिर वो निकल गया और शपथकर्ता को न मालूम हुआ तो वो पापी न होगा और अगर इस को निकलते देखा और छोड़ दिया मना किया तो पापी होगा और अगर इस के साथ हो गया मगर इस पर क़ुदरत न पाई यहां तक कि वो चला गया तो पापी न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर क़सम खाई कि अगर यह जुमला गेंहू हों तो मेरी बीवी तालिक़ा है फिर देखा तो वो गेंहू और छुहारे थे तो पापी न होगा और यह साहिबीन रह० का कथन है और अगर कहा कि 'अन कानत हाज़ा उल जुमलत उल अख़सतहू' यानी अगर हो यह तमाम सिवा गेंहू तो मेरी बीवी तालिक़ा है फिर वो गेंहू व छुहारे निकले तो वो पापी हुआ और अगर वो सब गेंहू हों तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० के कथन में पापी न होगा और इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि दोनों स्थितियों में पापी न

मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि दोनों सूरतों में हानिस न होगा यह ईज़ाह में है और इस तरह अगर कहा कि अगर हुए यह जुमला सिवाए गन्दुम या ग़ैर गन्दुम के तो यह मिस्ल इल्ला गन्दुम कहने के है यानी हुक्म साहिबीन रह० में बाहिम इख़्तलाफ़ मिस्ल इख़्तलाफ़ मज़कूर है यह बदाऐ में है और मुन्तक़ी में बरिवायत इब्राहीम मज़कूर है कि इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर किसी ने कहा कि अगर मैंने सफ़र दराज़ न किया तो फ़लाना बान्दी आज़ाद है तो फ़रमाया कि अगर इस की नियत तीन रोज़ या ज़्यादा दूर के सफ़र की हो तो क़सम इस की नियत पर होगी वरना अगर कुछ नियत न की तो यह क़सम एक महीना के सफ़र पर होगी यह मुहीत में है और फ़तावा मा विरा उल नहर में मज़कूर है कि शैख़ अबू नसर वबूसी से दरयाफ़्त किया गया कि अगर किसी ने क़सम खाई मगर यह भूल गया कि मैंने अल्लाह तआला की या रोज़े रखने की या बीवी के तलाक़ की इन में से किसी की क़सम खाई थी तो फ़रमाया कि इस की क़सम तलाक़ पर होगी इल्ला आंकि इसको याद हो जाये यह तातार खानिया में है क़ालल मुतरजम इस से ज़ाहिर हुआ कि इन तीन में तलाक़ को तरजीह होगी नज़र बर फ़िक्र व हिफ़ज़हू दीन अल्लाह तआला फ़ाफ़हम। अगर किसी ने एक खादिम की निस्बत जो इस की खिदमत करता था क़सम खाई कि इस से खिदमत न चाहूंगा तो इस मसले में दो वजहें हैं अव्वल आंकि खादिम मज़कूर इस का ममलूक हो और इस में चार सूरतें हैं और एक यह कि बाद क़सम के इस से ज़ाहिर व सरीह खिदमत चाही मसलन कहा कि मेरी खिदमत करदे तो हानिस होगा और यह ज़ाहिर है दूसरी सूरत यह कि क़सम के बाद इस ने बदून हुक्मे मौला के मौला की खिदमत की और मौला ने इस को खिदमत करने दी हालांकि वो क़सम से पहले खिदमत मौला के हुक्म से किया करता था तो इस सूरत में भी हानिस होगा और तीसरी सूरत यह है कि इस ने बग़ैर हुक्म मौला के इस की खिदमत की और पहले भी बग़ैर हुक्म मौला के खिदमत बदूं इस के हुक्म के इस की और क़सम से पहले इस की खिदमत बिल्कुल नहीं करता था तो इस

होगा यह ईज़ाह में है और इस तरह अगर कहा कि अगर हुए यह जुमला सिवाए गन्दुम या ग़ैर गन्दुम के तो यह मिस्ल सिवा गन्दुम कहने के है यानी आदेश साहिबीन रह० में बाहिम मतभेद मिस्ल मतभेद मज़कूर है यह बदाऐ में है और मुन्तक़ी में बरिवायत इब्राहीम मज़कूर है कि इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर किसी ने कहा कि अगर मैंने सफ़र दराज़ न किया तो फ़लाना बान्दी आज़ाद है तो फ़रमाया कि अगर इस की इरादा तीन रोज़ या ज़्यादा दूर के सफ़र की हो तो क़सम इस की इरादा पर होगी वरना अगर कुछ इरादा न की तो यह क़सम एक महीना के सफ़र पर होगी यह मुहीत में है और फ़तावा मा विरा उल नहर में मज़कूर है कि शैख़ अबू नसर वबूसी से दरयाफ़्त किया गया कि अगर किसी ने क़सम खाई मगर यह भूल गया कि मैंने अल्लाह तआला की या रोज़े रखने की या बीवी के तलाक़ की इन में से किसी की क़सम खाई थी तो फ़रमाया कि इस की क़सम तलाक़ पर होगी सिवा आंकि इसको याद हो जाये यह तातार खानिया में है अनुवादक के कथनानुसार इस से ज़ाहिर हुआ कि इन तीन में तलाक़ को तरजीह होगी मन्नत बर फ़िक्र व हिफ़ज़हू दीन अल्लाह तआला फ़ाफ़हम। अगर किसी ने एक खादिम की निस्बत जो इस की सेवा करता था क़सम खाई कि इस से सेवा न चाहूंगा तो इस मसले में दो वजहें हैं अव्वल आंकि खादिम मज़कूर इस का ममलूक हो और इस में चार सूरतें हैं और एक यह कि बाद क़सम के इस से ज़ाहिर व सरीह सेवा चाही मसलन कहा कि मेरी सेवा करदे तो पापी होगा और यह ज़ाहिर है दूसरी स्थिति यह कि क़सम के बाद इस ने बदून हुक्मे मौला के मौला की सेवा की और मौला ने इस को सेवा करने दी हालांकि वो क़सम से पहले सेवा मौला के आदेश से किया करता था तो इस स्थिति में भी पापी होगा और तीसरी स्थिति यह है कि इस ने बग़ैर आदेश मौला के इस की सेवा की और पहले भी बग़ैर आदेश मौला के सेवा बदूं इस के आदेश के इस की और क़सम से पहले इस की सेवा बिल्कुल नहीं करता था तो इस स्थिति में भी पापी होगा और रहा कारण दिरम वो यह कि खादिम मज़कूर किसी दूसरे का

सूरत में भी हानिस होगा और रही वजह दिरम वो यह कि खादिम मज़कूर किसी दूसरे का ममलूक हो और इस में भी वही चार सूरतें हैं जो हम ने ऊपर बयान की हैं मगर इस वजह में पहली दोनों सूरतों के वुक़ूअ से हानिस होगा और पिछली

(1)क़ालल मुतरजम ज़ाहिरन मुरादयह है कि वो इस के मना करने से बाज+ रहा फ़ाफ़हम व फ़ीह बहस।

दोनों सूरतों के वुक़ूअ से हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि खादिम ममलूक ज़ैदसे खिदमत न चाहूंगा फिर खादिम मज़कूर से सरीह नहीं बल्कि इशारह से वुज़ू का पानी या पीने के वास्ते पानी मांगा और क़सम खाने के वक्त इस की कुछ नियत न थी कि क्योंकर या कैसी खिदमत न चाहूंगा तो यह शख़्स हानिस होगा ख़्वाह खादिम फ़लां इस को बजा लाये या लाये और अगर इस ने क़सम में यह नियत की हो कि इस तरह खिदमत न चाहूंगा कि मैं इस से खिदमत को कहूं तब वो खिदमत करदे तो 'दयानतन फ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहि तआला' इस के क़ौल की तसदीक़ होगी मगर क़ज़ाअन तसदीक़ न होगी और अगर क़सम खाई कि ज़ैद का खादिम मेरी खिदमत न करेंगा फिर क़सम खाने वाला और ज़ैद मज़कूर साथ दस्तरख़्वान पर खाने को बैठे और यही खादिम इन लोगों के खाने व पानी की ख़बर गीरी करता है तो हालिफ़ मज़कूर हानिस होगा और वाज़ह हो कि अन्दर घर के हर काम काज को खिदमत बोलते हैं और बाहर के काम काज मिस्ल खरीद व फ़रोख़्त वग़ैरह को तिजारत बोलते हैं और वो खिदमत में शुमार नहीं है और वाज़ह हो कि खादिम का इतलाक़ ग़ुलाम व बान्दी दोनों पर है ख़्वाह बड़ा हो या इतना छोटाकि खिदमत कर सकता है यह ज़हीरिया में है। क़ालल मुतरजम हमारे उर्फ़ में घर के काम काज के साथ बाज़ार के ज़रूरी खरीद व फ़रोख़्त भी खिदमत में दाखिल है और यही इन के उर्फ़ में भी बिना बर सही मुराद है और हा लफ़्ज़ खादिम सो हमारे उर्फ़ में ग़ुलाम पर बोला जाता है और नीज़ नौकर माहवारी व सालाना पर भी और बान्दी पर खादिम नहीं बल्कि खादिमा का इतलाक़ होता है और इसी तरह माहाना या सालाना पर जो औरत नौकर हो खादिमा

ममलूक हो और इस में भी वही चार सूरतें हैं जो हम ने ऊपर बयान की हैं मगर इस कारण में पहली दोनों स्थितियों के वुक़ूअ से पापी होगा और पिछली

(1)अनुवादक के कथनानुसार ज़ाहिरन तात्पर्ययह है कि वो इस के मना करने से कुछ रहा फ़ाफ़हम व फ़ीह बहस।

दोनों स्थितियों के वुक़ूअ से पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि खादिम ममलूक ज़ैदसे सेवा न चाहूंगा फिर खादिम मज़कूर से सरीह नहीं बल्कि इशारह से वुज़ू का पानी या पीने के लिए पानी मांगा और क़सम खाने के समय इस की कुछ इरादा न थी कि क्योंकर या कैसी सेवा न चाहूंगा तो यह व्यक्ति पापी होगा चाहे खादिम फ़लां इस को बजा लाये या लाये और अगर इस ने क़सम में यह इरादा की हो कि इस तरह सेवा न चाहूंगा कि मैं इस से सेवा को कहूं तब वो सेवा करदे तो 'दयानतन फ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहि तआला' इस के कथन की पुष्टि होगी मगर न्यायिक पुष्टि न होगी और अगर क़सम खाई कि ज़ैद का खादिम मेरी सेवा न करेंगा फिर क़सम खाने वाला और ज़ैद मज़कूर साथ दस्तरख़्वान पर खाने को बैठे और यही खादिम इन लोगों के खाने व पानी की खबर गीरी करता है तो शपथकर्ता मज़कूर पापी होगा और वाज़ह हो कि अन्दर घर के हर काम काज को सेवा बोलते हैं और बाहर के काम काज मिस्ल खरीद व फ़रोख़्त वग़ैरह को तिजारत बोलते हैं और वो सेवा में शुमार नहीं है और वाज़ह हो कि खादिम का इतलाक़ ग़ुलाम व बान्दी दोनों पर है चाहे बड़ा हो या इतना छोटाकि सेवा कर सकता है यह ज़हीरिया में है। अनुवादक के कथनानुसार हमारे उर्फ़ में घर के काम काज के साथ बाज़ार के ज़रूरी खरीद व फ़रोख़्त भी सेवा में दाखिल है और यही इन के उर्फ़ में भी बिना बर सही तात्पर्य है और हा लफ़्ज़ खादिम सो हमारे उर्फ़ में ग़ुलाम पर बोला जाता है और नीज़ नौकर माहवारी व सालाना पर भी और बान्दी पर खादिम नहीं बल्कि खादिमा का इतलाक़ होता है और इसी तरह माहाना या सालाना पर जो औरत नौकर हो खादिमा कहलाती है बिना बरीं मसाइल की तखरीज में फ़र्क़ मलहूज़ रखना चाहिए है फ़ाफ़हम। वल्लाहु तआला अलमुलहम लिलसदक़

कहलाती है बिना बरीं मसाइल की तखरीज में फ़र्क़ मलहूज़ रखना चाहिए है फ़ाफ़हम। वल्लाहु तआला अलमुलहम लिलसदक़ वलसवाब।

वाज़ह हो कि मज़ारअत में काश्तकार व मालिक ज़मीन जहां मज़कूर होते हैं इन से पोता दार मालिक ज़मीन मुराद नहीं हैं बल्कि बुटाई पर जोतने बोने वाले काश्तकार में और नीज़ बुटाई पर बाग़ बचाने वाले आमिल हैं व मालिक बाग़ व ज़मीन से इन्कार अक़्द मज़ारअत व मुखाबरत वग़ैरह होता है जो 'बजमीअ अक़सामहा किताबुल मज़ारअत' से मअ तफ़सील व इख़्तलाफ़ दरयाफ़्त होगा वहां से मालूम करना चाहिए जब यह मालूम हुआ तो हम कहते हैं कि किताब में मज़कूर है कि एक ने क़सम खाई कि मैं फ़लां के काश्तकारों में से न होंगा हालांकि इस वक्त वो फ़लां का काश्तकार है या कहा कि मैं फ़लां का जोता न होंगा हालांकि इस की ज़मीन इस के पास है और फ़लां मज़कूर ग़ायब है कि इसी साअत वो इस अक़्द को जो दोनों के दरमियान है नहीं तोड़ सकता है तो हानिस हो जायेगा इस वास्ते कि हानिस होने की शर्त यही है कि वो फ़लां के काश्तगारों में से हो और यह बात पाई गई और वो इस में मअज़ूर बउज़र शरई नहीं है और अगर वो मालिक ज़मीन के पास अक़्द मज़ारअत तोड़ने के वास्ते चला तो हानिस न होगा अगरचे मालिक ज़मीन शहर में न हो कहीं बाहर हो इस वजह से कि इतनी देरी क़सम से मुस्तसना होती है पस ऐसा हुआ कि जैसे किसी ने क़सम खाई कि इस घर में न रहूंगा और निकलना चाहा मगर इस ने कुंजी न पाई इल्ला बाद साअत के तो जब तक वो कुंजी की तलाश में है हानिस नहीं होता है पस ऐसा ही यहां भी है और अगर वो बाद क़सम के मालिक ज़मीन के पास जाकर इस को इस की ज़मीन वापिस कर देने के काम के वास्ते सिवाए और काम में मशग़ूल हुआ तो हानिस होगा जैसे कि मसला मकान में सिवाए कुंजी की जुस्तुजू के और काम में मशग़ूल होने से हानिस होता है इस वास्ते कि यह काम क़सम से मुस्तसना नहीं ह और अगर मालिक ज़मीन के पास बाहर जाने से इस को किसी आदमी ने रोका या मालिक ज़मीन शहर में मौजूद है वलसवाब।

वाज़ह हो कि मज़ारअत में काश्तकार व मालिक ज़मीन जहां मज़कूर होते हैं इन से पोता दार मालिक ज़मीन तात्पर्य नहीं हैं बल्कि बुटाई पर जोतने बोने वाले काश्तकार में और नीज़ बुटाई पर बाग़ बचाने वाले आमिल हैं व मालिक बाग़ व ज़मीन से इन्कार अक़्द मज़ारअत व मुखाबरत वग़ैरह होता है जो 'बजमीअ अक़सामहा किताबुल मज़ारअत' से मअ तफ़सील व मतभेद दरयाफ़्त होगा वहां से मालूम करना चाहिए जब यह मालूम हुआ तो हम कहते हैं कि किताब में मज़कूर है कि एक ने क़सम खाई कि मैं फ़लां के काश्तकारों में से न होंगा हालांकि इस समय वो फ़लां का काश्तकार है या कहा कि मैं फ़लां का जोता न होंगा हालांकि इस की ज़मीन इस के पास है और फ़लां मज़कूर ग़ायब है कि इसी साअत वो इस अक़्द को जो दोनों के दरमियान है नहीं तोड़ सकता है तो पापी हो जायेगा इस लिए कि पापी होने की शर्त यही है कि वो फ़लां के काश्तगारों में से हो और यह बात पाई गई और वो इस में मअज़ूर बउज़र शरई नहीं है और अगर वो मालिक ज़मीन के पास अक़्द मज़ारअत तोड़ने के लिए चला तो पापी न होगा चाहे मालिक ज़मीन शहर में न हो कहीं बाहर हो इस कारण से कि इतनी देरी क़सम से मुस्तसना होती है पस ऐसा हुआ कि जैसे किसी ने क़सम खाई कि इस घर में न रहूंगा और निकलना चाहा मगर इस ने कुंजी न पाई सिवा बाद साअत के तो जब तक वो कुंजी की तलाश में है पापी नहीं होता है पस ऐसा ही यहां भी है और अगर वो बाद क़सम के मालिक ज़मीन के पास जाकर इस को इस की ज़मीन वापिस कर देने के काम के लिए सिवाए और काम में मशग़ूल हुआ तो पापी होगा जैसे कि मसला मकान में सिवाए कुंजी की जुस्तुजू के और काम में मशग़ूल होने से पापी होता है इस लिए कि यह काम क़सम से मुस्तसना नहीं ह और अगर मालिक ज़मीन के पास बाहर जाने से इस को किसी आदमी ने रोका या मालिक ज़मीन शहर में मौजूद है मगर इस के

मगर इस के पास पहुंचने से किसी ने इस को रोका तो हानिस न होगा इस वास्ते कि फ़लां का काश्तकार होनो यही इस के हानिस होने की शर्त है और बावजूद मना के इस का तहक़्क़ुक़ न होगा चुनांचे इस का बयान ऊपर गुज़रा है हत्ता कि अगर इस ने यूं कहा कि अगर मैंने फ़लां की काश्तकारी न छोडी तो ऐसा तो वाजिब है कि मसला दो क़ौलों (यानी इख़्तलाफ़ हो) पर हो जैसे मकान की सुकूनत के मसले में हम ने बयान किया है यह फ़तावा कुबरा में है।

अगर मालिक ज़मीन या काश्तकार ने कहा कि 'अगर ऐन गश्त मुराबकार आमद ज़न मन तालिक़ा अस्त :

शैख़ नजमुद्दीन से दरयाफ़्त किया गया कि अहले हरफ़ा में से एक ने अपने कार के औज़ारों से काम न बताने पर यूं क़सम खाई कि अगर 'दस्त बर आन्हा नहम फ़कज़ा' यानी अगर इन को हाथ से छुवों ता मेरा गुलाम आज़ाद है मसलन फिर इस ने इन को हाथ से छुवा मगर काम बनाने के वास्ते नहीं यूं ही छुवा पस आया हानिस होगा या नहीं तो शैख़ ने फ़रमाया कि नहीं यह ख़ुलासा में है। एक ने फ़ारसी में कहा कि 'मन कश्त कुनम बदरीन दह ज़न मन तालिक़ा अस्त यअनी' अगर मैंने इस गांव में खेती करूं तो मेरी बीवी तालिक़ा है पस अगर इस ने खरबूज़ा या कपस की खेती की तो हानिस (1) होगा और अगर किसी दूसरे की बोई हुई खेती को पानी दिया या ज़मीन गोडी व हल चलाई की या खेती काटी तो हानिस न होगा और अगर दूसरे को मज़ारअत पर दीं दई या ज़राअत के वास्ते कोई शख़्स उजरत पर मक़रह किया जिस ने ज़राअत की तो भी हानिस न होगा बशर्तेकि यह शख़्स ऐसा हो कि ख़ुद अपने आप इस काम को करता हो क्योंकि इस ने अपने आप खेती नहीं की और अगर इस ने यह भी नियत की हो कि दूसरे को हुक्म न करूंगा तो इस की तसदीक़ होगी कि वो हानिस होगा इस वास्ते कि इस के लफ़्ज़ से यह मअनी भी निकल सकते हैं और इस में इस के ऊपर सख़्ती ज़ायद होती है न आसानी और अगर इस के गुलाम या मज़दूर

पास पहुंचने से किसी ने इस को रोका तो पापी न होगा इस लिए कि फ़लां का काश्तकार होनो यही इस के पापी होने की शर्त है और बावजूद मना के इस का तहक़्क़ुक़ न होगा चुनांचे इस का बयान ऊपर गुज़रा है हत्ता कि अगर इस ने यूं कहा कि अगर मैंने फ़लां की काश्तकारी न छोडी तो ऐसा तो अनिवार्य है कि मसला दो क़ौलों (यानी मतभेद हो) पर हो जैसे मकान की सुकूनत के मसले में हम ने बयान किया है यह फ़तावा कुबरा में है।

अगर मालिक ज़मीन या काश्तकार ने कहा कि 'अगर ऐन गश्त मुराबकार आमद ज़न मन तालिक़ा अस्त :

शैख़ नजमुद्दीन से दरयाफ़्त किया गया कि अहले हरफ़ा में से एक ने अपने कार के औज़ारों से काम न बताने पर यूं क़सम खाई कि अगर 'दस्त बर आन्हा नहम फ़कज़ा' यानी अगर इन को हाथ से छुवों ता मेरा गुलाम आज़ाद है मसलन फिर इस ने इन को हाथ से छुवा मगर काम बनाने के लिए नहीं यूं ही छुवा पस आया पापी होगा या नहीं तो शैख़ ने फ़रमाया कि नहीं यह ख़ुलासा में है। एक ने फ़ारसी में कहा कि 'मन कश्त कुनम बदरीन दह ज़न मन तालिक़ा अस्त यअनी' अगर मैंने इस गांव में खेती करूं तो मेरी बीवी तालिक़ा है पस अगर इस ने खरबूज़ा या कपस की खेती की तो पापी (1) होगा और अगर किसी दूसरे की बोई हुई खेती को पानी दिया या ज़मीन गोडी व हल चलाई की या खेती काटी तो पापी न होगा और अगर दूसरे को मज़ारअत पर दीं दई या ज़राअत के लिए कोई व्यक्ति उजरत पर मक़रह किया जिस ने ज़राअत की तो भी पापी न होगा बशर्तेकि यह व्यक्ति ऐसा हो कि ख़ुद अपने आप इस काम को करता हो क्योंकि इस ने अपने आप खेती नहीं की और अगर इस ने यह भी इरादा की हो कि दूसरे को आदेश न करूंगा तो इस की पुष्टि होगी कि वो पापी होगा इस लिए कि इस के लफ़्ज़ से यह मअनी भी निकल सकते हैं और इस में इस के ऊपर सख़्ती ज़ायद होती है न आसानी और अगर इस के गुलाम या मज़दूर ने इस के

ने इस के वास्ते खेती की हालांकि क़ब्ल क़सम के इस को हुक्म देता था तो वो हानिस होगा इल्ला आँकिइस ने खास्सतन अपने हाथ से खेती न करने की नियत की हो यह फ़तावा कुबरा में है। अगर मालिक ज़मीं या काश्तकार ने कहा कि 'अगर ऐन गश्त मराबकार अमद ज़न मन तालिक़ा अस्त' यानी अगर यह खेती मेरे काम आये तो मेरी बीवी तालिक़ा है फिर अपना हिस्सा पैदावार फ़रोख़्त कर दिया या किसी को क़रज़ा में दें दिया या हुबा कर दिया तो हानिस होगा और अगर इस को किसी ने तलफ़ कर दिया पस मालिक ने इस से तावान लिया और ले कर अपने नफ़क़ा में खर्च किया तो हानिस न होगा यह ख़ुलासा में है।

अगर कहा कि अगर मैंने फ़लां के लिये एक अदलिया (1) या निस्फ़ अदलिया की ज़मानत कर ली तो मेरी बीवी तालिक़ा है फिर इस के वास्ते किसी की तरफ़ से दस दिरहम ग़तरीफ़ा की ज़मानत क़बूल कर ली तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां के वास्ते काम न बनाउंगा और वो मौज़ा दोज़ है पस इस ने दुकान दार से मौज़ा दरज़ी के औज़ार खरीदे और मौज़ा बनाया फिर फ़लां मज़कूर के हाथ फ़रोख़्त कर दिया तो हानिस न होगा यह खज़ानतुल मुफ़तीन में है और शैख़ुल इस्लाम से दरयाफ्त किया गया कि ऐ मर्द के पास किराया भाड़े पर चलाने की चीज़ें हैं इस ने क़सम खाई कि अगर चीज़ों को किराया पर दूं तो मेरी बीवी पर तलाक़ है फिर इस की बीवी ने इन चीज़ों को इजारा पर दिया और इन की उजरत ख़ुद वसूल की ख़्वाह ख़ुद खर्च की या अपने शौहर को देदी तो शौहर मज़कूर हानिस न होगा और अगर मर्द मज़कूर ने मुसताजिरों से कहा हो कि तुम इन मकानों में रहो तो शैख़ुल इस्लाम से यह सूरत मंक़ूल नहीं है और बाज़ ने फ़रमाया कि चाहिए कि यह सूरत भी इजारह पर हो और वो अपनी क़सम में हानिस हो जाये और इसी तरह अगर इस ने मुसताजिरों से ऐसे महीने की उजरत का तक़ाज़ा किया जिस में वो लोग मकानों में नहीं रहे हैं तो भी यह अम्र इस की तरफ़ से इजारा है और वो अपनी क़सम में हानिस होगा और अगर इस ने ऐसे महीने की उजरत का तक़ाज़ा किया

लिए खेती की हालांकि क़ब्ल क़सम के इस को आदेश देता था तो वो पापी होगा सिवा आँकिइस ने खास्सतन अपने हाथ से खेती न करने की इरादा की हो यह फ़तावा कुबरा में है। अगर मालिक ज़मीं या काश्तकार ने कहा कि 'अगर ऐन गश्त मराबकार अमद ज़न मन तालिक़ा अस्त' यानी अगर यह खेती मेरे काम आये तो मेरी बीवी तालिक़ा है फिर अपना हिस्सा पैदावार फ़रोख़्त कर दिया या किसी को क़रज़ा में दें दिया या हुबा कर दिया तो पापी होगा और अगर इस को किसी ने तलफ़ कर दिया पस मालिक ने इस से तावान लिया और ले कर अपने नफ़क़ा में खर्च किया तो पापी न होगा यह ख़ुलासा में है।

अगर कहा कि अगर मैंने फ़लां के लिये एक अदलिया (1) या निस्फ़ अदलिया की ज़मानत कर ली तो मेरी बीवी तालिक़ा है फिर इस के लिए किसी की तरफ़ से दस दिरहम ग़तरीफ़ा की ज़मानत क़बूल कर ली तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि फ़लां के लिए काम न बनाउंगा और वो मौज़ा दोज़ है पस इस ने दुकान दार से मौज़ा दरज़ी के औज़ार खरीदे और मौज़ा बनाया फिर फ़लां मज़कूर के हाथ फ़रोख़्त कर दिया तो पापी न होगा यह खज़ानतुल मुफ़तीन में है और शैख़ुल इस्लाम से दरयाफ़्त किया गया कि ऐ मर्द के पास किराया भाड़े पर चलाने की चीज़ें हैं इस ने क़सम खाई कि अगर चीज़ों को किराया पर दूं तो मेरी बीवी पर तलाक़ है फिर इस की बीवी ने इन चीज़ों को इजारा पर दिया और इन की उजरत ख़ुद वसूल की चाहे ख़ुद खर्च की या अपने शौहर को देदी तो शौहर मज़कूर पापी न होगा और अगर मर्द मज़कूर ने मुसताजिरों से कहा हो कि तुम इन मकानों में रहो तो शैख़ुल इस्लाम से यह स्थिति मंक़ूल नहीं है और कुछ ने फ़रमाया कि चाहिए कि यह स्थिति भी इजारह पर हो और वो अपनी क़सम में पापी हो जाये और इसी तरह अगर इस ने मुसताजिरों से ऐसे महीने की उजरत का तक़ाज़ा किया जिस में वो लोग मकानों में नहीं रहे हैं तो भी यह कार्य इस की तरफ़ से इजारा है और वो अपनी क़सम में पापी होगा और अगर इस ने ऐसे महीने की उजरत का तक़ाज़ा

जिस में वो रह चुके हैं यानी चढ़ा हुआ पिछला (यानी गुज़रे माह का) किराया मांगा तो यह इजारा नहीं है और वो अपनी क़सम में हानिस न होगा यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि सोना या चांदी न छुउंगा फिर इस में से मज़रूब यानी सिक्का ज़रदह छुवा तो हानिस होगा यह मुहीत सुरखी में लिखा है।

(1) गेंहू वग़ैरह तोखेतियां मालूम हैं इन से तो हानिस ही होगा नीज]+रबूज़ा व कपचास बोने से भी हानिस होगा।
(2)अदलिया क़सम दिरहम नाक़िस कम क़ीमत व ग़तरीफि+या इस से बेहतर क़सम दिरहम है।
(1)पैशगी जो इजारा का दस्तूरशरई है।

अगर किसी नअल की निस्बत क़सम खाई कि इस को न पहनूंगा फिर इस का शिराक यानी तिसमा काट कर इस में लगा कर इस को पहना तो हानिस हुआ :

अगर क़सम खाई कि लकडी न छुउंगा फिर किसी दरख्त की पालू छुई तो हानिस न होगा बखिलाफ़ इस के अगर कहा कि जज़अ (1) या ऊद न छुउंगा तो ऐसी सूरत में हानिस होगा और अगर क़सम खाई कि बाल न छुउंगा फिर कमल छुआ तो हानिस न होगा और अगर क़सम खाई कि सौफ़ न छुउंगा फिर नमदह छुआ तो हानिस न होगा यह खज़ानतुल मुफ़तीन में है और अगर क़सम खाई कि वतद न छुउंगा फिर रशी फुई तो हानिस न होगा यह मबसूत में है। अगर क़सम खाई कि ज़मीन पर न चलूंगा। फिर मौज़ा या जूता पहन कर ज़मीन पर चला तो हानिस होगा और अगर ज़ीन पर फ़र्श व बिछोना बिछा ह1आ हो इस पर चला तो हानिस न होगा यह ज़हीरिया में है और अगर किसी नअल की निस्बत क़सम खाई कि इस को न पहनूंगा फिर इस का शिराक यानी तिसमा काट कर इस में लगा कर इस को पहना तो हानिस हुआ यह खज़ानतुल मुफ़तीन में है। अगर अपनी तरफ़ इशारह करकेइस तरह कहा कि अगर मेरे इस सर को किसी ने छुवा या अपनी तरफ़ इज़ाफ़त न की यूं ही कहा कि अगर इस सर को किसी ने छुआ तो मेरी बान्दी आज़ाद है फिर क़सम खाने वाले ने ख़ुद छुआ तो हानिस न होगा और इमाम मौहम्मद रह० ने रक़यात

किया जिस में वो रह चुके हैं यानी चढ़ा हुआ पिछला (यानी गुज़रे माह का) किराया मांगा तो यह इजारा नहीं है और वो अपनी क़सम में पापी न होगा यह मुहीत में है और अगर क़सम खाई कि सोना या चांदी न छुउंगा फिर इस में से मज़रूब यानी सिक्का ज़रदह छुवा तो पापी होगा यह मुहीत सुरखी में लिखा है।

(1)गेंहू वग़ैरह तोखेतियां मालूम हैं इन से तो पापी ही होगा नीज+]रबूज़ा व कपचास बोने से भी पापी होगा।
(2)अदलिया क़सम दिरहम नाक़िस कम क़ीमत व ग़तरीफि+या इस से बेहतर क़सम दिरहम है।
(1)पैशगी जो इजारा का दस्तूरशरई है।

अगर किसी नअल की तुलना में क़सम खाई कि इस को न पहनूंगा फिर इस का शिराक यानी तिसमा काट कर इस में लगा कर इस को पहना तो पापी हुआ :

अगर क़सम खाई कि लकडी न छुउंगा फिर किसी दरख्त की पालू छुई तो पापी न होगा बखिलाफ़ इस के अगर कहा कि जज़अ (1) या ऊद न छुउंगा तो ऐसी स्थिति में पापी होगा और अगर क़सम खाई कि बाल न छुउंगा फिर कमल छुआ तो पापी न होगा और अगर क़सम खाई कि सौफ़ न छुउंगा फिर नमदह छुआ तो पापी न होगा यह खज़ानतुल मुफ़तीन में है और अगर क़सम खाई कि वतद न छुउंगा फिर रशी फुई तो पापी न होगा यह मबसूत में है। अगर क़सम खाई कि ज़मीन पर न चलूंगा। फिर मौज़ा या जूता पहन कर ज़मीन पर चला तो पापी होगा और अगर ज़ीन पर फ़र्श व बिछोना बिछा ह1आ हो इस पर चला तो पापी न होगा यह ज़हीरिया में है और अगर किसी नअल की निस्बत क़सम खाई कि इस को न पहनूंगा फिर इस का शिराक यानी तिसमा काट कर इस में लगा कर इस को पहना तो पापी हुआ यह खज़ानतुल मुफ़तीन में है। अगर अपनी तरफ़ इशारह करकेइस तरह कहा कि अगर मेरे इस सर को किसी ने छुवा या अपनी तरफ़ इज़ाफ़त न की यूं ही कहा कि अगर इस सर को किसी ने छुआ तो मेरी बान्दी आज़ाद है फिर क़सम खाने वाले ने ख़ुद छुआ तो पापी न होगा और इमाम मौहम्मद रह० ने रक़यात में बयान फ़रमाया

में बयान फ़रमाया कि अगर क़सम खाई कि आज के रोज़ बाल न छुउंगा फिर इस ने अपना सर छुआ तो हानिस न होगा और अगर दूसरे का सर छुआ तो हानिस होगा यह ख़ुलासा में है। अगर क़सम खाई कि क़मार बाज़ी न करूंगा फिर इस ने यह कहा कि दस्त आरियत दिया तो हानिस होगा और अगर मुजाहिरी की तो बिना बर क़ौल मुख़्तार के हानिस न होगा यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है।

क़सम खाई 'मैं पेश कि ख़ुदाई फ़लां नकुनम व वकील वे न कुनम अगर कारे फ़रियायद बकुनम':

अगर क़सम खाई कि शुफ़आ सुपुर्द न करूंगा यानी न दे दूंगा फिर खामौश रहा और मुखासमा न कियसा यहां तक कि शुफ़आ बातिल हो गया तो हानिस न होगा और अगर शुफ़आ सुपुर्द करे कि वास्ते किसी को वकील किया तो हानिस होगा यह ज़हीरिया में है। एक शख़्स मज़दूर इन को मज़दूरी पर लेता है कि वो इस के वास्ते काम बनाते हैं फिर किसी कारीगर ने क़सम खाई कि इस के साथ काम न बनाउंगा फिर इस की राये में आया कि अच्छा इस का काम बनाउं तो फ़रमाया कि इस को चाहिए कि जिस चीज़ में इस का काम बनाया करता था वो चीज़ इस से खरीद ले और इस को तैयार करके फिर इसी के हाथ फ़रोख़्त कर दिये और इसी तरह अगर जो लाहा ने क़सम खाई कि अगर एक साल तक किसी का सूत लूं और इस को इस का कपड़ा बुन कर दूं तो मेरी बीवी तालिक़ा है तो अगर वो इस से सूत खरीद करके बाद बुने के इसी के हाथ फ़रोख़्त कर दे तो हासि न होगा और अगर ख़ुमार यदूं सूत खरीदने के बुन दी तो हानिस न होगा इस वास्ते कि ख़ुमार मुख़्तस बइस्म अलाहिदा है यह फ़तावा नसफ़ी में लिखा है कि एक ने क़सम खाई कि मैं पेश (2) 'कि ख़ुदाई फ़लां नकुनम व वकील वे न कुनम अगर कारे फ़रियायद बकुनम' पस इस पर क़सम खाई फिर मौक्किल ने किसी और को जिस पर हालिफ़ ने क़सम खाकर मुअय्यन किया है मुक़र्रर किया फिर मौक्किल ने इस को (1) हुक्म किया कि इस के

कि अगर क़सम खाई कि आज के रोज़ बाल न छुउंगा फिर इस ने अपना सर छुआ तो पापी न होगा और अगर दूसरे का सर छुआ तो पापी होगा यह ख़ुलासा में है। अगर क़सम खाई कि क़मार बाज़ी न करूंगा फिर इस ने यह कहा कि दस्त आरियत दिया तो पापी होगा और अगर मुजाहिरी की तो बिना बर कथन मुख़्तार के पापी न होगा यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है।

क़सम खाई 'मैं पेश कि ख़ुदाई फ़लां नकुनम व वकील वे न कुनम अगर कारे फ़रियायद बकुनम':

अगर क़सम खाई कि शुफ़आ सुपुर्द न करूंगा यानी न दे दूंगा फिर खामौश रहा और मुखासमा न कियसा यहां तक कि शुफ़आ बातिल हो गया तो पापी न होगा और अगर शुफ़आ सुपुर्द करे कि लिए किसी को वकील किया तो पापी होगा यह ज़हीरिया में है। एक व्यक्ति मज़दूर इन को मज़दूरी पर लेता है कि वो इस के लिए काम बनाते है फिर किसी कारीगर ने क़सम खाई कि इस के साथ काम न बनाउंगा फिर इस की राये में आया कि अच्छा इस का काम बनाउं तो फ़रमाया कि इस को चाहिए कि जिस चीज़ में इस का काम बनाया करता था वो चीज़ इस से खरीद ले और इस को तैयार करके फिर इसी के हाथ फ़रोख़्त कर दिये और इसी तरह अगर जो लाहा ने क़सम खाई कि अगर एक साल तक किसी का सूत लूं और इस को इस का कपड़ा बुन कर दूं तो मेरी बीवी तालिक़ा है तो अगर वो इस से सूत खरीद करके बाद बुने के इसी के हाथ फ़रोख़्त कर दे तो हासि न होगा और अगर ख़ुमार यदूं सूत खरीदने के बुन दी तो पापी न होगा इस लिए कि ख़ुमार मुख़्तस बइस्म अलाहिदा है यह फ़तावा नसफ़ी में लिखा है कि एक ने क़सम खाई कि मैं पेश (2) 'कि ख़ुदाई फ़लां नकुनम व वकील वे न कुनम अगर कारे फ़रियायद बकुनम' पस इस पर क़सम खाई फिर मौक्किल ने किसी और को जिस पर शपथकर्ता ने क़सम खाकर मुअयन किया है मुक़र्रर किया फिर मौक्किल ने इस को (1) आदेश किया कि इस के

(2) वास्ते यह काम करदे पस अगर यह काम इस के वास्ते करेगा तो भी हानिस होगा यह ख़ुलासा में है और अगर क़सम खाई कि अगर मैंने इस बैत में कोई इमारत तामीर की तो मेरी बीवी तालिक़ा है फिर इस की दीवार जो इस के और पड़ोसी के दरमियान मुशतरिक ही खराब हो गई फिर इस ने यह दीवार बनवाई और इस से क़सद यह किया कि पड़ोसी के बैत की तामीर करता हूं तो अपनी क़सम में हानिस होगा यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है। शैख़ुल इस्लाम औज़जन्दी से पूछा गया कि किसी ने कहा कि अगर मैंने कल के रोज़ फ़लां के घर को खराब न किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर वो क़ैद किया गया और रोका गया हत्ता कि इस ने फ़लां का घर कल के रोज़ खराब न किया तो फ़रमाया कि इस में मशाइख का इख़्तलाफ़ है और फ़तवा के वास्ते मुख़्तार8 यह है कि वो हानिस हो जायेगा। यह ज़खीरा में लिखा है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।

(1)जज़अशाख+ दर]त व ऊद लकड़ी।
(2) मैं आइन्दा फ़लां की कद+]ुदाई न करूंगा और इस की वकालत न करूंगा और अगर कोई काम फ़रमा देगा तो करूंगा।
(1)हालिफ+ को।
(2)वकील मुक़र्ररशुदह।

(2) लिए यह काम करदे पस अगर यह काम इस के लिए करेगा तो भी पापी होगा यह ख़ुलासा में है और अगर क़सम खाई कि अगर मैंने इस घर में कोई इमारत तामीर की तो मेरी बीवी तालिक़ा है फिर इस की दीवार जो इस के और पड़ोसी के दरमियान मुशतरिक ही खराब हो गई फिर इस ने यह दीवार बनवाई और इस से क़सद यह किया कि पड़ोसी के घर की तामीर करता हूं तो अपनी क़सम में पापी होगा यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है। शैख़ुल इस्लाम औज़जन्दी से पूछा गया कि किसी ने कहा कि अगर मैंने कल के रोज़ फ़लां के घर को खराब न किया तो मेरा ग़ुलाम आज़ाद है फिर वो क़ैद किया गया और रोका गया हत्ता कि इस ने फ़लां का घर कल के रोज़ खराब न किया तो फ़रमाया कि इस में विद्वानों का मतभेद है और फ़तवा के लिए मुख़्तार8 यह है कि वो पापी हो जायेगा। यह ज़खीरा में लिखा है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।

(1)जज़अशाख+ दर]त व ऊद लकड़ी।
(2) मैं आइन्दा फ़लां की कद+]ुदाई न करूंगा और इस की वकालत न करूंगा और अगर कोई काम फ़रमा देगा तो करूंगा।
(1)पथकर्ता को।
(2)वकील मुक़र्ररशुदह।

किताबुल हुदूद

इस में छः अबवाब हैं

बाबः 1

हद की तफ़सीर शराई व इस के रूक्न व शर्त व हुक्म के बयान में

हद की तफ़सीर शरई :

शरीअत में हद ऐसी उक़ूबत मुक़द्दरह (1) है जो अल्लाह तआला के हक़ के वास्तेक हो। पस क़िसास को हद न कहेंगे कि वो हक़ उल अब्द है और तअज़ीर को हद न कहेंगे इस वास्ते कि वो मुक़द्दर नहीं है यह हिदाया में है। इस का रूक्न यह है कि इमाम उल मुस्लिमीन इस को क़ायम करे या जो क़ायम करने में इमाम का नाइब हो और शर्त यह है कि जिस पर हद क़ायम की जाये वो सही उल अक़्ल, सलीम उल बदन हो और ऐसा हो कि इबरत पकडे और डरे पस मजनून व जो नशा में हो मरीज़ व ज़ईफ़ उल खल्क़त पर हद क़ायूम न की जायेगी इल्ला बाद सेहत (2) व इफ़ाक़ा के यह मुहीत सुरखी में है।

हुक्म व शर्त :

इस का असली हुक्म यह है कि जिस से बन्दगान खार को ज़रूर पहुंचता है इस से अनर जार हो और दारूल इस्लाम फ़साद से मसउन रहे और रहा गुनाहों से पाक हो जाना सौ इस का असली हुक्म नहीं है इस वास्ते कि गुनाहों से पाक होना तौबा से हासिल होता है न हद क़ायम करने से और इसी वास्ते काफ़िर पर हद क़ायम की जाती है हालांकि इस के वास्ते गुनाहों से तहारत नहीं होती है यह तबयुन में है।

किताबुल दंड

इस में छः अध्याय हैं

अध्याय 1

दंड की शराई व्याख्या व इस के आधार व शर्त व आदेश के वर्णन में

दंड की धर्मानुसार व्याख्या :

शरीअत में हद ऐसी उक़ूबत मुक़द्दरह (1) है जो अल्लाह तआला के हक़ के वास्तेक हो। पस क़िसास को हद न कहेंगे कि वो हक़ उल अब्द है और तअज़ीर को हद न कहेंगे इस लिए कि वो मुक़द्दर नहीं है यह हिदाया में है। इस का रूक्न यह है कि इमाम उल मुस्लिमीन इस को क़ायम करे या जो क़ायम करने में इमाम का नाइब हो और शर्त यह है कि जिस पर हद क़ायम की जाये वो सही उल अक़्ल, सलीम उल बदन हो और ऐसा हो कि इबरत पकडे और डरे पस मजनून व जो नशा में हो मरीज़ व ज़ईफ़ उल खल्क़त पर हद क़ायूम न की जायेगी सिवा बाद सेहत (2) व इफ़ाक़ा के यह मुहीत सुरखी में है।

आदेश व शर्त :

इस का असली आदेश यह है कि जिस से बन्दगान खार को ज़रूर पहुंचता है इस से अनर जार हो और दारूल इस्लाम फ़साद से मसउन रहे और रहा गुनाहों से पाक हो जाना सौ इस का असली आदेश नहीं है इस लिए कि गुनाहों से पाक होना तौबा से हासिल होता है न हद क़ायम करने से और इसी लिए काफ़िर पर हद क़ायम की जाती है हालांकि इस के लिए गुनाहों से तहारत नहीं होती है यह तबयुन में है।

बाबः 2

ज़िना के बयान में

ज़िना इस को कहते हैं कि पूरी करे मर्द अपनी शहवत बसिफ़त महरम होने के ऐसी औरत के क़ब्ल में जो दोनों तरह की मिल्क और दोनों के शुब्हा और इश्तबाह से खाली हो या औरत अपने ऊपर ऐसे ही फ़अल का क़ाबू दे या निहाया में है और पस मजनून व तफ़ल आक़िल की वती ज़िना न होगी इस वास्ते कि इन दोनों का फ़अल बसिफ़ते हुरमत मौसूफ़ नहीं होता है यह मुहीत सुरखी में है। और इस तरह अगर मर्द ने अपने पिसर या मकातिब की बान्दी या अपने ग़ुलाम माज़ूं मदयूं की बान्दी से वती की या जिहाद में लूट की या बान्दी से बाद दारल इस्लाम में अहराज़ करने के ग़ाज़ी ने वती की तो ज़िना न होगा क्योंकि शुबह मुल्क यमीन है इस तरह अगर ऐसी औरत से वती की जिस से बग़ैर गवाहों के निकाह किया हो या ऐसी बान्दी से वती की जिस से बदूं इजाज़त इस के मौला ने निकाह किया है यानी बान्दी ने अपने मौला से

(1)ानी इस की मिक्दार व मफ+रूज+ हो कि इस में कमी व ज+यादती नहो सके।
(2)और इस तरह जो औरत ज़न से हामिला हो इस पर हद क़ायम करने में ताखीर की जायेगीयहां तक कि वो वज़अ+ अमल करे।

इजाज़त नहीं ली थी या ग़ुलाम ने ऐसी औरत से वती की जिस से बदूं इजाज़त अपने मौला के निकाह किया है या मर्द ने ऐसी बान्दी से वती की जिस को अपनी आज़ादा औरत के ऊपर ब्याह लाया है तो यह ज़िना नहीं है क्योंकि शुब्हा इशतबाह है यह निहाया में है और रूक्न ज़िना यह है कि इल्तक़ाये खतानीन व मवारात हशफ़ा (1) पाया जाये इस वास्ते कि इसी क़द्र से ईलाज व वती (2) मुतहक़्क़िक़ हो जायेगी। इस की शर्त यह है कि तहरीम से वाक़िफ़ हो हत्ता कि अगर इस ने तहरीम

अध्याय 2

ज़िना के बयान में

ज़िना इस को कहते हैं कि पूरी करे मर्द अपनी शहवत बसिफ़त महरम होने के ऐसी औरत के क़ब्ल में जो दोनों तरह की मिल्क और दोनों के शुब्हा और इश्तबाह से खाली हो या औरत अपने ऊपर ऐसे ही फ़अल का क़ाबू दे या निहाया में है और पस मजनून व तफ़ल आक़िल की वती ज़िना न होगी इस लिए कि इन दोनों का फ़अल बसिफ़ते हुरमत मौसूफ़ नहीं होता है यह मुहीत सुरखी में है। और इस तरह अगर मर्द ने अपने पिसर या मकातिब की बान्दी या अपने ग़ुलाम माज़ूं मदयूं की बान्दी से वती की या जिहाद में लूट की या बान्दी से बाद दारल इस्लाम में अहराज़ करने के ग़ाज़ी ने वती की तो ज़िना न होगा क्योंकि शुबह मुल्क यमीन है इस तरह अगर ऐसी औरत से वती की जिस से बग़ैर गवाहों के निकाह किया हो या ऐसी बान्दी से वती की जिस से बदूं इजाज़त इस के मौला ने निकाह किया है यानी बान्दी ने अपने मौला से

(1)ानी इस की मिक्दार व मफ+रूज+ हो कि इस में कमी व ज+यादती नहो सके।
(2)और इस तरह जो औरत ज़न से हामिला हो इस पर हद क़ायम करने में ताखीर की जायेगीयहां तक कि वो वज़अ+ अमल करे।

इजाज़त नहीं ली थी या ग़ुलाम ने ऐसी औरत से वती की जिस से बदूं इजाज़त अपने मौला के निकाह किया है या मर्द ने ऐसी बान्दी से वती की जिस को अपनी आज़ादा औरत के ऊपर ब्याह लाया है तो यह ज़िना नहीं है क्योंकि शुब्हा इशतबाह है यह निहाया में है और रूक्न ज़िना यह है कि इल्तक़ाये खतानीन व मवारात हशफ़ा (1) पाया जाये इस लिए कि इसी क़द्र से ईलाज व वती (2) मुतहक़्क़िक़ हो जायेगी। इस की शर्त यह है कि तहरीम से वाक़िफ़ हो हत्ता कि अगर इस ने तहरीम

को न जाना तो बसबब शुब्हा वाक़े होने के हद क़ायम न की जायेगी यह मुहीत सुरखी में है और ज़िना हाकिम के नज़दीक बतौर ज़ाहिर इस तरह साबित होगा कि चार गवाह इस की बलफ़्ज़े ज़िना गवाही दी तो क़ाज़ी ने बलफ़्ज़े वती व जिमाअ यह तबय्युन में है और जब चार गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की मज्लिस वाहिद में गवाही दी तो क़ाज़ी इस से दरयाफ़्त करेगा कि ज़िना क्या चीज़ है और इस ने कहां ज़िना किया पस जब उन्होंने बयान कि जो हक़ीक़तन ज़िना है और कहा कि इस ने (3) इस तरह दाखिल कर दिया जैसे सुरमा दानी के अन्दर सलाई तो अब इस से दरयाफ़्त करेगा कि कैफ़ियत ज़िना क्या है। फिर जब उन्होंने कैफ़ियत ज़िना बयान कर दी तो इन से वक़्त दरयाफ़्त करेगा फिर जब उन्होंने ऐसा वक़्त बयान किया कि इस को ज़माना दराज़ नहीं गुज़रा है यानी ऐसा वक़्त बयान किया कि यह लाज़िम नहीं आता है कि ज़माना दराज़ गुज़रने पर गवाही अदा हुई है तो फिर जिस औरत से ज़िना किया है इस को पूछेगा फिर इनसे मकान दरयाफ़्त करेगा फिर जब उन्होंने मकान बयान किया और क़ाज़ी इन की अदालत को जानता है तो मशहूर अलैहि से इस का अहसान (1) दरयाफ़्त करेगा पस अगर इस ने कहा कि मोहसिन हूं या इस के इन्कार अहसान पर गवाहों ने इस की मोहसिन होने की गवाही दी तो हाकिम इस से अहसान की तारीफ़ दरयाफ़्त करेगा कि किस को कहते हैं पस अगर इस ने ठीक ठीक बयान कर दिया तो इस को रजम करेगा। अगर इस ने ठीक ठीक न बयान किया मगर गवाहों से इस का मोहसन होगा साबित हुआ तो गवाहों से अहसान को दरयाफ़्त करेगा पस अगर उन्होंने ठीक ठीक बयान कर दिया तो इस का रजम करना वाजिब होगा। और अगर मशहूद अलैहि ने कहा कि मैं मोहसन नहीं हूं और गवाहों ने इस के मोहसन होने पर गवाही न दी तो इस को दुर्रे मारे जाऐंगे और अगर क़ाज़ी इन गवाहों की अदालत न जानता हो तो मशहूद अलैहि को इन की अदालत ज़ाहिर होने तक क़ैद रखेगा यह मुहीत में है।

अगर चार गवाहों ने किसी मर्द पर ज़िना की गवाही दी पस इन से ज़िना की कैफ़ियत व माहियत

को न जाना तो बसबब शुब्हा स्थपित होने के हद क़ायम न की जायेगी यह मुहीत सुरखी में है और ज़िना हाकिम के निकट बतौर ज़ाहिर इस तरह सिद्ध होगा कि चार गवाह इस की बलफ़्ज़े ज़िना गवाही दी तो क़ाज़ी ने बलफ़्ज़े वती व जिमाअ यह तबय्युन में है और जब चार गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की मज्लिस वाहिद में गवाही दी तो क़ाज़ी इस से दरयाफ़्त करेगा कि ज़िना क्या चीज़ है और इस ने कहां ज़िना किया पस जब उन्होंने बयान कि जो वास्तव में ज़िना है और कहा कि इस ने (3) इस तरह दाखिल कर दिया जैसे सुरमा दानी के अन्दर सलाई तो अब इस से दरयाफ़्त करेगा कि कैफ़ियत ज़िना क्या है। फिर जब उन्होंने कैफ़ियत ज़िना बयान कर दी तो इन से समय दरयाफ़्त करेगा फिर जब उन्होंने ऐसा समय बयान किया कि इस को ज़माना दराज़ नहीं गुज़रा है यानी ऐसा समय बयान किया कि यह अनिवार्य नहीं आता है कि ज़माना दराज़ गुज़रने पर गवाही अदा हुई है तो फिर जिस औरत से ज़िना किया है इस को पूछेगा फिर इनसे मकान दरयाफ़्त करेगा फिर जब उन्होंने मकान बयान किया और क़ाज़ी इन की अदालत को जानता है तो मशहूर अलैहि से इस का अहसान (1) दरयाफ़्त करेगा पस अगर इस ने कहा कि मोहसिन हूं या इस के इन्कार अहसान पर गवाहों ने इस की मोहसिन होने की गवाही दी तो हाकिम इस से अहसान की तारीफ़ दरयाफ़्त करेगा कि किस को कहते हैं पस अगर इस ने ठीक ठीक बयान कर दिया तो इस को रजम करेगा। अगर इस ने ठीक ठीक न बयान किया मगर गवाहों से इस का मोहसन होगा सिद्ध हुआ तो गवाहों से अहसान को दरयाफ़्त करेगा पस अगर उन्होंने ठीक ठीक बयान कर दिया तो इस का रजम करना अनिवार्य होगा। और अगर मशहूद अलैहि ने कहा कि मैं मोहसन नहीं हूं और गवाहों ने इस के मोहसन होने पर गवाही न दी तो इस को दुर्रे मारे जाऐंगे और अगर क़ाज़ी इन गवाहों की अदालत न जानता हो तो मशहूद अलैहि को इन की अदालत ज़ाहिर होने तक क़ैद रखेगा यह मुहीत में है।

अगर चार गवाहों ने किसी मर्द पर ज़िना की गवाही दी पस इन से ज़िना की कैफ़ियत व माहियत

दरयाफ़्त की गई तो उन्होंने कहा कि हम इस से ज़्यादा तुझ से नहीं बयान करेंगे तो इन की गवाही क़बूल न होगी मगर इन पर हद (2) भी वाजिब न होगी क्योंकि जितने अदद इस की गवाही में चाहिए इतनी तअदाद इन की है क्योंकि गवाहों की तअदाद कामिल होना वजूबे हद (3) से मानअ है जैसे कि मशहूद अलैहि पर चार औरतों ने गवाही दी तो इन पर हद क़ज़फ़ नहीं मारी जायेगी और इसी तरह अगर बाज़ गवाहों ने कैफ़ियत व माहियत बयान की और बाज़ ने बयान न की तो मर्द मशहूद अलैहि पर हद क़ायम न की जायेगी और नीज़ गवाहों पर भी हद क़ज़फ़ लाज़िम न आयेगी यह मबसूत में है और ज़िना का सुबूत मर्द के इक़रार से भी होता है यह बहरूल राइक़ में है और अगर इस ने सिवाए क़ाज़ी के किसी दूसरे के सामने जिस को इक़ामत हुदूद का इख़्तयार नहीं हासिल है इक़रार किया तो इस का कुछ ऐतबार नहीं है अगरचे चार मर्तबा इक़रार किया हो पस इस के ऐसे इक़रार पर गवाही मक़बूल न होगी यह तबयुन में है और ज़रूर है कि इक़रार सरीह हो और इस का कज़ब ज़ाहिर न हो पस गूंगे को इक़रार पर हद न मारी जायेगी अगर अपनी तहरीर के ज़रिये से या इशारह से इक़रार किया इसी तरह (4) इस पर गवाही भी मक़बूल न होगी इस वास्ते कि शायद वो शुब्हा का मुदआ हो यह नहर उल फ़ाइक़ में है। अगर

(1)यानी मर्द व औरत का मौज़ाखला बाहम मिल जाऐं और मर्द का सर ज़कर फ़ुर्ज के अन्दर ग़ायब हो जाये।
(2)दाखिल करना।
(3)यानी निकाहशरई के साथ इन को अज्दवाज हासिल हुआ कि नहीं।
(1)यानी हद क़ज़फ़।
(2)यानी हद क़ज़ु+ से।
(3)यानी मुआयना की गवाही।
(4)जिस को ज़बान से इज़हार नहीं कर सकता है।

मर्द ने इक़रार किया कि मैंने गूंगी औरत से ज़िना किया या औरत ने इक़रार किया कि मैंने गूंगे मर्द से ज़िना किया तो दोनों में से किसी पर हद वाजिब न होगी यह फ़तहुल क़दीर में है। और इसी तरह अगर मर्द ने ज़िना का इक़रार किया फिर ज़ाहिर किया कि वो महबूब है या औरत ने इक़रार किया फिर ज़ाहिर हुआ कि वो

दरयाफ्त की गई तो उन्होंने कहा कि हम इस से ज़्यादा तुझ से नहीं बयान करेंगे तो इन की गवाही क़बूल न होगी मगर इन पर हद (2) भी अनिवार्य न होगी क्योंकि जितने अदद इस की गवाही में चाहिए इतनी तअदाद इन की है क्योंकि गवाहों की तअदाद कामिल होना वजूबे हद (3) से मानअ है जैसे कि मशहूद अलैहि पर चार औरतों ने गवाही दी तो इन पर हद क़ज़फ़ नहीं मारी जायेगी और इसी तरह अगर कुछ गवाहों ने कैफ़ियत व माहियत बयान की और कुछ ने बयान न की तो मर्द मशहूद अलैहि पर हद क़ायम न की जायेगी और नीज़ गवाहों पर भी हद क़ज़फ़ अनिवार्य न आयेगी यह मबसूत में है और ज़िना का सुबूत मर्द के स्वीकार से भी होता है यह बहरूल राइक़ में है और अगर इस ने सिवाए क़ाज़ी के किसी दूसरे के सामने जिस को इक़ामत हुदूद का अधिकार नहीं हासिल है स्वीकार किया तो इस का कुछ ऐतबार नहीं है चाहे चार मर्तबा स्वीकार किया हो पस इस के ऐसे स्वीकार पर गवाही मक़बूल न होगी यह तबयुन में है और ज़रूर है कि स्वीकार सरीह हो और इस का कज़ब ज़ाहिर न हो पस गूंगे को स्वीकार पर हद न मारी जायेगी अगर अपनी तहरीर के ज़रिये से या इशारह से स्वीकार किया इसी तरह (4) इस पर गवाही भी मक़बूल न होगी इस लिए कि शायद वो शुब्हा का मुदआ हो यह नहर उल फ़ाइक़ में है। अगर

(1)यानी मर्द व औरत का मौज़ाखला बाहम मिल जाऐं और मर्द का सर ज़कर फ़ुर्ज के अन्दर ग़ायब हो जाये।
(2)दाखिल करना।
(3)यानी निकाहशरई के साथ इन को अज्दवाज हासिल हुआ कि नहीं।
(1)यानी हद क़ज़फ़।
(2)यानी हद क़ज़ु+ से।
(3)यानी मुआयना की गवाही।
(4)जिस को ज़बान से इज़हार नहीं कर सकता है।

मर्द ने स्वीकार किया कि मैंने गूंगी औरत से ज़िना किया या औरत ने स्वीकार किया कि मैंने गूंगे मर्द से ज़िना किया तो दोनों में से किसी पर हद अनिवार्य न होगी यह फ़तहुल क़दीर में है। और इसी तरह अगर मर्द ने ज़िना का स्वीकार किया फिर ज़ाहिर किया कि वो महबूब है या औरत ने स्वीकार किया फिर ज़ाहिर हुआ

रतक़ा है बईं तौर कि औरतों ने इस के रतक़ा (1) होने की गवाही दी क़ब्ल इस के हद मारी जाये तो हद वाजिब न होगी और यह भी ज़रूर है कि दोनों में से एक दूसरे की तकज़ीब न करे चुनांचे अगर मर्द ने ज़िना का इक़रार किया और औरत ने जिस के साथ इस फ़अल का इक़रार करता है इन्कार किया या औरत ने इक़रार कियसा और मर्द ने इन्कार किया तो इमाम रह० के अनुसार दोनों में से किसी पर हद वाजिब न होगी यह नहर उल फ़ाइक़ में है।

ज़रूर है कि इक़रार है और इक़रार हालत हौश में हो हत्ता कि अगर इस ने नशा में इक़रार किया तो इस को हद न मारी जायेगी यह बहर उल राइक़ में है और इकराह मानअ सेहत मौज्जिब शुबहा है औरत के हक़ में यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है और इक़रार की यह सूरत है कि इक़रार कुनिन्दा आक़िल बालिग़ अपनी ज़ात पर चार मर्तबा अपनी चार मज्लिसों में ज़िना करने का इक़रार करे यह हिदाया में है और बाज़ों ने कहा कि मजालिस (1) क़ाज़ी का ऐतबार है और अव्ल असह ही कज़ा फ़िल उल सिराज उल वहाज और यही सही है यह शरह तहावा में है और ज़िना के इक़रार कुनिन्दा की मज्लिसों का मुख़्तलिफ़ होना हमारे नज़दीक शर्त ही कज़ा फ़िल शमनी पस अगर इस ने मज्लिस वाहिद में चार मर्तबा इक़रार किया तो यह बमन्ज़िला एक दफ़ा इक़रार के है यह जोहरा नेहरा में है। मजालिस इक़रार के इख़्तलाफ़ की यह सूरत है कि हर बार वो इक़रार करे क़ाज़ी इस को रद करदे पस चला जाये यहां तक कि क़ाज़ी की नज़र से ग़ायब हो जाये फिर आये और आकर इक़रार (2) करे यह काफ़ी में है और इमामुल मुस्लिमीन को चाहिए कि इक़रार कुनिन्दा को इक़रार से ज़जर करे और कराहत ज़ाहिर करे और इस के एक तरफ़ दूर करने का हुक्म करे यह मुहीत में है पस जब इस ने चार मर्तबा इक़रार किया तो इस की हालत पर नज़र करे पस अगर मालूम हो कि यह सही उल अक़्ल है और यह ऐसा है कि इस का इक़रार जाइज़ है तो इस से दरयाफ़्त करेगा कि ज़िना किया है और क्योंकर होता है और किस के साथ ज़िना कियसा है और कहां है क्योंकि इस में

कि वो रतक़ा है बईं तौर कि औरतों ने इस के रतक़ा (1) होने की गवाही दी क़ब्ल इस के हद मारी जाये तो हद अनिवार्य न होगी और यह भी ज़रूर है कि दोनों में से एक दूसरे की झुठलाना न करे चुनांचे अगर मर्द ने ज़िना का स्वीकार किया और औरत ने जिस के साथ इस फ़अल का स्वीकार करता है इन्कार किया या औरत ने स्वीकार कियसा और मर्द ने इन्कार किया तो इमाम रह० के अनुसार दोनों में से किसी पर हद अनिवार्य न होगी यह नहर उल फ़ाइक़ में है।

ज़रूर है कि स्वीकार है और स्वीकार हालत हौश में हो हत्ता कि अगर इस ने नशा में स्वीकार किया तो इस को हद न मारी जायेगी यह बहर उल राइक़ में है और इकराह मानअ सेहत मौज्जिब शुबहा है औरत के हक़ में यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है और स्वीकार की यह स्थिति है कि स्वीकार कतने वाला आक़िल बालिग अपनी ज़ात पर चार मर्तबा अपनी चार मज्लिसों में ज़िना करने का स्वीकार करे यह हिदाया में है और बाज़ों ने कहा कि मजालिस (1) क़ाज़ी का ऐतबार है और अव्ल असह ही कज़ा फ़िल उल सिराज उल वहाज और यही सही है यह शरह तहावा में है और ज़िना के स्वीकार कतने वाला की मज्लिसों का मुख़्तलिफ़ होना हमारे निकट शर्त ही कज़ा फ़िल शमनी पस अगर इस ने मज्लिस वाहिद में चार मर्तबा स्वीकार किया तो यह बमन्ज़िला एक दफ़ा स्वीकार के है यह जोहरा नेहरा में है। मजालिस स्वीकार के मतभेद की यह स्थिति है कि हर बार वो स्वीकार करे क़ाज़ी इस को रद करदे पस चला जाये यहां तक कि क़ाज़ी की मन्नत से ग़ायब हो जाये फिर आये और आकर स्वीकार (2) करे यह काफ़ी में है और इमामुल मुस्लिमीन को चाहिए कि स्वीकार कतने वाला को स्वीकार से ज़जर करे और कराहत ज़ाहिर करे और इस के एक तरफ़ दूर करने का आदेश करे यह मुहीत में है पस जब इस ने चार मर्तबा स्वीकार किया तो इस की हालत पर मन्नत करे पस अगर मालूम हो कि यह सही उल अक़्ल है और यह ऐसा है कि इस का स्वीकार जाइज़ है तो इस से दरयाफ़्त करेगा कि ज़िना किया है और क्योंकर होता है और किस के साथ ज़िना कियसा है और कहां है

शुब्हा का अहतमाल है यह मुहीत में सुरखी में है और रहा यह सवाल कि कब ज़िना किया है तो बाज़ ने फ़रमाया कि ज़माना ज़िना दरयाफ्त न करेगा इस वास्ते कि ज़माना दराज़ हो जाना गवाही से मानअ है न इक़रार से और असह यह है कि ज़माना भी दरयाफ्त करेगा इस वास्ते कि अहतमाल है कि शायद इस ने अय्याम नाबालग़ी में ज़िना किया हो पस जब इस को भी दरयाफ़्त कर लिया और ज़ाहिर हुआ कि इस ने ज़िना किया है तो इस से दरयाफ़्त करेगा कि वो मोहसन है पस अगर इस ने कहा कि वो मोहसन है तो दरयाफ़्त करेगा कि अहसान किया है पस अगर इस ने अहसान को भी ठीक ठीक इस के शराइत से बयान किया तो इस के रजम का हुक्म देगा यह तबयुन में है।

अगर चार गवाहों ने एक शख़्स पर ज़िना करने की गवाही दी पस इस ने एक मर्तबा इक़रार कर लिया, इस बाबत इमाम मौहम्मद रह० और इमाम अबू यूसुफ़ रह० के माबैन इख़्तलाफ़ का बयान :

अगर इक़रार कुनिन्दा ने कहा कि मैं मोहसन नहीं हो और गवाहों ने इस के मोहसन होने की गवाही दी तो इमाम इस को रजम कर देगा यह मुहीत में है और इस को तलक़ीन करना मन्दूब है यानी यूं कहे शायद तूने बौसा लिया होगा (2) या शायद तूने छुवा होगा या शायद तूने शुब्हा से वती

(1)रतक़ायानी रतक+ वाली और रतक,+क आरज़ा हैयानी फ़ुर्ज औरत के मुंह परएक झिल्ली स]त पैदा हो जाती है जो मानअ+ जिमाअ+ होती है।
(2)हां तक कि चार मर्तबा पूरे हो जाऐं।
(1)ानी क़ाज़ी की मज्लिसों में।
(2)ानी औरत का।

की और असल में फ़रमाया कि शायद तूने इस से निकाह कर लिया है या शुब्हा से वती कर ली है बजुमला मक़सूद यह है कि इस को ऐसी बात तलक़ीन करे जिस से हुदूद हो जाये कोई लफ्ज़ क्यों न हो यह बहर उल राइक़ में है और अगर चार गवाहों ने एक शख़्स पर ज़िना करने की गवाही दी पस इस ने एक मर्तबा इक़रार

क्योंकि इस में शुब्हा का अहतमाल है यह मुहीत में सुरखी में है और रहा यह सवाल कि कब ज़िना किया है तो कुछ ने फ़रमाया कि ज़माना ज़िना दरयाफ्त न करेगा इस लिए कि ज़माना दराज़ हो जाना गवाही से मानअ है न स्वीकार से और असह यह है कि ज़माना भी दरयाफ़्त करेगा इस लिए कि अहतमाल है कि शायद इस ने अय्याम नाबालग़ी में ज़िना किया हो पस जब इस को भी दरयाफ्त कर लिया और ज़ाहिर हुआ कि इस ने ज़िना किया है तो इस से दरयाफ़्त करेगा कि वो मोहसन है पस अगर इस ने कहा कि वो मोहसन है तो दरयाफ़्त करेगा कि अहसान किया है पस अगर इस ने अहसान को भी ठीक ठीक इस के शराइत से बयान किया तो इस के रजम का आदेश देगा यह तबयुन में है।

अगर चार गवाहों ने एक व्यक्ति पर ज़िना करने की गवाही दी पस इस ने एक मर्तबा स्वीकार कर लिया, इस बाबत इमाम मौहम्मद रह० और इमाम अबू यूसुफ़ रह० के माबैन मतभेद का बयान :

अगर स्वीकार कतने वाला ने कहा कि मैं मोहसन नहीं हो और गवाहों ने इस के मोहसन होने की गवाही दी तो इमाम इस को रजम कर देगा यह मुहीत में है और इस को तलक़ीन करना मन्दूब है यानी यूं कहे शायद तूने बौसा लिया होगा (2) या शायद तूने छुवा होगा या शायद तूने शुब्हा से वती

(1)रतक़ायानी रतक+ वाली और रतक,+क आरज़ा हैयानी फ़ुर्ज औरत के मुंह परएक झिल्ली स]त पैदा हो जाती है जो मानअ+ जिमाअ+ होती है।
(2)हां तक कि चार मर्तबा पूरे हो जाऐं।
(1)ानी क़ाज़ी की मज्लिसों में।
(2)ानी औरत का।

की और असल में फ़रमाया कि शायद तूने इस से निकाह कर लिया है या शुब्हा से वती कर ली है बजुमला मक़सूद यह है कि इस को ऐसी बात तलक़ीन करे जिस से हुदूद हो जाये कोई लफ्ज़ क्यों न हो यह बहर उल राइक़ में है और अगर चार गवाहों ने एक व्यक्ति पर ज़िना करने की गवाही दी पस इस ने एक मर्तबा स्वीकार

कर लिया तो इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार इस को हद मारी जायेगी और इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार हद न मारी जायेगी और यही असह है यह काफ़ी में है और यह इस वक़्त है कि इस ने बाद क़ज़ा के इक़रार किया हो और अगर क़ब्ल क़ज़ा के इक़रार किया तो बिल इत्तफ़ाक़ साक़ित हो जायेगी यह फ़तहुल क़दीर में है। चार गवाहों ने एक शख़्स पर ज़िना की गवाही दी फिर इस शख़्स ने बाद इन की गवाही के इक़रार किया फिर इन्कार कर गया और चार मर्तबा इस ने इक़रार नहीं किया है तो इस पर हद वाजिब न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर एक शख़्स पर चार आदमियसों ने ज़िना की गवाही दी और इस के सुबूत का इस पर हुक्म दिया गया फिर इस ने चार मर्तबा इक़रार किया तो इस पर हद क़ाइम की जायेगी यह हावी क़ुदसी में है और अगर इस ने रूजूअ कर लिया तो इस का रूजूअ करना सही होगा और इसी को इमाम ताहवी ने इख़्तयार किया है यह ग़ासिया में है और अगर गवाहों की गवाही के बाद इस ने ज़िना का इक़रार किया तो यह गवाह हद क़ज़्फ़ की सज़ा (1) न दिये जाऐंगे अगरचे चार से कम हों यह इताबिया में है। अगर इक़रार कुनिन्दा ने हद क़ायम किये जाने से पहले या हद क़ायम किये जाने के बीच में अपने इक़रार से रूजूअ कर लिया तो इस का रूजूअ करना क़बूल किया जायेगा और इस की राह छोड दी जायेगी यह हिदाया में है और रूजूअ करना ख़्वाह मर्द की तरफ़ से या औरत की तरफ़ से हो दोनों यक्सां हैं दोनों से क़बूल किया जायेगा यह सिराज वहाज में है और ऐसा ही अगर क़ाज़ी के नज़दीक गवाही व इक़रार से ज़िना ज़ाहिर हुआ तो भी यही हुक्म है यह फ़तहुल क़दीर में है।

अगर एक शख़्स भागा और रूजूअ न किया तो इस से तअरूज़ न किया जायेगा और अगर ज़िना पर साबित रहा मगर मोहसन होने से रूजूअ किया तो इस से क़बूल किया जायेगा और संगसार न किया जायेगा बल्कि दुर्रे मारे जायेगे यह ईज़ाह में है। अगर किसी शख़्स पर ज़िना साबित हुई यह गवाही गवाहान हालांकि वो मोहसन है या मोहसन नहीं है फिर जब इस पर हद क़ायम की

कर लिया तो इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार इस को हद मारी जायेगी और इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार हद न मारी जायेगी और यही असह है यह काफ़ी में है और यह इस समय है कि इस ने बाद क़ज़ा के स्वीकार किया हो और अगर क़ब्ल क़ज़ा के स्वीकार किया तो बिल इत्तफ़ाक़ साक़ित हो जायेगी यह फ़तहुल क़दीर में है। चार गवाहों ने एक व्यक्ति पर ज़िना की गवाही दी फिर इस व्यक्ति ने बाद इन की गवाही के स्वीकार किया फिर इन्कार कर गया और चार मर्तबा इस ने स्वीकार नहीं किया है तो इस पर हद अनिवार्य न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर एक व्यक्ति पर चार आदमियसों ने ज़िना की गवाही दी और इस के सुबूत का इस पर आदेश दिया गया फिर इस ने चार मर्तबा स्वीकार किया तो इस पर हद क़ाइम की जायेगी यह हावी क़ुदसी में है और अगर इस ने रूजूअ कर लिया तो इस का रूजूअ करना सही होगा और इसी को इमाम ताहवी ने अपनाया है यह ग़ासिया में है और अगर गवाहों की गवाही के बाद इस ने ज़िना का स्वीकार किया तो यह गवाह हद क़ज़्फ़ की सज़ा (1) न दिये जाऐंगे चाहे चार से कम हों यह इताबिया में है। अगर स्वीकार कतने वाला ने हद क़ायम किये जाने से पहले या हद क़ायम किये जाने के बीच में अपने स्वीकार से रूजूअ कर लिया तो इस का रूजूअ करना क़बूल किया जायेगा और इस की राह छोड दी जायेगी यह हिदाया में है और रूजूअ करना चाहे मर्द की तरफ़ से या औरत की तरफ़ से हो दोनों यक्सां हैं दोनों से क़बूल किया जायेगा यह सिराज वहाज में है और ऐसा ही अगर क़ाज़ी के निकट गवाही व स्वीकार से ज़िना ज़ाहिर हुआ तो भी यही आदेश है यह फ़तहुल क़दीर में है।

अगर एक व्यक्ति भागा और रूजूअ न किया तो इस से तअरूज़ न किया जायेगा और अगर ज़िना पर सिद्ध रहा मगर मोहसन होने से रूजूअ किया तो इस से क़बूल किया जायेगा और संगसार न किया जायेगा बल्कि दुर्रे मारे जायेगे यह ईज़ाह में है। अगर किसी व्यक्ति पर ज़िना सिद्ध हुई यह गवाही गवाहान हालांकि वो मोहसन है या मोहसन नहीं है फिर जब इस पर हद क़ायम की

गई तो थोडी हद जारी होने के बाद वो भाग गया और दारोग़ा आमिल ने इस को तलाश कराया पस वो इसी वक़्त पकडा गया तो इस पर बाक़ी हद भी क़ायम की जायेगी यह मबसूत में है। अगर बाद चन्द रोज़ के साथ आया तो हद साक़ित हो गई यह इताबिया में है और इक़रार ज़िना में ज़िम्मी व ग़ुलाम मिस्ल मुसलमान आज़ाद के हैं ख़्वाह ग़ुलाम माज़ूं (2) हो या महजूर हो यह मबसूत में है। अगरग़ुलाम ने ख़ुद ज़िना का इक़रार किया तो इक़रार में इस के मौला का हाज़िर (1) होना शर्त नहीं है और अगर लोगों ने ग़ुलाम पर ज़िना की गवाही दी तो मौला का हाज़िर होना शर्त है क्योंकि मौला को गवाहों में तअन का इख़्तयार है यह खज़ानतुल मुफ़्तीन में है और अगर खिस्सी ने ज़िना का ख़ुद इक़रार किया या गवाहों ने इस पर गवाही दी तो इस पर हद जारी की जायेगी और यही हुक्म ग़ैन का है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अंधे ने अगर ज़िना का इक़रार किया तो इस पर हद जारी की जायेगी और अगर मर्द ने इक़रार किया कि मैंने मजनूना या ऐसी औरत नाबालिग़ा से जो क़ाबिल जिमाअ है ज़िना किया तो इस पर हद जारी की जायेगी और अगर औरत ने इक़रार किया कि मैंने मजनून या तफ़्ल से जिमाअ किया तो इस पर हद वाजिब न होगी यह ईज़ाह में है और अगर मर्द ने इक़रार किया कि इस ने ऐसी औरत से ज़िना किया है कि इस को पहचानता नहीं है तो इस पर हद जारी की जायेगी और इसी तरह अगर इस ने इक़रार किया कि मैंने फ़लाना औरत से ज़िना किया हालांकि यह औरत ग़ायब है तो इस्तहसानन इस पर हद जारी की जायेगी यह फ़तहुल क़दीर में है और इमाम मौहम्मद रह० ने जामअ सग़ीर में फ़रमाया कि एक मर्द ने चार मर्तबा इक़रार किया मैंने फ़लाना औरत

(1)ानी गवाहों की तअदीर न हुईया निसाब चार से कम होने से सुबूत न हुआ तो गवाहों को हद क़ज़फ+ानी तोहमत लगाने की हद न मारी जायेगी क्योंकि मुदआ अलैहि मुक़र हो चुका है।

(2)गुलाम माज़ून वो जिस को इस के आक़ा की तरफ+ तिजारत वग़ैरह की इजाज़त हो और ग़ुलाम महजूर वो है जिस को तिजारत की इजाज़त न हो।

(1)ानी सेहत इक़रार के वास्ते।

से ज़िना किया और फ़लाना कहती है कि मुझ से

गई तो थोडी हद जारी होने के बाद वो भाग गया और दारोग़ा आमिल ने इस को तलाश कराया पस वो इसी समय पकडा गया तो इस पर बाक़ी हद भी क़ायम की जायेगी यह मबसूत में है। अगर बाद चन्द रोज़ के साथ आया तो हद साक़ित हो गई यह इताबिया में है और स्वीकार ज़िना में ज़िम्मी व ग़ुलाम मिस्ल मुसलमान आज़ाद के हैं चाहे ग़ुलाम माज़ूं (2) हो या महजूर हो यह मबसूत में है। अगरग़ुलाम ने ख़ुद ज़िना का स्वीकार किया तो स्वीकार में इस के मौला का हाज़िर (1) होना शर्त नहीं है और अगर लोगों ने ग़ुलाम पर ज़िना की गवाही दी तो मौला का हाज़िर होना शर्त है क्योंकि मौला को गवाहों में तअन का अधिकार है यह खज़ानतुल मुफ़्तीन में है और अगर खिस्सी ने ज़िना का ख़ुद स्वीकार किया या गवाहों ने इस पर गवाही दी तो इस पर हद जारी की जायेगी और यही आदेश ग़ैन का है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अंधे ने अगर ज़िना का स्वीकार किया तो इस पर हद जारी की जायेगी और अगर मर्द ने स्वीकार किया कि मैंने मजनूना या ऐसी औरत नाबालिग़ा से जो क़ाबिल जिमाअ है ज़िना किया तो इस पर हद जारी की जायेगी और अगर औरत ने स्वीकार किया कि मैंने मजनून या तफ़्ल से जिमाअ किया तो इस पर हद अनिवार्य न होगी यह ईज़ाह में है और अगर मर्द ने स्वीकार किया कि इस ने ऐसी औरत से ज़िना किया है कि इस को पहचानता नहीं है तो इस पर हद जारी की जायेगी और इसी तरह अगर इस ने स्वीकार किया कि मैंने फ़लाना औरत से ज़िना किया हालांकि यह औरत ग़ायब है तो इस्तहसानन इस पर हद जारी की जायेगी यह फ़तहुल क़दीर में है और इमाम मौहम्मद रह० ने जामअ सग़ीर में फ़रमाया कि एक मर्द ने चार मर्तबा स्वीकार किया मैंने फ़लाना औरत

(1)ानी गवाहों की तअदीर न हुईया निसाब चार से कम होने से सुबूत न हुआ तो गवाहों को हद क़ज़फ+ानी तोहमत लगाने की हद न मारी जायेगी क्योंकि मुदआ अलैहि मुक़र हो चुका है।

(2)गुलाम माज़ून वो जिस को इस के आक़ा की तरफ+ तिजारत वग़ैरह की इजाज़त हो और ग़ुलाम महजूर वो है जिस को तिजारत की इजाज़त न हो।

(1)ानी सेहत स्वीकार के वास्ते।

से ज़िना किया और फ़लाना कहती है कि मुझ से

इस ने निकाह किया है या औरत ने चार मर्तबा इक़रार किया कि मैंने फ़लां मर्द से ज़िना किया और फ़लां कहता है कि मैंने इस से निकाह किया तो दोनों में से किसी पर हद वाजिब न होगी और मर्द पर इस का महर लाज़िम आयेगा यह मुहीत में है और क़ाज़ी का जानना (1) हुदूद में हुज्जत नहीं होता है इस पर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का इजमाअ है अगरचे क़यास (1) इस के ऐतबार का मुक़तज़ा यह है काफ़ी में है।

फ़सलः

हुदुद, उन की इक़ामत की कैफ़ियत के बयान में

जब हद वाजिब होगी और मर्द ज़ानी मोहसन है तो इस को पत्थरों से रजम किया जाये यहां तक कि वो मर जाये और यह शहर से बाहर मैदान में ले जाकर किया जाये यह हिदाया में है। और वाज़ह रहे कि रजम के वास्ते जो अहसान मोअतबर है वो यह है कि आज़ाद आक़िल बालिग़ मुसलमान हो कि जिस ने किसी औरत आज़ाद से बनिकाह सही निकाह किया और इस से दुख़ूल कर लिया हो और वो दोनों सिफ़त अहसान पर मौजूद हों यह काफ़ी में है पस बलिहाज़ क़ुयूद व मज़कूरह अगर मर्द ने अपनी बीवी से ऐसी ख़ल्वत की जिस से महर वाजिब होता है और इद्दत लाज़िम होती है तो मोहसन न हो जायेगा और जिमाअ से भी मोहसन न होगा अगर निकाह फ़ासिद हो और नीज़ जिमाअ से निकाह सही में भी मोहसन न होगा अगर इस औरत से क़ब्ल निकाह के यह कह दिया हो कि अगर मैं तुझ से निकाह करूं तो तू तालिक़ा है इस वजह से कि वो नफ़्स अक़्द से तालिक़ा हो जायेगी पस इस के बाद इस से जिमाअ करना ज़िना होगा व लेकिन इस से हद वाजिब न होगी क्योंकि बसबब इख़्तलाफ़ उलमा के ऐस में शुबहा वाक़े हो गया है और इसी तरह अगर मर्द मुसलमान ने मुसलमान औरत से बग़ैर गवाहों के निकाह किया और इस से दुख़ूल कर लिया तो मोहसन न हो जायेगा पस इस में भी यही हुक्म है यह मबसूत में है और दुख़ूल में ऐसा ईलाज मोअतबर है जो क़ब्ल के अन्दर हो ऐसा है कि इस से गुस्ल

इस ने निकाह किया है या औरत ने चार मर्तबा स्वीकार किया कि मैंने फ़लां मर्द से ज़िना किया और फ़लां कहता है कि मैंने इस से निकाह किया तो दोनों में से किसी पर हद अनिवार्य न होगी और मर्द पर इस का महर अनिवार्य आयेगा यह मुहीत में है और क़ाज़ी का जानना (1) हुदूद में हुज्जत नहीं होता है इस पर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का इजमाअ है चाहे क़यास (1) इस के ऐतबार का मुक़तज़ा यह है काफ़ी में है।

फ़सलः

दंड, उन की पड़ाव के विवरण के वर्णन में

जब हद अनिवार्य होगी और मर्द दुष्कर्मी मोहसन है तो इस को पत्थरों से रजम किया जाये यहां तक कि वो मर जाये और यह शहर से बाहर मैदान में ले जाकर किया जाये यह हिदाया में है। और वाज़ह रहे कि रजम के लिए जो अहसान मोअतबर है वो यह है कि आज़ाद आक़िल बालिग़ मुसलमान हो कि जिस ने किसी औरत आज़ाद से बनिकाह सही निकाह किया और इस से दुख़ूल कर लिया हो और वो दोनों सिफ़त अहसान पर मौजूद हों यह काफ़ी में है पस बलिहाज़ क़ुयूद व मज़कूरह अगर मर्द ने अपनी बीवी से ऐसी ख़ल्वत की जिस से महर अनिवार्य होता है और इद्दत अनिवार्य होती है तो मोहसन न हो जायेगा और जिमाअ से भी मोहसन न होगा अगर निकाह फ़ासिद हो और नीज़ जिमाअ से निकाह सही में भी मोहसन न होगा अगर इस औरत से क़ब्ल निकाह के यह कह दिया हो कि अगर मैं तुझ से निकाह करूं तो तू तालिक़ा है इस कारण से कि वो नफ़्स अक़्द से तालिक़ा हो जायेगी पस इस के बाद इस से जिमाअ करना ज़िना होगा व लेकिन इस से हद अनिवार्य न होगी क्योंकि बसबब मतभेद उलमा के ऐस में शुबहा स्थपित हो गया है और इसी तरह अगर मर्द मुसलमान ने मुसलमान औरत से बग़ैर गवाहों के निकाह किया और इस से दुख़ूल कर लिया तो मोहसन न हो जायेगा पस इस में भी यही आदेश है यह मबसूत में है और दुख़ूल में ऐसा ईलाज मोअतबर है जो क़ब्ल के अन्दर हो ऐसा है

वाजिब (2) हो जाये और शर्त आंकि सिफ़त अहसान दोनों में दुखूल में ऐसा ईलाज मोअतबर है जो क़ब्ल के अन्दर हो ऐसा है कि इस से गुस्ल वाजिब (2) हो जाये और शर्त आंकि सिफ़त अहसान दोनों में दुखूल के वक्त हो चुनांचे और अगर दो ममलूकों के दरमियान वती बनिकाह सही हालत रक़ियत में वाक़े हुई फिर दोनों आज़ाद हो गये तो वती मज़कूरह की वजह मोहसिन न होंगे और यही हुक्म दो काफ़िरों का है और इसी तरह अगर मर्द आज़ाद ने किसी बान्दी या सग़ीरा या मजनूना से निकाह करके इस से वती करली तो वो मोहसिन न होंगे और यही हुक्म दो काफ़िरों का है और इसी तरह अगर मर्द आज़ाद ने किसी बान्दी या सग़ीरा या मजनूना से निकाह करके इस से वती करली तो वो मोहसन न होगा और इसी तरह अगर मुसलमान ने किताबिया औरत से निकाह करके वती की तो भी यही हुक्म है और इस तरह अगर मर्द में इन बातों में से कोई बात हो हालांकि (2) औरत आज़ाद आक़िला बालिग़ा मुस्लिमा हो तो भी यही हुक्म है चुनांचे अगर शौहर8 काफ़िर के वती करने से पहले औरत मुसलमान हो गई फिर दोनों में तफ़रीक़ किये जाने से पहले काफ़िर ने इस से वती करली तो औरत इस दुखूल की वजह से मोहसिना न हो जायेगी यह काफ़ी में है। अगर मर्द ने बाद इस्लाम या इतक़ या इफ़ाक़ा के अपनी औरत से दुखूल कर लिया तो वो मोहसन हो जायेगा और इस अहसान में ज़िना से इफ़्फ़त शर्त नहीं है यह मबसूत में है। अगर मर्द मुसलमान के तहत में हुर्रा मुस्लिमा हो और दोनों मोहसन हों फिर दोनों साथ मुरतद हो गये नऊज़ुबिल्लाह मिन्हा तो दोनों का अहसान बातिल हो गया फिर अगर दोनों मुसलमान हो गये तो इन का अहसान ऊद न करेगा। यहां तक कि बाद इस्लाम के इस औरत से दुखूल करे (3) यह फ़तहुल क़दीर में है। अगर बाद वुजूब

(1)नी अगर क़ाज़ी को+][द यह मालूम हुआ कि फ़लांश.]स ने ज़िना किया है तो हद जारी करने के वास्ते फ़क़त इस का इल्म बदूं इक़रार व गवाही के काफ़ी नहीं है।
(2)नी मसलन मर्द ग़ुलाम होया सग़ीरया मजनून।
(1)नी कि+यास चाहता था किऐतबार हो।
(2)क्योंकि दु]]लशर्त ह न+]ल्वत सहीहा।
(3)नी हशफ़ा अन्दर हो जाये।

कि इस से गुस्ल अनिवार्य (2) हो जाये और शर्त आंकि सिफ़त अहसान दोनों में दुखूल में ऐसा ईलाज मोअतबर है जो क़ब्ल के अन्दर हो ऐसा है कि इस से गुस्ल अनिवार्य (2) हो जाये और शर्त आंकि सिफ़त अहसान दोनों में दुखूल के समय हो चुनांचे और अगर दो ममलूकों के दरमियान वती बनिकाह सही हालत रक़ियत में स्थपित हुई फिर दोनों आज़ाद हो गये तो वती मज़कूरह की कारण मोहसिन न होंगे और यही आदेश दो काफ़िरों का है और इसी तरह अगर मर्द आज़ाद ने किसी बान्दी या सग़ीरा या मजनूना से निकाह करके इस से वती करली तो वो मोहसिन न होंगे और यही आदेश दो काफ़िरों का है और इसी तरह अगर मर्द आज़ाद ने किसी बान्दी या सग़ीरा या मजनूना से निकाह करके इस से वती करली तो वो मोहसन न होगा और इसी तरह अगर मुसलमान ने किताबिया औरत से निकाह करके वती की तो भी यही आदेश है और इस तरह अगर मर्द में इन बातों में से कोई बात हो हालांकि (2) औरत आज़ाद आक़िला बालिग़ा मुस्लिमा हो तो भी यही आदेश है चुनांचे अगर शौहर8 काफ़िर के वती करने से पहले औरत मुसलमान हो गई फिर दोनों में तफ़रीक़ किये जाने से पहले काफ़िर ने इस से वती करली तो औरत इस दुखूल का कारण से मोहसिना न हो जायेगी यह काफ़ी में है। अगर मर्द ने बाद इस्लाम या इतक़ या इफ़ाक़ा के अपनी औरत से दुखूल कर लिया तो वो मोहसन हो जायेगा और इस अहसान में ज़िना से इफ़्फ़त शर्त नहीं है यह मबसूत में है। अगर मर्द मुसलमान के तहत में हुर्रा मुस्लिमा हो और दोनों मोहसन हों फिर दोनों साथ मुरतद हो गये नऊज़ुबिल्लाह मिन्हा तो दोनों का अहसान बातिल हो गया फिर अगर दोनों मुसलमान हो गये तो इन का अहसान ऊद न करेगा। यहां तक कि बाद इस्लाम के इस औरत से दुखूल करे (3) यह फ़तहुल क़दीर में है। अगर बाद वुजूब

(1)नी अगर क़ाज़ी को+][द यह मालूम हुआ कि फ़लां व्यक्ति ने ज़िना किया है तो हद जारी करने के लि, फ़क़त इस का इल्म बदूं स्वीकार व गवाही के काफ़ी नहीं है।
(2)नी मसलन मर्द ग़ुलाम होया सग़ीरया मजनून।
(1)नी कि+यास चाहता था किऐतबार हो।

हद के मुरतदि हो गया फिर मुसलमान हो गया तो इस को दुर्रे मारे जाएँगे और रजम नहीं किया जायेगा और अगर दुर्रे ही वाजिब हों तो इस को दुर्रे न मारे जाऐंगे यह इताबिया में है।

अहसान का सुबूत बाक़रार होता है:

अगर अहसान साबित होने के बाद बसबब मअतूह या मजनून होने के अहसान ज़ायल हो गा तो जब इफ़ाक़ा हासिल होगा तब फिर तरफ़ैन के अनुसार अहसान ऊद करेगा कि वो मोहसन हो जायेगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार ऊद न करेगा जब तक कि बाद इफ़ाक़ा के अपनी बीवी से दुख़ूल न करे यह बहर उल राइक़ में है और अहसान का सुबूत बाक़रार होता है या दो मर्दों की गवाही से या एक मर्द व दो औरतों कीगवाही से यह ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन में है और अगर इस ने बावजूद शराइत मौजूद होने के दुख़ूल वाक़े होने से इन्कार किया फिर अगर इस की बीवी के ऐसी मुद्दत में बच्चा पैदा हुआ कि इस का होना मक़सूद हो सकता है तो शरअन वो (1) वती कुनिन्दह क़रार दिया जायेगा यह तबयुन में है और अहसान पर गवाही मिस्ल माल पर गवाही के है कि शहादत (1) अलल शहादत से साबित हो सकता है यह ईज़ाह में है। अगर ज़िना कुनिन्दा किसी ज़िम्मी का मुसलमान ग़ुलाम हो फिर दो ज़िम्मियों ने गवाही दी कि इस ने इस ग़ुलाम को क़बूल ज़िना के आज़ाद कियसा है हालांककि इस ज़ानी में सब शराइत अहसान मौजूद हैं तो इन दोनों की गवाही मक़बूल न होगी यह काफ़ी में है अगर किसी मर्द की बीवी ने इक़रार किया कि मैं इस की बान्दी हूं फिर मर्द ने ज़िना किया तो रजम किया जायेगा और अगर इस ने क़ब्ल इस के साथ दुख़ूल करने के रक़ीब का इक़रार किया फिरमर्द ने ज़िना किया तो इसतहसानन वो रजम न किया जायेगा। एक मर्द ने एक औरत से बग़ैर वली के निकाह किया और इस से दुख़ूल किया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि इस से यह दोनों मोहसन न हो जाऐंगे इस वास्ते कि यह निकाह ग़ैर सही है क़तअन (2) बसबब इख़्तलाफ़ उलमा के व इन अख़्बार के जो इस

(2)क्योंकि दु]ूलशर्त ह न+]ाल्यत सहीहा।
(3)ानी हशफ़ा अन्दर हो जाये।

हद के मुरतदि हो गया फिर मुसलमान हो गया तो इस को दुर्रे मारे जाएँगे और रजम नहीं किया जायेगा और अगर दुर्रे ही अनिवार्य हों तो इस को दुर्रे न मारे जाऐंगे यह इताबिया में है।

उपकार का सुबूत मानना होता है:

अगर अहसान सिद्ध होने के बाद बसबब मअतूह या मजनून होने के अहसान ज़ायल हो गा तो जब इफ़ाक़ा हासिल होगा तब फिर तरफ़ैन के अनुसार अहसान ऊद करेगा कि वो मोहसन हो जायेगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार ऊद न करेगा जब तक कि बाद इफ़ाक़ा के अपनी बीवी से दुख़ूल न करे यह बहर उल राइक़ में है और अहसान का सुबूत बाक़रार होता है या दो मर्दों की गवाही से या एक मर्द व दो औरतों कीगवाही से यह ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन में है और अगर इस ने बावजूद शराइत मौजूद होने के दुख़ूल स्थपित होने से इन्कार किया फिर अगर इस की बीवी के ऐसी मुद्दत में बच्चा पैदा हुआ कि इस का होना मक़सूद हो सकता है तो शरअन वो (1) वती कुनिन्दह क़रार दिया जायेगा यह तबयुन में है और अहसान पर गवाही मिस्ल माल पर गवाही के है कि शहादत (1) अलल शहादत से सिद्ध हो सकता है यह ईज़ाह में है। अगर ज़िना कतने वाला किसी ज़िम्मी का मुसलमान ग़ुलाम हो फिर दो ज़िम्मियों ने गवाही दी कि इस ने इस ग़ुलाम को क़बूल ज़िना के आज़ाद कियसा है हालांककि इस दुष्कर्मी में सब शराइत अहसान मौजूद हैं तो इन दोनों की गवाही मक़बूल न होगी यह काफ़ी में है अगर किसी मर्द की बीवी ने स्वीकार किया कि मैं इस की बान्दी हूं फिर मर्द ने ज़िना किया तो रजम किया जायेगा और अगर इस ने क़ब्ल इस के साथ दुख़ूल करने के रक़ीब का स्वीकार किया फिरमर्द ने ज़िना किया तो इसतहसानन वो रजम न किया जायेगा। एक मर्द ने एक औरत से बग़ैर वली के निकाह किया और इस से दुख़ूल किया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि इस से यह दोनों मोहसन न हो जाऐंगे इस लिए कि यह निकाह ग़ैर सही है क़तअन (2)

मसले में दार हुए हैं यह मुहीत सरख़सी में है।

क़ाज़ी को चाहिए कि गवाहों से दरयाफ़्त करे कि अहसान किया है पस अगर उन्होंने अपने बयान में कहा कि इस ने आज़ादा औरत से निकाह किया और इस से दुख़ूल किया है तो इमाम आज़म रह० के क़ौल सानी पर गवाहों के इस कहने पर कि इस से दुख़ूल किया है इक्तफ़ा किया जायेगा और इस में इमाम मौहम्मद रह० ने ख़िलाफ़ किया है और अगर गवाहों ने कहा कि इस को मिस किया या लिम्स किया है तो बिल इजमाअ इस क़ौल पर इक्तफ़ा न किया जायेगा और अगर कहा कि इस से जिमाअ किया या मुबालग़ा किया तो बिल इजमाअ इस पर इक्तफ़ा किया जायेगा सयानी काफ़ी है और बक़ाली में लिखा है कि अगर उन्होंने कहा कि अग़तसल मिन्हा यानी इस से ग़ुसल किया जैसे बोलते हैं कि इस ने अपनी बीवी से निहां पर लिया तो इस पर इक्तफ़ा किया जायेगा यह मुहीत में है और अगर गाहों ने कहा कि अपनी बीवी से लक़ा किया या क़ुरबत की है तो इस पर इक्तफ़ा न किया जायेगा यह मबसूत में है। मुन्तक़ी में इमाम मौहम्मद रह० से बरिवायत इब्राहीम रह० मज़कूर है कि अगर किसी मर्द ने अपनी बीवी से ख़ल्वत कर ली फिर इस को तलाक़ देदी फिर शौहर ने कहा कि मैंने इस से वती की है और औरत ने कहा कि इस ने मुझ से वती नहीं की है तो शौहर अपने इक़रार से मोहसन हो जायेगा और औरत बसबब अपने इन्कार के मोहसना न होगी और इसी तरह अगर इस से दुख़ूल किया और तलाक़ ददी और कहा कि यह हुर्रा मुस्लिमा थी और औरत ने कहा कि मैं इस वक़्त नसरानिया थी तो भी यही हुक्म है यह मुहीत में है औरअगर अपनी बीवी से दुबुर में वती कर ली तो इस से वो मोहसन न होगा यह मुज़मरात में है। इमाम उल मुस्लिमीन के वास्ते मुस्तहब है कि जमाअत मुसलमानों को हुक्म दे कि इक़ामत रजम के वास्ते हाज़िर हों यह दुशमनी में है और लोगों को

(1)नी असल गवाहों ने अपनी गवाही पर और दिन को गवाह कर दिया जैसा कि किताब उलशहादत में मुफ़स्सल हम ने बयान किया है।

(2)ज़ाहिरन लफ्ज़+ क़तअन मुवाफ़िक+ मज़हब इमाम अबूयूसुफ+

बसबब मतभेद उलमा के व इन अख़्बार के जो इस मसले में दार हुए हैं यह मुहीत सरख़सी में है।

क़ाज़ी को चाहिए कि गवाहों से दरयाफ़्त करे कि अहसान किया है पस अगर उन्होंने अपने बयान में कहा कि इस ने आज़ादा औरत से निकाह किया और इस से दुख़ूल किया है तो इमाम आज़म रह० के कथन सानी पर गवाहों के इस कहने पर कि इस से दुख़ूल किया है इक्तफ़ा किया जायेगा और इस में इमाम मौहम्मद रह० ने ख़िलाफ़ किया है और अगर गवाहों ने कहा कि इस को मिस किया या लिम्स किया है तो बिल इजमाअ इस कथन पर इक्तफ़ा न किया जायेगा और अगर कहा कि इस से जिमाअ किया या मुबालग़ा किया तो बिल इजमाअ इस पर इक्तफ़ा किया जायेगा सयानी काफ़ी है और बक़ाली में लिखा है कि अगर उन्होंने कहा कि अग़तसल मिन्हा यानी इस से ग़ुसल किया जैसे बोलते हैं कि इस ने अपनी बीवी से निहां पर लिया तो इस पर इक्तफ़ा किया जायेगा यह मुहीत में है और अगर गाहों ने कहा कि अपनी बीवी से लक़ा किया या क़ुरबत की है तो इस पर इक्तफ़ा न किया जायेगा यह मबसूत में है। मुन्तक़ी में इमाम मौहम्मद रह० से बरिवायत इब्राहीम रह० मज़कूर है कि अगर किसी मर्द ने अपनी बीवी से ख़ल्वत कर ली फिर इस को तलाक़ देदी फिर शौहर ने कहा कि मैंने इस से वती की है और औरत ने कहा कि इस ने मुझ से वती नहीं की है तो शौहर अपने स्वीकार से मोहसन हो जायेगा और औरत बसबब अपने इन्कार के मोहसना न होगी और इसी तरह अगर इस से दुख़ूल किया और तलाक़ ददी और कहा कि यह हुर्रा मुस्लिमा थी और औरत ने कहा कि मैं इस समय नसरानिया थी तो भी यही आदेश है यह मुहीत में है औरअगर अपनी बीवी से दुबुर में वती कर ली तो इस से वो मोहसन न होगा यह मुज़मरात में है। इमाम उल मुस्लिमीन के लिए मुस्तहब है कि जमाअत मुसलमानों को आदेश दे कि इक़ामत रजम के लिए हाज़िर हों यह दुशमनी में है और लोगों को

(1)नी असल गवाहों ने अपनी गवाही पर और दिन को गवाह कर दिया जैसा कि किताब उलशहादत में मुफ़स्सल हम ने बयान किया है।

रह के है वल्लाहु तआला आलम।
(1)नी मोहसन और इन का बातिल होगा।

चाहिए कि रजम के वक्त मिस्ल नमाज़ के सिफ़त बस्ता हो जाऐंगे हर गाह जोन सी क़ौम रजम करे तो वो पीछे चेली जाये और इन के वास्ते दूसरे आगे बढ़ें आर रजम करें यह बहर उल राइक़ व सिराजुल वहाज में है और मज़ायक़ा नहीं है कि ज़िना कार को जो शख़्स पत्थर मारे वो अमदन इस के क़त्ल का क़सद करे लेकिन अगर मरहूम इस का ज़ी रहम महरम हो तो इस के हक़ में अमदन क़त्ल करने की नियत से मारना मुस्तहब नहीं है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

जब रजम करना गवाहों की गवाही से साबित हो तो वाजिब है कि पहले गवाह रजम करें फिर इमाम फिर और लोग हत्ता कि अगर गवाहों ने इब्तदा करने से इन्कार किया तो मशहूद अलैहि के ज़िम्मे से हद साक़ित (1) हो जायेगी अमगर गवाहों पर हद वाजिब न होगी इस वास्ते कि इन का रजम शुरू करने से इन्कार करना सरीह रूजूअ अज़ शहादत नहीं है यह फ़तहुल क़दीर में है। इसी तरह अगर गवाहों में से एक ने इन्कार किया तो भी यही हुक्म है यह तबय्युन में है। अगर गवाह लोग सब मर गये या एक तो हद साक़ित हो जायेगी और इसी तरह अगर सब या एक ग़ायब हो गया तो भी ज़ाहिरूल रिवाया के मुवाफ़िक़ यही हुक्म है इसी तरह अगर गवाहों में या एक में ऐसी बात हो गई जिस से वो अहलियत शहादत से खारिज हो गया मसलन कोई मुरतद हो गया या अंधा गूंगा या फ़ासिक़ हो गया या किसी का क़ज़फ़ किया और हद मारी गई तो भी हद साक़ित हो जायेगी और इस में कुछ फ़र्क़ नहीं है कि यह अम्र गवाहों में या एक में क़ब्ल क़ज़ाअन के पैदा हुआ याबाद क़ज़ाअन के क़ब्ल हद क़ायम करने के पैदा हुबा बहरहाल यही हुक्म है कि हद साक़ित हो जायेगी औरअगर इन गवाहों में से बाज़ के दोनों हाथ कटे हुए हों या ऐसा मरीज़ हो कि पत्थर न मार सकता हो और सब गवाह हाज़िर हुए तो क़ाज़ी पत्थर मारेगा औरअगर बाद अदाये गवाही के इस के हाथ काट डाले गये तो इक़ामत हद मुमतनअ हो जायेगी यह फ़तहुल क़दीर में है। इमाम अबू यूसुफ़ रह०

(2)ज़ाहिरन लफ्ज+ क़तअन मुवाफ़िक+ मज़हब इमाम अबूयूसुफ+ रह के है वल्लाहु तआला आलम।
(1)नी मोहसन और इन का बातिल होगा।

चाहिए कि रजम के समय मिस्ल नमाज़ के सिफ़त बस्ता हो जाऐंगे हर गाह जोन सी क़ौम रजम करे तो वो पीछे चेली जाये और इन के लिए दूसरे आगे बढ़ें आर रजम करें यह बहर उल राइक़ व सिराजुल वहाज में है और मज़ायक़ा नहीं है कि ज़िना कार को जो व्यक्ति पत्थर मारे वो अमदन इस के क़त्ल का क़सद करे लेकिन अगर मरहूम इस का ज़ी रहम महरम हो तो इस के हक़ में अमदन क़त्ल करने की इरादा से मारना मुस्तहब नहीं है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

जब रजम करना गवाहों की गवाही से सिद्ध हो तो अनिवार्य है कि पहले गवाह रजम करें फिर इमाम फिर और लोग हत्ता कि अगर गवाहों ने इब्तदा करने से इन्कार किया तो मशहूद अलैहि के ज़िम्मे से हद साक़ित (1) हो जायेगी अमगर गवाहों पर हद अनिवार्य न होगी इस लिए कि इन का रजम शुरू करने से इन्कार करना सरीह रूजूअ अज़ शहादत नहीं है यह फ़तहुल क़दीर में है। इसी तरह अगर गवाहों में से एक ने इन्कार किया तो भी यही आदेश है यह तबय्युन में है। अगर गवाह लोग सब मर गये या एक तो हद साक़ित हो जायेगी और इसी तरह अगर सब या एक ग़ायब हो गया तो भी ज़ाहिरूल रिवाया के मुवाफ़िक़ यही आदेश है इसी तरह अगर गवाहों में या एक में ऐसी बात हो गई जिस से वो अहलियत शहादत से खारिज हो गया मसलन कोई मुरतद हो गया या अंधा गूंगा या फ़ासिक़ हो गया या किसी का क़ज़फ़ किया और हद मारी गई तो भी हद साक़ित हो जायेगी और इस में कुछ फ़र्क़ नहीं है कि यह कार्य गवाहों में या एक में क़ब्ल न्यायिक के पैदा हुआ याबाद न्यायिक के क़ब्ल हद क़ायम करने के पैदा हुबा बहरहाल यही आदेश है कि हद साक़ित हो जायेगी औरअगर इन गवाहों में से कुछ के दोनों हाथ कटे हुए हों या ऐसा मरीज़ हो कि पत्थर न मार सकता हो और सब गवाह हाज़िर हुए तो क़ाज़ी पत्थर मारेगा औरअगर बाद अदाये गवाही के इस के हाथ काट डाले गये तो इक़ामत हद मुमतनअ हो जायेगी यह फ़तहुल क़दीर में है। इमाम अबू

ने फ़रमाया कि गवाहों की मौत व ग़ीबत से हद साक़ितव बातिल न होगी और हम इसी को इख़्तयार करते हैं यह हावी क़ुदसी में है। अगर मशहूद अलैहि मोहसन न हो तो हाकिम शहीद ने काफ़ी में फ़रमाया कि मौत व ग़ीबत की सूरत में इस पर हद क़ायम की जायेगी और मासिवाए इन दोनों सूरतों के बातिल होगी यह ग़ायतुल बयान में है।

रजम में मर्द व औरत यक्सां हैं :

इस पर इजमाअ है कि सिवाए रजम के बाक़ी हुदूद में गवाहों और इमाम उल मुस्लिमीन किसी पर इब्तदा करनी वाजिब नहीं है यह ज़ख़ीरह में है और क़ाज़ी ने अगर लोगों को रजम का हुक्म दिया तो इन को रजम करने की गुंजाइश है अगरचे उन्होंने अदाऐ शहादत को मुआयना न किया हो और इब्ने समाआ ने इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत किया है कि इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि यह इस वक्त है कि क़ाज़ी फ़क़ीह आदिल हो और अगर फ़क़ीह ग़ैरआदिल हो या आदिल ग़ैर फ़क़ीह हो तो लोगों को रजम करना रवा नहीं है जब तक अदाऐ शहादत को ख़ुद मुआयना न करें यह ज़हीरिया में है और अगर इस शख़्स ने ख़ुद इक़रार किया हो तो इमामुल मुस्लिमीन इब्तदा करे फिर आम मुसलमान रजम करें और मरजूम को ग़ुस्ल दिया जायेगा और कफ़न पहनाया जायेगा और इस पर नमाज़ पढ़ी जायेगी और अगर ग़ैर मोहसन हो तो इस की हद सौ कोड़े है बशर्तेकि आज़ाद हो और अगर ग़ुलाम हो तो पचास कोड़े हैं कि बहुक्मे इमाम ऐसे दुर्र से इस को मारेगा जिस पर घुण्डी न हो और चोट ऐसी लगाई जाये कि दरमियानी दरजे हो न ऐसी कि ज़ख़्म सख़्त पहुंचाये और न ऐसी कि अलम न हो और

(1)नी क्योंकि गवाहों के इन्कार जम सेशुबहा पाया गयसा और शुब्हा से हद साक़ित हो जाती है।
(2)नी बावजूद सालिम उल अक़्ल होने के बसारत भी रखता हो यानी अंधा न हो।
(1)नी मजनून व मअतूद वग़ैरहन हो।

जो हद शारअ ने मुक़र्रर फ़रमाई है इस से ज़्यादती नहीं जाइज़ है यह काफ़ी में है। चाहिए कि हद वो क़ायम करे जो अक़्ल (1) रखता हो और देखता हो (2)

यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि गवाहों की मौत व ग़ीबत से हद साक़ितव बातिल न होगी और हम इसी को अपनाते है यह हावी क़ुदसी में है। अगर मशहूद अलैहि मोहसिन न हो तो हाकिम शहीद ने काफ़ी में फ़रमाया कि मौत व ग़ीबत की स्थिति में इस पर हद क़ायम की जायेगी और मासिवाए इन दोनों स्थितियों के बातिल होगी यह ग़ायतुल बयान में है।

रजम में मर्द व औरत यक्सां हैं :

इस पर इजमाअ है कि सिवाए रजम के बाक़ी हुदूद में गवाहों और इमाम उल मुस्लिमीन किसी पर इब्तदा करनी अनिवार्य नहीं है यह ज़ख़ीरह में है और क़ाज़ी ने अगर लोगों को रजम का आदेश दिया तो इन को रजम करने की गुंजाइश है चाहे उन्होंने अदाऐ शहादत को मुआयना न किया हो और इब्ने समाआ ने इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत किया है कि इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि यह इस समय है कि क़ाज़ी फ़क़ीह आदिल हो और अगर फ़क़ीह ग़ैरआदिल हो या आदिल ग़ैर फ़क़ीह हो तो लोगों को रजम करना रवा नहीं है जब तक अदाऐ शहादत को ख़ुद मुआयना न करें यह ज़हीरिया में है और अगर इस व्यक्ति ने ख़ुद स्वीकार किया हो तो इमामुल मुस्लिमीन इब्तदा करे फिर आम मुसलमान रजम करें और मरजूम को ग़ुस्ल दिया जायेगा और कफ़न पहनाया जायेगा और इस पर नमाज़ पढ़ी जायेगी और अगर ग़ैर मोहसन हो तो इस की हद सौ कोड़े हैं बशर्तेकि आज़ाद हो और अगर ग़ुलाम हो तो पचास कोड़े हैं कि बहुक्मे इमाम ऐसे दुर्र से इस को मारेगा जिस पर घुण्डी न हो और चोट ऐसी लगाई जाये कि दरमियानी दरजा हो न ऐसी कि ज़ख़्म सख़्त पहुंचाये और न ऐसी कि अलम न हो और

(1)नी क्योंकि गवाहों के इन्कार जम सेशुबहा पाया गयसा और शुब्हा से हद साक़ित हो जाती है।
(2)नी बावजूद सालिम उल अक़्ल होने के बसारत भी रखता हो यानी अंधा न हो।
(1)नी मजनून व मअतूद वग़ैरहन हो।

जो हद शारअ ने मुक़र्रर फ़रमाई है इस से ज़्यादती नहीं जाइज़ है यह काफ़ी में है। चाहिए कि हद वो क़ायम करे जो अक़्ल (1) रखता हो और देखता हो (2)

यह ईज़ाह में है। इस में मर्द व औरत यक्सां हैं पस अगर दोनों मोहसन हों तो दोनों रजम किये जाऐंगे या दोनों मोहसन न हों तो हर एक पर सौ दुर्रे मारे जाऐंगे और अगर एक माहसन और दूसरा ग़ैर मोहसन पर रजम और दूसरे पर दुर्रे लाज़िम होंगे और इसी तरह अगर क़ाज़ी के नज़दीक गवाहों या इक़रार से ज़िना ज़ाहिर हो जाये तो यही हुक्म है यह फ़तहुल क़दीर में है।

रजम के वास्ते गढ़ा खोदा जायेगा :

हद व तअज़ीर की सज़ा में मर्द नंगा कर दिया जायेगा फ़क़त एक अज़ार इस पर रहेगी और इसी हालत में इस को सज़ा दी जायेगी शराब ख़्वारी की सज़ा में ज़ाहिरूल रिवायत के मुवाफ़िक़ यही हुक्म है और हद क़ज़फ़ की सज़ा में नंगा न किया जायेगा लेकिन हशो व (1) फ़रदह उतार लिया जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और औरत किसी सूरत में नंगी न की जायेगी मगर हशो व फ़रदह इस पर से भी उतार लिया जायेगा कज़ा फ़िल इख़्तयार शरह उल मुख़्तार और अगर औरत के बदन पर सिवाए हशो व फ़रदह के और कुछ न हो तो यह न उतारे जायेगे यह इताबिया में है। औरत को बिठला कर हद मारी जायेगी और अगर रहम की सूरत में इस के वास्ते गढ़ा (1) खोदा गया तो भी रवा ही और अगर न खोदा गया तो कुछ मुज़िर नहीं है यह इख़्तयार शरह मुख़्तार में है लेकिन गढ़ा खोद देना अहसन है और सीना तक गढ़ा गहरा खोदा जायेगा और मर्द के वास्ते गढ़ा न खोदा जाये और यही ज़ाहिर उल रिवाया है यह ग़ायतुल बयान में है। मर्द को तमाम हदो में खड़े होने की हालत में सज़ा दी जायेगी इल्ला आंकि वो लोगों को आजिज़ करे तो बांध दिया जायेगा यह मुहीत सुरखी में है। और ममदूद की यह सूरत बयान की गई है कि ज़मीन पर डाल दिया जाये और खींचा जाये जैसा हमारे ज़माने में किया जाता है और बाज़ ने कहा कि मद की यह सूरत है कि मारने वाला कोड़े को खींचे और अपने सर पर बुलन्द करे और बाज़ ने कहा कि मद यह है कि बाद मारने के खींचे और यह सब इस वास्ते न किया जाये कि यह मुस्तहिक़ (2) से ज़्यादा है यह हिदाया में है और कोड़े सिवाए चेहरा और फ़ुर्ज व आला तनासुल और

यह ईज़ाह में है। इस में मर्द व औरत यक्सां हैं पस अगर दोनों मोहसन हों तो दोनों रजम किये जाऐंगे या दोनों मोहसन न हों तो हर एक पर सौ दुर्रे मारे जाऐंगे और अगर एक माहसन और दूसरा ग़ैर मोहसन पर रजम और दूसरे पर दुर्रे अनिवार्य होंगे और इसी तरह अगर क़ाज़ी के निकट गवाहों या स्वीकार से ज़िना ज़ाहिर हो जाये तो यही आदेश है यह फ़तहुल क़दीर में है।

धिक्कारने के लिए गढ़ा खोदा जायेगा :

हद व तअज़ीर की सज़ा में मर्द नंगा कर दिया जायेगा फ़क़त एक अज़ार इस पर रहेगी और इसी हालत में इस को सज़ा दी जायेगी शराब ख़्वारी की सज़ा में ज़ाहिरूल रिवायत के मुवाफ़िक़ यही आदेश है और हद क़ज़फ़ की सज़ा में नंगा न किया जायेगा लेकिन हशो व (1) फ़रदह उतार लिया जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और औरत किसी स्थिति में नंगी न की जायेगी मगर हशो व फ़रदह इस पर से भी उतार लिया जायेगा कज़ा फ़िल इख़्तयार शरह उल मुख़्तार और अगर औरत के बदन पर सिवाए हशो व फ़रदह के और कुछ न हो तो यह न उतारे जायेगे यह इताबिया में है। औरत को बिठला कर हद मारी जायेगी और अगर रहम की स्थिति में इस के लिए गढ़ा (1) खोदा गया तो भी रवा ही और अगर न खोदा गया तो कुछ मुज़िर नहीं है यह अधिकार शरह मुख़्तार में है लेकिन गढ़ा खोद देना अहसन है और सीना तक गढ़ा गहरा खोदा जायेगा और मर्द के लिए गढ़ा न खोदा जाये और यही ज़ाहिर उल रिवाया है यह ग़ायतुल बयान में है। मर्द को तमाम हदो में खड़े होने की हालत में सज़ा दी जायेगी सिवा आंकि वो लोगों को आजिज़ करे तो बांध दिया जायेगा यह मुहीत सुरखी में है। और ममदूद की यह स्थिति बयान की गई है कि ज़मीन पर डाल दिया जाये और खींचा जाये जैसा हमारे ज़माने में किया जाता है और कुछ ने कहा कि मद की यह स्थिति है कि मारने वाला कोड़े को खींचे और अपने सर पर बुलन्द करे और कुछ ने कहा कि मद यह है कि बाद मारने के खींचे और यह सब इस लिए न किया जाये कि यह मुस्तहिक़ (2) से ज़्यादा है यह हिदाया में है और कोड़े सिवाए चेहरा और फ़ुर्ज व आला तनासुल और

सर के और तमाम बदन पर मुतफ़र्रिक़ मारे जायेंगे यह इताबिया में है और मोहसन के हक़ में कोड़े मारना व संगसार करना दोनों न किया जायेगा और न बाकरह के हक़ में यह किया जाये कि कोड़े मारे जाएें और इस के सेाथ वो एक साल के वास्ते ग़रीब यानी शहर बदर भी की जाये हां अगर इमामुल मुस्लिमीन की राये पर है यह काफ़ी में है और निहाया में तग़रीब के यह मअनी किये हैं कि क़ैद की जाये और यह तफ़सीर अहसन है कि दूसरे अक़लीम में निकाल देने की बनिस्बत क़ैद करने में ज़्यादा फ़ितना दूर होता है यह बहर उल राइक़ व तबयुन में है और अगर मरीज़ पर हद वाजिब हुई पस अगर रजम की हद वाजिब हुई तो फ़िल हाल क़ायम कर दी जायेगी (1) और अगर दुर्रे वाजिब हुए हों तो फ़िल हाल न मारे जायेंगे यहां तक कि वो अच्छा चंगा हो जाये लेकिन अगर ऐसा मरीज़ हो कि इस की ज़िन्दगी से मायूसी हो गई हो तो हद क़ायम कर दी जायेगी यह ज़हीरिया में है।

(1)ानी बावजूद सालिम उल अक़्ल होने की बसारत भी रखता हो यानी अंधा न हो।

(2)ानी सीना तक ग़ाखोद कर इस में उतारी गई ताकि कश्त औरत न हो।

(3)ानी जिस क़द्र सज़ा का सज़ावार था इस से इस पर ज+यादती है।

(1)पोस्तीनया रोटी दार भराव का कपड़ा।

(2)क्योंकि ताख़ीर से कोई फ़ायदा मुतसव्विर नहीं है बल्कि जब वो संगसार किया जायेगा तो इन्तज़ार सेहत से इस हाल में बेहतर है बखिलाफ+ इस सूरत के कि इस पर दिरहम वाजिब हु, तो ताख़ीर में मसलहत है मुबादा इस ज़र्ब का तहम्मुल न हो और वो फ़ना हो जाये।

गवाहों ने एक औरत पर ज़िना की गवाही दी पस इस ने कहा कि मैं हामिला हों तो इस का क़ौल क़बूल न होगा बल्कि औरतों को दिखलाई जायेगी :

अगर ऐसा मर्ज़ हो कि इस के ज़वाल की उम्मीद न हो जैसे सिल वग़ैरह या यह शख़्स नाक़िस ज़ईफ़ हो तो इस को एक इतकाल मारा जाये जिस में सौ तिस्मा हों यानी सौ तिसमा का एक मुट्ठा बंधा हो एक बार मार दिया जाये और ज़रूर है कि हर तिसमा इस के बदन

सर के और तमाम बदन पर मुतफ़र्रिक़ मारे जायेंगे यह इताबिया में है और मोहसन के हक़ में कोड़े मारना व संगसार करना दोनों न किया जायेगा और न बाकरह के हक़ में यह किया जाये कि कोड़े मारे जाएें और इस के सेाथ वो एक साल के लिए ग़रीब यानी शहर बदर भी की जाये हां अगर इमामुल मुस्लिमीन की राये पर है यह काफ़ी में है और निहाया में तग़रीब के यह मअनी किये हैं कि क़ैद की जाये और यह तफ़सीर अहसन है कि दूसरे अक़लीम में निकाल देने की बनिस्बत क़ैद करने में ज़्यादा फ़ितना दूर होता है यह बहर उल राइक़ व तबयुन में है और अगर मरीज़ पर हद अनिवार्य हुई पस अगर रजम की हद अनिवार्य हुई तो फ़िल हाल क़ायम कर दी जायेगी (1) और अगर दुर्रे अनिवार्य हुए हों तो फ़िल हाल न मारे जायेंगे यहां तक कि वो अच्छा चंगा हो जाये लेकिन अगर ऐसा मरीज़ हो कि इस की ज़िन्दगी से मायूसी हो गई हो तो हद क़ायम कर दी जायेगी यह ज़हीरिया में है।

(1)ानी बावजूद सालिम उल अक़्ल होने की बसारत भी रखता हो यानी अंधा न हो।

(2)ानी सीना तक ग़ाखोद कर इस में उतारी गई ताकि कश्त औरत न हो।

(3)ानी जिस क़द्र सज़ा का सज़ावार था इस से इस पर ज+यादती है।

(1)पोस्तीनया रोटी दार भराव का कपड़ा।

(2)क्योंकि ताख़ीर से कोई फ़ायदा मुतसव्विर नहीं है बल्कि जब वो संगसार किया जायेगा तो इन्तज़ार सेहत से इस हाल में बेहतर है बखिलाफ+ इस स्थिति के कि इस पर दिरहम अनिवार्य हु, तो ताख़ीर में मसलहत है मुबादा इस ज़र्ब का तहम्मुल न हो और वो फ़ना हो जाये।

गवाहों ने एक औरत पर ज़िना की गवाही दी पस इस ने कहा कि मैं हामिला हों तो इस का कथन क़बूल न होगा बल्कि औरतों को दिखलाई जायेगी :

अगर ऐसा मर्ज़ हो कि इस के ज़वाल की उम्मीद न हो जैसे सिल वग़ैरह या यह व्यक्ति नाक़िस ज़ईफ़ हो तो इस को एक इतकाल मारा जाये जिस में सौ तिस्मा हों यानी सौ तिसमा का एक मुट्ठा बंधा हो एक बार मार दिया जाये और ज़रूर है कि हर तिसमा इस के बदन

पर पहुंच जाये और इस वास्ते कहा गया है कि ऐसी सूरत में तिसमों का कुशादा होना चाहिए यह फ़तहुल क़दीर में है और जो औरत निफ़ास (1) मों हो वो हद क़ायम करने में बमन्ज़िला मरीज़ा के है और जो औरत हैज़ में हो वो बमन्ज़िला सहीहा के है कि फ़ौरन इस पर हद क़ायम की जा सकती है और हैज़ से खारिज होने का इन्तज़ार न किया जायेगा यह ज़हीरिया में है और हामिला ने अगर ज़िना किया तो हालत हमले में इस को हद न मारी जायेगी .ख्वाह इस की हद कोड़े हों या रजम हो लेकिन अगर इस का ज़िना बज़रिया गवाहों के साबित हो गया तो वो क़ैद की जायेगी यहां तक कि वो बच्चा जने फिर जब बच्चा पैदा हो गया तो देखा जाये कि अगर मोहसिना थी तो वज़अ हमल के बाद इस को रजम किया जायेगा यह ज़ाहिर उल रिवाया है और अगर ग़ैर मोहसना थी तो छोड़ रखी जायेगी यहां तक कि वो निफ़ास से खारिज हो फिर इस पर हद क़ायम की जायेगी यह ग़ायतुल बयानमें है और अगर इस के इक़रार से हद साबित हुई तो क़ैद न की जायेगी लेकिन इस से कहा जायेगा कि जब वज़अ हमल करे तो हाज़िर हो पस अगर बाद वज़अ हमल के वो आई तो वों रजम कर दी जायेगी बशर्तेकि ऐसा कोई हो कि इस के बच्चे की परवरिश दूध पिलाई करे और अगर ऐसा कोई न हो तो इन्तज़ार किया जायेगा यहां तक कि वो बच्चे का दूध छुड़ा दे यह ज़हीरिया में है और अगरचे इस ने ताखीर में तूल दिया और कहे जाती हो कि अभी नहीं जनी हूँ। गवाहों ने एक औरत पर ज़िना की गवाही दी पस इस ने कहा कि मैं हामिला हूं तो इस का क़ौल क़बूल न होगा बल्कि औरतों को दिखलाई जायेगी पस अगस औरतों ने कहा कि यह हामिला है तो इस को दो साल की मोहलत देगा पस अगर वो न जनी तो इस को रजम कर देगा यह फ़तहुल क़दीर में है अगर गवाहों के एक औरत पर ज़िना की गवाही दी पस इस ने दावा किया कि मैं उज़रा (1) या र तक़ाअ हों तो औरतों को दिखलाई जायेगी अगर उन्होंने कहा कि यह ऐसी ही है तो इस के ज़िम्मे से हद दूर की जायेगी और गवाहों पर भी हद वाजिब न होगी और इसी तरह अगर मर्द की सूरत में इस ने महबूब होने का दावा

पर पहुंच जाये और इस लिए कहा गया है कि ऐसी स्थिति में तिसमों का कुशादा होना चाहिए यह फ़तहुल क़दीर में है और जो औरत निफ़ास (1) मों हो वो हद क़ायम करने में बमन्ज़िला मरीज़ा के है और जो औरत हैज़ में हो वो बमन्ज़िला सहीहा के है कि फ़ौरन इस पर हद क़ायम की जा सकती है और हैज़ से खारिज होने का इन्तज़ार न किया जायेगा यह ज़हीरिया में है और हामिला ने अगर ज़िना किया तो हालत हमले में इस को हद न मारी जायेगी चाहे इस की हद कोड़े हों या रजम हो लेकिन अगर इस का ज़िना बज़रिया गवाहों के सिद्ध हो गया तो वो क़ैद की जायेगी यहां तक कि वो बच्चा जने फिर जब बच्चा पैदा हो गया तो देखा जाये कि अगर मोहसिना थी तो वज़अ हमल के बाद इस को रजम किया जायेगा यह ज़ाहिर उल रिवाया है और अगर ग़ैर मोहसना थी तो छोड़ रखी जायेगी यहां तक कि वो निफ़ास से खारिज हो फिर इस पर हद क़ायम की जायेगी यह ग़ायतुल बयानमें है और अगर इस के स्वीकार से हद सिद्ध हुई तो क़ैद न की जायेगी लेकिन इस से कहा जायेगा कि जब वज़अ हमल करे तो हाज़िर हो पस अगर बाद वज़अ हमल के वो आई तो वों रजम कर दी जायेगी बशर्तेकि ऐसा कोई हो कि इस के बच्चे की परवरिश दूध पिलाई करे और अगर ऐसा कोई न हो तो इन्तज़ार किया जायेगा यहां तक कि वो बच्चे का दूध छुड़ा दे यह ज़हीरिया में है और चाहे इस ने ताखीर में तूल दिया और कहे जाती हो कि अभी नहीं जनी हूँ। गवाहों ने एक औरत पर ज़िना की गवाही दी पस इस ने कहा कि मैं हामिला हूं तो इस का कथन क़बूल न होगा बल्कि औरतों को दिखलाई जायेगी पस अगस औरतों ने कहा कि यह हामिला है तो इस को वो साल की मोहलत देगा पस अगर वो न जनी तो इस को रजम कर देगा यह फ़तहुल क़दीर में है अगर गवाहों के एक औरत पर ज़िना की गवाही दी पस इस ने दावा किया कि मैं उज़रा (1) या र तक़ाअ हों तो औरतों को दिखलाई जायेगी अगर उन्होंने कहा कि यह ऐसी ही है तो इस के ज़िम्मे से हद दूर की जायेगी और गवाहों पर भी हद अनिवार्य न होगी और इसी तरह अगर मर्द की स्थिति में इस ने महबूब होने का

किया तो भी यही हुक्म है और अज़रा (2) वरतक़ा वग़ैरह जब चीज़ों के सुबूत में औरतों के क़ौल पर अमल होता है इन के सुबूत में एक औरत का क़ौल क़बूल होगा 'कज़ा फ़िल वलवालजिया' और अगर दो औरतें हों तो अहूत है यह ग़ायतुल बयान में है और मौला अपने ग़ुलाम पर ख़ुद हद नहीं क़ायम कर सकता है इल्ला बइजाज़त इमामुल मुस्लिमीन यह हिदाया में है।

सख़्त गर्मी या सख़्त जाड़े में हद नहीं की जायेगी यह तातार ख़ानिया में है और इस तरह शिद्दत गर्मी या शिद्दत जाड़े में हाथ नहीं काटा जायेगा यह सिराज वहाज में है। एक मर्द से फ़अल अफ़ाहशा सरज़द हुआ फिर इस ने तौबा करके अल्लाह तआला की तरफ़ रूजूअ किया तो वो क़ाज़ी को अपने इस फ़अल मुन्किर से ख़बरदार न करे यह ज़हीरिया में है।

(1)नी दावा किया कि पर्दा बकारत मौजूद है।

(2)अज़रा वो औरत जिस की बकारत ज़ायल हो गई और रतसा X·X·X·X·X·X·X·X·Xजिस का पर्दा बकारत मौजूद हो और रतक, +क पर्दाX·X·Xआरज़ा भी बाज+ औरतों की फ़ुर्ज के मुंह पर पैदा होता है जो मानअ+ जिमाअ+ होता है।

(3)नी ज़च्चा।

दावा किया तो भी यही आदेश है और अज़रा (2) वरतक़ा वग़ैरह जब चीज़ों के सुबूत में औरतों के कथन पर अमल होता है इन के सुबूत में एक औरत का कथन क़बूल होगा 'कज़ा फ़िल वलवालजिया' और अगर दो औरतें हों तो अहूत है यह ग़ायतुल बयान में है और मौला अपने ग़ुलाम पर ख़ुद हद नहीं क़ायम कर सकता है सिवा बइजाज़त इमामुल मुस्लिमीन यह हिदाया में है।

सख़्त गर्मी या सख़्त जाड़े में हद नहीं की जायेगी यह तातार ख़ानिया में है और इस तरह शिद्दत गर्मी या शिद्दत जाड़े में हाथ नहीं काटा जायेगा यह सिराज वहाज में है। एक मर्द से फ़अल अफ़ाहशा सरज़द हुआ फिर इस ने तौबा करके अल्लाह तआला की तरफ़ रूजूअ किया तो वो क़ाज़ी को अपने इस फ़अल मुन्किर से ख़बरदार न करे यह ज़हीरिया में है।

(1)नी दावा किया कि पर्दा बकारत मौजूद है।

(2)अज़रा वो औरत जिस की बकारत ज़ायल हो गई और रतसा X·X·X·X·X·X·X·X·Xजिस का पर्दा बकारत मौजूद हो और रतक, +क पर्दाX·X·Xआरज़ा भी कुछ औरतों की फ़ुर्ज के मुंह पर पैदा होता है जो मानअ+ जिमाअ+ होता है।

(3)नी ज़च्चा।

बाबः 3

जो वती मोजब हद है और जो नहीं है इस के बयान में

जो वती मोजब हद होती है वो ज़िना है कज़ा फ़िल काफ़ी पस अगर महज़ हराम हो तो हद वाजिब होगी और अगर इस में कोई शुब्हा बैठ गया तो हद वाजिब न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और शुब्हा यह है कि मुशबा साबित के हो हालांकि साबित नहीं है और वो चन्द अनवाअ हैं एक शुब्हा दर फ़अल और इस को शुब्हा इशतबाह केहते हैं और इस की यह सूरत है कि ग़ैर दलील उल हल को दलील गुमान करे और इस का तहक़्क़ुक़ ऐसे शख़्स के हक़ में होगा कि जिस पर यह मुशतबा हो जाये न ऐसे शख़्स के हक़ में जिस पर मुशतबा न हो और गुमान होना ज़रूर है ताकि इशतबाह मुतहक़्क़िक़ हो पस अगर इस ने दावा कियसा कि मेरा गुमान था कि यह मेरे वास्ते हलाल है तो हद न मारी जायेगी और अगर यह दावा न किया तो हद मारी जायेगी दोम शुब्हा दर महल और इस को शुब्हा हिक्मिया कहते हैं और इस की यह सूरत है कि महल में कोई दलील हलियत की क़ायम है मगर इस का अमल बसबब किसी मानअ के मुमतनअ हो गया पस यह सब के हक़ में शुब्हा ऐतबार किया जायेगा और मुजरिम के गुमान पर और इस के दावा हल पर इस का सबूत मौक़ूफ़ न होगा पस हद दोनों तरह में साक़ित होगी मगर बच्चा का नसब दूसरीतरह में साबित होगा और अगर दावा करे और अव्वल सूरत में साबित न होगा अगरचे दावा करे और नोअ अव्वल में महर मिस्ल वाजिब होगा और सौम शुबहा दर अक़्द कि जब अक़्द पाया गया ख़्वाह हलाल हो या हराम हो ख़्वाह ऐसा हराम हो कि इस की तहरीम पर इत्तफ़ाक़ है या इस में इख़्तलाफ़ है ख़्वाह वती कुनिन्दा हिराम होने या जानता हो या न जानता हो बहरहाल इमाम आज़म रह० के नज़दीक इस को हद न मारी जायेगी और साहिबीन रह० के अनुसार अगर इस ने ऐसा निकाह किया जिस की हुरमत पर इजमाअ व इत्तफ़ाक़ है तो यह कुछ शुब्हा नहीं है पस अगर वो

अध्याय 3

जो संभोग दंड का कारण है और जो नहीं है इस के बयान में

जो वती मोजब हद होती है वो ज़िना है कज़ा फ़िल काफ़ी पस अगर महज़ निषिद्ध हो तो हद अनिवार्य होगी और अगर इस में कोई शुब्हा बैठ गया तो हद अनिवार्य न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और शुब्हा यह है कि मुशबा सिद्ध के हो हालांकि सिद्ध नहीं है और वो चन्द अनवाअ हैं एक शुब्हा दर फ़अल और इस को शुब्हा इशतबाह केहते हैं और इस की यह स्थिति है कि ग़ैर दलील उल हल को दलील गुमान करे और इस का तहक़्क़ुक़ ऐसे व्यक्ति के हक़ में होगा कि जिस पर यह मुशतबा हो जाये न ऐसे व्यक्ति के हक़ में जिस पर मुशतबा न हो और गुमान होना ज़रूर है ताकि इशतबाह मुतहक़्क़िक़ हो पस अगर इस ने दावा कियसा कि मेरा गुमान था कि यह मेरे लिए हलाल है तो हद न मारी जायेगी और अगर यह दावा न किया तो हद मारी जायेगी दोम शुब्हा दर महल और इस को शुब्हा हिक्मिया कहते हैं और इस की यह स्थिति है कि महल में कोई दलील हलियत की क़ायम है मगर इस का अमल बसबब किसी मानअ के मुमतनअ हो गया पस यह सब के हक़ में शुब्हा ऐतबार किया जायेगा और मुजरिम के गुमान पर और इस के दावा हल पर इस का सबूत मौक़ूफ़ न होगा पस हद दोनों तरह में साक़ित होगी मगर बच्चा का वंश दूसरीतरह में सिद्ध होना और अगर दावा करे और अव्वल स्थिति में सिद्ध न होगा चाहे दावा करे और नोअ अव्वल में महर मिस्ल अनिवार्य होगा और सौम शुबहा दर अक़्द कि जब अक़्द पाया गया चाहे हलाल हो या निषिद्ध हो चाहे ऐसा निषिद्ध हो कि इस की तहरीम पर इत्तफ़ाक़ है या इस में मतभेद है चाहे वती कतने वाला हिराम होने या जानता हो या न जानता हो बहरहाल इमाम आज़म रह० के निकट इस को हद न मारी जायेगी और साहिबीन रह० के अनुसार अगर इस ने ऐसा निकाह किया जिस की हुरमत पर इजमाअ व इत्तफ़ाक़ है तो यह कुछ शुब्हा नहीं है पस अगर वो तहरीम को जानता था

तहरीम को जानता था तो इस को हद मारी जायेगी वरना हद नहीं मारी जायेगी यह काफ़ी में है और इमाम असबीजाबी ने फ़रमाया कि असल यह है कि हरगाह इस ने शुब्हा का दावा किया और इस पर गवाह क़ायम किये तो हदसाक़ित होगी पस भर दो दावा भी हद साक़ित होगी मगर दावा इकराह मुसक़त हद नहीं है जब तक कि इकराह (1) वाक़े होने पर गवाह क़ायम न करे यह बहरूल राइक़ में है। अगर तीन तलाक़ दी हुई औरत से इद्दत में वती की तो यह शुब्हा दर फ़अल है और अगर तीन तलाक़ दे दी फिर रजअत की इद्दत गुज़र जाने के बाद इस से वती की तो बिल इजमाअ इस को हद मारे जाये गी और मौला ने अपनी उम्मे वल्द को आज़ाद कर दिया या मर्द ने अपनी बीवी ने अपनी बीवी को ख़ुलअ दिया या बीवी को माल पर तलाक़ दी तो इस से इद्दत में वती करना बमन्ज़िला तीन तलाक़ दी हुई से इद्दत में वती करने के है क्योंकि हुरमत बिल इजमाअ साबित हो गई है और अगर अपने बाप या मां की बान्दी से वती की कज़ा फ़िल काफ़ी या अपनी हद या हदह कितने ही ऊंचे दरजे की हो इस की बान्दी से वती की तो भी यही हुक्म है यह फ़तहुल क़दीर में है है और अगर अपनी ज़ोजा की बान्दी से या अपने मौला की बान्दी से वती की तो भी यही हुक्म है और अगर मरतहन ने मरहूना बान्दी से वती की तो भी बरिवायत किताबुल हुदूद यही हुक्म है कज़ा फ़िल काफ़ी में और यही मुख़्तार है यह तबयुन में है और जो (1) मुस्तईरर (2) में है अगर इस ने ऐसा किया तो वो भी इस बात में बमन्ज़िला मरतहन के है यह फ़तहुल क़दीर में है और अगर दोनों (2) में से एक ने गुमान का दावा किया और दूसरे

(1)ऍतराज+ हुआ कि इकराह से मुबाशरत न हुई बल्कि इ]तयारी हुई जवाबयह किख़ौफ+ जान से हद साक़ित हुई।
(2)असल नुस्खे में क़ैद रहन मौजूद हैयानी रहन को मुस्तआर लिया हो और मक़ाम ताम्मुल है।
(1)नी माल मरहूना को मुस्तआर लिया।
(2)नी ज़ानी व ज़ानिया।

ने दावा न किया तो दोनों को हद न मारी जायेगी जब तक कि दोनों इेस का इक़रार न करें कि हम हुरमत से वाक़िफ़ थे यह काफ़ी में है और अगर दोनों में से

तो इस को हद मारी जायेगी वरना हद नहीं मारी जायेगी यह काफ़ी में है और इमाम असबीजाबी ने फ़रमाया कि असल यह है कि हरगाह इस ने शुब्हा का दावा किया और इस पर गवाह क़ायम किये तो हदसाक़ित होगी पस भर दो दावा भी हद साक़ित होगी मगर दावा इकराह मुसक़त हद नहीं है जब तक कि इकराह (1) स्थपित होने पर गवाह क़ायम न करे यह बहरूल राइक़ में है। अगर तीन तलाक़ दी हुई औरत से इद्दत में वती की तो यह शुब्हा दर फ़अल है और अगर तीन तलाक़ दे दी फिर रजअत की इद्दत गुज़र जाने के बाद इस से वती की तो बिल इजमाअ इस को हद मारे जाये गी और मौला ने अपनी बच्चे कीमाँ को आज़ाद कर दिया या मर्द ने अपनी बीवी ने अपनी बीवी को ख़ुलअ दिया या बीवी को माल पर तलाक़ दी तो इस से इद्दत में वती करना बमन्ज़िला तीन तलाक़ दी हुई से इद्दत में वती करने के है क्योंकि हुरमत बिल इजमाअ सिद्ध हो गई है और अगर अपने बाप या मां की बान्दी से वती की कज़ा फ़िल काफ़ी या अपनी हद या हदह कितने ही ऊंचे दरजे की हो इस की बान्दी से वती की तो भी यही आदेश है यह फ़तहुल क़दीर में है है और अगर अपनी ज़ोजा की बान्दी से या अपने मौला की बान्दी से वती की तो भी यही आदेश है और अगर मरतहन ने मरहूना बान्दी से वती की तो भी बरिवायत किताबुल हुदूद यही आदेश है कज़ा फ़िल काफ़ी में और यही मुख़्तार है यह तबयुन में है और जो (1) मुस्तईरर (2) में है अगर इस ने ऐसा किया तो वो भी इस बात में बमन्ज़िला मरतहन के है यह फ़तहुल क़दीर में है और अगर दोनों (2) में से एक ने गुमान का दावा किया और दूसरे

(1)ऍतराज+ हुआ कि इकराह से मुबाशरत न हुई बल्कि इ]तयारी हुई जवाबयह किख़ौफ+ जान से हद साक़ित हुई।
(2)असल नुस्खे में क़ैद रहन मौजूद हैयानी रहन को मुस्तआर लिया हो और मक़ाम ताम्मुल है।
(1)नी माल मरहूना को मुस्तआर लिया।
(2)नी दुष्कर्मी व ज़ानिया।

ने दावा न किया तो दोनों को हद न मारी जायेगी जब तक कि दोनों इेस का स्वीकार न करें कि हम हुरमत से वाक़िफ़ थे यह काफ़ी में है और अगर दोनों में से

एक ग़ायब हो पस हाज़िर न कहा कि मैंने जाना कि वो मुझ पर हराम है तो हाज़िर को हद मारी जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है औरे अगर अपने भाई या चचा की लोण्डी से ज़िना किया और कहा कि मेरा गुमान था कि वो मुझ पर हलाल है तो इस को हद मारी जायेगी और यही हुक्म बाक़ी महारम में है सिवाए क़राबत औलाद के यह काफ़ी में है`इस तरह अगर अपनी बीवी के किसी महरम की बान्दी से वती की तो भी यही हुक्म है सिराज वहाज में है। अगर मुस्तआर बान्दी से वती की तो इस पर हद लाज़िम आयेगी अगरचे दावा करे कि मेरा गुमान था कि यह मुझ पर हलाल है कज़ा फ़ी मुहीत उल सरख़सी।

इस तरह अगर मुस्ताजरा बान्दी से जो खिदमत के लिये नौकर रखी है या वदीअत की बान्दी से वती की तो भी हद लाज़िम आयेगी यह सिराज वहाज में है शुब्हा ज़र महल की यह सूरतें हैं कि अपने वल्द की बान्दी या वल्द उल वल्द की बान्दी से वती की कज़ा फ़िल काफ़ी ख़्वाह इस का वल्द ज़िन्दा हो या मर गया हा यह इताबिया में है और फिर अगर वो हामिला हो गई और बच्चा पैदा हुआ तो बाप से इस का नसब साबित होगा और उक्र वाजिब न होगा और अगर हामिला न हुई तो बाप पर उक्र वाजिब होगा और आप की मिल्क इस बान्दी में साबित न होगी और दादा मिस्ल बाप के है लेकिन बाप के होते दादा का नसब साबित न होगा या ऐसी बीवी से इद्दत में वती की जिस पर बकिनाया तलाक़ वाक़े हुई है या बाऐ ने क़ब्ल सुपुर्द करने के मुबीआ बान्दी से वती की यह काफ़ी में है या अपने मकातिब की बान्दी से वती की या ऐसे ग़ुलाम माज़ून की बान्दी से वती की जिस पर इस क़द्र क़र्ज़ा है कि वती की जो इस के औरदूसरे के दरमियान मुशतरिक है यह तबयुन में है और अगर दो शरीकों में से एक ने बान्दी को आज़ाद कर दिया पस अगर शरीक को तावान दे दिया फिर इस से वती की तो हद न मारी जायेगी और अगर शरीक ने इस से वती की तो हद मारी जायेगी और अगर वो बान्दी सआयत करती हो पस अगर आज़ाद कुनिन्दा ने इस से वती की तो इस को हद मारी जायेगी और अगर दूसरे

एक ग़ायब हो पस हाज़िर न कहा कि मैंने जाना कि वो मुझ पर निषिद्ध है तो हाज़िर को हद मारी जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है औरे अगर अपने भाई या चचा की लोण्डी से ज़िना किया और कहा कि मेरा गुमान था कि वो मुझ पर हलाल है तो इस को हद मारी जायेगी और यही आदेश बाक़ी महारम में है सिवाए क़राबत औलाद के यह काफ़ी में है`इस तरह अगर अपनी बीवी के किसी महरम की बान्दी से वती की तो भी यही आदेश है सिराज वहाज में है। अगर मुस्तआर बान्दी से वती की तो इस पर हद अनिवार्य आयेगी चाहे दावा करे कि मेरा गुमान था कि यह मुझ पर हलाल है कज़ा फ़ी मुहीत उल सरख़सी।

इस तरह अगर मुस्ताजरा बान्दी से जो सेवा के लिये नौकर रखी है या वदीअत की बान्दी से वती की तो भी हद अनिवार्य आयेगी यह सिराज वहाज में है शुब्हा ज़र महल की यह सूरतें हैं कि अपने वल्द की बान्दी या वल्द उल वल्द की बान्दी से वती की कज़ा फ़िल काफ़ी चाहे इस का वल्द ज़िन्दा हो या मर गया हा यह इताबिया में है और फिर अगर वो हामिला हो गई और बच्चा पैदा हुआ तो बाप से इस का वंश सिद्ध होगा और उक्र अनिवार्य न होगा और अगर हामिला न हुई तो बाप पर उक्र अनिवार्य होगा और आप की मिल्क इस बान्दी में सिद्ध न होगी और दादा मिस्ल बाप के है लेकिन बाप के होते दादा का वंश सिद्ध न होगा या ऐसी बीवी से इद्दत में वती की जिस पर बकिनाया तलाक़ स्थपित हुई है या बाऐ ने क़ब्ल सुपुर्द करने के मुबीआ बान्दी से वती की यह काफ़ी में है या अपने मकातिब की बान्दी से वती की या ऐसे ग़ुलाम माज़ून की बान्दी से वती की जिस पर इस क़द्र क़र्ज़ा है कि वती की जो इस के औरदूसरे के दरमियान मुशतरिक है यह तबयुन में है और अगर दो शरीकों में से एक ने बान्दी को आज़ाद कर दिया पस अगर शरीक को तावान दे दिया फिर इस से वती की तो हद न मारी जायेगी और अगर शरीक ने इस से वती की तो हद मारी जायेगी और अगर वो बान्दी कमा कर क़ीमत देने की कोशिश करती हो पस अगर आज़ाद कतने वाला ने इस से वती की तो इस को हद

शरीक ने इस से वती की तो इस को हद न मारी जायेगी यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है।

अगर बीवी मुरतिद हो गई और शौहर पर हराम हो गई या बदीन वजह हराम हो गई कि शौहर ने इस की मां या बेटी (जो दूसरे शौहर से है) से वती करली :

इस तरह अगर पूरी बान्दी एक शख़्स की हो और इस में से निस्फ़ आज़ाद कर दिया फिर इस से वती की तो बिल इत्तफ़ाक़ इस पर हद लाज़िम न होगी कज़ा फ़िल मुहीत। और अपनी बान्दी को जिस से वती कर रहा था इसी हालत में आज़ाद कर दिया फिर इस से जुदा हो गया फिर इसी मज्लिस में इस से वती कर ली तो इस को हद न मारी जायेगी यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है और अगर बीवी मुरतिद हो गई नऊज़ुबिल्लाह मिन्हा और शौहर पर हराम हो गई या बदनी वजह हराम हो गई कि शौहर ने इस की मां या बेटी (जो दूसरे शौहर से है) से वती कर ली बदनी वजह कि औरत ने शौहर के पिसर की सतावअत की फिर शौहर ने इस से जिमाअ किया और कहा कि मैं जानता था कि मुझ पर हराम हो गई है तो फिर इस पर हद वाजिब न होगी और इसी तरह अगर पांच औरतों से एक अक़्द में निकाह किया या चार के निकाह में पांचवीं का निकाह किया या अपनी बीवी की बहन या मां से निकाह किया पस इस से जिमाअ किया और कहा कि मैं जानता था कि मुझ पर हराम है या औरत से बतौर मुतआ तज़व्वुज किया तो इन सूरतों में वती कुनिन्दा पर हद वाजिब न होगी अगरचे इस ने कहा कि मैं जानता था कि वो मुझ पर हराम है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर ग़नाइम जिहाद दारूल हरब दारूल इस्लाम में आ गये फिर क़ब्ल तक़सीम के किसी ग़ाज़ी ने लूट की बान्दियों में से किसी से वती की तो इस पर हद वाजिब न होगी अगरचे वो कहे कि मैं जानता था कि वो मुझ पर हराम है औरइस तरह अगर दारूल हरब में भी इस ने ऐसा कर लिया तो भी यही हुक्म है यह सिराज वहाज में है शुब्हा दर अक़्द की

मारी जायेगी और अगर दूसरे शरीक ने इस से वती की तो इस को हद न मारी जायेगी यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है।

अगर बीवी धर्मभ्रष्ट हो गई और शौहर पर निषिद्ध हो गई या इस कारण निषिद्ध हो गई कि शौहर ने इस की मां या बेटी (जो दूसरे शौहर से है) से वती करली :

इस तरह अगर पूरी बान्दी एक व्यक्ति की हो और इस में से निस्फ़ आज़ाद कर दिया फिर इस से वती की तो बिल इत्तफ़ाक़ इस पर हद अनिवार्य न होगी कज़ा फ़िल मुहीत। और अपनी बान्दी को जिस से वती कर रहा था इसी हालत में आज़ाद कर दिया फिर इस से जुदा हो गया फिर इसी मज्लिस में इस से वती कर ली तो इस को हद न मारी जायेगी यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है और अगर बीवी धर्मभ्रष्ट हो गई नऊज़ुबिल्लाह मिन्हा और शौहर पर निषिद्ध हो गई या इस कारण निषिद्ध हो गई कि शौहर ने इस की मां या बेटी (जो दूसरे शौहर से है) से वती कर ली इस कारण कि औरत ने शौहर के पिसर की सतावअत की फिर शौहर ने इस से जिमाअ किया और कहा कि मैं जानता था कि मुझ पर निषिद्ध हो गई है तो फिर इस पर हद अनिवार्य न होगी और इसी तरह अगर पांच औरतों से एक अक़्द में निकाह किया या चार के निकाह में पांचवीं का निकाह किया या अपनी बीवी की बहन या मां से निकाह किया पस इस से जिमाअ किया और कहा कि मैं जानता था कि मुझ पर निषिद्ध है या औरत से बतौर मुतआ तज़व्वुज किया तो इन स्थितियों में वती करने वाला पर हद अनिवार्य न होगी चाहे इस ने कहा कि मैं जानता था कि वो मुझ पर निषिद्ध है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर ग़नाइम जिहाद दारूल हरब दारूल इस्लाम में आ गये फिर क़ब्ल तक़सीम के किसी ग़ाज़ी ने लूट की बान्दियों में से किसी से वती की तो इस पर हद अनिवार्य न होगी चाहे वो कहे कि मैं जानता था कि वो मुझ पर निषिद्ध है औरइस तरह अगर दारूल हरब में भी इस ने ऐसा कर लिया तो भी यही आदेश है यह

सूरत में है कि अपनी किसी महरमा से निकाह कर के वती करे तो इमाम आज़म रह० के अनुसार इस पर हद वाजिब न होगी लेकिन अगर वो जानता हो कि यह हराम है तो इस को कोई सज़ा दर्दनाक दी जायेगी और साहिबीन रह० के अनुसार अगर वो हुरमत को जानता हो तो इस को हद मारी जायेगी और अगर न जानता हो तो इस पर हद न होगी कज़ा फ़िल काफ़ी और इसी को फ़िक़ीह अबुल्लैस रह० ने इख़्तयार किया है और इसी पर फ़तवा है यह मुज़मरात में है और असबीजानी ने कहा कि सही क़ौल इमाम आज़म रह० का है यह नहर उल फ़ाइक़ में है।

अगर ग़ैर की मनकूहा से या इस की मोअतदा से या अपनी मुतलक़ा सुल्स से निकाह कर लिया तो बाद तज़व्वुज के वो मिल महरमा के है। अगर निकाह मुख़्तलिफ़ फ़ीह हो मसलन बिला गवाहों के किसी औरत से निकाह किया यसा बिला वला के औरत से निकाह किया तो बिल इत्तफ़ाक़ इस पर हद वाजिब न होगी क्योंकि इस में शुबह कल के नज़दीक मुतमकिन है। इस तरह अगर आज़ाद बीवी पर एक बान्दी निकाह करके वती की या मजूसिया से निकाह किया या बान्दी से बदूं इजाज़त इस के मौला के निकाह किया या ग़ुलाम ने किसी बान्दी से बदून इजाज़त अपने मौला के निकाह किया तो बिल इत्तफ़ाक़ इस वती कुनिन्दह पर हद वाजिब न होगी यह काफ़ी में है। अगर वती बमुल्क निकाह या बमुल्क यमीन हुआ और हुरमत किसी अम्र के आरिज़ होने से हो गई तो इस से वती करना मौजब हद नहीं है जैसे बीवी हायज़ा या नफ़सार या साइमा हो या अहराम बांधे हुए हो या बशुब्हा (1) इस से किसी ने वती की हो या बीवी से ज़िहार किया हो या ईला किया हो। इस तरह अगर इस की ममलूका बान्दी इस पर बसबब रज़ाअत (1) या सहरियत के हराम हो या यह वजह हो कि इस बान्दी की ऐसी ज़ी रहम महरम इस के निकाह में हो कि जिस से यह बान्दी इस पर हराम हो या यह कि बान्दी मजूसिया या मुरतिदह हो तो इस के वती करने से मौला पर हद वाजिब न होगी अगरचे हुरमत से आगाह होन का इक़रार करे यह मुहीत में है।

सिराज वहाज में है शुब्हा दर अक़्द की स्थिति में है कि अपनी किसी महरमा से निकाह कर के वती करे तो इमाम आज़म रह० के अनुसार इस पर हद अनिवार्य न होगी लेकिन अगर वो जानता हो कि यह निषिद्ध है तो इस को कोई सज़ा दर्दनाक दी जायेगी और साहिबीन रह० के अनुसार अगर वो हुरमत को जानता हो तो इस को हद मारी जायेगी और अगर न जानता हो तो इस पर हद न होगी कज़ा फ़िल काफ़ी और इसी को फ़िक़ीह अबुल्लैस रह० ने अपनाया है और इसी पर फ़तवा है यह मुज़मरात में है और असबीजानी ने कहा कि सही कथन इमाम आज़म रह० का है यह नहर उल फ़ाइक़ में है।

अगर ग़ैर की मनकूहा से या इस की मोअतदा से या अपनी मुतलक़ा सुल्स से निकाह कर लिया तो बाद तज़व्वुज के वो मिल महरमा के है। अगर निकाह मुख़्तलिफ़ फ़ीह हो मसलन बिला गवाहों के किसी औरत से निकाह किया यसा बिला वला के औरत से निकाह किया तो बिल इत्तफ़ाक़ इस पर हद अनिवार्य न होगी क्योंकि इस में शुबह कल के निकट मुतमकिन है। इस तरह अगर आज़ाद बीवी पर एक बान्दी निकाह करके वती की या मजूसिया से निकाह किया या बान्दी से बदूं इजाज़त इस के मौला के निकाह किया या ग़ुलाम ने किसी बान्दी से बदून इजाज़त अपने मौला के निकाह किया तो बिल इत्तफ़ाक़ इस वती कुनिन्दह पर हद अनिवार्य न होगी यह काफ़ी में है। अगर वती बमुल्क निकाह या बमुल्क यमीन हुआ और हुरमत किसी कार्य के आरिज़ होने से हो गई तो इस से वती करना मौजब हद नहीं है जैसे बीवी हायज़ा या नफ़सार या साइमा हो या अहराम बांधे हुए हो या बशुब्हा (1) इस से किसी ने वती की हो या बीवी से ज़िहार किया हो या ईला किया हो। इस तरह अगर इस की ममलूका बान्दी इस पर बसबब रज़ाअत (1) या सहरियत के निषिद्ध हो या यह कारण हो कि इस बान्दी की ऐसी ज़ी रहम महरम इस के निकाह में हो कि जिस से यह बान्दी इस पर निषिद्ध हो या यह कि बान्दी मजूसिया या मुरतिदह हो तो इस के वती करने से मौला पर हद अनिवार्य न होगी चाहे हुरमत से आगाह होन का स्वीकार करे यह मुहीत में है।

अगर एक औरत को इजारह पर लिया ताकि इस से ज़िना करे या इस से वती करे या कहा कि तू यह दिराहिम ले ताकि मैं तुझ सें वती करूं या कहा कि तू मुझे अपने ऊपर इस क़द्र दिरहमों के औज़ क़ाबू दे पस औरत ने मंज़ूर किया और ऐसा वाक़े हुआ तो इस को हद न मारी जायेगी और नज़्म में इस बान पर इस क़द्र ज़्यादा फ़रमाया कि इस औरत को इस का महर मिस्ल मिलेगा और दोनों को सज़ा दी जायेगी और क़ैद किये जाये यहां तक कि दोनों तौबा करें और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि दोनों को हद मारी जायेगी जैसे कि अगर मर्द ने औरत को बिला शर्त माल दिया और ऐसा किया तो भी यही हुक्म है बख़िलाफ़ इस के अगर यूं कहा कि तो यह दिराहिम ले ताकि मैं तुझ से तमतअ हासिल करूं तो यह हुक्म नहीं है इस वास्ते कि मतआ इब्तदाऐ इस्लाम में बसबब अबाइस था पस शुब्हा बाक़ी रहा यह तमरताशी में है। अगर कहा कि मैंने तुझे इस क़द्र महर दिया ताकि तुझ से ज़िना करूं तो हद वाजिब न होगी यह काफ़ी में है और ज़ैद की बान्दी ने अगर कोई जिनायत (2) अमदन की फिर वली जिनायत ने इस औरत से ज़िना किया तो वली जिनायत पर बिल इत्तफ़ाक़ हद ज़िना वाजिब न होगी। अगर बराहे खता हो और वली जिनायत ने इस बान्दी से ज़िना किया तो इमाम अबू हनीफ़ा रह० ने फ़रमाया कि वली जिनायत पर हद वाजिब होगी ख़्वाह मौला इस बान्दी का देना इख़्तयार करे या इस का फ़िदया देना इख़्तयार करे और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि अगर मौला ने वली जिनायत को यह बान्दी इस जुर्म में देनी इख़्तयार की तो इस को हद न मारी जायेगी और अगर फ़िदया देना इख़्तयार कहा तो इस पर हद (2) वाजिब होगी। अगर किसी मर्द ने एक अजनबिया का शहवत से बौसा लिया या शहवत से इस की फ़ुर्ज को देखा फिर इस की मां या बेटी से निकाह करके दुख़ूल किया तो इस पर हद वाजिब न होगी अगरचे इस ने कहा कि मैं जानता था कि मुझ पर हराम है और यह इमाम आज़म रह० का क़ौल है और

(1)रज़ाअतयानी दूध पिलाने के सबब सेया सहरियतयानी बसबब

अगर एक औरत को इजारह पर लिया ताकि इस से ज़िना करे या इस से वती करे या कहा कि तू यह दिराहिम ले ताकि मैं तुझ सें वती करूं या कहा कि तू मुझे अपने ऊपर इस क़द्र दिरहमों के औज़ क़ाबू दे पस औरत ने मंज़ूर किया और ऐसा स्थपिते हुआ तो इस को हद न मारी जायेगी और नज़्म में इस बान पर इस क़द्र ज़्यादा फ़रमाया कि इस औरत को इस का महर मिस्ल मिलेगा और दोनों को सज़ा दी जायेगी और क़ैद किये जाये यहां तक कि दोनों तौबा करें और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि दोनों को हद मारी जायेगी जैसे कि अगर मर्द ने औरत को बिला शर्त माल दिया और ऐसा किया तो भी यही आदेश है बख़िलाफ़ इस के अगर यूं कहा कि तो यह दिराहिम ले ताकि मैं तुझ से तमतअ हासिल करूं तो यह आदेश नहीं है इस लिए कि मतआ इब्तदाऐ इस्लाम में बसबब अबाइस था पस शुब्हा बाक़ी रहा यह तमरताशी में है। अगर कहा कि मैंने तुझे इस क़द्र महर दिया ताकि तुझ से ज़िना करूं तो हद अनिवार्य न होगी यह काफ़ी में है और ज़ैद की बान्दी ने अगर कोई जिनायत (2) अमदन की फिर वली जिनायत ने इस औरत से ज़िना किया तो वली जिनायत पर बिल इत्तफ़ाक़ हद ज़िना अनिवार्य न होगी। अगर बराहे खता हो और वली जिनायत ने इस बान्दी से ज़िना किया तो इमाम अबू हनीफ़ा रह० ने फ़रमाया कि वली जिनायत पर हद अनिवार्य होगी चाहे मौला इस बान्दी का देना इख़्तयार करे या इस का फ़िदया देना अपनाए और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि अगर मालिक ने वली जिनायत को यह बान्दी इस जुर्म में देनी स्वीकार की तो इस को हद न मारी जायेगी और अगर फ़िदया देना स्वीकार किया तो इस पर दंड (2) अनिवार्य होगा। अगर किसी मर्द ने एक अजनबिया का शहवत से बौसा लिया या शहवत से इस की फ़ुर्ज को देखा फिर इस की मां या बेटी से निकाह करके दुख़ूल किया तो इस पर हद अनिवार्य न होगी चाहे इस ने कहा कि मैं जानता था कि मुझ पर निषिद्ध है और यह इमाम आज़म रह० का कथन है और

(1)रज़ाअतयानी दूध पिलाने के कारण सेया सहरियतयानी बसबब

दामादी के हो।
(2)मसलन उमर के वली को क़त्ल किया पस वली जिनायत उमर है।
(1)पसस इद्दत में हो।
(2)हद ज़िना।

ऐसी वती से इस का अहसान बातिल न होगा हत्ता कि इस का क़ज़्फ़ करने वाला हद क़ज़्फ़ मारा जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर किसी मर्द ने अपनी बीवी की मां या बेटी का बोसा लिया या बीवी ने शौहर के पिसर या बाप का बौसा लिया हत्ता कि अपने शौहर पर हराम हो गई फिर शौहर ने इस से वती करली तो इस पर हद वाजिब न होगी अगरचे शौहर कहे कि मैं जानता था कि वो मुझ पर हराम है यह तातार खानिया में है।

ऐसे शख़्स की बाबत मसला जिसे वक़्तन फ़वक़्तन जुनून लाहक़ होता रहता है:

असल में मज़कूर है कि गूंगा हद ज़िना या किसी हद के वास्ते हुदूद मेंसे माख़ुज़ न होगा अगरचे वो बाशारत या बकिताबत (1) इक़रार करे या इस पर गवाह गवाही दें और जो शख़्स कभी मजनून हो जाता हो और कभी इस को इफ़ाक़ा होता हो पस अगर इस ने हालत इफ़ाक़ा में ज़िना किया तो हद ज़िना के वास्ते माख़ुज़ होगा और अगर इस ने कहा कि मैंने अपने जुनून की हालत में ज़िना किया है तो इस पर हद जारी न होगी जैसे बालिग़ ने अगर कहा कि मैंने हालत नाबालग़ी में ज़िना किया है तो माख़ुज़ नहीं होता है यह मुहीत में है और जिस ने दारूल हरब या दारूल बग़ी (1) में ज़िना किया फिर वो हमारे यहां आ गया तो इस पर हद जारी न की जायेगी यह हिदाया में है। अगर कोई सरय्या दारूल हरब (2) में दाखिल हुआ और इन में से किसी मर्द ने वहां ज़िना किया तो इस पर हद जारी न होगी और इस तरह मेरो लश्कर हुदूद व क़िसास को क़ायत न करेगा यह काफ़ी में है। अगर खलीफ़ा ने बज़ात ख़ुद जिहाद किया या अमीर शहर (2) ने ख़ुद जमा दिया क्याजो अपनी विलायत के लोगां पर हुदूद क़ायम करता था तो वो दारूल हरब में भी हुदूद व क़िसास क़ायम करेगा और यह इस वक़्त है कि इस ने लश्कर में हो कर

दामादी के हो।
(2)मसलन उमर के वली को क़त्ल किया पस वली जिनायत उमर है।
(1)पसस इद्दत में हो।
(2)हद ज़िना।

ऐसी वती से इस का अहसान बातिल न होगा हत्ता कि इस का क़ज़्फ़ करने वाला हद क़ज़्फ़ मारा जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर किसी मर्द ने अपनी बीवी की मां या बेटी का बोसा लिया या बीवी ने शौहर के पिसर या बाप का बौसा लिया हत्ता कि अपने शौहर पर निषिद्ध हो गई फिर शौहर ने इस से वती करली तो इस पर हद अनिवार्य न होगी चाहे शौहर कहे कि मैं जानता था कि वो मुझ पर निषिद्ध है यह तातार खानिया में है।

ऐसे व्यक्ति की बाबत मसला जिसे वक़्तन फ़वक़्तन जुनूनी होता रहता है:

असल में मज़कूर है कि गूंगा हद ज़िना या किसी हद के लिए हुदूद मेंसे माख़ुज़ न होगा चाहे वो बाशारत या बकिताबत (1) स्वीकार करे या इस पर गवाह गवाही दें और जो व्यक्ति कभी मजनून हो जाता हो और कभी इस को इफ़ाक़ा होता हो पस अगर इस ने हालत इफ़ाक़ा में ज़िना किया तो हद ज़िना के लिए माख़ुज़ होगा और अगर इस ने कहा कि मैंने अपने जुनून की हालत में ज़िना किया है तो इस पर हद जारी न होगी जैसे बालिग़ ने अगर कहा कि मैंने हालत नाबालग़ी में ज़िना किया है तो माख़ुज़ नहीं होता है यह मुहीत में है और जिस ने दारूल हरब या दारूल बग़ी (1) में ज़िना किया फिर वो हमारे यहां आ गया तो इस पर हद जारी न की जायेगी यह हिदाया में है। अगर कोई सरय्या दारूल हरब (2) में दाखिल हुआ और इन में से किसी मर्द ने वहां ज़िना किया तो इस पर हद जारी न होगी और इस तरह मेरो लश्कर हुदूद व क़िसास को क़ायत न करेगा यह काफ़ी में है। अगर खलीफ़ा ने बज़ात ख़ुद जिहाद किया या अमीर शहर (2) ने ख़ुद जमा दिया क्याजो अपनी विलायत के लोगां पर हुदूद क़ायम करता था तो वो दारूल हरब में भी हुदूद व क़िसास क़ायम करेगा और यह इस समय है कि इस ने लश्कर में हो कर ज़िना किया और अगर वो

ज़िना किया और अगर वो अहले हरब से जा मिला और ज़िना कियातो इस पर हद क़ायम न की जायेगी और मशाइख ने फ़रमाया कि यह अमीर अपने लश्कर में हद इसी सूरत में क़ायम करेगा कि जिस पर हद क़ायम करना चाहता है इस की तरफ़ से मुरतिद हो जाने और अहले हरब से मिल जाने से बखौफ़ हो और अगर मुरतिद हो जाने और अहले हरबसे मिल जाने का खौफ़ हो तो हद क़ायम न करेगा यहां तक कि दारूल हरब से जुदा होकर दारूल इस्लाम में आये यह ज़हीरिया में है।

अगर ज़िम्मी ने ऐसी औरतहरबिया से जो अमान ले कर दारूल इस्लाम में आई है ज़िना किया तो बिल इजमाअ ज़िम्मी पर हद वाजिब होगी यह इताबिया में है। इस तरह अगर ऐसी औरत से मुसलमान ने ज़िना किया तो इस पर हद जारी की जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और जो औरत या मर्द अहले हरब में से अमान ले कर यहां दाखिल हुआ है इस पर इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार हद नहीं है सिवाए हद कज़फ़ (3) के और अगर मुसलमान औरत या ज़हबा आरत ने हरबी मुस्ताम्मन को अपने ऊपर क़ाबू दिया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार मुस्लिमा और ज़िम्मिया को हद मारी जायेगी और इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार दोनों (1) में से किसी पर हद न होगी और इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार दोनों पर हद जारी की जायेगी यह इताबिया में है। ज़िम्मी ने अगर ज़िना किया फिर मुसलमान हुआ पस अगर यह अम्र इस पर इस के इक़रार से या मुसलमान गवाहों की गवाही से साबित हुआ तो इस के सर से हुदूद न की जायेगी और अगर ज़िम्मी गवाहों की गवाही से इस पर साबित हुआ फिर वो मुसलमान हो गया तो इस पर हद क़ायम न की जायेगी यह बहर उल राइक़ में है। अगर मर्द तन्दरूस्त ने मजनूना औरत या ऐसी सग़ीरा से जो जिमाअ के क़ाबिल है ज़िना किया तो बिल इजमाअ खास्सतन मर्द पर हद क़ायम की जायेगी यह हिदाया में है और गर सोती हुई औरत से ज़िना किया तो मर्द पर हद वाजिब होगी यह मुहीत सुरखी में है। अगर नाबालिग़ या मजनून ने औरत बालिग़ा आक़िला से ज़िना कियसा और औरत मज़कूरह ने

अहले हरब से जा मिला और ज़िना कियातो इस पर हद क़ायम न की जायेगी और विद्वानों ने फ़रमाया कि यह अमीर अपने लश्कर में हद इसी स्थिति में क़ायम करेगा कि जिस पर हद क़ायम करना चाहता है इस की तरफ़ से धर्मभ्रष्ट हो जाने और अहले हरब से मिल जाने से बखौफ़ हो और अगर धर्मभ्रष्ट हो जाने और अहले हरबसे मिल जाने का खौफ़ हो तो हद क़ायम न करेगा यहां तक कि दारूल हरब से जुदा होकर दारूल इस्लाम में आये यह ज़हीरिया में है।

अगर ज़िम्मी ने ऐसी औरतहरबिया से जो अमान ले कर दारूल इस्लाम में आई है ज़िना किया तो बिल इजमाअ ज़िम्मी पर हद अनिवार्य होगी यह इताबिया में है। इस तरह अगर ऐसी औरत से मुसलमान ने ज़िना किया तो इस पर हद जारी की जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और जो औरत या मर्द अहले हरब में से अमान ले कर यहां दाखिल हुआ है इस पर इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार हद नहीं है सिवाए हद कज़फ़ (3) के और अगर मुसलमान औरत या ज़हबा आरत ने हरबी मुस्ताम्मन को अपने ऊपर क़ाबू दिया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार मुस्लिमा और ज़िम्मिया को हद मारी जायेगी और इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार दोनों (1) में से किसी पर हद न होगी और इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार दोनों पर हद जारी की जायेगी यह इताबिया में है। ज़िम्मी ने अगर ज़िना किया फिर मुसलमान हुआ पस अगर यह कार्य इस पर इस के स्वीकार से या मुसलमान गवाहों की गवाही से सिद्ध हुआ तो इस के सर से हुदूद न की जायेगी और अगर ज़िम्मी गवाहों की गवाही से इस पर सिद्ध हुआ फिर वो मुसलमान हो गया तो इस पर हद क़ायम न की जायेगी यह बहर उल राइक़ में है। अगर मर्द तन्दरूस्त ने मजनूना औरत या ऐसी सग़ीरा से जो जिमाअ के क़ाबिल है ज़िना किया तो बिल इजमाअ खास्सतन मर्द पर हद क़ायम की जायेगी यह हिदाया में है और गर सोती हुई औरत से ज़िना किया तो मर्द पर हद अनिवार्य होगी यह मुहीत सुरखी में है। अगर नाबालिग़ या मजनून ने औरत बालिग़ा आक़िला से ज़िना कियसा और औरत मज़कूरह ने

बख़ुशी क़ाबू दिया तो बिला खिलाफ़ तुफ़ल व मजनून पर हद वाजिब न होगी और रही औरत सो हमारे उलमा के क़ौल पर इस को हद की सज़ा न दी जायेगी और अगर सग़ीरा नाबालिग़ा से ज़िना किया तो दोनों पर हद न होगी और ज़ानी पर

(1)दारूल बग़ी वो मक़ाम जिस को बाग़ि+यों ने इमाम बरहक़+ से बग़ावत करके अपने क़ब्ज़ा में कर लिया।
(2)समरयह वो लश्कर इस्लाम जिस में इमामुल मुस्लिमीन माजूद न हो।
(3)हरबी मुस्ताम्मन और ज़िम्मियाया मुस्लिमा दोनों में से न ज़ानी पर और न ज़ानिया पर किसी पर होगी
(1)लिख कर। (2)सूबे दार
(3)किसी को तोहमत ज़िना लगाई।

इस का महर वाजिब होगा और अगर तफ़्ल ने इस अम्र का इक़रार किया तो इस के इक़रार से इस पर कुछ लाज़िम न होगा। अगर तफ़्ल ने बालिग़ा औरत से ज़िना किया और इस का पर्दा बकारत ज़ायल कर दिया और यह औरत बाकराह मजबूरी इस फ़अल में मुब्तला होगी है तो तफ़्ल मज़्कूर इस के महर का ज़ामिन होगा बखिलाफ़ इस के अगर औरत मज़्कूरह ख़ुशी से इस बात पर राज़ी हुई हो तो ऐसा नहीं है और अगर नाबालिग़ा लड़की ने तफ़्ल को अपनी तरफ़ बुलाया जिसने ज़िना किया और इस का पर्दा जाता रहा तो तफ़्ल मज़्कूर पर महर वाजिब होगा और बान्दी ने अगर तफ़्ल से ज़िना कराया तो वो इस के महर का ज़ामिन होगा यह ज़खीरह में है। अगर सोते हुए मर्द से औरत ने ख़ुद वती की और अपने नफ़्स पर क़ाबू दे दिया तो दोनों पर हद वाजिब न होगी यह मुहीत सुरखी में है। और जिस मर्द को सुल्तान ने मजबूर किया हत्ता कि इस ने ज़िना किया तो इस पर हद नहीं है और इमाम अबू हनीफ़ा रह० पहले फ़रमाते थे कि हद है फिर रूजूअ किया और फ़रमाया कि इस पर हद नहीं और अगर सिवाऐ सुल्तान के दूसरे ने इकराह किया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि इस पर हद नहीं है कज़ा फ़ी फ़तहुल क़दीर और इसी पर फ़तवा है यह सिराजिया में है।

अगर औरत पर इकराह किया गया यहां तक कि इस ने अपने ऊपर क़ाबू दिया तो बिल इजमाअ इस को हद की सज़ा न होगी और इकरीाह करदह शुदह के यह

बख़ुशी क़ाबू दिया तो बिला खिलाफ़ तुफ़ल व मजनून पर हद अनिवार्य न होगी और रही औरत सो हमारे उलमा के कथन पर इस को हद की सज़ा न दी जायेगी और अगर सग़ीरा नाबालिग़ा से ज़िना किया तो दोनों पर हद न होगी और दुष्कर्मी पर

(1)दारूल बग़ी वो मक़ाम जिस को बाग़ि+यों ने इमाम बरहक़+ से बग़ावत करके अपने क़ब्ज़ा में कर लिया।
(2)समरयह वो लश्कर इस्लाम जिस में इमामुल मुस्लिमीन माजूद न हो।
(3)हरबी मुस्ताम्मन और ज़िम्मियाया मुस्लिमा दोनों में से न दुष्कर्मी पर और न ज़ानिया पर किसी पर होगी
(1)लिख कर। (2)सूबे दार
(3)किसी को तोहमत ज़िना लगाई।

इस का महर अनिवार्य होगा और अगर तफ़्ल ने इस कार्य का स्वीकार किया तो इस के स्वीकार से इस पर कुछ अनिवार्य न होगा। अगर तफ़्ल ने बालिग़ा औरत से ज़िना किया और इस का पर्दा बकारत ज़ायल कर दिया और यह औरत बाकराह मजबूरी इस फ़अल में मुब्तला होगी है तो तफ़्ल मज़्कूर इस के महर का ज़ामिन होगा बखिलाफ़ इस के अगर औरत मज़्कूरह ख़ुशी से इस बात पर राज़ी हुई हो तो ऐसा नहीं है और अगर नाबालिग़ा लड़की ने तफ़्ल को अपनी तरफ़ बुलाया जिसने ज़िना किया और इस का पर्दा जाता रहा तो तफ़्ल मज़्कूर पर महर अनिवार्य होगा और बान्दी ने अगर तफ़्ल से ज़िना कराया तो वो इस के महर का ज़ामिन होगा यह ज़खीरह में है। अगर सोते हुए मर्द से औरत ने ख़ुद वती की और अपने नफ़्स पर क़ाबू दे दिया तो दोनों पर हद अनिवार्य न होगी यह मुहीत सुरखी में है। और जिस मर्द को सुल्तान ने मजबूर किया हत्ता कि इस ने ज़िना किया तो इस पर हद नहीं है और इमाम अबू हनीफ़ा रह० पहले फ़रमाते थे कि हद है फिर रूजूअ किया और फ़रमाया कि इस पर हद नहीं और अगर सिवाऐ सुल्तान के दूसरे ने इकराह किया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि इस पर हद नहीं है कज़ा फ़ी फ़तहुल क़दीर और इसी पर फ़तवा है यह सिराजिया में है।

अगर औरत पर इकराह किया गया यहां तक कि इस ने अपने ऊपर क़ाबू दिया तो बिल इजमाअ इस को

मअनी हैं कि ईलाज के वक्त तक यानी दाखिल किये जाने के वक्त तक मजबूर की गई हो और अगर इकराह की गई हो यहां तक कि वो लेटी फिर क़ब्ल ईलाज के इस ने ख़ुद क़ाबू दे दिया तो मुतावआ (1) होगी यह खज़ानतुल फ़तावा में है। अगर मर्द (2) किरह हो पस इस ने औरत से जो मतावआ है ज़िना किया तो मतावआ औरत ही पर हद जारी की जायेगी यह इमाम आज़म रह० का क़ौल है यह फ़तहुल क़दीर में है। फिर असल यह है कि हरदोज़ानी में से जब एक से हद बसबब शुबहा के साक़ित हुई तो दूसरे से भी सबब शिरकत के साक़ित होगी। चुनांचे अगर एक ने निकाह का दावा किया और दूसरे ने निकाह (1) से इन्कार किया तो दोनों से हद साक़िमत होगी और जब बसबब क़सूर फ़अल के साक़ित हुई पस अगर क़सूरराज़ जानिब औरत हो तो इसी से हद साक़ित होगी और मर्द से साक़िमत न होगी और जैसे ऐसीसग़ीरा से जो क़ाबिल जिमाअ है या मजनूना या मकरहिया या नाइमा (2) से ज़िना किया तो औरत से सक़ित और मर्द महदूद होगा और अगर क़सूर अज़ जानिब मर्द हो तो हद दोनों से साक़ित होगी यह सिराज वहाज में है और अगर मर्द ने अपने पिसर की उम्मे वल्द से वती की और कहा कि मैं जानता था कि वो मुझ पर हराम है तो इस पर हद न होगी और अगर मर्द ने अपने बाप की बीवी से बाद अपने बाप की मौत के निकाह कर लिया पस इस से औलाद हुई तो फ़िक़ीह अबूबकर बलखी रह० ने फ़रमाया कि अगर इस ने चार मर्तबा मजालिस मुख्तलिफ़ा में वतीका इत्तरार किया तो दोनों पर हद जारी की जायेगी और औलाद का नसब साबित न होगा आर फ़िक़ीह अबुल्लैस रह० ने फ़रमाया कि यह साहिबीन रह० का क़ौल है और हम इसी को लेते हैं।

अगर किसी मर्द ने आज़ादा औरत से ज़िना किया फिर खता से इस को क़त्ल किया हत्ता कि देत वाजिब हुई ?

हद की सज़ा न होगी और इकरीाह करदह शुदह के यह मअनी हैं कि ईलाज के समय तक यानी दाखिल किये जाने के समय तक मजबूर की गई हो और अगर इकराह की गई हो यहां तक कि वो लेटी फिर क़ब्ल ईलाज के इस ने ख़ुद क़ाबू दे दिया तो मुतावआ (1) होगी यह खज़ानतुल फ़तावा में है। अगर मर्द (2) किरह हो पस इस ने औरत से जो मतावआ है ज़िना किया तो मतावआ औरत ही पर हद जारी की जायेगी यह इमाम आज़म रह० का कथन है यह फ़तहुल क़दीर में है। फिर असल यह है कि दानो दुष्कर्मियों में से जब एक से दंड संदेह के कारण से रद्द हुई तो दूसरे से भी सम्मिलित के कारण कारण रद्द होगी। चुनांचे अगर एक ने निकाह का दावा किया और दूसरे ने निकाह (1) से इन्कार किया तो दोनों से हद साक़िमत होगी और जब बसबब क़सूर फ़अल के साक़ित हुई पस अगर क़सूरराज़ जानिब औरत हो तो इसी से हद साक़ित होगी और मर्द से साक़िमत न होगी और जैसे ऐसीसग़ीरा से जो क़ाबिल जिमाअ है या मजनूना या मकरहिया या नाइमा (2) से ज़िना किया तो औरत से सक़ित और मर्द महदूद होगा और अगर क़सूर अज़ जानिब मर्द हो तो हद दोनों से साक़ित होगी यह सिराज वहाज में है और अगर मर्द ने अपने पिसर की बच्चे कीमौं से वती की और कहा कि मैं जानता था कि वो मुझ पर निषिद्ध है तो इस पर हद न होगी और अगर मर्द ने अपने बाप की बीवी से बाद अपने बाप की मौत के निकाह कर लिया पस इस से औलाद हुई तो फ़िक़ीह अबूबकर बलखी रह० ने फ़रमाया कि अगर इस ने चार मर्तबा मजालिस मुख्तलिफ़ा में वतीका इत्तरार किया तो दोनों पर हद जारी की जायेगी और औलाद का वंश सिद्ध न होगा आर फ़िक़ीह अबुल्लैस रह० ने फ़रमाया कि यह साहिबीन रह० का कथन है और हम इसी को लेते हैं।

अगर किसी मर्द ने आज़ादा औरत से ज़िना

एक मर्द ने मुर्दा औरत से ज़िना कियसा तो इस में इख़्तलाफ़ है अहले मदीना ने फ़रमाया कि इस पर हद जारी की जायेगी ओर अहले बसरह ने फ़रमाया बक हद न होगी बल्कि तअज़ीर दी जायेगी और फ़क़ीह अबुल्लैस रह० ने फ़रमाया कि हम इसी को लेते हैं और एक मर्द ने ममलूका लडकी से जिमाअ किया और बसबब जिमाअ के वो मर गई तो असल में मज़कूर है कि मर्द मज़कूरह पर इस की क़ीमत वाजिब होगी और इस में कुछ इख़्तलाफ़ ज़िक्र नहीं फ़रमाया और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने इमामली में इमाम आज़म रह० से ज़िक्र फ़रमाया कि इस पर क़ीमत वाजिब है और हद भी लाज़िम होगी और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि इस पर क़ीमत वाजिब है और हद लाज़िम नहीं है और यही सही है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर आज़ादा औरत से

(1)ब]]शी क़ाबू देने वाली।
(2)मकरह जिस मर्द पर इकराह किया गसया मकरह जिस औरत पर इकराह किया गया और इस के मक़ाबिल मुतावअ+ व मुतावआ।
(1)महज+ ज़िना का इक़रार है।
(2)सोती हुई।

ज़िना किया और जिमाअ से उस को मार डाला तो बिल इजमाअ देत के साथ हद भी वाजिब होगी यह तबयुन में है। अगर किसी मर्द ने आज़ादा औरत से ज़िना किया फिर खता से इस को क़त्ल किया हत्ता कि देत वाजिब हुई तो हद भी वाजिब होगी इस वास्ते कि यह दोनों दो सब मुख़्तलिफ़ से वाजिब हुई है यह ज़हीरिया में हैं और अगर अजनबियसा औरत से फ़ुर्ज के सिवाए वती की तो हद जारी न होगी इस वास्ते कि यह ज़िना नहीं मगर इस को तअज़ीर दी जायेगी और अगर किसी औरत से इस के दुबुर में वती की सया तफ़ल से लवातत की तो इमाम आज़त रह० के अनुसार हद न होगी और मगर इस को तअज़ीर दी जायेगी और क़ैद में डाला जायेगा यहां तक कि तौबा करे और साहिबीन रह० के अनुसार इस पर ज़िना की हद जारी की जायेगी कि अगर मोहसन है तो रजम किया जायेगा और अगर मोहसन जिन में है तो दुर्रे मारे जायेंगे और गर ऐसा अम्र

किया फिर खता से इस को क़त्ल किया हत्ता कि देत अनिवार्य हुई ?

एक मर्द ने मुर्दा औरत से ज़िना कियसा तो इस में मतभेद है अहले मदीना ने फ़रमाया कि इस पर हद जारी की जायेगी ओर अहले बसरह ने फ़रमाया बक हद न होगी बल्कि तअज़ीर दी जायेगी और फ़क़ीह अबुल्लैस रह० ने फ़रमाया कि हम इसी को लेते हैं और एक मर्द ने ममलूका लडकी से जिमाअ किया और बसबब जिमाअ के वो मर गई तो असल में मज़कूर है कि मर्द मज़कूरह पर इस की क़ीमत अनिवार्य होगी और इस में कुछ मतभेद वर्णन नहीं फ़रमाया और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने इमामली में इमाम आज़म रह० से वर्णन फ़रमाया कि इस पर क़ीमत अनिवार्य है और हद भी अनिवार्य होगी और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि इस पर क़ीमत अनिवार्य है और हद अनिवार्य नहीं है और यही सही है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर आज़ादा औरत से

(1)ब]]शी क़ाबू देने वाली।
(2)मकरह जिस मर्द पर इकराह किया गसया मकरह जिस औरत पर इकराह किया गया और इस के मक़ाबिल मुतावअ+ व मुतावआ।
(1)महज+ ज़िना का स्वीकार है।
(2)सोती हुई।

ज़िना किया और जिमाअ से उस को मार डाला तो बिल इजमाअ देत के साथ हद भी अनिवार्य होगी यह तबयुन में है। अगर किसी मर्द ने आज़ादा औरत से ज़िना किया फिर खता से इस को क़त्ल किया हत्ता कि देत अनिवार्य हुई तो हद भी अनिवार्य होगी इस लिए कि यह दोनों दो सब मुख़्तलिफ़ से अनिवार्य हुई हैं यह ज़हीरिया में है और अगर अजनबियसा औरत से फ़ुर्ज के सिवाए वती की तो हद जारी न होगी इस लिए कि यह ज़िना नहीं मगर इस को तअज़ीर दी जायेगी और अगर किसी औरत से इस के दुबुर में वती की सया तफ़ल से लवातत की तो इमाम आज़त रह० के अनुसार हद न होगी और मगर इस को तअज़ीर दी जायेगी और क़ैद में डाला जायेगा यहां तक कि तौबा करे और साहिबीन रह० के अनुसार इस पर ज़िना की हद जारी की जायेगी कि

अपने ग़ुलाम या बान्दी या बीवी के साथ किया ख़्वाह बीवी से निकाह सही हो सया फ़ासिद हो तो बिल इजमाअ इस पर हद वाजिब न होगी यह काफ़ी में है।

अगर लवातत (1) किसी की आदत हो गई तो इमाममुल मुस्लिमीन इस को क़त्ल कर देगा ख़्वाह मोहसन हो ग़ैर मोहसन हो यह फ़तहुल क़दीर में है तहीमिया (2) से वती करने वाले पर हमारे अनुसार हद वाजिब नहीं है यह काफ़ी में है। अगर शब ज़फ़ाफ़ में इस के पास इस की बीवी के सिवाए दूसरी भेज दी गई और औरतों ने कहा कि यह तेरी बीवी है पस इस से वती कर ली तो इस पर हद न होगी मगर इस पर महर वाजिब होगा इस वास्ते कि आदमी अपनी बीवी वग़ैरह बीवी में अव्वल बारी में तमीज़ नहीं कर सकता है। इल्ला अख़्बार और खबर वाहिद उमूर दीन व मआमलात में काफ़ी है इसी वास्ते अगर कोई बान्दी आई और कहा मुझे मेरे मौला ने तेरे पास हदया भेजा है तो इस के क़ौल पर ऐतमाद करके इस से वती कर लेनी हलाल है। फिर जो औरत शब ज़फ़ाफ़ (3) में भेजी गई थी अगर इस के बच्चा पैदा हुआ तो इस का नसब इस मर्द से साबित होगा और इस औरत पर इद्दत वाजिब होगी मगर इस औरत पर तोहमत लगाने वाले को हद क़ज़फ़ की सज़ा न दी जायेगी यह ग़ायतुल बयान में है। और एक मर्द ने अंधेरी रात में अपने बिछोने पर एक औरत को पाया और हाल यह है कि इस की एक बीवी पुरानी है पस जिस को बिस्तर पर पाया है इस से वती करली और कहा कि मैंने गुमान किया कि वो मेरी बीवी है तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि इस का क़ौल क़बूल न होगा और इस पर हद वाजिब होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और इमाम अबू हनीफ़ा रह० ने फ़रमाया कि अगर किसी मर्द ने अपनी कोठरी में किसी औरत को पाया और इस से वती करली और कहा कि मैंने इस को अपनी बीवी गुमान किया था तो इस मर्द पर हद वाजिब होगी और अगरचे वो अंधा हो यह सिराज उल वहाज में है। और अगर अंधे ने अपनी औरत को बिस्तर पर बुलाया पस ग़ैर औरत ने जवाब दिया और आगई पस इस से जिमाअ कर लिया तो इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि इस पर हद

अगर मोहसन है तो रजम किया जायेगा और अगर मोहसन जिन में है तो दुर्रे मारे जायेंगे और गर ऐसा कार्य अपने ग़ुलाम या बान्दी या बीवी के साथ किया चाहे बीवी से निकाह सही हो सया फ़ासिद हो तो बिल इजमाअ इस पर हद अनिवार्य न होगी यह काफ़ी में है।

अगर लवातत (1) किसी की आदत हो गई तो इमाममुल मुस्लिमीन इस को क़त्ल कर देगा चाहे मोहसन हो ग़ैर मोहसन हो यह फ़तहुल क़दीर में है तहीमिया (2) से वती करने वाले पर हमारे अनुसार हद अनिवार्य नहीं है यह काफ़ी में है। अगर शब ज़फ़ाफ़ में इस के पास इस की बीवी के सिवाए दूसरी भेज दी गई और औरतों ने कहा कि यह तेरी बीवी है पस इस से वती कर ली तो इस पर हद न होगी मगर इस पर महर अनिवार्य होगा इस लिए कि आदमी अपनी बीवी वग़ैरह बीवी में अव्वल बारी में तमीज़ नहीं कर सकता है। सिवा अख़्बार और खबर वाहिद उमूर दीन व मआमलात में काफ़ी है इसी लिए अगर कोई बान्दी आई और कहा मुझे मेरे मौला ने तेरे पास हदया भेजा है तो इस के कथन पर ऐतमाद करके इस से वती कर लेनी हलाल है। फिर जो औरत शब ज़फ़ाफ़ (3) में भेजी गई थी अगर इस के बच्चा पैदा हुआ तो इस का वंश इस मर्द से सिद्ध होगा और इस औरत पर इद्दत अनिवार्य होगी मगर इस औरत पर तोहमत लगाने वाले को हद क़ज़फ़ की सज़ा न दी जायेगी यह ग़ायतुल बयान में है। और एक मर्द ने अंधेरी रात में अपने बिछोने पर एक औरत को पाया और हाल यह है कि इस की एक बीवी पुरानी है पस जिस को बिस्तर पर पाया है इस से वती करली और कहा कि मैंने गुमान किया कि वो मेरी बीवी है तो विद्वानों ने फ़रमाया कि इस का कथन क़बूल न होगा और इस पर हद अनिवार्य होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और इमाम अबू हनीफ़ा रह० ने फ़रमाया कि अगर किसी मर्द ने अपनी कोठरी में किसी औरत को पाया और इस से वती करली और कहा कि मैंने इस को अपनी बीवी गुमान किया था तो इस मर्द पर हद अनिवार्य होगी और चाहे वो अंधा हो यह सिराज उल वहाज में है। और अगर अंधे ने अपनी औरत को बिस्तर पर बुलाया पस ग़ैर

वाजिब होगी और अगर ग़ैर औरत ने जवाब में यूं कहा कि मैं फ़लाना हूं यानी इस की बीवी का नाम लिया पस अंधे ने इस से जिमा कर लिया तो इस को हद न मारी जायेगी और अगर आंखों वाला हो तो ऐसी सूरत में इस की तसदीक़ न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। एक मर्द ने अपनी बान्दी किसी दूसरी के वास्ते हलाल कर दी पस दूसरे ने इस बान्दी से वती कर ली तो इस पर हद न होगी यह मुहीत सुरखी में है।

जो शख़्स नशे में है अगर इस ने ज़िना किया तो इस को हद मारी जायेगी जब वो हौश में आ जलाये यह सिराजिया में है। अगर बैअ फ़ासिद हो और मुशतरी ने बैआ बान्दी से क़ब्ल क़ब्ज़ा के या बाद क़ब्ज़ा के वती की तो इस पर हद वाजिब न होगी। अगर बाऐ ने अपने वास्ते ख़्यार की शर्त करके बान्दी फ़रोख़्त करदी पस मुशतरी ने इस से वती की या ख़्यार मुशतरी का था और बाऐ ने इस से वती की तो इस पर हद जारी की जायेगी ख़्वाह वो हराम होने को जानता हो या न जानता हो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और इमाम मौहम्मद रह० ने असल में फ़रमाया कि अगर कोई बान्दी ग़सब करके इस से ज़िना किसया फिर इस की क़ीमत तावान देदी तो बिल इत्तफ़ाक़ इस पर हद न होगी और अगर इस से ज़िना करके फिर इस को ग़सब

(1)लवातत अग़लाम% लोण्डे बाज़ीयान दुबुर में वती करना+]वाह लड़के से होया औरत से।
(2)चौपाया मादा+]वाह बकरी होया गाये[भैंस[घोड़ी[गधी[ऊंटनी वग़ैरह हो फ़लयतब्बर।
(3)ग़ैर के साथ हम बिस्तरी की पहलीशब।

किया और इस की क़ीमत तावान दे दी तो इमाम अबू हनीफ़ा व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार हद साक़ित न होगी यह मुहीत में है। एक शख़्स मर्द चित लेटा फिर एक औरत अजनबिया आई और मर्द के ऊपर बैठी यहां तक कि अपनी हाजत पूरी (1) कर ली तो दोनों पर हद वाजिब होगी यह ज़हीरिया में है। अगर बान्दी से ज़िना किया फिर इस को खरीदा तो ज़ाहिर उल रिवाया में मज़कूर है कि बिल इत्तफ़ाक़ इस को हद की सज़ा दी जायेगी और इसी तरह अगर किसी आज़ाद

औरत ने जवाब दिया और आगई पस इस से जिमाअ कर लिया तो इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि इस पर हद अनिवार्य होगी और अगर ग़ैर औरत ने जवाब में यूं कहा कि मैं फ़लाना हूं यानी इस की बीवी का नाम लिया पस अंधे ने इस से जिमा कर लिया तो इस को हद न मारी जायेगी और अगर आंखों वाला हो तो ऐसी स्थिति में इस की पुष्टि न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। एक मर्द ने अपनी बान्दी किसी दूसरी के लिए हलाल कर दी पस दूसरे ने इस बान्दी से वती कर ली तो इस पर हद न होगी यह मुहीत सुरखी में है।

जो व्यक्ति नशे में है अगर इस ने ज़िना किया तो इस को हद मारी जायेगी जब वो हौश में आ जलाये यह सिराजिया में है। अगर विक्रय फ़ासिद हो और ग्राहक ने बैआ बान्दी से क़ब्ल क़ब्ज़ा के या बाद क़ब्ज़ा के वती की तो इस पर हद अनिवार्य न होगी। अगर बाऐ ने अपने लिए ख़्यार की शर्त करके बान्दी फ़रोख़्त करदी पस ग्राहक ने इस से वती की या ख़्यार ग्राहक का था और बाऐ ने इस से वती की तो इस पर हद जारी की जायेगी चाहे वो निषिद्ध होने को जानता हो या न जानता हो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और इमाम मौहम्मद रह० ने असल में फ़रमाया कि अगर कोई बान्दी ग़सब करके इस से ज़िना किसया फिर इस की क़ीमत तावान देदी तो बिल इत्तफ़ाक़ इस पर हद न होगी और अगर इस से ज़िना करके फिर इस को ग़सब

(1) लवातत अग़लाम% लोण्डे बाज़ीयान दुबुर में वती करना चाहे लड़के से होया औरत से।
(2)चौपाया मादा चाहे बकरी होया गाये[भैंस[घोड़ी[गधी[ऊंटनी वग़ैरह हो फ़लयतब्बर।
(3)ग़ैर के साथ हम बिस्तरी की पहलीशब।

किया और इस की क़ीमत तावान दे दी तो इमाम अबू हनीफ़ा व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार हद साक़ित न होगी यह मुहीत में है। एक व्यक्ति मर्द चित लेटा फिर एक औरत अजनबिया आई और मर्द के ऊपर बैठी यहां तक कि अपनी हाजत पूरी (1) कर ली तो दोनों पर हद अनिवार्य होगी यह ज़हीरिया में है। अगर बान्दी से ज़िना किया फिर इस को खरीदा तो ज़ाहिर उल

औरत से ज़िना किया फिर इस से निकाह कर लिया तो भी यही हुक्म है ऐसा ही शैख़ुल इस्लाम ने शरह किताबुल हुदूद में ज़िक्र किया है। अगर एक औरत से ज़िना किया फिर कहा कि मैं इस को खरीद कर चुका था तो इस पर हद वाजिब न होगी ख़्वाह यअ औरत आज़ाद हो या बान्दी हो और अगर बान्दी से ज़िना किया फिर दावा किया कि मैंने इस को खरीदा बदीं शर्त कि इस के मौला को ख़्यार हासिल है और इस के मौला ने कहा कि यह झूटा है मैंने इस बान्दी को फ़रोख़्त नहीं किया तो फ़रमाया कि वती पर हद वाजिब न होगी और इसी तरह अगर दावा किया कि मैंने इस को बवस्फ़ इला अजल खरीदा यानी किसी मुद्दत के वादा पर जिस को बयान करता है तो भी यही हुक्म है यह मुहीत में है।

अगर औरत ऐसी सग़ीरा हो कि लायक़ जिमाअ के है तो वो सब अहकाम मज़कूरह में मिस्ल कबीरा के है सिवपाए एक बात के कि इस की रज़ामन्दी से अर्ज़ खबाबत साक़ित न होगा :

आज़ादा औरत ने अगर एक ग़ुलाम से ज़िना किया फिर इस को खरीद लिया तो इन दोनों को हद की सज़ा दी जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। एक मर्द ने एक बान्दी से ज़िना किया फिर दावा किया कि मैंने इस को बतौर फ़ासिद खरीद लिया था या मौला ने इस को मुझे हुबा कर दिया था हालांकि मौला ने इस की तकज़ीब की या गवाहों ने गवाही दी कि इस ने ज़िना करने का इक़रार किया और इस ने क़ाज़ी के सामने खरीद या हुबा का दावा किया तो इस के ज़िम्मे से दूर की जायेगी यह मुहीत सुरखी में है। अगर कबीरा औरत से ज़िना किया पस इस का पायख़ाना व पैशाब का सुराख एक कर दिया पस अगर इस औरत ने इस की मुतावअत बदूं दावा शोअबा के कर ली थी तो दोनों पर हद वाजिब होगी और ज़ानी पर इस अफ़ज़ा यानी हर दो सुराख एक कर

रिवाया में मज़कूर है कि बिल इत्तफ़ाक़ इस को हद की सज़ा दी जायेगी और इसी तरह अगर किसी आज़ाद औरत से ज़िना किया फिर इस से निकाह कर लिया तो भी यही आदेश है ऐसा ही शैख़ुल इस्लाम ने शरह किताबुल हुदूद में वर्णन किया है। अगर एक औरत से ज़िना किया फिर कहा कि मैं इस को खरीद कर चुका था तो इस पर हद अनिवार्य न होगी चाहे यअ औरत आज़ाद हो या बान्दी हो और अगर बान्दी से ज़िना किया फिर दावा किया कि मैंने इस को खरीदा इस शर्त कि इस के मौला को ख़्यार हासिल है और इस के मौला ने कहा कि यह झूटा है मैंने इस बान्दी को फ़रोख़्त नहीं किया तो फ़रमाया कि वती पर हद अनिवार्य न होगी और इसी तरह अगर दावा किया कि मैंने इस को बवस्फ़ इला अजल खरीदा यानी किसी मुद्दत के वादा पर जिस को बयान करता है तो भी यही आदेश है यह मुहीत में है।

अगर औरत इतनी छोटी हो कि संभेग के लायक़ है तो वो सब वणति में मिस्ल कबीरा के है सिवपाए एक बात के कि इस की रज़ामन्दी से अर्ज़ खबाबत साक़ित न होगा :

आज़ादा औरत ने अगर एक ग़ुलाम से ज़िना किया फिर इस को खरीद लिया तो इन दोनों को हद की सज़ा दी जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। एक मर्द ने एक बान्दी से ज़िना किया फिर दावा किया कि मैंने इस को बतौर फ़ासिद खरीद लिया था या मौला ने इस को मुझे हुबा कर दिया था हालांकि मौला ने इस की झुठलाना की या गवाहों ने गवाही दी कि इस ने ज़िना करने का स्वीकार किया और इस ने क़ाज़ी के सामने खरीद या हुबा का दावा किया तो इस के ज़िम्मे से दूर की जायेगी यह मुहीत सुरखी में है। अगर कबीरा औरत से ज़िना किया पस इस का पायख़ाना व पैशाब का सुराख एक कर दिया पस अगर इस औरत ने इस की मुतावअत बदूं दावा शोअबा के कर ली थी तो दोनों पर हद अनिवार्य होगी और दुष्कर्मी पर इस अफ़ज़ा यानी हर दो सुराख एक कर देने के जुर्म में कुछ अनिवार्य न होगा

देने के जुर्म में कुछ लाज़िम न होगा इस वास्ते कि औरत मज़कूर ख़ुद राज़ी हुई थी और चूंकि हद वाजिब हुई है इस वजह से इस के वास्ते कुछ महर भी साबित न होगा और अगर शोअबा का दावा पाया गया तो ज़ानी पर हद न होगी और नीज़ इस जुर्म अफ़ज़ा (1) की बाबत भी कुछ लाज़िम न होगा मगर इस पर उज़्र वाजिब होगा। अगर औरत से ज़बरदस्ती ऐसा किया गया बदूं दावा शोअबा के तो मर्द पर हद वाजिब होगी न औरत पर और औरत के वास्ते महर साबित न होगा फिर अफ़ज़ा को देखा जायेगा कि इस तरह सुराख एक हो गया कि औरत अपना पैशाब नहीं थाम सकती है तो ज़ानी मज़कूर पर औरत की पूरी देत वाजिब होगी और अगर पैशाब थाम सकती हो तो ज़ानी को हद मारी जायेगी और इस पर तिहाई देत वाजिब होगी और अगर बावजूद इस के दावा शोअबा भी हो तो दोनों पर हद वाजिब न होगी फिर अगर औरत अपना पैशाब थाम सकती हो तो मर्द पर तमाम देत वाजिब होगी और इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार महर वाजिब न होगा। अगर औरत ऐसी सग़ीरा हो कि लायक़े जिमाअ के है तो वो सब अहकाम मज़कूरह में मिस्ल कबीरा के है सिवाए एक बात के कि इस की रज़ामन्दी से अरजश जिनायत साक़ित न होगा और अगर ऐसी सग़ीरा हो कि लायक़ जिमाअ नहीं है पस अगर ज़ख़्म ऐसा हो कि वो अपना पैशाब रोक सकती हो तो इस मर्द पर इस की तिहाई देत और पूरा महर वाजिब होगा और हद वाजिब न होगी और अगर न रोक सकती हो तो पूरी देत का ज़ामिन होगा और इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार महर का ज़ामिन न होगा यह तबयुन में है। अगर ज़ानी ने किसी बान्दी से वती की कि वती से इस की आंखों की बीनाई जाती रहे तो ज़ानी पर बिला खिलाफ़त हद न होगी और अगर वती से इस की रान तोड़ दी तो हद और निस्फ़ क़ीमत वाजिब होगी। अगर औरत आज़ादा हो तो बिला खिलाफ़ ज़ानी पर हद देत वाजिब होगी यह इताबिया में है।

(1)अफ़ज़ा लेने औरत के हर दो सुराख+ क़ब्ल व दुबुर को सदमा जिमाअ+ सेएक कर देना।

(2)मुरादयह है कि ज़िना किया फ़ाफ़हम।

इस लिए कि औरत मज़कूर ख़ुद राज़ी हुई थी और चूंकि हद अनिवार्य हुई है इस कारण से इस के लिए कुछ महर भी सिद्ध न होगा और अगर शोअबा का दावा पाया गया तो ज़ाती पर हद न होगी और नीज़ इस जुर्म अफ़ज़ा (1) की बाबत भी कुछ अनिवार्य न होगा मगर इस पर उज़्र अनिवार्य होगा। अगर औरत से ज़बरदस्ती ऐसा किया गया बदूं दावा शोअबा के तो मर्द पर हद अनिवार्य होगी न औरत पर और औरत के लिए महर सिद्ध न होगा फिर अफ़ज़ा को देखा जायेगा कि इस तरह सुराख एक हो गया कि औरत अपना पैशाब नहीं थाम सकती है तो वर्णित दुष्कर्मी पर औरत की पूरी देत अनिवार्य होगी और अगर पैशाब थाम सकती हो तो दुष्कर्मी को हद मारी जायेगी और इस पर तिहाई देत अनिवार्य होगी और अगर बावजूद इस के दावा शोअबा भी हो तो दोनों पर हद अनिवार्य न होगी फिर अगर औरत अपना पैशाब थाम सकती हो तो मर्द पर तमाम देत अनिवार्य होगी और इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार महर अनिवार्य न होगा। अगर औरत ऐसी सग़ीरा हो कि लायक़े जिमाअ के है तो वो सब अहकाम मज़कूरह में मिस्ल कबीरा के है सिवाए एक बात के कि इस की रज़ामन्दी से अरजश जिनायत साक़ित न होगा और अगर ऐसी सग़ीरा हो कि लायक़ जिमाअ नहीं है पस अगर ज़ख़्म ऐसा हो कि वो अपना पैशाब रोक सकती हो तो इस मर्द पर इस की तिहाई देत और पूरा महर अनिवार्य होगा और हद अनिवार्य न होगी और अगर न रोक सकती हो तो पूरी देत का ज़ामिन होगा और इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार महर का ज़ामिन न होगा यह तबयुन में है। अगर दुष्कर्मी ने किसी बान्दी से वती की कि वती से इस की आंखों की बीनाई जाती रहे तो दुष्कर्मी पर बिला खिलाफ़त हद न होगी और अगर वती से इस की रान तोड़ दी तो हद और निस्फ़ क़ीमत अनिवार्य होगी। अगर औरत आज़ादा हो तो बिला खिलाफ़ दुष्कर्मी पर हद देत अनिवार्य होगी यह इताबिया में है।

(1)अफ़ज़ा लेने औरत के हर दो सुराख+ क़ब्ल व दुबुर को सदमा जिमाअ+ सेएक कर देना।

(2)तात्पर्ययह है कि ज़िना किया फ़ाफ़हम।

ऐसे इमामुल मुस्लिमीन ने जिस के ऊपर इमाम नहीं है अगर ऐसी बात की जिस से हद वाजिब होती है जैसे ज़िना व सिरक़ा व शराब ख़्वारी व क़ज़फ़ तो इस से मवाखिज़ न कियसा जायेगा सिवाऐ क़िसास व जुर्म माली के चुनांचे अगर इस ने किसी आदमी को क़त्ल किया या किसी का माल तलफ़ किया तो इस के वास्ते माख़ुज़ होगा और मनअत (1) की ज़रूरत पडे तो तमाम अहल ईमान मज़लूम के वास्ते मनअत होंगे पस वो अपना हक़ भर पाने पर क़ादिर होगा और यह मुफ़ीद वजूब है यह काफ़ी में है।

बाबः 4

ज़िना पर गवाही देने और इस से रूजूअ करने के बयान में

शहादत के सही होने की शर्त यह है कि गवाह चार हों और मज्लिस शहादत भी मुत्तहिद हो :

ज़िना पर गवाही नहीं क़बूल होती है इल्ला चार मुसलमान आज़ाद मर्दों की यह शरह तहावी में है और अगर ज़िना पर चार से कम एक या दो या तीन मर्दों आज़ाद ने गवाही दी तो गवाही मर्दूद और गवाह को क़ज़फ़ मारी जायेगी यह हमारे उलमा का मज़हब है और अगर क़ाज़ी की मज्लिस में चार गवाह हाजिऱ हुए ताकि एक मर्द पर ज़िना कि गवाही दें फिर एक या दो या तीन ने गवाही दी और बाक़ी ने इन्कार किया तो हमारे उलमा के अनुसार जिस ने गवाही दी है इस को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी यह मुहीत में है। अगर चारों में से तीन ने इस के ज़िना पर गवाही दी और चौथे ने कहा कि मैंने इन दोनों को एक लिहाफ़ में देखा तो मशहूद अलैहि को हद न मारी जायेगी और तीनों गवाहों को हद कज़फ़ मारी जायेगी और चौथे गवाह पर हद न होगी इल्ला अगर इस ने अव्वल यूं कहा कि मैं गवाही देता हूं कि इस ने ज़िना किया फिर ज़िना करने की तफ़सीर इस

ऐसे इमामुल मुस्लिमीन ने जिस के ऊपर इमाम नहीं है अगर ऐसी बात की जिस से हद अनिवार्य होती है जैसे ज़िना व सिरक़ा व शराब ख़्वारी व क़ज़फ़ तो इस से मवाखिज़ न कियसा जायेगा सिवाऐ क़िसास व जुर्म माली के चुनांचे अगर इस ने किसी आदमी को क़त्ल किया या किसी का माल तलफ़ किया तो इस के लिए माख़ुज़ होगा और मनअत (1) की ज़रूरत पडे तो तमाम अहल ईमान मज़लूम के लिए मनअत होंगे पस वो अपना हक़ भर पाने पर क़ादिर होगा और यह मुफ़ीद वजूब है यह काफ़ी में है।

अध्याय 4

ज़िना पर गवाही देने और इस से रूजूअ करने के बयान में

शहादत के सही होने की शर्त यह है कि गवाह चार हों और मज्लिस शहादत भी मुत्तहिद हो :

ज़िना पर गवाही नहीं क़बूल होती है सिवा चार मुसलमान आज़ाद मर्दों की यह शरह तहावी में है और अगर ज़िना पर चार से कम एक या दो या तीन मर्दों आज़ाद ने गवाही दी तो गवाही मर्दूद और गवाह को क़ज़फ़ मारी जायेगी यह हमारे उलमा का मज़हब है और अगर क़ाज़ी की मज्लिस में चार गवाह हाजिऱ हुए ताकि एक मर्द पर ज़िना कि गवाही दें फिर एक या दो या तीन ने गवाही दी और बाक़ी ने इन्कार किया तो हमारे उलमा के अनुसार जिस ने गवाही दी है इस को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी यह मुहीत में है। अगर चारों में से तीन ने इस के ज़िना पर गवाही दी और चौथे ने कहा कि मैंने इन दोनों को एक लिहाफ़ में देखा तो मशहूद अलैहि को हद न मारी जायेगी और तीनों गवाहों को हद कज़फ़ मारी जायेगी और चौथे गवाह पर हद न होगी सिवा अगर इस ने अव्वल यूं कहा कि मैं गवाही देता हूं कि इस ने ज़िना किया फिर ज़िना करने की तफ़सीर इस

तरह बयान की जैसे ज़िक्र हुआ तो अब इस को भी (2) हद मारी जायेगी यह शरह तहावी में है। हमारे अनुसार शहादत के सही होने की शर्त यह है कि मज्लिस शहादत मुत्तहिद हो हत्ता कि अगर गवाहों ने मुख़्तलिफ़ मज्लिसों में गवाही दी तो इन की गवाही मक़बूल न होगी और सब को हद क़ज़फ़ की सज़ा दी जायेगी यह काफ़ी में है।

इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत है कि अगर गवाह लोग गवाहों की जगह खड़े हों पस एक बाद दूसरे के ठा और गवाही दी तो गवाही जाइज़ है और अगर सब मज्लिस से बाहर हों फिर एक दाखिल हुआ और इस ने गवाही दी फिर बाहर चला गया फिर दूसरा आया और गवाही दे कर बाहर चला गया इस तरह एक ने बाद दूसरे के यूं ही गवाही दी तो इन की गवाही मक़बूल न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर दो गवाहों ने एक मर्द के ज़िना करने पर गवाही दी और दो गवाहों ने इस के इक़रार ज़िना पर गवाही दी तो मशहूर अलैहि पर हद न होगी और गवाहों पर भी हद क़ज़फ़ वाजिब न होगी और अगर तीन गवाहों ने इस के ज़िना करने पर और चौथे ने इस के इक़रार ज़िना पर गवाही दी तो तीन गवाहान अव्वल पर हद क़ज़फ़ वाजिब होगी यह ज़हीरिया में है। अगर गवाहों ने कहा कि इस ने ऐसी औरत से ज़िना किया कि जिस को हम नहीं पहचानते हैं तो मशहूर अलैहि की सज़ाये हद न दी जायेगी यह हिदाया में है। अगर मशहूद अलैहि ने कहा कि जिस औरत को तुम ने मेरे साथ

(1)क़ौलहू मनअतयानीऐसे सुल्तान से इस्तीफ़ा हक+ क्योंकर होगा तोयहां कर8 दिया कि तमाम अहले इस्लाम मज़लूम क मददगार हों पस साबित हुआ कियह वाजिब है

(2)`तराज+ हुआ कि जब अव्वलन इस ने कहा कि ज़िना किया तो निसाब पूरा हुआ जवाबयह कि असल मज़कूर जब कि ज़िना पर गवाही हो अगरचे गवाह आदिल न ठहरे औरयहां इस नेएक लिहाफ+ में कहा औरयह ज़िना नहीं है फ़ाफ़हम।

देखा था वो मेरी बीवी या बान्दी न थी तो भी हद न मारी जायेगी इस वास्ते कि गवाही ऐसी वाक़े हुई कि वो मौज्जब हद नहीं है और यह कलाम मज़कूर इस की तरफ़ से इक़रार नहीं है यह फ़तहुल क़दीर में है। चार गवाहों (1) ने एक आदमी पर गवाही दी कि इस ने एक औरत से ज़िना किया जिस को हम नहीं पहचानते हैं फिर

तरह बयान की जैसे वर्णन हुआ तो अब इस को भी (2) हद मारी जायेगी यह शरह तहावी में है। हमारे अनुसार शहादत के सही होने की शर्त यह है कि मज्लिस शहादत मुत्तहिद हो हत्ता कि अगर गवाहों ने मुख़्तलिफ़ मज्लिसों में गवाही दी तो इन की गवाही मक़बूल न होगी और सब को हद क़ज़फ़ की सज़ा दी जायेगी यह काफ़ी में है।

इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत है कि अगर गवाह लोग गवाहों की जगह खड़े हों पस एक बाद दूसरे के ठा और गवाही दी तो गवाही जाइज़ है और अगर सब मज्लिस से बाहर हों फिर एक दाखिल हुआ और इस ने गवाही दी फिर बाहर चला गया फिर दूसरा आया और गवाही दे कर बाहर चला गया इस तरह एक ने बाद दूसरे के यूं ही गवाही दी तो इन की गवाही मक़बूल न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर दो गवाहों ने एक मर्द के ज़िना करने पर गवाही दी और दो गवाहों ने इस के स्वीकार ज़िना पर गवाही दी तो मशहूर अलैहि पर हद न होगी और गवाहों पर भी हद क़ज़फ़ अनिवार्य न होगी और अगर तीन गवाहों ने इस के ज़िना करने पर और चौथे ने इस के स्वीकार ज़िना पर गवाही दी तो तीन गवाहान अव्वल पर हद क़ज़फ़ अनिवार्य होगी यह ज़हीरिया में है। अगर गवाहों ने कहा कि इस ने ऐसी औरत से ज़िना किया कि जिस को हम नहीं पहचानते हैं तो मशहूर अलैहि की सज़ाये हद न दी जायेगी यह हिदाया में है। अगर मशहूद अलैहि ने कहा कि जिस औरत को तुम ने मेरे साथ

(1)क़ौलहू मनअतयानीऐसे सुल्तान से इस्तीफ़ा हक+ क्योंकर होगा तोयहां कर8 दिया कि तमाम अहले इस्लाम मज़लूम क मददगार हों पस सि(हुआ कियह अनिवार्य है

(2)`तराज+ हुआ कि जब अव्वलन इस ने कहा कि ज़िना किया तो निसाब पूरा हुआ जवाबयह कि असल मज़कूर जब कि ज़िना पर गवाही हो चाहे गवाह आदिल न ठहरे औरयहां इस नेएक लिहाफ+ में कहा औरयह ज़िना नहीं है फ़ाफ़हम।

देखा था वो मेरी बीवी या बान्दी न थी तो भी हद न मारी जायेगी इस लिए कि गवाही ऐसी स्थपित हुई कि वो मौज्जब हद नहीं है और यह बात मज़कूर इस की तरफ़ से स्वीकार नहीं है यह फ़तहुल क़दीर में है। चार गवाहों (1) ने एक आदमी पर गवाही दी कि इस ने एक औरत से ज़िना किया जिस को हम नहीं पहचानते हैं फिर

कहा कि वो औरत फ़लाना है तो मशहूद अलैहि को सज़ाये हद न दी जायेगी और गवाहों पर भी हद कज़फ़ लाज़िम न होगी और चार मर्दों ने एक मर्द पर गवाही दी कि इस ने इस औरत से ज़िना किया है मगर इन में दो गवाहों ने इस तरह गवाही दी कि इस ने इस औरत से बसरह में ज़िना किया है और दो ने इस तरह कि इस औरत से इस ने कूफ़ा में ज़िना किया है तो बिल इत्तफ़ाक़ सब के क़ौल के मुवाफ़िक़ मर्द पर या औरत किसी पर हद वाजिब न होगी (1) और हमार अनुसार गवाहों पर भी इस्तहसानन हद लाज़िम न होगी।

अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर गवाही दी कि इस ने इस औरत से ज़िना किया मगर दो ने गवाही दी कि इस ने इस औरत से वार के इस बैत में ज़िना किया और दो ने इस तरह कि इस ने औरत से इस बैत देकर में ज़िना किया है तो इन की गवाही मक़बूल न होगी। अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी बईं तौर कि दो ने कहा कि इस औरत से बरोज़ जुमा ज़िना किया और दोने गवाही दी कि इस ने इस औरत से बरोज़ शन्बा ज़िना किया या दोने इस तरह गवाही दी कि इस ने इस औरत से इस दार के बाला खाने पर ज़िना किया और दो ने गवाही दी कि इस ने इस वार के सफ़ल में ज़िना किया है या दो ने गवाही दी कि इस ने इस औरत से इस फ़लां के दार में ज़िना किया और दो ने गवाही दी कि इस ने इस औरत से इस फ़लां दीगर के दार में ज़िना किया तो इन मसाइल में मशहूद अलैहि पर हद नहीं है और गवाहों पर भी हमारे अनुसार हद क़ज़फ़ लाज़िम न आयेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है अगर चार गवाहों ने गवाही दी कि इस मर्द ने इस औरत से बसरह में वक्त तुलूअ शम्स के बरोज़ फ़लां अज़ माह फ़लां अज़ सन फ़लां ज़िना किया और चार गवाहों ने इसी पर गवाही दी कि इस ने इस औरत से कूफ़ा में बअयुना इस वक्त मज़कूर में ज़िना किया तो दोनों में से किसी पर हद वाजिब न होगी यह नहर उल फ़ाइक़ में है और अगर चार गवाहों में से दो मर्दों ने कहा कि इस ने इस औरत से इस बैत के इस गौशा में ज़िना किया और दूसरे दो मर्दों ने गवाही में कहा कि इस ने इस औरत से

कहा कि वो औरत फ़लाना है तो मशहूद अलैहि को सज़ाये हद न दी जायेगी और गवाहों पर भी हद कज़फ़ अनिवार्य न होगी और चार मर्दों ने एक मर्द पर गवाही दी कि इस ने इस औरत से ज़िना किया है मगर इन में दो गवाहों ने इस तरह गवाही दी कि इस ने इस औरत से बसरह में ज़िना किया है और दो ने इस तरह कि इस औरत से इस ने कूफ़ा में ज़िना किया है तो बिल इत्तफ़ाक़ सब के कथन के मुवाफ़िक़ मर्द पर या औरत किसी पर हद अनिवार्य न होगी (1) और हमार अनुसार गवाहों पर भी इस्तहसानन हद अनिवार्य न होगी।

अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर गवाही दी कि इस ने इस औरत से ज़िना किया मगर दो ने गवाही दी कि इस ने इस औरत से वार के इस घर में ज़िना किया और दो ने इस तरह कि इस ने औरत से इस घर देकर में ज़िना किया है तो इन की गवाही मक़बूल न होगी। अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी बईं तौर कि दो ने कहा कि इस औरत से बरोज़ जुमा ज़िना किया और दोने गवाही दी कि इस ने इस औरत से बरोज़ शन्बा ज़िना किया या दोने इस तरह गवाही दी कि इस ने इस औरत से इस दार के बाला खाने पर ज़िना किया और दो ने गवाही दी कि इस ने इस वार के सफ़ल में ज़िना किया है या दो ने गवाही दी कि इस ने इस औरत से इस फ़लां के दार में ज़िना किया और दो ने गवाही दी कि इस ने इस औरत से इस फ़लां दीगर के दार में ज़िना किया तो इन मसाइल में मशहूद अलैहि पर हद नहीं है और गवाहों पर भी हमारे अनुसार हद क़ज़फ़ अनिवार्य न आयेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है अगर चार गवाहों ने गवाही दी कि इस मर्द ने इस औरत से बसरह में समय तुलूअ शम्स के बरोज़ फ़लां अज़ माह फ़लां अज़ सन फ़लां ज़िना किया और चार गवाहों ने इसी पर गवाही दी कि इस ने इस औरत से कूफ़ा में बअयुना इस समय मज़कूर में ज़िना किया तो दोनों में से किसी पर हद अनिवार्य न होगी यह नहर उल फ़ाइक़ में है और अगर चार गवाहों में से दो मर्दों ने कहा कि इस ने इस औरत से इस घर के इस गौशा में ज़िना किया और दूसरे दो मर्दों ने गवाही में कहा कि इस ने इस औरत से इस

इस बैत के इस गौशा दीगर में ज़िना किया है तो मर्द मशहूद अलैहि और औरत मशहूद अलैहि को इस्तहसानन सज़ाऐ हद दी जायेगी इस वास्ते कि अहतमाल है कि इब्तदाऐ ज़िना एक गौशा में हो और इन्तहाऐ ज़िना दूसरे गौशे में हो।

अगर तीन गवाहों ने बाकराह मजबूर करने पर और एक ने औरत की मुतावअत पर गवाही दी तो इमाम आज़म रह० के अनुसार इन में से किसी पर हद न होगी :

यह हुक्म इस वक्त है कि बैत छोटा हो कि इस में इस का अम्र का जो हम ने बयान किया है अहतमाल हो और अगर पड़ा होगा तो यह हुक्म न होगा और अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी कि हर एक ने इन में से गवाही दी कि इस ने इस फ़लां न औरत से ज़िना किया है तो इन की गवाही मक़बूल होगी और हर एक की गवाही इसी ज़िना पर महमूल होगी जिस की निस्बत दूसरे साथी नेगवाही दी है यह काफ़ी में है और अगर चार गवाहों में से दो गवाहों ने एक मर्द पर गवाही दी कि इस मर्द ने फ़लाना औरत से फ़लां साअत रोज़ में ज़िना किया और दूसरे दो गवाहों ने गवाही दी कि इस ने फ़लाना औरत से दिन की फ़लां साअत दीगर में ज़िना किया है तो ऐसी मक़बूल न होगी और

(1) अगरचे गवाह चार मक़ाम मु]तलिफ+ बयान करने से हद साक़ित होगी।

(1)मर्दों ने

मशाइख़ ने फ़रमाया कि यह हुक्म इस वक्त है कि जब दूसरे दो गवाहों ने ऐसी साअत बयान की हो कि साअत अव्वल व सानी में तौफ़ीक़ न हो सके मसलन दो गवाहों ने गवाही दी कि इस ने इस औरत से रोज़े जुमेरात की साअत में ज़िना किया और दूसरे दो गवाहों ने इस से रोज़े जुमा की साअत में ज़िना करने की गवाही दी या दूसरे दो गवाहों ने रोज़े जुमेरात की ऐसी साअत बयान की कि इस साअत तक ज़िना मुमतद नहीं हो

घर के इस गौशा दीगर में ज़िना किया है तो मर्द मशहूद अलैहि और औरत मशहूद अलैहि को इस्तहसानन सज़ाऐ हद दी जायेगी इस लिए कि अहतमाल है कि इब्तदाऐ ज़िना एक गौशा में हो और इन्तहाऐ ज़िना दूसरे गौशे में हो।

अगर तीन गवाहों ने बाकराह मजबूर करने पर और एक ने औरत की मुतावअत पर गवाही दी तो इमाम आज़म रह० के अनुसार इन में से किसी पर हद न होगी :

यह आदेश इस समय है कि घर छोटा हो कि इस में इस का कार्य का जो हम ने बयान किया है अहतमाल हो और अगर पड़ा होगा तो यह आदेश न होगा और अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी कि हर एक ने इन में से गवाही दी कि इस ने इस फ़लां न औरत से ज़िना किया है तो इन की गवाही मक़बूल होगी और हर एक की गवाही इसी ज़िना पर महमूल होगी जिस की निस्बत दूसरे साथी नेगवाही दी है यह काफ़ी में है और अगर चार गवाहों में से दो गवाहों ने एक मर्द पर गवाही दी कि इस मर्द ने फ़लाना औरत से फ़लां साअत रोज़ में ज़िना किया और दूसरे दो गवाहों ने गवाही दी कि इस ने फ़लाना औरत से दिन की फ़लां साअत दीगर में ज़िना किया है तो ऐसी मक़बूल न होगी और

(1)चाहे गवाह चार मक़ाम मु]तलिफ+ बयान करने से हद साक़ित होगी।

(1)मर्दों ने

विद्वानों ने फ़रमाया कि यह आदेश इस समय है कि जब दूसरे दो गवाहों ने ऐसी साअत बयान की हो कि साअत अव्वल व सानी में तौफ़ीक़ न हो सके मसलन दो गवाहों ने गवाही दी कि इस ने इस औरत से रोज़े जुमेरात की साअत में ज़िना किया और दूसरे दो गवाहों ने इस से रोज़े जुमा की साअत में ज़िना करने की गवाही दी या दूसरे दो गवाहों ने रोज़े जुमेरात की ऐसी साअत बयान की कि इस साअत तक ज़िना मुमतद नहीं हो

सकता है तो गवाही मक़बूल नहीं है और अगर दूसरे गवाहों ने ऐसी साअत बयान की हो कि इस वक्त तक ज़िना मुमतिद हो सकता है तो क़बूल होगी। इमाम मौहम्मद रह० ने असल में फ़रमाया कि चार मर्दों ने एक शख़्स पर ज़िना की गवाही दी जिस में से दो गवाहों ने कहा कि इस मर्द ने इस औरत को बाकरह मजबूर करके ज़िना किया है और दूसरे दो गवाहों ने कहा कि इस औरत ने ख़ुद इस की मुतावअत की है तो इमाम अबू हनीफ़ा रह० ने फ़रमाया कि हद इन सब से दूर कर दी जायेगी यानी मर्द औरत व गवाहों सब से दफ़ा की जायेगी। अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर गवाही दी कि इस ने औरत से ज़िना किया है मगर इन में से तीन मर्दों ने गवाही में कहा कि इस औरत ने इस की मुतावअत की और चौथे ने गवाही में कहा कि इस मर्द ने इस से बाकरह मजबूर करके ऐसा किसया है तो बिना बर क़ौल इमाम आज़म रह० के इन में से किसी पर हद क़ायम न की जायेगी यह मुहीत में है। अगर तीन गवाहों ने बाकराह मजबूर करने पर और एक ने औरत की मुतावअत पर गवाही दी तो इमाम आज़म रह० के अनुसार इन में से किसी पर हद न होगी। यह मुहीत सुरखी में है।

अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी मगर जिस औरत से ज़िना किया है इस में इख़्तलाफ़ किया या ज़िना की जगह में इख़्तलाफ़ किया या ज़िना के वक्त में इख़्तलाफ़ किया तो इन की गवाही बातिल हो गई लेकिन हमारे अनुसार गवाहों पर हद वाजिब न होगी यह मबसूत में है। अगर गवाहों ने इस लिबास में इख़्तलाफ़ किया जो ज़िना के वक्त मर्द पर या औरत पर था या इस के रंग में इख़्तलाफ़ किया या जिस औरत से ज़िना किया है इस के तौल (1) व क़सर में या इस की मोटाई दो बलाई में इख़्तलाफ़ किया तो कुछ मुज़िर नहीं है इस वास्ते कि इन को इख़्तलाफ़ ऐसे अम्र में है जिस के ज़िक्र के (2) वो मोहताज न थे और इसी तरह अगर दो गवाहों ने कहा कि इस ने सपेद रंग बाहम मुतशाबा हैं पस यह इख़्तलाफ़ दरमियान असल शहादत के न होगा और ऐसे मुतख़ालिफ़ नहीं जैसे काली व गोरी में इख़्तलाफ़

सकता है तो गवाही मक़बूल नहीं है और अगर दूसरे गवाहों ने ऐसी साअत बयान की हो कि इस समय तक ज़िना मुमतिद हो सकता है तो क़बूल होगी। इमाम मौहम्मद रह० ने असल में फ़रमाया कि चार मर्दों ने एक व्यक्ति पर ज़िना की गवाही दी जिस में से दो गवाहों ने कहा कि इस मर्द ने इस औरत को बाकरह मजबूर करके ज़िना किया है और दूसरे दो गवाहों ने कहा कि इस औरत ने ख़ुद इस की मुतावअत की है तो इमाम अबू हनीफ़ा रह० ने फ़रमाया कि हद इन सब से दूर कर दी जायेगी यानी मर्द औरत व गवाहों सब से दफ़ा की जायेगी। अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर गवाही दी कि इस ने औरत से ज़िना किया है मगर इन में से तीन मर्दों ने गवाही में कहा कि इस औरत ने इस की मुतावअत की और चौथे ने गवाही में कहा कि इस मर्द ने इस से बाकरह मजबूर करके ऐसा किसया है तो बिना बर कथन इमाम आज़म रह० के इन में से किसी पर हद क़ायम न की जायेगी यह मुहीत में है। अगर तीन गवाहों ने बाकराह मजबूर करने पर और एक ने औरत की मुतावअत पर गवाही दी तो इमाम आज़म रह० के अनुसार इन में से किसी पर हद न होगी। यह मुहीत सुरखी में है।

अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी मगर जिस औरत से ज़िना किया है इस में मतभेद किया या ज़िना की जगह में मतभेद किया या ज़िना के समय में मतभेद किया तो इन की गवाही बातिल हो गई लेकिन हमारे अनुसार गवाहों पर हद अनिवार्य न होगी यह मबसूत में है। अगर गवाहों ने इस लिबास में मतभेद किया जो ज़िना के समय मर्द पर या औरत पर था या इस के रंग में मतभेद किया या जिस औरत से ज़िना किया है इस के तौल (1) व क़सर में या इस की मोटाई दो बलाई में मतभेद किया तो कुछ मुज़िर नहीं है इस लिए कि इन को मतभेद ऐसे कार्य में है जिस के वर्णन के (2) वो मोहताज न थे और इसी तरह अगर दो गवाहों ने कहा कि इस ने सपेद रंग बाहम मुतशाबा हैं पस यह मतभेद दरमियान असल शहादत के न होगा और ऐसे मुतख़ालिफ़ नहीं जैसे काली व गोरी में मतभेद है और

है और अगर दोने कहा कि हब्शा से और दोने ख़ुरासानियसा से या दो ने कहा कि कूफ़िया से और दोने कहा कि बसरिया से या दो ने कहा कि आज़ादा औरत से और दोने कहा कि बान्दी से या दो ने ख़ुरासानिया से या दो ने कहा कि कूफ़िया से और दोने कहा कि बसरिया से या दो ने कहा कि आज़ादा औरत से और दाने कहा कि बान्दी से या दो ने कहा कि बालिग़ा से और दोने कहा कि ऐसी थी कि हुनूज़ बालिग़ा न थी तो गवाही मक़बूल न होगी यह तमरताशी में है। अगर चार गवाहों ने गवाही दी कि इस मर्द ने यौमुल बख़र को मक्का में फ़लाना औरत से ज़िना किया और चार गवाहों ने गवाही दी कि इस ने यौमुल नहर को कूफ़ा में फ़लां को क़त्ल किया तो हर दो फ़रीक़ गवाहों में से कोई क़बूल न होगा और गवाहान ज़िना पर हद भी वाजिब न होगी। अगर हर दो फ़रीक़ में से एक फ़रीक़ हाज़िर हुआ औरे इस ने गवाही दी और इस की गवाही पर हाकिम ने हुक्म दे दिया फिर दूसरे फ़रीक़ के गवाहों ने गवाही दी तो दूसरे फ़रीक़ ने गवाही बातिल है और गवाहान ज़िना पर हद क़ायम न की जायेगी अगरचे फ़रीक़ सानी के गवाह दही हों यह मबसूत में है।

अगर गवाहों ने एक मर्द पर गवाही दी कि इस ने फ़लाना औरत से ज़िना किया है हालांकि यह औरत. ۱ यबा है तो मर्द मज़कूर को हद की सज़ा दी जायेगी यह फ़तहुल क़दीर में है। अगर चार मर्दों ने एक औरत पर ज़िना की गवाही दी फिर इस को औरतों ने देख कर कहा कि यह बाकरह है तो दोनों पर हद न होगी और गवाहों पर भी हद क़ज़फ़ न होगी। यह काफ़ी में है और इस तरह अगर उन्होंने कहा कि यह रतक़ा या क़रना है तो भी यही हुक्म है। यह फ़तहुल क़दीर में है और अगर गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी हालांकि वो मजबूब है तो इस को सज़ाऐ हद

(1)लम्बीया ठिंगनी होने में।
(2)इन को कुछ हाजत न थी।

न दी जायेगी और गवाहों को भी हद न मारी जायेगी चार गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी फिर बाद रजम किये जाने के मालूम हुआ कि यह महबूब

अगर दोने कहा कि हब्शा से और दोने ख़ुरासानियसा से या दो ने कहा कि कूफ़िया से और दोने कहा कि बसरिया से या दो ने कहा कि आज़ादा औरत से और दोने कहा कि बान्दी से या दो ने ख़ुरासानिया से या दो ने कहा कि कूफ़िया से और दोने कहा कि बसरिया से या दो ने कहा कि आज़ादा औरत से और दाने कहा कि बान्दी से या दो ने कहा कि बालिग़ा से और दोने कहा कि ऐसी थी कि हुनूज़ बालिग़ा न थी तो गवाही मक़बूल न होगी यह तमरताशी में है। अगर चार गवाहों ने गवाही दी कि इस मर्द ने यौमुल बख़र को मक्का में फ़लाना औरत से ज़िना किया और चार गवाहों ने गवाही दी कि इस ने यौमुल नहर को कूफ़ा में फ़लां को क़त्ल किया तो हर दो फ़रीक़ गवाहों में से कोई क़बूल न होगा और गवाहान ज़िना पर हद भी अनिवार्य न होगी। अगर हर दो फ़रीक़ में से एक फ़रीक़ हाज़िर हुआ औरे इस ने गवाही दी और इस की गवाही पर हाकिम ने आदेश दे दिया फिर दूसरे फ़रीक़ के गवाहों ने गवाही दी तो दूसरे फ़रीक़ ने गवाही बातिल है और गवाहान ज़िना पर हद क़ायम न की जायेगी चाहे फ़रीक़ सानी के गवाह दही हों यह मबसूत में है।

अगर गवाहों ने एक मर्द पर गवाही दी कि इस ने फ़लाना औरत से ज़िना किया है हालांकि यह औरत. ۱ यबा है तो मर्द मज़कूर को हद की सज़ा दी जायेगी यह फ़तहुल क़दीर में है। अगर चार मर्दों ने एक औरत पर ज़िना की गवाही दी फिर इस को औरतों ने देख कर कहा कि यह बाकरह है तो दोनों पर हद न होगी और गवाहों पर भी हद क़ज़फ़ न होगी। यह काफ़ी में है और इस तरह अगर उन्होंने कहा कि यह रतक़ा या क़रना है तो भी यही आदेश है। यह फ़तहुल क़दीर में है और अगर गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी हालांकि वो मजबूब है तो इस को सज़ाऐ हद

(1)लम्बीया ठिंगनी होने में।
(2)इन को कुछ हाजत न थी।

न दी जायेगी और गवाहों को भी हद न मारी जायेगी चार गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी फिर बाद रजम किये जाने के मालूम हुआ कि यह महबूब

था ता इस की देत गवाहों पर होगी और हद न होगी और अगर औरत पर इस तरह गवाही दी फिर बाद रजम के औरतों ने इस को देख कर कहा कि यह बाकरह या रतक़ा है तो गवाहों पर ज़िमान न होगी और न इन पर हद वाजिब होगी। अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर एक औरत से ज़िना करने की गवाही दी फिर चार मर्दों ने इन गवाहों पर गवाही दी कि उन्हों ने इस औरत से ज़िना किया है तो इन में से किसी की गवाही क़बूल न होगी और किसी पर हद क़ायम न होगी क्योंकि शुब्हा पैदा होगया यह इमाम आज़म रह० का क़ौल और साहिबीन रह० के अनुसार पहले गवाहों पर हद क़ायम की जायेगी बसबब इस के कि इन्कार ज़िना करना हुज्जत से साबित हुआ और हुज्जत चार गवाहों कीगवाही है पस वो लोग फ़ासिक़ (1) ठहरे और अगर फ़रीक़ सानी ने कहा कि इन लोगों ने इस औरत से ज़िना किया है और बस खामौश रहे तो इन लोगों पर हद वाजिब होगी इस वास्ते कि उन्होंने दूसरे ज़िना की गवाही दी है न इस ज़िना की जिस की फ़रीक़ अव्वल ने गवाही दी है यह मुहीत सुरखी में है।

अगर गवाहों में से बाज़ फ़रीक़ ने बाज़ पर ज़िना करने की गवाही न दी बल्कि बाज़ पर महदूद उल क़ज़फ़ होने की गवाही दी :

अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर एक औरत से ज़िना करने की गवाही दी और दूसरे चार गवाहों ने फ़रीक़ अव्वल गवाहों पर गवाही दी कि उन्होंने इस औरत से ज़िना किया है और तीसरे फ़रीक़ ने चार मर्दों ने दूसरे फ़रीक़ गवाहों पर गवाही दी कि उन्होंने इस औरत से ज़िना तो किया इमाम आज़म रह० के अनुसार सब पर हद न होगी और साहिबीन रह० के अनुसार मर्द व औरत दरमियानी फ़रीक़ गवाहों पर हद ज़िना वाजिब होगी यह तबयुन में है। अगर गवाहों में से बाज़ फ़रीक़ ने बाज़ पर ज़िना करने की गवाही न दी बल्कि बाज़ पर महदूद उल क़ज़फ़ होने की गवाही दी और बाक़ी मसला बहाला है तो मर्द औरत पर बसबब अव्वल गवाही के हद ज़िना वाजिब होगी यह मुहीत सुरखी में है। अगर ज़िना

था ता इस की देत गवाहों पर होगी और हद न होगी और अगर औरत पर इस तरह गवाही दी फिर बाद रजम के औरतों ने इस को देख कर कहा कि यह बाकरह या रतक़ा है तो गवाहों पर ज़िमान न होगी और न इन पर हद अनिवार्य होगी। अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर एक औरत से ज़िना करने की गवाही दी फिर चार मर्दों ने इन गवाहों पर गवाही दी कि उन्हों ने इस औरत से ज़िना किया है तो इन में से किसी की गवाही क़बूल न होगी और किसी पर हद क़ायम न होगी क्योंकि शुब्हा पैदा होगया यह इमाम आज़म रह० का कथन और साहिबीन रह० के अनुसार पहले गवाहों पर हद क़ायम की जायेगी बसबब इस के कि इन्कार ज़िना करना हुज्जत से सिद्ध हुआ और हुज्जत चार गवाहों कीगवाही है पस वो लोग फ़ासिक़ (1) ठहरे और अगर फ़रीक़ सानी ने कहा कि इन लोगों ने इस औरत से ज़िना किया है और बस खामौश रहे तो इन लोगों पर हद अनिवार्य होगी इस लिए कि उन्होंने दूसरे ज़िना की गवाही दी है न इस ज़िना की जिस की फ़रीक़ अव्वल ने गवाही दी है यह मुहीत सुरखी में है।

अगर गवाहों में से कुछ फ़रीक़ ने कुछ पर ज़िना करने की गवाही न दी बल्कि कुछ पर महदूद उल क़ज़फ़ होने की गवाही दी :

अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर एक औरत से ज़िना करने की गवाही दी और दूसरे चार गवाहों ने फ़रीक़ अव्वल गवाहों पर गवाही दी कि उन्होंने इस औरत से ज़िना किया है और तीसरे फ़रीक़ ने चार मर्दों ने दूसरे फ़रीक़ गवाहों पर गवाही दी कि उन्होंने इस औरत से ज़िना तो किया इमाम आज़म रह० के अनुसार सब पर हद न होगी और साहिबीन रह० के अनुसार मर्द व औरत दरमियानी फ़रीक़ गवाहों पर हद ज़िना अनिवार्य होगी यह तबयुन में है। अगर गवाहों में से कुछ फ़रीक़ ने कुछ पर ज़िना करने की गवाही न दी बल्कि कुछ पर महदूद उल क़ज़फ़ होने की गवाही दी और बाक़ी मसला बहाला है तो मर्द औरत पर बसबब अव्वल गवाही के हद ज़िना अनिवार्य होगी यह मुहीत सुरखी में है। अगर ज़िना करने

करने पर गवाही दी हालांकि गवाह ग़ुलाम या काफ़िर या महदूद उल क़ज़्फ़ हैं या अंधे हैं तो मशहूद अलैहि पर हद वाजिब न होगी मगर गवाहों पर हद क़ज़्फ़ वाजिब होगी यह शरह तहावी में है और अगर चार मर्दों ने किसी पर ज़िना की गवाही दी हालांकि एक इन में स ग़ुलाम है या महदूद उल क़ज़्फ़ है तो मशहूद अलैहि पर हद वाजिब न होगी मगर गवाहों पर हद क़ज़्फ़ वाजिब होगी यह हिदाया में है। अगर ग़ुलाम आज़ाद किया गया फिर इन लोगों ने गवाही का इआदा किया तो दोबारह इन को हद क़ज़्फ़ की सज़ा दी जायेगी और इस तरह अगर सब गवाह ग़ुलाम हों और उन्होंने गवाही दी और इन को हद क़ज़्फ़ की सज़ा दी गई फिर वो आज़ाद किये गये फिर उन्होंने गवाही का इआदा कियसा तो इन को दोबारह हद क़ज़्फ़ की सज़ा दी जायेगी बख़िलाफ़ काफ़िरों के कि अगर उन्होंने किसी मुसलमान पर ज़िना की गवाही दी फिर बाद महदूद उल क़ज़्फ़ होने के मुसलमान हो कर उन्होंने गवाही का इआदा (1) किया तो यह हुक्म न होगा और इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत है कि अगर थोडी हद मारी गई फिर इन में से एक गवाह ग़ुलाम निकला पस दूसरे चार गवाहों ने गवाही दी तो मशहूद अलैहि को हद न मारी जायेगी इस वास्ते कि यह हद बातिल हो चुकी है यह इताबिया में है।

अगर चारों गवाहों में से एक गवाह मकातिब या तफ़्ल या अंधा हो तो सिवाए तफ़्ल के सब गवाहों को हद क़ज़्फ़ मारी जायेगी और अगर यह अम्र बाद मशहूद अलैहि के रजम किये जाने के मालूम हुआ तो गवाहों को हद न मारी जायेगी और मरजूम की देत बैतुल माल से दी जायेगी और अगर मशहूद अलैहि को हद में दुर्रे मारे गये हों तो गवाहों को दुर्रे मारे गये हों तो गवाहों को दुर्रे मारे जायेगे बशर्तेकि मशहूद अलैहि इस की दरख़्वास्त करे और रहा अरश ज़र्ब (चोट का तावान) सो वो हदर होगा यह इमाम आज़म रह० का क़ौल है यह ईज़ाह में है और मअतक़ उल बाज़ इमाम आज़म रह०

(1)कि दोबारह हद क़ज़फ+ मारी जाये।

के अनुसार मिस्ल मकातिब के है और मकातिब अहले शहादत में से नहीं है यह मबसूत में है अगर चार

पर गवाही दी हालांकि गवाह ग़ुलाम या काफ़िर या महदूद उल क़ज़्फ़ हैं या अंधे हैं तो मशहूद अलैहि पर हद अनिवार्य न होगी मगर गवाहों पर हद क़ज़्फ़ अनिवार्य होगी यह शरह तहावी में है और अगर चार मर्दों ने किसी पर ज़िना की गवाही दी हालांकि एक इन में स ग़ुलाम है या महदूद उल क़ज़्फ़ है तो मशहूद अलैहि पर हद अनिवार्य न होगी मगर गवाहों पर हद क़ज़्फ़ अनिवार्य होगी यह हिदाया में है। अगर ग़ुलाम आज़ाद किया गया फिर इन लोगों ने गवाही का इआदा किया तो दोबारह इन को हद क़ज़्फ़ की सज़ा दी जायेगी और इस तरह अगर सब गवाह ग़ुलाम हों और उन्होंने गवाही दी और इन को हद क़ज़्फ़ की सज़ा दी गई फिर वो आज़ाद किये गये फिर उन्होंने गवाही का इआदा कियसा तो इन को दोबारह हद क़ज़्फ़ की सज़ा दी जायेगी बख़िलाफ़ काफ़िरों के कि अगर उन्होंने किसी मुसलमान पर ज़िना की गवाही दी फिर बाद महदूद उल क़ज़्फ़ होने के मुसलमान हो कर उन्होंने गवाही का इआदा (1) किया तो यह आदेश न होगा और इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत है कि अगर थोडी हद मारी गई फिर इन में से एक गवाह ग़ुलाम निकला पस दूसरे चार गवाहों ने गवाही दी तो मशहूद अलैहि को हद न मारी जायेगी इस लिए कि यह हद बातिल हो चुकी है यह इताबिया में है।

अगर चारों गवाहों में से एक गवाह मकातिब या तफ़्ल या अंधा हो तो सिवाए तफ़्ल के सब गवाहों को हद क़ज़्फ़ मारी जायेगी और अगर यह कार्य बाद मशहूद अलैहि के रजम किये जाने के मालूम हुआ तो गवाहों को हद न मारी जायेगी और मरजूम की देत बैतुल माल से दी जायेगी और अगर मशहूद अलैहि को हद में दुर्रे मारे गये हों तो गवाहों को दुर्रे मारे गये हों तो गवाहों को दुर्रे मारे जायेगे बशर्तेकि मशहूद अलैहि इस की दरख़्वास्त करे और रहा अरश ज़र्ब (चोट का तावान) सो वो हदर होगा यह इमाम आज़म रह० का कथन है यह ईज़ाह में है और मअतक़ उल कुछ इमाम आज़म रह०

(1)कि दोबारह हद क़ज़फ+ मारी जाये।

के अनुसार मिस्ल मकातिब के है और मकातिब अहले शहादत में से नहीं है यह मबसूत में है अगर चार

गवाहों ने गवाही दी हालांकि वो फ़ासिक़ हैं या ज़ाहिर हुआ कि वो फ़ासिक़ हैवं तो इन को हद क़ज़फ़ न मारी जायेगी यह काफ़ी में है। अगर मशहूद अलैहि ने दावा किया कि इन में से एक गवाह ग़ुलाम है तो क़ौल इसी का क़बूल होगा यहां तक कि साबित किया जाये कि आज़ाद है यह तातार खानिया में हे ओर एक मर्द ने दूसरे को ज़िना की तोहमत लगाई फिर इस क़ाज़िफ़ ने और तीन मर्दों के साथ गवाही दी कि यह ज़ानी है तो देखा जायेगा कि अगर मक़ज़ूफ़ इस क़ाज़िफ़ को क़ाज़ी के यहां लाया फिर क़ाज़िफ़ ने इन गवाहों के साथ इस के ज़ानी होने कीगवाही दी तो क़बूल न होगी और अगर हुनूज़ इस को क़ाज़ी के पास नहीं लाया था तो गवाही मक़बूल होगी यह मुहीत सुरखी में है।

चार गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी और वो मोहसिन है :

इमाम मौहम्मद रह० ने जामअ सग़ीर में फ़रमाया कि चार गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी हालांकि यह मर्द ग़ैर मोहसन है और इमाम ने इस को हद में मारा फिर ज़ाहिर हुआ कि यह गवाह ग़ुलाम या कफ्फ़ारह या महदूद उल क़ज़फ़ थे हालांकि मशहूद अलैहि इन दरों की सज़ा से मर गया है या दरों से इस का बदन मजरूह हो गया है तो इमाम अबू हनीफ़ा रह० ने फ़रमाया कि क़ाज़ी पर या बैत उल माल पर इस का तावान लाज़िम न होगा यह मुहीत में है। अगर कोई शख़्स गवाहों की गवाही पर हद ज़िना में दुर्रे मारा गया पस दरों की चोट से वो मर गया या मजरूह हो गया फिर ज़ाहिर हुआ कि बाज़ गवाह ग़ुलाम यसा महदूद उल क़ज़फ़ या काफ़िर हैं तो इन गवाहों को बिल इत्तफ़ाक़ हद क़ज़फ़ की सज़ा दी जायेगी और इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि इन गवाहों पर और नीज़ बैतुल माल पर कुछ तावान वाजिब न होगा यह फ़तहुल क़दीर में है। चार गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी और वो मोहसन है गवाहों ने इस पर ज़िना व अहसान दोनों की गवाही दी पस इमामुल मुस्लिमीन ने इस को रजम किया फिर एक गवाह ग़ुलाम या मकातिब या महदूद उल क़ज़फ़

गवाहों ने गवाही दी हालांकि वो फ़ासिक़ हैं या ज़ाहिर हुआ कि वो फ़ासिक़ हैवं तो इन को हद क़ज़फ़ न मारी जायेगी यह काफ़ी में है। अगर मशहूद अलैहि ने दावा किया कि इन में से एक गवाह ग़ुलाम है तो कथन इसी का क़बूल होगा यहां तक कि सिद्ध किया जाये कि आज़ाद है यह तातार खानिया में हे ओर एक मर्द ने दूसरे को ज़िना की तोहमत लगाई फिर इस क़ाज़िफ़ ने और तीन मर्दों के साथ गवाही दी कि यह दुष्कर्मी है तो देखा जायेगा कि अगर मक़ज़ूफ़ इस क़ाज़िफ़ को क़ाज़ी के यहां लाया फिर क़ाज़िफ़ ने इन गवाहों के साथ इस के दुष्कर्मी होने कीगवाही दी तो क़बूल न होगी और अगर हुनूज़ इस को क़ाज़ी के पास नहीं लाया था तो गवाही मक़बूल होगी यह मुहीत सुरखी में है।

चार गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी और वो मोहसिन है :

इमाम मौहम्मद रह० ने जामअ सग़ीर में फ़रमाया कि चार गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी हालांकि यह मर्द ग़ैर मोहसन है और इमाम ने इस को हद में मारा फिर ज़ाहिर हुआ कि यह गवाह ग़ुलाम या प्रायश्चित या महदूद उल क़ज़फ़ थे हालांकि मशहूद अलैहि इन दरों की सज़ा से मर गया है या दरों से इस का बदन मजरूह हो गया है तो इमाम अबू हनीफ़ा रह० ने फ़रमाया कि क़ाज़ी पर या घर उल माल पर इस का तावान अनिवार्य न होगा यह मुहीत में है। अगर कोई व्यक्ति गवाहों की गवाही पर हद ज़िना में दुर्रे मारा गया पस दरों की चोट से वो मर गया या मजरूह हो गया फिर ज़ाहिर हुआ कि कुछ गवाह ग़ुलाम यसा महदूद उल क़ज़फ़ या काफ़िर हैं तो इन गवाहों को बिल इत्तफ़ाक़ हद क़ज़फ़ की सज़ा दी जायेगी और इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि इन गवाहों पर और नीज़ बैतुल माल पर कुछ तावान अनिवार्य न होगा यह फ़तहुल क़दीर में है। चार गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी और वो मोहसन है गवाहों ने इस पर ज़िना व अहसान दोनों की गवाही दी पस इमामुल मुस्लिमीन ने इस को रजम किया फिर एक गवाह ग़ुलाम या मकातिब या महदूद उल क़ज़फ़

पाया गया तो मरजूम की देत क़ाज़ी पर वाजिब होगी और क़ाज़ी इस को बैतुल माल से नहीं ले सकता है इस पर जिमाअ़ है और अगर यह ज़ाहिर हो कि यह गवाह फ़ासिक़ थे तो क़ाज़ी पर ज़िमान वाजिब न होगी चार मर्दों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी और इन गवाहों का चन्दा नफ़र ने तज़्किया किया और कहा कि यह लोग आज़ाद मुसलमान आदिल हैं लेकिन पीछे ज़ाहिर हुआ कि यह ग़ुलाम या कफ़्फ़ारह या महदूद उल क़ज़फ़ हैं पस अगर तज़्किया करने वाले अपने तज़्किया पर जमे रहे इऔर इस से रूजूअ़ न कियसा लेकिन यह कहा कि हम से खता हुई तो बिल इत्तफ़ाक़ इस पर ज़िमान वाजिब न होगी और ज़िमान बैतुल माल से बिल इत्तफ़ाक़ वाजिब होगी और अगर उन्होंने तज़्किया से रूजूअ़ किया और कहा कि हम इन को ग़ुलाम या काफ़िर या महदूद उल क़ज़फ़ जानते थे मगर हम ने बावजूद इस के अमदन तज़्किया व लक़दील की तो इस में इख़्तलाफ़ है इमाम आज़म रह० के अनुसार ज़िमान इन तज़्किया करने वालों पर वाजिब होगी और बैतुल माल से वाजिब न होगी और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि तज़्किया करने वालों पर ज़िमान न होगी और बैतुल माल से वाजिब होगी और यह हुक्म इस वक्त है कि गवाहों का ग़ुलाम या महदूद उल क़ज़फ़ होना ज़ाहिर हो और अगर यह ज़ाहिर हुआ कि यह गवाह फ़ासिक़ हैं और तज़्किया करने वालों ने अपनी तअ़दील से रूजूअ़ किया यानी कहा कि हम ने जान बोझ कर अमदन तअ़दील की तो वही ज़ामिन होंगे और यह इस वक्त से कि मज़कीन ने यूं कहा कि यह लोग आज़ाद मुसलमान अदूल हैं और अगर मज़कीन ने फ़क़तम इतना कहा कि अदूल हैं फिर ज़ाकहिर हुआ कि गवाह लोग ग़ुलाम हैं तो मज़कीन पर ज़िमान वाजिब न होगी यह मुहीत में है।

चार मर्दों ने ग़ैर मोहसन पर ज़िना की गवाही दी :

अगर मअ़दलीन (नबुव्वत अदालत के लोगों) ने बलफ़्ज़ शहादत कहा कि हम गवाही देते हैं कि यह अहरार हैं या बलफ़्ज़ खबर कहा कि यह लोग अहरार हैं

पाया गया तो मरजूम की देत क़ाज़ी पर अनिवार्य होगी और क़ाज़ी इस को बैतुल माल से नहीं ले सकता है इस पर जिमाअ़ है और अगर यह ज़ाहिर हो कि यह गवाह फ़ासिक़ थे तो क़ाज़ी पर ज़िमान अनिवार्य न होगी चार मर्दों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी और इन गवाहों का चन्दा नफ़र ने तज़्किया किया और कहा कि यह लोग आज़ाद मुसलमान आदिल हैं लेकिन पीछे ज़ाहिर हुआ कि यह ग़ुलाम या प्रायश्चित या महदूद उल क़ज़फ़ हैं पस अगर तज़्किया करने वाले अपने तज़्किया पर जमे रहे इऔर इस से रूजूअ़ न कियसा लेकिन यह कहा कि हम से खता हुई तो बिल इत्तफ़ाक़ इस पर ज़िमान अनिवार्य न होगी और ज़िमान बैतुल माल से बिल इत्तफ़ाक़ अनिवार्य होगी और अगर उन्होंने तज़्किया से रूजूअ़ किया और कहा कि हम इन को ग़ुलाम या काफ़िर या महदूद उल क़ज़फ़ जानते थे मगर हम ने बावजूद इस के अमदन तज़्किया व लक़दील की तो इस में इख़्तलाफ़ है इमाम आज़म रह० के अनुसार ज़िमान इन तज़्किया करने वालों पर अनिवार्य होगी और बैतुल माल से अनिवार्य न होगी और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि तज़्किया करने वालों पर ज़िमान न होगी और बैतुल माल से अनिवार्य होगी और यह आदेश इस समय है कि गवाहों का ग़ुलाम या महदूद उल क़ज़फ़ होना ज़ाहिर हो और अगर यह ज़ाहिर हुआ कि यह गवाह फ़ासिक़ हैं और तज़्किया करने वालों ने अपनी तअदील से रूजूअ़ किया यानी कहा कि हम ने जान बोझ कर अमदन तअदील की तो वही ज़ामिन होंगे और यह इस समय से कि मज़कीन ने यूं कहा कि यह लोग आज़ाद मुसलमान अदूल हैं और अगर मज़कीन ने फ़क़तम इतना कहा कि अदूल हैं फिर ज़ाकहिर हुआ कि गवाह लोग ग़ुलाम हैं तो मज़कीन पर ज़िमान अनिवार्य न होगी यह मुहीत में है।

चार मर्दों ने ग़ैर मोहसन पर ज़िना की गवाही दी :

अगर मअ़दलीन (नबुव्वत अदालत के लोगों) ने बलफ़्ज़ शहादत कहा कि हम गवाही देते हैं कि यह अहरार हैं या बलफ़्ज़ खबर कहा कि यह लोग अहरार हैं

तो इन दोनों में फ़र्क़ नहीं है यह निहाया में है और गवाहों पर ज़िमान वाजिब न होगी और न इन को हद क़ज़फ़ की सज़ा दी जायेगी यह काफ़ी में है चार मर्दों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी फिर गवाहों ने क़ाज़ी के हुज़ूर में इक़रार किया कि हम ने बातिल की गवाही दी है तो इन पर हद वाजिब होगी और अगर क़ाज़ी ने इन को हद न मारी यहां तक कि दूसरे चार गवाहों ने इसी मशहूद अलैहि पर ज़िना की गवाही दी तो इन की गवाही जाइज़ होगी और मशहूद अलैहि पर हद की सज़ा वाजिब होगी और फ़रीक़ अव्वल से हद क़ज़फ़ दूर की जायेगी यह मबसूत में है और अगर गवाहों ने मशहूद अलैहि के कोड़ों से मजरूह हो जाने के बाद या मर जाने के बाद रूजूअ किया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार कुछ ज़ामिन न होंगे न तावान अरश व न तावान नफ़्स के और साहिबीन रह० के नज़दीक अगर वो कोड़ों से नहीं मरा है तो अरश जराहत के ज़ामिन होंगे और अगर मर गया तो देत के ज़ामिन होंगे यह ग़ायतुल बयान में है। चार मर्दों ने ग़ैर मोहसन पर ज़िना की गवाही दी पस क़ाज़ी ने इस को कोडे मारे कि दुर्रों ने इस को मजरूह कर दिया फिर गवाहों में से एक ने रूजूअ कियसा तो वो अरश जराहत का ज़ामिन न होगा इसी तरह अगर वो दुर्रों से मर गया हो तो भी ज़ामिन न होगा न गवाह रूजूअ करने वाला और न बैतुल माल किसी पर देत न होगी और इमाम आज़म रह० का क़ौल और साहिबीन रह० के अनुसार जिस ने रूजूअ किया है वो ज़ामिन होगा यह सिराज वहाज में है और अगर इस की हद जल्द यानी दुर्रा हो पस गवाहों की गवाही से इस को हद मारी गई फिर गवाहों में से एक ने रूजूअ किया तो बिल इजमाअ इसी अकेले को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी यह तबयुन में है। अगर मशहूद अलैहि को हद मारी गई और हुनूज़ एक दुर्रा बाक़ी रहा है कि गवाहों में से एक ने रूजूअ किया तो सब गवाहों को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी और मशहूद अलैहि से बाक़ी हदसाक़ित की जायेगी और अगर लोगों ने और गवाहों ने मशहूद अलैहि को रजम किया और हुनूज़ मरा न था कि बाज़ गवाहों ने रूजूअ किया तो गवाहों को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी यह फ़तावा

तो इन दोनों में फ़र्क़ नहीं है यह निहाया में है और गवाहों पर ज़िमान अनिवार्य न होगी और न इन को हद क़ज़फ़ की सज़ा दी जायेगी यह काफ़ी में है चार मर्दों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी फिर गवाहों ने क़ाज़ी के हुज़ूर में स्वीकार किया कि हम ने बातिल की गवाही दी है तो इन पर हद अनिवार्य होगी और अगर क़ाज़ी ने इन को हद न मारी यहां तक कि दूसरे चार गवाहों ने इसी मशहूद अलैहि पर ज़िना की गवाही दी तो इन की गवाही जाइज़ होगी और मशहूद अलैहि पर हद की सज़ा अनिवार्य होगी और फ़रीक़ अव्वल से हद क़ज़फ़ दूर की जायेगी यह मबसूत में है और अगर गवाहों ने मशहूद अलैहि के कोडों से मजरूह हो जाने के बाद या मर जाने के बाद रूजूअ किया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार कुछ ज़ामिन न होंगे न तावान अरश व न तावान नफ़्स के और साहिबीन रह० के निकट अगर वो कोडों से नहीं मरा है तो अरश जराहत के ज़ामिन होंगे और अगर मर गया तो देत के ज़ामिन होंगे यह ग़ायतुल बयान में है। चार मर्दों ने ग़ैर मोहसन पर ज़िना की गवाही दी पस क़ाज़ी ने इस को कोडे मारे कि दुर्रों ने इस को मजरूह कर दिया फिर गवाहों में से एक ने रूजूअ कियसा तो वो अरश जराहत का ज़ामिन न होगा इसी तरह अगर वो दुर्रों से मर गया हो तो भी ज़ामिन न होगा न गवाह रूजूअ करने वाला और न बैतुल माल किसी पर देत न होगी और इमाम आज़म रह० का कथन और साहिबीन रह० के अनुसार जिस ने रूजूअ किया है वो ज़ामिन होगा यह सिराज वहाज में है और अगर इस की हद जल्द यानी दुर्रा हो पस गवाहों की गवाही से इस को हद मारी गई फिर गवाहों में से एक ने रूजूअ किया तो बिल इजमाअ इसी अकेले को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी यह तबयुन में है। अगर मशहूद अलैहि को हद मारी गई और हुनूज़ एक दुर्रा बाक़ी रहा है कि गवाहों में से एक ने रूजूअ किया तो सब गवाहों को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी और मशहूद अलैहि से बाक़ी हदसाक़ित की जायेगी और अगर लोगों ने और गवाहों ने मशहूद अलैहि को रजम किया और हुनूज़ मरा न था कि कुछ गवाहों ने रूजूअ किया तो गवाहों को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी यह फ़तावा

क़ाज़ी खान में है। अगर फ़रअ चार मर्दों गवाहों ने असल चार गवाहों की गवाही पर एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी तो इस को हद न मारी जायेगी फिर अगर असल गवाह भी आये और उन्होंने इस मर्द पर बअयुना इसी ज़िना की बाबत गवाही दी तो भी इस को हद सज़ा न दी जायेगी और गवाहान फ़रोग व उसूल को भी हद क़ज़फ़ की सज़ा न दी जायेगी कज़ा फ़िल काफ़ी और इस तरह सिवाए इन के औरों की गवाही भी मक़बूल न होगी। यह खज़ानतुल मुफ़तीन में है।

अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर फ़लां फ़लां खातून से ज़िना करने की गवाही दीः

अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर फ़लाना औरत से ज़िना करने की गवाही दी और दूसरे चार गवाहों ने इस मर्द के दूसरी औरत से ज़िना करने की गवाही दी पस मशहूद अलैहि संगसार किया गयसा फिर दोनों फ़रीक़ गवाहों ने रूजूअ किया तो बिल इजमाअ इस की देत के ज़ामिन होंगे और इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार इन को हद क़ज़फ़ की सज़ा भी दी जायेगी यह काफ़ी में है। अगर चार गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की और इस के मोहसन होने की गवाही दी फिर क़ब्ल हुक्म क़ज़ा के एक ने या बाज़ ने रूजूअ किया तो बिल इत्तफ़ाक़ रूजूअ करने वाले को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी और बाक़ियों को हमारे अनुसार हद क़ज़फ़ मारी जायेगी और अगर बाज़ ने बाद हुक्म क़ज़ा होने के क़ब्ल हीद जारी किये जाने के रूजूअ किया तो बिल इजमाअ किया तो बिल इत्तफ़ाक़ रूजूअ करने वाले को हद क़ज़फ़ की सज़ा दी जायेगी और बाक़ियों को इमाम आज़म रह० के अनुसार और मुवाफ़िक़ दूसरे क़ौल के इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार हद क़ज़फ़ की सज़ा दी जायेगी। अगर बाद हुक्म क़ज़ाअन और हद जारी होने के बाज़ ने रूजूअ किया तो बिल इजमाअ रूजूअ करने वाले पर हद क़ज़फ़ वाजिब होगी और बाक़ियों पर न होगी और नीज़ बिल इत्तफ़ाक़ इस रूजूअ करने वाले पर चहारूम देत खास इस के माल से एक साल में अदा करनी वाजिब होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और

क़ाज़ी खान में है। अगर फ़रअ चार मर्दों गवाहों ने असल चार गवाहों की गवाही पर एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी तो इस को हद न मारी जायेगी फिर अगर असल गवाह भी आये और उन्होंने इस मर्द पर बअयुना इसी ज़िना की बाबत गवाही दी तो भी इस को हद सज़ा न दी जायेगी और गवाहान फ़रोग व उसूल को भी हद क़ज़फ़ की सज़ा न दी जायेगी कज़ा फ़िल काफ़ी और इस तरह सिवाए इन के औरों की गवाही भी मक़बूल न होगी। यह खज़ानतुल मुफ़तीन में है।

अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर फ़लां फ़लां खातून से ज़िना करने की गवाही दीः

अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर फ़लाना औरत से ज़िना करने की गवाही दी और दूसरे चार गवाहों ने इस मर्द के दूसरी औरत से ज़िना करने की गवाही दी पस मशहूद अलैहि संगसार किया गयसा फिर दोनों फ़रीक़ गवाहों ने रूजूअ किया तो बिल इजमाअ इस की देत के ज़ामिन होंगे और इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार इन को हद क़ज़फ़ की सज़ा भी दी जायेगी यह काफ़ी में है। अगर चार गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की और इस के मोहसन होने की गवाही दी फिर क़ब्ल आदेश क़ज़ा के एक ने या कुछ ने रूजूअ किया तो बिल इत्तफ़ाक़ रूजूअ करने वाले को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी और बाक़ियों को हमारे अनुसार हद क़ज़फ़ मारी जायेगी और अगर कुछ ने बाद आदेश क़ज़ा होगे के क़ब्ल हीद जारी किये जाने के रूजूअ किया तो बिल इजमाअ किया तो बिल इत्तफ़ाक़ रूजूअ करने वाले को हद क़ज़फ़ की सज़ा दी जायेगी और बाक़ियों को इमाम आज़म रह० के अनुसार और मुवाफ़िक़ दूसरे कथन के इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार हद क़ज़फ़ की सज़ा दी जायेगी। अगर बाद आदेश न्यायिक और हद जारी होगे के कुछ ने रूजूअ किया तो बिल इजमाअ रूजूअ करने वाले पर हद क़ज़फ़ अनिवार्य होगी और बाक़ियों पर न होगी और नीज़ बिल इत्तफ़ाक़ इस रूजूअ करने वाले पर चहारूम देत खास इस के माल से एक साल में अदा करनी अनिवार्य होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है

इस तरह हर बार जब कोई रूजूअ करेगा तो इस को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी और चहारूम देत का ज़ामिन होगा यह काफ़ी में है। अगर बाद क़ज़ाअन व अमज़ा के सब गवाहों ने रूजूअ किया तो हमारे अनुसार सब को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी और इस की देत इन सब के माल से वाजिब होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर पांच गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना करने और इस के मोहसन होने की गवाही दी पस वो रजम किया गया फिर इन में से एक ने रूजूअ किया तो इस पर कुछ नहीं है, इल्ला आंकि एक और रूजूअ करले :

अगर ऐसे मरजूम को जिस के गवाह ने रूजूअ किया है किसी ने क़ज़फ़ किया तो क़ज़फ़ करने वाले को हद क़ज़फ़ न मारी जायेगी और वजह यह है कि हम ने बयान कर दिया है कि बाद हुक्म क़ज़ाअन हो जाने के गवाह का रूजूअ करना दूसरे के हक़ में कार आमद नहीं और मौस्सर नहीं है यह मुहीत में है। गवाहों ने एक मर्द पर इस के आज़ाद हो जाने और ज़िना करने की गवाही दी पस इस को रजम किया या फिर गवाहों ने रूजूअ किया तो गवाहों को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी और इस की क़ीमत इस के मौला को तावान देगे और इस की देत इस के वारिसों को तावान दे गे यह तातार खानियसा में है और अगर गवाहों ने इस के इतक़ की गवाही से रूजूअ किया तो कुछ ज़ामिन न होंगे इस वास्ते कि अहसान के गवाह अगर रूजूअ (1) करते हैं तो वो ज़ामिन नहीं होते हैं यह ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन में है। अगर गवाहान ज़िना पांच हों पस एक ने रूजूअ कर लिया तो बाक़ियों की गवाही बर मशहूद अलैहि पर हद जारी की जायेगी यह ईज़ाह में है। अगर पांच गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना करने और इस के मोहसिन होगे की गवाही दी पस वो रजम किया गया फिर इन में से एक ने रूजूअ किया तो इस पर कुछ नहीं है फिर अगर औरएके न रूजूअ किया तो दोनों चहारूम देत के ज़ामिन होंगे और दोनों को हद क़ज़फ़ कीसज़ा दी जायेगी यह मबसूत में है। नीतज़ बाद इन दोनों के जो कोई जब रूजूअ करेगा

और इस तरह हर बार जब कोई रूजूअ करेगा तो इस को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी और चहारूम देत का ज़ामिन होगा यह काफ़ी में है। अगर बाद न्यायिक व अमज़ा के सब गवाहों ने रूजूअ किया तो हमारे अनुसार सब को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी और इस की देत इन सब के माल से अनिवार्य होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर पांच गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना करने और इस के मोहसन होने की गवाही दी पस वो रजम किया गया फिर इन में से एक ने रूजूअ किया तो इस पर कुछ नहीं है, सिवा आंकि एक और रूजूअ करले :

अगर ऐसे मरजूम को जिस के गवाह ने रूजूअ किया है किसी ने क़ज़फ़ किया तो क़ज़फ़ करने वाले को हद क़ज़फ़ न मारी जायेगी और कारण यह है कि हम ने बयान कर दिया है कि बाद आदेश न्यायिक हो जाने के गवाह का रूजूअ करना दूसरे के हक़ में कार आमद नहीं और मौस्सर नहीं है यह मुहीत में है। गवाहों ने एक मर्द पर इस के आज़ाद हो जाने और ज़िना करने की गवाही दी पस इस को रजम किया या फिर गवाहों ने रूजूअ किया तो गवाहों को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी और इस की क़ीमत इस के मौला को तावान देगे और इस की देत इस के वारिसों को तावान दे गे यह तातार खानियसा में है और अगर गवाहों ने इस के इतक़ की गवाही से रूजूअ किया तो कुछ ज़ामिन न होंगे इस लिए कि अहसान के गवाह अगर रूजूअ (1) करते हैं तो वो ज़ामिन नहीं होते हैं यह ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन में है। अगर गवाहान ज़िना पांच हों पस एक ने रूजूअ कर लिया तो बाक़ियों की गवाही बर मशहूद अलैहि पर हद जारी की जायेगी यह ईज़ाह में है। अगर पांच गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना करने और इस के मोहसिन होने की गवाही दी पस वो रजम किया गया फिर इन में से एक ने रूजूअ किया तो इस पर कुछ नहीं है फिर अगर औरएके न रूजूअ किया तो दोनों चहारूम देत के ज़ामिन होंगे और दोनों को हद क़ज़फ़ कीसज़ा दी जायेगी यह मबसूत में है। नीतज़ बाद इन दोनों के जो कोई जब रूजूअ करेगा

चहारूम देत का ज़ामिन होगा और अगर पांच गवाहों ने एक बारगी रूजूअ कर लियसा तो सब केसब पूरी देत के पांच हिस्से करके ज़ामिन होंगे कि हर एक पांचों हिस्से का ज़ामिन होगा यह हावा क़ुदसी में है।

मुन्तक़ी में लिखा है कि पांच गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी और वो ग़ैर माहसन है पस क़ाज़ी ने इस को दुर्रा मारे फिर इन पांच गवाहों में से एक गवाह महदूद उल क़ज़फ़ या ग़ुलाम निकला फिर इन बाक़ी चारों गवाहों ने रूजूअ किया तो उन्हीं चारों को हद क़ज़फ़ की सज़ा दी जायेगी और जो महदूद उल क़ज़फ़ या ग़ुलाम निकला है इस को हद क़ज़फ़ की सज़ा दी जायेगी इस वास्ते कि वो ऐसी हालत में क़ाज़िफ़ हुआ कि जिस को तोहमत देता है इस पर चार ने ज़िना की गवाही दी है और इस को हद (पस ऐसे शख़्स के क़ज़फ़ करने से कुछ सज़ा नहीं है) मारी गई है। नीज़ मुन्तक़ी में मज़कूर है कि एक मर्द चारों मर्दों और चार औरतों ने ज़िना की करने की गवाही दी हालांकि वो ग़ैर मोहसन है पस इस को हद में दुर्रे मारे गये फिर इन सब गवाहों ने रूजूअ किया तो मर्दों को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी न औरतों को और अगर इन गवाहों ने क़ब्ल मशहूद अलैहि (यानी वो शख़्स जिस पर ज़िना की गवाही दी गई) के हद मारे जाने के रूजूअ किया हो तो मर्दों व औरतों सब को हद मारी जायेगी यह मुहीत में है। अगर छः गवाहों की गवाही से किसी को रजम किया गया फिर दो गवाहों ने इन में से रूजूअ कर लिया तो इन पर कुछ न होगा और अगर तीसरे ने भी रूजूअ किया तो यह तीनों चहारूम देत के ज़ामिन होंगे और इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार इन सब को हद क़ज़फ़ भी मारी जायेगीऔर अगर इन रूजूअ करने वालों ने बाक़ियों में से एक के रक़ीक़ (2) होने की गवाही दीतो और चहारूम देत बैतुल माल पर वाजिब होगी और अगर छः में से दोने रूजूअ किया और बाक़ियों में से दर के रक़ीक़ होने की गवाही दी तो जाइज़ है और चहारूम देत इन दोनों रूजूअ करने वालों पर होगी और चहारूम देत बैतुल माल और अगर इन दोनों ने तीन बाक़ी के रक़ीक़ होगे की गवाही दी तो जाइज़ न होगी।

चहारूम देत का ज़ामिन होगा और अगर पांच गवाहों ने एक बारगी रूजूअ कर लियसा तो सब केसब पूरी देत के पांच हिस्से करके ज़ामिन होंगे कि हर एक पांचों हिस्से का ज़ामिन होगा यह हावा क़ुदसी में है।

मुन्तक़ी में लिखा है कि पांच गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी और वो ग़ैर माहसन है पस क़ाज़ी ने इस को दुर्रा मारे फिर इन पांच गवाहों में से एक गवाह महदूद उल क़ज़फ़ या ग़ुलाम निकला फिर इन बाक़ी चारों गवाहों ने रूजूअ किया तो उन्हीं चारों को हद क़ज़फ़ की सज़ा दी जायेगी और जो महदूद उल क़ज़फ़ या ग़ुलाम निकला है इस को हद क़ज़फ़ की सज़ा दी जायेगी इस लिए कि वो ऐसी हालत में क़ाज़िफ़ हुआ कि जिस को तोहमत देता है इस पर चार ने ज़िना की गवाही दी है और इस को हद (पस ऐसे व्यक्ति के क़ज़फ़ करने से कुछ सज़ा नहीं है) मारी गई है। नीज़ मुन्तक़ी में मज़कूर है कि एक मर्द चारों मर्दों और चार औरतों ने ज़िना की करने की गवाही दी हालांकि वो ग़ैर मोहसन है पस इस को हद में दुर्रे मारे गये फिर इन सब गवाहों ने रूजूअ किया तो मर्दों को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी न औरतों को और अगर इन गवाहों ने क़ब्ल मशहूद अलैहि (यानी वो व्यक्ति जिस पर ज़िना की गवाही दी गई) के हद मारे जाने के रूजूअ किया हो तो मर्दों व औरतों सब को हद मारी जायेगी यह मुहीत में है। अगर छः गवाहों की गवाही से किसी को रजम किया गया फिर दो गवाहों ने इन में से रूजूअ कर लिया तो इन पर कुछ न होगा और अगर तीसरे ने भी रूजूअ किया तो यह तीनों चहारूम देत के ज़ामिन होंगे और इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार इन सब को हद क़ज़फ़ भी मारी जायेगीऔर अगर इन रूजूअ करने वालों ने बाक़ियों में से एक के रक़ीक़ (2) होने की गवाही दीतो और चहारूम देत बैतुल माल पर अनिवार्य होगी और अगर छः में से दोने रूजूअ किया और बाक़ियों में से दर के रक़ीक़ होगे की गवाही दी तो जाइज़ है और चहारूम देत इन दोनों रूजूअ करने वालों पर होगी और चहारूम देत बैतुल माल और अगर इन दोनों ने तीन बाक़ी के रक़ीक़ होने की गवाही दी तो जाइज़ न होगी।

और आठ गवाहों ने एक मर्द मोहसन पर ज़िना की गवाही दी ख़्वाह सभों ने एक ही ज़िना पर बाहर चार गवाहों ने अलाहिदा अलाहिदा ज़िना

(1)और आज़ादी अज+ जुम्ला और अहसान है।
(2)रक़ीक+नी ग़ुलाम ममलूक।

पर गवाही दी और इस को रजम किया गया पस अगर चार गवाहों ने इन में से रूजूअ कियसा तो इन पर ज़िमान वहद कुछ वाजिब न होगी फिर पांचों ने भी रूजूअ किसया तो चहारूम देत यह सब बाहम हिस्सा दस्त तावान देंगे और इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार इन सब को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन व इताबिया में है और अगर क़ाज़ी ने तीन गवाहों की गवाही पर या एक मर्द व औरतों कीगवाही पर मशहूद अलैहि को रजम किया पस अगर क़ाज़ी ने कहा कि मुझे गुमान हुआ कि यह जाइज़ है तो इस की देत बैतुल माल पर वाजिब होगी और अगर क़ाज़ी ने कहा कि मुझे मालूम था कि यह नहीं जाइज़ है तो देत इस पर वाजिब होगी और अगर क़ाज़ी ने इस के एक मर्तबा के इक़रार पर इस को रजम कर दिया तो बहरहाल ज़ामिन न होगा यह इताबिया में है। अगर गवाहों ने मर्द व औरत से ग़ैर मज्लिस क़ाज़ी में कहा कि हम गवाही देते हैं कि तुम दोनों ज़ानी हो और फिर दोनों को मज्लिस क़ाज़ी में लाये और इन पर इस अम्र की गवाही दी और इन दोनों ने कहा कि इन गवाहों ने हम से यह बात पहले इस से कि आप के हुज़ूर में लाहें कही है और हमारे पास इस के गवाह मौजूद हैं तो इस अम्र पर इन दोनों की गवाही मक़बूल न होगी और इस से गवाहों की गवाही साक़ित न होगी और बाद सबूत के मर्द व औरत मज़कूरह को हद की सज़ा दी जायेगी यह मबसूत में है और इमाम मौहम्मद रह० ने जामअ सग़ीर में फ़रमाया कि एक मर्द पर इस की औलाद में स चार मर्दों ने या इस के चार भाइयों नेया इस के चचा की औलाद में से चार मर्दों ने ज़िना की गवाही दी और यह मर्द मोहसन है और यह गवाह आदिल हैं पस क़ाज़ी ने इस पर रजम का हुक्म दें दिया जब रजम का इरादा करे तो गवाहों को हुक्म करेगा कि

और आठ गवाहों ने एक मर्द मोहसन पर ज़िना की गवाही दी चाहे सभों ने एक ही ज़िना पर बाहर चार गवाहों ने अलाहिदा अलाहिदा ज़िना

(1)और आज़ादी अज+ जुम्ला और अहसान है।
(2)रक़ीक+नी ग़ुलाम ममलूक।

पर गवाही दी और इस को रजम किया गया पस अगर चार गवाहों ने इन में से रूजूअ कियसा तो इन पर ज़िमान वहद कुछ अनिवार्य न होगी फिर पांचों ने भी रूजूअ किसया तो चहारूम देत यह सब बाहम हिस्सा दस्त तावान देंगे और इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार इन सब को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन व इताबिया में है और अगर क़ाज़ी ने तीन गवाहों की गवाही पर या एक मर्द व औरतों कीगवाही पर मशहूद अलैहि को रजम किया पस अगर क़ाज़ी ने कहा कि मुझे गुमान हुआ कि यह जाइज़ है तो इस की देत बैतुल माल पर अनिवार्य होगी और अगर क़ाज़ी ने कहा कि मुझे मालूम था कि यह नहीं जाइज़ है तो देत इस पर अनिवार्य होगी और अगर क़ाज़ी ने इस के एक मर्तबा के स्वीकार पर इस को रजम कर दिया तो बहरहाल ज़ामिन न होगा यह इताबिया में है। अगर गवाहों ने मर्द व औरत से ग़ैर मज्लिस क़ाज़ी में कहा कि हम गवाही देते हैं कि तुम दोनों दुष्कर्मी हो और फिर दोनों को मज्लिस क़ाज़ी में लाये और इन पर इस कार्य की गवाही दी और इन दोनों ने कहा कि इन गवाहों ने हम से यह बात पहले इस से कि आप के हुज़ूर में लाहें कही है और हमारे पास इस के गवाह मौजूद हैं तो इस कार्य पर इन दोनों की गवाही मक़बूल न होगी और इस से गवाहों की गवाही साक़ित न होगी और बाद सबूत के मर्द व औरत मज़कूरह को हद की सज़ा दी जायेगी यह मबसूत में है और इमाम मौहम्मद रह० ने जामअ सग़ीर में फ़रमाया कि एक मर्द पर इस की औलाद में स चार मर्दों ने या इस के चार भाइयों नेया इस के चचा की औलाद में से चार मर्दों ने ज़िना की गवाही दी और यह मर्द मोहसन है और यह गवाह आदिल हैं पस क़ाज़ी ने इस पर रजम का आदेश दें दिया जब रजम का इरादा करे तो गवाहों को आदेश करेगा कि

पहले तुम इब्तदा करो पस अगर इन औलाद ने अपने बाप को रजम किया मगर ऐसा पत्थर न पड़ा कि वो मर जाये और बाद इन के लोगों ने रजम किया कि वो मर गया।

हदे क़ज़फ़ में किस सूरत में मुखासमा (झग़ा, बहस व मुबाहिसा) किया जा सकता है?

फिर इन गवाहों में से एक ने रूजूअ किया तो रूजूअ करने वाला चहारूम देत का ज़ामिन होगा और खास अपने माल से देगा और यह तीन बरस में अदा करेगा और यह माल इस मरजूम के वारिसों और इस रूजूअ करने वाल के दरमियान मीरास मुशतरिक होगा पस इस माल में से बक़द्र हिस्सा इस रूजूअ कुनिन्दा के इस के ज़िम्मे से साक़ित किया जायेगा और बाक़ी का वो ज़ामिन रहेगा कि जिस को तीन साल में अदा करेगा बशर्तेकि इस का हिस्सा चहारूम देत को दानी न हो और मशाइख ने फ़रमाया कि यह रूजूअ करने वाला चहारूम देत का इसी वक्त ज़ामिन होगा कि जिन्होंने रूजूअ नहीं किया है उन्होंने इस से कहा कि हमारे बाप ने ज़रूर ज़िना किया है जैसे हम ने गवाही दी है हम ने इस को देखा है और तूने नहीं देखा पस तूने बातिल गवाही दी पस इस सूरत में तावान सब इमामों के अनुसार वाजिब है और अगर बाक़ियों ने इस से कहा कि तूने हमारे साथ हमारे बाप को ज़िना करते देखा और तू रूजूअ करने में झूटा है तो रूजूअ करने वाला ज़ामिन न होगा आर हमारे उलमाऐ सुलासा के अनुसार इस रूजूअ करने वाले पर हद क़ज़फ़ वाजिब होगी इल्ला आंकि जिन लोगों ने इस के साथ गवाही दी है वो इस पर हद क़ज़फ़ वाजिब होने से मुन्किर हों पस इन को यह इख्तयार न होगा कि इस से दरबारह अम्र क़ज़फ़ के मुखासमा (झगडा व बखेडा) करें। हां यह देखा जायेगा कि इस मरजूम का बाप या दादा या कोई और बेटा जिस ने इस पर गवाही नहीं दी है मौजूद है या नहीं पस अगर होगा तो इस को इख्तयार होगा कि इस रूजूअ कुनिन्दा से दरबारह अम्र क़ज़फ़ मुखासमा करे और अगर मरजूम (रजम करदह शुदा व संगसार किया हो) के कोई बेटा या बाप या दादा न हो मगर इन

पहले तुम इब्तदा करो पस अगर इन औलाद ने अपने बाप को रजम किया मगर ऐसा पत्थर न पड़ा कि वो मर जाये और बाद इन के लोगों ने रजम किया कि वो मर गया।

हदे क़ज़फ़ में किस स्थिति में मुखासमा (झग़ा, बहस व मुबाहिसा) किया जा सकता है?

फिर इन गवाहों में से एक ने रूजूअ किया तो रूजूअ करने वाला चहारूम देत का ज़ामिन होगा और खास अपने माल से देगा और यह तीन बरस में अदा करेगा और यह माल इस मरजूम के वारिसों और इस रूजूअ करने वाल के दरमियान मीरास मुशतरिक होगा पस इस माल में से बक़द्र हिस्सा इस रूजूअ कतने वाला के इस के ज़िम्मे से साक़ित किया जायेगा और बाक़ी का वो ज़ामिन रहेगा कि जिस को तीन साल में अदा करेगा बशर्तेकि इस का हिस्सा चहारूम देत को दानी न हो और विद्वानों ने फ़रमाया कि यह रूजूअ करने वाला चहारूम देत का इसी समय ज़ामिन होगा कि जिन्होंने रूजूअ नहीं किया है उन्होंने इस से कहा कि हमारे बाप ने ज़रूर ज़िना किया है जैसे हम ने गवाही दी है हम ने इस को देखा है और तूने नहीं देखा पस तूने बातिल गवाही दी पस इस स्थिति में तावान सब इमामों के अनुसार अनिवार्य है और अगर बाक़ियों ने इस से कहा कि तूने हमारे साथ हमारे बाप को ज़िना करते देखा और तू रूजूअ करने में झूटा है तो रूजूअ करने वाला ज़ामिन न होगा आर हमारे उलमाऐ सुलासा के अनुसार इस रूजूअ करने वाले पर हद क़ज़फ़ अनिवार्य होगी सिवाए यह कि जिन लोगों ने इस के साथ गवाही दी है वो इस पर हद क़ज़फ़ अनिवार्य होने से मुन्किर हों पस इन को यह अधिकार न होगा कि इस से दरबारह कार्य क़ज़फ़ के मुखासमा (झगडा व बखेडा) करें। हां यह देखा जायेगा कि इस मरजूम का बाप या दादा या कोई और बेटा जिस ने इस पर गवाही नहीं दी है मौजूद है या नहीं पस अगर होगा तो इस को अधिकार होगा कि इस रूजूअ कतने वाला से दरबारह कार्य क़ज़फ़ मुखासमा करे और अगर

गवाहों में से बाज़ की औलाद हो तो देखा जाये कि अगर वो इसी रूजूअ करने वाले का बेटा है तो इस को इख़्तयार न होगा कि अपने बाप से दरबार क़ज़फ़ अपने दादा के मुख़ासमा करे और अगर बेटा इन में से किसी का हो जिन्होंने रूजूअ नहीं किया है तो इस को इख़्तयार होगा कि इस रूजूअ करने वाले से हद क़ज़फ़ का दावा करके हद ले ले और यह सब इस वक़्त है कि जब इन गवाहों ने मशहूद अलैहि को संगसार किया और वो इन की ज़र्ब से मरा नहीं।

अगर उन्होंने पत्थर मारे कि वो मर गया फिर इन गवाहों में से एक ने अपनी गवाही से रूजूअ किया और सिवाए इन गवाहों के मैयत का कोई वारिस नहीं है तो इस मसले में तीन सूरतें हैं एक यह कि बाक़ियों ने इस रूजूअ करने वाले से कहा कि तू अपने रूजूअ करने में झूटा है और गवाही देने में सच्चा है और दोम आंकि उन्होंने कहा कि हमारा पदर ज़ानी था लेकिन तूने इस का ज़िना करना नहीं देखा या कहा कि नहीं मालूम कि तूने इस का ज़िना करना देखा या नहीं और तूने बातिल के साथ गवाही दी सौम आंकि उन्होंने कहा कि हमारे बाप ने कभी ज़िना नहीं किया और तूने जो कहा कि वो ज़ानी है तो तूने झूट कहा पस वजह अव्वल में रूजूअ करने वाला कुछ ज़ामिनिन होगा और मीरास से भी महरूम न होगा और दूसरी सूरत में रूजूअ करने वाला चहारूम देत का ज़ामिन होगा और मीरास से महरूम होगा और इस पर हद क़र्ज़ वाजिब न होगी अगरचे इस ने अपने ऊपर हद क़ज़फ़ का इक़रार किया है लेकिन चूंकि बाक़ियों ने क़ज़फ़ में इस की तसदीक़ की और हक़ हद क़ज़फ़ उन्हीं का है इनसे तजावुज़ नहीं करता है पस इस पर हद न होगी हत्ता कि अगर इन के सिवाए कोई और वारिस मुस्तहिक़ हद मौजूद हो इन में से कि जिस को हम ने ऊपर ज़िक्र किया है तो वो इस हद मज़कूर ले लेगा और बाक़ी गवाहों पर भी देत में से कुछ ज़िमान न होगी और बाक़ी तीनों गवाह ऐसी गवाही की वजह से मुस्तहिक़ हद क़ज़फ़ न होंगे और तीसरी सूरत में सब के सब ज़ामिन होंगे और सब मीरास से महरूम होंगे और मक़तूल मज़कूर की देत इन लोगों के सिवाए फिर जो मरजूम (रजम करदह शुदा व संगसार किया हो) का कोई बेटा या बाप या दादा न हो मगर इन गवाहों में से कुछ की औलाद हो तो देखा जाये कि अगर वो इसी रूजूअ करने वाले का बेटा है तो इस को अधिकार न होगा कि अपने बाप से दरबार क़ज़फ़ अपने दादा के मुख़ासमा करे और अगर बेटा इन में से किसी का हो जिन्होंने रूजूअ नहीं किया है तो इस को अधिकार होगा कि इस रूजूअ करने वाले से हद क़ज़फ़ का दावा करके हद ले ले और यह सब इस समय है कि जब इन गवाहों ने मशहूद अलैहि को संगसार किया और वो इन की ज़र्ब से मरा नहीं।

अगर उन्होंने पत्थर मारे कि वो मर गया फिर इन गवाहों में से एक ने अपनी गवाही से रूजूअ किया और सिवाए इन गवाहों के मैयत का कोई वारिस नहीं है तो इस मसले में तीन सूरतें हैं एक यह कि बाक़ियों ने इस रूजूअ करने वाले से कहा कि तू अपने रूजूअ करने में झूटा है और गवाही देने में सच्चा है और दोम आंकि उन्होंने कहा कि हमारा पदर दुष्कर्मी था लेकिन तूने इस का ज़िना करना नहीं देखा या कहा कि नहीं मालूम कि तूने इस का ज़िना करना देखा या नहीं और तूने बातिल के साथ गवाही दी सौम आंकि उन्होंने कहा कि हमारे बाप ने कभी ज़िना नहीं किया और तूने जो कहा कि वो दुष्कर्मी है तो तूने झूट कहा पस कारण अव्वल में रूजूअ करने वाला कुछ ज़ामिनिन होगा और मीरास से भी महरूम न होगा और दूसरी स्थिति में रूजूअ करने वाला चहारूम देत का ज़ामिन होगा और मीरास से महरूम होगा और इस पर हद क़र्ज़ अनिवार्य न होगी चाहे इस ने अपने ऊपर हद क़ज़फ़ का स्वीकार किया है लेकिन चूंकि बाक़ियों ने क़ज़फ़ में इस की पुष्टि की और हक़ हद क़ज़फ़ उन्हीं का है इनसे तजावुज़ नहीं करता है पस इस पर हद न होगी हत्ता कि अगर इन के सिवाए कोई और वारिस मुस्तहिक़ हद मौजूद हो इन में से कि जिस को हम ने ऊपर वर्णन किया है तो वो इस हद मज़कूर ले लेगा और बाक़ी गवाहों पर भी देत में से कुछ ज़िमान न होगी और बाक़ी तीनों गवाह ऐसी गवाही की कारण से मुस्तहिक़ हद क़ज़फ़ न होंगे और तीसरी स्थिति में सब

शख़्स को मक़्तूल कसे सब से .ज्यादा क़रीब हो इस को मिलेगी और इन लोगों को हद क़ज़फ़ की सज़ा दी जायेगी। एक शख़्स की दो औरतें हैं और इन में से एक से इस के पांच बेटे हैं फिर इन में से चार बेटों ने अपने भाई पर जो पांचवां बेटा है गवाही दी कि इस ने हमारे बाप की बीवीसे ज़िना किया है तो यह अम्र खाली नहीं है कि इन के बाप ने इस औरत से वती की होगी या नहीं और नीज़ इन गवाहों की मां ज़िन्दा होगी या मर गई होगी। नीज़ इन के बाप ने इन की तसदीक़ की होगी या तकज़ीब की होगी और नीज़ उन्होंने गवाही में या कहा होगा कि इस औरत ने इस मर्द की मतावअत (रज़ामन्दी व ताबअदारी) की ज़िना करने में या यूं गवाही दी होगी कि बिरादर मशहूद अलैहि की तरफ़ से ज़िना में इस के ऊपर ज़बरदस्ती वाक़े हुई पस अगर उन्होंने गवाही दी कि हमारे भाई ने इस औरत से ज़िना किया और इस औरत ने भी इस की मुतावअत की है और हाल यह है कि इस औरत से इन के बाप ने दुख़ूल नहीं किया है पस अगर इन गवाहों की मां ज़िन्दा मौजूद हो तो इन की गवाही मक़बूल न होगी ख़्वाह इन का बाप इन की तसदीक़ करता हो या तकज़ीब और इन की मां ख़्वाह मुन्किरा हो या मुदइया हो और अगर इन की मां मर गई हो पस अगर इन का बाप इस का मुदआ हो तो भी इस इन की गवाही मक़बूल न होगी और अगर बाप इस से मुन्किर हो तो गवाही मक़बूल होगी।

अगर चार नसरानियों ने दो नसरानियों पर ज़िना करने की गवाही दी और क़ाज़ी ने इन की गवाही पर हुक्म दे दिया फिर मर्द या औरत मुसलमान हो गई तो दोनों से हद साक़ित हो जायेगी :

अगर इस औरत से इन के बाप ने दुख़ूल कर लिया हो पस अगर इस औरत ने इस मशहूद अलैहि की ज़िना करने में मुतावअत की हो और गवाहों की मां ज़िन्दा हो तो इन की गवाही मक़बूल न होगी ख़्वाह इन का बाप इन की तसदीक़ करता हो या तकज़ीब और ख़्वाह इन की मां इस की मुदइया हो या मुन्किर हो और

के सब ज़ामिन होंगे और सब मीरास से महरूम होंगे और मक़तूल मज़कूर की देत इन लोगों के सिवाए फिर जो व्यक्ति को मक़तूल कसे सब से .ज्यादा क़रीब हो इस को मिलेगी और इन लोगों को हद क़ज़फ़ की सज़ा दी जायेगी। एक व्यक्ति की दो औरतें हैं और इन में से एक से इस के पांच बेटे हैं फिर इन में से चार बेटों ने अपने भाई पर जो पांचवां बेटा है गवाही दी कि इस ने हमारे बाप की बीवीसे ज़िना किया है तो यह कार्य खाली नहीं है कि इन के बाप ने इस औरत से वती की होगी या नहीं और नीज़ इन गवाहों की मां ज़िन्दा होगी या मर गई होगी। नीज़ इन के बाप ने इन की पुष्टि की होगी या झुठलाना की होगी और नीज़ उन्होंने गवाही में या कहा होगा कि इस औरत ने इस मर्द की मतावअत (रज़ामन्दी व ताबअदारी) की ज़िना करने में या यूं गवाही दी होगी कि बिरादर मशहूद अलैहि की तरफ़ से ज़िना में इस के ऊपर ज़बरदस्ती स्थपित हुई पस अगर उन्होंने गवाही दी कि हमारे भाई ने इस औरत से ज़िना किया और इस औरत ने भी इस की मुतावअत की है और हाल यह है कि इस औरत से इन के बाप ने दुख़ूल नहीं किया है पस अगर इन गवाहों की मां ज़िन्दा मौजूद हो तो इन की गवाही मक़बूल न होगी चाहे इन का बाप इन की पुष्टि करता हो या झुठलाना और इन की मां चाहे मुन्किरा हो या मुदइया हो और अगर इन की मां मर गई हो पस अगर इन का बाप इस का मुदआ हो तो भी इस इन की गवाही मक़बूल न होगी और अगर बाप इस से मुन्किर हो तो गवाही मक़बूल होगी।

अगर चार नसरानियों ने दो नसरानियों पर ज़िना करने की गवाही दी और क़ाज़ी ने इन की गवाही पर आदेश दे दिया फिर मर्द या औरत मुसलमान हो गई तो दोनों से हद साक़ित हो जायेगी :

अगर इस औरत से इन के बाप ने दुख़ूल कर लिया हो पस अगर इस औरत ने इस मशहूद अलैहि की ज़िना करने में मुतावअत की हो और गवाहों की मां ज़िन्दा हो तो इन की गवाही मक़बूल न होगी चाहे इन

अगर इन की मां मर गई हो पस अगर बाप इस का मुदआ हो तो गवाही क़बूल न होगी और अगर मुन्किर हो तो मक़बूल होगी और यह सब इस सूरत में है कि गवाहों ने गवाही दी कि इस मर्द ने इस औरत से ज़िना किया दर हाल यह कि वो मुतावआ थी। अगर यह गवाही दी कि इस मशहूद अलैहि ने इस से ज़बरदस्ती ज़िना किया है पस अगर इन की मां मर गई हो ता इन की गवाही हर हाल में मक़बूल होगी. वाह बाप मुदई हो या मुन्किर हो। ख़्वाह बाप ने इस से दुख़ूल किया हो सया न किया हो। अगर इन की मां ज़िन्दा हो पस अगर बाप इन का इस अम्र का मुदआ हो तो इन की गवाही मक़बूल होगी और अगर मुन्किर हो तो मक़बूल न होगी ख़्वाह इन की मां इस की मुदइया हो या मुन्किरा हो और हर जिस सूरत में इन की गवाही मक़बूल हुई है तो हद ज़िना इन के भाई पर क़ामय की जायेगी और औरत पर भी अगर इस ने राज़ी (1) से ज़िना किया है क़ायम की जायेगी यह मुहीत में है और अगर चार नसरानियों ने दो नसरानियों पर ज़िना करने की गवाही दी और क़ाज़ी ने इन की गवाही पर हुक्म दे दिया फिर मर्द या औरत मुसलमान हो गई तो फ़रमाया कि दोनों से हद साक़ित हो जायेगी और फिर इस के बाद गवाह लोग भी मुसलमान हो गये तो कुछ न होगा ख़्वाह वो गवाही को इआदा करें या न करें और अगर उन्होंने दो मर्दों और दो औरतों पर ज़िना की गवाही दी फिर जब हाकिम ने इन के ऊपर हद का हुक्म दे दिया तो दोनों मर्दों या दोनों औरतों में से एक मुसलमान हो गया तो जो मुसलमान हुआ है इस से और इस के साथी से हद साक़ित होगी और जो नहीं मुसलमान हुआ है इस पर इस तरह हद रहेगी साक़ित न होगी यह मबसूत में है।

इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर मशहूद अलैहि बरता यानी जिस पर ज़िना की गवाही दी गई है दो गवाह लाया कि जिन्होंने इन गवाहों में से एक गवाह पर जिस ने इस पर ज़िना की गवाही दी है यह गवाही दी कि यह गवाह महदूद उल क़ज़फ़ (1) है। तो क़ाज़ी इन दोनों गवाहों से दरयाफ़्त करेगा कि इस गवाह पर हद क़ज़फ़ क्योंकर क़ायम हुई है यानी किस ने क़ायम की है

का बाप इन की पुष्टि करता हो या तकजीब और चाहे इन की मां इस की मुदइया हो या मुन्किर हो और अगर इन की मां मर गई हो पस अगर बाप इस का मुदआ हो तो गवाही क़बूल न होगी और अगर मुन्किर हो तो मक़बूल होगी और यह सब इस स्थिति में है कि गवाहों ने गवाही दी कि इस मर्द ने इस औरत से ज़िना किया दर हाल यह कि वो मुतावआ थी। अगर यह गवाही दी कि इस मशहूद अलैहि ने इस से ज़बरदस्ती ज़िना किया है पस अगर इन की मां मर गई हो ता इन की गवाही हर हाल में मक़बूल होगी. वाह बाप मुदई हो या मुन्किर हो। चाहे बाप ने इस से दुख़ूल किया हो सया न किया हो। अगर इन की मां ज़िन्दा हो पस अगर बाप इन का इस कार्य का मुदआ हो तो इन की गवाही मक़बूल होगी और अगर मुन्किर हो तो मक़बूल न होगी चाहे इन की मां इस की मुदइया हो या मुन्किरा हो और हर जिस स्थिति में इन की गवाही मक़बूल हुई है तो हद ज़िना इन के भाई पर क़ामय की जायेगी और औरत पर भी अगर इस ने राज़ी (1) से ज़िना किया है क़ायम की जायेगी यह मुहीत में है और अगर चार नसरानियों ने दो नसरानियों पर ज़िना करने की गवाही दी और क़ाज़ी ने इन की गवाही पर आदेश दे दिया फिर मर्द या औरत मुसलमान हो गई तो फ़रमाया कि दोनों से हद साक़ित हो जायेगी और फिर इस के बाद गवाह लोग भी मुसलमान हो गये तो कुछ न होगा चाहे वो गवाही को इआदा करें या न करें और अगर उन्होंने दो मर्दों और दो औरतों पर ज़िना की गवाही दी फिर जब हाकिम ने इन के ऊपर हद का आदेश दे दिया तो दोनों मर्दों या दोनों औरतों में से एक मुसलमान हो गया तो जो मुसलमान हुआ है इस से और इस के साथी से हद साक़ित होगी और जो नहीं मुसलमान हुआ है इस पर इस तरह हद रहेगी साक़ित न होगी यह मबसूत में है।

इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर मशहूद अलैहि बरता यानी जिस पर ज़िना की गवाही दी गई है दो गवाह लाया कि जिन्होंने इन गवाहों में से एक गवाह पर जिस ने इस पर ज़िना की गवाही दी है यह गवाही दी कि यह गवाह महदूद उल क़ज़फ़ (1) है। तो क़ाज़ी

और इस की वजह यह है कि अगर हद क़ज़्फ़ अज़ जानिब सुल्तान या नायब उल सुल्तान क़ायम हुई हो तो ऐसे गवाह की गाही बातिल होगी और अगर रिआया में से किसी ने बग़ैर इजाज़त इमामुल मुस्लिमीन के इस पर हद क़ज़्फ़ क़ायम कर दी हो तो इस की गवाही इस तरह महदूद होने से बातिल न होगी लिहाज़ा ज़रूरी हुआ कि यह दरयाफ़्त किया जाये कि किस ने इस पर हद क़ायम की है। अगर इस के दोनों गवाहों ने कहा कि इस गवाह को क़ाज़ी परगना फ़लां ने हद क़ज़्फ़ की सज़ा दी है और इस क़ाज़ी का नाम बयान कर दिया पस इस गवाह ने जिस पर महदूद उल क़ज़्फ़ होने की गवाही दी गई है कहा कि मैं गवाह पैश करता हूं इस क़ाज़ी के इक़रार की कि इस ने मुझे हद नहीं मारी है और दोनों फ़रीक़ गवाहों ने इस की कोई तारीख व वक्त नहीं बयान किया तो क़ाज़ी इस के महदूद उल क़ज़्फ़ होने का हुक्म देदेगा और बसबब गवाही गवाहान (2) इक़रार मज़कूर कि महदूद उल क़ज़्फ़ होने का हुक्म देने से बाज़ न रहेगा अगर गवाहों ने इस की हद मारी जाने का कोई वक्त भी बयान किया हो मसलन कहा कि क़ाज़ी कोरा-ए-फ़लां ने इस को हद क़ज़्फ़ सन चार सौ सत्तावन में मारी है फिर मशहूद अलैहि ने गवाह क़ायम किये कि यह क़ाज़ी सन चार सौ पचपन में मर गया है यसा इस अम्र पर गवाह क़ायम किये कि यह क़ाज़ी सन चार सौ सत्तावन में फ़लां मिल्क दीगर को गया था तो क़ाज़ी इस के महदूद उल क़ज़्फ़ होने का हुक्म देदेगा और इस के गवाहों की तरफ़ इल्तफ़ात न करेगा।

इल्ला आँकि इन में से कोई बात मशहूर हो मसलन क़ाज़ी मज़कूर का मरना इस वक्त से जो गवाहान मशहूद अलैहि ने शाहिद के महदूद हाने का बयान (मसलन चार सौ सत्तावन) किया है पहले वाक़े होना तमाम में आम मशहूर हो गया हो कि हर सग़ीर व कबीर व आलिम व जाहिल इस को जानता हो या मसलन जिस साल में गवाहों ने इस पर हद क़ज़्फ़ क़ायम की जानी बयान की है इस साल क़ाज़ी मज़कूर का दूसरे मुल्क में होना मशहूर मअरूफ़ हो कि इस को हर सग़ीर व कबीर व आलिम व जाहिल जानता हो तो ऐसी सूरत में क़ाज़ी इस के महदूद

इन दोनों गवाहों से दरयाफ्त करेगा कि इस गवाह पर हद क़ज़्फ़ क्योंकर क़ायम हुई है यानी किस ने क़ायम की है और इस की कारण यह है कि अगर हद क़ज़्फ़ अज़ जानिब सुल्तान या नायब उल सुल्तान क़ायम हुई हो तो ऐसे गवाह की गाही बातिल होगी और अगर रिआया में से किसी ने बग़ैर इजाज़त इमामुल मुस्लिमीन के इस पर हद क़ज़्फ़ क़ायम कर दी हो तो इस की गवाही इस तरह महदूद होने से बातिल न होगी लिहाज़ा ज़रूरी हुआ कि यह दरयाफ़्त किया जाये कि किस ने इस पर हद क़ायम की है। अगर इस के दोनों गवाहों ने कहा कि इस गवाह को क़ाज़ी परगना फ़लां ने हद क़ज़्फ़ की सज़ा दी है और इस क़ाज़ी का नाम बयान कर दिया पस इस गवाह ने जिस पर महदूद उल क़ज़्फ़ होने की गवाही दी गई है कहा कि मैं गवाह पैश करता हूं इस क़ाज़ी के स्वीकार की कि इस ने मुझे हद नहीं मारी है और दोनों फ़रीक़ गवाहों ने इस की कोई तारीख व समय नहीं बयान किया तो क़ाज़ी इस के महदूद उल क़ज़्फ़ होने का आदेश देदेगा और बसबब गवाही गवाहान (2) स्वीकार मज़कूर कि महदूद उल क़ज़्फ़ होने का आदेश देने से कुछ न रहेगा अगर गवाहों ने इस की हद मारी जाने का कोई समय भी बयान किया हो मसलन कहा कि क़ाज़ी कोरा-ए-फ़लां ने इस को हद क़ज़्फ़ सन चार सौ सत्तावन में मारी है फिर मशहूद अलैहि ने गवाह क़ायम किये कि यह क़ाज़ी सन चार सौ पचपन में मर गया है यसा इस कार्य पर गवाह क़ायम किये कि यह क़ाज़ी सन चार सौ सत्तावन में फ़लां मिल्क दीगर को गया था तो क़ाज़ी इस के महदूद उल क़ज़्फ़ होने का आदेश देदेगा और इस के गवाहों की तरफ़ इल्तफ़ात न करेगा।

सिवा आंकि इन में से कोई बात मशहूर हो मसलन क़ाज़ी मज़कूर का मरना इस समय से जो गवाहान मशहूद अलैहि ने शाहिद के महदूद हाने का बयान (मसलन चार सौ सत्तावन) किया है पहले स्थपित होना तमाम में आम मशहूर हो गया हो कि हर सग़ीर व कबीर व आलिम व जाहिल इस को जानता हो या मसलन जिस साल में गवाहों ने इस पर हद क़ज़्फ़ क़ायम की जानी बयान की है इस साल क़ाज़ी मज़कूर का दूसरे मुल्क में होना मशहूर

उल क़ज़्फ़ होने का हुक्म न देगा और मशहूद अलैहि पर हद ज़िना का हुक्म देगा यह मुहीत में है। अगर मशहूद अलैहि ने यानी जिस पर ज़िना की गवाही दी गइ है दावा किया कि यह गवाह महदूद उल क़ज़्फ़ है और मेरे पास इस के गवाह हैं तो इस के और मज्लिस से उठने के दरमियान मोहलत दी जायेगी बदूं इस के वो मोहल्ला (३) बिल तबअ किया जाये पस अगर वो गवाह लाया तो ख़ैर वरना इस पर हद क़ायम की जायेगी पस अगर इस ने इक़रार किया कि मेरे गवाह शहर में मौजूद नहीं है और दरख़्वास्त की कि चन्द रोज़ मुझे मोहलत दी जाये तो क़ाज़ी इस को मोहलत न देगा। अगर मशहूद अलैहि ने कुछ दावा न किया बल्कि किसी शख़्स दीगर ने गवाहों में से किसी पर

(1)महदूद उल क़ज़फ+नी ज़िना की तोहमत किसी पर लगाने की वजह से हद मारा गया है।
(2)नी इक़रार क़ाज़ी के गवाहों की गवाही की वजह से।
(1)गवाहों ने कहा कि औरत भी राज़ी थी।

दावा ककिया कि इस ने मुझे क़ज़्फ़ किया है तो मशहूद अलैहि क़ैद रखा जायेगा और क़ज़्फ़ के गवाहों का हाल दरयाफ्त किया जायेगा पस अगर इन की तअदील की गई तो हद क़ज़्फ़ पहले मारी जायेगी पस मशहूद अलैहि से हद ज़िना साक़ित की जायेगी। इसी तरह अगर गवाहान ज़िना में से किसी ने क़ाज़ी के सामने किसी का क़ज़्फ़ किया पस अगर मक़्ज़ूफ़ यानी जिस को तोहमत लगाई है कि आया।

अगर हद ज़िना क़ायम की जाने के बाद मक़्ज़ूफ़ ने आकर हद क़ज़्फ़ का मुतालबा किया तो इस के वास्ते हद क़ज़्फ़ भी मारी जायेगी :

इस ने हद क़ज़्फ़ का मुतालबा किया तो इस पर हद क़ज़्फ़ क़ायम की जायेगी और हद ज़िना साक़ित हो जायेगी और अगर मक़्ज़ूफ़ न आया ताकि अपने हद क़ज़्फ़ का मुतालबा करे तो हद ज़िना क़ायम करदी जायेगी और अगर हद ज़िना क़ायम की जाने के बाद मक़्ज़ूफ़ ने आकर हद क़ज़्फ़ का मुतालबा किया तो इस के वास्ते हद क़ज़्फ़ भी मारी जायेगी। इसी तरह अगर

मअरूफ़ हो कि इस को हर सग़ीर व कबीर व आलिम व जाहिल जानता हो तो ऐसी स्थिति में क़ाज़ी इस के महदूद उल क़ज़्फ़ होने का आदेश न देगा और मशहूद अलैहि पर हद ज़िना का आदेश देगा यह मुहीत में है। अगर मशहूद अलैहि ने यानी जिस पर ज़िना की गवाही दी गइ है दावा किया कि यह गवाह महदूद उल क़ज़्फ़ है और मेरे पास इस के गवाह हैं तो इस के और मज्लिस से उठने के दरमियान मोहलत दी जायेगी बदूं इस के वो मोहल्ला (३) बिल तबअ किया जाये पस अगर वो गवाह लाया तो ख़ैर वरना इस पर हद क़ायम की जायेगी पस अगर इस ने स्वीकार किया कि मेरे गवाह शहर में मौजूद नहीं है और दरख़्वास्त की कि चन्द रोज़ मुझे मोहलत दी जाये तो क़ाज़ी इस को मोहलत न देगा। अगर मशहूद अलैहि ने कुछ दावा न किया बल्कि किसी व्यक्ति दीगर ने गवाहों में से किसी पर

(1)महदूद उल क़ज़फ+नी ज़िना की तोहमत किसी पर लगाने की कारण से हद मारा गया है।
(2)नी स्वीकार क़ाज़ी के गवाहों की गवाही की कारण से।
(1)गवाहों ने कहा कि औरत भी राज़ी थी।

दावा ककिया कि इस ने मुझे क़ज़्फ़ किया है तो मशहूद अलैहि क़ैद रखा जायेगा और क़ज़्फ़ के गवाहों का हाल दरयाफ्त किया जायेगा पस अगर इन की तअदील की गई तो हद क़ज़्फ़ पहले मारी जायेगी पस मशहूद अलैहि से हद ज़िना साक़ित की जायेगी। इसी तरह अगर गवाहान ज़िना में से किसी ने क़ाज़ी के सामने किसी का क़ज़्फ़ किया पस अगर मक़्ज़ूफ़ यानी जिस को तोहमत लगाई है कि आया।

अगर हद ज़िना क़ायम की जाने के बाद मक़्ज़ूफ़ ने आकर हद क़ज़्फ़ का मुतालबा किया तो इस के लिए हद क़ज़्फ़ भी मारी जायेगी :

इस ने हद क़ज़्फ़ का मुतालबा किया तो इस पर हद क़ज़्फ़ क़ायम की जायेगी और हद ज़िना साक़ित हो जायेगी और अगर मक़्ज़ूफ़ न आया ताकि अपने हद क़ज़्फ़ का मुतालबा करे तो हद ज़िना क़ायम करदी जायेगी और अगर हद ज़िना क़ायम की जाने के बाद

बजाये क़ाज़िफ़ के चोर हो या गवाही और किसी हक़ की हुक़्क़ुल इबाद में से हो तो भी यही हुक्म है यह मबअसूत में है आर अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी और हुनूज़ तअदील गवाहों की न हुई थी कि मशहूद अलैहि को किसी ने क़त्ल कर डाला तो अमदन क़त्ल करने में क़िसास और खताअन क़त्ल करने में देत क़ातिल की मददगार बरादरी पर वाजिब होगी और इस तरह अगर बाद तअदील गवाहों के इस को क़त्ल किया और हुनूज़ हुक्म बरहम नहीं हुआ है तो भी यही हुक्म है यह काफ़ी में है और जैसे इन दोनों सूरतों में इस की ज़िमान नफ़्स वाजिब होती है यानी बिल्कुल क़त्ल कर दिया तो देत या क़िसास वाजिब होता है इस तरह अगर इस के इतराफ़ में से कोई उज़्व काट डाला या ज़ाये किया तो इस की ज़िमान भी वाजिब होगी जैसे इस का हाथ काट डाला या आंख फोड़ दी तो ज़ामिन होगा यह मुहीत में है। अगर इस के रजम का हुक्म दिया गया हो फिर इस को किसी ने अमदन या ख़ता क़त्ल किया तो इस पर कुछ नहीं है यह काफ़ी में है और जिस तरह इस सूरत में इस के नफ़्स की ज़िमान वाजिब होती है वैसे ही इस सूरत में इस के इतराफ़ की ज़िमान भी वाजिब न होगी और अगर क़ातिल के क़त्ल करने के बाद (यानी बाद रजम का हुक्म होने के है) इस सूरत में गवाहों ने रूजूअ किया तो क़ातिल पर कुछ वाजिब न होगा यह मुहीत में है।

अगर बाद हुक्म हो जाने के इस को अमदन क़त्ल कर दिया फिर गवाह ग़ुलाम या कफ़्फ़ारह पाये गये या महदूद उल क़ज़्फ़ निकले तो क़यास चाहता है कि क़िसास वाजिब हो और इस्तहसानन मक़्तूल की देत क़ातिल के माल से तीन साल (यानी तीन साल में सब अदा करे) में वाजिब होगी। अगर क़ातिल ने इस को बतरीक़ रजम क़त्ल किया हो फिर गवाहान मज़्कूर ग़ुलाम निकले तो इस की देत बैतुल माल से वाजिब होगी इस वास्ते कि क़ातिल ने जो कुछ किया वो बामर इमामुल मुस्लिमीन किया है बखिलाफ़ इस के अगर इस को तलवार से क़त्ल किया तो हुक्म इमाम की फ़रमान बरदारी नहीं की पस यह हुक्म न होगा यह काफ़ी में है।

मक़्ज़ूफ़ ने आकर हद क़ज़्फ़ का मुतालबा किया तो इस के लिए हद क़ज़्ा भी मारी जायेगी। इसी तरह अगर बजाये क़ाज़िफ़ के चोर हो या गवाही और किसी हक़ की हुक़्क़ुल इबाद में से हो तो भी यही आदेश है यह मबअसूत में है आर अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी और हुनूज़ तअदील गवाहों की न हुई थी कि मशहूद अलैहि को किसी ने क़त्ल कर डाला तो अमदन क़त्ल करने में क़िसास और खताअन क़त्ल करने में देत क़ातिल की मददगार बरादरी पर अनिवार्य होगी और इस तरह अगर बाद तअदील गवाहों के इस को क़त्ल किया और हुनूज़ आदेश बरहम नहीं हुआ है तो भी यही आदेश है यह काफ़ी में है और जैसे इन दोनों स्थितियों में इस की ज़िमान नफ़्स अनिवार्य होती है यानी बिल्कुल क़त्ल कर दिया तो देत या क़िसास अनिवार्य होता है इस तरह अगर इस के इतराफ़ में से कोई उज़्व काट डाला या ज़ाये किया तो इस की ज़िमान भी अनिवार्य होगी जैसे इस का हाथ काट डाला या आंख फोड़ दी तो ज़ामिन होगा यह मुहीत में है। अगर इस के रजम का आदेश दिया गया हो फिर इस को किसी ने अमदन या ख़ता क़त्ल किया तो इस पर कुछ नहीं है यह काफ़ी में है और जिस तरह इस स्थिति में इस के नफ़्स की ज़िमान अनिवार्य होती है वैसे ही इस स्थिति में इस के इतराफ़ की ज़िमान भी अनिवार्य न होगी और अगर क़ातिल के क़त्ल करने के बाद (यानी बाद रजम का आदेश होने के है) इस स्थिति में गवाहों ने रूजूअ किया तो क़ातिल पर कुछ अनिवार्य न होगा यह मुहीत में है।

अगर बाद आदेश हो जाने के इस को अमदन क़त्ल कर दिया फिर गवाह ग़ुलाम या प्रायश्चित पाये गये या महदूद उल क़ज़्फ़ निकले तो क़यास चाहता है कि क़िसास अनिवार्य हो और इस्तहसानन मक़्तूल की देत क़ातिल के माल से तीन साल (यानी तीन साल में सब अदा करे) में अनिवार्य होगी। अगर क़ातिल ने इस को बतरीक़ रजम क़त्ल किया हो फिर गवाहान मज़्कूर ग़ुलाम निकले तो इस की देत बैतुल माल से अनिवार्य होगी इस लिए कि क़ातिल ने जो कुछ किया वो बामर इमामुल मुस्लिमीन किया है बखिलाफ़ इस के अगर इस को

अगर गवाहां ने एक मर्द पर गवाही दी कि हम गवाही देते हैं कि इस ने इस औरत से वती कीऔर यह न कहा कि इस से ज़िना किया तो इन की गवाही बातिल है और इसी तरह अगर कहा कि हम गवाही देते हैं कि इस ने इस औरत से जिमाअ किया या मुबाज़अत की तो भी यही हुक्म है और अगर गवाहों ने एक मर्द पर गवाही दी कि हम गवाही देते हैं कि इस ने इस औरत से वती की और यह न कहा कि इस से ज़िना किया तो इन की गवाही बातिल है और इसी तरह अगर कहा कि हम गवाही देते हैं कि इस ने इस औरत से जिमाअ किया या मुबाज़अत की तो भी यही हुक्म है और गवाहों पर हद वाजिब न होगी यह मबसूत में है और अगर गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी और कहा कि हम ने अमदन नज़र डाल कर देखा है तो इन की गवाही मक़बूल होगी यह हिदाया में है और अगर गवाहोंने कहा कि हम ने तलज़्ज़ुज़ के वास्ते अमदन नज़र डाली तो बिल इजमाअ क़बूल न होगी यह फ़तहुल क़दीर में है यह चार गवाहों नेएक मर्द पर ज़िना की गवाही दी पस इमाम ने इस को हद मारनी चाही फिर इन गवाहों में से एक ने दूसरे को तोहमत लगाई यानी क़ज़्फ़ किया पस मक़ज़ूफ़ इस अम्र से रा कि अगर मैं हद क़ज़्फ़ का मुतालबा करता हूं तो गवाही है बातिल हो जायेगी पस इस ने मुतालबा न किया तो फ़रमाया कि इन की गवाही जाइज़ है और मशहूद अलैहि को सज़ाऐ हद दी जायेगी यह मबसूत में है।

(1)इस वास्ते कि जब उन्होंनेऐसा कहा तो गोया अपने फ़िसक+ का इक़रार8 किया और सूरत अव्वल में देखना बग़र्ज़ तहम्मुल शहादत बयान किया तो इस का देखना बतौर+] वाहिश नफ़्स न हुआ बल्कि महज+ इस ग़र्ज़ के वास्ते जो शेरअन जाइज+ है बखिलाफ+ फ़रीक+ सानी के कि इसको इस तौर पर जाइज+ नज़र करनी न थी। पस दोनों में फ़र्क़ ज़ाहिर हो गया।

चार गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी और इस के अहसान पर किसी ने गवाही न दीः

चार गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी और दो गवहों ने इस पर मोहसन होने की गवाही दी पस क़ाज़ी ने रजम का हुक्म दे दिया और वो रजम किया

तलवार से क़त्ल किया तो आदेश इमाम की फ़रमान बरदारी नहीं की पस यह आदेश न होगा यह काफ़ी में है। अगर गवाहां ने एक मर्द पर गवाही दी कि हम गवाही देते हैं कि इस ने इस औरत से वती कीऔर यह न कहा कि इस से ज़िना किया तो इन की गवाही बातिल है और इसी तरह अगर कहा कि हम गवाही देते हैं कि इस ने इस औरत से जिमाअ किया या मुबाज़अत की तो भी यही आदेश है और अगर गवाहों ने एक मर्द पर गवाही दी कि हम गवाही देते हैं कि इस ने इस औरत से वती की और यह न कहा कि इस से ज़िना किया तो इन की गवाही बातिल है और इसी तरह अगर कहा कि हम गवाही देते हैं कि इस ने इस औरत से जिमाअ किया या मुबाज़अत की तो भी यही आदेश है और गवाहों पर हद अनिवार्य न होगी यह मबसूत में है और अगर गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी और कहा कि हम ने अमदन मन्नत डाल कर देखा है तो इन की गवाही मक़बूल होगी यह हिदाया में है और अगर गवाहोंने कहा कि हम ने तलज़्ज़ुज़ के लिए अमदन मन्नत डाली तो बिल इजमाअ क़बूल न होगी यह फ़तहुल क़दीर में है यह चार गवाहों नेएक मर्द पर ज़िना की गवाही दी पस इमाम ने इस को हद मारनी चाही फिर इन गवाहों में से एक ने दूसरे को तोहमत लगाई यानी क़ज़्फ़ किया पस मक़ज़ूफ़ इस कार्य से रा कि अगर मैं हद क़ज़्फ़ का मुतालबा करता हूं तो गवाही है बातिल हो जायेगी पस इस ने मुतालबा न किया तो फ़रमाया कि इन की गवाही जाइज़ है और मशहूद अलैहि को सज़ाऐ हद दी जायेगी यह मबसूत में है।

(1)इस लि, कि जब उन्होंनेऐसा कहा तो गोया अपने फ़िसक+ का स्वीकार8 किया और स्थिति अव्वल में देखना बग़र्ज़ तहम्मुलशहादत बयान किया तो इस का देखना बतौर+] वाहिश नफ़्स न हुआ बल्कि महज+ इस ग़र्ज़ के लि, जोशेरअन जाइज+ है बखिलाफ+ फ़रीक+ सानी के कि इसको इस तौर पर जाइज+ मन्नत करनी न थी। पस दोनों में फ़र्क़ ज़ाहिर हो गया।

चार गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी और इस के अहसान पर किसी ने गवाही न दीः

चार गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी

गया कि इसी दरमियान में गवाहान अहसान ने रूजूअ कर लिया या वो ग़ुलाम निकले और मर्द मज़कूर को पत्थरों ने ज़ख्मी किया है मगर हुनूज़ वो मरा नहीं है तो क़ियास चाहता है कि इस पर सौ कोडे की हद क़ायम की जाये और यह इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० का क़ौल है और इस्तहसानन इस से सज़ाऐ जल्द और बाक़ी रजम सब दूर किये जाऐंगे और हर दो गवाह लोग भी जराहत की बाबत कुछ ज़ामिन न होंगे और न तावान बैतुल माल पर होगा चार गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी और इस के अहसान पर किसी ने गवाही न दी पस क़ाज़ी ने इस के दुर्रे मारने का हुक्म दे दिया फिर दो गवाहों ने इस पर बाद पूरे सौ दुर्रे मारे जाने के मोहसन होगे की गवाही दीतो बर क़ियास अव्वल इस सूरत में भी यह हुक्म होगा कि रजम किया जाये और इस्तहसान यह है कि रजम न किया जायेगा और इस मसले में हमारे उलमा ने इस्तहसान ही को लिया है और सूरत ऊला में क़ियास को इख़्तयार किया है और यह हुक्म जो हम ने बयान किया इस सूरत में है कि इस पर पूरे दुर्रे मारे गये हों और अगर हुनूज़ पूरे दुर्रे नहीं मारे गये कि दो गवाहों ने इस पर मोहसन होने की गवाही दी तो रजम जारी करने से मानअ न होगी यह मुहीत में है अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी पस इस ने शुब्हा का दावा किया कि मैंने इस को अपनी बीवी या बान्दी गुमान किया था तो इस के ज़िम्मे से हद साक़ित न होगी और अगर कहा कि यह मेरी बीवी या बान्दी है तो इस पर हदन होगी और गवाहों पर भी न होगी यह सिराज उल वहाज में है।

अगर गवाहों ने गवाही दी कि इस ने इस बान्दी से ज़िना किया पस इस ने कहा कि मैं इस को खरीद कर चुका था बखरीद फ़ासिद या शर्त ख़्यार उल बाऐ या सदक़ा या हुबा का दावा किया या कहा कि मैंनें इस से निकाह कर लिया था और गवाहों ने कहा कि इस ने इक़रार किया है इस में मेरी कोई मिल्के नहीं तो हद इस के ज़िम्मे से दफ़ा की जायेगी इस वास्ते कि शुब्हा मौजूद है और इस तरह हुर्रो (औरत आज़ादा) की सूरत में भी रिवायत है कि अगर मशहूर अलैहि ने कहा कि मैं इस

और दो गवहों ने इस पर मोहसन होने की गवाही दी पस क़ाज़ी ने रजम का आदेश दे दिया और वो रजम किया गया कि इसी दरमियान में गवाहान अहसान ने रूजूअ कर लिया या वो ग़ुलाम निकले और मर्द मज़कूर को पत्थरों ने ज़ख्मी किया है मगर हुनूज़ वो मरा नहीं है तो क़ियास चाहता है कि इस पर सौ कोडे की हद क़ायम की जाये और यह इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० का कथन है और इस्तहसानन इस से सज़ाऐ जल्द और बाक़ी रजम सब दूर किये जाऐंगे और हर दो गवाह लोग भी जराहत की बाबत कुछ ज़ामिन न होंगे और न तावान बैतुल माल पर होगा चार गवाहों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी और इस के अहसान पर किसी ने गवाही न दी पस क़ाज़ी ने इस के दुर्रे मारने का आदेश दे दिया फिर दो गवाहों ने इस पर बाद पूरे सौ दुर्रे मारे जाने के मोहसन होगे की गवाही दीतो बर क़ियास अव्वल इस स्थिति में भी यह आदेश होगा कि धुतकारा/पत्थरों से मारा जाये और उपकार यह है कि पत्थरों से मारा जायेगा और इस मामले में हमारे उलमा ने उपकार के तौर पर ही लिया है और उच्च स्थिति में अनुमान को अपनाया है और यह आदेश जो हम ने बयान किया इस स्थिति में है कि इस पर पूरे दुर्रे मारे गये हों और अगर हुनूज़ पूरे दुर्रे नहीं मारे गये कि दो गवाहों ने इस पर मोहसन होने की गवाही दी तो रजम जारी करने से मानअ न होगी यह मुहीत में है अगर चार मर्दों ने एक मर्द पर ज़िना की गवाही दी पस इस ने शुब्हा का दावा किया कि मैंने इस को अपनी बीवी या बान्दी गुमान किया था तो इस के ज़िम्मे से हद साक़ित न होगी और अगर कहा कि यह मेरी बीवी या बान्दी है तो इस पर हदन होगी और गवाहों पर भी न होगी यह सिराज उल वहाज में है।

अगर गवाहों ने गवाही दी कि इस ने इस बान्दी से ज़िना किया पस इस ने कहा कि मैं इस को खरीद कर चुका था बखरीद फ़ासिद या शर्त ख़्यार उल बाऐ या दान या हुबा का दावा किया या कहा कि मैंनें इस से निकाह कर लिया था और गवाहों ने कहा कि इस ने स्वीकार किया है इस में मेरी कोई मिल्के नहीं तो हद इस के ज़िम्मे से दफ़ा की जायेगी इस लिए कि शुब्हा मौजूद है

को खरीद चुका था तो इस से हुदूद की जायेगी। इसी तरह अगर गवाहों ने कहा कि यह इस को आज़ाद कर चुका था फिर इस से ज़िना किया है और वा आज़ाद करने से इन्कार करता है तो भी यही हुक्म है यह इताबिया में है। अगर गवाहों ने एक मद्र और एक आरत पर गवाही दी पस औरत ने दावा किया कि इस ने मुझ पर ज़बरदस्ती ऐसा किया है औरगवाहों ने इस की गवाही नहीं दी बल्कि यह कहा कि इस औरत ने इस की मुतावअत की तो औरत पर भी हद वाजिब होगी यह मबसूत में है और अगर गवाहों ने इस की गवाही नहीं दी बल्कि यह कहा कि इस औरत ने इस की मुतावअत की तो औरत पर भी हद वाजिब होगी यह मबसूत में है और अगर गवाहों ने ऐसी हद की गवाही दी जिस का अहद मुतक़ादिम हो गया है यानी ज़माना ़ज्यादा गुज़रा है तो हद की सज़ा न दी जायेगी सिवाए हद क़ज़फ़ के यह कन्ज़ में है और अगर ज़िना मुतक़ादिम की गवाही दी तो इस में इख़्तलाफ़ है बाज़ ने कहा कि गवाहों को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी और बाज़ ने कहा कि इन को भी हद न मारी जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और तक़ादुम (1) में ज़रूरी है कि बग़ैर अदर देर की गई हो और अगर बउज़र हो जैसे मर्ज़ या दूरी मुसाफ़त या ख़ौफ़ राह वग़ैरह तो गवाही मक़बूल होगी और मशहूद अलैहि को हद मारी जायेगी यह नहर उल फ़ाइक़ में है।

तक़ादुम जैसे इब्तदाअन क़बूल शहादत से मानअ है वैसे ही बाद क़ज़ा के इक़ामत से मानअ है और यह हुक्म हमारे नज़दीक है चुनांचे अगर थोड़ी हद क़ायम किये जाने के बाद वो भाग गया फिर तक़ादुम बअहद के बाद गिरफ़तार हो कर आया तो इस पर बाक़ी हद क़ायम न की जायेगी।

(1)तक़ादुमयानी जिस को अर्सा दराज+ गुज़र गयसा मसलनएक महीनाया इस से ज़ायद।

तक़ादुम में इख़्तलाफ़ है कि किस क़द्र मुद्दत में तक़ादुम होता है तो इमाम मौहम्मद रह० से मरवी है कि उन्होंने तक़ादुम की मुद्दत एक महीना मुक़र्रर किया है और यही रिवायत इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० से है और यही असह है यह हिदाया में है।

और इस तरह हुर्रो (औरत आज़ादा) की स्थिति में भी रिवायत है कि अगर मशहूर अलैहि ने कहा कि मैं इस को खरीद चुका था तो इस से हुदूद की जायेगी। इसी तरह अगर गवाहों ने कहा कि यह इस को आज़ाद कर चुका था फिर इस से ज़िना किया है और वा आज़ाद करने से इन्कार करता है तो भी यही आदेश है यह इताबिया में है। अगर गवाहों ने एक मद्र और एक आरत पर गवाही दी पस औरत ने दावा किया कि इस ने मुझ पर ज़बरदस्ती ऐसा किया है औरगवाहों ने इस की गवाही नहीं दी बल्कि यह कहा कि इस औरत ने इस की मुतावअत की तो औरत पर भी हद अनिवार्य होगी यह मबसूत में है और अगर गवाहों ने इस की गवाही नहीं दी बल्कि यह कहा कि इस औरत ने इस की मुतावअत की तो औरत पर भी हद अनिवार्य होगी यह मबसूत में है और अगर गवाहों ने ऐसी हद की गवाही दी जिस का अहद मुतक़ादिम हो गया है यानी ज़माना ़ज्यादा गुज़रा है तो हद की सज़ा न दी जायेगी सिवाए हद क़ज़फ़ के यह कन्ज़ में है और अगर ज़िना मुतक़ादिम की गवाही दी तो इस में मतभेद है कुछ ने कहा कि गवाहों को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी और कुछ ने कहा कि इन को भी हद न मारी जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और तक़ादुम (1) में ज़रूरी है कि बग़ैर अदर देर की गई हो और अगर बउज़र हो जैसे मर्ज़ या दूरी मुसाफ़त या ख़ौफ़ राह वग़ैरह तो गवाही मक़बूल होगी और मशहूद अलैहि को हद मारी जायेगी यह नहर उल फ़ाइक़ में है।

तक़ादुम जैसे इब्तदाअन क़बूल शहादत से मानअ है वैसे ही बाद क़ज़ा के इक़ामत से मानअ है और यह आदेश हमारे निकट है चुनांचे अगर थोड़ी हद क़ायम किये जाने के बाद वो भाग गया फिर तक़ादुम बअहद के बाद गिरफ़तार हो कर आया तो इस पर बाक़ी हद क़ायम न की जायेगी।

(1)तक़ादुमयानी जिस को अर्सा दराज+ गुज़र गयसा मसलनएक महीनाया इस से ज़ायद।

तक़ादुम में मतभेद है कि किस क़द्र मुद्दत में तक़ादुम होता है तो इमाम मौहम्मद रह० से मरवी है कि उन्होंने तक़ादुम की मुद्दत एक महीना मुक़र्रर किया है

शराब ख़्वारी के सिवाए हुदूद में तक़ादुम की तक़दीर एक महीना है बिल इत्तफ़ाक़ और रही शराब ख़्वारी सौ इमाम मौहम्मउद रह० के अनुसार इस में भी यही तक़दीर है और शैख़ेन के अनुसार इस में बदबू शराब की ज़ायल हो जाने तक (1) की तक़दीर है यह फ़तहुल क़दीर में है और अगर इस ने हद मुतक़ादिम (2) का इक़रार कर लिया तो इस को हद की सज़ा दी जायेगी सिवाए शराब ख़्वारी के यह शरह वक़ाया में है और जिस ने किसी औरत मुअय्यन या ग़ेर मुअय्यन से ज़िना करने का इक़रार चार मर्तबा किया फिर औरत हाज़िर हुई तो दो हाल से खाली नहीं या तो मद पर हद क़ायम किये जाने से पहले हाज़िर हुई या बाद मर्द पर हद क़ायम किये जाने के हाज़िर हुई पस अगर मर्द पर हद क़ायम किये जाने के बाद हाज़िर हुई और इस ने भी मिस्ल मर्द के इक़रार किया तो इस पर भी हद क़ायम की जायेगी और अगर इस ने इन्कार किया और मर्द मज़कूर पर क़ज़फ़ करने का दावा कियसा तो मर्द मज़कूर को हद क़ज़फ़ न मारी जायेगी क्योंकि हम जानते हैं कि मर्द पर दो हदें वाजिब न होंगी एक हद तो हम इस पर क़ायम कर चुके हैं पस दूसरी इस पर क़ायम न होगी और अगर मर्द पर हद क़ायम किये जाने से पहले हाज़िर हुई पस अगर इस ने ज़िना से इन्कार किया और निकाह का दावा किया तो हद दोनों से साक़ित होगी और मर्द पर उक़्र वाजिब होगा और अगर इस ने निकाह का दावा न किया और ज़िना से इन्कार किया और मर्द पर हद क़ज़फ़ का दावा किया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार मद से हद ज़िना साक़ित होगी और इस तरह अगर औरत मक़र हुई और मर्द ग़ायब हुआ तो मर्द का हुक्म भी इस बाब में मिस्ल हुक्म औरत के है यह शरह तहावी में है।

एसा शख़्स कि दारूल हरब में मुसलमान हुआ है अगर इस ने इक़रार किया कि मैंने दारूल हरब में ज़िना किया क़ब्ल मुसलमान होने के तो इस पर हद नहीं है:

अगर मर्द मूज़कूर पर हद क़ाइम किये जाने के बाद औरत हाज़िर हुई और इस ने निकाह का दावा करके और यही रिवायत इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० से है और यही असह है यह हिदाया में है।

शराब ख़्वारी के सिवाए हुदूद में तक़ादुम की तक़दीर एक महीना है बिल इत्तफ़ाक़ और रही शराब ख़्वारी सौ इमाम मौहम्मउद रह० के अनुसार इस में भी यही तक़दीर है और शैख़ेन के अनुसार इस में बदबू शराब की ज़ायल हो जाने तक (1) की तक़दीर है यह फ़तहुल क़दीर में है और अगर इस ने हद मुतक़ादिम (2) का स्वीकार कर लिया तो इस को हद की सज़ा दी जायेगी सिवाए शराब ख़्वारी के यह शरह वक़ाया में है और जिस ने किसी औरत मुअयन या ग़ेर मुअयन से ज़िना करने का स्वीकार चार मर्तबा किया फिर औरत हाज़िर हुई तो दो हाल से खाली नहीं या तो मद पर हद क़ायम किये जाने से पहले हाज़िर हुई या बाद मर्द पर हद क़ायम किये जाने के हाज़िर हुई पस अगर मर्द पर हद क़ायम किये जाने के बाद हाज़िर हुई और इस ने भी मिस्ल मर्द के स्वीकार किया तो इस पर भी हद क़ायम की जायेगी और अगर इस ने इन्कार किया और मर्द मज़कूर पर क़ज़फ़ करने का दावा कियसा तो मर्द मज़कूर को हद क़ज़फ़ न मारी जायेगी क्योंकि हम जानते हैं कि मर्द पर दो हदें अनिवार्य न होंगी एक हद तो हम इस पर क़ायम कर चुके हैं पस दूसरी इस पर क़ायम न होगी और अगर मर्द पर हद क़ायम किये जाने से पहले हाज़िर हुई पस अगर इस ने ज़िना से इन्कार किया और निकाह का दावा किया तो हद दोनों से साक़ित होगी और मर्द पर उक़्र अनिवार्य होगा और अगर इस ने निकाह का दावा न किया और ज़िना से इन्कार किया और मर्द पर हद क़ज़फ़ का दावा किया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार मद से हद ज़िना साक़ित होगी और इस तरह अगर औरत मक़र हुई और मर्द ग़ायब हुआ तो मर्द का आदेश भी इस अध्याय में मिस्ल आदेश औरत के है यह शरह तहावी में है।

एसा व्यक्ति कि दारूल हरब में मुसलमान हुआ है अगर इस ने स्वीकार किया कि मैंने दारूल हरब में ज़िना किया क़ब्ल मुसलमान होने के तो इस पर हद नहीं है:

अपने महर का मुतालबा किया तो इस के वास्ते कुछ महर न होगा यह मबसूत में है मुन्तक़ी में लिखा है कि एक मर्द ने ज़िना का इक़रार किया और वो मोहसन है पस क़ाज़ी ने इस के रजम का हुक्म दिया पस लोग इस को रजम करने को ले गये पस इस ने अपने इक़रार से रूजूअ कियसा पस इस को एक शख़्स ने क़त्ल कर डाला यानी बतौर रजम के तो क़ातिल पर कुछ न होगा जब तक कि क़ाज़ी इस से रजम को बातिल न करे और अगर क़ाज़ी ने इस से हुक्म बातिल कियसा फिर इस को किसी ने क़त्ल किया तो इस के क़िसास में क़त्ल किया जायेगा यह मुहीत सुरखी में है असल में इमाम अबू हनीफ़ा रह० से मज़कूर है कि एक शख़्स ने ज़िना का इक़रार किया और औरत ने इकराह का दावा किया कि इस ने मुझ से ज़बरदस्ती ऐसा कियसा है तो इमाम ने फ़रमाया कि मर्द को हद की सज़ा दी जायेगी और औरत पर हद नहीं क़ायम की जायेगी यह ईज़ाह में है जहो शख़्स कि दारूल हरब में मुसलमान हुआ है अगर इस ने इक़रार किया कि मैंने दारूल हरब में ज़िना किया क़ब्ल मुसलमान होने के तो इस पर हद नहीं है यह मुहीत में है और अगर मर्द मुसलमान दारूल हरब में अमान ले कर दाखिल हुआ और वहां किसी मुसलमान औरत या ज़िम्मिया औरत से ज़िना किया फिर वहां से दारूल इस्लाम में आया और ज़िना करने का इक़रार किया तो हमारे अनुसार इस को हद न मारी जायेगी यह मबसूत में है और अगर ग़ुलाम ने बाद आज़ाद होने के इक़रार किया कि मैंने ग़ुलाम होने की हालत में ज़िना किया था तो इस पर ग़ुलामों की हद क़ायम की जायेगी और ग़ुलाम पर हद इस के इक़रार से और सिवाए इक़रार के और उमूर मौज्जिब हद होते हैं पाये जाने से भी क़ायम होती है अगरचे इस का मौला ग़ायब हो और चोरी के हाथ काटे जाने और क़िसास का भी यही हुक्म है यह मुहीत में है। अगर दो मर्तबा ज़िना का इक़रार किया और दो गवाहों ने ज़िना पर गवाही दी तो इस को हद न मारी जायेगी यह तमरताशी में है।

(1)अगर बदबू ज़ायल हो गई तो तक़ादुम हो गया।

(2) इस में तक़ादुम उल अहद हो गया है कि इस पर गवाही मक़बूल न होगी लेकिन अगर वो+]|द इक़रार कर ले तो हद मारी

अगर मर्द मज़कूर पर हद क़ाइम किये जाने के बाद औरत हाज़िर हुई और इस ने निकाह का दावा करके अपने महर का मुतालबा किया तो इस के लिए कुछ महर न होगा यह मबसूत में है मुन्तक़ी में लिखा है कि एक मर्द ने ज़िना का स्वीकार किया और वो मोहसन है पस क़ाज़ी ने इस के रजम का आदेश दिया पस लोग इस को रजम करने को ले गये पस इस ने अपने स्वीकार से रूजूअ कियसा पस इस को एक व्यक्ति ने क़त्ल कर डाला यानी बतौर रजम के तो क़ातिल पर कुछ न होगा जब तक कि क़ाज़ी इस से रजम को बातिल न करे और अगर क़ाज़ी ने इस से आदेश बातिल कियसा फिर इस को किसी ने क़त्ल किया तो इस के क़िसास में क़त्ल किया जायेगा यह मुहीत सुरखी में है असल में इमाम अबू हनीफ़ा रह० से मज़कूर है कि एक व्यक्ति ने ज़िना का स्वीकार किया और औरत ने इकराह का दावा किया कि इस ने मुझ से ज़बरदस्ती ऐसा कियसा है तो इमाम ने फ़रमाया कि मर्द को हद की सज़ा दी जायेगी और औरत पर हद नहीं क़ायम की जायेगी यह ईज़ाह में है जहो व्यक्ति कि दारूल हरब में मुसलमान हुआ है अगर इस ने स्वीकार किया कि मैंने दारूल हरब में ज़िना किया क़ब्ल मुसलमान होने के तो इस पर हद नहीं है यह मुहीत में है और अगर मर्द मुसलमान दारूल हरब में अमान ले कर दाखिल हुआ और वहां किसी मुसलमान औरत या ज़िम्मिया औरत से ज़िना किया फिर वहां से दारूल इस्लाम में आया और ज़िना करने का स्वीकार किया तो हमारे अनुसार इस को हद न मारी जायेगी यह मबसूत में है और अगर ग़ुलाम ने बाद आज़ाद होने के स्वीकार किया कि मैंने ग़ुलाम होने की हालत में ज़िना किया था तो इस पर ग़ुलामों की हद क़ायम की जायेगी और ग़ुलाम पर हद इस के स्वीकार से और सिवाए स्वीकार के और उमूर मौज्जिब हद होते हैं पाये जाने से भी क़ायम होती है चाहे इस का मौला ग़ायब हो और चोरी के हाथ काटे जाने और क़िसास का भी यही आदेश है यह मुहीत में है। अगर दो मर्तबा ज़िना का स्वीकार किया और दो गवाहों ने ज़िना पर गवाही दी तो इस को हद न मारी जायेगी यह तमरताशी में है।

जायेगी।

बाबः 5

शराब ख़्वारी की हद में

'सकरां' का इतलाक़ किस शख़्स पर होता है?

एक शख़्स ने शराब पी और पकड़ा गया और हुनूज़ इस की बदबू (1) मौजूद है या इस पकड़ लाये दर हाल यह कि वो नशे में मस्त था पस गवाहों ने इस पर शराब ख़्वारी की गवाही दी तो इस पर हद वाजिब होगी क़ालल मुतरजम यानी अस्सी दुर्रे। इसी तरह अगर इस ने ख़ुद इक़रार किया और बदबू मौजूद है तो भी यही हुक्म है ख़्वाह इस ने थोड़ी शराब पी हो या बहुत। अगर इस ने बदबू जाती रहने की बाद इक़रार किया तो इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार इस को हद न मारी जायेगी और अगर इस तरह अगर बदबू जाती रहने के बाद और नशा ज़ायल होने के बाद इस पर गवाहों ने गवाही दी तो भी शैख़ेन रह० के अनुसार इस को हद न मारी जायेगी और अगर गवाहों ने इस को ऐसी हालत में पकड़ा कि इस के मुंह से बदबू आती है नशे में है पस इस को यहां से इस शहर को ले चले

(1)अगर बदबू ज़ायल हो गई तो तक़ादुम हो गया।
(2) इस में तक़ादुम उल अहद हो गया है कि इस पर गवाही मक़बूल न होगी लेकिन अगर वो+]]द स्वीकार कर ले तो हद मारी जायेगी।

अध्याय 5

शराब ख़्वारी की हद में

'सकरां' का इतलाक़ किस व्यक्ति पर होता है?

एक व्यक्ति ने शराब पी और पकड़ा गया और हुनूज़ इस की बदबू (1) मौजूद है या इस पकड़ लाये दर हाल यह कि वो नशे में मस्त था पस गवाहों ने इस पर शराब ख़्वारी की गवाही दी तो इस पर हद अनिवार्य होगी अनुवादक के कथनानुसार यानी अस्सी दुर्रे। इसी तरह अगर इस ने ख़ुद स्वीकार किया और बदबू मौजूद है तो भी यही आदेश है चाहे इस ने थोड़ी शराब पी हो या बहुत। अगर इस ने बदबू जाती रहने की बाद स्वीकार किया तो इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार इस को हद न मारी जायेगी और अगर इस तरह अगर बदबू जाती रहने के बाद और नशा ज़ायल होने के बाद इस पर गवाहों ने गवाही दी तो भी शैख़ेन रह० के अनुसार इस को हद न मारी जायेगी और अगर

जहां इमाम मौजूद है पस इस के पास पहुंचने से पहले बदबू व नशा जाता रहा तो मर्द मज़कूर को बिल इजमाअ हद मारी जायेगी यह सिराज वहाज में है। अगर नशा के बेहोश ने अपने ऊप शराब ख़्वारी का इक़रार कियसा तो इस के इक़रार (हालत नशे में) पर इस को हद मारी जायेगी यह हिदाया में है। मस्त शराब (जो मस्त है) के पहचानने में इख़्तलाफ़ ही चुनांचे इमाम अबू हनीफ़ा रह० ने फ़रमाा कि नशा शराब का मस्त वो है कि ज़मीन को आसमान से न पहचानता हो और मर्द को औरत से न शनाख़्त करता हो और साहिबीन रह० ने कहा कि सकरां वो है कि इस क कलाम मुख़्तलत हो कि ग़ालिब कलाम इस का हुज़ियां हो जाये तो वो सुकरां यानी नशा शराब का मस्त है और साहिबीन रह० ही के क़ौल पर फ़तवा है।

और अगर क़ाज़ी के पास गवाहों ने एक मर्द पर शराब ख़्वारी की गवाही दी तो क़ाज़ी इन से दरयाफ़्त करेगा कि शराब क्या चीज़ है फिर दरयाफ़्त करेगा कि इस ने क्यों कर पी इस वास्ते कि अहतमाल है कि इस ने बमजबूरी ज़बरदस्ती पी हो फिर दरयाफ़्त करेगा कि कब पी है क्योंकि अहतमाल तक़ादुम (1) है फिर दरयाफ़्त करेगा कि कहां पी है इस वास्ते कि अहतमाल है कि इस ने दारूल हरब में पी हो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है पस अगर गवाहों ने अब सब को ठीक बयान किया तो क़ाज़ी इस मशहूद अलैहि को क़ैद करेगा ताकि गवाहों की अदालत दरयाफ़्त करे और ज़ाहिर अदालत पर हुक्म न करेगा और जिस पर शराब ख़्वारी की गवाही दी है ज़रूरी है कि वो आक़िल बालिग़ मुसलमान और नातिक़ हो पस तफ़्ल पर एसी हद नहीं है और न मजनून और न काफ़िर तातार खानिया में लिखा है कि गूंगे को भी हद शराब ख़्वारी न मारी जायेगी ख़्वाह गवाहों ने इस पर गवाही दी हो या इस ने ख़ुद ऐसे इशारा से बतलाया कि जो इस की तरफ़ से मआमलात में इक़रार शुमार किया जाता है और अंधे को ऐसी हद मारी जायेगी यह बहरूल राइक़ में है। अगर दारूल इस्लाम में मुसलमान ने शराब पी और कहा कि मैंने इस के हराम होने को नहीं जाता था तो इस को हद मारी

गवाहों ने इस को ऐसी हालत में पकड़ा कि इस के मुंह से बदबू आती है नशे में है पस इस को यहां से इस शहर को ले चले जहां इमाम मौजूद है पस इस के पास पहुंचने से पहले बदबू व नशा जाता रहा तो मर्द मज़कूर को बिल इजमाअ हद मारी जायेगी यह सिराज वहाज में है। अगर नशा के बेहोश ने अपने ऊप शराब ख़्वारी का स्वीकार कियसा तो इस के स्वीकार (हालत नशे में) पर इस को हद मारी जायेगी यह हिदाया में है। मस्त शराब (जो मस्त है) के पहचानने में मतभेद ही चुनांचे इमाम अबू हनीफ़ा रह० ने फ़रमाा कि नशा शराब का मस्त वो है कि ज़मीन को आसमान से न पहचानता हो और मर्द को औरत से न शनाख़्त करता हो और साहिबीन रह० ने कहा कि सकरां वो है कि इस क बात मुख़्तलत हो कि ग़ालिब बात इस का हुज़ियां हो जाये तो वो सुकरां यानी नशा शराब का मस्त है और साहिबीन रह० ही के कथन पर फ़तवा है।

और अगर क़ाज़ी के पास गवाहों ने एक मर्द पर शराब ख़्वारी की गवाही दी तो क़ाज़ी इन से दरयाफ़्त करेगा कि शराब क्या चीज़ है फिर दरयाफ़्त करेगा कि इस ने क्यों कर पी इस लिए कि अहतमाल है कि इस ने बमजबूरी ज़बरदस्ती पी हो फिर दरयाफ़्त करेगा कि कब पी है क्योंकि अहतमाल तक़ादुम (1) है फिर दरयाफ़्त करेगा कि कहां पी है इस लिए कि अहतमाल है कि इस ने दारूल हरब में पी हो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है पस अगर गवाहों ने अब सब को ठीक बयान किया तो क़ाज़ी इस मशहूद अलैहि को क़ैद करेगा ताकि गवाहों की अदालत दरयाफ़्त करे और ज़ाहिर अदालत पर आदेश न करेगा और जिस पर शराब ख़्वारी की गवाही दी है ज़रूरी है कि वो आक़िल बालिग़ मुसलमान और नातिक़ हो पस तफ़्ल पर एसी हद नहीं है और न मजनून और न काफ़िर तातार खानिया में लिखा है कि गूंगे को भी हद शराब ख़्वारी न मारी जायेगी चाहे गवाहों ने इस पर गवाही दी हो या इस ने ख़ुद ऐसे इशारा से बतलाया कि जो इस की तरफ़ से मआमलात में स्वीकार शुमार किया जाता है और अंधे को ऐसी हद मारी जायेगी यह बहरूल राइक़ में है। अगर दारूल इस्लाम में मुसलमान ने शराब

जायेगी यह सिराजिया में है और अगर एक शख़्स पर शराब ख़्वारी की गवाही दी गई और इस ने दावा किया कि मैं दूध समझ कर पी गया था या कहा कि मैं इस को शराब नहीं जानता था तो यह क़ौल इस का मक़बूल न होगा और अगर कहा कि मैं इस को नबीज़ (मअ़नी कबाबुल अशरबा में मरक़ूम हैं) समझा था तो यह क़ौल इस का क़बूल होगा यह बहरूल राइक़ में है।

(1)तक़ादुम यानी जिस को अर्सा दराज+ गुज़र गया मसलनएक महीनाया इस से ज़ायद।

(1)इस के मुंह से बदबूशराब की आती है।

शराब का पीना दो मर्दों की गवाही से या ख़ुद एक मर्तबा इक़रार करने से साबित हो जाता है और इस में मर्दों के साथ औरतों की गवाही नहीं (मसलन एक मर्द व एक औरतें हों) क़बूल होती है यह हिदाया में है और जो शख़्स हालते नशे में है और गवाहों ने इस पर शराब ख़्वारी की गवाही दी तो इस पर हद नहीं क़ायम की जायेगी यहां तक कि इस को हौश हो जाये और नशा उतर जाये फिर जब इफ़ाक़ा हो गया तो इस पर हद क़ायम की जायेगी ख़्वाह शराब की बदबू इस से जाती रही हो या न गई हो। मुसलमान ने अगर शराब पी तो इस को हद नहीं मारी जायेगी क्योंकि जाइज़ में है कि ज़बरदस्ती इस को पिलाई गई हो और मुसलमान के मुंह से शराब की बदबू पाई जाने से इस को हद न मारी जायेगी ता वक़्त यह कि गवाह इस की शराब ख़री की गवाही न दें बावजूद यह कि एक मर्तबा इक़रार न करे। अगर दो गवाहों में से एक ने गवाही दी कि इस ने शराब पी है और दूसरे ने कहा कि इस ने शराब पी है तो इस को हद न मारी जायेगी और इस तरह अगर दोनों ने इस के शराब पीने पर गवाही दी और बदबू इस से पाई जाती है व लेकिन दोनों गवापहों ने वक़्त में इख़्तलाफ़ किया तो भी हद न मारी जायेगी और इसी तरह अगर एक ने इस के शराब पीने की और दूसरे ने इस के इक़रार शराब ख़्वारी की गवाही दी तो भी हद न मारी जायेगी और इस तरह अगर एक ने गवाही दी कि यह ख़ुमर से नशा में हुआ है और दूसरे ने कहा कि सकर से नशा में हुआ है तो भी इस को हद न मारी

पी और कहा कि मैंने इस के निषिद्ध होने को नहीं जाता था तो इस को हद मारी जायेगी यह सिराजिया में है और अगर एक व्यक्ति पर शराब ख़्वारी की गवाही दी गई और इस ने दावा किया कि मैं दूध समझ कर पी गया था या कहा कि मैं इस को शराब नहीं जानता था तो यह कथन इस का मक़बूल न होगा और अगर कहा कि मैं इस को नबीज़ (मअ़नी कबाबुल अशरबा में मरक़ूम हैं) समझा था तो यह कथन इस का क़बूल होगा यह बहरूल राइक़ में है।

(1)तक़ादुम यानी जिस को अर्सा दराज+ गुज़र गया मसलनएक महीनाया इस से ज़ायद।

(1)इस के मुंह से बदबूशराब की आती है।

शराब का पीना दो मर्दों की गवाही से या ख़ुद एक मर्तबा स्वीकार करने से सिद्ध हो जाता है और इस में मर्दों के साथ औरतों की गवाही नहीं (मसलन एक मर्द व एक औरतें हों) क़बूल होती है यह हिदाया में है और जो व्यक्ति हालते नशे में है और गवाहों ने इस पर शराब ख़्वारी की गवाही दी तो इस पर हद नहीं क़ायम की जायेगी यहां तक कि इस को हौश हो जाये और नशा उतर जाये फिर जब इफ़ाक़ा हो गया तो इस पर हद क़ायम की जायेगी चाहे शराब की बदबू इस से जाती रही हो या न गई हो। मुसलमान ने अगर शराब पी तो इस को हद नहीं मारी जायेगी क्योंकि जाइज़ में है कि ज़बरदस्ती इस को पिलाई गई हो और मुसलमान के मुंह से शराब की बदबू पाई जाने से इस को हद न मारी जायेगी ता समय यह कि गवाह इस की शराब ख़री की गवाही न दें बावजूद यह कि एक मर्तबा स्वीकार न करे। अगर दो गवाहों में से एक ने गवाही दी कि इस ने शराब पी है और दूसरे ने कहा कि इस ने शराब पी है तो इस को हद न मारी जायेगी और इस तरह अगर दोनों ने इस के शराब पीने पर गवाही दी और बदबू इस से पाई जाती है व लेकिन दोनों गवापहों ने समय में मतभेद किया तो भी हद न मारी जायेगी और इसी तरह अगर एक ने इस के शराब पीने की और दूसरे ने इस के स्वीकार शराब ख़्वारी की गवाही दी तो भी हद न मारी जायेगी और इस तरह अगर एक ने गवाही दी कि यह

जायेगी यह ज़हीरिया में है और अगर बीच से नशा में हो गया तो इस पर हद वाजिब होने में इख़्तलाफ़ है और सही यह है कि इस को हद न मारी जायेगी सिवाऐ ख़ुमर के छुहारे व अंगूर तर व ख़ुश्क वग़ैरह से जो शराबें बनाई जाती हैं अगर इन से बेहोश हो तो (1) इस को हद न मारी जायेगी।

अंगूर का आब खाम अगर इस में ग़लियान (2) व अशतदाद हुआ मगर झाग नहीं निकली और इस को कोई पी गया और नशे में हो गया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार इस पर हद नहीं है और वो इन के अनुसार मिस्ल शीरा-ए-अंगूर के है और जो अशरबा कि हुबूब व फ़वाका मिस्ल गेंहू व जो व जवार व आलू बुखारा (3) वग़ैरह से बनाई जाती हैं जब तक कि वो शीरीं हों तो इन का पीना हलाल है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और जो शख़्स कि नबीज़ से नशे में हुआ इस को हद मारी जायेगी मगर बेहोश को इस वक्त तक मारी न जायेगी जब तक यह मालूम न हो जाये कि यह नबीज़ से नशे में हो और इस ने बिला जबर के बतौअ ख़ुद पी है यह में है। जिस ने दराई ख़ुमर पी तो इस को हद न मारी जायेगी जब तक कि वो नशे में न हो जाये योनी अगर नशा हो जाये तो हद मारी जायेगी वरना नहीं और जो शख़्स कि मुन्सफ़ (4) या मसलस पी कर नशे में हो गया तो इस को हद मारी जायेगी और अगर नबीज़ शहद या मरज़ या जुआ या शीर माओ ख़ुर से नशे में हो गया तो इस को हद न मारी जायेगी यह सिराजिया में है और अगर ख़ुमर को पानी या दूध या तेल वग़ैरह माइआत में से किसी के साथ मख़्लूत कर दिया पस अगर ख़ुमर ग़ालिब है और इस में से कोई क़तरा पी लिया (मख़्लूत में है) तो इस को हद मारी जायेगी और अगर ख़ुमर मग़लूब होगी तो इस का पीना हलाल नहीं है मगर जब तक नशा न हो जाये तब तक हद वाजिब न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और सकर व ख़ुमर (5) की हद अगरचे एक ही क़तरा पिया हो अस्सी (80) कोड़े हैं यह कन्ज़ में है।

मिस्ल ज़िना के कोड़ों के इस के बदन पर मुतफ़र्रिक़ जगह मारे जायेगे और चेहरा सर मिस्ल हद

ख़ुमर से नशा में हुआ है और दूसरे ने कहा कि सकर से नशा में हुआ है तो भी इस को हद न मारी जायेगी यह ज़हीरिया में है और अगर बीच से नशा में हो गया तो इस पर हद अनिवार्य होने में मतभेद है और सही यह है कि इस को हद न मारी जायेगी सिवाऐ ख़ुमर के छुहारे व अंगूर तर व ख़ुश्क वग़ैरह से जो शराबें बनाई जाती हैं अगर इन से बेहोश हो तो (1) इस को हद न मारी जायेगी।

अंगूर का आब खाम अगर इस में ग़लियान (2) व अशतदाद हुआ मगर झाग नहीं निकली और इस को कोई पी गया और नशे में हो गया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार इस पर हद नहीं है और वो इन के अनुसार मिस्ल शीरा-ए-अंगूर के है और जो अशरबा कि हुबूब व फ़वाका मिस्ल गेंहू व जो व जवार व आलू बुखारा (3) वग़ैरह से बनाई जाती हैं जब तक कि वो शीरीं हों तो इन का पीना हलाल है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और जो व्यक्ति कि नबीज़ से नशे में हुआ इस को हद मारी जायेगी मगर बेहोश को इस समय तक मारी न जायेगी जब तक यह मालूम न हो जाये कि यह नबीज़ से नशे में हो और इस ने बिला जबर के बतौअ ख़ुद पी है यह में है। जिस ने दराई ख़ुमर पी तो इस को हद न मारी जायेगी जब तक कि वो नशे में न हो जाये योनी अगर नशा हो जाये तो हद मारी जायेगी वरना नहीं और जो व्यक्ति कि मुन्सफ़ (4) या मसलस पी कर नशे में हो गया तो इस को हद मारी जायेगी और अगर नबीज़ शहद या मरज़ या जुआ या शीर माओ ख़ुर से नशे में हो गया तो इस को हद न मारी जायेगी यह सिराजिया में है और अगर ख़ुमर को पानी या दूध या तेल वग़ैरह माइआत में से किसी के साथ मख़्लूत कर दिया पस अगर ख़ुमर ग़ालिब है और इस में से कोई क़तरा पी लिया (मख़्लूत में है) तो इस को हद मारी जायेगी और अगर ख़ुमर मग़लूब होगी तो इस का पीना हलाल नहीं है मगर जब तक नशा न हो जाये तब तक हद अनिवार्य न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और सकर व ख़ुमर (5) की हद चाहे एक ही क़तरा पिया हो अस्सी (80) कोड़े हैं यह कन्ज़ में है।

ज़िना के बचाया जायेगा और मशहूर रिवायत के मुवाफ़िक़ जिस को यह हद मारी जायेगी वो सिवाए सतर के नंगा कर दिया जायेगा और अगर ग़ुलाम होगा तो इस पर चालीस ही कोडे हैं

(1)मुतरजम कहता है कि अगरचे साहिबीन रह के अनुसारयह भी हराम है लेकिन चूंकि इमाम अबू हनीफ़ा रह इस की हालत के क़ाइम हैं इस लिये अम्र मशफ़ा हुआ औरशुब्हा से हद साक़ित होती है पसयहां भी हद साक़ित हुई और ज़ाहिर इबारत सेऐसा मफ़हूम होता है कि इस हुक्म में सब मुत्तफ़कि+ हों मगरऐसा नहीं है बल्कि दूसरे उलमा के अनुसार हद मारी जायेगी और इन के क़ौल पर वो हदीस दलालत करती है जो बुखारी में उमर से मरवी है।

(2)ग़लियान जोश आनायानीझाग वग़ैरह उठने लगें जो जोश पर दलालत करते हैं।

(3)आलू को बेहतरीन ان بخاری استوھذا اللضرورہ نظرؔ الی المعروف

(4)मुन्सिफ+ वो जो जल कर निस्फ+ रह जाये और मुसल्लिस वो जो दो हिस्सा जल करएक हिस्सा रह जाये।

(5)सकर नोअ+]+ुमर किताब उल अशरबा में मज़कूर है।

बऔर जिन से ख़मर व सकर पीने का इक़रर किया फिर रूजूअ किया तो इस को हद न मारी जायेगी यह सिराज वहाज में है। ज़िम्मी पर किसी शराब पीने में हद नहीं है और इमामुल मुस्लिमीन के पास अगर एक शख़्स लाया गया जिस ने शराब पी है और दो गवाहों ने इस पर इस अम्र की गवाही दी गई और इस ने कहा कि मैं ख़मर. वारी पर मजबूर किया गया था तो उज़र न मक़बूल हो कर इस पर हद क़ायम की जायेगी और इस में और जिस पर ज़िना की गवाही दी गई और इस ने यूं दावा किया कि मैंने निकाह कर लिया था इन दोनों में फ़र्क़ यहै इस वजह से कि जिस पर ज़िना की गवाही दी गई है वो इस सबब के पाये जाने से जो मौज्जिब हद है इन्कार करता है इस वास्ते कि यही फ़अल व मिल्ली बसबब निकाह के ज़िना होने से ख़ारिज होगा और जिस पर शराब ख़्वारी की गवाही दी गई है इस के इकराह के उज़र से सबब हद मुनअदिकम नहीं होता है यानी शराब का पीना दर हक़ीक़त मुनअदिम नहीं होता है हां यह एक उज़र है कि जिस से हद साक़ित हो सकती है बशर्तेकि साबित हो जाये लिहाज़ा बदूं इकराह पर गवाह क़ायम किये इस का उज़र मज़कूर साबित न होगा यह ज़हीरिया में है।

मिस्ल ज़िना के कोड़ों के इस के बदन पर मुतफ़र्रिक़ जगह मारे जायेंगे और चेहरा सर मिस्ल हद ज़िना के बचाया जायेगा और मशहूर रिवायत के मुवाफ़िक़ जिस को यह हद मारी जायेगी वो सिवाए सतर के नंगा कर दिया जायेगा और अगर ग़ुलाम होगा तो इस पर चालीस ही कोड़े हैं

(1)मुतरजम कहता है कि चाहे साहिबीन रह के अनुसारयह भी निषि (है लेकिन चूँकि इमाम अबू हनीफ़ा रह इस की हालत के क़ाइम हैं इस लिये कार्य मशफ़ा हुआ और शुब्हा से हद साक़ित होती है पसयहां भी हद साक़ित हुई और ज़ाहिर इबारत सेऐसा मफ़हूम होता है कि इस आदेश में सब मुत्तफ़कि+ हों मगरऐसा नहीं है बल्कि दूसरे उलमा के अनुसार हद मारी जायेगी और इन के कथन पर वो हदीस दलालत करती है जो बुखारी में उमर से मरवी है।

(2)ग़लियान जोश आनायानीझाग वग़ैरह उठने लगें जो जोश पर दलालत करते हैं।

(3)आलू को बेहतरीन ان بخاری استوھذا اللضرورہ نظرؔ الی المعروف

(4)मुन्सिफ+ वो जो जल कर निस्फ+ रह जाये और मुसल्लिस वो जो दो हिस्सा जल करएक हिस्सा रह जाये।

(5)सकर नोअ+]+ुमर किताब उल अशरबा में मज़कूर है।

बऔर जिन से ख़मर व सकर पीने का इक़रर किया फिर रूजूअ किया तो इस को हद न मारी जायेगी यह सिराज वहाज में है। ज़िम्मी पर किसी शराब पीने में हद नहीं है और इमामुल मुस्लिमीन के पास अगर एक व्यक्ति लाया गया जिस ने शराब पी है और दो गवाहों ने इस पर इस कार्य की गवाही दी गई और इस ने कहा कि मैं ख़मर वारी पर मजबूर किया गया था तो उज़र न मक़बूल हो कर इस पर हद क़ायम की जायेगी और इस में और जिस पर ज़िना की गवाही दी गई और इस ने यूं दावा किया कि मैंने निकाह कर लिया था इन दोनों में फ़र्क़ यहै इस कारण से कि जिस पर ज़िना की गवाही दी गई है वो इस कारण के पाये जाने से जो हद का कारण है इन्कार करता है इस लिए कि यही कार्य व मिल्ली कारण से निकाह के दुष्कर्म होने से रद्द होगा और जिस पर शराब पीने की गवाही दी गई है इस की घृणा की आपत्ति से दंड का कारण स्थापित नहीं होता है यानी शराब का पीना हक़ीक़त में नष्ट नहीं होता है हाँ यह एक विवशता है कि जिस से दंड रद्द हो सकता है बशर्ते कि सिद्ध हो जाये लिहाज़ा इस की घृणा पर गवाह

बाबः 6

हद उल क़ज़फ़ और तअज़ीर के बयान में

वाज़ह रहो कि शरअ में क़ज़फ़ करना ज़िना करना किसी (1) के ज़िम्मे लगाने को कहते हैं और अगर किसी मर्द ने दूसरे मर्द मोहसन या औरत मोहसना को सरीह ज़िना के साथ क़ज़फ़ किया यानी मसलन कहा कि तूने ज़िना किया या ऐ ज़ानी (1) पस इस मक़ज़ूफ़ ने नालिश करके मुतालबा किया तो क़ाज़िफ़ को हाकिम अस्सी (80) कोड़े मारेगा अगर आज़ाद हो और अगर ग़ुलाम होगा तो चालीस कोड़े मारेगा यह फ़तहुल क़दीर में है। सिवाए पोस्तीन व हशो के इस के कपडेक इस के बदन से न उतारे जायगे और कोड़े इस के बदन पर मुतफ़र्रिक़ जगहों पर मारे जायेगे जैसे ज़िना की हद में हैं यह शरह नक़ाया अबू मकारिम में हैं। क़ज़फ़ का सबूत क़ाज़िफ़ के ख़ुद

स्थापित किये इस की वर्णित विवशता सिद्ध न होगी यह ज़हीरिया में है।

अध्याय 6

हद उल क़ज़फ़ और तअज़ीर के बयान में

वाज़ह रहो कि शरअ में क़ज़फ़ करना ज़िना करना किसी (1) के ज़िम्मे लगाने को कहते हैं और अगर किसी मर्द ने दूसरे मर्द मोहसन या औरत मोहसना को सरीह ज़िना के साथ क़ज़फ़ किया यानी मसलन कहा कि तूने ज़िना किया या ऐ दुष्कर्मी (1) पस इस मक़ज़ूफ़ ने नालिश करके मुतालबा किया तो क़ाज़िफ़ को हाकिम अस्सी (80) कोड़े मारेगा अगर आज़ाद हो और अगर ग़ुलाम होगा तो चालीस कोड़े मारेगा यह फ़तहुल क़दीर में हैं। सिवाए पोस्तीन व हशो के इस के कपडेक इस के बदन से न उतारे जायगे और कोड़े इस के बदन पर

एक मर्तबा इक़रार करने से या दो मर्दों की गवाही से हो जाता है जैसे और सब हुक़ूक़ में हुक्म है यह इख़्तयार शरह मुख़्तार में है और मर्दों मके साथ औरतों के गवाह होने से नहीं साबित होता है और गवाही पर गवाही होने से नहीं साबित होता और अगर एक क़ाज़ी का ख़त बनाम दूसरे क़ाज़ी के दर मुक़दमा सबूत क़ज़फ़ हो तो दूसरे क़ाज़ी के अनुसार सबूत न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर इस ने क़ज़फ़ का इक़रार किया फिर रूजूअ कर लिया तो रूजूअ मक़बूल न होगा यह काफ़ी में है।

मोहसन होने की शराइत का बयान :

क़ाज़िफ़ पर हद क़ज़फ़ जब ही होती है कि मक़ज़ूफ़ मोहसन हो और मोहसन होन की पांच शर्तें हैं यानी आज़ाद, आक़िल, बालिग़ मुसलमान, अफ़ियत (इफ़्फ़त वाला, पाक दामन व पारसा) हो कि इस ने तमाम उम्र में किसी औरतसे ज़िना या वती बशुब्हा या बनिकाह फ़ासिद न की हो यह शरह तहावी में है और पस इस का अहसान हर वती हराम से जो ग़ैर मुल्क में वाक़े हो बातिल हो जायेगा ख़्वाह औरत सग़ीरा हो या कबीरा हो ख़्वाह ऐसी बान्दी हो जो इस्तहक़ाक़ में ले ली गई या किसी मर्द की तीन तलाक़ दी हुई मोअतदा हो या बाइना हो या किसी बान्दी से वती की फिर इस की खरीद का दावा किया

(1)वाज़ह हो कि क़ज़फ+ दर वाक़े बयान ज़िना ही है मगर चूंकि बाज़ी सूरतेंऐसी निकलती हैं कि बावजूद फ़ी नफ़्स अउल अम्र ज़िना होने के कहने वाले को हद क़ज़फ+ मारी जाती है जैसेएक मर्द ने देखा किएक मर्द औरएक अजनबी औरत फ़अल वती करते हैं तो इस का गवाही देना क़ज़फ+ होगा इस वास्ते कि इस की गवाही से ज़िना नहीं साबित होगा पस ज+रूर क़ज़फ+ हुआ लिहाज़ा मुतरजम ने लफ्ज+ तोहमत से गुरेज+ किसया फ़ाफ़हम।

(1)ह अम्र साबित नहीं है।

या इस से निकाह का दावा किया या अपने दूसरे के दरमियान मुशतरिका बान्दी से वती की या ऐसी औरत से वती की जो वती कराने पर मजबूर की गई या ऐसी औरत से वती करली जो शब ज़ुफ़ाफ़ में इस की बीवी की जगह (मज़ाक़ से) भेजी गई या इस ने अपने कुफ़र की हालत में या दारूल हरब में या हालत जुनून में वती की या अपनी ऐसी बान्दी से वती की जो हमैशा के

मुतफ़र्रिक़ जगहों पर मारे जायेगे जैसे ज़िना की हद में है यह शरह नक़ाया अबू मकारिम में है। क़ज़फ़ का सबूत क़ाज़िफ़ के ख़ुद एक मर्तबा स्वीकार करने से या दो मर्दों की गवाही से हो जाता है जैसे और सब हुक़ूक़ में आदेश है यह अधिकार शरह मुख़्तार में है और मर्दों मके साथ औरतों के गवाह होने से नहीं सिद्ध होता है और गवाही पर गवाही होने से नहीं सिद्ध होता और अगर एक क़ाज़ी का ख़त बनाम दूसरे क़ाज़ी के दर मुक़दमा सबूत क़ज़फ़ हो तो दूसरे क़ाज़ी के अनुसार सबूत न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर इस ने क़ज़फ़ का स्वीकार किया फिर रूजूअ कर लिया तो रूजूअ मक़बूल न होगा यह काफ़ी में है।

मोहसन होने की शराइत का बयान :

क़ाज़िफ़ पर हद क़ज़फ़ जब ही होती है कि मक़ज़ूफ़ मोहसन हो और मोहसन होन की पांच शर्तें हैं यानी आज़ाद, आक़िल, बालिग़ मुसलमान, अफ़ियत (इफ़्फ़त वाला, पाक दामन व पारसा) हो कि इस ने तमाम उम्र में किसी औरतसे ज़िना या वती बशुब्हा या बनिकाह फ़ासिद न की हो यह शरह तहावी में है और पस इस का अहसान हर वती निषिद्ध से जो ग़ैर मुल्क में स्थपित हो बातिल हो जायेगा चाहे औरत सग़ीरा हो या कबीरा हो चाहे ऐसी बान्दी हो जो इस्तहक़ाक़ में ले ली गई या किसी मर्द की तीन तलाक़ दी हुई मोअतदा हो या बाइना हो या किसी बान्दी से वती की फिर इस की खरीद का दावा किया

(1) वाज़ह हो कि क़ज़फ+ दर स्थपित बयान ज़िना ही है मगर चूंकि बाज़ी सूरतेंऐसी निकलती हैं कि बावजूद फ़ी नफ़्स अउल कार्य ज़िना होने के कहने वाले को हद क़ज़फ+ मारी जाती है जैसेएक मर्द ने देखा किएक मर्द औरएक अजनबी औरत फ़अल वती करते हैं तो इस का गवाही देना क़ज़फ+ होगा इस लि, कि इस की गवाही से ज़िना नहीं सि(होगा पस ज+रूर क़ज़फ+ हुआ लिहाज़ा मुतरजम ने लफ्ज+ तोहमत से गुरेज+ किसया फ़ाफ़हम।

(1)ह कार्य सि(नहीं है।

या इस से निकाह का दावा किया या अपने दूसरे के दरमियान मुशतरिका बान्दी से वती की या ऐसी औरत से वती की जो वती कराने पर मजबूर की गई या ऐसी औरत से वती करली जो शब ज़ुफ़ाफ़ में इस की बीवी की जगह (मज़ाक़ से) भेजी गई या इस ने अपने कुफ़र

वास्ते इस पर बसबब रज़ाअत के हराम हो गई यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है और यही सही है यह तबयुन में है।

अहसान के ज़ायल होने की सूरतें :

अगर ऐसी बान्दी खरीदी जिस से इस का बाप का वती कर चुका है या ख़ुद इस की मां से वती कर चुका है फिर इस से वती की फिर इस को किसी ने क़ज़फ़ किया तो बिल इजमाअ क़ाज़िफ़ पर हद न होगी और अगर ऐसी बान्दी खरीदी जिस की मां को या बेटी को शहवत से छुवा है या इस की मां या बेटी को फ़ुर्ज को बनज़र शहवत देखा है या इस के बाप या बेटे ने इस की फ़ुर्ज को शहवत से देखा है फिर इस से वती (खरीदी हुई से) करली तो इमाम अबू हनीफ़ा रह० से फ़रमाया कि इस का अहसान ज़ायल न होगा और इस के क़ाज़िफ़ को हद मारी जायेगी और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि इस का अहसान और इस के क़ाज़िफ़ को हद न मारी जायेगी और इसी तरह अगर ऐसी सिफ़त की औरत से निकाह करके इस से वती की तो इस में भी ऐसा ही इख़्तलाफ़ है यह ज़हीरिया में है। अगर ऐसे मर्द को क़ज़फ़ किया जिस ने अपनी मां से वती की दर हाल यह कि इस की मां मज़ूिया है या निकाह की हुई है या बान्दी बतौर फ़ासिद के खरीदी हुई है या इस की बीवी है जिस से हालत हैज़ में वती की या इस से जिहार किया था या फ़र्ज़ रोज़े से थी हालांकि यह इस के रोज़ेदार होने को जानता था या बान्दी हालत किताबत में थी तो इस के क़ाज़िफ़ को हद क़ज़फ़ की सज़ा दी जायेगी यह फ़तहुल क़दीर में है और मुन्तक़ी में लिखा है कि चार बीवियों का निकाह मौजूद हैं फिर पांचवीं से निकाह करके इस से भी वती करली तो इस के क़ाज़िफ़ को हद क़ज़फ़ न मारी जायेगी और अगर मुसलमान ने अपनी मुरतिदह बान्दी से वती कीतो इस का अहसाने ज़ायल न होगा और इस के क़ाज़िफ़ को हद मारी जायेगी और नीज़ मुन्तक़ी में लिखा है कि अगर अपनी ऐसी बान्दी से वती की जो अपने किसी शौहर की इद्दत में है तो मेरे अनुसार इस का अहसान ज़ायल न होगा और मैं इस के क़ाज़िफ़ को हद मारूंगा यह मुहीत में है और अगर की हालत में या दारूल हरब में या हालत जुनून में वती की या अपनी ऐसी बान्दी से वती की जो हमैशा के लिए इस पर बसबब रज़ाअत के निषिद्ध हो गई यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है और यही सही है यह तबयुन में है।

अहसान के ज़ायल होने की सूरतें :

अगर ऐसी बान्दी खरीदी जिस से इस का बाप का वती कर चुका है या ख़ुद इस की मां से वती कर चुका है फिर इस से वती की फिर इस को किसी ने क़ज़फ़ किया तो बिल इजमाअ क़ाज़िफ़ पर हद न होगी और अगर ऐसी बान्दी खरीदी जिस की मां को या बेटी को शहवत से छुवा है या इस की मां या बेटी को फ़ुर्ज को बनज़र शहवत देखा है या इस के बाप या बेटे ने इस की फ़ुर्ज को शहवत से देखा है फिर इस से वती (खरीदी हुई से) करली तो इमाम अबू हनीफ़ा रह० से फ़रमाया कि इस का अहसान ज़ायल न होगा और इस के क़ाज़िफ़ को हद मारी जायेगी और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि इस का अहसान और इस के क़ाज़िफ़ को हद न मारी जायेगी और इसी तरह अगर ऐसी सिफ़त की औरत से निकाह करके इस से वती की तो इस में भी ऐसा ही मतभेद है यह ज़हीरिया में है। अगर ऐसे मर्द को क़ज़फ़ किया जिस ने अपनी मां से वती की दर हाल यह कि इस की मां मज़ूिया है या निकाह की हुई है या बान्दी बतौर फ़ासिद के खरीदी हुई है या इस की बीवी है जिस से हालत हैज़ में वती की या इस से जिहार किया था या फ़र्ज़ रोज़े से थी हालांकि यह इस के रोज़ेदार होने को जानता था या बान्दी हालत किताबत में थी तो इस के क़ाज़िफ़ को हद क़ज़फ़ की सज़ा दी जायेगी यह फ़तहुल क़दीर में है और मुन्तक़ी में लिखा है कि चार बीवियों का निकाह मौजूद हैं फिर पांचवीं से निकाह करके इस से भी वती करली तो इस के क़ाज़िफ़ को हद क़ज़फ़ न मारी जायेगी और अगर मुसलमान ने अपनी मुरतिदह बान्दी से वती कीतो इस का अहसाने ज़ायल न होगा और इस के क़ाज़िफ़ को हद मारी जायेगी और नीज़ मुन्तक़ी में लिखा है कि अगर अपनी ऐसी बान्दी से वती की जो अपने किसी शौहर की इद्दत में है तो मेरे अनुसार इस का

आज़ादा बीवी पर एक बान्दी से निकाह किया या दो बहनों से एक अक़्द में निकाह किया या एक औरत और इस औरत की फूफ़ी से एक अक़्द में निकाह किया तो ऐसे उक़ूदे फ़ासिदा से जो वती वाक़े हो वो अहसान को ज़ायल कर देती है और इसी तरह हअगर एक औरत से निकाह करके इस से वती करली फिर मालूम हुआ कि यह औरत इस पर बसबब मसाहरत के हराम थी तो भी यही हुक्म है यह इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० का क़ौल है। यह मबसूत में लिखा है।

एक शख़्स ने अपने पिसर की बान्दी से वती की कि जिस से वो हामिला हो गइ या न हुई तो इस का अहसान साक़ित न होगा चुनांचे इस के क़ाज़िफ़ को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि हर वती करने वाला जिस के ज़िम्मे से हद दूर की जाती है और इस पर महर क़रार दिया जाता है और बच्चे का नसब इस से साबित किया ाता है तो ऐसे वती करने वाले का अहसान साक़ित नहीं होता है चुनांचे मैं इस के क़ाज़िफ़ को हद मारूंगा यह ज़हीरिया में है। अगर किसी औरत से बग़ैर गवाहों के निकाह कर लिया या ऐसी औरत से निकाह कियसा कि जिस को जानता है कि इस का शौहर मौजूद है या यह किसी दूसरे की इद्दत में है या किसी अपने ज़ी रहम महरम से जान बूझ कर निकाह किया फिर इस से वती की तो ऐसे शख़्स के क़ाज़िफ़ पर कुछ हद वाजिब न होगी और अगर इन दोनों में से कोई सूरत बग़ैर इल्म के की तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने

(1)मौला ने अपने बान्दी को इजाज़त नहीं दी थी।

फ़रमाया कि इस के क़ाज़िफ़ को हद मारी जायेगी यह जोहरा नेहरा में है और ज़िम्मी ने अगर ऐसी औरत से निकाह किया जिस से इस के दीन में निकाह करना हलाल था जैसे अपनी ज़ी (1) रहम महरम से निकाह किया फिर मुसलमान हो गया फिर इस को किसी ने क़ज़फ़ किया पस अगर इस ने बाद मुसलमान होने के इस औरत से वती की है तो क़ाज़िफ़ पर हद न होगी और अगरहालत कुफ़र में दुख़ूल कर चुका है तो भी साहिबीन रह० के क़ौल पर यही हुक्म है और इमाम

अहसान ज़ायल न होगा और मैं इस के क़ाज़िफ़ को हद मारूंगा यह मुहीत में है और अगर आज़ादा बीवी पर एक बान्दी से निकाह किया या दो बहनों से एक अक़्द में निकाह किया या एक औरत और इस औरत की फूफ़ी से एक अक़्द में निकाह किया तो ऐसे उक़ूदे फ़ासिदा से जो वती स्थपित हो वो अहसान को ज़ायल कर देती है और इसी तरह हअगर एक औरत से निकाह करके इस से वती करली फिर मालूम हुआ कि यह औरत इस पर बसबब मसाहरत के निषिद्ध थी तो भी यही आदेश है यह इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० का कथन है। यह मबसूत में लिखा है।

एक व्यक्ति ने अपने पिसर की बान्दी से वती की कि जिस से वो हामिला हो गइ या न हुई तो इस का अहसान साक़ित न होगा चुनांचे इस के क़ाज़िफ़ को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि हर वती करने वाला जिस के ज़िम्मे से हद दूर की जाती है और इस पर महर क़रार दिया जाता है और बच्चे का वंश इस से सिद्ध किया ाता है तो ऐसे वती करने वाले का अहसान साक़ित नहीं होता है चुनांचे मैं इस के क़ाज़िफ़ को हद मारूंगा यह ज़हीरिया में है। अगर किसी औरत से बग़ैर गवाहों के निकाह कर लिया या ऐसी औरत से निकाह कियसा कि जिस को जानता है कि इस का शौहर मौजूद है या यह किसी दूसरे की इद्दत में है या किसी अपने ज़ी रहम महरम से जान बूझ कर निकाह किया फिर इस से वती की तो ऐसे व्यक्ति के क़ाज़िफ़ पर कुछ हद अनिवार्य न होगी और अगर इन दोनों में से कोई स्थिति बग़ैर इल्म के की तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने

(1)मौला ने अपने बान्दी को इजाज़त नहीं दी थी।

फ़रमाया कि इस के क़ाज़िफ़ को हद मारी जायेगी यह जोहरा नेहरा में है और ज़िम्मी ने अगर ऐसी औरत से निकाह किया जिस से इस के दीन में निकाह करना हलाल था जैसे अपनी ज़ी (1) रहम महरम से निकाह किया फिर मुसलमान हो गया फिर इस को किसी ने क़ज़फ़ किया पस अगर इस ने बाद मुसलमान होने के इस औरत से वती की है तो क़ाज़िफ़ पर हद न होगी

आज़म रह० के नज़दीक इस के क़ाज़िफ़ पर हद वाजिब होगी यह शरह तहावी में है। अगर काई शख़्स ऐसी दो बान्दियों का मालिक हुआ जो आपस में सगी बहनें हैं पस इन दोनों से वती कर ली ता इस के क़ाज़िफ़ को हद क़ज़फ़ की सज़ा दी जायेगी यह मबसूत में है।

अगर अपनी बीवी से कहा कि ऐ ज़ानिया पस औरत ने कहा कि नहीं बल्कि तू है तो औरत को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी और दोनों में लिआन न कराया जायेगा :

अगर ऐसी औरत को क़ज़फ़ किया जिस को ज़िना की वजह से पहले हद मारी गई है तो इस के क़ाज़िफ़ पर हद न होगी आर अगर ऐसी औरत हो कि इस के साथ अलामत ज़िना की हो और वो यह है कि क़ाज़ी इस के और इस के शौहर के दरमियान लिआन कराके इस क बच्चे का नसब इस के शौहर से क़तअ करके इस के साथ लाहक़ किया हो या ऐसी औरत हो कि इस के साथ एक बच्चा है कि इस का पदर मालूम नहीं होता है तो ऐसी औरत के क़ाज़िफ़ पर हद नहीं है और अगर इस के बच्चे को क़ज़फ़ किया तो इस के क़ाज़िफ़ पर हद वाजिब होगी और अगर बीवी व मर्द के दरमियान बग़ैर वल्द के लिआन हुआ हो या लिआन बवल्द का नसब इस के शौहर से क़तअ नहीं किया गया या क़तअ भी कियागया मगर शौहर ने फिर अपनी तकज़ीब की और बच्चे का नसब इस के साथ लाहक़ किया गया फिर किसी मर्द (क़ैद मर्द इत्तफ़ाक़ी है मर्द हो ख़्वाह औरत हो) ने ऐसी औरत को क़ज़फ़ किया तो इस के क़ाज़िफ़ पर हद वाजिब होगी यह शरह तहावा में है। अगर अपनी बीवी से कहा कि ऐ ज़ानिया पस औरत ने कहा कि नहीं बल्कि तू ही तो औरत को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी और दोनों में लिआन न कराया जायेगा और अगर अजनबिया से कहा कि ऐ ज़ानिया पस इस ने कहा कि मैं ने तुझ से ज़िना किया तो मर्द पर हद नहीं है और न लिआन और नीज़ औरत पर भी हद नहीं है और इसी तरह अगर औरत ने इब्तदाअन कहा कि मैंने तुझ सें ज़िना किया पस मर्द ने इस को क़ज़फ़ किया तो भी इन दोनों में से

और अगरहालत कुफ़्र में दुख़ूल कर चुका है तो भी साहिबीन रह० के कथन पर यही आदेश है और इमाम आज़म रह० के निकट इस के क़ाज़िफ़ पर हद अनिवार्य होगी यह शरह तहावी में है। अगर काई व्यक्ति ऐसी दो बान्दियों का मालिक हुआ जो आपस में सगी बहनें हैं पस इन दोनों से वती कर ली ता इस के क़ाज़िफ़ को हद क़ज़फ़ की सज़ा दी जायेगी यह मबसूत में है।

अगर अपनी बीवी से कहा कि ऐ ज़ानिया पस औरत ने कहा कि नहीं बल्कि तू है तो औरत को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी और दोनों में लिआन न कराया जायेगा :

अगर ऐसी औरत को क़ज़फ़ किया जिस को ज़िना की कारण से पहले हद मारी गई है तो इस के क़ाज़िफ़ पर हद न होगी आर अगर ऐसी औरत हो कि इस के साथ अलामत ज़िना की हो और वो यह है कि क़ाज़ी इस के और इस के शौहर के दरमियान लिआन कराके इस क बच्चे का वंश इस के शौहर से क़तअ करके इस के साथ लाहक़ किया हो या ऐसी औरत हो कि इस के साथ एक बच्चा है कि इस का पदर मालूम नहीं होता है तो ऐसी औरत के क़ाज़िफ़ पर हद नहीं है और अगर इस के बच्चे को क़ज़फ़ किया तो इस के क़ाज़िफ़ पर हद अनिवार्य होगी और अगर बीवी व मर्द के दरमियान बग़ैर वल्द के लिआन हुआ हो या लिआन बवल्द का वंश इस के शौहर से क़तअ नहीं किया गया या क़तअ भी कियागया मगर शौहर ने फिर अपनी झुठलाना की और बच्चे का वंश इस के साथ लाहक़ किया गया फिर किसी मर्द (क़ैद मर्द इत्तफ़ाक़ी है मर्द हो चाहे औरत हो) ने ऐसी औरत को क़ज़फ़ किया तो इस के क़ाज़िफ़ पर हद अनिवार्य होगी यह शरह तहावा में है। अगर अपनी बीवी से कहा कि ऐ ज़ानिया पस औरत ने कहा कि नहीं बल्कि तू ही तो औरत को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी और दोनों में लिआन न कराया जायेगा और अगर अजनबिया से कहा कि ऐ ज़ानिया पस इस ने कहा कि मैं ने तुझ से ज़िना किया तो मर्द पर हद नहीं है और न लिआन और नीज़ औरत पर भी हद नहीं है और इसी तरह अगर

किसी पर हद न होगी यह मुहीत में है। अगर अजनबिया औरत से कहा कि तेरे साथ तेरे शौहर ने तुझ से निकाह करने से पहले ज़िना किया तो वो क़ाज़िफ़ होगा और अगर कहा कि तुझ से अपनी उंगली से ज़िना किया तो इस पर हद क़ज़्फ़ न होगी यह तातारखानिया में है और अगर ज़ैद ने उमर से कहा कि मैं गवाही देता हूं कि तू ज़ानी है और खालिद ने कहा कि मैं भी गवाह हूं तो खालिद पर हद न होगी इल्ला आंकि यूं कहे कि मै भी गवाही देता हूं जिस की तूने गवाही दी यह इताबिया में है।

ज़ैद ने उमर व खालिद से कहा कि तुम में से एक ज़ानी है पस ज़ैद से कहा गया कि यह यानी उमर या खालिद किसी खास को दरयाफ़्त किया गया कि यह है तो ज़ैद ने कहा कि नहीं तो ज़ैद पर हद न हो गया और अगर ज़ैद ने उमर से कहा कि ओ ज़ानी पस खालिद ने कहा कि तूने सच कहा तो ज़ैद पर हद होगी जिस ने पहले कहा है और खालिद जिस ने तसदीक़ की है कि इस पर न होगी और अगर खालिद ने यूं कहा कि तूने सच कहा है ऐसा ही है जैसा तूने कहा तो खालिद भी क़ाज़िफ़ हागा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और इसी तरह अगर खालिद ने फ़क़त यूं कहा कि वो ऐसा ही है जैसा तूने कहा तो खालिद को भी हद क़ज़्फ़ मारी जायेगी। यह मुहीत सुरखी में है और अगर किसी मर्द से कहा ऐ क़ोहबा (ज़ने फ़ाहिशा) के बच्चे या औरत से कहा कि ऐ फ़लां की आशना या कहा कि ऐ दई या ऐ वईद के बच्चे तो हद (क़ज़्फ़) वाजिब न होगी और इसी तरह अगर कहा कि बतौर हराम तेरे साथ फ़लां

(1)ऐसी औरत से जिस से इस्लाम में हमैशा के लिए निकाह हराम है जैसे बहन, भतीजी, भांजी वग़ैरह।

ने मुजामअत की या तुझ से फ़लां ने फ़ज़ोरी किया या कहा कि फ़लां कहता है कि तू ज़ानी है या तू ज़िना करती है या कहा कि मैंने तुझ से अच्छा ज़िना करने वाला नहीं देखा या लोगों से बढ़ कर ज़िना करने वाला है या तू मुझ से बढ़ कर ज़ानी है यास तू ज़ानियों से बढ़ कर ज़ानी है या तूने मासिवाऐ फ़ुर्ज के ज़िना किया या तेरी रान या पांव ने ज़िना किया या कहा कि ऐ वती

औरत ने इब्तदाअन कहा कि मैंने तुझ सें ज़िना किया पस मर्द ने इस को क़ज़्फ़ किया तो भी इन दोनों में से किसी पर हद न होगी यह मुहीत में है। अगर अजनबिया औरत से कहा कि तेरे साथ तेरे शौहर ने तुझ से निकाह करने से पहले ज़िना किया तो वो क़ाज़िफ़ होगा और अगर कहा कि तुझ से अपनी उंगली से ज़िना किया तो इस पर हद क़ज़्फ़ न होगी यह तातारखानिया में है और अगर ज़ैद ने उमर से कहा कि मैं गवाही देता हूं कि तू दुष्कर्मी है और खालिद ने कहा कि मैं भी गवाह हूं तो खालिद पर हद न होगी सिवा आंकि यूं कहे कि मै भी गवाही देता हूं जिस की तूने गवाही दी यह इताबिया में है।

ज़ैद ने उमर व खालिद से कहा कि तुम में से एक दुष्कर्मी है पस ज़ैद से कहा गया कि यह यानी उमर या खालिद किसी खास को दरयाफ़्त किया गया कि यह है तो ज़ैद ने कहा कि नहीं तो ज़ैद पर हद न हो गया और अगर ज़ैद ने उमर से कहा कि ओ दुष्कर्मी पस खालिद ने कहा कि तूने सच कहा तो ज़ैद पर हद होगी जिस ने पहले कहा है और खालिद जिस ने पुष्टि की है कि इस पर न होगी और अगर खालिद ने यूं कहा कि तूने सच कहा है ऐसा ही है जैसा तूने कहा तो खालिद भी क़ाज़िफ़ हागा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और इसी तरह अगर खालिद ने फ़क़त यूं कहा कि वो ऐसा ही है जैसा तूने कहा तो खालिद को भी हद क़ज़्फ़ मारी जायेगी। यह मुहीत सुरखी में है और अगर किसी मर्द से कहा ऐ क़ोहबा (ज़ने फ़ाहिशा) के बच्चे या औरत से कहा कि ऐ फ़लां की आशना या कहा कि ऐ दई या ऐ वईद के बच्चे तो हद (क़ज़्फ़) अनिवार्य न होगी और इसी तरह अगर कहा कि बतौर निषिद्ध तेरे साथ फ़लां

(1)ऐसी औरत से जिस से इस्लाम में हमैशा के लिए निकाह निषिद्ध है जैसे बहन, भतीजी, भांजी वग़ैरह।

ने मुजामअत की या तुझ से फ़लां ने फ़ज़ोरी किया या कहा कि फ़लां कहता है कि तू दुष्कर्मी है या तू ज़िना करती है या कहा कि मैंने तुझ से अच्छा ज़िना करने वाला नहीं देखा या लोगों से बढ़ कर ज़िना करने वाला है या तू मुझ से बढ़ कर दुष्कर्मी है यास तू ज़ानियों से

या तूने कार क़ौमे लूत किया या फ़लाना तुझ से ज़बरदस्ती या सोने में या जुनून की हालत में ज़िना किया गया तो हद क़ज़फ़ वाजिब न होगी और इसी तरह तअरीज़ करने से भी हद क़ज़फ़ वाजिब न होगी और इसी तरह क़ज़फ़ अखरस (गूंगा) और रतक़ा औरतों के क़ज़फ़ से और दारूल हरब में ज़िना करने के साथ बाग़ियों के लश्कर में ज़िना करने के साथ क़ज़फ़ करने से भी हद क़ज़फ़ वाजिब नहीं होती है और तफ़्ल को या ऐसे मजनून को जिस का जुनून मतबक़ ही क़ज़फ़ करने से हद क़ज़फ़ वाजिब नहीं होती है और अगर मजनून कभी हालत जुनून में होता हो और कभी इफ़ाक़ा में तो हद क़ज़फ़ वाजिब होगी और इसी तरह महबूब की क़ज़फ़ से भी हद नहीं वाजिब होती और खस्सी व अनीन की क़ज़फ़ से हद नहीं वाजिब होती है यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है।

अगर कहा कि ऐ वल्द उल ज़िना इब्ने उल ज़िना हालांकि इस की मां मोहसना है तो कहने वाले को हद मारी जायेगी इस वास्ते कि इस की मां को क़ज़फ़ बज़िना किया है यह तमरताशी में है। अगर तफ़्ल मराहिक़ यानी क़रीब बा बलूग़ को क़ज़फ़ किया पस तफ़्ल मज़कूर ने बलूग़ बसिन का या बअहतलाम का दावा किया तो इस का क़ौल से क़ाज़िफ़ को हद क़ज़फ़ न मारी जायेगी यह मुहीत में है। अगर किसी मर्द को कहा कि ऐ ज़ानिया (ऐ ज़िना करने वाली बसीग़ा मौन्निस) तो इस पर हद वाजिब न होगी और यह इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० का क़ौल है कज़ा फ़ी शरह उल तहावी और इस्तहसान है यह मुहीत में है। अगर किसी औरत से कहा कि ऐ ज़ानी (ज़िना करने वाला) बदून तानीस के तो बिल इजमाअ क़ाज़िफ़ पर हद वाजिब होगी। अगर किसी मर्द से कहा कि ज़नाइयत तो क़ाज़िफ़ पर हद वाजिब होगी यह शरह तहावी में है और अगर किसी ने दूसरे मर्द से कहा कि ज़िनात फ़िल जबल और कहा कि मेरी मुराद सऊद जबल थी और जिस हालत में कहा है वो हालत ग़ज़ब थी तो इस की तसदीक़ न की जायेगी और इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार क़ाज़िफ़ को हद मारी जायेगी और यह फ़तहुल

बढ़ कर दुष्कर्मी है या तूने मासिवाऐ फ़ुर्ज के ज़िना किया या तेरी रान या पांव ने ज़िना किया या कहा कि ऐ वती या तूने कार क़ौमे लूत किया या फ़लाना तुझ से ज़बरदस्ती या सोने में या जुनून की हालत में ज़िना किया गया तो हद क़ज़फ़ अनिवार्य न होगी और इसी तरह तअरीज़ करने से भी हद क़ज़फ़ अनिवार्य न होगी और इसी तरह क़ज़फ़ अखरस (गूंगा) और रतक़ा औरतों के क़ज़फ़ से और दारूल हरब में ज़िना करने के साथ बाग़ियों के लश्कर में ज़िना करने के साथ क़ज़फ़ करने से भी हद क़ज़फ़ अनिवार्य नहीं होती है और तफ़्ल को या ऐसे मजनून को जिस का जुनून मतबक़ ही क़ज़फ़ करने से हद क़ज़फ़ अनिवार्य नहीं होती है और अगर मजनून कभी हालत जुनून में होता हो और कभी इफ़ाक़ा में तो हद क़ज़फ़ अनिवार्य होगी और इसी तरह महबूब की क़ज़फ़ से भी हद नहीं अनिवार्य होती और खस्सी व अनीन की क़ज़फ़ से हद नहीं अनिवार्य होती है यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है।

अगर कहा कि ऐ वल्द उल ज़िना इब्ने उल ज़िना हालांकि इस की मां मोहसना है तो कहने वाले को हद मारी जायेगी इस लिए कि इस की मां को क़ज़फ़ बज़िना किया है यह तमरताशी में है। अगर तफ़्ल मराहिक़ यानी क़रीब बा बलूग़ को क़ज़फ़ किया पस तफ़्ल मज़कूर ने बलूग़ बसिन का या बअहतलाम का दावा किया तो इस का कथन से क़ाज़िफ़ को हद क़ज़फ़ न मारी जायेगी यह मुहीत में है। अगर किसी मर्द को कहा कि ऐ ज़ानिया (ऐ ज़िना करने वाली बसीग़ा मौन्निस) तो इस पर हद अनिवार्य न होगी और यह इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० का कथन है कज़ा फ़ी शरह उल तहावी और इस्तहसान है यह मुहीत में है। अगर किसी औरत से कहा कि ऐ दुष्कर्मी (ज़िना करने वाला) बदून तानीस के तो बिल इजमाअ क़ाज़िफ़ पर हद अनिवार्य होगी। अगर किसी मर्द से कहा कि ज़नाइयत तो क़ाज़िफ़ पर हद अनिवार्य होगी यह शरह तहावी में है और अगर किसी ने दूसरे मर्द से कहा कि ज़िनात फ़िल जबल और कहा कि मेरी तात्पर्य सऊद जबल थी और जिस हालत में कहा है वो हालत ग़ज़ब थी तो इस की पुष्टि न की जायेगी और

क़दीर में है और अगर इस ने लफ़्ज़ ज़िनात फ़िल जबल से पहाड पर चढ़ना मुराद न लिया हो तो बिल इजमाअ हद वाजिब होगी यह तबयुन में है। अगर कहा कि ज़िनात अलल जबल तो बिल इजमाअ हद वाजिब न होगी। यह मज़मरात में है। अगर ज़िनात अलल जबल हालत ग़ज़ब में कहा हो तो बाज़ ने कहा कि हद वाजिब न होगी और बाज़ ने कहा कि वाजिब होगी और यही वजह है यह फ़तहुल क़दीर में है। अगर कहा कि 'ज़ीनत फ़िल जबल' (तूने पहाड़ में ज़िना किया) तो बिल इत्तफ़ाक़ इस को हद मारी जायेगी यह शरह तहावी में है।

ऐसे अल्फ़ाज़ का बयान जो 'अरबी' में अदा किये जाऐं तो क़ज़फ़ लागू होता है लेकिन 'हमारी ज़बान' में इस्तसना है :

अगर कहा कि या ज़ानी उल हुमज़ा तो असल में मज़कूर है कि अगर इस ने दावा किया कि मैंने किसी (इस ने कोई चीज़ बयान की कि इस पर चढ़ जाना मुराद लिया था) पर चढ़ जाने वाला मुराद लिया है तो इस की तसदीक़ न होगी और इस को हद मारी जायेगी और इस में कोई इख़्तलाफ़ ज़िक्र नहीं किया है और यह मुहीत में है। इब्राहीम ने इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत की है कि एक मर्द ने अपनी बान्दी को पुकारा पस इस को एक आज़ादा औरत ने जवाब दिया पस मर्द मज़कूर ने कहा कि ओ छिनाल हालांकि इस को देखता नहीं है फिर उजर किया कि मैंने अपनी बान्दी गुमान किया था तो फ़रमाया कि मैं इस के क़ौल की तसदीक़ न करूंगा और इस को हद क़ज़फ़ मारूंगा यह मुहीत सुरखी में है। और अगर कहा कि ज़ीनत व फ़लां मअक यानी तूने ज़िना किया और फ़लां तेरे साथ तो दोनों का क़ज़फ़ करने वाला हो जायेगा और अगर कहा कि ओ मेरी मुराद यह थी कि और फ़लां तेरे साथ शायद था तो इस के क़ौल की तसदीक़ न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर कहा कि पिसर ज़ानिया और यह मर्द साथ इस औरत के था तो वो दूसरी का क़ज़फ़ करने वाला होगा और इसी तरह अगर दूसरे से कहा कि और तू साथ इस

इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार क़ाज़िफ़ को हद मारी जायेगी और यह फ़तहुल क़दीर में है और अगर इस ने लफ़्ज़ ज़िनात फ़िल जबल से पहाड पर चढ़ना तात्पर्य न लिया हो तो बिल इजमाअ हद अनिवार्य होगी यह तबयुन में है। अगर कहा कि ज़िनात अलल जबल तो बिल इजमाअ हद अनिवार्य न होगी। यह मज़मरात में है। अगर ज़िनात अलल जबल हालत ग़ज़ब में कहा हो तो कुछ ने कहा कि हद अनिवार्य न होगी और कुछ ने कहा कि अनिवार्य होगी और यही कारण है यह फ़तहुल क़दीर में है। अगर कहा कि 'ज़ीनत फ़िल जबल' (तूने पहाड़ में ज़िना किया) तो बिल इत्तफ़ाक़ इस को हद मारी जायेगी यह शरह तहावी में है।

ऐसे अल्फ़ाज़ का बयान जो 'अरबी' में अदा किये जाऐं तो क़ज़फ़ लागू होता है लेकिन 'हमारी ज़बान' में इस्तसना है :

अगर कहा कि या दुष्कर्मी उल हुमज़ा तो असल में मज़कूर है कि अगर इस ने दावा किया कि मैंने किसी (इस ने कोई चीज़ बयान की कि इस पर चढ़ जाना तात्पर्य लिया था) पर चढ़ जाने वाला तात्पर्य लिया है तो इस की पुष्टि न होगी और इस को हद मारी जायेगी और इस में कोई मतभेद वर्णन नहीं किया है और यह मुहीत में है। इब्राहीम ने इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत की है कि एक मर्द ने अपनी बान्दी को पुकारा पस इस को एक आज़ादा औरत ने जवाब दिया पस मर्द मज़कूर ने कहा कि ओ छिनाल हालांकि इस को देखता नहीं है फिर उजर किया कि मैंने अपनी बान्दी गुमान किया था तो फ़रमाया कि मैं इस के कथन की पुष्टि न करूंगा और इस को हद क़ज़फ़ मारूंगा यह मुहीत सुरखी में है। और अगर कहा कि ज़ीनत व फ़लां मअक यानी तूने ज़िना किया और फ़लां तेरे साथ तो दोनों का क़ज़फ़ करने वाला हो जायेगा और अगर कहा कि ओ मेरी तात्पर्य यह थी कि और फ़लां तेरे साथ शायद था तो इस के कथन की पुष्टि न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर कहा कि पिसर ज़ानिया और यह मर्द साथ इस औरत के था तो वो दूसरी का क़ज़फ़ करने वाला होगा और इसी

औरत के था तो भी यही हुक्म है और यह मुहीत में है। अगर कहा कि ओ पिसर ज़ानिया व फ़लां साथ इस औरत के था तो इस की मां व फ़लां मर्द दोनों का क़ज़फ़ है और अगर कहा कि फ़लां तेरे साथ था तो यह क़ज़फ़ न होगा और अगर कहा कि ज़ीनत व हाज़ा मअक यानी तूने ज़िना किया और यह तेरे सेाथ था या तेरे साथ का लफ़्ज़ न कहा तो यह दोनों का क़ज़फ़ है क़ालल मुतरजम यह अरबी ज़बान में है हमारी ज़बान में उम्मीद है कि दूसरे का क़ज़फ़ न हो वल्लाहु आलम यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है।

इब्ने समाआ ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की है कि अगर किसी ने दूसरे से कहा कि 'या इब्नुज़्ज़ानिया व हाज़ा मअक इब्ने ज़ानिया' और यह तेरे साथ और यह कलाम एक ही दफ़ा लगातार कहा तो वो दूसरे का क़ज़फ़ करने वाला न होगा और अगर किसी मर्द ने कहा कि 'या ज़ानी व हाज़ा मअक' यानी ऐ ज़ानी व यह तेरे साथ तो दूसरे का क़ज़फ़ करने वाला भी होगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि अगर दूसरे से कहा कि 'या इब्नुल ज़ानिया व हाज़ा' और लफ़्ज़ मअक न कहा तो वो दूसरे का क़ज़फ़ करने वाला भी होगा ही मुहीत में है। अगर किसी ने ज़ानी को ज़िना के साथ क़ज़फ़ किया तो इस पर हद नहीं है ख़्वाह बअयुना उसी ज़िना (जिस से वो ज़ानी मालूम हुआ है) के साथ क़ज़फ़ करे या दूसरे ज़िना से यह मबसूत में है अगर कहा कि तूने एक के साथ इन दोनों औरतों या इन दोनों औरतों से ज़िना किया तो क़ाज़िफ़ को हद मारी जायेगी और यह इताबिया में है। एक मर्द ने दूसरे से कहा कि तू फ़लां से कह कि ऐ ज़ानी पस अगर ऐलची ने इस शख़्स को जिस के पास भेजा गया है यह कहा कि फ़लां तुझ को कहता है कि ऐ ज़ानी तू किसी पर हद न होगी न ऐलची पर और न भेजने वाले पर और अगर ऐलची ने यूं न कहा बल्कि जिस के पास भेजा गया था इस से जाकर कहा कि ऐ ज़ानी तो ऐलची को हद मारी जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर दूसरे से कहा कि या इब्नुल समा ऐ बरसाती पानी के बच्चे तो इस को हद न मारी जायेगी और अगर अरबी आदमी से कहा कि ओ

तरह अगर दूसरे से कहा कि और तू साथ इस औरत के था तो भी यही आदेश है और यह मुहीत में है। अगर कहा कि ओ पिसर ज़ानिया व फ़लां साथ इस औरत के था तो इस की मां व फ़लां मर्द दोनों का क़ज़फ़ है और अगर कहा कि फ़लां तेरे साथ था तो यह क़ज़फ़ न होगा और अगर कहा कि ज़ीनत व हाज़ा मअक यानी तूने ज़िना किया और यह तेरे सेाथ था या तेरे साथ का लफ़्ज़ न कहा तो यह दोनों का क़ज़फ़ है अनुवादक के कथनानुसार यह अरबी ज़बान में है हमारी ज़बान में उम्मीद है कि दूसरे का क़ज़फ़ न हो वल्लाहु आलम यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है।

इब्ने समाआ ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की है कि अगर किसी ने दूसरे से कहा कि 'या इब्नुज़्ज़ानिया व हाज़ा मअक इब्ने ज़ानिया' और यह तेरे साथ और यह बात एक ही दफ़ा लगातार कहा तो वो दूसरे का क़ज़फ़ करने वाला न होगा और अगर किसी मर्द ने कहा कि 'या दुष्कर्मी व हाज़ा मअक' यानी ऐ दुष्कर्मी व यह तेरे साथ तो दूसरे का क़ज़फ़ करने वाला भी होगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि अगर दूसरे से कहा कि 'या इब्नुल ज़ानिया व हाज़ा' और लफ़्ज़ मअक न कहा तो वो दूसरे का क़ज़फ़ करने वाला भी होगा ही मुहीत में है। अगर किसी ने दुष्कर्मी को ज़िना के साथ क़ज़फ़ किया तो इस पर हद नहीं है चाहे बअयुना उसी ज़िना (जिस से वो दुष्कर्मी मालूम हुआ है) के साथ क़ज़फ़ करे या दूसरे ज़िना से यह मबसूत में है अगर कहा कि तूने एक के साथ इन दोनों औरतों या इन दोनों औरतों से ज़िना किया तो क़ाज़िफ़ को हद मारी जायेगी और यह इताबिया में है। एक मर्द ने दूसरे से कहा कि तू फ़लां से कह कि ऐ दुष्कर्मी पस अगर ऐलची ने इस व्यक्ति को जिस के पास भेजा गया है यह कहा कि फ़लां तुझ को कहता है कि ऐ दुष्कर्मी तू किसी पर हद न होगी न ऐलची पर और न भेजने वाले पर और अगर ऐलची ने यूं न कहा बल्कि जिस के पास भेजा गया था इस से जाकर कहा कि ऐ दुष्कर्मी तो ऐलची को हद मारी जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर दूसरे से कहा कि या इब्नुल समा ऐ बरसाती पानी के

नबती या तो अरबीनहीं है तो इस को हद क़ज़फ़ न मारी जायेगी यह काफ़ी में है।

एक ने एक मुसलमान से जिस के मां बाप दोनों काफ़िर हैं कहा कि ऐ लस्त अन्ता तो अपने बाप के वास्ते नहीं है तो इस को हद नहीं मारी जायेगी :

अगर एक ने दूसरे से कहा कि तू बनी फ़लां (1) में से नहीं है यानी ऐसे क़बीला का नाम लिया जिस में से वो मशहूर है तो इस पर हद न होगी। एक ने एक मुसलमान से जिस के मां बाप दोनों काफ़िर हैं कि 'ई लस्त अन्ता ला बैयक' तो अपने बाप के वास्ते नहीं है तो इस को हद नहीं मारी जायेगी और एक ने अपने ग़ुलाम से जिस के मां बाप मुसलमान हैं कहा कि तू अपने बाप के वास्ते नहीं है हालांकि इस के वालिदैन आज़ाद हो गये हैंतो मौला पर हद न होगी अगरचे ग़ुलाम इस के बाद आज़ाद हो जाये यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर किसी से कहा कि तू अपनी मां के वास्ते नहीं है तो वो क़ाज़िफ़ नहीं है इसी तरह अगर कहा कि तू अपने वालिदैन के वास्ते नहीं है तो भी क़ाज़िफ़ न होगा और अगर कहा कि तू अपने बाप का नहीं है हालांकि इस की मां आज़ाद है और बाप किसी का ग़ुलाम है तो कहने वाले पर हद वाजिब होगी यानी इस की मां के वास्ते और अगर इस का बाप आज़ाद हो और मां बान्दी हो तो हद न मारी जायेगी लेकिन तअज़ीर दी जायेगी और अगर किसी दूसरे से कहा कि तू अपने बाप का नहीं है या तो इब्ने फ़लां नहीं है और यह हालत ग़ज़ब में कहा तो कहने वाले को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी और यह कन्ज़ में है और अगर किसी ने कहा कि तू इब्ने फ़लां नहीं है और फ़लां से इस के दादा का नाम लिया तो इस को हद न मारी जायेगी यह काफ़ी में है।

अगर किसी से कहा कि 'ऐ इब्ने हज़ार ज़ानिया' तो क़ाज़िफ़ को मद मारी जायेगी :

(1)तोहमत ज़िना किसी को लगाने वाला।

एक शख़्स को इस के बाप के सिवाए दूसरे की तरफ़ मन्सूब किया बदून ग़ज़ब (हालत ग़ुस्सा) के तो हद बच्चे तो इस को हद न मारी जायेगी और अगर अरबी आदमी से कहा कि ओ नबती या तो अरबीनहीं है तो इस को हद क़ज़फ़ न मारी जायेगी यह काफ़ी में है।

एक ने एक मुसलमान से जिस के मां बाप दोनों काफ़िर हैं कहा कि ऐ लस्त अन्ता तो अपने बाप के लिए नहीं है तो इस को हद नहीं मारी जायेगी :

अगर एक ने दूसरे से कहा कि तू बनी फ़लां (1) में से नहीं है यानी ऐसे क़बीला का नाम लिया जिस में से वो मशहूर है तो इस पर हद न होगी। एक ने एक मुसलमान से जिस के मां बाप दोनों काफ़िर हैं कि 'ई लस्त अन्ता ला बैयक' तो अपने बाप के लिए नहीं है तो इस को हद नहीं मारी जायेगी और एक ने अपने ग़ुलाम से जिस के मां बाप मुसलमान हैं कहा कि तू अपने बाप के लिए नहीं है हालांकि इस के वालिदैन आज़ाद हो गये हैंतो मौला पर हद न होगी चाहे ग़ुलाम इस के बाद आज़ाद हो जाये यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर किसी से कहा कि तू अपनी मां के लिए नहीं है तो वो क़ाज़िफ़ नहीं है इसी तरह अगर कहा कि तू अपने वालिदैन के लिए नहीं है तो भी क़ाज़िफ़ न होगा और अगर कहा कि तू अपने बाप का नहीं है हालांकि इस की मां आज़ाद है और बाप किसी का ग़ुलाम है तो कहने वाले पर हद अनिवार्य होगी यानी इस की मां के लिए और अगर इस का बाप आज़ाद हो और मां बान्दी हो तो हद न मारी जायेगी लेकिन तअज़ीर दी जायेगी और अगर किसी दूसरे से कहा कि तू अपने बाप का नहीं है या तो इब्ने फ़लां नहीं है और यह हालत ग़ज़ब में कहा तो कहने वाले को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी और यह कन्ज़ में है और अगर किसी ने कहा कि तू इब्ने फ़लां नहीं है और फ़लां से इस के दादा का नाम लिया तो इस को हद न मारी जायेगी यह काफ़ी में है।

अगर किसी से कहा कि 'ऐ इब्ने हज़ार ज़ानिया' तो क़ाज़िफ़ को मद मारी जायेगी :

(1)तोहमत ज़िना किसी को लगाने वाला।

एक व्यक्ति को इस के बाप के सिवाए दूसरे की

न मारी जायेगी और अगर हालत ग़ुस्सा में ऐसा किया हो तो हद मारी जायेगी और अगर इस को इस के दादा की तरफ़ मन्सूब किया तो इस को हद न मारी जायेगी इस वास्ते कि दादा भी बाप है और इसी तरह अगर इस को इस के चचा या मामूं की तरफ़ मन्सूब किया या इस की मां के शौहर यानी सोतेले बाप की तरफ़ मन्सूब किया तो भी यही हुक्म है इस वास्ते कि यह लोग भी मिजाज़न बाप कहलाते हैं यह तमरताशी में है। अगर कहा कि तू विलादत फ़लां से नहीं है तो यह क़ज़फ़ नहीं है और अगर कहा कि तू अपने बाप का नहीं है या तुझे तेरे बाप ने नहीं पैदा किया है तो यह इस की मां का क़ज़फ़ है औरइसी तरह अगर कहा कि तू रशदत (हलाल का नहीं है) का नहीं है तो भी यही हुक्म है और यह ज़हीरिया में लिखा है। अगर किसी दूसरे से कहा कि तेरा जद (दादा या नाना) ज़ानी है तो क़ाज़िफ़ पर हद न होगी यह ईज़ाह में है और अगर कहा कि ऐ ज़ानी के भाई तो इस के भाई के हक़ में क़ज़फ़ है पस अगर इस का भाई एक ही हो तो हक़ ख़ुसूमत इस को हासिल होगा और अगर ज़ैद ने उमर से कहा कि ऐ ज़ानी के भाई पस उमर ने कहा कि नहीं बल्कि तू है तो उमर को हदमारी जायेगी और ज़ैद के साथ उमर के भाई की बाबत क़ज़फ़ की ख़ुसूमत होगी और यह इताबिया में है और अगर किसी से कहा कि ऐ इब्नुल ज़ानितीन यानी दो ज़ानिया औरतों के बेटे और हाल यह है कि इस की हक़ीक़ी मां मुसलमान है तो क़ाज़िफ़ (तोहमत ज़िना किसी को लगाने वाला) पर हद वाजिब होगी ख़्वाह इस की दूर की मां यानी जद्दा मुसलमान हो या न हो और अगर नानी मुसलमान हो और मां काफ़िर हो तो क़ाज़िफ़ पर हद नहीं है इस वास्ते कि विलादत की तरफ़ जो इज़्ज़ात हो दो सब से नज़दीक से शामिल होना शुरू होती है और अगर किसी से कहा किऐ इब्ने हज़ार ज़ानि तो क़ाज़िफ़ को हद मारी जायेगी और यह सिराज वहाज में है।

अगर किसी से कहा किऐ इब्नुल ज़ानी वल ज़ानिया यानी ओ ज़ानी व ज़ानिया के बेटे तो यह इस की मां व बाप दोनों का क़ज़फ़ है पस अगर वो दोनों ज़िन्दा हों तो हद क़ज़फ़ के मुतालबा का इख़्तियार इन को है और

तरफ़ मन्सूब किया बदून ग़ज़ब (हालत ग़ुस्सा) के तो हद न मारी जायेगी और अगर हालत ग़ुस्सा में ऐसा किया हो तो हद मारी जायेगी और अगर इस को इस के दादा की तरफ़ मन्सूब किया तो इस को हद न मारी जायेगी इस लिए कि दादा भी बाप है और इसी तरह अगर इस को इस के चचा या मामूं की तरफ़ मन्सूब किया या इस की मां के शौहर यानी सोतेले बाप की तरफ़ मन्सूब किया तो भी यही आदेश है इस लिए कि यह लोग भी मिजाज़न बाप कहलाते है यह तमरताशी में है। अगर कहा कि तू विलादत फ़लां से नहीं है तो यह क़ज़फ़ नहीं है और अगर कहा कि तू अपने बाप का नहीं है या तुझे तेरे बाप ने नहीं पैदा किया है तो यह इस की मां का क़ज़फ़ है औरइसी तरह अगर कहा कि तू रशदत (हलाल का नहीं है) का नहीं है तो भी यही आदेश है और यह ज़हीरिया में लिखा है। अगर किसी दूसरे से कहा कि तेरा जद (दादा या नाना) दुष्कर्मी है तो क़ाज़िफ़ पर हद न होगी यह ईज़ाह में है और अगर कहा कि ऐ दुष्कर्मी के भाई तो इस के भाई के हक़ में क़ज़फ़ है पस अगर इस का भाई एक ही हो तो हक़ ख़ुसूमत इस को हासिल होगा और अगर ज़ैद ने उमर से कहा कि ऐ दुष्कर्मी के भाई पस उमर ने कहा कि नहीं बल्कि तू है तो उमर को हदमारी जायेगी और ज़ैद के साथ उमर के भाई की बाबत क़ज़फ़ की ख़ुसूमत होगी और यह इताबिया में है और अगर किसी से कहा कि ऐ इब्नुल ज़ानितीन यानी दो ज़ानिया औरतों के बेटे और हाल यह है कि इस की हक़ीक़ी मां मुसलमान है तो क़ाज़िफ़ (तोहमत ज़िना किसी को लगाने वाला) पर हद अनिवार्य होगी चाहे इस की दूर की मां यानी जद्दा मुसलमान हो या न हो और अगर नानी मुसलमान हो और मां काफ़िर हो तो क़ाज़िफ़ पर हद नहीं है इस लिए कि विलादत की तरफ़ जो इज़्ज़ात हो वो सब से निकट से शामिल होना शुरू होती है और अगर किसी से कहा किऐ इब्ने हज़ार ज़ानि तो क़ाज़िफ़ को हद मारी जायेगी और यह सिराज वहाज में है।

अगर किसी से कहा किऐ इब्नुल दुष्कर्मी वल ज़ानिया यानी ओ दुष्कर्मी व ज़ानिया के बेटे तो यह इस की मां व बाप दोनों का क़ज़फ़ है पस अगर वो दोनों

अगर मर गये हों तो मुतालबा हद का इख़्तयार इस को होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। एक मर्द ने एक अजनबिया औरत से कहा कि तूने ऊंट या बेल या गधे के साथ ज़िना किया तो इस पर हद न होगी और अगर कहा कि तूने ज़िना किया बनाक़ा या बबक़रा या पजामा या बदिरहम तो क़ाज़िफ़ पर हद वाजिब होगी और अगर किसी मर्द से कहा कि तूने ज़िना किया बबक़रह या बनाक़ा या इस के मानिन्द तो इस पर हद नहीं है। अगर कहा कि यह कनीज़ या पजामा या बदार तो इस पर हद वाजिब होगी यह ज़हीरिया में है और इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर दूसरे से कहा कि 'अन्त तज़नी' (तू ज़िना करेगा) तो कहने वाल पर हद नहीं है इस वास्ते कि यह इस्तक़बाल के वास्ते है और अगर कहा कि 'अन्ता' (तू ज़िना करे और मैं मारा जाउं) 'तज़नी व अज़रब अना' तो कहने वाले पर हद नहीं है इस वास्ते कि यह बतरीक़ इस्तफ़हाम व तअबीर ज़िक्र किया जाता है और इस के मअनी यह हैं कि फ़ाइल के सिवाए दूसरे का सज़ा याब होना क्योंकर जाइज़ है यह ईज़ाह में लिखा है और अगर किसी आज़ादा औरत से कहा कि तूने ज़निया किया क़ब्ल इस के कि तू मख़्लूक़ हो या क़ब्ल इस के कि तू पैदा हो तो इस पर हद नहीं है यह मुहीत में है और अगर किसी ऐसी औरत या मर्द को क़ज़्फ़ किया जिस ने हालत नसरानियत में ज़िना किया है तो क़ज़्फ़ को हद न मारी जायेगी और मुराद यह है कि बाद इस्लाम के ऐसे ज़िना से क़ज़्फ़ किया जो इस से हालत नसरानियत में वाक़े हुआ है मसलन यूं कहा कि तूने ज़िना किया दर हाल यह कि तू काफ़िरा थी और इसी तरह अगर किसी आज़ाद शुदह से कहा कि तूने ग़ुलाम होने की हालत में ज़िना किया तो क़ाज़ि पर हद न होगी जैसे क़ज़्फ़ ने इक़रार किया कि मैंने ज़िना के साथ क़ज़्फ़ किया दर हाल यह कि तो किताबिया या बान्दी थी तो क़ाज़िफ़ पर हद नहीं है यह फ़तहुल क़दीर में है।

सियाक़ व सबाक़ से हट कर किसी पर तोहमत लगाना :

ज़िन्दा हों तो हद क़ज़्फ़ के मुतालबा का अधिकार इन को है और अगर मर गये हों तो दंड की मांग का अधिकार इस को होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। एक मर्द ने एक अजनबिया औरत से कहा कि तूने ऊंट या बेल या गधे के साथ ज़िना किया तो इस पर हद न होगी और अगर कहा कि तूने ज़िना किया बनाक़ा या बबक़रा या पजामा या बदिरहम तो क़ाज़िफ़ पर हद अनिवार्य होगी और अगर किसी मर्द से कहा कि तूने ज़िना किया बबक़रह या बनाक़ा या इस के मानिन्द तो इस पर हद नहीं है। अगर कहा कि यह कनीज़ या पजामा या बदार तो इस पर हद अनिवार्य होगी यह ज़हीरिया में है और इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर दूसरे से कहा कि 'अन्त तज़नी' (तू ज़िना करेगा) तो कहने वाल पर हद नहीं है इस लिए कि यह इस्तक़बाल के लिए है और अगर कहा कि 'अन्ता' (तू ज़िना करे और मैं मारा जाउं) 'तज़नी व अज़रब अना' तो कहने वाले पर हद नहीं है इस लिए कि यह बतरीक़ इस्तफ़हाम व तअबीर वर्णन किया जाता है और इस के मअनी यह हैं कि फ़ाइल के सिवाए दूसरे का सज़ा याब होगा क्योंकर जाइज़ है यह ईज़ाह में लिखा है और अगर किसी आज़ादा औरत से कहा कि तूने ज़निया किया क़ब्ल इस के कि तू मख़्लूक़ हो या क़ब्ल इस के कि तू पैदा हो तो इस पर हद नहीं है यह मुहीत में है और अगर किसी ऐसी औरत या मर्द को क़ज़्फ़ किया जिस ने हालत नसरानियत में ज़िना किया है तो क़ज़्फ़ को हद न मारी जायेगी और तात्पर्य यह है कि बाद इस्लाम के ऐसे ज़िना से क़ज़्फ़ किया जो इस से हालत नसरानियत में स्थपित हुआ है मसलन यूं कहा कि तूने ज़िना किया दर हाल यह कि तू काफ़िरा थी और इसी तरह अगर किसी आज़ाद शुदह से कहा कि तूने ग़ुलाम होने की हालत में ज़िना किया तो क़ाज़ि पर हद न होगी जैसे क़ज़्फ़ ने स्वीकार किया कि मैंने ज़िना के साथ क़ज़्फ़ किया दर हाल यह कि तो किताबिया या बान्दी थी तो क़ाज़िफ़ पर हद नहीं है यह फ़तहुल क़दीर में है।

सियाक़ व सबाक़ से हट कर किसी पर

अगर किसी शख़्स से कहा कि ऐ टुण्डे या लुंजे या हुज्जाम के बेटे हालांकि इस का बाप ऐसा नहीं है तो कहने वाले पर हद नहीं है और अगर किसी से कहा कि ऐ करंजे या अशक़र असवद (1) के बेटे हालांकि इस का बाप ऐसा नहीं है तो भी हद न होगी और अगर कहा कि ओ सिंधी यस हबशी के

(1)सुर्ख़ रंग माइल बज़रदी दिया है।

बच्चा तो यह इस के हक़ में क़ज़फ़ न होगा और कहने वाला क़ाज़िफ़ न होगा और अगर अरबी आदमी से कहा कि ऐ अब्द या (1) ऐ मौला तो कहने वाले पर हद नहीं है और इसी तरह अगर अरबी से कहा कि ओ दहक़ान तो इस पर हद नहीं है और अगर किसी ने कहा कि ऐ मेरे बेटे तो इस पर हद नहीं है। इसी तरह अगर किसी ने कहा कि तू मेरा ग़ुलाम या आज़ाद करदह है तो यह इस पर रक़ियत का या विला का दावा है और क़ज़फ़ बिल्कुल नहीं है। अगर किसी से कहा कि ओ यहूदी या ओ नसरानी या ओ मजूसी या ओ बच्चा यहूदी तो इस पर हद नहीं है और मगर इस को तअज़ीर दी जायेगी यह मबसूत में है। अगर किसी से कहा कि ऐ जुलाहा के बच्चे तो कहने वाले पर हद न होगी यह फ़तहुल क़दीर में है। अगर किसी से कहा कि तो अरबी नहीं है या ऐ दरज़ी के बेटे या ऐ काने के बेटे हालांकि स का बाप ऐसा नहीं है तो यह क़ज़फ़ नहीं है और अगर कहा कि तू आदम का बेटा नहीं है या तो इन्सान नहीं है या तो मर्द नहीं है या आदमी नहीं है तो यह क़ज़फ़ नहीं है और अगर कहा कि तू हलाल नहीं है तो यह क़ज़फ़ है यह जोहरा नेहरा में है। और अगर किसी से कहा कि ऐ इब्नुल असफ़र (2) हालांकि इस का बाप ऐसा नहीं है तो कहने वाले पर हद न होगी यह शरह तहावा में है। ज़िक्र आया कि फ़लां मैयत मर्द सालह था कि इस ने न शराब पी और न ज़िना किया पस दूसरे ने कहा कि क्या सब या कहा कि क्या इस ने सब तो यह क़ज़फ़ नहीं है और अगर कहा कि इस ने यह सब किया तो यह क़ज़फ है यह वजीज़ करदरी में है।

आसार में इमाम अबू हनीफ़ा रह० से मरवी है कि अगर दूसरे से कहा कि या बग़ल तो इस पर हद

तोहमत लगाना :

अगर किसी व्यक्ति से कहा कि ऐ टुण्डे या लुंजे या हुज्जाम के बेटे हालांकि इस का बाप ऐसा नहीं है तो कहने वाले पर हद नहीं है और अगर किसी से कहा कि ऐ करंजे या अशक़र असवद (1) के बेटे हालांकि इस का बाप ऐसा नहीं है तो भी हद न होगी और अगर कहा कि ओ सिंधी यस हबशी के

(1)सुर्ख़ रंग माइल बज़रदी दिया है।

बच्चा तो यह इस के हक़ में क़ज़फ़ न होगा और कहने वाला क़ाज़िफ़ न होगा और अगर अरबी आदमी से कहा कि ऐ अब्द या (1) ऐ मौला तो कहने वाले पर हद नहीं है और इसी तरह अगर अरबी से कहा कि ओ दहक़ान तो इस पर हद नहीं है और अगर किसी ने कहा कि ऐ मेरे बेटे तो इस पर हद नहीं है। इसी तरह अगर किसी ने कहा कि तू मेरा ग़ुलाम या आज़ाद करदह है तो यह इस पर रक़ियत का या विला का दावा है और क़ज़फ़ बिल्कुल नहीं है। अगर किसी से कहा कि ओ यहूदी या ओ नसरानी या ओ मजूसी या ओ बच्चा यहूदी तो इस पर हद नहीं है और मगर इस को तअज़ीर दी जायेगी यह मबसूत में है। अगर किसी से कहा कि ऐ जुलाहा के बच्चे तो कहने वाले पर हद न होगी यह फ़तहुल क़दीर में है। अगर किसी से कहा कि तो अरबी नहीं है या ऐ दरज़ी के बेटे या ऐ काने के बेटे हालांकि स का बाप ऐसा नहीं है तो यह क़ज़फ़ नहीं है और अगर कहा कि तू आदम का बेटा नहीं है या तो इन्सान नहीं है या तो मर्द नहीं है या आदमी नहीं है तो यह क़ज़फ़ नहीं है और अगर कहा कि तू हलाल नहीं है तो यह क़ज़फ़ है यह जोहरा नेहरा में है। और अगर किसी से कहा कि ऐ इब्नुल असफ़र (2) हालांकि इस का बाप ऐसा नहीं है तो कहने वाले पर हद न होगी यह शरह तहावा में है। वर्णन आया कि फ़लां मैयत मर्द सालह था कि इस ने न शराब पी और न ज़िना किया पस दूसरे ने कहा कि क्या सब या कहा कि क्या इस ने सब तो यह क़ज़फ़ नहीं है और अगर कहा कि इस ने यह सब किया तो यह क़ज़फ है यह वजीज़ करदरी में है।

आसार में इमाम अबू हनीफ़ा रह० से मरवी है कि

होगी इस वास्ते कि यह लुगत अमान में या ज़ानी है और मुख़्तसर जसास में हज़रत इब्राहीम नखई रह० से मरवी है कि अगर किसी ने अपनी बीवी से कहा कि ऐ रोसपी (३) तो हद वाजिब होगी और इसी तरह अगर कहा कि ऐ सयाहा या कहा कि ऐ ग़ुरबा या कहा कि ऐ जलब या और इस के मिस्ल कोई लफ़्ज़ कहा तो हद वाजिब न होगी इस वास्ते कि यह सब अल्फ़ाज़ उरफ़न इस के ज़ानिया होने से मुख़बर हैं ऐसा ही असल में मज़कूर है यह ज़ख़ीरा में है। और अगर किसी को क़ज़फ़ किया और कहा कि ऐ ज़ानिया के बेटे फिर क़ाज़िफ़ ने दावा किया कि इस की मां बान्दी या नसरानिया है और मक़ज़ूफ़ कहता है कि मेरी मां आज़ादा मुसलमान है तो क़ौल क़ाज़ि का क़ौल होगा और मक़ज़ूफ़ पर वाजिब है कि गवाह लाये और इसी तरह अगर इस की ज़ात को क़ज़फ़ किया हो और दावा किया कि मक़ज़ूफ़ ग़ुलाम है तो क़ौल क़ाज़िफ़ का क़बूल होगा और मक़ज़ूफ़ पर वाजिब है कि अपने गवाह पैश करे और ज़ाहिर असल हुर्रियत काफ़ी नहीं है। इसी तरह अगर क़ाज़िफ . ने कहा कि मैं ग़ुलाम हूं और मुझ पर ग़ुलामों की हद वाजिब है और मक़ज़ूफ़ ने कहा कि तू आज़ाद है तो क़ौल क़ाज़िफ़ का क़बूल होगा यह ईज़ाह में है और अगर अपने पिसर या मां या बाप या बहन इन में से किसी की बान्दी से वती की फिर दावा किया कि इस के मालिक ने इस को मेरे हाथ फ़रोख़्त किया था हालांकि इस के पास बैअ के गवाह नहीं हैं तो इस के क़ाज़िफ़ पर यानी अगर ऐसे शख़्स को किसी ने क़ज़फ़ किया तो क़ाज़िफ़ पर हद न होगी और इसी तरह अगर ख़रीदार पर एक ही गवाह क़ायम किया हो तो भी यही हुक्म है यह मबसूत में है।

एक मर्द ने दूसरे मर्द पर दावा किया कि इस ने मुझ को क़ज़फ़ किया है फिर दो गवाह लाया कि यह गवाही देंगे कि इस ने इस को क़ज़फ़ किया है तो क़ाज़ी इन गवाहों से दरयाफ़्त करेगा कि क़ज़फ़ किया

अगर दूसरे से कहा कि या बग़ल तो इस पर हद होगी इस लिए कि यह लुगत अमान में या दुष्कर्मी है और मुख़्तसर जसास में हज़रत इब्राहीम नखईरह0 से मरवी है कि अगर किसी ने अपनी बीवी से कहा कि ऐ रोसपी (३) तो हद अनिवार्य होगी और इसी तरह अगर कहा कि ऐ सयाहा या कहा कि ऐ ग़ुरबा या कहा कि ऐ जलब या और इस के मिस्ल कोई लफ़्ज़ कहा तो हद अनिवार्य न होगी इस लिए कि यह सब अल्फ़ाज़ उरफ़न इस के ज़ानिया होने से मुख़बर हैं ऐसा ही असल में मज़कूर है यह ज़ख़ीरा में है। और अगर किसी को क़ज़फ़ किया और कहा कि ऐ ज़ानिया के बेटे फिर क़ाज़िफ़ ने दावा किया कि इस की मां बान्दी या नसरानिया है और मक़ज़ूफ़ कहता है कि मेरी मां आज़ादा मुसलमान है तो कथन क़ाज़ि का कथन होगा और मक़ज़ूफ़ पर अनिवार्य है कि गवाह लाये और इसी तरह अगर इस की ज़ात को क़ज़फ़ किया हो और दावा किया कि मक़ज़ूफ़ ग़ुलाम है तो कथन क़ाज़िफ़ का क़बूल होगा और मक़ज़ूफ़ पर अनिवार्य है कि अपने गवाह पैश करे और ज़ाहिर असल हुर्रियत काफ़ी नहीं है। इसी तरह अगर क़ाज़िफ . ने कहा कि मैं ग़ुलाम हूं और मुझ पर ग़ुलामों की हद अनिवार्य है और मक़ज़ूफ़ ने कहा कि तू आज़ाद है तो कथन क़ाज़िफ़ का क़बूल होगा यह ईज़ाह में है और अगर अपने पिसर या मां या बाप या बहन इन में से किसी की बान्दी से वती की फिर दावा किया कि इस के मालिक ने इस को मेरे हाथ फ़रोख़्त किया था हालांकि इस के पास विक्रय के गवाह नहीं हैं तो इस के क़ाज़िफ़ पर यानी अगर ऐसे व्यक्ति को किसी ने क़ज़फ़ किया तो क़ाज़िफ़ पर हद न होगी और इसी तरह अगर ख़रीदार पर एक ही गवाह क़ायम किया हो तो भी यही आदेश है यह मबसूत में है।

एक मर्द ने दूसरे मर्द पर दावा किया कि इस ने मुझ को क़ज़फ़ किया है फिर दो गवाह लाया कि यह गवाही देंगे कि इस ने इस को क़ज़फ़ किया है तो क़ाज़ी इन गवाहों से दरयाफ़्त करेगा कि क़ज़फ़ किया

चीज़ है:

अगर ज़ैद ने उमर को क़ज़फ़ किया हालांकि उमर के पास इस अम्र के गवाह नहीं हैं कि ज़ैद न इस को क़ज़फ किया है और उमर ने चाहा कि ज़ैद से क़सम ले कि वल्लाह मैंने इस को क़ज़फ़ नहीं किया है तो हमारे अनुसार हाकिम इस से क़सम न लेगा यह जोहरा नेहरा में है। अगर किसी ने दूसरे पर क़ज़फ़ का दावा किया पस अगर क़ाज़िफ़ ने इस का इक़रार किया या इस पर इस अम्र के गवाह क़ायम हुए तो क़ाज़िफ़ से कहा जायेगा

(1)ई ग़ुलाम जैसे अब्द अरबी में ग़ुलाम के मअनी हैं आता है इस तरह मौला का लफ्ज+ बोला जाता है और इस लफ्ज+ के कई मअनी और भी हैं।

(2)असफ़रयानी ज़र्द रंग और साबिक+ में अरब के लोग रोम नबी उल असफ़र कहा करते थे।

(3)रोपसी ज़न बदकार क़जसा व कसीयानी निड्डी।

कि जो अम्र तूने किया है इस को साबित कर कि यह सही है पस अगर इस न साबित कियसा तो खैर वरना इस पर हद क़ायम की जायेगी यानी हद क़ज़फ़। फ़रमाया कि अगर इस को थोडी हद मारीगई फिर क़ाज़िफ़ ने अपने सच्चे होने पर गवाह क़ायम किये तो इस के गवाहों की समाअत होगी और जब गवाहों की समाअत हुई तो थोड़े कोड़े जो बाक़ी रहे हैं इस की ज़र्ब से साक़ित किये जाऐंगे फिर इस शख़्स की शहादत साक़ित न होगी यानी वो अहले शहादत में से रहेगा और कोई निशान फ़िसक़ इस के साथ लाज़िम न होगा यह ईज़ाह में है। इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर एक मर्द ने दूसरे मर्द पर दावा किया कि इस ने मुझ को क़ज़फ़ किया है फिर दो गवाह लाया कि यह गवाही देंगे कि इस ने इस को क़ज़फ़ किया है तो क़ाज़ी इन गवाहों से दरयाफ़्त करेगा कि क़ज़फ़ क्या चीज़ है और क्योंकर होती है पस अगर गवाहों ने कहा कि हम गवाही देते हैं कि इस ने इस मर्द को कहा कि ऐ ज़ानी तो दोनों की गवाही मक़बूल होगी और क़ाज़िफ़ को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी बशर्तेकि हर दो गवाह आदिल हों और अगर क़ाज़ी इन गवाहों की अदालत न जानता हो तो क़ाज़िफ़ को क़ैद (1) करेगा यहां तक कि गवाहों की अदालत दरयाफ़्त करे और अदालत यह है कि ऐसे उमूर के काम

चीज़ है:

अगर ज़ैद ने उमर को क़ज़फ़ किया हालांकि उमर के पास इस कार्य के गवाह नहीं हैं कि ज़ैद न इस को क़ज़फ किया है और उमर ने चाहा कि ज़ैद से क़सम ले कि वल्लाह मैंने इस को क़ज़फ़ नहीं किया है तो हमारे अनुसार हाकिम इस से क़सम न लेगा यह जोहरा नेहरा में है। अगर किसी ने दूसरे पर क़ज़फ़ का दावा किया पस अगर क़ाज़िफ़ ने इस का स्वीकार किया या इस पर इस कार्य के गवाह क़ायम हुए तो क़ाज़िफ़ से कहा जायेगा

(1)ई ग़ुलाम जैसे अब्द अरबी में ग़ुलाम के मअनी हैं आता है इस तरह मौला का लफ्ज+ बोला जाता है और इस लफ्ज+ के कई मअनी और भी हैं।

(2)असफ़रयानी ज़र्द रंग और साबिक+ में अरब के लोग रोम नबी उल असफ़र कहा करते थे।

(3)रोपसी ज़न बदकार क़जसा व कसीयानी निड्डी।

कि जो कार्य तूने किया है इस को सिद्ध कर कि यह सही है पस अगर इस न सिद्ध कियसा तो खैर वरना इस पर हद क़ायम की जायेगी यानी हद क़ज़फ़। फ़रमाया कि अगर इस को थोडी हद मारीगई फिर क़ाज़िफ़ ने अपने सच्चे होने पर गवाह क़ायम किये तो इस के गवाहों की समाअत होगी और जब गवाहों की समाअत हुई तो थोड़े कोड़े जो बाक़ी रहे हैं इस की ज़र्ब से साक़ित किये जाऐंगे फिर इस व्यक्ति की शहादत साक़ित न होगी यानी वो अहले शहादत में से रहेगा और कोई निशान फ़िसक़ इस के साथ अनिवार्य न होगा यह ईज़ाह में है। इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर एक मर्द ने दूसरे मर्द पर दावा किया कि इस ने मुझ को क़ज़फ़ किया है फिर दो गवाह लाया कि यह गवाही देंगे कि इस ने इस को क़ज़फ़ किया है तो क़ाज़ी इन गवाहों से दरयाफ़्त करेगा कि क़ज़फ़ क्या चीज़ है और क्योंकर होती है पस अगर गवाहों ने कहा कि हम गवाही देते हैं कि इस ने इस मर्द को कहा कि ऐ दुष्कर्मी तो दोनों की गवाही मक़बूल होगी और क़ाज़िफ़ को हद क़ज़फ़ मारी जायेगी बशर्तेकि हर दो गवाह आदिल हों और अगर क़ाज़ी इन गवाहों की अदालत न जानता हो तो क़ाज़िफ़ को क़ैद (1) करेगा यहां तक कि गवाहों की अदालत दरयाफ़्त करे और अदालत यह है कि ऐसे उमूर के काम में लाने से कुछ

में लाने से बाज़ रहे जिस को आदमी अपने दीन में मज़मूम व हराम जानता है पस अगर एक ने कहा कि इस ने इस को कहा कि ऐ ज़ानी और यह दिन जुमा के कहा और दूरे ने कहा कि इस ने इस को जुमेरात के रोज़ कहा कि रानी तो इमाम अबू हनीफ़ा रह० ने फ़रमाया कि ऐसी गवाही क़बूल होगी और क़ाज़िफ़ को हद मारी जायेगी और साहिबीन रह० ने कहा कि क़बूल न होगी यह ज़हीरिया में है और क़ौल इमाम आज़म रह० का औला है। यह मुहीत में है।

अगर दो गवाहों ने किसी पर दूसरे को क़ज़फ़ करने की गवाही दी मगर जिस जगह क़ज़फ़ किया है इस में इख़्तलाफ़ किया ता इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि हद वाजिब होगी और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि हद नहीं वाजिब होगी और अगर एक गवाह ने गवाही दी कि इस ने इस को जुमेरात के रोज़ क़ज़फ़ किया और दूसरे ने गवाही दी कि इस क़ाज़िफ़ ने इक़रार किया कि मैंने इस को जुमेरात के रोज़ क़ज़फ़ किया है तो बिल इत्तफ़ाक़ सब के अनुसार क़ाज़िफ़ पर हद न होगी यह फ़तावा करखी में है और अगर गवाहों ने जिस ज़बान में क़ज़फ़ वाक़े हुआ है इख़्तलाफ़ किया यानी मसलन किसी ने कहा कि अरबी में क़ज़फ़ किया और दूसरे ने कहा कि फ़ारसी में या उर्दू में तो इन की गवाही बातिल होगी यह फ़तहुल क़दीर में है। और अगर एक जमाअत ने कहा कि हम ने ज़ैद को देखा कि वो फ़लाना औरत से मा सिवाए फ़ुर्ज के ज़िना करता था तो इन में से किसी पर हद वाजिब न होगी न ज़ैद पर और न जमाअत मज़कूरह पर। अगर जमाअत ने कहा कि हम ने ज़ैद को देखा कि वो फ़ानिा से ज़ना करता था फिर इतना कह कर खामौश रहे फिर कहा कि मा सिवाए फ़ुर्ज के तो इन लोगों पर कद क़ज़फ़ वाजिब होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। और अगर किसी पर क़ज़फ़ का दावा किया और इस पर एक गवाह क़ायम किया तो क़ाज़िफ़ को क़ाज़ी हद न मारेगा और रहा यह कि क़ैद करेगा या नहीं सो अगर गवाह मज़कूर फ़ासिक़ हो तो क़ैद नहीं करेगा और अगर आदिल हुआ और मुदआ ने कहा कि मेरा दूसरा गवाह भी शहर में है तो क़ियास यह है कि

रहे जिस को आदमी अपने दीन में मज़मूम व निषिद्ध जानता है पस अगर एक ने कहा कि इस ने इस को कहा कि ऐ दुष्कर्मी और यह दिन जुमा के कहा और दूरे ने कहा कि इस ने इस को जुमेरात के रोज़ कहा कि रानी तो इमाम अबू हनीफ़ा रह० ने फ़रमाया कि ऐसी गवाही क़बूल होगी और क़ाज़िफ़ को हद मारी जायेगी और साहिबीन रह० ने कहा कि क़बूल न होगी यह ज़हीरिया में है और कथन इमाम आज़म रह० का औला है। यह मुहीत में है।

अगर दो गवाहों ने किसी पर दूसरे को क़ज़फ़ करने की गवाही दी मगर जिस जगह क़ज़फ़ किया है इस में मतभेद किया ता इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि हद अनिवार्य होगी और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि हद नहीं अनिवार्य होगी और अगर एक गवाह ने गवाही दी कि इस ने इस को जुमेरात के रोज़ क़ज़फ़ किया और दूसरे ने गवाही दी कि इस क़ाज़िफ़ ने स्वीकार किया कि मैंने इस को जुमेरात के रोज़ क़ज़फ़ किया है तो बिल इत्तफ़ाक़ सब के अनुसार क़ाज़िफ़ पर हद न होगी यह फ़तावा करखी में है और अगर गवाहों ने जिस ज़बान में क़ज़फ़ स्थपित हुआ है मतभेद किया यानी मसलन किसी ने कहा कि अरबी में क़ज़फ़ किया और दूसरे ने कहा कि फ़ारसी में या उर्दू में तो इन की गवाही बातिल होगी यह फ़तहुल क़दीर में है। और अगर एक जमाअत ने कहा कि हम ने ज़ैद को देखा कि वो फ़लाना औरत से मा सिवाए फ़ुर्ज के ज़िना करता था तो इन में से किसी पर हद अनिवार्य न होगी न ज़ैद पर और न जमाअत मज़कूरह पर। अगर जमाअत ने कहा कि हम ने ज़ैद को देखा कि वो फ़ानिा से ज़ना करता था फिर इतना कह कर खामौश रहे फिर कहा कि मा सिवाए फ़ुर्ज के तो इन लोगों पर कद क़ज़फ़ अनिवार्य होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। और अगर किसी पर क़ज़फ़ का दावा किया और इस पर एक गवाह क़ायम किया तो क़ाज़िफ़ को क़ाज़ी हद न मारेगा और रहा यह कि क़ैद करेगा या नहीं सो अगर गवाह मज़कूर फ़ासिक़ हो तो क़ैद नहीं करेगा और अगर आदिल हुआ और मुदआ ने कहा कि मेरा दूसरा गवाह भी शहर में है तो क़ियास यह है कि इस

इस को क़ैद न करेगा और इस्तहसानन इस को दो या तीन रोज़ तक क़ैद करेगा और अगर इस ने दावा किया कि शहर से बाहर मेरा गवाह है तो इस को क़ैद न रखेगा और यह हुक्म इस वक़्त है कि जिस मक़ाम पर दूसरे गवाह के होने को कहता है वो शहर से इतना दूर हो कि तीन रोज़ में इस को हाज़िर न ला सकता हो और अगर इतना फ़ासला हो कि तीन रोज़ में इस को हाज़िर ला सकता है तो क़ाज़िफ़ को क़ैद रखेगा और यह ज़हीरिया में है।

तजनीस उल नासरी में लिखा है कि अगर क़ाज़िफ़ ने दावा किया कि जिस को मैंने क़ज़्फ़ किया है यह ज़ानी और मेरे पास इस के गवाह हैं तो इस को गवाह क़ायम करने के वास्ते मोहलत दी जायेगी पस अगर इस ने गवाह क़ायम किये तो ख़ैर वरना इस को हद क़ज़्फ़ मारी जायेगी और अगर इस ने ऐसा न पाया जिस को गवाहों के पास भेजे तो वो ख़ुद कोतवाल के साथ रवाना किया जायेगा जो इस की हिफ़ाज़त करेंगे पस

(1)महबूस कर लेगा बिना बर अपने उर्फ+ के लिखा है और जहां क़ैद बर मअनी लुग़वी है वहां बेडि+यां डालेगा तर्जुमा किया गया है।

अगर इस ने गवाह न पाये तो इस को हद मारी जायेगी और अगर इस के बाद इस ने गवाह क़ायम किये तो इन की गवाही क़बूल होगी यह तातार खानिया में है। अगर किसी को क़ज़्फ़ या फिर क़ाज़िफ़ चार गवाह फ़ासिक़ लाया कि यह मक़ज़ूफ़ (1) ऐसा ही है जैसा मैंने कहा तो इस के सर से हद दूर हो जायेगी और मक़ज़ूफ़ और गवाहों से भी दूर होगी यह ज़हीरिया में है। जिस को क़ज़्फ़ किया है अगर वो ज़िन्दा हो तो हक़ ख़ुसूमत इस के सिवाए किसी को नहीं है ख़्वाह वो हाज़िर हो या ग़ायब हो अगर मर्द मक़ज़ूफ़ क़ब्ल मुतालबा के या बाद मुतालबा के या क़ाज़िफ़ पर थोडी हद क़ायम किये जाने के बाद मर गया तो क़ाज़िफ़ से हद बातिल होगी और बाज़ हद बाक़ी रही हुई भी बातिल होगी अगरचे एक ही कोडा रहा हो यह फ़तावा करख़ी में है और अगर अमरद मक़ज़ूफ़ जो ग़ायब था हाज़िर आया और क़ाज़िफ़ को क़ाज़ी के पास लाया फिर क़ाज़िफ़ को थोडी हद मारी गई थी कि फिर वो ग़ायब हो गया तो हद पूरी न की जायेगी

को क़ैद न करेगा और इस्तहसानन इस को दो या तीन रोज़ तक क़ैद करेगा और अगर इस ने दावा किया कि शहर से बाहर मेरा गवाह है तो इस को क़ैद न रखेगा और यह आदेश इस समय है कि जिस मक़ाम पर दूसरे गवाह के होने को कहता है वो शहर से इतना दूर हो कि तीन रोज़ में इस को हाज़िर न ला सकता हो और अगर इतना फ़ासला हो कि तीन रोज़ में इस को हाज़िर ला सकता है तो क़ाज़िफ़ को क़ैद रखेगा और यह ज़हीरिया में है।

तजनीस उल नासरी में लिखा है कि अगर क़ाज़िफ़ ने दावा किया कि जिस को मैंने क़ज़्फ़ किया है यह दुष्कर्मी और मेरे पास इस के गवाह है तो इस को गवाह क़ायम करने के लिए मोहलत दी जायेगी पस अगर इस ने गवाह क़ायम किये तो ख़ैर वरना इस को हद क़ज़्फ़ मारी जायेगी और अगर इस ने ऐसा न पाया जिस को गवाहों के पास भेजे तो वो ख़ुद कोतवाल के साथ रवाना किया जायेगा जो इस की हिफ़ाज़त करेंगे पस

(1)महबूस कर लेगा बिना बर अपने उर्फ+ के लिखा है और जहां क़ैद बर मअनी लुग़वी है वहां बेडि+यां डालेगा तर्जुमा किया गया है।

अगर इस ने गवाह न पाये तो इस को हद मारी जायेगी और अगर इस के बाद इस ने गवाह क़ायम किये तो इन की गवाही क़बूल होगी यह तातार खानिया में है। अगर किसी को क़ज़्फ़ या फिर क़ाज़िफ़ चार गवाह फ़ासिक़ लाया कि यह मक़ज़ूफ़ (1) ऐसा ही है जैसा मैंने कहा तो इस के सर से हद दूर हो जायेगी और मक़ज़ूफ़ और गवाहों से भी दूर होगी यह ज़हीरिया में है। जिस को क़ज़्फ़ किया है अगर वो ज़िन्दा हो तो हक़ ख़ुसूमत इस के सिवाए किसी को नहीं है चाहे वो हाज़िर हो या ग़ायब हो अगर मर्द मक़ज़ूफ़ क़ब्ल मुतालबा के या बाद मुतालबा के या क़ाज़िफ़ पर थोडी हद क़ायम किये जाने के बाद मर गया तो क़ाज़िफ़ से हद बातिल होगी और कुछ हद बाक़ी रही हुई भी बातिल होगी चाहे एक ही कोडा रहा हो यह फ़तावा करख़ी में है और अगर अमरद मक़ज़ूफ़ जो ग़ायब था हाज़िर आया और क़ाज़िफ़ को क़ाज़ी के पास लाया फिर क़ाज़िफ़ को थोडी हद मारी गई थी कि फिर वो ग़ायब हो गया तो हद पूरी न की जायेगी

इल्ला इसी सूरत में कि पूरे होने तक हाज़िर रहे इस वास्ते कि पूरी हद में मुतालबा शर्त है यह ग़ायतुल बयान में है। अगर मैयत मोहसन को क़ज़्फ़ किया तो इस के वालिदैन को अगरचे ऊंचे दर्जे के हों या दादा पर दादा वग़ैरह और इस की औलाद को अगरचे नीचे दर्जे के हों पोते पर पोते वग़ैरह इस की हद क़ज़्फ़ के मुतालबा का इख़्तयार है और इसी मुतालबा में ख़ुसूसियत वारिस की नहीं है ख़्वाह वो वारिस हो या न हो मसलन काफ़िर हो या मौरिस का क़ातिल हो या ख़ुद रक़ीक़ हो कि इस सूरत में वारिस न होगा मगर मुतालबा हद क़ज़्फ़ का मुस्तहिक़ है और नीज़ उक़्रब व अबअद दोनों यक्सां हैं और अगर बाज़ ने मुतालबा तर्क किया तो बाक़ियों को मुतालबा का इख़्तयार है यह तमरताशी में है।

क़ालल मुतरजम (1) 'वहाज़ा इज़ा सब्त लहू इल्लाख़्तयार वल इस्तहक़ाक' और हद क़ज़्फ़ मैयत का मुतालबा नहीं कर सकता इल्ला इसी सूरत में कि इस क़ज़्फ़ से इस की निस्बत में क़दह वाक़े होता हो या यह हिदाया में है और इस मुतालबा में पिसर का बेटा और दुख़्तर का बेटा ज़ाहिर उल रिवाया के मुवाफ़िक़ यक्सां हैं यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और मां के बाप या मां (नानी) को इस मुतालबा का इख़्तयार नहीं है यह मुहीत में है। और भाइयों व बहनों व चचओं व फूफियों व मामुओं व खालाओं को मुतालबा हद क़ज़्फ़ नहीं है यह शरह तहावा में है और औलाद को मुतालबा हद क़ज़्फ़ का इख़्तयार हो इस वक़्त नहीं हासिल होता है कि क़ाज़िफ़ इस का बाप या दादा वग़ैरह कहते ही ऊंचे दर्जे का हो या मां व नानी वग़ैरह हो यह ईज़ाह में है। अगर अपने बाप या मां या भाई या चचा को क़ज़्फ़ किया तो क़ाज़िफ़ को हद मारी जायेगी एक ने अपने बेटे को कहा कि ओ इब्नुल ज़ानिया और इस की मां मर चुकी है और इस औरत का एक और बेटा किसी दूसरे खाविन्द से है पस इस ने हद क़ज़्फ़ का मुतालबा किया तो क़ाज़िफ़ को हद मारी जायेगी और इसी तरह अगर मैयत मक़ज़ूफ़ के दो बेटे हों पस एक ने क़ाज़िफ़ के क़ौल की तसदीक़ की तो दूसरे को इख़्तयार होगा कि हद क़ज़्फ़ का मुतालबा करे और अगर मक़ज़ूफ़ का एक ही बेटा हो और इस ने

सिवा इसी स्थिति में कि पूरे होने तक हाज़िर रहे इस लिए कि पूरी हद में मुतालबा शर्त है यह ग़ायतुल बयान में है। अगर मैयत मोहसन को क़ज़्फ़ किया तो इस के वालिदैन को चाहे ऊंचे दर्जे के हों या दादा पर दादा वग़ैरह और इस की औलाद को चाहे नीचे दर्जे के हों पोते पर पोते वग़ैरह इस की हद क़ज़्फ़ के मुतालबा का अधिकार है और इसी मुतालबा में ख़ुसूसियत वारिस की नहीं है चाहे वो वारिस हो या न हो मसलन काफ़िर हो या मौरिस का क़ातिल हो या ख़ुद रक़ीक़ हो कि इस स्थिति में वारिस न होगा मगर मुतालबा हद क़ज़्फ़ का मुस्तहिक़ है और नीज़ उक़्रब व अबअद दोनों यक्सां हैं और अगर कुछ ने मुतालबा तर्क किया तो बाक़ियों को मुतालबा का अधिकार है यह तमरताशी में है।

अनुवादक के कथनानुसार (1) 'वहाज़ा इज़ा सब्त लहू सिवाख़्तयार वल इस्तहक़ाक' और हद क़ज़्फ़ मैयत का मुतालबा नहीं कर सकता सिवा इसी स्थिति में कि इस क़ज़्फ़ से इस की निस्बत में क़दह स्थपित होता हो या यह हिदाया में है और इस मुतालबा में पिसर का बेटा और दुख़्तर का बेटा ज़ाहिर उल रिवाया के मुवाफ़िक़ यक्सां हैं यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और मां के बाप या मां (नानी) को इस मुतालबा का अधिकार नहीं है यह मुहीत में है। और भाइयों व बहनों व चचओं व फूफियों व मामुओं व खालाओं को मुतालबा हद क़ज़्फ़ नहीं है यह शरह तहावा में है और औलाद को मुतालबा हद क़ज़्फ़ का अधिकार हो इस समय नहीं हासिल होता है कि क़ाज़िफ़ इस का बाप या दादा वग़ैरह कहते ही ऊंचे दर्जे का हो या मां व नानी वग़ैरह हो यह ईज़ाह में है। अगर अपने बाप या मां या भाई या चचा को क़ज़्फ़ किया तो क़ाज़िफ़ को हद मारी जायेगी एक ने अपने बेटे को कहा कि ओ इब्नुल ज़ानिया और इस की मां मर चुकी है और इस औरत का एक और बेटा किसी दूसरे खाविन्द से है पस इस ने हद क़ज़्फ़ का मुतालबा किया तो क़ाज़िफ़ को हद मारी जायेगी और इसी तरह अगर मैयत मक़ज़ूफ़ के दो बेटे हों पस एक ने क़ाज़िफ़ के कथन की पुष्टि की तो दूसरे को अधिकार होगा कि हद क़ज़्फ़ का मुतालबा करे और अगर मक़ज़ूफ़ का एक ही

क़ज़फ़ में क़ाज़िफ़ की तसदीक़ की फिर चाहा कि क़ज़फ़ का मुतालबा करे तो इस को यह इख़्तयार न होगा यह मबसूत में है।

किसी ग़ुलाम से कहा कि ऐ ज़ानी पस उसने कहा कि नहीं बल्कि तू है तो ग़ुलाम को हद मारी जायेगी न आज़ाद को और अगर दोनों आज़ाद हों तो इस सूरत में दोनों को हद मारी जायेगीः

इमाम मौहम्मद रह० ने जामअ सग़ीर में फ़रमाया कि एक मर्द का एक ग़ुलाम है और इस ग़ुलाम की मां आज़ादा मुसलमान थी और वो मर चुकी थी फिर मौ ने इस ग़ुलाम की मां को क़ज़फ़ किया तो ग़ुलाम को अपने मौला से इस के हद क़ज़फ़ के मवाख़ज़ा का इख़्तयार नहीं है यह मुहीत में है। अगर दो मर्दों ने बाहम गाली गलोच की पस एक ने कहा कि मैं तो ज़ानी नहीं हूं और वो मेरी मां ज़ानिया है तो फ़रमाया कि ऐसे वाक़िऐ में हद नहीं

(1)इस पर तोहमत लगाई गई।
(2)और यह इस वक़्त है कि इस के वास्ते इ]तयारा इस्तहक़ाक+ हो।

है और अगर कहा कि जिस ने ऐसा ऐसा कहा वो ज़ानिया का बेटा है पस एक ने कहा कि यह मैंक्ने कहा है तो इब्तदा करने वाले पर हद नहीं है यह फ़तावा करख़ी में है। अगर किसी ग़ुलाम से कहा कि ऐ ज़ानी पस इस ने कहा कि नहीं बल्कि तू है तो ग़ुलाम को हद मारी जायेगी न आज़ाद को और अगर दोनों आज़ाद हों तो इस सूरत में दोनों को हद मारी जायेगी और यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है। अगर अजनबी ने किसी अजनबिया को क़ज़फ़ किया जो मोहसना है पस क़ाज़िफ़ पर हद क़ायम की गई फिर इस औरत को दूसरे ने क़ज़फ़ किया तो दूसरे पर भी हद क़ायम की जायेगी। यह मुहीत में है। इब्ने समाआ ने इमाम मौहम्मद रह० से रक़यात में रिवायत किया है कि चार मर्दों ने एक मर्द पर गवाही दी कि इस ने फ़लाना िबिन्ते फ़लां मख़्ज़ूमिया से ज़िना किया और यह औरत जिस का नाम लिया है

बेटा हो और इस ने क़ज़फ़ में क़ाज़िफ़ की पुष्टि की फिर चाहा कि क़ज़फ़ का मुतालबा करे तो इस को यह अधिकार न होगा यह मबसूत में है।

किसी ग़ुलाम से कहा कि ऐ दुष्कर्मी पस उसने कहा कि नहीं बल्कि तू है तो ग़ुलाम को हद मारी जायेगी न आज़ाद को और अगर दोनों आज़ाद हों तो इस स्थिति में दोनों को हद मारी जायेगीः

इमाम मौहम्मद रह० ने जामअ सग़ीर में फ़रमाया कि एक मर्द का एक ग़ुलाम है और इस ग़ुलाम की मां आज़ादा मुसलमान थी और वो मर चुकी थी फिर मौ ने इस ग़ुलाम की मां को क़ज़फ़ किया तो ग़ुलाम को अपने मौला से इस के हद क़ज़फ़ के मवाख़ज़ा का अधिकार नहीं है यह मुहीत में है। अगर दो मर्दों ने बाहम गाली गलोच की पस एक ने कहा कि मैं तो दुष्कर्मी नहीं हूं और वो मेरी मां ज़ानिया है तो फ़रमाया कि ऐसे वाक़िऐ में हद नहीं

(1)इस पर तोहमत लगाई गई।
(2)औरयह इस सम है कि इस के लि, इ]तयारा इस्तहक़ाक+ हो।

है और अगर कहा कि जिस ने ऐसा ऐसा कहा वो ज़ानिया का बेटा है पस एक ने कहा कि यह मैंक्ने कहा है तो इब्तदा करने वाले पर हद नहीं है यह फ़तावा करख़ी में है। अगर किसी ग़ुलाम से कहा कि ऐ दुष्कर्मी पस इस ने कहा कि नहीं बल्कि तू है तो ग़ुलाम को हद मारी जायेगी न आज़ाद को और अगर दोनों आज़ाद हों तो इस स्थिति में दोनों को हद मारी जायेगी और यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है। अगर अजनबी ने किसी अजनबिया को क़ज़फ़ किया जो मोहसना है पस क़ाज़िफ़ पर हद क़ायम की गई फिर इस औरत को दूसरे ने क़ज़फ़ किया तो दूसरे पर भी हद क़ायम की जायेगी। यह मुहीत में है। इब्ने समाआ ने इमाम मौहम्मद रह० से रक़यात में रिवायत किया है कि चार मर्दों ने एक मर्द पर गवाही दी कि इस ने फ़लाना बिन्ते फ़लां मख़्ज़ूमिया से ज़िना किया और यह औरत जिस का नाम लिया है औरत मअरूफ़ा है और इस का नाम व वंश ठीक बयान

औरत मअरूफ़ा है और इस का नाम व नसब ठीक बयान किया और ज़िना को भी बयान कर दिया कि ज़िना इस को कहते हैं और इस को साबित किया और यह औरत ग़ायबा है पस मर्द मज़कूर को रजम किया गया फिर एक मर्द ने इस औरत ग़ायबा को क़ज़फ़ किया पस औरत ने अपने हद क़ज़फ़ का मुतालबा ऐसे क़ाज़ी (1) के यहां किया जिस ने मर्द मज़कूर पर रजम का हुक्म दिया है तो इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि क़यास यह है कि इस के क़ाज़िफ़ को हद मारी जाये मगर मैं इस्तहसानन हुक्म देता हूं कि इस औरत के क़ाज़िफ़ को हद न मारी जाये यह ज़हीरिया में है।

जमउल जवामअ में लिखा है कि अगर औरत मज़कूरह ने अपनी हद क़ज़फ़ का मुतालबा किसी दूसरे क़ाज़ी के यहां किया तो वो क़ाज़िफ़ को हद मारेगा इल्ला आंकि वो (1) क़ाज़ी अव्वल के हुक्म क़ज़ा पर गवाह क़ायम करे यह तातारखानिया में है और अगर किसी ने चन्द बार क़ज़फ़ किया चन्द बार ज़िना किया यसा चन्द बार शराब पी फिर वो एक बार हद से महदूद हुआ तो वो इन सब के वास्ते हो जायेगी यह काफ़ी में है और अगर एक जमाअत को कलाम वाहिद से क़ज़फ़ किया या हर एक को अलाहिदा अलाहिदा कलाम से क़ज़फ़ किया या इमाम मुतफ़र्रिक़ा में क़ज़फ़ किया फिर इन सब ने इस पर हद क़ज़फ़ का दावा किया तो इन सब के वास्ते इस को हद वाहिद मारी जायेगी और इसी तरह इन में से बाज़ ने दावा किया और बाज़ ने न किया पस इस को हद मारी गई तो यह हद इन सब के वासते हो जायेगी और इसी तरह इन में से बाज़ ने दावा किया और बाज़ ने न किया पस इस को हद मारी गई तो यह हद इन सब के वास्ते हो जायेगी और इसी तरह इन में से एक हाज़िर हुआ तो क़ाज़िफ़ पर एक ही हद होगी और बस फिर अगर इस के बाद जिस ने मुतालबा नहीं किया है वो आया तो इस के हक़ की हद क़ज़फ़ बातिल होगी कि इस के वास्ते दूसरी बार इस को हद न मारी जायेगी और अगर क़ाज़िफ़ को सज़ाऐ हद दी गई फिर बाद फ़ारिग होने के इस ने दूसरे को क़ज़फ़ किया तो दूसरे के वास्ते इस को दूसरी हद मारी जायेगी और अजो हद क़ज़फ़

किया और ज़िना को भी बयान कर दिया कि ज़िना इस को कहते हैं और इस को सिद्ध किया और यह औरत ग़ायबा है पस मर्द मज़कूर को रजम किया गया फिर एक मर्द ने इस औरत ग़ायबा को क़ज़फ़ किया पस औरत ने अपने हद क़ज़फ़ का मुतालबा ऐसे क़ाज़ी (1) के यहां किया जिस ने मर्द मज़कूर पर रजम का आदेश दिया है तो इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि क़यास यह है कि इस के क़ाज़िफ़ को हद मारी जाये मगर मैं इस्तहसानन आदेश देता हूं कि इस औरत के क़ाज़िफ़ को हद न मारी जाये यह ज़हीरिया में है।

जमउल जवामअ में लिखा है कि अगर औरत मज़कूरह ने अपनी हद क़ज़फ़ का मुतालबा किसी दूसरे क़ाज़ी के यहां किया तो वो क़ाज़िफ़ को हद मारेगा सिवा आंकि वो (1) क़ाज़ी अव्वल के आदेश क़ज़ा पर गवाह क़ायम करे यह तातारखानिया में है और अगर किसी ने चन्द बार क़ज़फ़ किया चन्द बार ज़िना किया यसा चन्द बार शराब पी फिर वो एक बार हद से महदूद हुआ तो वो इन सब के लिए हो जायेगी यह काफ़ी में है और अगर एक जमाअत को बात वाहिद से क़ज़फ़ किया या हर एक को अलाहिदा अलाहिदा बात से क़ज़फ़ किया या इमाम मुतफ़र्रिक़ा में क़ज़फ़ किया फिर इन सब ने इस पर हद क़ज़फ़ का दावा किया तो इन सब के लिए इस को हद वाहिद मारी जायेगी और इसी तरह इन में से कुछ ने दावा किया और कुछ ने न किया पस इस को हद मारी गई तो यह हद इन सब के लिए हो जायेगी और इसी तरह इन में से कुछ ने दावा किया और कुछ ने न किया पस इस को हद मारी गई तो यह हद इन सब के लिए हो जायेगी और इसी तरह इन में से एक हाज़िर हुआ तो क़ाज़िफ़ पर एक ही हद होगी और बस फिर अगर इस के बाद जिस ने मुतालबा नहीं किया है वो आया तो इस के हक़ की हद क़ज़फ़ बातिल होगी कि इस के लिए दूसरी बार इस को हद न मारी जायेगी और अगर क़ाज़िफ़ को सज़ाऐ हद दी गई फिर बाद फ़ारिग होने के इस ने दूसरे को क़ज़फ़ किया तो दूसरे के लिए इस को दूसरी हद मारी जायेगी और अजो हद क़ज़फ़ जारी कर दी जाती है वो अपने मा क़ब्ल के हुदूद क़ज़फ़

जारी कर दी जाती है वो अपने मा क़ब्ल के हुदूद क़ज़्फ़ को बातिल कर देती है और जो इस के माबअद लाज़िम आऐं इन को साक़ित नहीं करती है यह सिराज वहाज में है।

अगर ज़िना शराब खोरी की वजह से इस को थोड़ी हद मारी गई फिर वो भाग गया फिर इस ने दोबारह ज़िना किया या शराब पी तो इ को अज़ सरे नू हद मारी जायेगी और अगर क़ज़्फ़ में ऐसा हुआ तो देखा जायेगा कि अगर अव्वल मक़ज़ूफ़ हाज़िर हुआ तो इस के वास्ते हद पूरी कर दी जायेगी और दूसरे मक़ज़ूफ़ की वास्ते कुछ सज़ा न दी जायेगी और अगर फ़क़त दूसरा हाज़िर हुआ तो क़ाज़िफ़ को दूसरे क़ज़्फ़ के वास्ते अज़ सरे नू हद मारी जायेगी और अव्वल की बाक़ी हद बातिल होगी और अगर एक शख़्स पर इजरासे मुख़्तलिफ़ा की हुदूद मुजतमा हुईं मसलन इस ने क़ज़्फ़ किया व ज़िना किया व चोरी की और शरब पी तो इस पर कुल यह हुदूद क़ायम किये जाऐंगे लेकिन पे दर पे क़ायम न किये जाऐंगे इस वजह से कि इस के हलाक हो जाने का खौफ़ है बल्कि इन्तज़ार किया जायेगा यहां तक कि अव्वल से अच्छा हो जाये और पस पहले पहल इस पर हद क़ज़्फ़ जारी की जायेगी इस वास्ते कि इस में हक़ उल अब्द है फिर इस के बाद इमामुल मुस्लिमीन को इख़्तयार है चाहे पहले हद ज़िना जारी करे और चाहे पहले हाथ काटे और शराब खोरी की हद मौख़िर की जायेगी और अगर बावजूद इस के इस ने किसी को मजरूह किया हो जिस का बदला भी इस पर वाजिब हो तो

(1)ह क़ैद मशअर है कि अगर दूसरे क़ाज़ी केयहां मुतालबा पैश करे तो वो कि+यासन व इस्तहसानन क़ाज़िफ+ को हद मारेगा वल्लाहु तआला आलम।

(2)काफ़ी हो जाऐंगे नयह कि क़सदन व बालात इन सब के वास्ते होगी इल्ला बमुतालबा जमा ज़ालिक फ़ताम्मुल फ़ीह।

पहले जराहत का बदला ले लेगा फिर हद क़ज़्फ़ जारी करेगा फिर जो बाक़ियों में से अक़्वा हो अलल तरतीब पूरी की जायेगी यह तबयुन में है। अगर कहा कि तुम सब ज़ानी हो इल्ला एक तो इस को हद (1) मारी जायेगी इस वास्ते कि इस का कलाम मुस्तसना मिन्हु यानी असल क़ज़्फ़ मौज्जिब हद सादिर हुआ पस हर एक

को बातिल कर देती है और जो इस के माबअद अनिवार्य आऐं इन को साक़ित नहीं करती है यह सिराज वहाज में है।

अगर ज़िना शराब खोरी की कारण से इस को थोड़ी हद मारी गई फिर वो भाग गया फिर इस ने दोबारह ज़िना किया या शराब पी तो इ को अज़ सरे नू हद मारी जायेगी और अगर क़ज़्फ़ में ऐसा हुआ तो देखा जायेगा कि अगर अव्वल मक़ज़ूफ़ हाज़िर हुआ तो इस के लिए हद पूरी कर दी जायेगी और दूसरे मक़ज़ूफ़ की लिए कुछ सज़ा न दी जायेगी और अगर फ़क़त दूसरा हाज़िर हुआ तो क़ाज़िफ़ को दूसरे क़ज़्फ़ के लिए अज़ सरे नू हद मारी जायेगी और अव्वल की बाक़ी हद बातिल होगी और अगर एक व्यक्ति पर इजरासे मुख़्तलिफ़ा की हुदूद मुजतमा हुईं मसलन इस ने क़ज़्फ़ किया व ज़िना किया व चोरी की और शरब पी तो इस पर कुल यह हुदूद क़ायम किये जाऐंगे लेकिन पे दर पे क़ायम न किये जाऐंगे इस कारण से कि इस के हलाक हो जाने का खौफ़ है बल्कि इन्तज़ार किया जायेगा यहां तक कि अव्वल से अच्छा हो जाये और पस पहले पहल इस पर हद क़ज़ूफ़ जारी की जायेगी इस लिए कि इस में हक़ उल अब्द है फिर इस के बाद इमामुल मुस्लिमीन को अधिकार है चाहे पहले हद ज़िना जारी करे और चाहे पहले हाथ काटे और शराब खोरी की हद मौख़िर की जायेगी और अगर बावजूद इस के इस ने किसी को मजरूह किया हो जिस का बदला भी इस पर अनिवार्य हो तो

(1)ह क़ैद मशअर है कि अगर दूसरे क़ाज़ी केयहां मुतालबा पैश करे तो वो कि+यासन व इस्तहसानन क़ाज़िफ+ को हद मारेगा वल्लाहु तआला आलम।

(2)काफ़ी हो जाऐंगे नयह कि क़सदन व बालात इन सब के लि, होगी सिवा बमुतालबा जमा ज़ालिक फ़ताम्मुल फ़ीह।

पहले जराहत का बदला ले लेगा फिर हद क़ज़्फ़ जारी करेगा फिर जो बाक़ियों में से अक़्वा हो अलल तरतीब पूरी की जायेगी यह तबयुन में है। अगर कहा कि तुम सब दुष्कर्मी हो सिवा एक तो इस को हद (1) मारी जायेगी इस लिए कि इस का बात मुस्तसना मिन्हु यानी असल क़ज़्फ़ मौज्जिब हद सादिर हुआ पस हर एक को

को हद क़ज़फ़ के दावा का इख़्तयार है ता वक़्त यह कि वो मुस्तसना को मुअय्यन न करे यह फ़तावा कुबरा में है। एक गुलाम नें एक आज़ाद को क़ज़फ़ किया फिर आज़ाद किया गया फिर दूसरे को क़ज़फ़ किया फिर दोनों ने बइजमाअ दावा किया तो इस को अस्सी (80) दुर्रे मारे जाऐंगे और अगर पहले अव्वल मक़ज़ूफ़ आया और इस के वास्ते चालीस दुर्रे मारे गये फिर दूसरे ने दावा किया तो इस के वास्ते अस्सी पूरे कर दिये जाऐंगे यानी फ़क़त चालीस और मारे जाऐंगे और अगर क़ब्ल इस के कि दूसरा मक़ज़ूफ़ इस को लाये इस ने एक और आज़ाद को क़ज़फ़ किया तो अस्सी इन दोनों के वास्ते होंगे मगर अज़ सरे नू इसे नहीं मारे जाऐंगे और इस वास्ते कि जिस क़द्र बाक़ी है वो ततिम्मा हदुल अहरार है पस इस में आज़ाद मुदआ कई दाखिल हो सकते हैं। यह फ़तहुल क़दीर में है।

अगर कोई काफ़िर हद क़ज़फ़ में सज़ायाब हुआ तो इस की गवाही दीगर अहले ज़िम्मा पर जाइज़ न होगी :

अगर मुसलमान हद क़ज़फ़ में सज़ायाब हुआ तो हमारे अनुसार इस की गवाही हमैशा के वास्ते साक़ित हो गई यानी कभी किसी मआमले में इस की गवाही मक़बूल न होगी अगरचे वो तौबा करले इल्ला इबादात में क़बूल हो सकती है यह शरह तहावा में है। अगर कोई काफ़िर हद क़ज़फ़ में सज़ा याब हुआ तो इस की गवाही दीगर अहले ज़िम्मा पर जाइज़ न होगी। फिर अगर मुसलमान हो गया तो इस की गवाही ज़िम्मी काफ़िरों और मुसलमानों सब पर मक़बूल होगी और अगर क़ज़फ़ में इस को एक कोडा मारा गया फिर बाकी हद (कोडे) मारी गई तो इस की गवाही जाइज़ होगी और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि इस की गवाही रद कर दी जायेगी और अक़्ल ताबअ अक्सर है लेकिन अव्वल असह है यह हिदाया में है और अगर किसी ने हालत कुफ़्र में क़ज़फ़ किया और हालत इस्लाम में इस को हद मारी गई तो हमैशा के वास्ते इस की गवाही बातिल हो जायेगी और अगर गुलाम को हद क़ज़फ़ मारी गई फिर वो

हद क़ज़फ़ के दावा का अधिकार है ता समय यह कि वो मुस्तसना को निश्चित न करे यह फ़तावा कुबरा में है। एक गुलाम नें एक आज़ाद को क़ज़फ़ किया फिर आज़ाद किया गया फिर दूसरे को क़ज़फ़ किया फिर दोनों ने बइजमाअ दावा किया तो इस को अस्सी (80) दुर्रे मारे जाऐंगे और अगर पहले अव्वल मक़ज़ूफ़ आया और इस के लिए चालीस दुर्रे मारे गये फिर दूसरे ने दावा किया तो इस के लिए अस्सी पूरे कर दिये जाऐंगे यानी फ़क़त चालीस और मारे जाऐंगे और अगर क़ब्ल इस के कि दूसरा मक़ज़ूफ़ इस को लाये इस ने एक और आज़ाद को क़ज़फ़ किया तो अस्सी इन दोनों के लिए होंगे मगर अज़ सरे नू इसे नहीं मारे जाऐंगे और इस लिए कि जिस क़द्र बाक़ी है वो ततिम्मा हदुल अहरार है पस इस में आज़ाद मुदआ कई दाखिल हो सकते हैं। यह फ़तहुल क़दीर में है।

अगर कोई काफ़िर हद क़ज़फ़ में सज़ायाब हुआ तो इस की गवाही दीगर अहले ज़िम्मा पर जाइज़ न होगी :

अगर मुसलमान हद क़ज़फ़ में सज़ायाब हुआ तो हमारे अनुसार इस की गवाही हमैशा के लिए साक़ित हो गई यानी कभी किसी मआमले में इस की गवाही मक़बूल न होगी चाहे वो तौबा करले सिवा इबादात में क़बूल हो सकती है यह शरह तहावा में है। अगर कोई काफ़िर हद क़ज़फ़ में सज़ा याब हुआ तो इस की गवाही दीगर अहले ज़िम्मा पर जाइज़ न होगी। फिर अगर मुसलमान हो गया तो इस की गवाही ज़िम्मी काफ़िरों और मुसलमानों सब पर मक़बूल होगी और अगर क़ज़फ़ में इस को एक कोडा मारा गया फिर बाकी हद (कोडे) मारी गई तो इस की गवाही जाइज़ होगी और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि इस की गवाही रद कर दी जायेगी और अक़्ल ताबअ अक्सर है लेकिन अव्वल असह है यह हिदाया में है और अगर किसी ने हालत कुफ़्र में क़ज़फ़ किया और हालत इस्लाम में इस को हद मारी गई तो हमैशा के लिए इस की गवाही बातिल हो जायेगी और अगर गुलाम को हद क़ज़फ़ मारी गई फिर वो आज़ाद किया गया और इस

आज़ाद किया गया और इस ने तौबा की तो भी इस की गवाही हमैशा के वास्ते मक़बूल न होगी। अगर इस ने हालत रक़ीत में क़ज़्‌ किया फिर आज़ाद किया गया फिर इस पर हद जारी की गई तो ग़ुलामों को हद जारी की जायेगी यह शरह तहावा में है और अगर मुसलमान को थोड़ी हद क़ज़फ़ मारी गई यानी क़ब्ल अस्सी (80) कोड़े पूरे होने के वो भाग गया तो ज़ाहिरूल रिवायत के मुवाफ़िक़ इस की गवाही मक़बूल होगी जब तक इस को पूरी हद न मारी जाये। यह सिराजुल वहाज में है और मबसूत में लिखा है कि हमारे अनुसार सही मज़हब यह है कि जिस पर पूरी हद क़ज़फ़ जारी की गई फिर चार गवाह क़ायम हुए कि इस ने क़ज़फ़ में सच कहा है तो इस की गवाही मक़बूल होगी यह फ़तहुल क़दीर में है।

अगर मक़ज़ूफ़ ने क़ब्ल इस के कि इस के क़ाज़िफ़ पर हद क़ायम की जाये ज़िना किया या कोई वती हराम ग़ैर ममलूक की तो इस के क़ाज़िफ़ से हद साक़ित हो गई और इसी तरह अगर मक़ज़ूफ़ मुरतिद हो गयातो भी इस के क़ाज़िफ़ से हद साक़ित हो गई फिर इस के बाद अगर मुसलमान हो गया तो इस के क़ाज़िफ़ पर हद ऊद न करेगी और इसी तरह अगर मअतूह हो कि इस की अक़ल जाती रही हो तो भी यही हुक्म है यह मबसूत में है। क़ाज़िफ़ के ज़िम्मे से इस तरह हद साक़ित हो जाती है कि मक़ज़ूफ़ इस के क़ौल की तसदीक़ करे या क़ाज़िफ़ इस के ज़िना करने पर चार गवाह क़ायम करे ख़्वाह अपने महदूद होने से पहले क़ायम करे या मारे जाने के दरमियान में क़ायम करे और यह बिना बर एक रिवायत के रिवायात

(1)क़ालल मुतरजम हद मारी जायेगीयानी मुरादयह है कि इस को हद मारी जायेगी हरएकश]स के दावा पर इन लोगों में से जिन को इस ने तोहमत लगाई है औरयह मुराद नहीं है कि क़ाज़िफ+ ने जिस वक्त इस्तसना बतौर बहाम किया तो इस को हद मारी जायेगी वरनाऐसा हुक्म नहीं हुआ औरयह हुक्म इस बिना पर है कि इस ने मुबहम रखा और अगर वो किसी को मअनी कर दिया तोखास इसश]स का दावा साक़ित हो जाता और दूसरों के हक+ में वो क़ाज़िफ+ रहता पस इन का हक+ साक़ित न होता हासिल कलामयह है कि हर हाल में वो हद मारा जायेगा अल्बत्ता मुअय्यन करने की सूरत मेंखास इसीश]स का दअवा साक़ित हो जायेगा और मुबहम रखने में नसब का दावा क़ायम हो सकता है।

में से है और यह सिराज वहाज में है और अगर

ने तौबा की तो भी इस की गवाही हमैशा के लिए मक़बूल न होगी। अगर इस ने हालत रक़ीत में क़ज़्‌ किया फिर आज़ाद किया गया फिर इस पर हद जारी की गई तो ग़ुलामों को हद जारी की जायेगी यह शरह तहावा में है और अगर मुसलमान को थोड़ी हद क़ज़फ़ मारी गई यानी क़ब्ल अस्सी (80) कोड़े पूरे होने के वो भाग गया तो ज़ाहिरूल रिवायत के मुवाफ़िक़ इस की गवाही मक़बूल होगी जब तक इस को पूरी हद न मारी जाये। यह सिराजुल वहाज में है और मबसूत में लिखा है कि हमारे अनुसार सही मज़हब यह है कि जिस पर पूरी हद क़ज़फ़ जारी की गई फिर चार गवाह क़ायम हुए कि इस ने क़ज़फ़ में सच कहा है तो इस की गवाही मक़बूल होगी यह फ़तहुल क़दीर में है।

अगर मक़ज़ूफ़ ने क़ब्ल इस के कि इस के क़ाज़िफ़ पर हद क़ायम की जाये ज़िना किया या कोई वती निषिद्ध ग़ैर ममलूक की तो इस के क़ाज़िफ़ से हद साक़ित हो गई और इसी तरह अगर मक़ज़ूफ़ धर्मभ्रष्ट हो गयातो भी इस के क़ाज़िफ़ से हद साक़ित हो गई फिर इस के बाद अगर मुसलमान हो गया तो इस के क़ाज़िफ़ पर हद ऊद न करेगी और इसी तरह अगर मअतूह हो कि इस की अक़ल जाती रही हो तो भी यही आदेश है यह मबसूत में है। क़ाज़िफ़ के ज़िम्मे से इस तरह हद साक़ित हो जाती है कि मक़ज़ूफ़ इस के कथन की पुष्टि करे या क़ाज़िफ़ इस के ज़िना करने पर चार गवाह क़ायम करे चाहे अपने महदूद होने से पहले क़ायम करे या मारे जाने के दरमियान में क़ायम करे और यह बिना बर एक रिवायत के रिवायात

(1)अनुवादक के कथनानुसार हद मारी जायेगीयानी तात्पर्यायह है कि इस को हद मारी जायेगी हरएक व्यक्ति के दावा पर इन लोगों में से जिन को इस ने तोहमत लगाई है औरयह तात्पर्य नहीं है कि क़ाज़िफ+ ने जिस सम इस्तसना बतौर बहाम किया तो इस को हद मारी जायेगी वरनाऐसा आदेश नहीं हुआ औरयह आदेश इस बिना पर है कि इस ने मुबहम रखा और अगर वो किसी को मअनी कर दिया तोखास इस व्यक्ति का दावा साक़ित हो जाता और दूसरों के हक+ में वो क़ाज़िफ+ रहता पस इन का हक+ साक़ित न होता हासिल बातयह है कि हर हाल में वो हद मारा जायेगा अल्बत्ता निश्चित करने की स्थिति मेंखास इसी व्यक्ति का दअवा साक़ित हो जायेगा और मुबहम रखने में वंश का दावा क़ायम हो सकता है।

में से है और यह सिराज वहाज में है और अगर

चार गवाहों से कम मक़ज़ूफ़ के ज़िना करने पर इस की तरफ़ से मक़बूल न होंगे फिर अगर वो चार गवाह लाया जिन्होंने मक़ज़ूफ़ के ज़िना मुतसादिम (1) की गवाही दी तो क़ाज़िफ़ के ज़िम्मे से इस्तहसानन हद दूर की जायेगी और अगर वो तीन गवाह लाया जिन्होंने मक़ज़ूफ़ के ज़िना पर गवाही दी और क़ाज़िफ़ ने कहा कि मैं चौथा हूं तो इस के कलाम पर इल्तफ़ात न किया जायेगा और इस के साथ ही बाक़ी तीनों गवाहों पर भी हद क़ज़फ़ जारी की जायेगी और अगर दो मर्दों ने या दो औरतों और एक मर्द ने गवाही अदा कर दी कि इस मक़ज़ूफ़ ने अपने ज़िना का इक़रार किया है तो क़ाज़िफ़ और तीनों गवाहों सब के ज़िम्मे से हद दूर की जायेगी यह मबसूत में है। अगर मकातिब इस क़द्र माल छोड कर मर गया कि इस के अदाऐ किताबत के वास्ते काफ़ी है पस इस का माल किताबत अद करके आखिर जरमवा अज्ज़ाऐ हयात में इस की आज़ादी का हुक्म दिया गया और इस का बाक़ी तरका वारिसान अहरार के दरमियान तक़सीम किया गयसा फिर इस मकातिब मैयत को किसी ने क़ज़फ़ किया तो इस पर हद जारी न की जायेगी यह मुहीत में है।

हदे क़ज़फ़ और हदे ज़िना में फ़र्क़ः

अगर हरबियों में से कोई अमान ले कर हमारे यहां आया और इस ने किसी मर्द मुसलमान को क़ज़फ़ किया तो इस पर हद वाजिब होगी और यह अखीर क़ौल इमामे आज़म रह० का है और यही क़ौल साहिबीन रह० का है यह शरह तहावा में है। हद क़ज़फ़ और हद ज़िना में फ़र्क़ है कि हद क़ज़फ़ बसबब तसादुम (ज़माना गुज़र जाने से) के साक़ित नहीं होती है और हद ज़िना व शराब ख़्वारी बसबब तसादुम के साक़ित हो जाती है और हद क़ज़फ़ बदूं मुतालबा मक़ज़ूफ़ के क़ायम नहीं की जाती है और हद क़ज़फ़ पर गवाही भी जब ही मक़बूल होती है कि जब पहले दावा साबित हो जाये और हद क़ज़फ़ साबित हो जाने के बाद उफ़ू करने और बरी करने से साक़ित नहीं होती है। इसी तरह अगर क़ाज़ी के हुज़ूर में मुराफ़आ होने से पहले उफ़ू किया तो भी साक़ित न होगी और इसी तरह अगर क़ज़फ़ से किसी क़द्र माल पर सुलह

चार गवाहों से कम मक़ज़ूफ़ के ज़िना करने पर इस की तरफ़ से मक़बूल न होंगे फिर अगर वो चार गवाह लाया जिन्होंने मक़ज़ूफ़ के ज़िना मुतसादिम (1) की गवाही दी तो क़ाज़िफ़ के ज़िम्मे से इस्तहसानन हद दूर की जायेगी और अगर वो तीन गवाह लाया जिन्होंने मक़ज़ूफ़ के ज़िना पर गवाही दी और क़ाज़िफ़ ने कहा कि मैं चौथा हूं तो इस के बात पर इल्तफ़ात न किया जायेगा और इस के साथ ही बाक़ी तीनों गवाहों पर भी हद क़ज़फ़ जारी की जायेगी और अगर दो मर्दों ने या दो औरतों और एक मर्द ने गवाही अदा कर दी कि इस मक़ज़ूफ़ ने अपने ज़िना का स्वीकार किया है तो क़ाज़िफ़ और तीनों गवाहों सब के ज़िम्मे से हद दूर की जायेगी यह मबसूत में है। अगर मकातिब इस क़द्र माल छोड़ कर मर गया कि इस के अदाऐ किताबत के लिए काफ़ी है पस इस का माल किताबत अद करके आखिर जरमवा अज्ज़ाऐ हयात में इस की आज़ादी का आदेश दिया गया और इस का बाक़ी तरका वारिसान अहरार के दरमियान तक़सीम किया गयसा फिर इस मकातिब मैयत को किसी ने क़ज़फ़ किया तो इस पर हद जारी न की जायेगी यह मुहीत में है।

हदे क़ज़फ़ और हदे ज़िना में फ़र्क़ः

अगर हरबियों में से कोई अमान ले कर हमारे यहां आया और इस ने किसी मर्द मुसलमान को क़ज़फ़ किया तो इस पर हद अनिवार्य होगी और यह अखीर कथन इमामे आज़म रह० का है और यही कथन साहिबीन रह० का है यह शरह तहावा में है। हद क़ज़फ़ और हद ज़िना में फ़र्क़ है कि हद क़ज़फ़ बसबब तसादुम (ज़माना गुज़र जाने से) के साक़ित नहीं होती है और हद ज़िना व शराब ख़्वारी बसबब तसादुम के साक़ित हो जाती है और हद क़ज़फ़ बदूं मुतालबा मक़ज़ूफ़ के क़ायम नहीं की जाती है और हद क़ज़फ़ पर गवाही भी जब ही मक़बूल होती है कि जब पहले दावा सिद्ध हो जाये और हद क़ज़फ़ सिद्ध हो जाने के बाद उफ़ू करने और बरी करने से साक़ित नहीं होती है। इसी तरह अगर क़ाज़ी के हुज़ूर में मुराफ़आ होने से पहले उफ़ू किया तो भी साक़ित न होगी और इसी तरह अगर क़ज़फ़ से किसी क़द्र माल पर सुलह

कर ली तो बातिल है माल सुलह वापिस कर दे और मक़ज़ूफ़ को इख़्तियार रहेगा कि इस के बाद हद क़ज़फ़ का मुतालबा करे और यह हमारे नज़दीक है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और ऐसी हद तो क़ाज़ी अपने इल्म पर क़ायम कर सकता है जबकि अयामे क़ज़ा में आगाह हुआ हो और इसी तरह अगर क़ाज़ी के सामने क़ज़फ़ किया तो इस को हद मारेगा और अगर क़ाज़ी मुक़र्रर होने से पहले क़ाज़ी ने इस को जाना फिर क़ाज़ी मुक़र्रर हुआ तो क़ाज़ी को इख़्तियार नहीं है कि अपने इल्म पर इस हद को जारी करे जब तक इस के पास इस की गवाही न गुज़रे यह फ़तहुल क़दीर में है। अगर मक़ज़ूफ़ ने मुतालबा छोड़ दिया तो यह बेहतर है और इसी तरह हाकिम के वास्ते मुस्तहसन है कि जब इस के पास इस का मुराफ़आ हो तो इस के असबात कराने के लिए वकील (बल्कि ख़ुद मुतकफ़्फ़िल हो) मुक़र्रर कर देना नहीं जाइज़ है और रहा हद फिर पाने के लिए जारी करा लेने और पूरा करा लेने के वास्ते बिल इजमाअ वकील मुक़र्रर कर देना नहीं जाइज़ है और यह फ़तहुल क़दीर में है।

तअज़ीर का बयान

फ़सल

तअज़ीर की शरई तारीफ़ और इक़साम का बयान :

वाज़ह हो कि तअज़ीर ऐसी तादीब है जो हद नहीं होती है और ऐसे जुर्म में वाजिब होती है जो मौज्जिबे हद नहीं है। यह निहाया में है।

(1)जिस को देर गुज़री है और मिदार देर की ऊपर ज़िक्र हो चुकी है।

इस की दो क़िस्में हैं एक बवजह हक़ अलह और दोम बवजह हक़ुल इबाद और अव्वल यानी तअज़ीर (2)

कर ली तो बातिल है माल सुलह वापिस कर दे और मक़ज़ूफ़ को अधिकार रहेगा कि इस के बाद हद क़ज़फ़ का मुतालबा करे और यह हमारे निकट है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और ऐसी हद तो क़ाज़ी अपने इल्म पर क़ायम कर सकता है जबकि अयामे क़ज़ा में आगाह हुआ हो और इसी तरह अगर क़ाज़ी के सामने क़ज़फ़ किया तो इस को हद मारेगा और अगर क़ाज़ी मुक़र्रर होने से पहले क़ाज़ी ने इस को जाना फिर क़ाज़ी मुक़र्रर हुआ तो क़ाज़ी को अधिकार नहीं है कि अपने इल्म पर इस हद को जारी करे जब तक इस के पास इस की गवाही न गुज़रे यह फ़तहुल क़दीर में है। अगर मक़ज़ूफ़ ने मुतालबा छोड़ दिया तो यह बेहतर है और इसी तरह हाकिम के लिए मुस्तहसन है कि जब इस के पास इस का मुराफ़आ हो तो इस के असबात कराने के लिए वकील (बल्कि ख़ुद मुतकफ़्फ़िल हो) मुक़र्रर कर देना नहीं जाइज़ है और रहा हद फिर पाने के लिए जारी करा लेने और पूरा करा लेने के लिए बिल इजमाअ वकील मुक़र्रर कर देना नहीं जाइज़ है और यह फ़तहुल क़दीर में है।

सज़ा के बारे में

फ़सल

सज़ा की शरई व्याख्या और प्रकार का वर्णन :

वाज़ह हो कि तअज़ीर ऐसी तादीब है जो हद नहीं होती है और ऐसे जुर्म में अनिवार्य होती है जो मौज्जिबे हद नहीं है। यह निहाया में है।

(1)जिस को देर गुज़री है और मिदार देर की ऊपर वर्णन हो चुकी है।

इस की दो क़िस्में हैं एक बवजह हक़ अलह और दोम बवजह हक़ुल इबाद और अव्वल यानी तअज़ीर (2)

बहक़ अल्लाह तआला का जारी करना इमामुल मुस्लिमीन पर वाजिब है और इस का तर्क करना इमाम को जाइज़ नहीं है इसी सूरत में कि इमाम को मालूम हो जाये कि यह फ़ाइल जुर्म क़ब्ल तअज़ीर के मन्ज़िजर हो गया है। इस पर मुतफ़रअ होता है कि इस का साबित करना ऐसे मुदआ से जाइज़ है जिस ने इस की गवाही दी यानी अगर एक शख़्स ने दावा किया कि ज़ैद ने मसलन ऐसा ऐसा जुर्म किया जो हक़ अल्लाह तआला है और इस के साथ एक शख़्स गवाह है पस मुमकिन है कि इमामुल मुस्लिमीन मुदआ हो जाये और जो मुदआ था वो गवाह हो जाये पस दूसरे गवाह के साथ इन दोनों गवाहों से जुर्म मज़कूर साबित करना जाइज़ है यह नहरूल फ़ाइक़ में है। मशाइख ने फ़रमाया कि जब कोई शख़्स इरतकाब जुर्म करता हो तो हर मुसलमान को ऐसी हालत में तअज़ीर जारी करना जाइज़ है और अगर वो इस गुनाह के करने से फ़ारिग हो गया तो बाद इस के हाकिम के सिवाए दूसरे को इस पर तअज़ीर जारी करना नहीं रवा है और क़ीना में मज़कूर है कि अगर एक ने दूसरे का कोई गुनाह मौज्जिब तअज़ीर करते देखा फिर बदून इजाज़त मोहतसबि के इस को तअज़ीर दी तो मोहतसिब को इख़्तयार होगा कि ऐसी तअज़ीर देने वाले को तअज़ीर दे बशर्तेकि मुजरिम के गुनाह से फ़ारिग होने के बाद इस ने तअज़ीर दी हो यह बहरूल राइक़ में है। शैख़ अबू जअफ़र रह० हिन्दवानी से दरयाफ़्त किया गया कि एक मर्द ने अपनी बीवी के साथ दूसरे (अजनबी ग़ैर महरम) मर्द को देखा पस आया इस का क़त्ल कर देना इस को रवा है फ़रमाया कि अगर वो जानता हो कि यह चीखने या हथियार के सिवाए दूसरी चीज़ से मारने से ज़िना से मन्ज़िजर हिोगा और बाज़ रहेगा तो इस का क़त्ल करना हलाल नहीं है और अगर जानता हो कि सिवाए क़त्ल के वो मन्ज़िजर न होगा तो इस को इस का क़त्ल कर देना हलाल है और इस की बीवी ने इस की मतावअत की हो तो बीवी का क़त्ल कर देना भी रवा है यह निहाया में है।

बहक़ अल्लाह तआला का जारी करना इमामुल मुस्लिमीन पर अनिवार्य है और इस का तर्क करना इमाम को जाइज़ नहीं है इसी स्थिति में कि इमाम को मालूम हो जाये कि यह फ़ाइल जुर्म क़ब्ल तअज़ीर के मन्ज़िजर हो गया है। इस पर मुतफ़रअ होता है कि इस का सिद्ध करना ऐसे मुदआ से जाइज़ है जिस ने इस की गवाही दी यानी अगर एक व्यक्ति ने दावा किया कि ज़ैद ने मसलन ऐसा ऐसा जुर्म किया जो हक़ अल्लाह तआला है और इस के साथ एक व्यक्ति गवाह है पस मुमकिन है कि इमामुल मुस्लिमीन मुदआ हो जाये और जो मुदआ था वो गवाह हो जाये पस दूसरे गवाह के साथ इन दोनों गवाहों से जुर्म मज़कूर सिद्ध करना जाइज़ है यह नहरूल फ़ाइक़ में है। विद्वानों ने फ़रमाया कि जब कोई व्यक्ति इरतकाब जुर्म करता हो तो हर मुसलमान को ऐसी हालत में तअज़ीर जारी करना जाइज़ है और अगर वो इस गुनाह के करने से फ़ारिग हो गया तो बाद इस के हाकिम के सिवाए दूसरे को इस पर तअज़ीर जारी करना नहीं रवा है और क़ीना में मज़कूर है कि अगर एक ने दूसरे का कोई गुनाह मौज्जिब तअज़ीर करते देखा फिर बदून इजाज़त मोहतसबि के इस को तअज़ीर दी तो मोहतसिब को अधिकार होगा कि ऐसी तअज़ीर देने वाले को तअज़ीर दे बशर्तेकि मुजरिम के गुनाह से फ़ारिग होने के बाद इस ने तअज़ीर दी हो यह बहरूल राइक़ में है। शैख़ अबू जअफ़र रह० हिन्दवानी से दरयाफ़्त किया गया कि एक मर्द ने अपनी बीवी के साथ दूसरे (अजनबी ग़ैर महरम) मर्द को देखा पस आया इस का क़त्ल कर देना इस को रवा है फ़रमाया कि अगर वो जानता हो कि यह चीखने या हथियार के सिवाए दूसरी चीज़ से मारने से ज़िना से मन्ज़िजर हिोगा और कुछ रहेगा तो इस का क़त्ल करना हलाल नहीं है और अगर जानता हो कि सिवाए क़त्ल के वो मन्ज़िजर न होगा तो इस को इस का क़त्ल कर देना हलाल है और इस की बीवी ने इस की मतावअत की हो तो बीवी का क़त्ल कर देना भी रवा है यह निहाया में है।

तअज़ीर का सगबूमत दो मर्दों या एक मर्द दो औरतों की गवाही से होता है:

जो शख़्स ज़ुल्म के साथ मुकाबरह करता हो डांको हो या टैक्स वाला हो और नीज़ सब ज़ालिमों और इन के मददगारों और साइयों (२) का क़त्ल करना हलाल है कि इन के क़ातिल को साब हासिल होगा यह नहर उल फ़ाइक़ में है और तमरताशी व मुजतबा में है और मौला को इख़्तयार है कि अपनी बान्दी ग़ुलाम को वक्त बे अदबी करने और ज़रूरत के तअज़ीर दे यह मुहीत सुरखी में है और जो तअज़ीर बवजह हक़ुल अब्द के मिस्ल क़ज़फ़ (बदगोई व अतहाम बज़िना) वग़ैरह के वाजिब होती है तो चूँकि दावा पर मौक़ूफ़ होती है यानी जब मुदआ होगा तो अल्बत्ता तअज़ीर दी जायेगी लिहाज़ा इस को सिवाए हाकिम के कोई क़ायम नहीं कर सकता है आंकि दोनों हुक्म कर लें यह फ़तहुल क़दीर में है। इस में बरी करना व उफ़ू करना और गवाही पर गवाही और क़सम जारी होती है और हुक़ूक़ुल इबाद में होता है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। तअज़ीर का सबूत दो मर्दों या एक मर्द दो औरतों की गवाही से होता है क्योंकि यह जिन्स हुक़ूक़ुल इबाद से है यह तबयुन व काफ़ी व मुहीतीन में है। एक शख़्स ने दूसरे पर शीनमा (बुरी गाली फ़हश) फ़ाहिश का दावा किया यह दावा किया कि इस ने मुझे भी मारा है और कहा कि मेरे गवाह शहर में मौजूद हैं और मुदआ अलैहि से कफ़ील नफ़्स मांगा तो मुदआ अलैहि से तीन रोज़ के वास्ते कफ़ील बिल नफ़्स लिया जायेगा पस अगर इस ने अपने दावा पर दो मर्द या एक मर्द दो औरतें या दो गवाहों की गवाही पर दो गवाह क़ायम किये तो मुदआ अलैहि

(1)नी हद तोएक मुक़र्ररी सज़ा है कि इस में कमी बैशी कुछ नहीं हो सकती है और तअज़ीरऐसी तादीबा है कि वो हद नहीं है और न इस की कोई सज़ा मुक़र्रर है बल्कि मजहूल बराऐ इमामुल मुस्लिमीन है और इस में इ]तलाफ+ है कि आया हद से ज+यादा हो सकती हैया नहीं और बैशतर का मु]तारयह है कि नहीं और इस में भी इ]तलाफ+ है कि आया हद व तअज़ीर दोनों जमा हो सकती हैंया नहीं पस अक्सर का मु]तारी है कि तफ़सील है पस बिना बरीं क़ौलहूऐसे जुर्म में वाजिब होती है जो मोजिब हद नहीं है

तअज़ीर का सगबूमत दो मर्दों या एक मर्द दो औरतों की गवाही से होता है:

जो व्यक्ति ज़ुल्म के साथ मुकाबरह करता हो डांको हो या टैक्स वाला हो और नीज़ सब ज़ालिमों और इन के मददगारों और साइयों (२) का क़त्ल करना हलाल है कि इन के क़ातिल को साब हासिल होगा यह नहर उल फ़ाइक़ में है और तमरताशी व मुजतबा में है और मौला को अधिकार है कि अपनी बान्दी ग़ुलाम को समय बे अदबी करने और ज़रूरत के तअज़ीर दे यह मुहीत सुरखी में है और जो तअज़ीर बवजह हक़ुल अब्द के मिस्ल क़ज़फ़ (बदगोई व अतहाम बज़िना) वग़ैरह के अनिवार्य होती है तो चूँकि दावा पर मौक़ूफ़ होती है यानी जब मुदआ होगा तो अल्बत्ता तअज़ीर दी जायेगी लिहाज़ा इस को सिवाए हाकिम के कोई क़ायम नहीं कर सकता है आंकि दोनों आदेश कर लें यह फ़तहुल क़दीर में है। इस में बरी करना व उफ़ू करना और गवाही पर गवाही और क़सम जारी होती है और हुक़ूक़ुल इबाद में होता है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। तअज़ीर का सबूत दो मर्दों या एक मर्द दो औरतों की गवाही से होता है क्योंकि यह जिन्स हुक़ूक़ुल इबाद से है यह तबयुन व काफ़ी व मुहीतीन में है। एक व्यक्ति ने दूसरे पर शीनमा (बुरी गाली फ़हश) फ़ाहिश का दावा किया यह दावा किया कि इस ने मुझे भी मारा है और कहा कि मेरे गवाह शहर में मौजूद हैं और मुदआ अलैहि से कफ़ील नफ़्स मांगा तो मुदआ अलैहि से तीन रोज़ के लिए कफ़ील बिल नफ़्स लिया जायेगा पस अगर इस ने अपने दावा पर दो मर्द या एक मर्द दो औरतें या दो गवाहों की गवाही पर दो गवाह क़ायम किये तो मुदआ अलैहि

(1)नी हद तोएक मुक़र्ररी सज़ा है कि इस में कमी बैशी कुछ नहीं हो सकती है और तअज़ीरऐसी तादीबा है कि वो हद नहीं है और न इस की कोई सज़ा मुक़र्रर है बल्कि मजहूल बराऐ इमामुल मुस्लिमीन है और इस में मतभेद है कि आया हद से ज+यादा हो सकती हैया नहीं और बैशतर का मु]तारयह है कि नहीं और इस में भी मतभेद है कि आया हद व तअज़ीर दोनों जमा हो सकती हैं या नहीं पस अक्सर का मु]तारी है कि तफ़सील है पस बिना बरीं क़ौलहूऐसे जुर्म में अनिवार्य होती है जो मोजिब हद नहीं है इस के

इस के मअनीयह हैं कि जो जुर्म मोजिब हद है इस में हद ही वाजिब होगी और बअ+युना इस में तअज़ीर नहीं है इल्ला बवजह दीगर अज+ वुजूह मसलन ज़िना बाकरह में जल्द ही दुर्रे बनज़र ऐंका के फ़ितना फ:+हो जायेएक साल इस कोशहर बदर कर दिया जाये न आंकि सो कोडे हद के और पचास कोडे नतबा तअज़ीर के मारे जाऐं मसलन तफ़ाम्मुल।

(२)साई से वो मुराद है जो बादशाहों केयहां जाकर चुग़लीखा कर लोगों का माल लुटवाते और तंग कराते हैं।

से कफ़ील बिल नफ़्स इस वक्त तक के वास्ते लिया जायेगा इन गवाहों का हाल दरयाफ़्त हो पस अगर गवाहों की तअद मिल की गई तो इस को तअज़ीर दी जायेगी और यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और तअज़ीर कभी हब्स (एक जगह बन्द की दिया गया) करने की साथ होती है और कभी सफ़अ (२) व गो शुमाली के साथ होती है और कभी सख्त कलामी से और कभी मारने से और कभी बानी तौर कि क़ाज़ी इस की तरफ़ नज़र तुर्श से देखे यह निहाया में है और इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार तअज़ीरन सुल्तान को रवा है कि इस का मालिक लेले और इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० और बाक़ी तीनों इमामों के नज़दीक यह हरगिज़ नहीं जाइज़ है और यह फ़तहुल क़दीर में है।

बरक़ौल इमाम अबू यूसुफ़ रह० के माल ले लेने के साथ तअज़ीर देने के मअनी यह है कि इस के माल में से कुछ माल ले कर अपने पास किसी मुद्दत तक रख छोड़े ताकि वो मुन्ज़िजर हो फिर हाकिम इस को वापिस कर दे और यह मअनी नहीं हैं कि हाकिम इस इस माल को अपने वास्ते या बैतुल माल के वास्ते बिल्कुल ले ले जैसे ज़ालिम लोगों का वहम है इस वास्ते कि किसी मुसलमान को नहीं रवा है कि किसी का माल (३) बग़ैर सबब शरई के लेले यह बहरूल राइक़ में है और शाफ़ी में लिखा है कि तअज़ीर के चन्द मरातिब हैं तअज़ीर अशरफ़ुल अशराफ़ कि उलमा और सादात अलविया हैं बाअलाम होती है यानी क़ाज़ी इस से कहे कि मुझे खबर पहुंची है कि तुम ऐसा करते हो पस वो इसी से मन्ज़िजर हो जायेगा दीगर तअज़ीर अशराफ़ कि मुराद ज़मींदार में बई तौरकाफ़ी है कि ऐलाम करे और इस को दरवाज़ा क़ाज़ी पर खींच लाया जाये औरइस के साथ इस में ख़ुसूमत वाक़े हो पस वो मन्ज़िजर हो जायेगा और दीगर

मअनीयह हैं कि जो जुर्म मोजिब हद है इस में हद ही अनिवार्य होगी और बअ+युना इस में तअज़ीर नहीं है सिवा बवजह दीगर अज+ वुजूह मसलन ज़िना बाकरह में जल्द ही दुर्रे बनज़रऐंका के फ़ितना फ:+हो जायेएक साल इस कोशहर बदर कर दिया जाये न आंकि सो कोडे हद के और पचास कोडे नतबा तअज़ीर के मारे जाऐं मसलन तफ़ाम्मुल।

(२)साई से वो तात्पर्य है जो बादशाहों केयहां जाकर चुग़लीखा कर लोगों का माल लुटवाते और तंग कराते हैं।

से कफ़ील बिल नफ़्स इस समय तक के लिए लिया जायेगा इन गवाहों का हाल दरयाफ़्त हो पस अगर गवाहों की तअद मिल की गई तो इस को तअज़ीर दी जायेगी और यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और तअज़ीर कभी हब्स (एक जगह बन्द की दिया गया) करने की साथ होती है और कभी सफ़अ (२) व गो शुमाली के साथ होती है और कभी सख्त कलामी से और कभी मारने से और कभी बानी तौर कि क़ाज़ी इस की तरफ़ मन्नत तुर्श से देखे यह निहाया में है और इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार तअज़ीरन सुल्तान को रवा है कि इस का मालिक लेले और इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० और बाक़ी तीनों इमामों के निकट यह हरगिज़ नहीं जाइज़ है और यह फ़तहुल क़दीर में है।

बरक़ौल इमाम अबू यूसुफ़ रह० के माल ले लेने के साथ तअज़ीर देने के मअनी यह हैं कि इस के माल में से कुछ माल ले कर अपने पास किसी मुद्दत तक रख छोड़े ताकि वो मुन्ज़िजर हो फिर हाकिम इस को वापिस कर दे और यह मअनी नहीं हैं कि हाकिम इस इस माल को अपने लिए या बैतुल माल के लिए बिल्कुल ले ले जैसे ज़ालिम लोगों का वहम है इस लिए कि किसी मुसलमान को नहीं रवा है कि किसी का माल (३) बग़ैर शरई कारण के ले ले यह बहररूराइक़ में है और शाफ़ी में लिखा है कि दंड की कुछ अवस्थाऐं हैं विद्वानों की सज्जनों की सज्जन सज़ा और सरदार औलिया हैं बहूविद्य होती है यानी क़ाज़ी इस से कहे कि मुझे सूचना मिली है कि तुम ऐसा करते हो बस वह इसी से दंडप्राप्त हो जाएगा दुसरी सज्जनों की सज़ा से तात्पर्य ज़मींदार में इस तरह काफ़ी है कि ऐलाम करे और इस को दरवाज़ा क़ाज़ी पर खींच लाया जाये औरइस के साथ इस में ख़ुसूमत स्थपित हो पस वो मन्ज़िजर हो जायेगा और

तअज़ीर ओसात कि बाज़ारी हैं बानी तौर काफ़ी है कि ऐलाम दूर क़ाज़ी पर खींच लाये जाने के साथ महबूस (अगर ज़रूरत देखी जाये) कर दिया जाये दीगर तअज़ीर ख़स्सा व कमीन गान कि इन सब बातों के साथ इस को मार भी दी जाये यह निहाया में है और .ज्यादा से .ज्यादा तअज़ीर उन्तालीस (39) कोड़े हैं और कम से कम तीन कोड़े हैं और हमारे मशाइख़ ने ज़िक्र फ़रमाया है कि अदना मिक़्दार बर राये इमाम है कि जिस क़द्र से वो मन्ज़िजर होता नज़र आये इसी क़द्र मुक़द्दर करे यह हिदाया में है। क़ाज़ी को चाहिए कि इस के सबब पर नज़र करे पस अगर उस जिन्स से हुआ कि इस में हद (इस के बाज़ अफ़राद हैं) वाजिब होती है हालांकि इस सूरत में किसी आरज़ की वजह से वाजिब नहीं होती तो ऐसी सूरत में इन्तहा दर्जे की तअज़ीर जारी करे और इस की मिसाल यह है कि मसलन किसी ग़ैर की बान्दी या उम्मे वल्द को कहा कि ओ ज़ानिया तो इस पर8 इन्तहा दर्जा की तअज़ीर जारजीक रे इस वास्ते कि हद क़ज़फ़ इस सूरत में इस वजह से वाजिब न हुई कि मक़ज़ूफ़ में अहसान नहीं है हालांकि यह कलाम इस जिन्स से है कि इस में हद वाजिब होती है नी क़ज़फ़ है और अगर ऐसी जिन्स से हो कि इस में हद नहीं वाजिब होती मसलन किसी दूसरे से कहा कि ओ ख़बीस और इस में तअज़ीर वाजिब हुई तो मिक़्दार तअज़ीर इमाम की राये पर है यह मुहीत में है।

बाद ज़र्ब तअज़ीर के महबूस करना भी जाइज़ है अगर इस में कोई मसलहत हो यह ऐनी शरह कन्ज़ में है और हब्स की मुद्दत इमाम की राये के सुपुर्द है यह बहरूल राइक़ में है। जिन सूरतों में कि दुर्रे मारे जाती हैं इन में तअज़ीर के दुर्रे सब से सख़्त व ज़ोर से मारे जाऐंगे फिर इस से कम हद ज़िना के दुर्रे फिर शराब ख़्वारी के फिर हद क़ज़फ़ के यानी हद क़ज़फ़ के दुर्रे सब से हलके आसानी से मारी जाऐंगे और जिस शख़्स को हद मारी गई या तअज़ीर फिर वो इस सबब से मर गया तो इस का ख़ून बदर है बख़िलाफ़ इस के शौहर ने अपनी ज़ोजा को बसबब तर्क ज़ीनत व सिंगार के या बसबब तर्क इजाबत के यानी शौहर ने इस को अपने

दूसरी सज़ा ओसात कि बाज़ारी हैं बानी तौर काफ़ी है कि ऐलाम दूर क़ाज़ी पर खींच लाये जाने के साथ महबूस (अगर ज़रूरत देखी जाये) कर दिया जाये दीगर तअज़ीर ख़स्सा व कमीन गान कि इन सब बातों के साथ इस को मार भी दी जाये यह निहाया में है और .ज्यादा से .ज्यादा तअज़ीर उन्तालीस (39) कोड़े हैं और कम से कम तीन कोड़े हैं और हमारे विद्वानों ने वर्णन फ़रमाया है कि अदना मिक़्दार बर राये इमाम है कि जिस क़द्र से वो मन्ज़िजर होता मन्नत आये इसी क़द्र मुक़द्दर करे यह हिदाया में है। क़ाज़ी को चाहिए कि इस के सबब पर मन्नत करे पस अगर उस जिन्स से हुआ कि इस में हद (इस के कुछ अफ़राद हैं) अनिवार्य होती है हालांकि इस स्थिति में किसी आरज़ की कारण से अनिवार्य नहीं होती तो ऐसी स्थिति में इन्तहा दर्जे की तअज़ीर जारी करे और इस की मिसाल यह है कि मसलन किसी ग़ैर की बान्दी या बच्चे कीमाँ को कहा कि ओ ज़ानिया तो इस पर8 इन्तहा दर्जा की तअज़ीर जारजीक रे इस लिए कि हद क़ज़फ़ इस स्थिति में इस कारण से अनिवार्य न हुई कि मक़ज़ूफ़ में अहसान नहीं है हालांकि यह बात इस जिन्स से है कि इस में हद अनिवार्य होती है नी क़ज़फ़ है और अगर ऐसी जिन्स से हो कि इस में हद नहीं अनिवार्य होती मसलन किसी दूसरे से कहा कि ओ ख़बीस और इस में तअज़ीर अनिवार्य हुई तो मिक़्दार तअज़ीर इमाम की राये पर है यह मुहीत में है।

बाद ज़र्ब तअज़ीर के महबूस करना भी जाइज़ है अगर इस में कोई मसलहत हो यह ऐनी शरह कन्ज़ में है और हब्स की मुद्दत इमाम की राये के सुपुर्द है यह बहरूल राइक़ में है। जिन स्थितियों में कि दुर्रे मारे जाती हैं इन में तअज़ीर के दुर्रे सब से सख़्त व ज़ोर से मारे जाऐंगे फिर इस से कम हद ज़िना के दुर्रे फिर शराब ख़्वारी के फिर हद क़ज़फ़ के यानी हद क़ज़फ़ के दुर्रे सब से हलके आसानी से मारी जाऐंगे और जिस व्यक्ति को हद मारी गई या तअज़ीर फिर वो इस सबब से मर गया तो इस का ख़ून बदर है बख़िलाफ़ इस के शौहर ने अपनी ज़ोजा को बसबब तर्क ज़ीनत व सिंगार के या बसबब तर्क इजाबत के यानी शौहर ने इस को अपने

बिस्तर पर बुलाया और वो न आई या बसबब तर्क नमाज़ के या बसबब बेमर्ज़ी शौहर के घर से बाहर निकलने के तअज़ी दी पस वो औरत इस तअज़ीर से मर गई तो शौहर इस का ज़ामिन (देत का) होगा और यह नहरूल फ़ाइक़ में है और तअज़ीर मारने में खरा करके कपड़े पहने हुए इस को दुर्रे मारे जाऐंगे मगर इस पर से पोस्तीन व हशवा उतार लिये जाऐंगे और तअज़ीर देने की हद में वो ममदूद (इस के मअनी हद ज़िना में मुफ़स्सल मज़कूर हैं) न किया जायेगा ज़र्ब दुर्रा इस के सब आज़ा पर मुतफ़र्रिक़ लगाई जायेगी सिवाए सर और फ़ुर्ज (मुज़क्कर के हो या मौन्नस के बइतलाक़ ज़बा नअरब) के और यह इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम मौहम्मद का क़ौल है और यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और ऐसा ही हुदूद उल असल में मज़कूर है।

अगर गाली वाले अल्फ़ाज़े बद किसी अशराफ़ को कहे जैसे फ़िक़हा में से कोई फ़क़ीह हो या कोई उलवा तो कहने वाले को तअज़ीर दी जायेगी :

अशरबतुल असल में लिखा है कि तअज़ीर एक ही जगह मारी जायेगी पस जानना चाहिए कि इस मसले में इख़्तलाफ़ रिवायात नहीं है बल्कि इख़्तलाफ़ जवाब बसबब इख़्तलाफ़ मौज़ूअ के है यानी मुतफ़र्रिक़ सब आज़ा पर मारने का हुक्म इस सूरत में है कि तअज़ीर इन्तहा दर्जा की हो यानी उन्तालीस कोडे और एक ही जगह मारने का हुक्म ऐसी सूरत में है कि तअज़ीर इन्तहा दर्जे तक न पहुंची हो यह तबयुन में लिखा है। और वजूब तअज़ीर में असल यह है कि जो शख़्स किसी मुन्किर का मुरतकब (1) हुआ या किसी मुसलमान को नाहक़ अपने क़ौल या फ़अल से ईज़ा दी तो तअज़ीर वाजिब होगी आंकि दरोग़ गोई इस के क़ौल से ख़ुद ज़ाहिर हो जैसे किसी आदमी को कहा कि ओ कुत्ते और सुवर वग़ैरह तो तअज़ीर वाजिब न होगी यह शरह तहावा में है और यही सही है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और बाज़ ने फ़रमाया कि अगर ऐसा लफ़्ज़ बद किसी अशराफ़ को कहा जैसे फ़िक़्हा में से कोई फ़क़ीह हो या कोई उलवा (सय्यद

बिस्तर पर बुलाया और वो न आई या बसबब तर्क नमाज़ के या बसबब बेमर्ज़ी शौहर के घर से बाहर निकलने के तअज़ी दी पस वो औरत इस तअज़ीर से मर गई तो शौहर इस का ज़ामिन (देत का) होगा और यह नहरूल फ़ाइक़ में है और तअज़ीर मारने में खरा करके कपड़े पहने हुए इस को दुर्रे मारे जाऐंगे मगर इस पर से पोस्तीन व हशवा उतार लिये जाऐंगे और तअज़ीर देने की हद में वो ममदूद (इस के मअनी हद ज़िना में मुफ़स्सल मज़कूर हैं) न किया जायेगा ज़र्ब दुर्रा इस के सब आज़ा पर मुतफ़र्रिक़ लगाई जायेगी सिवाए सर और फ़ुर्ज (मुज़क्कर के हो या मौन्नस के बइतलाक़ ज़बा नअरब) के और यह इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम मौहम्मद का कथन है और यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है ओर ऐसा ही हुदूद उल असल में मज़कूर है।

अगर गाली वाले अल्फ़ाज़े बद किसी अशराफ़ को कहे जैसे फ़िक़हा में से कोई फ़क़ीह हो या कोई उलवा तो कहने वाले को तअज़ीर दी जायेगी :

अशरबतुल असल में लिखा है कि तअज़ीर एक ही जगह मारी जायेगी पस जानना चाहिए कि इस मसले में मतभेद रिवायात नहीं है बल्कि मतभेद जवाब बसबब मतभेद मौज़ूअ के है यानी मुतफ़र्रिक़ सब आज़ा पर मारने का आदेश इस स्थिति में है कि तअज़ीर इन्तहा दर्जा की हो यानी उन्तालीस कोडे और एक ही जगह मारने का आदेश ऐसी स्थिति में है कि तअज़ीर इन्तहा दर्जे तक न पहुंची हो यह तबयुन में लिखा है। ओर वजूब तअज़ीर में असल यह है कि जो व्यक्ति किसी मुन्किर का मुरतकब (1) हुआ या किसी मुसलमान को नाहक़ अपने कथन या फ़अल से ईज़ा दी तो तअज़ीर अनिवार्य होगी आंकि दरोग़ गोई इस के कथन से ख़ुद ज़ाहिर हो जैसे किसी आदमी को कहा कि ओ कुत्ते और सुवर वग़ैरह तो तअज़ीर अनिवार्य न होगी यह शरह तहावा में है और यही सही है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और कुछ ने फ़रमाया कि अगर ऐसा लफ़्ज़ बद किसी अशराफ़ को कहा जैसे फ़िक़्हा में से कोई फ़क़ीह हो या कोई उलवा

जल्लाद लाद अली करमहुल्लाहु वजहहू) हो तो कहने वाले को तअज़ीर दी जायेगी और अगर अवाम मेंसे हो तो तअज़ीर न दी जायेगी और यह क़ौल अहसन है यह हिदाया में है। अगर किसी ने किसी मुसलमान को कहा कि ओ फ़ासिक़ हालांकि वो फ़ासिक़ नहीं है या कहा कि ओ फ़ासिक़ के बच्चे यसा काफ़िर या यहूदी या नसरानी या नसरानी के बच्चे या खबीस या चोर हालांकि वो चोर नहीं है या और फ़ाजिर या मुनाफ़िक़ या लूती या क़ौम लूत का काम करने वाले या लाण्डे बाज़ या सूद खोर (बैआज खाने वाला) या शराब ख़्वार या दय्यूस या मुखन्निस या खाइन या मोहबा के बच्चेया ज़न्दलीक़ या क़रतबान या मादी उल ज़वानी या मादी उल सौस तो कहने वाले को तअज़ीर दी जायेगी और अगर कहा कि औलोक और सांप और भेड़िये और हुज्जाम ई बग़ा ऐ मवाजराइ वल्द उल हराम ऐ अयार ऐ नाकिस ऐ मन्कूस ऐ मसखरा ऐ कशखान ऐ ज़ोहका ऐ मौसूस ऐ इब्ने मौसूस ऐ इब्न असवद (स्याह) हालांकि इस का बाप ऐसा नहीं है ऐ देहाती हालांकि ऐसा नहीं है ऐ लुंजे तो कहने वाले को तअज़ीर न दी जायेगी और यह काफ़ी में है।

मर्द सालह से कहा ऐ मअफ़ूह, ऐ इब्ने क़र्तबान (दय्यूस) तो बक़ौल नाक़ती उस पर तअज़ीर वाजिब होगी :

अगर कहा कि ऐ इब्नुल फ़ाजिरा या ओ इब्नुल फ़ासिक़ा तो इस पर तअज़ीर वाजिब होगी इस वास्ते कि इस ने इस को एक तरह का ऐब लगाया है या ग़ायतुल बयान में है। अगर फ़ासिक़ से कहा कि ऐ फ़ासिक़ या शराब ख़्वार से कहा कि ऐ शराब ख़्वार या ज़ालिम से कहा कि ऐ ज़ालिम तो इस में कुछ वाजिब न होगा यह इताबिया में है और अगर किसी मर्द सालह ज़ी मुरव्वत से कहा कि ऐ चोर, ऐ मुश्रिक ऐ काफ़िर तू इस को तअज़ीर दी जायेगी यह ग़ायतुल बयान में है और अगर कहा कि ऐ पलीद तो इस को तअज़ीर दी जायेगी यह वाक़ियात में है। अगर कहा कि ऐ सफ़ला तो तअज़ीर दी जायेगी और यह जोहरा नेहरा में है। क़ालल मुतरजम 'अमा तलाक़ फ़ी अरफ़ना फ़फ़ीह ताम्मुल' और अगर

(सय्यद जल्लाद लाद अली करमहुल्लाहु वजहहू) हो तो कहने वाले को तअज़ीर दी जायेगी और अगर अवाम मेंसे हो तो तअज़ीर न दी जायेगी और यह कथन अहसन है यह हिदाया में है। अगर किसी ने किसी मुसलमान को कहा कि ओ फ़ासिक़ हालांकि वो फ़ासिक़ नहीं है या कहा कि ओ फ़ासिक़ के बच्चे यसा काफ़िर या यहूदी या नसरानी या नसरानी के बच्चे या खबीस या चोर हालांकि वो चोर नहीं है या और फ़ाजिर या मुनाफ़िक़ या लूती या क़ौम लूत का काम करने वाले या लाण्डे कुछ या सूद खोर (बैआज खाने वाला) या शराब ख़्वार या दय्यूस या मुखन्निस या खाइन या मोहबा के बच्चेया ज़न्दलीक़ या क़रतबान या मादी उल ज़वानी या मादी उल सौस तो कहने वाले को तअज़ीर दी जायेगी और अगर कहा कि औलोक और सांप और भेड़िये और हुज्जाम ई बग़ा ऐ मवाजराइ वल्द उल निषिद्ध ऐ अयार ऐ नाकिस ऐ मन्कूस ऐ मसखरा ऐ कशखान ऐ ज़ोहका ऐ मौसूस ऐ इब्ने मौसूस ऐ इब्न असवद (स्याह) हालांकि इस का बाप ऐसा नहीं है ऐ देहाती हालांकि ऐसा नहीं है ऐ लुंजे तो कहने वाले को तअज़ीर न दी जायेगी और यह काफ़ी में है।

मर्द सालह से कहा ऐ मअफ़ूह, ऐ इब्ने क़र्तबान (दय्यूस) तो बक़ौल नाक़ती उस पर तअज़ीर अनिवार्य होगी :

अगर कहा कि ऐ इब्नुल फ़ाजिरा या ओ इब्नुल फ़ासिक़ा तो इस पर तअज़ीर अनिवार्य होगी इस लिए कि इस ने इस को एक तरह का ऐब लगाया है या ग़ायतुल बयान में है। अगर फ़ासिक़ से कहा कि ऐ फ़ासिक़ या शराब ख़्वार से कहा कि ऐ शराब ख़्वार या ज़ालिम से कहा कि ऐ ज़ालिम तो इस में कुछ अनिवार्य न होगा यह इताबिया में है और अगर किसी मर्द सालह ज़ी मुरव्वत से कहा कि ऐ चोर, ऐ मुश्रिक ऐ काफ़िर तू इस को तअज़ीर दी जायेगी यह ग़ायतुल बयान में है और अगर कहा कि ऐ पलीद तो इस को तअज़ीर दी जायेगी यह वाक़ियात में है। अगर कहा कि ऐ सफ़ला तो तअज़ीर दी जायेगी और यह जोहरा नेहरा में है। अनुवादक के

कहा कि ओ बेनमाज़ तो तअज़ीर दिया जायेगा और यह सिराजिया में है। अगर किसी मर्द साह से कि ओ सक्रिया तो तअज़ीर दी जायेगी यह तमरताशी में है। अगर मर्द सालह से कहा कि ऐ मअफ़ूह ऐ इब्ने क़र्तबान (हमारे उर्फ़ में भडवा दय्यूस कहते हैं) तो नातक़ी ने ज़िक्र फ़रमाया है कि इस पर तअज़ीर वाजिब होगी और अगर कहा कि ऐ बन्दर ऐ जल्लाद ऐ जुवारी तो इस में तअज़ीर वाजिब न होगी और यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। सदरूल शहीद ने फ़रमाया कि जुवारी कहने में तअज़ीर

(1)ओ छना कौन के ठिकाने और मुराद कटना है जो अपनेघर में ज़ानी मर्दों व औरतों का ठिकाना है।

(2)क़ालल मुतरजम लेकिन बेचारी उर्फ+ में पस बाज+ इस मेंऐसा है जिस की तावील हो सकती है और बाज, +सा है जिस की तावील नहीं मुमकिन है तो हमारे उर्फ+ में जो क़ाबिल तावील नहीं है इस पर लायक+ है कि तअज़ीर दी जाये।

(1)गुनाह ममनूअ+रई जिस पर इन्कार व मना करना वाजिब है।

वाजिब होगी और यह ख़ुलासा में है। अगर कहा कि ऐ मअफ़ूह तो तअज़ीर दी जायेगी और हद वाजिब न होगी और यह इममाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मौहम्मद रह० का क़ौल और अगर कहा कि या 'मअफ़ूज उल सबील' तो हद वाजिब होगी और इमाम अबू हनीफ़ा रह० के अनुसार किसी सूरत में क़ाज़िफ़ न होगा लेकिन इस पर तअज़ीर वाजिब होगी इस वास्ते कि इस ने इस को एक नोअ का ऐब लगाया और क़ौला मअफ़ूज बमअनी मज़रूब उल दुबुर यानी जिस का गांडू कहते हैं और यह ज़हीरिया में है।

अगर कहा कि ऐ अबला ऐ लाशी (यानी बीच) या ऐ सतूर तो इस पर कुछ लाज़िम न आयेगा और अगर कहा कि ऐ क़ज़र (पलीदी) तो इस में तअज़ीर वाजिब होगी यह फ़तावा कुबरा में है और अगर किसी मर्द ने किसी हादसा में उलमा का फ़तवा ले कर अपने खसम के सामने पैश किया पस खसम ने कहा कि मैं इस पर नहीं अमल करता हूं या कहा कि जो उन्होंने फ़तवा दि है ऐसा नहीं है हालांकि यह शख़्स जाकहिल है और इस ने अहले इल्म को तहक़ीर के साथ याद किया है तो इस पर तअज़ीर वाजिब होगी। अगर कसी को तअरीज़ के साथ क़ज़फ़ किया यानी इस को ज़िना कारी के साथ तअरीज़

कथनानुसार 'अमा तलाक़ फ़ी अरफ़ना फ़फ़ीह ताम्मुल' और अगर कहा कि ओ बेनमाज़ तो तअज़ीर दिया जायेगा और यह सिराजिया में है। अगर किसी मर्द साह से कि ओ सक्रिया तो तअज़ीर दी जायेगी यह तमरताशी में है। अगर मर्द सालह से कहा कि ऐ मअफ़ूह ऐ इब्ने क़र्तबान (हमारे उर्फ़ में भडवा दय्यूस कहते हैं) तो नातक़ी ने वर्णन फ़रमाया है कि इस पर तअज़ीर अनिवार्य होगी और अगर कहा कि ऐ बन्दर ऐ जल्लाद ऐ जुवारी तो इस में तअज़ीर अनिवार्य न होगी और यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। सदरूल शहीद ने फ़रमाया कि जुवारी कहने में तअज़ीर

(1)ओ छना कौन के ठिकाने और तात्पर्य कटना है जो अपनेघर में ज़ानी मर्दों व औरतों का ठिकाना है।

(2)अनुवादक के कथनानुसार लेकिन बेचारी उर्फ+ में पस कुछ इस मेंऐसा है जिस की तावील हो सकती है और कुछऐसा है जिस की तावील नहीं मुमकिन है तो हमारे उर्फ+ में जो क़ाबिल तावील नहीं है इस पर लायक+ है कि तअज़ीर दी जाये।

(1)गुनाह ममनूअ+रई जिस पर इन्कार व मना करना अनिवार्य है।

अनिवार्य होगी और यह ख़ुलासा में है। अगर कहा कि ऐ मअफ़ूह तो तअज़ीर दी जायेगी और हद अनिवार्य न होगी और यह इममाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मौहम्मद रह० का कथन और अगर कहा कि या 'मअफ़ूज उल सबील' तो हद अनिवार्य होगी और इमाम अबू हनीफ़ा रह० के अनुसार किसी स्थिति में क़ाज़िफ़ न होगा लेकिन इस पर तअज़ीर अनिवार्य होगी इस लिए कि इस ने इस को एक नोअ का ऐब लगाया और क़ौला मअफ़ूज बमअनी मज़रूब उल दुबुर यानी जिस का गांडू कहते हैं और यह ज़हीरिया में है।

अगर कहा कि ऐ अबला ऐ लाशी (यानी बीच) या ऐ सतूर तो इस पर कुछ अनिवार्य न आयेगा और अगर कहा कि ऐ क़ज़र (पलीदी) तो इस में तअज़ीर अनिवार्य होगी यह फ़तावा कुबरा में है और अगर किसी मर्द ने किसी हादसा में उलमा का फ़तवा ले कर अपने खसम के सामने पैश किया पस खसम ने कहा कि मैं इस पर नहीं अमल करता हूं या कहा कि जो उन्होंने फ़तवा दि है ऐसा नहीं है हालांकि यह व्यक्ति जाकहिल है और इस ने अहले इल्म को तहक़ीर के साथ याद किया है तो इस पर तअज़ीर अनिवार्य होगी। अगर कसी को तअरीज़ के साथ

की तो तअज़ीर वाजिब है यह हावी क़ुदसी में है। आदमी के वास्ते औला यह है कि जब इस से ऐसी बात कही जाये जो मोजिब हद व तअज़ीर है ता इस को जवाब न दे और मशाइख़ ने फ़रमाया कि अगर कहा कि ऐ ख़बीस तो अहसन यह है कि इस से बाज़ रहे और अगर बाज़ न रहा और क़ाज़ी के हुज़ूर में मराफ़आ किया ताकि कहने वाले को तादीब दे तो जाइज़ है और अगर बावजूद इस के कहने वाले को जवाब दिया कि नहीं बल्कि तू है तो कुछ मुज़ायक़ा नहीं है यह बहरूल राइक़ में है और हमारे असहाब से मरवी है कि अगर किसी ने तरह तरह के गुनाह व फ़साद करने की आदत पकड़ ली तो इस पर इस का घर गिरा दिया जायेगा और यह सिराजिया में है। फ़ख़र उल इस्लाम ने फ़रमाया कि अगर किसी ने मस्जिदों के दरवाज़े पर चुराने की आदत इख़्तयार कर ली तो वाजिब है कि इस को तअज़ीर दी जाये और मुबालग़ा किया जाये यानी बढ़ कर तअज़ीर दी जाये और क़ैद किया जाये यहां तक कि तौबा करे यह बहरूलराइक़ में है और दरोग़ व फ़रेब के क़बा ले व ख़ुतूत लिखना मोज्जिब तअज़ीर है और नीज़ मोज्जिब तअज़ीर यह भी है कि अहकाम शरीअत के साथ मुमाज़िअत करे यानी ठिठोल और मिनजुमला मोजिबात तअज़ीर के वो है जो इब्ने रूस्तम ने ज़िक्र किया है अगर बरोज़ों की दुम का टिडा की यानी सर से काट डाली या बान्दी के सर के बाल मूंड डाले तो तअज़ीर वाजिब होगी और अज़ आंजुमला अगर सुल्तान ने किसी को किसी मुसलमान के क़त्ल पर नाहक़ बाकराह मजबूर किया यानी इस तरह इकराह कियसा कि तुझ को क़त्ल करूंगा अगर तू इस को क़त्ल न करेगा पस इस ने क़त्ल किया तो इस का क़िसास सुल्तान पर होगा और तअज़ीर क़ातिल पर होगी यह इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद का क़ौल है और अंजुमला यह है कि अगर किसी ने दूसरे को ज़िनि करने पर इकराह किया पस इस ने ज़िना कियातो जिस ने इकराह किया है इस पर तअज़ीर वाजिब होगी और मिन्जुमला जो जबात तअज़ीर के ज़मद मारिद है यह तातार खानिया में है।

अगर एक ने दूसरे पर ऐसा दावा किया जो

क़ज़फ़ किया यानी इस को ज़िना कारी के साथ तअरीज़ की तो तअज़ीर अनिवार्य है यह हावी क़ुदसी में है। आदमी के लिए औला यह है कि जब इस से ऐसी बात कही जाये जो मोजिब हद व तअज़ीर है ता इस को जवाब न दे और विद्वानों ने फ़रमाया कि अगर कहा कि ऐ ख़बीस तो अहसन यह है कि इस से कुछ रहे और अगर कुछ न रहा और क़ाज़ी के हुज़ूर में मराफ़आ किया ताकि कहने वाले को तादीब दे तो जाइज़ है और अगर बावजूद इस के कहने वाले को जवाब दिया कि नहीं बल्कि तू है तो कुछ मुज़ायक़ा नहीं है यह बहरूल राइक़ में है और हमारे असहाब से मरवी है कि अगर किसी ने तरह तरह के गुनाह व फ़साद करने की आदत पकड़ ली तो इस पर इस का घर गिरा दिया जायेगा और यह सिराजिया में है। फ़ख़र उल इस्लाम ने फ़रमाया कि अगर किसी ने मस्जिदों के दरवाज़े पर चुराने की आदत अपना ली तो अनिवार्य है कि इस को तअज़ीर दी जाये और मुबालग़ा किया जाये यानी बढ़ कर तअज़ीर दी जाये और क़ैद किया जाये यहां तक कि तौबा करे यह बहरूलराइक़ में है और दरोग़ व फ़रेब के क़बा ले व ख़ुतूत लिखना मोज्जिब तअज़ीर है और नीज़ मोज्जिब तअज़ीर यह भी है कि अहकाम शरीअत के साथ मुमाज़िअत करे यानी ठिठोल और मिनजुमला मोजिबात तअज़ीर के वो है जो इब्ने रूस्तम ने वर्णन किया है अगर बरोज़ों की दुम का टिडा की यानी सर से काट डाली या बान्दी के सर के बाल मूंड डाले तो तअज़ीर अनिवार्य होगी और अज़ आंजुमला अगर सुल्तान ने किसी को किसी मुसलमान के क़त्ल पर नाहक़ बाकराह मजबूर किया यानी इस तरह इकराह कियसा कि तुझ को क़त्ल करूंगा अगर तू इस को क़त्ल न करेगा पस इस ने क़त्ल किया तो इस का क़िसास सुल्तान पर होगा और तअज़ीर क़ातिल पर होगी यह इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद का कथन है और अंजुमला यह है कि अगर किसी ने दूसरे को ज़िनि करने पर इकराह किया पस इस ने ज़िना कियातो जिस ने इकराह किया है इस पर तअज़ीर अनिवार्य होगी और मिन्जुमला जो जबात तअज़ीर के ज़मद मारिद है यह तातार खानिया में है।

मौज्जिब तकफ़ीर हो :

अगर बीमा (चौपाया मिस्ल गाये बकरी वग़ैरह के) से वती की या शुब्हा में वती की या किसी मुसलमान को थप्पड़ मारा या बाज़ार में अपने सर से मुन्दील उतार डाली यानी नंगे सर फिरा तो इस को तअ्ज़ीर दी जायेगी और यह सिराजया में है अगर गवाहान तअ्ज़ीर बाद मशहूद अलैहि के तअ्ज़ीर दिये जाने के मालूम हुआ कि गुलाम हैं या काफ़िर हैं हालांकि मशहूद अलैहि तअ्ज़ीर दिये जाने से मर गया है या दुर्रों से मज्ज़रज है या गवाहों ने बाद गवाही के रूजूअ किया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार इन पर ज़िमान नहीं है और साहिबीन रह० ने इस में इख़्तलाफ़ किया है यह मुहीत सरखसी में है। क़ीना में लिखा है कि अगर किसी से कहा कि या फ़ासिक़ फिर चाहा कि गवाहों से इसका फ़िसक़ साबित करे ताकि अपनी ज़ात से तअ्ज़ीर दफ़ा करे तो इस के गवाहों की समाअत होगी और अगर इस के फ़िसक़ का इस्बात ज़िमनन चाहा तोइस में ख़ुसूमत नहीं सही है मिस्ल जरह गवाहों के कि कहा कि मैंने इस को इतनी रिश्वत दी है कि इस पर रिश्वत का माल वापिस कर देना वाजिब होगा और गवाहों क़बूल होगी ऐसा ही इस मक़ाम पर है और यह इस वक़्त है कि गवाहों ने इस के फ़िसक़ की गवाही दी और कुछ तफ़सील न बयान की और अगर फ़िसक़ की तफ़सील करने में ऐसी बात बयान की जो मुतज़म्मन हक़ अल्लाह तआला या हक़ उल इबाद तो ऐसी गवाही क़बूल होगी मिसाल इस की यह है कि ज़ैद ने मसलन किसी से कहा कि ओ फ़ासिक़ फिर जब वो ज़ैद को क़ाज़ी के हुज़ूर में ले गया तो ज़ैद ने दावा किया कि मैंने इस को देखा कि इस ने अजनबिया औरत का बोसा लिया या इस को चिपटा लिया या इस से ख़ल्वत की या मिस्ल इस के कोइ अम्र फ़िसक़ बयान किया फिर दो गवाह क़ायम किये कि जिन्होंने गवाही दी कि हम ने इस को ऐसा करते देखा है तो शक नहीं कि ऐसी गवाही क़बूल होगी और ज़ैद की ज़ात से तअ्ज़ीर दूर हो जायेगी यह बहर उल राइक़ में है अगर एक ने दूसरे पर ऐसा दावा किया जो मोज्जिब तकफ़ीर है और मुदआ अपने दावा के इसबात से आजिज़ रहा तो इस पर

अगर एक ने दूसरे पर ऐसा दावा किया जो मौज्जिब तकफ़ीर हो :

अगर बीमा (चौपाया मिस्ल गाये बकरी वग़ैरह के) से वती की या शुब्हा में वती की या किसी मुसलमान को थप्पड़ मारा या बाज़ार में अपने सर से मुन्दील उतार डाली यानी नंगे सर फिरा तो इस को तअ्ज़ीर दी जायेगी और यह सिराजया में है अगर गवाहान तअ्ज़ीर बाद मशहूद अलैहि के तअ्ज़ीर दिये जाने के मालूम हुआ कि गुलाम हैं या काफ़िर हैं हालांकि मशहूद अलैहि तअ्ज़ीर दिये जाने से मर गया है या दुर्रों से मज्ज़रज है या गवाहों ने बाद गवाही के रूजूअ किया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार इन पर ज़िमान नहीं है और साहिबीन रह० ने इस में मतभेद किया है यह मुहीत सरखसी में है। क़ीना में लिखा है कि अगर किसी से कहा कि या फ़ासिक़ फिर चाहा कि गवाहों से इसका फ़िसक़ सिद्ध करे ताकि अपनी ज़ात से तअ्ज़ीर दफ़ा करे तो इस के गवाहों की समाअत होगी और अगर इस के फ़िसक़ का इस्बात ज़िमनन चाहा तोइस में ख़ुसूमत नहीं सही है मिस्ल जरह गवाहों के कि कहा कि मैंने इस को इतनी रिश्वत दी है कि इस पर रिश्वत का माल वापिस कर देना अनिवार्य होगा और गवाहों क़बूल होगी ऐसा ही इस मक़ाम पर है और यह इस समय है कि गवाहों ने इस के फ़िसक़ की गवाही दी और कुछ तफ़सील न बयान की और अगर फ़िसक़ की तफ़सील करने में ऐसी बात बयान की जो मुतज़म्मन हक़ अल्लाह तआला या हक़ उल इबाद तो ऐसी गवाही क़बूल होगी मिसाल इस की यह है कि ज़ैद ने मसलन किसी से कहा कि ओ फ़ासिक़ फिर जब वो ज़ैद को क़ाज़ी के हुज़ूर में ले गया तो ज़ैद ने दावा किया कि मैंने इस को देखा कि इस ने अजनबिया औरत का बोसा लिया या इस को चिपटा लिया या इस से ख़ल्वत की या मिस्ल इस के कोइ कार्य फ़िसक़ बयान किया फिर दो गवाह क़ायम किये कि जिन्होंने गवाही दी कि हम ने इस को ऐसा करते देखा है तो शक नहीं कि ऐसी गवाही क़बूल होगी और ज़ैद की ज़ात से तअ्ज़ीर दूर हो जायेगी यह बहर उल राइक़ में है अगर एक ने दूसरे पर ऐसा

कुछ वाजिब न होगा बशर्तेकि यह कलाम इस की तरफ़ से बतरीक़ दावा नज़्द हाकिम शरअ सादिर हुआ हो और अगर इस का सुदूर बतरीक़ बद गोई या इक़्तसास बद गोई या इक़्तसास के सादिर (1) हुआ हो तो अपने लायक़ सज़ा दिया जायेगा यह नहर उल फ़ाइक़ में सिराजिया में से मंक़ूल है एक शख़्स हन्फ़ी मज़हब का शाश्रेणीबद्ध उल मज़हब हो गया तो इस को तअज़ीर दी जायेगी यह जवाहिर अख़्लाती में है ज़ैद ने उमर को नाहक़ मारा फिर उमर ने ज़ैद को भी नाहक़ मारा तो दोनों को तअज़ीर दी जायेगी और तअज़ीर जारी करने में पहल इस से की जायेगी जिस ने मारने में पहल की है यह बहरूल राइक़ में है। जो शराब ख़्वारों के मजमा में बैठा या जो लोग शराबख़्वारों की हैइयत पर जमा हुए कि शुब्हा शराबख़्वारों का पड़ता अगरचे शराब न पी हो तो हर एक को तअज़ीर दी जायेगी और जिस के साथ रूकूहे खमर है इस को तअज़ीर दी जायेगी और महबूस किया जायेगा और जो मुसलमान शराब बेचता हो या सूद खाता हो इस को तअज़ीर दी जायेगी और क़ैद किया जायेगा यहां तक कि तोबा करे और ऐसा ही मुग़नी व मोहनस (जो अग़लाम कराता हो यानी ऐसा फ़ितना इस की ज़ात से बरपा हो) व नाइया (रोने वालियां जो मुसीबतों में उजरत पर रोया करती हैं) इन सब को तअज़ीर दी जायेगी और क़ैद किये जाऐंगे यहां तक कि तौबा करें यह नहरूल फ़ाइक़ में है ख़ानिया में लिखा है कि मुसलमान मुक़ीम ने अमदन अगर रमज़ान में अफ़तार (2) किया तो इस को तअज़ीर दी जायेगी और बाद इस के क़ैद किया जायेगा अगर इस की तरफ़ से दोबारा अफ़तार कर डालने का खौफ़ हो यह तातारखानिया में है।

एक ने अपने बच्चे सग़ीर को खमर (शराब) पिलाई तो उस को तअज़ीर दी जायेगी :

एक मर्द ने अजनबिया औरत आज़ादा या बान्दी का बौसा लिया या इस से मुआनक़ा किया या छुवा और यह शहवत (3) से किया तो इस को तअज़ीर दी जायेगी और इस तरह अगर फ़ुर्ज के सिवाए में इस से जिमाअ किया तो इस की तअज़ीर दी जायेगी और यह फ़तावा

दावा किया जो मोज्जिब तकफ़ीर है और मुदआ अपने दावा के इसबात से आजिज़ रहा तो इस पर कुछ अनिवार्य न होगा बशर्तेकि यह बात इस की तरफ़ से बतरीक़ दावा नज़्द हाकिम शरअ सादिर हुआ हो और अगर इस का सुदूर बतरीक़ बद गोई या इक़्तसास बद गोई या इक़्तसास के सादिर (1) हुआ हो तो अपने लायक़ सज़ा दिया जायेगा यह नहर उल फ़ाइक़ में सिराजिया में से मंक़ूल है एक व्यक्ति हन्फ़ी मज़हब का शाफ़ई उल मज़हब हो गया तो इस को तअज़ीर दी जायेगी यह जवाहिर अख़्लाती में है ज़ैद ने उमर को नाहक़ मारा फिर उमर ने ज़ैद को भी नाहक़ मारा तो दोनों को तअज़ीर दी जायेगी और तअज़ीर जारी करने में पहल इस से की जायेगी जिस ने मारने में पहल की है यह बहरूल राइक़ में है। जो शराब ख़्वारों के मजमा में बैठा या जो लोग शराबख़्वारों की हैइयत पर जमा हुए कि शुब्हा शराबख़्वारों का पड़ता चाहे शराब न पी हो तो हर एक को तअज़ीर दी जायेगी और जिस के साथ रूकूहे खमर है इस को तअज़ीर दी जायेगी और महबूस किया जायेगा और जो मुसलमान शराब बेचता हो या सूद खाता हो इस को तअज़ीर दी जायेगी और क़ैद किया जायेगा यहां तक कि तोबा करे और ऐसा ही मुग़नी व मोहनस (जो अग़लाम कराता हो यानी ऐसा फ़ितना इस की ज़ात से बरपा हो) व नाइया (रोने वालियां जो मुसीबतों में उजरत पर रोया करती हैं) इन सब को तअज़ीर दी जायेगी और क़ैद किये जाऐंगे यहां तक कि तौबा करें यह नहरूल फ़ाइक़ में है ख़ानिया में लिखा है कि मुसलमान मुक़ीम ने अमदन अगर रमज़ान में अफ़तार (2) किया तो इस को तअज़ीर दी जायेगी और बाद इस के क़ैद किया जायेगा अगर इस की तरफ़ से दोबारा अफ़तार कर डालने का खौफ़ हो यह तातारखानिया में है।

एक ने अपने बच्चे सग़ीर को खमर (शराब) पिलाई तो उस को तअज़ीर दी जायेगी :

एक मर्द ने अजनबिया औरत आज़ादा या बान्दी का बौसा लिया या इस से मुआनक़ा किया या छुवा और यह शहवत (3) से किया तो इस को तअज़ीर दी जायेगी

क़ाज़ी खान में है अगर किसी औरत ने बन्दर को अपने ऊपर क़ाबू दे दिया या यानी जिमाअ करने दिया तो इस का हुक्म वही (तअज़ीर दी जायेगी) है कि मर्द ने चोपाया जानवर मादा से वती की यह जोहरा नेहरा में है और जो शख़्स क़त्ल करे या चौरी करने या लोगों के मारने में मुतहम हुआ हो और वो क़ैद किया जायेगा और हमैशा बराबर क़ैद रहेगा यहां तक कि अपनी तौबा ज़ाहिर करे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और शैख अबू अली बिन अहमद रह० से दरयाफ्त किया गसया कि एक शख़्स का दूसरे पर दावा था मगर जिस पर दावा है वो इस को न मिला आखिर इस ने यह कहा कि इस के अहल व अयाल वग़ैरह को ज़ालिमों के हाथ में ाल दिया और नाहक़ ऐसा किया और बदून किफ़ालत के यह फ़अल ऐसा पस ज़ालिमों ने इन को क़ैद किया और बेड़ियां डालीं और इन को ख़ूब मारा और बहुत सा माल पैन इन का हक़ ग़सब कर लिया पस अगर इन लोगों ने यह उमूर क़ाज़ी के हुज़ूर में साबित किये तो इस तरह पिला में डालने वाले पर आया तअज़ीर

(1)ह अम्र मोहक़्क़िक़ीन उलमा के अनुसारऐसी सूरत पर महमूल है कि बावजूद जाहिल होने के बतरीक+ लहू व लअब इस नेऐसा किया हो।

(2)अफ़तार से मुरादयह है कि रोज़ा न रखा औरयह मुराद नहीं है कि रोज़ा रख कर तोड+ डाला।

(3)सदरशहीद ने फ़रमाया कि बोसा अजनबिया निशानशहवत ही पस क़ज़ाअन इस का दावा अदमशहवत क़बूल न होगा।

वाजिब होगी तो फ़रमाया कि हां वो तअज़ीर दिया जायेगा यह तातार खानिया में है। तीमिया से मंक़ूल है किसी शख़्स ने एक मर्द की बीवी या दुख़्तर को जो सग़ीरा है मकर व फ़रेब से निकाल कर किसी मर्द के साथ ब्याह दिया तो इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि मैं ऐसा करने वाले को बराबर हमैशा क़ैद रखूंगा यहां तक कि वो इस औरत को वापिस करे या ख़ुद मर जाये। यह फ़तावा कुबरा में है। एक न अपने बच्चा सग़ीर को ख़मर पिलाई यानी शराब तो इस को तअज़ीर दी जायेगी यह तातार खानिया में है। हाथ से जलक़ लगाना हराम है और इस में तअज़ीर लाज़िम आती है और अपनी बीवी या बान्दी को अपने ज़करसे अबस करने का क़ाबू दिया हत्ता कि इस को इन्ज़ाल हुआ तो यह मकरूह है और

और इस तरह अगर फ़ुर्ज के सिवाए में इस से जिमाअ किया तो इस की तअज़ीर दी जायेगी और यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है अगर किसी औरत ने बन्दर को अपने ऊपर क़ाबू दे दिया या यानी जिमाअ करने दिया तो इस का आदेश वही (तअज़ीर दी जायेगी) है कि मर्द ने चोपाया जानवर मादा से वती की यह जोहरा नेहरा में है और जो व्यक्ति क़त्ल करे या चौरी करने या लोगों के मारने में मुतहम हुआ हो और वो क़ैद किया जायेगा और हमैशा बराबर क़ैद रहेगा यहां तक कि अपनी तौबा ज़ाहिर करे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और शैख अबू अली बिन अहमद रह० से दरयाफ्त किया गसया कि एक व्यक्ति का दूसरे पर दावा था मगर जिस पर दावा है वो इस को न मिला आखिर इस ने यह कहा कि इस के अहल व अयाल वग़ैरह को ज़ालिमों के हाथ में ाल दिया और नाहक़ ऐसा किया और बदून किफ़ालत के यह फ़अल ऐसा पस ज़ालिमों ने इन को क़ैद किया और बेड़ियां डालीं और इन को ख़ूब मारा और बहुत सा माल पैन इन का हक़ ग़सब कर लिया पस अगर इन लोगों ने यह उमूर क़ाज़ी के हुज़ूर में सिद्ध किये तो इस तरह पिला में डालने वाले पर आया तअज़ीर

(1)ह कार्य मोहक़्क़िक़ीन उलमा के अनुसारऐसी स्थिति पर महमूल है कि बावजूद जाहिल होने के बतरीक+ लहू व लअब इस नेऐसा किया हो।

(2)अफ़तार से तात्पर्ययह है कि रोज़ा न रखा औरयह तात्पर्य नहीं है कि रोज़ा रख कर तोड+ डाला।

(3)सदरशहीद ने फ़रमाया कि बोसा अजनबिया निशानशहवत ही पस न्यायिक इस का दावा अदमशहवत क़बूल न होगा।

अनिवार्य होगी तो फ़रमाया कि हां वो तअज़ीर दिया जायेगा यह तातार खानिया में है। तीमिया से मंक़ूल है किसी व्यक्ति ने एक मर्द की बीवी या दुख़्तर को जो सग़ीरा है मकर व फ़रेब से निकाल कर किसी मर्द के साथ ब्याह दिया तो इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि मैं ऐसा करने वाले को बराबर हमैशा क़ैद रखूंगा यहां तक कि वो इस औरत को वापिस करे या ख़ुद मर जाये। यह फ़तावा कुबरा में है। एक न अपने बच्चा सग़ीर को ख़मर पिलाई यानी शराब तो इस को तअज़ीर दी जायेगी यह तातार खानिया में है। हाथ से जलक़ लगाना निषिद्ध है और इस में तअज़ीर अनिवार्य आती है और अपनी

ऐसे मर्द पर कुछ वाजिब नहीं है यह सिराजुल वहाज में है। शैख़ अबू नसरा अल दबूसी रह० ने फ़रमाया कि अगर किसी मर्द ने अपने ग़ुलाम का हाथ काट डाला या इस को क़त्ल किया तो इस पर तअज़ीर वाजिब होगी यह हावी में है। एक ग़ुलाम ने अपने मौला से अपनी ज़ात की बैअ अपने हाथ तलब करता है हालांकि मौला मक़र है कि यह मेरी सोहबत व साथ में अच्छी तरह रहा मगर इस की दरख़्वास्त क़बूल नहीं करता है तो इस को तअज़ीर दी जायेगी क्योंकि वो मुतअनत है यह फ़तावा कुबरा में है।

किताबुल सिरक़ा

सिरक़ा और इसके ज़हूर की सबूर के बयान में

इस में चार अबवाब हैं

बाबः 1

सिरक़ा की शरई तारीफ़ :

शरअ में सिरक़ा की यह तारीफ़ है कि आदमी आक़िल बालिग़ (1) निसाब मोहज़र को या जिस की क़ीमत निसाब तक पहुंचती हो दर हाल यह कि वो बिला शुब्हा ग़ैर की मिल्क हो बतौर ख़ुफ़िया ले लेना सिरक़ा है यह इख़्तयार शरह मुख़्तार में है और ख़ुफ़िया लिया जाना आया इब्तदा में मोअमतबर है या इब्तदा और इन्तहा दोनों में मोअतबर है पस फ़रमाया कि अगर सिरक़ा दिन में हो तो ख़ुफ़िया का ऐतबार इब्तदा में है और इन्तहा में भी है और अगर सिरक़ा रात में वाक़े हुआ तो ख़ुफ़िया का ऐतबार फ़क़त इब्तदा में है यह नहरूल फ़ाइक़ में है हत्ता कि अगर रात में ख़ुफ़िया मकान में सनीद लगाई फिर माल बतरीक़ मुग़ालगबा व मकाबरा जिहारन इस के मालिक से लिया बानी तौर कि मालिक जाग गया और

बीवी या बान्दी को अपने ज़करसे अबस करने का क़ाबू दिया हत्ता कि इस को इन्ज़ाल हुआ तो यह मकरूह है और ऐसे मर्द पर कुछ अनिवार्य नहीं है यह सिराजुल वहाज में है। शैख़ अबू नसरा अल दबूसी रह० ने फ़रमाया कि अगर किसी मर्द ने अपने ग़ुलाम का हाथ काट डाला या इस को क़त्ल किया तो इस पर तअज़ीर अनिवार्य होगी यह हावी में है। एक ग़ुलाम ने अपने मौला से अपनी ज़ात की विक्रय अपने हाथ तलब करता है हालांकि मौला मक़र है कि यह मेरी सोहबत व साथ में अच्छी तरह रहा मगर इस की दरख़्वास्त क़बूल नहीं करता है तो इस को तअज़ीर दी जायेगी क्योंकि वो मुतअनत है यह फ़तावा कुबरा में है।

किताबुल सिरक़ा

सिरक़ा और इसके ज़हूर की सबूर के बयान में

इस में चार अबवाब हैं

अध्याय 1

सिरक़ा की शरई तारीफ़ :

शरअ में सिरक़ा की यह तारीफ़ है कि आदमी आक़िल बालिग़ (1) निसाब मोहज़र को या जिस की क़ीमत निसाब तक पहुंचती हो दर हाल यह कि वो बिला शुब्हा ग़ैर की मिल्क हो बतौर ख़ुफ़िया ले लेना सिरक़ा है यह अधिकार शरह मुख़्तार में है और ख़ुफ़िया लिया जाना आया इब्तदा में मोअमतबर है या इब्तदा और इन्तहा दोनों में मोअतबर है पस फ़रमाया कि अगर सिरक़ा दिन में हो तो ख़ुफ़िया का ऐतबार इब्तदा में है और इन्तहा में भी है और अगर सिरक़ा रात में स्थपित हुआ तो ख़ुफ़िया का ऐतबार फ़क़त इब्तदा में है यह नहरूल फ़ाइक़ में है हत्ता कि अगर रात में ख़ुफ़िया मकान में सनीद लगाई

चौर हथियार ले कर अन्दर दाखिल हुआ और जब मालिक ने इस को अपने माल के लेने से रोका तो उस ने मालिक से मुक़ाबला (मगर मालिक को क़त्ल नहीं किया) किया तो ऐसी सूरत में भी चोर का हाथ ही काटा जायेगा और अगर दिन में उस ने मालिक से मुक़ातला किया मसलन मकान में पोशीदा सफ़ैद लगाई ओर बैत में दाखिल हो गया फिर माल को मालिक से बतौर मक़ातला व मुग़ालबा लिया तो इस का हाथ न काटा जायेगा यह मुहीत सुरख़ी में है। सिरक़ा (२) का कम से कम निसाब दस दिरहम मज़रूबा बवज़न सबआ कि खरे हों यह इतावियां में है और अगर उस ने नबर जिस का वज़न दस दिरहम ग़ैर मज़रूबा है चुराया या ऐसी मताअ जिस की क़ीमत दस दिरहम ग़ैर मज़रूबा है चुराई तो बक़ौल सही इस में हाथ काटना नहीं लाज़िम आता है और अगर निस्फ़ दीनार जिस की क़ीमत निसाब है चुराया तो हमारे नज़दीक हाथ काटना लाज़िम आता है और अगर ऐसा दीनार चुराया जिस की क़ीमत निसाब से कम है तो क़तअ नहीं है यह बहरूल राइक़ में है।

अगर दस दिरहम खोटे जिन की चांदी ग़ालिब (बनिस्बत तांबे या पीतल वग़ैरह के) है चराये तो ज़ाहिरूल रिवाया के मुवाफ़िक़ इस में क़तअ (हाथ काटना) नहीं है और यही असह है यह इतावियां में है और अगर ज़यूफ़ या नबहरा या सतूक़ा दस दिरहम चुरा लिये तो इस में हद क़तअ नहीं आती है इल्ला आंकि ऐसे दिरहम बहुत हों कि जिन की क़ीमत खरे दस दिरहम या ज़्यादा हो तो अल्बत्ता हाथ काटा जायेगा यह बहरूल राइक़ में है और जब माल मसरूक़ की तक़सीम वाजिब आई पस आया ऐसे नक़्द से क़ीमत अन्दाज़ा की जायेगी जो अज़ीज़ उल वजूद है यानी बहुत कम है या ऐसे नक़्द से जो शहर

(1)क़ालल मुतरजम फ़ी फ़वाइद उल क़ुयूद क़ौलहू٪ आदमी आक़िल बालिग+]+वाह मुसलमान होया काफ़िर+]वाह होया औरत क़ौलहू निसाब महरज+ानी जो निसाब कि हिफ़ाज़त में हो और मसउन हो क़ब्ल इस के कि इस पर हाथ साक+ का पहुंचे وانما قلنا انک٪ على اصول الحنفية كما لا يخفى على الماهر بفقنا واصولنا और निसाब सेयहां मुराद दस दिरमया ज+यादा है और क़ौलहूया जिस की क़ीमतयानी उ+रूज+ वग़ैरह जो दिरहम व दीनार न हों क़ौलहू दर हालयह कि बिलाशुब्हा और लेने वाला आदिलयाशस्ता बमिल्क

फिर माल बतरीक़ मुग़ालगबा व मकाबरा जिहारन इस के मालिक से लिया बानी तौर कि मालिक जाग गया और चौर हथियार ले कर अन्दर दाखिल हुआ और जब मालिक ने इस को अपने माल के लेने से रोका तो उस ने मालिक से मुक़ाबला (मगर मालिक को क़त्ल नहीं किया) किया तो ऐसी स्थिति में भी चोर का हाथ ही काटा जायेगा और अगर दिन में उस ने मालिक से मुक़ातला किया मसलन मकान में पोशीदा सफ़ैद लगाई और घर में दाखिल हो गया फिर माल को मालिक से बतौर मक़ातला व मुग़ालबा लिया तो इस का हाथ न काटा जायेगा यह मुहीत सुरख़ी में है। सिरक़ा (२) का कम से कम निसाब दस दिरहम मज़रूबा बवज़न सबआ कि खरे हों यह इतावियां में है और अगर उस ने नबर जिस का वज़न दस दिरहम ग़ैर मज़रूबा है चुराया या ऐसी मताअ जिस की क़ीमत दस दिरहम ग़ैर मज़रूबा है चुराई तो बक़ौल सही इस में हाथ काटना नहीं अनिवार्य आता है और अगर निस्फ़ दीनार जिस की क़ीमत निसाब है चुराया तो हमारे निकट हाथ काटना अनिवार्य आता है और अगर ऐसा दीनार चुराया जिस की क़ीमत निसाब से कम है तो क़तअ नहीं है यह बहरूल राइक़ में है।

अगर दस दिरहम खोटे जिन की चांदी ग़ालिब (बनिस्बत तांबे या पीतल वग़ैरह के) है चराये तो ज़ाहिरूल रिवाया के मुवाफ़िक़ इस में क़तअ (हाथ काटना) नहीं है और यही असह है यह इतावियां में है और अगर ज़यूफ़ या नबहरा या सतूक़ा दस दिरहम चुरा लिये तो इस में हद क़तअ नहीं आती है सिवा आंकि ऐसे दिरहम बहुत हों कि जिन की क़ीमत खरे दस दिरहम या ज़्यादा हो तो अल्बत्ता हाथ काटा जायेगा यह बहरूल राइक़ में है और जब माल मसरूक़ की तक़सीम अनिवार्य आई पस आया ऐसे नक़्द से क़ीमत अन्दाज़ा की जायेगी जो अज़ीज़ उल वजूद है यानी बहुत कम है या ऐसे नक़्द से जो शहर

(1) अनुवादक के कथनानुसार फ़ी फ़वाइद उल क़ुयूद क़ौलहू٪ आदमी आक़िल बालिग+ चाहे मुसलमान होया काफ़िर चाहे होया औरत क़ौलहू निसाब महरज+ानी जो निसाब कि हिफ़ाज़त में हो और मसउन हो क़ब्ल इस के कि इस पर हाथ साक+ का पहुंचे٪ وانما قلنا انک على اصول الحنفية كما لا يخفى على الماهر بفقنا

+]ुद न हो और नीज+ ग़ैर की मिल्क तमाम हो जो मुदआ है कि मेरा माल चुरा लिया व क़ौलहू बतौर+]ुफि+यायानी पोशीदा लेना न बतौर ग़सब व राहज़नी व डाके केوهذا یکفیک فاحفظہ
(2)सिरक़ा जिस को हमारे उर्फ+ में चुराना बोलते हैं।
(3)वज़न सबआ मअ+रूफ+ है और हम इस पर मुक़दमा में जिरह भी कर चुके हैं।

में लोगों के दरमियान बहुत राइज है तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने इमाम आज़म रह० से रिवायमत की कि ऐसे दस दिरहम से अन्दाज़ा किया जायेगा जो शहर में लोगों में .ज्यादा रायज है और हसन ने इमाम आज़म रह० से रिवायत की है कि वो ऐज़ा जोद दस दिरहमों से अन्दाज़ा की जाये हत्ता कि शक के साथ काटना न वाजिब होगा यह मुहीत में है और यही बाज़ के अनुसार मुख़्तार है यह खज़ानतुल मुफ़्तीन में है और एक के अन्दाज़ा करने पर न काटा जायेगा और न अन्दाज़ा करने वालों के इख़्तलाफ़ करने की सूरत में यानी अगर अन्दाज़ा करने वाला एक हो या अन्दाज़ा करने वाले अगरचे .ज्यादा हों मगर बाहम इख़्तलाफ़ करें इस तरह कि कोई स की क़ीमत निसाब अन्दाज़े और कोई निसाब से कम तो भी हाथ न काटा जायेगा यह मुहीत में है।

क़ीमत ऐसे दो मर्द आदिल के कहने से साबित होगी जिन को मअरफ़त क़ीमत में महारत है यह तबयुन में है और निसाब का पूरा होगा चोर के हक़ में ही मोअतबर है यानी उस की तरफ़ ऐतबार किया जायेगा कि उस ने चोरी किस क़द्र की है न मालिकों की तरफ़ और उसी वजह से अगर चोर ने दस आदमियों के माल से एक बैत से दस दिरहम हर एक से एक एक दिरहम चुराया तो उस का हाथ काटा जायेगा यह मुहीत में है मगर यह शर्त है कि हरज़ एक ही हो चुनांचे अगर दो मन्ज़िल मुख़्तलिफ़ से मिला कर एक शख़्स ने पूरा निसाब चुराया यानी मसलन हर एक मन्ज़िल से पांच पांच दिरहम खरे चुराये तो इस में क़तअ नहीं है और एक दार के बुयूत बमन्ज़िला बैत वहिद के हैं चुनांचे अगर एक दार में दस बैत हों औरहर बैत में एक एक आदमी रहता हो पस चोर ने हर बैत से रहने वाले का एक एक दिरहम खरा चुराया तो इस का हाथ काटा जायेगा बखिलाफ़ इस के अगर दार बड़ा हो और इस में ज़ुजरे मुख़्तलिफ़

واصولنाऔर निसाब सेयहां तात्पर्य दस दिरमया ज+यादा है और कौलहूया जिस की क़ीमतयानी उ+रूज+ वग़ैरह जो दिरहम व दीनार न हों क़ौलहू दर हालयह कि बिलाशुब्हा और लेने वाला आदिलयाशस्ता बमिल्क+]ुद न हो और नीज+ ग़ैर की मिल्क तमाम हो जो मुदआ है कि मेरा माल चुरा लिया व क़ौलहू बतौर +]ुफि+यायानी पोशीदा लेना न बतौर ग़सब व राहज़नी व डाके केوهذا یکفیک فاحفظہ
(2)सिरक़ा जिस को हमारे उर्फ+ में चुराना बोलते हैं।
(3)वज़न सबआ मअ+रूफ+ है और हम इस पर मुक़दमा में जिरह भी कर चुके हैं।

में लोगों के दरमियान बहुत राइज है तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने इमाम आज़म रह० से रिवायमत की कि ऐसे दस दिरहम से अन्दाज़ा किया जायेगा जो शहर में लोगों में .ज्यादा रायज है और हसन ने इमाम आज़म रह० से रिवायत की है कि वो ऐज़ा जोद दस दिरहमों से अन्दाज़ा की जाये हत्ता कि शक के साथ काटना न अनिवार्य होगा यह मुहीत में है और यही कुछ के अनुसार मुख़्तार है यह खज़ानतुल मुफ़्तीन में है और एक के अन्दाज़ा करने पर न काटा जायेगा और न अन्दाज़ा करने वालों के मतभेद करने की स्थिति में यानी अगर अन्दाज़ा करने वाला एक हो या अन्दाज़ा करने वाले चाहे .ज्यादा हों मगर बाहम मतभेद करें इस तरह कि कोई स की क़ीमत निसाब अन्दाज़े और कोई निसाब से कम तो भी हाथ न काटा जायेगा यह मुहीत में है।

क़ीमत ऐसे दो मर्द आदिल के कहने से सिद्ध होगी जिन को मअरफ़त क़ीमत में महारत है यह तबयुन में है और निसाब का पूरा होगा चोर के हक़ में ही मोअतबर है यानी उस की तरफ़ ऐतबार किया जायेगा कि उस ने चोरी किस क़द्र की है न मालिकों की तरफ़ और उसी कारण से अगर चोर ने दस आदमियों के माल से एक घर से दस दिरहम हर एक से एक एक दिरहम चुराया तो उस का हाथ काटा जायेगा यह मुहीत में है मगर यह शर्त है कि हरज़ एक ही हो चुनांचे अगर दो मन्ज़िल मुख़्तलिफ़ से मिला कर एक व्यक्ति ने पूरा निसाब चुराया यानी मसलन हर एक मन्ज़िल से पांच पांच दिरहम खरे चुराये तो इस में क़तअ नहीं है और एक घर के बुयूत बमन्ज़िला घर वहिद के हैं चुनांचे अगर एक दार में दस घर हों और हर घर में एक एक आदमी रहता हो पस

मुतअद्दिद हों तो ऐसा हुक्म नहीं है यह बहरूल राइक़ में है और यह भी शर्त है कि इस सब को एक ही बार निकाल लाये और अगर बाज़ को निकाल लाया फिर दाखिल हो कर बाक़ी को निकाल लाया तो हाथ न काटा जायेगा यह नहर उल फ़ाइक़ में है और यह भी ज़रूरी है कि इस को ज़ाहिर (1) निकाल लाये चुनांचे अगर हर ज़मीन एक दीनार निगल गया और बाक़ी को निकाल लिया तो उस का हाथ क़तअ न किया जायेगा और इस का इन्तज़ार न किया जायेगा कि चोर उस को पायखाना में फिर ले बल्कि उस के मिस्ल का ज़ामिन होगा यह बहरूल राइक़ में है।

अगर एक जमाअत हो और चोरी करने का मुबाशिर इस में फ़क़त बाज़ है तो इन सब का हाथ काटा जायेगा :

जो शख़्स कि मुबाशिर फ़अल चोरी (2) के साथ इस कारद (मददगार मुहाफ़िज़) हो ज़ाहिर उल रिवाया में इस का भी हाथ काटा जायेगा यह ज़हीरिया में है और अगर एक जमाअत हो और चोरी करने का मुबाशिर इस में फ़क़त बाज़ है तो इन सब का हाथ काटा जायेगा बशर्तेकि हर एक के हिस्से में बक़द्र निसाब आये और यह इस्तहसान है ख़्वाह मकान हरज़ से सब इस चोरी के मुबाशिर के साथ निकले हों या इस के बाद फ़िल फ़ौर निकले हों या वो`इन के बाद फ़िल फ़ौर निकला हो अगर इन चोरों में कोइई सग़ीर या मजनूं या मतआ हो या जिस का माल चुराया है इस का ज़ी रहम महरम हो तो किसी का हाथ न काटा जायेगा यह नहरूल फ़ाइक़ में है और अगर एक शख़्स ने दूसरे के दस दिरहम चुराये फिर जिस का माल चुराया है वो मर गया फिर इस मैयत के वारिस दस आदमी हुए तो इन को इख़्तयार होगा कि चोरी मज़कूर की बाबत चोर का हाथ कटवादें और अगर इन में से बाज़ ग़ायब हों तो चोर का हाथ न काटा जायेगा यहां तक किसब हाज़िर हों अगर ज़ैद ने ऊमर को वकील किया कि तो मेरे हर हक़ के मुतालबा का वकील है पस ऊमर ने खालिद को पकड़ा जिसे ज़ैद के दस दरहम चुराने का इक़रार किया है तो ऊमर को यह

चोर ने हर घर से रहने वाले का एक एक दिरहम खरा चुराया तो इस का हाथ काटा जायेगा बखिलाफ़ इस के अगर दार बड़ा हो और इस में जुजरे मुख़्तलिफ़ मुतअद्दिद हों तो ऐसा आदेश नहीं है यह बहरूल राइक़ में है और यह भी शर्त है कि इस सब को एक ही बार निकाल लाये और अगर कुछ को निकाल लाया फिर दाखिल हो कर बाक़ी को निकाल लाया तो हाथ न काटा जायेगा यह नहर उल फ़ाइक़ में है और यह भी ज़रूरी है कि इस को ज़ाहिर (1) निकाल लाये चुनांचे अगर हर ज़मीन एक दीनार निगल गया और बाक़ी को निकाल लिया तो उस का हाथ क़तअ न किया जायेगा और इस का इन्तज़ार न किया जायेगा कि चोर उस को पायखाना में फिर ले बल्कि उस के मिस्ल का ज़ामिन होगा यह बहरूल राइक़ में है।

अगर एक जमाअत हो और चोरी करने का मुबाशिर इस में फ़क़त कुछ है तो इन सब का हाथ काटा जायेगा :

जो व्यक्ति कि मुबाशिर फ़अल चोरी (2) के साथ इस कारद (मददगार मुहाफ़िज़) हो ज़ाहिर उल रिवाया में इस का भी हाथ काटा जायेगा यह ज़हीरिया में है और अगर एक जमाअत हो और चोरी करने का मुबाशिर इस में फ़क़त कुछ है तो इन सब का हाथ काटा जायेगा बशर्तेकि हर एक के हिस्से में बक़द्र निसाब आये और यह इस्तहसान है चाहे मकान हरज़ से सब इस चोरी के मुबाशिर के साथ निकले हों या इस के बाद फ़िल फ़ौर निकले हों या वो`इन के बाद फ़िल फ़ौर निकला हो अगर इन चोरों में कोइई सग़ीर या मजनूं या मतआ हो या जिस का माल चुराया है इस का ज़ी रहम महरम हो तो किसी का हाथ न काटा जायेगा यह नहरूल फ़ाइक़ में है और अगर एक व्यक्ति ने दूसरे के दस दिरहम चुराये फिर जिस का माल चुराया है वो मर गया फिर इस मैयत के वारिस दस आदमी हुए तो इन को अधिकार होगा कि चोरी मज़कूर की बाबत चोर का हाथ कटवादें और अगर इन में से कुछ ग़ायब हों तो चोर का हाथ न काटा जायेगा यहां तक किसब हाज़िर हों अगर ज़ैद ने ऊमर को

इख़्तयार होगा कि वो दस दिरहम माल का जिस की निस्बत खालिद ने इक़रार किया है मुतालबा करे मगर मैं इस का हाथ न काटूंगा और वकील के वास्ते खालिद पर दस दिरहम की डिग्री कर दी गई फिर मौक्किल ख़ुद हाज़िर हुआ तो भी मैं खालिद का हाथ न काटूंगा यह मुहीत सुरखी में है।

(1) ज़ाहिर मक़ाबिल बातिन है न मक़ाबिल खफ़ी। चुनांचे अगली इबारत से ज़ाहिर है।

(2)ानी जोश]स चोरी कर रहा है दूसरा अगरचे हाथ से चोरी नहीं करता है मगर इस का मददगार मुहाफ़िज+ है।

सिरक़ा की इल्लत में हाथ काटे जाने में ग़ुलाम व आज़ाद बराबर हैं यह हिदाया में है सिरक़ा का ज़हूर दो बातों में से एक बात पाई जाने पर होता है यानी गवाह गवाही दें या मुजरिम ख़ुद इक़रार करे पस अगर सिरक़ा का ज़हूर इक़रार के साथ हुआ तो क़ाज़ी उस से दरयाफ़्त करेगा कि क्या चीज़ चुराई है क्योंकि अगर मसरूक़ (चुराया हुआ) माल न होगा तो इस के वास्ते हाथ काटना लाज़िम न आयेगा पस अगर उस ने जिन्स माल बयान की तो उस से मिक़्दार माल दरयाफ़्त करेगा और यह इस वक़्त है कि जो चीज़ उस ने चुराई है वो मज्लिस क़ज़ा में हाज़िर न हो बल्कि ग़ायब हो आर अगर मज्लिस क़ज़ा में हाज़िर हो और जिस की यह चीज़ चुराई है वो इस का मुदआ हो पस चोर ने चोरी का इक़रार किया तो क़ाज़ी को मसरूक़ व इस के मिक़्दार के दरयाफ़्त करने की कुछ हाजत नहीं है बल्कि इसी मसरूक़ को देखेगा कि इस के चुराने से हाथ काटा जा सकता है तो हाथ काटने का हुक्म दे देगा वरना नहीं फिर इस से दरयाफ़्त करेगा कि तूने क्योंकर चुराई फिर उस से मकान व जगह दरयाफ़्त करेगा कि किस का माल चुराया है फिर जब उस ने इस सब को ठीक बयान किया (बखिलाफ़ ज़िना) तो अब इस पर क़ाज़ी हाथ काटे जाने का हुक्म देदेगा और इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार एक मर्तबा इक़रार करना काफ़ी है यह मुहीत में है और इमामुल मुस्लिमीन के वास्ते मुस्तहब है कि इस को तलक़ीन करे ताकि वो चोरी का मक़रन हो यह ज़हीरिया में है।

अगर चोरी का इक़रार किया फिर रूजूअ

वकील किया कि तो मेरे हर हक़्क़ के मुतालबा का वकील है पस उमर ने खालिद को पकड़ा जिसे ज़ैद के दस दरहम चुराने का स्वीकार किया है तो उमर को यह अधिकार होगा कि वो दस दिरहम माल का जिस की निस्बत खालिद ने स्वीकार किया है मुतालबा करे मगर मैं इस का हाथ न काटूंगा और वकील के लिए खालिद पर दस दिरहम की डिग्री कर दी गई फिर मौक्किल ख़ुद हाज़िर हुआ तो भी मैं खालिद का हाथ न काटूंगा यह मुहीत सुरखी में है।

(1) ज़ाहिर मक़ाबिल बातिन है न मक़ाबिल खफ़ी। चुनांचे अगली इबारत से ज़ाहिर है।

(2)ानी जो व्यक्ति चोरी कर रहा है दूसरा चाहे हाथ से चोरी नहीं करता है मगर इस का मददगार मुहाफ़िज+ है।

सिरक़ा की इल्लत में हाथ काटे जाने में ग़ुलाम व आज़ाद बराबर हैं यह हिदाया में है सिरक़ा का ज़हूर दो बातों में से एक बात पाई जाने पर होता है यानी गवाह गवाही दें या मुजरिम ख़ुद स्वीकार करे पस अगर सिरक़ा का ज़हूर स्वीकार के साथ हुआ तो क़ाज़ी उस से दरयाफ़्त करेगा कि क्या चीज़ चुराई है क्योंकि अगर मसरूक़ (चुराया हुआ) माल न होगा तो इस के लिए हाथ काटना अनिवार्य न आयेगा पस अगर उस ने जिन्स माल बयान की तो उस से मिक़्दार माल दरयाफ़्त करेगा और यह इस समय है कि जो चीज़ उस ने चुराई है वो मज्लिस क़ज़ा में हाज़िर न हो बल्कि ग़ायब हो आर अगर मज्लिस क़ज़ा में हाज़िर हो और जिस की यह चीज़ चुराई है वो इस का मुदआ हो पस चोर ने चोरी का स्वीकार किया तो क़ाज़ी को मसरूक़ व इस के मिक़्दार के दरयाफ़्त करने की कुछ हाजत नहीं है बल्कि इसी मसरूक़ को देखेगा कि इस के चुराने से हाथ काटा जा सकता है तो हाथ काटने का आदेश दे देगा वरना नहीं फिर इस से दरयाफ़्त करेगा कि तूने क्योंकर चुराई फिर उस से मकान व जगह दरयाफ़्त करेगा कि किस का माल चुराया है फिर जब उस ने इस सब को ठीक बयान किया (बखिलाफ़ ज़िना) तो अब इस पर क़ाज़ी हाथ काटे जाने का आदेश देदेगा और इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार एक मर्तबा स्वीकार करना काफ़ी है यह मुहीत में है और इमामुल मुस्लिमीन के लिए मुस्तहब है कि इस को

किया फिर बाज़ माल का इक़रार किया तो इस का हाथ न काटा जायेगा :

और नीज़ चाहिए कि मक़र को इक़रार से फिर जाने की तलक़ीन करे कि हीला उस पर से हद दूर हो जाने का हासिल हो पस अगर वो इक़रार से फिर गया तो हाथ काटे जाने के हक़ में सही है यानी हाथ न काटा जायेगा मगर माल तावान न वाजिब होने के हक़ में नहीं सही है यह इख़्तयार शरह मुख़्तार में है ओर अगर इक़रार किया कि मैंने इस से सौ दिरहम इस के चुराये फिर कहा कि मुझे वहम हुआ है बल्कि मैंने फ़लां शख़्स के सौ दिरहम चुराये हैं तो इन दोनों में से किसी के वास्ते हाथ नहीं काटा जायेगा मगर अव्वल मक़र लहू को माल वापिस दे और इसी के मिस्ल दूसरे को वापिस दे यह मुहीत सुरखी में है और अगर उस ने चोरी का इक़रार किया फिर रूजूअ किया फिर बाज़ माल का इक़रार किया तो इस का हाथ न काटा जायेगा यह इताबिया में है और क़ुदूरी में लिखा है कि अगर किसी ने इक़रार किया कि मैंने यह दिराहिम चुराये हैं और यह मैं नहीं जानता हूं कि किस के हैं या कहा कि मैं इस के मालिक को नहीं पहचानता हूं तो उस का हाथ न काटा जायेगा यह ज़खीरा में है।

इमाम मौहम्मद रह० ने जामअ सग़ीर में फ़रमाया कि दो मर्दों ने इक़रार किया कि हम ने यह सौ दिरहमचुराये हैं फिर इन में से एक ने कहा कि यह मेरा माल है तो इन में से किसी का हाथ न काटा जायेगा ख़्वाह इन में से एक ने यह मक़ूला हुक्म क़ज़ा होने से पहले कहा हो या बाद हुक्म क़ज़ा होने के क़ब्ल हाथ काटे जाने के कहा हो इसी की इमाम मौहम्मद रह० ने असल में तसरीह कर दी है इस वास्मते कि बाब हुदूद में इस्तीफ़ा के लिए शोअबा बक़ज़ा साबित है और अगर दोनों में से एक ने इक़रार किया कि मैंने व फ़लां ने फ़लां शख़्स से यह कपड़ा जो दोनों के हाथ में है चुराया है तो इमाम मौहम्मद रह० ने यह मसला किताबुल असल में ज़िक्र फ़रमाया औरइस की दो सूरतें क़रार दीं एक यह कि दूसरे ने इस के इक़रार की तसदीक़ की पस

तलक़ीन करे ताकि वो चोरी का मक़रन हो यह ज़हीरिया में है।

अगर चोरी का स्वीकार किया फिर रूजूअ किया फिर कुछ माल का स्वीकार किया तो इस का हाथ न काटा जायेगा :

और नीज़ चाहिए कि मक़र को स्वीकार से फिर जाने की तलक़ीन करे कि हीला उस पर से हद दूर हो जाने का हासिल हो पस अगर वो स्वीकार से फिर गया तो हाथ काटे जाने के हक़ में सही है यानी हाथ न काटा जायेगा मगर माल तावान न अनिवार्य होने के हक़ में नहीं सही है यह अधिकार शरह मुख़्तार में है ओर अगर स्वीकार किया कि मैंने इस से सौ दिरहम इस के चुराये फिर कहा कि मुझे वहम हुआ है बल्कि मैंने फ़लां व्यक्ति के सौ दिरहम चुराये हैं तो इन दोनों में से किसी के लिए हाथ नहीं काटा जायेगा मगर अव्वल मक़र लहू को माल वापिस दे और इसी के मिस्ल दूसरे को वापिस दे यह मुहीत सुरखी में है और अगर उस ने चोरी का स्वीकार किया फिर रूजूअ किया फिर कुछ माल का स्वीकार किया तो इस का हाथ न काटा जायेगा यह इताबिया में है और क़ुदूरी में लिखा है कि अगर किसी ने स्वीकार किया कि मैंने यह दिराहिम चुराये हैं और यह मैं नहीं जानता हूं कि किस के हैं या कहा कि मैं इस के मालिक को नहीं पहचानता हूं तो उस का हाथ न काटा जायेगा यह ज़खीरा में है।

इमाम मौहम्मद रह० ने जामअ सग़ीर में फ़रमाया कि दो मर्दों ने स्वीकार किया कि हम ने यह सौ दिरहमचुराये हैं फिर इन में से एक ने कहा कि यह मेरा माल है तो इन में से किसी का हाथ न काटा जायेगा चाहे इन में से एक ने यह मक़ूला आदेश क़ज़ा होने से पहले कहा हो या बाद आदेश क़ज़ा होने के क़ब्ल हाथ काटे जाने के कहा हो इसी की इमाम मौहम्मद रह० ने असल में तसरीह कर दी है इस वास्ते कि अध्याय हुदूद में इस्तीफ़ा के लिए शोअबा बक़ज़ा सिद्ध है और अगर दोनों में से एक ने स्वीकार किया कि मैंने व फ़लां ने फ़लां व्यक्ति से यह कपड़ा जो दोनों के हाथ में है चुराया

इस सूरत में बिल इजमाअ दोनों का हाथ काटा जायेगा दोम आंकि दूसरे ने इस की तकज़ीब की तो इस की दो सूरतें हैं अव्वल आंकि दूसरा यह कहे कि मैंने चुराया नहीं है यह कपड़ा मेरा कपड़ा है, प ऐसी सूरत में बिल इजमाअ इन दोनों में से किसी पर क़तअ वाजिब न होगा दोम आंकि दूसरे ने कहा कि मैंने नहीं चुराया और मैं नहीं पहचानता कैसा कपड़ा और इस सूरत में इख़्तलाफ़

(1) क्योंकि इस में तक़ादुम अहद से मिसल क़ज़फ+ के सक़ूत लाज़िम नहीं आता है बखिलाफ+ हदशराब+]वारी वग़ैरह के कि इस में तक़ादुम से हद साक़ित हो जाती है।
(2)भरपाई व पूरा वसूल हो जाना।

है कि इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि इक़रार करने वाले का हाथ काटा जायेगा और रहा इन्कार करने वाला सो बिल इजमाअ इस का हाथ नहीं काटा जायेगा यह मुहीत में है।

अगर दूसरे ने उस की तसदीक़ की फिर उस से फिर गया तो बिल इत्तफ़ाक़ इक़रार करने वाले से क़तअ साक़ित हो जायेगा यह इताबिया में है और अगर दोनों में से एक ने कहा कि हम ने यह कपड़ा फ़लां से चुराया पस दूसरे ने कहा कि तो झूट बोला हम ने नहीं चुराया है लेकिन यह कपड़ा फ़लां का है तो इमाम आज़म रह० के नज़दीक मक़र का हाथ काटा जायेगा और मुन्किर का हाथ नहीं काटा जायेगा और एक शख़्स ने दूसरे पर सिरक़ा का दावा किया और उस ने इन्कार किया तो इस से क़सम ली जायेगी पस अगर उस ने क़सम से इन्कार किया तो उस का हाथ नहीं काटा जायेगा लेकिन माल का ज़ामिन हुआ और अगर उस ने इक़रार कर लिया फिर अपने इक़रार से फिर गया और इन्कार किया तो हाथ न काटा जायेगा व लेकिन माल का ज़ामिन होगा यह सिराजुल वहाज में है और अगर ज़ैद ने सिरक़ा का इक़रार किया पस उमर ने कहा कि नहीं बल्कि मैंने चुराया है न इस ने तो जिस का माल चुराया है वो जिस की तसदीक़ करे इस का हा काटाजायेगा पस अगर स ने अव्वल की तसदीक़ की फिर दूसरे की तो हाथ काटना व माल की ज़मानत कुछ वाजिब न होगी इस वास्ते कि दूसरे की तसदीक़ करना इस की तकज़ीब है ह इताबिया में है और अगर मसरूक़ मिन्हु (जिस के जहां चोरी हुई)

है तो इमाम मौहम्मद रह० ने यह मसला किताबुल असल में वर्णन फ़रमाया औरइस की दो सूरतें क़रार दीं एक यह कि दूसरे ने इस के स्वीकार की पुष्टि की पस इस स्थिति में बिल इजमाअ दोनों का हाथ काटा जायेगा दोम आंकि दूसरे ने इस की झुठलाना की तो इस की दो सूरतें हैं अव्वल आंकि दूसरा यह कहे कि मैंने चुराया नहीं है यह कपड़ा मेरा कपड़ा है, प ऐसी स्थिति में बिल इजमाअ इन दोनों में से किसी पर क़तअ अनिवार्य न होगा दोम आंकि दूसरे ने कहा कि मैंने नहीं चुराया और मैं नहीं पहचानता कैसा कपड़ा और इस स्थिति में मतभेद

(1) क्योंकि इस में तक़ादुम अहद से मिसल क़ज़फ+ के सक़ूत अनिवार्य नहीं आता है बखिलाफ+ हदशराब+]वारी वग़ैरह के कि इस में तक़ादुम से हद साक़ित हो जाती है।
(2)भरपाई व पूरा वसूल हो जाना।

है कि इमाम अबू हनीफ़ा रह० व इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि स्वीकार करने वाले का हाथ काटा जायेगा और रहा इन्कार करने वाला सो बिल इजमाअ इस का हाथ नहीं काटा जायेगा यह मुहीत में है।

अगर दूसरे ने उस की पुष्टि की फिर उस से फिर गया तो बिल इत्तफ़ाक़ स्वीकार करने वाले से क़तअ साक़ित हो जायेगा यह इताबिया में है और अगर दोनों में से एक ने कहा कि हम ने यह कपड़ा फ़लां से चुराया पस दूसरे ने कहा कि तो झूट बोला हम ने नहीं चुराया है लेकिन यह कपड़ा फ़लां का है तो इमाम आज़म रह० के निकट मक़र का हाथ काटा जायेगा और मुन्किर का हाथ नहीं काटा जायेगा और एक व्यक्ति ने दूसरे पर सिरक़ा का दावा किया और उस ने इन्कार किया तो इस से क़सम ली जायेगी पस अगर उस ने क़सम से इन्कार किया तो उस का हाथ नहीं काटा जायेगा लेकिन माल का ज़ामिन हुआ और अगर उस ने स्वीकार कर लिया फिर अपने स्वीकार से फिर गया और इन्कार किया तो हाथ न काटा जायेगा व लेकिन माल का ज़ामिन होगा यह सिराजुल वहाज में है और अगर ज़ैद ने सिरक़ा का स्वीकार किया पस उमर ने कहा कि नहीं बल्कि मैंने चुराया है न इस ने तो जिस का माल चुराया है वो जिस की पुष्टि करे इस का हा काटाजायेगा पस अगर स ने अव्वल की पुष्टि की फिर दूसरे की तो हाथ काटना व

ने अव्वल की तसदीक़ करने के बाद कहा कि इस को अव्वल ने नहीं चुराया और उस को दूसरे ने चुराया है तो दोनों में से किसी का हाथ न काटा जायेगा और अव्वल पर माल भी वाजिब न होगा और दूसरा माल का ज़ामिन होगा यह मुहीत सुरखी में है।

अगर चोर ने कहा कि मैंने इस को फ़लां से चुराया और इसको इस शख़्स के पास जिस को हाथ में है वदीअत रखा :

अगर अव्वल की तसदीक़ की फिरदूसरे ने इक़रार किया पस इस की भी तसदीक़ की तो दूसरा मकर माल का ज़ामिन होगा और अगर सिरक़ा का इक़रार किया फिर मालिक ने ग़सब का दावा किया या इस के बरअक्स वाक़े हुआ तो हाथ न काटा जायेगा मगर माल का ज़ामिन होगा यह इताबिया में है और अगर कहा कि नहीं और सुकूत किया फिर कहा कि बल्कि तूने मुझ से ग़सब करके लें लिया है तो माल का हुक्म न दिया जायेगा और अगर इक़रार किया कि मैंने इस तफ़ल के साथ चुराया है या इस गूंगे के साथ चुराया है तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा यह मुहीत सुरखी मं है और अगर चार ने सिरक़ा का इक़रार किया फिर दो ने रूजूअ किया तो हाथ काटा नहीं जायेगा और इसी तरह अगर दो ने इक़रार किया फिर एक ने रूजूअ किया तो भी यही हुक्म है यह इताबिया में है और अगर ज़ैद ने इक़रार किया कि मैंने यह कपड़ा उमर का चुराया है और उमर ने इक़रार किया कि इस में से निस्फ़ कपड़ा ज़ैद का है यानी कहा कि इस में से निस्फ़ कपड़ा तेरा है और ज़ैद ने इस से इन्कार किया तो उस का हाथ नहीं काटा जायेगा यह मुहीत में है और अगर चोर ने कहा कि मैंने इस को फ़लां से चुराया और इस को इस शख़्स के पास जिस के हाथ में है वदीअत रखा या इस को हुबा कर दिया या उस ने मुझ से ग़सब कर लिया है और क़ाबिज़ ने उस से इन्कार किया तो हाथ काटा जायेगा मगर क़ाबिज़ पर इस के क़ौल की तसदीक़ न होगी यह इताबिया में है।

अगर ज़ैद ने इक़रार किया कि मैंने और उमर ने खालिद से हज़ार दिरहम चुराये तो आखिर क़ौल में इमाम

माल की ज़मानत कुछ अनिवार्य न होगी इस लिए कि दूसरे की पुष्टि करना इस की झुठलाना है ह इताबिया में है और अगर मसरूक़ मिन्हु (जिस के जहां चोरी हुई) ने अव्वल की पुष्टि करने के बाद कहा कि इस को अव्वल ने नहीं चुराया और उस को दूसरे ने चुराया है तो दोनों में से किसी का हाथ न काटा जायेगा और अव्वल पर माल भी अनिवार्य न होगा और दूसरा माल का ज़ामिन होगा यह मुहीत सुरखी में है।

अगर चोर ने कहा कि मैंने इस को फ़लां से चुराया और इसको इस व्यक्ति के पास जिस को हाथ में है वदीअत रखा :

अगर अव्वल की पुष्टि की फिरदूसरे ने स्वीकार किया पस इस की भी पुष्टि की तो दूसरा मकर माल का ज़ामिन होगा और अगर सिरक़ा का स्वीकार किया फिर मालिक ने ग़सब का दावा किया या इस के बरअक्स स्थपित हुआ तो हाथ न काटा जायेगा मगर माल का ज़ामिन होगा यह इताबिया में है और अगर कहा कि नहीं और सुकूत किया फिर कहा कि बल्कि तूने मुझ से ग़सब करके लें लिया है तो माल का आदेश न दिया जायेगा और अगर स्वीकार किया कि मैंने इस तफ़ल के साथ चुराया है या इस गूंगे के साथ चुराया है तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा यह मुहीत सुरखी मं है और अगर चार ने सिरक़ा का स्वीकार किया फिर दो ने रूजूअ किया तो हाथ काटा नहीं जायेगा और इसी तरह अगर दो ने स्वीकार किया फिर एक ने रूजूअ किया तो भी यही आदेश है यह इताबिया में है और अगर ज़ैद ने स्वीकार किया कि मैंने यह कपड़ा उमर का चुराया है और उमर ने स्वीकार किया कि इस में से निस्फ़ कपड़ा ज़ैद का है यानी कहा कि इस में से निस्फ़ कपड़ा तेरा है और ज़ैद ने इस से इन्कार किया तो उस का हाथ नहीं काटा जायेगा यह मुहीत में है और अगर चोर ने कहा कि मैंने इस को फ़लां से चुराया और इस को इस व्यक्ति के पास जिस के हाथ में है वदीअत रखा या इस को हुबा कर दिया या उस ने मुझ से ग़सब कर लिया है और क़ाबिज़ ने उस से इन्कार किया तो हाथ काटा जायेगा मगर

आज़म रह० के मक़र का हाथ काटा जायेगा और यही साहिबीन रह० का क़ौल है और उस के शरीक (1) का इन्तज़ार न किया जायेगा यह ज़हीरिया में है और नवादिर बशर रह० में इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि अगर उस ने इक़रार किया कि मैंने चुराये नो दिरहम नहीं बल्कि दस दिरहम तो इमाम आज़म रह० के क़यास पर इस का हाथ काटना लाज़िम नहीं आता है यह मुहीत में है मुन्तक़ी में लिखा है कि एक ने कहा कि मैंने माल फ़लां से सौ दिरहम चुराये नहीं बल्कि दस दीनार (10) तो दस (10) दीनार की वजह से उस का हाथ काटा जायेगा और सौ दिरहम का वो ज़ामिन होगा और मुराद इस से यह है कि यह इस सूरत में है कि

(1)नी वो क्या कहता है मक़र हैया मुन्किर है।

मक़र लहू (1) ने दोनों मालों का दावा किया हो पस यह इमामे आज़म रह० का क़ौल है और अगर स ने कहा कि मैंने चुराये सौ दिरहम नहीं बल्कि दो सो दिरहम तो उस का हाथ काटा जायेगा और वो ज़ामिन न होगा और मुराद इस से यह है कि यह इस सूरत में है कि जब मक़र लहू ने फ़क़त दो सौ दिरहम का दावा किया हो यह मुहीत सुरखी में है।

अगर उस ने कहा कि मैंने चुराये दो सौ दिरहम नहीं बल्कि सौ दिरहम तो इस का हाथ न काटा जायेगा और दो सौ दिरहम का ज़ामिन होगा इस वास्ते कि उस ने दो सौ दिरहम चुराने का इक़रार किया फिर उस से फिर गया पस ज़िमान वाजिब हुई और हाथ काटना वाजिब न हुआ और सौ दिरहम का इक़रार सही न होगा इस वास्ते कि मक़र लहू इस का दावा नहीं करता है और अगर सौ दिरहम पर रूजूअ करने में मसरूक़ मिन्हु ने इस की तसदीक़ की तो ज़िमान भी वाजिब न होगी यह फ़तहुल क़दीर में है और अगर कहा कि मैंने इस से दस दिरहम चुराये नहीं बल्कि उस से नो तो इमाम अबू हनीफ़ा रह० ने फ़रमाया कि मैं अव्वल के वास्ते दस दिरहम की ज़िमान दिलवाउंगा और दूसरे (1) के वास्ते हाथ काटने का हुक्म दूंगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० फ़रमाते थे कि दूसरे के वास्ते इस का हाथ न काटा जायेगा यहां तक कि दूसरे के वास्ते एक बार और क़ाबिज़ पर इस के कथन की पुष्टि न होगी यह इताबिया में है।

अगर फ़ैद ने स्वीकार किया कि मैंने और उमर ने खालिद से हज़ार दिरहम चुराये तो आखिर कथन में इमाम आज़म रह० के मक़र का हाथ काटा जायेगा और यही साहिबीन रह० का कथन है और उस के शरीक (1) का इन्तज़ार न किया जायेगा यह ज़हीरिया में है और नवादिर बशर रह० में इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि अगर उस ने स्वीकार किया कि मैंने चुराये नो दिरहम नहीं बल्कि दस दिरहम तो इमाम आज़म रह० के क़यास पर इस का हाथ काटना अनिवार्य नहीं आता है यह मुहीत में है मुन्तक़ी में लिखा है कि एक ने कहा कि मैंने माल फ़लां से सौ दिरहम चुराये नहीं बल्कि दस दीनार (10) तो दस (10) दीनार की कारण से उस का हाथ काटा जायेगा और सौ दिरहम का वो ज़ामिन होगा और तात्पर्य इस से यह है कि यह इस स्थिति में है कि

(1)नी वो क्या कहता है मक़र हैया मुन्किर है।

मक़र लहू (1) ने दोनों मालों का दावा किया हो पस यह इमामे आज़म रह० का कथन है और अगर स ने कहा कि मैंने चुराये सौ दिरहम नहीं बल्कि दो सो दिरहम तो उस का हाथ काटा जायेगा और वो ज़ामिन न होगा और तात्पर्य इस से यह है कि यह इस स्थिति में है कि जब मक़र लहू ने फ़क़त दो सौ दिरहम का दावा किया हो यह मुहीत सुरखी में है।

अगर उस ने कहा कि मैंने चुराये दो सौ दिरहम नहीं बल्कि सौ दिरहम तो इस का हाथ न काटा जायेगा और दो सौ दिरहम का ज़ामिन होगा इस लिए कि उस ने दो सौ दिरहम चुराने का स्वीकार किया फिर उस से फिर गया पस ज़िमान अनिवार्य हुई और हाथ काटना अनिवार्य न हुआ और सौ दिरहम का स्वीकार सही न होगा इस लिए कि मक़र लहू इस का दावा नहीं करता है और अगर सौ दिरहम पर रूजूअ करने में मसरूक़ मिन्हु ने इस की पुष्टि की तो ज़िमान भी अनिवार्य न होगी यह फ़तहुल क़दीर में है और अगर कहा कि मैंने इस से दस दिरहम चुराये नहीं बल्कि उस से नो तो इमाम अबू हनीफ़ा रह० ने फ़रमाया कि मैं अव्वल के लिए दस

इक़रार करे फिर उन्होंने इमाम आज़म रह० के क़ौल की तरफ़ रूजूअ किया यह मुहीत सुरखी में है और मुन्तक़ी में लिखा है कि अगर इक़रार किया कि मैंने इस से दस दिरहम चुराये नहीं बल्कि मैंने इन को इस से चुराये तो फ़रमाया कि मैं इन दोनों के वास्ते दस दिरहम का ज़ामिन करूंगा और हाथ नहीं काटूंगा (हाथ काटने का हुक्म नहीं दूंगा) यह ज़हीरिया में है।

अगर कहा कि मैंने चुराया यह कपड़ा उस से और वो सौ दिरहम क़ीमत का है फिर कहा कि नहीं बल्कि मैंने इस दूसरे को चुराया है तो इमाम आज़म के अनुसार अव्वल की बाबत हाथ नहीं काटा जायेगा और दूसरे की बाबत हाथ काटा जायेगा यह मुहीत सुरखी में है और लड़का या लड़की इक़रार सिरक़ा करे तो सही नहीं है और अगर लड़का मोहतलम हुआ या उस के जिमाअ करनेसे हमल रहा या लड़की हालिफ़ा या हामिला हुई फिर उस ने इक़रार किया तो इक़रार सही है यह मुहीत में है और अगर किसी ने सिरक़ा का बतोअ ख़ुद इक़रार किया फिर कहा कि यह मताअ मेरी मताअ है या कहा कि मैंने इस को वदीअत दी थी या कहा कि मैंने इस को इस से बतौर रहन के बऔज़ इस दीन के जो मेरा इस पर है लिया है तो इस मर्द के ज़िम्मे से हाथ काटना दूर किया जायेगा जैसे अगर गवाहों से सिरक़ा साबित हुआ हो फिरउस ने ऐसा कहा तो यही हुक्म है और अगर क़ाज़ी ने किसी चोर पर हाथ काटने का हुक्म बगवाही या बाक़रार दे दिया फिर जिस की चीज़ चुराई थी उस ने कहा कि मेरी मताअ नहीं है इस की मताअ है उस ने मुझ से चुराई नहीं है यह मेरे पास वदीअत थी या कहा कि मेरे गवाहों ने झूटी गवाही दी या उस ने झूटा इक़रार किया या मिस्ल इस के तो इस क ज़िम्मे से हाथ काटना साक़ित हो जायेगा यह मुहीत में है।

ज़ैद ने उमर पर सिरक़ा का दावा किया तो मुदआ पर गवाह लाने लाज़िम हैं और मुदआ अलैहि पर क़सम आयद होगी और मारना खिलाफ़े शरह है और फ़तवा देने से इजतनाब ज़रूरी हैः

दिरहम की ज़िमान दिलवाउंगा और दूसरे (1) के लिए हाथ काटने का आदेश दूंगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० फ़रमाते थे कि दूसरे के लिए इस का हाथ न काटा जायेगा यहां तक कि दूसरे के लिए एक बार और स्वीकार करे फिर उन्होंने इमाम आज़म रह० के कथन की तरफ़ रूजूअ किया यह मुहीत सुरखी में है और मुन्तक़ी में लिखा है कि अगर स्वीकार किया कि मैंने इस से दस दिरहम चुराये नहीं बल्कि मैंने इन को इस से चुराये तो फ़रमाया कि मैं इन दोनों के लिए दस दिरहम का ज़ामिन करूंगा और हाथ नहीं काटूंगा (हाथ काटने का आदेश नहीं दूंगा) यह ज़हीरिया में है।

अगर कहा कि मैंने चुराया यह कपड़ा उस से और वो सौ दिरहम क़ीमत का है फिर कहा कि नहीं बल्कि मैंने इस दूसरे को चुराया है तो इमाम आज़म के अनुसार अव्वल की बाबत हाथ नहीं काटा जायेगा और दूसरे की बाबत हाथ काटा जायेगा यह मुहीत सुरखी में है और लड़का या लड़की स्वीकार सिरक़ा करे तो सही नहीं है और अगर लड़का मोहतलम हुआ या उस के जिमाअ करनेसे हमल रहा या लड़की हालिफ़ा या हामिला हुई फिर उस ने स्वीकार किया तो स्वीकार सही है यह मुहीत में है और अगर किसी ने सिरक़ा का बतोअ ख़ुद स्वीकार किया फिर कहा कि यह मताअ मेरी मताअ है या कहा कि मैंने इस को वदीअत दी थी या कहा कि मैंने इस को इस से बतौर रहन के बऔज़ इस दीन के जो मेरा इस पर है लिया है तो इस मर्द के ज़िम्मे से हाथ काटना दूर किया जायेगा जैसे अगर गवाहों से सिरक़ा सिद्ध हुआ हो फिरउस ने ऐसा कहा तो यही आदेश है और अगर क़ाज़ी ने किसी चोर पर हाथ काटने का आदेश बगवाही या बाक़रार दे दिया फिर जिस की चीज़ चुराई थी उस ने कहा कि मेरी मताअ नहीं है इस की मताअ है उस ने मुझ से चुराई नहीं है यह मेरे पास वदीअत थी या कहा कि मेरे गवाहों ने झूटी गवाही दी या उस ने झूटा स्वीकार किया या मिस्ल इस के तो इस क ज़िम्मे से हाथ काटना साक़ित हो जायेगा यह मुहीत में है।

ज़ैद ने उमर पर सिरक़ा का दावा किया तो

और अगर किसी ने बाकराह चोरी का इक़रार किया तो उस का इक़रार बातिल है और बाज़े मुताखिरीन ने उस के सही (2) होने का फ़तवा दिया है यह ज़हीरिया में है जिस पर सरक़ा का दावा किया गया है अगर इस ने सिरक़ा का इन्कार किया तो फ़क़ी अबूबकर उल ऐमश से मरवी है कि इस सूरत में इमाम उल मुस्लिमीन अपनी ग़ालिब राये पर अमल करेगा पस अगर इस की ग़ालिब राये में आये कि यह चोर है और माल इस के पास है तो इस को

(1)वोश]स जिस के वास्ते इक़रार करने वाले ने इक़रार किया।
(2)मुतरजम कहता है कियह क़ौल सही नहीं क्योंकि ज़ाहिर इबारत से मालूम होता है कि उन की मुराद इस क़ौल से क़तअ+ है और हो सकता है किशायद वो क़ाइल सेहत के ज़िमान की राह से हों।

तअज़ीब (तअज़ीर) दे और इमामुल मुस्लिमीन को ऐसा करना जाइज़ है और आम्मा मशाइख के अनुसार इमामुल मुस्लिमीन को इस के तअज़ीर देने का इख़्तयार है जैसे कि इस को चौरों के साथ जाते देखे तो ऐसा कर सकता है (वास्ते ज़हूर अम्र के) यह ज़ख़ीरा में है। ज़ैद ने उमर पर सिरक़ा का दावा कियातो मुदआ पर गवाह लाने लाज़िम हैं और मुदआ अलैहि पर क़सम आयद होगी और मारना खिलाफ़े शरह है इस का फ़तवा न दिया जायेगा इस वास्ते कि मुफ़्ती का फ़तवा मुताबिक़ शरअ होना चाहिए है ज़ैद ने उमर पर चोरी का दावा करके उमर को सुल्तान के हुज़ूर में पैश किया और दरख़्वास्त की कि सुल्तान इस को सज़ा दे ताकि यह इक़रार करे फिर इस को सुल्तान ने एक या दो मर्तबा पटवा कर क़ैद खाने में वापिस भेज दिया पस उमर को फिर अपने सज़ा पाने का खौफ़ हो औरवो क़ैद खाने पर चढ़ा पस वहुं से गिरा और मर गया औरइस को इस क़ैद खाने में नाहक़ माल देने का खसारह भी उठाना पड़ा है फिर चोरी मज़कूर के सिवाए खालिद के हाथ से ज़ाहिर हुई तो वारिसान उमर को इख़्तयार होगा कि ज़ैद से अपने मौरिस की देत और जो कुछ माली खसारह लाहक़ हुआ है सब ले लें इस वास्ते कि यह सब इसी ज़ैद के सबब से पहुंचा है और ज़ैद इस सबब के बरांगेख़्ता करने में ज़ामिल है यह फ़तावा कुबरा में है।

अगर चोरी का इक़रार किया फिर भागा तो कभी

मुदआ पर गवाह लाने अनिवार्य हैं और मुदआ अलैहि पर क़सम आयद होगी और मारना खिलाफ़े शरह है और फ़तवा देने से इजतनाब ज़रूरी है:

और अगर किसी ने बाकराह चोरी का स्वीकार किया तो उस का स्वीकार बातिल है और बाज़े मुताखिरीन ने उस के सही (2) होने का फ़तवा दिया है यह ज़हीरिया में है जिस पर सरक़ा का दावा किया गया है अगर इस ने सिरक़ा का इन्कार किया तो फ़क़ी अबूबकर उल ऐमश से मरवी है कि इस स्थिति में इमाम उल मुस्लिमीन अपनी ग़ालिब राये पर अमल करेगा पस अगर इस की ग़ालिब राये में आये कि यह चोर है और माल इस के पास है तो इस को

(1)वो व्यक्ति जिस के लि, स्वीकार करने वाले ने स्वीकार किया।
(2)मुतरजम कहता है कियह कथन सही नहीं क्योंकि ज़ाहिर इबारत से मालूम होता है कि उन की तात्पर्य इस कथन से क़तअ+ है और हो सकता है किशायद वो क़ाइल सेहत के ज़िमान की राह से हों।

तअज़ीब (तअज़ीर) दे और इमामुल मुस्लिमीन को ऐसा करना जाइज़ है और आम्मा विद्वानों के अनुसार इमामुल मुस्लिमीन को इस के तअज़ीर देने का अधिकार है जैसे कि इस को चौरों के साथ जाते देखे तो ऐसा कर सकता है (वास्ते ज़हूर कार्य के) यह ज़ख़ीरा में है। ज़ैद ने उमर पर सिरक़ा का दावा कियातो मुदआ पर गवाह लाने अनिवार्य हैं और मुदआ अलैहि पर क़सम आयद होगी और मारना खिलाफ़े शरह है इस का फ़तवा न दिया जायेगा इस लिए कि मुफ़्ती का फ़तवा मुताबिक़ शरअ होना चाहिए है ज़ैद ने उमर पर चोरी का दावा करके उमर को सुल्तान के हुज़ूर में पैश किया और दरख़्वास्त की कि सुल्तान इस को सज़ा दे ताकि यह स्वीकार करे फिर इस को सुल्तान ने एक या दो मर्तबा पटवा कर क़ैद खाने में वापिस भेज दिया पस उमर को फिर अपने सज़ा पाने का खौफ़ हो औरवो क़ैद खाने पर चढ़ा पस वहुं से गिरा और मर गया औरइस को इस क़ैद खाने में नाहक़ माल देने का खसारह भी उठाना पड़ा है फिर चोरी मज़कूर के सिवाए खालिद के हाथ से ज़ाहिर

इस का पीछा न किया जायेगा न फ़िल फ़ौर न बाद बखिलाफ़ इस के अगर गवाहों की गवाही से इस पर चोरी साबित हुई फिर भागा तो फ़िल फ़ौर इस का पीछा किया जायेगा और हाथ काटा जायेगा (1) यह मुहीत में है अगर किसी ने कहा कि 'अना सारिक़ हाज़ा उल सवाब' यानी क़ाफ़ को तनवीन दी औरबा मोहिदा को ज़बर दिया तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर उस ने 'सारिक़ हाज़ा उल सवाब' कहा यानी बइज़ाफ़त तो इस का हाथ काटा जायेगा यह ज़हीरिया में है इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि ज़ैद के गुलाम के हाथ में दस दिरहम हैं उस ने इक़रार किया कि मैंने यह दिरहम उमर के चुराये हैं पस अगर ऐसा गुलाम हो कि उस को तिजारत करने की इजाज़त है या मकातिब हो औरउस ने ऐसे माल के सिरक़ा का जिस को वो तलफ़ कर चुका है या मौजूद है इक़रार किया तो इस का इक़रार हाथ काटने और ज़िमान माल दोनों के हक़ में सही है पस उस का हाथ काट दिया जायेगा और माल मसरूक़ा अगर मौजूद हो तो वापिस दिया जायेगा और अगर गुलाम महजूर हो यानी तसर्रुफ़ात से ममनूअ हो पस अगर उस ने ऐसे सिरक़ा का इक़रार किया (माल) जिस को वो तलफ़ कर चुका है तो इस का इक़रार हाथ काटे जाने के हक़ में सही है और अगर उस नेऐसे माल के सिरक़ा का जो बअयुना इस के हाथ में मौजूद है इक़रार किया पस अगर मौला ने उस की तसदीक़ की तो इस का हाथ काटा जायेगा और माल मसरूक़ा इस के (माल के) मालिक को वापिस किया जायेगा और अगर मौला ने माल के हक़ में उस की तकज़ीब की कि यह माल मेरा है तो बिना बर क़ौल इमाम आज़म रह० के इस सूरत में भी इस का इक़रार हक़ क़तअ व माल दोनों में सही है पस गुलाम का हाथ काटा जायेगा और माल मज़कूर इस के मालिक को वापिस दिया जायेगा यह ज़खीरा में है और अगर सिरक़ा का ज़हूर गवाही (सबूत) पर हो तो शर्त है कि दो मर्द आमिल गवाह हों और खाली औरतों की गवाही इस में मक़बूल न होगी न हक़ माल (माल मसरूक़) में और न हक़ क़तअ (हाथ काटा जाना) में और मर्दों के साथ औरतों की गवाही हक़ माल में हमारे नज़दीक मक़बूल है हुई तो वारिसान उमर को अधिकार होगा कि ज़ैद से अपने मौरिस की देत और जो कुछ माली खसारह लाहक़ हुआ है सब ले लें इस लिए कि यह सब इसी ज़ैद के सबब से पहुंचा है और ज़ैद इस सबब के बरांगेख्ता करने में ज़ामिल है यह फ़तावा कुबरा में है।

अगर चोरी का स्वीकार किया फिर भागा तो कभी इस का पीछा न किया जायेगा न फ़िल फ़ौर न बाद बखिलाफ़ इस के अगर गवाहों की गवाही से इस पर चोरी सिद्ध हुई फिर भागा तो फ़िल फ़ौर इस का पीछा किया जायेगा और हाथ काटा जायेगा (1) यह मुहीत में है अगर किसी ने कहा कि 'अना सारिक़ हाज़ा उल सवाब' यानी क़ाफ़ को तनवीन दी औरबा मोहिदा को ज़बर दिया तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर उस ने 'सारिक़ हाज़ा उल सवाब' कहा यानी बइज़ाफ़त तो इस का हाथ काटा जायेगा यह ज़हीरिया में है इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि ज़ैद के गुलाम के हाथ में दस दिरहम हैं उस ने स्वीकार किया कि मैंने यह दिरहम उमर के चुराये हैं पस अगर ऐसा गुलाम हो कि उस को तिजारत करने की इजाज़त है या मकातिब हो औरउस ने ऐसे माल के सिरक़ा का जिस को वो तलफ़ कर चुका है या मौजूद है स्वीकार किया तो इस का स्वीकार हाथ काटने और ज़िमान माल दोनों के हक़ में सही है पस उस का हाथ काट दिया जायेगा और माल मसरूक़ा अगर मौजूद हो तो वापिस दिया जायेगा और अगर गुलाम महजूर हो यानी तसर्रुफ़ात से ममनूअ हो पस अगर उस ने ऐसे सिरक़ा का स्वीकार किया (माल) जिस को वो तलफ़ कर चुका है तो इस का स्वीकार हाथ काटे जाने के हक़ में सही है और अगर उस नेऐसे माल के सिरक़ा का जो बअयुना इस के हाथ में मौजूद है स्वीकार किया पस अगर मौला ने उस की पुष्टि की तो इस का हाथ काटा जायेगा और माल मसरूक़ा इस के (माल के) मालिक को वापिस किया जायेगा और अगर मौला ने माल के हक़ में उस की झुठलाना की कि यह माल मेरा है तो बिना बर कथन इमाम आज़म रह० के इस स्थिति में भी इस का स्वीकार हक़ क़तअ व माल दोनों में सही है पस गुलाम का हाथ काटा जायेगा और माल मज़कूर

और हक़ क़तअ में नहीं मक़बूल (2) होगी और ऐसा ही अगर गवाही पर गवाही हो तो वो भी हमारे अनुसार हक़ माल में मक़बूल है और हाथ काटे जाने के हक़ में नहीं मक़बूल है जबअ दो मर्द आदिल ने सिरक़ा की गवाही दी तो क़ाज़ी माल व क़तअ दोनों के हक़ में यह गवाही क़बूल करेगा फिर दोनों गवाहों से दरयाफ़्त करेगा कि सिरक़ा क्या चीज़ है फिर माल मसरूक़ की जिन्स व मिक़्दार दरयाफ़्त न करेगा लेकिन सिरक़ा पर नज़र करेगा जिसे हमने फ़सल इक़रार में बयान किया है। फिर दोनों से दरयाफ़्त करेगा कि क्योंकि चोरी की और गवाहों से मकान व वक़्त व मसरूक़ मिन्हु को भी दरयाफ़्त करेगा पस जब उन्होंने उस सब को ठीक बयान किया और क़ाज़ी इन गवाहों की

(1)और अगर देर हो गई तो उम्मीद है कि हद दूरी हो मगर माल का ज़ामिन होगा।

(2) नी असल गवाहों ने अपनी गवाही पर औरों को गवाह कर दिया। कमा ज़िक्र फ़ी बाब उलशादात।

अदालत से आगाह है तो सारिक़ पर हाथ काटे जाने का हुक्म दे देगा और अगर वो गवाहों की अदालत से वाक़िफ़ न हो तो इस पर हाथ काटे जाने का हुक्म न देगा जब तक कि गवाहों का हाल दरयाफ़्त न करे और अदालत ज़ाहिर होने तक सारिक़ को क़ैद रखेगा फिर इस हालत में कि वो क़ैद है अगर गवाहों की अदालत ज़ाहिर हो गई पस अगर मसरूक़ मिन्हु हाज़िर हो तो क़ाज़ी चोर पर हाथ काटे जाने का हुक्म देगा और वो ग़ायब हो तो सारिक़ के हाथ काटे जाने का हुक्म न देगा और अगर मसरूक़ मिन्हु हाज़िर हो और क़ाज़ी ने चोर पर हाथ काटे जाने का हुक्म दे दिया फिर इस्तीफ़ा क़तअ से पहले मसरूक़ मिन्हु ग़ायब हो गया तो इमाम मौहम्मद रह० ने इस सूरत को किताब में ज़िक्र नहीं किया है और मशाइख़ ने इस में इख़्तलाफ़ किया है बाज़ ने कहा कि वाजिब है कि इस में इमामे आज़म के दो क़ौल हों कि बर क़ौल अव्वल हाथ काट दिया जायेगा और बरक़ौल दोम नहीं काटा जायेगा और इन में से बाज़ ने फ़रमाया कि इस्तीफ़ा क़तअ इमाम आज़म रह० के अव्वल व आखिर दोनों ग़ायब हो गये या मर गये और हुनूज़ क़ाज़ी ने हुक्म नहीं दिया या जारी नहीं हुआ है तो इन दोनों सूरतों

इस के मालिक को वापिस दिया जायेगा यह ज़खीरा में है और अगर सिरक़ा का ज़हूर गवाही (सबूत) पर हो तो शर्त है कि दो मर्द आमिल गवाह हों और खाली औरतों की गवाही इस में मक़बूल न होगी न हक़ माल (माल मसरूक़) में और न हक़ क़तअ (हाथ काटा जाना) में और मर्दों के साथ औरतों की गवाही हक़ माल में हमारे निकट मक़बूल है और हक़ क़तअ में नहीं मक़बूल (2) होगी और ऐसा ही अगर गवाही पर गवाही हो तो वो भी हमारे अनुसार हक़ माल में मक़बूल है और हाथ काटे जाने के हक़ में नहीं मक़बूल है जबअ दो मर्द आदिल ने सिरक़ा की गवाही दी तो क़ाज़ी माल व क़तअ दोनों के हक़ में यह गवाही क़बूल करेगा फिर दोनों गवाहों से दरयाफ़्त करेगा कि सिरक़ा क्या चीज़ है फिर माल मसरूक़ की जिन्स व मिक़्दार दरयाफ़्त न करेगा लेकिन सिरक़ा पर मन्नत करेगा जिसे हमने फ़सल स्वीकार में बयान किया है। फिर दोनों से दरयाफ़्त करेगा कि क्योंकि चोरी की और गवाहों से मकान व समय व मसरूक़ मिन्हु को भी दरयाफ़्त करेगा पस जब उन्होंने उस सब को ठीक बयान किया और क़ाज़ी इन गवाहों की

(1)और अगर देर हो गई तो उम्मीद है कि हद दूरी हो मगर माल का ज़ामिन होगा।

(2) नी असल गवाहों ने अपनी गवाही पर औरों को गवाह कर दिया। कमा वर्णन फ़ी अ/या उलशादात।

अदालत से आगाह है तो सारिक़ पर हाथ काटे जाने का आदेश दे देगा और अगर वो गवाहों की अदालत से वाक़िफ़ न हो तो इस पर हाथ काटे जाने का आदेश न देगा जब तक कि गवाहों का हाल दरयाफ़्त न करे और अदालत ज़ाहिर होने तक सारिक़ को क़ैद रखेगा फिर इस हालत में कि वो क़ैद है अगर गवाहों की अदालत ज़ाहिर हो गई पस अगर मसरूक़ मिन्हु हाज़िर हो तो क़ाज़ी चोर पर हाथ काटे जाने का आदेश देगा और वो ग़ायब हो तो सारिक़ के हाथ काटे जाने का आदेश न देगा और अगर मसरूक़ मिन्हु हाज़िर हो और क़ाज़ी ने चोर पर हाथ काटे जाने का आदेश दे दिया फिर इस्तीफ़ा क़तअ से पहले मसरूक़ मिन्हु ग़ायब हो गया तो इमाम मौहम्मद रह० ने इस स्थिति को किताब में वर्णन नहीं किया है और विद्वानों ने इस में मतभेद किया

में इमाम आज़म रह० के अव्वल क़ौल के मुवाफ़िक़ क़ाज़ी कुछ हुक्म न देगा और न नाफ़िज़ करेगा और दूसरे क़ौल के मुवाफ़िक़ हुक्म दे कर नाफ़िज़ कर देगा और अगर दोनों गवाह फ़ासिक़ या मुरतिद या अंधे हो गये या दोनों की अक़्ल जाती रही पस अगर ऐसा अम्र क़ब्ल हुक्म क़ज़ा के वाक़े हुआ तो हुक्म क़ज़ा होनेसे मानअ है और अगर यह उमूर बाद हुक्म होने के क़ब्ल पैश आये तो जी होने से मानअ होंगे और अगर दो गवाहों ने दो मर्दों पर गवाही दी कि फ़लां व फ़लां दोनों ने फ़लां शख़्स की चोरी की और दोनों गवाहों ने सिरक़ा बयान कियसा और जिन दोनों पर गवाही दी है इन में से एक ग़ायब है नहीं मिला और हाथ नहीं आया तो बिना बर आखिर क़ौल इमाम अबू हनीफ़ा के और वही साहिबीन रह० का क़ौल है यह हुक्म है कि जो हाज़िर है उस का हाथ काट दिया जायेगा फिर जो ग़ायब है जब हाज़िर हो और मालिक माल इस को क़ाज़ी के हुज़ूर में ले गया तो क़ाज़ी इस को हुक्म देगा कि दोबारह गवाह पैश करे यह मुहीत में है।

अगर इमामुल मुस्लिमीन ने किसी चोर के हाथ काटे जाने का हुक्म दे दिया फिर मसरूक़ (2) मिन्हु ने इस को उफ़ू कर दिया तो उस का उफ़ू करना बातिल है यह ईज़ाह में लिखा है अगर दो काफ़िरों ने एक काफ़िर व एक मुसलमान पर सिरक़ा कीगवाही दी तो काफ़िर का हाथ न काटा जायेगा जैसे मुसलमान का हाथ नहक अटा जायेगा अगर दो गवाहों ने एक आदमी पर गवाही दी कि इस ने गाये चुराई है और दोनों ने इस के रंगा में इख़्तलाफ़ किया कि दोनों में से एक ने कहा कि वो सफ़ैद थी और दूसरे ने कहा कि स्याह थी तो इमामे आज़म रह० के नज़दीक गवाही मक़बूल होगी और साहिबीन रह० ने इस में खिलाफ़ किया है और करख़ी रह० ने फ़रमाया कि यह इख़्तलाफ़ ऐसे दो रंगों में है जो बाहम मुतशाबह हों जैसे सुर्ख़ी व ज़र्दी और जो बाहम मुतशाबा नहीं है जैसे सपेदी व सियाही तो यह गवाही बिल इजमाअ मक़बूल न होगी और सही यह है कि सब में इख़्तलाफ़ है और अगर दोनों में से एक ने गवाही दी कि इस ने बेल चुराया और दूसरे ने गवाही दी कि इस ने है कुछ ने कहा कि अनिवार्य है कि इस में इमामे आज़म के दो कथन हों कि बर कथन अव्वल हाथ काट दिया जायेगा और बरक़ौल दोम नहीं काटा जायेगा और इन में से कुछ ने फ़रमाया कि इस्तीफ़ा क़तअ इमाम आज़म रह० के अव्वल व आखिर दोनों ग़ायब हो गये या मर गये और हुनूज़ क़ाज़ी ने आदेश नहीं दिया या जारी नहीं हुआ है तो इन दोनों स्थितियों में इमाम आज़म रह० के अव्वल कथन के मुवाफ़िक़ क़ाज़ी कुछ आदेश न देगा और न नाफ़िज़ करेगा और दूसरे कथन के मुवाफ़िक़ आदेश दे कर नाफ़िज़ कर देगा और अगर दोनों गवाह फ़ासिक़ या धर्मभ्रष्ट या अंधे हो गये या दोनों की अक़्ल जाती रही पस अगर ऐसा कार्य क़ब्ल आदेश क़ज़ा के स्थपित हुआ तो आदेश क़ज़ा होनेसे मानअ है और अगर यह उमूर बाद आदेश होने के क़ब्ल पैश आये तो जी होने से मानअ होंगे और अगर दो गवाहों ने दो मर्दों पर गवाही दी कि फ़लां व फ़लां दोनों ने फ़लां व्यक्ति की चोरी की और दोनों गवाहों ने सिरक़ा बयान कियसा और जिन दोनों पर गवाही दी है इन में से एक ग़ायब है नहीं मिला और हाथ नहीं आया तो बिना बर आखिर कथन इमाम अबू हनीफ़ा के और वही साहिबीन रह० का कथन है यह आदेश है कि जो हाज़िर है उस का हाथ काट दिया जायेगा फिर जो ग़ायब है जब हाज़िर हो और मालिक माल इस को क़ाज़ी के हुज़ूर में ले गया तो क़ाज़ी इस को आदेश देगा कि दोबारह गवाह पैश करे यह मुहीत में है।

अगर इमामुल मुस्लिमीन ने किसी चोर के हाथ काटे जाने का आदेश दे दिया फिर मसरूक़ (2) मिन्हु ने इस को उफ़ू कर दिया तो उस का उफ़ू करना बातिल है यह ईज़ाह में लिखा है अगर दो काफ़िरों ने एक काफ़िर व एक मुसलमान पर सिरक़ा कीगवाही दी तो काफ़िर का हाथ न काटा जायेगा जैसे मुसलमान का हाथ नहक अटा जायेगा अगर दो गवाहों ने एक आदमी पर गवाही दी कि इस ने गाये चुराई है और दोनों ने इस के रंगा में मतभेद किया कि दोनों में से एक ने कहा कि वो सफ़ैद थी और दूसरे ने कहा कि स्याह थी तो इमामे आज़म रह० के निकट गवाही मक़बूल होगी और साहिबीन रह० ने इस में

गाये चुराई तो बिल इजमाअ गवाही क़बूल न होगा और अगर दोनों ने गवाहीदी कि इस ने कपड़ा चुराया है मगर एक ने कहा कि कपड़ा हरवी था और दूसरे ने कहा कि वो मरवी थातो नसख अबी सुलैमान में मज़कूर है कि इस में भी इख़्तलाफ़ है और नसख अबू हफ़स में मज़कूर है कि बिल इजमाअ ऐसी गवाही क़बूल न होगी जिस पर सिरक़ा की गवाही दी गई है अगर इस ने कहा कि यह मेरा असबाब है कि मैंने इस के पास रखवाया था और यह मुन्किर हो गया था या मैंने इस से खरीदा था या कहा कि उस ने इक़रार किया था कि यह मेरा है तो इन सब सूरतों में चोर के ज़िम्मे से हद साक़ित की जायेगी यह मुहीत में है और अगर दो गवाहों ने गवाही दी कि यह माल इस ज़ैद ने चुराया है और दूसरे दो गवाहों ने गवाही दी कि यह माल इस उमर ने चुराया और मसरूक़ मिन्हु यानी जिस का माल चुराया है दावा करता है कि ज़ैद ने चुराया है तो ज़ैद का हाथ नहीं काटा जायेगा यह मुहीत सुरखी में है।

(1)मसरूक+ मिन्हु= मालिक माले मसरूक़ायानी जिस का माल चोर ने चुराया।

और अगर गवाहों ने एक ग़ुलाम माज़ून (1) पर दस दिरहम या ज़्यादा के सिरक़ा की गवाही दी और ग़ुलाम मुन्किर है पस अगर उस का मौला हाज़िर हो तो बिल इत्तफ़ाक़ सब इमामों के अनुसार ग़ुलाम का हाथ काटा जायेगा और माल मसरूक़ की निस्बत यह हुक्म है कि अगर ग़ुलाम ने इस को तलफ़ कर दिया हो तो ज़ामिन न होगा और अगर बअयुना क़ायम हो तो मसरूक़ मिन्हु को वापिस कर देगा और अगर मौ ग़ायब हो तो इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार ग़ुलाम का हाथ न काटा जायेगा और माल मसरूक़ का ज़ामिन होगा और अगर गवाहों ने दस दिरहम से कम चुराये की गवाही दी तो क़ाज़ी माल मज़कूर देने का हुक्म करेगा और हाथ काटने का हुक्म न करेगा ख़्वाह मौला हाज़िर हो या ग़ायब हो और अगर गवाहों ने ग़ुलाम माज़ून के दस दिरहम चुराने के इक़रार की गवाही दी तो इमामे आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार क़ाज़ी इस पर माल का हुकम दे देगा और हाथ काटने

ख़िलाफ़ किया है और करखी रह० ने फ़रमाया कि यह मतभेद ऐसे दो रंगों में है जो बाहम मुतशाबह हों जैसे सुर्ख़ी व ज़र्दी और जो बाहम मुतशाबा नहीं हैं जैसे सपेदी व सियाही तो यह गवाही बिल इजमाअ मक़बूल न होगी और सही यह है कि सब में मतभेद है और अगर दोनों में से एक ने गवाही दी कि इस ने बैल चुराया और दूसरे ने गवाही दी कि इस ने गाये चुराई तो बिल इजमाअ गवाही क़बूल न होगा और अगर दोनों ने गवाहीदी कि इस ने कपड़ा चुराया है मगर एक ने कहा कि कपड़ा हरवी था और दूसरे ने कहा कि वो मरवी थातो नसख अबी सुलैमान में मज़कूर है कि इस में भी मतभेद है और नसख अबू हफ़स में मज़कूर है कि बिल इजमाअ ऐसी गवाही क़बूल न होगी जिस पर सिरक़ा की गवाही दी गई है अगर इस ने कहा कि यह मेरा असबाब है कि मैंने इस के पास रखवाया था और यह मुन्किर हो गया था या मैंने इस से खरीदा था या कहा कि उस ने स्वीकार किया था कि यह मेरा है तो इन सब स्थितियों में चोर के ज़िम्मे से हद साक़ित की जायेगी यह मुहीत में है और अगर दो गवाहों ने गवाही दी कि यह माल इस ज़ैद ने चुराया है और दूसरे दो गवाहों ने गवाही दी कि यह माल इस उमर ने चुराया और मसरूक़ मिन्हु यानी जिस का माल चुराया है दावा करता है कि ज़ैद ने चुराया है तो ज़ैद का हाथ नहीं काटा जायेगा यह मुहीत सुरखी में है।

(1)मसरूक+ मिन्हु= मालिक माले मसरूक़ायानी जिस का माल चोर ने चुराया।

और अगर गवाहों ने एक ग़ुलाम माज़ून (1) पर दस दिरहम या ज़्यादा के सिरक़ा की गवाही दी और ग़ुलाम मुन्किर है पस अगर उस का मौला हाज़िर हो तो बिल इत्तफ़ाक़ सब इमामों के अनुसार ग़ुलाम का हाथ काटा जायेगा और माल मसरूक़ की निस्बत यह आदेश है कि अगर ग़ुलाम ने इस को तलफ़ कर दिया हो तो ज़ामिन न होगा और अगर बअयुना क़ायम हो तो मसरूक़ मिन्हु को वापिस कर देगा और अगर मौ ग़ायब हो तो इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार ग़ुलाम का हाथ न काटा जायेगा और माल मसरूक़ का ज़ामिन होगा और अगर गवाहों ने दस दिरहम से कम

का हुक्म न देगा और अगर किसी ग़ुलाम महजूर दस (10) दिरहम या ज़्यादा चुराने की गवाही दी तो इमामे आज़म रह० व इमामे मौहम्मद रह० के अनुसार क़ाज़ी इस पर कुछ हुक्म न देगा न हाथ काटने का और माल का और अगर गवाहों ने ग़ुलाम महजूर के इक़रार सिरक़ा की गवाही दी तो क़ाज़ी ऐसी गवाही को किसी तरह क़बूल न करेगा ख़्वाह मौला हाज़िर हो या ग़ायब हो हत्ता कि ग़ुलाम का हाथ नक टा जायेगा और न माल के वास्ते मौला उस के फ़रोख़्त करने के लिए माख़ूज़ होगा मगर ग़ुलाम बाद अपने आज़ाद होने के माल के वास्ते माख़ूज़ होगा यह ज़ख़ीरा में है।

पस अगर किसी के घर में दाखिल हुआ (चुरा चुका) जहां मताअ महफ़ूज़ है और उस ने मताअ को ले लिया औरउस को बाहर निकाला तो मालिक को इख़्तयार (रवा) है कि इस को कत्ल करदे और नोदर इब्ने समाआ में है कि इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर चोर सेंध देता हो कोठरी (घर में) और मालिक ने इस को देख कर चिल्लाना शुरू किया पस अ गर वो भाग गया तो ख़ैर वरना इस को रवा है कि चोर को क़त्ल करे और नवादिर इब्ने रूस्तम में क़ौल इमाम मौहम्मद रह० इस तरह मज़कूर है कि इमाम मौहम्मद रह० ने कहा कि अगर चोर मकान में सेंध देता हो और मालिक ने इस को क़त्ल कर दिया तो क्या इस की देत का ज़ामिन होगा पस इमामे आज़म रह० ने फ़रमाया कि उस को क़त्ल करना रवा है और देत का ज़ामिन न होगा और मुजरद और नवादिर बिन समाआ में इमाम मौहम्मद रह० से मरवी है कि अगरचोर किसपी के दार में दाखिल हुआ और मालिक मकान को मालूम हुआ और यह भी जाना कि मैं इस को पकड़ नहीं सकता हूं तो इस को रवा है कि क़त्ल करदे ख़्वाह वो मकाबरह से दाखिल हुआ या ग़ैर मकाबरह से मगर हाल यह हो कि उस के माल चुरा ले जाने का इरादा रखता हो पस अगर इस को क़त्ल कर दिया तो क़ातिल पर क़िसास व देत कुछ लाज़िम न होगी यह मुहीत सुरखी में है।

एक शख़्स दूसरे के यहां रात को दाखिल

चुराये की गवाही दी तो क़ाज़ी माल मज़कूर देने का आदेश करेगा और हाथ काटने का आदेश न करेगा चाहे मौला हाज़िर हो या ग़ायब हो और अगर गवाहों ने ग़ुलाम माज़ून के दस दिरहम चुराने के स्वीकार की गवाही दी तो इमामे आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार क़ाज़ी इस पर माल का आदेश दे देगा और हाथ काटने का आदेश न देगा और अगर किसी ग़ुलाम महजूर दस (10) दिरहम या ज़्यादा चुराने की गवाही दी तो इमामे आज़म रह० व इमामे मौहम्मद रह० के अनुसार क़ाज़ी इस पर कुछ आदेश न देगा न हाथ काटने का और माल का और अगर गवाहों ने ग़ुलाम महजूर के स्वीकार सिरक़ा की गवाही दी तो क़ाज़ी ऐसी गवाही को किसी तरह क़बूल न करेगा चाहे मौला हाज़िर हो या ग़ायब हो हत्ता कि ग़ुलाम का हाथ नक टा जायेगा और न माल के लिए मौला उस के फ़रोख़्त करने के लिए माख़ूज़ होगा मगर ग़ुलाम बाद अपने आज़ाद होने के माल के लिए माख़ूज़ होगा यह ज़ख़ीरा में है।

पस अगर किसी के घर में दाखिल हुआ (चुरा चुका) जहां मताअ महफ़ूज़ है और उस ने मताअ को ले लिया औरउस को बाहर निकाला तो मालिक को अधिकार (वैध) है कि इस को कत्ल करदे और नोदर इब्ने समाआ में है कि इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर चोर सेंध देता हो कोठरी (घर में) और मालिक ने इस को देख कर चिल्लाना शुरू किया पस अ गर वो भाग गया तो ख़ैर वरना इस को रवा है कि चोर को क़त्ल करे और नवादिर इब्ने रूस्तम में कथन इमाम मौहम्मद रह० इस तरह मज़कूर है कि इमाम मौहम्मद रह० ने कहा कि अगर चोर मकान में सेंध देता हो और मालिक ने इस को क़त्ल कर दिया तो क्या इस की देत का ज़ामिन होगा पस इमामे आज़म रह० ने फ़रमाया कि उस को क़त्ल करना रवा है और देत का ज़ामिन न होगा और मुजरद और नवादिर बिन समाआ में इमाम मौहम्मद रह० से मरवी है कि अगरचोर किसपी के दार में दाखिल हुआ और मालिक मकान को मालूम हुआ और यह भी जाना कि मैं इस को पकड़ नहीं सकता हूं तो इस को रवा है कि क़त्ल करदे चाहे वो मकाबरह से दाखिल हुआ या ग़ैर

हुआ और माल चुरा कर इस को दार से बाहर निकाल लाया फिर मालिक माल उस के पीछे दोड़ा और उस को क़त्ल कर डाला तो मालिक पर कुछ नहीं है :

फ़तावा अहले समरक़न्द में लिखा है कि चोर ने एक शख़्स की दीवार में सेंध लगाई शुरू की और हुनूज़ सुराख नप होने पाया था कि मालिक ने उस को देख कर ऊपर से एक पत्थर डाल दिया कि वो मर गया तो मालिक की मददगार बिरादरी पर इस की देत वाजिब होगी और मालिक मज़कूर पर क़त्ल लाज़िम आयेगा यह ज़खीरा में है फ़तावा अबुल्लैस रह० में मज़कूर है कि एक शख़्स दूसरे की दीवार पर चढ़ा बग़र्ज़ चोरी के और दीवार पर चादर पड़ी है पस मालिक दीवार को खौफ़ हुआ कि अगर मैं चला या तो यह चादर ले कर चल देगा पस आया मालिक को हलाल कि इस को फैंक मारे तो फ़रमाया कि हां इस को रवा है बशर्तेकि चादर दस दिरहम या ज़्यादा की हो और फ़क़ीह अबुल्लैस रह० ने फ़रमाया कि हमारे असहाब ने इस मिक़्दार की शर्त नहीं लगाई है बल्कि मुतल्लक़न फ़रमाया है कि उस को तीर वग़ैरह मार देने का इख़्तयार है। जिनायात उल जामअ उल सग़ीर में मज़कूर है कि एक शख़्स दूसरे के यहां रात को दाखिल हुआ और माल चुरा कर इस को दार से बाहर निकाल लाया फिर मालिक माल उस के पीछे दोड़ा और उस को क़त्ल कर डाला तो मालिक

(1) गुलाम माज़ून जिस का आक़ा की जानिब से तिजारत का इ]तयार व इजाज़त हासिल हो।

पर कुछ नहीं है और मशाइख़ ने फ़रमाया कि इस से मुराद यह है कि यह ऐसी सूरत में है कि सिवाए क़त्ल करने के और किसी तरह इस से माल वापिस न दे सकता हो पस जब कि ऐसी सूरत हो तो उस को क़त्ल करना रवा है और क़ातिल पर ज़िमान वाजिब न होगी और मुन्तक़ी में लिखा है कि अगर किसी के पास एक गिरोह रोटी हो और दूसरे ने इस से छीन लेनी चाही तो मालिक को रवा है कि इस से तलवार से मुक़ाबला करे जब कि अपने नफ़्स पर भूक से खालिफ़ (1) हो और मकाबरह से मगर हाल यह हो कि उस के माल चुरा ले जाने का इरादा रखता हो पस अगर इस को क़त्ल कर दिया तो क़ातिल पर क़िसास व देत कुछ अनिवार्य न होगी यह मुहीत सुरखी में है।

एक व्यक्ति दूसरे के यहां रात को दाखिल हुआ और माल चुरा कर इस को दार से बाहर निकाल लाया फिर मालिक माल उस के पीछे दौड़ा और उस को क़त्ल कर डाला तो मालिक पर कुछ नहीं है :

फ़तावा अहले समरक़न्द में लिखा है कि चोर ने एक व्यक्ति की दीवार में सेंध लगाई शुरू की और हुनूज़ सुराख नप होने पाया था कि मालिक ने उस को देख कर ऊपर से एक पत्थर डाल दिया कि वो मर गया तो मालिक की मददगार बिरादरी पर इस की देत अनिवार्य होगी और मालिक मज़कूर पर क़त्ल अनिवार्य आयेगा यह ज़खीरा में है फ़तावा अबुल्लैस रह० में मज़कूर है कि एक व्यक्ति दूसरे की दीवार पर चढ़ा बग़र्ज़ चोरी के और दीवार पर चादर पड़ी है पस मालिक दीवार को खौफ़ हुआ कि अगर मैं चला या तो यह चादर ले कर चल देगा पस आया मालिक को हलाल कि इस को फैंक मारे तो फ़रमाया कि हां इस को रवा है बशर्तेकि चादर दस दिरहम या ज़्यादा की हो और फ़क़ीह अबुल्लैस रह० ने फ़रमाया कि हमारे असहाब ने इस मिक़्दार की शर्त नहीं लगाई है बल्कि मुतल्लक़न फ़रमाया है कि उस को तीर आदि मार देने का अधिकार है। जिनायात उल जामअ उल सग़ीर में मज़कूर है कि एक व्यक्ति दूसरे के यहां रात को दाखिल हुआ और माल चुरा कर इस को दार से बाहर निकाल लाया फिर मालिक माल उस के पीछे दोड़ा और उस को क़त्ल कर डाला तो मालिक

(1) गुलाम माज़ून जिस का आक़ा की जानिब से तिजारत का अधिकार व इजाज़त हासिल हो।

पर कुछ नहीं है और विद्वानों ने फ़रमाया कि इस से तात्पर्य यह है कि यह ऐसी स्थिति में है कि सिवाए क़त्ल करने के और किसी तरह इस से माल वापिस न दे सकता हो पस जब कि ऐसी स्थिति हो तो उस को क़त्ल

इसी तरह अगर इस के पीने का पानी हो तो इस में भी यही हुक्म है यह मुहीत में है।

क़ालल मुतरजम जब अपने नफ़्स पर खालिफ़ हो भूक या प्यास से यह आम है ख़्वाह मुल्क ऐसा हो जहां कसरत से पानी मिलता है या मिस्ल अरब वग़ैरह के हो फ़ाफ़हम। एक चोर मअरूफ़ है यानी मशहूर चोर है इस को किसी ने ऐसी हालत में पाया कि वो चोरी में नहीं मशग़ूल था बल्कि अपनी और ज़रूरत में मशग़ूल था तो इस को क़त्ल करना रवा नहीं है हां इस को पकड़ कर इमामुल मुस्लिमीन के पास लाये ताकि इमाम उस को क़ैद करके तौबा कराये यह ज़हीरिया में है अगर मालिक माल चोर पर चिल्लाया कि वो भाग गया तो मालिक को पीछा करके इस को मारना रवा नहीं है इल्ला आँकि उस का कुछ माल ले भागा हो तो हलाल है कि इस का पीछा करके इस को हथियार से मारे यहां तक कि उस का माल डाल दे यह मुहीत में है और मुदआ के हक़ में मुस्तहब है कि जब चोर पर दावा करे तो बई लफ़्ज़ दावा करे कि उस ने ले लिया न बलफ़्ज़ सिरक़ा इसी तरह गवाहों के हक़ में मुस्तहब है कि चुराने की लफ़्ज़ से गवाही न दें बल्कि ले लेने की गवाही दें या यूं कहें कि यह माल इस तालिब (मुदआ) का है ताकि हाथ काटने की हद चोर के ज़िम्मे से साक़ित हो जाये। एक ने दूसरे पर दावा किया कि इस ने मुझ से यह माल चुरा लिया है पस चोर ने कहा कि हां मैंने ले लिया है तो वो माल का ज़ामिन होगा और इस का हाथ नहीं काटा जायेगा अगरचे इस के बाद वो चुरा लेने का भी इक़रार करे यह सिराजिया में है।

एक ने दूसरे पर सिरक़ा का दावा किया और मुदआ अलैहि ने उस से इन्कार किया तो इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि इस से क़सम ली जायेगी पस अगर उस ने कसम से इन्कार किया तो इस पर माल का हुक्म दिया जायेगा और हाथ काटने का हुक्म नहीं दिया जायेगा कज़ा फ़िल ज़हीरिया और इसी तरह अगर उस ने इक़रार से रूजूअ कर लिया तो भी यही हुक्म है और इसी तरह गवाही की सूरत में अगर ऐसा हुआ (यानी रूजूअ कर लिया) तो यही हुक्म है कि माल का ज़ामिन होगा और करना रवा है और क़ातिल पर ज़िमान अनिवार्य न होगी और मुन्तक़ी में लिखा है कि अगर किसी के पास एक गिरोह रोटी हो और दूसरे ने इस से छीन लेनी चाही तो मालिक को रवा है कि इस से तलवार से मुक़ाबला करे जब कि अपने नफ़्स पर भूक से खालिफ़ (L) हो और इसी तरह अगर इस के पीने का पानी हो तो इस में भी यही आदेश है यह मुहीत में है।

अनुवादक के कथनानुसार जब अपने नफ़्स पर खालिफ़ हो भूक या प्यास से यह आम है चाहे मुल्क ऐसा हो जहां कसरत से पानी मिलता है या मिस्ल अरब वग़ैरह के हो फ़ाफ़हम। एक चोर मअरूफ़ है यानी मशहूर चोर है इस को किसी ने ऐसी हालत में पाया कि वो चोरी में नहीं मशग़ूल था बल्कि अपनी और ज़रूरत में मशग़ूल था तो इस को क़त्ल करना रवा नहीं है हां इस को पकड़ कर इमामुल मुस्लिमीन के पास लाये ताकि इमाम उस को क़ैद करके तौबा कराये यह ज़हीरिया में है अगर मालिक माल चोर पर चिल्लाया कि वो भाग गया तो मालिक को पीछा करके इस को मारना रवा नहीं है सिवा आँकि उस का कुछ माल ले भागा हो तो हलाल है कि इस का पीछा करके इस को हथियार से मारे यहां तक कि उस का माल डाल दे यह मुहीत में है और मुदआ के हक़ में मुस्तहब है कि जब चोर पर दावा करे तो बई लफ़्ज़ दावा करे कि उस ने ले लिया न बलफ़्ज़ सिरक़ा इसी तरह गवाहों के हक़ में मुस्तहब है कि चुराने की लफ़्ज़ से गवाही न दें बल्कि ले लेने की गवाही दें या यूं कहें कि यह माल इस तालिब (मुदआ) का है ताकि हाथ काटने की हद चोर के ज़िम्मे से साक़ित हो जाये। एक ने दूसरे पर दावा किया कि इस ने मुझ से यह माल चुरा लिया है पस चोर ने कहा कि हां मैंने ले लिया है तो वो माल का ज़ामिन होगा और इस का हाथ नहीं काटा जायेगा चाहे इस के बाद वो चुरा लेने का भी स्वीकार करे यह सिराजिया में है।

एक ने दूसरे पर सिरक़ा का दावा किया और मुदआ अलैहि ने उस से इन्कार किया तो इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि इस से क़सम ली जायेगी पस अगर उस ने कसम से इन्कार किया तो इस पर माल का

हाथ नहीं काटा जायेगा यह इताबिया में है और दो गवाहों ने एक शख़्स पर चोरी की गवाही दी और इस का हाथ काट दिया गया फिर गवाहों ने रूजूअ किया कि यह नहीं बल्कि फ़लां दूसरा है तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और अव्वल की देत के दोनों गवाह ज़ामिन हों गये और अगर दूसरे दो गवाहों ने अव्वल गवाहों के रूजूअ कर लेने पर गवाही दी तो मक़बूल न होगी और उस का हाथ काटा जायेगा। दो गवाहों ने चोर के इक़रार सिरक़ा पर गवाही दी और मुन्किर है या ख़ामौश है तो इस का हाथ न काटा जायेगा और अगर चोर ने गवाही दी फिर दो ने रूजूअ किया और दूसरे शख़्स पर चोरी की गवाही दी तो इन दोनों मशहूर अलैहिमा में से किसी का हाथ नहीं काटा जायेगा और माल का हुक्म अव्वल पर दिया जायेगा, यह तातार खानिया में है।

(1)क़ौलहू ख़ालिफ×+नी भूकया प्यास से मर जाने काख़ौफ+(व अन्देशा दामन गीर) हो।

बाबः 2

उन सूरतों के बयान में जिन में हाथ काटा जायेगा और जिन में न काटा जायेगा इस में तीन फ़सलें हैं

फ़सलः 1

जिन सूरतों में हाथ काटा जायेगा

जो चीज़ नाफ़ा मुबाह दारूल इस्लाम में पाई जाती है उस की चोरी में हाथ काटना नहीं आता है जैसे जलाने की लकड़ियां व घास व नरकल व मछलियां व ज़रींख़ व मग़रह व नोरा वग़ैरह और मछली में नमक दी हुई और ताज़ी दोनों दाख़िल हैं यह हिदाया में है और साखो वक़ना व आबनोस व सन्दल व सब्ज़ नगीने (हीरा वग़ैरह) व याक़ूत व ज़बरजद में हाथ काटा जायेगा कज़ा फ़िल काफ़ी हासिल आंकि जुमला जवाहिर में हाथ काटा जायेगा

आदेश दिया जायेगा और हाथ काटने का आदेश नहीं दिया जायेगा कज़ा फ़िल ज़हीरिया और इसी तरह अगर उस ने स्वीकार से रूजूअ कर लिया तो भी यही आदेश है और इसी तरह गवाही की स्थिति में अगर ऐसा हुआ (यानी रूजूअ कर लिया) तो यही आदेश है कि माल का ज़ामिन होगा और हाथ नहीं काटा जायेगा यह इताबिया में है और दो गवाहों ने एक व्यक्ति पर चोरी की गवाही दी और इस का हाथ काट दिया गया फ़िर गवाहों ने रूजूअ किया कि यह नहीं बल्कि फ़लां दूसरा है तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और अव्वल की देत के दोनों गवाह ज़ामिन हों गये और अगर दूसरे दो गवाहों ने अव्वल गवाहों के रूजूअ कर लेने पर गवाही दी तो मक़बूल न होगी और उस का हाथ काटा जायेगा। दो गवाहों ने चोर के स्वीकार सिरक़ा पर गवाही दी और मुन्किर है या ख़ामौश है तो इस का हाथ न काटा जायेगा और अगर चोर ने गवाही दी फ़िर दो ने रूजूअ किया और दूसरे व्यक्ति पर चोरी की गवाही दी तो इन दोनों मशहूर अलैहिमा में से किसी का हाथ नहीं काटा जायेगा और माल का आदेश अव्वल पर दिया जायेगा, यह तातार खानिया में है।

(1)क़ौलहू ख़ालिफ×+नी भूकया प्यास से मर जाने काख़ौफ+(व अन्देशा दामन गीर) हो।

अध्याय 2

उन स्थितियों के बयान में जिन में हाथ काटा जायेगा और जिन में न काटा जायेगा इस में तीन फ़सलें हैं

फ़सलः 1

जिन स्थितियों में हाथ काटा जायेगा

जो चीज़ नाफ़ा मुबाह दारूल इस्लाम में पाई जाती

यह ग़यासिया में है और सोना व चांदी व मोती व फ़ीरोज़ा इन चीज़ों में हिशाम ने इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत की है कि अगर उस ने इन चीज़ों को ऐसी सूरत पर चुराया कि जैसी मुबाह पाई जाती हैं यानी मिट्टी में मिली हुई और पत्थर में मख़्लूत तो हाथ काटना वाजिब न होगा और ज़ाहिर उल रिवायत के मुवाफ़िक़ बहरहाल हाथ काटना वाजिब होगा और जिस लकड़ी से (जिसे चुराने से) हाथ नहीं काटा जाता है अगर इस का तख़्त या कुर्सी या दरवाज़ा बनाया फिर इस को किसी ने चुराया तो हाथ काटा जायेगा और घास व नरकल व पतर में जैसे क़ब्ल अमल के हाथ नहीं काटा जाता था वैसे ही अगर इस की चटाई वग़ैरह बनाई तो भी हाथ न काटा जायेगा यानी मसलन उस का बोरिया बनाया जिस को किसी ने चुरा लिया तो उस का हाथ नहीं काटा जायेगा यह मुहीत में है।

अगर बोरिये के असल माल पर दस्त कारी ग़ालिब हो जैसे बग़दादी व जरजानी चटाइयां होती हैं कि इन की बनावट ही की क़ीमत कहलाती है तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि इस में भी हाथ काटा जायेगा यह काफ़ी में है और दरवाज़ों के सिरक़ा में जब ही हाथ काटा जायेगा कि जब वो हर ज़मीन हों और खफ़ीफ़ हों कि एक आदमी पर उन का उठाले जाना भारी न हो इस वास्ते (1) कि भारी दरवाज़ों की चोरी पर रग़बत नहीं की जाती है और अगर दर से मुरक्कब हों तो इन के सिरक़ा में हाथ नहीं काटा जायेगा यह तबयुन में है और जो चीज़ें जल्द फ़ासिद व बिगड़ जाती हैं जैसे दूध व गोश्त व फ़वाका तर (2) इन की चोरी से हाथ नहीं काटा जायेगा यह हिदाया में है और फ़वाका ख़ुश्क जो लोगों के पास रहे हैं जैसे अख़्रोट व बादाम तो इन के चुराने में हाथ काटा जायेगा बशर्तेकि वो हुर्र ज़मीन हो और जो फ़वाका दरख़्त पर हों और जो खेती हुनूज़ काटी न गई हो तो उसकी चोरी में हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर फ़वाका बाद इस्तहकाम के तोड़ा गया और खेती काट कर किसी इहाता में जिस का दरवाज़ा मक़फ़ल है रखी गई तो उस की चोरी से हाथ काटा जायेगा यह सिराजुल वहाज में है।

है उस की चोरी में हाथ काटना नहीं आता है जैसे जलाने की लकड़ियां व घास व नरकल व मछलियां व ज़रींख़ व मग़रह व नोरा वग़ैरह और मछली में नमक दी हुई और ताज़ी दोनों दाखिल हैं यह हिदाया में है और साखो वक़ना व आबनोस व सन्दल व सब्ज़ नगीने (हीरा वग़ैरह) व याक़ूत व ज़बरजद में हाथ काटा जायेगा कज़ा फ़िल काफ़ी हासिल आंकि जुमला जवाहिर में हाथ काटा जायेगा यह ग़यासिया में है और सोना व चांदी व मोती व फ़ीरोज़ा इन चीज़ों में हिशाम ने इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत की है कि अगर उस ने इन चीज़ों को ऐसी स्थिति पर चुराया कि जैसी मुबाह पाई जाती हैं यानी मिट्टी में मिली हुई और पत्थर में मख़्लूत तो हाथ काटना अनिवार्य न होगा और ज़ाहिर उल रिवायत के मुवाफ़िक़ बहरहाल हाथ काटना अनिवार्य होगा और जिस लकड़ी से (जिसे चुराने से) हाथ नहीं काटा जाता है अगर इस का तख़्त या कुर्सी या दरवाज़ा बनाया फिर इस को किसी ने चुराया तो हाथ काटा जायेगा और घास व नरकल व पतर में जैसे क़ब्ल अमल के हाथ नहीं काटा जाता था वैसे ही अगर इस की चटाई वग़ैरह बनाई तो भी हाथ न काटा जायेगा यानी मसलन उस का बोरिया बनाया जिस को किसी ने चुरा लिया तो उस का हाथ नहीं काटा जायेगा यह मुहीत में है।

अगर बोरिये के असल माल पर दस्त कारी ग़ालिब हो जैसे बग़दादी व जरजानी चटाइयां होती हैं कि इन की बनावट ही की क़ीमत कहलाती है तो विद्वानों ने फ़रमाया कि इस में भी हाथ काटा जायेगा यह काफ़ी में है और दरवाज़ों के सिरक़ा में जब ही हाथ काटा जायेगा कि जब वो हर ज़मीन हों और खफ़ीफ़ हों कि एक आदमी पर उन का उठाले जाना भारी न हो इस लिए (1) कि भारी दरवाज़ों की चोरी पर रग़बत नहीं की जाती है और अगर दर से मुरक्कब हों तो इन के सिरक़ा में हाथ नहीं काटा जायेगा यह तबयुन में है और जो चीज़ें जल्द फ़ासिद व बिगड़ जाती हैं जैसे दूध व गोश्त व फ़वाका तर (2) इन की चोरी से हाथ नहीं काटा जायेगा यह हिदाया में है और फ़वाका ख़ुश्क जो लोगों के पास रहे हैं जैसे अख़्रोट व बादाम तो इन के चुराने में हाथ काटा जायेगा बशर्तेकि

गोश्त से जो हाथ नहीं काटा जाता है तो यह आम है ख़्वाह गोश्त नमक दिया हुआ हो या ग़ैर इस का हो यह फ़तहुल क़दीर में है और अगर एक ने दूसरे से तआम चुराया हालांकि ऐसे साल में चुराया कि क़हत है तो इस की चोरी से हाथ नहीं काटा जायेगा ख़्वाह ऐसा तआम हो कि जल्द बिगड़ता जाता है या जल्द न हो ख़्वाह महरज़ हो या न हो और अगर साल फ़राही हो पस अगर तआम ऐसा हो कि जल्द बिगड़ जाता है तो भी यही हुक्म है और अगर तआम ऐसा हो कि जल्द नहीं बिगड़ता है और वो महरज़ हो तो चोर का हाथ काटा जायेगा और हमारे मशाइख़ ने फ़रमाया है कि फलों में भी इसी तफ़सील से यही हुक्म है यानी अगर साल क़हत हो तो फलों की चोरी में हाथ नहीं काटा जायेगा ख़्वाह ऐसे फल हों कि जल्द बिगड़ जाते हों या जल्द न

(1)क़ौलहू इस वास्ते॰ इस तअलील से ग़र्ज़यह है कि अदम सिरक़ा काशुब्हा है।
(2)फ़वाका॰ जिन को मैवा बोलते हैं।

बिगड़ते हों ख़्वाह फल दरख़्त पर से चुराये हों या महरज़ हों और अगर साल आसूदगी हो तो जल्द बिगड़ने वाले फलों की चोरी से हाथ नहीं काटा जायेगा और ख़्वाह दरख़्त पर से लिये हों या और जगह महरज़ हों और अगर फल ऐसे हों कि जल्द न बिगड़ते हों और महरज़ हों तो इन की चोरी से हाथ काटा जायेगा यह ज़ख़ीरा में है।

सुरीद व रोटी के चुराने में हाथ काटना नहीं आता :

तमाम हुबूब में और रौग़नों (घी, तेल या चरबी) में और तैयब व ऊद व मुश्क इन सब की चोरी में हाथ काटा जायेगा और इसी तरह अगर रूई या कतान या सौफ़ को चुराया तो भी हाथ काटा जायेगा और इसी तरह अगर गेंहू या जो या आटा या सत्तू या घी या छुहारे या मुन्तक़ी या रोग़न ज़ैतून को चुराया तो हाथ काटा जायेगा और इसी तरह पहनने की चीज़ों और फ़रोश और नीज़ लोहे व पीतल व जसत के बरतनों (या तांबा हो) और लकड़ी (1) और चमड़े कमाये हुए और काग़ज़ व छुरियां व कैंचियां व तराज़ुऐं और रस्सियां वो हुई ज़मीन हो और जो फ़वाका दरख़्त पर हों और जो खेती हुनूज़ काटी न गई हो तो उसकी चोरी में हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर फ़वाका बाद इस्तहकाम के तोड़ा गया और खेती काट कर किसी इहाता में जिस का दरवाज़ा मक़फ़ल है रखी गई तो उस की चोरी से हाथ काटा जायेगा यह सिराजुल वहाज में है।

गोश्त से जो हाथ नहीं काटा जाता है तो यह आम है चाहे गोश्त नमक दिया हुआ हो या ग़ैर इस का हो यह फ़तहुल क़दीर में है और अगर एक ने दूसरे से तआम चुराया हालांकि ऐसे साल में चुराया कि क़हत है तो इस की चोरी से हाथ नहीं काटा जायेगा चाहे ऐसा तआम हो कि जल्द बिगड़ता जाता है या जल्द न हो चाहे महरज़ हो या न हो और अगर साल फ़राही हो पस अगर तआम ऐसा हो कि जल्द बिगड़ जाता है तो भी यही आदेश है और अगर तआम ऐसा हो कि जल्द नहीं बिगड़ता है और वो महरज़ हो तो चोर का हाथ काटा जायेगा और हमारे विद्वानों ने फ़रमाया है कि फलों में भी इसी तफ़सील से यही आदेश है यानी अगर साल क़हत हो तो फलों की चोरी में हाथ नहीं काटा जायेगा चाहे ऐसे फल हों कि जल्द बिगड़ जाते हों या जल्द न

(1)क़ौलहू इस वास्ते॰ इस तअलील से ग़र्ज़यह है कि अदम सिरक़ा काशुब्हा है।
(2)फ़वाका॰ जिन को मैवा बोलते हैं।

बिगड़ते हों चाहे फल दरख़्त पर से चुराये हों या महरज़ हों और अगर साल आसूदगी हो तो जल्द बिगड़ने वाले फलों की चोरी से हाथ नहीं काटा जायेगा और चाहे दरख़्त पर से लिये हों या और जगह महरज़ हों और अगर फल ऐसे हों कि जल्द न बिगड़ते हों और महरज़ हों तो इन की चोरी से हाथ काटा जायेगा यह ज़ख़ीरा में है।

सुरीद व रोटी के चुराने में हाथ काटना नहीं आता :

तमाम हुबूब में और रौग़नों (घी, तेल या चरबी) में और तैयब व ऊद व मुश्क इन सब की चोरी में हाथ काटा जायेगा और इसी तरह अगर रूई या कतान या सौफ़ को चुराया तो भी हाथ काटा जायेगा और इसी

चुराने में भी हाथ काटा जायेगा (बशर्तेकि निसाबे सिरक़ा पूरा हो) और पत्थरों के चुराने में हाथ काटना नहीं आता है यह सिराज वहाज में है और खाम (२) की चोरी में हाथ नहीं काटा जाता है और नीज़ पत्थरों की हाण्डियां चुराने से भी हाथ नहीं काटा जाता है और नमक चुराने (३) से भी हाथ नहीं काटा जाता है यह तबयुन में है और इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि सींगों की चोरी में हाथ काटना नहीं है ख़्वाह मामूला हों या ग़ैर मामूला हों यानी बनाये हुए हों या कमाये हुए न हों और अगर कोई दरख़्त जड समैत बाग़ से चुराया हालांकि वो दस दिरहम का है तो इस में हाथ काटना नहीं आता है यह सिराज वहाज में है और सिरका (साफ़ किया हुआ) व शहद की चोरी में बिल इत्तफ़ाक़ हाथ काटा जाता है यह शरह मजमअ उल बहरीन में है ताजिर अहल अदल से किसी बाग़ ने कुछ चुराया दर हाल यह कि वो इन के दरमियान था तो इस का हाथ काटा जायेगा यह तातार खानिया में है और शक्कर चुराने से बिल इजमाअ काटा जायेगा यह हिदाया में है और इमाम मौहम्मद रह० से मरवी है हाथी दांत चुराने में जब कि इस से कोई चीज़ नहीं बनाई गई है हाथ नहीं काटा जायेगा और हमारे असहाब ने फ़रमाया कि हाथी दांत ख़्वाह मामूला हो या ग़ैर मामूला वाजिब है कि इस में हाथ न काटा जाये इस वास्ते कि इस के माल होने में इख़्तलाफ़ है और मशाइख़ ने फ़रमाया कि यह हुक्म जो इमाम मौहम्मद रह० ने ज़िक्र फ़रमाया है वाजिब है कि ऐसे हाथी दांत में हो जो बा अस्तख़्वाऐ निहाये जमाल है और हाथी दांत ग़ैर मामूला में इस वास्ते हाथ न काटा जायेगा वो मुबाह में से है और मामूला में इस वास्ते हाथ काटा जाता है कि इस में सनअत ग़ालिब (हाथी दांत पर सिनअत ग़ालिब होती है) है। पस ऐसा हो गया जैसे मामूला लकडी कज़ा फ़िल ईज़ाह यानी जैसे लकडी मुबाह होती है मगर जब इस के तख़्त वग़ैरह बनाये गये तो इन के चुराने से हाथ काटा जाता है वैसा ही यहां ही फ़ा फ़हम और ज़ाहिरूल रिवायत के मुवाफ़िक़ आबगीना की चोरी से हाथ नहीं काटा जायेगा यह फ़तहुल क़दीर में है।

सैयद के चुराने में हाथ काटना नहीं आता है ख़्वाह

तरह अगर गेंहू या जो या आटा या सत्तू या छी या छुहारे या मुन्तक़ी या रोग़न ज़ैतून को चुराया तो हाथ काटा जायेगा और इसी तरह पहनने की चीज़ों और फ़रोश और नीज़ लोहे व पीतल व जसत के बरतनों (या तांबा हो) और लकडी (1) और चमडे कमाये हुए और काग़ज़ व छुरियां व कैंचियां व तराज़ुऐं और रस्सियां चुराने में भी हाथ काटा जायेगा (बशर्तेकि निसाबे सिरक़ा पूरा हो) और पत्थरों के चुराने में हाथ काटना नहीं आता है यह सिराज वहाज में है और खाम (२) की चोरी में हाथ नहीं काटा जाता है और नीज़ पत्थरों की हाण्डियां चुराने से भी हाथ नहीं काटा जाता है और नमक चुराने (३) से भी हाथ नहीं काटा जाता है यह तबयुन में है और इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि सींगों की चोरी में हाथ काटना नहीं है चाहे मामूला हों या ग़ैर मामूला हों यानी बनाये हुए हों या कमाये हुए न हों और अगर कोई दरख़्त जड समैत बाग़ से चुराया हालांकि वो दस दिरहम का है तो इस में हाथ काटना नहीं आता है यह सिराज वहाज में है और सिरका (साफ़ किया हुआ) व शहद की चोरी में बिल इत्तफ़ाक़ हाथ काटा जाता है यह शरह मजमअ उल बहरीन में है ताजिर अहल अदल से किसी बाग़ ने कुछ चुराया दर हाल यह कि वो इन के दरमियान था तो इस का हाथ काटा जायेगा यह तातार खानिया में है और शक्कर चुराने से बिल इजमाअ काटा जायेगा यह हिदाया में है और इमाम मौहम्मद रह० से मरवी है हाथी दांत चुराने में जब कि इस से कोई चीज़ नहीं बनाई गई है हाथ नहीं काटा जायेगा और हमारे असहाब ने फ़रमाया कि हाथी दांत चाहे मामूला हो या ग़ैर मामूला अनिवार्य है कि इस में हाथ न काटा जाये इस लिए कि इस के माल होने में मतभेद है और विद्वानों ने फ़रमाया कि यह आदेश जो इमाम मौहम्मद रह० ने वर्णन फ़रमाया है अनिवार्य है कि ऐसे हाथी दांत में हो जो बा अस्तख़्वाऐ निहाये जमाल है और हाथी दांत ग़ैर मामूला में इस लिए हाथ न काटा जायेगा वो मुबाह में से है और मामूला में इस लिए हाथ काटा जाता है कि इस में सनअत ग़ालिब (हाथी दांत पर सिनअत ग़ालिब होती है) है। पस ऐसा हो गया जैसे मामूला लकडी कज़ा फ़िल ईज़ाह यानी जैसे लकडी

सैद वहशी हो या ग़ैर वहशी हो ख़्वाह ख़ुशकी की हो या तरी की यह तातार खानिया में है और हिना की चोरी में हाथ काटना नहीं आता है और न बक्क़ौल की चोरी में और न रीहान रतब यानी तरो ताज़ा में और नीज़ इंजीर व पानी व ख़ुरमा की गुठलियां चुराने से हाथ काटना नहीं आता है और अगर दरिन्दा जानवरों को ज़िबह किया गया हो और इन की खल किसी ने चुराई तो हाथ काटना नहीं आता है इल्ला इस सूरत में कि इस खाल का बिछोना या मुसल्ले बनाया गया हो और नीज़ ऐसे बर्तन व हाण्डी के चुराने में जिस में तआम ही हाथ

(1) लकड़ी ऽानी जो त]त व छत वग़ैरह के काम में आती है बशर्तेकि वो अपनी हर ज़मीन कर ली हों।

(2)मुतरजम के अनुसारशायद मलह व हिजारा दरखाम से वो मुराद है जो महज़र न हो वरना ऐसी चीज़ें जो मुबाह होती हैं बाद अहराज+ के इस की मिल्क हो जाती हैं जिस ने इन को अहराज+ किया। पस अगर वो मतक़ूमा होंगी तो क़तअ+ वाजिब होगा+]ुसूसन इस दयार में जहां इन की बाहम तिजारत मुतआरिफ+ हो। वल्लाहु आलम। लेकिन ज़ाहिरूल रिवाया में है कि ऐसी अया में क़तअ+ होगा+]वाह वो महरज+ होंया न हों और +]वाह वोऐसी हों कि इन में दस्तकारी की गई होया नहीं औरयही सही है। वल्लाहु आलम बिल सवाब।

काटना नहीं आता है और बाज़ या सक़र (1) वग़ैरह तमाम परिन्दों के चुराने में हाथ काटना नहीं आता है और नीज़ व ख़ुश के चुराने में हाथ काटना नहीं आता है और कुत्ते और चीते के चुराने से हाथ काटना नहीं आता है और मुर्ग़ी और रब्त और कबूतर के चुराने में हाथ काटना नहीं आता है यह तमरताशी में है और मशरूबात तीन दरजे के होते हैं अव्वल हलाल जैसे फ़क़ाअ के मानिन्द चीज़ें पस इन की चोरी से हाथ काटना लाज़िम आता है और दोम शराब नक़ीअ उल तमर वल ज़बीब छुहारे व मुनक्क़ा को भिगो कर इन का आब रलात लेते हैं और सही यह है कि इस के चुराने में हाथ काटा जायेगा और सौम वग़ैरह मसकरात पस इन के चुराने में हाथ काटना नहीं आता है और दो शाब अंगूर में हाथ काटा जायेगा और तंबूर दोफ़ व मज़मार (1) और हर शैर मलाही के चुराने में क़तअ नहीं है यह सिराज वहाज में है। और तबल व बरबत में क़तअ नहीं है और यह हुक्म इस वक्त है कि इस ने तबल लहू चुराया हो और अगर ग़ाज़ियों का तबल चुराया तो इस में मशाइख

मुबाह होती है मगर जब इस के तख़्त वग़ैरह बनाये गये तो इन के चुराने से हाथ काटा जाता है वैसा ही यहां ही फ़ा फ़हम और ज़ाहिरूल रिवायत के मुवाफ़िक़ आबगीना की चोरी से हाथ नहीं काटा जायेगा यह फ़तहुल क़दीर में है।

सैयद के चुराने में हाथ काटना नहीं आता है चाहे सैद वहशी हो या ग़ैर वहशी हो चाहे ख़ुशकी की हो या तरी की यह तातार खानिया में है और हिना की चोरी में हाथ काटना नहीं आता है और न बक्क़ौल की चोरी में और न रीहान रतब यानी तरो ताज़ा में और नीज़ इंजीर व पानी व ख़ुरमा की गुठलियां चुराने से हाथ काटना नहीं आता है और अगर दरिन्दा जानवरों को ज़िबह किया गया हो और इन की खल किसी ने चुराई तो हाथ काटना नहीं आता है सिवा इस स्थिति में कि इस खाल का बिछोना या मुसल्ले बनाया गया हो और नीज़ ऐसे बर्तन व हाण्डी के चुराने में जिस में तआम ही हाथ

(1) लकड़ी ऽानी जो त]त व छत वग़ैरह के काम में आती है बशर्तेकि वो अपनी हर ज़मीन कर ली हों।

(2)मुतरजम के अनुसारशायद मलह व हिजारा दरखाम से वो तात्पर्य है जो महज़र न हो वरना ऐसी चीज़ें जो मुबाह होती हैं बाद अहराज+ के इस की मिल्क हो जाती हैं जिस ने इन को अहराज+ किया। पस अगर वो मतक़ूमा होंगी तो क़तअ+ अनिवार्य होगा+]ुसूसन इस दयार में जहां इन की बाहम तिजारत मुतआरिफ+ हो। वल्लाहु आलम। लेकिन ज़ाहिरूल रिवाया में है कि ऐसी अया में क़तअ+ होगा चाहे वो महरज+ होंया न हों और चाहे वोऐसी हों कि इन में दस्तकारी की गई होया नहीं औरयही सही है। वल्लाहु आलम बिल सवाब।

काटना नहीं आता है और कुछ या सक़र (1) वग़ैरह तमाम परिन्दों के चुराने में हाथ काटना नहीं आता है और नीज़ व ख़ुश के चुराने में हाथ काटना नहीं आता है और कुत्ते और चीते के चुराने से हाथ काटना नहीं आता है और मुर्ग़ी और रब्त और कबूतर के चुराने में हाथ काटना नहीं आता है यह तमरताशी में है और मशरूबात तीन दरजा के होते हैं अव्वल हलाल जैसे फ़क़ाअ के मानिन्द चीज़ें पस इन की चोरी से हाथ काटना अनिवार्य आता है और दोम शराब नक़ीअ उल तमर वल ज़बीब छुहारे व मुनक्क़ा को भिगो कर इन का आब रलात लेते हैं और सही यह है कि इस के चुराने में हाथ काटा जायेगा और सौम वग़ैरह मसकरात पस इन के

ने इख़्तलाफ़ किया है जब कि उस की क़ीमत दस दिरहम हो और सदर शहीद ने इख़्तयार किसया है कि हाथ काटना नहीं वाजिब होता है यह मुहीत में है और यही असह है और वलवाजय में है कि यही मुख़्तार है यह नहरूल फ़ाइक़ में है और सुरीद व रोटी के चुराने में हाथ काटना नहीं आता है यह सिराज वहाज में है और नवादिर अबू यूसुफ़ रह० में है कि रब व जुल्लाब में हाथ नहीं काटा जाता है यह ऐनी शरह कन्ज़ में है और अगर ज़िम्मी ने ज़िम्मी की खमर (शराब अंगूरी) यानी शराब चुराई तो चोर का हाथ न काटा जायेगा यह ईज़ाह में है और शतरंज चुराने में हाथ न काटा जायेगा अगरचे सोने की हो और नरद का भी यही हुक्म है यह मुहीत में है और मुसहफ़ मजीद के चुराने में हाथ काटना नहीं आता है अगरचे इस पर हज़ार दिरहम का हुलिया चढ़ा हो और इसी तरह कुतब फ़िक्हा व लुग़त वनहूद शअर की किताबों के चुराने में भी हाथ न काटा जायेगा यह सिराज वहाज में है।

अगर किसी ने सादे मुजल्लिद (जिल्द बंधे) औराक़ को क़ब्ल इस के कि इन में कुछ लिखा जाये चुराया तो चोर का हाथ काटा जायेगा जबकि निसाब पूरा हो यह मुहीत सुरखी में है और दफ़्तर हाये हिसाब (खाते) के चुराने में चोर का हाथ काटा जाता है यह मुहीत में है और दफ़्तर हाये हिसाब से वो दफ़्तर मुराद हैं जिन का हिसाब किताब हो चुका है और अगर वो हुनूज़ हिसाब में हों इन का हिसाब न गुज़र गया हो तो हाथ न काटा जायेगा और दफ़्तर हाये क़बहा के चुराने में हाथ काटा जाता है इस वास्तेक कि इन से मक़सूद वर्क़ हैं यह सिराज वहाज में है और तीरों की डंडियां चुराने में हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर इस को ख़दंग यानी तीर बना लिया फिर चोर ने चुराया तो हाथ काटा जायेगा यह ज़ख़ीरा में है। और सोने या चांदी की सलीबया सोने व चांदी के बुत चुराने से हाथ काटना नहीं लाज़िम आता है और जिन वर्मों पर तसावीर हैं उन के चुराने से क़तअ लाज़िम आयेगा इस वास्ते कि वो इबादत के वास्ते नहीं रखे गये हैं यह जोहरा नेहरा में है और ज़अफ़रान व चुराने में हाथ काटना नहीं आता है और दो शाब अंगूर में हाथ काटा जायेगा और तंबूर दोफ़ व मज़मार (1) और हर शैर मलाही के चुराने में क़तअ नहीं है यह सिराज वहाज में है। और तबल व बरबत में क़तअ नहीं है और यह आदेश इस समय है कि इस ने तबल लहू चुराया हो और अगर ग़ाज़ियों का तबल चुराया तो इस में विद्वानों ने मतभेद किया है जब कि उस की क़ीमत दस दिरहम हो और सदर शहीद ने अपनाया है कि हाथ काटना अनिवार्य नहीं होता है यह मुहीत में है और यही असह है और वलवाजय में है कि यही मुख़्तार है यह नहरूल फ़ाइक़ में है और सुरीद व रोटी के चुराने में हाथ काटना नहीं आता है यह सिराज वहाज में है और नवादिर अबू यूसुफ़ रह० में है कि रब व जुल्लाब में हाथ नहीं काटा जाता है यह ऐनी शरह कन्ज़ में है और अगर ज़िम्मी ने ज़िम्मी की खमर (शराब अंगूरी) यानी शराब चुराई तो चोर का हाथ न काटा जायेगा यह ईज़ाह में है और शतरंज चुराने में हाथ न काटा जायेगा चाहे सोने की हो और नरद का भी यही आदेश है यह मुहीत में है और मुसहफ़ मजीद के चुराने में हाथ काटना नहीं आता है चाहे इस पर हज़ार दिरहम का हुलिया चढ़ा हो और इसी तरह कुतब फ़िक्हा व लुग़त वनहूद शअर की किताबों के चुराने में भी हाथ न काटा जायेगा यह सिराज वहाज में है।

अगर किसी ने सादे मुजल्लिद (जिल्द बंधे) औराक़ को क़ब्ल इस के कि इन में कुछ लिखा जाये चुराया तो चोर का हाथ काटा जायेगा जबकि निसाब पूरा हो यह मुहीत सुरखी में है और दफ़्तर हाये हिसाब (खाते) के चुराने में चोर का हाथ काटा जाता है यह मुहीत में है और दफ़्तर हाये हिसाब से वो दफ़्तर तात्पर्य हैं जिन का हिसाब किताब हो चुका है और अगर वो हुनूज़ हिसाब में हों इन का हिसाब न गुज़र गया हो तो हाथ न काटा जायेगा और दफ़्तर हाये क़बहा के चुराने में हाथ काटा जाता है इस वास्तेक कि इन से मक़सूद वर्क़ हैं यह सिराज वहाज में है और तीरों की डंडियां चुराने में हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर इस को ख़दंग यानी तीर बना लिया फिर चोर ने चुराया तो हाथ काटा जायेगा यह

अम्बर व वरस व वसमा व कतम की चोरी से क़तअ दस्त होगा यह इताबिया में है और अगर ग़ुलाम इतना बड़ा हो कि मुमय्यज़ अपने नफ़्स का मोअबर हो तो इस के चुराने से हाथ नहीं काटा जायेगा अगरचे वो सोता हुआ या मजनून या अजमी (3) हो इस वास्ते कि यह चोरी नहीं है बल्कि ग़सब है या फ़रेब दही व बहकाना है यह नहरूल फ़ाइक़ में है और अगर ग़ुलाम ग़ैर मुमय्यज़ हो कि अपने नफ़्स से तअबीर न कर सके तो बिल इजमाअ इस के चुराने से हाथ काटा जायेगा यह फ़तहुल क़दीर में है और मुन्तक़ी में लिखा है कि अगर ग़ुलाम सग़ीर पांच दिरहम क़ीमत का जिस के कान में पांच दिरहम का मोती है किसी ने चुरा लिया तो मैं इस के हाथ काटने का हुक्म दूंगा यह मुहीत में है। अगर ज़ैद के उमर पर इस दिरहम क़रज़ा हों पस ज़ैद ने उमर के बैत से इस के मिस्ल चुरा लिये पस अगर क़र्ज़ा ऐसा हो कि फ़िलहाल अदा करना चाहिए है तो इस सूरत में इस का हाथ न काटा जायेगा और अगर क़र्ज़ा मीआदी

(1)सक़र ̧ ¥क परिन्दा शिकारी है और वो क़द व क़ामत में चील से बड़ा होता है[हिन्दी में इस में ककड+ कहते हैं और अक्सर कबूतर को शिकार करता है।
(2)आलात साज+ानी बाजह।
(3)ानी इस की ज़बानयहां की ज़बान न हो।(ानी मक़ामी ज़बान न हो। हाफ़िज+)।
सक़र¥ उर्दू में इसेशकरा कहा जाता है। इसी से है तसक्क़र(ाकरे से शिकारखेलना)(अलमंजुद)

हो तो क़ियास यह है कि हाथ काटा जाये और इस्तहसानन हाथ न काटा जायेगा ख़्वाह जो कुछ इस ने लिया है वो बक़द्र इस के माल के हो या ज़्यादा हो या कम हो और अगर ज़ैद ने इस का उरूज़ मसावी दस दिरहम के चुराया हो तो हाथ काटा जायेगा लेकिन अगर ज़ैद ने कहा कि मैंने इस को अपने हक़ के इवज़ रहन लिया है या अपने हक़ की अदाई में लिया है और इस की तसरीह करदी बिल इजमाअ इस के ज़िम्मे से हुदूद की जायेगी और अगर इस ने अपने हक़ से जय्यद क़सम के दिराहिम ले लें या इस से खोटे ले लिये तो हाथ नहीं काटा जायेगा यह सिराज वहाज में है।

अगर मकातिब या ग़ुलाम ने मौला के क़र्ज़

ज़ख़ीरा में है। और सोने या चांदी की सलीबया सोने व चांदी के बुत चुराने से हाथ काटना नहीं अनिवार्य आता है और जिन वर्मों पर तसावीर हैं उन के चुराने से क़तअ अनिवार्य आयेगा इस लिए कि वो इबादत के लिए नहीं रखे गये हैं यह जोहरा नेहरा में है और ज़अफ़रान व अम्बर व वरस व वसमा व कतम की चोरी से क़तअ दस्त होगा यह इताबिया में है और अगर ग़ुलाम इतना बड़ा हो कि मुमय्यज़ अपने नफ़्स का मोअबर हो तो इस के चुराने से हाथ नहीं काटा जायेगा चाहे वो सोता हुआ या मजनून या अजमी (3) हो इस लिए कि यह चोरी नहीं है बल्कि ग़सब है या फ़रेब दही व बहकाना है यह नहरूल फ़ाइक़ में है और अगर ग़ुलाम ग़ैर मुमय्यज़ हो कि अपने नफ़्स से तअबीर न कर सके तो बिल इजमाअ इस के चुराने से हाथ काटा जायेगा यह फ़तहुल क़दीर में है और मुन्तक़ी में लिखा है कि अगर ग़ुलाम सग़ीर पांच दिरहम क़ीमत का जिस के कान में पांच दिरहम का मोती है किसी ने चुरा लिया तो मैं इस के हाथ काटने का आदेश दूंगा यह मुहीत में है। अगर ज़ैद के उमर पर इस दिरहम क़रज़ा हों पस ज़ैद ने उमर के घर से इस के मिस्ल चुरा लिये पस अगर क़र्ज़ा ऐसा हो कि फ़िलहाल अदा करना चाहिए है तो इस स्थिति में इस का हाथ न काटा जायेगा और अगर क़र्ज़ा मीआदी

(1)सक़र ̧ ¥क परिन्दा शिकारी है और वो क़द व क़ामत में चील से बड़ा होता है[हिन्दी में इस में ककड+ कहते हैं और अक्सर कबूतर को शिकार करता है।
(2)आलात साज+ानी बाजह।
(3)ानी इस की ज़बानयहां की ज़बान न हो।(ानी मक़ामी ज़बान न हो। हाफ़िज+)।
सक़र¥ उर्दू में इसेशकरा कहा जाता है। इसी से है तसक्क़र(ाकरे से शिकारखेलना)(अलमंजुद)

हो तो क़ियास यह है कि हाथ काटा जाये और इस्तहसानन हाथ न काटा जायेगा चाहे जो कुछ इस ने लिया है वो बक़द्र इस के माल के हो या ज़्यादा हो या कम हो और अगर ज़ैद ने इस का उरूज़ मसावी दस दिरहम के चुराया हो तो हाथ काटा जायेगा लेकिन अगर ज़ैद ने कहा कि मैंने इस को अपने हक़ के इवज़ रहन लिया है या अपने हक़ की अदाई में लिया है और इस की तसरीह करदी बिल इजमाअ इस के ज़िम्मे से हुदूद

दार से कुछ चुरा लिया तो हाथ काटा जायेगा :

अगर अपने हक़ की जिन्स के खिलाफ़ जिन्स का नक़द लिया हो तो सही यह है कि हाथ नहीं काटा जायेगा यह तबयुन में है और अगर चांदी का ज़ैवर चुरा लिया हालांकि क़र्ज़ दार पर दिरहम क़र्ज़ा हैं या सोने का ज़ैवर चुरा लिया हालांकि क़र्ज़दार पर दीनार हैं तो हाथ काटा जायेगा और अबगर मताअ या ज़ैवर को चोर ने तलफ़ कर दिया और इस पर इस की क़ीमत वाजिब हुई और वो मिस्ल इसी के है जो क़र्ज़ दार पर क़र्ज़ा आता है तो भी हाथ काटा जायेगा यह सिराज वहाज में है और अगर मकातिब या ग़ुलाम ने मौला के क़र्ज़दार से कुछ चुरा लिया तो हाथ काटा जायेगा इल्ला आंकि इन के मौला ने इन को अपना माला वसूल करने का वकील किया हो तो ऐसी सूरत में हाथ काटना वाजिब न होगा और अगर किसी ने अपने बाप के क़र्ज़दार या बालिग़ पिसर या अपने मकातिब के क़र्ज़ दार से चुराया तो हाथ काटा जायेगा (1) और अगर अपने सग़ीर पिसर के क़र्ज़दार से चुराया तो हाथ नहीं काटा जायेगा यह ग़ायतुल बयान में है। अगर अपने ग़ुलाम माज़ूं मदयूं के क़र्ज़दार से कुछ चुराया तो हाथ काटा जायेगा और अगर ग़ुलाम मज़कूर मदयूं न हो यानी क़र्ज़दार न हो तो इस का क़र्ज़ा ख़ुद मौला का माल होगा पस चोरी से हाथ न काटा जायेगा बशर्तेकि चोरी का माल इस की जिन्स हक़ से हो यह ईज़ाह में है। अगर चोरी ऐसी दो चीज़ों की वाक़े हुई जिन में से एक ऐसी है कि इस के चुराने से हाथ काटा जाता है और दूसरी ऐसी है कि इस के चुराने से हाथ नहीं काटा जाता है तो असल यह है कि जो चीज़ मक़सूद बदज़ दी है अगर ऐसी हो कि इस के चुराने में हाथ काटा जाता है और वो निसाब को पहुंची हो तो बिल इजमाअ हाथ काटा जायेगा और अगर मक़सूद बदज़दी दूसरी चीज़ हो कि जिस के चुराने से हाथ नहीं काटा जाता है तो हाथ नहीं काटा जायेगा अगरचे इस के साथ ऐसी चीज़ भी हो जिस के सबब से हाथ काटा जाता है और वो पूरे निसाब तक पहुंची हो यह इमामे की जायेगी और अगर इस ने अपने हक़ से ज्यद क़सम के दिराहिम ले लें या इस से खोटे ले लिये तो हाा नहीं काटा जायेगा यह सिराज वहाज में है।

अगर मकातिब या ग़ुलाम ने मौला के क़र्ज़ दार से कुछ चुरा लिया तो हाथ काटा जायेगा :

अगर अपने हक़ की जिन्स के खिलाफ़ जिन्स का नक़द लिया हो तो सही यह है कि हाथ नहीं काटा जायेगा यह तबयुन में है और अगर चांदी का ज़ैवर चुरा लिया हालांकि क़र्ज़ दार पर दिरहम क़र्ज़ा हैं या सोने का ज़ैवर चुरा लिया हालांकि क़र्ज़दार पर दीनार हैं तो हाथ काटा जायेगा और अबगर मताअ या ज़ैवर को चोर ने तलफ़ कर दिया और इस पर इस की क़ीमत अनिवार्य हुई और वो मिस्ल इसी के है जो क़र्ज़ दार पर क़र्ज़ा आता है तो भी हाथ काटा जायेगा यह सिराज वहाज में है और अगर मकातिब या ग़ुलाम ने मौला के क़र्ज़दार से कुछ चुरा लिया तो हाथ काटा जायेगा सिवा आंकि इन के मौला ने इन को अपना माला वसूल करने का वकील किया हो तो ऐसी स्थिति में हाथ काटना अनिवार्य न होगा और अगर किसी ने अपने बाप के क़र्ज़दार या बालिग़ पिसर या अपने मकातिब के क़र्ज़ दार से चुराया तो हाथ काटा जायेगा (1) और अगर अपने सग़ीर पिसर के क़र्ज़दार से चुराया तो हाथ नहीं काटा जायेगा यह ग़ायतुल बयान में है। अगर अपने ग़ुलाम माज़ूं मदयूं के क़र्ज़दार से कुछ चुराया तो हाथ काटा जायेगा और अगर ग़ुलाम मज़कूर मदयूं न हो यानी क़र्ज़दार न हो तो इस का क़र्ज़ा ख़ुद मौला का माल होगा पस चोरी से हाथ न काटा जायेगा बशर्तेकि चोरी का माल इस की जिन्स हक़ से हो यह ईज़ाह में है। अगर चोरी ऐसी दो चीज़ों की स्थपित हुई जिन में से एक ऐसी है कि इस के चुराने से हाथ काटा जाता है और दूसरी ऐसी है कि इस के चुराने से हाथ नहीं काटा जाता है तो असल यह है कि जो चीज़ मक़सूद बदज़ दी है अगर ऐसी हो कि इस के चुराने में हाथ काटा जाता है और वो निसाब को पहुंची हो तो बिल इजमाअ हाथ काटा जायेगा और अगर

आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० का क़ौल है कि 'कज़ा फ़िल मुहीत क़ालल मुतरजम' हासिल असल यह है कि चोरी का मकसूद मलहूज़ होगा कि चोरी करने से क्या चीज़ मक़सूद थी इसी पर हुक्म का मदार होगा फ़ताम्मुल।

अगर चांदी का बर्तन चुराया जिस की क़ीमत सौ दिरहम है और इस में नबीज़ या तआम है जो बाक़ी नहीं रह सकता है या दूध है तो हाथ नहीं काटा जायेगा औरइस सूरत में इस चीज़ को मक़सूद क़रार दिया जायेगा जो बर्तन के अन्दर है और अगर तफ़ल आज़ाद को चुराया तो हाथ काटना नहीं आता है अगरचे तफ़ल मज़कूर पर ज़ेवर हो और यह इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० का क़ौल है और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने कहा कि हाथ काटा जायेगा जब कि तफ़ल पर ज़ेवर हो और वो निसाब को पहुंच गसया हो और यह इख़्तलाफ़ ऐसे तफ़ल में है जो चलता और बोलता नहीं है कि वो ख़ुद अपने क़ाबू में नहीं है और अगर बोलता व चलता हो तो बिल इजमाअ इस के चुराने वाले पर हाथ का काटना नहीं आता है अगरचे इस परकसरत से ज़ेवर हो यह सिराज वहाज में है मुन्तक़ी में लिखा है कि अगर एक कुत्ता चुराया जिस की गर्दन में दिरहम का तौक़ है तो मैं चोर का हाथ नहीं काटूंगा और अगर गधा चुराया जिस की क़ीमत नो दिरहम है और इस पर इकाफ़ एक दिरहम क़ीमत का है तो चोर का हाथ काटा जायेगा और अगर कूज़ह जिस में शहद ही चुराया जिस में से शहद की क़ीमत एक दिरहम और कूज़े की क़ीमत नो दिरहम है तो हाथ काटा जायेगा और असल में मज़कूर है कि अगर खम शराब चुराया जिस में से खम की क़ीमत दस दिरहम है तो हाथ काटना नहीं आता है और शम्सुल अइम्मा सुरखी ने अपनी शरह में लिखा है कि अगर हर ज़मीन शराब को पी लिया और बर्तन

(1)मुतरजम के अनुसार मुनासिब मक़ामयह है कि इस सूरत में भी इस तौर पर इस्तसना किया जायेयानीऐसी सूरत में कि वो सब की तरफ+ से वकील बिल क़ब्ज+ हो।

बाहर निकाला और ज़र्फ़ ऐसा है कि इस की चोरी से हाथ काटा जाता है तो चोर का हाथ काटा जायेगा यह ज़खीरा में है। अगर क़मक़मा चुराया जिस में पानी मक़सूद बदज़दी दूसरी चीज़ हो कि जिस के चुराने से हाथ नहीं काटा जाता है तो हाथ नहीं काटा जायेगा चाहे इस के साथ ऐसी चीज़ भी हो जिस के सबब से हाथ काटा जाता है और वो पूरे निसाब तक पहुंची हो यह इमामे आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० का कथन है कि 'कज़ा फ़िल मुहीत क़ालल मुतरजम' हासिल असल यह है कि चोरी का मक़सूद मलहूज़ होगा कि चोरी करने से क्या चीज़ मक़सूद थी इसी पर आदेश का मदार होगा फ़ताम्मुल।

अगर चांदी का बर्तन चुराया जिस की क़ीमत सौ दिरहम है और इस में नबीज़ या तआम है जो बाक़ी नहीं रह सकता है या दूध है तो हाथ नहीं काटा जायेगा औरइस स्थिति में इस चीज़ को मक़सूद क़रार दिया जायेगा जो बर्तन के अन्दर है और अगर तफ़ल आज़ाद को चुराया तो हाथ काटना नहीं आता है चाहे तफ़ल मज़कूर पर ज़ेवर हो और यह इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० का कथन है और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने कहा कि हाथ काटा जायेगा जब कि तफ़ल पर ज़ेवर हो और वो निसाब को पहुंच गसया हो और यह मतभेद ऐसे तफ़ल में है जो चलता और बोलता नहीं है कि वो ख़ुद अपने क़ाबू में नहीं है और अगर बोलता व चलता हो तो बिल इजमाअ इस के चुराने वाले पर हाथ का काटना नहीं आता है चाहे इस परकसरत से ज़ेवर हो यह सिराज वहाज में है मुन्तक़ी में लिखा है कि अगर एक कुत्ता चुराया जिस की गर्दन में दिरहम का तौक़ है तो मैं चोर का हाथ नहीं काटूंगा और अगर गधा चुराया जिस की क़ीमत नो दिरहम है और इस पर इकाफ़ एक दिरहम क़ीमत का है तो चोर का हाथ काटा जायेगा और अगर कूज़ह जिस में शहद ही चुराया जिस में से शहद की क़ीमत एक दिरहम और कूज़े की क़ीमत नो दिरहम है तो हाथ काटा जायेगा और असल में मज़कूर है कि अगर खम शराब चुराया जिस में से खम की क़ीमत दस दिरहम है तो हाथ काटना नहीं आता है और शम्सुल अइम्मा सुरखी ने अपनी शरह में लिखा है कि अगर हर ज़मीन शराब को पी लिया और बर्तन

(1)मुतरजम के अनुसार मुनासिब मक़ामयह है कि इस स्थिति में भी

भरा हुआ है और वो दस दिरहम का है तो हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर क़मक़मा का पानी इस ने दार के अन्दर ही पी लिया हो फिर ख़ाली क़मक़मा बाहर निकाल लाया तो हाथ काटा जायेगा यह इताबिया में है।

इमामे आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार कफ़न चोर पर क़तअ यद नहीं :

क़ुदूरी में फ़रमाया कि अगर ऐसी मन्दील चुराई जिस में दिरहमों की थैली है तो इस का हाथ काटा जायेगा और मन्दील (मिस्ल रूमाल के होती है) से वो मन्दील मुराद है कि आदत के मुवाफ़िक़ इस में दिरहम बांधते हैं यह मुहीत में है और अगर ऐसा कपड़ा चुराया जिस की क़ीमत दस दिरहम नहीं है और इस की जैब में दस दिरहम सिक्का ज़दह पाये गये हालांकि चोर इन को नहीं जानता था तो मैं इस का हाथ नहीं काटूंगा और अगर वो इन को जान कर कपड़ा चुरा लाया हो तो उस हाथ काटा जायेगा और अगर जुराब चुराई जिस में माल है या जवाल (थैला) जिस में माल हो या कैसा जिस में माल है तो इस का हाथ काटा जायेगा यह मबसूत में है और अगर किसी ने फ़सतात (बडा खैमा) चुराया पस अगर वो खड़ा था उस हालत में उस को चुराया है तो हाथ न काटा जायेगा और अगर कहीं लिपटा रखा हुआ था इस हालिफ़ में चुराया तो हाथ काटा जायेगा यह सिराज वहाज में है और अगर किसी मर्द या औरत से दगल बाज़ी (खोटाई या फ़रेब दही से ले लिया) करके माल ले लिया हो या लूट लिया या उचक ले भागा तो इस पर हाथ काटना नहीं आता है और कफ़न चोर पर हाथ काटना नहीं आता है यह इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार है यह हिदाया में है। अगर किसी ने क़ब्र में से दिरहम या दीनार या और कोई चीज़ सिवाए कफ़न के चुराई तो बिल इजमाअ इस पर हाथ काटा नहीं आता है यह सिराज वहाज में है।

अगर क़ब्र किसी बैत मक़फ़ल में हो तो हमारी मशाइख़ ने इख़्तलाफ़ किया है और असहिया है कि हाथ नहीं काटा जायेगा ख़्वाह इस ने कफ़न खोद कर क़ब्र से चुराया हो या कोई दूसरा माल इस बैत से चुराया हो

इस तौर पर इस्तसना किया जायेयानी ऐसी स्थिति में कि वो सब की तरफ+ से वकील बिल क़ब्ज+ हो।

बाहर निकाला और ज़र्फ़ ऐसा है कि इस की चोरी से हाथ काटा जाता है तो चोर का हाथ काटा जायेगा यह ज़खीरा में है। अगर क़मक़मा चुराया जिस में पानी भरा हुआ है और वो दस दिरहम का है तो हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर क़मक़मा का पानी इस ने दार के अन्दर ही पी लिया हो फिर ख़ाली क़मक़मा बाहर निकाल लाया तो हाथ काटा जायेगा यह इताबिया में है।

इमामे आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार कफ़न चोर पर क़तअ यद नहीं :

क़ुदूरी में फ़रमाया कि अगर ऐसी मन्दील चुराई जिस में दिरहमों की थैली है तो इस का हाथ काटा जायेगा और मन्दील (मिस्ल रूमाल के होती है) से वो मन्दील तात्पर्य है कि आदत के मुवाफ़िक़ इस में दिरहम बांधते हैं यह मुहीत में है और अगर ऐसा कपड़ा चुराया जिस की क़ीमत दस दिरहम नहीं है और इस की जैब में दस दिरहम सिक्का ज़दह पाये गये हालांकि चोर इन को नहीं जानता था तो मैं इस का हाथ नहीं काटूंगा और अगर वो इन को जान कर कपड़ा चुरा लाया हो तो उस हाथ काटा जायेगा और अगर जुराब चुराई जिस में माल है या जवाल (थैला) जिस में माल हो या कैसा जिस में माल है तो इस का हाथ काटा जायेगा यह मबसूत में है और अगर किसी ने फ़सतात (बडा खैमा) चुराया पस अगर वो खड़ा था उस हालत में उस को चुराया है तो हाथ न काटा जायेगा और अगर कहीं लिपटा रखा हुआ था इस शपथकर्ता में चुराया तो हाथ काटा जायेगा यह सिराज वहाज में है और अगर किसी मर्द या औरत से दगल बाज़ी (खोटाई या फ़रेब दही से ले लिया) करके माल ले लिया हो या लूट लिया या उचक ले भागा तो इस पर हाथ काटना नहीं आता है और कफ़न चोर पर हाथ काटना नहीं आता है यह इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार है यह हिदाया में है। अगर किसी ने क़ब्र में से दिरहम या दीनार या और कोई चीज़ सिवाए कफ़न के चुराई तो बिल इजमाअ इस पर हाथ काटा नहीं आता है यह सिराज वहाज में है।

और इसी तरह अगर ताबूत से जो क़ाफ़िला में है कफ़न चुराया तो असह यह है कि हाथ नहीं काटा जायेगा यह काफ़ी में है। अगर मुशतरी ने जो चीज़ बाऐ से बशर्त ख़्यार बाऐ खरीदी है मुद्दत ख़्यार के अन्दर बाऐ से चुराई तो इस पर हाथ काटना नहीं आता है और अगर किसी ने दूसरे के वास्ते किसी चीज़ कीवसियत की फिर मूसी की मौत से पहले इस ने मूसी के पास से चुराली तो इस का हाथ काटा जायेगा और अगर मूसी की मौत के बाद क़ब्ल अपने क़बूल के चुराई तो हाथ नहीं काटा जायेगा यह सिराज वहाज में है और अगर किसी ने माल ग़नायम (1) में से या बैतुल माल (2) में से चुराया तो क़तअ नहीं आता है ख़्वाह आज़ाद हो या ग़ुलाम हो यह निहाया में है और ऐसे माल के चुराने में भी हाथ नहीं काटा जायेगा जिस में चोर की शिरकत है यह तबयुन में है। अगर चोर का हाथ किसी मताअ की चोरी में काटा गया और यह मताअ इस के मालिक को वापिस कर दी गई फिर चोर ने दोबारह इस को चुरा लिया तो इस्तहसानन हमारे अनुसार हाथ नहीं काटा जायेगा यह मबसूत में है और इसी तरह अगर चोर के पास से किसी दूसरे ने मताअ सिरक़ा को चुरा लिया तो चोर अव्वल को और मालिक को दोनों में से किसी को यह इख़्तयार न होगा कि दूसरे चोर का हाथ काटे यह मुहीत सुरखी में है और असल हमारे अनुसार यह है कि जब तक माल ऐन मसरूक़ा में कुछ तब्दील नहीं आता है और बहाला इस को दोबारह चोर ने चुराया तो हमारे अनुसार दोबारह इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर इस की ग़ीबत में दोबारह तब्दील हो गया हो तो इस का हाथ काटा जायेगा मसलन पहले रूई चुराई कि चोर का हाथ काट कर मालिक को वापिस दी गई फिर जब इस का सूत कात लिया गया तो सूत को दोबारह चोर ने चुराया या सूत था कि वो बन कर कपड़ा हो गयातो ऐसा बिल इजमाअ इस का हाथ काटा जायेगा यह शरह तहावी में है।

अगर सौ दिरहम चुराये पस इस की वजह से चोर का हाथ काटा गया और दिराहिम मज़कूर इस के मालिक को वापिस दिये गये फिर दोबारह उन्हें

अगर क़ब्र किसी घर मक़फ़ल में हो तो हमारी विद्वानों ने मतभेद किया है और असहिया है कि हाथ नहीं काटा जायेगा चाहे इस ने कफ़न खोद कर क़ब्र से चुराया हो या कोई दूसरा माल इस घर से चुराया हो और इसी तरह अगर ताबूत से जो क़ाफ़िला में है कफ़न चुराया तो असह यह है कि हाथ नहीं काटा जायेगा यह काफ़ी में है। अगर ग्राहक ने जो चीज़ बाऐ से बशर्त ख़्यार बाऐ खरीदी है मुद्दत ख़्यार के अन्दर बाऐ से चुराई तो इस पर हाथ काटना नहीं आता है और अगर किसी ने दूसरे के लिए किसी चीज़ कीवसियत की फिर मूसी की मौत से पहले इस ने मूसी के पास से चुराली तो इस का हाथ काटा जायेगा और अगर मूसी की मौत के बाद क़ब्ल अपने क़बूल के चुराई तो हाथ नहीं काटा जायेगा यह सिराज वहाज में है और अगर किसी ने माल ग़नायम (1) में से या बैतुल माल (2) में से चुराया तो क़तअ नहीं आता है चाहे आज़ाद हो या ग़ुलाम हो यह निहाया में है और ऐसे माल के चुराने में भी हाथ नहीं काटा जायेगा जिस में चोर की शिरकत है यह तबयुन में है। अगर चोर का हाथ किसी मताअ की चोरी में काटा गया और यह मताअ इस के मालिक को वापिस कर दी गई फिर चोर ने दोबारह इस को चुरा लिया तो इस्तहसानन हमारे अनुसार हाथ नहीं काटा जायेगा यह मबसूत में है और इसी तरह अगर चोर के पास से किसी दूसरे ने मताअ सिरक़ा को चुरा लिया तो चोर अव्वल को और मालिक को दोनों में से किसी को यह अधिकार न होगा कि दूसरे चोर का हाथ काटे यह मुहीत सुरखी में है और असल हमारे अनुसार यह है कि जब तक माल ऐन मसरूक़ा में कुछ तब्दील नहीं आता है और बहाला इस को दोबारह चोर ने चुराया तो हमारे अनुसार दोबारह इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर इस की ग़ीबत में दोबारह तब्दील हो गया हो तो इस का हाथ काटा जायेगा मसलन पहले रूई चुराई कि चोर का हाथ काट कर मालिक को वापिस दी गई फिर जब इस का सूत कात लिया गया तो सूत को दोबारह चोर ने चुराया या सूत था कि वो बन कर कपड़ा हो गयातो ऐसा बिल इजमाअ इस का हाथ काटा जायेगा यह शरह तहावी में है।

(1)ग़नाइम॰यानी जिहाद का माल जो लूट में जमा किया गया है।

(२)नी जिस में मुसलमानों का इस्तहक़ाक+ हो।

दिरहमों को इस ने चुराया तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर इन को मअ और सौ दिरहम के चुराया ता इस का पांव काटा जायेगा ,ख़्वाह यह दोनों सैकड़े दिरहमों के बाहम मख़्लूत हों या जुदा जुदा मुमतयज़ हों यह ज़हीरिया में है और अगर सोना या चांदी चुराई और चोर का हाथ इस की वजह से काटा गया और माल मज़कूर इस के मालिक को वापिस किया गया फिर मालिक ने इस का बर्तन बनवाया था या बर्तन से इस के दिरहम सिक्का दार बनवाए फिर चोर ने इस को दोबारह चुराया तो इमामे आज़म रह० के अनुसार हाथ नहीं काटा जायेगा और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि हाथ काटा जायेगा यह शरह तहावी में है। किफ़ायतुल बैक़ी में मज़कूर है कि एक कपड़ा चुराया और इस को सिलाया फिर इस को रद कर दिया (वापिस कर दिये गये) फिर इस में नुक़सान आ गया फिर इस ने नाक़िस को चुराया तो हाथ नहीं काटा जायेगा यह नहरूल फ़ाइक़ में है और अगर गाये चुराई कि जिस के जुर्म में इस का हाथ काटा गया औरगाये मज़कूर इस के मालिक को वापिस दी गई फिर मालिक के पास वो बच्चा जनी फिर चोर ने इस का बच्चा चुराया तो इस का हाथ काटा जायेगा और अगर किसी माल ऐन की चोरी में इस का हाथ काटा गया और ऐन मज़कूर इस के मालिक को वापिस दी गई और मालिक ने किसी के हाथ फ़रोख़्त कर दी फिर इस को खरीद लिया फिर दोबारह चोर ने इस को चुराया तो इमाम मौहम्मद रह० ने यह मसला किसी किताब में ज़िक्र नहीं फ़रमाया और मशाइख़ ने इस में इख़्तलाफ़ किया है चुनांचे हमारे इराक़ी मशाइख़ फ़रमाते हैं कि इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और मशाइख़ माविरा उल नहर फ़रमाते हैं कि हाथ काटा जायेगा यह ज़हीरिया में है और इसी तरह अगर मालिक ने वो चीज़ चोर के हाथ फ़रोख़्त कर दी फिर इस से खरीद ली फिर दोबारह चोर ने इस को चुराया तो भी ऐसा ही हुक्म है यह नहरूल फ़ाइक़ में है। एक ने अपने माल की ज़कात निकाली और अलग करके रखी ताकि फ़क़ीरों को बांट दे फिर इस को किसी ग़नी या फ़क़ीर ने चुरा लिया तो इस

अगर सौ दिरहम चुराये पस इस की कारण से चोर का हाथ काटा गया और दिराहिम मज़कूर इस के मालिक को वापिस दिये गये फिर दोबारह उन्हें

(1)ग़नाइम॥नी जिहाद का माल जो लूट में जमा किया गया है।
(२)नी जिस में मुसलमानों का इस्तहक़ाक+ हो।

दिरहमों को इस ने चुराया तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर इन को मअ और सौ दिरहम के चुराया ता इस का पांव काटा जायेगा चाहे यह दोनों सैकड़े दिरहमों के बाहम मख़्लूत हों या जुदा जुदा मुमतयज़ हों यह ज़हीरिया में है और अगर सोना या चांदी चुराई और चोर का हाथ इस की कारण से काटा गया और माल मज़कूर इस के मालिक को वापिस किया गया फिर मालिक ने इस का बर्तन बनवाया था या बर्तन से इस के दिरहम सिक्का दार बनवाए फिर चोर ने इस को दोबारह चुराया तो इमामे आज़म रह० के अनुसार हाथ नहीं काटा जायेगा और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि हाथ काटा जायेगा यह शरह तहावी में है। किफ़ायतुल बैक़ी में मज़कूर है कि एक कपड़ा चुराया और इस को सिलाया फिर इस को रद कर दिया (वापिस कर दिये गये) फिर इस में नुक़सान आ गया फिर इस ने नाक़िस को चुराया तो हाथ नहीं काटा जायेगा यह नहरूल फ़ाइक़ में है और अगर गाये चुराई कि जिस के जुर्म में इस का हाथ काटा गया औरगाये मज़कूर इस के मालिक को वापिस दी गई फिर मालिक के पास वो बच्चा जनी फिर चोर ने इस का बच्चा चुराया तो इस का हाथ काटा जायेगा और अगर किसी माल ऐन की चोरी में इस का हाथ काटा गया और ऐन मज़कूर इस के मालिक को वापिस दी गई और मालिक ने किसी के हाथ फ़रोख़्त कर दी फिर इस को खरीद लिया फिर दोबारह चोर ने इस को चुराया तो इमाम मौहम्मद रह० ने यह मसला किसी किताब में वर्णन नहीं फ़रमाया और विद्वानों ने इस में मतभेद किया है चुनांचे हमारे इराक़ी विद्वानों फ़रमाते हैं कि इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और विद्वानों माविरा उल नहर फ़रमाते हैं कि हाथ काटा जायेगा यह ज़हीरिया में है और इसी तरह अगर मालिक ने वो चीज़ चोर के हाथ फ़रोख़्त कर दी फिर इस से खरीद ली फिर दोबारह

का हाथ काटा जायेगा इस वास्ते कि हुनूज़ वो इस की मिल्क में बाक़ी थी और यही मुख़्तार है यह ग़यासिया में है और अगर किसी चोर ने हरबी मुसतामन (1) का माल चुराया तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और यह हमारे अनुसार बदलील इस्तहसान है। अहले अदल के किसी आदमी ने अहल बग़ी के लश्कर में रात के वक्त ग़ारत की और इन में से किसी आदमी का कुछ माल चुरा लिया और इस को इमाम अहले अदल के पास लाया तो फ़रमाया कि मैं इस का हाथ नहीं काटूंगा इस वास्ते कि अहले अदल को रवा है कि जिस तौर से इन को क़ुदरत हासिल हो अहले बग़ावत का माल ले लें और इस को रख छोड़ें यहां तक कि बाग़ी लोग तौबा करें या मर जाऐं फिर यह माल इन के वारिसों को दे दिया जायेगा पस इस तरह चोरी करने में शुब्हा हो गया कि उस ने इसी तरीक़ से ले लिया हो और इसी तरह अगर बाग़ियों (2) में से कोई आदमी अहले हक़ व अदल के लश्कर में ग़ारत करके माल ले गया तो उस का हाथ भी नहीं काटा जायेगा इस वास्ते कि अहले बग़ावत माल अहले अदल का हलाल जानते हैं और इन की तावील अगरचे फ़ासिद है लेकिन जब इस के साथ मतआ का इन्ज़माम किया गया तो वो बमन्ज़िला तावील सही के हो गये और अगर अहले अदल के मिल्क में से किसी आदमी ने दूसरे का माल चुरा लिया हालांकि चोर इस को काफ़िर कहता है और इस का माल लेना व ख़ून बहाना रवा रखता है तो मैं उस का हाथ काटूंगा इस वास्ते कि तावील यहां मतआ से खाली है और बदून मतआ के तावील का कुछ ऐतबार नहीं है इस वास्ते उस की ज़िमान साक़ित नहीं होती है पस ऐसा ही हाथ काटना भी साक़ित न होगा और इस की वजह यह है कि वो अहले अदल के तहत में है पस इमाम अहले अदल को इस पर दस्तरस है कि हाथ काटने की हद इस पर पूरी जारी कर दे बखिलाफ़ इस शख़्स के कि जो अहले बग़ावत के लश्कर में है कि इस पर इमाम अहले अदल का हाथ नहीं पहुंचता है यह मबसूत में है।

(1) ानी जोश.]स दारूल हरब का रहने वाला दारूस्सलाम में कुछ मुद्दत के वास्ते अमन ले कर दाखिल हुआ।

(2) वो लोग जो इमाम वक्त से बग़ावत इ]तयार करके उस से खिलाफ+ हों।

चोर ने इस को चुराया तो भी ऐसा ही आदेश है यह नहरूल फ़ाइक़ में है। एक ने अपने माल की ज़कात निकाली और अलग करके रखी ताकि फ़क़ीरों को बांट दे फिर इस को किसी ग़नी या फ़क़ीर ने चुरा लिया तो इस का हाथ काटा जायेगा इस लिए कि हुनूज़ वो इस की मिल्क में बाक़ी थी और यही मुख़्तार है यह ग़यासिया में है और अगर किसी चोर ने हरबी मुसतामन (1) का माल चुराया तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और यह हमारे अनुसार बदलील इस्तहसान है। अहले अदल के किसी आदमी ने अहल बग़ी के लश्कर में रात के समय ग़ारत की और इन में से किसी आदमी का कुछ माल चुरा लिया और इस को इमाम अहले अदल के पास लाया तो फ़रमाया कि मैं इस का हाथ नहीं काटूंगा इस लिए कि अहले अदल को रवा है कि जिस तौर से इन को क़ुदरत हासिल हो अहले बग़ावत का माल ले लें और इस को रख छोड़ें यहां तक कि बाग़ी लोग तौबा करें या मर जाऐं फिर यह माल इन के वारिसों को दे दिया जायेगा पस इस तरह चोरी करने में शुब्हा हो गया कि उस ने इसी तरीक़ से ले लिया हो और इसी तरह अगर बाग़ियों (2) में से कोई आदमी अहले हक़ व अदल के लश्कर में ग़ारत करके माल ले गया तो उस का हाथ भी नहीं काटा जायेगा इस लिए कि अहले बग़ावत माल अहले अदल का हलाल जानते हैं और इन की तावील चाहे फ़ासिद है लेकिन जब इस के साथ मतआ का इन्ज़माम किया गया तो वो बमन्ज़िला तावील सही के हो गये और अगर अहले अदल के मिल्क में से किसी आदमी ने दूसरे का माल चुरा लिया हालांकि चोर इस को काफ़िर कहता है और इस का माल लेना व ख़ून बहाना रवा रखता है तो मैं उस का हाथ काटूंगा इस लिए कि तावील यहां मतआ से खाली है और बदून मतआ के तावील का कुछ ऐतबार नहीं है इस लिए उस की ज़िमान साक़ित नहीं होती है पस ऐसा ही हाथ काटना भी साक़ित न होगा और इस की कारण यह है कि वो अहले अदल के तहत में है पस इमाम अहले अदल को इस पर दस्तरस है कि हाथ काटने की हद इस पर पूरी जारी कर दे बखिलाफ़ इस व्यक्ति के कि जो अहले बग़ावत के लश्कर में है कि इस पर

फ़सलः 2

हरज़ और हरज़ से लेने के बयान में

हरज़ की अक़सामः

हरज़ दो तरह का होता है एक हरज़ कि जिस में कोई बात हिफ़ाज़त की ख़ुद मौजूद है जैसे बुयूत दूर और ऐसे हरज़ को हरज़ बमकान कहते हैं और यही फ़सतात व दुकान व ख़ैमों का हुक्म है कि यह सब चीज़ें हरज़ होती हैं अगरचे इन में कोई शख़्स हाफ़िज़ न हो ख़्वाह इन में से चोर ने ऐसी हालत में चुराया कि उस का दरवाज़ा खुला हुआ था या दरवाज़ा ही न था इस वास्ते कि इमारत से ग़र्ज़ अहराज़ होती है लेकिन वाज़ह रहे कि हाथ इस वक़्त तक नहीं काटा जायेगा जब तक कि महर न निकाल लाये बख़िलाफ़ अहराज़ बहिफ़ाज़त के कि अगर हाफ़िज़ हो और चोरने लेली तो इस का हाथ काटा जायेगा ख़्वाह वो बाहर लाया हो सया न लाया हो अदो महरज़ बहिफ़ाज़त जैसे कोई शख़्स रास्ता पर या जंगल में या मस्जिद में बैठा और अपने पास अपनी मताअ रख

इमाम अहले अदल का हाथ नहीं पहुंचता है यह मबसूत में है।

(1)नी जो व्यक्ति दारूल हरब का रहने वाला दारूस्सलाम में कुछ मुद्दत के लि, अमन ले कर दाखिल हुआ।

(2) वो लोग जो इमाम सम से बग़ावत अधिकार करके उस से खिलाफ+ हों।

फ़सलः 2

हरज़ और हरज़ से लेने के बयान में

हरज़ की अक़सामः

हरज़ दो तरह का होता है एक हरज़ कि जिस में कोई बात हिफ़ाज़त की ख़ुद मौजूद है जैसे बुयूत दूर और ऐसे हरज़ को हरज़ बमकान कहते हैं और यही फ़सतात व दुकान व ख़ैमों का आदेश है कि यह सब चीज़ें हरज़ होती हैं चाहे इन में कोई व्यक्ति हाफ़िज़ न हो चाहे इन में से चोर ने ऐसी हालत में चुराया कि उस का दरवाज़ा खुला हुआ था या दरवाज़ा ही न था इस लिए कि इमारत से ग़र्ज़ अहराज़ होती है लेकिन वाज़ह रहे कि हाथ इस समय तक नहीं काटा जायेगा जब तक कि महर न

ली तो वो इस मताअ का महरज़ है और यह हुक्म इस वक्त है कि हाफ़िज़ मज़कूर इस मताअ से क़रीब हो और अगर इस से दूर हो तो वो इस का हिफ़ाज़त करने वाला नहीं है और क़रीब इस को कहते है कि इतने फ़ासले पर हो कि इस को देखता और हिफ़ाज़त कर सकता हो और इस में कुछ फ़र्क़ नहीं है कि हाफ़िज़ सोता हो या जागता हो और मताअ उस के नीचे हो या पास रखी हो और यही सही है यह सिराज वहाज में है और अगर अपने मताअ को सहरा में (1) जमा किया और अपने मताअ पर नहीं सोया बल्कि क़रीब उस के सोया और वो चोरी गई तो चोर का हाथ काटा जायेगा बशर्तेकि ऐसी जगह सोया हो कि उस को देखता और उस की हिफ़ाज़त कर सकता है यह मुहीत सुरखी में है।

इमाम अबू हनीफ़ा रह० से रिवायत है कि अगर हमाम में किसी ने नीचे से कपड़ा चुरा लिया तो उसका हाथ काटा जायेगा :

हमारे मशाइख ने फ़रमाया कि हर नोअ का हरज़ अलाहिदा है पस जो हरज़ जिस के वास्ते मोअतबर है अगर इस में से यह चीज़ चुराई तो हाथ काटा जायेगा जैसे मसलन दाबा को असतबल से या बकरी को खतीरह से चुरा लिया तो चोर का हाथ काटा जायेगा और अगर इन मक़ामों से इस ने दिरम या दीनार चुराये तो हाथ नहीं काटा जायेगा और फ़तावा करखी में है कि जो चीज़ एक नोअ के वास्ते हरज़ है वो हर नोअ के वास्ते हरज़ है हत्ता कि उलमाऐ शरीचा बक़ाल (2) और क़ौसरह हाये ख़ुरमा को दिरहम व दीनार व मौती के वास्ते हरज़ क़रार दिया है और फ़रमाया कि यही सही है यह सिराज वहाज में है और शम्सुल अइम्मा सुरखी ने फ़रमाया कि हमारे अनुसार यही मज़हब है यह ज़हीरिया में है और हरज़ बमकान में अहराज़ बहिफ़ाज़त का ऐतबार नहीं है और यही सही है यह हिदाया में है और अगर हमाम में से रात को चुराया तो हाथ काटा जायेगा और अगर दिन को चुराया तो नहीं और यह जो लोगों की आदत हमाम में थोडी रात गये तक जाने की है इस क़द्र बमन्ज़िला दिन के है यह इख़्तयार शरह मुख़्तार में है और इमाम अबू

निकाल लाये बखिलाफ़ अहराज़ बहिफ़ाज़त के कि अगर हाफ़िज़ हो और चोरने लेली तो इस का हाथ काटा जायेगा चाहे वो बाहर लाया हो सया न लाया हो अदो महरज़ बहिफ़ाज़त जैसे कोई व्यक्ति रास्ता पर या जंगल में या मस्जिद में बैठा और अपने पास अपनी मताअ रख ली तो वो इस मताअ का महरज़ है और यह आदेश इस समय है कि हाफ़िज़ मज़कूर इस मताअ से क़रीब हो और अगर इस से दूर हो तो वो इस का हिफ़ाज़त करने वाला नहीं है और क़रीब इस को कहते है कि इतने फ़ासले पर हो कि इस को देखता और हिफ़ाज़त कर सकता हो और इस में कुछ फ़र्क़ नहीं है कि हाफ़िज़ सोता हो या जागता हो और मताअ उस के नीचे हो या पास रखी हो और यही सही है यह सिराज वहाज में है और अगर अपने मताअ को सहरा में (1) जमा किया और अपने मताअ पर नहीं सोया बल्कि क़रीब उस के सोया और वो चोरी गई तो चोर का हाथ काटा जायेगा बशर्तेकि ऐसी जगह सोया हो कि उस को देखता और उस की हिफ़ाज़त कर सकता है यह मुहीत सुरखी में है।

इमाम अबू हनीफ़ा रह० से रिवायत है कि अगर हमाम में किसी ने नीचे से कपड़ा चुरा लिया तो उसका हाथ काटा जायेगा :

हमारे विद्वानों ने फ़रमाया कि हर नोअ का हरज़ अलाहिदा है पस जो हरज़ जिस के लिए मोअतबर है अगर इस में से यह चीज़ चुराई तो हाथ काटा जायेगा जैसे मसलन दाबा को असतबल से या बकरी को खतीरह से चुरा लिया तो चोर का हाथ काटा जायेगा और अगर इन मक़ामों से इस ने दिरम या दीनार चुराये तो हाथ नहीं काटा जायेगा और फ़तावा करखी में है कि जो चीज़ एक नोअ के लिए हरज़ है वो हर नोअ के लिए हरज़ है हत्ता कि उलमाऐ शरीचा बक़ाल (2) और क़ौसरह हाये ख़ुरमा को दिरहम व दीनार व मौती के लिए हरज़ क़रार दिया है और फ़रमाया कि यही सही है यह सिराज वहाज में है और शम्सुल अइम्मा सुरखी ने फ़रमाया कि हमारे अनुसार यही मज़हब है यह ज़हीरिया में है और हरज़ बमकान में अहराज़ बहिफ़ाज़त का ऐतबार नहीं है और

हनीफ़ा रह० से रिवायत है कि अगर हमाम में किसी के नीचे से किसी ने कपड़ा चुरा लिया तो उस का हाथ काटा जायेगा जैसे मस्जिद में से किसी की मताअ चुराई हालांकि उस का मालिक इस के पास मौजूद है तो हाथ काटा जाता है और साहिबीन के अनुसार हाथ नहीं काटा जायेगा और यही ज़ाहिरूल मज़ाहिब में है

(1)सहरा॥ जंगल बयाबान वाया मायदब अलल अर्ज़ फिर चौपाओं फिर सवारी के जानवरों व बक़ौल बाज+ोडे के साथ म]सूस हुआ +]ातरा। बहा मुहिमला व ज़ाअ मुअज्जमा जो पत्थरोंया कांटोंया लकडि+योंयसा नरकल वग़ैरह से कटहरे के मानिन्द मैदान में इहाता जानवरों के रखने के लि, बनाते हैं।

(2)बक़ल तरह॥ तरकारी है बक़ाल तरह फ़रोश कुंजड़ा वशीरीं जिस में साग वग़ैरह रखता है और वो गहरी टोकरी सी होती हैयानी खांचा व टोकरा जो बांस व दीगर दर]तों कीशा.]ों से बनाते हैं और हमारे उर्फ+ में मारूफ+ है। तो सिरह बक़ाफ+ व साद मुहिमला ज़ंबील जिस में+]ुरमा वग़ैरह रखते हैं।

है और इसी पर फ़तवा है यह काफ़ी में है और अगर महरज़ बमकान है और उस को अन्दर आने की इजाज़त दी गई फिर उस ने इजाज़त से दाखिल हो कर कोई चीज़ चुराई तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और इस के हक़ में यह हरज़ न होगा अगरचे वहां कोई निगहबान हो और अगरचे मालिक मताअ उस पर सोता हो और इन इमारात में जो ऐसी हो कि इस में बिला इजाज़त जब चाहे दाखिल हो सकता हो और मना न किया जाता हो तो यह और ज़ंगल का मैदान यक्सां है कि निगहबान बिठा लेने से महरज़ हो जायेगा जैसे मस्जिदे व रास्ते का हुकम है यह ईज़ाह में है और अगर किसी ने गोन को फाड़ कर इस में से कुछ चुरा लिया या सन्दूक़ में हाथ डाल कर माल ले लिया तो उस का हाथ काटा जायेगा यह तबयुन में है।

और अगर ऊंट को रास्ते से मअ उसके बोझ के चुरा लिया तो हाथ नहीं काटा जायेगा ख़्वाह उस का मालिक उस पर हो या न हो इस वास्ते कि यह माल ज़ाहिर ग़ैर महरज़ है और इसी तरह अगर जवाल (1) बअयुना चुराली तो हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर जवाल को चाक करके इस में से माल निकाल लिया पस अगर इस का मालिक वहां हो तो हाथ काटा जायेगा वरना नहीं और अगर जवाल ज़मीन पर पड़ी हों पस

यही सही है यह हिदाया में है और अगर हमाम में से रात को चुराया तो हाथ काटा जायेगा और अगर दिन को चुराया तो नहीं और यह जो लोगों की आदत हमाम में थोड़ी रात गये तक जाने की है इस क़द्र बमन्ज़िला दिन के है यह अधिकार शरह मुख़्तार में है और इमाम अबू हनीफ़ा रह० से रिवायत है कि अगर हमाम में किसी के नीचे से किसी ने कपड़ा चुरा लिया तो उस का हाथ काटा जायेगा जैसे मस्जिद में से किसी की मताअ चुराई हालांकि उस का मालिक इस के पास मौजूद है तो हाथ काटा जाता है और साहिबीन के अनुसार हाथ नहीं काटा जायेगा और यही ज़ाहिरूल मज़ाहिब में है

(1)सहरा॥ जंगल बयाबान वाया मायदब अलल अर्ज़ फिर चौपाओं फिर सवारी के जानवरों व बक़ौल कुछघोड़े के साथ म]सूस हुआ +]ातरा। बहा मुहिमला व ज़ाअ मुअज्जमा जो पत्थरोंया कांटोंया लकडि+योंयसा नरकल वग़ैरह से कटहरे के मानिन्द मैदान में इहाता जानवरों के रखने के लि, बनाते हैं।

(2)बक़ल तरह॥ तरकारी है बक़ाल तरह फ़रोश कुंजड़ा वशीरीं जिस में साग वग़ैरह रखता है और वो गहरी टोकरी सी होती हैयानी खांचा व टोकरा जो बांस व दीगर दर]तों कीशा.]ों से बनाते हैं और हमारे उर्फ+ में मारूफ+ है। तो सिरह बक़ाफ+ व साद मुहिमला ज़ंबील जिस में+]ुरमा वग़ैरह रखते हैं।

है और इसी पर फ़तवा है यह काफ़ी में है और अगर महरज़ बमकान है और उस को अन्दर आने की इजाज़त दी गई फिर उस ने इजाज़त से दाखिल हो कर कोई चीज़ चुराई तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और इस के हक़ में यह हरज़ न होगा चाहे वहां कोई निगहबान हो और चाहे मालिक मताअ उस पर सोता हो और इन इमारात में जो ऐसी हो कि इस में बिला इजाज़त जब चाहे दाखिल हो सकता हो और मना न किया जाता हो तो यह और ज़ंगल का मैदान यक्सां है कि निगहबान बिठा लेने से महरज़ हो जायेगा जैसे मस्जिदे व रास्ते का आदेश है यह ईज़ाह में है और अगर किसी ने गोन को फाड़ कर इस में से कुछ चुरा लिया या सन्दूक़ में हाथ डाल कर माल ले लिया तो उस का हाथ काटा जायेगा यह तबयुन में है।

और अगर ऊंट को रास्ते से मअ उसके बोझ के चुरा लिया तो हाथ नहीं काटा जायेगा चाहे उस का मालिक उस पर हो या न हो इस लिए कि यह माल

जवाल मअ मताअ के चुरा लीं पस अगर इस का मालिक वहां हो इस तरह इस की खिदमत कर सकता हो तो इस का हाथ काटा जायेगा ख़्वाह इस के साथ क़ायद या सायक़ हो तो जो इस को खींचता या हांकता हो या न हो पस इमाम रह० ने क़तार को सालिक़ व क़ायद से महरज़ नहीं रखा अगरचे दोनों इस के हाफ़िज़ हों इस वास्ते कि माल जब ही निगहबान से महरज़ होता है कि जब इस का क़सद हिफ़्ज़ हुआ और जब इस का क़सद कोई और अम्र हो और हिफ़ाज़त करना इस की तबइयत में हासिल होता हो तो ऐसा नहीं है हत्ता कि अगर क़तार के साथ कोई ऐसा आदमी भी हो जो महज़ निगहबानी करता हो तो चोर का हाथ काटा जायेगा यह ज़खीरा में है और अगर चोर ने हर ज़मीन इस को ले लिया और हुनूज़ बाहर नहीं लाया ख़्वाह इस को लाद लिया है या नहीं तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर इस ने हर ज़मीन से बाहर फैंक दिया जहां इस का एक साथी है पस साथी ने इस को ले लिया तो दोनों में से किसी पर हाथ काटना नहीं आता है और अगर इस ने दीवार के पीछे से अपने साथी को दे दी और ख़ुद इस चीज़ के साथ नहीं निकला तो इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि इन दोनों में से किसी पर हाथ काटना नहीं आता है और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि जो अन्दर है इस का हाथ काटा जायेगा और बाहर वाले का हाथ नहीं काटा जायेगा बशर्तेकि इस ने अन्दर हाथ न डाला हो और अगर बाहर वाले ने अपना हाथ हर ज़मीन में दाखिल करके अन्दर वाले से यह चीज़ ले ली तो इमाम आज़म रह० के क़ौल में इन दोनों में से किसी पर हाथ काटना नहीं आता है और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि दोनों का हाथ काटूंगा यह फ़तावा करखी में है।

अगर अन्दर वाले ने माल के सेंद के मुंह पर रख दिया फिर बाहर निकल कर इस को ले लिया तो इस को इमाम मौहम्मद रह० ने ज़िक्र नहीं फ़रमाया और यह सही है कि हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर दार में कोई नहर जारी हो और चोर ने मताअ को ले कर नहर में डाल दिया फिर वहां से निकल कर इस को ले लिया पस अगर मताअ मज़कूर ख़ुद पानी के रोज़ से बाहर ज़ाहिर ग़ैर महरज़ है और इसी तरह अगर जवाल (1) बअयुना चुराली तो हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर जवाल को चाक करके इस में से माल निकाल लिया पस अगर इस का मालिक वहां हो तो हाथ काटा जायेगा वरना नहीं और अगर जवाल ज़मीन पर पड़ी हों पस जवाल मअ मताअ के चुरा लीं पस अगर इस का मालिक वहां हो इस तरह इस की सेवा कर सकता हो तो इस का हाथ काटा जायेगा चाहे इस के साथ क़ायद या सायक़ हो तो जो इस को खींचता या हांकता हो या न हो पस इमाम रह० ने क़तार को सालिक़ व क़ायद से महरज़ नहीं रखा चाहे दोनों इस के हाफ़िज़ हों इस लिए कि माल जब ही निगहबान से महरज़ होता है कि जब इस का क़सद हिफ़्ज़ हुआ और जब इस का क़सद कोई और कार्य हो और हिफ़ाज़त करना इस की तबइयत में हासिल होता हो तो ऐसा नहीं है हत्ता कि अगर क़तार के साथ कोई ऐसा आदमी भी हो जो महज़ निगहबानी करता हो तो चोर का हाथ काटा जायेगा यह ज़खीरा में है और अगर चोर ने हर ज़मीन इस को ले लिया और हुनूज़ बाहर नहीं लाया चाहे इस को लाद लिया है या नहीं तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर इस ने हर ज़मीन से बाहर फैंक दिया जहां इस का एक साथी है पस साथी ने इस को ले लिया तो दोनों में से किसी पर हाथ काटना नहीं आता है और अगर इस ने दीवार के पीछे से अपने साथी को दे दी और ख़ुद इस चीज़ के साथ नहीं निकला तो इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि इन दोनों में से किसी पर हाथ काटना नहीं आता है और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि जो अन्दर है इस का हाथ काटा जायेगा और बाहर वाले का हाथ नहीं काटा जायेगा बशर्तेकि इस ने अन्दर हाथ न डाला हो और अगर बाहर वाले ने अपना हाथ हर ज़मीन में दाखिल करके अन्दर वाले से यह चीज़ ले ली तो इमाम आज़म रह० के कथन में इन दोनों में से किसी पर हाथ काटना नहीं आता है और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि दोनों का हाथ काटूंगा यह फ़तावा करखी में है।

अगर अन्दर वाले ने माल के सेंद के मुंह पर रख दिया फिर बाहर निकल कर इस को ले लिया तो इस को

निकल आई तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर इस ने पानी को हरकत दी जिस से वो मताअ बाहर आगई तो इस का हाथ काटा जायेगा इस को इमाम तमरताशी ने ज़िक्र किया है कि लेकिन मबसूत में है कि अगर ख़ुद पानी के ज़ोर से भी निकल आई हो तो असह यह है कि इस का हाथ काटा जायेगा यह निहाया में है। और अगर चोर ने अन्दर से इस को रास्ते में फैंक दिया फिर निकल कर इस को ले लिया तो इस में दो सूरतें हैं एक यह है कि इस को ऐसी जगह फैंका कि इस को देखता है फिर निकल कर इस को ले लिया तो हाथ काटा जायेगा और अगर ऐसी जगह फैंक दिया कि इस को देखता नहीं है तो इस पर हाथ काटा जाना नहीं लाज़िम आता है अगरचे निकल कर इस को ले लिया हो और अगर इस को गधे पर लाद कर हांक कर बाहर निकाल लाया तो हाथ काटा जायेगा यह सिराज वहाज में है। अगर माल चुराया और इस को दार से बाहर नहीं निकाला है तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और यह हुक्म इस वक्त है कि दार छोटा हो कि अहले बुयूत इस के सहन से बेपरवा न हों यानी सहन से

(1) जवाल% मुअरब गवाल लफ्ज+ फ़ारसी बमानिन्द गोन थैला वग़ैरह के। क़ायद% आगे सेखींचने वाला[सायक%+पीछे से हांकने वाला।

इन्तफ़ाअ के हाजत मन्द हों और अगर दार कबीर हो कि इस में मक़ासीर हों (1) यानी मजरे व मनाज़िल हों और हर मक़सूरह में रहने वाले हों और अहले मनाज़िल इस दार कबीर के सहन से बेपरवा हों कि इस से इन्तफ़ाअ हासिल न करे हों हां इसी क़द्र इन्तफ़ा हासिल करते हों जैसे कूचे से नफ़ा उठाते हैं फिर मक़सूरह में से चुरा कर सहन दार में लाया तो इस का हाथ काटा जायेगा और अगर बाज़ मक़सूरह के रहने वाले ने दूसरे मक़सूरह की कोई चीज़ चुराई तो इस का हाथ काटा जायेगा यह काफ़ी में है।

अगर बैत नक़ब लगाया फिर निकला और कोई चीज़ नहीं ली फिर दूसरी रात में आया और दाखिल हो कर कोई चीज़ चुरा लाया पस अगर मालिक बैत को नक़ब का इल्म हो गया मगर इस ने इस को बन्द नहीं इमाम मौहम्मद रह० ने वर्णन नहीं फ़रमाया और यह सही है कि हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर दार में कोई नहर जारी हो और चोर ने मताअ को ले कर नहर में डाल दिया फिर वहां से निकल कर इस को ले लिया पस अगर मताअ मज़कूर ख़ुद पानी के रोज़ से बाहर निकल आई तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर इस ने पानी को हरकत दी जिस से वो मताअ बाहर आगई तो इस का हाथ काटा जायेगा इस को इमाम तमरताशी ने वर्णन किया है कि लेकिन मबसूत में है कि अगर ख़ुद पानी के ज़ोर से भी निकल आई हो तो असह यह है कि इस का हाथ काटा जायेगा यह निहाया में है। और अगर चोर ने अन्दर से इस को रास्ते में फैंक दिया फिर निकल कर इस को ले लिया तो इस में दो सूरतें हैं एक यह है कि इस को ऐसी जगह फैंका कि इस को देखता है फिर निकल कर इस को ले लिया तो हाथ काटा जायेगा और अगर ऐसी जगह फैंक दिया कि इस को देखता नहीं है तो इस पर हाथ काटा जाना नहीं अनिवार्य आता है चाहे निकल कर इस को ले लिया हो और अगर इस को गधे पर लाद कर हांक कर बाहर निकाल लाया तो हाथ काटा जायेगा यह सिराज वहाज में है। अगर माल चुराया और इस को दार से बाहर नहीं निकाला है तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और यह आदेश इस समय है कि दार छोटा हो कि अहले बुयूत इस के सहन से बेपरवा न हों यानी सहन से

(1) जवाल% मुअरब गवाल लफ्ज+ फ़ारसी बमानिन्द गोन थैला वग़ैरह के। क़ायद% आगे सेखींचने वाला[सायक%+पीछे से हांकने वाला।

इन्तफ़ाअ के हाजत मन्द हों और अगर दार कबीर हो कि इस में मक़ासीर हों (1) यानी मजरे व मनाज़िल हों और हर मक़सूरह में रहने वाले हों और अहले मनाज़िल इस दार कबीर के सहन से बेपरवा हों कि इस से इन्तफ़ाअ हासिल न करे हों हां इसी क़द्र इन्तफ़ा हासिल करते हों जैसे कूचे से नफ़ा उठाते हैं फिर मक़सूरह में से चुरा कर सहन दार में लाया तो इस का हाथ काटा जायेगा और अगर कुछ मक़सूरह के रहने वाले ने दूसरे मक़सूरह की कोई चीज़ चुराई तो इस का हाथ काटा जायेगा यह काफ़ी में है।

किया या नक़ब मज़कूर ज़ाहिर हो कि रात को चौकीदार व राहरव इस को देखते हों फिर वो ऐसी ही पड़ी रही तो इस चोर पर हाथ काटा जाना नहीं लाज़िम नहीं आता है वरना इस का हाथ काटा जायेगा यह सिराज वहाज में है। चोर एक गधे को ले कर एक मकान में दाखिल हुआ और कपड़े जमा करके गधे पर लाद कर मन्ज़िल से बाहर आया और अपने घर चला गया फिर इस के बाद गधा वहां से निकल कर इस के घर को आया तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और इसी तरह अगर किसी कबूतर वग़ैरह के पांव वग़ैरह में कोई चीज़ बांध दी और छोड़ दिया पस जायर मज़कूर इस के घर में चला आया और इस ने इस तायर से वो चीज़ खोल ली तो भी यही हुक्म है यह फ़तावा सिराजिया में है और अगर चोर ने हुर ज़मीन से माल चुरा लिया फिर दूसरा इस हुर ज़मीन दाखिल हुआ और चोर को मअ माल के अपने ऊपर लाद कर निकाल लाया तो खास्सतन जिस को लाद लाया है इसी का हाथ काटा जायेगा और अगर चोर ने निसाब दो दफ़ा या .ज्यादा में निकाला पस अगर इन दफ़आत के दरमियान में मालिक को इत्तलाअ हो गई कि इस ने नक़ब को दुरूस्त कर दिया और दरवाज़ा बन्द कर दिया तो दूसरी बार निकालना दूसरी चोरी है और हाथ नहीं काटा जायेगा दर सूरत कि हर बार जो कुछ निकाला है वो मिक़्दार निसाब से कम हो और अगर बीच में इत्तलाअ (नक़ब) मालिक वग़ैरह वाक़े न हुई हो तो हाथ काटा जायेगा यह सिराज वहाज में है। एक ने छत पर से बक़द्र निसाब के चुराया तो इस का हाथ काटा जायेगा। एक ने बदूं इजाज़त मालिक के दीवार को फोड़ा फिर वो ग़ायब हो गया फिर एक चोर इस राह से बैत में दाखिल हुआ और कुछ चुराया तो मुख़्तार यह है कि जो कुछ चोर ने चुराया है नक़ब लगाने वाला इस का ज़ामिन न होगा यह .ख़ुलासा में है अगर ऐसा कपड़ा चुरा लिया जो कि चह में बिछाया गया है तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर खस (2) में बिछा हुआ जो कि कूचा की जानिब है चुरा लिया तो भी यही हुक्म है और अगर दीवार बजानिब दार पर या खस बजानिब सतह पर बिछाया हुआ चुरा लिया तो हाथ काटा जायेगा यह

अगर घर नक़ब लगाया फिर निकला और कोई चीज़ नहीं ली फिर दूसरी रात में आया और दाखिल हो कर कोई चीज़ चुरा लाया पस अगर मालिक घर को नक़ब का इल्म हो गया मगर इस ने इस को बन्द नहीं किया या नक़ब मज़कूर ज़ाहिर हो कि रात को चौकीदार व राहरव इस को देखते हों फिर वो ऐसी ही पड़ी रही तो इस चोर पर हाथ काटा जाना नहीं अनिवार्य नहीं आता है वरना इस का हाथ काटा जायेगा यह सिराज वहाज में है। चोर एक गधे को ले कर एक मकान में दाखिल हुआ और कपड़े जमा करके गधे पर लाद कर मन्ज़िल से बाहर आया और अपने घर चला गया फिर इस के बाद गधा वहां से निकल कर इस के घर को आया तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और इसी तरह अगर किसी कबूतर वग़ैरह के पांव वग़ैरह में कोई चीज़ बांध दी और छोड़ दिया पस जायर मज़कूर इस के घर में चला आया और इस ने इस तायर से वो चीज़ खोल ली तो भी यही आदेश है यह फ़तावा सिराजिया में है और अगर चोर ने हुर ज़मीन से माल चुरा लिया फिर दूसरा इस हुर ज़मीन दाखिल हुआ और चोर को मअ माल के अपने ऊपर लाद कर निकाल लाया तो खास्सतन जिस को लाद लाया है इसी का हाथ काटा जायेगा और अगर चोर ने निसाब दो दफ़ा या .ज्यादा में निकाला पस अगर इन दफ़आत के दरमियान में मालिक को इत्तलाअ हो गई कि इस ने नक़ब को दुरूस्त कर दिया और दरवाज़ा बन्द कर दिया तो दूसरी बार निकालना दूसरी चोरी है और हाथ नहीं काटा जायेगा दर स्थिति कि हर बार जो कुछ निकाला है वो मिक़्दार निसाब से कम हो और अगर बीच में इत्तलाअ (नक़ब) मालिक वग़ैरह स्थपित न हुई हो तो हाथ काटा जायेगा यह सिराज वहाज में है। एक ने छत पर से बक़द्र निसाब के चुराया तो इस का हाथ काटा जायेगा। एक ने बदूं इजाज़त मालिक के दीवार को फोड़ा फिर वो ग़ायब हो गया फिर एक चोर इस राह से घर में दाखिल हुआ और कुछ चुराया तो मुख़्तार यह है कि जो कुछ चोर ने चुराया है नक़ब लगाने वाला इस का ज़ामिन न होगा यह .ख़ुलासा में है अगर ऐसा कपड़ा चुरा लिया

ज़हीरिया में है।

अगर आस्तीन (शैरवानी, कोट वग़ैरह) के बाहर दिरहमों की थैली लटकती हुई को काट कर दिरहम ले लिये तो इस का हाथ काटा न जायेगा :

चोर ने बैत को नक़ब लगा कर इस में हाथ डाल कर कोई चीज़ ले ली तो हाथ नहीं काटा जायेगा और यह इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार है और बाज़ हमारे असहाब ने फ़रमाया कि यह मसला ऐसे बैत कबीर पर महमूल है जिस में नक़ब से दाखिल होना मुमकिन है और अगर बैत इस क़द्र छोटा हो कि नकब से इस में दाखिल न हो सके पस इस में हाथ डाल कर माल ले लिया तो बिल इजमाअ हाथ काटा जायेगा और अगर सराफ़ के सन्दूक़ में या दूसरे की आस्तीन (शैरवानी, कोट वग़ैरह) में हाथ डाल कर माल ले लिया तो इस का हाथ काटा जायेगा यह सिराज वहाज में है। चन्द लोग एक सराये में या एक बैत में उतरे फिर इन में किसी ने दूसरे का माल चुरा लिया और मालिक माल इस की हिफ़ाज़त करता था या इस के सर के नीचे थी तो इस का हाथ न काटा जायेगा यह सिराजिया में है। अगर आस्तीन के बाहर दिरहमों की थैली लटकती हुई को काट कर

(1) मकासीर% जमा मक़सूरह जिस को हमारे उर्फ+ में हुजरा[कोठडी बोलते हैं।

(2)]ास% बिलज़म तवारह दुकाज़हयानी जो फूस वग़ैरह से मिस्ल छप्पर वग़ैरह के बनाया जाता है।

दिरहम ले लिये तो इस का हाथ काटा न जायेगा और अगर आस्तीन में हाथ डाल कर थैली को चाक करके दिरहम ले लिये तो हाथ काटा जायेगा और अगर बन्दिश को खोल कर लिये तो अव्वल सूरत में हाथ काटा जायेगा और दूसरी सूरत में नहीं काटा जायेगा यह काफ़ी में है। मुन्तक़ी में हसन की रिवायत से इमाम आज़म रह० से मज़कूर है कि इमाम रह० ने फ़शाश के हक़ में फ़रमाया और फ़शाश इस शख़्स को कहते हैं जो दरवाज़ा की ग़लक़ के वास्ते ऐसी चीज़ें अपने पास रखता है कि जिस से इस को खोल ले कि अगर फ़शाश ने दिन में

जो कि चह में बिछाया गया है तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर खस (2) में बिछा हुआ जो कि कूचा की जानिब है चुरा लिया तो भी यही आदेश है और अगर दीवार बजानिब दार पर या खस बजानिब सतह पर बिछाया हुआ चुरा लिया तो हाथ काटा जायेगा यह ज़हीरिया में है।

अगर आस्तीन (शैरवानी, कोट वग़ैरह) के बाहर दिरहमों की थैली लटकती हुई को काट कर दिरहम ले लिये तो इस का हाथ काटा न जायेगा :

चोर ने घर को नक़ब लगा कर इस में हाथ डाल कर कोई चीज़ ले ली तो हाथ नहीं काटा जायेगा और यह इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार है और कुछ हमारे असहाब ने फ़रमाया कि यह मसला ऐसे घर कबीर पर महमूल है जिस में नक़ब से दाखिल होना मुमकिन है और अगर घर इस क़द्र छोटा हो कि नकब से इस में दाखिल न हो सके पस इस में हाथ डाल कर माल ले लिया तो बिल इजमाअ हाथ काटा जायेगा और अगर सराफ़ के सन्दूक़ में या दूसरे की आस्तीन (शैरवानी, कोट वग़ैरह) में हाथ डाल कर माल ले लिया तो इस का हाथ काटा जायेगा यह सिराज वहाज में है। चन्द लोग एक सराये में या एक घर में उतरे फिर इन में किसी ने दूसरे का माल चुरा लिया और मालिक माल इस की हिफ़ाज़त करता था या इस के सर के नीचे थी तो इस का हाथ न काटा जायेगा यह सिराजिया में है। अगर आस्तीन के बाहर दिरहमों की थैली लटकती हुई को काट कर

(1) मकासीर% जमा मक़सूरह जिस को हमारे उर्फ+ में हुजरा[कोठडी बोलते हैं।

(2)]ास% बिलज़म तवारह दुकाज़हयानी जो फूस वग़ैरह से मिस्ल छप्पर वग़ैरह के बनाया जाता है।

दिरहम ले लिये तो इस का हाथ काटा न जायेगा और अगर आस्तीन में हाथ डाल कर थैली को चाक करके दिरहम ले लिये तो हाथ काटा जायेगा और अगर बन्दिश को खोल कर लिये तो अव्वल स्थिति में हाथ काटा जायेगा और दूसरी स्थिति में नहीं काटा जायेगा यह

दरवाज़ा बन्द खोल लिया और दार व बैत में कोई नहीं है और मताअ ले ली तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर दार या बैत में कोई अहल दार व बैत में से हो और फ़शाश ने मताअ इस में से ले ली हालांकिवो नहीं जानता है तो हाथ काटा जायेगा और इसी तरह अगर फ़शाश ने बाज़ार का कोई दरवाज़ा खोला तो भी इस का हाथ न काटा जायेगा और फ़क्काफ़ का हाथ न काटा जायेगा और फ़क्काफ़ वो है जिस को दिरहम परखने को दिये जाते हैं पस वो इस में से ले लेता है और मालिक को इल्म नहीं होता है और हावी में लिखा है कि अगर दार का दरवाज़ा भिड़ा हुआ हो और मग़लक़ न हो यानी ताला न दिया हो फिर चोर इस में ख़ुफ़िया दाखिल हो और ख़ुफ़िया असबाब ले लिया तो इस का हाथ काटा जायेगा और अगर दरवाज़ा दार खुला हुआ हो पस वो दिन में दाखिल हुआ और चुरा लिया तो हाथ न काटा जायेगा।

अगर रात में दरवाज़ा दार से दाखिल हुआ और दरवाज़ा मक़फ़ल न था भिड़ा हुआ था और इस वक़्त दाखिल हुआ कि लोग इशा की नमाज़ पढ चुके थे और ख़ुफ़िया या मकाबरह के साथ माल ले लिया और इस के साथ हथियार है या नहीं है और मालिक मकान इस से आगाह हुआ या आगाह न हुआ तो इस का हाथ काटा जायेगा और अगर कोई शख़्स किसी के दार में शाम व इशा के दरमियान दाखिल हुआ और लोग हुनूज़ आते जाते हैं तो यह वक़्त बमन्ज़िला दिन के है और अगर मालिक दार को चोर का आना मालूम हुआ और चोर नहीं जानता है कि मालिक मकान इस में है या चोर जानता है कि मालिक मकान है और मालिक मकान इसके आने से आगाह न हुआ तो चोर का हाथ काटा जायेगा और अगर दोनों को इल्म है तो हाथ न काटा जायेगा और अगर दोनों न जानते हों तो भी हाथ काटा जायेगा और अगर रात में किसी से मकाबरह किया हत्ता कि इस का माल ले लिया तो इस का हाथ काटा जायेगा और अगर दिन में इस से मकाबरह किया और ख़ुफ़िया इस के घर में सेंद लगा कर इस की मताअ को ज़बरदस्ती से लिया तो हाथ न काटा जायेगा और क़ियास काफ़ी में है। मुन्तक़ी में हसन की रिवायत से इमाम आज़म रह० से मज़कूर है कि इमाम रह० ने फ़शाश के हक़ में फ़रमाया और फ़शाश इस व्यक्ति को कहते हैं जो दरवाज़ा की ग़लक़ के लिए ऐसी चीज़ें अपने पास रखता है कि जिस से इस को खोल ले कि अगर फ़शाश ने दिन में दरवाज़ा बन्द खोल लिया और दार व घर में कोई नहीं है और मताअ ले ली तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर दार या घर में कोई अहल दार व घर में से हो और फ़शाश ने मताअ इस में से ले ली हालांकिवो नहीं जानता है तो हाथ काटा जायेगा और इसी तरह अगर फ़शाश ने बाज़ार का कोई दरवाज़ा खोला तो भी इस का हाथ न काटा जायेगा और फ़क्काफ़ का हाथ न काटा जायेगा और फ़क्काफ़ वो है जिस को दिरहम परखने को दिये जाते हैं पस वो इस में से ले लेता है और मालिक को इल्म नहीं होता है और हावी में लिखा है कि अगर दार का दरवाज़ा भिड़ा हुआ हो और मग़लक़ न हो यानी ताला न दिया हो फिर चोर इस में ख़ुफ़िया दाखिल हो और ख़ुफ़िया असबाब ले लिया तो इस का हाथ काटा जायेगा और अगर दरवाज़ा दार खुला हुआ हो पस वो दिन में दाखिल हुआ और चुरा लिया तो हाथ न काटा जायेगा।

अगर रात में दरवाज़ा दार से दाखिल हुआ और दरवाज़ा मक़फ़ल न था भिड़ा हुआ था और इस समय दाखिल हुआ कि लोग इशा की नमाज़ पढ चुके थे और ख़ुफ़िया या मकाबरह के साथ माल ले लिया और इस के साथ हथियार है या नहीं है और मालिक मकान इस से आगाह हुआ या आगाह न हुआ तो इस का हाथ काटा जायेगा और अगर कोई व्यक्ति किसी के दार में शाम व इशा के दरमियान दाखिल हुआ और लोग हुनूज़ आते जाते हैं तो यह समय बमन्ज़िला दिन के है और अगर मालिक दार को चोर का आना मालूम हुआ और चोर नहीं जानता है कि मालिक मकान इस में है या चोर जानता है कि मालिक मकान है और मालिक मकान इसके आने से आगाह न हुआ तो चोर का हाथ काटा जायेगा और अगर दोनों को इल्म है तो हाथ न काटा जायेगा और अगर दोनों न जानते हों तो भी हाथ काटा

चाहता है कि दोनों सूरतों में न काटा जाये लेकिन हम ने अव्वल सूरत में इस्तहसान को लिया और कहा कि हाथ काटना वाजिब है यह मुहीत में है। अगर हुर ज़मीन से एक बकरी निकाल लाया और दूसरी इस के पीछे चली आई और पहली बकरी निसाब न थी तो चोर पर हाथ काटना नहीं आयेगा यह सिराज वहाज में है।

अगर चरागाह से कोई बकरी या गाये या ऊंट चुरा लिया तो इस का हाथ न काटा जायेगा ऐसा ही इमाम मौहम्मद रह० ने ज़िक्र फ़रमाया है और शैख उल इस्लाम ने फ़रमाया कि इल्ला इस सूरत में हाथ काटा जायेगा कि इन के साथ कोई चरवाहा गाहबान हो और बक़ाली में मज़कूर है कि चरागाह से मवेशी चुराने में हाथ काटना नहीं आता है अगरचे इन के साथ चरवाहा हो इस वास्ते कि चरवाहा चराने के वास्ते मुक़र्रर होता है न हिफ़ाज़त के वास्ते पस वो चरवाहे के होने से हरज़मैन न होंगे और अगर सिवाए चरवाहे के इन के साथ कोई और निगहबान हो तो हाथ काटना वाजिब होगा और इसी पर फ़तवा है और अगर बकरियां किसी घर में रात को आकर रहा करती हों जो उन्हीं के वास्ते बनाया गया है और इस घर का दरवाज़ा मक़फ़ल होता है पस चोर ने दर बन्द को तोड़ कर दाखिल हो कर कोई बकरी चुराली तो इस का हाथ काटा जायेगा और बक़ाली में लिखा है कि अगर दरवाज़ा भिड़ा हुआ तो ग़लक़ का ऐतबार ज़रूरी नहीं है इल्ला आंकि यह घर जंगल में अकेला हो यह ज़खीरा में है और अगर पत्थरों या कांटों का खतीरा बना लिया और इस में बकरियां जमा कीं वो ख़ुद उन्हीं के पास सोता है तो इन के चोर का हाथ काटा जायेगा इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर बकरियों को ग़ैर खतीरा में जमा किया और नीज़ कोई निगहबान है या नहीं है हालांकि वो इन को एक मक़ाम पर जमा कर चुका है तो फिर इन के चुराने वाले को सज़ाऐ हद यानी हाथ काटने की दी जायेगी यह हावी में है और आम्मा मशाइख के अनुसार अगर इस ने बकरियों को ऐसे मक़ाम पर जमा किया जो इस ने इन की हिफ़ाज़त के वास्ते मुक़र्रर व मुहय्या किया है फिर इन में से चोर ने चुराया तो इस का हाथ काटा जायेगा ख़्वाह इन के साथ जायेगा और अगर रात में किसी से मकाबरह किया हत्ता कि इस का माल ले लिया तो इस का हाथ काटा जायेगा और अगर दिन में इस से मकाबरह किया और ख़ुफ़िया इस के घर में सेंद लगा कर इस की मताअ को ज़बरदस्ती से लिया तो हाथ न काटा जायेगा और क़ियास चाहता है कि दोनों स्थितियों में न काटा जाये लेकिन हम ने अव्वल स्थिति में इस्तहसान को लिया और कहा कि हाथ काटना अनिवार्य है यह मुहीत में है। अगर हुर ज़मीन से एक बकरी निकाल लाया और दूसरी इस के पीछे चली आई और पहली बकरी निसाब न थी तो चोर पर हाथ काटना नहीं आयेगा यह सिराज वहाज में है।

अगर चरागाह से कोई बकरी या गाये या ऊंट चुरा लिया तो इस का हाथ न काटा जायेगा ऐसा ही इमाम मौहम्मद रह० ने वर्णन फ़रमाया है और शैख उल इस्लाम ने फ़रमाया कि सिवा इस स्थिति में हाथ काटा जायेगा कि इन के साथ कोई चरवाहा गाहबान हो और बक़ाली में मज़कूर है कि चरागाह से मवेशी चुराने में हाथ काटना नहीं आता है चाहे इन के साथ चरवाहा हो इस लिए कि चरवाहा चराने के लिए मुक़र्रर होता है न हिफ़ाज़त के लिए पस वो चरवाहे के होने से हरज़मैन न होंगे और अगर सिवाए चरवाहे के इन के साथ कोई और निगहबान हो तो हाथ काटना अनिवार्य होगा और इसी पर फ़तवा है और अगर बकरियां किसी घर में रात को आकर रहा करती हों जो उन्हीं के लिए बनाया गया है और इस घर का दरवाज़ा मक़फ़ल होता है पस चोर ने दर बन्द को तोड़ कर दाखिल हो कर कोई बकरी चुराली तो इस का हाथ काटा जायेगा और बक़ाली में लिखा है कि अगर दरवाज़ा भिड़ा हुआ तो ग़लक़ का ऐतबार ज़रूरी नहीं है सिवा आंकि यह घर जंगल में अकेला हो यह ज़खीरा में है और अगर पत्थरों या कांटों का खतीरा बना लिया और इस में बकरियां जमा कीं वो ख़ुद उन्हीं के पास सोता है तो इन के चोर का हाथ काटा जायेगा इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर बकरियों को ग़ैर खतीरा में जमा किया और नीज़ कोई निगहबान है या नहीं है हालांकि वो इन को एक मक़ाम पर जमा कर चुका है तो फिर इन के चुराने वाले को सज़ाऐ हद यानी हाथ काटने

निगहबान हो या न हो यह मुहीत में है और यही सही है यह ज़खीरा में है।

अगर रज़ाई मां या बहन की कोई चीज़ उस के पास से चुराई तो हाथ काटा जायेगा :

अगर किसी ने अपने मां बाप से अगरचे कितने ही ऊंचे दरजों के हों या फ़रज़न्द से अगरचे कितने ही नीचे दरजे के हों या ज़ी रहम महरम से मिस्ल भाई व बहन व चचा व मामूं व फूफी व खाला के कोई चीज़ चुराई तो इस का हाथ न काटा जायेगा और अगर इस ने अपने ज़ी रहम महरम के घर से ग़ैर की मताअ चुराली तो हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर ग़ैर के घर से अपने ज़ी रहम का माल चुराया तो हाथ काटा जायेगा यह फ़तहुल क़दीर में है। अगर रज़ाई मां या बहन की कोई चीज़ इस के पास से चुराई तो हाथ काटा जायेगा यह काफ़ी में है। अगर बीवी व मर्द में से किसी ने दूसरे का माल चुरा लिया तो इस का हाथ न काटा जायेगा और इसी तरह अगर बीवी मर्द में से एक ने दूसरे को हरज़ खास से जिस में दोनों रहते नहीं हैं कोई चीज़ चुराई तो भी यही हुक्म है यह ग़ायतुल बयान में है। अगर बीवी ने अपने शौहर से या शौहर ने अपनी बीवी से माल चुरा लिया फिर इस जोर को तलाक़ देदी और हुनूज़ इस से दुखूल नहीं किया था पस वो बग़ैर इद्दत के बाइना हो गई तो भी दोनों में से किसी का हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर अपनी मबतूता या मुख़्तलिफ़ से यानी जिस को तलाक़ क़तई दे चुका है या जिस को ख़ुलअ (1) दे चुका है कोई माल चुरा लिया पस अगर वो इद्दत में हो तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा ख़्वाह एक तलाक़ दी हो या दो तलाक़ या तीन तलाक़ और इसी तरह अगर औरत ने तलाक़ देने वाले शौहर के घर चुराया और यह इद्दत में है तो औरत का भी हाथ नहीं काटा जायेगा यह सिराज वहाज में है और अगर चोरी कर लेने के बाद बीवी को तलाक़ बाइन दे दी और इस के इद्दत गुज़र गई फिर चोरी का मुक़द्दमा क़ाज़ी के हुज़ूर में पैश हुआ तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा यह तबयुन में है और अगर मर्द ने किसी अजनबिया औरत से इस का माल की दी जायेगी यह हावी में है और आम्मा विद्वानों के अनुसार अगर इस ने बकरियों को ऐसे मक़ाम पर जमा किया जो इस ने इन की हिफ़ाज़त के लिए मुक़र्रर व मुहय्या किया है फिर इन में से चोर ने चुराया तो इस का हाथ काटा जायेगा चाहे इन के साथ निगहबान हो या न हो यह मुहीत में है और यही सही है यह ज़खीरा में है।

अगर रज़ाई मां या बहन की कोई चीज़ उस के पास से चुराई तो हाथ काटा जायेगा :

अगर किसी ने अपने मां बाप से चाहे कितने ही ऊंचे दरजों के हों या फ़रज़न्द से चाहे कितने ही नीचे दरजे के हों या ज़ी रहम महरम से मिस्ल भाई व बहन व चचा व मामूं व फूफी व खाला के कोई चीज़ चुराई तो इस का हाथ न काटा जायेगा और अगर इस ने अपने ज़ी रहम महरम के घर से ग़ैर की मताअ चुराली तो हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर ग़ैर के घर से अपने ज़ी रहम का माल चुराया तो हाथ काटा जायेगा यह फ़तहुल क़दीर में है। अगर रज़ाई मां या बहन की कोई चीज़ इस के पास से चुराई तो हाथ काटा जायेगा यह काफ़ी में है। अगर बीवी व मर्द में से किसी ने दूसरे का माल चुरा लिया तो इस का हाथ न काटा जायेगा और इसी तरह अगर बीवी मर्द में से एक ने दूसरे को हरज़ खास से जिस में दोनों रहते नहीं हैं कोई चीज़ चुराई तो भी यही आदेश है यह ग़ायतुल बयान में है। अगर बीवी ने अपने शौहर से या शौहर ने अपनी बीवी से माल चुरा लिया फिर इस जोर को तलाक़ देदी और हुनूज़ इस से दुखूल नहीं किया था पस वो बग़ैर इद्दत के बाइना हो गई तो भी दोनों में से किसी का हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर अपनी मबतूता या मुख़्तलिफ़ से यानी जिस को तलाक़ क़तई दे चुका है या जिस को ख़ुलअ (1) दे चुका है कोई माल चुरा लिया पस अगर वो इद्दत में हो तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा चाहे एक तलाक़ दी हो या दो तलाक़ या तीन तलाक़ और इसी तरह अगर औरत ने तलाक़ देने वाले शौहर के घर चुराया और यह इद्दत में है तो औरत का भी हाथ नहीं काटा जायेगा

चुरा लिया या औरत ने किसी अजनबी मर्द से इस का माल चुरा लिया फिर हुनूज़ क़ाज़ी के हुज़ूर में या इमामुल मुस्लिमीन (2) के हुज़ूर में मुराफ़ा नहीं हुआ था कि दोनों ने बाहम निकाह कर लिया फिर इस मुक़द्दमा का मुराफ़आ हुआ और चोर (मर्द हो या औरत) ने इक़रार किया तो क़ाज़ी इस का हाथ नहीं काटेगा यह ज़खीरा में है।

अगर क़ाज़ी ने हाथ काटने का हुक्म दे दिया मगर हुनूज़ जारी न हुआ था कि दोनों ने बाहम निकाह कर लिया तो इमामे आज़म रह० के अनुसार चोर का हाथ नहीं काटा जायेगा यह सिराज वहाज में है। अगर ऐसी बीवी से चुराया जो इस पर इस वजह से हराम हो गई है कि इस ने इस की मां या बेटी का बोसा ले लिया तो इस का हाथ काटा जायेगा यह मुहीत में है। अगर सहर (3) या ख़तन के यहां से चुराया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार हाथ नहीं काटा जायेगा और साहिबीन रह० के अनुसार हाथ काटा जायेगा और यह इख़्तलाफ़ ऐसी सूरत में है कि घर दामाद का हो और अगर घर इस की दुख़्तर का हो तो बिल इत्तफ़ाक़ हाथ नहीं काटा जायेगा इसी तरह अगर सहर का माल चुराया मगर अपनी ज़ोजा के यहां से चुराया तो बिल इत्तफ़ाक़ हाथ नहीं काटा जायेगा और यह जोहरा नहरा में है। ख़तन वो मर्द रिश्तेदार है जो इस की ज़ात रहम महरम औरत का शौहर हो जैसे दुख़्तर का शौहर या सगी बहन का शौहर वग़ैरह और ख़तन के हर ज़ात रहम महरम का और सहरोह है जो इस पर बमुसाहिरा हराम हो जैसे बीवी की मां व इस की बेटी या जैसे बाप की बीवी (सौतेली मां) और इन की औलाद से हर ज़ी रहम महरम भी सहर हैं यह मुहीत में है। अगर ग़ुलाम ने अपने मालिक का माल चुराया तो इस का हाथ न काटा जायेगा और इसी तरह अगर मौला के बाप या मां या किसी ज़ी रहमत महरम का माल चुराया तो

(1) इस की तसरीह किताबुत्तलाक+ में मज़कूर है वहां देखना चाहिए।

(2)क़ालल मुतरजम उर्फ+ दयार में क़ौलशै.]ुल इस्लाम अज़हर है वल्लाहु आलम।

(3)जिस को हमारे उर्फ+ में दामाद और हिन्दी में जवाईं कहते हैं।

यह सिराज वहाज में है और अगर चोरी कर लेने के बाद बीवी को तलाक़ बाइन दे दी और इस के इद्दत गुज़र गई फिर चोरी का मुक़द्दमा क़ाज़ी के हुज़ूर में पेश हुआ तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा यह तबयुन में है और अगर मर्द ने किसी अजनबिया औरत से इस का माल चुरा लिया या औरत ने किसी अजनबी मर्द से इस का माल चुरा लिया फिर हुनूज़ क़ाज़ी के हुज़ूर में या इमामुल मुस्लिमीन (2) के हुज़ूर में मुराफ़ा नहीं हुआ था कि दोनों ने बाहम निकाह कर लिया फिर इस मुक़द्दमा का मुराफ़आ हुआ और चोर (मर्द हो या औरत) ने स्वीकार किया तो क़ाज़ी इस का हाथ नहीं काटेगा यह ज़खीरा में है।

अगर क़ाज़ी ने हाथ काटने का आदेश दे दिया मगर हुनूज़ जारी न हुआ था कि दोनों ने बाहम निकाह कर लिया तो इमामे आज़म रह० के अनुसार चोर का हाथ नहीं काटा जायेगा यह सिराज वहाज में है। अगर ऐसी बीवी से चुराया जो इस पर इस कारण से निषिद्ध हो गई है कि इस ने इस की मां या बेटी का बोसा ले लिया तो इस का हाथ काटा जायेगा यह मुहीत में है। अगर सहर (3) या ख़तन के यहां से चुराया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार हाथ नहीं काटा जायेगा और साहिबीन रह० के अनुसार हाथ काटा जायेगा और यह मतभेद ऐसी स्थिति में है कि घर दामाद का हो और अगर घर इस की दुख़्तर का हो तो बिल इत्तफ़ाक़ हाथ नहीं काटा जायेगा इसी तरह अगर सहर का माल चुराया मगर अपनी ज़ोजा के यहां से चुराया तो बिल इत्तफ़ाक़ हाथ नहीं काटा जायेगा और यह जोहरा नहरा में है। ख़तन वो मर्द रिश्तेदार है जो इस की ज़ात रहम महरम औरत का शौहर हो जैसे दुख़्तर का शौहर या सगी बहन का शौहर वग़ैरह और ख़तन के हर ज़ात रहम महरम का और सहरोह है जो इस पर बमुसाहिरा निषिद्ध हो जैसे बीवी की मां व इस की बेटी या जैसे बाप की बीवी (सौतेली मां) और इन की औलाद से हर ज़ी रहम महरम भी सहर हैं यह मुहीत में है। अगर ग़ुलाम ने अपने मालिक का माल चुराया तो इस का हाथ न

(1) इस की तसरीह किताबुत्तलाक+ में मज़कूर है वहां देखना

भी यही हुक्म है और नीज़ अगर मौला की बीवी का माल चुराया तो भी हाथ न काटा जायेगा और जिन लोगों का माल चुराने से मौला का हाथ नहीं काटा जाता है मौला के ग़ुलाम का हाथ भी इन के माल चुराने से न काटा जायेगा यह मुहीत सुरखी में है और ग़ुलाम .ख़्वाह ग़ुलाम हो या मुदब्बिर (1) या मकातिब या माज़ूं या उम्मे वल्द हो कि इस ने अपने मौला का माल चुराया सब का हुक्म यक्सां है यह सिराज वहाज में है। इस तरह अगर मौला ने अपने मकातिब या ग़ुलाम माज़ूं से माल चुराया तो इस का हाथ न काटा जायेगा और महज़ ग़ुलाम से चुराने में मौला का हाथ काटा जायेगा इस वास्ते कि वो बमन्ज़िला मस्तूदअ के है यानी इस के पास अमानत रखी हुई है और जो शख़्स वद्गीअत रखने वाले के पास से चुराता है इस का हाथ काटा जाता है यह मुहीत सुरखी में है।

मैज़बान के पास से मेहमान ने कुछ चुराया तो?

अगर मेहमान ने मैज़बान के यहां से कुछ चुराया तो इस पर हाथ काटा जाना नहीं आता है यह हिदाया में है। अगर एक क़ौम का एक खादिम हो और इस ने इन की मताअ चुराली तो इस पर हाथ काटना नहीं आता है और अगर अजीर ने किसी ऐसी जगह से जहां जाने की इस को इजाज़त दी गई थी कोई चीज़ चुराली तो इस पर भी हाथ काटना नहीं आता है और अगर किसी ने अपना घर दो को इजारह पर देने वाले और लेने वाले दोनों में से किसी ने दूसरे का कुछ माल (निसाब से कम नहीं है) चुरा लिया और हर एक अलाहिदा मन्ज़िल में है तो इमाम आज़म रह० के अनुसार इन में से चोर का हाथ काटा जायेगा और साहिबीन रह० के अनुसार अगर मौजिर ने मुताजिर से चुरा लिया तो हाथ न काटा जायेगा और अगर मुताजिर ने मौजिर से चुरा लिया और हाल यह है कि बैत मफ़रूज़ में हैं तो बिल इजमाअ मुताजिर का हाथ काटा जायेगा। यह सिराज वहाज में है।

चाहिए।

(2)अनुवादक के कथनानुसार उर्फ+ दयार में कथनशै.]ुल इस्लाम अज़हर है वल्लाहु आलम।

(3)जिस को हमारे उर्फ+ में दामाद और हिन्दी में जवाईं कहते हैं।

काटा जायेगा और इसी तरह अगर मौला के बाप या मां या किसी ज़ी रहमत महरम का माल चुराया तो भी यही आदेश है और नीज़ अगर मौला की बीवी का माल चुराया तो भी हाथ न काटा जायेगा और जिन लोगों का माल चुराने से मौला का हाथ नहीं काटा जाता है मौला के ग़ुलाम का हाथ भी इन के माल चुराने से न काटा जायेगा यह मुहीत सुरखी में है और ग़ुलाम चाहे ग़ुलाम हो या मुदब्बिर (1) या मकातिब या माज़ूं या बच्चे कीमाँ हो कि इस ने अपने मौला का माल चुराया सब का आदेश यक्सां है यह सिराज वहाज में है। इस तरह अगर मौला ने अपने मकातिब या ग़ुलाम माज़ूं से माल चुराया तो इस का हाथ न काटा जायेगा और महज़ ग़ुलाम से चुराने में मौला का हाथ काटा जायेगा इस लिए कि वो बमन्ज़िला मस्तूदअ के है यानी इस के पास अमानत रखी हुई है और जो व्यक्ति वद्गीअत रखने वाले के पास से चुराता है इस का हाथ काटा जाता है यह मुहीत सुरखी में है।

मैज़बान के पास से मेहमान ने कुछ चुराया तो?

अगर मेहमान ने मैज़बान के यहां से कुछ चुराया तो इस पर हाथ काटा जाना नहीं आता है यह हिदाया में है। अगर एक क़ौम का एक खादिम हो और इस ने इन की मताअ चुराली तो इस पर हाथ काटना नहीं आता है और अगर अजीर ने किसी ऐसी जगह से जहां जाने की इस को इजाज़त दी गई थी कोई चीज़ चुराली तो इस पर भी हाथ काटना नहीं आता है और अगर किसी ने अपना घर दो को इजारह पर देने वाले और लेने वाले दोनों में से किसी ने दूसरे का कुछ माल (निसाब से कम नहीं है) चुरा लिया और हर एक अलाहिदा मन्ज़िल में है तो इमाम आज़म रह० के अनुसार इन में से चोर का हाथ काटा जायेगा और साहिबीन रह० के अनुसार अगर मौजिर ने मुताजिर से चुरा लिया तो हाथ न काटा जायेगा और

फ़सलः 3

कैफ़ियत क़तअ व इस के असबात के बयान में

क़ालल मुतरजमः यानी इस फ़सल में अव्वल यह बयान है कि हाथ क्यों कर काटा जाता है और चुनांचे फ़रमाया कि चोर का दाहिना हाथ गट्टे के जोड़ से काट कर अलग कर दिया जाये और तेल में तल (1) दिया जाये और तेल के दाम (2) और हसम कराना यानी तेल तल कर ख़ून बन्द करना यह हमारे अनुसार चोर पर लाज़िम है यह बहरूल राइक़ है। अगर इस ने दोबारह चुराया तो इस का बायां पांव काटा जायेगा और अगर इस ने तीसरी बार चुराया तो बाक़ी हाथ पांव कोई नहीं काटा जायेगा मगर वो बराबर क़ैद खाने में रखा जायेगा यहां तक कि तौबा करे और यह इस्तहसान है और इस को तअज़ीर भी दी जायेगी इस को मशाइख ने ज़िक्र फ़रमाया है यह हिदाया में है और इमामुल मुस्लिमीन को रवा है कि बराहे सियासत इस को क़त्ल कर दे इस वास्ते कि वो ज़मीन में फ़साद करता फिरता है यह सिराजिया में है। अगर चोर का बायां हाथ शल हो या काटा हुआ हो या दाहिना पांव कटा हुआ हो तो सज़ाये चोरी में दाहिना हाथ या बायां पांव न काटा जायेगा और अगर इस का बायां पांव शल हो तो भी यही हुक्म है और इस तरह अगर इस का बायां अंगूठा कटा हो या शल हो और इस में की दो उंगलियां सिवाए अंगूठे के ऐसी हों तो भी यही हुक्म है और अगर अंगूठे के सिवाए एक ही उंगली ऐसी हो तो हाथ काटा जायेगा यह हिदाया में है।

अगर मुताजिर ने मौजिर से चुरा लिया और हाल यह है कि घर मफ़रूज़ में हैं तो बिल इजमाअ मुताजिर का हाथ काटा जायेगा। यह सिराज वहाज में है।

फ़सलः 3

कैफ़ियत क़तअ व इस के असबात के बयान में

क़ालल मुतरजमः यानी इस फ़सल में अव्वल यह बयान है कि हाथ क्यों कर काटा जाता है और चुनांचे फ़रमाया कि चोर का दाहिना हाथ गट्टे के जोड़ से काट कर अलग कर दिया जाये और तेल में तल (1) दिया जाये और तेल के दाम (2) और हसम कराना यानी तेल तल कर ख़ून बन्द करना यह हमारे अनुसार चोर पर अनिवार्य है यह बहरूल राइक़ है। अगर इस ने दोबारह चुराया तो इस का बायां पांव काटा जायेगा और अगर इस ने तीसरी बार चुराया तो बाक़ी हाथ पांव कोई नहीं काटा जायेगा मगर वो बराबर क़ैद खाने में रखा जायेगा यहां तक कि तौबा करे और यह इस्तहसान है और इस को तअज़ीर भी दी जायेगी इस को विद्वानों ने वर्णन फ़रमाया है यह हिदाया में है और इमामुल मुस्लिमीन को रवा है कि बराहे सियासत इस को क़त्ल कर दे इस लिए कि वो ज़मीन में फ़साद करता फिरता है यह सिराजिया में है। अगर चोर का बायां हाथ शल हो या काटा हुआ हो या दाहिना पांव कटा हुआ हो तो सज़ाये चोरी में दाहिना हाथ या बायां पांव न काटा जायेगा और अगर

अगर इस का हाथ दाहिना हाथ शल हो या इस में उंगलियां कम व नाक़िस हों तो ज़ाहिरूल रिवाया

(1)मुदब्बिर व मकातिब व ग़ुलाम माज़ून व उम्मे वल्द का बयान मुफ़स्सल किताबुल इताक+ में दर्ज है वहां देखना चाहिए।
(2)तल कर+]ून बन्द कर दिया जाये।
(3)क़ाल फ़िल असल ज़ीतयानी ज़ैतून का तेल।

के मुवाफ़िक़ हाथ काटा जायेगा यह तबयुन में है। अगर चोर के एक ही मअसम (1) में दो हथैलियां हों तो बाज़ ने फ़रमाया कि दोनों काटी जायेगी और बाज़ ने कहा कि अगर असली हथैली मुतमय्यज़ हो और इसी के काटने पर इक्तसार मुमकिन हो तो ज़ायद न काटी जायेगी और अगर यह मुमकिन न हो तो दोनों काटी जहायेगी और यही मुख़्तार है और अगर वे इन दोनों में से एक ही से गिरफ्त करता हो तो जिस से गिरफ्त करता है वही काटी जायेगी यह जोहरा नेहरा में है और अगर इस का दाहिना पांव ऐसा हो कि इस की उंगलियां कटी हुइ हों पस अगर इस पांव पर खड़ा हो सकता हो और चल सकता हो तो इस का हाथ काटा जायेगा और अगर इस पांव के बल चल नहीं सकता है तो हाथ न काटा जायेगा यह मबसूत में है।

हद में जिन्स मनफ़अत की गिरफ्त का बिल्कुल फ़ोत कर देना जाइज़ नहीं:

जिस पर चोरी की वजह से क़तअ वाजिब हुआ और हुनूज़ इस का हाथ नहीं काटा गया था कि किसी शख़्स ने इस का दाहिना हाथ काट डाला पस अगर क़ब्ल ख़ुसूमत के ऐसा हुआ तो इस के हाथ काटने वाले पर अमदन काटने के सूरत में क़िसास है और खता की सूरत में अरश वाजिब है और चोर का चोरी में बायां पांव काटा जायेगा और अगर बाद ख़ुसूमत के क़ब्ल हुक्म क़ज़ा के ऐसा हुआ तो भी यही हुक्म है लेकिन इतना फ़र्क़ होगा कि चोरी में चोर का बायां पांव न काटा जायेगा और अगर बाद हुक्म क़ज़ाअन के ऐसा हुआ तो काटने वाले पर ज़िमानवाजिब न होगी और इस का काटना चोरी में काटे जाने का नाइब हो जायेगा हत्ता कि चोर ने जो माल सिरक़ा में से तलफ़ कर दिया हो इस

इस का बायां पांव शल हो तो भी यही आदेश है और इस तरह अगर इस का बायां अंगूठा कटा हो या शल हो और इस में की दो उंगलियां सिवाए अंगूठे के ऐसी हों तो भी यही आदेश है और अगर अंगूठे के सिवाए एक ही उंगली ऐसी हो तो हाथ काटा जायेगा यह हिदाया में है। अगर इस का हाथ दाहिना हाथ शल हो या इस में उंगलियां कम व नाक़िस हों तो ज़ाहिरूल रिवाया

(1)मुदब्बिर व मकातिब व ग़ुलाम माज़ून व बच्चे कीमों का बयान मुफ़स्सल किताबुल इताक+ में दर्ज है वहां देखना चाहिए।
(2)तल कर+]ून बन्द कर दिया जाये।
(3)क़ाल फ़िल असल ज़ीतयानी ज़ैतून का तेल।

के मुवाफ़िक़ हाथ काटा जायेगा यह तबयुन में है। अगर चोर के एक ही मअसम (1) में दो हथैलियां हों तो कुछ ने फ़रमाया कि दोनों काटी जायेगी और कुछ ने कहा कि अगर असली हथैली मुतमय्यज़ हो और इसी के काटने पर इक्तसार मुमकिन हो तो ज़ायद न काटी जायेगी और अगर यह मुमकिन न हो तो दोनों काटी जहायेगी और यही मुख़्तार है और अगर वे इन दोनों में से एक ही से गिरफ्त करता हो तो जिस से गिरफ्त करता है वही काटी जायेगी यह जोहरा नेहरा में है और अगर इस का दाहिना पांव ऐसा हो कि इस की उंगलियां कटी हुइ हों पस अगर इस पांव पर खड़ा हो सकता हो और चल सकता हो तो इस का हाथ काटा जायेगा और अगर इस पांव के बल चल नहीं सकता है तो हाथ न काटा जायेगा यह मबसूत में है।

हद में जिन्स मनफ़अत की गिरफ्त का बिल्कुल फ़ोत कर देना जाइज़ नहीं:

जिस पर चोरी की कारण से क़तअ अनिवार्य हुआ और हुनूज़ इस का हाथ नहीं काटा गया था कि किसी व्यक्ति ने इस का दाहिना हाथ काट डाला पस अगर क़ब्ल ख़ुसूमत के ऐसा हुआ तो इस के हाथ काटने वाले पर अमदन काटने के स्थिति में क़िसास है और खता की स्थिति में अरश अनिवार्य है और चोर का चोरी में बायां पांव काटा जायेगा और अगर बाद ख़ुसूमत के क़ब्ल आदेश क़ज़ा के ऐसा हुआ तो भी यही आदेश है लेकिन

पर इस की ज़िमान वाजिब न होगी यह शरह तहावी में है और अगर किसी अजनबी ने दाहिना हाथ नहीं बल्कि बायां हाथ काटा तो चोरी की वजह से इस का दाहिना हाथ नहीं काटा जायेगा ताकि जिन्स मनफ़अत गिरफ्त का बिल्कुल फ़ोत कर देना लाज़िम न आये और अगर इस का बायां हाथ भी न काटा गया बल्कि दाहिना पांव काटा गया तो चोरी की वजह से जो क़तअ इस पर वाजिब था वो साक़ित हो गया और अगर इस का दाहिना पांव भी न काटा गया बल्कि दाहिना पांव काटा गयसा तो चोरी की वजह से इस का दाहिना पांव काटा जायेगा यह मुहीत में है।

अगर जल्लाद के सिवाए दूसरे ने बायां हाथ काट दिया तो फिर भी ज़ामिन न होगा :

अगर हाकिम ने जल्लाद से कहा कि इस मर्द का दाहिना हाथ काट दे मुजरिम सिरक़ा जिस का यह मुरतकिब हुआ है पस जल्लाद ने अमदन इस का बायां हाथ काट दिया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार जल्लाद पर कुछ वाजिब न होगा लेकिन इस का बतौर तादीब (2) कुछ सज़ा दी जायेगी यह फ़तहुल क़दीर में है। इस में इशारह है कि इस सूरत में इख़्तलाफ़ है और यह इख़्तलाफ़ ऐसी सूरत में है कि जल्लाद ने अमदन इस का बायां हाथ काटा हो और अगर खताअन इस ने ऐसा किया तो बिल इजमाअ वो ज़ामिन न होगा ख़्वाह जल्लाद ने अपने इज्तहाद में ख़ता की बईं तौर कि इस ने इजतहाद किया कि नस क़ुरआनी में मुतलक़ हाथ मज़कूर है ख़्वाह दाहिना हो या बायां हो पस इस ने बायां हाथ काट दिया ख़्वाह इस से शनाख़्त (दाहिने बाऐं की शनाख़्त में) में ख़ता हुई कि इस ने बायां हाथ काट दिया और यही सही है यह मुन्तक़ी में है और अगर हाकिम ने यूं कहा कि इस का हाथ काट दे पस इस ने बायां हाथ काट दिया तो बिल इत्तफ़ाक़ ज़ामिन न होगा और अगर चोर ने अपना बायां हाथ पैश किया और कहा कि यह मेरा दाहिना हाथ है पस जल्लाद ने इस को काट दिया तो ज़ामिन न होगा अगरचे जानता हो कि यह इस का बायां हाथ है और हुक्म बिल इत्तफ़ाक़ है कज़ा फ़ी इतना फ़र्क़ होगा कि चोरी में चोर का बायां पांव न काटा जायेगा और अगर बाद आदेश न्यायिक के ऐसा हुआ तो काटने वाले पर ज़िमानवाजिब न होगी और इस का काटना चोरी में काटे जाने का नाइब हो जायेगा हत्ता कि चोर ने जो माल सिरक़ा में से तलफ़ कर दिया हो इस पर इस की ज़िमान अनिवार्य न होगी यह शरह तहावी में है और अगर किसी अजनबी ने दाहिना हाथ नहीं बल्कि बायां हाथ काटा तो चोरी की कारण से इस का दाहिना हाथ नहीं काटा जायेगा ताकि जिन्स मनफ़अत गिरफ्त का बिल्कुल फ़ोत कर देना अनिवार्य न आये और अगर इस का बायां हाथ भी न काटा गया बल्कि दाहिना पांव काटा गया तो चोरी की कारण से जो क़तअ इस पर अनिवार्य था वो साक़ित हो गया और अगर इस का दाहिना पांव भी न काटा गया बल्कि दाहिना पांव काटा गयसा तो चोरी की कारण से इस का दाहिना पांव काटा जायेगा यह मुहीत में है।

अगर जल्लाद के सिवाए दूसरे ने बायां हाथ काट दिया तो फिर भी ज़ामिन न होगा :

अगर हाकिम ने जल्लाद से कहा कि इस मर्द का दाहिना हाथ काट दे मुजरिम सिरक़ा जिस का यह मुरतकिब हुआ है पस जल्लाद ने अमदन इस का बायां हाथ काट दिया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार जल्लाद पर कुछ अनिवार्य न होगा लेकिन इस का बतौर तादीब (2) कुछ सज़ा दी जायेगी यह फ़तहुल क़दीर में है। इस में इशारह है कि इस स्थिति में मतभेद है और यह मतभेद ऐसी स्थिति में है कि जल्लाद ने अमदन इस का बायां हाथ काटा हो और अगर खताअन इस ने ऐसा किया तो बिल इजमाअ वो ज़ामिन न होगा चाहे जल्लाद ने अपने इज्तहाद में ख़ता की बईं तौर कि इस ने इजतहाद किया कि नस क़ुरआनी में मुतलक़ हाथ मज़कूर है चाहे दाहिना हो या बायां हो पस इस ने बायां हाथ काट दिया चाहे इस से शनाख़्त (दाहिने बाऐं की शनाख़्त में) में ख़ता हुई कि इस ने बायां हाथ काट दिया और यही सही है यह मुन्तक़ी में है और अगर हाकिम ने यूं कहा कि इस का हाथ काट दे पस इस ने बायां हाथ

फ़तहुल क़दीर और अगर जल्लाद के सिवाए दूसरे ने इस का बायां हाथ काट दिया तो भी ज़ामिन न होगा और यही सही है। हिदाया में है अगर चोर का हाथ काटे जाने का हुक्म हो गया फिर किसी ने इस का दाहिना हाथ बदूं इजाज़त इमामुल मुस्लिमीन के काट दिया तो इस पर कुछ नहीं है लेकिन इमाम इस को इस पर तादीब करेगा यह मबसूत में है। अगर जल्लाद ने इस का दाहिना पांव काट दिया तो जल्लाद इस पांव की देत का ज़ामिन होगा और चोर माल सिरक़ा का ज़ामिन होगा और अगर जल्लाद ने चोर का बायां पांव काटा तो जल्लाद इस पांव की देत का ज़ामिन होगा और चोर का दाहिना हाथ काटा जायेगा और अगर जल्लाद ने इस के दोनों हाथ काटे तो इस का दाहिना हाथ चोरी के सबब से कटा हुआ क़रार दिया जायेगा और बाऐं हाथ का जल्लाद ज़ामिन होगा कि इस की देत चोर को अदा करेगा यह मुहीत में है।

(1) मअसम बिलकसर जाये दस्त बरंजनयानी हाथ का वो मक़ाम जहां कर कंगन पहनते हैं और इस को हमारे उर्फ+ में पहुंचा कहते हैं।

(2)तादीब अदब देना।

अगर जल्लाद ने दोनों हाथ और दोनों पांव काट दे तो चोर के वास्ते जल्लाद इस के बाऐं हाथ और दोनों पांव का ज़ामिन होगा और अगर चोर का दाहिना हाथ मअदूम हो तो इस का बायां पांव काटा जायेगा यह फ़तावा इताबिया में है। और अगर चोरी के गवाहों से चोर पर सज़ाऐ क़तअ का हुक्म दे दिया गया फिर छुट भागा या हुनूज़ हुक्म नहीं दिया गया था कि वो छुट भागा फिर ज़माना के बाद पकत्र गसया तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर कोतवाल वग़ैरह इस के पीछे दौड़ कर इसी वक़्त इस को पकड़ लाये तो इस का हाथ काटा जायेगा यह मबसूत में है और अगर चोर ने दो शख़्सों से चुराया हो तो एक की ग़ीबत में चोर का हाथ न काटा जायेगा यह इताबिया में है। अगर किसी चोर ने जोज़ जानिबात से चुराया और मुराफ़आ क़ाज़ी बल्ख के हुज़ूर में हुआ तो क़ाज़ी मज़कूर को बाद सबूत के इस के हाथ काटने का इख़्तियार है और अगर जोज़ जानिबात पर बाग़ियों में से कोई शख़्स बराहे बग़ावत बदूं तक़लीद अज़ जानिब वाली ख़ुरासां के ग़ालिब हुआ तो

काट दिया तो बिल इत्तफ़ाक़ ज़ामिन न होगा और अगर चोर ने अपना बायां हाथ पैश किया और कहा कि यह मेरा दाहिना हाथ है पस जल्लाद ने इस को काट दिया तो ज़ामिन न होगा चाहे जानता हो कि यह इस का बायां हाथ है और आदेश बिल इत्तफ़ाक़ है कज़ा फ़ी फ़तहुल क़दीर और अगर जल्लाद के सिवाए दूसरे ने इस का बायां हाथ काट दिया तो भी ज़ामिन न होगा और यही सही है। हिदाया में है अगर चोर का हाथ काटे जाने का आदेश हो गया फिर किसी ने इस का दाहिना हाथ बदूं इजाज़त इमामुल मुस्लिमीन के काट दिया तो इस पर कुछ नहीं है लेकिन इमाम इस को इस पर तादीब करेगा यह मबसूत में है। अगर जल्लाद ने इस का दाहिना पांव काट दिया तो जल्लाद इस पांव की देत का ज़ामिन होगा और चोर माल सिरक़ा का ज़ामिन होगा और अगर जल्लाद ने चोर का बायां पांव काटा तो जल्लाद इस पांव की देत का ज़ामिन होगा और चोर का दाहिना हाथ काटा जायेगा और अगर जल्लाद ने इस के दोनों हाथ काटे तो इस का दाहिना हाथ चोरी के सबब से कटा हुआ क़रार दिया जायेगा और बाऐं हाथ का जल्लाद ज़ामिन होगा कि इस की देत चोर को अदा करेगा यह मुहीत में है।

(1) मअसम बिलकसर जाये दस्त बरंजनयानी हाथ का वो मक़ाम जहां कर कंगन पहनते हैं और इस को हमारे उर्फ+ में पहुंचा कहते हैं।

(2)तादीब अदब देना।

अगर जल्लाद ने दोनों हाथ और दोनों पांव काट दे तो चोर के लिए जल्लाद इस के बाऐं हाथ और दोनों पांव का ज़ामिन होगा और अगर चोर का दाहिना हाथ मअदूम हो तो इस का बायां पांव काटा जायेगा यह फ़तावा इताबिया में है। और अगर चोरी के गवाहों से चोर पर सज़ाऐ क़तअ का आदेश दे दिया गया फिर छुट भागा या हुनूज़ आदेश नहीं दिया गया था कि वो छुट भागा फिर ज़माना के बाद पकत्र गसया तो इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर कोतवाल वग़ैरह इस के पीछे दौड़ कर इसी समय इस को पकड़ लाये तो इस का हाथ काटा जायेगा यह मबसूत में है और अगर चोर ने दो शख़्सों से चुराया हो तो एक की ग़ीबत में चोर का हाथ न काटा जायेगा यह इताबिया में है। अगर किसी

क़ाज़ी बल्ख को जोज़ जानिबात के चोर पर हद सिरक़ा क़ायम करने का इख़्तयार न होगा और यह नज़ीर इस की है कि ख़्वारिज्म में से किसी ने चुराया और क़ाज़ी बुखारा के पास मुराफ़अा किया गया यह मुहीत में है। अगर सिरक़ा सख़्त सर्दी या गर्मी में साबित हुआ कि इस की हालत में इस के हाथ काटने से इस की मौत का खौफ़ है तो क़ैद रखा जाये यहां तक कि सख़्ती सर्दी या गर्मी की फ़र्द हो जाये और अगर इस क़द्र शिद्दत न हो कि काटे जाने से चोर की मौत का खौफ़ हो तो ताखीर न की जायेगी बल्कि क़तअ कर दिया जायेगा और अगर सर्दी या गर्मी में कमी आने तक क़ैद रखा गया फिर वो क़ैद खाने में मर गया तो माल मसरूक़ा की ज़मानत इस चोर के तरका में वाजिब होगी यह मबसूत में है।

चोर का हाथ न काटा जायेगा ता आंकि जिस से चुराया है वो हाज़िर हो और सिरक़ा का मुतालबा करे और इमाम अबू यूसुफ़ रह० फ़रमाते हैं कि मैं हद में काट दूंगा और सही वही है जो ज़ाहिरूल रिवाया है यह ज़ाद उल फ़िक़हा में है। हमारे अनुसार चोरी का गवाही से साबित होना या ख़ुद चोर के इक़रार से साबित होना दोनों यक्सां हैं कुछ फ़र्क़ नहीं है और इस तरह अगर वक़्त क़तअ के ग़ायब (जिस का माल चुराया है) हो गया तो भी हमारे अनुसार यही (कि काटा न जायेगा) हुक्म है यह हिदाया में है। मसतूदअ यानी वदीअत रखने वाले से अगर माल वदीअत चुरा लिया या ग़ासिब से माल मग़सूब चुरा लिया या साहब रबवा से माल रबवा या मुस्तईर से माल मुस्तआर या मुस्ताजिर से माल इजारह या मज़ारिब से माल मज़ारबत (1) या मुस्तबज़अ से माल बज़ाअत या जिस ने खरीदने के वास्ते किसी चीज़ पर क़ब्ज़ा कर लिया इस से यह चीज़ या मरतहन से माल मर हों चुरा लिया तो इन में से हर एक को इख़्तयार है कि चोर का हाथ कटवादे और नीज़ हर ऐसा शख़्स जिस के हाथ में दूसरे की चीज़ हिफ़ाज़त के वास्ते है जैसे बाप या वसी वग़ैरह इस को इख़्तयार है कि चोर अगर इस से चुराये तो चोर का हाथ कटवादे और नीज़ हद (जो हुक्म शरह लाज़िम आये वो हद जारी करादे) सिरक़ा भी जारी की जायेगी कि जब इन लोगों से चुराने की सूरत में माल

चोर ने जोज़ जानिबात से चुराया और मुराफ़अा क़ाज़ी बल्ख के हुज़ूर में हुआ तो क़ाज़ी मज़कूर को बाद सबूत के इस के हाथ काटने का अधिकार है और अगर जोज़ जानिबात पर बाग़ियों में से कोई व्यक्ति बराहे बग़ावत बदूं तक़लीद अज़ जानिब वाली ख़ुरासां के ग़ालिब हुआ तो क़ाज़ी बल्ख को जोज़ जानिबात के चोर पर हद सरक़ा क़ायम करने का अधिकार न होगा और यह नज़ीर इस की है कि ख़्वारिज्म में से किसी ने चुराया और क़ाज़ी बुखारा के पास मुराफ़अा किया गया यह मुहीत में है। अगर सिरक़ा सख़्त सर्दी या गर्मी में सिद्ध हुआ कि इस की हालत में इस के हाथ काटने से इस की मौत का खौफ़ है तो क़ैद रखा जाये यहां तक कि सख़्ती सर्दी या गर्मी की फ़र्द हो जाये और अगर इस क़द्र शिद्दत न हो कि काटे जाने से चोर की मौत का खौफ़ हो तो ताखीर न की जायेगी बल्कि क़तअ कर दिया जायेगा और अगर सर्दी या गर्मी में कमी आने तक क़ैद रखा गया फिर वो क़ैद खाने में मर गया तो माल मसरूक़ा की ज़मानत इस चोर के तरका में अनिवार्य होगी यह मबसूत में है।

चोर का हाथ न काटा जायेगा ता आंकि जिस से चुराया है वो हाज़िर हो और सिरक़ा का मुतालबा करे और इमाम अबू यूसुफ़ रह० फ़रमाते हैं कि मैं हद में काट दूंगा और सही वही है जो ज़ाहिरूल रिवाया है यह ज़ाद उल फ़िक़हा में है। हमारे अनुसार चोरी का गवाही से सिद्ध होना या ख़ुद चोर के स्वीकार से सिद्ध होना दोनों यक्सां हैं कुछ फ़र्क़ नहीं है और इस तरह अगर समय क़तअ के ग़ायब (जिस का माल चुराया है) हो गया तो भी हमारे अनुसार यही (कि काटा न जायेगा) आदेश है यह हिदाया में है। मसतूदअ यानी वदीअत रखने वाले से अगर माल वदीअत चुरा लिया या ग़ासिब से माल मग़सूब चुरा लिया या साहब रबवा से माल रबवा या मुस्तईर से माल मुस्तआर या मुस्ताजिर से माल इजारह या मज़ारिब से माल मज़ारबत (1) या मुस्तबज़अ से माल बज़ाअत या जिस ने खरीदने के लिए किसी चीज़ पर क़ब्ज़ा कर लिया इस से यह चीज़ या मरतहन से माल मर हों चुरा लिया तो इन में से हर एक को अधिकार है कि चोर का हाथ कटवादे और नीज़ हर ऐसा व्यक्ति

मसरूक़ा के असल मालिक ने नालिश की लेकिन राहिन की ख़ुसूमत से जब ही हद सिरक़ा चोर पर जारी की जायेगी जब बाद अदाये क़र्ज़ा के माल मर हों क़ायम हो यह काफ़ी में है।

(1)वोश]स जिस ने शिरकत में तिजारत कराने के वास्ते माल लिया हो।

(2)अ+याल मुराद वो लोग जो साथ रहते होंया परवरिश मुराद है।

अगर किसी चोर ने माल चुरा लिया और क़ब्ल इस के कि मुक़दमा हाकिम के पास जाये माल सरूक़ा इस के मालिक को वापिस दिया तो चोर को सज़ाऐ क़तअ न दी जायेगी :

अगर किसी माल मसरूक़ा के सिरक़ा में चोर का हाथ काटा गया फिर दूसरे चोर ने इस चोर से यह चीज़ चुराली तो अव्वल चोर को या असल मालिक को किसी को यह इख़्तयार न होगा कि दूसरे चोर का हाथ कटवाये और एक रिवायत के मुवाफ़िक़ अव्वल चोर को यह इख़्तयार है कि इस से वापिस ले और अगर दूसरे चोर ने क़ब्ल अव्वल चोर के हाथ काटे जाने के या किसी शुब्हा की वजह से इस के ज़िम्मे से हद सिरक़ा दूर किये जाने के बाद चुराया तो अव्वल चोर की ख़ुसूमियत करने से दूसरे चोर का हाथ काटा (हद सिरक़ा दिया) जायेगा यह हिदाया में है। नवादिर हिशाम में है कि मैंने इमाम मौहम्मद रह० से दरयाफ़्त किया कि एक ने दूसरे से हज़ार दिरहम चुराये फिर एक और शख़्स ने जिस के हज़ार दिरहम इस मसरूक़ मिन्हु पर आते हैं यह हज़ार दिरहम मसरूक़ा इस चोर से ग़सब कर लिये तो इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि मैं चोर अव्वल से सज़ाऐ क़तअ दूर करूंगा यह मुहीत में है। अगर किसी चोर ने माल चुरा लिया और क़ब्ल इस के कि मुक़दमा हाकिम के पास जाये माल सरूक़ा इस के मालिक को वापिस दिया तो चोर को सज़ाऐ क़तअ न दी जायेगी और अगर गवाह इस ने जाने और हुक्म हो जाने के बाद वापिस किया तो क़तअ किया जायेगा और क़ब्ल हुक्म क़ज़ा होने के वापिस करने में इस्तहसानन सज़ाऐ क़तअ जारी की

जिस के हाथ में दूसरे की चीज़ हिफ़ाज़त के लिए है जैसे बाप या वसी आदि इस को अधिकार है कि चोर अगर इस से चुराये तो चोर का हाथ कटवादे और नीज़ हद (जो आदेश शरह अनिवार्य आये वो हद जारी करादे) सिरक़ा भी जारी की जायेगी कि जब इन लोगों से चुराने की स्थिति में माल मसरूक़ा के असल मालिक ने नालिश की लेकिन राहिन की ख़ुसूमत से जब ही हद सिरक़ा चोर पर जारी की जायेगी जब बाद अदाये क़र्ज़ा के माल मर हों क़ायम हो यह काफ़ी में है।

(1) वो व्यक्ति जिस ने शिरकत में तिजारत कराने के लि, माल लिया हो।

(2)अ+याल तात्पर्य वो लोग जो साथ रहते होंया परवरिश तात्पर्य है।

अगर किसी चोर ने माल चुरा लिया और क़ब्ल इस के कि मुक़दमा हाकिम के पास जाये माल सरूक़ा इस के मालिक को वापिस दिया तो चोर को सज़ाऐ क़तअ न दी जायेगी :

अगर किसी माल मसरूक़ा के सिरक़ा में चोर का हाथ काटा गया फिर दूसरे चोर ने इस चोर से यह चीज़ चुराली तो अव्वल चोर को या असल मालिक को किसी को यह अधिकार न होगा कि दूसरे चोर का हाथ कटवाये और एक रिवायत के मुवाफ़िक़ अव्वल चोर को यह अधिकार है कि इस से वापिस ले और अगर दूसरे चोर ने क़ब्ल अव्वल चोर के हाथ काटे जाने के या किसी शंका की कारण से इस के ज़िम्मे से हद सिरक़ा दूर किये जाने के बाद चुराया तो अव्वल चोर की ख़ुसूमियत करने से दूसरे चोर का हाथ काटा (हद सिरक़ा दिया) जायेगा यह हिदाया में है। नवादिर हिशाम में है कि मैंने इमाम मौहम्मद रह० से दरयाफ़्त किया कि एक ने दूसरे से हज़ार दिरहम चुराये फिर एक और व्यक्ति ने जिस के हज़ार दिरहम इस मसरूक़ मिन्हु पर आते हैं यह हज़ार दिरहम मसरूक़ा इस चोर से ग़सब कर लिये तो इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि मैं चोर अव्वल से सज़ाऐ क़तअ दूर करूंगा यह मुहीत में है। अगर किसी चोर ने माल चुरा लिया और क़ब्ल इस के कि मुक़दमा हाकिम के

जायेगी और अगर चोर ने मालिक माल के फ़रज़न्द या किसी ज़ी रहम को वापिस दिया पस अगर वो मालिक माल के अयाल में न हो तो चोर को सज़ाऐ क़तअ जारी की जायेगी और अगर चोर ने मालिक माल के फ़रज़न्द या किसी ज़ी रहम को वापिस दिया पस अगर वो मालिक माल के अयाल में न हो तो चोर को सज़ाऐ क़तअ दी जायेगी और अगर इस के अयाल में हो तो न दी जायेगी और इसी तरह अगर इस की बीवी या ग़ुलाम या अजीर को जो माहवारी या सालाना पर नोकर है वापिस किया तो भी हुक्म इसी तफ़सील से है और अगर इस के वालिद माजिद या वालिदा माजिदा को वापिस दिया हालांकि यह लोग इस के अयाल (1) में नहीं हैं तो सज़ाऐ क़तअ न दी जायेगी और अगर इन के अयाल में जो शख़्स है इस को दिया तो सज़ाऐ क़तअ दी जायेगी और अगर इस के मकातिब को वापिस दिया तो सज़ाऐ क़तअ न दी जायेगी क्योंकि मकातिब इस का ग़ुलाम है और अगर किसी मकातिब का माल चुराया और इस के मौला को वापिस दिया तो सज़ाऐ क़तअ न दी जायेगी और अगर अयाल में से किसी से चुराया और ऐसे शख़्स को वापिस दिया जिस के अयाल में यह अयाल है तो सज़ाऐ क़तअ दी जायेगी यह काफ़ी में है।

अगर किसी चोर पर माल चोरी की बाबत सज़ाऐ क़तअ का हुक्म हो गसया फिर मालिक ने यह माल इस को हुबा करके सुपुर्द कर दिया सया इस के हाथ फ़रोख़्त कर दिया तो हाथ नक काटा जायेगा यह फ़तहुल क़दीर में है। अगर चोर से किसी ने यह माल ग़सब कर लिया और मालिक ने ग़ासिब से ज़िमान इख़्तयार की तो चोर से सज़ाऐ क़तअ साक़ित हो गई यह इताबिया में है और सिरक़ा दस दिरहम का होने में यह मोअतबर है कि माल मसरूक़ा की क़ीमत और सिरक़ा दस दिरहम हो और नीज़ बरोज़ सज़ाऐ क़तअ दस दिरहम हो चुनपांचे अगर रोज़ सिरक़ा इस की क़ीमत दस दिरहम हो और इस के बाद इस में नुक़सान आ गया पस अगर नुक़सान बदीं वजह आया हो तो सज़ाऐ क़तअ न दी जायेगी यह ज़ाहिरूल रिवायत का हुक्म है कज़ा फ़िल मुहीत और अगर किसी ग़ुलाम ने दस दिरहम की चोरी का इक़रार पास जाये माल सरूक़ा इस के मालिक को वापिस दिया तो चोर को सज़ाऐ क़तअ न दी जायेगी और अगर गवाह इस ने जाने और आदेश हो जाने के बाद वापिस किया तो क़तअ किया जायेगा और क़ब्ल आदेश क़ज़ा होने के वापिस करने में इस्तहसानन सज़ाऐ क़तअ जारी की जायेगी और अगर चोर ने मालिक माल के फ़रज़न्द या किसी ज़ी रहम को वापिस दिया पस अगर वो मालिक माल के अयाल में न हो तो चोर को सज़ाऐ क़तअ जारी की जायेगी और अगर चोर ने मालिक माल के फ़रज़न्द या किसी ज़ी रहम को वापिस दिया पस अगर वो मालिक माल के अयाल में न हो तो चोर को सज़ाऐ क़तअ दी जायेगी और अगर इस के अयाल में हो तो न दी जायेगी और इसी तरह अगर इस की बीवी या ग़ुलाम या अजीर को जो माहवारी या सालाना पर नोकर है वापिस किया तो भी आदेश इसी तफ़सील से है और अगर इस के वालिद माजिद या वालिदा माजिदा को वापिस दिया हालांकि यह लोग इस के अयाल (1) में नहीं हैं तो सज़ाऐ क़तअ न दी जायेगी और अगर इन के अयाल में जो व्यक्ति है इस को दिया तो सज़ाऐ क़तअ दी जायेगी और अगर इस के मकातिब को वापिस दिया तो सज़ाऐ क़तअ न दी जायेगी क्योंकि मकातिब इस का ग़ुलाम है और अगर किसी मकातिब का माल चुराया और इस के मौला को वापिस दिया तो सज़ाऐ क़तअ न दी जायेगी और अगर अयाल में से किसी से चुराया और ऐसे व्यक्ति को वापिस दिया जिस के अयाल में यह अयाल है तो सज़ाऐ क़तअ दी जायेगी यह काफ़ी में है।

अगर किसी चोर पर माल चोरी की बाबत सज़ाऐ क़तअ का आदेश हो गसया फिर मालिक ने यह माल इस को हुबा करके सुपुर्द कर दिया सया इस के हाथ फ़रोख़्त कर दिया तो हाथ नक काटा जायेगा यह फ़तहुल क़दीर में है। अगर चोर से किसी ने यह माल ग़सब कर लिया और मालिक ने ग़ासिब से गारंटी ली तो चोर से काटने की सज़ा पर रोक हो गई यह इताबिया में है और दस दिरहम का चोरी होने में यह विश्वसनीय है कि माल मसरूक़ा की क़ीमत और सिरक़ा दस दिरहम हो और नीज़ बरोज़ सज़ाऐ क़तअ दस दिरहम हो चुनपांचे अगर

कियसा पस अगर यह ग़ुलाम माज़ूं हो तो इस का इक़रार सही है और इस का हाथ काटा जायेगा और यह माल मसरूक़ मिन्हु को यानी जिस से चुरा लिया है वापिस दिया जायेगा अगर क़ायम हो और अगर तलफ़ हो गया हो तो ग़ुलाम मज़कूर पर ज़िमान वाजिब न होगी ख़्वाह इस के मौला ने इस के इक़रार की तसदीक़ की हो या तकज़ीब की हो यह सिराज वहाज में है। अगर यह ग़ुलाम महजूर हो और माल वैसा ही मौजूद है पस अगर इस के मौला ने इस के इक़रार की तसदीक़ की तो इस का हाथ काटा जायेगा और मसरूक़ मिन्हु को माल सिरक़ा वापिस दिया जायेगा और अगर मौला ने इस की तकज़ीब की और

(1)अ+याल मुराद वो लोग जो साथ रहते होंया परवरिश मुराद है।

कहा कि यह माल मेरा है तो इमाम आज़म रह० के अनुसार हाथ काटा जायेगा और माल मज़कूर मसरूक़ मिन्हु को वापिस दिया जायेगा और अगर माल मज़कूर तलफ़ हो गया हो तो हमारे सब असहाब के अनुसार ग़ुलाम मज़कूर का इक़रार बाबत हद शरई यानी सज़ाऐ क़तअ के सही होगा और ग़ुलाम मज़कूर पर ज़िमान वाजिब न होगी ख़्वाह इस के मौला ने इस की तकज़ीब की हो या तसदीक़ की हो और यह सब इसी वक़्त है कि ग़ुलाम वक़्त इक़रार के कबीर हुआ और अगर वक़्त इक़रार के सग़ीर हो तो इस पर सज़ाऐ क़तअ बिल्कुल लाज़िम नहीं आती है लेकिन माल की निस्बत यह हुक्म है कि अगर यह सग़ीर माज़ूं हो तो माल मसरूक़ा मसरूक़ मिन्हु को वापिस दिया जायेगा बशर्तेकि वैसा ही क़ायम हो और अगर तलफ़ हो गया तो वो ज़ामिन होगा।

अगर चोर को सज़ाऐ क़तअ दी गई और माल मसरूक़ा बअयुना इस के पास मौजूद है तो वो माल इस के मालिक को वापिस दिया जायेगा :

अगर ग़ुलाम महजूर हो पस अगर मौला ने इस के इक़रार की तसदीक़ की हो तो माल मसरूक़ा मसरूक़ मिन्हु को वापिस दिया जायेगा अगर वैसा ही क़ायम हो रोज़ सिरक़ा इस की क़ीमत दस दिरहम हो और इस के बाद इस में नुक़सान आ गया पस अगर नुक़सान इस कारण आया हो तो सज़ाऐ क़तअ न दी जायेगी यह ज़ाहिरूल रिवायत का आदेश है कज़ा फ़िल मुहीत और अगर किसी ग़ुलाम ने दस दिरहम की चोरी का स्वीकार कियसा पस अगर यह ग़ुलाम माज़ूं हो तो इस का स्वीकार सही है और इस का हाथ काटा जायेगा और यह माल मसरूक़ मिन्हु को यानी जिस से चुरा लिया है वापिस दिया जायेगा अगर क़ायम हो और अगर तलफ़ हो गया हो तो ग़ुलाम मज़कूर पर ज़िमान अनिवार्य न होगी चाहे इस के मौला ने इस के स्वीकार की पुष्टि की हो या झुठलाना की हो यह सिराज वहाज में है। अगर यह ग़ुलाम महजूर हो और माल वैसा ही मौजूद है पस अगर इस के मौला ने इस के स्वीकार की पुष्टि की तो इस का हाथ काटा जायेगा और मसरूक़ मिन्हु को माल सिरक़ा वापिस दिया जायेगा और अगर मौला ने इस की झुठलाना की और

(1)अ+याल तात्पर्य वो लोग जो साथ रहते होंया परवरिश तात्पर्य है।

कहा कि यह माल मेरा है तो इमाम आज़म रह० के अनुसार हाथ काटा जायेगा और माल मज़कूर मसरूक़ मिन्हु को वापिस दिया जायेगा और अगर माल मज़कूर तलफ़ हो गया हो तो हमारे सब असहाब के अनुसार ग़ुलाम मज़कूर का स्वीकार बाबत हद शरई यानी सज़ाऐ क़तअ के सही होगा और ग़ुलाम मज़कूर पर ज़िमान अनिवार्य न होगी चाहे इस के मौला ने इस की झुठलाना की हो या पुष्टि की हो और यह सब इसी समय है कि ग़ुलाम समय स्वीकार के कबीर हुआ और अगर समय स्वीकार के सग़ीर हो तो इस पर सज़ाऐ क़तअ बिल्कुल अनिवार्य नहीं आती है लेकिन माल की निस्बत यह आदेश है कि अगर यह सग़ीर माज़ूं हो तो माल मसरूक़ा मसरूक़ मिन्हु को वापिस दिया जायेगा बशर्तेकि वैसा ही क़ायम हो और अगर तलफ़ हो गया तो वो ज़ामिन होगा।

अगर चोर को सज़ाऐ क़तअ दी गई और माल मसरूक़ा बअयुना इस के पास मौजूद है

और अगर तलफ़ हो गया हो तो इस पर ज़िमान न होगी न फ़िल हाल और न बाद आज़ाद होने के यह ग़ायतुल बयसान में है। अगर ग़ुलाम ने दस दिरहम से कम की चोरी का इक़रार कियसा तो इस पर सज़ाऐ क़तअ न होगी फिर माल की बाबत देखा जायेगा कि अगर यह ग़ुलाम माज़ूं हो तो इस का इक़रार सही होगा और माल मज़कूर मसरूक़ मिन्हु को वापिस दिया जायेगा और अगर तलफ़ हो गया हो तो ज़ामिन होगा ख़्वाह ग़ुलाम मज़कूर कबीर हो या सग़ीर हो और अगर ग़ुलाम मज़कूर महजूर हो पस अगर इस के मौला ने इस के इक़रार की तसदीक़ की तो यही हुक्म है और अगर तकज़ीब की तो यह माल मौला का होगा और ग़ुलाम को देखा जायेगा कि अगर वक्त इक़रार के कबीर है तो बाद इतक़ के माल इक़रारी का ज़ामिन होगा और अगर सग़ीर है तो ज़ामिन न होगा यह सिराज वहाज में है। अगर चोर को सज़ाऐ क़तअ दी गई और माल मसरूक़ा बअयुना इस के पास मौजूद है तो वो माल इस के मालिक को वापिस दिया जायेगा क्योंकि माल मज़कूर अपने मालिक की मिल्क में बाक़ी है यह हिदाया में है। अगर तलफ़ हो गया हो तो सारिक़ मज़कूर इस का ज़ामिन न होगा और इसी तरह अगर इस ने तलफ़ कर डाला हो तो भी बिना बर मशहूर के यही हुक्म है कि ज़ामिन न होगा इस वास्ते कि हमारे अनुसार सज़ाऐ क़तअ व ज़िमान माल के दरमियान जमा नहीं की जाती है यह सिराज वहाज में है।

यहि इस वक्त है कि सज़ाऐ क़तअ वाक़े होगई हो और अगर इस ने सज़ाऐ क़तअ दिये जाने से पहले तलफ़ कर दिया या तलफ़ हो गया पस अगर मालिक ने कहा कि मैं इस से अपने माल की ज़िमान लूंगा तो फिर हमारे अनुसार इस का हाथ नहीं काटा जायेगा (2) और अगर मालिक ने कहा कि मैं सज़ाऐ क़तअ को इख़्तयार करता हूं तो चोर को सज़ाऐ क़तअ दे दी जायेगी और इस पर ज़िमान न होगी यह हमारे अनुसार है यह मुहीत में है। अगर चोर का दाहिना हाथ काट दिया गया फिर चोर के सिवाए किसी दूसरे ने माल मसरूक़ा को जो बअयुना मौजूद है तलफ़ कर दिया तो मालिक को इख़्तयार होगा कि तलफ़ करने वाले से इस की क़ीमत तावान (3) ले

तो वो माल इस के मालिक को वापिस दिया जायेगा :

अगर ग़ुलाम महजूर हो पस अगर मौला ने इस के स्वीकार की पुष्टि की हो तो माल मसरूक़ा मसरूक़ मिन्हु को वापिस दिया जायेगा अगर वैसा ही क़ायम हो और अगर तलफ़ हो गया हो तो इस पर ज़िमान न होगी न फ़िल हाल और न बाद आज़ाद होने के यह ग़ायतुल बयसान में है। अगर ग़ुलाम ने दस दिरहम से कम की चोरी का स्वीकार कियसा तो इस पर सज़ाऐ क़तअ न होगी फिर माल की बाबत देखा जायेगा कि अगर यह ग़ुलाम माज़ूं हो तो इस का स्वीकार सही होगा और माल मज़कूर मसरूक़ मिन्हु को वापिस दिया जायेगा और अगर तलफ़ हो गया हो तो ज़ामिन होगा चाहे ग़ुलाम मज़कूर कबीर हो या सग़ीर हो और अगर ग़ुलाम मज़कूर महजूर हो पस अगर इस के मौला ने इस के स्वीकार की पुष्टि की तो यही आदेश है और अगर झुठलाना की तो यह माल मौला का होगा और ग़ुलाम को देखा जायेगा कि अगर समय स्वीकार के कबीर है तो बाद इतक़ के माल इक़रारी का ज़ामिन होगा और अगर सग़ीर है तो ज़ामिन न होगा यह सिराज वहाज में है। अगर चोर को सज़ाऐ क़तअ दी गई और माल मसरूक़ा बअयुना इस के पास मौजूद है तो वो माल इस के मालिक को वापिस दिया जायेगा क्योंकि माल मज़कूर अपने मालिक की मिल्क में बाक़ी है यह हिदाया में है। अगर तलफ़ हो गया हो तो सारिक़ मज़कूर इस का ज़ामिन न होगा और इसी तरह अगर इस ने तलफ़ कर डाला हो तो भी बिना बर मशहूर के यही आदेश है कि ज़ामिन न होगा इस लिए कि हमारे अनुसार सज़ाऐ क़तअ व ज़िमान माल के दरमियान जमा नहीं की जाती है यह सिराज वहाज में है।

यहि इस समय है कि सज़ाऐ क़तअ स्थपित होगई हो और अगर इस ने सज़ाऐ क़तअ दिये जाने से पहले तलफ़ कर दिया या तलफ़ हो गया पस अगर मालिक ने कहा कि मैं इस से अपने माल की ज़िमान लूंगा तो फिर हमारे अनुसार इस का हाथ नहीं काटा जायेगा (2) और अगर मालिक ने कहा कि मैं सज़ाऐ क़तअ को मानता हूं

और अगर चोर ने वो माल किसी दूसरे के पास वदीअत रखा हो और वो इस के पास तलफ़ हो गया तो मसतूदअ ज़ामिन न होगा यह सिराज वहाज में है। अगर चोर ने माल मसरूक़ किसी दूसरे को अपनी तरफ़ से बज़रिया बैअ या हुबा या इस के मानिन्द वजह के मालिक कर दिया और यह अम्र क़ब्ल चोर के हाथ काटे जाने के वाक़े हुआ या इस के बाद वाक़े हुआ तो यह तमलीक (4) बातिल है और माल मसरूक़ मसरूक़ मिन्हु को वापिस दिया जायेगा और मुशतरी अपना सिमन चोर से वापिस लेगा और अगर वो माल मुशतरी या मोहूब लहू के पास तलफ़ हो गया हो तो मुशतरी या चोर किसी पर ज़िमान न होगी ऐसा ही इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है और मुशतरी या मोहूब लहू

(1) गुलाम महजूर की तसरीह अपने मक़ाम पर है वहां देखना चाहिए।

(2)जैसा कि मालूम हो चुका है कि सज़ाऐ क़तअ+ व ज़िमान दोनों जमा नहीं की जाती हैं।

(3) और इस सूरत में जमा व क़तअ+ ज़िमान लाज़िम नहीं आयेगा।

(4)क्योंकियह सारे तसर्रुफ़ात दूसरे की मिल्क में हैं।

ने इस को तलफ़ कर दिया तो मालिक को इख़्तयार होगा कि इस से तावान (यानी क़ीमत माल मज़कूर) ले फिर मुशतरी ने अपना सिमन जो अदा किया है चोर से वापिस लेगा और चोर से इस माल की क़ीमत वापिस नहीं ले सकता है यह मुहीत में है।

अगर एक ही शख़्स ने कई बार सिरक़ा का निसाबे कामिल चुराया:

अगर किसी आदमी ने चोर से ग़सब कर ली और चोर का हाथ काटे जाने के बाद वो ग़ासिब के पास तलु हो गई तो चोर के वास्ते इस पर ज़िमान न होगी और मालिक के वास्ते भी ज़िमान न होगी यह ईज़ाह में है। इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर एक शख़्स ने कई बार चोरी की और फिर इस को एक ही हद की सज़ा दी गई तो यह सज़ा इस सब के वास्ते होगी इस वास्ते कि जो हुदूद ख़लिस अल्लाह तआला के वास्ते होते हैं जब वो कई मुजतमआ हो जाते हैं तो मुतदाखिल हो जाते हैं बशर्तेकि सब एक ही जिन्स के हों इस लिए कि

तो चोर को काटने सज़ा दे दी जायेगी और इस पर ज़िमान न होगी यह हमारे अनुसार है यह मुहीत में है। अगर चोर का दाहिना हाथ काट दिया गया फिर चोर के सिवाए किसी दूसरे ने माल मसरूक़ा को जो बअयुना मौजूद है तलफ़ कर दिया तो मालिक को अधिकार होगा कि तलफ़ करने वाले से इस की क़ीमत तावान (3) ले और अगर चोर ने वो माल किसी दूसरे के पास वदीअत रखा हो और वो इस के पास तलफ़ हो गया तो मसतूदअ ज़ामिन न होगा यह सिराज वहाज में है। अगर चोर ने माल मसरूक़ किसी दूसरे को अपनी तरफ़ से बज़रिया विक्रय या हुबा या इस के मानिन्द कारण के मालिक कर दिया और यह कार्य क़ब्ल चोर के हाथ काटे जाने के स्थपित हुआ या इस के बाद स्थपित हुआ तो यह तमलीक (4) बातिल है और माल मसरूक़ मसरूक़ मिन्हु को वापिस दिया जायेगा और ग्राहक अपना क़ीमत चोर से वापिस लेगा और अगर वो माल ग्राहक या मोहूब लहू के पास तलफ़ हो गया हो तो ग्राहक या चोर किसी पर ज़िमान न होगी ऐसा ही इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है और ग्राहक या मोहूब लहू

(1) गुलाम महजूर की तसरीह अपने मक़ाम पर है वहां देखना चाहिए।

(2)जैसा कि मालूम हो चुका है कि सज़ाऐ क़तअ+ व ज़िमान दोनों जमा नहीं की जाती हैं।

(3) और इस स्थिति में जमा व क़तअ+ ज़िमान अनिवार्य नहीं आयेगा।

(4)क्योंकियह सारे तसर्रुफ़ात दूसरे की मिल्क में हैं।

ने इस को तलफ़ कर दिया तो मालिक को अधिकार होगा कि इस से तावान (यानी क़ीमत माल मज़कूर) ले फिर ग्राहक ने अपना क़ीमत जो अदा किया है चोर से वापिस लेगा और चोर से इस माल की क़ीमत वापिस नही ले सकता है यह मुहीत में है।

अगर एक ही व्यक्ति ने कई बार सिरक़ा का निसाबे कामिल चुराया:

अगर किसी आदमी ने चोर से ग़सब कर ली और चोर का हाथ काटे जाने के बाद वो ग़ासिब के पास तलु हो गई तो चोर के लिए इस पर ज़िमान न होगी और मालिक के लिए भी ज़िमान न होगी यह ईज़ाह में है।

मक़सूद व इक़ामत हद से यह होता है कि सबब जुर्म के इरतकाब से मुन्ज़िजर हो बखिलाफ़ इस के अगर इस ने एक बार चोरी की और इस पर हद क़ायम की गई फिर इस ने दूसरी बार चोरी की तो ऐसा नहीं है बल्कि दूसरी हद क़ायम की जायेगी क्योंकि हम को यह यक़ीन मालूम हुआ कि वो हद अव्वल से मुन्ज़िजर नहीं हुआ है और इस अम्र पर इजमाअ है कि अगर चोरी के मालों के मालिक हाज़िर हुए ओर उन्होंने मुखासमा करके चोर पर सिरक़ा साबित किया पस अगर नालहाये सिरक़ा चोर के पास तलफ़ हो गये हों या इस ने तलफ़ कर दिये हों तो वो इन के वास्ते कुछ ज़ामिन न होगा और अगर इन में से एक या दो हाज़िर हुए और उन्होंने मुखासमा किया और बाक़ी लोग ग़ायब हों पस जो हाज़िर हो इस के वास्ते क़ाज़ी ने चोर का हाथ काटा फिर बाक़ी लोग हाज़िर हुए पस अगर चोर के पास मालहाऐ सिरक़ा तलफ़ हो गये हों या इस ने तलफ़ कर दिये हों बहरहाल इमाम आज़म रह० के अनुसार वो बाक़ियों के वास्ते इन के अमवाल का ज़ामिन न होगा और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि ग़ायबों के सरक़ात की क़ीमत का ज़ामिन होगा और जो शख़्स वक्त ख़ुसूमत के हाज़िर था इस के सिरक़ा का बिल इजमाअ ज़ामिन न होगा और अगर मालहाऐ मसरूक़ा क़ायम हों तो इमाम इन को इन के मालिकों को वापिस कर देगा और यह वापिस करना सज़ाऐ क़तअ से मानअ नहीं है यह मुहीत में है। अगर एक ही शख़्स ने कई बार हर बार सिरक़ा का निसाब का माल चुराया और बाज़ सिरक़ा निसाब कामिल में इस से मुखासमा किया गयसा हत्ता कि बाद सबूत के इस का हाथ काटा गया तो बाक़ी निसाबों का इमाम आज़म रह० के अनुसार ज़ामिन न होगा और इस में साहिबीन रह० का खिलाफ़ है यह ग़ायतुल बयान में है और अगर चोरी का इक़रार किया और जिस से चुराया है वो ग़ायब है पस हाकिम ने अपना इजतहाद किया पस अपने इजतहाद (अगरचे इमामे आज़म रह० के क़ौल से खिलाफ़ है) से इस का हाथ कटवा दियसा तो मसरूक़ मिन्हु के वास्ते चोर मज़कूर कुछ ज़ामिन न होगा अगरचे मसरूक़ मिन्हु बाद हाज़िर आने के इस के इक़रार की

इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर एक व्यक्ति ने कई बार चोरी की और फिर इस को एक ही हद की सज़ा दी गई तो यह सज़ा इस सब के लिए होगी इस लिए कि जो हुदूद ख़लिस अल्लाह तआला के लिए होते हैं जब वो कई मुजतमआ हो जाते हैं तो मुतदाखिल हो जाते हैं बशर्तेकि सब एक ही जिन्स के हों इस लिए कि मक़सूद व इक़ामत हद से यह होता है कि सबब जुर्म के इरतकाब से मुन्ज़िजर हो बखिलाफ़ इस के अगर इस ने एक बार चोरी की और इस पर हद क़ायम की गई फिर इस ने दूसरी बार चोरी की तो ऐसा नहीं है बल्कि दूसरी हद क़ायम की जायेगी क्योंकि हम को यह यक़ीन मालूम हुआ कि वो हद अव्वल से मुन्ज़िजर नहीं हुआ है और इस कार्य पर इजमाअ है कि अगर चोरी के मालों के मालिक हाज़िर हुए ओर उन्होंने मुखासमा करके चोर पर सिरक़ा सिद्ध किया पस अगर नालहाये सिरक़ा चोर के पास तलफ़ हो गये हों या इस ने तलफ़ कर दिये हों तो वो इन के लिए कुछ ज़ामिन न होगा और अगर इन में से एक या दो हाज़िर हुए और उन्होंने मुखासमा किया और बाक़ी लोग ग़ायब हों पस जो हाज़िर हो इस के लिए क़ाज़ी ने चोर का हाथ काटा फिर बाक़ी लोग हाज़िर हुए पस अगर चोर के पास मालहाऐ सिरक़ा तलफ़ हो गये हों या इस ने तलफ़ कर दिये हों बहरहाल इमाम आज़म रह० के अनुसार वो बाक़ियों के लिए इन के अमवाल का ज़ामिन न होगा और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि ग़ायबों के सरक़ात की क़ीमत का ज़ामिन होगा और जो व्यक्ति समय ख़ुसूमत के हाज़िर था इस के सिरक़ा का बिल इजमाअ ज़ामिन न होगा और अगर मालहाऐ मसरूक़ा क़ायम हों तो इमाम इन को इन के मालिकों को वापिस कर देगा और यह वापिस करना सज़ाऐ क़तअ से मानअ नहीं है यह मुहीत में है। अगर एक ही व्यक्ति ने कई बार हर बार सिरक़ा का निसाब का माल चुराया और कुछ सिरक़ा निसाब कामिल में इस से मुखासमा किया गयसा हत्ता कि बाद सबूत के इस का हाथ काटा गया तो बाक़ी निसाबों का इमाम आज़म रह० के अनुसार ज़ामिन न होगा और इस में साहिबीन रह० का खिलाफ़ है यह ग़ायतुल बयान में है और अगर चोरी

तसदीक़ करे यह मबसूत में है।

बाबः 3

सारिक़ माल सिरक़ा में जो शैय पैदा करदे इस के बयान में

अगर किसी दार में कोई कपड़ा चुराया और दार मज़कूर के अन्दर है इस को फाड़ कर दो टुकड़े कर दिये फिर इस को बाहर निकाला पस अगर यह कपड़ा बाद चाक कर डालने के मुसावी दस दिरहम के न हो तो बिल इत्तफ़ाक़ इस का हाथ न काटा जायेगा बखिलाफ़ इस के अगर बाहर निकाल लाने के बाद इस ने फाड़ा कि जिस से इस की क़ीमत निसाब सिरक़ा से कम हो गई और अगर इस ने हरज़ के अन्दर चाक कर दिया फिर इस को बाहर निकाला हालांकि वो मुसावी दस दिरहम के है पस अगर इस तरह ऐबदार कर देने से नुक़सान यसीर आ गया हो तो बिल इत्तफ़ाक़ चोर पर सज़ाऐ क़तअ होगी और अगर नुक़सान फ़ाहिश हो पस अगर कपड़े के मालिक ने यह इख़्तयार किया कि कपड़ा फटा हुआ ले कर इस से अपने नुक़सान का तावान लेले तो चोर पर सज़ाऐ क़तअ होगी और अगर यह इख़्तयार किया कि यह कपड़ा चोर को दे दे और इस से अपने सही सालिम कपड़े की क़ीमत लेले तो चोर पर सज़ाऐ क़तअ न होगी

का स्वीकार किया और जिस से चुराया है वो ग़ायब है पस हाकिम ने अपना इजतहाद किया पस अपने इजतहाद (अगरचे इमामे आज़म रह० के कथन से खिलाफ़ है) से इस का हाथ कटवा दियसा तो मसरूक़ मिन्हु के लिए चोर मज़कूर कुछ ज़ामिन न होगा चाहे मसरूक़ मिन्हु बाद हाज़िर आने के इस के स्वीकार की पुष्टि करे यह मबसूत में है।

अध्याय 3

सारिक़ माल सिरक़ा में जो शैय पैदा करदे इस के बयान में

अगर किसी दार में कोई कपड़ा चुराया और दार मज़कूर के अन्दर है इस को फाड़ कर दो टुकड़े कर दिये फिर इस को बाहर निकाला पस अगर यह कपड़ा बाद चाक कर डालने के मुसावी दस दिरहम के न हो तो बिल इत्तफ़ाक़ इस का हाथ न काटा जायेगा बखिलाफ़ इस के अगर बाहर निकाल लाने के बाद इस ने फाड़ा कि जिस से इस की क़ीमत निसाब सिरक़ा से कम हो गई और अगर इस ने हरज़ के अन्दर चाक कर दिया फिर इस को बाहर निकाला हालांकि वो मुसावी दस दिरहम के है पस अगर इस तरह ऐबदार कर देने से नुक़सान यसीर आ गया हो तो बिल इत्तफ़ाक़ चोर पर सज़ाऐ क़तअ होगी और अगर नुक़सान फ़ाहिश हो पस अगर कपड़े के मालिक ने यह माना कि कपड़ा फटा हुआ ले कर इस से अपने नुक़सान की क्षतिपूर्ती लेले तो चोर पर हाथ काटने

और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि हर दो सूरत में इस पर सज़ाऐ क़तअ नहीं है यह मबसूत में है और उलमा ने फ़ाहिश व यसीर के फ़र्क़ में इख़्तलाफ़ किया है और सही यह है कि नुक़सान फ़ाहिश इस क़द्र नुक़सान है कि जिस से ऐन माल व कुछ मनफ़अत फ़ोत हो जाये और यसीर वो है कि इस से कुछ मनफ़अत ज़ायल न हो बल्कि फ़क़त ऐब आ गया हो यह बहरूल राइक़ में है और अगर कपड़ा फाड़ देने से इस का इतलाफ़ हो यानी वो कपड़ा बेकार हो गया हो तो मालिक को इख़्तयार होगा कि इस कपड़े की पूरी क़ीमत इस चोर से तावान ले और इस से ज़्यादा इख़्तयार नहीं है और चोर इस फटे हुए कपड़े का मालिक हो जायेगा और इस को सज़ाऐ क़तअ न दी जायेगी और इतलाफ़ यानी बेकार डालने की यह तारीफ़ है कि इस कपड़े की क़ीमत निस्फ़ से ज़्यादा घट जाये यानी अगर निस्फ़ क़ीमत का भी न रहे तो यह इतलाफ़ है कज़ा फ़िल तबयुन।

अगर लोहा, तांबा, पीतल या मुशाबा इस के कोई चीज़ चुराई फिर इस के बर्तन बनाये :

अगर बकी चुराई पस इस को ज़िबाह कर डाला फिर इस को हरज़ से बाहर निकाल लाया तो चो को सज़ाऐ क़तअ दी जायेगी अगरचे बाद ज़िबह के वो मुसावी दस दिरहम या ज़्यादा की हो लेकिन मसरूक़ मिन्हु के वास्ते इस की क़ीमत का ज़ामिन होगा यह फ़तहुल क़दीर में है। अगर ऐसी चांदी या सोना चुराया जिस में क़तअ वाजिब है फिर इस के दिरहम या दीनार बना लिये तो इस को सज़ाऐ क़तअ दी जायेगी और इमामे आज़म रह० के अनुसार यह दिरहम या दीनार मसरूक़ मिन्हु को वापिस देगा और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि मसरूक़ मिन्हु को इन दिरहमों या दीनार लेने की कोई राह नहीं है कज़ा फ़िल हिदाया और इसी तरह अगर इस चांदी या सोने के बर्तन या ज़ैवर बना लिये तो भी ऐसा ही इख़्तलाफ़ है यह तबयुन में है और अगर इस ने लोहा, तांबा, पीतल या मुशाबा इस के कोई चीज़ चुराई फिर इस के बर्तन बनाये पस अगर बनाये जाने के बाद वो वज़न से फ़रोख़्त होते हों तो भी ऐसा ही

की सज़ा होगी और अगर यह माना कि यह कपड़ा चोर को दे दे और इस से अपने सही सालिम कपड़े की क़ीमत लेले तो चोर पर हाथ काटने सज़ा न होगी और इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि दोनों स्थिति में इस पर सज़ाऐ क़तअ नहीं है यह मबसूत में है और उलमा ने फ़ाहिश व यसीर के फ़र्क़ में मतभेद किया है और सही यह है कि नुक़सान फ़ाहिश इस क़द्र नुक़सान है कि जिस से ऐन माल व कुछ मनफ़अत फ़ोत हो जाये और यसीर वो है कि इस से कुछ मनफ़अत ज़ायल न हो बल्कि फ़क़त ऐब आ गया हो यह बहरूल राइक़ में है और अगर कपड़ा फाड़ देने से इस का इतलाफ़ हो यानी वो कपड़ा बेकार हो गया हो तो मालिक को अधिकार होगा कि इस कपड़े की पूरी क़ीमत इस चोर से तावान ले और इस से ज़्यादा अधिकार नहीं है और चोर इस फटे हुए कपड़े का मालिक हो जायेगा और इस को सज़ाऐ क़तअ न दी जायेगी और इतलाफ़ यानी बेकार डालने की यह तारीफ़ है कि इस कपड़े की क़ीमत निस्फ़ से ज़्यादा घट जाये यानी अगर निस्फ़ क़ीमत का भी न रहे तो यह इतलाफ़ है कज़ा फ़िल तबयुन।

अगर लोहा, तांबा, पीतल या मुशाबा इस के कोई चीज़ चुराई फिर इस के बर्तन बनाये :

अगर बकी चुराई पस इस को ज़िबाह कर डाला फिर इस को हरज़ से बाहर निकाल लाया तो चो को सज़ाऐ क़तअ दी जायेगी चाहे बाद ज़िबह के वो मुसावी दस दिरहम या ज़्यादा की हो लेकिन मसरूक़ मिन्हु के लिए इस की क़ीमत का ज़ामिन होगा यह फ़तहुल क़दीर में है। अगर ऐसी चांदी या सोना चुराया जिस में क़तअ अनिवार्य है फिर इस के दिरहम या दीनार बना लिये तो इस को सज़ाऐ क़तअ दी जायेगी और इमामे आज़म रह० के अनुसार यह दिरहम या दीनार मसरूक़ मिन्हु को वापिस देगा और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि मसरूक़ मिन्हु को इन दिरहमों या दीनार लेने की कोई राह नहीं है कज़ा फ़िल हिदाया और इसी तरह अगर इस चांदी या सोने के बर्तन या ज़ैवर बना लिये तो भी ऐसा ही मतभेद है यह तबयुन में है और अगर इस ने लोहा, तांबा, पीतल

इख़्तलाफ़ है और अगर बाद इस के वो अदद व गिनती से फ़रोख़्त होते हों तो वो बिल इजमाअ चोर के हो जायेगे और अगर कोई कपड़ा चुरा कर क़तअ करके सुलाया तो सज़ाऐ क़तअ दी जाने के बाद बिल इजमाअ वो चोर का होगा और कुछ ज़ामिन न होगा कज़ा फ़िल ग़यासिया लेकिन चोर को इस से किसी तरह इन्तफ़ाअ हासिल करना हलाल नहीं और 'फ़ीमा बैयनहू व बैयनल्लाहि तआला' चोर इस का ज़ामिन है यह तमरताशी में है और अगर चोर ने सरोक़ा कपड़े की क़मीस कराकर हुनूज़ नहीं सी है कि इस को हाथ काटे जाने की सज़ा दी गई तो यह कपड़ा क़तअ किया हुआ मसरूक़ मिन्हु को वापिस देगा यह मबसूत में है।

अगर कपड़ा चुरा कर इस को सुर्ख़ रंगा पस चोर का हाथ काटा गया तो इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार यह कपड़ा इस से न लिया जायेगा और न वो ज़ामिन (1) होगा कज़ा फ़िल काफ़ी और अगर हाथ काटे जाने के इस ने रंगा हो तो वापिस देगा यह बहरूल राइक़ व इख़्तयार शरह मुख़्तार में है और अगर चोर ने इस को स्याह रंगा फिर इस का हाथ काटा गया या हाथ काटे जाने के बाद इस ने स्याह रंगा तो इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार इस से ले लिया जायेगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार अव्वल सूरत (2) और यह दोनों यक्सां हैं यह फ़तहुल क़दीर में है और नवादिर बिन समाआ में इमाम मौहम्मद रह० से मरवी है कि अगर चोर का हाथ काटा गया हालांकि वो चोरी का कपड़ा रंग चुका था या कतर कर क़मीस सी चुका था हत्ता कि मालिक को इस के वापिस लेने का इख़्तयार नहीं रहा तो मैं चोर के हक़ में यह फ़तवा दूंगा कि इस का फ़रोख़्त करके जो कुछ इस ने रंगने व सीने में बढ़ाया है इस क़द्र इस के सिमन से लेले और बाक़ी को सदक़ा करदे और इसी तरह क़मीस को फ़रोख़्त करके इस के सिमन से सिलाई भर ले कर बाक़ी को सदक़ा कर दे और इस तरह अगर गेंहू चुरा कर इन में सत्तू या आटे बनाने का तसर्रूफ़ किया तो इस में भी यही हुक्म है कि इस

(1)ह अम्र ज़ाहिर है कि हुक्मयही है लेकिन दयानतन इस को इस

या मुशाबा इस के कोई चीज़ चुराई फिर इस के बर्तन बनाये पस अगर बनाये जाने के बाद वो वज़न से फ़रोख़्त होते हों तो भी ऐसा ही मतभेद है और अगर बाद इस के वो अदद व गिनती से फ़रोख़्त होते हों तो वो बिल इजमाअ चोर के हो जायेगे और अगर कोई कपड़ा चुरा कर क़तअ करके सुलाया तो सज़ाऐ क़तअ दी जाने के बाद बिल इजमाअ वो चोर का होगा और कुछ ज़ामिन न होगा कज़ा फ़िल ग़यासिया लेकिन चोर को इस से किसी तरह इन्तफ़ाअ हासिल करना हलाल नहीं और 'फ़ीमा बैयनहू व बैयनल्लाहि तआला' चोर इस का ज़ामिन है यह तमरताशी में है और अगर चोर ने सरोक़ा कपड़े की क़मीस कराकर हुनूज़ नहीं सी है कि इस को हाथ काटे जाने की सज़ा दी गई तो यह कपड़ा क़तअ किया हुआ मसरूक़ मिन्हु को वापिस देगा यह मबसूत में है।

अगर कपड़ा चुरा कर इस को सुर्ख़ रंगा पस चोर का हाथ काटा गया तो इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार यह कपड़ा इस से न लिया जायेगा और न वो ज़ामिन (1) होगा कज़ा फ़िल काफ़ी और अगर हाथ काटे जाने के इस ने रंगा हो तो वापिस देगा यह बहरूल राइक़ व इख़्तयार शरह मुख़्तार में है और अगर चोर ने इस को स्याह रंगा फिर इस का हाथ काटा गया या हाथ काटे जाने के बाद इस ने स्याह रंगा तो इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार इस से ले लिया जायेगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार अव्वल स्थिति (2) और यह दोनों यक्सां हैं यह फ़तहुल क़दीर में है और नवादिर बिन समाआ में इमाम मौहम्मद रह० से मरवी है कि अगर चोर का हाथ काटा गया हालांकि वो चोरी का कपड़ा रंग चुका था या कतर कर क़मीस सी चुका था हत्ता कि मालिक को इस के वापिस लेने का अधिकार नहीं रहा तो मैं चोर के हक़ में यह फ़तवा दूंगा कि इस का फ़रोख़्त करके जो कुछ इस ने रंगने व सीने में बढ़ाया है इस क़द्र इस के क़ीमत से लेले और बाक़ी को दान करदे और इसी तरह क़मीस को फ़रोख़्त करके इस के क़ीमत से सिलाई भर ले कर बाक़ी को दान कर दे और इस तरह अगर गेंहू चुरा कर इन में सत्तू या आटे बनाने का तसर्रूफ़ किया तो इस में भी

से इन्तफ़ाअ+ हलाल न होगा और वो ज़ामिन होगा।
(2)मुतरजम कहता है कि असल इस मसले में वो है कि जिस को हम ने ग़सब के अहकाम में लिखा है पस इस पर इस का हुक्म भी उर्फ+ की जानिब ममनूअ+ होगा।

के सिमन से बक़द्र अपने खर्चा के ले कर बाक़ी को सदक़ा करदे यह मुहीत में है और अगर इस ने दिरहम चुरा कर इन को गुदाख़्ता किया या कंगन ढ़ाल लिया तो मसरूक़ मिन्हु को इख़्तयार है कि इन को वापिस लेले और अगर माल मसरूक़ा पीतल हो कि इस के क़मक़मा बना लिये या लोहा हो कि इस की ज़िरह बनाई तो मसरूक़ मिन्हु इस को नहीं ले सकता है और इसी तरह सिवाए इन के उरूज़ में से अगर कोई चीज़ चुराई और इस को इस की हालत से मुतग़युर कर दिया पस अगर तग़युर बनुक़सान हो तो मसरूक़ मिन्हु इस को ले सकता है और अगर माल मसरूक़ा बकरी हो जो बच्चा जनी तो मसरूक़ मिन्हु इन दोनों को वापिस ले गया यह मबसूत में है और अगर गेंहू चुरा कर इन को पैसा तो सज़ाऐ क़तअ दे जाने के बाद वो आटा चोर का होगा और अगर सत्तू चुरा कर इन को शहद या रोग़न में लत किया तो इस में वैसा ही इख़्तलाफ़ ही जैसा रंगने में है यह शरह तहावी में है।

अगर एक शख़्स ने किसी ऐसे का माल चुराया जिस से इस का हाथ काटा जाना वाजिब हुआ और इस ने अमदन किसी ऐसे का हाथ काटा है कि क़िसास में इस का हाथ काटा जाना वाजिब हो और इस के हाथ पर चोरी व क़िसास दोनों तरह से हाथ काटा जाना मुजतमअ हुआ तो क़िसास मुक़द्दम रखा जायेगा यानी पहले क़िसास में इस का हाथ काटा जायेगा पस वो माल मसरूक़ा का ज़ामिन होगा यानी तावान (1) देदेगा और अगर क़िसास का हुक्म दिये जाने के बाद ही साहब क़िसास ने इस का उफ़ू कर दिया या इस से सुलह कर ली तो चोरी में इस का हाथ काटा जायेगा और अगरसुलह न की यहां तक कि ज़माना गुज़र गया हालांकि वो दोनों इस क़िसास से सुलह बाहमी की रज़ामन्दी ज़ाहिर करते हैं फिर बाद ज़माना गुज़रने के दोनों नेसुलह कर ली तो फिर बसबब तक़ादुम अहद के सिरक़ा की वजह से इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और

यही आदेश है कि इस
(1)ह कार्य ज़ाहिर है कि आदेशयही है लेकिन दयानतन इस को इस से इन्तफ़ाअ+ हलाल न होगा और वो ज़ामिन होगा।
(2)मुतरजम कहता है कि असल इस मसले में वो है कि जिस को हम ने ग़सब के अहकाम में लिखा है पस इस पर इस का आदेश भी उर्फ+ की जानिब ममनूअ+ होगा।

के क़ीमत से बक़द्र अपने खर्चा के ले कर बाक़ी को दान करदे यह मुहीत में है और अगर इस ने दिरहम चुरा कर इन को गुदाख़्ता किया या कंगन ढ़ाल लिया तो मसरूक़ मिन्हु को अधिकार है कि इन को वापिस लेले और अगर माल मसरूक़ा पीतल हो कि इस के क़मक़मा बना लिये या लोहा हो कि इस की ज़िरह बनाई तो मसरूक़ मिन्हु इस को नहीं ले सकता है और इसी तरह सिवाए इन के उरूज़ में से अगर कोई चीज़ चुराई और इस को इस की हालत से मुतग़युर कर दिया पस अगर तग़युर बनुक़सान हो तो मसरूक़ मिन्हु इस को ले सकता है और अगर माल मसरूक़ा बकरी हो जो बच्चा जनी तो मसरूक़ मिन्हु इन दोनों को वापिस ले गया यह मबसूत में है और अगर गेंहू चुरा कर इन को पैसा तो सज़ाऐ क़तअ दे जाने के बाद वो आटा चोर का होगा और अगर सत्तू चुरा कर इन को शहद या रोग़न में लत किया तो इस में वैसा ही मतभेद ही जैसा रंगने में है यह शरह तहावी में है।

अगर एक व्यक्ति ने किसी ऐसे का माल चुराया जिस से इस का हाथ काटा जाना अनिवार्य हुआ और इस ने अमदन किसी ऐसे का हाथ काटा है कि क़िसास में इस का हाथ काटा जाना अनिवार्य हो और इस के हाथ पर चोरी व क़िसास दोनों तरह से हाथ काटा जाना मुजतमअ हुआ तो क़िसास मुक़द्दम रखा जायेगा यानी पहले क़िसास में इस का हाथ काटा जायेगा पस वो माल मसरूक़ा का ज़ामिन होगा यानी तावान (1) देदेगा और अगर क़िसास का आदेश दिये जाने के बाद ही साहब क़िसास ने इस का उफ़ू कर दिया या इस से सुलह कर ली तो चोरी में इस का हाथ काटा जायेगा और अगरसुलह न की यहां तक कि ज़माना गुज़र गया हालांकि वो दोनों इस क़िसास से सुलह बाहमी की रज़ामन्दी ज़ाहिर करते हैं फिर बाद ज़माना गुज़रने के

अगर चोरी की वजह से हाथ काटा जाना और क़िसास में बायां पांव काटा जाना दोनों मुजतमअ हुए तो पहले इस से क़िसास लिया जायेगा फिर क़ैद खाना में रखा जायेगा यहां तक कि अच्छा हो जाये फिर चोरी की बाबत इस का हाथ काटा जायेगा औरइस तरह अगर क़िसास इस के सर में ज़ख़्म का हो और चोरी की बाबत हाथ काटना तो भी यही हुक्म है यह मबसूत में है।

बाबः 4

फ़ताअ उल तरीक़ यानी राहज़नों के बयान में

राहज़नों के वास्ते मख़्सूस अहकाम का बयान :

जानना चाहिए कि राहज़नों के वास्ते चन्द अहकाम खास हैं मिस्ल सूली दिये जाने वग़ैरह के लेकिन ऐसे राहज़न जिन के वास्ते अहकाम मख़्सूसा हैं शर्तें भी हैं एक यह कि ऐसे लोग हों कि इन के वास्ते शौकत व नअत ऐसी हासिल हो कि राह से गुज़रने वाले इन का मुक़ाबला न कर सकें और सामने न ठहर सकें और राहगीरों पर उन्होंने रहज़नी की हो ख़्वाह हथियार से या लठ से या पत्थर वग़ैरह से दोम आंकि रहज़नी शहर से बाहर शहर से दूर हो और नयाबैअ में लिखा है कि दो क़रया और दो मिसर (दोनों के दरमियान तीन रात व दिन दूरी हो) और दो मदीना के दरमियान रहज़नी में होती है और अगर इन लोगों और क़स्बे के दरमियान में रात दिन की राह हो तो वहां रहज़नी होगी ऐसा ही ज़ाहिर उल रिवाया में है और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि अगर इन लोगों और क़स्बा के दरमियान राह सफ़र से कम भी हो या क़स्बा में उन्होंने रात को राहज़नी (2) की हो तो इन पर अहकाम राहज़नों के जारी किये जाऐंगे और इसी पर फ़तवा है सौम आंकि यह अम्र दारूल इस्लाम में इन से

दोनों नेसुलह कर ली तो फिर बसबब तक़ादुम अहद के सिरक़ा की कारण से इस का हाथ नहीं काटा जायेगा और अगर चोरी की कारण से हाथ काटा जाना और क़िसास में बायां पांव काटा जाना दोनों मुजतमअ हुए तो पहले इस से क़िसास लिया जायेगा फिर क़ैद खाना में रखा जायेगा यहां तक कि अच्छा हो जाये फिर चोरी की बाबत इस का हाथ काटा जायेगा औरइस तरह अगर क़िसास इस के सर में ज़ख़्म का हो और चोरी की बाबत हाथ काटना तो भी यही आदेश है यह मबसूत में है।

अध्याय 4

फ़ताअ उल तरीक़ यानी राहज़नों के बयान में

राहज़नों के लिए मख़्सूस अहकाम का बयान :

जानना चाहिए कि राहज़नों के लिए चन्द अहकाम खास हैं मिस्ल सूली दिये जाने वग़ैरह के लेकिन ऐसे राहज़न जिन के लिए अहकाम मख़्सूसा हैं शर्तें भी हैं एक यह कि ऐसे लोग हों कि इन के लिए शौकत व नअत ऐसी हासिल हो कि राह से गुज़रने वाले इन का मुक़ाबला न कर सकें और सामने न ठहर सकें और राहगीरों पर उन्होंने रहज़नी की हो चाहे हथियार से या लठ से या पत्थर वग़ैरह से दोम आंकि रहज़नी शहर से बाहर शहर से दूर हो और नयाबैअ में लिखा है कि दो क़रया और दो मिसर (दोनों के दरमियान तीन रात व दिन दूरी हो) और दो मदीना के दरमियान रहज़नी में होती है और अगर इन लोगों और क़स्बे के दरमियान में रात दिन की राह हो तो वहां रहज़नी होगी ऐसा ही ज़ाहिर उल रिवाया में है और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है कि अगर इन लोगों और क़स्बा के दरमियान राह सफ़र से कम भी हो या क़स्बा में उन्होंने रात को राहज़नी (2) की हो तो इन पर अहकाम राहज़नों के जारी किये जाऐंगे और इसी पर फ़तवा है सौम आंकि यह कार्य दारूल इस्लाम में इन से

(1)ह न होगा कि चोरी में इस का दूसरा हाथ काट दिया जायेगा वल वजह ज़ाहिर।
(2)जिन लोगों का माल लूटा इन का कोई राहज़नऐसा रिश्तेदार न हो कि अगर वो चोरी करता तो इस पर क़तअ+ वाजिब न होती बल्कि यह हो कि सब के सबऐसे हों कि चोरी में इन पर सज़ाऐ क़तअ+ वाजिब हो।

सादिर हुआ हो चहारूम आँकि तमाम वो शराइत जो छोटी चोरी में मज़कूर हुए हैं पायेजायें और यह शर्त है कि राहज़न सब के सब अजनबी हों साहिबान अमवाल के हक़ में अहले वजूब क़तअ हों और पंजुम आँकि इन राहज़नों के तौबा कर लेने और मालिकों को माल वापिस कर देने से पहले इमामुल मुस्लिमीन ने इन पर क़ाबू पाया हुए यह तातार खानिया में है।

अगर एक जमाअत रोक टोक की क़ुदरत रखने वाली या एक यही शख़्स ऐसा कि रोकने और बाज़ रखने पर क़ादिर ही निकले फिर उन्होंने राहज़नी का क़सद किया मगर हुनूज़ न कुछ माल लिया था न किसी जान को क़त्ल किया था कि गिरफ़्तार हुए तो इमाम इन को क़ैद खाने में करेगा यहां तक कि वो तौबा करें मगर पहले इन को तअज़ीर दी जायेगी और अगर उन्होंने माल मासूम ले लिया यानी किसी मुसलमान या ज़िम्मली का माल लिया और इस क़द्र माल है कि दर सूरत इस जमाअत पर तक़सीम किये जाने के हर एक को दस दिरहम या ़ज्यादा पहुंचते है या ऐसी चीज़ पहुंचती है जिस की क़ीमत इस क़द्र होती है तो इमाम इन लोगों के दाहिने हाथ और उल्टे तरफ़ के पांव क़तअ करेगा और अगर हरबी मुस्तामिनों की राहज़नी की हो तो राहज़नों पर हद जारी न की जायेगी और अगर राहज़नों ने क़त्ल किया और माल न लिया हो तो इमामुल मुस्लिमीन इन को बसज़ाऐ हद शरई क़त्ल करेगा हत्ता कि अगर औलिये मक़तूल ने इन को उफ़्फ़ू कर दिया तो इन की उफ़्फ़ू की तरफ़ इल्तफ़ात न फ़रमायेगा। अगर राहज़नों ने माल भी लिया और क़त्ल भी किया तो इन को सज़ा देने में इमाम को इख़्तयार है चाहे इन के दाहिने हाथ और बाऐं पांव क़तअ करके फिर इन को क़त्ल करके फिर सूली देगा और अव्वल अह है और यही इमाम करखी का क़ौल है फिर सही यह है कि तीन रोज़ तक इन को सूली दिया

(1)ह न होगा कि चोरी में इस का दूसरा हाथ काट दिया जायेगा वल कारण ज़ाहिर।
(2)जिन लोगों का माल लूटा इन का कोई राहज़नऐसा रिश्तेदार न हो कि अगर वो चोरी करता तो इस पर क़तअ+ अनिवार्य न होती बल्कि यह हो कि सब के सबऐसे हों कि चोरी में इन पर सज़ाऐ क़तअ+ अनिवार्य हो।

सादिर हुआ हो चहारूम आँकि तमाम वो शराइत जो छोटी चोरी में मज़कूर हुए हैं पायेजायें और यह शर्त है कि राहज़न सब के सब अजनबी हों साहिबान अमवाल के हक़ में अहले वजूब क़तअ हों और पंजुम आँकि इन राहज़नों के तौबा कर लेने और मालिकों को माल वापिस कर देने से पहले इमामुल मुस्लिमीन ने इन पर क़ाबू पाया हुए यह तातार खानिया में है।

अगर एक जमाअत रोक टोक की क़ुदरत रखने वाली या एक यही व्यक्ति ऐसा कि रोकने और कुछ रखने पर क़ादिर ही निकले फिर उन्होंने राहज़नी का क़सद किया मगर हुनूज़ न कुछ माल लिया था न किसी जान को क़त्ल किया था कि गिरफ़्तार हुए तो इमाम इन को क़ैद खाने में करेगा यहां तक कि वो तौबा करें मगर पहले इन को तअज़ीर दी जायेगी और अगर उन्होंने माल मासूम ले लिया यानी किसी मुसलमान या ज़िम्मली का माल लिया और इस क़द्र माल है कि दर स्थिति इस जमाअत पर तक़सीम किये जाने के हर एक को दस दिरहम या ़ज्यादा पहुंचते है या ऐसी चीज़ पहुंचती है जिस की क़ीमत इस क़द्र होती है तो इमाम इन लोगों के दाहिने हाथ और उल्टे तरफ़ के पांव क़तअ करेगा और अगर हरबी मुस्तामिनों की राहज़नी की हो तो राहज़नों पर हद जारी न की जायेगी और अगर राहज़नों ने क़त्ल किया और माल न लिया हो तो इमामुल मुस्लिमीन इन को बसज़ाऐ हद शरई क़त्ल करेगा हत्ता कि अगर औलिये मक़तूल ने इन को उफ़्फ़ू कर दिया तो इन की उफ़्फ़ू की तरफ़ इल्तफ़ात न फ़रमायेगा। अगर राहज़नों ने माल भी लिया और क़त्ल भी किया तो इन को सज़ा देने में इमाम को अधिकार है चाहे इन के दाहिने हाथ और बाऐं पांव क़तअ करके फिर इन को क़त्ल करके फिर सूली देगा और अव्वल अह है और यही इमाम करखी का कथन है फिर सही यह है कि तीन रोज़ तक इन को सूली दिया

हुआ छोड रखेगा फिर रोक दूर कर देगा ताकि इन लोगों के जो कोई वारिस वग़ैरह हों वो इन को उतार कर दफ़न करें यह काफ़ी में है।

जब राहज़न क़त्ल किया गया या क़तअ किया गया तो फिर इस पर माल की ज़िमान नहीं होती है कज़ा फ़िल मुहीत और नीज़ जो इस ने क़त्ल या मजरूह किया है इस का भी ज़ामिन नहीं होता है यह तबयुन में है और अगर मुबाशिर क़त्ल इन में से एक ही हुआ होता हम हद शरई इन सब पर जारी की जायेगी। यह इख़्तयार शरह मुख़्तार में है। अगर राहज़न ने क़त्ल न किया और न माल लिया मगर मजरूह किया है तो जिस के मजरूह करने में क़िसास आता है इस की बाबत इस से क़िसास लिया जा सकता है और जिस में अरश है इस का अरश लिया जा सकता है और लेने का इख़्तयार वालियां क़सास को है यह हिदाया में है और अगर राहज़नों ने माल लिया और मजरूह किकया तो दाहिने तरफ़ के हाथ और बाऐं तरफ़ के पांव क़तअ किये जाऐंगे और जराहात का हुक्म बातिल हो जायेगा ख़्वाह अमदन मजरूह किया हो या खता से यह सिराज वहाज में है और अगर राहज़न ने तो न कर ली फिर पकडा गया हालांकि इस ने राहगीर को अमदन क़त्ल किया है तो औलिये (1) मक़तूल को इख़्तयार है चाहें इस को क़ब्ल करें और चाहें इस को उफ़ू करें और जो माल ले लिया है अगर इस के पास तलफ़ हो गया या इस की ज़िमान इस पर वाजिब होगी यह हिदाया में है और अगर गिरोह रहज़नान क़ब्ल तौबा करने के गिरफ़तार हुआ और उन्होंने अमदन मक़तूल व मजरूह किया है लेकिन जो कुछ माल उन्होंने लिया है वो पूच चीज़ है और हर एक के हिस्से में क़द्र निसाब नहीं पहुंचती है तो अम्र क़िसास में ख़्वाह क़िसास नफ़्स हो या क़िसास जिरह औलियए क़िसास (2) को इख़्तयार है चाहे क़िसास लेलें और चाहें उफ़ू कर दें यह निहाया में है।

(1)इस की तफ़सील अपने मौक़े पर बयान हुई वहां देखना चाहिए। (2)क़ौलहू औलिया, क़िसासयह लफ्ज+ निहायत जामअ+ हैयानी अगर जान का क़िसास है तो मक़तूल का वारिस और अगर हरज है तो+]ाुद मजरूहया अगर मर गया हो तो इस के ज़िम्मे।

अगर रहज़नी करके माल ले लिया फिर इस

हुआ छोड रखेगा फिर रोक दूर कर देगा ताकि इन लोगों के जो कोई वारिस वग़ैरह हों वो इन को उतार कर दफ़न करें यह काफ़ी में है।

जब राहज़न क़त्ल किया गया या क़तअ किया गया तो फिर इस पर माल की ज़िमान नहीं होती है कज़ा फ़िल मुहीत और नीज़ जो इस ने क़त्ल या मजरूह किया है इस का भी ज़ामिन नहीं होता है यह तबयुन में है और अगर मुबाशिर क़त्ल इन में से एक ही हुआ होता हम हद शरई इन सब पर जारी की जायेगी। यह अधिकार शरह मुख़्तार में है। अगर राहज़न ने क़त्ल न किया और न माल लिया मगर मजरूह किया है तो जिस के मजरूह करने में क़िसास आता है इस की बाबत इस से क़िसास लिया जा सकता है और जिस में अरश है इस का अरश लिया जा सकता है और लेने का अधिकार वालियां क़सास को है यह हिदाया में है और अगर राहज़नों ने माल लिया और मजरूह किकया तो दाहिने तरफ़ के हाथ और बाऐं तरफ़ के पांव क़तअ किये जाऐंगे और जराहात का आदेश बातिल हो जायेगा चाहे अमदन मजरूह किया हो या खता से यह सिराज वहाज में है और अगर राहज़न ने तो न कर ली फिर पकडा गया हालांकि इस ने राहगीर को अमदन क़त्ल किया है तो औलिये (1) मक़तूल को अधिकार है चाहें इस को क़ब्ल करें और चाहें इस को उफ़ू करें और जो माल ले लिया है अगर इस के पास तलफ़ हो गया या इस की ज़िमान इस पर अनिवार्य होगी यह हिदाया में है और अगर गिरोह रहज़नान क़ब्ल तौबा करने के गिरफ़तार हुआ और उन्होंने अमदन मक़तूल व मजरूह किया है लेकिन जो कुछ माल उन्होंने लिया है वो पूच चीज़ है और हर एक के हिस्से में क़द्र निसाब नहीं पहुंचती है तो कार्य क़िसास में चाहे क़िसास नफ़्स हो या क़िसास जिरह औलियए क़िसास (2) को अधिकार है चाहे क़िसास लेलें और चाहें उफ़ू कर दें यह निहाया में है।

(1)इस की तफ़सील अपने मौक़े पर बयान हुई वहां देखना चाहिए। (2)क़ौलहू औलिया, क़िसासयह लफ्ज+ निहायत जामअ+ हैयानी अगर जान का क़िसास है तो मक़तूल का वारिस और अगर हरज है तो+]ाुद मजरूहया अगर मर गया हो तो इस के ज़िम्मे।

अगर रहज़नी करके माल ले लिया फिर इस

फ़अल को तर्क करके अपने अहल व अयाल में ज़माने तक मुक़ीम रहा तो इमामुल मुस्लिमीन इस्तहसानन उस पर हद जारी न करेगा :

अगर इस ने फ़क़त माल ले लिया और कुछ नहीं किया पस अगर तौबा करके हाज़िर हुआ क़ब्ल इस के कि गिरफ़तार किया जाये तो इस पर वाजिब है कि जो कुछ इस ने लिया है वापिस कर दे और तलफ़ हो गया हो तो इस की ज़िमान दे यह सिराजिया में है और अगर रहज़नी करके माल ले लिया फर इस फ़अल को तर्क करके अपने अहले व अयाल में ज़माने तक मुक़ीम रहा तो इमामुल मुस्लिमीन इस्तहसानन इस पर हद जारी न करेगा यह मबसूत में है और अगर राहज़नों में कोई तफ़्ल हो या मजनून हो या जिस आदमी की रहज़नी की है इस का कोई ज़ू रहम (1) महरम हो तो बाक़ियों के ज़िम्मे से हद साक़ित हो जायेगी यह काफ़ी में है। इसी तरह अगर इन में कोई गूंगा हो तो भी यही हुक्म है यह मुहीत में है और अगर रहज़नों ने एक बडे क़ाफ़िला की जिस में मुसलमान और हरबी मुस्ताम्मन भी हैं रहज़नी की तो इन रहज़नों पर हद जारी की जायेगी इल्ला आंकि क़त्ल करना और माल ले लेना खास्सतन हरबियों के साथ वाक़े हुआ हो तो ऐसी सूरत में इस प हद वाजिब न होगी जैसे कि जब खाली हरबी हों इन के साथ मुसलमान व ज़िम्मी कोई न हों तो रहज़नी से हद वाजिब नहीं होती है यह निहाया में है और अगर क़ाफ़िला वालों में से बाज़ ने बाज़ की रहज़नी की तो हद वाजिब नहीं होती है यह हिदाया में है और इब्राहीम ने इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत की है कि रहज़नों ने एक क़ाफ़िला की रहज़नी की और एक आदमी को क़त्ल किया फिर पीठ फैर कर चल दे तो इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर इन लोगों में वली मक़तूल मौजूद हो और इस ने इन रहज़नों का पीछा किया तो क़ाफ़िलों वालों को भी इन का पीछा करना रवा है वरना नहीं और अगर इन रहज़नों ने किसी शख़्स का माल ले लिया तो क़ाफ़िला वालों को इन का पीछा करना रवा है अगरचे मालिक माल ने इन

फ़अल को तर्क करके अपने अहल व अयाल में ज़माने तक मुक़ीम रहा तो इमामुल मुस्लिमीन इस्तहसानन उस पर हद जारी न करेगा :

अगर इस ने फ़क़त माल ले लिया और कुछ नहीं किया पस अगर तौबा करके हाज़िर हुआ क़ब्ल इस के कि गिरफ़तार किया जाये तो इस पर अनिवार्य है कि जो कुछ इस ने लिया है वापिस कर दे और तलफ़ हो गया हो तो इस की ज़िमान दे यह सिराजिया में है और अगर रहज़नी करके माल ले लिया फर इस फ़अल को तर्क करके अपने अहले व अयाल में ज़माने तक मुक़ीम रहा तो इमामुल मुस्लिमीन इस्तहसानन इस पर हद जारी न करेगा यह मबसूत में है और अगर राहज़नों में कोई तफ़्ल हो या मजनून हो या जिस आदमी की रहज़नी की है इस का कोई ज़ू रहम (1) महरम हो तो बाक़ियों के ज़िम्मे से हद साक़ित हो जायेगी यह काफ़ी में है। इसी तरह अगर इन में कोई गूंगा हो तो भी यही आदेश है यह मुहीत में है और अगर रहज़नों ने एक बडे क़ाफ़िला की जिस में मुसलमान और हरबी मुस्ताम्मन भी हैं रहज़नी की तो इन रहज़नों पर हद जारी की जायेगी सिवा आंकि क़त्ल करना और माल ले लेना खास्सतन हरबियों के साथ स्थपित हुआ हो तो ऐसी स्थिति में इस प हद अनिवार्य न होगी जैसे कि जब खाली हरबी हों इन के साथ मुसलमान व ज़िम्मी कोई न हों तो रहज़नी से हद अनिवार्य नहीं होती है यह निहाया में है और अगर क़ाफ़िला वालों में से कुछ ने कुछ की रहज़नी की तो हद अनिवार्य नहीं होती है यह हिदाया में है और इब्राहीम ने इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत की है कि रहज़नों ने एक क़ाफ़िला की रहज़नी की और एक आदमी को क़त्ल किया फिर पीठ फैर कर चल दे तो इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर इन लोगों में वली मक़तूल मौजूद हो और इस ने इन रहज़नों का पीछा किया तो क़ाफ़िलों वालों को भी इन का पीछा करना रवा है वरना नहीं और अगर इन रहज़नों ने किसी व्यक्ति का माल ले लिया तो क़ाफ़िला वालों को इन का पीछा करना रवा है चाहे

का पीछा न किया हो और अगर यह माल तलफ़ कर दिया गया हो तो क़ाफ़िला वालों को पीछा करना रवा नहीं है इस वास्ते कि वो माल इन तलफ़ करने वालों के ज़िम्मे क़र्ज़ा हो गया है यह मुहीत में है और अगर इन में कोई ग़ुलाम हो तो वो मिस्ल मरवान आज़ाद के है और औरत का भी यही हुक्म है यह ज़ाहिर उल रिवाया है यह मबसूत में है। अगर राहज़नी करने में मर्द व औरतें मुशतरिक हुई हों तो ज़ाहिरूल रिवाया के मुवाफ़िक़ इन पर सज़ाऐ क़तअ़ की हद नहीं वाजिब होगी।

अगर गवाहों ने रहज़नों पर आम लोगों में से किसी के रहज़नी करने की गवाही दी:

अगर रहज़नों में औरत हो जिस ने क़त्ल किया और माल ले लिया और मर्दों ने यह नहीं किया तो औरत क़त्ल न की जायेगी बल्कि मर्द क़त्ल किये जाऐंगे और यही मुख़्तार है। दस औरतों ने राहज़नी की और उन्होंने क़त्ल करके माल ले लिया तो सब क़त्ल किये जायेंगे और सब माल की रज़ा मन्द होंगी यह सिराजिया में है। अगर रहज़नों ने इक़रार किया तो रहज़न के एक बार इक़रार करने से क़तअ़ तरीक़ साबित हो जाता है लेकिन सिरक़ा सुग़रा के मिस्ल इस में भी इक़रार कुनिन्दा का फिर जाना मक़बूल है यानी अगर इक़रार से रूजूअ़ किया तो क़बूल होगा पस हद साक़ित हो जायेगी और माल का इस से मवाख़्ज़ा किया जायेगा बशर्तेकि इस ने इक़रार मज़कूर के साथ माल लेने का इक़रार किया हो और नीज़ क़तअ़ तरीक़ का सबूत दो गवाहों की गवाही से होता है बशर्तेकि दोनों रहज़नी मुआयना करने की रहज़नों के इक़रार करने की गवाही दें और अगर एक ने रहज़नी के मुआयना की और दूसरे ने रहज़नों के इक़रार रहज़नी की गवाही दी तो क़बूल न होगी अगर गवाह ने अपने बाप पर रहज़नी की गवाही दी तो ख़्वाह बाप हो या दादा हो

(1)इशारा है कि इमाम मख़सूस बजाते इमामुल मुस्लिमीन नहीं है बल्कि किसी ने अमान न दी हो।

(2)मोहसिल कलाम यह है कि जिहाद करना जब मुबाह है कि इस के जिहाद सेयह उम्मीद हो कि अहले इस्लाम को ज़ोर व क़ुव्वत व शौकत हासिल होगी और अगर इस उम्मीद का इल्म ख़्वाह इस को अपने इल्म से हासिल हो या जिस पर इसको ऐतमाद और ऐतक़ाद है इस के कथन से साबित हो कि अगर जिहाद किया जाये तो यह अम्र हासिल होगा इन्शाअल्लाह तआ़ला।

मालिक माल ने इन का पीछा न किया हो और अगर यह माल तलफ़ कर दिया गया हो तो क़ाफ़िला वालों को पीछा करना रवा नहीं है इस लिए कि वो माल इन तलफ़ करने वालों के ज़िम्मे क़र्ज़ा हो गया है यह मुहीत में है और अगर इन में कोई ग़ुलाम हो तो वो मिस्ल मरवान आज़ाद के है और औरत का भी यही आदेश है यह ज़ाहिर उल रिवाया है यह मबसूत में है। अगर राहज़नी करने में मर्द व औरतें मुशतरिक हुई हों तो ज़ाहिरूल रिवाया के मुवाफ़िक़ इन पर सज़ाऐ क़तअ़ की हद नहीं अनिवार्य होगी।

अगर गवाहों ने रहज़नों पर आम लोगों में से किसी के रहज़नी करने की गवाही दी:

अगर रहज़नों में औरत हो जिस ने क़त्ल किया और माल ले लिया और मर्दों ने यह नहीं किया तो औरत क़त्ल न की जायेगी बल्कि मर्द क़त्ल किये जाऐंगे और यही मुख़्तार है। दस औरतों ने राहज़नी की और उन्होंने क़त्ल करके माल ले लिया तो सब क़त्ल किये जायेंगे और सब माल की रज़ा मन्द होंगी यह सिराजिया में है। अगर रहज़नों ने स्वीकार किया तो रहज़न के एक बार स्वीकार करने से क़तअ़ तरीक़ सिद्ध हो जाता है लेकिन सिरक़ा सुग़रा के मिस्ल इस में भी स्वीकार कतने वाला का फिर जाना मक़बूल है यानी अगर स्वीकार से रूजूअ़ किया तो क़बूल होगा पस हद साक़ित हो जायेगी और माल का इस से मवाख़्ज़ा किया जायेगा बशर्तेकि इस ने स्वीकार मज़कूर के साथ माल लेने का स्वीकार किया हो और नीज़ क़तअ़ तरीक़ का सबूत दो गवाहों की गवाही से होता है बशर्तेकि दोनों रहज़नी मुआयना करने की रहज़नों के स्वीकार करने की गवाही दें और अगर एक ने रहज़नी के मुआयना की और दूसरे ने रहज़नों के स्वीकार रहज़नी की गवाही दी तो क़बूल न होगी अगर

(1) इशारा है कि विशेष इमाम स्वय मुसलमानों के इमाम नहीं है बल्कि किसी ने शरण न दी हो।

(2) प्राप्ती वार्ता यह है कि जिहाद करने का जब औचित्य हो कि इस के जिहाद से यह उम्मीद हो कि अहले इस्लाम को ज़ोर व शक्ति व दबदबा प्राप्त होगा और अगर इस उम्मीद का ज्ञान ख़्वाह इस को अपने ज्ञान से प्राप्त हो या जिस पर इस को भरोसा और यक़ीन है इस के कथन से साबित हो कि अगर जिहाद किया जाए तो यह सब प्राप्त होगा इन्शाअल्लाह तआ़ला।

या पर दादा वग़ैरह कितने ही ऊंचे दर्जे का हो गवाही क़बूल न होगी और इस तरह अगर अपने बेटे या पोते या

(1) रिश्तेदार माल जिन मेंएक दूसरे के साथ निकाह जाइज़+ व हराम होता है मसलन भाई बहन व चचा भतीजी वग़ैरह।

पर पोते वग़ैरह कितने ही नीचे दर्जे के फ़रज़न्द पर रहज़नी की गवाही दी तो क़बूल न होगी और अगर दोनों गवाहों ने कहा कि 'क़तऊ अलैयना व अला असहाबिना दाहिखलहू व अमा लना' तो गवाही क़बूल न होगी और अगर गवाहों ने रहज़नों पर आम लोगों में से किसी के रहज़नी करने की गवाही दी और इस शख़्स का कोई वली मालूम होता है या नहीं मालूम होता है तो बदूं किसी ख़सम के हाज़िर होने के इन पर हद नहीं क़ायम की जाऐंगी और अगर रहज़नों ने अमान ले कर दाखिल होने वाले ताजिरों की रहज़नी दारूल हरब (2) में की या दारूल इस्लाम में ऐसे मक़ाम पर की जहां बाग़ी लोग ग़ालिब हैं फिर यह लोग गिरफ़तार करके इमामुल मुस्लिमीन के पास लाये गये तो इन पर हद नाफ़िज़ न करेगा और अगर रहज़न लोग ऐसे क़ाज़ी के पास पहुंचाये गये जिस का यह मज़हब है कि इन से माल की ज़िमान के पास इस ने माल की ज़िमान ले कर औलिये मक़तूलीन के सुपुर्द कर दिया यानी इन रहज़नों को औलिये मक़तूलीन के सुपुर्द कर दिया पस इन लोगों ने औलिये मक़तूलीन से देत अदा करने पर सुलह कर ली फिर एक ज़माने के बाद यह लोग किसी दूसरे (1) क़ाज़ी के सामने पैश किये गये तो वो इन पर हद क़ायम न करेगा और जब कि रहज़नों की निस्बत क़ाज़ी ने क़त्ल का हुक्म दे दिया और इस ग़र्ज़ से इन को क़ैद ख़ाना में

(3) यह हुक्म मजमूआ मख़्सूस यह जिहाद वाजिब है और जिहाद क़तूअ में सवाब आखिरत अज़ीम है कज़ा क़ील और यह नहीं सही है क्योंकि जिहाद हर हाल में फ़र्ज़ है वक़द क़ाल अलैहिस्सलाम अल जिहाद माज़ और क़ौलह शर्त उल अजब जिहाद मुराद यह है कि तहक़ीक़ जिहाद जो फ़र्ज़ है इस शर्त से है व फ़ीहि मुसाफ़तहा।

(2) फ़र्ज़ऐन वो है कि जिस पर फ़र्ज़ हुआ जब कि वो इस को न अदा करे तब तक अदा नहीं होता बखिलाफ़फ फ़र्ज़े किफ़ाया के कि जब तक अदा न किया जाये तब तक जिस के ज़िम्मे फ़र्ज़ हुआ है सब के ज़िम्मे रहे और जिन लोगों में से बाज़ ने अदा कर लिया तो बाक़ियों के ज़िम्मे से साक़ित हो जाये।

गवाह ने अपने बाप पर रहज़नी की गवाही दी तो चाहे बाप हो या दादा हो या पर दादा वग़ैरह कितने ही ऊंचे दर्जे का हो गवाही क़बूल न होगी और इस तरह अगर अपने बेटे या पोते या

(1) रिश्तेदार माल जिन मेंएक दूसरे के साथ निकाह जाइज़+ व निषि (होता है मसलन भाई बहन व चचा भतीजी वग़ैरह।

पर पोते वग़ैरह कितने ही नीचे दर्जे के फ़रज़न्द पर रहज़नी की गवाही दी तो क़बूल न होगी और अगर दोनों गवाहों ने कहा कि 'क़तऊ अलैयना व अला असहाबिना दाहिखलहू व अमा लना' तो गवाही क़बूल न होगी और अगर गवाहों ने रहज़नों पर आम लोगों में से किसी के रहज़नी करने की गवाही दी और इस व्यक्ति का कोई वली मालूम होता है या नहीं मालूम होता है तो बदूं किसी ख़सम के हाज़िर होने के इन पर हद नहीं क़ायम की जाऐंगी और अगर रहज़नों ने अमान ले कर दाखिल होने वाले ताजिरों की रहज़नी दारूल हरब (2) में की या दारूल इस्लाम में ऐसे मक़ाम पर की जहां बाग़ी लोग ग़ालिब हैं फिर यह लोग गिरफ़तार करके इमामुल मुस्लिमीन के पास लाये गये तो इन पर हद नाफ़िज़ न करेगा और अगर रहज़न लोग ऐसे क़ाज़ी के पास पहुंचाये गये जिस का यह मज़हब है कि इन से माल की ज़िमान के पास इस ने माल की ज़िमान ले कर औलिये मक़तूलीन के सुपुर्द कर दिया यानी इन रहज़नों को औलिये मक़तूलीन के सुपुर्द कर दिया पस इन लोगों ने औलिये मक़तूलीन से देत अदा करने पर सुलह कर ली फिर एक ज़माने के बाद यह लोग किसी दूसरे (1) क़ाज़ी के सामने पैश किये गये तो वो इन पर हद क़ायम न करेगा और जब कि रहज़नों की निस्बत क़ाज़ी ने क़त्ल

(1) यह सब विशेष आदेश हैं कि जिहाद अनिवार्य है और जिहाद में मारना मरना आखिरत में सर्वश्रेष्ट सवाब है यही हुक्म है और यह सही नहीं है क्योंकि जिहाद हर हाल में फ़र्ज़ है अलैहिस्सलाम के कथनानुसार जिहाद जारी रहे और कथन जिहाद के ज़रूरी नियम से मतलब यह है कि जिहाद जो फ़र्ज़ है इस नियम से है व जितना ज़रूरी हो चलें।

(2) मूल कर्त्तव्य यह है कि जिस पर फ़र्ज़ हुआ जब तक कि यह इस कर्तवय को न करे तब तक अदा नहीं होता इसके विपरीत पर्याप्त कर्तव के कि जब तक अदा न किया जाये तब तक जिस के ज़िम्मे फ़र्ज़ हुआ है, सब के ज़िम्मे रहे और जिन लोगों में से कुछ ने अदा कर लिया तो बाक़ियों के ज़िम्मे से रद्द हो जाये।

बन्द किया फिर किसी अजनबी ने जाकर इन को क़त्ल कर डाला तो क़ातिल पर कुछ नहीं है और इसी तरह अगर इन का हाथ काट डाला तो भी कुछ नहीं लाज़िम आयेगा यह फ़तहुल क़दीर में है।

अगर इमाम ने रहज़नों को क़ैद खाने में बन्द किया और हुनूज़ इन पर पूरा सबूत नहीं हुआ है कि किसी रहज़न को किसी आदमी ने जाकर क़त्ल कर दिया फिर रहज़न की रहज़नी के गवाह क़ायम हुए तो इस के क़ातिल पर भी क़िसास लाज़िम आयेगा लेकिन अगर यह क़ातिल इस मक़्तूल का वली हो जिस को रहज़न ने रहज़नी में क़त्ल किया है तो इस सूरत में इस क़ातिल पर कुछ लाज़िम नहीं होगा यह मबसूत में है और अगर लसूस (3) ने किसी क़ौम का माल ले लिया पस इन लोगों ने किसी और क़ौम से फ़रियाद चाही पस दूसरी क़ौम के लोगों ने इन लसूस का पीछा किया पस अगर मालिकान माल इन के साथ हों तो इन को लसूस से क़िताल करना रवा है और इसी तरह अगर नसूस ग़ायब हो गये हों और फ़रियाद रसी के वास्ते निकलने वाले लोग इन लसूस की जगह पहचानते हों और इन से माल वापिस करा देने पर क़ादिर हों तो भी यही हुक्म है और अगर यह लोग इन लसूस का ठिकाना न पहचानतजे हों और इन से माल वापिस करा देने की क़ुदरत न रखते हों तो इन को लसूस से मुक़ाबला करना रवा नहीं है और अगर मालिकान माल ने रहज़न से मुक़ाबला करके इस को क़त्ल किया तो इन पर कुछ वाजिब नहीं है इस वास्ते कि उन्होंने अपने माल के वास्ते इस को क़त्ल किया (4) है और अगर रहज़न इन के सामने से भाग कर ऐसी जगह चला गया कि अगर इस को यह लोग इसी जगह छोड़ देते तो वो इन की रहज़नी पर क़ादिर न होता मगर उन्होंने इस को क़त्ल कर डाला तो इन पर इस की देत वाजिब होगी इस वास्ते कि उन्होंने क़त्ल कर डाला न बग़र्ज़ अपने माल के और अगर रहज़नों में से कोई शख़्स भागा और इस ने अपने आप को ऐसी जगह में डाला (गहरे कुवें में) कि इस हालत में वो क़तअ तरीक़ पर क़ादिर नहीं हो सकता है ुरि यह लोग पीछा करके इस तक पहुंचे और उन्होंने इस को क़त्ल कर डाला तो इन

का आदेश दे दिया और इस ग़र्ज़ से इन को क़ैद खाना में बन्द किया फिर किसी अजनबी ने जाकर इन को क़त्ल कर डाला तो क़ातिल पर कुछ नहीं है और इसी तरह अगर इन का हाथ काट डाला तो भी कुछ नहीं अनिवार्य आयेगा यह फ़तहुल क़दीर में है।

अगर इमाम ने रहज़नों को क़ैद खाने में बन्द किया और हुनूज़ इन पर पूरा सबूत नहीं हुआ है कि किसी रहज़न को किसी आदमी ने जाकर क़त्ल कर दिया फिर रहज़न की रहज़नी के गवाह क़ायम हुए तो इस के क़ातिल पर भी क़िसास अनिवार्य आयेगा लेकिन अगर यह क़ातिल इस मक़्तूल का वली हो जिस को रहज़न ने रहज़नी में क़त्ल किया है तो इस स्थिति में इस क़ातिल पर कुछ अनिवार्य नहीं होगा यह मबसूत में है और अगर लसूस (3) ने किसी क़ौम का माल ले लिया पस इन लोगों ने किसी और क़ौम से फ़रियाद चाही पस दूसरी क़ौम के लोगों ने इन लसूस का पीछा किया पस अगर मालिकान माल इन के साथ हों तो इन को लसूस से क़िताल करना रवा है और इसी तरह अगर नसूस ग़ायब हो गये हों और फ़रियाद रसी के लिए निकलने वाले लोग इन लसूस की जगह पहचानते हों और इन से माल वापिस करा देने पर क़ादिर हों तो भी यही आदेश है और अगर यह लोग इन लसूस का ठिकाना न पहचानतजे हों और इन से माल वापिस करा देने की क़ुदरत न रखते हों तो इन को लसूस से मुक़ाबला करना रवा नहीं है और अगर मालिकान माल ने रहज़न से मुक़ाबला करके इस को क़त्ल किया तो इन पर कुछ अनिवार्य नहीं है इस लिए कि उन्होंने अपने माल के लिए इस को क़त्ल किया (4) है और अगर रहज़न इन के सामने से भाग कर ऐसी जगह चला गया कि अगर इस को यह लोग इसी जगह छोड़ देते तो वो इन की रहज़नी पर क़ादिर न होता मगर उन्होंने इस को क़त्ल कर डाला तो इन पर इस की देत अनिवार्य होगी इस लिए कि उन्होंने क़त्ल कर डाला न बग़र्ज़ अपने माल के और अगर रहज़नों में से कोई व्यक्ति भागा और इस ने अपने आप को ऐसी जगह में डाला (गहरे कुवें में) कि इस हालत में वो क़तअ तरीक़ पर क़ादिर नहीं हो सकता है ुरि यह लोग पीछा करके

पर इस की देत वाजिब होगी इस वास्ते कि इस को क़त्ल करना अपने माल के ख़ौफ़ से नहीं वाक़े हुआ है। वाज़ह हो कि आदमी को अपने माल के वास्ते क़िताल करना रवा है अगरचे माले मज़कूर बक़द्रे निसाब भी न हो और इस माल लेने को जो शख़्स इस से मुक़ाबला करे इस को क़त्ल कर सकता है यह फ़तहुल क़दीर में है। अगर किसी ने दूसरे का गला घोंट कर इस को मार डाला तो इमाम आज़म रह० के अनुसार इस की देत इस क़ातिल की मददगार बरावरी पर होगी और अगर इस ने शहर में एक बार से ज़्यादा गला घोंट कर मार डालने की हरकत की हो तो बराहे सियासत यह शख़्स क़त्ल कर दिया जायेगा कज़ा फ़िल काफ़ी।

(1)उन्होंने हमारे साथियों की राह मारी व हमारा माल ले लियायानी इन लोगों ने हमारे और हमारे साथियों की रहज़नी की और हमारा माल ले लिया।

(2)दारूल हरब व दारूस्सलाम की तारीफ+ अपने अपने मौक़े पर बयान हुई वहां देखना चाहिए।

(3)लसूस जमा लस चोर को कहते हैं।

(4) हत्ता कि अगर रहज़न इस को मार डाले तोयह शहीद होगा लिक़ौलहा अलैहिस्सलाम मिन क़त्ल दून मालहू फ़हूशहीद यानी जो श]स अपने माल के सबब से मार डाला गया तो वोशहीद हुआ है।

(1)जिस के अनुसार उफ़ू करना कुछ मौस्सिर नहीं है बल्कि हदशरई में इन को सज़ाऐ क़त्ल व सूली दी जायेगी जैसा कि ऊपर बयान हुआ है।

इस तक पहुंचे और उन्होंने इस को क़त्ल कर डाला तो इन पर इस की देत अनिवार्य होगी इस लिए कि इस को क़त्ल करना अपने माल के ख़ौफ़ से नहीं स्थपित हुआ है। वाज़ह हो कि आदमी को अपने माल के लिए क़िताल करना रवा है चाहे माले मज़कूर बक़द्रे निसाब भी न हो और इस माल लेने को जो व्यक्ति इस से मुक़ाबला करे इस को क़त्ल कर सकता है यह फ़तहुल क़दीर में है। अगर किसी ने दूसरे का गला घोंट कर इस को मार डाला तो इमाम आज़म रह० के अनुसार इस की देत इस क़ातिल की मददगार बरावरी पर होगी और अगर इस ने शहर में एक बार से ज़्यादा गला घोंट कर मार डालने की हरकत की हो तो बराहे सियासत यह व्यक्ति क़त्ल कर दिया जायेगा कज़ा फ़िल काफ़ी।

(1)उन्होंने हमारे साथियों की राह मारी व हमारा माल ले लियायानी इन लोगों ने हमारे और हमारे साथियों की रहज़नी की और हमारा माल ले लिया।

(2)दारूल हरब व दारूस्सलाम की तारीफ+ अपने अपने मौक़े पर बयान हुई वहां देखना चाहिए।

(3)लसूस जमा लस चोर को कहते हैं।

(4) हत्ता कि अगर रहज़न इस को मार डाले तोयह शहीद होगा लिक़ौलहा अलैहिस्सलाम मिन क़त्ल दून मालहू फ़हूशहीद यानी जो व्यक्ति अपने माल के सबब से मार डाला गया तो वोशहीद हुआ है।

(1)जिस के अनुसार उफ़ू करना कुछ मौस्सिर नहीं है बल्कि हदशरई में इन को सज़ाऐ क़त्ल व सूली दी जायेगी जैसा कि ऊपर बयान हुआ है।

किताबुस्सैर

इस की तफ़सील शरई व शर्त व हुक्म के बयान में

इस में दस अबवाब हैं

बाबः 1

तफ़सीर शरई :

वाज़ह हो कि इस की तफ़सीर शरई इस तरह की गई है कि जिहाद बुलाना है तरफ़ दीने हक़ के और क़िताल करना हर ऐसे शख़्स के साथ जो इन्कार करता है और क़बूल करने से तमर्रुद करता है (सरकशी बराहे नाफ़रमानी है) ख़्वाह यह फ़अल अपनी जान से करे या माल से।

शर्त व हुक्म जिहाद :

शर्ते इबाहत जिहाद दो या तीन हैं एक यह कि दुशमन जिस दीन हक़ की तरफ़ बुलाया जाता है इस के क़बूल से इन्कार करे और दुशमन को हमारी तरफ़ से अमान न दी गई हो (1) और हमारे इन के दरमियान अहद हो। दोम आंकि जिहाद कुनिन्दा अपने इल्म व इज्तहाद से या जिस की राये व इज्तहाद (2) का मोअतक़िद है इस के इज्तहाद से यह उम्मीद करता हो कि इस जिहाद से अहले इस्लाम को क़ुव्वत व शौकत हासिल हो गई और अगर इस को जिहाद व क़िताल करने में मुसलमानों के वास्ते क़ुव्वत व शौकत हासिल होने की उम्मीद न हो (एक आदमी एक नफ़्स से जिहाद करता है) तो इस को क़िताल करना हलाल नहीं है क्योंकि इस में अपने नफ़्स को तहलका में डालना है। हुक्म जिहाद (1) यह है कि दुनिया में इस जिहाद करने वाले के ज़िम्मे से वाजिब साक़ित हो जाता है और आखिरत में सआदत व सवाबे अज़ीम हासिल होता है जैसे और इबादात में है यह मुहीत सरखी में है। बाज़ ने फ़रमाया कि जिहाद क़ब्ल नफ़ीर के नफ़िल है और बाद

किताब अल जिहाद

इस का शरई विवरण व नियम और आदेशों के बारे में

इस में दस अध्याय हैं

अध्यायः 1

शरई व्याख्या :

स्पष्ट हो कि इस की शरई व्याख्या इस तरह की गई है कि जिहाद बुलाना है दीने हक़ की ओर और युद्ध करना हर ऐसे व्यक्ति से जो इन्कार करता है दीने हक़ को स्वीकार करने से विद्रोह करता है (विद्रोह अवज्ञा करने के लिए) भले ही यह कर्म अपनी जान से करे या माल से।

नियम व आदेश जिहाद :

नियमित जिहाद का औचित्य दो या तीन हैं एक यह कि दुश्मन जिस दीनं हक़ की तरफ़ बुलाया जाता है इस के स्वीकार करने से इन्कार करे और दुश्मन को हमारी ओर से शरण न दी गई हो (1) और हमारे इन के बीच अनुबंध हो। दूसरे यह कि जिहाद करने वाले अपने ज्ञान व अपनी उचित राय/प्रयत्न से या जिस की राय व प्रयत्न (2) का विश्वास करने वाला है इस की उचित राय से यह उम्मीद करता हो कि इस जिहाद से इस्लाम के मानने वालों को शक्ति व वैभव प्राप्त हो गई और अगर इस को जिहाद व युद्ध करने में मुसलमानों के शक्ति व वैभव प्राप्त होने की उम्मीद न हो (एक व्यक्ति एक जान से जिहाद करता है) तो इस को युद्ध करना हलाल/उचित नहीं है क्योंकि इस में अपनी जान को तबाही में डालना है। जिहाद का आदेश(1)यह है कि दुनिया में इस जिहाद करने वाले के ज़िम्मे से अनिवार्यता रदद् हो जाती है और परलोक में कल्याण व श्रेष्ठ प्रतिफल प्राप्त होता है जैसे और ईश-वंदना में है यह मुहीतुल सरखी में है। कुछ ने कहा कि जिहाद लामबंदी के पहले ईश्वर की वंदना है और लामबंदी के बाद मूल कर्तव्य (2) है यानी हर व्यक्ति

नफ़ीर के फ़र्ज़ (2) ऐन यानी हर फ़र्द पर फ़र्ज़ हो जाता है।

जिहाद क़ब्ले नफ़ीर के फ़र्ज़े किफ़ाया है और बाद नफ़ीर के फ़र्ज़े ऐन है :

आम्मा मशाइख़ रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़दीक जिहाद हर हाल में फ़र्ज़ है मगर बात इतनी है कि क़ब्ल नफ़ीर के फ़र्ज़े किफ़ाया है और बाद नफ़ीर के फ़र्ज़े ऐन है और यही क़ौल सही है।

नफ़ीर के मअनी यह हैं कि किसी शहर के लोगों को खबर दी जाये कि दुशमन आ गया तुम्हारी जान व माल व अहल व औलाद का क़सद रखता है पस जब इस तौर पर इन को खबर दी गई तो इस शहर में से जो जो शख़्स जिहाद पर क़ादिर है इस पर वाजिब होगा कि जिहाद के वास्ते निकले और क़ब्ल इस खबर के इन को जिहाद के वास्ते न निकलने की गुंजाइश थी। फिर नफ़ीर आम आ जाने के बाद तमाम अहले इस्लाम पर शरक़न व ग़रबन जिहाद फ़र्ज़ ऐन नहीं हो जाता है अगरचे उन को फ़क़ीर आम पहुंच गई हो और फ़र्ज़े ऐन उन्हीं पर होगा जो दुशमन से क़रीब हैं और वो जिहाद करने पर क़ादिर हैं और उन पर जो दुशमन से दूर हैं तो इन पर बफ़र्ज़ किफ़ाया फ़र्ज़ होता है बग़र्ज़ ऐन हत्ता कि उन को तर्क जिहाद की गुंजाइश है फिर जब इन की तरफ़ हाजत पैश आये बईं तौर कि जो दुशमन से क़रीब हैं वो दुशमन से मुक़ाबला करने से आजिज हों या तकासुल करके जिहाद न करें तो इन आजिज़ या कसल मन्दों से जो क़रीब हैं इन पर फ़र्ज़े ऐन हो जायेगा कि वो निकलें और अगर वो भी आजिज़ या कसलमन्द हो जाऐं तो जो उन से क़रीब हैं उन पर फ़र्ज़े ऐन होगा अली हाज़ा उल क़ियास तमाम अहले ज़मीन पर शरक़न व ग़रबन इसी तरतीब से फ़र्ज़े ऐन होगा फिर वाज़ह हो कि नफ़ीर देने वाला ख़्वाह आदिल हो या फ़ासिक़ हो इस मआमले में इस की खबर मक़बूल होगी और यही हुक्म सुल्तानी मुनादी का है कि इस की खबर भी मक़बूल होगी ख़्वाह आदिल हो या फ़ासिक़ हो और शैख़ अबुल हसन करखी ने अपनी मुख़्तसर में फ़रमाया कि न चाहिए कि सुग़ूरे

पर अनिवार्य हो जाता है।

जिहाद लामबंदी के पहले अनिवार्य कर्तव्य है और लामबंदी के बाद मूल कर्तव्य है :

सभी विद्वानों रहमतुल्लाहि अलैहि के अनुसार जिहाद हर हाल में अनिवार्य है मगर बात इतनी है कि लामबंदी के पहले विशिष्ट कर्तव्य है और लामबंदी के बाद मूल कर्तव्य है और यही कथन सही है।

उद्घोषणा का अर्थ यह है कि किसी शहर के लोगों को सूचना दी जाये कि दुश्मन आ गया तुम्हारी जान व माल व आश्रित व औलाद को समाप्त करने का संकल्प रखता है बस जब इस तरह पर इन को सूचना दी गई तो इस शहर में से जो जो व्यक्ति जिहाद पर समर्थ है तो इस पर अनिवार्य होगा कि जिहाद के लिए निकले और इस सूचना के पहले इन को जिहाद के लिए न निकलने की गुंजाइश थी। फिर आम मुनादी आ जाने के बाद तमाम पूरब व पश्चिम के इस्लाम मानने वालों पर जिहाद मूल कर्तव्य नहीं हो जाता है चाहे इन को अल्लाह के मिलने की आम सूचना पहुंच गई हो और मूल कर्तव्य उन्हीं पर होगा जो दुश्मन से निकट हैं और वे जिहाद करने पर समर्थ/सक्षम हैं और उन पर जो दुश्मन से दूर हैं तो इन पर मूल कर्तव्य का दायित्व होता है यहाँ तक कि विशेष कारणों से इन को जिहाद छोड़ने की गुंजाइश है फिर जब इन की जरूरत पेश आये इस तरह कि जो दुश्मन से क़रीब हैं वो दुश्मन से मुक़ाबला करने में अक्षम हों या सुस्ती लापरवाही करके जिहाद न करें तो इन अक्षम या लापरवाहों से जो क़रीब हैं इन पर युद्ध मूल कर्तव्य हो जायेगा कि वे निकलें और अगर वे भी अक्षम या लापरवाह हो जाऐं तो जो उन से निकट हैं इन पर मूल कर्तव्य होगा इसी तरह से तमाम ज़मीन पर पूरब व पश्चिम के रहने वालों पर इसी क्रम से मूल कर्तव्य होगा फिर स्पष्ट हो कि मनादी देने वाला भले ही सच्चा हो या झूठा हो इस मआमले में उस की सूचना स्वीकार होगी और यही सुल्तानी आदेश मुनादी का है कि इस की सूचना भी स्वीकार होगी भले न्यायी हो या

मुस्लिमीन से कोई सग़र ऐसे लोगों से जो दुशमनों का मुक़ाबला लड़ाई में करें खाली छोड़ा जाये और अगर किसी सग़र (ऐसे बलादे इस्लाम जो मुलहिक़ बसलामे कुफ़्फ़ार हो) के लोग दुशमन के मुक़ाबले से ज़ईफ़ हुए और इन पर खौफ़ हुआ तो इन से इधर वाले मुसलमानों पर वाजिब होगा कि अगर वो गिरोह उनकी तरफ़ जाऐं और पहले इन पर जो सब से क़रीब हैं फिर जो इन से क़रीब हैं इसी तरतीब से वाजिब होता जायेगा और नीज़ वाजिब है कि हथियारों व सवारी से इन की मददगारी करें ताकि जिहाद हमेशा क़ायम रहे यह मुहीत में है।

हर मर्द आज़ाद, आक़िल, तन्दरूस्त पर जो जिहाद पर क़ादिर है जिहाद करना वाजिब है :

क़ालल मुतरजम वाज़ह रहे कि मुश्रिकान ग़र्ब से सिवाए इस्लाम के जज़या क़बूल नहीं किया जायेगा और सिवाए अरब के और मिल्क के कफ़्फ़ारे से अगर यह इस्लाम न लाऐं बल्कि जज़या देना क़बूल करें तो क़बूल किया जायेगा क़ाल फ़िल किताब और मुश्रिकाने अरब से जो इस्लाम नहीं लाये हैं और ग़ैर अरब से जो मुसलमान नहीं हुए और न उन्होंने जज़या देना क़बूल किया है क़िताल करना वाजिब है अगरचे वो लोग हम पर पहल न करें यह फ़तहुल क़दीर में है। और हर मर्द आज़ाद आक़िल तन्दरूस्त पर जो जिहाद पर क़ादिर है जिहाद करना वाजिब है यह इख़्तयार शरह मुख़्तार में है। तफ़ल पर जिहाद वाजिब नहीं है और न ग़ुलाम पर और न औरत पर और अंधे पर और न लुंजे पर और न अक़तअ (हाथ पांव कटा हुआ।) पर यह हिदाया में है। जब किसी मर्द ने जिहाद के वास्ते निकलना चाहा हालांकि इस का बाप या माँ ज़िन्दा हो तो बदूं उन की इजाज़त के उस को निकलना न चाहिए उल अनफ़ीर आम के वक्त यानी जब जिहाद फ़र्ज़ ऐन हो जाता है

अन्यायी हो और शैख़ अबुल हसन करखी ने अपनी मुख़्तसर में फ़रमाया कि न चाहिए कि मुसलमानों की निकटतम बस्ती से कोई सरहद/सीमा चौकी ऐसे लोगों से जो दुश्मनों का मुक़ाबला/लड़ाई करे खाली छोड़ा जाये और अगर किसी सीमा सुरक्षा चौकी (ऐसी इस्लाम सुरक्षा बस्ती जो सीमा सुरक्षा चौकी की दृष्टि से हो और काफ़िरो से रक्षा के लिए हो) के लोग दुश्मन के मुक़ाबले से कमज़ोर हुए और उन पर भय हुआ तो उन से निकट वाले मुसलमानों पर अनिवार्य होगा कि अगर वे समूह उनकी ओर जाऐं और पहले उन पर जो सब से निकट हैं फिर जो उन से निकट हैं इसी क्रम से अनिवार्य होता जायेगा और यह भी अनिवार्य है कि हथियारों व सवारी से इन की मदद करें ताकि जिहाद हमेशा स्थापित रहे यह मुहीत में है।

हर आज़ाद मर्द, बुद्धिमान, स्वस्थ पर जो जिहाद पर समर्थ है जिहाद करना अनिवार्य है :

अनुवादक के कथनानुसार स्पष्ट रहे कि पश्चिमी बहुदेववादियों से सिवाए इस्लाम के जज़या स्वीकार नहीं किया जायेगा और सिवाए अरब के और स्वामित्व के पाप से शुद्धि के लिए अगर यह मुसलमान न बनें बल्कि जज़या देना स्वीकार करें तो स्वीकार किया जायेगा यह कथन लिखना और अरब के बहुदेववादियों से जो इस्लाम नहीं लाये हैं और ग़ैर अरब से जो मुसलमान नहीं हुए और न उन्होंने जज़या देना स्वीकार किया है युद्ध करना अनिवार्य है चाहे वे लोग हम पर पहल न करें यह फ़तहुल क़दीर में है और हर आज़ाद मर्द बुद्धिमान स्वस्थ पर जो जिहाद पर सामर्थ है जिहाद करना अनिवार्य है यह अधिकार शरह मुख़्तार में है बच्चे पर जिहाद अनिवार्य नहीं है और न ग़ुलाम पर और न औरत पर और अंधे पर और न लूले पर और न टुंडे (हाथ पांव कटा हुआ।) पर, यह हिदाया में है। जब किसी मर्द ने जिहाद के लिए निकलना चाहा हालांकि इस का बाप या माँ ज़िन्दा हो तो बिना उनकी इजाज़त के उसको निकलना न चाहिए आम मुनादी के समय यानी जब

और अगर इस के मां व बाप दोनों हों और एक ने इजाज़त दी और दूसरे ने जाने की इजाज़त न दी तो इस को दूसरे के हक़ की वजह से निकलना रवा नहीं है पस जब हर दो मादिर व पिदर ने या दोनों में से एक ने निकलना मकरूह रखा तो इस को निकलना मुबाह नहीं है ख़्वाह यह हालत हो कि ख़्वाह इनका ज़ाये हो जाने का ख़ौफ़ हो मसलन दोनों तंगदस्त हों कि इनका नुफ़क़ा इसी के ज़िम्मे है या इन के ज़ाये होने का ख़ौफ़ न हो और यह जो हम ने ज़िक्र किया है इस वक्त है कि इस के वालिदैन मुसलमान हों और अगर इस के वालिदैन काफ़िर हों या दोनों में से एक काफ़िर हो और दोनों ने इस के जिहाद को जाना मकरूह रखा या काफ़िर मकरूह रखा तो इस पर लाज़िम है कि इस में अपने क़ल्ब से तहरी करे पस अगर इस की तहरी में यह बात आई कि उन्होंने मेरा निकलना इसी वजह से मकरूह रखा है कि मेरे क़त्ल हो जाने के ख़ौफ़ से इन के दिल पर घबराहट व सदमा है तो निकले और अगर इस की तहरीं में यह बात आये कि उन्होंने मेरा जिहाद का जाना इसी वजह से मकरूह रखा कि हमारे दीन व मिल्लत वालों से क़िताल करेगा तो इस को इख़्तयार होगा कि बदूं इन की रज़ा मन्दी के चला जाये इल्ला आँकि इन के ज़ाये हो जाने का ख़ौफ़ हो तो ऐसी सूरत में न निकलेगा और अगर इस ने तहरी की और इस की तहरी इन में से किसी बात पर वाक़े न हुई बल्कि इस को शक रहा और कोई जानिब गुमान दूसरे पर मरहज न हुई तो यह किताब में मज़कूर नहीं है और मशाइख ने फ़रमाया कि चाहिए कि न निकले और अगर दोनों को इस का निकलना इस वजह से गवारा न हो कि हमारे अहले दीन से क़िताल करेगा और नीज़ इस के क़त्ल के ख़ौफ़ से भी इन को बे सबरी और सदमा है तो जिहाद को ना जाये। अगर इस के मादिर व पदर ज़िन्दा हैं उन्होंने इस को जिहाद को जाने के वास्ते इजाज़त दे दी और इस के जदीन व जद्देतपन (दादा नाना जद्देतपन यानी दादी व नानी वल्लाहु आलम।) भी ज़िन्दा हैं उन्होंने इस का जाना मकरूह रखा तो जदो जदा के इकराह की तरफ़ इल्तफ़ात न करे जिहाद के वास्ते जाये और अगर इस के वालिदैन मर गये हों मगर दादा और

जिहाद मूल कर्तव्य हो जाता है और अगर इस के माँ व बाप दोनों हों और एक ने आज्ञा दी और दूसरे ने जाने की इजाज़त न दी तो इस को दूसरे के हक़ की कारण से निकलना सही नहीं है बस जब माता व पिता दोनों ने या दोनों में से एक ने निकलने से मना किया तो इस को निकलना उचित नहीं है चाहे उनके नष्ट हो जाने का भय हो उदहारणत दोनों आर्थिक पिछड़े हों कि उनका खान-पान इसी के ज़िम्मे हो या उनके नष्ट होने का भय न हो और यह जो हम ने वर्णन किया है उस समय है कि उस के माता-पिता मुसलमान हों और अगर इसके माता-पिता काफ़िर हों या दोनों में से एक काफ़िर हो और दोनों ने इस के जिहाद को जाना अनुचित जाना या प्रतिबंधित रखा तो इस पर अनिवार्य है कि इस में अपने दिल से पूछे बस अगर इस के दिल में यह बात आई कि उन्होंने मेरा निकलना इसी कारण से प्रतिबंधित रखा है कि मेरे क़त्ल हो जाने के भय से इन के दिल पर घबराहट व सदमा है तो निकले और अगर इस की प्रबल विचार में यह बात आये कि उन्होंने मेरा जिहाद का जाना इसी कारण से प्रतिबंधित रखा कि हमारे धर्म व समाज वालों से युद्ध करेगा तो इस को अधिकार होगा कि बजाए इन की ख़ुशी के चला जाये सिवाए उसके कि इन के नष्ट हो जाने का भय हो तो ऐसी स्थिति में नहीं निकलेगा और अगर इस ने विचार किया की और इस का विचार इनमें से किसी बात पर स्थापित न हुआ बल्कि इस को संदेह रहा और किसी अनुमान की ओर दूसरे पर संकोच न हुआ तो यह किताब में वर्णित नहीं है और विद्वानो ने कहा है कि चाहिए कि न निकले और अगर दोनों को इस का निकलना इस कारण से गवारा न हो कि हमारे धर्म वालों से युद्ध करेगा और इस के क़त्ल के भय से भी इन को आशंका और सदमा है तो जिहाद को ना जाये। अगर इस के माता व पिता ज़िन्दा हैं उन्होंने इस को जिहाद को जाने के लिए आज्ञा दे दी और इस के जदीन व जद्देतपन (ईश्वर जाने दादा नाना जद्देतपन यानी दादी व नानी) भी ज़िन्दा हैं उन्होंने इस का जाना प्रतिबंधित रखा तो पूर्वजों के प्रतिबंध की तरफ़ ध्यान न करे जिहाद के लिए जाये और अगर इसके

नानी ज़िन्दा हों यानी बाप का बाप और मां की मां तो बदूं इन दोनों की इजाज़त के नहीं जा सकता है और अगर इस का सगा दादा और सगा नाना और सगी दादी और इस की सगी नानी मौजूद हों तो इजाज़त का इख़्तयार सगी नानी और सगे दादा को है।

यह उस वक़्त है कि इस ने जिहाद के वास्ते निकलना चाहा और अगर यह चाहा कि तिजारत के वास्ते दुशमन के मुल्क में अमान ले कर जाये पस वालिदैन ने इस के निकलने को मकरूह रखा पस अगर दुशमनों के मुल्क का असीर ऐसा हों कि इस की तरफ़ से इस को अपने ऊपर ख़ौफ़ न हो और यह लोग ऐसी क़ौम हों कि अपने अहद को दिफ़ाअ करने में मारूफ़ हों और इस को वहां तिजारत के लिए जाने में मुनफ़अत हो तो मज़ायक़ा नहीं है कि यह इन की नाफ़रमानी करके चला जाये और अगर दुशमनों के मुल्क के ताजिरों में मुसलमानों के लश्करों में से किसी लश्कर के साथ जाता है पस इस के वालिदैन ने या एक ने इस को मकरूह रखा पस अगर यह लश्कर बड़ा हो कि ग़ायब राये से दुशमनों की तरफ़ से इन पर ख़ौफ़ न हो तो भी निकलने में कुछ मुज़ायक़ा नहीं है और अगर ग़ालिब राये के मुवाफ़िक़ इस लश्कर के हक़ में दुशमों की तरफ़ से ख़ौफ़ हो तो न निकले और इसी तरह अगर सरय्या (बिल फ़तह व तख़फ़ीफ़अलरा, व बड़े लश्कर का एक हिस्सा जमा इसकी सराया है) या जरीदा उल ख़ैल (रिसाला सवारों का।) हो तो भी बदूं वालिदैन की इजाज़त के न निकले इस वास्ते कि ग़ालिब इस सूरत में हलाकत ही है और यह जो हम ने ज़िक्र किया, यह वालिदैन और अजदाद वजदात की सूरत में था और रहा इन के सिवाए और ज़वी उल रहम मिस्ल बेटे व बेटियां व भाई व बहन व फूफियां व मामूं व ख़ालाएं वग़ैरह हर ज़ी रहम महरम कि इस ने इस का जिहाद के वास्ते निकलना मकरूह रखा और यह अम्र इन पर शाक़ है पस अगर इन के ज़ाये हो जाने का ख़ौफ़ है मसलन इन के मिल्क में कुछ

(1) नफ़िल वो माल असबाब ग़नीमत जिस को अमीरे लश्कर ने बवक़्ते हमला कर दिया कि इस जंग में जो जिस के हाथ लगे वो उस का है।

माता-पिता मर गये हों मगर दादा और नानी ज़िन्दा हों यानी बाप का बाप और माँ की माँ तो बग़ैर इन दोनों की आज्ञा के नहीं जा सकता है और अगर इस का सगा दादा और सगा नाना और सगी दादी और इस की सगी नानी मौजूद हों तो आज्ञा का अधिकार सगी नानी और सगे दादा को है।

यह उस समय है कि इसने जिहाद के लिए निकलना चाहा और अगर यह चाहा कि व्यापार के लिए दुश्मन के मुल्क में शरण ले कर जाये बस माता-पिता ने इस के निकलने को प्रतिबंधित रखा बस अगर दुश्मनों के मुल्क के बंदी ऐसा हों कि उस की ओर से इस को अपने ऊपर भय न हो और यह लोग ऐसी क़ौम हों कि अपने अनुबंध की रक्षा करने में प्रसिद्ध हों और इस को वहां व्यापार के लिए जाने में लाभ हो तो कोई बुराई नहीं है कि यह इन की नाफ़रमानी करके चला जाये और अगर दुश्मनों के मुल्क के व्यापारियों में मुसलमानों के लश्करों में से किसी लश्कर के साथ जाता है बस इसके माता-पिता ने या एक ने इस को प्रतिबंधित रखा बस अगर यह लश्कर बड़ा हो कि गुप्त राय से दुश्मनों की ओर से इन पर भय न हो तो भी निकलने में कुछ बुराई नहीं है और अगर प्रमुख राय पर सहमति से इस लश्कर के हित में दुश्मनों की ओर से भय हो तो न निकले और इसी तरह अगर फ़ौजी टुकड़ी (थोड़े कष्टों से जीत प्राप्त करने वाले बड़े लश्कर का एक भाग) या तैयारी के साथ लड़ने वालों का समूह (रिसाला घुड़सवारों का) हो तो भी बग़ैर माता-पिता की आज्ञा के न निकले इस लिए कि प्रमुखता इस स्थिति में मृत्यु ही है और यह जो हम ने वर्णन किया, यह माता-पिता और पूर्वज व पुर्खे की स्थिति में था और रहा इन के सिवाए और ज़वी उल रहम जैसे बेटे व बेटियां व भाई व बहन व फूफियां व मामूं व ख़ालाएं आदि हर ज़ी रहम महरम यानी ऐसा क़रीबी रिश्तेदार जो विरासत में भागीदार नहीं होता यह बेटियों व पोतियों की औलाद हैं एवं सौतेले भाईयों की औलाद और बहनों की औलाद फूफियाँ और उनकी औलाद मामा, मौसियाँ और

(1) नफ़िल वे लूट का सामान व माल जिस को लश्कर के कमाँडर ने हमला के समय कह दिया कि इस युद्ध में जो जिस के हाथ लगे वह उस का है।

माल नहीं है और वो सग़ीर या सग़ीरा हैं या कबीरा औरतें हैं मगर इन के अज़वाज नहीं हैं या कबीर मर्द हैं मगर अपाहिज है कि किसी सरफ़ा के लायक़ नहीं हैं और इन का नफ़क़ा इसी पर है तो बदूं इन की इजाज़त के न जाये और अगर इन के हक़ में ज़ाये होने का ख़ौफ़ नहीं है बईं तौर पर इन का नुफ़क़ा इस पर नहीं है मसलन इन का माल है या माल नहीं है मगर वो लोग बालिग़ तन्दरूस्त हैं या औरतें बालिग़ा हैं कि जिन के शौहर मौजूद हैं तो बदूं इन की इजाज़त के जा सकता है और रही इस की बीवी पस अगर इस के ज़ाये हो जाने का ख़ौफ़ हो तो बदूं इस की इजाज़त के न जाये और अगर इस के ज़ाये होने का ख़ौफ़ न हो तो बदूं इस की इजाज़त के चला जाये अगरचे यह अम्र इस पर शाक़ गुज़रे यह ज़खीरा में है।

औरत ने अगर अपने पिसर को जिहाद से मना किया पस अगर उस औरत के क़ल्ब इस के सदमा ए फ़िराक़ का मुतहम्मिल नहीं है और छोड़ने से इस को ज़रर पहुंचता है तो इस को मना करने का इख़्तयार है और गुनहगार न होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि मुझे अच्छा नहीं मालूम होता है कि मुसलमान ओरतें मर्दों के साथ हो कर क़िताल करें इल्ला इस सूरत में कि मुसलमान लोग मुज़तिर हों और मदद की जानिब मोहताज हो जाऐं पस अगर मुसलमान इस की तरफ़ मुज़तरिब हों बईं तौर कि खबर नफ़ीर आइ और औरतों के निकलने की हाजत व ज़रूरत थी तो क़िताल के वास्ते औरतों के निकलने में कुछ मुज़ायक़ा नहीं है और औरतों को ऐसी हालत में रवा है कि बदूं इजाज़त अपने आबा और शौहरों के निकलें और आबा व शौहरों को ऐसी हालत में इन की मुमानिअत का इख़्तयार नहीं है और अगर निकलने से मना करेंगे तो गुनहगार होंगे और इसी तरह अगर

(1) अल्बत्ता आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद फ़रमाया हालांकि इन के मिस्ल अव्वलीन व आख़िरी में से कोई किसी आलिम क्या मलाइका में क्या अम्बिया व जिन व इन्स जुमला में से नहीं है।

उनकी संतान, कि इन्होंने इसका जिहाद के लिए निकलना प्रतिबंधित रखा और यह कार्य इन पर कठिन है बस अगर इन के नष्ट हो जाने का भय है जैसे उनकी संपत्ति में कुछ माल नहीं है और वे छोटे या छोटी हैं या बड़ी औरतें हैं मगर यह शादी शुदा नहीं हैं या बड़े मर्द हैं मगर अपाहिज हैं कि किसी काम के लायक़ नहीं हैं और इन का खान-पान इसी पर है तो बग़ैर इन की आज्ञा के न जाये और अगर इन के नष्ट होने का भय नहीं है इसी तरह इन का खान-पान इस पर नहीं है जैसे इन का माल है या माल नहीं है मगर वो लोग बालिग़ व स्वस्थ हैं या औरतें बालिग़ा हैं कि जिन के पति मौजूद हैं तो बग़ैर इन की इजाज़त के जा सकता है और रही इस की बीवी बस अगर इस के नष्ट हो जाने का भय हो तो बिना उस की इजाज़त के न जाये और अगर इस के नष्ट होने का भय न हो तो बिना इस की आज्ञा के चला जाये चाहे यह काम इस पर कठिन गुज़रे यह ज़खीरा में है।

औरत ने अगर अपने लड़के को जिहाद से मना किया बस अगर उस औरत का दिल उसकी विदाई के आघात को सहन नहीं कर सके और छोड़ने से इसको चोट पहुंचती है तो इसको मना करने का अधिकार है और गुनहगार न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि मुझे अच्छा नहीं मालूम होता है कि मुसलमान औरतें मर्दों के साथ हो कर युद्ध करें सिवाए इस स्थिति में कि मुसलमान लोग मजबूर हों और मदद की ओर मोहताज हो जाएं बस अगर मुसलमान इस की ओर मजबूर हों इसी तरह कि मुनादी से सूचना आई और औरतों के निकलने की ज़रूरत थी तो युद्ध के लिए औरतों के निकलने में कुछ बुराई नहीं है और औरतों को ऐसी हालत में आज्ञा है कि अपने पूर्वजों और पतियों की बग़ैर इजाज़त निकलें और पूर्वजों व पतियों को ऐसी हालत में इनके मना करने का अधिकार नहीं है और अगर निकलने से मना करेंगे तो गुनाहगार होंगे और इसी तरह अगर मुसलमान लोग इन की मदद

(1) अल्बत्ता आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद फ़रमाया हालांकि उन के जैसा प्रथम व अंतिम में से कोई किसी आलिम क्या मलाइका में क्या अम्बिया व जिन व इन्सानों में इन सब में से कोई नहीं है।

मुसलमान लोग इन की मदद की तरफ़ मुज़तिर हों व लेकिन इन औरतों को दूर से तीर अन्दाज़ी करके क़िताल करना मुमकिन हो तो भी इस तरह क़िताल करने में कुछ मुज़ायक़ा नहीं है और ग़ाज़ियों के वास्ते रोटी व खाना पकाने व पानी पिलाने और मजरूहों की दवा करने के वास्ते जवान औरतों न जाऐं और रहीं अजूज़ह यानी बुढ़िया औरतों जिन का सिन इस क़द्र दराज़ हो गया है तो मुज़ायक़ा नहीं है कि वो सौफ़ वग़ैरह के कपड़े पहन कर बड़े लश्कर के साथ निकलें और मरीज़ों व मजरूहों की मदारात करें और पानी पिलाऐं व रोटी खाना पकाऐं व लेकिन क़िताल न करें। यानी हुक्म तिफ़्ल का औरउस मर्द का जो मराहिक़ है यानी क़रीब बलूग़ है अगर क़िताल की ताक़त रखता हो तो मिस्ल हुक्म बालिग़ के है जब तक कि नफ़ीर आम न पहुंची हो तो यानी यह हुक्म है कि बदूं इजाज़त वालिदैन के न निकले और बाप इस को इजाज़त देने से गुनहगार न होगा जैसे बालिग़ को इजाज़त देने से गुनहगार नहीं होता है अगरचे जानता हो कि अक्सर इस में क़त्ल हो जाना है यह मुहीत में है। अगर मदयूं ने जिहाद करना चाहा हालांकि क़र्ज़ .ख़्वाह ग़ायब है पस अगर मदयूं का माल इस क़द्र हो कि जो कुछ इस पर क़र्ज़ा है इस के अदा के वास्ते दाई हो तो इस के जिहाद के लिए जाने में कुछ मुज़ायक़ा नहीं है।

किसी को वसी करदे कि अगर मुझ पर हादसा मौत पैश आये तो मेरे तरका में से मेरा क़र्ज़ा अदा कर दे और अगर इस के पास वफ़ाऐ क़र्ज़ा के लायक़ न हो तो अव्वल यह है कि ठहरा रहे यहां तक कि तहम्मुल इस का क़र्ज़ा अदा करे और अगर बावजूद इस के बदूं इजाज़त क़र्ज़ .ख़्वाह के इस ने जिहाद किया तो यह मकरूह है और अगर क़र्ज़ .ख़्वाह ने इस को जिहाद करने की इजाज़त दे दी मगर कर्ज़ा से बरी न किया तो भी मुस्तहब यही है कि अदाऐ क़र्ज़ा के वास्ते तहम्मुल (कोशिश) करे और अगर ऐसी हालत में इस ने जिहाद किया तो भी मुज़ायक़ा नहीं है और इस तरह अगर क़र्ज़े मीआद हो और क़र्ज़ दार बतरीक़ ज़ाहिर जानता हो कि मैं मीआद आने से पहले वापिस आ जाउंगा तो भी यही हुक्म है कज़ा फ़ी ज़ख़ीरत और अगर ज़ैदने अपने क़र्ज़

की ओर मजबूर हों व लेकिन इन औरतों को दूर से तीर अन्दाज़ी करके युद्ध करना मुमकिन हो तो भी इस तरह युद्ध करने में कुछ बुराई नहीं है और योद्धाओं के लिए रोटी व खाना पकाने व पानी पिलाने और ज़ख्मियों की दवा करने के लिए जवान औरतें न जाएं और रहीं अजूज़ह यानी बुढ़िया औरतें जिन की समझ इतनी .ज्यादा हो गई है तो बुराई नहीं है कि वे सूफ़ी वग़ैरह के कपड़े पहन कर बड़े लश्कर के साथ निकलें और मरीज़ों व पीड़ितों की सेवा करें और पानी पिलाएं व रोटी खाना पकाएं लेकिन युद्ध न करें। यानी बच्चों का आदेश, और उस मर्द का जो बालिग़ होने वाला लड़का है यानी बालिग़ होने के निकट है अगर युद्ध की ताक़त रखता हो तो जैसे बालिग के लिए आदेश है जब तक कि आम ऐलान ना हुआ हो तो यह आदेश है कि माता-पिता की आज्ञा के बिना न निकले और बाप इस को आज्ञा देने से गुनाहगार न होगा जैसे बालिग़ को इजाज़त देने से गुनाहगार नहीं होता है चाहे जानता हो कि अक्सर इस में क़त्ल हो जाना है यह मुहीत में है अगर क़र्ज़दारों ने जिहाद करना चाहा हालांकि क़र्ज़ भले ही गुप्त है बस अगर क़र्ज़दारों का माल इतना हो कि जो कुछ इस पर क़र्ज़ा है इस को देने के लिए काफ़ी हो तो इस के जिहाद के लिए जाने में कुछ बुराई नहीं है।

किसी को उत्तराधिकारी बना दे कि अगर मुझ पर हादसा/मृत्यु पेश आये तो मेरे छोड़े हुए माल में से मेरा क़र्ज़ा अदा कर दे और अगर इस के पास क़र्ज़ा चुकाने के लायक़ न हो तो प्राथमिक्ता यह है कि ठहरा रहे यहां तक कि इस का ज्ञान क़र्ज़ा अदा करे और अगर बावजूद इसकी बिना आज्ञा क़र्ज़ लेने वाले के इस ने जिहाद किया तो यह नाजायज़ है और अगर क़र्ज़ लेने वाले ने इसको जिहाद करने की आज्ञा दे दी मगर कर्ज़ से बरी न किया तो भी मुस्तहब/पसन्दीदा यही है कि क़र्ज़ की देनदारी के लिए कोशिश करे और अगर ऐसी हालत में इस ने जिहाद किया तो भी कोई बुराई नहीं है और इस तरह अगर क़र्ज़ की समय सीमा हो और क़र्ज़दार ज़ाहिर तरीक़े से जानता हो कि मैं समय सीमा आने से पहले वापिस आ जाऊंगा तो भी यही आदेश है यह ज़ख़ीरे में और

ख़्वाह को उमरो पर उतराई कराके जिहाद का क़सद किया पस अगर ज़ैद का उमरो पर मिस्ल इस क़र्ज़ा के क़र्ज़ हो तो इस के जिहाद में जाने में कुछ मुज़ायक़ा नहीं है और अगर ज़ैद का उमरो पर मिस्ल इस के माल न हो तो मुस्तहब यह है कि न निकलने और अगर उमरो ने ज़ैद को जिहाद में जाने की इजाज़त दी और क़र्ज़ ख़्वाह ने न दी तो जाने में कुछ मुज़ायक़ा नहीं है जब कि हवाला तमाम हो गया है और अगर इस ने क़र्ज़ ख़्वाह के लिए किसी पर उतराई नहीं कराई व लेकिन इस की तरफ़ से बदूं इस की इजाज़त के किसी शख़्स ने इस के क़र्ज़ ख़्वाह के वास्ते बईं तौर कफ़ालत करली कि वो क़र्ज़ दार को बरी करदे और इस ने क़बूल किया तो ऐसी सूरत में क़र्ज़ दार को रवा है कि जिहाद को चला जाये और इन दोनों में से किसी से इजाज़त लेने की हाजत नहीं है। अगर इस की तरफ़ से किसी कफ़ील ने इस के हुक्म से कफ़ालत करली हो और मदयूं की बराअत की शर्त नहीं की तो इस को इख़्तियार नहीं है कि जिहाद को जाये जब तक कि क़र्ज़ ख़्वाह कफ़ील से इजाज़त हासिल न करे और अगर किफ़ालत बग़ैर इस के हुक्म के करली है तो इस पर यही वाजिब है कि फ़क़त तालिब से इजाज़त हासिल करे और कफ़ील (ज़ामिन होने वाले) से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है और यही हाल किफ़ालत बिल नफ़्स में है कि अगर कफ़ील ने इस के हुक्म से इस के नफ़्स की कफ़ालत की है यानी बईं तौर कि जब क़र्ज़ ख़्वाह इस को तालिब करेगा तो मैं इस को हाज़िर करूंगा इस तरह किफ़ालत बिल नफ़्स कर ली मगर इस के हुक्म से तो इस को बदूं इजाज़त कफ़ील के जाने का इख़्तियार नहीं है।

यह सब कुछ जो ऊपर मज़कूर हुआ उस वक़्त है कि नफ़ीर आम न हो और जब नफ़ीर आम हो तो मुज़ायक़ा नहीं :

अगर बदूं इस के हुक्म के किफ़ालत बिल नफ़्स

(1) क़ुल्तुल उला इन्ना बक़ौल अपनी ज़ात से जाने से मअज़ूर है।

अगर ज़ैद ने अपने क़र्ज़ लेने वाले को उमरो पर स्थानांतरण कराके जिहाद की कोशिश की बस अगर ज़ैद का उमरो पर इस क़र्ज़ के जैसा क़र्ज़ हो तो इस के जिहाद में जाने में कुछ बुराई नहीं है और अगर ज़ैद का उमरो पर इस के जैसा माल न हो तो मुस्तहब/पसंदीदा यह है कि न निकले और अगर उमरो ने ज़ैद को जिहाद में जाने की इजाज़त दी और क़र्ज़ लेने वाले ने न दी तो जाने में कुछ बुराई नहीं है जब कि हवाला तमाम हो गया है और अगर इस ने क़र्ज़ लेने वाले के लिए किसी पर स्थानांतरण नहीं कराया व लेकिन इस की तरफ़ से बग़ैर उस की आज्ञा के किसी व्यक्ति ने इस के क़र्ज़ लेने वाले के लिए इस तरह ज़मानत करली कि वो क़र्ज़दार को बरी कर दे और इस ने स्वीकार किया तो ऐसी स्थिति में क़र्ज़दार को उचित है कि जिहाद को चला जाये और इन दोनों में से किसी से आज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस की तरफ़ से किसी पालक-पोषक ने उसके आदेश से ज़मानत कर ली हो और क़र्ज़दार की मुक्ति की शर्त नहीं की तो उसको अधिकार नहीं है कि जिहाद को जाये जब तक कि क़र्ज़ वसूलने वाले से ज़मानत पर आज्ञा प्राप्त न करे और अगर ज़मानत बग़ैर उस के आदेश के कर ली है तो इस पर यही अनिवार्य है कि केवल लेने वाले से आज्ञा प्राप्त करे और व्यक्तिगत गारंटर होने वाले से आज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं है और यही हाल व्यक्तिगत ज़मानत में है कि अगर ज़मानती ने इस के आदेश से इस के व्यक्तिगत ज़मानत ली है यानी इस तरह कि जब क़र्ज़ वसूल करने वाला इस की माँग करेगा तो मैं इस को हाज़िर करूंगा इस तरह ज़मानत कर ली मगर इसके आदेश से तो इसको बग़ैर ज़मानती की आज्ञा के जाने का अधिकार नहीं है।

यह सब कुछ जो उपरोक्त वर्णित हुआ उस समय है कि आम ऐलान न हो और जब आम ऐलान हो तो कोई हानि नहीं :

अगर बिना इस के आदेश के ज़मानत कर ली हो

(1) क़ुल्तुल उला इन्ना कहना अपनी आप से जाने से अक्षम है।

कर ली हो तो बदूं इजाज़त लेने कफ़ील के इस के चले जाने में कुछ मुज़ायक़ा नहीं है और अगर क़र्ज़ दार मुफ़लिस हो और इस को अदाऐ क़र्ज़ा के लिए कोइ हीला नहीं है सिवाए इस के कि ग़ाज़ियों के साथ दारूल हरब में तिजारत के वास्ते जाये तो मुज़ायक़ा नहीं है कि चला जाये और क़र्ज़ ख़्वाह से इजाज़त ले और अगर इस ने कहा कि जिहाद के वास्ते जाता हूं शायद मुझे नफ़िल (1) या सहाम में से ऐसा कुछ मिल जाये कि मैं इस से अपना क़र्ज़ा अदा कर दूं तो मुझे पसन्द नहीं है कि बदूं इजाज़त क़र्ज़ ख़्वाह के जाये। यहसब जो मज़कूर हुआ इस वक्त है कि नफ़ीर आम न हो और जब नफ़ीर आम हो तो मुज़ायक़ा नहीं है कि क़र्ज़दार चला जाये ख़्वाह इस के पास वफ़ाऐ क़र्ज़ा के लायक़ माल हो या न हो ख़्वाह क़र्ज़ ख़्वाह ने इस को जाने की इजाज़त दी हो या मना किया हो फिर जब इस मक़ाम पर पहुंचना जहां मुसलमानों ने क़रार पकड़ा है पस अगर ऐसा अम्र नज़र आये जिस से मुसलमानों के हक़ में ख़ौफ़ हो तो ज़रूर क़िताल करे और अगर ऐसा अम्र हो कि इस से मुसलमानों के हक़ में ख़ौफ़ नज़र न आये तो इस को रवा नहीं है कि मुक़ाबला करे इल्ला बइजाज़त अपने क़र्ज़ ख़्वाह के यह मुहीत में है। एक शहर में एक आलिम है कि इस से बढ कर कोई फ़क़ीह वहां नहीं है तो इस को जिहाद न करना चाहिए कि वहां के लोगों को इस के जाये होने से नुक़सान पहुंचेगा यह सिराजिया में है। क़ालल मुतरज्जिम यह रिवायत फ़तावा में है और कुछ नहीं है और न मैंने किसी फ़क़ीह मोअतमिद के क़ौल को देखा जिस ने इस की तसरीह की हो बल्कि बाज़ ने तशनीअ की है और सह यही है कि जिहाद बहिफ़्ज़े दीन है वक़द ग़ज़ननबी वलइसा यमकुनु वुजुदे अहद मिस्लहु फिल आलमीन मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन मिनल

(1)पस इस से ज़ाहिर हुआ कि इस मसले में शैख़ुल इस्लाम से दो कथन हैं और बज़ाहिर वो दोनों बाहम मुख़ालिफ़ हैं तो यह बात ज़रूरी हुई कि कहा जाये कि उन्होंने इस से रूजूअ किया और इस कथन पर शम्सुल अइम्मा के साथया तो मवाफ़िक़त होगी या मुख़ालफ़त या यूं कहा जाये कि सूरत अव्वल जब है कि इस के अयाल के वास्ते काफ़ी नुफ़क़ा हो और सूरते सानी जब कि इन के वास्ते नुफ़क़ा न हुआ इसी के मिस्ल कोई और दर्जा हो वल्लाहु आलम।

तो बिना ज़मानत लेने वाले की आज्ञा के इस के चले जाने में कुछ हानि नहीं है और अगर क़र्ज़दार निर्धन हो और इस को क़र्ज़ देने के लिए कोई औचित्य नहीं है सिवाए इस के कि योद्धाओं के साथ दारूल हरब/ ग़ैर मुस्लिम देश में व्यपार के लिए जाये तो हानि नहीं है कि चला जाये और क़र्ज़ वसूलने वाले से आज्ञा ले और अगर इस ने कहा कि जिहाद के लिए जाता हूं शायद मुझे नफ़िल (1) या हिस्से में से ऐसा कुछ मिल जाये कि मैं इस से अपना क़र्ज़ अदा कर दूं तो मुझे पसन्द नहीं है कि बिना क़र्ज़ वसूलने वाले की आज्ञा के जाये। यह सब जो वर्णित हुआ उस समय है कि आम ऐलान न हो और जब आम ऐलान हो तो कोई हानि नहीं है कि क़र्ज़दार चला जाये भले ही इस के पास क़र्ज़ देने के लायक़ माल हो या न हो भले ही क़र्ज़ वसूलने वाले ने इस को जाने की आज्ञा दी हो या मना किया हो फिर जब इस स्थान पर पहुंचना जहां मुसलमानों ने संकल्प लिया है बस अगर ऐसा काम मन्नत आये जिस से मुसलमानों के लिए भय हो तो ज़रूर युद्ध करे और अगर ऐसा काम हो कि इस से मुसलमानों के हक़ में भय मन्नत न आये तो इस को उचित नहीं है कि मुक़ाबला करे सिवाए अपने क़र्ज़ वसूलने वाले की आज्ञा के सहित यह मुहीत में है। एक शहर में एक आलिम है कि इस से बढ़ कर कोई फ़क़ीह/नियम विधि विशेषज्ञ वहाँ नहीं है तो इस को जिहाद न करना चाहिए कि वहाँ के लोगों को इस के नष्ट होने से हानि पहुंचेगी यह सिराजिया में है। अनुवादक के कथनानुसार यह रिवायत फ़तावा में है और कुछ नहीं है और न मैंने किसी फ़क़ीह /नियम विधि विशेषज्ञ भरोसेमंद के कथन को देखा जिस ने इसका विवरण किया हो बल्कि कुछ ने कटाक्ष किया है और यही सही है कि जिहाद दीन की सुरक्षा के लिए है वक़द

(1) बस इस से ज़ाहिर हुआ कि इस मसले में शैख़ुल इस्लाम से दो कथन हैं और देखने को वह दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो यह बात ज़रूरी हुई कि कहा जाये कि उन्होंने इस से पलट गए और इस कथन पर शम्सुल अइम्मा के साथ या तो सहमति की होगी या विरोध या यूं कहा जाये कि पहली सूरत जब है कि इस के आश्रितों के वास्ते काफ़ी खान-पान हो और दूसरी सूरत जब कि इन के वास्ते खान-पान न हुआ उसी की तरह कोई और श्रेणी हो वल्लाहु आलम।

मलाइका वररूसुल वलजिन्ना वल उन्स कुल्लुहुम अजमईन वल्लाहु तआला अवइलमा

جہاد بحفظ الدین ہے وقد غز النبی ولیس یمکن وجود احد مثلہ فی العلمین من الاولین والآخرین من الملئکۃ والرسل والجن والانس کلھم اجمعین واللہ تعالیٰ وعلم۔

अगर किसी शख़्स के पास दो वदीअतें हों जिन के मालिक ग़ायब हों पस अगर इस ने किसी को वसी कर दिया कि यह वदीऐन उन के मालिकों को वापिस कर दे तो उस को इख़्तयार होगा कि जिहाद के वास्ते चला जाये यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। गुलाम को न चाहिए कि बदूं इजाज़त अपने मौला के जिहाद के वास्ते निकले अगर वो उरू राहिला (ज़ाद व राहिला रखा हुआ) का मालिक हो और बिछड़ रहना नहीं जाइज़ है इल्ला आंकि कोई उज़्र खुला हुआ हो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर मुश्रिक लोग मुसलमानों की ज़मीन में दाखिल हुए और माल ले कर व औलाद व औरतें गिरफ़तार करके ले गये फिर मुसलमानों को इस का इल्म हुआ और उन को इन मुश्रिकों पर क़ुव्वत हासिल है तो इन पर वाजिब होगा कि इन काफ़िरों का पीछा करें यहां तक कि इन सब चीज़ों (माल व बच्चे व औरतों) को इन के हाथ से छुड़ा ला दें जब तक कि काफ़िर लोग दारूल इस्लाम में हैं और जब वो ज़मीन हरब में दाखिल होगये तो भी बच्चों व औरतों के हक़ में यही हुक्म है कि पीछा करके इन को लावें जब तक कि वो इन को ले कर अपने क़िलओं व हिफ़ाज़त गाह में नहीं दाखिल हुए हैं। अगर काफ़िरों ने फ़क़त माल ही ले लिया और दारूल हरब में पहुंच गये तो मुसलमानों को गुंजाइश है कि इन का पीछा न करें और जब काफ़िर लोग इन चीज़ों को लेकर दारूल हरब के क़िलओं व हिफ़ाज़त गाह में पहुंच गये पस मुसलमान लोग इन के पीछे वहां पहुंचे ताकि इन के साथ मुक़ाबला करें तो यह अफ़ज़ल हे और अच्छा काम ने इख़्तयार किया और अगर उन्होंने पीछा न किया छोड़ दिया तो मुझे उम्मीद है कि इस की गुंजाइश शरअन हो और ऐसी सूरत में ज़िम्मियों के बच्चे व औरतें व माल इस हुक्म में बमन्ज़िला मुसलमानों के बच्चे व औरतों व माल के हैं फिर वाज़ह रहे कि हर एक मुसलमान पर इन का पीछा करना जब फ़र्ज़ है कि जब इन को उम्मीद हो कि

ग़ज़ननबी वलइसा यमकुन वुजुदे अहद मिस्लहु फिल आलमीन मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन मिनल मलाइका वर्रूसुल वलजिन्ना वल उन्स कुल्लुहुम अजमईन(1) और इसका ज्ञान अल्लाह को ज़्यादा है।

अगर किसी व्यक्ति के पास दो अमानतें हों जिन के मालिक ग़ायब हों बस अगर उस ने किसी को उत्तराधिकारी बना दिया कि यह विशिष्ट अमानत इन के मालिकों को वापिस कर दे तो उस को अधिकार होगा कि जिहाद के लिए चला जाये यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। गुलाम को न चाहिए कि बिना अपने मालिक की आज्ञा जिहाद के लिए निकले अगर वह उरू राहिला (खाद्य सामग्री से लदा सवारी का जानवर/वाहन) का मालिक हो तो पिछड़ जाना जाइज़ नहीं है सिवाए उसके कि कोई स्पष्ट कारण हो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर मुश्रिक लोग मुसलमानों की ज़मीन में प्रवेश हुए और माल लेकर व औलाद व औरतें गिरफ्तार करके ले गये फिर मुसलमानों को इस का ज्ञान हुआ और उन को इन बहुदेववादियों पर शक्ति प्राप्त है तो इन पर अनिवार्य होगा कि इन काफ़िरों का पीछा करें यहाँ तक कि इन सब चीज़ों (माल व बच्चे व औरतों) को इन के हाथ से छुड़ा लें जब तक कि काफ़िर लोग इस्लामी शासन में हैं और जब वो ज़मीन हरब/ग़ैरइस्लामी शासित सीमा में प्रवेश हो गये तो भी बच्चों व औरतों के हित में यही आदेश है कि पीछा करके इन को छुड़ा लावें जब तक कि वे इनको ले कर अपने क़िलों व सुरक्षित जगह में नहीं प्रवेश होते हैं। अगर काफ़िरों ने केवल माल ही ले लिया और दारूल हरब/ग़ैरइस्लामी देश में पहुंच गये तो मुसलमानों को गुंजाइश है कि इन का पीछा न करें और जब काफ़िर लोग इन चीज़ों को लेकर दारूल हरब (वह देश जहाँ मुस्लिम शासन न हो और मुसलमानों को अपने धर्मानुसार कार्य करने की अनुमति नहीं होती) के क़िलों व सुरक्षित जगह में पहुंच गये बस मुसलमान लोग इन के पीछे वहाँ पहुंचे ताकि इन के साथ मुक़ाबला करें तो यह उत्तम है और उन्होने अच्छा काम किया और अगर उन्होंने पीछा न किया छोड़ दिया तो मुझे उम्मीद है कि इसकी गुंजाइश धर्मानुसार हो और ऐसी स्थिति में ज़िम्मियों/

काफ़िरों के अपने क़िलओं में घुस जाने से पहले इन तक पहुंच जाऐंगे।

हरबी = ग़ैर इस्लामी शासित देश का नागरिक
जुअल = मज़दूरी फ़ीस इनाम, कमीशन, महनताना

बैतुल माल में माल हो तो इमाम को सज़ावार नहीं है कि मालदारों पर ऐसा हुक्म जारी करे जिस से बदूं उन की ख़ुशी ख़ातिर के इन का कुछ माल ले लेः

अगर उन की ग़ालिब राये में यह अम्र हो कि न पहुंचेगे तो इन को गुंजाइश होगी कि अपने मक़ाम पर ठहरे रहें इन का पीछा न करें यह मुहीत में है इमाम मौहम्मद रह० कहते हैं कि इमामे आज़म रह० अबू हनीफ़ा रह० ने फ़रमाया कि जब तक मुसलमानों के वास्ते क़ुव्वते हो तब जआइल (एक मालदार ने दूसरे को ख़ार्चा व माल से मदद की कि तू जाकर जिहाद कर।) मकरूह (मददगारी माल) है और जब न हो तो मुज़ायक़ा नहीं है कि बाज़ को तक़वियत दें पस जब तजहीज़ लश्कर की हाजत पडे तो इस वक़्त देखा जाये कि अगर मुसलमानों के वास्ते क़िताल की क़ुव्वत हो यानी बैतुल माल में माल हो तो इमाम को सज़ावार नहीं है कि मालदारों पर ऐसा हुक्म जारी करे जिस से बदूं इन की ख़ुशी खातिर8 के इन का कुछ माल लेले हां अगर साहिबान माल ने ख़ुद अपनी ख़ुशी खातिर से जअल देना चाहा तो यह मकरूह नहीं है बल्कि यह तरीक़ा बेहतर व मरग़ूब फ़ीया है ख़्वाह बैतुल माल में माल हो या न हो (बहरहाल माल दारों का माली मदद करना बहुत पसन्दीदा है।) अगर मुसलमानों को क़ुव्वत क़िताल हासिल न हो बईं तौर कि बैतुल माल में माल न हो तो मुज़ायक़ा नहीं

(1) सग़ूर जमा सुग़रूर बंदियां जाये दो हरब जिस को हमारे उर्फ़ मैंघाटी बोलते हैं यानी वो खोख जिस की राह हो कर मख़फ़ी तौर पर दुश्मन पर ज़ाहिर हों।
(2) यानी सिवाए अरब से।

इस्लामी शासन में ग़ैर-मुस्लिम नागरिकों के बच्चे व औरतें व माल इस आदेश में क्रमशः मुसलमानों के बच्चे व औरतों व माल के हैं फिर स्पष्ट रहे कि हर एक मुसलमान पर इन का पीछा करना जब अनिवार्य है कि जब इन को उम्मीद हो कि काफ़िरों के अपने क़िलों में घुस जाने से पहले इन तक पहुंच जाऐंगे।

राजकोष में माल हो तो इमाम को उचित नहीं है कि मालदारों पर ऐसा आदेश जारी करे जिस से बग़ैर उनकी ख़ुशी/मर्ज़ी के उन का कुछ माल ले लेः

अगर उन की प्रबल राय में यह कार्य हो कि न पहुंचेगे तो उन को आज्ञा होगी कि अपने स्थान पर ठहरे रहें उन का पीछा न करें यह मुहीत में है, इमाम मुहम्मद रह० कहते हैं कि इमामे आज़म रह० अबू हनीफ़ा रह० ने फ़रमाया कि जब तक मुसलमानों के लिए शक्तियां हों तब जआइल (एक मालदार ने दूसरे को ख़र्चे व माल से सहायता की कि तू जाकर जिहाद कर) सहायता का माल मकरूह/नाजायज़ है और जब न हो तो कोई हानि नहीं है कि कुछ को शक्ति सहारा दें पस जब लश्कर को तैयारी की जरूरत पड़े तो उस समय देखा जाये कि अगर मुसलमानों के लिए युद्ध की शक्ति हो यानी सरकारी कोष में माल हो तो इमाम को मुनासिब नहीं है कि मालदारों पर ऐसा आदेश जारी करे जिस से बग़ैर उन की ख़ुशी/मर्ज़ी के उन का कुछ माल ले ले हाँ अगर माल वालों ने ख़ुद अपनी ख़ुशी/मर्ज़ी से युद्ध के लिए सहायता देना चाहा तो यह जाइज़ है बल्कि यह तरीक़ा बेहतर व प्रशंसनीय है भले ही सरकारी कोष में माल हो या ना हो। (बहरहाल मालदारों का आर्थिक मदद करना बहुत पसन्दीदा है।) अगर मुसलमानों को युद्ध शक्ति प्राप्त न हो इस तरह कि सरकारी कोष में माल न हो तो कोई हानि नहीं है कि मुसलमानो के इमाम/शासक मालदारों पर

(1) सग़ूर कुल सुग़र/तमाम सीमा रक्षा द्वार दो अलग फ़ौजों के बीच हो जिस को हमारे उपनाम में घाटी बोलते हैं यानी वह खोख जिस के रास्ते हो कर चोरी छुपे तौर पर दुश्मन पर घात करें।
(2) यानी सिवाए अरब से।

है कि इमामुल मुस्लिमीन मालदारों पर इस क़द्र माल देने का जो जिहाद के वास्ते जाने वालों के लिए काफ़ी हो हुक्म के फिर जो शख़्स अपनी जान व माल से जिहाद करने पर क़ादिर हो इस पर अपनी जान व माल से जिहाद करना वाजिब है। जो शख़्स अपनी ज़ात से जाने से आजिज़ (1) है और उस के पास माल है तो उस पर वाजिब है कि अपने माल से बजाये अपने किसी दूसरे को जिहाद के वास्ते रवाना करे पस इन दोनों में से एक अपनी जान से और दूसरा अपने माल से जिहाद करने वाला हो जायेगा।

जो शख़्स अपनी ज़ात से जाने पर क़ादिर है व लेकिन इस के पास माल नहीं है पस अगर बैतुल माल में माल हो तो इमामुल मुस्लिमीन इस को बक़द्र किफ़ायत के बैतुल माल सें दे देगा और जब इमाम ने इस को बैतुल माल से क़द्र किफ़ायत दे दिया तो फिर इस को रवा नहीं है कि किसी दूसरे से भी जअल ले। अगर बैतुल माल में माल न हो या मगर इमाम ने इस को नहीं दिया तो इस को रवा है कि दूसरे से जअल ले कर जिहाद को जाये यह ज़ख़ीरा में है। अगर ज़ैद ने उमरो को जअल दिया कि मेरी तरफ़ से जिहाद करे पस अगर ज़ैद ने जअल देने के वक्त यह लफ़्ज़ कहा हो कि इस माल से मेरी तरफ़ से जिहाद कर तो उमरो को यह इख़्तयार न होगा कि इस सिवाए जिहाद के बऔर जगह इस माल को सर्फ़ करे हत्ता कि इस को यह इख़्तयार हासिल न होगा कि इस से अपना ज़ाती क़र्ज़ा अदा करके जिहाद को जाये और अपने बाल बच्चों का नफ़क़ा इस में से छोड जाये और अगर ज़ैद ने इस से यूं कहा हो कि यह तेरे वास्ते है तो इस से जिहाद कर तो उमरो को रवा होगा कि इस माल को ग़ैर जिहाद में भी सर्फ़ करे जैसे इस को जिहाद में सर्फ़ कर सकता है यह हुक्म शैख़ुल इस्लाम ने शरह सियर कबीर में और शम्सुल अइम्मा सुरख़ी ने शरह सियर सग़ीर में ज़िक्र फ़रमाया है और शैख़ुल इस्लाम ने शरह सियर सग़ीर में ज़िक्र फ़रमाया कि उमरो को दोनों सूरतों में इख़्तयार है कि इस माल में से कुछ अपने बाल बच्चों को नफ़क़ा के वास्ते छोड जाये इस वास्ते कि इस का जिहाद का जाना बदूं इसके बन नहीं पडेगा फिर यह

इतना माल देने का जो जिहाद के लिए जाने वालों के लिए काफ़ी हो आदेश करें फिर जो व्यक्ति अपनी जान व माल से जिहाद करने पर समर्थ हो उस पर अपनी जान व माल से जिहाद करना अनिवार्य है। जो व्यक्ति अपने आप के ख़र्चे से जाने से अक्षम (1) है और उस के पास माल है तो उस पर अनिवार्य है कि अपने माल से, बजाये अपने किसी दूसरे को जिहाद के लिए रवाना करे बस इन दोनों में से एक अपनी जान से और दूसरा अपने माल से जिहाद करने वाला हो जायेगा।

जो व्यक्ति अपने अस्तित्व से जाने पर समर्थ है लेकिन इस के पास माल नहीं है पस अगर सरकारी कोष में माल हो तो मुसलमानों के इमाम इस को ज़रूरत के अनुसार सरकारी कोष से दे देगा और जब इमाम ने इस को सरकारी कोष से ज़रूरत के अनुसार दे दिया तो फिर इस को उचित नहीं है कि किसी दूसरे से भी सहायता ले। अगर सरकारी कोष में माल न हो या मगर इमाम ने उस को नहीं दिया तो इस को उचित है कि दूसरे से सहायता ले कर जिहाद को जाये यह ज़ख़ीरा में है। अगर ज़ैद ने उमर को युद्ध के लिए महनताना दिया, कि मेरी तरफ़ से जिहाद करे बस अगर ज़ैद ने महनताना देने के समय यह शब्द कहे हों कि इस माल से मेरी तरफ़ से जिहाद कर तो उमर को यह अधिकार न होगा कि उससे सिवाए जिहाद के कहीं और जगह इस माल को ख़र्च करे यहां तक कि इस को यह अधिकार प्राप्त न होगा कि इस से अपना व्यक्तिगत क़र्ज़ दे करके जिहाद को जाये और अपने बाल बच्चों का खान-पान इस में से छोड़ जाये और अगर ज़ैद ने इस से यूं कहा हो कि यह तेरे लिए है तो इस से जिहाद कर तो उमर को उचित होगा कि इस माल को ग़ैर जिहाद में यानी अपने व्यक्तिगत ख़र्चों में भी ख़र्च करले जैसे इस को जिहाद में ख़र्च कर सकता है यह आदेश शैख़ुल इस्लाम ने शरह सैरे कबीर में और शम्सुल अइम्मा सरखी ने शरह सैरे सग़ीर में वर्णन फ़रमाया है और शैख़ुल इस्लाम ने शरह सैरे सग़ीर में वर्णन किया कि उमर को दोनों स्थितियों में अधिकार है कि उस माल में से कुछ अपने बाल बच्चों के खान-पान के लिए छोड़ जाये इस लिए कि उसका जिहाद को जाना

मअनी जिहाद के आमाल (1) में से है। अगर ज़ैद ने उमरो को अपनी तरफ़ से जिहाद के वास्ते जअल दिया फिर उमरो को अज़ क़िसम मर्ज़ वग़ैरह कोई ऐसा उज़र पर पैश आता जिस से वो ख़ुद न जा सका आर इस ने चाहा कि बजाये अपने किसी दूसरे को जिस क़द्र माल लिया है इस से कम दे कर जिहाद करने के लिए रवाना करे तो इस में कुछ मुज़ायक़ा नहीं व लेकिन जो कुछ माल बचा लिया है इस की निस्बत अगर इस की यह मुराद है कि इस को अपनी ज़ात के वास्ते नहीं बचाये रखता हूं बल्कि बैतुल माल में दाखिल कर दूंगा तो बचा लेने में कुछ मुज़ायक़ा नहीं है।

अगर किसी मुसलमान ने दूसरे मुसलमान के वास्ते किसी क़द्र जुअल की शर्त की बइर्द तौर कि किसी काफ़िर हरबी को क़त्ल करदे पस इसने क़त्ल कर दिया तो इस में कुछ मुज़ायक़ा नहीं :

अगर इस की मुराद यह है कि इस को अपनी ज़ात के वास्ते बचा लूं तो देखना चाहिए कि अगर ज़ैद ने जअल देने के वक्त उमरो से यूं कहा था कि इस माल से मेरी तरफ़ से जिहाद कर तो उमरो को यह इख़्तयार न होगा कि बचे हुए माल को अपनी ज़ात के वास्ते रख ले और अगर यूं कहा हो कि यह माल तेरा है तो इस जिहाद को तो उमरो को इख़्तयार होगा कि बचे हुए को अपनी ज़ात के वास्ते रख ले और यह ज़ाहिर है कि क्या तू नहीं देखता है कि इस सूरत में तो इस के वास्ते यह जाइज़ है कि सब माल अपनी ज़ात के वास्ते रख ले जिहाद न करे। अगर किसी मुसलमान ने दूसरे मुसलमान के वास्ते किसी क़द्र जअल की शर्त की बई तौर कि किसी काफ़िर हरबी को क़त्ल करदे पस इस ने क़त्ल कर

(1) मैमना वो फ़ौज जो सफ़ क़िताल में दाऐं जानिब मुक़र्रर की जाती है इसी तरह मैयसरा जो बाऐं जानिब मुक़र्रर होती है।
(२)वो लोग अपने मरकज़ पर क़ायम रहें तरतीब सफ़ न बदलती हो कि जिस से लश्कर बिल्कुल दिरहम बरहम हो जाये।

बिना उसके बन नहीं पड़ेगा फिर यह अर्थ जिहाद के कार्यों (1) में से है। अगर ज़ैद ने उमर को अपनी ओर से जिहाद के लिए जअल/महनताना/आर्थिक सहायता दी फिर उमर को किसी तरह का रोग आदि कोई ऐसा कारण पेश आया जिस से वह ख़ुद न जा सका और इस ने चाहा कि बजाये अपने किसी दूसरे को जिस क़द्र माल लिया है इससे कम देकर जिहाद करने के लिए रवाना करे तो इसमें कुछ हानि नहीं, लेकिन जो कुछ माल बचा लिया है इस की तुलना में अगर उस का यह मतलब है कि इस को अपने आप के लिऐ नहीं बचाये रखता हूं बल्कि सरकारी कोष में जमा कर दूंगा तो बचा लेने में कुछ हानि नहीं है।

अगर किसी मुसलमान ने दूसरे मुसलमान के लिए किसी क़द्र जिहाद के लिए महनताने की शर्त/प्रतिज्ञा इस तरह की कि किसी काफ़िर हरबी को क़त्ल करदे बस इसने क़त्ल कर दिया तो इस में कुछ हानि नहीं :

अगर उस का मतलब यह है कि इस माल को अपने आप के लिए बचा लूं तो देखना चाहिए कि अगर ज़ैद ने जअल/जिहाद के लिए माल व ख़र्चा देने के समय उमर से यूं कहा था कि इस माल से मेरी तरफ़ से जिहाद/युद्ध कर, तो उमर को यह अधिकार न होगा कि बचे हुए माल को अपनी आप के लिए रख ले और अगर यूं कहा हो कि यह माल तेरा है, तो उमर को अधिकार होगा कि बचे हुए माल को अपने लिए रख ले और यह ज़ाहिर है कि क्या तू नहीं देखता है कि इस स्थिति में तो इस के लिए यह जाइज़ है कि सब माल अपने लिए रख लें जिहाद न करे। अगर किसी मुसलमान ने दूसरे मुसलमान के लिए किसी क़द्र जुअल/युद्ध पर जाने की मज़दूरी का नियम इस तरह है कि किसी काफ़िर हरबी

(1) मैमना वो फ़ौज जो युद्ध में दाऐं ओर नियुक्त की जाती है इसी तरह मैयसरा जो बाईं ओर नियुक्त होती है।
(2) वो लोग अपने केंद्र पर स्थापित रहें क्रमबद्धता न बदलती हो कि जिस से लश्कर बिल्कुल दिरहम बरहम हो जाये।

दिया तो इस में कुछ मुज़ायक़ा नहीं है और इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि शर्त को देने वाले को लाज़िम है कि इस ने जो शर्त कर दी है यानी देने माल की वो पूरी कर दे तो लेकिन हुक्म क़ज़ाअन में इस पर अदा करने के वास्ते जबर न किया जायेगा और बाज़ मशाइख ने फ़रमाया कि यह जो किताब में मज़कूर है यह खास्सतन इमाम मुहम्मद रह० का क़ौल है और इमामे आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार यह शर्त जाइज़ नहीं है और बाज़ मशाइख ने फ़रमाया कि यह बिल इजमाअ (वहाज़ा उल असह।) जाइज़ है यह मुहीत में है। अगर अमीर लश्कर ने किसी मज़दूर को इस के अजरूल मिस्ल से इस क़द्र ज़ायद पर कि लोग अपने अन्दाज़े में इतना नुक़सान नहीं उठाते हैं मुक़र्रर किया पस अजीर ने काम किया और मुद्दत पूरी हो गई तो अजरूल मिस्ल से जिस क़द्र मज़दूरी ज़्यादा क़रार दी है वो ज़्यादती बातिल है और अगर अमीर लश्कर या क़ाज़ी ने कहा कि मैंने इस को इस तरह मुक़र्रर किया हालांकि मैं जानता था कि नहीं चाहिए तो पूरी उजरत इस मुक़र्रर करने वाले को माल में से होगी और अगर अमीर लश्कर ने किसी मुसलमान या ज़िम्मी से कहा कि अगर तूने इस सवार को क़त्ल किया तो तेरे वास्ते सौ दिरहम हैं पस इस ने क़त्ल किया तो इस को कुछ न मिलेगा और अगर हरबी कुफ़्फ़ार मक़तूल पड़े हों पस अमीर लश्कर ने कहा कि जो इन के सर काटे उस के वास्ते दस दिरहम उजरत है तो यह जाइज़ है। काफ़िरों के सरों का दारूल इस्लाम में लाद लाना मकरूह है यह मुज़मिरात में है।

इमामुल मुस्लिमीन पर वाजिब है सुग़ूर मुस्लिमीन (1) को क़िलआ बन्द करे और दरवाज़ा हाये सग़ूर पर लश्कर मुतअयन करे ताकि कुफ़्फ़ार को बलाद उल मुस्लिमीन में वक़ूफ़ से मानअ हों और इन को मिक़वद करें यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है। अगर इमाम कोई लश्कर रवाना करे तो चाहिए कि उन पर कोई शख़्स

(1) हक़ीक़तन झंड़े के साये में मुराद नहीं है बल्कि यह मुराद है कि उस की मईय्यत में जाएँ।

को क़त्ल करदे बस इस ने क़त्ल कर दिया तो इस में कुछ हानि नहीं है और इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि नियम करने वाले को ज़रूरी है कि इसने जो विधिवत किया है यानी माल देने की शर्त वो पूरी कर दे तो, लेकिन प्रशासनिक निर्देश में इस पर माल देने के लिए मजबूर न किया जायेगा और कुछ विद्वानों ने फ़रमाया कि यह जो किताब में वर्णित है यह विशेषकर इमाम मुहम्मद रह० का कथन है और इमामे आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार यह शर्त जाइज़ नहीं है और कुछ विद्वानों ने फ़रमाया कि यह सर्वसम्मत जाइज़ है (यही सही है) यह मुहीत में है। अगर लश्कर के कमांडर ने किसी मज़दूर को इसको इतने ज़्यादा महनताना जैसे पर यानी इतने ज़्यादा पर कि लोग अपने अन्दाज़े में इतना नुक़सान नहीं उठाते हैं नियुक्त किया बस नौकर ने काम किया और समय सीमा पूरी हो गई तो महनताने जैसा से जिस क़द्र मज़दूरी ज़्यादा क़रार दी है वो ज़्यादती अमान्य है और अगर लश्कर कमांडर या न्यायाधीश ने कहा कि मैंने इस को इस तरह नियुक्त किया हालांकि मैं जानता था कि नहीं चाहिए तो पूरा महनताना इस नियुक्त करने वाले के माल में से होगा और अगर लश्कर कमांडर ने किसी मुसलमान या ग़ैर मुस्लिम नागरिक से कहा कि अगर तूने इस सवार को क़त्ल किया तो तेरे लिए सौ दिरहम हैं बस इस ने क़त्ल किया तो इस को कुछ न मिलेगा और अगर हरबी कुफ़्फ़ार मक़तूल/वधित पड़े हों बस अमीर लश्कर ने कहा कि जो इन के सर काटे उसके लिए दस दिरहम मज़दूरी है तो यह जाइज़ है। काफ़िरों के सरों का दारूल इस्लाम में लाद लाना मकरूह/प्रतिबंधित/नाजायज़ है यह मुज़मिरात में है।

मुसलमानों के इमाम पर अनिवार्य है सुग़ूरे मुस्लिमीन/सीमा की सुरक्षा चौकी (1) को क़िला बन्द करे और देश द्वार सीमा की सुरक्षा चौकियों पर लश्कर नियुक्त करे ताकि कुफ़्फ़ार को मुस्लिम देश में ठहरने से रोकते हों और इन से रक्षा करें यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है। अगर इमाम कोई लश्कर रवाना करे तो चाहिए कि

(1) हक़ीक़तन झंड़े के साये में मतलब नहीं है बल्कि मतलब यह है कि उस की मईय्यत/साथ/संग में जाएँ।

अमीर मुक़र्रर करदे और ऐसे ही आदमी को उन पर अमीर मुक़र्रर करे जो उस के वास्ते सॊलह व लायक़ हो यानी लडाई के काम में ख़ुश तदबीर हो और परहेज़गार हो और लश्करियों पर शफ़क़त करने वाला हो और सख़ी हो और शुजाअ हो और जब इस तौर पर इन पर कोई अमीर मुक़र्रर किया तो चाहिए कि इन योद्धाओं के वास्ते इस को वसियत (होशियारी व भलाई व शफ़क़त वग़ैरह की) करदे यह मबसूत में है। जब शराइत सरदारी के आदमी में जमा हों तो इमामुल मुस्लिमीन को चाहिए कि इस को अमीर मुक़र्रर करदे ख़्वाह वो क़ुरैशी हो या और क़बीला अरब से वो या नबती अज़ मवाली (2) हो यह मुहीत में है। यह रवा है कि अगर इमाम किसी फ़ासिक़ को तदबीर लडाई में ज़्यादा लायक़ पाये तो इस को अमीर मुक़र्रर करदे यह इताबिया में है। इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि जब अमीर लश्कर ने लश्कर को किसी बात का हुक्म दिया तो लश्कर पर वाजिब है कि इस बात में इस की इताअत करें इल्ला आँकि बिल यक़ीन यह बात गुनाह हो और वाज़ह हो कि इस मसले की तीन सूरतें हैं एक यह कि अहले लश्कर बयक़ीन यह जानते हों कि अमीर ने जिस बात का हुक्म किया है इस में हम को नफ़ा पहुंचेगा मसलन अमीर लश्कर ने इन को हुक्म किया कि अभी क़िताल शुरू न करो और इन को बयक़ीन मालूम हुआ कि अभी क़िताल शुरू न करने में हमारा नफ़ा है बईं तौर कि बयक़ीन मालूम है कि फ़िल हाल हम अहले हरब से मुक़ाबला की ताक़त नहीं रखते हैं और जानते हैं कि हमारे पीछे दूसरे लश्कर है कि वो फ़िल हाल में हमारे साथ मिल जायेगा और क़ुव्वत बढ़ जायेगी पस जब ऐसी सूरत है तो बिल यक़ीन फ़िल हाल क़िताल का तर्क करना अहले लश्कर के हक़ में नाफ़े है तो इस सूरत में अमीर लश्कर की इताअत करें।

(2)माह महाऐ हराम चार माह में रजब, ज़ी क़अदा, ज़िल हिज्जा, मोहर्रम।

(३) मुसन्निफ़ ने कहा कियह कथन मौहम्मद रह० का है लेकिन दूसरों के अनुसार जाइज+ न होगा मगर इसी सूरत में कि वो तीन हों औरयह असह है।

उन पर कोई व्यक्ति कमांडर नियुक्त करदे और ऐसे ही आदमी को उन पर कमांडर नियुक्त करे जो उस के लिए सदाचारी व लायक़ हो यानी लड़ाई के काम में सूझबूझ युद्ध रणनीति वाला हो और परहेज़गार हो और लश्करियों पर कृपा करने वाला हो और उदार हो और बहादुर हो और जब इस तरह का इन पर कोई कमांडर नियुक्त किया, तो चाहिए कि इन योद्धाओं के लिए उस को हितोपदेश (होशियारी व भलाई व दया, कृपा आदि के) द `दे, यह मबसूत में है। जब सरदारी के नियम आदमी में जमा हों तो मुसलमानों के इमाम को चाहिए कि इस को कमांडर नियुक्त करदे भले ही वह क़ुरैशी हो या किसी और क़बीला अरब से हो या नबती/ग़ैर अरब उक्त जाति के दोस्तों में से (2) हो यह मुहीत में है। यह उचित है कि अगर इमाम किसी झूठे को युद्ध रणनीति में ज़्यादा लायक़ पाये तो इस को कमांडर नियुक्त करदे यह इताबिया में है। इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि जब लश्कर के कमांडर ने लश्कर को किसी बात का आदेश दिया तो लश्कर पर अनिवार्य है कि इस बात में इसका आज्ञापालन करें सिवाए यह कि यक़ीन हो कि यह बात पाप है और स्पष्ट हो कि इस मसले की तीन सूरतें हैं एक यह कि लश्कर वाले यक़ीन से यह जानते हों कि कमांडर ने जिस बात का आदेश किया है इस में हम को लाभ पहुंचेगा मिसाल के तौर पर फ़ौज के कमांडर ने इन को आदेश किया कि अभी युद्ध शुरू न करो और इन को विश्वास हुआ कि अभी युद्ध शुरू न करने में हमारा लाभ है इस तरह कि पूर्ण विश्वास है कि फ़िलहाल हम उन योद्धाओं से मुक़ाबला की शक्ति नहीं रखते हैं और जानते हैं कि हमारे पीछे दूसरे लश्कर हैं कि वो फ़िलहाल हमारे साथ मिल जायेगा और शक्ति बढ़ जायेगी बस जब ऐसी स्थिति है तो विश्वास से फ़िलहाल युद्ध विराम करना फ़ौज के हित में लाभदायक है तो इस स्थिति में लश्कर के कमांडर के आज्ञाकारी रहें।

(2) प्रतिबंधित/सम्मानित चार महिने हैं रजब, ज़ी क़अदा, ज़िल हिज्जा, और मोहर्रम।

(३) लेखक ने कहा कि यह कथन मुहम्मद रह० का है लेकिन दूसरों के अनुसार जाइज+ न होगा मगर इसी सूरत में कि वो तीन हों और यह सही है।

शक है कि नफ़ा होगा या ज़रर होगा दोनों तरफ़ अहतमाल बराबर हो तो अमीर के हुक्म की इताअ़त करें :

दोम आँकि इन को बयक़ीन मालूम हो कि जिस अम्र का हुक्म देता है इस से हमारा ज़रर है मसलन मिसाल मज़कूरह में देखते हों अहले हरब हम से फ़िल हाल नहीं लड सकते हैं और ताख़ीर क़िताल में अनक़रीब इन की मदद आ जायेगी जिस से हमारा इन से मुक़ाबला करना दुशवार हो जायेगा और हम को ज़रर पहुंचेगा और यह यक़ीन हो तो अमीर लश्कर की इताअ़त न करें और सोम आँकि अहले लश्कर को शक हो जिस अम्र का हुक्म देता है कि इस में ज़रर होगा या नफ़ा होगा दोनों तरफ़ अहतमाल यक्सां हो किसी अम्र का इन को यक़ीन न हो तो अहले लश्कर पर इस के क़ौल की इताअ़त वाजिब है और इसी तरह अगर अमीर लश्कर ने इन को क़िताल करने का हुक्म दिया और वो जानते हैं कि बयक़ीन हम को नफ़ा पहुंचेगा या इस में इन को शक है कि नफ़ा होगा या ज़रर होगा दोनों तरफ़ अहतमाल बराबर हो तो अमीर के हुक्म की इताअ़त करें और अगर बयक़ीन जानते हों कि हम को नफ़ा हासिल न होगा बल्कि ज़रर पहुंचेगा तो इस में इस के क़ौल की इताअ़त न करें। अगर अहले लश्कर बाहम मुख़्तलिफ़ हों बाज़ कहते हैं कि इस में हलाकत है और बाज़ कहते हैं कि इस में नजासत है और किसी गुमान को दोनों गुमानों में दूसरे पर तरजीह न हुई बल्कि शक रहा तो अहले लश्कर पर अमीर की इताअ़त वाजिब है। अगर अमीर लश्कर ने लश्कर को किसी बात का हुक्म दिया और लश्कर में से एक ने नाफ़रमानी की तो इस को अव्वल बारी में तादीब न करेगा यानी सज़ा न देगा बल्कि इस को नसीहत व फ़हमाइश कर देगा ताकि फिर ऐसा न करे फिर अगर इस के बाद इस ने दोबारह ऐसी हरकत की तो इस को तादीब करेगा इल्ला आँकि वो कोई उज़र बयान करे तो अल्बत्ता इस को छोड देगा व लेकिन इस से ख़ुदा की

(1) मसलन दुशमन चढ़ आया तो हम इन के मददगार होंगे।
(2) तुम हमारी ज़िम्मेदारी में हो जज़या दिया करो।

शक है कि लाभ होगा या क्षति होगी दोनों ओर बराबर संभावना हो तो कमांडर के आदेश का पालन करें :

दूसरे वह कि इन को पूर्ण विश्वास हो कि जिस कार्य का आदेश देता है इस से हमारी क्षति है मिसाल के तौर पर युद्ध करने वाले हम से फ़िलहाल नहीं लड़ सकते हैं और युद्ध में देरी की तो जल्द ही उन की मदद आ जायेगी जिससे हमारा इनसे मुक़ाबला करना कठिन हो जायेगा और हम को क्षति पहुंचेगी और यह विश्वास हो तो लश्कर के कमांडर का पालन न करें और तीसरे वह कि फ़ौज को शक हो जिस कार्य का आदेश देता है उस में क्षति होगी या लाभ होगा दोनों ओर बराबर की संभावना हो किसी काम का उन को विश्वास न हो तो फ़ौज पर इसके कथन का पालन अनिवार्य है और इसी तरह अगर फ़ौज के कमांडर ने इन को युद्ध करने का आदेश दिया और वे विश्वास पूर्ण जानते हैं कि हम को लाभ पहुंचेगा या इस में इन को शक है कि फ़ायदा होगा या क्षति होगी दोनों तरफ़ बराबर संभावना हो तो कमांडर के आदेश का पालन करें और अगर पूर्ण विश्वास से जानते हों कि हम को लाभ प्राप्त न होगा बल्कि क्षति पहुंचेगी तो इस में इसके कथन का पालन न करें। अगर फ़ौज में आपसी मतभेद हों कुछ कहते हैं कि इस में मृत्यु है और कुछ कहते हैं कि इस में मलिनता है और किसी गुमान को दोनों गुमानों में दूसरे पर वरीयता न हुई बल्कि शक रहा तो पूरे लश्कर पर कमांडर के आदेश का पालन अनिवार्य है। अगर फ़ौज के कमांडर ने फ़ौज को किसी बात का आदेश दिया और लश्कर में से एक ने अवज्ञा की तो इस को पहली बारी में अनुशासनहीनता नहीं करेगा यानी सज़ा न देगा बल्कि इस को नसीहत व समझाएगा ताकि फिर ऐसा न करे, फिर अगर उसके बाद उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो उस को अनुशासहीन घोषित कर सज़ा देगा सिवाए यह कि वह कोई उचित कारण बयान करे तो इस को छोड़ देगा लेकिन उससे

(1) उदाहरण दुशमन चढ़ आया तो हम इन के सहायक होंगे।
(2) तुम हमारी ज़िम्मेदारी में हो जज़या/टैक्स दिया करो।

क़सम ले लेगा कि मैंने ऐसी हरकत बउज़्र की है इस वास्ते कि वो ऐसी बात का दावा करता है जो इस पर वजूब तअज़ीर से मानअ है।

इस का सबूत इसी के क़ौल से होता है पस वो अपने क़ौल में बदूं क़सम कि सच्चा नहीं क़रार दिया जायेगा और अगर अमीर लश्कर ने लश्कर की तरतीब सफ़ बन्दी में यूं किया कि साक़ा में अक़वाम मुअय्यन की ख़ुसूसियत कर दी और मैमना (1) और मैयसरा में भी यूं ही किया कि मैमना चन्द अक़वाम खास के वास्ते और मैयसरा चन्द अक़वाम खास दीगर के वास्ते मुअय्यन कर दी फिर दुश्मन ने साक़ा पर हमला किया और बहुत सख़्ती से मुक़ातिला किया और ममैना व मयैसरा वालों को अहले साक़ा के हक़ में सख़्ती व शिकत का खौफ़ लाहक़ हुआ तो मुज़ायक़ा नहीं है कि वो लोग साक़ा की मदद के वास्ते साक़ा में चले जाऐं। और इस वक्त है कि इस से इन के मराकिज़ में (2) खलल न पड़ता हो और अगर इस से इन के मराकिज़ में खलल पड़ता हो तो अहले साक़ा को मदद देना न चाहिए और अगर अमीर लश्कर ने इन को हुक्म दिया हो कि अपने मरकज़ों से जुम्बिश करके न जाऐं और मना कर दिया कि कोई दूसरे को मदद न दें तो इन को न चाहिए कि अहले साक़ा को मदद दें अगरचे वो अपनी जानिब से बेख़ौफ़ हों और अहले साक़ा के हक़ में ख़ौफ़ करते हैं और अगर इमाम ने अहले लश्कर को मना कर दिया कि जानवरों के चारा के वास्ते न निकलें तो इन को निकलना न चाहिए ख़्वाह अहले मनअत हों या न हों यानी इतने लोग कि मकर दुशमन को दूर कर सकते व रोक सकते हों या ऐसे न हों तो दोनों यक्सां हैं व लेकिन इमाम ने जब इन को चारा के वास्ते जाने से मना किया तो इमाम को चाहिए कि लश्कर में से एक क़ौम को चारा के वास्ते रवाना करे और इन पर एक शख्स अमीर मुक़र्रर कर दे कि वो तमाम लश्कर के वास्ते चारा लादें और अगर इमाम ने किसी को न भेजा और लश्कर को चारा की ज़रूरत लाहक़ हुई और उन को अपनी जानों और अपनी

(4)कफ़्फ़ार के साथ लड़ाई करने की हालत में अगर हमला किया और इस हमले में इन की औरतें व बच्चे भी क़तील हु तो वो इन के ज़ामिन नहीं होते हैं लेकिन अमदन क़त्ल किये जायेंगे।

ख़ुदा की क़सम लेगा कि मैंने ऐसी हरकत इस कारणवश की है इसलिए कि वह ऐसी बात का दावा करता है जो इस पर दंड आवश्यक नहीं है।

इस का सबूत इसी के कथन से होता है बस वह अपने कथन में बजाए कसम के सच्चा नहीं क़रार दिया जायेगा और अगर कमांडर लश्कर ने लश्कर की क्रमबंदी /सफ़बन्दी में यूं किया कि साक़ा(फ़ौज का हृदय/सेना का वह भाग जो पीछे रहता है) में निश्चित क़ौम/योद्धाओं की विशेषता कर दी और मैमना (1) और मैयसरा में भी यूं ही किया कि मैमना कुछ विशेष क़ौम के लिए और मैयसरा कुछ दूसरी विशेष क़ौम के लिए निश्चित कर दी फिर दुश्मन ने साक़ा/सेना के हृदय पर हमला किया और बहुत कठोरता से युद्ध किया और मैमना व मैयसरा वालों को पीछे वालों के हित में कठोर व बल का भय हुआ हो तो कोइ हानि नहीं है कि वो लोग साक़ा की मदद के लिए पीछे चले जाएं और यह उस समय है कि उससे इन के केंद्र में (2) बिगाड़ न होता हो और अगर इस से उन के केंद्र में बिगाड़ होता हो तो पीछे वालों को मदद नहीं देनी चाहिए और अगर फ़ौज के कमांडर ने इन को आदेश दिया हो कि अपने केंद्रों से हट करके न जाऐं और मना कर दिया कि कोई दूसरे को सहायता न दें तो इन को न चाहिए कि पीछे वालों को मदद दें चाहे वह अपनी ओर से बेख़ौफ़ हों और पीछे वाली सेना की लिऐ डरते हैं और अगर इमाम ने सेना को मना कर दिया कि जानवरों के चारे के लिए न निकलें तो इन को निकलना नहीं चाहिए भले ही उनके पास सामान हो या न हो यानी इतने लोग कि चालाक दुशमन को दूर कर सकते व रोक सकते हों या ऐसे न हों तो दोनों बराबर हैं व लेकिन इमाम ने जब उन को चारे के लिएजाने से मना किया तो इमाम को चाहिए कि लश्कर में से एक क़ौम को चारे के लिएरवाना करे और इन पर एक व्यक्ति कमांडर नियुक्त कर दे कि वे तमाम लश्कर के लिएचारा लादें और अगर इमाम ने किसी को न भेजा और लश्कर के घोड़ों को चारे की ज़रूरत हुई और उन को अपनी

(4) कफ़्फ़ार के साथ लड़ाई करने की हालत में अगर हमला किया और इस हमले में उन की औरतें, बच्चे भी क़त्ल हुए तो वे उन के उत्तरदायी नहीं होते हैं लेकिन निश्चयपूर्वक क़त्ल न किये जायेंगे।

सवारियों के हक़ में ख़ौफ़ लाहक़ हो और उन के पास इस क़द्र नहीं है कि जिस से चारा खरीदें तो मुज़ायक़ा नहीं है कि वो चारा के वास्ते जाऐं अगरचे इस में अमीर लश्कर की नाफ़रमानी है।

तीर अन्दाज़ी से लड़ाई नहीं कर सकता है तो मुज़ायक़ा नहीं है कि जो काफ़िर तीर अन्दाज़ी करता है इस के सामने से फ़रार कर जाये :

अगर अमीर लश्कर ने हुक्म दे दिया कि कोई शख़्स चारा के वास्ते न जाये इल्ला फ़लां शख़्स के झण्डे के नीचे हो कर तो अहले लश्कर को चाहिए कि उस की शर्त का लिहाज़ रखें कि उसी के झण्डे के नीचे जाऐं (1) और इसी तरह अगर अमीर लश्कर ने बईं इबारत कहा कि जो शख़्स चारा के वास्ते जाना चाहे तो उस को चाहिए कि फ़लां के झण्डे के नीचे होकर जाये तो भी चाहिए कि इसी के झण्डे के नीचे जाऐं यह मुहीत में है। माह हाये (2) हराम में क़िताल करना रवा है और इन महीनों में क़िताल से जो मुमानिअत की गई थी वो मन्सूख हो गई है। अगर मुसलमानों की तअदाद काफ़िरों की तअदाद से निस्फ़ हो तो मुसलमानों को इन की लड़ाई से भाग जाना हलाल नहीं है और यह हुक्म इस वक्त है कि इन लोगों के साथ हथियार हों। तो जिस के पास हथियार न हों इस को मुज़ायक़ा नहीं है कि वो ऐसे काफ़िर के रूबरू से जिस के पास हथियार हैं दूर भाग जाये और इसी तरह अगर इस के पास तीर अन्दाज़ी का आला न हो यानी तीर अन्दाज़ी से लड़ाई नहीं कर सकता है तो मुज़ायक़ा नहीं है कि जो काफ़िर तीर अन्दाज़ी करता है उस के सामने से फ़रार कर जाये और अली हाज़ा मुज़ायक़ा नहीं है कि एक आदमी तीन काफ़िरों के मुक़ाबले से फ़रार करे यह मुहीत सुरखी में है। जब

(1)मन्जनीक़ वो आला जिस के ज़रिये से बडे बडे पत्थर वग़ैरह दुश्मनों की तरफ़ फेंकते हैं हिन्दी में इस को वमअलवांसी कहते हैं और अब इस ज़माने में इन का चलन नहीं क्योंकि बजाये इस के तोप से जो काम निकलता है वो इस से नहीं मुमकिन था।

जानों और अपनी सवारियों के हक़ में भय हुआ हो और इन के पास इस क़द्र माल नहीं है कि जिस से चारा खरीदें तो कोई हानि नहीं है कि वे चारे के लिएजाऐं चाहे इस में लश्कर कमांडर की नाफ़रमानी है।

तीर अन्दाज़ी से लड़ाई नहीं कर सकता है तो कोई हानि नहीं है कि जो काफ़िर तीर अन्दाज़ी करता है उस के सामने से भाग जाये :

अगर लश्कर कमांडर ने आदेश दे दिया कि कोई व्यक्ति चारे के लिए न जाये सिवा फ़लां व्यक्ति के झण्डे के नीचे हो कर, तो लश्कर वालों को चाहिए कि उस के नियमों की लाज रखें कि उसी के झण्डे के नीचे जाऐं (1) और इसी तरह अगर लश्कर कमांडर ने इस लिखित बयान में कहा कि जो व्यक्ति चारे के लिएजाना चाहे तो उस को चाहिए कि फ़लां के झण्डे के नीचे होकर जाये तो भी चाहिए कि इसी के झण्डे के नीचे जाऐं यह मुहीत में है। प्रतिबंधित/सम्मानित महिनों (2) में युद्ध करना उचित है और इन महीनों में युद्ध से जो मनाही की गई थी वह रद्द हो गई है। अगर मुसलमानों की संख्या काफ़िरों की संख्या से आधी हो तो मुसलमानों को उन की लड़ाई से भाग जाना जायेज़ नहीं है और यह आदेश इस समय है कि उन लोगों के साथ हथियार हों। तो जिस के पास हथियार न हों इस को कोई हानि नहीं है कि वह ऐसे काफ़िर के सामने से जिस के पास हथियार हैं दूर भाग जाये और इसी तरह अगर इस के पास तीर अन्दाज़ी का कमान न हो यानी तीर अन्दाज़ी से लड़ाई नहीं कर सकता है तो काई हानि नहीं है कि जो काफ़िर तीर अन्दाज़ी करता है उस के सामने से फ़रार कर जाये, और कोई हानि नहीं है कि एक आदमी तीन काफ़िरों के मुक़ाबले से फ़रार करे यह मुहीत सुरखी में है। जब

(1)मन्जनीक़ वे यंत्र जिस के ज़रिये से बड़े बड़े पत्थर आदि दुश्मनों की ओर फेंकते हैं हिन्दी में इस को वमअलवांसी कहते हैं और अब इस ज़माने में इन का चलन नहीं क्योंकि बजाये इस के तोप से जो काम निकलता है वे इस से मुमकिन नहीं था।

मुसलमानों की तअदाद बारह हज़ार या ज़्यादा हो तो इन को काफ़िरों के मुक़ाबले से भागना हलाल नहीं है अगरचे तअदाद काफ़िरों की कई गुना हो और यह हुक्म इस वक्त है कि इन सब का कलिमा एक ही हो और अगर इन का कलिमा मुतफ़र्रिक़ हो तो एक के मुक़ाबले में दो का ऐतबार किया जायेगा और हमारे ज़माने में ताक़त का ऐतबार है और जो शख़्स ऐसे मक़ाम से फ़रारकर गया जहां अहले क़िलआ मनखैक़ वग़ैरह मार कर ज़रर रसाई (1) कर सकते हैं या ऐसी जगह से जहां तीरों या पत्थरों से सदमा पहुंचाते हैं तो कुछ मुज़ायक़ा नहीं है यह मुहीत में है इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि मुज़ायक़ा नहीं है कि इमामुल मुस्लिमीन एक मर्द को या दो को या तीन को सरय्या बना कर रवाना करे बशर्तेकि अकेला या दो या तीन इस की ताक़त रखता (३) हो यह ज़ख़ीरा में है। जिहाद के तवाबअ से रबात है यानी ऐसे मक़ाम पर इक़ामत करना जहां हुजूम दुश्मन का खटका है बदीं ग़र्ज़ कि अगर वो नागाह हुजूम करे तो इस को द़ा करें और इस में इख़्तलाफ़ है कि वो कौन सी जगह है इस वास्ते कि यह हर जगह मुतहक़्क़िक़ नहीं होता है और मुख़्तारया है कि वो ऐसी जगह है कि इस के पर्रे इस्लाम न हो और ततखबीस में इसी क़ौल पर जज़्म किया है यह बहरूर्राइक़ में है।

मुसलमानों की संख्या बारह हज़ार या ज़्यादा हो तो इन को काफ़िरों के मुक़ाबले से भागना जायेज़ नहीं है चाहे काफ़िरों की संख्या कई गुना हो और यह आदेश उस समय है कि इन सब का कलिमा एक ही हो और अगर इन का कलिमा भिन्न हो तो एक के मुक़ाबले में दो को माना जायेगा और हमारे ज़माने में शक्ति का ऐतबार है और जो व्यक्ति ऐसे मक़ाम से भाग कर गया जहाँ क़िलआ वाले ग़ुलेल आदि से मार कर क्षति पहुंचा सकते है या ऐसी जगह से जहाँ तीरों या पत्थरों से सदमा पहुंचाते है तो कुछ हानि नहीं है यह मुहीत में है इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि कोई हानि नहीं है कि मुसलमानों के इमाम एक मर्द को या दो को या तीन को सरय्या/तीन से पांच सौ सेनिकों की टुकड़ी जो दुश्मन की गतिविधि पर दृष्टि रखने हेतु निर्दिष्ट करके रवाना करे बशर्तेकि अकेला या दो या तीन इस की ताक़त रखता (३) हो यह ज़ख़ीरा में है। जिहाद के तवाबअ से रबात है यानी ऐसे स्थान पर खड़े रहना जहां दुश्मनों के जनसमूह का खटका है इस उद्देश्य से कि अगर वे किसी समय जनसमूह एकत्र करे तो इस से रक्षा करें और इस में मदभेद हैं कि वह कौन सी जगह है इस लिए कि यह हर जगह प्रमाणित नहीं होता है और मुख़्तारिया है कि वह ऐसी जगह है कि इस के उस ओर इस्लाम न हो और ततखबीस में इसी कथन पर ठहराव किया है यह बहरूर्राइक़ में है।

बाबः 2

क़िताल की कैफ़ियत के बयान में

कुफ़्फ़ार की चन्द 'असनाफ़' का बयान :

जब इमामुल मुस्लिमीन दारूल हरब में जाने का क़सद करे तो इस को चाहिए कि लश्कर का मुआयना करे ताकि इन की तअदाद और सवारों और पैदियों को मालूम करे पस इन के नाम लिख ले यह शरह तहावी में है। जब मुसलमान लोग दारूल हरब में दाखिल होकर किसी शहर या क़िलआ का मुहासरा करें तो पहले इन को इस्लाम की तरफ़ बुलाऐं पस अगर वो क़बूल करें

अध्यायः 2

युद्ध की वास्तविक्ता के बारे में

कुफ़्फ़ार के कुछ 'प्रकार' का बयान :

जब मुसलमनों के इमाम दारूल हरब (ग़ैर इस्लामी शासित देश) में जाने की कोशिश करे तो उस को चाहिए कि लश्कर का निरक्षण करे ताकि इन की संख्या और सवारों और पैदिल सिपाहियों को मालूम करे पस इन के नाम लिख ले यह शरह तहावी में है। जब मुसलमान लोग दारूल हरब में दाखिल होकर किसी शहर या क़िलआ का घिराव करें तो पहले इन को इस्लाम की ओर बुलाऐं बस

यानी इस्लाम लाऐं तो उन के साथ क़िताल से बाज़ रहें और अगर इन्कार करें तो उन को अदाऐ जज़्या की तरफ़ बुलाऐं यानी कहीं कि तुम लोग अपने दीन पर रहो मगर पस्त हो कर जज़्या दिया करो कज़ा फ़िल हिदाया पस अगर क़बूल करें तो जो नफ़ा हमारे वास्ते है वो इन के वास्ते और जो हम (1) पर पड़ेगा वो इन पर भी पड़ेगा कज़ा फ़िल कन्ज़ व लेकिन जज़्या के वास्ते कहना उन्हें के हक़ में जिन से जज़्या क़बूल किया जा सकता है और जिन से जज़्या न क़बूल किया जायेगा उन को जज़्या देने की तरफ़ न बुलाऐं यह तबयुन में है। वाज़ह हो कि कफ़्फ़ारह चन्द सिन्फ़ के हैं एक सिन्फ़ यह है कि इन से जज़्या लेना जाइज़ नहीं हैं और न इन को ज़िम्मी बनाना (2) जाइज़ है और वो अरब के ऐसे मुशरिक हैं जो किसी किताब आसमानी के क़ाइल नहीं हैं पस जब अहले इस्लाम इन पर ग़ालिब हों तो इन के मर्द या तो इस्लाम लाऐं वरना क़त्ल कर दिये जाऐं और इन की औरतें व बच्चे से श्रेणीबद्ध (यानी ग़नीमत में शुमार) होंगे और दूसरी सिन्फ़ वो कि बिल इजमाअ इन से जज़्या लेना जाइज़ है और वो यहूद व नसारा हैं ख़्वाह अरब के हों या कहीं और के हों इसी तरह मजूस से भी बिल इजमाअ जज़्या लेना जाइज़ है ख़्वाह अरब के हों या कहीं और के हों और तीसरे सिन्फ़ वो मुश्रिकीन हैं कि इन से जज़्या लेने के जवाज़ में इख़्तलाफ़ है औरवो सिवाए अरब और सिवाए अहले किताब और सिवाए मजूस के क़ौम मुश्रिक हैं पस हमारे अनुसार इन से जज़्या लेना रवा है यह मुहीत में है।

(1) वो शख़्स जो अपनी किबर सिनी की वजह से इस क़ाबिल नहीं रहा कि मक़ातिल कर सके जिस को हमारे उर्फ़ में बूढ़ा फूस बोलते हैं।

अगर वह स्वीकार करें यानी इस्लाम लाऐं तो इन के साथ युद्ध से कुछ रहें और अगर इन्कार करें तो इन को जज़्या देने की ओर बुलाऐं यानी कहीं कि तुम लोग अपने दीन पर रहो मगर पस्त हो कर जज़्या दिया करो, यह हिदाया में है बस अगर स्वीकार करें तो जो लाभ हमारे लिएहै वह इन के लिएऔर जो हम (1) पर पड़ेगा वो इन पर भी पड़ेगा यह कन्ज में है, लेकिन जज़्या के लिए कहना उन्ही के हित में जिन से जज़्या स्वीकार किया जा सकता है और जिनसे टैक्स जज़्या न स्वीकार किया जायेगा उन को जज़्या देने की ओर न बुलाऐं यह तबिय्यीन में है स्पष्ट हो कि प्रायश्चित कुछ प्रकार के हैं एक प्रकार यह है कि इन से जज़्या लेना जाइज़ नहीं हैं और न इन को ज़िम्मी/टैक्स देकर रहने वाले नागरिक बनाना (2) जाइज़ है और वे अरब के ऐसे बहुदेववादी हैं जो किसी आसमानी किताब को मानते ही नहीं हैं बस जब इस्लाम मान्ने वाले उन पर विजयी हों तो उन के मर्द या तो इस्लाम लाऐं वरना क़त्ल कर दिये जाऐं और इन की औरतें व बच्चे से फ़ई (यानी युद्ध में शत्रु देश से लूटे हुए माल में गिन्ती) होंगे और दूसरी प्रकार वह कि सर्वसम्मति इन से जज़्या लेना जाइज़ है और वे यहूदी व ईसाइ हैं भले अरब के हों या कहीं और के हों इसी तरह मजूस से भी सर्वसम्मति है कि जज़्या लेना जाइज़ है भले अरब के हों या कहीं और के हों और तीसरा प्रकार वे बहुदेववादी हैं कि इन से जज़्या लेने के जवाज़ में मतभेद है और वे सिवाए अरब और सिवाए अहले किताब और सिवाए मजूस के क़ौम मुश्रिक हैं बस हमारे अनुसार इन से जज़्या लेना उचित है यह मुहीत में है।

(1) वह व्यक्ति जो अपनी वृद्धावस्था की वजह से इस योगय नहीं रहा कि युद्ध कर सके जिस को हमारे उर्फ़ में बूढ़ा फूस बोलते हैं।

और जिस को दअवत इस्लाम पहुंच गई है इस को बग़र्ज़ मुबालग़ा अन्दाज़ के दअवत इस्लाम कर देना मुस्तहब है लेकिन वाजिब नहीं है:

जिस को दअवत इस्लाम नहीं पहुंचाई गई है इस से क़िताल करना नहीं जाइज़ है (4) इल्ला बाद इस के कि इस को इस्लाम की दअवत करे कज़ा फ़िल हिदाया और अगर इन से बग़ैर दअवत इस्लाम के क़िताल किया तो सब गुनहगार होंगे लेकिन जो कुछ उन्होंने इन की जान व माल तलफ़ किये हैं इस के ज़ामिन न होंगे जैसे इन की औरतों व बच्चों के तलफ़ करने में ज़ामिन नहीं होते हैं यह मबसूत में है और जिस को दअवत इस्लाम पहुंच गई है इस को बग़र्ज़ मुबालग़ा अन्दाज़ के दअवत इस्लाम कर देना मुस्तहब है लेकिन वाजिब नहीं है यह हिदाया में है और वाज़ह रहे कि ताकीद के वास्ते दोबारह दअवत इस्लाम करना दो शर्तों से मुस्तहब है एक यह कि पहले दोबारह दअवत इस्लाम पहुंचाने में मुसलमानों के हक़ में ज़रर न हो अगर तक़दीम दअवत इस्लाम में मुसलमानों के हक़ में ज़रर हों मसलन मालूम हो कि अगर तक़दीम दअवत की जायेगी तो वो क़िताल के वास्ते सामान तैयार करके मुस्तअद हो रहेंगे या कोई हीला बरपा कर लेंगे या अपने क़िलओं की दुरूस्ती व मज़बूती कर लेंगे तो तक़दीम दअवत इस्लाम दोबारह मुस्तहब नहीं है और दूसरी शर्त यह कि इस दअवत से तमअ व उम्मीद हो कि शायद वो लोग क़बूल कर लें और अगर इन को इस से ना उम्मीदी हो तो दोबारह दअवत में बेकार मशग़ूल न हों यह मुहीत में है। मुज़ायक़ा नहीं है कि रात या दिन में काफ़िरों पर एक बारगी ताख़्त करें बदूं दअवत इस्लाम के और यह ऐसी ज़मीन के वास्ते कि इन को दअवत इस्लाम पहुंच गई है यह मुहीत सुरखी में है।

लश्कर बहुत बड़ा हो जिस पर बेख़ौफ़ी व अमन के साथ इत्मिनान हो तो उस के साथ

और जिस को इस्लाम का आमंत्रण पहुंच गया हो इस्लाम के आह्वान को बढ़ा चढ़ा पेश कर देना पसंदीदा है लेकिन अनिवार्य नहीं है:

जिस को इस्लाम का आमंत्रण नहीं पहुंचाया गया है इस से युद्ध करना जाइज़ नहीं है (4) सिवा इस के बाद कि इसको इस्लाम का आह्वान करे यह हिदाया में है और अगर इन से बिना इस्लाम आमंत्रण के युद्ध किया तो सब पापी होंगे लेकिन जो कुछ उन्होंने इन की जान व माल बर्बाद किये हैं उस के ज़िम्मेदार न होंगे जैसे उन की औरतों व बच्चों के बर्बाद करने में ज़िम्मेदार नहीं होते हैं यह मबसूत में है और जिसे इस्लाम का आमंत्रण पहुंच गया हैं इस को इस्लाम के आह्वान को बढ़ा चढ़ा पेश कर देना पसंदीदा है लेकिन अनिवार्य नहीं है यह हिदाया में है और स्पष्ट रहे कि चेताने के लिएदोबारा इस्लाम का अमंत्रण करना दो शर्तों से पसंदीदा है एक यह कि पहले दोबारह इस्लाम का आमंत्र पहुंचाने में मुसलमानों के हित में हानि न हो अगर इस्लाम का अमंत्रण देने में मुसलमानों के हित में हानि हों, उदहारण भय हो कि अगर आमंत्रण दिया जायेगा तो वे युद्ध के लिए सामान तैयार करके कटिबद्ध हो रहेंगे या कोई छल कपट कर लेंगे या अपने क़िलओं की ठीक एंव मज़बूती कर लेंगे तो इस्लाम का आमंत्रण दोबारा पेश करना पसंदीदा नहीं है और दूसरी शर्त यह कि इस अमांत्रण से आशा व उम्मीद हो कि शायद वो लोग स्वीकार कर लें और अगर इन को इस से ना उम्मीदी हो तो दोबारा आमंत्रण में बेकार व्यस्त न हों यह मुहीत में है। कोई हानि नहीं है कि रात या दिन में काफ़िरों पर एक बारगी आक्रमण करें बजाए इस्लाम आमंत्रण के और यह ऐसी ज़मीन के लिए कि इन को इस्लाम का आमंत्रण पहुंच गया है यह मुहीत सुरखी में है।

लश्कर बहुत बड़ा हो जिस पर अभय व शांती के साथ संतुष्टि हो तो उस के साथ

औरतों और क़ुरआन मजीद ले जाने में मुज़ायक़ा नहीं :

पस जब काफ़िरों ने इस्लाम और अदाऐ जज़्या से इन्कार किया तो अल्लाह तआला इज़्ज़ो व जल्ल से मदद व इस्तआनत की दुआ करके काफ़िरों से जिहाद व क़िताल करें कज़ा फ़िल इख़्तयार शरह उल मुख़्तार और रवा है कि इन के क़िलओं के नीचे मनजिक़ैन (1) नसब करें और इन को जला दें और इन पर पानी से सील बहाऐं और इन के दरख़्त काट डालें और इन की खेती खराब कर दें यह हिदाया में है। मुज़ायक़ा नहीं है कि इन के क़िले खराब करके खाक में मिलाऐं और पानी में इस को ग़र्क़ करदें और इमारतें ढ़ा दें और शैख़ हसन बिन ज़ियाद कहते थे कि यह हुक्म उस वक़्त है कि जब यह मालूम हुआ कि इस क़िले में कोई मुसलमान क़ैदी नहीं है और जब यह बात मालूम हो तो जलाना व ग़र्क़ करना रवा नहीं है लेकिन हम कहते हैं कि अगर हम ने इस अम्र से इन को मना किया तो मुश्रिकीन के साथ इन को क़िताल करना व ग़ालिब होना मुतअज़्ज़र न हो जायेगा और क़िले तो बहुत कम किसी क़ैदी से खाली होते हैं लेकिन यह लोग इस जलाने व ग़र्क़ करने में काफ़िरों का क़सद करेंगे यह मबसूत में है और मुश्रिकों को तीर मारने में कुछ मुज़ायक़ा नहीं है अगरचे इन में मुसलमान क़ैदी या मुसलमान ताजिर हों और अगर उन्होंने मुसलमानों के बच्चे या क़ैदी या ताजिर या बच्चा मुसलमान तलफ़ हुआ इस की देत (वो माल जो किसी इन्सानी जान के बदले दिया जाए यह सौ ऊंट या एक हज़ार दीनार या दस हज़ार दिरहम या उनके बराबर की करनसी है) इन मुजाहिदों पर न होगी और न इन पर कफ़्फ़ारह-ए-क़त्ल लाज़िम आयेगा और जब लश्कर बहुत बड़ा हो जिस पर बेख़ौफ़ी व अमन के साथ इत्मिनान हो तो इस के साथ औरतों और क़ुरआन मजीद ले जाने में मुज़ायक़ा नहीं हैं और सरय्या यानी छोटे लश्कर के साथ जिस पर इत्मिहाना मज़कूर नहीं है इस के साथ औरतों व मसाहिफ़ का ले जाना मकरूह है।

अगर कोई मुसलमान अमान ले कर दारूल हरब में

औरतों और क़ुरआन मजीद ले जाने में कोई हानि नहीं :

पस जब काफ़िरों ने इस्लाम और जज़्या देने से नकारा तो अल्लाह तआला सर्वशक्तिमान से सहायता व शांती की दुआ करके काफ़िरों से जिहाद व युद्ध करें यह अधिकार शरह उल मुख़्तार और उचित है कि इन के क़िलओं के नीचे गोफनें (1) लगाऐं और इन को जला दें और इन पर पानी की बाढ़ बहाऐं और इन के पेड़ों काट डालें और इन की खेती बार्बाद कर दें यह हिदाया में है। कोई हानि नहीं है कि इन के क़िले ध्वस्त करके खाक में मिलाऐं और पानी में इस को ग़र्क़ करदें और इमारतें ढ़ा दें और शैख़ हसन बिन ज़ियाद कहते थे कि यह आदेश उस समय है कि जब यह मालूम हुआ कि इस क़िले में कोई मुसलमान क़ैदी नहीं है और जब यह बात मालूम हो तो जलाना व ध्वस्त करना उचित नहीं है लेकिन हम कहते हैं कि अगर हम ने इस कार्य से इन को मना किया तो बहूदेववादीयों के साथ इन को युद्ध करना व विजेता होना क्षमाशील न हो जायेगा और क़िले तो बहुत कम किसी क़ैदी से खाली होते हैं लेकिन यह लोग काफ़िरों के इस क़िले को जलाने व ध्वस्त करने का संक्लप करेंगे यह मबसूत में है और बहूदेववादीयों को तीर मारने में कोई हानि नहीं हैं चाहे उन में मुसलमान क़ैदी या मुसलमान व्यापारी हों और अगर उन्होंने मुसलमानों के बच्चे या क़ैदी या व्यापारी या मुसलमान बच्चे बर्बाद हुए उस की देत (वो माल जो किसी इन्सानी जान के बदले दिया जाए यह सौ ऊंट या एक हज़ार दीनार या दस हज़ार दिरहम या उनके बराबर की करनसी है) इन मुजाहिदों पर न होगी और न उन पर कफ़्फ़ारा-ए-क़त्ल अनिवार्य होगा और जब लश्कर बहुत बड़ा हो जिस पर निर्भयता व शांती के साथ संतुष्टि हो तो इस के साथ औरतों और क़ुरआन मजीद ले जाने में कोई हानि नहीं है और सरय्या यानी छोटे लश्कर के साथ जिस पर वर्णित संतुष्टि नहीं है इस के साथ औरतों व क़ुरान के अध्याय का ले जाना अवैध है।

अगर कोई मुसलमान शरण ले कर दारूल हरब/ग़ैर

गया तो मुज़ायक़ा नहीं है कि वो अपने साथ क़ुरआन मजीद ले जाये बशर्तेकि यह क़ौम कुफ़्फ़ार ऐसे हों कि अपना अहद वफ़ा करते हों यह हिदाया में है और जब लश्कर बड़ा हो तो खिदमत के वास्ते बूढ़ी औरतों को साथ ले जाने में मुज़ायक़ा नहीं है और जो इन औरतों का अपने घर में रहना असलम है और ऊला यह है कि बख़ौफ़ फ़ितना औरतें बिल्कुल न जाऐं और अगर बग़र्ज़ मुजामअत औरतों का ले जाना ज़रूरी हो तो बान्दियों को ले जाऐं न आज़ादों को यह तबीय्यीन में है एक क़ौम परहेज़गार लोगों की जिहाद के वास्ते जाना चाहती है और अगर इन के साथ फ़ासिक़ों की एक क़ौम जिहाद को जाती है जिन के साथ मज़ामीर हैं पस अगर परहेज़गारों से यह मुमकिन हो कि बदूं इन फ़ासिक़ों के चले जाऐं यानी जिहाद में इस क़द्र काफ़ी हों तो इन फ़ासिक़ों के साथ न जाऐं और अगर बदूं इन फ़ासिक़ों के जाना मुमकिन न हो तो इन के साथ जाऐं यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। मुसलमानों को चाहिए कि ग़दर न करें और ग़लूल यानी ख़्यानत न करें और मुसला/दंड या बदला यानी काफ़िरों के मक़तूलों के नाक व कान वग़ैरह काट डालना न करें कज़ा फ़िल हिदाया और औरतों को क़त्ल न करें और न बच्चों को और न मजनून को और न शैख़ फ़ानी (३) को और न अंधे को और न लुंजे को इल्ला इस सूरत में कि इन में से किसी को तदबीर जंग में मदाख़लत हो या औरत मल्लिका हो यानी उन की बादशाह हो तो उस को क़त्ल करदें। इस तरह अगर उन का बादशाह कोई तिफ़्ले सग़ीर हो और उस को मैदान हरब में अपने साथ लाये हों और उस के क़त्ल करने में उन की जमाअत परेशान हुई जाती हो तो इस के क़त्ल करने में मुज़ायक़ा है यह जोहरा नेहरा में है और अगर औरत माल वाली हो कि लोगों को लड़ाई पर अपने माल से बर अंगेख़्ता करती हो तो वो क़त्ल कर दी जायेगी यह मुहीत में है।

इस तरह इन लोगों में से जो मुक़ातला करता हो तो वो भी क़त्ल किया जाये मगर इतनी बात है कि तफ़्ल व मजनून इसी वक़्त तक क़त्ल किये जा सकते हैं

मुस्लिम देश में गया तो कोई हानि नहीं है कि वह अपने साथ क़ुरआन मजीद ले जाये बशर्तेकि यह क़ौम कुफ़्फ़ार ऐसे हों कि अपना वचन निभाते हों यह हिदाया में है और जब लश्कर बड़ा हो तो सेवा के लिएबूढ़ी औरतों को साथ ले जाने में कोई हानि नहीं है और जवान औरतों का अपने घर में रहना सलामती है और श्रेष्ट यह है कि भय से उपद्रवी औरतें बिल्कुल न जाऐं और अगर संभोग की इच्छा से औरतों का ले जाना ज़रूरी हो तो बान्दियों को ले जाऐं, न आज़ादों को यह तबीय्यीन में है एक क़ौम धर्मनिष्ठ लोगों की जिहाद के लिए जाना चाहती है और अगर इन के साथ व्यभिचारीयों की एक क़ौम जिहाद को जाती है जिन के साथ गाने बजाने वाले हैं पस अगर धर्मनिष्ठों से यह संभव हो कि बजाए इन व्यभिचारियों के चले जाऐं यानी जिहाद में इस क़द्र काफ़ी हों तो इन फ़ासिक़ों के साथ न जाऐं और अगर बिना इन व्यभिचारियों के जाना मुमकिन न हो तो उन के साथ जाऐं यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। मुसलमानों को चाहिए कि ग़दर न करें और लूट के माल में बेईमानी यानी ख़्यानत न करें और दंड या बदला यानी काफ़िरों के मक़तूलों के नाक व कान वग़ैरह काट डालना न करें यह हिदाया में है और औरतों को क़त्ल न करें और न बच्चों को, और न पागल दीवाने को और न शैख़ फ़ानी/बूढ़ों (३) को और न अंधे को और न लूले लंगड़ों को सिवा इस स्थिति में कि उन में से किसी को युद्ध के उपायों में हस्तक्षेप हों या औरत मल्लिका हो यानी उन की बादशाह हो तो उस को क़त्ल करदें। इस तरह अगर उन का बादशाह कोई छोटा बच्चा हो और उस को मैदान जंग में अपने साथ लाये हों और उस के क़त्ल करने में इन का दल परेशान हो रहा हो तो उस के क़त्ल करने में कोई हानि नहीं है यह ज़ोहरा नेहरा में है और अगर औरत माल वाली हो कि लोगों को लड़ाई पर अपने माल से क्रुद्ध करती हा उकसाती हो तो वो क़त्ल कर दी जायेगी यह मुहीत में है।

इस तरह इन लोगों में से जो युद्ध करता हो तो वह भी क़त्ल किया जाये मगर इतनी बात है कि बच्चे व दीवाने उसी समय तक क़त्ल किये जा सकते हैं जब तक

जब तक लड़ाई करते हैं और इन दोनों के सिवाए बाक़ियों के क़ैद किये जाने के बाद भी क़त्ल कर देने में मुज़ायक़ा नहीं है और अगर मजनून कभी अच्छा हो जाता हो और कभी फिर मजनून हो जाता हो तो वो इफ़ाक़ा की हालत में मिस्ल सही के है कज़ा फ़िल हिदाया और जिस का एक हाथ एक तरफ़ से और दूसरी तरफ़ से दूसरा पांव कटा हुआ या जिस का ख़ास्सतन दाहिना हाथ कटा हुआ हो वो क़त्ल न किया जायेगा बशर्तेकि ऐसे लोग अपने माल से या अपनी राये से लड़ाई में शरीक न हों यह मुहीत में है। जिस का एक तरफ़ का बदन ख़ुश्क हो गया हो वो क़त्ल न किया जायेगा और अगर बावजूद इस के वो क़िताल में शरीक है तो इस के क़त्ल करने में मुज़ायक़ा नहीं है और इसी तरह अंधा व लुंजा व बूढ़ा फूस अगर ऐसे लोग क़िताल में हाज़िर हों और काफ़िरों को लड़ाई में बर अंगेख़्ता करें तो इन के क़त्ल में मुज़ायक़ा नहीं है। अगर किसी ने ऐसे लोगों में से किसी को क़त्ल कर दिया तो इस पर कुछ लाज़िम न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खाना में है और जिस का बायां हाथ कटा हुआ या दोनों पांव में से एक पांव कटा हो तो वो लड़ाई करने वालों में है पस वो क़त्ल कर दिया जायेगा और इसी तरह गूंगा व बहरा भी क़त्ल किया जायेगा यह मुहीत में है।

अगर मुसलमानों को ऐसे लोगों के जो क़त्ल नहीं किये जाते हैं लाद लाने और दारूल इस्लाम में निकाल लाने की क़ुव्वत हासिल हो तो इन को दारूल हरब में छोड़ आना न चाहिए।

तिफ़्ल व मअतूह जब तक लड़ाई पर बर अंगेख़्ता करते हों तब तक इन के क़त्ल कर डालने में मुज़ायक़ा नहीं और जब वो मुसलमानों के हाथ में आ गये तो फिर मुसलमानों को इन का क़त्ल करना नहीं चाहिए अगरचे उन्होंने कई आदमियों को क़त्ल किया हो यह फ़तावा

(1) हासिल आंकि जिन अल्फ़ाज़ से सरीह इन का मुसलमान होना न साबित हो इस वक़्त तक इन की तसदीक़ न की जायेगी।

लड़ाई करते हैं और इन दोनों के सिवाए बाक़ियों के क़ैद किये जाने के बाद भी क़त्ल कर देने में कोई हानि नहीं है और अगर दीवाना/पागल कभी अच्छा हो जाता हो और कभी फिर दीवाना/पागल हो जाता हो तो वह रोग मुक्ति की हालत में सही के उदहारण है यह हिदाया में है और जिस का एक हाथ एक ओर से और दूसरी ओर से दूसरा पांव कटा हुआ या जिस का विशेषकर दाहिना हाथ कटा हुआ हो वह क़त्ल न किया जायेगा बशर्तेकि ऐसे लोग अपने माल से या अपनी राये से लड़ाई में शरीक न हों यह मुहीत में है। जिस का एक तरफ़ का बदन सूख गया हो वह क़त्ल न किया जायेगा और अगर बावजूद इस के वह युद्ध में शरीक है तो इस के क़त्ल करने में कोई हानि नहीं है और इसी तरह अंधा व लंगड़ा व बूढ़ा फूस अगर ऐसे लोग क़िताल में हाज़िर हों और काफ़िरों को लड़ाई में उकसाएँ तो उन के क़त्ल में कोई हानि नहीं है। अगर किसी ने ऐसे लोगों में से किसी को क़त्ल कर दिया तो इस पर कुछ अनिवार्य न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खाना में है और जिस का बायां हाथ कटा हुआ या दोनों पांव में से एक पांव कटा हो तो वह लड़ाई करने वालों में है बस वह क़त्ल कर दिया जायेगा और इसी तरह गूंगा व बहरा भी क़त्ल किया जायेगा यह मुहीत में है।

अगर मुसलमानों को ऐसे लोगों के जो क़त्ल नहीं किये जाते हैं लाद लाने और इस्लामी राज्य में निकाल लाने की शक्ति प्राप्त हो तो उन को ग़ैर इस्लामी राज्य में छोड़ कर नहीं आना चाहिए।

बच्चे व दिमाग़ी मरीज़ जो कभी स्वस्थ लोगों की तरह व्यवहार करता हो और कभी पागलों की तरह जब तक लड़ाई पर उकसाने वाले भाषण करते हों तब तक उन के क़त्ल कर डालने में कोई हानि नहीं और जब वह मुसलमानों के हाथ में आ गये तो फिर मुसलमानों को

(1) हासिल वहकि जिन शब्दों से सीधे इन का मुसलमान होना न साबित हो इस वक़्त तक उन की पुष्टि न की जायेगी।

क़ाज़ी खान में है और मुज़ायक़ा नहीं है कि मर्द मुसलमान अपने हर ज़ी रहम महरम को जो मुश्रिक है पहल करके इस को क़त्ल करे सिवाए वालिदा व वालिदा के और अपने अजदात वजदात (दादा नाना पर दादा पर नाना वग़ैरह।) के ख़्वाह बाप दादा वग़ैरह मर्दों की तरफ़ से हों या मां दव नानी वग़ैरह औरतों की तरफ़ से हों और यह हुक्म इस वक़्त है कि इस के वालिद ने इस को इस काम के करने पर मुज़तर न किया हो और अगर बाप ने बेटे को अपने क़त्ल करने पर मुज़तर किया मसलन बेटा इस से भाग नहीं सकता है तो मुज़ायक़ा नहीं है कि इस को क़त्ल करदे और अगर सफ़ जंग में बेटे ने अपने बाप पर क़ाबू पाया तो न चाहिए कि कसद करके इस को क़त्ल करदे और यह भी न चाहिए कि इस को लोट जाने का क़ाबू दे ताकि वो जुरअत हासिल करके मुसलमानों पर लोट कर आये बल्कि इस को किसी गोशे में या किसी मक़ाम पर जगह तंग करके ले जाये और मज़बूती से रखे ताकि कोई दूसरा मुसलमान आकर इस को क़त्ल कर दे यह मुहीत में है और जब तक राहिब सोमआ (कलीसे का पादरी) में मुनज़वी (संसार त्याग कर एकांत में रहने वाला) है तब तक क़त्ल न किया जायेगा इल्ला आंकि लोगों में मुखालित हो जाये (रिल मिल जाए) यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है पस अगर मुसलमानों को ऐसे लोगों के जो क़त्ल नहीं किये जाते हैं लाद लाने और दारूल इस्लाम में निकाल लाने की क़ुव्वत हासिल हो तो इन को दारूल हरब में छोड़ आना न चाहिए न औरत को और न तफ़्ल को और न मअतूह को और न अंधे को और न लुंजे को न दाऐं व बाऐं जानिब से एक हाथ व एक पांव कटे हुए को और न दाहिने हाथ कटे हुए को इस वास्ते कि इन से औलाद पैदा होगी पस इन के वहां छोड़ आने में मुसलमानों पर सख़्ती व मदद हो जायेगी और रहा बूढ़ा फूस जिस से नुत्फ़ा क़रार पा सकता है तो चाहें इस को वहां छोड़ आऐं और चाहें निकाल लाऐं और यही हुक्म राहिबों और सौमआ वालों का है बशर्तेकि वो सब ऐसे हों कि औरतों से जिमाअ नहीं कर सकते हैं और यही हुक्म ऐसी बूढ़ी औरतों का है जिन से औलाद होने की उम्मीद नहीं है यह हिदाया से

उन का क़त्ल करना नहीं चाहिए चाहे उन्होंने कई आदमियों को क़त्ल किया हो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और कोई हानि नहीं है कि मर्द मुसलमान अपने हर ज़ी रहम महरम/निकटतम नातेदार को जो बहूदेववादी है पहल करके इस को क़त्ल करे सिवाए माता व पिता के और अपने पुर्वजों व जन्मदाताओं (दादा नाना पर दादा पर नाना आदि) के भले बाप दादा आदि मर्दों की ओर से हों या माँ व नानी वग़ैरह औरतों की तरफ़ से हों और यह आदेश उस समय है कि उस के वालिद ने इस को इस काम के करने पर मजबूर न किया हो और अगर बाप ने बेटे को अपने क़त्ल करने पर मजबूर किया मसलन बेटा इस से भाग नहीं सकता है तो कोई हानि नहीं है कि इस को क़त्ल करदे और अगर मैदाने जंग में बेटे ने अपने बाप पर क़ाबू पाया तो उसे संकल्प करके इस को क़त्ल नहीं करना चाहिए और यह भी न चाहिए कि इस को लोट जाने दे ताकि वह शक्ति प्राप्त करके मुसलमानों पर लोट कर आये बल्कि इस को किसी एकांत स्थान में या किसी गुप्त स्थान पर बंदी बना करके ले जाये और सुरक्षा से रखे ताकि कोई दूसरा मुसलमान आकर इस को क़त्ल कर दे यह मुहीत में है और जब तक राहिब सोमआ (कलीसे का पादरी) में मुनज़वी (संसार त्याग कर एकांत में रहने वाला) है तब तक क़त्ल न किया जायेगा सिवा वहकि लोगों में मुखालित हो जाए (घुल मिल जाए), यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है पस अगर मुसलमानों को ऐसे लोगों के जो क़त्ल नहीं किये जाते हैं लाद लाने और दारूल इस्लाम में निकाल लाने की क़ुव्वत हासिल हो तो इन को दारूल हरब में छोड़ आना न चाहिए न औरत को और न बच्चों को और न मानसिक रोगियों को और न अंधे को और न लुले को न दाऐं व बाऐं जानिब से एक हाथ व एक पांव कटे हुए को और न दाहिने हाथ कटे हुए को इस लिएकि इन से औलाद पैदा होगी बस इन के वहां छोड़ आने में मुसलमानों पर तीव्रता व मदद हो जायेगी और रहा बूढ़ा फूस जिस से अंश क़रार पा सकता है तो चाहें इस को वहां छोड़ आऐं और चाहें निकाल लाऐं और यही आदेश पादरियों और कलीसा वालों के लिए है बशर्तेकि वह सब ऐसे हों कि

को लड़ाई में बर अंगेख़्ता करें तो इन के क़त्ल में मुज़ायक़ा नहीं है। अगर किसी ने ऐसे लोगों में से किसी को क़त्ल कर दिया तो इस पर कुछ लाज़िम न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खाना में है और जिस का बायां हाथ कटा हुआ या दोनों पांव में से एक पांव कटा हो तो वो लड़ाई करने वालों में है पस वो क़त्ल कर दिया जायेगा और इसी तरह गूंगा व बहरा भी क़त्ल किया जायेगा यह मुहीत में है।

अगर मुसलमानों को ऐसे लोगों के जो क़त्ल नहीं किये जाते हैं लाद लाने और दारूल इस्लाम में निकाल लाने की क़ुव्वत हासिल हो तो इन को दारूल हरब में छोड आना न चाहिए।

तिफ़्ल व मअतूह जब तक लड़ाई पर बर अंगेख़्ता करते हों तब तक इन के क़त्ल कर डालने में मुज़ायक़ा नहीं और जब वो मुसलमानों के हाथ में आ गये तो फिर मुसलमानों को इन का क़त्ल करना नहीं चाहिए अगरचे उन्होंने कई आदमियों को क़त्ल किया हो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और मुज़ायक़ा नहीं है कि मर्द मुसलमान अपने हर ज़ी रहम महरम को जो मुशरिक है पहल करके इस को क़त्ल करे सिवाए वालिदा व वालिदा के और अपने अजदात वजदात (दादा नाना पर दादा पर नाना वग़ैरह।) के ख़्वाह बाप दादा वग़ैरह मर्दों की तरफ़ से हों या मां दव नानी वग़ैरह औरतों की तरफ़ से हों और यह हुक्म इस वक़्त है कि इस के वालिद ने इस को इस काम के करने पर मुज़तर न किया हो और अगर बाप ने बेटे को अपने क़त्ल करने पर मुज़तर किया मसलन बेटा इस से भाग नहीं सकता है तो मुज़ायक़ा नहीं है कि इस को क़त्ल करदे और अगर सफ़ जंग में बेटे ने अपने बाप पर क़ाबू पाया तो न चाहिए कि कसद करके इस को क़त्ल करदे और यह भी न चाहिए कि इस को लोट जाने का क़ाबू दे ताकि वो जुरअत हासिल करके

(1) यानी अगर वो होश में आकर इस्लाम से मुन्किर हो तो मुरतद के हुक्म में दाखिल किया जायेगा।

से हों या माँ व नानी वग़ैरह औरतों की तरफ़ से हों और यह हुक्म उस समय है कि उस के वालिद ने इस को इस काम के करने पर मजबूर न किया हो और अगर बाप ने बेटे को अपने क़त्ल करने पर मजबूर किया मसलन बेटा इस से भाग नहीं सकता है तो कोई हानि नहीं है कि इस को क़त्ल करदे और अगर मैदाने जंग में बेटे ने अपने बाप पर क़ाबू पाया तो उसे संकल्प करके इस को क़त्ल नहीं करना चाहिए और यह भी न चाहिए कि इस को लोट जाने दे ताकि वह शक्ति प्राप्त करके मुसलमानों पर लोट कर आये बल्कि इस को किसी एकांत स्थान में या किसी गुप्त स्थान पर बंदी बना करके ले जाये और सुरक्षा से रखे ताकि कोई दूसरा मुसलमान आकर इस को क़त्ल कर दे यह मुहीत में है और जब तक राहिब सोमआ (कलीसे का पादरी) में मुनज़वी (संसार त्याग कर एकांत में रहने वाला) है तब तक क़त्ल न किया जायेगा सिवा वहकि लोगों में मुखालित हो जाए (घुल मिल जाए), यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है पस अगर मुसलमानों को ऐसे लोगों के जो क़त्ल नहीं किये जाते हैं लाद लाने और दारूल इस्लाम में निकाल लाने की क़ुव्वत हासिल हो तो इन को दारूल हरब में छोड़ आना न चाहिए न औरत को और न बच्चों को और न मानसिक रोगियों को और न अंधे को और न लुले को न दाऐं व बाऐं जानिब से एक हाथ व एक पांव कटे हुए को और न दाहिने हाथ कटे हुए को इस लिएकि इन से औलाद पैदा होगी बस इन के वहां छोड़ आने में मुसलमानों पर तीव्रता व मदद हो जायेगी और रहा बूढ़ा फूस जिस से नुत्फ़ा क़रार पा सकता है तो चाहें इस को वहां छोड़ आऐं और चाहें निकाल लाऐं और यही हुक्म पादरियों और कलीसा वालों के लिए है बशर्तेकि वह सब ऐसे हों कि औरतों से संभोग नहीं कर सकते हैं और यही हुक्म ऐसी बूढ़ी औरतों का है जिन से औलाद होने की उम्मीद नहीं है यह हिदाया से बहरूर्राइक़ में कथित है

इमाम क़ुदूरी ने अपनी किताब में फ़रमाया कि कुफ़्फ़ार दो प्रकार के हैं कुछ इन में से वे हैं जो अल्लाह

(1) यानी अगर वो होश में आकर इस्लाम को नकारे तो मुरतद के हुक्म में प्रवेश किया जायेगा।

मुसलमानों पर लौट कर आये बल्कि इस को किसी गोशे में या किसी मक़ाम पर जगह तंग करके ले जाये और मज़बूती से रखे ताकि कोई दूसरा मुसलमान आकर इस को क़त्ल कर दे यह मुहीत में है और जब तक राहिब सोमआ (कलीसे का पादरी) में मुनज़वी (संसार त्याग कर एकांत में रहने वाला) है तब तक क़त्ल न किया जायेगा इल्ला आंकि लोगों में मुखालित हो जाये (रिल मिल जाए) यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है पस अगर मुसलमानों को ऐसे लोगों के जो क़त्ल नहीं किये जाते है लाद लाने और दारूल इस्लाम में निकाल लाने की क़ुव्वत हासिल हो तो इन को दारूल हरब में छोड़ आना न चाहिए न औरत को और न तफ़ल को और न मअतूह को और न अंधे को और न लुंजे को न दाऐं व बाऐं जानिब से एक हाथ व एक पांव कटे हुए को और न दाहिने हाथ कटे हुए को इस वास्ते कि इन से औलाद पैदा होगी पस इन के वहां छोड आने में मुसलमानों पर सख़्ती व मदद हो जायेगी और रहा बूढ़ा फूस जिस से नुत्फ़ा क़रार पा सकता है तो चाहें इस को वहां छोड आऐं और चाहें निकाल लाऐं और यही हुक्म राहिबों और सौमआ वालों का है बशर्तेकि वो सब ऐसे हों कि औरतों से जिमाअ नहीं कर सकते है और यही हुक्म ऐसी बूढ़ी औरतों का है जिन से औलाद होने की उम्मीद नहीं है यह हिदाया से बहरूल राइक़ में मंक़ूल है।

इमाम क़ुदूरी ने अपनी किताब में फ़रमाया कि कुफ्फ़ार दो क़िसम के हैं बाज़ इन में से वो हैं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के मुन्किर हैं और बाज़ वो हैं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का इक़रार करते हैं मगर इस की वहदानियत के मुन्किर हैं जैसे बुत परस्त पस जो मुन्किर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल है जब इस का इक़रार करले तो इस के इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा और जो शख़्स मुक़र अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल है और मुन्किर इस की वहदानियत का है जब इस की वहदानियत का मक़र हो

(२) सिखलाने वाला मुसलमान न हुआ क्योंकि सिखलाना इस का इक़रार नहीं है।

सर्वशक्तिमान के नकारने वाले हैं और कुछ वे हैं जो अल्लाह सर्वशक्तिमान को स्वीकार करते हैं मगर इस की एकेश्वरवाद के नकारने वाले हैं जैसे बुत परस्त बस जो अल्लाह सर्वशक्तिमान के नकारने वाले हैं जब इस का स्वीकार करलें तो इस के इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा और जो व्यक्ति अल्लाह सर्वशक्तिमान को स्वीकार करने करने वाला है और एकेश्वरवाद को नकारने वाला है जब इस की एकेश्वरवाद का स्वीकारने वाला हो जाये औ र इस तरह से कि कहे 'लाइलाह ईल्लल्लाह' तो इस के इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा और जो सर्वशक्तिमान के एकेश्वरवाद का स्वीकारने वाला हो और इस ने रिसालत मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्कार किया है जब वो रिसालत मुहम्मद रसूल का स्वीकार करले तो उस के इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा यह मुहीत में है। बुत परस्त या ज़िम्मी/इस्लामी राज्य में ग़ैर मुस्लिम नागरिक जो अल्लाह तआला की एकेश्वरवादता को स्वीकार नहीं करता है अगर उस ने कहा अल्लाह, तो वह मुसलमान न होगा और अगर कहा कि मैं मुस्लिम हूं तो वह मुसलमान हो जायेगा फिर अगर इस ने कहा कि मेरी यह मुराद थी कि मैं हक़ पर हूं, तो मुसलमान न होगा और यहूदी या नसरानी ने अगर कहा कि 'लाइलाहा इल्लल्लाह' तो वह मुसलमान न होगा जब तक यह न कहे व मौहम्मद रसूलुल्लाह। विद्वानों का कहना है कि जो यहूद व नसारा आज कल मुसलमानों के सामने मौजूद हैं अगर इन में से किसी ने कहा कि 'अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू' तो इस के इस्लाम का हुक्म न दिया जायेगा यहां तक कि अपने दीन से अप्रसन्नता का स्वीकार करे चुनांचे अगर ईसाइ है तो कहे कि मैं ईसाईयत से अप्रसन्न हूं और अगर यहूदी है तो कहे कि मैं यहूदियत से अप्रसन्न हूं और बावजूद इस के यूं कहे कि मैं दीन इस्लाम में प्रवेश हुआ। अगर यहूदी या इसाई ने कहा कि हम मुस्लिम यानी मुस्लिम हैं या कहा कि इस्लाम लाया मैं तो इस के इस्लाम का हुक्म न दिया जायेगा इस लिएकि यह

(२) सिखलाने वाला मुसलमान न हुआ क्योंकि सिखलाना इस का स्वीकार नहीं है।

जाये बईं तौर कि कहे 'लाइलाह इल्लल्लाह' तो इस के इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा और जो मुक़र बवहदानियत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हो और इस ने रिसानलत मौहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्कार किया है जब वो रिसालत मौहम्मद रसूल का इक़रार करले तो इस के इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा यह मुहीत में है। बुत परस्त या ज़िम्मी जो अल्लाह तआला की वहदानियत का इक़रार नहीं करता है अगर इस ने कहा अल्लाह तो वो मुसलमान न होगा और अगर कहा कि मैं मुस्लिम हूं तो वो मुसलमान हो जायेगा फिर अगर इस ने कहा कि मेरी यह मुराद थी कि मैं हक़ पर हूं, तो मुसलमान न होगा और यहूदी या नसरानी ने अगर कहा कि 'लाइलाहा इल्लल्लाह' तो वो मुसलमान न होगा जब तक यह न कहे व मौहम्मद रसूलुल्लाह। मशाइख़ ने फ़रमाया कि जो यहूद व नसारा आज कल मुसलमानों के रूबरू मौजूद हैं अगर इन में से किसी ने कहा कि 'अशहुद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू' तो इस के इस्लाम का हुक्म न दिया जायेगा यहां तक कि अपने दीन से बेज़ारी का इक़रार करे चुनांचे अगर नसरानी है तो कहे कि मैं नसरानियत से बेज़ार हूं और अगर यहूदी है तो कहे कि मैं यहूदियत से बेज़ार हूं और बावजूद इस के यूं कहे कि मैं दीन इस्लाम में दाखिल हुआ। अगर यहूदी या नसरानी ने कहा कि अना मुस्लिम यानी मुस्लिम हूं या कहा कि इस्लाम लाया मैं तो इस के इस्लाम का हुक्म न दिया जायेगा इस वास्ते कि यह लोग केहते हैं कि मुस्लिम वो है जो ताबअ हक़ व गर्दन झुकाये हुए हो।

अगर नसरानी या यहूदी ने कहा कि 'लाइलाह इल्लल्लाह' मैं यहूदियत या

(4)वादा देना यानी कुछ मुअय्यन मुद्दमत के वास्ते लड़ाई मौक़ूफ़ कर देना।

लोग केहते हैं कि मुस्लिम वे हैं जो सत्य के आज्ञा कारी व उसके आगे गर्दन झुकाये हुए हों।

अगर ईसाई या यहूदी ने कहा कि 'लाइलाहा इल्लल्लाह' मैं यहूदियत या ईसाईयत से अप्रसन्न हुआ और इस के साथ यूं न कहा कि मैं इस्लाम में प्रवेश हुआ तो उस के इस्लाम का हुक्म न दिया जायेगा :

हम हक़ पर हैं बस अगर इस ने कहा कि मैं मुस्लिम हूं तो इस से पूछा जायेगा अगर इस ने कहा कि इस से मेरा यह मतलब है कि मैंने दीने ईसाइयत या यहूदियत को छोड़ा और मै दीन इस्लाम में प्रवेश हुआ तो उस के इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा हत्ता कि अगर इस के बाद इस ने रूजूअ किया यानी इस्लाम से फिर गया तो क़त्ल किया जायेगा और अगर इस ने कहा कि मेरा मतलब यह है कि मैं हक़ के लिए गर्दन झुकाये हूं और मैं हक़ पर हूं तो मुसलमान (1) न होगा और अगर इस से पूछा न गया यहां तक कि इस ने मुसलमानों के साथ जमाअत की नमाज़ पढ़ी तो मुसलमान होगा और अगर वह पूछने से पहले किये जाने या मुसलमानों के पहले जमाअत के साथ में नमाज़ पढ़ने के मर गया तो मुसलमान होने की हालत में मरने का हुक्म न दिया जायेगा और अगर नसरानी या यहूदी ने कहा कि 'लाइलाहा इल्लल्लाह' में यहूदियत या नसरानियत से अप्रसन्न हुआ और इस के साथ यूं न कहा कि मैं इस्लाम में प्रवेश हुआ तो इस के इस्लाम का हुक्म न दिया जायेगा हत्ता कि अगर मर गया तो इस पर नमाज़ पढ़ी जायेगी और अगर इस ने इस के साथ यह कहा हो कि मैं इस्लाम में प्रवेश हुआ तो उसके इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि अगर यहूदी या नसरानी ने किसी व्यक्ति के जवाब में जिस ने इस से आन्हज़रत

(4) वचन बद्ध होना यानी कुछ निश्चित समय के वास्ते लड़ाई रोक देना।

नसरानियत से बेज़ार हुआ और इस के साथ यूं न कहा कि मैं इस्लाम में दाखिल हुआ तो उस के इस्लाम का हुक्म न दिया जायेगा

हम हक़ पर हैं पस अगर इस ने कहा कि मैं मुस्लिम हूं तो इस से दरयाफ़्त किया जायेगा अगर इस ने कहा कि इस से मेरी यह मुराद है कि मैंने दीन नसरानियत या यहूदियत को छोड़ा और मैं दीन इस्लाम में दाखिल हुआ तो इस के इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा हत्ता कि अगर इस के बाद इस ने रूजूअ किया यानी इस्लाम से फिर गया तो क़त्ल किया जायेगा और अगर इस ने कहा कि मेरी मुराद यह है कि मैं हक़ के वास्ते गर्दन झुकाये हूं और मैं हक़ पर हूं तो मुसलमान (1) न होगा और अगर इस से दरयाफ्त न किया गया यहां तक कि इस ने मुसलमानों के साथ जमाअत की नमाज़ पढ़ी तो मुसलमान होगा और अगर वो क़ब्ल दरयाफ़्त किये जाने या क़ब्ल मुसलमानों के साथ जमाअत में नमाज़ पढ़ने के मर गया तो मुसलमान होने की हालत में मरने का हुम न दिया जायेगा और अगर नसरानी या यहूदी ने कहा कि 'लाइलाहा इल्लल्लाह' में यहूदियत या नसरानियत से बेज़ार हुआ और इस के साथ यूं न कहा कि मैं इस्लाम में दाखिल हुआ तो इस के इस्लाम का हुक्म न दिया जायेगा हत्ता कि अगर मर गया तो इस पर नमाज़ पढ़ी जायेगी और अगर इस ने इस के साथ यह कहा हो कि मैं इस्लाम में दाखिल हुआ तो उसके इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि अगर यहूदी या नसरानी ने किसी शख़्स के जवाब में जिस ने इस से आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को दरयाफ्त किया था यूं किया कि मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो उस के इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा।

बाज़ मशाइख से मरवी है कि अगर नसरानी से कहा गया कि मौहम्मद अल्लाह के रसूल बरहक़ हैं इस ने

(1) हर साल के एवज़ हज़ार दिरहम बयान कर देने से यह मवादआ सह साला तीन अक़्द मुतफ़र्रिक़ हुए कि हर साल के वास्ते एक एक अक़्द हो गया।

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को पूछा था यूं किया कि मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो उसके इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा।

कुछ विद्वानों से परंपरागत है कि अगर ईसाई से कहा गया कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल बरहक़ हैं इस ने कहा कि हाँ फिर इस से कहा गया कि क्या दीन ईसाइयत अमान्य है पस इस ने कहा कि हाँ बस कुछ मुफ़्तियों ने फ़तवा दिया कि वह मुसलमान न हुआ और कुछ ने फ़तवा दिया कि मुसलमान हो गया। इस तरह अगर इसाई या यहूदी ने कहा कि मैं दीने हनीफ़िया पर हूं तो वो मुसलमान न हो जायेगा यह मुहीत में है। कुछ विद्ववानों से परंपरागत है कि अगर यहूदी ने कहा कि मैं इस्लाम में प्रवेश हुआ तो उस के इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा अगरचे इस ने यह न कहा हो कि मैं यहूदियत से अप्रसन्न हुआ और मजूसी ने अगर कहा कि मैं इस्लाम लाया या कहा कि मैं मुस्लिम हूं तो उस के इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा इस लिऐ कि यह लोग अपने अस्तित्व के लिए इस्लाम की स्तुति का दअवा नहीं करते हैं बल्कि एक तरह की गाली गिनते हैं यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर किताब वालों में से या किसी बहुदेववादी ने हमारे लोगों के साथ नमाज़ पढ़ी तो हमारे अनुसार इस के इस्लाम का हुक्म दे दिया जायेगा और अगर उस ने अकेले नमाज़ पढी तो इमामे आज़म रह० के कथन पर उस के इस्लाम का हुक्म न दिया जायेगा और साहिबीन रह० के कथन के आधार पर इस के इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा। हमारे कुछ विद्वानों ने कहा कि हक़ीक़त में कुछ मतभेद नहीं है क्योंकि इमाम आज़म रह० से जो परंपरा है उस का यह स्पष्टीकरण है कि उस ने बजाए अज़ान व इक़ामत के अकेले नमाज़ पढ़ी बस ऐसी स्थिति में उसके इस्लाम का हुक्म न दिया जायेगा और साहिबीन रह० से जो उल्लेखित है उस का स्पष्टीकरण यह है कि इस ने अज़ान व इक़ामत के साथ तन्हा नमाज़ पढ़ी बस ऐसी स्थिति में इस के इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा।

(1) हर साल के बदले हज़ार दिरहम बयान कर देने से यह वचन बद्धता तीन साला तीन भिन्न अनुबंध हुए कि हर साल के वास्ते एक एक अनुबंध हो गए।

कहा कि हां फिर इस से कहा गया कि क्या दीन नसरानियत बातिल है पस इस ने कहा कि हां पस बाज़ मुफ़्तियों ने फ़तवा दिया कि वो मुसलमान न हो और बाज़ ने फ़तवा दिया कि मुसलमान हो गया। इस तरह अगर नसरानी या यहूदी ने कहा कि मैं दीन हनीफ़िया पर हूं तो वो मुसलमान न हो जायेगा यह मुहीत में है। बाज़ मशाइख से मरवी है कि अगर यहूदी ने कहा कि मैं इस्लाम में दाखिल हुआ तो उस के इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा अगरचे इस ने यह न कहा हो कि मैं यहूदियत से बेज़ार हुआ और मजूसी ने अगर कहा कि मैं इस्लाम लाया या कहा कि मैं मुस्लिम हूं तो उस के इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा इस वास्ते कि यह लोग अपनी ज़ात के वास्ते बवस्फ़ इस्लाम का दअवा नहीं करते हैं बल्कि एक गोना बद गोई शुमार करते हैं यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर अहले किताब में से या किसी अहले शिर्क ने हमारी जमाअत के साथ नमाज़ पढी तो हमारे अनुसार उस के इस्लाम का हुक्म दे दिया जायेगा और अगर उस ने अकेले नमाज़ पढी तो इमामे आज़म रह० के क़ौल पर इस के इस्लाम का हुक्म न दिया जायेगा और बर बिनाये क़ौल साहिबीन रह० के इस के इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा। हमारे बाज़ मशाइख ने कहा कि हक़ीक़त में कुछ इख़्तलाफ़ नहीं है क्योंकि इमाम आज़म रह० से जो मंक़ूल है उस की यह तावील है कि इस ने बदून अज़ान व इक़ामत के तन्हा नमाज़ पढ़ी पस ऐसी सूरत में उस के इस्लाम का हुक्म न दिया जायेगा और साहिबीन रह० से जो मंक़ूल है इस की तावील यह है कि उस ने अज़ान व इक़ामत के साथ तन्हा नमाज़ पढ़ी पस ऐसी सूरत में इस के इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा।

जिस तरह हम ने ज़िक्र किया है इस पर इत्तफ़ाक़ है कुछ इख़्तलाफ़ नहीं है। अजनास में लिखा है कि अगर गवाहों ने कहा कि 'रायनाहु युसल्ली बसुन्नतहू' यानी हम ने इस को देखा कि यह सुन्नत नमाज़ पढ़ता था और यह न कहा कि बजमाअत नमाज़ पढ़ता था पस इस ने

(2)जो मुफ़ीद यानी शर्त बहस्बुल इस्तेमाल होता है अगरचे सरीह हर्फ़ शर्त बाऐतबार नहू के नहीं है।

(3) रासुन नफ़्स यानी नफ़्स इन्सान आदमी।

(4) इस वास्ते कि हुनूज़ वो लोग आज़ाद हैं पस माल न होंगे।

जिस तरह हम ने वर्णन किया है इस पर इत्तफ़ाक़ है कुछ मतभेद नहीं है। अजनास में लिखा है कि अगर गवाहों ने कहा कि 'रायनाहु युसल्ली बसुन्नतहू' यानी हम ने इस को देखा कि यह सुन्नत नमाज़ पढ़ता था और यह न कहा कि सबके साथ नमाज़ पढ़ता था पस इस ने कहा कि मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी है तो यह इस्लाम न होगा यहाँ तक कि वह कहें कि इस ने हमारी सारी नमाज़ पढ़ी और हमारे केन्द्र का स्वागत किया यह मुहीत में है। अगर गवाहों ने गवाही दी कि यह अज़ान देता और इक़ामत करता था तो मुसमान होगा चाहे अज़ान सफ़र में हो या हज़र/उपस्थिति में और अगर गवाहों ने कहा कि हम ने इस को सुना कि मस्जिद में अज़ान देता था तो यह कुछ नहीं है जब तक यह न कहें कि यह मौज़्ज़िन/पुकारने वाला है चुनांचे जब उन्होंने यह कहा कि यह मौज़्ज़िन है तो वो मुसलमान होगा इस लिएकि जब उन्होंने इस को मौज़्ज़िन कहा तो यह आदत होगी बस वह मुसलमान होगा यह बज़ाज़िया से बहरूर्राइक़ में नक़ल है। अगर इस ने रोज़ा रखा या हज किया या ज़कात अदा की तो ज़ाहिरूल रिवाया के अनुसार इस के इस्लाम का हुक्म न दिया जायेगा और दाऊद बिन रशीद ने इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत की है कि अगर इस ने इस तौर पर हज किया जैसे मुसलमान करते हैं बईं तौर कि लोगों ने इस को देखा कि इस ने अहराम के लिएसंक्लप किया और लब्बेक कहा और मुसलमानों के साथ हज कार्यों में हाज़िर रहा तो मुसलमान होगा और अगर वह प्रतीकात्मक पूजा में हाज़िर न हुआ या प्रतीकात्मक पूजा में हाज़िर हुआ मगर हज न किया तो मुसलमान न होगा। अगर एक गवाह ने कहा कि मैंने इस को देखा है कि बड़ी मस्जिद में जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ता था और दूसरे गवाह ने कहा कि मैं इस को देखा कि फ़लां मस्जिद में नमाज़ पढ़ता था तो दोनों की गवाही क़बूल की जायेगी और वह इस्लाम के लिएमजबूर किया जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है लेकिन वह क़त्ल न

(2)जो मुफ़ीद यानी शर्त बहस्बुल इस्तेमाल होता है अगरचे सरीह हर्फ़ शर्त बाऐतबार नहू के नहीं है।

(3) रासुन नफ़्स यानी नफ़्स इन्सान आदमी।

(4) इस वास्ते कि हुनूज़ वो लोग आज़ाद हैं पस माल न होंगे।

कहा कि मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी है तो यह इस्लाम न होगा यहां तक कि वो कहीं कि इस ने हमारी सरी नमाज़ पढ़ी और हमारे क़िब्ला का इस्तक़बाल किया यह मुहीत में है। अगर गवाहों ने गवाही दी कि यह अज़ान देता और इक़ामत करता था तो मुसमान होगा ख़्वाह अज़ान सफ़र में हो या हज़र में और अगर गवाहों ने कहा कि हम ने इस को सुना कि मस्जिद में अज़ान देता था तो यह कुछ नहीं है जब तक यह न कहें कि यह मौज़्ज़िन है चुनांचे जब उन्होंने यह कहा कि यह मौज़्ज़िन है तो वो मुसलमान होगा इस वास्ते कि जब उन्होंने इस को मौज़्ज़िन कहा तो यह आदत होगा पस वो मुसलमान होगा यह बज़ाज़िया से बहरूल राइक़ में मंक़ूल है। अगर इस ने रोज़ा रखा या हज किया या ज़कात अदा की तो ज़ाहिरूल रिवाय के मुवाफ़िक़ इस के इस्लाम का हुक्म न दिया जायेगा और दाऊद बिन रशीद ने इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत की है कि अगर इस ने इस तौर पर हज किया जैसे मुसलमान करते हैं बईं तौर कि लोगों ने इस को देखा कि इस ने अहराम के वास्ते तहिया किया और तलबिया किया और मुसलमानों के साथ मनासिक हज में हाज़िर रहा तो मुसलमान होगा और अगर वो मनासिक में हाज़िर न हुआ या मनासिक में हाज़िर हुआ मगर हज न किया तो मुसलमान न होगा। अगर एक गवाह ने कहा कि मैंने इस को देखा है कि बड़ी मस्जिद में जमाअत के साथ नमाज़ पढता था और दूसरे गवाह ने कहा कि मैं इस को देखा कि फ़लां मस्जिद में नमाज़ पढ़ता था तो दोनों की गवाही क़बूल की जायेगी और वो इस्लाम के वास्ते मजबूर किया जायेगा कज़ा फ़ी फ़तावा क़ाज़ी खान लेकिन वो क़त्ल न किया जायेगा यह मुहीत में है।

हसन बिन ज़ियाद से मरवी है कि अगर किसी ने ज़िम्मी से कहा कि इस्लाम ला पस इस ने कहा कि मैं इस्लाम लाया तो इस्लाम पर होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। इमाम मुहम्मद रह० ने सैरे कबीर में फ़रमाया किया जायेगा यह मुहीत में है।

हसन बिन ज़ियाद से परंपरा है कि अगर किसी ने ज़िम्मी/ग़ैर मुस्लिम नागरिक से कहा कि इस्लाम ला पस इस ने कहा कि मैं इस्लाम लाया तो इस्लाम पर होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। इमाम मुहम्मद रह० ने सैरे कबीर में फ़रमाया कि अगर मुसलमान ने किसी बहुदेव वादी पर हमला किया ताकि इस को क़त्ल कर दे बस जब इस को तंग दबाव में कर लिया तो इस ने कहा 'अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह' बस अगर काफ़िर ऐसी क़ौम में से हो कि वह लोग इस कलिमे को नहीं कहते हैं तो मुसलमान पर अनिवार्य है कि इस से कुछ रहे और अगर इस को पकड़ा कर मुसलमानों के इमाम के पास लाया तो वह आज़ाद मुसलमान है बशर्तेकि इस ने यह कलिमा तौहीद मर्दे मुसलमान के पहले इस को इश्वरीय कोप-ग्रस्त करने के कहा हो और (1) अगर मुसलमान ने इस को इश्वरीय कोप-ग्रस्त कर लिया फिर इस ने यह कलिमा कहा तो वो फ़ई होगा लेकिन क़त्ल न किया जायेगा बस अगर इस ने कहा कि मैंने जो कहा था उससे इस्लाम की इरादा नहीं की थी बल्कि यहूदियत में दाखिल होने की इरादा की थी या मैंने चाहा था कि मुझे पनाह मिले ताकि तू मुझे क़त्ल न करे तो इस के कथन पर दया न की जायेगी और अगर ऐसा हुआ कि जब इस ने 'लाइलाहा इल्लल्लाह' कहा और मुसलमान ने इस के क़त्ल से हाथ रोक लिया बस वह भाग गया और बहुदेववादियों में जा मिला फिर लड़ता हुआ आया फिर इस पर मर्द मुसलमान ने हमला किया फिर जब इस को तंग जा दबाया तो इस ने कहा कि 'लाइलाहा इल्लल्लाह' बस अगर उस का समूह हो कि वहाँ वह पनाह में जा सकता हो तो इस के क़त्ल कर डालने में कोई हानि नहीं है और अगर उस का गिरोह परेशान व भिन्न हो गया हो तो मुसलमान को इस का क़त्ल कर देना जायज़ नहीं है लेकिन इस को दंडित करे इस कार्य पर जो इस से हुआ है। अगर यह मुश्रिक ऐसे लोगों में से हो जो 'लाइलाहा

(1)आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़्फ़ारे क़ुरैश से इस शर्त के साथ सुलह की थी जैसा कि सही में सुलह हुदैबिया में मज़कूर है लेकिन इस ज़माने में आयायह जायज़ है या नहीं तो किताब में लिखा कि नहीं जायज़ है और कलाम सब उसूल में है।

(1)आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़्फ़ारे क़ुरैश से इस शर्त के साथ सुलह की थी जैसा कि सही में सुलह हुदैबिया में वर्णित है लेकिन इस ज़माने में क्यायह जायज़ है या नहीं तो किताब में लिखा कि नहीं जायज़ है और कलाम सब नियम में है।

कि अगर मुसलमान ने किसी मुश्रिक पर हमला किया ताकि इस को क़त्ल कर दे पस जब इस को तंग दबाव में कर लिया तो इस ने कहा 'अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह' पस अगर काफ़िर ऐसी क़ौम में से हो कि वो लोग इस कलिमे को नहीं कहते हैं तो मुसलमान पर वाजिब है कि इस से बाज़ रहे और अगर इस को पकड़ा कर इमामुल मुस्लिमीन के पास लाया तो वो आज़ाद मुसलमान है बशर्तेकि इस ने यह कलिमा तौहीद क़ब्ल मर्द मुसलमान के इस को मक़हूर करने के कहा हो और (1) अगर मुसलमान ने इस को मक़हूर कर लिया फिर इस ने यह कलिमा कहा तो वो फ़ई होगा लेकिन क़त्ल न किया जायेगा पस अगर इस ने कहा कि मैंने जो कहा था इस से इस्लाम की नियत नहीं की थी बल्कि यहूदियत में दाखिल होने की नियत की थी या मैंने चाहा था कि मुझे पनाह मिले ताकि तू मुझे क़त्ल न करे तो इस के क़ौल पर इल्तफ़ात न किया जायेगा और अगर ऐसा हुआ कि जब इस ने 'लाइलाहा इल्लल्लाह' कहा और मुसलमान ने इस के क़त्ल से हाथ रोक लिया पस वो भाग गया और मुश्रिकों में जा मिला फिर लड़ता हुआ आया फिर इस पर मर्द मुसलमान ने हमला किया फिर जब इस को तंग जा दबाया तो इस ने कहा कि 'लाइलाह इल्लल्लाह' पस अगर इस का गिरोह हो कि वहां वो पनाह में जा सकता हो तो इस के क़त्ल कर डालने में मुज़ायक़ा नहीं है और अगर इस का गिरोह परेशान व मुतफ़र्रिक़ हो गया हो तो मुसलमान को इस का क़त्ल कर देना रवा नहीं है लेकिन इस को तादीब करे इस फ़अल पर जो इस से सादिर हुआ है। अगर यह मुश्रिक ऐसे लोगों में से हो जो 'लाइलाह इल्लल्लाह' कहते हैं लेकिन 'मौहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' के रसूल होने के मुक़र्रर नहीं हैं और बाक़ी मसला बहाला हो तो इस के क़त्ल कर देने में मुज़ायक़ा नहीं है अगरचे इस ने यह कलिमा कहा है और अगर इस ने यूं कहा कि 'अशहदु लाइलाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अबदुहू व रसूलू' तो मुसलमान पर वाजिब है कि इस के क़त्ल से हाथ रोक ले और जब कोई काफ़िर इस्लाम पर मजबूर किया गया और वो इस्लाम लाया तो इस्तहसान इस का इस्लाम सही होगा इल्लल्लाह' कहते हैं लेकिन 'मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' के रसूल होने के मुक़र्रर नहीं हैं और बाक़ी मसला बहाला हो तो इस के क़त्ल कर देने में मुज़ायक़ा नहीं है अगरचे इस ने यह कलिमा कहा है और अगर इस ने यूं कहा कि 'अशहदु लाइलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अबदुहू व रसूलूह' तो मुसलमान पर अनिवार्य है कि इस के क़त्ल से हाथ रोक ले और जब कोई काफ़िर इस्लाम पर मजबूर किया गया और वह इस्लाम लाया तो उपकार, इस का इस्लाम सही होगा और नवादिर बिन रूस्तम में वर्णित है कि जो व्यक्ति नशे में इस्लाम लाया तो इस्लाम स्वीकार किया जायेगा (2) यह मुहीत में है।

अगर बुत परस्त ने कहा कि मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तआला के रसूल हैं तो वह मुसलमान होगा और इसी तरह अगर कहा कि मैं दीने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हूं या मैं हनीफ़िया पर हूं या इस्लाम पर हूं तो इस के इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा और अगर वह मर गया तो इस पर नमाज़ पढ़ी जायेगी और अगर किसी काफ़िर ने दूसरे काफ़िर को इस्लाम तलक़ीन किया तो वह मुसलमान न हो और इस तरह अगर इस को क़ुरआन सिखाया या क़ुरआन पढ़ाया तो वो मुसलमान न हुआ यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अध्याय : 5

आपसी समझोते और सरंक्षण के बारे में और इस बारे में कि किस का सरंक्षण जायेज़ है

अगर मुसलमानो के इमाम की राये में आया कि अहले हरब/ग़ैर मुस्लिम देश के नागरिकों से समझोता कर लें या कुछ प्रतिद्वन्द्वी अहले हरब/ग़ैर मुस्लिम देश के नागरिकों से समझोता करले और इस में मुसलमानों के हित में भलाई है तो कुछ हानि नहीं है और अगर मुसलमानो के इमाम की राये में आया कि अहले हरब से

और नवादिर बिन रूस्तम में मज़कूर है कि जो शख़्स नशे में इस्लाम लाया तो इस्लाम क़बूल किया जायेगा (2) यह मुहीत में है।

अगर बुत परस्त ने कहा कि मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तआला के रसूल हैं तो वो मुसलमान होगा और इसी तरह अगर कहा कि मैं दीने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हूं या मैं हनीफ़िया पर हूं या इस्लाम पर हूं तो इस के इस्लाम का हुक्म दिया जायेगा और अगर वो मर गया तो इस पर नमाज़ पढ़ी जायेगी और अगर किसी काफ़िर ने दूसरे काफ़िर को इस्लाम तलक़ीन किया तो वो मुसलमान न हो और इस तरह अगर इस को क़ुरआन सिखाया या क़ुरआन पढ़ाया तो वो मुसलमान न हुआ यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

बाबः 3

मुसालहा और अमान के बयान और इस बयान में कि किस की अमान रवा है

अगर इमामुल मुस्लिमीन की राये में आया कि अहले हरब से मसालहा करले या बाज़ फ़रीक़ अहले हरब से मसालहा करले और इस में मुसलमानों के हक़ में भलाई है तो कुछ मुज़ायक़ा नहीं है और अगर इमामुल मुस्लिमीन की राये में आया कि अहले हरब से मवादआ (4) करले और इस पर कुछ माल इन से लेले यानी कुछ माल ले कर इन से मवादआ करले तो मुज़ायक़ा नहीं है व लेकिन यह हुक्म है कि मुसलमानों को माल की हाजत हो और अगर हाजत न हो तो इस तरह मवादअत जायज़ नहीं है और जिस क़द्र माल इस मवादअत से लिया है वो जज़या के मसारिफ़ के तौर पर सर्फ़ किया जायेगा बशर्तेकि मुसलमान मुजाहिदीन ने इन के मुल्क में जाकर नुज़ूल करके इस तरह मवादअत से माल न लिया हो कि बल्कि अहले हरब ने अपना ऐलची भेज कर इस तरह संघर्ष विराम (4) करले और इस पर कुछ माल इन से लेले यानी कुछ माल ले कर इन से संघर्ष विराम करले तो कोई हानि नहीं है व लेकिन यह हुक्म है कि मुसलमानों को माल की हाजत हो और अगर हाजत न हो तो इस तरह संघर्ष विराम जायज़ नहीं है और जिस क़द्र माल इस संघर्ष विराम से लिया है वो जज़या के खर्चे के तौर पर खर्च किया जायेगा बशर्तेकि मुसलमान योद्धाओं ने उन के मुल्क में जाकर करके इस तरह संघर्ष विराम से माल न लिया हो कि बल्कि अहले हरब ने अपना ऐलची भेज कर इस तरह सुलह की प्रार्थना की हो और अगर मुसलमानों के लश्कर ने इन को घेरा बस उन्होंने माल दे कर सुलह कर ली तो यह माले ग़नीमत है कि इस का ख़ुम्स यानी पांचवां हिस्सा निकाल कर बाक़ी को सब मुसलमानों में विभाजित करदे यह हिदाया में है और अगर अहले हरब/ग़ैर मुस्लिम नागरिकों के किसी एक पक्ष से मुसलमानों ने संघर्ष विराम करलिया बग़ैर इजाज़त इमाम के तो संघर्ष विराम जायज़ है और यह सब मुसलमानों पर जायज़ होगा यानी कोई इस को तोड़ नहीं सकता है इस लिएकि यह अमान है और एक का अमान देना सब के अमान देने जैसा है यानी सब की तरफ़ से अमान होगी यह सिराजुल वहाज में है। अगर किसी मुसलमान ने अहले हरब/ग़ैरमुस्लिम शासित नागरिक से हज़ार दीनार पर एक साल की शर्त पर सुलह कर ली तो उस की सुलह जायज़ है बस अगर इमाम को यह बात मालूम न हुई यहाँ तक कि साल गुज़र गया तो वे माल ले कर इस को राजकीय कोष में जमा करदे और अगर इमाम को इस की सुलह का हाल मालूम हुआ और साल नहीं गुज़र गया तो इमाम ग़ौर फ़रमायेगा बस अगर इस के बाक़ी रखने में हित नीति हो तो इस सुलह को बाक़ी रखेगा और माल ले लेगा और अगर इस के तोड़ देने में हित मालूम हो तो माल इन को वापिस देगा फिर इन की सुलह इन की ओर वापस करदेगा और इन के साथ युद्ध करेगा और अगर आधा साल गुज़र गया हो तो भी कुल माल उपकार के तौर पर वापिस कर देगा यह मुहीतुल सुरखी में है।

अगर मुसलमान ने अहले हरब/ग़ैरमुस्लिम शासित

सुलह की दरख्वास्त की हो और अगर मुसलमानों के लश्कर ने इन को घेरा पस उन्होंने माल दे कर सुलह कर ली तो यह माल ग़नीमत है कि इस का ख़म्स यानी पांचवां हिस्सा निकाल कर बाक़ी को बाहम मुसलमानों में तक़सीम करदे यह हिदाया में है और अगर अहले हरब से किसी एक फ़रीक़ मुसलमानों ने मवादअत करली बदूं इजाज़त इमाम के तो मवादअत जायज़ है और यह सब मुसलमानों पर जायज़ होगी यानी कोइ इस को तोड़ नहीं सकता है इस वास्ते कि यह अमान है और एक का अमान देना मिस्ल सब के अमान देने के है यानी सब की तरफ़ से अमान होगी यह सिराजुल वहाज में है। अगर किसी मुसलमान ने अहले हरब से हज़ार दीनानर पर एक साल की शर्त पर सुलह कर ली तो इस की सुलह जायज़ है पस अगर इमाम को यह बात मालूम न हुई यहां तक कि साल गुज़र गया तो वो माल ले कर इस को बैतुल माल में दाखिल करदे और अगर इमाम को इस की सुलह का हाल मालूम हुआ और साल नहीं गुज़र गया तो इमाम ग़ौर फ़रमायेगा पस अगर इस के बाक़ी रखने में मसलहत हो तो इस सुलह को बाक़ी रखेगा और माल ले लेगा और अगर इस के तोड़ देने में मसलहत मालूम हो तो माल इन को वापिस देना फिर इन की सुलह इन की तरफ़ फैंक देगा और इन के साथ क़िताल करेगा और अगर निस्फ़ साल गुज़र गया हो तो भी कुल माल इस्तहसानन वापिस कर देगा यह मुहीतुल सरखी में है।

अगर मुसलमान ने अहले हरब से कहा कि वादअतकुम बअल्फ़ दीनार यानी मैंने तुम से बऔज़ हज़ार दीनार के बमुक़ाबला एक साल के सुलह की फिर साल में से थोड़ा गुज़र गयसा और थोड़ा बाक़ी है कि इमाम ने इन की सुलह इन को रद कर दी यानी रद सुलह की इत्तला कर दी तो इमाम को माल में से बक़द्र गुज़री हुई मिक़्दार साल के हिसाब से माल में से मिलेगा यानी इस क़द्र लेले और बाक़ी के मुक़ाबले में जिस क़द्र माल रहा

(1)छोटे लश्कर का सरदारया मातहत सरदारयानी नाइब सरदार।

देश के नागरिकों से कहा कि वादअतकुम बअल्फ़ दीनार यानी मैंने तुम से हज़ार दीनार के बदले एक साल के लिए सुलह की फिर साल में से थोड़ा गुज़र गया और थोड़ा बाक़ी है कि इमाम ने इन की सुलह इन को रदद कर दी यानी रदद सुलह की इत्तला कर दी तो इमाम को माल में से जितना समय गुज़रा हो दिनों के हिसाब से माल में से मिलेगा यानी उसी हिसाब से लेले और बाक़ी के बदले में जितना माल रहा वे वापिस कर दें मिसाल आधा साल गुज़रा है तो आधा माल का हक़ और आधा माल वापिस करदे यह मुहीत में है। अगर अहले हरब/ ग़ैरमुस्लिम शासित नागरिकों से तीन साल के लिए हर साल हज़ार दिरहम के बदले सुलह की हो और कुल माल वसूल कर लिया फिर इमाम ने वर्णित वचन को तोड़ देने व रदद कर देने की कोशिश की हालांकि एक साल गुज़रा है तो उन को दो तिहाई माल वापिस कर दे इस लिए कि मत (1) भिन्न होने से वचन भिन्न हो गये विपरीत पहली स्थिति के कि इस में वर्णित माल नियमानुसार एक साल पूर्ण वचनबद्धता के है और वचन एक ही है और माल शब्द उपबंध यानी शब्द पर वर्णित (2) है यह मुहीत सुरखी में है। वचनबद्धता दस वर्षों से ज़्यादा तक के लिए जायेज़ है बशर्तेकि इमामुल मुस्लिमीन को इस वचन बद्धता में मुसलमानों के हित में बेहतरी मन्नत आये यह अधिकार शरह मुख़्तार में है। अगर दुश्मन ने मुसलमानों का घिराव किया और कहा कि अगर माल दे कर सुलह कर लो तो हम को मंज़ूर है तो मुसलमानों के इमाम ने इस को ना मंज़ूर फ़रमायेगा सिवा उसी स्थिति में कि विनाश का भय हो तो जायेज़ है यह हिदाया में है।

अगर काफ़िरों ने विदा करने में यह शर्त की कि इमाम उन को वह व्यक्ति वापिस कर दे जो उन में से मुसलमान हो कर हमारे पास आ जाये तो विदा करना जायज़ और शर्त अमान्य है :

अगर अहले हरब ने मुसलमानों के इमाम से कुछ

(1) छोटे लश्कर का सरदारया मातहत सरदारयानी नाइब सरदार।

वो वापिस कर दें मसलन निस्फ़ साल गुज़रा है तो निस्फ़ माल का इस्तहक़ाक़ और निस्फ़ माल वापिस करदे यह मुहीत में है। अगर अहले हरब से तीन साल के वास्ते हर साल की बऔज़ हज़ार दिरहम के सुलह की हो और कुल माल वसूल कर लिया फिर इमाम ने मवादआ मज़कूरह को तोड़ देने व रद कर देने का क़सद किया हालांकि एक साल गुज़रा है तो इन को दो तिहाई माल वापिस कर दे इस वास्ते कि तिस्मिया (1) मुतफ़र्रिक़ होने से उक़ूद मुतफ़र्रिक़ हो गये बखिलाफ़ सूरत अव्वल के कि इस में माल मज़कूर बशर्त मवादअत एक साल कामिल है और अक़द एक ही है और माल बहर्फ़ शर्त यानी लफ़्ज़ पर मज़कूर (२) है यह मुहीत सुरखी में है। मवादअत दस बरस से ज़्यादा तक के वास्ते रवा है बशर्तेकि इमामुल मुस्लिमीन को इस मवादअत में मुसलमानों के हक़ में बेहतरी नज़र आये यह इख़्तयार शरह मुख़्तार में है। अगर दुश्मन ने मुसलमानों का मुहासरा किया और कहा कि अगर माल दे कर सुलह कर लो तो हम को मंज़ूर है तो इमामुल मुस्लिमीन इस को ना मंज़ूर फ़रमायेगा इल्ला इसी सूरत में कि ख़ौफ़ व हिलाकत हो तो रवा है यह हिदाया में है।

अगर काफ़िरों ने मवादअत में यह शर्त की कि इमाम उन को वो शख़्स वापिस कर दे जो उन में से मुसलमान हो कर हमारे पास आ जाये तो मवादअत जायज़ और शर्त बातिल है :

अगर अहले हरब ने इमामुल मुस्लिमीन से चन्द साल मालूम के वास्ते बदीं शर्त सुलह की दरख्वास्त की कि हम हर साल मुसलमानों की इस क़द्र माल मालूम बदीं शर्त अदा करेंगे कि हमारे मुल्क में हम पर अहकाम इस्लाम जारी न हों तो इमाम इस को मंज़ूर न फ़रमायेगा इल्ला इसी सूरत में कि मुसलमानों के वास्ते इस में बेहतरी हो पस अगर यह अम्र मुसलमानों के वास्ते बेहतर हो और सुलह इस अम्र पर वाक़े हुई कि हर साल

(1)आम तौर पर इशतहाद व ऐलान हो।

साल विदित के लिएबदीं शर्त सुलह की प्रार्थना की कि हम हर साल मुसलमानों को इतना विदित माल नियमित तौर से अदा करेंगे कि हमारे मुल्क में हम पर इस्लामी आदेश जारी न हों तो इमाम इस को मंज़ूर न करेगा सिवा उस स्थिति में कि मुसलमानों के लिएइस में बेहतरी हो बस अगर यह कार्य मुसलमानों के लिए बेहतर हो और सुलह इस बात पर स्थापित हुई कि हर साल मुसलमानों को सौ रासुन-नफ़्स/आदमी (३) देंगे तो इस में दो सूरतें हैं एक यह कि उन्होंने सौ अनिश्चत लोगों पर सुलह की दूसरे वह कि सौ सौ अनिश्चत लोगों पर सुलह की बस अगर सौ सौ अनिश्चत लोगों पर सुलह हो तो देखा जायेगा कि अगर यह सौ लोग जो नियमित किये हैं ख़ुद अहले हरब/ग़ैर मुस्लिम नागरिक और इन की औलाद में से हों (4) तो यह सुलह जायज़ न होगी और अगर यह सौ नियमित लोग इन के गुलामों व ज़रखरीदों में से हों तो सुलह जायज़ और अगर सुलह सौ निश्चित लोगों पर जो इन के ख़ुद लोगों व औलाद नहीं हैं स्थापित हुई मिसाल उन्होंने ने शुरू साल में कहा कि कि हम को अमन दो शर्त के बदले कि यह लोग तुम्हारी स्वामित्व होंगे और हम तुम से तीन साल के लिए जो अब से आऐंगे इस शर्त से सुलह करते हैं कि हर साल हम तुम को सौ लोग अपने ज़रखरीदों में से देंगें तो यह जायज़ है यह मुहीत में है। अगर काफ़िरों ने विदा करने में यह शर्त की कि इमाम इनको वे व्यक्ति वापिस कर दे जो इनमें से मुसलमान हो कर हमारे पास आ जाये तो विदा करना जायज़ और शर्त अमान्य(1) है कि इस को निभाना अनिवार्य नहीं है यह काफ़ी में है।

अगर इमाम ने इन से सुलह कर ली फिर सुलह का तोड़ देना उचित हित में मालूम हुआ तो इन की सुलह इन पर फैंक दे फिर इन से युद्ध करे। नबंद यानी सुलह का रदद करना भी ऐसी तौर से होगा जिस तौर से सरंक्षण देना स्थापित हुआ था यानी अगर सरंक्षण देना ऐलानिया व व्यापक चर्चा के साथ थी तो रदद सुलह भी ऐलान व मशहूरी के साथ होनी अनिवार्य है और अगर सरंक्षण देना ऐलानिया न था मसलन एक मुसलमान ने

(1) आम तौर पर साक्षय व ऐलान हो।

मुसलमानों को सौ रासुन-नफ्स (३) देंगे तो इस में दो सूरतें हैं एक यह कि उन्होंने सौ रास ग़ैर मुअय्यन पर सुलह की दोम आंकिसौ रास मुअय्यन पर सुलह की पस अगर सौ रास ग़ैर मुअय्यन पर सुलह हो तो देखा जायेगा कि अगर यह सौ रास जो शर्त किये हैं ख़ुद अहले हरब और इन की औलाद में से हों (4) तो यह सुलह जायज़ न होगी और अगर यह सौ रास मशरूता इन के ग़ुलामों व ममलूकों में से हों तो सुलह जायज़ और अगर सुलह सौ रास मुअय्यन पर जो इन के ख़ुद नुफ़ूस व औलाद नहीं हैं वाक़े हुई मसलन उन्होंने ने शुरू साल में कहा कि कि हम को अमन दो बदीं शर्त कि यह लोग तुम्हारे वास्ते मिल्क होंगे और हम तुम से तीन साल के वास्ते जो अब से आऐंगे इस शर्त से सुलह करते हैं कि हर साल हम तुम को सौ रास अपने ममलूकों से देंगे तो यह जायज़ है यह मुहीत में है। अगर काफ़िरों ने मवादअत में यह शर्त की कि इमाम इन को वो शख़्स वापिस कर दे जो इन में से मुसलमान हो कर हमारे पास आ जाये तो मवादअत जायज़ और शर्त बातिल (1) है कि इस का वफ़ा करना वाजिब नहीं है यह काफ़ी में है।

अगर इमाम ने इन से सुलह कर ली फिर सुलह का तोड़ देना मसलहत मालूम हुआ तो इन की सुलह इन पर फैंक दे फिर इन से क़िताल करे। नबंद यानी सुलह का रद करना भी ऐसी तौर से होगा जिस तौर से अमान देना वाक़े हुआ था यानी अगर अमान देना मुन्तशिर व शोहरत के साथ था तो रद सुलह भी ऐलान व इन्तशार के साथ होनी वाजिब है और अगर अमान देना मुन्तशिर न था मसलन एक मुसलमान ने इन को पोशीदा अमान दे दी थी तो इसी एक शख़्स का रद सुलह कर देना काफ़ी है। फिर बाद रद सुलह के इन से क़िताल करना इतनी मुद्दत तक रवा नहीं है कि इन का बादशाह इस मुद्दत में अपने इतराफ़ मुमलिकत में खबर पहुंचा सके यानी इतने अर्से तक इस को मोहलत दे कि इस मुद्दत में वो अपने इतराफ़ मुमलिकत में खबर पहुंचा सके ख़्वाह पहुंचाये या न पहुंचाये। अगर वो लोग अपने क़िलओं से निकल कर शहरों में मुन्तशिर हो गये हों और मुसलमानों इन को गुप्त सरंक्षण दे दी थी तो इसी एक व्यक्ति की सुलह रदद कर देना काफ़ी है। फिर सुलह रदद के बाद के इन से युद्ध करना इतनी मुद्दत तक जायज़ नहीं है कि इन का बादशाह इस मुद्दत में अपने आस पास के राष्ट्रों में खबर पहुंचा सके यानी इतने समय तक इस को मोहलत दे कि इस समय में वे अपने आस-पास राष्ट्रों/ राज्यों में खबर पहुंचा सके चाहे पहुंचाये या न पहुंचाये। अगर वे लोग अपने क़िलओं से निकल कर शहरों में फैल गये हों और मुसलमानों के लश्कर में भी आ गये हों या अपने क़िलओ उन्होंने बे मरम्मत कर डाले हों सरंक्षण के कारण व सुलह होने के तो इन को मोहलत दे यहां तक कि सब लोग अपने अपने बचाव की जगह में वापिस जाऐं और अपने क़िलों को इस तरह बनालें जैसे वे थे और यह मोहलत इस लिए है कि विवशता साबित न हो और यह हुक्म सुलह की त्रुटि की सूचना देने और मोहलत देने आदि का इस समय है कि इमाम ने कुछ समय के लिए इन से सुलह की हो फिर इस समय के गुज़रने के सुलह तोड़ दी हो और अगर वर्णित समय गुज़र गया तो इस के गुज़रने पर ख़ुद ही सुलह टूट जायेगी, बस इन को सूचना न देगा यह तबय्यीन में है। मुसलमानों को हरगिज़ न चाहिए कि अहले हरब/ग़ैर मुस्लिम देश के नागरिकों पर या इन के आस-पास के राज्यों पर जब तक सुलह बाक़ी है लूट मार करें यह सिराजुल वहाज में है। अगर उन्होंने वचन से विश्वासघात किया और पहल की तो इन को सुलह की त्रुटि की सूचना न दे और इन से युद्ध करे बशर्तेकि यह कार्य इन की सहमति के साथ हो यह हिदाया में है।

अगर अहले हरब/ग़ैर मुस्लिम देश के नागरिक में से जिन के साथ वचनबद्ध व सुलह है एक समूह ऐसा जिन के लिए मान-सम्मान व शक्ति प्राप्त नहीं है दारूल हरब से निकल कर उन्होंने दारूल इस्लाम में लूटमार की तो यह कार्य इन की ओर से वचन की त्रुटि नहीं है और अगर ऐसी क़ौम निकली जिन को मान-सम्मान व शक्ति प्राप्त है मगर बिना आज्ञा अपने बादशाह या अपने राष्ट्र के लोगों के निकली है तो इन का बादशाह व इन के राष्ट्र के लोग अपने वचन पर बाक़ी रहेंगे और यह लोग

के लश्कर में भी आ गये हों या अपने क़िलआ उन्होंने बे मरम्मत कर डाले हों बसबब अमान व सुलह होने के तो इन को मोहलत दे यहां तक कि सब लोग अपने अपने मामन में वापिस जाएं और अपने क़िलओं को इस तरह बनालें जैसे वो थे और यह मोहलत इस वास्ते हे कि ग़द्र करना साबित न हो और यह हुक्म नुक्स सुलह की इत्तलाअ दही और मोहलत दही वग़ैरह का इस वक़्त है कि इमाम ने किसी क़द्र मुद्दत के वास्ते इन से सुलह की हो फिर क़ब्ल इस मुद्दत के गुज़रने के सुलह तोड़ दी हो और अगर मुद्दत मज़कूर गुज़र गई तो इस के गुज़रने पर ख़ुद ही सुलह टूट जायेगी पस इन को इत्तलाअ दही न करेगा यह तबयुन में है। मुसलमानों को हरगिज़ न चाहिए कि अहले हरब पर या इन के इतराफ़ मिल्क पर जब तक सुलह बाक़ी है लूट मार करें यह सिराज वहाज में है। अगर उन्होंने अहद ख़्यानत की और पहल की तो इन को नुक्ज़ सुलह की इत्तलाअ न दे और इन से क़िताल करे बशर्तेकि यह अम्र इन के इत्तफ़ाक़ के साथ हो यह हिदाया में है।

अगर अहले हरब में से जिन के साथ मवादअत व सुलह है एक जमाअत ऐसी जिन के वास्ते मनअत व क़ुव्वत हासिल नहीं है दारूल हरब से निकल कर उन्होंने दारूल इस्लाम में रहज़नी की तो यह अम्र इन की तरफ़ से नुक्ज़ अहद नहीं है और अगर ऐसी क़ौम निकली जिन को मनअत व क़ुव्वत हासिल है मगर बदूं इजाज़त अपने बादशाह या अपने अहले मुमलिकत के निकली है तो इन का बादशाह व इन के अहले मुमलिकत अपनी मवादअत पर बाक़ी रहेगे और यह लोग जिन्होंने रहज़नी की है इन के क़त्ल करने और ममलूक बनाने में कुछ मुज़ायक़ा नहीं है। अगर ये लोग अपने बादशाह या अपने अहले मुमलिकत की इजाज़त से निकले हैं तो यह अम्र सब के हक़ में नुक्ज़ अहद होगा यह फ़तावा करखी में है अगर अहले इस्लाम और किसी अहले हरब से सुलह क़ायम हो फिर इन में से एक शख़्स ऐसे काफ़िरों के मुल्क में दाखिल हुआ जिन से मुसलमानों से सुलह नहीं है फिर मुसलमानों ने इस मुल्क पर जिहाद किया और इस शख़्स जिन्होंने लूटमार की है इन के क़त्ल करने और ज़रखरीद बनाने में कुछ हानि नहीं है। अगर ये लोग अपने बादशाह या अपने राष्ट्र के लोगों की आज्ञा से निकले हैं तो यह कार्य सब के हित में वचन की त्रुटि होगी यह फ़तावा करखी में है। अगर अहले इस्लाम और किसी अहले हरब से सुलह स्थापित हो फिर इन में से एक व्यक्ति ऐसे काफ़िरों के राष्ट्र में प्रवेश हुआ जिन की मुसलमानों से सुलह नहीं है फिर मुसलमानों ने इस मुल्क पर जिहाद किया और इस व्यक्ति को गिरफ़तार किया तो वे शांती में है इस पर कोई राह नहीं है और न इस के माल पर और न इस के गुलाम आदि पर किसी पर कोई बात नहीं है और जिन काफ़िरों से हम ने सुलह कर ली है वे जहां चाहें जाएँ और जिस मुल्क में चाहें प्रवेश हों बहरहाल वे सुरक्षित हैं कि हमारी तरफ़ से इन को संरक्षण है और अगर मुसलमानों ने किसी मुल्क पर जहां अहले हरब हैं जिहाद किया जिन से हम से सुलह नहीं है और वहां किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ़तार किया जो ऐसे मुल्क का रहने वाला है जिन की हम से सुलह है मगर वे इस मुल्क के काफ़िरों के पंजे में जिन पर मुसलमानों ने जिहाद किया है बंदी था तो इस स्थिति में वह हमारी लूट का माल होगा। यह सिराजुल वहाज में है।

ऐसे व्यक्तियों (इस्लामी राज्य में ग़ैरमुस्लिम नागरिकों) का बयान जो जज़या दे कर मुसलमानों के आज्ञापालक हो कर रहें :

स्पष्ट हो कि ज़िम्मी इस को कहते है कि इस ने वादा किया कि हम मुसलमानों से मुक़ाबला न करेंगे जज़या देंगे और अपने दीन पर मुसलमानों के आज्ञाकारी हो कर रहेंगे किताब में है और अगर ज़िम्मियों ने अपना वादा तोड़ा तो वे इन बहूदेववादियों की तरह हैं जिन्होंने अपनी सुलह का वचन तोड़ा और इन का माल ले लेना जायज़ है इस लिएकि जज़या के साथ इन का बाक़ी रखना जायज़ है यह अधिकार शरह मुख़्तार में है। जो लोग इस्लाम से फिर गये और उन्होंने ग़ल्बा किया और जिस मुल्क में रहते हैं वे दारूल हरब/ग़ैर इस्लामी शसित देश हो गया तो खौफ़ की हालत में इन से बिला माल

को गिरफ़तार किया तो वो अमन में है इस पर कोई राह नहीं है और न इस के माल पर और न इस के रक़ीक़ वग़ैरहपर किसी पर कोई राह नहीं है और जिन काफ़िरों से हम ने सुलह कर ली है वो जहां चाहें जाऐं और जिस मुल्क में चाहें दाखिल हों बहरहाल वो मामून हैं कि हमारी तरफ़ से इन को अमान है और अगर मुसलमानों ने किसी मुल्क पर जहां अहले हरब हैं जिहाद किया जिन से हम से मसालहा नहीं है और वहां किसी ऐसे शख़्स को गिरफ़तार किया जो ऐसे मुल्क का रहने वाला है जिन से हम से मसालहा है मगर वो इस मुल्क के काफ़िरों के पंजे में जिन पर मुसलमानों ने जिहाद किया है असीर था तो इस सूरत में वो हमारी लूट का माल होगा। यह सिराज वहाज में है।

ऐसे अशखास (ज़िम्मी) का बयान जो जज़या दे कर मुसलमानों के ताबअ फ़रमां हो कर रहें :

वाज़ह हो कि ज़िम्मी इस को कहते हैं कि इस ने अहद किया कि हम मुसलमानों से मुक़ाबला न करेंगे जज़या अदा करेंगे और अपने दीन पर मुसलमानों के ताबअ हो कर रहेंगे क़ाल फ़िल किताब और अगर ज़िम्मियों ने अपना अहद तोड़ा तो वो मिस्ल इन मुश्रिकों के हैं जिन्होंने अपनी सुलह का अहद तोड़ा और इन का माल ले लेना जायज़ है इस वास्ते कि जज़या के साथ इन का बाक़ी रखना रवा है यह इख़्तयार शरह मुख़्तार में है। जो लोग इस्लाम से मुरतिद हो गये और उन्होंने ग़ल्बा किया और जिस मुल्क में रहते हैं वो दारूल हरब हो गया तो खौफ़ की हालत में इन से बिला माल लिये सुलह कर लेना रवा है बशर्तेकि इस में मुसलमानों के हक़ में बेहतरी हो और अगर इन से माल ले कर सुलह की तो जब इन पर फ़तहयाब हों यह माल इन को वापिस न दिया जाये इस वास्ते कि यह माल मुसलमानों के वास्ते ग़नीमत है बखिलाफ़ के यानी वो गिरोह मुसलमान जो इमाम बरहक़ की इताअत से सरकशी करके बाग़ी हो जाऐं तो जब लड़ाई ख़त्म हो जाये और बाग़ी लोग ताबअ हों तो इन का माल जो हाथ आया है वो इन लोगों को वापिस कर लिये सुलह कर लेना जायज़ है बशर्तेकि इस में मुसलमानों के हित में बेहतरी हो और अगर इन से माल ले कर सुलह की तो जब इन पर विजयी हों यह माल इन को वापिस न दिया जाये इस लिएकि यह माल मुसलमानों के लिए युद्ध में मिला हुआ माल है इस के विपरीत यानी वे मुसलमान समूह जो इमाम बरहक़ की आज्ञापालन से बग़ावत करके बाग़ी हो जाऐं तो जब लड़ाई ख़त्म हो जाये और बाग़ी लोग आज्ञापालक हों तो इन का माल जो हाथ आया है वे इन लोगों को वापिस कर देना अनिवार्य है इस लिए कि वह युद्ध में मिला हुआ माल न होगा हाँ लड़ाई समाप्त होने के पहले इन का माल इन को वापिस न करेगा इस लिए कि इस में इन के हित में विदा करना है यह नहरूल फ़ाइक़ में व फ़तहुल क़दीर में है और अरब के बुत परस्त लोग इस्लाम से फिरे हुओं की तरह है हुक्म वापसी में इस लिए कि अरब के बुत परस्तों से फिरे हुओं के जैसे के सिवाए इस्लाम के और कुछ स्वीकार न किया जायेगा बस वे इस्लाम लाऐं या इन को तलवार का आदेश है और सरदार लश्कर इस्लाम को या और कोई कमांडर (1) हो इस को यह जायज़ नहीं है कि अहले हरब/ग़ैर मुस्लिम राज्य के नागरिक का ताहफ़ा स्वीकार करके विशेष अपने लिए करले बल्कि यूं करना चाहिए कि इस को मुसलमानों के लिएयुद्ध में प्राप्त माल क़रार दे। यह मबसूत में है।

भाग :

सरंक्षण के बारे में

अगर किसी मर्द आज़ाद मुसलमान ने या मुसलमान आज़ाद औरत ने किसी काफ़िर या एक कुफ़्फ़ारों के समूह को या क़िले वालों को या एक शहर वालों को सरंक्षण दिया तो इस का इन लोगों को सरंक्षण देना सही है और मुसलमानों में से किसी को जायज़ ना होगा कि फिर इन लोगों से युद्ध करे लेकिन अगर उस का इस तरह सरंक्षण देना हितों के विपरीत हो कि इस में उत्पात मन्नत आये तो मुसलमानों के इमाम इन की सरंक्षण ना देने की इन को सूचना दे देगा जैसे कि अगर ख़ुद इमाम ने सरंक्षण दिया फिर हित इस सरंक्षण के ना देने में हो

देना वाजिब है इस वास्ते कि वो माल ग़नीमत न होगा हां क़ब्ल लड़ाई ख़त्म होने के इन का माल इन को वापिस न करेगा इस वास्ते कि इस में इन के हक़ में इआनत है यह नहरूल फ़ाइक़ में व फ़तहुल क़दीर में है और अरब के बुत परस्त लोग मिस्ल मुरतिदों के हैं हुक्म मवादअत में इस वास्ते कि अरब के बुत परस्तों से मिस्ल मुरतिदों कें सिवाए इस्लाम के और कुछ क़बूल न किया जायेगा पस वो इस्लाम लादें या इन को तलवार हुक्म है और सरदार लश्कर इस्लाम को या और कोई क़ाइद (1) हो इस को यह मकरूह है कि अहले हरब का हदया क़बूल करके मख़्सूस अपने वास्ते करले बल्कि यूं करना चाहिए कि इस को मुसलमानों के वास्ते माले ग़नीमत क़रार दे। यह मबसूत में है।

फ़सल :

अमान के बयान में

अगर किसी मर्द मुसलमान आज़ाद ने या औरत मुस्लिमा आज़ादा ने किसी काफ़िर या एक जमाअत कुफ़्फ़ार को या अहले क़िला को या एक शहर वालों को अमान दी तो इस का इन लोगों को अमान देना सही है और मुसलमानों में से किसी को रवा ना होगा कि फिर इन लोगों से क़िताल करे लेकिन अगर उस का इस तरह अमान देना खिलाफ़ मसलहत हो कि इस में मुफ़सिदा नज़र आये तो इमामुल मुस्लिमीन इन की अमान तोड़ने से इन को इत्तला दे देगा जैसे कि अगर ख़ुद इमाम ने अमान दी फिर मसलहत इस अमान के तोड देने में ज़ाहिर हुई तो इन को अमान तोड देने की इत्तला करेगा और अगर इमाम ने किसी क़िले का मुहासरा किया और लश्कर इस्लाम में से किसी आदमी ने इन को अमान देदी हालांकि इस में खराबी है तो इमाम इन लोर्गों को अमान तोड़ देने से मुतलअ कर देगा और इस शख़्स को जिस ने अमान देदी थी तादीब करेगा यह हिदाया मे है और ज़िम्मी का अमान देना बातिल है लेकिन अगर इमाम ने ज़िम्मी को हुक्म किया कि इन हरबियों को अमान देदे तो इन को सरंक्षण के ना देने की सूचना करेगा और अगर इमाम ने किसी क़िले का घिराव किया और लश्कर इस्लाम में से किसी आदमी ने इन को सरंक्षण देदिया हालांकि इस में खराबी है तो इमाम इन लोर्गों को सरंक्षण के ना देने से सूचित कर देगा और इस व्यक्ति को जिस ने सरंक्षाण दे दिया था चेतावनी देगा यह हिदाया में है और ज़िम्मी/जज़्या देकर इस्लामी शासन में ग़ैरमुस्लिम नागरिक को सरंक्षण देना अमान्य है लेकिन अगर इमाम ने ज़िम्मी को हुक्म किया कि इन हरबियों/ग़ैर इस्लामी शासित देश का नागरिक को शरण देदे बस उस ने देदी तो जायज़ है यह तबिय्यीन में है।

और मकातब/वह गुलाम जो अपनी मुक्ति के लिए स्वंय की क़ीमत देकर अपने आप को मुक्त कराए उसको सरंक्षण देना जायज़ है और जो मुसलमान अहले हरब/ग़ैर मॅस्लिम देश के नागरिक के देश में व्यपारी है या जो मुसलमान कि इन के हाथ में बंदी है इस को सरंक्षण देना जायज नहीं है और जो व्यक्ति दारूल हरब/ग़ैर-मॅस्लिम देश में मुसलमान हुआ है और वहां मौजूद है और उस ने अहले हरब को संरक्षण देदी तो उस का संरक्षण जायज़ नहीं है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर ग़ुलाम ने संरक्षण दिया बस अगर हो जिहाद व युद्ध करने में अपने स्वामी की ओर से आज्ञा प्राप्त है तो बिना विरोध इस ग़ुलाम का संरक्षण देना जायज़ है और अगर वह युद्ध से नकारी हो तो इमाम आज़म रह० के अनुसार उस को संरक्षण देना सही नहीं है और इमाम मुहम्मद रह० के अनुसार सही है और इमाम अबू यूसुफ़ रह० का कथन इस मसले में असहज है और हमारे कुछ विद्वानों ने कहा कि छोड़े हुए ग़ुलाम की संरक्षण में यह वर्णित मतभेद उस स्थिति में है कि यह जिहाद बजाए बग़ैर आम पहुंचने के स्थापित हुआ हो और अगर जिहाद के लिएमुनादी (1) आम लोगों तक पहुंची हो कि जिस से हर मानव पर जिहाद करना मूल कर्तव्य हो जाता है तो ऐसी स्थिति में इस ग़ुलाम की संरक्षण बिना विरोध सही होगी और कुछ विद्वानों ने कहा कि नहीं बल्कि हर स्थिति में मतभेद है यह मुहीत में है।

पस उस ने देदी तो जायज़ है यह तबयुन में है।

और मकातिब का अमान देना रवा है और जो मुसलमान कि अहले हरब के मुल्क में ताजिर है या जो मुसलमान कि इन के हाथ में मुक़य्यद है इस का अमान देना रवा नहीं है और जो शख़्स दारूल हरब में मुसलमान हुआ है और वहां मौजूद है और उस ने अहले हरब को अमान देदी तो उस की अमान रवा नहीं है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर गुलाम ने अमान दी पस अगर हो जिहाद व क़िताल करने में अपने मौला की तरफ़ से इजाज़त याफ़ता है तो बिला खिलाफ़ इस गुलाम का अमान देना रवा है और अगर वो क़िताल से ममनूअ हो तो इमाम आज़म रह० के अनुसार उस का अमान देना नहीं सही है और इमाम मुहम्मद रह० के नज़दीक सही है और इमाम अबू यूसुफ़ रह० का क़ौल इस मसले में मुज़तरब है और हमारे बाज़े मशाइख ने फ़रमाया कि गुलाम महजूर की अमान में यह इख़्तलाफ़ मज़कूर उस सूरत में है कि यह जिहाद बदून बग़ैर आम पहुंचने के वाक़े हुआ हो और अगर जिहाद के वास्ते नफ़ीर (1) आम पहुंची हो कि जिस से हर फ़र्द बशर पर जिहाद करना फ़र्ज़े ऐन हो जाता है तो ऐसी सूरत में इस गुलाम की अमान बिला खिलाफ़ सही होगी और बाज़े मशाइख ने फ़रमाया कि नहीं बल्कि हर सूरत में इख़्तलाफ़ है यह मुहीत में है।

अगर तफ़्ल बालिग़ हुआ मगर हो इस्लाम के अरकान व औसाफ़ नहीं बयान कर सकता है बसबब न जानने के और अम्र मईशत को नहीं समझता है तो इस की अमान सही नहीं :

(1)क़ौलहू खास्सतन मौन्निसों यानी अमान तलब करने वाले मअ इन के मौन्निसों केखास्सतन बदूंशमूल नरीना औलाद के।

अगर बच्चा बालिग़ हुआ मगर वह इस्लाम के स्तंभ व गुण नहीं बयान कर सकता है कारण न जानने के और अर्थिक दशा के कार्य को नहीं समझता है तो इस का संरक्षण सही नहीं :

और बान्दी के संरक्षण देने में भी वही व्याख्या है जो गुलाम में वर्णन हुई यानी अगर बान्दी अपने स्वामी की आज्ञा से युद्ध करती हो तो उस को संरक्षण देना सही है और अगर वह युद्ध न करती हो तो इमामे आज़म रह० के निकट इस का संरक्षण सही नहीं है यह ज़खीरा में है और अगर किसी बच्चे ने संरक्षण दिया हालांकि उसे बुद्धि नहीं है यानी उस के लाभ व हानि को नहीं समझता है तो उस की संरक्षण सही नहीं है जैसे पागल का हुक्म है और अगर वे इस्लाम को समझता हो और इस्लाम के गुणों का वर्णन करता हो यानी इस्लाम किस को कहते हैं बस हो ठीक ठीक बयान करता हो हालांकि वह युद्ध से निषिद्ध है तो इमाम आज़म रह० के अनुसार सही नहीं है (इस का संरक्षण) और इमाम मुहम्मद रह० के अनुसार सही है और अगर वह युद्ध के लिए आज्ञा प्राप्त हो तो सही यह है कि हमारे साथी विद्वानों के अनुसार सर्वसहमति से सही है यह फ़तहुल क़दीर में है और जो व्यक्ति मूर्ख हो मगर वह इस्लाम को जानता हो और इस का वर्णन करता हो तो वह क्रमश समझदार बच्चे कि है यह तबय्यीन में है और अगर बच्चा बालिग़ हुआ मगर वह इस्लाम का स्तंभ व गुण नहीं बयान कर सकता है न जानने के कारण और अर्थव्यवस्था को नहीं समझता है तो इसका संरक्षण सही नहीं है इस लिए कि क्रमश मुरतद के है और यही हुक्म लड़की का है भले लड़की आज़ाद हो या बान्दी हो यह मुहीत में है।

और अगर मुसलमानों में से किसी मर्द ने एक बहूदेववादीयों के समूह को संरक्षण देदी फिर दूसरे मुसलमानों के समूह ने इन पर हमला किया और मर्दों को क़त्ल किया और औरतों और मालों को लूट लिया और

(1)क़ौलहू खास्सतन मौन्निसों यानी अमान तलब करने वाले मअ इन के मौन्निसों केखास्सतन बदूंशमूल नरीना औलाद के।

और बान्दी के अमान देने में भी वही तफ़सीर है जो ग़ुलाम में मज़कूर हुई यानी अगर बान्दी अपने मौला की इजाज़त से क़िताल करती हो तो उस का अमान देना सही है और अगर वो क़िताल न करती हो तो इमामे आज़म रह० के नज़दीक इस की अमान नहीं सही है यह ज़खीरा में है और अगर किसी तफ़्ल ने अमान दी हालांकि ग़ैर आक़िल है यानी उस के नफ़ा व ज़रर को नहीं समझता है तो उस की अमान नहीं सही है जैसे मजनूं का हुक्म है और अगर वो इस्लाम को समझता हो और वसफ़े इस्लाम बयान करता हो यानी इस्लाम किस को कहते हैं पस हो ठीक ठीक बयान करता हो हालांकि वो क़िताल से ममनूअ है तो इमाम आज़म रह० के अनुसार नहीं सही है (अमान इस की) और इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार सही है और अगर वो क़िताल के वास्ते इजाज़त याफ़ता हो तो असह यह है कि हमारे असहाब के अनुसार बिल इत्तफ़ाक़ सही है यह फ़तहुल क़दीर में है और जो शख़्स मुख़्तलत उल अक़्ल हो मगर वो इस्लाम को जानता हो और इस का वसफ़ बयान करता हो तो वो बमन्ज़िला तफ़्ल आक़िल कि है यह तबयुन में है और अगर तफ़्ल बालिग़ हुआ मगर वो इस्लाम के अरकान व औसाफ़ नहीं बयान कर सकता है बसबब न जानने के और अम्र मईशत को नहीं समझता है तो इसकी अमान सही नहीं है इस लिए कि बमन्ज़िला मुरतिद के है और यही हुक्म लड़की का है ख़्वाह लड़की आज़ाद हो या बान्दी हो यह मुहीत में है।

और अगर मुसलमानों में से किसी मर्द ने एक गिरोह मुश्रिकों को अमान देदी फिर दूसरे गिरोह मुसलमानों ने इन पर ताख़्त की और मर्दों को क़त्ल किया और औरतों और अमवाल को लूट लिया और उस को आपस में तक़सीम कर लिया और इन औरतों से इन की औलाद हुई फिर इस गिरोह मुसलमानों को जिन्होंने ताख़्त की है अमान दिये जाने का हाल मालूम हुआ तो क़त्ल करने वालों पर जिस को उन्होंने क़त्ल किया है इस की देत वाजिब होगी (देत = वह माल जो किसी इन्सानी जान के बदले दिया जाए यह सौ ऊंट यया एक हज़ार दीनार यया दस हज़ार दिरहम या उनके बराबर की करनसी है) और उस को आपस में विभाजित कर लिया और इन औरतों से इन की औलाद हुई फिर इस मुसलमानों के समूह जिन्होंने हमला किया है संरक्षण दिये जाने का हाल मालूम हुआ तो क़त्ल करने वालों पर जिस को उन्होंने क़त्ल किया है इस की देत अनिवार्य होगी (देत = वह माल जो किसी इन्सानी जान के बदले दिया जाए यह सौ ऊंट या एक हज़ार दीनार यया दस हज़ार दिरहम यया उनके बराबर की करनसी है) और औरतें और माल इन के योग्य को वापिस दिये जाऐंगे और इन औरतों से चूंकि उन्होंने संभोग किया है इन का महर क्षतिपूर्ती देंगे और इन से जो औलाद पैदा हुई है वे बग़ैर क़ीमत आज़ाद होंगे और अपने वालिद के मुसलमान होने की कारण से इनके स्वभाव में मुसलमान होंगे कि इनके वापिस दिये जाने की कोई राह नहीं है और स्पष्ट हो कि औरतें तीन ३ हैज़ गुज़र जाने के बाद वापिस दी जाऐंगी और इस इद्दत के ज़माने में यह औरतें किसी न्यायवान के पास छोड़ी जाऐंगी और न्यायप्रिय इस मआमले में बूढ़ी परहेज़गार औरत होगी न मर्द यह मुहीत में है।

इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि कि अगर मुसलमानों ने अहले हरब/ग़ैर इस्लामी शासित देश के नागरिकों को संरक्षण का ऐलान कर दिया तो सब अहले हरब इन की संरक्षण देने की आवाज़ सुन कर सुरक्षा में हो जाऐंगे चाहे किसी ज़बान में इन का ऐलान हो चाहे उन्होंने इस बात को समझ कर संरक्षण जाना हो या इस ज़बान को न समझे और इस से संरक्षण को न जाना हो सिर्फ़ आवाज़ सुनी हो जैसे अरबी ज़बान में इन को संरक्षण देने का ऐलान करदिया हालांकि वे लोग रूमी हैं कि अरबी नहीं समझते हैं या नबती/मिस्री भाषा में इन को संरक्षण का ऐलान किया हालांकि यह लोग ऐसी क़ौम हैं कि नबती नहीं समझते हैं और मिस्ल इस के तो ऐसी स्थिति में आवाज़ सुन कर वे सुरक्षित हो जाऐंगे और अगर काफ़िरों ने मुसलमानों के संरक्षण देने की आवाज़ नहीं सुनी तो इन के लिए सुरक्षा प्राप्त न होगी बस इन का क़त्ल करना और गिरफ़तार करना जायज़ है और अगर मुसलमानों ने ऐसे स्थान से इन को ऐलान किया कि वहां से आवाज़ सुन सकते हैं मगर दूसरे लक्षणों से

औरतें और माल इन के अहल को वापिस दिये जाऐंगे और इन औरतों से चूंकि उन्होंने वती की है इन का महर तावान देंगे और इन से जो औलाद पैदा हुई है वो बग़ैर क़ीमत आज़ाद होंने और अपने वालिद के मुसलमान होने की वजह से इन की तबइयत में मुसलमान होंगे कि इन के वापिस दिये जाने की कोई राह नहीं है और वाज़ह हो कि औरतें तीन ३ हैज़ गुज़र जाने के बाद वापिस दी जाऐंगी और इस इद्दत के ज़माने में यह औरतें किसी आदिल के पास छोड़ी जाऐंगी और आदिल इस मआमले में बूढ़ी परहेज़गार औरत होगी न मर्द यह मुहीत में है।

इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि कि अगर मुसलमानों ने अहले हरब को अमान की निदा पुकार दी तो सब अहले हरब इन की अमान दही की आवाज़ सुन कर अमन में हो जाऐंगे चाहे किसी ज़बान में इन को निदा दी हो ख़्वाह उन्होंने इस कलाम को समझ कर अमान मालूम कर ली हो या इस ज़बान को न समझे और इस से अमान को न मालूम कियाहो सिर्फ़ आवाज़ सुनी हो जैसे अरबी ज़बान में इन को अमान देगे की मुनादी करदी हालांकि वो लोग रूमी हैं कि अरबी नहीं समझते हैं या नबती ज़बान में इन को निदाऐ अमान दी हालांकियह लोग ऐसी क़ौम हैं कि नबती नहीं समझते हैं और मिस्ल इस के तो ऐसी सूरत में आवाज़ सुन कर वो मामून हो जाऐंगे और अगर काफ़िरों ने मुसलमानों के अमान दही की आवाज़ नहीं सुनी तो इन के वास्ते अमान हासिल न होगी पस इस का क़त्ल करना और गिरफ़्तार करना रवा है और अगर मुसलमानों ने ऐसे मक़ाम से इन को मुनादी की कि वहां से आवाज़ सुन सकते हैं मगर दीगर क़राइन से हर जहत से मालूम हुआ कि इन लोगों ने आवाज़ नहीं सुनी है मसलन यह लोग ख़्वाब में थे या क़िताल में मशग़ूल थे तो यह अमान हो गई और मालूम होने से यहां यह मुराद है कि ग़ालिब राये ये सह अम्र मालूम हुआ बइल्म हक़ीक़ी और वाज़ह रहे कि सब को अमान हासिल होने के वास्ते यह शर्त नहीं है कि आवाज़ अमान को सब लोग सुनें बल्कि अक्सरों का सुन लेना

(4) यह हमारे नज़दीक है और बर राऐ इमाम शाफ़ई चाहिए कि दोनों को भी न शामिल हुए।

हर तरफ़ से मालूम हुआ कि इन लोगों ने आवाज़ नहीं सुनी है मसलन यह लोग सो रहे थे या युद्ध में व्यस्त थे तो यह सुरक्षा हो गई और मालूम होने से यहां यह मुराद है कि प्रबल राये से यह पता चला कि न सत्य की जानकारी और स्पष्ट रहे कि सब को संरक्षण प्राप्त होने के लिए यह शर्त नहीं है कि संरक्षण की आवाज़ को सब लोग सुनें बल्कि .ज्यादातर का सुन लेना काफ़ी है और यह सब के सुन लेने के स्थानापन्न माना जायेगा और अगर मुसलमानों ने किसी हरबी/ग़ैरमुस्लिम नागरिक से कहा कि डर मत या उससे कहा कि संरक्षण प्राप्त है या उससे कहा कि तू कठिनाइयों का भय मत कर तो यह सब संरक्षण है और उसने कहा कि तेरे लिए अल्लाह का संरक्षण है तो संरक्षण होगा और इस तरह अगर कहा कि लका अहदुल्लाह अल्लाह का तुम से वादा है या अल्लाह तुम्हारा रखवाला है या उससे कहा कि पढ़ आ और अल्लाह का बात सुन या उससे कहा कि हम ने तुम्हें सुरक्षा दी तो भी संरक्षण प्राप्त होगया और अगर कमांडर लश्करे इस्लाम ने किसी विशेष समूह से जो क़िले में बंदी हैं कहा कि तुम निकल कर हमारी ओर आओ हम तुमसे सुलह की बाबत चर्चा (बराबर सहमती) करें और तुम संरक्षण प्राप्त हो या यह शब्द न कहा हो कि तुम संरक्षण प्राप्त ना होने अगर उनसे कि हमारे पास उतर आओ तो यह संरक्षण सुरक्षा प्रदान करना है और अगर उनसे कहा हमारी ओर निकलो और से क्रय-विक्रय करो तो यह संरक्षण है। अगर ग़ैर मुस्लिम नागरिक किसी क़िले में या किसी सशक्त स्थान में जहाँ उनको सुरक्षा और शक्ति प्राप्त है मौजूद हों बस किसी मुसलमान ने किसी ग़ैर मुस्लिम देश के नागरिक को इशारे से कहा कि हमारे पास चला आया क़िले वालों को इशारे से कहा कि तुम दरवाज़ा खोल दो और आसमान की संकेत किया बस उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और अनुमान किया कि यह संरक्षण है और जो कर्म उस मुसलमान मर्द ने किया है वह मुसलमानों और उन ग़ैर मुस्लिम देश के नागरिकों के बीच सुप्रसिद्ध हो कि जब ऐसा किया जाता है तो संरक्षण

(4) यह हमारे निकट है और इमाम शाफ़ई की राए में चाहिए कि दोनों को भी न शामिल हुए।

काफ़ी है और यह सब के सुन लेने के क़ायम मुक़ाम रखा जायेगा और अगर मुसलमानों ने किसी हरबी से कहा कि ला उतख़फ़ मत ख़ोफ़ कर या उससे कहा कि तू अमान याफ़ता है या इस से कहा कि 'ला बास अलैयक' तो अन्देशा सख़्ती मत कर तो यह सब अमान है और अगर उस से कहा कि मुल्क अमानल्लाह तो अमान होगी और इस तरह अगर कहा कि 'लक अहदुल्लाह या लक ज़िम्मत अल्लाह' या उस से कहा कि पढ़ा और अल्लाह तआला का कलाम सुन या इस से कहा कि अनर नाक हम ने बचाव दिया तो भी इस को अमान हासिल हो गई और अगर सरदार लश्कर इस्लाम ने किसी जमाअत मुअयन से जो क़िलआ में महसूर हैं कहा कि तुम निकल कर हमारी तरफ़ आओ हम तुम से सुलह की बाबत मुराद ज़त (मुसावात रज़ा मन्दी) करें और तुम अमान याफ़ता हो या यह लफ़्ज़ न कहा कि तुम अमान याफ़ता न होंगे और अगर उन से कहा कि ग़ार पर पास उतर आओ तो यह अमान है और अगर इन से कहा कि हमारी तरफ़ निकलो और हम से खरीद व फ़रोख़्त करो तो यह अमान है और अनर अहल हरब की क़िल्लत में या किसी मज़बूत जगह में जहां इन को पनाह व क़ुव्वत हासिल है मौजूद हों पस किसी मुसलमान ने किसी हरबी को इशारे से कहा कि ग़ार से पास चला आया अहले क़िलआ को इशारे से कहा कि तुम दरवाज़े खोल दो और आसमान की तरफ़ इशारा किया पस उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और गुमान कि कि यह अमान है और जो फ़अल इस मर्द मुसलमान ने किया है वो मुसलमानों और इन हरबियों के दरमियान मारूफ़ हो कि जब ऐसा किया जाता है तो अमान होती है या यह अम्र इस तरह इन में मारूफ़ न हों बहरहाल इन मुश्रिकों को अमान होगी और अगर दुशमन की तरफ़ अपनी उंगली से इस तरह इशारा किया कि जिस से यह समझा जाता है कि मेरे पास आओ हालांकि यह इशारा करने वाला अपनी ज़बान से कह रहा है कि अगर तू आयेगा तो मैं तुझे क़त्ल करूंगा पस दुशमन मज़कूर चला आया तो वो अमान याफ़ता है उस का क़त्ल करना रवा नहीं है और यह हुक्म इस वक़्त है कि मुश्रिक मगर न समझा होता है या यह काम इस तरह इन में प्रसिद्ध ना हों हर हाल में बहुदेववादियों को सुरक्षा प्रदान होगी और अगर दुशमन की ओर अपनी अंगुलि से इस तरह संकेत दिया जिससे यह समझा जाता है कि मेरे पास आओ हालांकि यह संकेत देने वाला अपनी ज़बान से कह रहा है कि अगर तू आएगा तो मैं तेरी हत्या करूंगा बस वर्णित दुशमन चला आया तो वह संरक्षण प्राप्त है उसकी हत्या करना जायज़ नहीं और यह आदेश उस समय है कि बहुदेववादी ने उसके संकेत को समझा और उसके संरक्षण का ध्यान किया और संकेत करने वाले को इस कथन को कि अगर आएगा तो तेरी हत्या करूंगा नहीं सुना या सुना मगर न समझा हो और अगर संकेत करने वाले का यह कथन सुन कर समझ लिया है फिर भी चला आया तो संरक्षण ना होगा और ऐसे ही अगर मुसलमान ने काफिर से कहा कि चला आ ताकि मैं तेरी हत्या बस काफ़िर पहली बात सुनी और समझ ली और अंतिम बात नहीं सुनी या सुनी मगर नहीं समझी बस चला आया तो तो उसको संरक्षण है और अनर उसने अंतिम बात सुन कर समझ लिया तो संरक्षण न होगा और ऐसे ही अगर मुसलमान ने बहुदेववादी कहा कि चला आ अगर युद्ध करना चाहता है अगर तू मर्द है बस उसने पहली बात को सुनकर समझ लिया और अंतिम बात नहीं सुनी या सुनी और उसे नहीं समझा बस चला आया उसको संरक्षण होगा और अगर उसने पहली व अंतिम सब बात सुनी और समझ लिया है तो संरक्षण न होगा और ऐसे ही अगर ग़ैरमुस्लिम शसित देश के नागरिक से कहा कि यहाँ आ देख तो मैं तेरे साथ किया करता हूं तो भी ऐसा ही आदेश है यह ज़ख़ीरा व मुहीत में है।

अगर हरबी/ग़ैर-मुस्लिम देश के नागरिक ने कहा : संरक्षण दो हमें और हमारे बच्चे भी इस सुरक्षा में सम्मलित हों

अगर एक कुफ़्फ़ारों के समूह ने मुसलमानों से कहा कि 'आमनू अला ज़रारीना' यानी हम को संरक्षण दो बशर्त हमारे साथ हमारी नसलें भी अमन में हों बस मुसलमानों ने इन को इसतरह पर संरक्षण दिया तो वे

हो और अगर इशारा करने वाले का यह क़ौल सुन कर समझ लिया है फिर भी चला आया तो यह अमान न होगी और अ़ली हाज़ा अगर मुसलमान ने काफ़िर से कहा है और अगर उस ने आखिर कलाम सुन कर समझ लिया है तो अमान न होगी और अ़ली हाज़ा अगर मुसलमान ने मुश्रिक से कहा कि चला आ अगर क़िताल करना चाहता है अगर तू मर्द है प उस ने अव्वल कलाम को सुन कर समझ लिया और आखिर कलाम को नहीं सुना या सुना मगर नहीं समझा पस चला आया तो इस को अमान होगी और अगर उस ने अव्वल व आखिर कलाम सब सुना और समझ लिया है फिर चला आया तो इस को अमान न होगी और अ़ली हाज़ा अगर हरबी से कहा कि यहां आ देख तो मैं तेरे साथ क्या करता हूं तो भी ऐसा ही हुक्म है यह ज़खीरा व मुहीत में है।

अगर हरबी ने कहा : آمنوني على اولادي 'आमनू बी आला औलादी'

अगर एक जमाअ़त कुफ़्फ़ार ने मुसलमानों से कहा कि 'आमनू अला ज़रारीना' यानी हम को अमान दो बशर्त हमारे साथ हमारी ज़रयात भी अमन में हों पस मुसलमानों ने इन को इस तरह पर अमान दी तो वो लोग और इन की औलाद और इन की औलाद की औलाद अगरचे कितने ही नीचे दर्जे की हो सब अमान में दाखिल होगी व लेकिन औलाद पिसर इन इस अमन में दाखिल होगी औलाद दुख़्तरां इस में दाखिल न होगी यह सियर कबीर में है कज़ा क़िल ज़हीरिया में और अगर हरबी ने कहा कि 'आमनू बी आला औलादी' यानी अमान दो मुझ को बशर्त आंकि इस में मेरी औलाद भी दाखिल हो पस मुसलमानों ने इस को इस तरह अमान दी तो वो और लोग और इन की औलाद और इन की औलाद की औलाद अगरचे कितने ही नीचे दर्जे की हो सब सुरक्षा में दाखिल होगें लेकिन औलाद लड़के इस सुरक्षा में दाखिल होगी लड़कियों की औलाद इस में दाखिल न होंगी यह सैरे कबीर में है और ज़हीरिया में भी है और अगर हरबी/ग़ैर मुस्लिम शासित देश के नागरिक ने कहा कि 'आमनू बी आला औलादी' यानी अमान दो मुझ को बशर्त आंकि इस में मेरी औलाद भी दाखिल हो पस मुसलमानों ने इस को इस तरह संरक्षण दिया तो वे और उन की औलाद सलबिया (कथन सलबिया यानि विशेष उसकी नस्ल व नुतफ़े से बेटा बेटी जो कोई जितनी हों) सब औलाद में से मर्दों की औलाद सब दाखिल होंगी और (परंपरागत आगई है) औरतों की ओर से जो इस की औलाद हो वे दाखिल न होगी और अगर उस ने कहा कि 'आमनू आला औलाद औलादी' यानी मुझे संरक्षण दो बशर्त वह कि मेरी औलाद की औलाद की औलाद इस में प्रवेश हो तो शैख़ुल इस्लाम और क़ाज़ी इस्लाम के स्तंभ बड़े दयावान ने वर्णन किया कि इस मसले में दो परंपराऐं हैं और शम्सुल अइम्मा सुरखी ने वर्णन किया कि इस स्थिति में लड़कियों की औलाद अज़ आदेश के रद्द से परंपरा प्रवेश होंगी और अगर इस ने कहा कि आमनू फ़ी अला आबादई यानी मुझे संरक्षण दो बशर्त वहकि मेरे पूर्वज इस में प्रवेश हों और उस के माता व पिता दोनों मौजूद हैं तो संरक्षण में प्रवेश हो जाऐंगे और अगर उस के माता व पिता न हों बल्कि दादा व दादी मौजूद हों तो इन दोनों के लिए संरक्षण प्राप्त न होगा और इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर इन की ज़बान में जिस में वो बातें करते हैं जद को भी बाप बोलते हों जैसे लड़के के लड़के को बेटा बोलते हैं तो दादा भी क्रमश लड़के के संरक्षण में प्रवेश होगा यह मुहीत में है।

अगर हरबी ने कहा कि मुझे संरक्षण दो इस शर्त के साथ कि मेरे स्वामी इस में सम्मलित हों हालांकि इस के स्वामी यानी ग़ुलाम कोई

इस की औलाद सलबिया (क़ौला सलबिया यानि खास उसकी पुश्त व नुतफ़ा से बेटा बेटी जो कोई जिस क़द्र हों) सब औलाद में से मर्दों की औलाद सब दाखिल होंगी और औरतों (रिवायत आगई है) की तरफ़ से जो इस की औलाद हो वो दाखिल न होगी और अगर उस ने कहा कि 'आमनू आला औलाद औलादी' यानी मुझे अमान दो बशर्त आंकि मेरी औलाद की औलाद की औलाद इस में दाखिल हो तो शैख़ुल इस्लाम और क़ाज़ी रूक्नुल इस्लाम अला सुग़दी ने ज़िक्र किया कि इस मसले में दो रिवायतें हैं और शम्सुल अइम्मा सरख़सी ने ज़िक्र किया कि इस सूरत में दुख़्तरों की औलाद अज़ रदे हुक्म रिवायत दाखिल होंगी और अगर इस ने कहा कि आमनू फ़ी अला आबादई यानी मुझे अमान दो बशर्त आंकि मेरे आबा इस में दाख़िल हों और उस के मादिर व पिदर दोनों मौजूद हैं तो अमान में दाखिल हो जाऐंगे और अगर उस के मादिर व पिदर न हों बल्कि जद वजदह मौजूद हों तो इन दोनों के वास्ते अमान हासिल न होगी और इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर इन की ज़बान में जिस में वो बातें करते हैं जद को भी बाप बोलते हों जैसे पिसर के पिस्से को बेटा बोलते हैं तो जद भी बमन्ज़िला पिसर के अमान में दाखिल होगा यह मुहीत में है।

अगर हरबी ने कहा कि मुझे अमान दो बदीं शर्त कि मेरे मौला इस में दाखिल हों हालांकि इस के मौला यानी ग़ुलाम कोई नहीं है फ़क़त बान्दियां हैं तो इस्तहसानन यह बान्दियां उसके साथ अमान में दाखिल होंगीः

अगर हरबियों ने कहा कि 'आमनू अला अम्बाइना' यानी हम को अमान दो बईं शर्त कि हमारे अबना इस में दाखिल हों हालांकि इनके बेटे व बेटियां मौजूद हैं तो सब अमान में दाखिल होंगे और अगर इन की औलादे नरीना न हों बल्कि खास्सतन लडकियां हों तो वो कोई अमन में दाखिल न होंगी बल्कि सब माले ग़नीमत होंगी और अगर

नहीं है फ़क़त बान्दियां हैं तो उपकार के तौर पर यह बान्दियाँ उसके साथ संरक्षण में सम्मलित होंगीः

अगर हरबियों ने कहा कि 'आमनू अला अम्बाइना' यानी हम को संरक्षण दो इस शर्त से कि हमारे पूर्वज इस में सम्मलित हों हालांकि इनके बेटे व बेटियां मौजूद हैं तो सब संरक्षण में सम्मलित होंगे और अगर इन की छोटी औलादें न हों बल्कि विशेषकर लड़कियां हों तो वह कोई संरक्षण में सम्मलित न होंगी बल्कि सब माले ग़नीमत/युद्ध में लूटा हुआ माल होंगी और अगर उन्होंने कहा कि 'आमनू अली बनाइना व अख़्वातिना' यानी हम को संरक्षण दो बशर्तेकि हमारी बेटियां व बहनें संरक्षण में सम्मलित होंगी तो यह संरक्षण विशेषकर (1) स्त्रीयों के लिए होगी इस में कोई पुरुष इन की औलाद आदि में से सम्मलित न होगा यह ज़हीरिया में है और अगर कहा कि 'आमनू नी अला अख़्वती' हमारे भाई आदि को संरक्षण दो हालांकि इस के भाई और बहनें मौजूद हैं तो सब की सब संरक्षण में सम्मलित होंगी और अगर इस की बहनें हों और इन के साथ कोई पुरुष न हो तो भी सब के सब संरक्षण में सम्मलित होंगी यह मुहीत में है और अगर हरबियों/ग़ैरमुस्लिम देश के नागरिकों ने कहा कि 'आमनू ना अला इबनाइना' हमारे बेटों का संरक्षण दो हालांकि इन के पुश्तेनी बेटे व लड़कों के लड़के मौजूद हैं तो दोनों पक्ष संरक्षण में सम्मलित होंगे और अगर इन के पुश्तेनी लड़के न हों बल्कि लड़कों के लड़के हों तो भी वे संरक्षण में होंगे और अगर हरबियों/ग़ैर-मुस्लिम देश के नागरिकों ने कहा कि 'आमनू अला अबाइना' हमारे बाप दादाओं को संरक्षण दो हालांकि इन के बाप नहीं हैं बल्कि पूर्वज मौजूद हैं तो पूर्वज इस संरक्षण में सम्मलित न होंगे और इसी तरह अगर उन्होंने कहा कि हम को संरक्षण दो बशर्त वहकि हमारी माऐं इस में सम्मलित हों हालांकि इन की माऐं जिन्होंने इन को जना है मौजूद नहीं हैं बल्कि इन की दादी नानी मौजूद हैं तो यह औरतें इस संरक्षण में सम्मलित न होंगी और अगर हरबी/ग़ैरमुस्लिम देश के नागरिक ने कहा कि मुझे सुरक्षा दो इस शर्त से कि मेरे

उन्होंने कहा कि 'आमनू अली बनाइना व अख़्वातिना' यानी हम को अमान दो बशर्तेकि हमारी बेटियां व बहनें अमान में दाखिल होंगी तो यह अमान खास्सतन (1) मौन्निसों के वास्ते होगी इस में कोई मुज़क्कर इन की औलाद वग़ैरह में से दाखिल न होगा यह ज़हीरिया में है और अगर कहा कि 'आमनू नी अली अख़्वती' हालांकि इस के भाई और बहनें मौजूद हैं तो सब की सब अमान में दाखिल होंगी और अगर इस की बहनें हों और इन के साथ कोई मुज़क्कर न हो तो भी सब की सब अमान में दाखिल होंगी यह मुहीत में है और अगर हरबियों ने कहा कि 'आमनू ना अली इम्बाइना' हालांकि इन के सलबी फ़रज़न्द व पिसरों के पिसर मौजूद हैं तो हर दो फ़रीक़ अमान में दाखिल होंगे और अगर इन के सलबी पिसर न हों बल्कि पिसरों के पिसर हों तो भी वो अमान में होंगे और अगर हरबियों ने कहा कि 'आमनू अली अबाइना' हालांकि इन के बाप नहीं हैं बल्कि अजदाद मौजूद हैं तो अजदाद इस अमान में दाखिल न होंगे और इसी तरह अगर उन्होंने कहा कि हम को अमान दो बशर्त आंकि हमारी माएँ इस में दाखिल हों हालांकि इन की माएँ जिन्होंने इन को जना है नहीं मौजूद हैं बल्कि इन के जदात मौजूद हैं तो यह औरतें इस अमान में दाखिल न होंगी और अगर हरबी ने कहा कि मुझे अमान दो बदीं शर्त कि मेरे मौला इस में दाख़िल हों हालांकि इस के मौला यानी ग़ुलाम कोई नहीं है फ़क़त बान्दियां हैं तो इस्तहसानन यह बान्दियां उस के साथ अमान में दाखिल होंगी यह ज़हीरिया में है।

अगर किसी हरबी ने क़िले के अन्दर से अमीरे लश्कर इस्लाम से कहा कि 'आमनू नी अली मताई' मुझे अमान दो बशर्त आंकि मेरी मताअ इस में दाखिल है पस स्वामी इस में सम्मलित हों हालांकि इस का स्वामी यानी ग़ुलाम कोई नहीं है फ़क़त बान्दियां हैं तो उपकार के तौर पर यह बान्दियां उस के साथ संरक्षण में सम्मलित होंगी यह ज़हीरिया में है।

अगर किसी हरबी/ग़ैरमुस्लिम देश के नागरिक ने क़िले के अन्दर से लश्कर इस्लाम के कमांडर से कहा कि 'आमनू नी अली मुताई' मुझे अमान दो बशर्त आंकि मेरा माल व जायदाद इस में सम्मलित हो बस इस तरह उस को संरक्षण दिया तो वह सुरक्षा में होगा और इस की माल व जायदाद उस के साथ सुरक्षा में होगी कि उस को सुपुर्द की जायेगी लेकिन माल में दिरहम व दीनार व सोना व चांदी व ज़ैवर व जवाहिर व जानवर सवारी व हथियार (क्योंकि शब्द मुताअ/माल के अर्थ में यह चीज़ें सम्मलित नहीं है) सम्मलित न होंगे और इन के सिवाए बाक़ी चीज़ें कपड़े व विक्रय करने की चीज़े व तमाम घर का सामान यह सब ज़रुरत के सामान में सम्मलित होंगी और उपकार के तौर पर ज़रुरी के सामान के तहत में घर भी सम्मलित होगें यह मुहीत में है और अगर हरबी/ ग़ैर मुस्लिम देश के नागरिक ने कहा कि मुझे संरक्षण दो दस लोगों के साथ तो यह दस उससे अलग गिने जाऐंगे और इन दस की नियुक्ति का ख़्यार/दो पक्षों के मामले में एक या दोनों के लिए मामले को बाक़ी या समाप्त कर देने की गुंजाइश का बाक़ी रखने का अधिकार इमाम को होगा और अगर उस ने कहा कि 'आमनू अशीरत मिन अहले बैयती औ फ़ी' उस के अशरत मिन अहले हसना यानी मेरे अहले बैत के दस आदमियों में या मेरे क़िले के दस आदमियों के साथ में मुझे संरक्षण दो तो उस को और इस के सिवाए और नो लोगों को संरक्षण प्राप्त होगा और अगर उस ने कहा कि मुझे संरक्षण दो मेरे दस भाइयों के साथ में तो उस को और उस के अलग उस के दस भाइयों को संरक्षण प्राप्त होगा और इसी तरह अगर कहा कि 'फ़ी अशीरत मिल वलदी' यानी मेरी दस औलाद के साथ में तो भी यही हुक्म है और अगर कहा कि संरक्षण दो मुझे मेरे दस भाइयों के साथ में जिन में में भी हों या

(1)क़ाइद छोटा सरदार जो किसी गुनाह पर अफ़सर होया सरदार के मा तहत नाइब हो।

(1)क़ाइद छोटा सरदार जो किसी गुनाह पर अफ़सर होया सरदार के मा तह्त नाइब हो।

इस तरह उस को अमान दी तो वो अमन में होगा और इस की मताअ उस के साथ अमन में होगी कि उस को सुपुर्द की जायेगी लेकिन मताअ में दिरहम व दीनार व सोना व चांदी व ज़ैवर व जवाहिर व जानवर इन सवारी व हथियार (क्योंकि लफ़्ज़ मताअ के मअनी में यह चीज़ें दाखिल नहीं हैं।) दाखिल न होंगे और इन के सिवाए बाक़ी चीज़ें कपड़े व फ़रोश व तमाम मताअ बैत यह सब शीरीं मुताअ में दाखिल होंगी और इस्तहसानन मुताअ के तहत में बुयूत भी दाखिल होंगें यह मुहीत में है और अगर हरबी ने कहा कि मुझे अमान दो मअ दस नफ़र के तो यह दस सिवाए उस की ज़ात के क़रार दिये जाऐंगे और इन दस की तअय्युन का ख़्यार इमाम को होगा और अगर उस ने कहा कि 'आमनू अशरत मिल अहले बैयती औ फ़ी' उस के अशरत मिन अहले हसना यानी मेरे अहले बैत के दस आदमियों में या मेरे क़िले के दस आदमियों के साथ में मुझे अमान दो तो उस को और इस के सिवाए और नो नफ़र को अमन हासिल होगी और अगर उस ने कहा कि मुझे अमान दो मेरे दस भाइयों के साथ में तो उस को और उस के सिवाए उस के दस भाइयों को अमान हासिल होगी और इसी तरह अगर कहा कि 'फ़ी अशरत मिल वलदी' यानी मेरी दस औलाद के साथ में तो भी यही हुक्म है और अगर कहा कि अमान दो मुझे मेरे दस भाइयों के साथ में जिन में मैं भी हों या मेरी दस औलाद के साति हैं जिन में मैं भी हूं तो इस के सिवाए भी दस नफ़र को अमान मिलेगी और अगर कहा कि मेरे दस अहले बैत को जिन में से मैं भी हूं या मेरे दस अहले क़िलआ को जिन में मैं भी हूं तो दस नफ़र को अमान मिलेगी जिन में से एक यह होगा और अगर उस ने कहा कि अमान दो मुझ को मेरे मवाली के साथ में हालांकि उस के मवाली (मवाली जमा मौला और मौला आज़ाद करने वाले और आज़ाद किये गये दोनों पर बोलते हैं।) ऐसे हैं कि उन्होंने इस को आज़ाद किया है और मौला ऐसे हैं कि जिन को उस ने आज़ाद किया है तो यह अमान इन दोनों (4) फ़रीक़ को शामिल न होगी बल्कि एक ही फ़रीक़ को इन में से

(1) शामिल है तमाम ज़माना व वक़्तों को।

मेरी दस औलाद के साथ हैं जिन में मैं भी हूं तो इस के सिवाए भी दस लोगों को संरक्षण मिलेगा और अगर कहा कि मेरे दस घर वालों को जिन में से मैं भी हूं या मेरे दस अहले क़िलआ को जिन में मैं भी हूं तो दस लोगों को संरक्षण मिलेगा जिन में से एक यह होगा और अगर उस ने कहा कि संरक्षण दो मुझ को मेरे स्वामियों के साथ में, हालांकि उसके स्वामी/मालिक (मवाली/मालिक का बहुवचन मौला और मौला/स्वामी/मालिक आज़ाद करने वाले और आज़ाद किये गये दोनों पर बोलते हैं।) ऐसे हैं कि उन्होंने इस को आज़ाद किया है और स्वामी ऐसे हैं कि जिन को उस ने आज़ाद किया है तो यह संरक्षण इन दोनों (4) पक्षों को सम्मलित न होगी बल्कि एक ही पक्ष को इनमें से सम्मलित होगा और जिस को इस रक्षित ने कामना की है इसी पक्ष को सम्मलित होगा यानी निश्चित बयान इस रक्षित को होगाऔर अगर उसने कहा कि निश्चित की इरादा नहीं की थी तो दोनों पक्षों को उपकार के तौर पर इस संरक्षण में सम्मलित होंगे और अगर मुसलमानों ने किसी क़िले का घिराव किया और क़िले के सरदार ने क़िले पर सामने आकर कहा मुझे मेरे दस क़िले वालों के साथ सुरक्षा दो इस शर्त पर मैं तुम्हारे लिए क़िले के दरवाज़े खोल देता हूँ बस मुसलमानों ने कहा तेरे लिए ऐसा ही है बस उसने खोल दिया तो वह दस क़िले वालों के साथ सुरक्षा में होगा फिर दस लोगों को निश्चित करने के लिए अधिकार क़िले के सरदार को होगा और अगर उसने कहा कि मेरे लिए मेरे लिए क़िले वालों के संरक्षण का अनुबंध करो इस शर्त पर तुम इस क़िले में प्रवेश कर सकते होबस इसमें नमाज़ पढ़ो बस इसी पर उसके साथ संरक्षण का अनुबंध तैय किया तो मुसलमानों के लिए इस क़िले में से माल व लोगों में कम या ज़्यादा कुछ नहीं है यह ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन में है।

ग़ैर-मुस्लिम शासित देश के नागरिकों में से कोई व्यक्ति संरक्षण का इच्छुक हुआ और अपने साथ अपने घर वालों का वर्णन न

(1) सम्मलित हैं तमाम ज़माने व समय को।

शामिल होगी और जिस को इस मुस्तामिन ने मुराद लिया है इसी फ़रीक़ को शामिल होगी यानी बयान तअय्युन इस मुस्ताम्मन को होगा और अगर उस ने कहा कि मैंने किसी की तअय्युन की नियत नहीं की थी तो हर दो फ़रीक़ इस्तहसानन इस अमान में शामिल होंगे और अगर मुसलमानों न किसी क़िला का मुहासरा किया और सरदार क़िला पर से ज़ाहिर हो कर कहा कि मुझे मेरे दस अहले क़िला के अमान दो बदीन शर्त कि मैं क़िले को तुम्हारे वास्ते खोले देता हूं पस मुसलमानों ने कहा कि तेरे वास्ते ऐसा ही है पस उस ने खोल दिया तो वो मअ दस अहले क़िला के अमन में होगा फिर दस आदमियों के मुअयन करने का इख़्तयार इसी सरदार क़िला को होगा और अगर उस ने कहा कि मेरे वास्ते मअ मेरे अहले क़िला के अमान का अक़्द व बदीन शर्त कि तुम इस क़िले में दाख़िल हो पस इस में नमाज़ पढ़ो पस इसी पर उस के साथ अक़्द अमान क़रार दिया तो मुसलमानों के लिए इस क़िले में से नुफ़ूस व अमवाल में से क़लील व कसीर कुछ नहीं है यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है।

अहले हरब में से कोई शख़्स अमान का तालिब हुआ और अपने साथ अपने अहल व अयाल का ज़िक्र न किया तो?

अगर अहले हरब में से किसी मर्द ने अहले इस्लाम से अमान तलब की और इस को अमान दी गई फिर अपने साथ एक औरत को लाया और कहा कि मेरी बीवी है और अपने साथ छोटे छोटे अतफ़ाल लाया और कहा कि यह मेरी औलाद है हालांकि इन को अपनी अमान में ज़िक्र नहीं किया था बल्कि यही कहा था कि मुझे अमान

(1) जब से इहाता उमूम औक़ात व ज़माना का न होगा लिहाज़ा बाद वक्तया मज्लिस के इस का हुक्म नाफ़िज़ न रहेगा पस संरक्षण सही होगी।

किया तो?

अगर ग़ैर मुस्लिम शासित देश के नागरिकों में से किसी मर्द ने इस्लाम मान्ने वालों से संरक्षण मांगा और इसको संरक्षण दिया फिर अपने साथ एक औरत को लाया और कहा कि मेरी बीवी है और अपने साथ छोटे छोटे बच्चे लाया और कहा कि यह मेरी औलाद है हालांकि इनको अपनी संरक्षण में ज़िक्र नहीं किया था बल्कि यही कहा था कि मुझे संरक्षण दो ताकि मैं तुम्हारे पास आउंगा या इस्लाम शासित देश में आउं या तुम्हारे लश्कर में आउं जो दारूल हरब/ग़ैर मुस्लिम शासित देश में मौजूद है तो ऐसी स्थिति में अनुमान यह है कि सिवाए इस के बाक़ी जितने हैं सब श्रेणीबद्ध माल हों लेकिन यह कुरुप कार्य है बस उसके साथ हम इन को भी उपकार के तौर पर संरक्षण में सम्मलित करते हैं और इसी तरह अगर उस के बहुत से मर्द व औरत हों बस उसने कहा कि यह मेरे रक़ीक़ (खरीदे हुए यानि ग़ुलाम व बान्दी) हैं और उन्होंने उस के कथन की पुष्टि की या वे लोग छोटे हैं कि अपने वर्तमान की व्याख्या नहीं कर सकते हैं यहाँ तक कि इस में उन की पुष्टि करने की ज़रुरत नहीं है तो इस में भी ऐसा ही अनुमान व उपकार जारी है चुनांचे उपकार के आदेश से हम उस से क़सम ले कर उस के कथन की पुष्टि करेंगे और इस के साथ इन को भी सुरक्षित क़रार देंगे हालांकि अनुमान यह है कि यह सब सिवाए उसका अस्तित्व श्रेणीबद्ध हो (बिना युद्ध व कठिन परिश्रम के माल प्राप्त हुआ है) इसी तरह सवारी के जानवरों और मज़दूर जो इस के साथ आऐं इनमें भी ऐसा ही अनुमानित आदेश व उपकारनिय है और अगर इसके साथ चन्द मर्द हों जिन की लिए वह कहता है कि यह लोग मेरी औलाद हैं और उन्होंने उस की पुष्टि की अनुमानित आदेश से वे श्रेणीबद्ध होंगे और वे उपकार श्रेणीबद्ध न होंगे और अगर इन बच्चों ने उसको झुठलाया तो वह मुसलमानों के लिए श्रेणीबद्ध होंगे और अगर इस के साथ बालिग़ औरतें हों और उसने दअवा किया कि

(1) जब से इहाता उमूम औक़ात व ज़माना का न होगा लिहाज़ा बाद वक्तया मज्लिस के इस का हुक्म नाफ़िज़ न रहेगा पस संरक्षण सही होगी।

दो ताकि मैं तुम्हारे पास आउंगा या दारूल इस्लाम में आउं या तुम्हारे लश्कर में आउं जो दारूल हरब में मौजूद है तो ऐसी सूरत में क़ियास यह है कि सिवाए इस के बाक़ी जितने हैं सब माल फ़ई हों लेकिन यह अम्र क़बीह है पस उस के साथ हम इन को भी इस्तहसानन अमान में दाखिल करते हैं और इसी तरह अगर उस के बहुत से मर्द व औरत हों पस उस ने कहा कि यह मेरे रक़ीक़ (ममलूक यानी ग़ुलाम व बान्दी) हैं और उन्होंने उस के क़ौल की तसदीक़ की या वो लोग सग़ीर हैं कि अपने हाल से तअबीर नहीं कर सकते हैं हत्ता कि इस में उन के तसदीक़ करने की अहतियाज नहीं है तो इस में भी ऐसा ही क़ियास व इस्तहसान जारी है चुनांचे बहुक्मे इस्तहसान हम उस से क़सम ले कर उस के क़ौल की तसदीक़ करेंगे और इस के साथ इन को भी मामून क़रार देंगे हालांकि क़ियास यह है कि यह सब सिवाए उस की ज़ात के फ़ई हों। (बदूं क़िताल व मुशक़्क़त माल हाथ अया है) इसी तरह सवारी के जानवरों और अजीर मज़दूर जो इस के साथ आऐं इन में भी ऐसा ही हुक्म बक़ियास व बइस्तहसान है और अगर इस के साथ चन्द मर्द हों जिन की निस्बत वो कहता है कि यह लोग मेरी औलाद हैं और उन्होंने उस की तसदीक़ की बहुक्मे क़ियास वो फ़ई होंगे और इस्तहसानन वो फ़ई न होंगे और अगर इन इतफ़ाल ने उस की तकज़ीब की तो वो मुसलमानों के लिए फ़ई होंगे और अगर इस के साथ बालिग़ औरतें हों और उस ने दअवा किया कि यह मेरी बेटियां हैं और इन औरतों ने तसदीक़ की तो क़ियासन सा फ़ई होंगी और इस्तहसानन मामून होंगी बिल जुमला इस जिन्स के मसाइल में असल यह क़रार पाई कि जो शख़्स अपने नफ़्स के वास्ते अपने आप अमान तलब कर सकता है बलिहाज़ ग़ालिब व अक्सर के तो वो अमान में दूसरे का ताबअ नहीं क़रार दिया जायेगा और जो शख़्स बलिहाज़ ग़ालिब व अक्सर के अपने वास्ते अमान अपने आप नहीं लेता है तो वो अमान में दूसरे का ताबअ किया जायेगा पस अला हाज़ा अगर हरबी ने अपने वास्ते अमान ली तो इस की मां वजदह नहीं व फूफियां व खालाऐं व हर औरत जो उस की ज़ात रहम महरम हो अमान में इस के

यह मेरी बेटियाँ हैं और इन औरतों ने पुष्टि की तो अनुमानित श्रेणीबद्ध होंगी और उपकार सुरक्षित होंगे कुल मिलाकर इस लिंग की समस्या में असल यह क़रार पाया कि जो व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिएअपने आप संरक्षण मांग सकता है अक्सर के व प्रमुख लिहाज़ से तो वह संरक्षण में दूसरे का अधीन नहीं क़रार दिया जायेगा और जो व्यक्ति अक्सर के व प्रमुख लिहाज़ से अपने लिए संरक्षण अपने आप नहीं लेता है तो वह संरक्षण में दूसरे का अधीन किया जायेगा बस वह कि अगर हरबी / ग़ैर मुस्लिम देश के नागरिक ने अपने लिऐ संरक्षण ली तो इस की माँ व नानी नहीं व फूफियां व खालाऐं व हर औरत जो उस की ज़ी रहम महरम/निकटतम रिश्तेदार हों संरक्षण में इस के अधीन की जाऐंगी और इस हरबी/ ग़ैर मुस्लिम देश के नागरिक का बाप व दादा व भाई आदि जो ख़ुद संरक्षण लेता है ऐसे लोग इस हरबी के साथ इस की अधीनता में संरक्षण में सम्मलित न होंगे और जो व्यक्ति रक्षित के संरक्षण अधीनता में सम्मलित सुरक्षित होता है अगर रक्षित के साथ इस्लामी शासन में प्रवेश हुआ, कि यह ऐसा है जैसा कि उस ने कहा यानी रक्षित के साथ संरक्षण में प्रवेश होगे वाले लोगों में से है या रक्षित ने दअवा किया कि यह ऐसा है और जो साथ आया है उस ने इस के कथन की पुष्टि की तो बहरहाल दोनों सूरतों का हुक्म बराबर है और वो इस रक्षित की संरक्षण के अधीन में सममलित संरक्षण होगा और अगर उस ने इस रक्षित को झुठलाया तो वह श्रेणीबद्ध होगा और अगर पहले झुठलाया फिर पुष्टि की तो भी श्रेणीबद्ध होगा और अगर पहले इस की पुष्टि की फिर झुठलाया तो इस में विस्तार है कि इस रक्षित हरबी/ग़ैरमुस्लिम देश के नागरिक के ख़रीदे हुए ग़ुलाम और उस की छोटी औलाद जो अपने अस्तित्व से व्याख्या कर सकते हैं गिरवी रहेंगे और उस का मज़दूर व बालिग़ औरत अगर उन्होंने पहली बार इस की पुष्टि की तो अपने अस्तित्व पर उस के ग़ुलाम होगे का इक़रार न किया क्योंकि रक्षित ने ख़ुद ही इन पर ग़ुलाम होने का दअवा नहीं किया है बस वे आज़ाद बाक़ी रहे फिर जब इस के बाद उन्होंने इस को झुठलाया तो उन्होंने अपनी अस्तित्वों पर ग़लामी को

ताबअ की जाऐंगी और इस हरबी का बाप वजद व भाई वग़ैरह जो ख़ुद अमान लेता है ऐसे लोग इस हरबी के साथ इस की तबइयत में दाखिल अमान न होंगे और जो शख़्स कि मुस्ताम्मन के अमान तबइयत में दाखिल अमान होता है अगर मुस्ताम्मन के साथ दारूल इस्लाम में दाखिल हुआ कि यह ऐसा है जैसा कि उस ने कहा यानी मुस्तामिन के साथ दाखिल अमान होने वाले लोगों में से है या मुस्ताम्मन दअवा किया कि यह ऐसा है और जो साथ आया है उस ने इस के क़ौल की तसदीक़ की तो बहरहाल दोनों सूरतों का हुक्म यक्सां है और वो इस मुस्ताम्मन की अमान की तबइयत में दाखिल अमान होगा और अगर उस ने इस मुस्ताम्मन की तकज़ीब की तो वो फ़ई होगा और अगर पहले तकज़ीब की फिर तसदीक़ की तो भी फ़ई होगा और अगर पहले इस की तसदीक़ की फिर तकज़ीब की तो इस में तफ़सील है कि इस मुस्ताम्मन हरबी के ममलूक रक़ीक़ और उस की औलाद सग़ार जो अपने नफ्स से तअबीर कर सकते हैं रहन में रहेंगे और उस का अजीर व औरत बालिग़ा अगर उन्होंने अव्वल मर्तबा इस की तसदीक़ की तो अपनी ज़ात पर उस के रक़ीक़ होने का इक़रार न किया क्योंकि मुस्ताम्मन ने ख़ुद ही इन पर रकियत का दअवा नहीं किया है पस दे आज़ाद बाक़ी रहे फिर जब इस के बाद उन्होंने इस की तकज़ीब की तो उन्होंने अपनी ज़ातों पर रक़ियत का इक़रार कर लिया और हरबी अगर अपनी ज़ात पर रक़ियत का इक़रार करे तो उस का इक़रार रक़ियत सही होता है और मसला महसूर में बयान फ़रमाया कि अगर महसूर ने मुसलमानों से अमान तलब कर ली बदीन शर्त कि मैं मुसलमानों के पास हाज़िर आऊंगा तो अमान में उस का लिबास और जो हथियार पहने हुए है और जानवर सवारी और जो कुछ रूपया व अशरफ़ी वग़ैरह अपने साथ निकाल ला है दाखिल होगा यह इस्तहसान है और मासिवाए इस के जो कुछ रहा वो फ़ई होगा फिर स्वीकार कर लिया और हरबी/ग़ैरमुस्लिम देश के नागरिक अगर अपने अस्तित्व पर ग़ुलामी को स्वीकार करे तो उस का ग़ुलामी को स्वीकार करना सही होता है और बंदी होने के मसले में बयान किया है कि अगर बंदी ने मुसलमानों से संरक्षण मांगा इस शर्त पर कि मैं मुसलमानों के पास हाज़िर आऊंगा तो संरक्षण में उस के कपड़े और जो हथियार पहने हुए है और सवारी के जानवर और जो कुछ रूपया व अशरफ़ी आदि अपने साथ निकाल लाया है सम्मलित होगा यह उपकार है और इसके सिवाए जो कुछ रहा वह श्रेणीबद्ध होगा फिर स्पष्ट हो कि उसके हथियारों व कपड़ों में से उतना ही संरक्षण में सम्मलित होंगे जितने हथियार उस के बराबर आदमी बांध सकता है या जितने कपड़े उसके बराबर आदमी पहनता है यहाँ तक कि अगर उसने चन्द कमानें अपने मोंढ़े पर लगाइं चन्द तलवारें लटकाई या चन्द क़ुबाऐं पहनें या चन्द अमामा अपने सर पर बांध लिये जैसे कोई बोझ लादे हुए है तो ज़ियादती के कारण उस के न होंगे (बल्कि श्रेणीबद्ध होंगे) यह मुहीत में है।

अगर लश्करे इस्लाम के कमांडर ने क़िलआ के शासक के पास किसी ज़रूरत से कोई ऐलची भेजा फिर ऐलची वहां गया और वह मुसलमान होंगे फिर जब उस ने पैग़ाम पहुंचाया तो कहा कि लश्करे इस्लाम के कमांडर ने मेरी ज़बानी तुझे और तेरे राज्य के लोगों के लिए संरक्षण भेजा है बस तू दरवाज़ा खोल दे, या क़िले के शासक के पास झूठा बनाया हुआ इस्लाम के लश्कर के कमांडर की ओर से ख़त लेजाया गया और ज़बानी यह पढ़ कर सुनाया और इस बयान के समय कुछ आदमी मुसलमान भी हाज़िर थे बस जब क़िले के शासक ने क़िले का दरवाज़ा खोल दिया और मुसलमान इस में घुस पड़े और उन्होंने लूटना व गिरफ़्तार करना शुरू किया तो क़िले के शासक ने कहा कि तुम्हारे ऐलची ने हम से बयान किया कि तुम्हारे लश्कर कमांडर ने इन को संरक्षण

(1) किसी को तोहमत ज़िना लगाने के सबब से हद मारा गया।
(2) मसलन अगर इस ने हुक्म दिया कि वापिस कर दिये जाएं तो यह हुक्म रवा नहीं है अगरचे इस ने हुक्म दिया और अपने अहद से बरी हो गया।
(3) पस इस मसले में दो रिवायतें हैं।

(1) किसी को बलात्कार के आरोप लगाने के कारण से दंडित किया गया।
(2) मसलन अगर इस ने हुक्म दिया कि वापिस कर दिये जाएं तो यह हुक्म जायेज़ नहीं है अगरचे इस ने हुक्म दिया और अपने वादे से बरी हो गया। (3) पस इस मसले में दो रिवायतें हैं।

वाक़ह हो कि उस के हथियारों व कपड़ों मेंसे इस क़द्र दाखिल अमान होंगे जितने हथियार उस के मिस्ल आदमी बांध सकता है या जितने कपड़े उस के मिस्ल आदमी पहनता है हत्ता कि अगर उस ने चन्द कमानें अपने मोंढे पर लगाइं चन्द तलवारें लटकाईं या चन्द क़बाऐं पहनें या चन्द अमामा अपने सर पर बांध लिये जैसे कोई बोझ लादे हुए है तो बक़द्र ज़ियादती के उस के न होंगे (बल्कि फ़ई होंगे) यह मुहीत में है।

अगर सरदार लश्कर इस्लाम ने अमीर क़िलआ के पास किसी ज़रूरत से कोई ऐलची भेजा फिर ऐलची वहां गया और वो मुसलमान होंगे फिर जब उस ने पैग़ाम पहुंचाया तो कहा कि अमीर लश्कर इस्लाम ने मेरी ज़बानी तुझे और तेरे अहले मुमलिकत के वास्ते अमान भेजी है पस तो दरवाज़ा खोल के या अमीर क़िलआ के पास दरोग़ बनाया हुआ सरदार लश्कर इस्लाम की तरफ़ से ख़त लिया गया ज़बानी यह अम्र बयान किया और इस बयान के वक्त चन्द आदमी मुसलमान भी हाज़िर थे पस जब अमीर किलअबा ने दरवाज़ा क़िलआ खोल दिया और मुसलमान इस में घुस पड़े और उन्होंने लूटना व गिरफ़तार करना शुरू किया तो अमीर क़िलआ ने कहा कि तुमहारे ऐलची ने हम से बयान किया कि तुम्हारे सरदार लश्कर ने इन को अमान दी है और इन मुसलमानों ने जो वक्त बयान के हाज़िर थे गवाही दी तो यह सब लोग अमान में होंगे कि जो कुछ उनसे लिया गया है वो सब इन को वापिस दिया जायेगा और अगर यूं वाक़े हुआ किजो शख़्स अमीर किलआ के पास गया है वो सरदार लश्कर इस्लाम का ऐलची नहीं है बल्कि उस ने अपनी तरफ़ से एक ख़त जअली बनाया और उस को ले कर सरदार क़िलआ के पास गया और ज़बानी उन से यह बात बयान की और कहा कि मैं सरदार लश्कर इस्लाम का ऐलची और मुसलमानों का ऐलची हूं फिर ऐसा वाक़े हुआ तो यह सब लोग मुसलमानों के वास्ते फ़ई होंने व दिया है और इन मुसलमानों ने जो बयान के समय हाज़िर थे गवाही दी तो यह सब लोग संरक्षण में होंगे कि जो कुछ उन से लिया गया है वो सब इन को वापिस दिया जायेगा और अगर यूं स्थापित हुआ कि जो व्यक्ति क़िले के शासक के पास गया है वह लश्कर इस्लाम के कमांडर का ऐलची नहीं है बल्कि उस ने अपनी ओर से एक ख़त जअली बनाया और उस को ले कर क़िले के शासक के पास गया और ज़बानी उन से यह बात बयान की और कहा कि मैं लश्करे इस्लाम के कमांडर का ऐलची और मुसलमानों का ऐलची हूं फिर ऐसा स्थापित हुआ तो यह सब लोग मुसलमानों के लिए श्रेणीबद्ध होंगे व लेकिन इमाम को जायज़ है कि इन लोगों का कथन स्वीकार करे यह ज़हीरिया में है।

अगर लश्करे इस्लाम के कमांडर के ऐलची ने कमांडर का पैग़ाम पहुंचाने के बाद फ़लां (1) लश्कर का छोटे कमांडर ने तुम को संरक्षण दिया है और मुझे इस कार्य के लिए भेजा है और मुसलमानों ने लश्कर कमांडर के द्वार तक तुम को संरक्षण दिया है और मैंने भी तुम को अपने से पहले तुम्हारे पास प्रवेश होने के तुम को संरक्षण दिया था और तुम को आवाज़ दी व ऐलान कर दिया था और इस की इस चर्चा पर मुसलमान क़ौम के लोग गवाह हुए तो इस स्थिति में यह सब श्रेणीबद्ध होंगे बशर्तेकि जो कुछ उस ने बयान किया है वह झूठी खबर दी हो और अगर किसी मुसलमान ने उस को किसी ज़रुरत के लिए भेजा हो बस ऐलची ने उस की ज़रूरत पूरी करके कहा कि जिसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है उस ने तुम को संरक्षण दिया है, तो यह अमान्य है यह मुहीतुल सुरखी में है। और अगर इमाम ने या किसी मुसलमान ने किसी ज़िम्मी/टैक्स देकर इस्लामी शासन में रहने वाले नागरिक को हुक्म किया तो इन हरबियों/ ग़ैरमुस्लिम देश के नागरिकों को संरक्षण देदे बस अगर ज़िम्मी से यूं कहा कि इन को संरक्षण देदे बस ज़िम्मी ने हरबियों से कहा कि मैंने तुम को संरक्षण दिया या कहा कि फ़लां ने तुम को संरक्षण दिया तो दोनों बराबर हैं और वह सब संरक्षण प्राप्त हो जाऐंगे और अगर ज़िम्मी से कहा कि फ़लां ने तुम को संरक्षण दिया बस ज़िम्मी ने

लेकिन इमाम को जायज़ है कि इन लोगों का क़ौल क़बूल करे यह ज़हीरिया में है।

अगर सरदार लश्करे इस्लाम के ऐलची ने बाद सरदार के पैग़ाम पहुंचाने के फ़लां क़ाइद (1) लश्कर ने तुम को अमान दी है और मुझे इस अम्र के वास्ते भेजा है और मुसलमानों ने ता दरवाज़ा-ए-अमीर लश्कर तुम को अमान दी है और मैंने भी तुम को क़बूल अपने तुम्हारे पास दाखिल होने के तुम को अमान दी थी और तुम को आवाज़ व निदा कर दी थी और इस की इस गुफ़तुगू पर क़ौम हाज़िरीन मुसलमान गवाह हुई तो इस सूरत में यह सब फ़ई होंगे बशर्तेकि जो कुछ उस ने बयान किया है वो दरोग़ खगबर दी हो और अगर किसी मुसलमान ने उस को किसी हाजत वास्ते भेजा हो पस ऐलची ने उस की ज़रूरत पूरी करके कहा कि जिस ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है उस ने तुम को अमन दी है तो यह बातिल है यह मुहीत सुरखी में है और अगर इमाम ने या किसी मुसलमान ने किसी ज़िम्मी को हुक्म किया तो इन हरबियों को अमान देदे पस अगर ज़िम्मी से यूं कहा कि इन को अमान देदे पस ज़िम्मी ने हरबियों से कहा कि मैंने तुम को अमान दी या कहा कि फ़लां ने तुम को अमान दी तो दोनों यक्सां हैं और वो सब अमान याफ़ता हो जाऐंगे और अगर ज़िम्मी से कहा कि तू फ़लां ने तुम को अमान दी पस ज़िम्मी ने इन से कहा कि फ़लां ने तुम को अमान दी तो भी वो सब अमान याफ़ता हो जाऐंगे और अगर ज़िम्मी ने कहा कि मैंने तुम को अमान दी तो यह बातिल है यह ज़ख़ीरा में है।

अगर मुसलमानों ने किसी क़िले का मुहासरा किया पस अमीर लश्कर ने अहले क़िला से कहा कि अगर कभी किसी वक्त (1) में तुम को अमान दूं तो मेरी अमान बातिल है या तो अमान बातिल है या तो तुम्हारे वास्ते अमान हासिल न होगी या तो मैंने वो अमान तुम्हारे सर मारी यानी रद कर दी फिर उसी अमीरलश्कर ने इन को इन से कहा कि फ़लां ने तुम को संरक्षण दिया तो भी वे सब संरक्षण प्राप्त हो जाएँगे और अगर ज़िम्मी ने कहा कि मैंने तुम को संरक्षण दिया तो यह अमान्य है यह ज़ख़ीरा में है।

अगर मुसलमानों ने किसी क़िले का घिराव किया बस लश्कर कमांडर ने क़िले वालों से कहा कि अगर कभी किसी समय (1) में तुम को संरक्षण दूं तो मेरा संरक्षण अमान्य है या तो संरक्षण अमान्य है या तो तुम्हारे लिऐ संरक्षण प्राप्त न होगा या तो मैंने वह संरक्षण तुम्हारे सर मारा यानी रदद कर दी फिर उसी लश्कर कमांडर ने इनको संरक्षण दिया तो उस का संरक्षण अमान्य होगा और अगर लश्कर कमांडर ने किसी ऐलान का हुक्म दिया कि लश्कर में ऐलान कर दे कि जिस ने तुम में से क़िले वालों को संरक्षण दिया तो उसका संरक्षण अमान्य है फिर किसी मुसलमान ने क़िले वालों को संरक्षण दिया तो इसका संरक्षण जायज़ होगा और अगर ऐलान का आदेश किया कि क़िले वालों को संरक्षण दी तो इस की संरक्षण अमान्य है फिर किसी मुसलमान ने क़िले वालों को संरक्षण दिया तो इस का संरक्षण जायज़ होगा और अगर ऐलान में आदेश किया कि किले वालों को पुकार कर सूचना करदे, या ख़त भेजा या ऐलची भेज दिया कि अगर किसी मुसलमान ने तुम को संरक्षण दिया तो इसके संरक्षण पर भरोसा न करना कि इसका संरक्षण अमान्य है फिर किसी मुसलमान ने इनको संरक्षण दिया और क़िले वालों को इसके संरक्षण पर क़िले से उतर आये तो वे लोग श्रेणीबद्ध होंगे और अगर लश्कर कमांडर ने क़िले वालों से कहा कि अगर तुम को कोई मुसलमान संरक्षण दे, तो तुम को संरक्षण प्राप्त न होगा यहां तक कि मैं तुम को संरक्षण दूं फिर इनके पास कोई मुसलमान आया और कहा कि मैं लश्कर कमांडर की ओर से तुम्हारे पास ऐलची आया हूं कि तुम को लश्कर कमांडर ने संरक्षण दिया बस क़िले वालों ने इस सूचना पर क़िला से उतर कर हाज़िर हुए तो वे सब संरक्षण प्राप्त होंगे अगरचे वर्णित मर्द इस सूचना में झूठा हो और अगर क़िले वालों से लश्कर कमांडर ने कह दिया हो कि तुम को संरक्षण प्राप्त न होगा अगर किसी मुसलमान ने तुम को संरक्षण

अमान दी तो उस की अमान बातिल होगी और अगर अमीर लश्कर ने किसी मुनादी को हुक्म दिया कि लश्कर में पुकार दे कि जिस ने तुम में से अहले क़िला को अमन दी तो इस की अमान बातिल है फिर किसी मुसलमान ने अहले क़िला को अमान दी तो इस की अमान जायज़ होगी और अगर मुनादी को हुक्म किया कि अहले क़िला को अमन दी तो इस की अमान बातिल है फिर किसी मुसलमान ने अहले क़िला को अमान दी तो इस की अमान जायज़ होगी और अगर मुनादी को हुक्म किया कि अहल किला को पुकार कर मुतलअ करदे या ख़त भेजा या ऐलची भेज दिया कि अगर किसी मुसलमान ने तुम को अमान दिया तो इस की अमान पर ऐतमाद न करना कि इस की अमान बातिल है फिर किसी मुसलमान ने इन को अमान दी और अहले क़िला इस की अमान पर क़िले से उतर आये तो वो लोग फ़ई होंगे और अगर अमीर लश्कर ने अहले क़िला से कहा कि अगर तुम को कोई मुसलमान अमान दे, तो तुम को अमान हासिल न होगी यहां तक कि मैं तुम को अमान दूं फिर इन के पास कोई मुसलमान आया और कहा कि मैं सरदार लश्कर की तरफ़ से तुम्हारे पास ऐलची आया हूं कि तुम को सरदार लश्कर ने अमान दी पस अहले क़िला इस खबर पर क़िला से उतर कर हाज़िर हुए तो वो सब अमान याफ़्ता होंगे अगरचे मर्द मज़कूर इस खबर में काज़िब हो और अगर अहले क़िला से अमीर लश्कर ने कह दिया हो कि तुम को अमान हासिल न होगी अगर किसी मुसलमान ने तुम को अमान दी या मेरी तरफ़ से ऐलची बन कर आया यहां तक कि मैं ख़ुद तुम को अमान दूं और बाक़ी मसला बहाला वाक़े हुआ तो यह सब लोग फ़ई होंगे और अगर अमीर ने इस के पास ऐलची भेजा हो और उस ने पैग़ाम अमान अमीर का पहुंचाया तो वो लोग अमान याफ़्ता होंगे और अगर उन से कहा कि जब (1) मैं तुम को अमान दूं तो मेरी अमान बातिल है फिर इन को अमान दी तो यह अमान सही होगी यह सुरख़ी में है।

अगर मुसलमानों ने अहले हरब के किसी क़िले या दिया या मेरी ओर से ऐलची बन कर आया यहां तक कि मैं ख़ुद तुम को संरक्षण दूं और बाक़ी मसला ऐसे स्थापित हुआ तो यह सब लोग श्रेणीबद्ध होंगे और अगर कमांडर ने इसके पास ऐलची भेजा हो और उस ने संरक्षण का पैग़ाम कमांडर को पहुंचाया तो वे लोग संरक्षण प्राप्त होंगे और अगर उन से कहा कि जब (1) मैं तुम को संरक्षण दूं तो मेरा संरक्षण अमान्य है फिर इन को संरक्षण दिया तो यह संरक्षण सही होगा यह सुरख़ी में है।

अगर मुसलमानों ने अहले हरब/ग़ैरमुस्लिम देश के नागरिकों के किसी क़िले या शहर का घिराव किया पस उन्होंने मुसलमानों से प्रार्थना की कि तुम हम को अल्लाह तआला के हुक्म पर उतारा यानी हम तुम्हारे पास आते हैं जो अल्लाह तआला हम पर हुक्म करे इस शर्त पर हम को बुलाओ तो मुसलमानों को इस तरह पर बुलाना नहीं चाहिए यह मुहीत में है। और अगर मुसलमानों ने इन को हुक्म अल्लाह तआला पर उतारा बावजूद यह कि इन को ऐसा न चाहिए तो इमाम को चाहिए कि इन पर इस्लाम पेश करे बस अगर वे लोग मुसलमान हो गये तो सब आज़ाद होंगे (जैसे इस्लामी ज़मीन का हुक्म हुआ) कि इनको इनका माल व औरतें व औलाद सब सुपुर्द कर दिये जाऐंगे और इनका देश इस्लाम शासित हो जायेगा और इन की ज़मीनों में से फ़क़त अशर/महसूल व लगान लिया जायेगा और अगर उन्होंने इस्लाम से इन्कार किया तो इमाम इन को ज़िम्मी/ टैक्स देकर देश में रहने वाला नागरिक बनादेगा और इन पर जज़या मुक़र्रर करेगा और इन की ज़मीन पर खिराज/राजस्व बांधेगा और यह लोग ग़ुलाम नहीं बनाये जाऐंगे और न क़त्ल किये जाऐंगे और न वे लोग अपनी सुरक्षित जगह में वापिस किये जाऐंगे, अगर मुसलमानों में से किसी एक निश्चित के हुक्म पर उतरे तो यह जायज़ है बस अगर इस मुसलमान ने इन पर क़त्ल का या ग़ुलाम बनाये जाने का या ज़िम्मी बनाये जाने का हुक्म किया तो यह हुक्म जायज़ होगा और अगर उसने यह हुक्म किया कि अपनी जगह पर वापिस कर दिये जाऐं तो यह हुक्म जायज़ नहीं है और अगर फ़लां वर्णित इस के पहले कि इनके हक़ में कुछ हुक्म

(1) वो माले ग़नीमत जो बग़ैर मशक्क़त व लड़ाई के हाथ लगे।

(1) वे लूट का माल जो बग़ैर महनत व लड़ाई के हाथ लगे।

शहर का मुहसरा किया पस उन्होंने मुसलमान से दरख़्वास्त की कि तुम हम को अल्लाह तआला के हुक्म पर उतारा यानी हम तुम्हारे पास आते हैं जो अल्लाह तआला हम पर हुक्म करे इस शर्त पर हम को बुलाओ तो मुसलमानों को इस तरह पर बुलाना नहीं चाहिए यह मुहीत में है और अगर मुसलमानों ने इन को हुक्म अल्लाह तआला पर उतारा बावजूद यह कि इन को ऐसा न चाहिए तो इमाम को चाहिए कि इन पर इस्लाम पैश करे पस अगर वो लोग मुसलमान हो गये तो सब आज़ाद होंगे (जैसे अराजी इस्लाम का हुक्म हुआ।) कि इन को इन का माल व औरतें व औलाद सब सुपुर्द कर दिये जाऐंगे और इन का मुल्क दारूल इस्लाम हो जायेगा और इन की अराज़ी में से फ़क़त अशर (जिसको हमारे उरफ़ में महसूल व लगान बोलते हैं) लिया जायेगा और अगर उन्होंने इस्लाम से इन्कार किया तो इमाम इन को ज़िम्मी बनादेगा और इन पर जज़या मुक़र्रर करेगा और इन की ज़मीन पर खिराज बांधेगा और यह लोग रक़ीक़ नहीं बनाये जाऐंगे और न क़त्ल किये जाऐंगे और न वो लोग अपनी महफ़ूज़ जगह में वापिस किये जाऐंगे और अगर मुसलमानों में से किसी एक मुअय्यन के हुक्म पर उतरे तो यह जायज़ है पस अगर इस मुसलमान ने इन पर क़त्ल का या रक़ीक़ बनाये जाने का या ज़िम्मी बनाये जाने का हुक्म किया तो यह हुक्म जायज़ होगा और अगर उस ने यह हुक्म किया कि अपनी जगह पर वापिस कर दिये जाऐं तो यह हुक्म नहीं जायज़ है और अगर फ़लां मज़कूर क़ब्ल इस के कि इन के हक़ में कुछ हुक्म करे मर गया या क़त्ल किया गया तो वो लोग ऐसे हो जाऐंगे जैसे अल्लाह तआला के हुक्म पर उतरे यानी इन के साथ वही मामला किया जायेगा जो हुक्म अल्लाह तआला पर उतर आने की सूरत में मज़कूर हुआ है और अगर इस मुसलमान ने अपने आप को हुकूमत से ख़ारिज किया यानी कहा कि मैं इन के हक़ में हुक्म होने से खारिज होता हूं तो वो खारिज हो जायेगा और अगर उस ने पहले यह हुक्म किया कि वापिस कर दिये जाऐं फिर इन के क़त्ल कियेजाने का हुक्म किया तो इस्तहसानन नहीं सही है यह मुहीतुल सरख़ी में है।

करे मर गया या क़त्ल किया गया तो वे लोग ऐसे हो जाऐंगे जैसे अल्लाह तआला के हुक्म पर उतरे यानी इन के साथ वही मामला किया जायेगा जो हुक्म अल्लाह तआला के हुक्म पर उतर आने की स्थिति में वर्णन हुआ है और अगर इस मुसलमान ने अपने आप को हुकूमत से बाहर किया यानी कहा कि मैं इनके हित में हुक्म होने से बाहर होता हूं तो वह बाहर हो जायेगा और अगर उस ने पहले यह हुक्म किया कि वापिस कर दिये जाऐं फिर इन के क़त्ल किये जाने का हुक्म किया तो उपकार के तौर पर सही नहीं है यह मुहीतुल सुरख़ी में है।

अगर काफ़िरों ने संरक्षण की प्रार्थना की इस शर्त से कि हम पर ईमान पैश किया जाये बस अगर हम स्वीकार कर लें तो ख़ैर वरना हम अपनी सुरक्षित जगह में वापिस कर दिये जाऐं तो मुसलमानों के इमाम पर उसका स्वीकार करना जायज़ है :

अगर उन्होंने किसी मुसलमान को वर्णित आदेश के तौर पर क़रार दिया लेकिन यह मुसलमान अपने फूट के कारण या बलात्कार के आरोप के कारण दंडित (1) होने के जैसा है कि इस की गवाही जायज़ नहीं है तो इन के हित में इस का हुक्म जायज़ होगा भले ही इन के क़त्ल किये जाने का या ग़ुलाम बनाये जाने का या सिवाए इस के और हुक्म करें (2) यह मुहीत में है। नवाज़िल में लिखा है कि अगर अहले हरब/ग़ैरमुस्लिम देश के नागरिक किसी ऐसे व्यक्ति के हुक्म पर उतरे जो बलात्कार के आरोप में दंडित है या अंधा है तो यह जायज़ नहीं (3) है यह तातार खानिया में है। अगर उन्होंने किसी ग़ुलाम

अगर काफ़िरों ने अमान की दरख्वास्त की बर्दी शर्त कि हम पर ईमान पैश किया जाये पस अगर हम क़बूल कर लें तो ख़ैर वरना हम अपनी जाये महफ़ूज़ में वापिस कर दिये जाऐं तो इमामुल मुस्लिमीन पर उसका क़बूल करना वाजिब है :

अगर उन्होंने किसी मुसलमान को बतौर मज़कूर हुक्म क़रार दिया लेकिन यह मुसलमान बसबब अपने फ़सक़ के या बसबब महदूद उल क़ज़फ़ (1) होने के ऐसा है कि इस की गवाही रवा नहीं है तो इन के हक़ में इस का हुक्म जायज़ होगा ख़्वाह इन के क़त्ल किये जाने का या रक़ीक़ बनाये जाने का या सिवाए इस के और हुक्म करे (2) यह मुहीत में है। नवाज़िल में लिखा है कि अगर अहले हरब किसी ऐसे शख़्स के हुक्म पर उतरे जो महदूदुल क़ज़फ़ है या अंधा है तो यह जायज़ नहीं (3) है यह तातार खानिया में है। अगर उन्होंने किसी ग़ुलाम या तफ़्ल आज़ाद को जो आक़िल हो गया है हुक्म है तो इस का हुक्म जायज़ न होगा और अगर बावजूद इस के वो के हुक्म पर उतरे तो ज़िम्मी बनाये जाऐंगे जेसे हुक्म अल्लाह तआला उतरने की सूरत में है। अगर वो किसी ज़िम्मी के हुक्म पर उतरे पस इस ज़िम्मी ने क़त्ल किये जाने व इन की औरतें व बच्चा रक़ीक़ बनाये जाने का या इस के और हुक्म किया तो जायज़ है ऐसा ही इमाम मौहम्मद रह० ने सियर कबीर में ज़िक्र किया है और अगर क़ब्ल इस के कि ज़िम्मी को अपने ऊपर हुक्म बना दें वो लोग मुसमान हो गये तो फिर इन के हक़ में ज़िम्मी का कोई हुक्म मिस्ल क़त्ल किये जाने या रक़ीक़ या आज़ाद बच्चे को जो बुद्धिमान हो गया है शासक है तो इस का हुक्म जायज़ न होगा और अगर बावजूद इस के वे उसके आदेश पर उतरे तो ज़िम्मी/टैक्स देकर राज्य में रहने वाले नागरिक बनाये जाऐंगे जेसे अल्लाह तआला का आदेश उतरने की स्थिति में है। अगर वे किसी ज़िम्मी के हुक्म पर उतरे, बस इस ज़िम्मी ने क़त्ल किये जाने व इन की औरतें व बच्चों को ग़ुलाम बनाये जाने का या इस के अलग और कोई हुक्म किया तो जायज़ है ऐसा ही इमाम मौहम्मद रह० ने सैरे कबीर में वर्णन किया है और अगर इसके पहले कि ज़िम्मी/टैक्स देकर राज्य में रहने वाले नागरिक को अपने ऊपर राजा बना दें वे लोग मुसलमान हो गये तो फिर इन के हित में ज़िम्मी का कोई हुक्म क़त्ल किये जाने जेसा या ग़ुलाम बनाये जाने आदि के जायज़ न होगा बल्कि इस स्थिति में इमामुल मुस्लिमीन इनको आज़ाद मुसलमान क़रार देगा कि इनके ऊपर कोई दंड न होगी। अगर उन्होंने किसी औरत को शासक बना दिया तो इस औरत का हुक्म इन में सब तरह का जायज़ है सिवाए क़त्ल के आदेश के, कि अगर वर्णित औरत इन के हित में क़त्ल किये जाने का हुक्म करे तो स्वीकार न होगा ऐसा ही ज़ियादात में वर्णित है। जो मुसलमान इन के हाथ में बंदी है वह शासक होने की योग्यता नहीं रखता है और इस तरह जो मुसलमान इन के मुल्क में व्यापारी है वह भी शासक नहीं हो सकता है और इस तरह अगर इनमें से कोई व्यक्ति मुसलमान हो कर वहीं रहा है वह भी राजा नहीं हो सकता है इसी तरह इन में का जो व्यक्ति लश्करे इस्लाम में है वह भी राजा नहीं हो सकता है और सैरे कबीर में लिखा है कि अगर अहले हरब/ग़ैरमुस्लिम देश के नागरिक ने यह शर्त की कि हम लोग फ़लां के आदेश पर उतरते हैं इस शर्त पर कि अगर इस ने हमारे हित में कुछ हुक्म किया तो यह हुक्म पूरा होगा और अगर इस ने कुछ हुक्म न किया तो हम को हमारे सुरक्षित स्थान में वापिस कर दो या यह शर्त कि कि हम फ़लां के हुक्म पर इस शर्त पर उतरते हैं कि अगर इस ने हमारे हित में यह हुक्म किया कि यह लोग अपने सुरक्षित स्थान में वापिस पहुंचा दिये जाऐं तो तुम लोग इस को पूरा कर दो तो मुसलमानों को न चाहिए

बनाये जाने वग़ैरह के जायज़ न होगा बल्कि इस सूरत में इमामुल मुस्लिमीन इन को आज़ाद मुसलमान क़रार देगा कि इन के ऊपर कोई राह न होगी। अगर उन्होंने किसी औरत को हुक्म क़रार दिया तो इस औरत का हुक्म इन में सब तरह का रवा है सिवाए हुक्म क़त्ल के कि अगर औरत मज़कूरह इन के हक़ में क़त्ल किये जाने का हुक्म करे तो क़बूल न होगा ऐसा ही ज़ियादात में मज़कूर है। जो मुसलमान इन के हाथ में मुक़य्यद है वो हुक्म होने की सलाहियत नहीं रखता है और इस तरह जो मुसलमान इन के मुल्क में ताजिर है वो भी हुक्म नहीं हो सकता है और इस तरह अगर इनमें से कोई शख़्स मुसलमान हो कर वहीं रहा है वो भी हुक्म नहीं हो सकता है इसी तरह इन में का जो शख़्स लश्कर इस्लाम में है वो भी हुक्म नहीं हो सकता है और सैरे कबीर में लिखा है कि अगर अहले हरब ने यह शर्त की कि हम लोग फ़लां के हुक्म पर उतरते हैं बदीं शर्त कि अगर इस ने हमारे हक़ में कुछ हुक्म किया तो यह हुक्म पूरा होगा और अगर इस ने कुछ हुक्म न किया तो हम को हमारे मक़ाम हिफ़ाज़त में वापिस कर दो या यह शर्त कि कि हम फ़लां के हुक्म पर बदीं शर्त उतरते हैं कि अगर इस ने हमारे हक़ में यह हुक्म किया कि यह लोग अपने मक़ाम महफ़ूज़ में वापिस पहुंचा दे जाऐं तो तुम लोग इस को पूरा कर दो तो मुसलमानों को न चाहिए कि इन को इस शर्त पर उतारें और अगर उन्होंने इस शर्त पर उतारा और हाकिम ने इन के हक़ में यही हुक्म किया कि अपने मक़ाम महफ़ूज़ में वापिस कर दे जाऐं तो हम इस के हुक्म को पूरा करेंगे और अहले हरब को इन के मक़ाम महफ़ूज़ में वापिस कर देंने। नवादिर इब्ने समाआ में इमाम मौहम्मद रह० से मरवी है कि अगर अमीर लश्कर ने अहले क़िला में से किसी क़ौम को अमान दी बदीं शर्त कि वो फ़लां के ग़ुलाम हों और दे इस अम्र पर राज़ी हुए और फ़लां की तरफ़ उतर गये तो मुसलमानों मेंसे जो इन को लूट

(1) मसलन खेती में से न खाने पर मुआहिदा हुआ पस अमान दी कि न खाऐंगे तो यह अमान इस के खाने और इस के जलाने और इस को तबाह कर देने वग़ैरह सब से अमान होगी ख्वाह खाना हो या खाने के मिस्ल मुज़िर अम्र हो मसलन नोच डालना या इस से बढ़कर मसलन आग लगा देना वग़ैरह।

कि इन को इस शर्त पर उतारें और अगर उन्होंने इस शर्त पर उतारा और राजा ने इन के हित में यही हुक्म किया कि अपने सुरक्षित स्थान में वापिस कर दिये जाऐं तो हम इस के हुक्म को पूरा करेंगे और अहले हरब/ ग़ैरमुस्लिम देश के नागरिकों को इन के सुरक्षित स्थान में वापिस कर देंगे। नवादिर इब्ने समाआ में इमाम मौहम्मद रह० से परंपरागत है कि अगर लश्कर कमांडर ने क़िले वालों में से किसी क़ौम को संरक्षण दिया इस शर्त पर कि वो फ़लां के ग़ुलाम हों और वे इस कार्य पर राज़ी हुए और फ़लां की ओर उतर गये तो मुसलमानों में से जो इनको लूट ले इसी के लिएकार्यरत होंगे और फ़लां के विशेषकर ग़ुलाम न होंगे। अगर काफ़िरों ने संरक्षण की प्रार्थना की इस शर्त पर कि हम पर ईमान पैश किया जाये बस अगर हम स्वीकार कर लें तो ख़ैर वरना हम अपने सुरक्षित स्थान में वापिस कर दिये जाऐं तो इमामुल मुस्लिमीन पर उस का स्वीकार करना जायेज़ है और अगर इस शर्त पर कि इन पर इस्लाम पैश किया जाये वे लोग उतरे बस इन पर इस्लाम पैश किया गया मगर उन्होंने स्वीकार न किया तो इन को अधिकार होगा कि वे अपने क़िले में चले जाऐं और मुसलमानों को जायज़ नहीं है कि वे इन को क़त्ल करें और इन की औरतों व बाल बच्चों को गिरफ़तार करलें और अगर इन लोगों ने इन्कार के बाद इस्लाम के टैक्स देने पर रज़ा मन्दी जताई तो यह कार्य इन के ज़िम्मे अनिवार्य हो जायेगा और इस के बाद फिर वो लोग रिहा न किये जाऐंगे कि अपने सुरक्षित स्थान में जाकर जंग करें और अगर कुछ किले वालों इस शर्त पर उतर आये कि फ़लां जो व्यक्ति युद्धक क़िले में था क़त्ल किया गया तो यह लोग जो इस शर्त से निकल आये थे अपनी वर्णित शर्त पर होंगे और अगर इन लोगों ने यह भी शर्त की हो कि बशर्त बिना रज़ामन्दी के हम लोग अपने क़िले को वापिस किये जाऐं और हाल यह गुज़रा है कि क़िला गिरा दिया गया है तो

(1) जैसे खेती में से न खाने पर अनुबंध हुआ बस संरक्षण दिया कि न खाऐंगे तो यह संरक्षण इस के खाने और इस के जलाने और इस को तबाह कर देने वग़ैरह सब से संरक्षण होगी चाहे खाना हो या खाने के जैसा हानि कारक कार्य हो जैसे कि नोच डालना या इस से बढ़कर जैसे कि आग लगा देना आदि।

ले इसी के वास्ते शर्इ होंगे और फ़लां के बखुसूस ग़ुलाम न होंगे। अगर काफ़िरों ने अमान की दरख़्वास्त की बर्दीन शर्त कि हम पर ईमान पैश किया जाये पस अगर हम क़बूल कर लें तो ख़ैर वरना हम अपनी जाये महफ़ूज़ में वापिस कर दिये जाऐं तो इमामुल मुस्लिमीन पर उस का क़बूल करना वाजिब है और अगर इस शर्त पर कि इन पर इस्लाम पैश कियसा जाये वो लोग उतरे पस इन पर इस्लाम पैश किया गया मगर उन्होंने क़बूल न किया तो इन को इख़्तयार होगा कि वो अपने क़िले में चले जाऐं और मुसलमानों को रवा नहीं है कि इन को क़त्ल करें और इन की औरतों व बाल बच्चों को गिरफ़तार करलें और अगर इन लोगों ने बाद इन्कार इस्लाम के अदाऐ खिराज पर रज़ा मन्दी ज़ाहिर की तो यह अम्र इन के ज़िम्मे लाज़िम हो तजायेगा और इस के बाद फिर वो लोग रिहा न किये जाऐंगे कि अपने मक़ाम महफ़ूज़ में जाकर जंग करें और अगर बाज़े अहले क़िला इस शर्त पर उतर आये कि फ़लां जो शख़्स मक़ातिल क़िला में था क़त्ल किया गया तो यह लोग जो इस शर्त से निकल आये थे अपनी शर्त मज़कूर पर होंगे और अगर इन लोगों ने यह भी शर्त की हो कि बशर्त अदम रज़ामन्दी के हम लोग अपने क़िले को वापिस किये जाऐं और हाल यह गुज़रा है कि क़िला मुनहदिम किया गया है तो यहां से जो उक़रब मक़ाम ऐसा हो कि इस में महफ़ूज़ हो सकें वहां भेज दिये जाऐंगे और अगर तमाम अहले क़िला के इत्तफ़ाक़ से इतने लोग इस तरह सुलह के वास्ते निकले हों तो मुसलमान लोग अहले क़िला को क़त्ल नहीं करेंगे और अगर उन्होंने क़त्ल किया तो इन पर कुछ कफ़्फ़ारह वग़ैरह लाज़िम न आयेगा वलेकिन उन्होंने इसाअत (बुरा व नालायक़ काम किया) की और अगर वो लोग इस शर्त से निकले कि हमारे हक़ में वाली बज़ात ख़ुद हुक्म करे तो वाली मिस्ल लश्कर के एक सिपाही मुसलमान के है पस वैसा ही इस का हुक्म भी होगा। और अगर वो लोग अली हुक्म अल्लाह तआला व हुक्म फ़लां उतर आये तो यह मिस्ल इस के है कि अली हुक्म अल्लाह तआला उतरे और अगर वो लोग अली हुक्म फ़लां व फ़लां उतर आये फिर इन दोनों में से एक मर गया तो इस के बाद अकेले यहां से जो निकटतम स्थान ऐसा हो कि इस में सुरक्षित हो सकें वहां भेज दिये जाऐंगे और अगर तमाम किले वालों की सहमति से इतने लोग इस तरह सुलह के लिए निकले हों तो मुसलमान लोग क़िले वालों को क़त्ल नहीं करेंगे और अगर उन्होंने क़त्ल किया तो इन पर कुछ कफ़्फ़ारह वग़ैरह अनिवार्य न आयेगा वलेकिन उन्होंने इसाअत (बुरा व अयोग्य कार्य किया) की और अगर वे लोग इस शर्त से निकले कि हमारे हित में शसक स्वंय ख़ुद हुक्म करे तो राजा लश्कर के एक सिपाही जेसा मुसलमान है बस वैसा ही इस का हुक्म भी होगा। और अगर वे लोग अल्लाह तआला के आदेश जेसा व हुक्म फ़लां उतर आये तो यह इसके जेसा है कि जेसा अल्लाह तआला के आदेश पर उतरे और अगर वे लोग फ़लां के आदेश पर व फ़लां के कहने पर उतर आये फिर इन दोनों में से एक मर गया तो इस के बाद अकेले दूसरे का हुक्म इन के हित में जायज़ ना होगा और मन्तक़ी में फ़रमाया कि हां इस समय जायज होगा कि दोनों पक्ष यानी कुफ़्फ़ार व मुसलमान इस के ऐकल आदेश पर राज़ी हो जाऐं और साथ ही उसी स्थान पर फ़रमाया कि और इसी तरह अगर दानों ज़िन्दा मतभेद किया तो भी यही हुक्म है कि किसी का हुक्म अकेले जायज़ न होगा यह नहीं कि दोनों पक्ष किसी एक के आदेश पर रज़ामन्द हो जाऐं और अगर हर दोनों हुक्म में से एक ने हुक्म किया कि इन में से लड़ने वाले क़त्ल किये जाऐं और इन के बाल बच्चे ग़ुलाम (ग़ुलाम व ज़रखरीद।) बनाये जाऐं और दूसरे ने यह हुक्म किया कि नहीं सब के सब ग़ुलाम बनाये जाऐं तो इन में से कोई क़त्ल न किया जायेगा और सब के सब मर्द औरत व बच्चे मुसलमानों के लिएश्रेणीबद्ध (1) होंगे और अगर दोनों ने हुक्म किया कि इन में से लड़ने वाले क़त्ल किये जाऐं और इन के बाल बच्चे ग़ुलाम बनाये जाऐं तो इमामुल मुस्लिमीन को इन के हित में अधिकार है चाहे यही करे कि लड़ने वालों को क़त्ल और इनकी औरतों व बच्चों को ग़ुलाम करे और चाहे सब को आज़ाद घोषित कर दे और अगर अहले हरब/ग़ैरमुस्लिम देश के नागरिक किसी मुसलमान के हुक्म पर उतर आये और किसी को निश्चित नहीं किया तो

दूसरे का हुक्म इन के हक़ में रवा ना होगा और मुन्तक़ी में फ़रमाया कि हां इस वक्त रवा होगा कि हर दो फ़रीक़ यानी कुफ्फ़ार व मुसलमान इस के हुक्म तन्हा पर रज़ा मन्द हो जाऐं और नीज़ उसी मक़ाम पर फ़रमाया कि और इसी तरह अगर हर दो ज़िन्दह हैं मगर दोनों ने हुक्म में इख़्तलाफ़ किया तो भी यही हुक्म है कि किसी का हुक्म तन्हा रवा न होगा इल्ला आंकि हर दो फ़रीक़ किसी एक के हुक्म पर रज़ामन्द हो जाऐं और अगर हर दो हुक्म मेंसे एक ने हुक्म किया कि इन में से लड़ने वाले क़त्ल किये जाऐं और इन के बाल बच्चे रक़ीक़ (ग़ुलाम व ममलूक।) बनाये जाऐं और दूसरे ने यह हुक्म किया कि नहीं सब के सब रक़ीक़ बनाये जाऐं तो इन में से कोई क़त्ल न किया जायेगा और सब के सब मर्द औरत व बच्चे मुसलमानों के वास्ते फ़ई (1) होंगे और अगर दोनों ने हुक्म किया कि इन में से लड़ने वाले क़त्ल किये जाऐं और इन के बाल बच्चे रक़ीक़ बनाये जाऐं तो इमामुल मुस्लिमीन को इन के हक़ में इख़्तयार है चाहे यही करे कि लड़ने वालों को क़त्ल और इनकी औरतों व बच्चों को रक़ीक़ करे और चाहेसब को नई क़रार दे और अगर अहले हरब किसी मुसलमान के हुक्म पर उतर आये और किसी को मुअय्यन नहीं किया तो मुअय्यन करना इमामुल मुस्लिमीन के इख़्तयार में होगा कि मुसलमानों में से जो शख़्स अफ़ज़ल होगा उस को मुख़्तार करेगा और अगर बाद हुक्म क़रार देने के क़ब्ल हुक्म जारी होने के वो लोग मुसलमान हो गये तो वो आज़ाद मुसलमान होंगे और अगर हाकिम ने इन के ज़िम्मी होने का हुक्म क़ब्ल इन के मुसलमान होने के दे दिया तो अराज़ी इन के वास्ते खराजी रहेगी और अगर ने इन के हक़ में यह हुक्म किया कि इन में से जितने सरकरदह हैं इन के ग़ुजर का खौफ़ है क़त्ल किये जाऐं और बाक़ी मर्द औरतें रक़ीक़ बनाई जाऐं तो ऐसा हुक्म जायज़ होगा और अगर ने इन के हक़ में यह हुक्म दिया कि इन के मर्द क़त्ल किये जाऐं और औरतें व बच्चे रक़ीक़ बनाये जाऐं पस इन में से मर्द क़त्ल किये गये और औरतें व बच्चे रक़ीक़ बनाये गये तो यह ज़मीं फ़ई होगी चाहे इमामुल मुस्लिमीन इस को पांच हिस्से करके एक हिस्सा रख कर चार हिस्से

निश्चित करना इमामुल मुस्लिमीन के अधिकार में होगा कि मुसलमानों में से जो व्यक्ति उत्तम होगा उस को अधिकारिक करेगा और अगर आदेश के बाद घोषित करने के पहले आदेश लागू होने के वे लोग मुसलमान हो गये तो वे आज़ाद मुसलमान होंगे और अगर हाकिम ने उनके ज़िम्मी/टैक्स देकर राज्य में रहने वाले नागरिक होने का हुक्म इन के मुसलमान होने के पहले दे दिया तो ज़मीन इनके लिए लगान देने वाली रहेगी और अगर इन के हित में यह हुक्म किया कि इन में से जितने मुखिया हैं इनके विरोध का भय है, क़त्ल किये जाऐं और बाक़ी मर्द औरतें ग़ुलाम बनाई जाऐं तो ऐसा हुक्म जायज़ होगा और अगर इनके हित में यह हुक्म दिया कि इन के मर्द क़त्ल किये जाऐं और औरतें व बच्चे गुलाम बनाये जाऐं बस इन में से मर्द क़त्ल किये गये और औरतें व बच्चे ग़ुलाम बनाये गये तो यह ज़मीं श्रेणीबद्ध होगी चाहे इमामुल मुस्लिमीन इस को पांच हिस्से करके एक हिस्सा रख कर चार हिस्से योद्धाओं के बीच विभाजित कर दे और चाहे इस को अपने हाल पर शासक के क़बज़े में छोड़ दे और इस ज़मीन की आबादी के लिएऐसे लोगों को बुलाये जो इस का निमार्ण करें और इस का लगान अदा करें जैसे ज़िम्मियों की ज़मीन बेकार बंजर पड़ी के बारे में हुक्म है और अगर अहले हरब/ग़ैरमुस्लिम देश के नागरिक के उतर आने के बाद, हाकिम के हुक्म के पहले (यानी जिन का हाकिम बिदा है।) हाकिम मर गया तो यह लोग अपने सुरक्षित स्थान में वापिस कर दिये जाऐं सिवाए उन मुसलमानों के यानी जो मुसलमान हो गये हैं कि उन में से जो आज़ाद हैं वो मुफ्त अलग कर दिये जाऐंगे और साथ ले लिये जाऐंगे और जो लोग खरीदे हुए हैं वे क़ीमत देकर इन में से निकाल लिये जाऐंगे इसी तरह जो हमारा ज़िम्मी/टैक्स देकर राज्यय में रहने वाले नागरिक इन के पास हो और भी जो इनका ज़बरदस्त मुसलमान हो कर हम से सहयोग चाहे फिर स्पष्ट रहे कि जिस स्थिति में शराइत आदि के अनुसार यह जायज़ हुआ कि वे अपने स्थान में वापिस कर दिये जाऐं तो इसी स्थान पर वापिस दिये जाऐंगे जहां से निकल कर हमारे पास आये थे और जो स्थान इस से ज़्यादा मज़बूत हो या

मुजाहिदीन के दरमियान तक़सीम कर दे और चाहे इस को अपने हाल पर वाली के क़ब्ज़े में छोड़ दे और इस ज़मीन की आबादी के वास्ते ऐसे लोगों को बुलाये जो इस को तामीर करें और इस का खिराज अदा करें जैसे ज़िम्मियों की ज़मीन बेकार उफ़तादा की निस्बत हुक्म है और अगर अहल हरब के उतर आने के बाद क़ब्ल हाकिम के हुक्म के (यानी जिन को हाकिम बिदा है।) हाकिम मर गया तो यह लोग अपने मक़ाम महफ़ूज़ में वापिस कर दिये जाऐं मा सिवाए मुसलमानों के यानी जो मुसलमान हो गये हैं कि इन में से जो आज़ाद हैं वो मुफ़्त अलग कर दिये जाऐंगे और साथ ले लिये जाऐंगे और जो लोग ममलूक हैं वो क़ीमत देकर इन मेंसे निकाल लिये जाऐंगे इसी तरह जो हमारा ज़िम्मी इन के पास हो और भी जो इन का ज़बरदस्त मुसलमान हो कर हम से इआनत चाहे फिर वाज़ह रहे कि जिस सूरत में बमूजिब शराइत वग़ैरह के यह वाजिब हुआ कि वो अपने मक़ाम में वापिस कर दिये जाऐं तो इसी मक़ाम पर वापिस दिये जाऐंगे जहां से निकाल कर हमारे पास आये थे और जो मक़ाम इस से ज़्यादा मज़बूत हो या जहां लश्कर ज़ियाद मौजूद है वहां वापिस न किये जाऐंगे यह मुहीत में है।

जिस चीज़ से अमान वाक़े हो तो इस चीज़ के मिस्ल मुज़िर और इस से ज़्यादा मुज़िर दोनों से अमान होगी :

इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर मुसलमानों ने अहले क़िला में से किसी शख़्स से कहा कि अगर तूने हम को बचुनैन व चुनान रहनुमाई की तो तू अमन दादा

(1) महसूर वो जिन को चारों तरफ़ से हिसार में इस तरह घेरा कि इन को किसी जानिब निकलने की राह नहीं।

जहां बड़ा लश्कर मौजूद है वहां वापिस न किये जाऐंगे यह मुहीत में है।

जिस चीज़ से संरक्षण स्थापित हो तो इस चीज़ की हानि जैसे और इस से ज़्यादा हानि दोनों से संरक्षण होगा :

इमाम मुहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर मुसलमानों ने क़िले वालों में से किसी अमान्य से कहा कि अगर तूने हम को क्यों क्या के साथ व इस प्रकार मार्गदर्शन किया तो तू शरण प्राप्त है या कहा कि तो तुझ को हम ने संरक्षण दिया फिर उस ने इस तरह मार्गदर्शन न किया तो इमाम को अधिकार है चाहे इस को क़त्ल करदे और चाहे उस को गुलाम बनाये और अगर इस से यूं कहा कि हम ने तुझ को संरक्षण दिया इस शर्त कि हम को क्यों क्या के साथ व इस प्रकार मार्गदर्शन करे और इस से ज़्यादा कुछ न कहा पस उस ने मार्गदर्शन न किया तो इमाम मौहम्मद रह० ने इस स्थिति को किताब में वर्णन नहीं किया और इस में यह हुक्म है कि वे अपनी संरक्षण पर होगा कि इमाम को उस का क़त्ल करना या गुलाम बनाना जायज़ नहीं है और अगर मुसलमानों में से कोई लश्कर दारूल हरब (वह देश जहाँ मुस्लिम शासन न हो और मुसलमानों को अपने धर्मानुसार कार्य करने की अनुमति नहीं होती) में प्रवेश हुआ और ग़ैरमुस्लिम देश के नागरिकों के किसी ऐसे क़िले या शहर के निकट इन का गुज़र हुआ कि इन मुसलमानों को इन से लड़ने की ताक़त नहीं है और मुसलमानों ने चाहा कि इन लोगों के सिवाए दूसरों की ओर जाऐं बस शहर वालों ने उन से कहा कि तुम हम को इस बात का वचन दो कि हमारी इस नहर से पानी न पियोगे यहां तक कि हमारे यहां से चले जाओ इस शर्त पर कि हम तुम से युद्ध न करेंगे और न तुम्हारा पीछा करेंगे जिस समय तुम जाओगे बस अगर ऐसा वचन देने में मुसलमानों के लिए लाभ हो तो उन से यह अनुबंध करलें (आपस में वचन व प्रतिज्ञा करलें।) और जब उन से यह अनुबंध कर लिया तो इन

(1) वह बंदी जिन को चारों तरफ़ से घिराव में इस तरह घेरा कि इन को किसी ओर निकलने का रास्ता नहीं।

शुदह है या कहा कि तू तुझ को हम ने अमान दी फिर उस ने इस तरह रहनुमाई न की तो इमाम को इख़्तयार है चाहे इस को क़त्ल करदे और चाहे उस को रक़ीक़ बनाये और अगर इस से यूं कहा कि हम ने तुझ को अमान दी बदीन शर्त कि हम को बचुनीन व चुनान रहनुमाई करे और इस से ज़्यादा कुछ न कहा पस उस ने रहनुमाई न की तो इमाम मौहम्मद रह० ने इस सूरत को किताब में ज़िक्र नहीं फ़रमाया और इस में यह हुक्म है कि वो अपनी अमान पर होगा कि इमाम को उस का क़त्ल करना या रक़ीक़ बनाना रवा नहीं है और अगर मुसलमानों में से कोई लश्कर दारूल हरब में दाखिल हुआ और अहले हरब के किसी ऐसे क़िले या शहर के नज़दीक इन का गुज़र हुआ कि इन मुसलमानों को इन से लड़ने की ताक़त नहीं है और मुसलमानों ने चाहा कि इन लोगों के सिवाए दूसरों के तरफ़ जाऐं पस अहले शहर ने उन से कहा कि तुम हम को इस बात का अहद दो कि हमारी इस नहर से पानी न पियूं यहां तक कि हमारे यहां से कूच कर जाओ बरीं शर्त कि हम तुम से क़िताल न करेंगे और न तुम्हारा पीछा करेंगे जिस वक्त तुम कूच कर जाओगे पस अगर ऐसा अहद देने में मुसलमानों के वास्ते मुनफ़अत हो तो उन से यह मुआहिदा (बाहम अहद व पैमान करना।) करलें और जब उन से यह मुआहिदा कर लिया तो इन को न चाहिए कि इस नहर से ख़ुद पानी पियें या अपने जानवरों को पिलाऐं बशर्तेकि बिल यक़ीन मालूम हो कि यह इन लोगों के पानी के वास्ते मुज़िर होगा या ज़रर व अदम ज़रर कुछ न मालूम हो और अगर मुसलमान इस पानी की तरफ़ मौहताज हों तो इन को चाहिए कि यह मुआहिदा इन के सर फैंक दें यानी तोड़ दें और इन को मुतलअ करदें और अगर बिल यक़ीन इन के पानी में इस वजह से ज़रर न पहुंचता हो मसलन पानी बहुत कसरत से हो तो बदून रददे मुआहिदा के मुसलमानों को रवा है कि ख़ुद पियूं और अपने चजानवरों को पिलाऐं और जैसा हुक्म पानी के हक़ में

(1) स्पष्ट रहे कि क़ैदियों से यह मुराद नहीं है कि वो मुक़य्यद हैं बल्कि मुराद यह है कि मैं रहनुमाई करूंगा कि सौ जरें हाथ आऐंगे।

को न चाहिए कि इस नहर से न ख़ुद पानी पियें ना अपने जानवरों को पिलाऐं बशर्ते कि यक़ीन से मालूम हो कि यह इन लोगों के पानी के लिए हानि कारक होगा या छति व बिना छति कुछ न मालूम हो और अगर मुसलमान इस पानी की ओर मजबूर हों तो इन को चाहिए कि यह अनुबंध इन के सर फैंक दें यानी तोड़ दें और इन को सूचना करदें और अगर यक़ीन से इन के पानी में इस वजह से छति न पहुंचती हो जैसे कि बहुत मात्रा में पानी हो तो इस तरह अनुबंध रद करना मुसलमानों को जायज़ है कि ख़ुद पियें और अपने जानवरों को पिलाऐं और जैसा हुक्म पानी के हक़ में वर्णित हुआ है वैसा ही घास व चारा के हक़ में भी है और अगर इन लोगों ने मुसलमानों से यह अनुबंध कर लिया हो कि हमारे खेतों व पेड़ों व फलों से कुछ आपत्ति न हों और मुसलमानों ने इन से यह वादा कर लिया फिर मुसलमानों को उस की ज़रुरत हुई तो मुसलमानों को जायज़ नहीं है कि इन में से किसी चीज़ से कुछ आपत्ति हो जब तक कि इन को वचन रद कर देने के बाद इस की सूचना न दे दें भले यह कार्य इन कुफ़्फ़ारों के हित में हानिकारक हो या न हो और अगर कुफ़्फ़ारों ने वचन लिया कि हमारे खेतों और घास को न जलाओ बस मुसलमानों ने इन से यह वादा कर लिया तो मुसलमानों को जायज़ है कि इस को निभाऐं बस इन के खेतों व घास में से कुछ न जलाऐं और इसमें कोई बुराई नहीं है कि इस में से अपने खाने की चीज़ खाऐं और जानवरों को चारा दें और अगर उन्होंने यह वचन लिया कि हमारे खेतों में से न खाओ और न हमारी घास से चारा दो और मुसलमानों ने इन से वादा कर लिया तो मुसलमानों को न चाहिए कि इस में से कुछ खाऐं या जलाऐं या अपने जानवरों को चारा दें और इस लिंग की समस्याओं में असल यह है कि जिस चीज़ से संरक्षण (1) स्थापित हो तो इस चीज़ के जैसा हानिकारक और इस से ज़्यादा हानि दोनों से संरक्षण में होगी और जो बात इस से कम

(1) स्पष्ट रहे कि क़ैदियों से यह मतलब नहीं है कि वह कैद हैं बल्कि मतलब यह है कि मैं मार्गदर्शन करूंगा कि सौ जरें/ खीचने वाले हाथ आऐंगे।

मज़्कूर हुआ है वैसा ही घास व चारा के हक़ में भी है और अगर इन लोगों ने मुसलमानों से यह मुआहिदा लिया हो कि हमारे खेतों व दरख़्तों व फलों से कुछ मअरज़ न हों और मुसलमानों ने इन से यह अहद कर लिया फिर मुसलमानों को उस की हाजत लाहक़ हुई तो मुसलमानों को रवा नहीं है कि इन में से किसी चीज़ से कुछ मुतअरिज़ हूं जब तक कि इन को अहद रद कर देने के बाद इस की इत्तला न दे दें ख़्वाह यह अम्र इन कफ़्फ़ारों के हक़ में मुज़िर हो या न हो और अगर कफ़्फ़ारों ने अहद लिया कि हमारे खेतों व घास को न जलाओ पस मुसलमानों ने इन से यह अहद कर लिया तो मुसलमानों को वाजिब है कि इस को वफ़ा करें पस इन के खेतों व घास में से कुछ न जलाऐं और इस का मुज़ायक़ा नहीं है कि इस में से अपने खाने की चीज़ खाऐं और जानवरों को चारा दें और अगर उन्होंने यह अहद लिया कि हमारे खेतों में से न खाओ और न हमारी घास से चारा दो और मुसलमानों ने इन से अहद कर लिया तो मुसलमानों को न चाहिए कि इस में से कुछ खाऐं यह जलाऐं या अपने जानवरों को चारा दें और इस जिन्स के मसाइल में असल यह है कि जिस चीज़ से अमान (1) वाक़े हो तो इस चीज़ के मिस्ल मुज़िर और इस से ज़्यादा मुज़िर दोनों से अमान होगी और जो बात इस से कम मुज़िर है इस से अमान न होगी और इसी वजह से अगर काफ़िरों ने मुआहिदा लिया कि हमारी खेतियां न जलाओ और मुसलमानों ने यह अहद दिया तो मुसलमानों को रवा नहीं है कि इन खेतों को ग़र्क़ कर दें यह ज़खीरा में है।

अगर कुफ़्फ़ारे शहर ने मुआहिदा लिया कि इस राह से न गुज़रो व बदीन शर्त कि हम तुम में से किसी को क़त्ल न करेंगे और न क़ैद करेंगे पस अगर यह अहद हानिकारक है इस से संरक्षण न होगा और इसी वजह से अगर काफ़िरों ने अनुबंध कर लिया कि हमारी खेतियां न जलाओ और मुसलमानों ने यह वचन दिया तो मुसलमानों को जायज़ नहीं है कि इन खेतों को बर्बाद कर दें यह ज़खीरा में है।

अगर शहर के कुफ़्फ़ार ने अनुबंध कर लिया कि इस रास्ते से न गुज़रो व इस शर्त से कि हम तुम में से किसी को क़त्ल न करेंगे और न बंदी बनाऐंगे बस अगर यह वचन देना मुसलमानों के हित में बेहतर हो तो वचन देने में कोई हानि नहीं है बस मुसलमान लोग दूसरी नीती का प्रयोग करें अगरचे दूसरी नीती मुसलमानों पर अति ख़राब समय हो और अगर इस के बाद मुसलमानों ने इसी रास्ते से गुज़रना चाहा दूसरे रास्ते से नहीं जाते हैं तो मुसलमानों को यह अधिकार नहीं है जब तक कि अनुबंध तोड़ कर इन को सूचना न देदें और मुसलमान भी इन में किसी को क़त्ल या क़ैद न करेंगे और इस रास्ते से गुज़रने से संरक्षण होगा क़त्ल और क़ैद से भी संरक्षण होगा और अगर काफ़िरों ने हम से वचन लिया कि हम इन (कुल वे ख्याति प्राप्त) के देहात (गांव) को खराब न करें यानी उन के निर्माण को बरबाद न करें तो कोई हानि नहीं है कि इन के देहात में जो माल आदि निर्माण के प्रकार का नहीं है हम पाऐं और लेलें और विनाश करने से संरक्षण देना माल (इस लिए कि यह कम क्षति है) व अनाज आदि से संरक्षण न होगा और अगर उन्होंने यह शर्त की कि जो व्यक्ति हम इन का क़ैद करें इस को क़त्ल न करें तो इस को बंदी कर लेने में कोई हानि नहीं है और अगर उन्होने शर्त ली कि हम इन में से कोई क़ैद करें तो हम को न चाहिए कि इन को क़त्ल करें या क़ैद करें यानी दोनों बातें हम को नहीं करनी चाहिए हैं यह मुहीत में है।

और अगर अहले हरब/ग़ैरमुस्लिम देश के नागरिकों ने कहा कि हम को संरक्षण दो यहां तक कि हम तुम्हारे

(1)वाज़ह हो कि वो वाक़ेआ यह सरक़ा नहीं है बल्कि मुरादयह है कि जैसे सरक़ा से हासिल होता है इस तरीक़े से या जैसे उचक ले भागने से हासिल होता है इस तरीक़े से हासिल किया गया है और वो दर हालत क़यामे हरब के मिस्ल माले ग़नीमत के हलाल है।

(1)स्पष्ट हो कि वह घटना यह चोरी नहीं है बल्कि मतलब यह है कि जैसे चोरी से प्राप्त होता है इस तरीक़े से या जैसे उचक ले भागने से प्राप्त होता है इस तरीक़े से प्राप्त किया गया है और वह ग़ैर-मुस्लिम देश में रहने के जैसे लूट का माल जायज़ है।

देना मुसलमानों के हक़ में बेहतर हो तो अहद देने में मुज़ायक़ा नहीं है पस मुसलमान लोग दूसरी राह इख़्तयार करें अगरचे दूसरी राह मुसलमानों पर दूर पुर मशक़्क़त हो और अगर इस के बाद मुसलमानों ने इसी राह से गुज़रना चाहा दूसरी राह से नहीं जाते हैं तो मुसलमानों को यह इख़्तयार नहीं है जब तक कि मुआहिदा तोड़ कर इन को इत्तलाअ न देदें और मुसलमान भी इन में किसी को क़त्ल या क़ैद न करेंगे और इस राह से गुज़रने से अमान होना क़त्ल और क़ैद से भी अमान होगी और अगर काफ़िरों ने हम से अहद लिया कि हम इन (जमा वो अलल मशहूर) के देहात (गांव) को खराब न करें यानी उन की इमारत बरबाद न करें तो मुज़ायक़ा नहीं है कि इन के देहात में जो मताअ वग़ैरह अज़्र क़िस्मे इमारत नहीं है हम पाऐं और लेलें और तख़्रीब करने से अमान देना मताअ (इस वास्ते कि यह क़लील उल ज़रर है) व अनाज वग़ैरह से अमान न होगी और अगर उन्होंने यह शर्त की कि जो शख़्स हम इन को क़ैद करें इस को क़त्ल न करें तो इस को असीर कर लेने में मुज़ायक़ा नहीं है और अगर उन्होंने शर्त ली कि हम इन में से कोई क़ैद करें तो हम को न चाहिए कि इन को क़त्ल करें या क़ैद करें यानी दोनों बातें हम को नहीं करनी चाहिए हैं यह मुहीत में है।

और अगर अहले हरब ने कहा कि हम को अमान दो हत्ता कि हम तुम्हारे लिये दरवाज़ा क़िलआ खोल दें और मतुम दोनों हो बदीन शर्त कि तुम हम पर इस्लाम पैश करो पस हम मुसलमान हो जाऐं फिर उन्होंने इस्लाम क़बूल करने से इन्कार किया तो वो लोग अमन में होंगे और मुसलमानों पर वाजिब है कि इन के क़िले से निकल आऐं फिर इन का अहद इन को रद करके इत्तला दे देंगे और अगर मुसलमानों ने भी इन पर शर्त लिया हो कि अगर तुम लोग इसलाम से इन्कार कर जाओगे तो हमारे तुम्हारे दरमियान अमान नहीं है और वो लोग इस पर राज़ी हो गये और बाक़ी मसला बहा लहा है तो अगर उन्होंने इस्लाम से इन्कार किया तो मुज़ायक़ा नहीं है कि

(२) वो लोग जो अपने देस से दूर हों।
(३) इस वास्ते कि वो लोग मुसलमान हैं।

लिये क़िले का द्वार खोल दें और तुम प्रवेश हो इस शर्त पर कि तुम हम पर इस्लाम पैश करो बस हम मुसलमान हो जाऐं फिर उन्होंने इस्लाम क़बूल करने से इन्कार किया तो वे लोग संरक्षण में होंगे और मुसलमानों पर ज़रुरी है कि इन के क़िले से निकल आऐं फिर इन का वचन रदद करके इन को सूचित कर देंगे और अगर मुसलमानों ने भी इन पर शर्त ली हो कि अगर तुम लोग इसलाम से इन्कार कर जाओगे तो हमारे तुम्हारे बीच संरक्षण नहीं है और वे लोग इस पर राज़ी हो गये और बाक़ी समस्या जूं की तूं है तो अगर उन्होंने इस्लाम से इन्कार किया तो कोई हानि नहीं है कि इन में से लड़ने वाले क़त्ल किये जाऐं और वे ग़ुलाम बनाये जाऐं और अगर इन में से कुछ ने इस्लाम क़बूल किया और कुछ ने इन्कार किया तो जो मुसलमान हुआ वह आज़ाद है और जिसने इन्कार किया वो श्रेणीबद्ध है और अगर इमामुल मुस्लिमीन ने इस पर इस्लाम पैश किया और उस ने इन्कार किया और वह श्रेणीबद्ध घोषित किया गया फिर वह मुसलमान हो गया तो इस को क़त्ल नहीं कर सकता है, लेकिन वह श्रेणीबद्ध रहेगा और अगर इमाम ने इस पर इस्लाम पैश किया और उस ने इन्कार किया और अभी तक उस पर श्रेणीबद्ध होने का हुक्म नहीं दिया है कि वह मुसलमान हो गया तो उपकार के तौर पर आज़ाद होगा और अगर हरबी/ग़ैरमुस्लिम देश के नागरिक ने हाज़िर होने के इरादे पर यह शर्त की हो कि मुझे तुम संरक्षण दो इस शर्त पर कि तुम मुझ पर इस्लाम पैश करो बस अगर मैं तीन रोज़ तक मैं मुसलमान हो गया तो ख़ैर वरना मेरे लिए संरक्षण न होगा पस मुसलमानों ने इस पर इस्लाम पैश किया तो इस को इस समय से तीन रात व दिन तक मोहलत होगी बस अगर समय गुज़रा और वह मुसलमान न हुआ तो इस हुक्म के वह श्रेणीबद्ध होगा और अगर उस ने अकेले यह शर्त की हो कि अगर मैं तीन रोज़ तक मुसलमान हो गया तो ख़ैर वरना मैं तुम्हारे ग़ुलाम हूंगा या तमाम क़िले वालों ने यही शर्त की तो वो लोग जैसे उन्होंने शर्त के साथ वचन किया है सब मुसलमानों की ज़िम्मेदारी में होंगे

(२) वे लोग जो अपने देश से दूर हों।
(३) इस लिए कि वे लोग मुसलमान हैं।

इन में से लड़ने वाले क़त्ल किये जाऐं और वो रक़ीक़ बनाये जाऐं और अगर इन में स बाज़ ने इस्लाम क़बूल किया और बाज़ ने इन्कार किया तो जो मुसलमान हुआ वो आज़ाद है और जिस ने इन्कार किया वो फ़ई है और अगर इमामुल मुस्लिमीन ने इस पर इस्लाम पैश किया और उस ने इन्कार किया और वो फ़ई क़रार दिया गया फिर वो मुसलमान हो गया तो इस को क़त्ल नहीं कर सकता है, लेकिन वो फ़ई रहेगा और अगर इमाम ने इस पर इस्लाम पैश किया और उस ने इन्कार किया और हुनूज़ उस पर फ़ई होने का हुक्म नहीं दिया है कि वो मुसलमान होगया तो इस्तहसानन आज़ाद होगा और अगर हरबी ने हाज़िर होने के इरादा पर यह शर्त की हो कि मुझे तुम अमान दो बदीन शर्त कि तुम मुझ पर इस्लाम पैश करो पस अगर मैं तीन रोज़ तक मैं मुसलमान हो गया तो ख़ैर वरना मेरे वास्ते अमान न होगी पस मुसलमानों ने इस पर इस्लाम पैश किया तो इस को इस वक्त से तीन रात दिन तक मोहलत होगी पस अगर मुद्दत गुज़री और वो मुसलमान न हुआ तो बदून हुक्म के वो फ़ई होगा और अगर उस ने अकेले यह शर्त की हो कि अगर मैं तीन रोज़ तक मुसलमान हो गया तो ख़ैर वरना मैं तुम्हारे ग़ुलाम हूंगा या तमाम अहले क़िला ने यही शर्त की तो वो लोग जैसे उन्होंने शर्त के साथ इल्तज़ाम किया है सब मुसलमानों के अहले ज़िम्मे होंगे और अगर मुसलमान ने काफ़िर से कहा तो अमान याफ़ता है बरीं कि तू उतर आये पस तू ईमान लाये तो

> कराहत = शरीअत में किसी बात से मना किया गया हो लेकिन यह मनाही अनिवार्य व आरोप के स्वर में ना हो तो मकरुह है और इसे मकरुह तनज़ीही भी कहते हैं
> मकरुह = शरीअत में अगर शक्ति के साथ किसी कार्य से मना ना किया गया हो

वो बाद चले आने के क़ब्ल इस्लाम लाने के अमान याफ़ता होगा पस उस को इस की हिफ़ाज़त गाह में पहुंचा देना वाजिब होगा अगर मुसलमान न हो जाये और इसी तरह अगर कहा कि तू अमान याफ़ता है या बरेंका उतर आये पस तू हम को सौ दीनार दे पस उस ने क़बूल किया और चला आया फिर उस ने दीनार देने से

और अगर मुसलमान ने काफ़िर से कहा तू संरक्षण प्राप्त है इस पर कि तू उतर आये बस तू ईमान लाये तो वह चले आने के बाद इस्लाम लाने के पहले संरक्षण प्राप्त होगा पस उस को इस की सुरक्षित जगह में पहुंचा देना अनिवार्य होगा अगर मुसलमान न हो जाये और इसी तरह अगर कहा कि तू संरक्षण प्राप्त है या इस बात पर उतर आये बस तू हम को सौ दीनार दे बस उस ने क़बूल किया और चला आया फिर उस ने दीनार देने से इन्कार किया तो भी इस का इस के सुरक्षित जगह में पहुंचा देना अनिवार्य है इस लिएकि पहली स्थिति में यह संरक्षण शर्त के साथ अधर में लटकता हुआ इस्लाम स्वीकार करना है और दूसरे में अधर में लटकते हुआ दीनार देने से है बस जब वो चला आया और क़बूल किया तो वह संरक्षण प्राप्त होगा और दीनार उस के ज़िम्मे होंगे बस जब उस ने दीनार देने से इन्कार किया तो क़ैद खाने में रखा जायेगा ताकि इन को अदा करे मगर वह श्रेणीबद्ध नहीं हो सकता है क्योंकि इस के हित में संरक्षण साबित हो गया है बस जब उस ने किसी समय दीनार अदा कर दिये तो उस का रास्ता छोड़ देना अनिवार्य होगा ताकि वह अपनी सुरक्षित जगह में पहुंच जाये और यह दीनार उस के ज़िम्मे से रदद न होंगे सिवाए इस्लाम लाने से या ज़िम्मी/टैक्स देकर राज्यय में रहने वाले नागरिक बन जाने से और इसी तरह अगर उस ने सुलह की हो इस शर्त पर कि तुम को एक सर/ग़ुलाम देंगे तो इस पर ज़रुरी होगा कि औसत श्रेणी का अदा करे या उस की क़ीमत अदा करे और अगर हरबी/ग़ैरमुस्लिम देश के नागरिक ने मुसलमानों से कहा कि मुझे संरक्षण दो इस शर्त पर कि मैं तुम्हारे पास आउं बस मैं तुम को सौ दीनार दूंगा और अगर तुम को न दूं तो मेरे लिए संरक्षण नहीं है या यूं कहा कि अगर मैं क़िले से उतर कर तुम्हारे पास आया और मैंने तुम को सौ दीनार दे दिये तो मैं संरक्षण प्राप्त हूं फिर वह उतर कर चला आया और मुसमानों ने इस से दीनार मांगे बस उस ने देने से इन्कार किया तो अनुमाति वह श्रेणीबद्ध होगा। मगर उपकार के तौर पर श्रेणीबद्ध न होगा यहां तक कि वह इमामुल मुस्लिमीन के हुज़ूर में पैश किया जायेगा बस इमाम इस को हुक्म करेगा कि

इन्कार किया तो भी इस का इस के मामून में पहुंचा देना वाजिब है इस वास्ते कि अव्वल सूरत में यह अमान मुअल्लक़ बशर्त क़बूल इस्लाम और दोम में मुअल्लक़ बादाऐ दीनार है पस जब वो चला आया और क़बूल किया तो वो अमान याफ़ता होगा और दीनार उस के ज़िम्मे होंगे पस जब उस ने दीनार देने से इन्कार किया तो क़ैद खाने में रखा जायेगा ताकि इन को अदा करे मगर वो फ़ई नहीं हो सकता है क्योंकि इस के हक़ में अमान साबित हो गई है पस जब उस ने किसी वक़्त दीनार अदा कर दिये तो उस की राह छोड़ देनी वाजिब होगी ताकि वो अपने मामन में पहुंच जाये और यह दीनार8 उस के ज़िम्मे से साक़ित न होंगे इल्ला इस्लाम लाने से या ज़िम्मी बन जाने से और इसी तरह अगर उस ने सुलह की हो बदीन शर्त कि तुम को एक रास देंगे तो इस पर वाजिब होगा कि औसत दरजा का अदा करे या उस की क़ीमत अदा करे और अगर हरबी ने मुसलमानों से कहा कि मुझे अमान दो बदीन शर्त कि मैं तुम्हारे पास आउं पस मैंने तुम को सौ दीनार दूंगा और अगर तुम को न दूं तो मेरे वास्ते अमान नहीं है या यूं कहा कि अगर मैं क़िला से उतर कर तुम्हारे पास आया और मैं तुम को सौ दीनार दे दिये तो मैं अमान याफ़ता हूं फिर वो उतर कर चला आया और मुसमानों ने इस से दीनार तलब किये पस उस ने देने से इन्कार किया तो क़ियासन वो फ़ई होगा। मगर इस्तहसानन फ़ई न होगा यहां तक कि वो इमामुल मुस्लिमीन के हुज़ूर में पैश किया जायेगा पस इमाम इस को हुक्म करेगा कि माल अदा करे पस अगर उस ने अदा किया तो खैर (वो अमान याफ़ता होगा) वरना उन को फ़ई क़रार देगा और अगर महसूर (1) लोगों में से किसी शख़्स ने कहा कि तुम मुझे अमान दो हत्ता कि मैं तुम्हारे पास उतर आउं बदूं शर्त कि मैं तुम को नफ़र क़ैदियों की तरफ़ किसी मक़ाम पर रहनुमाई करूंगा पस मुसलमानों ने इसी शर्त पर इस को अमान दी फिर जब वो उतर आया तो उन को इस मक़ाम पर ले आया मगर देखा तो वहां कोई क़ैदी नहीं है। पस उस ने कहा कि क़ैदी यहां थे मगर कहीं चले गये मगर मैं यह नहीं जानता हो कि कहां चले गये तो यह शख़्स अपने

माल अदा करे बस अगर उस ने अदा किया तो खैर (वो संरक्षण प्राप्त होगा) वरना उन को श्रेणीबद्ध क़रार देगा और अगर बंदी (1) लोगों में से किसी व्यक्ति ने कहा कि तुम मुझे संरक्षण दो यहां तक कि मैं तुम्हारे पास उतर आउं इस शर्त पर कि मैं तुम को क़ैदियों लिए किसी स्थान की ओर मार्गदर्शन करूंगा बस मुसलमानों ने इसी शर्त पर इस को संरक्षण दिया फिर जब वो उतर आया तो उन को इस स्थान पर ले आया मगर देखा तो वहां कोई क़ैदी नहीं है। बस उस ने कहा कि क़ैदी यहाँ थे मगर कहीं चले गये मगर मैं यह नहीं जानता हो कि कहां चले गये तो यह व्यक्ति अपने क़िले में या जहां से वह आया है वहीं पहुंचा दिया जायेगा और जो व्यक्ति हरबी/ग़ैरमुस्लिम देश के नागरिक हमारे क़ब्ज़े में बंदी है अगर उस ने कहा कि मुझे संरक्षण दो इस शर्त पर कि मैं तुम्हें सौ नफ़र के सर की तरफ़ मार्गदर्शन करूं और बाक़ी समस्या उपरोक्त जेसे है फिर उस ने मुसलमानों का मार्गदर्शन न किया तो इमाम को अधिकार होगा कि इस को क़त्ल कर दे यानी वह संरक्षण प्राप्त न होगा और अगर बंदी ने कहा कि मुझे संरक्षण दो कि मैं तुम्हारे पास आउं इस शर्त पर कि मैं तुम को सौ सर क़ैदियों की तरफ़ किसी स्थान पर मार्गदर्शन करूंगा इस शर्त पर कि अगर मैं सौ लोगों की तरफ़ मार्गदर्शन न करूं तो मैं तुम्हारे लिए श्रेणीबद्ध या ग़ुलाम हूंगा फिर इस ने शर्त न निभाई तो वह मुसलमानों के लिए श्रेणीबद्ध होगा मगर मुसलमानों को उस का क़त्ल करना जायज़ न होगा और अगर उस ने कहा कि तुम मुझे संरक्षण दो इस शर्त पर कि मैं तुम्हारे पास आउं बस तुम को ऐसे गांव की मार्गदर्शन करूं जिस में सौ सर ग़ुलाम हैं और हाल यह है कि इन को मुसलमान पहले पा चुके थे या इस की मार्ग दर्शन से पहले वह जानते थे मगर पाये न थे तो इस की मार्गदर्शन से कुछ न होगा और यह श्रेणीबद्ध होगा और अगर वह मुसलमानों को रास्ते से ले गया और मुसलमान इस रास्ते चले फिर वहां तक पहुंचने के पहले मुसलमान पहचान गये या वर्णित मर्द ने मुसलमानों को इस जगह का पता बता दिया और ख़ुद इन के साथ न गया बस मुसलमान इस के पते पर गये यहां तक कि उन्होंने ये

क़िले में या जहां से वो आया है वहीं पहुंचा दिया जायेगा और जो शख़्स हरबी हमारे क़ब्ज़े में असीर है अगर उस ने कहा कि मुझे अमान दो बदीन शर्त कि मैं तुम्हें सौ रास नफ़र की तरफ़ रहनुमाई करूं और बाक़ी मसला बहाल ख़ुद है फिर उस ने मुसलमानों की रहनुमाई न की तो इमाम को इख़्तियार होगा कि इस को क़त्ल कर दे यानी वो अमान याफ़्ता न हो जायेगा और अगर महसूर ने कहा कि मुझे अमान दो कि मैं तुम्हारे पास आउं बदीन शर्त कि मैं तुम को सौ रास नफ़र क़ैदियों की तरफ़ किसी मक़ाम पर रहनुमाई करूंगा बदीन शर्त कि अगर मैं सौ नफ़र की तरफ़ रहनुमाई न करूं तो मैं तुम्हारे वास्ते फ़ई या रक़ीक़ हूंगा फिर इस ने शर्त वफ़ा न की तो वो मुसलमानों के वास्ते फ़ई होगा मगर मुसलमानों को उस का क़त्ल करना रवा न होगा और अगर उस ने कहा कि तुम मुझे अमान दो बदीन शर्त कि मैं तुम्हारे पास आउं पस तुम को ऐसे गांव की रहनुमाई करूं जिस में सौ रास बरदे हैं और हाल यह है कि इन को मुसलमान पहले पा चुके थे या इस की रहनुमाई से पहले वो जानते थे अगरचे पाये न थे तो इस की रहनुमाई कुछ न होगी और फ़ई होगा और अगर वो मुसलमानों को राह से ले गया और मुसलमान इस राह चले फिर क़ब्ल वहां तक पहुंचने के मुसलमान पहचान गये या मर्द मज़कूर ने मुसलमानों को इस जगह का पता बता दिया और ख़ुद इसन के साथ न गया पस मुसलमान इस के पते पर गये यहां तक कि उन्होंने ये क़ैदी (1) पाये तो यह इस की रहनुमाई में दाखिल है और अगर उस ने कहा कि मुझे अमान दो बदीन शर्त कि मैं तुम्हें ऐसे बतरीक़ की रहनुमाई करूं कि तुम इस के अयाल व औलाद तक पहुंच जाओ और अगर ऐसा न करूं तो मेरे वास्ते अमान नहीं है फिर जब वो उतर आया तो देखा कि मुसलमानों ने बतरीक़ पा लिया है पस कहा कि यही रास्ता है जिस के बतलाए का मैंने क़सद किया था तो कुछ नहीं है और अगर उस ने कहा कि बदीन शर्त यह उन को इस क़िले के बतरीक़ की रहनुमाई करूं और वो क़िला से रहनुमाई करता हुआ उतर आया यहां आकर देखा कि मुसलमान लोग इस रास्ते को पा गये थे तो वो क़ैदी (1) पाये तो यह इस की मार्गदर्शन में सम्मलित है और अगर उस ने कहा कि मुझे संरक्षण दो इस शर्त पर कि मैं तुम्हें ऐसी विधि की ओर मार्गदर्शन करूं कि तुम इस के धर वालों व औलाद तक पहुंच जाओ और अगर ऐसा न करूं तो मेरे लिएसंरक्षण नहीं है फिर जब वह उतर आया तो देखा कि मुसलमानों ने उस विधिवत पा लिया है बस कहा कि यही रास्ता है जिस के बतलाने का मैंने विचार किया था तो कुछ नहीं है और अगर उस ने कहा कि इस शर्त पर यह उन को इस क़िले के तरह से मार्गदर्शन करेगा और वह क़िले से मार्गदर्शन करता हुआ उतर आया यहां आकर देखा कि मुसलमान लोग इस रास्ते को पा गये थे तो वो संरक्षण प्राप्त होगा और इसी तरह अगर उस ने किसी क़िले या शहर की या इस क़िले या इस शहर की मार्गदर्शन प्रबंधन कर लिया हो तो ऐसी स्थिति में यही हुक्म है यह मुहीतुल सुरखी में है।

अध्यायः 4

युद्ध में लूटे हुए माल और इस के विभाजन के बारे में

इस में तीन भाग हैं

भाग : 1

युद्ध में लूटे हुए माल के बारे में

युद्ध में लूटे हुए माल और श्रेणीबद्ध माल में फ़र्क़ :

स्पष्ट हो कि युद्ध में लूटा हुआ माल उस माल का नाम है जो काफ़िरों से क्रोध व विजय-प्राप्ती में लिया गया और हाल यह कि लड़ाई स्थापित है और इस श्रेणी बद्ध माल को कहते हैं जो काफ़िरों से बिना युद्ध के लिया गया जैसे लगान व जज़या आदि और लूट के माल से पांचवां हिस्सा लिया जाता है और श्रेणीबद्ध में से नहीं

अमन याफ़ता होगा और इसी तरह अगर उस ने किसी क़िले या शहर की या इस क़िले या इस शहर की रहनुमाई का इल्तज़ाम कर लिया हो तो ऐसी सूरत में यही हुक्म है यह मुहीतुल सुरखी में है।

बाबः 4

ग़नायम और इस की तक़सीम के बयान में

इस में तीन फ़सलें हैं

फ़सलः 1

ग़नायम के बयान में

माले ग़नीमत और माले फ़ई में फ़र्क़ :

वाज़ह हो कि ग़नीमत इस माल का नाम है जो काफ़िरों से बक़हर व ग़लबा लिया गया और हाल यह कि लडाई क़ायम है और फ़ई इस माल को कहते हैं जो काफ़िरों से बग़ैर क़िताल के लिया गया जैसे खिराज व जज़या वग़ैरह और ग़नीमत से पांचवां हिस्सा लिया जाता है और फ़ई में से नहीं लिया जाता है यह ग़ायतुल बयान में है और जो माल काफ़िरों से बतौर हदया या सरक़ा (1) या उचक लेने या हिबा के हासिल होता है वो ग़नीमत नहीं है बल्कि वो खास कर लेने वाले का होता है यह खज़ानतुल मुफ़तीन में है इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर काफ़िर इन अहले हरब के शहरों में से किसी शहर के लोग मुसलमान हो गये क़ब्ल इस के कि मुसलमान लोग उन पर लडाई में ग़ालिब आऐं तो वो सब आज़ाद मुसलमान होंगे कि उन पर या इन की औलाद व

लिया जाता है यह ग़ायतुल बयान में है, और जो माल काफ़िरों से बतौर भेंट या चोरी (1) या उचक लेने या उपहार के प्राप्त होता है वे लूट का माल नहीं है बल्कि वे विशेष कर लेने वाले का होता है यह खज़ानतुल मुफ़तीन में है, इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर काफ़िर इन अहले हरब/ग़ैर-मुस्लिम देश के नागरिकों के शहरों में से किसी शहर के लोग मुसलमान हो गये इस के पहले कि मुसलमान लोग उनपर लड़ाई में विजयी हुए तो वे सब आज़ाद मुसलमान होंगे कि उन पर या इन की औलाद व औरतों पर या उन के मालों पर कोई रुकावट नहीं है और उन की ज़मीनों पर इस्लाम की ज़मीनो का दसवां भाग नियुक्त किया जायेगा न लगान यानी पैदावार में से दसवां हिस्सा लिया जायेगा और इसी तरह अगर मुसलमानों के पहले विजयी होने के वे लोग ज़िम्मी/टैक्स देकर राज्य में रहने वाले नागरिक हो गये तो भी यही हुक्म है लेकिन इतना अंतर है कि इस स्थिति में उनकी ज़मीनों पर लगान नियुक्त किया जायेगा और इन पर हर जन पर जज़या नियमानुसार के नियुक्त किया जायेगा अगर मुसलमान इनपर विजयी हो गए और मुसलमानों के विजयी हो जाने के वे इस्लाम लाये तो मुसलमानों के इमाम को इनके लिए अधिकार है चाहे उन को और इनके मालों को योद्धाओं के बीच विभाजित करदे और इस स्थिति में पहले पांचवां हिस्सा इसमें से निकाल लेगा और वह यतीमों के लिए और निर्धनों और ज़रुरत वाले लोगों (2) आदि के लिए रखेगा और चार व पांचवें हिस्से इन योद्धाओं में विभाजित कर देगा जैसे युद्ध में लूटा हुआ माल विभाजित हुआ है और इस ज़मीन (3) पर दसवां भाग नियुक्त करेगा और अगर चाहे इन पर उपकार करे कि इन के ग़ुलाम और बाल बच्चे और माल सब इन को वापिस कर दे और इनकी ज़मीनों पर दसवां भाग नियुक्त करे और चाहे लगान नियुक्त करे और अगर इन लोगों पर मुसलमान विजयी हुए बस वे मुसलमान न हुए तो इमाम को अधिकार है चाहे इन को ग़ुलाम बनादे बस इन को इनके माल को योद्धाओं के बीच विभाजित करदे बस अगर उसने विभाजन का इरादा किया तो इस पूरे लूट के माल में से पांचवां हिस्सा

औरतों पर या उन के अमवाल पर कोई राह नहीं है और उन की अराज़ी पर मिस्ल अराज़ी इस्लाम के अशर मुक़र्रर किया जायेगा न खिराज यानी पैदावार में से दसवां हिस्सा लिया जायेगा और इसी तरह अगर क़ब्ल मुसलमानों के ग़ालिब होने के वो लोग ज़िम्मी हो गये तो भी यही हुक्म है लेकिन इस क़द्र फ़र्क़ है कि इस सूरत में उनकी अराज़ी पर खिराज मुक़र्रर किया जायेगा और नीज़ इन पर हर नफ़र पर जज़या मुवाफ़िक़ क़ाइदा के मुक़र्रर किया जायेगा और अगर मुसलमान इन पर ग़ालिब हो गये और बाद मुसलमानों के ग़ालिब हो जाने के वो इस्लाम लाये तो इमामुल मुस्लिमीन को इन के हक़ में इख़्तयार है चाहे उन को और इन के मालों को मुजाहिदीन के दरमियान तक़सीम करदे और इस सूरत में पहले पांचवां हिस्सा इन में से निकाल लेगा और वो वास्ते यतीमों और मिस्कीनों और अबनाउस्सबील (२) वग़ैरह के रखेगा और चार व पांचवें हिस्से इन मुजाहिदीन में तक़सीम कर देगा जैसे माले ग़नीमत तक़सीम हुआ है और इस अराज़ी (३) पर अशर मुक़र्रर करेगा और अगर चाहे इन पर अहसान करे कि इन की गर्दनें और बाल बच्चे और अमवाल सब इन को वापिस कर दे और इन की अराज़ी पर अशर मुक़र्रर करे और अगर चाहे खिराज मुक़र्रर करे और अगर इन लोगों पर मुसलमान ग़ालिब आये पस वो मुसलमान न हुए तो इमाम को इख़्तयार है चाहे इन को रक़ीक़ बनादे पस इन को इन के अमवाल को मुजाहिदीन के दरमियान तक़सीम करदे पस अगर उस ने तक़सीम का क़सद किया तो इस कुल ग़नीमत में से पांचवां हिस्सा निकाल कर जहां इस को रखना व सर्फ़ करना चाहिए रखेगा और बाक़ी को इन मुजाहिदों के दरमियान तक़सीम कर देगा और इस अराज़ी पर अशर मुक़र्रर करेगा और चाहे इन में से मर्दों को क़त्ल करके औरतों व बच्चों व मालों को जिस तरह हम ने बयान किया है तक़सीम करदे और चाहे इन की जानों व इन के बाल बच्चों के साथ अहसान करले पस इन को और इन के मालों को उन्हीं के सुपुर्द करदे और मुवाफ़िक़ दस्तूर शरई इन पर जज़या मुक़र्रर करे और इन की अराज़ी पर खिराज बांधे कज़ा फ़िल मुहीत ख़्वाह इस ज़मीन का पानी अशरी हो जैसे निकाल कर जहां इस को रखना व खर्च करना चाहिए रखेगा और बाक़ी को इन मुजाहिदों के बीच विभाजित कर देगा और इस ज़मीनों पर दसवां भाग नियुक्त करेगा और चाहे इन में से मर्दों को क़त्ल करके औरतों व बच्चों व मालों को जिस तरह हम ने बयान किया है विभाजित करदे और चाहे इन की जानों व इन के बाल बच्चों के साथ उपकार करले बस इन को और इन के मालों को उन्हीं के हवाले करदे और अनुकूल शरई नियमानुसार इन पर जज़या नियुक्त करे और इनकी ज़मीनों पर लगान बांधे यह मुहीत में है चाहे इस ज़मीन का पानी दसवां हो जैसे बारिश का पानी व चश्मों व तालाबों व कुंवों का और चाहे लगान वाली हो जैसे इन नहरों का पानी जिन को ग़ैर अरबीयों ने खोदा हो यह ग़ायतुल बयान में है और अगर कुफ़्फ़ार अहले हरब/ग़ैरमुस्लिम देश के नागरिक पर जो पराजित हुए हैं इस तरह उपकार किया कि इन की जानें और ज़मीनें इन को हवाले करदी और औरतें व बच्चे व बाक़ी माल मुसलमानों के बीच विभाजित किये तो यह जायज़ मगर नाजायज़ है सिवा उस स्थिति में कि उन के पास इतना माल छोड़ दिया हो जिस से खेती कर सकें इसी तरह अगर यूं उपकार किया कि इन की जानें व ज़मीनें व औरतें व बच्चे इन के सुपुर्द किये और बाक़ी सब माल योद्धाओं में विभाजित कर दिया तो यह जायज़ है, लेकिन नाजायज़ है सिवा यह कि उनके क़ब्ज़े में इतना माल भी छोड़ दिया जिससे वे खेती कर सकते हैं अगर शरीअत अनुसार मना न हो तो जायज़ है और अगर फ़क़त इन हरबियों/ग़ैरमुस्लिम देश के नागरिकों की जानें इन को बख़्श दें और बाक़ी ज़मीनें सब दूसरे मालों के लूट के माल के पात्रों में बांट दें तो यह जायज़ नहीं है और इसी तरह अगर उन लोगों की ज़मीनें न हो और इमाम ने चाहा कि इन पर इन को बख़्शिश देने के साथ उपकार करे तो जायज़ नहीं है यह मुहीत में है और चाहे इन सब को विभाजित करदे केवल ज़मीन रहने दे और ज़मीन को क्रमशः योद्धाओं के कल्याण के लिए समर्पित करदे और अगर चाहे ज़मीन में ज़िम्मेदारों में से अन्य लोगों को लाकर बसाये और इस को लगान वसूल करने वाली ज़मीन घोषित करे चाहे लगान आपसी बंटवारे से

बारिश का पानी व चश्मों व तालाबों व कुंवों का और चाहे खिराजी हो जैसे इन नहरों का पानी जिन को अहल अजम ने कुन्दह किया है यह ग़ायतुल बयान में है और अगर कुफ़्फ़ार अहले हरब पर जो मग़लूब हुए हैं इस तरह अहसान किया कि इन की जानें और अराज़ी इन को सुपुर्द करदी और औरतें व बच्चे व बाक़ी अमवाल मुसलमानों के दरमियान तक़सीम किये तो यह जायज़ मगर मकरूह है इल्ला उस सूरत में कि उन के पास इतना माल छोड दिया हो जिस से ज़राअत कर सकें इसी तरह अगर यूं अहसान किया कि इन की जानें व अराज़ी व औरतें व बच्चे इन के सुपुर्द किये और बाक़ी तमाम अमवाल मुजाहिदीन में तक़सीम कर दिये तो यह जायज़ है लेकिन मकरूह है इल्ला आंकि उनके क़ब्ज़े में इस क़द्र माल भी छोड़ दिया जिससे वो ज़राअत कर सकते हैं तो बग़ैर कराहत जायज़ है और अगर फ़क़त इन हरबियों की जानें इन को बख़्श दें और बाक़ी अराज़ी मअ सब अमवाल दीगर के ग़ानिमीन के दरमियान तक़सीम करदें तो यह जायज़ नहीं है और इसी तरह अगर उन लोगों की अराज़ी न हो और इमाम ने चाहा कि इन पर इन को बख़्शिश देने के साथ अहसान करे तो नहीं जायज़ है यह मुहीत में है और चाहे इन सब को तक़सीम करदे फ़क़त अराज़ी रहने दे और अराज़ी को बमन्ज़िला मुजाहिदीन पर वक़्फ़ की हुई के रखे और अगर चाहे अराज़ी में अहले ज़िम्मा में से दीगर अक़वाम को लाकर बसाये और इस को खिराजी क़रार दे ख़्वाह खिराज मक़ासमा मुक़र्रर करे या खिराज मक़ातआ और यह सब खिराज उन्हीं मुजाहिदीन को हासिल होगा यह शरह तहावी में से तातार खानिया में नक़ल है।

निर्धारित करे या लगान ठेके के माध्यम से निर्धारित करे और यह सब लगान उन्हीं योद्धाओं को प्राप्त होगा यह शरह तहावी में से तातार खानिया में नक़ल है।

जो लोग बंदी हों इन के हित में इमाम को अधिकार होता है चाहे इन को क़त्ल करदे और चाहे गुलाम बनादे :

अगर किसी ज़िम्मेदार ने अपना वादा तोड़ कर विद्रोह किया और अपनी ज़मीन पर विजयी हो गये या मुसलमानों के मुल्कों से किसी शहर आदि पर क़ाबिज़ हुए और यह देश इत्तफ़ाक़ के साथ दारूल हरब/ग़ैर-इस्लाम शासित देश हो गया फिर मुसलमानों ने इन को अधीन किया और मुसलमानों के इमाम को उन लोगों के हित में अधिकार प्राप्त हुआ तो इमाम चाहे इन पर उपकार करे कि इन की जानें और माल व बाल व बच्चे व ज़मीन को सौंप दे और इनकी ज़मीनों पर महसूल/लगान नियुक्त करदे और चाहे दसवां भाग निश्चित करे और यह नाम के लिए दसवां है हक़ीक़त में यह लगान ही है और इसी वजह से ऐसा दसवां भाग कुल व्यय लगान की जगह व्यय होता है और चाहे दो गुना दसवें भाग का नियुक्त करे जैसे हज़रत इमाम आदिल उमर रज़ि0 ने बनी तग़लब के ऊपर नियुक्त किया था और अगर इमाम ने इन में से मर्दों को क़त्ल और औरतों व बच्चों को विभाजित कर दिया और उक्त ज़मीने उनके मालिकान की रहेगी बस इसमें कोई मुसलमान क़ौम लाकर बसाए कि वे लूट के

जो लोग असीर हों इन के हक़ में इमाम को इख़्तयार होता है चाहे इन को क़त्ल करदे और चाहे रक़ीक़ बनादे :

अगर किसी अहले ज़िम्मा ने अपना अहद तोड़ कर ग़दर किया और अपनी अराज़ी पर ग़ालिब हो गये या मुसलमानों के मुल्कों से किसी शहर वग़ैरह पर क़ाबिज़ हुए और यह दार बिल इत्तफ़ाक़ दारूल हरब हो गया फिर मुसलमानों ने इन को मग़लूब किया और इमामुल मुस्लिमीन को उन लोगों के हक़ में इख़्तयार हासिल हुआ तो इमाम चाहे इन पर अहसान करे कि इन की जानें और अमवाल व बाल व बच्चे व अराज़ी को तसलीम करदे ओर इन की अराज़ी पर खिराज मुक़र्रर करदे और चाहे अशर मुक़र्रर करे और यह नाम के वास्ते अशर है दरहक़ीक़त यह खिराज ही है और इसी वजह से ऐसा अशर मसारिफ़ खिराज की जगह सर्फ़ होता है और चाहे दो चन्द अशर मुक़र्रर करे जैसे हज़रत इमाम आदिल उमरो रज़ि0 ने बनी तग़लब के ऊपर मुक़र्रर किया था और अगर इमाम ने इन में से मर्दों को क़त्ल और औरतों व बच्चों को तक़सीम कर दिया और अराज़ी बाला मालिकान रहेगी पस इस में कोई क़ौम मुसलमान लाकर बसाई कि वो मुसलमानान ग़ानिमीन (साहिबान ग़नीमत) की मददगारी करें और यह अराज़ी उन के वास्ते कर दी ताकि इस से मौन्नस (मददगारी) अदा करें तो जायज़ है लेकिन यह फ़अल बरज़ा मन्दी उन्हीं लोगों के करेगा कि जिन को इस अराज़ी में मुन्तक़िल करके लाना चाहता है और जब इस अराज़ी में किसी क़ौम मुसलमान को मुन्तक़िल करके लाया और यह अराज़ी इन की ममलूक़ा हो गई तो चाहे इस अराज़ी पर अशर मुक़र्रर करे और चाहे खिराज मुक़र्रर करे और अगर मुसलमानों में से कोई माल के हक़दार मुसलमानों (लूट के माल के हक़दार लोगों) का सहयोग करें और यह ज़मीन उन के लिए करदे ताकि इस से स्त्री (सहयोग) करें तो जायज़ है लेकिन यह कार्य रज़ा मन्दी से उन्हीं लोगों के लिए करेगा कि जिन को इस ज़मीन में स्थानांतरित करके लाना चाहता है और जब इस ज़मीन में किसी क़ौम मुसलमान को स्थानांतरित करके लाया और यह ज़मीनें इन की स्वामित्व में हो गई तो चाहे इन ज़मीनों पर दसवां भाग निश्चित करे और चाहे लगान निश्चित करे और अगर मुसलमानों में से कोई समूह मुरतद हो गई और वे अपने देश पर या मुसलमानों के देशों में से किसी देश पर विजयी हुए और यह देश इत्तफ़ाक़ से दारूल हरब/ ग़ैर-इस्लाम शासित देश हो गया फिर मुसलमान लोग इन पर विजय प्राप्त हुए तो इनके मर्द इन से सिवाए तलवार या इस्लाम के कुछ स्वीकार न किया जायेगा चुनांचे अगर उन्होंने इस्लाम लाने से इंकार किया तो वे क़त्ल कर दिए जाऐंगे, और उन की औरतें व बच्चे लूट के माल के हक़दारों में विभाजित कर दिये जाऐंगे और उन पर इस्लाम लाने के लिए ज़बर दस्ती की जायगी और उनकी ज़मीनें व माल भी लूट के माल के हक़दारों के बीच विभाजित कर दिये जाऐंगे और इस ज़मीन पर दसवां भाग निश्चित किया जायगा और अगर इमामुल मुस्लिमीन की राय में यह बेहतर मालूम हुआ कि मर्द सब क़त्ल कर दिये जाएं और औरतें व बच्चे उन मुजाहिदों के बीच विभाजित और ज़मीन विभाजित न की जायगी और उसने यह कार्य मुसलमानों के हक़ में बहतर देखा तो ऐसा कर सकता है फिर इसके बाद अगर उस की राय में बेहतर मालूम हो कि इस ज़मीन में कोई ज़िम्मी/टैक्स देकर राज्य में रहने वाले नागरिकों लाकर बसाऐ कि वे अपनी क़ौम और इस ज़मीन का लगान दिया करें, तो ऐसा कर सकता है फिर जब उस ने ऐसा कर दिया तो यह ज़मीन इन ज़िम्मियों/टैक्स देकर राज्य में रहने वाले नागरिकों की स्वामित्व में हो जायेगी कि इन की ज़ुरियात (परिवार व बच्चे व इन की औलाद) नसल बाद नसल उन के वारिस होंगे और इस की ज़मीनों का लगान देते रहेंगे बस जानना चाहिए कि इस स्थान पर ज़िम्मियों का स्थानांतरित

क़ौम मुरतद हो गई और वो अपने दयार पर या मुसलमानों के दयार में से किसी दार पर ग़ालिब हुई और यह दार बिल इत्तफ़ाक़ दारूल हरब हो गया फिर मुसलमान लोग इन पर ग़ालिब हुए तो इन के मर्द इन से सिवाए तलवार या इस्लाम के कुछ क़बूल न किया जायेगा चुनांचे अगर उन्होंने इस्लाम लाने से इंकार किया तो वे क़त्ल कर दिए जाऐंगे और उन की औरतें व बच्चे ग़ानिमीन में तक़सीम कर दिये जाऐंगे और उन पर इस्लाम लाने के वास्ते जबर किया जायगा और उनकी अराज़ी व अमवाल भी दरमियाने ग़ानिमीन तक़सीम कर दिये जाऐंगे और इस अराज़ी पर अशर मुक़र्रर किया जायगा और अगर इमामुल मुस्लिमीन की राय में यह बेहतर मालूम हुआ कि मर्द सब क़त्ल कर दिये जाएं और औरतें व बच्चे उन मुजाहिदों के दरमियान तक़सीम और अराज़ी तक़सीम न की जायगी और उसने यह अम्र मुसलमानों के हक़ में बहतर देखा तो ऐसा कर सकता है फिर इसके बाद अगर उस की राये में बेहतर मालूम हो कि इस ज़मीन में कोई ज़िम्मी क़ौम लाकर बसाऐ कि वो अपनी ज़ात और इस अराज़ी का खिराज अदा किया करें, तो ऐसा कर सकता है फिर जब उस ने ऐसा कर दिया तो यह अराज़ी इन ज़िम्मियों की मिल्क हो जायेगी कि इन की ज़ुरियात (अयाल व इतफ़ाल व इन की औलाद) नसलन बाद नसल उन के वारिस होंगे और इस की अराज़ी का खिराज अदा करते रहेंगे पस जानना चाहिए कि इस मक़ाम पर ज़िम्मियों का मुन्तक़िल कर के लाना ज़िक्र फ़रमाया या बखिलाफ़ मसला या तक़द्दुम के इस वजह से कि ज़िम्मियों को मुरतिदों के क़त्ल किये जाने से कुछ ग़ैज़ व ग़ज़ब लाहिक़ न होगा और मा तक़द्दुम में ऐसा नहीं है और अगर इमामुल मुस्लिमीन के ग़ालिब हो जाने के बाद मुरतिद लोग मुसलमान हो गये तो वो आज़ाद होंगे इन पर कोई राह न होगी लेकिन इन की औरतें व बच्चे व अमवाल के हक़ में इमाम को इख़्तयार है चाहे इन को ग़ानमीन के दरमयान तक़सीम कर दे और अराज़ी पर अशर मुक़र्रर करे और चाहे उन्हें मुरतिदीन मुसलमान शुदा को इन की औरतें व बच्चे व अराज़ी बतौर अहसान देदे और अराज़ी पर चाहे अशर मुक़र्रर करे कर के लाना वर्णन किया या मसले के विपरीत या आगे बढ़ने के इस कारण से कि ज़िम्मियों को मुरतिदों के क़त्ल किये जाने से कुछ क्रोध व ग़ुस्सा न होगा और अनिष्ट से बचने के लिए पहले से उपाय करने में ऐसा नहीं है और अगर इमामुल मुस्लिमीन के विजयी हो जाने के बाद मुरतद लोग मुसलमान हो गये तो वे आज़ाद होंगे इन के लिए कोई रास्ता न होगा लेकिन इन की औरतें व बच्चे व माल के हक़ में इमाम को अधिकार है चाहे इन को लूट केमाल के हक़दारों के बीच विभाजित कर दे और ज़मीनों पर दसवां भाग नियुक्त करे और चाहे उन्हें फिरे हुए मुसलमान शुदा को इन की औरतें व बच्चे व ज़मीनों को बतौर उपकार देदे और ज़मीनों पर चाहे दसवां भाग नियुक्त करे और चाहे लगान बांधे और अगर इमाम ने चाहा कि इन की जो ज़मीनें दसवां भाग पर नियुक्त थी उस को दसवां भाग रहने दे और जो लगान पर थी उस को लगान पर, अपने पहले हाल पर रखे तो उस को यह भी अधिकार है और अगर ऐसे ज़िम्मियों/टैक्स देकर राज्य में रहने वाले नागरिकों पर जिन्होंने अपना वचन तोड़ दिया था या ग़ैर-मुस्लिम देश के नागरिकों पर इमाम विजयी हुआ और इमाम ने चाहा कि इन को ज़िम्मी/टैक्स देकर राज्य में रहने वाले नागरिक बनादे कि लगान दिया करें और हाल यह है कि पहले इन से लड़ाई की हालत में विजयी होगे के बाद उन का माल प्राप्त हुआ है तो यह माल उन लोगों को वापिस न किया जायेगा सिवा मजबूरी के कारण और मजबूरी केवल यह है कि यह लोग तामीर (आबाद करना) ज़मीनें व उस की खेती पर सिवाय इस माल के समर्थ न हों और रहा वो माल जो इन लोगों के क़ब्ज़े में मौजूद रहा है बस अगर निमार्ण, ज़मीन व उस की खेती के लिए इस माल के लिए मजबूर हों तो इमाम उस को इन से न लेगा और अगर इस के मौहताज न हों तो इमाम को अधिकार है चाहे इस को इन से ले कर लूट के माल के हक़दारों के बीच विभाजित कर दे और चाहे न ले मगर अच्छा यह है कि यह माल इच्छा से उन्हीं के क़ब्ज़े में छोड़ दे उन के दिलों को रखते हुए (खातिर दारी व दिल जोई) के ताकि इस्लाम की भलाइयों से परिचित हो कर मुसलमान हो जाऐं और

और चाहे खिराज बांधे और अगर इमाम ने चाहा कि इन की जो अराज़ी अशरी थी उस को अशरी रहने दे और जो खिराजी थी उस को खिराजी अपने हाल साबिक़ पर रखे तो उस को यह भी इख़्तयार है और अगर ऐसे ज़िम्मियों पर जिन्होंने अपना अहद तोड़ दिया था या अहल हरब पर इमाम ग़ालिब आया और इमाम ने चाहा कि इन को ज़िम्मी बनादे कि खिराज अदा किया करें गैर हाल यह है कि क़ब्ल इन पर ग़ालिब होने के लड़ाई की हालत में उन का माल हासिल हुआ है तो यह माल उन लोगों को वापिस न किया जायेगा इल्ला बसबब उज़्र के और उज़्र फ़क़त यह है कि यह लोग तामीर (आबाद करना) अराज़ी व उस की ज़राअत पर बदून इस माल के क़ादिर न हों और रहा वो माल जो इन लोगों के क़ब्ज़े में मौजूद रहा है पस अगर इमारत अराज़ी व उस की ज़राअत के वास्ते इस माल की तरफ़ मौहताज हों तो इमाम उस को इन से न लेगा और अगर इस के मौहताज न हों तो इमाम को इख़्तयार है चाहे इस को इन से ले कर ग़ानमीन के दरमियान तक़सीम कर दे और चाहे न ले मगर औला यह है कि यह माल उन्हीं के क़ब्ज़े में छोड़ दे बगर्ज़ इन की तालीफ़ क़ुलूब (खातिर दारी व दिल जोई) के ताकि इस्लाम की भलाइयों पर वाक़िफ़ हो कर मुसलमान हो जाएं और इसी तरह इन पर ग़ालिब आने से पहले इन की औरतें या बच्चों में से जो कोई गिरफ़्तार कर लिया हो वो भी वापिस न किया जायेगा और बाद इन पर ग़ालिब आने के जा इन के पास हैं उन में से कोई इन से न लेगा और जब इमाम ने बिलाद अहले हरब से कोई बलद फ़तह कर लिया और इस बलद को और उस के लोगों को मुजाहिदीन फ़तह करने वालों के दरमियान तक़सीम कर दिया फिर चाहा कि इन लोगों पर इन की गर्दनों व अराज़ी के साथ अहसान करे यानी इन की जानें इन के सुपुर्द करे कि ज़िम्मी रहें और इन की अराज़ी इन के मुल्क में देदे बदाऐ खिराज तो इमाम को यह इख़्तयार नहीं है और इसी तरह अगर इन पर इस तरह अहसान कर दिया फिर चाहा कि तक़सीम करे तो यह इख़्तयार न होगा यह मुहीत में है और जो लोग असीर हों इन के हक़ में इमाम को इख़्तयार होता है चाहे इसी तरह इन पर विजयी होने से पहले इन की औरतें या बच्चों में से जो कोई गिरफ़्तार कर लिया हो वो भी वापिस न किया जायेगा और इन पर विजयी होने के बाद जो इन के पास हैं उन में से कोई इन से न लेगा और जब इमाम ने बिला अहले हरब/ग़ैर-मुस्लिम देश के नागरिकों से कोई इलाक़ा फ़तह कर लिया और इस इलाक़े को और उस के लोगों को मुजाहिदीन फ़तह करने वालों के बीच विभाजित कर दिया फिर चाहा कि इन लोगों पर इन की जानों व ज़मीनों के साथ उपकार करे यानी इन की जानें इन के सुपुर्द करे कि ज़िम्मी रहें और इन की ज़मीनें इनके मुल्क में देदे खिराज दे दें तो इमाम को यह अधिकार नहीं है और इसी तरह अगर इन पर इस तरह उपकार कर दिया फिर चाहा कि विभाजन करे तो यह अधिकार न होगा यह मुहीत में है और जो लोग बंदी हों इन के हक़ में इमाम को अधिकार होता है चाहे इन को क़त्ल करदे और चाहे ग़ुलाम बनादे सिवाए ऐसे बंदीयों के जो अरब के बहुदेववादियों से या मुरतिदान इस्लाम से हों कि उन से सिवाए इस्लाम या तलवार के और कुछ क़बूल नहीं किया जायेगा और चाहे इन को मुसलमानों का ज़िम्मी बनाकर आज़ाद छोड़ दे मगर सिवाए अरब के बहुदेववादियों व मुरतिदान इस्लाम के कि यह लोग ज़िम्मी भी नहीं हो सकते हैं और जो व्यक्ति इन बंदीयों में से मुसलमान हो गया उस के हक़ में और कोई अधिकार नहीं है सिवाए ग़ुलाम या बांदी बनाने के कि इस को ग़ुलाम क़रार दे सकता है यह तबिय्यीन में है। यह जायज़ नहीं है कि इन को दारूल हरब/ग़ैर-मुस्लिम देश के नागरिक में वापिस कर दे।

समझौता करने में लश्कर वालों की सहमति अनिवार्य है :

स्पष्ट हो कि अगर मुसलमानों में से अहले हरब/ग़ैर-इस्लामी शसित देश के नागरिक के हाथ में बंदी हों तो अहले हरब के बंदियों से फ़ाएदे लेना यानी इन बंदीयों को अहले हरब को दे कर अपने बंदीयों को उन

इन को क़त्ल करदे और चाहे रक़ीक़ी बनादे सिवाए ऐसे असीरों के जो मुश्रिकान अरब से या मुरतिदान इस्लाम से हों कि उन से सिवाए इस्लाम या तलवार के और कुछ क़बूल नहीं किया जायेगा और चाहे इन को मुसलमानों का ज़िम्मी बनाकर आज़ाद छोड़ दे मगर सिवाए मुश्रिकान अरब व मुरतिदान इस्लाम के कि यह लोग ज़िम्मी भी नहीं हो सकते हैं और जो शख़्स इन असीरों में से मुसलमान हो गया उस के हक़्क़ में और कोई इख़्तयार नहीं है सिवाए इस्तिरक़ाक़ के कि इस को रक़ीक़ क़रार दे सकता है यह तबिय्यीन में है। यह जायज़ नहीं है कि इन को दारूल हरब में वापिस कर दे।

मफ़ादात करने में अहले लश्कर की रज़ामन्दी शर्त है :

वाज़ह हो कि अगर मुसलमानों में से अहले हरब के हाथ में असीर हों तो अहले हरब के असीरों से मफ़ादात कर लेना यानी इन असीरों को अहले हरब को दे कर अपने असरों को उन से ले लेना इमाम आज़म रह० के अनुसार नहीं जायज़ है 'कज़ा फ़िल काफ़ी वलमतून' लेकिन इस में इख़्तलाफ़ है बिना बरीं ज़ाद में मज़कूर है कि सही क़ौल इमामे आज़म रह० का है इन्तहा और इमाम मौहम्मद रह० ने सैर कबीर में फ़रमाया कि काफ़िरों की क़ैदी औरतें या मर्द मुसलमानों के क़ब्जे में हैं दे कर मुसलमान क़ैदी से जो काफ़िरों के पंजे में हैं मफ़ादात कर लेने में कुछ मुज़ायक़ा नहीं है और यह इमाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मौहम्मद रह० का

से ले लेना इमाम आज़म रह० के अनुसार नहीं जायज़ है 'यह अल काफ़ी और अलमतून में है' लेकिन इस में मतभेद है इस तरह ज़ाद में वर्णित है कि अत्याधिक सही कथन इमामे आज़म रह० का है और इमाम मौहम्मद रह० ने सैर कबीर में वर्णन किया कि काफ़िरों के क़ैदी औरतें या मर्द मुसलमानों के क़ब्जे में हैं दे कर मुसलमान क़ैदी से जो काफ़िरों के पंजे में हैं समझौता कर लेने में कुछ हानि नहीं है और यह इमाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मौहम्मद रह० का कथन है और इमाम आज़म रह० से इस मसले में दो रिवायतें हैं इन में से स्पष्ट रिवायत यही है यह मुहीत में और यही अईम्मा विद्वानों का कथन है यह नहरूल फ़ाइक़ में है। फिर स्पष्ट हो कि समझौता (1) करने में लश्कर वालों की सहमति शर्त है इस लिए कि इस में कुल लाभ से इन के हक़ का झुठलाना है और अगर केवल मर्दों के इस समझौते से लश्कर वालों ने इन्कार किया तो लश्कर कमांडर को यह अधिकार नहीं है कि दूसरे समझौते करे और रहे लोग यानी क़ैदी कुफ़्फ़ार मर्द बस अगर अभी तक विभाजन न हुआ हो तो कमांडर को अधिकार है कि इन मर्दों को दे कर मुसलमान क़ैदियों को छुड़ाले और अगर विभाजन स्थापित हो चुका हो तो इमाम को यह अधिकार नहीं है सिवाए लश्कर के सहमति के। अगर कुफ़्फ़ार के बादशाह का ऐलची आया कि वह किसी मक़ाम पर क़ैदियों से समझौता करना चाहता है और उन्होंने मुसलमानों से वादा लिया कि तुम हम को संरक्षण दो इन क़ैदियों के लाने पर यहां तक कि दंड राशी निवृत्त कर लेने को तैयार हों और अगर दंड राशी निवृत्त कर लेने पर सहमति न हो तो हम इन मुसलमान क़ैदियों समेत जो हमारे साथ हैं वापिस आऐं तो मुसलमानों को चाहिए कि अपना वादा निभाऐं और जैसे इनसे समझौते की शर्त की हो समझौता करें चाहे समझौता में माल देना शर्त क्या हो या क़ैदी आदि लेकिन अगर समझौते पर आपसी रज़ा मन्दी न ठहरी और काफ़िरों को छोड़ दें कि वे मुसलमान क़ैदियों को अपने मुल्क में वापिस लें जाऐं और इन पर अनिवार्य है कि अनुबंध की इस शर्त का निभाना छोड़दें और क़ैदियों को इन के हाथों से छुड़ाऐं मगर सिवाए इस छुड़ा

क़ौल है और इमाम आज़म रह० से इस मसले में दो रिवायतें हैं इन में से अज़हर रिवायत यही है कज़ा फ़िल मुहीत और यही अईम्मा मशाइख का क़ौल है यह नहरूल फ़ाइक़ में है। फिर वाज़ह हो कि मफ़ादात (1) करने में अहले लश्कर की रज़ामन्दी शर्त है इस वास्ते कि इस में माले ऐन से इन के हक़ का इब्ताल है और अगर मा सिवाए मर्दों के इस मफ़ादात से अहले लश्कर ने इन्कार किया तो अमीर लश्कर को यह इख़्तयार नहीं है कि दीगर मफ़ादात करे और रहे रिजाल यानी क़ैदी मर्दान कुफ़्फ़ार पस अगर हुनूज़ तक़सीम वाक़े न हुई हो तो अमीर को इख़्तयार है कि इन मर्दों को दे कर मुसलमान क़ैदियों को छुडाले और अगर तक़सीम वाक़े हो चुकी हो तो इमाम को यह इख़्तयार नहीं है इल्ला बरज़ा मन्दी लश्कर। अगर बादशाह कुफ़्फ़ार का ऐलची आया कि वो किसी मक़ाम पर असीरों से मफ़ादात करना चाहता है और उन्होंने मुसलमानों से अहद लिया कि तुम हम को अमान दो इन क़ैदियों के लाने पर यहां तक कि फ़िदया कर लेने से फ़ारिग हों और अगर फ़िदया कर लेने पर इत्तफ़ाक़ न हो तो हम इन मुसलमान क़ैदियों समेत जो हमारे साथ हैं वापिस आऐं तो मुसलमानों को चाहिए कि अपना अहद वफ़ा करें और जैसे इन से मफ़ादात की शर्त की हो मफ़ादात करें ख़्वाह मफ़ादात में माल देना शर्त क्या हो या और क़ैदी वग़ैरह लेकिन अगर मफ़ादात पर बाहम रज़ा मन्दी न ठहरी और काफ़िरों को छोड दें कि वो मुसलमान क़ैदियों को अपने मुल्क में वापिस लें जाऐं और इन पर लाज़िम है कि मुआहिदा की इस शर्त का वफ़ा तर्क करें और क़ैदियों को इन के हाथों से छुडाऐं मगर सिवाए इस छुडा लेने के और किसी चीज़ का इन से तअरूज़ न करें यह मुहीत में है।

काफ़िरों से इस तरह माल के औज़ मफ़ादात करना कि काफ़िरों से माल ले कर इन के क़ैदी रिहा करें तो यह अम्र मज़ाहिब मशहूरा में से किसी मज़हब के मुवाफ़िक़ नहीं जायज़ है। अगर काफ़िरों का क़ैदी जो हमारे पास है मुसलमान हो गया तो रवा नहीं है कि जो मुसलमान इन की क़ैद में हैं इन के औज़ इस से लेने के और किसी चीज़ का इन से पूछ-गछ न करें यह मुहीत में है।

काफ़िरों से इस तरह माल के बदले समझौता करना कि काफ़िरों से माल ले कर इन के क़ैदी रिहा करें तो यह कार्य मशहूर धर्मों में से किसी धर्म के अनुकूल नहीं जायज़ है। अगर काफ़िरों का क़ैदी जो हमारे पास है मुसलमान हो गया तो जायज़ नहीं है कि जो मुसलमान इन की क़ैद में हैं इन के बदले इस से समझौता करले जाये सिवा उस स्थिति में कि इस का दिल इस कार्य से ख़ुश हुआ और यह अपने इस्लाम में सुरक्षित हो। क़ैदियों पर अहसान करना यानी इन को मुफ्त छोड़ देना जायज़ नहीं है यह काफ़ी में है। इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि जब मुश्रिकों के लड़के बंदी किये गये और इन के साथ इन की माऐं और बाप भी बंदी हैं तो इन बच्चों से समझौता कर लेने में कोई हानि नहीं है और अगर अकेला बच्चा क़ैद करके दारूल इस्लाम में निकाल लाया गया तो इस के बाद इस के साथ समझौता कर लेना जायज़ नहीं है और इसी तरह अगर दारूल हरब/ग़ैर-इसलामी शासित देश में लूट का माल विभाजित कर दिया गया कि बच्चे किसी मुसलमान योद्धा के हिस्से में आया या लूट के माल बेच दिये गये यानी किसी मुसलमान ने यह लूट का माल खरीद लिया तो भी इस से समझौता जायज़ नहीं है कि यह बच्चा इस व्यक्ति की पैरवी में जिस के मुल्क में विभाजन के कारण या खरीद के आया है इस्लाम का (इस पर मुसलमान होने का आदेश अनुसरण करने के लिए हो गया) अधीन हो गया है यह मुहीत में है। इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर मुसलमानों ने घोड़े व हथियार कुफ़्फ़ार से लिये फिर काफ़िरों ने इन के बदले समझौते की प्रार्थना की कि हमारा क़ैदी हम को दे दो और इस की बदले में यह मर्द बहुदेववादी ले लो या दो बहुदेववादी ले लो तो मुसलमानों को ऐसा करना जायज़ नहीं है। जो मुसलमान दारूल हरब/ग़ैर-इस्लामी शासन में बंदी हों इन का (1) दिरहम या दीनारों के बदले समझौता कर लेना या ऐसी चीज़ों के जिन से युद्ध कौशल में शक्ति नहीं ली जाती है जैसे कपड़े आदि से जायज़ है मगर हथियार या घोड़े दे कर

मफ़ादात करले जाये इल्ला उस सूरत में कि इस का दिल इस अम्र से ख़ुश हुआ और यह अपने इस्लाम पर मामून हो। असीरों पर अहसान करना यानी इन को मुफ्त छोड देना रवा नहीं है यह काफ़ी में है। इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि जब मुश्रिकों के लडके असीर किये गये और इन के साथ इन की माऐं और बाप भी असीर हैं तो इन अतफ़ाल से मफ़ादात कर लेने में मुज़ायक़ा नहीं है और अगर अकेला तफ़ल असीर करके दारूल इस्लाम में निकाल लाया गया तो बाद इस के इस के साथ मफ़ादात कर लेना नहीं जायज़ है और इसी तरह अगर दारूल हरब में ग़नीमत तक़सीम कर दी गई कि तफ़ल किसी मुसलमान ग़ाज़ी के हिस्से में आया या अमवाल ग़नीमत फ़रोख़्त कर दिये गये यानी किसी मुसलमान ने यह माल ग़नीमत खरीद लिया तो भी इस से मफ़ादात नहीं रवा है कि यह तफ़ल इस शख़्स की तबइयत में जिस के मुल्क में बवजह तक़सीम के या खरीद के आया है महकूम (इस पर मुसलमान होने का हुक्म बिल तबअ हो गया) बइस्लाम हो गया है यह मुहीत में है। इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर मुसलमानों ने घोडे व हथियार कुफ्फ़ार से लिये फिर काफ़िरों ने इन के औज़ मफ़ादात की दरख़्वास्त की कि हमारा क़ैदी हम को दे दो और इस की मफ़ादात में यह मर्द मुश्रिक ले लो या दो मुश्रिक ले लो तो मुसलमानों को ऐसा करना नहीं जायज़ है। जो मुसलमान दारूल हरब में असीर हों इन की मफ़ादात करा लेना बऔज़ (1) दिरहम या दीनारों के या ऐसी चीज़ों के जिन से अम्र जंग में तक़वियत नहीं ले जाती है जैसे कपड़े वग़ैरह से जायज़ है मगर हथियार या घोडे दे कर छुडाना नहीं जायज़ है यह सिराज वहाज में है इमाम मौहम्मद रह० ने सैरे कबीर में फ़रमाया कि अगर आज़ाद मुसलमान या ज़िम्मी ने जो हरबी काफ़िरों के पंजे में दारूल हरब में क़ैद है किसी मुसलमान या ज़िम्मी से जो अमान ले कर दारूल हरब में गया है कहा कि मुझे फ़िदया दे कर इन से छुडाले या मुझे इन से खरीद ले पस इस ने ऐसा ही किया और इस को दारूल इस्लाम में निकाल लाया तो वो यहां आज़ाद होगा इस पर मुल्क की कोई राह नहीं है लेकिन जिस क़द्र माल इस क़ैदी के छुड़ाना जायज़ नहीं है यह सिराजुल वहाज में है। इमाम मौहम्मद रह० ने सैरे कबीर में फ़रमाया कि अगर आज़ाद मुसलमान या ज़िम्मी/टैक्स देकर राज्य में रहने वाले ग़ैर-मुस्लिम नागरिक ने जो हरबी/ग़ैर-इस्लामी शासित देश के नागरिक जो काफ़िरों के पंजे में दारूल हरब/ग़ैर- इस्लामी शासित देश में क़ैद है किसी मुसलमान या ज़िम्मी से जो संरक्षण ले कर दारूल हरब/ग़ैर-इस्लामी शासित देश में गया है कहा कि मुझे दंड राशी दे कर इन से छुड़ाले या मुझे इन से खरीद ले पस इस ने ऐसा ही किया और इस को दारूल इस्लाम में निकाल लाया तो वह यहां आज़ाद होगा इस पर मुल्क की कोई बंदिश नहीं है लेकिन जिस क़द्र माल इस क़ैदी की दंड राशी में इस ने दिया है वह इस आज़ाद बंदी के ज़िम्मे क़र्ज़ा होगा बस तमाम जो कुछ इस ने दंड राशी में दिया है इस से वापिस लेगा बशर्ते कि देत के जितने से ज़्यादा न हो और अगर इस ने देत के जितना (वह माल जो किसी इन्सानी जान के बदले दिया जाए यह सौ ऊंट या एक हज़ार दीनार या दस हज़ार दिरहम या उनके बराबर की करनसी है) से ज़्यादा माल इस के दंड राशी में दिया है तो इस पर आज़ाद शुदह से केवल देत के जितना वापिस ले सकता है और जो कुछ इससे ज़्यादा है वह नहीं ले सकता है। अनुवादक के कथनानुसार यानी जब बंदी मुसलमान या ज़िम्मी ने अपने खरीद लेने का हुक्म दिया तो यह हक़ीक़त में खरीद नहीं बल्कि तफ़दिया है पस मुल्क न होगी जो कुछ फ़िदया दिया है वापिस लेना मगर जो मिक्दार देत यानी दस हज़ार दिरहम से ज़ायद हो वो नहीं ले सकता क्योंकि खरीद का हुक्म है पस ज़ायद देत से ग़बन (ग़बन फ़ाहिश यानी खुला हुआ नुक़सान जिस को आम तौर पर लोग जान सकते हैं) फ़ाहिश नाजायज़ होगा बखिलाफ़ हुक्म तफ़दिया के फ़ाफ़हम। कुछ विद्वानों ने फ़रमाया कि बक़ियास कथन इमाम आज़म रह० चाहिए कि जिस क़द्र इस ने इस के फ़िदये में दिया है सब वापिस लेले चाहे मिक्दार दियत से कम हो या ज़्यादा हो असह यह है कि इमामे आज़म रह० और इमाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मौहम्मद रह० सब के अनुसार वही हुक्म है जो वर्णित हुआ है और अली हाज़ा अगर असीर वर्णित ने

फ़िदया में इस ने दिया है वो इस असीर रिहा शुदह के ज़िम्मे क़र्ज़ा होगा पस तमाम जो कुछ इस ने फ़िदया में दिया है इस से वापिस लेगा बशर्तेकि मिक्दार देत से ज़ायद न हो और अगर इस ने मिक्दार देत से ज़ायद माल इस के फ़िदये में दिया है तो इस पर रिहा शुदह से फ़क़त बक़द्र देत के वापिस ले सकता है और जो कुछ इस से .ज्यादा है वो नहीं ले सकता है। क़ालल मुतरजम यानी जब असीर मुसलमान या ज़िम्मीने अपने खरीद लेने का हुक्म दिया तो यह हक़ीक़त में खरीद नहीं बल्कि तफ़दिया है पस मुल्क न होगी जो कुछ फ़िदया दिया है वापिस लेगा मगर जो मिक्दार देत यानी दस हज़ार दिरहम से ज़ायद हो वो नहीं ले सकता क्योंकि खरीद का हुक्म है पस ज़ायद देत से ग़बन (ग़बन फ़ाहिश यानी खुला हुआ नुक़सान जिस को आम तौर पर लोग जान सकते हैं) फ़ाहिश नाजायज़ होगा बखिलाफ़ हुक्म तफ़दिया के फ़ाफ़हम। बाज़ मशाइख ने फ़रमाया कि बक़ियास क़ौल इमाम आज़म रह० चाहिए कि जिस क़द्र इस ने इस के फ़िदये में दिया है सब वापिस लेले .ख्वाह मिक्दार दियत से कम हो या .ज्यादा हो असह यह है कि इमामे आज़म रह० और इमाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मौहम्मद रह० सब के अनुसार वही हुक्म है जो मज़कूर हुआ है और अली हाज़ा अगर असीर मज़कूर ने इस से कहा हो कि हज़ार दिरहम फ़िदया दे कर मुझे इन से छुडाले और मामूर को इतने के औज़ छुडा लेगा मुमकिन न हुआ हत्ता कि इस ने .ज्यादा दे कर छुडा लिया तो मामूर मज़कूर इस से फ़क़त हज़ार दिरहम वापिस ले सकता है यह ज़खीरा में है।

अगर गुलाम माज़ून ने किसी को हुक्म किया कि मुझे फ़िदया करादे तो यह इस माज़ून के मौला पर जायज़ होगा :

अगर असीर ने मामूर से यानी जिस से अपने छुड़ाने के वास्ते कहा है यूं कहा कि मुझे इन लोगों से फ़िदया कराले बऔज़ इस चीज़ के जो तेरी राये में आये या जिस के औज़ तो चाहे या यूं कहा कि मुझे तो इन से फ़िदया कराने और मेरे फ़िदया करा लेने में जो तू इस से कहा हो कि हज़ार दिरहम फ़िदया दे कर मुझे इन से छुडाले और मामूर को इतने के औज़ छुडा लेना मुमकिन न हुआ हत्ता कि इस ने .ज्यादा दे कर छुडा लिया तो मामूर वर्णित इस से फ़क़त हज़ार दिरहम वापिस ले सकता है यह ज़खीरा में है।

अगर गुलाम माज़ून ने किसी को हुक्म किया कि मुझे फ़िदया करादे तो यह इस माज़ून के मौला पर जायज़ होगा :

अगर असीर ने मामूर से यानी जिस से अपने छुड़ाने के लिएकहा है यूं कहा कि मुझे इन लोगों से फ़िदया कराले बऔज़ इस चीज़ के जो तेरी राये में आये या जिस के औज़ तो चाहे या यूं कहा कि मुझे तो इन से फ़िदया कराने और मेरे फ़िदया करा लेने में जो तू करेगा जायज़ होगा तो इस स्थिति में जो कुछ वो इस के फ़िदया में दे चाहे क़लील हो या कसीर हो सब वापिस लेगा और अगर यह क़ैदी गुलाम हो या बान्दी हो और इस ने किसी मुसलमान या ज़िम्मी मुस्ताम्मन से कहा कि मुझे इन से खरीद ले या फ़िदया कराले पस इस ने इस की क़ीमत के मिस्ल या कम या .ज्यादा पर ऐसा कर लिया तो यह जायज़ है और वो इस ग्राहक का ग़ुलाम होगा। अगर ग़ुलाम ने कहा कि मुझे मेरे लिएखरीद दे पस अगर इस को इस के मिस्ल क़ीमत या बग़ैं यसीर खरीद दिया और इन को खबर दी कि मैं इस को इस की ज़ात के लिएखरीदता हूं तो यह ग़ुलाम आज़ाद होगा कि इस पर मुल्क की कोई राह न होगी फिर मामूर को इख्तयार होगा कि जो कुछ इस ने इस ग़ुलाम को फ़िदया में दिया है इस से वापिस ले यह मुहीत में है। अगर मकातिब ने किसी व्यक्ति को हुक्म दिया कि मुझे फ़िदया करादे पस इस ने फ़िदया करा दिया तो जिस क़द्र इस ने फ़िदया में दिया है मकातिब से वापिस लेगा और अगर मकातिब वर्णित अदाऐ किताबत से आजिज़ (जो माल कि बदल किताबत मुक़र्रर हुआ था इस को अदा न कर सका) हो गया तो माल वर्णित इस की गर्दन पर क़र्ज़ा होगा यानी इस के औज़ वो मौला के पास से फ़रोख्त कराया जा सकता है। अगर मकातिब ने इस को हुक्म

करेगा जायज़ होगा तो इस सूरत में जो कुछ वो इस के फ़िदया में दे ख़्वाह क़लील हो या कसीर हो सब वापिस लेगा और अगर यह क़ैदी गुलाम हो या बान्दी हो और इस ने किसी मुसलमान या ज़िम्मी मुस्ताम्मन से कहा कि मुझे इन से खरीद ले या फ़िदया कराले पस इस ने इस की क़ीमत के मिस्ल या कम या ज़्यादा पर ऐसा कर लिया तो यह जायज़ है और वो इस मुशतरी का गुलाम होगा। अगर गुलाम ने कहा कि मुझे मेरे वास्ते खरीद दे पस अगर इस को इस के मिस्ल क़ीमत या बग़ीं यसीर खरीद दिया और इन को खबर दी कि मैं इस को इस की ज़ात के वास्ते खरीदता हूं तो यह गुलाम आज़ाद होगा कि इस पर मुल्क की कोई राह न होगी फिर मामूर को इख़्तयार होगा कि जो कुछ इस ने इस गुलाम को फ़िदया में दिया है इस से वापिस ले यह मुहीत में है। अगर मकातिब ने किसी शख़्स को हुक्म दिया कि मुझे फ़िदया करादे पस इस ने फ़िदया करा दिया तो जिस क़द्र इस ने फ़िदया में दिया है मकातिब से वापिस लेगा और अगर मकातिब मज़कूर अदाऐ किताबत से आजिज़ (जो माल कि बदल किताबत मुक़र्रर हुआ था इस को अदा न कर सका) हो गया तो माल मज़कूर इस की गर्दन पर क़र्ज़ा होगा यानी इस के औज़ वो मौला के पास से फ़रोख़्त कराया जा सकता है। अगर मकातिब ने इस को हुक्म दिया कि मुझे पांच हज़ार दिरहम के औज़ फ़िदया करादे हालांकि इस की क़ीमत हज़ार दिरहम है तो इमामे आज़म रह० के अनुसार जायज़ है और साहिबीन रह० के क़ौल के मुवाफ़िक़ नहीं जायज़ है इल्ला बक़द्र हज़ार दिरहम के लेकिन यह इस वक्त तक है कि वो आज़ाद नहीं हुआ है। अगर गुलाम माज़ून ने किसी को हुक्म किया कि मुझे फ़िदया करादे तो यह इस माज़ून के मौला पर जायज़ होगा यानी अगर इस ने फ़िदया करा दिया तो जो माल दिया है वो इस माज़ून के मौला से नहीं ले सकता है और न इस माज़ून के रक़बा से वसूल पा सकता है जब तक वो ममलूक है हां जब आज़ाद हो जाये तो यह माल इस पर अदा करना लाज़िम होगा। अगर किसी अजनबी ने दूसरे को हुक्मू किया कि जो दारूल हरब में असीर है इस को खरीद ले पस अगर दिया कि मुझे पांच हज़ार दिरहम के औज़ फ़िदया करादे हालांकि इस की क़ीमत हज़ार दिरहम है तो इमामे आज़म रह० के अनुसार जायज़ है और साहिबीन रह० के कथन के मुवाफ़िक़ नहीं जायज़ है सिवा बक़द्र हज़ार दिरहम के लेकिन यह इस समय तक है कि वो आज़ाद नहीं हुआ है। अगर गुलाम माज़ून ने किसी को हुक्म किया कि मुझे फ़िदया करादे तो यह इस माज़ून के मौला पर जायज़ होगा यानी अगर इस ने फ़िदया करा दिया तो जो माल दिया है वो इस माज़ून के मौला से नहीं ले सकता है और न इस माज़ून के गुलामसे वसूल पा सकता है जब तक वो ममलूक है हां जब आज़ाद हो जाये तो यह माल इस पर अदा करना अनिवार्य होगा। अगर किसी अजनबी ने दूसरे को हुक्मू किया कि जो दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें असीर है इस को खरीद ले पस अगर मामूर से यूं कहा कि इस को मेरे लिएखरीद ले या कहा कि इस को मेरे माल से खरीद ले तो मामूर इस माल को जिस के औज़ खरीदा है इस हुक्म देने वाले से लेगा और अगर इस ने यह लफ़्ज़ कि मेरे लिएया मेरे माल से न कहा हो तो वो इस हुक्म देने (1) वाले से वापिस नहीं ले सकता है सिवा इस स्थिति में कि इस का खलीत (शरीक या खलीत) हो यह ज़हीरिया में है।

फ़तावा में वर्णित है कि अगर क़ैदी ने किसी व्यक्ति को वकील किया कि मुझे फ़िदया करादे फिर वकील ने किसी दूसरे से कहा कि इस को मेरे लिएखरीद दे तो जायज़ है और इसी तरह अगर वकील ने इस से कहा कि इस को मेरे लिएमेरे माल से खरीद दे तो भी जायज़ है और वकील को इख़्तयार होगा कि इस असीर मौक्कल से यह माल वापिस ले और अगर वकील ने दूसरे वकील से यूं कहा कि इस को खरीद और यह न कहा कि मेरे लिएया मेरे माल से फिर दूसरे वकील ने खरीदा तो वो मततूअ यानी अहसान कतने वाला हो जायेगा हत्ता कि वकील दोयम किसी से यह माल नहीं ले सकता है और वकील अव्वल भी अपने मौक्कल से कुछ नहीं ले सकता है यह मुहीत में है। अगर एक गिरोह मुसलमानों ने अपने चन्दा से माल जमा किया और एक व्यक्ति कों दिया कि वो दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी

मामूर से यूं कहा कि इस को मेरे वास्ते खरीद ले या कहा कि इस को मेरे माल से ख़रीद ले तो मामूर इस माल को जिस के औज़ ख़रीदा है इस हुक्म देने वाले से लेगा और अगर इस ने यह लफ़्ज़ कि मेरे वास्ते या मेरे माल से न कहा हो तो वो इस हुक्म देने (1) वाले से वापिस नहीं ले सकता है इल्ला इस सूरत में कि इस का खलीत (शरीक या खलीत) हो यह ज़हीरिया में है।

फ़तावा में मज़कूर है कि अगर क़ैदी ने किसी शख़्स को वकील किया कि मुझे फ़िदया करादे फिर वकील ने किसी दूसरे से कहा कि इस को मेरे वास्ते खरीद दे तो जायज़ है और इसी तरह अगर वकील ने इस से कहा कि इस को मेरे वास्ते मेरे माल से खरीद दे तो भी जायज़ है और वकील को इख़्तयार होगा कि इस असीर मौक्कल से यह माल वापिस ले और अगर वकील ने दूसरे वकील से यूं कहा कि इस को खरीद और यह न कहा कि मेरे वास्ते या मेरे माल से फिर दूसरे वकील ने खरीदा तो वो मततूअ़ यानी अहसान कुनिन्दा हो जायेगा हत्ता कि वकील दोयम किसी से यह माल नहीं ले सकता है और वकील अव्वल भी अपने मौक्कल से कुछ नहीं ले सकता है यह मुहीत में है। अगर एक गिरोह मुसलमानों ने अपने चन्दा से माल जमा किया और एक शख़्स कों दिया कि वो दारूल हरब में जाकर हरबियों से मुसलमान क़ैदियों को खरीदे तो यह शख़्स इस मुल्क के ताजिरों से दरयाफ़्त करेगा पस जिस की निस्बत इस को खबर दी जाये कि यह आज़ाद है और इन लोगों के पंजे में असीर है तो शख़्स मज़कूर इस को खरीद लेगा मगर इसी क़द्र क़ीमत देगा कि अगर यह वाक़े में ग़ुलाम होता तो इस मक़ाम पर इस की क्या क़ीमत होती पस इसी क़द्र क़ीमत से तजावुज़ न करेगा यानी बऔज़ इस की मिस्ल क़ीमत के या ख़फ़ीफ़ ज़्यादती के साथ खरीद सकता है और अगर शख़्स मामूर ने किसी असीर को खरीदना चाहा पस असीर ने इस से कहा कि मेरे वास्ते मुझे खरीद ले पस मामूर ने इसी माल से जो इस को दिया गया है खरीद दिया तो मामूर इस माल का ज़ामिन होगा और असीर मज़कूर से जिस को खरीद दिया है यह माल वापिस लेगा और अगर शख़्स मामूर मज़कूर ने इस असीर से जिस ने

शासित देशमें जाकर हरबियों से मुसलमान क़ैदियों को खरीदे तो यह व्यक्ति इस मुल्क के ताजिरों से दरयाफ़्त करेगा पस जिस की निस्बत इस को खबर दी जाये कि यह आज़ाद है और इन लोगों के पंजे में असीर है तो व्यक्ति वर्णित इस को खरीद लेगा मगर इसी क़द्र क़ीमत देगा कि अगर यह स्थपित में ग़ुलाम होता तो इस मक़ाम पर इस की क्या क़ीमत होती पस इसी क़द्र क़ीमत से तजावुज़ न करेगा यानी बऔज़ इस की मिस्ल क़ीमत के या ख़फ़ीफ़ ज़्यादती के साथ खरीद सकता है और अगर व्यक्ति मामूर ने किसी असीर को खरीदना चाहा पस असीर ने इस से कहा कि मेरे लिएमुझे खरीद ले पस मामूर ने इसी माल से जो इस को दिया गया है खरीद दिया तो मामूर इस माल का ज़ामिन होगा और असीर वर्णित से जिस को खरीद दिया है यह माल वापिस लेगा और अगर व्यक्ति मामूर वर्णित ने इस असीर से जिस ने इस से समय इरादा खरीद के यह कहा था कि मुझे मेरे लिएखरीद ले यूं कहा कि मैं तुझे बऔज़ इस माल के जो मुझे दिया गया है बग़र्ज़ हुसूल सवाब खरीदूंगा फिर इस को खरीदा तो मालिकान मालिक के लिएखरीदने वाला होगा यह तातार खानिया में है। अगर ज़ैद ने उमर को हुक्म किया कि दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें से एक इस पर निश्चित आज़ाद यानी मसलन खालिद को बऔज़ माल मुसम्मई के यानी मसलन बऔज़ हज़ार दिरहम के खरीदे पस उमर ने खालिद को खरीदा तो खालिद पर उमर के लिएइस माल से कुछ अनिवार्य न होगा। हां उमर को यह इख़्तयार होगा कि ज़ैद से यह माल वापिस ले बशर्तेकि ज़ैद ने इस के लिएइस माल की ज़मानत कर ली हो या यह कहा हो कि इस को मेरे लिएखरीद दे। अगर ज़ैद ने उमर से कहा हो कि तू खालिद को खालिद की ज़ात के लिएखरीद और इस के सवाब की अल्लाह तआला से उम्मीद रख तो उमर व ज़ैद से कुछ नहीं ले सकता है यह मुहीत में है।

दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशसे वापसी हो तो कुफ़्फ़ार के ज़ुरूफ़ व असास में से हर चीज़ को इस तरह तोडे कि बाद

इस से वक्त इरादा खरीद के यह कहा था कि मुझे मेरे वास्ते खरीद ले यूं कहा कि मैं तुझे बऔज़ इस माल के जो मुझे दिया गया है बग़र्ज़ हुसूल सवाब खरीदूंगा फिर इस को खरीदा तो मालिकान मालिक के वास्ते खरीदने वाला होगा यह तातार खानिया में है। अगर ज़ैद ने उमरो को हुक्म किया कि दारूल हरब में से एक इस पर मुअय्यन आज़ाद यानी मसलन खालिद को बऔज़ माल मुसम्मई के यानी मसलन बऔज़ हज़ार दिरहम के खरीदे पस उमरो ने खालिद को खरीदा तो खालिद पर उमरो के वास्ते इस माल से कुछ वाजिब न होगा। हां उमरो को यह इख्तियार होगा कि ज़ैद से यह माल वापिस ले बशर्तेकि ज़ैद ने इस के वास्ते इस माल की ज़मानत कर ली हो या यह कहा हो कि इस को मेरे वास्ते खरीद दे। अगर ज़ैद ने उमरो से कहा हो कि तू खालिद को खालिद की ज़ात के वास्ते खरीद और इस के सवाब की अल्लाह तआला से उम्मीद रख तो उमरो व ज़ैद से कुछ नहीं ले सकता है यह मुहीत में है।

दारूल हरब से वापसी हो तो कुफ़्फ़ार के ज़ुरूफ़ व असास में से हर चीज़ को इस तरह तोड़े कि बाद शिकस्ता होने के वो नफ़ा के लायक़ न रहें :

एक शख़्स दारूल हरब में दाखिल हुआ और इस के पास इस क़द्र माल है कि इस से फ़क़त एक क़ैदी खरीद सकता है तो आलमे असीर के खरीदने से जाहिल क़ैदी का खरीदना अफ़ज़ल है यह सरामिया में है। जब इमामुल मुस्लिमीन रह० ने दारूल हरब से दारूल इस्लाम की तरफ़ ऊद करना चाहा और हाल यह है कि इस के साथ इस कसरत से मवेशी हैं कि इन को दारूल इस्लाम में लाने पर क़ुदरत नहीं है तो यह न करे कि इन की कोंचें काट कर वहां छोड़े बल्कि इन को ज़िबह करके जलादे और हथियारों को भी जलादे और जो हथियार ऐसे हों कि सोख़्ता न हो सकें मसलन लोहे के हैं तो इन को ऐसी जगह दफ़न करदे जहां कुफ़्फ़ार वाक़िफ़ न हों यह काफ़ी में है। कुफ़्फ़ार के ज़ुरूफ़ व असास में से हर चीज़ को इस तरह तोड़े कि बाद शिकस्ता होने के वो नफ़ा के

शिकस्ता होने के वो नफ़ा के लायक़ न रहें :

एक व्यक्ति दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल हुआ और इस के पास इस क़द्र माल है कि इस से फ़क़त एक क़ैदी खरीद सकता है तो आलमे असीर के खरीदने से जाहिल क़ैदी का खरीदना अफ़ज़ल है यह सरामिया में है। जब इमामुल मुस्लिमीन रह० ने दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशसे दारूल इस्लाम की तरफ़ ऊद करना चाहा और हाल यह है कि इस के साथ इस कसरत से मवेशी हैं कि इन को दारूल इस्लाम में लाने पर क़ुदरत नहीं है तो यह न करे कि इन की कोंचें काट कर वहां छोड़े बल्कि इन को ज़िबह करके जलादे और हथियारों को भी जलादे और जो हथियार ऐसे हों कि सोख़्ता न हो सकें मसलन लोहे के हैं तो इन को ऐसी जगह दफ़न करदे जहां कुफ़्फ़ार वाक़िफ़ न हों यह काफ़ी में है। कुफ़्फ़ार के ज़ुरूफ़ व असास में से हर चीज़ को इस तरह तोड़े कि बाद शिकस्ता होने के वो नफ़ा के लायक़ न रहें और रोग़नों और तमाम सियाल चीज़ों को इस तरह बहाऐ कि फिर अहले

(1)और वाज़ह हो कि वो इस असीर से किसी स्थिति में वापिस नहीं ले सकता है।

कुफ्र इस से इन्तफ़ाअ हासिल न कर सकें और यह सब उमूर इस लिएकरे कि अहले कुफ्र घट कर कर जलें और रहे क़ैदी पस जब ऐसे हों कि इन को दारूल इस्लाम में मुन्तक़िल कर लाना मुतअज़्ज़र हो तो इन में से मर्दों को क़त्ल कर दे अगर वो इस्लाम न लाऐं और औरतों व बच्चों को और बूढ़ों को ऐसी ज़मीन में छोड़ दे किवहां भूक व प्यास से मर जाऐं। इस लिएकि इन का क़त्ल करना तो मुतअज़्ज़र है क्योंकि मुमानिअत है और इन का बाक़ी रखना ग़ैर मवज्जह है और इसी लिएजब मुसलमान लोग दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें सांप या बिच्छू पाऐं तो यह करेंगे कि बिच्छू की दुम काट देंगे और सांप के दांत तोड़ देंगे और इन को बिल्कुल क़त्ल न करेंगे ताकि जब तक मुसलमान वहां हैं तब तक मुसलमानों से इन्कार ज़रर दफ़ा हो और पीछे इन की नसल बाक़ी रहे ताकि मोजिब ईज़ा के कुफ़्फ़ार हो यह

लायक़ न रहें और रोग़नों और तमाम सियाल चीज़ों को इस तरह बहाऐ कि फिर अहले

(1)और वाज़ह हो कि वो इस असीर से किसी सूरत में वापिस नहीं ले सकता है।

कुफ़्र इस से इन्तफ़ाअ हासिल न कर सकें और यह सब उमूर इस वास्ते करे कि अहले कुफ़्र घट कर कर जलें और रहे क़ैदी पस जब ऐसे हों कि इन को दारूल इस्लाम में मुन्तक़िल कर लाना मुतअज़र हो तो इन में से मर्दों को क़त्ल कर दे अगर वो इस्लाम न लाऐं और औरतों व बच्चों को और बूढ़ों को ऐसी ज़मीन में छोड़ दे किवहां भूक व प्यास से मर जाऐं। इस वास्ते कि इन का क़त्ल करना तो मुतअज़र है क्योंकि मुमानिअत है और इन का बाक़ी रखना ग़ैर मवज्जह है और इसी वास्ते जब मुसलमान लोग दारूल हरब में सांप या बिच्छू पाऐं तो यह करेंगे कि बिच्छू की दुम काट देंगे और सांप के दांत तोड़ देंगे और इन को बिल्कुल क़त्ल न करेंगे ताकि जब तक मुसलमान वहां हैं तब तक मुसलमानों से इन्कार ज़रर दफ़ा हो और पीछे इन की नसल बाक़ी रहे ताकि मोजिब ईज़ा के कुफ्फ़ार हो यह सिराज वहाज में है। वाज़ह हो कि असल यह है कि जब तक ग़नाइम दारूल इस्लाम में न आजाऐं कि जिस से महरज़ हो जाते हैं तब तक वो ममलूक नहीं हो जाते हैं कज़ा फ़ी मुहीत उल सुरखी और इस असल पर चन्द मसाइल मबनी हैं अज़ अंजुमला यह है कि अगर मुजाहिदीन ग़ानमीन से किसी शख़्स ने ग़नीमत फी बान्दियों फी बान्दियों में से किसी बान्दी से वती की पस इस के बच्चा पैदा हुआ और वती करने वाले ने इस के नसब का दअवा किया तो नसब साबित न होगा और उक़्र (1) वाजिब होगा और यह बान्दी और बच्चा और यह उक़्र इन सब ग़ानमीन के दरमियान तक़सीम किया जायेगा और अज़ अंजुमला यह है कि अगर माल ग़नीमत इमाम ने दारूल हरब में तक़सीम कर दिया फिर कोई मुजाहिद जिस को ग़नीमत का हिस्सा मिला है दारूल हरब ही में मर गया क़ब्ल इस के कि इस का हिस्सा ग़नीमत दारूल इस्लाम में आ जाये तो इस माल की इस के विरसा मीरास न (2) पाऐंगे। अज़ अंजुमला यह है कि अगर ग़नीमत में से कोई चीज़ किसी

सिराज वहाज में है। वाज़ह हो कि असल यह है कि जब तक ग़नाइम दारूल इस्लाम में न आजाऐं कि जिस से महरज़ हो जाते हैं तब तक वो ममलूक नहीं हो जाते हैं कज़ा फ़ी मुहीत उल सुरखी और इस असल पर चन्द मसाइल मबनी हैं अज़ अंजुमला यह है कि अगर योद्धाओं ग़ानमीन से किसी व्यक्ति ने ग़नीमत की बान्दियों की बान्दियों में से किसी बान्दी से वती की पस इस के बच्चा पैदा हुआ और वती करने वाले ने इस के वंश का दअवा किया तो वंश साबित न होगा और उक़्र (1) अनिवार्य होगा और यह बान्दी और बच्चा और यह उक़्र इन सब ग़ानमीन के दरमियान तक़सीम किया जायेगा और अज़ अंजुमला यह है कि अगर माल ग़नीमत इमाम ने दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें तक़सीम कर दिया फिर कोई मुजाहिद जिस को ग़नीमत का हिस्सा मिला है दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशही में मर गया क़ब्ल इस के कि इस का हिस्सा ग़नीमत दारूल इस्लाम में आ जाये तो इस माल की इस के विरसा मीरास न (2) पाऐंगे। अज़ अंजुमला यह है कि अगर ग़नीमत में से कोई चीज़ किसी ग़ाज़ी ने तलफ़ कर दी तो हमारे अनुसार वो ज़ामिन न होगा। और अज़ अंजुमला यह है कि अगर इमाम ने बदूं अपने (3) इजतहाद के और बदूं हाजत ग़ाज़ियों के माल ग़नीमत तक़सीम कर दिया तो हमारे अनुसार नहीं सही है यह तबयुन में है।

यह हुक्म इस समय है कि मुत्तसिल बदारूल इस्लाम न हो और जिस स्थिति में कि मुत्तसिल बदारूल इस्लाम हो और इमाम ने इस को फ़तह कर लिया और इस पर अहकाम इस्लाम जारी किये तो तक़सीम करने में मुज़ायक़ा नहीं है। यह शरह तहावा में है और अगर इमाम ने ग़नीमत को दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें अपने इज्तहाद से या बसबब हाजत ग़ाज़ियों के तक़सीम कर दिया तो क़िस्मत सही है और दारूल इस्लाम में ग़नीमत निकाल लाये जाने के बाद जो ग़ाज़ी मरा है इस का हिस्सा इस के वारिसों के लिएमीरास होगा यह हिदाया में है। जो मदद मुसलमानों फी दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें जा मिली है यह लश्कर मदद

ग़ाज़ी ने तलफ़ कर दी तो हमारे अनुसार वो ज़ामिन न होगा। और अज़ अंजुमला यह है कि अगर इमाम ने बदूं अपने (3) इजतहाद के और बदूं हाजत ग़ाज़ियों के माल ग़नीमत तक़सीम कर दिया तो हमारे अनुसार नहीं सही है यह तबयुन में है।

यह हुक्म इस वक्त है कि मुत्तसिल बदारूल इस्लाम न हो और जिस सूरत में कि मुत्तसिल बदारूल इस्लाम हो और इमाम ने इस को फ़तह कर लिया और इस पर अहकाम इस्लाम जारी किये तो तक़सीम करने में मुज़ायक़ा नहीं है। यह शरह तहावा में है और अगर इमाम ने ग़नीमत को दारूल हरब में अपने इज्तहाद से या बसबब हाजत ग़ाज़ियों के तक़सीम कर दिया तो क़िस्मत सही है और दारूल इस्लाम में ग़नीमत निकाल लाये जाने के बाद जो ग़ाज़ी मरा है इस का हिस्सा इस के वारिसों के वास्ते मीरास होगा यह हिदाया में है। जो मदद मुसलमानों की दारूल हरब में जा मिली है यह लश्कर मदद भी इस ग़नीमत में इन का शरीक होगा और इन की शिरकत जब ही मुन्क़तअ होगी कि जब यह ग़नीमत दारूल इस्लाम में मोहरिज़ हो चुकी हो या दारूल हरब में तक़सीम हो गई हो या इमाम ने ग़नीमत को फ़रोख़्त कर दिया हो। अगर लश्कर ने दारूल हरब में से कोई शहर फ़तह किया और इन पर ग़ालिब हो गये फिर इन लोगों से मदद दी लश्कर जा मिला तो मदद वाले इन लोगों के साथ ग़नीमत में शरीक होंगे इस वास्ते कि यह शहर बिलाद इसम में से हो गया। बाज़ारी (4) आदमियों के वास्ते सहम नहीं होता है इल्ला इस सूरत कि वो क़िताल करें पस अगर वो क़िताल करें तो इन को हिस्सा ग़नीमत मिलेगा और सवार व प्यादा की हालत इस वक्त की मोअतबर है जिस वक्त इस ने क़िताल करें पस अगर वो क़िताल करें तो इन को हिस्सा ग़नीमत मिलेगा और सवार व प्यादा की हालत इस वक्त की मोअतबर है जिस वक्त इस ने क़िताल किया है यानी अगर सवारी की हालत में क़िताल किया है तो इस को हिस्सा सवार मिलेगा और अगर प्यादा क़िताल किया है तो हिस्सा प्यादा मिलेगा ह इख़्तयार शरह मुख़्तार में है और इसी तरह जो शख़्स दारूल हरब में मुसलमान हुआ था और लश्कर इस्लाम भी इस ग़नीमत में इन का शरीक होगा और इन की शिरकत जब ही मुन्क़तअ होगी कि जब यह ग़नीमत दारूल इस्लाम में मोहरिज़ हो चुकी हो या दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें तक़सीम हो गई हो या इमाम ने ग़नीमत को फ़रोख़्त कर दिया हो। अगर लश्कर ने दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें से कोई शहर फ़तह किया और इन पर ग़ालिब हो गये फिर इन लोगों से मदद दी लश्कर जा मिला तो मदद वाले इन लोगों के साथ ग़नीमत में शरीक होंगे इस लिएकि यह शहर बिलाद इसम में से हो गया। बाज़ारी (4) आदमियों के लिएसहम नहीं होता है सिवा इस स्थिति कि वो क़िताल करें पस अगर वो क़िताल करें तो इन को हिस्सा ग़नीमत मिलेगा और सवार व प्यादा की हालत इस समय की मोअतबर है जिस समय इस ने क़िताल करें पस अगर वो क़िताल करें तो इन को हिस्सा ग़नीमत मिलेगा और सवार व प्यादा की हालत इस समय की मोअतबर है जिस समय इस ने क़िताल किया है यानी अगर सवारी की हालत में क़िताल किया है तो इस को हिस्सा सवार मिलेगा और अगर प्यादा क़िताल किया है तो हिस्सा प्यादा मिलेगा ह इख़्तयार शरह मुख़्तार में है और इसी तरह जो व्यक्ति दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें मुसलमान हुआ था और लश्कर इस्लाम दाखिल होने पर वो लश्कर में आ गया और जो मुरतिद हो कर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें चला गया था तोबा करके लश्कर में आ गया और जो

(1) वो माल जो निकाह ग़ैर सही होगी व मिल्ली और व मिल्ली शुब्हा से मर्द पर अनिवार्य होता है।

(2) असल यूं है कि अगर कोईखानिम क़ब्ल इस के ग़नीमत दारूल इस्लाम में आकर मोहरज+ हो जाये मर गया तो इस के वारिस इस के हिस्सा ग़नीमत के वारिस न होंगे।

(3) इमाम आलिम कामिल है इस के इज्तहाद मेंयह ठीक मालूम हुआ कि ग़नीमत बदूं और दारूल इस्लाम के मुल्क में हो जाती है पस इस ने तक़सीम कर दी तोयह जायज+ है।

(4) लश्करे इस्लाम में बाज़ारी जो हमैशा साथ रहन और सहमयानी जैसे सवार व प्यादा के लि,एक सहम व दोमहाम मुक़र्रर हैं।

संरक्षण ले कर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें तिजारत के लिएगया था और लश्कर इस्लाम में मुलहक़ हो गया तो इन का भी वही हुक्म है कि अगर

दाखिल होने पर वो लश्कर में आ गया और जो मुरतिद हो कर दारूल हरब में चला गया था तोबा करके लश्कर में आ गया और जो

(1)वो माल जो निकाह ग़ैर सही होगी व मिल्ली और व मिल्ली शुब्हा से मर्द पर लाज़िम होता है।

(2)असलयूं है कि अगर कोईखानिम क़ब्ल इस के ग़नीमत दारूल इस्लाम में आकर मोहरज+ हो जाये मर गया तो इस के वारिस इस के हिस्सा ग़नीमत के वारिस न होंगे।

(3)इमाम आलिम कामिल है इस के इज्तहाद मेंयह ठीक मालूम हुआ कि ग़नीमत बदूं और दारूल इस्लाम के मुल्क में हो जाती है पस इस ने तक़सीम कर दी तौयह रवा है।

(4)लश्करे इस्लाम में बाज़ारी जो हमैशा साथ रहन और सहमयानी जैसे सवार व प्यादा के वास्तेएक सहम व दोमहाम मुक़र्रर हैं।

अमान ले कर दारूल हरब में तिजारत के वास्ते गया था और लश्कर इस्लाम में मुलहक़ हो गया तो इन का भी वही हुक्म है कि अगर उन्होंने शामिल हो कर क़िताल किया तो मुस्तहिक़ हिस्सा ग़नीमत होंगे वरना इन को कुछ न मिलेगा यह फ़तहुल क़दीर में है। वाज़ह रहे कि रदअ (1) और मक़ातिल दोनों यक्सां हैं (2) यह हिदाया में है।

अगर इमाम को ज़रूरत हुई कि ग़नीमत बार करके दारूल इस्लाम में मुन्तक़िल किया जाये और माले ग़नीमत में जानवर इन बार बरदारी हैं तो इमाम इस माले ग़नीमत को इन पर लाद कर दारूल इस्लाम में मुन्तक़िल कराये गा :

अगर लश्कर इस्लाम के साथ अजीर हों यानी मुसलमान मज़दूर हों कि इन को किसी ने खिदमत के वास्ते मज़दूर कर लिया हो तो इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर इस ने खिदमत तर्क करके कुफ़्फ़ार से क़िताल किया तो वो मुस्तहिक़ सहम हुआ और अगर इस ने खिदमत तर्क नहीं की है तो इस के वास्ते कोई इस्तहक़ाक़ नहीं है दर असल यह है कि जो शख़्स क़िताल के वास्ते दाखिल हुआ वो मुस्तहिक़ सहम है ख़्वाह इस ने क़िताल कियसा हो या न किया हो और जो शख़्स ग़ैर क़िताल के वास्ते दाखिल हुआ वो मुस्तहिक़ न होगा इल्ला इस सूरत में कि वो क़िताल करे और क़िताल

उन्होंने शामिल हो कर क़िताल किया तो मुस्तहिक़ हिस्सा ग़नीमत होंगे वरना इन को कुछ न मिलेगा यह फ़तहुल क़दीर में है। वाज़ह रहे कि रदअ (1) और मक़ातिल दोनों यक्सां हैं (2) यह हिदाया में है।

अगर इमाम को ज़रूरत हुई कि ग़नीमत बार करके दारूल इस्लाम में मुन्तक़िल किया जाये और माले ग़नीमत में जानवर इन बार बरदारी हैं तो इमाम इस माले ग़नीमत को इन पर लाद कर दारूल इस्लाम में मुन्तक़िल कराये गा :

अगर लश्कर इस्लाम के साथ अजीर हों यानी मुसलमान मज़दूर हों कि इन को किसी ने सेवा के लिएमज़दूर कर लिया हो तो इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर इस ने सेवा तर्क करके कुफ़्फ़ार से क़िताल किया तो वो मुस्तहिक़ सहम हुआ और अगर इस ने सेवा तर्क नहीं की है तो इस के लिएकोई इस्तहक़ाक़ नहीं है दर असल यह है कि जो व्यक्ति क़िताल के लिएदाखिल हुआ वो मुस्तहिक़ सहम है चाहे इस ने क़िताल कियसा हो या न किया हो और जो व्यक्ति ग़ैर क़िताल के लिएदाखिल हुआ वो मुस्तहिक़ न होगा सिवा इस स्थिति में कि वो क़िताल करे और क़िताल की अहलियत भी रखता हो और जो व्यक्ति लश्कर के साथ क़िताल के लिएदाखिल हुआ फिर इस ने क़िताल किया या मर्ज़ वग़ैरह की वजह से क़िताल न किया तो इस के लिएइस का सहम ग़नीमत होगा अगर प्यादा है तो प्यादा का हिस्सा और अगर सवार है तो सवार का हिस्सा और जो व्यक्ति क़िताल के लिएदाखिल हुआ फिर कुफ़ार के हाथ में असीर हो गया फ़िर क़ब्ल इस के कि ग़नीमत दारूल इस्लाम में निकाल लाई जाये वो रिहा हो गयसा तो इस के लिएइस का सहम ग़नीमत होगा यह सिराज वहाज में है।

की अहलियत भी रखता हो और जो शख़्स लश्कर के साथ क़िताल के वास्ते दाखिल हुआ फिर इस ने क़िताल किया या मर्ज़ वग़ैरह की वजह से क़िताल न किया तो इस के वास्ते इस का सहम ग़नीमत होगा अगर प्यादा है तो प्यादा का हिस्सा और अगर सवार है तो सवार का हिस्सा और जो शख़्स क़िताल के वास्ते दाखिल हुआ फिर कुफ़्फ़ार के हाथ में असीर हो गया फ़िर क़ब्ल इस के कि ग़नीमत दारूल इस्लाम में निकाल लाई जाये वो रिहा हो गयसा तो इस के वास्ते इस का सहम ग़नीमत होगा यह सिराज वहाज में है।

अगर अहले लश्कर को आग रौशन करने की हाजत हुई ख़्वाह पकाने के वास्ते या सदमा सर्दी दफ़ा करने की ग़र्ज़ से तो मुज़ायक़ा नहीं है कि अहले हरब की लकडियां व नरकुल वग़ैरह जो पाएं वो जला दें बशर्तेकि यह जलाने के वास्ते रखी गई हों :

अगर अहले लश्कर को आग रौशन करने की हाजत हुई चाहे पकाने के लिएया सदमा सर्दी दफ़ा करने की ग़र्ज़ से तो मुज़ायक़ा नहीं है कि अहले हरब की लकडियां व नरकुल वग़ैरह जो पाएं वो जला दें बशर्तेकि यह जलाने के लिएरखी गई हों :

अगर लश्कर के साथ ताजिर लोग दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल हुए जिन का इरादा क़िताल का नहीं है तो इन को जायज़ नहीं है कि तआम में से कोई चीज़ खों या अपने जानवरों को खिलाऐं सिवा इस स्थिति में कि खरीद करके दाम दे दें और अगर ऐसे ताजिर ने इस में से कोई चीज़ ख़ुद खाई या अपने जानवर को खिलाई तो इस पर ज़िमान अनिवार्य न होगी और अगर इस के पास इस में से कोई चीज़ बाक़ी हो तो इस से वो ले ली जायेगी और रहा लश्कर योद्धाओं का तो इन को मुज़ायक़ा नहीं है कि अपने ग़ुलामों को जो इन के साथ दाखिल हुए हैं बदीन ग़र्ज़ के सफ़र में इन के कामों में इआनत करें ऐसे खाने पीने की चीज़ों से इन को खिलाऐं और यही हुक्म इन मुजाहिदों की औरतों और बच्चों का है हां जो व्यक्ति इन मुजाहिदों के साथ मज़दूर सेवा करने के लिएमुक़र्रर होकर गया है वो नहीं खा सकता है। जब बूढ़ी औरतें बदीन ग़र्ज़ लश्कर के साथ दाखिल हुईं कि लश्कर के बीमारों और ज़ख़्मियों का इलाज करें तो यह औरतें ख़ुद खाऐंगी और अपने जानवरों को खिलाऐं और अपने रफ़ीक़ों को खिलाऐं यह सिराज वहाज में है। कुछ फ़र्क़ नहीं है ऐसे तआम में कि

अगर लश्कर के साथ ताजिर लोग दारूल हरब में दाखिल हुए जिन का इरादा क़िताल का नहीं है तो इन को रवा नहीं है कि तआम में से कोई चीज़ खों या अपने जानवरों को खिलाऐं इल्ला इस सूरत में कि खरीद करके दाम दे दें और अगर ऐसे ताजिर ने इस में से कोई चीज़ ख़ुद खाई या अपने जानवर को खिलाई तो इस पर ज़िमान वाजिब न होगी और अगर इस के पास इस में से कोई चीज़ बाक़ी हो तो इस से वो ले ली जायेगी और रहा लश्कर मुजाहिदीन का तो इन को मुज़ायक़ा नहीं है कि अपने ग़ुलामों को जो इन के साथ दाखिल हुए हैं बदीन ग़र्ज़ के सफ़र में इन के कामों में इआनत करें ऐसे खाने पीने की चीज़ों से इन को खिलाऐं और यही हुक्म इन मुजाहिदों की औरतों और बच्चों का है हां जो शख़्स इन मुजाहिदों के साथ मज़दूर खिदमत करने के वास्ते मुक़र्रर होकर गया है वो नहीं खा सकता है। जब बूढ़ी औरतें बदीन ग़र्ज़ लश्कर के साथ दाखिल हुई कि लश्कर के बीमारों और ज़ख़्मियों का इलाज करें तो यह औरतें ख़ुद खाऐंगी और अपने जानवरों को खिलाऐं और अपने रफ़ीक़ों को खिलाऐं यह सिराज वहाज में है। कुछ फ़र्क़ नहीं है ऐसे तआम में कि जो खाने के वास्ते मुहया हो और ऐसे तआम में जो खाने के वास्ते मुहया न हो यानी दोनों तरह का तआम खा सकते हैं हत्ता कि अहले लश्कर को रवा है कि गाये, बकरियां ऊंट वग़ैरह मवेशी को ज़िबह करके खाऐं आर इन की खालें माल ग़नीमत में दाखिल कर दें और इसी तरह हुबूब व शकर व फ़वाका तर व ख़ुश्क (गेंहू व चना व जो वग़ेरह) और हर शैय जो आदत के मुवाफ़िक़ खाई जाती है खाऐं और यह इताक़ ऐसे शख़्स के हक़ में है जिस के वास्ते सहम (1) ग़नीमत हो या वो रज़ख (2) के तौर पर ग़नीमत से पाने की लियाक़त रखता हो ख़्वाह वो ग़नी हो या फ़क़ीर हो या ताजिर व मज़दूर खिदमत को ऐसा खाना न दिया जायेगा इल्ला आँकि गेंहू की रोटी या पका हुआ गोश्त हो तो ऐसी सूरत में ताजिर व मज़दूर को भी खिला देने में मुज़ायक़ा नहीं है यह तबयुन में है। अगर लश्कर ने चारा अपने जानवरों के वास्ते और तआम अपने खाने के वास्ते और लकड़ियां इस्तेमाल के वास्ते और रोग़न इस्तेमाल के जो खाने के लिएमुहया हो और ऐसे तआम में जो खाने के लिएमुहया न हो यानी दोनों तरह का तआम खा सकते हैं हत्ता कि अहले लश्कर को जायज़ है कि गाये, बकरियां ऊंट वग़ैरह मवेशी को ज़िबह करके खाऐं आर इन की खालें माल ग़नीमत में दाखिल कर दें और इसी तरह हुबूब व शकर व फ़वाका तर व ख़ुश्क (गेंहू व चना व जो वग़ेरह) और हर शैय जो आदत के मुवाफ़िक़ खाई जाती है खाऐं और यह इताक़ ऐसे व्यक्ति के हक़ में है जिस के लिएसहम (1) ग़नीमत हो या वो रज़ख (2) के तौर पर ग़नीमत से पाने की लियाक़त रखता हो चाहे वो ग़नी हो या फ़क़ीर हो या ताजिर व मज़दूर सेवा को ऐसा खाना न दिया जायेगा सिवा आंकि गेंहू की रोटी या पका हुआ गोश्त हो तो ऐसी स्थिति में ताजिर व मज़दूर को भी खिला देने में मुज़ायक़ा नहीं है यह तबयुन में है। अगर लश्कर ने चारा अपने जानवरों के लिएऔर तआम अपने खाने के लिएऔर लकड़ियां इस्तेमाल के लिएऔर रोग़न इस्तेमाल के लिए और हथियार लड़ाई के लिएदारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशसे ले यि तो इन को यह जायज़ नहीं है कि इन में से कोई चीज़ फ़रोख्त की तो इस का क़ीमत माल ग़नीमत में दाखिल कर दें यह ग़ायतुल बयान में है। अगर उन्होंने तिल या प्याज़ या साग या मिर्च वग़ैरह ऐसी चीज़ें पाऐं जो आदत के मुवाफ़िक़ बतौर तअतीश खाई जाती हैं तो इन में से तनावुल करने में मुज़ायक़ा नहीं है और दवाओं व ख़ुशबू में से कुछ इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है और वाज़ह हो कि यह हुक्म जवाज़ उसी समय है कि इमामुल मुस्लिमीन ने इन को खाने पीने की चीज़ों से इन्तफ़ाअ हासिल करने से मना न किया हो और अगर इमाम ने इन को उस से मना कर दिया हो तो इन को ऐसी चीज़ों से इन्तफ़ाअ हासिल करना मुबाह नहीं है और अगर अहले लश्कर को आग रोशन करने की हाजत हुई चाहे पकाने के लिएया सदमा सर्दी दफ़ा करने की ग़र्ज़ से तो मुज़ायक़ा नहीं है हिक अहले हरब की लकड़ियां व नरकल वग़ैरह जो पाऐं वो जलादें बशर्तेकि यह जलाने के लिएरखी गइ हों और इस के सिवाए और काम के लिएरखी गई हों यानी आदत के मुवाफ़िक़ ज़ाहिर हो कि ऐसी चीज़ जलाने की

लिए और हथियार लड़ाई के वास्ते दारूल हरब से ले यिं तो इन को यह रवा नहीं है कि इन में से कोई चीज़ फ़रोख्त की तो इस का सिमन माल ग़नीमत में दाखिल कर दें यह ग़ायतुल बयान में है। अगर उन्होंने तिल या प्याज़ या साग या मिर्च वग़ैरह ऐसी चीज़ें पाऐं जो आदत के मुवाफ़िक़ बतौर तअतीश खाई जाती हैं तो इन में से तनावुल करने में मुज़ायक़ा नहीं है और दवाओं व ख़ुशबू में से कुछ इस्तेमाल करना रवा नहीं है और वाज़ह हो कि यह हुक्म जवाज़ उसी वक्त है कि इमामुल मुस्लिमीन ने इन को खाने पीने की चीज़ों से इन्तफ़ाअ हासिल करने से मना न किया हो और अगर इमाम ने इन को उस से मना कर दिया हो तो इन को ऐसी चीज़ों से इन्तफ़ाअ हासिल करना मुबाह नहीं है और अगर अहले लश्कर को आग रोशन करने की हाजत हुई ख़्वाह पकाने के वास्ते या सदमा सर्दी दफ़ा करने की ग़र्ज़ से तो मुज़ायक़ा नहीं है हिक अहले हरब की लकड़ियां व नरकल वग़ैरह जो पाऐं वो जलादें बशर्तेकि यह जलाने के वास्ते रखी गइ हों और इस के सिवाए और काम के वास्ते रखी गई हों यानी आदत के मुवाफ़िक़ ज़ाहिर हो कि ऐसी चीज़ जलाने की नहीं है मसलन लकडी के खठोते खठोतियां बनाने के वास्ते रखी गई हों और हाल यह कि इस की क़ीमत है तो इस का इस्तेमाल करना रवा नहीं है और अगर घोड़ों के वास्ते जो न मिलें तो मुज़ायक़ा नहीं हे कि गेंहू दे

(1) ग़नी हिस्से में से मुस्तहिक+ हिस्सा हो जैसे सवार व प्यादा लड़ाई वाला।

(2) जेसे औरतें कि इन के वास्ते हिस्सा ग़नीमत नहीं है मगर रज+ख+ के तौर पर दी जा सकती हैं।

और अगर इस ने दारूल हरब में साबुन या हरज़ (1) जो अहराज़ में की हुई है पाई तो इस से इन्तफ़ाअ हासिल नहीं रकर सकता है इल्ला बर वक्त ज़रूरत और अगर दारूल हरब की ज़मीन में हरज़ लगी हो और इस ने इस में से कुछ काट ली पस अगर इस काट ली हुई की कुछ क़ीमत हो तो इस से इन्तफ़ाअ नहीं जायज़ है इल्ला बवक्त ज़रूरमत अगर इस की कुछ क़ीमत न हो तो इस को बदून ज़रूरत लाहक़ होने के भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर अहले लश्कर में से एक शख़्स ने किसी आदमी को अपने लिये चारा लाने के वास्ते मज़दूर मुक़र्रर

नहीं है मसलन लकडी के खठोते खठोतियां बनाने के लिएरखी गई हों और हाल यह कि इस की क़ीमत है तो इस का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है और अगर घोड़ों के लिएजो न मिलें तो मुज़ायक़ा नहीं हे कि गेंहू दे

(1) ग़नी हिस्से में से मुस्तहिक+ हिस्सा हो जैसे सवार व प्यादा लड़ाई वाला।

(2) जेसे औरतें कि इन के लिएहिस्सा ग़नीमत नहीं है मगर रज+ख+ के तौर पर दी जा सकती हैं।

और अगर इस ने दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें साबुन या हरज़ (1) जो अहराज़ में की हुई है पाई तो इस से इन्तफ़ाअ हासिल नहीं रकर सकता है सिवा बर समय ज़रूरत और अगर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशकी ज़मीन में हरज़ लगी हो और इस ने इस में से कुछ काट ली पस अगर इस काट ली हुई की कुछ क़ीमत हो तो इस से इन्तफ़ाअ नहीं जायज़ है सिवा बवक्त ज़रूरमत अगर इस की कुछ क़ीमत न हो तो इस को बदून ज़रूरत लाहक़ होने के भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर अहले लश्कर में से एक व्यक्ति ने किसी आदमी को अपने लिये चारा लाने के लिएमज़दूर मुक़र्रर किया और वो किसी मतमूरह को गया और वहां से चारा लाया फिर कहा कि मीं राये में यूं आया है कि मैं यह चारा तुझे न दूं और अपने लिएरखूं और तुझ को तेरी उजरत वापिस कर दूं और मुस्ताजिर ने हट की कि नहीं मैं यह चारा ही लूंगा पस अगर अजीर ने यह इक़रार किया कि मैं यह चारा बर बनाये इजारा लाया हूं तो इस पर जबर किया जायेगा कि मुस्ताजर को देदे दर स्थिति यह कि दोनों इस चारा के हाजत मन्द हों सया दोनों इस से बे परवा हों और अगर अजीर (2) को इस की हाजत हो और मुस्ताजिर इस से बेपरवाह हो तो अजीर को इख़्तयार है कि इस को न दे लेकिन अजीर के लिएउजरत भी न होगी और अगर इस को इस लिएइजारा पर मुक़र्रर किया हो कि मेरे लिएख़ुश्क घास काट लाये और बाक़ी मसला बहाला हो तो मुस्ताजिर को इख़्तयार होगा कि इस से लेले अगर मुस्ताजर (3) इस घास से बेपरवाह हो और अजीर को इस की ज़रूरत हो मगर यह हुक्म इस स्थिति में है कि अजीर ने इक़रार किया कि मैं इसी के लिएकाट लाया हूं। यह ज़हीरिया में है।

किया और वो किसी मतमूरह को गया और वहां से चारा लाया फिर कहा कि मैं राये में यूं आया है कि मैं यह चारा तुझे न दूं और अपने वास्ते रखूं और तुझ को तेरी उजरत वापिस कर दूं और मुस्ताजिर ने हट की कि नहीं मैं यह चारा ही लूंगा पस अगर अजीर ने यह इक़रार किया कि मैं यह चारा बर बनाये इजारा लाया हूं तो इस पर जबर किया जायेगा कि मुस्ताजर को देदे दर सूरत यह कि दोनों इस चारा के हाजत मन्द हों सया दोनों इस से बे परवा हों और अगर अजीर (२) को इस की हाजत हो और मुस्ताजिर इस से बेपरवाह हो तो अजीर को इख़्तयार है कि इस को न दे लेकिन अजीर के वास्ते उजरत भी न होगी और अगर इस को इस वास्ते इजारा पर मुक़र्रर किया हो कि मेरे वास्ते ख़ुश्क घास काट लाये और बाक़ी मसला बहाला हो तो मुस्ताजिर को इख़्तयार होगा कि इस से लेले अगर मुस्ताजर (३) इस घास से बेपरवाह हो और अजीर को इस की ज़रूरत हो मगर यह हुक्म इस सूरत में है कि अजीर ने इक़रार किया कि मैं इसी के वास्ते काट लाया हूं। यह ज़हीरिया में है।

अगर दारूल हरब में कोई दरख़्त पाया और इस में से लकड़ी ली पस अगर इस जगह इस की कुछ क़ीमत हो तो इस से इन्तफ़ाअ हासिल करना नहीं रवा है इल्ला इस सूरत में कि खाना पकाने या सदमा-ए- सर्दी दफ़ा करने के वास्ते जला दें और अगर इस जगह इस लकडी की कुछ क़ीमत न हो लेकिन अहले लश्कर ने इस में कोई ऐसी दस्तकारी की है जिस से इस की क़ीमत हो गई है तो इस से इन्तफ़ाअ हासिल करने में मुज़ायक़ा नहीं है। अगर इस को दारूल इस्लाम में निकाल लाये और इमाम ने तक़सीम माल ग़नीमत का क़सद किया पस अगर इस मक़ाम पर जहां इमाम ने तक़सीम ग़नायम का क़सद कियसा है इस लकडी में से बे बनी हुई की कुछ क़ीमत हो तो इमाम को इस साख़्ता के हक़ में इख़्तयार है चाहे इन से साख़्ता को ले कर इन को इस क़द्र क़ीमत जो बसबब दस्तकारी के इस में बढ गई है दे कर इस साख़्ता को ग़नायम में दाखिल करले और चाहे इस साख़्ता को फ़रोख़्त करके इस का सिमन इस के साख़्त वग़ैर साख़्ता दोनों क़ीमतों पर तक़सीम करे पस जिस क़द्र

अगर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें कोई दरख़्त पाया और इस में से लकड़ी ली पस अगर इस जगह इस की कुछ क़ीमत हो तो इस से इन्तफ़ाअ हासिल करना नहीं जायज़ है सिवा इस स्थिति में कि खाना पकाने या सदमा-ए- सर्दी दफ़ा करने के लिएजला दें और अगर इस जगह इस लकडी की कुछ क़ीमत न हो लेकिन अहले लश्कर ने इस में कोई ऐसी दस्तकारी की है जिस से इस की क़ीमत हो गई है तो इस से इन्तफ़ाअ हासिल करने में मुज़ायक़ा नहीं है। अगर इस को दारूल इस्लाम में निकाल लाये और इमाम ने तक़सीम माल ग़नीमत का क़सद किया पस अगर इस मक़ाम पर जहां इमाम ने तक़सीम ग़नायम का क़सद कियसा है इस लकडी में से बे बनी हुई की कुछ क़ीमत हो तो इमाम को इस साख़्ता के हक़ में इख़्तयार है चाहे इन से साख़्ता को ले कर इन को इस क़द्र क़ीमत जो बसबब दस्तकारी के इस में बढ गई है दे कर इस साख़्ता को ग़नायम में दाखिल करले और चाहे इस साख़्ता को फ़रोख़्त करके इस का क़ीमत इस के साख़्त वग़ैर साख़्ता दोनों क़ीमतों पर तक़सीम करे पस जिस क़द्र साख़्ता के हिस्से में बनिस्बत ग़ैर साख़्ता के हिस्सा क़ीमत की ज़्यादती हो इस क़द्र हिस्सा दस्तकारी होगा वो इस दस्तकार को देदे जिस ने इस लकडी में दस्तकारी की है और जो बाक़ी रहा वो ग़नीमत में दाखिल करदे पस ग़नीमत पाने वालों का हक़ दस्तकारी मुन्क़तअ न होगा। अगर इस लकडी की दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें कुछ क़ीमत न हो और दारूल इस्लाम में भी जहां इमाम ने तक़सीम ग़नायम का क़सद किया है कुछ क़ीमत न हो तो वो लकडी इसीको मुसल्लिम रहेगी जो अपने साथ ले आया है यह मुहीत में है।

अगर किसी ने मिना या अरफ़ात में से किसी मक़ाम पर अपना ख़ैमा खड़ा कर लिया हालांकि इस से पहले इस मक़ाम पर एक व्यक्ति दीगर उतरा करता था और यह कार्य मअरूफ़ है :

अगर अहले लश्कर में से किसी आदमी ने किसी

साख़्ता के हिस्से में बनिस्बत ग़ैर साख़्ता के हिस्सा सिमन की ज़्यादती हो इस क़द्र हिस्सा दस्तकारी होगा वो इस दस्तकार को देदे जिस ने इस लकड़ी में दस्तकारी की है और जो बाक़ी रहा वो ग़नीमत में दाखिल करदे पस ग़नीमत पाने वालों का हक़ दस्तकारी मुन्क़तअ न होगा। अगर इस लकड़ी की दारूल हरब में कुछ क़ीमत न हो और दारूल इस्लाम में भी जहां इमाम ने तक़सीम ग़नायम का क़सद किया है कुछ क़ीमत न हो तो वो लकड़ी इसीको मुसल्लिम रहेगी जो अपने साथ ले आया है यह मुहीत में है।

अगर किसी ने मिना या अरफ़ात में से किसी मक़ाम पर अपना ख़ैमा खड़ा कर लिया हालांकि इस से पहले इस मक़ाम पर एक शख़्स दीगर उतरा करता था और यह अम्र मअरूफ़ है :

अगर अहले लश्कर में से किसी आदमी ने किसी मक़ाम पर तआम कसीर पाया जिस में से थोड़ा इस की हाजत है बचा और इस ने चाहा कि इस को दूसरे मक़ाम पर लावले जाउं मगर दीगर हाजत मन्दान लश्कर में से किसी ने इस से इस तआम को तलब किया पस अगर वो जानता है कि

(1)बज़हतीन व बसुकून वसत सजी को कहते हैं जो साबुन बनाने वालों के काम आती है।
(2)मज़दूरी करने वाला।
(3)किसीश]स को मज़दूरी पर मुक़र्रर करने वाला।

मुझे इस दूसरे मक़ाम पर तआम न मिलेगा तो मुज़ायक़ा नहीं है कि इस तलब करने वाले को देने से इन्कार करे और अपने साथ इस को दूसरे मक़ाम पर ले जाये और अगर ऐसा न हो तो इस का इन्कार करना हलाल नहीं है और अगर बावजूद शख़्स अव्वल की हाजत के दूसरे तालिब ने इस से यह तआम ले लिया और हुनूज़ इस में से खाया नही है कि शख़्स अव्वल ने इमाम से नालिश की और इमाम को शख़्स अव्वल की हाजत बजानिब इस तआम के मालूम हुई तो इमाम इस को वापिस करा देगा और अगर अव्वल इस का मौहताज नहीं और दूसरा इस का मौहताज मालूम हुआ तो इमाम इस

मक़ाम पर तआम कसीर पाया जिस में से थोड़ा इस की हाजत है बचा और इस ने चाहा कि इस को दूसरे मक़ाम पर लावले जाउं मगर दीगर हाजत मन्दान लश्कर में से किसी ने इस से इस तआम को तलब किया पस अगर वो जानता है कि

(1)बज़हतीन व बसुकून वसत सजी को कहते हैं जो साबुन बनाने वालों के काम आती है।
(2)मज़दूरी करने वाला।
(3)किसी व्यक्ति को मज़दूरी पर मुक़र्रर करने वाला।

मुझे इस दूसरे मक़ाम पर तआम न मिलेगा तो मुज़ायक़ा नहीं है कि इस तलब करने वाले को देने से इन्कार करे और अपने साथ इस को दूसरे मक़ाम पर ले जाये और अगर ऐसा न हो तो इस का इन्कार करना हलाल नहीं है और अगर बावजूद व्यक्ति अव्वल की हाजत के दूसरे तालिब ने इस से यह तआम ले लिया और हुनूज़ इस में से खाया नहीं है कि व्यक्ति अव्वल ने इमाम से नालिश की और इमाम को व्यक्ति अव्वल की हाजत बजानिब इस तआम के मालूम हुई तो इमाम इस को वापिस करा देगा और अगर अव्वल इस का मौहताज नहीं और दूसरा इस का मौहताज मालूम हुआ तो इमाम इस को दूसरे से वापिस न लेगा और अगर इमाम के अनुसार साबित हुआ कि दोनों इस से बेपरवा हैं तो ऐसी ख़ुसूमत (1) में इमाम इस को दूसरे से लेलेगा मगर अव्वल को वापिस न देगा बल्कि इन दोनों के सिवाए किसी दूसरे को देगा। यह हुक्म जो हम ने बयान किया है हर ऐसी चीज़ में जारी है जिस में मुसलमान लोग बहक़ शरई यक्सां हैं जैसे रबातात में उतरना किसी मक़ाम पर या मस्जिदों में इन्तज़ार नमाज़ के लिएबैठना या मिना में या अरफ़ात में हज के लिएकिसी जगह उतरना चुनांचे अगर मस्जिद में किसी जगह कोई बैठा तो वो इस मक़ाम का बनिस्बत दूसरे व्यक्ति के मुस्तहिक़ है। अगर किसी ने बोरिया बिछाया अगर इस को किसी दूसरे के हुक्म से बिछा दिया है तो बिछवाने वाला के ख़ुद बिछाने के मानिन्द है यानी इस जगह का मुस्तहिक़ वही है जिस ने बिछवाया है और अगर बिछाने वाले ने ख़ुद बदून हुक्म के दूसरे के बिछाया है तो बिछाने वाला इस का मुस्तहिक़ है इस को इख़्तियार है कि यह जगह जिस

को दूसरे से वापिस न लेगा और अगर इमाम के अनुसार साबित हुआ कि दोनों इस से बेपरवा हैं तो ऐसी ख़ुसूमत (1) में इमाम इस को दूसरे से लेलेगा मगर अव्वल को वापिस न देगा बल्कि इन दोनों के सिवाए किसी दूसरे को देगा। यह हुक्म जो हम ने बयान किया है हर ऐसी चीज़ में जारी है जिस में मुसलमान लोग बहक़ शरई यक्सां हैं जैसे रबातात में उतरना किसी मक़ाम पर या मस्जिदों में इन्तज़ार नमाज़ के वास्ते बैठना या मिना में या अरफ़ात में हज के वास्ते किसी जगह उतरना चुनांचे अगर मस्जिद में किसी जगह कोई बैठा तो वो इस मक़ाम का बनिस्बत दूसरे शख़्स के मुस्तहिक़ है। अगर किसी ने बोरिया बिछाया अगर इस को किसी दूसरे के हुक्म से बिछा दिया है तो बिछवाने वाला के ख़ुद बिछाने के मानिन्द है यानी इस जगह का मुस्तहिक़ वही है जिस ने बिछवाया है और अगर बिछाने वाले ने ख़ुद बदून हुक्म के दूसरे के बिछाया है तो बिछाने वाला इस का मुस्तहिक़ है इस को इख़्तयार है कि यह जगह जिस को चाहे देदे। इसी तरह अगर किसी ने मिना या अरफ़ात में से किसी मक़ाम पर अपना ख़ैमा खड़ा कर लिया हालांकि इस से पहले इस मक़ाम पर एक शख़्स दीगर उतरा करता था और यह अम्र मअरूफ़ है तो जो शख़्स अब की मर्तबा इस मक़ाम पर पहले आन कर उतरा है वही इस का मुस्तहिक़ है और दूसरा जिस का इस मक़ाम पर उतरना मअरूफ़ है इस को यह इख़्तयार न होगा कि इस को इस मक़ाम से उठाये। अगर इस ने इस मक़ाम में से बहुत जगह वसीअ अपनी हाजत से ज़्यादा ली तो ग़ैर को इख़्तयार है कि इस से इस की जगह का वो गोशा जिस की इस को हाजत नहीं है ले कर वहां इस के बराबर आप उतरे और अगर इतनी जगह को इस से ऐसे दो आदमियों ने तलब किया कि हर एक को इन में से इस जगह की ज़रूरत है और जो शख़्स पहल करके वहां उतर चुका है इस ने चाहा कि मैं इन में से एक को दूं दूसरे को न दूं तो इस को यह इख़्तयार होगा कि अगर इन दोनों में से एक पैश क़दमी करके वहां उतर पड़ा फिर इस शख़्स ने जो पहल करके इस मक़ाम वसीअ में उतर चुका है और वो बेपरवाह है यह चाहा कि इस को वहां से हांक करके

को चाहे देदे। इसी तरह अगर किसी ने मिना या अरफ़ात में से किसी मक़ाम पर अपना ख़ैमा खड़ा कर लिया हालांकि इस से पहले इस मक़ाम पर एक व्यक्ति दीगर उतरा करता था और यह कार्य मअरूफ़ है तो जो व्यक्ति अब की मर्तबा इस मक़ाम पर पहले आन कर उतरा है वही इस का मुस्तहिक़ है और दूसरा जिस का इस मक़ाम पर उतरना मअरूफ़ है इस को यह इख़्तयार न होगा कि इस को इस मक़ाम से उठाये। अगर इस ने इस मक़ाम में से बहुत जगह वसीअ अपनी हाजत से ज़्यादा ली तो ग़ैर को इख़्तयार है कि इस से इस की जगह का वो गोशा जिस की इस को हाजत नहीं है ले कर वहां इस के बराबर आप उतरे और अगर इतनी जगह को इस से ऐसे दो आदमियों ने तलब किया कि हर एक को इन में से इस जगह की ज़रूरत है और जो व्यक्ति पहल करके वहां उतर चुका है इस ने चाहा कि मैं इन में से एक को दूं दूसरे को न दूं तो इस को यह इख़्तयार होगा कि अगर इन दोनों में से एक पैश क़दमी करके वहां उतर पड़ा फिर इस व्यक्ति ने जो पहल करके इस मक़ाम वसीअ में उतर चुका है और वो बेपरवाह है यह चाहा कि इस को वहां से हांक करके दूसरे ऐसे व्यक्ति को जो इस जगह का मौहताज हो वहां उतारे तो इस को यह इख़्तयार न होगा और अगर इस व्यक्ति ने जो वहां पहल कर के उतरा था यह कहा कि मैंने इस क़द्र ज़ायद गौशा-ए-मक़ाम को फ़लां के लिएइस के हुक्म से ले लिया था कि इस को यहां उतारूंगा अपने लिएनहीं लिया था तो इस से इस कार्य पर क़सम ली जायेगी और बाद क़सम खाने को इस को यह इख़्तयार होगा कि जो यहां उतरा है इस को उठाये और यही हुक्म तआम व चारा का है कि अगर इस ने कहा कि मैंने इस को फ़लां के हुक्म से इस के लिएलिया तो क़सम ले कर इस का कथन मुसल्लिम होगा और अगर अहले लश्कर में से दो आदमियों ने एक ने जो पाये और दूसरे ने नरकल। फिर दोनों ने बाहम इस का मुबादला (2) किया और जिस ने जो चीज़ खरीद ली है इस का हाजत मन्द है तो दोनों में से हर एक को इख़्तयार है कि जो कुछ इस ने दूसरे से खरीदा है इस को इस्तेमाल में लाये और यह दोनों के

दूसरे ऐसे शख़्स को जो इस जगह का मौहताज हो वहां उतारे तो इस को यह इख़्तयार न होगा और अगर इस शख़्स ने जो वहां पहल कर के उतरा था यह कहा कि मैंने इस क़द्र ज़ायद गौशा-ए-मक़ाम को फ़लां के वास्ते इस के हुक्म से ले लिया था कि इस को यहां उतारूंगा अपने वास्ते नहीं लिया था तो इस से इस अम्र पर क़सम ली जायेगी और बाद क़सम खाने को इस को यह इख़्तयार होगा कि जो यहां उतरा है इस को उठाये और यही हुक्म तआम व चारा का है कि अगर इस ने कहा कि मैंने इस को फ़लां के हुक्म से इस के वास्ते लिया तो क़सम ले कर इस का क़ौल मुसल्लिम होगा और अगर अहले लश्कर में से दो आदमियों ने एक ने जो पाये और दूसरे ने नरकल। फिर दोनों ने बाहम इस का मुबादला (2) किया और जिस ने जो चीज़ खरीद ली है इस का हाजत मन्द है तो दोनों में से हर एक को इख़्तयार है कि जो कुछ इस ने दूसरे से ख़रीदा है इस को इस्तेमाल में लाये और यह दोनों के दरमियान में बैअ न होगी इस वास्ते कि इन दोनों चीज़ों में से हर एक को यह इख़्तयार था कि बक़द्र अपनी हाजत के ले ले लेकिन चूंकि लाने वाले की हाजत मुक़द्दम मानअ थी कि बग़ैर इस के रज़ामन्दी के नहीं ले सकता था पस बईं हर एक ने दूसरे को राज़ी कर लिया फिर जो असली मुबाह होने पर न बईं मुबायआ मज़कूरा और यह सूरत बमन्ज़िला इस के है कि चन्द मेहमान एक दस्तर ख़्वान पर मुजतमा हुए कि हर मेहमान इस अम्र से मना किया गया कि अपना हाथ इस तआम की तरफ़ दराज़ करे जो दूसरे के सामने है बग़ैर रज़ामन्दी दूसरे के और अगर दूसरे की

(1)जिस को हमारे उर्फ+ मेंझगडा व तकरार बोलते हैं।
(2)बाहमएक दूसरे केशै को किसीशै के औज+ लेना।

तरफ़ से रज़ामन्दी पाई गई तो हर एक को दोनों में से इख़्तयार होगा कि जो तआम चाहे खाये मगर बईं नियत कि मेहमानी करने वाले की मिल्क है जो इस ने मुबाह कर दी है न आंकि दूसरे मेहमान ने मुबाह कर दी और अगर यह सूरत हो कि दोनों में से हर एक ने जो कुछ दूसरे के मुबादला में दिया है जैसे दूसरे से ली हुई चीज़ का हाजत मन्द था वैसा ही अपनी दी हुई चीज़ का

दरमियान में विक्रय न होगी इस लिएकि इन दोनों चीज़ों में से हर एक को यह इख़्तयार था कि बक़द्र अपनी हाजत के ले ले लेकिन चूंकि लाने वाले की हाजत मुक़द्दम मानअ थी कि बग़ैर इस के रज़ामन्दी के नहीं ले सकता था पस बईं हर एक ने दूसरे को राज़ी कर लिया फिर जो असली मुबाह होने पर न बईं मुबायआ मज़कूरा और यह स्थिति बमन्ज़िला इस के है कि चन्द मेहमान एक दस्तर ख़्वान पर मुजतमा हुए कि हर मेहमान इस कार्य से मना किया गया कि अपना हाथ इस तआम की तरफ़ दराज़ करे जो दूसरे के सामने है बग़ैर रज़ामन्दी दूसरे के और अगर दूसरे की

(1)जिस को हमारे उर्फ+ मेंझगडा व तकरार बोलते हैं।
(2)बाहमएक दूसरे केशै को किसीशै के औज+ लेना।

तरफ़ से रज़ामन्दी पाई गई तो हर एक को दोनों में से इख़्तयार होगा कि जो तआम चाहे खाये मगर बईं इरादा कि मेहमानी करने वाले की मिल्क है जो इस ने मुबाह कर दी है न आंकि दूसरे मेहमान ने मुबाह कर दी और अगर यह स्थिति हो कि दोनों में से हर एक ने जो कुछ दूसरे के मुबादला में दिया है जैसे दूसरे से ली हुई चीज़ का हाजत मन्द था वैसा ही अपनी दी हुई चीज़ का हाजत मन्द है पस इन दोनों में से एक ने चाहा कि जो दोनों ने बाहम मुबादला किया है इस को तोड दे तो इस को यह इख़्तयार न होगा और अगर यह स्थिति हो कि जो कुछ बाऐ ने दिया है बाऐ इस का हाजत मन्द हो और ग्राहक इस से बेपरवा हो तो बाऐ को इख़्तयार है कि जो दिया है वो लेले और जो लिया है वापिस करदे और अगर यह हुआ कि जब बाऐ ने वापिस कर लेने का क़सद किया तो ग्राहक ने वो चीज़ जो खरीदी है किसी दूसरे व्यक्ति को जो इस चीज़ का हाजत मन्द है दे दी तो बाऐ को इस से वापिस लेने का इख़्तयार न होगा यह ज़हीरिया में है।

अगर दोनों ने बाहम मुबायअत (1) करली हालांकि दोनों इस में बेपरवा हैं या दोनों को इस की हाजत है या एक बेपरवा है और दूसरा हाजत मन्द है और हुनूज़ दोनों में बाहमी क़ब्ज़ा न हुआ था कि एक की राये में आया कि इस मुबायअत को तोड दे तो इस को इख़्तयार होगा

हाजत मन्द है पस इन दोनों में से एक ने चाहा कि जो दोनों ने बाहम मुबादला किया है इस को तोड दे तो इस को यह इख़्तयार न होगा और अगर यह सूरत हो कि जो कुछ बाऐ ने दिया है बाऐ इस का हाजत मन्द हो और मुशतरी इस से बेपरवा हो तो बाऐ को इख़्तयार है कि जो दिया है वो लेले और जो लिया है वापिस करदे और अगर यह हुआ कि जब बाऐ ने वापिस कर लेने का क़सद किया तो मुशतरी ने वो चीज़ जो खरीदी है किसी दूसरे शख़्स को जो इस चीज़ का हाजत मन्द है दे दी तो बाऐ को इस से वापिस लेने का इख़्तयार न होगा यह ज़हीरिया में है।

अगर दोनों ने बाहम मुबायअत (1) करली हालांकि दोनों इस में बेपरवा हैं या दोनों को इस की हाजत है या एक बेपरवा है और दूसरा हाजत मन्द है और हुनूज़ दोनों में बाहमी क़ब्ज़ा न हुआ था कि एक की राये में आया कि इस मुबायअत को तोड दे तो इस को इख़्तयार होगा कि तर्क कर दे और अगर एक ने दूसरे को कोई चीज़ क़र्ज़ (इस माल से जो दारूल हरब में है) दी बदीं शर्त कि लेने वाला इस के मिस्ल अदा कर देगा पस अगर दोनों में से हर एक इस चीज़ से बेपरवा हो या हर एक इस का हाजत मन्द हो ता क़र्ज़ लेने वाले पर कुछ भी वाजिब न होगा अगर इस ने इस चीज़ को तलफ़ कर दिया हो और अगर हुनूज़ तलफ़ नहीं किया है मौजूद है क़र्ज़ देने वाला इस का मुस्तहिक़ है अगर इस ने चाहा कि मैं वापिस कर लूं तो वापिस ले सकता है और अगर लेने वाला हाजत मन्द हो और इस का देने वाला इस से बेपरवा हो तो देने वाला इस से वापिस नहीं ले सकता है। अगर यह सूरत हो कि क़र्ज़ के लेन देन के वक़्त दोनों इस से बेपरवा हों फिर क़ब्ल इस के कि लेने वाला इस को तलफ़ करदे दोनों इस के हाजत मन्द हो गये तो देने वाला इस का मुस्तहिक़ है और अगर लेने वाला पहले हाजत मन्द हुआ फिर देने वाला हाजत मन्द हुआ या न हुआ बहरहाल लेने वाले पर देने वाले को कोई राह नहीं है। अगर ऐसे गेंहू में से जो दाखिल ग़नीमत हैं किसी के पास से दूसरे ने अपने ज़ाती दिरहमों के औज़ खरीदे और दिरहम दे दिये और गेंहू पर क़ब्ज़ा कर लिया तो यही

कि तर्क कर दे और अगर एक ने दूसरे को कोई चीज़ क़र्ज़ (इस माल से जो दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें है) दी बदीं शर्त कि लेने वाला इस के मिस्ल अदा कर देगा पस अगर दोनों में से हर एक इस चीज़ से बेपरवा हो या हर एक इस का हाजत मन्द हो ता क़र्ज़ लेने वाले पर कुछ भी अनिवार्य न होगा अगर इस ने इस चीज़ को तलफ़ कर दिया हो और अगर हुनूज़ तलफ़ नहीं किया है मौजूद है क़र्ज़ देने वाला इस का मुस्तहिक़ है अगर इस ने चाहा कि मैं वापिस कर लूं तो वापिस ले सकता है और अगर लेने वाला हाजत मन्द हो और इस का देने वाला इस से बेपरवा हो तो देने वाला इस से वापिस नहीं ले सकता है। अगर यह स्थिति हो कि क़र्ज़ के लेन देन के समय दोनों इस से बेपरवा हों फिर क़ब्ल इस के कि लेने वाला इस को तलफ़ करदे दोनों इस के हाजत मन्द हो गये तो देने वाला इस का मुस्तहिक़ है और अगर लेने वाला पहले हाजत मन्द हुआ फिर देने वाला हाजत मन्द हुआ या न हुआ बहरहाल लेने वाले पर देने वाले को कोई राह नहीं है। अगर ऐसे गेंहू में से जो दाखिल ग़नीमत हैं किसी के पास से दूसरे ने अपने ज़ाती दिरहमों के औज़ खरीदे और दिरहम दे दिये और गेंहू पर क़ब्ज़ा कर लिया तो यही ग्राहक इन गेंहू का मुस्तहिक़ हुआ बशर्तेकि इन का हाजत मन्द हो। अगर दोनों में से एक ने विक्रय तोड़ देने का क़सद किया और गेंहू हुनूज़ बअयुना क़ायम हैं तो इस को यह इख़्तयार है पस ग्राहक गेंहू को वापिस करदेगा और अपने दिरहम ले लेगा और यह इस स्थिति में है कि दोनों इन गेंहू से बेपरवाह हों या ग्राहक बे परवाह हो और बाऐ इन का हाजत मन्द हो और अगर ग्राहक ही इसका हाजतमन्द हो तो बाऐ पर अनिवार्य होकगा कि ग्राहक को इस के दिरहम वापिस कर दे और गेंहू ग्राहक को मुसल्लिम रहेंगे और ग्राहक ने वो गेंहू तलफ़ कर दिये हिं तो बाऐ पर अनिवार्य होगा कि ग्राहक का क़ीमत वापिस कर दे और जो कुछ ग्राहक को मुसल्लिम रहेंगे और ग्राहक ने वो गेंहू तलफ़ कर दिये हों तो बाऐ पर अनिवार्य होगा कि ग्राहक का क़ीमत वापिस कर दे और जो कुछ ग्राहक ने तलफ़ कर दिया है वो बहरहाल इस को मुसल्लिम रहा। अगर ग्राहक चला

मुशतरी इन गेंहू का मुस्तहिक़ हुआ बशर्तेकि इन का हाजत मन्द हो। अगर दोनों में से एक ने बैअ तोड़ देने का क़सद किया और गेंहू हुनूज़ बअयुना क़ायम हैं तो इस को यह इख़्तयार है पस मुशतरी गेंहू को वापिस करदेगा और अपने दिरहम ले लेगा और यह इस सूरत में है कि दोनों इन गेंहू से बेपरवाह हों या मुशतरी बे परवाह हो और बाऐ इन का हाजत मन्द हो और अगर मुशतरी ही इसका हाजतमन्द हो तो बाऐ पर वाजिब होकगा कि मुशतरी को इस के दिरहम वापिस कर दे और गेंहू मुशतरी को मुसल्लिम रहेंगे और मुशतरी ने वो गेंहू तलफ़ कर दिये हिों तो बाऐ पर वाजिब होगा कि मुशतरी का सिमन वापिस कर दे और जो कुछ मुशतरी को मुसल्लिम रहेंगे और मुशतरी ने वो गेंहू तलफ़ कर दिये हों तो बाऐ पर वाजिब होगा कि मुशतरी का सिमन वापिस कर दे और जो कुछ मुशतरी ने तलफ़ कर दिया है वो बहरहाल इस को मुसल्लिम रहा। अगर मुशतरी चला गया और बाऐ को यह क़ुदरत हासिल न हुई कि इस को इस का सिमन वापिस कर दे तो यह दिरहम इस के पास बमन्ज़िला लुक़ता के होंगे मगर फ़र्क़ यह है कि दिरहम इस के पास मज़मून हैं। अगर इस ने ग़नायम के जमा व तक़सीम करने वाले के हुज़ूर में यह अम्र पैश किया पस इस ने कहा कि मैंने तेरी बैअ की इजाज़त दी औरसिमन दाखिल करे तो इस को जायज़ होगा कि सिमन मज़कूर साहब ग़नायम के हुज़ूर में पैश करदे यानी देदे। फिर अगर इस के बाद मालिक दिराहिम आया तो देखा जायेगा कि अगर इस ने गेंहू क़ब्ल इस के कि साहब ग़नायम बैअ की इजाज़त दे तलफ़ कर दिये हों तो दिराहिम मज़कूरा इस को वापिस दिये जाऐंगे और अगर इस ने बाद इजाज़त बैअ के तलफ़ किये हों क़ब्ल इस के तलफ़ न किये हों तो दिराहिम मज़कूरह माले ग़नीमत में दाखिल होंगे और अगर मुशतरी ने कहा कि क़ब्ल तेरी इस बैअ की इजाज़त देने के मैंने गेंहू खा लिये थे पस

(1)नी बाहमएक दूसरे नेएक दूसरे कीशै का मुबादला किया।

मुझे दिराहिम वापिस करदे और इस ने इस अम्र पर क़सम खाई तो इस की तसदीक़ न की जायेगी और इस को दिरहम वापिस न किये जाऐंगे यहां तक कि इस गया और बाऐ को यह क़ुदरत हासिल न हुई कि इस को इस का क़ीमत वापिस कर दे तो यह दिरहम इस के पास बमन्ज़िला लुक़ता के होंगे मगर फ़र्क़ यह है कि दिरहम इस के पास मज़मून हैं। अगर इस ने ग़नायम के जमा व तक़सीम करने वाले के हुज़ूर में यह कार्य पैश किया पस इस ने कहा कि मैंने तेरी विक्रय की इजाज़त दी औरक़ीमत दाखिल करे तो इस को जायज़ होगा कि क़ीमत वर्णित साहब ग़नायम के हुज़ूर में पैश करदे यानी देदे। फिर अगर इस के बाद मालिक दिराहिम आया तो देखा जायेगा कि अगर इस ने गेंहू क़ब्ल इस के कि साहब ग़नायम विक्रय की इजाज़त दे तलफ़ कर दिये हों तो दिराहिम मज़कूरा इस को वापिस दिये जाऐंगे और अगर इस ने बाद इजाज़त विक्रय के तलफ़ किये हों क़ब्ल इस के तलफ़ न किये हों तो दिराहिम मज़कूरह माले ग़नीमत में दाखिल होंगे और अगर ग्राहक ने कहा कि क़ब्ल तेरी इस विक्रय की इजाज़त देने के मैंने गेंहू खा लिये थे पस

(1)नी बाहमएक दूसरे नेएक दूसरे कीशै का मुबादला किया।

मुझे दिराहिम वापिस करदे और इस ने इस कार्य पर क़सम खाई तो इस की पुष्टि न की जायेगी और इस को दिरहम वापिस न किये जाऐंगे यहां तक कि इस के गवाह क़ायम करे कि मैंने इजाज़त विक्रय से पहले गेंहू खा लिये थे। अगर दो आदमियों में से एक ने गेंहू पाये और दूसरे ने कपड़ा फिर दोनों ने बाहम मुबायअत का क़सद किया तो दोनों को यह इख़्तयार नहीं और अगर दोनों ने ऐसा किया और हर एक ने जो कच्चा दूसरे से लिया था वो दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें तलफ़ कर दिया तो दोनों में से किसी पर ज़िमान अनिवार्य न होगी मगर इतनी बात है कि कपडे का फ़रोख़्त करने वाला विक्रय करने में गुनहगार हुआ और इसी तरह इस का ग्राहक भी, अगर दोनों ने तलफ़ न किया यहां तक कि दारूल इस्लाम में दाखिल हुए तो हर एक पर यह अनिवार्य हुआ कि जो चीज़ इस के पास है वो वापिस (1) कर दे और अगर इस को तलफ़ करेगा तो ज़ामिन होगा और अगर यह दोनों दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें हों और दोनों तलफ़ नहीं

के गवाह क़ायम करे कि मैंने इजाज़त बैअ से पहले गेंहू खा लिये थे। अगर दो आदमियों में से एक ने गेंहू पाये और दूसरे ने कपड़ा फिर दोनों ने बाहम मुबायअत का क़सद किया तो दोनों को यह इख़्तयार नहीं और अगर दोनों ने ऐसा किया और हर एक ने जो कच्चा दूसरे से लिया था वो दारूल हरब में तलफ़ कर दिया तो दोनों में से किसी पर ज़िमान वाजिब न होगी मगर इतनी बात है कि कपड़े का फ़रोख़्त करने वाला बैअ करने में गुनहगार हुआ और इसी तरह इस का मुशतरी भी, अगर दोनों ने तलफ़ न किया यहां तक कि दारूल इस्लाम में दाखिल हुए तो हर एक पर यह वाजिब हुआ कि जो चीज़ इस के पास है वो वापिस (1) कर दे और अगर इस को तलफ़ करेगा तो ज़ामिन होगा और अगर यह दोनों दारूल हरब में हों और दोनों तलफ़ नहीं किया है तो जिस ने कपड़े पर क़ब्ज़ा किया है इस पर वाजिब है कि कपड़े को ग़नीमत में दाखिल कर दे जैसे कि अगर इसी ने इब्तदा में पाया होता तो इस पर ग़नीमत में दाखिल कर देना वाजिब था। जिस ने गेंहू पर क़ब्ज़ा किया है इस के हक़ में इस सूरत में भी इसी तफ़सील से हुक्म है जो सूरत अव्वल में गुज़रा बएैतबार हाजत मन्दी हर दो या बेपरवाई हर दो या हाजत गीर नदह न दहन्दह या हाजत दहन्दह न गीरन्दह और गेंहू का खरीदने वाला चा गयसा कि इस का निशान व पता नहीं चलता है तो साहब मग़ानिम (2) इस कपड़े को इस शख़्स से जिस के पास है लेलेगा जैसे अगर वही इब्तदाअन पाता तो ले लेता। अगर कपड़े का खरीदने वाला चला गया इस तरह का इस का निशान व पता नहीं चलता है और दूसरा मौजूद है तो साहब मग़ानिम गेंहू के खरीदार से जब तक दारूल हरब में हैं कुछ मुतअरिज़ न होगा जैसे कि अगर इस ने इब्तदाअन पाये होते तो भी यही हुक्म था फिर अगर खरीदने वाला इन गेंहू को क़ब्ल इस के कि खा जाये दारूल इस्लाम में निकाल लाया तोसाहब मग़ानिम इन गेंहू को इस से ले कर माले ग़नीमत में दाखिल कर देगा। यह मुहीत में है।

क़ब्ल तक़सीम वाक़े होने के बदून हाजत पैश आने के कपड़े व मताअ हाये ग़नीमत से

किया है तो जिस ने कपडे पर क़ब्ज़ा किया है इस पर अनिवार्य है कि कपडे को ग़नीमत में दाखिल कर दे जैसे कि अगर इसी ने इब्तदा में पाया होता तो इस पर ग़नीमत में दाखिल कर देना अनिवार्य था। जिस ने गेंहू पर क़ब्ज़ा किया है इस के हक़ में इस स्थिति में भी इसी तफ़सील से हुक्म है जो स्थिति अव्वल में गुज़रा बएैतबार हाजत मन्दी हर दो या बेपरवाई हर दो या हाजत गीर नदह न दहन्दह या हाजत दहन्दह न गीरन्दह और गेंहू का खरीदने वाला चा गयसा कि इस का निशान व पता नहीं चलता है तो साहब मग़ानिम (2) इस कपडे को इस व्यक्ति से जिस के पास है लेलेगा जैसे अगर वही इब्तदाअन पाता तो ले लेता। अगर कपडे का खरीदने वाला चला गया इस तरह का इस का निशान व पता नहीं चलता है और दूसरा मौजूद है तो साहब मग़ानिम गेंहू के खरीदार से जब तक दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें हैं कुछ मुतअरिज़ न होगा जैसे कि अगर इस ने इब्तदाअन पाये होते तो भी यही हुक्म था फिर अगर खरीदने वाला इन गेंहू को क़ब्ल इस के कि खा जाये दारूल इस्लाम में निकाल लाया तोसाहब मग़ानिम इन गेंहू को इस से ले कर माले ग़नीमत में दाखिल कर देगा। यह मुहीत में है।

क़ब्ल तक़सीम स्थपित होने के बदून हाजत पैश आने के कपडे व मताअ हाये ग़नीमत से इन्तफ़ाअ हासिल करना मकरूह है :

अगर माले ग़नीमत में से कोई व्यक्ति घोडे पर सवार हुआ या कोई कपड़ा पहन लिया या कोई हथियार उठाया और हुनूज़ तक़सीम स्थपित नहीं हुई है तो इस में कुछ मुज़ायक़ा नहीं है जबकि इस को इस चीज़ की हाजत पडी हो। फिर जब लडाई से फ़ारिग हुआ तो इस को ग़नीमत में वापिस कर दे और अगर इस ने रद करने से पहले तलफ़ कर दिया तो इस पर ज़िमान अनिवार्य न होगी और अगर इस को कुछ हाजत न हो मगर वो ग़नीमत के घोडे पर सवार हो लिया ताकि अपने घोडे को महफ़ूज़ रखे या कपडे पहन लिया ताकि अपने कपडे महफ़ूज़ रखे तो यह मकरूह है लेकिन अगर तलफ़ हो

इन्तफ़ाअ हासिल करना मकरूह है :

अगर माले ग़नीमत में से कोई शख़्स घोड़े पर सवार हुआ या कोई कपड़ा पहन लिया या कोई हथियार उठाया और हुनूज़ तक़सीम वाक़े नहीं हुई है तो इस में कुछ मुज़ायक़ा नहीं है जबकि इस को इस चीज़ की हाजत पड़ी हो। फिर जब लड़ाई से फ़ारिग़ हुआ तो इस को ग़नीमत में वापिस कर दे और अगर इस ने रद करने से पहले तलफ़ कर दिया तो इस पर ज़िमान वाजिब न होगी और अगर इस को कुछ हाजत न हो मगर वो ग़नीमत के घोड़े पर सवार हो लिया ताकि अपने घोड़े को महफ़ूज़ रखे या कपड़े पहन लिया ताकि अपने कपड़े महफ़ूज़ रखे तो यह मकरूह है लेकिन अगर तलफ़ हो गया तो वो ज़ामिन न होगा यह शरह तहावा में है। क़ब्ल तक़सीम वाक़े होने के बदून हाजत पैश आने के कपड़े व मताअ हाऐ ग़नीमत से इन्तफ़ाअ हासिल करना मकरूह है क्योंकि इस में एक जमाअत का इशतराक है लेकिन जब यह लोग कपड़े और घोड़ों वग़ैरह चारपायों व हथियार व मताअ के हाजत मन्द हों तो इमामुल मुस्लिमीन दारूल हरब में इन के दरमियान अमवाल ग़नीमत तक़सीम कर देगा। पस हासिल यह है कि अगर एक (३) को हाजत हुई तो इस को अमवाल ग़नीमत से इन्तफ़ाअ मुबाह है और अगर सब को हाजत हुई तो इमामुल मुस्लिमीन तक़सीम कर देगा और इन चीज़ों का हुक्म बखिलाफ़ मर्द मान असीर शुदह के है कि असीरों को इमाम वहां तक़सीम न करेगा इस वास्ते कि इन असीरों की तरफ़ हाजत दो तरह से है या वती के वास्ते या खिदमत के वास्ते और यह फ़ुज़ूल हाजत है यह काफ़ी में है। अगर मुजाहिदीन ने इज्तमाअ किया और दारूल हरब में इमाम

(1)नी ग़नीमत में दाखिल करदे।

(2)मग़ानिम जमा मग़नम बमअनी माले ग़नीमत।

(३)ज़ाहिरएक से मुरादयह है कि कल नहीं हूं वो हासिल आंकि अगर क़लील मोहताज हु, तो इन्तफ़ाअ+ हासिल करें और अगर कसीर मोहताज हु, तो इमाम तक़सीम करदे।

से तक़सीम की दरख़्वास्त की तो इमाम इन को अतिया देगा फिर अगर उन्होंने अतिया क़बूल न किया तो बख़ौफ़ फ़ितना इमाम इन के दरमियान तक़सीम कर देगा। इसी तरह अगर इमाम के पास बार बरदारी न हो

गया तो वो ज़ामिन न होगा यह शरह तहावा में है। क़ब्ल तक़सीम स्थपित होने के बदून हाजत पैश आने के कपड़े व मताअ हाऐ ग़नीमत से इन्तफ़ाअ हासिल करना मकरूह है क्योंकि इस में एक जमाअत का इशतराक है लेकिन जब यह लोग कपड़े और घोड़ों वग़ैरह चारपायों व हथियार व मताअ के हाजत मन्द हों तो इमामुल मुस्लिमीन दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें इन के दरमियान अमवाल ग़नीमत तक़सीम कर देगा। पस हासिल यह है कि अगर एक (३) को हाजत हुई तो इस को अमवाल ग़नीमत से इन्तफ़ाअ मुबाह है और अगर सब को हाजत हुई तो इमामुल मुस्लिमीन तक़सीम कर देगा और इन चीज़ों का हुक्म बखिलाफ़ मर्द मान असीर शुदह के है कि असीरों को इमाम वहां तक़सीम न करेगा इस लिएकि इन असीरों की तरफ़ हाजत दो तरह से है या वती के लिएया सेवा के लिएऔर यह फ़ुज़ूल हाजत है यह काफ़ी में है। अगर योद्धाओं ने इज्तमाअ किया और दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें इमाम

(1)नी ग़नीमत में दाखिल करदे।

(2)मग़ानिम जमा मग़नम बमअनी माले ग़नीमत।

(३)ज़ाहिरएक से मुरादयह है कि कल नहीं हूं वो हासिल आंकि अगर क़लील मोहताज हु, तो इन्तफ़ाअ+ हासिल करें और अगर कसीर मोहताज हु, तो इमाम तक़सीम करदे।

से तक़सीम की दरख़्वास्त की तो इमाम इन को अतिया देगा फिर अगर उन्होंने अतिया क़बूल न किया तो बख़ौफ़ फ़ितना इमाम इन के दरमियान तक़सीम कर देगा। इसी तरह अगर इमाम के पास बार बरदारी न हो
जिस पर माले ग़नीमत लाद लाये तो भी दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें इमाम इन के दरमियान तक़सीम कर देगा। ताकि हर एक अपने हिस्सा को दिलाने की कलफ़त बर्दाश्त करे यह मुहीत में है और जब मुसलमान लोग दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशसे निकल आये तो फिर इन को जायज़ नहीं है कि अमवाले ग़नीमत से अपने चोपायों को चारा दें और न यह जायज़ है कि ख़ुद इस में से खाऐं और जिस के पास चारा व तआम बच रहा हो वो ग़नीमत में दाखिल करदे अगर वो तक़सीम न हुई हो और अगर तक़सीम हो गई हो तो अगर ख़ुद ग़नी होक तो बचे हुए को दान करदे और

जिस पर माले ग़नीमत लाद लाये तो भी दारूल हरब में इमाम इन के दरमियान तक़सीम कर देगा। ताकि हर एक अपने हिस्सा को दिलाने की कलफ़त बर्दाश्त करे यह मुहीत में है और जब मुसलमान लोग दारूल हरब से निकल आये तो फिर इन को रवा नहीं है कि अमवाले ग़नीमत से अपने चोपायों को चारा दें और न यह जायज़ है कि ख़ुद इस में से खाऐं और जिस के पास चारा व तआम बच रहा हो वो ग़नीमत में दाखिल करदे अगर वो तक़सीम न हुई हो और अगर तक़सीम हो गई हो तो अगर ख़ुद ग़नी होक तो बचे हुए को सदक़ा करदे और अगर फ़क़ीर हो तो इस से इन्तफ़ाअ हासिल करे और अगर दारूल इस्लाम में आ जाने के बाद इस से इन्तफ़ाअ हासिल कर लिया तो इस की क़ीमत माले ग़नीमत में दाखिल करदे अगर ग़नीमत हुनूज़ तकसीम नहीं हुई है और अगर तक़सीम हो गई हो तो इस की क़ीमत सदक़ा करदे बशर्तेकि तवंगर हो और अगर फ़क़ीर हो तो इस पर कुछ नहीं है यह काफ़ी में है।

अगर कोई मुसलमान या ज़िम्मी दारूल हरब में अमान ले कर दाखि हुआ और वहां इस ने माल पाया फिर मुसलमान लोग इस दारूल हरब पर ग़ालिब हुए तो इस माल का हुक्म भी वैसा ही है जैसा कि इस शख़्स का है जो दारूल हरब में मुसलमान हुआ :

जो हरबी दारूल हरब में मुसलमान हो गया तो इस ने इस्लाम से अपनी जान व अपनी औलाद ख़रो साल को जो बालिग़ नहीं हुई हैं महफ़ूज़ कर लिया और यह हुक्म इस वक्त है कि मुसलमानों के हाथ में गिरफ़तार होने से पहले मुसलमान हो गया और अगर बाद गिरफ़तार होने के मुसलमान हुआ तो वो ग़ुलाम है और इसी तरह अगर इस का माल व औलाद पकड लिये गये और वो नहीं पकडा गया फिर वो मुसलमान हो गया तो मुसलमान होने से इस ने फ़क़त अपने नफ़्स को महफ़ूज़ किया और नीज़

अगर फ़क़ीर हो तो इस से इन्तफ़ाअ हासिल करे और अगर दारूल इस्लाम में आ जाने के बाद इस से इन्तफ़ाअ हासिल कर लिया तो इस की क़ीमत माले ग़नीमत में दाखिल करदे अगर ग़नीमत हुनूज़ तक़सीम नहीं हुई है और अगर तक़सीम हो गई हो तो इस की क़ीमत दान करदे बशर्तेकि तवंगर हो और अगर फ़क़ीर हो तो इस पर कुछ नहीं है यह काफ़ी में है।

अगर कोई मुसलमान या ज़िम्मी दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें संरक्षण ले कर दाखि हुआ और वहां इस ने माल पाया फिर मुसलमान लोग इस दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशपर ग़ालिब हुए तो इस माल का हुक्म भी वैसा ही है जैसा कि इस व्यक्ति का है जो दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें मुसलमान हुआ :

जो हरबी दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें मुसलमान हो गया तो इस ने इस्लाम से अपनी जान व अपनी औलाद ख़रो साल को जो बालिग़ नहीं हुई हैं महफ़ूज़ कर लिया और यह हुक्म इस समय है कि मुसलमानों के हाथ में गिरफ़तार होने से पहले मुसलमान हो गया और अगर बाद गिरफ़तार होने के मुसलमान हुआ तो वो ग़ुलाम है और इसी तरह अगर इस का माल व औलाद पकड लिये गये और वो नहीं पकडा गया फिर वो मुसलमान हो गया तो मुसलमान होने से इस ने फ़क़त अपने नफ़्स को महफ़ूज़ किया और नीज़ जो माल इस के पास है या इस की वदीअत किसी मुसलमान या ज़िम्मी के पास है इस के साथ महफ़ूज़ हुई और इस की औलाद कबीर यानी बालिग़ा और इस की ज़ोजा व ज़ोजा का हमल और इस के अमवाल ग़ैर मंक़ूला और इस का ग़ुलाम जो हरबियों की तरफ़ से क़िताल करता है और जो

जो माल इस के पास है या इस की वदीअत किसी मुसलमान या ज़िम्मी के पास है इस के साथ महफ़ूज़ हुई और इस की औलाद कबीर यानी बालिग़ा और इस की ज़ोजा व ज़ोजा का हमल और इस के अमवाल ग़ैर मंक़ूला और इस का ग़ुलाम जो हरबियों की तरफ़ से क़िताल करता है और जो इस का माल किसी हरबी के पास ग़सब या वदीअत हो इन में से कोई महफ़ूज़ न होंगे बल्कि यह सब फ़ई होंगे। इसी तरह जो चीज़ इस की किसी मुसलमान या ज़िम्मी के पास ग़सब हो वो भी इमामे आज़म रह० के अनुसार फ़ई होगी और अगर कोई मुसलमान या ज़िम्मी दारूल हरब में अमान ले कर दाखिल हुआ और९ वहां इस ने माल पाया फिर मुसलमान लोग इस दारूल हरब पर ग़ालिब हुए तो इस माल का हुक्म भी वैसा ही है जैसा कि इस शख़्स का है जो दारूल हरब में मुसलमान हुआ चुनांचे सब सूरतों में वही हुक्म है सिवाए ऐसे माल के जो इस का किसी हरबी के पास हो कि रिवायत अबू सुलैमान के मुवाफ़िक़ यह माल इसी मुसलमान या ज़िम्मी मुस्ताम्मन का होगा और रिवायत अबू हफ़्स के मुवाफ़िक़ इस में भी वही हुक्म है कि फ़ई होगा और मशाइख ने फ़रमाया कि रिवायत अबू सुलैमान असह है और यह सब इस वक्त है कि मुसलमान लोग इस दारूल हरब पर ग़ालिब आये हों और अगर मुसलमानों ने इस दारूल हरब पर ग़ारत की और ग़ालिब नहीं हुए तो भी इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार यही हुक्म है मगर इमाम आज़म रह० के अनुसार इस का तमाम माल फ़ई हो जायेगा सिवाए इस की जान और इस की औलाद सग़ार के और जो शख़्स कि दारूल हरब में मुसलमान हो कर दारूल इस्लाम में चला आया तो इस का हुक्म भी इसी तफ़सीर से है जैसा कि मुहीत में ज़िक्र फ़रमाया है यह तबयुन में है।

फ़स्लः 2

दुर्रे कैफ़ियत

लश्कर (सवार या प्यादा) के वास्ते ग़नायम की तकसीम :

इस का माल किसी हरबी के पास ग़सब या वदीअत हो इन में से कोई महफ़ूज़ न होंगे बल्कि यह सब श्रेणीबद्ध होंगे। इसी तरह जो चीज़ इस की किसी मुसलमान या ज़िम्मी के पास ग़सब हो वो भी इमामे आज़म रह० के अनुसार श्रेणीबद्ध होगी और अगर कोई मुसलमान या ज़िम्मी दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें संरक्षण ले कर दाखिल हुआ और९ वहां इस ने माल पाया फिर मुसलमान लोग इस दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशपर ग़ालिब हुए तो इस माल का हुक्म भी वैसा ही है जैसा कि इस व्यक्ति का है जो दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें मुसलमान हुआ चुनांचे सब सूरतों में वही हुक्म है सिवाए ऐसे माल के जो इस का किसी हरबी के पास हो कि रिवायत अबू सुलैमान के मुवाफ़िक़ यह माल इसी मुसलमान या ज़िम्मी मुस्ताम्मन का होगा और रिवायत अबू हफ़्स के मुवाफ़िक़ इस में भी वही हुक्म है कि श्रेणीबद्ध होगा और विद्वानों ने फ़रमाया कि रिवायत अबू सुलैमान असह है और यह सब इस समय है कि मुसलमान लोग इस दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशपर ग़ालिब आये हों और अगर मुसलमानों ने इस दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशपर ग़ारत की और ग़ालिब नहीं हुए तो भी इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार यही हुक्म है मगर इमाम आज़म रह० के अनुसार इस का तमाम माल श्रेणीबद्ध हो जायेगा सिवाए इस की जान और इस की औलाद सग़ार के और जो व्यक्ति कि दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें मुसलमान हो कर दारूल इस्लाम में चला आया तो इस का हुक्म भी इसी तफ़सीर से है जैसा कि मुहीत में ज़िक्र फ़रमाया है यह तबयुन में है।

फ़स्लः 2

दुर्रे कैफ़ियत

लश्कर (सवार या प्यादा) के लिएग़नायम की तकसीम :

इमामुल मुस्लिमीन ग़नीमत को तक़सीम करेगा पस पांचवां हिस्सा निकाल कर बाक़ी चार पांचवें हिस्से ग़ानमीन के दरमियान तक़सीम करेगा फिर इमाम आज़म रह० के अनुसार सवार के वास्ते दो सहाम और पैदल के वास्ते एक सहम है और साहबीन रह० ने फ़रमाया कि सवार के वास्ते तीन सहाम हैं यह हिदाया में है और जो शख़्स लश्कर पर अमीर मुक़र्रर किया गया है वो इस हुक्म में बमन्ज़िला एक लश्करी (1) के है यह सिरामिया में है। असीजानी ने शरह तहावा में फ़रमाया कि अगर सवार के पास कई घोड़े हों तो ज़ाहिर उल रिवाया के मुवाफ़िक़ फ़क़त एक ही घोड़े का हिस्सा गाया जायेगा और घोड़ों में कुछ फ़र्क़ नहीं है चुनांचे अरबी व नजीब व बरज़ों व हजीन वग़ैरह जिन पर घोड़े का इतलाक़ होता है सब यक्सां हैं मगर जिस के पास सवारी में ऊंट या ख़च्चर या गधा हो तो वो और पैदल यक्सां हैं। यह ग़ायतुल बयान में है और जो शख़्स दारूल हरब में सवार दाखिल हुआ फिर इस का घोड़ा मर गया तो वो सवार के हिस्सा का मुस्तहिक़ है। अगर किसी ने घोड़ा मुस्तआर लिया या इजारह पर लिया और क़िताल के वास्ते लिया है पस वक्त तक़सीम ग़नीमत के इस को ले कर हाज़िर हुआ तो इस के वास्ते सवार का हिस्सा लगाया जायेगा यानी इस घोड़े का हिस्सा इस को दिया जायेगा। अगर इस ने घोड़ा जिस पर क़िताल किया है ग़सब करके लिया है और इस को हाज़िर लाया तो बतरीक़ हराम इस के हिस्से का मुस्तहिक़ हुआ पस चाहिए कि इस घोड़े का हिस्सा सदक़ा करदे। वाज़ह रहे कि अगर इस का घोड़ा इस के साथ रहा यहां तक कि ग़नीमत हासिल हुई या जब वो दाखिल हुआ इस का घोड़ा मर गया या दुश्मन इस को पकड़ ले गया या टांग तोड़ दी या ंगड़ा हो गया ख़्वाह क़ब्ल हुसूले ग़नीमत के या बाद हुसूले ग़नीमत के तो इस में कुछ फ़र्क़ न होगा बल्कि वो सवार के हिस्से का मुस्तहिक़ होगा ख़्वाह वो शख़्स दफ़तर में सवारों में लिखा हो या पैदलों में मरक़ूम हो यह सिराज वहाज में है। अगर दारूल हरब में पैदल दाखिल हुआ फिर इस ने घोड़ा खरीदा या मुस्तआर (2) लिया या इस के वास्ते बइस्तहक़ाक़ वाजिब हुआ और इस ने सवार हो कर

इमामुल मुस्लिमीन ग़नीमत को तक़सीम करेगा पस पांचवां हिस्सा निकाल कर बाक़ी चार पांचवें हिस्से ग़ानमीन के दरमियान तक़सीम करेगा फिर इमाम आज़म रह० के अनुसार सवार के लिएदो हिस्से और पैदल के लिएएक सहम है और साहबीन रह० ने फ़रमाया कि सवार के लिएतीन हिस्से हैं यह हिदाया में है और जो व्यक्ति लश्कर पर अमीर मुक़र्रर किया गया है वो इस हुक्म में बमन्ज़िला एक लश्करी (1) के है यह सिरामिया में है। असीजानी ने शरह तहावा में फ़रमाया कि अगर सवार के पास कई घोड़े हों तो ज़ाहिर उल रिवाया के मुवाफ़िक़ फ़क़त एक ही घोड़े का हिस्सा गाया जायेगा और घोड़ों में कुछ फ़र्क़ नहीं है चुनांचे अरबी व नजीब व बरज़ों व हजीन वग़ैरह जिन पर घोड़े का इतलाक़ होता है सब यक्सां हैं मगर जिस के पास सवारी में ऊंट या ख़च्चर या गधा हो तो वो और पैदल यक्सां है। यह ग़ायतुल बयान में है और जो व्यक्ति दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें सवार दाखिल हुआ फिर इस का घोड़ा मर गया तो वो सवार के हिस्सा का मुस्तहिक़ है। अगर किसी ने घोड़ा मुस्तआर लिया या इजारह पर लिया और क़िताल के लिएलिया है पस समय तक़सीम ग़नीमत के इस को ले कर हाज़िर हुआ तो इस के लिएसवार का हिस्सा लगाया जायेगा यानी इस घोड़े का हिस्सा इस को दिया जायेगा। अगर इस ने घोड़ा जिस पर क़िताल किया है ग़सब करके लिया है और इस को हाज़िर लाया तो बतरीक़ हराम इस के हिस्से का मुस्तहिक़ हुआ पस चाहिए कि इस घोड़े का हिस्सा दान करदे। वाज़ह रहे कि अगर इस का घोड़ा इस के साथ रहा यहां तक कि ग़नीमत हासिल हुई या जब वो दाखिल हुआ इस का घोड़ा मर गया या दुश्मन इस को पकड़ ले गया या टांग तोड़ दी या ंगड़ा हो गया चाहे क़ब्ल हुसूले ग़नीमत के या बाद हुसूले ग़नीमत के तो इस में कुछ फ़र्क़ न होगा बल्कि वो सवार के हिस्से का मुस्तहिक़ होगा चाहे वो व्यक्ति दफ़तर में सवारों में लिखा हो या पैदलों में मरक़ूम हो यह सिराज वहाज में है। अगर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें पैदल दाखिल हुआ फिर इस ने घोड़ा खरीदा या मुस्तआर (2) लिया या इस के

क़िताल किया तो इस को पैदल का हिस्सा मिलेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

असल (३) यह क़रार पाई है कि मोअतबर हमारे अनुसार वो हालत है कि जब इस ने दारूल इस्लाम से मुजावज़त बदारूल हरब की है यानी जिस हाल से वो दारूल इस्लाम से हो पार हुआ है। अगर इस ने सवार यहां से तजावुज़ किया और दारूल हरब में सवार दाखिल हुआ फिर इस ने अपना घोड़ा फ़रोख़्त कर दिया यसा रहन कर दिया सया इजारा पर दिया या हुबा किया या आरियत दिया तो ज़ाहिर उल रिवाया के मुवाफ़िक़ घोडे का हिस्सा बातिल हो जायेगा और पैदल का हिस्सा पायेगा। यह सिराज वहाज में है। अगर इस ने क़िताल से फ़रोग़त के बाद घोड़ा फ़रोख़्त कर दिया तो इस को सवार का हिस्सा साक़ित न होगा और इस में इत्तफ़ाक़ है कुछ इख़्तलाफ़ नहीं है यह फ़तहुल क़दीर में है। अगर इस ने हालते क़िताल में इस को फ़रोख़्त कर दिया तो असह क़ौल के मुवाफ़िक़ इस का हिस्सा सवार साक़ित हो जायेगा यह काफ़ी में है। अगर किसी ग़ासिब ने इस का घोडा ग़सब कर लिया और इस को क़ीमत तावान दे दी तो वो प्यादा रह गया यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर दारूल हरब में सवार दाखिल हुआ मगर क़िताल की हालत में इस ने बसबब ग़ैक़ (4) मक़ाम या झाड दरख़्तों के प्यादा क़िताल किया तो ऐसे लोगों को सवारों का हिस्सा चाहिए और अगर वो दारूल हरब में ऐसे घोडे पर सवार

(1)नी अगर सवार लडा तो मिस्ल सवार के दर न प्यादा।
(2)आरियत लिया जिस को हमारे उर्फ+ में मांगे का बोलते हैं।
(३)मुतरजम कहता है कि बाज+ फ़िक़्हाऐ ने कहा कि लडाई की हालत मोअतबर हैयानी जिस हालतज में इस ने क़िताल किया है व लेकिन असह वही है जो वहां मज़कूर हुआ फ़ाफ़हम वल्लाहु आलम।
(4)नी जगह की तंगी के सबब से।

होकर दाखिल हुआ जिस पर क़िताल करने की इस्तताअत नहीं रखता है ख़्वाह बसबब इस के कि यह घोड़ा बहुत बूढ़ा है या बसबब इस के कि यह बहुत बच्चा है कि सवारी लेने के लायक़ नहीं है तो वो इसवार के हिस्से का मुस्तहिक़ न होगा। अगर यह घोड़ा ऐसा मरीज़ हो कि इस पर सवार हो कर क़िताल नहीं कर

लिएबइस्तहक़ाक़ अनिवार्य हुआ और इस ने सवार हो कर क़िताल किया तो इस को पैदल का हिस्सा मिलेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

असल (३) यह क़रार पाई है कि मोअतबर हमारे अनुसार वो हालत है कि जब इस ने दारूल इस्लाम से मुजावज़त बदारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशकी है यानी जिस हाल से वो दारूल इस्लाम से हो पार हुआ है। अगर इस ने सवार यहां से तजावुज़ किया और दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें सवार दाखिल हुआ फिर इस ने अपना घोड़ा फ़रोख़्त कर दिया यसा रहन कर दिया सया इजारा पर दिया या हुबा किया या आरियत दिया तो ज़ाहिर उल रिवाया के मुवाफ़िक़ घोड़े का हिस्सा बातिल हो जायेगा और पैदल का हिस्सा पायेगा। यह सिराज वहाज में है। अगर इस ने क़िताल से फ़रोग़त के बाद घोड़ा फ़रोख़्त कर दिया तो इस को सवार का हिस्सा साक़ित न होगा और इस में इत्तफ़ाक़ है कुछ मतभेद नहीं है यह फ़तहुल क़दीर में है। अगर इस ने हालते क़िताल में इस को फ़रोख़्त कर दिया तो असह कथन के मुवाफ़िक़ इस का हिस्सा सवार साक़ित हो जायेगा यह काफ़ी में है। अगर किसी ग़ासिब ने इस का घोड़ा ग़सब कर लिया और इस को क़ीमत तावान दे दी तो वो प्यादा रह गया यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें सवार दाखिल हुआ मगर क़िताल की हालत में इस ने बसबब ग़ैक़ (4) मक़ाम या झाड दरख़्तों के प्यादा क़िताल किया तो ऐसे लोगों को सवारों का हिस्सा चाहिए और अगर वो दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें ऐसे घोडे पर सवार

(1)नी अगर सवार लडा तो मिस्ल सवार के दर न प्यादा।
(2)आरियत लिया जिस को हमारे उर्फ+ में मांगे का बोलते हैं।
(३) मुतरजम कहता है कि कुछ फ़िक़्हाऐ ने कहा कि लड़ाई की हालत मोअतबर हैयानी जिस हालतज में इस ने क़िताल किया है व लेकिन असह वही है जो वहां वर्णित हुआ फ़ाफ़हम वल्लाहु आलम।
(4)नी जगह की तंगी के सबब से।

होकर दाखिल हुआ जिस पर क़िताल करने की इस्तताअत नहीं रखता है चाहे बसबब इस के कि यह घोड़ा बहुत बूढ़ा है या बसबब इस के कि यह बहुत बच्चा है कि सवारी लेने के लायक़ नहीं है तो वो इसवार

सकता है मसलन पत्थर वग़ैरह से इस का सुम घुन गया या इस को सुलअ की बीमारी पैदा हो गई पस इसी हाल से इस पर वो हद दारूल इस्लाम से तजावुज़ कर के दारूल हरब में दाखिल हुआ फिर इस की बीमारी ज़ायल हो गई और ऐसा हो गया कि इस पर क़िताल कर सकता है और यह ग़नायम हासिल होने से पहले वाक़े हुआ तो इस्तहसानन इस का सवारों का हिस्सा लगाया जायेगा। अगर इस ने ग़सब किये हुए या मुस्तआर या इजारा लिये हुए घोडे पर दरब (1) से तजावुज़ किया फिर मालिक ने इस से वापिस कर लिया पस वो जंग में पैदल हाज़िर हुआ तो इस के हक़ में दो रिवायतें हैं यह फ़तहुल क़दीर में है।

बहरी जिहाद वाले की बाबत ग़नायम का मसलाः

जो शख़्स बहर (दरिया, समन्दर) में कश्ती पर सवार हो कर क़िताल करता है वो दो सहाम का मुस्तहिक़ है अगरचे कश्ती में घोडे पर सवार हो कर क़िताल नहीं कर सकता है। यह बहरूल राइक़ में है। अगर इस ने अपना घोडा किसी शख़्स को हुबा कर दिया और इस को सुपुर्द कर दिया और जिस को हुबा कियसा है वो इस घोडे पर सवार हो कर दारूल हरब में बक़सद क़िताल दाखिल हुआ और इस लश्कर के साथ इस घोडे का हुबा करने वाला भी गया फिर इस ने अपनी हुबा से रूजूअ करके अपना घोडा ले लिया तो जिस क़द्र ग़नायम इस के रूजूअ कर लेने के बाद हासिल हुए हैं इन में इस का पैदल का हिस्सा लगाया जायेगा और हुबा करने वाला जिस ने हुबा से रूजूअ कर लिया है जुमला ग़नायम में इस का हिस्सा पैदल का लगाया जायेगा और अगर अपना घोडा दारूल इस्लाम में बतौर बैअ फ़ासिद के फ़रोख़्त किया और इस को मुशतरी के सुपुर्द कर दिया जिस को मुशतरी लश्कर के साथ दारूल हरब में ले गया और घोड़ा बेचने वाला भी इन के साथ दाखिल हुआ है फिर इस ने बवजह बैअ फ़ासिद होने के अपना घोडा वापिस कर लिया तो जो कुछ ग़नायम में हासिल हों इस में बाऐ का हिस्सा पैदल का लगाया जायेगा ख़्वाह वापिस करके लेने

के हिस्से का मुस्तहिक़ न होगा। अगर यह घोडा ऐसा मरीज़ हो कि इस पर सवार हो कर क़िताल नहीं कर सकता है मसलन पत्थर वग़ैरह से इस का सुम घुन गया या इस को सुलअ की बीमारी पैदा हो गई पस इसी हाल से इस पर वो हद दारूल इस्लाम से तजावुज़ कर के दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल हुआ फिर इस की बीमारी ज़ायल हो गई और ऐसा हो गया कि इस पर क़िताल कर सकता है और यह ग़नायम हासिल होने से पहले स्थपित हुआ तो इस्तहसानन इस का सवारों का हिस्सा लगाया जायेगा। अगर इस ने ग़सब किये हुए या मुस्तआर या इजारा लिये हुए घोडे पर दरब (1) से तजावुज़ किया फिर मालिक ने इस से वापिस कर लिया पस वो जंग में पैदल हाज़िर हुआ तो इस के हक़ में दो रिवायतें हैं यह फ़तहुल क़दीर में है।

बहरी जिहाद वाले की बाबत ग़नायम का मसलाः

जो व्यक्ति बहर (दरिया, समन्दर) में कश्ती पर सवार हो कर क़िताल करता है वो दो हिस्से का मुस्तहिक़ है अगरचे कश्ती में घोडे पर सवार हो कर क़िताल नहीं कर सकता है। यह बहरूल राइक़ में है। अगर इस ने अपना घोड़ा किसी व्यक्ति को हुबा कर दिया और इस को सुपुर्द कर दिया और जिस को हुबा कियसा है वो इस घोडे पर सवार हो कर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें बक़सद क़िताल दाखिल हुआ और इस लश्कर के साथ इस घोडे का हुबा करने वाला भी गया फिर इस ने अपनी हुबा से रूजूअ करके अपना घोडा ले लिया तो जिस क़द्र ग़नायम इस के रूजूअ कर लेने के बाद हासिल हुए हैं इन में इस का पैदल का हिस्सा लगाया जायेगा और हुबा करने वाला जिस ने हुबा से रूजूअ कर लिया है जुमला ग़नायम में इस का हिस्सा पैदल का लगाया जायेगा और अगर अपना घोडा दारूल इस्लाम में बतौर विक्रय फ़ासिद के फ़रोख़्त किया और इस को ग्राहक के सुपुर्द कर दिया जिस को ग्राहक लश्कर के साथ दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें ले गया और घोडा बेचने वाला भी इन के साथ दाखिल हुआ है फिर इस ने

से पहले हासिल हुए हों या इस के बाद और मुशतरी इन ग़नायम के हिस्से में जो वापिस कर लेने से पहले हासिल हुए हैं सवार क़रार दिया जायेगा और जो इस के बाद हासिल हुए हैं इन में पैदल क़रार दिया जायेगा। एक शख़्स अपना घोड़ा दारूल हरब में ले गया ताकि इस पर सवार हो कर क़िताल करे फिर किसी ने गवाह क़ायम करके अपना इस्तहक़ाक़ साबित करके इस के हाथ से यह घोड़ा ले लिया तो इस्तहक़ाक़ साबित कर लेने वाला जुमला ग़नायत में पैदल क़रार (2) दिया जायेगा और जिस पर इस्तहक़ाक़ साबित करके लिया है वो इन ग़नायम में जो क़ब्ल वापिस लेने के हासिल हुई हैं सवार क़रार दिया जायेगा और जो इस के बाद हासिल हुई हैं इन में पैदल ठहराया जायेगा दो मर्दों में से एक के पास घोड़ा है और दूसरे के पास खच्चर है पस दोनों ने बाहम बैअ कर ली और दोनों इन को ले कर दारूल हरब में दाखिल हुए फिर एक ने अपने खरीदे हुए मैं ऐब पाकर वापिस करके जो दिया था वो वापिस कर लिया तो खच्चर खरीदने वाला जुमला ग़नायम में पैदल होगा और घोड़ा खरीदने वाला इन ग़नायम में जो क़ब्ल बाहमी रद बैअ के हासिल हुई हैं सवार क़रार दिया जायेगा और जो बाद इस के हासिल हुई हैं इन में पैदल क़रार दिया जायेगा। अगर अपना घोड़ा दारूल इस्लाम में एक शख़्स के पास जिस का इस पर क़र्ज़ा आता है बऔज़ इस क़र्ज़ा के रहन कर दिया फिर राहिन व मरतहन दोनों दारूल हरब में दाखिल हुए और मरतहन यह घोड़ा भी अपने साथ ले गया ताकि इस पर क़िताल करे फिर राहिन ने मरतहन को इस का कर्ज़ा दारूल हरब में अदा करके इस से अपना घोड़ा ले लिया तो रहन करने वाला जुमा ग़नायम में जो फ़क रहन से पहले या बाद हासिल हुई हैं पैदल क़रार दिया जायेगा और इसी तरह मरतहन भी जुमला ग़नायम (3) में पैदल होगा और अगर इस ने अपना घोड़ा दारूल हरब में फ़रोख्त कर दिया फिर दूसरा घोड़ा खरीद लिया तो इस्तहसानन जैसा सवार था वैसा ही रहेगा और अगर किसी

(1)दरब पहाड+ की तंगघाटी के दरवाज़ा को कहते हैं।

(2)इस सूरत में कि वो वक्त दाखिल होने दारूल हरब के पैदल था और वाज़ह हो कि मुस्तहिक+ अलैहि ग़नायम क़ब्ल इस्तदार के

बवजह विक्रय फ़ासिद होने के अपना घोड़ा वापिस कर लिया तो जो कुछ ग़नायम में हासिल हों इस में बाऐ का हिस्सा पैदल का लगाया जायेगा चाहे वापिस करके लेने से पहले हासिल हुए हों या इस के बाद और ग्राहक इन ग़नायम के हिस्से में जो वापिस कर लेने से पहले हासिल हुए हैं सवार क़रार दिया जायेगा और जो इस के बाद हासिल हुए हैं इन में पैदल क़रार दिया जायेगा। एक व्यक्ति अपना घोड़ा दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें ले गया ताकि इस पर सवार हो कर क़िताल करे फिर किसी ने गवाह क़ायम करके अपना इस्तहक़ाक़ साबित करके इस के हाथ से यह घोड़ा ले लिया तो इस्तहक़ाक़ साबित कर लेने वाला जुमला ग़नायत में पैदल क़रार (2) दिया जायेगा और जिस पर इस्तहक़ाक़ साबित करके लिया है वो इन ग़नायम में जो क़ब्ल वापिस लेने के हासिल हुई हैं सवार क़रार दिया जायेगा और जो इस के बाद हासिल हुई हैं इन में पैदल ठहराया जायेगा दो मर्दों में से एक के पास घोड़ा है और दूसरे के पास खच्चर है पस दोनों ने बाहम विक्रय कर ली और दोनों इन को ले कर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल हुए फिर एक ने अपने खरीदे हुए मैं ऐब पाकर वापिस करके जो दिया था वो वापिस कर लिया तो खच्चर खरीदने वाला जुमला ग़नायम में पैदल होगा और घोड़ा खरीदने वाला इन ग़नायम में जो क़ब्ल बाहमी रद विक्रय के हासिल हुई हैं सवार क़रार दिया जायेगा और जो बाद इस के हासिल हुई हैं इन में पैदल क़रार दिया जायेगा। अगर अपना घोड़ा दारूल इस्लाम में एक व्यक्ति के पास जिस का इस पर क़र्ज़ा आता है बऔज़ इस क़र्ज़ा के रहन कर दिया फिर राहिन व मरतहन दोनों दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल हुए और मरतहन यह घोड़ा भी अपने साथ ले गया ताकि इस पर क़िताल करे फिर राहिन ने मरतहन को इस का कर्ज़ा दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें अदा करके इस से अपना घोड़ा ले लिया तो रहन करने वाला जुमा ग़नायम में जो फ़क रहन से पहले या बाद हासिल हुई हैं पैदल क़रार दिया जायेगा और इसी तरह मरतहन भी जुमला ग़नायम (3) में पैदल होगा और अगर इस ने

हिस्से सवार को कि+यासन ज़ाहिरयह था कि सदक़ा करे व लेकिन इस्तहसानन सदक़ा न करेगा फ़ाफ़हम।
(३)ग़नायम ग़नीमत की जमा है।

मुसलमान ने किसी मुसलमान दीगर का घोड़ा क़त्ल कर दिया और मालिक फ़र्स को क़ीमत देदी और इस ने लेली और इस के औज़ दूसरा घोडा न खरीदा तो जो ग़नायम हासिल हुई हैं इन में से इस के वास्ते सवारों का हिस्सा लगाया जायेगा। जिस ने अपना घोडा दारूल हरब में बाकराह फ़रोख्त किया तो इस के घोडे का हिस्सा साक़ित न होगा। अगर ग़ाज़ी ने अपना घोडा दारूल हरब में दिरहमों के औज़ फ़रोख्त कर दिया हालांकि इस से पहले ग़नायम हासिल हो चुकी हैं फिर इस ने दूसरा घोडा मुस्तआर लिया या इजारा पर लिया फिर और ग़नायम हासिल हुई तो जो ग़नायम बाद बैअ के हासिल हुई हैं वो इन में पैदल क़रार दिया जायेगा और इजारा लेने या आरियत लेने वाला बजाये मुशतरी के क़रार न दिया जायेगा बखिलाफ़ इस के अगर इस ने दूसरा घोडा खरीद लिया तो बिना बर हुक्म इस्तहसान के वो सवार ही क़रार पायेगा। अगर किसी ने अपना घोडज्ञ फ़रोख्त कर दिया फिर इस को दूसरा घोड़ा हुबा किया गया और इस को सुपुर्द कर दिया गया तो वो सवार क़रार पायेगा इस वास्ते कि जो चीज़ हुबा कर दी गई है वो अपनी ज़ात से इस की मिल्क में आगई पस वो मिस्ल मुशतरी के हुआ और अगर पहला घपोडज्ञ इस के पास बइजारह या बआरियत हो तो दूसरा भी बआरियत हो तो बजाये अव्वल के क़ायम होगा और अगर अव्वल बइजारह हो और दूसरा बआरियत हो तो दूसरा बजाये अव्वल के न होगा और अगर अव्वल आरियत हुआ और दूसरा बइजारह हो तो दूसरा बजाये अव्वल के क़ायम होगा फिर दारूल हरब में आरियत लेने वाले ने अगर पहला घोडा इस के हाथ से वापिस लिये जाने के बाद दूसरा घोडा मुस्तआर लिया तो बाद इस के जो ग़नायम हों इन में वो सवार क़रार दिये जाने और सवारों के हिस्से पाने का बसबब क़याम दोम के मक़ाम अव्वल में जब ही मुस्तहिक़ होगा कि जब दूसरी आरियत वाले का कोई और घोड़ा सिवाए इस घोडे के हो जो इस ने आरियत दिया है और अगर आरियत दहन्दह का दूसरा घोड़ा सिवाए इस के न हो तो जो अपना घोड़ा दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें फ़रोख्त कर दिया फिर दूसरा घोडा खरीद लिया तो इस्तहसानन जैसा सवार था वैसा ही रहेगा और अगर किसी

(1)दरब पहाड+ की तंगघाटी के दरवाज़ा को कहते हैं।
(2)इस स्थिति में कि वो सम दाखिल होने दारूल हरब//ग़ैर-इस्लामी शासित देशके पैदल था और वाज़ह हो कि मुस्तहिक+ अलैहि ग़नायम क़ब्ल इस्तदार के हिस्से सवार को कि+यासन ज़ाहिरयह था कि दान करे व लेकिन इस्तहसानन दान न करेगा फ़ाफ़हम।
(३)ग़नायम ग़नीमत की जमा है।

मुसलमान ने किसी मुसलमान दीगर का घोड़ा क़त्ल कर दिया और मालिक फ़र्स को क़ीमत देदी और इस ने लेली और इस के औज़ दूसरा घोडा न खरीदा तो जो ग़नायम हासिल हुई हैं इन में से इस के लिएसवारों का हिस्सा लगाया जायेगा। जिस ने अपना घोडा दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें बाकराह फ़रोख्त किया तो इस के घोडे का हिस्सा साक़ित न होगा। अगर ग़ाज़ी ने अपना घोडा दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दिरहमों के औज़ फ़रोख्त कर दिया हालांकि इस से पहले ग़नायम हासिल हो चुकी हैं फिर इस ने दूसरा घोडा मुस्तआर लिया या इजारा पर लिया फिर और ग़नायम हासिल हुई तो जो ग़नायम बाद विक्रय के हासिल हुई हैं वो इन में पैदल क़रार दिया जायेगा और इजारा लेने या आरियत लेने वाला बजाये ग्राहक के क़रार न दिया जायेगा बखिलाफ़ इस के अगर इस ने दूसरा घोडा खरीद लिया तो बिना बर हुक्म इस्तहसान के वो सवार ही क़रार पायेगा। अगर किसी ने अपना घोडज्ञ फ़रोख्त कर दिया फिर इस को दूसरा घोड़ा हुबा किया गया और इस को सुपुर्द कर दिया गया तो वो सवार क़रार पायेगा इस लिएकि जो चीज़ हुबा कर दी गई है वो अपनी ज़ात से इस की मिल्क में आगई पस वो मिस्ल ग्राहक के हुआ और अगर पहला घपोडज्ञ इस के पास बइजारह या बआरियत हो तो दूसरा भी बआरियत हो तो बजाये अव्वल के क़ायम होगा और अगर अव्वल बइजारह हो और दूसरा बआरियत हो तो दूसरा बजाये अव्वल के न होगा और अगर अव्वल आरियत हुआ और दूसरा बइजारह हो तो दूसरा बजाये अव्वल के क़ायम होगा फिर

ग़नायम इस के बाद हासिल हों इन में आरियत लेने वाला सवारों के हिस्से का मुस्तहिक़ हो तो लाज़िम आये कि दोनों में से हर एक बसबब एक ही घोड़े के एक ही ग़नीमत में से हिस्सा कामिल का मुस्तहिक़ हुआ और यह जायज़ नहीं है और अगर दारूल इस्लाम में इस ने एक घोड़ा खरीदा और हनूज़ बाहमी क़ब्ज़ा वाक़े न हुआ यहां तक कि वो दारूल हरब में दाखिल हुआ फिर मुशतरी ने इस घोड़े पर क़ब्ज़ा किया और सिमन अदा कर दिया तो बाऐ व मुशतरी दोनों पैदल क़रार पाऐंगे और अगर सिमन मीआदी हो या फ़िल हाल अदा करना ठहरा हो कि मुशतरी ने दारूल हरब में दाखिल होने से पहले इस को अदा कर दिया फिर दोनों दारूल हरब में दाखिल हुए और मुशतरी ने घोड़े पर क़ब्ज़ा किया तो इस्तहसानन मुशतरी सवार क़रार दिया जायेगा। अगर दो आदमी एक घोड़े को जो इन के दरमियान शिरकत में है ले कर दारूल हरब में बदीन क़सद दाखिल हुए कि कभी इस पर सवार हो कर यह क़िताल करे और कभी वो तो यह दोनों पैदलों में शुमार होंगे और इसी तरह अगर दो घोड़े ले कर दाखिल हुए और दोनों में से हर एक घोड़ा दोनों के दरमियान निस्फ़न निस्फ़ मुशतरिक है तो भी वो दोनों पैदलों में शुमार हैं लेकिन अगर दोनों में से एक ने दूसरे को अपना हिस्सा इजारह पर दे दिया या क़ब्ल इस के कि वो दारूल हरब में दाखिल हों तो इस सूरत में इजारह लेने वाला सवार होगा और अगर दोनों ने बाहम बख़ुशी खातिर यह क़रार दिया कि हर एक दोनों घोड़ों में से जिस घोड़े पर चाहे सवार हो तो देखा जाये कि अगर दारूल हरब में दाखिल होने के बाद ऐसा किया है तो दोनों पैदल होंगे। बक़सद क़िताल इस तरह सवारी लेने के बटवारे पर दोनों में से किसी पर जबर न किया जायेगा हां अगर यह बटवारा न बक़सद क़िताल हो तो बिना बर क़ौल इमाम मौहम्मद रह० के और यही क़ौल इमाम अबू यूसुफ़ रह० का है दोनों इस पर मजबूर किये जाऐंगे और बिना बर क़ौल इमाम आज़म रह० के मजबूर नहीं किये जाऐंगे लेकिन अगर दोनों अपनी ख़ुशी खातिर से इस पर राज़ी हुए तो क़ाज़ी इस को नाफ़िज़ कर देगा। यह मुहीत में है।

दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें आरियत लेने वाले ने अगर पहला घोड़ा इस के हाथ से वापिस लिये जाने के बाद दूसरा घोड़ा मुस्तआर लिया तो बाद इस के जो ग़नायम हों इन में वो सवार क़रार दिये जाने और सवारों के हिस्से पाने का बसबब क़याम दोम के मक़ाम अव्वल में जब ही मुस्तहिक़ होगा कि जब दूसरी आरियत वाले का कोई और घोड़ा सिवाए इस घोड़े के हो जो इस ने आरियत दिया है और अगर आरियत दहन्दह का दूसरा घोड़ा सिवाए इस के न हो तो जो ग़नायम इस के बाद हासिल हों इन में आरियत लेने वाला सवारों के हिस्से का मुस्तहिक़ हो तो अनिवार्य आये कि दोनों में से हर एक बसबब एक ही घोड़े के एक ही ग़नीमत में से हिस्सा कामिल का मुस्तहिक़ हुआ और यह जायज़ नहीं है और अगर दारूल इस्लाम में इस ने एक घोड़ा खरीदा और हनूज़ बाहमी क़ब्ज़ा स्थपित न हुआ यहां तक कि वो दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल हुआ फिर ग्राहक ने इस घोड़े पर क़ब्ज़ा किया और क़ीमत अदा कर दिया तो बाऐ व ग्राहक दोनों पैदल क़रार पाऐंगे और अगर क़ीमत मीआदी हो या फ़िल हाल अदा करना ठहरा हो कि ग्राहक ने दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल होने से पहले इस को अदा कर दिया फिर दोनों दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल हुए और ग्राहक ने घोड़े पर क़ब्ज़ा किया तो इस्तहसानन ग्राहक सवार क़रार दिया जायेगा। अगर दो आदमी एक घोड़े को जो इन के दरमियान शिरकत में है ले कर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें बदीन क़सद दाखिल हुए कि कभी इस पर सवार हो कर यह क़िताल करे और कभी वो तो यह दोनों पैदलों में शुमार होंगे और इसी तरह अगर दो घोड़े ले कर दाखिल हुए और दोनों में से हर एक घोड़ा दोनों के दरमियान निस्फ़न निस्फ़ मुशतरिक है तो भी वो दोनों पैदलों में शुमार हैं लेकिन अगर दोनों में से एक ने दूसरे को अपना हिस्सा इजारह पर दे दिया या क़ब्ल इस के कि वो दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल हों तो इस स्थिति में इजारह लेने वाला सवार होगा और अगर दोनों ने बाहम बख़ुशी खातिर यह क़रार दिया कि हर एक दोनों घोड़ों में

ममलूका व आंसा के हिस्सों के मुताल्लिक़ :

ममलूक के वास्ते हिस्सा न लगाया जायेगा और न औरत के वास्ते और न तफ़ल के वास्ते और न ज़िम्मी के वास्ते लेकिन बर राये इमाम उल मुस्लिमीन इन को रज़ख (1) के तौर पर दिया जा सकता है और मकातिब बमन्ज़िला-ए-ग़ुलाम के है और ग़ुलाम को रज़ख जब ही दिया जायेगा कि जबअ इस ने क़िताल किया हो और औरत अगर मरीज़ों की पर दाख़्त करती हो और मजरूहों की मदावात करती हो तो इस को रज़ख दिया जायेगा और ज़िम्मी को जब ही रज़ख दिया जायेगा कि जब इस ने क़िताल किया या राह बताई व क़िताल न किया लेकिन वाज़ह रहे कि जब इस ने क़िताल किया तो इस को रज़ख इस क़द्र न दिया जायेगा कि सहम के बराबर पहुंच जाये लेकिन अगर राह बताई कि जिस में मनफ़अत अज़ीम है तो इस को सहम से ज़्यादा भी दिया जा सकता है यह हिदाया में है और तफ़ल मराहिक़ जो क़रीब ब बलूग़ पहुंचा और बालिग़ नहीं हुआ है और मअतूह (2) अगर उन्होंने क़िताल किया तो इन को रज़ख दिया जायेगा यह ग़ायतुल बयान में है। फिर वाज़ह रहे कि हमारे अनुसार रज़ख ग़नीमत में से पांचवां हिस्सा निकाल लेने से पहले दिया जाता है। यह फ़तहुल क़दीर में है। पांचवां हिस्सा जो इमामुल मुस्लिमीन ने ग़नायम में से निकाल लिया है वो तीन सहाम पर तक़सीम किया जायेगा जिस में से एक हिस्सा यतीमों के वास्ते होगा और एक हिस्सा मिस्कीनों के वास्ते और एक हिस्सा इब्नुस्सबील के लिये कि फ़ुक़राऐ ज़विल क़ुरबा उन्हीं में दाखिल होंगे और वो लोग मुक़द्दम रखे जाऐंगे और ज़विल क़र्बा में से तवंगरों को न दिया जायेगा। क़ुरआन मजीद की आयत में ख़ुम्स के बयान में जो अल्लाह तआला ने अपने वास्ते भी ज़िक्र किया यसानी अपना नाम पाक भी ज़िक्र फ़रमाया सो यह बदीन फ़ायदा कि तबर्रूकन इफ़तताह कलाम बनाम पाक ओ तआला इज्ज़हमू हुए और इसी आयत में बाद अपने नाम पाक के नाम शरीफ़ अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र फ़रमाया है सो हज़रत मौहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा बसबब इन की वफ़ात के से जिस घोड़े पर चाहे सवार हो तो देखा जाये कि अगर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल होने के बाद ऐसा किया है तो दोनों पैदल होंगे। बक़सद क़िताल इस तरह सवारी लेने के बटवारे पर दोनों में से किसी पर जबर न किया जायेगा हां अगर यह बटवारा न बक़सद क़िताल हो तो बिना बर कथन इमाम मौहम्मद रह० के और यही कथन इमाम अबू यूसुफ़ रह० का है दोनों इस पर मजबूर किये जाऐंगे और बिना बर कथन इमाम आज़म रह० के मजबूर नहीं किये जाऐंगे लेकिन अगर दोनों अपनी ख़ुशी खातिर से इस पर राज़ी हुए तो क़ाज़ी इस को नाफ़िज़ कर देगा। यह मुहीत में है।

ममलूका व आंसा के हिस्सों के मुताल्लिक़ :

ममलूक के लिएहिस्सा न लगाया जायेगा और न औरत के लिएऔर न तफ़ल के लिएऔर न ज़िम्मी के लिएलेकिन बर राये इमाम उल मुस्लिमीन इन को रज़ख (1) के तौर पर दिया जा सकता है और मकातिब बमन्ज़िला-ए-ग़ुलाम के है और ग़ुलाम को रज़ख जब ही दिया जायेगा कि जबअ इस ने क़िताल किया हो और औरत अगर मरीज़ों की पर दाख़्त करती हो और मजरूहों की मदावात करती हो तो इस को रज़ख दिया जायेगा और ज़िम्मी को जब ही रज़ख दिया जायेगा कि जब इस ने क़िताल किया या राह बताई व क़िताल न किया लेकिन वाज़ह रहे कि जब इस ने क़िताल किया तो इस को रज़ख इस क़द्र न दिया जायेगा कि सहम के बराबर पहुंच जाये लेकिन अगर राह बताई कि जिस में मनफ़अत अज़ीम है तो इस को सहम से ज़्यादा भी दिया जा सकता है यह हिदाया में है और तफ़ल मराहिक़ जो क़रीब ब बलूग़ पहुंचा और बालिग़ नहीं हुआ है और मअतूह (2) अगर उन्होंने क़िताल किया तो इन को रज़ख दिया जायेगा यह ग़ायतुल बयान में है। फिर वाज़ह रहे कि हमारे अनुसार रज़ख ग़नीमत में से पांचवां हिस्सा निकाल लेने से पहले दिया जाता है। यह फ़तहुल क़दीर में है। पांचवां हिस्सा जो इमामुल मुस्लिमीन ने ग़नायम में से निकाल लिया है वो तीन हिस्से पर तक़सीम किया जायेगा जिस में से एक हिस्सा यतीमों के लिएहोगा और एक हिस्सा निर्धनों के लिएऔर एक हिस्सा इब्नुस्सबील के

साक़ित हो गया जैसे कि सफ़ी साक़ित हो गया और सफ़ी वो शैय है कि जो आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़नीमत में से मिस्ल ज़िरह या तलवार या बान्दी वग़ैरह के अपने वास्ते चुन लेते थे यह हिदाया में है।

अगर इमाम ने ग़नायम को लश्करियों के दरमियान तक़सीम कर दिया और हर एक ने अपने अपने हिस्से पर क़ब्ज़ा कर लिया और अपने घरों में मुतफ़र्रिक़ हो गये फिर एक शख़्स आया :

अगर पांचवां हिस्सा इन तीनों असनाफ़ मज़कूरह में से एक ही सनफ़ के सिर्फ़ में कर दिया तो भी हमारे अनुसार रवा है। यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर इमाम ने ग़नायम को मुसलमानों के दरमियान तक़सीम कर दिया और ग़नायम रक़ीक़ व मताअ वग़ैरह थी पस इमाम ने बाज़ों को रक़ीक़ बांट दिये और बाज़ों को चोपाये जानवर बांट में दिये और बाज़ों को दिरहम या दीनार दिये और बाज़ों को घोडे या हथियार दिये मगर सवार व प्यादा में से हर एक को इस का हिस्सा जो शरई मुक़र्रर है दिया तो यह जायज़ है ख़्वाह बरज़ा मन्दी ग़ानमीन हो या बग़ैर रज़ा मन्दी ग़ानमीन और ख़्वाह इस तरह तक़सीम दारूल हरब में की हो या दारूल इस्लाम में। अगर इमाम ने ग़नायम को तक़सीम किया और हर हक़ दार ने अपना हक़ ले लिया और मुसलमानों में किसी के हिस्से में एक बान्दी आई और अहले लश्कर अपने अपने घरों में मुतफ़र्रिक़ हो कर चले गये फिर जो बान्दी इस शख़्स के हिस्से में आई है इस ने दअवा किया कि मैं आज़ादा बान्दी अहले ज़िम्मा में से हों मुझ को मुश्रिक लोग क़ैद करके ले गये थे और इस ने इस दअवा पर दो गवाह आदिल मुसलमान क़ायम किये तो इमाम इस के आज़ाद होने का हुक्म दे देगा और जब इमाम ने इस के आज़ाद होने का हुक्म दे दिया तो आया तक़सीम टूट जायेगी या नहीं पस बिना बर क़ियास के टूट जायेगी और इस्तहसानन जब वो चीज़ जो इस्तहक़ाक़ में जाती

(1)रज+ख+ अतिया क़लीलयानी मज़कूरह लोगों को माले ग़नीमत से इमामुल मुस्लिमीन बतौर अतिया के थोडा सा माल देगा और वो लिये कि फ़ुक़राऐ ज़विल क़ुरबा उन्हीं में दाखिल होंगे और वो लोग मुक़द्दम रखे जाऐंगे और ज़विल क़र्बा में से तवंगरों को न दिया जायेगा। क़ुरआन मजीद की आयत में ख़म्स के बयान में जो अल्लाह तआला ने अपने लिएभी ज़िक्र किया यसानी अपना नाम पाक भी ज़िक्र फ़रमाया सो यह बदीन फ़ायदा कि तबर्रूकन इफ़तताह बात बनाम पाक ओ तआला इज़्ज़हमू हुए और इसी आयत में बाद अपने नाम पाक के नाम शरीफ़ अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र फ़रमाया है सो हज़रत मौहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा बसबब इन की वफ़ात के साक़ित हो गया जैसे कि सफ़ी साक़ित हो गया और सफ़ी वो शैय है कि जो आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़नीमत में से मिस्ल ज़िरह या तलवार या बान्दी वग़ैरह के अपने लिएचुन लेते थे यह हिदाया में है।

अगर इमाम ने ग़नायम को लश्करियों के दरमियान तक़सीम कर दिया और हर एक ने अपने अपने हिस्से पर क़ब्ज़ा कर लिया और अपने घरों में मुतफ़र्रिक़ हो गये फिर एक व्यक्ति आया :

अगर पांचवां हिस्सा इन तीनों असनाफ़ मज़कूरह में से एक ही सनफ़ के सिर्फ़ में कर दिया तो भी हमारे अनुसार जायज़ है। यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर इमाम ने ग़नायम को मुसलमानों के दरमियान तक़सीम कर दिया और ग़नायम रक़ीक़ व मताअ वग़ैरह थी पस इमाम ने बाज़ों को रक़ीक़ बांट दिये और बाज़ों को चोपाये जानवर बांट में दिये और बाज़ों को दिरहम या दीनार दिये और बाज़ों को घोडे या हथियार दिये मगर सवार व प्यादा में से हर एक को इस का हिस्सा जो शरई मुक़र्रर है दिया तो यह जायज़ है चाहे बरज़ा मन्दी ग़ानमीन हो या बग़ैर रज़ा मन्दी ग़ानमीन और चाहे इस तरह तक़सीम दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें की हो या दारूल इस्लाम में। अगर इमाम ने ग़नायम को तक़सीम किया और हर हक़ दार ने अपना हक़ ले लिया और मुसलमानों में किसी के हिस्से में एक बान्दी आई

मुजाहिदीन की तरह तक़सीम मेंशरीक न किये जाएंगे।
(2)+]फ़ीफ़ुल अक़ल।

रही है क़लील हो मसलन एक बान्दी या दो बान्दियां या तीन बान्दियां हों और अहले लश्कर अपने अपने घरों में मुतफ़र्रिक़ हो गये हों तो तक़सीम न टूटेगी। अगर अहले लश्कर अपने अपने घरों में मुतफ़र्रिक़ न हुए हों या मुतफ़र्रिक़ हुए हों मगर जो चीज़ इस्तहक़ाक़ में जाती रही है वो कसीर हो पस अगर तीन से ज़्यादा बान्दी हों मसलन क़ियासन व इस्तहसानन तक़सीम टूट जायेगी और अला हाज़ा अगर इमाम ने ग़नायम को लश्करियों के दरमियान तक़सीम कर दिया और हर एक ने अपने अपने हिस्से पर क़ब्ज़ा कर लिया और अपने घरों में मुतफ़र्रिक़ हो गये फिर एक शख़्स आया और इस ने दअवा किया कि मैंने वाक़िया क़िताल में इन लोगों में मौजूद था और इस पर दो गवाह क़ायम किये और इस के वास्ते इस अम्र का हुक्म दे दिया गया तो क़ियासन तक़सीम टूट जायेगी और इस्तहसानन न टूटेगी और इस को बैतुल माल से इस के हिस्से की क़ीमत दे दी जायेगी और दर सूरत यह कि वो चीज़ इस्तहक़ाक़ में जाती रही है कसीर हो और तक़सीम टूटने का हुक्म दिया गया तो फिर इस के बाद रिवायात मुख़्तलिफ़ हैं बाज़ में मज़कूर है कि जिस के हिस्से में ऐसा इस्तहक़ाक़ साबित हुआ है इमाम इस से कहेगा कि अहले लश्कर में से जिस पर तुझ को क़ुदरत हासिल हो इस को यहां ले आ और बाज़ में मज़कूर है कि इमाम ख़ुद इन के जमा करने का मुतवल्ली होगा और इमाम ने दोनों बातों में से जो इख़्तयार की वो जायज़ है फिर इस के बाद ग़नीमत को देखेगा पस अगर माले ग़नीमत उरूज़ या केली या वज़नी असनाफ़ मुख़्तलिफ़ा में से हो तो इमाम इस शख़्स को जिस के हिस्से में इस्तहक़ाक़ पैदा हुआ है हुक्म देगा कि जिन लश्करियों पर तुझ को क़ुदरत हासिल हुई है यानी तुझे मिल गये हैं इन से जो इन के पास हिस्सा है इस में से जितना तेरा मख़्सूस हिस्सा पहुंचता है वो लेले बदीं हिसाब कि अगर तमाम लश्कर जो कुछ इस के पास इस का हिस्सा है तक़सीम किया जाये तो हर एक को जो कुछ पहुंचे वही तेरा हक़ इस में से है इस क़द्र इन में से और अहले लश्कर अपने अपने घरों में मुतफ़र्रिक़ हो कर चले गये फिर जो बान्दी इस व्यक्ति के हिस्से में आई है इस ने दअवा किया कि मैं आज़ादा बान्दी अहले ज़िम्मा में से हों मुझ को मुश्रिक लोग क़ैद करके ले गये थे और इस ने इस दअवा पर दो गवाह आदिल मुसलमान क़ायम किये तो इमाम इस के आज़ाद होने का हुक्म दे देगा और जब इमाम ने इस के आज़ाद होने का हुक्म दे दिया तो आया तक़सीम टूट जायेगी या नहीं पस बिना बर क़ियास के टूट जायेगी और इस्तहसानन जब वो चीज़ जो इस्तहक़ाक़ में जाती

(1)रज+ख+ अतिया क़लीलयानी मज़कूरह लोगों को माले ग़नीमत से इमामुल मुस्लिमीन बतौर अतिया के थोडा सा माल देगा और वो योद्धाओं की तरह तक़सीम मेंशरीक न किये जाएंगे।
(2)+]फ़ीफ़ुल अक़ल।

रही है क़लील हो मसलन एक बान्दी या दो बान्दियां या तीन बान्दियां हों और अहले लश्कर अपने अपने घरों में मुतफ़र्रिक़ हो गये हों तो तक़सीम न टूटेगी। अगर अहले लश्कर अपने अपने घरों में मुतफ़र्रिक़ न हुए हों या मुतफ़र्रिक़ हुए हों मगर जो चीज़ इस्तहक़ाक़ में जाती रही है वो कसीर हो पस अगर तीन से ज़्यादा बान्दी हों मसलन क़ियासन व इस्तहसानन तक़सीम टूट जायेगी और अला हाज़ा अगर इमाम ने ग़नायम को लश्करियों के दरमियान तक़सीम कर दिया और हर एक ने अपने अपने हिस्से पर क़ब्ज़ा कर लिया और अपने घरों में मुतफ़र्रिक़ हो गये फिर एक व्यक्ति आया और इस ने दअवा किया कि मैंने वाक़िया क़िताल में इन लोगों में मौजूद था और इस पर दो गवाह क़ायम किये और इस के लिएइस कार्य का हुक्म दे दिया गया तो क़ियासन तक़सीम टूट जायेगी और इस्तहसानन न टूटेगी और इस को बैतुल माल से इस के हिस्से की क़ीमत दे दी जायेगी और दर स्थिति यह कि वो चीज़ इस्तहक़ाक़ में जाती रही है कसीर हो और तक़सीम टूटने का हुक्म दिया गया तो फिर इस के बाद रिवायात मुख़्तलिफ़ हैं कुछ में वर्णित है कि जिस के हिस्से में ऐसा इस्तहक़ाक़ साबित हुआ है इमाम इस से कहेगा कि अहले लश्कर में से जिस पर तुझ को क़ुदरत हासिल हो इस को यहां ले आ और कुछ में वर्णित है कि इमाम ख़ुद इन के जमा करने का

हर एक के हिस्से से लेले गोया जो इस के हाथ में (इन में से हर एक के हाथ में) मौजूद है इस के साथ माले ग़नीमत कुछ और था ही नहीं और अगर तमाम माले ग़नीमत केली या वज़नी चीज़ हों और एक ही सनफ़ की हों तो जिस शख़्स पर वो क़ादिर हुआ है जो कुछ इस के हाथ में है इस से निस्फ़ लेलेगा। इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर मुसलमानों ने ग़नायम हासिल किये और इन ग़नायम में एक मसहफ़ है जिस में यहूद या नसारा की किताबों में से कुछ है कि यह नहीं मालूम होता है कि यह तौरेत है या ज़बूर है या इंजील है या कोई कुफ़्र की चीज़ है तो इमाम को न चाहिए कि इस को मुसलमानों पर तक़सीम करे और यह भी न चाहिए कि इस को आग से जलाये और जब कि इस का जलाना मकरूह ठहरा तो इस के बाद देखे कि अगर इस के वर्क़ के वास्ते कुछ क़ीमत हो और बाद महू करने के और धो डालने के इस से इन्तफ़ाअ हासिल किया जा सकता है मसलन दबाग़त की हुई खाल पर लिखा हुआ हो या इस के मिस्ल हो तो इमाम इस तहरीर को महू करके इन औराक़ को ग़नीमत में दाखिल कर दे और अगर इस के वर्क़ की कुछ क़ीमत न हो और बाद महू करने के इस से इन्तफ़ाअ हासिल नहीं किया जा सकता है।

ऐसी चीज़ें ग़नीमत में आई हैं जिन की

मुतवल्ली होगा और इमाम ने दोनों बातों में से जो इख़्तयार की वो जायज़ है फिर इस के बाद ग़नीमत को देखेगा पस अगर माले ग़नीमत उरूज़ या केली या वज़नी असनाफ़ मुख़्तलिफ़ा में से हो तो इमाम इस व्यक्ति को जिस के हिस्से में इस्तहक़ाक़ पैदा हुआ है हुक्म देगा कि जिन लश्करियों पर तुझ को क़ुदरत हासिल हुई है यानी तुझे मिल गये हैं इन से जो इन के पास हिस्सा है इस में से जितना तेरा मख़्सूस हिस्सा पहुंचता है वो लेले बदीं हिसाब कि अगर तमाम लश्कर जो कुछ इस के पास इस का हिस्सा है तक़सीम किया जाये तो हर एक को जो कुछ पहुंचे वही तेरा हक़ इस में से है इस क़द्र इन में से हर एक के हिस्से से लेले गोया जो इस के हाथ में (इन में से हर एक के हाथ में) मौजूद है इस के साथ माले ग़नीमत कुछ और था ही नहीं और अगर तमाम माले ग़नीमत केली या वज़नी चीज़ हों और एक ही सनफ़ की हों तो जिस व्यक्ति पर वो क़ादिर हुआ है जो कुछ इस के हाथ में है इस से निस्फ़ लेलेगा। इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर मुसलमानों ने ग़नायम हासिल किये और इन ग़नायम में एक मसहफ़ है जिस में यहूद या नसारा की किताबों में से कुछ है कि यह नहीं मालूम होता है कि यह तौरेत है या ज़बूर है या इंजील है या कोई कुफ़्र की चीज़ है तो इमाम को न चाहिए कि इस को मुसलमानों पर तक़सीम करे और यह भी न चाहिए कि इस को आग से जलाये और जब कि इस का जलाना मकरूह ठहरा तो इस के बाद देखे कि अगर इस के वर्क़ के लिएकुछ क़ीमत हो और बाद महू करने के और धो डालने के इस से इन्तफ़ाअ हासिल किया जा सकता है मसलन दबाग़त की हुई खाल पर लिखा हुआ हो या इस के मिस्ल हो तो इमाम इस तहरीर को महू करके इन औराक़ को ग़नीमत में दाखिल कर दे और अगर इस के वर्क़ की कुछ क़ीमत न हो और बाद महू करने के इस से इन्तफ़ाअ हासिल नहीं किया जा सकता है।

क़ीमत है जैसे शिकारी कुत्ता व दीगर जानवर परिन्दे तालीम याफ़्ता मिस्ल बाज़ू व शकरह वग़ैरह के तो मिस्ल और अमवाल के यह माल भी ग़नीमत हैं :

अगर मुसलमानों ने माले ग़नीमत में सोने या चांदी की घंटी जिस में सलीब व तमासील (1) पडे हैं पाई तो क़ब्ल तक़सीम ग़नायम के इन का शिकस्ता कर देना मुस्तहब है और अगर किसी मुसलमान के हाथ इस को फ़रोख़्त करना चाहा अगर यह ख़रीदार मर्द मोअतमिद है कि इस से यह ख़ौफ़ नहीं है कि मुश्रिकों के हाथ फ़रोख़्त कर देगा तो इस के हाथ बेच डालने में मुज़ायक़ा नहीं है और अगर इस पर ऐतमाद न हो बल्कि ख़ौफ़ हो कि शायद मुश्रिकों के हाथ लालच से बेच डाले तो इस के हाथ फ़रोख़्त करना मकरूह है और अगर सिक्का दार दिरहम व दीनार पर सलीब या तमासील हों और शिकस्ता करने से पहले इन का तक़सीम करना या किसी के हाथ बैअ करना चाहा तो कुछ मुज़ायक़ा नहीं है और जो ऐसी चीज़ें ग़नीमत में आई हैं जिन की क़ीमत है जैसे शिकारी कुत्ता व दीगर जानवर परिन्दे तालीम याफ़्ता मिस्ल बाज़ू व शकरह वग़ैरह के तो मिस्ल और अमवाल के यह माल भी ग़नीमत हैं कि ग़ानमीन के दरमियान तक़सीम किये जाऐंगे और इसी तरह ख़ुश्की के शिकार व सोने चांदी वग़ैरह की कानें और गडे हुए ख़ज़ाना जो कुछ हासिल हुए या इन के समन्दर ग़ोता ख़ोर मुसलमानों ने जो कुछ निकाला (1) है वो सब फ़ई है कि इस में से पांचवां हिस्सा निकाल कर बाक़ी ग़ानमीन के दरमियान तक़सीम कर दिया जायेगा और मछलियां और बाक़ी सब जानवर शिकार जो खाये जाते हैं और शिकार करके पकडे जाते हैं इन का हुक्म मिस्ल दीगर माकूलात के यानी खाने की चीज़ों को है और ग़नीमत के शिकारी कुत्ते व बाज़ व वसक़र से शिकार करना मकरूह है और बिल्लियों का तक़सीम कर देगा जायज़ है और अगर मुसलमानों ने ऐसा घोडा पाया जिस पर यह लिखा है कि यह अल्लाह तआला की राह में वक़्फ़ है तो यह और जिस पर कुछ नहीं लिखा है दोनों यक्सां हैं रहा यह अम्र कि ऐसा घोडा

ऐसी चीज़ें ग़नीमत में आई हैं जिन की क़ीमत है जैसे शिकारी कुत्ता व दीगर जानवर परिन्दे तालीम याफ़्ता मिस्ल बाज़ू व शकरह वग़ैरह के तो मिस्ल और अमवाल के यह माल भी ग़नीमत हैं :

अगर मुसलमानों ने माले ग़नीमत में सोने या चांदी की घंटी जिस में सलीब व तमासील (1) पडे हैं पाई तो क़ब्ल तक़सीम ग़नायम के इन का शिकस्ता कर देना मुस्तहब है और अगर किसी मुसलमान के हाथ इस को फ़रोख़्त करना चाहा अगर यह ख़रीदार मर्द मोअतमिद है कि इस से यह ख़ौफ़ नहीं है कि मुश्रिकों के हाथ फ़रोख़्त कर देगा तो इस के हाथ बेच डालने में मुज़ायक़ा नहीं है और अगर इस पर ऐतमाद न हो बल्कि ख़ौफ़ हो कि शायद मुश्रिकों के हाथ लालच से बेच डाले तो इस के हाथ फ़रोख़्त करना मकरूह है और अगर सिक्का दार दिरहम व दीनार पर सलीब या तमासील हों और शिकस्ता करने से पहले इन का तक़सीम करना या किसी के हाथ विक्रय करना चाहा तो कुछ मुज़ायक़ा नहीं है और जो ऐसी चीज़ें ग़नीमत में आई हैं जिन की क़ीमत है जैसे शिकारी कुत्ता व दीगर जानवर परिन्दे तालीम याफ़्ता मिस्ल बाज़ू व शकरह वग़ैरह के तो मिस्ल और अमवाल के यह माल भी ग़नीमत हैं कि ग़ानमीन के दरमियान तक़सीम किये जाऐंगे और इसी तरह ख़ुश्की के शिकार व सोने चांदी वग़ैरह की कानें और गडे हुए ख़ज़ाना जो कुछ हासिल हुए या इन के समन्दर ग़ोता ख़ोर मुसलमानों ने

मुसलमानों का क़रार दिया जायेगा या हरबियों की यानी किस ने इस को इस तरह वक़्फ़ किया है तो जिस मक़ाम पर वो पाया गया है इस से इस्तदलाल किया जायेगा पस अगर ऐसी जगह पाया गया कि बैशतर इस में मुसलमान हैं या मुसलमानों के क़रीब हो तो वो मुसलमानों का क़रार दिया जायेगा और नुक़्ता होगा पस इस के साथ वही किया जायेगा जो और नुक़्तों के साथ किया जाता है।

अगर ऐसी जगह पाया गया कि ग़ालिब वहां मुश्रिक हैं या क़रीब मुश्रिकीन के है तो वो अहले हरब का क़रार दिया जायेगा और ग़नीमत में शुमार होगा पस इस के साथ वही बरताव होगा जो और ग़नायम के साथ होता है और अगर मुसलमानों ने इस को मुश्रिकों से लिया और मुसलमानों के एक क़ौम ने गवाही दी कि यह लश्कर इस्लाम के घोड़ों में से है और इमाम ग़नायम को तक़सीम कर चुका है या इस घोडे को फ़रोख़्त कर चुका है या हुनूज़ नहीं तक़सीम कर चुका और नहीं फ़रोख़्त किया है और यह घोड़ा जिस के क़ब्ज़ा में था वो हाज़िर हुआ तो वो इस घोडे को मुफ्त लेलेगा ख़्वाह क़ब्ल तक़सीम के पाये या बाद तक़सीम के और इस का हुक्म वही होगा जो मुदब्बि उम्मे वल्द के हक़ में है। इमाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मौहम्मद रह० का क़ौल है यह मुहीत में है। अगर मुसलमानों ने ग़नीमत हासिल की और इस को अहराज़ नहीं किया है यहां तक कि दुश्मन इन पर ग़ालिब आया और उन्होंने मुसलमानों से यह अमवाल ग़नीमत ले लिये फिर दूसरा लश्कर मुसलमानों का आया और इस ने ग़ालिब हो कर दुश्मनों से यह ग़नीमत ले ली तो यह ग़नीमत इन दूसरों के वास्ते होगी पहलों के वास्ते न होगी और अगर पहलों ने उस को दारूल इस्लाम में लाकर अहराज़ कर लिया हो फिर ऐसा वाक़े हुआ तो दूसरों पर वाजिब होगा कि यह अमवाले ग़नीमत पहलों को वापिस कर दें और जब इमाम ने पांचवां हिस्सा निकाल कर बाक़ी चार पांचवें हिस्सा लश्कर को

(1)सलीब बमअनी चलीपा जोशक्ल सूली बनी होती है और अंसारी इस की परस्तिश करते हैं। तमासील जमा तमसील बमअनी मूरत +]वाह वो इन्सान की होया किसी दीगर जान्दार की जैसे अक्सर

जो कुछ निकाला (1) है वो सब श्रेणीबद्ध है कि इस में से पांचवां हिस्सा निकाल कर बाक़ी ग़ानमीन के दरमियान तक़सीम कर दिया जायेगा और मछलियां और बाक़ी सब जानवर शिकार जो खाये जाते हैं और शिकार करके पकड़े जाते हैं इन का हुक्म मिस्ल दीगर माकूलात के यानी खाने की चीज़ों को है और ग़नीमत के शिकारी कुत्ते व कुछ व वसक़र से शिकार करना मकरूह है और बिल्लियों का तक़सीम कर देना जायज़ है और अगर मुसलमानों ने ऐसा घोड़ा पाया जिस पर यह लिखा है कि यह अल्लाह तआला की राह में वक़्फ़ है तो यह और जिस पर कुछ नहीं लिखा है दोनों यक्सां हैं रहा यह कार्य कि ऐसा घोड़ा मुसलमानों का क़रार दिया जायेगा या हरबियों की यानी किस ने इस को इस तरह वक़्फ़ किया है तो जिस मक़ाम पर वो पाया गया है इस से इस्तदलाल किया जायेगा पस अगर ऐसी जगह पाया गया कि बैशतर इस में मुसलमान हैं या मुसलमानों के क़रीब हो तो वो मुसलमानों का क़रार दिया जायेगा और नुक़्ता होगा पस इस के साथ वही किया जायेगा जो और नुक़्तों के साथ किया जाता है।

अगर ऐसी जगह पाया गया कि ग़ालिब वहां मुश्रिक हैं या क़रीब मुश्रिकीन के है तो वो अहले हरब का क़रार दिया जायेगा और ग़नीमत में शुमार होगा पस इस के साथ वही बरताव होगा जो और ग़नायम के साथ होता है और अगर मुसलमानों ने इस को मुश्रिकों से लिया और मुसलमानों के एक क़ौम ने गवाही दी कि यह लश्कर इस्लाम के घोड़ों में से है और इमाम ग़नायम को तक़सीम कर चुका है या इस घोडे को फ़रोख़्त कर चुका है या हुनूज़ नहीं तक़सीम कर चुका और नहीं फ़रोख़्त किया है और यह घोड़ा जिस के क़ब्ज़ा में था वो हाज़िर हुआ तो वो इस घोड़े को मुफ्त लेलेगा चाहे क़ब्ल तक़सीम के पाये या बाद तक़सीम के और इस का हुक्म वही होगा जो मुदब्बि बच्चे कीमों के हक़ में है। इमाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मौहम्मद रह० का कथन है यह मुहीत में है। अगर मुसलमानों ने ग़नीमत हासिल की और इस को अहराज़ नहीं किया है यहां तक कि दुश्मन इन पर ग़ालिब आया और उन्होंने मुसलमानों से यह

हिन्द हो गो साला व महा देव वग़ैरह की बनवा कर मकानों में रखते और तबर्रूकन गले मेंघंटी में डाल कर पहनते हैं।
(1)सूती वग़ैरह। तमासील(मुज़क्कर) तमसाल की जमा।
(1)तसवीरें[मूरतें।
(2)फ़रमानेशाही।(फ़ीरोज़ुल्लुग़ात)।(हाफ़िज+)

देदें और पांचवां हिस्सा इस के पास तलफ़ हो गया तो अहले लश्कर के हाथ में जो कुछ है वो इन को मुसल्लिम रहेगा और इसी तरह अगर इस ने पांचवां हिस्सा निकाल कर इस के मुस्तहिक़ीन को दिया और बाक़ी चार पांचवें हिस्से इस के हाथ में तलफ़ हो गये तो पांचवां हिस्सा अपने मुस्तहिक़ीन को मुसल्लिम रहेगा। अगर इमाम ने कुछ ग़नीमत लश्कर में से बाज़ के पास वदीअत रखी क़ब्ल इस के कि अमवाले ग़नायम तक़सीम हों और इस ने बयान न किया जो कुछ इस ने किया है यहां तक कि मर गया तो वो कुछ ज़ामिन न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर ऐसी जमाअत ने जिन को क़ुव्वत व मनअत हासिल है दारूल हरब में दाखिल हो कर ग़नीमत हासिल की :

इमाम मौहम्मद रह० ने सियर कबीर में फ़रमाया कि अगर एक या दो तीन मुसलमानों या इस क़द्र मुसलमान या ज़िम्मी जिन को क़ुव्वत मनअत (1) हासिल नहीं है बदूं इजाज़त इमाम के दारूल हरब में दाखिल हुए और वहां उन्होंने ग़नायम हासिल किये और इस को दारूल इस्लाम में निकाल लाये तो यह सब उन्हीं के वास्ते होगा इस में से पांचवां हिस्सा (2) नहीं निकाला जायेगा और अगर इमाम ने ऐसे दाखिल होने वाले को इजाज़त दी हो तो जो कुछ हासिल करें इस में से पांचवां हिस्सा निकाल लिया जायेगा और जो बाक़ी रहे वो मिस्ल सहाम ग़नायम के इन में तक़सीम होगा यह ग़ायतुल बयान में है और अगर ऐसी जमाअत ने जिन को क़ुव्वत व मनअत हासिल है दारूल हरब में दाखिल होकर ग़नीमत हासिल की तो इस में पांचवां हिस्सा है कि इमाम लेलेगा अगरचे इमाम ने इन को इजाज़त न दी हो यह हिदाया में है। इमाम अबुल हसन करख़ी रह० ने फ़रमाया कि अगर दारूल हरब में दो फ़रीक़ आपस में अमवाल ग़नीमत ले लिये फिर दूसरा लश्कर मुसलमानों का आया और इस ने ग़ालिब हो कर दुश्मनों से यह ग़नीमत ले ली तो यह ग़नीमत इन दूसरों के लिएहोगी पहलों के लिएन होगी और अगर पहलों ने उस को दारूल इस्लाम में लाकर अहराज़ कर लिया हो फिर ऐसा स्थपित हुआ तो दूसरों पर अनिवार्य होगा कि यह अमवाले ग़नीमत पहलों को वापिस कर दें और जब इमाम ने पांचवां हिस्सा निकाल कर बाक़ी चार पांचवें हिस्सा लश्कर को

(1)सलीब बमअनी चलीपा जोशक्ल सूली बनी होती है और अंसारी इस की परस्तिश करते हैं। तमासील जमा तमसील बमअनी मूरत चाहे वो इन्सान की होया किसी दीगर जान्दार की जैसे अक्सर हिन्द हो गो साला व महा देव वग़ैरह की बनवा कर मकानों में रखते और तबर्रूकन गले मेंघंटी में डाल कर पहनते हैं।
(1)सूती वग़ैरह। तमासील(मुज़क्कर) तमसाल की जमा।
(1)तसवीरें[मूरतें।
(2)फ़रमानेशाही।(फ़ीरोज़ुल्लुग़ात)।(हाफ़िज+)

देदें और पांचवां हिस्सा इस के पास तलफ़ हो गया तो अहले लश्कर के हाथ में जो कुछ है वो इन को मुसल्लिम रहेगा और इसी तरह अगर इस ने पांचवां हिस्सा निकाल कर इस के मुस्तहिक़ीन को दिया और बाक़ी चार पांचवें हिस्से इस के हाथ में तलफ़ हो गये तो पांचवां हिस्सा अपने मुस्तहिक़ीन को मुसल्लिम रहेगा। अगर इमाम ने कुछ ग़नीमत लश्कर में से कुछ के पास वदीअत रखी क़ब्ल इस के कि अमवाले ग़नायम तक़सीम हों और इस ने बयान न किया जो कुछ इस ने किया है यहां तक कि मर गया तो वो कुछ ज़ामिन न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर ऐसी जमाअत ने जिन को क़ुव्वत व मनअत हासिल है दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल हो कर ग़नीमत हासिल की :

इमाम मौहम्मद रह० ने सियर कबीर में फ़रमाया कि अगर एक या दो तीन मुसलमानों या इस क़द्र मुसलमान या ज़िम्मी जिन को क़ुव्वत मनअत (1) हासिल नहीं है बदूं इजाज़त इमाम के दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल हुए और वहां उन्होंने ग़नायम

मुतफ़िक़ हुए एक वो फ़रीक़ है कि इमाम की इजाज़त से दाखिल हुआ है और दूसरा बग़ैर इजाज़त गया है हालाँकि बावजूद इन के इज्तमाअ के भी इन को क़ुव्वत मनअत हासिल नहीं है। फिर उन्होंने कुछ ग़नीमत हासिल की तो जो कुछ ऐसे लोगों को मिला है जिस को इमाम ने इजाज़त दी है इस में से पांचवां हिस्सा निकाल कर बाक़ी उन्हीं के दरमियान तक़सीम होगा कि इस में दूसरे फ़रीक़ वाले शिरकत नहीं कर सकते हैं और जो कुछ ऐसे लोगों ने पाया है जिन को इजाज़त हासिल न थी तो इन में से हर एक ने जो कुछ पाया है वो इस का है कि इस में इस के साथियों में से कोई और दूसरे फ़रीक़ में से कोई शिरकत नहीं कर सकता है और अगर फ़रीक़ इजाज़त याफ़ता वग़ैरह इजाज़त याफ़ता दोनों एक चीज़ के लेने में शरीक हुए तो वो इन में लेने वालों की तअदाद पर तक़सीम होगी फिर जिस क़द्र इजाज़त याफ़ता लेने वालों के हिस्से में आई है इस में से पांचवां हिस्सा ले कर बाक़ी उन्हीं में बहिसाब सहाम ग़नीमत के तक़सीम कर दी जायेगी चुनांचे इस ुरीक़ के सब लोग लेने वाले और ग़ैर लेने वाले इस में से हिस्सा रसीद पाऐंगे और जो कुछ इस फ़रीक़ के हिस्से में है जो इजाज़त याफ़ता नहीं हैं वो इनके लेने वालों के दरमियान उन्हीं की तअदाद पर तक़सीम होगी और इस फ़रीक़ में जो शख़्स लेने में शरीक न था इस को कुछ न मिलेगा और इस में से पांचवां हिस्सा भी नहीं है। अगर फ़रीक़ इजाज़त याफ़ता व ग़ैर इजाज़त याफ़ता दोनों मुज्तमअ हो गये कि इन के इज्तमाअ से इन को क़ुव्वत मनअत हासिल हो गई तो एक जमाअत ने जो कुछ ग़नीमत हासिल की वो इन सब के दरमियान बाद पांचवां हिस्सा निकालने के बा हिसाब सहाम ग़नीमत के तक़सीम कहोगी और इस तरह हर गिरोह ने क़ब्ल इकट्ठा होने के या बाद इकट्ठा होने के जो कुछ हासिल किया है दोनों का हुक्म यक्सां है चुनांचे इस में से पांचवां हिस्सा निकाल लिया जायेगा और बाक़ी इन सब के दरमियान बहिसाब सहाम ग़नीमत के तक़सीम होगा और अगर वो जमाअत जो बइजाज़त इमाम दाखिल हुई है इस को क़ुव्वत मनअत हासिल है और उन्होंने ग़नायम हासिल किये फिर ऐसे एक या दो आदमी जिन हासिल किये और इस को दारूल इस्लाम में निकाल लाये तो यह सब उन्हीं के लिएहोगा इस में से पांचवां हिस्सा (२) नहीं निकाला जायेगा और अगर इमाम ने ऐसे दाखिल होने वाले को इजाज़त दी हो तो जो कुछ हासिल करें इस में से पांचवां हिस्सा निकाल लिया जायेगा और जो बाक़ी रहे वो मिस्ल हिस्से ग़नायम के इन में तक़सीम होगा यह ग़ायतुल बयान में है और अगर ऐसी जमाअत ने जिन को क़ुव्वत व मनअत हासिल है दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल होकर ग़नीमत हासिल की तो इस में पांचवां हिस्सा है कि इमाम लेलेगा अगरचे इमाम ने इन को इजाज़त न दी हो यह हिदाया में है। इमाम अबुल हसन करखी रह० ने फ़रमाया कि अगर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दो फ़रीक़ आपस में मुतफ़िक़ हुए एक वो फ़रीक़ है कि इमाम की इजाज़त से दाखिल हुआ है और दूसरा बग़ैर इजाज़त गया है हालाँकि बावजूद इन के इज्तमाअ के भी इन को क़ुव्वत मनअत हासिल नहीं है। फिर उन्होंने कुछ ग़नीमत हासिल की तो जो कुछ ऐसे लोगों को मिला है जिस को इमाम ने इजाज़त दी है इस में से पांचवां हिस्सा निकाल कर बाक़ी उन्हीं के दरमियान तक़सीम होगा कि इस में दूसरे फ़रीक़ वाले शिरकत नहीं कर सकते हैं और जो कुछ ऐसे लोगों ने पाया है जिन को इजाज़त हासिल न थी तो इन में से हर एक ने जो कुछ पाया है वो इस का है कि इस में इस के साथियों में से कोई और दूसरे फ़रीक़ में से कोई शिरकत नहीं कर सकता है और अगर फ़रीक़ इजाज़त याफ़ता वग़ैरह इजाज़त याफ़ता दोनों एक चीज़ के लेने में शरीक हुए तो वो इन में लेने वालों की तअदाद पर तक़सीम होगी फिर जिस क़द्र इजाज़त याफ़ता लेने वालों के हिस्से में आई है इस में से पांचवां हिस्सा ले कर बाक़ी उन्हीं में बहिसाब हिस्से ग़नीमत के तक़सीम कर दी जायेगी चुनांचे इस ुरीक़ के सब लोग लेने वाले और ग़ैर लेने वाले इस में से हिस्सा रसीद पाऐंगे और जो कुछ इस फ़रीक़ के हिस्से में है जो इजाज़त याफ़ता नहीं हैं वो इनके लेने वालों के दरमियान उन्हीं की तअदाद पर तक़सीम होगी और इस फ़रीक़ में जो व्यक्ति लेने में शरीक न था इस को कुछ न मिलेगा और इस में से

को मनअत नहीं हासिल है बग़ैर इजाज़त इमाम के दारूल हरब में चौरों की तरह दाखिल हुए और लश्कर मज़कूर के ग़नायम हासिल करने के बाद इन से मिल गये फिर इस के बाद उन्होंने ग़नायम हासिल किये और एक दो जो बतौर चौरों

(1)नी मुक़ाबला करने वालों को दूर कर सकें।
(2)इस लि, कि उन्होंने बावजूद क़ुव्वत व मनअत न होने के बग़ैर इजाज़त इमाम के इस तरीक़े से माल हासिल किया तो वो उन्हीं का हक+ होगा हां अगर इमाम की इजाज़त सेयाक़ूत व मनअत के साथ होते तो पांचवां हिस्सा निकाला जाना।

के दाखिल हुए हैं उन्हों ने भी लश्कर से मिलने से पहले ग़नीमत हासिल की और इस के बाद भी हासिल की तो इन सब ने जो कुछ हासिल किया है इस में से पांचवां हिस्सा निकाला जायेगा और बाक़ी इन के दरमियान बहिसाब सहाम ग़नीमत के तक़सीम होगा लेकिन जो ग़नीमत इन वो के मिलने से पहले अहले लश्कर ने हासिल की है इस में अहले लश्कर के साथ यह एक दो आदमी जो बतौर चौरों के दाखिल हुए हैं शरीक न होंगे मगर यह एक दो जो बतौर चोर के दाखिल हुए हैं उन्होंने जो कुछ हासिल किया है इस में अहले लश्कर शरीक होंगे यही सिराज वहाज में है।

अगर इमाम ने ग़नायम को तक़सीम कर दिया और हर हक़दार को इस का हक़ दे दिया और ग़नीमत में से कुछ ख़फ़ीफ़ बाक़ी रहा कि बसबब कसरत लश्कर और क़िल्लत उस चीज़ के तक़सीम नहीं बन पड़ती है तो इमामुल मुस्लिमीन इस को मसाकीन पर सदक़ा कर दे और अगर सदक़ा न की बल्कि मुसलमानों के लिए किसी वक्त हाजत व सख्ती के वास्ते बैतुल माल में दाखिल किया तो इस को यह भी इख़्तियार है और अगर अहले लश्कर में से एक क़ौम अमीर लश्कर के पास आई और उन्होंने कहा कि हमारे घर दूर हैं हम यहां ज़्यादा नहीं ठहर सकते पस ग़नायम में से हमारे हक़ हम को तख़्मीना व अन्दाज़ से दे दीजिए और तुम पर कोई गुनाह नहीं है तुम हमारी तरफ़ से हिल्लत में हो पस अमीर लश्कर ने इन को इसी अन्दाज़ से दे दिया और वो चले गये फिर जब बाक़ियों को इसी अन्दाज़ से इन का हिस्सा दिया तो जो लोग चले गये थे इन के हिस्से से बाक़ियों का हिस्सा पांचवां हिस्सा भी नहीं है। अगर फ़रीक़ इजाज़त याफ़्ता व ग़ैर इजाज़त याफ़्ता दोनों मुज्तमअ हो गये कि इन के इज्तमाअ से इन को क़ुव्वत मनअत हासिल हो गई तो एक जमाअत ने जो कुछ ग़नीमत हासिल की वो इन सब के दरमियान बाद पांचवां हिस्सा निकालने के बा हिसाब हिस्से ग़नीमत के तक़सीम कहोगी और इस तरह हर गिरोह ने क़ब्ल इकट्ठा होने के या बाद इकट्ठा होने के जो कुछ हासिल किया है दोनों का हुक्म यक्सां है चुनांचे इस में से पांचवां हिस्सा निकाल लिया जायेगा और बाक़ी इन सब के दरमियान बहिसाब हिस्से ग़नीमत के तक़सीम होगा और अगर वो जमाअत जो बइजाज़त इमाम दाखिल हुई है इस को क़ुव्वत मनअत हासिल है और उन्होंने ग़नायम हासिल किये फिर ऐसे एक या दो आदमी जिन को मनअत नहीं हासिल है बग़ैर इजाज़त इमाम के दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें चौरों की तरह दाखिल हुए और लश्कर वर्णित के ग़नायम हासिल करने के बाद इन से मिल गये फिर इस के बाद उन्होंने ग़नायम हासिल किये और एक दो जो बतौर चौरों

(1)नी मुक़ाबला करने वालों को दूर कर सकें।
(2)इस लि, कि उन्होंने बावजूद क़ुव्वत व मनअत न होने के बग़ैर इजाज़त इमाम के इस तरीक़े से माल हासिल किया तो वो उन्हीं का हक+ होगा हां अगर इमाम की इजाज़त सेयाक़ूत व मनअत के साथ होते तो पांचवां हिस्सा निकाला जाना।

के दाखिल हुए हैं उन्हों ने भी लश्कर से मिलने से पहले ग़नीमत हासिल की और इस के बाद भी हासिल की तो इन सब ने जो कुछ हासिल किया है इस में से पांचवां हिस्सा निकाला जायेगा और बाक़ी इन के दरमियान बहिसाब हिस्से ग़नीमत के तक़सीम होगा लेकिन जो ग़नीमत इन दो के मिलने से पहले अहले लश्कर ने हासिल की है इस में अहले लश्कर के साथ यह एक दो आदमी जो बतौर चौरों के दाखिल हुए हैं शरीक न होंगे मगर यह एक दो जो बतौर चोर के दाखिल हुए हैं उन्होंने जो कुछ हासिल किया है इस में अहले लश्कर शरीक होंगे यही सिराज वहाज में है।

अगर इमाम ने ग़नायम को तक़सीम कर दिया और हर हक़दार को इस का हक़ दे दिया और ग़नीमत में से कुछ ख़फ़ीफ़ बाक़ी रहा कि बसबब कसरत लश्कर और

.ज़्यादा पड़ा तो अमीर उल मुस्लिमीन इस को सदक़ा न करेगा बल्कि एक साल इस को रख छोड़ियेगा और इन मुसलमानों को खबर करेगा और यह बक़िया माल बसबब इन के क़ौल के कि तुम हिल्लत में हो इस अमीर का नहीं हो जायेगा और अगर अमीर ने यह माल सदक़ा कर दिया फिर उस के हक़दार आये तो इन को इख़्तयार होगा कि इस के माल से अपना हक़ तावान लें और अमीर इस तावान को बैतुल माल से न ले सकेगा और न .ख़म्स में से ले सकेगा। यही हुक्म इमामुल मुस्लिमीन के हक़ में है कि अगर इमामुल मुस्लिमीन ने यानी जो सब से बड़ा सरदार मुसलमानों का है इस ने बज़ात .ख़ुद जिहाद किया और इस तरह तक़सीम .ग़नीमत वाक़े हुई और इस ने बक़िया को सदक़ा कर दिया फिर इस के हक़ दार आये तो इन को इख़्तयार होगा कि इमाम से इस हक़ का तावान लें और यह तावान इस इमाम के माल से होगा कि इस को कहीं से और किसी से वापिस नहीं ले सकता है जैसे अमीर लश्कर की सूरत में मज़कूर हुआ है लेकिन अगर इमाम ने यह मसलहत देखी कि यह माल मिस्कीनों को क़र्ज़ा दे और क़र्ज़ा के तौर पर इन में तक़सीम कर दिया बसबब इन की हाजत के फिर जब इस के हक़ दार आये और उन्होंने सदक़ा की इजाज़त न दी तो इमाम इनको मालहाऐ फ़क़र ओ मसाकीन में से इस क़द्र दे देगा।

साहिबे मक़ासिम को यह इख़्तयार नहीं कि .ज़्यादती को सदका करे :

मशाइख ने ज़िक्र किया कि इस मक़ाम पर तीन नफ़र सरदार हैं अव्वल इमाम अकबर दोयम अमीर लश्कर सोयम साहब मक़ासिम यानी वो श.ख़्स कि जिस को तक़सीम .ग़नायम का काम सुपुर्द कर दिया गया है पस साहब मक़ासिम को यह इख़्तयार ही नहीं है कि .ज़्यादती को सदक़ा करदे (1) और अमीर लश्कर को यह इख़्तयार है कि .ज़्यादती को सदक़ा कर दे मगर यह इख़्तयार नहीं है कि बैतुल माल फ़क़र व मसाकीन पर फ़क़ीर व मिस्कीनों को क़र्ज़ा देदे और इमाम अकबर को यह इख़्तसयार है कि .ज़्यादती को सदक़ा करे और चाहे बैतुल क़िल्लत उस चीज़ के तक़सीम नहीं बन पड़ती है तो इमामुल मुस्लिमीन इस को मसाकीन पर दान कर दे और अगर दान न की बल्कि मुसलमानों के लिए किसी समय हाजत व सख़्ती के लिएबैतुल माल में दाखिल किया तो इस को यह भी इख़्तयार है और अगर अहले लश्कर में से एक क़ौम अमीर लश्कर के पास आई और उन्होंने कहा कि हमारे घर दूर हैं हम यहां .ज़्यादा नहीं ठहर सकते पस .ग़नायम में से हमारे हक़ हम को तख़्मीना व अन्दाज़ से दे दीजिए और तुम पर कोई गुनाह नहीं है तुम हमारी तरफ़ से हिल्लत में हो पस अमीर लश्कर ने इन को इसी अन्दाज़ से दे दिया और वो चले गये फिर जब बाक़ियों को इसी अन्दाज़ से इन का हिस्सा दिया तो जो लोग चले गये थे इन के हिस्से से बाक़ियों का हिस्सा .ज़्यादा पड़ा तो अमीर उल मुस्लिमीन इस को दान न करेगा बल्कि एक साल इस को रख छोड़ियेगा और इन मुसलमानों को खबर करेगा और यह बक़िया माल बसबब इन के कथन के कि तुम हिल्लत में हो इस अमीर का नहीं हो जायेगा और अगर अमीर ने यह माल दान कर दिया फिर उस के हक़दार आये तो इन को इख़्तयार होगा कि इस के माल से अपना हक़ तावान लें और अमीर इस तावान को बैतुल माल से न ले सकेगा और न .ख़म्स में से ले सकेगा। यही हुक्म इमामुल मुस्लिमीन के हक़ में है कि अगर इमामुल मुस्लिमीन ने यानी जो सब से बड़ा सरदार मुसलमानों का है इस ने बज़ात .ख़ुद जिहाद किया और इस तरह तक़सीम .ग़नीमत स्थपित हुई और इस ने बक़िया को दान कर दिया फिर इस के हक़ दार आये तो इन को इख़्तयार होगा कि इमाम से इस हक़ का तावान लें और यह तावान इस इमाम के माल से होगा कि इस को कहीं से और किसी से वापिस नहीं ले सकता है जैसे अमीर लश्कर की स्थिति में वर्णित हुआ है लेकिन अगर इमाम ने यह मसलहत देखी कि यह माल निर्धनों को क़र्ज़ा दे और क़र्ज़ा के तौर पर इन में तक़सीम कर दिया बसबब इन की हाजत के फिर जब इस के हक़ दार आये और उन्होंने दान की इजाज़त न दी तो इमाम इनको मालहाऐ फ़क़र ओ मसाकीन में से इस क़द्र दे देगा।

साहिबे मक़ासिम को यह इख़्तयार नहीं कि

माल मसाकीन पर मिस्कीनों को क़र्ज़ा देदे और अगर एक लश्कर अज़ीम ने ग़नायम हासिल किये और इस को दारूल इस्लाम में निकाल लाये और वो तक़सीम नहीं किये गये यहां तक कि लोग मुतफ़र्रिक़ हो कर अपने अपने घर चले गये और इन के घरों का पता मालूम नहीं है मगर बाज़ इस लश्कर में से रह गये तो इमामुल मुस्लिमीन इन बाक़ियों को इन के हिस्से दे देगा और ग़ायबों के हिस्से रख छोड़ियेगा फिर अगर एक साल गुज़र गया और कोई तालिब हाज़िर न हुआ तो इन को सदक़ा कर देगा और अगर ग़नायम में से किसी शख़्स ने कोई

(1)लेकिन बावजूद इस इ]तयार के वो ज़ामिन रहेगा पस अगर वो हिस्सा दार इस पर राज़ी हो गये तो फ़ीहा वरना अमीरे लश्कर अपने माल से इस क़द्र इन को देगा।

चीज़ बतौर ग़लूल (1) ले ली और इस को न लाया यहां तक कि ग़नायम तक़सीम कर दी गइ और मुस्तहिक़ान ग़नायम मुतफ़र्रिक़ हो गये फिर इस को लाया तो इमाम को रवा है कि इस के क़ौल की तसदीक़ करे और इस से ले कर इस में से पांचवां हिस्सा निकाल कर फ़क़ीरों व मिस्कीनों को देदे और बाक़ी को रख छोड़े यहां तक कि इस के मुस्तहिक़ीन हाज़िर आऐं और जब इस के मुस्तहक़्क़ीन के आने से ना उम्मीद हो जाये तो इस को सदक़ा करदे और यह भी रवा है कि इस के क़ौल की तकज़ीब करे और जो कुछ लाया है इस में से पांचवां हिस्सा इस से लेले और बाक़ी चार पांचवें हिस्से इस के पास छोड़े कि इस का मवाख़ज़ा इसी पर रहे। अगर गलूल करने वाला इस को इमाम के पास न लाया बल्कि इस ने ख़ुद इस फ़अल से तौबा की तो इस को रख छोड दे इस वक्त तक कि इस के मुस्तहिक़ के आने की उम्मीद रखता हो और जब इस की यह उम्मीद मुनक़तअ हो जाये तो इस को इख़्तयार है चाहे सदक़ा कर दे मगर यह बशर्त ज़िमान होगा कि अगर मुस्तहिक़ ने इस के सदक़ा की इजाज़त न दी तो यह ज़ामिन होगा लेकिन अहसन वही है कि इमाम को देदे कज़ा फ़िल मुहीत।

ज़्यादती को दान करे :

विद्वानों ने ज़िक्र किया कि इस मक़ाम पर तीन नफ़र सरदार हैं अव्वल इमाम अकबर दोयम अमीर लश्कर सोयम साहब मक़ासिम यानी वो व्यक्ति कि जिस को तक़सीम ग़नायम का काम सुपुर्द कर दिया गया है पस साहब मक़ासिम को यह इख़्तयार ही नहीं है कि ज़्यादती को दान करदे (1) और अमीर लश्कर को यह इख़्तयार है कि ज़्यादती को दान कर दे मगर यह इख़्तयार नहीं है कि बैतुल माल फ़क़र व मसाकीन पर फ़क़ीर व निर्धनों को क़र्ज़ा देदे और इमाम अकबर को यह इख़्तसयार है कि ज़्यादती को दान करे और चाहे बैतुल माल मसाकीन पर निर्धनों को क़र्ज़ा देदे और अगर एक लश्कर अज़ीम ने ग़नायम हासिल किये और इस को दारूल इस्लाम में निकाल लाये और वो तक़सीम नहीं किये गये यहां तक कि लोग मुतफ़र्रिक़ हो कर अपने अपने घर चले गये और इन के घरों का पता मालूम नहीं है मगर कुछ इस लश्कर में से रह गये तो इमामुल मुस्लिमीन इन बाक़ियों को इन के हिस्से दे देगा और ग़ायबों के हिस्से रख छोड़ियेगा फिर अगर एक साल गुज़र गया और कोई तालिब हाज़िर न हुआ तो इन को दान कर देगा और अगर ग़नायम में से किसी व्यक्ति ने कोई

(1)लेकिन बावजूद इस इ]तयार के वो ज़ामिन रहेगा पस अगर वो हिस्सा दार इस पर राज़ी हो गये तो फ़ीहा वरना अमीरे लश्कर अपने माल से इस क़द्र इन को देगा।

चीज़ बतौर ग़लूल (1) ले ली और इस को न लाया यहां तक कि ग़नायम तक़सीम कर दी गइ और मुस्तहिक़ान ग़नायम मुतफ़र्रिक़ हो गये फिर इस को लाया तो इमाम को जायज़ है कि इस के कथन की पुष्टि करे और इस से ले कर इस में से पांचवां हिस्सा निकाल कर फ़क़ीरों व निर्धनों को देदे और बाक़ी को रख छोड़े यहां तक कि इस के मुस्तहिक़ीन हाज़िर आऐं और जब इस के मुस्तहक़्क़ीन के आने से ना उम्मीद हो जाये तो इस को दान करदे और यह भी जायज़ है कि इस के कथन की झुठलाना करे और जो कुछ लाया है इस में से पांचवां हिस्सा इस से लेले और बाक़ी चार पांचवें हिस्से इस के पास छोड़े कि इस का मवाख़ज़ा इसी पर रहे। अगर गलूल

फ़सलः 3

तनफ़ील के बयान में

इमाम और अमीर लश्कर को मुस्तहब है कि तनफ़ील करे। अगर इमाम या अमीर लश्कर ने तनफ़ील की और किसी के वास्ते ग़नीमत में से जो ग़ानमीन के हाथ आ गई है कुछ क़रार दिया तो ऐसी तनफ़ील जायज़ नहीं है और तनफ़ील इसी माल की जायज़ है जो हुनूज़ हाथ नहीं आया चुनांचे अगर इमाम ने कहा कि जो शख़्स जो कुछ पाये वो इस की है फिर इन में से किसी एक ने दारूलहरब में कोई चीज़ पाई तो वो खास्सतन इसी की होगी कि इस में ख़ुम्स यानी पांचवां हिस्सा न होगा और न इस में कोई दूसरा मशारिक होगा ओर अगर वो दाल हरब में मर गया तो जो कुछ इस ने पाया है वो इस की मीरास होगा यानी इस के वारिसों को जो दारूल इस्लाम में हैं मिलेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। इमाम को यह न चाहिए कि कल माख़ुज़ की तनफ़ील करे बईं तौर कि लश्कर से कहे कि जो कुछ तुम हासिल करो वो तुम्हारा है। अगर इमाम दारूल हरब में लश्कर के साथ दाखिल हुआ और किसी टुकडे लश्कर पर कोई अमीर करके सरय्या रवाना किया और इन से कहे दिया जो कुछ तुम हासिल करो वो तुम्हारा है तो यह जायज़ है और अगर दारूल इस्लाम से इस तरह सरय्या रवाना किया और इन के लिए कुल ग़नीमत की जो हासिल करें तनफ़ील (2) कर दी तो यह नहीं चाहिए और दारूल इस्लाम में ग़नीमत अहराज़ कर लेने के बाद ग़नीमत में से तनफ़ील नहीं कर सकता है इल्ला ख़ुम्स यानी पांचवें हिस्से में से तनफ़ील होगी यह काफ़ी में है और बाद ग़नीमत हासिल होने के क़ब्ल तक़सीम के बाज़ ऐसे मुजाहिदीन के वास्ते जिन को सख़्ती व मेहनत ज़्यादा पहुंची थी अपने इज्तहाद से तनफ़ील की फिर ऐसे इमाम करने वाला इस को इमाम के पास न लाया बल्कि इस ने ख़ुद इस फ़अल से तौबा की तो इस को रख छोड़ दे इस समय तक कि इस के मुस्तहिक़ के आने की उम्मीद रखता हो और जब इस की यह उम्मीद मुनक़तअ हो जाये तो इस को इख़्तयार है चाहे दान कर दे मगर यह बशर्त ज़िमान होगा कि अगर मुस्तहिक़ ने इस के दान की इजाज़त न दी तो यह ज़ामिन होगा लेकिन अहसन वही है कि इमाम को देदे कज़ा फ़िल मुहीत।

फ़सलः 3

तनफ़ील के बयान में

इमाम और अमीर लश्कर को मुस्तहब है कि तनफ़ील करे। अगर इमाम या अमीर लश्कर ने तनफ़ील की और किसी के लिएग़नीमत में से जो ग़ानमीन के हाथ आ गई है कुछ क़रार दिया तो ऐसी तनफ़ील जायज़ नहीं है और तनफ़ील इसी माल की जायज़ है जो हुनूज़ हाथ नहीं आया चुनांचे अगर इमाम ने कहा कि जो व्यक्ति जो कुछ पाये वो इस की है फिर इन में से किसी एक ने दारूलहरब में कोई चीज़ पाई तो वो खास्सतन इसी की होगी कि इस में ख़ुम्स यानी पांचवां हिस्सा न होगा और न इस में कोई दूसरा मशारिक होगा ओर अगर वो दाल हरब में मर गया तो जो कुछ इस ने पाया है वो इस की मीरास होगा यानी इस के वारिसों को जो दारूल इस्लाम में हैं मिलेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। इमाम को यह न चाहिए कि कल माख़ुज़ की तनफ़ील करे बईं तौर कि लश्कर से कहे कि जो कुछ तुम हासिल करो वो तुम्हारा है। अगर इमाम दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित

के पास मुक़दमा पैश हुआ जो बाद हुसूल ग़नीमत के तनफ़ील रवा नहीं जानता है तो दूसरे इमाम को यह इख़्तयार नहीं है कि जो अव्वल ने किया इस को तोड़ दे।

इमाम ने कोई सरय्या (छोटा लश्कर) रवाना किया और जो कुछ तुम हासिल करो उस में से तुम्हारे वास्ते तिहाई है :

इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि क़ातिल असबाब मक़तूल का बनफ़्स उल क़तल मुस्तहिक़ नहीं होता है ता वक़्त कि इमाम पहले क़त्ल करने के इस के वास्ते तनफ़ील न करे यानी यूं कह दे कि जिस मुजाहिद ने किसी काफ़िर को क़त्ल किया तो इस का असबाब इसी क़ातिल का है और यह हमारे सब उलमा का मज़हब

(1)माले ग़नीमत से किसीशै के चुरा लेने को ग़लूल बोलते हैं।
(2)अमीर लश्कर मुजाहिदीन लश्कर से लडाई पर जाते वक़्तयूं कहे कि दुशमन का माल जो कुछ जिस के हाथ इस लडाई में आये वो इसी का है।

है और अगर पांचवां हिस्सा निकाल लेने के बाद तनफ़ील की बानी तौर कि इमाम ने सरय्या रवाना किया और इन से कहा कि जो कुछ तुम हासिल करो इस में सब द पांचवां हिस्सा निकाल लेने के तुम्हारे वास्ते तिहाई या चौथाई है फिर बाक़ी में तुम लोग लश्कर के शरीक हो तो यह मुतल्लक़न जायज़ है इस तरह यह भी जायज़ है कि इमाम ने कोई सरय्या (छोटा लश्कर यानी बडे लश्कर का एक हिस्सा क़लील) रवाना किया औरइन से कहा कि जो कुछ तुम हासिल करो इस में से तुम्हारे वास्ते तिहाई है या कहा कि तुम्हारे वास्ते चौथाई है फिर बाक़ी में तुमलोग लश्कर वालों के साथ शरीक हो पस यह रवा है अगरचे इस में ख़ुम्स में जो फ़ुक़रा का हक़ है इन के हक़ का अब्ताल लाज़िम आता है कि बाद ख़ुम्स के लेने के तनफ़ील मा बाक़ी में से नहीं की है फिर इस के बाद देखा जायेगा कि अगर इन के वास्ते तिहाई या चौथाई मुतलीक़न नक़ल की हो तो इन को तिहाई या चौथाई तमाम ग़नीमत में से पहले दे देगा फिर बाक़ी में से पांचवां हिस्सा निकाल कर बाक़ी को तमाम लश्कर पर तक़सीम ग़नीमत में मशरूअ है और सरय्या वाले जिन को नक़ल मिल चुकी इन लोगों में शामिल होंगे और अगर देशमें लश्कर के साथ दाख़िल हुआ और किसी टुकडे लश्कर पर कोई अमीर करके सरय्या रवाना किया और इन से कहे दिया जो कुछ तुम हासिल करो वो तुम्हारा है तो यह जायज़ है और अगर दारूल इस्लाम से इस तरह सरय्या रवाना किया और इन के लिए कुल ग़नीमत की जो हासिल करें तनफ़ील (2) कर दी तो यह नही चाहिए और दारूल इस्लाम में ग़नीमत अहराज़ कर लेने के बाद ग़नीमत में से तनफ़ील नहीं कर सकता है सिवा ख़ुम्स यानी पांचवें हिस्से में से तनफ़ील होगी यह काफ़ी में है और बाद ग़नीमत हासिल होने के क़ब्ल तक़सीम के कुछ ऐसे योद्धाओं के लिएजिन को सख़्ती व मेहनत ज़्यादा पहुंची थी अपने इज्तहाद से तनफ़ील की फिर ऐसे इमाम के पास मुक़दमा पैश हुआ जो बाद हुसूल ग़नीमत के तनफ़ील जायज़ नहीं जानता है तो दूसरे इमाम को यह इख़्तयार नही है कि जो अव्वल ने किया इस को तोड़ दे।

इमाम ने कोई सरय्या (छोटा लश्कर) रवाना किया और जो कुछ तुम हासिल करो उस में से तुम्हारे लिएतिहाई है :

इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि क़ातिल असबाब मक़तूल का बनफ़्स उल क़तल मुस्तहिक़ नहीं होता है ता समय कि इमाम पहले क़त्ल करने के इस के लिएतनफ़ील न करे यानी यूं कह दे कि जिस मुजाहिद ने किसी काफ़िर को क़त्ल किया तो इस का असबाब इसी क़ातिल का है और यह हमारे सब उलमा का मज़हब

(1)माले ग़नीमत से किसीशै के चुरा लेने को ग़लूल बोलते हैं।
(2)अमीर लश्करयोद्धाओं लश्कर से लडाई पर जाते समूं कहे कि दुशमन का माल जो कुछ जिस के हाथ इस लडाई में आये वो इसी का है।

है और अगर पांचवां हिस्सा निकाल लेने के बाद तनफ़ील की बानी तौर कि इमाम ने सरय्या रवाना किया और इन से कहा कि जो कुछ तुम हासिल करो इस में सब द पांचवां हिस्सा निकाल लेने के तुम्हारे लिएतिहाई या चौथाई है फिर बाक़ी में तुम लोग लश्कर के शरीक हो तो यह मुतल्लक़न जायज़ है इस तरह यह भी जायज़ है कि इमाम ने कोई सरय्या (छोटा लश्कर यानी बडे लश्कर का एक हिस्सा क़लील) रवाना किया औरइन से

अहले सरय्या के वास्ते तिहाई या चौथाई की नक़्ल बाद पांचवां हिस्सा निकालने के की हो तो पहले तमाम ग़नीमत में से पांचवां हिस्सा निकाल कर बाक़ी में से अहले सरय्या को इन का हिस्सा नफ़िल देदेगा फिर बाक़ी को तमाम लश्कर पर मअ अहले सरय्या के बहिसाब सहाम ग़नीमत तक़सीम कर देगा।

इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर इमाम ने कहा कि जिस ने जिस काफ़िर को क़त्ल किया इस का असबाब इसी क़ातिल का है फिर एक ग़ाज़ी ने एक काफ़िर को मजरूह (घायल) किया और दूसरे ग़ाज़ी ने इस को क़त्ल कर दिया पस अगर अव्वल ने इस काफ़िर को ऐसा मजरूह किया हो कि ऐकसे ज़ख़्म से ज़िन्दा नहीं रह सकता है औरस मजरूह को इतनी क़ुव्वत नहीं नहीं रही है कि क़त्ल में मदद कर सके या हाथ से या कलाम मशवरह से अहले कुफ़्र को मदद दे सके तो उस का असबाब पहले ग़ाज़ी का होगा और अगर अव्वल के ज़ख़्म से यह ज़िन्दह रह सकता हो या बावजूद इस ज़ख़्म के इस में हाथ या कलम मशवरह से मदद देने की क़ुव्वत हो तो इस का असबाब दूसरे ग़ाज़ी का होगा फिर जानना चाहिए कि अगर इमाम ने तनफ़ील बाद ख़ुम्स की यानी मसलन यूं कहा कि जिस ने किसी काफ़िर को क़त्ल किया तो पांचवां हिस्सा लेने के बाद इस का असबाब इसी क़ातिल का है तो पांचवां हिस्सा इस असबाब में से ले लिया जायेगा और अगर मुतल्लक़न इस के असबाब

कहा कि जो कुछ तुम हासिल करो इस में से तुम्हारे लिएतिहाई है या कहा कि तुम्हारे लिएचौथाई है फिर बाक़ी में तुमलोग लश्कर वालों के साथ शरीक हो पस यह जायज़ है अगरचे इस में ख़ुम्स में जो फ़ुक़रा का हक़ है इन के हक़ का अब्ताल अनिवार्य आता है कि बाद ख़ुम्स के लेने के तनफ़ील मा बक़ी में से नहीं की है फिर इस के बाद देखा जायेगा कि अगर इन के लिएतिहाई या चौथाई मुतलीक़न नक़्ल की हो तो इन को तिहाई या चौथाई तमाम ग़नीमत में से पहले दे देगा फिर बाक़ी में से पांचवां हिस्सा निकाल कर बाक़ी को तमाम लश्कर पर तक़सीम ग़नीमत में मशरूअ है और सरय्या वाले जिन को नक़्ल मिल चुकी इन लोगों में शामिल होंगे और अगर अहले सरय्या के लिएतिहाई या चौथाई की नक़्ल बाद पांचवां हिस्सा निकालने के की हो तो पहले तमाम ग़नीमत में से पांचवां हिस्सा निकाल कर बाक़ी में से अहले सरय्या को इन का हिस्सा नफ़िल देदेगा फिर बाक़ी को तमाम लश्कर पर मअ अहले सरय्या के बहिसाब हिस्से ग़नीमत तक़सीम कर देगा।

इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर इमाम ने कहा कि जिस ने जिस काफ़िर को क़त्ल किया इस का असबाब इसी क़ातिल का है फिर एक ग़ाज़ी ने एक काफ़िर को मजरूह (घायल) किया और दूसरे ग़ाज़ी ने इस को क़त्ल कर दिया पस अगर अव्वल ने इस काफ़िर को ऐसा मजरूह किया हो कि ऐकसे ज़ख़्म से ज़िन्दा नहीं

को नफ़िल कर दिया यानी यूं कहा कि जिस ने जिस काफ़िर को क़त्ल किया इस का बाप इसी क़ातिल का है तो इस सूरत में असबाब में से पांचवां हिस्सा न लिया जायेगा और यही हमारे उलमा का मज़हब है यह मुहीत में है।

असलूबे अरबियत से मसाइल अखज़ करने में अहतियातें :

अगर अमीर ने लश्कर से दारूल हरब में जब कि वो बमुक़ाबला दुश्मन सफ़ आरा थे कहा कि जिस ने जिस दुशमन को क़त्ल किया इस का असबाब इसी क़ातिल का है फिर अमीर लश्कर ने ख़ुद किसी काफ़िर को क़त्ल किया तो इस्तहसानन मक़तूल का असबाब अमीरलश्कर का होगा और अगर यूं कहा कि जिस काफ़िर को मैंने क़त्ल किया तो इस का असबाब मेरा ही होगा तो इस तरह वो इस असबाब का मुस्तहिक़ न होगा और अगर अमीर ने यूं कहा कि जिस ने तुम में से किसी काफ़िर को क़त्ल किया तो इस का असबाब क़ातिल है का है फिर अमीर लश्कर ने किसी काफ़िर को क़त्ल किया तो अमीर को कुछ न मिलेगा और अगर अमीर ने

रह सकता है औरम मजरूह को इतनी क़ुव्वत नहीं नहीं रही है कि क़त्ल में मदद कर सके या हाथ से या बात मशवरह से अहले कुफ्र को मदद दे सके तो उस का असबाब पहले ग़ाज़ी का होगा और अगर अव्वल के ज़ख़्म से यह ज़िन्दह रह सकता हो या बावजूद इस ज़ख़्म के इस में हाथ या कलम मशवरह से मदद देने की क़ुव्वत हो तो इस का असबाब दूसरे ग़ाज़ी का होगा फिर जानना चाहिए कि अगर इमाम ने तनफ़ील बाद ख़ुम्स की यानी मसलन यूं कहा कि जिस ने किसी काफ़िर को क़त्ल किया तो पांचवां हिस्सा लेने के बाद इस का असबाब इसी क़ातिल का है तो पांचवां हिस्सा इस असबाब में से ले लिया जायेगा और अगर मुतल्लक़न इस के असबाब को नफ़िल कर दिया यानी यूं कहा कि जिस ने जिस काफ़िर को क़त्ल किया इस का बाप इसी क़ातिल का है तो इस स्थिति में असबाब में से पांचवां हिस्सा न लिया जायेगा और यही हमारे उलमा का मज़हब है यह मुहीत में है।

असलूबे अरबियत से मसाइल अखज़ करने में अहतियातें :

अगर अमीर ने लश्कर से दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें जब कि वो बमुक़ाबला दुश्मन सफ़ आरा थे कहा कि जिस ने जिस दुशमन को क़त्ल किया इस का असबाब इसी क़ातिल का है फिर अमीर लश्कर ने ख़ुद किसी काफ़िर को क़त्ल किया तो इस्तहसानन मक़तूल का असबाब अमीरलश्कर का होगा और अगर यूं कहा कि जिस काफ़िर को मैंने क़त्ल किया तो इस का असबाब मेरा ही होगा तो इस तरह वो इस असबाब का मुस्तहिक़ न होगा और अगर अमीर ने यूं कहा कि जिस ने तुम में से किसी काफ़िर को क़त्ल किया तो इस का असबाब क़ातिल है का है फिर अमीर लश्कर ने किसी काफ़िर को क़त्ल किया तो अमीर को कुछ न मिलेगा और अगर अमीर ने कहा कि जिस को मैंने क़त्ल किया इस का असबाब मेरा ही है फिर किसी को क़त्ल न किया यहां तक कि कहा कि तुम में से जिस ने किसी को क़त्ल किया तो इस का असबाब इसी क़ातिल का है फिर अमीर ने ख़ुद किसी काफ़िर को क़त्ल किया तो इस का असबाब मिलेगा। अगर अमीर ने लश्कर से कहा कि अगर तुम में से किसी मर्द ने किसी काफ़िर को क़त्ल किया तो मक़तूल का असबाब इसी का है ुरि दो आदमियों ने एक काफ़िर को क़त्ल किया तो इस्तहसानन इस का असबाब इन दोनों का होगा और इसी तरह अगर यूं कहा कि जिस ने क़त्ल किया किसी काफ़िर को तो मक़तूल का असबाब इसी का है तो भी स्थिति मज़कूरह में मक़तूल का असबाब इन दोनों का होगा और अगर तीन आदमियों ने एक को क़त्ल किया तो इस्तहसानन इन के लिएकुछ न होगा अनुवादक के कथनानुसार यह बासलूब अरबियत है 'फ़ी क़ौलहू इन क़तल रजल मिन्कुम व क़ौलहू मिन क़त्ल क़तील' और हमारी ज़बानें पस मेरा गुमान है कि हर स्थिति में सिवाए एक के क़ातिल होने के इस इस्तहसान के मुवाफ़िक़ असबाब का इस्तहक़ाक़ न होगा। वल्लाहु तआला आलम।

अगर इमाम ने कहा कि जिस ने जिस काफ़िर को क़त्ल किया तो इस का असबाब इसी का है फिर एक मुसलमान ने एक काफ़िर को तीर या नेज़ा मार कर इस को घोडे से गिरा दिया और अपने लश्कर में खींच लाया

कहा कि जिस को मैंने क़त्ल किया इस का असबाब मेरा ही है फिर किसी को क़त्ल न किया यहां तक कि कहा कि तुम में से जिस ने किसी को क़त्ल किया तो इस का असबाब इसी क़ातिल का है फिर अमीर ने ख़ुद किसी काफ़िर को क़त्ल किया तो इस का असबाब मिलेगा। अगर अमीर ने लश्कर से कहा कि अगर तुम में से किसी मर्द ने किसी काफ़िर को क़त्ल किया तो मक़तूल का असबाब इसी का है ुरि दो आदमियों ने एक काफ़िर को क़त्ल किया तो इस्तहसानन इस का असबाब इन दोनों का होगा और इसी तरह अगर यूं कहा कि जिस ने क़त्ल किया किसी काफ़िर को तो मक़तूल का असबाब इसी का है तो भी सूरत मज़कूरह में मक़तूल का असबाब इन दोनों का होगा और अगर तीन आदमियों ने एक को क़त्ल किया तो इस्तहसानन इन के वास्ते कुछ न होगा क़ालल मुतरजम यह बासलूब अरबियत है 'फ़ी क़ौलहू इन क़तल रजल मिन्कुम व क़ौलहू मिन क़त्ल क़तील' और हमारी ज़बानें पस मेरा गुमान है कि हर सूरत में सिवाए एक के क़ातिल होने के इस इस्तहसान के मुवाफ़िक़ असबाब का इस्तहक़ाक़ न होगा। वल्लाहु तआला आलम।

अगर इमाम ने कहा कि जिस ने जिस काफ़िर को क़त्ल किया तो इस का असबाब इसी का है फिर एक मुसलमान ने एक काफ़िर को तीर या नेज़ा मार कर इस को घोडे से गिरा दिया और अपने लश्कर में खींच लाया
और काफ़िर मज़कूर यहां चन्द रोज़ा कर इस ज़ख्म से मर गया और हुनूज़ माले ग़नीमत तक़सीम नहीं हुआ है तो इस मक़तूल का असबाब इस के क़ातिल ही को मिलेगा और अगर काफ़िर मज़कूर दारूल इस्लाम में आकर ग़नीमत तक़सीम होने के बाद मर गया तो क़ातिल को इस असबाब में बईं ख़ुसूसियत कुछ न मिलेगा और अगर ग़ाज़ी ने इस को मजरूह किया और मुश्रिकों ने इस मजरूह को छीन लिया और अपने लश्कर में ले भागे और ग़ाज़ीने इस का असबाब ले लिया फिर इस ग़ाज़ी और बाक़ी ग़ानमीन में इख़्तलाफ़ हुआ चुनांचे ग़ाज़ी ने कहा कि मजरूह मज़कूर क़ब्ल तक़सीम ग़नीमत के मर गया और ग़ानमीन ने कहा कि नहीं बाद तक़सीम ग़नीमत मरा है तो क़ौल ग़ानमीन का क़बूल होगा और ग़ाज़ी के गवाह

इन लोगों पर क़बूल न होंगे इल्ला आंकि गवाह मुसलमान हों और अगर कोई मर्द ग़ाज़ी किसी काफ़िर को इस के घोडे की ज़ैन से उठा लाया और सफ़ या लश्कर की तरफ़ लाकर इस को ज़िबह कर डाला तो इस के असबाब में से इस ग़ाज़ी के वास्ते कुछ न होगा और ऐसा करना मकरूह है और अगर इस को सफ़ में उठा लाने के बाद इस से क़िताल (1) करके इस को क़त्ल किया तो वो मुस्तहिक़ असबाब होगा यह मुहीत सरखसी में है।

अगर अमीर लश्कर ने कहा कि जिस ने अकेले तुम में से किसी काफ़िर को क़त्ल किया वो इस के असबाब का मुस्तहिक़ है फिर दो ग़ाज़ियों ने किसी को क़त्ल किया तो इस के असबाब के मुस्तहिक़ न होंगे और नवादिर बिन समाआ में इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि अगर किसी मुसलमान से कहा कि अगर तूने इस काफ़िर को क़त्ल किया तो इस का असबाब तेरे ही वास्ते है पस इस मुसलमान और एक दूसरे मुसलमान दोनों ने इस को क़त्ल किया तो पूरा सामान इसी मुसलमान (जिस को अमीर ने खिताब किया था कि अगर तूने इस को काफ़िर को क़त्ल किया) को मिलेगा और दूसरे के वास्ते इस में से कुछ न होगा और मुन्तक़ी में मज़कूर है कि अगर इमाम ने दस मुसलमानों से कहा कि अगर तुम ने क़त्ल किया इन दस को खास्सतन या दस मुसलमानों से कहा कि अगर तुम ने फ़लां क़रया के लोगों को असीर किया या क़त्ल किया तो तुम्हारे वास्ते चनीन व चुनान है यानी कोई ग़ैर मुअय्यन चीज़ की तनफ़ील की फिर इन लोगों के साथ सिवाए इन के और लोग भी शरीक हो गये बदूं इजाज़त इमामुल मुस्लिमीन के तो यह सब के सब माले ग़नीमत में शरीक होंगे और फ़रमाया कि यह सूरत मुशाबा तनफ़ील (2) शैय मुअय्यन के नहीं है यह मुहीत में है। अगर अमीर ने एक ग़ाज़ी से कहा कि अगर तूने एक काफ़िर को क़त्ल किया तो तेरे वास्ते इस का असबाब होगा पस इस ने दो काफ़िरों को क़त्ल किया तो इस के वास्ते इस का असबाब होगा फिर इन में से एक ने दस काफ़िरों को क़त्ल किया तो इन सब के असबाब का मुस्तहिक़ होगा यह इस्तहसान है।

और काफ़िर वर्णित यहां चन्द रोज़ा कर इस ज़ख्म से मर गया और हुनूज़ माले ग़नीमत तक़सीम नहीं हुआ है तो इस मक़तूल का असबाब इस के क़ातिल ही को मिलेगा और अगर काफ़िर वर्णित दारूल इस्लाम में आकर ग़नीमत तक़सीम होने के बाद मर गया तो क़ातिल को इस असबाब में बई ख़ुसूसियत कुछ न मिलेगा और अगर ग़ाज़ी ने इस को मजरूह किया और मुश्रिकों ने इस मजरूह को छीन लिया और अपने लश्कर में ले भागे और ग़ाज़ीने इस का असबाब ले लिया फिर इस ग़ाज़ी और बाक़ी ग़ानमीन में मतभेद हुआ चुनांचे ग़ाज़ी ने कहा कि मजरूह वर्णित क़ब्ल तक़सीम ग़नीमत के मर गया और ग़ानमीन ने कहा कि नहीं बाद तक़सीम ग़नीमत मरा है तो कथन ग़ानमीन का क़बूल होगा और ग़ाज़ी के गवाह इन लोगों पर क़बूल न होंगे सिवा आंकि गवाह मुसलमान हों और अगर कोई मर्द ग़ाज़ी किसी काफ़िर को इस के घोडे की ज़ैन से उठा लाया और सफ़ या लश्कर की तरफ़ लाकर इस को ज़िबह कर डाला तो इस के असबाब में से इस ग़ाज़ी के लिएकुछ न होगा और ऐसा करना मकरूह है और अगर इस को सफ़ में उठा लाने के बाद इस से क़िताल (1) करके इस को क़त्ल किया तो वो मुस्तहिक़ असबाब होगा यह मुहीत सरखसी में है।

अगर अमीर लश्कर ने कहा कि जिस ने अकेले तुम में से किसी काफ़िर को क़त्ल किया वो इस के असबाब का मुस्तहिक़ है फिर दो ग़ाज़ियों ने किसी को क़त्ल किया तो इस के असबाब के मुस्तहिक़ न होंगे और नवादिर बिन समाआ में इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि अगर किसी मुसलमान से कहा कि अगर तूने इस काफ़िर को क़त्ल किया तो इस का असबाब तेरे ही लिएहै पस इस मुसलमान और एक दूसरे मुसलमान दोनों ने इस को क़त्ल किया तो पूरा सामान इसी मुसलमान (जिस को अमीर ने खिताब किया था कि अगर तूने इस को काफ़िर को क़त्ल किया) को मिलेगा और दूसरे के लिएइस में से कुछ न होगा और मुन्तक़ी में वर्णित है कि अगर इमाम ने दस मुसलमानों से कहा कि अगर तुम ने क़त्ल किया इन दस को खास्सतन या दस मुसलमानों से कहा कि अगर तुम ने फ़लां क़रया के लोगों

अगर किसी मर्द मुअय्यन से कहा कि अगर तूने काफ़िर को क़त्ल किया तो तेरे वास्ते इस का असबाब हैपस इस ने दो काफ़िरों को साथ ही क़त्ल किया तो इस के वास्ते इन में से एक का असबाब है पस दोनों में से एक असबाब जिस को चाहे इख़्तयार करे और इख़्तयार करने का काम इस क़ातिल को सुपुर्द होगा न इमाम को कज़ा फ़िल ज़हीरिया और इसी तरह अगर अमीर ने कहा कि अगर तूने कोई क़ैदी हासिल किया तो वो तेरा होगा पस इस ने आगे पीछे दो क़ैदी पकड़े तो पहला क़ैदी इसी का होगा और अगर इस ने साथ ही दो क़ैदी पकड़े तो इन में से एक छांट लेने का कहा कि जिस ने किसी काफ़िर को क़त्ल किया इस के वास्ते इस का असबाब है पस इस।

को असीर किया या क़त्ल किया तो तुम्हारे लिएचनीन व चुनान है यानी कोई ग़ैर निश्चित चीज़ की तनफ़ील की फिर इन लोगों के साथ सिवाए इन के और लोग भी शरीक हो गये बदूं इजाज़त इमामुल मुस्लिमीन के तो यह सब के सब माले ग़नीमत में शरीक होंगे और फ़रमाया कि यह स्थिति मुशाबा तनफ़ील (2) शैय निश्चित के नहीं है यह मुहीत में है। अगर अमीर ने एक ग़ाज़ी से कहा कि अगर तूने एक काफ़िर को क़त्ल किया तो तेरे लिएइस का असबाब होगा पस इस ने दो काफ़िरों को क़त्ल किया तो इस के लिएइस का असबाब होगा फिर इन में से एक ने दस काफ़िरों को क़त्ल किया तो इन सब के असबाब का मुस्तहिक़ होगा यह इस्तहसान है।

अगर किसी मर्द निश्चित से कहा कि अगर तूने काफ़िर को क़त्ल किया तो तेरे लिएइस का असबाब हैपस इस ने दो काफ़िरों को साथ ही क़त्ल किया तो इस के लिएइन में से एक का असबाब है पस दोनों में से एक असबाब जिस को चाहे इख़्तयार करे और इख़्तयार करने का काम इस क़ातिल को सुपुर्द होगा न इमाम को कज़ा फ़िल ज़हीरिया और इसी तरह अगर अमीर ने कहा कि अगर तूने कोई क़ैदी हासिल किया तो वो तेरा होगा पस इस ने आगे पीछे दो क़ैदी पकड़े तो पहला क़ैदी इसी का होगा और अगर इस ने साथ ही दो क़ैदी पकड़े तो इन में से एक छांट लेने का कहा कि जिस ने किसी काफ़िर को क़त्ल किया इस के लिएइस का असबाब है पस इस।

अगर हरबियों में से किसी मरीज़ या मजरूह को क़त्ल किया तो इस के असबाब का मुस्तहिक़ होगा ख़्वाह इस मरीज़ या मजरूह को इस्तताअत क़िताल हो या न हो। अगर बूढ़े फूस को क़त्ल किया जिस से ख़ुद क़िताल करने या राये देने का वहम नहीं होता है और न इस से नसल की उम्मीद है तो इस के असबाब का मुस्तहिक़ न होगा यह ज़हीरिया में है। अगर अमीर ने कहा कि जिस ने किसी बतरीक़ (बतरीक़ रईस नसारा मसलन सूबेदार वग़ैरह) को क़त्ल किया तो इस का असबाब इसी क़ातिल का है फिर बतरीक़ों में से नहीं बल्कि और काफ़िरों में से एक को क़त्ल किया तो इस के असबाब का मुस्तहिक़ न होगा और अगर कहा कि जिस ने अधेड़ को क़त्ल किया इस का असबाब इस के क़ातिल का है पस इस ने जो इन को क़त्ल किया तो इस के असबाब का मुस्तहिक़ होगा और अगर अमीर ने कहा कि जो इन क़त्ल करे फिर इस नें बूढ़े को क़त्ल किया तो असबाब का मुस्तहिक़ न होगा। अगर अमीर ने कहा कि जो असीर को लाया इस के वास्ते इस क़द्र नफ़िल है फिर एक शख़्स वसीफ़ को पकड़ लाया तो इस के वास्ते कुछ न होगा इस वास्ते कि असीर इस्मे बालिग़ मुज़क्किर का है और वसीफ़ इस्मे सग़ीर का है पस इस ने जिन्स में इख़्तलाफ़ किया और इसी तरह अगर इस ने कहा कि जो वसीफ़ लाये इस के वास्ते इस क़द्र है फिर एक शख़्स असीर यानी बालिग मज़कूर को या दूध पीते हुए को गिरफ़तार करके लाया तो कुछ मुस्तहिक़ न होगा इस वास्ते कि इस ने जिन्स में खिलाफ़ किया और अगर अमीर ने कहा कि जिस ने मुश्रिकीन के सअलो कोन में से किसी सअलूक (1) को क़त्ल किया तो इस के वास्ते इस का असबाब होगा फिर किसी ग़ाज़ी ने एक बतरीक़ को क़त्ल किया तो इस के असबाब का मुस्तहिक़ न होगा इस वास्ते कि बतरीक़ के असबाब की क़ीमत बनिस्बत असाब सअलूक के ज़्यादा होती है। अगर कहा कि जो शख़्स हज़ार दिरहम ग़नीमत लाया इस के वास्ते इस क़द्र है फिर एक शख़्स हज़ार दीनार लाया तो कुछ मुस्तहिक़

अगर हरबियों में से किसी मरीज़ या मजरूह को क़त्ल किया तो इस के असबाब का मुस्तहिक़ होगा चाहे इस मरीज़ या मजरूह को इस्तताअत क़िताल हो या न हो। अगर बूढ़े फूस को क़त्ल किया जिस से ख़ुद क़िताल करने या राये देने का वहम नहीं होता है और न इस से नसल की उम्मीद है तो इस के असबाब का मुस्तहिक़ न होगा यह ज़हीरिया में है। अगर अमीर ने कहा कि जिस ने किसी बतरीक़ (बतरीक़ रईस नसारा मसलन सूबेदार वग़ैरह) को क़त्ल किया तो इस का असबाब इसी क़ातिल का है फिर बतरीक़ों में से नहीं बल्कि और काफ़िरों में से एक को क़त्ल किया तो इस के असबाब का मुस्तहिक़ न होगा और अगर कहा कि जिस ने अधेड़ को क़त्ल किया इस का असबाब इस के क़ातिल का है पस इस ने जो इन को क़त्ल किया तो इस के असबाब का मुस्तहिक़ होगा और अगर अमीर ने कहा कि जो इन क़त्ल करे फिर इस नें बूढ़े को क़त्ल किया तो असबाब का मुस्तहिक़ न होगा। अगर अमीर ने कहा कि जो असीर को लाया इस के लिएइस क़द्र नफ़िल है फिर एक व्यक्ति वसीफ़ को पकड़ लाया तो इस के लिएकुछ न होगा इस लिएकि असीर इस्मे बालिग मुज़क्किर का है और वसीफ़ इस्मे सग़ीर का है पस इस ने जिन्स में मतभेद किया और इसी तरह अगर इस ने कहा कि जो वसीफ़ लाये

न होगा इस वास्ते कि खिलाफ़ जिन्स लाया है यह मुहीत में है।

अगर काफ़िरों ने शिकस्त खाई और मुसलमानों ने इन का पीछा किया तो हुक्म तनफ़ील मज़कूर बाक़ी रहेगा :

अगर लश्करे इस्लाम दारूल हरब में दाखिल हुआ और क़ब्ल अज़ अंकि क़िताल की नौबत पहुंचे अमीर लश्कर ने कहा कि जिस ने किसी काफ़िर को क़त्ल किया इस के वास्ते इस का असबाब होगा तो यह हुक्म तनफ़ील का हर क़लील के हक़ में है जिस को दारूल हरब में अपने इसी जिहाद में क़त्ल करें बराबर जारी रहेगा यहां तक कि यह लोग दारूल इस्लाम में वापिस आऐं और अगर इसी रोज़ बाहम मुसलमानों व मुश्रिकों के दरमियान लड़ाई हुई और कोई

(1)सअलूक दुरवेश फ़क़ीर।

फ़रीक़ दूसरे से मुनहज़म (1) न हुआ हत्ता कि फिर दूसरे रोज़ लडाई हुई और किसी मुसलमानों ने किसी काफ़िर को क़त्ल किया तो इस के असबाब का मुस्तहिक़ होगा इस वास्ते कि जंग अव्वल बाक़ी है तो तनफ़ील भी बाक़ी रहेगी और अगर काफ़िरों ने शिकस्त खाई और मुसलमानों ने इन का पीछा किया तो हुक्म तनफ़ील मज़कूर बाक़ी रहेगा और इसी तरह अगर काफ़िरान हरबी शिकस्त खा कर भागे और अपने क़िलओं में दाखिल हुए और मुसलमान इन के तआक़ुब में हैं हुनूज़ वापिस नहीं हुए हत्ता कि काफ़िरों ने अपने क़िलओं में क़रार पकड़ा और मुसलमानों ने इन का मुहासरा कर लिया और बराबर लडाई जा रही हतों तनफ़ील मज़कूर का हुक्म बराबर रहेगा और अगर काफ़िरान हरबी ने शिकस्त खा कर अपने शहरों व क़िलओं में पनाह ली और मुसलमानों ने इन का पीछा न किया फिर मुसलमान लोग इन के शहरों व क़िलओं में से किसी शहर या क़िलआ की तरफ़ गुज़रे और इन का मुहासरा किया फिर किसी मुसलमान ने किसी ऐसे काफ़िर को क़त्ल किया जो शिकस्त खा कर यहां पनाह गुज़ीं हुआ है तो इस के असबाब का मुस्तहिक़ न होगा और इसी तरह अगर मुसलमानों ने इस के लिएइस क़द्र है फिर एक व्यक्ति असीर यानी बालिग़ वर्णित को या दूध पीते हुए को गिरफ़तार करके लाया तो कुछ मुस्तहिक़ न होगा इस लिएकि इस ने जिन्स में खिलाफ़ किया और अगर अमीर ने कहा कि जिस ने मुश्रिकीन के सअलो कोन में से किसी सअलूक (1) को क़त्ल किया तो इस के लिएइस का असबाब होगा फिर किसी ग़ाज़ी ने एक बतरीक़ को क़त्ल किया तो इस के असबाब का मुस्तहिक़ न होगा इस लिएकि बतरीक़ के असबाब की क़ीमत बनिस्बत असाब सअलूक के ज़्यादा होती है। अगर कहा कि जो व्यक्ति हज़ार दिरहम ग़नीमत लाया इस के लिएइस क़द्र है फिर एक व्यक्ति हज़ार दीनार लाया तो कुछ मुस्तहिक़ न होगा इस लिएकि खिलाफ़ जिन्स लाया है यह मुहीत में है।

अगर काफ़िरों ने शिकस्त खाई और मुसलमानों ने इन का पीछा किया तो हुक्म तनफ़ील वर्णित बाक़ी रहेगा :

अगर लश्करे इस्लाम दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल हुआ और क़ब्ल अज़ अंकि क़िताल की नौबत पहुंचे अमीर लश्कर ने कहा कि जिस ने किसी काफ़िर को क़त्ल किया इस के लिएइस का असबाब होगा तो यह हुक्म तनफ़ील का हर क़लील के हक़ में है जिस को दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें अपने इसी जिहाद में क़त्ल करें बराबर जारी रहेगा यहां तक कि यह लोग दारूल इस्लाम में वापिस आऐं और अगर इसी रोज़ बाहम मुसलमानों व मुश्रिकों के दरमियान लडाई हुई और कोई

(1)सअलूक दुरवेश फ़क़ीर।

फ़रीक़ दूसरे से मुनहज़म (1) न हुआ हत्ता कि फिर दूसरे रोज़ लडाई हुई और किसी मुसलमानों ने किसी काफ़िर को क़त्ल किया तो इस के असबाब का मुस्तहिक़ होगा इस लिएकि जंग अव्वल बाक़ी है तो तनफ़ील भी बाक़ी रहेगी और अगर काफ़िरों ने शिकस्त खाई और मुसलमानों ने इन का पीछा किया तो हुक्म तनफ़ील वर्णित बाक़ी रहेगा और इसी तरह अगर काफ़िरान हरबी शिकस्त खा कर भागे और अपने क़िलओं में दाखिल हुए

मुनहज़िम शुदह काफ़िरों का पीछा किया और राह में एक क़िलआ की तरफ़ गुज़र हुआ जिस में सिवाए इन मुनहज़िम शुदह काफ़िरों के जिन का तआक़ुब किया है एक जमाअत कुफ़्फ़ारह बाक़ूत मनअत है फिर इन में से किसी काफ़िर को किसी मुसलमान ने क़त्ल किया तो इस के असबाब का मुस्तहिक़ न होगा यह मुहीत में है। अगर कोई बतरीक़ क़त्ल किया गया पस असीर ने कहा कि जो शख़्स इस का सर लाये इस के वास्ते इस क़द्र नफ़िल है पस अगर यह बतरीक़ मक़तूल व इस का सर ऐसे मक़ाम पर हो कि इस पर क़ुदरत नहीं हो सकती है इल्ला तक़बाल व ख़ौफ़ तो सर लाने वाला मुस्तहिक़ नफ़िल होगा और अगर ऐसे मक़ाम पर हो कि बग़ैर क़िताल व ख़ौफ़ के इस का सर हासिल हो सकता है तो लाने वाला कुछ मुस्तहिक़ न होगा और अगर अमीर ने मुअय्यन चन्द लोगों से कहा हो कि जो शख़्स तुम में से इस का सर लाये इस के वास्ते इस क़द्र है तो यह तनफ़ील नहीं बल्कि इजारा फ़ासिदा (मज़दूरी पर मुक़र्रर किया) है यह मुहीत सुरखी में है।

अगर मुसलमानों व काफ़िरों ने क़िताल के वास्ते सफ़ बन्दी की और इस वक़्त में अमीर लश्कर ने मुसलमानों से कहा कि जो शख़्स किसी काफ़िर का सर लाया इस के वास्ते ग़नीमत में से पांच सौ दिरहम हैं तो यह मर्दों के सिरों पर होगी न लड़कों के सिरों पर चुनांचे जो शख़्स किसी मर्द काफ़िर का सर लाया वो मुस्तहिक़ पांच सौ दिरहम का होगा वरना नहीं और बखिलाफ़ इस के अगर ऐसी हालत में कि कुफ़्फ़ार शिकस्त खा कर भाग गये और लड़ाई थम गई है अमीर लश्कर ने किसी से ज़बान अरबी में कहा कि मन जा बर इस फ़ला कज़ा यानी जो कोई रास लाया यानी सर लाया इस के वास्ते पांच सौ दिरहम हैं तो यह क़ैदियों पर होगी न मर्दों के सर काट लाने पर। अगर ज़ैद एक मर्द काफ़िर का सर लाया और कहा कि मैंने इस को क़त्ल किया है और इस का सर लाया हूं और उमरो ने कहा कि मैंने इस को क़त्ल किया मगर इस का सर इस ज़ैद ने ले लिया तो जो शख़्स इस मक़तूल का सर लाया है वही पांच सौ दिरहम का मुस्तहिक़ होगा अपौर इसी का क़ौल क़सम से

और मुसलमान इन के तआक़ुब में हैं हुनूज़ वापिस नहीं हुए हत्ता कि काफ़िरों ने अपने क़िलओं में क़रार पकड़ा और मुसलमानों ने इन का मुहासरा कर लिया और बराबर लड़ाई जा रही हतों तनफ़ील वर्णित का हुक्म बराबर रहेगा और अगर काफ़िरान हरबी ने शिकस्त खा कर अपने शहरों व क़िलओं में पनाह ली और मुसलमानों ने इन का पीछा न किया फिर मुसलमान लोग इन के शहरों व क़िलओं में से किसी शहर या क़िलआ की तरफ़ गुज़रे और इन का मुहासरा किया फिर किसी मुसलमान ने किसी ऐसे काफ़िर को क़त्ल किया जो शिकस्त खा कर यहां पनाह गुज़ीं हुआ है तो इस के असबाब का मुस्तहिक़ न होगा और इसी तरह अगर मुसलमानों ने मुनहज़िम शुदह काफ़िरों का पीछा किया और राह में एक क़िलआ की तरफ़ गुज़र हुआ जिस में सिवाए इन मुनहज़िम शुदह काफ़िरों के जिन का तआक़ुब किया है एक जमाअत कुफ़्फ़ारह बाक़ूत मनअत है फिर इन में से किसी काफ़िर को किसी मुसलमान ने क़त्ल किया तो इस के असबाब का मुस्तहिक़ न होगा यह मुहीत में है। अगर कोई बतरीक़ क़त्ल किया गया पस असीर ने कहा कि जो व्यक्ति इस का सर लाये इस के लिएइस क़द्र नफ़िल है पस अगर यह बतरीक़ मक़तूल व इस का सर ऐसे मक़ाम पर हो कि इस पर क़ुदरत नहीं हो सकती है सिवा तक़बाल व ख़ौफ़ तो सर लाने वाला मुस्तहिक़ नफ़िल होगा और अगर ऐसे मक़ाम पर हो कि बग़ैर क़िताल व ख़ौफ़ के इस का सर हासिल हो सकता है तो लाने वाला कुछ मुस्तहिक़ न होगा और अगर अमीर ने निश्चित चन्द लोगों से कहा हो कि जो व्यक्ति तुम में से इस का सर लाये इस के लिएइस क़द्र है तो यह तनफ़ील नहीं बल्कि इजारा फ़ासिदा (मज़दूरी पर मुक़र्रर किया) है यह मुहीत सुरखी में है।

अगर मुसलमानों व काफ़िरों ने क़िताल के लिएसफ़ बन्दी की और इस समय में अमीर लश्कर ने मुसलमानों से कहा कि जो व्यक्ति किसी काफ़िर का सर लाया इस के लिएग़नीमत में से पांच सौ दिरहम हैं तो यह मर्दों के सिरों पर होगी न लड़कों के सिरों पर चुनांचे जो व्यक्ति किसी मर्द काफ़िर का सर लाया वो मुस्तहिक़ पांच सौ

कि मैंने इस को क़त्ल किया है क़बूल होगा और दूसरे पर अपने दअ्वा के गवाह लाना लाज़िम हैं चुनांचे अगर इस ने मुसलमान गवाह पैश किये कि इसी ने इस को क़त्ल किया है तो इसी के वास्ते पांच सौ दिरहम का हुक्म दिया जायेगा और अगर एक शख़्स एक सर लाया और मुसलमानों में से एक ने कहा कि यह सर दुशमनों में से एक शख़्स का है जो मर गया था और इस ने इस का सर काट लिया और जो शख़्स सर लाया है वो कहता है कि मैंने इस को क़त्ल किया है इसी का क़बूल होगा जो सर लाया है लेकिन इस से क़सम ली जायेगी।

यह इस वक़्त है कि मालूम हो कि यह सर किसी मुश्रिक का सर है और अगर शक पैदा हुआ गया कि यह मुसलमान का सर है या मुश्रिक का सर है और मालूम नहीं होता है तो अलामत से शनाख़्त की जाये पस अगर इस पर अलामत मुश्रिकान हो मसलन इस के बाल कतरे हुए हों तो वो मुस्तहिक़ नफ़िल होगा और अगर इस पर अलामत इस्लाम हो मसलन दाढ़ी में खिज़ाब सुर्ख़ हो तो वो मुस्तहिक़ नफ़िल न होगा और अगर ग़ैद एक सर लाया कहता है कि मैंने इस को क़त्ल किया है और इस के साथ उमरो है वो कहता है कि इस को मैंने ही क़त्ल किया है और ग़ेद से क़सम तलब की पस ग़ैद ने क़सम इस नकोल

(1)पस्त व शिकस्त+]ुर्दा।

(क़सम खाने से इन्कार किया) किया तो क़ियासन दोनों में से कोई मुस्तहिक़ नफ़िल न होगा और इस्तहसानन उमरो को माल नफ़िल दिया जायेगा। अगर दो आदमी एक सर लाये कहते हैं कि हम दोनों ने इस को क़त्ल किया है और सर मज़कूर दोनों के क़ब्ज़े में है तो माल नफ़िल इन दोनों के दरमियान तक़सीम किया जायेगा और इसी तरह अगर तीन आदमी या ज़्यादा हों तो भी यही हुक्म है यह मुहीत में है। अगर अमीर लश्कर ने कहा कि जो इस शहर के दरवाज़ा से या इस क़िला के दरवाज़े से या इस मतमूरह के दरवाज़े से दाखिल हो इस के वास्ते हज़ार दिरहम हैं फिर मुसलमानों में से एक क़ौम हुजूम कर के एक बारगी इस में दाखिल हो गई फिर आगे उस का एक दूसरा दरवाज़ा बन्द नज़र दिरहम का होगा वरना नहीं और बखिलाफ़ इस के अगर ऐसी हालत में कि कुफ़्फ़ार शिकस्त खा कर भाग गये और लड़ाई थम गई है अमीर लश्कर ने किसी से ज़बान अरबी में कहा कि मन जा बर इस फ़ला कज़ा यानी जो कोई रास लाया यानी सर लाया इस के लिएपांच सौ दिरहम हैं तो यह क़ैदियों पर होगी न मर्दों के सर काट लाने पर। अगर ग़ैद एक मर्द काफ़िर का सर लाया और कहा कि मैंने इस को क़त्ल किया है और इस का सर लाया हूं और उमर ने कहा कि मैंने इस को क़त्ल किया मगर इस का सर इस ग़ैद ने ले लिया तो जो व्यक्ति इस मक़तूल का सर लाया है वही पांच सौ दिरहम का मुस्तहिक़ होगा अपौर इसी का कथन क़सम से कि मैंने इस को क़त्ल किया है क़बूल होगा और दूसरे पर अपने दअ्वा के गवाह लाना अनिवार्य हैं चुनांचे अगर इस ने मुसलमान गवाह पैश किये कि इसी ने इस को क़त्ल किया है तो इसी के लिएपांच सौ दिरहम का हुक्म दिया जायेगा और अगर एक व्यक्ति एक सर लाया और मुसलमानों में से एक ने कहा कि यह सर दुशमनों में से एक व्यक्ति का है जो मर गया था और इस ने इस का सर काट लिया और जो व्यक्ति सर लाया है वो कहता है कि मैंने इस को क़त्ल किया है इसी का क़बूल होगा जो सर लाया है लेकिन इस से क़सम ली जायेगी।

यह इस समय है कि मालूम हो कि यह सर किसी मुश्रिक का सर है और अगर शक पैदा हुआ गया कि यह मुसलमान का सर है या मुश्रिक का सर है और मालूम नहीं होता है तो अलामत से शनाख़्त की जाये पस अगर इस पर अलामत मुश्रिकान हो मसलन इस के बाल कतरे हुए हों तो वो मुस्तहिक़ नफ़िल होगा और अगर इस पर अलामत इस्लाम हो मसलन दाढ़ी में खिज़ाब सुर्ख़ हो तो वो मुस्तहिक़ नफ़िल न होगा और अगर ग़ैद एक सर लाया कहता है कि मैंने इस को क़त्ल किया है और इस के साथ उमर है वो कहता है कि इस को मैंने ही क़त्ल किया है और ग़ेद से क़सम तलब की पस ग़ैद ने क़सम इस नकोल

(1)पस्त व शिकस्त+]ुर्दा।

(क़सम खाने से इन्कार किया) किया तो क़ियासन

आया तो इन लोगों के वास्ते नफ़िल का इस्तहक़ाक़ होगा और इन में से हर एक हज़ार दिरहम का मुस्तहिक़ होगा बखिलाफ़ इस के अगर अमीर ने कहा कि जो इस में दाखिल हुआ इस के वास्ते चहारूम ग़नीमत है फिर दस आदमी एक बारगी दाखिल हुए तो इन के वास्ते फ़क़त एक चौथाई ग़नीमत मिलेगी जिस में सब शरीक होंगे और अगर दाखिल हुआ फिर दूसरा दपाखिल हुआ तो बराबर ऐसे सब दाखिल होने वाले इस मिक़्दार नफ़िल में शरीक होते जाऐंगे यहां तक कि दुशमन मुलतजी हुए।

अगर अमीर लश्कर ने कहा कि जो दरवाज़ा मतमूरह (तहखाना) में दाखिल हो इस के वास्ते इस मतमूरह का बतरीक़ है यानी बतरीक़ मज़कूर इस को दिया जायेगा फिर एक जमाअत दाखिल हुइ तो इन के वास्ते फ़क़त यही बतरीक़ होगा बखिलाफ़ (1) इस के अगर अमीर ने मुतल्लक़न कहा कि इस के वास्ते बतरीक़ है फिर चन्द लोग दाखिल हुए तो हर एक को एक एक बतरीक़ अलाहिदा अलाहिदा मिलेगा और अगर क़िला के अन्दर फ़क़त तीन बतरीक़ पाये गये तो इन लोगों के वास्ते यही तीन बतरीक़ होंगे और कुछ न मिलेगा बखिलाफ़ इस के अगर कहा कि जो शख़्स इस में दाखिल हुआ पस वास्ते इस के एक बान्दी है फिर लोग दाखिल हुए और क़िलआ फ़तह होन पर देखा गया इस में फ़क़त दो या तीन बान्दियां थीं तो हर एक दाखिल होने वाले के वास्ते ओसत दरजा की बान्दी की क़ीमत होगी इस वास्ते कि यह कहना कि इस के वास्ते एक बान्दी हि इस के यह मअनी हैं कि इस के वास्ते ओसत दरजा की बान्दी की क़ीमत होगी और अगर ू कहा कि तू इस के वास्मते इन की बान्दियों में से एक बान्दी होगी फिर देखा गया तो इस में फ़क़त दो या तीन बान्दियां थीं तो मिस्ल मज़कूरह साबिक़ इन सब दाखिल होगे वालों को यही बान्दियां मिलेंगी और कुछ न मिलेगा और अगर इमाम ने कहा कि जो इस में दाखिल हुआ इस के वास्ते हज़ार दिरहम हैं पस कुछ लोग जानिब दरवाज़ा से दाखिल हुए और कुछ लोग छत की तरफ़ से इस तरह उतरे कि औरों ने इन को इन की इजाज़त से लटका कर उतार दिया पस इन सब ने क़िलआ मज़कूर फ़तह कर लिया तो यह दोनों में से कोई मुस्तहिक़ नफ़िल न होगा और इस्तहसानन उमर को माल नफ़िल दिया जायेगा। अगर दो आदमी एक सर लाये कहते हैं कि हम दोनों ने इस को क़त्ल किया है और सर वर्णित दोनों के क़ब्ज़े में है तो माल नफ़िल इन दोनों के दरमियान तक़सीम किया जायेगा और इसी तरह अगर तीन आदमी या ज़्यादा हों तो भी यही हुक्म है यह मुहीत में है। अगर अमीर लश्कर ने कहा कि जो इस शहर के दरवाज़ा से या इस क़िला के दरवाज़े से या इस मतमूरह के दरवाज़े से दाखिल हो इस के लिएहज़ार दिरहम हैं फिर मुसलमानों में से एक क़ौम हुजूम कर के एक बारगी इस में दाखिल हो गई फिर आगे उस का एक दूसरा दरवाज़ा बन्द मन्नत आया तो इन लोगों के लिएनफ़िल का इस्तहक़ाक़ होगा और इन में से हर एक हज़ार दिरहम का मुस्तहिक़ होगा बखिलाफ़ इस के अगर अमीर ने कहा कि जो इस में दाखिल हुआ इस के लिएचहारूम ग़नीमत है फिर दस आदमी एक बारगी दाखिल हुए तो इन के लिएफ़क़त एक चौथाई ग़नीमत मिलेगी जिस में सब शरीक होंगे और अगर दाखिल हुआ फिर दूसरा दपाखिल हुआ तो बराबर ऐसे सब दाखिल होने वाले इस मिक़्दार नफ़िल में शरीक होते जाऐंगे यहां तक कि दुशमन मुलतजी हुए।

अगर अमीर लश्कर ने कहा कि जो दरवाज़ा मतमूरह (तहखाना) में दाखिल हो इस के लिएइस मतमूरह का बतरीक़ है यानी बतरीक़ वर्णित इस को दिया जायेगा फिर एक जमाअत दाखिल हुइ तो इन के लिएफ़क़त यही बतरीक़ होगा बखिलाफ़ (1) इस के अगर अमीर ने मुतल्लक़न कहा कि इस के लिएबतरीक़ है फिर चन्द लोग दाखिल हुए तो हर एक को एक एक बतरीक़ अलाहिदा अलाहिदा मिलेगा और अगर क़िला के अन्दर फ़क़त तीन बतरीक़ पाये गये तो इन लोगों के लिएयही तीन बतरीक़ होंगे और कुछ न मिलेगा बखिलाफ़ इस के अगर कहा कि जो व्यक्ति इस में दाखिल हुआ पस लिएइस के एक बान्दी है फिर लोग दाखिल हुए और क़िलआ फ़तह होन पर देखा गया इस में फ़क़त दो या तीन बान्दियां थीं तो हर एक दाखिल होने वाले के लिएओसत दरजा की बान्दी की क़ीमत होगी इस लिएकि यह कहना कि इस के

लोग माल के मुस्तहिक़ होंगे यानी हर एक हज़ार दिरहम का मुस्तहिक़ होगा मगर यह हुक्म इस वक़्त है कि लटक कर ऐसी जगह पहुंच गये हों कि अहले क़िलआ से मुक़ाबला कर सकते हों और अगर ऐसी जगह हों कि मुक़ाबला नहीं कर सकते मसलन दीवार से एक हाथ या दो हाथ लटके हुए हों तो यह लोग नफ़िल के मुस्तहिक़ न होंगे।

अगर अमीर ने तीन अशख़ासे मुअय्यन से कहा कि जो तुम में से इस क़िलआ के दरवाज़ा से अव्वलन दाखिल हुआ इस के वास्ते तीन रास बरदे हैं और दिरम के वास्ते दो रास और सोम के वास्ते एक रास है :

अगर लटकाने वालों ने इन को लटकाया हत्ता कि जब बीच तक पहुंच तो रस्सी टूट गई और यह लोग क़िलआ में गिरे तो ऐसी सूरत में भी मुस्तहिक़ नफ़िल होंगे और अगर अमीर ने कहा कि जो अव्वल दाखिल हुआ इस के वास्ते तीन रास बरदे हैं और जो दिरम दाखिल हुआ इस के वास्ते दो रस और जो सोम दाखिल इस के वास्ते एक रास है पस एक दाखिल हुआ फिर एक और दाखिल हुआ तो हर एक इस क़द्र का मुस्तहिक़ होगा जो इस के वास्ते बयान कर दिया है और इसी तरह अगर कहा कि तुम में जो दाखिल हुबआ इस के वास्ते तीन रास बरदे हैं और दोयम के वास्ते दो रास और सोम के वास्ते एक रास है तो भी यही हुक्म है और अगर तीनों साथ ही दाखिल हुए तो अव्वल व सानी की नफ़िल बातिल हो गई और सालिस की नफ़िल में यह लोग सब मुशतरिक होंगे और अगर अव्वल मर्तबा दो एक साथ दाखिल हुए तो अव्वल की नफ़िल बातिल हुई और दोयम की नफ़िल में यह दोनों शरीक होंगे और अगर किसी मर्द से कहा कि अगर तू अव्वलन दाखिल हुआ तो मैं तुझे खाना न दूंगा (मैं तुझे कुछ नफ़िल न दूंगा) और अगर तू दोबारह दाखिल हुआ तो तेरे वास्ते दो रास बुरदे हैं। फिर वो अव्वलन दाखिल हुआ तो क़ियासन इस के वास्ते कुछ नहीं है मगर इस्तहसानन वो नफ़िल मशरूत यानी दो बुर्दे का मुस्तहिक़ होगा और अगर इस से पहले ऐसी गुफ़्तुगू लिएएक बान्दी हि इस के यह मअनी हैं कि इस के लिएओसत दरजा की बान्दी की क़ीमत होगी और अगर ू कहा कि तू इस के वास्मते इन की बान्दियों में से एक बान्दी होगी फिर देखा गया तो इस में फ़क़त दो या तीन बान्दियां थीं तो मिस्ल मज़कूरह साबिक़ इन सब दाखिल होगे वालों को यही बान्दियां मिलेंगी और कुछ न मिलेगा और अगर इमाम ने कहा कि जो इस में दाखिल हुआ इस के लिएहज़ार दिरहम हैं पस कुछ लोग जानिब दरवाज़ा से दाखिल हुए और कुछ लोग छत की तरफ़ से इस तरह उतरे कि औरों ने इन को इन की इजाज़त से लटका कर उतार दिया पस इन सब ने क़िलआ वर्णित फ़तह कर लिया तो यह लोग माल के मुस्तहिक़ होंगे यानी हर एक हज़ार दिरहम का मुस्तहिक़ होगा मगर यह हुक्म इस समय है कि लटक कर ऐसी जगह पहुंच गये हों कि अहले क़िलआ से मुक़ाबला कर सकते हों और अगर ऐसी जगह हों कि मुक़ाबला नहीं कर सकते मसलन दीवार से एक हाथ या दो हाथ लटके हुए हों तो यह लोग नफ़िल के मुस्तहिक़ न होंगे।

अगर अमीर ने तीन अशख़ासे निश्चित से कहा कि जो तुम में से इस क़िलआ के दरवाज़ा से अव्वलन दाखिल हुआ इस के लिएतीन रास बरदे हैं और दिरम के लिएदो रास और सोम के लिएएक रास है :

अगर लटकाने वालों ने इन को लटकाया हत्ता कि जब बीच तक पहुंच तो रस्सी टूट गई और यह लोग क़िलआ में गिरे तो ऐसी स्थिति में भी मुस्तहिक़ नफ़िल होंगे और अगर अमीर ने कहा कि जो अव्वल दाखिल हुआ इस के लिएतीन रास बरदे हैं और जो दिरम दाखिल हुआ इस के लिएदो रस और जो सोम दाखिल इस के लिएएक रास है पस एक दाखिल हुआ फिर एक और दाखिल हुआ तो हर एक इस क़द्र का मुस्तहिक़ होगा जो इस के लिएबयान कर दिया है और इसी तरह अगर कहा कि तुम में जो दाखिल हुबआ इस के लिएतीन रास बरदे हैं और दोयम के लिएदो रास और सोम के लिएएक रास है तो भी यही हुक्म है और अगर तीनों साथ ही दाखिल

न हुई हो तो वो कुछ मुस्तहिक़ न होगा और अगर अमीर ने तीन अशखासे मुअय्यन से कहा कि जो तुम में से इस क़िलआ के दरवाज़ा से अव्वलन दाखिल हुआ उस के वास्ते तीन रास बुर्दे हैं, दोम के वास्ते दो रास और सोम के वास्ते एक रास है फिर इन तीनों में से एक मर्द इस क़िलआ के दरवाज़ा से दाखिल हुआ हालांकि इस के साथ मुसलमानों में से एक जमाअत है तो तीन बुर्दे इसी के वास्ते होंगे कि अमीर ने इन तीनों की तरफ़ इस तनफ़ील में इज़ाफ़त कर दी है चुनांचे यह कह दिया कि तुम में से पस मुराद इस की अव्वल से यह हुई कि तुम में से जो अव्वल दाखिल हो ख़्वाह तन्हा या आम के साथ आया तो नहीं देखता है कि अगर अमीर ने यूं कहा कि कि दो आदमियों में से जो अव्वल दाखिल हो फिर एक मर्द दाखिल हुआ और इस के साथ चन्द बहाएम घुस गये या कहा कि मर्दों में से जो अव्वल दाखिल हो फिर एक मर्द दाखिल हुआ और इस के साथ चन्द औरतें घुस गईं तो यह अव्वल दाखिल होगे वाला मुस्तहिक़ नफ़िल मशरूत होता है पस ऐसा ही सूरत मज़कूरह में भी है।

अगर अमीर ने तीनों से यूं कहा कि तुम मेंसे जो शख़्स कि लोगों से क़ब्ल अव्वलन दाखिल हुआ तो इस के वास्ते इस क़द्र नफ़िल है फिर इन में एक दाखिल हुआ और इस के साथ दूसरा शख़्स भी उन्हीं तीन में से और लोगों मुसलमान या काफ़िरों में से दाखिल हुआ तो इस के वास्ते कुछ इस्तहक़ाक़ न होगा। अगर अमीर ने कहा कि मुसलमानों में से जो शख़्स अव्वलन इस क़िलआ में दाखिल हुआ इस के वास्ते तीन बुर्दे हैं फिर इस क़िलआ में पहले एक ज़िम्मी दाखिल हुआ फिर एक मुसलमान दाखिल हुआ तो वो नफ़िल मज़कूर का मुस्तहिक़ होगा बखिलाफ़ इस के अगर कहा कि लोगों में जो शख़्स अव्वलन इस में दाखिल हुआ इस के वास्ते तीन बुर्दे हैं फिर एक ज़िम्मी पहले दाखिल हुआ फिर एक मुसलमान दाखिल हुआ तो मुसलमान मज़कूर मुस्तहिक़ नफ़िल न होगा। अगर अमीर ने कहा कि कल जो शख़्स कि तुम में से अव्वलन इस क़िलआ में दाखिल हुआ इस के वास्ते एक बुर्दा है फिर पांच आदमी एक साथ दाखिल हुए तो हर एक दाखिल होने वाला एक रास का मुस्तहिक़ हुए तो अव्वल व सानी की नफ़िल बातिल हो गई और सालिस की नफ़िल में यह लोग सब मुशतरिक होंगे और अगर अव्वल मर्तबा दो एक साथ दाखिल हुए तो अव्वल की नफ़िल बातिल हुई और दोयम की नफ़िल में यह दोनों शरीक होंगे और अगर किसी मर्द से कहा कि अगर तू अव्वलन दाखिल हुआ तो मैं तुझे खाना न दूंगा (मैं तुझे कुछ नफ़िल न दूंगा) और अगर तू दोबारह दाखिल हुआ तो तेरे लिएदो रास बुरदे हैं। फिर वो अव्वलन दाखिल हुआ तो क़ियासन इस के लिएकुछ नहीं है मगर इस्तहसानन वो नफ़िल मशरूत यानी दो बुर्दे का मुस्तहिक़ होगा और अगर इस से पहले ऐसी गुफ़्तुगू न हुई हो तो वो कुछ मुस्तहिक़ न होगा और अगर अमीर ने तीन अशखासे निश्चित से कहा कि जो तुम में से इस क़िलआ के दरवाज़ा से अव्वलन दाखिल हुआ उस के लिएतीन रास बुर्दे हैं, दोम के लिएदो रास और सोम के लिएएक रास है फिर इन तीनों में से एक मर्द इस क़िलआ के दरवाज़ा से दाखिल हुआ हालांकि इस के साथ मुसलमानों में से एक जमाअत है तो तीन बुर्दे इसी के लिएहोंगे कि अमीर ने इन तीनों की तरफ़ इस तनफ़ील में इज़ाफ़त कर दी है चुनांचे यह कह दिया कि तुम में से पस मुराद इस की अव्वल से यह हुई कि तुम में से जो अव्वल दाखिल हो चाहे तन्हा या आम के साथ आया तो नहीं देखता है कि अगर अमीर ने यूं कहा कि कि दो आदमियों में से जो अव्वल दाखिल हो फिर एक मर्द दाखिल हुआ और इस के साथ चन्द बहाएम घुस गये या कहा कि मर्दों में से जो अव्वल दाखिल हो फिर एक मर्द दाखिल हुआ और इस के साथ चन्द औरतें घुस गईं तो यह अव्वल दाखिल होने वाला मुस्तहिक़ नफ़िल मशरूत होता है पस ऐसा ही स्थिति मज़कूरह में भी है।

अगर अमीर ने तीनों से यूं कहा कि तुम मेंसे जो व्यक्ति कि लोगों से क़ब्ल अव्वलन दाखिल हुआ तो इस के लिएइस क़द्र नफ़िल है फिर इन में एक दाखिल हुआ और इस के साथ दूसरा व्यक्ति भी उन्हीं तीन में से और लोगों मुसलमान या काफ़िरों में से दाखिल हुआ तो इस के लिएकुछ इस्तहक़ाक़ न होगा। अगर अमीर ने कहा कि मुसलमानों में से जो व्यक्ति अव्वलन इस क़िलआ में

होगा बखिलाफ़ इस के अगर यूं कहा कि जो दाखिल हुआ या कोई मर्द कि दाखिल हुआ तो यह हुक्म नहीं है इस वास्ते कि यह कलिमा एक फ़र्द के वास्ते है और अगर अमीर ने कहा कि जो शख़्स तुम में पांचवां दाखिल हुआ इस के वास्ते एक रास है फिर पांच आदमी एक साथ दाखिल हुए तो इन में हर एक दाखिल होने वाला पांचवां की नफ़िल का मुस्तहिक़ होगा यह मुहीत सरख़सी में है।

अगर अमीर ने कहा कि जिस ने सोना पाया वो इस का है या कहा कि जिस ने चांदी पाई वो इस की है फिर एक शख़्स ने तलवार जिस में चांदी या सोने का हुलिया है पाई तो यह हुलिया (ज़ैवर व आराइश जैसे तलवार के क़ब्ज़े पर तिलाई व नुक़रई ज़ैवर बनाते हैं) इस का होगा और तलवार ग़नीमत में होगी पस देखा जायेगा कि अगर हुलिया अलग करने में ज़रर फ़ाहिश न हो तो तलवार में से अलग करके इस शख़्स को दिया जायेगा और अगर हुलिया अलग करने में हाज़िर फ़ाहिश हो तो क़ीमत हुलिया और क़ीमत शमशीर पर नज़र की जायेगी पस अगर हुलिया की क़ीमत .ज्यादा हो तो इस शख़्स को इख़्तयार दिया जायेगा कि चाहे तलवार की क़ीमत दे कर तलवार मअ हुलिया यानी इसी तरह मुहल्ला ने ले और अगर तलवार की क़ीमत .ज्यादा हो तो इस शख़्स को इख़्तयार दिया जायेगा कि चाहे तलवार की क़ीमत दे कर तलवार मअ हुलिया यानी इसी तरह मुहल्ला ने ले और अगर तलवार की क़ीमत .ज्यादा हो तो इमाम को इख़्तयार होगा यह चाहे इस शख़्स को हुलिया की क़ीमत जिन्स हुलिया के खिलाफ़ से जो साख़्ता हो देदे यानी अगर हुलिया चांदी का है तो दीनारों से इस की क़ीमत या सोने का है तो दिरहमों से इस की क़ीमत देदे और तलवार मअ हुलिया के ग़नीमत में दाखिल करदे और चाहे हुलिया इस के पास छोड़ दे और अगर दोनों में से किसी ने वली तो तलवार फ़रोख़्त कर दी जायेगी और इस का सिमन इस तलवार के फल और हुलिया की क़ीमत पर तक़सीम किया जायेगा पस सिमन में से जो हिस्सा क़ीमत हुलिया के पड़ते में पड़े वो इस शख़्स का होगा जिस के वास्ते नफ़िल की गई थी और बाक़ी दाखिल हुआ इस के लिएतीन बुर्दे हैं फिर इस क़िलआ में पहले एक ज़िम्मी दाखिल हुआ फिर एक मुसलमान दाखिल हुआ तो वो नफ़िल वर्णित का मुस्तहिक़ होगा बखिलाफ़ इस के अगर कहा कि लोगों में जो व्यक्ति अव्वलन इस में दाखिल हुआ इस के लिएतीन बुर्दे हैं फिर एक ज़िम्मी पहले दाखिल हुआ फिर एक मुसलमान दाखिल हुआ तो मुसलमान वर्णित मुस्तहिक़ नफ़िल न होगा। अगर अमीर ने कहा कि कल जो व्यक्ति कि तुम में से अव्वलन इस क़िलआ में दाखिल हुआ इस के लिएएक बुर्दा है फिर पांच आदमी एक साथ दाखिल हुए तो हर एक दाखिल होने वाला एक रास का मुस्तहिक़ होगा बखिलाफ़ इस के अगर यूं कहा कि जो दाखिल हुआ या कोई मर्द कि दाखिल हुआ तो यह हुक्म नहीं है इस लिएकि यह कलिमा एक फ़र्द के लिएहै और अगर अमीर ने कहा कि जो व्यक्ति तुम में पांचवां दाखिल हुआ इस के लिएएक रास है फिर पांच आदमी एक साथ दाखिल हुए तो इन में हर एक दाखिल होने वाला पांचवां की नफ़िल का मुस्तहिक़ होगा यह मुहीत सरख़सी में है।

अगर अमीर ने कहा कि जिस ने सोना पाया वो इस का है या कहा कि जिस ने चांदी पाई वो इस की है फिर एक व्यक्ति ने तलवार जिस में चांदी या सोने का हुलिया है पाई तो यह हुलिया (ज़ैवर व आराइश जैसे तलवार के क़ब्ज़े पर तिलाई व नुक़रई ज़ैवर बनाते हैं) इस का होगा और तलवार ग़नीमत में होगी पस देखा जायेगा कि अगर हुलिया अलग करने में ज़रर फ़ाहिश न हो तो तलवार में से अलग करके इस व्यक्ति को दिया जायेगा और अगर हुलिया अलग करने में हाज़िर फ़ाहिश हो तो क़ीमत हुलिया और क़ीमत शमशीर पर मन्नत की जायेगी पस अगर हुलिया की क़ीमत .ज्यादा हो तो इस व्यक्ति को इख़्तयार दिया जायेगा कि चाहे तलवार की क़ीमत दे कर तलवार मअ हुलिया यानी इसी तरह मुहल्ला ने ले और अगर तलवार की क़ीमत .ज्यादा हो तो इस व्यक्ति को इख़्तयार दिया जायेगा कि चाहे तलवार की क़ीमत दे कर तलवार मअ हुलिया यानी इसी तरह मुहल्ला ने ले और अगर तलवार की क़ीमत .ज्यादा हो तो इमाम को इख़्तयार होगा यह चाहे इस व्यक्ति को हुलिया की

दाखिल ग़नीमत होगा और किताब में यह मज़कूर नहीं है कि अगर तलवार की और हुलिया की क़ीमत मुसावी हो तो क्या हुक्म है और मशाइख़ ने फ़रमाया कि इस सूरत में इमाम को इख़्तयार हासिल होना चाहिए यह मुहीत में है।

अगर अमीर ने कहा कि जिस ने ज़ैवर पाया वो इसी का है फिर एक ने काफ़िरों के बादशाह का ताज पाया तो यह उस का न होगा :

अगर सुर्ख़ (ज़ैन जिस में चांदी का काम है) मुफ़ज़्ज़ज़ या लगाम मुफ़ज़्ज़ज़ या जिल्द बंधी हुई मुफ़ज़्ज़ज़ जिस में वो अपनी किताबें लिखते थे ऐसे शख़्स ने पाई जिस की निस्बत इमाम ने सोना व चांदी नफ़िल कर दी है तो इस को फ़क़त चांदी मिलेगी और असल शैय दाखिल ग़नीमत होगी और इसी तरह अगर सोने या चांदी का ज़ैवर जिस में नगीने जड़े हैं या अंगूठी जिस पर नगीना है पाई तो ज़ैवर इस का होगा और इस में से सब नगीना निकाल कर ग़नीमत (1) में दाखिल किये जाऐंगे। अगर इस ने किवाड़ पाये जिस में चांदी की कीलें इस तरह जड़ी हैं कि अगर इस ने जुदा की जाऐं तो दरवाज़ा तबाह हो जाये हत्ता कि दरवाज़ा न बाक़ी रहे तो ऐसी हालत में इस को कुछ न मिलेगा और इसी तरह अगर ज़ैन में इस तरह की कीलें जड़ी हों या इस पर एक या दो फलियां इस तरह हों कि उखाड़ लेने की सूरत में ज़ीं नहीं रहती है तबाह हुई जाती है तो भी इस को कुछ न मिलेगा और अगर इस ने अपनी नाक सोने की बनवा कर लगाई हो तो इस को यह नाक मिलेगी और अगर अमीर ने कहा कि जिस ने ज़ैवर पाया वो इसी का है फिर एक ने काफ़िरों के बादशाह का ताज (शरअन नाजायज़ है हाज़ा हुव असल) पाया तो यह इस का न होगा बखिलाफ़ इस के अगर ताजहाये ज़माना में से हो तो इस का होगा और अगर इस ने मोती याक़ूत या मज़रद पाया जिस में कुछ सोना नहीं है तो इमाम आज़म रह० के अनुसार इस को कुछ न मिलेगा और साहिबीन रह० के अनुसार यह इसी के होंगे।

क़ीमत जिन्स हुलिया के खिलाफ़ से जो साख़्ता हो देदे यानी अगर हुलिया चांदी का है तो दीनारों से इस की क़ीमत या सोने का है तो दिरहमों से इस की क़ीमत देदे और तलवार मअ हुलिया के ग़नीमत में दाखिल करदे और चाहे हुलिया इस के पास छोड़ दे और अगर दोनों में से किसी ने वली तो तलवार फ़रोख़्त कर दी जायेगी और इस का क़ीमत इस तलवार के फल और हुलिया की क़ीमत पर तक़सीम किया जायेगा पस क़ीमत में से जो हिस्सा क़ीमत हुलिया के पड़ते में पड़े वो इस व्यक्ति का होगा जिस के लिए नफ़िल की गई थी और बाक़ी दाखिल ग़नीमत होगा और किताब में यह वर्णित नहीं है कि अगर तलवार की और हुलिया की क़ीमत मुसावी हो तो क्या हुक्म है और विद्वानों ने फ़रमाया कि इस स्थिति में इमाम को इख़्तयार हासिल होना चाहिए यह मुहीत में है।

अगर अमीर ने कहा कि जिस ने ज़ैवर पाया वो इसी का है फिर एक ने काफ़िरों के बादशाह का ताज पाया तो यह उस का न होगा :

अगर सुर्ख़ (ज़ैन जिस में चांदी का काम है) मुफ़ज़्ज़ज़ या लगाम मुफ़ज़्ज़ज़ या जिल्द बंधी हुई मुफ़ज़्ज़ज़ जिस में वो अपनी किताबें लिखते थे ऐसे व्यक्ति ने पाई जिस की निस्बत इमाम ने सोना व चांदी नफ़िल कर दी है तो इस को फ़क़त चांदी मिलेगी और असल शैय दाखिल ग़नीमत होगी और इसी तरह अगर सोने या चांदी का ज़ैवर जिस में नगीने जड़े हैं या अंगूठी जिस पर नगीना है पाई तो ज़ैवर इस का होगा और इस में से सब नगीना निकाल कर ग़नीमत (1) में दाखिल किये जाऐंगे। अगर इस ने किवाड़ पाये जिस में चांदी की कीलें इस तरह जड़ी हैं कि अगर इस ने जुदा की जाऐं तो दरवाज़ा तबाह हो जाये हत्ता कि दरवाज़ा न बाक़ी रहे तो ऐसी हालत में इस को कुछ न मिलेगा और इसी तरह अगर ज़ैन में इस तरह की कीलें जड़ी हों या इस पर एक या दो फलियां इस तरह हों कि उखाड़ लेने की स्थिति में ज़ीं नहीं रहती है तबाह हुई जाती है तो भी इस को कुछ न मिलेगा और अगर इस ने अपनी नाक सोने की बनवा

अगर अमीर ने कहा कि जिस ने लोहा पाया वो इसी का है और जिस ने सिवाए इस के कुछ पाया तो इस को इस का निस्फ़ है तो लोहा सब इसी को मिलेगा ख़्वाह पतर हो या बर्तन या हथियार वग़ैरह और रहा जुफ़न (1) तलवार और छुरी सो इस में से निस्फ़ इस का होगा क्योंकि वो ग़ैर हदीद है और अगर कहा कि जिस ने सोना या चांदी पाई वो इस की है फिर एक ने सोने की बाफ़त का कपड़ा पाया पस अगर सोना इस का तार हो तो इस को कुछ न मिलेगा यह मुहीत सुरख़ी में है। अगर अमीर ने अहले लश्कर से कहा कि जिस ने तुम में से सोना पाया तो इस में से इस के वास्ते इस क़द्र है तो इस

(1)ज़ाहिरन हुक्म मुतलक+ है कि नगीना उखाड़ने से ज़रर फ़ाहिश होया न हो औरशायद मुहल्ला तलवार के मानिन्द तफ़सील हो।
(2) जुफ़न नयाम यानी तलवार व खंजर का मयान जिस में इन हथियारों को रखते हैं।

तनफ़ील की तहत में दिराहिम (1) मज़रूबा व सोने का ज़ेवर व पतर सब दाखिल होंगे और इसी तरह अगर कहा कि जिस ने चांदी पाई तो तनफ़ील के तहत में दिराहिम मज़रूबा चांदी का ज़ेवर व चांदी का पतर सब दाखिल होंगे यह मुहीत में है। अगर कहा कि जिस ने क़ज़पाई वो इसी की है फिर एक शख़्स ने क़बाया हीया पाया जिस का अस्तर क़ज़का और अबरह और कपड़ा है तो इस को क़ज़का कपड़ा मिलेगा और दूसरा कपड़ा दाखिले ग़नीमत होगा पस यह जुब्बा फ़रोख़्त कर दिया जायेगा और बाक़ी दाखिले ग़नीमत होगा और अगर कहा कि जि ने जुब्बा-ए-हरर पाया वो इसी का है फिर एक ने जुब्बा पाया जिस का अबरह या अस्तर हरीर है पस अगर इस का अबरह हरीर हो तो पूरा जुब्बा इसी का होगा और अगर अस्तर हरीर हो तो इस के वास्ते इस में से कुछ न होगा और अगर कहा जिस ने जुब्बा ख़ज़ पाया वो इसी का है फिर एक ने एक जुब्बा पाया जिस का अबरह ख़ज़ है और अस्तर समोरिया क़ज़ तो कुछ न मिलेगा इस वास्ते कि जुब्बा की निस्बत समोर माफ़नक की तरफ़ होती है न ख़ज़ की तरफ़ यानी समोर का जुब्बा कहलायेगा ख़ज़का कपड़ा पाया वो इसी का है फिर एक ने जुब्बा-ए-ख़ज़ पाया कि इस का अस्तर समोर या कर लगाई हो तो इस को यह नाक मिलेगी और अगर अमीर ने कहा कि जिस ने ज़ेवर पाया वो इसी का है फिर एक ने काफ़िरों के बादशाह का ताज (शरअन नाजायज़ है हाज़ा हुव असल) पाया तो यह इस का न होगा बखिलाफ़ इस के अगर ताजहाये ज़माना में से हो तो इस का होगा और अगर इस ने मोती याक़ूत या मज़रद पाया जिस में कुछ सोना नहीं है तो इमाम आज़म रह० के अनुसार इस को कुछ न मिलेगा और साहिबीन रह० के अनुसार यह इसी के होंगे।

अगर अमीर ने कहा कि जिस ने लोहा पाया वो इसी का है और जिस ने सिवाए इस के कुछ पाया तो इस को इस का निस्फ़ है तो लोहा सब इसी को मिलेगा चाहे पतर हो या बर्तन या हथियार वग़ैरह और रहा जुफ़न (1) तलवार और छुरी सो इस में से निस्फ़ इस का होगा क्योंकि वो ग़ैर हदीद है और अगर कहा कि जिस ने सोना या चांदी पाई वो इस की है फिर एक ने सोने की बाफ़त का कपड़ा पाया पस अगर सोना इस का तार हो तो इस को कुछ न मिलेगा यह मुहीत सुरख़ी में है। अगर अमीर ने अहले लश्कर से कहा कि जिस ने तुम में से सोना पाया तो इस में से इस के लिएइस क़द्र है तो इस

(1)ज़ाहिरन हुक्म मुतलक+ है कि नगीना उखाड़ने से ज़रर फ़ाहिश होया न हो औरशायद मुहल्ला तलवार के मानिन्द तफ़सील हो।
(2) जुफ़न नयाम यानी तलवार व खंजर का मयान जिस में इन हथियारों को रखते हैं।

तनफ़ील की तहत में दिराहिम (1) मज़रूबा व सोने का ज़ेवर व पतर सब दाखिल होंगे और इसी तरह अगर कहा कि जिस ने चांदी पाई तो तनफ़ील के तहत में दिराहिम मज़रूबा चांदी का ज़ेवर व चांदी का पतर सब दाखिल होंगे यह मुहीत में है। अगर कहा कि जिस ने क़ज़पाई वो इसी की है फिर एक व्यक्ति ने क़बाया हीया पाया जिस का अस्तर क़ज़का और अबरह और कपड़ा है तो इस को क़ज़का कपड़ा मिलेगा और दूसरा कपड़ा दाखिले ग़नीमत होगा पस यह जुब्बा फ़रोख़्त कर दिया जायेगा और बाक़ी दाखिले ग़नीमत होगा और अगर कहा कि जि ने जुब्बा-ए-हरर पाया वो इसी का है फिर एक ने जुब्बा पाया जिस का अबरह या अस्तर हरीर है पस अगर

फ़नक है तो इस में फ़क़त अबरह इस का होगा और अगर कहा कि जिस ने फ़नक पाया वो इसी का है फिर एक ने जुब्बा-ए-ख़ज़ पाया जिस का अस्तर फ़नक है तो अस्तर इसी का होगा इस वास्ते कि अस्तर कपड़ा कहलाता है।

अगर कहा कि जिस ने 'बज़' हासिल किया तो यह लफ़्ज़ रूई और कितान के कपड़ों पर होगा :

अगर मुअय्यन करके कहा कि जिस ने यह जुब्बा-ए-ख़ज़ पाया वो इसी का है फिर एक ने इस को पाया फिर देखा गया तो इस का अस्तर फ़नक़ वग़ैरह किसी दूसरे कपड़े का है तो पूरा जुब्बा इसी का होगा और अगर कहा कि जिस ने तुम में से क़बाऐ ख़ज़ या क़बाऐ मरवी पाई वो इसी की है फिर एक ने इस सिनफ़ की क़बा धेरी पाई जिस का अस्तर खज़ नहीं है या मर्दी नहीं है तो इस को फ़क़त अबरह मिलेगा और अगर कहा कि जो जुज़ रह लाया वो इसी के वास्ते है फिर एक जुज़ दरिया गाये या बेल लाया तो इस को कुछ न मिलेगा और अगर कहा कि जो जज़ूर (2) लाया वो इसी के वास्ते है फिर एक शख़्स नाक़ा या ऊंट लाया तो इसी के वास्ते होगा और अगर कहा कि जो शख़्स बकरा लाना वो इसी के वास्ते है फिर एक शख़्स भैंस लाया तो इस के वास्ते कुछ न होगा और अगर कहा कि जो शख़्स कैश लाया वो इसी के वास्ते है फिर एक शख़्स नअजा या मग़र लाया तो इस को कुछ न मिलेगा यह मुहीत सुरखी में है। अगर कहा कि जिस ने बज़ हासिल किया तो यह लफ़्ज़ रूई के और कितान के कपड़ों पर होगा ऐसा ही इमाम मौहम्मद रह० ने सियर कबीर में ज़िक्र फ़रमाया है और मशाइख नें कहा कि यह अहले कूफ़ा के उर्फ़ पर है क्योंकि अहले कूफ़ा के उर्फ़ में बज़ का लफ़्ज़ रूई व कितान के कपड़े पर वाक़े होता है और इन का बेचने वाला बज़ार कहलाता है और हमारे दयार के उर्फ़ में बज़ का लफ़्ज़ रूई व कितान पर वाक़े नहीं होता है और इन का बाऐ बज़ाज़ नहीं कहलाता है बल्कि करबासी कहलाता है और हमारे उर्फ़ में बज़ का लफ़्ज़ फ़क़त

इस का अबरह हरीर हो तो पूरा जुब्बा इसी का होगा और अगर अस्तर हरीर हो तो इस के लिएइस में से कुछ न होगा और अगर कहा जिस ने जुब्बा ख़ज़ पाया वो इसी का है फिर एक ने एक जुब्बा पाया जिस का अबरह ख़ज़ है और अस्तर समोरिया क़ज़ तो कुछ न मिलेगा इस लिएकि जुब्बा की निस्बत समोर माफ़नक की तरफ़ होती है न ख़ज़ की तरफ़ यानी समोर का जुब्बा कहलायेगा ख़ज़का कपड़ा पाया वो इसी का है फिर एक ने जुब्बा-ए-ख़ज़ पाया कि इस का अस्तर समोर या फ़नक है तो इस में फ़क़त अबरह इस का होगा और अगर कहा कि जिस ने फ़नक पाया वो इसी का है फिर एक ने जुब्बा-ए-ख़ज़ पाया जिस का अस्तर फ़नक है तो अस्तर इसी का होगा इस लिएकि अस्तर कपड़ा कहलाता है।

अगर कहा कि जिस ने 'बज़' हासिल किया तो यह लफ़्ज़ रूई और कितान के कपड़ों पर होगा :

अगर निश्चित करके कहा कि जिस ने यह जुब्बा-ए-ख़ज़ पाया वो इसी का है फिर एक ने इस को पाया फिर देखा गया तो इस का अस्तर फ़नक़ वग़ैरह किसी दूसरे कपड़े का है तो पूरा जुब्बा इसी का होगा और अगर कहा कि जिस ने तुम में से क़बाऐ ख़ज़ या क़बाऐ मरवी पाई वो इसी की है फिर एक ने इस सिनफ़ की क़बा धेरी पाई जिस का अस्तर खज़ नहीं है या मर्दी नहीं है तो इस को फ़क़त अबरह मिलेगा और अगर कहा कि जो जुज़ रह लाया वो इसी के लिएहै फिर एक जुज़ दरिया गाये या बेल लाया तो इस को कुछ न मिलेगा और अगर कहा कि जो जज़ूर (2) लाया वो इसी के लिएहै फिर एक व्यक्ति नाक़ा या ऊंट लाया तो इसी के लिएहोगा और अगर कहा कि जो व्यक्ति बकरा लाना वो इसी के लिएहै फिर एक व्यक्ति भैंस लाया तो इस के लिएकुछ न होगा और अगर कहा कि जो व्यक्ति कैश लाया वो इसी के लिएहै फिर एक व्यक्ति नअजा या मग़र लाया तो इस को कुछ न मिलेगा यह मुहीत सुरखी में है। अगर कहा कि जिस ने बज़ हासिल किया तो यह लफ़्ज़ रूई के और कितान के कपड़ों पर होगा ऐसा ही इमाम

रेशमी कपड़ों पर वाक़े होता है और इसी के बाऐ को बज़ाज़ बोलते हैं।

क़ालल मुतरजम हमारे उर्फ़ में बज़ाज़ हर क़िसम के कपड़े फ़रोख़्त करने वाले को कहते हैं कुछ ख़ुसूसियत रेशमी व रूई व कितान की नहीं है और लफ़्ज़ बज़ का इस्तेमाल बतौर उर्फ़ नहीं है। सोब का इतलाक़ शामिल है दीबाज को व बरसों को यानी सन्दस व क़ज़द कसा और इस के मानिन्द को और नहीं शामिल है फ़र्श व टाट व कमल व परदा वग़ैरह के मानिन्द को और इस लफ़्ज़ के तहत में टोपी व अमामा दाखिल नहीं है और लफ़्ज़ मताअ का इत्तलाअ कपड़ों व क़मीस व फ़र्श पर पर्दों पर होता है पस अगर सोब की नफ़िल कर दी और इस ने इन में से कोई चीज़ पाई तो इस का मुस्तहिक़ होगा और अगर ज़रूफ़ व छागलीन व क़मक़मे व पतीलियां तांबे या पीतल की पाऐं तो इस को कुछ न मिलेगा। अगर अमीर लश्कर इस्लाम ने दारूल हरब में दाखिल

(1) क़ौलहू दिराहिम मज+रूबा ज़ाहिरनयह सहू है और सहीयह है दीनार हाऐ मज+रूबा।

(2) जज्र+ बफ़तह जीम व सुकून ज़ा मन्क़ूता बादहू रा मुहमला गोसपन्द फ़रबा और जज़रह बमअनीएक गोसपन्द फ़रबा।

होने का क़सद किया और इस ने देखा कि मुसलमानों के पास ज़िरहें कम हैं हालांकि इन को अपने क़िताल में इस की ज़रूरत है पस इस ने कहा कि जो शख़्स ज़िरह के साथ दाखिल हुआ इस के वास्ते ग़नीमत में से इस क़द्र नफ़िल है या कहा कि इस के वास्ते मिस्ल हिस्सा ग़नीमत के हिस्सा है तो इस में कुछ मुज़ायक़ा नहीं है और इसी तरह अगर कहा कि जो शख़्स दो ज़िरह के साथ दाखिल हुआ इस के वास्ते इस क़द्र है तो इस में कुछ मुज़ायक़ा नहीं है और इसी तरह अगर कहा कि जो शख़्स दो ज़िरह के साथ दाखिल हुआ इस के वास्ते इस क़द्र है तो इस में भी कुछ मुज़ायक़ा नहीं है और अगर कहा कि जो शख़्स तीन ज़िरहों के साथ दाखिल हुआ इस के वास्ते तीन सो हैं और जो चार ज़िरहों के साथ दाखिल हुआ इस के वास्ते चार सो हैं तो इन में से दो ज़िरहों की नफ़िल जायज़ है और इस से ज़्यादा जो कुछ है इस की नफ़िल नहीं रवा है यानी इब्तदा से मुनअक़िद ही न होगी और इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि मौहम्मद रह० ने सैर कबीर में ज़िक्र फ़रमाया है और विद्वानों नें कहा कि यह अहले कूफ़ा के उर्फ़ पर है क्योंकि अहले कूफ़ा के उर्फ़ में बज़ का लफ़्ज़ रूई व कितान के कपडे पर स्थपित होता है और इन का बेचने वाला बज़ार कहलाता है और हमारे दयार के उर्फ़ में बज़ का लफ़्ज़ रूई व कितान पर स्थपित नहीं होता है और इन का बाऐ बज़ाज़ नहीं कहलाता है बल्कि करबासी कहलाता है और हमारे उर्फ़ में बज़ का लफ़्ज़ फ़क़त रेशमी कपड़ों पर स्थपित होता है और इसी के बाऐ को बज़ाज़ बोलते हैं।

अनुवादक के कथनानुसार हमारे उर्फ़ में बज़ाज़ हर क़िसम के कपडे फ़रोख़्त करने वाले को कहते हैं कुछ ख़ुसूसियत रेशमी व रूई व कितान की नहीं है और लफ़्ज़ बज़ का इस्तेमाल बतौर उर्फ़ नहीं है। सोब का इतलाक़ शामिल है दीबाज को व बरसों को यानी सन्दस व क़ज़द कसा और इस के मानिन्द को और नहीं शामिल है फ़र्श व टाट व कमल व परदा वग़ैरह के मानिन्द को और इस लफ़्ज़ के तहत में टोपी व अमामा दाखिल नहीं है और लफ़्ज़ मताअ का इत्तलाअ कपड़ों व क़मीस व फ़र्श पर पर्दों पर होता है पस अगर सोब की नफ़िल कर दी और इस ने इन में से कोई चीज़ पाई तो इस का मुस्तहिक़ होगा और अगर ज़रूफ़ व छागलीन व क़मक़मे व पतीलियां तांबे या पीतल की पाऐं तो इस को कुछ न मिलेगा। अगर अमीर लश्कर इस्लाम ने दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल

(1) क़ौलहू दिराहिम मज+रूबा ज़ाहिरनयह सहू है और सहीयह है दीनार हाऐ मज+रूबा।

(2) जज्र+ बफ़तह जीम व सुकून ज़ा मन्क़ूता बादहू रा मुहमला गोसपन्द फ़रबा और जज़रह बमअनीएक गोसपन्द फ़रबा।

होने का क़सद किया और इस ने देखा कि मुसलमानों के पास ज़िरहें कम हैं हालांकि इन को अपने क़िताल में इस की ज़रूरत है पस इस ने कहा कि जो व्यक्ति ज़िरह के साथ दाखिल हुआ इस के लिएग़नीमत में से इस क़द्र नफ़िल है या कहा कि इस के लिएमिस्ल हिस्सा ग़नीमत के हिस्सा है तो इस में कुछ मुज़ायक़ा नहीं है और इसी तरह अगर कहा कि जो व्यक्ति दो ज़िरह के साथ दाखिल हुआ इस के लिएइस क़द्र है तो इस में कुछ

अगर तीन ज़िरहों का पहना मुमकिन है और इन को पहन कर क़िताल कर सकता है और इस में मुसलमानों के हक़ में कुछ .ज्यादा नफ़ा है तो तीन के साथ भी नफ़िल जायज़ होगी। अगर अमीर ने कहा कि जो शख़्स घोड़े के साथ दाखिल हुआ इस के वास्ते इस क़द्र है तो ऐसी तनफ़ील नहीं रवा है बखिलाफ़ इस के अगर कहा कि जो शख़्स ज़िरहों के साथ दाखिल हुआ।

इस के वास्ते इस क़द्र है कि जायज़ है और नोज़दर में नेज़ों व ढ़ालों के साथ दाखिल होने की सूरत में ज़िक्र करके जवाब दिया कि इस की तनफ़ील भी जायज़ है और इसी तरह अगर अमीर ने घोड़े सवारों से कहा कि जो शख़्स तुम में से दाखिल हो और हाल यह कि इस के घोड़े पर एक तजफ़ाफ़ है तो इस के वास्ते इस क़द्र है और जो इस तरह दाखिल हुआ ककि इस के घोडे पर तजफ़ाफ़ हैं तो इस के वास्ते इस क़द्र नफ़िल है तो जानना चाहिए कि यह मसला बाज़ नुस्खों में मज़कूर है और इस की सूरत में ज़िक्र किया कि एक शख़्स दो तजफ़ाफ़ के साथ दाखिल हुआ और इस के साथ दो घोडे हैं तो दोनों के वास्ते जो नफ़िल क़रार दी है वो जायज़ है और बाज़ नुस्खों में है कि एक शख़्स दो तजफ़ाफ़ के साथ दाखिल हुआ और इस में दो घोडों के साथ होने का ज़िक्र नहीं है और जवाब दही मज़कूर है कि दोनों की तनफ़ील जायज़ है और हुक्म दोनों हाल में सही है। अगर अमीर ने कहा कि जो शख़्स तुम में से तीन तजफ़ाफ़ के साथ दाखिल हुआ तो इस के वास्ते इस क़द्र है तो दो तजफ़ाफ़ (1) की नफ़िल जायज़ होगी और इस से .ज्यादा की जायज़ न होगी और शैख़ुल इस्लाम ने कहा कि इस सूरत में दो से .ज्यादा की भी जायज़ होगी कि तीन तजफ़ाफ़ में इस के हक़ में और मुसलमानों के हक़ में मनफ़अत हो जैसे तीन ज़िरहों की सूरत में मज़कूर हुआ है यह मुहीत में है। अगर अमीर ने किसी को दीवार क़िलआ पर देखा जो मुसलमानों से क़िताल करता है पस कहा कि जो शख़्स छत पर चढ कर इस को पकड लाये तो वो इसी के वास्ते और पांच सौ दिरहम हैं फिर एक शख़्स चढ कर पकड लाया तो भी पूरी नफ़िल पायेगा।

अमीर ने दीवारे क़िलआ पर किसी को देखा

मुज़ायक़ा नहीं है और इसी तरह अगर कहा कि जो व्यक्ति दो ज़िरह के साथ दाखिल हुआ इस के लिएइस क़द्र है तो इस में भी कुछ मुज़ायक़ा नहीं है और अगर कहा कि जो व्यक्ति तीन ज़िरहों के साथ दाखिल हुआ इस के लिएतीन सो हैं और जो चार ज़िरहों के साथ दाखिल हुआ इस के लिएचार सो हैं तो इन में से दो ज़िरहों की नफ़िल जायज़ है और इस से .ज्यादा जो कुछ है इस की नफ़िल नहीं जायज़ है यानी इब्तदा से मुनअक़िद ही न होगी और इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर तीन ज़िरहों का पहना मुमकिन है और इन को पहन कर क़िताल कर सकता है और इस में मुसलमानों के हक़ में कुछ .ज्यादा नफ़ा है तो तीन के साथ भी नफ़िल जायज़ होगी। अगर अमीर ने कहा कि जो व्यक्ति घोड़े के साथ दाखिल हुआ इस के लिएइस क़द्र है तो ऐसी तनफ़ील नहीं जायज है बखिलाफ़ इस के अगर कहा कि जो व्यक्ति ज़िरहों के साथ दाखिल हुआ।

इस के लिएइस क़द्र है कि जायज़ है और नोज़दर में नेज़ों व ढ़ालों के साथ दाखिल होने की स्थिति में ज़िक्र करके जवाब दिया कि इस की तनफ़ील भी जायज़ है और इसी तरह अगर अमीर ने घोड़े सवारों से कहा कि जो व्यक्ति तुम में से दाखिल हो और हाल यह कि इस के घोडे पर एक तजफ़ाफ़ है तो इस के लिएइस क़द्र है और जो इस तरह दाखिल हुआ ककि इस के घोड़े पर तजफ़ाफ़ हैं तो इस के लिएइस क़द्र नफ़िल है तो जानना चाहिए कि यह मसला कुछ नुस्खों में वर्णित है और इस की स्थिति में ज़िक्र किया कि एक व्यक्ति दो तजफ़ाफ़ के साथ दाखिल हुआ और इस के साथ दो घोडे हैं तो दोनों के लिएजो नफ़िल क़रार दी है वो जायज़ है और कुछ नुस्खों में है कि एक व्यक्ति दो तजफ़ाफ़ के साथ दाखिल हुआ और इस में दो घोडों के साथ होने का ज़िक्र नहीं है और जवाब दही वर्णित है कि दोनों की तनफ़ील जायज़ है और हुक्म दोनों हाल में सही है। अगर अमीर ने कहा कि जो व्यक्ति तुम में से तीन तजफ़ाफ़ के साथ दाखिल हुआ तो इस के लिएइस क़द्र है तो दो तजफ़ाफ़ (1) की नफ़िल जायज़ होगी और इस से .ज्यादा की जायज़ न होगी और शैख़ुल इस्लाम ने कहा कि इस स्थिति में दो

कि जिस ने इस को गिरफ़्तार किया इसी का है फिर मर्द मज़कूर दीवार पर से बाहर की जानिब गिर पड़ा :

अगर यह शख़्स दीवारे क़िलआ से बाहर की तरफ़ गिर पड़ा हालांकि अमीर ने इस की गिरफ़्तारी के वास्ते नफ़िल मज़कूर मुक़र्रर कर दी थी फिर इस को किसी मुसलमान ने गिरफ़्तार करके क़त्ल कर दिया तो इस को कुछ नफ़िल न मिलेगी और अगर दीवार क़िलआ से इस को किसी मुसलमान ने तीर मार कर गिरा दिया तो वो नफ़िल का मुस्तहिक़ होगा और अगर कोई शख़्स दीवार पर चढ गया और इस का क़सद किया हालांकि वो दीवार से अन्दर क़िलआ की जानिब गिर पड़ा है पस इस को क़त्ल कर दिया तो नफ़िल का मुस्तहिक़ होगा और अगर अमीर ने दीवारे क़िलआ पर किसी को देख कर कहा कि जिस ने इस को गिरफ़्तार किया इसी का है फिर मर्द मज़कूर दीवार पर से बाहर की जानिब गिर पड़ा और किसी ने इस को पकड़ा तो देखा जायेगा कि अगर ऐसे मक़ाम पर गिरा है कि मुसलमानों की गिरफ़्तारी से रोका जाता है तो गिरफ़्तार करने वाले का होगा और अगर ऐसे मक़ाम पर गिरा हो कि मुसलमानों के गिरफ़्तार करने से रोका नहीं जाता है तो इस का न होगा और अगर अमीर ने कहा

(1)तजफ़ाफ+ अब नमदयानी वो कपड़ा किघोडे का पसीना+]ुश्क करने के वास्ते इस की पीठ पर ज़ैन के नीचे रखते हैं हिन्दी में इस को तीरा तलवार और उर्दू में अर्क़ गीर कहते हैं।
(1)+]ुगीर[पालान।
(2)पसीना पोंछने कारूमाल।
(3)दवाओं का अर्क़ कसीर करने का आला(फ़िरोज़ुल्लुगात)।

कि जो क़िलआ पर चढ कर अहले क़िलआ पर उतरा इस के वास्ते इस क़द्र है फिर एक शख़्स दीवार पर चढ गया मगर अन्दर उतर सकता है तो इस के वास्ते कुछ न होगा और अगर अमीर ने एक सलमा (रोज़न को कहते हैं जिस को हिन्दी में मोख़ बोलते हैं) देख कर कहा कि जो सलमा से दाखिल हुआ इस के वास्ते इस क़द्र है फिर एक शस दूसरे सलमा से दाखिल हुआ तो देखा जायेगा कि अगर दूसरा सलमा सख़्ती व तकल्लुफ़ मतअबा में मिस्ले अव्वल के हो तो वो नफ़िल का से ज़्यादा की भी जायज़ होगी कि तीन तजफ़ाफ़ में इस के हक़ में और मुसलमानों के हक़ में मनफ़अत हो जैसे तीन ज़िरहों की स्थिति में वर्णित हुआ है यह मुहीत में है। अगर अमीर ने किसी को दीवार क़िलआ पर देखा जो मुसलमानों से क़िताल करता है पस कहा कि जो व्यक्ति छत पर चढ कर इस को पकड लाये तो वो इसी के लिएऔर पांच सौ दिरहम हैं फिर एक व्यक्ति चढ कर पकड लाया तो भी पूरी नफ़िल पायेगा।

अमीर ने दीवारे क़िलआ पर किसी को देखा कि जिस ने इस को गिरफ़्तार किया इसी का है फिर मर्द वर्णित दीवार पर से बाहर की जानिब गिर पड़ा :

अगर यह व्यक्ति दीवारे क़िलआ से बाहर की तरफ़ गिर पड़ा हालाकि अमीर ने इस की गिरफ़्तारी के लिएनफ़िल वर्णित मुक़र्रर कर दी थी फिर इस को किसी मुसलमान ने गिरफ़्तार करके क़त्ल कर दिया तो इस को कुछ नफ़िल न मिलेगी और अगर दीवार क़िलआ से इस को किसी मुसलमान ने तीर मार कर गिरा दिया तो वो नफ़िल का मुस्तहिक़ होगा और अगर कोई व्यक्ति दीवार पर चढ गया और इस का क़सद किया हालांकि वो दीवार से अन्दर क़िलआ की जानिब गिर पड़ा है पस इस को क़त्ल कर दिया तो नफ़िल का मुस्तहिक़ होगा और अगर अमीर ने दीवारे क़िलआ पर किसी को देख कर कहा कि जिस ने इस को गिरफ़्तार किया इसी का है फिर मर्द वर्णित दीवार पर से बाहर की जानिब गिर पड़ा और किसी ने इस को पकड़ा तो देखा जायेगा कि अगर ऐसे मक़ाम पर गिरा है कि मुसलमानों की गिरफ़्तारी से रोका जाता है तो गिरफ़्तार करने वाले का होगा और अगर ऐसे मक़ाम पर गिरा हो कि मुसलमानों के गिरफ़्तार करने से रोका नहीं जाता है तो इस का न होगा और अगर अमीर ने कहा

(1)तजफ़ाफ+ अब नमदयानी वो कपड़ा किघोडे का पसीना+]ुश्क करने के लिएइस की पीठ पर ज़ैन के नीचे रखते हैं हिन्दी में इस को तीरा तलवार और उर्दू में अर्क़ गीर कहते हैं।
(1)+]ुगीर[पालान।
(2)पसीना पोंछने कारूमाल।

मुस्तहिक़ होगा और अगर इस से कम हो तो कुछ मुस्तहिक़ न होगा।

अगर अमीर ने कहा कि जो शख़्स हम को राह बता दे दस नफ़र रक़ीक़ पर इस के वास्ते एक नफ़र है फिर एक ने बताई और इस के बताने के पता व निशान पर मुसलमान लोग गये और यह राह बताने वाला इन के साथ न गया और उन्होंने रक़ीक़ पाये तो राह बताने वाले के लिए कुछ न होगा बखिलाफ़ इस के अगर अमीर ने हरबी क़ैदियों से कहा कि तुम में से जिस ने दस नफ़र पर रहनुमाई की वो आज़ाद है ुरि इन में से एक ने दस नफ़र पर राह बताई और ख़ुद साथ न गया और मुसलमान लोग पता व निशान बताये हुए पर गये और वहां उन्होंने दस नफ़र असीर किये तो राह बताने वाला आज़ाद होगा लेकिन छोड़ दिया जायेगा कि दारूल हरब में वापिस जाये लेकिन अगर क़ैदी मज़कूर ने यह शर्त कर ली हो कि जब मैं तुम को राह बता दूं और पहुंचा दूं तो मैं आज़ाद हूं तुम मुझे छोड़ दूं कि मैं अपने शहर को चला जाउं तो इस सूरत में कि इस ने राह बताई और मुसलमान इस तरह पहुंच गये तो इस की राह छोड़ दी जायेगी और अगर असीर ने कहा कि मैं तुम को दस लड़ने वालों पर राह बता दूंगा और मैं आज़ाद हूं पस इमाम ने कहा कि हां फिर वो गया और इस ने राह बताई यानी दस मिल गये तो वो आज़ाद न होगा और अगर इमाम ने अहले हरब से कहा कि हम को सफ़र नफ़रीद व बदीन शर्त कि तुम लोग अपने क़िलओं में अमन से रहो पस उन्होंने नव्वे नफ़र दिये तो इमाम को रवा है कि इन से मक़ातला करे लेकिन जिस क़द्र इन से लिये हैं इन को वापिस कर देगा और अगर यह लोग सब मुसलमान हो गये या बाज़ मुसलमान हो गये तो इन की क़ीमत वापिस कर देगा और अगर इमाम ने सरदार अहले क़िलआ से कहा कि तुम्हीरे पास जो सो नफ़र मुसलमान क़ैदी हैं हम को दे दो बरेंका तुम अमन से हो फिर इस ने नव्वे नफ़र दिये तो इन से मुक़ातला करे और इस में से कोई भी वापिस न देगा और न कुछ मुआवज़ा में वापिस देगा।

अगर अमीर ने किसी क़ैदी से कहा कि जिस ने

(३)दवाओं का अर्क़ कसीर करने का आला(फ़िरोज़ुल्लुग़ात)।

कि जो क़िलआ पर चढ़ कर अहले क़िलआ पर उतरा इस के लिएइस क़द्र है फिर एक व्यक्ति दीवार पर चढ़ गया मगर अन्दर उतर सकता है तो इस के लिएकुछ न होगा और अगर अमीर ने एक सलमा (रोज़न को कहते हैं जिस को हिन्दी में मोख बोलते हैं) देख कर कहा कि जो सलमा से दाखिल हुआ इस के लिएइस क़द्र है फिर एक शस दूसरे सलमा से दाखिल हुआ तो देखा जायेगा कि अगर दूसरा सलमा सख़्ती व तकल्लुफ़ मतअबा में मिस्ले अव्वल के हो तो वो नफ़िल का मुस्तहिक़ होगा और अगर इस से कम हो तो कुछ मुस्तहिक़ न होगा।

अगर अमीर ने कहा कि जो व्यक्ति हम को राह बता दे दस नफ़र रक़ीक़ पर इस के लिएएक नफ़र है फिर एक ने बताई और इस के बताने के पता व निशान पर मुसलमान लोग गये और यह राह बताने वाला इन के साथ न गया और उन्होंने रक़ीक़ पाये तो राह बताने वाले के लिए कुछ न होगा बखिलाफ़ इस के अगर अमीर ने हरबी क़ैदियों से कहा कि तुम में से जिस ने दस नफ़र पर रहनुमाई की वो आज़ाद है ुरि इन में से एक ने दस नफ़र पर राह बताई और ख़ुद साथ न गया और मुसलमान लोग पता व निशान बताये हुए पर गये और वहां उन्होंने दस नफ़र असीर किये तो राह बताने वाला आज़ाद होगा लेकिन छोड़ दिया जायेगा कि दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें वापिस जाये लेकिन अगर क़ैदी वर्णित ने यह शर्त कर ली हो कि जब मैं तुम को राह बता दूं और पहुंचा दूं तो मैं आज़ाद हूं तुम मुझे छोड़ दूं कि मैं अपने शहर को चला जाउं तो इस स्थिति में कि इस ने राह बताई और मुसलमान इस तरह पहुंच गये तो इस की राह छोड़ दी जायेगी और अगर असीर ने कहा कि मैं तुम को दस लड़ने वालों पर राह बता दूंगा और मैं आज़ाद हूं पस इमाम ने कहा कि हां फिर वो गया और इस ने राह बताई यानी दस मिल गये तो वो आज़ाद न होगा और अगर इमाम ने अहले हरब से कहा कि हम को सफ़र नफ़रीद व बदीन शर्त कि तुम लोग अपने क़िलओं में अमन से रहो पस उन्होंने नव्वे नफ़र दिये तो

हमें वलालत की दस क़िताल करने वालों पर यानी ऐसे दस आदमियों हरबियों पर जो क़िताल करने की क़ुदरत रखते हैं तो वो आज़ाद है फिर एक क़ैदी ने इन को ले जाकर ऐसे दस हरबियों पर दलालत की जो एक क़िलआ के अन्दर हैं कि इन पर दस्तरस नहीं है तो वो आज़ाद न होगा और अगर इस ने ऐसे दस हरबियों पर दलालत की जिन पर दस्तरसी बवजह क़िलआ वग़ैरह के मुमतनअ नहीं है लेकिन वो मुसलमानों से भाग गये तो देखा जायेगा कि अगर वो मुसलमानों के क़रीब हो जाने से पहले भाग गये तो मक़हूर कर लेने व ग़ालिब हो जाने की दलालत इस के तरफ़ से न पाई गई पस वो आज़ाद न होगा और अगर मुसलमानों के क़रीब हो जाने के बाद वो भाग गये तो वो आज़ाद होगा और अगर अमीर लश्कर ने क़ैदियों से कहा कि जिस ने हम को फ़लां क़िलआ या ऐसे जंगल या लश्कर गाह शाही की दलालत की तो वो आज़ाद है फिर इन में से एक ने इन को इस तरह रहनुमाई की मगर अहले इस्लाम ज़फ़रयाब न हुए तो क़ैदी मज़कूर आज़ाद होगा और अगर अमीर ने दारूल हरब में ग़नायम हासिल किये और दारूल इस्लाम की तरफ़ मुतवज्जह हो और कहा कि जो शख़्स हम को दारूल इस्लाम के सीधे रास्ते पर दलालत करे इस के वास्ते एक नुर है ुरि एक मुसलमान ने इस को पता व निशान बता कर राह दारूल इस्लाम की रहनुमाई की और ख़ुद साथ न गया तो वो कुछ मुस्तहिक़ न होगा और अगर इन के साथ गया और रास्ता की दलालत की तो इस को इस का अजर उल मिस्ल मिलेगा कि मुसम्मा से मुतजाविज़ न होगा यानी अगर ऐसे रहनुमाई करने वाले की उजरत एक नफ़र बुर्दा हो तो इस को बुर्दा मिलेगा और अगर कम हो तो कम मिलेगी और अगर ज़्यादा हो तो बुर्दा से ज़्यादा न मिलेगी।

ताजिर लोग अहले इस्तहक़ाक़के ग़नीमत से हैं पस वो मुस्तहिक़ नफ़िल भी होंगे :

अगर कहा कि जिस ने हम को राह की दलालत की तो इस के वास्ते इस की अहले व औलाद होगी फिर एक क़ैदी ने इस को राह बतलाई तो यह लोग यानी इमाम को जायज़ है कि इन से मक़ातला करे लेकिन जिस क़द्र इन से लिये हैं इन को वापिस कर देगा और अगर यह लोग सब मुसलमान हो गये या कुछ मुसलमान हो गये तो इन की क़ीमत वापिस कर देगा और अगर इमाम ने सरदार अहले क़िलआ से कहा कि तुम्हीरे पास जो सो नफ़र मुसलमान क़ैदी हैं हम को दे दो बरेंका तुम अमन से हो फिर इस ने नव्वे नफ़र दिये तो इन से मुक़ातला करे और इस में से कोई भी वापिस न देगा और न कुछ मुआवज़ा में वापिस देगा।

अगर अमीर ने किसी क़ैदी से कहा कि जिस ने हमें वलालत की दस क़िताल करने वालों पर यानी ऐसे दस आदमियों हरबियों पर जो क़िताल करने की क़ुदरत रखते हैं तो वो आज़ाद है फिर एक क़ैदी ने इन को ले जाकर ऐसे दस हरबियों पर दलालत की जो एक क़िलआ के अन्दर हैं कि इन पर दस्तरस नहीं हैं तो वो आज़ाद न होगा और अगर इस ने ऐसे दस हरबियों पर दलालत की जिन पर दस्तरसी बवजह क़िलआ वग़ैरह के मुमतनअ नहीं है लेकिन वो मुसलमानों से भाग गये तो देखा जायेगा कि अगर वो मुसलमानों के क़रीब हो जाने से पहले भाग गये तो मक़हूर कर लेने व ग़ालिब हो जाने की दलालत इस के तरफ़ से न पाई गई पस वो आज़ाद न होगा और अगर मुसलमानों के क़रीब हो जाने के बाद वो भाग गये तो वो आज़ाद होगा और अगर अमीर लश्कर ने क़ैदियों से कहा कि जिस ने हम को फ़लां क़िलआ या ऐसे जंगल या लश्कर गाह शाही की दलालत की तो वो आज़ाद है फिर इन में से एक ने इन को इस तरह रहनुमाई की मगर अहले इस्लाम ज़फ़रयाब न हुए तो क़ैदी वर्णित आज़ाद होगा और अगर अमीर ने दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें ग़नायम हासिल किये और दारूल इस्लाम की तरफ़ मुतवज्जह हो और कहा कि जो व्यक्ति हम को दारूल इस्लाम के सीधे रास्ते पर दलालत करे इस के लिएएक नुर है ुरि एक मुसलमान ने इस को पता व निशान बता कर राह दारूल इस्लाम की रहनुमाई की और ख़ुद साथ न गया तो वो कुछ मुस्तहिक़ न होगा और अगर इन के साथ गया और रास्ता की दलालत की तो इस को इस का अजर उल मिस्ल मिलेगा

क़ैदी व इस के अहले व औलाद अपने क़ैदी होने में मिस्ल साबिक़ असीर होंगे और अगर कहा कि तू इस के वास्ते इस की जान और इस के अहले औलाद व सौ दिरहम अज़ ग़नीमत होंगे फिर इस ने रहनुमाई की तो इस के वास्ते यह सब होंगे और अगर कहा कि अगर किसी ने हम को फ़लां हसन के राह की रहनुमाई की तो वो आज़ाद है फिर एक क़ैदी ने इन को इस क़िलआ की कई राहों में से जो सब से दूर की राह थी वो बतलाई तो वो आज़ाद हो जायेगा बशर्तेकि लोग यह राह चलते हों और अगर लोग इस राह से वहां न जाते हों तो वो आज़ाद न होगा। अगर अमीर ने कहा कि जिस ने हम को फ़लां क़िलआ की फ़लां राह बतलाई तो वो आज़ाद है फिर एक क़ैदी ने इस को सिवाए इस राह के दूसरी राह की दलालत की तो देखा जायेगा कि जिस राह को अमीर ने बयान किया है यह दूसरी राह फ़राखी और रफ़ाहियत में इस के मिस्ल हो तो वो आज़ाद होगा और अगर इस दूसरी राह में बद निस्बत राह मज़कूरा-ए-अमीर के मशक़्क़त .ज्यादा हो तो आज़ाद न होगा यह मुहीत सरखसी में है। अमीर लश्कर ने अगर दारूल हरब में अहले लश्कर को तनफ़ील की और कहा कि जिस ने किराअ व सलाह व मताअ वग़ैरह ऐसी चीज़ों से कुछ हासिल किया तो इस के वास्ते इस में से चहारूम है तो इस तनफ़ील के तहत में हर वो आदमी दाखिल होगा जिस को माले ग़नीमत में से बतौर सहम या बतौर (1) फ़तह के कुछ मिलता है और जिस को सहम बारज़ह की तरह कुछ ग़नीमत से नसीब नहीं मिलता है वो इस तनफ़ील में दाखिल न होगा पस औरतें व लडके व ग़ुलाम व अहले ज़िम्मा कि जिन को ग़नीमत में से बतौर रज़ख मिलता है वो इस नफ़िल के मुस्तहिक़ होंगे यह मुहीत में लिखा है। लेकिन अगर इमाम ने आज़ाद बालिग़ मुसलमानों की तख़्सीस कर दी हो तो ऐसी सूरत में औरतों व लडकों व ग़ुलामों व अहले ज़िम्मा को इस तनफ़ील में कुछ इस्तहक़ाक़ न होगा यह मुहीत सरखसी में है और ताजिर लोग अहले इस्तहक़ाक़े ग़नीमत से हैं पस वो मुस्तहिक़ नफ़िल भी होंगे और जो हरबी कि इस ने हम से अमान कर ली है अगर बदूं इजाज़त इमाम के कि मुसम्मा से मुतजाविज़ न होगा यानी अगर ऐसे रहनुमाई करने वाले की उजरत एक नफ़र बुर्दा हो तो इस को बुर्दा मिलेगा और अगर कम हो तो कम मिलेगी और अगर .ज्यादा हो तो बुर्दा से .ज्यादा न मिलेगी।

ताजिर लोग अहले इस्तहक़ाक़े ग़नीमत से हैं पस वो मुस्तहिक़ नफ़िल भी होंगे :

अगर कहा कि जिस ने हम को राह की दलालत की तो इस के लिएइस की अहले व औलाद होगी फिर एक क़ैदी ने इस को राह बतलाई तो यह लोग यानी क़ैदी व इस के अहले व औलाद अपने क़ैदी होने में मिस्ल साबिक़ असीर होंगे और अगर कहा कि तू इस के लिएइस की जान और इस के अहले औलाद व सौ दिरहम अज़ ग़नीमत होंगे फिर इस ने रहनुमाई की तो इस के लिएयह सब होंगे और अगर कहा कि अगर किसी ने हम को फ़लां हसन के राह की रहनुमाई की तो वो आज़ाद है फिर एक क़ैदी ने इन को इस क़िलआ की कई राहों में से जो सब से दूर की राह थी वो बतलाई तो वो आज़ाद हो जायेगा बशर्तेकि लोग यह राह चलते हों और अगर लोग इस राह से वहां न जाते हों तो वो आज़ाद न होगा। अगर अमीर ने कहा कि जिस ने हम को फ़लां क़िलआ की फ़लां राह बतलाई तो वो आज़ाद है फिर एक क़ैदी ने इस को सिवाए इस राह के दूसरी राह की दलालत की तो देखा जायेगा कि जिस राह को अमीर ने बयान किया है यह दूसरी राह फ़राखी और रफ़ाहियत में इस के मिस्ल हो तो वो आज़ाद होगा और अगर इस दूसरी राह में बद निस्बत राह मज़कूरा-ए-अमीर के मशक़्क़त .ज्यादा हो तो आज़ाद न होगा यह मुहीत सरखसी में है। अमीर लश्कर ने अगर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें अहले लश्कर को तनफ़ील की और कहा कि जिस ने किराअ व सलाह व मताअ वग़ैरह ऐसी चीज़ों से कुछ हासिल किया तो इस के लिएइस में से चहारूम है तो इस तनफ़ील के तहत में हर वो आदमी दाखिल होगा जिस को माले ग़नीमत में से बतौर सहम या बतौर (1) फ़तह के कुछ मिलता है और जिस को सहम बारज़ह की तरह कुछ ग़नीमत से नसीब

इस ने क़िताल किया हो तो इस के वास्ते ग़नीमत से कुछ नहीं है पस वो मुस्तहिक़ नफ़िल भी न होगा और अगर उस ने बइजाज़त इमाम क़िताल किया हो तो बतौर रज़ख के वो मुस्तहिक़ ग़नीमत है पस वो मुस्तहिक़ नफ़िल भी होगा यह मुहीत में है।

अगर इमाम ने कहा कि जिस ने तुम में से किसी को क़त्ल किया तो इस का असबाब इसी के वास्ते है फिर अहले हरब में से कोई क़ौम मुसलमान हो गई और इन में से किसी ने किसी मुश्रिक को क़त्ल किया या लश्कर के बाज़ारियों में से किसी ने किसी मुश्रिक को क़त्ल किया तो क़ियासन वो मुस्तहिक़ असबाब मक़तूल न होगा और इस्तहसानन इस के असबाब का मुस्तहिक़ होगा। अगर कहा कि जिस ने किसी को क़त्ल किया तो इसी का असबाब इसी के वास्ते है फिर इस लश्कर की मदद के वास्ते दूसरा लश्कर दारूल इस्लाम से दाखिल हुआ और इन में से किसी ने किसी मुश्रिक को क़त्ल किया तो इस के वास्ते इस का असबाब होगा बशर्तेकि सरदार अव्वल है दोनों लश्करों का सरदार हो और असल यह है कि जिस का क़त्ल फ़िल जुमला मुबाह हो तनफ़ील में इस के क़त्ल कर डालने से इस के असबाब का मुस्तहिक़ होता है और हर असबाब कि अगर इस में तनफ़ील न हो तो बज़रिया ग़नीमत के इस का इस्तहक़ाक़ साबित हो तो इस की तनफ़ील सही है और जिस असबाब का इस्तहक़ाक़ बज़रिया ग़नीमत नहीं होता है इस की तनफ़ील भी नहीं है। पस अगर अमीर ने कहा कि जिस ने तुम में से किसी काफ़िर को क़त्ल किया इस का असबाब इसी का है फिर एक ग़ाज़ी ने किसी अजीर अहले हरब को जिस ने मुसलमानों से क़िताल नहीं किया है या किसी ताजिर हरबी को जो इन के लश्कर में है या किसी ज़िम्मी को जो अहद तोड़ कर हरबियों की तरफ़ चला गया है या किसी हरबी मरीज़ को जो क़िताल करने पर क़ादिर नहीं है क़त्ल कर दिया तो इस के असबाब का मुस्तहिक़ होगा इस वास्ते कि इन लोगों का क़त्ल मुबाह है और अगर किसी औरत या तफ़ल को क़त्ल किया तो इस

(1)अतिया क़लील जो ग़ाजि+यों के मददगार गुलाम व औरतों को नहीं मिलता है वो इस तनफ़ील में दाखिल न होगा पस औरतें व लड़के व गुलाम व अहले ज़िम्मा कि जिन को ग़नीमत में से बतौर रज़ख मिलता है वो इस नफ़िल के मुस्तहिक़ होंगे यह मुहीत में लिखा है। लेकिन अगर इमाम ने आज़ाद बालिग मुसलमानों की तख़्सीस कर दी हो तो ऐसी स्थिति में औरतों व लड़कों व गुलामों व अहले ज़िम्मा को इस तनफ़ील में कुछ इस्तहक़ाक़ न होगा यह मुहीत सरख़सी में है और ताजिर लोग अहले इस्तहक़ाक़े ग़नीमत से हैं पस वो मुस्तहिक़ नफ़िल भी होंगे और जो हरबी कि इस ने हम से संरक्षण कर ली है अगर बदूं इजाज़त इमाम के इस ने क़िताल किया हो तो इस के लिएग़नीमत से कुछ नहीं है पस वो मुस्तहिक़ नफ़िल भी न होगा और अगर उस ने बइजाज़त इमाम क़िताल किया हो तो बतौर रज़ख के वो मुस्तहिक़ ग़नीमत है पस वो मुस्तहिक़ नफ़िल भी होगा यह मुहीत में है।

अगर इमाम ने कहा कि जिस ने तुम में से किसी को क़त्ल किया तो इस का असबाब इसी के लिएहै फिर अहले हरब में से कोई क़ौम मुसलमान हो गई और इन में से किसी ने किसी मुश्रिक को क़त्ल किया या लश्कर के बाज़ारियों में से किसी ने किसी मुश्रिक को क़त्ल किया तो क़ियासन वो मुस्तहिक़ असबाब मक़तूल न होगा और इस्तहसानन इस के असबाब का मुस्तहिक़ होगा। अगर कहा कि जिस ने किसी को क़त्ल किया तो इसी का असबाब इसी के लिएहै फिर इस लश्कर की मदद के लिएदूसरा लश्कर दारूल इस्लाम से दाखिल हुआ और इन में से किसी ने किसी मुश्रिक को क़त्ल किया तो इस के लिएइस का असबाब होगा बशर्तेकि सरदार अव्वल है दोनों लश्करों का सरदार हो और असल यह है कि जिस का क़त्ल फ़िल जुमला मुबाह हो तनफ़ील में इस के क़त्ल कर डालने से इस के असबाब का मुस्तहिक़ होता है और हर असबाब कि अगर इस में तनफ़ील न हो तो बज़रिया ग़नीमत के इस का इस्तहक़ाक़ साबित हो तो इस की तनफ़ील सही है और जिस असबाब का इस्तहक़ाक़ बज़रिया ग़नीमत नहीं होता है इस की तनफ़ील भी नहीं है। पस अगर अमीर ने कहा कि जिस ने तुम में से किसी काफ़िर को क़त्ल किया इस का असबाब इसी का

अमीरे लश्कर इस्लाम बतौर जायज+ देता है।

के असबाब का मुस्तहिक़ न होगा इल्ला इस सूरत में कि यह दोनों मक़ातिल हों और अगर किसी बूढ़े (1) फूस को क़त्ल किया तो इस के असबाब का मुस्तहिक़ न होगा और अगर किसी मुसलमान ने कुफ़्फ़ार के साथ हो कर मुसलमान से क़िताल किया और इस मुसलमान को किसी ग़ाज़ी ने क़त्ल कर दिया तो नफ़िल में इस के असबाब का मुस्तहिक़ न होगा इस वास्ते कि मुसलमान और जो इस के साथ है वो ग़नीमत नहीं हो सकता है और अगर यह असबाब जो इस के पास है मुश्रिकों ने इस को आरियत दिया हो पस मुसलमानों ने उस को क़त्ल किया तो इस असबाब का मुस्तहिक़ होगा और अगर हरबियों की औरत या तफ़्ल ने किसी मुश्रिक को अपना असबाब आरित दिया हो जो इस के पास है पस किसी ग़ाज़ी ने इस मुश्रिक को क़त्ल किया तो यह असबाब ऐसा है कि जैसे अहले हरब में से बालिग़ का असबाब इस के पास आरियत हो यानी यह असबाब नफ़िल व ग़नीमत होगा।

अगर किसी मुसलमान ने किसी मुश्रिक को दर हाल यह कि वो अपनी सफ़ में है तीर मार कर क़त्ल किया और मुश्रिकों ने इस मक़तूल का असबाब उतार लिया फिर काफ़िरों ने शिकस्त खाई और यह असबाब माले ग़नीमत में पाया गया तो वो ग़नीमत ही होगा और क़ातिल को न मिलेगा :

अगर मुसलमान या ज़िम्मी ने अपने हथियार किसी हरबी को आरियत दिये और इस ने मुसलमानों से क़िताल किया और किसी ग़ाज़ी ने इस हरबी को क़त्ल किया तो देखा जायेगा कि अगर यह मुसलमान हैं दारूल हरब में मुसलमान हुआ और हुनूज़ हमारे यहां हिजरत करके नहीं आया तो इस हरबी मक़तूल कि असबाब इस के क़ातिल है फिर एक ग़ाज़ी ने किसी अजीर अहले हरब को जिस ने मुसलमानों से क़िताल नहीं किया है या किसी ताजिर हरबी को जो इन के लश्कर में है या किसी ज़िम्मी को जो अहद तोड़ कर हरबियों की तरफ़ चला गया है या किसी हरबी मरीज़ को जो क़िताल करने पर क़ादिर नहीं है क़त्ल कर दिया तो इस के असबाब का मुस्तहिक़ होगा इस लिएकि इन लोगों का क़त्ल मुबाह है और अगर किसी औरत या तफ़्ल को क़त्ल किया तो इस

(1)अतिया क़लील जो ग़ाजि+यों के मददगार ग़ुलाम व औरतों को अमीरे लश्कर इस्लाम बतौर जायज+ देता है।

के असबाब का मुस्तहिक़ न होगा सिवा इस स्थिति में कि यह दोनों मक़ातिल हों और अगर किसी बूढ़े (1) फूस को क़त्ल किया तो इस के असबाब का मुस्तहिक़ न होगा और अगर किसी मुसलमान ने कुफ़्फ़ार के साथ हो कर मुसलमान से क़िताल किया और इस मुसलमान को किसी ग़ाज़ी ने क़त्ल कर दिया तो नफ़िल में इस के असबाब का मुस्तहिक़ न होगा इस लिएकि मुसलमान और जो इस के साथ है वो ग़नीमत नहीं हो सकता है और अगर यह असबाब जो इस के पास है मुश्रिकों ने इस को आरियत दिया हो पस मुसलमानों ने उस को क़त्ल किया तो इस असबाब का मुस्तहिक़ होगा और अगर हरबियों की औरत या तफ़्ल ने किसी मुश्रिक को अपना असबाब आरित दिया हो जो इस के पास है पस किसी ग़ाज़ी ने इस मुश्रिक को क़त्ल किया तो यह असबाब ऐसा है कि जैसे अहले हरब में से बालिग़ का असबाब इस के पास आरियत हो यानी यह असबाब नफ़िल व ग़नीमत होगा।

अगर किसी मुसलमान ने किसी मुश्रिक को दर हाल यह कि वो अपनी सफ़ में है तीर मार कर क़त्ल किया और मुश्रिकों ने इस मक़तूल का असबाब उतार लिया फिर काफ़िरों ने शिकस्त खाई और यह असबाब

माले ग़नीमत में पाया गया तो वो ग़नीमत ही होगा और क़ातिल को न मिलेगा :

अगर मुसलमान या ज़िम्मी ने अपने हथियार किसी हरबी को आरियत दिये और इस ने मुसलमानों से क़िताल किया और किसी ग़ाज़ी ने इस हरबी को क़त्ल किया तो देखा जायेगा कि अगर यह मुसलमान हैं दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें मुसलमान हुआ और हुनूज़ हमारे यहां हिजरत करके नहीं आया तो इस हरबी मक़तूल कि असबाब इस के क़ातिल का होगा और यह इमामे आज़म रह० का कथन है और साहिबीन रह० ने इस में खिलाफ़ किया है और यह मतभेद इस बिना पर है कि ऐसे मुसलमान का माल इमामे आज़म रह० के अनुसार ग़नीमत होता है और साहिबीन रह० के अनुसार नहीं होता है और अगर यह आरियत देने वाला मुसलमान दारूल इस्लाम का है तो हरबी वर्णित मक़तूल का ऐसा असबाब नफ़िल न होगा क्योंकि ऐसे मुसलमान का माल बिल इत्तफ़ाक़ ग़नीमत नहीं होता है और अगर कोई मुसलमान दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें मुसपलमान हुआ और दारूल इस्लाम में हिजरत करके नहीं आया है फिर किसी हरबी ने बराहे ग़सब इस के हथियार ले कर इन से क़िताल किया और किसी मुसलमान ने इस को क़त्ल किया तो क़ातिल इस के असबाब का मुस्तहिक़ न होगा। अगर कोई मुसलमान संरक्षण ले कर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल हुआ और किसी मुश्रिक ने इस के हथियार ग़सब कर लिये और उन्हीं हथियारों से लश्करे इस्लाम से क़िताल किया और किसी ग़ाज़ी ने इस को क़त्ल किया तो इस के असबाब का मुस्तहिक़ होगा। अगर किसी मुसलमान ने किसी मुश्रिक को दर हाल यह कि वो अपनी सफ़ में है तीर मार कर क़त्ल किया और मुश्रिकों ने इस मक़तूल का असबाब उतार लिया फिर काफ़िरों ने शिकस्त खाई और यह असबाब माले ग़नीमत में पाया गया तो वो ग़नीमत ही होगा और क़ातिल को न मिलेगा और अगर काफ़िरों ने शिकस्त खाई और भागे और यह मालूम नहीं कि उन्होंने इस का असबाब उतार लिया है

का होगा और यह इमामे आज़म रह० का क़ौल है और साहिबीन रह० ने इस में खिलाफ़ किया है और यह इख़्तलाफ़ इस बिना पर है कि ऐसे मुसलमान का माल इमामे आज़म रह० के अनुसार ग़नीमत होता है और साहिबीन रह० के अनुसार नहीं होता है और अगर यह आरियत देने वाला मुसलमान दारूल इस्लाम का है तो हरबी मज़कूर मक़तूल का ऐसा असबाब नफ़िल न होगा क्योंकि ऐसे मुसलमान का माल बिल इत्तफ़ाक़ ग़नीमत नहीं होता है और अगर कोई मुसलमान दारूल हरब में मुसपलमान हुआ और दारूल इस्लाम में हिजरत करके नहीं आया है फिर किसी हरबी ने बराहे ग़सब इस के हथियार ले कर इन से क़िताल किया और किसी मुसलमान ने इस को क़त्ल किया तो क़ातिल इस के असबाब का मुस्तहिक़ न होगा। अगर कोई मुसलमान अमान ले कर दारूल हरब में दाखिल हुआ और किसी मुश्रिक ने इस के हथियार ग़सब कर लिये और उन्हीं हथियारों से लश्करे इस्लाम से क़िताल किया और किसी ग़ाज़ी ने इस को क़त्ल किया तो इस के असबाब का मुस्तहिक़ होगा। अगर किसी मुसलमान ने किसी मुश्रिक को दर हाल यह कि वो अपनी सफ़ में है तीर मार कर क़त्ल किया और मुश्रिकों ने इस मक़तूल का असबाब उतार लिया फिर काफ़िरों ने शिकस्त खाई और यह असबाब माले ग़नीमत में पाया गया तो वो ग़नीमत ही होगा और क़ातिल को न मिलेगा और अगर काफ़िरों ने शिकस्त खाई और भागे और यह मालूम नहीं कि उन्होंने इस का असबाब उतार लिया है या नहीं उतारा है तो देखा जायेगा कि अगर उन्होंने इस के तन से असबाब उतारा है और पाया गया तो वो फ़ई होगा और अगर मक़तूल के तन से कुछ नहीं उतारा है तो वो सब क़ातिल का होगा। इसी तरह अगर इस के मक़तूल होने पर मुश्रिक लोग इस को खींच ले गये और हुनूज़ इस का असबाब इस के तन पर है इस में से कुछ नहीं उतारा गया है कि काफ़िरों ने शिकस्त खाई और भागे तो इस का असबाब क़ातिल का होगा।

अगर लश्कर एक मरहला या दो मरहला चला था कि लोगों ने इस असबाब को किसी जानवर पर लदा

हुआ पाया और यह मालूम नहीं कि यह किसी शख़्स के हाथ में था या नहीं तो क़ियासन यह असबाब क़ातिल का होगा और इस्तहसानन न होगा और अगर मुश्रिकीन ने इस का जानवर पकड़ लिया और इस पर मक़तूल को लाद लिया हालांकि असबाब मक़तूल इस के तन पर मौजूद है फिर मुसलमानों ने इस को पकड़ा तो असबाब मज़कूर क़ातिल का होगा और अगर काफ़िरों ने मक़तूल के जानवर पर मक़तूल को और इस के हथियारों और अपने हथियारों और मताअ़ को लाद लिया फिर यह गिरफ़तार किया गया तो यह फ़ई होगा इल्ला इस सूरत में कि

(1)ब्रूे फूस से मुरादयह है कि इस का अदम वजूद बराबर हो कि न वो लड़ाई के काम का और न राये देने के काम का और न इस से नसल की उम्मीद।

असबाब दीगर बहुत ख़फ़ीफ़ मिस्ल लोटे वग़ैरह के हो तो असबाब मज़कूर क़ातिल का होगा और अगर वारिसान मक़तूल ने इस का जानवर पकड़ लिया और इस पर मक़तूल और इस के हथियारों को लाद लिया तो यह फ़ई होगा और इसी तरह अगर वसी हो तो बमन्ज़िला वारिस के है और अगर अमीर ने कहा कि जिस ने किसी मुश्रिक को क़त्ल किया तो इस के वास्ते इस का फ़र्स (1) है फिर एक ने ऐसे मुश्रिक को जो बरज़ून (दो ग़ुलाम घोड़ा जो फ़र्स नहीं खिलाता) पर सवार है क़त्ल किया तो क़ातिल इस के असबाब का मुस्तहिक़ होगा। अगर गधे या खच्चर या ऊंट पर सवार हो तो इस के सलब का मुस्तहिक़ न होगा और अगर कहा कि जिस ने किसी मुश्रिक को क़त्ल किया तो क़ातिल के वास्ते इस का बरज़ून है फिर किसी मुश्रिक को जो फ़र्स पर सवार है क़त्ल किया तो इस के फ़र्स का मुस्तहिक़ न होगा इस वास्ते कि घटिया चीज़ की तनफ़ील से वो बढ़िया चीज़ का मुस्तहिक़ न होगा और अगर कहा कि जिस ने किसी काफ़िर को क़त्ल कियातो मक़तूल का रवा है यानी जानवर सवारी क़ातिल के वास्ते है फिर किसी काफ़िर को जो गधे या ख़च्चर या फ़र्स पर सवार था क़त्ल किया तो इस जानवर का मुस्तहिक़ होगा और अगर ऊंट पर सवार था तो ऊंट का मुस्तहिक़ न होगा और अगर कहा कि जिस ने किसी मुश्रिक गोख़र मादा पर क़त्ल किया वो या नहीं उतारा है तो देखा जायेगा कि अगर उन्होंने इस के तन से असबाब उतारा है और पाया गया तो वो श्रेणीबद्ध होगा और अगर मक़तूल के तन से कुछ नहीं उतारा है तो वो सब क़ातिल का होगा। इसी तरह अगर इस के मक़तूल होने पर मुश्रिक लोग इस को खींच ले गये और हनूज़ इस का असबाब इस के तन पर है इस में से कुछ नहीं उतारा गया है कि काफ़िरों ने शिकस्त खाई और भागे तो इस का असबाब क़ातिल का होगा।

अगर लश्कर एक मरहला या दो मरहला चला था कि लोगों ने इस असबाब को किसी जानवर पर लदा हुआ पाया और यह मालूम नहीं कि यह किसी व्यक्ति के हाथ में था या नहीं तो क़ियासन यह असबाब क़ातिल का होगा और इस्तहसानन न होगा और अगर मुश्रिकीन ने इस का जानवर पकड़ लिया और इस पर मक़तूल को लाद लिया हालांकि असबाब मक़तूल इस के तन पर मौजूद है फिर मुसलमानों ने इस को पकड़ा तो असबाब वर्णित क़ातिल का होगा और अगर काफ़िरों ने मक़तूल के जानवर पर मक़तूल को और इस के हथियारों और अपने हथियारों और मताअ़ को लाद लिया फिर यह गिरफ़तार किया गया तो यह श्रेणीबद्ध होगा सिवा इस स्थिति में कि

(1)ब्रूे फूस से मुरादयह है कि इस का अदम वजूद बराबर हो कि न वो लड़ाई के काम का और न राये देने के काम का और न इस से नसल की उम्मीद।

असबाब दीगर बहुत ख़फ़ीफ़ मिस्ल लोटे वग़ैरह के हो तो असबाब वर्णित क़ातिल का होगा और अगर वारिसान मक़तूल ने इस का जानवर पकड़ लिया और इस पर मक़तूल और इस के हथियारों को लाद लिया तो यह श्रेणीबद्ध होगा और इसी तरह अगर वसी हो तो बमन्ज़िला वारिस के है और अगर अमीर ने कहा कि जिस ने किसी मुश्रिक को क़त्ल किया तो इस के लिएइस का फ़र्स (1) है फिर एक ने ऐसे मुश्रिक को जो बरज़ून (दो ग़ुलाम घोड़ा जो फ़र्स नहीं खिलाता) पर सवार है क़त्ल किया तो क़ातिल इस के असबाब का मुस्तहिक़ होगा। अगर गधे या खच्चर या ऊंट पर सवार हो तो इस के सलब का मुस्तहिक़ न होगा और अगर कहा कि जिस ने किसी मुश्रिक को क़त्ल किया तो क़ातिल के

इसी के वास्ते है फिर नर गधे पर किसी काफ़िर को क़त्ल किया तो क़ातिल नर गधे का मुस्तहिक़ न होगा इस वास्ते कि जो लफ़्ज़ मादा के वास्ते है वो नर को शामिल नहीं है और इसी तरह ऊंटनी व ऊंट में है बखिलाफ़ बगल व बुगला के कि यह दोनों इस्मे जिन्स में कि खच्चर व खच्चरी है दोनों पर बोलते हैं पस नर व मादा दोनों शामिल हैं यह मुहीत सरखसी में है।

बाबः 5

इस्तीलाऐ (2) कुफ़्फ़ार के बयान में

कुफ़्फ़ार तुर्क अगर कुफ़्फ़ार रोम पर ग़ालिब हुए और इन को क़ैद करके ले गये और इन के अमवाल लूट लिये तो इन के मालिक हो जाऐंगे फिर अगर हम लोग तुर्क पर ग़ालिब आये तो जो कुछ वो रोम से ले गये हैं इस में से भी जो कुछ हम को मिलेगा वो हमारे वास्ते हलाल होगा अगरचे हमारे और रोम के दरमियान मवादअत हो और हम से और इन हर दो गिरोह मेंसे हर एक से मवादअत (मुद्दत मुअय्यन के वास्ते सुलह है) हो और अगर हर दो फ़रीक़ बाहम लडे और एक फ़रीक़ ग़ालिब हुआ तो हम को रवा है कि फ़रीक़ ग़ालिब से दूसरे फ़रीक़ का माल जो उन्होंने लूटा है खरीद करें और ख़ुलासा में मज़कूर है कि दारूल हरब में अहराज़ कर लेना शर्त है और यह शर्त नहीं है कि वो लोग अपने दयार में इस (3) माले ग़नीमत को अहराज़ कर लें और अगर हम से हर दो फ़रीक़ से मवादअत हो और दोनों फ़रीक़ हमारे दयार में बाहम लडे तो हम को फ़िरक़ा-ए-ग़ालिब से कुछ खरीद लेना रवा नहीं है और अगर हर दो फ़रीक़ अपने दयार में लडे जो मुसलमान अमान ले कर वहां गया है इस को फ़रीक़ ग़ालिब से

लिएइस का बरूफ़्न है फिर किसी मुश्रिक को जो फ़र्स पर सवार है क़त्ल किया तो इस के फ़र्स का मुस्तहिक़ न होगा इस लिएकि घटिया चीज़ की तनफ़ील से वो बढ़िया चीज़ का मुस्तहिक़ न होगा और अगर कहा कि जिस ने किसी काफ़िर को क़त्ल कियातो मक़तूल का जायज़ है यानी जानवर सवारी क़ातिल के लिएहै फिर किसी काफ़िर को जो गधे या ख़च्चर या फ़र्स पर सवार था क़त्ल किया तो इस जानवर का मुस्तहिक़ होगा और अगर ऊंट पर सवार था तो ऊंट का मुस्तहिक़ न होगा और अगर कहा कि जिस ने किसी मुश्रिक गोख़र मादा पर क़त्ल किया वो इसी के लिएहै फिर नर गधे पर किसी काफ़िर को क़त्ल किया तो क़ातिल नर गधे का मुस्तहिक़ न होगा इस लिएकि जो लफ़्ज़ मादा के लिएहै वो नर को शामिल नहीं है और इसी तरह ऊंटनी व ऊंट में है बखिलाफ़ बगल व बुगला के कि यह दोनों इस्मे जिन्स में कि खच्चर व खच्चरी है दोनों पर बोलते हैं पस नर व मादा दोनों शामिल हैं यह मुहीत सरखसी में है।

बाबः 5

इस्तीलाऐ (2) कुफ़्फ़ार के बयान में

कुफ़्फ़ार तुर्क अगर कुफ़्फ़ार रोम पर ग़ालिब हुए और इन को क़ैद करके ले गये और इन के अमवाल लूट लिये तो इन के मालिक हो जाऐंगे फिर अगर हम लोग तुर्क पर ग़ालिब आये तो जो कुछ वो रोम से ले गये हैं इस में से भी जो कुछ हम को मिलेगा वो हमारे लिएहलाल होगा अगरचे हमारे और रोम के दरमियान मवादअत हो और हम से और इन हर दो गिरोह मेंसे हर एक से मवादअत (मुद्दत निश्चित के लिएसुलह है) हो और अगर हर दो फ़रीक़ बाहम लडे और एक फ़रीक़

फ़रीक़ मगलूब का लूटा हुआ माल खरीद लेना जायज़ है ख़्वाह आदमी हो या और माल हो यह फ़तहुल क़दीर में है। अगर हरबी लोग हमारे अमवाल पर ग़ालिब हुए और इस को अपने दयार मेंले जा कर अहराज़ में कर लिया तो हमारे मज़हब के मुवाफ़िक़ इस के मालिक हो जाऐंगे फिर इस के बाद अगर मुसलमान लोग इन पर ग़ालिब हुए और लूट के माल में मालिक क़दीम ने अपनी चीज़ जिस को काफ़िर लूट लाऐ थे पाई और हुनूज़ ग़नीमत तक़सीम नहीं हुई है तो इस को मुफ़्त ले लेना और अगर बाद तक़सीम ग़नीमत के ऐसे शख़्स के पास पाई जिस के हिस्से में आई है पस अगर क़ीमती चीज़ों में से हो तो बक़ीमत इस को लेलेगा अगर चाहे और अगर मिसली चीज़ों में से हो तो बाद तक़सीम हो जाने के इस को नहीं ले सकता है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

(1)सवार काफ़िर का वोघोडा जिस पर वो सवार है और फ़र्स व बरज़ून वग़ैरह कहते हैं तफ़ादत ज़बान अरब की इस्तलाह में है और हमारी ज़बान में मुतलक+घोडा बोलते हैं तफ़ादत नहीं है।

(2)ग़ालिब हो जाने को इस्तीला कहते हैं इस्तीला कुफ़्फ़ार काफ़िरों का ग़ालिब होना।

(3)]ारीद जायज+ होने के वास्तेयह शर्त है कि इन के हरज+ में आ गया हो और हरज+ इस तरह हो जाती है कि दारूल हरब में उन्होंने अहराज+ किया हो यह शर्त नहीं है कि अपने दार में अहराज+ करें जैसे मुसलमानों के हक+ मेंशर्त मुल्क है।

इब्ने मालिक ने बवास्ता इमाम अबू यूसुफ़ रह० के इमाम आज़म रह० से रिवायत की कि अगर ग़नीमत के माल में ऐसी लोण्डी या ग़ुलाम आया जिस को कुफ़्फ़ार मुसलमानों के यहां से क़ैद कर ले गये थे और वो तक़सीमे ग़नीमत से किसी शख़्स के हिस्से में आया फिर इस का मौला क़दीम आया तो इस शख़्स से जिस के हिस्से में पड़ा है इस के लेने के रोज़ की क़ीमत दे कर ले सकता है और जिस रोज़ ख़ुद लेना चाहता है इस रोज़ की क़ीमत (अगर इस रोज़ की क़ीमत से आज कम हो तो पायेगा) देने से नहीं ले सकता है यह मुहीत में है। यह सब इस सूरत में है कि काफ़िर लोग मुसलमानों के मालों पर ग़ालिब हो कर इस को दारूल हरब में अपने अहराज़ मेंले गये हों और अगर उन्होंने इन अमवाल का अहराज़ न किया हो यहां तक कि मुसलमान लोग इन पर ग़ालिब हो गये और अमवाल मज़कूरह इन से छीन लिये ग़ालिब हुआ तो हम को जायज़ है कि फ़रीक़ ग़ालिब से दूसरे फ़रीक़ का माल जो उन्होंने लूटा है खरीद करें और ख़ुलासा में वर्णित है कि दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें अहराज़ कर लेना शर्त है और यह शर्त नहीं है कि वो लोग अपने दयार में इस (3) माले ग़नीमत को अहराज़ कर लें और अगर हम से हर दो फ़रीक़ से मवादअत हो और दोनों फ़रीक़ हमारे दयार में बाहम लडे तो हम को फ़िरक़ा-ए-ग़ालिब से कुछ खरीद लेना जायज़ नहीं है और अगर हर दो फ़रीक़ अपने दयार में लडे जो मुसलमान संरक्षण ले कर वहां गया है इस को फ़रीक़ ग़ालिब से फ़रीक़ मगलूब का लूटा हुआ माल खरीद लेना जायज़ है चाहे आदमी हो या और माल हो यह फ़तहुल क़दीर में है। अगर हरबी लोग हमारे अमवाल पर ग़ालिब हुए और इस को अपने दयार मेंले जा कर अहराज़ में कर लिया तो हमारे मज़हब के मुवाफ़िक़ इस के मालिक हो जाऐंगे फिर इस के बाद अगर मुसलमान लोग इन पर ग़ालिब हुए और लूट के माल में मालिक क़दीम ने अपनी चीज़ जिस को काफ़िर लूट लाऐ थे पाई और हुनूज़ ग़नीमत तक़सीम नहीं हुई है तो इस को मुफ़्त ले लेगा और अगर बाद तक़सीम ग़नीमत के ऐसे व्यक्ति के पास पाई जिस के हिस्से में आई है पस अगर क़ीमती चीज़ों में से हो तो बक़ीमत इस को लेलेगा अगर चाहे और अगर मिसली चीज़ों में से हो तो बाद तक़सीम हो जाने के इस को नहीं ले सकता है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

(1)सवार काफ़िर का वोघोडा जिस पर वो सवार है और फ़र्स व बरज़ून वग़ैरह कहते हैं तफ़ादत ज़बान अरब की इस्तलाह में है और हमारी ज़बान में मुतलक+घोडा बोलते हैं तफ़ादत नहीं है।

(2)ग़ालिब हो जाने को इस्तीला कहते हैं इस्तीला कुफ़्फ़ार काफ़िरों का ग़ालिब होना।

(3)]ारीद जायज+ होने के लि,यहशर्त है कि इन के हरज+ में आ गया हो और हरज+ इस तरह हो जाती है कि दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामीशासित देशमें उन्होंने अहराज+ किया होयहशर्त नहीं है कि अपने दार में अहराज+ करें जैसे मुसलमानों के हक+ मेंशर्त मुल्क है।

इब्ने मालिक ने बवास्ता इमाम अबू यूसुफ़ रह० के इमाम आज़म रह० से रिवायत की कि अगर ग़नीमत के माल में ऐसी लोण्डी या ग़ुलाम आया जिस को कुफ़्फ़ार मुसलमानों के यहां से क़ैद कर ले गये थे और

फिर किसी माल का मालिक आया तो इस को मुफ्त ले लेगा इस वास्ते कि यह बसबब अदम अहराज़ के काफ़िर लोग इस के मालिक नहीं (पस माल मज़कूर अपने मालिक की मिल्क रहा) हुए थे और इसी तरह अगर काफ़िरों ने इन अमवाल को दारूल इस्लाम में तक़सीम कर लिया तो इन की तक़सीम नहीं जायज़ है तो जब मुसलमान लोग इन पर ग़ालिब हो गये और यह अमवाल इन से ले लिये तो हर माल का मालिक इस को मुफ्त ले लेगा और अगर किसी मुसलमान ने एक ग़ुलाम जिस को हरबी क़ैद करके ले गये थे दारूल हरब में इन से खरीद कर के लाया और इस का मौला क़दीम आया तो इस को इख़्तयार है कि चाहे सिमन दे कर इसे लेले या छोड़ दे। अगर मौला मज़कूर इस को लेने से पहले मर गया फिर इस का वारिस इस ग़ुलाम के लेने का मुतालबा करता हुआ आया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि वारिस मज़कूर नहीं ले सकता है और इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि इस को भी लेने का इख़्तयार है यह सिराज वहाज में है।

अगर मिसली चीज़ को दुशमन ने किसी मुसलमान को हुबा किया और वो लाया तो इस के मिस्ल दे कर मालिक क़दीम इस को न लेगा इस वास्ते कि इस में कुछ फ़ायदा नहीं :

इब्ने समाआ ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की कि अगर एक मुसलमान ने एक ग़ुलाम फ़रोख़्त किया और हुनूज़ मुशतरी को सुपुर्द न किया था कि दुशमन इस को क़ैद करके ले गया फिर बाऐ मर गया फिर कोई मुसलमान इस को खरीद लाया तो बाऐ के वारिस को इख़्तयार होगा कि इस को इस मुसलमान से सिमन दे कर ले ले और मुशतरी अव्वल को यह इख़्तयार होगा कि चाहे हर दो सिमन दे कर इस को वारिस बाऐ से लेले लेकिन अगर मुशतरी अव्वल का हक़ इस में न होता तो वारिस बाऐ को खरीद लाने वाले मुसलमान से ले लेने का इख़्तयार न होगा यह मुहीत में है। जिस को दुशमन गिरफ़तार करके ले गया है इस से वो तक़सीमे ग़नीमत से किसी व्यक्ति के हिस्से में आया फिर इस का मौला क़दीम आया तो इस व्यक्ति से जिस के हिस्से में पड़ा है इस के लेने के रोज़ की क़ीमत दे कर ले सकता है और जिस रोज़ ख़ुद लेना चाहता है इस रोज़ की क़ीमत (अगर इस रोज़ की क़ीमत से आज कम हो तो पायेगा) देने से नहीं ले सकता है यह मुहीत में है। यह सब इस स्थिति में है कि काफ़िर लोग मुसलमानों के मालों पर ग़ालिब हो कर इस को दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें अपने अहराज़ मेंले गये हों और अगर उन्होंने इन अमवाल का अहराज़ न किया हो यहां तक कि मुसलमान लोग इन पर ग़ालिब हो गये और अमवाल मज़कूरह इन से छीन लिये फिर किसी माल का मालिक आया तो इस को मुफ्त ले लेना इस लिएकि यह बसबब अदम अहराज़ के काफ़िर लोग इस के मालिक नहीं (पस माल वर्णित अपने मालिक की मिल्क रहा) हुए थे और इसी तरह अगर काफ़िरों ने इन अमवाल को दारूल इस्लाम में तक़सीम कर लिया तो इन की तक़सीम नहीं जायज़ है तो जब मुसलमान लोग इन पर ग़ालिब हो गये और यह अमवाल इन से ले लिये तो हर माल का मालिक इस को मुफ्त ले लेगा और अगर किसी मुसलमान ने एक ग़ुलाम जिस को हरबी क़ैद करके ले गये थे दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें इन से खरीद कर के लाया और इस का मौला क़दीम आया तो इस को इख़्तयार है कि चाहे क़ीमत दे कर इसे लेले या छोड़ दे। अगर मौला वर्णित इस को लेने से पहले मर गया फिर इस का वारिस इस ग़ुलाम के लेने का मुतालबा करता हुआ आया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि वारिस वर्णित नहीं ले सकता है और इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि इस को भी लेने का इख़्तयार है यह सिराज वहाज में है।

अगर मिसली चीज़ को दुशमन ने किसी मुसलमान को हुबा किया और वो लाया तो इस के मिस्ल दे कर मालिक क़दीम इस को न लेगा इस लिएकि इस में कुछ फ़ायदा नहीं :

किसी ताजिर ने खरीदा और दारूल हरब से यहां लाया तो मालिके क़दीम इस को ताजिर मज़कूर कसे बऔज़ इस सिमन के ले सकता है जिस के औज़ ताजिर मज़कूर ने इस से खरीदा है और अगर ताजिर ने इस को किसी असबाब के औज़ खरीदा हो तो इस असबाब की क़ीमत के औज़ ले सकता है और अगर ताजिर ने इस को हरबी से बर बैअ फ़ासिद खरीदा हो तो इस ग़ुलाम की क़ीमत के औज़ ले सकता है और अगर हरबी ने किसी मुसलमान को यह ग़ुलाम हुबा कर दिया हो तो भी मालिक क़दीम इस को इस की क़ीमत के औज़ ले सकता है 'कज़ा फ़िल तबयुन' व यही हुक्म मिसली चीज़ का है कि अगर मिसली चीज़ को दुशमन ने किसी मुसलमान को हुबा किया और वो लाया तो इस के मिसल दे कर मालिके क़दीम इस को न लेगा इस वास्ते कि इस में कुछ फ़ायदा नहीं है और तेज़ अगर ऐसी चीज़ को हरबी से किसी मुसलमान ने क़द्र व सिफ़त में इसके मिस्ल दे कर खरीदा हो तो भी मालिक क़दीम को इख़्तयार है कि जो कुछ इस ने दे कर ली है इसी के मिस्ल दे कर लेले क्योंकि इस में फ़ायदा है यह ग़ायतुल बयान में है।

एक मुसलमान ने अपने दो ग़ुलामों से कहा कि तुम में से एक आज़ाद है और बयान (कौन तुम में से आज़ाद है) न किया यहां तक कि इन दोनों को दुशमन क़ैद करके ले गया फिर मुसलमान लोग इन पर ग़ालिब हुए और यह दोनों ग़ुलाम हाथ आये और इन को दारूल इस्लाम में निकाल लाये तो दोनों अपने मौला को दिये जाऐंगे औरअ गर इन दोनों के क़ैद हो कर दारूल हरब में मोहरज़ हो जाने के बाद मालिक मज़कूर ने इन दोनों में से एक के हक़ में मुअय्यन करके इतक़ बयान कर दिया हो तो इस का बयान सही होगा और अहले कुफ़्र दूसरे ग़ुलाम के मालिक हो जाऐंगे और अगर अहले कुफ़्र इन दोनों में से एक ही को अपने अहराज़ दारूल हरब में ले गये हों तो दूसरा जो बाक़ी रहा वही इतक के वास्ते मुतअयन हो जायेगा यह काफ़ी में है और अगर हरबी कोई ग़ुलाम गिरफ़्तार करके ले गये और इस को कोई शख़्स खरीद करके दारूल इस्लाम में निकाल लाया फिर इस की आंख फोडी गई और इस का अरश इस आंख

इब्ने समाआ ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की कि अगर एक मुसलमान ने एक ग़ुलाम फ़रोख़्त किया और हुनूज़ ग्राहक को सुपुर्द न किया था कि दुशमन इस को क़ैद करके ले गया फिर बाऐ मर गया फिर कोई मुसलमान इस को खरीद लाया तो बाऐ के वारिस को इख़्तयार होगा कि इस को इस मुसलमान से क़ीमत दे कर ले ले और ग्राहक अव्वल को यह इख़्तयार होगा कि चाहे हर दो क़ीमत दे कर इस को वारिस बाऐ से लेले लेकिन अगर ग्राहक अव्वल का हक़ इस में न होता तो वारिस बाऐ को खरीद लाने वाले मुसलमान से ले लेने का इख़्तयार न होगा यह मुहीत में है। जिस को दुशमन गिरफ़्तार करके ले गया है इस से किसी ताजिर ने खरीदा और दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशसे यहां लाया तो मालिके क़दीम इस को ताजिर वर्णित कसे बऔज़ इस क़ीमत के ले सकता है जिस के औज़ ताजिर वर्णित ने इस से खरीदा है और अगर ताजिर ने इस को किसी असबाब के औज़ खरीदा हो तो इस असबाब की क़ीमत के औज़ ले सकता है और अगर ताजिर ने इस को हरबी से बर विक्रय फ़ासिद खरीदा हो तो इस ग़ुलाम की क़ीमत के औज़ ले सकता है और अगर हरबी ने किसी मुसलमान को यह ग़ुलाम हुबा कर दिया हो तो भी मालिक क़दीम इस को इस की क़ीमत के औज़ ले सकता है 'कज़ा फ़िल तबयुन' व यही हुक्म मिसली चीज़ का है कि अगर मिसली चीज़ को दुशमन ने किसी मुसलमान को हुबा किया और वो लाया तो इस के मिसल दे कर मालिके क़दीम इस को न लेगा इस लिएकि इस में कुछ फ़ायदा नहीं है और तेज़ अगर ऐसी चीज़ को हरबी से किसी मुसलमान ने क़द्र व सिफ़त में इसके मिस्ल दे कर खरीदा हो तो भी मालिक क़दीम को इख़्तयार है कि जो कुछ इस ने दे कर ली है इसी के मिस्ल दे कर लेले क्योंकि इस में फ़ायदा है यह ग़ायतुल बयान में है।

एक मुसलमान ने अपने दो ग़ुलामों से कहा कि तुम में से एक आज़ाद है और बयान (कौन तुम में से आज़ाद है) न किया यहां तक कि इन दोनों को दुशमन क़ैद करके ले गया फिर मुसलमान लोग इन पर ग़ालिब हुए

फोड़ने वाले से लिया गया तो ग़ुलाम का मौला ने क़दीम इस को इस सिमन के औज़ ले सकता है जिस के औज़ खरीदने वाले ने दुशमन से खरीदा है और अरश मज़कूर इस से नहीं ले सकता है और सिमन में से भी कुछ घटाया न जायेगा और अगर अहले हरब किसी ग़ुलाम को गिरफ़तार करके ले गये और एक शख़्स ने इन से हज़ार दिरहम को खरीदा फिर दोबारह अहले हरब इस को गिरफ़तार करके दारूल हरब में ले गये फिर इन को दूसरे शख़्स ने इन से हज़ार दिरहम को खरीदा तो मौला अव्वल को यह इख़्तयार नहीं है कि दूसरे मुशतरी से इस को लेले मगर मुशतरी अव्वल को इख़्तयार है कि चाहिए दूसरे मुशतरी से इस का सिमन देकर लेले फिर मौला अव्वल इस मुशतरी से चाहिए तो दो हज़ार दिरहम दे कर लेले और इसी तरह अगर वो शख़्स जिस के पास से दोबारह क़ैद कर लिया था ग़ायब हो तो मौला अव्वल को इस के लेने का इख़्तयार न होगा जैसे कि इस की हालत हुज़ूर में है कज़ा फ़िल हिदाया और अगर मुशतरी अव्वल ने इस के लेने से इन्कार किया तो मौला अव्वल इस को दूसरे मुशतरी से नहीं ले सकता है यह काफ़ी में है।

अगर मुशतरी अव्वल ने इस को दूसरे मुशतरी से खरीद लिया तो मिल्क क़दीम को इस से लेने का इख़्तयार न रहेगा इस वास्ते कि मुशतरी अव्वल की मिल्क ऊद करने के ज़िमन में मालिक क़दीम के लिये लेने का हक़ साबित हुआ था और इस सूरत में इस की मिल्क साबिक़ ने ऊद न किया था बल्कि बखरीद जदीद मिल्क जदीद हासिल होनी है यह तबयुन में है। अगर किसी शख़्स ने दुशमन से गिरफ़तार करदह शुदह ग़ुलाम खरीद किया और इस को दारूल इस्लाम में निकाल लाया फिर इस का मालिक क़दीम हाज़िर न हुआ यहां तक कि इस मुशतरी ने इस को किसी दूसरे के हाथ फ़रोख़्त कर दिया फिर मालिक क़दीम हाज़िर हुआ तो इस को इख़्तयार होगा कि दूसरे मुशतरी से सिमन दे कर लेले और अव्वल से मुतालबा की इस को कोई राह नहीं है अव्वल मुशतरी से जब ही ले सकता है कि जब तक ग़ुलाम मज़कूर इस की मिल्क में बाक़ी हो और इस में कोई ऐसी बात न पैदा हुई हो कि जिस की वजह से वो मौला क़दीम की

और यह दोनों ग़ुलाम हाथ आये और इन को दारूल इस्लाम में निकाल लाये तो दोनों अपने मौला को दिये जाएेंगे औरअ गर इन दोनों के क़ैद हो कर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें मोहरज़ हो जाने के बाद मालिक वर्णित ने इन दोनों में से एक के हक़ में निश्चित करके इतक़ बयान कर दिया हो तो इस का बयान सही होगा और अहले कुफ़्र दूसरे ग़ुलाम के मालिक हो जाएेंगे और अगर अहले कुफ़्र इन दोनों में से एक ही को अपने अहराज़ दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें ले गये हों तो दूसरा जो बाक़ी रहा वही इतक के लिएमुतअयन हो जायेगा यह काफ़ी में है और अगर हरबी कोई ग़ुलाम गिरफ़तार करके ले गये और इस को कोई व्यक्ति खरीद करके दारूल इस्लाम में निकाल लाया फिर इस की आंख फोड़ी गई और इस का अरश इस आंख फोड़ने वाले से लिया गया तो ग़ुलाम का मौला ने क़दीम इस को इस क़ीमत के औज़ ले सकता है जिस के औज़ खरीदने वाले ने दुशमन से खरीदा है और अरश वर्णित इस से नहीं ले सकता है और क़ीमत में से भी कुछ घटाया न जायेगा और अगर अहले हरब किसी ग़ुलाम को गिरफ़तार करके ले गये और एक व्यक्ति ने इन से हज़ार दिरहम को खरीदा फिर दोबारह अहले हरब इस को गिरफ़तार करके दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें ले गये फिर इन को दूसरे व्यक्ति ने इन से हज़ार दिरहम को खरीदा तो मौला अव्वल को यह इख़्तयार नहीं है कि दूसरे ग्राहक से इस को लेले मगर ग्राहक अव्वल को इख़्तयार है कि चाहिए दूसरे ग्राहक से इस का क़ीमत देकर लेले फिर मौला अव्वल इस ग्राहक से चाहिए तो दो हज़ार दिरहम दे कर लेले और इसी तरह अगर वो व्यक्ति जिस के पास से दोबारह क़ैद कर लिया था ग़ायब हो तो मौला अव्वल को इस के लेने का इख़्तयार न होगा जैसे कि इस की हालत हुज़ूर में है कज़ा फ़िल हिदाया और अगर ग्राहक अव्वल ने इस के लेने से इन्कार किया तो मौला अव्वल इस को दूसरे ग्राहक से नहीं ले सकता है यह काफ़ी में है।

अगर ग्राहक अव्वल ने इस को दूसरे ग्राहक से खरीद लिया तो मिल्क क़दीम को इस से लेने का

मिल्क में कर देने से ममनूअ हो और अगर मालिक क़दीम ने चाहा कि बैअ सानी को तोड़ दे फिर मुशतरी अव्वल से इस सिमन को दे कर लेले जो इस ने दुशमन को दिया है तो इमामे आजम रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार इस को यह इख़्तयार नहीं है यह सिराज वहाज में है। इमाम मौहम्मद रह० ने सियर सग़ीर में फ़रमाया कि अगर हरबी से खरीद लाने वाले ने इस को इजारह पर दिया या रहन किया और मौला क़दीम ने लेना चाहा तो मौला क़दीम को इख़्तयार है कि इस का अक़्द इजारह तोड़ दे और यह इख़्तयार नहीं है कि अक़्द रहन तोड़ दे यह मुहीत में है। अगर मुशतरी अव्वल ने यह ग़ुलाम किसी को हुबा कर दिया हो तो मौला क़दीम इस अक़्द हुबा को तोड़ नहीं सकता है मगर मोहूब लहू (जिस के वास्ते वाहिब ले हुबा किया) से इस ग़ुलाम की क़ीमत इस को दे कर ले सकता है। इसी तरह अगर ग़ुलाम मज़्कूर ने जिनायत ी और मुशतरी अव्वल ने औलियाऐ जिनायत को यह ग़ुलाम दे दिया तो वली जिनायत से भी मौला क़दीम इस की क़ीमत दे कर ले सकता है।

इसी तरह अगर मुशतरी अव्वल ने अमदन जिनात की फिर वली जिनायत से इस ग़ुलाम के देने पर सुलह कर ली तो भी मौला क़दीम इस सुलह को तोड़ नहीं सकता बल्कि इस की क़ीमत दे कर वली जिनायत से ले सकता है और अगर जिनायत अमदन न हो बल्कि ख़ता हो तो मौला क़दीम इस जिनायत के अरश को दे कर वली जिनायत से ले सकता है और अगर हरबी ने किसी मुसलमान को ऐसा ग़ुलाम हुबा कर दिया फिर किसी शख़्स ने इस की आंख फोड़ दी और इस मुसलमान ने यह ग़ुलाम इसी के ज़िम्मे डाल कर इस से इस की क़ीमत ले ली तो मालिक क़दीम को इख़्तयार है कि इस आंख फोड़ने वाले से इस ग़ुलाम को क़ीमत दे कर ले ले जो काने के हिसाब से है यह इमाम आज़म रह० का क़ौल है और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि सलामत दोनों आंखों की सूरत में जो क़ीमत थी वो दे कर ले सकता है और यह वो क़ीमत है जो इस ने मोहूब लहू को दी और अगर बजाये ग़ुलाम के बान्दी हो और बान्दी के बच्चा इख़्तयार न रहेगा इस लिएकि ग्राहक अव्वल की मिल्क ऊद करने के ज़िमन में मालिक क़दीम के लिये लेने का हक़ साबित हुआ था और इस स्थिति में इस की मिल्क साबिक़ ने ऊद न किया था बल्कि बख़रीद जदीद मिल्क जदीद हासिल होनी है यह तबयुन में है। अगर किसी व्यक्ति ने दुशमन से गिरफ़तार करदह शुदह ग़ुलाम खरीद किया और इस को दारूल इस्लाम में निकाल लाया फिर इस का मालिक क़दीम हाज़िर न हुआ यहां तक कि इस ग्राहक ने इस को किसी दूसरे के हाथ फ़रोख़्त कर दिया फिर मालिक क़दीम हाज़िर हुआ तो इस को इख़्तयार होगा कि दूसरे ग्राहक से क़ीमत दे कर लेले और अव्वल से मुतालबा की इस को कोई राह नहीं है अव्वल ग्राहक से जब ही ले सकता है कि जब तक ग़ुलाम वर्णित इस की मिल्क में बाक़ी हो और इस में कोई ऐसी बात न पैदा हुई हो कि जिस की वजह से वो मौला क़दीम की मिल्क में कर देने से ममनूअ हो और अगर मालिक क़दीम ने चाहा कि विक्रय सानी को तोड़ दे फिर ग्राहक अव्वल से इस क़ीमत को दे कर लेले जो इस ने दुशमन को दिया है तो इमामे आजम रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार इस को यह इख़्तयार नहीं है यह सिराज वहाज में है। इमाम मौहम्मद रह० ने सियर सग़ीर में फ़रमाया कि अगर हरबी से खरीद लाने वाले ने इस को इजारह पर दिया या रहन किया और मौला क़दीम ने लेना चाहा तो मौला क़दीम को इख़्तयार है कि इस का अक़्द इजारह तोड दे और यह इख़्तयार नहीं है कि अक़्द रहन तोड़ दे यह मुहीत में है। अगर ग्राहक अव्वल ने यह ग़ुलाम किसी को हुबा कर दिया हो तो मौला क़दीम इस अक़्द हुबा को तोड़ नहीं सकता है मगर मोहूब लहू (जिस के लिएवाहिब ले हुबा किया) से इस ग़ुलाम की क़ीमत इस को दे कर ले सकता है। इसी तरह अगर ग़ुलाम वर्णित ने जिनायत ी और ग्राहक अव्वल ने औलियाऐ जिनायत को यह ग़ुलाम दे दिया तो वली जिनायत से भी मौला क़दीम इस की क़ीमत दे कर ले सकता है।

इसी तरह अगर ग्राहक अव्वल ने अमदन जिनात की फिर वली जिनायत से इस ग़ुलाम के देने पर सुलह

पैदा हुआ और इस बच्चे को किसी ने क़त्ल किया हत्ता कि मोहूब लहू ने क़ातिल से इस की क़ीमत ले ली फिर मालिक क़दीम हाज़िर आया तो इस को बच्चा की क़ीमत लेने की कोई राह नहीं है लेकिन बान्दी को चाहे वो क़ीमत दे कर जो मोहूब लहू के क़ब्ज़ा के रोज़ थी लेले या छोड़ दे और अगर मां मर गई या क़त्ल की गई और बच्चा मौजूद हो तो मालिक क़दीम इस बच्चे को बऔज़ इस के हिस्से के ले सकता है यानी क़ीमत को बच्चा और इस की मां पर इस तरह तक़सीम किया जाये कि मां की वो क़ीमत ऐतबार की जाये जो बरोज़ हुबा व क़ब्ज़ा थी और बच्चे को ले सकता है। अगर दारूल इस्लाम में एक ने दूसरे से एक गुलाम बऔज़ हज़ार दिरहम के जो फ़िल हाल अदा करना क़रार पाये हैं खरीद किया और हुनूज़ इस पर क़ब्ज़ा न किया था कि दुशमन इस को गिरफ़तार करके ले गया फिर कोई शख़्स इस को पांच सौ दिरहम को खरीद लाया तो बाऐ इस को पांच सौ दिरहम दे कर ले सकता है फिर जब बाऐ ने इस का ले लिया तो मुशतरी बाऐ से दोनों सिमन एक हज़ार पांच सौ दिरहम के औज़ ले सकता है।

अगर बाऐ ने इस के लेने से इन्कार कर दिया तो मुशतरी को इख़्तयार होगा कि चाहे खरीदने वाले से पांच सौ दिरहम दे कर लेले। अगर बाऐ ने इस को हज़ार दिरहम उधार को फ़रोख़्त किया हो तो मुशतरी इस के वापिस लेने का मुस्तहिक़ होगा बनिस्बत बाऐ के और अगर इस ने इन्कार किया तो बाऐ से कहा जायेगा कि पांच सौ दिरहम के औज़ लेले कर तेरे ही सुपुर्द किया जायेगा और अगर दुशमन किसी गुलाम को गिरफ़तार करके ले गया और किसी ने इस से हज़ार दिरहम को खरीद किया और दारूल इस्लाम में लाया फिर दोबारह इस को दुशमन क़ैद करके ले गया फिर दूसरे ने दुशमन से पांच सौ दिरहम को खरीदा फिर मालिक क़दीम और मुशतरी अव्वल दोनों महक्मा-ए-क़ाज़ी में हाज़िर हुए और क़ाज़ी को अव्वल मुशतरी की खरीद का हाल मालूम है या नहीं मालूम है पस क़ाज़ी ने मालिक क़दीम के वास्ते मुशतरी से ले लेने का हुक्म दिया तो यह हुक्म नाफ़िज़ न होगा। पस गुलाम मज़कूर दूसरे मुशतरी को वापिस कर ली तो भी मौला क़दीम इस सुलह को तोड़ नहीं सकता बल्कि इस की क़ीमत दे कर वली जिनायत से ले सकता है और अगर जिनायत अमदन न हो बल्कि ख़ता हो तो मौला क़दीम इस जिनायत के अरश को दे कर वली जिनायत से ले सकता है और अगर हरबी ने किसी मुसलमान को ऐसा गुलाम हुबा कर दिया फिर किसी व्यक्ति ने इस की आंख फोड़ दी और इस मुसलमान ने यह गुलाम इसी के ज़िम्मे डाल कर इस से इस की क़ीमत ले ली तो मालिक क़दीम को इख़्तयार है कि इस आंख फोड़ने वाले से इस गुलाम को क़ीमत दे कर ले ले जो काने के हिसाब से है यह इमाम आज़म रह० का कथन है और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि सलामत दोनों आंखों की स्थिति में जो क़ीमत थी वो दे कर ले सकता है और यह वो क़ीमत है जो इस ने मोहूब लहू को दी और अगर बजाये गुलाम के बान्दी हो और बान्दी के बच्चा पैदा हुआ और इस बच्चे को किसी ने क़त्ल किया हत्ता कि मोहूब लहू ने क़ातिल से इस की क़ीमत ले ली फिर मालिक क़दीम हाज़िर आया तो इस को बच्चा की क़ीमत लेने की कोई राह नहीं है लेकिन बान्दी को चाहे वो क़ीमत दे कर जो मोहूब लहू के क़ब्ज़ा के रोज़ थी लेले या छोड़ दे और अगर मां मर गई या क़त्ल की गई और बच्चा मौजूद हो तो मालिक क़दीम इस बच्चे को बऔज़ इस के हिस्से के ले सकता है यानी क़ीमत को बच्चा और इस की मां पर इस तरह तक़सीम किया जाये कि मां की वो क़ीमत ऐतबार की जाये जो बरोज़ हुबा व क़ब्ज़ा थी और बच्चे को ले सकता है। अगर दारूल इस्लाम में एक ने दूसरे से एक गुलाम बऔज़ हज़ार दिरहम के जो फ़िल हाल अदा करना क़रार पाये हैं खरीद किया और हुनूज़ इस पर क़ब्ज़ा न किया था कि दुशमन इस को गिरफ़तार करके ले गया फिर कोई व्यक्ति इस को पांच सौ दिरहम को खरीद लाया तो बाऐ इस को पांच सौ दिरहम दे कर ले सकता है फिर जब बाऐ ने इस का ले लिया तो ग्राहक बाऐ से दोनों क़ीमत एक हज़ार पांच सौ दिरहम के औज़ ले सकता है।

अगर बाऐ ने इस के लेने से इन्कार कर दिया तो ग्राहक को इख़्तयार होगा कि चाहे खरीदने वाले से पांच

दिया जायेगा ताकि मुशतरी अव्वल इस से लेले फिर मुशतरी अव्वल से मालिक क़दीम हर दो सिमन दे कर ले सकता है और अगर मालिक क़दीम ने मुशतरी दोयम से बदूं हुक्म क़ज़ाअन के ले लिया या इस से खरीद लिया फिर मुशतरी अव्वल हाज़िर हुआ तो इस को मालिक क़दीम से हज़ार दिरहम दे कर ले सकता है फिर मालिक क़दीम इस से हर दो सिमन दे कर ले सकता है। इस तरह अगर मुशतरी दोयम ने ग़ुलाम मज़कूर इस के मालिक क़दीम को हुबा कर दिया तो मुशतरी अव्वल से ले सकता है मगर इस की क़ीमत दे कर ले सकता है इस वास्ते कि वो इस सूरत में मिस्ल अजनबी के हुआ फिर मालिक क़दीम को इस से यानी मुशतरी अव्वल से सिमन और यह क़ीमत दोनों दे कर ले सकता है और अगर मरतहन के पास से ग़ुलाम मर हों गिरफ़्तार कर लिया गया और इस को कोई शख़्स हज़ार दिरहम को खरीद लाया और राहिन व मरतहन दोनों हाज़िर हुए तो लेने का इस्तहक़ाक़ मरतहन को है पस अगर इस ने यह सिमन दे कर ले लिया तो अहसान करने वाला हुआ यानी यह सिमन महसूब बहिसाब राहिन नहीं कर सकता और इस से नहीं ले सकता है जैसे कि ग़ुलाम ने इस के पास जिनायत की और इस ने फ़िदया दे कर बचा लिया तो इस फ़िदया में वो मततूअ होता है और अगर मरतहन ने इस के लेने से इन्कार कर दिया तो राहिन इस को सिमन दे कर ले सकता है और जब राहिन ने इस को ले लिया तो क़र्ज़ा मरतहन साक़ित हो गया और फ़िदया इन दोनों पर आधा आधा होगा अगर मरहों की क़ीमत दो हज़ार और क़र्ज़ा एक हज़ार हो और जिस तरह वो रहन था वैसा ही रहेगा और अगर मरतहन ने इस का फ़िदया देने से इन्कार किया पस राहिन ने इस का फ़िदया दे दिया तो मरतहन इस को लेलेगा और इस के पास बऔज़ निस्फ़ क़र्ज़ा के रहन रहेगा।

अगर किसी ग़ुलाम ने जिनायत की फिर काफ़िर लोग ग़ालिब हुए और इस ग़ुलाम को भी क़ैद करके दारूल हरब में ले गये फिर लश्कर इस्लाम इन पर ग़ालिब आया :

सौ दिरहम दे कर लेले। अगर बाऐ ने इस को हज़ार दिरहम उधार को फ़रोख़्त किया हो तो ग्राहक इस के वापिस लेने का मुस्तहिक़ होगा बनिस्बत बाऐ के और अगर इस ने इन्कार किया तो बाऐ से कहा जायेगा कि पांच सौ दिरहम के औज़ लेले कर तेरे ही सुपुर्द किया जायेगा और अगर दुशमन किसी ग़ुलाम को गिरफ़्तार करके ले गया और किसी ने इस से हज़ार दिरहम को खरीद किया और दारूल इस्लाम में लाया फिर दोबारह इस को दुशमन क़ैद करके ले गया फिर दूसरे ने दुशमन से पांच सौ दिरहम को खरीदा फिर मालिक क़दीम और ग्राहक अव्वल दोनों महक्मा-ए-क़ाज़ी में हाज़िर हुए और क़ाज़ी को अव्वल ग्राहक की खरीद का हाल मालूम है या नहीं मानलूम है पस क़ाज़ी ने मालिक क़दीम के लिएमुशतरी से ले लेने का हुक्म दिया तो यह हुक्म नाफ़िज़ न होगा। पस ग़ुलाम वर्णित दूसरे ग्राहक को वापिस दिया जायेगा ताकि ग्राहक अव्वल इस से लेले फिर ग्राहक अव्वल से मालिक क़दीम हर दो क़ीमत दे कर ले सकता है और अगर मालिक क़दीम ने ग्राहक दोयम से बदूं हुक्म क़ज़ाअन के ले लिया या इस से खरीद लिया फिर ग्राहक अव्वल हाज़िर हुआ तो इस को मालिक क़दीम से हज़ार दिरहम दे कर ले सकता है फिर मालिक क़दीम इस से हर दो क़ीमत दे कर ले सकता है। इस तरह अगर ग्राहक दोयम ने ग़ुलाम वर्णित इस के मालिक क़दीम को हुबा कर दिया तो ग्राहक अव्वल से ले सकता है मगर इस की क़ीमत दे कर ले सकता है इस लिएकि वो इस स्थिति में मिस्ल अजनबी के हुआ फिर मालिक क़दीम को इस से यानी ग्राहक अव्वल से क़ीमत और यह क़ीमत दोनों दे कर ले सकता है और अगर मरतहन के पास से ग़ुलाम मर हों गिरफ़्तार कर लिया गया और इस को कोई व्यक्ति हज़ार दिरहम को खरीद लाया और राहिन व मरतहन दोनों हाज़िर हुए तो लेने का इस्तहक़ाक़ मरतहन को है पस अगर इस ने यह क़ीमत दे कर ले लिया तो अहसान करने वाला हुआ यानी यह क़ीमत महसूब बहिसाब राहिन नहीं कर सकता और इस से नहीं ले सकता है जैसे कि ग़ुलाम ने इस के पास जिनायत की और इस ने फ़िदया दे कर बचा लिया तो इस फ़िदया में

अगर राहिन ने इस का फ़िदया देने से इन्कार किया और मरतहन ने फ़िदया दे कर इस को ले लिया तो मिस्ल साबिक़ के इस के पास रहन रहेगा और मरतहन मज़कूर फ़िदया के हिस्सा राहिन में यानी निस्फ़ फ़िदया हिस्सा राहिन देने में अहसान कुनिन्दह होगा और अगर राहिन ग़ायब हो और मरतहन ने इस का फ़िदया दे दिया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार निस्फ़ फ़िदया को राहिन से ले लेगा अहसान कुनिन्दह क़रार न दिया जायेगा और साहिबीन रह० के अनुसार इस सूरत में भी अहसान कुनिन्दह होगा और अगर माल मरहून कोई मिस्ली चीज़ हो और मरतहन ने फ़िदया न दिया तो रहन के फ़िदया दे कर लेने के बाद मरतहन इस को रहन से नहीं ले सकता है यह काफ़ी में है। अगर किसी ग़ुलाम ने जिनायत की फिर काफ़िर लोग ग़ालिब हुए और इस ग़ुलाम को भी क़ैद करके दारूल हरब में ले गये फिर लश्कर इस्लाम इन पर ग़ालिब आता और ग़ुलाम मज़कूर को दारूल इस्लाम में निकाल लाये और मालिक क़दीम ने इस को न लिया छोड़ दिया और दिली जिनायत ने इस को जुर्म जिनायत से लेना चाहा हालांकि ग़नीमत तक़सीम हो चुकी है तो इस को यह इख़्तियार न होगा कि इस वास्ते कि दिली जिनायत के वास्ते ख़ाली हक़ साबित है और इस से मिल्क (1) तोड़ना नहीं जायज़ है यह मुहीत में है। अगर ऐसा ग़ुलाम जिस को कुफ़्फ़ार क़ैद कर लिये गये थे और बाद ग़ल्बा-ए-लश्कर इस्लाम के दारूल इस्लाम में ग़नीमत तक़सीम होने में रह किसी शख़्स के हिस्से में आया और इस का मौला क़दीम हाज़िर न हुआ यहां तक कि इस शख़्स ने इस को आज़ाद या मुदब्बिर कर दिया तो रवा है। अगर बजाये ग़ुलाम के बान्दी थी कि इस को इस शख़्स ने किसी के साथ ब्याह दिया और शौहर से औलाद जनी तो मालिके क़दीम को हाज़िर हो कर इख़्तियार होगा कि बान्दी और इस की औलाद को लेले और निकाह तोड़ने का इख़्तयसार न होगा और अगर इस शख़्स ने जिस के हिस्से में पडी है इस का उक्र (2) लिया या किसी ने इस बान्दी पर जिनायत की थी इस का जुर्माना लिया हो तो मौला क़दीम को इस बान्दी के साथ इस उक्र व जुर्माना के लेने की कोई राह न होगी। वो मततूअ होता है और अगर मरतहन ने इस के लेने से इन्कार कर दिया तो राहिन इस को क़ीमत दे कर ले सकता है और जब राहिन ने इस को ले लिया तो क़र्ज़ा मरतहन साक़ित हो गया और फ़िदया इन दोनों पर आधा आधा होगा अगर मरहों की क़ीमत दो हज़ार और क़र्ज़ा एक हज़ार हो और जिस तरह वो रहन था वैसा ही रहेगा और अगर मरतहन ने इस का फ़िदया देने से इन्कार किया पस राहिन ने इस का फ़िदया दे दिया तो मरतहन इस को लेलेगा और इस के पास बऐवज़ निस्फ़ क़र्ज़ा के रहन रहेगा।

अगर किसी ग़ुलाम ने जिनायत की फिर काफ़िर लोग ग़ालिब हुए और इस ग़ुलाम को भी क़ैद करके दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें ले गये फिर लश्कर इस्लाम इन पर ग़ालिब आया :

अगर राहिन ने इस का फ़िदया देने से इन्कार किया और मरतहन ने फ़िदया दे कर इस को ले लिया तो मिस्ल साबिक़ के इस के पास रहन रहेगा और मरतहन वर्णित फ़िदया के हिस्सा राहिन में यानी निस्फ़ फ़िदया हिस्सा राहिन देने में अहसान कुनिन्दह होगा और अगर राहिन ग़ायब हो और मरतहन ने इस का फ़िदया दे दिया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार निस्फ़ फ़िदया को राहिन से ले लेगा अहसान कुनिन्दह क़रार न दिया जायेगा और साहिबीन रह० के अनुसार इस स्थिति में भी अहसान कुनिन्दह होगा और अगर माल मरहून कोई मिस्ली चीज़ हो और मरतहन ने फ़िदया न दिया तो रहन के फ़िदया दे कर लेने के बाद मरतहन इस को रहन से नहीं ले सकता है यह काफ़ी में है। अगर किसी ग़ुलाम ने जिनायत की फिर काफ़िर लोग ग़ालिब हुए और इस ग़ुलाम को भी क़ैद करके दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें ले गये फिर लश्कर इस्लाम इन पर ग़ालिब आता और ग़ुलाम वर्णित को दारूल इस्लाम में निकाल लाये और मालिक क़दीम ने इस को न लिया छोड़ दिया और दिली जिनायत ने इस को जुर्म जिनायत से लेना चाहा हालांकि ग़नीमत तक़सीम हो चुकी है तो इस को

यह मबसूत में है।

इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि एक शख़्स की मिल्क में एक कुर फ़ारसी जयद छुहारे हैं इस को कफ़्फ़ारह ने लिया और दारूल हरब में ले गये फिर कोई मुसलमान अमान लेकर दारूल हरब में दाखिल हुआ और इन से यह छुहारे बऔज़ दो कुर फ़ारसी रद्दी छुहारे के ख़रीदे और इन को दारूल इस्लाम में ले आया फिर मालिक क़दीम हाज़िर हुआ तो इस को यह इख़्तयार न होगा कि इस खरीदने वाले से लिये (3) ऐसा ही ज़ियादात में मज़कूर है और असीर कबीर में इमाम मौहम्मद रह० ने ज़िक्र फ़रमाया कि दो कुर रदी छुहारे दे कर ले सकता है इस वास्ते कि जिस ने दुशमन से यह कुर खरीद किया है इस ने बखरीद सही खरीदा है इस वास्ते कि दारूल हरब में मुसलमानव हरबी के दरमियान रिबवा (4) जारी नहीं होता है पस जब खरीद सही हुई तो जितने को मुशतरी को पडी है वो दे कर ले लेने का इस्तहक़ाक़ इस को हासिल होगा जैसे दिरहमों के औज़ खरीदने की सूरत में इस क़द्र दिरहम दे कर ले सकता है और ज़ियादात में जो हुक्म मज़कूर है कि नहीं ले सकता है इस की वजह यह है कि जिस ने दुशमन से यह कुर ख़रीदा हैं इस ने बखरीद (बखरीद सही नहीं खरीदा हैं) फ़ासिद ख़रीदा है इस वास्ते कि अल्लाह तआला ने रिबवा को मुतल्लक़न (5) हराम कर दिया है पस चूंकि इस बैअ में रिबवा वाक़े हो बैअ फ़ासिद हुई और जो चीज़ बबैअ फ़ासिद खरीदी गई है वो मुशतरी के पास मज़मून बिल क़ीमता है यानी इस के तावान में मुशतरी पर क़ीमत वाजिब है सिमन नहीं वाजिब हैं और इस सूरत में इस खरीदी हुई चीज़ की क़ीमत यह है कि इस के मिस्ल

(1)जिस के हिस्से में पडा है इस की मिल्क में आ गया है पस इस की मिल्क इतने हक+ कीवजह सह नहीं टूट सकती है।
(2)किसी ने इस बान्दी सेशुब्हा में वती की इस का महर।
(3)जो कुछ इस ने दिया है वो सिमन दे कर किसी तरह नहीं ले सकता है हां चाहेखरीद ले।
(4)वो ज+यादती जो बतरीक+ ना मशरूअ+ ली जाये जिस को बयाज कहते हैं।
(5)अगरऐसा मामला बैअ+ वाक़े हुआ जो दारूल इस्लाम में सूद क़रार पाता है तो वहां भी सूद क़रार दिया जायेगा।

छुहारे दें और इस के मिस्ल छुहारे दे कर लेने में यह इख़्तयार न होगा कि इस लिएकि दिली जिनायत के लिएखाली हक़ साबित है और इस से मिल्क (1) तोड़ना नहीं जायज़ है यह मुहीत में है। अगर ऐसा ग़ुलाम जिस को कुफ़्फ़ार क़ैद कर लिये गये थे और बाद ग़ल्बा-ए-लश्कर इस्लाम के दारूल इस्लाम में ग़नीमत तक़सीम होने में रह किसी व्यक्ति के हिस्से में आया और इस का मौला क़दीम हाज़िर न हुआ यहां तक कि इस व्यक्ति ने इस को आज़ाद या मुदब्बिर कर दिया तो जायज़ है। अगर बजाये ग़ुलाम के बान्दी थी कि इस को इस व्यक्ति ने किसी के साथ ब्याह दिया और शौहर से औलाद जनी तो मालिके क़दीम को हाज़िर हो कर इख़्तयार होगा कि बान्दी और इस की औलाद को लेले और निकाह तोड़ने का इख़्तयार न होगा और अगर इस व्यक्ति ने जिस के हिस्से में पड़ी है इस का उक़्र (2) लिया या किसी ने इस बान्दी पर जिनायत की थी इस का जुर्माना लिया हो तो मौला क़दीम को इस बान्दी के साथ इस उक़्र व जुर्माना के लेने की कोई राह न होगी। यह मबसूत में है।

इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि एक व्यक्ति की मिल्क में एक कुर फ़ारसी जयद छुहारे हैं इस को कफ़्फ़ारह ने लिया और दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें ले गये फिर कोई मुसलमान संरक्षण लेकर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल हुआ और इन से यह छुहारे बऔज़ दो कुर फ़ारसी रद्दी छुहारे के ख़रीदे और इन को दारूल इस्लाम में ले आया फिर मालिक क़दीम हाज़िर हुआ तो इस को यह इख़्तयार न होगा कि इस खरीदने वाले से लिये (3) ऐसा ही ज़ियादात में वर्णित है और असीर कबीर में इमाम मौहम्मद रह० ने ज़िक्र फ़रमाया कि दो कुर रदी छुहारे दे कर ले सकता है इस लिएकि जिस ने दुशमन से यह कुर खरीद किया हैं इस ने बखरीद सही खरीदा है इस लिएकि दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें मुसलमानव हरबी के दरमियान रिबवा (4) जारी नहीं होता है पस जब खरीद सही हुई तो जितने को ग्राहक को पडी है वो दे कर ले लेने का इस्तहक़ाक़ इस को हासिल होगा जैसे दिरहमों के औज़ खरीदने की स्थिति में इस क़द्र दिरहम दे कर ले

कुछ फ़ायदा नहीं है और मुबादला में जब फ़ायदा न हो तो बैअ़ नारवा है और हमारे मशाइख़ में से मोहक़्क़िक़ीन ने फ़रमाया कि जो हुक्म सियर कबीर में मज़कूर है वो इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० का क़ौल है और जो हुक्म ज़ियादात में मज़कूर है वो इमाम अबू यूसुफ़ रह० का क़ौल है इस वास्ते कि इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार मुसलमान व हरबी के दरमियान दारूल हरब (1) में रिबवा जारी होता है।

अगर सूरत मज़कूरह में मुसलमान ने हरबी से कुर मज़कूर के बराबर रदी छुहारे (जैसे और जिस क़द्र अपने दिये हैं) हाथों हाथ दे कर लिये हों और इन को दारूल इस्लाम में निकाल लाया तो सब रिवायात के मुवाफ़िक़ मालिक क़दीम को इख़्तयार होगा कि इस से एक कुर रद्दी दे कर लेले और अगर मुशतरी ने हरबियों से कुर मज़कूर बअ़ौज़ शराब या सुवर के खरीदा हो और दारूल इस्लाम में ले आया तो मालिक क़दीम को सब रिवायात के मुवाफ़िक़ लेने का इख़्तयार न होगा लेकिन अगर यह मुशतरी ज़िम्मी हो तो मालिक क़दीम को इख़्तयार होगा कि इस को सुवर या शराब की क़ीमत दे कर इस से लेले और अगर हरबियों से खरीदने वाले ने इस को इसी के मिस्ल दे कर खरीद किया हो और दारूल इस्लाम में ले आया तो मालिक क़दीम को सब रिवायात के मुवाफ़िक़ इस से लेने का इख़्तयार न होगा। अगर मुशतरी मज़कूर ने इस करके मिस्ल उधार पर खरीदा हो और दारूल इस्लाम में ले आया तो भी मालिक क़दीम को (इस वास्ते कि मुबादला बे फ़ायदा है) इस से लेने का इख़्तयार नहोगा और अगर काफ़िरों ने किसी मुसलमान के हज़ार दिरहम इन दिरहमों में से जो बैतुल माल में क़बूल किये जाते हैं यानी खरे दिरहम लिये और इन को दारूल हरब में ले गये फिर कोई मुसलमान वहां दाखिल हुआ और इस ने ग़ल्ला के हज़ार दिरहम दे कर इन से यह हज़ार दिरहम खरीदे और बाहमी क़ब्ज़ा के बाद दोनों मुतफ़र्रिक़ हुए फिर दारूल इस्लाम में ले आया तो मालिक क़दीम को सब रिवायात के मुवाफ़िक़ इख़्तयार होगा जैसे दिरहम ग़ल्ला इस ने दिये हैं उन्हीं के मिस्ल दे कर दिराहिम मज़कूरह लेले और अगर इन को दीनारों के सकता है और ज़ियादात में जो हुक्म वर्णित है कि नहीं ले सकता है इस की वजह यह है कि जिस ने दुशमन से यह कुर ख़रीदा है इस ने बखरीद (बखरीद सही नहीं खरीदा है) फ़ासिद ख़रीदा है इस लिएकि अल्लाह तआ़ला ने रिबवा को मुतल्लक़न (5) हराम कर दिया है पस चूंकि इस विक्रय में रिबवा स्थपित हो विक्रय फ़ासिद हुई और जो चीज़ बबैअ़ फ़ासिद खरीदी गई है वो ग्राहक के पास मज़मून बिल क़ीमता है यानी इस के तावान में ग्राहक पर क़ीमत अनिवार्य है क़ीमत नहीं अनिवार्य है और इस स्थिति में इस खरीदी हुई चीज़ की क़ीमत यह है कि इस के मिस्ल

(1)जिस के हिस्से में पडा है इस की मिल्क में आ गया है पस इस की मिल्क इतने हक+ कीवजह सह नहीं टूट सकती है।
(2)किसी ने इस बान्दी सेशुब्हा में वती की इस का महर।
(3)जो कुछ इस ने दिया है वो क़ीमत दे कर किसी तरह नहीं ले सकता है हां चाहेखरीद ले।
(4)वो ज+यादती जो बतरीक+ ना मशरूअ+ ली जाये जिस को बयाज कहते हैं।
(5)अगरऐसा मामला विक्र स्थपित हुआ जो दारूल इस्लाम में सूद क़रार पाता है तो वहां भी सूद क़रार दिया जायेगा।

छुहारे दें और इस के मिस्ल छुहारे दे कर लेने में कुछ फ़ायदा नहीं है और मुबादला में जब फ़ायदा न हो तो विक्रय नारवा है और हमारे मशाइख़ में से मोहक़्क़िक़ीन ने फ़रमाया कि जो हुक्म सियर कबीर में वर्णित है वो इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० का कथन है और जो हुक्म ज़ियादात में वर्णित है वो इमाम अबू यूसुफ़ रह० का कथन है इस लिएकि इमाम अबू यूसुफ़ रह० के अनुसार मुसलमान व हरबी के दरमियान दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देश(1) में रिबवा जारी होता है।

अगर स्थिति मज़कूरह में मुसलमान ने हरबी से कुर वर्णित के बराबर रदी छुहारे (जैसे और जिस क़द्र अपने दिये हैं) हाथों हाथ दे कर लिये हों और इन को दारूल इस्लाम में निकाल लाया तो सब रिवायात के मुवाफ़िक़ मालिक क़दीम को इख़्तयार होगा कि इस से एक कुर रद्दी दे कर लेले और अगर ग्राहक ने हरबियों से कुर वर्णित बअ़ौज़ शराब या सुवर के खरीदा हो और दारूल इस्लाम में ले आया तो मालिक क़दीम को सब रिवायात

औज़ बसर्फ़ सही खरीद किया और दारूल इस्लाम में ले आया तो मालिक क़दीम को इख़्तयार होगा कि उन्हीं दीनारों के मिस्ल देकर इस से लेले।

इस तरह अगर इस मुसलमान ने इन के हाथ हज़ार दिरहम ग़ल्ला के बऔज़ हज़ार दिरहम बैतुल माल के नक़द के फ़रोख़्त किये और हरबियों ने नक़द बैतुल माल में वही दिरहम दे जिन को वो लोग यहां से लूट ले गये हैं और मुसलमानों मज़कूर इन को दारूल इस्लाम में ले आया तो मालिक क़दीम को इख़्तयार होगा कि मिस्ल दिराहिम ग़ल्ला दे कर इस से यह दिराहिम लेले। अगर काफ़िर लोग दारूल इस्लाम से मुसलमान का कुर ले गये और इस को दारूल हरब में ले जा कर इक़रार कर लिया फिर अमान ले कर कोई मुसलमान दारूल हरब में दाखिल हुआ और एक कुर गेंहू की बैअ सलम में इन को सौ दिरहम दिये और यह बैअ सलम सही क़रार पाई है फिर जब मुस्लिम फ़िया (2) अदा करने की मीआद आई तो उन्होंने यही कुर जो दारूल इस्लाम से ले गये हैं इस को अदा किया पस इस ने क़ब्ज़ा कर लिया और इस को दारूल इस्लाम में निकाल लाया तो मालिक क़दीम को इख़्तयार होगा कि इस से सौ दिरहम दे कर लेले और अगर मुसलमान ने हरबियों के हाथ कोई असबाब ऐसे हज़ार दिरहम को फ़रोख़्त किया तजो नक़द बैतुल माल हों फिर उन्होंने इस को वही हज़ार दिरहम नक़द बैतुल माल दिये जो दारूल इस्लाम में से किसी मुसलमान के लिये गये हैं और अपने अहराज़ में कर लिये हैं पस इस ने इन पर क़ब्ज़ा किया और इन को दारूल इस्लाम में लाया तो मालिक क़दीम को इख़्तयार न होगा कि इस से यह दिराहिम ले और अगर अहले हरब किसी मुसलमान का एक कुर गेंहू ले गये और दारूल हरब में ले जा कर अपने अहराज़ में कर लिया फिर कोई मुसलमान अमान ले कर दारूल हरब में दाखिल हुआ और इन के हाथ कोई असबाब बऔज़ एक कुर गेंहू के जो बअयुना नहीं हैं बल्कि मुशतरी के ज़िम्मे क़रार पाये हैं फ़रोख़्त किया फिर मुशतरी ने वही कुर जिस को दारूल इस्लाम से ले गये हैं अदा किया पस बाऐ ने क़ब्ज़ा कर लिया और इस को दारूल इस्लाम में निकाल लाया तो मालिक क़दीम के मुवाफ़िक़ लेने का इख़्तयार न होगा लेकिन अगर यह ग्राहक ज़िम्मी हो तो मालिक क़दीम को इख़्तयार होगा कि इस को सुवर या शराब की क़ीमत दे कर इस से लेले और अगर हरबियों से खरीदने वाले ने इस को इसी के मिस्ल दे कर खरीद किया हो और दारूल इस्लाम में ले आया तो मालिक क़दीम को सब रिवायात के मुवाफ़िक़ इस से लेने का इख़्तयार न होगा। अगर ग्राहक वर्णित ने इस करके मिस्ल उधार पर खरीदा हो और दारूल इस्लाम में ले आया तो भी मालिक क़दीम को (इस लिएकि मुबादला बे फ़ायदा है) इस से लेने का इख़्तयार नहोगा और अगर काफ़िरों ने किसी मुसलमान के हज़ार दिरहम इन दिरहमों में से जो बैतुल माल में क़बूल किये जाते हैं यानी खरे दिरहम लिये और इन को दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें ले गये फिर कोई मुसलमान वहां दाखिल हुआ और इस ने ग़ल्ला के हज़ार दिरहम दे कर इन से यह हज़ार दिरहम खरीदे और बाहमी क़ब्ज़ा के बाद दोनों मुतफ़र्रिक़ हुए फिर दारूल इस्लाम में ले आया तो मालिक क़दीम को सब रिवायात के मुवाफ़िक़ इख़्तयार होगा जैसे दिरहम ग़ल्ला इस ने दिये हैं उन्हीं के मिस्ल दे कर दिराहिम मज़कूरह लेले और अगर इन को दीनारों के औज़ बसर्फ़ सही खरीद किया और दारूल इस्लाम में ले आया तो मालिक क़दीम को इख़्तयार होगा कि उन्हीं दीनारों के मिस्ल देकर इस से लेले।

इस तरह अगर इस मुसलमान ने इन के हाथ हज़ार दिरहम ग़ल्ला के बऔज़ हज़ार दिरहम बैतुल माल के नक़द के फ़रोख़्त किये और हरबियों ने नक़द बैतुल माल में वही दिरहम दे जिन को वो लोग यहां से लूट ले गये हैं और मुसलमानों वर्णित इन को दारूल इस्लाम में ले आया तो मालिक क़दीम को इख़्तयार होगा कि मिस्ल दिराहिम ग़ल्ला दे कर इस से यह दिराहिम लेले। अगर काफ़िर लोग दारूल इस्लाम से मुसलमान का कुर ले गये और इस को दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें ले जा कर इक़रार कर लिया फिर संरक्षण ले कर कोई मुसलमान दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल हुआ और एक कुर गेंहू की विक्रय सलम में इन को सौ दिरहम दिये और यह विक्रय सलम सही क़रार पाई है

(1)अगरऐसा मामला बैअ+ वाक़े हुआ जो दारूल इस्लाम में सूद क़रार पाता है तो वहां भी सूद क़रार दिया जायेगा।
(2)वो जिन्स जो बैअ+ मुस्लिम में बाऐ से क़रार पाई है।

को यह इख़्तयार न होगा कि इस को लेले। अगर हरबियों ने कुर मुसलमान को अपने दार में अहराज़ (1) कर लिया फिर कोई मुसलमान अमान ले कर इन के दार में दाखिल हुआ और इस ने इन लोगों को एक कुर गेंहू क़र्ज़ा दिये फिर उन्होंने इस को इस के क़र्ज़ा में वही कुर अदा किया जिस को वो दारूल इस्लाम से अपनी हरज़ दारूल हरब में ले गये हैं पस क़ब्ज़ा करके इस को दारूल इस्लाम में निकाल लाया तो मालिक क़दीम को इस करके लेने की कोई राह न होगी जो कुर इस ने क़र्ज़ा में दिया है और हरबियों और हरबियों ने लिया है वो इस कुर के जो वो अपनी हरज़ा में ले गये हैं मिस्ल हो या घट के हो या इस से खरा हो यह मुहीत में है।

अहले हरब किसी मुसलमान की चांदी की छागल ले गये हों जिस की क़ीमत हज़ार दिरहम और वज़न पांच सौ मिस्क़ाल है फिर किसी मुसलमान ने दुशमन से इस के वज़न से ज़्यादा या कम के औज़ इस को खरीदा तो मालिक क़दीम इस की क़ीमत के औज़ इस को ले सकता है :

अगर दुशमन ने मुसलमान से दस कपड़े लिये यानी ग़ालिब हो कर किसी मुसलमान के दस कपड़े लोट कर दारूल इस्लाम से दारूल हरब में निकाल ले गया फिर कोई मुसलमान दारूल हरब में अमान ले कर दाख़िल हुआ और इस ने कोई असबाब दुशमन के हाथ दस कपड़ों के औज़ फ़रोख़्त किया जिन का वसफ़ और अदा करने की मुद्दत बयान हो गई है हत्ता कि बैअ बहमा वजूह सही है फिर दुशमन ने इस को वही दस कपड़े अदा किये जिन को लूट कर अपने अहराज़ में ले गया फिर जब मुस्लिम फ़िया (2) अदा करने की मीआद आई तो उन्होंने यही कुर जो दारूल इस्लाम से ले गये हैं इस को अदा किया पस इस ने क़ब्ज़ा कर लिया और इस को दारूल इस्लाम में निकाल लाया तो मालिक क़दीम को इख़्तयार होगा कि इस से सौ दिरहम दे कर लेले और अगर मुसलमान ने हरबियों के हाथ कोई असबाब ऐसे हज़ार दिरहम को फ़रोख़्त किया तजो नक़्द बैतुल माल हों फिर उन्होंने इस को वही हज़ार दिरहम नक़्द बैतुल माल दिये जो दारूल इस्लाम में से किसी मुसलमान के लिये गये हैं और अपने अहराज़ में कर लिये हैं पस इस ने इन पर क़ब्ज़ा किया और इन को दारूल इस्लाम में लाया तो मालिक क़दीम को इख़्तयार न होगा कि इस से यह दिराहिम ले और अगर अहले हरब किसी मुसलमान का एक कुर गेंहू ले गये और दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें ले जा कर अपने अहराज़ में कर लिया फिर कोई मुसलमान संरक्षण ले कर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल हुआ और इन के हाथ कोई असबाब बऔज़ एक कुर गेंहू के जो बअयुना नहीं हैं बल्कि ग्राहक के ज़िम्मे क़रार पाये हैं फ़रोख़्त किया फिर ग्राहक ने वही कुर जिस को दारूल इस्लाम से ले गये हैं अदा किया पस बाऐ ने क़ब्ज़ा कर लिया और इस को दारूल इस्लाम में निकाल लाया तो मालिक क़दीम

(1)अगरऐसा मामला विक्र स्थपित हुआ जो दारूल इस्लाम में सूद क़रार पाता है तो वहां भी सूद क़रार दिया जायेगा।
(2)वो जिन्स जो विक्र मुस्लिम में बाऐ से क़रार पाई है।

को यह इख़्तयार न होगा कि इस को लेले। अगर हरबियों ने कुर मुसलमान को अपने दार में अहराज़ (1) कर लिया फिर कोई मुसलमान संरक्षण ले कर इन के दार में दाखिल हुआ और इस ने इन लोगों को एक कुर गेंहू क़र्ज़ा दिये फिर उन्होंने इस को इस के क़र्ज़ा में वही कुर अदा किया जिस को वो दारूल इस्लाम से अपनी हरज़ दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें ले गये हैं पस क़ब्ज़ा करके इस को दारूल इस्लाम में निकाल लाया तो मालिक क़दीम को इस करके लेने की कोई राह न होगी जो कुर इस ने क़र्ज़ा में दिया है और हरबियों और हरबियों ने लिया है वो इस कुर के जो वो अपनी हरज़ा में ले गये हैं मिस्ल हो या घट के हो या इस से खरा हो

पस मुसलमान मज़कूर इन कपड़ों को दारूल इस्लाम में निकाल लाया तो मालिक क़दीम को इख़्तयार होगा कि इस को इस की मताअ की क़ीमत दे कर यह कपड़े लेले। अगर गेंहू का कुर जिस को अहले हरब यहां से अपने अहराज़ में ले गये हैं दो मुसलमानों ने अहले हरब से खरीद लिया और बाहम तक़सीम कर लिया फिर एक ने अपना हिस्सा तलफ़ कर डाला तो मालिक क़दीम को इख़्तयार है कि निस्फ़ बाक़ी को निस्फ़ सिमन मज़कूर दे कर लेले और अगर बजाये करके इस मसले में कपड़े हों तो बाक़ी निस्फ़ कपड़ों को मालिक क़दीम अगर चाहे तो चौथाई सिमन और तलफ़ शुदह की निस्फ़ क़ीमत दे कर ले सकता है और अहले हरब किसी मुसलमान की चांदी की छागल ले गये हों जिस की क़ीमत हज़ार दिरहम और वज़न पांच सौ मिस्क़ाल है फिर किसी मुसलमान ने दुशमन से इस के वज़न से ज़्यादा या कम के औज़ इस को खरीदा तो मालिक क़दीम इस की क़ीमत के औज़ इस को ले सकता है चाहिए जिस क़द्र तक पहुंचे मगर यह क़ीमत इस की जिन्स के खिलाफ़ से होगी यानी अगर चांदी की छागल है तो सोने से क़ीमत और अगर सोने की छागल है तो चांदी से क़ीमत अदा करेगा यह काफ़ी में है।

अगर इस के वज़न के मिस्ल दिरहम हाथों हाथ दे कर खरीद करके दारूल इस्लाम में लाया हो तो मालिक क़दीम को इख़्तयार होगा कि इसी क़द्र दिरहम दे कर इस से लेले यही सब रिवायात के मुवाफ़िक़ हुक्म है और अगर इस के मिस्ल वज़न के दिरहम उधार पर खरीद करके दारूल इस्लाम में लाया तो यह सूरत और दर सूरत यह कि इस ने ज़्यादा या कम दिरहमों के औज़ खरीदा है सब यक्सां हैं यानी मालिक क़दीम बक़ीमत ले सकता है और अगर ताजिर मज़कूर ने अबरीक़ को हरबियों से बऔज़ शराब या सुवर के खरीदा हो तो मालिक क़दीम कुल रिवायात के मुवाफ़िक़ मुख़्तार है कि चाहे इस के खिलाफ़ जिन्स से इस की क़ीमत दे कर लेले और अगर कोई ज़िम्मी इस को शराब या सुवर के औज़ खरीद करके दारूल इस्लाम में लाया हो तो मालिक क़दीम इस अबरीक़ को बऔज़ क़ीमत शराब या सुवर केक जो इस यह मुहीत में है।

अहले हरब किसी मुसलमान की चांदी की छागल ले गये हों जिस की क़ीमत हज़ार दिरहम और वज़न पांच सौ मिस्क़ाल है फिर किसी मुसलमान ने दुशमन से इस के वज़न से ज़्यादा या कम के औज़ इस को खरीदा तो मालिक क़दीम इस की क़ीमत के औज़ इस को ले सकता है :

अगर दुशमन ने मुसलमान से दस कपड़े लिये यानी ग़ालिब हो कर किसी मुसलमान के दस कपड़े लोट कर दारूल इस्लाम से दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें निकाल ले गया फिर कोई मुसलमान दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें संरक्षण ले कर दाखिल हुआ और इस ने कोई असबाब दुशमन के हाथ दस कपड़ों के औज़ फ़रोख़्त किया जिन का वसफ़ और अदा करने की मुद्दत बयान हो गई है हत्ता कि विक्रय बहमा वजूह सही है फिर दुशमन ने इस को वही दस कपड़े अदा किये जिन को लूट कर अपने अहराज़ में ले गया पस मुसलमान वर्णित इन कपड़ों को दारूल इस्लाम में निकाल लाया तो मालिक क़दीम को इख़्तयार होगा कि इस को इस की मताअ की क़ीमत दे कर यह कपड़े लेले। अगर गेंहू का कुर जिस को अहले हरब यहां से अपने अहराज़ में ले गये हैं दो मुसलमानों ने अहले हरब से खरीद लिया और बाहम तक़सीम कर लिया फिर एक ने अपना हिस्सा तलफ़ कर डाला तो मालिक क़दीम को इख़्तयार है कि निस्फ़ बाक़ी को निस्फ़ क़ीमत वर्णित दे कर लेले और अगर बजाये करके इस मसले में कपड़े हों तो बाक़ी निस्फ़ कपड़ों को मालिक क़दीम अगर चाहे तो चौथाई क़ीमत और तलफ़ शुदह की निस्फ़ क़ीमत दे कर ले सकता है और अहले हरब किसी मुसलमान की चांदी की

ने दिये हैं ले सकता है और सियर कबीर में मज़्कूर है कि किसी ग़ुलाम को अहले हरब गिरफ़्तार करकेले गये और कोई मुसलमान इन से इस ग़ुलाम को बऔज़ हज़ार दिरहम और एक रतल शराब के खरीद कर के दारूल इस्लाम में लाया (2) तो देखा जाये कि अगर इस की क़ीमत हज़ार दिरहम या हज़ार से कम है तो मौला क़दीम इस को हज़ार दिरहम दे कर ले

(1)नी अपने क़ब्ज़ा हैं पूरी तरह महफ़ूज+ कर लिया।
(2)ह हासिल कलाम इमाम मौहम्मद रह मज़कूर है बशरह फ़िक्हा।

सकता है और अगर हज़ार से .ज्यादा है तो पूरी क़ीमत दे कर ले सकता है मगर शराब जिस का देना मज़्कूर हुआ है इस के बसबब से हज़ार से कमी या हज़ार से .ज्यादती न की जायेगी और अगर मुसलमान ने इन से यह ग़ुलाम बऔज़ हज़ार दिरहम और मुर्दार जानवर या ख़ून के खरीद हो तो मालिक क़दीम इस को हज़ार दिरहम दे कर ले सकता है और मुर्दार ख़ून की वजह से हज़ार पर कुछ बढ़ाया न जायेगा अगरचे ग़ुलाम की क़ीमत हज़ारसे .ज्यादा (1) हो और अगर ज़ैद ने उमरो से एक ग़ुलाम ग़सब किया और ग़ासिब के हाथ से हरबियों ने ग़ल्बा करके लिया और इस को अपने हरज़ दारूल हरब में ले गये फिर मुसलमान ने इस दारूल हरबअ में फ़तह पाकर ग़नीमत हासिल की फिर उमरो ने यह ग़ुलाम ग़नीमत में देखा और हुनूज़ ग़नीमत तक़्सीम नहीं हुई है तो इस को मुफ्त ले सकता है और ग़ासिब पर ज़िमान न होगी और अगर बाद तक़्सीम ग़नीमत के जिस ग़ाज़ी के हिस्से में आया है इस के पास देखा तो मज़्कूर है कि उमरो को इख़्तयार है कि चाहे इस शख़्स से जिस के हिस्से में आया है इस ग़ुलाम की इस रोज़ की क़ीमत जिस रोज़ लेना चाहता हे इस को दे कर लेले और अगर चाहे इस से ग़ुलाम न ले और ग़ासिब से ग़ुलाम की क़ीमत दे कर ग़ुलाम ले लिया तो ग़ासिब से भी क़ीमत नहीं ले सकता है बल्कि इस क़ीमत और ग़ासिब करने के रोज़ की ग़ुलाम की क़ीमत दोनों में से जो कम हो वो ले लेगा मसलन ग़ुलाम मज़्कूर की क़ीमत बरोज़ ग़सब हज़ार दिरहम थी और जिस ग़ाज़ी के हिस्से में पड़ा है इस से लेने के रोज़ की क़ीमत दो हज़ार छागल ले गये हों जिस की क़ीमत हज़ार दिरहम और वज़न पांच सौ मिस्क़ाल है फिर किसी मुसलमान ने दुशमन से इस के वज़न से .ज्यादा या कम के औज़ इस को खरीदा तो मालिक क़दीम इस की क़ीमत के औज़ इस को ले सकता है चाहिए जिस क़द्र तक पहुंचे मगर यह क़ीमत इस की जिन्स के खिलाफ़ से होगी यानी अगर चांदी की छागल है तो सोने से क़ीमत और अगर सोने की छागल है तो चांदी से क़ीमत अदा करेगा यह काफ़ी में है।

अगर इस के वज़न के मिस्ल दिरहम हाथों हाथ दे कर खरीद करके दारूल इस्लाम में लाया हो तो मालिक क़दीम को इख़्तयार होगा कि इसी क़द्र दिरहम दे कर इस से लेले यही सब रिवायात के मुवाफ़िक़ हुक्म है और अगर इस के मिस्ल वज़न के दिरहम उधार पर खरीद करके दारूल इस्लाम में लाया तो यह स्थिति और दर स्थिति यह कि इस ने .ज्यादा या कम दिरहमों के औज़ खरीदा है सब यक्सां हैं यानी मालिक क़दीम बक़ीमत ले सकता है और अगर ताजिर वर्णित ने अबरीक़ को हरबियों से बऔज़ शराब या सुवर के खरीदा हो तो मालिक क़दीम कुल रिवायात के मुवाफ़िक़ मुख़्तार है कि चाहे इस के खिलाफ़ जिन्स से इस की क़ीमत दे कर लेले और अगर कोई ज़िम्मी इस को शराब या सुवर के औज़ खरीद करके दारूल इस्लाम में लाया हो तो मालिक क़दीम इस अबरीक़ को बऔज़ क़ीमत शराब या सुवर केक जो इस ने दिये हैं ले सकता है और सियर कबीर में वर्णित है कि किसी ग़ुलाम को अहले हरब गिरफ़्तार करकेले गये और कोई मुसलमान इन से इस ग़ुलाम को बऔज़ हज़ार दिरहम और एक रतल शराब के खरीद कर के दारूल इस्लाम में लाया (2) तो देखा जाये कि अगर इस की क़ीमत हज़ार दिरहम या हज़ार से कम है तो मौला क़दीम इस को हज़ार दिरहम दे कर ले

(1)नी अपने क़ब्ज़ा हैं पूरी तरह महफ़ूज+ कर लिया।
(2)ह हासिल बात इमाम मौहम्मद रह वर्णित है बशरह फ़िक्हा।

सकता है और अगर हज़ार से .ज्यादा है तो पूरी क़ीमत दे कर ले सकता है मगर शराब जिस का देना वर्णित हुआ है इस के बसबब से हज़ार से कमी या हज़ार

दिरहम है पस मालिक क़दीम दो हज़ार दिरहम हो फिर नरख़ घट जाने की वजह से ग़ाज़ी से लेने के रोज़ पांच सौ दिरहम थे कि इस ने पांच सौ दिरहम दे कर ले लिया तो ग़ासिब से भी पांच सौ दिरहम वापिस लेना।

यह सब इस सूरत में कि मालिक क़दीम ने ग़ाज़ी से जिस के हिस्से में आया है ग़ुलाम लेना इख़्तयार किया और अगर इस ने ग़ाज़ी से न लिया बल्कि ग़ासिब से इस के ग़सब करने के रोज़ की क़ीमत तावान लेनी इख़्तयार की तो जब ग़ासिब ने तावान दे दिया तो इस का हुक्म बाद तावान देने के मिस्ल मालिक क़दीम के है यानी जिस से ग़सब कर लिया था चुनांचे अगर इस ने ग़ुलाम को ग़नीमत में क़ब्ल इस की तक़सीम के पाया तो बग़ैर कुछ दिये हुए मुफ्त ले लेगा और अगर बाद तक़सीम ग़नीमत के किसी ग़ाज़ी के पास जिस के हिस्से में पड़ा है पाया तो इस की क़ीमत दे कर इस को ले सकता है। इसी तरह अगर मुसलमानों ने जिहाद में ग़ातलिब हो कर यह ग़ुलाम ग़नीमत में हासिल नहीं किया बल्कि कोई मुसलमान जो दारूल हरब में दाखिल हुआ है इन से खरीद लाया पस अगर मौला क़दीम ने ग़ासिब से हुनूज़ इस की क़ीमत रोज़ ग़सब तावान न ली हो तो इस को दो तरह का इख़्तयार है चाहिए खरीद लाने वाले को इस का दुशमन दे कर इस से ग़ुलाम लेले और चाहे इस से न ले और ग़ासिब से रोज़ गसब की क़ीमत ग़ुलाम लेले पस अगर इस ने खरीद लाने वाले से इस का सिमन दे कर ग़ुलाम ले लिया तो ग़ासिब से क़ीमत रोज़ ग़सब और सिमन मज़कूर जो इस ने मुशतरी को अदा किया है दोनों में से जो कम हो वो तावान ले सकता है और अगर इस ने खरीद लाने वाले से ग़ुलाम न लिया और ग़ासिब से रोज़ ग़सब की क़ीमत तावान ले ली तो इस के बाद मालिक क़दीम को ग़ुलाम पर हाथ लगाने की कोई राह न होगी और ग़ासिब मज़कूर बजाये मालिक क़दीम के क़ायम होगा पस ग़ासिब मज़कूर को इख़्तयार होगा कि चाहे खरीद लाने वाले से इस का सिमन दे कर ग़ुलाम ले ले और चाहिए छोड़ दे। फिर अगर ग़ासिब ने खरीद लाने वाले को इस का सिमन दे दिया या जिस ग़ाज़ी के हिस्से में पड़ा है इस को इस की क़ीमत दे दी और ग़ुलाम इस से ज़्यादती न की जायेगी और अगर मुसलमान ने इन से यह ग़ुलाम बऔज़ हज़ार दिरहम और मुर्दार जानवर या ख़ून के खरीद हो तो मालिक क़दीम इस को हज़ार दिरहम दे कर ले सकता है और मुर्दार ख़ून की वजह से हज़ार पर कुछ बढ़ाया न जायेगा अगरचे ग़ुलाम की क़ीमत हज़ारसे ज़्यादा (1) हो और अगर ज़ैद ने उमर से एक ग़ुलाम ग़सब किया और ग़ासिब के हाथ से हरबियों ने ग़ल्बा करके लिया और इस को अपने हरज़ दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें ले गये फिर मुसलमान ने इस दारूल हरबअ में फ़तह पाकर ग़नीमत हासिल की फिर उमर ने यह ग़ुलाम ग़नीमत में देखा और हुनूज़ ग़नीमत तक़सीम नहीं हुई है तो इस को मुफ्त ले सकता है और ग़ासिब पर ज़िमान न होगी और अगर बाद तक़सीम ग़नीमत के जिस ग़ाज़ी के हिस्से में आया है इस के पास देखा तो वर्णित है कि उमर को इख़्तयार है कि चाहे इस व्यक्ति से जिस के हिस्से में आया है इस ग़ुलाम की इस रोज़ की क़ीमत जिस रोज़ लेना चाहता है इस को दे कर लेले और अगर चाहे इस से ग़ुलाम न ले और ग़ासिब से ग़ुलाम की क़ीमत दे कर ग़ुलाम ले लिया तो ग़ासिब से भी क़ीमत नहीं ले सकता है बल्कि इस क़ीमत और ग़ासिब करने के रोज़ की ग़ुलाम की क़ीमत दोनों में से जो कम हो वो ले लेना मसलन ग़ुलाम वर्णित की क़ीमत बरोज़ ग़सब हज़ार दिरहम थी और जिस ग़ाज़ी के हिस्से में पड़ा है इस से लेने के रोज़ की क़ीमत दो हज़ार दिरहम है पस मालिक क़दीम दो हज़ार दिरहम हो फिर नरख़ घट जाने की वजह से ग़ाज़ी से लेने के रोज़ पांच सौ दिरहम थे कि इस ने पांच सौ दिरहम दे कर ले लिया तो ग़ासिब से भी पांच सौ दिरहम वापिस लेगा।

यह सब इस स्थिति में कि मालिक क़दीम ने ग़ाज़ी से जिस के हिस्से में आया है ग़ुलाम लेना इख़्तयार किया और अगर इस ने ग़ाज़ी से न लिया बल्कि ग़ासिब से इस के ग़सब करने के रोज़ की क़ीमत तावान लेनी इख़्तयार की तो जब ग़ासिब ने तावान दे दिया तो इस का हुक्म बाद तावान देने के मिस्ल मालिक क़दीम के है यानी जिस से ग़सब कर लिया था चुनांचे अगर इस ने ग़ुलाम को ग़नीमत में क़ब्ल इस की तक़सीम के पाया तो बग़ैर

से ले लिया फिर मालिक क़दीम ने चाहा कि ग़ासिब से जो क़ीमत तावान ली है वो ग़ासिब को वापिस करके ग़ुलाम इस से लेले तो इस में दो सूरतें हैं एक यह कि अगर मालिक क़दीम ने ग़ासिब से अपने ज़अम के मुवाफ़िक़ क़ीमत

(1)फ़र्क़ यह है कि मुर्दार+]ून माल है नहीं है औरशराब माल है मगर मुसलमानों के हक+ में माल मतक़ूम नहीं है फ़ाफ़हम।

हासिल की है बईं तौर कि दोनों ने रोज़ ग़सब की क़ीमत में इख़्तलाफ़ किया चुनांचे ग़ासिब ने कहा कि जिस रोज़ मैंने ग़सब किया है इस रोज़ ग़ुलाम की क़ीमत हज़ार दिरहम थी और मालिक ने कहा कि दो हज़ार दिरहम थी और मालिक ने अपने दअवा पर गवाह क़ायम किये और ग़ासिब से दो हज़ार दिरहम क़ीमत पाई या गवाह न थे पस ग़ासिब से क़सम तलब की और ग़ासिब ने क़सम खाने से इन्कार किया पस ग़ासिब से दो हज़ार दिरहम हासिल किये या दोनों ने मालिक के दअवा के मुवाफ़िक़ मिक़्दार पर बाहमी रज़ामन्दी से सुलह करली तो इन तीनों सूरतों में मालिक क़दीम को यह इख़्तयार न होगा कि चाहे ग़ासिब को इस की क़ीमत वापिस करके ग़ुलाम लेले या छोड दे।

जिस सूरत में मालिक क़दीम को इख़्तयार वापसी क़ीमत व अख़ज़ ग़ुलाम या तर्क ग़ुलाम हासिल हुआ है अगर ऐसी सूरत में मालिक क़दीम ने कहा कि मैं यह क़ीमत जो मुझे मिली है रखे लेता हूं :

दोयम यह कि अगर मालिक ने ग़ासिब के ज़अम के मुवाफ़िक़ क़ीमत पाई है बईं तौर कि मालिक के पास गवाह न थे इस ने ग़ासिब से क़सम तलब की पस ग़ासिब ने क़सम खाई और मालिक ने इस से हज़ार दिरहम मुवाफ़िक़ इस के दअवा के पाये फिर ग़ुलाम मज़कूर ग़ासिब के हाथ में आया जैसे कि हम ने बयान किया है तो मालिक क़दीम को इख़्तयार दिया जायेगा कि चाहे ग़ासिब से जो क़ीमत ली है इस को वापिस करके ग़ुलाम लेले और चाहे ग़ुलाम इसी के पास रहने दे। फिर इमाम मौहम्मद रह० ने किताब (1) में ज़िक्र फ़रमाया कुछ दिये हुए मुफ़्त ले लेगा और अगर बाद तक़सीम ग़नीमत के किसी ग़ाज़ी के पास जिस के हिस्से में पड़ा है पाया तो इस की क़ीमत दे कर इस को ले सकता है। इसी तरह अगर मुसलमानों ने जिहाद में ग़ातलिब हो कर यह ग़ुलाम ग़नीमत में हासिल नहीं किया बल्कि कोई मुसलमान जो दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दाख़िल हुआ है इन से ख़रीद लाया पस अगर मौला क़दीम ने ग़ासिब से हुनूज़ इस की क़ीमत रोज़ ग़सब तावान न ली हो तो इस को दो तरह का इख़्तयार है चाहिए ख़रीद लाने वाले को इस का दुशमन दे कर इस से ग़ुलाम लेले और चाहे इस से न ले और ग़ासिब से रोज़ ग़सब की क़ीमत ग़ुलाम लेले पस अगर इस ने ख़रीद लाने वाले से इस का क़ीमत दे कर ग़ुलाम ले लिया तो ग़ासिब से क़ीमत रोज़ ग़सब और क़ीमत वर्णित जो इस ने ग्राहक को अदा किया है दोनों में से जो कम हो वो तावान ले सकता है और अगर इस ने ख़रीद लाने वाले से ग़ुलाम न लिया और ग़ासिब से रोज़ ग़सब की क़ीमत तावान ले ली तो इस के बाद मालिक क़दीम को ग़ुलाम पर हाथ लगाने की कोई राह न होगी और ग़ासिब वर्णित बजाये मालिक क़दीम के क़ायम होगा पस ग़ासिब वर्णित को इख़्तयार होगा कि चाहे ख़रीद लाने वाले से इस का क़ीमत दे कर ग़ुलाम ले ले और चाहिए छोड दे। फिर अगर ग़ासिब ने ख़रीद लाने वाले को इस का क़ीमत दे दिया या जिस ग़ाज़ी के हिस्से में पडा है इस को इस की क़ीमत दे दी और ग़ुलाम इस से ले लिया फिर मालिक क़दीम ने चाहा कि ग़ासिब से जो क़ीमत तावान ली है वो ग़ासिब को वापिस करके ग़ुलाम इस से लेले तो इस में दो सूरतें हैं एक यह कि अगर मालिक क़दीम ने ग़ासिब से अपने ज़अम के मुवाफ़िक़ क़ीमत

(1)फ़र्क़ यह है कि मुर्दार+]ून माल है नहीं है औरशराब माल है मगर मुसलमानों के हक+ में माल मतक़ूम नहीं है फ़ाफ़हम।

हासिल की है बईं तौर कि दोनों ने रोज़ ग़सब की क़ीमत में मतभेद किया चुनांचे ग़ासिब ने कहा कि जिस रोज़ मैंने ग़सब किया है इस रोज़ ग़ुलाम की क़ीमत हज़ार दिरहम थी और मालिक ने कहा कि दो हज़ार दिरहम थी और मालिक ने अपने दअवा पर गवाह क़ायम किये और

कि हर गाह मालिक क़दीम ने ग़ासिब के ज़अम के मुवाफ़िक़ ग़ुलाम की क़ीमत इस से लेली हो फिर इस ने ग़ुलाम मज़कूर हरबियों से खरीद लाने वाले के पास या इन से ग़ाज़ी के पास जिस के हिस्से में पड़ा है देखा और क़ीमत ग़ुलाम वही है जो मालिक क़दीम कहता था यानी मसलन दो हज़ार दिरहम तो मालिक क़दीम को इख़्तयार दिया जायेगा और अगर ग़ुलाम की क़ीमत इस क़द्र पाई गई जैसे ग़ालिब कहता था या इस से भी कम पाई गई पस आया मालिक क़दीम को इख़्तयार हासिल होगा या नहीं सो इमाम मौहम्मद रह० ने इस सूरत को ज़िक्र नहीं फ़रमाया है और फ़क़ीह अबू जअफ़र हिन्दवानी से मंक़ूल है कि वो फ़रमाते थे कि एक रिवायत में है कि इस को इख़्तयार हासिल होगा और दूसरी एक रिवायत में है कि नहीं हासिल होगा फिर वाज़ह हो कि जिस सूरत में मालिक क़दीम को इख़्तयार वापसी क़ीमत व अख़ज़ ग़ुलाम या तर्क ग़ुलाम हासिल हुआ है अगर ऐसी सूरत में मालिक क़दीम ने कहा कि मैं यह क़ीमत जो मुझे मिली है रखे लेता हूं और इस ग़ुलाम ज़ाहिर शुदह के रोज़ ग़सब की पूरी क़ीमत तक में जिस क़द्र और मुझे ज़्यादा चाहिए है वो ग़ासिब से ले लूंगा तो इस को यह इख़्तयार नहीं है बल्कि इस क़द्र वो इख़्तयार रखता है कि चाहे यह क़ीमत वापिस करके ग़ुलाम लेले और चाहे यही क़ीमत रहने दे यह मुहीत में है।

अगर कोई माल ऐन किसी मुस्ताजर के इजारह में या किसी के पास आरियत या वदीअत हो और हरबी कुफ़्फ़ार ग़ालिब हो कर इस को अपने हरज़ दारूल हरब में ले गये फिर माल मज़कूर दारूल इस्लाम में आया पस आया मुस्ताजर या मस्तूदअ या मुस्तईर को मुख़समा करके वापिस लेने का इख़्तयार शरई है या नहीं है तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि अगर वो माल ऐन जिहाद की ग़नीमत में आया तो मुस्ताजिर को इख़्तयार है कि मुतालबा करे पस क़ब्ल तक़सीम होने ग़नीमत के मुतालबा करने से मुफ़्त बग़ैर कुछ दिये हुए लेगा और यही इख़्तयार मुस्तईर (2) व मस्तूदअ को है फिर जब मुस्ताजिर इस को लेलेगा तो इस का इजारह ऊद करेगा और उजरत इस मुद्दत गुज़िश्ता की कि जिस में इस ने ग़ासिब से दो हज़ार दिरहम क़ीमत पाई या गवाह न थे पस ग़ासिब से क़सम तलब की और ग़ासिब ने क़सम खाने से इन्कार किया पस ग़ासिब से दो हज़ार दिरहम हासिल किये या दोनों ने मालिक के दअवा के मुवाफ़िक़ मिक़्दार पर बाहमी रज़ामन्दी से सुलह करली तो इन तीनों सूरतों में मालिक क़दीम को यह इख़्तयार न होगा कि चाहे ग़ासिब को इस की क़ीमत वापिस करके ग़ुलाम लेले या छोड़ दे।

जिस स्थिति में मालिक क़दीम को इख़्तयार वापसी क़ीमत व अख़ज़ ग़ुलाम या तर्क ग़ुलाम हासिल हुआ है अगर ऐसी स्थिति में मालिक क़दीम ने कहा कि मैं यह क़ीमत जो मुझे मिली है रखे लेता हूं :

दोयम यह कि अगर मालिक ने ग़ासिब के ज़अम के मुवाफ़िक़ क़ीमत पाई है बईं तौर कि मालिक के पास गवाह न थे इस ने ग़ासिब से क़सम तलब की पस ग़ासिब ने क़सम खाई और मालिक ने इस से हज़ार दिरहम मुवाफ़िक़ इस के दअवा के पाये फिर ग़ुलाम वर्णित ग़ासिब के हाथ में आया जैसे कि हम ने बयान किया है तो मालिक क़दीम को इख़्तयार दिया जायेगा कि चाहे ग़ासिब से जो क़ीमत ली है इस को वापिस करके ग़ुलाम लेले और चाहे ग़ुलाम इसी के पास रहने दे। फिर इमाम मौहम्मद रह० ने किताब (1) में ज़िक्र फ़रमाया कि हर गाह मालिक क़दीम ने ग़ासिब के ज़अम के मुवाफ़िक़ ग़ुलाम की क़ीमत इस से लेली हो फिर इस ने ग़ुलाम वर्णित हरबियों से खरीद लाने वाले के पास या इन से ग़ाज़ी के पास जिस के हिस्से में पड़ा है देखा और क़ीमत ग़ुलाम वही है जो मालिक क़दीम कहता था यानी मसलन दो हज़ार दिरहम तो मालिक क़दीम को इख़्तयार दिया जायेगा और अगर ग़ुलाम की क़ीमत इस क़द्र पाई गई जैसे ग़ालिब कहता था या इस से भी कम पाई गई पस आया मालिक क़दीम को इख़्तयार हासिल होगा या नहीं सो इमाम मौहम्मद रह० ने इस स्थिति को ज़िक्र नहीं फ़रमाया है और फ़क़ीह अबू जअफ़र हिन्दवानी से मंक़ूल है कि वो फ़रमाते थे कि एक रिवायत में है कि

कोई इन्तफ़ाअ नहीं पाया है इस के ज़िम्मे से साक़ित होगी यह बहरूल राइक़ में है। अगर मुस्ताजिर के इस दअवा से कि यह माल जो ग़नीमत में आया है इस के पास इजारह में था मुसलमानों ने इन्कार किया तो

(1)अपनी किताब में जिस से मसला मज़कूर नक़ल हुआ।
(2)इजारहयानी वाला जिस को हमारे उर्फ+ में ठेकेदार बोलते हैं मस्तूजब जिस के पास वदीअत रखी गई मुस्तईर आरियत लेने वाला।

मुस्ताजिर को इस अम्र के गवाह क़ायम करने ज़रूर होंगे कि यह इस के पास इजारह से इन्कार किया मैं था और जब हाकिम ने गवाह क़बूल करके माल मज़कूरह इस को दे दिया फिर इजारह देने वाला आया और उस ने उस के इजारह से इन्कार किया और बयान किया कि यह माल इस के पास आरियत या वदीअत था तो इस में क़ौल इस माल के मालिक ऐन का मक़बूल होगा। अगर ग़नीमत तक़सीम हो गई फिर इस ने किसी ग़ाज़ी के पास पाया जिस के हिस्से में पड़ा है तो भी इस को मुखासमा का इख़्तयार है पस अगर इस शख़्स ने जिस के हिस्से में पड़ा है मुदआ के पास इजारह में होने से इन्कार किया और मुदआ ने इजारह पर गवाह क़ायम किये तो असबात इजारह के गवाह मक़बूल होंगे और वो असबात इजारह के गवाह मक़बूल होंगे और वो असबात इजारह के वास्ते ख़सम हो सकता है फिर इस के बाद इस को यह इख़्तयार होगा कि चाहे इस ग़ाज़ी को इस माल की क़ीमत दे कर इस से ले या इसी के पास छोड़े और अगर बजाये मुस्ताजर के मुस्तईर या मस्तूदअ हो और बाद तक़सीम ग़नीमत के इस ने किसी ग़ाज़ी के पास जिस के हिस्से में आया है पाया तो वो इस ग़ाज़ी के मुक़ाबला में ख़सम नहीं हो सकता है हत्ता कि अगर इस ने गवाह क़ायम किये कि यह माल मज़कूर इस के पास वदीअत या आरियत था तो इस के गवाहों की समाअत न होगी और तक़सीम हो जाने के बाद इन दोनों को यह इख़्तयार नहीं है कि जिस के हिस्से में आया है इस से क़ीमत दे कर ले लें और बाद क़ीमत के यह दोनों इस माल की निस्बत मिस्ल अजनबी के होंगे यह मुहीत में है।

अगर ग़ुलाम मुसलमान को दुशमन असीर

इस को इख़्तयार हासिल होगा और दूसरी एक रिवायत में है कि नहीं हासिल होगा फिर वाज़ह हो कि जिस स्थिति में मालिक क़दीम को इख़्तयार वापसी क़ीमत व अख़ज़ ग़ुलाम या तर्क ग़ुलाम हासिल हुआ है अगर ऐसी स्थिति में मालिक क़दीम ने कहा कि मैं यह क़ीमत जो मुझे मिली है रखे लेता हूं और इस ग़ुलाम ज़ाहिर शुदह के रोज़ ग़सब की पूरी क़ीमत तक में जिस क़द्र और मुझे ज़्यादा चाहिए है वो ग़ासिब से ले लूंगा तो इस को यह इख़्तयार नहीं है बल्कि इस क़द्र वो इख़्तयार रखता है कि चाहे यह क़ीमत वापिस करके ग़ुलाम लेले और चाहे यही क़ीमत रहने दे यह मुहीत में है।

अगर कोई माल ऐन किसी मुस्ताजर के इजारह में या किसी के पास आरियत या वदीअत हो और हरबी कुफ़्फ़ार ग़ालिब हो कर इस को अपने हरज़ दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें ले गये फिर माल वर्णित दारूल इस्लाम में आया पस आया मुस्ताजर या मस्तूदअ या मुस्तईर को मुखसमा करके वापिस लेने का इख़्तयार शरई है या नहीं है तो विद्वानों ने फ़रमाया कि अगर वो माल ऐन जिहाद की ग़नीमत में आया तो मुस्ताजिर को इख़्तयार है कि मुतालबा करे पस क़ब्ल तक़सीम होने ग़नीमत के मुतालबा करने से मुफ़्त बग़ैर कुछ दिये हुए लेगा और यही इख़्तयार मुस्तईर (2) व मस्तूदअ को है फिर जब मुस्ताजिर इस को लेलेगा तो इस का इजारह ऊद करेगा और उजरत इस मुद्दत गुज़िश्ता की कि जिस में इस ने कोई इन्तफ़ाअ नहीं पाया है इस के ज़िम्मे से साक़ित होगी यह बहरूल राइक़ में है। अगर मुस्ताजिर के इस दअवा से कि यह माल जो ग़नीमत में आया है इस के पास इजारह में था मुसलमानों ने इन्कार किया तो

(1)अपनी किताब में जिस से मसला वर्णित नक़ल हुआ।
(2)इजारहयानी वाला जिस को हमारे उर्फ+ में ठेकेदार बोलते हैं मस्तूजब जिस के पास वदीअत रखी गई मुस्तईर आरियत लेने वाला।

मुस्ताजिर को इस कार्य के गवाह क़ायम करने ज़रूर होंने कि यह इस के पास इजारह से इन्कार किया मैं था और जब हाकिम ने गवाह क़बूल करके माल मज़कूरह इस को दे दिया फिर इजारह देने वाला आया और उस ने उस के इजारह से इन्कार किया और बयान

करके ले गये और अपने दारूल हरब में ले जाकर अपने अहराज़ में कर लिया फिर वो इन से छूट गया :

अगर किसी यतीम का ग़ुलाम अहले हरब क़ैद करके ले गये और इस को कोई मुशतरी दाम दे कर खरीद लाया इस खरीद लाये हुए ग़ुलाम का मौला क़दीम मर चुका है जिस का वारिस इस का फ़रज़न्द यतीम मौजूद है तो इस यतीम के वसी को इख़्तयार है कि यतीम के वास्ते मुशतरी को इस का सिमन दे कर लेले और अपनी ज़ात के वास्ते नहीं ले सकता है और मशाइख़ ने फ़रमाया कि यतीम के वास्ते भी वसीको मुशतरी का सिमन दे कर इस से ले लेने का जब ही इख़्तयार है कि सिमन मज़कूर इस ग़ुलाम की क़ीमत के बराबर हो यह मुहीत सरखसी में है मुन्तक़ी में है कि किसी मुसलमान के ग़ुलाम को अहले हरब क़ैद करके अपने हरज़ दाल हरब में ले गये फिर किसी मुसलमान ने दारूल हरब में दाखिल होकर इन से यह ग़ुलाम खरीदा और दारूल इस्लाम में निकाल लाया और यहां किसी औरत से इस ग़ुलाम के रक़बा पर निकाह किया और निकाह में इस ग़ुलाम का रक़बा (1) महर क़रार दिया है फिर इस का मौला क़दीम हाज़िर आया तो इस को इख़्तयसारहोगा कि चाहे इस ग़ुलाम को इस की क़ीमत दे कर लेले। अगर मुशतरी ने बग़ैर महर किसी औरत को इस के निकाह में लिया फिर इस औरत से इस अम्र पर सुलह की कि इस के महर के औज़ जो वाजिब हुआ है यह ग़ुलाम सुपुर्द करेगा तो मौला क़दीम से कहा जायेगा कि चाहे इस औरत से इस अम्र पर सुलह की कि इस के महर के औज़ इस ग़ुलाम को लेले या छोड़ दे। अगर किसी शख़्स ने मुशतरी पर किसी माल का दअवा किया और दअवा बयान न किया फिर मुशतरी ने इस से इस के इस दअवा से इस ग़ुलाम पर सुलह कर ली तो मौला क़दीम इस से यह ग़ुलाम इस की क़ीमत दे कर ले सकता है और अगर दोनों ने मिक़्दार दअवा में इख़्तलाफ़ किया तो सुलह कुनिन्दह का क़ौल क़बूल होगा अगर ग़ुलाम मुसलमान को दुशमन असीर करके ले गये और किया कि यह माल इस के पास आरियत या वदीअत था तो इस में कथन इस माल के मालिक ऐन का मक़बूल होगा। अगर ग़नीमत तक़सीम हो गई फिर इस ने किसी ग़ाज़ी के पास पाया जिस के हिस्से में पड़ा है तो भी इस को मुखासमा का इख़्तयार है पस अगर इस व्यक्ति ने जिस के हिस्से में पड़ा है मुदआ के पास इजारह में होने से इन्कार किया और मुदआ ने इजारह पर गवाह क़ायम किये तो असबात इजारह के गवाह मक़बूल होंगे और वो असबात इजारह के गवाह मक़बूल होंने और वो असबात इजारह के लिएख़सम हो सकता है फिर इस के बाद इस को यह इख़्तयार होगा कि चाहे इस ग़ाज़ी को इस माल की क़ीमत दे कर इस से ले या इसी के पास छोड़े और अगर बजाये मुस्ताजर के मुस्तईर या मस्तूदअ हो और बाद तक़सीम ग़नीमत के इस ने किसी ग़ाज़ी के पास जिस के हिस्से में आया है पाया तो वो इस ग़ाज़ी के मुक़ाबला में ख़सम नहीं हो सकता है हत्ता कि अगर इस ने गवाह क़ायम किये कि यह माल वर्णित इस के पास वदीअत या आरियत था तो इस के गवाहों की समाअत न होगी और तक़सीम हो जाने के बाद इन दोनों को यह इख़्तयार नहीं है कि जिस के हिस्से में आया है इस से क़ीमत दे कर ले लें और बाद क़ीमत के यह दोनों इस माल की निस्बत मिस्ल अजनबी के होंगे यह मुहीत में है।

अगर ग़ुलाम मुसलमान को दुशमन असीर करके ले गये और अपने दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें ले जाकर अपने अहराज़ में कर लिया फिर वो इन से छूट गया :

अगर किसी यतीम का ग़ुलाम अहले हरब क़ैद करके ले गये और इस को कोई ग्राहक दाम दे कर खरीद लाया इस खरीद लाये हुए ग़ुलाम का मौला क़दीम मर चुका है जिस का वारिस इस का फ़रज़न्द यतीम मौजूद है तो इस यतीम के वसी को इख़्तयार है कि यतीम के लिएमुशतरी को इस का क़ीमत दे कर लेले और अपनी ज़ात के लिएनहीं ले सकता है और मशाइख़ ने फ़रमाया कि यतीम के लिएभी वसीको ग्राहक का क़ीमत दे कर

अपने दारूल हरब में ले तजा कर अपने अहराज़ में कर लिया फिर वो इन से छूट गया और इन का कुछ माल भी ले आया और दारूल इस्लाम की तरफ़ भागा फिर किसी मुसलमान ने इस को पकड लिया फिर इस का मौला क़दीम आया तो पकड़ लेने वाले से यूं ही ले सकता है कि इस की क़ीमत दे दे और यह इमाम मौहम्मद रह० का क़ौल है।

जो कुछ माल इस ग़ुलाम के पास था वो इसी का है जिस ने इस को गिरफ़तार किया चुनांचे मौला क़दीम को इस के लेने की कोई राह न होगी

(1)बमअनी गर्दन और इस से मुराद+]]द इस की ज़ात है।

और बक़ियास क़ौल इमाम आज़म रह० के मौला क़दीम इस को मुफ्त बग़ैर कुछ दिये हुए लेलेगा क्योंकि जब वो दारूल इस्लाम में दाखिल हुआ तो वो जमाअत मुसलमानों के वास्ते फ़ई हो गया कि इमामुल मुस्लिमीन इस को लेलेगा और इस का पांचवां हिस्सा ले कर बाक़ी चार पांचवें हिस्से तमाम मुसलमानों में तक़सीम करूंगा और इमाम मौहम्मद रह० ने अपने इस क़ौल से रूजूअ किया है और कहा कि जब इस को पकड लिया तो वो ग़नीमत हुआ और इस के पांच हिस्से में से एक हिस्सा ले लिया जायेगा अगर इस का मौला क़दीम हाज़िर न आया और बाक़ी पांचवें हिस्से और जो माल इस के पास है सब पकड लेने वाले का कर दिया जायेगा फिर अगर इस के बाद इस का मौला क़दीम हाज़िर हुआ तो इस की क़ीमत दे कर ले सकता है और अगर पांच हिस्से किये जाने से पहले हाज़िर आया तो इसको मुफ्त ले लेगा और अगर किसी मुसलमान के ग़ुलाम को अहले हरब क़ैद करके ले गये और इस के मौला ने मुसलमान ने इस को आज़ाद कर दिया फिर मुसलमान लोग इन पर ग़ालिब हुए और यह ग़ुलाम हाथ आया तो इस का मौला क़दीम इस को मुफ्त ले लेगा और इतक़ मज़कूर बातिल है और अगर मुसलमान लोग इस को दारूल हरब से निकाल लाये फिर मौला क़दीम ने क़ब्ल इस के तक़सीम किये जाने के आज़ाद कर दिया तो इस का आज़ाद करना जायज़ है। एक हरबी दारूल इस्लाम में अमान लेकर दाखिल हुआ यहां किसी का कुछ तआम या कोई मताअ चुराली और इस से ले लेने का जब ही इख़्तयार है कि क़ीमत वर्णित इस ग़ुलाम की क़ीमत के बराबर हो यह मुहीत सरखसी में है मुन्तक़ी में है कि किसी मुसलमान के ग़ुलाम को अहले हरब क़ैद करके अपने हरज़ दाल हरब में ले गये फिर किसी मुसलमान ने दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल होकर इन से यह ग़ुलाम खरीदा और दारूल इस्लाम में निकाल लाया और यहां किसी औरत से इस ग़ुलाम के ग़ुलामपर निकाह किया और निकाह में इस ग़ुलाम का ग़ुलाम(1) महर क़रार दिया है फिर इस का मौला क़दीम हाज़िर आया तो इस को इख़्तयार होगा कि चाहे इस ग़ुलाम को इस की क़ीमत दे कर लेले। अगर ग्राहक ने बग़ैर महर किसी औरत को इस के निकाह में लिया फिर इस औरत से इस कार्य पर सुलह की कि इस के महर के औज़ जो अनिवार्य हुआ है यह ग़ुलाम सुपुर्द करेगा तो मौला क़दीम से कहा जायेगा कि चाहे इस औरत से इस कार्य पर सुलह की कि इस के महर के औज़ इस ग़ुलाम को लेले या छोड दे। अगर किसी व्यक्ति ने ग्राहक पर किसी माल का दअवा किया और दअवा बयान न किया फिर ग्राहक ने इस से इस के इस दअवा से इस ग़ुलाम पर सुलह कर ली तो मौला क़दीम इस से यह ग़ुलाम इस की क़ीमत दे कर ले सकता है और अगर दोनों ने मिक़्दार दअवा में मतभेद किया तो सुलह कुनिन्दह का कथन क़बूल होगा अगर ग़ुलाम मुसलमान को दुशमन असीर करके ले गये और अपने दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें ले तजा कर अपने अहराज़ में कर लिया फिर वो इन से छूट गया और इन का कुछ माल भी ले आया और दारूल इस्लाम की तरफ़ भागा फिर किसी मुसलमान ने इस को पकड लिया फिर इस का मौला क़दीम आया तो पकड लेने वाले से यूं ही ले सकता है कि इस की क़ीमत दे दे और यह इमाम मौहम्मद रह० का कथन है।

जो कुछ माल इस ग़ुलाम के पास था वो इसी का है जिस ने इस को गिरफ़तार किया चुनांचे मौला क़दीम को इस के लेने की कोई राह न होगी

(1)बमअनी गर्दन और इस से मुराद+]]द इस की ज़ात है।

और बक़ियास कथन इमाम आज़म रह० के मौला

इस को ले कर दारूल हरब में दाखिल हुआ फिर इस से कोई मुसलमान खरीद करके इस को दारूल इस्लाम में निकाल लाया तो इस का मालिक इस को मुफ्त ले सकता है इस वास्ते कि हरबी मज़कूर इस माल का दारूल इस्लाम से निकाल ले जाने से पहले ज़ामिन था पस दारूल हरब में ले जाने से इस का अहराज़ कर लेने वाला न होगा और अगर किसी मुसलमान ने इस हरबी के पास कुछ माल वदीअत रखा कि जिस को वो दारूल हरब में ले गया तो हरबी मज़कूर इस माल का अहराज़ कर लेने वाला जायेगा फिर अगर अहले हरब जब सब मुसलमान हो गये या ज़िम्मी हो गये या यही शख्स मुसलमान या ज़िम्मी हो गया तो माल मज़कूर इसी का होगा इस वास्ते कि वो दारूल इस्लाम में इस माल का ज़ामिन न था कोई हरबी हमारे यहां अमान ले कर दाखिल हुआ हालांकि इस के साथ कोई ऐसा गुलाम है जिस को इस ने मुसलमानों से दारूल हरब में ले जाकर अपने हरज़ में कर लिया है फिर इस को हरबी मज़कूर से किसी मुसलमान ने खरीद लिया तो मालिक क़दीम को यह इख्तयार न होगा कि मुशतरी को इस का सिमन दे कर इस से यह गुलाम लेले।

बशर बिन अलवलीद ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से इमला में रिवायत की है कि अगर असीर की हुई बान्दी को अहले हरब से किसी मुसलमान ने खरीदा या इस के हिस्सा ग़नीमत में आई और इस से इस बान्दी को इस के मौला क़दीम ने बहुक्म (1) हाकिम ले लिया यानी क़ब्ल गिरफ़तार होने के जो कोई जिनायत या क़र्ज़ा इस बान्दी के ज़िम्मे हो वो इस बान्दी के साथ लगेगा और जिस बाऐ से मालिक क़दीम ने इस को खरीदा है अगर इस में से किसी ऐब क़दीम होने से वाक़िफ़ हो तो बाऐ अव्वल को बसबब इस ऐब के वापिस कर सकता है और अगर इस में कोई ऐसा ऐब पैदा हो गया हो कि जिस से वापिस नहीं कर सकता है तो ऐब क़दीम का नुक़सान बाऐ अव्ल से ले सकता है और मौला मज़कूर कोन उमूर के मुतालबा की अहले हरब से खरीद लाने वाले या जिस के हिस्से में पड़ी है इस की तरफ़ कोई राह नहीं है लेकिन अगर इस में कोई ऐसा ऐब निकला जो अहले क़दीम इस को मुफ्त बग़ैर कुछ दिये हुए लेलेगा क्योंकि जब वो दारूल इस्लाम में दाखिल हुआ तो वो जमाअत मुसलमानों के लिएश्रेणीबद्ध हो गया कि इमामुल मुस्लिमीन इस को लेलेगा और इस का पांचवां हिस्सा ले कर बाक़ी चार पांचवें हिस्से तमाम मुसलमानों में तक़सीम करूंगा और इमाम मौहम्मद रह० ने अपने इस कथन से रूजूअ किया है और कहा कि जब इस को पकड लिया तो वो ग़नीमत हुआ और इस के पांच हिस्से में से एक हिस्सा ले लिया जायेगा अगर इस का मौला क़दीम हाज़िर न आया और बाक़ी पांचवें हिस्से और जो माल इस के पास है सब पकड लेने वाले का कर दिया जायेगा फिर अगर इस के बाद इस का मौला क़दीम हाज़िर हुआ तो इस की क़ीमत दे कर ले सकता है और अगर पांच हिस्से किये जाने से पहले हाज़िर आया तो इसको मुफ्त ले लेगा और अगर किसी मुसलमान के गुलाम को अहले हरब क़ैद करके ले गये और इस के मौला ने मुसलमान ने इस को आज़ाद कर दिया फिर मुसलमान लोग इन पर ग़ालिब हुए और यह गुलाम हाथ आया तो इस का मौला क़दीम इस को मुफ्त ले लेगा और इतक़ वर्णित बातिल है और अगर मुसलमान लोग इस को दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशसे निकाल लाये फिर मौला क़दीम ने क़ब्ल इस के तक़सीम किये जाने के आज़ाद कर दिया तो इस का आज़ाद करना जायज़ है। एक हरबी दारूल इस्लाम में संरक्षण लेकर दाखिल हुआ यहां किसी का कुछ तआम या कोई मताअ चुराली और इस को ले कर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल हुआ फिर इस से कोई मुसलमान खरीद करके इस को दारूल इस्लाम में निकाल लाया तो इस का मालिक इस को मुफ्त ले सकता है इस लिएकि हरबी वर्णित इस माल का दारूल इस्लाम से निकाल ले जाने से पहले ज़ामिन था पस दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें ले जाने से इस का अहराज़ कर लेने वाला न होगा और अगर किसी मुसलमान ने इस हरबी के पास कुछ माल वदीअत रखा कि जिस को वो दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें ले गया तो हरबी वर्णित इस माल का अहराज़ कर लेने वाला जायेगा फिर अगर अहले हरब जब सब मुसलमान

हरब के पास पैदा हो गया है या इस ने खरीद लाने वाले के पास या जिस के हिस्से में पड़ी है इस के पास पैदा हो गया है तो इस ऐब की वजह से इस को वापिस कर सकता है और अगर वो इस के पास मर गई या इस में कोई ऐब इस के पास पैदा हो गया तो नुक़सान ऐब नहीं ले सकता है और अगर मालिक क़दीम ने इस से बान्दी को बदूं हुक्म हाकिम के लिया हो तो जो कुछ क़र्ज़ा इस बान्दी पर होगा वो इस के साथ आयेगा और जिनायत जो इस के गिरफ़्तारों पर होगी वो इस बान्दी पर होगी वो इस बान्दी के पीछे साथ न लगेगा और मालिक मज़कूर इस बान्दी को किसी ऐब क़दीम के पाने से इस के बाऐ अव्वल को वापिस न कर सकेगा मगर जिस से लिया है इस को बसबब ऐब क़दीम या जदीद के वापिस कर सकता है और अगर बान्दी मज़कूरह इस के पास मर गई हो यानी वापिस न कर सकता हो तो जिस से लिया है इस से इस के नुक़सान ऐब क़दीम या जदीद को ले सकता

(1) क़ाज़ी के हुज़ूर में मुक़द्दमा पेश किया और क़ाज़ी ने हुक्म दिया कि अच्छा मालिक क़दीम इस को मुशतरी का सिमन अदा करके ले सकता है।

है और अगर इस शख़्स के पास से जिस ने इस को बक़ीमत ले लिया है किसी ने इस्तहक़ाक़ साबित करके लिया यानी यह साबित कर दिया कि यह बान्दी मेरी मिल्क है पस अगर इस लेने वाले ने इस को हुक्म हाकिम के साथ लिया हो तो जिस से यह बान्दी ली है इसी को वापिस कर दे फिर यह इस्तहक़ाक़ साबित करने वाला इस से बक़ीमत या सिमन लेलेगा और अगर इस ने बग़ैर हुक्म हाकिम ली हो तो जिस ने गवाहों से अपना इस्तहक़ाक़ साबित किया है वो इसी क़द्र दे कर लेलेगा जिस क़द्र लेने वाले ने ली है।

एक शख़्स के गुलाम को अहले हरब गिरफ़्तार करके ले गये फिर मौला ने एक शख़्स को हुक्म किया कि गुलाम मज़कूर मेरे वास्ते बऔज़ हज़ार दिरहम के इन से खरीद कर फिर मर्द मज़कूर ने इस को अपने वास्ते हो गये या ज़िम्मी हो गये या यही व्यक्ति मुसलमान या ज़िम्मी हो गया तो माल वर्णित इसी का होगा इस लिएकि वो दारूल इस्लाम में इस माल का ज़ामिन न था कोई हरबी हमारे यहां संरक्षण ले कर दाखिल हुआ हालांकि इस के साथ कोई ऐसा ग़ुलाम है जिस को इस ने मुसलमानों से दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें ले जाकर अपने हरज़ में कर लिया है फिर इस को हरबी वर्णित से किसी मुसलमान ने खरीद लिया तो मालिक क़दीम को यह इख़्तयार न होगा कि ग्राहक को इस का क़ीमत दे कर इस से यह ग़ुलाम लेले।

बशर बिन अलवलीद ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से इमला में रिवायत की है कि अगर असीर की हुई बान्दी को अहले हरब से किसी मुसलमान ने खरीदा या इस के हिस्सा ग़नीमत में आई और इस से इस बान्दी को इस के मौला क़दीम ने बहुक्म (1) हाकिम ले लिया यानी क़ब्ल गिरफ़्तार होने के जो कोई जिनायत या क़र्ज़ा इस बान्दी के ज़िम्मे हो वो इस बान्दी के साथ लगेगा और जिस बाऐ से मालिक क़दीम ने इस को खरीदा है अगर इस में से किसी ऐब क़दीम होने से वाक़िफ़ हो तो बाऐ अव्वल को बसबब इस ऐब के वापिस कर सकता है और अगर इस में कोई ऐसा ऐब पैदा हो गया हो कि जिस से वापिस नहीं कर सकता है तो ऐब क़दीम का नुक़सान बाऐ अव्व्ल से ले सकता है और मौला वर्णित कोन उमूर के मुतालबा की अहले हरब से खरीद लाने वाले या जिस के हिस्से में पड़ी है इस की तरफ़ कोई राह नहीं है लेकिन अगर इस में कोई ऐसा ऐब निकला जो अहले हरब के पास पैदा हो गया है या इस ने खरीद लाने वाले के पास या जिस के हिस्से में पड़ी है इस के पास पैदा हो गया है तो इस ऐब की वजह से इस को वापिस कर सकता है और अगर वो इस के पास मर गई या इस में कोई ऐब इस के पास पैदा हो गया तो नुक़सान ऐब नहीं ले सकता है और अगर मालिक क़दीम ने इस से बान्दी को बदूं हुक्म हाकिम के लिया हो तो जो कुछ क़र्ज़ा इस बान्दी पर होगा वो इस के साथ आयेगा और जिनायत जो इस के गिरफ़्तारों पर होगी वो इस बान्दी पर होगी वो इस बान्दी के पीछे साथ न लगेगा और मालिक वर्णित

खरीदा तो गुलाम मज़कूर इसी हुक्म देने वाले यानी मौला क़दीम का होगाः

हर दो सूरत में इस इस्तहक़ाक़ साबित करने वाले को इख़्तयार होगा कि अगर इस में कोई ऐब क़दीम पाया जाये तो जिस बाऐ से इस को खरीदा हो इस से रूजूअ करे और अगर इस शख़्स ने जिस ने बान्दी मज़कूरह को अव्वल मर्तबा सिमन दे कर ले लिया है बान्दी मज़कूरह को आज़ाद कर दिया या बान्दी मज़कूरह इस से बच्चा जनी पस अगर इस ने बहुक्मे क़ाज़ी इस को लिया है तो जब इस मुस्तहिक़ ने अपना इस्तहक़ाक़ साबित किया तब क़ाज़ी इस के आज़ाद करने को बातिल कर देगा और क़ियासन वो शख़्स इस बच्चे को भी मिस्ल इस की मां के इस मुस्तहिक़ की मिल्क में रक़ीक़ (1) वापिस कर देगा लेकिन में इस्तहसानन यह हुक्म देता हूं कि जिस ने अव्वल मर्तबा लिया है वो अपने इस बच्चे को मुस्तहिक़ इस की क़ीमत दे कर आज़ाद अपने पास रखे। अगर दो ग़ुलामों को अहले हरब गिरफ़तार करके ले गये और इन दोनों को एक शख़्स एक ही सिमन दे कर खरीद लाया तो इन के मौला को इख़्तयार होगा कि चाहे इन दोनों में से एक ही को इस का हिस्सा सिमन मुशतरी को अदा करके ले ले और दूसरे को छोड़ दे। इब्ने समाआ ने इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत की कि एक शख़्स के ग़ुलाम को अहले हरब गिरफ़तार करके ले गये फिर मौला ने एक शख़्स को हुक्म किया कि ग़ुलाम मज़कूर मेरे वास्ते बऔज़ हज़ार दिरहम के इन से खरीद कर फिर मर्द मज़कूर ने इस को अपने वास्ते खरीदा तो गुलाम मज़कूर इसी हुक्म देने वाले यानी मौला क़दीम का होगा और इस तरह अगर मौला ने इस शख़्स को हुक्म किया कि मेरे वास्ते इन लोगों से हुबा मांग ले पस मर्द मज़कूर ने अपने वास्ते हुबा मांग लिया तो भी वो मौला मज़कूर का होगा और इस तरह अगर मौला ने इस को हुक्म किया कि अहले हरब से ग़ुलाम मज़कूर इस के मौला के वास्ते मांग ले फिर मर्द मज़कूर ने इस को अहले हरब से खरीद किया और यह खरीद बऔज़ शराब के वाक़े हुई तो भी यह ग़ुलाम अपने मौला के वास्ते होगा और यह ग़ुलाम इस बान्दी को किसी ऐब क़दीम के पाने से इस के बाऐ अव्वल को वापिस न कर सकेगा मगर जिस से लिया है इस को बसबब ऐब क़दीम या जदीद के वापिस कर सकता है और अगर बान्दी मज़कूरह इस के पास मर गई हो यानी वापिस न कर सकता हो तो जिस से लिया है इस से इस के नुक़सान ऐब क़दीम या जदीद को ले सकता

(1) क़ाज़ी के हुज़ूर में मुक़द्दमा पेश किया और क़ाज़ी ने हुक्म दिया कि अच्छा मालिक क़दीम इस को ग्राहक का क़ीमत अदा करके ले सकता है।

है और अगर इस व्यक्ति के पास से जिस ने इस को बक़ीमत ले लिया है किसी ने इस्तहक़ाक़ साबित करके लिया यानी यह साबित कर दिया कि यह बान्दी मेरी मिल्क है पस अगर इस लेने वाले ने इस को हुक्म हाकिम के साथ लिया हो तो जिस से यह बान्दी ली है इसी को वापिस कर दे फिर यह इस्तहक़ाक़ साबित करने वाला इस से बक़ीमत या क़ीमत लेलेगा और अगर इस ने बग़ैर हुक्म हाकिम ली हो तो जिस ने गवाहों से अपना इस्तहक़ाक़ साबित किया है वो इसी क़द्र दे कर लेलेगा जिस क़द्र लेने वाले ने ली है।

एक व्यक्ति के गुलाम को अहले हरब गिरफ़तार करके ले गये फिर मौला ने एक व्यक्ति को हुक्म किया कि गुलाम वर्णित मेरे लिएबऔज़ हज़ार दिरहम के इन से खरीद कर फिर मर्द वर्णित ने इस को अपने लिएखरीदा तो गुलाम वर्णित इसी हुक्म देने वाले यानी मौला क़दीम का होगाः

हर दो स्थिति में इस इस्तहक़ाक़ साबित करने वाले को इख़्तयार होगा कि अगर इस में कोई ऐब क़दीम पाया जाये तो जिस बाऐ से इस को खरीदा हो इस से रूजूअ करे और अगर इस व्यक्ति ने जिस ने बान्दी मज़कूरह को अव्वल मर्तबा क़ीमत दे कर ले लिया है बान्दी मज़कूरह को आज़ाद कर दिया या बान्दी मज़कूरह इस से बच्चा जनी पस अगर इस ने बहुक्मे क़ाज़ी इस को लिया है तो जब इस मुस्तहिक़ ने अपना इस्तहक़ाक़ साबित किया तब

हरबियों की तरफ़ से मौला मज़कूर के लिए हुबा होगा यह मुहीत में है।

अगर मौला को आगाही हासिल हुई कि मेरा ममलूक दारूल हरब से निकाला गया है फिर इस ने एक महीने तक इस को तलब न किया तो दुरंगी से इस का हक़ साक़ित न हो जायेगा और इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत किया गया है कि साक़ित हो जायेगा और अगर ग़ुलाम असीर शुदह का वो मौला जिस के पास से ग़ुलाम मज़कूर असीर किया गया था मुशतरी के दारूल हरब से निकाल लाने के बाद मर गया तो इमाम मौहम्मद रह० के क़ौल पर इस के वारिसों को इख़्तियार होगा कि मुशतरी मज़कूर से ले लें मगर फ़क़त बाज़ वारिस अगर चाहें तो नहीं ले सकते हैं और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि वारिसों को लेने का इख़्तियार नहीं है और अगर काफ़िर हरबी किसी मुसलमान का ग़ुलाम मुसलमान असीर करके दारूल हरब में ले गया और अपने अहराज़ में कर लिया फिर इस को आज़ाद या मुदब्बिर या मकातिब कर दिया या बजाये ग़ुलाम के बान्दी थी कि इस से इसतीलाद कर लिया कि इस से औलाद पैदा हुई फिर अहले इस्लाम ने ग़ालिब हो कर इन असीर शुदह ममलूकों को मअ औलाद के पाया तो यह सब आज़ाद होंगे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

(1)जिस तरह इस बच्चे की मां साहबे इस्तहक़ाक़+ की ममलूका है इसी तरहयह बच्चा भी ममलूक होगा।

इब्ने समाआ ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की कि किसी मुसलमान के ग़ुलाम को अहले हरब गिरफ़तार करके ले गये फिर इन से किसी शख़्स ने यह ग़ुलाम ख़रीद किया और दारूल इस्लाम में लाया फिर अहले हरब दोबारह इस को गिरफ़तापर करके ले गये फिर अहले हरब ने ग़ुलाम मज़कूर इस मुशतरी को हुबा कर दिया तो मौला क़दीम को यह इख़्तियार होगा कि चाहे मुशतरी से मुशतरी का सिमन और ग़ुलाम की क़ीमत दोनों दे कर लेले और बशर ने अपनी नवादिर में इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की है कि एक शख़्स ने एक ग़ुलाम ग़सब किया और ग़ासिब से अहले हरब गिरफ़तार करके ले गये फिर ग़ासिब ने ग़ुलाम मज़कूर क़ाज़ी इस के आज़ाद करने को बातिल कर देगा और क़ियासन वो व्यक्ति इस बच्चे को भी मिस्ल इस की मां के इस मुस्तहिक़ की मिल्क में रक़ीक़ (1) वापिस कर देगा लेकिन में इस्तहसानन यह हुक्म देता हूं कि जिस ने अव्वल मर्तबा लिया है वो अपने इस बच्चे को मुस्तहिक़ इस की क़ीमत दे कर आज़ाद अपने पास रखे। अगर दो ग़ुलामों को अहले हरब गिरफ़तार करके ले गये और इन दोनों को एक व्यक्ति एक ही क़ीमत दे कर खरीद लाया तो इन के मौला को इख़्तियार होगा कि चाहे इन दोनों में से एक ही को इस का हिस्सा क़ीमत ग्राहक को अदा करके ले ले और दूसरे को छोड़ दे। इब्ने समाआ ने इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत की कि एक व्यक्ति के ग़ुलाम को अहले हरब गिरफ़तार करके ले गये फिर मौला ने एक व्यक्ति को हुक्म किया कि ग़ुलाम वर्णित मेरे लिएबऔज़ हज़ार दिरहम के इन से खरीद कर फिर मर्द वर्णित ने इस को अपने लिएखरीदा तो ग़ुलाम वर्णित इसी हुक्म देने वाले यानी मौला क़दीम का होगा और इस तरह अगर मौला ने इस व्यक्ति को हुक्म किया कि मेरे लिएइन लोगों से हुबा मांग ले पस मर्द वर्णित ने अपने लिएहुबा मांग लिया तो भी वो मौला वर्णित का होगा और इस तरह अगर मौला ने इस को हुक्म किया कि अहले हरब से ग़ुलाम वर्णित इस के मौला के लिएमांग ले फिर मर्द वर्णित ने इस को अहले हरब से खरीद किया और यह खरीद बऔज़ शराब के स्थपित हुई तो भी यह ग़ुलाम अपने मौला के लिएहोगा और यह ग़ुलाम हरबियों की तरफ़ से मौला वर्णित के लिए हुबा होगा यह मुहीत में है।

अगर मौला को आगाही हासिल हुई कि मेरा ममलूक दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशसे निकाला गया है फिर इस ने एक महीने तक इस को तलब न किया तो दुरंगी से इस का हक़ साक़ित न हो जायेगा और इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत किया गया है कि साक़ित हो जायेगा और अगर ग़ुलाम असीर शुदह का वो मौला जिस के पास से ग़ुलाम वर्णित असीर किया गया था ग्राहक के दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशसे निकाल लाने के बाद मर गया तो इमाम मौहम्मद रह०

एक शख़्स के हाथ में पाया जिस ने इस को अहले हरब से खरीदा है तो इस ग़ासिब को इस गुलाम की जानिब कोई राह नहीं है यहां तक कि इस का मौला हाज़िर हो और इमला में इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत है कि अगर मुश्रिकों ने किसी नाबालिग़ का गुलाम असीर कर लियाऔर दारूल हरब में ले गये फ़िर मुसलमानों ने इस मिल्क पर जिहाद किया और गुलाम मज़कूर ग़नीमत में आया और एक ग़ाज़ी के हिस्से में पडा फिर इस सग़ीर के बाप ने क़ीमत दे कर न लिया बल्कि ग़ाज़ी मज़कूर के सुपुर्द किया फिर नाबालिग़ मज़कूर बालिग़ हुआ तो आया ग़ुलाम ले लेने का हक़ जाता रहा तो इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि नहीं वो गुलाम की निस्बत अपना हक़ रखता हैं चाहे ले ले यह मुहीत में है। वाज़ह रहे कि अगर अहले हरब हमारे आज़ाद मर्द व औरतें या मुदब्बिर या मकातिब या हमारी उम्मे वल्द बान्दियां गिरफ़तार करके ले जाऐं तो हमारे इस्तहक़ाक़ की रो से वो इन के मालिक न हो जाऐंगे और अगर हम लोग इन के इन मज़कूरें को गिरफ़तार कर लाऐं तो हम इन सब के मालिक हो जाऐं यह काफ़ी में है।

अगर अहले हरब किसी मुसलमान का ममलूक मुदब्बिर या मकातिब या इमाम वल्द गिरफ़तार करके ले गये और मुसलमानों ने जिहाद करके ग़नीमत में इस को हासिल किया और तक़सीम ग़नीमत में वो किसी के हिस्से में आया तो इस का मौला क़दीम इस को बाद क़िस्मत (1) वाक़े होने के भी मुफ्त बग़ैर कुछ दिये हुए ले लेगा मगर जिस के हिस्से में पडा था इस को इमामुल मुस्लिमीन इस की क़ीमत बैतुल माल से दे देगा यह मबसूत में है। अगर इस को अहले हरब से कोई शख़्स दाम दे कर खरीद लाया हो तो मौला क़दीम को इख़्तयार होगा कि इस मुशतरी से मुफ्त लेले और अगर यह शख़्स जिस को हरबी गिरफ़तार करे ले गये हैं महज़ आज़ाद हो फिर इस को कोई शख़्स हरबियों से खरीद करके दारूल इस्लाम में निकाल लाया तो आज़ाद मज़कूर वैसा ही आज़ाद होगा मुशतरी का इस पर कुछ नहीं है इल्ला इस सूरत में कि इस ने मुशतरी मज़कूर को इस तरह हरबियों से मामला खरीद करने का हुक्म किया हुए तो ऐसी सूरत के कथन पर इस के वारिसों को इख़्तयार होगा कि ग्राहक वर्णित से ले लें मगर फ़क़त कुछ वारिस अगर चाहें तो नहीं ले सकते हैं और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि वारिसों को लेने का इख़्तयार नहीं है और अगर काफ़िर हरबी किसी मुसलमान का गुलाम मुसलमान असीर करके दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें ले गया और अपने अहराज़ में कर लिया फिर इस को आज़ाद या मुदब्बिर या मकातिब कर दिया या बजाये गुलाम के बान्दी थी कि इस से इसतीलाद कर लिया कि इस से औलाद पैदा हुई फिर अहले इस्लाम ने ग़ालिब हो कर इन असीर शुदह ममलूकों को मअ औलाद के पाया तो यह सब आज़ाद होंगे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

(1)जिस तरह इस बच्चे की मां साहबे इस्तहक़ाक़+ की ममलूका है इसी तरहयह बच्चा भी ममलूक होगा।

इब्ने समाआ ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की कि किसी मुसलमान के ग़ुलाम को अहले हरब गिरफ़तार करके ले गये फिर इन से किसी व्यक्ति ने यह ग़ुलाम खरीद किया और दारूल इस्लाम में लाया फिर अहले हरब दोबारह इस को गिरफ़तापर करके ले गये फिर अहले हरब ने ग़ुलाम वर्णित इस ग्राहक को हुबा कर दिया तो मौला क़दीम को यह इख़्तयार होगा कि चाहे ग्राहक से ग्राहक का क़ीमत और ग़ुलाम की क़ीमत दोनों दे कर लेले और बशर ने अपनी नवादिर में इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की है कि एक व्यक्ति ने एक ग़ुलाम ग़सब किया और ग़ासिब से अहले हरब गिरफ़तार करके ले गये फिर ग़ासिब ने ग़ुलाम वर्णित एक व्यक्ति के हाथ में पाया जिस ने इस को अहले हरब से खरीदा है तो इस ग़ासिब को इस ग़ुलाम की जानिब कोई राह नहीं है यहां तक कि इस का मौला हाज़िर हो और इमला में इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत है कि अगर मुश्रिकों ने किसी नाबालिग़ का ग़ुलाम असीर कर लियाऔर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें ले गये फिर मुसलमानों ने इस मिल्क पर जिहाद किया और ग़ुलाम वर्णित ग़नीमत में आया और एक ग़ाज़ी के हिस्से में पडा फिर इस सग़ीर के बाप ने क़ीमत दे कर न लिया बल्कि ग़ाज़ी वर्णित के सुपुर्द किया फिर नाबालिग़ वर्णित बालिग़ हुआ

में सिमन मज़्कूर इस पर क़र्ज़ा होगा और अगर मुसलमान का ग़ुलाम दारूल इस्लाम से हरबियों की तरफ़ भाग गया और उन्होंने पकड़ लिया तो इमाम आज़म ह० के अनुसार इस के मालिक न होंगे और अगर ग़ुलाम मज़्कूर की जगह मकातिब या मुदब्बिर या उम्मे वल्द या ऐसा ममलूक जो अपनी क़ीमत अदा करने के वास्ते सआयत में है भाग गया और हरबियों ने इस को गिरफ़्तार कर लिया तो बिल इत्तफ़ाक़ इस के मालिक न होंगे और जब साबित हुआ कि इमाम आज़म रह० के अनुसार भागे हुए ग़ुलाम को पकड़ लेने से अहले हरब इस के मालिक नहीं होते हैं तो अगर ऐसे ग़ुलाम को हरबियों से कोई शख़्स ख़रीद लाया या उन्होंने इस को हुबा किया या ग़नीमत में आया ख़्वाह ग़नीमत तक़सीम कर दी गई या नहीं फिर मालिक क़दीम ने इस को पाया तो जहां पाये मुफ़्त लेलेगा लेकिन दर सूरत यह कि ग़नीमत तक़सीम हो गई और यह ग़ुलाम किसी के हिस्से में आया फिर इस से मालिक क़दीम ने बिना पर इस्तहक़ाक़ मज़्कूर ले लिया तो इस शख़्स को जिस के हिस्से में आया था इस का औज़ बैतुल माल से दे दिया जायेगा और जिस के हिस्से में था इस के लिये ग़ुलाम मज़्कूर वापिस लाने का जअल (2) भी मालिक मज़्कूर पर वाजिब न होगा।

(1) जैसे वो क़ब्ल तक़सीम के मुफ़्त ले सकता था इस तरह बाद तक़सीम के भी मुफ़्त ले लेगा[मगर इस सूरत में कि बाद तक़सीम लिया है जिन के हिस्से में वो पड़ा था। इस काऐज+ बैतुल माल से होगा।

(2)औज+ मशक्क़तयानी मज़दूरी।

अगर हरबियों में से किसी का ग़ुलाम मुसलमान हो गया फिर हमारे यहां निकल कर चुला आया या इस मुल्क पर मुसलमान ग़ालिब हुए तो वो आज़ाद है :

फ़िक़्हा ने फ़रमाया कि अगर ग़ुलाम भाग गया और इस के पास मौला का माल है तो हरबी लोग इस माल के जो इस के पास है मालिक हो जाएंगे और ख़ुद इस ग़ुलाम के मालिक न होंगे और अगर कोई ऊंट छूट कर तो आया ग़ुलाम ले लेने का हक़ जाता रहा तो इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि नहीं वो ग़ुलाम की निस्बत अपना हक़ रखता है चाहे ले ले यह मुहीत में है। वाज़ह रहे कि अगर अहले हरब हमारे आज़ाद मर्द व औरतें या मुदब्बिर या मकातिब या हमारी बच्चे कीमौं बान्दियां गिरफ़्तार करके ले जाएं तो हमारे इस्तहक़ाक़ की रो से वो इन के मालिक न हो जाऐंगे और अगर हम लोग इन के इन मज़्कूरें को गिरफ़्तार कर लाएं तो हम इन सब के मालिक हो जाएं यह काफ़ी में है।

अगर अहले हरब किसी मुसलमान का ममलूक मुदब्बिर या मकातिब या इमाम वल्द गिरफ़्तार करके ले गये और मुसलमानों ने जिहाद करके ग़नीमत में इस को हासिल किया और तक़सीम ग़नीमत में वो किसी के हिस्से में आया तो इस का मौला क़दीम इस को बाद क़िस्मत (1) स्थपित होंगे के भी मुफ़्त बग़ैर कुछ दिये हुए ले लेगा मगर जिस के हिस्से में पड़ा था इस को इमामुल मुस्लिमीन इस की क़ीमत बैतुल माल से दे देगा यह मबसूत में है। अगर इस को अहले हरब से कोई व्यक्ति दाम दे कर ख़रीद लाया हो तो मौला क़दीम को इख़्तयार होगा कि इस ग्राहक से मुफ़्त लेले और अगर यह व्यक्ति जिस को हरबी गिरफ़्तार करे ले गये हैं महज़ आज़ाद हो फिर इस को कोई व्यक्ति हरबियों से ख़रीद करके दारूल इस्लाम में निकाल लाया तो आज़ाद वर्णित वैसा ही आज़ाद होगा ग्राहक का इस पर कुछ नहीं है सिवा इस स्थिति में कि इस ने ग्राहक वर्णित को इस तरह हरबियों से मामला ख़रीद करने का हुक्म किया हुए तो ऐसी स्थिति में क़ीमत वर्णित इस पर क़र्ज़ा होगा और अगर मुसलमान का ग़ुलाम दारूल इस्लाम से हरबियों की तरफ़ भाग गया और उन्होंने पकड़ लिया तो इमाम आज़म ह० के अनुसार इस के मालिक न होंगे और अगर ग़ुलाम वर्णित की जगह मकातिब या मुदब्बिर या बच्चे कीमौं या ऐसा ममलूक जो अपनी क़ीमत अदा करने के लिएकमा कर क़ीमत देने की कोशिश में है भाग गया और हरबियों ने इस को गिरफ़्तार कर लिया तो बिल इत्तफ़ाक़ इस के मालिक न होंगे और जब साबित हुआ कि इमाम आज़म रह० के अनुसार भागे हुए ग़ुलाम को पकड़ लेने से अहले

वहशयाना इन के यहां भाग गया और उन्होंने पकड लिया तो इस के मालिक हो जाऐंगे और अगर कोई आदमी खरीद करके इस को दारूल इस्लाम में निकाल लाया तो इस के मालिक क़दीम को यह इख़्तयार हासिल होगा कि चाहे सिमन दे कर इस को लेले। अगर कोई ग़ुलाम अपने साथ एक घोडा व मताअ ले कर हरबियों की जानिब भाग गया और उन्होंने यह सब पकड लिया और किसी शख़्स ने इन से यह सब खरीदा और दारूल इस्लाम में निकाल लाया तो मौला क़दीम को इख़्तयार हैं कि ग़ुलाम को मुफ्त और घोडे व मताअ को मुशतरी का सिमन दे कर लेले और यह इमाम आज़म रह० के अनुसार है कज़ा फ़िल सिराज वहाज। अगर हरबियों में से किसी का ग़ुलाम मुसलमान हो गया फिर हमारे यहां निकल कर चला आया या इस मिल्क पर मुसलमान ग़ालिब हुए तो वो आज़ाद है और इस तरह अगर हरबियों के ग़ुलाम हमारे लश्कर में निकल कर चले आये तो वो आज़ाद हैं यह हिदाया में है। अगर हरबी हमारे यहां अमान ले कर दाख़िल हुआ और इस ने कोई मुसलमान ग़ुलाम खरीदा और किसी तौर से इस को दारूल हरब में ले गया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार ग़ुलाम मज़कूर इस की मिल्क से आज़ाद हो जायेगा और साहिबीन रह० के अनुसार आज़ाद न होगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से एक रिवायत मिस्ल क़ौल इमामे आज़म रह० के भी मरवी हैं कि और इसी तरह अगर ग़ुलाम मज़कूर ज़िम्मी हो तो भी ऐसा ही इख़्तलाफ़ है और अगर हरबी का ग़ुलाम दारूल हरब में मुसलमान हो गया तो बिल इत्तफ़ाक़ वो इस हरबी का ग़ुलाम होगा जैसे था पस अगर हरबी ने इस को किसी मुसलमान या हरबी के हाथ फ़रोख़्त किया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार आज़ाद हो जायेगा और साहिबीन रह० के अनुसार आज़ाद न होगा और अगर कोई दारूल हरब में मुसलमान हो गया और वहां इस के ममलूक मौजूद हैं फिर वो हमारे यहां निकल कर चला आया तो फिर इस के पीछे इस का कोईद ग़ुलाम भी मुसलमान हो कर दारूल इस्लाम में चला आया तो वो मिस्ल साबिक़ के अपने मौला मज़कूर का ग़ुलाम होगा और इस तरह अगर वो हालत कुफ़्र ही में हरब इस के मालिक नहीं होते हैं तो अगर ऐसे ग़ुलाम को हरबियों से कोई व्यक्ति खरीद लाया या उन्होंने इस को हुबा किया या ग़नीमत में आया चाहे ग़नीमत तक़सीम कर दी गई या नहीं फिर मालिक क़दीम ने इस को पाया तो जहां पाये मुफ्त लेलेगा लेकिन दर स्थिति यह कि ग़नीमत तक़सीम हो गई और यह ग़ुलाम किसी के हिस्से में आया फिर इस से मालिक क़दीम ने बिना पर इस्तहक़ाक़ वर्णित ले लिया तो इस व्यक्ति को जिस के हिस्से में आया था इस का औज़ बैतुल माल से दे दिया जायेगा और जिस के हिस्से में था इस के लिये ग़ुलाम वर्णित वापिस लाने का जअल (2) भी मालिक वर्णित पर अनिवार्य न होगा।

(1) जैसे वो क़ब्ल तक़सीम के मुफ्त ले सकता था इस तरह बाद तक़सीम के भी मुफ्त ले लेगा[मगर इस स्थिति में कि बाद तक़सीम लिया है जिन के हिस्से में वो पडा था। इस काऐ ज+ बैतुल माल से होगा।

(2) औज+ मशक्क़तयानी मज़दूरी।

अगर हरबियों में से किसी का ग़ुलाम मुसलमान हो गया फिर हमारे यहां निकल कर चुला आया या इस मुल्क पर मुसलमान ग़ालिब हुए तो वो आज़ाद है :

फ़िक़्हा ने फ़रमाया कि अगर ग़ुलाम भाग गया और इस के पास मौला का माल है तो हरबी लोग इस माल के जो इस के पास है मालिक हो जाऐंगे और ख़ुद इस ग़ुलाम के मालिक न होंगे और अगर कोई ऊंट छूट कर वहशयाना इन के यहां भाग गया और उन्होंने पकड लिया तो इस के मालिक हो जाऐंगे और अगर कोई आदमी खरीद करके इस को दारूल इस्लाम में निकाल लाया तो इस के मालिक क़दीम को यह इख़्तयार हासिल होगा कि चाहे क़ीमत दे कर इस को लेले। अगर कोई ग़ुलाम अपने साथ एक घोडा व मताअ ले कर हरबियों की जानिब भाग गया और उन्होंने यह सब पकड लिया और किसी व्यक्ति ने इन से यह सब खरीदा और दारूल इस्लाम में निकाल लाया तो मौला क़दीम को इख़्तयार है कि ग़ुलाम को मुफ्त और घोडे व मताअ को ग्राहक का क़ीमत दे

निकल आया तो भी यही हुक्म है सिराज वहाज में है।

अगर अहले हरब किसी माल पर जिस को उन्होंने मुसलमानों से लिया था मुसलमान हुए या सब ज़िम्मी हो गये तो माल मज़कूर उन्हीं का होगा कि मुसलमानों को इन से ले लेने की कोई राह न होगी और इस तरह अगर कोई हरबी दारूल हरब से निकल कर हमारे यहां चला आया यानी यही की सुकूनत इख़्तयार की और इस के साथ ऐसे माल मज़कूर में से कुछ है तो इस से इस माल की निस्बत तअरूज़ नहीं हो सकता है यह मबसूत में है अगर मुसलमानों ने अहले हरब में से कुछलोग गिरफ़तार किये और हुनूज़ इन को बाहम तक़सीम न किया और न इन को दारूल इस्लाम में निकाल लाये यहां तके कि यह क़ैदी इन के हाथों से छुट कर अपने मामन में भाग गये या अहले हरब ने ग़ल्बा किया और इन को छोड़ कर अपने मामन में ले गये फिर मुसलमानों में से दूसरी क़ौम ग़ालिब हुई और खास इन क़ैदियों को भी गिरफ़तार करके दारूल इस्लाम में निकाल लाये ख़्वाह बाहम तक़सीम कर लिया या हुनूज़ तक़सीम नहीं किया फिर अव्वल फ़रीक़ और दोयम फ़रीक़ ने इन असीरों की बाबत क़ाज़ी के हुज़ूर में मुखासमा किया तो फ़रीक़ दोम ही इन क़ैदियों का मुस्तहिक़ है और अगर मसला मज़कूरह में फ़रीक़ अव्वल ने दारूल हरब में इन क़ैदियों को बाहम तक़सीम कर लिया हो मगर इन को दारूल इस्लाम में निकाल कर नहीं लाये और बाक़ी मसला बहाल ख़ुद वाक़े हुआ तो ऐसी सूरत में फ़रीक़ अव्वल ही इन असीरों का मुस्तहिक़ होगा पस अगर फ़रीक़ अव्वल ने इन असीरों को दूसरे फ़रीक़ के पास क़ब्ल तक़सीम ग़नीमत के पाया तो मुफ़्त बग़ैर कुछ दिये हुए ले लेंगे और अगर तक़सीम होने के बाद पाया तो इन को यह इख़्तयार होगा कि चाहें क़ीमत दे कर इस से ले लें जैसे इन को अपनी और इमलाक की निस्बत भी इख़्तयार हासिल है और इस तरह अगर फ़रीक़ अव्वल इन को दारूल इस्लाम में निकाल लाया और बाहम तक़सीम कर लिया फिर वो भाग गये या अहले हरब पर ग़ालिब हो कर इन को छुडा ले गये और बाक़ी मसला बहाल ख़ुद वाक़े हुबआ तो भी फ़रीक़ अव्वल ही इन का मुस्तहिक़ होगा और अगर फ़रीक़ कर लेले और यह इमाम आज़म रह० के अनुसार है कज़ा फ़िल सिराज वहाज। अगर हरबियों में से किसी का ग़ुलाम मुसलमान हो गया फिर हमारे यहां निकल कर चला आया या इस मिल्क पर मुसलमान ग़ालिब हुए तो वो आज़ाद है और इस तरह अगर हरबियों के ग़ुलाम हमारे लश्कर में निकल कर चले आये तो वो आज़ाद हैं यह हिदाया में है। अगर हरबी हमारे यहां संरक्षण ले कर दाखिल हुआ और इस ने कोई मुसलमान ग़ुलाम खरीदा और किसी तौर से इस को दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें ले गया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार ग़ुलाम वर्णित इस की मिल्क से आज़ाद हो जायेगा और साहिबीन रह० के अनुसार आज़ाद न होगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से एक रिवायत मिस्ल कथन इमामे आज़म रह० के भी मरवी है कि और इसी तरह अगर ग़ुलाम वर्णित ज़िम्मी हो तो भी ऐसा ही मतभेद है और अगर हरबी का ग़ुलाम दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें मुसलमान हो गया तो बिल इत्तफ़ाक़ वो इस हरबी का ग़ुलाम होगा जैसे था पस अगर हरबी ने इस को किसी मुसलमान या हरबी के हाथ फ़रोख़्त किया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार आज़ाद हो जायेगा और साहिबीन रह० के अनुसार आज़ाद न होगा और अगर कोई दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें मुसलमान हो गया और वहां इस के ममलूक मौजूद हैं फिर वो हमारे यहां निकल कर चला आया तो फिर इस के पीछे इस का कोईद ग़ुलाम भी मुसलमान हो कर दारूल इस्लाम में चला आया तो वो मिस्ल साबिक़ के अपने मौला वर्णित का ग़ुलाम होगा और इस तरह अगर वो हालत कुफ़्र ही में निकल आया तो भी यही हुक्म है सिराज वहाज में है।

अगर अहले हरब किसी माल पर जिस को उन्होंने मुसलमानों से लिया था मुसलमान हुए या सब ज़िम्मी हो गये तो माल वर्णित उन्हीं का होगा कि मुसलमानों को इन से ले लेने की कोई राह न होगी और इस तरह अगर कोई हरबी दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशसे निकल कर हमारे यहां चला आया यानी यही की सुकूनत इख़्तयार की और इस के साथ ऐसे माल वर्णित में से

अव्वल इन असीरों को दारूल इस्लाम में निकाल लाया और हुनूज़ बाहम तक़सीम न किया था कि यह लोग छुट कर भाग गये या हरबी लोग ग़ालिब होकर इन को छुडाये गये फिर बाक़ी मसला बहाल ख़ुद वाक़े हुआ तो इस सूरत में अगर फ़रीक़ दोयम के बाहम तक़सीम कर लेने के बाद फ़रीक़ अव्वल हाज़िर आया तो फ़रीक़ दोयम ही इन क़ैदियों का मुस्तहिक़ होगा चुनांचे इसी तरह यह मसला ज़ियादात में मज़कूर है।

अगर फ़रीक़ दोयम के बाहम तक़सीम कर लेने से पहले फ़रीक़ अव्वल हाज़िर हुआ तो इस में दो रिवायतें हैं एक रिवायत में मज़कूर है कि फ़रीक़ अव्वल ही मुस्तहिक़ होगा और दूसरी रिवायत में है कि फ़रीक़ दोयम मुस्तहिक़ होगा और अगर फ़रीक़ अव्वल इन को अपने अहराज़ में दारूल इस्लाम में निकाल लाये और बाहम तक़सीम न किया यहां तक कि हरबियों ने ग़ालिब होकर इन को छुडा लिया और हुनूज़ इन को दारूल हरब में अपने अहराज़ में नहीं ले जाने पाये थे कि मुसलमानों में से दूसरी क़ौम ने दारूल इस्लाम में इन पर ग़ालिब होकर इन असीरों को इन से ले लिया तो फ़रीक़ दोयम इन असीरों को फ़रीक़ अव्वल को वापिस कर देने के ख़्वाह बाहम तक़सीम कर लिया हो या न किया हो लेकिन अगर फ़रीक़ दोयम के दरमियान इन का बांट देने वाला ऐसा इमाम हो जिस के अनुसार मुश्रिकों का इस तरह ले लेना तमलीक व अहराज़ है तो ऐसी सूरत में फ़रीक़ दोम ही इन का मुस्तहिक़ रहेगा यह मुहीत में है। जानना चाहे कि दारूल हरब एक ही शर्त से दारूल इस्लाम हो जाता है और वो शर्त यह है कि इस मुल्क में इस्लाम का इज़हार हो। इमाम मौहम्मद रह० ने ज़ियादात हैं बयान फ़रमाया कि दारूल इस्लाम इमाम आज़म रह० के अनुसार जब ही दारूल हरब हो जाता है कि तीन शर्तें पाई जाएें एक यह कि इस में अहकाम कुफ्फ़ार के बरसबील इशतहार जारी हों और हुक्म इस्लाम के मुवाफ़िक़ इस में हुक्म न दिया जाये दोयम यह कि यह मुल्क दारूल हरब से इस तरह मुत्तसिल हो कि इन दोनों के दरमियान बिलादे इस्लाम में से कोई बिलाद न हो और सोम यह कि इस में कोई मुसलमान और कोई ज़िम्मी अपनी अमान अव्वल कुछ है तो इस से इस माल की निस्बत तअरूज़ नहीं हो सकता है यह मबसूत में है अगर मुसलमानों ने अहले हरब में से कुछलोग गिरफ़तार किये और हुनूज़ इन को बाहम तक़सीम न किया और न इन को दारूल इस्लाम में निकाल लाये यहां तके कि यह क़ैदी इन के हाथों से छुट कर अपने मामन में भाग गये या अहले हरब ने ग़ल्बा किया और इन को छोड कर अपने मामन में ले गये फिर मुसलमानों में से दूसरी क़ौम ग़ालिब हुई और खास इन क़ैदियों को भी गिरफ़तार करके दारूल इस्लाम में निकाल लाये चाहे बाहम तक़सीम कर लिया या हुनूज़ तक़सीम नहीं किया फिर अव्वल फ़रीक़ और दोयम फ़रीक़ ने इन असीरों की बाबत क़ाज़ी के हुज़ूर में मुखासमा किया तो फ़रीक़ दोम ही इन क़ैदियों का मुस्तहिक़ है और अगर मसला मज़कूरह में फ़रीक़ अव्वल ने दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें इन क़ैदियों को बाहम तक़सीम कर लिया हो मगर इन को दारूल इस्लाम में निकाल कर नहीं लाये और बाक़ी मसला बहाल ख़ुद स्थपित हुआ तो ऐसी स्थिति में फ़रीक़ अव्वल ही इन असीरों का मुस्तहिक़ होगा पस अगर फ़रीक़ अव्वल ने इन असीरों को दूसरे फ़रीक़ के पास क़ब्ल तक़सीम ग़नीमत के पाया तो मुफ्त बग़ैर कुछ दिये हुए ले लेंगे और अगर तक़सीम होने के बाद पाया तो इन को यह इख़्तयार होगा कि चाहें क़ीमत दे कर इस से ले लें जैसे इन को अपनी और इमलाक की निस्बत भी इख़्तयार हासिल है और इस तरह अगर फ़रीक़ अव्वल इन को दारूल इस्लाम में निकाल लाया और बाहम तक़सीम कर लिया फिर वो भाग गये या अहले हरब पर ग़ालिब हो कर इन को छुडा ले गये और बाक़ी मसला बहाल ख़ुद स्थपित हुबआ तो भी फ़रीक़ अव्वल ही इन का मुस्तहिक़ होगा और अगर फ़रीक़ अव्वल इन असीरों को दारूल इस्लाम में निकाल लाया और हुनूज़ बाहम तक़सीम न किया था कि यह लोग छुट कर भाग गये या हरबी लोग ग़ालिब होकर इन को छुडाये गये फिर बाक़ी मसला बहाल ख़ुद स्थपित हुआ तो इस स्थिति में अगर फ़रीक़ दोयम के बाहम तक़सीम कर लेने के बाद फ़रीक़ अव्वल हाज़िर आया तो फ़रीक़ दोयम ही इन क़ैदियों का मुस्तहिक़ होगा

पर जो इस को क़ब्ल ग़ल्बा कुफ़्फ़ार के हासिल थी बाक़ी न रहे यानी जो अमान मुसलमान को अपने इस्लाम से और ज़िम्मी को अपने अक़्द ज़िम्मे से हासिल थी बाक़ी न रहे और इस सूरत मसला तीन वजह से है एक यह कि अहले हरब हमारे किसी दयार पर ग़ालिब हो जाऐं और दोयम यह किसी शहर के लोग इस्लाम से मुरतिद हो कर ग़ालिब हो जाऐं और अहकाम कुफ़्र वहां जारी करें सोम यह कि किसी शहर के ज़िम्मी अपना अक़्द (1) ज़िम्मा तोड़ दें और बर सबील तग़लब इस शहर पर क़ाबिज़ हो जाऐं तो इन सब सूरतों मेंसे हर सूरत में यह सूबा या शहर या मुल्क जब ही दारूल हरब हो जायेगा कि जब तीनों शर्तें मज़कूरा-ए-बाला पाई जाऐं और इमाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि एक ही शर्त है दारूल इस्लाम भी दारूल हरब हो जाता है और वो यह है कि इस में अहकाम कुफ़्र जारी व ज़ाहिर हों और यह क़ौल मुवाफ़िक़ क़ियास के है। फिर अगर कोई मुल्क बसबब तीनों शराइत मज़कूरह बाला पाई जाने के दारूल हरब हो गया फिर इस को इमाम ने फ़तह किया और ग़नीमत लूट में आई फिर क़ब्ल तक़सीम ग़नीमत के वहां के लोग हाज़िर हुए तो इस को मुफ़्त बग़ैर कुछ दिये लेलेंगे यानी दी जायेगी और अगर बाद तक़सीम हो जाने के हाज़िर हुए तो हर एक अपनी अपनी चीज़ इस की क़ीमत दे कर ले सकता है और रही ज़मीन पस बाद फ़तह कर लेने इमामुल मुस्लिमीन के वो अपने हुक्म अव्वल की तरफ़ ऊद करेगी यानी अगर वो ज़मीन खराजी थी तो खराजी हो जायेगी और अगर अशरी थी तो अशरी हो जायेगी लेकिन अगर क़ब्ल इस के इमाम ने इस पर खिराज बांध दिया हो तो वो ऊद करने में अशरी न होगी यह सिराज वहाज में है।

(1)नी बाहम जो अहद व पैमान था इस पर क़ायम तर हैं बल्कि इसके खिलाफ+ ग़ज़र व बद अहदी करें।

चुनांचे इसी तरह यह मसला ज़ियादात में वर्णित है।

अगर फ़रीक़ दोयम के बाहम तक़सीम कर लेने से पहले फ़रीक़ अव्वल हाज़िर हुआ तो इस में दो रिवायतें हैं एक रिवायत में वर्णित है कि फ़रीक़ अव्वल ही मुस्तहिक़ होगा और दूसरी रिवायत में है कि फ़रीक़ दोयम मुस्तहिक़ होगा और अगर फ़रीक़ अव्वल इन को अपने अहराज़ में दारूल इस्लाम में निकाल लाये और बाहम तक़सीम न किया यहां तक कि हरबियों ने ग़ालिब होकर इन को छुड़ा लिया और हुनूज़ इन को दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें अपने अहराज़ में नहीं ले जाने पाये थे कि मुसलमानों में से दूसरी क़ौम ने दारूल इस्लाम में इन पर ग़ालिब होकर इन असीरों को इन से ले लिया तो फ़रीक़ दोयम इन असीरों को फ़रीक़ अव्वल को वापिस कर देने के चाहे बाहम तक़सीम कर लिया हो या न किया हो लेकिन अगर फ़रीक़ दोयम के दरमियान इन का बांट देने वाला ऐसा इमाम हो जिस के अनुसार मुश्रिकों का इस तरह ले लेना तमलीक व अहराज़ है तो ऐसी स्थिति में फ़रीक़ दोम ही इन का मुस्तहिक़ रहेगा यह मुहीत में है। जानना चाहे कि दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशएक ही शर्त से दारूल इस्लाम हो जाता है और वो शर्त यह है कि इस मुल्क में इस्लाम का इज़हार हो। इमाम मौहम्मद रह० ने ज़ियादात हैं बयान फ़रमाया कि दारूल इस्लाम इमाम आज़म रह० के अनुसार जब ही दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशहो जाता है कि तीन शर्तें पाई जाऐं एक यह कि इस में अहकाम कुफ़्फ़ार के बरसबील इशतहार जारी हों और हुक्म इस्लाम के मुवाफ़िक़ इस में हुक्म न दिया जाये दोयम यह कि यह मुल्क दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशसे इस तरह मुत्तसिल हो कि इन दोनों के दरमियान बिलादे इस्लाम में से कोई बिलाद न हो और सोम यह कि इस में कोई मुसलमान और कोई ज़िम्मी अपनी संरक्षण अव्वल पर जो इस को क़ब्ल ग़ल्बा कुफ़्फ़ार के हासिल थी बाक़ी न रहे यानी जो संरक्षण मुसलमान को अपने इस्लाम से और ज़िम्मी को अपने अक़्द ज़िम्मे से हासिल थी बाक़ी न रहे और इस स्थिति मसला तीन वजह से है एक यह कि अहले हरब हमारे किसी दयार पर ग़ालिब हो जाऐं और

बाबः 6

मुस्ताम्मन यानी अमान ले कर दाखिल होने वाले के बयान में

इसमें तीन फ़सलें हैं

फ़सलः 1

मुसलमान की अमान ले कर दारूल हरब में दाखिल होने के बयान में

अगर कोई मुसलमान ताजिर अमान ले कर दारूल हरब में दाखिल हुआ तो इस पर हराम है कि हरबियों की जानों या मालों से कुछ तअरूज़ करे लेकिन अगर इन ताजिरों के साथ हरबियों के बादशाह ने जान बूझ कर ग़द्र किया बईं तौर कि इन के माल ले लिये या क़ैद किया या और किसी ने ज़ुल्म किया और बादशाह ने जान बूझ कर मना न किया तो ऐसी हालत में इन ताजिरों को इन की जानों व मालों से तअरूज़ करना मुबाह है मानिन्द इस शख़्स के जिस को अहले हरब क़ैद करके ले गये या बतार चोरों के वो इन के मुल्क (1) में पोशीदा दाखिल हुआ कि इस को यह उमूर मुबाह होते हैं पस इस तरह ऐसे ताजिरों को भी रवा है कि इन का माल लेले और इन को क़त्ल करे मगर यह नहीं रवा है कि वहां की किसी औरत से हलाल जान कर वती करे इस वास्ते कि फ़रोज की हासत सिवाए मुल्क के नहीं होती है और जब तक कि अपने दारूल इस्लाम में हरबिया औरत को लाकर अपने अहराज़ में न करे तब मुल्क मुतहक़्क़िक़ नहीं होती है। लेकिन अगर इस ने दारूल इस्लाम में अपनी मनकूहा औरत को जिस को अहले हरब क़ैद करके ले गये हैं पाया या अपनी उम्मे वल्द या मुदब्बिरह को पाया और हाल यह है कि अहले हरब ने इन औरतों से वती नहीं की है तो यह औरतें इस की मिल्क में बाक़ी हैं पस इन से वती कर सकता है मगर इन औरतों से अगर अहले हरब ने वती की हो तो दोयम यह किसी शहर के लोग इस्लाम से मुरतिद हो कर ग़ालिब हो जाऐं और अहकाम कुफ़्र वहां जारी करें सोम यह कि किसी शहर के ज़िम्मी अपना अक़्द (1) ज़िम्मा तोड़ दें और बर सबील तग़लब इस शहर पर क़ाबिज़ हो जाऐं तो इन सब सूरतों मेंसे हर स्थिति में यह सूबा या शहर या मुल्क जब ही दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशहो जायेगा कि जब तीनों शर्तें मज़कूरा-ए-बाला पाई जाऐं और इमाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि एक ही शर्त है दारूल इस्लाम भी दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशहो जाता है और वो यह है कि इस में अहकाम कुफ़्र जारी व ज़ाहिर हों और यह कथन मुवाफ़िक़ क़ियास के है। फिर अगर कोई मुल्क बसबब तीनों शराइत मज़कूरह बाला पाई जाने के दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशहो गया फिर इस को इमाम ने फ़तह किया और ग़नीमत लूट में आई फिर क़ब्ल तक़सीम ग़नीमत के वहां के लोग हाज़िर हुए तो इस को मुफ़्त बग़ैर कुछ दिये लेलेंगे यानी दी जायेगी और अगर बाद तक़सीम हो जाने के हाज़िर हुए तो हर एक अपनी अपनी चीज़ इस की क़ीमत दे कर ले सकता है और रही ज़मीन पस बाद फ़तह कर लेने इमामुल मुस्लिमीन के वो अपने हुक्म अव्वल की तरफ़ ऊद करेगी यानी अगर वो ज़मीन खराजी थी तो खराजी हो जायेगी और अगर अशरी थी तो अशरी हो जायेगी लेकिन अगर क़ब्ल इस के इमाम ने इस पर खिराज बांध दिया हो तो वो ऊद करने में अशरी न होगी यह सिराज वहाज में है।

(1)नी बाहम जो अहद व पैमान था इस पर क़ायम तर हैं बल्कि इसके खिलाफ+ ग़ज़र व बद अहदी करें।

बाबः 6

मुस्ताम्मन यानी संरक्षण ले कर

इन औरतों के हक़ में शुब्हा पैदा होगा पस इन औरतों पर इद्दत वाजिब होगी लिहाज़ा जब तक इन की इद्दत मुन्क़ज़ी न हो जाये तब तक इन से वती करना इस को रवा नहीं है बखिलाफ़ इस के अगर मख़्स ममलूका बान्दी को अहले हरब क़ैद करके ले गये हों और इस को इस ने वहां पाया तो इस के साथ इस को वती करना जायज़ नहीं है अगरचे अहले हरब ने इस से वती न की हो इस वास्ते कि हरबी ऐसी बान्दी के मालिक हो गये हैं और इसी वजह से इस को जायज़ नहीं है कि इस बान्दी से किसी तरह कुछ तअरूज़ करे बशर्तेकि इन के दयार में अमान ले कर दाखिल हुआ और अमान तोड़ी नहीं गई और अपनी ज़ोजा व उम्मे वल्द व मुदब्बिरह से इस को तअरूज़ जायज़ है यह तबयुन में है।

अगर दो मुसलमान अमान ले कर दारूल हरब में दाखिल हुए फिर इन में से एक ने दूसरे को अमदन या ख़ताअन क़त्ल किया तो क़ातिल पर इस के माल से मक़तूल की देत वाजिब होगी :

अगर ताजिर मज़्कूर ने ख़ुद ग़द्र किया और हरबियों की कोई चीज़ ले कर दारूल इस्लाम में निकाल लाया तो इस का मालिक तो हो जायेगा मगर बा मुल्क हबनीस यानी हराम तौर पर मालिक होगा पस इस को हुक्म दिया जायेगा कि यह चीज़ सदक़ा करदे। अगर इस ताजिर के हाथ किसी हरबी ने कोई चीज़ क़र्ज़ बेची या इस ने किसी हरबी के हाथ क़र्ज़ बेची या इस ताजिर व हरबी में से किसी ने दूसरे से ग़सब कर ली फिर ताजिर मज़्कूर दारूल इस्लाम में चला आया और हरबी मज़्कूर भी अमान ले कर दारूल इस्लाम में दाखिल हुआ या किसी हरबी ने दूसरे हरबी के हाथ कोई चीज़ क़र्ज़ बेचीया एक हरबी ने दूसरे हरबी की कोई चीज़ ग़सब करली फिर दोनों अमान ले कर दारूल इस्लाम में दाखिल हुए और यहां के हाकिम के हुज़ूर में नालिश पेश की तो इन दोनों में से किसी के वास्ते दूसरे पर कुछ हुक्म किसी चीज़ का न दिया जायेगा और अगर दोनों हरबी मज़्कूर मुसलमान हो कर

दाखिल होने वाले के बयान में

इसमें तीन फ़सलें हैं

फ़सलः 1

मुसलमान की संरक्षण ले कर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल होने के बयान में

अगर कोई मुसलमान ताजिर संरक्षण ले कर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल हुआ तो इस पर हराम है कि हरबियों की जानों या मालों से कुछ तअरूज़ करे लेकिन अगर इन ताजिरों के साथ हरबियों के बादशाह ने जान बूझ कर ग़द्र किया बईं तौर कि इन के माल ले लिये या क़ैद किया या और किसी ने ज़ुल्म किया और बादशाह ने जान बूझ कर मना न किया तो ऐसी हालत में इन ताजिरों को इन की जानों व मालों से तअरूज़ करना मुबाह है मानिन्द इस व्यक्ति के जिस को अहले हरब क़ैद करके ले गये या बतार चोरों के चो इन के मुल्क (1) में पोशीदा दाखिल हुआ कि इस को यह उमूर मुबाह होते हैं पस इस तरह ऐसे ताजिरों को भी जायज़ है कि इन का माल लेले और इन को क़त्ल करे मगर यह नहीं जायज़ है कि वहां की किसी औरत से हलाल जान कर वती करे इस लिएकि फ़रोज की हासत सिवाए मुल्क के नहीं होती है और जब तक कि अपने दारूल इस्लाम में हरबिया औरत को लाकर अपने अहराज़ में न करे तब मुल्क मुतहक़्क़िक़ नहीं होती है। लेकिन अगर इस ने दारूल इस्लाम में अपनी मनकूहा औरत को जिस को अहले हरब क़ैद करके ले गये हैं पाया या अपनी बच्चे कीमों या मुदब्बिरह को पाया और हाल यह है कि अहले हरब ने इन औरतों से वती नहीं की है तो यह औरतें इस की मिल्क में बाक़ी हैं पस इन से वती कर सकता है मगर इन औरतों से अगर अहले हरब ने वती की हो तो इन औरतों के हक़ में शुब्हा पैदा होगा पस इन औरतों पर इद्दत अनिवार्य होगी लिहाज़ा जब

(1)मिल्क निकाह होया मिल्क रक़बा।

दारूल इस्लाम में आ गये हों तो जिस का क़र्ज़ा चाहिए है इस के वास्ते क़र्ज़ दार पर इस के क़र्ज़ा का हुक्म दे दिया जायेगा और रही ग़सब की सूरत सो सब वजूह मज़कूरह-ए-बाला में ग़सब की बाबत क़ज़ाअन कुछ तअरूज़ न किया जायेगा लेकिन जिस सूरत में कि मुसलमान हरबियों के यहां अमान ले कर दाखिल हुआ और हरबी की कोई चीज़ ग़सब कर ली है और हरबी मुसलमान हो कर यहां आया और नालिश पेश की है तो ग़ासिब को अज़ राह दयानत माल ग़सब इस को वापिस कर देने का हुक्म दिया जायेगा मगर क़ज़ाअन इस पर हुक्म न दिया जायेगा। अगर दो मुसलमान अमान ले कर दारूल हरब में दाखिल हुए फिर इन में से एक ने दूसरे को अमदन या ख़ताअन क़त्ल किया तो क़ातिल पर इस के माल से मक़तूल की देत वाजिब होगी और ख़ताअन क़त्ल करने की सूरत में इस पर कफ़्फ़ारह भी वाजिब होगा और रहा क़िसास सो ज़ाहिरूल रिवाया के मुवाफ़िक़ क़िसास वाजिब नहीं होता है अगर यह दोनों क़ैदी हों यानी कुफ़्फ़ार इन को दारूल इस्लाम से क़ैद करके ले गये हों फिर एक ने दूसरे को क़त्ल किया या मुसलमान ताजिर ने किसी मुसलमान असीर को क़त्ल किया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार क़ातिल पर कुछ वाजिब नहीं है सिवाए इस के कि ख़ताअन क़त्ल करने की सूरत में कफ़्फ़ारह-ए-क़त्ल अदा करना वाजिब है यह काफ़ी में है इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि मुज़ायकत्र नहीं है कि मुसलमान ताजिर अहले हरब के यहां चाहे जो चीज़ ले जाये सिवाए कराअ व सलाह व सबी के और अगर हरबियों के यहां कुछ न ले जाये तो मेरे अनुसार पसन्दीदा तर है।

कराअ व सलाह से मुराद :

शैख शम्सुल अइम्मा सरखसी ने शरह सियर कबीर में फ़रमाया कि कराअ से मुराद हर तरह के घोड़े और खच्चर व गधे व ऊंट व माल लादने के बेल हैं और सलाह से मुराद यह है कि जो क़िताल के वास्ते मुहया किया हो और लड़ाई में इस्तेमाल किया जाता है ख़्वाह तक इन की इद्दत मुन्क़ज़ी न हो जाये तब तक इन से वती करना इस को जायज़ नहीं है बखिलाफ़ इस के अगर मख़्स ममलूका बान्दी को अहले हरब क़ैद करके ले गये हों और इस को इस ने वहां पाया तो इस के साथ इस को वती करना जायज़ नहीं है अगरचे अहले हरब ने इस से वती न की हो इस लिएकि हरबी ऐसी बान्दी के मालिक हो गये हैं और इसी वजह से इस को जायज़ नहीं है कि इस बान्दी से किसी तरह कुछ तअरूज़ करे बशर्तेकि इन के दयार में संरक्षण ले कर दाखिल हुआ और संरक्षण तोड़ी नहीं गई और अपनी ज़ोजा व बच्चे कीमाँ व मुदब्बिरह से इस को तअरूज़ जायज़ है यह तबयुन में है।

अगर दो मुसलमान संरक्षण ले कर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल हुए फिर इन में से एक ने दूसरे को अमदन या ख़ताअन क़त्ल किया तो क़ातिल पर इस के माल से मकतूल की देत अनिवार्य होगी :

अगर ताजिर वर्णित ने ख़ुद उज़र किया और हरबियों की कोई चीज़ ले कर दारूल इस्लाम में निकाल लाया तो इस का मालिक तो हो जायेगा मगर बा मुल्क हबनीस यानी हराम तौर पर मालिक होगा पस इस को हुक्म दिया जायेगा कि यह चीज़ दान करदे। अगर इस ताजिर के हाथ किसी हरबी ने कोई चीज़ क़र्ज़ बेची या इस ने किसी हरबी के हाथ क़र्ज़ बेची या इस ताजिर व हरबी में से किसी ने दूसरे से ग़सब कर ली फिर ताजिर वर्णित दारूल इस्लाम में चला आया और हरबी वर्णित भी संरक्षण ले कर दारूल इस्लाम में दाखिल हुआ या किसी हरबी ने दूसरे हरबी के हाथ कोई चीज़ क़र्ज़ बेचीया एक हरबी ने दूसरे हरबी की कोई चीज़ ग़सब करली फिर दोनों संरक्षण ले कर दारूल इस्लाम में दाखिल हुए और यहां के हाकिम के हुज़ूर में नालिश पेश की तो इन दोनों में से किसी के लिएदूसरे पर कुछ हुक्म किसी चीज़ का न दिया जायेगा और अगर दोनों हरबी वर्णित मुसलमान हो कर

(1)मिल्क निकाह होया मिल्क रक़बा।

इस के साथ वो सिवाए लड़ाई के और काम में इस्तेमाल किया जाता हो या न किया जाता हो और तमाम जिन्स सलाह है ख़्वाह खिर्द हों या कलां हो चुनांचे कि सूई व सोजा तक इन के यहां भर ले जाना कराहियत में यक्सां हैं। इसी तरह जिस लोहे से हथियार बनाये जाते हैं इस का भरती करके दारूल हरब में ले जाना मकरूह है और इसी तरह हरीर व दीबाज और क़ज़ जो ग़ैर मामूल यानी साख़्ता हुए तो इस का ले जाना भी मकरूह है। अगर हमर अब्रेशम या क़ज़ के बारीक कपड़े हों तो इन को ले जाने में मुज़ायक़ा नहीं है और पीतल व कांसा अहले हरब के यहां ले जाने में मुज़ायक़ा नहीं है और यही हुक्म क़लई का है इस वास्ते कि ग़ालिबन इन्का इस्तेमाल हथियारों में नहीं होता है और अगर वो लोग ग़ालिब हथियार अपने इस से बनाते हों तो इन में से किसी चीज़ का इन के यहां ले जाना हलाल नहीं है और नसूर ज़िन्दह (जमा नसर तायर) या मज़बूहा का मअ बाज़ूदन के अहले हरब के यहां ले जाना रवा नहीं है इस वास्ते कि ग़ालिबन इन के बाज़ू के परों से निशावब व नील की डंडी लगाई जाती है और अगर उक़ाब के बाज़ू के परों से ऐसा किया जाता हो तो इस का भी इस्तूर से दाखिल करना रवा हैं और अगर वो शिकारी ही के वास्ते इस मिल्क में जाते हों तो इन का वहां ले जाना रवा है और बाज़ू सक़र (1) का भी यही हुक्म है। अगर मुसलमानों ने अमान ले कर दारूल हरब में तिजारत के वास्ते जाने का मक़सद किया हालांकि इस के साथ इस का घोड़ा व हथियार हैं कि जिस को अहले हरब के हाथ फ़रोख़्त करने का इरादा नहीं रखता है तो इस के साथ ले जाने से मना न किया जायेगा लेकिन यह इस वक़्त है कि यह मालूम हो कि अहले हरब इस से इन चीज़ों के वास्ते कुछ मुतअरूज़ न होंगे और इसी तरह बाक़ी जानवर इन सवारी का भी यही हुक्म है लेकिन अगर यह ताजिर इन चीज़ों से किसी चीज़ की निस्बत मुतहम हो कि इन के हाथ बेचने के वास्ते लिये जाता है तो इस से अल्लाह तआला की क़सम ली जायेगी कि मैं बैअ के वास्ते इन चीज़ों को नहीं लिये जाता हूं और फ़रोख़्त न करूंगा यहां तक कि इस को दारूल हरब से दारूल इस्लाम में निकाल

दारूल इस्लाम में आ गये हों तो जिस का क़र्ज़ा चाहिए है इस के लिएक़र्ज़ दार पर इस के क़र्ज़ा का हुक्म दे दिया जायेगा और रही ग़सब की स्थिति सो सब वजूह मज़कूरह-ए-बाला में ग़सब की बाबत क़ज़ाअन कुछ तअरूज़ न किया जायेगा लेकिन जिस स्थिति में कि मुसलमान हरबियों के यहां संरक्षण ले कर दाखिल हुआ और हरबी की कोई चीज़ ग़सब कर ली है और हरबी मुसलमान हो कर यहां आया और नालिश पेश की है तो ग़ासिब को अज़ राह दयानत माल ग़सब इस को वापिस कर देने का हुक्म दिया जायेगा मगर क़ज़ाअन इस पर हुक्म न दिया जायेगा। अगर दो मुसलमान संरक्षण ले कर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल हुए फिर इन में से एक ने दूसरे को अमदन या ख़्ताअन क़त्ल किया तो क़ातिल पर इस के माल से मक़तूल की देत अनिवार्य होगी और ख़ताअन क़त्ल करने की स्थिति में इस पर कफ़्फ़ारह भी अनिवार्य होगा और रहा क़िसास सो ज़ाहिरूल रिवाया के मुवाफ़िक़ क़िसास अनिवार्य नहीं होता है अगर यह दोनों क़ैदी हों यानी कुफ़्फ़ार इन को दारूल इस्लाम से क़ैद करके ले गये हों फिर एक ने दूसरे को क़त्ल किया या मुसलमान ताजिर ने किसी मुसलमान असीर को क़त्ल किया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार क़ातिल पर कुछ अनिवार्य नहीं है सिवाए इस के कि ख़ताअन क़त्ल करने की स्थिति में कफ़्फ़ारह-ए-क़त्ल अदा करना अनिवार्य है यह काफ़ी में है इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि मुज़ायकत्र नहीं है कि मुसलमान ताजिर अहले हरब के यहां चाहे जो चीज़ ले जाये सिवाए कराअ व सलाह व सबी के और अगर हरबियों के यहां कुछ न ले जाये तो मेरे अनुसार पसन्दीदा तर है।

कराअ व सलाह से मुराद :

शैख़ शम्सुल अइम्मा सरख़सी ने शरह सियर कबीर में फ़रमाया कि कराअ से मुराद हर तरह के घोड़े और खच्चर व गधे व ऊंट व माल लादने के बेल हैं और सलाह से मुराद यह है कि जो क़िताल के लिएमुहया किया हो और लड़ाई में इस्तेमाल किया जाता है चाहे इस

लाउं इल्ला बवजह

(1) बाज़ू सक़र॥ दोनों परिन्दे शिकारी हैं बाज+ तो मारूफ+ है और सक़र की हिन्दी लगड+ है जो कबूतर वग़ैरह का शिकार करता है।

(2) स॥ 302 पे हम इस के मुताल्लिक+ लिख चुके वहां से मुलाहिज़ा करें यहां पे (कई और जगह की तरह) मुतरजम ने अहतियातन बतौरे तकरार लिखा है।(हाफ़िज+)

ज़रूरत व सख़्ती पेश आने के पस अगर इस ने इस तौर पर क़सम खाई तो तोहमत मज़कूरह इस के ज़िम्मे से दूर हो जायेगी और दारूल हरब में ले जाने दिया जायिेगा औध्र अगर इस ने क़सम न खाई तो इन में से कोई चीज़ दारूल जहरब में न ले जाने पाउंगा और रोका जायेगा।

अगर ज़िम्मी ने तिजारत के वास्ते अमान ले कर जाने का क़सद किया तो वो घोड़ा व हथियार साथ ले जाने से मना किया जायेगा :

इस तरह अगर दरिया की राह से माल तिजारत कश्ती में भर कर ले जाना चाहा तो भी यही हुक्म है और अगर एक या दो ग़ुलाम ले जाने का क़सद किया ताकि इस की खिदमत किया करें तो इस को मुमानिअत न की जायेगी इस वास्ते कि इस को खिदमत की हाजत है मगर ऐसे ग़ुलामों के ले जाने से मना किया जायेगा जिन की तिजारत का इरादा रखता है पस अगर मुतहम हुआ कि बेचने के वास्ते ले जाता है तो इस से क़सम ली जायेगी। अगर ज़िम्मी ने तिजारत के वास्ते अमान ले कर जाने का क़सद किया तो वो घोड़ा व बरज़ून व हथियार साथ ले जाने से मना किया जायेगा लेकिन अगर ज़िम्मी मज़कूर इन अहले हरब जब के साथ अदावत रखने में मअरूफ़ हो और मामूं हो कि ऐसा न करेगा तो इस का हाल मिस्ल मुसलमान ताजिर ` है। अगर इस ने अपनी तिजारत के वास्ते खच्चर या गधे या गाड़ी या ऊंट पर सवार हो कर या लाद कर दारूल हरब में जाना चाहा तो मना न किया जायेगा मगर इस से क़सम ली जायेगी कि खच्चर व कशती व रक़ीक़ जो वहां साथ ले जाता है इन के हाथ फ़रोख्त करने का क़सद नहीं रखता है और इन के साथ वो सिवाए लड़ाई के और काम में इस्तेमाल किया जाता हो या न किया जाता हो और तमाम जिन्स सलाह है चाहे खिर्द हों या कलां हो चुनांचे कि सूई व सोजा तक इन के यहां भर ले जाना कराहियत में यक्सां हैं। इसी तरह जिस लोहे से हथियार बनाये जाते हैं इस का भरती करके दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें ले जाना मकरूह है और इसी तरह हरीर व दीबाज और क़ज़ जो ग़ैर मामूल यानी साख़्ता हुए तो इस का ले जाना भी मकरूह है। अगर हमर अब्रेशम या क़ज़ के बारीक कपड़े हों तो इन को ले जाने में मुज़ायक़ा नहीं है और पीतल व कांसा अहले हरब के यहां ले जाने में मुज़ायक़ा नहीं है और यही हुक्म क़लई का है इस लिएकि ग़ालिबन इन्का इस्तेामल हथियारों में नहीं होता है और अगर वो लोग ग़ालिब हथियार अपने इस से बनाते हों तो इन में से किसी चीज़ का इन के यहां ले जाना हलाल नहीं है और नसूर ज़िन्दह (जमा नसर तायर) या मज़बूहा का मअ बाज़ूदन के अहले हरब के यहां ले जाना जायज़ नहीं है इस लिएकि ग़ालिबन इन के बाज़ू के परों से निशावब व नील की डंडी लगाई जाती है और अगर उक़ाब के बाज़ू के परों से ऐसा किया जाता हो तो इस का भी इस्तूर से दाखिल करना जायज़ हैं और अगर वो शिकारी ही के लिएइस मिल्क में जाते हों तो इन का वहां ले जाना जायज़ है और बाज़ू सक़र (1) का भी यही हुक्म है। अगर मुसलमानों ने संरक्षण ले कर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें तिजारत के लिएजाने का मक़सद किया हालांकि इस के साथ इस का घोड़ा व हथियार हैं कि जिस को अहले हरब के हाथ फ़रोख्त करने का इरादा नहीं रखता है तो इस के साथ ले जाने से मना न किया जायेगा लेकिन यह इस समय है कि यह मालूम हो कि अहले हरब इस से इन चीज़ों के लिएकुछ मुतअरूज़ न होंगे और इसी तरह बाक़ी जानवर इन सवारी का भी यही हुक्म है लेकिन अगर यह ताजिर इन चीज़ों से किसी चीज़ की निस्बत मुतहम हो कि इन के हाथ बेचने के लिएलिये जाता है तो इस से अल्लाह तआला की क़सम ली जायेगी कि मैं विक्रय के लिएइन चीज़ों को नहीं लिये जाता हूं और फ़रोख्त न करूंगा यहां

को फ़रोख़्त न करेगा यहां तक कि इन को दारूल इस्लाम में निकाल लायेगा इल्ला बसबब ज़रूरत पेश आने के और अगर हरबी मुताम्मन ने दारूल इस्लाम से दारूल हरब की तरफ़ लौट जाने का इरादा किया हो और इन चीज़ों में से जो हम ने ज़िक्र की हैं किसी चीज़ को साथ ले जाना चाहा तो इस को इस से मना किया जायेगा और रोका जायेगा लेकिन अगर हरबी मज़कूर किसी मुसलमान या ज़िम्मी को कश्ती या कोई जानवर सवारी किराया पर दे कर लाया हो और यहां से यह चीज़ वापिस लिये जाता हो तो ऐसी सूरत में वो मना न किया जायेगा और अगर अहले हरब ऐसे लोग हों कि जब कोई ताजिर मुसलमान या ज़िम्मी इन के यहां इन चीज़ों में से कोई चीज़ ले जाता है तो फिर वापिस नहीं लाने देते हैं मगर इस का सिमन इस को दे देते हैं तो ताजिर मुसलमान या ज़िम्मी को इन के यहां हर क़िसम के घोड़े व हथियार व रक़ीक़ ले जाने से मुमानिअत की जायेगी मगर ख़च्चर व गधे व बेल व ऊंट ले जाने से न रोका जायेगा और इसी तरह एक कश्ती ले जाने से जिस पर सवार होता है और असबाब लादता है मना न किया जायेगा और अगर इस ने दूसरी कश्ती इस केसाथ ले जाने का क़सद किया तो इस से रोक दिया जायेगा और यह सब बहुक्म इस्तहसान है और ऐसी हालत में वो अपने साथ कोई ख़ादिम ख़्वाह मुसलमान हो या काफ़िर हो नहीं ले जाने पायेगा और अगर कोई हरबी हमारे यहां अमान ले कर किराअ व सलाह व रक़ीक़ के साथ दाखिल हुआ तो जो कुछ साथ लाया है इस को ले कर लोट जाने से मना न किया जायेगा और अगर इस ने चीज़ें दिरहमों यानी नक़द के औज़ बेच डालें फिर इस नक़द के औज़ यहां से भी दूसरी चीज़ें ख़रीदें ख़्वाह वैसे ही कि ऐसी इस की थीं या इन से अफ़ज़ल या इन से बदतर तो वो इन चीज़ों में से किसी को दारूल हरब में न ले जाने पायेगा और इस तरह अगर इस ने वही बअयुना ख़रीद लीं जिन को फ़रोख़्त किया है या मुशतरी से दरख़्वास्त की कि मुझे इक़ाला (1) करले पस मुशतरी ने इस बैअ का क़ब्ल क़ब्ज़ा मुबीअ के बाद या बाद क़ब्ज़ा मुबीअ के इक़ाला कर दिया या मुशतरी ने इन खरीदी हुई चीज़ों को बसबब तक कि इस को दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशसे दारूल इस्लाम में निकाल लाउं सिवा बवजह

(1)बाज़ू सक़र॰ दोनों परिन्दे शिकारी हैं कुछ तो मारूफ+ है और सक़र की हिन्दी लगड+ है जो कबूतर वग़ैरह का शिकार करता है। (2) स॰ 302 पे हम इस के मुताल्लिक+ लिख चुके वहां से मुलाहिज़ा करें यहां पे (कई और जगह की तरह) मुतरजम ने अहतियातन बतौरे तकरार लिखा है।(हाफ़िज+)

ज़रूरत व सख़्ती पेश आने के पस अगर इस ने इस तौर पर क़सम खाई तो तोहमत मज़कूरह इस के ज़िम्मे से दूर हो जायेगी और दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें ले जाने दिया जायेगा और अगर इस ने क़सम न खाई तो इन में से कोई चीज़ दारूल जहरब में न ले जाने पाउंगा और रोका जायेगा।

अगर ज़िम्मी ने तिजारत के लिएसंरक्षण ले कर जाने का क़सद किया तो वो घोड़ा व हथियार साथ ले जाने से मना किया जायेगा :

इस तरह अगर दरिया की राह से माल तिजारत कश्ती में भर कर ले जाना चाहा तो भी यही हुक्म है और अगर एक या दो ग़ुलाम ले जाने का क़सद किया ताकि इस की सेवा किया करें तो इस को मुमानिअत न की जायेगी इस लिएकि इस को सेवा की हाजत है मगर ऐसे ग़ुलामों के ले जाने से मना किया जायेगा जिन की तिजारत का इरादा रखता है पस अगर मुतहम हुआ कि बेचने के लिएले जाता है तो इस से क़सम ली जायेगी। अगर ज़िम्मी ने तिजारत के लिएसंरक्षण ले कर जाने का क़सद किया तो वो घोड़ा व बरज़ून व हथियार साथ ले जाने से मना किया जायेगा लेकिन अगर ज़िम्मी वर्णित इन अहले हरब जब के साथ अदावत रखने में मअरूफ़ हो और मामूं हो कि ऐसा न करेगा तो इस का हाल मिस्ल मुसलमान ताजिर है। अगर इस ने अपनी तिजारत के लिएख़च्चर या गधे या गाडी या ऊंट पर सवार हो कर या लाद कर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें जाना चाहा तो मना न किया जायेगा मगर इस से क़सम ली जायेगी कि ख़च्चर व कशती व रक़ीक़ जो वहां साथ ले जाता है इन के हाथ फ़रोख़्त करने का क़सद नहीं

ख़्यार व देत के या बसबब ख़्यार शर्त के जो मुशतरी ने अपने वास्ते शर्त किया था हरबीमज़कूर को वापिस कर दिया तो भी यही हुक्म है कि हरबी मज़कूर इन चीज़ों को यहां से न ले जाने पायेगा। अगर हरबी मज़कूर ने बैअ में अपने वास्ते ख़्यार शर्त कर लिया हो फिर इस ख़्यार की वजह से बैअ को तोड़ दिया तो इस को इख़्तयार रहेगा चाहे इन चीज़ों को अपने साथ वापिस किये जाये। यह मुहीत में है।

(1)इस बैअ+ को रद करे और बैअ+ को तोड+ दे।
(2)चाहे फ़रो]त करके क़ीमत व दाम नक़ल ले जायेया सिवा,ेसी चीज़ों के दूसरे क़िस्म के असबाब कोखरीदे।

अगर हरबी कोई तलवार लाया और बजाये इस के गुमान यसा नेज़ा या ढाल खरीदी तो यहां से दारूल हरब में न ले जाने पायेगा और इसी तरह अगर अपनी तलवार से बेहतर दूसरी तलवार अपनी तलवार से बदल ली तो भी यही हुक्म है और अगर दूसरी तलवार इस की तलवार के मिस्ल या खराब हो तो इस को साथ ले जाने से मना न किया जायेगा यह मबसूत में है और इस जिन्स के मसाइल में असल यह है कि हर गाह इस ने अपने हथियार के औज़ दूसरी जिन्स का हथियार बदल लिया तो इस को न ले जाने पायेगा और इस पर जबर किया जायेगा कि इस को दारूल इस्लाम में फ़रोख़्त कर दे ख़्वाह यह हथियार जो इस ने बदल लिया है इस के हथियार की निस्बत फ़ायदा में बेहतर हो या बदतर हो और अगर इस ने अपने हथियार के बदल में इसी जिन्स का हथियार लिया है तो देखा जायेगा कि अगर इस के हथियार के मिस्ल या इस से खराब है तो इस को ले कर दारूल हरब में लौटा जा सकता है रोका न जायेगा और अगर इस हथियार से अच्छा हो तो ले जाने न पायेगा और अगर इस ने अपने हथियार के मिस्ल बदल लिया फिर दोनों ने बाहम बैअ का इक़ाला कर लिया हो तो जो हथियार इस का इस के हाथ आया है इस को दोनों सूरतों में साथ ले कर वापिस नही जा सकता है और कराअ का मुबादला करना सब सूरतों में वही हुक्म रखता है जो हथियार के मुबादला में हम ने बयान किया और अगर इस ने अपने नर गधे के औज़ गधी बदल ली या नर घोडे के औज़ मादा घोडी बदल ली तो इस को दारूल रखता है और इन को फ़रोख़्त न करेगा यहां तक कि इन को दारूल इस्लाम में निकाल लायेगा इल्ला बसबब ज़रूरत पेश आने के और अगर हरबी मुताम्मन ने दारूल इस्लाम से दारूल हरब/ग़ैर-इस्लामी शासित देशकी तरफ़ लोट जाने का इरादा किया हो और इन चीज़ों में से जो हम ने ज़िक्र की हैं किसी चीज़ को साथ ले जाना चाहा तो इस को इस से मना किया जायेगा और रोका जायेगा लेकिन अगर हरबी वर्णित किसी मुसलमान या ज़िम्मी को कश्ती या कोई जानवर सवारी किराया पर दे कर लाया हो और यहां से यह चीज़ वापिस लिये जाता हो तो ऐसी स्थिति में वो मना न किया जायेगा और अगर अहले हरब ऐसे लोग हों कि जब कोई ताजिर मुसलमान या ज़िम्मी इन के यहां इन चीज़ों में से कोई चीज़ ले जाता है तो फिर वापिस नहीं लाने देते हैं मगर इस का क़ीमत इस को दे देते हैं तो ताजिर मुसलमान या ज़िम्मी को इन के यहां हर क़िसम के घोडे व हथियार व रक़ीक़ ले जाने से मुमानिअत की जायेगी मगर खच्चर व गधे व बेल व ऊंट ले जाने से न रोका जायेगा और इसी तरह एक कश्ती ले जाने से जिस पर सवार होता है और असबाब लादता है मना न किया जायेगा और अगर इस ने दूसरी कश्ती इस केसाथ ले जाने का क़सद किया तो इस से रोक दिया जायेगा और यह सब बहुक्म इस्तहसान है और ऐसी हालत में वो अपने साथ कोई खादिम चाहे मुसलमान हो या काफ़िर हो नहीं ले जाने पायेगा और अगर कोई हरबी हमारे यहां संरक्षण ले कर किराअ व सलाह व रक़ीक़ के साथ दाखिल हुआ तो जो कुछ साथ लाया है इस को ले कर लोट जाने से मना न किया जायेगा और अगर इस ने चीज़ें दिरहमों यानी नक़द के औज़ बेच डालें फिर इस नक़द के औज़ यहां से भी दूसरी चीज़ें खरीदें चाहे वैसे ही कि ऐसी इस की थीं या इन से अफ़ज़ल या इन से बदतर तो वो इन चीज़ों में से किसी को दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें न ले जाने पायेगा और इस तरह अगर इस ने वही बअयुना खरीद लीं जिन को फ़रोख़्त किया है या ग्राहक से दरख़्वास्त की कि मुझे इक़ाला (1) करले पस ग्राहक ने इस विक्रय का क़ब्ल क़ब्ज़ा मुबीअ के बाद या बाद क़ब्ज़ा मुबीअ के इक़ाला

हरब में ले जाने से रोका जायेगा अगरचे जिस को ले जाता है क़ीमत में इस के मिस्ल हो या कम हो तो छोड़ दिया जायेगा कि इस को ले जाये।

अगर रोम के दो अशख़ास हरबी अमान ले कर हमारे यहां दाखिल हुए और इन दोनों में से एक के साथ रफ़ीक़ और दूसरे के साथ हथियार हैं :

अगर इस ने अपनी मादियान के औज़ नर बदल लिया तो नहीं ले जाने पायेगा और अगर इस ने अपने असल घोड़े के औज़ पर ज़ून यानी दोग़ला घोड़ा या बरज़ून औज़ असल घोड़ा बदल लिया तो इस के साथ ले जाने से रोका जायेगा और न ले जाने पायेगा और अगर इस ने अपनी मादा घोड़ी के औज़ दूसरी मादा घोड़ी जो इस की घोड़ी से दोड़ में कम है बदल ली लेकिन बदली हुई घोड़ी इस की घोड़ी के बनिस्बत मज़बूत .ज्यादा है और इस से नसल की उम्मीद .ज्यादा है तो ले जाने से रोका जायेगा और इस पर जबर किया जायेगा कि इस को यहां फ़रोख्त कर दे लेकिन अगर यह मालूम हो कि जो घोड़ी इस ने दे दी है इस की बनिस्बत यह घोड़ी जिस को ले जाता है इन्तफ़ाअ हासिल करने में सब तरह से कम या बराबर है तो ले जा सकता है और रही बान्दी व ग़ुलाम यानी रक़ीक़ सो इन को किसी तरह बाद तब्दील कर लेने के नहीं ले जा सकता है इस पर जबर किया जायेगा कि फ़रोख्त कर दे .ख्वाह जो रक़ीक़ बदले में लिया है इस जिन्स का हो जो इस ने दिया है या ग़ैर जिन्स हो .ख्वाह इस से घट कर हो या बढ कर हो। अगर रोम के दो शख्स हरबी अमान ले कर हमारे यहां दाखिल हुए और इन दोनों में से एक के साथ रक़ीक़ और दूसरे के साथ हथियार हैं फिर दोनों ने आपस में रक़ीक़ और हथियारों का मुबादला कर लिया या हर एक ने अपना माल दूसरे के हाथ दिरहमों के औज़ बेच डाला फिर हर एक ने इस चीज़ को जो इस ने इस तरह हासिल की है दारूल हरब में ले जाना चाहा तो मना न किया जायेगा और अगर रोम का कोई हरबी यहां अमान ले कर दाखिल हुआ और अपने साथ कराअ या सलाह कर दिया या ग्राहक ने इन ख़रीदी हुई चीज़ों को बसबब ख़्यार व देत के या बसबब .ख्यार शर्त के जो ग्राहक ने अपने लिएशर्त किया था हरबीमज़कूर को वापिस कर दिया तो भी यही हुक्म है कि हरबी वर्णित इन चीज़ों को यहां से न ले जाने पायेगा। अगर हरबी वर्णित ने विक्रय में अपने लिएख्यार शर्त कर लिया हो फिर इस .ख्यार की वजह से विक्रय को तोड़ दिया तो इस को इख्तयार रहेगा चाहे इन चीज़ों को अपने साथ वापिस किये जाये। यह मुहीत में है।

(1)इस विक्र को रद करे और विक्र को तोड+ दे।
(2)चाहे फ़रो]त करके क़ीमत व दाम नक़ल ले जायेया सिवा,्सी चीज़ों के दूसरे क़िस्म के असबाब कोखरीदे।

अगर हरबी कोई तलवार लाया और बजाये इस के गुमान यसा नेज़ा या ढ़ाल ख़रीदी तो यहां से दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें न ले जाने पायेगा और इसी तरह अगर अपनी तलवार से बेहतर दूसरी तलवार अपनी तलवार से बदल ली तो भी यही हुक्म है और अगर दूसरी तलवार इस की तलवार के मिस्ल या ख़राब हो तो इस को साथ ले जाने से मना न किया जायेगा यह मबसूत में है और इस जिन्स के मसाइल में असल यह है कि हर गाह इस ने अपने हथियार के औज़ दूसरी जिन्स का हथियार बदल लिया तो इस को न ले जाने पायेगा और इस पर जबर किया जायेगा कि इस को दारूल इस्लाम में फ़रोख्त कर दे चाहे यह हथियार जो इस ने बदल लिया है इस के हथियार की निस्बत फ़ायदा में बेहतर हो या बदतर हो और अगर इस ने अपने हथियार के बदल में इसी जिन्स का हथियार लिया है तो देखा जायेगा कि अगर इस के हथियार के मिस्ल या इस से ख़राब है तो इस को ले कर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें लोटा जा सकता है रोका न जायेगा और अगर इस हथियार से अच्छा हो तो ले जाने न पायेगा और अगर इस ने अपने हथियार के मिस्ल बदल लिया फिर दोनों ने बाहम विक्रय का इक़ाला कर लिया हो तो जो हथियार इस का इस के हाथ आया है इस को दोनों सूरतों में साथ ले कर वापिस नहीं जा सकता है और कराअ का मुबादला करना सब सूरतों में वही हुक्म रखता है जो हथियार के मुबादला में हम ने बयान किया और

या रक़ीक़ लाया फिर यहां से इस ने चाहा कि तातार या वेलम वग़ैरह किसी ऐसे काफ़िरों के मुल्क में जो मुसलमान के दुश्मन हैं इन चीज़ों को ले कर जाये ताकि इनके हाथ फ़रोख़्त करे तो इस को इस से मना किया जायेगा और इसी तरह अगर इन चीज़ों को ऐसे दारूल हरब में दाखिल करना चाहा जिन से मुसलमानों को मवादअत (1) है तो भी मना किया जायेगा और अगर ऐसे मुल्क में ले जाना चाहा जहां के लोग मुसलमानों के अहले ज़िम्मा हैं तो मना न किया जायेगा और अगर दो हरबी मुस्ताम्मन हमारे यहां आये एक दिरहम का है और दूसरा तातार का है और इन में से एक के साथ रक़ीक़ और दूसरे के साथ कराअ या सलाह हैं फिर दोनों ने बाहम इन चीज़ों का मुबादला कर लिया या हर एक ने दूसरे की मताअ को दिरहमों के औज़ ख़रीदा तो दोनों मेंसे किसी को न छोड़ा जायेगा कि वो अपनी ख़रीदी हुई इस चीज़ को अपने मुल्क में ले जाये और अगर दोनों में से हर एक ने यक्सां सनअत के हथियार बदल लिये तो हर एक को इख़्तयार दिया जायेगा कि अपनी ख़रीदी हुई चीज़ को अपने मुल्क में ले जाये।

अगर दोनों में से एक ने बनिस्बत दूसरे के बेहतर लिया हो तो जिस ने दोनों में से ख़राब लिया है वो अपने ख़राब हथियार को अपने मुल्क में ले जा सकता है और जिस ने बेहतर लिया है वो नहीं ले जा सकता है बल्कि इस पर जबर किया जायेगा कि इस को फ़रोख़्त करदे बमन्ज़िला इस के जैसे कि हरबी ने मुसलमान से ऐसा मुबादला किया चुनांचे इस में भी यही हुक्म होता है और इस तरह अगर दोनों में से अफ़ज़ल हथियार के बाऐ को मुशतरी ने बसबब ख़्यार रोयत या अपने ख़्यार शर्त या बसबब ऐब के ख़रीदा हुआ हथियार वापिस कर दिया हो तो भी वो इस को दारूल हरब में वापिस नहीं के जा सकता है बख़िलाफ़ इस के अगर दोनों ने बाहम रक़ीक़ (2) से मुबादला कर लिया और यह दोनों रक़ीक़ यक्सां हैं या इन में से एक बनिस्बत दूसरे के अफ़ज़ल है तो इस सूरत में इन दोनों का मुबादला बमन्ज़िला मुबादला मुसलमान या ज़िम्मी व मुस्ताम्मन के क़रार न दिया जायेगा पस दर सूरत यह कि हर दो रक़ीक़ में मुसावात अगर इस ने अपने नर गधे के औज़ गधी बदल ली या नर घोड़े के औज़ मादा घोड़ी बदल ली तो इस को दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें ले जाने से रोका जायेगा अगरचे जिस को ले जाता है क़ीमत में इस के मिस्ल हो या कम हो तो छोड़ दिया जायेगा कि इस को ले जाये।

अगर रोम के दो अशख़ास हरबी संरक्षण ले कर हमारे यहां दाखिल हुए और इन दोनों में से एक के साथ रक़ीक़ और दूसरे के साथ हथियार हैं :

अगर इस ने अपनी मादियान के औज़ नर बदल लिया तो नहीं ले जाने पायेगा और अगर इस ने अपने असल घोड़े के औज़ पर ज़ून यानी दोग़ला घोड़ा या बरज़ून औज़ असल घोड़ा बदल लिया तो इस के साथ ले जाने से रोका जायेगा और न ले जाने पायेगा और अगर इस ने अपनी मादा घोड़ी के औज़ दूसरी मादा घोड़ी जो इस की घोड़ी से दौड़ में कम है बदल ली लेकिन बदली हुई घोड़ी इस की घोड़ी के बनिस्बत मज़बूत ज़्यादा है और इस से नसल की उम्मीद ज़्यादा है तो ले जाने से रोका जायेगा और इस पर जबर किया जायेगा कि इस को यहां फ़रोख़्त कर दे लेकिन अगर यह मालूम हो कि जो घोड़ी इस ने दे दी है इस की बनिस्बत यह घोड़ी जिस को ले जाता है इन्तफ़ाअ हासिल करने में सब तरह से कम या बराबर है तो ले जा सकता है और रही बान्दी व ग़ुलाम यानी रक़ीक़ सो इन को किसी तरह बाद तब्दील कर लेने के नहीं ले जा सकता है इस पर जबर किया जायेगा कि फ़रोख़्त कर दे चाहे जो रक़ीक़ बदले में लिया है इस जिन्स का हो जो इस ने दिया है या ग़ैर जिन्स हो चाहे इस से घट कर हो या बढ़ कर हो। अगर रोम के दो व्यक्ति हरबी संरक्षण ले कर हमारे यहां दाखिल हुए और इन दोनों में से एक के साथ रक़ीक़ और दूसरे के साथ हथियार हैं फिर दोनों ने आपस में रक़ीक़ और हथियारों का मुबादला कर लिया या हर एक ने अपना माल दूसरे के हाथ दिरहमों के औज़ बेच डाला फिर हर एक ने इस चीज़ को जो इस ने इस तरह हासिल की है दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें ले

मुतहक़्क़िक़ हो तो जिस की मिल्क में इस बैअ से जो रक़ीक़ आ गया है इस को अपने मुल्क में ले जाने से मुमानिअत न की जायेगी और अगर दोनों में से एक अफ़ज़ल हो और दूसरा घटिया हो तो जिस ने घटिया लिया है वो मना न किया जायेगा और जिस ने अफ़ज़ल लिया है इस को मुमानिअत (रोका जायेगा) की जायेगी और अगर दोनों ने बाहम बान्दी व ग़ुलाम का मुबादला किया हो तो दोनों में से किसी को इजाज़त न होगी कि जो इस ने लिया है इस को अपने मुल्क में ले जाये इस वास्ते कि नर व मादा का इख़्तलाफ़ जिन्सी है कज़ा फ़िल मुहीत।

फ़सलः 2

हरबी के अमान लेकर दारूल इस्लाम में दाखिल होने के बयान में

जाना चाहा तो मना न किया जायेगा और अगर रोम का कोई हरबी यहां संरक्षण ले कर दाखिल हुआ और अपने साथ कराअ या सलाह या रक़ीक़ लाया फिर यहां से इस ने चाहा कि तातार या वेलम वग़ैरह किसी ऐसे काफ़िरों के मुल्क में जो मुसलमान के दुशमन हैं इन चीज़ों को ले कर जाये ताकि इनके हाथ फ़रोख़्त करे तो इस को इस से मना किया जायेगा और इसी तरह अगर इन चीज़ों को ऐसे दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल करना चाहा जिन से मुसलमानों को मवादअत (1) है तो भी मना किया जायेगा और अगर ऐसे मुल्क में ले जाना चाहा जहां के लोग मुसलमानों के अहले ज़िम्मा हैं तो मना न किया जायेगा और अगर दो हरबी मुस्ताम्मन हमारे यहां आये एक दिरहम का है और दूसरा तातार का है और इन में से एक के साथ रक़ीक़ और दूसरे के साथ कराअ या सलाह हैं फिर दोनों ने बाहम इन चीज़ों का मुबादला कर लिया या हर एक ने दूसरे की मताअ को दिरहमों के औज़ खरीदा तो दोनों मेंसे किसी को न छोड़ा जायेगा कि वो अपनी ख़रीदी हुई इस चीज़ को अपने मुल्क में ले जाये और अगर दोनों में से हर एक ने यक्सां सनअत के हथियार बदल लिये तो हर एक को इख़्तयार दिया जायेगा कि अपनी ख़रीदी हुई चीज़ को अपने मुल्क में ले जाये।

अगर दोनों में से एक ने बनिस्बत दूसरे के बेहतर लिया हो तो जिस ने दोनों में से ख़राब लिया है वो अपने ख़राब हथियार को अपने मुल्क में ले जा सकता है और जिस ने बेहतर लिया है वो नहीं ले जा सकता है बल्कि इस पर जबर किया जायेगा कि इस को फ़रोख़्त करदे बमन्ज़िला इस के जैसे कि हरबी ने मुसलमान से ऐसा मुबादला किया चुनांचे इस में भी यही हुक्म होता है और इस तरह अगर दोनों में से अफ़ज़ल हथियार के बाऐ को ग्राहक ने बसबब ख़्यार रोयत या अपने ख़्यार शर्त या बसबब ऐब के ख़रीदा हुआ हथियार वापिस कर दिया हो तो भी वो इस को दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें वापिस नहीं के जा सकता है बख़िलाफ़ इस के अगर दोनों ने बाहम रक़ीक़ (2) से मुबादला कर लिया और यह दोनों रक़ीक़ यक्सां हैं या इन में से एक

अगर हरबी अमान ले कर दारूल इस्लाम में दाखिल हुआ तो उस को यह क़ुदरत न दी जायेगी कि यहां साल भर तक रहे और इमामुल मुस्लिमीन इस से फ़रमा देगा कि अगर तू साल भर तक यहां रहेगा तो मैं तुझ पर जज़्या बांध दूंगा फिर अगर इमाम के इस तरह इस से फ़रमाने के बाद वो साल तमाम होने से पहले अपने मुल्क को वापिस गया तो इस पर कोई राह नहीं है और अगर न गया यहीं रहा तो वो ज़िम्मी है और जज़्या के वास्ते साल इस वक्त से शुमार होगा जिस वक्त से इमाम ने इस से कह दिया है न। इस वक्त से कि जिस वक्त से वो दारूल इस्लाम में दाखिल हुआ है और इमाम को यह भी रवा है कि अगर मसलहत देखे तो इस के वास्ते इस से कम मुद्दत मुक़र्रर कर दे मसलन महीना या दो महीने चुनांचे इस के बाद अगर वो रहा तो ज़िम्मी हो जायेगा फिर जो मुद्दत मुक़र्रर कर दी है अगर इस के बाद गुज़र जाने के वो ज़िम्मी हो गबया तो अज़ सरे नू इस से इस वक्त के बाद से आइन्दा साल के वास्ते जज़्या लेगा लेकिन अगर इस के वास्ते यह शर्त कर दी हो कि अगर तू साल भर तक रहा तो तुझ से जज़्या लूंगा तो ऐसी सूरत में साल तमाम होने पर जज़्या लेगा कज़ा फ़िल तबयुन।

(1)मुद्दत मुअय्यन तक बाहम सुलह है और इस वक्त तक लड़ाई से मोहलत दी गई है।
(2)नी गुलाम को दूसरे गुलाम से मुबादला किया।

फिर इस के बाद वो न छोड़ा जायेगा कि दारूल हरब में लोट जाये यह किफ़ाया में है। अगर कोई हरबी हमारे मुल्क में अमान ले कर आया और इस ने यहां कोई ज़मीन ख़राबी ख़रीदी फिर जब इस पर खिराज बांधा गया तब ही से वो ज़िम्मी हो गया और इस तरह अगर इस ने ज़मीन अशरी खरीदी तो वो ज़मीन बिना बर क़ौल इमाम मौहम्मद रह० के अशरी रहेगी और बिना बर क़ौल इमाम आज़म रह० के खिराजी हो जायेगी पस खिराजी बांधे जाने के वक्त से इस से आइन्दा साल का जज़्या लिया जायेगा और इस के हक़ में ज़िम्मियों के अहकाम साबित होंगे चुनांचे दारूल हरब में जाने से मना किया जायेगा और इस के व मुसलमान के दरमियान क़िसास (1) जारी होगा और अगर किसी मुसलमान ने बनिस्बत दूसरे के अफ़ज़ल है तो इस स्थिति में इन दोनों का मुबादला बमन्ज़िला मुबादला मुसलमान या ज़िम्मी व मुस्ताम्मन के क़रार न दिया जायेगा पस दर स्थिति यह कि हर दो रक़ीक़ में मुसावात मुतहक़्क़िक़ हो तो जिस की मिल्क में इस विक्रय से जो रक़ीक़ आ गया है इस को अपने मुल्क में ले जाने से मुमानिअत न की जायेगी और अगर दोनों में से एक अफ़ज़ल हो और दूसरा घटिया हो तो जिस ने घटिया लिया है वो मना न किया जायेगा और जिस ने अफ़ज़ल लिया है इस को मुमानिअत (रोका जायेगा) की जायेगी और अगर दोनों ने बाहम बान्दी व ग़ुलाम का मुबादला किया हो तो दोनों में से किसी को इजाज़त न होगी कि जो इस ने लिया है इस को अपने मुल्क में ले जाये इस लिएकि नर व मादा का मतभेद जिन्सी है कज़ा फ़िल मुहीत।

फ़सलः 2

हरबी के संरक्षण लेकर दारूल

इस की शराब या सुवर को तलफ़ कर दिया तो इस की क़ीमत तावान देगा और अगर वो ख़ता से क़त्ल किया गया तो इस की देत वाजिब होगी और वाजिब होगा कि जो चीज़ इस को तकलीफ़ दह हो वो इस से दूर की जाये चुनांचे इस की ग़नीमत हराम होगी जैसे मुसलमान की ग़ीबत हराम है और खिराज बांधने से यह मुराद है कि इस पर खिराज लाज़िम कर दिया जायेगा और जब से उस ने सबब खिराज किया है इस वक्त से वक्त खिराज की मीआद पूरी हो जाने पर उस से ले लिया जायेगा और सबब खिराज इस अराज़ी की ज़राअत है या इस को इस ज़मीन में ज़राअत की क़ुदरत हासिल हो अगरचे इस ने बेकार छोड़ रखा हो बशर्तेकि इस की मिल्क में यह फ़तहुल क़दीर में है।

अगर कोई हरबी हमारे यहां अमान ले कर दाखिल हुआ और इस ने किसी ज़िम्मिया औरत से निकाह किया तो इस औरत से निकाह करने की वजह से यह मर्द हरबी ज़िम्मी न हो जायेगा :

ख़ाली खरीदने ही से ज़ाहिरूल रिवायत के मुवाफ़िक़ ज़िम्मी नहीं हो जाता है और इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर इस ने इस अराज़ी को फ़रोख़्त कर दिया क़ब्ल इस के कि इस का खिराज वाजिब हुए तो इस के ख़रीद की वजह से ज़िम्मी न हो जायेगा और अगर खिराजी ज़मीन को इजारह पर ले कर इस में ज़राअत की तो ज़िम्मी न हो जायेगा और अगर ऐसी ज़मीन खिराजी हो कि जिस का खिराज मोज़फ़ (2) नहीं है बल्कि बुटाई है और हरबी ने अपने बेचों से इस में ज़राअत की फिर जो कुछ पैदावार हुई इस में से इमाम ने खिराज लिया और खिराज का हुक्म इस मज़ारअ (3) यानी हरबी पर जारी किया न मालिक ज़मीन पर तो इमाम इस हरबी को ज़िम्मी क़रार देगा और इस पर इस की जान का खिराज भी मुक़र्रर करेगा यानी जज़या मुक़र्रर करेगा और अगर हरबी मुस्ताम्मन ने ऐसी अराज़ी को ख़रीदा जिस का खिराज बुटाई पर है और इस को किसी मुसलमान को इजारह पर दे दिया और इमाम ने

इस्लाम में दाखिल होने के बयान में

अगर हरबी संरक्षण ले कर दारूल इस्लाम में दाखिल हुआ तो उस को यह क़ुदरत न दी जायेगी कि यहां साल भर तक रहे और इमामुल मुस्लिमीन इस से फ़रमा देगा कि अगर तू साल भर तक यहां रहेगा तो मैं तुझ पर जज़या बांध दूंगा फिर अगर इमाम के इस तरह इस से फ़रमाने के बाद वो साल तमाम होने से पहले अपने मुल्क को वापिस गया तो इस पर कोई राह नहीं है और अगर न गया यहीं रहा तो वो ज़िम्मी है और जज़या के लिएसाल इस समय से शुमार होगा जिस समय से इमाम ने इस से कह दिया है न। इस समय से कि जिस समय से वो दारूल इस्लाम में दाखिल हुआ है और इमाम को यह भी जायज़ है कि अगर मसलहत देखे तो इस के लिएइस से कम मुद्दत मुक़र्रर कर दे मसलन महीना या दो महीने चुनांचे इस के बाद अगर वो रहा तो ज़िम्मी हो जायेगा फिर जो मुद्दत मुक़र्रर कर दी है अगर इस के बाद गुज़र जाने के वो ज़िम्मी हो गबया तो अज़ सरे नू इस से इस समय के बाद से आइन्दा साल के लिएजज़या लेगा लेकिन अगर इस के लिएयह शर्त कर दी हो कि अगर तू साल भर तक रहा तो तुझ से जज़या लूंगा तो ऐसी स्थिति में साल तमाम होने पर जज़या लेगा कज़ा फ़िल तबयुन।

(1)मुद्दत निश्चित तक बाहम सुलह है और इस सम तक लड़ाई से मोहलत दी गई है।
(2)नी ग़ुलाम को दूसरे ग़ुलाम से मुबादला किया।

फिर इस के बाद वो न छोड़ा जायेगा कि दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें लौट जाये यह किफ़ाया में है। अगर कोई हरबी हमारे मुल्क में संरक्षण ले कर आया और इस ने यहां कोई ज़मीन ख़राबी ख़रीदी फिर जब इस पर खिराज बांधा गया तब ही से वो ज़िम्मी हो गया और इस तरह अगर इस ने ज़मीन अशरी खरीदी तो वो ज़मीन बिना बर कथन इमाम मौहम्मद रह० के अशरी रहेगी और बिना बर कथन इमाम आज़म रह० के खिराजी हो जायेगी पस खिराजी बांधे जाने के समय से इस से आइन्दा साल का जज़या लिया जायेगा और

इस का खिराज इस मुसलमान मुस्ताजिर से ले लिया और इस का मज़हब यह है कि खिराज मज़कूर ज़राअत पर होता है तो मुस्ताम्मन मज़कूर ज़िम्मी न हो जायेगा और अगर मुस्ताम्मन ने ख़रीदी हुई ज़मीन में ज़राअत की और यह ज़मीन खिराजी है फिर इस की खेती जमी फिर ज़राअत को ऐसी आफ़त पहुंची कि वो जाती रही तो ज़मीन मज़कूर पर इस साल खिराज न होगा और हरबी मज़कूर ज़िम्मी न हो जायेगा। अगर हरबी मुस्ताम्मन एक ज़मीन का मालिक हो और मालिक होने के वक्त से छः महीने से कम में इस अराज़ी पर खिराज वाजिब हुआ तो जिस वक्त से इस की ज़मीन पर खिराज वाजिब हुआ है जिस का अदा करना इस पर वाजिब हुआ है इस वक्त से वो ज़िम्मी हो जायेगा और इस पर इस के नफ्स का जज़या वाजिब होगा कि जिस रोज़ से इस की ज़मीन पर खिराज वाजिब हुआ है इस के बाद से एक साल गुज़रने पर इस से यह जज़या ले लिया जायेगा। अगर हरबिया अमान ले कर हमारे यहां दाखिल हुई और इन से किसी ज़िम्मी या मुसलमान (4) से निकाह कर लिया तो वो ज़िम्मिया हो गई और अगर कोई हरबी हमारे यहां अमान ले कर दाखिल हुआ और इस ने किसी ज़िम्मिया औरत से निकाह किया तो इस औरत से निकाह करने की वजह से यह मर्द हरबी ज़िम्मी न हो जायेगा। यह सिराज वहाज में है।

(1)अगर कोई मआमला पेश आये।
(2)मिक्दार मुअ+यना व मुक़र्रह।
(3)ज़राअत कुनिन्दह जिस को काश्तकार कहते हैं।
(4)बईं तौर कि वो औरतयहूदियाया नसरानियायानी अहले किताब से थी।

अगर हरबी मुस्ताम्मन अपने दारूल हरब में लोट गया और किसी मुसलमान या ज़िम्मी के पास कुछ वदीअत छोड़ गया या इन पर कुछ क़र्ज़ा छोड़ गया तो हरबी मज़कूर का ख़ून बाद दारूल हरब में दाखिल होने के हलाल हो गया व लेकिन जो माल इस का मुसलमानों या ज़िम्मियों के पास दारूल इस्लाम में है वो वैसा ही बाक़ी रहेगा कि इस का तसर्रूफ़ में लाना हराम है फिर अगर हरबी मज़कूर वहां से गिरफ़्तार करके लाया गया या लश्कर इस्लाम इस दारूल हरब पर ग़ालिब हो और इस के हक़ में ज़िम्मियों के अहकाम साबित होंगे चुनांचे दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें जाने से मना किया जायेगा और इस के व मुसलमान के दरमियान क़िसास (1) जारी होगा और अगर किसी मुसलमान ने इस की शराब या सुवर को तलफ़ कर दिया तो इस की क़ीमत तावान देगा और अगर वो ख़ता से क़त्ल किया गया तो इस की देत अनिवार्य होगी और अनिवार्य होगा कि जो चीज़ इस को तकलीफ़ दह हो वो इस से दूर की जाये चुनांचे इस की ग़नीमत हराम होगी जैसे मुसलमान की ग़ीबत हराम है और खिराज बांधने से यह मुराद है कि इस पर खिराज अनिवार्य कर दिया जायेगा और जब से उस ने सबब खिराज किया है इस समय से समय ख़िराज की मीआद पूरी हो जाने पर उस से ले लिया जायेगा और सबब खिराज इस अराज़ी की ज़राअत है या इस को इस ज़मीन में ज़राअत की क़ुदरत हासिल हो अगरचे इस ने बेकार छोड़ रखा हो बशर्तेकि इस की मिल्क में यह फ़तहुल क़दीर में है।

अगर कोई हरबी हमारे यहां संरक्षण ले कर दाखिल हुआ और इस ने किसी ज़िम्मिया औरत से निकाह किया तो इस औरत से निकाह करने की वजह से यह मर्द हरबी ज़िम्मी न हो जायेगा :

ख़ाली खरीदने ही से ज़ाहिरूल रिवायत के मुवाफ़िक़ ज़िम्मी नहीं हो जाता है और इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर इस ने इस अराज़ी को फ़रोख़्त कर दिया क़ब्ल इस के कि इस का खिराज अनिवार्य हुए तो इस के ख़रीद की वजह से ज़िम्मी न हो जायेगा और अगर खिराजी ज़मीन को इजारह पर ले कर इस में ज़राअत की तो ज़िम्मी न हो जायेगा और अगर ऐसी ज़मीन खिराजी हो कि जिस का खिराज मोज़फ़ (2) नहीं है बल्कि बुटाई है और हरबी ने अपने बेचों से इस में ज़राअत की फिर जो कुछ पैदावार हुई इस में से इमाम ने खिराज लिया और खिराज का हुक्म इस मज़ारअ (3) यानी हरबी पर जारी किया न मालिक ज़मीन पर तो इमाम इस हरबी को ज़िम्मी क़रार देगा और इस पर इस

हरबी मज़कूर क़त्ल किया गया तो इस का क़र्ज़ा साक़ित हो गया और जो माल इस का वदीअत था वो फ़ई हो गया औरद अगर इस का कुछ माल।

जिहाद करके किसी क़ौम को असीर किया और इन को ले आये पस इस क़ौम ने दअवा किया कि हम अहले इस्लाम से हैं या मुसलमनों के ज़िम्मियों में से हैं :

असल यह है कि जो शख़्स जिस दार में है इस के इस दार के अहले होने के वास्ते यह दार दलील ज़ाहिरी है यानी जिस मक़ाम पर जो शख़्स पाया गया वो मक़ाम इस अम्र की दलील ज़ाहिरी है कि यह शख़्स वहीं का है और अलामात बनिस्बत मकान के अक़वी होते हैं और गवाह बनिस्बत अलामात वग़ैरह सब के अक़वा हैं चुनांचे अगर किसी छोटे लश्कर इस्लाम ने जो बातहती किसी सरदार के सिवाए इमामुल मुस्लिमीन के है जिहाद करके किसी क़ौम को असीर किया और इन को ले आये पस इस क़ौम ने दअवा किया कि हम अहले इस्लाम से हैं या मुसलमानों के ज़िम्मियों में से हैं और इन लोगों ने हम

की जान का खिराज भी मुक़र्रर करेगा यानी जज़्या मुक़र्रर करेगा और अगर हरबी मुस्ताम्मन ने ऐसी अराज़ी को ख़रीदा जिस का खिराज बुटाई पर है और इस को किसी मुसलमान को इजारह पर दे दिया और इमाम ने इस का खिराज इस मुसलमान मुस्ताजिर से ले लिया और इस का मज़हब यह है कि खिराज वर्णित ज़राअत पर होता है तो मुस्ताम्मन वर्णित ज़िम्मी न हो जायेगा और अगर मुस्ताम्मन ने ख़रीदी हुई ज़मीन में ज़राअत की और यह ज़मीन खिराजी है फिर इस की खेती जमी फिर ज़राअत को ऐसी आफ़त पहुंची कि वो जाती रही तो ज़मीन वर्णित पर इस साल खिराज न होगा और हरबी वर्णित ज़िम्मी न हो जायेगा। अगर हरबी मुस्ताम्मन एक ज़मीन का मालिक हो और मालिक होने के समय से छः महीने से कम में इस अराज़ी पर खिराज अनिवार्य हुआ तो जिस समय से इस की ज़मीन पर खिराज अनिवार्य हुआ है जिस का अदा करना इस पर अनिवार्य हुआ है इस समय से वो ज़िम्मी हो जायेगा और इस पर इस के नफ्स का जज़्या अनिवार्य होगा कि जिस रोज़ से इस की ज़मीन पर खिराज अनिवार्य हुआ है इस के बाद से एक साल गुज़रने पर इस से यह जज़्या ले लिया जायेगा। अगर हरबिया संरक्षण ले कर हमारे यहां दाखिल हुई और इन से किसी ज़िम्मी या मुसलमान (4) से निकाह कर लिया तो वो ज़िम्मिया हो गई और अगर कोई हरबी हमारे यहां संरक्षण ले कर दाखिल हुआ और इस ने किसी ज़िम्मिया औरत से निकाह किया तो इस औरत से निकाह करने की वजह से यह मर्द हरबी ज़िम्मी न हो जायेगा। यह सिराज वहाज में है।

(1)अगर कोई मआमला पेश आये।
(2)मिक्दार मुअ+यना व मुक़र्रह।
(3)ज़राअत कुनिन्दह जिस को काश्तकार कहते हैं।
(4)बईं तौर कि वो औरतयहूदियाया नसरानियायानी अहले किताब से थी।

अगर हरबी मुस्ताम्मन अपने दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें लोट गया और किसी मुसलमान या ज़िम्मी के पास कुछ वदीअत छोड़ गया या इन पर कुछ क़र्ज़ा छोड़ गया तो हरबी वर्णित का ख़ून बाद दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल होने

को दारूल इस्लाम से असीर किया है और इस लश्कर वालों ने कहा कि यह लोग अहले हरब हैं हम ने इन को दारूल हरब में गिरफ़तार किया है तो क़ौल इन असीरों का क़बूल होगा और अगर क़ैदियों ने कहा कि उन्होंने हम को दारूल हरब में क़ैद किया है लेकिन हम अहले इस्लाम या ज़िम्मी हैं और हम दारूल हरब में अमान ले कर तिजारत के लिये या मुलाक़ात के वास्ते दाखिल हुए थे या हम लोग अहले हरब के पंजे में असीर थे तो इन लोगों का क़ौल क़बूल न होगा और यह लोग रक़ीक़ क़रार दिये जाऐंगे लेकिन अगर इन लोगों में इस्लाम की अलामतें मिस्ल ख़त्ना व खिज़ाब व मूंझे कतरी होने व क़िराअत क़ुरआन व फ़िक्हा वग़ैरह के पाई जाऐं और उन्होंने इस्लाम का दअवा किया तो इन से गिरफ़्तार व रक़ीक़ होना दूर किया जायेगा और इसी तरह अगर दारूल हरब पर ग़ालिब हो जाने के बाद दारूल हरब में किसी क़ैदी में ऐसी अलामात पाई गई तो इस का भी यही हुक्म है।

अगर इस लश्कर में से बाज़ ने इन क़ैदियों पर गवाही दी तो क़बूल न होगी इस वास्ते कि यह गवाही अपनी ज़ात व नफ़ा के वास्ते

(1)लक़ीत किसी मक़ाम से पड़ा हुआ था उठा लाया गया और इसे कोई वारिस व हसब नसब व हाल कुछ मालूम नहीं है।
(2)लक़ीत का उठा लाने वाला।

है और अगर ताजिरों (दारूल हरब में जो मुसलमान ताजिर माल ले कर गये हैं) ने इन क़ैदियों पर गवाही दी तो मक़बूल होगी इस वास्ते कि इन की इन क़ैदियों में शिरकत नहीं है और सियर कबीर में लिखा है कि अहले लश्कर में से बाज़ की गवाही इन पर मक़बूल होगी और यह इख़्तलाफ़ इस जहत से है कि वज़अ मसला मुख़्तलिफ़ है यानी सियर कबीर में सूरत मसला में यह है कि बड़ा लश्कर जिहाद करके इन को असीर करके लाया पस ऐसी सूरत में शिरकत आम होगी और ऐसी आम शिरकत ऐसी गवाही क़बूल होने से मानअ नहीं है जैसे दो फ़क़ीरों की गवाही बैतुल माल के वास्ते होती है कि शिरकत तमाम फ़क़ीरों की अलल मऊम है और यहां वज़अ मसला छोटे लश्कर में है और ऐसी शिरकत ख़ास है पस यह क़बूल गवाही से मानअ होगी और अगर अहले ज़िम्मा ने इन के हलाल हो गया व लेकिन जो माल इस का मुसलमानों या ज़िम्मियों के पास दारूल इस्लाम में है वो वैसा ही बाक़ी रहेगा कि इस का तसर्रूफ़ में लाना हराम है फिर अगर हरबी वर्णित वहां से गिरफ़्तार करके लाया गया या लश्कर इस्लाम इस दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशपर ग़ालिब हो और हरबी वर्णित क़त्ल किया गया तो इस का क़र्ज़ा साक़ित हो गया और जो माल इस का वदीअत था वो श्रेणीबद्ध हो गया औरद अगर इस का कुछ माल।

जिहाद करके किसी क़ौम को असीर किया और इन को ले आये पस इस क़ौम ने दअवा किया कि हम अहले इस्लाम से हैं या मुसलमनों के ज़िम्मियों में से हैं :

असल यह है कि जो व्यक्ति जिस दार में है इस के इस दार के अहले होने के लिएयह दार दलील ज़ाहिरी है यानी जिस मक़ाम पर जो व्यक्ति पाया गया वो मक़ाम इस कार्य की दलील ज़ाहिरी है कि यह व्यक्ति वहीं का है और अलामात बनिस्बत मकान के अक़वी होते हैं और गवाह बनिस्बत अलामात वग़ैरह सब के अक़वा हैं चुनांचे अगर किसी छोटे लश्कर इस्लाम ने जो बातहती किसी सरदार के सिवाए इमामुल मुस्लिमीन के है जिहाद करके किसी क़ौम को असीर किया और इन को ले आये पस इस क़ौम ने दअवा किया कि हम अहले इस्लाम से हैं या मुसलमानों के ज़िम्मियों में से हैं और इन लोगों ने हम को दारूल इस्लाम से असीर किया है और इस लश्कर वालों ने कहा कि यह लोग अहले हरब हैं हम ने इन को दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें गिरफ़तार किया है तो कथन इन असीरों का क़बूल होगा और अगर क़ैदियों ने कहा कि उन्होंने हम को दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें क़ैद किया है लेकिन हम

क़ैदियों के नफ़ा की गवाही दी बईं तौर कि यह लोग मुसलमान या ज़िम्मी हैं तो ऐसी गवाही क़बूल न होगी इस वास्ते कि यह ज़िम्मियों की गवाही मुसलमानों पर है (1) यह काफ़ी में है।

फ़सलः 3

ऐसे हदया के बयान में हैं जो बादशाह अहले हरब मुसलमानों के सरदारे लश्कर के पास भेजे

अगर मुसलमानों में से किसी एक बुज़ुर्ग मुसलमान के पास जिस को क़ुव्वत मनफ़अत हासिल नहीं है हदया भेजा तो यह हदया खास उसी का होगा :

इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि दुशमनों का बादशाह जो हदया लश्कर इस्लाम के सरदार के पास या इमामुल मुस्लिमीन के पास जो लश्कर के हमराह है भेजे तो इस के क़बूल करने में कुछ मुज़ायक़ा नहीं है और यह माल हदया मुसलमानों के वास्ते फ़ई हो जायेगा। इसी तरह अगर हरबियों के बादशाह ने मुसलमानों के क़ायदीन (2) में से किसी क़ायरे के पास जिन को क़ुव्वत मनफ़अत हासिल है हदया भेजा तो इस का भी यही हुक्म है। अगर मुसलमानों में से किसी एक बुज़ुर्ग मुसलमान के पास जिस को क़ुव्वत मनफ़अत हासिल नहीं है हदया भेजा तो यह दिया ख़ास इसी का होगा। मुन्तक़ी में लिखा है कि अगर कोई गिरोह लश्कर दारूल हरब में दाखिल हुआ और अहले हरब ने इस लश्कर में से किसी लश्करी या क़ायद को हदया भेजा तो वो ग़नीमत होगा लेकिन अगर इस तरह तनफ़ील (3) कर दी गई हो कि जो चीज़ जिस को हदया भेजी जाये वो इसी की होगी तो ऐसा ही होगा और इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमूाया कि इसी तरह अगर ख़लीफ़ा के आमिलों में से किसी आमिल को जब कि ख़लीफ़ा ने इस को किसी काम के वास्ते

अहले इस्लाम या ज़िम्मी हैं और हम दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें संरक्षण ले कर तिजारत के लिये या मुलाक़ात के लिएदाखिल हुए थे या हम लोग अहले हरब के पंजे में असीर थे तो इन लोगों का कथन क़बूल न होगा और यह लोग रक़ीक़ क़रार दिये जाऐंगे लेकिन अगर इन लोगों में इस्लाम की अलामतें मिस्ल ख़त्ना व खिज़ाब व मूंछे कतरी होने व क़िराअत क़ुरआन व फ़िक़्हा वग़ैरह के पाई जाऐं और उन्होंने इस्लाम का दअवा किया तो इन से गिरफ़तार व रक़ीक़ होना दूर किया जायेगा और इसी तरह अगर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशपर ग़ालिब हो जाने के बाद दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें किसी क़ैदी में ऐसी अलामात पाई गईं तो इस का भी यही हुक्म है।

अगर इस लश्कर में से कुछ ने इन क़ैदियों पर गवाही दी तो क़बूल न होगी इस लिएकि यह गवाही अपनी ज़ात व नफ़ा के लिए

(1)लक़ीत किसी मक़ाम से पडा हुआ था उठा लाया गया और इसे कोई वारिस व हसब वंश व हाल कुछ मालूम नहीं है।
(2)लक़ीत का उठा लाने वाला।

है और अगर ताजिरों (दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें जो मुसलमान ताजिर माल ले कर गये हैं) ने इन क़ैदियों पर गवाही दी तो मक़बूल होगी इस लिएकि इन की इन क़ैदियों में शिरकत नहीं है और सियर कबीर में लिखा है कि अहले लश्कर में से कुछ की गवाही इन पर मक़बूल होगी और यह मतभेद इस जहत से है कि वज़अ मसला मुख़्तलिफ़ है यानी सियर कबीर में स्थिति मसला में यह है कि बडा लश्कर जिहाद करके इन को असीर करके लाया पस ऐसी स्थिति में शिरकत आम होगी और ऐसी आम शिरकत ऐसी गवाही क़बूल होने से मानअ नहीं है जैसे दो फ़क़ीरों की गवाही बैतुल माल के लिएहोती है कि शिरकत तमाम फ़क़ीरों की अलल मऊम है और यहां वज़अ मसला छोटे लश्कर में है और ऐसी शिरकत ख़ास है पस यह क़बूल गवाही से मानअ होगी और अगर अहले ज़िम्मा ने इन क़ैदियों के नफ़ा की गवाही दी बईं तौर कि यह लोग मुसलमान या ज़िम्मी हैं तो ऐसी गवाही क़बूल न होगी इस लिएकि यह ज़िम्मियों की गवाही मुसलमानों पर है (1) यह काफ़ी में है।

भेजा है कोई चीज़ हदया दी गई तो ख़लीफ़ा को चाहिए कि यह माल हदया इस आमिल से ले कर मुसलमानों के बैतुल माल में दाखिल कर दे बशर्तेकि हदया देने वाले ने अपनी ख़ुशी ख़ातिर से इस को हदया भेजा हो और अगर बाकराह व मजबूरी भेजा हो तो चाहिए कि हदया देने वाले को वापिस कर दे अगर इस पर क़ादिर हो और अगर न क़ादिर हो तो इस को बैतुल माल में रख दे और इस पर यही क़िस्सा जो इस की बाबत गुज़रा है तहरीर कर दे और इस का हुक्म मिस्ल माल लुक़्त के होगा और अगर मुसलमानों का कोई लश्कर दारूल हरब में दाखिल हो फिर इस लश्कर के सरदार ने दुशमन के बादशाह को कुछ हदया भेजा तो इस में कुछ मुज़ायक़ा नहीं है फिर अगर इस के बाद दुशमनों के बादशाह ने हदया भेजा तो देखा जायेगा कि दुशमनों के बादशाह ने जो कुछ हदया भेजा है अगर इस की क़ीमत इस हदया की क़ीमत के बराबर हो जो सरदार लश्कर ने दुशमनों के बादशाह को भेजा था या इस से ख़फ़ीफ़ ज़्यादा हो कि लोग अपने अन्दाज़े में ऐसा नुक़सान उठाते हैं तो वो ख़ास्सतन सरदार लश्कर के वास्ते होगा और अगर हदया बादशाह दुशमनान इस क़द्र ज़्यादा हो कि लोग ऐसे नुक़सान को अपने अन्दाज़े में नहीं उठाते हैं तो इस में से बक़द्र हदया अमीर लश्कर के अमीर का होगा और जिस क़द्र ज़्यादा हो वो ग़नीमत होगा क़ालल मुतरजम क़ौलहू लोग अपने अन्दाज़े में ऐसा नुक़सान उठाते हैं इस के यह मअनी हैं कि जो लोग मुबसिर हैं इन में से एक ने मसलन दस रूपया क़ीमत अन्दाज़ा की और दूसरे ने साढे दस रूपया अन्दाज़ की और बाक़ी अन्दाज़ा करने वाले इस दस और साढे दस अन्दाज़ करते हैं तो यह आधा दिरहम ज़्यादती ऐसी ज़्यादती शुमार की जाती है कि जो लोग अपने अन्दाज़ा में उठा जाते हैं बल्कि गोया यह ज़्यादती है और अगर

फ़सलः 3

ऐसे हदया के बयान में हैं जो बादशाह अहले हरब मुसलमानों के सरदारे लश्कर के पास भेजे

अगर मुसलमानों में से किसी एक बुज़ुर्ग मुसलमान के पास जिस को क़ुव्वत मनफ़अत हासिल नहीं है हदया भेजा तो यह हदया खास उसी का होगा :

इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि दुशमनों का बादशाह जो हदया लश्कर इस्लाम के सरदार के पास या इमामुल मुस्लिमीन के पास जो लश्कर के हमराह है भेजे तो इस के क़बूल करने में कुछ मुज़ायक़ा नहीं है और यह माल हदया मुसलमानों के लिएश्रेणीबद्ध हो जायेगा। इसी तरह अगर हरबियों के बादशाह ने मुसलमानों के क़ायदीन (2) में से किसी क़ायरे के पास जिन को क़ुव्वत मनफ़अत हासिल है हदया भेजा तो इस का भी यही हुक्म है। अगर मुसलमानों में से किसी एक बुज़ुर्ग मुसलमान के पास जिस को क़ुव्वत मनफ़अत हासिल नहीं है हदया भेजा तो यह दिया ख़ास इसी का होगा। मुन्तक़ी में लिखा है कि अगर कोई गिरोह लश्कर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल हुआ और अहले हरब ने इस लश्कर में से किसी लश्करी या क़ायद को हदया भेजा तो वो ग़नीमत होगा लेकिन अगर इस तरह तनफ़ील (3) कर दी गई हो कि जो चीज़ जिस को हदया भेजी जाये वो इसी की होगी तो ऐसा ही होगा और इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमूया कि इसी तरह अगर ख़लीफ़ा के आमिलों में से किसी आमिल को जब कि ख़लीफ़ा ने इस को किसी काम के लिएभेजा है कोई चीज़ हदया दी गई तो ख़लीफ़ा को चाहिए कि यह माल हदया इस आमिल से ले कर मुसलमानों के बैतुल माल में दाखिल कर दे बशर्तेकि हदया देने वाले ने अपनी ख़ुशी ख़ातिर से

(1)काफ़िरों की गवाही मुसलमानों पर है औरयह जायज+ नहीं है।

(2) कायद यानी लश्कर के सरदार से नीची थोडी फ़ोज के जो अफ़सर हैं उन में से किसी पास भेजा बशर्तेकि इस को अपनी मातहत फ़ोज सेऐसी क़ुव्वत व मनफ़अत हासिल हो कि दफ़ा कर सके डगोंद पहुंचा सके।

(3)इस की तौज़ीह+ क़ब्ल अज़ींएक दो बार गुज़र चुकी वहां पर देखें।

मसलन हदया बादशाह हरबियां बारह या पान्द्रह रूपया या .ज्यादा हो तो साढ़े दस रूपया से जिस क़द्र ज़ायद है वो ऐसी .ज्यादती क़रार दी जायेगी कि लोग अपने अन्दाज़े में नहीं उठाते हैं और ताम्मुल से यह मक़ाम समझ लेना चाहिए और जहां कहीं यह इबारत मज़कूर है इस का यही मतलब है।

इसी तरह अगर अमीर सग़ूज़ (1) ने हरबियों के बादशाह को हदया भेजा और बादशाह मज़कूर ने इस से दो चन्द या .ज्यादा हदया भेजा तो इस में भी यही हुक्म है यानी इस में से बक़द्र हदया सरदार मौसूफ़ के सरदार मौसूफ़ का होगा और बाक़ी जिस क़द्र ज़ायद है वो सब बैतुल माल में दाखिल होगा और अगर मुसलमानों ने अहले हरब के क़िलओं में से किसी क़िलआ का या शहरों में से किसी शहर का मुहासरा किया और इस हालत में अमीर लश्कर ने हरबियों के हाथ अपना कोई असबाब वग़ैरह फ़रोख़्त किया तो इस के सिमन को देखा जायेगा कि जो सिमन हरबियों ने दिया है अगर इस चीज़ की क़ीमत के बराबर हो जो अमीर ने इस के हाथ फ़रोख़्त कर दी है या इस की क़ीमत से फ़क़त इस क़द्र .ज्यादा हो जिस क़द्र लोग अपने अन्दाज़ा करने में नुक़सान उठा जाते हैं तो यह पूरा सिमन अमीर मज़कूर का होगा और अगर सिमन मज़कूर बैअ मज़कूर की क़ीमत से इस क़द्र ज़ायद हो कि लोग अपने अन्दाज़ा करने में ऐसी .ज्यादती दे कर खसारह नहीं उठाते हैं तो इस में से क़ीमत असबाब से जितना .ज्यादा हो वो दाखिले ग़नीमत होगा। रहा यह अम्र कि ऐसी हालत में हरबियों के हाथ फ़रोख़्त करना कैसा है तो इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि मकरूह है ख़्वाह कोई चीज़ हो सब चीज़ों का हुक्म यक्सां है यह मुहीत में है।

बाबः 7

अ़शर व ख़िराज के बयान में

अराज़ी की अक़साम व अहकाम :

अगर ज़मीन से माल गुज़ारी मक़ासमा या मौज़फ़ ले जाये यानी खिराज तो वो ज़मीन खिराजी है और अगर इस को हदया भेजा हो और अगर बाकराह व मजबूरी भेजा हो तो चाहिए कि हदया देने वाले को वापिस कर दे अगर इस पर क़ादिर हो और अगर न क़ादिर हो तो इस को बैतुल माल में रख दे और इस पर यही क़िस्सा जो इस की बाबत गुज़रा है तहरीर कर दे और इस का हुक्म मिस्ल माल लुक़त के होगा और अगर मुसलमानों का कोई लश्कर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें दाखिल हो फिर इस लश्कर के सरदार ने दुशमन के बादशाह को कुछ हदया भेजा तो इस में कुछ मुज़ायक़ा नहीं है फिर अगर इस के बाद दुशमनों के बादशाह ने हदया भेजा तो देखा जायेगा कि दुशमनों के बादशाह ने जो कुछ हदया भेजा है अगर इस की क़ीमत इस हदया की क़ीमत के बराबर हो जो सरदार लश्कर ने दुशमनों के बादशाह को भेजा था या इस से ख़फ़ीफ़ .ज्यादा हो कि लोग अपने अन्दाज़े में ऐसा नुक़सान उठाते हैं तो वो ख़ास्सतन सरदार लश्कर के लिएहोगा और अगर हदया बादशाह दुशमनान इस क़द्र .ज्यादा हो कि लोग ऐसे नुक़सान को अपने अन्दाज़े में नहीं उठाते हैं तो इस में से बक़द्र हदया अमीर लश्कर के अमीर का होगा और जिस क़द्र .ज्यादा हो वो ग़नीमत होगा अनुवादक के कथनानुसार क़ौलहू लोग अपने अन्दाज़े में ऐसा नुक़सान उठाते हैं इस के यह मअनी हैं कि जो लोग मुबसिर हैं इन में से एक ने मसलन दस रूपया क़ीमत अन्दाज़ा की और दूसरे ने साढ़े दस रूपया अन्दाज़ की और बाक़ी अन्दाज़ा करने वाले इस दस और साढ़े दस अन्दाज़ करते हैं तो यह आधा दिरहम .ज्यादती ऐसी .ज्यादती शुमार की जाती है कि जो लोग अपने अन्दाज़ा में उठा जाते हैं बल्कि गोया यह ज़्यादती है और अगर मसलन हदया बादशाह हरबियां बारह या पान्द्रह रूपया या .ज्यादा हो तो साढ़े दस रूपया से जिस क़द्र ज़ायद है वो ऐसी .ज्यादती क़रार दी जायेगी कि लोग अपने अन्दाज़े में

(1)काफ़िरों की गवाही मुसलमानों पर है औरयह जायज+ नहीं है।
(2)कायद यानी लश्कर के सरदार से नीची थोड़ी फ़ोज के जो अफ़सर हैं उन में से किसी पास भेजा बशर्तेकि इस को अपनी मातहत फ़ोज सेऐसी क़ुव्वत व मनफ़अत हासिल हो कि दफ़ा कर सके डगोंद पहुंचा सके।
(3)इस की तौज़ीह+ क़ब्ल अज़ींएक दो बार गुज़र चुकी वहां पर देखें।

दसवां हिस्सा लिया जाये तो वो ज़मीन अशरी है। हाकज़ा क़ालल मुतरजम तफ़हीमन लिन्नास। अराज़ी दो क़िस्म की होती है अशरी व खिराजी पस ज़मीन अ़रब से अशरी है और यह ज़मीन तिहामा व हिजाज़ व मक्का व यमन व ताइफ़ व अमान व बहरीन की है और इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि ज़मीन अ़रब की अज़ीब से ताकि वअदन ता अक़साये हजर और सवाद इराक़ की भी ज़मीन ऐसी ही है पस जो ज़मीन इस में से अजमियों की (खोदी गई) नहरों सेक सींची जाये और वो खिराजी होगी और सोदा इराक़ की हद तूली तजूम मौसल से ताज़मीन इबादान वहद अरज़ी ज़मीन हलवान की मनक़तअ उल जबल से ता अक़साये ज़मीन क़ादसिया है जो मुतसिल बअज़ीब अज़ाराज़ी अरब है। मा सिवाए इस के हर मुल्क जो बअनूत (बक़हर व ग़ल्बा) फ़तह किया गया और वहां के लोग मुसलमान न हुए और इमाम ने इन लोगों पर अहसान किया तो यह ज़मीन खिराजी होगी अगर इस ज़मीन को खिराजी पानी पहुंचता हो। जो मुल्क बसुलह फ़तह किया गया और इस के लोगों ने खिराज क़बूल किया तो यह ज़मीन खिराजी होगी और जो मुल्क कि बअनूत फ़तह किया गया और इमाम ने इस मुल्क को फ़तह करने वाले मुजाहिदीन के

(1)दारूल इस्लाम की सहद जो मुल्क कुफ़्फ़ार से मुलहक+ है इस सरहद के हाकिमे इस्लाम ने।

दरमियान तक़सीम कर दिया तो वो अशरी अराज़ी होगी और जो मुल्क बअनूत फ़तह किया गया और क़ब्ल इस के कि इमाम इन के हक़ में कुछ हुक्म कर दे वो लोग मुसलमान हो गये तो इमाम को इस अराज़ी की बाबत इख़्तयार ही चाहिए इस को ग़ानमीन के दरमियान तक़सीम कर दे पस वो अशरी होगी और चाहे वहां के लोगों पर अहसान करके उन्हीं के पास रहने दे फिर इसके बाद इमाम को इख़्तयार होगा चाहे इस अराज़ी पर खिराज बांधे बशर्तेकि खिराजी पानी से सींची जाती हो और चाहे अशर मुक़र्रर करे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

बिलादे अजम में से जो मुल्क कि इमाम ने क़हर व ग़ल्बा से फ़तह किया और इस में नहीं उठाते हैं और ताम्मुल से यह मक़ाम समझ लेना चाहिए और जहां कहीं यह इबारत वर्णित है इस का यही मतलब है।

इसी तरह अगर अमीर सग़ूर (1) ने हरबियों के बादशाह को हदया भेजा और बादशाह वर्णित ने इस से दो चन्द या ज़्यादा हदया भेजा तो इस में भी यही हुक्म है यानी इस में से बक़द्र हदया सरदार मौसूफ़ के सरदार मौसूफ़ का होगा और बाक़ी जिस क़द्र ज़ायद है वो सब बैतुल माल में दाखिल होगा और अगर मुसलमानों ने अहले हरब के क़िलओं में से किसी क़िलआ का या शहरों में से किसी शहर का मुहासरा किया और इस हालत में अमीर लश्कर ने हरबियों के हाथ अपना कोई असबाब वग़ैरह फ़रोख़्त किया तो इस के क़ीमत को देखा जायेगा कि जो क़ीमत हरबियों ने दिया है अगर इस चीज़ की क़ीमत के बराबर हो जो अमीर ने इस के हाथ फ़रोख़्त कर दी है या इस की क़ीमत से फ़क़त इस क़द्र ज़्यादा हो जिस क़द्र लोग अपने अन्दाज़ा करने में नुक़सान उठा जाते हैं तो यह पूरा क़ीमत अमीर वर्णित का होगा और अगर क़ीमत वर्णित विक्रय वर्णित की क़ीमत से इस क़द्र ज़ायद हो कि लोग अपने अन्दाज़ा करने में ऐसी ज़्यादती दे कर खसारह नहीं उठाते हैं तो इस में से क़ीमत असबाब से जितना ज़्यादा हो वो दाखिले ग़नीमत होगा। रहा यह कार्य कि ऐसी हालत में हरबियों के हाथ फ़रोख़्त करना कैसा है तो इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि मकरूह है चाहे कोई चीज़ हो सब चीज़ों का हुक्म यक्सां है यह मुहीत में है।

बाबः 7

अ़शर व ख़िराज के बयान में

अराज़ी की अक़साम व अहकाम :

अगर ज़मीन से माल गुज़ारी मक़ासमा या मौज़फ़ ले जाये यानी खिराज तो वो ज़मीन खिराजी है और अगर दसवां हिस्सा लिया जाये तो वो ज़मीन अशरी है। हाकज़ा अनुवादक के कथनानुसार तफ़हीमन लिन्नास। अराज़ी दो क़िस्म की होती है अशरी व खिराजी पस ज़मीन अ़रब से

मुतरद्दिद हुआ कि आया इन लोगों पर इन की जानों और अराज़ी के साथ अहसान करे कि इन को आज़ाद करके इन की ज़मीन इन के पास छोड़े :

जिस मुल्क के लोग बतूअ (1) ख़ुद मुसलमान हो गये वो अराज़ी अशरी होगी और इस तरह अराज़ी अरब में से अगर कोई ज़मीन क़हर व ग़ल्बा से फ़तह की गई हालांकि वहां के लोग बुत परस्त थे फिर वो लोग बाद फ़तह हो जाने के मुसलमान हो गये और इमाम ने अराज़ी मज़कूर इन के पास छोड़ी तो इन के पास वो अराज़ी अशरी रहेगी और इसी तरह बिलादे अजम में से जो मुल्क कि इमाम ने क़हर व ग़ल्बा से फ़तह किया और इस में मुतरद्दिद हुआ कि आया इन लोगों पर इन की जानों और अराज़ी के साथ अहसान करे कि इन को आज़ाद करके इन की ज़मीन इन के पास छोड़े और अराज़ी पर खिराज बांधे या अराज़ी को ग़ानमीन के दरमियान तक़सीम करके इस पर अशर बांधे फिर कहा कि मैंने इस अराज़ी को अशरी कर दिया फिर इस की राये में आया कि इस अराज़ी के लोगों पर इन की गर्दनों और अराज़ी के साथ अहसान करे तो अहसान मज़कूर के बाद यह अराज़ी अशरी बाक़ी रहेगी। ऐसा ही इमाम मौहम्मद रह० ने अपने नवादिर में और करखी ने अपनी किताब में ज़िक्र किया है और इसी तरह अगर ज़मीन खिराजी से खिराज का पानी मुन्क़तअ हो गया और वो अशरी पानी से सींची जाने लगी तो वो भी अशरी हो जायेगी यह मुहीत में है।

खिराज फ़क़ीर एक दिरहम है, जरीब रतबा पर पांच दिरहम हैं, जरीब करम यानी फुलवारी अंगूर पर दस दिरहम हैं :

अगर किसी ने अरज़ मवात (2) को ज़िन्दा किया पस अगर यह ज़मीन अराज़ी खिराजी से हो तो खिराजी होगी और अगर तहत अशरी से हो तो अशरी होगी और यह हुक्म इस वक्त है कि इस ज़मीन का ज़िन्दा करने वाला यानी आबाद व मररदअ करने वाला मुसलमान हो। अशरी है और यह ज़मीन तिहामा व हिजाज़ व मक्का व यमन व ताइफ़ व अमान व बहरीन की है और इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि ज़मीन अरब की अज़ीब से ताकि वअदन ता अक़साये हजर और सवाद इराक़ की भी ज़मीन ऐसी ही है पस जो ज़मीन इस में से अजमियों की (खोदी गई) नहरों सेक सींची जाये और वो खिराजी होगी और सोदा इराक़ की हद तूली तजूम मौसल से ताज़मीन इबादान वहद अरज़ी ज़मीन हलवान की मनक़तअ उल जबल से ता अक़साये ज़मीन क़ादसिया है जो मुतस्सिल बअज़ीब अज़ाराज़ी अरब है। मा सिवाए इस के हर मुल्क जो बअनूत (बक़हर व ग़ल्बा) फ़तह किया गया और वहां के लोग मुसलमान न हुए और इमाम ने इन लोगों पर अहसान किया तो यह ज़मीन खिराजी होगी अगर इस ज़मीन को खिराजी पानी पहुंचता हो। जो मुल्क बसुलह फ़तह किया गया और इस के लोगों ने खिराज क़बूल किया तो यह ज़मीन खिराजी होगी और जो मुल्क कि बअनूत फ़तह किया गया और इमाम ने इस मुल्क को फ़तह करने वाले योद्धाओं के दरमियान तक़सीम कर दिया तो वो अशरी अराज़ी होगी और जो मुल्क बअनूत फ़तह किया गया और क़ब्ल इस के कि इमाम इन के हक़ में कुछ हुक्म कर दे वो लोग मुसलमान हो गये तो इमाम को इस अराज़ी की बाबत इख़्तयार ही चाहिए इस को ग़ानमीन के दरमियान तक़सीम कर दे पस वो अशरी होगी और चाहे वहां के लोगों पर अहसान करके उन्हीं के पास रहने दे फिर इसके बाद इमाम को इख़्तयार होगा चाहे इस अराज़ी पर खिराज बांधे बशर्तेकि खिराजी पानी से सींची जाती हो और चाहे अशर मुक़र्रर करे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

(1)दारूल इस्लाम की सहद जो मुल्क कुफ़्फ़ार से मुलहक+ है इस सरहद के हाकिमे इस्लाम ने।

बिलादे अजम में से जो मुल्क कि इमाम ने क़हर व ग़ल्बा से फ़तह किया और इस में मुतरद्दिद हुआ कि आया इन लोगों पर इन की जानों और अराज़ी के साथ अहसान करे

अगर ज़िम्मी होगा तो इस पर खिराज बांधा जायेगा अगरचे वो तहत अशरी से हो। अराज़ी बसरह हमारे अनुसार अशरी है बसब इजमाअ सहाबा रज़ि0 के यह सिराज वहाज में है। खिराज दो क़िस्म का होता है खिराज मुक़ासमा व खिराज वज़ीफ़ा पस खिराज मक़ासमा यह है कि ज़मीन की पैदावार में से मिस्ल पांचवां हिस्सा या छटा हिस्सा वग़ैरह के आंध दिया जाये और खिराज वज़ीफ़ा यह है कि मालिक ज़मीन के ज़िम्मे कुछ वाजिब कर दिया जाये कि जब इस को अराज़ी से इन्तफ़ाअ करने पर क़ाबू हासिल हो तो खिराज मज़कूर इस के ज़िम्मे मुताल्लिक़ होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। खिराज मक़ासमा मुताल्लिक़ ब पैदावार है और ज़राअत पर क़ाबू पाने से मुताल्लिक़ नहीं है हत्ता कि अगर इस ने बावजूद क़ुदरत ज़राअत के अराज़ी को मुअत्तल छोड़ दिया तो खिराज मज़कूर मिस्ल अशर के वाजिब न होगा यह तातार खानिया में ज़हीरिया से मंक़ूल है और खिराज वज़ीफ़ा इस तफ़सील से है कि इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अराज़ी खिराजी की हर जरीब पर जो ज़राअत की सलाहियत रखती है एक क़फ़ीर एक दिरहम है और जरीब रतबा पर पांच दिरहम हैं और जरीब करम यानी फुलवारी अंगूर पर दस दिरहम हैं कज़ा फ़िल मुहीत और मा सिवाए मज़कूर के दीगर असनाफ़ मिस्ल ज़अफ़रान दरोई व बिस्तान वग़ैरह के बहस्बे ताक़त खिराज बांधा जायेगा और इन्तहाऐ ताक़त यह है किक खिराज इस की निस्फ़ पैदावार तक पहुंचते और बुस्तान हर ऐसी अराज़ी है कि दीवारों से घिरी हुआ

(1)अपनी+][ुशीखातिर व रग़बत व रज़ा मन्दी के साथ मुसलमान हो गये।

(2)अराज़े मवात वो ज़मीन जो महज+ बेकार पडी हो और किसी तरह की मनफ़अत अज+ क़सम ज़राअत वग़ैरह इस से हासिल न होती हो और इस का ज़िन्दह करनायह कि इस में ज़राअत करे।

और इस में दरख़्तान ख़ुरमा और दरख़्तान अंगूर व दीगर अशजार (1) हों और इसी तरह हों कि दरख़्तों के दरमियान कुशादा में ज़राअत मुमकिन हो और अगर अशजार बाहम ऐसे गंजान हों कि अराज़ी में ज़राअत मुमकिन न हो तो वो करम यानी चार दीवारी का बाग़ अंगूर होगा कज़ा फ़िल काफ़ी।

कि इन को आज़ाद करके इन की ज़मीन इन के पास छोडे :

जिस मुल्क के लोग बतूअ (1) ख़ुद मुसलमान हो गये वो अराज़ी अशरी होगी और इस तरह अराज़ी अरब में से अगर कोई ज़मीन क़हर व ग़ल्बा से फ़तह की गई हालांकि वहां के लोग बुत परस्त थे फिर वो लोग बाद फ़तह हो जाने के मुसलमान हो गये और इमाम ने अराज़ी वर्णित इन के पास छोडी तो इन के पास वो अराज़ी अशरी रहेगी और इसी तरह बिलादे अजम में से जो मुल्क कि इमाम ने क़हर व ग़ल्बा से फ़तह किया और इस में मुतरद्दिद हुआ कि आया इन लोगों पर इन की जानों और अराज़ी के साथ अहसान करे कि इन को आज़ाद करके इन की ज़मीन इन के पास छोडे और अराज़ी पर खिराज बांधे या अराज़ी को ग़ानमीन के दरमियान तक़सीम करके इस पर अशर बांधे फिर कहा कि मैंने इस अराज़ी को अशरी कर दिया फिर इस की राये में आया कि इस अराज़ी के लोगों पर इन की गर्दनों और अराज़ी के साथ अहसान करे तो अहसान वर्णित के बाद यह अराज़ी अशरी बाक़ी रहेगी। ऐसा ही इमाम मौहम्मद रह० ने अपने नवादिर में और करखी ने अपनी किताब में ज़िक्र किया है और इसी तरह अगर ज़मीन खिराजी से खिराज का पानी मुन्क़तअ हो गया और वो अशरी पानी से सींची जाने लगी तो वो भी अशरी हो जायेगी यह मुहीत में है।

खिराज फ़क़ीर एक दिरहम है, जरीब रतबा पर पांच दिरहम हैं, जरीब करम यानी फुलवारी अंगूर पर दस दिरहम हैं :

अगर किसी ने अरज़ मवात (2) को ज़िन्दा किया पस अगर यह ज़मीन अराज़ी खिराजी से हो तो खिराजी होगी और अगर तहत अशरी से हो तो अशरी होगी और यह हुक्म इस समय है कि इस ज़मीन का ज़िन्दा करने वाला यानी आबाद व मररदअ करने वाला मुसलमान हो। अगर ज़िम्मी होगा तो इस पर खिराज बांधा जायेगा अगरचे वो तहत अशरी से हो। अराज़ी बसरह हमारे अनुसार अशरी है बसब इजमाअ सहाबा रज़ि0 के यह

हरीब ज़राअ मुल्क से साठ हाथ मुरब्बा रक़बा का नाम है और ज़राअत मुल्क सात मुट्ठी का होता है जो आम लोगों के ज़राअत से एक मुश्त .ज़्यादा होता है यह सब किताबुल अशर वल खिराज (2) की इबारत है और शैख़ इस्लाम .ख़्वाहिर ज़ादा ने फ़रमाया कि इमाम मौहम्मद रह० ने कहा कि जरीब साठ हाथ मुरब्बा ज़मीन का नाम है यह क़ौल इमाम मौहम्मद रह० का अपनी अराज़ी की हरबियों का बयान है और यही तक़दीर तमाम अराज़ी के हक़ में लाज़िम नहीं है बल्कि शहरों के इख़्तलाफ़ से अराज़ी की जरीब भी मुख़्तलिफ़ होती हैं पस हर शहर में वहां के लोगों का रिवाज मोअतबर होगा और क़फ़ीज़ से मुराद साअ है पस वो आठ रतल इराक़ी होते हैं जिस के चार मन शरई हुए और यह इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० का क़ौल है और यहीपहला क़ौल इमाम अबू यूसुफ़ रह० का है और यह क़फ़ीज़ गेंहू से होगी चुनांचे किताबुल अशर वल खिराज के एक मक़ाम पर यूं ही लिखा है और दूसरे मक़ाम पर इस किताब में लिखा है कि जो इस ज़मीन में बोया जाये इस अनाजल से यह क़फ़ीज़ होगी और यही सही है और चाहे कि यूं कहा जाये कि यह फ़क़ीज़ मअ दोलब अनाज के होगी और दो लप की तफ़सीर में गुफ़्तुगू है। बाज़ों ने कहा दो लप ज़ायद के यह मअनी हैं कि नापने वाला ढ़ेरी में से नापने के वक़्त क़फ़ीज़ के दोनों जानिब अपने हाथ कुशादा रख ले और जिस क़द्र अनाज इस के हाथ में गिरे इस को थामे रहे और क़फ़ीज़ मअ इस अनाज के आशिर की थैली में डाल दे और बाज़ों ने कहा कि इस के यह मअनी हैं कि नापने वाला क़फ़ीज़ को पुर करे फिर क़फ़ीज़ की चोटी पर हाथ फैरे हत्ता कि जो दाना इस की चोटी पर हैं वो गिर पड़ें फिर इस क़फ़ीज़ को आशिर (वो शख़्स जो अशर लेने के वास्ते मुक़र्रर है) की थैली में डाल दे फिर ढ़ौरी से दो लप भर के जत्रयद इस की थैली में डाल दे अब जानना चाहिए कि यह मिक़्दार मज़कूर जो खिराज मोज़फ़ क़रार दी गई है साल में फ़क़त एक मर्तबा वाजिब होती है चाहे मालिक ज़मीन इस ज़मीन में एक मर्तबा ज़राअत करे या कई मर्तबा ज़राअत करे। बखिलाफ़ खिराज मुक़ासमा व अशर के इस वास्ते सिराज वहाज में है। खिराज दो क़िस्म का होता है खिराज मुक़ासमा व खिराज वज़ीफ़ा पस खिराज मक़ासमा यह है कि ज़मीन की पैदावार में से मिस्ल पांचवां हिस्सा या छटा हिस्सा वग़ैरह के आंध दिया जाये और खिराज वज़ीफ़ा यह है कि मालिक ज़मीन के ज़िम्मे कुछ अनिवार्य कर दिया जाये कि जब इस को अराज़ी से इन्तफ़ाअ करने पर क़ाबू हासिल हो तो खिराज वर्णित इस के ज़िम्मे मुताल्लिक़ होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। खिराज मक़ासमा मुताल्लिक़ ब पैदावार है और ज़राअत पर क़ाबू पाने से मुताल्लिक़ नहीं है हत्ता कि अगर इस ने बावजूद क़ुदरत ज़राअत के अराज़ी को मुअत्तल छोड दिया तो खिराज वर्णित मिस्ल अशर के अनिवार्य न होगा यह तातार खानिया में ज़हीरिया से मंक़ूल है और खिराज वज़ीफ़ा इस तफ़सील से है कि इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अराज़ी खिराजी की हर जरीब पर जो ज़राअत की सलाहियत रखती है एक क़फ़ीर एक दिरहम है और जरीब रतबा पर पांच दिरहम हैं और जरीब करम यानी फुलवारी अंगूर पर दस दिरहम हैं कज़ा फ़िल मुहीत और मा सिवाए वर्णित के दीगर असनाफ़ मिस्ल ज़अफ़रान दरोई व बिस्तान वग़ैरह के बहस्बे ताक़त खिराज बांधा जायेगा और इन्तहाऐ ताक़त यह है किक खिराज इस की निस्फ़ पैदावार तक पहुंचते और बुस्तान हर ऐसी अराज़ी है कि दीवारों से घिरी हुआ

(1)अपनी+][ख़ुशीखातिर व रग़बत व रज़ा मन्दी के साथ मुसलमान हो गये।

(2)अराज़े मवात वो ज़मीन जो महज+ बेकार पडी हो और किसी तरह की मनफ़अत अज+ क़सम ज़राअत वग़ैरह इस से हासिल न होती हो और इस का ज़िन्दह करनायह कि इस में ज़राअत करे।

और इस में दरख़्तान ख़ुरमा और दरख़्तान अंगूर व दीगर अशजार (1) हों और इसी तरह हों कि दरख़्तों के दरमियान कुशादा में ज़राअत मुमकिन हो और अगर अशजार बाहम ऐसे गंजान हों कि अराज़ी में ज़राअत मुमकिन न हो तो वो करम यानी चार दीवारी का बाग़ अंगूर होगा कज़ा फ़िल काफ़ी।

हरीब ज़राअ मुल्क से साठ हाथ मुरब्बा ग़ुलामका नाम है और ज़राअत मुल्क सात मुट्ठी का होता है जो आम लोगों के ज़राअत से एक मुश्त .ज़्यादा होता है यह

कि खिराज मक़ासमा व अशर में पैदावार का कोई हिस्सा वाजिब होता है पस मुकर्रर पैदावार से मुकर्रर वाजिब होगा। फिर यह मिक़्दार इख़्राज जो हम ने बयान की है यह जब ही वाजिब होगी कि अराज़ी को इस को अदाई की ताक़त हो यानी इस की पैदावार इस क़द्र हो कि इस पर खिराज बांधा जाये और अगर अराज़ी इस की ताक़त न रखती हो बईं तौर कि इस की पैदावार कम हो तो जिस मिक़्दार तक इस की ताक़त हो वहां तक घटा दिया जायेगा पस जो वज़ीफ़ा हज़रत उमरो रज़ि0 ने मुक़र्रर किया है अगर अराज़ी को इस की बर्दाश्त की ताक़त न हो तो इस से घटिया देना बिल इजमाअ जायज़ है और रहा यह अम्र कि इस वज़ीफ़े से बढ देना जब कि अराज़ी को इस बढती की ताक़त है बईं तौर कि इस की पैदावार बहुत कसरत से है तो इस का क्या हुक्म है सो जिस अराज़ी पर वज़ीफ़ा मुक़र्रर कर देना हज़रत उमरो रज़ि0 से सादिर हो गया है इस पर .ज्यादा कर देना बिल इजमाअ जायज़ नहीं है।

ख़िराजे मक़ासमा की तकदीर इमामुल मुस्लिमीन की राये के सुपुर्द है :

इस तरह अगर किसी और इमाम से इन अराज़ी पर हज़रत उमरो रज़ि0 के वज़ीफ़े के मिस्ल वज़ीफ़ा मुक़र्रर करना सादिर हो गया हो तो इन पर बढाना भी बिल इजमाअ नहीं जायज़ है अगरचे यह अराज़ी इस .ज्यादती की ताक़त रखती हों और अगर इसी इमाम ने इस अराज़ी पर हज़रत उमरो रज़ि0 के वज़ीफ़े के बराबर वज़ीफ़ा मुक़र्रर कर दिया फिर इस वज़ीफ़े पर नबज़र ताक़त अराज़ी बढाने का क़सद किया तो इस को यह रवा नहीं है अगरचे अराज़ी को .ज्यादा खिराज मोज़फ़ (3) बर्दाश्त करने की ताक़त हो और इस तरह अगर इसी इमाम ने चाहा कि इस वज़ीफ़े से तहवील करके दूसरा वज़ीफ़ा मुक़र्रर करे यानी

(1)वो चीज़ें जो साग व भाजी वग़ैरह कहलाती हैं।
(2)मुसन्निफ़ा इमाम खिज़ाफ़।
(3)वोश]स जो अ+शर लेने के वास्ते मुक़र्रर है।

मसलन पहले दिरहमों से इस का खिराज था अब इस को तहवील करके खिराज मक़ासमा बांधना चाहा या सब किताबुल अशर वल खिराज (2) की इबारत है और शैख इस्लाम .ख़्वाहिर ज़ादा ने फ़रमाया कि इमाम मौहम्मद रह० ने कहा कि जरीब साठ हाथ मुरब्बा ज़मीन का नाम है यह कथन इमाम मौहम्मद रह० का अपनी अराज़ी की हरबियों का बयान है और यही तक़दीर तमाम अराज़ी के हक़ में अनिवार्य नहीं है बल्कि शहरों के मतभेद से अराज़ी की जरीब भी मुख़्तलिफ़ होती हैं पस हर शहर में वहां के लोगों का रिवाज मोअतबर होगा और क़फ़ीज़ से मुराद साअ है पस वो आठ रतल इराक़ी होते हैं जिस के चार मन शरई हुए और यह इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० का कथन है और यहीपहला कथन इमाम अबू यूसुफ़ रह० का है और यह क़फ़ीज़ गेंहू से होगी चुनांचे किताबुल अशर वल खिराज के एक मक़ाम पर यूं ही लिखा है और दूसरे मक़ाम पर इस किताब में लिखा है कि जो इस ज़मीन में बोया जाये इस अनाजल से यह क़फ़ीज़ होगी और यही सही है और चाहे कि यूं कहा जाये कि यह क़फ़ीज़ मअ दोलब अनाज के होगी और दो लप की तफ़सीर में गुफ़तुगू है। बाज़ों ने कहा दो लप ज़ायद के यह मअनी हैं कि नापने वाला .ढेरी में से नापने के समय क़फ़ीज़ के दोनों जानिब अपने हाथ कुशादा रख ले और जिस क़द्र अनाज इस के हाथ में गिरे इस को थामे रहे और क़फ़ीज़ मअ इस अनाज के आशिर की थैली में डाल दे और बाज़ों ने कहा कि इस के यह मअनी हैं कि नापने वाला क़फ़ीज़ को पुर करे फिर क़फ़ीज़ की चोटी पर हाथ फैरे हत्ता कि जो दाना इस की चोटी पर हैं वो गिर पडें फिर इस क़फ़ीज़ को आशिर (वो व्यक्ति जो अशर लेने के लिएमुक़र्रर है) की थैली में डाल दे फिर .ढोरी से दो लप भर के जत्रयद इस की थैली में डाल दे अब जानना चाहिए कि यह मिक़्दार वर्णित जो खिराज मोज़फ़ क़रार दी गई है साल में फ़क़त एक मर्तबा अनिवार्य होती है चाहे मालिक ज़मीन इस ज़मीन में एक मर्तबा ज़राअत करे या कई मर्तबा ज़राअत करे। बखिलाफ़ खिराज मुक़ासमा व अशर के इस लिएकि खिराज मक़ासमा व अशर में पैदावार का कोई हिस्सा अनिवार्य होता है पस मुकर्रर पैदावार से मुकर्रर अनिवार्य होगा। फिर यह मिक़्दार इख़्राज जो हम ने बयान की है

खिराज मक़ासमा बंधा था इस को तहवील करके खिराज दिरहम बांधना चाहा तो यह भी इस को रवा नहीं और अगर इस ने वज़ीफ़ा मज़कूरह से बढा कर मालिकान अराज़ी पर .ज्यादा बांध दिया या तहवील करके इन पर दूसरा वज़ीफ़ा मुक़र्रर किया और इन पर इस का हुक्म दे दिया और यह इस ने अपनी राये से किया फिर इस के बाद दूसरा शख़्स वाली हो और दूसरे की राये इस के खिलाफ़ है तो देखा जाये कि अगर वाली अव्वल ने जो कुछ इन पर किया है वो इन की ख़ुशी खातिर के किया हो तो अराज़ी को देखा जाये कि अगर यह अराज़ी क़हर व ग़ल्बा से फ़तह की गई हों फिर इमाम ने लोगों पर अहसान करके इन के सुपुर्द की हों तो भी जो कुछ अव्वल ने किया है दूसरा इस को जारी रखे और अगर ग़ल्बा इस्लाम से पहलेसुलह होकर यह अराज़ी फ़तह हुई हों और बाक़ी मसला बहालहा (1) है तो दूसरा इमाम इस फ़अ़ल को जो अव्वल ने किया है तो तोड देगा और रहीं वो अराज़ी जिन पर पहले पहल इमामुल मुस्लिमीन ख़िराज बांधना चाहता है और इस ने वज़ीफ़ा हज़रत उमरो रज़ि0 से .ज्यादा बांधना चाहा तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० से दो रिवायतों में से एक रिवायत के मुवाफ़िक़ व बिना बर क़ौल इमाम मौहम्मद रह० के जायज़ है और बिना बर दूसरी रिवायत के इमाम अबू यूसुफ़ रह० से और बिना बर क़ौल इमाम आज़म रह० के नहीं जायज़ है और यही सही है और रहा खिराज मक़ासमा सो खिराज मक़ासमा की तक़दीर इमामुल मुस्लिमीन की राये के सुपुर्द है लेकिन निस्फ़ पैदावार से ज़ायद मिक़्दार न होगी जो शख़्स ज़मीं खिराजी का मालिक हुआ इस से खिराज लिया जायेगा चाहे वो काफ़िर हो या मुसलमान हो सग़ीर हो या बालिग़ हो आज़ाद हो या ग़ुलाम माज़ून या मकातिब हो मर्द हो या औरत हो यह मुहीत में है।

अगरी अराज़ी वक़्फ़ हो तो इस पर भी अशर या खिराज जैसी ज़मीन हो वाजिब होगा यह दजीज़ करदरी में है अगर किसी अराज़ी को जिस का खिराज मोज़फ़ है किसी ग़ासिब ने ग़सब कर लिया पस अगर ग़ासिब मज़कूर मुन्किर हो और मालिक के पास गवाह न हों तो देखा जायेगा कि अगर ग़ासिब ने इस में ज़राअ़त नहीं की यह जब ही अनिवार्य होगी कि अराज़ी को इस को अदाई की ताक़त हो यानी इस की पैदावार इस क़द्र हो कि इस पर खिराज बांधा जाये और अगर अराज़ी इस की ताक़त न रखती हो बईं तौर कि इस की पैदावार कम हो तो जिस मिक़्दार तक इस की ताक़त हो वहां तक घटा दिया जायेगा पस जो वज़ीफ़ा हज़रत उमर रज़ि0 ने मुक़र्रर किया है अगर अराज़ी को इस की बर्दाश्त की ताक़त न हो तो इस से घटिया देना बिल इजमाअ जायज़ है और रहा यह कार्य कि इस वज़ीफ़े से बढ देना जब कि अराज़ी को इस बढती की ताक़त है बईं तौर कि इस की पैदावार बहुत कसरत से है तो इस का क्या हुक्म है सो जिस अराज़ी पर वज़ीफ़ा मुक़र्रर कर देना हज़रत उमर रज़ि0 से सादिर हो गया है इस पर .ज्यादा कर देना बिल इजमाअ जायज़ नहीं है।

ख़िराजे मक़ासमा की तक़दीर इमामुल मुस्लिमीन की राये के सुपुर्द है :

इस तरह अगर किसी और इमाम से इन अराज़ी पर हज़रत उमर रज़ि0 के वज़ीफ़े के मिस्ल वज़ीफ़ा मुक़र्रर करना सादिर हो गया हो तो इन पर बढाना भी बिल इजमाअ नहीं जायज़ है अगरचे यह अराज़ी इस .ज्यादती की ताक़त रखती हों और अगर इसी इमाम ने इस अराज़ी पर हज़रत उमर रज़ि0 के वज़ीफ़े के बराबर वज़ीफ़ा मुक़र्रर कर दिया फिर इस वज़ीफ़े पर नबज़र ताक़त अराज़ी बढाने का क़सद किया तो इस को यह जायज़ नहीं है अगरचे अराज़ी को .ज्यादा खिराज मोज़फ़ (3) बर्दाश्त करने की ताक़त हो और इस तरह अगर इसी इमाम ने चाहा कि इस वज़ीफ़े से तहवील करके दूसरा वज़ीफ़ा मुक़र्रर करे यानी

(1)वो चीज़ें जो साग व भाजी वग़ैरह कहलाती हैं।
(2)मुसन्निफ़ा इमाम ख़िज़ाफ़।
(3)वो व्यक्ति जो अ+शर लेने के लिएमुक़र्रर है।

मसलन पहले दिरहमों से इस का खिराज था अब इस को तहवील करके खिराज मक़ासमा बांधना चाहा या खिराज मक़ासमा बंधा था इस को तहवील करके खिराज दिरहम बांधना चाहा तो यह भी इस को जायज़ नहीं और अगर इस ने वज़ीफ़ा मज़कूरह से बढा कर मालिकान

तो इस का इख़राज किसी पर न होगा और अगर ग़ासिब ने इस में से ज़राअत की है और ज़राअत की है और ज़राअत ने इस को कुछ नुक़सान नहीं पहुंचाया तजो इस का खिराज ग़ासिब पर होगा और अगर ग़ासिब मज़कूर ग़सब कर लेने का इक़रार करता हो या मालिक के पास गवाह हों और ज़राअत ने ज़मीन मज़कूर को नुक़सान नहीं पहुंचाया तो इस का खिराज मालिक ज़मीन पर होगा और अगर ज़राअत ने इस को नुक़सान पहुंचाया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार इस का खिराज मालिक ज़मीन पर होगा .ख़्वाह नुक़सान क़लील हो या कसीर हो गो मालिक ने मिक्दार नुक़सान के औज़ जिस को ग़ासिब से तावान लेगा इस को इजारह पर दी है। बैअ उल वफ़ा की सूरत में अगर मुशतरी ने इस पर क़ब्ज़ा कर लिया तो मुशतरी बमन्ज़िला ग़ासिब के क़रार दिया जायेगा और अगर अपनी खिराजी ज़मीन किसी को इजारह पर दी या आरियत दी तो इस का खिराज मालिक ज़मीन पर होगा जैसे मज़ारअत पर देने की सूरत में है। लेकिन अगर अराज़ी मज़कूर चार दीवारी दार बाग़ अंगूर हो या ताब हो या इस के दरख़्त बाहम बहुत गंजान हों कि दरमियानी ज़मीन क़ाबिले ज़राअत न हो तो यह हुक्म नहीं है और अगर अपनी ज़मीन अशरी को इजारह पर दिया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार इस का अशर मालिक पर होगा और साहिबीन रह० के अनुसार मुस्ताजिर पर होगा और अगर अपनी ज़मीन अशरी किसी को आदियत दी और मुस्तईर ने इस में ज़राअत की तो इस में इमाम आज़म रह० से दो रिवायतें हैं यानी एक रिवायत में अशर मालिक पर और दूसरी में अशर मुस्तईर पर होगा और अगर क़ाबिले ज़राअत को इजारह पर या मुस्तअमार लिया फिर मुस्ताजिर या मुस्तईर (2) ने इस में अंगूर के पेड़ लगाये या इस को रताब लगाया तो इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार इस का खिराज मुस्ताजिर या मुस्तईर पर होगा।

अशरी ज़मीन को ग़सब करना और बाद अज़ां इस में खेती बाड़ी करना :

अगर अशरी ज़मीन ग़सब करके इस में ज़राअत अराज़ी पर .ज़्यादा बांध दिया या तहवील करके इन पर दूसरा वज़ीफ़ा मुक़र्रर किया और इन पर इस का हुक्म दे दिया और यह इस ने अपनी राये से किया फिर इस के बाद दूसरा व्यक्ति वाली हो और दूसरे की राये इस के खिलाफ़ है तो देखा जाये कि अगर वाली अव्वल ने जो कुछ इन पर किया है वो इन की ख़ुशी खातिर के किया हो तो अराज़ी को देखा जाये कि अगर यह अराज़ी क़हर व ग़ल्बा से फ़तह की गई हों फिर इमाम ने लोगों पर अहसान करके इन के सुपुर्द की हों तो भी जो कुछ अव्वल ने किया है दूसरा इस को जारी रखे और अगर ग़ल्बा इस्लाम से पहलेसुलह होकर यह अराज़ी फ़तह हुई हों और बाक़ी मसला बहालहा (1) है तो दूसरा इमाम इस फ़अल को जो अव्वल ने किया है तो तोड़ देगा और रहीं वो अराज़ी जिन पर पहले पहल इमामुल मुस्लिमीन ख़िराज बांधना चाहता है और इस ने वज़ीफ़ा हज़रत उमर रज़ि० से .ज़्यादा बांधना चाहा तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० से दो रिवायतों में से एक रिवायत के मुवाफ़िक़ व बिना बर कथन इमाम मौहम्मद रह० के जायज़ है और बिना बर दूसरी रिवायत के इमाम अबू यूसुफ़ रह० से और बिना बर कथन इमाम आज़म रह० के नहीं जायज़ है और यही सही है और रहा खिराज मक़ासमा सो खिराज मक़ासमा की तक़दीर इमामुल मुस्लिमीन की राये के सुपुर्द है लेकिन निस्फ़ पैदावार से ज़ायद मिक्दार न होगी जो व्यक्ति ज़मीं खिराजी का मालिक हुआ इस से खिराज लिया जायेगा चाहे वो काफ़िर हो या मुसलमान हो सग़ीर हो या बालिग़ हो आज़ाद हो या ग़ुलाम माज़ून या मकातिब हो मर्द हो या औरत हो यह मुहीत में है।

अगरी अराज़ी वक्फ़ हो तो इस पर भी अशर या खिराज जैसी ज़मीन हो अनिवार्य होगा यह दजीज़ करदरी में है अगर किसी अराज़ी को जिस का खिराज मौज़फ़ है किसी ग़ासिब ने ग़सब कर लिया पस अगर ग़ासिब वर्णित मुन्किर हो और मालिक के पास गवाह न हों तो देखा जायेगा कि अगर ग़ासिब ने इस में ज़राअत नहीं की तो इस का इख़राज किसी पर न होगा और अगर ग़ासिब ने इस में से ज़राअत की है और ज़राअत की है और ज़राअत ने इस को कुछ नुक़सान नहीं पहुंचाया तजो इस

की और ज़राअत ने ज़मीन को नुक़सान नहीं पहुंचाया तो मालिक ज़मीन पर इस का अशर वाजिब न होगा और अगर ज़राअत ने इस में नुक़सान पहुंचाया है तो मालिक ज़मीन पर इस का अशर वाजिब होगा गोया मिक़्दार नुक़सान के औज़ मालिक

(1)इमाम ने बग़ैर इन की+]|शीखातिर के ब़ाया[1 तहवील की।
(2)किसी चीज+ को आरियत लेने वाला।

ने ग़ासिब को इजारह पर दी है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर किसी ने अपनी खिराजी ज़मीन किसी के हाथ फ़रोख़्त कर दी दर हाल यह कि वो ज़मीन फ़ारिग़ा है यानी इस में खेती वग़ैरह मौजूद नहीं है पस अगर साल में से इस क़द्र मुद्दत बाक़ी हो कि इस में मुशतरी अराज़ी मज़कूर में ज़राअत कर सकता हो तो मुशतरी मज़कूर पर खिराज वाजिब होगा ख़्वाह ज़राअत की हो या न की हो। अगर साल में से इस क़द्र मुद्दत कि जिस में मुशतरी ज़राअत कर सके बाक़ी न रही हो तो इस का खिराज बाऐ के ज़िम्मे होगा और इस में गुफ़्तुगू है कि इस बाब में फ़क़त गेंहू व जो की खेती का ऐतबार है या चाहे कोई ज़राअत हो आम है और नीज़ मोअतबर इस क़द्र मुद्दत है कि खेती इस में तैयार हो कर काटने के लायक़ हो जाये या इतनी मुद्दत कि खेती इस में खिराज से दो चन्द क़ीमत पर पहुंच जाये चुनांचे इन सब में इख़्तलाफ़ है और फ़तवा इस पर है कि मिक़्दार मुद्दत तीन महीना है पस अगर तीन महीना बाक़ी हों तो मुशतरी पर खिराज वाजिब होगा वरना बाऐ पर वाजिब होगा यह फ़तावा कुबरा में है।

अगर ज़मीन में दो फ़सलें रबीअ व हरीफ़ पैदा होती हों और इन दोनों में से एक बाऐ को मिली है और दूसरी मुशतरी को सुपुर्द की गई है :

अगर किसी ने ज़मीन खिराजी खरीदी और मुशतरी को इतना वक़्त न मिला कि जिस में ज़राअत कर सके और सुल्तान ने साल तमाम पर मुशतरी से इस का खिराज ले लिया तो मुतरी को यह इख़्तयार न होगा कि बाऐ से इस को वापिस ले यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। का खिराज ग़ासिब पर होगा और अगर ग़ासिब वर्णित ग़सब कर लेने का इक़रार करता हो या मालिक के पास गवाह हों और ज़राअत ने ज़मीन वर्णित को नुक़सान नहीं पहुंचाया तो इस का खिराज मालिक ज़मीन पर होगा और अगर ज़राअत ने इस को नुक़सान पहुंचाया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार इस का खिराज मालिक ज़मीन पर होगा चाहे नुक़सान क़लील हो या कसीर हो गो मालिक ने मिक़्दार नुक़सान के औज़ जिस को ग़ासिब से तावान लेगा इस को इजारह पर दी है। विक्रय उल वफ़ा की स्थिति में अगर ग्राहक ने इस पर क़ब्ज़ा कर लिया तो ग्राहक बमन्ज़िला ग़ासिब के क़रार दिया जायेगा और अगर अपनी खिराजी ज़मीन किसी को इजारह पर दी या आरियत दी तो इस का खिराज मालिक ज़मीन पर होगा जैसे मज़ारअत पर देने की स्थिति में है। लेकिन अगर अराज़ी वर्णित चार दीवारी दार बाग़ अंगूर हो या ताब हो या इस के दरख़्त बाहम बहुत गंजान हों कि दरमियानी ज़मीन क़ाबिले ज़राअत न हो तो यह हुक्म नहीं है और अगर अपनी ज़मीन अशरी को इजारह पर दिया तो इमाम आज़म रह० के अनुसार इस का अशर मालिक पर होगा और साहिबीन रह० के अनुसार मुस्ताजिर पर होगा और अगर अपनी ज़मीन अशरी किसी को आदियत दी और मुस्तईर ने इस में ज़राअत की तो इस में इमाम आज़म रह० से दो रिवायतें हैं यानी एक रिवायत में अशर मालिक पर और दूसरी में अशर मुस्तईर पर होगा और अगर क़ाबिले ज़राअत को इजारह पर या मुस्तआमार लिया फिर मुस्ताजिर या मुस्तईर (2) ने इस में अंगूर के पेड लगाये या इस को रताब लगाया तो इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार इस का खिराज मुस्ताजिर या मुस्तईर पर होगा।

अशरी ज़मीन को ग़सब करना और बाद अज़ां इस में खेती बाड़ी करना :

अगर अशरी ज़मीन ग़सब करके इस में ज़राअत की और ज़राअत ने ज़मीन को नुक़सान नहीं पहुंचाया तो मालिक ज़मीन पर इस का अशर अनिवार्य न होगा और अगर ज़राअत ने इस में नुक़सान पहुंचाया है तो मालिक

अगर मालिक ने काश्तकार से अपनी ज़मीन निकाल ली हालांकि इस के क़ब्ज़ा में थी और वो रोकने पर क़ादिर नहीं है फिर सुल्तान ने साल तमाम पर काश्तकार से खिराज ले लिया तो वो मालिक से खिराज मज़कूर के मिस्ल वापिस लेगा और ज़ाहिरूल रिवायत के मुवाफ़िक़ वापिस नहीं ले सकता है और यही सही है यह दजीज़ करदरी में है। अगर ज़मीन में दो फ़सलें रबीअ व हरीफ़ पैदा होती हों और इन दोनों में से एक बाऐ को मिली है ओर दूसरी मुशतरी को सुपुर्द की गई है या बाऐ व मुशतरी दोनों में से हर एक अपने वास्ते एक एक पैदावार को हासिल (हर एक को इतना वक़्त मिला है) कर सकता है तो इस ज़मीन का खिराज इन दोनों पर होगा ऐसा सदरूल इस्लाम ने शरह किताबुल अशर वल खिराज में ज़िक्र किया है यह मुहीत में है। एक शख़्स ने ज़मीन खिराजी फ़रोख़्त की फिर मुशतरी ने एक महीना के बाद दूसरे के हाथ फ़रोख़्त कर दी फिर दूसरे ने तीसरे के हाथ इसी तरह फ़रोख़्त की यहां तक कि साल गुज़र गया और ज़मीन मज़कूर इन में से किसी के हाथ में तीन माह नहीं रही तो इस का खिराज किसी पर न होगा और मशाइख़ ने फ़रमाया कि इस मसले में सही हुक्म यह है कि देखा जाये कि अगर अखीर मुशतरी के क़ब्ज़ा में होने की हालत में तीन माह बाक़ी रहे हों तो ज़मीन मज़कूर का खिराज इसी पर होगा किसी ने ऐसी ज़मीन फ़रोख़्त की जिस में खेती है जो हुनूज़ तैयारी पर नहीं पहुंची है पस ज़मीन को मअ इस खेती के फ़रोख़्त किया तो बहरहाल इस का ख़िराज मुशतरी पर होगा और अगर खेती में दाना बस्ता होकर खेती तैयार हो जाने के बाद फ़रोख़्त की हो तो फ़क़ीह अबुल्लैस ने ज़िक्र फ़रमाया कि यह बमन्ज़िला ऐसी सूरत के है कि जब ज़मीन फ़ारिग़ा यानी खेती वग़ैरह से खाली फ़रोख़्त की और इस के साथ कटे हुए गेंहू यानी कटी हुई खेती फ़रोख़्त की और यह सब इस वक़्त है कि जब खिराज लेने वाले आखिर साल पर खिराज लेते हों और अगर शुरू साल में खिराज ले लेते हों बतौर तअजील के यह महज़ ज़ुल्म है कि न बाऐ पर वाजिब होना है और मुशतरी पर और अगर किसी शख़्स की ज़मीन खिराजी में इस का एक क़रया है जिस में ज़मीन पर इस का अशर अनिवार्य होगा गोया मिक्दार नुक़सान के औज़ मालिक

(1)इमाम ने बग़ैर इन की+]]शीखातिर के बाया[1 तहवील की।
(2)किसी चीज+ को आरियत लेने वाला।

ने ग़ासिब को इजारह पर दी है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर किसी ने अपनी खिराजी ज़मीन किसी के हाथ फ़रोख़्त कर दी दर हाल यह कि वो ज़मीन फ़ारिग़ा है यानी इस में खेती वग़ैरह मौजूद नहीं है पस अगर साल में से इस क़द्र मुद्दत बाक़ी हो कि इस में ग्राहक अराज़ी वर्णित में ज़राअत कर सकता हो तो ग्राहक वर्णित पर खिराज अनिवार्य होगा चाहे ज़राअत की हो या न की हो। अगर साल में से इस क़द्र मुद्दत कि जिस में ग्राहक ज़राअत कर सके बाक़ी न रही हो तो इस का खिराज बाऐ के ज़िम्मे होगा और इस में गुफ़्तुगू है कि इस बाब में फ़क़त गेंहू व जो की खेती का ऐतबार है या चाहे कोई ज़राअत हो आम है और नीज़ मोअतबर इस क़द्र मुद्दत है कि खेती इस में तैयार हो कर काटने के लायक़ हो जाये या इतनी मुद्दत कि खेती इस में खिराज से दो चन्द क़ीमत पर पहुंच जाये चुनांचे इन सब में मतभेद है और फ़तवा इस पर है कि मिक़्दार मुद्दत तीन महीना है पस अगर तीन महीना बाक़ी हों तो ग्राहक पर खिराज अनिवार्य होगा वरना बाऐ पर अनिवार्य होगा यह फ़तावा कुबरा में है।

अगर ज़मीन में दो फ़सलें रबीअ व हरीफ़ पैदा होती हों और इन दोनों में से एक बाऐ को मिली है और दूसरी ग्राहक को सुपुर्द की गई है :

अगर किसी ने ज़मीन खिराजी खरीदी और ग्राहक को इतना समय न मिला कि जिस में ज़राअत कर सके और सुल्तान ने साल तमाम पर ग्राहक से इस का खिराज ले लिया तो मुातरी को यह इख़्तयार न होगा कि बाऐ से इस को वापिस ले यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर मालिक ने काश्तकार से अपनी ज़मीन निकाल ली हालांकि इस के क़ब्ज़ा में थी और वो रोकने पर क़ादिर नहीं है फिर सुल्तान ने साल तमाम पर काश्तकार से खिराज ले

बुयूत (कोठरियां व हवेलियां) व मनाज़िल में जिन को वो किराया पर चलाता है या नहीं चलाता है तो इस क़रया की बाबत कुछ वाजिब न होगा।

अगर किसी शख़्स की मिल्क में मुसलमानों में से किसी शहर में कोई मदार ख़त (1) हो जिस को इस ने बुस्तान बनाया इस में

(1) वक्त फ़तह के इमाम ने इस के वास्ते+]त कर दिया इसी निशान करके दे दिया हो।

दरख़्तान ख़ुरमा लगाये और इस को अपनी मन्ज़िल (जिस में रहता है) से खारिज कर दिया तो इस पर कुछ वाजिब न होगा इस वास्ते कि माबक़ी ज़मीन भी ताबअ (जिस में रहता है) दार मज़कूर है और अगर इस ने कुल दार को बुस्तान बनाया पस अगर वो अराज़ी अशरी में से हो तो इस पर अशर और अगर अराज़ी खिराजी के तहत में हो तो इस पर खिराज वाजिब होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। एक शख़्स ने ज़मीन पर खिराजी ख़रीदी और इस में मकान बनाया तो इस पर खिराज वाजिब होगा अगरचे इस में ज़राअत करने पर क़ुदरत नहीं बाक़ी रही यह मुहीत में है। अगर सुल्तान ने खिराज ज़मीन को मालिक ज़मीन के वास्ते करके बदून इस से वसूल करके इस को देने के इसी पर छोड़ दिया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० के क़ौल पर जायज़ है बखिलाफ़ क़ौल इमाम मौहम्मद रह० के और फ़तवा इमाम अबू यूसुफ़ रह० के क़ौल पर है बशर्तेकि मालिक ज़मीन खिराज से पाने की अहलियत रखता हो और इसी जवाज़ मज़कूर पर क़ाज़ियों और आलिमों के वास्ते भी इस तरह जायज़ है और जिस पर खिराज वाजिब हुआ अगर सुल्तान ने इस से तलब न किया तो मालिक ज़मीन पर वाजिब है कि इस को सदक़ा करदे और अगर बाद तलब करने के बतौर ख़ुद सदक़ा कर दिया तो इस के ओहदा से बरी व खारिज न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर आमिल ने बदून इल्म सुल्तान के काश्तकार पर खिराज छोड़ दिया तो हलाल नहीं है अगरचे काश्तकार मज़कूर को खिराज में से पाने की अहलियत रखता हो यह दजीज़ करदरी में है। इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर सुल्तान ने अशर को मालिक ज़मीन के वास्ते कर दिया लिया तो वो मालिक से खिराज वर्णित के मिस्ल वापिस लेगा और ज़ाहिरूल रिवायत के मुवाफ़िक़ वापिस नहीं ले सकता है और यही सही है यह दजीज़ करदरी में है। अगर ज़मीन में वो फ़सलें रबीअ व हरीफ़ पैदा होती हों और इन दोनों में से एक बाऐ को मिली है ओर दूसरी ग्राहक को सुपुर्द की गई है या बाऐ व ग्राहक दोनों में से हर एक अपने लिएएक एक पैदावार को हासिल (हर एक को इतना समय मिला है) कर सकता है तो इस ज़मीन का खिराज इन दोनों पर होगा ऐसा सदरूल इस्लाम ने शरह किताबुल अशर वल खिराज में ज़िक्र किया है यह मुहीत में है। एक व्यक्ति ने ज़मीन खिराजी फ़रोख़्त की फिर ग्राहक ने एक महीना के बाद दूसरे के हाथ फ़रोख्त कर दी फिर दूसरे ने तीसरे के हाथ इसी तरह फ़रोख़्त की यहां तक कि साल गुज़र गया और ज़मीन वर्णित इन में से किसी के हाथ में तीन माह नहीं रही तो इस का खिराज किसी पर न होगा और मशाइख़ ने फ़रमाया कि इस मसले में सही हुक्म यह है कि देखा जाये कि अगर अख़ीर ग्राहक के क़ब्ज़ा में होने की हालत में तीन माह बाक़ी रहे हों तो ज़मीन वर्णित का खिराज इसी पर होगा किसी ने ऐसी ज़मीन फ़रोख़्त की जिस में खेती है जो हुनूज़ तैयारी पर नहीं पहुंची है पस ज़मीन को मअ इस खेती के फ़रोख़्त किया तो बहरहाल इस का खिराज ग्राहक पर होगा और अगर खेती में दाना बस्ता होकर खेती तैयार हो जाने के बाद फ़रोख़्त की हो तो फ़क़ीह अबुल्लैस ने ज़िक्र फ़रमाया कि यह बमन्ज़िला ऐसी स्थिति के है कि जब ज़मीन फ़ारिग़ा यानी खेती वग़ैरह से खाली फ़रोख़्त की और इस के साथ कटे हुए गेंहू यानी कटी हुई खेती फ़रोख़्त की और यह सब इस समय है कि जब खिराज लेने वाले आखिर साल पर खिराज लेते हों और अगर शुरू साल में खिराज ले लेते हों बतौर तअजील के यह महज़ ज़ुल्म है कि न बाऐ पर अनिवार्य होना है और ग्राहक पर और अगर किसी व्यक्ति की ज़मीन खिराजी में इस का एक क़रया है जिस में बुयूत (कोठरियां व हवेलियां) व मनाज़िल में जिन को वो किराया पर चलाता है या नहीं चलाता है तो इस क़रया की बाबत कुछ अनिवार्य न होना।

तो यह जायज़ नहीं है और यह हुक्म बिल इत्तफ़ाक़ है और शैख़ुल इस्लाम ने ज़िक्र किया कि अगर सुल्तान ने अशर को मालिक ज़मीन पर छोड़ दिया तो इस में दो सूरतें हैं अव्वल यह कि ग़फ़लत से छोड़ा बई तौर कि भूल गया तो ऐसी सूरत में जिस पर अशर वाजिब हुआ है इस पर वाजिब है कि बक़द्र अशर के फ़क़ीर पर सदक़ा करदे और दोयम यह कि क़सदन बावजूद अपने इल्म के छोड़ा और इस में भी दो सूरतें हैं अव्वल आँकि जिस पर अशर वाजिब हुआ है वो ग़नी है तो ऐसी सूरत में यह माल इस के वास्ते सुल्तान की तरफ़ ही जायज़ होगा और सुल्तान इस के बराबर माल को बैतुल माल खिराजी से निकाल कर बतौर तावान के बैतुल माल सदक़ा में दाखिल करेगा और दोयम आँकि जिस पर वाजिब हुआ है वो फ़क़ीर हो यानी अशर की जानिब हाजत मन्द हो तो इस पर इस का छोड़ देना जायज़ है और यह इस पर सदक़ा होगा पस जायज़ होगा जैसे कि अगर इस से ले कर फिर इस को मुसर्रफ़ खिराज के तौर पर दे दिया तो जायज़ है यह ज़खीरा में है।

मशाइख़ रहमतुल्लाहि अलैहिम ने फ़रमाया कि जिस काश्तकार ने अदना व आला दो काश्तों में से आला को छोड़ कर अदना की तरफ़ बिला उज़्र इन्तक़ाल किया तो इस पर आला का खिराज वाजिब होगा :

इमाम मौहम्मद रह० ने जामअ सग़ीर में ज़िक्र फ़रमाया कि अगर किसी की मिल्क में ज़मीन खिराजी हो और उस ने इस ज़मीन को मुअत्तल रखा तो इस पर खिराज वाजिब होगा कज़ा फ़िल मुहीत और यह हुक्म इस वक्त है कि खिराज मोज़फ़ हो और अगर खिराज मक़ासमा (1) हो तो कुछ वाजिब न होगा यह सिराज वहाज में है और मशाइख़ ने फ़रमाया कि जिस काश्तकार ने अदना व आला दो काश्तों में से आला को छोड़ कर अदना की तरफ़ बिला उज़्र इन्तक़ाल किया तो इस पर आला का खिराज वाजिब होगा मसलन किसी के पास

अगर किसी व्यक्ति की मिल्क में मुसलमानों में से किसी शहर में कोई मदार ख़त (1) हो जिस को इस ने बुस्तान बनाया इस में

(1)सम फ़तह के इमाम ने इस के लि+],ात कर दिया इसी निशान करके दे दिया हो।

दरख़्तान ख़ुरमा लगाये और इस को अपनी मन्ज़िल (जिस में रहता है) से खारिज कर दिया तो इस पर कुछ अनिवार्य न होगा इस लिएकि माबक़ी ज़मीन भी ताबअ (जिस में रहता है) दार वर्णित है और अगर इस ने कुल दार को बुस्तान बनाया पस अगर वो अराज़ी अशरी में से हो तो इस पर अशर और अगर अराज़ी खिराजी के तहत में हो तो इस पर खिराज अनिवार्य होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। एक व्यक्ति ने ज़मीन पर खिराजी ख़रीदी और इस में मकान बनाया तो इस पर खिराज अनिवार्य होगा अगरचे इस में ज़राअत करने पर क़ुदरत नहीं बाक़ी रही यह मुहीत में है। अगर सुल्तान ने खिराज ज़मीन को मालिक ज़मीन के लिए करके बदून इस से वसूल करके इस को देने के इसी पर छोड़ दिया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० के कथन पर जायज़ है बखिलाफ़ कथन इमाम मौहम्मद रह० के और फ़तवा इमाम अबू यूसुफ़ रह० के कथन पर है बशर्तेकि मालिक ज़मीन खिराज से पाने की अहलियत रखता हो और इसी जवाज़ वर्णित पर क़ाज़ियों और आलिमों के लिए भी इस तरह जायज़ है और जिस पर खिराज अनिवार्य हुआ अगर सुल्तान ने इस से तलब न किया तो मालिक ज़मीन पर अनिवार्य है कि इस को दान करदे और अगर बाद तलब करने के बतौर ख़ुद दान कर दिया तो इस के ओहदा से बरी व खारिज न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर आमिल ने बदून इल्म सुल्तान के काश्तकार पर खिराज छोड़ दिया तो हलाल नहीं है अगरचे काश्तकार वर्णित को खिराज में से पाने की अहलियत रखता हो यह दजीज़ करदरी में है। इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर सुल्तान ने अशर को मालिक ज़मीन के लिए कर दिया तो यह जायज़ नहीं है और यह हुक्म बिल इत्तफ़ाक़ है और शैख़ुल इस्लाम ने ज़िक्र किया कि अगर सुल्तान ने अशर को मालिक ज़मीन पर छोड़ दिया तो इस में दो सूरतें हैं

ज़अफ़रान की काश्त के लायक़ ज़मीन है इस ने ज़अफ़रान छोड़ छोड़ कर कोई अनाज बोया तो इस पर ज़अफ़रान का खिराज वाजिब होगा और इसी तरह अगर किसी के पास चार दीवारी दार बाग़ अंगूर हो और इस ने काट कर साफ़ ज़मीन करके अनाज बोया तो इस पर बाग़ अंगूर मज़कूर का खिराज वाजिब होगा। यह मसला ऐसा है कि ख़ुद जान लेना चाहे और फ़तवा न देना चाहिए ताकि हुक्काम ज़ालिम मालहाऐ रइयत पर तमअ का हाथ न फैलाऐं यह काफ़ी में है। जिस पर खिराज बंधा है अगर वो मुसलमान हो गया तो बदस्तूर साबिक़ इस से खिराज लिया जायेगा और यह रवा है कि मुसलमान किसी ज़िम्मी से खिराजी ज़मीन ख़रीदे और मुशतरी से खिराज लिया जाये यह हिदाया में है। एक ही ज़मीन पर अशर व खिराज जमा न किया जायेगा चाहे ज़मीन अशरयह हो या खिराजिया हो। अगर तिजारत के वास्ते कोई ज़मीन अशरी या खिराजी ख़रीदी तो ज़मीन मज़कूर का अशर या खिराज वाजिब होगा और ज़कात तिजारत लाज़िम न होगी यह मुहीत में है। अगर किसी ज़िम्मी काफ़िर ने ज़मीन अशरी खरीदी तो इमाम आज़म रह० वे इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि इस से खिराज लिया जायेगा यह ज़ाद में है। अगर ऐसी क़ौम जिस पर खिराज बंधा है अपनी अराज़ी के आबाद करने व पैदावार करने व हासिलात उठाने से आजिज़ हुए और इन के पास इस क़द्र नहीं है कि इस से खिराज अदा करें तो इमाम को यह इख़्तियार न होगा कि इन की अराज़ी इन के हाथ से निकाल कर दूसरे की मिल्क में देदे यह ज़ख़ीरा में है।

खिराजी अराज़ी को उज़्र मुअत्तल की तरह बेकार छोड रखा तो?

किताबुल अशर व खिराज में फ़रमाया कि अगर अराज़ी खिराजिया में से किसी ज़मीन का मालिक इस की कमाई से आजिज़ हुआ और इस को मुअत्तल (1) छोड़ दिया तो इमाम को इख़्तियार है कि इसके क़ब्ज़े से

(1) जिस को हमारे उर्फ़+ में बुटाई बोलते हैं+] वाह वो चौथाई हिस्से के साथया निस्फ़+ के साथया इस से कम व बैश।

अव्वल यह कि ग़फ़लत से छोड़ा बईं तौर कि भूल गया तो ऐसी स्थिति में जिस पर अशर अनिवार्य हुआ है इस पर अनिवार्य है कि बक़द्र अशर के फ़क़ीर पर दान करदे और दोयम यह कि क़सदन बावजूद अपने इल्म के छोड़ा और इस में भी दो सूरतें हैं अव्वल आंकि जिस पर अशर अनिवार्य हुआ है वो ग़नी है तो ऐसी स्थिति में यह माल इस के लिए सुल्तान की तरफ़ ही जायज़ होगा और सुल्तान इस के बराबर माल को बैतुल माल खिराजी से निकाल कर बतौर तावान के बैतुल माल दान में दाखिल करेगा और दोयम आंकि जिस पर अनिवार्य हुआ है वो फ़क़ीर हो यानी अशर की जानिब हाजत मन्द हो तो इस पर इस का छोड़ देना जायज़ है और यह इस पर दान होगा पस जायज़ होगा जैसे कि अगर इस से ले कर फिर इस को मुसर्रफ़ खिराज के तौर पर दे दिया तो जायज़ है यह ज़ख़ीरा में है।

मशाइख़ रहमतुल्लाहि अलैहिम ने फ़रमाया कि जिस काश्तकार ने अदना व आला दो काश्तों में से आला को छोड़ कर अदना की तरफ़ बिला उज़्र इन्तक़ाल किया तो इस पर आला का खिराज अनिवार्य होगा :

इमाम मौहम्मद रह० ने जामअ सग़ीर में ज़िक्र फ़रमाया कि अगर किसी की मिल्क में ज़मीन खिराजी हो और उस ने इस ज़मीन को मुअत्तल रखा तो इस पर खिराज अनिवार्य होगा कज़ा फ़िल मुहीत और यह हुक्म इस समय है कि खिराज मोज़फ़ हो और अगर खिराज मक़ासमा (1) हो तो कुछ अनिवार्य न होगा यह सिराज वहाज में है और मशाइख़ ने फ़रमाया कि जिस काश्तकार ने अदना व आला दो काश्तों में से आला को छोड़ कर अदना की तरफ़ बिला उज़्र इन्तक़ाल किया तो इस पर आला का खिराज अनिवार्य होगा मसलन किसी के पास ज़अफ़रान की काश्त के लायक़ ज़मीन है इस ने ज़अफ़रान छोड़ छोड़ कर कोई अनाज बोया तो इस पर ज़अफ़रान का ख़िराज अनिवार्य होगा और इसी तरह

निकाल कर ऐसे शख़्स के क़ब्ज़े में देदे जो इस की परदाख़्त करे और इस का इख़्राज अदा करे और शम्सुल अइम्मा हलवाई ने फ़रमाया कि इस मसले में सही हुक्म यह है कि पहले इस ज़मीन को इजारह पर दिये और उजरत से बक़द्रे खिराज के ले कर बाक़ी को मालिक के वास्ते रख छोड़े ऐसा है इमाम मौहम्मद रह० ने ज़ियादात में ज़िक्र फ़रमाया है कि अगर इजारह पर लेने वाला कोई न मिले तो किसी को तिहाई या चौथाई वग़ैरह हिस्से की बुटाई पर जैसे हिस्सा बुटाई पर ऐसी ज़मीन दी जाती हो देदे फिर मालिक ज़मीन के हिस्से में से बक़द्रे खिाज के ले कर बाक़ी को मालिक ज़ीन के वास्ते रख छोड़े और अगर बुटाई पर लेने वाला भी कोई न मिले तो ऐसे शख़्स को देदे जो इस की परदाख़्त करे और इस का खिराज अदा करे और इस के जवाज़ की वजह दो बातों में से एक पर है या तो यह कि जिस को दी है वो ज़राअत करने व खिराज अदा करने में क़ायम मक़ाम मालिक का है या इस के पास मिक़्दार खिराज के औज़ इजारह में है कि जो कुछ इस से लिया गया वो इमाम के हक़ में खिराज है और जिस ने दिया है इस के हक़ में माल इजारह है यानी इस ने गोया उजरत अदा की है फिर फ़रमाया कि अगर इमाम को ऐसा शख़्स भी न मिला जो इस को खिराज पर ले तो इमाम इस को फ़रोख़्त करके इस के सिमन से बक़द्रे खिराज के निकाल कर बाक़ी को मालिक ज़मीन के वास्ते रख छोड़े और बाज़ ने फ़रमाया कि यह जो ज़िक्र फ़रमाया है कि इमाम इस अराज़ी को फ़रोख़्त करे यह इमाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मौहम्मद रह० का क़ौल है और बिना बर क़ौल इमाम आज़म रह० के चाहिए कि इस को फ़रोख़्त न करे इस वास्ते कि इस के माल को फ़रोख़्त कर डालने में इस पर हजर यानी मना अज़ तसर्रुफ़ लाज़िम आता है हालांकि इमाम रह० के अनुसार मर्द आज़ाद पर हजर रवा नहीं है और बाज़ ने फ़रमाया कि नहीं यह सब इमामों का क़ौल है और यही सही है इस वास्ते कि इमाम आज़म रह० ऐसे मौक़े पर आज़ाद के हक़ में भी हजर रवा रखते हैं जिस का नफ़ा आयद बजानिब आम हो।

अगर किसी के पास चार दीवारी दार बाग़ अंगूर हो और इस ने काट कर साफ़ ज़मीन करके अनाज बोया तो इस पर बाग़ अंगूर वर्णित का खिराज अनिवार्य होगा। यह मसला ऐसा है कि ख़ुद जान लेना चाहे और फ़तवा न देना चाहिए ताकि हुक्काम ज़ालिम मालहाऐ रइयत पर तमअ का हाथ न फैलाऐं यह काफ़ी में है। जिस पर खिराज बंधा है अगर वो मुसलमान हो गया तो बदस्तूर साबिक़ इस से खिराज लिया जायेगा और यह जायज़ है कि मुसलमान किसी ज़िम्मी से खिराजी ज़मीन ख़रीदे और ग्राहक से खिराज लिया जाये यह हिदाया में है। एक ही ज़मीन पर अशर व

(1)जिस को हमारे उर्फ+ में बुटाई बोलते हैं चाहे वो चौथाई हिस्से के साथया निस्फ+ के साथया इस से कम व बैश।

खिराज जमा न किया जायेगा चाहे ज़मीन अशरयह हो या खिराजिया हो। अगर तिजारत के लिए कोई ज़मीन अशरी या खिराजी ख़रीदी तो ज़मीन वर्णित का अशर या खिराज अनिवार्य होगा और ज़कात तिजारत अनिवार्य न होगी यह मुहीत में है। अगर किसी ज़िम्मी काफ़िर ने ज़मीन अशरी खरीदी तो इमाम आज़म रह० वे इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि इस से खिराज लिया जायेगा यह ज़ाद में है। अगर ऐसी क़ौम जिस पर खिराज बंधा है अपनी अराज़ी के आबाद करने व पैदावार करने व हासिलात उठाने से आजिज़ हुए और इन के पास इस क़द्र नहीं है कि इस से खिराज अदा करें तो इमाम को यह इख़्तयार न होगा कि इन की अराज़ी इन के हाथ से निकाल कर दूसरे की मिल्क में देदे यह ज़ख़ीरा में है।

खिराजी अराज़ी को उज़्रू मुअत्तल की तरह बेकार छोड़ रखा तो?

किताबुल अशर व खिराज में फ़रमाया कि अगर अराज़ी खिराजिया में से किसी ज़मीन का मालिक इस की कमाई से आजिज़ हुआ और इस को मुअत्तल (1) छोड़ दिया तो इमाम को इख़्तयार है कि इसके क़ब्ज़े से निकाल कर ऐसे व्यक्ति के क़ब्ज़े में देदे जो इस की परदाख़्त करे और इस का इख़्राज अदा करे और शम्सुल अइम्मा हलवाई ने फ़रमाया कि इस मसले में सही हुक्म यह है कि पहले इस ज़मीन को इजारह पर दिये और

बाज़ी किताबों में इस मसले में मज़्कूर है कि इमामुल मुस्लिमीन दवात ज़राअत व बेल ख़रीद करके किसी आदमी को देंदे ताकि वो इस से ज़राअत करे फिर जब हासिलात आये तो इस में से जो कुछ ख़र्च पडा है और ख़िराज ले कर बाक़ी को मालिक ज़मीन के वास्ते रख छोड़े। इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि इमामुल मुस्लिमीन मालिक ज़मीन को बैतुल माल से इस क़द्र क़र्ज़ा दे कि जिस से वो बेल और ओदात काश्तकारी ख़रीदे और मज़बूती कर ले और कोई तहरीर कराले ताकि वो ज़राअत करे फिर जब हासिलात ज़ाहिर हो तो इस में से खिराज लेले और जो कुछ क़र्ज़ दिया है वो मालिक ज़मीन पर उधार होगा और फ़रमाया किअगर बैतुल माल में कुछ न हो तो ज़मीन मज़्कूर ऐसे शख़्स देदे जो इस की परदाख़्त करे और इस का खिराज अदा किया करे। फिर दर सूरत यह कि मालिक ज़मीन ज़राअत से आजिज़ हो और इमाम ने अराज़ी मज़्कूरह के साथ ऐसा फ़अल किया जो हम ने बयान किया है फिर मालिक ज़मीन को क़ुदरत ज़राअत व काम की क़ुव्वत हासिल हो गई तो जिस के क़ब्ज़े में है इमाम इस से ले कर मालिक ज़मीन को वापिस कर देगा सिवाए एक सूरत बैअ के कि अगर किसी के हाथ फ़रोख़्त कर दी हो तो

(1)बेकार बेग़ोर परदा]त छोड+ दिया।

इस से वापिस न लेगा यह मुहीत में है और अगर अहले खिराज अराज़ी छोड़ कर भाग गये तो हसन रह० ने इमाम आज़म रह० से रिवायत ज़िक्र की है कि इमाम को इख़्तयार है चाहे इस अराज़ी की परदाख़्त बैतुल माल से करे और जो ग़ल्ला हासिल होगा वो मुसलमानों का होगा और चाहे कि लोगों को मक़ातआ पर देदे और जो इन से लेगा वो बैतुल माल का होगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि अगर अहले खिराज मर गये तो इमामुल मुस्लिमीन इन की अराज़ी ज़राअत पर देदे और चाहे इस अराज़ी को इजारह पर दे और इस की उजरत बैतुल माल में दाखिल करे और अगर अहले खिराज छोड़ कर भाग गये तो इमाम इस अराज़ी को इजारह पर दे और उजरत में से बक़द्रे खिराज के लेले और बाक़ी को मालिकान अराज़ी के वास्ते रख छोड़े फिर उजरत से बक़द्रे खिराज के ले कर बाक़ी को मालिक के लिए रख छोड़े ऐसा है इमाम मौहम्मद रह० ने ज़ियादात में ज़िक्र फ़रमाया है कि अगर इजारह पर लेने वाला कोई न मिले तो किसी को तिहाई या चौथाई वग़ैरह हिस्से की बुटाई पर जैसे हिस्सा बुटाई पर ऐसी ज़मीन दी जाती हो देदे फिर मालिक ज़मीन के हिस्से में से बक़द्रे खिाज के ले कर बाक़ी को मालिक ज़ीन के लिए रख छोड़े और अगर बुटाई पर लेने वाला भी कोई न मिले तो ऐसे व्यक्ति को देदे जो इस की परदाख़्त करे और इस का खिराज अदा करे और इस के जवाज़ की वजह दो बातों में से एक पर है या तो यह कि जिस को दी है वो ज़राअत करने व खिराज अदा करने में क़ायम मक़ाम मालिक का है या इस के पास मिक़्दार खिराज के औज़ इजारह में है कि जो कुछ इस से लिया गया वो इमाम के हक़ में खिराज है और जिस ने दिया है इस के हक़ में माल इजारह है यानी इस ने गोया उजरत अदा की है फिर फ़रमाया कि अगर इमाम को ऐसा व्यक्ति भी न मिला जो इस को खिराज पर ले तो इमाम इस को फ़रोख़्त करके इस के क़ीमत से बक़द्रे खिराज के निकाल कर बाक़ी को मालिक ज़मीन के लिए रख छोड़े और कुछ ने फ़रमाया कि यह जो ज़िक्र फ़रमाया है कि इमाम इस अराज़ी को फ़रोख़्त करे यह इमाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मौहम्मद रह० का कथन है और बिना बर कथन इमाम आज़म रह० के चाहिए कि इस को फ़रोख़्त न करे इस लिए कि इस के माल को फ़रोख़्त कर डालने में इस पर हजर यानी मना अज़ तसर्रूफ़ अनिवार्य आता है हालांकि इमाम रह० के अनुसार मर्द आज़ाद पर हजर जायज़ नहीं है और कुछ ने फ़रमाया कि नहीं यह सब इमामों का कथन है और यही सही है इस लिए कि इमाम आज़म रह० ऐसे मौक़े पर आज़ाद के हक़ में भी हजर जायज़ रखते हैं जिस का नफ़ा आयद बजानिब आम हो।

बाज़ी किताबों में इस मसले में वर्णित है कि इमामुल मुस्लिमीन दवात ज़राअत व बेल ख़रीद करके किसी आदमी को देंदे ताकि वो इस से ज़राअत करे फिर जब हासिलात आये तो इस में से जो कुछ ख़र्च पडा है

जब वो लोग वापिस आऐं तो यह बाक़ियात इन को देदे और जिस साल वो लोग भागे हैं जब तक वो साल न गुज़र जाये तब तक इजारह पर न देगा यह सिराज वहाज में है।

अगर अहले ज़िममा अपनी अराज़ी से दूसरे मुल्क में मुन्तक़िल किये गये तो बउज़्र सही है और बदूं उज़्र नहीं सही है और उज़्र यह है कि इन लोगों को क़ुव्वत व शौकत हासिल न हो पस अहले हरब की तरफ़ से इन पर ख़ौफ़ हो या इन की तरफ़ से हम पर ख़ौफ़ हो बईं तौर कि मुसलमानों के पोशीदा हालात से अहले हरब को आगाह कर दें और इन लोगों को इन की अराज़ी की क़ीमत मिलेगी या इस मुल्क से जहां मुन्तक़िल किये गये हैं इन को अराज़ी के मिस्ल अराज़ी मिलेगी और इन पर इस अराज़ी का जहां मुन्तक़िल किये गये हैं खिराज वाजिब (1) होगा और एक रिवायत में है कि एक जहां से मुन्तक़िल किये गये हैं इस अराज़ी का खिराज इन पर वाजिब होगा मगर अव्वल असह है और इन की अराज़ी साबिक़ा खिराजिया होगी और अगर किसी मुसलमान ने इस में तोतन इख़्तयार की तो इस पर इस अराज़ी का खिराज वाजिब होगा यह काफ़ी में है। किसी गांव में अराज़ी हे जिस के मालिकान मर गये या ग़ायब हो गये और अहले क़रया इस के खिराज अदा करने से आजिज़ (2) हुए और चाहा कि इस को सुल्तान के सुपुर्द कर दें तो सुल्तान इस अराज़ी के हक़ में वही करेगा जो हम ने बयान किया है और अगर सुल्तान ने चाहा कि इस अराज़ी को अपनी ज़ात के वास्ते लेले तो इस तरह हो सकता है कि किसी मुशतरी के हाथ फ़रोख़्त करके फिर इस से ख़ुद खरीद ले। एक क़ौम ने एक क़तआ ज़मीन खरीदा जिस में चार दीवारी के बाग़हाऐ अंगूर और खेत हैं तो कल का इख़्राज यक्जाई मुशतरिक अदा करें और अगर इन में से एक ने बाग़हाऐ अंगूर और दूसरे ने अराज़ी खरीदी और खिराज की तक़सीम चाही तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि अगर बाग़हाऐ अंगूर का खिराज मालूम हो और नीज़ खिराज अराज़ी मालूम हो तो हुक्म वही रहेगा जो क़ब्ल खरीद के था।

अगर खिराज अराज़ी किसी मुसलमान पर और ख़िराज ले कर बाक़ी को मालिक ज़मीन के लिए रख छोड़े। इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि इमामुल मुस्लिमीन मालिक ज़मीन को बैतुल माल से इस क़द्र क़र्ज़ा दे कि जिस से वो बेल और ओदात काश्तकारी खरीदे और मज़बूती कर ले और कोई तहरीर कराले ताकि वो ज़राअत करे फिर जब हासिलात ज़ाहिर हो तो इस में से खिराज लेले और जो कुछ क़र्ज़ दिया है वो मालिक ज़मीन पर उधार होगा और फ़रमाया किअगर बैतुल माल में कुछ न हो तो ज़मीन वर्णित ऐसे व्यक्ति देदे जो इस की परदाख़्त करे और इस का खिराज अदा किया करे। फिर दर स्थिति यह कि मालिक ज़मीन ज़राअत से आजिज़ हो और इमाम ने अराज़ी मज़कूरह के साथ ऐसा फ़अल किया जो हम ने बयान किया है फिर मालिक ज़मीन को क़ुदरत ज़राअत व काम की क़ुव्वत हासिल हो गई तो जिस के क़ब्ज़े में है इमाम इस से ले कर मालिक ज़मीन को वापिस कर देगा सिवाए एक स्थिति विक्रय के कि अगर किसी के हाथ फ़रोख़्त कर दी हो तो

(1)बेकार बेगोर परदा]त छोड+ दिया।

इस से वापिस न लेगा यह मुहीत में है और अगर अहले खिराज अराज़ी छोड़ कर भाग गये तो हसन रह० ने इमाम आज़म रह० से रिवायत ज़िक्र की है कि इमाम को इख़्तयार है चाहे इस अराज़ी की परदाख़्त बैतुल माल से करे और जो ग़ल्ला हासिल होगा वो मुसलमानों का होगा और चाहे कि लोगों को मक़ातआ पर देदे और जो इन से लेगा वो बैतुल माल का होगा और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि अगर अहले खिराज मर गये तो इमामुल मुस्लिमीन इन की अराज़ी ज़राअत पर देदे और चाहे इस अराज़ी को इजारह पर दे और इस की उजरत बैतुल माल में दाखिल करे और अगर अहले खिराज छोड़ कर भाग गये तो इमाम इस अराज़ी को इजारह पर दे और उजरत में से बक़द्रे खिराज के लेले और बाक़ी को मालिकान अराज़ी के लिए रख छोड़े फिर जब वो लोग वापिस आऐं तो यह बाक़ियात इन को देदे और जिस साल वो लोग भागे हैं जब तक वो साल न गुज़र जाये तब तक इजारह पर न देगा यह सिराज वहाज में है।

मुतवाली दो साल का चढ़ गया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार उस से पूरे गुज़िश्ता अय्याम का खिराज लिया जायेगा और इमाम आज़म रह० के अनुसार नहीं :

अगर खिराज बाग़ हाऐ अंगूर मालूम न हो और तमाम क़तआ मज़कूर का खिराज यक्जाई हो तो अगर यह मालूम हो जाये कि यह बाग़हाऐ अंगूर दरअसल बाग़हाऐ अंगूर ही थे कि सिवाए बाग़ इन कोर होने के इन का कुछ और होना साबित व मालूम नहीं होता है यानी कोई नहीं कहता है कि दरअसल अराज़ी थी फिर बाग़ अंगूर हो गई बल्कि सब यही कहते हैं कि दरअसल यह बाग़हाऐ अंगूर ही थे और इस अराज़ी का भी यही हाल है तो खिराज बाग़हाऐ अंगूर और खिराज अराज़ी पर नज़र की जाये पस जब इन में से हर एक का खिराज मालूम हो जाये तो पूरे क़तआ ज़मीन का खिराज इन दोनों पर तक़सीम कर तदिया जाये पस जिस क़द्र हर एक के परते में पड़े वही इस पर वाजिब होगा। किसी गांव की अराज़ी का खिराज अलल तफ़ावुत है यक्सां नहीं है फिर जिस की अराज़ी का खिराज ज़्यादा है इस ने दरख्वास्त दी कि मेरी अराज़ी का खिराज और दिन के बराबर

(1) इन पर इसी अराज़ी का खिराज जहां मुन्तक़िल किये गये हैं वाजिब होगा।
(2) इस में खेती वग़ैरह करके नफ़ा लेने और खिराज देने से आजिज+ हुए।

कर दिया जाये तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि अगर यह मालूम न हो कि खिराज इब्तदा में बराबर था या अलल तफ़ावुत था तो जैसा क़ब्ल इस के होता रहा है इसी हाल पर छोड़ा जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। फ़तावा में लिखा है कि अगर किसी शख़्स ने अपनी खिराजी ज़मीन को मक़बरह या भाड़े की कारवान सराये या फ़क़ीरों का मसकन बना दिया तो खिराज साक़ित हो जायेगा। अगर खिराज अराज़ी किसी मुसलमान पर मुतवाली दो साल का चढ़ गया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार इस से पूरे

अगर अहले ज़िम्मा अपनी अराज़ी से दूसरे मुल्क में मुन्तक़िल किये गये तो बउज़र सही है और बदूं उज़र नहीं सही है और उज़र यह है कि इन लोगों को क़ुव्वत व शौकत हासिल न हो पस अहले हरब की तरफ़ से इन पर ख़ौफ़ हो या इन की तरफ़ से हम पर ख़ौफ़ हो बईं तौर कि मुसलमानों के पोशीदा हालात से अहले हरब को आगाह कर दें और इन लोगों को इन की अराज़ी की क़ीमत मिलेगी या इस मुल्क से जहां मुन्तक़िल किये गये हैं इन को अराज़ी के मिस्ल अराज़ी मिलेगी और इन पर इस अराज़ी का जहां मुन्तक़िल किये गये हैं खिराज अनिवार्य (1) होगा और एक रिवायत में है कि एक जहां से मुन्तक़िल किये गये हैं इस अराज़ी का खिराज इन पर अनिवार्य होगा मगर अव्वल असह है और इन की अराज़ी साबिक़ा खिराजिया होगी और अगर किसी मुसलमान ने इस में तोतन इख़्तयार की तो इस पर इस अराज़ी का खिराज अनिवार्य होगा यह काफ़ी में है। किसी गांव में अराज़ी है जिस के मालिकान मर गये या ग़ायब हो गये और अहले क़रया इस के खिराज अदा करने से आजिज़ (2) हुए और चाहा कि इस को सुल्तान के सुपुर्द कर दें तो सुल्तान इस अराज़ी के हक़ में वही करेगा जो हम ने बयान किया है और अगर सुल्तान ने चाहा कि इस अराज़ी को अपनी ज़ात के लिए लेले तो इस तरह हो सकता है कि किसी ग्राहक के हाथ फ़रोख़्त करके फिर इस से ख़ुद खरीद ले। एक क़ौम ने एक क़तआ ज़मीन खरीदा जिस में चार दीवारी के बाग़हाऐ अंगूर और खेत हैं तो कल का इख़राज यक्जाई मुशतरिक अदा करें और अगर इन में से एक ने बाग़हाऐ अंगूर और दूसरे ने अराज़ी खरीदी और खिराज की तक़सीम चाही तो विद्वानों ने फ़रमाया कि अगर बाग़हाऐ अंगूर का खिराज मालूम हो और नीज़ खिराज अराज़ी मालूम हो तो हुक्म वही रहेगा जो क़ब्ल खरीद के था।

अगर खिराज अराज़ी किसी मुसलमान पर मुतवाली दो साल का चढ़ गया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार उस से पूरे गुज़िश्ता अय्याम का

गुज़िश्ता अय्याम का खिराज लिया जायेगा और इमाम आज़म रह० के अनुसार नहीं बल्कि इसी साल का लिया जायेगा जिस में वो अब है ऐसा ही शैख़ुल इस्लाम ने शरह सियर सग़ीर में ज़िक्र किया है।

सदरूल इस्लाम ने किताबुल अशर वल खिराज में इमाम आज़म रह० से दो रिवायतें ज़िक्र की हैं और सदर इस्लाम ने फ़रमाया कि सही यह है कि इस से पूरा गुज़िश्ता का खिराज ले लिया जायेगा यह मुहीत में है। अगर इस की ज़मीन पर पानी चढ आया यानी ग़र्क़ हो गई या इस से पानी मुन्क़तअ हो गया यानी टूट गया या वो ज़राअत करने से बाज़ रखा गया तो इस पर खिराज वाजिब न होगा यह नहरूल फ़ाइक़ में है। इमाम मौहम्मद रह० ने नवादिर में ज़िक्र किया है कि अगर ज़मीन खिराजी डूब गई फिर दूसरा साल शुरू होने से इस क़द्र मुद्दत पहले इस का पानी ख़ुश्क हो गया कि इतनी मुद्दत में वो दोबारह ज़राअत करने पर क़ादिर रहे मगर इस ने ज़राअत न की तो इस पर खिराज वाजिब होगा और अगर दूसरा साल शुरू होने से पहले इतनी मुद्दत पानी ख़ुश्क हुआ कि इतने दिनों में ज़राअत कर लेने पर क़ादिर नहीं हुआ तो इस पर खिराज वाजिब न होगा यह मुहीत में है। अगर खेती को कोई आफ़त आसमानी ऐसी पहुंची कि इस से अहतराज़ नामुमकिन है मिस्ल ग़र्क़ व सोख़्तगी व शिद्दत पाला व औलाद वग़ैरह तो इस पर खिराज वाजिब न होगा और अगर ग़ैर आसमानी आफ़त ऐसी पहुंची कि इस से अहतराज़ नामुमकिन है जैसे खा लेना बन्दरों या दरिन्दों या चौपाओं वग़ैरह का या इस के मिस्ल कोई आफ़त पहुंची तो खिराज साक़ित न होगा और यही असह है और शैख़ुल इस्लाम ने ज़िक्र किया है कि अगर काटनेसे पहले खेती तलफ़ हो गई तो खिराज साक़ित होगा और अगर काटे जाने के बाद तलफ़ हुई तो साक़ित न होगा यह सिराज वहाज में है।

जो ज़मीन अशरी है अगर इस की खेती क़ब्ल काटे जाने के तलफ़ हुई तो अशर साक़ित (1) होगा और अगर बाद काटे जाने के तलफ़ हुई तो जो कुछ नसब मालिक ज़मीन था वो इस के ज़िम्मे से साक़ित होगा और जो काश्तकार के हिस्सा रसदी पर हिस्सा अशर था वो

खिराज लिया जायेगा और इमाम आज़म रह० के अनुसार नहीं :

अगर खिराज बाग़ हाऐ अंगूर मालूम न हो और तमाम क़तआ वर्णित का खिराज यक्जाई हो तो अगर यह मालूम हो जाये कि यह बाग़हाऐ अंगूर दरअसल बाग़हाऐ अंगूर ही थे कि सिवाए बाग़ इन कोर होने के इन का कुछ और होना साबित व मालूम नहीं होता है यानी कोई नहीं कहता है कि दरअसल अराज़ी थी फिर बाग़ अंगूर हो गई बल्कि सब यही कहते हैं कि दरअसल यह बाग़हाऐ अंगूर ही थे और इस अराज़ी का भी यही हाल है तो खिराज बाग़हाऐ अंगूर और खिराज अराज़ी पर मन्नत की जाये पस जब इन में से हर एक का खिराज मालूम हो जाये तो पूरे क़तआ ज़मीन का खिराज इन दोनों पर तक़सीम कर तदिया जाये पस जिस क़द्र हर एक के परते में पड़े वही इस पर अनिवार्य होगा। किसी गांव की अराज़ी का खिराज अलल तफ़ावुत है यक्सां नहीं है फिर जिस की अराज़ी का खिराज ज़्यादा है इस ने दरख़्वास्त दी कि मेरी अराज़ी का खिराज और दिन के बराबर

(1) इन पर इसी अराज़ी का खिराज जहां मुन्तक़िल किये गये हैं अनिवार्य होगा।
(2) इस में खेती वग़ैरह करके नफ़ा लेने और खिराज देने से आजिज़+ हुए।

कर दिया जाये तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि अगर यह मालूम न हो कि खिराज इब्तदा में बराबर था या अलल तफ़ावुत था तो जैसा क़ब्ल इस के होता रहा है इसी हाल पर छोड़ा जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। फ़तावा में लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी खिराजी ज़मीन को मक़बरह या भाड़े की कारवान सराये या फ़क़ीरों का मसकन बना दिया तो खिराज साक़ित हो जायेगा। अगर खिराज अराज़ी किसी मुसलमान पर मुतवाली दो साल का चढ गया तो इमाम अबू यूसुफ़ रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार इस से पूरे गुज़िश्ता अय्याम का खिराज लिया जायेगा और इमाम आज़म रह० के अनुसार नही बल्कि इसी साल का लिया जायेगा जिस में वो अब है ऐसा ही शैख़ुल इस्लाम ने

बज़िम्मा-ए-मालिक ज़मीन बाक़ी रहेगा। खिराज मक़ासमा भी बमन्ज़िला अशर के है इस वास्ते कि इस में भी इसी पैदावार तलफ़ हो गई और अगर अक्सर हिस्सा तलफ़ हो गया और कुछ बाक़ी रह गया तो बाक़ी को देखा जाये कि अगर इतना रह गया है कि दो क़फ़ीज़। दो दरहिम तक पहुंचता है तो एक क़फ़ीज़ एक दिरहम खिराज वाजिब होगा और बिल्कुल साक़ित न होगा और अगर इस से कम बाक़ी रहा तो निस्फ़ हासिलात वाजिब होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और हमारे मशाइख़ ने फ़रमाया कि सवाब इस सूरत में यह है कि पहले देखा जाये कि इस शख़्स ने इस ज़मीन में किया खर्च किया है फिर हासिलात को देखा जाये फिर पहले इस हासिलात में से जो कुछ इस ने ख़र्च किया है वो इस को महसूब दिया जाये फिर अगर कुछ बाक़ी रहे तो इस में इसी तौर से किया जाये जैसे हम ने बयान किया है यह सिराज वहाज व मुहीत में है।

क्या हाकिम आसमानी आफ़ात की सूरत में नुक़सान में हिस्सादार होगा?

हासिनल पैदावार तलफ़ हो जाने से खिराज जब ही साक़ित हो जाता है कि साल में से इतनी मुद्दत न बाक़ी रही हो कि इस में दोबारह खेती कर लेने पर क़ादिर हुए और अगर ऐसी मुद्दत बाक़ी रही हो तो खिराज साक़ित न होगा (यह खिराज मोज़फ़ में है) और ऐसा क़रार दिया जायेगा कि गोया अव्वल था ही नहीं और ऐसा ही हुक्म करम यानी बाग़ अंगूर का है कि अगर इस के फल आसमानी आफ़त से जाते रहे पस अगर कुछ जाते

(1) क्योंकि अ+शर इस की पैदावार में से वाजिब है न मिस्ल खिराज मौज़फ+ के फ़अल हाज़ा खिराज मक़ासमा भी मिस्ल अ+शर के है।

रहे और कुछ बाक़ी रहे पस अगर बाक़ी इतने हैं कि बीस दिरहम तक पहुंच जाते हैं इस से ज़्यादा हैं तो इस पर दस दिरहम वाजिब होंगे और अगर बीस दिरहम तक नहीं पहुंचते हैं तो माबक़ी में निस्फ़ मिक़्दार वाजिब होगी और यही हुक्म रताब का है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अकासरह (1) यानी शाहान किसरा जो मजूसी थे इन के अफ़आल पसन्दीदा में से एक यह बात शरह सियर सग़ीर में ज़िक्र किया है।

सदरूल इस्लाम ने किताबुल अशर वल खिराज में इमाम आज़म रह० से दो रिवायतें ज़िक्र की हैं और सदर इस्लाम ने फ़रमाया कि सही यह है कि इस से पूरा गुज़िश्ता का खिराज ले लिया जायेगा यह मुहीत में है। अगर इस की ज़मीन पर पानी चढ़ आया यानी ग़र्क़ हो गई या इस से पानी मुन्क़तअ हो गया यानी टूट गया या वो ज़राअत करने से कुछ रखा गया तो इस पर खिराज अनिवार्य न होगा यह नहरूल फ़ाइक़ में है। इमाम मौहम्मद रह० ने नवादिर में ज़िक्र किया है कि अगर ज़मीन खिराजी डूब गई फिर दूसरा साल शुरू होने से इस क़द्र मुद्दत पहले इस का पानी ख़ुश्क हो गया कि इतनी मुद्दत में वो दोबारह ज़राअत करने पर क़ादिर रहे मगर इस ने ज़राअत न की तो इस पर खिराज अनिवार्य होगा और अगर दूसरा साल शुरू होने से पहले इतनी मुद्दत पानी ख़ुश्क हुआ कि इतने दिनों में ज़राअत कर लेने पर क़ादिर नहीं हुआ तो इस पर खिराज अनिवार्य न होगा यह मुहीत में है। अगर खेती को कोई आफ़त आसमानी ऐसी पहुंची कि इस से अहतराज़ नामुमकिन है मिस्ल ग़र्क़ व सोफ़तगी व शिद्दत पाला व औलाद वग़ैरह तो इस पर खिराज अनिवार्य न होगा और अगर ग़ैर आसमानी आफ़त ऐसी पहुंची कि इस से अहतराज़ नामुमकिन है जैसे खा लेना बन्दरों या दरिन्दों या चौपाओं वग़ैरह का या इस के मिस्ल कोई आफ़त पहुंची तो खिराज साक़ित न होगा और यही असह है और शैख़ुल इस्लाम ने ज़िक्र किया है कि अगर काटनेसे पहले खेती तलफ़ हो गई तो खिराज साक़ित होगा और अगर काटे जाने के बाद तलफ़ हुई तो साक़ित न होगा यह सिराज वहाज में है।

जो ज़मीन अशरी है अगर इस की खेती क़ब्ल काटे जाने के तलफ़ हुई तो अशर साक़ित (1) होगा और अगर बाद काटे जाने के तलफ़ हुई तो जो कुछ वंश मालिक ज़मीन था दो इस के ज़िम्मे से साक़ित होगा और जो काश्तकार के हिस्सा रसदी पर हिस्सा अशर था वो बज़िम्मा-ए-मालिक ज़मीन बाक़ी रहेगा। खिराज मक़ासमा भी बमन्ज़िला अशर के है इस लिए कि इस में भी इसी पैदावार तलफ़ हो गई और अगर अक्सर हिस्सा तलफ़ हो

थी कि जब काश्तकार की खेती को कोई आफ़त आसमानी इन के अहद में पहुंचती थी तो इस का ख़र्चा व बीच अपने ख़ज़ाने से इस को तावान दे देत थे और कहते थे कि काश्तकार नफ़े में हमारा शरीक है पस नुक़सान में हम इस के शरीक क्योंकर न हों और मुसलमान सुल्तान इस ख़ल्क़ के इख़्तयार करने में बदरजा औला लायक़ है यह वजीज़ करदरी में है अगर किसी ने खिराजी ज़मीन में बाग़ अंगूर लगाया तो जब तक बाग़ अंगूर फल न दबाऐ तब तक इस पर ज़मीन ज़राअत क खिराज वाजिब होगा और इसी तरह अगर दीगर फलदार दरख़्त लगाये तो भी दरख़्तां मज़कूरा के फल देने तक इस पर ज़मीन ज़राअत का खिराज वाजिबअ होगा और जब दरख़्तान अंगूर पूरे होकर फल लाये पस अगर अंगूरों की क़ीमत बीस दिरहम या ज़्यादा तक पहुंची तो इस पर दस दिरहम वाजिब (जो खेती का खिराज है) होंगे और अगर बीस दिरहम से कम पहुंचती हो तो इस पर निस्फ़ पैदावार हासिलात वाजिब होगी और अगर निस्फ़ हासिलात मज़्कूर बक़द्र एक क़फ़ीज़ (फ़ी जरीब दस दिरहम) एक दिरहम के भी न पहुंची हो तो एक क़फ़ीज़ व एक दिरहम से कम न किया जायेगा इस वास्ते कि वो ज़राअत करने पर क़ादिर था।

अगर किसी के मुल्क में ऐसा क़तआ ज़मीन है कि वो अजमना (2) है हालांकि इस में कसरत से शिकार है तो इस पर खिराज वाजिब नहीं है और अगर किसी की ज़मीन में नर कुल खड़ा है यानी मनीसतान (3) है या झाव का जंगल है या दरख़्तान सनूबर या बैद मजनून या दीगर अशजार ऐसे लगे हैं कि फल नहीं देते हैं तो देखा जाये कि अगर मालिक ज़मीन इस को क़तअ करके इस के मज़रूआ करने पर क़ादिर था मगर इस ने ऐसा न किया तो इस पर खिराज वाजिब होगा और अगर इस के दुरूस्त करने पर क़ादिर नहीं है तो इस पर खिराज भी वाजिब न होगा और अगर ज़मीन खिराजी में ऐसी ज़मीन हो कि इस में से क़लील या कसीर नमक निकलता है तो इस का हुक्म भी ऐसा ही है कि अगर मालिक ज़मीन इस के इस्लाह करने और मज़रूआ कर देने और खिराजी पानी से पानी पहुंचाने पर क़ादिर था तो इस पर खिराज गया और कुछ बाक़ी रह गया तो बाक़ी को देखा जाये कि अगर इतना रह गया है कि दो क़फ़ीज़। दो दरहिम तक पहुंचता है तो एक क़फ़ीज़ एक दिरहम खिराज अनिवार्य होगा और बिल्कुल साक़ित न होगा और अगर इस से कम बाक़ी रहा तो निस्फ़ हासिलात अनिवार्य होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और हमारे मशाइख़ ने फ़रमाया कि सवाब इस स्थिति में यह है कि पहले देखा जाये कि इस व्यक्ति ने इस ज़मीन में किया खर्च किया है फिर हासिलात को देखा जाये फिर पहले इस हासिलात में से जो कुछ इस ने ख़र्च किया है वो इस को महसूब दिया जाये फिर अगर कुछ बाक़ी रहे तो इस में इसी तौर से किया जाये जैसे हम ने बयान किया है यह सिराज वहाज व मुहीत में है।

क्या हाकिम आसमानी आफ़ात की स्थिति में नुक़सान में हिस्सादार होगा?

हासिनल पैदावार तलफ़ हो जाने से खिराज जब ही साक़ित हो जाता है कि साल में से इतनी मुद्दत न बाक़ी रही हो कि इस में दोबारह खेती कर लेने पर क़ादिर हुए और अगर ऐसी मुद्दत बाक़ी रही हो तो खिराज साक़ित न होगा (यह खिराज मोज़फ़ में है) और ऐसा क़रार दिया जायेगा कि गोया अव्वल था ही नहीं और ऐसा ही हुक्म करम यानी बाग़ अंगूर का है कि अगर इस के फल आसमानी आफ़त से जाते रहे पस अगर कुछ जाते रहे और कुछ बाक़ी रहे पस अगर बाक़ी इतने हैं कि बीस दिरहम तक पहुंच जाते हैं इस से ज़्यादा हैं तो इस पर दस दिरहम अनिवार्य होंगे और अगर बीस दिरहम तक नहीं पहुंचते हैं तो माबक़ी में निस्फ़ मिक़्दार अनिवार्य होगी और यही हुक्म रताब का है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अकासरह (1) यानी शाहान किसरा जो मजूसी थे इन के अफ़आल पसन्दीदा में से एक यह बात थी कि जब काश्तकार की खेती को कोई आफ़त आसमानी इन के अहद में पहुंचती थी तो इस का ख़र्चा व बीच अपने ख़ज़ाने से इस को तावान दे देत थे और

(1) क्योंकि अ+शर इस की पैदावार में से अनिवार्य है न मिस्ल खिराज मौज़फ+ के फ़अल हाज़ा खिराज मक़ासमा भी मिस्ल अ+शर के है।

वाजिब होगा और अगर वहां खिराजी (4) पानी नहीं पहुंच सकता था या वो पहाड़ पर वाक़े है कि वहां पानी नहीं पहुंच सकता है तो खिराज वाजिब न होगा। अगर ज़मीन खिराजी के दरमियान कोई क़तआ ज़मीन सींचा (5) वाक़े है कि मज़ारअत के लायक़ नहीं या इस को पानी नहीं पहुंचता है पस अगर मालिक ज़मीन मज़कूर इस की इस्लाह कर सकता था मगर न की तो इस पर इस का खिराज वाजिब होगा और अगर इस्लाह नहीं कर सकता था तो इस पर खिराज भी वाजिब न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। क़ालल मुतरजम वाज़ह हो कि यहां दो वक्त हैं एक वक्त वजूब खिराज और दूसरा वक्त अदाऐ खिराज वाजिबा फ़ाफ़हम।

इमाम आज़म रह० के अनुसार वक्त वजूब खिराज का अव्वल साल है यानी शुरू साल मगर बदीं शर्त कि ज़मीन नामिया हक़ीक़तन ऐतबारन इस के क़ब्ज़े में एक साल बाक़ी रहे यह ज़खीरा की किताबुल अशर वल खिराज में है और वाला मुल्क को चाहिए कि खिराज के वास्ते ऐसे शायस्ता आदमी को मुक़र्रर करे जो लोगों के साथ नर्मी से पैश आये और इन से खिराज लेने में इन्साफ़ व अदल को पैश नज़र रखे और हर बार जब ग़ल्ला पैदा हो तब इन से बक़द्र इस के खिराज लेले यहां तक कि आखिर ग़ल्ला पर पूरा खिराज हासिल हो जाये और इस कलाम से मुराद यह है कि बक़द्रे ग़ल्ला के खिराज मुक़र्रर करे चुनांचे अगर किसी ज़मीन में रबीअ व खरीफ़ दो फ़सलें पैदा होती हों तो ग़ल्ला रबीअ हासिल होने के वक्त शायस्ता

(1)बाज़ों ने कहा कि लक़बशाहाने फ़ारस का है औरयह उक्रब है।
(2)तालाब है कि इस में नरकुल वग़ैरह के दर]त होते हैं।
(3)[डी मु]तलिफ+ दर]तों की मसलन पतावर व नरकुल व बांस व दीगर दर]तान+][ुदरद वग़ैरह।
(4)अगर इस्लाह पर क़ादिर नहीं है तो बदरजा औला वाजिब न होगा।
(5)[ूरह व ज़ार जिस को हिन्दी में ओसर बोलते हैं कि इस मक़ाम पर कंकर व रेत होता है और कोई चीज+ नहीं जमती है।

मतूले मज़कूर अन्दाज़ व तख़्मीनन से यह लिहाज़ करे कि इस ज़मीन में ग़ल्ला ख़रीफ़ कितना पैदा होगा पस अगर इस की खातिर में जम जाये कि मिस्ल ग़ल्ला रबीअ के पैदा होगा तो खिराज के दो हिस्से कर डाले कहते थे कि काश्तकार नफ़े में हमारा शरीक है पस नुक़सान में हम इस के शरीक क्योंकर न हों और मुसलमान सुल्तान इस ख़ल्क़ के इख़्तयार करने में बदरजा औला लायक़ है यह वजीज़ करदरी में है अगर किसी ने खिराजी ज़मीन में बाग़ अंगूर लगाया तो जब तक बाग़ अंगूर फल न दबाऐ तब तक इस पर ज़मीन ज़राअत का खिराज अनिवार्य होगा और इसी तरह अगर दीगर फलदार दरख्त लगाये तो भी दरख़्तां मज़कूरा के फल देने तक इस पर ज़मीन ज़राअत का खिराज वाजिबअ होगा और जब दरख़्तान अंगूर पूरे होकर फल लाये पस अगर अंगूरों की क़ीमत बीस दिरहम या ज़्यादा तक पहुंची तो इस पर दस दिरहम अनिवार्य (जो खेती का खिराज है) होंगे और अगर बीस दिरहम से कम पहुंचती हो तो इस पर निस्फ़ पैदावार हासिलात अनिवार्य होगी और अगर निस्फ़ हासिलात वर्णित बक़द्र एक क़फ़ीज़ (फ़ी जरीब दस दिरहम) एक दिरहम के भी न पहुंची हो तो एक क़फ़ीज़ व एक दिरहम से कम न किया जायेगा इस लिए कि वो ज़राअत करने पर क़ादिर था।

अगर किसी के मुल्क में ऐसा क़तआ ज़मीन है कि वो अजमना (2) है हालांकि इस में कसरत से शिकार है तो इस पर खिराज अनिवार्य नहीं है और अगर किसी की ज़मीन में नर कुल खड़ा है यानी मनीसतान (3) है या झाव का जंगल है या दरख़्तान सनूबर या बैद मजनून या दीगर अशजार ऐसे लगे हैं कि फल नहीं देते हैं तो देखा जाये कि अगर मालिक ज़मीन इस को क़तअ करके इस के मज़रूआ करने पर क़ादिर था मगर इस ने ऐसा न किया तो इस पर खिराज अनिवार्य होगा और अगर इस के दुरूस्त करने पर क़ादिर नहीं है तो इस पर खिराज भी अनिवार्य न होगा और अगर ज़मीन खिराजी में ऐसी ज़मीन हो कि इस में से क़लील या कसीर नमक निकलता है तो इस का हुक्म भी ऐसा ही है कि अगर मालिक ज़मीन इस के इस्लाह करने और मरज़ूआ कर देने और खिराजी पानी से पानी पहुंचाने पर क़ादिर था तो इस पर खिराज अनिवार्य होगा और अगर वहां खिराजी (4) पानी नहीं पहुंच सकता था या वो पहाड़ पर स्थपित है कि वहां पानी नहीं पहुंच सकता है तो खिराज

पस ग़ल्ला रबीअ में से निस्फ़ खराज लेले और बाक़ी निस्फ़ खिराज में ताखीर करे यहां तक कि ग़ल्ला खरीफ़ पैदा हुए पस निस्फ़ खिराज इस में से लेले। ऐसा ही बक़ौल में करे कि देखे कि अगर यह ऐसी चीज़ों में से है जो पांच मर्तबा नोची जाती हैं यानी एक मर्तबा नोचने के बाद फिर हरी हो कर दोबारह व सह बारह इसी तरह पांच मर्तबा तक नोबत पहुंचती है तो खिराज के पांच टुकडे करके हर मर्तबा से पांचवां जिहस्सा खिराज लेले और अगर ऐसी नबातात से हो कि चार मर्तबा नोची जाती हैं तो हर मर्तबा से चहारूम खिराज वसूल करले और इसी क़ियास पर समझ लेना चाहिए यह मुहीत में है।

इमाम मौहम्मद रह० ने अपनी नवादिर में ज़िक्र फ़रमाया कि अगर किसी ने ख़ुशी से अपनी ज़मीन का खिराज साल या दो साल का पैशगी बतौर तअजील अदा कर दिया तो यह जायज़ है :

जिस पर खिराज या अशर वाजिब हो गया है अगर वो मर गया तो यह इस के तरका से वसूल कर लिया जायेगा और इख्तलाफ़ बिलाद के मुवाफ़िक़ ग़ल्ला की पुख्तगी का वक्त भी मुख्तलिफ़ है पस पैदावार ग़ल्ला की इदराक के वक्त खिराज लिया जायेगा और मालिक अराज़ी को हलाल नहीं है कि जब तक खिराज अदा नहीं किया है तब इस पैदावार में से खाये हां बाद अदाऐ करने के खाना हलाल है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और नीज़ जिस में से अशर देना चाहिए है इस में से भी खाना हलाल नहीं है यहां तक कि अशर अदा करे और अगर खा जायेगा तो ज़ामिन होगा और सुल्तान को इख्तयार है कि ज़मीन खिराजी की पैदावार रोक रखे यहां तक कि खिराज वसूल करले यह ज़हीरिया में है और इमाम मौहम्मद रह० ने अपनी नवादिर में ज़िक्र फ़रमाया कि अगर किसी ने ख़ुशी से अपनी ज़मीन का खिराज साल या दो साल का पैशगी बतौर तअजील अदा कर (1) दिया तो यह जायज़ है और मुन्तक़ी मेंहै कि अगर किसी ने अपनी ज़मीन का खिराज पैशगी दिया फिर इसी अनिवार्य न होगा। अगर ज़मीन खिराजी के दरमियान कोई क़तआ ज़मीन सींचा (5) स्थपित है कि मज़ारअत के लायक़ नहीं या इस को पानी नहीं पहुंचता है पस अगर मालिक ज़मीन वर्णित इस की इस्लाह कर सकता था मगर न की तो इस पर इस का खिराज अनिवार्य होगा और अगर इस्लाह नहीं कर सकता था तो इस पर खिराज भी अनिवार्य न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अनुवादक के कथनानुसार वाज़ह हो कि यहां दो समय हैं एक समय वजूब खिराज और दूसरा समय अदाऐ खिराज वाजिबा फ़ाफ़हम।

इमाम आज़म रह० के अनुसार समय वजूब खिराज का अव्वल साल है यानी शुरू साल मगर बदीं शर्त कि ज़मीन नामिया हक़ीक़तन ऐतबारन इस के क़ब्ज़े में एक साल बाक़ी रहे यह ज़खीरा की किताबुल अशर वल खिराज में है और वाला मुल्क को चाहिए कि खिराज के लिए ऐसे शायस्ता आदमी को मुक़र्रर करे जो लोगों के साथ नर्मी से पैश आये और इन से खिराज लेने में इन्साफ़ व अदल को पैश मन्नत रखे और हर बार जब ग़ल्ला पैदा हो तब इन से बक़द्र इस के खिराज लेले यहां तक कि आखिर ग़ल्ला पर पूरा खिराज हासिल हो जाये और इस बात से मुराद यह है कि बक़द्रे ग़ल्ला के खिराज मुक़र्रर करे चुनांचे अगर किसी ज़मीन में रगबीअ व खरीफ़ दो फ़सलें पैदा होती हों तो ग़ल्ला रबीअ हासिल होने के समय शायस्ता

(1)बाज़ों ने कहा कि लक़बशाहाने फ़ारस का है औरयह उक़्रब है।
(2)तालाब है कि इस में नरकुल वग़ैरह के दर]त होते हैं।
(3)ढी मु]तलिफ+ दर]तों की मसलन पतावर व नरकुल व बांस व दीगर दर]तान+]ुदरद वग़ैरह।
(4)अगर इस्लाह पर क़ादिर नहीं है तो बदरजा औला अनिवार्य न होगा।
(5)ग़ूह व ज़ार जिस को हिन्दी में ओसर बोलते हैं कि इस मक़ाम पर कंकर व रेत होता है और कोई चीज+ नहीं जमती है।

मतूले वर्णित अन्दाज़ व तख्मीनन से यह लिहाज़ करे कि इस ज़मीन में ग़ल्ला ख़रीफ़ कितना पैदा होगा पस अगर इस की खातिर में जम जाये कि मिस्ल ग़ल्ला रबीअ के पैदा होगा तो खिराज के दो हिस्से कर डाले पस ग़ल्ला रबीअ में से निस्फ़ खराज लेले और बाक़ी निस्फ़ खिराज में ताखीर करे यहां तक कि ग़ल्ला खरीफ़

साल ज़मीन ग़र्क़ हो गई तो फ़रमाया कि जो कुछ खिराज इस ने अदा किया है वो इस को वापिस कर दिया जाये फिर अगर इस के क़ब्ज़ा में न दिया गया और इस ने दूसरे साल इस में ज़राअत की तो इस साल के खिराज में महसूब कर दिया जायेगा। इमाम मौहम्मद रह० से मरवी है कि अगर एक शख़्स ने अपनी ज़मीन का दो साल का खिराज अदा कर दिया यानी पैशगी फिर इस ज़मीन पर पानी चढ आया और ग़र्क़ आब (2) हो कर दजला हो गई तो फ़रमाया कि जो कुछ इमाम ने वसूल किया है वो इस को वापिस कर दे बशर्तेक बअयुना मौजूद हो और अगर इमाम ने इस खिराज को दे दिया हो यानी मुजाहिदीन के सिर्फ़ में लाया हो तो इस पर कुछ वाजिब नहीं है।

बाबः 8

जज़्या के बयान में

जज़्या इस माल का नाम है जो अहले ज़िम्मा से लिया जाताह है 'कज़्ा फ़िल हिनाया' और जज़्या फ़क़त इसी ज़िम्मी पर वाजिब होता है कि मर्द बालिग़ हो लियाक़त क़िताल रखता हो आक़िल हो मोहतरफ़ हो अगरचे अपने हरफ़ा को अच्छी तरह न जानता हो यह सिराजिया में है और जज़्या दो क़िस्म का होता है एक वो कि सुलह व तराज़ी से इन पर मुक़र्रर किया गया हो पस इस की मिक्दार वही रहेगी जिसि पर बाहम इत्तफ़ाक़ हुआ है इसी हिसाब से हर एक पर मुक़र्रर यह काफ़ी में है पस इस मिक्दार से ज़्यादा न किया जायेगा और कम भी न किया जायेगा यह नहरूल फ़ाइक़ में है। दोम जज़्या वो कि जब इमामुल मुस्लिमीन

(1)+]वाह म]वाह ले लेना हराम है।

(2)नुस]ा मतबूआ में द]ला अव्वल मुहमिला[जीम के साथ है पस इस बिना पर इस के दयार की जानिबयह हुक्म राजअ+ होगा और सूरत मसला इस ज़मीन के वास्ते होगी जो दजला के दोनों किनारे पर वाक़े है और ज़ारि नज़दीक मुतरजम के द]ाल बवाद व हा मुहमिला है फ़ाफ़हम।

काफ़िरों पर ग़ालिब हुआ और अहसान करके इन को इन की इमलाक पर बाक़ी रख कर इन पर अज़ सरे नू जज़्या अपनी राये से मुक़र्रर किया कज़्ा फ़िल काफ़ी। पस यह जज़्या मुक़द्दर बक़द्र मालूम है ख़्वाह चाहें या पैदा हुए पस निस्फ़ खिराज इस में से लेले। ऐसा ही बक़ौल में करे कि देखे कि अगर यह ऐसी चीज़ों में से है जो पांच मर्तबा नोची जाती हैं यानी एक मर्तबा नोचने के बाद फिर हरी हो कर दोबारह व सह बारह इसी तरह पांच मर्तबा तक नोबत पहुंचती है तो खिराज के पांच टुकडे करके हर मर्तबा से पांचवां जिहस्सा खिराज लेले और अगर ऐसी नबातात से हो कि चार मर्तबा नोची जाती हैं तो हर मर्तबा से चहारूम खिराज वसूल करले और इसी क़ियास पर समझ लेना चाहिए यह मुहीत में है।

इमाम मौहम्मद रह० ने अपनी नवादिर में ज़िक्र फ़रमाया कि अगर किसी ने ख़ुशी से अपनी ज़मीन का खिराज साल या दो साल का पैशगी बतौर तअजील अदा कर दिया तो यह जायज़ है :

जिस पर खिराज या अशर अनिवार्य हो गया है अगर वो मर गया तो यह इस के तरका से वसूल कर लिया जायेगा और मतभेद बिलाद के मुवाफ़िक़ ग़ल्ला की पुख़्तगी का समय भी मुख़्तलिफ़ है पस पैदावार ग़ल्ला की इदराक के समय खिराज लिया जायेगा और मालिक अराज़ी को हलाल नहीं है कि जब तक खिराज अदा नहीं किया है तब इस पैदावार में से खाये हां बाद अदाऐ करने के खाना हलाल है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और नीज़ जिस में से अशर देना चाहिए है इस में से भी खाना हलाल नहीं है यहां तक कि अशर अदा करे और अगर खा जायेगा तो ज़ामिन होगा और सुल्तान को इख़्तयार है कि ज़मीन खिराजी की पैदावार रोक रखे यहां तक कि खिराज वसूल करले यह ज़हीरिया में है और इमाम मौहम्मद रह० ने अपनी नवादिर में ज़िक्र फ़रमाया कि अगर किसी ने ख़ुशी से अपनी ज़मीन का खिराज साल या दो साल का पैशगी बतौर तअजील अदा कर (1) दिया तो यह जायज़ है और मुन्तक़ी मेंहै कि अगर किसी ने अपनी ज़मीन का खिराज पैशगी दिया फिर इसी साल ज़मीन ग़र्क़ हो गई तो फ़रमाया कि जो कुछ खिराज इस ने अदा किया है वो इस को वापिस कर दिया जाये

इन्कार करें राज़ी हों या ताराज़ हों पस तवंगर पर हर साल में वज़न सबआ के अड़तालीस दिरहम मुक़र्रर किये जाऐंगे चुनांचे माहवारी चार दिरहम वसूल कर लेगा और जो शख़्स मुतवस्सित उल हाल है इस पर सालाना चौबीस दिरहम यानी माहवारी दो दिरहम होंगे और जो शख़्स फ़क़ीर मोअतमिल है इस पर सालाना बारह दिरहम यानी माहवारी एक दिरहम मुक़र्रर होगा कि 'कज़ा फ़िल फ़तहुल क़दीर वल हिदाया वल काफ़ी'।

मोअतमिल से क्या मुराद है?

मोअतमिल के मअनी में गुफ़तुगू है और इस के सही मअनी यह हैं कि मोअतमिल वो है कि जो काम करने पर क़ादिर हुआ अगरचे अपना हरफ़ा अच्छी तरह न जानता हो। उलमा ने तवांगर और मुतवस्सित उल हाल और फ़ुक़रान तीनों की शनाख़्त में गुफ़तुगू की है चुनांचे शैख़ इमाम अबू जअफ़र रह० ने फ़रमाया कि हर बिलाद में वहां का उर्फ़ मोअतबर होगा पस जिस बिलाद वाले अपने शहर में जिस को तवांगर शुमार करते हों या मुतवस्सित या फ़क़ीर शुमार करते हों वो ऐसा ही होगा और यही असह है यह मुहीत में है और इमाम करख़ी रह० ने फ़रमाया कि फ़क़ीर वो है जो दो सौ दिरहम या कम का मालिक हो और मुतवस्सित वो है जो दो सौ दिरहम से ज़ायद दस हज़ार दिरहम तक का मालिक हो और तवंगर वो है जो दस हज़ार दिरहम से ज़ायद का मालिक हो और शैख़ रज़ि0 (क़ाज़ी हसन बिन मंसूर) ने फ़रमाया कि ऐतमाद इस बाब में करख़ी रह० के क़ौल पर है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। मोअतमिल में यह ज़रूरी है कि वो तन्दरूस्त हो और साल में ज़्यादा मुद्दत इस की तन्दरूस्ती होना काफ़ी है यह हिदाया में है। ईज़ाह में मज़कूर है कि अगर ज़िम्मी तमाम साल बीमार रहा और इस ने काम करने पर क़ुदरत न पाई हालांकि वो ख़ुशहाल है तो इस पर जज़्या वाजिब न होगा और इसी तरह अगर निस्फ़ साल या ज़्यादा बीमार रहा तो भी यही हुक्म है और अगर बावजूद क़ुदरत व तन्दरूस्ती के इस ने काम करना छोड़ा तो वो मोअतमिल के हुक्म में होगा यह निहाया में है। जज़्या हमारे अनुसार इब्तदाऐ साल से वाजिब होता है और जज़्या अहले किताब पर है फिर अगर इस के क़ब्ज़ा में न दिया गया और इस ने दूसरे साल इस में ज़राअत की तो इस साल के ख़िराज में महसूब कर दिया जायेगा। इमाम मौहम्मद रह० से मरवी है कि अगर एक व्यक्ति ने अपनी ज़मीन का दो साल का ख़िराज अदा कर दिया यानी पैशगी फिर इस ज़मीन पर पानी चढ आया और ग़र्क़ आब (२) हो कर दजला हो गई तो फ़रमाया कि जो कुछ इमाम ने वसूल किया है वो इस को वापिस कर दे बशर्तेक बअयुना मौजूद हो और अगर इमाम ने इस ख़िराज को दे दिया हो यानी योद्धाओं के सिर्फ़ में लाया हो तो इस पर कुछ अनिवार्य नहीं है।

बाबः 8

जज़्या के बयान में

जज़्या इस माल का नाम है जो अहले ज़िम्मा से लिया जाताह है 'कज़ा फ़िल हिनाया' और जज़्या फ़क़त इसी ज़िम्मी पर अनिवार्य होता है कि मर्द बालिग़ हो लियाक़त क़िताल रखता हो आक़िल हो मोहतरफ़ हो अगरचे अपने हरफ़ा को अच्छी तरह न जानता हो यह सिराजिया में है और जज़्या दो क़िस्म का होता है एक वो कि सुलह व तराज़ी से इन पर मुक़र्रर किया गया हो पस इस की मिक़्दार वही रहेगी जिसि पर बाहम इत्तफ़ाक़ हुआ है इसी हिसाब से हर एक पर मुक़र्रर यह काफ़ी में है पस इस मिक्दार से ज़्यादा न किया जायेगा और कम भी न किया जायेगा यह नहरूल फ़ाइक़ में है। दोम जज़्या वो कि जब इमामुल मुस्लिमीन काफ़िरों पर ग़ालिब हुआ और अहसान करके इन को इन की इमलाक पर बाक़ी रख कर इन पर अज़ सरे नू जज़्या अपनी राये से मुक़र्रर किया कज़ा फ़िल काफ़ी। पस यह जज़्या मुक़द्दर बक़द्र मालूम है चाहे चाहें या इन्कार करें राज़ी हों या ताराज़ हों पस तवंगर पर हर साल में वज़न सबआ के अडतालीस दिरहम मुक़र्रर किये

(1)चाहे म]वाह ले लेना हराम है।

(2)नुस]ा मतबूआ में द]ला अव्वल मुहमिला[जीम के साथ है पस इस बिना पर इस के दयार की जानिबयह हुक्म राजअ+ होगा और स्थिति मसला इस ज़मीन के लि, होगी जो दजला के दोनों किनारे पर स्थापित है और ज़ारि निकट मुतरजम के द]ल बवाद व हा मुहमिला है फ़ाफ़हम।

ख़्वाह वो अरब के हों या अजम के और मजूस व बुत परस्तान अजम पर है यह काफ़ी में है। फिर यह जज़या लेने का वक्त साल का आखिर ज़माना है क़ब्ल इस के कि दूसरा साल शुरू हो जाये और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि हर दो महीना पर क़सत करके लिया जायेगा और इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत है कि माहवारी यानी हर हर महीना लिया जायेगा और असह वही क़ौल अव्वल है यह मबसूत में है।

यहूदियों में सामरी दाखिल हैं और नसारा में फ़िरंग वारमनी दाखिल हैं। अगर लश्करे इस्लाम ने अहले किताब व मजूस व बुत परस्तों पर जो अजम के हों ग़ल्बा पाया क़ब्ल इस के कि इन पर जज़या मुक़र्रर किया जाये यानी बग़ैर सुलह के तो वो लोग और इन की औरतें व बच्चे सब फ़ई (1) होंगे यह फ़तहुल क़दीर में है। रहे साबी लोग सो इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि इन से जज़या लिया जायेगा और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि कि नहीं लिया जायेगा और रहे मुबीज़ा सो मशाइख़ ने फ़रमाया कि देखा जाये कि अगर वो जदीद पैदा हुए हैं तो वो लोग मुरतिद हैं कि इन से जज़या न लिया जायेगा बल्कि वो लोग क़त्ल किये जाऐंगे और अगर वो लोग पुराने हों यानी क़दीमी यह फ़िरक़ा चला आता हो तो इन से जज़या लिया जायेगा और रहे ज़िन्दीक़ लोग सो इन से जज़या लिया जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अरब के बुत परस्तों पर जज़या बांधा जायेगा और न मुरतिद लोगों पर जज़या होगा बल्कि इस्लाम लाऐं या क़त्ल किये जाऐं और अगर इन लोगों पर ग़ल्बा हासिल हुआ तो इन की औरतें व बच्चे फ़ई होंगे और इन के मर्दों में से जो शख़्स मुसलमान न हुआ वो क़त्ल किया जाये और वाज़ह हो कि औरत व बच्चा व अंधे पर ज़या नहीं है और नीज़ मफ़लूज और बूढ़े फूस और फ़क़ीर ग़ैर मोअतमिल (2) पर भी जज़या नहीं है। यह हिदाया में है और नीज़ मजनून और अपाहिज पर भी जज़या नहीं है यह इख़्तयार शरह मुख़्तार में है

(1)माले ग़नीमत में सेशुमार होंगे और इस के अहले को तक़सीम किये जाऐंगे।
(2)ग़ैर मोअतमिल वोश]स जो अपने हरफ़ा के ज़रिये से कमा नहीं सकता है।

जाऐंगे चुनांचे माहवारी चार दिरहम वसूल कर लेगा और जो व्यक्ति मुतवस्सित उल हाल है इस पर सालाना चौबीस दिरहम यानी माहवारी दो दिरहम होंगे और जो व्यक्ति फ़क़ीर मोअतमिल है इस पर सालाना बारह दिरहम यानी माहवारी एक दिरहम मुक़र्रर होगा कि 'कज़ा फ़िल फ़तहुल क़दीर वल हिदाया वल काफ़ी'।

मोअतमिल से क्या मुराद है?

मोअतमिल के मअनी में गुफ़्तुगू है और इस के सही मअनी यह हैं कि मोअतमिल वो है कि जो काम करने पर क़ादिर हुआ अगरचे अपना हरफ़ा अच्छी तरह न जानता हो। उलमा ने तवांगर और मुतवस्सित उल हाल और फ़ुक़रान तीनों की शनाख़्त में गुफ़्तुगू की है चुनांचे शैख़ इमाम अबू जअफ़र रह० ने फ़रमाया कि हर बिलाद में वहां का उर्फ़ मोअतबर होगा पस जिस बिलाद वाले अपने शहर में जिस को तवांगर शुमार करते हों या मुतवस्सित या फ़क़ीर शुमार करते हों वो ऐसा ही होगा और यही असह है यह मुहीत में है और इमाम करख़ी रह० ने फ़रमाया कि फ़क़ीर वो है जो दो सौ दिरहम या कम का मालिक हो और मुतवस्सित वो है जो दो सौ दिरहम से ज़ायद दस हज़ार दिरहम तक का मालिक हो और तवंगर वो है जो दस हज़ार दिरहम से ज़ायद का मालिक हो और शैख़ रज़ि० (क़ाज़ी हसन बिन मंसूर) ने फ़रमाया कि ऐतमाद इस बाब में करखी रह० के कथन पर है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। मोअतमिल में यह ज़रूरी है कि वो तन्दरूस्त हो और साल में ज़्यादा मुद्दत इस की तन्दरूस्ती होना काफ़ी है यह हिदाया में है। ईज़ाह में वर्णित है कि अगर ज़िम्मी तमाम साल बीमार रहा और इस ने काम करने पर क़ुदरत न पाई हालांकि वो ख़ुशहाल है तो इस पर जज़या अनिवार्य न होगा और इसी तरह अगर निस्फ़ साल या ज़्यादा बीमार रहा तो भी यही हुक्म है और अगर बावजूद क़ुदरत व तन्दरूस्ती के इस ने काम करना छोड़ा तो वो मोअतमिल के हुक्म में होना यह निहाया में है। जज़या हमारे अनुसार इब्तदाऐ साल से अनिवार्य होता है और जज़या अहले किताब पर है चाहे वो अरब के हों या अजम के और मजूस व बुत परस्तान अजम पर है यह काफ़ी में है। फिर यह जज़या

और मअतूह से भी न लिया जायेगा यह मुहीत में है और जिन लोगों के हाथ व पांव कटे हुए हों इन पर जज़या वाजिब नहीं होता है यह तातार खानिया में है और ममलूक व मकातिब व मुदब्बिर दाम वल्द पर जज़या नहीं बांधा जायेगा न इन के मौला और इन की तरफ़ से अदा करेंगे और ऐसे राहिबों पर भी नहीं बांधा जायेगा जो लोगों से अलग हैं मुखालतत नहीं करते हैं यह हिदाया में है और दिल जवाई ने अपने फ़तावा में फ़रमाया कि नसारा बुख्रान पर इन के रौउस व अराज़ी पर सालाना हज़ार हिल्ला कर हरख्ला पचास दिरहम का हुए बांधा जायेगा जिस में से हज़ार हला माह सफ़र में और हज़ार हला माह रजब में वाजिब होंगे और यह इन के रौस यानी हर हर नफ़र पर और इन की अराज़ी पर तक़सीम किया जायेगा पस जो कुछ इन के रौस के मुक़ाबले में आये वो जज़या होगा और जो इन की अराज़ी पर पडे वो खिराज होगा और यह वलवालजी ने फ़रमाया है यही सही है बसबब इस के कि हदीस के मुवाफ़िक़ है मगर इस की इतनी बात कि हर हला पचास दिरहम का हो ओर इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने किताब उल खिराज में फ़रमाया कि यह हलहाऐ बयान करदह शुदह दो हज़ार हला में जो इन की अराज़ी और इन के रौस पर बांधे जाऐंगे और इन के मर्दों की तअदाद हर हर नफ़र पर जो मुसलमान नहीं हुए हैं और बख्रान की हर हर ज़मीन पर तक़सीम किये जाऐंगे अगरचे बाज़ ने अपनी ज़मीन पूरी या थोडी किसी मुसलमान के हाथ फ़रोख्त कर दी हो या किसी ज़िम्मी या तगलबी (1) के हाथ फ़रोख्त कर दी हो और अराज़ी के खिराज मज़कूर में औरत व बच्चा सब की अराज़ी मिस्ल मर्दों की अराज़ी के हैं मगर यह रौस सो वो मर्दों पर है औरतों व बच्चों पर नहीं है। यह ग़ायतुल बयान में है।

अगर नसरानी कमाते हुए मगर इस के ख़र्च से नहीं बचता है तो इस से जज़या रास न लिया जायेगा :

इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने किताबुल खिराज में हिल्ला को बयान किया है चुनांचे फ़रमाया कि हर हला लेने का समय साल का आखिर ज़माना है क़ब्ल इस के कि दूसरा साल शुरू हो जाये और इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत है कि हर दो महीना पर क़सत करके लिया जायेगा और इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत है कि माहवारी यानी हर हर महीना लिया जायेगा और असह वही कथन अव्वल है यह मबसूत में है।

यहूदियों में सामरी दाखिल हैं और नसारा में फ़िरंग वारमनी दाखिल हैं। अगर लश्करे इस्लाम ने अहले किताब व मजूस व बुत परस्तों पर जो अजम के हों ग़ल्बा पाया क़ब्ल इस के कि इन पर जज़या मुक़र्रर किया जाये यानी बग़ैर सुलह के तो वो लोग और इन की औरतें व बच्चे सब श्रेणीबद्ध (1) होंगे यह फ़तहुल क़दीर में है। रहे साबी लोग सो इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि इन से जज़या लिया जायेगा और साहिबीन रह० ने फ़रमाया कि कि नहीं लिया जायेगा और रहे मुबीज़ा सो मशाइख ने फ़रमाया कि देखा जाये कि अगर वो जदीद पैदा हुए हैं तो वो लोग मुरतिद हैं कि इन से जज़या न लिया जायेगा बल्कि वो लोग क़त्ल किये जाऐंगे और अगर वो लोग पुराने हों यानी क़दीमी यह फ़िरक़ा चला आता हो तो इन से जज़या लिया जायेगा और रहे ज़िन्दीक़ लोग सो इन से जज़या लिया जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अरब के बुत परस्तों पर जज़या बांधा जायेगा और न मुरतिद लोगों पर जज़या होगा बल्कि इस्लाम लाऐं या क़त्ल किये जाऐं और अगर इन लोगों पर ग़ल्बा हासिल हुआ तो इन की औरतें व बच्चे श्रेणीबद्ध होंगे और इन के मर्दों में से जो व्यक्ति मुसलमान न हुआ वो क़त्ल किया जाये और वाज़ह हो कि औरत व बच्चा व अंधे पर ज़या नहीं है और नीज़ मफ़लूज और बूढ़े फ़ूस और फ़क़ीर ग़ैर मोअतमिल (2) पर भी जज़या नहीं है। यह हिदाया में है और नीज़ मजनून और अपाहिज पर भी जज़या नहीं है यह इख्तयार शरह मुख्तार में है

(1)माले ग़नीमत में सेशुमार होंगे और इस के अहले को तक़सीम किये जाऐंगे।

(2)ग़ैर मोअतमिल वो व्यक्ति जो अपने हरफ़ा के ज़रिये से कमा नहीं सकता है।

और मअतूह से भी न लिया जायेगा यह मुहीत में है और जिन लोगों के हाथ व पांव कटे हुए हों इन पर

एक औक़िया है यानी इस की क़ीमत इस क़द्र है क़िल्लत व औक़िया चालीस दिरहम वज़न का होता है और शायद इदस पर पचास दिरहम चढ़ते हों बस क़ौल वलवालजी इस के मुवाफ़िक़ होगा लेकिन नहरूल फ़ाइक़ में नक़लन अज़ फ़तहुल क़दीर इस पर ऐतराज़ किया कि बस क़ौल वलवालजी के हर हापा पचास दिरहम हो सही नहीं है इस वास्ते कि औक़िया चालीस दिरहम है 'इन्तहा वक़द अशरत इलल जवाब फ़ाफ़हम' और हमारे मशाइख़ ने फ़रमाया कि अगर इन के सब मर्द मर गये या मुसलमान हो गये तो दो हज़ार हला में से कुछ कम न होगा और यह सब मिक्दार यानी दो हज़ार दिरहम इन की अराज़ी से वसूल किया जायेगा यह हावी क़ुदसी में है और जो मर्द इन में से मुसलमान हो गया इस के रास का जज़या साक़ित हो जायेगा और वो मिक़्दार इन लोगों पर डाली जायेगी जो मुसलमान नहीं हुए हैं। नजरानी का आज़ाद किया हुआ ग़ुलाम जिस को मौला कहते हैं वो मिस्ल ज़िम्मी के ग़ुलाम आज़ाद किये हुए के है कि इस पर इस की ज़ात का जज़या बांधा जायेगा यह तातार खानिया में वलवालजिया से नक़्ल है और वाज़ह हो कि हिल्ला कहते हैं तह बंद व चादर को और यही और जब तक दो कपड़े न हों तब तक हिल्ला न खिलाया गया यह किफ़ाया में है और हुज्जत में लिखा है कि अगर नसरानी कमाता हुए मगर इस के ख़र्च से नहीं बचता है तो इस से जज़या रास न लिया जायेगा यह तातार खानिया में है और अगर मुसलमान का आज़ाद किया हुआ ग़ुलाम मर्द व नसरानी हो तो इस पर जज़या बांधा जायेगा यह हिदाया में है।

क़ुरैशी ने अगर काफ़िर ग़ुलाम आज़ाद कर दिया तो इस से जज़या लिया जायेगा यह काफ़ी में है। अगर ज़िम्मियों में से कोई लडका शुरू साल में क़ब्ल इस के कि इन लोगों पर जज़या बांधा जाये मोहतलम हुआ यानी इस को अहतलाम हुआ जो अलामात बलूग़ है और हाल यह है कि वो तवंगर है तो इस पर जज़या बांधा जायेगा और इस से इस साल का जज़या ले लिया जायेगा और अगर इन लोगों यानी ज़िम्मी मर्दों पर जज़या बांधा जाने के बाद वो मोहतलिम हुआ है तो उस पर जज़या न जज़या अनिवार्य नहीं होता है यह तातार खानिया में है और ममलूक व मकातिब व मुदब्बिर दाम वल्द पर जज़या नहीं बांधा जायेगा न इन के मौला और इन की तरफ़ से अदा करेंगे और ऐसे राहिबों पर भी नहीं बांधा जायेगा जो लोगों से अलग हैं मुखालतत नहीं करते हैं यह हिदाया में है और दिल जवाई ने अपने फ़तावा में फ़रमाया कि नसारा बुख़्रान पर इन के रौउस व अराज़ी पर सालाना हज़ार हिल्ला कर हरख्ला पचास दिरहम का हुए बांधा जायेगा जिस में से हज़ार हला माह सफ़र में और हज़ार हला माह रजब में अनिवार्य होंगे और यह इन के रौस यानी हर हर नफ़र पर और इन की अराज़ी पर तक़सीम किया जायेगा पस जो कुछ इन के रौस के मुक़ाबले में आये वो जज़या होगा और जो इन की अराज़ी पर पडे वो खिराज होगा और यह वलवालजी ने फ़रमाया है यही सही है बसबब इस के कि हदीस के मुवाफ़िक़ है मगर इस की इतनी बात कि हर हला पचास दिरहम का हो ओर इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने किताब उल खिराज में फ़रमाया कि यह हलहाऐ बयान करदह शुदह दो हज़ार हला में जो इन की अराज़ी और इन के रौस पर बांधे जाऐंगे और इन के मर्दों की तअदाद हर हर नफ़र पर जो मुसलमान नहीं हुए हैं और बख़्रान की हर हर ज़मीन पर तक़सीम किये जाऐंगे अगरचे कुछ ने अपनी ज़मीन पूरी या थोड़ी किसी मुसलमान के हाथ फ़रोख़्त कर दी हो या किसी ज़िम्मी या तग़लबी (1) के हाथ फ़रोख़्त कर दी हो और अराज़ी के खिराज वर्णित में औरत व बच्चा सब की अराज़ी मिस्ल मर्दों की अराज़ी के हैं मगर यह रौस सो वो मर्दों पर है औरतों व बच्चों पर नहीं है। यह ग़ायतुल बयान में है।

अगर नसरानी कमाते हुए मगर इस के ख़र्च से नहीं बचता है तो इस से जज़या रास न लिया जायेगा :

इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने किताबुल खिराज में हिल्ला को बयान किया है चुनांचे फ़रमाया कि हर हला एक औक़िया है यानी इस की क़ीमत इस क़द्र है क़िल्लत व औक़िया चालीस दिरहम वज़न का होता है और शायद

बांधा जायेगा यहां तक कि यह साल गुज़र जाये और अगर शुरू साल में कोई ग़ुलाम आज़ाद किया गया

(1)तग़लबी क़ौम है मुश्रिकान अरब से जिस पर दो चन्द जज+या सुलह में क़रार पाया है।

हालांकि इस के पास माल इस की मिल्क है पस अगर इन लोगों पर जज़्या बांधे जाने से पहले आज़ाद किया गया तो इस पर भी जज़्या बांधा जायेगा और इस सालका जज़्या इस से लिया जायेगा और अगर मर्दों पर जज़्या बांधे जाने के बाद वो आज़ाद किया गया तो इस पर जज़्या बांधा जायेगा यहां तक कि साल गुज़र जाये और अगर हरबी क़ब्ल इस के कि ज़िम्मी मर्दों पर जज़्या बांधा जाये ज़िम्मी हो गया तो इस पर जज़्या बांधा जायेगा और इस साल का जज़्या इस से लिया जायेगा और अगर ज़िम्मी मर्दों पर जज़्या बांधे जाने के बाद वो ज़िम्मी हुआ तो इस पर जज़्या न बांधा जायेगा यहां तक कि यह साल गुज़र जाये और जो शख़्स किसी ऐसे मर्ज़ वग़ैरह में गिरफ़्तार है कि क़ाबिल जज़्या के नहीं है अगर इस को इफ़ाक़ा हो गया तो जब तक यह साल न गुज़र जाये इस पर जज़्या न बांधा जायेगा ख़्वाह ज़िम्मी मर्दों पर जज़्या बांधे जाने से पहले इस को इफ़ाक़ा हो गया हो या इस के बाद हुआ हुए और ख़ह वो बाद वज़अ जज़्या (1) के ग़नी हो गया या इस से ग़नी हो गया और जिस पर जज़्या वाजिब उल अदा है अगर वो मर गया या मुसलमान हो गया हालांक इस पर गुज़िश्ता का जज़्या बाक़ी है तो हमारे अनुसार यह बाक़ी इस से न ले जायेगी और इसी तरह अगर वो अंधा हो गया या लुंजा या लूला या बूढ़ा फूस हो गया कि किसी काम करने पर क़ादिर नहीं है या फ़क़ीर हो गया कि इस को कुछ दस्तरस नहीं है हालांकि इस पर पिछला जज़्या नफ़्स बाक़ी है तो यह बाक़ी साक़ित हो जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और ख़ानिया में लिखा है कि अगर ज़िम्मी साल में कुछ दिनों ग़नी रहा और कुछ दिनों फ़क़ीर रहा तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि अगर ज़्यादा दिनों ग़नी रहा हो तो इस से तवांगर का जज़्या लिया जायेगा (जो तवंगरों से लिया जाता है) और अगर इस के बरअक्स हो तो फ़क़ीरों का जज़्या लया जायेगा और इदस पर पचास दिरहम चढ़ते हों बस कथन वलवालजी इस के मुवाफ़िक़ होगा लेकिन नहरूल फ़ाइक़ में नक़लन अज़ फ़तहुल क़दीर इस पर ऐतराज़ किया कि बस कथन वलवालजी के हर हापा पचास दिरहम हो सही नहीं है इस लिए कि औक़िया चालीस दिरहम है 'इन्तहा वक़द अशरत इलल जवाब फ़ाफ़हम' और हमारे मशाइख़ ने फ़रमाया कि अगर इन के सब मर्द मर गये या मुसलमान हो गये तो दो हज़ार हला में से कुछ कम न होगा और यह सब मिक्दार यानी दो हज़ार दिरहम इन की अराज़ी से वसूल किया जायेगा यह हावी क़ुदसी में है और जो मर्द इन में से मुसलमान हो गया इस के रास का जज़्या साक़ित हो जायेगा और वो मिक्दार इन लोगों पर डाली जायेगी जो मुसलमान नहीं हुए हैं। नजरानी का आज़ाद किया हुआ ग़ुलाम जिस को मौला कहते हैं वो मिस्ल ज़िम्मी के ग़ुलाम आज़ाद किये हुए के है कि इस पर इस की ज़ात का जज़्या बांधा जायेगा यह तातार ख़ानिया में वलवालजिया से नक़्ल है और वाज़ह हो कि हिल्ला कहते हैं तह बंद व चादर को और यही और जब तक दो कपड़े न हों तब तक हिल्ला न खिलाया गया यह किफ़ाया में है और हुज्जत में लिखा है कि अगर नसरानी कमाता हुए मगर इस के ख़र्च से नहीं बचता है तो इस से जज़्या रास न लिया जायेगा यह तातार ख़ानिया में है और अगर मुसलमान का आज़ाद किया हुआ ग़ुलाम मर्द व नसरानी हो तो इस पर जज़्या बांधा जायेगा यह हिदाया में है।

क़ुरैशी ने अगर काफ़िर ग़ुलाम आज़ाद कर दिया तो इस से जज़्या लिया जायेगा यह काफ़ी में है। अगर ज़िम्मियों में से कोई लड़का शुरू साल में क़ब्ल इस के कि इन लोगों पर जज़्या बांधा जाये मोहतलम हुआ यानी इस को अहतलाम हुआ जो अलामात बलूग़ है और हाल यह है कि वो तवंगर है तो इस पर जज़्या बांधा जायेगा और इस से इस साल का जज़्या ले लिया जायेगा और अगर इन लोगों यानी ज़िम्मी मर्दों पर जज़्या बांधा जाने के बाद वो मोहतलिम हुआ है तो उस पर जज़्या न बांधा जायेगा यहां तक कि यह साल गुज़र जाये और अगर शुरू साल में कोई ग़ुलाम आज़ाद किया गया

अगर आधे साल तवंगर और आधे साल फ़क़ीर रहा तो इस से मुतवस्सित हाल वालों का जज़या लिया जायेगा यह तातार खानिया में है।

अगर इमाम के जज़या मुक़र्रर करने से पहले मरीज़ चंगा हो गया तो इस पर जज़या बांधा जायेगा और जज़सया बांधने के बाद अगर वो चंगा हुआ तो इस पर जज़या इस साल का न बांधा जायेगा और जज़या का पेशगी दो साल या ज़्यादा के वास्ते अदा करना जायज़ है और अगर ज़िम्मी ने दो साल के वास्ते पेशगी जज़या अदा किया फिर इस्लाम लाया तो इस में से एक साल का खिराज वापिस कर दिया जायेगा मगर साल अव्वल का खिराज वापिस न किया जायेगा जबकि यह साल शुरू हो जाने के बाद वो मुसलमान हुआ या मर गया हो यह इख़्तयार शरह मुख़्तार में है और यह मसला इस इमाम के क़ौल पर है जो शुरू साल से जज़या वाजिब होने के फ़रमाना है और जामअ सग़ीर में इसी पर तनसीस कर दी है और इसी पर फ़तजवा भी है यह फ़तावा कुबरा में है और अगर पे दर पे चन्द साल ज़िम्मी पर चढ़ गये ओर इस से जज़या न लिया गया यहां तक कि वो मुसलमान हो गया तो हमारे अनुसार इस से जज़या का मुतालबा न किया जायेगा और अगर ज़िम्मी मज़कूर मुसलमान न हुआ बल्कि अपने कुफ़्र पर जमा रहा तो इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि इस से गुज़िश्ता सालों के जज़या का मुतालबा न किया जायेगा और नीज़ इस साल के जज़या का जिस में वो है मुतालबा न किया जायेगा यहां तक कि यह साल पूरा हुए यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है अगर ज़िम्मी बख़्रानी व नबती के दरमियान एक बान्दी है और इस के लडका पैदा हुआ पस दोनों ने साथ ही इस के नसब का दअवा किया फिर वो बच्चा बडा यानी बालिग़ हुआ तो इस पर निस्फ़ खिराज बख़्रानियों का सा और निस्फ़ खिराज नब्तियों का सा होगा यह सिराजिया में है।

अगर बख़्रानी व तग़लबी के दरमियान मुशतरिक बान्दी से लडका पैदा हुआ और दोनों ने साथ ही इस के नसब का दअवा किया फिर इस के हर दो बाप मर गये और यह लडका बालिग़ हुआ तो सियर में मज़कूर है कि

(1)तग़लबी क़ौम है मुशरिकान अरब से जिस पर दो चन्द जज़्या सुलह में क़रार पाया है।

हालांकि इस के पास माल इस की मिल्क है पस अगर इन लोगों पर जज़या बांधे जाने से पहले आज़ाद किया गया तो इस पर भी जज़या बांधा जायेगा और इस सालका जज़या इस से लिया जायेगा और अगर मर्दों पर जज़या बांधे जाने के बाद वो आज़ाद किया गया तो इस पर जज़या बांधा जायेगा यहां तक कि साल गुज़र जाये और अगर हरबी क़ब्ल इस के कि ज़िम्मी मर्दों पर जज़या बांधा जाये ज़िम्मी हो गया तो इस पर जज़या बांधा जायेगा और इस साल का जज़या इस से लिया जायेगा और अगर ज़िम्मी मर्दों पर जज़या बांधे जाने के बाद वो ज़िम्मी हुआ तो इस पर जज़या न बांधा जायेगा यहां तक कि यह साल गुज़र जाये और जो व्यक्ति किसी ऐसे मर्ज़ वग़ैरह में गिरफ़तार है कि क़ाबिल जज़या के नहीं है अगर इस को इफ़ाक़ा हो गया तो जब तक यह साल न गुज़र जाये इस पर जज़या न बांधा जायेगा चाहे ज़िम्मी मर्दों पर जज़या बांधे जाने से पहले इस को इफ़ाक़ा हो गया हो या इस के बाद हुआ हुए और ख़ह वो बाद वज़अ जज़या (1) के ग़नी हो गया या इस से ग़नी हो गया और जिस पर जज़या अनिवार्य उल अदा है अगर वो मर गया या मुसलमान हो गया हालांक इस पर गुज़िश्ता का जज़या बाक़ी है तो हमारे अनुसार यह बाक़ी इस से न ले जायेगी और इसी तरह अगर वो अंधा हो गया या लुंजा या लूला या बूढ़ा फूस हो गया कि किसी काम करने पर क़ादिर नहीं है या फ़क़ीर हो गया कि इस को कुछ दस्तरस नहीं है हालांकि इस पर पिछला जज़या नफ़्स बाक़ी है तो यह बाक़ी साक़ित हो जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और खानिया में लिखा है कि अगर ज़िम्मी साल में कुछ दिनों ग़नी रहा और कुछ दिनों फ़क़ीर रहा तो विद्वानों ने फ़रमाया कि अगर ज़्यादा दिनों ग़नी रहा हो तो इस से तवांगर का जज़या लिया जायेगा (जो तवंगरों से लिया जाता है) और अगर इस के बरअक्स हो तो फ़क़ीरों का जज़या लया जायेगा और अगर आधे साल तवंगर और आधे साल फ़क़ीर रहा तो इस से मुतवस्सित हाल वालों का जज़या लिया जायेगा

अगर पहले तग़लबी मरा तो इस से अहले बख़्शान का जज़या लिया जायेगा और अगर पहले बख़्रानी मर गया तो इस से बनी तग़लब का जज़या लिया जायेगा और अगर दोनों साथ ही मर गये तो निस्फ़ तग़लबियों का सा और निस्फ़ बख़्रानियों का सा लिया जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर ज़िम्मी ने माल जज़या अपने गुलाम या नायब के हाथ भेजा तो यह क़ुदरत इस को न दी जायेगी चुनांचे सब रिवायात में वसे असह रिवायत यही है बल्कि इस को ताकीद की जायेगी कि जज़या को ख़ुद हाज़िर करे और खड़ा हो कर अदा करे और इस

(1)वज़अ+ जज+यायानी जज+या मुक़र्रर करना।

से वसूल करने वाला बैठा होगा और एक रिवायत में आया है कि इस की सबलत को पकड़ कर ख़ूब जुम्बिश देगा और कहेगा कि ऐ ज़िम्मी ला अपना जज़या दे यह तबयुन में है और अदा करने वाले का हाथ नीचे रहेगा और लेने वाला का हाथ ऊपर होगा यह तातार खानिया में है। इमामुल मुस्लिमीन को इख़्तियार है चाहे अराज़ी व जमाजम (1) को जतमा करके दोनों का खिराज यकजाई दिरहमों या दीनारों या केली या वज़नी या कपड़ों से मुक़र्रर करे और चाहे हर एक को अलग अलग करदे यानी हर एक के वास्ते अलाहिदा अलाहिदा खिराज मुक़र्रर करे पस अगर इमाम ने जमा करके एक ही खिराज मुक़र्रर किया तो बक़द्र हाल जहमाजम व इन की तअदाद के व बक़द्र अराज़ी के दोनों पर यह जज़या मजमूई अदल व इन्साफ़ से तक़सीम किया जायेगा पस जिस क़द्र जमाजम के हिस्से में पड़े वो जज़या है कि रौस ज़िम्मियों पर बतरतीब मज़कूरह बाला मुक़र्रर होगा और जिस क़द्र अराज़ी के हिस्से में पड़े वो खिराज होगा कि हर अराज़ी पर बक़द्र इस की पैदावार के बतरतीब मज़कूरह बाला मुक़र्रर किया जायेगा फिर अगर जमाजम में से बसबब मौत या इस्लाम लाने के तअदाद कम हो गई तो जमाजम हलाक हो गये तो इन का हिस्सा मुन्तक़िल करके अराज़ी पर बढ़ा दिया जायेगा बशर्तेकि अराज़ी बर्दाश्त कर सके और अगर अराज़ी बर्दाश्त न सके तो यह मिक़्दार मज़कूरह तमाम मजमूई खिराज से तरह (2) दी जायेगी।

अगर जमाजम इस के बाद कसरत से हो गये तो यह तातार खानिया में है।

अगर इमाम के जज़या मुक़र्रर करने से पहले मरीज़ चंगा हो गया तो इस पर जज़या बांधा जायेगा और जज़सया बांधने के बाद अगर वो चंगा हुआ तो इस पर जज़या इस साल का न बांधा जायेगा और जज़या का पेशगी दो साल या ज़्यादा के लिए अदा करना जायज़ है और अगर ज़िम्मी ने दो साल के लिए पेशगी जज़या अदा किया फिर इस्लाम लाया तो इस में से एक साल का खिराज वापिस कर दिया जायेगा मगर साल अव्वल का खिराज वापिस न किया जायेगा जबकि यह साल शुरू हो जाने के बाद वो मुसलमान हुआ या मर गया हो यह इख़्तियार शरह मुख़्तार में है और यह मसला इस इमाम के कथन पर है जो शुरू साल से जज़या अनिवार्य होने के फ़रमाना है और जामअ सग़ीर में इसी पर तनसीस कर दी है और इसी पर फ़तजवा भी है यह फ़तावा कुबरा में है और अगर पे दर पे चन्द साल ज़िम्मी पर चढ़ गये ओर इस से जज़या न लिया गया यहां तक कि वो मुसलमान हो गया तो हमारे अनुसार इस से जज़या का मुतालबा न किया जायेगा और अगर ज़िम्मी वर्णित मुसलमान न हुआ बल्कि अपने कुफ़्र पर जमा रहा तो इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि इस से गुज़िश्ता सालों के जज़या का मुतालबा न किया जायेगा और नीज़ इस साल के जज़या का जिस में वो है मुतालबा न किया जायेगा यहां तक कि यह साल पूरा हुए यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है अगर ज़िम्मी बख़्रानी व नबती के दरमियान एक बान्दी है और इस के लड़का पैदा हुआ पस दोनों ने साथ ही इस के वंश का दअवा किया फिर वो बच्चा बड़ा यानी बालिग हुआ तो इस पर निस्फ़ खिराज बख़्रानियों का सा और निस्फ़ खिराज नब्तियों का सा होगा यह सिराजिया में है।

अगर बख़्रानी व तग़लबी के दरमियान मुशतरिक बान्दी से लड़का पैदा हुआ और दोनों ने साथ ही इस के वंश का दअवा किया फिर इस के हर दो बाप मर गये और यह लड़का बालिग़ हुआ तो सियर में वर्णित है कि अगर पहले तग़लबी मरा तो इस से अहले बख़्रान का जज़या लिया जायेगा और अगर पहले बख़्रानी मर गया

जमाजम का हिस्सा इन की तरफ़ रद कर दिया जायेगा और अगर अराज़ी की पैदावार में कमी हो गई तो बक़द्र नुक़सान के इस में से हिस्सा कम करके जमाजम पर डाला जायेगा बशर्तेकि जमाजम इस को बर्दाश्त कर सकें फिर अगर इस के बाद अराज़ी अपने हाल कमाल पर हो गई तो हिस्सा मज़कूरह फिर अराजी पर रद कर दिया जायेगा और अगर इस हिस्से को जमाजम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं तो साक़ित हो जायेगा लेकिन जब फिर इस अराज़ी देनी ताक़त पर आ जाये और बर्दाश्त कर सके तो फिर पूरा कर दिया जायेगा और अगर अराज़ी तमाम तलफ़ हो गई बानी तौर कि ग़र्क़ हो गईं या नमनाक हो गईं यानी इन में से पानी छूटने लगा और वो ऐसी तर मिट्टी हो गई कि क़ाबिले ज़राअत नहीं है और जमाजम बाक़ी रहे तो हिस्सा अराज़ी बजानिब जमाजम मुन्तक़िल न किया जायेगा और अगर इमाम ने अलाहदा अलाहिदा जमाजम व अराज़ी का खिराज मुक़र्रर किया पस जमाजम पर किसी क़द्र हिस्सा मालूमा मुक़र्रर किया और अराज़ी पर भी किसी क़द्र हिस्सा मालूमा बयान किया तो कमी वग़ैरह की सूरत में यह न होगा कि हर दो में से कोई दूसरे का हस्सा बर्दाश्त करे बल्कि वो हिस्सा जो सर दस्त नहीं उठा सकता है इस क़द्र से जो इस पर मुक़र्रर की गइ है तरह दे दिया जायेगा यहां तक कि फिर इस की ऐसी हालत हो जाये कि जो तरह दिया गया है इस को बर्दाश्त करे पस फिर इस पर आयद किया जायेगा ओर अगर इमाम ने इन लोगों से इस तौर पर सुलह की कि इन की अराज़ी से कुल माल ले लेगा और जमाजम से कुल लेलेगा और अराज़ी से कुछ न लेगा तो यह सही नहीं है बल्कि कुल माल जमाजम व अराज़ी पर बतरतीब मज़कूरह-ए-साबिक़ तक़सीम किया जायेगा यह काफ़ी में है।

अगर किसी मुल्क के लोग जिन से इमाम ने किसी क़द्र माल मालूम पर सुलह की है कि जिस को वो अपने जमाजम व अराज़ी से अदा करेंगे सब मुसलमान हो गये तो इन का खिराज रौस साक़ित हो जायेगा और खिराज अराज़ी साक़ित न होगा यह तातार खानिया में है। वल्लाहु आलम।

तो इस से बनी तग़लब का जज़्या लिया जायेगा और अगर दोनों साथ ही मर गये तो निस्फ़ तग़लबियों का सा और निस्फ़ बख़ानियों का सा लिया जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर ज़िम्मी ने माल जज़्या अपने ग़ुलाम या नायब के हाथ भेजा तो यह क़ुदरत इस को न दी जायेगी चुनांचे सब रिवायात में वसे असह रिवायत यही है बल्कि इस को ताकीद की जायेगी कि जज़्या को ़ुद हाज़िर करे और खड़ा हो कर अदा करे और इस

(1)वज़अ+ जज+यायानी जज+या मुक़र्रर करना।

से वसूल करने वाला बैठा होगा और एक रिवायत में आया है कि इस की सबलत को पकड़ कर ख़ूब जुम्बिश देगा और कहेगा कि ऐ ज़िम्मी ला अपना जज़्या दे यह तबयुन में है और अदा करने वाले का हाथ नीचे रहेगा और लेने वाला का हाथ ऊपर होगा यह तातार खानिया में है। इमामुल मुस्लिमीन को इख़्तियार है चाहे अराज़ी व जमाजम (1) को जतमा करके दोनों का खिराज यकजाई दिरहमों या दीनारों या केली या वज़नी या कपड़ों से मुक़र्रर करे और चाहे हर एक को अलग अलग करदे यानी हर एक के लिए अलाहिदा अलाहिदा खिराज मुक़र्रर करे पस अगर इमाम ने जमा करके एक ही खिराज मुक़र्रर किया तो बक़द्र हाल जहमाजम व इन की तअदाद के व बक़द्र अराज़ी के दोनों पर यह जज़्या मजमूई अदल व इन्साफ़ से तक़सीम किया जायेगा पस जिस क़द्र जमाजम के हिस्से में पड़े वो जज़्या है कि रौस ज़िम्मियों पर बतरतीब मज़कूरह बाला मुक़र्रर होगा और जिस क़द्र अराज़ी के हिस्से में पड़े वो खिराज होगा कि हर अराज़ी पर बक़द्र इस की पैदावार के बतरतीब मज़कूरह बाला मुक़र्रर किया जायेगा फिर अगर जमाजम में से बसबब मौत या इस्लाम लाने के तअदाद कम हो गई तो जमाजम हलाक हो गये तो इन का हिस्सा मुन्तक़िल करके अराज़ी पर बढ़ा दिया जायेगा बशर्तेकि अराज़ी बर्दाश्त कर सके और अगर अराज़ी बर्दाश्त न सके तो यह मिक़्दार मज़कूरह तमाम मजमूई खिराज से तरह (2) दी जायेगी।

अगर जमाजम इस के बाद कसरत से हो गये तो जमाजम का हिस्सा इन की तरफ़ रद कर दिया जायेगा और अगर अराज़ी की पैदावार में कमी हो गई तो बक़द्र

फ़सल :

अगर ज़िम्मियों ने जदीद बैओं (३) या कनीसों का बनाना चाहा या मजूस ने आतिश खाना बनाना चाहा

अगर उन्होंने मुसलमानों के शहरों में से किसी शहर या फ़नाऐ शहर में इस का बनाना चाहा या तो बिल इत्तफ़ाक़ सब के अनुसार मना किये

(1) जमाजम जमा जमजमा का सह सुः मुरादयहां रैस कुफ्फ़ार हैं यानी हर हर नज़र कुफ्फ़ार हैंयानी हर हर अदद।
(2) इस तरह बमअनी गिराना औरयहां मुराद कम कर देने से हैयानी इसी क़द्र कम कर दी जायेगी।
(३) बैआ व कनीसा इबादतखाने यहूद व नसारा जिस को हमारे उर्फ़+ में गिरजा बोलते हैं और बैआ अहले किताब के दुरवैशों के खानक़ाह को बोलते हैं।

जाऐंगे और अगर उन्होंने सवाद और देहात में इस का बनाना चाहा तो इस में रिवायात मुख्तलिफ़ हैं और रिवायतों के खिलाफ़ की वजह से मशाइख ने इस में भी इख्तलाफ़ किया है चुनांचे मशाइख बल्ख ने फ़रमाया कि इस से भी मना किये जाऐंगे मगर ऐसे गांव में जहां के अक्सर रहने वाले ज़िम्मी हों मना न किये जाऐं और मशाइख बुखारा ने जिस में से इमाम अबूबकर मौहम्मद इब्नुल फ़ज़ल भी हैं फ़रमाया कि मना न किये जाऐंगे और शम्सुल अइम्मा सुरखी ने फ़रमाया कि मेरे अनुसार असह यह है कि वो लोग सवाद शहर में भी बनाने से मना किये जायेंगे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। ज़मीन अरब में शहरों व देहातों सब जगह इस से मना किये जाऐंगे यह हिदाया में है।

जैसे जदीद बैआ व कनीसा का बनाना नहीं रवा है ऐसे ही जदीद सूमआ का बनाना भी नहीं रवा है कि जिस में यहां तक कि एक शख़्स इन में से अपने तरीक़ा पर इबादत करे बखिलाफ़ इस के अगर किसी ने अपने घर में कोई जगह नमाज़ के वास्ते बनाई कि इस में नमाज़ पढ़े तो इस से मना न किया जायेगा यह ग़ायतुल

नुक़सान के इस में से हिस्सा कम करके जमाजम पर डाला जायेगा बशर्तेकि जमाजम इस को बर्दाश्त कर सकें फिर अगर इस के बाद अराज़ी अपने हाल कमाल पर हो गई तो हिस्सा मज़कूरह फिर अराज़ी पर रद कर दिया जायेगा और अगर इस हिस्से को जमाजम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं तो साक़ित हो जायेगा लेकिन जब फिर इस अराज़ी देनी ताक़त पर आ जाये और बर्दाश्त कर सके तो फिर पूरा कर दिया जायेगा और अगर अराज़ी तमाम तलफ़ हो गईं बानी तौर कि ग़र्क़ हो गईं या नमनाक हो गईं यानी इन में से पानी छूटने लगा और वो ऐसी तर मिट्टी हो गई कि क़ाबिले ज़राअत नहीं है और जमाजम बाक़ी रहे तो हिस्सा अराज़ी बजानिब जमाजम मुन्तक़िल न किया जायेगा और अगर इमाम ने अलाहदा अलाहिदा जमाजम व अराज़ी का खिराज मुकर्रर किया पस जमाजम पर किसी क़द्र हिस्सा मालूमा मुक़र्रर किया और अराज़ी पर भी किसी क़द्र हिस्सा मालूमा बयान किया तो कमी वग़ैरह की स्थिति में यह न होगा कि हर दो में से कोई दूसरे का हस्सा बर्दाश्त करे बल्कि वो हिस्सा जो सर दस्त नहीं उठा सकता है इस क़द्र से जो इस पर मुक़र्रर की गइ है तरह दे दिया जायेगा यहां तक कि फिर इस की ऐसी हालत हो जाये कि जो तरह दिया गया है इस को बर्दाश्त करे पस फिर इस पर आयद किया जायेगा ओर अगर इमाम ने इन लोगों से इस तौर पर सुलह की कि इन की अराज़ी से कुल माल ले लेगा और जमाजम से कुल लेलेगा और अराज़ी से कुछ न लेगा तो यह सही नहीं है बल्कि कुल माल जमाजम व अराज़ी पर बतरतीब मज़कूरह-ए-साबिक़ तक़सीम किया जायेगा यह काफ़ी में है।

अगर किसी मुल्क के लोग जिन से इमाम ने किसी क़द्र माल मालूम पर सुलह की है कि जिस को वो अपने जमाजम व अराज़ी से अदा करेंगे सब मुसलमान हो गये तो इन का खिराज रैस साक़ित हो जायेगा और खिराज अराज़ी साक़ित न होगा यह तातार खानिया में हैं। वल्लाहु आलम।

फ़सल :

बयान में है। हमारे मशाइख़ ने फ़रमाया कि सवाद शहर व देहात में जो बैऐ व किनाइस क़दीमी बने हुए हों वो न ढाये जाऐंगे और रहा शहरों में सो इमाम मौहम्मद रह० ने इजारात में ज़िक्र किया है कि शहर में जासूं न ढाये जाऐंगे और किताबुल अशर वल खिराज में ज़िक्र किया है कि मुसलमानों के शहरों में जो हों वो ढाये जाऐंगे और शम्सुल अइम्मा सरख़सी ने फ़रमाया कि मेरे अनुसार असह इजारात की रिवायत है कि यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर इन की बैऑं में से या कनीसों में से कोई बैआ या कनीसा क़दीमी मुनहदिम हो गया तो इन को इख़्तयार होगा कि इसी मक़ाम पर जैसा था वैसा है बनालें और अगर उन्होंने कहा कि हम इस को यहां से तहवील करके दूसरी जगह बनादेंगे तो इन को यह इख़्तयार न होगा बल्कि इसी मक़ाम पर इस क़द्र इमारत का जैसा पहले था बना सकते हैं और पहली इमारत से ज़्यादा करने से मना किये जाऐंगे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

वाज़ह रहे कि क़दीमी से यह मुराद है कि जब इमाम इस्लाम ने इन के शहर को फ़तह किया या इन से मसालहा करके लिया कि जज़या दिया करें और ताबअ इस्लाम हो कर अपने दीन पर अपने मुल्क पर क़ायम रहें इस से पहले का बना हुआ हो और यह शर्त नहीं है कि ला महाला वो ज़माना सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम व ताबईन रहमतुल्लाह अलैहि के ज़माने में मौजूद हो यह ग़ायतुल बयान में है और अगर इन का कोई कनीसा किसी गांव में हो फिर इस कनीसा वालों ने इस में बहुत इमारत बनाली फिर यह गांव भी मिनजुमला अमसार (1) के हो गया तो बिना बर रिवायत किताबुल अशर के इन को हुक्म दिया जायेगा कि इस को गिरा दें और बिना बर आम्मा रिवायात के इन को यह हुक्म न किया जायेगा और इस तरह अगर इन का कोई कनीसा किसी शहर से क़रीब हो फिर उन्होंने इस के गर्द इमारात बनानी शुरू कीं और यहां तक बढ़े कि यह मौज़ा इस शहर से मुतस्सिल हो गया और ऐसा हो गया कि गोया शहर के महल्लों में से एक महल्ला है तो भी इन को इस कनीसा के ढा देने का हुक्म किया जायेगा और सही वही हुक्म है

अगर ज़िम्मियों ने जदीद बैऑं (3) या कनीसों का बनाना चाहा या मजूस ने आतिश खाना बनाना चाहा

अगर उन्होंने मुसलमानों के शहरों में से किसी शहर या फ़नाऐ शहर में इस का बनाना चाहा या तो बिल इत्तफ़ाक़ सब के अनुसार मना किये

(1) जमाजम जमा जमजमा का सह सुः मुरादयहां रौस कुफ़्फ़ार हैं यानी हर हर मन्नत कुफ़्फ़ार हैंयानी हर हर अदद।
(2) इस तरह बमअनी गिराना औरयहां मुराद कम कर देने से हैयानी इसी क़द्र कम कर दी जायेगी।
(3) बैआ व कनीसा इबादतखाने यहूद व नसारा जिस को हमारे उर्फ+ में गिरजा बोलते हैं और बैआ अहले किताब के दुरवैशों के ख़ानक़ाह को बोलते हैं।

जाऐंगे और अगर उन्होंने सवाद और देहात में इस का बनाना चाहा तो इस में रिवायात मुख़्तलिफ़ हैं और रिवायतों के खिलाफ़ की वजह से मशाइख़ ने इस में भी मतभेद किया है चुनांचे विद्वानों बल्ख़ ने फ़रमाया कि इस से भी मना किये जाऐंगे मगर ऐसे गांव में जहां के अक्सर रहने वाले ज़िम्मी हों मना न किये जाऐं और विद्वानों बुख़ारा ने जिस में से इमाम अबूबकर मौहम्मद इब्नुल फ़ज़ल भी हैं फ़रमाया कि मना न किये जाऐंगे और शम्सुल अइम्मा सुरख़ी ने फ़रमाया कि मेरे अनुसार असह यह है कि वो लोग सवाद शहर में भी बनाने से मना किये जायेंगे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। ज़मीन अरब में शहरों व देहातों सब जगह इस से मना किये जाऐंगे यह हिदाया में है।

जैसे जदीद बैआ व कनीसा का बनाना नहीं जायज़ है ऐसे ही जदीद सूमआ का बनाना भी नहीं जायज़ है कि जिस में यहां तक कि एक व्यक्ति इन में से अपने तरीक़ा पर इबादत करे बख़िलाफ़ इस के अगर किसी ने अपने घर में कोई जगह नमाज़ के लिए बनाई कि इस में नमाज़ पढ़े तो इस से मना न किया जायेगा यह ग़ायतुल बयान में है। हमारे विद्वानों ने फ़रमाया कि सवाद शहर व देहात में जो बैऐ व किनाइस क़दीमी बने हुए हों वो न ढाये जाऐंगे और रहा शहरों में सो इमाम मौहम्मद रह०

जो आम्मा (2) रिवायात में मज़कूर है यह तातार खानिया में है। अगर अहले हरब की किसी क़ौम ने दरख्वास्त सुलह इस शर्त पर की कि हम लोग मुसलमानों के अहले ज़िमिमा इस शर्त से होते हैं कि अगर मुसलमानों ने हमारे मुल्क में कोई शहर अपने वास्ते बनाया या इख़्तयार किया तो हम को इस में जदीद बैआ या कनीसा बनाने से और अलानिया शराब व सुवर फ़रोख़्त करने से मना न करें तो मुसलमानों को इस शर्त पर इन से मसालहा न करना चाहिए और अगर इस शर्त पर इन से सुलह कर ली तो इन को इन सुलह के तोड़ने का इख़्तयार होगा यह ज़खीरा में है।

(1)+]वाहशहरया मज़ाफ+ाहरयानी इस का इतराफ़।
(2)ानी मुनहदिम करने का हुक्म किया जायेगा।

कनाइस बैगे, व आतिश खाना जो कि इस मक़ाम के शहर इस्लाम हो जाने से पहले के थे वो इसी हाल पर छोड़ दिये जाऐंगे जिस तरह शहरे इस्लाम हो जाने से पहले अहले ज़िम्मा वहां किया करते थे :

अगर किसी क़ौम अहले हरब ने मुसलमानों से सुलह की बदीन शर्त कि हम अपने जानों व अराज़ी से मुसलमानों के अहले ज़िम्मा बदीन शर्त होते हैं कि हम से मुसलमान लोग यह शर्त कर लें कि हमारे साथ हमारे घरों व गांव व क़सबों व शहरों में मक़ासमा करें हालांकि इस में कनीसे व बैऐ व आतिश खाना हैं और इन में शराब व सुवर अलानिया फ़रोख़्त की जाती है और अलानिया मांव व बेटियों व बहनों से निकाह किया जाता है और मजू का ज़बीहा व मुर्दार अलानिया फ़रोख़्त किया जाता है तो ऐसी सुलह में जो छोटा या बड़ा शहर कि वो मुसलमानों का शहर हो जायेगा कि इस में नमाज़ जुमा क़ायम की जायेगी और हुदूद शरई जारी किये जाऐंगे तो ऐसे शहरों में इन आदमियों को इन सब उमूर के इज़हार से मुमानिअत की जायेगी और इन को यह इख़्तयार न होगा कि इस में कोई जदीद बैआ या कनीसा या आतिश खाना बनाऐं तजो क़ब्ल सुलह के न था और इस में अलानिया शराब न बेचने पाऐंगे और न सुवर और न ने इजारात में ज़िक्र किया है कि शहर में जासूं न ढाये जाऐंगे और किताबुल अशर वल खिराज में ज़िक्र किया है कि मुसलमानों के शहरों में जो हों वो ढाये जाऐंगे और शम्सुल अइम्मा सरख़सी ने फ़रमाया कि मेरे अनुसार असह इजारात की रिवायत है कि यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर इन की बैओं में से या कनीसों में से कोई बैआ या कनीसा क़दीमी मुनहदिम हो गया तो इन को इख़्तयार होगा कि इसी मक़ाम पर जैसा था वैसा है बनालें और अगर उन्होंने कहि कि हम इस को यहां से तहवील करके दूसरी जगह बनादेंगे तो इन को यह इख़्तयार न होगा बल्कि इसी मक़ाम पर इस क़द्र इमारत का जैसा पहले था बना सकते हैं और पहली इमारत से ज़्यादा करने से मना किये जाऐंगे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

वाज़ह रहे कि क़दीमी से यह मुराद है कि जब इमाम इस्लाम ने इन के शहर को फ़तह किया या इन से मसालहा कर8 लिया कि जज़्या दिया करें और ताबअ़ इस्लाम हो कर अपने दीन पर अपने मुल्क पर क़ायम रहें इस से पहले का बना हुआ हो और यह शर्त नहीं है कि ला महाला वो ज़माना सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम व ताबईन रहमतुल्लाह अलैहि के ज़माने में मौजूद हो यह ग़ायतुल बयान में है और अगर इन का कोई कनीसा किसी गांव में हो फिर इस कनीसा वालों ने इस में बहुत इमारत बनाली फिर यह गांव भी मिनजुमला अमसार (1) के हो गया तो बिना बर रिवायत किताबुल अशर के इन को हुक्म दिया जायेगा कि इस को गिरा दें और बिना बर आम्मा रिवायात के इन को यह हुक्म न किया जायेगा और इस तरह अगर इन का कोई कनीसा किसी शहर से क़रीब हो फिर उन्होंने इस के गर्द इमारात बनानी शुरू कीं और यहां तक बढ़ें कि यह मौज़ा इस शहर से मुतस्सिल हो गया और ऐसा हो गया कि गोया शहर के महल्लों में से एक महल्ला है तो भी इन को इस कनीसा के ढा देने का हुक्म किया जायेगा और सही वही हुक्म है जो आम्मा (2) रिवायात में वर्णित है यह तातार खानिया में है। अगर अहले हरब की किसी क़ौम ने दरख्वास्त सुलह इस शर्त पर की कि हम लोग मुसलमानों के अहले

मुर्दार और न मजूसियों का ज़िबह किया हुआ जानवर। नीज़ यह भी इख़्तयार न होगा कि इस में अलानिया मांओं व दीगर महारिम औरतों के साथ निकाह ज़ाहिर करें और इन के लिए कुछ भी रवा न होगा इल्ला खसलत वाहिदा। कनाइस व बैऐ व आतिश खाना जो कि इस मक़ाम के शहर इस्लाम हो जाने से पहले के थे वो इसी हाल पर छोड़ दिये जाऐंगे जिस तरह शहर इस्लाम हो जाने से पहले अहले ज़िम्मा वहां किया करते थे लेकिन यह लोग अपनी सलीबें अपने कनाइस से बाहर न निकालेंगे। अगर इन के ऐसे कनीसों में से कोई कनीसा मुनहदिम हो गया तो इस को वैसा ही बना लेंगे जैसा वो पहले था और अगर उन्होंने कहा कि हम इस को यहां से तहवील करके शहर में दूसरे मक़ाम पर बनाऐंगे तो इन को यह इख़्तयार न होगा और अगर इमाम किसी क़ौम अहले हरब पर ग़ालिब आया फिर इस को मसलहत मालूम हुआ कि इन को ज़िम्मी बनाकर इन पर और इन की अराज़ी पर खर्च बांधे और इस मुल्क को ग़ानमीन के दरमियान तक़सीम न करे जैसे हज़रत उमरो रज़ि0 ने सोदा कूफ़ा वालों के साथ किया था तो यह जायज़ है पस जब ऐसा किया तो यह लोग ज़िम्मी हो जाऐंगे और मना न किये जाऐंगे कनीसा बनाने से और न बैआ बनाने से और न आतिश खाना बनाने से और न बैअ खमर से और न बैअ खिन्ज़ीर से और न इज़्हार इन तमाम अफ़आल से जो हम ने इन की मिल्लत के बयान किये हैं यह सिराज वहाज में है।

अगर अहले हरब में से किसी क़ौम ने ज़िम्मी हो जाने पर इस शर्त से सुलह की कि अपने ज़िम्मी हो जाने के बाद हम अपने देहातों या शहर में कनीसे व बैऐ व आतिश खाना बनाऐंगे ?

अगर इमाम ने बिलादे अहले शिर्क में से कोई शहर क़हर व ग़ल्बा से फ़तह किया फिर इन लोगों से इस शर्त पर सुलह की कि इन को ज़िम्मी बनाये हालांकि इस सर ज़मीन में क़दीमी बैऐ व किनाइस व आतिश खाना में या अहले शिर्क के गांव में से कोई गांव ऐसा है फिर यह ज़िम्मा इस शर्त से होते हैं कि अगर मुसलमानों ने हमारे मुल्क में कोई शहर अपने लिए बनाया या इख़्तयार किया तो हम को इस में जदीद बैआ या कनीसा बनाने से और अलानिया शराब व सुवर फ़रोख़्त करने से मना न करें तो मुसलमानों को इस शर्त पर इन से मसालहा न करना चाहिए और अगर इस शर्त पर इन से सुलह कर ली तो इन को इन सुलह के तोड़ने का इख़्तयार होगा यह ज़खीरा में है।

(1)चाहेशहरया मज़ाफ़+हरयानी इस का इतराफ़।
(2)नी मुनहदिम करने का हुक्म किया जायेगा।

कनाइस बैऐ, व आतिश खाना जो कि इस मक़ाम के शहर इस्लाम हो जाने से पहले के थे वो इसी हाल पर छोड़ दिये जाऐंगे जिस तरह शहरे इस्लाम हो जाने से पहले अहले ज़िम्मा वहां किया करते थे :

अगर किसी क़ौम अहले हरब ने मुसलमानों से सुलह की बदीन शर्त कि हम अपने जानों व अराज़ी से मुसलमानों के अहले ज़िम्मा बदीन शर्त होते हैं कि हम से मुसलमान लोग यह शर्त कर लें कि हमारे साथ हमारे घरों व गांव व क़सबों व शहरों में मक़ासमा करें हालांकि इस में कनीसे व बैऐ व आतिश खाना हैं और इन में शराब व सुवर अलानिया फ़रोख़्त की जाती है और अलानिया मांव व बेटियों व बहनों से निकाह किया जाता है और मजू का ज़बीहा व मुर्दार अलानिया फ़रोख़्त किया जाता है तो ऐसी सुलह में जो छोटा या बड़ा शहर कि वो मुसलमानों का शहर हो जायेगा कि इस में नमाज़ जुमा क़ायम की जायेगी और हुदूद शरई जारी किये जाऐंगे तो ऐसे शहरों में इन आदमियों को इन सब उमूर के इज़हार से मुमानिअत की जायेगी और इन को यह इख़्तयार न होगा कि इस में कोई जदीद बैआ या कनीसा या आतिश खाना बनाऐं तजो क़ब्ल सुलह के न था और इस में अलानिया शराब न बेचने पाऐंगे और न सुवर और न मुर्दार और न मजूसियों का ज़िबह किया हुआ जानवर। नीज़ यह भी इख़्तयार न होगा कि इस में अलानिया मांओं व दीगर महारिम औरतों के साथ निकाह ज़ाहिर

गांव मुसलमानों के शहरों में से ऐसा शहर हो गया कि इस में नमाज़ जुमा क़ायम की जाती है और हद व शरई जारी हैं तो इमाम इन अहले ज़िम्मा को इन कनसों व बैओं में अपनी मिल्लत की नमापज़ पढ़ने से मुमानित कर देगा और इन को हुक्म करेगा कि इन मकानों को अपने रहने के घर बनालें कि इन में रहा करें और इमाम को यह न चाहिए कि इन को मुन्हदिम (1) कर दी और अगर अहले हरब में से किसी क़ौम ने ज़िम्मी हो जाने पर इस शर्त से सुलह की कि अपने ज़िम्मी हो जाने के बाद हम अपने देहातों या शहर में कनीसे व बैऐ व आतिश खाना बनादेंगे फिर बाद सुलह के ऐसा मौज़ा जहां उन्होंने बनाया है मुसलमानों के शहरों में से एक शहर हो गया तो मुसलमानों को रवा नहीं है कि इस में से कुछ ढादें और यह हुक्म बिना बर आम्मा रिवायत के है और बिना बर रिवायत किताबुल अशर वल खिराज के मुसलमानों को इन के ढा देने का इख्तयार है। इसी तरह अगर इन के शहरों में

(1)+ाना[गिराना व नैस्त व नाबूद करना।

से कोई शहर मुसलमानों के वास्ते ऐसा शहर हो गया कि इस में जुमा क़ायम किया जाता है और हुदूद शरई जारी हैं फिर मुसलमानों ने इस शहर को छोड़ दिया और दूसरे मक़ाम पर चले गये और यहां कोई मुसलमान न रहा सिवाए पांच सात मुसलमानों के यानी बहुत कम फिर अहले ज़िम्मा ने अज़ सरे नू इस में कैसे बनाये फिर मुसलमानों ने अपनी मसलहत देख कर ऊद किया और इसी शहर में आकर रही और यह शहर ऐसा हो गया कि इस में नमाज़ जुमा व ईदैन क़ायम की जाती है और हुदूद शरई जारी हैं तो जो कनाइस उन्होंने जदीद बना लिये थे वो हदम न किये जाऐंगे।

शैख़ रूक्नुल इस्लाम अली सअदी ने फ़रमाया कि इसी तरह अगर इस शहर के मुसलमानों का शहर हो जाने के बाद अहले ज़िम्मा ने इस में कोई जदीद कनीसा बना लिया और मुसलमानों ने इस को मुनहदिम न किया यहां तक कि इस को छोड़ कर चले गये फिर मसलहत समझ कर मुसलमान लोग इस में ऊद करके चले आये और वो मुसलमानों का शहर हो गया तो भी कनसाऐ करें और इन के लिए कुछ भी जायज़ न होगा सिवा खसलत वाहिदा। कनाइस व बैऐ व आतिश खाना जो कि इस मक़ाम के शहर इस्लाम हो जाने से पहले के थे वो इसी हाल पर छोड़ दिये जाऐंगे जिस तरह शहर इस्लाम हो जाने से पहले अहले ज़िम्मा वहां किया करते थे लेकिन यह लोग अपनी सलीबें अपने कनाइस से बाहर न निकालेंगे। अगर इन के ऐसे कनीसों में से कोई कनीसा मुनहदिम हो गया तो इस को वैसा ही बना लेंगे जैसा वो पहले था और अगर उन्होंने कहा कि हम इस को यहां से तहवील करके शहर में दूसरे मक़ाम पर बनाऐंगे तो इन को यह इख़्तयार न होगा और अगर इमाम किसी क़ौम अहले हरब पर ग़ालिब आया फिर इस को मसलहत मालूम हुआ कि इन को ज़िम्मी बनाकर इन पर और इन की अराज़ी पर खर्च बांधे और इस मुल्क को ग़ानमीन के दरमियान तक़सीम न करे जैसे हज़रत उमर रज़ि0 ने सोदा कूफ़ा वालों के साथ किया था तो यह जायज़ है पस जब ऐसा किया तो यह लोग ज़िम्मी हो जाऐंगे और मना न किये जाऐंगे कनीसा बनाने से और न बैआ बनाने से और न आतिश खाना बनाने से और न विक्रय खमर से और न विक्रय खिन्ज़ीर से और न इज़्हार इन तमाम अफ़आल से जो हम ने इन की मिल्लत के बयान किये हैं यह सिराज वहाज में है।

अगर अहले हरब में से किसी क़ौम ने ज़िम्मी हो जाने पर इस शर्त से सुलह की कि अपने ज़िम्मी हो जाने के बाद हम अपने देहातों या शहर में कनीसे व बैऐ व आतिश खाना बनाऐंगे ?

अगर इमाम ने बिलादे अहले शिर्क में से कोई शहर क़हर व ग़ल्बा से फ़तह किया फिर इन लोगों से इस शर्त पर सुलह की कि इन को ज़िम्मी बनाये हालांकि इस सर ज़मीन में क़दीमी बैऐ व किनाइस व आतिश खाना में या अहले शिर्क के गांव में से कोई गांव ऐसा है फिर यह गांव मुसलमानों के शहरों में से ऐसा शहर हो गया कि इस में नमाज़ जुमा क़ायम की जाती है और हद व शरई जारी हैं तो इमाम इन अहले ज़िम्मा को इन कनसों व

मज़कूर हदम न किये जाऐंगे और जो शहर ऐसा हो कि वो मुसलमानों का ख़शहर बनाया हुआ है और क़ब्ल इस के शहर बनाने के इस में बैऐ व कनीसे थे फिर मुसलमानों ने चाहा कि ज़िम्मियों को इन में नमाज़ पढ़ने से मना करें पस ज़िम्मियों ने कहा कि हम लोग ऐसी क़ौम अहले ज़िममा हैं कि हम ने इमामुल मुस्लिमीन से अपने बिलाद पर सुलह कर ली है प तुम को यह रवा नहीं है कि हम को इन कनीसों में नमाज़ पढ़ने से मना करो और मुसलमानों ने कहा कि नहीं बल्कि हम ने तुम्हारे मुल्क को बज़ोर शमशीर ग़ल्बा करके फ़तह किया है पस हम ने तुम को अहले ज़िम्मा कर दिया पस हम को रवा है कि हम तुम को इन कनाइस में नमाज़ पढ़ने से मना करें पस यह मुक़दमा इस इमाम के हुज़ूर में पेश किया गया जो इस वक्त में इमाम है और इस मुल्क के फ़तह का ज़माना दराज़ गुज़रा है और यह मालूम नहीं होता है कि इब्तदा में यह बात क्योंकर हुई थी तो इमाम मौसूफ़ दरयाफ़्त करा देंगा कि फ़िक़्हा व अहले खबर के पास इस बाब में कोई अख़र है पस अगर फ़क़ीहों ने कोइ खबर बयान की तो इस को ले कर इस के मुवाफ़िक़ कार बन्द होगा और अगर फ़क़ीहों के पास कोई खबर न हो या अख़्बार मुख़्तलिफ़ हों तो इमाम इस दयार को बतरीक़ सुलह फ़तह किया हुआ क़रार देगा और क़ौल उन्हीं अहले ज़िममा का क़बूल करेगा मगर इन ने क़सम लेगा और अगर एक खबर में बयान हुआ कि यह सुलह से फ़तह हुआ है और दूसरी खबर में मज़कूर है कि यह क़हर व ग़ल्बा से फ़तह हुआ है तो भी क़ौल अहले ज़िम्मा क़बूल होगा।

अगर किसी क़ौम ने दूसरी क़ौम की शहादत पर शहादत यानी गवाही दी कि इस दयार वालों से सुलह करके फ़तह किया गया है और दूसरी क़ौम ने दूसरी क़ौम की शहादत पर शहादत दी कि दयार क़हर व ग़ल्बा से फ़तह किया गया है तो क़हर व ग़ल्बा से फ़तह किये जाने की गवाही औला यानी मक़बूल होगी और अगर कोई असर किसी सिक़ा से रिवायत किया हुआ मिला कि यह दयार सुलह से लिया गया है और शहादत पर शहादत गुज़री कि यह दयार सुलह से फ़तह किया गया बैओं में अपनी मिल्लत की नमाज़ पढ़ने से मुमानित कर देगा और इन को हुक्म करेगा कि इन मकानों को अपने रहने के घर बनालें कि इन में रहा करें और इमाम को यह न चाहिए कि इन को मुन्हदिम (1) कर दी और अगर अहले हरब में से किसी क़ौम ने ज़िम्मी हो जाने पर इस शर्त से सुलह की कि अपने ज़िम्मी हो जाने के बाद हम अपने देहातों या शहर में कनीसे व बैऐ व आतिश खाना बनादेंगे फिर बाद सुलह के ऐसा मौज़ा जहां उन्होंने बनाया है मुसलमानों के शहरों में से एक शहर हो गया तो मुसलमानों को जायज़ नहीं है कि इस में से कुछ ढ़ादें और यह हुक्म बिना बर आम्मा रिवायत के है और बिना बर रिवायत किताबुल अशर वल खिराज के मुसलमानों को इन के ढ़ा देने का इख़्तयार है। इसी तरह अगर इन के शहरों में

(1)+ना[गिराना व नैस्त व नाबूद करना।

से कोई शहर मुसलमानों के लिए ऐसा शहर हो गया कि इस में जुमा क़ायम किया जाता है और हुदूद शरई जारी हैं फिर मुसलमानों ने इस शहर को छोड़ दिया और दूसरे मक़ाम पर चले गये और यहां कोई मुसलमान न रहा सिवाए पांच सात मुसल्मानों के यानी बहुत कम फिर अहले ज़िम्मा ने अज़ सरे नू इस में कैसे बनाये फिर मुसलमानों ने अपनी मसलहत देख कर ऊद किया और इसी शहर में आकर रही और यह शहर ऐसा हो गया कि इस में नमाज़ जुमा व ईदैन क़ायम की जाती है और हुदूद शरई जारी हैं तो जो कनाइस उन्होंने जदीद बना लिये थे वो हदम न किये जाऐंगे।

शैख़ रूक्नुल इस्लाम अली सअ़दी ने फ़रमाया कि इसी तरह अगर इस शहर के मुसलमानों का शहर हो जाने के बाद अहले ज़िम्मा ने इस में कोई जदीद कनीसा बना लिया और मुसलमानों ने इस को मुनहदिम न किया यहां तक कि इस को छोड़ कर चले गये फिर मसलहत समझ कर मुसलमान लोग इस में ऊद करके चले आये और वो मुसलमानों का शहर हो गया तो भी कनसाऐ वर्णित हदम न किये जाऐंगे और जो शहर ऐसा हो कि वो मुसलमानों का ख़शहर बनाया हुआ है और क़ब्ल इस के शहर बनाने के इस में बैऐ व कनीसे थे फिर

है तो जो अम्र इस गवाही में मज़कूर है वही हक़ यानी वही मक़बूल होगा लेकिन इस शर्त से कि गवाहान असल व गवाहान फ़रअ हर दो फ़रीक़ मुसलमान हों और अगर असर किसी सिक़ा से रिवायत किया गया कि यह दयार सुलह से लिया गया है और शहादत पर शहादत गुज़री कि क़हर व ग़ल्बा से फ़तह किया गया है तो भी गवाही मज़कूमर मक़बूल होगी बल्कि इस सूरत में आम है ख़्वाह गवाह लोग मुसलमानों में से हों या ज़िम्मियों में से हों यह ज़ख़ीरा में है। यह सज़ा वार है कि कोई ज़िम्मी इस इख़्तयार पर न छोड दया जाये कि वो मुसलमान से मुशाबहत पैदा करे यानी ज़िम्मी मुसलमान से मुशाबहत न करने पाये न लिबास में और न सवारी में और न वज़अ वहियात में और ज़िम्मियों को घोडे की सवारी से मना किया जाये इल्ला इस वक्त सवार होने पाऐं कि इस की हाजत हुए कज़ा फ़िल मुहीत फिर जब अहले जिम्मा बसबब ज़रूरत के सवार हुए मसलन इमाम को महारबा और मुसलमानों से बुराई दूर करने में इन की मदद की हाजत हुई पस सवार हो कर दुख़्शमन से लडने को गये तो चाहिए कि जहां मुसलमानों का मजमा हो वहां सवारी से उतर पडें फिर अगर ज़रूरत बराबर बाक़ी रहे तो इन को हुक्म किया जाये कि अकाफ़ की हयात की ज़ैन बनवा दें कज़ा फ़ी।

'अलकाफ़ी क़ालल मुतरजम अकाफ़ अलअख़र कज़ा क़ालू' और खच्चर पर सवार होने से मना न किये जाऐंगे और नीज़ गधे की सवारी से भी मना न किये जाऐं लेकिन इस से मुमानिअत किये जाये कि मुसलमानों के ज़ैन के तौर की ज़ैन बनादें और चाहिए कि इन को क़रबूस (1) ज़ैन पर मिस्ल अनार के हो और शैख़ अबू जअफ़र ने कहा कि इस से मुराद यह है कि इन की क़रबूस ज़ैन मिस्ल मुक़द्दम अकाफ़ के जो मिस्ल अनार के होता है होनी चाहिए है और बाज़ मशाइख़ ने कहा कि मुराद यह है कि इन की ज़ैन मिस्ल मुसलमानों की ज़ैन के हो लेकिन इस के आगे की तरफ़ एक चीज़ मिस्ल अनार के बनी हो लेकिन क़ौल अव्वल असह है और मना किये जाऐं चादर पहनने और अमामों और दारआ पहनने से जिस को उलमाऐ दीन पहनते हैं और मुसलमानों ने चाहा कि ज़िम्मियों को इन में नमाज़ पढ़ने से मना करें पस ज़िम्मियों ने कहा कि हम लोग ऐसी क़ौम अहले ज़िम्मा हैं कि हम ने इमामुल मुस्लिमीन से अपने बिलाद पर सुलह कर ली है प तुम को यह जायज़ नहीं है कि हम को इन कनीसों में नमाज़ पढ़ने से मना करो और मुसलमानों ने कहा कि नहीं बल्कि हम ने तुम्हारे मुल्क को बज़ोर शमशीर ग़ल्बा करके फ़तह किया है पस हम ने तुम को अहले ज़िम्मा कर दिया पस हम को जायज़ है कि हम तुम को इन कनाइस में नमाज़ पढ़ने से मना करें पस यह मुक़दमा इस इमाम के हुज़ूर में पेश किया गया जो इस समय में इमाम है और इस मुल्क के फ़तह का ज़माना दराज़ गुज़रा है और यह मालूम नहीं होता है कि इब्तदा में यह बात क्योंकर हुई थी तो इमाम मौसूफ़ दरयाफ़्त करा देंगा कि फ़िक़्हा व अहले खबर के पास इस बाब में कोई अख़र है पस अगर फ़क़ीहों ने कोइ खबर बयान की तो इस को ले कर इस के मुवाफ़िक़ कार बन्द होगा और अगर फ़क़ीहों के पास कोई खबर न हो या अख़्बार मुख़्तलिफ़ हों तो इमाम इस दयार को बतरीक़ सुलह फ़तह किया हुआ क़रार देगा और कथन उन्हीं अहले ज़िमम्मा का क़बूल करेगा मगर इन ने क़सम लेगा और अगर एक खबर में बयान हुआ कि यह सुलह से फ़तह हुआ है और दूसरी खबर में वर्णित है कि यह क़हर व ग़ल्बा से फ़तह हुआ है तो भी कथन अहले ज़िम्मा क़बूल होगा।

अगर किसी क़ौम ने दूसरी क़ौम की शहादत पर शहादत यानी गवाही दी कि इस दयार वालों से सुलह करके फ़तह किया गया है और दूसरी क़ौम ने दूसरी क़ौम की शहादत पर शहादत दी कि दयार क़हर व ग़ल्बा से फ़तह किया गया है तो क़हर व ग़ल्बा से फ़तह किये जाने की गवाही औला यानी मक़बूल होगी और अगर कोई असर किसी सिक़ा से रिवायत किया हुआ मिला कि यह दयार सुलह से लिया गया है और शहादत पर शहादत गुज़री कि यह दयार सुलह से फ़तह किया गया है तो जो कार्य इस गवाही में वर्णित है वही हक़ यानी वही मक़बूल होगा लेकिन इस शर्त से कि गवाहान असल व गवाहान फ़रअ हर दो फ़रीक़ मुसलमान हों और अगर

चाहिए कि वो लोग कलाह हाऐ मज़रूबा औढें और इस तरह इस से मना किये जाऐं कि इन की नअलेन की शराक मिस्ल शराक मुसलमानों की नअलेन के हों और हमारे दयार में मर्द लोग नअलेन नहीं पहनते हैं बल्कि मकाइब पहनते हैं पस वाजिब है कि इन के मकाइब मस्ल हमारे मकाइब के न हों बल्कि इस के खिलाफ़ हों और चाहिए कि कुछ खुरखुरे मोटे बदरंग हों और ज़नीब वार न हों। नीज़ चाहिए कि वो तंग पकडे जाऐं ताकि इन में से हर शख़्स मोटे डोरे के मिस्ल बना कर अपनी कमर में बांधे रहे और चाहिए कि यह लीता या सौफ़ से हो और अब्रेशम से न हो और चाहिए कि गन्दा ग़लीज़ हो ऐसा रक़ीक़ न हो कि बदून निगाह गडोने के इस पर नज़र न पडे और शैख़ुल इस्लाम ने फ़रमाया कि चाहिए कि इस को अपनी कमर में गिरह दे कर बांधे औरइस के हलक़ा न बनाये जैसे मुसलमान पीटी बांधता है बल्कि दाऐं बाऐं इस के छोड लटकाऐ रहे। नीज़ मोज़ा हाऐ ज़नीत दार न पहनने पाऐंगे और चाहिए कि इन के मोज़े खर झुरे मोटे बदरंग हों और इसी तरह वो लोग क़बा हाऐ ज़नीत दार व क़मीस हाऐ ज़ीनत दार पहनने पाऐं बल्कि कर बास की मोटी क़बा में जिन के तकमे लायबे और दामन कोताह हों पहनें और इसी तरह करबास की मोटी क़मीस हाऐ ज़ीनत दार पहनने पाऐं बल्कि करबास की मोटी क़बा में जिन के तके लाइये और दामन कोताह हों पहनें और इसरी तरह करबास की मोटी क़मीस जिन के गले के चाक सीना पर हों मिस्ल औरतों के ऐसी क़मीसें पहनने पाऐंगे और यह सबइस वक्त है कि जब मुसलमानों ने इन पर बरोज़ शमशीर ग़ल्बा पाया हुए और अगर इन के साथ बाज़ इन चीजों पर सुलह वाक़े हुई हो तो वो लोग मुवाफ़िक़ सुलह के रखे जाऐं फिर मशाइख ने इख़्तलाफ़ किया है कि ऐसी सूरत में हमारे और इन के दरमियान मुख़ालिफ़त वज़अ फ़क़त एक अलामत के साथ शर्त है या दो अलामतों या तीन अलामतों से और हाकिम इमाम मौहम्मद रह० फ़रमाते थे कि अगर इमाम ने इन के साथ सुलह की और एक अलामत पर इन को ज़िम्मा दे (2) दिया है तो इस अलामत पर और न बढाई जाऐंगी और अगर किसी मुल्क को बरोज़ शमशीर ग़ल्बा व क़हर असर किसी सिक़ा से रिवायत किया गया कि यह दयार सुलह से लिया गया है और शहादत पर शहादत गुज़री कि क़हर व ग़ल्बा से फ़तह किया गया है तो भी गवाही मज़कूमर मक़बूल होगी बल्कि इस स्थिति में आम है चाहे गवाह लोग मुसलमानों में से हों या ज़िम्मियों में से हों यह ज़खीरा में है। यह सज़ा वार है कि कोई ज़िम्मी इस इख़्तयार पर न छोड दया जाये कि वो मुसलमान से मुशाबहत पैदा करे यानी ज़िम्मी मुसलमान से मुशाबहत न करने पाये न लिबास में और न सवारी में और न वज़अ वहियात में और ज़िम्मियों को घोडे की सवारी से मना किया जाये सिवा इस समय सवार होने पाऐं कि इस की हाजत हुए कज़ा फ़िल मुहीत फिर जब अहले जिम्मा बसबब ज़रूरत के सवार हुए मसलन इमाम को महारबा और मुसलमानों से बुराई दूर करने में इन की मदद की हाजत हुई पस सवार हो कर दुख़्शमन से लडने को गये तो चाहिए कि जहां मुसलमानों का मजमा हो वहां सवारी से उतर पडें फिर अगर ज़रूरत बराबर बाक़ी रहे तो इन को हुक्म किया जाये कि अकाफ़ की हयात की ज़ैन बनवा दें कज़ा फ़ी।

'अलकाफ़ी अनुवादक के कथनानुसार अकाफ़ अलअखर कज़ा क़ालू' और खच्चर पर सवार होने से मना न किये जाऐंगे और नीज़ गधे की सवारी से भी मना न किये जाऐं लेकिन इस से मुमानिअत किये जाये कि मुसलमानों के ज़ैन के तौर की ज़ैन बनादें और चाहिए कि इन को क़रबूस (1) ज़ैन पर मिस्ल अनार के हो और शैख़ अबू जअफ़र ने कहा कि इस से मुराद यह है कि इन की क़रबूस ज़ैन मिस्ल मुक़द्दम अकाफ़ के जो मिस्ल अनार के होता है होनी चाहिए है और कुछ विद्वानों ने कहा कि मुराद यह है कि इन की ज़ैन मिस्ल मुसलमानों की ज़ैन के हो लेकिन इस के आगे की तरफ़ एक चीज़ मिस्ल अनार के बनी हो लेकिन कथन अव्वल असह है और मना किये जाऐं चादर पहनने और अमामों और दारआ पहनने से जिस को उलमाऐ दीन पहनते हैं और चाहिए कि वो लोग कलाह हाऐ मज़रूबा औढें और इस तरह इस से मना किये जाऐं कि इन की नअलेन की शराक मिस्ल शराक मुसलमानों की नअलेन के हों और

से फ़तह किा तो इमाम को इख़्तयार होगा कि इन पर बहुत सी अलामात मज़कूरह लाज़िम कर दे यही सही है यह मुहीत में है।

अगर किसी ने किसी मुसलमान से बैअ़ा का रास्ता पूछा तो मुसलमान को न चाहिए कि इस को बैअ़ा की राह बताऐ इस वास्ते कि यह मअ़सियत पर राह बतलानी होगी :

वाजिब है कि इन की औरतों से भी मुसलमान औरतों से तमीज़ कर दी जाये राह चलने की हालत और हमामों में दाखिल होने की हालत में चुनांचे इस ग़र्ज़ से इन की औरतों की गर्दनों में लोहे के तौक़ ड़लवाये जाऐं और मुसलमान औरतों की अज़ार से इन की अज़ार मुखालिफ़ रहे और इन के घरों के दरवाज़ों पर ऐसे अलामात मुक़र्रर कर दिये जाऐं जिन से मुसलमानों के घरों से तमीज़ हो जाये ताकि यह न हो कि इन के दरवाज़ों पर साइल खड़ा होकर इन के वास्ते मग़फ़िरत की दुआ करे पस हासिल यह है कि ऐसे उमूर से इन की तमीज़ कर देनी वाजिब है कि वहां के लोगों में यह उमूर बहस्बे रिवाज व ज़माना के ज़िल्लत व हक़ारत व मक़हूरियत पर दलालत करें न इन के ज़लील व हक़ीर व मक़हूर होने पर अशआर हो जाये तो यह इख़्तयार शरह मुख़्तार में है। अगर किसी ज़िम्मी ने किसी मुसलमान से बैअ़ा का रास्ता पूछा तो मुसलमान को न चाहिए कि इस को बैअ़ा की राह बताए इस वास्ते कि यह मअ़सियत पर राह बतलानी होगी। अगर किसी मुसलमान का बाप या मां ज़िम्मी हो तो

(1) क़रबूस को नरीन पर जो सामने की जानिब किस क़द्र ऊंचा रहता है।

(2)मसलन कहा कि बदीनशर्त तुम हमारी ज़िम्मेदारी में हो किऐसा ऐसा को और मुसलमानों से खिलाफ+ वज़अ+ इस तरह करो कि अपनी कमर में ज़िना मार बांधो तो बसयहीएक रहेगी।

मुसलमान को न चाहिए कि इस को घर से बैअ़ा को पहुंचा दे और यह रवा है कि इस को बैअ़ा से हाथ पकड़ कर घर पहुंचा दे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और ज़िम्मी लोग हथिया न उठाने पाऐंगे और जब रास्ते में चलें तो मुसलमान लोग मुतफ़िक़्क़ होकर इस तरह चलें हमारे दयार में मर्द लोग नअ़लेन नहीं पहनते हैं बल्कि मकाइब पहनते हैं पस अनिवार्य है कि इन के मकाइब मस्ल हमारे मकाइब के न हों बल्कि इस के खिलाफ़ हों और चाहिए कि कुछ खुरखुरे मोटे बदरंग हों और ज़नीब वार न हों। नीज़ चाहिए कि वो तंग पकड़े जाऐं ताकि इन में से हर व्यक्ति मोटे डोरे के मिस्ल बना कर अपनी कमर में बांधे रहे और चाहिए कि यह लीता या सौफ़ से हो और अब्रेशम से न हो और चाहिए कि गन्दा ग़लीज़ हो ऐसा रक़ीक़ न हो कि बदून निगाह गड़ोने के इस पर मन्नत न पड़े और शैख़ुल इस्लाम ने फ़रमाया कि चाहिए कि इस को अपनी कमर में गिरह दे कर बांधे औरइस के हलक़ा न बनाये जैसे मुसलमान पीटी बांधता है बल्कि दाऐं बाऐं इस के छोड़ लटकाऐ रहे। नीज़ मोज़ा हाऐ ज़नीत दार न पहनने पाऐंगे और चाहिए कि इन के मोज़े खर झुरे मोटे बदरंग हों और इसी तरह वो लोग क़बा हाऐ ज़नीत दार व क़मीस हाऐ ज़ीनत दार पहनने पाऐं बल्कि कर बास की मोटी क़बा में जिन के तकमे लायबे और दामन कोताह हों पहनें और इसी तरह करबास की मोटी क़मीस हाऐ ज़ीनत दार पहनने पाऐं बल्कि करबास की मोटी क़बा में जिन के तके लाइये और दामन कोताह हों पहनें और इसरी तरह करबास की मोटी क़मीस जिन के गले के चाक सीना पर हों मिस्ल औरतों के ऐसी क़मीसें पहनने पाऐंगे और यह सबइस समय है कि जब मुसलमानों ने इन पर बरोज़ शमशीर ग़ल्बा पाया हुए और अगर इन के साथ कुछ इन चीज़ों पर सुलह स्थपित हुई हो तो वो लोग मुवाफ़िक़ सुलह के रखे जाऐं फिर विद्वानों ने मतभेद किया है कि ऐसी स्थिति में हमारे और इन के दरमियान मुखालिफ़त वज़अ़ फ़क़त एक अलामत के साथ शर्त है या दो अलामतों या तीन अलामतों से और हाकिम इमाम मौहम्मद रह० फ़रमाते थे कि अगर इमाम ने इन के साथ सुलह की और एक अलामत पर इन को ज़िम्मा दे (2) दिया है तो इस अलामत पर और न बढाई जाऐंगी और अगर किसी मुल्क को बरोज़ शमशीर ग़ल्बा व क़हर से फ़तह किा तो इमाम को इख़्तयार होगा कि इन पर बहुत सी अलामात मज़कूरह अनिवार्य कर दे यही सही है यह मुहीत में है।

कि ज़िम्मी रास्ते में दबकर चलें और कोई मुसलमान इन से साम करने में पहल न करे हां अगर वो लोग पहले सलाम करें तो जवाब में फ़क़त अलैयकुम कहे यह फ़तहुल क़दीर में है। ज़िम्मियों के ग़ुलाम इस वास्ते तंग न पकड़े जाऐंगे कि ज़िनान बांधें और यही मुख़्तार है यह फ़तावा कुबरा में है।

नसरानी को इख़्तयार नहीं है कि अपने घर में मुसलमानों के शहर में नाक़ूस बजाये और इख़्तयार नहीं है कि नसरानियों को अपने घर में नमाज़ के वास्ते जमा करे हां इस को यह इख़्तयार है कि ख़ुद तन्हा नमाज़ पढ़ ले और नसरानियों को यह इख़्तयार नहीं है कि अपने कनीसों से सलीबें वग़ैरह निकालें और अगर उन्होंने ज़बूर या इंजील पढ़ने में अपनी आवाज़ बुलन्द की पस मगर इस में इज़हार शिर्क हो तो इस से मना किये जाऐंगे और अगर इस से इज़हार शिर्क वाक़े न हो तो मुमानिअत न की जायेगी और मुसलमानों की बाज़ारों में इस के पढ़ने से मना कर दिये जाऐंगे और इसी तरह इस्लाम के शहर व फ़नाऐ शहर में शराब व सुवर के फ़रोख़्त करने और शराब व सुवर ज़ाहिर करने से मना किये जाऐंगे और अगर फ़नाहाऐ शहर से दूर हो गये तो वहां सलीब (1) निकालने व नाक़ूस बजाने में मुज़ायक़ा नहीं है और हरवया व मौज़अ में जो शहर हाऐ इस्लाम से न हो वहां ऐसे उमूर से मना न किये जाऐंगे अगरचे इस मक़ाम में गिनती के चन्द मुसलमान रहा करते हों ऐसा ही इमाम मौहम्मद रह० ने सियर कबीर में फ़रमाया है और बहुत से अइम्मा बल्ख़ ने फ़रमाया कि यह क़ौल इमाम मौहम्मद रह० ने नज़र बख़ुसूस देहात कूफ़ा फ़रमाया है इस वास्ते कि वहां इन देहात के तमाम रहने वाले ज़िम्मी व रवाफ़िज़ हैं और हमारे दयार के देहातों में भी अहले ज़िम्मा ऐसे उमूर से मना किये जाऐंगे जैसे शहरों में मना किये जाते हैं और हमारे मशाइख़ ने फ़रमाया कि देहात में ऐसे उमूर के इज़हार व अहदास से किसी हाल में मना न किये जायेंगे यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है।

बख़ीस ख़्वाहिर ज़ादा में फ़रमाया कि अगर अहले ज़िम्मा ने मुसलमानों के शहरों में से किसी शहर में या मुसलमानों के गांव में से किसी गांव में ऐसा कोई अम्र

अगर किसी ने किसी मुसलमान से बैआ का रास्ता पूछा तो मुसलमान को न चाहिए कि इस को बैआ की राह बताऐ इस लिए कि यह मअसियत पर राह बतलानी होगी :

अनिवार्य है कि इन की औरतों से भी मुसलमान औरतों से तमीज़ कर दी जाये राह चलने की हालत और हमामों में दाखिल होने की हालत में चुनांचे इस ग़र्ज़ से इन की औरतों की गर्दनों में लोहे के तौक़ डलवाये जाऐं और मुसलमान औरतों की अज़ार से इन की अज़ार मुख़ालिफ़ रहे और इन के घरों के दरवाज़ों पर ऐसे अलामात मुक़र्रर कर दिये जाऐं जिन से मुसलमानों के घरों से तमीज़ हो जाये ताकि यह न हो कि इन के दरवाज़ों पर साइल खड़ा होकर इन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे पस हासिल यह है कि ऐसे उमूर से इन की तमीज़ कर देनी अनिवार्य है कि वहां के लोगों में यह उमूर बहस्बे रिवाज व ज़माना के ज़िल्लत व हक़ारत व मक़हूरियत पर दलालत करें न इन के ज़लील व हक़ीर व मक़हूर होने पर अशआर हो जाये तो यह इख़्तयार शरह मुख़्तार में है। अगर किसी ज़िम्मी ने किसी मुसलमान से बैआ का रास्ता पूछा तो मुसलमान को न चाहिए कि इस को बैआ की राह बताए इस लिए कि यह मअसियत पर राह बतलानी होगी। अगर किसी मुसलमान का बाप या मां ज़िम्मी हो तो

(1) क़रबूस को नरीन पर जो सामने की जानिब किस क़द्र ऊंचा रहता है।

(2)मसलन कहा कि बदीनशर्त तुम हमारी ज़िम्मेदारी में हो किऐसा ऐसा को और मुसलमानों से खिलाफ+ वज़अ+ इस तरह करो कि अपनी कमर में ज़िना मार बांधो तो बसयहीएक रहेगी।

मुसलमान को न चाहिए कि इस को घर से बैआ को पहुंचा दे और यह जायज़ है कि इस को बैआ से हाथ पकड़ कर घर पहुंचा दे यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है और ज़िम्मी लोग हथिया न उठाने पाऐंगे और जब रास्ते में चलें तो मुसलमान लोग मुतफ़िक़ होकर इस तरह चलें कि ज़िम्मी रास्ते में दबकर चलें और कोई मुसलमान इन से साम करने में पहल न करे हां अगर वो लोग पहले सलाम करें तो जवाब में फ़क़त अलैयकुम कहे यह

किया जिस पर सुलह नहीं की है यानी दाखिल सुलह नहीं है मिस्ल ज़िना व फ़वाहिश व मज़ामीर व तबल व राग व उमूर और नोहा से रोना और कबूतर बाज़ी वग़ैरह तो इस से मना किये जाएँगे जैसे मुसलमान मनअ किये जाते हैं और तजरीद में लिखा है कि मुसलमानों को न चाहिए कि इन के यहां इन के मकानों में उतरें और न चाहिए कि इन के घरों व अराज़ी में से कोई चीज़ लें इल्ला आंकि जानिब से तमलीक के साथ यानी जब वो लोग बख़ुशी इजाज़त दें व मालिक कर दें तो ले सकता है यह तातार ख़ानिया में है। अगर मुसलमानों ने अराज़ी मवात में जिस का कोई मालिक नहीं है किसी शहर की बुनियाद डाली और इस अराज़ी के क़रीब में अहले ज़िम्मा के गांव हैं फिर मज़कूर बहुत बढ़ गया यानी आबादी बहुत बढ़ी यहां तक कि इन गांव तक पहुंच के या इन से मुतजाविज़ हो गई तो यह देहात इस शहर में से हो जाएँगे क्योंकि शहर ने इन के इतराफ़ से इन को घैर लिया है। फिर अगर इन ज़िम्मियों के क़दीमी बैऐ व कनाइस इन देहातों में हों तो वो अपने हाल पर छोड़ दिये जाएँगे और अगर मुसलमानों के शहर हो जाने के बाद उन्होंने इन देहातों में जो शहर में से हो गये हैं कोई बैअ़ा या कनीसा या आतिश खाना जदीद बनाना चाहा तो इस से मना कर दिये जाएँगे शहर हाऐ इस्लाम में से जो शहर ऐसा हो कि इस में नमाज़ जुमा होती हो और हुदूद शरई क़ायम हों वहां किसी मुसलमान या ज़िम्मी को न चाहिए कि अलानिया ख़शराब या सुवर दाखिल करे और अगर किसी मुसलमान ने ऐसे शहर में शराब या सुवर दाखिल की और कहा कि मैं इस शहर से होकर जाता था और शराब को मैं सिरका बनाने को लिये जाता हूं या कहा कि यह मेरी नहीं है बल्कि दूसरे की है और यह न बतलाया कि किस की है तो देखा जायेगा कि अगर यह शख़्स मर्द मुतदीं हो कि इस पर शराब ख़्वारी का शुब्हा व इतहाम न हो तो इस की राह छोड़ दी जायेगी।

(1) सलीब चलीपा जो बशक्ल सूली होती है और इस को नसारा पूजते हैं नाक़ूस नरसिंघ व तद रही व सिंघ वगैरह।

हुक्म दिया जायेगा कि इस को सिरका कर दे और अगर मर्द मज़कूर शराब ख़्वारी में मुतहम हो यानी इस फ़तहुल क़दीर में है। ज़िम्मियों के ग़ुलाम इस लिए तंग न पकड़े जाएँगे कि ज़िनान बांयधें और यही मुख़्तार है यह फ़तावा कुबरा में है।

नसरानी को इख़्तयार नहीं है कि अपने घर में मुसलमानों के शहर में नाक़ूस बजाये और इख़्तयार नहीं है कि नसरानियों को अपने घर में नमाज़ के लिए जमा करे हां इस को यह इख़्तयार है कि ख़ुद तन्हा नमाज़ पढ़ ले और नसरानियों को यह इख़्तयार नहीं है कि अपने कनीसों से सलीबें वग़ैरह निकालें और अगर उन्होंने ज़बूर या इंजील पढ़ने में अपनी आवाज़ बुलन्द की पस मगर इस में इज़हार शिर्क हो तो इस से मना किये जाएँगे और अगर इस से इज़हार शिर्क स्थपित न हो तो मुमानिअ़त न की जायेगी और मुसलमानों की बाज़ारों में इस के पढ़ने से मना कर दिये जाएँगे और इसी तरह इस्लाम के शहर व फ़नाऐ शहर में शराब व सुवर के फ़रोख़्त करने और शराब व सुवर ज़ाहिर करने से मना किये जाएँगे और अगर फ़नाहाऐ शहर से दूर हो गये तो वहां सलीब (1) निकालने व नाक़ूस बजाने में मुज़ायक़ा नहीं है और हरवया व मौज़अ में जो शहर हाऐ इस्लाम से न हो वहां ऐसे उमूर से मना न किये जाएँगे अगरचे इस मक़ाम में गिनती के चन्द मुसलमान रहा करते हों ऐसा ही इमाम मौहम्मद रह० ने सियर कबीर में फ़रमाया है और बहुत से अइम्मा बलख ने फ़रमाया कि यह कथन इमाम मौहम्मद रह० ने मन्नत बख़ुसूस देहात कूफ़ा फ़रमाया है इस लिए कि वहां इन देहात के तमाम रहने वाले ज़िम्मी व रवाफ़िज़ हैं और हमारे दयार के देहातों में भी अहले ज़िम्मा ऐसे उमूर से मना किये जाएँगे जैसे शहरों में मना किये जाते हैं और हमारे विद्वानों ने फ़रमाया कि देहात में ऐसे उमूर के इज़हार व अहदास से किसी हाल में मना न किये जायेंगे यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

बख़ीस ख़्वाहिर ज़ादा में फ़रमाया कि अगर अहले ज़िम्मा ने मुसलमानों के शहरों में से किसी शहर में या मुसलमानों के गांव में से किसी गांव में ऐसा कोई कार्य किया जिस पर सुलह नहीं की है यानी दाखिल सुलह नहीं है मिस्ल ज़िना व फ़वाहिश व मज़ामीर व तबल व राग व उमूर और नोहा से रोना और कबूतर बाज़ी वग़ैरह तो इस

पर शोअबा हो तो इस की शराब बहादी जायेगी और इस के सुवर ज़िबह करके आग से जला दिये जाऐंगे और अगर इमाम ने देखा कि बग़ैर तअज़ीर के बाज़ न आयेगा और क़सद किया कि इस को कोड़े मार कर क़ैद करके तअज़ीर पर दे जाये यहां तक कि इस की तोबा ज़ाहिर हो तो ऐसा कर सकता है और अगर इस ने फ़क़त कोड़े मारने या क़ैद करने पर इक्तसाअन किया तो यह भी कर सकता है मगर इस को यह न चाहिए कि जिस मुश्क या कपते या या ज़र्फ़ दीगर में शराब थी इस को फाड़ डाले या तोड़ डाले और अगर इस मुश्क वग़ैरह को फाड़ डाला या ज़र्फ़ को तोड़ डाला तो इस का ज़ामिन होगा हां अगर इमाम ने मसलहत देखी कि यह बात इस शख़्स के हक़ में उक़ूब के तौर पर करे पस ख़ुद किया या किसी दूसरे को ऐसा करने का हुक्म दिया पस इस ने किया तो ज़िमान लाज़िम न होगी और अगर इमाम ने शराब की मुश्क या बर्तन और वो जानवर जिस पर यह लदे थे पकड़ कर इस सब को फ़रोख़्त कर दिया तो बैअ बातिल है। अगर शहर हाऐ इस्लाम से किसी शहर के अन्दर शराब लाने वाला कोई ज़िम्मी हो पस अगर यह शख़्स जाहिल हो तो इमाम इस की मताअ इस को वापिस करके इस को शहर से निकाल देगा और इस को आगाह कर देगा कि अगर फिर ऐसी हरकत की तो तुझ को सज़ा दूंगा और जाहिल होने से यह मुराद है कि ज़िम्मी मज़कूर यह न जानता हो कि ऐसा करना नहीं चाहिए है यानी शराब ऐसे शहर के अन्दर नहीं लाना चाहिए है। अगर ज़िम्मी मज़कूर ने जान बूझ कर ऐसा किया तो इमाम मौसूफ़ इस की शराब नहीं बहा देगा और न इस के सुवरों को क़त्ल करेगा लेकिन अगर यह मसलहत मालूम हो कि इस को तादीबन सज़ा दे ख़्वाह कोड़े मारने या क़ैद करने से तो ऐसा कर सकता है और अगर किसी मुसलमान ने इस को तलफ़ कर दिया तो वो ज़ामिन होगा लेकिन जो शख़्स इमाम है अगर इस का मज़हब यह हो कि ऐसे बेअदब ज़िम्मी के साथ बतरीक़ उक़ूबत ऐसा करना जायज़ है पस इस ने ख़ुद किया या दूसरे को ऐसा करने का हुक्म दे दिया तो ऐसी सूरत में इस पर ज़िमान न होगी।

से मना किये जाऐंगे जैसे मुसलमान मनअ किये जाते हैं और तजरीद में लिखा है कि मुसलमानों को न चाहिए कि इन के यहां इन के मकानों में उतरें और न चाहिए कि इन के घरों व अराज़ी में से कोई चीज़ लें सिवा आंकि जानिब से तमलीक के साथ यानी जब वो लोग बख़ुशी इजाज़त दें व मालिक कर दें तो ले सकता है यह तातार ख़ानिया में है। अगर मुसलमानों ने अराज़ी मवात में जिस का कोई मालिक नहीं है किसी शहर की बुनियाद डाली और इस अराज़ी के क़रीब में अहले ज़िम्मा के गांव हैं फिर वर्णित बहुत बढ़ गया यानी आबादी बहुत बढ़ी यहां तक कि इन गांव तक पहुंच के या इन से मुतजाविज़ हो गई तो यह देहात इस शहर में से हो जाऐंगे क्योंकि शहर ने इन के इतराफ़ से इन को घेर लिया है। फिर अगर इन ज़िम्मियों के क़दीमी बैऐ व कनाइस इन देहातों में हों तो वो अपने हाल पर छोड़ दिये जाऐंगे और अगर मुसलमानों के शहर हो जाने के बाद उन्होंने इन देहातों में जो शहर में से हो गये हैं कोई बैआ या कनीसा या आतिश ख़ाना जदीद बनाना चाहा तो इस से मना कर दिये जाऐंगे शहर हाऐ इस्लाम में से जो शहर ऐसा हो कि इस में नमाज़ जुमा होती हो और हुदूद शरई क़ायम हों वहां किसी मुसलमान या ज़िम्मी को न चाहिए कि अलानिया ख़शराब या सुवर दाखिल करे और अगर किसी मुसलमान ने ऐसे शहर में शराब या सुवर दाखिल की और कहा कि मैं इस शहर से होकर जाता था और शराब को मैं सिरका बनाने को लिये जाता हूं या कहा कि यह मेरी नहीं है बल्कि दूसरे की है और यह न बतलाया कि किस की है तो देखा जायेगा कि अगर यह व्यक्ति मर्द मुतदीं हो कि इस पर शराब ख़्वारी का शुब्हा व इतहाम न हो तो इस की राह छोड़ दी जायेगी।

(1) सलीब चलीपा जो बशक्ल सूली होती है और इस को नसारा पूजते हैं नाक़ूस नरसिंघ व तद रही व सिंघ वगैरह।

हुक्म दिया जायेगा कि इस को सिरका कर दे और अगर मर्द वर्णित शराब ख़्वारी में मुतहम हो यानी इस पर शोअबा हो तो इस की शराब बहादी जायेगी और इस के सुवर ज़िबह करके आग से जला दिये जाऐंगे और अगर इमाम ने देखा कि बग़ैर तअज़ीर के कुछ न आयेगा और

अगर ज़िम्मियों ने अपने गांव में से किसी गांव या अपने शहरों में से किसी शहर में फ़िसक़ व फ़ुजूर की ऐसी बातों में से जिस पर सुलह वाक़े नहीं हुई है कोई बात इज़हार करनी और ऐलानिया करनी चाही :

अगर ज़िम्मियों में से कोई शख़्स कश्ती में शराब लाद कर मिस्ल दजला व बग़दाद वग़ैरह दरिया में रवाना हुआ और दरिया की राह में इस को लिये हुए बग़दाद या मदाइन या वासित के अन्दर होकर गुज़रा तो इस से मना न किया जायेगा और इस तरह अगर शहर इस्लाम के अन्दर राह से शराब ले कर गुज़रना चाहा और हाल यह है कि सिवाए इस राह के दूसरा रास्ता नहीं है तो भी मुमानिअत न की जायेगी इमाम को चाहिए कि इन के साथ कोई मर्दों में भेजदे ताकि मुसलमान में से कोई तअरूज़ न करे और ताकि यह लोग मुसलमानों के मिस्कीनों में से किसी मिस्कीन में जहां के मुसलमान शराब ख़्वारी से मुतहम है दखल न करने पाऐं। अगर ज़िम्मियों ने अपने गांव में से किसी गांव या अपने शहरों में से किसी शहर में फ़िसक़ व फ़ुजूर की ऐसी बातों में से जिस पर सुलह वाक़े नहीं हुई है कोई बात इज़हार करनी और ऐलानिया करनी चाही मिस्ल ज़िना वग़ैरह फ़वाहिश के जिन को अपने अपने दीन के मुवाफ़िक़ हराम जानते है तो वो लोग इस से मना किये जाऐंगे जैसे मुसलमान मना किये जाते हैं और इसी तरह सकर से भी मना किये जाऐंगे इस वास्ते कि वो इस को हलाल नहीं जानते बल्कि असल शराब ख़्वारी को हलाल जानते हैं और इसी तरह ऐलानिया इज़हार से मज़ामीर व तंबूरह लहू वग़ैरह फ़रोख़्त करने से मना किये जाऐंगे और जिस ने इन में से कोई चीज़ तोड़ डाली तो इस पर ज़िमान न होगी जैसे मुसलमान की ऐसी कोई चीज़ तोड़ डालने से ज़िमान नहीं होती है और यह बिना बर क़ौल साहिबीन रह० के है और बिना बर क़ौल इमाम आज़म रह० के तोड़ने वाला इस की क़ीमत का बदीन हिसाब कि यह क़सद किया कि इस को कोड़े मार कर क़ैद करके तअज़ीर पर दे जाये यहां तक कि इस की तोबा ज़ाहिर हो तो ऐसा कर सकता है और अगर इस ने फ़क़त कोड़े मारने या क़ैद करने पर इक्तसाअन किया तो यह भी कर सकता है मगर इस को यह न चाहिए कि जिस मुश्क या कपते या या ज़र्फ़ दीगर में शराब थी इस को फाड़ डाले या तोड़ डाले और अगर इस मुश्क वग़ैरह को फाड़ डाला या ज़र्फ़ को तोड़ डाला तो इस का ज़ामिन होगा हां अगर इमाम ने मसलहत देखी कि यह बात इस व्यक्ति के हक़ में उक़ूब के तौर पर करे पस ख़ुद किया या किसी दूसरे को ऐसा करने का हुक्म दिया पस इस ने किया तो ज़िमान अनिवार्य न होगी और अगर इमाम ने शराब की मुश्क या बर्तन और वो जानवर जिस पर यह लदे थे पकड़ कर इस सब को फ़रोख़्त कर दिया तो विक्रय बातिल है। अगर शहर हाऐ इस्लाम से किसी शहर के अन्दर शराब लाने वाला कोई ज़िम्मी हो पस अगर यह व्यक्ति जाहिल हो तो इमाम इस की मताअ इस को वापिस करके इस को शहर से निकाल देगा और इस को आगाह कर देगा कि अगर फिर ऐसी हरकत की तो तुझ को सज़ा दूंगा और जाहिल होने से यह मुराद है कि ज़िम्मी वर्णित यह न जानता हो कि ऐसा करना नहीं चाहिए है यानी शराब ऐसे शहर के अन्दर नहीं लाना चाहिए है। अगर ज़िम्मी वर्णित ने जान बूझ कर ऐसा किया तो इमाम मौसूफ़ इस की शराब नहीं बहा देगा और न इस के सुवरों को क़त्ल करेगा लेकिन अगर यह मसलहत मालूम हो कि इस को तादीबन सज़ा दे चाहे कोड़े मारने या क़ैद करने से तो ऐसा कर सकता है और अगर किसी मुसलमान ने इस को तलफ़ कर दिया तो वो ज़ामिन होगा लेकिन जो व्यक्ति इमाम है अगर इस का मज़हब यह हो कि ऐसे बेअदब ज़िम्मी के साथ बतरीक़ उक़ूबत ऐसा करना जायज़ है पस इस ने ख़ुद किया या दूसरे को ऐसा करने का हुक्म दे दिया तो ऐसी स्थिति में इस पर ज़िमान न होगी।

अगर ज़िम्मियों ने अपने गांव में से किसी

तराशीदा लकडी है ज़ामिन होगा और लहू के वास्ते होने के हिसाब से जो क़ीमत है इस का ज़ामिन न होगा जैसे मुसलमान की ऐसी चीज़ तोड डालने की सूरत में हुक्म है यह ज़खीरा में है।

फ़तावा क़ाज़ी खान के किताबुल अशर वल खिराज से एक मसले का इस्तम्बात :

अगर किसी मुसलमान की बीवी ज़िम्मियों औरत हो तो इस को यह इख़्तयार न होगा कि इस को शराब पीने से मना करे इस वास्ते कि यह इस के अनुसार हलाल है हां इस को यह अधिकार है कि अपने मकान में इस को शराब लाने से मना करे और इस को यह अधिकार नहीं है कि औरत मज़कूरह पर ग़ुसल जिनायत के वास्ते जबर करे इस वास्ते कि यह इस पर वाजिब नहीं है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और किताबुल अशर वल खिराज में फ़रमाया कि इन में से किसी को न छोड़ा जायेगा कि मुसलमानों के शहरों में से किसी शहर में कोई घर या हवेली खरीदे और नीज़ किसी को यह भी अधिकार न दिया जायेगा कि शहर इस्लाम में रहने पाये और इसी रिवायत को हसन बिन ज़ियाद ने इख़्तयार किया है और बिना बर आम्मा कुतब की रिवायात के इन को दारूल इस्लाम में रहने की गुंजाइश दी जायेगी सिवाए ज़मीन अरब के कि अगर कोई शहर या सूबा अरब हो मिस्ल हिजाज़ वग़ैरह के तो वहां इन को रहने का क़ाबू न दिया जायेगा कज़ा फ़िल मुहीत और शैख़ शम्सुल अइम्मा हलवाई फ़रमाते थे कि बिना बर रिवायत आम्मा कुतब के इन के रहने पाने का हुक्म जब ही है कि जब यह लोग थाडे हों कि इन के यहां रहने की वजह से तअत्तुल लाज़िम न आये और मुसलमानों की कोई जमाअत बमुक़ाबला इन के क़लील न समझी जाये और अगर कसरत से ज़िम्मियों ने सकूनत बशर इस्लाम चाही कि जिस से तअत्तुल लाज़िम आता है और मसालह खिराज में खलल पडता हे या इन की वजह से मुसलमानों की कोई जमाअत क़लील समझी जाती है तो इन को मना किया जायेगा कि मुसलमानों के दरमियान नर हैं और कहा जायेगा कि ऐसी तरफ़ जाकर रहो जहां

गांव या अपने शहरों में से किसी शहर में फ़िसक़ व फ़ुजूर की ऐसी बातों में से जिस पर सुलह स्थपित नहीं हुई है कोई बात इज़हार करनी और ऐलानिया करनी चाही :

अगर ज़िम्मियों में से कोई व्यक्ति कश्ती में शराब लाद कर मिस्ल दजला व बग़दाद वग़ैरह दरिया में रवाना हुआ और दरिया की राह में इस को लिये हुए बग़दाद या मदाइन या वासित के अन्दर होकर गुज़रा तो इस से मना न किया जायेगा और इस तरह अगर शहर इस्लाम के अन्दर राह से शराब ले कर गुज़रना चाहा और हाल यह है कि सिवाए इस राह के दूसरा रास्ता नहीं है तो भी मुमानिअत न की जायेगी इमाम को चाहिए कि इन के साथ कोई मर्दों में भेजदे ताकि मुसलमान में से कोई तअरूज़ न करे और ताकि यह लोग मुसलमानों के निर्धनों में से किसी निर्धन में जहां के मुसलमान शराब ख़्वारी से मुतहम हैं दखल न करने पाऐं। अगर ज़िम्मियों ने अपने गांव में से किसी गांव या अपने शहरों में से किसी शहर में फ़िसक़ व फ़ुजूर की ऐसी बातों में से जिस पर सुलह स्थपित नहीं हुई है कोई बात इज़हार करनी और ऐलानिया करनी चाही मिस्ल ज़िना वग़ैरह फ़वाहिश के जिन को अपने अपने दीन के मुवाफ़िक़ हराम जानते हैं तो वो लोग इस से मना किये जाऐंगे जैसे मुसलमान मना किये जाते हैं और इसी तरह सकर से भी मना किये जाऐंगे इस लिए कि वो इस को हलाल नहीं जानते बल्कि असल शराब ख़्वारी को हलाल जानते हैं और इसी तरह ऐलानिया इज़हार से मज़ामीर व तंबूरह लहू वग़ैरह फ़रोख़्त करने से मना किये जाऐंगे और जिस ने इन में से कोई चीज़ तोड डाली तो इस पर ज़िमान न होगी जैसे मुसलमान की ऐसी कोई चीज़ तोड डालने से ज़िमान नहीं होती है और यह बिना बर कथन साहिबीन रह० के है और बिना बर कथन इमाम आज़म रह० के तोड़ने वाला इस की क़ीमत का बदीन हिसाब कि यह तराशीदा लकडी है ज़ामिन होगा और लहू के लिए होने के हिसाब से जो क़ीमत है इस का ज़ामिन न होगा जैसे मुसलमान की ऐसी चीज़ तोड डालने की स्थिति में हुक्म है यह ज़खीरा

मुसलमानों की कोई जमाअत न हो और यह हुक्म इमाम अबू यूसुफ़ रह० से अमाली में महफ़ूज़ है और अगर ऐसे शहरों में से किसी शहर में इन लोगों ने घर खरीदे फिर चाहा कि इन घरों में से किसी को बैअ़ा या कनीसा (1) या आतिश खाना बना दें कि अपनी इबादत के वास्ते वहां जमा हुआ करें तो इन को इस से मुमानिअ़त की जायेगी। अगर उन्होंने मुसलमानों से इस काम के वास्ते कोई घर या कोठरी इजारह पर ली तो मुसलमान के हक़ में मकरूह है कि इन को इजारह पर देदे। अगर मुसलमानों ने इन को घ्रार या हवेली इजारह पर दी ताकि इस में उतरें फिर उन्होंने इस मकान में ऐसी कोई बात ज़ाहिर की कि जो हम ने ज़िक्र की है तो मालिक मकान और ग़ैर मालिक मकान सब को इख़्तयर है कि इन को इस से मना करें और अक़्द इजारह फ़स्ख़ न होगा यह ज़खीरा में है।

अगर ज़िम्मियों में से किसी ने अदाऐ जज़्या से इन्कार किया या किसी मुसलमान को क़त्ल किया या किसी मुसलमान औरत से ज़िना किया या आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद गोई से याद किया तो ऐसे ज़िम्मी का अहद ज़िम्मा (1) नहीं टूटेगा। अगर क़बूल जज़्या से इन्कार किया तो इस ने अपना अहद तोड़ा। ज़िम्मी का अहद जब ही टूटेगा कि जब वो दारूल हरब में जा मिले या किसी गांव में किसी मक़ाम पर या किसी क़िलआ या गढ़ी में यह लोग ग़ल्बा करके मुसलमानों से क़िताल करें चुनांचे जब ऐसा करेंगे तो बिल्कुल अहद ज़िम्मा टूट जायेगा और जब अहद टूट गया तो इस का हुक्म मिस्ल मुरतिद के है यानी जो इस्लाम से फिर गया और इस के मअ़नी यह हैं कि जब वो दारूल हरब में जा मिला तो जा मिलने का हुक्म होने से इस की मौत का हुक्म होगा यानी गोया वो हुक्मन मर गया और अगर इस ने तौबा की तो इस की तौबा क़बूल की जायेगी और इस का अहद ज़िम्मा फिर ऊद करेगा और ज़िम्मी के अहद तोड़ने से इस की ज़रियात की अमान बातिल न होगी मगर इस की ज़िम्मी बीवी जिस को वो दारूल इस्लाम में छोड़ गया है इस से वो बाइना हो जायेगी और इस पर इजमाअ है और इस का माल इस में है।

फ़तावा क़ाज़ी खान के किताबुल अशर वल खिराज से एक मसले का इस्तम्बात :

अगर किसी मुसलमान की बीवी ज़िम्मियों औरत हो तो इस को यह इख़्तयार न होगा कि इस को शराब पीने से मना करे इस लिए कि यह इस के अनुसार हलाल है हां इस को यह अधिकार है कि अपने मकान में इस को शराब लाने से मना करे और इस को यह अधिकार नहीं है कि औरत मज़कूरह पर ग़ुसल जिनायत के लिए जबर करे इस लिए कि यह इस पर अनिवार्य नहीं है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और किताबुल अशर वल खिराज में फ़रमाया कि इन में से किसी को न छोड़ा जायेगा कि मुसलमानों के शहरों में से किसी शहर में कोई घर या हवेली खरीदे और नीज़ किसी को यह भी अधिकार न दिया जायेगा कि शहर इस्लाम में रहने पाये और इसी रिवायत को हसन बिन ज़ियाद ने इख़्तयार किया है और बिना बर आम्मा कुतब की रिवायात के इन को दारूल इस्लाम में रहने की गुंजाइश दी जायेगी सिवाए ज़मीन अरब के कि अगर कोई शहर या सूबा अरब हो मिस्ल हिजाज़ वग़ैरह के तो वहां इन को रहने का क़ाबू न दिया जायेगा कज़ा फ़िल मुहीत और शैख़ शम्सुल अइम्मा हलवाई फ़रमाते थे कि बिना बर रिवायत आम्मा कुतब के इन के रहने पाने का हुक्म जब ही है कि जब यह लोग थाड़े हों कि इन के यहां रहने की वजह से तअत्तुल अनिवार्य न आये और मुसलमानों की कोई जमाअत बमुक़ाबला इन के क़लील न समझी जाये और अगर कसरत से ज़िम्मियों ने सकूनत बशर इस्लाम चाही कि जिस से तअत्तुल अनिवार्य आता है और मसालह खिराज में खलल पड़ता हे या इन की वजह से मुसलमानों की कोई जमाअत क़लील समझी जाती है तो इन को मना किया जायेगा कि मुसलमानों के दरमियान नर हैं और कहा जायेगा कि ऐसी तरफ़ जाकर रहो जहां मुसलमानों की कोई जमाअत न हो और यह हुक्म इमाम अबू यूसुफ़ रह० से अमाली में महफ़ूज़ है और अगर ऐसे शहरों में से किसी शहर में इन लोगों ने घर खरीदे

के वारिसों के दरमियान तक़सीम कर दिया जायेगा और नीज़ ज़िम्मी मज़कूर अहद तोड़ कर जो माल अपने साथ

(1)बैआ व कनीसा[हूद व नसारा आतिशखाना मजूस का वो आग का कुण्ड जिस में वो आग को रोशन करते और इस की परस्तिश करते हैं।

(2)क़ालल मुतरजम व लेकिन आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदगवाई की सूरत में अगर इस को सुनने वाले ने क़त्ल कर डाला तो इस पर कुछ नहीं है और अगरयह न हो तो इमाम पर वाजिब है किऐसे मर्दूद को स]त तअज़ीर दी जाये।

दारूल हरब में ले गया है इस में भी इस का हुक्म मिस्ल मुरतिद के है और अगर इस दारूल हरब पर मुसलमानों ने ग़ल्बा पाया तो ज़िम्मी तमाम मुसलमानों के वास्ते फ़ई होगा और अगर वो दारूल हरब में जा मिला फिर दारूल इस्लाम में वापिस आकर यहां से अपना माल ले कर इस को दारूल हरब में ले गया फिर इस दारूल हरब पर इस्लाम ग़ालिब आया तो इस ज़िम्मी मज़कूर के वारिस इस माल के जिस को ज़िम्मी मज़कूर लूट कर ले गया है ग़नीमत तक़सीम होने से पहले मुफ्त हक़दार हैं और बाद तक़सीम के क़ीमत दे कर ले सकते हैं और अगर ज़िम्मी मज़कूर क़ैद किया गया तो वो रक़ीक़ बनाया जायेगा बखिलाफ़ मुरतिद के कि अगर इस्लाम से फिर कर दारूल हरब में जा मिला फिर दार मज़कूर पर मुसलमानों ने ग़ल्बा पाया और मुरतिद मज़कूर को क़ैद किया गया तो क़त्ल कर दिया जायेगा बशर्तेकि मुसलमान न हो जाये और इसी तरह अगर ज़िम्मी मज़कूर बाद अहद तोड़ने के वापिस आया या क़ब्ल इस के तो इस पर जज़या मुक़र्रर करना रवा है बखिलाफ़ मुरतिद के कि इस से सिवाए इस्लाम के कुछ क़बूल न किया जायेगा कज़ा फ़िल क़दीर।

बाबः 9

मुरतिदों के अहकाम के बयान में

मुरतिद की तअरीफ़ व हुक्म :

फिर चाहा कि इन घरों में से किसी को बैआ या कनीसा (1) या आतिश खाना बना दें कि अपनी इबादत के लिए वहां जमा हुआ करें तो इन को इस से मुमानिअत की जायेगी। अगर उन्होंने मुसलमानों से इस काम के लिए कोई घर या कोठरी इजारह पर ली तो मुसलमान के हक़ में मकरूह है कि इन को इजारह पर देदे। अगर मुसलमानों ने इन को घ्कार या हवेली इजारह पर दी ताकि इस में उतरें फिर उन्होंने इस मकान में ऐसी कोई बात ज़ाहिर की कि जो हम ने ज़िक्र की है तो मालिक मकान और ग़ैर मालिक मकान सब को इख़्तियार है कि इन को इस से मना करें और अक़्द इजारह फ़सख न होगा यह ज़खीरा में है।

अगर ज़िम्मियों में से किसी ने अदाऐ जज़या से इन्कार किया या किसी मुसलमान को क़त्ल किया या किसी मुसलमान औरत से ज़िना किया या आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद गोई से याद किया तो ऐसे ज़िम्मी का अहद ज़िम्मा (1) नहीं टूटेगा। अगर क़बूल जज़या से इन्कार किया तो इस ने अपना अहद तोड़ा। ज़िम्मी का अहद जब ही टूटेगा कि जब वो दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें जा मिले या किसी गांव में किसी मक़ाम पर या किसी क़िलआ या गढ़ी में यह लोग ग़ल्बा करके मुसलमानों से क़िताल करें चुनांचे जब ऐसा करेंगे तो बिल्कुल अहद ज़िम्मा टूट जायेगा और जब अहद टूट गया तो इस का हुक्म मिस्ल मुरतिद के है यानी जो इस्लाम से फिर गया और इस के मअनी यह हैं कि जब वो दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें जा मिला तो जा मिलने का हुक्म होने से इस की मौत का हुक्म होगा यानी गोया वो हुक्मन मर गया और अगर इस ने तौबा की तो इस की तौबा क़बूल की जायेगी और इस का अहद ज़िम्मा फिर ऊद करेगा और ज़िम्मी के अहद तोड़ने से इस की ज़रियात की संरक्षण बातिल न होगी मगर इस की ज़िम्मी बीवी जिस को वो दारूल इस्लाम में छोड़ गया है इस से वो बाइना हो जायेगी और इस पर इजमाअ है और इस का माल इस के वारिसों के दरमियान तक़सीम कर दिया जायेगा और नीज़ ज़िम्मी वर्णित अहद तोड़ कर जो माल अपने साथ

मुरतिद उर्फ़ में उसी को कहते हैं जो दीने इस्लाम से फिरने वाला हो यह नहरूल फ़ाइक़ में है और मुरतिद होने का हुक्म यह है कि बाद वजूद ईमान (1) के कलिमा-ए-कुफ़्र अपनी ज़बान पर जारी करे और रदत सही होने की शर्तों में से यह है कि आक़िल हो पस मजनूं का मुरतिद होना नहीं सही है और न ऐसे तफ़ल का जो अक़्ल नहीं रखता है मगर जो मजनूं ऐसा हो कि कभी सही हो जाता हो और कभी मजनूं तो देखा जायेगा कि अगर इस ने हालत इफ़ाक़ा में इरतदाद किया है तो सही है और अगर हालत जुनूं में मुरतिद हुआ है तो नहीं सही है। इसी तरह जो शख़्स नशे में ऐसा चूर है कि इस की अक़्ल जाती रही है तो इस का इरतदाद भी नहीं सही है और बालिग़ होना सेहते इरतदाद के वास्ते शर्त नहीं है और नीज़ मज़कूर होना भी सेहत इरतदाद के वास्ते शर्त नहीं है और तौअ (2) सेहत इरतदाद के वास्ते शर्त है यानी ख़ुशी ख़ातिर से पस जो शख़्स बाकरह मुरतिद होने पर मजबूर किया गया इस का इरतदाद नहीं सही है यह बहरूल राइक़ में है। जो तफ़ल कि समझदार है वो हर ऐसा लडका जो यह जानता हो कि इस्लाम सबब निजात दोज़ख है और हराम व नापाक को पाक हलाल से तमीज़ करता हो और शीरीं को तलख से तमीज़ करता हो यह सिराज वहाज में है।

जब मुसलमान इस्लाम से फिर गया नऊज़ुबिल्लाह मुंह तो इस पर इस्लाम पैश किया जायेगा :

फ़तावा क़ाज़ी खान और हदाया में इस की तक़दीर कि जब ऐसा समझदार हो जाये यह बयान की है कि सात बरस का हो जाये यह नहरूल फ़ाइक़ में है और जिस को मर्ज़ बर साम लाहक़ हुआ या ऐसी कोई चीज़ खिला दी गई कि अक़्ल जाती रही और हुज़्रियान के लगा पस मुरतिद हो गया तो यह इरतदाद न होना और इसी तरह अगर मअतूह हो या मोसूस या किसी वजह से इस की अक़्ल मग़लूब हो गई हो तो इस का भी यही हाल है यह सिराज वहाज में है। जब मुसलमान इस्लाम से फिर गया नऊज़ुबिल्लाह मिन्हु तो इस पर इस्लाम पैश

(1)बैआ व कनीसा[हूद व नसारा आतिशखाना मजूस का वो आग का कुण्ड जिस में वो आग को रोशन करते और इस की परस्तिश करते हैं।
(2)अनुवादक के कथनानुसार व लेकिन आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदगवाई की स्थिति में अगर इस को सुनने वाले ने क़त्ल कर डाला तो इस पर कुछ नहीं है और अगरयह न हो तो इमाम पर अनिवार्य है किऐसे मर्दूद को स]त तअज़ीर दी जाये।

दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें ले गया है इस में भी इस का हुक्म मिस्ल मुरतिद के है और अगर इस दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशपर मुसलमानों ने ग़ल्बा पाया तो ज़िम्मी तमाम मुसलमानों के लिए श्रेणीबद्ध होगा और अगर वो दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें जा मिला फिर दारूल इस्लाम में वापिस आकर यहां से अपना माल ले कर इस को दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें ले गया फिर इस दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशपर इस्लाम ग़ालिब आया तो इस ज़िम्मी वर्णित के वारिस इस माल के जिस को ज़िम्मी वर्णित लूट कर ले गया है ग़नीमत तक़सीम होने से पहले मुफ्त हक़दार हैं और बाद तक़सीम के क़ीमत दे कर ले सकते हैं और अगर ज़िम्मी वर्णित क़ैद किया गया तो वो रक़ीक़ बनाया जायेगा बखिलाफ़ मुरतिद के कि अगर इस्लाम से फिर कर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें जा मिला फिर दार वर्णित पर मुसलमानों ने ग़ल्बा पाया और मुरतिद वर्णित को क़ैद किया गया तो क़त्ल कर दिया जायेगा बशर्तेकि मुसलमान न हो जाये और इसी तरह अगर ज़िम्मी वर्णित बाद अहद तोड़ने के वापिस आया या क़ब्ल इस के तो इस पर जज़या मुक़र्रर करना जायज़ है बखिलाफ़ मुरतिद के कि इस से सिवाए इस्लाम के कुछ क़बूल न किया जायेगा कज़ा फ़िल क़दीर।

बाबः 9

मुरतिदों के अहकाम के बयान में

किया जायेगा पस अगर इस को कोई शुब्हा पैश हो तो इस को इस ने ज़ाहिर किया तो वो शुब्हा साफ़ साफ़ खोल कर दूर किया जायेगा लेकिन बिना बर क़ौल मशाइख के यह जानना चाहिए कि इस पर इस्लाम पैश करना वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहब है यह फ़तहुल क़दीर में है और वो तीन रोज़ तक क़ैद ख़ाने में महबूस रखा जायेगा पस अगर इस में मुसलमान हो गया तो ख़ैर वरना क़त्ल कर दिया जायेगा और यह भी इस वक्त है कि इस ने कुछ मोहलत मांगी हो और अगर इस ने मोहलत तलब न की तो इसी वक्त क़त्ल कर दिया जायेगा और इस हुक्म में ग़ुलाम

(1)औलायह कियजा बे ईमान के इस्लाम कहा जाये।
(2)जब तक रज़ामन्दी और+][ुशी+]ातिर के साथ मुरतिद होना न साबित होगा तो इस का मुरतिद होना सही न होगा।

व आज़ाद के दरमियान कुछ फ़र्क़ नहीं है यह सिराज वहाज में है। इस के मुसलमान होने की यह सूरत है कि कलिमा शहादत अदा करे और सिवाए इस्लाम के बाक़ी तमाम दीनों से बेज़ारी करे अगर इस दीन से जिस की तरफ़ मुन्तक़िल हुआ है बेज़ारी की तो भी काफ़ी है मुहीत में है और नातक़ी ने हसन की किताब उल इरतदाद से इजनास में नक़ल किया है कि अगर मुरतिद ने तौबा की और इस्लाम की तरफ़ ऊद किया फिर काफ़िर हो गया यहां तक कि इस ने तीन मर्तबा ऐसा ही किया और हर बार इमाम से मोहलत मांगी तो इमाम इस को तीन रोज़ की मोहलत देगा फिर अगर चौथी बार इस ने कुफ़्र की तरफ़ ऊद किया फिर मोहलत की दरख्वास्त की तो इमाम इस को मोहलत न देगा चुनांचे अगर मुसलमान हो गया तो ख़ैर वरना इस को क़त्ल कर देगा और शैख़ करखी रह० ने अपने मुख़्तसर बयान में फ़रमाया कि अगर तीसरी बार के बाद भी इस्लाम से फिर गया और इमाम के पास लाया गया तो भी इस से तौबा करने को कहेगा पस अगर इस ने तौबा न की तो इस को क़त्ल कर देगा और इस को मोहलत न देगा। अगर तौबा की तो इस को तकलीफ़ दह मार मारेगा मगर इस क़द्र न होगी कि हद शरई के दरजे तक पहुंच जाये फिर इस को क़ैद करेगा और क़ैद ख़ाने से नहीं निकालेगा यहां तक कि इस पर तौबा की आजज़ी के आज़ार ज़ाहिर

मुरतिद की तअरीफ़ व हुक्म :

मुरतिद उर्फ़ में उसी को कहते हैं जो दीने इस्लाम से फिरने वाला हो यह नहरूल फ़ाइक़ में है और मुरतिद होने का हुक्म यह है कि बाद वजूद ईमान (1) के कलिमा-ए-कुफ़्र अपनी ज़बान पर जारी करे और रदत सही होने की शर्तों में से यह है कि आक़िल हो पस मजनूं का मुरतिद होना नहीं सही है और न ऐसे तफ़्ल का जो अक़्ल नहीं रखता है मगर जो मजनूं ऐसा हो कि कभी सही हो जाता हो और कभी मजनूं तो देखा जायेगा कि अगर इस ने हालत इफ़ाक़ा में इरतदाद किया है तो सही है और अगर हालत जुनूं में मुरतिद हुआ है तो नहीं सही है। इसी तरह जो व्यक्ति नशे में ऐसा चूर है कि इस की अक़्ल जाती रही है तो इस का इरतदाद भी नहीं सही है और बालिग़ होना सेहते इरतदाद के लिए शर्त नहीं है और नीज़ वर्णित होना भी सेहत इरतदाद के लिए शर्त नहीं है और तोअ (2) सेहत इरतदाद के लिए शर्त है यानी ख़ुशी ख़ातिर से पस जो व्यक्ति बाकरह मुरतिद होने पर मजबूर किया गया इस का इरतदाद नहीं सही है यह बहरूल राइक़ में है। जो तफ़्ल कि समझदार है वो हर ऐसा लडका जो यह जानता हो कि इस्लाम सबब निजात दोज़ख है और हराम व नापाक को पाक हलाल से तमीज़ करना हो और शीरीं को तलख से तमीज़ करता हो यह सिराज वहाज में है।

जब मुसलमान इस्लाम से फिर गया नऊज़ुबिल्लाह मुंह तो इस पर इस्लाम पैश किया जायेगा :

फ़तावा क़ाज़ी खान और हदाया में इस की तक़दीर कि जब ऐसा समझदार हो जाये यह बयान की है कि सात बरस का हो जाये यह नहरूल फ़ाइक़ में है और जिस को मर्ज़ बर साम लाहक़ हुआ या ऐसी कोई चीज़ खिला दी गई कि अक़्ल जाती रही और हुज़ियान के लगा पस मुरतिद हो गया तो यह इरतदाद न होना और इसी तरह अगर मअतूह हो या मोसूस या किसी वजह से इस की अक़्ल मग़लूब हो गई हो तो इस का भी यही हाल है यह सिराज वहाज में है। जब मुसलमान इस्लाम

हों और इस के ज़ाहिर हाल से ऐसे शख़्स का सा हाल ज़ाहिर हो कि जो इख़्लास से काम करता है फिर जब इस ने ऐसा किया तो इसकी राह छोड़ दी जायेगी फिर जब रिहा किया गया फिर इस ने इरतदाद किया तो हमैशा इस के साथ ऐसा ही किया जायेगा यहां तक कि वो इस्लाम की तरफ़ रूजूअ करे और क़त्ल न किया जायेगा इल्ला यह कि इस्लाम लाने से इन्कार करे और शैख़ अबुल हसन करख़ी ने फ़रमाया कि यह हमारे सब असहाब का क़ौल है कि मुरतिद से हमैशा तौबा करने को कहा जायेगा यह ग़ायतुल बयान में है।

अगर क़ब्ल इस के कि इस पर इस्लाम पैश किया जाये किसी ने इस को क़त्ल कर दिया या इस का कोई उज़्व काट डाला तो यह मकरूह ब कराहत तन्ज़ियही है यह फ़तहुल क़दीर में है। चूंकि कराहत तन्ज़ियही है पस इस से भी मालूम होता है कि क़ातिल या क़ातअ पर ज़िमान वाजिब न होगी लेकिन अगर इस ने बग़ैर इजाज़त इमाम के ऐसा किया है तो इस के इस फ़अल पर इस को तादीब दी जायेगी। यह ग़ायतुल बयान में है। अगर तफ़ल मुरतिद हुआ हालांकि वो समझदार है तो इस का मुरतिद होना इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार इरतदाद है यानी मोअ़तबर व सही है कि इस पर इस्लाम लाने के वास्ते जबर किया जायेगा मगर वो क़त्ल न किया जायेगा। यह सिराज वहाज में है। अगर तफ़ल क़रीब ब बलूग़ जिस को मराहिक़ कहते हैं मुरतिद हुआ तो इस का भी यही हुक्म है यह मुहीत सरख़सी में है। और मुरतिदा औरत क़त्ल न की जायेगी बल्कि क़ैद ख़ाने में महबूस रखी जायेगी और हर तीन रोज़ में एक बार इस पर मार पडेगी ताकि इस्लाम लाये लेकिन अगर किसी ने इस को क़त्ल कर दिया तो क़ातिल पर कुछ न होगा इस वास्ते कि इस में शुब्हा है कि क़ातिल पर बिल यक़ीन क़िसास वग़ैरह वाजिब होना कि नहीं या मुरतिदा अदम क़त्ल में मुशतबा है। बान्दी मुरतिदा पर इस्लाम के वास्ते जबर करने का काम इस के मौला को दिया जायेगा क्योंकि इस में दोनों हक़ जमा हुए जाते हैं बईं तौर कि मौला का मकान इस मुरतिदा के वास्ते क़ैद खाना कर दिया जाये और इस्लाम लाने के से फिर गया नऊज़ुबिल्लाह मिन्हु तो इस पर इस्लाम पैश किया जायेगा पस अगर इस को कोई शुब्हा पैश हो तो इस को इस ने ज़ाहिर किया तो वो शुब्हा साफ़ साफ़ खोल कर दूर किया जायेगा लेकिन बिना बर कथन विद्वानों के यह जानना चाहिए कि इस पर इस्लाम पैश करना अनिवार्य नहीं है बल्कि मुस्तहब है यह फ़तहुल क़दीर में है और वो तीन रोज़ तक क़ैद ख़ाने में महबूस रखा जायेगा पस अगर इस में मुसलमान हो गया तो ख़ैर वरना क़त्ल कर दिया जायेगा और यह भी इस समय है कि इस ने कुछ मोहलत मांगी हो और अगर इस ने मोहलत तलब न की तो इसी समय क़त्ल कर दिया जायेगा और इस हुक्म में ग़ुलाम व आज़ाद के दरमियान कुछ फ़र्क़ नहीं है यह सिराज वहाज में है। इस के मुसलमान होने की यह स्थिति है कि कलिमा शहादत अदा करे और सिवाए इस्लाम के बाक़ी तमाम दीनों से बेज़ारी करे अगर इस दीन से जिस की तरफ़ मुन्तक़िल हुआ है बेज़ारी की तो भी काफ़ी है मुहीत में है और नातक़ी ने हसन की किताब उल इरतदाद से इजनास में नक़ल किया है कि अगर मुरतिद ने तौबा की और इस्लाम की तरफ़ ऊद किया फिर काफ़िर हो गया यहां तक कि इस ने तीन मर्तबा ऐसा ही किया और हर बार इमाम से मोहलत मांगी तो इमाम इस को तीन रोज़ की मोहलत देगा फिर अगर चौथी बार इस ने कुफ़्र की तरफ़ ऊद किया फिर मोहलत की दरख़्वास्त की तो इमाम इस को मोहलत न देगा चुनांचे अगर मुसलमान हो गया तो ख़ैर वरना इस को क़त्ल कर देगा और शैख़ करख़ी रह० ने अपने मुख़्तसर बयान में फ़रमाया कि अगर तीसरी बार के बाद भी इस्लाम से फिर गया और इमाम के पास लाया गया तो भी इस से तौबा करने को कहेगा पस अगर इस ने तौबा न की तो इस को क़त्ल कर देगा और इस को मोहलत न देगा। अगर तौबा की तो इस को तकलीफ़ दह मार मारेगा मगर इस क़द्र न होगी कि हद शरई के दरजे तक पहुंच जाये फिर इस को क़ैद करेगा और क़ैद ख़ाने

(1)औलायह कियजा बे ईमान के इस्लाम कहा जाये।
(2)जब तक रज़ामन्दी और+][शी+]ाातिर के साथ मुरतिद होना न साबित होगा तो इस का मुरतिद होना सही न होगा।

वास्ते इस को तादीबन मार देना इस के मौला को सोंप दिया जाये और बावजूद इस के मौलाऐ मज़कूर इस से अपनी खिदमत भी लिया करेगा और असल में ज़िक्र फ़रमाया कि बान्दी मुरतिदा इस तरह पर अपने मौला को जब सुपुर्द की जायेगी कि मौला को इस की खिदमत वग़ैरह की हाजत हो और सही यह है कि मुरतिदा मज़कूर इस के मौला को सुपुर्द की जायेगी ख़्वाह मौला को हाजत हो या न हो ख़्वाह वो दरख़्वास्त करे या न करे यह तबयुन में है। मगर वाज़ेअ रहे कि इस का मौला इस से वती न करेगा और औरत सग़ीरा जो समझदार हो वो मिस्ल बालिग़ा के है और ख़ुन्सा (1) मुश्किल मिस्ल औरत के है। यह नहरूल फ़ाइक़ में है।

(1)वोश]स जिस में मर्द व औरत होने की अलामात दोनों बराबर हों और किसी अलामत को ग़ल्बा न हो।

इमाम आज़म रह० के बयान के मुताबिक़ जो कुछ इस ने हालत इरतदाद में कमाया है वो इस की रद्दत का क़र्ज़ा देने के बाद फ़ई होगा :

हुर्रा मुरतिदा जब तक दारूल इस्लाम में मौजूद है तब तक गिरफ़तार करके रक़ीक़ा नहीं बनाई जायेगी और अगर वो दारूल हरब में जा मिली फिर वहां से गिरफ़तार करके लाई गई तो रक़ीक़ा बनाई जायेगी और इमाम आज़म रह० से नवादिर में यह रिवायत भी है कि वो दारूल इस्लाम में भी रक़ीक़ा बनाई जायेगी। बाज़े मशाइख ने कहा कि अगर इस रिवायत के मुवाफ़िक़ ऐसी मुरतिदा बान्दी के हक़ में फ़तवा दे दिया जाये जिस का शौहर मौजूद है तो कुछ मुज़ायक़ा नहीं है और चाहिए कि इस का शौहर इस को इमाम से रक़ीक़ बनवाले या इमाम इस मुरतिदा मज़कूर को इस के शौहर को हुबा कर दे बशर्तेकि वो मसरफ़ हो यानी ऐसा हो कि इस को बैतुल माल से मिल सकता हो पस वो इस बान्दी मुरतिदा का मालिक हो जायेगा और ऐसी हालत में वही इस के क़ैद करने और मारने का मुतवल्ली होगा ताकि इस्लाम लाये यह फ़तहुल क़दीर में है। बशर बिन अल वलीद ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की है कि अगर मुरतिद ने से नहीं निकालेगा यहां तक कि इस पर तौबा की आजज़ी के आज़ार ज़ाहिर हों और इस के ज़ाहिर हाल से ऐसे व्यक्ति का सा हाल ज़ाहिर हो कि जो इख़्लास से काम करता है फिर जब इस ने ऐसा किया तो इसकी राह छोड़ दी जायेगी फिर जब रिहा किया गया फिर इस ने इरतदाद किया तो हमैशा इस के साथ ऐसा ही किया जायेगा यहां तक कि वो इस्लाम की तरफ़ रूजूअ करे और क़त्ल न किया जायेगा सिवा यह कि इस्लाम लाने से इन्कार करे और शैख़ अबुल हसन करख़ी ने फ़रमाया कि यह हमारे सब असहाब का कथन है कि मुरतिद से हमैशा तौबा करने को कहा जायेगा यह ग़ायतुल बयान में है।

अगर क़ब्ल इस के कि इस पर इस्लाम पैश किया जाये किसी ने इस को क़त्ल कर दिया या इस का कोई उज़्व काट डाला तो यह मकरूह ब कराहत तन्ज़यही है यह फ़तहुल क़दीर में है। चूंकि कराहत तन्ज़यही है पस इस से भी मालूम होता है कि क़ातिल या क़ातअ पर ज़िमान अनिवार्य न होगी लेकिन अगर इस ने बग़ैर इजाज़त इमाम के ऐसा किया है तो इस के इस फ़अल पर इस को तादीब दी जायेगी। यह ग़ायतुल बयान में है। अगर तफ़्ल मुरतिद हुआ हालांकि वो समझदार है तो इस का मुरतिद होना इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार इरतदाद है यानी मोअतबर व सही है कि इस पर इस्लाम लाने के लिए जबर किया जायेगा मगर वो क़त्ल न किया जायेगा। यह सिराज वहाज में है। अगर तफ़्ल क़रीब ब बलूग़ जिस को मराहिक़ कहते हैं मुरतिद हुआ तो इस का भी यही हुक्म है यह मुहीत सरख़सी में है। और मुरतिदा औरत क़त्ल न की जायेगी बल्कि क़ैद ख़ाने में महबूस रखी जायेगी और हर तीन रोज़ में एक बार इस पर मार पड़ेगी ताकि इस्लाम लाये लेकिन अगर किसी ने इस को क़त्ल कर दिया तो क़ातिल पर कुछ न होना इस लिए कि इस में शुब्हा है कि क़ातिल पर बिल यक़ीन क़िसास वग़ैरह अनिवार्य होगा कि नहीं या मुरतिदा अदम क़त्ल में मुशतबा है। बान्दी मुरतिदा पर इस्लाम के लिए जबर करने का काम इस के मौला को दिया जायेगा क्योंकि इस में दोनों हक़ जमा हुए जाते हैं बईं तौर कि मौला का मकान इस मुरतिदा के

रद्दत से यानी मुरतिद हो जाने से इन्कार किया कि मैं मुरतिद नहीं हुआ हूं और तौहीद बारी अज्ज़ा इस्मुहू का और शनाख़्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का और दीने इस्लाम की हक़ीक़त का इक़रार किया तो यह अम्र इस की जानिब से तौबा क़रार दिया जायेगा। यह मुहीत में है। मुरतिद की इरतदाद से इस की मिल्क इस के माल से बुज़दाल मौक़ूफ़ ज़ायल हो जाती है यानी अगर वो फिर मुसलमान हो गया तो इस की मिल्कियत का हुक्म ऊद करेगा और अगर मर गया या हालत रद्दत में क़त्ल किया गया तो इस की हालत इस्लाम की कमाई का इस का वारिस बाद अदाई इस के क़र्ज़ा-ए-इस्लाम के मीरास पायेगा और जो कुछ इस ने हालत इरतदाद में कमाया है वो इस की रद्दत का क़र्ज़ा देने के बाद फ़ई होगा और यह इमाम आज़म रह० के अनुसार है और साहिबीन रह० के अनुसार मुरतिद की मिल्क इस के माल से ज़ायल नहीं होती है फिर इस शख़्स के हक़ में जो मुरतिद का वारिस होगा इमाम आज़म रह० से रिवायात मुख़्तलिफ़ा आई हैं चुनांचे इमाम मौहम्मद रह० ने इमाम आज़म रह० से रिवायत की कि मुरतिद की मौत या क़त्ल किये जाने के वक्त या इस के दारूल हरब में जा मिलने का हुक्म दिये जाने के वक्त वो वारिस हो यानी इस के वारिस होने में यह अम्र मोअतबर है और यही असह है और अगर मुरतिद मर गया या क़त्ल किया गया या इस के दारूल हरब में जा मिलने का हुक्म दिया गया तो इस की मुसलमान बीवी इस वक्त तक कि औरत मज़कूरह (1) इद्दत में हो वारिस होगी इस वास्ते कि वो रद्दत के हुक्म फ़ार (2) में हो गया इस वास्ते कि रद्दत मन्ज़िला मर्ज़ के है और मुरतिदा का वारिस इस का शौहर न होगा इल्ला आंकि औरत मरीज़ा हो तो वारिस होगा और इस औरत के तमाम अक़ारिब मुस्तहिक़ीन इस के इमाम माल के वारिस होंगे यहां तक कि इस की हालत रद्दत की कमाई के भी वारिस होंगे यह तबयुन में है।

अगर दारूल हरब में लाहक़ हुआ बहालत इरतदाद या हाकिम ने इस की लहाक़ का हुक्म दिया तो इस के ममलूक मुदब्बिर व उम्मे वल्द सब आज़ाद हो जाऐंगे और लिए क़ैद ख़ाना कर दिया जाये और इस्लाम लाने के लिए इस को तादीबन मार देना इस के मौला को सोंप दिया जाये और बावजूद इस के मौलाऐ वर्णित इस से अपनी सेवा भी लिया करेगा और असल में ज़िक्र फ़रमाया कि बान्दी मुरतिदा इस तरह पर अपने मौला को जब सुपुर्द की जायेगी कि मौला को इस की सेवा वग़ैरह की हाजत हो और सही यह है कि मुरतिदा वर्णित इस के मौला को सुपुर्द की जायेगी चाहे मौला को हाजत हो या न हो चाहे वो दरख़्वास्त करे या न करे यह तबयुन में है। मगर वाज़ह रहे कि इस का मौला इस से वती न करेगा और औरत सग़ीरा जो समझदार हो वो मिस्ल बालिग़ा के है और ख़ुन्सा (1) मुश्किल मिस्ल औरत के है। यह नहरूल फ़ाइक़ में है।

(1)वो व्यक्ति जिस में मर्द व औरत होने की अलामात दोनों बराबर हों और किसी अलामत को ग़ल्बा न हो।

इमाम आज़म रह० के बयान के मुताबिक़ जो कुछ इस ने हालत इरतदाद में कमाया है वो इस की रद्दत का क़र्ज़ा देने के बाद श्रेणीबर्द्ध होगा :

हुर्रा मुरतिदा जब तक दारूल इस्लाम में मौजूद है तब तक गिरफ़्तार करके रक़ीक़ा नहीं बनाई जायेगी और अगर वो दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें जा मिली फिर वहां से गिरफ़्तार करके लाई गई तो रक़ीक़ा बनाई जायेगी और इमाम आज़म रह० से नवादिर में यह रिवायत भी है कि वो दारूल इस्लाम में भी रक़ीक़ा बनाई जायेगी। बाज़े विद्वानों ने कहा कि अगर इस रिवायत के मुवाफ़िक़ ऐसी मुरतिदा बान्दी के हक़ में फ़तवा दे दिया जाये जिस का शौहर मौजूद है तो कुछ मुज़ायक़ा नहीं है और चाहिए कि इस का शौहर इस को इमाम से रक़ीक़ बनवाले या इमाम इस मुरतिदा वर्णित को इस के शौहर को हुबा कर दे बशर्तेकि वो मसरफ़ हो यानी ऐसा हो कि इस को बैतुल माल से मिल सकता हो पस वो इस बान्दी मुरतिदा का मालिक हो जायेगा और ऐसी हालत में वही इस के क़ैद करने और मारने का मुतवल्ली होगा ताकि इस्लाम लाये यह फ़तहुल क़दीर में है। बशर बिन अल

इस के तमाम क़र्ज़े जो मैअयारी थे फ़िल हाल वाजिब उल अदा हो जाऐंगे और जो माल इस ने हालते इस्लाम में कमाया है वो इस के मुसलमान वारिसों को दिया जायेगा इस में हमारे उलमा सुलासा का इत्तफ़ाक़ है और हालत इस्लाम में जो इस ने वसियत की है इस की निस्बत मबसूत वग़ैरह में मज़कूर है कि ज़ाहिरूल रिवायत के मुवाफ़िक़ यह वसियत मुतल्लक़न बातिल हो जायेगी ख़्वाह वसियत ऐसी हो कि वसियत क़ुरबत है यानी ताअत व इबादत है या ऐसी हो कि क़ुरबत न हो कुछ फ़र्क़ नहीं है और इस में कोई इख़्तलाफ़ ज़िक्र नहीं किया है। यह फ़तहुल क़दीर में है। जब तक कि मुरतिद दारूल इस्लाम में परेशान फिरता हो तब तक क़ाज़ी इन अहकाम मज़कूरह में से कोई हुक्म न देगा। यह मुहीत में है। मुरतिद ने हालत रद्दत में आकर कुछ तसर्रूफ़ किया तो इस के तवसरूफ़ में चार वजूहात हैं अव्वल वो तसर्रूफ़ जो बिल इत्तफ़ाक़ इमामों के अनुसार नाफ़िज़

(1) सूरत आंकि मुरतिद तलाक+ दे कर मर गयाया क़त्ल किया गयाया दारूल हरब में चला गया और इस के चले जाने का हुक्म ऐसी हालत में हुआ कि औरत मज़कूरह इद्दत में थी तो वारिस होगी और अगर इद्दत गुज़र जाने के बादयह उमूर वाक़े हु तो किसी सूरत में वारिस न होगी।

(2) मिस्ल इसश]स के इस का भी हुक्म होगा जो उन्हीं बीवी को मर्ज़ुल मौत में तलाक+ दे गोया कि वो इस औरत के मीरास में शरीक होने से गुरेज+ करने वाला है।

होगा जैसे क़बूल हुबा व इस्तीलाद चुनांचे अगर इस की बान्दी के बच्चा पैदा हुआ और इस ने बच्चा के नसब का दअवा किया तो बच्चा का नसब इस से साबित होगा और यह बच्चा भी इस के वारिसों के साथ मीरास पायेगा और यह बान्दी इस की उम्मे वल्द हो जायेगी और अगर मुरतिद ने शुफ़आ मुशतरी को सुपुर्द कर दिया तो सही है व नाफ़िज़ होगा और अगर इस ने अपने ग़ुलाम माज़ून को मजबूर कर दिया तो नाफ़िज़ होगा दोम आंकि बिल इत्तफ़ाक़ वो तसर्रूफ़ बातिल है जैसे निकाह चुनांचे मुरतिद के वास्ते जायज़ नहीं है कि किसी औरत से निकाह करे न मुसलमान औरत से न मुरतिदा से न ज़िम्मिया औरत से ख़्वाह आज़ाद हो या ममलूका हो और अगर निकाह किया तो बातिल होगा और मुरतिद का ज़बीहा और इस का तीर या कुत्ते व बाज़ से शिकार

वलीद ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० से रिवायत की है कि अगर मुरतिद ने रद्दत से यानी मुरतिद हो जाने से इन्कार किया कि मैं मुरतिद नहीं हुआ हूं और तौहीद बारी अज्ज़ा इस्मुहू का और शनाख़्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का और दीने इस्लाम की हक़ीक़त का इक़रार किया तो यह कार्य इस की जानिब से तौबा क़रार दिया जायेगा। यह मुहीत में है। मुरतिद की इरतदाद से इस की मिल्क इस के माल से बुज़दाल मौक़ूफ़ ज़ायल हो जाती है यानी अगर वो फिर मुसलमान हो गया तो इस की मिल्कियत का हुक्म ऊद करेगा और अगर मर गया या हालत रद्दत में क़त्ल किया गया तो इस की हालत इस्लाम की कमाई का इस का वारिस बाद अदाई इस के क़र्ज़ा-ए-इस्लाम के मीरास पायेगा और जो कुछ इस ने हालत इरतदाद में कमाया है वो इस की रद्दत का क़र्ज़ा देने के बाद श्रेणीबद्ध होगा और यह इमाम आज़म रह० के अनुसार है और साहिबीन रह० के अनुसार मुरतिद की मिल्क इस के माल से ज़ायल नहीं होती है फिर इस व्यक्ति के हक़ में जो मुरतिद का वारिस होगा इमाम आज़म रह० से रिवायात मुख़्तलिफ़ा आई हैं चुनांचे इमाम मौहम्मद रह० ने इमाम आज़म रह० से रिवायत की कि मुरतिद की मौत या क़त्ल किये जाने के समय या इस के दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें जा मिलने का हुक्म दिये जाने के समय वो वारिस हो यानी इस के वारिस होने में यह कार्य मोअतबर है और यही असह है और अगर मुरतिद मर गया या क़त्ल किया गया या इस के दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें जा मिलने का हुक्म दिया गया तो इस की मुसलमान बीवी इस समय तक कि औरत मज़कूरह (1) इद्दत में हो वारिस होगी इस लिए कि वो रद्दत के हुक्म फ़ार (2) में हो गया इस लिए कि रद्दत मन्ज़िला मर्ज़ के है और मुरतिदा का वारिस इस का शौहर न होगा सिवा आंकि औरत मरीज़ा हो तो वारिस होगा और इस औरत के तमाम अक़ारिब मुस्तहिक़ीन इस के इमाम माल के वारिस होंगे यहां तक कि इस की हालत रद्दत की कमाई के भी वारिस होंगे यह तबयुन में है।

अगर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें

किया हुआ हराम है। सौम वो तसर्रूफ़ जो सब के अनुसार बिल इत्तफ़ाक़ मौक़ूफ़ रहेगा जैसे शिरकत मुग़ावज़ा चुनांचे अगर इस ने किसी मुसलमान से शिरकत मुग़ावज़ा की तो बिल इत्तफ़ाक़ अभी यह शिरकत मौक़ूफ़ रहेगी पस अगर वो मुसलमान हो गया तो यह शिर्कत मुग़ावज़ा नाफ़िज़ हो जायेगा और अगर मर गया या हालत रद्दत पर क़त्ल किया गया या दारूल हरब में चला गया और क़ाज़ी ने इस के चले जाने का हुक्म दे दिया तो शिरकत मज़कूरह बातिल हो जायेगी और जड़ से मुग़ावज़ा बातिल होकर शिरकत अनान हो जायेगी। यह साहिबीन रह० का क़ौल है और इमाम आज़म रह० के अनुसार जड़ से बातिल हो कर शिरकत अनान हो जायेगी। यह साहिबीन रह० का क़ौल है और इमाम आज़म रह० के अनुसार जड़ से बातिल न होगी। चहारूम ऐसा तसर्रूफ़ जिस के मौक़ूफ़ रहने या न रहने में इख़्तलाफ़ है जैसे खरीद फ़रोख़्त। इजारह। इताक़। तदबीर। किताबत वसियत क़ब्ज़ा दें (जमा दीन पर क़र्ज़ा उधार वग़ैरह)। चुनांचे इमाम आज़म रह० के अनुसार यह तसर्रूफ़ात मौक़ूफ़ रहेंगे कि अगर मुसलमान होगा तो नाफ़िज़ हो जाऐंगे और अगर मर गया या क़त्ल किया गया या दारूल हरब में जा मिलने का हुक्म दिया गया तो बातिल हो जायेंगे। अगर मकातिब ने अपनी रद्दत की हालत में तसर्रूफ़ किया गोया बिल इत्तफ़ाक़ इस का तसर्रूफ़ नाफ़िज़ होगा। यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर मुरतिद ने नसरानिया बान्दी से वती की कि जो हालते इस्लाम में उस की मिल्क थी :

अगर किसी शख़्स ने अपने मुरतिद ग़ुलाम या मुरतिदा बान्दी को फ़रोख़्त किया तो बैअ जायज़ है यह मबसूत में है। अगर मुरतिद तौबा करके दारूल इस्लाम में ऊद करके आया पस अगर क़ाज़ी ने हुनूज़ इस के दारूल हरब में जा मिलने का हुक्म नहीं दिया यानी ऐसा हुक्म दिये जाने से पहले वो ताइब हो कर ऊद कर आया है तो इस के माल से हुक्म रद्दत (1) बातिल हो जायेगा पस ऐसा होगा कि गोया वो बराबर मुसलमान ही रहा है लाहक़ हुआ बहालत इरतदाद या हाकिम ने इस की लहाक़ का हुक्म दिया तो इस के ममलूक मुदब्बिर व बच्चे कीमाँ सब आज़ाद हो जाऐंगे और इस के तमाम क़र्ज़े जो मैअयारी थे फ़िल हाल अनिवार्य उल अदा हो जाऐंगे और जो माल इस ने हालते इस्लाम में कमाया है वो इस के मुसलमान वारिसों को दिया जायेगा इस में हमारे उलमा सुलासा का इत्तफ़ाक़ है और हालत इस्लाम में जो इस ने वसियत की है इस की निस्बत मबसूत वग़ैरह में वर्णित है कि ज़ाहिरूल रिवायत के मुवाफ़िक़ यह वसियत मुतल्लक़न बातिल हो जायेगी चाहे वसियत ऐसी हो कि वसियत क़ुरबत है यानी ताअत व इबादत है या ऐसी हो कि क़ुरबत न हो कुछ फ़र्क़ नहीं है और इस में कोई मतभेद ज़िक्र नहीं किया है। यह फ़तहुल क़दीर में है। जब तक कि मुरतिद दारूल इस्लाम में परेशान फिरता हो तब तक क़ाज़ी इन अहकाम मज़कूरह में से कोई हुक्म न देगा। यह मुहीत में है। मुरतिद ने हालत रद्दत में आकर कुछ तसर्रूफ़ किया तो इस के तवसरूर्फ़ में चार वजूहात हैं अव्वल वो तसर्रूफ़ जो बिल इत्तफ़ाक़ इमामों के अनुसार नाफ़िज़ होगा जैसे क़बूल हुबा व इस्तीलाद चुनांचे अगर इस की बान्दी के बच्चा पैदा हुआ और इस ने बच्चा के वंश का दअवा किया तो बच्चा का वंश इस से साबित होगा और यह बच्चा भी इस के वारिसों के साथ मीरास पायेगा और यह बान्दी इस की बच्चे कीमाँ हो जायेगी और अगर मुरतिद ने शुफ़आ ग्राहक को सुपुर्द कर दिया तो सही है व नाफ़िज़ होगा और अगर इस ने अपने ग़ुलाम माज़ून को मजबूर कर दिया तो नाफ़िज़ होगा दोम आंकि बिल इत्तफ़ाक़ वो तसर्रूफ़ बातिल है जैसे निकाह चुनांचे मुरतिद के लिए जायज़ नहीं है कि किसी औरत से निकाह करे न मुसलमान औरत से न मुरतिदा से न

(1)स्थिति आंकि मुरतिद तलाक+ दे कर मर गयाया क़त्ल किया गयाया दारूल हरब//ग़ैर-इस्लामीशासित देशमें चला गया और इस के चले जाने का हुक्म ऐसी हालत में हुआ कि औरत मज़कूरह इद्दत में थी तो वारिस होगी और अगर इद्दत गुज़र जाने के बाद यह उमूर स्थपित हु तो किसी स्थिति में वारिस न होगी।

(2)मिस्ल इस व्यक्ति के इस का भी हुक्म होगा जो उन्हीं बीवी को मर्ज़ुल मौत में तलाक+ दे गोया कि वो इस औरत के मीरास में शरीक होने से गुरेज+ करने वाला है।

और इस के ममलूक मुदब्बिर दाम वल्दों में से कोई ख़ुद इस की तरफ़ से आज़ादा शुदा न होगा और अगर क़ाज़ी के हुक्म मज़कूर देने के बाद वो नाइब होकर वापिस आया है जो कुछ माल वो अपने वारिसों के हाथ में पाये इस को ले ले और जो कुछ वारिस ने अपनी मिल्क से ज़ायद कर दिया हो ख़्वाह ऐसे सबब से ज़ायल किया है जो क़ाबिल फ़सख होता है जैसे बैअ व हुबा वग़ैरह या ऐसे सबब से जो क़ाबिल फ़सख नहीं होता है जैसे ऐताक़ (२) व तदबीर व इस्तीलाद तो इस माल को मुरतिद किसी तरह नहीं पा सकता है और वारिस का तसर्रूफ़ मज़कूर बजाये ख़ुद सही रहेगा और वारिस पर तावान भी लाज़िम न होगा यह ग़ायतुल बयान में है।

अगर मुरतिद मज़कूर मर गया या क़त्ल किया गया तो इस का फ़रज़न्द इस का वारिस न होगा :

अगर मुरतिद ने नसरानिया बान्दी से वती की कि जो हालते इस्लाम में इस की मिल्क थी फिर इस के मुरतिद होने के वक़्त से छः महीने से ज़्यादा के बाद वो बच्चा जनी और मुरतिद मज़कूर ने इस के नसब का दअवा किया तो यह बान्दी इस की उम्मे वल्द हो जायेगी और बच्चा मज़कूर आज़ाद होगा और इस का फ़रज़न्द होगा यह हिदाया में है। फिर अगर मुरतिद मज़कूर मर गया या क़त्ल किया गया तो इस का फ़रज़न्द इस का वारिस न होगा और अगर मसला मज़कूर में बजाये नसरानिया के मुसल्लिमा बान्दी हो तो यह फ़रज़न्द इस का वारिस होगा ख़्वाह मुरतिद मज़कूर मर गया या क़त्ल किया गया या दारूल हरब में चला गया हो। अगर कोई मुरतिद अपना माल ले कर दारूल हरब में चला गया फिर ग़ल्बा पाकर यह माल ले लिया गया तो वो फ़ई होगा और मुरतिद मज़कूर के वारिसों को इस माल की तरफ़ कोई राह न होगी और अगर मुरतिद दारूल हरब में जा मिला फिर लूट कर दारूल इस्लाम में आकर यहां से अपना माल ले गया और इस को दारूल हरब में

(1) रद्दत से जो हुक्म इस के माल में लगा था वो बातिल हो जायेगा।
(2) ऐताक+ आज़ाद करना तदबीर मुदब्बिर करना। इस्तीला उम्मे

ज़िम्मिया औरत से चाहे आज़ाद हो या ममलूका हो और अगर निकाह किया तो बातिल होगा और मुरतिद का ज़बीहा और इस का तीर या कुत्ते व कुछ से शिकार किया हुआ हराम है। सौम वो तसर्रूफ़ जो सब के अनुसार बिल इत्तफ़ाक़ मौक़ूफ़ रहेगा जैसे शिरकत मुग़ावज़ा चुनांचे अगर इस ने किसी मुसलमान से शिरकत मुग़ावज़ा की तो बिल इत्तफ़ाक़ अभी यह शिरकत मौक़ूफ़ रहेगी पस अगर वो मुसलमान हो गया तो यह शिर्कत मुग़ावज़ा नाफ़िज़ हो जायेगा और अगर मर गया या हालत रद्दत पर क़त्ल किया गया या दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें चला गया और क़ाज़ी ने इस के चले जाने का हुक्म दे दिया तो शिरकत मज़कूरह बातिल हो जायेगी और जड़ से मुग़ावज़ा बातिल होकर शिरकत अनान हो जायेगी। यह साहिबीन रह० का कथन है और इमाम आज़म रह० के अनुसार जड़ से बातिल हो कर शिरकत अनान हो जायेगी। यह साहिबीन रह० का कथन है और इमाम आज़म रह० के अनुसार जड़ से बातिल न होगी। चहारूम ऐसा तसर्रूफ़ जिस के मौक़ूफ़ रहने या न रहने में मतभेद है जैसे ख़रीद फ़रोख़्त। इजारह। इताक़। तदबीर। किताबत वसियत क़ब्ज़ा दें (जमा दीन पर क़र्ज़ा उधार वग़ैरह)। चुनांचे इमाम आज़म रह० के अनुसार यह तसर्रूफ़ात मौक़ूफ़ रहेंगे कि अगर मुसलमान होगा तो नाफ़िज़ हो जाएँगे और अगर मर गया या क़त्ल किया गया या दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें जा मिलने का हुक्म दिया गया तो बातिल हो जायेंगे। अगर मकातिब ने अपनी रद्दत की हालत में तसर्रूफ़ किया गोया बिल इत्तफ़ाक़ इस का तसर्रूफ़ नाफ़िज़ होगा। यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर मुरतिद ने नसरानिया बान्दी से वती की कि जो हालते इस्लाम में उस की मिल्क थी :

अगर किसी व्यक्ति ने अपने मुरतिद ग़ुलाम या मुरतिदा बान्दी को फ़रोख़्त किया तो विक्रय जायज़ है यह मबसूत में है। अगर मुरतिद तौबा करके दारूल इस्लाम में

वल्द बनाना।

दाखिल कर लिया फिर यह माल ग़ल्बा (1) या कर ले लिया गया तो यह माल इस के वारिसों को जो दारूल इस्लाम में हैं वापिस दिया जायेगा लेकिन इस में दो सूरतें हैं कि क़ब्ल तक़सीम के इन को मुफ्त दे दिया जायेगा और बाद तक़सीम हो जाये कि बक़ीमत वापिस दिया जा सकता है। अगर मुरतिद दारूल हरब में मिलेगा और यहां इस का एक ग़ुलाम है पस इस के बेटे के वास्ते इस ग़ुलाम का हुक्म दिया गया पस इस के बेटे ने इस ग़ुलाम को मकातिब कर लिया फिर मुरतिद मज़कूर ताइब हो कर मुसलमान वापिस न आया तो किताबत मज़कूर अपने हाल पर दुरूस्त रहेगी और माल किताबत और विला इसी शख़्स की होगी जो मुसलमान होकर वापिस आया है यह काफ़ी में है और यह इस वक़्त है कि हुनूज़ मकातिब मजक्कूर माल अदा करके आज़ाद नहीं हुआ है और अगर मकातिब मज़कूर के माल अदा करके आज़ाद हो जाने के बाद वो वापिस आया तो इस आज़ाद शुदह की विला इस के बेटे की होगी यह निहाया में है।

इमाम मौहम्मद रह० ने जामअ सग़ीर में फ़रमाया कि अगर मुरतिद ने किसी को ख़ता से क़त्ल किया फिर दारूल हरब में जा मिला या मर गया या हालत इरतदाद पर क़त्ल किया गया वो दारूल इस्लाम में ज़िन्दा मौजूद है बहरहाल बिल इत्तफ़ाक़ इस मक़तूल की देत इस मुरतिद के माल से होगी पस अगर इस की कमाई फ़क़त हालते इस्लाम की या फ़क़मत हालते रद्दत की हो तो इसी से पूरी देत दे दी जायेगी और अगर हालत इस्लाम व रद्दत की कमाइयां हो तो बक़ौल साहिबीन रह० के देत दोनों से दी जायेगी और दोनों की कमाइयां हों तो बिना बर क़ौल इमाम आज़म रह० पहले इस की इस्लाम की कमाई से अदा की जायेगी फिर अगर कुछ कमी रही और पूरी अदा न हुई तो बाक़ी इस की रद्दत की कमाई से पूरी कर दी जायेगी यह मुहीत में है। यह इस वक़्त है कि मुरतिद मज़कूर क़ब्ल मुसलमान हो जाने के क़त्ल किया गया या मर गया हो और अगर वो बाद मुरतिद होने के फिर मुसलमान होकर मरा या नहीं मरा या नहीं मरा तो बिल इत्तफ़ाक़ इस की ज़िमान इस मुरतिद के ऊद करके आया पस अगर क़ाज़ी ने हुनूज़ इस के दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें जा मिलने का हुक्म नहीं दिया यानी ऐसा हुक्म दिये जाने से पहले वो ताइब हो कर ऊद कर आया है तो इस के माल से हुक्म रद्दत (1) बातिल हो जायेगा पस ऐसा होगा कि गोया वो बराबर मुसलमान ही रहा है और इस के ममलूक मुदब्बिर दाम वल्दों में से कोई ख़ुद इस की तरफ़ से आज़ादा शुदा न होगा और अगर क़ाज़ी के हुक्म वर्णित देने के बाद वो नाइब होकर वापिस आया है जो कुछ माल वो अपने वारिसों के हाथ में पाये इस को ले ले और जो कुछ वारिस ने अपनी मिल्क से ज़ायद कर दिया हो चाहे ऐसे सबब से ज़ायल किया है जो क़ाबिल फ़सख होता है जैसे विक्रय व हुबा वग़ैरह या ऐसे सबब से जो क़ाबिल फ़सख नहीं होता है जैसे ऐताक़ (2) व तदबीर व इस्तीलाद तो इस माल को मुरतिद किसी तरह नहीं पा सकता है और वारिस का तसर्रुफ़ वर्णित बजाये ख़ुद सही रहेगा और वारिस पर तावान भी अनिवार्य न होगा यह ग़ायतुल बयान में है।

अगर मुरतिद वर्णित मर गया या क़त्ल किया गया तो इस का फ़रज़न्द इस का वारिस न होगा :

अगर मुरतिद ने नसरानिया बान्दी से वती की कि जो हालते इस्लाम में इस की मिल्क थी फिर इस के मुरतिद होने के समय से छः महीने से ज़्यादा के बाद वो बच्चा जनी और मुरतिद वर्णित ने इस के वंश का दअवा किया तो यह बान्दी इस की बच्चे कीमौं हो जायेगी और बच्चा वर्णित आज़ाद होगा और इस का फ़रज़न्द होगा यह हिदाया में है। फिर अगर मुरतिद वर्णित मर गया या क़त्ल किया गया तो इस का फ़रज़न्द इस का वारिस न होगा और अगर मसला मज़कूर में बजाये नसरानिया के मुसल्लिमा बान्दी हो तो यह फ़रज़न्द इस का वारिस होगा चाहे मुरतिद वर्णित मर गया या क़त्ल किया गया या दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें चला गया हो। अगर कोई मुरतिद अपना माल ले कर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें चला गया फिर ग़ल्बा पाकर

माल से दी जायेगी और यह हुक्म इस वक़्त है कि ग़सब करना या माल तलफ़ कर देना या बिल मुआयना (गोया इन से) साबित हो और अगर फ़क़त मुरतिद के इक़रार से साबित हुआ तो साहिबीन रह० के अनुसार यह माल तावान इस की दोनों हालतों की कमाइयों से दिया जायेगा और इमाम आज़म रह० के अनुसार इस की इरतदाद की कमाई से दिया जायेगा ऐसा ही शैख़ुल इस्लाम ने ज़िक्र किया है। यह सब यह सूरत है कि ख़ता कार ख़ुद मुरतिद हो और अगर यह सूरत हो कि मुरतिद पर किसी ने जिनायत की बानी तौर कि इस के मुरतिद हो जाने के बाद किसी ने इस का हाथ या पांव अमदन काट डाला तो इमाम मौहम्मद रह० ने असल में बयान फ़रमाया है कि यह जिनायत करने वाला कुछ ज़ामिन न होगा ख़्वाह मुरतिद मज़कूर इस क़तअ की वजह से हालत रद्दत पर मर गया या मुसलमान हो कर मरा हो। यह हुक्म जब है कि इस के मुरतिद होने की हालत में क़तअ किया हो और अगर इस तरह हुआ कि इस के मुसलमान होने की हालत में किसी मुसलमान ने इस का हाथ काटा ख़्वाह अमदन या ख़ता से फिर जिस का हाथ काटा है वो मुरतिद हो गया और इसी ज़ख़्म क़तअ की वजह से हालत रद्दत पर मर गया तो काटने वाले पर इस उज़्व की देत वाजिब होगी ख़्वाह ख़ता से काटा हो या अमदन काटा हो और वो जान तलफ़ शुदह का ज़ामिन न होगा पस अगर काटने वाले ने अमदन काटा है तो ज़िमान मज़कूर इस के माल से वाजिब होगी और अगर ख़ता से काटा है तो इस की मददगार बिरादरी पर वाजिब होगी।

अगर हाथ काटने वाला मुरतिद हो गया और जिस का हाथ काटा है वो मुसलमान बाक़ी रहा और हाथ काटने वाला अपनी रद्दत पर क़त्ल किया गया फिर मक़तूअ उल यद यानी जिस का हाथ काटा गया है वो भी मर गया :

यह हुक्म इस वक़्त है कि जिस का उज़्व क़तअ किया वो इस क़तअ की वजह से हालत रद्दत पर मरा यह माल ले लिया गया तो वो श्रेणीबद्ध होगा और मुरतिद वर्णित के वारिसों को इस माल की तरफ़ कोई राह न होगी और अगर मुरतिद दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें जा मिला फिर लूट कर दारूल इस्लाम में आकर यहां से अपना माल ले गया और इस को दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें

(1) रद्दत से जो हुक्म इस के माल में लगा था वो बातिल हो जायेगा।

(2) ताक+ आज़ाद करना तदबीर मुदब्बिर करना। इस्तीला बच्चे कीमाँ बनाना।

दाख़िल कर लिया फिर यह माल ग़ल्बा (1) या कर ले लिया गया तो यह माल इस के वारिसों को जो दारूल इस्लाम में है वापिस दिया जायेगा लेकिन इस में दो सूरतें है कि क़ब्ल तक़सीम के इन को मुफ़्त दे दिया जायेगा और बाद तक़सीम हो जाये कि बक़ीमत वापिस दिया जा सकता है। अगर मुरतिद दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें मिलेगा और यहां इस का एक ग़ुलाम है पस इस के बेटे के लिए इस ग़ुलाम का हुक्म दिया गया पस इस के बेटे ने इस ग़ुलाम को मकातिब कर लिया फिर मुरतिद वर्णित ताइब हो कर मुसलमान वापिस न आया तो किताबत वर्णित अपने हाल पर दुरूस्त रहेगी और माल किताबत और विला इसी व्यक्ति की होगी जो मुसलमान होकर वापिस आया है यह काफ़ी में है और यह इस समय है कि हुनूज़ मकातिब मजक्कूर माल अदा करके आज़ाद नहीं हुआ है और अगर मकातिब वर्णित के माल अदा करके आज़ाद हो जाने के बाद वो वापिस आया तो इस आज़ाद शुदह की विला इस के बेटे की होगी यह निहाया में है।

इमाम मौहम्मद रह० ने जामअ सग़ीर में फ़रमाया कि अगर मुरतिद ने किसी को ख़ता से क़त्ल किया फिर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें जा मिला या मर गया या हालत इरतदाद पर क़त्ल किया गया वो दारूल इस्लाम में ज़िन्दा मौजूद है बहरहाल बिल इत्तफ़ाक़ इस मक़तूल की देत इस मुरतिद के माल से होगी पस अगर इस की कमाई फ़क़त हालते इस्लाम की या फ़क़मत हालते रद्दत की हो तो इसी से पूरी देत दे दी जायेगी और अगर हालत इस्लाम व रद्दत की कमाइयां हो तो

हो और अगर वो मुसलमान हो गया फिर हालत इस्लाम पर इस क़तअ की वजह से मर गया पस अगर वो शख़्स दारूल हरब में नहीं गया है या जा मिला मगर हुक्म लिहाक़ (2) से पहले मुसलमान हो कर ऊद कर आया है तो

(1)+]वाह लश्कर इस्लाम ने फ़तह पाकर लूट लियाया चोर वहां से चुरा लाया फ़ताम्मुल फि+या।
(2) लाहक+ होना और मिल जानायानी जब तक इस पर हुक्म लाहक+ होने अहले दारूल कुफ़्+ के साथ नहीं दिया गया।

इस्तहसानन इस की जान देत पूरी पूरी वाजिब होगी ख़्वाह अमदन काटा हो या ख़ता से क़तअ किया हो मगर फ़र्क़ इस क़द्र है कि ख़ता से क़तअ करने की सूरत में देत मज़कूर इस क़तअ करने वाले की मददगार बिरादरी पर वाजिब होगी और अमदन की सूरत में ख़ास इसी के माल पर वाजिब होगी और अमदन क़तअ की सूरत में क़तअ करने वाले पर क़िसास वाजिब न होगा और यही इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने इख़्तयार किया है यह मुहीत में है। अगर वो दारूल हरब में जा मिला और क़ाज़ी ने इस के लिहाक़ का हुक्म दे दिया फिर ताइब होकर मुसलमान वापिस आया फिर बसबब क़तअ मज़कूर के मर गया तो क़ातअ पर निस्फ़ देत वाजिब होगी यह ग़ायतुल बयान में है। अगर हाथ काटने वाला मुरतिद हो गया और जिस का हाथ काटा है वो मुसलमान बाक़ी रहा और हाथ काटने वाला अपनी रद्दत पर क़त्ल किया गया फिर मक़तूअ उल यद यानी जिस का हाथ काटा गया है वो भी मर गया तो असल में मज़कूर है कि अगर इस ने अमदन क़तअ किया हो तो इस के वास्ते कुछ न होगा और अगर ख़ता से क़तअ किया हो पस अगर इस ज़ख़्म से अच्छा होगया हो तो इस की मददगार बिरादरी पर इस मक़तूअ के हाथ की ज़िमान वाजिब होगी और अगर मर गया हो तो क़ातअ की मददगार बिरादरी पर जान की देत कामिला वाजिब होगी और अगर मुदब्बिरा बान्दी या उम्मे वल्द मुरतिद हो गई और दारूल हरब में चली गई फिर इस का मौला दारूल इस्लाम में मर गया फिर वो गिरफ़तार होकर पकड़ आई तो फ़ई होगी बखिलाफ़ इस के अगर ऐसी बान्दी मौला के क़ब्ज़े से हरबियों की रक़ियत (2) में आ गई हो बक़ौल साहिबीन रह० के देत दोनों से दी जायेगी और दोनों की कमाइयां हों तो बिना बर कथन इमाम आज़म रह० पहले इस की इस्लाम की कमाई से अदा की जायेगी फिर अगर कुछ कमी रही और पूरी अदा न हुई तो बाक़ी इस की रद्दत की कमाई से पूरी कर दी जायेगी यह मुहीत में है। यह इस समय है कि मुरतिद वर्णित क़ब्ल मुसलमान हो जाने के क़त्ल किया गया या मर गया हो और अगर वो बाद मुरतिद होने के फिर मुसलमान होकर मरा या नहीं मरा या नहीं मरा तो बिल इत्तफ़ाक़ इस की ज़िमान इस मुरतिद के माल से दी जायेगी और यह हुक्म इस समय है कि ग़सब करना या माल तलफ़ कर देना या बिल मुआयना (गोया इन से) साबित हो और अगर फ़क़त मुरतिद के इक़रार से साबित हुआ तो साहिबीन रह० के अनुसार यह माल तावान इस की दोनों हालतों की कमाइयों से दिया जायेगा और इमाम आज़म रह० के अनुसार इस की इरतदाद की कमाई से दिया जायेगा ऐसा ही शैख़ुल इस्लाम ने ज़िक्र किया है। यह सब यह स्थिति है कि ख़ता कार ख़ुद मुरतिद हो और अगर यह स्थिति हो कि मुरतिद पर किसी ने जिनायत की बानी तौर कि इस के मुरतिद हो जाने के बाद किसी ने इस का हाथ या पांव अमदन काट डाला तो इमाम मौहम्मद रह० ने असल में बयान फ़रमाया है कि यह जिनायत करने वाला कुछ ज़ामिन न होगा चाहे मुरतिद वर्णित इस क़तअ की वजह से हालत रद्दत पर मर गया या मुसलमान हो कर मरा हो। यह हुक्म जब है कि इस के मुरतिद होने की हालत में क़तअ किया हो और अगर इस तरह हुआ कि इस के मुसलमान होने की हालत में किसी मुसलमान ने इस का हाथ काटा चाहे अमदन या ख़ता से फिर जिस का हाथ काटा है वो मुरतिद हो गया और इसी ज़ख़्म क़तअ की वजह से हालत रद्दत पर मर गया तो काटने वाले पर इस उज़्व की देत अनिवार्य होगी चाहे ख़ता से काटा हो या अमदन काटा हो और वो जान तलफ़ शुदह का ज़ामिन न होगा पस अगर काटने वाले ने अमदन काटा है तो ज़िमान वर्णित इस के माल से अनिवार्य होगी और अगर ख़ता से काटा है तो इस की मददगार बिरादरी पर अनिवार्य होगी।

फिर वो असीर होकर आई तो मौला को वापिस कर दी जायेगी यह मुहीत में है।

अगर मकातिब मुरतिद हो गया और दारूल हरब में जा मिला और इस ने कुछ माल कमाया फिर वो मअ इस माल के गिरफ़्तार किया गया और इस ने इस्लाम लाने से इन्कार किया पस क़त्ल किया गया तो इस माल से इस के मौला को माले किताबत अदा कर दिया जायेगा और जो बाक़ी रहा वो वारिसान मकातिब का होगा यह हिदाया में है। अगर ऐसा हो कि जो कुछ मकातिब मज़कूर का माल रहा है वो इस की अदाऐ किताबत के वास्ते काफ़ी न हो तो जो कुछ है वो इस के मौला का होगा यह काफ़ी में है। एक ग़ुलाम मअ अपने मौला के मुरतिद हो कर दोनों दारूल हरब में जा मिले फिर मौला वहीं मर गया और ग़ुलाम मज़कूर असीर होकर दारूल हरब से दारूल इस्लाम में लाया गया तो वो फ़ई होगा फिर अगर मुसलमान न हुआ तो क़त्ल कर दिया जायेगा। अगर ग़ुलाम मुरतिद हो कर मौला का माल ले कर दारूल हरब में चला गया फिर मअ इस माल के गिरफ़्तार हो कर आया तो वो फ़ई न होगा बल्कि इस के मौला को वापिस कर दिया जायेगा एक क़ौम इस्लाम से मुरतिद होकर मुसलमानों से लड़े और अपने शहरों में से किसी शहर पर ग़ालिब हुए जो इन की ज़मीन (३) हरब में है और इन के साथ इन की औरतें व बच्चे हैं फिर मुसलमान लोग इन पर ग़ालिब आये तो इन के मर्द क़त्ल किये जाऐंगे और औरतें व बच्चे असीर करके रक़ीक़ बनाये जाऐंगे यह मबसूत में है। और अगर बीवी व मर्द दोनों मुरतिद हो कर दारूल इस्लाम से दारूल हरब में चले गये पस औरत वहां हामिला हुई और इस के बच्चा पैदा हुआ और यह बच्चा जब बालिग़ हुआ तो इस के भी फ़रज़न्द हुआ फिर मुसलमान लोग इन पर ग़ालिब हुए तो हर दो फ़रज़न्द फ़ई होंगे मगर इन में से फ़रज़न्द अव्वल पर इस्लाम लाने के वास्ते जबर किया जायेगा और दूसरे फ़रज़न्द पर इस्लाम के वास्ते जबर न किया जायेगा। अगर औरत मज़कूरह दारूल इस्लाम में हामिला हो गई हो तो भी यही हुक्म है। यह काफ़ी में है।

अगर हाथ काटने वाला मुरतिद हो गया और जिस का हाथ काटा है वो मुसलमान बाक़ी रहा और हाथ काटने वाला अपनी रद्दत पर क़त्ल किया गया फिर मक़तूअ उल यद यानी जिस का हाथ काटा गया है वो भी मर गया :

यह हुक्म इस समय है कि जिस का उज़्व क़तअ किया वो इस क़तअ की वजह से हालत रद्दत पर मरा हो और अगर वो मुसलमान हो गया फिर हालत इस्लाम पर इस क़तअ की वजह से मर गया पस अगर वो व्यक्ति दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें नहीं गया है या जा मिला मगर हुक्म लिहाक़ (२) से पहले मुसलमान हो कर ऊद कर आया है तो

(1)चाहे लश्कर इस्लाम ने फ़तह पाकर लूट लियाया चोर वहां से चुरा लाया फ़ताम्मुल फि+या।
(2)लाहक+ होना और मिल जानायानी जब तक इस पर हुक्म लाहक+ होने अहले दारूल कुफ्र+ के साथ नहीं दिया गया।

इस्तहसानन इस की जान देत पूरी पूरी अनिवार्य होगी चाहे अमदन काटा हो या ख़ता से क़तअ किया हो मगर फ़र्क़ इस क़द्र है कि ख़ता से क़तअ करने की स्थिति में देत वर्णित इस क़तअ करने वाले की मददगार बिरादरी पर अनिवार्य होगी और अमदन की स्थिति में ख़ास इसी के माल पर अनिवार्य होगी और अमदन क़तअ की स्थिति में क़तअ करने वाले पर क़िसास अनिवार्य न होगा और यही इमाम आज़म रह० व इमाम अबू यूसुफ़ रह० ने इख़्तयार किया है यह मुहीत में है। अगर वो दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें जा मिला और क़ाज़ी ने इस के लिहाक़ का हुक्म दे दिया फिर ताइब होकर मुसलमान वापिस आया फिर बसबब क़तअ वर्णित के मर गया तो क़ातअ पर निस्फ़ देत अनिवार्य होगी यह ग़ायतुल बयान में है। अगर हाथ काटने वाला मुरतिद हो गया और जिस का हाथ काटा है वो मुसलमान बाक़ी रहा और हाथ काटने वाला अपनी रद्दत पर क़त्ल किया गया फिर मक़तूअ उल यद यानी जिस का हाथ काटा गया है वो भी मर गया तो असल में वर्णित है कि अगर इस ने

जिस ने अपने ईमान में शक किया और कहा कि मैं ईमानदार हूं इन्शाअल्लाह तआला तो वो काफ़िर है :

और नवादिर में मज़कूर है कि अगर बीवी व मर्द दोनों मुरतिद हो कर मअ अपने फ़रज़न्द सग़ीर के दारूल इस्लाम से दारूल हरब में चले गये फिर इस फ़रज़न्द के बालिग होने पर इस के भी फ़रज़न्द पैदा हुआ फिर इस दूसरे फ़रज़न्द को मुसलमानों ने फ़तह पाकर गिरफ़तार किया तो इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार इस पर इस्लाम के वास्ते जबर किया जायेगा यह मुहीत में है। जिस शख़्स का इस्लाम ब तबइयत इस के वालिदैन के क़रार पाया है अगर वो मुरतिद बालिग हुआ तो दर सूरत इन्कार इस्लाम के क़यासन क़त्ल किया जायेगा और इस्तहसानन क़त्ल नहीं किया जायेगा और अगर सग़ीर सनी में मुसलमान हुआ

(1)हुक्म बइस्तहसान।
(2)ममलूकियत व ग़ुलामी का होना।
(3)इशारा है कियहशहर बसबब इरतदाद व जंग के दारूल हरब हो गया।

और मुरतिद बालिग हो तो क़ियासन क़त्ल किया जायेगा और इस्तहसानन क़त्ल न किया जायेगा। जो शख़्स कि बाकराह इस्लाम लाया है अगर मुरतिद हो गया तो इस्तहसानन क़त्ल न किया जायेगा मगर वाज़ह रहे कि इन तीनों सूरतों में इस पर इस्लाम लाने के वास्ते जबर किया जायेगा और अगर इस्लाम लाने से पहले किसी ने इस को क़त्ल किया तो क़ातिल पर कुछ लाज़िम न होगा और जो कि दारूल इस्लाम में लक़ीत पाया गया है वो महकूम बइस्लाम होगा यानी इस के मुसलमान होने का हुक्म बतबइयत दारूल इस्लाम दिया जायेगा फिर अगर वो काफ़िर बालिग हुआ तो इस पर इस्लाम लाने के वास्ते जबर किया जायेगा और क़त्ल न किया जायेगा यह फ़तहुल क़दीर में है। मोजिबात कुफ़्र चन्द अनवाअ हैं अज़ अंजुमला वो हैं जो मुताल्लिक़ बाईमान व इस्लाम हैं चुनांचे अगर किसी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा ईमान सही है या नहीं तो यह ख़ताऐ अज़ीम है लेकिन अगर इस की यह मुराद है कि मेरे दिल से शक रफ़ा है अमदन क़तअ किया हो तो इस के लिए कुछ न होगा और अगर ख़ता से क़तअ किया हो पस अगर इस ज़ख़्म से अच्छा होगया हो तो इस की मददगार बिरादरी पर इस मक़तूअ के हाथ की ज़मिान अनिवार्य होगी और अगर मर गया हो तो क़ातअ की मददगार बिरादरी पर जान की देत कामिला अनिवार्य होगी और अगर मुदब्बिरा बान्दी या बच्चे कीमाँ मुरतिद हो गई और दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें चली गई फिर इस का मौला दारूल इस्लाम में मर गया फिर वो गिरफ़तार होकर पकड़ आई तो श्रेणीबर्द्ध होगी बखिलाफ़ इस के अगर ऐसी बान्दी मौला के क़ब्ज़े से हरबियों की रक़ियत (2) में आ गई हो फिर वो असीर होकर आई तो मौला को वापिस कर दी जायेगी यह मुहीत में है।

अगर मकातिब मुरतिद हो गया और दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें जा मिला और इस ने कुछ माल कमाया फिर वो मअ इस माल के गिरफ़तार किया गया और इस ने इस्लाम लाने से इन्कार किया पस क़त्ल किया गया तो इस माल से इस के मौला को माले किताबत अदा कर दिया जायेगा और जो बाक़ी रहा वो वारिसान मकातिब का होगा यह हिदाया में है। अगर ऐसा हो कि जो कुछ मकातिब वर्णित का माल रहा है वो इस की अदाऐ किताबत के लिए काफ़ी न हो तो जो कुछ है वो इस के मौला का होगा यह काफ़ी में है। एक ग़ुलाम मअ अपने मौला के मुरतिद हो कर दोनों दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें जा मिले फिर मौला वहीं मर गया और ग़ुलाम वर्णित असीर होकर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशसे दारूल इस्लाम में लाया गया तो वो श्रेणीबर्द्ध होगा फिर अगर मुसलमान न हुआ तो क़त्ल कर दिया जायेगा। अगर ग़ुलाम मुरतिद हो कर मौला का माल ले कर दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें चला गया फिर मअ इस माल के गिरफ़तार हो कर आया तो वो श्रेणीबर्द्ध न होगा बल्कि इस के मौला को वापिस कर दिया जायेगा एक क़ौम इस्लाम से मुरतिद होकर मुसलमानों से लड़े और अपने शहरों में से किसी शहर पर ग़ालिब हुए जो इन की ज़मीन (3) हरब में है और इन के साथ इन की औरतें व बच्चे हैं फिर

या नहीं तो खैर और जिस ने अपने ईमान में शक किया और कहा कि मैं ईमानदार हूं इन्शाअल्लाह तआला तो वो काफ़िर है लेकिन अगर इस ने यह मुराद बयान की कि मुझे यह नहीं मालूम कि दुनिया से ईमान के साथ निकलूंगा तो ऐसी सूरत में इस के काफ़िर होने का हुक्म न दिया जयेगा जिस शख़्स ने क़ुरआन यानी कलामुल्लाह तआला की निस्बत कहा कि अल्लाह तआला का कलाम मख़्लूक़ है तो वो काफ़िर है और जिस ने ईमान मख़लूक़ होने को कहा वो भी काफ़िर है और जिस ने ऐतक़ाद किया कि ईमान व कुफ़्र एक है तो वो काफ़िर है और जो ईमान से राज़ी न हुआ वो काफ़िर है यह ज़खीरा में है।

जो शख़्स अपनी ज़ात के कुफ़्र पर राज़ी हुआ वो काफ़िर है और जो दूसरे शख़्स के कुफ़्र पर राज़ी हुआ उस के हक़ में मशाइख ने इख़्तलाफ़ किया है और किताबुल तख़य्युर में कलिमाते कुफ़्र के बयान में लिखा है कि जो दूसरे के कुफ़्र पर राज़ी हुआ ताकि वो हमेशा अज़ाब दिया जाये तो इस के कुफ़्र का हुक्म न दिया जायेगा और अगर दूसरे के कुफ़्र पर राज़ी हुआ ताकि अल्लाह जल्ले शानुहू के हक़ में वो बात कहे जो इस की सिफ़ात के लायक़ नहीं है तो इस के काफ़िर होने का हुक्म दिया जायेगा और इसी पर फ़तवा है कि तातार खानिया में है। जिस ने कहा कि मैं सिफ़ते इस्लाम नहीं (1) जानता हूं तो वो काफ़िर है और शम्सुल अइम्मा हलवाई ने यह मसला बहुत मुबालग़ा के साथ ज़िक्र फ़रमाया और कहा है कि ऐसे शख़्स का न कुछ दीन है और न नमाज़ और न रोज़ा और न कोई ताअत और न निकाह और इस की औलाद सब ज़िना होगी। जामअ में मज़कूर है कि अगर किसी मुसलमान ने सग़ीरा नसरानिया से निकाह किया और इस दुख़्तर के वालिदैन नसरानी हैं फिर वो बालिग़ हुई दर हाल यह कि वो दीनों में से किसी दीन को नहीं समझती और न इस को वसफ़ कर सकती है कि क्योंकर है हालांकि यह औरत (2) मअतूहा नहीं है तो वो अपने शौहर से बाइना होगी। इमाम मौहम्मद रह० के इस क़ौल की कि किस दीन को नहीं समझती है। यह मअनी हैं कि अपनी दिल से नहीं

मुसलमान लोग इन पर ग़ालिब आये तो इन के मर्द क़त्ल किये जाऐंगे और औरतें व बच्चे असीर करके रक़ीक़ बनाये जाऐंगे यह मबसूत में है। और अगर बीवी व मर्द दोनों मुरतिद हो कर दारूल इस्लाम से दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें चले गये पस औरत वहां हामिला हुई और इस के बच्चा पैदा हुआ और यह बच्चा जब बालिग़ हुआ तो इस के भी फ़रज़न्द हुआ फिर मुसलमान लोग इन पर ग़ालिब हुए तो हर दो फ़रज़न्द श्रेणीबर्द्ध होंगे मगर इन में से फ़रज़न्द अव्वल पर इस्लाम लाने के लिए जबर किया जायेगा और दूसरे फ़रज़न्द पर इस्लाम के लिए जबर न किया जायेगा। अगर औरत मज़कूरह दारूल इस्लाम में हामिला हो गई हो तो भी यही हुक्म है। यह काफ़ी में है।

जिस ने अपने ईमान में शक किया और कहा कि मैं ईमानदार हूं इन्शाअल्लाह तआला तो वो काफ़िर है :

और नवादिर में वर्णित है कि अगर बीवी व मर्द दोनों मुरतिद हो कर मअ अपने फ़रज़न्द सग़ीर के दारूल इस्लाम से दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामी शासित देशमें चले गये फिर इस फ़रज़न्द के बालिग़ होने पर इस के भी फ़रज़न्द पैदा हुआ फिर इस दूसरे फ़रज़न्द को मुसलमानों ने फ़तह पाकर गिरफ़तार किया तो इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार इस पर इस्लाम के लिए जबर किया जायेगा यह मुहीत में है। जिस व्यक्ति का इस्लाम ब तबइयत इस के वालिदैन के क़रार पाया है अगर वो मुरतिद बालिग़ हुआ तो दर स्थिति इन्कार इस्लाम के क़यासन क़त्ल किया जायेगा और इस्तहसानन क़त्ल नहीं किया जायेगा और अगर सग़ीर सनी में मुसलमान हुआ

(1)हुक्म बइस्तहसान।
(2)ममलूकियत व गुलामी का होना।
(3)इशारा है कियहशहर बसबब इरतदाद व जंग के दारूल हरब //ग़ैर-इस्लामीशासित देशहो गया।

और मुरतिद बालिग़ हो तो क़ियासन क़त्ल किया जायेगा और इस्तहसानन क़त्ल न किया जायेगा। जो

जानती पहचानती है और इस क़ौल की कि न इस को वसफ़ कर सकती है यह मअनी हैं कि ज़बान है और अगर यूं बयान किया है कि इस्लाम यह है कि गवाही दे कि अल्लाह तआला वाहिद है इस का कोई शरीक नहीं है और मौहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तआला के रसूल व बन्दे हैं और क़यामत व हशर व जज़ा वग़ैरह सब हक़ है तो यह इस्लाम के वास्ते काफ़ी है। फ़ाफ़हम इसी तरह अगर सग़ीरा मुस्लिमा से निकाह किया फिर जब वो बालिग़ हुई तो वो इस्लाम को नहीं समझती है और न वसफ़ कर सकती है हालांकि वो मअतूबिया नहीं है तो वो भी अपने शौहर से बाइना हो जायेगी और फ़तावा नसफ़ी में लिखा है कि शैख़ से दरयाफ़्त किया गया कि अगर एक औरत से कहा गया कि तौहीद मैदानी यानी तो तौहीद को जानती है इस ने कहा कि नहीं। तो फ़रमाया कि अगर इस की मुराद यह है कि जिस बयान से मकतब में लड़के कहते हैं वो मुझे याद नहीं है तो यह इस के हक़ में मुज़िर नहीं है और अगर इस की यह मुराद है कि मैं अल्लाह तआला की वहदानियत को पहचानती ही नहीं हूं तो ऐसी औरत मौमिना नहीं है और इस का निकाह सही न हुआ और हम्माद बिन अबी हनीफ़ा रह० से रिवायत है कि जो शख़्स मर गया और इस ने यह न जाना कि अल्लाह तआला मेरा ख़ालिक़ और अल्लाह अज़्ज़ो व जल्ल ने कोई और घर सिवाए इस घर के रखा है और ज़ुल्मू हराम है तो वो मुसलमान नहीं मरा यह मुहीत में है।

(1)क़ौला नहीं जानतायानी इस्लाम क्या है और इस का क्याऐतक़ाद और क्योंकर है।

(2)पैदाइशी बेवक़ूफ़+ सफ़ैद बमन्ज़िला पागल के।

(तम्बीह) क़ौला काफ़िर है यानी इस में ईमान नहीं और तकफ़ीर किया जायेगा बहुक्मे ज़ाहिरशरअ+ काफ़िर कहलायेगा।

एक नसरानी किसी मुसलमान के पास आया और कहा कि मुझ पर इस्लाम पैश करता कि मैं तेरे पास मुसलमान हो लूं पस इस ने कहा कि तू फ़लां आलिम के पास जाता कि

व्यक्ति कि बाकराह इस्लाम लाया है अगर मुरतिद हो गया तो इस्तहसानन क़त्ल न किया जायेगा मगर वाज़ह रहे कि इन तीनों सूरतों में इस पर इस्लाम लाने के लिए जबर किया जायेगा और अगर इस्लाम लाने से पहले किसी ने इस को क़त्ल किया तो क़ातिल पर कुछ अनिवार्य न होगा और जो कि दारूल इस्लाम में लक़ीत पाया गया है वो महकूम बइस्लाम होगा यानी इस के मुसलमान होने का हुक्म बतबइयत दारूल इस्लाम दिया जायेगा फिर अगर वो काफ़िर बालिग़ हुआ तो इस पर इस्लाम लाने के लिए जबर किया जायेगा और क़त्ल न किया जायेगा यह फ़तहुल क़दीर में है। मोजिबात कुफ़्र चन्द अनवाअ हैं अज़ अंजुमला वो हैं जो मुताल्लिक़ बाईमान व इस्लाम हैं चुनांचे अगर किसी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा ईमान सही है या नहीं तो यह ख़ताऐ अज़ीम है लेकिन अगर इस की यह मुराद है कि मेरे दिल से शक रफ़ा है या नहीं तो ख़ैर और जिस ने अपने ईमान में शक किया और कहा कि मैं ईमानदार हूं इन्शाअल्लाह तआला तो वो काफ़िर है लेकिन अगर इस ने यह मुराद बयान की कि मुझे यह नहीं मालूम कि दुनिया से ईमान के साथ निकलूंगा तो ऐसी स्थिति में इस के काफ़िर होने का हुक्म न दिया जयेगा जिस व्यक्ति ने क़ुरआन यानी कलामुल्लाह तआला की निस्बत कहा कि अल्लाह तआला का बात मख़्लूक़ है तो वो काफ़िर है और जिस ने ईमान मख़लूक़ होने को कहा वो भी काफ़िर है और जिस ने ऐतक़ाद किया कि ईमान व कुफ़्र एक है तो वो काफ़िर है और जो ईमान से राज़ी न हुआ वो काफ़िर है यह ज़ख़ीरा में है।

जो व्यक्ति अपनी ज़ात के कुफ़्र पर राज़ी हुआ वो काफ़िर है और जो दूसरे व्यक्ति के कुफ़्र पर राज़ी हुआ उस के हक़ में विद्वानों ने मतभेद किया है और किताबुल तख़य्युर में कलिमाते कुफ़्र के बयान में लिखा है कि जो दूसरे के कुफ़्र पर राज़ी हुआ ताकि वो हमेशा अज़ाब दिया जाये तो इस के कुफ़्र का हुक्म न दिया जायेगा और अगर दूसरे के कुफ़्र पर राज़ी हुआ ताकि अल्लाह जल्ले शानुहू के हक़ में वो बात कहे जो इस की सिफ़ात के लायक़ नहीं है तो इस के काफ़िर होने का हुक्म दिया

वो तुझ पर इस्लाम पैश करे पस तू इसके पास मुसलमान हो :

एक शख़्स गुनाह कर रहा है और कहता जाता है कि मुसलमानी ज़ाहिर करना चाहिए तो इस के कुफ्र का हुक्म दिया जायेगा। एक ने दूसरे से कहा कि भाई मैं मुसलमान हूं इस ने कहा कि तुझ पर व तेरी मुसलमानी पर लअनत है तो ऐसा कहने वाला काफ़िर कहा जायेगा यह ख़ुलासा में है। एक नसरानी मुसलमान हो गया फिर इस का मालदार बाप मर गया पस इस ने कहा कि काश मैं इस वक्त तक मुसलमान न हुआ होता कि इस का माल मीरास लेता तो इस के काफ़िर होने का हुक्म दिया जायेगा। यह फ़ुसूल अमाविया में है। एक नसरानी किसी मुसलमान के पास आया और कहा कि मुझ पर इस्लाम पैश करता कि मैं तेरे पास मुसलमान हो लूं पस इस ने कहा कि तू फ़लां आलिम के पास जाता कि वो तुझ पर इस्लाम पैश करे पस तू इस के पास मुसलमान हो तो इस में मशाइख ने इख़्तलाफ़ किया है और शैख़ अबू जअफ़र ने फ़रमाया कि इस तरह (1) दरंग करने वाला काफ़िर न हो जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। एक काफ़िर मुसलमान हो गया पस इस से एक शख़्स ने कहा कि तुझे अपने दीन की तरफ़ से क्या बला पैश आई थी तो यह कहने वाला काफ़िर होगा यह ख़ुलासा में है। यहां तक कि तू बयान ऐसी सूरतों का हुआ जो मुताल्लिक़ बाईमान व इस्लाम हैं और क़सम दीगर वो कलिमात कुफ्र हैं जो ज़ात अल्लाह तआला व इस की सिफ़ात वग़ैरह से मुताल्लिक़ हैं। चुनांचे अगर किसी ने वसफ़ किया अल्लाह तआला को ऐसे वसफ़ से जो लाइक़ शान इलाही नहीं है या अल्लाह तआला के नामों में से किसी नाम से तमसखर किया या इस के अवामिर में से किसी अम्र यानी हुक्म से तमसखर किया या इस के वादा-ए-सवाब या इताब व उक़ाब का इन्कार किया या इस का कोई शरीक गर्दाना या फ़रज़न्द या बीवी क़रार दी या अल्लाह तआला को जहालत या आजज़ी नाक़िस की तरफ़ मन्सूब किया तो वो काफ़िर होगा यानी हुक्म दिया जायेगा कि वो काफ़िर है और अगर किसी ने कहा कि रवा है कि जायेगा और इसी पर फ़तवा है कि तातार खानिया में है। जिस ने कहा कि मैं सिफ़ते इस्लाम नहीं (1) जानता हूं तो वो काफ़िर है और शम्सुल अइम्मा हलवाई ने यह मसला बहुत मुबालग़ा के साथ ज़िक फ़रमाया और कहा है कि ऐसे व्यक्ति का न कुछ दीन है और न नमाज़ और न रोज़ा और न कोई ताअ़त और न निकाह और इस की औलाद सब ज़िना होगी। जामअ में वर्णित है कि अगर किसी मुसलमान ने सग़ीरा नसरानिया से निकाह किया और इस दुख़्तर के वालिदैन नसरानी हैं फिर वो बालिग़ हुई दर हाल यह कि वो दीनों में से किसी दीन को नहीं समझती और न इस को वसफ़ कर सकती है कि क्योंकर है हालांकि यह औरत (2) मअतूहा नहीं है तो वो अपने शौहर से बाइना होगी। इमाम मौहम्मद रह० के इस कथन की कि किस दीन को नहीं समझती है। यह मअनी है कि अपनी दिल से नहीं जानती पहचानती है और इस कथन की कि न इस को वसफ़ कर सकती है यह मअनी हैं कि ज़बान है और अगर यूं बयान किया है कि इस्लाम यह है कि गवाही दे कि अल्लाह तआला वाहिद है इस का कोई शरीक नहीं है और मौहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तआला के रसूल व बन्दे हैं और क़यामत व हशर व बदला वग़ैरह सब हक़ है तो यह इस्लाम के लिए काफ़ी है। फ़ाफ़हम इसी तरह अगर सग़ीरा मुस्लिमा से निकाह किया फिर जब वो बालिग़ हुई तो वो इस्लाम को नहीं समझती है और न वसफ़ कर सकती है हालांकि वो मअतूबिया नहीं है तो वो भी अपने शौहर से बाइना हो जायेगी और फ़तावा नसफ़ी में लिखा है कि शैख़ से दरयाफ़्त किया गया कि अगर एक औरत से कहा गया कि तौहीद मैदानी यानी तो तौहीद को जानती है इस ने कहा कि नहीं। तो फ़रमाया कि अगर इस की मुराद यह है कि जिस बयान से मकतब में लड़के कहते हैं वो मुझे याद नहीं है तो यह इस के हक़ में मुज़िर नहीं है और अगर इस की यह मुराद है कि मैं अल्लाह तआला की वहदानियत को पहचानती ही नहीं हूं तो ऐसी औरत मौमिना नहीं है और इस का निकाह सही न हुआ और हम्माद बिन अबी हनीफ़ा रह० से रिवायत है कि जो व्यक्ति मर गया और इस ने यह न जाना कि

अल्लाह तआला ऐसा फ़अल करे जिस में कुछ हिक्मत नहीं है तो काफ़िर कहा जायेगा और अगर यह ऐतक़ाद किया कि अल्लाह तआला कुफ्र से राज़ी होता है यह बहरूल राइक़ में है।

अगर कहा कि फ़लां मेरी आंख व निगाह में ऐसा है जैसे यहूदी :

अगर किसी ने कहा कि अगर ख़ुदा मुझे इस का हुक्म करेगा या अगर ख़ुदा भी इस का हुक्म करेगा तो न करूंगा तो इस ने कुफ्र किया यह मुहीत में है और तजीज़ में लिखा है कि क़ुरआन मजीद में जवीद व वजह (२) का इतलाक़ अल्लाह तआला के वास्ते आया है हालांकि वहां हरगिज़ यह जों तो ज़ाहिर में समझते हैं मुराद नहीं हैं पस आया फ़ारसी में या उर्दू में अल्लाह तआला शानुहू पर इन अलुज़ का इतलाक़ जायज़ है या नहीं। पस बाज़े मशाइख़ ने फ़रमाया ि जायज़ है बशर्तेकि इस ने इस लफ्ज़ से उज़्रू के मअनी न समझ लिये हों और अक्सर मशाइख़ ने फ़रमाया कि नहीं सही है और इसी पर ऐतमाद है यह तातार खानिया में है। क़ालल मुतरजम जिन बाज़ मशाइख ने यह इतलाक़ जायज़ किया है इन के क़ौल के यह मअनी हैं कि हम बिल यक़ीन जानते हैं कि 'बहुक्मे आया लैस कमिस्लिही शई' इसके मिस्ल कोई चीज़ किसी तरह कभी नहीं है बिल ज़रूर हाथ व चेहरा से ऐसा उज़्रू मुराद नहीं है पस कोई कैफ़ियत नहीं मालूम है कि वजह इलाही या अल्लाह तआला का हाथ क्या और क्योंकर है जैसे ख़ुद ज़ाते इलाही जल्ले शानुहू बिल्कुल मजहूल उल कैफ़ियत है पस हम ईमान लाये हैं कि अल्लाह तआला का हाथ बमअनी सिफ़त है जिस की कैफ़ियत हम को बिल्कुल नहीं मालूम है और यक़ीन से मालूम है कि ऐसे हाथ जो उज़्रू मारूफ़ है हरगिज़ नहीं है और यह इमाम आज़म रह० व दीगर अइम्मा उलमाऐ मुतक़द्दिमीन में से मंक़ूल है वल्लाहु आलम और अगर कहा कि फ़लां ने ऐनी 'कल यहूदनी ऐनल्लाहि' यानी फ़लां मेरी आंख व निगाह में ऐसा है जैसे यहूदी अल्लाह तआला की आंख में तो काफ़िर कहा जायेगा और इसी पर जमहूर मशाइख

(1)क़ौला इस तरह दरंगयानी इस के मुसलमान कर लेने में ताख़ीर

अल्लाह तआला मेरा ख़ालिक़ और अल्लाह अज़्ज़ो व जल्ल ने कोई और घर सिवाए इस घर के रखा है और ज़ुल्मू हराम है तो वो मुसलमान नहीं मरा यह मुहीत में है।

(1)क़ौला नहीं जानतायानी इस्लाम क्या है और इस का क्याऐतक़ाद और क्योंकर है।

(2)पैदाइशी बेवक़ूफ़+ सफ़ैद बमन्ज़िला पागल के।

(तम्बीह) क़ौला काफ़िर है यानी इस में ईमान नहीं और तकफ़ीर किया जायेगा बहुक्मे ज़ाहिरशरअ+ काफ़िर कहलायेगा।

एक नसरानी किसी मुसलमान के पास आया और कहा कि मुझ पर इस्लाम पैश करता कि मैं तेरे पास मुसलमान हो लूं पस इस ने कहा कि तू फ़लां आलिम के पास जाता कि वो तुझ पर इस्लाम पैश करे पस तू इसके पास मुसलमान हो :

एक व्यक्ति गुनाह कर रहा है और कहता जाता है कि मुसलमानी ज़ाहिर करना चाहिए तो इस के कुफ्र का हुक्म दिया जायेगा। एक ने दूसरे से कहा कि भाई मैं मुसलमान हूं इस ने कहा कि तुझ पर व तेरी मुसलमानी पर लअनत है तो ऐसा कहने वाला काफ़िर कहा जायेगा यह ख़ुलासा में है। एक नसरानी मुसलमान हो गया फिर इस का मालदार बाप मर गया पस इस ने कहा कि काश मैं इस समय तक मुसलमान न हुआ होता कि इस का माल मीरास लेता तो इस के काफ़िर होने का हुक्म दिया जायेगा। यह फ़ुसूल अमाविया में है। एक नसरानी किसी मुसलमान के पास आया और कहा कि मुझ पर इस्लाम पैश करता कि मैं तेरे पास मुसलमान हो लूं पस इस ने कहा कि तू फ़लां आलिम के पास जाता कि वो तुझ पर इस्लाम पैश करे पस तू इस के पास मुसलमान हो तो इस में विद्वानों ने मतभेद किया है और शैख़ अबू जअफ़र ने फ़रमाया कि इस तरह (1) दरंग करने वाला काफ़िर न हो जायेगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। एक काफ़िर मुसलमान हो गया पस इस से एक व्यक्ति ने कहा कि

करने वाला किसी आलिम की तरफ+ भेजने में।
(2)क़ौलायद बमअनी हाथ और वजह बमअनी चेहरा।

हैं और बाज़ ने कहा कि अगर इस से मुराद इस शख़्स के फअल को .ज्यादा क़बीह जानता हो तो काफ़िर न होगा यह फ़ुसूल अमादिया में है। अगर कोई आदमी मर गया पस एक ने कहा कि .ख़ुदा को वो चाहिए था तो तकफ़ीर किया जायेगा। यह .ख़ुलासा में है।

अगर यूं कहा कि 'ऐं कार ऐस्त .ख़ुदाई रा इफ़तावा अस्त' यानी यह काम है कि .ख़ुदा को करना पड़ गया है तो तकफ़ीर न की जायेगी लेकिन यह कलिमा ज़श्त है यह .ख़ज़ानातुल मुफ़तीन में है और अगर किसी ने अपने साथ झगड़ा करने वाले से कहा कि मैं तेरे साथ .ख़ुदा के हुक्म के मुवाफ़िक़ काम करता हूं पस इस के मुख़ासिम ने कहा कि मैं हुक्म .ख़ुदा को नहीं जानता हूं या कहा कि यहां हुक्म नहीं चलता है या कहा कि यहां नहीं हुक्म है या कहा कि .ख़ुदाऐ हाकिमी व इन्शायद या कहा कि यहां शैतान है कि हुक्म करता है तो यह सब कुफ़्र है। और शैख़ हाकिम अब्दुर्रहमान से दरयाफ्त किया गया कि अगर किसी ने कहा कि बरस्म कार कुनम बहुक्म ने यानी रसम पर काम करता हूं हुक्म पर नहीं पस आया यह कुफ़्र है तो फ़रमाया कि अगर इस की मुराद फ़साद हक़ व तरक शरअ व इत्तबाअ रस्म है न रद हुक्म तो तकफ़ीर न की जायेगी यह मुहीत में है। एक ने अपने कपड़े एक मक़ाम पर रखे और कहा कि मैंने इन को अल्लाह तआला के सुपुर्द किया पस दूसरे ने कहा कि तूने इन को ऐसे के सुपुर्द किया जो चोर को मना नहीं करता है अगरचे चुराये तो शैख़ इमाम अबूबकर मौहम्मद बिन अल फ़ज़ल ने फ़रमाया कि इस की तकफ़ीर न की जायेगी और वो काफ़िर (अगर कलिमा बुरा कहे) न हो जायेगा। एक ने कहा कि अगर मा दरोग़ मी गवीम .ख़ुदा दरोग़ मी गवेद तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी। एक ने अपनी बीवी से ग़ुस्से में कहा कि आन रोपसी (1) कि तराज़ाद व आन बग़ी कि तराकश्त व आन .ख़ुदाऐ कि तरा आफ़रीद तो बाज़ ने फ़रमाया कि कुफ़्र होगा। शैख़ अबू नसर व बोसी से यह मसला दरयाफ्त किया गया पस उन्होंने चन्द रोज़ इस में ग़ौर व फ़िक्र की और कुछ जो इस ने दिया तुझे अपने दीन की तरफ़ से क्या बला पैश आई थी तो यह कहने वाला काफ़िर होगा यह .ख़ुलासा में है। यहां तक कि तू बयान ऐसी सूरतों का हुआ जो मुताल्लिक़ बाईमान व इस्लाम हैं और क़सम दीगर वो कलिमात कुफ़्र हैं जो ज़ात अल्लाह तआला व इस की सिफ़ात वग़ैरह से मुताल्लिक़ हैं। चुनांचे अगर किसी ने वसफ़ किया अल्लाह तआला को ऐसे वसफ़ से जो लाइक़ शान इलाही नहीं है या अल्लाह तआला के नामों में से किसी नाम से तमसखर किया या इस के अवामिर में से किसी कार्य यानी हुक्म से तमसखर किया या इस के वादा-ए-सवाब या इताब व उक़ाब का इन्कार किया या इस का कोई शरीक गर्दाना या फ़रज़न्द या बीवी क़रार दी या अल्लाह तआला को जहालत या आजज़ी नाक़िस की तरफ़ मन्सूब किया तो वो काफ़िर होगा यानी हुक्म दिया जायेगा कि वो काफ़िर है और अगर किसी ने कहा कि जायज़ है कि अल्लाह तआला ऐसा फ़अल करे जिस में कुछ हिक्मत नहीं है तो काफ़िर कहा जायेगा और अगर यह ऐतक़ाद किया कि अल्लाह तआला कुफ़्र से राज़ी होता है यह बहरूल राइक़ में है।

अगर कहा कि फ़लां मेरी आंख व निगाह में ऐसा है जैसे यहूदी :

अगर किसी ने कहा कि अगर .ख़ुदा मुझे इस का हुक्म करेगा या अगर .ख़ुदा भी इस का हुक्म करेगा तो न करूंगा तो इस ने कुफ़्र किया यह मुहीत में है और तजीज़ में लिखा है कि क़ुरआन मजीद में जवीद व वजह (2) का इतलाक़ अल्लाह तआला के लिए आया है हालांकि वहां हरगिज़ यह जों तो ज़ाहिर में समझते हैं मुराद नहीं हैं पस आया फ़ारसी में या उर्दू में अल्लाह तआला शानुहू पर इन अलुज़ का इतलाक़ जायज़ है या नहीं। पस बाज़ विद्वानों ने फ़रमाया ि जायज़ है बशर्तेकि इस ने इस लफ़्ज़ से उज़्व के मअनी न समझ लिये हों और अक्सर विद्वानों ने फ़रमाया कि नहीं सही है और इसी पर ऐतमाद है यह तातार ख़ानिया में है। अनुवादक के कथनानुसार जिन कुछ विद्वानों ने यह इतलाक़ जायज़ किया है इन के कथन के यह मअनी हैं कि हम बिल यक़ीन जानते हैं कि

और मौल्लिफ़ रज़ि0 ने कहा कि ज़ाहिर यह है कि कुफ़्र होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर किसी शख़्स की निस्बत कहा कि यह शख़्स मरीज़ नहीं होता है यह अल्लाह तआला का भूला हुआ है या कहा कि यह इस चीज़ से है कि जिस को अल्लाह तआला भूल गया है तो यह बाज़ के नज़दीक कुफ़्र है और यही असह है। अगर कहा कि ख़ुदाऐ 'बाज़ुबां तो बस नयायद मिन चगोना बस आयम' तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। अगर अपनी बीवी से कहा कि तू मेरे नज़दीक दोस्त हुई है अल्लाह तआला से तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। यह ख़ुलासा में है।

क़ालल मुतरजम वफ़ीह नज़र और अगर कहा कि फ़लां को क़ज़ाऐ बद पहुंची तो ख़ताऐ अज़ीम है यह मुहीत में है। अगर किसी से कहा कि अल्बत्ता ख़ुदा तआला ने तुझ पर अहसान किया है पस तू भी लोगों से अहसान कर जैसे ख़ुदा ने तेरे साथ किया इस ने कहा कि जा ख़ुदा से लडाई करके तूने इस को यह सरव्वत क्यों दी है तो असह क़ौल के मुवाफ़िक़ इस की तकफ़ीर नहीं की जायेगी। यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है। दो मर्दों के दरमियान ख़ुसूमत है पस एक ने इन में से कहा कि जा और सीढी लगा और आसमान पर जा कर ख़ुदा से लडाई कर तो अक्सर मशाइख ने कहा कि यह कुफ़्र न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। साहब जामअ असग़र ने फ़रमाया कि हमारे नज़दीक यही सही है और खानिया में लिखा है कि इसी पर फ़तवा है यह तातार खानिया में है। अगर कहा कि शूद बा ख़ुदाऐ जंग किन तो बाज़ों ने कहा कि यह कुफ़्र होगा और इसी तरह शैख़ अबूबकर मौहम्मद बिन अलफ़ज़ल ने मैलान किया है और शैख़ इमाम ने फ़रमाया कि अहूत यह है कि निकाह की तजदीद कर ले यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर अल्लाह तआला के वास्ते मकान साबित किया तो इस की तकफ़ीर की जायेगी चुनांचे अगर कहा कि ख़ुदा से कोई जगह खाली नहीं है तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और अगर कहा कि अल्लाह तआला आसमान में है पस अगर इस क़ौल से यह कसद किया जो ज़ाहिर अख़बार में वारिद है इस की हिकायत है व तकफ़ीर न की जायेगी 'बहुक्मे आया लैस कमिस्लिही शई' इसके मिस्ल कोई चीज़ किसी तरह कभी नहीं है बिल ज़रूर हाथ व चेहरा से ऐसा उज़्व मुराद नहीं है पस कोई कैफ़ियत नहीं मालूम है कि वजह इलाही या अल्लाह तआला का हाथ क्या और क्योंकर है जैसे ख़ुद ज़ाते इलाही जल्ले शानुहू बिल्कुल मजहूल उल कैफ़ियत है पस हम ईमान लाये हैं कि अल्लाह तआला का हाथ बमअनी सिफ़त है जिस की कैफ़ियत हम को बिल्कुल नहीं मालूम है और यक़ीन से मालूम है कि ऐसे हाथ जो उज़्व मारूफ़ है हरगिज़ नही है और यह इमाम आज़म रह० व दीगर अइम्मा उलमाऐ मुतक़द्दिमीन में से मंक़ूल है वल्लाहु आलम और अगर कहा कि फ़लां ने ऐनी 'कल यहूदनी ऐनल्लाहि' यानी फ़लां मेरी आंख व निगाह में ऐसा है जैसे यहूदी अल्लाह तआला की आंख में तो काफ़िर कहा जायेगा और इसी पर जमहूर विद्वानों

(1)क़ौला इस तरह दरंगयानी इस के मुसलमान कर लेने में ताखीर करने वाला किसी आलिम की तरफ+ भेजने में।
(2)क़ौलायद बमअनी हाथ और वजह बमअनी चेहरा।

हैं और कुछ ने कहा कि अगर इस से मुराद इस व्यक्ति के फअल को ज्यादा क़बीह जानता हो तो काफ़िर न होगा यह फ़ुसूल अमादिया में है। अगर कोई आदमी मर गया पस एक ने कहा कि ख़ुदा को वो चाहिए था तो तकफ़ीर किया जायेगा। यह ख़ुलासा में है।

अगर यूं कहा कि 'ऐं कार ऐस्त ख़ुदाई रा इफ़तावा अस्त' यानी यह काम है कि ख़ुदा को करना पड गया है तो तकफ़ीर न की जायेगी लेकिन यह कलिमा ज़श्त है यह ख़ज़ानातुल मुफ़तीन में है और अगर किसी ने अपने साथ झगडा करने वाले से कहा कि मैं तेरे साथ ख़ुदा के हुक्म के मुवाफ़िक़ काम करता हूं पस इस के मुखासिम ने कहा कि मैं हुक्म ख़ुदा को नहीं जानता हूं या कहा कि यहां हुक्म नहीं चलता है या कहा कि यहां नहीं हुक्म है या कहा कि ख़ुदाऐ हाकिमी व इन्शायद या कहा कि यहां शैतान है कि हुक्म करता है तो यह सब कुफ़्र है। और शैख़ हाकिम अब्दुर्रहमान से दरयाफ़्त किया गया कि अगर किसी ने कहा कि बरस्म कार कुनम बहुक्म ने यानी रसम पर काम करता हूं हुक्म पर नहीं पस आया यह कुफ़्र है तो फ़रमाया कि अगर इस की मुराद फ़साद हक़्क़ व तरक

और अगर मुराद मकान साबित करना है तो तकफ़ीर की जायेगी और अगर इस की कुछ नियत न हो तो अक्सर के अनुसार तकफ़ीर की जायेगी और यही असह है और इसी पर फ़तवा है। अगर कहा कि अल्लाह तआला इन्साफ़ के वास्ते बैठा है या इन्साफ़ के वास्ते खड़ा हुआ है तो इस की तकफ़ीर की जायेगी क्योंकि इस ने अल्लाह तआला को फ़ौक़ (1) व तहत से मौसूफ़ किया यह बहरूल राइक़ में है। अगर कहा कि मेरा आसमान पर ख़ुदा है और ज़मीन पर फ़लां तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

(1)रोपसी और बग़ी दोनों के मअनी ज़न बदकारह के हैं जैसे हमारे उर्फ़+ में बेवह व छिनाल का इतलाक़+ औरत बदकारह पर किया जाता है।

जिस ने अल्लाह तआला को मन्सूब बजोर किया मसलन कहा कि ज़ालिम है तो वो कुफ़्र का मुरतकिब हुआ :

अगर कहा कि ख़ुदा फ़रोमी नगर दाज़ आसमान या कहा कि मी बैंद या कहा कि अज़ अर्श तो यह अक्सर के अनुसार कुफ़्र है इल्ला आंकि अरबी में कहे कि यतलअ तो ऐसा नहीं है। अगर कहा कि ख़ुदाऐ अज़ बर अर्श मी दांद तो यह कुफ़्र नहीं है। अगर कहा कि अज़ ज़ेर अर्श मी दांद तो यह कुफ़्र है और अगर कहा कि 'अरी अल्लाह तआला फ़िल जन्ना' (देखता हों मैं ख़ुदा को जन्नत में) तो यह कुफ़्र है और अगर कहा कि 'मिनल जन्नत' तो यह कुफ़्र नहीं है यह मुहीत में है। शैख़ अबू हफ़्स रह० ने फ़रमाया कि जिस ने अल्लाह तआला को मन्सूब बजोर किया यानी मसलन कहा कि ज़ालिम है तो वो अल्बत्ता काफ़िर हुआ। यह फ़ुसूल अमादिया में है। एक ने कहा कि या रब ऐन सितम मपसंद यानी ऐ परवरदिगार (इस पर ऐसा सख़्ती करना पसन्द न कर) यह ज़ुल्म पसन्द न कर तो बाज़ ने फ़रमाया कि तकफ़ीर किया जायेगा और असह यह है कि तकफ़ीर न की जायेगी (2) और अगर कहा कि ख़ुदाऐ अज़्ज़ा व जल्ल बर तो सितम किनाद (3) चुना कि तो बरमन सितम कर देतो असह यह है कि इस की तकफ़ीर न की जायेगी और अगर किसी ने कहा कि काश अगर शरअ व इत्तबाअ रस्म है न रद हुक्म तो तकफ़ीर न की जायेगी यह मुहीत में है। एक ने अपने कपड़े एक मक़ाम पर रखे और कहा कि मैंने इन को अल्लाह तआला के सुपुर्द किया पस दूसरे ने कहा कि तूने इन को ऐसे के सुपुर्द किया जो चोर को मना नहीं करता है अगरचे चुराये तो शैख़ इमाम अबूबकर मौहम्मद बिन अल फ़ज़ल ने फ़रमाया कि इस की तकफ़ीर न की जायेगी और वो काफ़िर (अगर कलिमा बुरा कहे) न हो जायेगा। एक ने कहा कि अगर मा दरोग़ मी गवीम ख़ुदा दरोग़ मी गवेद तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी। एक ने अपनी बीवी से ग़ुस्से में कहा कि आन रोपसी (1) कि तराज़ाद व आन बग़ी कि तराकश्त व आन ख़ुदाऐ कि तरा आफ़रीद तो कुछ ने फ़रमाया कि कुफ़्र होगा। शैख़ अबू नसर व बोसी से यह मसला दरयाफ़्त किया गया पस उन्होंने चन्द रोज़ इस में ग़ौर व फ़िक्र की और कुछ जो इस ने दिया और मौल्लिफ़ रज़ि० ने कहा कि ज़ाहिर यह है कि कुफ़्र होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर किसी व्यक्ति की निस्बत कहा कि यह व्यक्ति मरीज़ नहीं होता है यह अल्लाह तआला का भूला हुआ है या कहा कि यह इस चीज़ से है कि जिस को अल्लाह तआला भूल गया है तो यह कुछ के निकट कुफ़्र है और यही असह है। अगर कहा कि ख़ुदाऐ 'बाज़ुबां तो बस नयायद मिन चगोना बस आयम' तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। अगर अपनी बीवी से कहा कि तू मेरे निकट दोस्त हुई है अल्लाह तआला से तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। यह ख़ुलासा में है।

अनुवादक के कथनानुसार वफ़ीह मन्नत और अगर कहा कि फ़लां को क़ज़ाऐ बद पहुंची तो ख़ताऐ अज़ीम है यह मुहीत में है। अगर किसी से कहा कि अल्बत्ता ख़ुदा तआला ने तुझ पर अहसान किया है पस तू भी लोगों से अहसान कर जैसे ख़ुदा ने तेरे साथ किया इस ने कहा कि जा ख़ुदा से लड़ाई करके तूने इस को यह सरव्वत क्यों दी है तो असह कथन के मुवाफ़िक़ इस की तकफ़ीर नहीं की जायेगी। यह ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन में है। दो मर्दों के दरमियान ख़ुसूमत है पस एक ने इन में से कहा कि जा और सीढ़ी लगा और आसमान पर जा कर ख़ुदा से

अल्लाह तआला ने दिन क़यामत के इन्साफ़ किया तो मैं तुझ से अपनी दाद पाउंगा तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। अगर बजाये काश अगर के यूं कहा कि जिस वक्त अल्लाह तआला ने इला आखिरत तो तकफ़ीर न की जायेगी। यह ज़हीरिया में है। अगर कहा कि अगर अल्लाह तआला ने क़यामत के रोज़ हक़ व इन्साफ़ से फ़ैसला किया तो मैं तुझे अपने हक़ के लिए माखूद करूंगा तो यह कुफ़्र है यह मुहीत में है। शैख से दरयाफ़्त किया गया कि बोलते हैं कि यह जगह ऐसी है कि न यहां अल्लाह है और न रसूल तो फ़रमाया कि इस मुहावरा से यह मुराद होती है कि इस जगह हुक्म ख़ुदावन्दी व हुक्मे रसूल के मुवाफ़िक़ काम नहीं किया जाता है फिर पूछा गया कि अगर ऐसी जगह के वास्ते यह कहा गया जहां के लोग ज़ाहिद मुत्तक़ी हैं तो फ़रमाया कि अगर वहां बहुक्मे ख़ुदा व रसूल का बन्द होते हैं तो इस ने इन कामों के दीन होने से इन्कार किया मिस्ल नुमा हाऐ पंजगाना के पस इस की तकफ़ीर की जायेगी यह तीमिया में है। अगर ज़ालिम के ज़ुल्म करते वक्त कहा या रब इस से यह ज़ुल्म पसन्द न कर और अगर तू पसन्द करेगा तो मैं पसन्द न करूंगा। तो यह कुफ़्र है गोया इस ने यूं कहा कि अगर ते राज़ी हुआ तो मैं राज़ी न हूंगा। यह ख़ुलासा में है। अगर किसी ने कहा कि ऐ ख़ुदा रोज़ी मुझ पर कुशादा कर दे या मेरी तिजारत चलती कर दे या मुझ पर ज़ुल्म न कर तो शैख अबू नसर दबूसी ने फ़रमाया कि यह शख़्स काफ़िर हो जायेगा। यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

किसी से कहा अगर तू दोनों जहान का ख़ुदा हो जायेगा तो भी तुझ से अपना हक़ ले लूंगा तो उसकी तकफ़ीर की जायेगी :

एक ने दूसरे से कहा कि झूट मत बोल इस ने कहा कि झूट है किस वास्ते। इसी वास्ते कि इस को बोलें तो फ़िलहाल का काफ़िर हो जायेगा और अगर किसी से कहा गया कि रज़ाऐ ख़ुदा तलब कर इस ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए है या कहा कि अगर ख़ुदा मुझ बहिश्त में कर दे तो इस को ग़ारत कर दूंगा या किसी से लड़ाई कर तो अक्सर विद्वानों ने कहा कि यह कुफ़्र न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। साहब जामअ असग़र ने फ़रमाया कि हमारे निकट यही सही है और खानिया में लिखा है कि इसी पर फ़तवा है यह तातार खानिया में है। अगर कहा कि शूद बा ख़ुदाऐ जंग किन तो बाज़ों ने कहा कि यह कुफ़्र होगा और इसी तरह शैख़ अबूबकर मौहम्मद बिन अलफ़ज़ल ने मैलान किया है और शैख इमाम ने फ़रमाया कि अहूत यह है कि निकाह की तजदीद कर ले यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर अल्लाह तआला के लिए मकान साबित किया तो इस की तकफ़ीर की जायेगी चुनांचे अगर कहा कि ख़ुदा से कोई जगह खाली नहीं है तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और अगर कहा कि अल्लाह तआला आसमान में है पस अगर इस कथन से यह कसद किया जो ज़ाहिर अख़बार में वारिद है इस की हिकायत है व तकफ़ीर न की जायेगी और अगर मुराद मकान साबित करना है तो तकफ़ीर की जायेगी और अगर इस की कुछ इरादा न हो तो अक्सर के अनुसार तकफ़ीर की जायेगी और यही असह है और इसी पर फ़तवा है। अगर कहा कि अल्लाह तआला इन्साफ़ के लिए बैठा है या इन्साफ़ के लिए खड़ा हुआ है तो इस की तकफ़ीर की जायेगी क्योंकि इस ने अल्लाह तआला को फ़ौक़ (1) व तहत से मौसूफ़ किया यह बहरूल राइक़ में है। अगर कहा कि मेरा आसमान पर ख़ुदा है और ज़मीन पर फ़लां तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

(1)रोपसी और बग़ी दोनों के मअनी ज़न बदकारह के हैं जैसे हमारे उर्फ़+ में बेवह व छिनाल का इतलाक़+ औरत बदकारह पर किया जाता है।

जिस ने अल्लाह तआला को मन्सूब बजोर किया मसलन कहा कि ज़ालिम है तो वो कुफ़्र का मुरतकिब हुआ :

अगर कहा कि ख़ुदा फ़रोमी नगर दाज़ आसमान या कहा कि मी बैंद या कहा कि अज़ अर्श तो यह अक्सर के अनुसार कुफ़्र है सिवा आंकि अरबी में कहे कि यतलअ तो ऐसा नहीं है। अगर कहा कि ख़ुदाऐ अज़ बर अर्श मी दांद तो यह कुफ़्र नहीं है। अगर कहा कि अज़

कहा गया कि ख़ुदा तआला की नाफ़रमानी मत कर कि तुझे दोज़ख में डाल देगा पस इस ने कहा कि मैं दोज़ख से नहीं डरता हूं या इस से कहा गया कि बहुत न खाया कर ख़ुदा तुझे दोस्त न रखेगा पस इस ने कहा कि मैं तो खाउंगा ख़्वाह मुझे दोस्त रखे या दुश्मन तो इन सब से तकफ़ीर किया जायेगा। इसी तरह अगर कहा गया कि बहुत मत हंस या बहुत मत सो या बहुत मत खा पस इस ने कहा कि इतना खाउंगा और इतना सोउंगा और इतना हंसूगा जितना मेरा जी चाहे तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। एक शख़्स से कहा गया कि गुनाह मत कर कि ख़ुदा का अज़ाब सख़्त है पस इस ने कहा कि मैं अज़ाब को एक हाथ से उठा लूंगा तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। अगर इस से कहा गया कि मां व बाप को आज़ार मत दे पस इस ने कहा कि इन दोनों का मुझ पर कुछ हक़ नहीं है तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी लेकिन गुनाहगार हो

(1)फ़ौक+ ऊपर तहत नीचे।
(2)क्योंकियह मुहावरा बमअनी ज़ुल्म नहीं है बल्कि दुआ है कि इस स]ती को दूर करदे फ़ाफ़हम।
(3)बतरीक+ मुक़ाबला व मुराद पादाश है।

गा। एक ने कहा कि ऐ शैतान मेरा काम कर दे ताकि जो तू कहे करूंगा। मां व बाप को आज़ाद कर दूंगा और जो कुछ तो न कहेगा न करूंगा तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह तख़य्युर से तातार खानिया में मंक़ूल है। अगर किसी से कहा कि अगर तू दोनों जहान का ख़ुदा हुआ जायेगा तो भी तुझ से अपना हक़ ले लूंगा तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह ख़ुलासा में है। एक ने झूट बात कही जिस को किसी ने सुन कर कहा कि मेरा ख़ुदा इस तेरे झूट को सच कर दे या कहा कि मेरा ख़ुदा तेरे इस दरोग़ में बरकत दे तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। शैख़ नजमुद्दीन से दरयाफ़्त किया गया कि एक ने कहा फ़लां तेरे साथ सीधा नहीं चलता है पस इस ने कहा कि अल्लाह तआला भी इस के साथ सीधा न चले तो शैख़ ने फ़रमाया कि इस की तकफ़ीर की जायेगी। 'फ़ालल मुतरजम व फ़क़ीह नज़र और तख़य्युर' में लिखा है कि मैंने सदर रूल इस्लाम जमालुद्दीन से दरयाफ़्त किया कि एक ने कहा कि ख़ुदा तआला ज़र को दोस्त रखता है ज़ेर अर्श मी दांद तो यह कुफ़्र है और अगर कहा कि 'अरी अल्लाह तआला फ़िल जन्ना' (देखता हों मैं ख़ुदा को जन्नत में) तो यह कुफ़्र है और अगर कहा कि 'मिनल जन्नत' तो यह कुफ़्र नहीं है यह मुहीत में है। शैख़ अबू हफ़्स रह० ने फ़रमाया कि जिस ने अल्लाह तआला को मन्सूब बजोर किया यानी मसलन कहा कि ज़ालिम है तो वो अल्बत्ता काफ़िर हुआ। यह फ़ुसूल अमादिया में है। एक ने कहा कि या रब ऐन सितम मपसंद यानी ऐ परवरदिगार (इस पर ऐसा सख़्ती करना पसन्द न कर) यह ज़ुल्म पसन्द न कर तो कुछ ने फ़रमाया कि तकफ़ीर किया जायेगा और असह यह है कि तकफ़ीर न की जायेगी (2) और अगर कहा कि ख़ुदाऐ अज़्ज़ा व जल्ल बर तो सितम किनाद (3) चुना कि तो बरमन सितम कर देती असह यह है कि इस की तकफ़ीर न की जायेगी और अगर किसी ने कहा कि काश अगर अल्लाह तआला ने दिन क़यामत के इन्साफ़ किया तो मैं तुझ से अपनी दाद पाउंगा तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। अगर बजाये काश अगर के यूं कहा कि जिस समय अल्लाह तआला ने इला आखिरत तो तकफ़ीर न की जायेगी। यह ज़हीरिया में है। अगर कहा कि अगर अल्लाह तआला ने क़यामत के रोज़ हक़ व इन्साफ़ से फ़ैसला किया तो मैं तुझे अपने हक़ के लिए माख़ूद करूंगा तो यह कुफ़्र है यह मुहीत में है। शैख़ से दरयाफ़्त किया गया कि बोलते हैं कि यह जगह ऐसी है कि न यहां अल्लाह है और न रसूल तो फ़रमाया कि इस मुहावरा से यह मुराद होती है कि इस जगह हुक्म ख़ुदावन्दी व हुक्मे रसूल के मुवाफ़िक़ काम नहीं किया जाता है फिर पूछा गया कि अगर ऐसी जगह के लिए यह कहा गया जहां के लोग ज़ाहिद मुत्तक़ी हैं तो फ़रमाया कि अगर वहां बहुक्मे ख़ुदा व रसूल का बन्द होते हैं तो इस ने इन कामों के दीन होने से इन्कार किया मिस्ल नुमा हाऐ पंजगाना के पस इस की तकफ़ीर की जायेगी यह तीमिया में है। अगर ज़ालिम के ज़ुम्ल करते समय कहा या रब इस से यह ज़ुल्म पसन्द न कर और अगर तू पसन्द करेगा तो मैं पसन्द न करूंगा। तो यह कुफ़्र है गोया इस ने यूं कहा कि अगर ते राज़ी हुआ तो मैं राज़ी

कि मुझे नहीं दिया है तो फ़रमाया कि अगर इस कलाम से इस का क़सद यह है कि ख़ुदाऐ अज़्ज़ो व जल्ल की तरफ़ निस्बत बुख़ल की कहतो तकफ़ीर किया जायेगा मगर मुजरिद इस क़ौल से ज़र को दोस्त रखता है तकफ़ीर न की जायेगी। यह तातार खानिया में है।

अगर कहा कि इन्शाअल्लाह तो यह काम करेगा पस इस ने कहा कि मैं बग़ैर इन्शाअल्लाह तआला यह काम करूंगा तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है। ज़ालिम ने किसी पर ज़ुल्म किया पस मज़लूम ने कहा कि यह बतक़दीर इलाही है पस ज़ालिम ने कहा कि मैं बग़ैर तक़दीरे इलाही करता हो तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह फ़ुसूल अमादिया में है और अगर कहा कि ऐ ख़ुदा अपनी रहमत मुझ से दरेग मत कर तू यह अल्फ़ाज़ कुफ़्र में से है। यह सिराजिया में है। अगर बीवी व मोहसम के दरमियान झगडा तूल खींचा और देर तक बाहम झगडे व सख्त कलामी के साथ बातें रहें पस मर्द ने बीवी से कहा कि ख़ुदा से डर और अपने आप को इस की नाफ़रमानी से बचा। पस औरत ने इस को जवाब दिया कि मैं नहीं इस से डरती तो शैख़ अबूबकर मौहम्मद बिल अलफ़ज़ल ने फ़रमाया कि अगर शौहर ने इस को मअसियत ज़ाहिरा पर इताब करके इस को अल्लाह तआला से ख़ौफ़ दिलाया है पस इस ने यह जवाब दिया तो इस से मुरतिदा हो जायेगी और अपने शौहर से बाइना हो जायेगी और अगर शौहर ने इस को ऐसे अम्र पर इताब किया है जिस में ख़ुदा की तरफ़ से खौफ़ का मक़ाम नहीं है तो वो काफ़िर न होगी लेकिन अगर इस ने अपने इस कलाम से इस्तख़फ़ाफ़ (1) किया है तो अपने शौहर से बाइना हो जायेगी एक ने दूसरे को मारना चाहा पस इस से इस बेचारा ने कहा कि आया तो ख़ुदाऐ तआला से नहीं डरता है इस ने कहा कि नहीं तो इमाम मौहम्मद रह० से मरवी है कि इन से यह मसला दरयाफ़्त किया गया था पस जवाब में फ़रमाया कि तकफ़ीर न किया जायेगा इस वास्ते कि वो कह सकता है कि तक़वा इसी में है जो मैं करता हूं और अगर कोई आदमी गुनाह करता हुआ देखा गया पस दूसरे ने इस से कहा कि आया तो ख़ुदा से नहीं न हूंगा। यह ख़ुलासा में है। अगर किसी ने कहा कि ऐ ख़ुदा रोज़ी मुझ पर कुशादा कर दे या मेरी तिजारत चलती कर दे या मुझ पर ज़ुल्म न कर तो शैख़ अबू नसर दबूसी ने फ़रमाया कि यह व्यक्ति काफ़िर हो जायेगा। यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

किसी से कहा अगर तू दोनों जहान का ख़ुदा हो जायेगा तो भी तुझ से अपना हक़ ले लूंगा तो उसकी तकफ़ीर की जायेगी :

एक ने दूसरे से कहा कि झूट मत बोल इस ने कहा कि झूट है किस वास्ते। इसी लिए कि इस को बोलें तो फ़िलहाल का काफ़िर हो जायेगा और अगर किसी से कहा गया कि रज़ाऐ ख़ुदा तलब कर इस ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए है या कहा कि अगर ख़ुदा मुझ बहिश्त में कर दे तो इस को ग़ारत कर दूंगा या किसी से कहा गया कि ख़ुदा तआला की नाफ़रमानी मत कर कि तुझे दोज़ख में डाल देगा पस इस ने कहा कि मैं दोज़ख से नहीं डरता हूं या इस से कहा गया कि बहुत न खाया कर ख़ुदा तुझे दोस्त न रखेगा पस इस ने कहा कि मैं तो खाउंग्रा चाहे मुझे दोस्त रखे या दुशमन तो इन सब से तकफ़ीर किया जायेगा। इसी तरह अगर कहा गया कि बहुत मत हंस या बहुत मत सो या बहुत मत खा पस इस ने कहा कि इतना खाउंगा और इतना सोउंगा और इतना हंसूगा जितना मेरा जी चाहे तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। एक व्यक्ति से कहा गया कि गुनाह मत कर कि ख़ुदा का अज़ाब सख्त है पस इस ने कहा कि मैं अज़ाब को एक हाथ से उठा लूंगा तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। अगर इस से कहा गया कि मां व बाप को आज़ार मत दे पस इस ने कहा कि इन दोनों का मुझ पर कुछ हक़ नहीं है तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी लेकिन गुनाहगार हो

(1)फ़ौक+ ऊपर तहत नीचे।
(2)क्योंकियह मुहावरा बमअनी ज़ुल्म नहीं है बल्कि दुआ है कि इस सख्ती को दूर करदे फ़ाफ़हम।
(3)बतरीक+ मुक़ाबला व मुराद पादाश है।

गा। एक ने कहा कि ऐ शैतान मेरा काम कर दे ताकि जो तू कहे करूंगा। मां व बाप को आज़ाद कर

डरता है पस इस ने कहा कि नहीं तो काफ़िर हो जायेगा इस वास्ते कि इस की तावील मुमकिन नहीं है। इसी तरह अगर किसी से कहा गया कि तू ख़ुदा से नहीं डरता है पस इस ने हालते गुस्सा में कहा कि नहीं तो काफ़िर हो जायेगा। यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर किसी ने कहा कि 'ता उम्मी शवेम बदतर ख़ुदाऐ बामा मैशू दबद तर ता उम्मी शवेम नेको तर ख़ुदाऐ बामा मैशो दनीको तर' यानी जितना मैं बद तू होता जाता हूं ख़ुदा मेरे साथ बदतर होता जाता है और जितना मैं नेक तर होता हूं इतना ख़ुदा मेरे साथ नेक तर होता है तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह ख़ुलासा में है।

अगर किसी ने कहाः 'अज़ ख़ुदाऐ मी बनीनम व अज़ सो' या कहाः अज़ ख़ुदाऐ उम्मीद मीदारम व तबो :

क़ालल मुतरजम व हाज़ा असह और इताबिया में लिखा है कि अगर कोई हुक्म ख़ुदा या शरीअत पैग़म्बर ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसन्द करे मसलन किसी से कहा गया कि ख़ुदा तआला ने चार औरतें हलाल कर दी हैं पस वो कहे कि मैं इस हुक्म को नापसन्द नहीं करता हूं तो यह कुफ़्र है। यह तातार खानिया में है। अगर औरत ने अपने पिसर से कहा कि तूने ऐसा क्यों किया पस पिसर ने कहा कि वल्लाह मैंने नहीं किया पस इस औरत ने गुस्से में कहा कि महनोमा वल्लाह तो मशाइख ने इस औरत की तकफ़ीर में इख़्तलाफ़ किया है यह मुहीत में है। जिस ने कहा कि ख़ुदाऐ अज्ज़ो व जल्ल हो और कोई चीज़ न हो तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह ज़हीरिया में है वफ़िया नज़र। अगर किसी ने कहा कि ख़ुदाऐ अज्ज़ा व जल्ल ने मेरे हक़ में सब नेकी की है बदी मेरी तरफ़ से है तो इस ने कुफ़्र किया यह मुहीत में है वफ़ीह नज़र और एक शख़्स से कहा गया कि बारी (1) बाज़न बस गया मदी बस इस ने कहा कि ख़ुदाऐ बाज़नान बस नयामद मन चगो ना बस आएम तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। यह ग़यासिया में है। अगर किसी ने कहा कि अज़ ख़ुदाऐ मी बनीनम वाज़ सो या कहा कि अज़ ख़ुदाऐ उम्मीद मैदारम दूंगा और जो कुछ तो न कहेगा न करूंगा तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह तख़य्युर से तातार खानिया में मंक़ूल है। अगर किसी से कहा कि अगर तू दोनों जहान का ख़ुदा हुआ जायेगा तो भी तुझ से अपना हक़ ले लूंगा तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह ख़ुलासा में है। एक ने झूट बात कही जिस को किसी ने सुन कर कहा कि मेरा ख़ुदा इस तेरे झूट को सच कर दे या कहा कि मेरा ख़ुदा तेरे इस दरोग़ में बरकत दे तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। शैख़ नजमुद्दीन से दरयाफ़्त किया गया कि एक ने कहा फ़लां तेरे साथ सीधा नहीं चलता है पस इस ने कहा कि अल्लाह तआला भी इस के साथ सीधा न चले तो शैख़ ने फ़रमाया कि इस की तकफ़ीर की जायेगी। 'क़ालल मुतरजम व फ़ीह मन्नत और तख़य्युर' में लिखा है कि मैंने सदर रूल इस्लाम जमालुद्दीन से दरयाफ़्त किया कि एक ने कहा कि ख़ुदा तआला ज़र को दोस्त रखता है कि मुझे नहीं दिया है तो फ़रमाया कि अगर इस बात से इस का क़सद यह है कि ख़ुदाऐ अज्ज़ो व जल्ल की तरफ़ निस्बत बुख़ल की कहतो तकफ़ीर किया जायेगा मगर मुजरिद इस कथन से ज़र को दोस्त रखता है तकफ़ीर न की जायेगी। यह तातार खानिया में है।

अगर कहा कि इन्शाअल्लाह तो यह काम करेगा पस इस ने कहा कि मैं बग़ैर इन्शाअल्लाह तआला यह काम करूंगा तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है। ज़ालिम ने किसी पर ज़ुल्म किया पस मज़लूम ने कहा कि यह बतक़दीर इलाही है पस ज़ालिम ने कहा कि मैं बग़ैर तक़दीरे इलाही करता हो तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह फ़ुसूल अमादिया में है और अगर कहा कि ऐ ख़ुदा अपनी रहमत मुझ से दरेग़ मत कर तू यह अल्फ़ाज़ कुफ़्र में से है। यह सिराजिया में है। अगर बीवी व मोहसम के दरमियान झगड़ा तूल खींचा और देर तक बाहम झगड़े व सख़्त कलामी के साथ बातें रहें पस मर्द ने बीवी से कहा कि ख़ुदा से डर और अपने आप को इस की नाफ़रमानी से बचा। पस औरत ने इस को जवाब दिया कि मैं नहीं इस से डरती तो शैख़ अबूबकर मौहम्मद बिल अलफ़ज़ल ने फ़रमाया कि अगर शौहर ने इस को मअसियत ज़ाहिरा पर

व तबो तो इसी तरह कहना क़बीह है और अगर यूं कहता कि अज़ ख़ुदाऐ मी बैनम व सबब तरा मीदानम तो यह अच्छा है यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है। अगर नालिश में अपने ख़सम से क़सम तलब की पस ख़सम ने शुरू किया कि मैं क़सम खाता हूं अल्लाह तआला की पस इस तालिब ने कहा कि मैं अल्लाह की क़सम नहीं चाहता हूं बल्कि चाहता हूं कि तू तलाक़ या इताक़ की क़सम खा तो हमारे बाज़े असहाब के अनुसार काफ़िर हो गया और आम्मा मशाइख के नज़दीक काफ़िर न होगा और तजनीस नासरी में लिखा है कि यही असह है। अगर किसी से कहा कि सोगन्द (2) तो हमान सुत व कीर ख़ुरहमान यानी हर दो यक्सां है। तो इस ने कुफ़्र किया। अगर किसी से कहा कि मेरा ख़ुदा जानता है कि मैं तुझ को हमैशा दुआ में याद रखता हूं तो मशाइख ने इस के कुफ़्र में इख़्तलाफ़ किया है। क़ालल मुतरजम असबत अक्सर के अनुसार यह है कि अगर दरोग़ पर शाहिद किया या दाना गर दाना है तो काफ़िर कहा जायेगा वल्लाहु आलम और अगर बतरीक़ मिज़ाह के कहा कि मन ख़ुदायम (3) यानी ख़ुद आयम तो इस ने कुफ़्र किया यह तातार खानिया में है। एक ने अपनी बीवी से कहा कि तेरा हक़ हमसाया नमी बायद यानी तुझे हक़ हमसाया नहीं चाहिए इस ने कहा कि नहीं पस कहा कि तेरा हक़ शवे नमी (शौहर) बायद इस ने कहा कि नहीं पस कहा कि तेरा हक़ ख़ुदा नमी बायद पस इस ने कहा कि नहीं तो औरत मज़कूरह ने कुफ़्र किया। किसी शख़्स ने अपनी बीमारी व ज़ैक़ ऐश में कहा कि बारी बदा नमी कि ख़ुदाय तआला मरा चरा आफ़रीदा इस चूं अज़ लज़्ज़त हाऐ दुनिया मराहीच नेस्त यानी मुझे मालूम होता कि ख़ुदा तआला ने मुझे क्यों पैदा किया है जबकि दुनिया की लज़्ज़तों से मेरे लिए कुछ भी नहीं है तो बाज़े मशाइख ने फ़रमाया कि इस की तकफ़ीर न की जायेगी। लेकिन ऐसा कलाम करना ख़ताऐ अज़ीम है एक ने दूसरे से कहा कि अल्लाह तआला तुझे तेरे गुनाहों पर ज़रूर अज़ाब करेगा पस इस ने कहा कि ख़ुदाऐ राशिन्दा कि ता ख़ुदाऐ हिम्मा आन कुन्द कि तू मेगोई यानी तूने ख़ुदा को बिठा दिया है ताकि जो तू कहे वही सबअ ख़ुदा करे तो इस की इताब करके इस को अल्लाह तआला से ख़ौफ़ दिलाया है पस इस ने यह जवाब दिया तो इस से मुरतिदा हो जायेगी और अपने शौहर से बाइना हो जायेगी और अगर शौहर ने इस को ऐसे कार्य पर इताब किया है जिस में ख़ुदा की तरफ़ से ख़ौफ़ का मक़ाम नहीं है तो वो काफ़िर न होगी लेकिन अगर इस ने अपने इस बात से इस्तख़फ़ाफ़ (1) किया है तो अपने शौहर से बाइना हो जायेगी एक ने दूसरे को मारना चाहा पस इस से इस बेचारा ने कहा कि आया तो ख़ुदाऐ तआला से नहीं डरता है इस ने कहा कि नहीं तो इमाम मौहम्मद रह० से मरवी है कि इन से यह मसला दरयाफ़्त किया गया था पस जवाब में फ़रमाया कि तकफ़ीर न किया जायेगा इस लिए कि वो कह सकता है कि तक़वा इसी में है जो मैं करता हूं और अगर कोई आदमी गुनाह करता हुआ देखा गया पस दूसरे ने इस से कहा कि आया तो ख़ुदा से नहीं डरता है पस इस ने कहा कि नहीं तो काफ़िर हो जायेगा इस लिए कि इस की तावील मुमकिन नहीं है। इसी तरह अगर किसी से कहा गया कि तू ख़ुदा से नहीं डरता है पस इस ने हालते ग़ुस्सा में कहा कि नहीं तो काफ़िर हो जायेगा। यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर किसी ने कहा कि 'ता उम्मी शवेम बदतर ख़ुदाऐ बामा मैशू दबद तर ता उम्मी शवेम नेको तर ख़ुदाऐ बामा मैशो दनीको तर' यानी जितना मैं बद तू होता जाता हूं ख़ुदा मेरे साथ बदतर होता जाता है और जितना मैं नेक तर होता हूं इतना ख़ुदा मेरे साथ नेक तर होता है तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह ख़ुलासा में है।

अगर किसी ने कहाः 'अज़ ख़ुदाऐ मी बनीनम व अज़ सो' या कहाः अज़ ख़ुदाऐ उम्मीद मीदारम व तबो :

अनुवादक के कथनानुसार व हाज़ा असह और इताबिया में लिखा है कि अगर कोई हुक्म ख़ुदा या शरीअत पैग़म्बर ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसन्द करे मसलन किसी से कहा गया कि ख़ुदा तआला ने चार औरतें हलाल कर दी हैं पस वो कहे कि मैं इस हुक्म को नापसन्द नहीं करता हूं तो यह कुफ़्र है।

तकफ़ीर की जायेगी। यह मुहीत में है।

तखय्युर में मज़कूर है कि किसी ने कहा कि ख़ुदाऐ चह तवान्द कर्द चीज़े दीगर नतवान्द बजुज़ दोज़ख यानी ख़ुदा किया कर सकता है कुछ और नहीं कर सकता सिवाए दोज़ख के तो इस ने कुफ्र किया और इसी के मिस्ल यह है कि किसी ने एक हैवान क़बीह को देख कर कहा कि पैश कार नुमान्दा अस्त ख़ुदाऐ कि चुनीन आफ़रीदा यानी ऐ ख़ुदा कोई और काम नहीं रह गया था कि तूने इस को पैदा किया तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। एक फ़क़ीर ने अपनी मौहताजी की तकलीफ़ में कहा कि फ़लां हम बन्दा अस्त बाचन्दे नेअमत व मिन हम बन्दा रचनीन रंज बारे ऐं चुनीन अदल बाशिद यानी ऐ ख़ुदा फ़लां भी बन्दा है कि इस क़द्र नेअमत के साथ है और मैं भी बन्दा हूं कि अपने रंज व मशक़्क़त में गिरफ़्तार हों भला यह भी कुछ अदल है तो इस ने कुफ्र किया। किसी ने दूसरे से कहा कि ख़ुदा से डर इस ने कहा कि ख़ुदा कहां है तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। इसी तरह अगर कहा पैग़म्बर क़ब्र में नहीं है या कहा कि ख़ुदा का इल्म क़दीम नहीं है या कहा कि जो मअदूम है वो अल्लाह तआला को मालूम नहीं है तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह तातार खानिया में है। अगर अब्दुल्लाह नामी किसी आदमी को पुकारने में लफ्ज़ अल्लाह के आखिर काफ़ तसग़ीर लाहक़ किया पस अगर यह पुकारने वाला आलिम हो तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और अमदन खालिक़ की तसग़ीर की ख़्वीफ़ किया तो भी अगर आलिम है तो तकफ़ीर न की जायेगी यह बहरूल राइक़ में है। अगर किसी ने दूसरे से कहा कि ख़ुदा तेरे दिल पर रहमत करे मेरे दिल पर नहीं। पस अगर इस ने रहमत से बेपरवाई का क़सद किया है यह तातार खानिया में है। अगर औरत ने अपने पिसर से कहा कि तूने ऐसा क्यों किया पस पिसर ने कहा कि वल्लाह मैंने नहीं किया पस इस औरत ने गुस्से में कहा कि महनोमा वल्लाह तो विद्वानों ने इस औरत की तकफ़ीर में मतभेद किया है यह मुहीत में है। जिस ने कहा कि ख़ुदाऐ अज़्ज़ो व जल्ल हो और कोई चीज़ न हो तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह ज़हीरिया में है वफ़िया नज़र। अगर किसी ने कहा कि ख़ुदाऐ अज़्ज़ा व जल्ल ने मेरे हक़ में सब नेकी की है बदी मेरी तरफ़ से है तो इस ने कुफ्र किया यह मुहीत में है वफ़ीह मन्नत और एक व्यक्ति से कहा गया कि बारी (1) बाज़न बस गया मदी बस इस ने कहा कि ख़ुदाऐ बाज़नान बस नयामद मन चगो ना बस आएम तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। यह ग़यासिया में है। अगर किसी ने कहा कि अज़ ख़ुदाऐ मी बनीनम बाज़ सो या कहा कि अज़ ख़ुदाऐ उम्मीद मैदारम व तबो तो इसी तरह कहना क़बीह है और अगर यूं कहता कि अज़ ख़ुदाऐ मी बैनम व सबब तरा मीदानम तो यह अच्छा है यह ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन में है। अगर नालिश में अपने ख़सम से क़सम तलब की पस ख़सम ने शुरू किया कि मैं क़सम खाता हूं अल्लाह तआला की पस इस तालिब ने कहा कि मैं अल्लाह की क़सम नहीं चाहता हूं बल्कि चाहता हूं कि तू तलाक़ या इताक़ की क़सम खा तो हमारे बाज़े असहाब के अनुसार काफ़िर हो गया और आम्मा विद्वानों के निकट काफ़िर न होगा और तजनीस नासरी में लिखा है कि यही असह है। अगर किसी से कहा कि सोगन्द (2) तो हमान सुत व कीर ख़ुरहमान यानी हर दो यक्सां है। तो इस ने कुफ्र किया। अगर किसी से कहा कि मेरा ख़ुदा जानता है कि मैं तुझ को हमैशा दुआ में याद रखता हूं तो विद्वानों ने इस के कुफ्र में मतभेद किया है। अनुवादक के कथनानुसार असबत अक्सर के अनुसार यह है कि अगर दरोग़ पर शाहिद किया या दाना गर दाना है तो काफ़िर कहा जायेगा वल्लाहु आलम और अगर बतरीक़ मिज़ाह के कहा कि मन ख़ुदायम (3) यानी ख़ुद आयम तो इस ने कुफ्र किया यह तातार खानिया में है। एक ने अपनी बीवी से कहा कि तेरा हक़ हमसाया नमी बायद यानी तुझे हक़

(1)जैसे बोलते हैं कि तू अपनी औरत से न जनना।

(2)वही तेरी क़सम है और वही गधे का उज़ू+ तनासुलयानी दोनों यक्सां हैं।

(3)मुतरजम कहता है कि अगर इस ने इस तरह कि कलिमा कुफ्र+ में और इस के लफ्ज+ में सरीह इल्तबास हो तो इस पर कुफ्र+ का हुक्म दिया जायेगा और अगर इस ने इस के साथ इस की तौज़ीह भी की मसलनयूं कहा कि+]|दायम और ज़ाहिर किया कि इस से मेरी मुरादयह है कि+]|द आयम तो इस के कुफ्र+ में ताम्मुल है। वल्लाहु आलम।

तो काफ़िर हुआ और अगर यह क़सद किया कि मेरा दिल असबात इदलाही से साबित है इस में कोई इज़तराब नहीं है तो तकफ़ीर न की जायेगी। एक तफ़ल अपने बाप को पुकारता है हालांकि इस का बाप नमाज़ पढ रहा है पस एक शख़्स ने इस तफ़ल से कहा कि ठहर बे लोण्डे कि तेरा बाप अल्लाह अल्लाह करता है तो यह कुफ़्र नहीं है इस लिए कि इस के मअनी यह हैं कि खिदमत अल्लाह तआला करता है। यह मुहीत में है। एक शख़्स ने किसी अंधे या मरीज़ को देख कर कहा कि ख़ुदा ने तुझे देखा और मुझे देखा और तुझ को ऐसा पैदा किया फिर मेरा क्या गुनाह है तो सही यह है कि इस की तकफ़ीर न की जायेगी यह ख़ुलासा में है। अगर कहा कि बख़ुदाऐ व बख़ाक पाये तो यानी क़सम ख़ुदा व क़सम तेरे पांव की खाक की कि मैं ऐसा न करूंगा तो यह शख़्स काफ़िर हुआ और फ़ारसी ज़बान के मुहावरा के मुवाफ़िक़ क़सम बख़ुदा व बख़ाक पाये तो को लिखा तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और अगर कहा कि बख़ुदाऐ व बजान व सर तो यानी क़सम ख़ुदा की व क़सम तेरी जान व सर की तो इस में मशाइख़ का इख़्तलाफ़ है। यह ज़ख़ीरा में है।

क़ालल मुतरजम मगर अव्वल से बहुत क़रीम है अगरचे इस्तख़फ़ाफ़ (1) सरीह नहीं निकलता है। अब इन अल्फ़ाज़ कुफ़्र का बयान है जो मुताल्लिक़ बाअम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं। वाज़ह हो कि जिस ने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वत्तसलीमात में से बाज़ का इक़रार न किया या सुनन मुर्सलीन में से किसी सुन्नत को नापसन्द किया तो वो काफ़िर हुआ। और शैख़ बिन मक़ातिल से दरयाफ़्त किया गया कि अगर किसी ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम या हज़रत ज़ुलकिफ़ल अलैहिस्सलाम की नबुव्वत से इन्कार किया तो शैख़ रह० ने फ़रमाया कि जिस बुज़ुर्ग के नबी होने की तमाम उम्मत बिल इत्तफ़ाक़ क़ाइल नहीं है इस की नबुव्वत से इन्कार करने वाला ऐसा ज़रर न पायेगा और अगर यूं कहा कि अगर फ़लां नबी होता तो मैं इस पर ईमान न लाता तो इस ने कुफ़्र किया यह मुहीत में है। शैख़ जअफ़र से दरयाफ़्त किया गया कि अगर किसी ने कहा हमसाया नहीं चाहिए इस ने कहा कि नहीं पस कहा कि तेरा हक़ शवे नमी (शौहर) बायद इस ने कहा कि नहीं पस कहा कि तेरा हक़ ख़ुदा नमी बायद पस इस ने कहा कि नहीं तो औरत मज़कूरह ने कुफ़्र किया। किसी व्यक्ति ने अपनी बीमारी वग़ैरह ऐश में कहा कि बारी बदा नमी कि ख़ुदाय तआला मरा चरा आफ़रीदा इस चूं अज़ लज़्ज़ात हाऐ दुनिया मराहीच नेस्त यानी मुझे मालूम होता कि ख़ुदा तआला ने मुझे क्यों पैदा किया है जबकि दुनिया की लज़्ज़तों से मेरे लिए कुछ भी नहीं है तो बाज़े विद्वानों ने फ़रमाया कि इस की तकफ़ीर न की जायेगी। लेकिन ऐसा बात करना ख़ताऐ अज़ीम है एक ने दूसरे से कहा कि अल्लाह तआला तुझे तेरे गुनाहों पर ज़रूर अज़ाब करेगा पस इस ने कहा कि ख़ुदाऐ राशिन्दा कि ता ख़ुदाऐ हिम्मा आन कुन्द कि तू मेगोई यानी तूने ख़ुदा को बिठा दिया है ताकि जो तू कहे वही सबअ ख़ुदा करे तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। यह मुहीत में है।

तख़य्युर में वर्णित है कि किसी ने कहा कि ख़ुदाऐ चह तवान्द कर्द चीज़े दीगर नतवान्द बजुज़ दोज़ख यानी ख़ुदा किया कर सकता है कुछ और नहीं कर सकता सिवाए दोज़ख के तो इस ने कुफ़्र किया और इसी के मिस्ल यह है कि किसी ने एक हैवान क़बीह को देख कर कहा कि पैश कार नुमान्दा अस्त ख़ुदाऐ कि चुनीन आफ़रीदा यानी ऐ ख़ुदा कोई और काम नहीं रह गया था कि तूने इस को पैदा किया तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। एक फ़क़ीर ने अपनी मौहताजी की तकलीफ़ में कहा कि फ़लां हम बन्दा अस्त बाचन्दे नेअमत व मिन हम बन्दा रचनीन रंज बारे ऐं चुनीन अदल बाशिद यानी ऐ ख़ुदा फ़लां भी बन्दा है कि इस क़द्र नेअमत के साथ है और मैं भी बन्दा हूं कि अपने रंज व मशक़्क़त में गिरफ़तार हों भला यह भी कुछ अदल है तो इस ने कुफ़्र किया। किसी ने दूसरे से कहा कि ख़ुदा से डर इस ने कहा कि ख़ुदा कहां है तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। इसी तरह अगर कहा पैग़म्बर क़ब्र में नहीं

(1)जैसे बोलते हैं कि तू अपनी औरत से न जनना।

(2)वही तेरी क़सम है और वही गधे का उजू+ तनासुलयानी दोनों यक्सां हैं।

(3) मुतरजम कहता है कि अगर इस ने इस तरह कि कलिमा

कि मैं तमाम अम्बिया अल्लाह तआला पर ईमान लाया और मैं यह नहीं जानता हूं कि आदम अलैहिस्सलाम नबी थे या न थे तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी। यह इताबिया में है। शैख़ रह० से दरयाफ़्त किया गया कि जो शख़्स फ़वाहिश की जानिब मिस्ल ज़िना का क़सद करने वग़ैरह की जानिब अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को मन्सूब करता है कि जैसे हशो यह फ़िरक़ा के लोग हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की निस्बत बकते हैं तो फ़रमाया कि ऐसे शख़्स की तकफ़ीर की जायेगी इस वास्ते कि ऐसा क़ौल इन हज़रात अलैहिमुस्सलाम की निस्बत इन के हक़ में शितम है और इस्तख़्फ़ाफ़ है। हज़रत अबूज़र रज़ि0 ने फ़रमाया कि जो क़ाइल है कि हर गुनाह कुफ़्र है और बावजूद यहकि कहता है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने गुनाह किया है तो वो काफ़िर है इस लिए कि इस ने शितम कहा। अगर इस ने कहा कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने असयान नहीं किया है न दर हालत नबुव्वत के और न क़ब्ल इस के तो इस की तकफ़ीर की जायेगी इस वास्ते कि यह नसूस क़ुरआनी का रद है और मैंने बाज़ मशाइख़ से सुना कि अगर कोई शख़्स यह न जाने कि हज़रत मौहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आख़िर उल अम्बिया यानी ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं कि सब से आख़िर में इन पर नबुव्वत ख़त्म हो गई है तो वो मुसलमान नहीं हैं यह तीमिया में है। क़ालल मुतरजम बाज़ मशाइख़ की क़ैद बई मअनी है कि सुना उन्हें बाज़ से है वरना बिल इत्तफ़ाक़ जो शख़्स इस का क़ाइल न हो वो काफ़िर है और जो न जानता हो अगरचे आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया है तो वो नाक़िस है फ़ाफ़हम। शैख़ अबू हफ़्स कबीर ने फ़रमाया कि जिस किसी ने ख़्वाह कोई हो अगर अपने दिल में किसी नबी का बुग़्ज़ रखा तो वो काफ़िर है और इसी तरह अगर यूं कहा कि अगर फ़लां नबी होता तो मैं इस को पसन्द न करता और इस से राज़ी न होता तो भी कुफ़्र है। अगर कहा कि फ़लां पैग़ाम्बर होता तो मैं इस की तरफ़ न गुरदीदा होता पस अगर पैग़ाम्बर से इस की मुराद यह है कि अल्लाह तआला का रसूल होता तो

(1)+]ाफ़ीफ+ व हक़ीर समझना।

कुफ़्र+ में और इस के लफ़्ज+ में सरीह इल्तबास हो तो इस पर कुफ़्र+ का हुक्म दिया जायेगा और अगर इस ने इस के साथ इस की तौज़ीह भी की मसलनयूं कहा कि+][दायम और ज़ाहिर किया कि इस से मेरी मुरादयह है कि+]]द आयम तो इस के कुफ़्र+ में ताम्मुल है। वल्लाहु आलम।

है या कहा कि ख़ुदा का इल्म क़दीम नहीं है या कहा कि जो मअदूम है वो अल्लाह तआला को मालूम नहीं है तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह तातार खानिया में है। अगर अब्दुल्लाह नामी किसी आदमी को पुकारने में लफ़्ज़ अल्लाह के आख़िर काफ़ तसग़ीर लाहक़ किया पस अगर यह पुकारने वाला आलिम हो तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और अमदन ख़ालिक़ की तसग़ीर की ख़्वीक़ किया तो भी अगर आलिम है तो तकफ़ीर न की जायेगी यह बहरूल राइक़ में है। अगर किसी ने दूसरे से कहा कि ख़ुदा तेरे दिल पर रहमत करे मेरे दिल पर नहीं। पस अगर इस ने रहमत से बेपरवाई का क़सद किया है तो काफ़िर हुआ और अगर यह क़सद किया कि मेरा दिल असबात इदलाही से साबित है इस में कोई इज़्तराब नहीं है तो तकफ़ीर न की जायेगी। एक तफ़्ल अपने बाप को पुकारता है हालांकि इस का बाप नमाज़ पढ़ रहा है पस एक व्यक्ति ने इस तफ़्ल से कहा कि ठहर बे लोण्डे कि तेरा बाप अल्लाह अल्लाह करता है तो यह कुफ़्र नहीं है इस लिए कि इस के मअनी यह हैं कि सेवा अल्लाह तआला करता है। यह मुहीत में है। एक व्यक्ति ने किसी अंधे या मरीज़ को देख कर कहा कि ख़ुदा ने तुझे देखा और मुझे देखा और तुझ को ऐसा पैदा किया फिर मेरा क्या गुनाह है तो सही यह है कि इस की तकफ़ीर न की जायेगी यह ख़ुलासा में है। अगर कहा कि बख़ुदाये व बख़ाक पाये तो यानी क़सम ख़ुदा व क़सम तेरे पांव की ख़ाक की कि मैं ऐसा न करूंगा तो यह व्यक्ति काफ़िर हुआ और फ़ारसी ज़बान के मुहावरा के मुवाफ़िक़ क़सम बख़ुदा व बख़ाक पाये तो को लिखा तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और अगर कहा कि बख़ुदाऐ व बजान व सर तो यानी क़सम ख़ुदा की व क़सम तेरी जान व सर की तो इस में विद्वानों का मतभेद है। यह ज़ख़ीरा में है।

अनुवादक के कथनानुसार मगर अव्वल से बहुत क़रीम है अगरचे इस्तख़फ़ाफ़ (1) सरीह नहीं निकलता है।

इस सूरत में इस की तकफ़ीर की जायेगी जैसे इस कहने में कि दागर ख़ुदाऐ तआला मुझे किसी काम का हुक्म देता तो मैं न करता तकफ़ीर की जाती है।

अगर किसी ने कहा मुझे नहीं मालूम कि आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमी थे या जनी तो उस की तकफ़ीर की जायेगी :

जामअ सग़ीर में मज़कूर है कि अगर एक शख़्स और इस के ससुर के दरमियान झगडा और गुफ़तुगू पैश आई पस दामाद ने कहा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुझे बशारत देंगे तो मैं तेरे (1) हुक्म की पाबन्दी न करूंगा तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी। अगर किसी ने कहा कि जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने फ़रमाया कि अगर वो रास्त व अदल हो तो हम ने निजात पाई तो यह काफ़िर हुआ। इसी तरह अगर कहा कि अना रसूलुल्लाहि या फ़ारसी में कहा कि मन पैग़म्बरम या उर्दू में कहा कि मैं पैग़म्बर हूं और मुराद यह है कि मैं पैग़ाम ले जाता हूं तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। अगर ऐसा हुआ कि जिस वक्त इस ने यह कलाम किया है इस वक्त एक शख़्स दीगर ने इस से मोअज्ज़ा तलब किया तो यह दूसरा भी बिना बर क़ौल बाज़ के तकफ़ीर (2) किया जाये गा और मुताखिरीन मशाइख़ ने फ़रमाया कि अगर दूसरे की ग़र्ज़ मोअज्ज़ा तलब करने से इस को आजिज़ व फ़ज़ीहत करना है तो तकफ़ीर न किया जायेगा और अगर आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोऐ मुबारक को बलफ़्ज़ तसग़ीर कहा मसलन अरबी में शईर कहा तो बाज़ों के अनुसार तकफ़ीर किया जायेगा और मुतल्लक़न और दूसरों के अनुसार मुतल्लक़न नहीं बल्कि जब इस की नियत में अहानत हो। अगर किसी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमी थे या जनी तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह फ़ुसूल अमादिया में है।

अगर कहा कि फ़लां पैग़म्बर अस्त हक़ ख़्वीश अज़ वलबतानम यानी अगर फ़लां पैग़म्बर है तो भी इस से अपना हक़ ले लूंगा तो यह कुफ़्र न होगा यह फ़तावा अब इन अल्फ़ाज़ कुफ़्र का बयान है जो मुताल्लिक़ बाअम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं। वाज़ह हो कि जिस ने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वत्तसलीमात में से कुछ का इक़रार न किया या सुनन मुर्सलीन में से किसी सुन्नत को नापसन्द किया तो वो काफ़िर हुआ। और शैख़ बिन मक़ातिल से दरयाफ़्त किया गया कि अगर किसी ने हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम या हज़रत ज़ुलकिफ़्ल अलैहिस्सलाम की नबुव्वत से इन्कार किया तो शैख़ रह० ने फ़रमाया कि जिस बुज़ुर्ग के नबी होने की तमाम उम्मत बिल इत्तफ़ाक़ क़ाइल नहीं है इस की नबुव्वत से इन्कार करने वाला ऐसा ज़रर न पायेगा और अगर यूं कहा कि अगर फ़लां नबी होता तो मैं इस पर ईमान न लाता तो इस ने कुफ़्र किया यह मुहीत में है। शैख़ जअफ़र से दरयाफ़्त किया गया कि अगर किसी ने कहा कि मैं तमाम अम्बिया अल्लाह तआला पर ईमान लाया और मैं यह नहीं जानता हूं कि आदम अलैहिस्सलाम नबी थे या न थे तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी। यह इताबिया में है। शैख़ रह० से दरयाफ़्त किया गया कि जो व्यक्ति फ़वाहिश की जानिब मिस्ल ज़िना का क़सद करने वग़ैरह की जानिब अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को मन्सूब करता है कि जैसे हशो यह फ़िरक़ा के लोग हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की निस्बत बकते हैं तो फ़रमाया कि ऐसे व्यक्ति की तकफ़ीर की जायेगी इस लिए कि ऐसा कथन इन हज़रात अलैहिमुस्सलाम की निस्बत इन के हक़ में शितम है और इस्तख़फ़ाफ़ है। हज़रत अबूज़र रज़ि० ने फ़रमाया कि जो क़ाइल है कि हर गुनाह कुफ़्र है और बावजूद यहकि कहता है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने गुनाह किया है तो वो काफ़िर है इस लिए कि इस ने शितम कहा। अगर इस ने कहा कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने असयान नहीं किया है न दर हालत नबुव्वत के और न क़ब्ल इस के तो इस की तकफ़ीर की जायेगी इस लिए कि यह नसूस क़ुरआनी का रद है और मैंने कुछ विद्वानों से सुना कि अगर कोई व्यक्ति यह न जाने कि हज़रत मौहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर उल अम्बिया यानी ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं कि सब से आखिर में इन पर नबुव्वत ख़त्म हो गई है तो वो

क़ाज़ी खान में है अगर मौहम्मद दरवेशक बोहर या (मौहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ीर दुरवेश थे) कहा कि जामा पैग़म्बर रीमनाक बोद (पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा पीप भरा था) या कहा कि इन के नाख़ुन बड़े बड़े थे तो बाज़ ने फ़रमाया कि मुतल्लक़न इस की तकफ़ीर की जायेगी क़ालल मुतरजम मुवाफ़िक़ जबान उर्दू के यही असह है और बाज़ ने कहा कि अगर इस ने बतरीक़ अहानत के कहा तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत कहा कि इस मर्द ने ऐसा वैसा कहा है तो बाज़ ने फ़रमाया कि तकफ़ीर किया जायेगा क़ालल मुतरजम यही असह है हमारे अनुसार वल्लाहु आलम और अगर ऐसे शख़्स को बद ज़बानी से याद किया जिस का नाम मौहम्मद या अहमद या इस की कुन्नियत अबुल क़ासिम है चुनांचे इस को कहा कि ऐ छिनाल के बच्चे तो और जो और कि ख़ुदा का इस नाम या इस कुन्नियत का बन्दा है तो बाज़ मक़ाम पर ज़िक्र फ़रमाया कि अगर वो आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वक़्त याद रखता था फिर भी इस ने ऐसा कहा तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। यह मुहीत में है। अगर हिकसी ने कहा कि हर मअसियत गुनाह कबीरा इल्ला मआसी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम कि इन के मआसी सब सग़ीरा हैं तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी और अगर कहा कि हर असियान जो अमदन हो वो कबीरा है औ इस का करने वाला फ़ासिक़ है और साथ इस के यह भी कहा कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के मआसी उम्दनथे तो इस ने कुफ़्र किया इस वास्ते कि यह शितम है और अगर कहा कि मआसी अम्बिया अलैहिस्सलामु के अमदन न थे तो यह कुफ़्र न होगा यह तीमिया में है और राफ़ज़ी अगर हज़रत अबूबकर, हज़रत उमरो रज़ियल्लाहु अन्हुमा को गाली देता हो या मिस्ल इस के बद ज़बानी से याद करता हो और इन को लअनत कता हो नऊज़ुबिल्लाह मिन्हु तो वो काफ़िर है और अगर फ़क़त इतनी बात हो कि हज़रत अली करमुल्लाहु वजहहु को हज़रत अबूबकर पर फ़ज़ीलत देता हो तो वो काफ़िर न होगा बल्कि मुब्तदअ है और मोअतज़ली मुब्तदअ (1) होता है लेकिन मुसलमान नहीं हैं यह तीमिया में है। अनुवादक के कथनानुसार कुछ विद्वानों की क़ैद बईं मअनी है कि सुना उन्हें कुछ से है वरना बिल इत्तफ़ाक़ जो व्यक्ति इस का क़ाइल न हो वो काफ़िर है और जो न जानता हो अगरचे आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया है तो वो नाक़िस है फ़ाफ़हम। शैख़ अबू हफ़्स कबीर ने फ़रमाया कि जिस किसी ने चाहे कोई हो अगर अपने दिल में किसी नबी का बुग़्ज़ रखा तो वो काफ़िर है और इसी तरह अगर यूं कहा कि अगर फ़लां नबी होता तो मैं इस को पसन्द न करता और इस से राज़ी न होता तो भी कुफ़्र है। अगर कहा कि फ़लां पैग़ाम्बर होता तो मैं इस की तरफ़ न गुरदीदा होता पस अगर पैग़ाम्बर से इस की मुराद यह है कि अल्लाह तआला का रसूल होता तो

(1)+]फ़ीफ+ व हक़ीर समझना।

इस स्थिति में इस की तकफ़ीर की जायेगी जैसे इस कहने में कि दागर ख़ुदाऐ तआला मुझे किसी काम का हुक्म देता तो मैं न करता तकफ़ीर की जाती है।

अगर किसी ने कहा मुझे नहीं मालूम कि आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमी थे या जनी तो उस की तकफ़ीर की जायेगी :

जामअ सग़ीर में वर्णित है कि अगर एक व्यक्ति और इस के ससुर के दरमियान झगड़ा और गुफ़्तुगू पैश आई पस दामाद ने कहा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुझे बशारत देंगे तो मैं तेरे (1) हुक्म की पाबन्दी न करूंगा तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी। अगर किसी ने कहा कि जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने फ़रमाया कि अगर वो रास्त व अदल हो तो हम ने निजात पाई तो यह काफ़िर हुआ। इसी तरह अगर कहा कि अना रसूलुल्लाहि या फ़ारसी में कहा कि मन पैग़म्बरम या उर्दू में कहा कि मैं पैग़म्बर हूं और मुराद यह है कि मैं पैग़ाम ले जाता हूं तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। अगर ऐसा हुआ कि जिस समय इस ने यह बात किया है इस समय एक व्यक्ति दीगर ने इस से मोअज्ज़ा तलब किया तो यह दूसरा भी बिना बर

अगर इस ने दीदारे इलाही का महाल होता कहा तो अब काफ़िर होगा यह ख़ुलासा में है। अगर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को तोहमत ज़िना लगाई मतो वो काफ़िर हुआ और अगर आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाक़ी बीवियों रज़ियल्लाहु अन्हुन को ऐसी तोहमत लगाई नऊज़ुबिल्लाह मिन्हु तो काफ़िर न कहा जायेगा लेकिन मुस्तहिक़ लअनत होगा और अगर कहा कि उमरो व उस्मान व अली रज़ियल्लाहु अन्हुम असहाब न थे तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी लेकिन मुस्तहिक़ लअनत होगा

(1) अहतमाल है कि ज़मीर राजअ+ हो बजानिब हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमयानी इन के हुक्म की पाबन्दी न करूंगा वालावल अज़हर।

(2) इस मअनी पर कि इस ने इस की तसदीक+ करके इस से मोअज्ज़ा तलब किया हालांकि पैग़म्बरी+]ात्म हो चुकी।

यह ख़ज़ानतुल फ़िक्हा में है। जिस ने अमानत अबूबकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से इन्कार किया तो वो बाज़ के अनुसार काफ़िर है और बाज़ ने कहा कि मुब्तदअ है काफ़िर नहीं है और सही यह है कि वो काफ़िर है और इसी तरह जिस ने खिलाफ़त उमरो रज़ियल्लाहु अन्हु से इन्कार किया वो भी असह क़ौल के मुवाफ़िक़ काफ़िर है अगरचे इस में अक़वाल इख़्तलाफ़ी कई हैं कज़ा फ़िल ज़हीरिया और जो लोग हज़रत उस्मान रज़ि0 व हज़रत अली व तलहा व ज़ुबैर व आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुम की तकफ़ीर करते हैं इन की तकफ़ीर करना वाजिब है यानी काफ़िर कहना वाजिब है। सब ज़ैदियों को काफ़िर कहना वाजिब है इन के इस ऐतक़ाद पर कि वो अजम में से एक नबी ज़ाहिर होने का इन्तज़ार करते हैं कि इन के इस नापाक ऐतक़ाद के मुवाफ़िक़ वो हमारे हज़रत रसूलुल्लाह ख़ातिमुन्नबिय्यीन मौहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पाक को मन्सूख करेगा यह दजीज़ करदरी में है और रवाफ़िज़ को काफ़िर कहना वाजिब है इन के इस क़ौल पर कि मुर्दे लोट कर दुनिया में आऐंगे और अरवाह में तनासुख (2) होता है यानी अवागों होता है और असद की रूह इमामों में मुतक़ल हुई और इस क़ौल पर कि अलमा इतहार में से एक इमाम पोशीदा हो गये हैं वो आखिर में निकलेंगे कथन कुछ के तकफ़ीर (2) किया जाये गा और मुताखिरीन विद्वानों ने फ़रमाया कि अगर दूसरे की ग़र्ज़ मोअज्ज़ा तलब करने से इस को आजिज़ व फ़ज़ीहत करना है तो तकफ़ीर न किया जायेगा और अगर आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोऐ मुबारक को बलफ़ज़ तसग़ीर कहा मसलन अरबी में शईर कहा तो बाज़ों के अनुसार तकफ़ीर किया जायेगा और मुतल्लक़न और दूसरों के अनुसार मुतल्लक़न नहीं बल्कि जब इस की इरादा में अहानत हो। अगर किसी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमी थे या जनी तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह फ़ुसूल अमादिया में है।

अगर कहा कि फ़लां पैग़म्बर अस्त हक़ ख़्वीश अज़ वलबतानम यानी अगर फ़लां पैग़म्बर है तो भी इस से अपना हक़ ले लूंगा तो यह कुफ़्र न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है अगर मौहम्मद दरवेशक बोहर या (मौहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ीर दुरवेश थे) कहा कि जामा पैग़म्बर रीमनाक बोद (पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा पीप भरा था) या कहा कि इन के नाखुन बडे बडे थे तो कुछ ने फ़रमाया कि मुतल्लक़न इस की तकफ़ीर की जायेगी अनुवादक के कथनानुसार मुवाफ़िक़ जबान उर्दू के यही असह है और कुछ ने कहा कि अगर इस ने बतरीक़ अहानत के कहा तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत कहा कि इस मर्द ने ऐसा वैसा कहा है तो कुछ ने फ़रमाया कि तकफ़ीर किया जायेगा अनुवादक के कथनानुसार यही असह है हमारे अनुसार वल्लाहु आलम और अगर ऐसे व्यक्ति को बद ज़बानी से याद किया जिस का नाम मौहम्मद या अहमद या इस की कुन्नियत अबुल क़ासिम है चुनांचे इस को कहा कि ऐ छिनाल के बच्चे तो और जो और कि ख़ुदा का इस नाम या इस कुन्नियत का बन्दा है तो कुछ मक़ाम पर ज़िक्र फ़रमाया कि अगर वो आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस समय याद रखता था फिर भी इस ने ऐसा कहा तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। यह मुहीत में है। अगर हिकसी ने कहा कि हर मअसियत गुनाह कबीरा

और इस क़ौल पर कि शरई अम्र व नही जब तक इमाम मौसूफ़ निकले मुअत्तल है और इस क़ौल पर कि जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने ग़लती से वही आई हज़रत मौहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई न हज़रत अली करमुल्लाहु वजहहु को और ऐसे सब लोग मिल्लते इस्लाम से खारिज हैं और इन के अहकाम वही हैं जो मुरतिदों के अहकाम हैं। यह ज़हीरिया में है।

अगर किसी ने कहा कि काश अगर आदम गेंहू न खाते तो हम लोग शक़ी न होते तो उस की तकफ़ीर की जायेगी :

इकराह उल असल में मज़कूर है कि अगर किसी पर इकराह किया गया कि हज़रत मौहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शितम करे पस इस ने कहा हालांकि तो इस में तीन सूरतें हैं एक यह कि वो कहता है कि मेरे दिल में कुछ नहीं गुज़रा मैंने मौहम्मद का शितम किया जैसे इकराह करने वालों ने मुझ से चाहा था हालांकि मैं इस पर राज़ी नहीं हूं तो ऐसी सूरत में इस की तकफ़ीर न की जायेगी जैसे कोई शख़्स कलिमा कुफ़्र कहने पर मजबूर किया गया पस इस ने कहा हालांकि इस का दिल ईमान से मुतमइन है तो वो काफ़िर न हुआ औ दोम यह कि वो कहता है कि मेरे नियत इस वक़्त एक नसरानी मौहम्मद नाम था पस मैंने इस को शितम किया तो इस सूरत में भी इस की तकफ़ीर न की जायेगी और वजह सोम यह कि उस ने कहा कि मेरे दिल में एक शख़्स नसरानी मौहम्मद नाम का ख़्याल आया मगर मैंने इस को शितम नहीं किया बल्कि मौहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शितम किया तो इस सूरत में वो क़ज़ाअन व दयानतन तकफ़ीर किया जायेगा और जिस ने कहा कि आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनूं हो गये थे तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और जिस ने कहा कि आन्हज़रत स0अ0व0 पर बेहोशी तारी की गई थी इस की तकफ़ीर नहीं की जायेगी यह मुहीत में लिखा है। अगर किसी ने कहा कि काश अगर आदम गेंहू न खाते तो हम लोग शक़ी न होते तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह ख़ुलासा में है और जिस ने ग़ैर मुतवातिर का सिवा मआसी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम कि इन के मआसी सब सग़ीरा हैं तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी और अगर कहा कि हर असियान जो अमदन हो वो कबीरा है औ इस का करने वाला फ़ासिक़ है और साथ इस के यह भी कहा कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के मआसी उम्दनथे तो इस ने कुफ़्र किया इस लिए कि यह शितम है और अगर कहा कि मआसी अम्बिया अलैहिस्सलामु के अमदन न थे तो यह कुफ़्र न होगा यह तीमिया में है और राफ़ज़ी अगर हज़रत अबूबकर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को गाली देता हो या मिस्ल इस के बद ज़बानी से याद करता हो और इन को लअनत कता हो नऊज़ुबिल्लाह मिन्हु तो वो काफ़िर है और अगर फ़क़त इतनी बात हो कि हज़रत अली करमुल्लाहु वजहहु को हज़रत अबूबकर पर फ़ज़ीलत देता हो तो वो काफ़िर न होगा बल्कि मुब्तदअ है और मोअतज़ली मुब्तदअ (1) होता है लेकिन अगर इस ने दीदारे इलाही का महाल होता कहा तो अब काफ़िर होगा यह ख़ुलासा में है। अगर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को तोहमत ज़िना लगाई मतो वो काफ़िर हुआ और अगर आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाक़ी बीवियों रज़ियल्लाहु अन्हुन को ऐसी तोहमत लगाई नऊज़ुबिल्लाह मिन्हु तो काफ़िर न कहा जायेगा लेकिन मुस्तहिक़ लअनत होगा और अगर कहा कि उमर व उस्मान व अली रज़ियल्लाहु अन्हुम असहाब न थे तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी लेकिन मुस्तहिक़ लअनत होगा

(1) अहतमाल है कि ज़मीर राजअ+ हो बजानिब हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमयानी इन के हुक्म की पाबन्दी न करूंगा वालावल अज़हर।
(2)इस मअनी पर कि इस ने इस की पुष्टि करके इस से मोअज़्ज़ा तलब किया हालांकि पैग़म्बरी+]ात्म हो चुकी।

यह ख़ज़ानतुल फ़िक़्हा में है। जिस ने अमानत अबूबकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से इन्कार किया तो वो कुछ के अनुसार काफ़िर है और कुछ ने कहा कि मुब्तदअ है काफ़िर नहीं है और सही यह है कि वो काफ़िर है और इसी तरह जिस ने ख़िलाफ़त उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से इन्कार किया वो भी असह कथन के मुवाफ़िक़ काफ़िर है अगरचे इस में अक़वाल इख़्तलाफ़ी

इन्कार किया तो वो काफ़िर हुआ यानी जो हदीस या जो अम्र शरई इस तौर पर रिवायत किया गया और चला आता है कि अक़्ल में नहीं आता कि ग़लती व सहू या दरोग़ हो तो इस का इन्कार करने वाला काफ़िर हुआ यानी जो हदीस या जो अम्र शरई इस तौर पर रिवायत किया गया और चला आता है कि अक़्ल में नहीं आता कि ग़लती व सहू या दरोग़ हो तो इस का इन्कार करने वाला काफ़िर है जैसे पंजगाना नमाज़ों की तअदाद रकआत मसलन जो शख़्स खबर मशहूर का इन्कार करे बाज़ के नज़दीक इस की भी तकफ़ीर की जायेगी और ईसा बिन अबान ने फ़रमाया कि कहा जायेगा कि गुमराह हो गया है और तकफ़ीर न की जायेगी और यही सही है और जिस ने खबर वाहिद से इन्कार किया तो इस के इन्कार करने वाले की तकफ़ीर न की जायेगी मगर ऐसा शख़्स इस के क़बूल न करने से गुनहगार होगा यह ज़हीरिया में है। अगर किसी शख़्स ने किसी नबी की निस्बत यह तमन्ना की कि काश यह नबी न होता तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि अगर यह मुराद है कि अगर वो मबऊस न होता तो हिक्मत से खारिज न था तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी और अग इस ने इस बुज़ुर्ग नबी की निस्बत इस्तख़फ़ाफ़ व अदावत दिल में रखी है तो काफ़िर है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। क़ालल मुतरजम में नहीं समझता हूं कि इस रिवायत के ठीक किया मअनी हैं और न इस की वजह मअनी मालूम होती है बिल जुमला अगर किसी नबी के लफ़्ज़ से आम मुराद है यानी हमारे पैग़म्बर ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शामिल है तो मेरा ऐतक़ाद है कि ऐसा शख़्स काफ़िर है और अजब कि अगर कोई कहे कि अगर ख़ुदा फ़लां पैग़म्बर को न भेजता तो खारिज अज़ हिक्मत न था तो अलल इख़्तलाफ़ इस की तकफ़ीर की जायेगी कि निस्बत बअबस है। 'तआला अल्लाह अन ज़ालिक अलू कई हैं कज़ा फ़िल ज़हीरिया और जो लोग हज़रत उस्मान रज़ि० व हज़रत अली व तलहा व ज़ुबैर व आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुम की तकफ़ीर करते हैं इन की तकफ़ीर करना अनिवार्य है यानी काफ़िर कहना अनिवार्य है। सब ज़ैदियों को काफ़िर कहना अनिवार्य है इन के इस ऐतक़ाद पर कि वो अजम में से एक नबी ज़ाहिर होने का इन्तज़ार करते हैं कि इन के इस नापाक ऐतक़ाद के मुवाफ़िक़ वो हमारे हज़रत रसूलुल्लाह ख़ातिमुन्नबिय्यीन मौहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पाक को मन्सूख करेगा यह दजीज़ करदरी में है और रवाफ़िज़ को काफ़िर कहना अनिवार्य है इन के इस कथन पर कि मुर्दे लोट कर दुनिया में आऐंगे और अरवाह में तनासुख (2) होता है यानी अवागों होता है और असद की रूह इमामों में मुतक़ल हुई और इस कथन पर कि अलमा इतहार में से एक इमाम पोशीदा हो गये हैं वो आखिर में निकलेंगे और इस कथन पर कि शरई कार्य व नही जब तक इमाम मौसूफ़ निकले मुअत्तल है और इस कथन पर कि जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने ग़लती से वही आई हज़रत मौहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई न हज़रत अली करमुल्लाहु वजहहु को और ऐसे सब लोग मिल्लते इस्लाम से खारिज हैं और इन के अहकाम वही हैं जो मुरतिदों के अहकाम हैं। यह ज़हीरिया में है।

अगर किसी ने कहा कि काश अगर आदम गेंहू न खाते तो हम लोग शक़ी न होते तो उस की तकफ़ीर की जायेगी :

इकराह उल असल में वर्णित है कि अगर किसी पर इकराह किया गया कि हज़रत मौहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शितम करे पस इस ने कहा हालांकि तो इस में तीन सूरतें हैं एक यह कि वो कहता है कि मेरे दिल में कुछ नहीं गुज़रा मैंने मौहम्मद का शितम किया जैसे इकराह करने वालों ने मुझ से चाहा था हालांकि मैं इस पर राज़ी नहीं हूं तो ऐसी स्थिति में इस की तकफ़ीर न की जायेगी जैसे कोई व्यक्ति कलिमा कुफ़्र कहने पर मजबूर किया गया पस इस ने कहा हालांकि इस का दिल ईमान से मुतमइन है तो वो काफ़िर न हुआ औ दोम यह

(1)+]ुलासायह है कि अगर मोअतज़ली दीदारे इलाही मुमकिन होने का क़ाइल नहीं है तो वो मुब्तदअ+ है और अगर दीदारे इलाही मुहाल होने का क़ाइल है तो काफ़िर है।

(2)जिस्मी हालत बदलती रहती है औररूह लोट पोट इसी जहां में दूसरे क़ालिबों में रहती है।

(3)शितम गाली देना और बुरा कहना।

अकबीर अफ़लीता मल फ़ीह'। अगर किसी ने कहा कि मुझे पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दक कहीं तो मवाख़्ज़ा न छोड़ूं तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी और अगर कहा कि मैं भी कहूं तो तकफ़ीर की जायेगी यह ज़हीरिया में है।

अगर एक ने दूसरे से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को पसन्द करते थे मसलन कहा कि कदुऐ (लोकी) दराज़ को पसन्द फ़रमाते थे पस इस दूसरे ने कहा कि मैं इस को नहीं पसन्द करता हूं तो यह कुफ़्र है। ऐसा ही इमाम अबू यूसुफ़ रह० से भी मरवी है और बाज़े मुताखिरीन ने कहा कि अगर इस ने यह क़ौल बतौर अहानत के कहा है तो कुफ़्र है और बदून इस के कुफ़्र नहीं है। एक ने दूसरे से कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कपड़ा बुना है पस हम सब जोलाहा की औलाद हुए तो यह कुफ़्र है। एक ने दूसरे से कहा कि आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते थे तो अपनी तीन उंगलियां चाटते थे (इस अम्र की मुराद यह है कि यह फ़अल तहज़ीब के खिलाफ़ है) पस दूसरे ने कहा कि यह बेअदबी है तो यह कुफ़्र है। अगर किसी ने कहा कि दहक़ानों की क्या पाकीज़ा रसम है कि खाना खाते है और हाथ नहीं धोते हैं तो शैख़ ने फ़रमाया कि अगर यह क़ौल तरीक़ा मसनून की अहानत के तौर पर कहा है तो काफ़िर कहा जायेगा। अगर किसी ने कहा कि यह क्या रसम है कि मूंछें कतरवा कर या मुण्डवा कर पस्त कर देना और दस्तार ज़ैर गुलो लाना पस अगर इस ने क़ौल मज़कूर सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तअन करने के तौर पर कहा है तो इस ने कुफ़्र किया यह मुहीत में है। अगर आशूरा के रोज़ किसी से कहा कि सुरमा लगा कर सुरमा लगाना इस रोज़ सुन्नत है इस ने कहा कि औरतों व मुखन्निसों का काम है तो काफ़िर हो जायेगा और तखय्युर में लिखा है कि एक ने कोई बात कही पस दूसरे ने कहा कि दरोग़ मी गवेद अगर हिम्मा पैग़म्बर अस्त यानी झूट कहता है अगर बिल्कुल पैग़म्बर है तो इस पर कुफ़्र लाज़िम होगा और इसी तरह अगर कहा कि इस की बात पर गुरवीदा न होगा अगर बिल्कुल पैग़म्बर है तो भी कि वो कहता है कि मेरे इरादा इस समय एक नसरानी मौहम्मद नाम था पस मैंने इस को शितम किया तो इस स्थिति में भी इस की तकफ़ीर न की जायेगी और वजह सोम यह कि उस ने कहा कि मेरे दिल में एक व्यक्ति नसरानी मौहम्मद नाम का ख़्याल आया मगर मैंने इस को शितम नहीं किया बल्कि मौहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शितम किया तो इस स्थिति में वो क़ज़ाअन व दयानतन तकफ़ीर किया जायेगा और जिस ने कहा कि आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनूं हो गये थे तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और जिस ने कहा कि आन्हज़रत स०अ०व० पर बेहोशी तारी की गई थी इस की तकफ़ीर नहीं की जायेगी यह मुहीत में लिखा है। अगर किसी ने कहा कि काश अगर आदम गेंहू न खाते तो हम लोग शक़ी न होते तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह ख़ुलासा में है और जिस ने ग़ैर मुतवातिर का इन्कार किया तो वो काफ़िर हुआ यानी जो हदीस या जो कार्य शरई इस तौर पर रिवायत किया गया और चला आता है कि अक़्ल में नहीं आता कि ग़लती व सहू या दरोग़ हो तो इस का इन्कार करने वाला काफ़िर हुआ यानी जो हदीस या जो कार्य शरई इस तौर पर रिवायत किया गया और चला आता है कि अक़्ल में नहीं आता कि ग़लती व सहू या दरोग़ हो तो इस का इन्कार करने वाला काफ़िर है जैसे पंजगाना नमाज़ों की तअदाद रकआत मसलन जो व्यक्ति खबर मशहूर का इन्कार करे कुछ के निकट इस की भी तकफ़ीर की जायेगी और ईसा बिन अबान ने फ़रमाया कि कहा जायेगा कि गुमराह हो गया है और तकफ़ीर न की जायेगी और यही सही है और जिस ने खबर वाहिद से इन्कार किया तो इस के इन्कार करने वाले की तकफ़ीर न की जायेगी मगर ऐसा व्यक्ति इस के क़बूल न करने से गुनहगार होगा यह ज़हीरिया में है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी नबी की निस्बत यह तमन्ना की कि काश यह नबी न होता तो विद्वानों ने फ़रमाया कि अगर यह मुराद है कि अगर वो मबऊस न होता तो हिक्मत से खारिज न था तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी और अग इस ने इस बुज़ुर्ग नबी की निस्बत इस्तखफ़ाफ़ व अदावत दिल में रखी है तो काफ़िर है यह

यही हुक्म है और अगर एक ने दूसरे से कहा कि गरान ख़्वी सत अगर हिम्मा पैग़म्बर सत यानी बद ख़ल्क़ है अगर बिल्कुल पैग़म्बर है या कि अगर रूसुल या हिम्मा फ़रिश्ता मुक़र्रब अस्त या कहा कि अगर मुरसल सत या हिम्मा फ़रिश्ता मुक़र्रब अस्त गिरान जान सत तो फ़िलहाल काफ़िर होगा।

एक ने चाहा कि अपने ग़ुलाम को मारे पस दूसरे ने इस से कहा कि इस को मत मार पस इस ने जवाब दिया कि अगर मौहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमा दे कि मत मार तो भी न छोड़ूंगा या कहा कि अगर आसमान से आवाज़ दे कि मत मारो तो भी मारूंगा तो इस पर कुफ़्र लाज़िम होगा शैख़ रहमहुल्लाह ने कहा कि मैंने सदरूल इस्लाम जमालुद्दीन से दरयाफ़्त किया कि अगर किसी ने अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से कोई हदीस पढ़ी पस दूसरे ने इस से कहा कि हिम्मा रोज़ ख़लशहा ख़्वान्द तो शैख़ ने फ़रमाया कि अगर कहने वाले ने इस की इज़ाफ़त पढ़ने वाले की तरफ़ की न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ़ तो देखा जायेगा कि अगर ऐसी हदीस है जो मुताल्लिक़ बदीन व अहकाम शरई है तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और अगर ऐसी हदीस है जो इस से मुताल्लिक़ नहीं है तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी और इस की गुफ़्तुगू इस अम्र पर महमूल की जायेगी कि इस की मुराद यह है कि इस के सिवाए दूसरी चीज़ का पढ़ना औला है। क़ालल मुतरजम 'यन्बग़ी अन यन्ज़र रबा अल ज़रब अल मौजअ'। अगर किसी ने कहा कि बहुरमत जो इन अरबी तो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और अगर किसी ने कहा कि पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक़्त पैग़म्बर थे और एक वक़्त ऐसा था कि पैग़म्बर न थे या कहा कि मैंनहीं जानता हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्र में मौमिन हैं या काफ़िर हैं तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। ग़र्रूल मआनी में मज़कूर है कि एक ने अपनी बीवी से कहा कि खिलाफ़ मत कह इस ने कहा कि पैग़म्बरान खिलाफ़ घंतना यानी पैग़म्बरों ने खिलाफ़ कहा है कि एक ने अपनी बीवी से कहा कि खिलाफ़ मत कह इस ने कहा फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। अनुवादक के कथनानुसार मैं नहीं समझता हूं कि इस रिवायत के ठीक किया मआनी हैं और न इस की वजह मआनी मालूम होती है बिल जुमला अगर किसी नबी के लफ़्ज़ से आम मुराद है यानी हमारे पैग़म्बर ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शामिल है तो मेरा ऐतक़ाद है कि ऐसा व्यक्ति काफ़िर है और अजब कि अगर कोई कहे कि अगर ख़ुदा फ़लां पैग़म्बर को न भेजता तो खारिज अज़ हिक्मत न था तो अलल मतभेद इस की तकफ़ीर की जायेगी कि निस्बत बअबस है। 'तआला अल्लाह अन ज़ालिक अलू अकबीर अफ़लीता मल फ़ीह'। अगर किसी ने कहा कि मुझे पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दक कहीं तो मवाख़्ज़ा न छोड़ूं तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी और अगर कहा कि मैं भी कहूं तो तकफ़ीर की जायेगी यह ज़हीरिया में है।

(1)+]ुलासायह है कि अगर मोअतज़ली दीदारे इलाही मुमकिन होने का क़ाइल नहीं है तो वो मुब्तदअ+ है और अगर दीदारे इलाही मुहाल होने का क़ाइल है तो काफ़िर है।
(2)जिस्मी हालत बदलती रहती है औररूह लोट पोट इसी जहां में दूसरे क़ालिबों में रहती है।
(3)शितम गाली देना और बुरा कहना।

अगर एक ने दूसरे से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को पसन्द करते थे मसलन कहा कि कदुऐ (लोकी) दराज़ को पसन्द फ़रमाते थे पस इस दूसरे ने कहा कि मैं इस को नहीं पसन्द करता हूं तो यह कुफ़्र है। ऐसा ही इमाम अबू यूसुफ़ रह० से भी मरवी है और बाज़े मुताखिरीन ने कहा कि अगर इस ने यह कथन बतौर अहानत के कहा है तो कुफ़्र है और बदून इस के कुफ़्र नहीं है। एक ने दूसरे से कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कपड़ा बुना है पस हम सब जोलाहा की औलाद हुए तो यह कुफ़्र है। एक ने दूसरे से कहा कि आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते थे तो अपनी तीन उंगलियां चाटते थे (इस कार्य की मुराद यह है कि यह फ़अल तहज़ीब के खिलाफ़ है) पस दूसरे ने कहा कि यह बेअदबी है तो यह कुफ़्र है। अगर किसी ने कहा कि दहक़ानों की क्या पाकीज़ा रसम है कि खाना खाते हैं

कि पैग़म्बरान खिलाफ़ घंतना यानी पैग़म्बरों ने खिलाफ़ कहा है कि तो शैख़ ने फ़रमाया कि यह कलिमा कुफ़्र है चाहिए कि औरत तौबा करे और निकाह की तजदीद करके यह तातारख़ानिया में है।

(1)मुतरजम कहता है कि इस कोऐसी ज़र्ब देना जिस से वो दर्दनाक हो सज़ावार।

अगर किसी ने कहा मैं फ़लां की गवाही की समाअत न करूंगा अगरचे जिब्राईल अलैहिस्सलाम व मीकाईल अलैहिस्सलाम हो तो उस की तकफ़ीर की जायेगी :

अगर एक ने दूसरे से कहा कि मुझे तेरा देखना जैसये मलकुल मौत का देखना है तो यह ख़ताऐ अज़ीम है और इस की तकफ़ीर में मशाइख़ का इख़्तलाफ़ है बाज़ ने कहा कि इस की तकफ़ीर की जाये और अक्सरों ने फ़रमाया कि नहीं तकफ़ीर की जायेगी यह मुहीत में है और ख़ानिया में लिखा है कि बाज़ ने फ़रमाया कि अगर इस ने यह क़ौल बसबब अदावत मलकुल मौत के कहा है तो काफ़िर हो जायेगा और अगर इस ने यह लफ़्ज़ बसबब कराहत मौत के कहा है तो काफ़िर न हो जायेगा और अगर कहा कि रूए फ़लां दुशमन मैदारम चून रूए मलकुल मौत तो अक्सर मशाइख़ के अनुसार इस की तकफ़ीर की जायेगी और तख़युर में लिखा है कि अगर किसी ने कहा कि मैं फ़लां की गवाही की समाअत न करूंगा अगरचे जिब्राईल व मीकाईल हो तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और अगर किसी ने फ़रिश्तों मेंसे किसी को ऐब लगाया तो तकफ़ीर की जायेगी। एक ने कहा कि मुझे हज़ार दिरहम दे ताकि मैं मलकुल मौत को भेजूं कि वो रूह फ़लां को रफ़अ करे ताकि इस को क़त्ल करे पस आया ऐसे क़ाइल की तकफ़ीर की जायेगी या नहीं तो शैख़ रज़ि0 ने फ़रमाया कि शैख़ अबूज़र रहमतुल्लाहि ने फ़रमाया कि फ़रिश्तों के साथ इसतख़्फ़ाफ़ करना है। एक ने दूसरे से कहा कि मैं तेरा फ़रिश्ता हूं फ़लां मक़ाम में तेरे काम में मदद करूंगा तो बाज़ ने फ़रमाया कि इस की तकफ़ीर न की जायेगी और इसी तरह अगर मुतल्लक़न कहा कि मैं फ़रिश्ता हूं तो भी यही और हाथ नहीं धोते हैं तो शैख़ ने फ़रमाया कि अगर यह कथन तरीक़ा मसनून की अहानत के तौर पर कहा है तो काफ़िर कहा जायेगा। अगर किसी ने कहा कि यह क्या रसम है कि मूंछें कतरवा कर या मुण्डवा कर पस्त कर देना और दस्तार ज़ैर गुलो लाना पस अगर इस ने कथन वर्णित सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तअन करने के तौर पर कहा है तो इस ने कुफ़्र किया यह मुहीत में है। अगर आशूरा के रोज़ किसी से कहा कि सुरमा लगा कर सुरमा लगाना इस रोज़ सुन्नत है इस ने कहा कि औरतों व मुख़न्निसों का काम है तो काफ़िर हो जायेगा और तख़य्युर में लिखा है कि एक ने कोई बात कही पस दूसरे ने कहा कि दरोग़ मी गवेद अगर हिम्मा पैग़म्बर अस्त यानी झूट कहता है अगर बिल्कुल पैग़म्बर है तो इस पर कुफ़्र अनिवार्य होगा और इसी तरह अगर कहा कि इस की बात पर गुरवीदा न होगा अगर बिल्कुल पैग़म्बर है तो भी यही हुक्म है और अगर एक ने दूसरे से कहा कि गरान ख़ी सत अगर हिम्मा पैग़म्बर सत यानी बद ख़ल्क़ है अगर बिल्कुल पैग़म्बर है या कि अगर रूसुल या हिम्मा फ़रिश्ता मुक़र्रब अस्त या कहा कि अगर मुरसल सत या हिम्मा फ़रिश्ता मुक़र्रब अस्त गिरान जान सत तो फ़िलहाल काफ़िर होगा।

एक ने चाहा कि अपने गुलाम को मारे पस दूसरे ने इस से कहा कि इस को मत मार पस इस ने जवाब दिया कि अगर मौहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमा दे कि मत मार तो भी न छोडूंगा या कहा कि अगर आसमान से आवाज़ दे कि मत मारो तो भी मारूंगा तो इस पर कुफ़्र अनिवार्य होगा शैख़ रहमहुल्लाह ने कहा कि मैंने सदरूल इस्लाम जमालुद्दीन से दरयाफ़्त किया कि अगर किसी ने अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से कोई हदीस पढी पस दूसरे ने इस से कहा कि हिम्मा रोज़ ख़लशहा ख़्वान्द तो शैख़ ने फ़रमाया कि अगर कहने वाले ने इस की इज़ाफ़त पढने वाले की तरफ़ की न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ़ तो देखा जायेगा कि अगर ऐसी हदीस है जो मुताल्लिक़ बदीन व अहकाम शरई है तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और अगर ऐसी हदीस है जो इस से मुताल्लिक़ नहीं है तो इस

हुक्म है बख़िलाफ़ इस के अगर कहा कि मैं नबी हूं या तेरा नबी हूं तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह तातार खानिया में है।

एक ने एक औरत से निकाह किया और अगर गवाह हाज़िर न हुए पस इस ने कहा कि ख़ुदा व रसूल को मैंने गवाह किया या कहा कि ख़ुदा व फ़रिश्तों को गवाह किया तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और अगर इस ने कहा कि दाऐं हाथ के फ़रिश्ते और बाऐं तरफ़ के फ़रिश्ते को गवाह किया तो तकफ़ीर (अगरचे निकाह ना दुरूस्त है) न की जायेगी यह फ़ुसूल इमादिया में है। अब इन अल्फ़ाज़ का बयान है जो मुताल्लिक़ बक़ुरआन हैं। जो शख़्स क़ुरआन के मख़्लूक़ होने का क़ाइल है वो काफ़िर है यह फ़ुसूल इमादिया में है और जिस ने आयत क़ुरआन में से किसी आयत का इन्कार किया या इस से तमसख़र किया और ख़ज़ाना में लिखा है कि या ऐब लगाया तो काफ़िर हुआ यह तातार खानिया में है। अगर 'क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़' और 'क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास' के क़ुरआन का जुज़्व होने से इन्कार किया तो इस की तकफ़ीर न किया जायेगी और बाज़ मुताखिरीन ने फ़रमाया कि तकफ़ीर की जायेगी क्योंकि बाद सदर अव्वल के इस अम्र पर इजमाअ हो गया है कि यह दोनों सूरतें क़ुरआन मैंने हैं और सही वही क़ौल अव्वल है इस वास्ते कि इजमाअ (1) मुताखिर इख़्तलाफ़ मुतक़द्दिम को रफ़ा नहीं करता है यह ज़हीरिया में है। अगर दिफ़ बजाने पर या बांसुरी बजाने पर क़ुरआन को पढ़ा तो इन से कुफ़्र किया। एक ने क़ुरआन पढ़ा पस किसी ने कहा कि अंजपा मांग तूफ़ान अस्त (यह क्या आवाज़ तूफ़ान है) तो यह कुफ़्र है यह मुहीत में है और अगर कहा कि क़ुरआन तूने बहुत पढ़ा मगर हम से जिनायत को दूर न किया तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह ख़ुलासा में है।

अगर किसी ने दूसरे से कहा कि 'क़ुल हुवल्लाहु अहद अइवस्त बाज़ करदी' यानी तूने 'क़ुल हुवल्लाहु अहद' की खाल खींच दी या कहा कि 'अलम नशरह' का तूने गिरेबान पकड़ा है या जो शख़्स मतरीज़ के पास 'यासीन' पढ़ता था इस से कहा कि 'यासीन' मुर्दा के मुंह की तकफ़ीर न की जायेगी और इस की गुफ़्तुगू इस कार्य पर महमूल की जायेगी कि इस की मुराद यह है कि इस के सिवाए दूसरी चीज़ का पढ़ना औला है। अनुवादक के कथनानुसार 'यन्बग़ी अन यज़्र रबा अल ज़रब अल मौजअ'। अगर किसी ने कहा कि बहुरमत जो इन अरबी तो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और अगर किसी ने कहा कि पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक समय पैग़म्बर थे और एक समय ऐसा था कि पैग़म्बर न थे या कहा कि मैंनहीं जानता हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्र में मौमिन हैं या काफ़िर हैं तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। ग़र्रूल मआनी में वर्णित है कि एक ने अपनी बीवी से कहा कि खिलाफ़ मत कह इस ने कहा कि पैग़म्बरान खिलाफ़ घंतना यानी पैग़म्बरों ने खिलाफ़ कहा है कि एक ने अपनी बीवी से कहा कि खिलाफ़ मत कह इस ने कहा कि पैग़म्बरान खिलाफ़ घंतना यानी पैग़म्बरों ने खिलाफ़ कहा है कि तो शैख ने फ़रमाया कि यह कलिमा कुफ़्र है चाहिए कि औरत तौबा करे और निकाह की तजदीद करके यह तातारखानिया में है।

(1)मुतरजम कहता है कि इस कोऐसी ज़र्ब देना जिस से वो दर्दनाक हो सज़ावार।

अगर किसी ने कहा मैं फ़लां की गवाही की समाअत न करूंगा अगरचे जिब्रईल अलैहिस्सलाम व मीकाईल अलैहिस्सलाम हो तो उस की तकफ़ीर की जायेगी :

अगर एक ने दूसरे से कहा कि मुझे तेरा देखना जैसये मलकुल मौत का देखना है तो यह ख़ताऐ अज़ीम है और इस की तकफ़ीर में विद्वानों का मतभेद है कुछ ने कहा कि इस की तकफ़ीर की जाये और अक्सरों ने फ़रमाया कि नहीं तकफ़ीर की जायेगी यह मुहीत में है और खानिया में लिखा है कि कुछ ने फ़रमाया कि अगर इस ने यह कथन बसबब अदावत मलकुल मौत के कहा है तो काफ़िर हो जायेगा और अगर इस ने यह लफ़्ज़ बसबब कराहत मौत के कहा है तो काफ़िर न हो जायेगा और अगर कहा कि रूए फ़लां दुशमन मैदारम चून रूए

में मत रख या किसी से कहा कि 'ई कोताह तराज़ ज़िना अअतैयनाक' यानी 'अदाना अअतैयनाक' से भी ज़्यादा कोताह या जो शख़्स क़ुरआन पढ़ता था और कोई कलिमा इस को याद नहीं आता था इस से कहा कि 'चल तफ़्त उल साक़ बिल साक़' या किसी के पास क़दह भर के लाया और कहा कि कासा वहा क़ाया किसी से बतरीक़ मज़ाह के कहा कि 'फ़कानत सराबा' या नाप व क़ौल के वक़्त बतरीक़ मज़ाह के कहा कि 'वाज़ा कालू ओ वज़नूहुम युख़्सरून' या किसी से कहा कि तूने 'अलम नशरह' की पगड़ी बांधी है और इस की मुराद यह है कि तूने इल्म को ज़ाहिर किया है या किसी मौज़ओ के लोगों को जमा (यानी किसी जगह के) किया और कहा 'फ़ज्मअना हुम जमआ' या कहा 'वहशरना हुम फ़लम नफ़ादिर मिनहुम अहद' या किसी से कहा कि तू वाफ़ाज़आत नज़अन क्योंकर पढ़ता है नों के पेश से या ग़ैर से और इस की मुराद तन्ज़ है या किसी शख़्स ने कहा कि 'इक़राअ अशतमक क़ालल्लाहु तआला कल्ला बल रान' यानी तो पढ़ ताकि मैं तुझे बदगोई करूं कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया है कल्ला बल रान तो यह भी सख़्त गुस्ताखी व कुफ़्र है या किसी ने दूसरे को जमाअत से नमाज़ अदा करने में बुलाया या इस ने कहा कि मैं तन्हा नमाज़ पढ़ता हूं क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया 'इन्नस्सलात तन्हा' या किसी दूसरे से कहा कि 'तफ़सीलिया बहो ज़फ़ान उल तफ़शील मज़हब बिल रीह क़ाल्लहु तआला वला रऊ अफ़तफ़शलू अईमज़हब रीहुक्म' यानी तफ़शीला जायज़ है क्योंकि वो बाई दोर करता है अल्लाह तआला ने फ़रमाया है वला तनाज़ऊ अफ़तफ़शलू ओ मज़हब (1) रीहुक्म तो इन सब सूरतों में इस की तकफ़ीर की जायेगी और अगर दूसरे से कहा कि घर तूने ऐसा पाक किया है जैसे वस्समा वल तारिक़ तो बाज़ ने फ़रमाया तकफ़ीर किया जायेगा और शैख़ अबूबकर बिन इसहाक़ ने फ़रमाया कि अगर कहने वाला जाहिल हो तो तकफ़ीर न की जायेगी और अगर आलिम हो तो तकफ़ीर की जायेगी और अगर कहा कि क़ाअन सफ़सफ़न शुदह अस्त तो इस में ख़तर अज़ीम है यानी शायद तकफ़ीर तक पहुंचने और इस तरह अगर हांडी की खुर्चन या मलकुल मौत तो अक्सर विद्वानों के अनुसार इस की तकफ़ीर की जायेगी और तख़युर में लिखा है कि अगर किसी ने कहा कि मैं फ़लां की गवाही की समाअत न करूंगा अगरचे जिब्राईल व मीकाईल हो तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और अगर किसी ने फ़रिश्तों मेंसे किसी को ऐब लगाया तो तकफ़ीर की जायेगी। एक ने कहा कि मुझे हज़ार दिरहम दे ताकि मैं मलकुल मौत को भेजूं कि वो रूह फ़लां को रफ़अ करे ताकि इस को क़त्ल करे पस आया ऐसे क़ाइल की तकफ़ीर की जायेगी या नहीं तो शैख़ रज़ि0 ने फ़रमाया कि शैख़ अबूज़र रहमतुल्लाहि ने फ़रमाया कि फ़रिश्तों के साथ इसतख़्फ़ाफ़ करना है। एक ने दूसरे से कहा कि मैं तेरा फ़रिश्ता हूं फ़लां मक़ाम में तेरे काम में मदद करूंगा तो कुछ ने फ़रमाया कि इस की तकफ़ीर न की जायेगी और इसी तरह अगर मुतल्लक़न कहा कि मैं फ़रिश्ता हूं तो भी यही हुक्म है बख़िलाफ़ इस के अगर कहा कि मैं नबी हूं या तेरा नबी हूं तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह तातार खानिया में है।

एक ने एक औरत से निकाह किया और अगर गवाह हाज़िर न हुए पस इस ने कहा कि ख़ुदा व रसूल को मैंने गवाह किया या कहा कि ख़ुदा व फ़रिश्तों को गवाह किया तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और अगर इस ने कहा कि दाऐं हाथ के फ़रिश्ते और बाऐं तरफ़ के फ़रिश्ते को गवाह किया तो तकफ़ीर (अगरचे निकाह ना दुरूस्त है) न की जायेगी यह फ़ुसूल इमादिया में है। अब इन अल्फ़ाज़ का बयान है जो मुताल्लिक़ बक़ुरआन हैं। जो व्यक्ति क़ुरआन के मख़्लूक़ होने का क़ाइल है वो काफ़िर है यह फ़ुसूल इमादिया में है और जिस ने आयत क़ुरआन में से किसी आयत का इन्कार किया या इस से तमसख़र किया और ख़ज़ाना में लिखा है कि या ऐब लगाया तो काफ़िर हुआ यह तातार खानिया में है। अगर 'क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़' और 'क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास' के क़ुरआन का जुज़्व होने से इन्कार किया तो इस की तकफ़ीर न किया जायेगी और कुछ मुताखिरीन ने फ़रमाया कि तकफ़ीर की जायेगी क्योंकि बाद सदर अव्वल के इस कार्य पर इजमाअ हो गया है

बक़िया की निस्बत कहा कि 'वल बाक़ियात उल सालिहात' तो इस में भी ख़तर अज़ीम है और अगर कहा कि क़ुरआन अजमी है तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर कहा कि क़ुरआन में कलिमा अजमी है तो इस के हक़ में ताम्मुल है ऐसा ही शैख़ अबुल क़ासिम मुफ़स्सिर ने ज़िक्र किया है यह फ़ुज़ूल अमादिया में है।

अगर किसी ने क़ुरआन को फ़ारसी में नग़लम किया तो क़त्ल किया जायेगा, इस वास्ते कि वो काफ़िर है :

ख़ज़ानतुल फ़िक़्हा में लिखा है कि अगर किसी से कहा गया कि तू क़ुरआन क्यों नहीं पढता है इस ने कहा कि क़ुरआन से मैं बेज़ार हो तो तकफ़ीर किया जायेगा और रिसला सदरूल सुदूर व रिसाला क़ाज़ी उल क़ुज़ा कमालुद्दीन में मज़कूर है कि अगर कोई शख़्स क़ुरआन शरीफ़ से कोई सूरह याद रखता है और वही सूरह बहुत पढता है पस दूसरा कहे कि ऐन सूरह राज़ बोन गिरफ़्ता यानी इस सूरह को तूने कमज़ोर दबा पाया है तो काफ़िर हो जायेगा और तख़य्युर में लिखा है कि अगर किसी ने क़ुरआन को फ़ारसी में नग़लम किया तो क़त्ल किया जायेगा इस वास्ते कि वो काफ़िर है यह तातार खानिया में है। अब इन अल्फ़ाज़ कुफ़्र का बयान है जो नमाज़ वो रोज़ा व ज़कात से मुताल्लिक़ हैं। किसी ने एक बीमार से कहा कि नमाज़ पढ ले इस ने जवाब दिया कि कभी नहीं पढूंगा फिर इस ने न पढी यहां तक कि मर गया तो कहा जायेगा कि वो काफ़िर मरा है और अगर किसी ने कहा मैं नहीं पढूंगा तो इस में अहतमाल चार सूरतों का है अव्वल यह कि नहीं पढूंगा क्योंकि मैं पढ चुका हूं दोम यह कि तेरे हुक्म से नहीं पढूंगा क्योंकि ऐसे बुज़ुर्ग ने हुक्म किया है जो तुझ से बेहतर है सोयम यह कि नहीं पढूंगा अज़ राह फ़िसक़ व मजानत (दिलेरी व बेबाकी और निडरपन) के तो यह तीनों सूरतें कुफ़्र नहीं हैं और चहारूम यह कि नहीं पढूंगा इस वास्ते कि नमाज़ मुझ पर नहीं वाजिब है और मैं इस के करने का हुक्म नहीं दिया कि यह दोनों सूरतें क़ुरआन मैंने हैं और सही वही कथन अव्वल है इस लिए कि इजमाअ (1) मुताखिर मतभेद मुतक़द्दिम को रफ़ा नहीं करता है यह ज़हीरिया में है। अगर दिफ़ बजाने पर या बांसुरी बजाने पर क़ुरआन को पढा तो इन से कुफ़्र किया। एक ने क़ुरआन पढा पस किसी ने कहा कि अंजपा मांग तूफ़ान अस्त (यह क्या आवाज़ तूफ़ान है) तो यह कुफ़्र है यह मुहीत में है और अगर कहा कि क़ुरआन तूने बहुत पढा मगर हम से जिनायत को दूर न किया तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह ख़ुलासा में है।

अगर किसी ने दूसरे से कहा कि 'क़ुल हुवल्लाहु अहद अइवस्त कुछ करदी' यानी तूने 'क़ुल हुवल्लाहु अहद' की खाल खींच दी या कहा कि 'अलम नशरह' का तूने गिरेबान पकड़ा है या जो व्यक्ति मतरीज़ के पास 'यासीन' पढता था इस से कहा कि 'यासीन' मुर्दा के मुंह में मत रख या किसी से कहा कि 'ई कोताह तराज़ ज़िना अअतैयनाक' यानी 'अदाना अअतैयनाक' से भी ज़्यादा कोताह या जो व्यक्ति क़ुरआन पढता था और कोई कलिमा इस को याद नहीं आता था इस से कहा कि 'वल तफ़त उल साक़ बिल साक़' या किसी के पास क़दह भर के लाया और कहा कि कासा वहा क़ाया किसी से बतरीक़ मज़ाह के कहा कि 'फ़क़ानत सराबा' या नाप व कथन के समय बतरीक़ मज़ाह के कहा कि 'वाज़ा कालू ओ वज़नूहुम युख़्सरून' या किसी से कहा कि तूने 'अलम नशरह' की पगड़ी बांधी है और इस की मुराद यह है कि तूने इल्म को ज़ाहिर किया है या किसी मौज़अ के लोगों को जमा (यानी किसी जगह के) किया और कहा 'फ़जमअना हुम जमआ' या कहा 'वहशरना हुम फ़लम नफ़ादिर मिनहुम अहद' या किसी से कहा कि तू वाफ़ाज़आत नज़अन क्योंकर पढ़ता है नों के पेश से या ज़ैर से और इस की मुराद तन्ज़ है या किसी व्यक्ति ने कहा कि 'इक़राअ अशतमक क़ालल्लाहु तआला कल्ला बल रान' यानी तो पढ ताकि मैं तुझे बदगोई करूं कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया है कल्ला बल रान तो यह भी सख़्त गुस्ताखी व कुफ़्र है या किसी ने दूसरे को जमाअत से नमाज़ अदा करने में बुलाया या इस ने कहा

गया हूं तो इस की तकफ़ीर की जायेगी पस अगर किसी ने इसी क़द्र कहा कि नहीं पढ़ूंगा तो इस से इस की तकफ़ीर नहीं की जा सकती है इस वास्ते कि इस में उन्हीं चारों का अहतमाल है और अगर किसी से कहा गया कि नमाज़ पढ पस इस ने कहा कि भड़वा हो जो नमाज़ पढ़े और अपने ऊपर मुफ्त काम बढाये या यूं कहा कि मुद्दत हुई जबअ से मैंने बेगार नहीं की है या कहा कि यह काम कौन आखिर तक पूरा कर सकता है या कहा कि अक़लमन्द को ऐसे काम में न पड़ना चाहिए जिस को आखिर तक निबाह न सके या कहा कि और लोग मेरे वास्ते कर लेते हैं या कहा कि नमाज़ पढता हूं तो कुछ सर फ़राज़ी मुझे नहीं मिल जाती

(1)तफ+शील ज़ाहिर मुराद फ़अल जिमाअ+ा लवातत।

है या कहा कि तूने नमाज़ पढी तो क्या सरफ़राज़ी पाई या कहा कि नमाज़ किस की पढ़ूं मेरे मां व बाप तो मर चुके हैं या कहा कि नमाज़ पढी न पढी दोनों यक्सां हैं या कहा कि इतनी नमाज़ पढी कि मेरा दिल कहा गया या कहा कि नमाज़ ऐसी चीज़ नहीं है कि रहेगी तो सड जायेगी तो यह सब कुफ़्र है यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है।

एक ने दूसरे से कहा कि इस हाजत के वास्ते आओ नमाज़ पढें पस इस ने कहा कि मैंने बहुत नमाज़ पढी मेरी कोई हाजत नहीं बर आई और यह बतौर इस्तख्फ़ाफ़ व तन्ज़ के कहा तो काफ़िर हो जायेगा यह तातार खानिया में है। अगर नमाज़ियों से एक फ़ासिक़ ने कहा कि आओ और मुसलमानी देखो और अपनी मज्लिस फ़िसक़ व फुजूर की तरफ़ इशारा किया तो काफ़िर हो जायेगा। अगर कहा कि बेनमाज़ी क्या अच्छा काम है तो यह कुफ़्र है। अगर किसी शख़्स से कहा कि नमाज़ पढता इताअत का मज़ा तुझ को हासिल हो या फ़ारसी में कहा कि नमाज़ कुन ता हलावत नमाज़ करदन बयानी पस इस शख़्स ने कहा कि तू नमाज़ न पढता बेनमाज़ी का मज़ा तुझ को हासिल हो तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर किसी गुलाम से कहा गया कि तू नमाज़ पढ इस ने कहा कि नहीं पढ़ूंगा इस वास्ते कि तू अब मेरे मौला का होगा तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और अगर किसी शख़्स कि मैं तन्हा नमाज़ पढता हूं क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया 'इन्नस्सलात तन्हा' या किसी दूसरे से कहा कि 'तफ़सीलिया बहो ज़फ़ान उल तफ़शील मज़हब बिल रीह क़ाल्लहु तआला वला रऊ अफ़तफ़शलू अईमज़हब रीहुक्म' यानी तफ़शीला जायज़ है क्योंकि वो बाई दोर करता है अल्लाह तआला ने फ़रमाया है वला तनाज़ऊ अफ़तफ़शलू ओ मज़हब (1) रीहुक्म तो इन सब सूरतों में इस की तकफ़ीर की जायेगी और अगर दूसरे से कहा कि घर तूने ऐसा पाक किया है जैसे वस्समा वल तारिक़ तो कुछ ने फ़रमाया तकफ़ीर किया जायेगा और शैख़ अबूबकर बिन इसहाक़ ने फ़रमाया कि अगर कहने वाला जाहिल हो तो तकफ़ीर न की जायेगी और अगर आलिम हो तो तकफ़ीर की जायेगी और अगर कहा कि क़ाअन सफ़सफ़न शुदह अस्त तो इस में ख़तर अज़ीम है यानी शायद तकफ़ीर तक पहुंचने और इस तरह अगर हांडी की खुर्चन या बक़िया की निस्बत कहा कि 'वल बाक़ियात उल सालिहात' तो इस में भी ख़तर अज़ीम है और अगर कहा कि क़ुरआन अजमी है तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर कहा कि क़ुरआन में कलिमा अजमी है तो इस के हक़ में ताम्मुल है ऐसा ही शैख़ अबुल क़ासिम मुफ़स्सिर ने ज़िक्र किया है यह फुसूल अमादिया में है।

अगर किसी ने क़ुरआन को फ़ारसी में नग़्लम किया तो क़त्ल किया जायेगा, इस लिए कि वो काफ़िर है :

ख़ज़ानतुल फ़िक्हा में लिखा है कि अगर किसी से कहा गया कि तू क़ुरआन क्यों नहीं पढता है इस ने कहा कि क़ुरआन से मैं बेज़ार हो तो तकफ़ीर किया जायेगा और रिसला सदरूल सुदूर व रिसाला क़ाज़ी उल क़ज़ा कमालुद्दीन में वर्णित है कि अगर कोई व्यक्ति क़ुरआन शरीफ़ से कोई सूरह याद रखता है और वही सूरह बहुत पढता है पस दूसरा कहे कि ऐन सूरह राज़ बोन गिरफ़ता यानी इस सूरह को तूने कमज़ोर दबा पाया है तो काफ़िर हो जायेगा और तखय्युर में लिखा है कि अगर किसी ने

से कहा गया कि नमाज़ पढ़ इस ने कहा कि अल्लाह तआला ने मेरे माल में नुक़सान कर दिया है पस मैं इस के हक़ में नुक़सान करूंगा तो यह कुफ़्र है एक शख़्स फ़क़त रमज़ान भर पढ़ता है और कहता है कि यही बहुत है या कहता है कि इसी क़द्र बढ़ जाती है इस वास्ते कि रमज़ान की हर नमाज़ मुसावी सत्तर नमाज़ों के है तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। अगर किसी ने अमदन क़िब्ला रूख के सिवाए दूसरे रूख होकर नमाज़ पढ़ी मगर इत्तफ़ाक़न यही रूख क़िब्ला का निकला तो इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि वो काफ़िर है और इसी को फ़क़ीह अबुल्लैस रह० ने इख़्तयार किया है और इस तरह अगर बग़ैर तहारत के पढ़ी या नजस कपड़े से पढ़ी तो भी यही हुक्म है और अगर अमदन बग़ैर वुज़ू पढ़ी तो इस की तकफ़ीर की जायेगी।

सदरूल शहीद रह० ने फ़रमाया कि हम इसी को लेते हैं और किताब उल तहरी में मज़कूर है कि अगर किसी ने क़िब्ला रूख के वास्ते अपना वली क़सद किया पस इस की तहरी किसी जानिब पर वाक़े हुई कि यह रूख है फिर इस ने इस जहत को छोड़ कर दूसरी तरफ़ रूख करके नमाज़ पढ़ी तो इमाम आज़म रह० से मरवी है कि मैं ऐसे शख़्स के हक़ में कुफ़्र का ख़ौफ़ करता हूं कि इस ने क़िब्ला से रो गरदानी की है और मशाइख ने इस के कुफ़्र में इख़्तलाफ़ किया है और शम्सुल अइम्मा हलवाई ने फ़रमाया कि अज़हर यह है कि अगर इस ने क़िब्ला रूख के सिवाए दूसरी तरफ़ बतौर इस्तहज़ा (1) व इस्तख़फ़ाफ़ के नमाज़ पढ़ी तो काफ़िर हो जायेगा और अगर कोई शख़्स ऐसी सूरत में किसी वजह से मुब्तला हो गया मसलन चन्द लोगों के साथ नमाज़ पढ़ता था और दरमियान में इस को हदस हो गया यानी बाई निकल गई या क़तरह आ गया और ज़ाहिर करने से इस को शर्म मानअ हुई पस इस ने छुपाया और इस तरह नमाज़ पढ़ ली या दुशमन के अनुसार था पस खड़े होकर इस ने नमाज़ पढ़ी हालांकिइस को तहारत न थी तो हमारी बाज़ मशाइख ने कहा कि काफ़िर न हो जायेगा इस वास्ते कि इस ने बतौर इस्तहज़ा ऐसा नहीं किया है लेकिन जो शख़्स बसबब ज़रूरत या हया के इस में मुब्तला हो इस क़ुरआन को फ़ारसी में नज़्म किया तो क़त्ल किया जायेगा इस लिए कि वो काफ़िर है यह तातार खानिया में है। अब इन अल्फ़ाज़ कुफ़्र का बयान है जो नमाज़ वो रोज़ा व ज़कात से मुताल्लिक़ हैं। किसी ने एक बीमार से कहा कि नमाज़ पढ़ ले इस ने जवाब दिया कि कभी नहीं पढ़ूंगा फिर इस ने न पढ़ी यहां तक कि मर गया तो कहा जायेगा कि वो काफ़िर मरा है और अगर किसी ने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा तो इस में अहतमाल चार सूरतों का है अव्वल यह कि नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं पढ़ चुका हूं दोम यह कि तेरे हुक्म से नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ऐसे बुज़ुर्ग ने हुक्म किया है जो तुझ से बेहतर है सोयम यह कि नहीं पढ़ूंगा अज़ राह फ़िसक़ व मजानत (दिलेरी व बेबाकी और निडरपन) के तो यह तीनों सूरतें कुफ़्र नहीं हैं और चहारूम यह कि नहीं पढ़ूंगा इस लिए कि नमाज़ मुझ पर नहीं अनिवार्य है और मैं इस के करने का हुक्म नहीं दिया गया हूं तो इस की तकफ़ीर की जायेगी पस अगर किसी ने इसी क़द्र कहा कि नहीं पढ़ूंगा तो इस से इस की तकफ़ीर नहीं की जा सकती है इस लिए कि इस में उन्हीं चारों का अहतमाल है और अगर किसी से कहा गया कि नमाज़ पढ़ पस इस ने कहा कि भड़वा हो जो नमाज़ पढ़े और अपने ऊपर मुफ़्त काम बढ़ाये या यूं कहा कि मुद्दत हुई जबअ से मैंने बेगार नहीं की है या कहा कि यह काम कौन आखिर तक पूरा कर सकता है या कहा कि अक़्लमन्द को ऐसे काम में न पड़ना चाहिए जिस को आखिर तक निबाह न सके या कहा कि और लोग मेरे लिए कर लेते हैं या कहा कि नमाज़ पढ़ता हूं तो कुछ सर फ़राज़ी मुझे नहीं मिल जाती है या कहा कि तूने नमाज़ पढ़ी तो क्या सरफ़राज़ी पाई या कहा कि नमाज़ किस की पढ़ूं मेरे मां व बाप तो मर चुके हैं या कहा कि नमाज़ पढ़ी न पढ़ी दोनों यक्सां हैं या कहा कि इतनी नमाज़ पढ़ी कि मेरा दिल कहा गया या कहा कि नमाज़ ऐसी चीज़ नहीं है कि रहेगी तो सड़ जायेगी तो यह सब कुफ़्र है यह ख़ज़ानतुल मुफ़्तीन में है।

एक ने दूसरे से कहा कि इस हाजत के लिए

(1)तफ+शील ज़ाहिर मुराद फ़अल जिमाअ+ा लवातत।

को चाहिए कि क़याम से क़याम नमाज़ का क़सद न करे और क़िराअत में कुछ न पढ़े और जब झुके तो रूकूअ का क़सद न करे और रूकूअ की तसबीह न पढ़े ताकि बिल इजमाअ किसी के अनुसार काफ़िर न हुए और अगर नजस कपड़े पर नमाज़ पढ़ी तो बाज़ ने फ़रमाया कि काफ़िर न हो जाये और अगर किसी तफ़्ल का मुक़तदी बिना यानी किसी तफ़्ल के पीछे नमाज़ पढ़ी या किसी मजनून या औरत या अजनबी या जिस को हिद्दत हुआ है और इस ने तहारत नहीं की इस के पीछे नमाज़ पढ़ी या वक़्तिया नमाज़ पढ़ी या किसी मजनून या औरत या अजनबी या जिस को हदस हुआ है और इस ने तहारत नहीं की है इस के पीछे नमाज़ पढ़ी या वक़्तिया नमाज़ पढ़ी हालांकि इस पर फ़ाइता यानी क़ज़ा नमाज़ का अदा करना वाजिब है और वो इस को याद भी है तो बिल इत्तफ़ाक़ ऐसा शख़्स काफ़िर न हो जायेगा यह मुहीत में है।

(1)इस्तहज़ा दिल लगी व ठठोल करना व इस्त]फ़ाफ+ हक़ीर व +]फ़ीफ+ व कम क़द्र जानना।

अगर किसी ने कहा कि नमाज़ फ़रीज़ा है मगर इस का रूकूअ व सजूद नहीं तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी इस वास्ते कि वो तावील करता है और अगर इस ने मुतल्लक़न फ़रज़ियत रूकूअ व सजूद से इन्कार किया तो इस की तकफ़ीर की जायेगी हत्ता कि अगर इसे दूसरे सज्दा की फ़रज़ियत से भी इन्कार किया तो भी इस की तकफ़ीर की जायेगी इस वास्ते कि वो इजमाअ व तवातुर को रद करता है और अगर किसी ने कहा कि अगर कअबा क़िब्ला न होता और बैतुल मक़्दिस क़िब्ला होता तो मैं नमाज़ कअबा की जानिब पढ़ता और बैतुल मक़्दिस की जानिब न पढ़ता या जैसी सूरत ततजीस मुल्तक़त में मज़कूर है वैसे कहे कि अगर फ़लां शख़्स क़िब्ला हो जाये तो मैं इस की तरफ़ मुंह न करूंग या कहा कि अगर फ़लां जानिब क़िब्ला हो जाये तो मैं इस की तरफ़ मुंह न करूं या जैसी सूरत तख़य्युर में मज़कूर है वैसे कहा कि क़िब्ला-ए-नमाज़ दो हैं एक कअबा व दूसरा बैतुल मक़्दिस तो कहने वाले की तकफ़ीर की जायेगी यह नयाबेअ में है। शैख़ इब्राहीम बिन यूसुफ़ आओ नमाज़ पढ़ें पस इस ने कहा कि मैंने बहुत नमाज़ पढ़ी मेरी कोई हाजत नहीं बर आई और यह बतौर इस्तख़्फ़ाफ़ व तन्ज़ के कहा तो काफ़िर हो जायेगा यह तातार खानिया में है। अगर नमाज़ियों से एक फ़ासिक़ ने कहा कि आओ और मुसलमानी देखो और अपनी मज्लिस फ़िसक़ व फ़ुजूर की तरफ़ इशारा किया तो काफ़िर हो जायेगा। अगर कहा कि बेनमाज़ी क्या अच्छा काम है तो यह कुफ़्र है। अगर किसी व्यक्ति से कहा कि नमाज़ पढ़ता इताअत का मज़ा तुझ को हासिल हो या फ़ारसी में कहा कि नमाज़ कुन ता हलावत नमाज़ करदन बयानी पस इस व्यक्ति ने कहा कि तू नमाज़ न पढ़ता बेनमाज़ी का मज़ा तुझ को हासिल हो तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर किसी ग़ुलाम से कहा गया कि तू नमाज़ पढ़ इस ने कहा कि नहीं पढ़ूंगा इस लिए कि तू अब मेरे मौला का होगा तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और अगर किसी व्यक्ति से कहा गया कि नमाज़ पढ़ इस ने कहा कि अल्लाह तआला ने मेरे माल में नुक़सान कर दिया है पस मैं इस के हक़ में नुक़सान करूंगा तो यह कुफ़्र है एक व्यक्ति फ़क़त रमज़ान भर पढ़ता है और कहता है कि यही बहुत है या कहता है कि इसी क़द्र बढ़ जाती है इस लिए कि रमज़ान की हर नमाज़ मुसावी सत्तर नमाज़ों के है तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। अगर किसी ने अमदन क़िब्ला रूख के सिवाए दूसरे रूख होकर नमाज़ पढ़ी मगर इत्तफ़ाक़न यही रूख क़िब्ला का निकला तो इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि वो काफ़िर है और इसी को फ़क़ीह अबुल्लैस रह० ने इख़्तयार किया है और इस तरह अगर बग़ैर तहारत के पढ़ी या नजस कपड़े से पढ़ी तो भी यही हुक्म है और अगर अमदन बग़ैर वुज़ू पढ़ी तो इस की तकफ़ीर की जायेगी।

सदरूल शहीद रह० ने फ़रमाया कि हम इसी को लेते हैं और किताब उल तहरी में वर्णित है कि अगर किसी ने क़िब्ला रूख के लिए अपना वली क़सद किया पस इस की तहरी किसी जानिब पर स्थपित हुई कि यह रूख है फिर इस ने इस जहत को छोड़ कर दूसरी तरफ़ रूख करके नमाज़ पढ़ी तो इमाम आज़म रह० से मरवी

रह० ने फ़रमाया कि अगर किसी ने रिया से यानी लोगों के दिखलाने को नमाज़ पढ़ी तो इस के वास्ते कुछ सवाब नहीं है बल्कि इस पर अज़ाब है और बाज़ों ने फ़रमाया कि इस की तकफ़ीर की जायेगी और मअज़्नून ने कहा कि न इस पर अज़ाब है और न इस को कुछ सवाब है और वो ऐसा है कि गोया इस ने नहीं नमाज़ पढ़ी और मिसबाहुद्दीन में मज़कूर है कि शैख़ अबू हफ़्स कबीर से दरयाफ़्त किया गया कि एक शख़्स मुशिरकों के पास आया हालांकि वहां इस ने एक याद व नमाज़ें तर्क कर दीं पस अगर तअज़ीम से तर्क कर दें तो काफ़िर होगा और इस पर इस नमाज़ की क़ज़ा वाजिब न होगी और अगर इस ने यह अम्र बतौर फ़िसक़ के किया है तो तकफ़ीर न किया जायेगा बल्कि फ़ासिक़ कबीर है और जो नमाज़ तर्क की है इस को क़ज़ा करे।

एक मौज़्ज़िन ने अज़ान दी पस इस वक़्त इस से एक ने कहा कि तूने झूट कहा तो काफ़िर होगा :

तीमिया में मज़कूर है कि शैख़ से दरयाफ़्त किया गया कि एक शख़्स मुसलमान हुआ हालांकि वो दारूल इस्लाम में है फिर एक महीने के बाद इस से नमाज़ हारे पंजगाना को दरयाफ़्त किया गया तो इस ने कहा कि मैं यह नहीं जानता हूं कि वो मुझ पर फ़र्ज़ हुई हैं तो फ़रमाया कि कहा जायेगा कि हनुज़ वो काफ़िर है इल्ला आंकि वो नो मुस्लिमों में कम मुद्दत का मुसलमान हुए यह तातार खानिया में है। एक मौज़्ज़िन ने बअज़ान दी पस इस वक़्त इस से एक ने कहा कि तूने झूट कहा तो काफ़िर होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। और तख़य्युर में है कि किसी मौज़्ज़िन ने अज़ान दी पस एक शख़्स ने कहा कि यह आवाज़ ग़ोगा है तो तकफ़ीर किया जायेगा। बशर्तेकि इस ने बतरीक़ इन्कार के कहा हुए और फ़ुज़ूल में लिखा है कि अगर किसी ने अज़ान सुन कर कहा कि यह जरस की आवाज़ है तो तकफ़ीर किया जायेगा यह तातार खानिया में है। किसी शख़्स से कहा गया कि ज़कात अदा कर पस इस ने कहा कि मैं नहीं अदा करूंगा तो तकफ़ीर किया जायेगा मगर बाज़ ने कहा कि है कि मैं ऐसे व्यक्ति के हक़ में कुफ़्र का ख़ौफ़ करता हूं कि इस ने क़िब्ला से रो गरदानी की है और विद्वानों ने इस के कुफ़्र में मतभेद किया है और शम्सुल अइम्मा हलवाई ने फ़रमाया कि अज़हर यह है कि अगर इस ने क़िब्ला रूख के सिवाए दूसरी तरफ़ बतौर इस्तहज़ा (1) व इस्तख़्फ़ाफ़ के नमाज़ पढ़ी तो काफ़िर हो जायेगा और अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में किसी वजह से मुब्तला हो गया मसलन चन्द लोगों के साथ नमाज़ पढ़ता था और दरमियान में इस को हदस हो गया यानी बाई निकल गई या क़तरह आ गया और ज़ाहिर करने से इस को शर्म मानअ हुई पस इस ने छुपाया और इस तरह नमाज़ पढ़ ली या दुशमन के अनुसार था पस खड़े होकर इस ने नमाज़ पढ़ हालांकिइस को तहारत न थी तो हमारी कुछ विद्वानों ने कहा कि काफ़िर न हो जायेगा इस लिए कि इस ने बतौर इस्तहज़ा ऐसा नहीं किया है लेकिन जो व्यक्ति बसबब ज़रूरत या हया के इस में मुब्तला हो इस को चाहिए कि क़याम से क़याम नमाज़ का क़सद न करे और क़िराअत में कुछ न पढ़े और जब झुके तो रूकूअ का क़सद न करे और रूकूअ की तसबीह न पढ़े ताकि बिल इजमाअ किसी के अनुसार काफ़िर न हुए और अगर नजस कपड़े पर नमाज़ पढ़ी तो कुछ ने फ़रमाया कि काफ़िर न हो जाये और अगर किसी तफ़्ल का मुक़तदी बिना यानी किसी तफ़्ल के पीछे नमाज़ पढ़ी या किसी मजनून या औरत या अजनबी या जिस को हिद्दत हुआ है और इस ने तहारत नहीं की इस के पीछे नमाज़ पढ़ी या वक़्तिया नमाज़ पढ़ी या किसी मजनून या औरत या अजनबी या जिस को हदस हुआ है और इस ने तहारत नहीं की है इस के पीछे नमाज़ पढ़ी या वक़्तिया नमाज़ पढ़ी हालांकि इस पर फ़ाइता यानी क़ज़ा नमाज़ का अदा करना अनिवार्य है और वो इस को याद भी है तो बिल इत्तफ़ाक़ ऐसा व्यक्ति काफ़िर न हो जायेगा यह मुहीत में है।

(1)इस्तहज़ा दिल लगी व ठठोल करना व इस्त]फ़ाफ+ हक़ीर व +]फ़ीफ+ व कम क़द्र जानना।

अगर किसी ने कहा कि नमाज़ फ़रीज़ा है मगर इस का रूकूअ व सजूद नहीं तो इस की तकफ़ीर न की

मुतल्लक़न और बाज़ ने कहा कि अमवाले बातिना जिन की ज़कात वो ख़ुद पोशीदा अदा करता है इन में नहीं तकफ़ीर किया जायेगा और अमवाल ज़ाहिरा की ज़कात कि जिन को सुल्तान या वाली वसूल करता है इन में ऐसा कलिमा कहने से तकफ़ीर किया जायेगा और चाहिए कि ज़कात की सूरत भी इसी तफ़सील से हो जो नमाज़ में गुज़री है। यह फ़ुसूल अमादिया में है। अगर किसी ने कहा कि काश रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ न होते तो इस में मशाइख़ ने इख़्तलाफ़ किया है और सही है जो शैख़ अबूबकर मौहम्मद बिल अल फ़ज़ल से नक़ल कहा गया है कि यह इसकी मन्नत पर है चुनांचे अगर इस की नियत यह थी कि इस ने ऐसा लफ़्ज़ इस वजह से कहा कि वो हुक़ूक़ रमज़ान अदा नहीं कर सकता है तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी और अगर माह रमज़ान आने के वक़्त इस ने कहा कि आमदान माह गिरान यानी वो भारी महीना आया या कहा कि आम आन क्रैफ़ तफ़सील यानी वो मेहमान आया है जो खातिर पर गिरां हो जाता है तो तकफ़ीर किया जायेगा। अगर माह रजब आने के वक़्त इस ने कहा कि बज़बहा अन्दर अफ़तादियम यानी मैं अज़ाबों में पड़ गया पस अगर इस ने फ़ज़ीलत दिये होने महीनों की अहानत के वास्ते ऐसा कहा तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर इस ने अपने नफ़्स की मशक़्क़त के ख़्याल से ऐसा कहा तो तकफ़ीर न किया जायेगा और चाहिए कि मसला औला में भी जवाब इसी तफ़सील से हुए और अगर किसी ने कहा कि रोज़ा माह रमज़ान ज़द दीगर आमद तो बाज़ ने कहा कि तकफ़ीर किया जायेगा और हाकिम अब्दुर्रहमान ने फ़रमाया कि तकफ़ीर नहीं किया जायेगा और अगर कहा कि ऐसे रोज़े कब तक कि मेरा दिल उकता गया तो यह कुफ़्र है और अगर कहा कि ऐसी ताआत अल्लाह तआला ने हम पर अज़ाब कर दी हैं पस अगर इस ने इस की तावील की तो तकफ़ीर न किया जायेगा और इस तरह अगर कहा कि काश अगर अल्लाह तआला ऐसी इताआत को हम पर फ़र्ज़ न फ़रमाता तो हमारे वास्ते बेहतर होता पस अगर इस ने इस की तावील की तो तकफ़ीर न किया जायेगा यह मुहीत में है।

जायेगी इस लिए कि वो तावील करता है और अगर इस ने मुतल्लक़न फ़रज़ियत रूकूअ व सजूद से इन्कार किया तो इस की तकफ़ीर की जायेगी हत्ता कि अगर इसे दूसरे सज्दा की फ़रज़ियत से भी इन्कार किया तो भी इस की तकफ़ीर की जायेगी इस लिए कि वो इजमाअ व तवातुर को रद करता है और अगर किसी ने कहा कि अगर कअबा क़िब्ला न होता और बैतुल मक़्दिस क़िब्ला होता तो मैं नमाज़ कअबा की जानिब पढ़ता और बैतुल मक़्दिस की जानिब न पढ़ता या जैसी स्थिति ततजीस मुल्तक़त में वर्णित है वैसे कहे कि अगर फ़लां व्यक्ति क़िब्ला हो जाये तो मैं इस की तरफ़ मुंह न करूंग या कहा कि अगर फ़लां जानिब क़िब्ला हो जाये तो मैं इस की तरफ़ मुंह न करूं या जैसी स्थिति तख़य्युर में वर्णित है वैसे कहा कि क़िब्ला-ए-नमाज़ दो हैं एक कअबा व दूसरा बैतुल मक़्दिस तो कहने वाले की तकफ़ीर की जायेगी यह नयाबेअ में है। शैख़ इब्राहीम बिन यूसुफ़ रह० ने फ़रमाया कि अगर किसी ने रिया से यानी लोगों के दिखलाने को नमाज़ पढ़ी तो इस के लिए कुछ सवाब नहीं है बल्कि इस पर अज़ाब है और बाज़ों ने फ़रमाया कि इस की तकफ़ीर की जायेगी और मअज़ून ने कहा कि न इस पर अज़ाब है और न इस को कुछ सवाब है और वो ऐसा है कि गोया इस ने नहीं नमाज़ पढ़ी और मिसबाहुद्दीन में वर्णित है कि शैख़ अबू हफ़्स कबीर से दरयाफ़्त किया गया कि एक व्यक्ति मुश्रिकों के पास आया हालांकि वहां इस ने एक याद व नमाज़ें तर्क कर दीं पस अगर तअज़ीम से तर्क कर दें तो काफ़िर होगा और इस पर इस नमाज़ की क़ज़ा अनिवार्य न होगी और अगर इस ने यह कार्य बतौर फ़िसक़ के किया है तो तकफ़ीर न किया जायेगा बल्कि फ़ासिक़ कबीर है और जो नमाज़ तर्क की है इस को क़ज़ा करे।

एक मौज़्ज़िन ने अज़ान दी पस इस समय इस से एक ने कहा कि तूने झूट कहा तो काफ़िर होगा :

तीमिया में वर्णित है कि शैख़ से दरयाफ़्त किया गया कि एक व्यक्ति मुसलमान हुआ हालांकि वो दारूल

अगर कहा कि नमाज़ मुझे मुवाफ़िक़ नहीं आती है यानी रास्त नहीं आती है या हलाल नहीं करती है या नमाज़ के वास्ते पढ़ूं कि बीवी नहीं रखता व बच्चा नहीं रखता हूं या कहा कि नमाज़ को मैंने ताक़ पर रख दिया है तो इन सब सूरतों में तकफ़ीर किया जायेगा यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है। अब इन अल्फ़ाज़ कुफ्र का बयान है जो इल्म व आलिमों से मुताल्लिक़ हैं निसाब में मज़कूर है जो किसी आलिम से बग़ैर किसी सबब ज़ाहिर के बाज़ रखे तो इस पर कुफ्र का ख़ौफ़ है और अगर किसी शख़्स मसलह के हक़ में कहा कि इस का देखना मेरे अनुसार ऐसा है जैसे सुवर का देखना तो इस पर कुफ्र का ख़ौफ़ है यह ख़ुलासा में है और अगर बग़ैर सबब किसी आलिम या फ़क़ीह सितम किया यानी बद गोई से याद किया तो इस पर कुफ्र का ख़ौफ़ है और अगर किसी आलिम से कहा कि तेरे इल्म की दम में गधे का खालिया माल जाये दम के कौन व मुक़अद वग़ैरह अल्फ़ाज़ फ़हश इस्तेमाल किये और इल्म से इल्म दीन मुराद ली तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह बहरूल राइक़ में है। किसी जाहिल ने कहा कि जो लोग इल्म सीखते हैं वो दास्तानें हैं कि इन को सीख लेते हैं या कहा कि बादस्त अंचा मेगोवेंद यानी जो कुछ कहते हैं बेहूदा है या कहा तज़वेर सत यानी फ़रेब दही है या कहा कि मैं इल्म हीला से मुन्किर हूं तो सब कुफ्र है यह मुहीत में है। एक शख़्स एक ऊंची जगह बैठ जाता है व दीगर जलस वाले इस से बतार इस्तहज़ा ठठोल के मसला पूछते हैं फिर इस को तकियों से मारते हैं और यह सब हंसते है तो यह सब काफ़िर कहे जाऐंगे और इस तरह अगर वो मक़ाम बुलन्द पर न बैठा और यह सूरत वाक़े हुई तो भी यही हुक्म है। एक शख़्स मज्लिस इल्म से आता था इस से किसी ने कहा कि तू बुत खाना से आता है तो तकफ़ीर किया जायेगा और इस तरह अगर कहा कि मुझे मज्लिस इल्म से किया काम है या कहा कि जो कुछ वो लोग कहते है इस को कौन अदा कर सकता है तो तकफ़ीर किया जायेगा यह ख़ुलासा में है।

अगर किसी ने कहा कि आलिमों के इस्लाम में है फिर एक महीने के बाद इस से नमाज़ हाऐ पंजगाना को दरयाफ़्त किया गया तो इस ने कहा कि मैं यह नहीं जानता हूं कि वो मुझ पर फ़र्ज़ हुई हैं तो फ़रमाया कि कहा जायेगा कि हनुज़ वो काफ़िर है सिवा आँकि वो नो मुस्लिमों में कम मुद्दत का मुसलमान हुए यह तातार खानिया में है। एक मौज़्जिन ने बअज़ान दी पस इस समय इस से एक ने कहा कि तूने झूट कहा तो काफ़िर होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। और तख़य्युर में है कि किसी मौज़्जिन ने अज़ान दी पस एक व्यक्ति ने कहा कि यह आवाज़ ग़ोग़ा है तो तकफ़ीर किया जायेगा। बशर्तेकि इस ने बतरीक़ इन्कार के कहा हुए और फ़ुज़ूल में लिखा है कि अगर किसी ने अज़ान सुन कर कहा कि यह जरस की आवाज़ है तो तकफ़ीर किया जायेगा यह तातार खानिया में है। किसी व्यक्ति से कहा गया कि ज़कात अदा कर पस इस ने कहा कि मैं नहीं अदा करूंगा तो तकफ़ीर किया जायेगा मगर कुछ ने कहा कि मुतल्लक़न और कुछ ने कहा कि अमवाले बातिना जिन की ज़कात वो ख़ुद पोशीदा अदा करता है इन में नहीं तकफ़ीर किया जायेगा और अमवाल ज़ाहिरा की ज़कात कि जिन को सुल्तान या वाली वसूल करता है इन में ऐसा कलिमा कहने से तकफ़ीर किया जायेगा और चाहिए कि ज़कात की स्थिति भी इसी तफ़सील से हो जो नमाज़ में गुज़री है। यह फ़ुसूल अमादिया में है। अगर किसी ने कहा कि काश रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ न होते तो इस में विद्वानों ने मतभेद किया है और सही है जो शैख़ अबूबकर मौहम्मद बिल अल फ़ज़ल से नक़ल कहा गया है कि यह इसकी मन्नत पर है चुनांचे अगर इस की इरादा यह थी कि इस ने ऐसा लफ़्ज़ इस वजह से कहा कि वो हुक़ूक़ रमज़ान अदा नहीं कर सकता है तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी और अगर माह रमज़ान आने के समय इस ने कहा कि आमदान माह गिरान यानी वो भारी महीना आया या कहा कि आम आन ग़ैफ़ तफ़सील यानी वो मेहमान आया है जो खातिर पर गिरां हो जाता है तो तकफ़ीर किया जायेगा। अगर माह रजब आने के समय इस ने कहा कि बज़बहा अन्दर अफ़तादियम यानी मैं अज़ाबों में पड गया पस अगर इस ने फ़ज़ीलत दिये

अफ़आल ऐसे हैं जैसे काफ़िरों के अफ़आल तो उस की तकफ़ीर की जायेगी :

अगर कहा कि इल्म को कासा व कैसा में नहीं रख सकते हैं यानी प्याला तआम व कैसा ज़र मैन रखने के क़ाबिल नहीं है हालांकि ग़र्ज़ उन्हीं दोनों से है या कहा कि मुझे जैब में रूपया चाहिए है मैं इल्म को क्या करूं तो तकफ़ीर किया जायेगा यह इताबिया में है। अगर कहा कि मुझे अपनी बीवी व बच्चों में ऐसी मशग़ूली है कि मज्लिस इल्म में नहीं पहुंचता हूं पस अगर इस ने इस कलाम से इल्म की अहानत का क़सद किया तो मुख़ातरा अज़ीम है और मजमूअ उल नवाज़िल में मज़कूर है कि अगर किसी आलिम से कहा जा और इल्म को प्याला में रख कर अपने खाने में ला तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर फ़क़ीह इल्म की कोई बात या कोई हदीस सही बयान करता हो पस दूसरे ने कहा कि यह कुछ नहीं है और इस को रद कर दिया या कहा कि यह बात किस काम आयेगी रूपया चाहिए कि आज कल लोगों की आबरू ही इल्म किसी के काम आता है तो यह कुफ़्र है और अगर किसी ने कहा कि रंद बनता व खिलाफ़े शरअ करना आलिम बनने से अच्छा है तो यह कुफ़्र है अगर किसी औरत ने अपने खाविन्द आलिम की निस्बत कहा कि लअनत शौहर आलिम पर हो तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। अगर किसी ने कहा कि आलिमों के अफ़आल जैसे काफ़िरों के अफ़आल तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और यह इस वक़्त है कि इस ने तमाम अफ़आल मुराद लिये हों कि इस सूरत में इस के क़ौल से हक़ व बातिल में मुसावत हो जायेगी और यह कुफ़्र है। अगर किसी आलिम से किसी वाक़िआ में झगड़ा किया और आलिम ने इस को कोई वजह शरई बतलाई पस इस ने कहा कि यह दानिश मन्दी यानी आलिम पना न करो कि पैश नहीं जायेगा तो इस पर कुफ़्र का ख़ौफ़ है। अगर किसी फ़क़ीह से कहा कि ई दानिश मन्दक (1) या कहा कि ई उलू यक तो तकफ़ीर न की जायेगी बशर्तेकि इस का क़सद इस्तख़फ़ाफ़ दें न हो। हिकायत की गई है कि एक फ़क़ीह ने अपनी किताब एक शख़्स की दुकान में होने महीनों की अहानत के लिए ऐसा कहा तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर इस ने अपने नफ़्स की मशक़्क़त के ख़्याल से ऐसा कहा तो तकफ़ीर न किया जायेगा और चाहिए कि मसला औला में भी जवाब इसी तफ़सील से हुए और अगर किसी ने कहा कि रोज़ा माह रमज़ान ज़द दीगर आमद तो कुछ ने कहा कि तकफ़ीर किया जायेगा और हाकिम अब्दुर्रहमान ने फ़रमाया कि तकफ़ीर नहीं किया जायेगा और अगर कहा कि ऐसे रोज़े कब तक कि मेरा दिल उकता गया तो यह कुफ़्र है और अगर कहा कि ऐसी ताआत अल्लाह तआला ने हम पर अज़ाब कर दी हैं पस अगर इस ने इस की तावील की तो तकफ़ीर न किया जायेगा और इस तरह अगर कहा कि काश अगर अल्लाह तआला ऐसी इताआत को हम पर फ़र्ज़ न फ़रमाता तो हमारे लिए बेहतर होता पस अगर इस ने इस की तावील की तो तकफ़ीर न किया जायेगा यह मुहीत में है।

अगर कहा कि नमाज़ मुझे मुवाफ़िक़ नहीं आती है यानी रास्त नहीं आती है या हलाल नहीं करती है या नमाज़ के लिए पढ़ूं कि बीवी नहीं रखता व बच्चा नहीं रखता हूं या कहा कि नमाज़ को मैंने ताक़ पर रख दिया है तो इन सब सूरतों में तकफ़ीर किया जायेगा यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है। अब इन अल्फ़ाज़ कुफ़्र का बयान है जो इल्म व आलिमों से मुताल्लिक़ हैं निसाब में वर्णित है जो किसी आलिम से बग़ैर किसी सबब ज़ाहिर के कुछ रखे तो इस पर कुफ़्र का ख़ौफ़ है और अगर किसी व्यक्ति मसलह के हक़ में कहा कि इस का देखना मेरे अनुसार ऐसा है जैसे सुवर का देखना तो इस पर कुफ़्र का ख़ौफ़ है यह ख़ुलासा में है और अगर बग़ैर सबब किसी आलिम या फ़क़ीह सितम किया यानी बद गोई से याद किया तो इस पर कुफ़्र का ख़ौफ़ है और अगर किसी आलिम से कहा कि तेरे इल्म की दम में गधे का खालिया माल जाये दम के कौन व मुक़अद वग़ैरह अल्फ़ाज़ फ़हश इस्तेमाल किये और इल्म से इल्म दीन मुराद ली तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह बहरूल राइक़ में है। किसी जाहिल ने कहा कि जो लोग इल्म सीखते हैं वो दास्तानें हैं कि इन को सीख लेते हैं या

रख दी और चला गया फिर इस दुकान की तरफ़ से गुज़रा पस दुकानदार मज़कूर

(1)कलिमा तहक़ीर का है जैसे मर्द के वास्ते तहक़ीरन मर्दक बोला जाता है।

ने इस से कहा कि दस्तरह फ़रोमोश कर दी यानी दस्तरह अपना भूल गये पस फ़क़ीह ने कहा कि मेरी किताब तुम्हारी दुकान में है दस्तरह तो नहीं है पस दुकान दार मज़कूर ने कहा कि बढ़ई दस्तरह (1) से लकड़ी काटता है और तुम किताब से लोगों की गर्दन काटते हो पस फ़क़ीह मौसूफ़ ने इस अम्र की शिकायत बहुज़ूर शैख़ मौहम्मद बिन उल फ़ज़ल रह० पैश की पस शैख़ मौसूफ़ ने इस दुकानदार के क़त्ल का हुक्म दिया हो यह मुहीत में है।

शैख़ अब्दुल करीम (2) व शैख़ अबू अली सअदी रह० से पूछा गया कि एक शख़्स अपनी बीवी पर ख़फ़ा हुआ करता था और इस को अल्लाह तआला का फ़रमांबरदारी करने को कहा करता था और ख़ुदाऐ तआला की मअसियत से मना किया करता था पस औरत ने इस से कहा कि मैं ख़ुदा को कुछ नहीं जानती और इल्म को कुछ नहीं समझती मैंने अपने तईन दोज़ख में रख दिया है पस हर दो शैख़ ने फ़रमाया कि इस औरत ने कुफ्र किया यह फ़ुसूल अमादिया में है। एक शख़्स से कहा गया कि तालिब इल्म लोग फ़रिश्तों के परों पर चलते हैं पस इस ने कहा कि यह तो झूट है तो तकफ़ीर किया जायेगा क़ालल मुतरजम ज़ाहिरन यह महमूल इस सूरत पर है कि क़ाइल मज़कूर जो बाज़ अहादीस मरविया में है और वही कि फ़रिश्ते तालिब इल्म दीन के वास्ते बाज़ू बिछाते हैं सुन चुका हो और नीज़ इस ने इल्मे दीन के तालिब इल्मों के वास्ते ऐसा कहा वरना अगर तालिब इल्म फ़ुज़ूल मिस्ल मन्तिक़ व फ़िलस्फ़ा वग़ैरह सीखता फिरता है तो तकफ़ीर नहीं की जायेगी या क़ाइल मज़कूर इस खबर से वाक़िफ़ न था पस इस ने इस तरह कहा तो उम्मीद है कि वो लायक़ तकफ़ीर न होगा वल्लाहु आलम। अगर किसी ने कहा कि क़ियास इमाम आज़म रह० का हक़ नहीं है तो तकफ़ीर किया जायेगा यह तातार खानिया में है क़ालल मुतरजम ज़ाहिरन कहा कि बादस्त अंचा मेगोयेंद यानी जो कुछ कहते हैं बेहूदा है या कहा तज़वेर सत यानी फ़रेब दही है या कहा कि मैं इल्म हीला से मुन्किर हूं तो सब कुफ्र है यह मुहीत में है। एक व्यक्ति एक ऊंची जगह बैठ जाता है व दीगर जलस वाले इस से बतार इस्तहज़ा ठठोल के मसला पूछते हैं फिर इस को तकियों से मारते हैं और यह सब हंसते हैं तो यह सब काफ़िर कहे जाऐंगे और इस तरह अगर वो मक़ाम बुलन्द पर न बैठा और यह स्थिति स्थपित हुई तो भी यही हुक्म है। एक व्यक्ति मज्लिस इल्म से आता था इस से किसी ने कहा कि तू बुत खाना से आता है तो तकफ़ीर किया जायेगा और इस तरह अगर कहा कि मुझे मज्लिस इल्म से किया काम है या कहा कि जो कुछ वो लोग कहते हैं इस को कौन अदा कर सकता है तो तकफ़ीर किया जायेगा यह ख़ुलासा में है।

अगर किसी ने कहा कि आलिमों के अफ़आल ऐसे हैं जैसे काफ़िरों के अफ़आल तो उस की तकफ़ीर की जायेगी :

अगर कहा कि इल्म को कासा व कैसा में नहीं रख सकते हैं यानी प्याला तआम व कैसा ज़र मैन रखने के क़ाबिल नहीं है हालांकि ग़र्ज़ उन्हीं दोनों से है या कहा कि मुझे जैब में रूपया चाहिए है मैं इल्म को क्या करूं तो तकफ़ीर किया जायेगा यह इताबिया में है। अगर कहा कि मुझे अपनी बीवी व बच्चों में ऐसी मशग़ूली है कि मज्लिस इल्म में नहीं पहुंचता हूं पस अगर इस ने इस बात से इल्म की अहानत का क़सद किया तो मुखातरा अज़ीम है और मजमूअ उल नवाज़िल में वर्णित है कि अगर किसी आलिम से कहा जा और इल्म को प्याला में रख कर अपने खाने में ला तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर फ़क़ीह इल्म की कोई बात या कोई हदीस सही बयान करता हो पस दूसरे ने कहा कि यह कुछ नहीं है और इस को रद कर दिया या कहा कि यह बात किस काम आयेगी रूपया चाहिए कि आज कल लोगों की आबरू ही इल्म किसी के काम आता है तो यह कुफ्र है और अगर किसी ने कहा कि रंद बनता व खिलाफ़े शरअ

इस ने मुतल्लक़न क़ियास की निस्बत कहा तो ख़लजान से खाली नहीं है वरना ताम्मुल है वल्लाहु आलम। अगर किसी ने कहा कि एक प्याला पिलाव का अल्लह से बेहतर है तो तकफ़ीर किया जाये गा और अगर कहा कि एक प्याला पुलाव का अल्लाह से बेहतर है तो तकफ़ीर न किया जायेगा यह फ़ुसूल अमादिया में है। क़ालल मुतरजम। ज़ाहिरन इस की वजह यह है कि अल्लाह से बेहतर कहने की सूरत में यह मअनी भी हो सकते हैं कि एक प्याला पुलाव का अल्लाह तआला की तरफ़ से बेहतर व नेअमत है बखिलाफ़ वजह अव्वल के कि इस में यह अहतमाल नहीं हो सकता और न मअनी तावीली की वजह वजिया है बखिलाफ़ सूरत दोम के कि नज़र बख़ैर व गुमान नेक ब मुस्तबअद रखा जाता है कि अल्लाह तआला अज़्ज़ व जल्ल की बनिस्बत बेहतर तसव्वुर करे क्योंकि कोई अहमक़ भी ऐसा नहीं समझ सकता है और नीज़ मशाइख मुताखिनरीन ने इस के मअनी में और वजहें बयान की हैं मगर बेतकल्लुफ़ व रास्त यही वजह जो फ़क़ीर ने अपनी वुसअत पर बयान की है अगरचे किसी बुज़ुर्ग से नही पाई है लिहाज़ा अगर मेरा सहू है तो अल्लाह तआला उफ़ू फ़रमाये वल्लाहु ग़फ़ूरूर्रहीम।

किसी ने अपने मुख़ासिम से कहा कि अज़हब मई इलल शरअ (3) या फ़ारसी में कहा कि मामन बशरअ रो यानी मेरे साथ शरअ की तरफ़ चल पस इस के मुख़ासिम ने कहा कि कोई प्यादा ले आता कि चलूं बेजबर नहीं जाउंगा तो इस की तकफ़ीर की जायेगी इस वास्ते कि इस ने शरअ से इनाद किया और अगर इस ने कहा कि मेरे साथ क़ाज़ी के मज़ूर में चल पस इस ने ऐसा जवाब दिया तो तकफ़ीर न किया जायेगा क्योंकि क़ाज़ी के इनाद से तकफ़ीद न होगी और अगर किसी ने कहा कि मेरे साथ शरीअत वजह हीले फ़ादा न देंगे या कहा कि मेरे वास्ते दयूस है शरीअत को क्या करूं तो यह सब कुफ़्र है और अगर किसी ने कहा कि जिस वक्त रूपया लिया था इस वक्त शरीअत व क़ाज़ी कहां था तो भी तकफ़ीर किया जायेगा और बाज़ मुताखिरीन ने फ़रमाया कि अगर क़ाज़ी (फ़क़त क़ाज़ी कहां था कहने की सूरत में) से मुराद इस शहर का क़ाज़ी लिया है तो तकफ़ीर न किया करना आलिम बनने से अच्छा है तो यह कुफ़्र है अगर किसी औरत ने अपने खाविन्द आलिम की निस्बत कहा कि लअनत शौहर आलिम पर हो तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। अगर किसी ने कहा कि आलिमों के अफ़आल जैसे काफ़िरों के अफ़आल तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और यह इस समय है कि इस ने तमाम अफ़आल मुराद लिये हों कि इस स्थिति में इस के कथन से हक़ व बातिल में मुसावत हो जायेगी और यह कुफ़्र है। अगर किसी आलिम से किसी वाक़िआ में झगड़ा किया और आलिम ने इस को कोई वजह शरई बतलाई पस इस ने कहा कि यह दानिश मन्दी यानी आलिम पना न करो कि पैश नहीं जायेगा तो इस पर कुफ़्र का ख़ौफ़ है। अगर किसी फ़क़ीह से कहा कि ई दानिश मन्दक (1) या कहा कि ई उलू यक तो तकफ़ीर न की जायेगी बशर्तेकि इस का क़सद इस्तख़फ़ाफ़ दें न हो। हिकायत की गई है कि एक फ़क़ीहा ने अपनी किताब एक व्यक्ति की दुकान में रख दी और चला गया फिर इस दुकान की तरफ़ से गुज़रा पस दुकानदार वर्णित ने इस से कहा कि दस्तरह फ़रोमोश कर दी यानी दस्तरह अपना भूल गये पस फ़क़ीह ने कहा कि मेरी किताब तुम्हारी दुकान में है दस्तरह तो नहीं है पस दुकान दार वर्णित ने कहा कि बढ़ई दस्तरह (1) से लकड़ी काटता है और तुम किताब से लोगों की गर्दन काटते हो पस फ़क़ीह मौसूफ़ ने इस कार्य की शिकायत बहुज़ूर शैख़ मौहम्मद बिन उल फ़ज़ल रह० पैश की पस शैख़ मौसूफ़ ने इस दुकानदार के क़त्ल का हुक्म दिया हो यह मुहीत में है।

शैख़ अब्दुल करीम (2) व शैख अबू अली सअदी रह० से पूछा गया कि एक व्यक्ति अपनी बीवी पर ख़फ़ा हुआ करता था और इस को अल्लाह तआला का फ़रमांबरदारी करने को कहा करता था और ख़ुदाऐ तआला की मअसियत से मना किया करता था पस औरत ने इस से कहा कि मैं ख़ुदा को कुछ नहीं जानती और इल्म को कुछ नहीं समझती मैंने अपने तईन दोज़ख

(1) कलिमा तहक़ीर का है जैसे मर्द के लि, तहक़ीरन मर्दक बोला जाता है।

जायेगा और अगर किसी ने दूसरे से कहा कि इस वाक़िऐ में हुक्म शरअ यूं है पस दूसरे ने कहा कि मैं रसम पर चलता हूं न शरअ पर तो बाज़ मशाइख के अनुसार तकफ़ीर किया जायेगा और मजमूअ उल नवाज़िल में मज़कूर है कि एक ने अपनी बीवी से कहा कि तू क्या कहती है कि हुक्म शरअ क्या चीज़ है पस

(1)दस्तरह बमअनी आरी जिस से तज्जार लकडी चीरता है।
(2)क़ालल मुतरजमयह मसला कलिमा कुफ़्र+या मुताल्लिक+ बज़ात व सिफ़ात इलाही के बयान में होना बनिस्बत यहां के बेहतर था अगरचे मुताल्लिक+ बसिफ़ात नहीं है और इस से औलायह है कि मुताल्लिक+ बाईमान इस्लाम में बयान होता फ़ाफ़हम वल्लाहु आलम।
(3)अक़ोलशायदयह मुराद है कि मेरे साथशरअ+ के मुवाफ़िक+ चल अगरचे ज़ाहिर लफ्ज+ से भी मालूम होता है कि मेरे साथ क़ाज़ी केपहांशरई फ़ैसला के वास्ते चल बक़रीना हक़।

औरत ने एक बडी सी डकार ली और कहा कि ऐंक शरअ रा यानी इस शरअ को तो वो काफ़िर हो गई और अपने शौहर से बाइना हो गई यह मुहीत में है।

अगर मुदई व मुदआ अलैहि में से यानी जिन दोनों में बाहम झगडा है इन में से एक शख़्स आलिमों से हुक्म शरअ का फ़तवा लिखा कर अपने मुख़ासिम के पास आया :

एक शख़्स के सामने किसी ने इमामों का फ़तवा पैश किया पस इस ने रद कर दिया और कहा कि यह क्या ख़रा अम्बार फ़तवा लिया है तो बाज़ ने फ़रमाया कि तकफ़ीर किया जायेगा इस वजह से कि इस ने हुक्म शरअ को रद कर दिया और इसी तरह अगर इस ने कुछ न कहा फ़क़त फ़तवा ज़मीन पर डाल दिया और कहा कि यह क्या शरअ है तो भी यही हुक्म है एक शख़्स ने किसी आलिम के पास एक सूरत पैश की कि इस से मेरी बीवी पर तलाक़ हुई या नहीं पस आलिम मौसूफ़ ने फ़तवा दिया कि वाक़े हो गई पस फ़तवा पूछने वाले ने कहा कि मैं तलाक़ वलाक़ क्या जानूं बच्चों की मां मेरे घर में रहना चाहिए तो क़ाज़ी इमाम अली सअदी ने इस के कुफ़्र पर फ़तवा दिया है यह फ़ुसूल अमादिया में है। अगर मुदअई व मुदआ अलैहि में से यानी जिन दोनों में बाहम झगडा है इन में से एक शख़्स आलिमों से हुक्म में रख दिया है पस हर दो शैख़ ने फ़रमाया कि इस औरत ने कुफ़्र किया यह फ़ुसूल अमादिया में है। एक व्यक्ति से कहा गया कि तालिब इल्म लोग फ़रिश्तों के परों पर चलते हैं पस इस ने कहा कि यह तो झूट है तो तकफ़ीर किया जायेगा अनुवादक के कथनानुसार ज़ाहिरन यह महमूल इस स्थिति पर है कि क़ाइल वर्णित जो कुछ अहादीस मरविया में है और वही कि फ़रिश्ते तालिब इल्म दीन के लिए बाज़ू बिछाते हैं सुन चुका हो और नीज़ इस ने इल्मे दीन के तालिब इल्मों के लिए ऐसा कहा वरना अगर तालिब इल्म फ़ुज़ूल मिस्ल मन्तिक़ व फ़िलसफ़ा वग़ैरह सीखता फिरता है तो तकफ़ीर नहीं की जायेगी या क़ाइल वर्णित इस खबर से वाक़िफ़ न था पस इस ने इस तरह कहा तो उम्मीद है कि वो लायक़ तकफ़ीर न होगा वल्लाहु आलम। अगर किसी ने कहा कि क़ियास इमाम आज़म रह० का हक़ नहीं है तो तकफ़ीर किया जायेगा यह तातार खानिया में है अनुवादक के कथनानुसार ज़ाहिरन इस ने मुतल्लक़न क़ियास की निस्बत कहा तो ख़लजान से खाली नहीं है वरना ताम्मुल है वल्लाहु आलम। अगर किसी ने कहा कि एक प्याला पिलाव का अल्लाह से बेहतर है तो तकफ़ीर किया जाये गा और अगर कहा कि एक प्याला पुलाव का अल्लाह से बेहतर है तो तकफ़ीर न किया जायेगा यह फ़ुसूल अमादिया में है। क़ालल मुतरजम। ज़ाहिरन इस की वजह यह है कि अल्लाह से बेहतर कहने की स्थिति में यह मअनी भी हो सकते हैं कि एक प्याला पुलाव का अल्लाह तआला की तरफ़ से बेहतर व नेअमत है बखिलाफ़ वजह अव्वल के कि इस में यह अहतमाल नहीं हो सकता और न मअनी तावीली की वजह वजिया है बखिलाफ़ स्थिति दोम के कि मन्नत बख़ैर व गुमान नेक ब मुस्तबअद रखा जाता है कि अल्लाह तआला अज्ज़ व जल्ल की बनिस्बत बेहतर तसव्वुर करे क्योंकि कोई अहमक़ भी ऐसा नहीं समझ सकता है और नीज़ विद्वानों मुताखिनरीन ने इस के मअनी में और वजहें बयान की है मगर बेतकल्लुफ़ व रास्त यही वजह जो फ़क़ीर ने अपनी वुसअत पर बयान की है अगरचे किसी बुज़ुर्ग से नहीं पाई है लिहाज़ा अगर मेरा सहू है तो अल्लाह तआला उफ़ू फ़रमाये वल्लाहु

शरअ का फ़तवा लिखा कर अपने मुख़ासिम के पास आया और कहा कि यह फ़तवा है पस इस ने कहा कि ऐसा नहीं है जो उन्होंने फ़तवा दिया है या कहा कि मैं इस पर अमल न करूंगा तो इस पर तअज़ीर वाजिब होगी यह ज़ख़ीरा में है। अब इन कलिमात कुफ्र का बयान है जो हलाल व हराम फ़ासिक़ों व फ़ाजिरों वग़ैरह के कलाम से मुताल्लिक़ हैं। अगर किसी ने हराम को हलाल या हलाल को हराम ऐतक़ाद कर लिया तो इस की तकफ़ीर की जायेगी लेकिन अगर इस ने किसी हराम को बदीन ग़र्ज़ कि इस चीज़ की तरवीज (रिवाज देना व रौनक़ पकड़ता) हो यानी अच्छी फ़रोख्त हो जाये हलाल कहा या जहालत से इस को हलाल कहा कि ख़ुद जानता न था तो यह कुफ्र न होगा और ऐतक़ाद करने की सूरत में अहम ने जो हुक्म ज़िक्र किया है वो ऐसी चीज़ों के साथ है जो बअयुना हराम हों और इन से इस बअयुना हराम को हलाल ऐतक़ाद कर लिया हत्ता कि कुफ्र हो गया और अगर यह चीज़ हराम होगा क़तई दलील से साबित हिल्लत से काफ़िर न होगा और नीज़ हराम बअयुना की सूरत में भी जब ही तकफ़ीर की जायेगी कि जब इस का हराम होगा क़तई दलील से साबित हो और अगर अख़्बार आजाद से साबित हुआ तो तकफ़ीर न की जायेगी यह ख़ुलासा में है।

क़ालल मुतरजम हराम चीज़ें नबज़र अपनी ज़ात के दो तरह की होती हैं एक वो जो बअयुना हराम या मैं जैसे सुवर व कुत्ता वग़ैरह और दीगर वो हैं कि बग़ैर व हराम हैं फिर नबज़र हुरमत भी दो क़िस्में हैं एक वो जो क़तई दलील से इन का हराम होना साबित है जैसे शराब अंगूरी वग़ैरह और दिरम वो कि इन के हराम होने पर अख़्बार आहाद वग़ैरह ज़न्नी दलीलें हैं और नीज़ हलाल को हराम या हराम को हाल कहना दो तरह पर है एक यह जान बूझ कर कहना है दोम यह है कि जाहिल है नहीं जानता है फिर जान बूझ कर भी दो तरह पर है एक यह कि ऐतक़ाद से कहे दिरम यह कि दिल से ऐतक़ाद नहीं हे मिन्हु से किसी अपने मतलब के वास्ते कहता है पस अगर बअयुना हराम को जान बूझ कर हलाल ऐतक़ाद किया तो काफ़िर है और बाक़ी सूरतें ग़फ़ूरूर्रहीम।

किसी ने अपने मुख़ासिम से कहा कि अज़हब मई इलल शरअ (3) या फ़ारसी में कहा कि मामन बशरअ रो यानी मेरे साथ शरअ की तरफ़ चल पस इस के मुख़ासिम ने कहा कि कोई प्यादा ले आता कि चलूं बेजबर नहीं जाउंगा तो इस की तकफ़ीर की जायेगी इस लिए कि इस ने शरअ से इनाद किया और अगर इस ने कहा कि मेरे साथ क़ाज़ी के मज़्र में चल पस इस ने ऐसा जवाब दिया तो तकफ़ीर न किया जायेगा क्योंकि क़ाज़ी के इनाद से तकफ़ीद न होगी और अगर किसी ने कहा कि मेरे साथ शरीअत वजह हीले फ़ादा न देंगे या कहा कि मेरे लिए दयूस है शरीअत को क्या करूं तो यह सब कुफ्र है और अगर किसी ने कहा कि जिस समय रूपया लिया था इस समय शरीअत व क़ाज़ी कहां था तो भी तकफ़ीर किया जायेगा और कुछ मुताख़िरीन ने फ़रमाया कि अगर क़ाज़ी (फ़क़त क़ाज़ी कहां था कहने की स्थिति में) से मुराद इस शहर का क़ाज़ी लिया है तो तकफ़ीर न किया जायेगा और अगर किसी ने दूसरे से कहा कि इस वाक़िऐ में हुक्म शरअ यूं है पस दूसरे ने कहा कि मैं रसम पर चलता हूं न शरअ पर तो कुछ विद्वानों के अनुसार तकफ़ीर किया जायेगा और मजमूअ उल नवाज़िल में वर्णित है कि एक ने अपनी बीवी से कहा कि तू क्या कहती है कि हुक्म शरअ क्या चीज़ है पस

(1)दस्तरह बमअनी आरी जिस से तज्जार लकडी चीरता है।

(2) अनुवादक के कथनानुसार यह मसला कलिमा कुफ्रि+या मुताल्लिक+ बज़ात व सिफ़ात इलाही के बयान में होना बनिस्बत यहां के बेहतर था अगरचे मुताल्लिक+ बसिफ़ात नहीं है और इस से औला यह है कि मुताल्लिक+ बाईमान इस्लाम में बयान होता फ़ाफ़हम वल्लाहु आलम।

(3)अक़ोलशायदयह मुराद है कि मेरे साथशरअ+ के मुवाफ़िक+ चल अगरचे ज़ाहिर लफ्ज+ से भी मालूम होता है कि मेरे साथ क़ाज़ी केयहांशरई फ़ैसला के लि, चल बक़रीना हक़।

औरत ने एक बडी सी डकार ली और कहा कि ऐंक शरअ रा यानी इस शरअ को तो वो काफ़िर हो गई और अपने शौहर से बाइना हो गई यह मुहीत में है।

अगर मुदई व मुदआ अलैहि में से यानी जिन दोनों में बाहम झगडा है इन में से एक

ऊपर8 की इबारत मज़्कूरह से समझ लेना चाहिए। किसी शख़्स से कहा गया कि तेरे अनुसार एक हलाल पसन्द है या दो हराम पस इस ने कहा कि दोनों में से जो जल्द हासिल हो जाये तो इस पर कुफ़्र का ख़ौफ़ है और इसी तरह अगर कहा कि माल चाहे कि ख़्वाह हलाल ख़्वाह हराम तो भी यही हुक्म है। अगर कहा कि जब तक हराम पांउ हलाल के गर्द न फिरूं तो तकफ़ीर न किया जायेगा। अगर किसी फ़क़ीर को माल हराम में से कुछ दे कर सवाब की उम्मीद रखी तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। अगर फ़क़ीर ने यह बात जान ली फिर देने वाले को दुआ दी और देने वाले ने इस की दुआ पर आमीन कही तो काफ़िर हो और एक शख़्स से कहा गया कि तू हलाल से खाया कर पस इस ने कहा कि मेरे अनुसार हराम इस से पसन्द है तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर इस के जवाब में यूं कहा कि तो इस जहां में एक भी हलाल खाने वाला ले आता कि मैं इस को सज्दा करूं तो तकफ़ीर किया जायेगा। अगर किसी से कहा गया कि हलाल खा पस इस ने कहा कि मुझे हराम चाहिए है तो तकफ़ीर किया जायेगा यह मुहीत में है।

अगर किसी ने अपनी बीवी से हालते हैज़ में वती करने को हलाल ऐतक़ाद किया तो इस की तकफ़ीर की जायेगी :

किसी फ़ासिक़ शराब ख़ोर के लडके ने शराब पी पस इस के अक़ारिब ने आकर इस पर दिरहम निसार किये तो सब काफ़िर हो जाऐंगे और अगर इस को बशारत न दी लेकिन कहा कि मुबारक बाद तो भी काफ़िर हो जाऐंगे और अगर किसी ने कहा कि ख़ुमार यानी शराब हराम की हुरमत क़ुरआन से नहीं साबित हुई है तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। अगर किसी ने कहा कि शराब की हुरमत क़ुरआन शरीफ़ से साबित है और बावजूद इस के वो शराब पीता है पस इस से कहा गया कि तू क्यों तौबा नहीं करता है इस ने कहा कि मां के दूध से कोई सब्र कर सकता है तो तकफ़ीर न की

व्यक्ति आलिमों से हुक्म शरअ का फ़तवा लिखा कर अपने मुख़ासिम के पास आया :

एक व्यक्ति के सामने किसी ने इमामों का फ़तवा पैश किया पस इस ने रद कर दिया और कहा कि यह क्या खरा अम्बार फ़तवा लिया है तो कुछ ने फ़रमाया कि तकफ़ीर किया जायेगा इस वजह से कि इस ने हुक्म शरअ को रद कर दिया और इसी तरह अगर इस ने कुछ न कहा फ़क़त फ़तवा ज़मीन पर डाल दिया और कहा कि यह क्या शरअ है तो भी यही हुक्म है एक व्यक्ति ने किसी आलिम के पास एक स्थिति पैश की कि इस से मेरी बीवी पर तलाक़ हुई या नहीं पस आलिम मौसूफ़ ने फ़तवा दिया कि स्थपित हो गई पस फ़तवा पूछने वाले ने कहा कि मैं तलाक़ वलाक़ क्या जानूं बच्चों की मां मेरे घर में रहना चाहिए तो क़ाज़ी इमाम अली सअदी ने इस के कुफ़्र पर फ़तवा दिया है यह फ़ुज़ूल अमादिया में है। अगर मुदअई व मुदआ अलैहि में से यानी जिन दोनों में बाहम झगडा है इन में से एक व्यक्ति आलिमों से हुक्म शरअ का फ़तवा लिखा कर अपने मुख़ासिम के पास आया और कहा कि यह फ़तवा है पस इस ने कहा कि ऐसा नहीं है जो उन्होंने फ़तवा दिया है या कहा कि मैं इस पर अमल न करूंगा तो इस पर तअज़ीर अनिवार्य होगी यह ज़ख़ीरा में है। अब इन कलिमात कुफ़्र का बयान है जो हलाल व हराम फ़ासिक़ों व फ़ाजिरों वग़ैरह के बात से मुताल्लिक़ हैं। अगर किसी ने हराम को हलाल या हलाल को हराम ऐतक़ाद कर लिया तो इस की तकफ़ीर की जायेगी लेकिन अगर इस ने किसी हराम को बदीन ग़र्ज़ कि इस चीज़ की तरवीज (रिवाज देना व रौनक़ पकडता) हो यानी अच्छी फ़रोख़्त हो जाये हलाल कहा या जहालत से इस को हलाल कहा कि ख़ुद जानता न था तो यह कुफ़्र न होगा और ऐतक़ाद करने की स्थिति में अहम ने जो हुक्म ज़िक्र किया है वो ऐसी चीज़ों के साथ है जो बअयुना हराम हों और इन से इस बअयुना हराम को हलाल ऐतक़ाद कर लिया हत्ता कि कुफ़्र हो गया और अगर यह चीज़ हराम होना क़तई दलील से साबित हिल्लत से काफ़िर न होगा और नीज़

जायेगी इस लिए कि यह इस्तफ़हाम है या यह है कि इस ने दूध व शराब को यक्सां पसन्द किया और किताबुल हैज़ मुसन्निफ़ा इमाम सरखसी में मज़कूर है कि अगर किसी ने अपनी बीवी से हालत हैज़ मेंवती करने को हलाल ऐतक़ाद किया तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और इस तरह अगर अपनी औरत से लवातत यानी कोन में जिमाअ करने को हलाल ऐतक़ाद किया तो भी यही हुक्म है और नवादिर में इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत है कि इन दोनों मसलों में तकफ़ीर न की जायेगी और यही सही है। एक ने शराब पी और कहा कि ख़ुशी इसी को है जो मेरी ख़ुशी के साथ ख़ुश है और नुक़सान व टोटा इस को है कि मेरी ख़ुशी के साथ ख़ुश नहीं है तो यह कुफ़्र होना यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर किसी ने अफ़आल खिलाफ़ शरअ मिस्ल शराब ख़्वारी व क़मार बाज़ी वग़ैरह शुरूअ करने के वक्त अपने दोस्तों से कहा कि आओ तो कुछ देर अच्छी ज़िन्दगी कर लें तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और इसी तरह अगर शराब में मशग़ूल हो और कहा कि मुसलमानी आशकारा करता हूं या कहा कि मुसलमानी आशकारा हुई तो तकफ़ीर की जायेगी और अगर फ़ासिक़ों में से एक ने कहा कि अगर इस शराब में से कुछ गिर पड़े तो जिब्रईल अलैहिस्सलाम अपने परों पर इस को उठालें तो तकफ़ीर किया जायेगा अगर किसी फ़ासिक़ से कहा गया कि तो हर रोज़ सुबह उठता है कि अल्लाह तआला व ख़ल्क़े ख़ुदा को ईज़ा देता है पस इस ने कहा कि अच्छा करता हूं तो तकफ़ीर किया जायेगा। अगर किसी ने खिलाफ़े शरअ गुनाहों पर चलने को कहा कि यह भी एक राह मज़हब है तो तकफ़ीर किया जायेगा यह मुहीत में है। तजनीन नातफ़ी में मज़कूर है कि असह यह है कि तकफ़ीर न किया जायेगा यह तातार खानिया में है। कोई शख़्स किसी सग़ीरा गुनाह का मुरतकिब हुआ पस इस से कहा गया कि अल्लाह तआला से तौबा कर पस इस ने कहा कि मैंने क्या किया है जो मुझे तौबा करनी चाहिए तो तकफ़ीर किया जायेगा यह मुहीत में है। अगर तआम हराम खाने के वक्त कहा कि 'बिस्मिल्लाह' तो इमाम ख़्वाहिर ज़ादा ने ज़िक्र किया कि तकफ़ीर किया जायेगा हराम बअयुना की स्थिति में भी जब ही तकफ़ीर की जायेगी कि जब इस का हराम होना क़तई दलील से साबित हो और अगर अख़्बार आजाद से साबित हुआ तो तकफ़ीर न की जायेगी यह ख़ुलासा में है।

अनुवादक के कथनानुसार हराम चीज़ें नबज़र अपनी ज़ात के दो तरह की होती है एक वो जो बअयुना हराम या मैं जैसे सुवर व कुत्ता वग़ैरह और दीगर वो है कि बग़ैर व हराम हैं फिर नबज़र हुरमत भी दो क़िस्में हैं एक वो जो क़तई दलील से इन का हराम होना साबित है जैसे शराब अंगूरी वग़ैरह और दिरम वो कि इन के हराम होने पर अख़्बार आहाद वग़ैरह ज़न्नी दलीलें हैं और नीज़ हलाल को हराम या हराम को हाल कहना दो तरह पर है एक यह जान बूझ कर कहना है दोम यह है कि जाहिल है नहीं जानता है फिर जान बूझ कर भी दो तरह पर है एक यह कि ऐतक़ाद से कहे दिरम यह कि दिल से ऐतक़ाद नहीं हे मिन्हु से किसी अपने मतलब के लिए कहता है पस अगर बअयुना हराम को जान बूझ कर हलाल ऐतक़ाद किया तो काफ़िर है और बाक़ी सूरतें ऊपर8 की इबारत मज़कूरह से समझ लेना चाहिए। किसी व्यक्ति से कहा गया कि तेरे अनुसार एक हलाल पसन्द है या दो हराम पस इस ने कहा कि दोनों में से जो जल्द हासिल हो जाये तो इस पर कुफ़्र का ख़ौफ़ है और इसी तरह अगर कहा कि माल चाहे कि चाहे हलाल चाहे हराम तो भी यही हुक्म है। अगर कहा कि जब तक हराम पांउ हलाल के गर्द न फिरूं तो तकफ़ीर न किया जायेगा। अगर किसी फ़क़ीर को माल हराम में से कुछ दे कर सवाब की उम्मीद रखी तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। अगर फ़क़ीर ने यह बात जान ली फिर देने वाले को दुआ दी और देने वाले ने इस की दुआ पर आमीन कही तो काफ़िर हो और एक व्यक्ति से कहा गया कि तू हलाल से खाया कर पस इस ने कहा कि मेरे अनुसार हराम इस से पसन्द है तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर इस के जवाब में यूं कहा कि तो इस जहां में एक भी हलाल खाने वाला ले आता कि मैं इस को सज्दा करूं तो तकफ़ीर किया जायेगा। अगर किसी से कहा गया कि हलाल खा पस इस ने कहा कि मुझे हराम चाहिए है तो

और अगर बाद फ़राग़त के 'अल्हम्दु लिल्लाह' कहा तो बाज़ मुताखिरीन ने कहा कि तकफ़ीर न किया जायेगा। अगर शराब का प्याला हाथ में ले कर 'बिस्मिल्लाह' कि कर पी जाये तो बिल इत्तफ़ाक़ काफ़िर हो जायेगा और इसी तरह अगर ज़िना करने के वक्त या चूसर के वक्त कअबेन हाथ में ले कर 'बिस्मिल्लाह' कह कर शुरू करे तो काफ़िर हो जायेगा यह फ़ुज़ूल अमादिया में है।

अगर दो आदमियों में बाहम सख़्त कलामी हुई पस एक ने इन में से कहा कि 'लाहौल वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह' पस दूसरे ने कहा कि 'लाहौल' कुछ कार आमद नहीं है या कहा कि 'लाहौल' को क्या करूं या कहा कि 'लाहौल ला यग़नी मिन जूअ' या कहा कि 'लाहौल' को सुरीद के प्याले में नहीं चूर कर सकते हैं या कहा कि बजाये रोटी के 'लाहौल' कुछ फ़ायदा नहीं देती है तो इन सब सूरतों में इस की तकफ़ीर की जायेगी। यह ज़हीरिया में है। इस तरह अगर तसबह व तहलील के वक्त किसी ने ऐसी बातें कहीं यानी किसी ने तहलील व तसबीह कही और दूसरे ने इस की निस्बत ऐसे कलिमात कहे तो भी यही हुक्म है और इसी तरह अगर किसी ने कहा कि 'सुब्हानल्लाह' पस दूसरे ने कहा कि तूने सुब्हानल्लाह की आबरू खोई या खा कि खाल खींच डाली तो यह कुफ़्र है और अगर किसी से कहा कि तो कि 'लाइलाह इल्लल्लाह' पस इस ने कहा मैं नहीं कहूंगा तो बाज़ मशाइख ने कहा कि यह कुफ़्र है और बाज़ ने कहा कि अगर इस से इस की यह मुराद है कि तेरे हुक्म से नहीं कहूंगा तो तकफ़ीर की जायेगी और बाज़ ने कहा

(1)क़ालल मुतरजमयह बतौर मुहावरा के पड+ गयायानीयह चीज+ भूक को दूर नहीं करती हैयानी लाहौल से कुछ सैरी नहीं है।

कि मुतल्लक़न तकफ़ीर न की जायेगी और अगर कहा कि इस कलिमे के कहने से तू न क्या सरफ़राज़ी पाई ताकि मैं भी कहूं तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी। एक शख़्स ने चन्द मर्तबा छींक ली पस हाज़िरीन में से एक शख़्स ने हर बार जब इस ने छींक ली तो 'यरहमुकल्लाह' कहा फिर इस ने एक छींक ली पस इस ने कहा कि इस 'यरहमुकल्लाह' कहने से मेरा नाक में दम आ गया या कहा कि मेरा जी उक्ता गया या कहा तकफ़ीर किया जायेगा यह मुहीत में है।

अगर किसी ने अपनी बीवी से हालते हैज़ में वती करने को हलाल ऐतक़ाद किया तो इस की तकफ़ीर की जायेगी :

किसी फ़ासिक़ शराब ख़ोर के लड़के ने शराब पी पस इस के अक़ारिब ने आकर इस पर दिरहम निसार किये तो सब काफ़िर हो जाऐंगे और अगर इस को बशारत न दी लेकिन कहा कि मुबारक बाद तो भी काफ़िर हो जाऐंगे और अगर किसी ने कहा कि ख़ुमार यानी शराब हराम की हुरमत क़ुरआन से नहीं साबित हुई है तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। अगर किसी ने कहा कि शराब की हुरमत क़ुरआन शरीफ़ से साबित है और बावजूद इस के वो शराब पीता है पस इस से कहा गया कि तू क्यों तोबा नहीं करता है इस ने कहा कि मां के दूध से कोई सब्र कर सकता है तो तकफ़ीर न की जायेगी इस लिए कि यह इस्तफ़हाम है या यह है कि इस ने दूध व शराब को यक्सां पसन्द किया और किताबुल हैज़ मुसन्निफ़ा इमाम सरखसी में वर्णित है कि अगर किसी ने अपनी बीवी से हालत हैज़ मेंवती करने को हलाल ऐतक़ाद किया तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और इस तरह अगर अपनी औरत से लवातत यानी कोन में जिमाअ करने को हलाल ऐतक़ाद किया तो भी यही हुक्म है और नवादिर में इमाम मौहम्मद रह० से रिवायत है कि इन दोनों मसलों में तकफ़ीर न की जायेगी और यही सही है। एक ने शराब पी और कहा कि ख़ुशी इसी को है जो मेरी ख़ुशी के साथ ख़ुश है और नुक़सान व टोटा इस को है कि मेरी ख़ुशी के साथ ख़ुश नहीं है तो यह कुफ़्र होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

अगर किसी ने अफ़आल खिलाफ़ शरअ मिस्ल शराब ख़ारी व क़मार बाज़ी वग़ैरह शुरूअ करने के समय अपने दोस्तों से कहा कि आओ तो कुछ देर अच्छी ज़िन्दगी कर लें तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और इसी तरह अगर शराब में मशग़ूल हो और कहा कि मुसलमानी

कि मैं मलूल हो गया तो बाज़ ने कहा कि जवाब सही के मुवाफ़िक़ इस की तकफ़ीर न की जायेगी यह मुहीत में है।

सुल्तान को छींक आई पस एक ने कहा कि यरहमुकल्लाह पस किसी दूसरे ने कहा कि सुल्तान के वास्ते ऐसा मत कि तू यह दूसरा तकफ़ीर किया जायेगा यह फ़ुसूल अमादिया में है।

रोज़े क़यामत से मुताल्लिक़ा अहवाले कुफ़िया का बयान

अब इन कलिमात कुफ़्र का बयान है जो अहवाल क़यामत व रोज़े क़यामत से मुताल्लिक़ हैं और जिस ने इन्कार किया रोज़े क़यामत का या जन्नत का या दोज़ख का या मीज़ान का या पुल सिरात का या अन सहीफ़ों का जिस में बन्दों के आमाल लिखे हैं तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर क़ब्रों वग़ैरह से मुर्दे उठाये जाने यानी बअसत का इन्कार किया तो भी तकफ़ीर किया जायेगा और अगर किसी शख़्स ने बअसत का इक़रार किया मगर इस से इन्कार किया कि बअयुना फ़लां शख़्स नहीं उठाया जायेगा तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी ऐसा ही शैख़ ज़ाहिर अबू इसहाक़ कलाबादी ने ज़िक्र किया है यह ज़हीरिया में है। इब्नेसलाम से मरवी है कि अगर किसी ने कहा कि मैं नहीं जानता हूं कि यहूद नसारा जब उठाये जाऐंगे तो अज़ाब दोज़ख में डाले जाऐंगे तो हमारे सब मशाइख व मशाइख बल्ख ने फ़तवा दिया कि इस की तकफ़ीर की जाये यह इताबिया में है। अगर जन्नत में दाखिल होकर दीदारे इलाही के होने से इन्कार किया तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर अज़ाबुल क़ब्र से इन्कार किया तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर नबी आदम के हशर होने से इन्कार किया तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर सिवाए नबी आदम के और दिन के हशर होने से इन्कार किया तो तकफ़ीर न किया जायेगा और इसी तरह अगर कहा कि सवाब व उक़ाब फ़क़त रूह को दिया जायेगा तो इस से भी तकफ़ीर न की जायेगी यह बहरूल राइक़ में है। एक ने दूसरे से कहा कि गुनाह मत कर कि दूसरा जहां भी है पस इस ने कहा कि इस जहां की किस आशकारा करता हूं या कहा कि मुसलमानी आशकारा हुई तो तकफ़ीर की जायेगी और अगर फ़ासिक़ों में से एक ने कहा कि अगर इस शराब में से कुछ गिर पड़े तो जिब्रईल अलैहिस्सलाम अपने परों पर इस को उठालें तो तकफ़ीर किया जायेगा अगर किसी फ़ासिक़ से कहा गया कि तो हर रोज़ सुबह उठता है कि अल्लाह तआला व ख़ल्क़े ख़ुदा को ईज़ा देता है पस इस ने कहा कि अच्छा करता हूं तो तकफ़ीर किया जायेगा। अगर किसी ने खिलाफ़े शरअ गुनाहों पर चलने को कहा कि यह भी एक राह मज़हब है तो तकफ़ीर किया जायेगा यह मुहीत में है। तजनीन नातफ़ी में वर्णित है कि असह यह है कि तकफ़ीर न किया जायेगा यह तातार खानिया में है। कोई व्यक्ति किसी सग़ीरा गुनाह का मुरतकिब हुआ पस इस से कहा गया कि अल्लाह तआला से तौबा कर पस इस ने कहा कि मैंने क्या किया है जो मुझे तोबा करनी चाहिए तो तकफ़ीर किया जायेगा यह मुहीत में है। अगर तआम हराम खाने के समय कहा कि 'बिस्मिल्लाह' तो इमाम ख़्वाहिर ज़ादा ने ज़िक्र किया कि तकफ़ीर किया जायेगा और अगर बाद फ़राग़त के 'अल्हम्दु लिल्लाह' कहा तो कुछ मुताखिरीन ने कहा कि तकफ़ीर न किया जायेगा। अगर शराब का प्याला हाथ में ले कर 'बिस्मिल्लाह' कि कर पी जाये तो बिल इत्तफ़ाक़ काफ़िर हो जायेगा और इसी तरह अगर ज़िना करने के समय या चूसर के समय कअबेन हाथ में ले कर 'बिस्मिल्लाह' कह कर शुरू करे तो काफ़िर हो जायेगा यह फ़ुसूल अमादिया में है।

अगर दो आदमियों में बाहम सख़्त कलामी हुई पस एक ने इन में से कहा कि 'लाहौल वला क़ुव्वता सिवा बिल्लाह' पस दूसरे ने कहा कि 'लाहौल' कुछ कार आमद नहीं है या कहा कि 'लाहौल' को क्या करूं या कहा कि 'लाहौल ला यग़नी मिन जूअ' या कहा कि 'लाहौल' को सुरीद के प्याले में नहीं चूर कर सकते हैं या कहा कि बजाये रोटी के 'लाहौल' कुछ फ़ायदा नहीं देती है तो इन सब सूरतों में इस की तकफ़ीर की जायेगी। यह ज़हीरिया में है। इस तरह अगर तसबह व तहलील के समय किसी ने ऐसी बातें कहीं यानी किसी ने तहलील व तसबीह कही और दूसरे ने इस की निस्बत ऐसे कलिमात कहे तो

ने खबर दी तो तकफ़ीर किया जायेगा। एक शख़्स का दूसरे पर क़र्ज़ा आता है पस क़र्ज़ ख़्वाह ने कहा कि अगर न देगा तो क़यामत में ले लूंगा पस इस ने कहा कि क़यामत बरमी ताबद पस अगर इस ने रोज़े क़यामत की अहानत की नियत से कहा तो तकफ़ीर किया जायेगा। एक ने दूसरे पर ज़ुल्म किया पस मज़लूम ने कहा कि आखिर क़यामत हस्त पस ज़ालिम ने कहा कि फ़लां खर बक़ियामत अन्दर यानी क़यामत में गधे का खाया तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह तातार खानिया में है।

अगर किसी ने अपने मुखासिम से कहा कि मैं तुझ से अपना हक़ क़यामत में ले लूंगा पस ख़सम ने कहा कि तू इस अन्बोह में मुझे कहां पाउंगा तो मशाइख ने इस की तकफ़ीर में इख़्तलाफ़ किया है :

एक ने अपने क़र्ज़दार से कहा कि मेरे दिरहम में देदे कि क़यामत में दिरहम नहीं होंगे पस क़र्ज़दार ने कहा कि ला और मुझे देदे और इस जहां में ले लेना या कहा कि मैं दे दूंगा तो शैख़ फ़ज़ली ने जवाब दिया कि इस की तकफ़ीर की जायेगी और हमारे अक्सर मशाइख का भी यही क़ौल है और यही असह है और अगर किसी ने कहा कि मुझे महशर से क्या काम है या कहा कि मैं क़यामत से नहीं डरता हूं तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह ख़ुलासा में है। अगर किसी ने अपने मुखासिम से कहा कि मैं तुझ से अपना हक़ क़यामत में ले लूंगा पस ख़सम ने कहा कि तू इस अम्बोह में मुझे कहां पाउंगा तो मशाइख ने इस की तकफ़ीर में इख़्तलाफ़ किया है और फ़तावा अबुल्लैस में मज़कूर है कि तकफ़ीर न किया जायेगा यह मुहीत में है और अगर किसी ने कहा कि हम ने कोई बदीन जहां बायद बदान जहान हरचह ख़्वाही बाश यानी तमाम भलाई इस जहां में चाहिए और वहां इस जहां में जो चाहिए हो तो तकफ़ीर की जायेगी यह फ़ुसूल अमादिया में है। एक ने किसी ज़ाहिद से कहा कि नबशीन ता अज़ बहिश्त अज़ां सोनेफ़ती यानी बैठ ताकि तो बहिश्त से इस तरफ़ न जा पडे तो अक्सर अहले इल्म ने कहा कि तकफ़ीर किया जायेगा। अगर एक शख़्स भी यही हुक्म है और इसी तरह अगर किसी ने कहा कि 'सुब्हानल्लाह' पस दूसरे ने कहा कि तूने सुब्हानल्लाह की आबरू खोई या खा कि खाल खींच डाली तो यह कुफ़्र है और अगर किसी से कहा कि तो कि 'लाइलाह इल्लल्लाह' पस इस ने कहा मैं नहीं कहूंगा तो कुछ विद्वानों ने कहा कि यह कुफ़्र है और कुछ ने कहा कि अगर इस से इस की यह मुराद है कि तेरे हुक्म से नहीं कहूंगा तो तकफ़ीर की जायेगी और कुछ ने कहा

(1)अनुवादक के कथनानुसारयह बतौर मुहावरा के पड+ गयायानी यह चीज+ भूक को दूर नहीं करती हैयानी लाहौल से कुछ सैरी नहीं है।

कि मुतल्लक़न तकफ़ीर न की जायेगी और अगर कहा कि इस कलिमे के कहने से तू न क्या सरफ़राज़ी पाई ताकि मैं भी कहूं तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी। एक व्यक्ति ने चन्द मर्तबा छींक ली पस हाज़िरीन में से एक व्यक्ति ने हर बार जब इस ने छींक ली तो 'यरहमुकल्लाह' कहा फिर इस ने एक छींक ली पस इस ने कहा कि इस 'यरहमुकल्लाह' कहने से मेरा नाक में दम आ गया या कहा कि मेरा जी उक्ता गया या कहा कि मैं मलूल हो गया तो कुछ ने कहा कि जवाब सही के मुवाफ़िक़ इस की तकफ़ीर न की जायेगी यह मुहीत में है।

सुल्तान को छींक आई पस एक ने कहा कि यरहमुकल्लाह पस किसी दूसरे ने कहा कि सुल्तान के लिए ऐसा मत कि तू यह दूसरा तकफ़ीर किया जायेगा यह फ़ुसूल अमादिया में है।

रोज़े क़यामत से मुताल्लिक़ा अहवाले कुफ़्रिया का बयान

अब इन कलिमात कुफ़्र का बयान है जो अहवाल क़यामत व रोज़े क़यामत से मुताल्लिक़ हैं और जिस ने इन्कार किया रोज़े क़यामत का या जन्नत का या दोज़ख का या मीज़ान का या पुल सिरात का या अन सहीफ़ों का जिस में बन्दों के आमाल लिखे हैं तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर क़ब्रों वग़ैरह से मुर्दे उठाये जाने यानी बअसत का इन्कार किया तो भी तकफ़ीर किया जायेगा और अगर किसी व्यक्ति ने बअसत का इक़रार किया

से कहा गया कि दुनिया को आखिरत की ग़र्ज़ से छोड़ दे इस ने कहा कि मैं नक़्द को उधार के वास्ते नहीं छोड़ता तो तकफ़ीर किया जायेगा तजवाने के नुस्खे में मौजूद है कि किसी ने कहा कि हर कि दरेन जहां बखैर व बोद बआन जहान चून कैसा रेदा बोद यानी जो शख़्स इस जहां में बख़ैरद होगा वो इस जहां में ऐसा होगा जैसे किसी की हमयानी कट गई हो तो शैख़ अबूबकर मौहम्मद बिल अल फ़ज़ल ने फ़रमाया कि यह अम्र आखिरत पर तन्ज़ और इस का ठठोल है पस कहने वाले के हक़ में मौज्जिब कुफ़्र है यह मुहीत में है। अगर कहा कि तेरे साथ दोज़ख को जाउंगा मगर अन्दर न जाउंगा तो तकफ़ीर किया जायेगा यह ख़ुलासा में है। अगर कहा कि क़यामत में जब तक रिज़वान के सामने कुछ रिशवत न ली जायेगा वो बहिश्त का दरवाज़ा न खोलेगा तो काफ़िर हो जायेगा यह इताबिया में है।

जो उमूर शरअ में करने चाहिए हैं अगर ऐसे उमूर के हुक्म देने वाले की निस्बत कहा कि चह ग़ोग़ा आमद पस अगर इस ने बतरीक़ रद व इन्कार के कहा तो इस पर कुफ़्र का ख़ौफ़ है। एक ने दूसरे से कहा कि तू फ़लां शख़्स के घर जाकर इस को अम्र मारूफ़ कर यानी उमूर शरई करने का हुक्म कर और मनहयात से मना कर पस इस ने जवाब दिया कि इस ने मेरा क्या किया है या कहा कि मुझे इस से आज़ाद की क्या वजह है या कहा कि मैंने आफ़ियत इख़्तयार कर ली है मुझे इस फ़ुज़ूल हरकत से क्या काम है तो यह सब अल्फ़ाज़ कुफ़्र हैं यह फ़ुज़ूल अमादिया में है। अगर किसी से कहा कि फ़लां को मुसीबत पहुंची या जिस का कोई मर गया है इस से कहा कि तुझे बडी मुसीबत पहुंची तो बाज़ मशाइख बल्ख़ ने फ़रमाया कि कहने वाले की तकफ़ीर की जायेगी और बाज़ मशाइख ने कहा कि तकफ़ीर न की जायेगी लेकिन यह ख़ताऐ अज़ीम है और बाज़ों ने फ़रमाया कि न कुफ़्र है और न ख़ता है और इस तरह हाकिम अब्दुर्रहमान और क़ाज़ी अबू अली सअदी ने मेल किया है और इसी पर फ़तवा है क़ालल मुतरजम यही असह है व क़द्र व फ़िल सही उल असतर जिमाअ यानी मिस्ल मगर इस से इन्कार किया कि बअयुना फ़लां व्यक्ति नहीं उठाया जायेगा तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी ऐसा ही शैख़ ज़ाहिर अबू इसहाक़ कलाबादी ने ज़िक्र किया है यह ज़हीरिया में है। इब्नेसलाम से मरवी है कि अगर किसी ने कहा कि मैं नहीं जानता हूं कि यहूद नसारा जब उठाये जाऐंगे तो अज़ाब दोज़ख में डाले जाऐंगे तो हमारे सब विद्वानों व विद्वानों बल्ख़ ने फ़तवा दिया कि इस की तकफ़ीर की जाये यह इताबिया में है। अगर जन्नत में दाखिल होकर दीदारे इलाही के होने से इन्कार किया तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर अज़ाबुल क़ब्र से इन्कार किया तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर नबी आदम के हशर होने से इन्कार किया तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर सिवाए नबी आदम के और दिन के हशर होने से इन्कार किया तो तकफ़ीर न किया जायेगा और इसी तरह अगर कहा कि सवाब व उक़ाब फ़क़त रूह को दिया जायेगा तो इस से भी तकफ़ीर न की जायेगी यह बहरूल राइक़ में है। एक ने दूसरे से कहा कि गुनाह मत कर कि दूसरा जहां भी है पस इस ने कहा कि इस जहां की किस ने खबर दी तो तकफ़ीर किया जायेगा। एक व्यक्ति का दूसरे पर क़र्ज़ा आता है पस क़र्ज़ चाहे ने कहा कि अगर न देगा तो क़यामत में ले लूंगा पस इस ने कहा कि क़यामत बरमी ताबद पस अगर इस ने रोज़े क़यामत की अहानत की इरादा से कहा तो तकफ़ीर किया जायेगा। एक ने दूसरे पर ज़ुल्म किया पस मज़लूम ने कहा कि आखिर क़यामत हस्त पस ज़ालिम ने कहा कि फ़लां खर बक़ियामत अन्दर यानी क़यामत में गधे का खाया तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह तातार खानिया में है।

अगर किसी ने अपने मुखासिम से कहा कि मैं तुझ से अपना हक़ क़यामत में ले लूंगा पस ख़सम ने कहा कि तू इस अन्बोह में मुझे कहां पाउंगा तो विद्वानों ने इस की तकफ़ीर में मतभेद किया है :

एक ने अपने क़र्ज़दार से कहा कि मेरे दिरहम में देदे कि क़यामत में दिरहम नहीं होंगे पस क़र्ज़दार ने कहा कि ला और मुझे देदे और इस जहां में ले लेना या कहा

طفوا السراج فكيف فيمن مات له ميّت وقد قال تعالى: (وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝ نعم لولم يسترجع لم لستحيق نعم الثواب من قوله تعالى اولٰئك عوليهم صلوات من ربهم ورحمة فما قالوا الما يعمل على ما اذا قال ذلك زعما منه الظلم فيما وقع ولكن هذا كفر صريح لاينبغى ان يختلف فيه فليتامل.

अगर ग़रा दार से कहा कि हर चह अज़ जान दी बकासत बरजान तो ज़्यादत बावजूद कुछ इस की जान से घटा है तेरी जान पर बढ़ जाये तो कहने वाले के कुफ़्र का ख़ौफ़ है या कहा कि ज़िादत कुनाद तेरी जान पर ज़्यादती करे तो यह ख़ता व जहल है। इस तरह अगर कहा अज़ जान फ़लान बकास्त व बजान तो पैवस्त यनी फ़लां की जान से घटी व तेरी जान को मिली तो भी यही हुक्म है और अगर कहा कि वो मेरा और जान तुझे सुपुर्द कर दी तो तकफ़ीर किया जायेगा। एक शख़्स अपने मर्ज़ से सेहत याब हो गया पस दूसरे ने कहा कि फ़लां ख़रबार फ़रस्ताद तो यह कुफ़्र है और अगर कोई बीमार हो

कि मैं दे दूंगा तो शैख़ फ़ज़ली ने जवाब दिया कि इस की तकफ़ीर की जायेगी और हमारे अक्सर विद्वानों का भी यही कथन है और यही असह है और अगर किसी ने कहा कि मुझे महशर से क्या काम है या कहा कि मैं क़यामत से नहीं डरता हूं तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह ख़ुलासा में है। अगर किसी ने अपने मुख़ासिम से कहा कि मैं तुझ से अपना हक़ क़यामत में ले लूंगा पस ख़सम ने कहा कि तू इस अम्बोह में मुझे कहां पाउंगा तो विद्वानों ने इस की तकफ़ीर में मतभेद किया है और फ़तावा अबुल्लैस में वर्णित है कि तकफ़ीर न किया जायेगा यह मुहीत में है और अगर किसी ने कहा कि हम ने कोई बदीन जहां बायद बदान जहान हरचह ख़्वाही बाश यानी तमाम भलाई इस जहां में चाहिए और वहां इस जहां में जो चाहिए हो तो तकफ़ीर की जायेगी यह फ़ुसूल अमादिया में है। एक ने किसी ज़ाहिद से कहा कि नबशीन ता अज़ बहिश्त अज़ां सोनेफ़ती यानी बैठ ताकि तो बहिश्त से इस तरफ़ न जा पड़े तो अक्सर अहले इल्म ने कहा कि तकफ़ीर किया जायेगा। अगर एक व्यक्ति से कहा गया कि दुनिया को आखिरत की ग़र्ज़ से छोड दे इस ने कहा कि मैं नक़द को उधार के लिए नहीं छोड़ता तो तकफ़ीर किया जायेगा तजवाने के नुस्ख़े में मौजूद है कि किसी ने कहा कि हर कि दरेन जहां बख़ैर व बोद बआन जहान चून कैसा रेदा बोद यानी जो व्यक्ति इस जहां में बख़ैरद होगा वो इस जहां में ऐसा होगा जैसे किसी की हमयानी कट गई हो तो शैख़ अबूबकर मौहम्मद बिल अल फ़ज़्ल ने फ़रमाया कि यह कार्य आखिरत पर तन्ज़ और इस का ठठोल है पस कहने वाले के हक़ में मौज्जिब कुफ़्र है यह मुहीत में है। अगर कहा कि तेरे साथ दोज़ख को जाउंगा मगर अन्दर न जाउंगा तो तकफ़ीर किया जायेगा यह ख़ुलासा में है। अगर कहा कि क़यामत में जब तक रिज़वान के सामने कुछ रिशवत न ली जायेगा वो बहिश्त का दरवाज़ा न खोलेगा तो काफ़िर हो जायेगा यह इताबिया में है।

जो उमूर शरअ में करने चाहिए हैं अगर ऐसे उमूर के हुक्म देने वाले की निस्बत कहा कि चह ग़ोग़ा आमद पस अगर इस ने बतरीक़ रद व इन्कार के कहा तो इस

(1)اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ कहनाऐसी सूरत में सही में वारिद हुआ है जो मिस्ल चिराग+ गुल(1)हो जाने के हो तो इसश[]स के हक+ में क्योंकर न होगा।

(1)मुतरजम का इशारह उस हदीस मुबारका की तरफ+ है जिस में मरवी है किएक मर्तबा रात के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिराग+ की रोशनी में तशरीफ+ फ़रमा थे कियकदम हवा से चिराग+ बु गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसा[]ता اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ इरशाद फ़रमाया। सय्याद आशा सिद्दीक़ा रज़ि0 बडी मुतअज्जुब हुई और फ़रमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सी बात पर आप स0अ0व0 ने اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ पा तो नबी करीम स0अ0व0 ने फ़रमाया कि आशा(रज़ि0)मुसलमान को हलकी सी तकलीफ+ भी पहुंचे और वो यह .पे तो उस के नामा XXXआमाल में नेकियां लिखी जाती हैं।

और इस का मर्ज़ सख़्त हो गया और बराबर बीमार दाइमी हुआ पस इस ने ख़ुदाऐ तआला से कहा कि अगर चाहिए तो मुझे मुसलमान वफ़ात दे और चाहे तो मुझे काफ़िर वफ़ात दे तो अल्लाह तआला से काफ़िर व अपने दीन से मुरतिद हो जायेगा क़ालल मुतरजम इबारत असल यह है فقال المرض ان شئت توفنی مسلم اوان شئت توفنی کافرًا یصیر کافرا باللہ مرتدا عن دینہ و اقول ھذا کانہ یصیحت و اصل العبارۃ ھکذا कि ऐ ख़ुदा तू मुझे वफ़ात दे चाहिए मुसलमान व चाहिए काफ़िर ऐ तेफ़नी इन शिअत मुसलमावान शिअत काफ़िरन इस वास्ते कि सूरत अव्वल में अहतमाल है कि ख़ातिमा अली मशियत अल्लाह तआला है ख़्वाह इस्लाम या बकुफ़्र अगरचे अल्लाह तआला की रज़ा बर कुफ़्र नहीं है। وھذا کما قالوا الی قولہ تعالیٰ ولو شاء اللہ لجمعھم علی الھدیٰ ونحوھو اما الثانی فانہ محکوم بھذا الحکم جدًا فافھم इसी तरह अगर कोई शख़्स तरह तरह की मुसीबतों में मुब्तला हुआ पस इस ने कहा कि तूने मेरा माल लिया और मेरी औलाद ली और चुनीं व चुनां लिया पस वो क्या है कि इस को करेगा या वो क्या बाक़ी रहा है कि तूने इस के नहीं किया या मिस्ल इस के और अल्फ़ाज़ कहे तो वो काफ़िर हुआ यह मुहीत में है।

अब इल अल्फ़ाज़ कुफ़्र का बयान है जो मुताल्लिक़ ब तलक़ीन कुफ़्र व हुक्म या बारतद अद व तालीम तबशुबा (1) कफ़्फ़ारह वग़ैरह अज़ इक़रार सरीह व किनाया हैं। अगर किसी ने दूसरे को कलिमा कुफ़्र तलक़ीन किया तो मर्द मज़कूर काफ़िर हो जायेगा अगरचे बतौर तअज्जुब के हो और इस तरह अगर किसी ने दूसरे की औरत को हुक्म दिया कि मुरतद हो कर अपने शौहर से बाइना हो जा तो यह हुक्म देने वाला काफ़िर हो जायेगा ऐसा है इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है और इमाम आज़म रह० से मरवी है कि जिस ने दूसरे को काफ़िर होने का हुक्म किया तो ख़ुद काफ़िर हो जायेगा ख़्वाह मामूर ने कुफ़्र किया या न किया। फ़क़ीह अबुल्लैस रह० ने कहा कि अगर किसी ने दूसरे को कलिमा कुफ़्र सिखाया तो जब कि इस को कलिमा कुफ़्र सिखलाया और इरतदाद का हुक्म किया तो काफ़िर हो जायेगा और इसी पर कुफ़्र का ख़ौफ़ है। एक ने दूसरे से कहा कि तू फ़लां व्यक्ति के घर जाकर इस को कार्य मारूफ़ कर यानी उमूर शरई करने का हुक्म कर और मनहयात से मना कर पस इस ने जवाब दिया कि इस ने मेरा क्या किया है या कहा कि मुझे इस से आज़ाद की क्या वजह है या कहा कि मैंने आफ़ियत इख़्तयार कर ली है मुझे इस फ़ुज़ूल हरकत से क्या काम है तो यह सब अल्फ़ाज़ कुफ़्र हैं यह फ़ुज़ूल अमादिया में है। अगर किसी से कहा कि फ़लां को मुसीबत पहुंची या जिस का कोई मर गया है इस से कहा कि तुझे बडी मुसीबत पहुंची तो कुछ विद्वानों बल्ख़ ने फ़रमाया कि कहने वाले की तकफ़ीर की जायेगी और कुछ विद्वानों ने कहा कि तकफ़ीर न की जायेगी लेकिन यह ख़ताऐ अज़ीम है और बाज़ों ने फ़रमाया कि न कुफ़्र है और न ख़ता है और इस तरह हाकिम अब्दुर्रहमान और क़ाज़ी अबू अली सअदी ने मेल किया है और इसी पर फ़तवा है अनुवादक के कथनानुसार यही असह है व क़द्र व फ़िल सही उल असतर जिमाअ यानी मिस्ल

طفوا السراج فکیف غیمن مات لہ میّت وقد قال تعالیٰ: (وَبَشِّرِ الصّٰبِرِیْنَ ۝ الَّذِیْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِیْبَةٌ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَیْهِ رٰجِعُوْنَ ۝ نعم لولم یسترجع لم لستحیق تعم الثواب من قولہ تعالیٰ اولٰٓئِك عولیھم صلوات من ربھم ورحمۃ فما قالوا انما یعمل علی ما اذا قال ذلك زعما منہ الظلم فیما وقع ولکن ھذا کفر صریح لا یتبغی ان یختلف فیہ فلیتامل۔

अगर ग़रा दार से कहा कि हर चह अज़ जान दी बकासत बरजान तो ज़्यादत बावजूद कुछ इस की जान से घटा है तेरी जान पर बढ जाये तो कहने वाले के कुफ़्र का ख़ौफ़ है या कहा कि ज़ादत कुनाद तेरी जान पर ज़्यादती करे तो यह ख़ता व जहल है। इस तरह अगर

तरह अगर किसी औरत को कलिमा कुफ़्र सिखलाया तो जब है काफ़िर होगा कि जब इस को मुरतिद हो जाने का हुक्म किया हो यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर किसी दूसरे पर मानिन्द इस के उज़्व या जान वग़ैरह तलफ़ करने की तख़्वीफ़ के साथ इकराह किया कि कलिमा कुफ़्र ज़बान से कहे पस इस ने कलिमा ज़बान से निकला तो इस में कई सूरतें हैं अव्वल आंकि इस ने ज़बान से कलिमा कुफ़्र कहा हालांकि इस का दिल ईमान से मुतमइन है और इस की खातिर में कोई शई सिवाए इस चीज़ के जिस पर इकराह किया है नहीं गुज़री यानी ज़बान से कलिमा कुफ़्र कहे तो इस सूरत में इस के कुफ़्र का हुक्म न किया जायेगा न क़ज़ाअन और न 'फ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहि तआला' और वजह दिरम यह कि इस शख़्स ने बयान किया कि मेरे दिल में यह ख़्याल आया था कि मैं इस को गुज़िश्ता ज़माने में अपने कुफ़्र से दरोग़ ख़बर दूं पस मैंने इसी इरादा से ज़बान से कलिमा कुफ़्र निकाला और इस के जवाब तहदीद से बइरादा-ए-कुफ़्र मुस्तक़बिल के ज़बान से कलिमा कुफ़्र नहीं निकाला तो ऐसी सूरत में क़ाज़ी क़ज़ाअन इस के कुफ़्र का हुक्म देगा हत्ता कि इस के और इस की बीवी के दरमियान तफ़रीक़ कर देगा और दरजा सोम यह कि इस ने कहा कि मेरे दिल में गुज़रा था कि दरोग़ इस को अपने ज़माना गुज़िश्ता के कुफ़्र से खबर दूं लेकिन मैंने ज़बान से निकालने में ज़माना माज़ी के अपने कुफ़्र की बतौर दरोग़ खबर देने की नियत नहीं की बल्कि इसके जवाब कलाम पर कुफ़्र मुस्तक़बिल की नियत की तो ऐसी सूरत में यह शख़्स क़ज़ाअन और 'फ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहि तआला' दोनों तरह काफ़िर हो जायेगा।

अगर कहा कि मेरे दिल में गुज़रा कि अल्लाह तआला के वास्ते नमाज़ पढ़ूं मगर मैंने इस को तर्क किया और सलीब के वास्ते नमाज़ पढी तो इस सूरत में इस की तकफ़ीर की जायेगी :

अगर किसी पर इकराह (2) किया कि इस सलीब कहा अज़ जान फ़लान बकास्त व बजान तो पैवस्त यनी फ़लां की जान से घटी व तेरी जान को मिली तो भी यही हुक्म है और अगर कहा कि वो मेरा और जान तुझे सुपुर्द कर दी तो तकफ़ीर किया जायेगा। एक व्यक्ति अपने मर्ज़ से सेहत याब हो गया पस दूसरे ने कहा कि फ़लां ख़रबार फ़रस्ताद तो यह कुफ़्र है और अगर कोई बीमार हो

(1) إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ कहना ऐसी स्थिति में सही में वारिद हुआ है जो मिस्ल चिराग+ गुल(1)हो जाने के हो तो इस व्यक्ति के हक+ में क्योंकर न होगा।

(1)मुतरजम का इशारह उस हदीस मुबारका की तरफ+ है जिस में मरवी है किएक मर्तबा रात के सम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिराग+ की रोशनी में तशरीफ+ फ़रमा थे कियकदम हवा से चिराग+ बु गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसा]ता إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ इरशाद फ़रमाया। सय्याद आशा सिद्दीक़ा रज़ि० बडी मुतअज्जुब हुई और फ़रमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सी बात पर आप स०अ०व० ने إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ पा तो नबी करीम स०अ०व० ने फ़रमाया कि आशा(रज़ि०)मुसलमान को हलकी सी तकलीफ+ भी पहुंचे और वो यह .पे तो उस के नामा-XXXआमाल में नेकियां लिखी जाती हैं।

और इस का मर्ज़ सख़्त हो गया और बराबर बीमार दाइमी हुआ पस इस ने ख़ुदाऐ तआला से कहा कि अगर चाहिए तो मुझे मुसलमान वफ़ात दे और चाहे तो मुझे काफ़िर वफ़ात दे तो अल्लाह तआला से काफ़िर व अपने दीन से मुरतिद हो जायेगा अनुवादक के कथनानुसार इबारत असल यह है فقال المرض ان شئت توفنی مسلم او ان شئت توفنی کافرًا یصیر کافرا باللہ مرتدا عن دینه و اقول هذا کانه یصیحت واصل العبارة هکذا कि ऐ ख़ुदा तू मुझे वफ़ात दे चाहिए मुसलमान व चाहिए काफ़िर ऐ तेफ़नी इन शिअत मुसलमावान शिअत काफ़िरन इस लिए कि स्थिति अव्वल में अहतमाल है कि ख़ातिमा अली मशियत अल्लाह तआला है चाहे इस्लाम या बकुफ़्र अगरचे अल्लाह तआला की रज़ा बर कुफ़्र नहीं है। وهذا کما قالو الی قوله تعالی ولو شاء الله لجمعهم علی الهدی ونحوه واما الثانی فانه محکوم بهذا الحکم جدًا فافهم इसी तरह अगर कोई व्यक्ति तरह तरह की मुसीबतों में मुब्तला हुआ पस इस ने कहा कि तूने मेरा माल लिया और मेरी औलाद ली और चुनीं व चुनां लिया पस वो क्या है कि

की तरफ़ नमाज़ पढ़े पस इस ने सलीब के रूख नमाज़ पढ़ी तो इस में तीन सूरतें

(1)मुशाबहत करनायानी किसी की रविश किसी अम्र में इ]तयार करना।

(2)क़ालल मुतरजम इकराह से मुराद वही इकराह है जो तलफ+ जान या उज़ू+ के मानिन्द हो वरना इकराह क़ैद वग़ैरह कुछ भी नहीं है।

हैं। अव्वल आंकि इस ने कहा कि मेरी ख़ातिर में कुछ नहीं गुज़रा मगर मैंने सलीब की तरफ़ इकराह की वजह से मजबूर होकर नमाज़ पढ़ी तो इस सूरत में क़ज़ाअन 'वफ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहु तआला' इस की तकफ़ीर न की जायेगी और अगर इस ने कहा कि मेरे दिल में गुज़रा कि मैं अल्लाह तआला के वास्ते नमाज़ पढ़ता हूं और मैंने सलीब के वास्ते नमाज़ नहीं पढ़ी तो इस सूरत में भी न क़ज़ाअन और न फ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहि तआला सी सूरत से तकफ़ीर न किया जायेगा और अगर इस ने कहा कि मेरे दिल में गुज़रा कि अल्लाह तआला के वास्ते नमाज़ पढ़ूं मगर मैंने इस को तर्क किया और सलीब के वास्ते नमाज़ पढ़ी तो इस सूरत में इस की तकफ़ीर की जायेगी 'क़ज़ाअन और फ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहि तआला' यानी दोनों तरह से तकफ़ीर की जायेगी यह मुहीत में है। अगर किसी से कहा गया कि बादशाह को सज्दा कर वरना हम तुझ को क़तल करेंगे तो अफ़ज़ल यह है कि क़त्ल हो जाये और सज्दा न करे यह फ़ुसूल अमादिया में है अगर अमदन कोई शख़्स कलिमा कुफ़्र बोला लेकिन इस ने कुफ़्र का ऐतक़ाद नहीं किया तो बाज़ ने फ़रमाया कि तकफ़ीर न किया जायेगा और बाज़ ने फ़रमाया कि तकफ़ीर किया जायेगा और मेरे अनुसार यही सही है यह बहरूल राइक़ में है। जो शख़्स कलिमा कुफ़्र बोला हालांकि वो नहीं जानता है कि यह कलिमा कुफ़्र है मगर इस ने अपने इख़्तियार से यह लफ़्ज़ कहा है तो यह आम्मा उलमा ने कहा कि इस की तकफ़ीर की जायेगी और नादानिस्तगी का उज़्र मक़बूल न होगा मगर बाज़ उलमा ने इस की तकफ़ीर किये जाने में इख़्तलाफ़ किया है यह ख़ुलासा में है।

हज़्ल करने वाले और इस्तहज़ा करने वाले ने अगर अज़ राह इस्तख़फ़ाफ़ व इस्तहज़ा (1) व मिज़ाह के इस को करेगा या वो क्या बाक़ी रहा है कि तूने इस के नहीं किया या मिस्ल इस के और अल्फ़ाज़ कहे तो वो काफ़िर हुआ यह मुहीत में है।

अब इल अल्फ़ाज़ कुफ़्र का बयान है जो मुताल्लिक़ ब तलक़ीन कुफ़्र व हुक्म या बारतद अद व तालीम तबशुबा (1) कफ़्फ़ारह वग़ैरह अज़ इक़रार सरीह व किनाया हैं। अगर किसी ने दूसरे को कलिमा कुफ़्र तलक़ीन किया तो मर्द वर्णित काफ़िर हो जायेगा अगरचे बतौर तअज्जुब के हो और इस तरह अगर किसी ने दूसरे की औरत को हुक्म दिया कि मुरतद हो कर अपने शौहर से बाइना हो जा तो यह हुक्म देने वाला काफ़िर हो जायेगा ऐसा है इमाम अबू यूसुफ़ रह० से मरवी है और इमाम आज़म रह० से मरवी है कि जिस ने दूसरे को काफ़िर होने का हुक्म किया तो ख़ुद काफ़िर हो जायेगा चाहे मामूर ने कुफ़्र किया या न किया। फ़क़ीह अबुल्लैस रह० ने कहा कि अगर किसी ने दूसरे को कलिमा कुफ़्र सिखाया तो जब कि इस को कलिमा कुफ़्र सिखलाया और इरतदाद का हुक्म किया तो काफ़िर हो जायेगा और इसी तरह अगर किसी औरत को कलिमा कुफ़्र सिखलाया तो जब है काफ़िर होगा कि जब इस को मुरतिद हो जाने का हुक्म किया हो यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। इमाम मौहम्मद रह० ने फ़रमाया कि अगर किसी दूसरे पर मानिन्द इस के उज़ू या जान वग़ैरह तलफ़ करने की तख़्वीफ़ के साथ इकराह किया कि कलिमा कुफ़्र ज़बान से कहे पस इस ने कलिमा ज़बान से निकला तो इस में कई सूरतें हैं अव्वल आंकि इस ने ज़बान से कलिमा कुफ़्र कहा हालांकि इस का दिल ईमान से मुतमइन है और इस की ख़ातिर में कोई शई सिवाए इस चीज़ के जिस पर इकराह किया है नहीं गुज़री यानी ज़बान से कलिमा कुफ़्र कहे तो इस स्थिति में इस के कुफ़्र का हुक्म न किया जायेगा न क़ज़ाअन और न 'फ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहि तआला' और वजह दिरम यह कि इस व्यक्ति ने बयान किया कि मेरे दिल में यह ख़्याल आया था कि मैं इस को गुज़िश्ता ज़माने में अपने कुफ़्र से दरोग़ ख़बर दूं पस मैंने इसी इरादा से ज़बान से कलिमा कुफ़्र निकाला और इस के जवाब तहदीद से बइरादा-ए-कुफ़्र मुस्तक़बिल के ज़बान से

कलिमा कुफ़्र कहा तो सब के अनुसार कुफ़्र होगा अगरचे इसका ऐतक़ाद इसके खिलाफ़ हो और अगर कोई शख़्स ख़ता से कलिमा कुफ़्र बोला मसलन इस का इरादा था कि ऐसा लफ़्ज़ बोले जो कुफ़्र नहीं है फिर इस की ज़बान ख़ता कर गई और इस की ज़बान से कलिमा कुफ़्र निकल गया तो सब के अनुसार यह कुफ़्र न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर मजूस की टोपी अपने सर पर रखी तो सही क़ौल के मुवाफ़िक़ इस की तकफ़ीर की जायेगी इल्ला आंकि बज़रूरत बग़र्ज़ गर्मी या सर्दी दफ़ा करने के ऐसा किया हो तो तकफ़ीर न होगी। अगर अपनी कमर में ज़िना बांधी तो भी तकफ़ीर किया जायेगा लेकिन अगरलड़ाई में मुसलमानों के वास्ते भेद लाने गया और बांध गया ताकि काफ़िर लोग धोका खावें तो तकफ़ीर न किया जायेगा और अगर किसी ने कहा कि मजूस बेहतर हैं इस चीज़ से जिस में हम हैं यानी हमारे फ़अल से फ़अल मजूस अच्छा है या कहा कि मजूसियत से नसरानियत बेहतर है तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर कहा कि नसरानियत से मजूसियत बदतर है तो तकफ़ीर न किया जायेगा और अगर कहा कि यह यहूदियत से नसरानियत बेहतर है तो तकफ़ीर किया जायेगा या किसी आमिल से कहा कि जो तू करता है इस से कुफ़्र बेहतर है तो बाज़ के अनुसार मुतल्लक़न तकफ़ीर किया जायेगा और फ़क़ीह अबुल्लैस रह० ने कहा कि जब ही तकफ़ीर किया जायेगा कि इस ने तहसीन कुफ़्र का क़सद किया हो और अगर इस शख़्स के फ़अल की तक़बीह बयान करनी मंज़ूर हो तो तकफ़ीर न किया जायेगा और अगर मजूसियों के नो रोज़ में निकला ताकि जो वो लोग इस रोज़ करते हैं इस में इन के साथ मुवाफ़क़त करे तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर नो रोज़ के दिन कोई चीज़ ऐसी खरीदी जिस को आदत के मुवाफ़िक़ और दोनों में नहीं खरीदता था आज बग़र्ज़ तअज़ीम नो रोज़ के न बग़र्ज़ खाने पीने के इस को खरीदा तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर किसी ने नो रोज़ के मुश्रिकों को बग़र्ज़ तअज़ीम नो रोज़ कुछ हदया भेजा अगरचे एक अण्डा हो तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर ऐसे मजूसी की दअवत क़बूल की जिस कलिमा कुफ़्र नहीं निकाला तो ऐसी स्थिति में क़ाज़ी क़ज़ाअन इस के कुफ़्र का हुक्म देगा हत्ता कि इस के और इस की बीवी के दरमियान तफ़रीक़ कर देगा और दरजा सोम यह कि इस ने कहा कि मेरे दिल में गुज़रा था कि दरोग़ इस को अपने ज़माना गुज़िश्ता के कुफ़्र से खबर दूं लेकिन मैंने ज़बान से निकालने में ज़माना माज़ी के अपने कुफ़्र की बतौर दरोग़ खबर देने की इरादा नहीं की बल्कि इसके जवाब बात पर कुफ़्र मुस्तक़बिल की इरादा की तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति क़ज़ाअन और 'फ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहि तआला' दोनों तरह काफ़िर हो जायेगा।

अगर कहा कि मेरे दिल में गुज़रा कि अल्लाह तआला के लिए नमाज़ पढ़ूं मगर मैंने इस को तर्क किया और सलीब के लिए नमाज़ पढ़ी तो इस स्थिति में इस की तकफ़ीर की जायेगी :

अगर किसी पर इकराह (2) किया कि इस सलीब की तरफ़ नमाज़ पढे पस इस ने सलीब के रूख नमाज़ पढ़ी तो इस में तीन सूरतें हैं। अव्वल आंकि इस ने कहा कि मेरी खातिर में कुछ नहीं गुज़रा मगर मैंने सलीब की तरफ़ इकराह की वजह से मजबूर होकर नमाज़ पढ़ी तो इस स्थिति में क़ज़ाअन 'वफ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहु तआला' इस की तकफ़ीर न की जायेगी और अगर इस ने कहा कि मेरे दिल में गुज़रा कि मैं अल्लाह तआला के लिए नमाज़ पढ़ता हूं और मैंने सलीब के लिए नमाज़ नहीं पढ़ी तो इस स्थिति में भी न क़ज़ाअन और न फ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहि तआला सी स्थिति से तकफ़ीर न किया जायेगा और अगर इस ने कहा कि मेरे दिल में गुज़रा कि अल्लाह तआला के लिए नमाज़ पढ़ूं मगर मैंने इस को तर्क किया और सलीब के लिए नमाज़ पढ़ी तो इस

(1) मुशाबहत करनायानी किसी की रविश किसी कार्य में इ]तयार करना।
(2) अनुवादक के कथनानुसार इकराह से मुराद वही इकराह है जो तलफ+ जानया उज़ू+ के मानिन्द हो वरना इकराह क़ैद वग़ैरह कुछ भी नहीं है।

ने अपने लड़के का सर मुण्डाया है तो तकफ़ीर न किया जायेगा और अगर अम्र कुफ़्र की तहसीन करता है तो बिल इत्तफ़ाक़ तकफ़ीर किया जायेगा हत्ता कि मशाइख़ ने फ़रमाया कि अगर किसी ने कहा कि खाने के वक़्त मजूस का ख़ामौश रहना कलाम तर्क करना अच्छा है या हालत हैज़ में मजूसियों का औरत के साथ न लेटना अच्छा है तो वो काफ़िर है यह बहरूल राइक़ में है।

अगर किसी से कहा गया तो मुसलमान नहीं है इस ने कहा कि नहीं तो यह कुफ़्र है :

अगर किसी इन्सान के वास्ते तअज़ीमन बरवक़्त ख़लअत जानवर ज़िबह किया या हलवा वग़ैरह बनाया तो शैख़ुल इस्लाम अबूबकर रह० ने फ़रमाया कि यह कुफ़्र है और ज़िबह किया हुआ जानवर मुर्दार है कि इस का खाना हलाल नहीं है और शैख़ इस्माईल ज़ाहिद ने फ़रमाया कि अगर गाये या ऊंट जो ज़ाब में हाजियों या

(1)तमस़ुर ठठोल करना व हक़ीर जानना।

नमाज़ियों की आमद के वास्ते ज़िबह किया तो उलमा की एक जमाअत ने फ़रमाया कि यह कुफ़्र होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। अगर एक औरत ने अपनी कमर में डोरा बांधा और कहा कि यह ज़िना है तो तकफ़ीर की जायेगी यह ख़ुलासा में है। एक ने दूसरे से फ़ारसी में कहा कि गबरगी बअज़ीं कार कि तो मी कुनी यानी काफ़िर होना इस काम से जो तू करता है बेहतर है तो मशाइख़ ने फ़रमाया कि अगर इस शख़्स के फ़अल की तक़बीह (1) का क़सद किया है तो कुफ़्र न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। एक ने कहा काफ़िर है करूं बअज़ ख़्यानत करूं यानी चोरी करने से काफ़िरी करना बेहतर है तो कसर उलमा के अनुसार इस की तकफ़ीर की जायेगी कज़ा फ़िल मुहीत और शैख़ अबुल क़ासिम सफ़ार ने भी इसी पर फ़तवा दिया है यह ख़ुलासा में है। एक ने अपनी बीवी को मारा पस बीवी ने कहा कि तू मुसलमान नहीं है पस मर्द ने कहा कि हब अनी नस्त बमुस्लिम यानी माना कि मैं मुसलमान न सही तो शैख़ अबूबकेर मौहम्मद बिन अल फ़ज़ल रह० ने फ़रमाया कि इस से काफ़िर न हो जायेगा और हमारे बाज़ ने असहाब से मंक़ूल है कि अगर किसी से कहा गया तो मुसलमान

स्थिति में इस की तकफ़ीर की जायेगी 'फ़ज़ाअन और फ़ीमा बैयनहू व बैनल्लाहि तआला' यानी दोनों तरह से तकफ़ीर की जायेगी यह मुहीत में है। अगर किसी से कहा गया कि बादशाह को सज्दा कर वरना हम तुझ को क़तल करेंगे तो अफ़ज़ल यह है कि क़त्ल हो जाये और सज्दा न करे यह फ़ुसूल अमादिया में है अगर अमदन कोई व्यक्ति कलिमा कुफ़्र बोला लेकिन इस ने कुफ़्र का ऐतक़ाद नहीं किया तो कुछ ने फ़रमाया कि तकफ़ीर न किया जायेगा और कुछ ने फ़रमाया कि तकफ़ीर किया जायेगा और मेरे अनुसार यही सही है यह बहरूल राइक़ में है। जो व्यक्ति कलिमा कुफ़्र बोला हालांकि वो नहीं जानता है कि यह कलिमा कुफ़्र है मगर इस ने अपने इख़्तयार से यह लफ़्ज़ कहा है तो यह आम्मा उलमा ने कहा कि इस की तकफ़ीर की जायेगी और नादानिस्तगी का उज़्र मक़बूल न होगा मगर कुछ उलमा ने इस की तकफ़ीर किये जाने में मतभेद किया है यह ख़ुलासा में है।

हज़ल करने वाले और इस्तहज़ा करने वाले ने अगर अज़ राह इस्तख़फ़ाफ़ व इस्तहज़ा (1) व मिज़ाह के कलिमा कुफ़्र कहा तो सब के अनुसार कुफ़्र होगा अगरचे इसका ऐतक़ाद इसके खिलाफ़ हो और अगर कोई व्यक्ति ख़ता से कलिमा कुफ़्र बोला मसलन इस का इरादा था कि ऐसा लफ़्ज़ बोले जो कुफ़्र नहीं है फिर इस की ज़बान ख़ता कर गई और इस की ज़बान से कलिमा कुफ़्र निकल गया तो सब के अनुसार यह कुफ़्र न होना यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है और अगर मजूस की टोपी अपने सर पर रखी तो सही कथन के मुवाफ़िक़ इस की तकफ़ीर की जायेगी सिवा आंकि बज़रूरत बग़र्ज़ गर्मी या सर्दी दफ़ा करने के ऐसा किया हो तो तकफ़ीर न होगी। अगर अपनी कमर में ज़िना बांधी तो भी तकफ़ीर किया जायेगा लेकिन अगरलड़ाई में मुसलमानों के लिए भेद लाने गया और बांध गया ताकि काफ़िर लोग धोका खावें तो तकफ़ीर न किया जायेगा और अगर किसी ने कहा कि मजूस बेहतर हैं इस चीज़ से जिस में हम हैं यानी हमारे फ़अल से फ़अल मजूस अच्छा है या कहा कि मजूसियत से नसरानियत बेहतर है तो तकफ़ीर किया जायेगा और

नहीं है इस ने कहा कि नहीं तो यह कुफ़्र है यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है। एक औरत ने अपने शौहर से कहा कि तुझे कुछ हमियत नहीं है और न दीन इस्लाम है कि तू अजनबियों के साथ मुझे ख़ल्वत में छोड़ने पर राज़ी होता है पस शौहर ने कहा कि मुझे हमियत नहीं है और न दीने इस्लाम है तो बाज़ ने फ़रमाया कि इस की तकफ़ीर की जायेगी।

एक शख़्स ने अपनी बीवी से कहा कि ओ काफ़िरा और यहूद यह औ मजूसिया पस औरत ने कहा कि मैं ऐसी ही हूं या कहा कि मैं ऐसी ही बनूं मुझे तलाक़ दे दी या कहा कि अगर मैं ऐसी न होती तो तेरे साथ क्यों रहती या कहा कि अगर मैं ऐसी न होती तो तेरे साथ सोहबत न रखती या कहा कि तू मुझे नरखता तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और अगर यूं कहा कि अगर मैं ऐसी हूं तो मुझे मत रख तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी और बाज़ों ने कहा कि इस सूरत में भी तकफ़ीर की जायेगी मगर अव्वल असह है और इसी पर शैख जमालुद्दीन ने फ़तवा दिया है और अली हाज़ा अगर औरत ने शौहर को कहा कि ऐ काफ़िर ऐ यहूदी ऐ मजूसी पस शौहर ने कहा कि मैं ऐसा है हूं तू मुझ से अलग हो या कहा अगर मैं ऐसा न होता तो तुझे न रखता तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और अगर यूं कहा कि अगर मैं ऐसा हूं तो तो मेरे साथ मत रह तो इस में इख़्तलाफ़ है और असह यह है कि इस की तकफ़ीर न की जायेगी और अगर यूं कहा कि यक राह कि चैनम या मन मुबाश तो अज़हरया है कि इस की तकफ़ीर की जायेगी और बाज़ ने फ़रमाया कि नहीं तकफ़ीर की जायेगी और अगर किसी अजनबी से कहा किऐ काफ़िर ऐ यहूदी पस इस ने कहा कि ऐसा ही हूं मेरे साथ सोहबत न रख या कहा कि अगर मैं ऐसा न होता तो तेरे साथ सोहबत न रखता। ख़ुलासा आंकि आखिर तक वही अल्फ़ाज़ बयान किये जो हम ने ऊपर बयान किये हैं तो इन का हुक्म भी इसी तरह होगा जैसा हम ने जो रो मर्द के दरमियान ऐसे अल्फ़ाज़ जारी होने की सूरत में बयान किया है यह मुहीत में है। एक शख़्स ने किसी फ़अल का इराद किया पस इस की बीवी ने कहा कि तू अगर कहा कि नसरानियत से मजूसियत बदतर है तो तकफ़ीर न किया जायेगा और अगर कहा कि यह यहूदियत से नसरानियत बेहतर है तो तकफ़ीर किया जायेगा या किसी आमिल से कहा कि जो तू करता है इस से कुफ़्र बेहतर है तो कुछ के अनुसार मुतल्लक़न तकफ़ीर किया जायेगा और फ़क़ीह अबुल्लैस रह० ने कहा कि जब ही तकफ़ीर किया जायेगा कि इस ने तहसीन कुफ़्र का क़सद किया हो और अगर इस व्यक्ति के फ़अल की तक़बीह बयान करनी मंज़ूर हो तो तकफ़ीर न किया जायेगा और अगर मजूसियों के नो रोज़ में निकला ताकि जो वो लोग इस रोज़ करते हैं इस में इन के साथ मुवाफ़क़त करे तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर नो रोज़ के दिन कोई चीज़ ऐसी खरीदी जिस को आदत के मुवाफ़िक़ और दोनों में नहीं खरीदता था आज बग़र्ज़ तअज़ीम नो रोज़ के न बग़र्ज़ खाने पीने के इस को खरीदा तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर किसी ने नो रोज़ के मुश्रिकों को बग़र्ज़ तअज़ीम नो रोज़ कुछ हदया भेजा अगरचे एक अण्डा हो तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर ऐसे मजूसी की दअवत क़बूल की जिस ने अपने लडके का सर मुण्डाया है तो तकफ़ीर न किया जायेगा और अगर कार्य कुफ़्र की तहसीन करता है तो बिल इत्तफ़ाक़ तकफ़ीर किया जायेगा हत्ता कि विद्वानों ने फ़रमाया कि अगर किसी ने कहा कि खाने के समय मजूस का खामौश रहना बात तर्क करना अच्छा है या हालत हैज़ में मजूसियों का औरत के साथ न लेटना अच्छा है तो वो काफ़िर है यह बहरूल राइक़ में है।

अगर किसी से कहा गया तो मुसलमान नहीं है इस ने कहा कि नहीं तो यह कुफ़्र है :

अगर किसी इन्सान के लिए तअज़ीमन बरवक्त ख़लअत जानवर ज़िबह किया या हलवा वग़ैरह बनाया तो शैख़ुल इस्लाम अबूबकर रह० ने फ़रमाया कि यह कुफ़्र है और ज़िबह किया हुआ जानवर मुर्दार है कि इस का खाना हलाल नहीं है और शैख़ इस्माईल ज़ाहिद ने फ़रमाया कि अगर गाये या ऊंट जो ज़ाब में हाजियों या नमाज़ियों की आमद के लिए ज़िबह किया तो

(1)तमस]ार ठठोल करना व हक़ीर जानना।

काफ़िर है अगर ऐसा फ़अल करे मगर मर्द ने न माना और वो फ़अल किया तो तकफ़ीर न होगी और अगर अपनी बीवी से कहा कि ऐ काफ़िरा पस औरत ने कहा कि नहीं बल्कि तू है या औरत ने अपने शौहर से कहा कि ओ काफ़िर पस शौहर ने कहा कि नहीं बल्कि तू है तो इन दोनों में तफ़रीक़ वाक़े (1) न होगी ऐसा है फ़क़ीह अबुल्लसैस रह० ने अपने फ़तावा में ज़िक्र किया है।

एक औरत ने अपने शौहर से कहा कि चून मनअ़ ख़ुच्यत आगन्दा शुदह पस शौहर ने कहा कि तू अब तक इतनी मुद्दत आतिश परस्त के साथ रही या कहा कि तू इतनी मुद्दत आतिश परस्त के साथ क्यों रही तो यह शौहर की तरफ़ से कुफ़्र है और गर शौहर से कहा कि ओ मग़राना पस औरत ने कहा कि फिर तूने इतनी मुद्दत मग़राना को रखा है या कहा कि मग़राना को क्यों रखा है तो यह औरत की तरफ़ से कुफ़्र है और अजनबिया औरत से या काफ़िरा या अजनबी मर्द से कहा कि ओ काफ़िर और जिस से कहा है इस ने कुछ न कहा या अपनी बीवी से कहा कि ओ काफ़िरा और औरत ने कुछ न कहा या

(1)ऐब व बुराई ज़ाहिर करना।
(1)कुफ़्र+ न होगा तफ़रीक़+ हो जाये।

बीवी ने अपने शौहर से कहा कि ओ काफ़िर शौहर ने कुछ न कहा तो फ़क़ीह अबूबकर ऐमश बलख़ी फ़रमाते थे कि कहने वाला तकफ़ीर किया जायेगा और दीगर मशाइख़ ने फ़रमाया कि तकफ़ीर न किया जायेगा और फ़तवा के वास्ते इस जिन्स के मसाइल में मुख़्तार यह है कि ऐसे कलिमात के कहने वाले ने अगर इस को बुरा कहने की नियत की और दर वाक़े इस को काफ़िर ऐतक़ाद नहीं किया है तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी और अगर दर वाक़े इस को काफ़िर ऐतक़ाद करके अपने ऐतक़ाद के मुवाफ़िक़ इस को इन कलिमात से मुख़ातिब किया तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह ज़ख़ीरा में है एक औरत ने अपने फ़रज़न्द से कहा कि अपने मग़ बच्चा या ऐ काफ़िर बच्चा या ऐ यहूद बच्चा तो अक्सर उ़लमा ने फ़रमाया कि यह कुफ़्र न होगा और बाज़ों ने उ़लमा की एक जमाअ़त ने फ़रमाया कि यह कुफ़्र होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। अगर एक औरत ने अपनी कमर में डोरा बांधा और कहा कि यह ज़िना है तो तकफ़ीर की जायेगी यह ख़ुलासा में है। एक ने दूसरे से फ़ारसी में कहा कि गबरगी बअज़ीं कार कि तो मी कुनी यानी काफ़िर होना इस काम से जो तू करता है बेहतर है तो विद्वानों ने फ़रमाया कि अगर इस व्यक्ति के फ़अल की तक़बीह (1) का क़सद किया है तो कुफ़्र न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। एक ने कहा काफ़िर है करूं बअज़ ख़्यानत करूं यानी चोरी करने से काफ़िरी करना बेहतर है तो कसर उ़लमा के अनुसार इस की तकफ़ीर की जायेगी कज़ा फ़िल मुहीत और शैख़ अबुल क़ासिम सफ़ार ने भी इसी पर फ़तवा दिया है यह ख़ुलासा में है। एक ने अपनी बीवी को मारा पस बीवी ने कहा कि तू मुसलमान नहीं है पस मर्द ने कहा कि हब अनी नस्त बमुस्लिम यानी माना कि मैं मुसलमान न सही तो शैख़ अबूबकेर मौहम्मद बिन अल फ़ज़ल रह० ने फ़रमाया कि इस से काफ़िर न हो जायेगा और हमारे कुछ ने असहाब से मंक़ूल है कि अगर किसी से कहा गया तो मुसलमान नहीं है इस ने कहा कि नहीं तो यह कुफ़्र है यह फ़तावा क़ाज़ी ख़ान में है। एक औरत ने अपने शौहर से कहा कि तुझे कुछ हमियत नहीं है और न दीन इस्लाम है कि तू अजनबियों के साथ मुझे ख़ल्वत में छोड़ने पर राज़ी होता है पस शौहर ने कहा कि मुझे हमियत नहीं है और न दीने इस्लाम है तो कुछ ने फ़रमाया कि इस की तकफ़ीर की जायेगी।

एक व्यक्ति ने अपनी बीवी से कहा कि ओ काफ़िरा और यहूद यह औ मजूसिया पस औरत ने कहा कि मैं ऐसी ही हूं या कहा कि मैं ऐसी ही बनूं मुझे तलाक़ दे दी या कहा कि अगर मैं ऐसी न होती तो तेरे साथ क्यों रहती या कहा कि अगर मैं ऐसी न होती तो तेरे साथ सोहबत न रखती या कहा कि तू मुझे नरखता तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और अगर यूं कहा कि अगर मैं ऐसी हूं तो मुझे मत रख तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी और बाज़ों ने कहा कि इस स्थिति में भी तकफ़ीर की जायेगी मगर अव्वल असह है और इसी पर

कहा कि कुफ़्र होगा और अगर मर्द ने अपने फ़रज़न्द के वास्ते ऐसे अल्फ़ाज़ कहे तो इस में भी इख़्तलाफ़ है और असह यह है कि अगर मर्द मज़कूर (1) ने अपने नफ़्स का इरादा नहीं किया है तो तकफ़ीर न की जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

एक ने कहा कि यह ज़माना मुसलमानी इख़्तयार करने का नहीं है ज़माना काफ़िर है :

अगर अपने जानवर की निस्बत कहा कि ऐ काफ़िर ख़ुदावन्द तो बिल इत्तफ़ाक़ तकफ़ीर न किया जायेगा और अगर किसी दूसरे से कहा कि ऐ काफ़िर ऐ यहूदी ऐ मजूसी पस इस ने कहा कि लब्बैक यानी जी हां तो वो काफ़िर किया जायेगा और इसी तरह अगर कहा कि आरे हमचनीन गीर यानी हां ऐसा हीजान ले तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। अगर इस दूसरे ने कहा कि ख़ुद तू ही है या कुछ न कहा बल्कि खामौश रहा तो तकफ़ीर न किया जायेगा। अगर किसी से कहा कि मुझे अपने काफ़िर हो जाने का ख़ौफ़ था तो तकफ़ीर न किया जायेगा और अगर यूं कहा कि तूने मुझे यहां तक रंज पहुंचाया कि मैंने चाहा कि काफ़िर हो जाउं तो तकफ़ीर किया जायेगा। एक ने कहा कि यह ज़माना मुसलमानी इख़्तयार करने का नहीं है ज़माना काफ़िर है तो बाज़ ने फ़रमाया कि तकफ़ीर किया जायेगा और साहबे मुहीत ने फ़रमाया कि मेरे अनुसार यह हुक्म ठीक नहीं है क़ालल मुतरजम हमारे ज़माने में अगर किसी ने ऐसा कहा तो इस पर कुफ़्र का ख़ौफ़ है जैसे हमारे ज़माने में जो शख़्स अपने दिल व ऐतक़ाद रास्त से इस्लाम वरसुहारे हक़ अज़्ज़ व जल्ल के मुवाफ़िक़ ज़िन्दगी बसर कर जाये और अल्लाह तआला इस का ख़ात्मा बख़ैर करे तो उम्मीद है कि मुस्तहिक़ सवाब जमील व जज़ाये जज़ील होगा (2) ثبتنا الله تعالیٰ وایانا اهل الاسلام برحمته ورافته ومنه تعالیٰ على الصراط القويم بتوفيق الخير وهو على كل شئ قدير और वाक़ियात नातफ़ी में लिखा है कि मुस्लिम व मजूसी दोनों किसी मक़ाम पर यक्जा जमा थे पस किसी ने मजूसी को पुकारा कि ऐ मजूसी पस मुसलमान ने इस को शैख जमालुद्दीन ने फ़तवा दिया है और अली हाज़ा अगर औरत ने शौहर को कहा कि ऐ काफ़िर ऐ यहूदी ऐ मजूसी पस शौहर ने कहा कि मैं ऐसा है हूं तू मुझ से अलग हो या कहा अगर मैं ऐसा न होता तो तुझे न रखता तो इस की तकफ़ीर की जायेगी और अगर यूं कहा कि अगर मैं ऐसा हूं तो तो मेरे साथ मत रह तो इस में मतभेद है और असह यह है कि इस की तकफ़ीर न की जायेगी और अगर यूं कहा कि यक राह कि चैनम या मन मुबाश तो अज़हरया है कि इस की तकफ़ीर की जायेगी और कुछ ने फ़रमाया कि नहीं तकफ़ीर की जायेगी और अगर किसी अजनबी से कहा किऐ काफ़िर ऐ यहूदी पस इस ने कहा कि ऐसा ही हूं मेरे साथ सोहबत न रख या कहा कि अगर मैं ऐसा न होता तो तेरे साथ सोहबत न रखता। ख़ुलासा आंकि आखिर तक वही अल्फ़ाज़ बयान किये जो हम ने ऊपर बयान किये हैं तो इन का हुक्म भी इसी तरह होगा जैसा हम ने जो रो मर्द के दरमियान ऐसे अल्फ़ाज़ जारी होने की स्थिति में बयान किया है यह मुहीत में है। एक व्यक्ति ने किसी फ़अल का इराद किया पस इस की बीवी ने कहा कि तू काफ़िर है अगर ऐसा फ़अल करे मगर मर्द ने न माना और वो फ़अल किया तो तकफ़ीर न होगी और अगर अपनी बीवी से कहा कि ऐ काफ़िरा पस औरत ने कहा कि नहीं बल्कि तू है या औरत ने अपने शौहर से कहा कि ओ काफ़िर पस शौहर ने कहा कि नहीं बल्कि तू है तो इन दोनों में तफ़रीक़ स्थपित (1) न होगी ऐसा है फ़क़ीह अबुल्लसैस रह० ने अपने फ़तावा में ज़िक्र किया है।

एक औरत ने अपने शौहर से कहा कि चून मनअ ख़ुच्वत आगन्दा शुदह पस शौहर ने कहा कि तू अब तक इतनी मुद्दत आतिश परस्त के साथ रही या कहा कि तू इतनी मुद्दत आतिश परस्त के साथ क्यों रही तो यह शौहर की तरफ़ से कुफ़्र है और गर शौहर से कहा कि ओ मगराना पस औरत ने कहा कि फिर तूने इतनी मुद्दत मगराना को रखा है या कहा कि मगराना को क्यों रखा है तो यह औरत की तरफ़ से कुफ़्र है और अजनबिया औरत से या काफ़िरा या अजनबी मर्द से कहा

जवाब दिया तो शैख़ ने फ़रमाया कि अगर इस पुकारने वाले के किसी एक ही काम में दोनों लगे हुए हों पस मुसलमान ने यह गुमान करके कि वो इस काम के वास्ते पुकारता है जवाब दिया हो तो मुसलमान मज़कूर पर कुफ़्र लाज़िम न आयेगा और अगर दोनों एक ही काम में लगे न हों तो इस पर कुफ़्र का ख़ौफ़ है। अगर किसी मुसलमान ने कहा कि मैं मुलहिदा हूं तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर इस ने उज़्र किया कि मैं न जानता था कि यह कुफ़्र है तो इस का यह उज़्र क़बूल न होगा। एक ने कोई बात कही कि क़ौम ने यह ज़अम किया कि यह कुफ़्र है हालांकि दर हक़ीक़त वो कुफ़्र नहीं है पस इस से कहा गया कि तू काफ़िर हुआ और तेरी बीवी पर तलाक़ वाक़े होगी पस इस ने कहा कि काफ़िर शुदह गीर वज़न तलाक़ शुदह गीर यानी काफ़िर हुआ सही समझ ले तो काफ़िर हो जायेगा और इस की बीवी इस से बाइना हो जायेगी। यह फ़ुसूल अमादिया में है।

यतीमिया में है कि मैंने अपने वालिद से दरयाफ़्त किया कि एक शख़्स ने कहा कि मैं फ़िरऔन हूं या इब्लीस हूं तो फ़रमाया कि ऐसी सूरत में काफ़िर कहा जायेगा यह तातार खानिया में है। एक महज़ नसीहत कुनिन्दा ने किसी फ़ासिक़ को नसीहत की और इस को तोबा की तरफ़ रूजूअ करने को चाहा पस इस फ़ासिक़ ने कहा कि अज़ पस اینہمہ کلاہ مغان برسر نہم यानी इन सब के बाद आतिश परस्तों की टोपी अपने सर पर

(1)क़ौला मर्द मज़कूरया औरत मज़कूरहयानी यह नहीं इरादा किया कि मग+ कायायहूदया मजूस का बच्चा।
(2)अल्लाह तआला हम अहले इस्लाम को अपनी रहमत व राफ़त के साथ राहे रास्त पर मअ+ तौफ़ीक+]+ौर साबित रखे वो हरशै पर क़ादिर है।

रखूंगा तो तकफ़ीर न किया जायेगा। एक औरत ने अपने खाविन्द से कहा कि तेरे साथ रहने से काफ़िर होना बेहतर है तो इस औरत की तकफ़ीर की जायेगी अगर किसी ने कहा कि ہرچہ مسلمانی کردہ ام ہمہ بکافران دادم यानी जो कुछ मैंने मुसलमानी की है वो सब काफ़िरों को दे दी बशर्तेकि फ़लां काम करूं फिर इस शख़्स ने फ़लां काम किया तो इस की तकफ़ीर न की

कि ओ काफ़िर और जिस से कहा है इस ने कुछ न कहा या अपनी बीवी से कहा कि ओ काफ़िरा और औरत ने कुछ न कहा या

(1)ऐब व बुराई ज़ाहिर करना।
(1)कुफ़्र+ न होगा तफ़रीक+ हो जाये।

बीवी ने अपने शौहर से कहा कि ओ काफ़िर शौहर ने कुछ न कहा तो फ़क़ीह अबूबकर ऐमश बलखी फ़रमाते थे कि कहने वाला तकफ़ीर किया जायेगा और दीगर विद्वानों ने फ़रमाया कि तकफ़ीर न किया जायेगा और फ़तवा के लिए इस जिन्स के मसाइल में मुख़्तार यह है कि ऐसे कलिमात के कहने वाले ने अगर इस को बुरा कहने की इरादा की और दर स्थपित इस को काफ़िर ऐतक़ाद नहीं किया है तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी और अगर दर स्थपित इस को काफ़िर ऐतक़ाद करके अपने ऐतक़ाद के मुवाफ़िक़ इस को इन कलिमात से मुख़ातिब किया तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह ज़ख़ीरा में है एक औरत ने अपने फ़रज़न्द से कहा कि अपने मग़ बच्चा या ऐ काफ़िर बच्चा या ऐ यहूद बच्चा तो अक्सर उलमा ने फ़रमाया कि यह कुफ़्र न होगा और बाज़ों ने कहा कि कुफ़्र होगा और अगर मर्द ने अपने फ़रज़न्द के लिए ऐसे अल्फ़ाज़ कहे तो इस में भी मतभेद है और असह यह है कि अगर मर्द वर्णित (1) ने अपने नफ़्स का इरादा नहीं किया है तो तकफ़ीर न की जायेगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

एक ने कहा कि यह ज़माना मुसलमानी इख़्तयार करने का नहीं है ज़माना काफ़िर है :

अगर अपने जानवर की निस्बत कहा कि ऐ काफ़िर ख़ुदावन्द तो बिल इत्तफ़ाक़ तकफ़ीर न किया जायेगा और अगर किसी दूसरे से कहा कि ऐ काफ़िर ऐ यहूदी ऐ मजूसी पस इस ने कहा कि लब्बैक यानी जी हां तो वो काफ़िर किया जायेगा और इसी तरह अगर कहा कि आरे हमचनीन गीर यानी हां ऐसा हीजान ले तो इस की तकफ़ीर की जायेगी। अगर इस दूसरे ने कहा कि ख़ुद तू ही है या कुछ न कहा बल्कि ख़ामौश रहा तो तकफ़ीर न किया जायेगा। अगर किसी से कहा कि मुझे अपने

जायेगी और इस पर कफ़्फ़ारह क़सम कभी लाज़िम न आयेगा। एक औरत ने कहा कि मैं काफ़िर हूं अगर ऐसा काम करूं तो शैख़ इमाम अबू बकर मौहम्मद बिन अल फ़ज़्ल रह० ने फ़रमाया कि फ़िलहाल काफ़िर होकर अपने शौहर से बाइना हो जायेगी और शैख़ अली सग़दी ने फ़रमाया कि यह तअलीक़ व यमीन है और कुफ्र नहीं है क़ालल मुतरजम क़ौल शैख़ अली सुग़दी रह० असह है और अगर किसी औरत ने अपने शौहर से कहा कि अगर तूने इस के बाद तुझ पर जफ़ा की या ईज़ा दी या कहा कि अगर तून मेरे वास्ते फ़लां चीज़ न खरीदी तो मैं काफ़िरा हो जाउंगी तो फ़िलहाल काफ़िरा हो जायेगी यह फ़ुसूल अमादिया में है।

जो चीज़ किस वक़्त में हलाल थी फिर वो हराम हो गई है पस इस की निस्बत तमन्ना की कि काश हराम न होती तो तकफ़ीर न किया जायेगा :

एक ने कहा कि कुन्त 'मजूसियन (1) इल्ला अन असलमतु' और यह इस ने बरसबील तमसील कहा और इस का ऐतक़ाद नहीं किया तो इस के कुफ्र का हुक्म दे दिया जायेगा और शम्सुल अइम्मा हलवाई ने फ़रमाया कि अगर किसी के वास्ते तहिया का सज्दा किया यानी इबादत का सज्दा नहीं किया तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी क़ालल मुतरजम यानी क़रीब बकुफ्र है अगरचे तकफ़ीर न की जायेगी। यह सिराजिया में है। और ख़ज़ाना में लिखा है अगर ज़ैद ने उमरो से कहा कि अल्लाह तआला अज़्ज़ व जल्ल तुझ से मुसलमानी अलग करले और बकर ने कहा कि आमीन तो यह दोनों काफ़िर हो जाऐंगे। एक शख़्स ने दूसरे को अज़ियत दी पस इस ने कहा कि मैं मुसलमान हूं मुझे मत रंज दे पस इस ईज़ा देने वाले ने कहा कि चाहे मुसलमान रह चाहे काफ़िर तो तकफ़ीर किया जायेगा औरइस तरह अगर कहा कि अगर काफ़िर होगा तो मेरा क्या नुक़सान है तो भी इस पर कुफ्र लज़िम होगा यह तातारखानिया में है। कोई काफ़िर मुसलमान हुआ और मुसलमानों ने इस को चीज़ें और माल व मताअ दिया पस किसी मुसलमान ने काफ़िर हो जाने का ख़ौफ़ था तो तकफ़ीर न किया जायेगा और अगर यूं कहा कि तूने मुझे यहां तक रंज पहुंचाया कि मैंने चाहा कि काफ़िर हो जाउं तो तकफ़ीर किया जायेगा। एक ने कहा कि यह ज़माना मुसलमानी इख़्तयार करने का नहीं है ज़माना काफ़िर है तो कुछ ने फ़रमाया कि तकफ़ीर किया जायेगा और साहबे मुहीत ने फ़रमाया कि मेरे अनुसार यह हुक्म ठीक नहीं है अनुवादक के कथनानुसार हमारे ज़माने में अगर किसी ने ऐसा कहा तो इस पर कुफ्र का ख़ौफ़ है जैसे हमारे ज़माने में जो व्यक्ति अपने दिल व ऐतक़ाद रास्त से इस्लाम वरसुहाए हक़ अज़्ज़ व जल्ल के मुवाफ़िक़ ज़िन्दगी बसर कर जाये और अल्लाह तआला इस का ख़ात्मा बखैर करे तो उम्मीद है कि मुस्तहिक़ सवाब जमील व जज़ाये जज़ील होगा (2) ثبتنا الله تعالیٰ ایانا اهل الاسلام برحمة ورافته منه تعالیٰ علی الصراط القویم تبوفیق الخیر وهو علی کل شیٔ قدیر और वाक़ियात नातफ़ी में लिखा है कि मुस्लिम व मजूसी दोनों किसी मक़ाम पर यक्जा जमा थे पस किसी ने मजूसी को पुकारा कि ऐ मजूसी पस मुसलमान ने इस को जवाब दिया तो शैख़ ने फ़रमाया कि अगर इस पुकारने वाले के किसी एक ही काम में दोनों लगे हुए हों पस मुसलमान ने यह गुमान करके कि वो इस काम के लिए पुकारता है जवाब दिया हो तो मुसलमान वर्णित पर कुफ्र अनिवार्य न आयेगा और अगर दोनों एक ही काम में लगे न हों तो इस पर कुफ्र का ख़ौफ़ है। अगर किसी मुसलमान ने कहा कि मैं मुलहिदा हूं तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर इस ने उज़्र किया कि मैं न जानता था कि यह कुफ्र है तो इस का यह उज़्र क़बूल न होगा। एक ने कोई बात कही कि क़ौम ने यह ज़अम किया कि यह कुफ्र है हालांकि दर हक़ीक़त वो कुफ्र नहीं है पस इस से कहा गया कि तू काफ़िर हुआ और तेरी बीवी पर तलाक़ स्थपित होगी पस इस ने कहा कि काफ़िर शुदह गीर वज़न तलाक़ शुदह गीर यानी काफ़िर हुआ सही समझ ले तो काफ़िर हो जायेगा और इस की बीवी इस से बाइना हो जायेगी। यह फ़ुसूल अमादिया में है।

यतीमिया में है कि मैंने अपने वालिद से दरयाफ़्त

कहा कि काश में काफ़िर होता ताकि मुसलमान हो जाता और लोग मुझे भी चीज़ें देते या फ़क़त दिल से इस अम्र की तमन्ना की तो वो काफ़िर हो जायेगा ऐसा है बाज़ मशाइख से मंक़ूल है। अगर किसी ने तमन्ना की कि काश अल्लाह तआला ने शराब हराम न की होती तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी और अगर यह तमन्ना की कि काश अल्लाह तआला ने हराम न किया होता ज़ुल्म या ज़िना कारी या नाहक़ क़त्ल कर देना तो काफ़िर हो जायेगा इस वास्ते कि यह चीज़ें किसी वक्त में हलाल नहीं थीं पस अव्वल सूरत में इस ने ऐसी चीज़ की तमन्ना की जो मुस्तहील नहीं है और दूसरी सूरत में ऐसी चीज़ की तमन्ना की जो मुस्तहील है और अली हाज़ा अगर यह तमन्ना की कि भाई बहन का निकाह हराम न होता तो तकफ़ीर न किया जायेगा इस वास्ते कि इब्तदा में यह हलाल था मुस्तहील नहीं है और हासिल यह है कि जो चीज़ किस वक्त में हलाल थी फिर वो हराम हो गई है पस इस की निस्बत तमन्ना की कि काश हराम न होती तो तकफ़ीर न किया जायेगा।

अगर किसी मुसलमान ने कोई नसरानिया ख़ूबसूरत देख कर तमन्ना की कि काश मैं नसरानी होता ताकि इस से निकाह कर लेता तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह मुहीत में है। एक ने दूसरे से कहा कि हक़ के साथ मेरी मददगारी कर पस इस दूसरे ने कहा कि हक़ के साथ तो हर कोई मददगारी करता है मैं नाहक़ के साथ तेरी मददगारी करूंगा तो तकफ़ीर किया जायेगा यह फ़ुसूल अमादिया में है क़ालल मुतरजम असल इबादत यह है कि मराहिक़ यारी وہ فقال ذلك الغير بحق ہر کس یاری دہد من تعرا بنا حق یاری دہم تکفیر کذا فی الفصول मगर मैं इस की वजह नहीं समझता हूं इल्ला आंकि मुराद बवास्ता हक़ पाया क़सम मुराद हो वल्लाहु आलम। एक शख़्स ने दूसरे से जिस से झगड़ा कर रहा है कहा कि तू हर रोज़ अपने मिस्ल और दस मिट्टी के बना ले या मिट्टी के न कहा पस अगर इस की मुराद मिस्ल से मिस्ल 'मिन हैसुल ख़ल्क़त' है तो तकफ़ीर किया

(1)मैं मजूसी हूं मगर आंकि मुसलमान हूं।

जायेगा और अगर यह मुराद है कि अपने से कई किया कि एक व्यक्ति ने कहा कि मैं फ़िरऔन हूं या इब्लीस हूं तो फ़रमाया कि ऐसी स्थिति में काफ़िर कहा जायेगा यह तातार खानिया में है। एक महज़ नसीहत कतने वाला ने किसी फ़ासिक़ को नसीहत की और इस को तोबा की तरफ़ रूजूअ करने को चाहा पस इस फ़ासिक़ ने कहा कि अज़ पस اینہمہ کلاہ مغان برسر نہم यानी इन सब के बाद आतिश परस्तों की टोपी अपने सर पर

(1)क़ौला मर्द वर्णितया औरत मज़कूरहयानीयह नहीं इरादा किया कि मग+ कायायहूदया मजूस का बच्चा।

(2)अल्लाह तआला हम अहले इस्लाम को अपनी रहमत व राफ़त के साथ राहे रास्त पर मअ+ तौफ़ीक+]+ौर साबित रखे वो हरशै पर क़ादिर है।

रखूंगा तो तकफ़ीर न किया जायेगा। एक औरत ने अपने खाविन्द से कहा कि तेरे साथ रहने से काफ़िर होना बेहतर है तो इस औरत की तकफ़ीर की जायेगी अगर किसी ने कहा कि ہرچہ مسلمانی کردہ ام ہمہ بکافران دادم यानी जो कुछ मैंने मुसलमानी की है वो सब काफ़िरों को दे दी बशर्तेकि फ़लां काम करूं फिर इस व्यक्ति ने फ़लां काम किया तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी और इस पर कफ़्फ़ारह क़सम कभी अनिवार्य न आयेगा। एक औरत ने कहा कि मैं काफ़िर हूं अगर ऐसा काम करूं तो शैख़ इमाम अबू बकर मौहम्मद बिन अल फ़ज़्ल रह० ने फ़रमाया कि फ़िलहाल काफ़िर होकर अपने शौहर से बाइना हो जायेगी और शैख़ अली सग़दी ने फ़रमाया कि यह तअलीक़ व यमीन है और कुफ़्र नहीं है अनुवादक के कथनानुसार कथन शैख़ अली सुग़दी रह० असह है और अगर किसी औरत ने अपने शौहर से कहा कि अगर तूने इस के बाद तुझ पर जफ़ा की या ईज़ा दी या कहा कि अगर तून मेरे लिए फ़लां चीज़ न खरीदी तो मैं काफ़िरा हो जाउंगी तो फ़िलहाल काफ़िरा हो जायेगी यह फ़ुसूल अमादिया में है।

जो चीज़ किस समय में हलाल थी फिर वो हराम हो गई है पस इस की निस्बत तमन्ना की कि काश हराम न होती तो तकफ़ीर न

गो ना जमा कर ले मुझे कुछ डर नहीं है मसलन तू इस की तकफ़ीर न की जायेगी और हमारे ज़माने में इसी जिन्स का एक वाक़िया हुआ कि किसी किसान या मानी ने कहा कि मैंने यह दरख़्त पैदा किया है पस बिल इत्तफ़ाक़ सब मुफ़तियों ने जवाब दिया कि इस की तकफ़ीर न किया जायेगी इस वास्ते कि पैदा करने से इस मक़ाम पर आदत के मुवाफ़िक़ पड लगाना मुराद है हत्ता कि अगर इस ने हक़ीक़त पैदाइश मुराद ली हो तो तकफ़ीर किया जायेगा क़ालल मुतरजम हमारे उर्फ़ के खिलाफ़ है हां अगर यह कहा कि मेरा जमाया हुआ है या उगाया हुआ है तो अल्बत्ता यह जवाब हो सकता है क्योंकि पेदा किया हुआ बमअनी मैंने लगाया हुआ हमारे उर्फ़ में नहीं है फ़ाफ़हम वल्लाहु आलम।

एक शख्स एक क़ौम से झगडा करता था पस कहा कि मैं दस आतिश परस्तों से बढ़ कर सितम गार हूं :

अगर किसी ने कहा कि रहे वार का कुनियम व आज़ाद अज़ बख़ूरियम यानी मुसाफ़िरों की तरह कार करूंगा और आज़ादों की तरफ़ खाउंगा तो बाज़ ने फ़रमाया कि यह ख़ताऐ कलाम है और नही ऐसा कलाम बोलता है जो अपना रिज़्क़ अपनी कमाई से जानता है क़ालल मुतरजम हमारे अनुसार इस में कम ख़ौफ़ है हां अगर इस की यह नियत हो कि रोज़ी मेरी कमाई से है तो तकफ़ीर किया जायेगा। अगर किसी ने कहा जब तक फ़लां बजाये ख़ुद मौजूद है या जब तक कि मेरा यह रूपया का बाज़ व सलामत है मुझे रोज़ी की कुछ कमी नहीं है तो बाज़ मशाइख ने फ़रमाया कि तकफ़ीर किया जायेगा और बाज़ मशाइख ने फ़रमाया कि इस पर कुफ़्र का ख़ौफ़ है और अगर किसी ने कहा कि दुरवेशी बदबख़्ती है तो यह ख़ताऐ अज़ीम है। अगर किसी ने दूसरे से कहा कि एक सज्दा ख़ुदा को कर और एक सज्दा मुझ को तो बाज़ ने कहा कि इस की तकफ़ीर की जायेगी क़ालल मुतरजम यानी कमाल सख़्त क़रीब बकुफ़्र है लेकिन तकफ़ीर न की जायेगी और शैख़ अबूबकर रह० से दरयाफ़्त किया गया कि एक शख़्स शतरंज

किया जायेगा :

एक ने कहा कि कुन्त 'मजूसियन (1) सिवा अन असलमतु' और यह इस ने बरसबील तमसील कहा और इस का ऐतक़ाद नहीं किया तो इस के कुफ़्र का हुक्म दे दिया जायेगा और शम्सुल अइम्मा हलवाई ने फ़रमाया कि अगर किसी के लिए तहिया का सज्दा किया यानी इबादत का सज्दा नहीं किया तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी अनुवादक के कथनानुसार यानी क़रीब बकुफ़्र है अगरचे तकफ़ीर न की जायेगी। यह सिराजिया में है। और ख़ज़ाना में लिखा है अगर ज़ैद ने उमर से कहा कि अल्लाह तआला अज़्ज़ व जल्ल तुझ से मुसलमानी अलग करले और बकर ने कहा कि आमीन तो यह दोनों काफ़िर हो जाऐंगे। एक व्यक्ति ने दूसरे को अज़ियत दी पस इस ने कहा कि मैं मुसलमान हूं मुझे मत रंज दे पस इस ईज़ा देने वाले ने कहा कि चाहे मुसलमान रह चाहे काफ़िर तो तकफ़ीर किया जायेगा औरइस तरह अगर कहा कि अगर काफ़िर होगा तो मेरा क्या नुक़सान है तो भी इस पर कुफ़्र लज़िम होगा यह तातारखानिया में है। कोई काफ़िर मुसलमान हुआ और मुसलमानों ने इस को चीज़ें और माल व मताअ दिया पस किसी मुसलमान ने कहा कि काश में काफ़िर होता ताकि मुसलमान हो जाता और लोग मुझे भी चीज़ें देते या फ़क़त दिल से इस कार्य की तमन्ना की तो वो काफ़िर हो जायेगा ऐसा है कुछ विद्वानों से मंक़ूल है। अगर किसी ने तमन्ना की कि काश अल्लाह तआला ने शराब हराम न की होती तो इस की तकफ़ीर न की जायेगी और अगर यह तमन्ना की कि काश अल्लाह तआला ने हराम न किया होता ज़ुल्म या ज़िना कारी या नाहक़ क़त्ल कर देना तो काफ़िर हो जायेगा इस लिए कि यह चीज़ें किसी समय में हलाल नहीं थीं पस अव्वल स्थिति में इस ने ऐसी चीज़ की तमन्ना की जो मुस्तहील नहीं है और दूसरी स्थिति में ऐसी चीज़ की तमन्ना की जो मुस्तहील है और अली हाज़ा अगर यह तमन्ना की कि भाई बहन का निकाह हराम न होता तो तकफ़ीर न किया जायेगा इस लिए कि इब्तदा में यह हलाल था मुस्तहील नहीं है और हासिल यह है कि जो चीज़ किस समय में हलाल थी फिर वो

खेलता है पस इस की बीवी ने कहा कि तो शतरंज न खेला कर इस वास्ते कि मैंने आलिमों से सुना है कि उन्होंने कहा कि जो शतरंज खेले वो दुशमनाने ख़ुदाऐ तआला से है पस शौहर ने फ़ारसी में कहा कि ईदून कि मिन दुशमन ख़ुदायम व यनारमम' पस शैख़ ने दरयाफ़्त करने वाले से कहा कि यह सख़्त लफ़्ज़ है हमारे उलमा के क़ौल पर चाहिए कि अपनी बीवी से निकाह की तजदीद करे और इस की बीवी बाइना (1) हो गई और दीगर मशाइख़ ने फ़रमाया कि उस की तकफ़ीर न की जायेगी और शैख़ अब्दुल करीम से दरयाफ़्त किया कि एक शख़्स एक क़ौम से झगड़ा करता था पस कहा कि मैं दस आतिश परस्तो से बढ़ कर सितम गार हूं या कहा कि मैं दस मजूसियों से बढ़ कर बद हूं तो फ़रमाया कि उस की तकफ़ीर न की जायेगी और उस पर लाज़िम है कि तौबा असतग़फ़ार करे और शैख़ से दरयाफ़्त किया गया कि एक शख़्स से कहा गया कि या एक दिरहम दे ताकि मस्जिद की इमारत में सर्फ़ किया जाये या मस्जिद में नमाज़ के वास्ते हाज़िर हो पस उस ने कहा कि मैं न मस्जिद में आउंगा और न दिरहम दूंगा मुझे मस्जिद से क्या काम है और वो इसी पर मुसिर है यानी अमदन ऐसा ही करता है तो फ़रमाया कि उस की तकफ़ीर न की जायेगी लेकिन इस को तअज़ीर दी जायेगी यह मुहीत में है।

अगर किसी ने चांद के गर्द हाला देख कर दअवा किया कि पानी बरसेगा तो दअवा इल्मे ग़ैब से तकफ़ीर किया जायेगा यह बहरूल राइक़ में है और अगर नजूमी ने कहा कि तेरी बीवी के पेट रहा है पस उस ने उस के क़ौल का ऐतक़ाद किया तो काफ़िर हुआ यह फ़ुसूल अमादिया में है और अगर बहामा ने आवाज़ की पस कहा कि मरीज़ मर जायेगा या कहा कि बार गिरां होने वाला है या अक़अक़ ने आवाज़ की पस सफ़र से लौट पड़ा तो मशाइख़ ने ऐसे शख़्स के कुफ़्र में इख़्तलाफ़ किया है यह ख़ुलासा में है इमाम फ़ज़ली से दरयाफ़्त किया गया कि एक ने दूसरे से कहा कि या अहमर यानी ऐ सुर्ख़ पस उस शख़्स ने कहा कि मुझे अल्लाह तआला ने सेब के गूदे से पैदा किया है और तुझ को मिट्टी से हराम हो गई है पस इस की निस्बत तमन्ना की कि काश हराम न होती तो तकफ़ीर न किया जायेगा।

अगर किसी मुसलमान ने कोई नसरानिया ख़ूबसूरत देख कर तमन्ना की कि काश मैं नसरानी होता ताकि इस से निकाह कर लेता तो इस की तकफ़ीर की जायेगी यह मुहीत में है। एक ने दूसरे से कहा कि हक़ के साथ मेरी मददगारी कर पस इस दूसरे ने कहा कि हक़ के साथ तो हर कोई मददगारी करता है मैं नाहक़ के साथ तेरी मददगारी करूंगा तो तकफ़ीर किया जायेगा यह फ़ुसूल अमादिया में है अनुवादक के कथनानुसार असल इबादत यह है कि मराहिक़ यारी وه فقال ذلك الغير بحق هر کس یاری دهد من تعرابیا حق یاری دهم تکفیر کذا فی الفصول मगर मैं इस की वजह नहीं समझता हूं सिवा आंकि मुराद बवास्ता हक़ पाया क़सम मुराद हो वल्लाहु आलम। एक व्यक्ति ने दूसरे से जिस से झगड़ा कर रहा है कहा कि तू हर रोज़ अपने मिस्ल और दस मिट्टी के बना ले या मिट्टी के न कहा पस अगर इस की मुराद मिस्ल से मिस्ल 'मिन हैसुल ख़ल्क़त' है तो तकफ़ीर किया जायेगा और अगर यह मुराद है कि अपने से कई गो ना जमा कर ले मुझे कुछ डर नहीं है मसलन तू इस की तकफ़ीर न की जायेगी और हमारे ज़माने में इसी जिन्स का एक वाक़िया हुआ कि किसी किसान या मानी ने कहा कि मैंने यह दरख़्त पैदा किया है पस बिल इत्तफ़ाक़ सब मुफ़तियों ने जवाब दिया कि इस की तकफ़ीर न किया जायेगी इस लिए कि पैदा करने से इस मक़ाम पर आदत के मुवाफ़िक़ पड़ लगाना मुराद है हत्ता कि अगर इस ने हक़ीक़त पैदाइश मुराद ली हो तो तकफ़ीर किया जायेगा अनुवादक के कथनानुसार हमारे उर्फ़ के ख़िलाफ़ है हां अगर यह कहा कि मेरा जमाया हुआ है या उगाया हुआ है तो अल्बत्ता यह जवाब हो सकता है क्योंकि पैदा किया हुआ बमअनी मैंने लगाया हुआ हमारे उर्फ़ में नहीं है फ़ाफ़हम वल्लाहु आलम।

(1)मैं मजूसी हूं मगर आंकि मुसलमान हूं।

एक शख़्स एक क़ौम से झगड़ा करता था पस कहा कि मैं दस आतिश परस्तों से बढ़

पैदा किया है और मिट्टी ऐसी नहीं होती है पस आया तकफ़ीर किया जायेगा तो फ़रमाया कि हां और नीज़ दरयाफ़्त किया गया कि एक शख़्स ने ऐसा क़ौल कहा जो शरअ में ममनूअ है पस उस से एक ने कहा कि तू क्या करता है तुझ पर कुफ़्र लाज़िम आ गया उस ने कहा कि मैं क्या करूंगा जब मुझ पर कुफ़्र लाज़िम आ गया पस आया तकफ़ीर किया जायेगा तो

(1)उस के निकाह से बाहर।

फ़रमाया कि हां और नीज़ दरयाफ़्त किया गया कि एक शख़्स ज़ुवाद की ज़ाद पढ़ता है और असहाबुन नार की जगह असहाबुल जन्ना पढ़ता है तो फ़रमाया कि उस की इमामत नहीं जायज़ है और अगर अमदन उस ने ऐसा किया तो तकफ़ीर किया जायेगा और जामअ असग़र में मज़कूर है कि शैख अली राज़ी फ़रमाते थे कि जो शख़्स इस तरह क़सम खाया करता है कि मुझे अपनी ज़िन्दगी की क़सम या तेरी ज़िन्दगी की क़सम या तेरी जान या सर वग़ैरह ऐसे अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करता है मैं उस के हक़ में कुफ़्र का ख़ौफ़ करता हूं और अगर कहा कि रिज़्क़ अल्लाह की तरफ़ से है मगर बन्दा की तरफ़ से जुम्बिश चाहता है तो बाज़ ने कहा कि यह शिर्क है एक ने कहा कि मैं सवाब व अज़ाब से बरी हूं तो बाज़ ने फ़रमाया कि उस की तकफ़ीर की जायेगी और नवाज़िल में मज़कूर है कि एक ने कहा कि फ़लां कहेगा वही करूंगा अगरचे सरासर कुफ़्र कहे तो उस की तकफ़ीर की जायेगी एक ने फ़ारसी में कहा कि अज़ मुसलमानी बेज़ारम या मसलन उर्दू में कहा कि मैं मुसलमानियत से बेज़ार हूं तो बाज़ ने फ़रमाया कि उस की तकफ़ीर की जायेगी और नक़ल है कि मामून रशीद बादशाह के वक़्त में एक फ़क़ीह से दरयाफ़्त किया गया कि एक शख़्स ने एक जोलाहे को क़त्ल कर डाला इस पर क्या वाजिब है उस ने जवाब दिया कि तग़ारियत (देत दिलाना) वाजिब है पस मामून रशीद ने हुक्म दिया कि इस फ़क़ीह को मार व चुनांचे उसके हुक्म से यहां तक मारा गया कि मर गया और मामून ने कहा कि यह हुक्म शरअ के साथ इस्तहज़ा है और अहकाम शरई से इस्तहज़ा करना कुफ़्र है यह मुहीत में है।

कर सितम गार हूं :

अगर किसी ने कहा कि रहे वार का कुनियम व आज़ाद अज़ बखूरियम यानी मुसाफ़िरों की तरह कार करूंगा और आज़ादों की तरफ़ खाउंगा तो कुछ ने फ़रमाया कि यह ख़ताऐ बात है और वही ऐसा बात बोलता है जो अपना रिज़्क़ अपनी कमाई से जानता है अनुवादक के कथनानुसार हमारे अनुसार इस में कम ख़ौफ़ है हां अगर इस की यह इरादा हो कि रोज़ी मेरी कमाई से है तो तकफ़ीर किया जायेगा। अगर किसी ने कहा जब तक फ़लां बजाये ख़ुद मौजूद है या जब तक कि मेरा यह रूपया का कुछ व सलामत है मुझे रोज़ी की कुछ कमी नहीं है तो कुछ विद्वानों ने फ़रमाया कि तकफ़ीर किया जायेगा और कुछ विद्वानों ने फ़रमाया कि इस पर कुफ़्र का ख़ौफ़ है और अगर किसी ने कहा कि दुरवेशी बदबख्ती है तो यह ख़ताऐ अज़ीम है। अगर किसी ने दूसरे से कहा कि एक सज्दा ख़ुदा को कर और एक सज्दा मुझ को तो कुछ ने कहा कि इस की तकफ़ीर की जायेगी अनुवादक के कथनानुसार यानी कमाल सख्त क़रीब बकुफ़्र है लेकिन तकफ़ीर न की जायेगी और शैख अबूबकर रह० से दरयाफ्त किया गया कि एक व्यक्ति शतरंज खेलता है पस इस की बीवी ने कहा कि तो शतरंज न खेला कर इस लिए कि मैंने आलिमों से सुना है कि उन्होंने कहा कि जो शतरंज खेले वो दुश्मनाने ख़ुदाऐ तआला से है पस शौहर ने फ़ारसी में कहा कि ईदून कि मिन दुश्मन ख़ुदायम व यनारमम' पस शैख़ ने दरयाफ्त करने वाले से कहा कि यह सख्त लफ्ज़ है हमारे उलमा के कथन पर चाहिए कि अपनी बीवी से निकाह की तजदीद करे और इस की बीवी बाइना (1) हो गई और दीगर विद्वानों ने फ़रमाया कि उस की तकफ़ीर न की जायेगी और शैख अब्दुल करीम से दरयाफ़्त किया कि एक व्यक्ति एक क़ौम से झगडा करता था पस कहा कि मैं दस आतिश परस्तो से बढ कर सितम गार हूं या कहा कि मैं दस मजूसियों से बढ कर बद हूं तो फ़रमाया कि उस की तकफ़ीर न की जायेगी और उस पर अनिवार्य है कि तौबा असतग़फ़ार करे और शैख से दरयाफ़्त किया गया कि एक व्यक्ति से कहा गया कि या एक दिरहम दे

शहंशाहे बदून वसफ़े आज़म के ख़साइस अस्मा अल्लाह तआला से है और किसी बन्दे का वसफ़ इस लफ़्ज़ से जायज़ नहीं :

'अगर दुरवेशी राकवेद हुद सर व स्याह गलीम (कमल पोश व बदबख़्त) शुदह अस्त' तो यह कुफ़्र है यह इताबिया में है और अगर किसी ने हमारे ज़माने के सुल्तान को कहा कि आदिल है तो उस ने अल्लाह तआला से कुफ़्र किया चुनांचे इमाम इल्मुल हुदा अबू मंसूर मातरीदी ने ऐसा ही फ़रमाया है और बाज़ ने कहा कि तकफ़ीर न किया जायेगा क़ालल मुतरजम अगर हमारे ज़माने के बादशाह को बमअनी शरई आदिल क़रार दिया तो बदरवा औला तकफ़ीर किया जायेगा 'वहुवल असह' और अगर जाबुरूं में से किसी को फ़ारसी में कि अका 'ऐ ख़ुदाऐ' तो तकफ़ीर किया जाये और अगर कहा कि 'ई बार ख़ुदाऐ' तो तकफ़ीर न किया जाये बिना बर क़ौल अक्सर मशाइख के और यही मुख़्तार है कज़ा फ़िल ख़ुलासा क़ालल मुतरजम हमारी ज़बान में इस दोनों से तकफ़ीर किया जायेगा वल्लाहु आलम वलम अजद फ़ीहिल नस उसूल उल सफ़ार में मज़कूर है कि शैख रह० तआला से दरयाफ़्त किया गया कि जुमा के रोज़ मिम्बरों पर ख़तीब जो अल्फ़ाज़ निस्बत बादशाह वक्त के पढ़ा करते हैं मसलन 'अलआदिल उल आज़म शहंशाह आज़म मालिक रक़ाब उमम सुल्तान अरज़ अल्लाह मालिक बिलाद अल्लाह मुअय्यन खलीफ़तुल्लाह' पस आया यह अल्फ़ाज़ अलल इतलाक़ वल तहक़ीक़ जायज़ है या नहीं तो फ़रमाया कि नहीं जायज़, इस वास्ते कि इन में से बाज़ अल्फ़ाज़ कुफ़्र और बाज़े मअसियत व दरोग़ हैं चुनांचे शहंशाह कि बदून वसफ़ आज़म के ख़साइस अस्मा अल्लाह तआला से है और किसी बन्दे को वसफ़ इस लफ़्ज़ से जायज़ नहीं है और मालिक रक़ाब उमम यह महज़ दरोग़ है और सुल्तान अरज़ अल्लाह व दीगर इस के अमसाल सो यह अलल इतलाक़ महज़ दरोग़ हैं यह तातार खानिया में है।

और जिस शख्स के दिल में ऐसे अम्र का ख़तरह गुज़रा जो मौज्जिब कुफ़्र है पस अगर इस अम्र को उस ने ताकि मस्जिद की इमारत में सर्फ़ किया जाये या मस्जिद में नमाज़ के लिए हाज़िर हो पस उस ने कहा कि मैं न मस्जिद में आउंगा और न दिरहम दूंगा मुझे मस्जिद से क्या काम है और वो इसी पर मुसिर है यानी अमदन ऐसा ही करता है तो फ़रमाया कि उस की तकफ़ीर न की जायेगी लेकिन इस को तअज़ीर दी जायेगी यह मुहीत में है।

अगर किसी ने चांद के गर्द हाला देख कर दअवा किया कि पानी बरसेगा तो दअवा इल्मे ग़ैब से तकफ़ीर किया जायेगा यह बहरूल राइक़ में है और अगर नजूमी ने कहा कि तेरी बीवी के पेट रहा है पस उस ने उस के कथन का ऐतक़ाद किया तो काफ़िर हुआ यह फ़ुसूल अमादिया में है और अगर बहामा ने आवाज़ की पस कहा कि मरीज़ मर जायेगा या कहा कि बार गिरां होने वाला है या अक़अक़ ने आवाज़ की पस सफ़र से लोट पड़ा तो विद्वानों ने ऐसे व्यक्ति के कुफ़्र में मतभेद किया है यह ख़ुलासा में है इमाम फ़ज़ली से दरयाफ़्त किया गया कि एक ने दूसरे से कहा कि या अहमर यानी ऐ सुर्ख पस उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे अल्लाह तआला ने सेब के गूदे से पैदा किया है और तुझ को मिट्टी से पैदा किया है और मिट्टी ऐसी नहीं होती है पस आया तकफ़ीर किया जायेगा तो फ़रमाया कि हां और नीज़ दरयाफ़्त किया गया कि एक व्यक्ति ने ऐसा कथन कहा जो शरअ में ममनूअ है पस उस से एक ने कहा कि तू क्या करता है तुझ पर कुफ़्र अनिवार्य आ गया उस ने कहा कि मैं क्या करूंगा जब मुझ पर कुफ़्र अनिवार्य आ गया पस आया तकफ़ीर किया जायेगा तो

(1)उस के निकाह से बाहर।

फ़रमाया कि हां और नीज़ दरयाफ़्त किया गया कि एक व्यक्ति ज़ुवाद की ज़ाद पढ़ता है और असहाबुन नार की जगह असहाबुल जन्ना पढ़ता है तो फ़रमाया कि उस की इमामत नहीं जायज़ है और अगर अमदन उस ने ऐसा किया तो तकफ़ीर किया जायेगा और जामअ असग़र में वर्णित है कि शैख अली राज़ी फ़रमाते थे कि जो व्यक्ति इस तरह क़सम खाया करता है कि मुझे अपनी ज़िन्दगी की क़सम या तेरी ज़िन्दगी की क़सम या तेरी

ज़बान से कहा हालांकि वो इस से बहुत कराहियत कर रहा है तो यह महज़ ईमान है और अगर किसी ने कुफ़्र का मुसम्मम इरादा किया अगरचे सौ बरस के बाद कुफ़्र करने का इरादा किया हो तो फ़िल हाल काफ़िर हो जायेगा यह ख़ुलासा में है और अगर किसी ने बतोअ ख़ुद अपनी ज़बान से कुफ़्र कहा हालांकि इस का दिल ईमान पर है तो काफ़िर हो जायेगा और अल्लाह तआला के अनुसार वो मौमिन न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है क़ालल मुतरजम जिन सूरतों में बिल इत्तफ़ाक़ तकफ़ीर की जाती है वहां वाजिब है कि तौबा करके रूजूअ करले और अज़ सरे नो निकाह करे और वाज़ह हो कि जिन सूरतों में कुफ़्र होने में इख़्तलाफ़ है उन में उस के मुरतकिब को हुक्म किया जायेगा कि वो तजदीद निकाह करे और तौबा करे और उस से रूजूअ करे और यह बतरीक़ अहतियात के कहा जायेगा और जिन अल्फ़ाज़ में यह बयान किया गया है कि वो ख़ता हैं और मोज्जिब कुफ़्र नहीं है तो इस के कहने वाले को तजदीद निकाह औरउस से फिर जाने का हुक्म न किया जायेगा अगरचे यह कहा जायेगा कि फिर ऐसा न कहे क्योंकि गुनहगार होगा यह मुहीत में है अगर कोई मसला ऐसा पैश आये कि इस में कई वजहें ऐसी हैं कि इन के लिहाज़ से यह हुक्म होता है कि तकफ़ीर की जाये और एक वजह ऐसी भी निकलती है कि तकफ़ीर न की जाये यानी शरअन इस वजह से तकफ़ीर से बच सकता है तो मुफ़्ती को लाज़िम है कि इसी वजह की तरफ़ मेल करे जिस से तकफ़ीर (1) बचती है यह ख़ुलासा में है और बज़ाज़िया में लिखा है कि सूरत तावीली की तरफ़ जिस से तकफ़ीर से बच सकता है जब ही मेल करेगा कि जब तसरीह न की हो और अगर कहने वाले ने तसरीह कर दी और सरीह ऐसा इरादा बयान कर दिया जो मोजिबे कुफ़्र है तो ऐसी सूरत में तावील कुछ फ़ायदा न देगी यह बहरूल राइक़ में है।

फिर अगर कहने वाले की नियत भी वही सूरत तावीली हो जिस से तकफ़ीर से बचता है तो वो मुसलमान रहा और अगर कहने वाले की नियत ऐसी वजह हो कि वो मोजिबे तकफ़ीर है तो उस को इस मुफ़्ती का फ़तवा कुछ मुफ़ीद न होगा बल्कि उस को जान या सर वग़ैरह ऐसे अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करता है मैं उस के हक़ में कुफ़्र का ख़ौफ़ करता हूं और अगर कहा कि रिज़्क़ अल्लाह की तरफ़ से है मगर बन्दा की तरफ़ से जुम्बिश चाहता है तो कुछ ने कहा कि यह शिर्क है एक ने कहा कि मैं सवाब व अज़ाब से बरी हूं तो कुछ ने फ़रमाया कि उस की तकफ़ीर की जायेगी और नवाज़िल में वर्णित है कि एक ने कहा कि फ़लां कहेगा वही करूंगा अगरचे सरासर कुफ़्र कहे तो उस की तकफ़ीर की जायेगी एक ने फ़ारसी में कहा कि अज़ मुसलमानी बेज़ारम या मसलन उर्दू में कहा कि मैं मुसलमानियत से बेज़ार हूं तो कुछ ने फ़रमाया कि उस की तकफ़ीर की जायेगी और नक़्ल है कि मामून रशीद बादशाह के समय में एक फ़क़ीह से दरयाफ़्त किया गया कि एक व्यक्ति ने एक जोलाहे को क़त्ल कर डाला इस पर क्या अनिवार्य है उस ने जवाब दिया कि तग़ारियत (देत दिलाना) अनिवार्य है पस मामून रशीद ने हुक्म दिया कि इस फ़क़ीह को मार व चुनांचे उसके हुक्म से यहां तक मारा गया कि मर गया और मामून ने कहा कि यह हुक्म शरअ के साथ इस्तहज़ा है और अहकाम शरई से इस्तहज़ा करना कुफ़्र है यह मुहीत में है।

शहंशाहे बदून वसफ़े आज़म के ख़साइस अस्मा अल्लाह तआला से है और किसी बन्दे का वसफ़ इस लफ़्ज़ से जायज़ नहीं :

'अगर दुरवेशी राकवेद हुद सर व स्याह गलीम (कमल पोश व बदबख़्त) शुदह अस्त' तो यह कुफ़्र है यह इताबिया में है और अगर किसी ने हमारे ज़माने के सुल्तान को कहा कि आदिल है तो उस ने अल्लाह तआला से कुफ़्र किया चुनांचे इमाम इल्मुल हुदा अबू मंसूर मातरीदी ने ऐसा ही फ़रमाया है और कुछ ने कहा कि तकफ़ीर न किया जायेगा अनुवादक के कथनानुसार अगर हमारे ज़माने के बादशाह को बमअनी शरई आदिल क़रार दिया तो बदरवा औला तकफ़ीर किया जायेगा 'वहुवल असह' और अगर जाबुरूं में से किसी को फ़ारसी में कि अका 'ऐ ख़ुदाऐ' तो तकफ़ीर किया जाये और अगर कहा कि 'ई बार ख़ुदाऐ' तो तकफ़ीर न किया जाये

अपनी ज़ात की राह से लाज़िम होगा कि ईमान की राह ढूंढे और वो यह है कि इस को हुक्म किया जायेगा कि तौबा करके उस से रूजूअ करे और अपनी बीवी से अज़ सर नू अपना निकाह करे यह मुहीत में है। मुसलमान को चाहिए कि हर सुबह व शाम इस दुआ के पढ़ कर वज़ीफ़ा करे कि यह ऐसे वरतों में पड़ने से बचाव का सबब है क्योंकि आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फ़रमाया है कि जो हर सुबह व शाम उस का विर्द रखे वो महफ़ूज़ रहेगा और दुआ है "اللهم ان اعوذبك من ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم" यह ख़ुलासा में है।

बाबः 10

बाग़ियों के बयान में

बाग़ी की तअरीफ़ व अहकाम :

अहले बग़ी हर ऐसे फ़िरक़ा को कहते हैं जो क़ुव्वत मनअत रखते हैं कि तग़लब कर लें और मुज्तमा हो जाऐं और तावील के साथ अहले अदल के साथ क़िताल करें और कहीं कि हक़ हमारे साथ है और अपने वाली होने का दअवा करें पस अगर चोरों में से कोई क़ौम किसी शहर पर ग़ालिब हो गई और उन्होंने माल ले लिया तो यह लोग बाग़ी न कहलाऐंगे यह ख़ज़ानतुलमुफ़तीन में है और जब कोई क़ौम इताअत इमामुल मुस्लिमीन से मुनहरफ़ हो गई और वो किसी शहर पर ग़ल्बा करके क़ाबिज़ हो गई तो इमाम मौसूफ़ पहले इन को जमाअत में मिल जाने और बग़ावत से बाज़ आने की जानिब बुलायेगा और उन का शुब्हा रफ़ा कर देगा और उन से कहेगा कि तौबा कर लो यह काफ़ी में है मगर वाज़ह रहे कि इस तरह बुलाना इन को वाजिब नहीं है और जब इमामुल मुस्लिमीन को खबर पहुंचे कि वो लोग हथियार खरीदते हैं और क़िताल के वास्ते सामान करते हैं तो चाहिए कि इन को गिरफ़तार करके क़ैद करे यहां तक

बिना बर कथन अक्सर विद्वानों के और यही मुख़्तार है कज़ा फ़िल ख़ुलासा अनुवादक के कथनानुसार हमारी ज़बान में इस दोनों से तकफ़ीर किया जायेगा वल्लाहु आलम वलम अजद फ़ीहिल नस उसूल उल सफ़ार में वर्णित है कि शैख़ रह० तआला से दरयाफ़्त किया गया कि जुमा के रोज़ मिम्बरों पर ख़तीब जो अल्फ़ाज़ निस्बत बादशाह समय के पढ़ा करते हैं मसलन 'अलआदिल उल आज़म शहंशाह आज़म मालिक रक़ाब उमम सुल्तान अरज़ अल्लाह मालिक बिलाद अल्लाह मुईन खलीफ़तुल्लाह' पस आया यह अल्फ़ाज़ अलल इतलाक़ वल तहक़ीक़ जायज़ है या नहीं तो फ़रमाया कि नहीं जायज़, इस लिए कि इन में से कुछ अल्फ़ाज़ कुफ़्र और बाज़े मअसियत व दरोग़ हैं चुनांचे शहंशाह कि बदून वसफ़ आज़म के ख़साइस अस्मा अल्लाह तआला से है और किसी बन्दे को वसफ़ इस लफ़्ज़ से जायज़ नहीं है और मालिक रक़ाब उमम यह महज़ दरोग़ है और सुल्तान अरज़ अल्लाह व दीगर इस के अमसाल सो यह अलल इतलाक़ महज़ दरोग़ हैं यह तातार खानिया में है।

और जिस व्यक्ति के दिल में ऐसे कार्य का ख़तरह गुज़रा जो मौज्जिब कुफ़्र है पस अगर इस कार्य को उस ने ज़बान से कहा हालांकि वो इस से बहुत कराहियत कर रहा है तो यह महज़ ईमान है और अगर किसी ने कुफ़्र का मुसम्मम इरादा किया अगरचे सौ बरस के बाद कुफ़्र करने का इरादा किया हो तो फ़िल हाल काफ़िर हो जायेगा यह ख़ुलासा में है और अगर किसी ने बतोअ ख़ुद अपनी ज़बान से कुफ़्र कहा हालांकि इस का दिल ईमान पर है तो काफ़िर हो जायेगा और अल्लाह तआला के अनुसार वो मौमिन न होगा यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है अनुवादक के कथनानुसार जिन सूरतों में बिल इत्तफ़ाक़ तकफ़ीर की जाती है वहां अनिवार्य है कि तौबा करके रूजूअ करले और अज़ सरे नौ निकाह करे और वाज़ह हो कि जिन सूरतों में कुफ़्र होने में मतभेद है उन में उस के मुरतकिब को हुक्म किया जायेगा कि वो तजदीद निकाह करे और तौबा करे और उस से रूजूअ करे और यह बतरीक़ अहतियात के कहा जायेगा और जिन अल्फ़ाज़ में यह बयान किया गया है कि वो ख़ता हैं और मोज्जिब

कि वो अपने इस इरादे से बाज़ आऐं और अज़ सरे नू तौबा करके हुक़ूक़ इस्लाम की रिआयत के साथ जमाअत में शामिल रहें और यह बदीन ग़र्ज़ करे कि बक़द्र इम्कान शर दफ़ा हुए यह हिदाया में है।

अगर बाग़ियों में से किसी का गुलाम जो अपने मौला के साथ लड़ता था गिरफ़्तार किया गया तो वो क़त्ल कर दिया जायेगा :

अगर किसी ऐसी जमाअत ने जो ख़ाना कअबा के रूख पर ख़ुदाऐ तआला की परस्तिश करते हैं कोई राये ज़ाहिर की और लोगों को इस राये की जानिब बुलाया और इस राये पर क़िताल किया और इन के वास्ते मनअत व क़ुव्वत व शौकत हासिल हो गई पस अगर यह अइमर इस वजह से हो कि सुल्तान ने इन के हक़ में ज़ुल्म किया है तो सुल्तान को चाहिए कि इन पर ज़ुल्म न करे और अगर सुल्तान इन के हक़ में ज़ुल्म करने से बाज़ न आया और इस गिरोह ने सुल्तान से क़िताल करना शुरू किया तो लोगों को इन की मदद न करनी चाहिए और न यह चाहिए कि सुल्तान की मदद करें और बअगर यह अम्र इस सबब से न हो कि सुल्तान ने इन पर हुक्म किया है बल्कि वो लोग कहते हैं कि हक़ हमारछे साथ है और अपने वास्ते विलायत का दअवा करते हैं तो सुल्तान को रवा है कि इन से क़िताल करे और लोगों को रवा है कि सुल्तान की मददगारी करें यह सिराजिया में है और इन के साथ कुफ़्र नहीं है तो इस के कहने वाले को तजदीद निकाह औरउस से फिर जाने का हुक्म न किया जायेगा अगरचे यह कहा जायेगा कि फिर ऐसा न कहे क्योंकि गुनहगार होगा यह मुहीत में है अगर कोई मसला ऐसा पैश आये कि इस में कई वजहें ऐसी हैं कि इन के लिहाज़ से यह हुक्म होता है कि तकफ़ीर की जाये और एक वजह ऐसी भी निकलती है कि तकफ़ीर न की जाये यानी शरअन इस वजह से तकफ़ीर से बच सकता है तो मुफ़्ती को अनिवार्य है कि इसी वजह की तरफ़ मेल करे जिस से तकफ़ीर (1) बचती है यह ख़ुलासा में है और बज़ाज़िया में लिखा है कि स्थिति तावीली की तरफ़ जिस से तकफ़ीर से बच सकता है जब ही मेल करेगा कि जब तसरीह न की हो और अगर कहने वाले ने तसरीह कर दी और सरीह ऐसा इरादा बयान कर दिया जो मोजिबे कुफ़्र है तो ऐसी स्थिति में तावील कुछ फ़ायदा न देगी यह बहरूल राइक़ में है।

फिर अगर कहने वाले की इरादा भी वही स्थिति तावीली हो जिस से तकफ़ीर से बचता है तो वो मुसलमान रहा और अगर कहने वाले की इरादा ऐसी वजह हो कि वो मोजिबे तकफ़ीर है तो उस को इस मुफ़्ती का फ़तवा कुछ मुफ़ीद न होगा बल्कि उस को अपनी ज़ात की राह से अनिवार्य होगा कि ईमान की राह ढूंढे और वो यह है कि इस को हुक्म किया जायेगा कि तौबा करके उस से रूजूअ करे और अपनी बीवी से अज़ सर नू अपना निकाह करे यह मुहीत में है। मुसलमान को चाहिए कि हर सुबह व शाम इस दुआ के पढ़ कर वज़ीफ़ा करे कि यह ऐसे वरतों में पड़ने से बचाव का सबब है क्योंकि आन्हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फ़रमाया है कि जो हर सुबह व शाम उस का विर्द रखे वो महफ़ूज़ रहेगा और दुआ है "اللهم ان اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم" यह ख़ुलासा में है।

(1) लड़ाई+]त्म हो गई और बागि+यों की क़ुव्वत व सरकशी ज़ायल हो गई।

क़िताल करना हर ऐसे तरीक़े व हथियार से रवा है जिस से अहले हरब के साथ क़त्ल करना रवा है मिस्ल तीरों से मारने और मनजनीक़ लगाने और पानी पहुंचा कर ग़र्क़ कर देने या आग लगा देने और शन्हबूं मारने वग़ैरह के यह निहाया में है। और तजरीद में लिखा है कि बाग़ियों के साथ औरतों व बच्चों व बूढ़ों व अंधों में से जो कोई हुए क़त्ल न किया जायेगा और अगर बाग़ियों में से किसी का ग़ुलाम जो अपने मौला के साथ लड़ता था गिरफ़तार किया गया तो वो क़त्ल कर दिया जायेगा और अगर इस की खिदमत किया करता था क़िताल नहीं करता था तो क़त्ल नहीं किया जायेगा मगर क़ैद रखा जायेगा यहां तक कि बग़ावत ज़ायल हो जाये और अगर बाग़ियों की औरतें भी क़िताल करती हों तो वो भी क़त्ल की जायेगी यह तातार खानिया में है।

अगर मअरका क़िताल में कोई बाग़ी किसी अहले अदल का क़रीब ऐसा हुआ कि इस का ज़ी रहम महरम हो तो अहले अदल में यह शख्स ख़ुद इस के क़त्ल का मुरतकिब न हो लेकिन अगर वो इस शख्स आदिल को ज़रर क़त्ल वग़ैरह पहुंचाना चाहता हो तो अपनी जान से ज़रर दूर करने के वास्ते इस को क़त्ल कर सकता है हां आदिल को यह रवा है कि इस ज़ी रहम महरम बाग़ी का जानवर सवारी क़त्ल कर दे ताकि बाग़ी मज़कूर मुन्ज़जिर हो जाये पस कोई दूसरा इस को क़त्ल करदे यह सिराजिया में है। अगर बाग़ियों ने अहले अदल के साथ लड़ाई के वास्ते ज़िम्मियों के किसी गिरोह से मदद मांगी पस ज़िम्मियों ने इन बाग़ियों के साथ होकर अहले अदल से क़िताल किया तो यह अम्र ज़िम्मियों के तरफ़ से नुक्स अहद न होगा और ज़िम्मियों ने इस क़िताल में जो कुछ हमारा माल ले कर तलफ़ किया या जान तलु की या ज़ख्मी किया या हम ने इन के साथ किया तो किसी पर इस की ज़िमान वाजिब न होगी जैसे बाग़ियों के हक़ में हुक्म है और इमाम मौहम्मद रह० ने जामअ सग़ीर में फ़रमाया कि अगर बाग़ी लोग अहले अदल के किसी शहर पर ग़ालिब हुए फिर बाग़ियों में से किसी शख़्स ने अहले शहर में से किसी शख्स को अमदन क़त्ल कर डाला फिर अहले अदल इस शहर पर ग़ालिब हुए तो क़ातिल से

बाबः 10

बाग़ियों के बयान में

बाग़ी की तअरीफ़ व अहकाम :

अहले बग़ी हर ऐसे फ़िरक़ा को कहते हैं जो क़ुव्वत मनअत रखते हैं कि तग़लब कर लें और मुन्तमा हो जाऐं और तावील के साथ अहले अदल के साथ क़िताल करें और कहीं कि हक़ हमारे साथ है और अपने वाली होने का दअवा करें पस अगर चोरों में से कोई क़ौम किसी शहर पर ग़ालिब हो गई और उन्होंने मूल ले लिया तो यह लोग बाग़ी न कहलाऐंगे यह ख़ज़ानतुलमुफ़तीन में है और जब कोई क़ौम इताअत इमामुल मुस्लिमीन से मुनहरफ़ हो गई और वो किसी शहर पर ग़ल्बा करके क़ाबिज़ हो गई तो इमाम मौसूफ़ पहले इन को जमाअत में मिल जाने और बग़ावत से कुछ आने की जानिब बुलायेगा और उन का शुब्हा रफ़ा कर देगा और उन से कहेगा कि तौबा कर लो यह काफ़ी में है मगर वाज़ह रहे कि इस तरह बुलाना इन को अनिवार्य नहीं है और जब इमामुल मुस्लिमीन को खबर पहुंचे कि वो लोग हथियार खरीदते हैं और क़िताल के लिए सामान करते हैं तो चाहिए कि इन को गिरफ़तार करके क़ैद करे यहां तक कि वो अपने इस इरादे से कुछ आऐं और अज़ सरे नू तौबा करके हुक़ूक़ इस्लाम की रिआयत के साथ जमाअत में शामिल रहें और यह बदीन ग़र्ज़ करे कि बक़द्र इम्कान शर दफ़ा हुए यह हिदाया में है।

अगर बाग़ियों में से किसी का ग़ुलाम जो

क़िसास लिया जायेगा और इस मसले के मअनी यह हैं कि बाग़ी लोग किसी अहले अदल के शहर पर ग़ालिब हुए और हुनूज़ बाग़ियों का हुक्म इस शहर में जारी नहीं हुआ था कि इमाम अहले शहर ने इन बाग़ियों को पसपा कर लिया तो यह हुक्म मज़कूर होगा। अगर इस शहर में बाग़ियों का हुक्म जारी होगया तो अहले अदल की विलायत व मनअत वहां से मुन्क़तअ हो गई पस शहर वालों में से किसी के क़त्ल करने से क़ातिल पर कुछ वाजिब न होगा और नीज़ इमाम मौहम्मद रह० ने जामअ सग़ीर में ज़िक्र फ़रमाया कि अगर अहले अदल में से किसी ने बाग़ी को क़त्ल किया हालांकि क़ातिल इस का वारिस है तो वारिस रहेगा और अगर बाग़ी ने इस को क़त्ल किया हालांकि इस का वारिस है फिर बाग़ी ने कहा कि जब मैंने इस को क़त्ल किया हक़ पर था और मैं अब तक हक़ पर हूं तो मक़तूल का वारिस होगा। अगर बाग़ी मज़कूर ने कहा कि जिस वक्त मैंने इस को क़त्ल किया है मैं जानता था कि बातिल पर हूं तो इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार इस का वारिस न होगा यह मुहीत में है।

अगर बाग़ियों ने मुसलमानों से अशर व खिराज वसूल कर लिया तो दोबारह न लिया जायेगा :

बाग़ियों में से जो शख़्स क़त्ल किया जाये न इस को ग़स्ल दिया जायेगा और न इस पर नमाज़ पढ़ी जायेगी और अहले अदल में से जो शख़्स क़त्ल किया गया तो इस के वही मामला किया जायेगा जो शहीदों के साथ किया जाता है और इस का हुक्म भी वही है जो शहीद का है यह शरह तहावा में है अगर बाग़ियों ने अशर व खिराज वसूल कर लिया तो दोबारह न लिया जायेगा फिर जो कुछ बाग़ियों ने वसूल किया है अगर इस को जिस तरह सर्फ़ करना चाहिए और जहां सर्फ़ करना चाहिए है सर्फ़ किया हुए तो जिस से वसूल किया है इस पर क़ज़ाअन इआदा लाज़िम नहीं है लेकिन जिस से वसूल किया है यानी मालिकान अमवाल को फ़तवा दिया जायेगा कि दयानतन 'फ़ीमा बैयनहू व बैयनल्लाहि तआला' की

अपने मौला के साथ लड़ता था गिरफ़तार किया गया तो वो क़त्ल कर दिया जायेगा :

अगर किसी ऐसी जमाअत ने जो खाना कअबा के रूख पर ख़ुदाऐ तआला की परस्तिश करते हैं कोई राये ज़ाहिर की और लोगों को इस राये की जानिब बुलाया और इस राये पर क़िताल किया और इन के लिए मनअत व क़ुव्वत व शौकत हासिल हो गई पस अगर यह अइमर इस वजह से हो कि

(1) लड़ाई +]त्म हो गई और बाग़ि+यों की क़ुव्वत व सरकशी ज़ायल हो गई।

सुल्तान ने इन के हक़ में ज़ुल्म किया है तो सुल्तान को चाहिए कि इन पर ज़ुल्म न करे और अगर सुल्तान इन के हक़ में ज़ुल्म करने से कुछ न आया और इस गिरोह ने सुल्तान से क़िताल करना शुरू किया तो लेगों को इन की मदद न करनी चाहिए और न यह चाहिए कि सुल्तान की मदद करें और बअगर यह कार्य इस सबब से न हो कि सुल्तान ने इन पर हुक्म किया है बल्कि वो लोग कहते हैं कि हक़ हमारछे साथ है और अपने लिए विलायत का दअवा करते हैं तो सुल्तान को जायज़ है कि इन से क़िताल करे और लोगों को जायज़ है कि सुल्तान की मददगारी करें यह सिराजिया में है और इन के साथ क़िताल करना हर ऐसे तरीक़े व हथियार से जायज़ है जिस से अहले हरब के साथ क़त्ल करना जायज़ है मिस्ल तीरों से मारने और मनजनीक़ लगाने और पानी पहुंचा कर ग़र्क़ कर देने या आग लगा देने और शन्हबूं मारने वग़ैरह के यह निहाया में है। और तजरीद में लिखा है कि बाग़ियों के साथ औरतों व बच्चों व बूढ़ों व अंधों में से जो कोई हुए क़त्ल न किया जायेगा और अगर बाग़ियों में से किसी का ग़ुलाम जो अपने मौला के साथ लड़ता था गिरफ़तार किया गया तो वो क़त्ल कर दिया जायेगा और अगर इस की सेवा किया करता था क़िताल नहीं करता था तो क़त्ल नहीं किया जायेगा मगर क़ैद रखा जायेगा यहां तक कि बग़ावत ज़ायल हो जाये और अगर बाग़ियों की औरतें भी क़िताल करती हों तो वो भी क़त्ल की जायेगी यह तातार खानिया में है।

इस का इआदा कर दें यानी ख़ुद फ़क़ीरों को दे दें लेकिन हमारे बाज़ मशाइख़ ने फ़रमाया कि खिराज में इन पर दयानत कि राह से भी इआदा लाज़िम नहीं है। इसी तरह अशर में भी अगर अहले बग़ावत फ़क़ीर लोग हों तो इआदा वाजिब नहीं है यह ग़ायतुल बयान में लिखा है और अहले फ़ितना के हाथ इन केलश्कर में हथियार फ़रोख़्त करना मकरूह है और अगर इन के लश्कर में नहीं बल्कि मसलन कूफ़ा में किसी के हाथ हथियार फ़रोख़्त किये पस अगर यह मालूम नहीं है कि यह अहले फ़ितना में से है तो कुछ मुज़ायक़ा नहीं है और यह हुक्म नफ़्स सलाह में है यानी जो हथियार बने बनाऐ उर्फ़ में हथियार कहलाते हैं इनके फ़रोख़्त करने में यह हुक्म है और जो चीज़ ऐसी है कि अभी इस से क़िताल नहीं किया जा सकता है इल्ला बाद साख़्त के यानी जो चीज़ ऐसी है कि बदून इस से बनाने व ढालने के क़िताल नहीं कर सकते हैं जैसे महज़ लोहा वग़ैरह तो इस के फ़रोत करने में कुछ मुज़ायक़ा नहीं है यह काफ़ी में है। क़ालल मुतरजम यह ज़ाहिरिया कलाम दलालत करता है कि महज़ लोहा वग़ैरह मुतल्लक़न इन के लश्कर में ले जा कर फ़रोख़्त करना भी मकरूह नहीं है हालांकि ऐसा नहीं है।

अगर मअरका क़िताल में कोई बाग़ी किसी अहले अदल का क़रीब ऐसा हुआ कि इस का ज़ी रहम महरम हो तो अहले अदल में यह व्यक्ति ख़ुद इस के क़त्ल का मुरतकिब न हो लेकिन अगर वो इस व्यक्ति आदिल को ज़रर क़त्ल वग़ैरह पहुंचाना चाहता हो तो अपनी जान से ज़रर दूर करने के लिए इस को क़त्ल कर सकता है हां आदिल को यह जायज़ है कि इस ज़ी रहम महरम बाग़ी का जानवर सवारी क़त्ल कर दे ताकि बाग़ी वर्णित मुन्तज़िर हो जाये पस कोई दूसरा इस को क़त्ल करदे यह सिराजिया में है। अगर बाग़ियों ने अहले अदल के साथ लड़ाई के लिए ज़िम्मियों के किसी गिरोह से मदद मांगी पस ज़िम्मियों ने इन बाग़ियों के साथ होकर अहले अदल से क़िताल किया तो यह कार्य ज़िम्मियों के तरफ़ से नुक़्स अहद न होगा और ज़िम्मियों ने इस क़िताल में जो कुछ हमारा माल ले कर तलफ़ किया या जान तलु की या ज़ख़्मी किया या हम ने इन के साथ किया तो किसी पर इस की ज़िमान अनिवार्य न होगी जैसे बाग़ियों के हक़ में हुक्म है और इमाम मौहम्मद रह० ने जामअ सग़ीर में फ़रमाया कि अगर बाग़ी लोग अहले अदल के किसी शहर पर ग़ालिब हुए फिर बाग़ियों में से किसी व्यक्ति ने अहले शहर में से किसी व्यक्ति को अमदन क़त्ल कर डाला फिर अहले अदल इस शहर पर ग़ालिब हुए तो क़ातिल से क़िसास लिया जायेगा और इस मसले के मअनी यह हैं कि बाग़ी लोग किसी अहले अदल के शहर पर ग़ालिब हुए और हुनूज़ बाग़ियों का हुक्म इस शहर में जारी नहीं हुआ था कि इमाम अहले शहर ने इन बाग़ियों को पसपा कर लिया तो यह हुक्म वर्णित होगा। अगर इस शहर में बाग़ियों का हुक्म जारी होगया तो अहले अदल की विलायत व मनअत वहां से मुन्क़तअ हो गई पस शहर वालों में से किसी के क़त्ल करने से क़ातिल पर कुछ अनिवार्य न होगा और नीज़ इमाम मौहम्मद रह० ने जामअ सग़ीर में ज़िक्र फ़रमाया कि अगर अहले अदल में से किसी ने बाग़ी को क़त्ल किया हालांकि क़ातिल इस का वारिस है तो वारिस रहेगा और अगर बाग़ी ने इस को क़त्ल किया हालांकि इस का वारिस है फिर बाग़ी ने कहा कि जब मैंने इस को क़त्ल किया हक़ पर था और

किताबुल्लक़ीत

लक़ीत की शरई तारीफ़ व अहकाम

लक़ीत (1) शरअ में ऐसे ज़िन्दा बच्चे को बोलते हैं जिस को इस के अहल न दुरवेशी के ख़ौफ़ से या तोहमत ज़िना से भाग बचने की ग़र्ज़ से फैंक दिया हो फिर उस का इस तरह ज़ाये फैंक देने वाला बडा गुनहगार है और इस का हिफ़ाज़त में ले लेने वाला बडे सवाब से मालदार है और जिस ने उस को इस तरह पडा देखा इस को उठा लेना मन्दूब है लेकिन अगर इस के ग़ालिब गुमान में यह हो कि ज़ाये हो जायेगा जैसे पानी में पडा देखा या दरिन्दा (2) के सामने तो उठा लेना वाजिब है और लक़ीत आज़ाद होता है यानी उठाने वाले का ममलूक नहीं होता है उठाने वाले को मुल्तक़ित कहते हैं और इसका वली सुल्तान है न मुल्तक़ित वग़ैरह चुनांचे अगर मुल्तक़ित ने किसी औरत से उस का निकाह कर दिया या लक़ीत लडकी थी कि किसी मर्द से ब्याह दी तो रवा नहीं है यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है मगर मुल्तक़ित के हाथ से उस को कोई ले नहीं सकता है और अगर मुल्तक़ित ने ख़ुद किसी की परवरिश में दे दिया तो उस से वापिस नहीं ले सकता है यह तबयुन में है और उस का नुफ़क़ा और उसके जुर्म का जुर्माना (3) बैतुल माल पर है यानी गोया वही इस की मददगार बिरादरी है यह मुहीत में है और लक़ीत के तन पर बंधा हुआ माल पाया गया तो वो लक़ीत का होगा और इसी तरह अगर किसी जानवर पर पाया गया और इस जानवर पर माल बंधा हुआ है तो भी यही हुक्म है और अगर लक़ीत के क़रीब माल रखा हुआ मिला तो लक़ीत के वास्ते उस का हुक्म न दिया जायेगा कि यह इसका है बल्कि यह माल लुक़ता

मैं अब तक हक़ पर हूं तो मक़तूल का वारिस होगा। अगर बाग़ी चर्पित ने कहा कि जिस समय मैंने इस को क़त्ल किया है मैं जानता था कि बातिल पर हूं तो इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार इस का वारिस न होगा यह मुहीत में है।

अगर बाग़ियों ने मुसलमानों से अशर व ख़िराज वसूल कर लिया तो दोबारह न लिया जायेगा :

बाग़ियों में से जो व्यक्ति क़त्ल किया जाये न इस को ग़ुस्ल दिया जायेगा और न इस पर नमाज़ पढ़ी जायेगी और अहले अदल में से जो व्यक्ति क़त्ल किया गया तो इस के वही मामला किया जायेगा जो शहीदों के साथ किया जाता है और इस का हुक्म भी वही है जो शहीद का है यह शरह तहावा में है अगर बाग़ियों ने अशर व ख़िराज वसूल कर लिया तो दोबारह न लिया जायेगा फिर जो कुछ बाग़ियों ने वसूल किया है अगर इस को जिस तरह सर्फ़ करना चाहिए और जहां सर्फ़ करना चाहिए है सर्फ़ किया हुए तो जिस से वसूल किया है इस पर क़ज़ाअन इआदा अनिवार्य नहीं है लेकिन जिस से वसूल किया है यानी मालिकान अमवाल को फ़तवा दिया जायेगा कि दयानतन 'फ़ीमा बैयनहू व बैयनल्लाहि तआला' की इस का इआदा कर दें यानी ख़ुद फ़क़ीरों को दे दें लेकिन हमारे कुछ विद्वानों ने फ़रमाया कि ख़िराज में इन पर दयानत कि राह से भी इआदा अनिवार्य नहीं है। इसी तरह अशर में भी अगर अहले बग़ावत फ़क़ीर लोग हों तो इआदा अनिवार्य नहीं है यह ग़ायतुल बयान में लिखा है और अहले फ़ितना के हाथ इन केलश्कर में हथियार फ़रोख़्त करना मकरूह है और अगर इन के लश्कर में नहीं बल्कि मसलन कूफ़ा में किसी के हाथ हथियार फ़रोख़्त किये पस अगर यह मालूम नहीं है कि यह अहले फ़ितना में से है तो कुछ मुज़ायक़ा नहीं है और यह हुक्म नफ़्स सलाह में है यानी जो हथियार बने बनाऐ उर्फ़ में हथियार कहलाते है इनके फ़रोख़्त करने में यह हुक्म है और जो चीज़ ऐसी है कि अभी इस से क़िताल नहीं किया जा सकता है सिवा बाद साख़्त के यानी जो

के हुक्म में होगा और अगर लक़ीत किसी जानवर पर सवार पाया गया तो यह जानवर इसी का होगा यह जोहरा नेहरा में है।

अगर कोई एक लक़ीत उठा लाया और उसके हाथ से दूसरे ने छीन लिया और दोनों नालिश में क़ाज़ी के हुज़ूर में पैश हुए :

लक़ीत का नुफ़क़ा इस माल से जब महसूब होगा कि क़ाज़ी ने हुक्म दे दिया कि मुल्तक़ित इस में से इस पर ख़र्च करे और बाज़ ने फ़रमाया कि बग़ैर हुक्म क़ाज़ी भी ख़र्च कर सकता है और नुफ़क़ा मिस्ल तक (4) मुल्तक़ित के क़ौल (5) की तसदीक़ की जायेगी यह मुहीत में है और इस की विला बैतुल माल के वास्ते होगी चुनांचे अगर वो बदून किसी वारिस छोड़ने के मर गया और उस का कोई मौला अल मवालात भी नहीं है तो उस का तरका बैतुल माल में दाखिल होगा यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है और अगर लक़ीत को मुल्तक़ित उठा कर क़ाज़ी के पास लाया और क़ाज़ी से दरख़्वास्त की कि मुझ से इस को लेले तो क़ाज़ी को इख़्तयार है कि बदून गवाही के इस की तसदीक़ न करे इस वास्ते कि मुसलमानों के बैतुल माल से उसके नफ़क़ा व ख़र्चा दिलाने का दअ्वा करता है और जब उसने गवाह क़ायम कर दिये तो क़ाज़ी उसके गवाहों को बदून किसी ख़सम हाज़िर के क़बूल कर लेगा और जब

(1)क़ायल मुतरजम इस को तहमील भी कहते हैं।
(2)ज़ाहिर मुराद है कि अनक़रीब दरिन्दा वहां आयेगा आंकि दरिन्दा मौजूद है पस बशर्त क़ुदरत उठाने वल्लाहु आलम।
(3)बैतुल माल से इस का नफ़क़ा मिलेगा और अगर जुर्म किया तो भी बैतुल माल इस का आमिला होगा।
(4)जितनाऐसे बच्चे काखर्चा पड़ता हो मुवाफ़िक़+ रसम मुल्क के।
(5) मसलन तीन रूपया महीना ऐसे बच्चे पर खर्च होता है और मुल्तक़ित होने कहा मैंने इस साल से इस पर तीनरूपया खर्च कर दिये हैं तो अली क़ौलुल बाज+ इस की तसदीक+ की जायेगी अगर ज+यादा कहा तो बक़द्र ज+यादती के ज़ामिन होगा।

क़ाज़ी ने इस के गवाह क़बूल किये तो बाद इस के चाहे लक़ीत को उस से अपने क़ब्ज़ा में लेले और चाहे न ले लेकिन यह ज़रूर करेगा कि उस का कोई मुतवल्ली मुक़र्रर कर देगा जो मुतवल्ली होगा क़बूल करे और इस मुतवल्ली से कह देगा कि तूने इस की हिफ़ाज़त अपने चीज़ ऐसी है कि बदून इस से बनाने व ढालने के क़िताल नहीं कर सकते हैं जैसे महज़ लोहा वग़ैरह तो इस के फ़रोत करने में कुछ मुज़ायक़ा नहीं है यह काफ़ी में है। अनुवादक के कथनानुसार यह ज़ाहिरिया बात दलालत करता है कि महज़ लोहा वग़ैरह मुतल्लक़न इन के लश्कर में ले जा कर फ़रोख़्त करना भी मकरूह नहीं है हालांकि ऐसा नहीं है।

किताबुल्लक़ीत

लक़ीत की शरई तारीफ़ व अहकाम

लक़ीत (1) शरअ में ऐसे ज़िन्दा बच्चे को बोलते हैं जिस को इस के अहल न दुरवेशी के ख़ौफ़ से या तोहमत ज़िना से भाग बचने की ग़र्ज़ से फैंक दिया हो

ऊपर लाज़िम की है पस तू उस की हिफ़ाज़त में हर तरह से मुस्तअद रह और यह इस वक़्त है कि क़ाज़ी के इल्म में मुल्तक़ित का आजिज़ होना उस की हिफ़ाज़त से और इस पर खर्च करने से साबित न हो और अगर क़ाज़ी इस को जानता हो तो औला यह है कि मुल्तक़ित से ले कर किसी ऐसे के पास रखे कि उस की हिफ़ाज़त कर सकता है ताकि इस की हिफ़ाज़त करे फिर अगर मुल्तक़ित आया और क़ाज़ी से दरख़्वास्त की कि मुझे वापिस दिया जाये तो क़ाज़ी को इख़्तयार है चाहे उस को वापिस से और चाहे न दे बख़िलाफ़ इस के अगर कोई एक लक़ीत उठा लाया और उसके हाथ से दूसरे ने छीन लिया और दोनों नालिश में क़ाज़ी के हुज़ूर में पैश हुए तो क़ाज़ी लक़ीत अव्वल को देदेगा और अगर गुलाम ने कोई लक़ीत पाया और यह अम्र फ़क़त इस गुलाम के क़ौल से मालूम होता है और मौला कहता है तो झूटा है यह लक़ीत नहीं बल्कि मेरा गुलाम है पस अगर यह गुलाम मुल्तक़ित महजूर हो तो मौला का क़ौल क़बूल होगा और अगर माज़ून हो तो क़ौल गुलाम का क़बूल होगा यह ज़हीरिया में है।

अगर लक़ीत ने इक़रार किया कि मैं फ़लां का गुलाम हूं और फ़लां मज़कूर उस की तकज़ीब करता है तो लक़ीत आज़ाद है और अगर उस ने तसदीक़ की पस अगर लक़ीत मज़कूर पर आज़ाद दिन के अहकाम न जारी हुए हों जैसे उस की गवाही क़बूल न की गई हो या उसके क़ाज़िफ़ को हद न मारी गई हो वग़ैर ज़ालिक तो उस का इक़रार सही होगा वरना नहीं यह सिराजिया में है और अगर मुल्तक़ित ने हनूज़ उसके नसब का दअ़वा नहीं किया है कि किसी ने इस के नसब का दअवा किया तो मुदआ से उस का नसब साबित हे जायेगा और बाज़ ने कहा कि नसब के हक़ में दअ़वा सही है व लेकिन मुल्तक़ित का क़ब्ज़ा बातिल करने के हक़ में सही न होगा मगर क़ौल अव्वल असह है और अगर मुल्तक़ित और किसी और दोनों ने दअ़वा नसब किया तो मुल्तक़ित का दअवा नसब औला होगा अगरचे वो ज़िम्मी हो और दूसरा मुसलमान हो यह तबयुन में है (लेने साथ ही) पस अगर ऐसा हो कि मुदआ नसब ज़िम्मी हो तो लक़ीत इसका बेटा क़रार दिया जायेगा मगर वो मुसलमान होगा और फिर उस का इस तरह ज़ाये फैंक देने वाला बड़ा गुनहगार है और इस का हिफ़ाज़त में ले लेने वाला बड़े सवाब से मालदार है और जिस ने उस को इस तरह पडा देखा इस को उठा लेना मन्दूब है लेकिन अगर इस के ग़ालिब गुमान में यह हो कि ज़ाये हो जायेगा जैसे पानी में पड़ा देखा या दरिन्दा (2) के सामने तो उठा लेना अनिवार्य है और लक़ीत आज़ाद होता है यानी उठाने वाले का मम्लूक नहीं होता है उठाने वाले को मुल्तक़ित कहते हैं और इसका वली सुल्तान है न मुल्तक़ित वग़ैरह चुनांचे अगर मुल्तक़ित ने किसी औरत से उस का निकाह कर दिया या लक़ीत लड़की थी कि किसी मर्द से ब्याह दी तो जायज़ नहीं है यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है मगर मुल्तक़ित के हाथ से उस को कोई ले नहीं सकता है और अगर मुल्तक़ित ने ख़ुद किसी की परवरिश में दे दिया तो उस से वापिस नहीं ले सकता है यह तबयुन में है और उस का नुफ़क़ा और उसके जुर्म का जुर्माना (3) बैतुल माल पर है यानी गोया वही इस की मददगार बिरादरी है यह मुहीत में है और लक़ीत के तन पर बंधा हुआ माल पाया गया तो वो लक़ीत का होगा और इसी तरह अगर किसी जानवर पर पाया गया और इस जानवर पर माल बंधा हुआ है तो भी यही हुक्म है और अगर लक़ीत के क़रीब माल रखा हुआ मिला तो लक़ीत के लिए उस का हुक्म न दिया जायेगा कि यह इसका है बल्कि यह माल लुक़ता के हुक्म में होगा और अगर लक़ीत किसी जानवर पर सवार पाया गया तो यह जानवर इसी का होगा यह जोहरा नेहरा में है।

अगर कोई एक लक़ीत उठा लाया और उसके हाथ से दूसरे ने छीन लिया और दोनों नालिश में क़ाज़ी के हुज़ूर में पैश हुए :

लक़ीत का नुफ़क़ा इस माल से जब महसूब होगा कि क़ाज़ी ने हुक्म दे दिया कि मुल्तक़ित इस में से इस पर खर्च करे और कुछ ने फ़रमाया कि बग़ैर हुक्म क़ाज़ी भी ख़र्च कर सकता है और नुफ़क़ा मिस्ल तक (4) मुल्तक़ित के कथन (5) की पुष्टि की जायेगी यह मुहीत में है और इस की विला बैतुल माल के लिए होगी चुनांचे

अगर मुसलमान व ज़िम्मी ने इस के नसब का दअ़वा किया तो मुसलमान के वास्ते हुक्म दिया जायेगा और अगर दोनों मुसलमान हों तो जिस के गवाह क़ायूम हों इस के वास्ते हुक्म दिया जायेगा और अगर दोनों ने गवाह क़ायम किये तो दोनों का फ़रज़न्द क़रार दिया जायेगा और अगर दोनों में से किसी ने गवाह क़ायम न किये लेकिन एक ने इस के बदनके अलामात ठीक ठीक बयान किये और दूसरे ने न बयान किये तो अलामात बयान करने वाले के वास्ते (1) हुक्म दिया जायेगा यह सिराजिया में है और अगर दोनों में से किसी ने अलामात बयान न कीं तो दोनों का फ़रज़न्द क़रार दिया जायेगा यह ग़ायतुल बयान में है और अगर एक ही ने अलामात बयान किये मगर बाज़ ठीक कहे और बाज़ में ख़ता की तो भी दोनों का फ़रज़न्द क़रार दिया जायेगा और अगर दोनों ने अलामात बयान किये मगर एक ने ठीक किये और दूसरे ने ग़लत तो ठीक वाले के वास्ते हुक्म होगा और इसी तरह अगर एक ने कहा कि लडका है और दूसरे ने कहा लडकी है तो जिस का क़ौल मुताबिक़ हो इसी के नाम हुक्म होगा और अगर तन्हा एक ही मुदअ़ई नसब हो और उसने कहा कि लडका है हालांकि वो लडकी है या कहा कि वो लडकी है हालांकि वो लडका है तो इस के वास्ते बिल्कुल हुक्म फ़रज़न्दी न होगा अगर लक़ीत का दो आदमियों ने दअ़वा किया एक ने कहा कि वो मेरा बेटा है और दूसरे ने कहा कि वो मेरी बेटी है फिर वो ख़ुन्सा मुश्किल (2) हो तो दोनों के वास्ते इस के फ़रज़न्द का हुक्म दिया जायेगा और अगर मुश्किल न हो बल्कि हुक्म दिया गया कि (3) यह लडका है तो इस के नाम हुक्म होगा जो अपना लडका होने का मुदअ़ई है यह तातार खानिया में है।

एक से ज़ायद ने दअ़वा नसब किया तो?

अगर नसब के दअ़वा करने वाले दो आदमियों से ज़्यादा हों तो इमाम आज़म रह० से मरवी है कि उन्होंने पांच मुदअ़इयों तक

(1)क़ालल मुतरजम ज़ाहिरन दोनों मर्द अपने अपने मुदअ़इया औरत की तसदीक़+ करते हैं व लेकिन गवाह क़ायम होने की सूरत में इस की कुछ ज+रूरत बिना बर क़ौल इमाम आज़म रह नहीं है फ़ाफ़हम।

अगर वो बदून किसी वारिस छोडने के मर गया और उस का कोई मौला अल मवालात भी नहीं है तो उस का तरका बैतुल माल में दाखिल होगा यह ख़ज़ानतुल मुफ़तीन में है और अगर लक़ीत को मुल्तक़ित उठा कर क़ाज़ी के पास लाया और क़ाज़ी से दरख़्वास्त की कि मुझ से इस को लेले तो क़ाज़ी को इख़्तयार है कि बदून गवाही के इस की पुष्टि न करे इस लिए कि मुसलमानों के बैतुल माल से उसके नफ़क़ा व ख़र्चा दिलाने का दअ़वा करता है और जब उसने गवाह क़ायम कर दिये तो क़ाज़ी उसके गवाहों को बदून किसी ख़सम हाज़िर के क़बूल कर लेगा और जब

(1)अनुवादक के कथनानुसार इस को तहमील भी कहते हैं।
(2)ज़ाहिर मुराद है कि अनक़रीब दरिन्दा वहां आयेगा आंकि दरिन्दा मौजूद है पस बशर्त क़ुदरत उठाने वल्लाहु आलम।
(3)बैतुल माल से इस का नफ़क़ा मिलेगा और अगर जुर्म किया तो भी बैतुल माल इस का आमिला होगा।
(4)जितनाऐसे बच्चे काखर्चा पडता हो मुवाफ़िक़+ रसम मुल्क के।
(5) मसलन तीन रुपया महीना ऐसे बच्चे पर खर्च होता है और मुल्तक़ित होने कहा मैंने इस साल से इस पर तीनरुपया खर्च कर दिये हैं तो अली क़ौलुल कुछ इस की पुष्टि की जायेगी अगर ज+यादा कहा तो बक़द्र ज+यादती के ज़ामिन होगा।

क़ाज़ी ने इस के गवाह क़बूल किये तो बाद इस के चाहे लक़ीत को उस से अपने क़ब्ज़ा में लेले और चाहे न ले लेकिन यह ज़रूर करेगा कि उस का कोई मुतवल्ली मुक़र्रर कर देगा जो मुतवल्ली होना क़बूल करे और इस मुतवल्ली से कह देगा कि तूने इस की हिफ़ाज़त अपने ऊपर अनिवार्य की है पस तू उस की हिफ़ाज़त में हर तरह से मुस्तअ़द रह और यह इस समय है कि क़ाज़ी के इल्म में मुल्तक़ित का आजिज़ होना उस की हिफ़ाज़त से और इस पर खर्च करने से साबित न हो और अगर क़ाज़ी इस को जानता हो तो औला यह है कि मुल्तक़ित से ले कर किसी ऐसे के पास रखे कि उस की हिफ़ाज़त कर सकता है ताकि इस की हिफ़ाज़त करे फिर अगर मुल्तक़ित आया और क़ाज़ी से दरख़्वास्त की कि मुझे वापिस दिया जाये तो क़ाज़ी को इख़्तयार है चाहे उस को वापिस से और चाहे न दे बखिलाफ़ इस के अगर कोई एक लक़ीत उठा लाया और उसके हाथ से दूसरे ने छीन लिया और दोनों नालिश में क़ाज़ी के हुज़ूर में पैश हुए

(2)वोश]स जिस में औरत और मर्द दोनों की अलामत हो।
(3)अगरचे अलामत लड़की की भी मौजूद है।

जवाज़ का हुक्म दिया है यह सिराजिया में है एक औरत ने लक़ीत की निस्बत दअ़वा किया कि यह मेरा बेटा है पस अगर उसके शौहर ने इस की तसदीक़ की या क़ाबिला ने इस की गवाही दी या गवाह क़ायम हुए तो औरत का दअ़वा सही होगा वरना नहीं और फ़क़त क़ाबिला की गवाही पर जब ही इकतफ़ा किया जायेगा जब औरत मज़कूरा का शौहर मौजूद हो विलादत से मुन्किर हो और अगर औरत का शौहर ही न हो तो दो मर्दों की गवाही ज़रूरी है यह बहरूल राइक़ में है और अगर औरत ने यूं दअ़वा किया कि यह ज़िना से मेरा बेटा है तो इस के नाम हुक्म दिया जायेगा यह सिराजिया में है और अगर दो औरतों ने लक़ीत का दअ़वा किया तो बिना बर क़ौल साहिबीन रह० के दोनों मेंसे किसी से उस का नसब साबित न होगा और बिना बर क़ौल इमाम आज़म रह० के हर दो औरत से उस का नसब साबित होगा लेकिन तआरूज़ व तनाज़अ के वक़्त किसी हुज्जत का होगा ज़रूरी है पस बिना बर रिवायत अबू हफ़्स के हुज्जत एक औरत की गवाही है और बिना बर रिवायत अबू सुलैमान के दो मर्दों या एक मर्द दो औरतों की गवाही है पस अगर दोनों ने ऐसी हुज्जत क़ायम की तो दोनों से उस का नसब साबित होगा वरना नहीं और ख़ानिया में लिखा है कि अगर एक ने दो मर्द और दूसरी ने दो औरतें गवाही दिये तो जिसके दो मर्द गवाह हैं उस का फ़रज़न्द क़रार दिया जायेगा और शरह तहावा में है कि अगर एक ने गवाह दिये और दूसरी ने नहीं तो गवाह वाली का फ़रज़न्द क़रार दिया जायेगा और अगर दो औरतों ने लक़ीत का दअ़वा किया और हर एक औरत अलाहिदा अलाहिदा एक एक मर्द मुअय्यन से इस को जन्ने पर गवाह लाती है तो इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि लक़ीत मज़कूर इन दोनों औरतों का दोनों मर्दों से फ़रज़न्द क़रार दिया जायेगा और साहिबीन ने फ़रमाया कि न दोनों का और न दोनों मर्दों का किसी का फ़रज़न्द न होगा यह तातार ख़ानिया में है और अगर एक मर्द ने दअ़वा किया कि यह लक़ीत मेरा बेटा इस तो क़ाज़ी लक़ीत अव्वल को देदेगा और अगर ग़ुलाम ने कोई लक़ीत पाया और यह कार्य फ़क़त इस ग़ुलाम के कथन से मालूम होता है और मौला कहता है तो झूटा है यह लक़ीत नहीं बल्कि मेरा ग़ुलाम है पस अगर यह ग़ुलाम मुल्तक़ित महजूर हो तो मौला का कथन क़बूल होगा और अगर माज़ून हो तो कथन ग़ुलाम का क़बूल होगा यह ज़हीरिया में है।

अगर लक़ीत ने इक़रार किया कि मैं फ़लां का ग़ुलाम हूं और फ़लां वर्णित उस की झुठलाना करता है तो लक़ीत आज़ाद है और अगर उस ने पुष्टि की पस अगर लक़ीत वर्णित पर आज़ाद दिन के अहकाम न जारी हुए हों जैसे उस की गवाही क़बूल न की गई हो या उसके क़ाज़िफ़ को हद न मारी गई हो वग़ैर ज़ालिक तो उस का इक़रार सही होगा वरना नहीं यह सिराजिया में है और अगर मुल्तक़ित ने हुनूज़ उसके वंश का दअ़वा नहीं किया है कि किसी ने इस के वंश का दअ़वा किया तो मुदआ से उस का वंश साबित हे जायेगा और कुछ ने कहा कि वंश के हक़ में दअ़वा सही है व लेकिन मुल्तक़ित का क़ब्ज़ा बातिल करने के हक़ में सही न होगा मगर कथन अव्वल असह है और अगर मुल्तक़ित और किसी और दोनों ने दअ़वा वंश किया तो मुल्तक़ित का दअ़वा वंश औला होगा अगरचे वो ज़िम्मी हो और दूसरा मुसलमान हो यह तबयुन में है (लेने साथ ही) पस अगर ऐसा हो कि मुदआ वंश ज़िम्मी हो तो लक़ीत इसका बेटा क़रार दिया जायेगा मगर वो मुसलमान होगा और अगर मुसलमान व ज़िम्मी ने इस के वंश का दअ़वा किया तो मुसलमान के लिए हुक्म दिया जायेगा और अगर दोनों मुसलमान हों तो जिस के गवाह क़ायूम हों इस के लिए हुक्म दिया जायेगा और अगर दोनों ने गवाह क़ायम किये तो दोनों का फ़रज़न्द क़रार दिया जायेगा और अगर दोनों में से किसी ने गवाह क़ायम न किये लेकिन एक ने इस के बदनके अलामात ठीक ठीक बयान किये और दूसरे ने न बयान किये तो अलामात बयान करने वाले के लिए (1) हुक्म दिया जायेगा यह सिराजिया में है और अगर दोनों में से किसी ने अलामात बयान न कीं तो दोनों का फ़रज़न्द क़रार दिया जायेगा यह ग़ायतुल बयान में है और

आज़ाद औरत से है और दूसरे मर्द ने दअवा किया कि यह मेरा ग़ुलाम है और दोनों ने गवाह क़ायम किये तो जो उसके फ़रज़न्द का मुदआ है उसके वास्ते हुक्म दिया जायेगा और अगर एक ने दअवा किया यह मेरा बेटा इस आज़ाद औरत से है और दूसरे ने कहा कि यह मेरा बेटा बान्दी औरत से है तो आज़ाद औरत वाले मुदई के वास्ते हुक्म होगा और अगर दोनों ने अलाहिदा अलाहिदा एक एक आज़ाद औरत मुअयना से अपना बेटा होने का लक़ीत की निस्बत दअवा किया तो दोनों का बेटा क़रार दिया जायेगा और आया हर दो औरत से उस का नसब साबित होगा या नहीं पस बिना बर क़ौल इमाम आज़म रह० के साबित होगा और बिना बर क़ौल साहिबीन रह० के नहीं यह मुहीत में है।

अगर काबिज़ा के वास्ते एक औरत ने गवाही दी और खारजा के वास्ते दो मर्दों ने गवाही दी तो खारजा के वास्ते हुक्म दिया जायेगा :

दो मर्दों ने एक लक़ीत के नसब का दअवा किया और दोनों ने गवाह क़ायम किये और हर एक के फ़रीक़ गवाहों ने तारीख बयान की है तो जिस की तारीख का लक़ीत का सन शाहिद हो इस के नाम हुक्म दिया जायेगा और अगर लक़ीत का सन मुशतबह हो कि हर दो तारीख में से किसी के साथ मुतवाफ़िक़ न हो तो बिना बर क़ौल साहिबीन रह० के मुवाफ़िक़ तमाम रिवायतों के तारीख का ऐतबार साक़ित और दोनों का फ़रज़न्द होने का हुक्म दिया जायेगा और बिना बर क़ौल इमामे आज़म रह० के शैख़ुल इस्लाम ख़्वाहिर ज़ादा ने ज़िक्र किया कि रिवायत अबू हफ्स में दोनों का फ़रज़न्द होने का हुक्म दिया जायेगा और रिवायत अबू सुलैमान में जिस की तारीख मुक़द्दम है उस के नाम हुक्म दिया जायेगा और तातार खानिया में है कि आम्मा रिवायात के मुवाफ़िक़ दोनों का मुशतरिक फ़रज़न्द होने का हुक्म दिया जायेगा और यही सही है यह बहरूल राइक़ व मुहीत में है और अगर किसी शख़्स के क़ब्ज़ा में एक तफ़्ल हो वो दअवा करता है कि यह मेरा बेटा है और इस पर गवाह क़ायम करता है और दूसरा शख़्स दअवा करता है कि यह मेरा बेटा है अगर एक ही ने अलामात बयान किये मगर कुछ ठीक कहे और कुछ में ख़ता की तो भी दोनों का फ़रज़न्द क़रार दिया जायेगा और अगर दोनों ने अलामात बयान किये मगर एक ने ठीक किये और दूसरे ने ग़लत तो ठीक वाले के लिए हुक्म होगा और इसी तरह अगर एक ने कहा कि लड़का है और दूसरे ने कहा लड़की है तो जिस का कथन मुताबिक़ हो इसी के नाम हुक्म होगा और अगर तन्हा एक ही मुदअई वंश हो और उसने कहा कि लड़का है हालांकि वो लड़की है या कहा कि वो लड़की है हालांकि वो लड़का है तो इस के लिए बिल्कुल हुक्म फ़रज़न्दी न होगा अगर लक़ीत का दो आदमियों ने दअवा किया एक ने कहा कि वो मेरा बेटा है और दूसरे ने कहा कि वो मेरी बेटी है फिर वो ख़ुन्सा मुश्किल (2) हो तो दोनों के लिए इस के फ़रज़न्द का हुक्म दिया जायेगा और अगर मुश्किल न हो बल्कि हुक्म दिया गया कि (3) यह लड़का है तो इस के नाम हुक्म होगा जो अपना लड़का होने का मुदअई है यह तातार खानिया में है।

एक से ज़ायद ने दअवा वंश किया तो?

अगर वंश के दअवा करने वाले दो आदमियों से ज़्यादा हों तो इमाम आज़म रह० से मरवी है कि उन्होंने पांच मुदअइयों तक

(1) अनुवादक के कथनानुसार ज़ाहिरन दोनों मर्द अपने अपने मुदअइया औरत की पुष्टि करते हैं व लेकिन गवाह क़ायम होने की स्थिति में इस की कुछ ज+रूरत बिना बर कथन इमाम आज़म रह नहीं है फ़ाफ़हम।

(2)वो व्यक्ति जिस में औरत और मर्द दोनों की अलामत हो।

(3)अगरचे अलामत लड़की की भी मौजूद है।

जवाज़ का हुक्म दिया है यह सिराजिया में है एक औरत ने लक़ीत की निस्बत दअवा किया कि यह मेरा बेटा है पस अगर उसके शौहर ने इस की पुष्टि की या क़ाबिला ने इस की गवाही दी या गवाह क़ायम हुए तो औरत का दअवा सही होगा वरना नहीं और फ़क़त क़ाबिला की गवाही पर जब ही इकतफ़ा किया जायेगा जब औरत मज़कूरा का शौहर मौजूद हो विलादत से मुन्किर हो और अगर औरत का शौहर ही न हो तो दो मर्दों की गवाही ज़रूरी है यह बहरूल राइक़ में है और

और इस पर गवाह क़ायम करता है तो क़ाबिज़ के वास्ते हुक्म होगा एक औरत के हाथ में एक तफ़ल है वो दअवा करती है कि यह मेरा बेटा है और इस पर गवाह पैश करती है और दूसरी औरत दअवा करती है कि यह मेरा बेटा है और इस पर गवाह लाती है तो जिस के हाथ में है इसी के वास्ते हुक्म दिया जायेगा और अगर क़ाबिज़ा के वास्ते एक औरत ने गवाही दी और खारजा के वास्ते दो मर्दों ने गवाही दी तो खारजा के वास्ते हुक्म दिया जायेगा एक तफ़ल (फ़क़त) एक शख्स के हाथ में है (ग़ैर क़ाबिज़ा) और दूसरे मर्द के तहत में एक आज़ाद औरत है इस ने दअवा किया कि यह तफ़ल मज़कूर मेरा बेटा इस औरत मज़कूरह से है और इस पर गवाह क़ायम किये और क़ाबिज़ ने गवाह क़ायम किये कि यह मेरा बेटा है है मगर उस ने किसी औरत की तरफ़ निस्बत न की तो मुदआ के नाम हुक्म दिया जायेगा और अगर ज़िम्मीने लक़ीत के नसब का दअवा किया तो इस से लक़ीत का नसब साबित होना और लक़ीत ख़ुद (1) मुसलमान होगा बशर्तेकि ज़िम्मियों के मक़ाम में न पाया गया हो और यह इस्तहसान है यह तबयुन में है और जिस लक़ीत की निस्बत ज़िम्मी ने अपने पिसर होने का दअवा किया हता कि इस से नसब साबित कर दिया गया कि वो लक़ीत इस का पिसर हुआ तो यह पिसर जब ही मुसलमान क़रार दिया जायेगा कि ज़िम्मी मज़कूर ने गवाह क़ायम कर के अपना नसब साबित न किया हो और अगर उस ने दो मुसलमान गवाह क़ायम करके अपना नसब साबित किया हो तो लक़ीत का उस के नाम हुक्म होगा और वो ज़िम्मी मज़कूर का दीन में ताबअ होगा लेकिन अगर उस ने ज़िम्मी गवाह दिये हों तो उस की तबइयत में ज़िम्मी न होना यह बहरूल राइक़ में है और मोअतबर मकान ही है और इस में मशाइख ने इख़्तलाफ़ किया है कि जिस का हासिल यह निकलता है कि मसला में चार सूरतें पैदा होती हैं एक यह कि इस को कोई मुसलमान मुसलमानों के मक़ाम मिस्ल मस्जिद या मुसलमानों के गांव या मुसलमानों के शहर में पाये पस इस सूरत में लक़ीत मुसलमान होगा और दोयम यह कि काफ़िर इस को अहले कुफ़्र के मक़ाम मिस्ल बैआ व

अगर औरत ने यूं दअवा किया कि यह ज़िना से मेरा बेटा है तो इस के नाम हुक्म दिया जायेगा यह सिराजिया में है और अगर दो औरतों ने लक़ीत का दअवा किया तो बिना बर कथन साहिबीन रह० के दोनों मेंसे किसी से उस का वंश साबित न होगा और बिना बर कथन इमाम आज़म रह० के हर दो औरत से उस का वंश साबित होगा लेकिन तआरूज़ व तनाज़अ के समय किसी हुज्जत का होना ज़रूरी है पस बिना बर रिवायत अबू हफ़्स के हुज्जत एक औरत की गवाही है और बिना बर रिवायत अबू सुलैमान के दो मर्दों या एक मर्द दो औरतों की गवाही है पस अगर दोनों ने ऐसी हुज्जत क़ायम की तो दोनों से उस का वंश साबित होगा वरना नहीं और खानिया में लिखा है कि अगर एक ने दो मर्द और दूसरी ने दो औरतें गवाही दिये तो जिसके दो मर्द गवाह हैं उस का फ़रज़न्द क़रार दिया जायेगा और शरह तहावा में है कि अगर एक ने गवाह दिये और दूसरी ने नहीं तो गवाह वाली का फ़रज़न्द क़रार दिया जायेगा और अगर दो औरतों ने लक़ीत का दअवा किया और हर एक औरत अलाहिदा अलाहिदा एक एक मर्द निश्चित से इस को जन्ने पर गवाह लाती है तो इमाम आज़म रह० ने फ़रमाया कि लक़ीत वर्णित इन दोनों औरतों का दोनों मर्दों से फ़रज़न्द क़रार दिया जायेगा और साहिबीन ने फ़रमाया कि न दोनों का और न दोनों मर्दों का किसी का फ़रज़न्द न होगा यह तातार खानिया में है और अगर एक मर्द ने दअवा किया कि यह लक़ीत मेरा बेटा इस आज़ाद औरत से है और दूसरे मर्द ने दअवा किया कि यह मेरा ग़ुलाम है और दोनों ने गवाह क़ायम किये तो जो उसके फ़रज़न्द का मुदआ है उसके लिए हुक्म दिया जायेगा और अगर एक ने दअवा किया यह मेरा बेटा इस आज़ाद औरत से है और दूसरे ने कहा कि यह मेरा बेटा बान्दी औरत से है तो आज़ाद औरत वाले मुदई के लिए हुक्म होगा और अगर दोनों ने अलाहिदा अलाहिदा एक एक आज़ाद औरत मुअयना से अपना बेटा होने का लक़ीत की निस्बत दअवा किया तो दोनों का बेटा क़रार दिया जायेगा और आया हर दो औरत से उस का वंश साबित होगा या नहीं पस बिना बर कथन इमाम आज़म

कनीसा व अहले कुफ्र के किसी गांव में पाये पस वो काफ़िर होगा सोयम आंकि काफ़िर उस को मुसलमानों के मक़ाम में पाये और चहारूम आंकि मुसलमान इस को काफ़िरों के मक़ाम में पायें पस इन दोनों सूरतों में इख़्तलाफ़ रिवायत है चुनांचे किताबुल लक़ीत की रिवायत में मज़्कूर है कि पाने वाले का ऐतबार नहीं बल्कि मक़ाम का ऐतबार किया जायेगा कज़ा फ़िल तबयुन और क़ुदूरी में इसी पर ऐतमाद करके अहकाम को जारी किया और यही ज़ाहिरूल रिवाया है यह नहरूल फ़ाइक़ में है और अगर लक़ीत को किसी काफ़िर ने पाया पस अगर मुसलमानों के शहरों में से किसी शहर में पाया तो वो तबअन मुसलमान क़रार दिया गया पस अगर इस ने इस हुक्म के बर खिलाफ़ कुफ्र ज़ाहिर किया तो क़ैद किया जायेगा और इस पर इस्लाम के वास्ते जबर किया जायेगा कज़ा फ़ी ख़ज़ानतुल मुफ़तीन लेने जिस लक़ीत की निस्बत तबअन मुसलमान होने का हुक्म दिया गया अगर वो बालिग होकर काफ़िर हुआ तो इस पर इस्लाम के वास्ते जबर किया जायेगा जैसे मुरतिद में से है लेकिन लक़ीत मज़्कूर इस्तहसानन क़त्ल न किया जायेगा यह मुहीत में है और अगर किसी ग़ुलाम ने लक़ीत के नसब का दअवा किया तो उस से नसब साबित होगा मगर लक़ीत मज़्कूर आज़ाद क़रार दिया जायेगा और अगर ग़ुलाम ने कहा कि यह लक़ीत मेरा बेटा मेरी बीवी से है हालांकि वो बान्दी है पस ग़ुलाम के मौला ने इस ग़ुलाम की तसदीक़ की तो लक़ीत का नसब इस ग़ुलाम से साबित होगा और इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार लक़ीत आज़ाद ही होगा और अगर मुसलमान व ज़िम्मी ने लक़ीत के नसब में तनाज़अ किया तो मुसलमान औला है बशर्तेकि आज़ाद हुआ और अगर ग़ुलाम होगा तो ज़िम्मी औला है और लक़ीत रक़ीक़ न क़रार दिया जायेगा इल्ला गवाहों की गवाही पर मगर शर्त यह है कि मुसलमान हों इल्ला आंकि ज़िम्मियों के मक़ाम में पाये जाने की वजह से वो ज़िम्मी क़रार दिया गया हो तो यह शर्त नहीं है और इसी तरह अगर लक़ीत ने क़ब्ल बलूग़ के मुदआ के मुदआ रक़ियत की तसदीक़ की तो लक़ीत के क़ौल की तसदीक़ न की जायेगी बखिलाफ़ उस के अगर सग़ीर किसी के क़ब्ज़ा में हो और रह० के साबित होगा और बिना बर कथन साहिबीन रह० के नहीं यह मुहीत में है।

अगर क़ाबिज़ा के लिए एक औरत ने गवाही दी और खारजा के लिए दो मर्दों ने गवाही दी तो खारजा के लिए हुक्म दिया जायेगा :

दो मर्दों ने एक लक़ीत के वंश का दअवा किया और दोनों ने गवाह क़ायम किये और हर एक के फ़रीक़ गवाहों ने तारीख बयान की है तो जिस की तारीख का लक़ीत का सन शाहिद हो इस के नाम हुक्म दिया जायेगा और अगर लक़ीत का सन मुशतबह हो कि हर दो तारीख में से किसी के साथ मुतवाफ़िक़ न हो तो बिना बर कथन साहिबीन रह० के मुवाफ़िक़ तमाम रिवायतों के तारीख का ऐतबार साक़ित और दोनों का फ़रज़न्द होने का हुक्म दिया जायेगा और बिना बर कथन इमामे आज़म रह० के शैख़ुल इस्लाम ख़्वाहिर ज़ादा ने ज़िक्र किया कि रिवायत अबू हफ़्स में दोनों का फ़रज़न्द होने का हुक्म दिया जायेगा और रिवायत अबू सुलैमान में जिस की तारीख मुक़द्दम है उस के नाम हुक्म दिया जायेगा और तातार खानिया में है कि आम्मा रिवायात के मुवाफ़िक़ दोनों का मुशतरिक फ़रज़न्द होने का हुक्म दिया जायेगा और यही सही है यह बहरूल राइक़ व मुहीत में है और अगर किसी व्यक्ति के क़ब्ज़ा में एक तफ़्ल हो वो दअवा करता है कि यह मेरा बेटा है और इस पर गवाह क़ायम करता है और दूसरा व्यक्ति दअवा करता है कि यह मेरा बेटा है और इस पर गवाह क़ायम करता है तो क़ाबिज़ के लिए हुक्म होगा एक औरत के हाथ में एक तफ़्ल है वो दअवा करती है कि यह मेरा बेटा है और इस पर गवाह पैश करती है और दूसरी औरत दअवा करती है कि यह मेरा बेटा है और इस पर गवाह लाती है तो जिस के हाथ में है इसी के लिए हुक्म दिया जायेगा और अगर क़ाबिज़ा के लिए एक औरत ने गवाही दी और खारजा के लिए दो मर्दों ने गवाही दी तो खारजा के लिए हुक्म दिया जायेगा एक तफ़्ल (फ़क़त) एक व्यक्ति के हाथ में है (ग़ैर क़ाबिज़ा) और दूसरे मर्द के तहत में एक आज़ाद औरत है इस ने दअवा किया कि यह तफ़्ल वर्णित मेरा

इस शख़्स ने दअवा किया कि यह मेरा ग़ुलाम है और सग़ीर मज़कूर ने उस की तसदीक़ की तो वो उस का ग़ुलाम होगा अगरचे हुनूज़ बालिग़ (1) नहीं हुआ है और अगर उस ने बाद बालिग़ होने की तसदीक़ की तो देखा जायेगा कि अगर इस पर अहकाम अहरार में से कोइ हुक्म जारी हो चुका है यानी बाद बलूग़ के मसलन उस की गवाही क़बूल की गई या उस के क़ाज़िफ़ को हद मारी गई फिर उस ने रक़ियत का इक़रार किया तो इस का ऐसा इक़रार सही न होगा यह तबअयुन में है।

(1)इस जगह लफ्ज+ बालिग+ ज+यादा करने से वो वहम रफ़ा हो गया जो तसदीक+ ग़ैर मुद्रक के बारह में पैदा होता था औरयह मुराद नहीं है कि इस से इदराक से ग़ैर इदराक की जानिब तरक्क़ी है फ़ताम्मुल।

अगर मुल्तकित ने दअवा किया कि यह लक़ीत मेरा ग़ुलाम है हालांकि उस से पहले उस का लक़ीत होना पहचान लिया गया है तो बदून हुज्जत के मुल्तकित का क़ौल क़बूल न होगा :

अगर लक़ीत औरत हो कि उस ने किसी शख़्स की रक़ीक़ा होने का इक़रार किया और शख़्स मज़कूर ने इस की तसदीक़ की तो वो इस की बान्दी हो जायेगी लेकिन अगर यह औरत किसी शौहर के तहत में हो तो शख़्स मज़कूर का क़ौल (तसदीक़ करने वाला) इस शौहर के निकाह के अबताल में क़बूल न होगा बख़िलाफ़ इस के अगर इस औरत लक़ीता ने इक़रा किया कि मैं शौहर के बाप की बेटी हूं और शौहर के बआप ने इस की तसदीक़ की तो उस से उस का नसब साबित होगा और निकाह बातिल हो जायेगा और मुक़र्रर ने इस को आज़ाद कर दिया (जिस के वास्ते बान्दी होने का इक़रार करती है) हालांकि यह किसी शौहर के तहत में है तो जैसे ख़ुली बन्दियों को ख़्यार इतक़ हासिल होता है वैसे इस को ज़यार अतीक़ हासिल न होगा और अगर शौहर ने इस को एक तलाक़ देदी फिर उस ने अपने रक़ीक़ा होने का इक़रार किया तो उस की तलाक़ दो हो जाऐंगी जैसे बान्दी की होती हैं कि उस का शौहर इस पर एक तलाक़ का मालिक होगा और अगर वो इस को दो तलाक़ दे बेटा इस औरत मज़कूरह से है और इस पर गवाह क़ायम किये और क़ाबिज़ ने गवाह क़ायम किये कि यह मेरा बेटा है है मगर उस ने किसी औरत की तरफ़ निस्बत न की तो मुदआ के नाम हुक्म दिया जायेगा और अगर ज़िम्मीने लक़ीत के वंश का दअवा किया तो इस से लक़ीत का वंश साबित होगा और लक़ीत ख़ुद (1) मुसलमान होगा बशर्तेकि ज़िम्मियों के मक़ाम में न पाया गया हो और यह इस्तहसान है यह तबयुन में है और जिस लक़ीत की निस्बत ज़िम्मी ने अपने पिसर होने का दअवा किया हता कि इस से वंश साबित कर दिया गया कि वो लक़ीत इस का पिसर हुआ तो यह पिसर जब ही मुसलमान क़रार दिया जायेगा कि ज़िम्मी वर्णित ने गवाह क़ायम कर के अपना वंश साबित न किया हो और अगर उस ने दो मुसलमान गवाह क़ायम करके अपना वंश साबित किया हो तो लक़ीत का उस के नाम हुक्म होगा और वो ज़िम्मी वर्णित का दीन में ताबअ होगा लेकिन अगर उस ने ज़िम्मी गवाह दिये हों तो उस की तबइयत में ज़िम्मी न होगा यह बहरूल राइक़ में है और मोअतबर मकान ही है और इस में विद्वानों ने मतभेद किया है कि जिस का हासिल यह निकलता है कि मसला में चार सूरतें पैदा होती हैं एक यह कि इस को कोई मुसलमान मुसलमानों के मक़ाम मिस्ल मस्जिद या मुसलमानों के गांव या मुसलमानों के शहर में पाये पस इस स्थिति में लक़ीत मुसलमान होगा और दोयम यह कि काफ़िर इस को अहले कुफ़्र के मक़ाम मिस्ल बैआ व कनीसा व अहले कुफ़्र के किसी गांव में पाये पस वो काफ़िर होगा सोयम आंकि काफ़िर उस को मुसलमानों के मक़ाम में पाये और चहारूम आंकि मुसलमान इस को काफ़िरों के मक़ाम में पायें पस इन दोनों सूरतों में मतभेद रिवायत है चुनांचे किताबुल लक़ीत की रिवायत में वर्णित है कि पाने वाले का ऐतबार नहीं बल्कि मक़ाम का ऐतबार किया जायेगा कज़ा फ़िल तबयुन और क़ुदूरी में इसी पर ऐतमाद करके अहकाम को जारी किया और यही ज़ाहिरूल रिवाया है यह नहरूल फ़ाइक़ में है और अगर लक़ीत को किसी काफ़िर ने पाया पस अगर मुसलमानों के शहरों में से किसी शहर में पाया तो वो तबअन मुसलमान क़रार दिया

चुका है फिर इस ने रक़ियत का इक़रार किया तो भी शौहर इस पर एक तलाक़ का मालिक है कि इस को इख़्तयार है चाहे उस से रूजूअ करले और ऐसा ही इद्दत में हुक्म है कि अगर दो हैज़ गुज़र जाने के बाद उस ने अपने रक़ीक़ा होने का इक़रार किया तो इस के शौहर को इख़्तयार रहेगा चाहे तीसरे हैज़ गुज़रने से पहले उस से रूजूअ करले और अगर मुल्तक़ित ने दअवा किया कि यह लक़ीत मेरा ग़ुलाम है हालांकि उस से पहले उस का लक़ीत होना पहचान लिया गया है तो बदून हुज्जत के मुल्तक़ित का क़ौल क़बूल न होग और अगर लक़ीत मर गया ख़्वाह उस ने माल छोड़ा या न छोड़ा फिर किसी ने दअवा किया कि यह मेरा बेटा था तो बदून हुज्जत पैश करने के इस के क़ौल की तसदीक़ न होगी (अगरचे लक़ीत तसदीक़ करे) यह फ़तवा क़ाज़ी खान में है और ज़ख़ीरा में लिख है किएक तफ़ल लक़ीत एक शख़्स मुसम्मा ज़ैद के क़ब्ज़ा में है कि वो इस की निस्बत दअवा नहीं करत है पस एक औरत हिन्दा ने दअवा किया और गवाह दिये कि मैं इस तफ़ल को जनी हूं मगर बाप का नाम नहीं बयान किया और एक मर्द मुसम्मा उमर ने दअवा किया और गवाह दिये कि यह मेरी फ़राश से पैदा हुआ है मगर इस की मां का नाम नहीं लिया तो लक़ीत मज़कूर इस मर्द मुदआ का इस औरत मुदअइया से बेटा क़रार दिया जायेगा गोया कि यह औरत उस को इस मर्द के फ़राश कसे जनी है ऐसा क़रार दिया जायेगा और इसी तरह अगर तफ़ल मज़कूर इसी मर्द मुदआ या इसी औरत मुदअइया के क़ब्ज़ा में हो और बाक़ी मसला बहालहा वाक़े हो तो भी कयही हुक्म होगा और क़ब्ज़ा की वजह से कुछ तरजीह न होगी। एक लक़ीत एक ज़िम्मी के क़ब्ज़ा में है जो दअवा करता है कि यह मेरा बेटा है पस एक मर्द मुसलमान आया और उस ने मुसलमान गवाह पैश किये कि यह मेरा बेटा है या ज़िमी गवाह क़ायम किये और ज़िम्मी क़ाबिज़ ने मुसलमान गवाह पैश किये कि यह उस का बेटा है तो क़ब्ज़ा की वजह से ज़िम्मी को मुसलमान पर तरजीह दी जायेगी यह तातार खानिया में है और अगर लक़ीत ने बालिग होकर किसी से मवालात करली तो इस की दिला जायज़ है और अगर गया पस अगर इस ने इस हुक्म के बर ख़िलाफ़ कुफ़्र ज़ाहिर किया तो क़ैद किया जायेगा और इस पर इस्लाम के लिए जबर किया जायेगा कज़ा फ़ी ख़ज़ानतुल मुफ़तीन लेने जिस लक़ीत की निस्बत तबअन मुसलमान होने का हुक्म दिया गया अगर वो बालिग होकर काफ़िर हुआ तो इस पर इस्लाम के लिए जबर किया जायेगा जैसे मुरतिद में से है लेकिन लक़ीत वर्णित इस्तहसानन क़त्ल न किया जायेगा यह मुहीत में है और अगर किसी ग़ुलाम ने लक़ीत के वंश का दअवा किया तो उस से वंश साबित होना मगर लक़ीत वर्णित आज़ाद क़रार दिया जायेगा और अगर ग़ुलाम ने कहा कि यह लक़ीत मेरा बेटा मेरी बीवी से है हालांकि वो बान्दी है पस ग़ुलाम के मौला ने इस ग़ुलाम की पुष्टि की तो लक़ीत का वंश इस ग़ुलाम से साबित होगा और इमाम मौहम्मद रह० के अनुसार लक़ीत आज़ाद ही होगा और अगर मुसलमान व ज़िम्मी ने लक़ीत के वंश में तनाज़अ किया तो मुसलमान औला है बशर्तेकि आज़ाद हुआ और अगर ग़ुलाम होगा तो ज़िम्मी औला है और लक़ीत रक़ीक़ न क़रार दिया जायेगा सिवा गवाहों की गवाही पर मगर शर्त यह है कि मुसलमान हों सिवा आंकि ज़िम्मियों के मक़ाम में पाये जाने की वजह से वो ज़िम्मी क़रार दिया गया हो तो यह शर्त नहीं है और इसी तरह अगर लक़ीत ने क़ब्ल बलूग़ के मुदआ के मुदआ रक़ियत की पुष्टि की तो लक़ीत के कथन की पुष्टि न की जायेगी बख़िलाफ़ उस के अगर सग़ीर किसी के क़ब्ज़ा में हो और इस व्यक्ति ने दअवा किया कि यह मेरा ग़ुलाम है और सग़ीर वर्णित ने उस की पुष्टि की तो वो उस का ग़ुलाम होगा अगरचे हुनूज़ बालिग (1) नहीं हुआ है और अगर उस ने बाद बालिग़ होने की पुष्टि की तो देखा जायेगा कि अगर इस पर अहकाम अहरार में से कोइ हुक्म जारी हो चुका है यानी बाद बलूग़ के मसलन उस की गवाही क़बूल की गई या उस के क़ाज़िफ़ को हद मारी गई फिर उस ने रक़ियत का इक़रार किया तो इस का ऐसा इक़रार सही न होगा यह तबअयुन में है।

(1)इस जगह लफ्ज+ बालिग+ ज+यादा करने से वो वहम रफ़ा हो गया जो पुष्टि ग़ैर मुद्रक के बारह में पैदा होता था औरयह मुराद नहीं है कि इस से इदराक से ग़ैर इदराक की जानिब तरक्क़ी है फ़ताम्मुल।

इस से पहले इस ने कोई जिनायत की हो कि बैतुल माल से इस का जुर्माना अदा किया गया हो तो इस की दिला जायज़ न होगी और मुल्तक़ित को लक़ीत पर ख़्वाह मुज़क्किर हो या मौन्निस हो किसी तरह के तसर्रूफ़ का मिस्ल बैअ व खरीद व निकाह कर देने वग़ैरह का इख़्तयार नहीं होता है उस को फ़क़त उस की हिफ़ाज़त करने का इख़्तयार है और मुल्तक़ित को उस के ख़त्ना करने का भी इख़्तयार नहीं है चुनांचे अगर इस का ख़त्न करदिया और वो उस से मर गया तो मुल्तक़ित ज़ामिन होगा और मुल्तक़ित को यह इख़्तयार है कि लक़ीत जहां चाहे ले जाये यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

मुल्तक़ित ने लक़ीत पर अपना ज़ाती माल बदून हुक्म क़ाज़ी के ख़र्च किया तो वो इस अम्र में अहसान करने वाला होगा :

मुल्तक़ित को जायज़ नहीं है कि उस को इजारा पर दे चुनांचे यह किताब तकराहत में ज़िक्र फ़रमाया है और यही असह है यह तातार खानिया में है और अगर लक़ीत के साथ कुछ माल पाया गया और क़ाज़ी ने मुल्तक़ित को हुक्म किया कि इस माल से इस पर खर्च करे पस मुल्तक़ित ने इस के वास्ते खाना कपड़ा खरीदा तो यह जायज़ है और अगर लक़ीत ख़ता से क़त्ल किया गया तो इस की देत क़ातिल की मददगार बिरादरी पर वाजिब होगी और देत बैतुल माल में दाखिल होगी और अगर वो अमदन क़त्ल किया गया पस इमामुल मुस्लिमीन ने क़ातिल से माल पर सुलह कर ली तो यह जायज़ है लेकिन अगर इमाम ने क़ातिल को ख़ून उफ़ू किया तो नहीं जायज़ है और अगर इमाम ने क़ातिल से क़िसास लेना चाहा तो इस को इख़्तयार है यह इमाम आज़म रह० व इमाम मौहम्मद रह० का क़ौल है और मुल्तक़ित ने लक़ीत पर अपना ज़ाती माल खर्च किया पस अगर बदून हुक्म क़ाज़ी के खर्च किया है तो वो इस अम्र में अहसान करने वाला होगा और अगर उस ने बहुक्म क़ाज़ी खर्च किया पस अगर क़ाज़ी ने उस को यूं हुक्म दिया कि इस पर इस शर्त से खर्च कर कि यह तेरा खर्चा उस पर क़र्ज़ होगा फिर अगर लक़ीत का बाप ज़ाहिर हुआ तो

अगर मुल्तक़ित ने दअवा किया कि यह लक़ीत मेरा ग़ुलाम है हालांकि उस से पहले उस का लक़ीत होना पहचान लिया गया है तो बदून हुज्जत के मुल्तक़ित का कथन क़बूल न होगा :

अगर लक़ीत औरत हो कि उस ने किसी व्यक्ति की रक़ीक़ा होने का इक़रार किया और व्यक्ति वर्णित ने इस की पुष्टि की तो वो इस की बान्दी हो जायेगी लेकिन अगर यह औरत किसी शौहर के तहत में हो तो व्यक्ति वर्णित का कथन (पुष्टि करने वाला) इस शौहर के निकाह के अबताल में क़बूल न होगा बखिलाफ़ इस के अगर इस औरत लक़ीता ने इक़रा किया कि मैं शौहर के बाप की बेटी हूं और शौहर के बआप ने इस की पुष्टि की तो उस से उस का वंश साबित होगा और निकाह बातिल हो जायेगा और मुक़र्रर ने इस को आज़ाद कर दिया (जिस के लिए बान्दी होने का इक़रार करती है) हालांकि यह किसी शौहर के तहत में है तो जैसे खुली बन्दियों को ख़्यार इतक़ हासिल होता है वैसे इस को ज़यार अतीक़ हासिल न होगा और अगर शौहर ने इस को एक तलाक़ देदी फिर उस ने अपने रक़ीक़ा होने का इक़रार किया तो उस की तलाक़ दो हो जाऐंगी जैसे बान्दी की होती हैं कि उस का शौहर इस पर एक तलाक़ का मालिक होगा और अगर वो इस को दो तलाक़ दे चुका है फिर इस ने रक़्क़ियत का इक़रार किया तो भी शौहर इस पर एक तलाक़ का मालिक है कि इस को इख़्तयार है चाहे उस से रूजूअ करले और ऐसा ही इद्दत में हुक्म है कि अगर दो हैज़ गुज़र जाने के बाद उस ने अपने रक़ीक़ा होने का इक़रार किया तो इस के शौहर को इख़्तयार रहेगा चाहे तीसरे हैज़ गुज़रने से पहले उस से रूजूअ करले और अगर मुल्तक़ित ने दअवा किया कि यह लक़ीत मेरा ग़ुलाम है हालांकि उस से पहले उस का लक़ीत होना पहचान लिया गया है तो बदून हुज्जत के मुल्तक़ित का कथन क़बूल न होग और अगर लक़ीत मर गया चाहे उस ने माल छोड़ा या न छोड़ा फिर किसी ने दअवा किया कि यह मेरा बेटा था तो बदून हुज्जत पैश

मुल्तक़ित मज़कूर को इख़्तयार होगा कि उस से अपना ख़र्चा वापिस ले और अगरउस का बाप ज़ाहिर न हुआ तो मुल्तक़ित को उसके बालिग़ होने के बाद इस से वापिस लेने का इख़्तयार हासिल होगा और अगर क़ाज़ी ने मुल्तक़ित को यही हुक्म किया कि इस पर ख़र्च करे और यह न कहा कि तेरा ख़र्चा इस पर क़र्ज़ा होगा तो शम्सुल अइम्मा सुरखी ने ज़िक्र किया कि ज़ाहिरूल रिवाया के मुवाफ़िक़ इस को वापिस लेने का इख़्तयार न होगा और जो ज़ाहिरूल रिवाया में मज़कूर है यही असह है यह मुहीत में है और जब लक़ीत बालिग़ हुआ और उस ने किसी औरत से निकाह किया फिर इक़रार किया कि मैं फ़लां का ग़ुलाम हूं और इस पर इस की बीवी का मोहर बाक़ी है तो वो अपनी बीवी के मोहर बातिल करने में सच्चा न समझा जायेगा इस की बीवी का मोहर इस पर लाज़िम रहेगा और इसी तरह अगर कुछ क़र्ज़ा कर लिया या किसी आदमी से मुबायअत की या किसी की किफ़ालत की या किसी को हुबा या सदक़ा दे कर सुपुर्द किया या अपने ग़ुलाम को मकातिब किया या मुदब्बिर या आज़ाद किया फिर इक़रार किया कि मैं फ़लां का ग़ुलाम हूं तो इन में से किसी चीज़ के बातिल करने में उस के क़ौल की तसदीक़ (1) यह होगी यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

(1) क़ौलहू तसदीक+ न होगी यानी अपने इक़रार से वो ममलूक मक़रहू इक़रार दिया जायेगा लेकिन इस का इक़रार इस के तसरूफ़ात मज़कूरह बातिल हो जाने में मौस्सिर न होगा।

किताबुल लुक़ता

लुक़ता को लक़ीत के बाद लाने में मुसन्निफ़ रह० ने यक़ीनन यह अफ़ज़लियत पैशे नज़र रखी होगी कि इन्सान का बच्चा लुक़ता (गिरी पडी चीज़) से हर हाल में अफ़ज़ल है मुल्तक़ित लुक़ता की शनाख़्त बतौर मज़कूर बाज़ारों व रास्तों पर इतनी मुद्दत तक करादे कि इस के ग़ालिब गुमान में आजाये

करने के इस के कथन की पुष्टि न होगी (अगरचे लक़ीत पुष्टि करे) यह फ़तवा क़ाज़ी खान में है और ज़ख़ीरा में लिख है किएक तफ़ल लक़ीत एक व्यक्ति मुसम्मा ज़ैद के क़ब्ज़ा में है कि वो इस की निस्बत दअवा नहीं करत है पस एक औरत हिन्दा ने दअवा किया और गवाह दिये कि मैं इस तफ़ल को जनी हूं मगर बाप का नाम नहीं बयान किया और एक मर्द मुसम्मा उमरो ने दअवा किया और गवाह दिये कि यह मेरी फ़राश से पैदा हुआ है मगर इस की मां का नाम नहीं लिया तो लक़ीत वर्णित इस मर्द मुदआ का इस अैरत मुदअइया से बेटा क़रार दिया जायेगा गोया कि यह औरत उस को इस मर्द के फ़राश कसे जनी है ऐसा क़रार दिया जायेगा और इसी तरह अगर तफ़ल वर्णित इसी मर्द मुदआ या इसी औरत मुदअइया के क़ब्ज़ा में हो और बाक़ी मसला बहालहा स्थपित हो तो भी कयही हुक्म होगा और क़ब्ज़ा की वजह से कुछ तरजीह न होगी। एक लक़ीत एक ज़िम्मी के क़ब्ज़ा में है जो दअवा करता है कि यह मेरा बेटा है पस एक मर्द मुसलमान आया और उस ने मुसलमान गवाह पैश किये कि यह मेरा बेटा है या ज़िमी गवाह क़ायम किये और ज़िम्मी क़ाबिज़ ने मुसलमान गवाह पैश किये कि यह उस का बेटा है तो क़ब्ज़ा की वजह से ज़िम्मी को मुसलमान पर तरजीह दी जायेगी यह तातार खानिया में है और अगर लक़ीत ने बालिग़ होकर किसी से मवालात करली तो इस की दिला जायज़ है और अगर इस से पहले इस ने कोई जिनायत की हो कि बैतुल माल से इस का जुर्माना अदा किया गया हो तो इस की दिला जायज़ न होगी और मुल्तक़ित को लक़ीत पर चाहे मुज़क्किर हो या मौन्निस हो किसी तरह के तसर्रुफ़ का मिस्ल विक्रय व ख़रीद व निकाह कर देने वग़ैरह का इख़्तयार नहीं होता है उस को फ़क़त उस की हिफ़ाज़त करने का इख़्तयार है और मुल्तक़ित को उस के ख़ला करने का भी इख़्तयार नहीं है चुनांचे अगर इस का ख़ला करदिया और वो उस से मर गया तो मुल्तक़ित ज़ामिन होगा और मुल्तक़ित को यह इख़्तयार है कि लक़ीत जहां चाहे ले जाये यह फ़तावा क़ाज़ी खान में है।

मुल्तकित ने लकीत पर अपना ज़ाती माल